उत्तर प्रदेश 2020

उत्तर प्रदेश-2020

(वर्ष 2019-2020 के तथ्यों पर आधारित)

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग उ.प्र.
लखनऊ

ISBN : 978-81-946090-2-5

प्रस्तुति एवं परिकल्पना : शिशिर
निदेशक-सूचना

: श्री चन्द्र विजय वर्मा
सूचना अधिकारी, वार्षिकी उ०प्र०

सम्पादकीय मार्गदर्शन : श्री विनोद कुमार पाण्डेय-संयुक्त निदेशक,
श्री हेमंत कुमार सिंह-संयुक्त निदेशक,
श्री त्रिलोकी राम- उप निदेशक,
श्री अंजुम नकवी- उप निदेशक,
श्री राम मनोहर त्रिपाठी- सहायक निदेशक
श्री ललित मोहन श्रीवास्तव-सहायक निदेशक,
श्री चन्द्र विजय वर्मा- सूचना अधिकारी (विशेष सहयोग)
एवं सूचना ब्यूरो के समस्त अधिकारी।

विशेष सहयोग : श्री शिव राम सिंह- शोध अधिकारी
श्री सुधीर कुमार निगम (गैर सरकारी सदस्य)
श्रीमती वोल्गा तिवारी (आउटसोर्स)
श्री अनिरुद्ध आनन्द देव शर्मा (आउटसोर्स)
श्री अशोक कुमार यादव- लैब अटेण्डेण्ट

संस्करण : 2020

मूल्य : रु. 325/-

प्रकाशक : भारत बुक सेन्टर
17, अशोक मार्ग, लखनऊ
फोन : (0522) 2288381, (0522) 4041222

सर्वाधिकार : सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

मुद्रक : ए पी पी प्रेस, लखनऊ

प्राक्कथन

संदर्भ ग्रन्थ 'वार्षिकी उत्तर प्रदेश' शृंखला की अगली कड़ी के रूप में वार्षिकी **'उत्तर प्रदेश–2020'** के हिन्दी संस्करण के प्रकाशन पर अत्यन्त प्रसन्नता एवं गर्व की अनुभूति हो रही है। यह संदर्भ ग्रन्थ उत्तर प्रदेश सरकार का एक महत्त्वपूर्ण प्रकाशन है। बुद्धिजीवियों, प्रतियोगी छात्र–छात्राओं, शोधकर्ताओं एवं प्रबुद्ध नागरिकों के लिए वार्षिकी अपनी संदर्भीय उपयोगिता तथा प्रासंगिकता सिद्ध कर चुकी है।

वार्षिकी में वित्तीय वर्ष 2019–2020 के प्रदेश सरकार के विकास कार्यक्रमों एवं योजनाओं तथा नीतियों की जानकारियों के अतिरिक्त प्रदेश की भौगोलिक, ऐतिहासिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन आदि से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण सामग्री का समावेश किया गया है। प्रदेश की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति से सम्बन्धित प्रमाणिक आंकड़ों के साथ–साथ जनपदों की प्रमाणिक जानकारियों एवं राष्ट्रीय महत्त्व की संदर्भ सूचनाओं को भी इसमें शामिल किया गया है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य व इन्द्रधनुषी साझी संस्कृति देश–विदेश में आकर्षण का केंद्र रही है।

'उत्तर प्रदेश–2020' के माध्यम से प्रदेश की गौरवपूर्ण विरासत से परिचित कराने का सार्थक प्रयास किया गया है, साथ ही बहुआयामी, बहुरंगी और विविधताओं वाले इस विराट प्रदेश को देखने और जानने की कोशिश की है। इस स्थायी महत्त्व के प्रकाशन के माध्यम से हम शासन और जनता के बीच सेतु की अपनी भूमिका को और अधिक अर्थवत्ता प्रदान करने का विनम्र प्रयास कर रहे हैं। इसमें प्रदेश के प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, साहित्यकारों, संगीतज्ञों एवं कलाकारों, खिलाड़ियों, पद्म पुरस्कारों, परमवीर चक्र, अशोक चक्र एवं महावीर चक्र से सम्मानित विभूतियों के अतिरिक्त प्रदेश के पर्यटन एवं विकास सम्बन्धी चित्रों और ग्राफों के माध्यम से इसे और अधिक सारगर्भित एवं उपयोगी बनाने का प्रयास किया गया है। इस अंक में उत्तर प्रदेश जिन क्षेत्रों में देश में अग्रणी है, उसका भी विवरण प्रस्तुत किया गया है।

अपर मुख्य सचिव, सूचना श्री डॉ0 नवनीत सहगल तथा प्रमुख सचिव, सूचना श्री संजय प्रसाद जी के हम हृदय से आभारी हैं जिनके कुशल मार्गदर्शन से इस महत्त्वपूर्ण संदर्भ ग्रन्थ का प्रकाशन सफलतापूर्वक सम्पन्न हो सका।

मुझे पूरा विश्वास है कि वार्षिकी **'उत्तर प्रदेश–2020'** शोधकर्ताओं, प्रतियोगी छात्र– छात्राओं, पत्रकारों एवं विषय विशेषज्ञों तथा विभिन्न विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों प्रमाणिक जानकारी देने में सहायक सिद्ध होगा। इसके सम्पादन एवं प्रकाशन कार्य में सम्पादक एवं सम्पादक मण्डल द्वारा पर्याप्त सजगता एवं सावधानी बरतने का हर सम्भव प्रयास किया गया है, फिर भी यदि कहीं कोई कमी रह गई हो तो सुधी पाठकों के सहयोग से उसे भविष्य में परिपूर्ण बनाने का प्रयास किया जायेगा। आशा है कि पुस्तक की विषय वस्तु एवं इसमें संग्रहीत सूचनाएं ज्ञानवर्धक होंगी।

(शिशिर)
सूचना निदेशक

आभार

सन्दर्भ ग्रन्थ वार्षिकी उ0प्र0–2020 का सम्पादन एक वृहद, जटिल, श्रमसाध्य एवं पूर्णकालिक कार्य है, जिसका प्रारंभ नये वित्तीय वर्ष के साथ हो जाता है। जुलाई 2020 में बजट सामग्री उपलब्ध होने के बाद उसका अनुशीलन एवं सम्पादन विभाग के संयुक्त निदेशक सूचना श्री विनोद कुमार पाण्डेय एवं श्री हेमंत कुमार सिंह के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ है। संक्षिप्तीकरण/संपादन कार्य में विभागीय दृष्टिकोण के अनुसार वरिष्ठ पत्रकार श्री प्रद्युम्न तिवारी (पूर्व राज्य ब्यूरो प्रमुख, अमर उजाला), श्री रतिभान त्रिपाठी राज्य ब्यूरो चीफ, देश बन्धु, श्री सुरेन्द अग्निहोत्री ब्यूरो चीफ दैनिक भास्कर एवं डॉ. सुधीर कुमार निगम सेवानिवृत्त अर्थ एवं संख्या अधिकारी ने श्रमसाध्य सहयोग करते हुए इस महत्त्वपूर्ण संदर्भ ग्रन्थ के रूपायन में अपना अमूल्य योगदान किया है।

इस पुस्तक के प्रकाशन में सम्पादकीय सहयोग देने के लिए सम्पादक मण्डल के सदस्य एवं सामग्री संकलन में सहयोग के लिए सूचना ब्यूरो के अधिकारियों की भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रही है और प्रभारी सूचना ब्यूरो श्री एस.पी. श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में सहयोग देने वाले सूचना ब्यूरो के समस्त अधिकारीगण प्रकाशन की सफलता में भागीदार हैं। इसके अलावा संदर्भ शाखा के मेरे समस्त सहयोगियों ने भी मुझे भरपूर सहयोग किया है। इसके लिए मैं सभी महानुभावों का हृदय से आभारी हूँ।

संपादक मण्डल

प्रकाशकीय

यह हमारे लिए प्रसन्नता एवं गर्व की बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार के महत्त्वपूर्ण एवं प्रतिष्ठित प्रकाशन वार्षिकी **"उत्तर प्रदेश– 2020"** को प्रकाशित करने का अवसर हमें सत्तरवीं बार दिया गया। उत्तर प्रदेश सूचना विभाग का यह सन्दर्भ ग्रन्थ, सन्दर्भीय उपयोगिता की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एवं उपयोगी प्रकाशन हो गया है। हम **सूचना निदेशक श्री शिशिर जी** के हृदय से आभारी हैं कि उन्होंने इस प्रतिष्ठित पुस्तक को प्रकाशित करने के लिये हमें उपयुक्त पात्र समझा।

इस संदर्भ ग्रन्थ के प्रकाशन के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा करने का जो अवसर उत्तर प्रदेश सरकार ने हमें दिया है, हम उसके लिए सरकार के पुनः हृदय से आभारी हैं। उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित इस महत्त्वपूर्ण संदर्भ ग्रन्थ के प्रकाशन में मुद्रण एवं प्रूफ सम्बन्धी त्रुटियाँ न रहने पायें इसके लिए विशेष प्रयास किया गया है। सन्दर्भ ग्रन्थ के प्रकाशन में तमाम सावधानियों के बावजूद मुद्रण एवं प्रूफ सम्बन्धी त्रुटियों का रह जाना स्वाभाविक है, अतः उन्हें बहुत महत्त्व न देकर संदर्भ ग्रन्थ की विषयवस्तु, उसका उद्देश्य, उसकी उपयोगिता एवं उसके संयोजन को महत्त्व देना ही समीचीन होगा।

वीरेन्द्र बाहरी
प्रकाशक

अनुक्रम

उत्तर प्रदेश बजट– 2020-2021		(xvii-xxvi)
उत्तर प्रदेश : एक नजर में		(xxvii-xxviii)
जिलों का क्षेत्रफल : जनसंख्या और मुख्यालय		(xxix-xxx)
☐	**प्रथम खण्ड : सामान्य**	
1.	उत्तर प्रदेश परिचय (भौगोलिक, प्राकृतिक एवं जनगणना)	1-8
2.	इतिहास	9-50
3.	संवैधानिक प्रणाली	51-56
4.	उ0प्र0 नवनिर्मित दर्शनीय स्थल एवं विभूतियाँ	57-102
5.	प्रदेश के जनपदवार दर्शनीय स्थल	103-120
6.	हिन्दी साहित्य और उर्दू अदब	121-131
7.	हिन्दी और उर्दू पत्रकारिता	132-154
8.	सांस्कृतिक विरासत	155-181
9.	उत्तर प्रदेश और सिनेमा	182-187
10.	दर्शनीय स्थल एवं मेले	188-207
11.	अर्थ व्यवस्था/आर्थिक समीक्षा	208-248
12.	सामाजिक स्थिति	249-256
☐	**द्वितीय खण्ड : वित्त एवं नियोजन**	
13.	नियोजन	257-269
14.	वित्त	270-288
☐	**तृतीय खण्ड : कराधान**	
15.	राजस्व	289-303
16.	आबकारी	304-312
17.	संस्थागत वित्त	313-316
18.	वाणिज्य कर/मनोरंजन कर	317-322
19.	स्टाम्प एवं निबन्धन	323-329
☐	**चतुर्थ खण्ड : कृषि एवं ग्राम्य विकास**	
20.	कृषि	330-352
21.	ग्राम्य विकास	353-367
22.	पंचायती राज	368-373
23.	(सिंचाई एवं जल संसाधन) जल शक्ति	374-388
24.	पशुधन	389-398
25.	दुग्ध विकास	399-405
26.	मत्स्य विकास	406-411
27.	सहकारिता	412-416
28.	वन एवं वन्य जीव	417-424
29.	नमामी गंगे	425-438

30.	उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण	439-455
31.	परती भूमि विकास	456-461
32.	ग्रामीण अभियंत्रण	462-463
☐	**पंचम खण्ड : सार्वजनिक सेवाएँ**	
33.	बेसिक शिक्षा	464-476
34.	माध्यमिक शिक्षा	477-484
35.	उच्च शिक्षा	485-492
36.	प्राविधिक शिक्षा	493-502
37.	चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण	503-505
38.	व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास	506-512
39.	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	513-517
40.	आयुष	518-526
41.	परिवार कल्याण	527-537
42.	नगर विकास	538-549
43.	नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम	550-552
44.	जल सम्पूर्ति	553-567
45.	आवास एवं शहरी नियोजन	568-678
46.	खाद्य एवं रसद तथा उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप	579-589
47.	उ.प्र. राज्य भण्डारण निगम	590-593
☐	**षष्ट खण्ड : लोक कल्याण**	
48.	समाज कल्याण	594-608
49.	अनुसूचित जनजाति कल्याण	609-618
50.	महिला कल्याण तथा बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार	619-630
51.	अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक़्फ़	631-640
52.	पिछड़ा वर्ग कल्याण	641-645
53.	दिव्यांगजन सशक्तिकरण	646-652
54.	सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास	653-661
55.	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण एवं राजनीतिक पेंशन	662
56.	श्रमिक कल्याण एवं सेवायोजन	663-683
57.	खेल	684-688
58.	प्रान्तीय रक्षक दल/विकास दल एवं युवा कल्याण	689-693
59.	उ0प्र0 पुनर्गठन समन्वय	694
☐	**सप्तम खण्ड : अवस्थापना विकास**	
60.	लोक निर्माण	695-706
61.	राज्य सम्पत्ति	707-710
62.	ऊर्जा	711-717
63.	अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत	718-728
64.	राज्य सड़क परिवहन	729-751
65.	नागरिक उड्डयन	752-756

☐	**अष्टम खण्ड : औद्योगिक विकास**	
66.	औद्योगिक विकास	757-769
67.	सूक्ष्म, लघु उद्योग एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन	770-781
68.	सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो	782-783
69.	भूतत्व एवं खनिकर्म	784-788
70.	हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग	789-798
71.	खादी एवं ग्रामोद्योग	799-811
72.	रेशम विकास	812-816
73.	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	817-821
74.	गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग	822-826
75.	पर्यटन	827-832
76.	पर्यावरण	833-838
77.	उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	839-846
78.	सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स	847-867
79.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	868-877
☐	**नवम खण्ड : लोक प्रशासन**	
80.	कानून एवं व्यवस्था	878-888
81.	कारागार प्रशासन एवं सुधार	889-899
82.	न्याय प्रशासन	900-903
83.	लोक आयुक्त	904-907
84.	लोक सेवा प्रबन्धन	908
85.	सामान्य प्रशासन एवं प्रशासनिक सुधार	909-914
86.	होमगार्ड्स	915-916
87.	सचिवालय प्रशासन	917-919
88.	नियुक्ति एवं कार्मिक	920
89	अप्रवासी भारतीय प्रकोष्ठ	921-922
90.	विधायी विभाग	923
☐	**दशम खण्ड : विविध**	
91.	संस्कृति	924-932
92.	राष्ट्रीय एकीकरण	933-934
93.	भाषा	935-949
94.	सूचना एवं प्रचार	950-972
95.	उ.प्र. नागरिक सुरक्षा संगठन	973-977
96.	धमार्थ कार्य	978-979
97.	भारत सरकार के संस्थान, संगठन एवं कार्यालय	980
☐	**एकादश खण्ड : जनपद एक नजर में**	
98	उत्तर प्रदेश के जनपद : एक नजर में	981-1015
☐	**द्वादश खण्ड : परिशिष्ट**	
99.	भारत के राष्ट्रपति	1016
100.	भारत के उपराष्ट्रपति	1017

101.	भारत के प्रधानमंत्री	1018
102.	उत्तर प्रदेश के राज्यपाल	1019
103.	उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री	1020-1021
104.	उत्तर प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष	1022
105.	उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के सभापति	1023
106.	इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश	1024-1025
107.	उत्तर प्रदेश से राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य	1026
108.	उत्तर प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय	1027-1029
109.	उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त	1030
110.	उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव	1031-1032
111.	भारत के मुख्य न्यायाधीश	1033-1034
112.	भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त	1035
113.	संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष	1036
114.	मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश	1037
115.	राज्य निर्वाचन आयुक्त	1038
116.	राज्य मुख्य सूचना आयुक्त/राज्य सूचना आयुक्त	1038
117.	उ.प्र. के समस्त निगम/आयोगों के अध्यक्ष	1039
118.	कमाण्डर इन चीफ/चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (थल सेना, नौ सेना, वायु सेना)	1040-1042
119.	केन्द्रीय मंत्रिमण्डल	1043-1044
120.	उत्तर प्रदेश से लोक सभा के सदस्य	1045
121.	उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य	1046
122.	उत्तर प्रदेश मंत्रिमण्डल	1047-1048
123.	उत्तर प्रदेश विधान सभा सदस्य	1049-1054
124.	उत्तर प्रदेश से विधान परिषद के सदस्य	1055-1056
125.	भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति	1057-1058
126.	नोबेल पुरस्कार विजेता (भारतीय)	1059-1060
127.	प्रमुख राष्ट्रीय पर्व एवं अन्तर्राष्ट्रीय दिवस	1061
128.	उ.प्र. विधानसभा की स्थायी समितियाँ	1062
129	उ.प्र. सरकार द्वारा वर्ष 2019 में सम्मानित हिन्दी साहित्यकार एवं विद्वान	1063
130.	ज्ञानपीठ पुरस्कार से अलंकृत उत्तर प्रदेश के रचनाकार	1064
131.	यशभारती सम्मान	1064-1070
132.	उत्तर प्रदेश सरकार से सम्बन्धित वेबसाइट्स	1071-1072

उत्तर प्रदेश सरकार की अभिनव उपलब्धियाँ एवं नवीन योजनाएं

कोविड विशेष :-

कोरोना महामारी और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के सरकार के प्रयास

विश्व वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रहा है। प्रदेश की जनता को इस महामारी से बचाने के लिए प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने देश में सर्वाधिक 2.38 करोड़ लोगों की कोरोना जाँच कराये। इस प्रकार प्रतिदिन 1.50 लाख से अधिक कोविड टेस्ट करने वाला देश का पहला राज्य बना। माननीय मुख्यमंत्री जो के निर्देश में देश का सबसे बड़ा प्लाज्मा बैंक उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया। 96.04 प्रतिशत की रिकवरी दर के साथ सभी राजकीय चिकित्सालयों में कोरोना संक्रमितों का मुफ्त उपचार किया गया। हर जिले में लाइफ सपोर्ट एम्बूलेंस की उपलब्धता के साथ ही गोरखपुर और रायबरेली में एम्स की स्थापना की गयी। प्रदेश में अनरू स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से संचालित होती रहें इसके दृष्टिगत टेलीमेडिसिल की सुविधा प्रदान की गयी।

नोएडा में 300 कोविड बेड के चिकित्सालय की स्थापना।

के0जी0एम0यू0, लखनऊ में 320 कोविड बेड अस्पताल की स्थापना।

बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में 300 कोविड बेड चिकित्सालय की स्थापना।

स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय, प्रयागराज में 340 कोविड बेड की स्थापना।

प्राइवेट प्रयोगशालाओं में मात्र 600 रुपये में कोरोना जांच की सुविधा तय की गयी।

प्रदेश में 45 सरकारी RTPCR, 78 ट्रूनेट जांच केन्द्रों की स्थापना और सभी जिलों में एंटीजेन टेस्ट सुविधा उपलब्ध।

कोविड-19 एवं डेंगू के इलाज के लिए एफेरेसिस व केमिल्यूमिनिसेंस की सुविधा उपलब्ध।

सभी मेडिकल कालेजों और सभी जिलास्तरीय चिकित्सालयों में आइसोलेशन वार्ड स्थापित।

गोरखपुर एवं प्रयागराज में ओबास-6800 लैब की स्थापना।

कोरोना की जांच के लिए राजकीय एवं निजी मेडिकल कालेजों में बी0एस0एल0 लैब की स्थापना।

प्रदेश में टीकाकरण की तैयारियाँ :-

देश के सबसे अधिक जनसंख्या के प्रदेश को कोरोना जैसी जानलेवा महामारी से बचाने के लिए टीकाकरण की तैयारियां कर ली गयी हैं। सरकार द्वारा तीन चरणों में टीकाकरण कराये जाने के क्रम में देश के सर्वाधिक, लगभग 5 लाख लोगों का टीकाकरण किया गया और यह क्रम जारी है। पहले चरण में 9 लाख सरकारी एवं गैर सरकारी स्वास्थ्यकर्मियों तथा दूसरे चरण में प्रथम पंक्ति के स्वास्थ्य कर्मियों तथा तीसरे चरण में 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों एवं अन्य गम्भीर बीमारियों से ग्रसित लोगों का टीकाकरण किये जाने का कार्य प्रगति पर है।

पहले चरण में लगभग 1500 टीमों ने टीकाकरण का कार्य किया। प्रत्येक टीम प्रतिदिन लगभग 100 लोगों का टीकाकरण तथा लगभग 2.5 लाख लीटर वैक्सीन स्टोरेज के लिए 1300 सेंटर स्थापित किए गए हैं। प्रत्येक सेंटर में सी0सी0टी0वी0 कैमरे की व्यवस्था की गयी है।

किसान कल्याण मिशन शक्ति विकास खण्ड स्तर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम

किसान कल्याण मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के 825 विकास खण्डों में किसान कल्याण मिशन के माध्यम से जागरूकता महाअभियान की शुरूआत की गई। किसान मेला एवं कृषि प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।

कृषि एवं कृषि पर आधारित गतिविधियों के विकास से किसानों की आय दोगुना करने का प्रावधान किया गया।

प्रगतिशील किसानों को रोलमॉडल के रूप में सम्मानित किया गया।

पी0एम0 किसान सम्मानित योजना के लाभ हेतु शिविर मुहिम चलाया गया।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं संशोधित मौसम पर आधारित फसल बीमा योजना के लिए जागरूक किया गया।

एम0एस0पी0 पर उपज एवं बिक्री हेतु किसानों को जागरूक किया गया।

कृषि की रक्षा के लिये रासायनों का वितरण किया गया।

पराली प्रबन्ध के विषय में जागरूक किया गया।

जैविक खेती तथा प्राकृतिक कृषि प्रद्धति के विषय में जागरूकता।

कृषि उत्पादन संगठन को स्वीकृत फार्म मशीनरी बैंक तथा बीज विधायन संयत्र की स्वीकृति पत्र/चेक वितरण भी किया गया।

सोलर पंप डिमान्सट्रेशन, इन्टीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का प्रचार-प्रसार किया गया।

मुख्यमंत्री कृषक उपहार योजना के अन्तर्गत ट्रैक्टर सहित अन्य उपकरणों का वितरण किया गया।

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना, मुख्यमंत्री खेत खलियान अग्नि दुर्घटना बीमा योजना एवं मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को अनुदान वितरण किया गया।

गन्ने की खेती, नई तकनीक, नई प्रजाती, अन्तर फसलीय प्रणाल तथा ड्रिप इरीगेशन प्रणाली का प्रचार-प्रसार किया गया।

स्प्रिंकलर/ड्रिप सिंचाई प्रणाली का डिमान्सट्रेशन किया गया।

खाद्य प्रसंस्करण ईकाइयों के लिये अनुदान/ब्याज अनुदान के स्वीकृति पत्र का वितरण किया गया।

दुधारू पशुओं के नस्ल सुधार हेतु राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम के प्रति जागरूक किया गया।

बैकयार्ड सुअर पालन, अण्डा उत्पादन, बायलर पालन एवं पशुधन बीमा योजना सम्बन्धी स्वीकृति पत्र/सहायता राशी का वितरण किया गया।

पशुओं का खुरपका-मुपका टीकाकरण की व्यवस्था की गई।

पशुओं की इयरटंगिग के प्रति जागरूकता।

गो-आश्रय स्थलों में पराली को चारे के रूप में प्रेषित करने तथा निराश्रित गो-आश्रय स्थलों की गायों को परिवारों द्वारा अपनी देख-रेख में लाने की योजना का प्रचार-प्रसार किया गया।

कृषि व्यवसाय आधारित स्वयं सहायता समूह के उत्पादों की प्रदर्शनी भी की गई।

मनरेगा से जुड़े कृषि कार्यों का प्रचार-प्रसार किया गया।

भूमि संरक्षण, वर्मीकम्पोस्ट, कैटल शेड, मत्स्य तालाब व औद्यानीकरण कार्यक्रमों के प्रति जागरूक किया गया।

लघु सिंचाई, मत्स्य, रेशम, नेडा, वन विभाग, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के कार्यकलापों का डिस्प्ले भी किया गया।

'मिशन शक्ति' अभियान के अन्तर्गत महिला कृषकों की सहभागिता भी की गई।

विगत 3.5 वर्षों में उत्तर प्रदेश के किसानों के कल्याण में उठाये गये महत्वपूर्ण कदम

पी0एम0 किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत रु. 27 हजार 101 करोड़ की राशि हस्तान्तरित की गई।

रु. 36 हजार करोड़ से 86 लाख लघु एवं सीमान्त किसानों का ऋण मोचन किया गया।

गन्ना किसानों को रु. 1.15 लाख करोड़ गन्ना मूल्य का रिकार्ड भुगतान किया गया।

गंगा किनारे असंख्य दीपों की रोशनी आलौकिक है काशी की देव दीपावली,

दिनांक 30 नवम्बर, 2020 देव दीपावली उत्सव

प्रदेश की लोक संस्कृति की लोकप्रिय विधाओं को गांव-गांव तक पहुँचाया गया। भारत के मा0 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी एवं मा0 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं अन्य गणमान्य महानुभावों द्वारा शुभारम्भ किया गया।

उत्तर प्रदेश सरकार ने गंगा असंख्य दीपों की देव दीपावली मनाई, जिसका अलौकिक प्रकाश दूर देशों तक फैला और सभी के लिये आनन्दमय उत्सव बना। बनारस आध्यात्मिक नगरी इस उत्सव की साक्षी बनी। इस तरह ऐतिहासिक दीप दीपावली मनायी गई।

मुख्य आकर्षण

मां गंगा के दोनों किनारों और घाटों पर 11 लाख से अधिक दियों का प्रज्ज्वलन।

काशी में प्रथम बार डिजीटल देव दीपावली।

भव्य लेजर शो।

काशी के प्रमुख धार्मिक स्थलों की जानकारी हेतु पर्यटन विभाग, उ0प्र0 के वेबसाइट 'पावन पथ' की लॉन्चिंग।

राजघाट और अन्य मुख्य घाटों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम : सारनाथ में लाइट एण्ड साउण्ड शो।

दीपज्योतिः परबह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः।
दीपो हरतु मे पापं दीपज्योतिर्नमोडस्तुते।।

दिव्य दीपोत्सव अयोध्या दिनांक 12 एवं 14 नवम्बर, 2020

मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम की पावन भूमि अयोध्या पर दिव्य दीप उत्सव दिनांक 12 एवं 14 नवम्बर, 2020 को माननीया आनन्दीबेन पटेल, राज्यपाल उत्तर प्रदेश, मा0 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उत्तर प्रदेश डॉ0 दिनेश शर्मा, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, नीलकंठ तिवारी, राज्यमंत्री, पर्यटन/संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य स्वतंत्र प्रभार प्रोटोकाल (एम0ओ0एस0), महापौर ऋषिकेश उपाध्याय, लल्लू सिंह सांसद, अयोध्या, विधायक अयोध्या वेद प्रकार गुप्ता उक्त माननीय द्वारा दिनांक 13 नवम्बर, 2020 स्थान अयोध्या दिव्य दीपोत्सव 5 लाख 51 हजार से अधिक दीपों से जगमग दिव्य दीपोत्सव मनाया गया।

मुख्य आकर्षण

सीता-राम का हैलीकाप्टर से राम कथा पार्क में प्रतीकात्मक अवतरण।
श्रीराम व सीता स्वरूप का प्रतीकात्मक राज्याभिषेक।
मंत्रोच्चारण के साथ सरयू जी की आरती।
राम की पैड़ी पर सांस्कृतिक का आयोजन।
भव्य लेजर आतिशबाजी।
रामलीला का मंचन।
रामलला के मन्दिर में वर्चुअल दीपोत्सव।
एक क्लिक पर वर्चुअल दीप प्रज्ज्वलित करें। virtualdeepotsav.com

किसान कल्याण के हित में वर्तमान सरकार की महत्वपूर्ण योजनायें/कार्यक्रम

समर्थन मूल्य प्राप्त करना धान खरीदते समय सभी किसानों का अधिकार है। प्रदेश में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत सरकारी धान की खरीद प्रारम्भ पंजीयन कराये, समर्थन मूल्य का किसान लाभ उठायें।

एजेन्सियों के नाम

एजेन्सी	केन्द्र
खाद्य विभाग की विपरण शाखा, पंजीकृत शाखा, मल्टी स्टेट को-आपरेटिव सोसाइटी सहित	1200
उ0प्र0 खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम (एस0एफ0सी0)	150

उत्तर प्रदेश सरकारी संघ	1350
उत्तर प्रदेश को-आपरेटिव यूनियन (पी0सी0यू0)	500
उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद	150
उ0प्र0 उपभोगता सरकारी संघ लि0 (यू0पी0एम0एस0)	160
उ0प्र0 राज्य कृषि औद्योगिक निगम (यू0पी0 स्टेट एग्रो)	70
उ0प्र0 कर्मचारी कल्याण निगम,	60
नेशनल एग्रीकल्चर को-आपरेटिव मार्केटिंग फैडरेशन ऑफ इण्डिया (नेपैड)	100
एन0सी0सी0एफ0	140
भारतीय खाद्य निगम	120

पंजीकृत सरकारी समितियाँ, पंजीकृत मल्टी सेक्टोरल/मल्टी स्टेट को-आपरेटिव सोसाइटी तथा पंजीकृम कामर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन (एफ0सी0ओ0) तथा कामर्स प्रोड्यूसर कम्पनी एफ0सी0पी0 केन्द्र खुलवाकर उनसे खरीद करवाई जायेगी।

कृषक बंधु खाद्य विभाग के पोर्टल fcs.up.gov.in पर पंजीयन करें।

कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के तहत पारदर्शी धान खरीद की व्यवस्था।

धान के मूल्य का भुगतान सीधे किसानों के बैंक खाते में यथासम्भव 72 घण्टे के अन्दर किया जायेगा।

कृषक बंधुओं से सीधे की जायेगी धान खरीद।

धान खरीद के लिये ऑनलाइन होगा किसानों का पंजीयन।

बटाईदार एवं अनुबन्ध पर खेती कराने वाले किसान भाइयों से भी धान खरीद की जायेगी, जिसके लिये उन्हें सहमति पत्र/अनुबन्ध पत्र प्रस्तुत करना होगा।

मंगलवाल एवं शुक्रवार एवं सीमानत कृषकों से धान क्रय हेतु आरक्षित।

धान खरीद केन्द्र प्रतिदिन प्रातः 9 बजे से सायं 5 बजे तक खुले रहेंगे। (रविवार एवं राजपत्रित अवकाश को छोड़कर)

धान का समर्थन मूल्य धान कॉमन रु. 1800/- प्रति कुन्तल एवं ग्रेड 'ए' रु. 1888/- प्रति कुन्तल है।

योजना का लाभ उठाने हेतु किसान अपने बैंक खाते सी0बी0एस0सी0 कोड भरने में विशेष सावधानी बरतें।

राजकीय केन्द्रों पर 17 प्रतिशत या उससे कम नमी का धान क्रय किया जाता है।

अतः किसान भाइयों से अपील है कि अपना धान अच्छी तरह साफ करके खरीद केन्द्रों पर लाये।

धान की गुण विनिर्दिष्टियों अधिकतम सीमा प्रतिशत में,

1) विजातीय पदार्थ

क) अकार्बनिक	1.00
ख) कार्बनिक	1.00

2)	छतिग्रस्त, बदरंग, अंकुरित एवं घुने हुए	5.00
3)	अपरिपक्क, संकुचित एवं सिकड़े हुए दाने	3.00
4)	अधोमानक प्रजाति का अपमिश्रण	6.00
5)	नमी	17.00

क्षतीग्रस्थ, अंकुरित एवं घुने हुए दाने 4.00 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए।

किसी भी सहायता के लिये टोल फ्री नम्बरः 1800-1800-150 या सम्बन्धित जनपद के जिला खाद्य विपरण अधिकारी, तहसील के क्षेत्रीय विपरण अधिकारी या ब्लाक के विपरण के निरीक्षक से सम्पर्क कर सकते हैं।

चमका चौरी चौरा,
मा० प्रधानमंत्री ने किया शताब्दी महोत्सव का शुभारंभ

मुख्यमंत्री योगी ने प्रदेश के माध्यमिक स्कूलों के पाठ्यक्रम में चौरी-चौरा की ऐतिहासिक घटना को शामिल करने के निर्देश दिए हैं। उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद अब इसे कोर्स में शामिल करने की तैयारी कर रहा है। इस घटना के सौ साल पूरे हो गये हैं। गोरखपुर के चौरी-चौरा में चार फरवरी, 1922 को आजादी के लिए वीर जवानों ने अंग्रेजी हुकूमत से भिडंत के बाद पुलिस चौकी में आग लगा दी थी। इसमें 22 पुलिस कर्मियों की मौत हो गयी थी। यह घटना चौरी-चौरा जन आक्रोश के रूप में जानी जाती है। अब शहीदों के इसी शौर्य गाथा को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाएगा। विद्यार्थी इस जनक्रांति में शहीद हुए वीरों के इतिहास पढ़ सकेंगे। साथ ही इस घटना के स्थान का भी अनुभव कर सकेंगे। पहले चरण में गोरखपुर मंडल देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर व गोरखपुर के 400 राजकीय व एडेड माध्यमिक स्कूलों के विद्यार्थियों को इस स्थल का भ्रमण भी कराया जाएगा। फिर दूसरे मंडल के स्कूलों के विद्यार्थियों को भ्रमण कराया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर चौरी-चौरा शताब्दी समारोह के दौरान प्रदेश के सभी माध्यमिक स्कूलों में गुरुवार से आगामी एक वर्ष तक प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। निबंध, चित्रकला, पोस्टर, क्विज, स्लोगन, कविता लेखन व भाषण प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। विद्यालय स्तर से प्रतियोगिताओं की शुरूआत होगी और फिर राज्य स्तर तक प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी।

शौर्य व बलिदान की दमक इतिहास के पन्नों और वक्त के गर्द-ओ-गुबर में कभी दफन नहीं हुआ करती। इस बात का गवाह है चौरी-चौरा। सौवें साल में यहां के बलिदानियों की सरफरोशी, बाजुओं के जोर और जज्बे की कहानी जनमानस के मन-मस्तिष्क पर नए सिरे से उभर रही है लोगों का हुजूम आ रहा है और मेला लग रहा है।

देश में अग्रणी...

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तीव्र क्रियान्वयन के लिए प्रथम पुरस्कार।
प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत देश में सर्वाधिक 7.02 करोड़ खाते खोले गए।
श्रमिकों, स्ट्रीट वेन्डर्स, रिक्शाचालकों, कुलियों व पल्लेदारों को भरण-पोषण भत्ता ऑनलाइन उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य।
देश में सर्वाधिक 15 लाख लोगों का कोरोना वैक्सीनेशन।
देश में सबसे अधिक एम.एस.आई. इकाइयां।
चार वर्षों में 1.25 लाख करोड़ रुपये का रिकार्ड गन्ना मूल्य भुगतान।
गन्ना एवं चीनी उत्पादन में देश में लगातार तीसरी बार प्रथम स्थान।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण एवं शहरी) में 40 लाख से अधिक आवास निर्मित/स्वीकृत कर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम।
गेहूँ, गन्ना, आलू, हरी मटर, दुग्ध, आम एवं आंवला उत्पादन में प्रथम स्थान।
स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत शौचालय (इज्जतघर) निर्माण में प्रथम स्थान।
उज्ज्वला योजना के तहत 1.47 करोड़ परिवारों को गैस कनेक्शन देकर देश में प्रथम।
सौभाग्य योजना में रिकार्ड विद्युत संयोजन के लिए उत्तर प्रदेश पुरस्कृत।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना में प्रथम स्थान।
जनधन योजना लागू करने में प्रथम स्थान।
10 राज्यों में लागू ई-प्रासीक्यूशन प्रणाली के उपयोग में प्रदेश का प्रथम स्थान।
डी.बी.टी. के माध्यम से किसानों को अनुदान के भुगतान में प्रथम स्थान।
बी.एल.सी. घटक आवास निर्माण में प्रथम स्थान।
अटल पेंशन योजना के क्रियान्वयन में देश में प्रथम।
उत्तर प्रदेश द्वारा लागू डिजिटल भूमि प्रबन्धन को स्वर्ण पुरस्कार।
सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन के लिए 01 करोड़ रु. का प्रोत्साहन पुरस्कार।
सर्वाधिक तिलहन उत्पादन के लिए 02 करोड़ रु. का कृषि कर्मण पुरस्कार।

एक जिला-एक उत्पाद (ओ.डी.ओ.पी.) योजना को मिली राष्ट्रीय पहचान।
सर्वाधिक चिकित्सा शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं संचालन में पूरे देश में अग्रणी।
सर्वाधिक 126.10 करोड़ ली. एथनॉल की वार्षिक उत्पादन व आपूर्ति क्षमता।
मातृ मृत्यु दर में 30 प्रतिशत रिकार्ड गिरावट लाने के लिए एम.एम.आर. अवॉर्ड।
मानव वन्य जीव संघर्ष को आपदा घोषित करने वाला उत्तर प्रदेश प्रथम राज्य।
सड़क व हवाई कनेक्टीविटी में सर्वश्रेष्ठ।
ईज आफ डूइंग बिजनेस में रैकिंग में देश में दूसरा स्थान।
'स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण' में सर्वाधिक जन भागीदारी के लिये पुरस्कार।
औद्योगीकरण के लिये भूमि उपलब्धता व आवंटन में शीर्ष 5 राज्यों में शामिल।
स्वच्छ सर्वेक्षण-2019 में राष्ट्रीय स्तर पर 14 निकाय सम्मानित।
सर्वश्रेष्ठ प्राफिट मेकिंग एस.टी.यू. के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार।
स्टार्टअप रैकिंग के तहत एस्पायरिंग लीडर के रूप में पुरस्कार।
एक दिन में सर्वाधिक 25 करोड़ पौधारोपण का बनाया विश्व रिकार्ड।
वृक्षारोपण महाकुम्भ में 39.42 करोड़ पौधों का रोपण। प्रयागराज में निश्चित अवधि में 76824 नि:शुल्क पौध वितरण कर 'गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड' में नाम दर्ज।
उत्तर प्रदेश की 'द मिलियन फार्मर्स स्कूल' योजना को अभिनव प्रयाग मानते हुए इण्टरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, वॉशिंगटन द्वारा अन्य देशों में लागू करने की अनुशंसा।
ई-चालान व्यवस्था लागू कर उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बना।
माइक्रो एण्ड स्मॉल इण्टरप्राइजेज फैसिलिटेशन काउन्सिल का पुरस्कार।
गणतन्त्र दिवस पर उत्तर प्रदेश की झांकी को प्रथम पुरस्कार।
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग को 05 राष्ट्रीय पुरस्कार।
पोषण माह में उत्कृष्ट कार्यों के लिए सोशल मीडिया कैटेगरी में सर्वोच्च पुरस्कार।
आंगनबाड़ी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए 12 कार्यकर्त्रियाँ राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित।
ई-मार्केट प्लेस 'जेम' (GeM) पोर्टल में जेम टॉप बायर पुरस्कार।
कौशल विकास नीति लागू करने वाला पहला राज्य।
ई-प्रोक्योरमेंट में प्रथम स्थान एवं 'बेस्ट परफार्मिंग स्टेट' पुरस्कार।
ई-टेण्डरिंग प्रणाली के शत-प्रतिशत कार्योन्वयन हेतु पुरस्कार।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में 59 लाख लोगों का बीमा कराने का रिकार्ड।
अयोध्या के दीपोत्सव कार्यक्रम में 6,06,569 लाख से अधिक दीप जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड में नाम दर्ज।
शीरे का उत्पादन विगत 15 वर्षों में सर्वाधिक।

●

उत्तर प्रदेश बजट

आय–व्ययक 2020–2021

निम्नलिखित विवरण-पत्र में आय-व्ययक अनुमान 2020-2021 की स्थिति का सारांश दिया गया है

(रु. करोड़ में)

मद	आय-व्ययक अनुमान 2019-2020	पुनरीक्षित अनुमान 2019-2020	आय-व्ययक अनुमान 2020-2021
1	2	3	4
प्रारम्भिक शेष	8225.47	*25435.37	22322.87
1.समेकित निधि			
(1) प्राप्तियाँ			
(क) राजस्व लेखे की प्राप्तियाँ-	391734.40	370265.45	422567.83
(ख) पूँजी लेखे की प्राप्तियाँ-			
(i) ऋणों से प्राप्तियाँ	73268.48	63268.48	75790.70
(ii) ऋणों और अग्रिमों की वसूलियाँ	5681.60	5681.60	2200.00
योग-(ख)- पूँजी लेखे की प्राप्तियाँ	78950.08	68950.08	77990.70
योग-(1)- प्राप्तियाँ	470684.48	439215.53	500558.53
(2) व्यय-			
(क) राजस्व लेखे का व्यय-	363957.04	343983.28	395116.95
(ख) पूँजी लेखे का व्यय-			
(i) पूँजीगत परिव्यय	77641.13	79010.91	81209.49
(ii) ऋणों का प्रतिदान	35374.48	25475.95	34897.43
(iii) ऋण और अग्रिम	2728.45	3357.89	1636.85
योग-(ख)- पूँजी लेखे का व्यय	115744.06	107844.75	117743.77
योग-(2)- व्यय	479701.10	451828.03	512860.72
समेकित निधि में घाटा(-)/बचत(+)	(-) 9016.62	(-) 12612.50	(-) 12302.19
2- आकस्मिकता निधि (शुद्ध)	0.00	0.00	0.00
3- लोक लेखा (शुद्ध)	9500.00	9500.00	8500.00
समस्त लेन-देनों का शुद्ध परिणाम	483.38	(-) 3112.50	3802.19
अन्तिम शेष	8708.85	22322.87	18520.68

* भारतीय रिजर्व बैंक में राज्य के खाते के अनुसार।

वित्तीय वर्ष 2020-2021 के बजट के मुख्य बिन्दु

- **प्रस्तुत बजट का आकार 5 लाख 12 हजार 860 करोड़ 72 लाख रुपये (5,12,860.72 करोड़ रुपये) है।**
- **बजट में 10 हजार 967 करोड़ 87 लाख रुपये (10,967.87 करोड़ रुपये) की नई योजनाएं सम्मिलित की गई हैं।**

गृह विभाग

- पुलिस विभाग के अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु 650 करोड़ रुपये तथा आवासीय भवनों के निर्माण हेतु 600 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- नवसृजित जनपदों में आवासीय तथा अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- अग्निशमन केन्द्र के आवासीय तथा अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- **पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना** हेतु 122 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- **विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं** के निर्माण हेतु 60 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- **सेफ सिटी लखनऊ योजना** हेतु 97 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- **उत्तर प्रदेश पुलिस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी** की स्थापना हेतु 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- कर्त्तव्य पालन के दौरान शहीद अथवा घायल हुये पुलिस एवं अग्निशमन सेवा के कर्मचारियों के परिवारों को **अनुग्रह भुगतान** हेतु 27 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- अग्निशमन सेवाओं के सुदृढ़करण हेतु 10 करोड़ रुपये तथा अग्निशमन केन्दों पर बिजली की व्यवस्था सुदृढ़ किये जाने हेतु सोलर पॉवर प्लान्ट्स की स्थापना के लिये 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- **सेन्ट्रल विक्टिम कंपनसेशन फण्ड स्कीम** के अन्तर्गत तेजाब, बलात्कार, मानव तस्करी अथवा हत्या के प्रकरणों में आर्थिक सहायता हेतु 28 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- **''स्टूडेण्ड पुलिस कैडेट योजना''** हेतु 14 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- **''साइबर क्राइम प्रीवेन्शन अगेन्स्ट वीमेन एण्ड चिल्ड्रेन''** हेतु 3 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

महिला एवं बाल कल्याण

- **मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना** हेतु 1 हजार 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- **निराश्रित महिला पेंशन योजना** के अन्तर्गत निराश्रित महिलाओं तथा उनके बच्चों के भरण पोषण हेतु योजनान्तर्गत 1 हजार 432 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- प्रदेश में कुपोषण की रोकथाम के लिये राष्ट्रीय पोषण अभियान कार्यक्रम हेतु 4 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था।

युवाओं के लिये नयी योजना

- प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार तथा रोजगार से जोड़ने के लिये दो महत्वपूर्ण योजनायें-**मुख्यमंत्री शिक्षुता (Apprenticeship) प्रोत्साहन योजना** तथा **युवा उद्यमिता विकास अभियान (YUVA)** प्रारम्भ किये जाने का निर्णय।
- प्रदेश के युवाओं को उद्योगों व एम0एस0एम0ई0 इकाइयों में ऑन-जॉब ट्रेनिंग प्रदान कराते हुये उन्हें निश्चित अवधि के रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2020-2021 से मुख्यमंत्री शिक्षुता

प्रोत्साहन योजना प्रारम्भ। योजना के क्रियान्वयन के फलस्वरूप प्रदेश के युवाओं को उद्योगों में प्रशिक्षण के साथ-साथ मासिक प्रशिक्षण भत्ता प्रदान किया जायेगा। युवाओं को मिलने वाले कुल भत्ते में से 1 हजार 500 रुपये प्रतिमाह की धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा, 1 हजार रुपये प्रतिमाह की धनराशि राज्य सरकार द्वारा तथा शेष धनराशि सम्बन्धित उद्योग द्वारा वहन की जायेगी। मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के संचालन से प्रदेश के उद्योगों को कुशल कारीगर तथा युवाओं को प्रशिक्षण के साथ-साथ रोजगार भी प्राप्त होगा। योजना हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

- प्रदेश में लाखों की संख्या में प्रशिक्षित युवाओं को युवा उद्यमिता विकास अभियान **YUVA** के द्वारा रोजगार से स्वावलम्बन की ओर बढ़ाने हेतु अभिनव पहल। प्रदेश के प्रत्येक जिले में **YUVA HUB** स्थापित किया जाएगा, जो इच्छुक युवाओं को परियोजना, परिकल्पना से लेकर 1 वर्ष तक परियोजना को वित्तीय मदद के साथ संचालन में सहायता प्रदान करेगा। लगभग 1 हजार 200 करोड़ रुपये की धनराशि, जो युवाओं के लिये विभिन्न स्वतः रोजगार योजना में राज्य को उपलब्ध है। इस YUVA HUB के माध्यम से ये योजनायें समेकित रूप से क्रियान्वित की जायेंगी। यह योजना एक लाख से अधिक युवाओं को स्वावलम्बन की ओर ले जाएगी। प्रत्येक जिले में **YUVA HUB** की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- **उत्तर प्रदेश कौशन विकास मिशन** द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अन्तर्गत **2 लाख युवाओं को प्रशिक्षित** करने का लक्ष्य।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा

- किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्विविद्यालय, लखनऊ, मेडिकल कॉलेज प्रयागराज तथा मेडिकल कॉलेज, मेरठ में डायबिटिक रेटिनोपैथी उपचार सेन्टर की स्थापना की जायेगी। एस0जी0पी0जी0आई0 में एडवांस्ड डायबिटीज एण्ड इन्डोक्राईन साइंसेज सेन्टर की स्थापना किया जाना प्रस्तावित।
- नवसृजित जनपदों में 100 शैय्या संयुक्त चिकित्सालयों की स्थापना हेतु 30 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधायें सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों तथा उपकरणों हेतु 65 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु क्रमशः 81 करोड़ रुपये एवं 35 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को उच्चीकृत कर 100 शैय्या चिकित्सालय में परिवर्तित किये जाने हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- जिला पुरूष तथा महिला चिकित्सालयों में सुधार-विस्तार एवं नवीनीकरण हेतु 70 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी (सिविल) चिकित्सालय, लखनऊ परिसर में ओ0पी0डी0 एवं वार्ड के विस्तार हेतु 50 लाख रुपये एवं ट्रॉमा सेन्टर के भवन निर्माण हेतु 12 करोड़ 50 लाख रुपये की व्यवस्था।
- **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना** उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में लागू है। योजना हेतु 291 करोड़ रुपये प्रस्तावित।
- **किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी** हेतु 919 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- **एस0जी0पी0जी0आई0** हेतु 820 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

- **ग्रामीण आयुर्विज्ञान संस्थान, सैफई** हेतु 309 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- **डॉ0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान** हेतु 477 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- **कैंसर संस्थान, लखनऊ** के लिये 187 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- **असाध्य रोगों के इलाज हेतु निःशुल्क चिकित्सा सुविधा** के लिये 40 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- **राजकीय मेडिकल कॉलेज, आजमगढ़** के लिये 96 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- जिला चिकित्सालयों को उच्चीकृत कर मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की योजना के अन्तर्गत 73 करोड़ 86 लाख रुपये की व्यवस्था।

कृषि, उद्यान एवं सहकारिता

- वर्ष 2020-2021 में खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 641 लाख 74 हजार मीट्रिक टन एवं तिलहन उत्पादन का लक्ष्य 13 लाख 90 हजार मीट्रिक टन निर्धारित।
- आगामी वर्ष में 61 लाख 43 हजार कुन्तन गुणवत्तापूर्ण बीजों का वितरण किये जाने का लक्ष्य।
- किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आगामी वर्ष में 102 मीट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य।
- कृषि श्रमिकों की कमी को देखते हुये मशीनीकरण को बढ़ावा देने हेतु अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराये जाने के लिये 1 हजार 694 कस्टम हायरिंग केन्द्र तथा 305 फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना कराकर 40 हजार 606 उन्नत कृषि यंत्रों का अनुदान पर वितरण किया जाना प्रस्तावित।

गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग

- प्रदेश सरकार द्वारा 46 लाख 20 हजार गन्ना किसानों को 86 हजार 700 करोड़ रुपये के गन्ना मूल्य का भुगतान कराया गया। विगत 02 वर्षों में प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा 2 हजार 143 लाख टन गन्ने की पेराई की गई, जो रिकॉर्ड है।

ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज

- **प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)** के अन्तर्गत आगामी वर्ष में 5 लाख आवासों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिये 6 हजार 240 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- **स्वच्छ भारत मिशन** के अन्तर्गत 5 हजार 791 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- **मनरेगा योजनान्तर्गत** आगामी वर्ष में 35 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजन का लक्ष्य। योजना हेतु 4 हजार 800 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- **श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन** के अन्तर्गत प्रदेश में तीन चरणों में कुल 19 क्लस्टर चयनित किये गये हैं। योजना हेतु आगामी वर्ष में लगभग 175 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- **मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)** हेतु 369 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना** हेतु 1 हजार 357 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- बुन्देलखण्ड, विन्ध्य क्षेत्र तथा गुणता ग्रामों में पाईप पेयजल योजना हेतु 3 हजार 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- **राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना** अन्तर्गत पंचायतों के क्षमता संवर्द्धन, प्रशिक्षण एवं पंचायतों में संरचनात्मक ढांचे की उपलब्धता हेतु 458 करोड़ रुपये प्रस्तावित।
- **मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना** अन्तर्गत उत्कृष्ट ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहित करने हेतु 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

- **ग्रामीण स्टेडियम तथा ओपन जिम** की व्यवस्था हेतु 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- **युवक एवं महिला मंगल दल** को प्रोत्साहन हेतु 25 करोड़ रुपये प्रस्तावित।
- ग्रामीण क्षेत्रों में **चन्द्र शेखर आजाद ग्रामीण विकास सचिवालयों** की स्थापना की योजना हेतु 30 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

जल शक्ति एवं नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति

- **सरयू नहर परियोजना** हेतु 1 हजार 554 करोड़ रुपये, मध्य गंगा नहर, द्वितीय चरण हेतु 1 हजार 736 करोड़ रुपये तथा अर्जुन सहायक परियोजना हेतु 252 करोड़ 65 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- **राजघाट नहर परियोजना,** वॉटर सेक्टर रीस्ट्रक्चरिंग परियोजना तथा कनहर सिंचाई परियोजना हेतु क्रमशः 393 करोड़ रुपये, 295 करोड़ म्पये तथा 200 करोड़ रुपये प्रस्तावित।
- बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी परियोजनाओं हेतु 966 करोड़ रुपये प्रस्तावित।
- नहरों की क्षतिग्रस्त पक्की संरचनाओं के निर्माण कार्यों हेतु 300 करोड़ रुपये प्रस्तावित।
- **ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रमों** के अन्तर्गत जल जीवन मिशन हेतु 3 हजार करोड़ रुपये प्रस्तावित।
- निःशुल्क बोरिंग योजना, मध्यम गहरे नलकूप योजना तथा गहरी बोरिंग योजना को समेकित रूप से **मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना** के नाम से क्रियान्वित किये जाने हेतु 216 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- प्रदेश में बढ़ती हुई जनसंख्या के भविष्य की जल आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु 01 हेक्टेयर से 05 हेक्टेयर के तालाबों को पुनर्विकसित करने की आवश्यकता के दृष्टिगत वर्षा जल संचयन के लिये 48 करोड़ रुपये प्रस्तावित।
- **प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना** के घटक **''हर खेत को पानी''** के अन्तर्गत प्रदेश के 18 जनपदों के 69 विकासखण्डों जिनमें 750 मिलीमी0 से अधिक वर्षा होती है, में बोरिंग योजनाओं हेतु 50 करोड़ रुपये प्रस्तावित।

ऊर्जा

- सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन में निजी भागीदारी को बढ़ावा एवं निजी निवेश को आकर्षित किये जाने के उद्देश्य से **सौर ऊर्जा नीति-2017** क्रियान्वित की गयी है। इस नीति के अन्तर्गत वर्ष 2022 तक 10 हजार 700 मेगावॉट क्षमता की सौर विद्युत उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित।

आवास एवं नगर विकास

- **सबके लिये आवास योजना** के अन्तर्गत दुर्बल आय वर्ग के लिये मार्च, 2021 तक 04 लाख भवनों के निर्माण का लक्ष्य।
- लखनऊ, गाजियाबाद तथा नोएडा में **मेट्रो रेल** संचालित है। दिल्ली से मेरठ **रीजनल रैपिड ट्रांजिस्ट सिस्टम** का कार्य प्रगति पर है जिसके लिये 900 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- **आगरा मेट्रो रेल परियोजना** हेतु 286 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- **कानपुर मेट्रो रेल परियोजना** हेतु 358 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- गोरखपुर तथा अन्य शहरों के लिये मेट्रो रेल हेतु प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं जिसके लिये 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- लखनऊ में **राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल** की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

बेसिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा

- उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सहारनपुर, आजमगढ़ एवं अलीगढ़ में 03 नये राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही है। प्रदेश में **पुलिस फोरेन्सिक यूनिवर्सिटी** की स्थापना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त, जनपद प्रयागराज में **''लॉ यूनिवर्सिटी''** की स्थापना प्रस्तावित। गोरखपुर में **आयुष विश्वविद्यालय** की स्थापना प्रस्तावित।
- प्रदेश के 18 मण्डलों में **अटल आवासीय विद्यालयों** की स्थापना हेतु 270 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- आगामी शैक्षिक सत्र में लगभग 1 करोड़ 90 लाख छात्र-छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें एवं कार्यपुस्तिकाएं वितरित कराये जाने का लक्ष्य।
- प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर स्कूली शिक्षा उन्नयन हेतु समग्र शिक्षा अभियान हेतु 18 हजार 363 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के किास के लिये **राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान** के अन्तर्गत 111 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

एक्सप्रेस-वे एवं एयरपोर्ट

- पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से बलिया को जोड़ने के लिये **बलिया लिंक एक्सप्रेस-वे** तथा गोरखपुर को जोड़ने के लिये 91 कि0मी0 लम्बी **गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे** के निर्माण का निर्णय।
- मेरठ से प्रयागराज तक लगभग 367 कि0मी0 लम्बे **''गंगा एक्सप्रेस-वे''** जो देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस-वे होगा, के लिए 2 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- जनपद गौतमबुद्ध नगर के जेवर में **''नोएडा इन्टरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट''** के लिये 2000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- अयोध्या एयरपोर्ट के लिये 500 करोड़ रुपये तथा **रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम** एयरपोर्ट्स के लिये 92 करोड़ 50 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

लोक निर्माण

- ग्रामीण मार्गों के निर्माण, चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 2 हजार 305 करोड़ रुपये तथा राज्य सड़क निधि हेतु 1 हजार 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- प्रदेश में लगभग 2 लाख 31 हजार किमी0 लम्बाई का मार्ग नेटवर्क लोक निर्माण विभाग के अधीन है। मार्गों के अनुरक्षण हेतु 3 हजार 524 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- **विश्व बैंक की सहायता** से प्रस्तावित उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क परियोजना के अन्तर्गत मार्ग निर्माण कार्यों हेतु 830 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- **एशियन डेवलपमेन्ट बैंक** की सहायता से प्रस्तावित उत्तर प्रदेश मुख्य जिला विका परियोजना के अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु 755 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- पूर्वांन्चल एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्रों के विकास को और गति प्रदान करने के उद्देश्य से विशेष क्षेत्रा कार्यक्रम के अन्तर्गत **पूर्वांन्चल निधि** हेतु 300 करोड़ रुपये तथा **बुन्देलखण्ड निधि** के लिये 210 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- प्रदेश में मार्ग दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिये दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों में चिन्हित ब्लैक स्पोट के सुधार तथा विभिन्न सुरक्षा संबंधी कार्यों हेतु 39 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

- नेपाल राष्ट्र को जोड़ने वाली अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर उत्तर प्रदेश के 07 जनपदों में मार्ग निर्माण हेतु 14 करोड़ रुपये तथा भूमि अध्याप्ति हेतु 124 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- **केन्द्रीय मार्ग निधि योजना** के अन्तर्गत मार्गों के निर्माण, चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण को पूर्ण करने हेतु 2 हजार 80 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- शहरों में बाईपास, रिंग रोड एवं चौराहों पर फ्लाईओवर आदि के निर्माण हेतु 170 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- ऐसे राज्यमार्ग जो अभी भी सिंगल लेन/डेढ़ लेन चौड़े हैं, को कम से कम दो तथा अधिक यातायात घनत्व वाले मार्गों को यातायात की आवश्यकता के अनुसार 2 लेन विद पेव्ड शोल्डर अथवा 4 लेन चौड़ा किया जाना प्रस्तावित।
- पुलों के निर्माण हेतु 2 हजार 529 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

न्याय

- माननीय उच्च न्यायालय में निर्माण कार्यों तथा मशीनें साज-सज्जा एवं उपकरणों के क्रय हेतु 533 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की लखनऊ खण्डपीठ के लिये नये भवनों के निर्माण कार्य हेतु 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- माननीय उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के लिये आवासीय भवनों के निर्माण हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- प्रदेश के विभिन्न जनपदों में न्यायालयों की स्थापना हेतु 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- जनपदों में न्यायिक अधिकारियों के लिये आवास के निर्माण हेतु 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों की सुरक्षा हेतु सी0सी0टी0वी0 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- **उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि** से संबंधित कल्याणकारी स्टाम्पों की बिक्री की शुद्ध प्राप्ति का अधिवक्ता कल्याण निधि हेतु न्यासी समिति को अन्तरण हेतु 6 करोड़ रुपये तथा समिति को अनुदान हेतु 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- **युवा अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता** प्रदान किये जाने के लिये कार्पस फण्ड हेतु 5 करोड़ रुपये तथा किताब एवं पत्रिका हेतु 10 करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित।
- प्रदेश के विभिन्न जनपदों में **अधिवक्ता चैम्बर** का निर्माण एवं उनमें अन्य अवस्थापना सुविधाओं के लिए विकास हेतु 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

पशुपालन एवं दुग्ध विकास

- आगामी वर्ष में ग्राम पंचायतों के स्वामित्व वाले 5 हजार हे0 सामुदायिक तालाबों का 10 वर्षीय पट्टा आवंटन व समस्त स्रोतों से 295 करोड़ मत्स्य बीज उत्पादन एवं मत्स्य बीज वितरण का लक्ष्य प्रस्तावित।
- आगामी वर्ष में 1 लाख 93 हजार मत्स्य पालकों को निःशुल्क प्रीमियम पर मछुआ दुर्घटना बीमा योजना से आच्छादित किये जाने का लक्ष्य।
- आवासविहीन 1 हजार मत्स्य पालक परिवारों को 1 लाख 20 हजार रुपये प्रति आवास की दर से निःशुल्क आवास की सुविधा उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य।

पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य

- **अयोध्या** में उच्च स्तरीय पर्यटक अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 85 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित। अयोध्या में **तुलसी स्मारक भवन** के सुदृढ़ीकरण हेतु 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- जनपद **वाराणसी में सांसकृतिक केन्द्र की स्थापना** के लिये 180 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- **उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति-2018** के अन्तर्गत पर्यटन इकाइयों को प्रोत्साहन हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- प्रदेश की सांस्कृतिक एवं प्राचीन धरोहरों को संरक्षित किये जाने के उद्देश्य से जनपद हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के विकास, गोरखपुर में रामगढ़ ताल में वाटर स्पोर्ट्स के विकास, महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों पर हेलीपोर्ट का निर्माण, 46 पर्यटन विकास योजनाओं का क्रियान्वयन इत्यादि कतिपय महत्वाकांक्षी योजनायें प्रस्तावित।
- जनपद गोरखपुर के रामगढ़ ताल में वॉटर स्पोर्ट्स के विकास हेतु 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- श्री काशी विश्वनाथ मंदिर विस्तारीकरण एवं सौन्दर्यीकरण योजना हेतु 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के अन्तर्गत वैदिक विज्ञान केन्द्र, के निर्माण हेतु 18 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- कैलाश मानसरोवर यात्रा अनुदान हेतु 8 करोड़ रुपये एवं सिन्धु दर्शन यात्रा अनुदान हेतु 10 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग

- उत्तर प्रदेश पहले एम0एस0एम0ई0 के क्षेत्र में एक समृद्ध प्रदेश के रूप में जाना जाता था। वर्तमान सरकार ने **ओ0डी0ओ0पी0** जैसी योजना लाकर परम्परागत उद्योगों को एक नई ऊर्जा प्रदान की है। योजना हेतु 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- **राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना** हेतु 1 हजार 459 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी वर्गों के परिवारों के पुत्रियों की शादी हेतु **"मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना"** प्रारम्भ की गयी है जिसके लिये 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं हेतु छात्रवृत्ति योजनाओं के लिये 2 हजार 35 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं हेतु छात्रवृत्ति योजनाओं के अन्तर्गत 1 हजार 375 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

दिव्यांगजन कल्याण

- **दिव्यांग पेंशन योजना** के अन्तर्गत 500 रुपये प्रति माह प्रति लाभार्थी की दर से पेंशन दिये जाने हेतु 621 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

- समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना कराये जाने हेतु 30 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- दिव्यांग दम्पत्तियों के बच्चों के पालन पोषण हेतु पालनहार योजना प्रस्तावित। इस योजना हेतु 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- प्रदेश के सभी 75 जनपदों में शिविर लगाकर दिव्यांगजन को चिन्हित कर कृत्रिम अंग, कैलीपर ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर आदि उपलब्ध कराने हेतु 37 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

अल्पसंख्यक कल्याण

- प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में शिक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य, पेयजल तथा मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं में सुधार हेतु 783 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- मान्यता प्राप्त मदरसों एवं मकतबों में धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ आधुनिक विषयों की शिक्षा की सुविधा प्रदान किये जाने के उद्देश्य से 479 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

राजस्व

- प्रदेश में दैवी आपदा से प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान किये जाने के लिये आगामी वर्ष में राज्य आपदा मोचक निधि हेतु 2 हजार 578 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि हेतु 1 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- पूर्व में संचालित मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के स्वरूप में परिवर्तन करते हुये आगामी वर्ष से मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना प्रारम्भ किये जाने का निर्णय। योजना हेतु 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- आगामी वर्ष में लगभग 73 लाख लाभार्थिों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अन्तर्गत बीमा आवरण प्रदान कराये जाने हेतु 99 करोड़ रुपये तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत बीमा आवरण प्रदान कराये जाने हेतु 3 करोड़ 60 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित। आम आदमी बीमा योजना के अन्तर्गत लगभग 6 लाख लाभार्थियों को बीमा का लाभ प्रदान कराये जाने हेतु 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

नियोजन

- त्वरित आर्थिक विकास योजना प्रदेश में विकास कार्यों को त्वरित गति से क्रियान्वित करने हेतु संचालित है। योजना हेतु 1 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- नेपाल बार्डर एरिया डेवलपमेन्ट कार्यक्रम के अन्तर्गत 74 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

राजकोषीय सेवायें

राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवर्द्धित कर

- राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवर्द्धित कर से राजस्व प्राप्ति का अनुमान 91 हजार 568 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

आबकारी शुल्क

- आबकारी शुल्क से राजस्व प्राप्ति का अनुमान 37 हजार 500 करोड़ रुपये।

स्टाम्प एवं पंजीकरण

- स्टाम्प एवं पंजीकरण से 23 हजार 197 करोड़ रुपये की प्राप्ति अनुमानित।

वाहन कर

- वाहन कर से 8 हजार 650 करोड़ रुपये की प्राप्ति अनुमानित।

वित्तीय वर्ष के बजट अनुमान

- प्रस्तुत बजट का आकार 5 लाख 12 हजार 860 करोड़ 72 लाख रुपये (5,12,860,72 करोड़ रुपये) है।
- बजट में 10 लाख 967 करोड़ 87 लाख रुपये (10,967,87 करोड़ रुपये) की नई योजनाएं सम्मिलित।

प्राप्तियाँ

- कुल प्राप्तियाँ 5 लाख 558 करोड़ 53 लाख रुपये (5,00,558,53 करोड़ रुपये) अनुमानित।
- कुल व्यय में 3 लाख 95 हजार 116 करोड़ 95 लाख रुपये (3,95,116,95 करोड़ रुपये) राजस्व लेखे का व्यय है तथा 1 लाख 17 हजार 743 करोड़ 77 लाख रुपये (1,17,743,77 करोड़ रुपये) पूँजी लेखे का व्यय है।

समेकित निधि

- समेकित निधि की प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के पश्चात् 12 लाख 302 करोड़ 19 लाख रुपये (12,302,19 करोड़ रुपये) का घाटा अनुमानित।

लोक लेखा

- लोक लेखे से 8 हजार 500 करोड़ रुपये (8,500 करोड़ रुपये) की शुद्ध प्राप्तियाँ अनुमानित है।

समस्त लेन-देन का शुद्ध परिणाम

- समस्त लेन-देन का शुद्ध परिणाम 3 हजार 802 करोड़ 19 लाख रुपये (3,802,19 करोड़ रुपये) की ऋणात्मक अनुमानित।

अन्तिम शेष

- प्रारम्भिक शेष 22 हजार 322 करोड़ 87 लाख रुपये (22,322,87 करोड़ रुपये) को हिसाब में लेते हुये अन्तिम शेष 18 हजार 520 करोड़ 68 लाख रुपये (18,520,68 करोड़ रुपये) रहना अनुमानित।

राजस्व बचत

- राजस्व बचत 27 हजार 450 करोड़ 88 लाख रुपये (27,450,88 करोड़ रुपये) अनुमानित।

राजकोषीय घाटा

- राजकोषीय घाटा 53 हजार 195 करोड़ 46 लाख रुपये (53,195,46 करोड़ रुपये) अनुमानित है जो वर्ष के लिये अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.97 प्रतिशत है।
- राज्य की ऋणग्रस्तता सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 28.8 प्रतिशत अनुमानित है।

●

उत्तर प्रदेश : एक नजर में

भौगोलिक विशेषताएँ

क्षेत्रफल	- 2,40,928 वर्ग किमी.
प्रमुख नदियाँ	- गंगा, यमुना, रामगंगा, राप्ती (अचिरावती), गोमती, घाघरा (सरयू), बेतवा और केन
राजधानी	- लखनऊ
सीमावर्ती प्रदेश/देश	- उत्तराखण्ड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखण्ड, बिहार और नेपाल

मौसम

ग्रीष्म	वर्षा	शीत
मार्च से जून तक	मध्य जून से सितम्बर तक	अक्टूबर से फरवरी तक

प्रमुख फसलें- धान, गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, उर्द, मूँग, अरहर, चना, गन्ना आदि।

प्रमुख फल- आम, अमरूद।

प्रमुख खनिज- चूना, पत्थर, डोलोमाइट, सिलिका सैन्ड, पाइरोफिलाइट, डायस्पोर, बाक्साइट तथा राक फास्फेट

प्रमुख उद्योग- सीमेन्ट, वनस्पति तेल, सूती कपड़ा, सूती धागा, चूड़ी व काँच उद्योग, चीनी, जूट एवं कालीन।

प्रमुख हस्तशिल्प- चिकन का काम, जरी का काम, लकड़ी के खिलौने व फर्नीचर, मिट्टी के खिलौने, कालीन, सिल्क तथा पीतल का काम।

प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल- पिपरहवा, कौशाम्बी, श्रावस्ती, सारनाथ (वाराणसी), कुशीनगर, चित्रकूट, लखनऊ, आगरा, झाँसी, मेरठ आदि।

प्रमुख धार्मिक तीर्थस्थल- काशी, प्रयाग, अयोध्या, मथुरा, नैमिषारण्य, शक्तिपीठ विन्ध्यवासिनी देवी मंदिर, देवीपाटन, देवाशरीफ, हस्तिनापुर, चित्रकूट, शाहजहाँपुर- "हनुमतधाम" आदि।

प्रमुख लोकगीत- बिरहा, चैती, कजरी, फाग, रसिया, आल्हा, पूरन भगत, भर्तृहरि।

प्रमुख लोकनृत्य- चरकुला, करमा, पंडव, पाईडण्डा, थारू, धोबिया, राई और शैरा आदि।

जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार)

सकल जनसंख्या	-	199,812,341
जनसंख्या का घनत्व	-	829 प्रति वर्ग किमी.
महिलाएँ	-	95,331,831
पुरुष		- 104,480,510
स्त्री-पुरुष अनुपात	-	912:1000
ग्रामीण	-	15.53 करोड़
नगरीय	-	4.45 करोड़
दशकीय वृद्धि	-	20.23 प्रतिशत

*प्रशासनिक इकाइयाँ

मण्डल	(2018-19)	18
जनपद	-	75
तहसील	-	350
नगर एवं नगर समूह	-	915
सामुदायिक विकास खण्ड	-	825
न्याय पंचायतें	-	8,135
ग्राम पंचायत	-	59,073
आबाद ग्राम		97,814
कुल ग्राम		106,774
नगर पंचायत	(2018-19)	443
नगर निगम	(2018-19)	17
नगर पालिका परिषद	(2018-19)	198

साक्षरता (2011)

सकल	67.7%
पुरुष	77.3%
स्त्री	57.2%
ग्रामीण	65.5%
नगरीय	75.1%

कर्मकर (कुल कर्मकरों में प्रतिशत - 2011)

कृषक	29.0%
कृषि श्रमिक	30.3%
पारिवारिक उद्योग धन्धों में लगे कर्मकर	5.9%
अन्य कार्यों में लगे कर्मकर	34.8%

राज्य आय (2018-19)

कुल आय [प्रचलित भावों पर] - 1491310.92 करोड़ रुपये।

प्रति व्यक्ति आय [प्रचलित भावों पर] - 66512 रुपये।

औद्योगिक स्रोतानुसार राज्य आय का प्रतिशत अंश [2011-12 के भावों पर]

प्राथमिक खण्ड 2018-19	25.8%
माध्यमिक खण्ड 2018-19	27.0%
तृतीयक खण्ड 2018-19	47.2%

वानिकी

वनों के प्रकार : तराई के नम क्षेत्र वाले वन, विन्ध्य के शुष्क जलवायु के वन, बीहड़ व भाभर वन सामाजिक तथा पंचायती वन

वन्य जीव विहार (2017)	26
राष्ट्रीय उद्यान (2017)	1
प्राणि उद्यान (2017)	3
कुल वृक्षावरण एवं वनावरण	22121 वर्ग किमी.

प्रमुख वन्य जीव : बाघ, जंगली हाथी, गैंडा, बारहसिंगा, हिरन, सुइस (डाल्फिन), घड़ियाल, अजगर एवं 650 प्रजातियों के पक्षी।

कृषि

शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल (2015-16)		16,469 हजार हेक्टेयर
कुल बोया गया क्षेत्रफल	"	26,203 हजार हेक्टेयर

उत्पादन (हजार मी0 टन)

खाद्यान्न	(2017-18)*	55,747
दालें	"	2,202
तिलहन	"	1,146
गन्ना	"	1,77,056
आलू	"	15,009

सिंचाई (2015-16)

शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल (2015-16)	14,231	हजार हेक्टेयर
सकल सिंचित क्षेत्रफल (2015-16)	20,882	हजार हेक्टेयर
कुल सृजित सिंचन क्षमता (2015-16)*	367	लाख हेक्टेयर
सिंचन क्षमता कुल उपयोग (2015-16)*	247	लाख हेक्टेयर

विभिन्न साधनों द्वारा शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का प्रतिशत वितरण

(क) नहर (2015-16)	15.2%
(ख) नलकूप (2015-16)	74.9%
(ग) तालाब, झील, पोखर आदि	0.5%
(घ) अन्य (2015-16)	0.6%

परिवहन एवं संचार

लोक निर्माण विभाग

द्वारा संपृक्त पक्की सड़कें (2018-19)		2,35,510 किमी0
कुल पंजीकृत मोटर गाड़ियाँ 2018-19		3,27,12,054
# राजकीय बसें	2018-19	12,305
कार्यरत टेलीफोन	2018-19	5,30,540
डाकघर	2018-19	17,672
दूरदर्शन केन्द्र		3
आकाशवाणी केन्द्र		13

#अनुबन्धित बसें भी सम्मिलित हैं

शिक्षा (2018-19)

प्राथमिक विद्यालय	1,61,366
उच्च प्राथमिक विद्यालय	80,624
उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	26,434
महाविद्यालय	6,681
विश्वविद्यालय	45
पालीटेक्निक	160
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	305
राजकीय इंजीनियरिंग कालेज	12
निजी क्षेत्र के इंजीनियरिंग कालेज	222
मेडिकल कालेज	18
कृषि विश्वविद्यालय	3

*नर्सिंग/फार्मेसी/आयुर्वेदिक/होम्यो/यूनानी कालेज सम्मिलित नहीं हैं।

सहकारिता (2018-19)

प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियाँ	7,479
जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक	50
उ. प्र. राज्य सहकारी कृषि एवं ग्राम विकास बैंक (शाखाएँ)	323

संयुक्त स्कन्ध कम्पनियाँ तथा बैंकिंग

संयुक्त स्कन्ध कम्पनी (2018-19)

(क) कार्यरत कम्पनी कुल	75,189
(ख) अनुसूचित व्यावसायिक बैंक शाखाएँ	17,031

उद्योग (2018-19)

31 मार्च को उद्योग निदेशालय में निबन्धित औद्योगिक इकाइयों की संख्या	1,22,595
औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (2018-19) (2011-12=100)	123.62 प्रतिशत
इच्छा पत्र की संख्या (2018-19) जारी किये गये	7,843

विद्युत (2018-19)

अधिष्ठापित क्षमता	5,999 मेगावाट
उत्पादन	3,063 करोड़ कि.वा./घंटा
प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग	392 कि.वा./घंटा
विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या (2018-19)	97,814
राजस्व वसूली दक्षता	90 प्रतिशत

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

# जन्मदर (प्रति हजार जनसंख्या पर) (2017)	25.9 प्रति हजार
मृत्यु दर (प्रति हजार जनसंख्या पर) (2017)	6.7 प्रति हजार
एलोपैथिक चिकित्सालय एवं औषधालय (2018-19)	5119
आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालय एवं औषधालय (2018-19)	2,368
होम्योपैथिक चिकित्सालय एवं औषधालय (2018-19)	1,576

परिवार कल्याण (2018-19)

अनुर्वरीकरण (हजार) पुरुष	4.12
(हजार) महिला	276.66
लूप निवेशन (हजार)	830.75

जनप्रतिनिधि

उत्तर प्रदेश से लोक सभा सदस्य	80
उत्तर प्रदेश से राज्य सभा सदस्य	31
उत्तर प्रदेश के विधान सभा सदस्य	404
उत्तर प्रदेश के विधान परिषद सदस्य	100

स्रोत : नियोजन विभाग (उ.प्र.)
*अनन्तिम

जिलों का क्षेत्रफल, जनसंख्या और मुख्यालय

(2011 की जनगणना के अनुसार)

क्र.सं.	जिला	क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.)	जनसंख्या	मुख्यालय
1.	आगरा	4,041	44,18,797	आगरा
2.	अलीगढ़	3,650	36,73,889	अलीगढ़
3.	प्रयागराज	5,482	59,54,391	प्रयागराज
4.	आजमगढ़	4,054	46,13,913	आजमगढ़
5.	बहराइच	5,237	34,87,731	बहराइच
6.	बलिया	2,981	32,39,774	बलिया
7.	बांदा	4,408	17,99,410	बांदा
8.	बाराबंकी	4,402	32,60,699	बाराबंकी
9.	बरेली	4,120	44,48,359	बरेली
10.	बस्ती	2,688	24,64,464	बस्ती
11.	बिजनौर	4,561	36,82,713	बिजनौर
12.	बदायूँ	4,234	31,27,621	बदायूँ
13.	बुलंदशहर	4,512	34,99,171	बुलंदशहर
14.	देवरिया	2,540	31,00,946	देवरिया
15.	एटा	2,431	17,74,480	एटा
16.	इटावा	2,311	15,81,810	इटावा
17.	अयोध्या	2,341	24,70,996	अयोध्या
18.	अम्बेडकरनगर	2,350	23,97,888	अकबरपुर
19.	फतेहपुर	4,152	26,32,733	फतेहपुर
20.	फर्रुखाबाद	2,181	18,85,204	फतेहगढ़
21.	गाजियाबाद	910	33,43,334	गाजियाबाद
22.	गौतमबुद्ध नगर	1,282	16,48,115	नोएडा
23.	गाजीपुर	3,377	36,20,268	गाजीपुर
24.	गोंडा	4,003	34,33,919	गोंडा
25.	गोरखपुर	3,321	44,40,895	गोरखपुर
26.	हमीरपुर	4,021	11,04,285	हमीरपुर
27.	हरदोई	5,986	40,92,845	हरदोई
28.	जालौन	4,565	16,89,974	उरई
29.	जौनपुर	4,038	44,94,204	जौनपुर
30.	झांसी	5,024	19,98,603	झांसी
31.	कानपुर देहात	3,021	17,96,184	अकबरपुर माती
32.	कानपुर (नगर)	3,155	45,81,268	कानपुर
33.	लखीमपुर खीरी	7,680	40,21,243	खीरी
34.	ललितपुर	5,039	12,21,592	ललितपुर
35.	लखनऊ	2,528	45,89,838	लखनऊ
36.	मैनपुरी	2,760	18,68,529	मैनपुरी
37.	मथुरा	3,340	25,47,184	मथुरा
38.	मेरठ	2,559	34,43,689	मेरठ

39.	मिर्जापुर	4,405	24,96,970	मिर्जापुर
40.	मुरादाबाद	2,271	31,26,507	मुरादाबाद
41.	मुज़फ्फरनगर	2,796	28,29,865	मुजफ्फरनगर
42.	पीलीभीत	3,686	20,31,007	पीलीभीत
43.	प्रतापगढ़	3,717	32,09,141	प्रतापगढ़
44.	रायबरेली	4,043	29,03,507	रायबरेली
45.	रामपुर	2,367	23,35,819	रामपुर
46.	अमरोहा	2,249	18,40,221	अमरोहा
47.	सहारनपुर	3,689	34,66,382	सहारनपुर
48.	शाहजहांपुर	4,388	30,06,538	शाहजहांपुर
49.	सीतापुर	5,743	44,83,992	सीतापुर
50.	उन्नाव	4,558	31,08,367	उन्नाव
51.	सुल्तानपुर	2,673	24,31,491	सुल्तानपुर
52.	वाराणसी	1,535	36,76,841	वाराणसी
53.	मऊ	1,713	22,05,968	मऊ
54.	सिद्धार्थनगर	2,895	25,59,297	नवगढ़
55.	फिरोजाबाद	2,407	24,98,156	फिरोजाबाद
56.	सोनभद्र	6,905	18,62,559	राबर्ट्सगंज
57.	महाराजगंज	2,952	26,84,703	महाराजगंज
58.	संत रविदास नगर	1,015	15,78,213	भदोही
59.	महोबा	3,144	8,75,958	महोबा
60.	हाथरस	1,840	15,64,708	हाथरस
61.	कौशांबी	1,779	15,99,596	मंझनपुर
62.	कुशीनगर	2,905	35,64,544	पडरौना
63.	चंदौली	2,541	19,52,756	चंदौली
64.	बलरामपुर	3,349	21,48,665	बलरामपुर
65.	श्रावस्ती	1,640	11,17,361	श्रावस्ती
66.	चित्रकूट	3,216	9,91,730	चित्रकूट
67.	बागपत	1,321	13,03,048	बागपत
68.	कन्नौज	2,093	16,56,616	कन्नौज
69.	औरैय्या	2,016	13,79,545	औरैय्या
70.	संत कबीर नगर	1,646	17,15,183	खलीलाबाद
71.	कासगंज	1,955	14,36,719	कांशीराम नगर
72.	अमेठी	2,329	18,67,678	गौरीगंज
73.	शामली	1,212	13,13,647	शामली
74.	हापुड़	660	13,38,311	हापुड़
75.	संभल	2,453	21,99,774	सम्भल
		2,40,928	**19,98,12,341**	

स्रोतः सांख्यिकीय डायरी उ.प्र. 2018

उत्तर प्रदेश

(परिचय, प्राकृतिक, भौगोलिक स्थिति तथा जनगणना)

उत्तर प्रदेश एक भौगोलिक इकाई ही नहीं, संस्कृतियों का संगम भी है और गंगा-जमुनी संस्कृति का एक अनूठा प्रतीक। इसीलिए वह एक विशिष्ट जीवन शैली, व्यवहार, चिंतन परंपरा, ऐतिहासिकता, सहिष्णुता, सार्थक सकारात्मक प्रतिद्वन्द्विता, विचार-विनिमय व मनुष्य के हक की लड़ाई का केन्द्र भी है। विविधता में एकता तथा 'जियो और जीने दो' का व्यावहारिक स्वरूप यहाँ की पहचान है।

देश की स्वाधीनता की पहली लड़ाई यहीं की जनता, किसान, मजदूरों ने लड़ी और स्वाधीनता के बाद उत्तर प्रदेश ने नाम हासिल किया। इससे पहले इस क्षेत्र के अनेक नाम रहे। ईसा से छह शताब्दी पहले भारत के 16 महाजनपद थे जिनमें आठ– काशी, कोशल, मल्ल, चेदि, वत्स, कुरु, पांचाल और शूरसेन इसी क्षेत्र में थे, वे अब उत्तर प्रदेश हैं। कोशलों की पहली राजधानी अयोध्या थी, फिर श्रावस्ती हुई। कपिलवस्तु इसी जनपद में था। बाद में कुछ क्षेत्र अवध, कान्यकुब्ज, काशी आदि नाम से जाने जाते रहे और कभी रुहेलखण्ड, बुन्देलखण्ड, अवध आदि। अंग्रेजों की अमलदारी में इसका नाम पड़ा– 'संयुक्त प्रान्त' आगरा व अवध। यह 'संयुक्त' ही इसका सही नाम लगता है– मिला-जुला, सबका शामिल प्रान्त, संयुक्त संस्कृतियों का क्षेत्र।

सन् 1857 के स्वाधीनता संग्राम के बाद अंग्रेजों ने जिस प्रकार के दमन और अत्याचार किए उससे चंगेज़ खाँ और नादिरशाह भी शरमा जाते। सैकड़ों लोगों को फाँसी पर लटका दिया गया, हजारों का कत्ल कर दिया गया, गाँव के गाँव फूँक दिये गये, शहरों और कस्बों में कहर ढाए गये, पर स्वाधीनता की ललक और संकल्प में कोई अन्तर नहीं आया।

उत्तर प्रदेश का इतिहास वास्तव में राष्ट्रीय एकीकरण और शांति-पूर्ण सह-अस्तित्व का इतिहास है। यहाँ बौद्ध, जैन, इस्लाम, सिख एवं सनातन सभी धर्मों के अनुयायी एक साथ रहे और एक-दूसरे के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व धार्मिक जीवन को प्रभावित, समृद्ध करते रहे। हिन्दू कवियों ने कर्बला पर मर्सिये लिखे, मुसलमान कवियों ने राम और कृष्ण के गीत गाये।

विचारों और जीवन-शैली का प्रभाव वेशभूषा, खान-पान, भाषा, संगीत, कला, वास्तुकला पर भी पड़ा। सूफियों ने भी भक्त कवियों का साथ दिया, कहा कि 'ईश्वर एक है, उसे चाहे जिस नाम से पुकारो।' लखनऊ, आगरा, देवां, रुदौली, बरेली, बहराइच, प्रयागराज व अन्य अनेक स्थानों पर दरगाहों में लाखों हिन्दू आज भी जाते हैं; होली, ईद, दीवाली सभी मिलकर मनाते हैं। समन्वय की यह प्रक्रिया वास्तुकला तक में देखी जा सकती है। पन्द्रहवीं शताब्दी के आरम्भ की जौनपुर की अटाला मस्जिद, सीकरी का पंचमहल, सिकन्दरा में अकबर की कब्र, सभी में बौद्ध विहारों की झलक दिखाई देती है। आगरा के दीवान-ए-खास में विष्णु के सिंहासन की झलक देखी जा सकती है। कमल, कलश, जंजीर और घंटा आदि, जिन्हें हिन्दू वास्तुकला की पहचान माना जाता है, सीकरी में भी देखे जा सकते हैं। शेख सलीम चिश्ती की मजार पर सर्पिल 'ब्रैकेट' जैन प्रभाव को दर्शाते हैं। अरब, ईरानी या तुर्क गुम्बदों से भिन्न ताजमहल के गुम्बद हिन्दू-बौद्ध वास्तुकला की अनुकृति लगते हैं।

जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी इस सांस्कृतिक संश्लेषण को देखा जा सकता है। हिन्दुओं ने भी मंदिरों के

निर्माण में इसको अपना लिया। संगीत में अमीर खुसरो ने त्रितंत्र वीणा और पखावज के नये संस्करण– सितार और तबला दिये। हिन्दुस्तानी संगीत में खयाल के अलावा अनेक नयी प्रवृत्तियाँ समायोजित कीं। संगीत के क्षेत्र में ठुमरी और गज़ल इस संश्लेषण की विशिष्ट देन हैं। कथक भक्ति नृत्य के रूप में मथुरा-वृन्दावन में विकसित हुआ और लखनऊ ने उसमें भाव और अभिनय के नये रंग भरे। एक ही उत्स से यहाँ हिन्दी (खड़ी बोली) और उर्दू का जन्म हुआ और कालान्तर में वे दो भाषाएँ हो गयीं– दो अत्यन्त समृद्ध भाषाएँ। यह तुलसी, सूर, कबीर, जायसी, रहीम, रसखान का ही क्षेत्र नहीं है, यह मीर और ग़ालिब, रतननाथ सरशार और चकबस्त का भी क्षेत्र है। दोनों भाषाओं ने एक-दूसरे को बहुत कुछ दिया है– दोनों सहोदरा हैं। सदियों से एक साथ रहकर दोनों समुदायों ने सामाजिक जीवन में भी एक-दूसरे से बहुत कुछ लिया-दिया है। जन्म, विवाह, मृत्यु आदि की रस्मों पर भी प्रभाव पड़ा है, वेशभूषा और परिधान पर भी, खान-पान और व्यंजनों पर भी।

हिन्दुस्तानी संगीत में उत्तर प्रदेश की देन उल्लेखनीय है। किराना, अहरौली, आगरा, सहसवान, रामपुर, बनारस आदि घरानों का उद्‌भव क्षेत्र यही है। अब्दुल करीम खाँ, अल्लादित्ता खाँ, फैयाज खाँ, मुश्ताक हुसैन खाँ, वजीर खाँ, रामदास आदि उन कलावन्तों की लम्बी शृंखला की कुछ कड़ियाँ हैं जो यहाँ उभरीं। अहमद जान थिरकवा, कण्ठे महाराज भी यहीं के हैं और विलायत खाँ भी।

शास्त्रीय संगीत के अलावा सुगम संगीत पर भी उत्तर प्रदेश ने अपनी छाप छोड़ी है। ठुमरी का नाम, रूप और तत्व यहीं का है। बनारस ने 'पृथ्वी अंग' प्रचारित किया तो लखनऊ ने अपना रंग उसे दिया। मोतीबाई, रसूलन बाई, सिद्धेश्वरी देवी (सभी बनारस की) और बेगम अख्तर (लखनऊ) ने अपनी-अपनी शैलियों की विशिष्टता स्थापित की। महादेव प्रसाद मिश्र, गिरिजा देवी व अन्य अनेक गायक परम्पराओं के रक्षक हैं। शहनाई वादक बिस्मिल्ला खाँ अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के हैं। ग़ज़ल के अलावा भजन व दादरा के कद्रदान यहाँ रहे हैं। वाजिद अली शाह के दरबार में कालिका महाराज व बिन्दादीन महाराज ने जो कथक की परम्परा शुरू की, अच्छन महाराज, लच्छू महाराज, शम्भू महाराज और अब बिरजू महाराज ने इस सम्पन्न-समृद्ध धरोहर को नये आयाम दिये। लोक संगीत में भी उत्तर प्रदेश पीछे नहीं है। बुन्देल खण्ड में ईसुरी का फाग, आल्हा, ब्रज का रसिया, पूर्वी जिलों की कजली, बिरहा और चैती जैसी अनेक धाराएँ लोक जीवन को आनन्दित करती रही हैं।

शिल्प के क्षेत्र में भी यह प्रदेश पीछे नहीं रहा। बनारस का रेशम और जरी, लखनऊ की जामदानी, जरदोजी व चिकन, भदोही के कालीन, सहारनपुर का लकड़ी का काम, मुरादाबाद का पीतल और फिरोजाबाद का काँच का काम सदियों से विश्व के अनेक देशों का मन मोहते रहे हैं। आज भी ये शिल्प अरबों रुपये की विदेशी मुद्रा कमा रहे हैं।

यह एक अद्‌भुत प्रदेश है। मानव जाति के जन्म से शुरू हुई इसकी सभ्यता निरन्तर समृद्ध होती रही है। यहाँ की संस्कृति ने एक ऐसी मानसिकता को जन्म दिया है, एक ऐसी विचार-शैली दी है, एक ऐसा जीवन-दर्शन दिया है, जिसने सारे देश को अपनी ओर आकृष्ट किया, जिसमें पूरे विश्व कल्याण के तत्त्व मौजूद हैं।

उत्तर प्रदेश भारत का बहुत महत्त्वपूर्ण राज्य है। राष्ट्रीय योगदान के विभिन्न क्षेत्रों में इसकी भूमिका उल्लेखनीय रही है। चाहे कुल जनसंख्या का सवाल हो या संसद में सांसदों की संख्या का इसमें उत्तर प्रदेश का स्थान सर्वोपरि है। उत्तर प्रदेश को यह श्रेय प्राप्त है कि उसने दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश को सर्वाधिक प्रधानमंत्री दिए। पिछले 72 वर्षों में चालीस से अधिक वर्षों तक इसी राज्य के लोग प्रधानमंत्री होते आये हैं। सिर्फ राजनीति ही नहीं संस्कृति, इतिहास एवं सामाजिक आर्थिक भौगोलिकता की दृष्टि से भी यह राज्य भारत में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। कृषि प्रधान इस राज्य के कुल 240928 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर 199812341 लोग निवास करते हैं, जिसमें 10.45 करोड़ पुरुष और 9.53 करोड़ महिलाएं हैं। इनमें से 67.7 प्रतिशत लोग साक्षर हैं।

कुल 97,814 आबाद गांवों तथा 915 नगरों में विभाजित इस प्रांत को अपना नाम 24 जनवरी, 1950 को भारतीय संविधान लागू होने के ऐन पहले प्राप्त हुआ। 1937 से 1950 तक इसे संयुक्त प्रांत

(युनाइटेड प्राविन्सेज) के नाम से जाना जाता था।

अंग्रेजी राज की स्थापना के प्रथम चरण में यह प्रांत (अवध के अतिरिक्त) बंगाल प्रेसीडेन्सी का ही एक हिस्सा था सुविधानुसार इसे कभी 'पश्चिमी प्रांत' के नाम से पुकार लिया जाता था। बाद में 'आगरा प्रेसीडेन्सी' का निर्माण कर इसे 'बंगाल प्रेसीडेन्सी' से अलग किया गया। 1836 में एक बार पुनः इसका नामकरण किया गया। अब इसका नाम 'उत्तर पश्चिम प्रांत' (नार्थ वेस्टर्न प्राविन्सेज) हुआ। मुख्यालय आगरा बना। 7 फरवरी 1856 को अवध को भी ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। उस समय अवध में लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या, गोण्डा, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ तथा रायबरेली नामक बारह जिले शामिल थे। 1857 की क्रांति के बाद 1858 में लार्ड कैनिंग ने पूरे उत्तरी पश्चिमी प्रान्त को एक ले. गवर्नर के द्वारा शासित प्रांत बना दिया। इस प्रांत का मुख्यालय आगरा से प्रयागराज कर दिया गया। 1875 में उच्च न्यायालय को भी आगरा से प्रयागराज स्थानान्तरित कर दिया गया। अवध और उत्तर पश्चिमी प्रांतों का प्रशासनिक तथा न्यायिक विभाजन 1877 तक बना रहा। अवध का प्रशासनिक एवं न्यायिक मुख्यालय लखनऊ रहा तथा उत्तर पश्चिमी प्रांतों का प्रयागराज। सन् 1877 में इन दोनों प्रांतों के ले. गवर्नर और मुख्य आयुक्त का पद समाप्त कर 'आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत' (युनाइटेड प्राविन्सेज आफ आगरा एण्ड अवध) कर दिया गया। तब ले. गवर्नर का पद ही इस एकीकृत प्रांत का सर्वोच्च प्रशासनिक पद बना।

भारत सरकार अधिनियम 1919 के अन्तर्गत ले. गवर्नर के पद को गवर्नर के पद की मान्यता प्राप्त हो गयी तथा 1920 के चुनावों के बाद इस प्रांत की सरकार एक बार पुनः इलाहाबाद से लखनऊ स्थानान्तरित कर दी गयी। 1921 में लखनऊ में ही विधान परिषद् की स्थापना की गयी तथा 1935 तक प्रान्तीय सचिवालय के प्रयागराज से लखनऊ स्थानान्तरण का कार्य पूरा होने के बाद लखनऊ को इस प्रान्त की राजधानी घोषित कर दिया गया। 1937 में इस प्रांत का नाम एक बार फिर बदलकर 'संयुक्त प्रांत' (यूनाइटेड प्राविन्सेज) कर दिया गया।

सन् 2000 में प्रदेश के 13 पर्वतीय जिलों को अलग करके नये राज्य उत्तरांचल (अब उत्तराखंड) का गठन किया गया तो यहां की लगभग 55 हजार वर्ग किलोमीटर भूमि और लगभग एक करोड़ आबादी यहां से अलग हो गयी है। इसके बावजूद नया उत्तर प्रदेश अभी भी देश के सर्वाधिक आबादी वाला राज्य है और देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य।

प्राकृतिक रूपरेखा

उत्तर प्रदेश भारत का सीमान्त प्रदेश है। इसकी उत्तरी सीमा नेपाल को छूती है। उत्तराखंड के गठन से पूर्व इसकी सीमाएं चीन के तिब्बती क्षेत्र को भी छूती थीं लेकिन अब यह क्षेत्र उत्तराखंड में चला गया है। प्रदेश के उत्तर में अब नेपाल सीमा के साथ उत्तरांचल की शिवालिक पर्वत श्रेणियां हैं। पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी सीमा पर हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान हैं तथा दक्षिण में मध्य प्रदेश और पूर्वी सीमा बिहार से लगी हुई है। इन सीमाओं को प्राकृतिक तौर पर देखा जाय तो उत्तर में हिमालय की शिवालिक श्रेणियां, पश्चिम, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण में यमुना नदी तथा विन्ध्याचल और पूर्व में गंडक नदी है।

उत्तराखंड के गठन से पूर्व राज्य के तीन भूभाग थे- पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र और दक्षिण का पठारी क्षेत्र। लेकिन उत्तराखंड गठन के बाद अब पूरा पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर प्रदेश से अलग हो गया है। अब इस पर्वतीय क्षेत्र से लगा हुआ तराई- भाभर क्षेत्र ही बचा हुआ है। अब प्रदेश के प्राकृतिक स्वरूप को हम इस रूप में देख सकते हैं:-

भाभर और तराई क्षेत्र

पश्चिम में सहारनपुर से लेकर पूर्व में देवरिया तक एक पतली सी पट्टी भाभर और तराई कहलाती है।

सहारनपुर, बिजनौर, पीलीभीत जिलों में भाभर का क्षेत्र शिवालिक पहाड़ियों के इर्द-गिर्द सिमटा हुआ है। पहाड़ों से उतरने वाली नदियों एवं वेगवती धाराओं की गति यहां आकर कुछ मन्द पड़ जाती है। पहाड़ से अपने साथ बहाकर लाये गये प्रस्तर खण्डों तथा विभिन्न रसायनों को वे छोड़ती जाती हैं। पश्चिम में यह क्षेत्र 34 कि.मी. चौड़ा है, किन्तु जैसे-जैसे पूरब की ओर बढ़ते हैं, क्षेत्र सँकरा होता जाता है। छोटे-मोटे नदी-नालों का बाढ़ के समय को छोड़कर, प्रस्तर खण्डों के बीच उसका अस्तित्व क्षीण-सा ही रहता है किन्तु थोड़ी दूरी के बाद वे फिर उसी रूप में दिखायी देते हैं। दलदल वाले तराई क्षेत्र का निर्माण इसी प्रकार हुआ है।

जंगली और ऊँची घनी घासों से ढका हुआ तराई क्षेत्र कभी 80 से 90 किलोमीटर तक चौड़ा था। इसके अन्तर्गत सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, खीरी, बहराइच, गोण्डा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, महराजगंज, देवरिया एवं पडरौना जिलों के भाग आते थे। भूमि सुधार के बाद किसानों को इसमें काफी उपजाऊ जमीन प्राप्त हो गयी है। अब यहां गन्ना, गेहूँ और धान की फसलें रिकार्ड पैदावार दे रही हैं। अनेक जगहों पर जूट की भी अच्छी खेती हो रही है।

मैदानी क्षेत्र

भाभर और तराई के बाद प्रदेश का पूरा मैदानी क्षेत्र नदियों से लायी गयी मिट्टी से बना है और खूब उपजाऊ है। यमुना पार, आगरा और मथुरा जिलों के उन भू-भागों को छोड़कर जहाँ अरावली पहाड़ियों के पूर्वी छोर पर अनेक खार और लाल पत्थरों वाली पहाड़ियाँ मिलती हैं, यह समग्र भू-भाग समतल है। मैदान का पश्चिम अंचल उत्तर से दक्षिण की ओर ढलुआ है और पूर्वांचल की ढाल पश्चिमोत्तर से दक्षिणपूर्व की तरफ है। यह गंगा,यमुना और उसकी सहायक नदियों द्वारा सिंचित क्षेत्र है।

दक्षिण के पहाड़ और पठार

प्रदेश के दक्षिण में पठारी भू-भाग की उत्तरी सीमा यमुना और गंगा नदी द्वारा निर्धारित है। इसके अन्तर्गत झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, ललितपुर और बांदा, प्रयागराज जिले की मेजा और करछना तहसीलें, गंगा के दक्षिण में पड़ने वाला मिर्जापुर का हिस्सा तथा वाराणसी जिले की चकिया तहसील आती है। यह क्षेत्र दक्कन के पठार का ही प्रसरण है। भू-गर्भ शास्त्रियों के अनुसार इसका निर्माण अत्यन्त प्राचीनकाल में प्रवाहमान समुद्री निरक्षेप द्वारा हुआ। पठार की सामान्य ऊंचाई 300 मीटर के आसपास है। कुछ स्थानों पर यह ऊंचाई 450 मीटर से भी अधिक है। मिर्जापुर, सोनभद्र की पहाड़ियां लगभग 600 मीटर तक ऊँची हैं।

चित्रकूट जिले की कर्वी तहसील में विन्ध्य पर्वत श्रेणियां हैं। यहां जल प्रवाह सामान्यतः उत्तर पूर्व की तरफ है। बेतवा और केन नदियां, जो बुन्देलखण्ड से होकर गुजरती हैं, यमुना में आकर मिली हैं। इस पूरे क्षेत्र में वर्षा कम होती है। यहां की मुख्य फसलें ज्वार, तिलहन, चना और गेहूँ हैं।

जलवायु

उत्तर प्रदेश की पूरी जलवायु गर्म है। तराई क्षेत्रों में यह नमी लिए रहती है और दक्षिण पठारी क्षेत्र में गर्मी में नमी का नामोनिशान नहीं रहता। ग्रीष्म ऋतु में कुछ जगहों का तापमान 47 डिग्री सेन्टीग्रेड तक जाता है। जाड़े की ऋतु में तापमान मैदानी क्षेत्रों में 8.5 से 17.5 डिग्री सेन्टीग्रेड तक रहता है। अप्रैल, मई और जून गर्मी के महीने हैं, जब प्रदेश के अधिकांश भागों में लू चलती है।

सामान्यतः वर्ष में तीन ऋतुएँ होती हैं। अक्टूबर से फरवरी तक जाड़ा, मार्च से जून तक गर्मी और इसके बाद सितम्बर तक बरसात होती है। गर्मी आगरा और झांसी में सबसे अधिक, बरेली में सबसे कम पड़ती है। मध्य जून से मध्य सितम्बर तक प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून के फलस्वरूप प्रमुख रूप से वर्षा होती है। जाड़ों में उत्तर पश्चिम से उठने वाले तूफानों के कारण कुछ जगहों पर वर्षा का औसत 60 और 100

सेन्टीमीटर के बीच रहता है जबकि पूर्वी भाग के जिलों में 100 से 120 सेन्टीमीटर के बीच रहता है। जौनपुर जिले के पश्चिमी हिस्सों में वर्षा कुछ कम होती है। प्रदेश में लगभग 83 प्रतिशत वर्षा जून से सितम्बर के मध्य और 17 प्रतिशत जाड़ों में होती है। मैदानी क्षेत्र में गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा होती है जिसका औसत 184.7 सेमी. है और मथुरा में सबसे कम, जिसका औसत 54.4 सेमी. है।

नदियाँ और जल प्रवाह

गंगा और यमुना उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख नदियाँ हैं। इनका बहाव उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में विन्ध्याचल द्वारा निर्धारित है। गंगा उत्तराखण्ड में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। सहारनपुर जनपद से यह उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश में आते ही यह धीरे-धीरे दक्षिण से पूर्व की तरफ बहने लगती है। इसके दोनों किनारों पर और भी सहायक नदियां आकर मिलती हैं– रामगंगा, गोमती, घाघरा (शारदा), राप्ती और गण्डक। यमुना का उद्गम भी उत्तराखण्ड में यमुनोत्री ग्लेशियर है। चम्बल, सिन्ध, बेतवा और केन यमुना की प्रमुख सहायक नदियां हैं। गंगा-यमुना की इन सहायक नदियों के अलावा जल प्रवाह की अनेक छोटी-छोटी नदियां हैं जैसे– कोसी, सई, कल्याणी, चन्द्रप्रभा, कर्मनाशा, रिहन्द, बेलन और धसान, हिन्डन। ये नदियाँ जगह-जगह गंगा व यमुना में मिल जाती हैं। प्रयागराज में गंगा, यमुना भी आपस में मिल जाती हैं।

विन्ध्याचल की तरफ से जो पानी गंगा में आता है उसका आधे से अधिक यमुना की सहायक नदियां चम्बल, सिन्ध, बेतवा और केन लाती हैं इसमें चम्बल सबसे बड़ी है। यह विन्ध्याचल से निकलती है और आगे चलकर इसमें अनेक सहायक नदियां मिलती हैं। दक्षिण से आकर गंगा में मिलने वाली दो अन्य प्रमुख नदियां हैं टॉस और सोन। इनमें सोन बड़ी है। यह सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। इसका उद्गम स्थल नर्मदा और महानदी के उद्गम स्थानों के पास ही है। उत्तर प्रदेश में हिमालय से निकलने वाली नदियां लगभग वर्ष भर भरी रहती हैं जबकि विंध्याचल से निकलने वाली नदियां गर्मियों में अक्सर सूख जाती हैं। इसका कारण है हिमालय से निकलने वाली नदियों में बर्फ पिघलने से गर्मियों में भी पानी कम नहीं होता। एक और कारण हिमालय में विन्ध्याचल से अधिक बरसात का होना है।

प्रदेश की मिट्टी

प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, पीलीभीत, बरेली जिले में एक तरह की मिट्टी है। यहां की मिट्टी अधिकांश गहरी भूरी और कहीं पर चिकनी है। यह मिट्टी छिछली है, इसमें कंकड़ पत्थर काफी पाये जाते हैं। सामान्यतः यह मिट्टी अम्लीय है। प्रदेश के पश्चिमी मैदानों में मिट्टी (सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ) गहरी और सामान्य से अधिक उर्वरा है। थोड़ा पूर्व की ओर आगे चलकर (बरेली, बिजनौर, मुरादाबाद, पीलीभीत) मिट्टी अधिक चिकनी है। पीलीभीत से आगे की ओर तो मिट्टी अम्लीय है किन्तु बाकी मिट्टी में थोड़ा क्षारत्व है।

प्रदेश के केन्द्रीय क्षेत्र खीरी, हरदोई, लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर, आजमगढ़, कानपुर के आसपास चिकनी और बलुई चिकनी मिट्टी है, जिसमें थोड़ा अम्ल भी है।

प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में गोरखपुर, बस्ती, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर तथा गोण्डा क्षेत्र में दो प्रकार की मिट्टियाँ पायी जाती हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में 'मांट' और 'बंजर' कहा जाता है।

नदी किनारे की मिट्टी को 'ढूह' कहते हैं। 'मांट' मिट्टी चिकनी-बलुई होती है और उसमें चूना अधिक होता है इसकी जलधारण शक्ति अधिक होती है। 'बंजर' मिट्टी चिकनी और बलुई चिकनी दोनों प्रकार की होती है। इसमें चूना अपेक्षाकृत कम होता है। उत्तरी पश्चिमी भाग में पायी जाने वाली मिट्टी में फास्फेट कम होता है। जौनपुर, आजमगढ़, मऊ जिलों में पोटाश की कमी है। शुष्कतर भागों में ऊसर तथा रेह है। अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, सीतापुर, उन्नाव, एटा, इटावा, रायबरेली और लखनऊ की मिट्टी ऊसर तथा रेह से प्रभावित है।

प्रदेश के झांसी तथा चित्रकूट धाम मण्डल, मिर्जापुर, सोनभद्र जिले एवं प्रयागराज की करछना व मेजा तहसील, वाराणसी की चकिया तहसील में मिश्रित लाल और काली मिट्टी पायी जाती है। काली मिट्टी चिपचिपी तथा कैल्केरिया युक्त और उर्वरा होती है। भीगने पर फैलती है और सूखने पर सिकुड़ती है। इन जिलों के ऊपरी पठारी भागों में लाल मिट्टी पायी जाती है। यह दो प्रकार की होती है 'परवा' और 'राकर'। परवा हल्की बलुई अथवा बलुई चिकनी होती है जबकि राकर अपक्षरित मिट्टी होती है।

वन्य क्षेत्र

उत्तरांचल (अब उत्तराखंड) गठन से पूर्व प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल 294411 वर्ग किलोमीटर था जिसमें 33994 वर्ग किमी. अर्थात् 11.54 प्रतिशत भाग वनाच्छादित था। अब 23243 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र उत्तराखण्ड में चला गया तथा उत्तर प्रदेश में 10751 वर्ग किलोमीटर वनाच्छादित क्षेत्र ही बचा है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का मात्र 4.46 प्रतिशत भू-भाग ही वनाच्छादित रह गया है।

इस समय उत्तर प्रदेश में पायी जाने वाली वनस्पतियों के आधार पर यहां के वनों को तीन भागों में बाँट सकते हैं :-

1. उष्ण प्रदेशीय आर्द्र पर्णपाती वन 2. उष्ण प्रदेशीय शुष्क पर्णपाती वन

3. उष्ण प्रदेशीय कटीले वन

आर्द्र पर्णपाती वन तराई के नमी वाले क्षेत्रों में पाये जाते हैं। प्रदेश के यह वन ऐसे क्षेत्रों में हैं जहाँ वर्षा 100 से 150 सेमी. वार्षिक होती है। यहाँ वनों की विशेषता है कि ऊँचे क्षेत्रों में अनिश्चित आकारों वाले पर्णपाती वृक्ष होते हैं। निचले भागों में अन्य प्रजातियां जिनमें बांस, लताओं और बेंत के साथ हरी भरी झाड़ियाँ होती हैं। इन वनों के प्रमुख वृक्ष हैं साल, बेर, गूलर, झिंगल, पलास, महुआ, सेमल, ढाक, आंवला, जामुन आदि।

शुष्क पर्णपाती वन प्रदेश के सभी मैदानी भागों आमतौर पर मध्यपूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में होते हैं। ये प्रायः पर्णपाती प्रजाति के होते हैं क्योंकि इन क्षेत्रों में प्रकाश नीचे तक पहुंचता है इसलिए यहां झाड़ियों और घासों की उपज भी अच्छी होती है। ऐसे वनों के बहुत बड़े क्षेत्र की खेती के लिए सफाई कर दी गयी है। यहां पैदा होने वाले वनों में साल, पलास, अंजीर, सागौन प्रमुख हैं। नीम, पीपल, आम, जामुन, महुआ, बबूल आदि भी नदियों के आसपास या नमी वाले स्थानों पर होते हैं।

कटीले वन ज्यादातर दक्षिण पश्चिमी भागों में पाये जाते हैं। ऐसे वन प्रदेश के उन भागों में स्थित हैं जहाँ वर्षा कम (वर्ष में 40 से 60 सेमी.) होती है। इन क्षेत्रों में दूर-दूर तक कटीले बौने वृक्ष मुख्यतः बबूल, कटीले, फलदार पौधे, सांहुड की पैदावार प्रमुख है। वर्षा ऋतु में यहां छोटी-छोटी घास उग जाती है। यहां प्रायः छोटे-छोटे पौधे हैं जो खुले शुष्क वनों का रूप धारण कर चुके हैं। इनमें फुलाई, खैर, कोक्के, धामन, डनझा, नीम आदि सम्मिलित हैं। इन पेड़ों से कई तरह की लीसा और गोंद प्राप्त होता है।

खनिज सम्पदा

उत्तर प्रदेश यूँ तो कृषि प्रधान राज्य है लेकिन यह प्रदेश खनिज सम्पदा का भी धनी है। प्रदेश के विंध्य क्षेत्र की पर्वत शृंखला के बीच विभिन्न प्रकार की खनिज सम्पदा दबी हुई है। उत्तर प्रदेश में चूना पत्थर, डोलोमाइट, सिलिका सैण्ड, पाइरोफिलाइट, डायस्पोर, मैग्नेसाइट, साफ्टस्टोन, तांबा, जिप्सम, ग्लास-सैड, संगमरमर, नान प्लास्टिक फायर क्ले, यूरेनियम, वेराइट्स, एडालूसाइट प्रमुख हैं। उत्तर प्रदेश के सात दक्षिणी जिले खनिज पदार्थों के लिए खासतौर पर जाने जाते हैं। ये जिले हैं– आगरा, ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, बाँदा, प्रयागराज, मिर्जापुर एवं सोनभद्र। अच्छे किस्म का चूना पत्थर सोनभद्र और मिर्जापुर में पाया जाता है। डोलोमाइट भी सोनभद्र और मिर्जापुर में मिलता है। तांबा ललितपुर में प्राप्त होता है। ग्लास– सैड प्रयागराज, बाँदा और चित्रकूट जनपद में मिलता है। संगमरमर मिर्जापुर और सोनभद्र में पाया जाता है। मिर्जापुर के बांस मकरी खोह क्षेत्र में नानप्लास्टिक फायर क्ले प्राप्त होती है। जनपद ललितपुर में यूरेनियम के भण्डार हैं।

जनगणना

जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 1,998 लाख है, जो भारत की वर्ष 2011 की कुल जनसंख्या (12,106 लाख) का 16.5 प्रतिशत है। प्रदेश की कुल जनसंख्या में 1,044.81 लाख पुरुष तथा 953.32 लाख महिलाएं हैं। प्रदेश में कुल जनसंख्या 1,998 लाख में 1,553.17 लाख (77.73 प्रतिशत) ग्रामीण जनसंख्या है तथा 444.95 लाख (22.27 प्रतिशत) नगरीय जनसंख्या है। प्रदेश की कुल ग्रामीण जनसंख्या में 809.92 लाख पुरुष तथा 743.24 लाख महिलाएं तथा कुल नगरीय जनसंख्या में 234.87 लाख पुरुष तथा 210.07 लाख महिलाएं हैं।

प्रदेश की कुल जनसंख्या में 1593.1 लाख (79.8 प्रतिशत) हिन्दू, 384.8 लाख (19.3 प्रतिशत) मुस्लिम, 3.6 लाख (0.2 प्रतिशत) ईसाई, 6.4 लाख (0.3 प्रतिशत) सिक्ख, 2.1 लाख (0.1 प्रतिशत) बौद्ध,2.1 लाख (0.1 प्रतिशत) जैन एवं 6.0 लाख (0.3 प्रतिशत) अन्य एवं अवर्णित धर्म के व्यक्ति निवास करते हैं। प्रदेश के 75 जनपदों में प्रयागराज की जनसंख्या (59.54 लाख) सबसे अधिक है तथा जनपद महोबा में (6.90 लाख) सबसे कम जनसंख्या है।

जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार वर्ष 2001–2011 की अवधि में कुल जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर प्रदेश का भारत के राज्यों में ग्यारहवां स्थान रहा। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या के वर्ष 2001–2011 की अवधि में में दशकीय वृद्धि दर 20.2 प्रतिशत थी जो उक्त अवधि में भारत की दशकीय वृद्धि दर 17.7 प्रतिशत से अधिक रही।

जनसंख्या घनत्व

एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाली कुल लोगों की औसत संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में यह 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व गाजियाबाद (3674) इसके बाद क्रमशः वाराणसी (2395), हापुड़ (2028), लखनऊ (1816), संत रविदास नगर (भदोही) (1555) तथा कानपुर नगर (1452) तथा सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जनपद ललितपुर (242) है।

लिंग अनुपात

प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। प्रदेश में प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 912 है जबकि वर्ष 2001 में यह 898 ही थी। भारत में वर्ष 2011 में लिंगानुपात 943 है जबकि वर्ष 2001 में यह 933 थी।

साक्षरता दर

वर्ष 2011 उत्तर प्रदेश की जनगणना के अनुसार प्रदेश भर में साक्षरों की संख्या 1144 लाख है। जिनमें 684 लाख पुरुष तथा 462 लाख महिलाएं साक्षर हैं। वर्ष 2011 में प्रदेश का साक्षरता प्रतिशत 67.7 भारत के सम्वादी अवधि का साक्षरता प्रतिशत 73.0 से कम रहा। प्रदेश में कुल साक्षरता प्रतिशत 67.68 में पुरुषों का 77.28 प्रतिशत तथा महिलाओं का प्रतिशत 57.18 हैं। प्रदेश में गौतमबुद्धनगर की साक्षरता दर सबसे अधिक 80.12 प्रतिशत है इसके बाद कानपुर नगर 79.65 प्रतिशत, औरैया 78.95, इटावा

78.41 प्रतिशत तथा गाजियाबाद 78.07 प्रतिशत का स्थान है। प्रदेश में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती है। यहाँ की साक्षरता दर मात्र 46.74 प्रतिशत है। इसके बाद बहराइच 49.36 प्रतिशत, बलरामपुर 49.51 प्रतिशत, बदायूँ 51.29 तथा रामपुर 53.34 प्रतिशत है।

साक्षरता दर 1951 से 2011 तक

वर्ष	कुल साक्षरता	पुरुष साक्षरता	महिला साक्षरता
1951	12.02	19.07	4.07
1961	20.87	32.08	8.36
1971	23.99	35.01	11.23
1981	32.65	46.65	16.74
1991	40.71	54.82	24.37
2001	57.36	70.23	42.98
2011	67.68	77.28	57.18

इतिहास

राजनैतिक इतिहास

पुरातन काल में उत्तर प्रदेश मध्य-देश के नाम से प्रसिद्ध था। उत्तर-पश्चिम से आने वाले आक्रामकों के रास्ते में पड़ने के कारण तथा दिल्ली और पटना के बीच के उपजाऊ मैदान का हिस्सा होने के कारण इसके इतिहास का उत्तर भारत के इतिहास से निकटतम संबंध है। यद्यपि हमें इसके प्रागैतिहासिक अथवा आदि-ऐतिहासिक काल के सम्बन्ध में बहुत कम जानकारी है, पर मिर्जापुर और बुन्देलखंड क्षेत्र में खुदाई के फलस्वरूप प्राचीन एवं नवीन पाषाणकाल के जो औजार-हथियार आदि मिले हैं और मेरठ जिलान्तर्गत आलमगीरपुर में हड़प्पाकालीन जो वस्तुएँ मिली हैं वे हमें सुदूर भूतकाल का स्मरण कराती हैं।

ऋग्वेद के समय से कुछ संश्लिष्ट ऐतिहासिक वृत्तान्त मिलते हैं। आर्यों ने सबसे पहले भारत में ''सप्तसिंधु'' या सात नदियों द्वारा सिंचित प्रदेश (आधुनिक पंजाब) में बस्तियाँ बनायीं। ये नदियाँ हैं- इण्डस (सिंधु), वितस्ता (झेलम), असिक्नी (चिनाब), परुश्नी (राबी), विपासा (व्यास), शुतुद्री (सतलज), और सरस्वती (जो अब राजस्थान के रेगिस्तान में विलुप्त हो चुकी है)। शुरू में कुछ प्रमुख घरानों के नाम थे पुरू, तुर्वसु, यदु, अनु और द्रुह्य। ये पाँच घराने 'पंचजन' कहलाते थे। इनके अतिरिक्त एक और प्रमुख वर्ग ''भरत'' कहलाता था।

धीरे-धीरे आर्यों ने अपने क्षेत्र का पूरब में विस्तार किया। 'शतपथ ब्राह्मण' में कोशल (अवध) और विदेह (उत्तरी बिहार) को ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों द्वारा इन्हें जीतना उसका रोचक वर्णन है। सीमाओं के विस्तार का परिणाम यह हुआ कि नये राज्य बने, नये लोग सामने आये और नये केन्द्रों का प्रादुर्भाव हुआ। धीरे-धीरे ''सप्तसिन्धु'' का महत्व कम होता गया और संस्कृति का केन्द्र बना सरस्वती तथा गंगा के बीच का मैदान जहाँ कुरु, पांचाल, काशी एवं कोशल (अवध) राज्य थे।

पहले प्रयाग तक फैला हुआ यह पूरा क्षेत्र मध्य देश के नाम से अभिहित हुआ। वर्तमान उत्तर प्रदेश की सीमाएँ भी लगभग वही हैं। हिन्दू कथा-साहित्य में यह देश पवित्र माना जाता है, क्योंकि रामायण और महाभारत में जिन महान् व्यक्तियों और देवताओं का वर्णन है वे यहीं के थे। यहाँ के निवासी सर्वाधिक सुसंस्कृत आर्य माने जाते थे। उनकी बोल-चाल और उनका व्यवहार आदर्श माना जाता था। वे लोग धार्मिक रीति-रिवाजों के पूरी तरह जानकार थे और बिना किसी त्रुटि के पूजा आदि कर सकते थे।

इन राज्यों के कुछ शासक, विशेषतः पांचाल के राजा प्रवहण जैवालि, अपने सुकर्मों के कारण अमर हो गये। बाद का इतिहास एक लम्बे समय तक के लिए, हिन्दुओं की धार्मिक पुस्तकों और पुराणों के आख्यानों से मिश्रित हो गया, जिससे ऐतिहासिक वृत्तान्त की कड़ी टूट गयी। जब अंधकार छँटता है तथा ईसापूर्व छठी शताब्दी में इतिहास की रेखाएँ फिर से उभरती दिखायी पड़ती हैं तो हम देखते हैं कि 16 महाजनपदों में गहरी प्रतिस्पर्धा रही। तत्कालीन राज्य और उनकी राजधानियों के नाम थेः-

1. कुरु (मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर); राजधानी इन्द्रप्रस्थ (दिल्ली के पास इन्द्रपाल)।
2. पाँचाल (बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद); राजधानी अहिच्छत्र (बरेली के पास रामनगर) तथा काम्पिल्य (फर्रुखाबाद के पास कम्पिल)।

3. शूरसेन (मथुरा के आस-पास का क्षेत्र); राजधानी मथुरा।
4. वत्स (प्रयागराज और आस-पास); राजधानी कौशाम्बी (प्रयागराज के पास कोसम)।
5. कोशल (अवध); राजधानी साकेत (अयोध्या) और श्रावस्ती (गोंडा जिले में सहेट-महेट)।
6. मल्ल (जिला देवरिया); राजधानी कुशीनगर (कसिया) और पावा (सम्भवतः पडरौना)।
7. काशी (वाराणसी); राजधानी बनारस।
8. अंग (भागलपुर); राजधानी चम्पा।
9. मगध (दक्षिण बिहार); राजधानी गिरिब्रज (राजगृह, बिहार-शरीफ के पास राजगीर)।
10. वृज्जि (जिला दरभंगा और मुजफ्फरपुर); राजधानी मिथिला जनकपुर (नेपाल सीमा पर) और वैशाली (जिला मुजफ्फरपुर में बसरा)।
11. चेदि (बुन्देलखंड); राजधानी शुक्तिमती (सम्भवतः बांदा के पास स्रोतासोढ़ा)।
12. मत्स्य (जयपुर); राजधानी विराट (जयपुर के पास)।
13. अस्मक (गोदावरी घाटी) राजधानी पांडन्य (स्थान की जानकारी नहीं)।
14. अवन्ती (मालवा); राजधानी उज्जयिनी (उज्जैन)।
15. गांधार (पश्चिमोत्तर क्षेत्र, जो पाकिस्तान में है); राजधानी तक्षशिला (रावलपिण्डी के पास)।
16. कम्बोज; राजधानी राजापुर (स्थान की जानकारी नहीं)।

उपर्युक्त 16 महाजनपदों में से 8 (क्रम संख्या 1 से 7 तक तथा 11) वर्तमान उत्तर प्रदेश में ही स्थित थे। इनमें से अधिक विख्यात काशी, कोशल और वत्स थे। इन राज्यों के अतिरिक्त वर्तमान उत्तर प्रदेश के क्षेत्रान्तर्गत ही कतिपय गणतंत्रात्मक राज्य भी थे, जैसे कपिलवस्तु का शाक्य राज्य, समसुमेरगिर का भग्गा राज्य और पावा तथा कुशीनगर का मल्ल राज्य।

सभी राज्यों में हमेशा युद्ध होता रहता था– एक-दूसरे पर राजनीतिक प्रभाव के लिए। कोशल ने काशी पर अधिकार कर लिया और अवन्ती ने वत्स का राज्य छीन लिया। कोशल और अवन्ती एक-एक करके मगध के अधीनस्थ हो गये और मगध पूरे क्षेत्र में सर्वाधिक शक्तिशाली हो गया। मगध में क्रमशः हरयांक, शिशुनाग और नन्द वंश का राज्य रहा।

नन्द वंश का साम्राज्य पंजाब और सम्भवत; बंगाल को छोड़कर पूरे उत्तर भारत में फैला हुआ था। नन्दों के शासनकाल में सिकन्दर ने ईसा से 326 वर्ष पूर्व भारत पर आक्रमण किया था। इतिहास के अनेक विद्वानों का मत है कि मगध के शक्तिशाली राज्य की सेनाओं से मुकाबला न कर पा सकने का डर ही सिकन्दर की सेना द्वारा व्यास नदी के आगे न बढ़ने के निश्चय के मूल में था। इस प्रकार सिकन्दर को बाध्य होकर वापस लौटना पड़ा था।

सिकन्दर की वापसी के साथ ही साथ भारत में एक महान क्रान्ति हुई। इसके बाद नन्द शासकों के हाथ से (ईसा से 323 वर्ष पूर्व) शासन की बागडोर चन्द्रगुप्त मौर्य के पास आ गयी। चन्द्रगुप्त मौर्य पिप्पलीवन के क्षत्रिय कुल ''मौर्य'' का वंशज था। वर्तमान उत्तर प्रदेश का पूरा क्षेत्र चन्द्रगुप्त मौर्य, उसके लड़के बिन्दुसार और पोते अशोक के शासन-काल में सुख और शान्ति का अनुभव करता रहा। अशोक द्वारा सारनाथ में निर्मित स्तम्भ पर सिंहों की जो आकृति बनी है, स्वतंत्र भारत की सरकार ने उसे ही अपना राजकीय चिह्न बनाया है। अशोक-स्तम्भ और शिलालेख सारनाथ, प्रयागराज, मेरठ, कौशाम्बी, संकिस्सा, बस्ती और मिर्जापुर में भी पाये गये हैं। ये सभी स्थान उत्तर प्रदेश में हैं। चीनी यात्री फाह्यान और ह्वेनसांग ने अन्य अनेक शिलालेख आदि भी देखे थे। सारनाथ के धूमेख का स्तूप का भी निर्माण अशोक ने करवाया था।

ईसा पूर्व 232 वर्ष में अशोक की मृत्यु होते ही मगध राज्य का ह्रास प्रारम्भ हो गया। उसके पोते दशरथ

और सम्प्रति ने सारा राज्य आपस में बाँट लिया। नर्मदा के दक्षिण का पूरा क्षेत्र शीघ्र ही स्वतन्त्र हो गया और ईसा पूर्व 210 वर्ष में पंजाब पर अन्य लोगों का शासन हो गया। इस वंश का अन्तिम शासक बृहद्रथ था, जिसकी उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी (ईसा पूर्व 185 वर्ष में)। पुष्यमित्र ने उसके बाद मगध का राज्य बनाये रखा। पतंजलि के महाभाष्य में एक उल्लेख साकेत (अयोध्या) का यवनों (यूनानियों) द्वारा घेरे जाने का आता है। मेनेन्डर और उसके भाई ने ईसा से लगभग 182 वर्ष पूर्व एक भारी आक्रमण किया। आक्रामक सेनाओं ने सुदूर दक्षिण-पश्चिम में काठियावाड़, सांकल (स्यालकोट, पाकिस्तान के पंजाब में) और मथुरा पर अधिकार कर लिया। इसके बाद आक्रामकों ने साकेत (अयोध्या) को घेर लिया तथा गंगा की घाटी में बहुत दूर तक बढ़ आये। इस आक्रमण का आखिर में पुष्यमित्र के पौत्र वसुमित्र ने गंगा के किनारे मुकाबला किया तथा यवनों को हरा दिया। यूनानी पीछे हट गये और उन्होंने सांकल (स्यालकोट) में अपनी राजधानी बनायी। मथुरा बहुत समय तक मेनेण्डर के साम्राज्य का प्रमुख नगर रहा। मेनेण्डर ने ईसा से लगभग 145 वर्ष पूर्व तक राज्य किया। बाद में छोटी-छोटी अनेक इण्डो-ग्रीक एवं यूनानी रियासतें पंजाब में ईसा की प्रथम ईसवी तक बनी रहीं।

इसी बीच मगध में शुंग वंश के स्थान पर कण्व वंश की स्थापना हुई। कहा जाता है कि शुंग वंश का अन्तिम राजा देवभूति दुश्चरित्र था। इस कमजोरी का लाभ उठाकर उसके मंत्री वासुदेव ने राजा देवभूति की हत्या कर दी। वासुदेव ने ईसा से 73 वर्ष पूर्व कण्व वंश की स्थापना की। यह राजवंश 45वर्ष तक चला और ईसा से 28 वर्ष पूर्व सिमूक ने, जो सातवाहन या आंध्र वंश के संस्थापक थे, इसको समाप्त कर दिया।

कण्व वंश का साम्राज्य कहाँ तक फैला था यह कहना कठिन है, किन्तु ऐसे सिक्के जिन पर ''मित्र'' शब्द से समाप्त होने वाले राजाओं के नाम खुदे हैं, खुदाई में पूरे उत्तर प्रदेश में मिले हैं। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ईसा से एक शताब्दी पूर्व और बाद तक पूरा उत्तर प्रदेश उन लोगों के अधिकार-क्षेत्र में था, जो शुंग वंश से सम्बद्ध थे।

यह वह समय था जब मध्य एशिया के शकों का ध्यान पहली बार भारत की ओर आकर्षित हुआ। ईसा के 60 वर्ष पूर्व तक इन लोगों ने मथुरा में अपने क्षत्रप स्थापित कर लिये थे। प्रथम शक राजा मायुस हुआ जिसकी ईसा पूर्व लगभग 58वें वर्ष में मृत्यु हुई थी। शकों के बाद पार्थियन लोगों ने उत्तरी भारत पर आक्रमण किये और ईसा के बाद प्रथम शताब्दी आरम्भ होने तक उन लोगों ने शकों को परास्त करना शुरू कर दिया था। फिर ईसा से लगभग 40 वर्ष पूर्व कुषाण लोगों के भी आक्रमण हुए। ये भी मध्य एशिया की पाँच जातियों में से एक थी। शीघ्र ही कुषाण राजाओं ने मध्य एशिया से लेकर सिन्धु नदी तक के क्षेत्र में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। धीरे-धीरे इन लोगों ने पूरे उत्तर भारत पर अधिकार कर लिया।

कुषाण राज्य-वंश की स्थापना ''कुजुला कदफिसेस'' या कदफिसेस प्रथम ने की थी। इसका पुत्र और उत्तराधिकारी विमा कदफिसेस या कदफिसेस द्वितीय गंगा की घाटी तक घुस आया था। इसका उत्तराधिकारी था कनिष्क प्रथम जो निःसन्देह सभी कुषाण राजाओं में श्रेष्ठ था। चीनी और तिब्बती इतिहासकारों ने कनिष्क की सोकेद (साकेत) के राजा से लड़ाई की गाथाएँ सुरक्षित रखी हैं तथा अनेक उत्कीर्ण प्रलेख एवं खुदाई से प्राप्त सिक्के आदि, जो उत्तर प्रदेश के विस्तृत भाग में मिले हैं, इस बात की ओर संकेत करते हैं कि यह भूभाग किसी समय कुषाण साम्राज्य का अंश था। उस समय मथुरा कला का प्रसिद्ध केन्द्र था।

कनिष्क का राज्यकाल और कुषाण राजाओं की वंश-परम्परा अनिश्चित है। कुछ विद्वानों का मत है कि कनिष्क का राज्याभिषेक ईसा के 78 वर्ष बाद हुआ और कुछ का यह कि कनिष्क प्रथम ने सम्भवतः ईसा बाद 120 और 144 वर्ष के बीच राज्य किया था। उसकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर में थी और उसके राज्य के अन्तर्गत गांधार, कश्मीर तथा सिन्धु एवं गंगा नदी की घाटियों का क्षेत्र था। कनिष्क के पुत्र हुविष्क ने अपने पिता के बाद राजकाज सँभाला और उसके बाद उसका पुत्र वासुदेव गद्दी पर बैठा।

वासुदेव के समय में कुषाण साम्राज्य बहुत छोटा हो गया था तथा उसके बाद छिन्न-भिन्न होकर अनेक छोटे-छोटे सीमान्त राज्यों में बँट गया। ईसा के बाद तीसरी सदी आते-आते कुषाणों का प्रभुत्व मध्यदेश से समाप्त

हो चुका था तथा उसके स्थान पर बहुत से दूसरे छोटे-छोटे राज्य स्थापित हो चुके थे। यद्यपि इस समय के इन राजाओं में कुछ के नाम अभी भी समुद्रगुप्त (ईसा बाद चौथी सदी) द्वारा प्रयागराज के स्तम्भ पर खुदवाये जाने के कारण ज्ञात हैं। मथुरा और कान्तिपुरी (मिर्जापुर में कान्तित) इस वंश के शासकों के मुख्यालय रहे। इसी अवधि में नागों की ही एक जाति ''भारशिव'' भी प्रभुत्वशाली बनी। इन लोगों की शक्ति तथा इनके साम्राज्य का आभास इसी से लग जाता है कि इन्होंने दस अश्वमेध यज्ञ किये और गंगा के पवित्र जल से इनके राज्याभिषेक हुए।

ईसा बाद चौथी सदी में गुप्त वंश का प्रादुर्भाव होने पर भारत में राजनीतिक एकता फिर स्थापित हुई तथा लगभग दो सौ वर्षों के उनके शासन काल में मध्यदेश (उत्तर प्रदेश) उनके शासनान्तर्गत अन्य क्षेत्रों के साथ शान्ति और समृद्धि का भागीदार बना।

गुप्त राज्य के पराभव के बाद एक बार फिर सत्ता विकेन्द्रित हो गयी। कुछ समय तक मध्यदेश के विस्तृत भाग पर कन्नौज के मौखरियों का शासन रहा। इन्हें मालवा के गुप्त राजाओं का कड़ा मुकाबला करना पड़ा। इनका अन्तिम राजा गृहवर्मन ईसा के लगभग 606 वर्ष बाद मालवा के राजा देवगुप्त द्वारा पराजित हुआ तथा मार डाला गया। इसके अनन्तर गृहवर्मन के मंत्रियों ने प्रशासन की बागडोर गृहवर्मन के साले हर्षवर्धन को सौंप दी। हर्षवर्धन थानेश्वर का राजा था।

हर्ष के राज्याभिषेक से थानेश्वर और कन्नौज के राज्यवंश आपस में मिल गये। कन्नौज उत्तर भारत का प्रमुख नगर बन गया। कई शताब्दियों तक उसका वही मान रहा जो उससे पहले पाटलिपुत्र का था। उसकी शान-शौकत तथा समृद्धि के फलस्वरूप उसे ''महोदय श्री'' नाम मिला तथा हर्ष के बाद (ईसा 647 वर्ष बाद) के हिन्दू राजाओं का उसे अपने अधिकार में लेने का लक्ष्य रहा करता था। उस समय आये चीनी यात्री ह्वेनसांग ने कन्नौज की समृद्धि का वर्णन किया है।

हर्ष के बाद उत्तर भारत में फिर उथल-पुथल मच गयी। उपलब्ध सामग्री के आधार पर इस काल का कोई संश्लिष्ट इतिहास तैयार करना सम्भव नहीं है। केवल कुछ घटनाओं का उल्लेख किया जा सकता है।

आठवीं सदी के प्रथम चतुर्थांश में यशोवर्मन ने कन्नौज में अपना आधिपत्य जमा लिया था। उसने लगभग पूरे भारत को जीत लिया और कन्नौज को फिर से वैभवशाली नगर बना दिया। कश्मीर के ललितादित्य मुक्तपीड़ के सहयोग से उसने तिब्बत में भी सेना भेजी थी और सफलता पायी थी। किन्तु बाद में ललितादित्य ने उसे गद्दी से उतार दिया और मार डाला (ईसा से 740 वर्ष बाद)। बाद के आयुधवंशीय राजाओं के काल में कन्नौज पर आधिपत्य के लिए बंगाल के पाल, दक्षिण के राष्ट्रकूटों तथा पश्चिमी भारत के गुर्जर प्रतिहारों के बीच बहुत दिनों तक प्रतिस्पर्धा चली जिसमें अन्तिम सफलता गुर्जर प्रतिहारों को मिली। इन लोगों ने जो साम्राज्य स्थापित किया वह विस्तार और ख्याति की दृष्टि से किसी भी गुप्त-वंशीय राजा या सम्राट हर्ष के साम्राज्य से कम नहीं था। गुर्जर प्रतिहार पूरी नवीं एवं दसवीं शताब्दी में उत्तर भारत पर छाये रहे। इनको सन् 1018-19 में मेहमूद गजनवी ने परास्त किया। जेजाकभुक्ति या वर्तमान बुन्देलखंड में चन्देल राजाओं ने मेहमूद गजनवी के आक्रमणों का सफलतापूर्वक मुकाबला किया था। उनका गढ़ कालिंजर अजेय बना रहा। इन लड़ाइयों में दो चन्देल शासकों, धंग और विद्याधर ने बड़ा शानदार योगदान किया था।

प्रतिहारों के पराभव के बाद मध्यदेश में फिर से अराजकता फैल गयी; किन्तु इसी समय गहरवार राजवंश के उदय से शांति एवं सुव्यवस्था पुनः स्थापित हुई और इस क्षेत्र में समृद्धि का नया युग प्रारम्भ हुआ। दो प्रमुख गहरवार राजा थे गोविन्द चन्द्र (सन् 1104 से 1154 तक) और जयचन्द्र (सन् 1170 से 1193) तक। जयचन्द्र की अदूरदर्शिता से चौहान राजा पृथ्वीराज तृतीय की 1192 में तराइन में मोहम्मद गोरी के हाथों पराजय हुई और फिर अगले वर्ष जयचन्द्र स्वयं भी चन्दवार (इटावा) में हारा और मारा गया। इसके बाद मेरठ, कोइल (अलीगढ़), असनी, कन्नौज और बनारस शीघ्र ही आक्रमणकारियों के शिकार हुए। जेजाकभुक्ति (अब

बुन्देलखण्ड) में सन् 1203 में चन्देल राजा परमर्दिदेव (लोकगाथाओं का वीर परमाल) एक युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक से हार गया और मारा गया। चन्देलों ने बाद में स्थिति सँभाल ली और लगभग दो शताब्दी से भी अधिक समय तक राज्य करते रहे। यह और बात है कि उनका राज्य-क्षेत्र छोटा हो गया था। इसी प्रकार सुदूर उत्तर का पहाड़ी भाग भी आक्रामकों से सुरक्षित रहा।

सन् 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली के सिंहासन पर बैठा और वहीं से गुलाम वंश का प्रारम्भ हुआ। गुलाम वंश के राजाओं और उनके बाद खिलजियों तथा तुगलक वंश के बादशाहों ने धीरे-धीरे दिल्ली सल्तनत की सीमा बढ़ायी। वर्तमान उत्तर प्रदेश का क्षेत्र लगभग प्रारम्भ से ही इन लोगों के साम्राज्य का अंग रहा। सम्भल, कड़ा और बदायूं प्रमुख जागीरदारों को सौंप दिये गये थे, तथापि पूरा प्रदेश बराबर दिल्ली के सुल्तानों का विरोध करता रहा। विरोध करने वाले क्षेत्रों में कटेहर, कम्पिल, भोजपुर और पटियाली के नाम उल्लेखनीय हैं।

तेरहवीं और चौदहवीं शताब्दी में मध्य-देश का इतिहास शौर्यपूर्ण प्रतिरोध और बर्बरतापूर्ण दमन का इतिहास रहा है जिसकी एक दो झाँकियाँ उस समय के इतिहासकारों की कृतियों में दिखलायी पड़ती हैं। इस अवधि के समाप्त होने से पहले ही दिल्ली के तुगलकों का साम्राज्य तेजी से विघटित होने लगा था और सन् 1394 में इस क्षेत्र के पूर्वांचल में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना हो गयी। यह शर्की साम्राज्य था और इसकी स्थापना जौनपुर में नासिरुद्दीन तुगलक के विद्रोही सूबेदार मलिक सरवर ख्वाजाजहां ने की थी। शर्की शासकों ने 84 वर्षों तक दिल्ली की सल्तनत का जमकर प्रतिरोध किया और कन्नौज एवं अन्य सीमान्त जिलों पर दिल्ली का प्रभुत्व नहीं माना।

जौनपुर के अलग हो जाने के चार वर्ष बाद अर्थात् सन् 1398 में भारत पर समरकन्द के एक चुँगताई तुर्क ने, जिसे तिमुर या तैमूरलंग या तमरलेन कहा जाता है, आक्रमण किया। यद्यपि मुख्य रूप से दिल्ली और पंजाब का क्षेत्र तैमूरलंग की बर्बरता तथा पाशविकता का शिकार बना किन्तु दोआब का क्षेत्र भी अछूता न बचा। उदाहरण के लिये मेरठ, हरिद्वार तथा कटेहर को भी इस आक्रमण की कटुता का अनुभव हुआ।

तैमूर की चढ़ाई ने तुगलक वंश का शासन समाप्त कर दिया। सन् 1412 में मुहम्मद तुगलक (अन्तिम तुगलक बादशाह) की मृत्यु हो गयी और उसी समय से दिल्ली में तुगलक राजवंश की समाप्ति हो गयी।

सन् 1414 से 1526 तक सैयद और लोदियों ने दिल्ली साम्राज्य के बचे-खुचे भाग पर राज्य किया। लोदी राज-वंश के संस्थापक बहलोल लोदी ने सन् 1478 में जौनपुर पर अधिकार कर लिया किन्तु दोआब का अधिकांश भाग अनेक हिन्दू एवं मुसलमान सरदारों के अधीन बना रहा। तत्कालीन इतिहास की एक प्रमुख घटना यह रही कि सिकन्दर लोदी ने आगरा को अपनी उप-राजधानी बनायी।

बाबर ने पानीपत की लड़ाई में सन् 1526 में लोदियों के अन्तिम बादशाह इब्राहीम लोदी को परास्त कर आगरा पर अधिकार कर लिया किन्तु इसके बाद भी अफगानों ने गंगा की घाटी में और सम्भल, जौनपुर, गाजीपुर, कालपी, इटावा और कन्नौज में अपना प्रतिरोध जारी रखा तथा कड़ी लड़ाई के बाद ही आत्मसमर्पण किया। बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी किन्तु उसके लड़के हुमायूँ को अफगान वीर शेरशाह सूरी के हाथों करारी हार खानी पड़ी थी। शेरशाह सूरी मुगलों के विरुद्ध भारतीय मुसलमानों के विरोध का प्रतीक था। मुगलों और शेरशाह सूरी के बीच हुई लड़ाइयों में चुनार, चौसा तथा बिलग्राम प्रमुख रणस्थल थे। शेरशाह सूरी स्वयं सन् 1545 में कालिंजर के प्रसिद्ध किले पर अधिकार करने के प्रयास में चन्देलों से लड़ते हुए मारा गया।

उसकी मृत्यु से मानो मध्ययुगीन इतिहास के गगन का एक विलक्षण सितारा अस्त हो गया। इसके उपरान्त महत्वपूर्ण घटनाओं का क्रमारम्भ हुआ। हुमायूं फिर से दिल्ली के तख्त पर बैठा। उसकी मृत्यु के बाद पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई। सन् 1556 में अकबर दिल्ली की गद्दी पर बैठा और भारतीय इतिहास में एक नवीन युग का आरम्भ हुआ। यह युग था शांति, समृद्धि सुदृढ़ प्रशासन का, उदारता, सहिष्णुता और हिन्दू एवं मुसलमान संस्कृतियों के समन्वय का।

समन्वय की यह प्रक्रिया अकबर के उत्तराधिकारियों-जहाँगीर एवं शाहजहाँ के समय में भी चलती रही। उत्कर्ष के इस युग में "हिन्दुस्तान" का, जैसा कि तत्कालीन मुसलमान इतिहासकार उत्तर प्रदेश को कहते थे महत्त्वपूर्ण अंशदान रहा है। अकबर के दो प्रसिद्ध मंत्री टोडरमल और बीरबल इसी क्षेत्र के थे और जब तक शाहजहाँ के समय में दिल्ली को राजधानी नहीं बनाया गया था तब तक आगरा ही मुगल साम्राज्य की राजधानी रही।

औरंगजेब द्वारा उदारता की नीति का परित्याग करने से मुगल साम्राज्य को भारी धक्का लगा। परिणाम यह हुआ कि उसकी मृत्यु के कुछ ही दशकों में शक्तिशाली मुगल साम्राज्य नष्ट हो गया। औरंगजेब के शासनकाल में ही बुन्देलखण्ड ने वीर छत्रसाल के नेतृत्व में विद्रोह का बिगुल बजा दिया था। बुन्देलों की यह लड़ाई रुक-रुक कर लगभग 50 वर्षों तक चली। छत्रसाल को पेशवा वाजीराव की सहायता स्वीकार करनी पड़ी। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में मराठों के पैर जमे। स्वयं अवध का स्थानीय सूबेदार सादात खाँ सन् 1732 में स्वतंत्र हो गया और उसके बाद उसके उत्तराधिकारी सन् 1856 तक राज्य करते रहे। लगभग इसी समय रुहेलों ने भी स्वतंत्र राज्य कायम कर लिया और सन् 1774 तक रुहेलखण्ड में अधिपति बने रहे। उक्त वर्ष अवध के नवाब ने उन्हें ईस्ट इंडिया कम्पनी की सहायता से परास्त किया। कुछ समय तक मराठों ने गंगा-जमुना दोआब पर अपना आधिपत्य जमाने के प्रयास किये किन्तु 1761 में पानीपत में हुई हार ने उनकी इस विस्तार-भावना का अन्त कर दिया। इस अवसर से लाभ उठाकर अंग्रेजों ने दोआब में अपनी स्थिति सुदृढ़ बना ली।

अवध के तीसरे नवाब शुजाउद्दौला (सन् 1754 से 1775 तक) के शासनकाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी अवध के शासकों के सम्पर्क में आयी। शुजाउद्दौला ने बंगाल से भागे हुए नवाब मीर कासिम से सन् 1764 में अंग्रेजों के विरुद्ध इकरारनामा कर रखा था किन्तु बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ और उसे कड़ा एवं प्रयागराज अंग्रेजों को दे देना पड़ा। इसके बाद अंग्रेजों ने कभी धमकी देकर कभी फुसलाकर नवाब से बड़े-बड़े क्षेत्र हड़पने की नीति बना ली।

सन् 1775, 1798 और 1801 में नवाबों से जो क्षेत्र अंग्रेजों ने प्राप्त किये और सन् 1803 में ग्वालियर के सिंधिया से जो क्षेत्र लार्ड लेक ने जीते वे सब शुरू में बंगाल के प्रान्त से सम्बद्ध कर दिये गये थे और इन्हें जीते हुए या मिले प्रदेश की संज्ञा दी गयी। सन् 1816 में सुगौली की संधि द्वारा वर्तमान कुमाऊँ, गढ़वाल और देहरादून के जिले गुरखा आक्रमणकारियों से लेकर ब्रिटिश राज्य में मिला लिये गये। इस प्रकार से जो विस्तृत क्षेत्र बना उसे सन् 1836 में उत्तर-पश्चिम प्रान्त के नाम से एक प्रशासनिक इकाई में बदल दिया गया। अन्त में सन् 1856 में राज्य हड़पने की नीति का अनुसरण करते हुए डलहौजी ने अवध को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया तथा उसे एक चीफ कमिश्नर की अधीनता में रख दिया। आखिरी नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने कलकत्ता भेज दिया और उसे पेंशन दे दी। इसी समय झाँसी का राज्य भी अंग्रेजों ने अपने राज्य में मिला लिया था।

अवध के नवाबों और ईस्ट इंडिया कम्पनी के बीच जैसे सम्बन्ध थे वे एक तरफ तो नवाबों की दुर्बलता का तथा दूसरी तरफ अंग्रेजों की उद्दण्डता, शक्ति और विश्वासघात का स्मरण दिलाते हैं। अतः सन् 1856 में जब अंग्रेजों ने अवध की नवाबी हड़प ली तो यह स्वाभाविक था कि राष्ट्रीय स्तर पर विद्रोह की अग्नि भड़क उठे और सन् 1857 में यही हुआ। उक्त विद्रोह में , जो राष्ट्र की आजादी के लिए किया गया प्रथम स्वतंत्रता-संग्राम था, वर्तमान उत्तर प्रदेश के किसानों, मजदूरों, महिलाओं, दलितों तथा सभी धर्मों व वर्गों के लोगों ने शानदार भूमिका अदा की। झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई, अवध की बेगम हजरत महल, बख्त खाँ, नाना साहब, मौलबी अहमदउल्ला शाह, राणा बेनीमाधव सिंह, अजीमउल्ला खाँ तथा अन्य अनेक राष्ट्रभक्तों ने उक्त ऐतिहासिक संघर्ष में जिस कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया उससे वे अमर हो गये।

सन् 1858 में दिल्ली डिवीजन उत्तरी-पश्चिमी प्रदेश से जुदा कर दिया गया और प्रदेश की राजधानी आगरा से इलाहाबाद स्थानान्तरित कर दी गयी। उसी वर्ष 1 नवम्बर को एक शाही घोषणा द्वारा राजनीतिक सत्ता

ईस्ट इण्डिया कम्पनी के हाथों से लेकर सीधे महारानी विक्टोरिया को सौंप दी गयी।

सन् 1877 में उत्तर-पश्चिमी प्रदेश के लेफ्टिनेन्ट गवर्नर का पद तथा अवध के चीफ कमिश्नर का पद एक में मिला दिया गया। उसी समय से उक्त वृहत्तर क्षेत्र को उत्तर-पश्चिम प्रदेश, आगरा और अवध, कहा जाने लगा। सन् 1902 में इस नाम को भी बदल कर संयुक्त प्रदेश आगरा और अवध कहा जाने लगा। सन् 1921 से यहाँ गवर्नर नियुक्त होने लगा और कुछ समय बाद राजधानी लखनऊ स्थानान्तरित हो गयी। सन् 1937 में इसका नाम छोटा करके मात्र संयुक्त प्रान्त कर दिया गया। आजादी मिलने के लगभग ढाई वर्ष बाद अर्थात् 24 जनवरी, 1950 को इस क्षेत्र का वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश हुआ। इसके तुरन्त बाद पास-पड़ोस के अनेक छोटे-छोटे क्षेत्र इसमें मिला लिये गये। 26 जनवरी, 1950 को जब स्वतंत्र भारत का संविधान लागू हुआ तो उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य बन गया।

इसमें सन्देह नहीं कि अंग्रेजों के राज्यकाल में या उसके बाद की अवधि में उत्तर प्रदेश का इतिहास पूरे भारत के इतिहास से पृथक नहीं रहा, किन्तु यह तथ्य सर्वविदित है कि राष्ट्रीय आन्दोलनों में यहाँ के लोगों का योगदान महत्वपूर्ण है। सी.वाई. चिन्तामणि, तेज बहादुर सप्रू, मदनमोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, गोविन्द वल्लभ पन्त, लालबहादुर शास्त्री तथा रफी अहमद किदवई ये सब राष्ट्र के नेता रहे हैं और सब उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। यह भी कम गौरव की बात नहीं है कि इस प्रदेश से अनेक प्रधान मंत्री राष्ट्र को मिले हैं- पं. जवाहरलाल नेहरू, श्री लालबहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गाँधी, चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी, वी.पी. सिंह, चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी एवं वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी इत्यादि।

स्वाधीनता आन्दोलन : उत्तर प्रदेश की भूमिका

औरंगजेब की मृत्यु के उपरान्त पचास वर्षों में कुल आठ मुगल शासक दिल्ली की गद्दी पर बैठे। 1757 तक वर्तमान उत्तर प्रदेश में पाँच स्वतंत्र राज्य स्थापित हो चुके थे। मेरठ तथा बरेली के उत्तर में नाजिब खान नामक पठान सरदार, मेरठ तथा दोआब क्षेत्र में रुहेलों के अन्तर्गत रुहेलखण्ड, फर्रुखाबाद के नवाब के अन्तर्गत मध्य दोआब का क्षेत्र, वर्तमान अवध तथा पूर्वी जिलों पर अवध के नवाब तथा बुन्देलखण्ड पर मराठों का शासन स्थापित था। दिल्ली में मुगलों के पराभव के साथ ही इन सभी स्वतंत्र राज्यों में वर्चस्व का संघर्ष जारी हो गया। 1761 के तीसरे पानीपत के युद्ध में मराठों, जाटों तथा राजपूतों की पराजय ने तथा बक्सर के युद्ध (1764) में ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा बंगाल के नवाब मीर कासिम की पराजय ने उत्तर भारत का भाग्य निर्धारित कर दिया। अंग्रेज प्रयागराज तक बढ़ आये थे। अवध के नवाब ने मराठों को बुन्देलखण्ड से सहायता के लिए बुलाया परन्तु कानपुर के निकट जाजमऊ में नवाब व मराठों की सम्मिलित सेना अंग्रेजी सेना से पराजित हो गयी। निर्वासित मुगल सम्राट शाह आलम को प्रयागराज तथा कोरा (प्रयागराज, कानपुर तथा फतेहपुर) के साथ-साथ बंगाल के राजस्व से 26 लाख वार्षिक का कर दान देना ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने तय किया। जबकि अवध के नवाब ने अंग्रेजों को 50 लाख का मुआवजा देना स्वीकार किया।

1773 में अंग्रेजों ने रुहेलखण्ड में मराठों को पराजित कर दिया तथा उन्हें दोआब से निष्कासित कर दिया। प्रयागराज अवध के नवाब को इस आधार पर सौंप दिया गया कि शाह आलम ने इसे मराठों को सौंप दिया था। 1774 में अंग्रेजी सेनाओं ने रुहेल सरदार रहमत खान को शाहजहाँपुर में पराजित कर रुहेलखण्ड को अवध के नवाब को सौंप दिया।

1775 में शुजाउद्दौला की मृत्यु के पश्चात् आसफउद्दौला अवध का नवाब बन गया। अंग्रेजों के साथ की गयी एक नई संधि में उसने बनारस क्षेत्र का आधिपत्य अंग्रेजों को सौंप दिया। बनारस क्षेत्र इस समय राजा चेत सिंह के अधिकार में था। राजा चेत सिंह ने 1780 में जब सैनिक टुकड़ियों तथा धन की अतिरिक्त माँग को ठुकरा दिया तब गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स राजा को सबक सिखाने स्वयं बनारस पहुँच गया। राजा चेत सिंह के नेतृत्व में हुये बनारस विद्रोह को दबाकर अंग्रेजों ने महीप नारायण सिंह को बनारस का राजा बना दिया।

इसके साथ ही बनारस पर ब्रिटिश प्रशासन सुनिश्चित हो गया।

सन् 1797 में आसफउद्दौला की मृत्यु हो गयी। तत्पश्चात् उसका भाई सादात अली अवध का नवाब बन गया। उसने प्रयागराज का किला अंग्रेजों को सौंप दिया तथा बाह्य आक्रमण से सुरक्षा के बदले में प्रतिवर्ष 76 लाख रुपये ईस्ट इण्डिया कम्पनी को देने का आश्वासन भी प्रदान कर दिया।

19वीं सदी के प्रारम्भ पर अंग्रेजों के पास इस प्रान्त में सिर्फ बनारस क्षेत्र (मिर्जापुर के अतिरिक्त) तथा प्रयागराज का किला था। 1801 में अवध के सादात अली ने सुरक्षा की गारन्टी के एवज में गोरखपुर क्षेत्र, रुहेलखण्ड क्षेत्र, प्रयागराज, फतेहपुर, कानपुर, इटावा, एटा, दक्षिणी मिर्जापुर तथा कुमायूँ का तराई परगना अंग्रेजों को प्रदान कर दिया। अगले ही साल फर्रुखाबाद के नवाब ने अपना इलाका भी अंग्रेजों को दे दिया। इस प्रकार इस समय तक उत्तर को छोड़ कर शेष सभी तरफ से अवध अंग्रेजों द्वारा शासित क्षेत्रों से घिर चुका था। 1803 में लार्ड लेक ने मराठों को पराजित कर अलीगढ़, दिल्ली तथा आगरा पर अधिकार कर लिया। इस युद्ध के परिणामस्वरूप अंग्रेजों ने मराठों से मेरठ, आगरा, झाँसी के पड़ोसी जिले बाँदा, हमीरपुर, जालौन, गोहाड़ तथा ग्वालियर का क्षेत्र भी हथिया लिया। परन्तु बाद में अंग्रेजों ने गोहाड़ तथा ग्वालियर सिन्धिया को वापस कर दिया। 1816 के गोरखा युद्ध में अंग्रेजों को कुमायूँ तथा देहरादून भी प्राप्त हो गये।

इस समय तक यह सारा क्षेत्र बंगाल प्रेसीडेन्सी का ही हिस्सा रहा तथा इस पर गर्वनर जनरल का ही शासन बना रहा। 1833 में इसे बंगाल प्रेसीडेन्सी से अलग कर आगरा प्रेसीडेन्सी का नाम दिया गया साथ ही एक गर्वनर की नियुक्ति भी कर दी गई। 1836 में जब इस प्रान्त का नाम उत्तर पश्चिमी प्रान्त किया गया तब इस प्रान्त में आगरा, झांसी, जालौन के साथ-साथ दिल्ली तथा अजमेर के क्षेत्र भी शामिल थे। बाद में मारवाड़, बुन्देलखण्ड तथा हमीरपुर भी इसमें शामिल कर लिये गये। 1856 में अवध को भी इसमें शामिल कर लिया गया। 1857 की क्रान्ति के बाद दिल्ली पंजाब को, तराई के कुछ हिस्से नेपाल को, बरेली तथा मुरादाबाद के कुछ इलाके रामपुर के नवाब को तथा सागर मध्य प्रान्त को दे दिये गये। 1871 में अजमेर व मारवाड़ भारत सरकार को हस्तान्तरित कर दिये गये।

1857 की क्रान्ति

अंग्रेजी शासन के स्थापना वर्ष 1757 के ठीक सौ वर्ष बाद1857 में उत्तरी भारत की जनता ने विदेशी शासन के विरुद्ध एक महान विद्रोह किया। इस विद्रोह का प्रारम्भ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी के भारतीय सैनिकों के गदर से हुआ। कम्पनी की सेना मुख्य रूप से तीन अंगों में विभाजित थी– बंगाल, बाम्बे तथा मद्रास सेना। इनमें बंगाल सेना सबसे बड़ी थी, जिसमें कुल 1,70,000 सैनिकों में से 1,40,000 भारतीय सैनिक थे जो मुख्यतया अवध, बिहार तथा उत्तरी-पश्चिमी प्रान्तों के निवासी थे। ये सभी अपने अपने गाँव के छोटे-छोटे जमींदार अथवा किसान परिवार से आये थे। यद्यपि उन्हें सन्तोषजनक वेतन प्राप्त होता था परन्तु ये कभी भी सार्जेन्ट से ऊपर का पद नहीं प्राप्त कर पाते थे।

1857 में प्लासी के युद्ध को सौ साल पूरा होना था। इस अवसर पर ब्रिटिश राज को समाप्त कर देने की छिटपुट योजनाएँ बनने लगी थीं। परन्तु कोई संगठित योजना अभी तक नहीं बन सकी थी। इनका प्रयास कुछ संन्यासी तथा वहाबी आन्दोलनकर्ता अवश्य कर रहे थे। इसका थोड़ा बहुत प्रभाव सैनिकों पर भी था। पिछले कुछ वर्षों से यह आम धारणा बनने लगी थी कि कम्पनी सरकार हिन्दू और मुसलमान दोनों को ईसाई बनाना चाहती थी। इसके कारण सैनिकों में एक आक्रोश व्याप्त था। इसी मध्य अंग्रेजों ने नये-नये अविष्कृत, एनफिल्ड रायफिलों के लिए एक नये प्रकार का कारतूस प्रयोग करना आरम्भ किया। चूँकि प्रयोग करते समय इसे मुँह से खोलना पड़ता था, हिन्दू और मुस्लिम दोनों धर्मों के सैनिकों में यह धारणा बन चुकी थी कि उनके खोल सुअर एवं गाय की चर्बी से बनाए गए थे। इन कारतूसों के प्रयोग ने सैनिकों के आक्रोश को विस्फोट में बदल दिया। 26 फरवरी, 1857 को कलकत्ता से 120 मील दूर स्थित बरहामपुर के 19वीं देशी सैनिक

टुकड़ी ने दगाऊ टोपी पहनकर परेड में जाने से मना कर दिया। उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की गयी। इसके तत्काल बाद कलकत्ता के निकट स्थित बैरकपुर के 34वीं देशी सैनिक छावनी के मंगल पाण्डे ने 21 मार्च को खुला विद्रोह कर दिया। उत्तर प्रदेश के निवासी मंगल पाण्डे ने उस दिन अपने एडजुडेन्ट लेफ्टिनेंट हेनरी बाग पर गोली चला दी तथा उस पर तलवार से भी वार किया। 7 अप्रैल को ही उन्हें बैरकपुर में फाँसी दे दी गयी। मंगल पाण्डे की शहादत ने उत्तर भारत के समस्त सैनिक छावनियों में विद्रोह की आग भड़का दी। इससे पहले से भारतीय जनता में ब्रिटिश शासकों की लूट, अत्याचार, हत्या, देशी उद्योगों को नेस्तनाबूद करने के कारनामों, अकाल, भूख, किसानों-मजदूरों पर बेइंतहा जुल्म आदि को लेकर विरोध व प्रतिरोध का लावा उबल रहा था। मंगल पाण्डेय की फाँसी ने इसमें घी का काम किया और व्यापक जनविद्रोह उभर पड़ा। सैनिकों के विद्रोह के साथ जन-विद्रोह भी शामिल हो गया जिसने देश की स्वाधीनता के पहले विद्रोह, मुक्ति की लड़ाई का स्वरूप लिया। अम्बाला के 60वीं व 5वीं सैनिक छावनी के सभी सैनिकों ने 9 मई को विद्रोह कर दिया। यह प्रथम ऐसा सैनिक विद्रोह था जिसमें किसी छावनी के समस्त सैनिकों ने भाग लिया था। अंग्रेजों ने इस पर तत्काल काबू पा लिया, पर इसके बाद मेरठ में होने वाला विद्रोह अंग्रेजी सैनिक क्षमता के बूते से बाहर सिद्ध हुआ। 24 अप्रैल की परेड में मेरठ की देशी सेना ने उन कारतूसों को छूने से भी मना कर दिया। अंग्रेजी सेना ने 9 मई को 90 में से 85 सैनिकों की वर्दी उतरवा ली। दूसरे दिन ही पूरी छावनी के सैनिकों में विद्रोह की आग भड़क उठी। उन्होंने अपने सैनिकों व साथियों को जेल से छुड़ा लिया तथा सभी अंग्रेज अधिकारियों, उनकी पत्नियों और बच्चों को मार दिया। 11 मई को इन्हीं सैनिकों ने दिल्ली पर भी अधिकार कर लिया। इन सैनिकों ने तत्कालीन भारत के पेंशनयाफ्ता सम्राट बृद्ध बहादुरशाह जफर द्वितीय को मजबूर किया कि वह उनको नेतृत्व प्रदान करें। 6 सैनिकों तथा 4 नागरिकों की एक मिली-जुली समिति ने 'जलसा' के नाम से दिल्ली का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया।

इस सैनिक विद्रोह से सबसे अधिक प्रभावित होने वाला क्षेत्र अवध तथा बुन्देलखण्ड का था। यहाँ के किसानों ने तत्काल विद्रोही सैनिकों के साथ विद्रोह में हिस्सा लेना प्रारम्भ कर दिया था। नये जमींदारों को भगा दिया गया अथवा उनकी हत्या कर दी गयी। स्थानीय सरकारी कार्यालयों पर हमला बोल दिया गया। लगान देना बन्द कर दिया गया। उत्तरी भारत के दोआब क्षेत्र ने भी इस विद्रोह में सक्रिय योगदान दिया। इन्होंने अलीगढ़, बरेली, लखनऊ, कानपुर तथा प्रयागराज को स्वतंत्र कराने के बाद वहाँ अपनी सरकारें स्थापित कर ली थीं। बरेली का प्रशासन 'खान बहादुर खान' नामक रोहिल्ला सैनिक अधिकारी ने अपने हाथ में ले लिया था। कानपुर के प्रशासन पर पेशवा बाजी राव द्वितीय के दत्तक पुत्र 'वहाबी' विद्रोही का अधिकार था।पटना में विद्रोह का नेतृत्व पीर अली नामक एक पुस्तक विक्रेता कर रहे थे। इन नगरों के साथ इटावा, मैनपुरी, रुड़की, एटा, मथुरा, शाहजहाँपुर, बदायूँ, आजमगढ़, सीतापुर, बाराबंकी, वाराणसी, झाँसी, अयोध्या, फतेहपुर तथा हाथरस जैसे अपेक्षाकृत छोटे-छोटे शहरों में भी विद्रोह का विस्तार हो चुका था।

इस बीच दिल्ली में कानून और व्यवस्था की समस्या खड़ी हो चुकी थी। विद्रोही सैनिकों में इस समय जिस अनुशासनिक भावना की आवश्यकता थी उसको उत्पन्न करने में तत्कालीन विद्रोही नेता असफल रहे। बिना किसी पूर्व तैयारी, सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि तथा निश्चित नेतृत्व के बिना ही विद्रोह प्रारम्भ हो जाने के कारण दिल्ली में एक ऐसी अराजक स्थिति उत्पन्न हो गयी जिसमें किसी को भी यह नहीं पता था कि आगे क्या करना है। अनुशासन की यही समस्या कानपुर में भी खड़ी हुई। यहाँ नाना साहब ने विद्रोह का नेतृत्व सम्भाल रखा था। इस समय नगर में लगभग 10,000 सैनिक तथा कृषक अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्षरत थे। कानपुर के निकट लखनऊ में भी विद्रोह प्रारम्भ हो चुका था। लगभग 50,000 नागरिक इसमें हिस्सा ले रहे थे। इनका नेतृत्व बेगम हज़रत महल कर रही थीं। यहाँ पर विद्रोहियों ने रेजीडेन्सी का घेरा डाल रखा था, जिसमें अंग्रेज सैनिकों, अधिकारियों तथा उनके परिवारों ने शरण ले रखी थी। कानपुर तथा लखनऊ में ब्रिटिश सेना अधिकारी कैम्पबेल, जनरल हैवलाक तथा विन्दम ने अपनी समस्त सैनिक योग्यता तथा नेतृत्व के बल पर विद्रोह को

कुचलने का प्रयास एक लम्बे समय तक जारी रखा। इन सभी के विरुद्ध विद्रोहियों के पक्ष में केवल एक तात्या टोपे ही योग्य सेनापति थे। 6 माह के लगातार प्रयासों तथा एक माह के लम्बे युद्ध के बाद अंग्रेज अन्त में लखनऊ पर पुनः अधिकार करने में सफल हो गये। कानपुर तथा लखनऊ के बाद अंग्रेजों ने मई में बरेली पर भी अधिकार कर लिया। इसके बाद वे जनरल ह्यूरोज़ के नेतृत्व में झाँसी की ओर बढ़े। यहाँ पर उन्हें झाँसी की युवा रानी लक्ष्मीबाई का सामना करना पड़ा जो अब वीरतापूर्वक विद्रोह का नेतृत्व कर रही थीं। झाँसी की पराजय के बाद लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे की सहायता से ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। ग्वालियर के युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई अपने समस्त पराक्रम के बाद भी पराजित हुईं और इस युद्ध में उन्होंने वीरगति पायी। इसके पश्चात् अप्रैल 1859 में तात्या टोपे भी पकड़ लिये गये और उन्हें फाँसी दे दी गयी।

इसी मध्य ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया ने 1 नवम्बर, 1858 को अपने घोषणा पत्र में ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी के हाथों से समस्त अधिकार ले लिये। इस घोषणा में साम्राज्ञी ने विद्रोह से हाथ खींच लेने वाले रजवाड़ों, सामन्तों तथा जमींदारों को आम माफीनामा देने का आश्वासन भी दे दिया। परिणामस्वरूप, जो थोड़े बहुत जमींदार और सामन्त अभी भी विद्रोह से जुड़े हुए थे, उन्होंने तत्काल विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया। अपने अन्तिम दौर में विद्रोह पूरी तरह से नेतृत्व विहीन हो चुका था। अतः इसको दबा देना अंग्रेजों के लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं था।

राष्ट्रवाद का अंकुरण

1857 की क्रान्ति के कारण अंग्रेजी राज का रवैया इस प्रान्त के प्रति पक्षपातपूर्ण हो गया था। परिणामस्वरूप, शिक्षा तथा सामाजिक सुधारों के क्षेत्र में यह प्रान्त बंगाल, बम्बई तथा मद्रास आदि से पिछड़ता चला गया। इसके साथ ही साथ धार्मिक व सांस्कृतिक आन्दोलनों के मामले में भी यह प्रान्त पिछड़ा ही रहा। जिस दौर में बंगाल, ब्रह्म समाज तथा रामकृष्ण मिशन, पंजाब, आर्यसमाज तथा बम्बई व पूना, प्रार्थना समाज व सत्यशोधक मण्डल जैसी सामाजिक-बौद्धिक संस्थाओं के कारण सांस्कृतिक व बौद्धिक रूप से उद्वेलित हो रहे थे, उत्तर प्रदेश एक सांस्कृतिक शून्य के दौर से गुजर रहा था। इस दौर में आर्य समाज की सिर्फ दो शाखाएँ उत्तर प्रदेश में स्थापित हो सकी थीं। इस अपेक्षाकृत शान्त माहौल में भी बनारस के भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में अपने 'कवि वचन सुधा' नामक पत्रिका के माध्यम से बंगाल के स्वदेशी आन्दोलन के समर्थन में मुहिम जारी रखे हुए थे।

इसी दौर में सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों के बीच एक प्रगतिशील आन्दोलन की नींव रखी। 1869 में ब्रिटेन से लौटने के बाद उन्होंने 'तहजीब उल अखलाक' नामक पत्रिका के माध्यम से मुस्लिम समाज के मध्य पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया। 1875 में उन्होंने अलीगढ़ में 'मोहम्मडन एंग्लो ओरियंटल विद्यालय' की स्थापना की जो बाद में अलीगढ़ विश्वविद्यालय बन गया। 'अलीगढ़ आन्दोलन' के नाम से विख्यात यह आन्दोलन उत्तर प्रदेश के आधुनिक इतिहास का एक महत्त्वपूर्ण अध्याय है।

सोमवार 28 दिसम्बर, 1885 को 'गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कालेज, बम्बई', में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन सम्पन्न हुआ। इस स्थापना अधिवेशन के कुल 72 प्रतिनिधियों में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व गंगा प्रसाद वर्मा, प्राणनाथ पंडित, मुंशी ज्वाला प्रसाद, जानकीनाथ घोषाल, रामकली चौधरी, बाबू जमुनादास, बाबू शिव प्रसाद चौधरी तथा लाला बैजनाथ आदि ने किया था।

कलकत्ता में सम्पन्न कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधियों की संख्या 74 पहुँच गयी थी। दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में प्रारम्भ इस अधिवेशन में कुल 431 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। कांग्रेस के दूसरे ही अधिवेशन में इतना अधिक प्रतिनिधित्व बढ़ जाने का कारण सुरेन्द्रनाथ बनर्जी द्वारा कांग्रेस में सम्मिलित हो जाने के लिए राजी हो जाना था। सुरेन्द्र नाथ बनर्जी तथा इण्डियन एसोसियेशन द्वारा अधिवेशन में सम्मिलित होने का निर्णय लेते ही बंगाल के अन्य राजनैतिक संगठनों ने भी इसमें खुलकर हिस्सा लिया। ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का

महासचिव बनाया गया तथा कांग्रेस की स्थानीय समितियों को गठित करने का निर्णय लिया गया। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े प्रश्नों पर विचार के लिए सत्रह सदस्यीय समिति का गठन किया जिसमें अकेले उत्तर प्रदेश से पाँच सदस्यों को चुना गया था। लखनऊ के गंगाप्रसाद वर्मा, प्राणनाथ, मौलाना हामिद अली तथा नवाब रज़ा अली खान और प्रयागराज के मुंशी काशी प्रसाद इस समिति में शामिल थे।

मद्रास के तीसरे अधिवेशन में बदरुद्दीन तैयब अली द्वारा घोषित सब्जेक्ट कमेटी में उत्तर प्रदेश से राजा रामपाल सिंह, मौलवी हामिद अली, रामकली चौधरी एवं पं. मदनमोहन मालवीय को सम्मिलित किया गया था। कांग्रेस के इसी सत्र में पार्टी के संविधान तथा कार्यपद्धति को निर्धारित करने के लिए एक विधि समिति का निर्माण भी किया गया था जिसमें लखनऊ के गंगा प्रसाद वर्मा, विशन नारायण व मौलाना हामिद अली को शामिल किया गया था। यह अधिवेशन अपने पूर्ववर्ती दोनों अधिवेशनों से अधिक सफल सिद्ध हुआ। इसमें 607 प्रतिनिधियों ने भाग लिया तथा पहली बार प्रतिनिधियों के रहने के लिए एक सभास्थल स्वीकार कर लिया गया। इसी अधिवेशन से कांग्रेस को एक जन संगठन बनाने का प्रयास प्रारम्भ हुआ।

कांग्रेस का चौथा अधिवेशन जार्ज यूल की अध्यक्षता में प्रयागराज में सम्पन्न हुआ। इस प्रान्त के गवर्नर सर आकलैण्ड कॉल्विन ने जी जान से यह कोशिश की कि इस प्रान्त में न तो कांग्रेस का प्रचार ही होने पाये और न वह आवश्यक चन्दे का ही संग्रह कर सके। और तो और, प्रयागराज में अधिवेशन के लिये कांग्रेस को कोई जगह भी न मिल पाये, यह भी प्रयास किया गया। अंग्रेजी शासन के इस कड़े रुख के कारण मद्रास के तीसरे अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा अंग्रेजी प्रशासन के विरुद्ध की गयी कटु आलोचनाएँ ही थीं। अंग्रेजों के इस कड़े रुख के साथ-साथ सर सैय्यद अहमद खाँ तथा बनारस के राजा शिव प्रसाद 'सितारे हिन्द' ने भी कांग्रेस का विरोध प्रारम्भ कर दिया था। सर सैय्यद अहमद ने मुसलमानों को कांग्रेस से दूर रहने को कहा। परन्तु उनके विरोध के बाद भी भारतीय मुस्लिम समाज में कांग्रेस के प्रति आकर्षण निरन्तर बढ़ ही रहा था। इसके अधिवेशनों में मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या 1885 में 2, 1886 में 33 और 1887 में 79 तक बढ़ चुकी थी। कांग्रेस में मुसलमानों के बढ़ते प्रभाव को देखकर सर सैय्यद ने 'मुहम्मडन एज्यूकेशनल कांग्रेस' और 'यूनाइटेड पैट्रियाटिक एसोसिएशन' नामक दो संस्थाओं की स्थापना कर कांग्रेस के विरुद्ध प्रचार प्रारम्भ कर दिया। सर सैय्यद के साथ-साथ राजा शिवप्रसाद 'सितारे हिन्द' ने भी कांग्रेस के विरुद्ध प्रचार में उनका पूरा साथ दिया। 'ब्रिटिश इण्डियन एसोसिएशन' तथा सर दिनशा मानक जी पेटिट जैसे धनिक पारसियों ने भी कांग्रेस को कमजोर करने की पूरी कोशिश की। इन बाह्य विरोधों के बाद भी प्रयागराज का अधिवेशन पहले तीन अधिवेशन से अधिक सफल सिद्ध हुआ। इसमें कुल 1248 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इनमें 964 हिन्दू, 222 मुसलमान, 7 पारसी, 11 जैन, 6 सिक्ख, 16 ईसाई, 2 यूरोपियन और 20 अमरीका निवासी भारतीय थे। इन प्रतिनिधियों में से 11 नवाब, 1 शहजादा, 2 मुगल राजकुमार, 3 अन्य राजकुमार, 388 जमींदार, 448 वकील, 77 पत्रकार, 143 आयुक्त, 58 शिक्षक तथा 10 किसानों ने हिस्सा लिया था। यद्यपि संख्या की दृष्टि से प्रयागराज का अधिवेशन एक सफल अधिवेशन था परन्तु इसमें सामन्तों तथा अभिजात्यवर्गीय प्रतिनिधित्व का वर्चस्व इतना अधिक बढ़ गया कि अंग्रेजी राज के प्रति कांग्रेस का रुख पहले की तुलना में अधिक नरम होने लगा। इस नरम रुख का नेतृत्व रानाडे और गोखले आदि कर रहे थे। इस नरम रुख के परिणास्वरूप ही 1892 का अधिवेशन लंदन में करने का निर्णय लिया गया था हालाँकि बाद में इसे प्रयागराज में करने का निर्णय लिया गया। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का यह दूसरा अधिवेशन था। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1899 में लखनऊ में हुआ, जिसमें कांग्रेस के संविधान को स्वीकार किया गया तथा इसी अधिवेशन में प्रादेशिक कमेटियों के गठन का निर्णय भी लिया गया।

कांग्रेस के इस नरम रुख के विरुद्ध कांग्रेस के अन्दर ही एक उग्रवादी धारा प्रवाहित होने लगी जिसका नेतृत्व तिलक तथा अरविन्द घोष कर रहे थे। बम्बई से प्रकाशित होने वाले 'इन्दु प्रकाश' में अरविन्द घोष ने कांग्रेस के इस नये रुख के विरुद्ध जमकर लिखा। 1895 के पूना कांग्रेस में तिलक ने यह सीधा आरोप लगा

दिया कि वह इसे आम जनता तक नहीं ले जाना चाहते हैं। 1905 तक कांग्रेस पर यद्यपि नरम और गरम पंथियों का ही वर्चस्व स्थापित रहा परन्तु धीरे-धीरे तिलक की बढ़ती लोकप्रियता ने नरम और गरम पंथ के मध्य दूरी को बढ़ाना प्रारम्भ कर दिया था। 1905 के बंगाल विभाजन ने कांग्रेस के इस आन्तरिक मतभेद को अत्यधिक बढ़ा दिया। बंग भंग आन्दोलन में दिये गये बहिष्कार, स्वदेशी तथा राष्ट्रीय शिक्षा के नारे के प्रश्न पर कांग्रेस में तीखे मतभेद उत्पन्न हो चुके थे। ऐसे माहौल में कांग्रेस का 25वाँ अधिवेशन बनारस में हुआ। इन दोनों समूहों में पहला टकराव बनारस में ही हुआ। इस विवाद का प्रथम कारण 'प्रिंस आफ वेल्स' का स्वागत प्रस्ताव था। नरम पंथी इस प्रस्ताव को पारित कराना चाहते थे, जबकि तिलक आदि इसके विरुद्ध थे। बाद में 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में जब तिलक दल ने 'बहिष्कार' आन्दोलन को अखिल भारतीय स्तर पर प्रारम्भ करने का प्रस्ताव किया तो नरम दल ने इसका जमकर विरोध किया। इस अधिवेशन का प्रारम्भ ही कटुताओं से हुआ था। वास्तव में, गरम दल वाले लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि नरम दल ने 81 वर्षीय दादाभाई नौरोजी को ब्रिटेन से बुलाकर तीसरी बार कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया था। इसका विरोध गरम दल न कर सका था। 'स्वदेशी' आन्दोलन को लेकर भी दोनों दलों में विरोध प्रारम्भ हो गया था। इन सब का परिणाम 1907 के सूरत कांग्रेस में उस समय सामने आया जब यह विरोध अपनी चरम सीमा में पहुँच गया तथा कांग्रेस दो हिस्सों में विभाजित हो गयी।

इस समय स्वदेशी, बहिष्कार एवं राष्ट्रीय शिक्षा के आन्दोलनों के विरुद्ध सरकारी दमन चक्र भी अपने चरम सीमा पर था। तिलक को 24 जून 1908 को केसरी में प्रकाशित दो लेखों के लिए 6 वर्ष की सजा दे दी गयी। बंगाल के प्रसिद्ध नेताओं अश्विनी कुमार दत्त और कृष्ण कुमार मित्र को देश निकाला दे दिया गया। कांग्रेस अब पूरी तरह नरम दल वालों के हाथ में आ चुकी थी क्योंकि विपिनचन्द्र पाल तथा अरविन्द घोष भी सक्रिय राजनीति से निकल गये थे।

यू.पी. कांग्रेस कमेटी

उत्तर प्रदेश (यूनाइटेड प्राविंसेज़) में कांग्रेस कमेटी का पहला सम्मेलन पं. मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में प्रारम्भ हुआ। 1907 के सूरत विभाजन में उत्तर प्रदेश के पं. मोतीलाल नेहरू तथा पं. मदनमोहन मालवीय ने नरम पंथियों का साथ दिया था। 1909 में प्रदेश कांग्रेस का राजनीतिक सम्मेलन पुनः मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में आगरा में शुरू हुआ। 1910 तक कांग्रेस संगठन का विस्तार प्रदेश के अनेक जिलों तक हो चुका था। 1907 में गरम दल के निष्कासन से 1914 के प्रथम विश्वयुद्ध के प्रारम्भ तक कांग्रेस नरम दल वालों के हाथ में रही।

इस बीच तिलक बर्मा के माण्डले जेल में रहे। जून 1914 में तिलक के छूटने तथा गोखले व फिरोजशाह मेहता की मृत्यु के बाद गरम दल फिर से कांग्रेस में प्रवेश पा गया। सितम्बर 1914 में प्रथम विश्वयुद्ध प्रारम्भ हो गया और नवम्बर में आटोमन खलीफा ने मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध केन्द्रीय शक्तियों का साथ देना स्वीकार कर लिया था। तुर्की द्वारा जर्मनी का साथ देने का निर्णय लेते ही पूरे ब्रिटिश साम्राज्य के मुस्लिम समाज में ब्रिटिश विरोधी भावनाओं का संचार प्रारम्भ होने लगा था।

भारत में भी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, मौलाना मुहम्मद अली और शौकत अली जैसे नेताओं के प्रयास से मुस्लिम लीग ने अपने उद्देश्यों व नीतियों में थोड़ा परिवर्तन किया और ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी की जगह पर भारत में स्वशासन की स्थापना को मुस्लिम लीग का उद्देश्य घोषित कर दिया। इसके साथ ही तिलक, एनी बेसेन्ट तथा जिन्ना के प्रयासों से कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अधिवेशन एक साथ मुम्बई में हुआ। इन दोनों के प्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से हिन्दू-मुस्लिम भोज का आयोजन किया। इन्होंने चाँद और कमल दोनों चिह्नों वाले बैज लगा रखे थे जो हिन्दू-मुस्लिम एकता के प्रतीक थे। जिन्ना इस समय तक 'हिन्दू-

मुस्लिम एकता के राजदूत' कहे जाने लगे थे।

अगले वर्ष 1916 में एक बार फिर कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अधिवेशन एक साथ लखनऊ में सम्पन्न हुआ। इस समय मुस्लिम लीग के नेता स्वयं जिन्ना थे जो 1904 से ही कांग्रेस के नेता थे। लखनऊ कांग्रेस के अध्यक्ष अम्बिका चरण मजुमदार थे। यहाँ पर कांग्रेस और लीग की एकता ने मूर्त रूप धारण किया। इन दोनों ने मिलकर जो योजना तैयार की वह 'कांग्रेस-लीग समझौता' के नाम से प्रसिद्ध हुई। कांग्रेस का यह अधिवेशन इसलिए भी महत्वपूर्ण था कि 1907 के बाद पहली बार तिलक कांग्रेस अधिवेशन में सम्मिलित हो रहे थे। तिलक की लोकप्रियता इस सीमा तक पहुँच चुकी थी कि लखनऊ स्टेशन से अधिवेशन स्थल तक उन्हें जिस घोड़ागाड़ी में लाया गया उसे घोड़ों के बदले लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों ने खींचकर पाण्डाल तक पहुँचाया था।

इस समय तक भारतीय राजनीति में एक ऐसे व्यक्ति का पदार्पण हो चुका था जो भारत की आजादी का मसीहा बनने वाला था। मोहनदास करमचन्द गांधी नामक इस महात्मा ने दक्षिणी अफ्रीका में अप्रवासी भारतीयों के अधिकारों के संघर्ष का सफलतापूर्वक नेतृत्व करने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर ली थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में गांधी के प्रवेश के साथ ही भारतीय राष्ट्रवाद में एक नयी दिशा का दौर प्रारम्भ हो गया। गांधीवादी राष्ट्रवाद मात्र भारत के राजनैतिक आजादी तक सीमित नहीं रहा बल्कि इसने भारत की आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक क्रांति का नवीन दर्शन भी निरूपित किया। भारत की राजनैतिक आजादी मात्र इसकी पहली सीढ़ी थी। इस सर्वांगीण क्रान्ति के दर्शन को गांधी ने ''अहिंसा'' के चरखे पर ''सत्य'' के धागों से बुना था। गांधी के इस क्रान्तिकारी खादीवाद समाज में औद्योगिक, राजनीतिक तथा धार्मिक पूँजीवाद के लिए कोई स्थान नहीं था। इस समाज तक पहुँचने का एकमात्र मार्ग ''सत्याग्रह'' था।

सन् 1914 में गांधी भी दक्षिण अफ्रीका से भारत आ चुके थे। उनके आने के पूर्व ही उनके सत्य, अहिंसा व सत्याग्रह की ख्याति भारत पहुँच चुकी थी। चम्पारण में नील की खेती करने वाले किसानों पर गोरों द्वारा किये जाने वाले अत्याचारों के विरुद्ध तथा गुजरात के खेड़ा जिले के अकालग्रस्त किसानों पर लगने वाले लगान के विरुद्ध गांधी ने सत्याग्रह प्रारम्भ कर दिया। फरवरी 1919 में सरकार द्वारा ''रौलट कमेटी'' की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा के बाद गांधी ने क्षण भर भी इन्तजार नहीं किया। इस कानून के अन्तर्गत क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर उन्हें बिना कारण बताये गिरफ्तार किया जा सकता था तथा भारत रक्षा कानून के अन्तर्गत नज़रबंद व्यक्तियों को कानून समाप्त हो जाने के बाद भी बन्द रखा जा सकता था। इसमें किसी प्रकार की अपील की संभावना नहीं थी। विश्वयुद्ध के समाप्त हो जाने के बाद भी इस कमेटी के प्रस्तावों को स्वीकार करने के विरुद्ध गांधी ने सत्याग्रह सभाओं की स्थापना कर 30 मार्च से देशभर में हड़ताल तथा उपवास की घोषणा कर दी। बाद में हड़ताल का दिन 6 अप्रैल 1919 कर दिया गया। गांधी की सत्याग्रह सभाओं ने जवाहरलाल नेहरू सहित अनेक युवकों को अपनी तरफ आकर्षित किया।

अक्टूबर 1920 में यू.पी. कांग्रेस का प्रान्तीय सम्मेलन मुरादाबाद में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन की अध्यक्षता डॉ. भगवान दास ने की। सम्मेलन में गांधी, मालवीय, मोतीलाल, जवाहरलाल, श्रद्धानंद, हकीम अजमल खाँ, मौलाना शौकत अली, मौलाना मुहम्मद अली तथा मौलना हसरत मोहानी जैसे राजनीतिक हस्तियों की उपस्थिति ने इसे एक महत्वपूर्ण सम्मेलन बना दिया था। इस सम्मेलन ने गांधी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। दिसम्बर 1920 का नागपुर अधिवेशन गांधीमय अधिवेशन में बदल चुका था। उनके असहयोग का प्रस्ताव यहाँ बहुमत से पारित हो गया। इस सम्मेलन में कांग्रेस का एक नया संविधान भी स्वीकार किया गया जिस पर गांधी की नीतियों का प्रभाव स्पष्ट था। कांग्रेस के अन्दर खादी, अस्पृश्यता निवारण, नशाबन्दी तथा राष्ट्रीय शिक्षा जैसे रचनात्मक सामाजिक कार्यों का प्रारम्भ यहीं से हुआ। भारत के इतिहास में पहली बार किसी एक व्यक्ति के आह्वान पर पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया। छात्रों ने स्कूल छोड़ दिये और सरकारी नौकरों ने

अपनी नौकरियाँ। राष्ट्रीय शिक्षा के विकास के लिए पटना, अहमदाबाद तथा पूना की तरह बनारस में काशी विद्यापीठ और अलीगढ़ में मुस्लिम विद्यापीठ की स्थापना की गई। मोतीलाल नेहरू, देशबन्धु चितरंजन दास, बाबू राजेन्द्र प्रसाद, आसफ अली तथा राजगोपालाचारी जैसे प्रमुख वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी। विदेशी कपड़ों की होली जलायी जाने लगी। हजारों की संख्या में सत्याग्रही गिरफ्तार कर लिये गये। गांधी को छोड़कर देश के सभी बड़े-बड़े नेता गिरफ्तार कर लिये गये। गांधी को गिरफ्तार करने का साहस अंग्रेजी शासन नहीं कर पा रहा था। उन्होंने प्रान्तीय समितियों को स्थानीय स्तर पर सत्याग्रह आन्दोलन प्रारम्भ करने की स्वीकृति दे दी। बिहार और उड़ीसा की तरह उत्तर प्रदेश में अवध प्रान्त के किसानों ने भी गैर कानूनी उगाही के विरुद्ध आन्दोलन कर दिया। इसी समय ब्रिटेन के राजकुमार वेल्स ने भारत यात्रा प्रारम्भ की। अक्टूबर 1921 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस का राजनीतिक सम्मेलन मौलाना हसरत मोहानी की अध्यक्षता में आगरा में प्रारम्भ हुआ। इस सम्मेलन में ब्रिटिश युवराज के बहिष्कार को पूरी तरह सफल बनाने का निश्चय किया गया।

जनवरी 1922 के सर्वदल सम्मेलन के अनुरोध पर गांधी ने एक माह के लिए आन्दोलन स्थगित करवा दिया, परन्तु सरकारी दमन जब फिर भी नहीं रुका तब गांधी ने बारडोली में सामूहिक आन्दोलन प्रारम्भ करने का निर्णय लिया। परन्तु बारडोली का आन्दोलन आरम्भ होने के पूर्व ही उत्तर प्रदेश के चौरीचौरा नामक स्थान पर एक ऐसी घटना हो गयी जिसने स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को एक नया मोड़ दे दिया।

उत्तर प्रदेश (संयुक्त प्रान्त) के गोरखपुर जिले के एक छोटे से कस्बे चौरीचौरा में 5 फरवरी 1922 को सत्याग्रहियों का एक जत्था अपराह्न में आयोजित होने वाली एक जनसभा में भाग लेने के लिए सभा-स्थल की तरफ जा रहा था। यहाँ पर सायंकाल तक एक राष्ट्रीय नेता के आने की सूचना थी। सत्याग्रही अत्यन्त उत्साहित थे। स्वयंसेवक खादी की बनी टोपियाँ खरीद और बेच रहे थे। थाने के सिपाहियों द्वारा गाली देने पर इस जत्थे और पुलिसवालों में झगड़ा हो गया। सिपाहियों ने इस जत्थे के सत्याग्रहियों को पीटना प्रारम्भ कर दिया। सभास्थल पर एकत्रित लोगों को इसकी सूचना मिलते ही क्रोधित भीड़ ने सिपाहियों को घेर लिया। सिपाहियों ने तत्काल गोली चलानी प्रारम्भ कर दी। गांधी जी के शब्दों में, ''उनके (पुलिस) पास थोड़े से कारतूस थे; वे चुक गये। तब वे सुरक्षा के लिए थाने में घुस गये। मेरे संवादप्रेषक की सूचना के अनुसार भीड़ ने तब थाने में आग लगा दी। थाने के अन्दर बन्द सिपाहियों को तब अपनी जान बचाने के लिए बाहर आना पड़ा और तब उनके टुकड़े-टुकड़े कर दिये गये और उनकी लाश के लोथड़ों को आग में झोंक दिया गया।''

इन सिपाहियों की कुल संख्या 22 थी। इस घटना ने गांधी को अत्यन्त आहत किया। उन्होंने इस घटना को अपने सिद्धान्तों तथा कार्यक्रमों के विपरीत बताया तथा 12 फरवरी को बारडोली में कांग्रेस की बैठक बुलाकर तत्काल प्रत्येक प्रकार के आन्दोलन को समाप्त कर देने की घोषणा कर दी। कांग्रेस का कोई भी नेता इस अवसर को हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। सभी ने गांधी के निर्णय का विरोध किया। चितरंजन दास, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चन्द्र बोस आदि सभी गांधी के इस निर्णय से हक्के-बक्के रह गये। निश्चय ही अपने सिद्धांतों की रक्षा के लिए इतना बड़ा त्याग करने का साहस मात्र गांधी में ही था। इस अवसर का लाभ उठाकर गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया तथा छह वर्ष के लिए जेल भेज दिया गया।

स्वराजवादी

आन्दोलन के प्रारम्भ से ही गांधी के अहिंसा और सत्याग्रह में पूर्ण आस्था न रखने वाले भी गांधी के साथ जुड़ने पर मजबूर हो गये थे परन्तु गांधी की गिरफ्तारी तथा आन्दोलन की वापसी के बाद इस वर्ग ने 1922 के गया कांग्रेस अधिवेशन में विधान परिषदों में प्रवेश का प्रस्ताव रखा। यह असहयोग के घोषित कार्यक्रम के विपरीत एक प्रस्ताव था। चितरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में इस वर्ग की यह दलील

थी कि आन्दोलन के वापस हो जाने के बाद आन्दोलन के कार्यक्रम भी समाप्त हो गये। अब यह वर्ग विधान परिषदों में पुनः प्रवेश कर अन्दर से संघर्ष जारी रखने की नीति अपनाना चाहता था। इनके विपरीत दूसरा वर्ग गांधी की अनुपस्थिति में आन्दोलन के किसी कार्यक्रम में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता था। इस प्रकार गया कांग्रेस परिवर्तनवादियों और परिवर्तन विरोधियों नामक दो घटकों में विभाजित हो गया। परिवर्तन विरोधियों का नेतृत्व राजगोपालाचारी तथा राजेन्द्र प्रसाद आदि कर रहे थे। चितरंजन दास का प्रस्ताव 860 के विरुद्ध 1740 मतों से गिर गया। चितरंजन दास ने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया तथा मोतीलाल नेहरू, विट्ठलभाई पटेल, मदनमोहन मालवीय और जयकर को लेकर कांग्रेस के अन्दर ही एक अन्य दल ''स्वराज पार्टी'' की स्थापना कर दी।

इस दल ने 1923 के चुनाव में हिस्सा लिया। मध्य प्रान्त में इस दल ने बहुमत प्राप्त किया। बंगाल में भी इसे दूसरा स्थान मिला। परन्तु संयुक्त प्रान्त तथा बंगाल में इसे स्पष्ट बहुमत नहीं मिल सका। केन्द्रीय विधान परिषद् में इन्होंने 101 जगहों में से 42 जगह प्राप्त कीं। सरकार के समक्ष स्वराजियों ने माँग रखी कि सभी राजनीतिक बन्दियों को रिहा कर दिया जाय, क्रूर कानूनों को निरस्त किया जाय तथा प्रान्तों को स्वायत्तता प्रदान कर परिषदों द्वारा सरकार चलायी जाय। इसके लिए इन्होंने गोलमेज सभा आयोजित करने की माँग रखी।

फरवरी 1924 में गांधी जी स्वास्थ्य के आधार पर जेल से रिहा कर दिये गये। जेल से छूटने के बाद उन्होंने स्वराजवादियों के चुनाव लड़ने के निर्णय को अपना समर्थन दे दिया। परिवर्तन विरोधियों के अनुसार स्वराजवादियों के समक्ष यह गांधी का आत्मसमर्पण था। 16 जून 1925 को चितरंजन दास की मृत्यु के बाद मोतीलाल नेहरू स्वराजवादियों के एकमात्र नेता बन गये। परन्तु मदनमोहन मालवीय से उत्पन्न उनके मतभेद ने स्वराजवादियों को विभाजित कर दिया। मालवीय ने जयकर तथा लाजपत राय के साथ मिलकर ''नेशनलिस्ट पार्टी'' के नाम से एक नयी पार्टी बना ली। 1926 के चुनावों में इसे संयुक्त प्रान्त में काफी सीटें प्राप्त हुईं और स्वराजवादी पूरी तरह टूट गये। मोतीलाल नेहरू के अनुसार मालवीय-लाला गैंग कांग्रेस पर कब्जा करने का प्रयास कर रहा था और उसे बिड़ला की धनशक्ति का भी सहयोग प्राप्त था।

अक्टूबर 1927 में ब्रिटेन की सरकार ने 1919 के भारत सरकार अधिनियम की उपलब्धियों की जाँच के लिए एक आयोग की नियुक्ति की जिसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। इस आयोग के अध्यक्ष सर साइमन थे। इस आयोग में किसी भी भारतीय के न होने के कारण कांग्रेस ने आयोग के विरोध का निर्णय कर लिया। फरवरी 1928 में यह आयोग मुम्बई पहुँचा। हर नगर में ''साइमन वापस जाओ'' के नारे गूँजने लगे। एक बार फिर से असहयोग का वातावरण जीवन्त हो उठा। कांग्रेस ने मार्च 1928 में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में किया तथा इसमें साइमन आयोग के बहिष्कार के साथ-साथ मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। इस समिति को 1 जुलाई 1928 से पहले भारत के संविधान के सिद्धान्तों का प्रारूप तैयार करना था। 'नेहरू रिपोर्ट' के नाम से प्रसिद्ध इस प्रारूप में अधिराज्य अथवा औपनिवेशिक स्वराज को आधार बनाया गया था।

अगस्त में एक बार फिर सर्वदलीय सम्मेलन लखनऊ में आयोजित किया गया। यह सम्मेलन राजा महमूदाबाद के भव्य महल के बाग में आयोजित किया गया। 'नेहरू रिपोर्ट' के विरोध स्वरूप जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष बोस ने इस सम्मेलन में न कोई प्रस्ताव रखा, न बहस में हिस्सा ही लिया। जवाहरलाल तथा सुभाष चन्द्र बोस ने ''इंडिपेन्डेन्स फॉर इंडिया लीग'' की स्थापना की थी। पिछले कुछ वर्षों में संगठन ने अनेक युवकों, मजदूरों तथा कृषक संगठनों को अपनी ओर आकर्षित किया था। सोवियत क्रान्ति की सफलता से उत्साहित तथा मार्क्स-लेनिन के सिद्धान्तों से चमत्कृत नेहरू इस विद्रोही युवा वर्ग के नेता बन चुके थे। उनके नेतृत्व में इस समूह ने नेहरू रिपोर्ट का जमकर विरोध किया। अपने पिता के निर्देशों पर जिस रिपोर्ट को उन्होंने स्वयं लिखा

था उसी को जवाहरलाल नेहरू ने इस सम्मेलन में पूरी तरह खारिज कर दिया कि यह रिपोर्ट हिन्दू सम्प्रदायवादियों की जीत के समान है न कि प्रतिक्रियावादी ब्रिटिश साम्राज्यवादियों की। खिलाफत आन्दोलन के समापन तथा उसके बाद प्रारम्भ हिन्दू-मुस्लिम दंगों के कारण अली बन्धु का मोह भी अब कांग्रेस से पूरी तरह समाप्त हो चुका था। मोतीलाल नेहरू ने बहुत प्रयास किया कि जिन्ना उनकी रिपोर्ट का समर्थन कर दें, परन्तु जिन्ना उनके पुत्र नहीं थे जो अपने पिता की भाँति तत्परता से विचार परिवर्तन कर दिया करते थे। मोतीलाल नेहरू तथा हिन्दू महासभा के उनके समर्थकों ने जिन्ना की इस माँग को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया कि केन्द्रीय विधान सभा में मुसलमानों को एक तिहाई प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।

30 अक्टूबर 1928 को साइमन आयोग के पंजाब आगमन के विरोध में एक बहिष्कार जुलूस का आयोजन लाहौर में किया गया था। इस जुलूस का नेतृत्व 64 वर्षीय लाला लाजपत राय कर रहे थे। इस जुलूस पर पुलिस द्वारा किये गये लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय इतने घायल हो गये कि कुछ सप्ताहों बाद हृदय गति रुक जाने से उनकी मृत्यु हो गयी। उनके असामयिक मृत्यु से पूरा देश शोकग्रस्त व क्रोध से भर उठा।

नवम्बर के अन्तिम दिनों में साइमन आयोग को लखनऊ आना था। उसी समय लखनऊ विश्वविद्यालय में उपाधि वितरण समारोह भी होना था जिसमें आयोग के समारोह में बहिष्कार करने की अपील की। लखनऊ में आयोजित आयोग विरोध जुलूस का नेतृत्व करते हुए उन्हें भी पुलिस की लाठियाँ खानी पड़ीं। अगले दिन रेलवे स्टेशन पर किये गये विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व भी जवाहरलाल ने किया। यहाँ भी उन्हें पुलिस की लाठियों का सामना करना पड़ा। लखनऊ में पुलिस की लाठियाँ खाने के बाद नेहरू की राजनीतिक प्रतिष्ठा को चार चाँद लग गये।

दिसम्बर 1928 के कलकत्ता अधिवेशन में बोस ने रिपोर्ट में संशोधन पेश कर कांग्रेस के लक्ष्य को पूर्ण स्वाधीनता करने का प्रस्ताव रखा। नेहरू ने इसका समर्थन किया। परन्तु गांधी के हस्तक्षेप के बाद यह समझौतापरक प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया कि यदि 31 दिसम्बर 1929 तक भारत को औपनिवेशिक स्वराज न प्रदान किया गया तो कांग्रेस असहयोग आन्दोलन तथा करबन्दी का आन्दोलन प्रारम्भ कर देगी। इस एक वर्ष में सरकार की तरफ से कोई ठोस आश्वासन तक नहीं प्राप्त हो सका। इसी बीच 28 दिसम्बर 1926 को लखनऊ में ए.आई.सी.सी. की बैठक हुई जिसमें जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अगला अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। अन्ततोगत्वा दिसम्बर 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में प्रारम्भ हुआ। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया तथा नेहरू रिपोर्ट को रद्द कर दिया गया। 31 दिसम्बर की आधी रात को प्रतिनिधियों ने पण्डाल से बाहर निकलकर पूर्ण स्वाधीनता का झण्डा फहराया। एक बार फिर पूरा देश गांधी की तरफ देखने लगा था।

क्रान्तिकारी आन्दोलन और संयुक्त प्रान्त

सन् 1917 से 1921 के मध्य का काल भारत में कम्युनिस्ट आन्दोलन की तैयारी का समय था। 1917 की सोवियत क्रान्ति तथा मानवेन्द्रनाथ राय, अवनिनाथ मुखर्जी, वीरेन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय व भूपेन्द्रनाथ दत्त के प्रयासों से भारत में साम्यवादी दल की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया था। कानपुर के ''प्रताप'' तथा ''प्रभु'' नामक अखबार बोल्सेविज्म के प्रचार में जोर-शोर से लगे थे। सितम्बर 1924 में कानपुर के एक पत्रकार सत्यभक्त ने ''भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी'' की स्थापना कर दी थी। इस दल ने यह घोषणा की कि इसका कोई भी सम्बन्ध कामिनतर्न तथा विदेशों में सक्रिय क्रान्तिकारी दलों से नहीं है। इस दल का पहला सम्मेलन दिसम्बर 1925 में कानपुर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता पेरियार ने की। पार्टी के दूसरे अधिवेशन तक इसमें कामिनतर्न के साथ सम्बन्धों के प्रश्न पर पर्याप्त मतभेद उत्पन्न हो चुका था। कलकत्ता के इस अधिवेशन में सत्यभक्त ने यह घोषणा की कि पार्टी अपना राष्ट्रीय चरित्र बनाये रखेगी। परन्तु प्रतिनिधियों का बहुमत इसके

विरुद्ध था फलस्वरूप सत्यभक्त ने त्यागपत्र देकर ''राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी'' की स्थापना कर दी। इसके विपरीत ''भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी'' ने अपना लक्ष्य क्रान्तिकारी संगठन की स्थापना तथा साम्राज्य विरोधी नीति को बनाया।

संयुक्त प्रान्त में गांधी का आन्दोलन प्रारम्भ होने के पूर्व लखनऊ तथा लखनऊ के आस-पास के जिलों में किसानों के बीच एक जनान्दोलन चल रहा था। ''एका'' आन्दोलन नामक इस जनान्दोलन का नेतृत्व किसान मदारी पासी कर रहे थे। यह आन्दोलन लखनऊ, मलिहाबाद, हरदोई, उन्नाव, फतेहपुर तथा फर्रुखाबाद तक फैला हुआ था। इस आन्दोलन का उद्देश्य किसानों के बीच साम्प्रदायिक एकता बनाए रखना तथा एकजुट होकर जमींदारों के शोषण का विरोध करना था। इस आन्दोलन से जुड़े मुखिया कृषकों को अपनी बैठकों में निमंत्रित करने के लिए सुपारी का उपयोग करते थे। इन बैठकों को मदारी पासी संबोधित करते थे। यह सभी किसानों को गीता तथा कुरान पर हाथ रखकर आपसी एकता बनाये रखने तथा बन्दी कृषक परिवारों को सहायता प्रदान करने की शपथ दिलवाते थे। सरकारी दमन के कारण यह आन्दोलन बहुत शीघ्र ही समाप्त हो गया। इसी दौर के प्रारम्भ में गांधी के असहयोग आन्दोलन ने अवध के किसानों तथा शहरी निम्न मध्यम वर्ग के नवयुवकों को अपनी तरफ आकर्षित करना प्रारम्भ कर दिया था। परन्तु चौरीचौरा काण्ड के बाद जब गांधी ने असहयोग आन्दोलन वापस ले लिया तो इन निराश निम्न मध्यमवर्गीय युवाओं को क्रान्तिकारी सैन्यवाद ने अपनी तरफ आकर्षित करना प्रारम्भ कर दिया। परिणामस्वरूप बंगाल, पंजाब तथा संयुक्त प्रान्त में क्रान्तिकारी गतिविधियाँ जोर पकड़ने लगीं।

संयुक्त प्रान्त में इन्हीं क्रान्तिकारी गतिविधियों का परिणाम था 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के निकट काकोरी ट्रेन डकैती की सुप्रसिद्ध घटना। इस घटना के तत्काल बाद पूरे संयुक्त प्रान्त में क्रान्तिकारियों की धरपकड़ प्रारम्भ हो गयी। इसके अभियुक्तों रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खाँ तथा रोशन सिंह को फाँसी की सजा हुई तथा रामप्रसाद खत्री, मन्मथनाथ गुप्त सहित अनेकों क्रान्तिकारियों को लम्बे कारावास की सजायें सुनायी गयीं। क्रान्तिकारियों की तरफ से इस मुकदमे को बिना फीस लिये लड़ने के लिए जब कोई बड़ा वकील नहीं तैयार हुआ, तब चन्द्रभानु गुप्त नामक युवा वकील ने अपनी निःशुल्क सेवाएँ अर्पित कीं। बाद में यही चन्द्रभानु गुप्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने।

गिरफ्तारी से बचे क्रान्तिकारियों ने दिल्ली में फिरोजशाह कोटला के खण्डहरों में एक गुप्त बैठक आयोजित की। इनका उद्देश्य बिखर चुके क्रान्तिकारियों को पुनः संगठित करना था। इस ऐतिहासिक बैठक में संयुक्त प्रान्त का प्रतिनिधित्व शिववर्मा, जयदेव कपूर, सुरेन्द्र पाण्डे तथा विजय कुमार सिन्हा ने किया था। अन्य प्रतिनिधियों में पंजाब से सरदार भगत सिंह और सुखदेव, राजस्थान से कुन्दन लाल तथा बिहार से फणीन्द्र घोष व मनमोहन बनर्जी ने हिस्सा लिया। बंगाल से कोई भी प्रतिनिधि नहीं आ सका था। कोटला बैठक के समय एकत्रित क्रान्तिकारी संयुक्त प्रान्त व पंजाब के दो समूहों में विभाजित थे। इन दोनों समूहों ने एक सामूहिक नेतृत्व में कार्य करने का निर्णय लिया। इस समूह का नाम ''हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन'' (एच.एस.आर.ए.) रखा गया तथा चन्द्रशेखर आजाद को इस संगठन का सेनापति चुना गया। एक केन्द्रीय समिति का निर्वाचन भी किया गया जिसमें पंजाब से भगत सिंह व सुखदेव, संयुक्त प्रान्त से शिव वर्मा व विजय कुमार सिन्हा, राजस्थान से कुन्दनलाल तथा बिहार से फणीन्द्र घोष चुने गये। संगठन का मुख्यालय आगरा को बनाया गया तथा नीतिगत रूप से यह स्वीकार किया गया कि धन एकत्रित करने के लिए आम नागरिकों के यहाँ डकैतियाँ नहीं डाली जाएंगी।

साइमन आयोग के विरोध के समय लाला लाजपत राय पर जिस प्रकार पुलिस ने लाठियाँ बरसायी थीं और जिसके कारण उनका देहावसान हो गया था, उसे एच.एस.आर.ए. ने एक राष्ट्रीय अपमान माना तथा उसका बदला लेने का निर्णय लिया। 19 दिसम्बर, 1928 को सरदार भगत सिंह ने जे.पी. साण्डर्स नामक

पुलिस अधिकारी की हत्या कर इस अपमान का बदला लिया। इस क्रान्तिकारी कार्य में भगत सिंह के साथ चन्द्रशेखर आजाद व राजगुरु आदि भी शामिल थे। साण्डर्स की हत्या के बाद एच.एस.आर.ए. के सदस्यों ने गुप्त रूप से लाहौर में स्थान-स्थान पर इस आशय का हस्तलिखित पोस्टर भी चिपकाया जिसमें उस राष्ट्रीय अपमान का बदला लेने की बात घोषित की गयी थी। यह पोस्टर एच.एस.आर.ए. के सेनापति की तरफ से जारी किया गया था।

भारत में क्रान्ति के लिए आवश्यक जनता का सहयोग प्राप्त करने का ध्येय बनाकर इन क्रान्तिकारियों ने अपनी गतिविधियों का स्वरूप बदलने का निर्णय किया। गुप्त रूप से कार्य करने की अपेक्षा अब इन्होंने जनता के बीच में कार्य करने का विचार बनाया। इस नीति के अन्तर्गत केन्द्रीय विधान मण्डल में बम फेंक कर भारत की सोयी जनता को जगाने का निर्णय लिया गया। इस कार्य की जिम्मेदारी सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त पर डाली गयी। हालांकि, इस मिशन पर भगत सिंह को भेजने के पक्ष में कोई नहीं था क्योंकि यह सभी को पता था कि उनको भेजने का अर्थ उन्हें मौत के मुँह में भेजने के समान था। साण्डर्स हत्याकाण्ड में पुलिस को उनकी तलाश थी। उनके पकड़े जाने का अर्थ उन्हें फाँसी के तख्ते पर भेजने जैसा ही था। परन्तु भगत सिंह का मानना था कि पकड़े जाने पर क्रान्तिकारियों के पक्ष को उनसे बेहतर अन्य कोई नहीं रख सकता था। मजबूर होकर संगठन ने इस कार्य की जिम्मेदारी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त पर डाली। 9 अप्रैल 1926 को इन दोनों क्रान्तिकारियों ने केन्द्रीय विधान मंडल में बम फेंक दिया। यह बम ''श्रमिक विवाद प्रस्ताव'' तथा ''जन सुरक्षा संशोधन प्रस्ताव'' की घोषणा के विरुद्ध फेंका गया था। बम के साथ-साथ इन दोनों ने पर्चे भी फेंके तथा नारे भी लगाये। भागना संभव होने पर भी इन दोनों ने गिरफ्तार हो जाना उचित समझा जो उनकी पूर्व निर्धारित नीतियों का ही एक अंग था।

भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के इस मिशन में सहयोग हेतु जिन दो अन्य क्रान्तिकारियों को चुना गया था वे दोनों संयुक्त प्रान्त के थे। इन दोनों को विधान मंडल के बाहर तक पहुँचाने का कार्य शिव वर्मा तथा जयदेव कपूर ने किया था। इसके तत्काल पश्चात् शिव वर्मा भगत सिंह का एक फोटोग्राफ तथा सुखदेव के नाम पर एक पत्र लेकर लाहौर चले गये। वह फोटोग्राफ 7 अप्रैल की शाम को ही लाहौर प्रेस को सौंप दिया गया था, जिसने 8 अप्रैल के बम काण्ड के बाद इसे सर्वप्रथम प्रकाशित किया था।

भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त दोनों पर बम फेंकने और भगत सिंह पर साण्डर्स की हत्या का मुकदमा कायम किया गया। पूरे देश में क्रान्तिकारियों की गिरफ्तारी का दौर प्रारम्भ हो गया। शिव वर्मा तथा जयदेव कपूर को सहारनपुर में क्रान्तिकारियों द्वारा संचालित बम फैक्ट्री के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। ''द्वितीय लाहौर षड्यंत्र मुकदमे'' के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध इस मुकदमे में इन चारों के अतिरिक्त सुखदेव, राजगुरु, डॉ. गया प्रसाद कटियार, विजय कुमार सिन्हा, किशोरी लाल तथा कुन्दनलाल आदि भी अभियुक्त थे। चन्द्रशेखर आजाद अन्त तक नहीं पकड़े गये। 27 फरवरी 1931 को प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में वह एक पुलिस मुठभेड़ में बहादुरी के साथ लड़ते हुए शहीद हो गए। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फाँसी दे दी गयी। शेष सभी उपरोक्त अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी। इस मुकदमे के दौरान क्रान्तिकारियों ने अपने बयानों से पूरे देश की सहानुभूति व समर्थन अर्जित करने में सफलता पा ली थी।

इस समय तक भारत में गांधीवादी आन्दोलन का दूसरा दौर आरम्भ हो चुका था। क्रान्तिकारी संगठनों की गतिविधियों में जो ठहराव अब आया वह गांधीवादी राष्ट्रवाद के दूसरे दौर के कारण फिर अपनी पुरानी तीव्रता नहीं पा सका। परन्तु इसमें कोई संदेह नहीं है कि इन बहादुर क्रान्तिकारियों के साहसिक कारनामों ने जनचेतना को आन्दोलित कर दिया था।

नमक आन्दोलन

1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता को अपना लक्ष्य घोषित किया था। गांधी ने वायसराय इरविन के सामने एक 11 सूत्री माँगपत्र रखा। इरविन से निराश होने के बाद उन्होंने सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ करने का निर्णय लिया। उन्होंने 12 मार्च 1930 को प्रातःकाल साबरमती आश्रम से कूच किया। उनके साथ कुल 78 सत्याग्रही थे। 24 दिन में 200 मील की यह महान यात्रा पूरी कर वह 6 अप्रैल को डांडी के समुद्र तट पर पहुँचे। नियत समय पर डांडी तट से नमक उठाकर उन्होंने सर्वशक्तिमान ब्रिटिश साम्राज्य के नमक कानून को तोड़कर उसे खुली चुनौती दे डाली। इस अवसर पर दुनिया भर के प्रेस रिपोर्टर वहाँ उपस्थित थे। केवल भारत ही नहीं पूरे विश्व की नजर इन 24 दिनों तक गांधी पर टिकी रही थी। गांधी द्वारा नमक कानून का उल्लंघन होते ही पूरे देश में बिजली सी कौंध गयी। लोग स्थान-स्थान पर नमक बनाकर यह कानून तोड़ने लगे। गांधी के इस अहिंसक सत्याग्रह ने एक क्रान्तिकारी रूप धारण कर लिया। पुलिस का दमन चक्र भी बढ़ता चला गया। कांग्रेस के सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। 5 मई को गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया।

25 जनवरी 1931 को गांधी सहित कांग्रेस के सभी नेता रिहा कर दिये गये। 4 मार्च 1931 को गांधी व इरविन के मध्य समझौता हो गया। तत्पश्चात् 31 मार्च को कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन अत्यन्त कटुतापूर्ण माहौल में करांची में प्रारम्भ हुआ। भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव को फाँसी के केवल 6 दिन बाद प्रारम्भ होने वाले इस सम्मेलन में गांधी का स्वागत गांधी विरोधी नारों के साथ किया गया। जो भी हो, इस अधिवेशन ने गांधी-इरविन सन्धि पर अपनी मोहर लगा दी। करांची अधिवेशन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों तथा कांग्रेस की आर्थिक नीतियों के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करना था। 17 अप्रैल 1931 को इरविन के स्थान पर लार्ड विलिंगडन ने वायसराय का पद लिया। 29 अगस्त को गांधी लन्दन में आयोजित होने वाले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत से रवाना हो गये। इसी मध्य जवाहरलाल नेहरू ने इलाहाबाद में करबन्दी का आन्दोलन प्रारम्भ करने का निर्णय ले लिया था। इस समय तक नेहरू के सहयोगी के रूप में जयप्रकाश नारायण और लालबहादुर शास्त्री नेहरू के साथ जुड़ चुके थे। हालांकि, गांधी ने उन्हें फिलहाल इंतजार करने की हिदायत दे रखी थी तथा वल्लभभाई पटेल ने भी गांधी के भारत वापसी तक ऐसा करने से रोका था। गांधी के वापस लौटने के एक दिन पूर्व ही 26 दिसम्बर को ही वह गिरफ्तार किये जा चुके थे। गांधी ने अपनी गिरफ्तारी के एक दिन पूर्व वायसराय को आन्दोलन प्रारम्भ करने की मजबूरी से अवगत करा दिया था। इस बार जो आन्दोलन प्रारम्भ किया गया, उसने अलग-अलग प्रान्तों में अलग-अलग स्वरूप ग्रहण कर लिया। संयुक्त प्रान्त तथा बिहार में करबन्दी का आन्दोलन चलाया गया। इसी प्रकार अन्य कई प्रान्तों में भी आन्दोलन प्रारम्भ हो गये।

ब्रिटिश सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने इसी बीच साम्प्रदायिक अधिनिर्णय (कम्युनल एवार्ड) की घोषणा कर दी। इस घोषणा में दलितों (अछूतों) के लिए पृथक् निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गयी थी। इस घोषणा ने दलितों को एक अल्पसंख्यक वर्ग मानकर पृथक् निर्वाचन का हकदार मान लिया था। यरवदा जेल में बंदी गांधी ने इसके विरुद्ध 20 सितम्बर से आमरण अनशन की घोषणा कर दी परन्तु उन्होंने पृथक् निर्वाचन को मुद्दा नहीं बनाया। उनका कहना था कि सवर्ण हिन्दू जातियाँ अपनी कट्टरता से बाज आएं। हिन्दू नेताओं ने एक सम्मेलन किया जिसमें सप्रू जयकर, राजगोपालाचारी, राजेन्द्र प्रसाद, एम.सी. राजा, डॉ. अम्बेडकर, सर चिमनलाल सितलवाड, एन.एस. एनी, डॉ. मुंजे, पी. बालू, कुजरू व ए.वी. ठक्कर सहित लगभग सौ प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि किसी भी कीमत पर गांधी के जीवन की रक्षा करनी है तथा शीघ्रातिशीघ्र अस्पृश्यता के धब्बे को मिटा देना है। मंगलवार 20 सितम्बर को गांधी ने अपना अनशन प्रारम्भ किया। गांधी हरिजनों के लिए पृथक् निर्वाचन के क्षेत्रों के स्थान पर संयुक्त निर्वाचन के क्षेत्रों में ही अधिक प्रतिनिधित्व देने की माँग कर रहे थे। इस बार के अनशन में गांधी की हालत

बहुत शीघ्र ही तेजी से गिरने लगी थी। छह दिनों में ही उनकी हालत एक मरणासन्न व्यक्ति जैसी हो गई। हरिजनों के प्रतिनिधि के रूप में डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने गाँधी जी से विचार-विमर्श कर पृथक निर्वाचन मण्डल बनाए जाने की माँग छोड़ दी। यह डॉ. अम्बेडकर का दलितों के मध्य बढ़ता प्रभाव ही था जिसमें सवर्ण हिन्दू नेताओं की अस्पृश्यता मिटाने का निर्णय लेने के लिए बाध्य किया। यरवदा जेल के अन्दर ही 24 सितम्बर 1932 को गांधी-अम्बेडकर समझौता हुआ और 26 सितम्बर को ब्रिटिश सरकार की कैबिनेट ने भी इस समझौते को अपनी मंजूरी देते हुए साम्प्रदायिक अधिग्रहण की घोषणा वापस ले ली। यह सूचना प्राप्त होने के बाद गांधी ने अपना अनशन तोड़ दिया। पूना पैक्ट या यरवदा पैक्ट के नाम से प्रसिद्ध इस समझौते के बाद गांधी ने हिन्दू समाज में छुआछूत की अमानवीय प्रथा को समाप्त करने के लिए ''मन्दिर प्रवेश'' का आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया। इस आन्दोलन के कारण सनातनी हिन्दू वर्ग गांधी से काफी नाराज हो गया। जेल से छूटने के बाद गांधी राजनीति से अलग हो गये तथा अछूतोद्धार जैसे सामाजिक कार्यों में लग गये। उन्होंने सविनय अवज्ञा आन्दोलन भी वापस ले लिया। वास्तव में गांधी कांग्रेस के अन्दर बन चुके वाम व दक्षिणपन्थी गुटों की आपसी खींचतान से अत्यन्त खिन्न हो चुके थे। अक्टूबर 1934 में तो उन्होंने कांग्रेस छोड़ने तक की घोषणा कर दी।

कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी

पूरी दुनिया में इस समय समाजवाद का दौर चल रहा था। 1917 की रूसी क्रान्ति के बाद मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद का प्रभाव यूरोप सहित उपनिवेशवाद से ग्रसित समस्त देशों में युवा वर्ग को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। कांग्रेस भी इसके प्रभाव से अछूती नहीं बची थी। इस समय नेहरू भी समाजवाद के रोमांस से आप्लावित थे। फरवरी 1927 में वे ब्रूसेल्स में अन्तर्राष्ट्रीय दमित राष्ट्रीयताओं का सम्मेलन भी कर चुके थे। अपने क्रान्तिकारी व वामपंथी विचारों के कारण वह कांग्रेस के अन्दर समाजवाद से प्रभावित युवा वर्ग के नेता बन चुके थे। इस बीच जुलाई 1931 में जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा तथा राहुल सांकृत्यायन ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कर ली थी। इसका उद्देश्य भारत में एक ऐसे समाजवादी राज्य की स्थापना करना था जिसमें निजी सम्पत्ति के लिए न कोई स्थान था न भूमि व पूँजी पर व्यक्ति के स्वामित्व का। इसी तर्ज पर संयुक्त प्रान्त में सम्पूर्णानन्द, परिपूर्णानन्द, कमलापति त्रिपाठी तथा तारापद भट्टाचार्य ने और युसुफ मेहर अली, एम.आर. मसानी, अच्युत पटवर्धन तथा कमला देवी चट्टोपाध्याय ने बाम्बे में समाजवादी दलों की स्थापना कर ली थी। 1933 में नासिक जेल में बन्द कांग्रेस के अनेक युवा समाजवादियों ने कांग्रेस के अन्दर एक अखिल भारतीय समाजवादी संगठन बनाने का विचार किया। इस विचार को प्रारम्भ करने वालों में प्रमुख थे– जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, एम.आर. मसानी, एन.जी. गोरे, अशोक मेहता, एस.एम. जोशी तथा एम.एल. दाँतवाला। अप्रैल 1934 में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्य सम्पूर्णानन्द ने बनारस में एक पर्चा लिखा। भारत के लिए एक प्रायोगिक समाजवादी दल निर्मित करने की आवश्यकता पर बल दिया। यह कांग्रेस में प्रभावशाली हो चुके पूँजीवादी और सामन्तवादी तत्वों को चुनौती देने के लिए आवश्यक था। इसमें यह बात भी स्पष्ट रूप से उल्लिखित थी कि जब कभी भी समाजवादियों के हाथ में सत्ता आयेगी जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया जाएगा तथा उद्योगों, बैंकों व भूमि का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएगा। 1934 में कांग्रेस के एक समूह के द्वारा विधान परिषदों में प्रवेश का समर्थन करने के बाद कांग्रेस के समाजवादियों ने एक अलग दल बनाने का मन बना लिया। 17 मई 1934 को आचार्य नरेन्द्र देव की अध्यक्षता में समाजवादियों का एक सम्मेलन पटना में आयोजित किया गया। अपने अध्यक्षीय भाषण में आचार्य जी ने कांग्रेस के अन्दर नये स्वराजवादी दल के स्थापना की आलोचना करते हुए कांग्रेस समाजवादी दल की प्रासंगिकता को स्पष्ट किया। इस दल के सचिव की हैसियत से जयप्रकाश नारायण ने अन्य प्रान्तों में भी इसके प्रचार के लिए देश का दौरा प्रारम्भ कर दिया।

कांग्रेस समाजवादी दल का प्रथम वार्षिक सम्मेलन 21-22 अक्टूबर 1934 को सम्पूर्णानन्द की अध्यक्षता में बम्बई में हुआ इसमें 13 प्रान्तों के 150 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इसकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जयप्रकाश नारायण (मुख्य सचिव), एम.आर. मसानी, मोहनलाल गौतम, एन.जी गोरे तथा ई.एम.एस. नम्बूदरीपाद (सहायक सचिव) तथा आचार्य नरेन्द्र देव, सम्पूर्णानन्द, श्रीमती कमला चट्टोपाध्याय, पुरुषोत्तमदास, त्रिकमदास, पी.वी. देशपाण्डे, राममनोहर लोहिया, एम.एम. जोशी, अमरेन्द्र प्रसाद मिश्रा, चार्ल्स मस्करिनास, नवकृष्ण चौधरी तथा अच्युत पटवर्धन (सदस्य) निर्वाचित किये गये। इस सम्मेलन में दल का संविधान तथा कार्यक्रम भी तय किया गया। यद्यपि जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चन्द्र बोस ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना का समर्थन किया परन्तु दोनों में से किसी ने भी इसकी सदस्यता नहीं ग्रहण की। कांग्रेस के दक्षिणपन्थी गुट ने इसका जमकर विरोध किया। वल्लभभाई पटेल ने इसे एक मूर्खतापूर्ण कार्य बताया।

कांग्रेस समाजवादी आन्दोलन के प्रति कृषकों, मजदूरों व छात्रों का आकर्षण तेजी से बढ़ने लगा। प्रो. एन.जी. रंगा, इन्दुलाल याज्ञनिक, स्वामी सहजानन्द आदि के प्रयासों से लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन 1936 में किया गया। इस सम्मेलन में सामन्तवाद के उन्मूलन तथा लगान व कर्जों में छूट की माँग रखी गयी। इस प्रकार कांग्रेस के अन्दर समाजवाद के प्रति आस्था रखने वालों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी थी। इसके साथ ही कांग्रेस स्पष्ट रूप से वामपंथी व दक्षिणपंथी गुटों में लामबन्द होने लगी। वामपंथियों का नेतृत्व यदि नेहरू कर रहे थे तो दक्षिणपंथियों का पटेल। गांधी यद्यपि समाजवादियों के मार्क्सवादी और लेनिनवादी रुझान के कारण उनकी आलोचना कर रहे थे परन्तु वह दक्षिणपंथियों के साथ भी नहीं थे। यही कारण है कि उन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र दे देना ही उचित समझा था।

इसी बीच 2 अगस्त 1935 को ब्रिटिश संसद ने 1935 के अधिनियम को मंजूरी दे दी थी। यद्यपि कांग्रेस ने सर्व सम्मति से इस अधिनियम को खारिज कर दिया था परन्तु अब यह स्पष्ट हो चुका था कि कांग्रेस का दक्षिणपंथी गुट इसके अन्तर्गत पदों को स्वीकार करने का मन बना बैठा था। जबकि समाजवादियों के नेतृत्व में कांग्रेस का वामपंथी गुट इस अधिनियम के विरुद्ध असहयोग आन्दोलन चलाने तक की बात कर रहा था। कांग्रेस के इसी गुटबंदी के दौर में इसका वार्षिक सम्मेलन अप्रैल 1936 में लखनऊ में हुआ। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में सम्पन्न इस सम्मेलन ने यद्यपि 1935 के अधिनियम की कड़ी आलोचना की परन्तु इसके अन्तर्गत चुनावों में हिस्सा लेने की बात को भी इसने स्वीकार कर लिया। कांग्रेस के अन्दर समाजवादियों की यह एक करारी हार थी।

1937 का प्रान्तीय मंत्रिमंडल

कांग्रेस का 50वाँ वार्षिक अधिवेशन 27-28 दिसम्बर, 1936 को फैजपुर (महाराष्ट्र) में सम्पन्न हुआ। इस अधिवेशन के लिए एक बार फिर जवाहरलाल नेहरू को ही पुनः अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। इसमें कांग्रेस का चुनाव घोषणा पत्र स्वीकार किया गया। चुनाव प्रचार लखनऊ के सम्मेलन के बाद ही प्रारम्भ हो गया था। उन चुनावी सभाओं में नेहरू को सुनने के लिए नहीं बल्कि देखने के लिए अगर भीड़ जुटती थी। राजतंत्र की मानसिकता से ग्रस्त, भारत की निर्धन एवं अनपढ़ जनता, खूबसूरत और प्रभावशाली व्यक्तित्व के मालिक नेहरू में अपने भावी शासक के दर्शन के लिए उमड़ रही थी, न कि उनके वैज्ञानिक समाजवाद से ओत-प्रोत भाषणों को सुनने के लिए, जिसे समझने में वह पूरी तरह असमर्थ थी। जो भी हो, जनवरी 1937 में सम्पन्न प्रान्तीय विधानसभाओं के चुनाव में कांग्रेस को भारी सफलता हाथ लगी। सभी प्रान्तों के कुल 1585 स्थानों में से 714 पर कांग्रेस ने विजय प्राप्त की। संयुक्त प्रान्त के कुल 228 में से 134 स्थानों पर कांग्रेस को सफलता हाथ लगी। इन 228 स्थानों में 64 मुस्लिम और 164 सामान्य (24 विशेष) स्थान थे।

1935 के अधिनियम के अन्तर्गत भारत के प्रान्तों में नयी संवैधानिक योजना को 1 अप्रैल 1937

तक लागू कर देना था। तत्कालीन संवैधानिक प्रावधानों में शामिल गर्वनर के अपार अधिकारों का विरोध कर रही कांग्रेस सरकार बनाने को तैयार नहीं थी। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेसी बहुमत वाले प्रान्तों में 1 अप्रैल को अल्पमत की सरकारों का गठन कर दिया। संयुक्त प्रान्त के राज्यपाल सर हैरी हेग ने नवाब छतारी के नेतृत्व में यहाँ भी एक अल्पमत की सरकार का गठन कर दिया। इस मंत्रिमंडल में सलेमपुर के राजा भी शिक्षा मंत्री के रूप में शामिल थे। अन्त में गवर्नर-जनरल लार्ड लिनलिथगो ने 22 जून को एक समझौतापरक परन्तु अस्पष्ट वक्तव्य देकर कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए राजी कर लिया।

संयुक्त प्रान्त में चुनाव के पूर्व से ही इस प्रकार की संभावना बनने लगी थी कि यहाँ कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग की मिली-जुली सरकार बन सकती है। हालांकि औपचारिक रूप से ऐसा कुछ तय नहीं हुआ था परन्तु चुनावों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद कांग्रेस ने किसी भी प्रकार के गठबन्धन की संभावना को पूरी तरह नकार दिया। यद्यपि संयुक्त प्रान्त में मोहनलाल सक्सेना जैसे कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता अभी भी मुस्लिम लीग के साथ गठबन्धन के पक्षधर थे परन्तु जवाहरलाल नेहरू इसके बिल्कुल विरुद्ध थे। संयुक्त प्रान्त में मुस्लिम लीग के सुप्रसिद्ध व प्रभावशाली नेता चौधरी खलिकजुमा 12 मई 1937 को नेहरू से मिलने प्रयागराज भी गए। नेहरू ने भारत के हिन्दू-मुस्लिम समस्या के पीछे चन्द पढ़े-लिखे सामन्ती मुसलमानों का हाथ बताते हुए मुसलमानों के लिए किसी अन्य दल की आवश्यकता को पूरी तरह नकार दिया था। इसी बीच झांसी से निर्वाचित के.बी. हबीबुल्ला की मृत्यु के बाद वहाँ जून 1937 में जो उपचुनाव हुआ उसमें जमातुल उलेमा के विरोध के बावजूद मुस्लिम लीग का प्रत्याशी विजयी हो गया। इस समय तक जमात तथा कांग्रेस में समझौता हो चुका था। इस प्रकार कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य दूरी और अधिक बढ़ गयी।

22 जून को गवर्नर जनरल द्वारा दिये गये वक्तव्य के बाद 5 जुलाई को कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक वर्धा में सम्पन्न हुई जिसमें कांग्रेस ने सरकार बनाने का निर्णय कर लिया। इस बैठक में जाते समय गोविन्दवल्लभ पंत ने लखनऊ में रुककर चौधरी खलिकजुमाँ से मुलाकात की तथा यह पूछा कि यदि कांग्रेस और मुस्लिम लीग की गठबन्धन सरकार बनती है तो वह कैबिनेट में कितने स्थान का दावा करेंगे। चौधरी ने जवाब दिया 9 में 3 या 6 में 2 अर्थात् कुल संख्या का एक तिहाई। वर्धा की कार्यकारिणी की बैठक के बाद मौलाना आजाद लखनऊ आए और 12 जुलाई को चौधरी खलिकजुमाँ से मिले। उन्होंने चौधरी से गठबन्धन सरकार में शामिल होने वाले दूसरे सदस्य के बारे में बात की। चौधरी ने बताया कि वह नवाब इस्माइल खाँ होंगे। 15 जुलाई को मौलाना और गोविन्दवल्लभ पन्त दोनों चौधरी से मिले। उन्होंने चौधरी से इस वक्तव्य पर हस्ताक्षर करने को कहा जिसमें यह लिखा था कि संयुक्त प्रान्त विधान सभा में मुस्लिम लीग एक अलग गुट के रूप में कार्य नहीं करेगा। चौधरी ने उस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य पड़े इस दरार ने आगे चलकर एक विकराल रूप ले लिया जिसका परिणाम बाद में भारत विभाजन के रूप में सामने आया।

अन्त में कांग्रेस ने संयुक्त प्रान्त में अकेले ही सरकार बनायी। इस सरकार में प्रधानमंत्री गोविन्दवल्लभ पन्त के साथ रफी अहमद किदवई, कैलाश नाथ काटजू, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, प्यारे लाल शर्मा तथा मोहम्मद इब्राहिम शामिल थे। लक्ष्मीनारायण को संसदीय सचिव बनाया गया। इस प्रकार संयुक्त प्रान्त में कांग्रेस की सरकार ने जुलाई के दूसरे सप्ताह से कार्य करना प्रारम्भ कर दिया। कांग्रेस कार्य समिति ने अपनी वर्धा बैठक (27 फरवरी से 1 मार्च 1937) में कांग्रेस के मंत्रिमंडलों के लिए एक चौदह सूत्री कार्य आचार संहिता का निर्माण किया था। इसके साथ ही गांधी 'हरिजन' में अपने वक्तव्यों के द्वारा समय-समय पर इन्हें निर्देश दिया करते थे।

कांग्रेस सरकारों का सबसे पहला उत्तरदायित्व 1935 के अधिनियम के विरुद्ध प्रस्ताव पारित करना था जिसके अन्तर्गत स्वयं इन सरकारों की स्थापना हुई थी। संयुक्त प्रान्त में यह प्रस्ताव स्थानीय निकाय मंत्री श्रीमती विजयलक्ष्मी ने 2 सितम्बर 1937 को विधानसभा में रखा। 2 अक्टूबर को इस विषय पर होने वाली बहस में प्रधानमंत्री पन्त ने सभी संशोधनों का जवाब दिया जिसमें एक संशोधन मुस्लिम लीग ने भी रखा था। यह प्रस्ताव

अपने मूल रूप में ही उसी दिन पारित हो गया। 29-31 अक्टूबर 1937 को कलकत्ता में सम्पन्न अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में यह प्रस्ताव पारित किया गया था कि सभी कांग्रेस प्रान्तों में 1935 के अधिनियम में प्रस्तावित संघीय योजना के विरुद्ध प्रस्ताव पारित होना चाहिए। इसी प्रस्ताव के अनुरूप संयुक्त प्रान्त में भी 20 जनवरी 1938 को एक प्रस्ताव पारित किया गया।

कांग्रेस के चुनाव घोषणा-पत्र में राजनैतिक बन्दियों की रिहाई प्रारम्भ करने की बात सोची गई परन्तु इस प्रश्न को लेकर संयुक्त प्रान्त तथा बिहार में समस्या उत्पन्न हो गई। फरवरी 1938 तक संयुक्त प्रान्त में अभी भी 15 राजनैतिक बन्दियों का मामला विचाराधीन था। इन दोनों प्रान्तों के राज्यपाल इनकी रिहाई के पूर्व यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि प्रान्त की शान्ति व्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ेगा। 1935 के अधिनियम की धारा 126 (5) के अन्तर्गत गवर्नर जनरल ने भी उन राज्यपालों को यह निर्देश दे दिया कि वे किसी भी राजनीतिक दबाव के आगे आत्मसमर्पण न करें। परन्तु इन दोनों प्रान्तों के प्रधानमंत्रियों ने सभी बन्दियों को एक साथ रिहा करने के अपने अधिकार पर जोर दिया जिसे राज्यपालों ने नहीं माना और इन दोनों मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया।

यह संकट उस समय सामने आया जब 19-21 फरवरी 1938 को हरिपुरा में कांग्रेस का 51वाँ अधिवेशन चल रहा था। कांग्रेस ने इन दोनों मंत्रिमंडलों के निर्णयों को स्वीकार कर लिया। गांधी ने सरकार के इस रवैये के विरुद्ध एक वक्तव्य भी जारी किया। 22 फरवरी को गवर्नर जनरल ने अपनी स्थिति साफ करते हुए एक वक्तव्य जारी किया, जिसके बाद 23-24 फरवरी को संयुक्त प्रान्त के प्रधानमंत्री ने राज्यपाल से मिलकर इस संकट के समझौतापरक उपायों पर विचार किया। दोनों पक्षों ने मिलजुल कर एक स्वस्थ परम्परा निर्मित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस प्रकार यह संकट किसी प्रकार टल सका। अन्त में मार्च 1938 तक सभी राजनैतिक बन्दी रिहा कर दिये गये।

संयुक्त प्रान्त की इस सरकार ने अक्टूबर 1939 में एक विस्तृत अधिनियम के द्वारा काश्तकारों की समस्याओं के समाधान का प्रयास किया। इस अधिनियम के द्वारा आगरा और अवध क्षेत्रों के भूमिधरी अधिकारों में समरूपता लाने का प्रयास किया गया। इस सरकार ने प्रान्त में कुटीर उद्योगों के विकास की नींव रखने के लिए भी कुछ कदम उठाये। गांधी के घोषित आदेशों के अनुरूप प्रान्त में मद्य निषेध लागू करने के लिए सर्वप्रथम 1 अप्रैल 1938 को एटा व मैनपुरी जिलों को चुना गया। इसके साथ ही साथ जौनपुर, बिजनौर, प्रयागराज तथा लखनऊ में आबकारी दूकानों को सीधे आबकारी विभाग के अन्तर्गत कर दिया गया। हालांकि मद्य निषेध की यह नीति पूरी तरह असफल सिद्ध हुई। इसी प्रकार बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में किये जाने वाले चन्द प्रयास भी सफल न हो सके। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में इस सरकार ने इतना अवश्य किया कि काशी विद्यापीठ तथा जामिया मिलिया की उपाधियों को अन्य विश्वविद्यालयों के स्नातक उपाधि के समकक्ष मान्यता प्रदान करा दिया।

1937 से 1939 के मध्य कांग्रेस प्रशासन के दौरान हरिपुरा (गुजरात) तथा त्रिपुरी (मध्य प्रान्त) में कांग्रेस के दो वार्षिक अधिवेशन हुए। 19 से 21 फरवरी 1938 को सम्पन्न हरिपुरा के 51वें अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चन्द्र बोस ने की थी। मार्च 1939 में होने वाले अगले अधिवेशन के लिए अध्यक्ष का चुनाव कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़े संकट के रूप में सामने आया। कांग्रेस का दक्षिणपंथी गुट सुभाष चन्द्र बोस के पुनर्निर्वाचन का विरोधी था। इस गुट ने पट्टाभि सीतारमैया को अपना प्रत्याशी बनाया था। जबकि स्वयं बोस इस पद पर किसी ऐसे व्यक्ति को चाहते थे जो 1935 के अधिनियम में प्रस्तावित संघीय योजना का विरोधी हो। अपने पुनर्निर्वाचन का विरोध होने पर उन्होंने इस पद के लिए आचार्य नरेन्द्र देव का नाम भी सुझाया था। परन्तु नेहरू ने अपनी तरफ से मौलाना आजाद का नाम गांधी को सुझा दिया था। बाद में जब मौलाना ने अपना नाम वापस ले लिया तो बोस व पट्टाभि सीतारमैया के मध्य चुनाव हुआ। 29 जनवरी 1939 के इस चुनाव में बोस को 1850 तथा पट्टाभि सीतारमैया को 1277 मत प्राप्त हुए। बोस के पुर्ननिर्वाचित होने के बाद कार्यसमिति

के 15 में से 12 सदस्यों ने त्यागपत्र दे दिया। नेहरू ने अपना त्यागपत्र अलग से दिया। 10 मार्च 1939 को त्रिपुरा में अधिवेशन प्रारम्भ हुआ। गांधी राजकोट के आन्दोलन में व्यस्त होने के कारण यहाँ नहीं आ सके थे। अध्यक्ष सुभाष चन्द्र बोस स्वयं बीमार थे। ऐसे में गांधी की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर तथा बिना उन्हें बताए यह प्रस्ताव पारित कर दिया गया कि बोस अपनी कार्यसमिति के सदस्यों का चुनाव गांधी की इच्छानुसार ही करें। इस प्रस्ताव ने ही बोस द्वारा कांग्रेस को त्यागने की भूमिका लिखी। यह प्रस्ताव संयुक्त प्रान्त के प्रधानमंत्री पन्त ने रखा था। बोस अपनी कार्यसमिति का चुनाव करने में असमर्थ रहे क्योंकि गांधी ने उन पर अपनी राय लादने से मना कर दिया था। फलस्वरूप बोस के पास त्यागपत्र के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता शेष नहीं बचा था।

1 सितम्बर 1939 को जर्मनी ने पोलैण्ड पर आक्रमण कर दिया। इसके साथ ही ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। यूरोप में युद्ध प्रारम्भ होते ही वायसराय लिनलिथगो ने एक उद्घोषणा में भारत को भी इसमें शामिल कर लिया। इस घोषणा के पूर्व उन्होंने किसी भी राजनैतिक दल से कोई सलाह तक नहीं ली थी। 5 सितम्बर को वायसराय ने गांधी से मुलाकात की। गांधी ने व्यक्तिगत रूप से मित्र राष्ट्रों के प्रति अपनी सहानुभूति दिखायी परन्तु कांग्रेस की तरफ से कुछ भी कहने से मना कर दिया। कांग्रेस कार्यसमिति ने फासीवाद तथा नात्सीवाद की भर्त्सना तो की लेकिन साथ में यह भी कहा कि ब्रिटिश सरकार ''युद्ध के उद्देश्यों'' को स्पष्ट करे। ब्रिटिश सरकार ने 17 अक्टूबर के अपने श्वेत पत्र में एक ''परामर्शदायी गुट'' की स्थापना तथा भविष्य में कभी ''औपनिवेशिक दर्जा'' देने की बात कही। साथ ही साथ 1935 के संविधान को निरस्त कर दिया गया। भारत में एक व्यक्ति का शासन लागू हो गया। इसके जवाब में कांग्रेस ने 29 अक्टूबर को सविनय अवज्ञा आन्दोलन का प्रस्ताव पारित कर दिया। इसके साथ ही साथ कांग्रेस की सभी आठों सरकारों ने त्यागपत्र दे दिया। सरकार ने इन विधानसभाओं को भंग नहीं किया क्योंकि वह इस अवसर पर चुनाव का खतरा नहीं मोल लेना चाहती थी। उन्होंने उन्हें सिर्फ मुअत्तल कर दिया तथा समस्त अधिकार अपने हाथों में ले लिया।

भारत छोड़ो आन्दोलन तथा बलिया की अस्थायी सरकार

इस यूरोपीय युद्ध ने शीघ्र ही विश्वयुद्ध का रूप ले लिया। यूरोप में जर्मनी का विजय अभियान जारी था। लंदन स्वयं नाजी बमवर्षकों के निशाने पर आ चुका था। जर्मनी में यहूदियों के खिलाफ हिटलर का नस्लवादी अत्याचार अपनी चरम सीमा पर था। मित्र राष्ट्र हर मोर्चे पर पीछे हटने को मजबूर हो रहे थे। ऐसे में नेहरू सहित पूरे कांग्रेस में सहयोग विरोधी अभियान तेज होता जा रहा था। उन्हें जुलाई में गिरफ्तार कर लिया गया था। गांधी की अहिंसा इस युद्ध में किसी भी प्रकार के भौतिक सहयोग के विरुद्ध थी। उनका अन्तःकरण धीरे-धीरे एक स्वरूप ग्रहण करने लगा था। अभी तक वह सहयोग के विरुद्ध नहीं थे परन्तु अचानक वह पूरी तरह से युद्ध में सहयोग को हिंसा मानने लगे थे। उन्होंने कांग्रेस से अपना नाता तक तोड़ लिया। कांग्रेस के एक गुट ने एक और प्रयास किया और सरकार के समक्ष राष्ट्रीय सरकार बनाने का प्रस्ताव रखा। राजगोपालाचारी का यह फार्मूला राष्ट्रीय स्वाभिमान के बिल्कुल विरुद्ध था परन्तु इसी बहाने नाजीवाद से लड़ने का अवसर प्राप्त हो जाने की उम्मीद में नेहरू ने इसे स्वीकार कर लिया। इसी बीच चैम्बरलेन के स्थान पर चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन चुके थे और जेटलैण्ड के स्थान पर एमरी भारत के सचिव बन चुके थे। सरकार ने कांग्रेस के इस फार्मूले को भी अस्वीकार कर दिया।

एक बार फिर कांग्रेस के सामने गांधी के अतिरिक्त और कोई विकल्प शेष नहीं बचा। गांधी को पुनः कांग्रेस का निर्विरोध नेता मान लिया और कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारम्भ कर दिया। धीरे-धीरे कांग्रेस के सभी नेताओं की गिरफ्तारी प्रारम्भ हो गयी। बोस ने जेल में ही अनशन प्रारम्भ कर दिया। उन्हें जेल से निकालकर घर में ही नजरबन्द कर दिया गया, तभी जून 1941 में जर्मनी ने सोवियत संघ पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण के बाद भारत के साम्यवादी नाजीवाद और फासीवाद के सबसे बड़े विरोधी बन गये। इसी

माह सुभाष बाबू अंग्रेजों के अजेय चक्रव्यूह को चकमा देकर काबुल के रास्ते देश के बाहर निकल गये। उनका उद्देश्य किसी प्रकार जर्मनी तथा जापान का सहयोग प्राप्त कर भारत को आजाद कराना था। सुभाष बाबू का पलायन अपने समय का सबसे बड़ा धमाका था। देखते-ही-देखते वह देश के सर्वाधिक चर्चित नेता हो गये। दिसम्बर 1941 में पर्ल हार्बर पर जापानी हमले के साथ ही इस युद्ध ने एशिया में भी प्रवेश किया। युद्ध सीमाओं के निकट आता जा रहा था। इस अवसर पर अप्रैल 1942 में ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स आयोग को भारत भेजा। परन्तु इस आयोग के पास भारत को देने के लिए कुछ भी नहीं था। क्रिप्स के जाने के बाद कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक प्रयागराज में हुई। इसमें मीरा बेन द्वारा प्रस्तुत गांधी के प्रस्ताव ने सभी को सकते में डाल दिया। इस प्रस्ताव में गांधी ने स्पष्ट किया था कि जापान को भारत से कोई दुश्मनी नहीं है। वह भारत पर यदि आक्रमण करेगा तो इसलिए कि भारत ब्रिटेन का उपनिवेश है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन यदि भारत छोड़ दे तो स्वयं भारत की अस्थायी सरकार, अपनी पूरी ताकत से, अपनी रक्षा के लिए, संयुक्त राष्ट्रों के साथ सहयोग करेगी। इस प्रस्ताव को वर्धा में अन्तिम रूप दिया गया। यही प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को ''भारत छोड़ो'' प्रस्ताव के रूप में बम्बई के अखिल भारतीय कांग्रेस सम्मेलन में पारित किया गया। इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद गांधी ने ''अंग्रेजों भारत छोड़ो'' तथा ''करो या मरो'' का नारा दिया। गांधी ने अपने भाषण में यह स्पष्ट किया कि जापान यदि भारत पर हमला करता है तो उसकी असली कीमत जनता को ही चुकानी होगी। युद्ध की उस भयंकरता में अहिंसा के लिए कोई स्थान नहीं होगा। हिंसा के उस तांडव से मुक्ति का एक अवसर अभी शेष बचा था कि अंग्रेज भारत छोड़ दें तो जापान संभवतः आक्रमण न करे। इस एक अवसर का उपयोग करने के लिए ही उन्होंने ''करो या मरो'' का नारा देते हुए बताया कि कुछ न करने का अर्थ सिर्फ मौत है चाहे वह जापानियों के हाथ से आये या अंग्रेजों के। गांधी ने इस प्रकार दुविधा की इस अभूतपूर्व स्थिति में भी अहिंसा का मार्ग तलाश ही लिया। वास्तव में गांधी प्रारम्भ से ही इसी अहिंसा की बात कर रहे थे जो कायरों की नहीं बहादुरों की अहिंसा थी।

अगले ही दिन सुबह गांधी समेत कांग्रेस के सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। लोहिया किसी तरह बच निकले और भूमिगत हो गये। पूरा भारत करो या मरो के नारे से गूँजने लगा। नेताओं की अनुपस्थिति में स्थानीय लोगों, विशेषकर छात्रों ने आन्दोलन की कमान थाम ली थी। यूँ तो देश का हर प्रान्त आन्दोलित हो चुका था लेकिन कुछ जिलों में तो आन्दोलनकारियों ने पूरे ब्रिटिश प्रशासन को ही समाप्त कर अस्थायी रूप से स्वतंत्र प्रशासन की स्थापना कर दी थी। संयुक्त प्रान्त (उत्तर प्रदेश) में बलिया, महाराष्ट्र में सतारा तथा बंगाल के तुमलुक आदि ऐसे स्थान थे जहाँ ब्रिटिश सेना को इन्हें पुनः विजित करना पड़ा।

बम्बई में गांधी की गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही 10 अगस्त को बलिया नगर में हड़ताल हो गई। सभी स्कूल-कालेज बन्द हो गये। 11 अगस्त को लगभग 15000 लोगों के एक जुलूस ने बलिया कचहरी की तरफ कूच कर दिया। इस जुलूस पर हुए पुलिस हमले ने लोगों को आपे से बाहर कर दिया। 13 से 16 अगस्त के बीच अनेकों रेलवे स्टेशन जला दिये गये तथा पुलिस थानों पर अधिकार कर लिया गया। 16 अगस्त को बलिया जेल से कैदियों को छुड़ा लिया गया तथा कांग्रेस के स्थानीय नेता चित्तू पाण्डे के नेतृत्व में बलिया में एक अस्थायी सरकार की स्थापना कर दी गई। इस सरकार ने शपथ ग्रहण करने के बाद 20 अगस्त को हनुमानगंज कोठी में एक सार्वजनिक बैठक की। आम लोगों ने सरकार को चलाने के लिए हजारों रुपये एकत्रित किये तथा सरकारी अधिकारियों को पुलिस लाइन में बन्द कर दिया गया। इस नयी सरकार को जनता का अपार नैतिक समर्थन प्राप्त था। इस नैतिक सत्ता के आधार पर ही इस सरकार ने एक जाँच कमेटी का गठन कर लोगों से यह अपील की कि सभी प्रकार की लूटी हुई सम्पत्ति सरकार को वापस कर दें। लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब यह देखा गया कि लोगों ने न केवल अपनी भूलों को स्वीकार किया बल्कि लूटी गयी सम्पत्ति भी वापस कर

दी। रेवती क्षेत्र की एक विधवा ने इस सरकार से अपील की कि उसके रु. 3000/- मूल्य के जेवरात लूट लिये गये हैं तथा पुलिस चोरों का पता नहीं लगा सकी है। नयी सरकार ने न केवल इस लूट का पता लगा लिया बल्कि उसके जेवरात भी वापस दिला दिये। यह नयी सरकार कुछ ही दिन चल सकी लेकिन इस बीच न किसी सरकारी अधिकारी की सम्पत्ति लूटी गई न किसी के साथ दुर्व्यवहार ही किया गया। इस समय सरकारी खजाने में डेढ़ लाख रुपये जमा थे परन्तु किसी ने भी इस पैसे के अवैधानिक उपयोग की बात सोची भी नहीं।

22 अगस्त से बलिया पर अंग्रेज सरकार का दमन प्रारम्भ हो गया। विद्रोहियों के घरों को लूट लिया गया और सैकड़ों घरों को जला दिया गया। आम जनता पर 12 लाख का आम जुर्माना लगाया गया परन्तु 29 लाख से अधिक की वसूली की गई। 17 स्थानों पर गोली चलायी गयी जिसमें 46 से अधिक लोगों की जान चली गयी। 1000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया जिनमें से अधिकांश को 5 से 7 वर्ष की सजायें सुनायी गईं। बलिया पर सेना की सहायता से पुनः अधिकार कर भारत की ब्रिटिश सरकार ने लंदन को यह सूचित किया कि बलिया को पुनर्विजित कर लिया गया।

सरकार की दमन नीति के विरुद्ध गांधी ने 10 फरवरी 1943 को 21 दिन का उपवास प्रारम्भ कर दिया। इस उपवास में गांधी की हालत अत्यन्त खराब हो गई थी परन्तु उन्होंने 3 मार्च को 21 दिन पूरे होने पर ही उपवास तोड़ा। जनता और सरकार दोनों ने राहत की साँस ली। इस समय पूरे देश में लगभग 1 लाख लोगों को जेलों में बन्द किया जा चुका था। पुलिस का दमन बढ़ने के बाद अब गुप्त रूप से चलने वाले इस आन्दोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण, राममनोहर लोहिया तथा अरुणा आसफ अली जैसे युवा समाजवादी करने लगे थे। यह आन्दोलन ब्रिटिश भारत के साथ-साथ देशी रियासतों में भी फैल चुका था। 1857, 1920 और 1930 के बाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का यह चौथा महान विस्फोट था।

1943 के अन्त तक भारत छोड़ो आन्दोलन पूरी तरह बिखर चुका था। चारों तरफ निराशा का वातावरण छा गया था। इस वर्ष बंगाल में अकाल से होने वाली 40,000 लोगों की मौत ने निराशा के इस माहौल को और अधिक धूमिल कर दिया था। तभी जुलाई 1943 में सिंगापुर पहुँच चुके नेताजी ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाने की घोषणा कर लोगों में एक नयी जान फूँक दी। यहीं पर उन्होंने ''दिल्ली चलो'' का नारा भी दिया। दिसम्बर 1943 में उन्होंने अण्डमान पहुँचकर इस द्वीप का नाम शहीद व स्वराज रख दिया। एक विमान दुर्घटना में उनकी अचानक मौत हो गई। इस समय तक मित्र राष्ट्रों को सभी मोर्चों पर विजय मिलनी प्रारम्भ हो गई थी।

15 अगस्त 1945 को जापान ने मित्र राष्ट्रों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। युद्धोपरान्त ब्रिटेन में मजदूर दल सत्ता में आ गया। प्रधानमंत्री एटली ने भारत को सत्ता हस्तांतरण के सम्बन्ध में ब्रिटिश नीतियों की घोषणा कर दी। 2 सितम्बर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अन्तरिम सरकार गठित हुई जिसमें शामिल होने की घोषणा मुस्लिम लीग ने भी 15 अक्टूबर को कर दी। 24 मार्च 1947 को लार्ड माउण्टबेटन को भारत का वायसराय बनाकर भेजा गया। नये वायसराय ने अत्यन्त चतुराई से कांग्रेस और लीग की कटुता का लाभ उठाकर भारत विभाजन की नींव पक्की कर दी। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद तो हो गया लेकिन यह आजादी भारत विभाजन की कीमत पर प्राप्त हो सकी।

आजादी के इस पूरे संघर्ष काल में संयुक्त प्रान्त की जनता ने 1857 से लेकर आजादी तक बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। 1857 का संग्राम हो, क्रान्तिकारियों का गुप्त आन्दोलन हो या गांधी का सत्याग्रह, इस प्रान्त की जनता ने उसमें अग्रणी भूमिका निभाई। आजादी के बाद इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री बनने वाले कांग्रेस के नेता पं. जवाहरलाल नेहरू इसी प्रदेश के थे। आजादी के बाद भी, आज तक भारत की राष्ट्रीय मुख्यधारा का नेतृत्व उत्तर प्रदेश ही करता रहा है।

ऐतिहासिक परिदृश्य

प्राचीन काल (विशिष्ट तथ्य)

- मिर्जापुर, सोनभद्र, बुन्देलखण्ड, प्रतापगढ़ के सरायनाहर राय से उत्खनन में प्राचीन एवं नव पाषाणकाल के औजार-हथियार मिले हैं।
- आलमगीरपुर से हड़प्पाकालीन वस्तुएँ प्राप्त हुई हैं, यह हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी विस्तार को प्रकट करता है।
- आलमगीरपुर से कपास उपजाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।
- शतपथ ब्राह्मण में कोशल (अवध) का उल्लेख प्राप्त होता है।
- प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश का क्षेत्र जो गंगा के मैदान में स्थित था 'मध्य देश' कहलाता था।
- मध्य देश (आधुनिक उत्तर प्रदेश) में कुरु, पांचाल, काशी, कोशल, शूरसेन, चेदि, वत्स, कुशीनगर के मल्ल, आदि महाजन पद स्थापित थे।
- कुरु महाजनपद की राजधानी इन्द्रप्रस्थ थी। यह मेरठ से दिल्ली तक विस्तृत था।
- पांचाल महाजनपद बरेली, बदायूँ, फर्रुखाबाद क्षेत्र में स्थापित था। पांचाल महाजनपद के उत्तरी क्षेत्र की राजधानी अहिच्छत्र थी तथा पांचाल महाजनपद के दक्षिणी क्षेत्र की राजधानी काम्पिल्य थी।
- शूरसेन महाजनपद मथुरा के समीपवर्ती क्षेत्र में स्थापित था। इसकी राजधानी मथुरा थी।
- वत्स महाजनपद (प्रयागराज के समीपवर्ती क्षेत्र में स्थापित था) की राजधानी कोसम (कौशाम्बी) थी।
- कोशल महाजनपद अवध क्षेत्र में स्थापित था, इसकी राजधानी श्रावस्ती थी।
- मल्ल महाजनपद (देवरिया-गोरखपुर क्षेत्र में स्थापित था) की राजधानी कुशीनगर (कसिया) तथा पावा (पडरौना) थी।
- काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी।
- चेदि महाजनपद की राजधानी शुक्तिमती (बाँदा के समीप) थी।
- ह्वेनसांग (चीनी यात्री) ने अपने यात्रा विवरण में अतरंजीखेड़ा को 'पि-लो-शा-न' कहा है।
- अतरंजीखेड़ा में गैरिक मृदभाण्ड तथा कृष्ण लोहित मृद्भाण्ड संस्कृतियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं।
- अतरंजीखेड़ा उत्तर-वैदिक युग से सम्बद्ध स्थल स्वीकार किया गया है।
- अतरंजीखेड़ा से शुंगों, कुषाणों तथा गुप्त शासकों से सम्बद्ध अवशेष प्राप्त हुए हैं।
- बौद्ध परम्परा के अनुसार अशोक ने एक स्तूप का निर्माण अयोध्या में कराया था।
- जैन ग्रन्थों में उल्लिखित है कि आदिनाथ सहित पाँच तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या थी।
- रघुवंशी भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या नगरी थी।
- अहिच्छत्र से ई.पू. 100 से 300 ई. के मध्य वाले स्तरों से मृण्मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं।
- अहिच्छत्र से 'मित्र' उपाधि वाले राजाओं के सिक्के (200-300ई.) प्राप्त हुए हैं।
- अहिच्छत्र के शासक अच्युत को गुप्त नरेश समुद्रगुप्त ने पराजित किया था।
- अहिच्छत्र से गुप्तकालीन 'यमुना' की एक मूर्ति प्राप्त हुई है।
- कालसी में संस्कृत पदों से उत्कीर्ण ईंटों की एक वेदी मिली है, जो 300 ई. के शासक शीलवर्मन के अश्वमेध यज्ञ स्थल का साक्ष्य है।
- अहिच्छत्र से 350 ई. से 750 ई. के मध्य के मन्दिर, देवकक्ष प्राप्त हुए हैं।
- कुशीनगर में 483 ई.पू. में भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था।
- कन्नौज की सर्वांगीण उन्नति पुष्यभूति शासक हर्षवर्द्धन के समय (606-647 ई.) हुई थी।

- हर्षवर्द्धन का 628 ई. का ताम्रदानपट्ट लेख बांसखेड़ा से प्राप्त है जो तत्कालीन इतिहास जानने का मुख्य स्त्रोत है।
- अतरंजीखेड़ा से 1000 ई. पू. के लौह प्रयोग, धान की खेती, वृत्ताकार अग्निकुण्ड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।
- प्राचीन काल में कन्नौज 'कान्यकुब्ज' के नाम से प्रसिद्ध था।
- कन्नौज में पहली बस्ती के साक्ष्य उत्तरी काले मृद्भाण्ड युग से कुषाण युग तक के प्राप्त हुए हैं।
- कन्नौज गुप्त शासकों तथा मौखरियों के समय प्रमुख नगर था।
- हर्षवर्द्धन के काल में कन्नौज 'नगरमहोदयश्री' कहलाता था।
- कन्नौज पर अपनी प्रभुता स्थापित करने हेतु गुर्जर-प्रतिहारों, पालों एवं राष्ट्रकूटों के मध्य दीर्घकाल तक त्रिदलीय संघर्ष हुआ था।
- गुर्जर-प्रतिहारों ने कन्नौज पर सर्वाधिक समय तक शासन किया था।
- 1018-1019 ई. में महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया था।
- 1028 ई. में महमूद गजनवी ने मथुरा के मन्दिरों को ध्वंस कर लूटपाट की थी।
- मुहम्मद गोरी के आक्रमणों के समय कन्नौज का शासक जयचन्द गहड़वाल था।
- बौद्ध काल में कपिलवस्तु शाक्य गणराज्य की राजधानी थी। कपिल ऋषि के वास (स्थान) से इस स्थल का नाम कपिलवस्तु पड़ा था।
- कपिलवस्तु श्रावस्ती-वाराणसी मार्ग तथा वैशाली-पुरुषपुर मार्ग का केन्द्र स्थल था।
- महावस्तु के अनुसार कपिलवस्तु में अनेक प्रकार के शिल्प विकसित थे।
- काम्पिल्य प्राचीन काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केन्द्र रहा था। जैन ग्रन्थों, बौद्ध जातक साहित्य व महाभारत में काम्पिल्य का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है।
- कुशीनगर की विस्तृत जानकारी, दिव्यावदान, दीघनिकाय, अशोक के आठवें वृहद् शिलालेख, कनिष्क के सिक्कों तथा फाहियान एवं ह्वेनसांग के यात्रा-विवरणों से मिलती है।
- कुशीनगर मल्ल गणराजय की राजधानी थी।
- कुशीनगर प्रमुख व्यापारिक मार्ग श्रावस्ती-वाराणसी मार्ग का प्रमुख केन्द्र स्थल होने के कारण प्रसिद्ध व्यापारिक नगर भी था।
- हूणों के कुशीनगर पर आक्रमण के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं।
- कौशाम्बी को आद्य-नगरीय स्थल भी कहा जाता है। यह वत्स महाजनपद की राजधानी था।
- कौशाम्बी को मघों ने राजधानी बनाकर दूसरी-तीसरे शताब्दी ई. में इसे राजनीतिक, आर्थिक महत्व प्रदान किया था।
- कौशाम्बी को हूण नेता तोरमाण से विशेष क्षति पहुँची थी।
- कौशाम्बी थेर पंथ का प्रमुख केन्द्र था।
- कालसी में अशोक का चौदहवाँ शिलालेख प्राप्त हुआ है।
- काशी छठी शताब्दी ई.पू. में सोलह महाजनपदों में चर्चित महाजनपद था, जिसकी राजधानी वाराणसी थी।
- काशी का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में प्राप्त होता है।
- महाभारत के अनुसार काशी की स्थापना दिवोदास ने की थी।
- एटा जिले के 'कंटिगरा' गाँव के टीलों से पाँच हजार वर्ष पुरानी सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। गुप्तकाल, कुषाणकाल तथा समकालीन महाभारत काल के चित्रित भांड 'पेटेड ग्रेवियर' मिले हैं। इससे पूर्व इन

टीलों से राम-रावण युद्ध, बाली-सुग्रीव युद्ध तथा राम-सीता की मूर्तियाँ भी निकाली जा चुकी हैं।

- गढ़वा में कुमारगुप्त प्रथम के दो शिलालेख तथा स्कन्दगुप्त का एक लेख प्राप्त हुआ है।
- 1194 ई. में चन्दावर के युद्ध में मुहम्मद गोरी ने गहड़वाल नरेश जयचन्द को पराजित किया था।
- देवगढ़ से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों से गुप्तकाल के विशेष स्थापत्य एवं मूर्तिकला के साक्ष्य मिले हैं। मन्दिरों में दशावतार मन्दिर बहुत उल्लेखनीय है। देवगढ़ से जैन तीर्थंकर ऋषभदेव की पुत्री ब्राह्मी द्वारा उत्कीर्णित लिपियों का अभिलेख मिला है। देवगढ़ से चन्देल शासकों के अभिलेख मिले हैं।
- प्रयाग के अशोक स्तम्भ पर हरिषेण द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रशस्ति लेख प्राप्त है।
- गुप्तों के पतन के पश्चात् हर्षवर्द्धन, गुर्जर-प्रतिहार, चन्देल, गहड़वाल शासकों ने प्रयाग पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था।
- हर्षवर्द्धन प्रति पाँचवें वर्ष प्रयाग में महामोक्ष परिषद् का आयोजन करता था।
- बाँसखेड़ा अभिलेख में हर्ष की वंशावली, प्रशासनिक संरचना, सैनिक अभियानों का उल्लेख है।
- बांसखेड़ा अभिलेख में हर्षवर्द्धन द्वारा अहिच्छत्र भुक्ति के मर्कटसागर गाँव को कर-मुक्त करके दो ब्राह्मणों को दान देने का उल्लेख प्राप्त होता है।
- बांसखेड़ा अभिलेख में हर्ष के हस्ताक्षरों की अनुलिपि उत्कीर्ण है।
- हर्षवर्द्धन की राजधानी कन्नौज (कान्यकुब्ज) थी।
- गुप्तकालीन मन्दिरों में भीतरगाँव का मन्दिर छोटी-पकी ईंटों से निर्मित है, इसे चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में बनवाया गया था। इस मन्दिर की विशेषता शिखर का होना तथा ऊँचे चबूतरे पर निर्मित होना माना जाता है। इस मन्दिर की छत पिरामिडाकार है। मन्दिर की दीवारों को देवी-देवताओं की मूर्तियों से उकेरा गया है।
- महाजनपद युग में मथुरा शूरसेन महाजनपद की राजधानी थी।
- मथुरा कृषाणों के पूर्वी साम्राज्य की राजधानी थी। कुषाणों के सिक्के बहुतायत से मिले हैं।
- समुद्रगुप्त ने मथुरा के गणपति नाग को पराजित किया था।
- मौर्योत्तर युग में मथुरा एशिया से सम्बद्ध रेशम मार्ग से जुड़ा हुआ था।
- मथुराशाटक वस्त्र निर्माण का प्रमुख केन्द्र था। मथुरा भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है। मथुरा श्वेताम्बर जैन मत का केन्द्र थी। मथुरा में बौद्धमत की सर्वास्तिवादी विचारधारा का उद्भव व विकास हुआ था। मथुरा में मथुरा कला शैली में बुद्ध की प्रथम मूर्ति निर्मित हुई थी। मथुरा 'मथुरा कला शैली' का प्रमुख केन्द्र लगभग 300 वर्षों तक बनी रही थी।
- भरतपुर राज्य की राजधानी 'मथुरा' थी, जिसकी घोषणा सूरजमल जाट ने की थी।
- राजघाट (वाराणसी के समीप) से उत्तरी काले मृद्भाण्ड संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं।
- श्रावस्ती तीन प्रमुख व्यापारिक मार्गों (उत्तरापथ, दक्षिणापथ, मध्यपथ) के केन्द्र में स्थित होने के कारण राजनीतिक-व्यापारिक गतिविधियों का स्थल केन्द्र थी। श्रावस्ती भगवान बुद्ध की प्रिय नगरी थी। श्रावस्ती के साहूकार अनाथपिंडक ने जेतवन महाविहार बौद्धों को अनुदान में दिया था।
- जैन तीर्थंकर सम्भवनाथ एवं चन्द्रप्रभु श्रावस्ती से सम्बद्ध थे।
- आजीवक सम्प्रदाय के प्रवर्तक मक्खलि गोसाल की जन्मभूमि श्रावस्ती थी।
- श्रावस्ती से कनिष्क के दो अभिलेख प्राप्त हुए हैं।
- संकिसा महाजनपद युग को पांचाल जनपद में प्रमुख नगर था। बौद्ध परम्परा के अनुसार संकिसा में भगवान बुद्ध इन्द्र व ब्रह्मा के साथ स्वर्ग से धरती पर आये थे।
- महात्मा बुद्ध ने संकिसा में स्त्रियों की प्रव्रज्या को संघ में अनुमति दी थी।

- भिक्षुणी उत्पलवर्णा दीक्षा पाने वाली प्रथम स्त्री थी।
- संकिसा में स्कन्दगुप्त का एक सिक्का भी मिला है।
- सारनाथ प्राचीनकाल में इसिपत्तन मिगदाय (ऋषिपत्तन मृगदाव) के नाम से प्रसिद्ध था।
- सारनाथ में भगवान बुद्ध का धर्मचक्र प्रवर्तन हुआ था।
- मौर्य सम्राट अशोक ने सारनाथ में एक सिंह स्तम्भ बनवाया था, स्वतन्त्र भारत का राजचिह्न इसी सिंह शीर्ष स्तम्भ को अपनाया गया है।
- सारनाथ की सिंह, शीर्ष स्तम्भ मौर्य प्रस्तर कला का उत्कृष्ट उदाहरण है।
- ह्वेनसांग के समय सारनाथ थेरवाद का प्रमुख केन्द्र था।
- सारनाथ में गुप्तकालीन धमेख स्तूप निर्मित है; फाहियान ने इसका विस्तृत उल्लेख किया है।
- सोहगौरा से उत्तरी काली ओपदार मृद्भाण्ड संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सोहगौरा से मौर्योत्तर काल के सिक्के, कुषणों के सिक्के प्राप्त हुए हैं।
- हस्तिनापुर से ऊपरी गंगाघाटी की संस्कृतियों के अनुक्रम की जानकारी मिलती है। हस्तिनापुर से मृद्भाण्ड संस्कृतियों से लेकर मौर्योत्तर युग तक के साक्ष्य मिले हैं।
- हस्तिन नामक शासक ने हस्तिनापुर की स्थापना की थी। महाभारत युग में यह कौरवों की राजधानी थी।
- मौर्योत्तर युग में निर्मित प्रस्तर प्रतिमाएँ, मथुरा के दत्तवंशी शासकों के सिक्के, कुषाणों के सिक्के, यौधेयों की मुद्राएँ हस्तिनापुर के उत्खनन में मिली हैं।
- हड़प्पायुग से सम्बद्ध अवशेष हुलास से मिले हैं।
- हुलासखेड़ा से कुषाणकाल से गुप्तयुग तक के भौतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। हुलासखेड़ा से कुषाणकालीन 200 मीटर लम्बी सड़क, सुनियोजित जल निकासी की व्यवस्था, कार्तिकेय की स्वर्णप्रतिमा, चॉदी के आहत सिक्के, कुषाणों के ताम्र सिक्के मिले हैं। हुलासखेड़ा से गुप्तकालीन दुर्ग के भग्नावशेष, ताँबे-चाँदी के सिक्के, गुप्तलिपि में उत्कीर्ण मुहरें, हाथी दाँत की कंघी, मोहरछापे प्राप्त हुए हैं।

मध्यकाल (विशिष्ट तथ्य)

- मध्ययुग में राजस्थान तथा दक्षिण में मालवा की ओर जाने वाले मार्ग पर स्थित होने के कारण आगरा का राजनीतिक, आर्थिक व व्यापारिक महत्व स्थापित था।
- मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था।
- अकबर ने आगरा में किले का निर्माण कराया था।
- जहाँगीर के काल में नूरजहाँ ने आगरा में अपने पिता एत्मादुद्दौला का मकबरा बनवाया था।
- शाहजहाँ द्वारा निर्मित आगरा में 'ताजमहल' तथा मोती मस्जिद स्थापत्य कला के श्रेष्ठ प्रतीक हैं।
- मुगलकाल में आगरा शिक्षा का प्रमुख केन्द्र था।
- मुगलकाल में आगरा के समीपवर्ती क्षेत्र में नील की खेती होती थी।
- यूरोपियन यात्री राल्फ फिच, वर्नियर ने आगरा के वैभव की प्रशंसा की है।
- सल्तनतकाल व मुगलकाल में कड़ा महत्वपूर्ण इक्ता (सूबा) समझा जाता था।
- सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के समय कड़ा का सूबेदार अलाउद्दीन खिलजी था।
- 831 ई. में महोबा में चन्देलों ने अपनी राजधानी स्थापित की थी।
- कड़ा से ही अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ई. में अपना सफल अभियान (देवगिरि अभियान) सम्पन्न

किया था।

- 1022 ई. में महमूद गजनवी ने कालिंजर को पदाक्रान्त किया था।
- 1018 ई. में महमूद गजनवी ने बरन को पदाक्रान्त किया था।
- कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 ई. में कोइल पर अधिकार स्थापित कर लिया था।
- 1193 ई. में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बरन को दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया था।
- 1194 ई. में कन्नौज के गहड़वाल नरेश जयचन्द को चन्दावर के युद्ध में मुहम्मद गोरी ने पराजित किया था।
- 1202 ई. में कुतुबुद्दीन ऐबक ने चन्देल शासक परमार्दिदेव को कालिंजर में पराजित किया था।
- 1296 ई. में सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा में करवा दी थी।
- कड़ा क्षेत्र में सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक ने स्वर्गद्वारी की स्थापना की थी।
- जौनपुर की स्थापना सुल्तान फीरोजशाह तुगलक ने 1358 ई. में मुहम्मद तुगलक उर्फ जौना खाँ के सम्मान में की थी।
- भक्त सन्त मलूकदास की जन्मस्थली कड़ा थी।
- पूर्व मध्य युग में कालिंजर पर राजपूतों का शासन स्थापित था।
- बारहवीं शताब्दी ई. के पश्चात् कालिंजर तुर्कों, अफगानों, मुगलों के आक्रमण से प्रभावित रहा था।
- 1435 ई. में मालवा के हुशंगशाह ने कालपी पर अधिकार कर लिया था।
- 1492 ई. में सुल्तान सिकन्दर लोदी ने जौनपुर को दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया था।
- आगरा की स्थापना सुल्तान सिकन्दर लोदी ने 1504 ई. में की थी।
- 1531 ई. तक गढ़कुण्डार बुन्देलों की राजधानी रही थी।
- 1545 ई. में कालिंजर के सैन्य अभियान के दौरान बारूद विस्फोट से शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गयी थी।
- मुगल सम्राट अकबर ने 1569 ई. में कालिंजर के शासक रामचन्द्र को पराजित कर आधिपत्य स्थापित कर लिया था।
- 1573 ई. से 1588 ई. तक फतेहपुर सीकरी मुगल साम्राज्य की राजधानी रही थी।
- दसवीं शताब्दी ई. में कालपी में चन्देलों का शासन स्थापित था।
- बारहवीं शताब्दी के अन्त में कुतुबुद्दीन ऐबक ने काल्पी को दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया था।
- फीरोजशाह तुगलक के पश्चात् कालपी एक स्वतन्त्र मुस्लिम राज्य बन गया था।
- राजा बीरबल कालपी से सम्बद्ध था। कालपी में बीरबल का रंगमहल तथा मुगल टकसाल के अवशेष प्राप्त हुए हैं।
- भारत में तुर्कों के आगमन के समय कोइल (कोल) पर राजपूतों का प्रभुत्व स्थापित था।
- सुल्तान बहलोल लोदी के समय कोइल का स्थानीय शासक ईसा खाँ था, जिसने बहलोल लोदी की अधीनता स्वीकार कर ली थी।
- 5 जनवरी, 1659 ई. को औरंगजेब ने खजुहा के युद्ध में शाहशुजा को पराजित कर उत्तराधिकार युद्ध में निर्णायक सफलता प्राप्त की थी।
- पूर्व मध्यकाल में गढ़कुण्डार पर परमारों ने आधिपत्य स्थापित किया था।
- आठवीं शताब्दी ई. में चन्देलों ने गुढ़कुण्डार पर शासन स्थापित किया था।
- पृथ्वीराज चौहान के समय गढ़कुण्डार का चन्देल शासक परमाल था।
- चन्देलों को पराजित कर पृथ्वीराज चौहान ने गुढ़कुण्डार पर अधिकार कर लिया था।

- पृथ्वीराज के सेनानायक खेतसिंह ने गुढ़कुण्डार में खंगार राज्य की स्थापना की थी।
- सुल्तान बलबन के समय गढ़कुण्डार पर बुन्देलों ने अधिकार कर लिया था।
- चौदहवीं शताब्दी ई. में चुनार पर चन्देलों का शासन स्थापित था।
- मुगल सम्राट् बाबर ने चुनार पर अधिकार स्थापित कर लिया था।
- शेरशाह सूरी के दमन के क्रम में हुमायूँ ने चुनार के किले की घेराबन्दी की थी, परन्तु शेरशाह ने ही चुनार पर अपना नियन्त्रण स्थापित रखने में सफलता प्राप्त की थी।
- तुगलक वंश के पतन के दौर में जौनपुर मलिक हुसैन शर्की के नेतृत्व में स्वतन्त्र हो गया और शर्की सल्तनत की जौनपुर में स्थापना हुई।
- साहित्य, स्थापत्य कला, संगीत कला के लिए जौनपुर के शर्की सुल्तानों का चिरस्मरणीय योगदान रहा था। अटांला मस्जिद शर्की स्थापत्य कला की श्रेष्ठ प्रतीक है। इन्हीं विशेषताओं के कारण जौनपुर को 'शीराज-ए-हिन्द' कहा जाता था।
- झाँसी की स्थापना 1613 ई. में ओरछा शासक बीर सिंह बुन्देला ने की थी।
- 1732 ई. में जैतपुर युद्ध के बाद झाँसी स्थानीय ओरछा शासक छत्रसाल द्वारा पेशवा बाजीराव प्रथम को सौंप दी गयी थी।
- रानी लक्ष्मीबाई झाँसी के स्वतन्त्र राज्य के शासक गंगाधर राव की पत्नी थीं, जिन्होंने 1857 ई. के महान विप्लव में अपनी वीरता व साहस का लोहा अंग्रेजों से स्वीकार करा कर भारत के प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम में वीरगति प्राप्त की थी।
- झाँसी में लक्ष्मीबाई का महल, महादेव मन्दिर, मेंहदी बाग आज भी विद्यमान हैं।
- अकबर बादशाह ने प्रयाग की पुनर्स्थापना कर 'इलाहाबाद' (अब 'प्रयागराज') नाम दिया था। इलाहाबाद (अब 'प्रयागराज') के किले का निर्माण भी अकबर ने कराया था।
- अकबर फतेहपुर सीकरी को शेख सलीम चिश्ती के कारण पवित्र भूमि मानता था।
- सलीम (जहाँगीर) का जन्म फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम की खानकाह में हुआ था।
- फतेहपुर सीकरी के शानदार स्थापत्य प्रतीकों में शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, बुलन्द दरवाजा, जामा मस्जिद, जोधाबाई का महल, दीवाने खास, बीरबल का महल, मरियम का महल, पंचमहल बहुत प्रसिद्ध हैं।
- दिल्ली सल्तनत काल में बदायूँ सर्वाधिक महत्वपूर्ण इक्ता थी।
- सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश बदायूँ का इक्तादार था।
- सूफी सन्त शेख निजामुद्दीन औलिया का सम्बन्ध बदायूँ से था।
- इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूँनी का सम्बन्ध बदायूँ से था।
- बदायूँ व्यापारिक मार्ग (दिल्ली-लखनौती मार्ग) का प्रमुख केन्द्र स्थल था।
- प्रसिद्ध इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी बरन का निवासी था।
- मथुरा सूरजमल जाट द्वारा भरतपुर राज्य की राजधानी के रूप में गौरवान्वित थी।
- चन्देलों का राज्य जेजाकभुक्ति (जुझौती) के नाम से चर्चित था।
- तेरहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में महोबा पर तुर्कों का आधिपत्य स्थापित हो गया था।
- मध्यकाल में राजपूत सरदार हरदत्त ने मेरठ में एक किला निर्मित कराया था।
- बारहवीं शताब्दी के अन्त में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मेरठ को दिल्ली सल्तनत में सम्मिलित कर लिया था।

- फीरोजशाह तुगलक ने अशोक स्तम्भ मेरठ से उठवाकर दिल्ली में स्थापित कराया था
- लखनऊ की प्रसिद्धि उत्तर मुगल काल में प्रारम्भ हुई, जब अवध के सूबेदार सआदत खाँ ने अपनी स्वतन्त्र सत्ता स्थापित की थी
- नवाब आसफुद्दौला के समय अवध की राजधानी फैजाबाद (अब अयोध्या) से लखनऊ स्थानान्तरित हो गयी
- लखनऊ के अन्तिम नवाब वाजिद अली शाह थे, जिन्हें 1856 ई. में अंग्रेजों ने पदच्युत कर अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया था
- लखनऊ की चर्चित इमारते हैं- इमामबाड़ा, भूलभुलैय्या, छतरमंजिल
- लखनऊ कत्थक नृत्य का केन्द्र था
- सम्भल सल्तनत काल में महत्वपूर्ण इक्ता के रूप में चर्चित था
- सम्भल का क्षेत्र हुमायूँ ने अपने भाई मिर्जा अस्करी को प्रदान कर दिया था
- सम्भल में मुगल बादशाह बाबर ने मस्जिद का निर्माण कराया था
- सिकन्दरा में मुगल सम्राट अकबर ने अपना मकबरा बनवाया था जिसे 1613 ई. में सम्राट जहाँगीर ने पूर्ण कराया था
- 29 मई, 1658 ई. को सामूगढ़ के युद्ध में दारा के नेतृत्व में शाही सेना की पराजय औरंगजेब व मुराद की संयुक्त सेना के हाथों हुई थी। युद्ध में विजय प्राप्त करने पर औरंगजेब ने शाहजहाँ को आजीवन नजरबन्द कर दिया था, मुराद को छल से बन्दी बना लिया था और अपने को बादशाह घोषित कर दिया था
- 10 मई, 1857 ई. को भारत मे महान् विद्रोह का विस्फोट मेरठ से हुआ था
- 1857 ई. के महान् विप्लव की प्रमुख वीरांगना बेगम हजरत महल ने लखनऊ में अंग्रेजों से लोहा लिया था
- औरंगजेब की मृत्यु (1707 ई) से 1757 ई. (प्लासी के युद्ध) तक वर्तमान उत्तर प्रदेश में पाँच स्वतन्त्र राज्य स्थापित हो चुके थे।
- मेरठ तथा बरेली के उत्तर में नाजिब खान नामक पठान नेता का राज्य था।
- दोआब क्षेत्र में रुहेलों के अन्तर्गत रुहेलखण्ड राज्य स्थापित था।
- फर्रुखाबाद के बंगश नवाब के अन्तर्गत मध्य दोआब का राज्य स्थापित था।
- अवध व पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों पर अवध के नवाब का राज्य था।
- बुन्देलखण्ड पर मराठों का राज्य स्थापित था।
- 1773 ई. में अंग्रेजों ने रुहेलखण्ड में मराठों को पराजित कर उन्हें दोहाब से निष्कासित कर दिया था।
- 1774 ई. में अंग्रजों ने रुहेला सरदार रहमत खान को शाहजहाँपुर (कटरा) में पराजित कर रुहेलखण्ड को अवध के नवाब को सौंप दिया था।
- 1775 ई. में शुजाउद्दौला की मृत्यु के पश्चात् आसफउद्दौला अवध का नवाब बना।
- आसफउद्दौला ने अंग्रेजों से सन्धि कर के बनारस (अब 'वाराणसी') का क्षेत्र अंग्रेजों को सौंप दिया था।
- बनारस ('वाराणसी') के राजा चेतसिंह ने 1780 ई. में अंग्रेजों द्वारा अधिकाधिक धन माँगे

जाने का विरोध किया, फलस्वरूप अंग्रेजों ने राजा चेतसिंह के विरोध को कुचलकर महीप नारायण सिंह को बनारस का राजा बनाया। बनारस (अब 'वाराणसी') पूर्णतः अंग्रेजों के संरक्षण में स्थापित हो गया।

- 1797 ई. में आसफउद्दौला की मृत्यु के पश्चात् उसका भाई सादात अली अवध का नवाब बना, उसने इलाहाबाद (अब 'प्रयागराज') का किला अंग्रेजों को सौंप दिया तथा बाह्य आक्रमण से सुरक्षा के बदले में प्रति वर्ष 76 लाख रुपये ईस्ट इण्डिया कम्पनी को देने का वचन दिया।

आधुनिक काल (विशिष्ट तथ्य)

- अंग्रेजी राज्य की स्थापना के प्रथम चरण में उत्तर प्रदेश 'बंगाल प्रेसीडेन्सी' का ही अंग था।
- बंगाल प्रेसीडेन्सी का भाग होने के समय इस क्षेत्र को 'पश्चिमी प्रान्त' भी कहते थे।

उत्तर प्रदेश के प्रमुख जैन तीर्थ-स्थल

- **अयोध्या** : जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभनाथ, द्वितीय तीर्थंकर भगवान अजितानाथ, चतुर्थ तीर्थंकर भगवान अभिनन्दनाथ एवं पंचम तीर्थंकर भगवान सुमतिनाथ का जन्म-स्थल।
- **वाराणसी :** सप्तम तीर्थंकर भगवान सुपार्श्वनाथ एवं तेईसवें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ का जन्म-स्थल।
- **कौशाम्बी** : जनपद के ग्राम पभोसा में छठे तीर्थंकर भगवान पद्म प्रभु से सम्बन्धित स्थल।
- **श्रावस्ती** : तृतीय तीर्थंकर भगवान सम्भवनाथ एवं विख्यात शोभनाथ मन्दिर से सम्बन्धित।
- **देवगढ़** : 'देवताओं के किले' के रूप में विख्यात, प्राचीन जैन मूर्तियों एवं शिल्प-कला हेतु सुप्रसिद्ध स्थल।
- **महोबा** : 'गोखर पहाड़' पर चट्टानों को काटकर निर्मित 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाओं हेतु विख्यात।
- **काकण्डी** : नवें तीर्थंकर भगवान सुविधानाथ का निवास-स्थल।

- आगरा प्रेसीडेन्सी बनने पर उत्तर प्रदेश का क्षेत्र बंगाल प्रेसीडेन्सी से निकालकर आगरा प्रेसीडेन्सी में सम्मिलित कर दिया गया था।
- 1836 ई. में इस प्रदेश का नाम 'उत्तर-पश्चिम प्रान्त' (नार्थ-वेस्टर्न प्राविन्सेज) हो गया तथा मुख्यालय आगरा बनाया गया।
- 7 फरवरी, 1856 ई. को अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया था।
- अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित करते समय अवध में बारह जिले (लखनऊ, बाराबंकी, फैजाबाद (अब अयोध्या), गोण्डा, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली) थे।
- 1857 ई. की विद्रोह (प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम) की लड़ाई के पश्चात् 1858 ई. में वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने पूरे उत्तरी-पश्चिमी प्रान्त को एक ले. गवर्नर के द्वारा शासित प्रान्त बना दिया था।
- 1858 ई. में उत्तरी-पश्चिमी प्रान्त का मुख्यालय इलाहाबाद (अब 'प्रयागराज') बनाया गया था।
- 1868 ई. में उत्तरी-पश्चिमी प्रान्त का उच्च न्यायालय भी आगरा से इलाहाबाद (अब 'प्रयागराज') स्थानान्तरित कर दिया गया था।
- 1877 ई. तक अवध का प्रशासनिक व उच्च न्यायिक मुख्यालय लखनऊ रहा था तथा उत्तरी-पश्चिमी प्रान्त का इलाहाबाद (अब 'प्रयागराज')।

- 1877 ई. में इन दोनों प्रान्तों (अवध व उत्तरी-पश्चिमी प्रान्त) को ले. गवर्नर तथा मुख्य आयुक्त का पद समाप्त कर ''आगरा व अवध का संयुक्त प्रान्त'' (यूनाइटेड प्राविन्सेज ऑफ आगरा एण्ड अवध) कर दिया गया था।
- ले. गवर्नर का पद इस एकीकृत प्रान्त (यूनाइटेट प्राविन्सेज ऑफ आगरा एण्ड अवध) का सर्वोच्च प्रशासनिक पद बन गया था।
- भारत सरकार अधिनियम, 1919 के अन्तर्गत ले. गवर्नर के पद को गवर्नर के पद की मान्यता प्राप्त हो गयी।
- 1920 ई. के चुनावों के पश्चात् संयुक्त प्रान्त आगरा-अवध (यूनाइटेड प्राविन्सेज ऑफ आगरा एण्ड अवध) की सरकार इलाहाबाद (प्रयागराज) से लखनऊ स्थानान्तरित कर दी गयी थी।
- 1921 ई. में लखनऊ में विधान परिषद् की स्थापना की गयी थी।
- 1935 ई. तक प्रान्तीय सचिवालय के इलाहाबाद (प्रयागराज) से लखनऊ स्थानान्तरण का कार्य पूरा करने के बाद लखनऊ को इस प्रान्त की राजधानी घोषित किया गया था।
- 1937 ई. में यूनाइटेड प्राविन्सेज ऑफ आगरा एण्ड अवध का नाम परिवर्तित कर 'संयुक्त प्रान्त' (यूनाइटेड प्राविन्सेज) रख दिया गया था।
- उन्नीसवीं शताब्दी ई. के प्रारम्भ में इस प्रान्त में बनारस (अब 'वाराणसी') क्षेत्र मिर्जापुर तथा इलाहबाद (अब 'प्रयागराज') का किला अंग्रेजों के आधिपत्य में स्थापित थे।
- 1808 ई. में अवध के नवाब सआदत अली ने सुरक्षा की गारण्टी के बदले में गोरखपुर क्षेत्र रुहेलखण्ड क्षेत्र, इलाहाबाद (अब 'प्रयागराज') क्षेत्र, फतेहपुर, कानपुर, इटावा, एटा क्षेत्र अंग्रेजों को प्रदान कर दिये थे।
- 1809 ई. में फर्रुखाबाद के नवाब ने अपना क्षेत्र अंग्रेजों को सौंप दिया।
- 1803 ई. में लार्ड लेक ने मराठों को पराजित कर अलीगढ़, आगरा पर अधिकार कर लिया था।
- 1836 ई. में इस प्रान्त का नाम उत्तरी-पश्चिमी प्रान्त रखा गया था, उस समय इस प्रान्त में दिल्ली तथा अजमेर के क्षेत्र भी सम्मिलित थे।
- 1856 ई. में अवध इस प्रान्त में सम्मिलित कर लिया गया था।
- 1857 ई. के विद्रोह के पश्चात् दिल्ली, पंजाब को; तराई के क्षेत्र नेपाल को; बरेली तथा मुरादाबाद के कुछ क्षेत्र रामपुर के नवाब को; सागर का क्षेत्र मध्य प्रान्त को दे दिया गया था।

1857 की क्रान्ति तथा राष्ट्रीय आन्दोलन में उत्तर प्रदेश का योगदान

- 1857 ई. में उत्तरी भारत की जनता ने तथा जमींदारों, राजाओं ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एक महान् विद्रोह कर दिया; यह एक स्व-स्फूर्त विद्रोह था, जिसे सावरकर ने भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम कहा था।
- कोलकाता (तत्कालीन 'कलकत्ता') के निकट स्थित बैरकपुर के 34वीं देशी सैनिक छावनी के मंगल पाण्डे (उत्तर प्रदेश निवासी) ने 21 मार्च, 1857 ई. को खुला विद्रोह कर अपने एडजुडेण्ट लेफ्टीनेण्ट हेनरी बाग पर गोली चला दी; इस घटना के फलस्वरूप मंगल पाण्डे को 7 अप्रैल, 1857 ई. को बैरकपुर में फाँसी पर चढ़ा दिया गया था।
- मंगल पाण्डे की फाँसी ने भारतीय सैनिकों को उत्तेजित कर दिया क्योंकि उसने नये आविष्कृत

एनफिल्ड रायफलों के लिए नये प्रकार के कारतूसों के प्रयोग करने का विरोध किया था। इन कारतूसों को प्रयोग करते समय इसे मुँह से खोलना पड़ता था। हिन्दू और मुस्लिम दोनों धर्मों के सैनिकों में यह धारणा परिपक्व हो चुकी थी कि कारतूसों के खोल में सुअर एवं गाय की चर्बी लगायी गयी है; अतः सैनिकों में आक्रोश था। यह आक्रोश ही मंगल पाण्डे की घटना बन गया था।

- 24 अप्रैल, 1857 ई. को मेरठ की देशी सेना ने नये कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया। इससे क्रुद्ध अंग्रेज अधिकारियों ने 9 मई, 1857 ई. को सैनिकों की वर्दी उतरवा ली, फलस्वरूप 10 मई, 1857 ई. को पूरी छावनी के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया; विद्रोही सैनिकों ने अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी।
- 11 मई, 1857 ई. को मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली पर अधिकार कर भारत के (पेंशनयाफ्ता) वृद्ध सम्राट (मुगलों के अन्तिम बादशाह) जो अंग्रेजों द्वारा दयनीय स्थिति में रख दिये गये थे, को अपना शासक घोषित करते हुए उसके (बहादुरशाह द्वितीय) नेतृत्व में लामबन्द हो गये।
- विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली में 6 सैनिकों तथा चार नागरिकों की एक मिली-जुली समिति 'जलसा' के नाम से गठित की, जिसने दिल्ली का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया था।
- 1857 ई. के इस विद्रोह से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र था अवध और बुन्देलखण्ड।
- 1857 ई. के इस ब्रिदोह में दोआब क्षेत्र ने भी सक्रिय योगदान किया था।
- 1857 ई. के इस विद्रोह में शीघ्र की अलीगढ़, बरेली, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद (अब 'प्रयागराज') को स्वतन्त्र कराने के बाद विद्रोही सैनिकों व जमींदारों ने वहाँ अपनी सरकारें स्थापित कर ली थीं।
- 1857 ई. के इस महान् विप्लव में बरेली का प्रशासन 'खान बहादुर खान' नामक रोहिल्ला सैन्य अधिकारी ने ग्रहण कर लिया था।
- 1857 ई. के इस महान् विप्लव में कानपुर के प्रशासन पर 'नाना साहब' का अधिकार था।
- 1857 ई. के इस महान् विप्लव में इलाहाबाद ('प्रयागराज') पर एक अध्यापक 'मौलवी लियाकत अली' का अधिकार था।
- 1857 ई. के इस महान् विप्लव का विस्तार इटावा, मैनपुरी, एटा, मथुरा, शाहजहाँपुर, बदायूँ, आजमगढ़, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, वाराणसी, फैजाबाद, फतेहपुर, हाथरस, आदि छोटे-छोटे- नगरों व कस्बों में हो गया था।
- कानपुर (बिठूर) में नाना साहब विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे, उनके अधीन दस हजार सैनिक तथा कृषक अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्षरत थे।
- लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरतमहल कर रही थीं, इसमें 50 हजार नागरिक बेगम हजरतमहल के नेतृत्व में संघर्षरत थे।
- कानपुर तथा लखनऊ में ब्रिटिश सैन्य अधिकारी कैम्पबेल, जनरल हैवलाक विन्धम ने विद्रोह को कुचलने का प्रयास किया था।
- 1857 के विद्रोह में तात्या टोपे विद्रोहियों के प्रमुख योद्धा थे।
- लगभग छह माह के कठिन संघर्ष के उपरान्त ही अंग्रेजों ने लखनऊ, कानपुर पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त की थी।
- मई 1857 ई. में अंग्रेजों ने बरेली पर पुनः अधिकार कर लिया था।

- झाँसी में विद्रोह का नेतृत्व महारानी लक्ष्मीबाई ने किया था; इस विद्रोह के दमन में जनरल रोज को सक्रिय किया गया था।
- रानी लक्ष्मीबाई ने वीरता से संघर्ष करते हुए वीरगति प्राप्त की थी।
- 1 नवम्बर, 1858 ई. को ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया ने अपने घोषणा पत्र में ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी के हाथों से सत्ता अधिकृत कर ली तथा भारत में शान्ति की स्थापना की।
- 1857 का महान् विद्रोह अन्ततः असफल हो गया।
- 1857 के विद्रोह की असफलताओं से भावी राष्ट्रवाद के बीज अंकुरित हुए थे।
- उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में बनारस (अब वाराणसी) के भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने अपनी पत्रिका 'कवि वचन सुधा' में स्वदेशी आन्दोलन का समर्थन किया।
- सर सैयद अहमद खाँ ने भी प्रगतिशील आन्दोलन का पथ प्रशस्त किया।
- 1857 ई. में सर सैयद अहमद खाँ ने अलीगढ़ में 'मोहम्मडन एंग्लो ओरियण्टल विद्यालय' की स्थापना की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया।
- अलीगढ़ आन्दोलन के नाम से चर्चित सर सैयद अहमद खाँ का आन्दोलन उत्तर प्रदेश के आधुनिक इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय है।
- सोमवार, 28 दिसम्बर, 1885 ई. को 'गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, बम्बई' में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन सम्पन्न हुआ था, जिसमें सम्पूर्ण भारत से 72 प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे। इस सम्मेलन में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व गंगाप्रसाद वर्मा, प्राणनाथ पण्डित, मुंशी ज्वाला प्रसाद, जानकीनाथ घोषाल, रामकली चौधरी, बाबू जमुनादास, बाबू शिव प्रसाद चौधरी, लाला बैजनाथ ने किया था।
- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन कोलकाता (तत्कालीन 'कलकत्ता' में सम्पन्न) में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधियों की संख्या 74 थी।
- कोलकाता (तत्कालीन 'कलकत्ता') अधिवेशन (1886 ई.) में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े प्रश्नों पर विचार करने के लिए एक सत्रह सदस्यीय समिति का गठन किया था, जिसमें उत्तर प्रदेश के पाँच सदस्यों को चुना गया था ये सदस्य थे : (1) लखनऊ के गंगाप्रसाद वर्मा, (2) प्राणनाथ, (3) मौलाना हामिद अली, (4) नवाब रजा अली खान, (5) मुंशी काशी प्रसाद।
- मद्रास अधिवेशन (1887 ई.) में विधि समिति का निर्माण कर लखनऊ के गंगाप्रसाद वर्मा, बिशन नारायण दर, मौलाना हामिद अली को सम्मिलित किया गया था, इन्होंने जन संगठन को व्यापक बनाने पर बल दिया था।
- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चौथा अधिवेशन जॉर्ज यूल की अध्यक्षता में इलाहाबाद (अब 'प्रयागराज') में सम्पन्न हुआ था।
- 1888 ई. में इलाहाबाद (अब 'प्रयागराज') के कांग्रेस अधिवेशन के समय प्रान्त के गवर्नर सर आकलैण्ड कॉल्विन थे, जिन्होंने अधिवेशन न होने देने का प्रयत्न किया था।
- 1888 ई. में अंग्रेजों के कांग्रेस विरोध ने सर सैयद अहमद खाँ को प्रेरित किया था कि वे भी कांग्रेस विरोध को स्वर दें और वे कांग्रेस विरोधी बन गये थे।
- बनारस (अब 'वाराणसी') के राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्द भी कांग्रेस के विरोधी तथा अंग्रेजों के पक्षधर थे।

- उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1947 ई. तक निम्न अधिवेशन हुए थे :

	वर्ष	स्थान	अध्यक्ष
1.	1888 ई.	इलाहाबाद ('प्रयागराज')	जॉर्ज यूल
2.	1892 ई.	इलाहाबाद ('प्रयागराज')	डब्ल्यू. सी. बनर्जी
3.	1899 ई.	लखनऊ	रोमेश चन्द्र दत्त
4.	1905 ई.	बनारस ('वाराणसी')	गोपाल कृष्ण गोखले
5.	1910 ई.	इलाहाबाद ('प्रयागराज')	सर विलियम वेडरबर्न
6.	1916 ई.	लखनऊ	अम्बिका चरन मजूमदार
7.	1925 ई.	कानपुर	श्रीमती सरोजिनी नायडू
8.	1935 ई.	लखनऊ	पं. जवाहरलाल नेहरू
9.	1946 ई.	मेरठ	आचार्य जे.बी. कृपालानी

- उत्तर प्रदेश (तत्कालीन नाम 'यूनाइटेड प्राविन्सेज') में कांग्रेस कमेटी का पहला सम्मेलन पं. मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था।
- 1909 ई. में प्रदेश कांग्रेस का राजनीतिक सम्मेलन पुनः मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में आगरा में हुआ था।
- 1916 ई. में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अधिवेशन एक साथ लखनऊ में सम्पन्न हुआ था; मुस्लिम लीग का नेतृत्व मुहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस और लीग की एकता ने मूर्त रूप धारण किया था। इसे ही 'कांग्रेस-लीग समझौता' कहा गया है।
- अक्टूबर, 1920 ई. में यू.पी. कांग्रेस का प्रान्तीय सम्मेलन मुरादाबाद में आयोजित हुआ था, इस सम्मेलन की अध्यक्षता डॉ. भगवानदास ने की थी। इस सम्मेलन को महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, स्वामी श्रद्धानन्द, हकीम अजमल खाँ, मौलाना शौकत अली, मौलाना मुहम्मद अली तथा मौलाना हसरत मोहानी जैसी राजनीतिक हस्तियों की उपस्थिति ने उल्लेखनीय बना दिया था। सम्मेलन में महात्मा गांधी के असहयोग आन्दोलन प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था।
- असहयोग आन्दोलन के दौरान बनारस (अब 'वाराणसी') में राष्ट्रीय शिक्षा के विकास हेतु काशी विद्यापीठ की स्थापना की गयी थी।
- असहयोग आन्दोलन के दौरान अवध प्रान्त के किसानों ने गैर-कानूनी उगाही के विरुद्ध आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया था।
- अक्टूबर 1921 ई. में उत्तर प्रदेश कांग्रेस का राजनीतिक सम्मेलन मौलाना हसरत मोहानी की अध्यक्षता में आगरा में सम्पन्न हुआ था जिसमें ब्रिटेन के युवराज (प्रिन्स ऑफ वेल्स) की भारत यात्रा का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था।
- 5 फरवरी, 1922 ई. को चौरी-चौरा कस्बे में (यू.पी. के गोरखपुर जिले में) सत्याग्रहियों के जत्थे ने थाने के सिपाहियों (कुल संख्या 22) को जीवित जला दिया। इस घटना ने महात्मा गांधी को अत्यन्त आहत कर दिया। उन्होंने इस घटना को अपने सिद्धान्तों तथा कार्यक्रमों के विपरीत बतलाया तथा प्रत्येक प्रकार के आन्दोलन को समाप्त कर देने की घोषणा कर दी थी।
- सितम्बर 1924 ई. में कानपुर के एक पत्रकार सत्य भक्त ने 'भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी' की स्थापना की थी।

- भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन दिसम्बर, 1925 में पेरियार की अध्यक्षता में कानपुर में हुआ था।
- 1926 ई. के चुनावों में संयुक्त प्रान्त में 'नेशनलिस्ट पार्टी' को अधिकाधिक सीटें प्राप्त हुई थीं।
- अगस्त, 1928 ई. में सर्वदलीय सम्मेलन लखनऊ में आयोजित किया गया था। यह सम्मेलन राजा महमूदाबाद के भव्य महल के बाग में आयोजित किया गया था।
- नवम्बर, 1928 ई. के अन्तिम दिनों में साइमन आयोग का लखनऊ में बहिष्कार किया गया था। विरोध का नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू ने किया था।
- कानपुर के 'प्रताप' तथा 'प्रभु' नामक अखबार बोल्शेविज्म के प्रचार-प्रसार में संलग्न थे।
- संयुक्त प्रान्त में लखनऊ के समीपवर्ती क्षेत्रों में 1924-1930 के मध्य किसानों के मध्य जन-आन्दोलन चल रहा था; इस जन-आन्दोलन का नेतृत्व मदारी पासी नामक किसान कर रहे थे। यह आन्दोलन लखनऊ, मलिहाबाद, हरदोई, उन्नाव, फतेहपुर तथा फर्रुखाबाद तक फैला हुआ था। इस आन्दोलन का उद्देश्य किसानों के मध्य साम्प्रदायिक एकता बनाए रखना तथा एकजुट होकर जमींदारों के शोषण का विरोध करना था। इस आन्दोलन से जुड़े मुखिया कृषकों को अपनी बैठकों में निमन्त्रित करने के लिए 'सुपारी' का उपयोग करते थे। इन बैठकों को मदारी पासी सम्बोधित करते थे। वह सभी किसानों को गीता तथा कुरान पर हाथ रखकर आपसी एकता बनाए रखने तथा बन्दी कृषक परिवारों को सहायता प्रदान करने की शपथ दिलवाते थे।
- असहयोग आन्दोलन की वापसी के पश्चात् निराश मध्यवर्गीय युवाओं ने क्रान्तिकारी सैन्यवाद की गतिविधियों को प्रारम्भ किया। संयुक्त प्रान्त में इन्हीं क्रान्तिकारी गतिविधियों का परिणाम '9 अगस्त, 1925 ई.' को लखनऊ के निकट काकोरी ट्रेन डकैती की घटना थी।
- काकोरी ट्रेन डकैती घटना के अभियुक्तों में रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकउल्ला खाँ, रोशनसिंह को फाँसी की सजा हुई थी। रामकृष्ण खत्री, मन्मथनाथ गुप्त आदि को दीर्घकालीन कारावास का दण्ड मिला था।
- काकोरी ट्रेन डकैती केस के अभियुक्तों की पैरवी 'चन्द्रभानु गुप्त' नामक युवा वकील ने अपनी निःशुल्क सेवाओं द्वारा की थी। यही चन्द्रभानु गुप्त उत्तर प्रदेश के (स्वतन्त्रता के पश्चात्) मुख्यमन्त्री बने थे।
- 'हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन' के सेनापति चन्द्रशेखर आजाद चुने गये थे।
- 'हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन' का मुख्यालय आगरा बनाया गया था।
- क्रान्तिकारी शिव वर्मा, डॉ. गया प्रसाद कटियार तथा जयदेव कपूर को सहारनपुर में क्रान्तिकारियों द्वारा संचालित बम फैक्टरी के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था।
- 27 फरवरी, 1931 ई. को इलाहाबाद (अब 'प्रयागराज') के अल्फ्रेड पार्क में चन्द्रशेखर आजाद एक पुलिस मुठभेड़ में शहीद हो गये थे।
- 1931 ई. में जवाहरलाल नेहरू ने इलाहाबाद (अब 'प्रयागराज') में करबन्दी का आन्दोलन प्रारम्भ किया था। इस आन्दोलन में जयप्रकाश नारायण, लालबहादुर शास्त्री, नेहरू जी के अनन्य सहयोगी के रूप में जुड़े थे।
- संयुक्त प्रान्त में सम्पूर्णानन्द, परिपूर्णानन्द, कमलापति त्रिपाठी, तारापद भट्टाचार्य ने समाजवादी दल की स्थापना की थी।

- अप्रैल, 1934 ई. में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्य सम्पूर्णानन्द ने बनारस (अब 'वाराणसी') में एक पर्चा प्रकाशित किया। इस पर्चे का नाम "भारत के लिए एक प्रायोगिक समाजवादी कार्यक्रम" था। इसमें जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, उद्योगों व बैंकों व भूमि के राष्ट्रीयकरण पर बल दिया गया था।
- प्रो. एन.जी. रंगा, इन्दुलाल याज्ञनिक, स्वामी सहजानन्द के प्रयासों से लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन 1936 ई. में किया गया था। इस सम्मेलन में सामन्तवाद के उन्मूलन तथा लगान व कर्जों में छूट की माँग रखी गयी थी।
- 1937 ई. के निर्वाचनों में संयुक्त प्रान्त की विधानसभा में निर्वाचित होकर आनेवाले कुल 64 मुस्लिम स्थानों में मुस्लिम लीग को 29, स्वतन्त्रों को 24, कांग्रेस को 1, नेशनल एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी ऑफ आगरा को 7 तथा नेशनल एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी ऑफ अवध को 3 स्थान प्राप्त हुए थे। 164 सामान्य सदस्यों में कांग्रेस के 134, नेशनल एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी ऑफ आगरा के 6, नेशनल एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी ऑफ अवध के 9, लिबरल 1 तथा स्वतन्त्र 14 सदस्य निर्वाचित हुए थे।
- 1 अप्रैल, 1937 ई. को संयुक्त प्रान्त के राज्यपाल सर हैरी हेग ने नवाब छतारी के नेतृत्व में एक अल्पमत सरकार गठित की थी।
- संयुक्त प्रान्त में मोहनलाल सक्सेना कांग्रेस का मुस्लिम लीग से गठबन्धन चाहते थे। परन्तु जवाहरलाल नेहरू इस गठबन्धन के पूर्णतः विरुद्ध थे।
- संयुक्त प्रान्त में मुस्लिम लीग के सुप्रसिद्ध व प्रभावशाली नेता चौधरी खलिक जुमा ने 12 मई, 1937 ई. का इलाहाबाद ('प्रयागराज') में जवाहरलाल नेहरू से भेंट की, परन्तु मुस्लिम लीग व कांग्रेस के मध्य मतभेद समाप्त न हुए तथा दोनों के बीच दूरी और बढ़ गयी।
- मुस्लिम लीग व कांग्रेस के मध्य मतभेदों को समाप्त करने के उद्देश्य से गोविन्द बल्लभ पन्त ने चौधरी खलिक जुमा से भेंट की; लखनऊ में हुई इस भेंट का भी कोई परिणाम नहीं निकला था।
- मुस्लिम लीग व कांग्रेस के मध्य मतभेदों को दूर करने के लिए 12 जुलाई, 1937 ई. को मौलाना आजाद तथा चौधरी खलिकुज्जमा से लखनऊ में भेंट की परन्तु परिणाम व्यर्थ रहा।
- संयुक्त प्रान्त में 1937 ई. में कांग्रेस ने सरकार गठित की। इस सरकार में प्रधानमन्त्री गोविन्द बल्ल्भ पन्त के साथ रफी अहमद किदवई, डॉ. कैलाशनाथ काटजू, श्रीमती विजयलक्ष्मी पण्डित, प्यारे लाल शर्मा, मोहम्मद इब्राहीम सम्मिलित थे। लक्ष्मीनारायण, संसदीय सचिव बनाये गये थे।
- संयुक्त प्रान्त की कांग्रेस सरकार ने अक्टूबर, 1939 ई. में एक विस्तृत अधिनियम के द्वारा काश्तकारों की समस्याओं के समाधान का प्रयास किया था। कुटीर उद्योगों पर बल दिया था।
- अक्टूबर, 1939 ई. में गान्धी जी द्वारा आन्दोलन का प्रस्ताव पारित करते ही संयुक्त प्रान्त की कांग्रेस सरकार ने देश की अन्य कांग्रेसी सरकारों के साथ त्याग-पत्र दे दिया।
- 1942 ई. के भारत छोड़ो आन्दोलन के दौर में संयुक्त प्रान्त में बलिया में (10 अगस्त, 1942 ई.) को प्रबल जन-आन्दोलन हो गया जिसमें अनेक रेलवे स्टेशन, डाकखाने, थाने जला दिये गये। इस आन्दोलन में बलिया के स्थानीय कांग्रेसी नेता चित्तू पाण्डे के नेतृत्व में बलिया में एक अस्थायी सरकार की स्थापना कर दी गयी थी।
- 22 अगस्त, 1942 ई. से बलिया में अंग्रेज सरकार का दमन प्रारम्भ हुआ; आम जनता से भारी जुर्माना वसूला गया; हजारों निर्दोष लोगों को बन्दी बनाया गया तथा प्रताड़ित किया गया; अन्ततः

बलिया को सेना ने पुनः विजित किया और ब्रिटिश सरकार ने लन्दन को यह टेलीग्राम दिया कि ''बलिया को पुनर्विजित कर लिया गया है।''

- 15 अगस्त, 1947 को भारत को स्वतन्त्रता प्राप्त होते ही संयुक्त प्रान्त में स्वतन्त्र भारत की प्रथम कांग्रेसी सरकार का इस महत्वपूर्ण प्रान्त में पं. गोविन्दवल्लभ पन्त के नेतृत्व में गठन हो गया था।

1857 की क्रान्ति की प्रमुख घटनाएँ

तिथि	घटना
29 मार्च, 1857 ई.	बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बीयुक्त कारतूसों के प्रयोग करने से इन्कार कर दिया; संयुक्त प्रान्त के मंगल पाण्डे नामक सैनिक ने क्षुब्ध होकर अपने एडजुडेण्ट पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर दी।
10 मई, 1857 ई.	मेरठ में सैनिकों का विद्रोह।
10-30 मई, 1857 ई.	दिल्ली, अलीगढ़, इटावा, बुलन्दशहर, नसीराबाद, बरेली, मुरादाबाद, खीरी, सीतापुर, शाहजहाँपुर एवं अन्य के क्षेत्रों में विद्रोह प्रारम्भ।
12 मई, 1857 ई.	मेरठ के विद्रोही सैनिकों द्वारा दिल्ली में बहादुरशाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित किया गया।
1 जून, 1857 ई.	ग्वालियर, भरतपुर, झाँसी, इलाहाबाद (अब 'प्रयागराज'), फैजाबाद (अब अयोध्या), सुल्तानपुर, लखनऊ, कानपुर (बिठूर) में विद्रोह प्रस्फुटित।
5 जून, 1857 ई.	नाना साहब को कानपुर (बिठूर) का पेशवा घोषित किया गया।
जुलाई, 1857 ई.	संयुक्त प्रान्त में प्रत्येक जगह विद्रोह प्रारम्भ।
अगस्त, 1857 ई.	संयुक्त प्रान्त में स्थानीय जनता (किसानों) ने विद्रोह में भाग लेना प्रारम्भ किया।
सितम्बर, 1857 ई.	दिल्ली पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार; संयुक्त प्रान्त में अंग्रेजों द्वारा दमन-चक्र प्रारम्भ।
अक्टूबर, 1857 ई.	संयुक्त प्रान्त में प्रत्येक स्थान पर अंग्रेजों से संघर्ष।
नवम्बर, 1857 ई.	विद्रोहियों ने अंग्रेज जनरल विण्डहम को कानपुर के निकट पराजित किया।
6 दिसम्बर, 1857 ई.	कानपुर का युद्ध सर कॉलिन कैम्बल ने विजय किया; तात्या टोपे पराजित होकर झाँसी पहुँचे; महारानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध भयंकर संघर्ष प्रारम्भ किया; अंग्रेज सेना में दूसरे प्रान्तों से सहायता टुकड़ियाँ पहुँचीं।
मार्च, 1858 ई.	लखनऊ पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार स्थापितः बेगम हजरत महल अपने बेटे नवाब बिरजिस कद्र के साथ नेपाल की ओर पलायन कर गयीं।
3 अप्रैल, 1858 ई.	सर ह्यूरोज ने झाँसी पर आक्रमण कर पुनः अधिकार स्थापित कर लिया।
16 अप्रैल, 1858 ई.	संयुक्त प्रान्त में प्रत्येक स्थान पर अंग्रेज प्रभावी।
मई, 1858 ई.	अंग्रेजों ने बरेली, काल्पी को पुनः विजित किया; भारतीय विद्रोहियों ने रुहेलखण्ड में छापामार आक्रमण प्रारम्भ किया।
जून, 1858 ई.	संयुक्त प्रान्त में विद्रोह लगभग समाप्त।
जुलाई-दिसम्बर 1858 ई.	सभी स्थानों पर अंग्रेजी सत्ता पुनः स्थापित।

अवध के नवाब-राजा (कालक्रम)

पहला नवाब	सआदत खाँ (बुरहानुल्मुल्क) (अवध में नवाबी का संस्थापक	1732 से 1739 ई.
द्वितीय नवाब	सफदरजंग	1739 से 1753 ई.
तृतीय नवाब	शुजाउद्दौला	1753 से 1775 ई.
चतुर्थ नवाब	आसफउद्दौला	1775 से 1797 ई.
पाँचवाँ नवाब	वजीर अली (मात्र चार माह सिंहासन पर रहा, तत्पश्चात् हटा दिया गया)	1797 से 1798 ई.
छठवाँ नवाब	सआदत अली खाँ	1798 से 1814 ई.
सातवाँ नवाब	गाजीउद्दीन हैदर (1819 ई. में ब्रिटिश सरकार ने उसे राजा की उपाधि से सम्मानित किया और वह अपने खानदान का पहला राजा कहलाया)	1814 से 1819 ई.
पहला राजा	गाजीउद्दीन हैदर	1819 से 1827 ई.
द्वितीय राजा	नासिर-उद्दीन हैदर	1827 से 1837 ई.
तृतीय राजा	मुहम्मद अली शाह	1837 से 1842 ई.
चतुर्थ राजा	अमजद अली शाह	1842 से 1847 ई.
पाँचवाँ (अन्तिम राजा)	वाजिद अली शाह (फरवरी, 1856 ई. में राजा को च्युत कर अंग्रेजों ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया)	1847 से 1856 ई.

संवैधानिक प्रणाली

भारतीय संविधान के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में एक राज्यपाल तथा दो सदनों का विधान मण्डल है। एक सदन विधानसभा तथा दूसरा विधान परिषद् कहलाता है। राज्य में एक उच्च न्यायालय भी है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है और उसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार या तो स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। राज्यपाल, जो भारत का नागरिक हो तथा 35 वर्ष से कम आयु का न हो, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल, राष्ट्रपति की संतुष्टि तक अपना पद धारण करता है। उसकी कार्यावधि पद ग्रहण की तिथि से पाँच वर्ष की होती है, किन्तु वह इस अवधि के समाप्त होने पर भी अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक पदासीन रह सकता है। राज्यपाल न तो संसद के किसी सदन का और न ही राज्य विधान मण्डल के किसी सदन का सदस्य होता है। वह अन्य लाभ के पद धारण नहीं कर सकता है और बिना किराया दिये सरकारी आवास का प्रयोग कर सकता है। साथ ही वह संविधान की द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित वेतन, भत्तों व विशेषाधिकारों का उपयोग कर सकता है। राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पहले राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष संविधान और विधि के परीक्षण और संरक्षण के लिए तथा जन-कल्याण के लिए अपनी सेवायें अर्पित करने की शपथ लेता है। राज्यपाल को, राज्य कार्यपालिका शक्ति के अन्तर्गत, किसी अपराध में अथवा किसी विधि के विरुद्ध सिद्ध-दोष व्यक्ति के दण्ड को क्षमा, प्रतिलम्बन, विराम या परिहार करने का अथवा दण्डादेश के निलम्बन या लघुकरण (कम करने) का अधिकार है।

राज्यपाल को उसके कार्य संचालन में सहायता अथवा मंत्रणा देने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित एक मंत्रि-परिषद् होती है। यह परिषद्, ऐसे मामलों को छोड़कर जिनमें विधान के अन्तर्गत राज्यपाल को स्वविवेक से निर्णय लेना हो, शेष सभी कार्यों में उसकी सहायता करती है। यदि कभी यह प्रश्न उठता है कि कोई मामला ऐसा है अथवा नहीं जिसमें राज्यपाल को संविधान के अन्तर्गत स्वविवेक से निर्णय लेना चाहिए, तो इस विषय पर राज्यपाल द्वारा स्वविवेक से निर्णय लिया गया निर्णय ही अन्तिम माना जाता है। इस सम्बन्ध में उसके कार्य के औचित्य पर आपत्ति नहीं उठायी जा सकती।

राज्य का मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा तथा अन्य मंत्रिगण मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। सभी मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त अपना पद धारण करते हैं। मंत्रि-परिषद् राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। राज्यपाल किसी मंत्री को पद ग्रहण करने से पहले संविधान की तीसरी अनुसूची में दिये हुए परिपत्रों के अनुसार पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। यदि कोई मंत्री निरन्तर छह माह की अवधि तक राज्य के विधानमण्डल का सदस्य न रहे तो उस अवधि की समाप्ति पर वह मंत्री पद पर नहीं रह सकता। मंत्रियों को समय-समय पर राज्य के विधान मण्डल द्वारा विधि के अन्तर्गत निर्धारित वेतन तथा भत्ते देय होते हैं। वे अन्य लाभों के भी अधिकारी होते हैं। उन्हें निःशुल्क सुसज्जित आवास, यात्रा तथा चिकित्सा सुविधाएँ प्राप्त हैं। राज्य की कार्यपालिका से सम्बन्धित सारी कार्यवाही राज्यपाल के नाम से की जाती है। मुख्यमंत्री राज्य के प्रशासन सम्बन्धी मंत्रि-परिषद् के समस्त निर्णयों तथा विधान के लिए प्रस्तावित सभी मामलों की सूचना राज्यपाल को देता है। साथ ही मुख्यमंत्री राज्य के प्रशासन सम्बन्धी तथा विधान के लिये प्रस्तावित उन मामलों की जानकारी भी राज्यपाल को देता है जिनकी सूचना राज्यपाल स्वयं मांगते हैं। यदि किसी मामले में किसी एक मंत्री ने एकपक्षीय निर्णय लिया है तो राज्यपाल मंत्रि-परिषद् से उस पर पुनर्निर्णय लेने के लिये कह सकता है। इस कार्य के लिये वह सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकता है। वह विधान मण्डल के किसी भी सदन में लम्बित किसी विधेयक के विषय में सम्बन्धित सदन को संदेश भेज सकता है। जिस सदन को ऐसा संदेश भेजा जाय, उसे उस पर यथा सुविधानुसार विचार करना होगा।

प्रत्येक सामान्य निर्वाचन के पश्चात् तथा प्रत्येक वर्ष विधानमण्डल के प्रथम सत्र के आरम्भ होने के पूर्व राज्यपाल दोनों सदनों को एक साथ संबोधित कर उन्हें अवगत कराता है कि विधान मण्डल की बैठक किन कार्यों के निष्पादन के लिए बुलाई गयी है। राज्यपाल विधान मण्डल द्वारा पारित विधेयकों पर अपनी स्वीकृति देता है या उन्हें राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखता है। जब तक ऐसी स्वीकृति नहीं मिल जाती तब तक कोई विधेयक अधिनियम नहीं बन सकता। यह विधान परिषद् के लिये 12 सदस्यों तथा विधानसभा के लिए एक एंग्लो-इण्डियन को मनोनीत करता है। राज्यपाल प्रतिवर्ष दोनों सदनों के समक्ष सम्बन्धित वर्ष का वित्तीय विवरण, लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन और भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक का राज्य से सम्बन्धित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। विधान मण्डल सत्र में न होने के समय यदि वह संतुष्ट है की स्थिति होती है कि तुरन्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है तो उसे अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार जारी किया हुआ अध्यादेश विधान मण्डल की बैठक होते ही उसके समक्ष रखा जाता है। विधान मण्डल चाहे तो उसे स्वीकार अथवा अस्वीकार भी कर सकता है।

विधानसभा

उत्तर प्रदेश विधानसभा में मनोनीत एंग्लो-इण्डियन सदस्यों को मिलाकर 404 सदस्य हैं। सन् 1967 तक एंग्लो-इण्डियन सदस्य को मिलाकर विधानसभा के 431 सदस्य होते थे। परिसीमन आयोग की सिफारिश के अनुसार, जो प्रत्येक जनगणना के पश्चात् गठित किया जाता है, पूरे राज्य को 425 निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। उत्तराखंड के गठन के बाद यह संख्या 404 रह गयी है। विधान सभा का कार्यकाल उसकी पहली बैठक से पाँच साल का होता है, बशर्ते कि वह उससे पहले विघटित न कर दी जाय। निर्वाचन 'एक वयस्क एक वोट' के आधार पर किया जाता है।

सदन अधिनियम

विधानसभा को अपने कार्य संचालन के विनियमन तथा प्रक्रिया के लिए नियम बनाने का अधिकार है। विधानसभा के समक्ष आये सारे प्रश्न बहुमत द्वारा निर्णीत होते हैं और सभा की बैठक गणपूर्ति के लिये उसके सदस्यों की सम्पूर्ण संख्या का दशांश आवश्यक होता है। विधान सभा का कार्य संचालन अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष संचालित करता है। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष सदस्यों द्वारा बहुमत के आधार पर चुने जाते हैं। विधानसभा का मुख्य कार्य, अधिनियम बनाना, सरकार को व्यय के लिए धन स्वीकृत करना, प्रश्नों, प्रस्तावों व संकल्पों द्वारा अविलम्ब महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा करके सरकार की कार्य-विधियों पर नियंत्रण रखना है। उसका कार्य हिन्दी भाषा में व देवनागरी लिपि में किया जाता है।

विधि सम्बन्धी सरकारी या गैर सरकारी प्रस्ताव विधेयक के रूप में सदन के समक्ष सदन की पूर्व अनुज्ञा से रखे जाते हैं। उसके पश्चात् या तो सीधे सदन में ही विचारार्थ ले लिये जाते हैं अथवा प्रवर समिति या संयुक्त प्रवर समिति को भेज दिये जाते हैं। सदन द्वारा विभिन्न उपबन्धों पर विचारोपरान्त यह विधेयक को अस्वीकार कर सकती है या उसे संशोधनों सहित पारित कर सकती है। इनमें से किसी भी स्थिति में विधानसभा विधेयक को पुनः विचारार्थ विधान परिषद् भेज सकती है। यदि इस प्रकार विधानसभा द्वारा दोबारा पारित विधेयक परिषद् के भेजने के बाद, विधानसभा सहमत न हो या ऐसा विधेयक एक मास की अवधि तक परिषद् अपने यहाँ लम्बित रखती है, तो यह समझा जायेगा कि वह विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित हो गया है और उसे राज्यपाल को उनके अनुमोदन के लिए भेज दिया जायेगा। धन विधेयक, जो किसी कर का आरोपण, उगाही, परिहार, परिवर्तन या विनियमन करता हो, विधान परिषद् द्वारा उसे प्राप्त होने के बाद 14 दिन से अधिक लम्बित कर दे, तो यह समझा जायेगा कि ऐसा विधेयक दोनों सदनों से पारित हो गया है और वह राज्यपाल को अनुमोदन के लिये भेज दिया जायेगा।

अन्य प्राक्कलन सदन में मतदान के लिये प्रस्तुत किये जाते हैं। नियमानुसार सदन अन्य प्राक्कलनों पर

मतदान के लिये पाँच दिन की सामान्य बहस के अतिरिक्त 24 दिन का समय ले सकता है। प्राक्कलित व्ययों के अनुमोदन के समक्ष राज्यपाल की सिफारिश पर प्रस्ताव के रूप में सम्बन्धित विभागों के मंत्रियों द्वारा स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये जाते हैं। वे विभागवार मांग प्रस्ताव के रूप में होते हैं। विपक्ष कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है। संविधान में इस बात की भी पर्याप्त व्यवस्था कर दी गयी है कि यदि स्वीकृत धनराशि कम पड़ती है या व्यय की धनराशि से बढ़ जाती है, तो आवश्यकता पड़ने पर अनुपूरक, अतिरिक्त या अपर अनुदान भी सदन के समक्ष प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

समितियाँ

सदन के पास सभी मुद्दों पर पूरा विचार करने का समय या सुविधा नहीं रहती। इसलिये सम्यक विचार के लिये कुछ समितियां गठित की गई हैं, जैसे कि विधेयकों सम्बन्धी प्रवर समिति या शासन द्वारा अधिनियमों में दी गई शक्ति या संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति के अन्तर्गत बनाये गये नियमों, नियमावलियों तथा उपविधियों पर विचार करने वाली प्रत्यायोजित विधि निर्माण समिति। इसके अतिरिक्त सदन की तीन महत्वपूर्ण वित्तीय समितियाँ भी हैं, जो प्राक्कलन समिति, लोकलेखा समिति तथा सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति कहलाती हैं। प्राक्कलन समिति का कार्य सदन को प्रस्तुत प्राक्कलनों की परीक्षा करना है। लोक लेखा समिति का कार्य भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक के इस राज्य से सम्बन्धित प्रतिवेदनों पर विचार करना है और यह देखना है कि जो धन व्यय किया गया है, जिसके लिये सदन ने अपना मत व्यक्त किया था। उत्तर प्रदेश ने अन्य प्रदेशों के मुकाबले सर्वप्रथम यह सिद्धांत स्वीकार किया कि लोक लेखा समिति का सभापति विरोधी पक्ष से निर्वाचित किया जाय। उत्तर प्रदेश में यह परम्परा सन् 1948 से चली आ रही है, जबकि लोकसभा ने इसको सन् 1967 के बाद अंगीकृत किया है। सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति की स्थापना अभी हाल में राज्य के अनेक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना के उपरान्त की गयी है। चूँकि इन संस्थाओं की स्वायत्तता के साथ-साथ इन्हें विधान मण्डल के प्रति उत्तरदायी बनाये रखना आवश्यक है, अतः सार्वजनिक उपक्रम समिति इन उपक्रमों की कार्यप्रणाली की जाँच करती तथा उन्हें निर्देश देती है ताकि वे कुशलता, मितव्ययिता और अनावश्यक सरकारी हस्तक्षेप के बिना कार्य कर सकें।

विशेष समितियाँ

उपर्युक्त विधि सम्बन्धी तथा वित्तीय समितियों के अलावा सदन के कार्य संचालन में सहायता के लिये अन्य समितियाँ भी हैं। आश्वासन समिति सदन में समय-समय पर दिये गये आश्वासनों की जाँच करती है। विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाये जाने पर विशेषाधिकार समिति उनको देखती है। याचिका समिति उन याचिकाओं पर विचार करती है, जो समय-समय पर जनता द्वारा सदन के सम्मुख प्रस्तुत की जाती हैं। सदन की एक समिति हाउस कमेटी भी होती है, जो सदस्यों की आवास, भोजन व्यवस्था की सुविधाओं पर विचार करती है। इसके अतिरिक्त एक अन्य महत्वपूर्ण समिति कार्य की परामर्शदात्री समिति भी गठित की गयी है, जो सदन के समक्ष आने वाले कार्य के लिये समय का आवंटन व नियमन करती है। उत्तर प्रदेश को कुछ वर्ष एक संसदीय अध्ययन समिति के गठन का श्रेय भी है। यह संसदीय मामलों का अध्ययन कर उन पर अपने सुझाव देती है। इसने सदस्यों के विशेषाधिकार, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार, सदन की वित्तीय तथा अन्य समितियों में विधान परिषद् के सदस्यों के सम्मिलित होने तथा समिति की अपनी कार्यप्रणाली आदि विषयों से सम्बद्ध महत्वपूर्ण कार्य किया है। अनुसूचित जाति/जनजाति व विमुक्त जाति से सम्बद्ध कल्याणकारी कार्यों की देख-भाल के लिये नयी समिति का गठन भी किया गया है। वास्तव में सदन का कार्य मुख्यतया इन समितियों द्वारा ही होता है। उक्त समितियों के अतिरिक्त प्रदेश में मंत्रियों को परामर्श देने के लिये 27 स्थायी समितियाँ भी हैं।

विधान परिषद्

प्रदेश में सन् 1937 से दो सदनों का विधान मण्डल है। उच्च सदन विधान परिषद् कहलाता है और यह स्थायी सदन है। इसके सदस्य 6 साल के लिये निर्वाचित या मनोनीत किये जाते हैं और उनमें से एक तिहाई प्रति दूसरे साल निवृत्त हो जाते हैं। विधान परिषद् के सदस्यों की संख्या 108 है जिसमें से 12 राज्यपाल द्वारा मनोनीत किये जाते हैं, 39 स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं, 39 विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं तथा स्नातकों और अध्यापकों द्वारा 9-9 सदस्य निर्वाचित होते हैं। उत्तराखंड राज्य का गठन हो जाने के बाद विधान परिषद् सदस्यों की संख्या 100 हो गयी है। विधान परिषद् को न तो अनुमोदन पर मतदान करने का अधिकार है और न ही कोई धन विधेयक उसमें पेश किया जा सकता है। अन्य कोई विधेयक उस समय तक अधिनियम नहीं बन सकता, जब तक दोनों सदनों से पारित न हो जाय। विधान परिषद् के पीठासीन अधिकारी सभापति एवं उपसभापति कहलाते हैं और उनका निर्वाचन विधानसभा के पीठासीन अधिकारियों की ही भांति होता है, जो उन्हीं की भांति अपने पदों पर बने रहते हैं। विधान मण्डल के सदनों के पृथक्-पृथक् अपने सचिवालय और सचिव हैं, जिनकी कार्यप्रणाली राज्य सरकार के सचिवालय और सचिवों से पूर्णतया स्वतंत्र है। दोनों सचिवालयों को विभिन्न अनुभागों में विभाजित किया गया है, जो संसदीय, लेखा कार्यवाही और समितियों का कार्य देखते हैं। विधान मण्डल के सदस्यों के प्रयोग के लिए एक विधान मण्डल पुस्तकालय भी है। यह देश के विधानमण्डल पुस्तकालयों में सबसे बड़ा पुस्तकालय है। दोनों सदनों के सदन की समितियों के सदस्यों का वही विशेषाधिकार, शक्तियाँ और उन्मुक्तियाँ प्राप्त हैं, जो इंग्लैण्ड के हाउस ऑफ कामन्स के सदस्यों को मिली है। इसके अतिरिक्त सदन में भाषण देने से सम्बन्धित किसी बात पर उनके विरुद्ध न्यायालय में कोई अभियोग नहीं चलाया जा सकता है।

नेता विरोधी दल

उत्तर प्रदेश ने एक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम के अन्तर्गत विरोधी दल के नेता के लिए कार्यालय की स्थापना कर प्रजातंत्र प्रणाली में एक विशिष्ट योगदान किया है। विरोधी दल के नेता को इस नयी व्यवस्था के अन्तर्गत मंत्री के समकक्ष प्रतिष्ठा दी गई है। नेता, विरोधी दल के लिये मंत्री के बराबर वेतन और सुसज्जित, निःशुल्क आवास का प्रावधान है। उसे वाहन भत्ता, कार्यालय के लिए कर्मचारी और अन्य सुविधाएं, जो उसके पद के अनुरूप हों, दी जाती हैं। अधिनियम के अनुसार सदन में मान्यता प्राप्त विरोधी दलों में सबसे अधिक संख्या वाले दल के नेता को विरोधी दल के नेता के रूप में स्वीकार किया जाता है, किन्तु ऐसे दल के सदस्यों की संख्या कम-से-कम गणपूर्ति की संख्या के बराबर होनी चाहिए।

कार्यपालिका

मंत्रि-परिषद् संयुक्त रूप से राज्य विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। उसके परामर्श और सहायक के लिए लखनऊ में एक सुव्यवस्थित सचिवालय है। मुख्य सचिव इसका प्रधान होता है और अन्य प्रमुख सचिव एवं सचिव अपने-अपने विभागों के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। सचिव अपने विभाग को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए जिम्मेदार हैं और शासकीय नियमों तथा संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार कार्य करने के लिए उत्तरदायी हैं। उनके इस कार्य में विशेष सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव, अनुसचिव तथा अन्य अधिकारी सहायता करते हैं। विभागों के कार्य निस्तारण की मुख्य जिम्मेदारी मंत्री की है, जो समय-समय पर कार्य निस्तारण के लिये उचित स्थायी आदेश तथा निर्देश देता रहता है। इन्हीं स्थायी आदेशों के अधीन यह भी निश्चित होता है कि कौन से कार्य सचिव द्वारा या उससे नीचे के अधिकारियों द्वारा निपटाये जा सकते हैं और कौन से ऐसे मामले हैं, जो मंत्री के समक्ष प्रस्तुत किये जाने चाहिए।

सचिवालय

सचिवालय के अधिकतर विभागों में उनके नियंत्रणाधीन विभागाध्यक्ष अथवा मुख्य कार्यालयाध्यक्ष होते

हैं, जो शासन की कार्यपालिका शक्ति के रूप में कार्य करते हैं। सारे आदेश राज्यपाल के नाम से प्रसारित किये जाते हैं, किन्तु वे सचिव अथवा उसके अधीन अनुसचिव पद तक के किसी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किये जाते हैं। शासन का कार्य हिन्दी भाषा एवं देवनागरी लिपि में किया जाता है। प्रमुख सचिव, सचिव, विशेष सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव तथा अनु सचिव साधारणतया केन्द्रीय या प्रदेशीय प्रशासनिक सेवाओं से नियुक्त किये जाते हैं। कुछ उप सचिव और अनुसचिव सचिवालय की स्थायी सेवाओं से भी नियुक्त किये जाते हैं। न्याय एवं विधायिका विभाग में अधिकारियों की नियुक्ति न्यायिक सेवाओं से की जाती है।

जिला एवं मण्डल प्रशासन

जिला एवं मण्डल प्रशासन का कार्य मोटे तौर पर निम्न श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। 1. कर्मचारी वर्ग से सम्बद्ध प्रशासन, 2. वित्तीय प्रशासन, 3. न्यायिक और विधि से सम्बद्ध मामले, 4. शान्ति व्यवस्था से सम्बद्ध मामले, 5. कर की वसूली और रोपण, 6. आर्थिक विकास और प्रदेश की सम्पदा के स्रोतों का संरक्षण, 7. सामाजिक सेवायें, 8. जनता के उपयोग में आने वाली सेवायें, 9. मण्डलायुक्त।

सचिवालय तथा विभागाध्यक्षों के बाद महत्वपूर्ण स्थान मण्डलायुक्त का होता है, जो अपने मण्डल में शान्ति-व्यवस्था, राजस्व तथा अन्य मामलों के लिए पूर्णतया उत्तरदायी होता है। मण्डलायुक्त को जिलाधिकारियों, स्वायत्तशासी संस्थाओं, नियोजन तथा विकास के कार्यों की देखभाल करनी होती है। इस समय प्रदेश में 18 मण्डलायुक्त हैं।

प्रत्येक कमिश्नरी या मण्डल में कुछ जिले होते हैं, जिनका प्रशासनिक अध्यक्ष जिलाधिकारी होता है। वह जिला मजिस्ट्रेट या उप मण्डलायुक्त तथा कलैक्टर भी कहलाता है। जिलाधिकारी पूरे जिले के प्रशासन की धुरी है। वह अपने जिले में शान्ति-व्यवस्था के लिए पूर्णतया उत्तरदायी होता है और उसको विस्तृत प्रशासनिक, पुलिस और राजस्व सम्बन्धी अभिलेखों को सुरक्षित रखने के अतिरिक्त भूमि सुधार, नियोजन और विकास से सम्बद्ध कार्यों की देख-भाल करनी होती है। प्रशासन की सुविधा, राजस्व की वसूली तथा विकास कार्यों की प्रगति को ध्यान में रखकर जिले का विभाजन तहसीलों, विकास खण्डों और गांवों में किया गया है।

न्यायपालिका

दीवानी और फौजदारी के मामलों से सम्बद्ध राज्य में एक उच्च न्यायालय है। राजस्व के मामलों के लिये सबसे बड़ा न्यायालय राजस्व परिषद् है। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, जिसका तात्पर्य यह है कि इसके कार्य तथा कार्यवाहियाँ शाश्वत साक्ष्य हैं। इसके अभिलेखों को इतना उच्च स्थान प्राप्त है कि उनकी सत्यता को नीचे की किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। अभिलेख न्यायालय के रूप में इसे अपनी अवमानना के दोषी व्यक्तियों को दण्ड देने का भी अधिकार प्राप्त है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति नियुक्त करता है। अन्य न्यायाधीशों को वह मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से नियुक्त करता है। न्यायाधीश पद के लिए ऐसे ही व्यक्ति योग्य माने जाते हैं जो भारत के नागरिक हों और जिन्होंने भारत के किसी उच्च न्यायालय के सामने अधिवक्ता के रूप में या किसी न्यायिक सेवा के पद पर कम से कम 10 वर्ष तक कार्य किया हो। उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति या अधिकारी को संविधान में उल्लिखित मूल अधिकारों की रक्षा करने के ध्येय से आदेश देने में सक्षम है।

अधीनस्थ न्यायिक सेवा

अधीनस्थ न्यायिक सेवा को दो भागों में विभाजित किया गया है— उत्तर प्रदेश सिविल न्यायिक सेवा, और उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा। उसमें पहले के अन्तर्गत मुन्सिफ और लघुवाद न्यायाधीश को मिलाकर सिविल जज, दूसरे के अन्तर्गत सिविल एण्ड सेशन्स जज (अब अतिरिक्त जिला सेशन जज) आते हैं। जिले के स्तर पर जिला न्यायाधीश अधीनस्थ न्यायिक सेवा का नियंत्रण होता है। प्रदेश 71 न्यायिक जिलों में बंटा है,

जिसमें प्रत्येक का नियंत्रण एक जिला न्यायाधीश के अधीन है। मुंसिफ को जुडीशियल मजिस्ट्रेट के अधिकार दिये गये हैं और सिविल जज पदेन असिस्टेन्ट सेशन जज भी होता है।

दीवानी के मामले में सबसे नीचे का न्यायालय, मुंसिफ का न्यायालय होता है। उसके बाद सिविल जज और जिले में सबसे ऊपर का न्यायालय जिला जज का होता है। राजस्व के मामलों में सहायक कलेक्टर और कमिश्नर होते हैं। राजस्व मामलों में राजस्व परिषद् ही सर्वोच्च न्यायालय है। उत्तर प्रदेश पंचायत राज एक्ट के अन्तर्गत न्याय पंचायतों का भी गठन किया गया है। इनका कार्य क्षेत्र सिविल है और ये कुछ निर्दिष्ट मामलों में 500 रुपये तक के मूल्य के वादों की सुनवाई कर सकती हैं। इनको फौजदारी के निर्दिष्ट छोटे-छोटे मामलों में भारतीय दण्ड विधान तथा अन्य कानूनों के अन्तर्गत दण्ड देने का अधिकार है। न्याय पंचायतों को कारावास का दण्ड देने का अधिकार नहीं है। वे 100 रुपये तक जुर्माना कर सकती हैं।

उत्तर प्रदेश लोकसेवा प्राधिकरण

सरकारी कर्मचारी की सेवाओं से सम्बन्धित मामलों की संख्या अदालतों में निरंतर बढ़ती जा रही थी। ऐसे मुकदमों में राज्य सरकार के कर्मचारियों, अधिकारियों, निगमों और कम्पनियों के धन और समय का अपव्यय होता था। इसलिए 1976 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा प्राधिकरण इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए स्थापित किये गये। इनकी स्थापना का उद्देश्य कर्मचारियों को शीघ्र और सस्ता न्याय उपलब्ध कराना है।

भारत रत्न से सम्मानित उत्तर प्रदेश की प्रमुख विभूतियाँ

भगवान दास

जवाहर लाल नेहरू

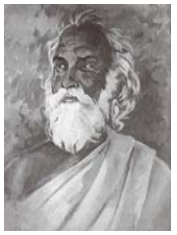
पुरुषोत्तम दास टण्डन

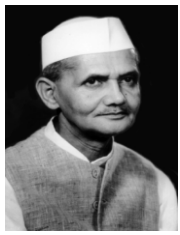
लाल बहादुर शास्त्री

राजीव गाँधी

पं0 मदन मोहन मालवीय

श्रीमती इन्दिरा गांधी

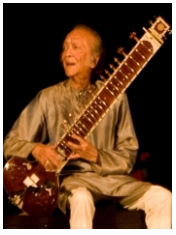
पं. रविशंकर

उस्ताद बिस्मिल्लाह खान

अटल बिहारी बाजपेयी

परमवीर चक्र विजेता

वीर अब्दुल हमीद

लेफ्टि. मनोज पाण्डेय

नायक जदुनाथ सिंह

ग्रेनेडियर योगेन्द्र सिंह यादव

महावीर चक्र विजेता

ब्रिगेडियर मो. उस्मान

कै. महेन्द्रनाथ मुल्ला

अशोक चक्र विजेता

कांस्टेबल कमलेश कुमारी

मेजर मोहित शर्मा

स्रोत : इंटरनेट

उ.प्र. में सक्रिय रहे क्रान्तिकारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी

नाना साहब पेशवा

प्रिंस बिरजिस कदर

कुँवर सिंह

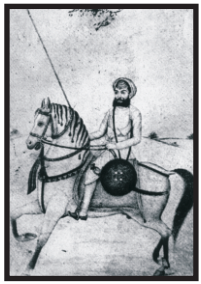
राणा बेनीमाधव सिंह

अजीमुल्लाह खाँ

ब्रिगेडियर ज्वाला प्रसाद

राजा जयलाल सिंह

अज़ीज़न बाई

बेगम हजरतमहल

तांत्या टोपे

रानी लक्ष्मीबाई

मंगल पाण्डे

चन्द्रशेखर आजाद

भगत सिंह

राज गुरू

सुखदेव

उ.प्र.में सक्रिय रहे क्रान्तिकारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी

रोशन सिंह

राजेन्द्रनाथ लाहिड़ी

अशफाक उल्ला

चित्तू पाण्डे

योगेशचन्द्र चटर्जी

रामकृष्ण खत्री

कैप्टन रामसिंह

मोनी शील

रामप्रसाद बिस्मिल

महावीर सिंह

यतीन्द्रनाथ दास

भगवती चरण वोहरा

डॉ.गया प्रसाद कटियार

गणेश शंकर विद्यार्थी

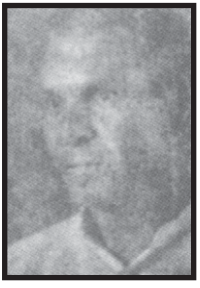
डॉ. जयदेव कपूर

शचीन्द्र नाथ सान्याल

उ.प्र.में सक्रिय रहे क्रान्तिकारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी

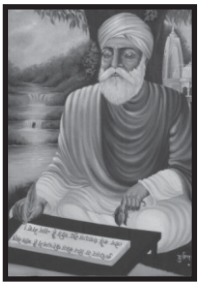

गंगादास

जीनत महल

ऊदा देवी

झलकारी बाई

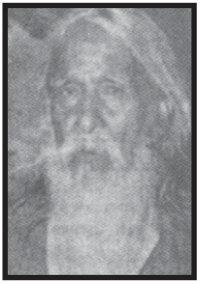

पं. परमानन्द

विजय कुमार सिन्हा

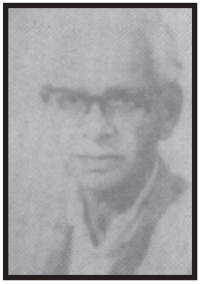

शिव वर्मा

दुर्गा भाभी

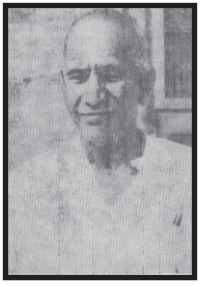

कुन्दन लाल गुप्त

कैप्टन लक्ष्मी सहगल

शहनवाज खाँ

विजय लक्ष्मी पंडित

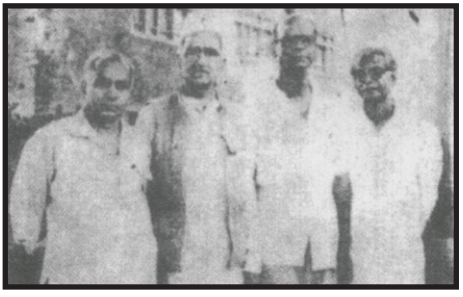

बायें से पंडित किशोरी लाल, मास्टर आज्ञाराम,
अजय कुमार घोष, शिव वर्मा

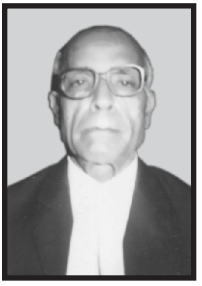

बसन्त लाल खन्ना

उ.प्र.में सक्रिय रहे क्रान्तिकारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी

रफी अहमद किदवई

विशम्भर दयाल त्रिपाठी

राव रामबक्श सिंह

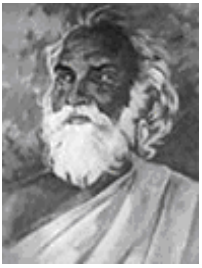

पुरुषोत्तम दास टण्डन

जयप्रकाश नारायण

मौलाना मोहम्मद अली

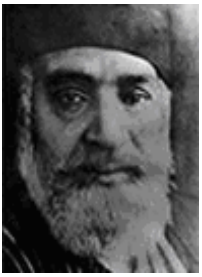

मौलाना शौकत अली

गोविन्द बल्लभ पंत

महावीर त्यागी

मुख्तार अहमद अन्सारी

तेज बहादुर सप्रू

राम मनोहर लोहिया

स्रोत : इंटरनेट

उत्तर प्रदेश में हिन्दी साहित्य की प्रमुख विभूतियाँ

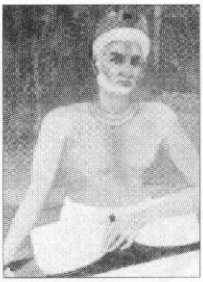
कबीर

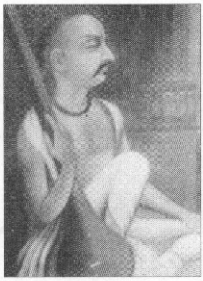
सूरदास

मीराबाई

तुलसीदास

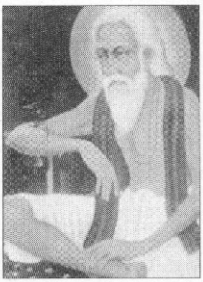
रविदास

पद्माकर

मलिक मुहम्मद जायसी

रहीम

चन्द्रबरदाई

बिहारी दास

केशव दास

रसखान

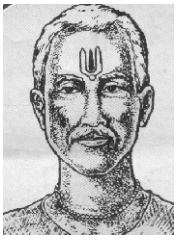
संत कवि बैजनाथ

अमीर खुसरो

आ.महावीरप्रसाद द्विवेदी

राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्द

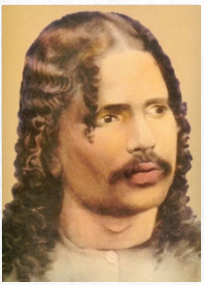
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र

बालकृष्ण भट्ट

बाबू श्यामसुंदर दास

मुंशी प्रेमचंद

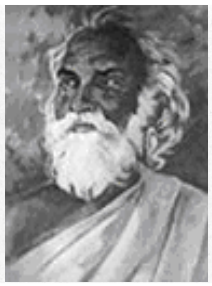

पुरुषोत्तम दास टंडन

अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध'

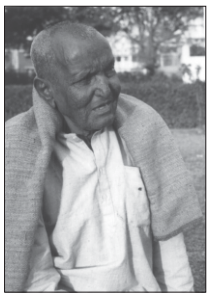

पंडित बंशीधर शुक्ल

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल

जगन्नाथ दास रत्नाकर

मैथिलीशरण गुप्त

जयशंकर प्रसाद

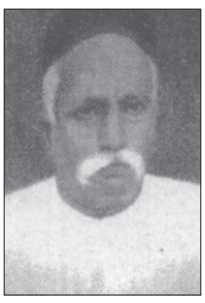

देवकीनंदन खत्री

सम्पूर्णानन्द

सोहनलाल द्विवेदी

रायकृष्णदास

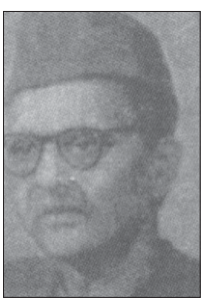

शिवपूजन सहाय

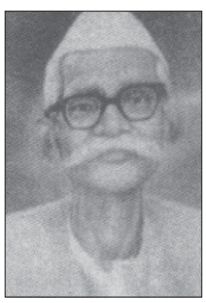

परशुराम चतुर्वेदी

कृष्णदेव प्रसाद गौड़

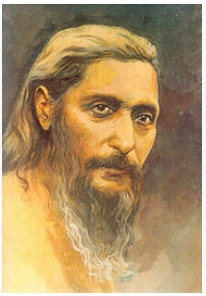

सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला'

पाण्डेय बेचन शर्मा 'उग्र'

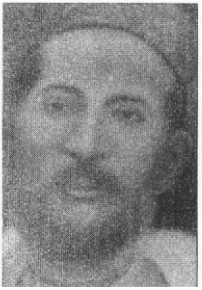

प्रतापनारायण मिश्र

पं. राहुल सांकृत्यायन

यशपाल

शांतिप्रिय द्विवेदी

नंददुलारे वाजपेयी

महादेवी वर्मा

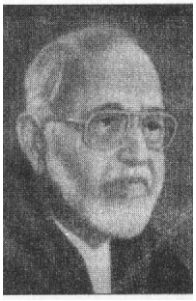

'अज्ञेय'

अमृतलाल नागर

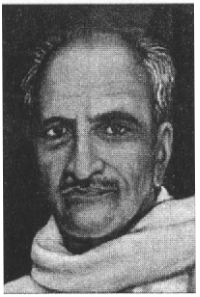

वृन्दावन लाल वर्मा

भगवतीचरण वर्मा

बनारसीदास चतुर्वेदी

डॉ. रामकुमार वर्मा

अमृतराय

आ.हजारीप्रसाद द्विवेदी

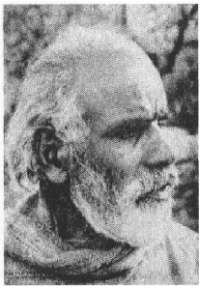

त्रिलोचन

नामवर सिंह

हरिवंश राय बच्चन

नरेश मेहता

धर्मवीर भारती

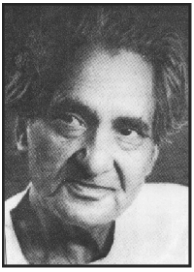

गोपालदास नीरज

विष्णु प्रभाकर

कुँवर नारायण

डॉ. शिवप्रसाद सिंह

कमलेश्वर

लक्ष्मीकान्त वर्मा

रवीन्द्र कालिया

भारत भूषण

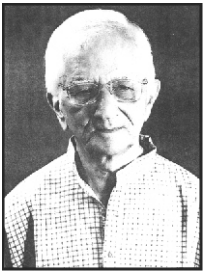

मार्कण्डेय

सोम ठाकुर

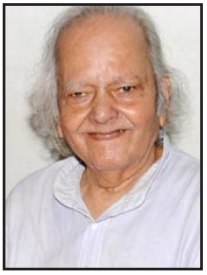
अमरकान्त

डॉ. जगदीश गुप्त

डॉ. रमा सिंह

रघुवीर सहाय

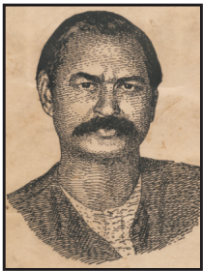
सुदामाप्रसाद पांडेय 'धूमिल'

केदारनाथ अग्रवाल

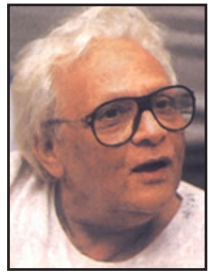
राही मासूम रज़ा

राजेन्द्र यादव

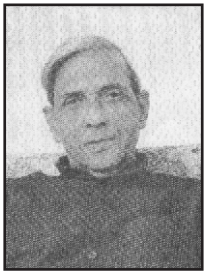
डॉ .परमानन्द श्रीवास्तव

अब्दुल बिस्मिल्लाह

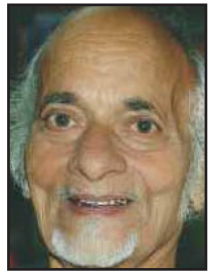
मुद्राराक्षस

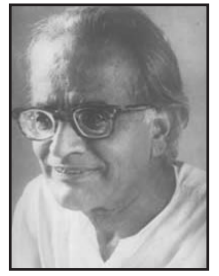
शमशेर बहादुर सिंह

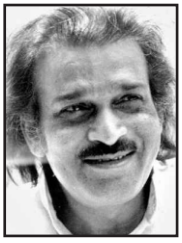
सर्वेश्वर दयाल सक्सेना

दुष्यन्त

केदारनाथ सिंह

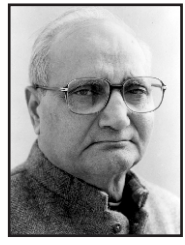
श्रीलाल शुक्ल

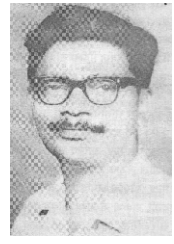
प्रबोध मजूमदार

उत्तर प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार

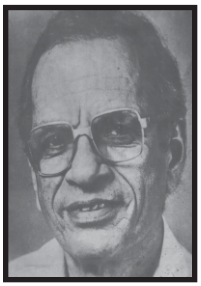

बीर राजा

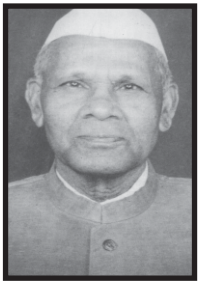

माता प्रसाद

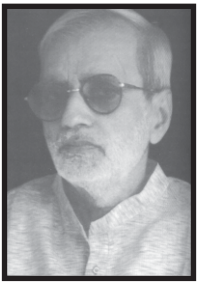

दूधनाथ सिंह

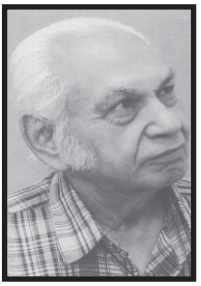

रमेश कुन्तल मेघ

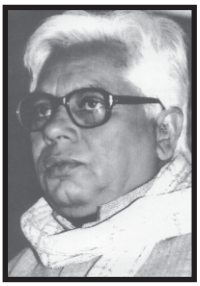

कामता नाथ

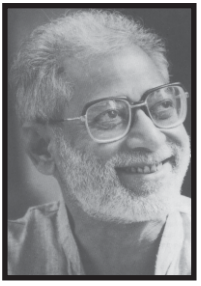

काशीनाथ सिंह

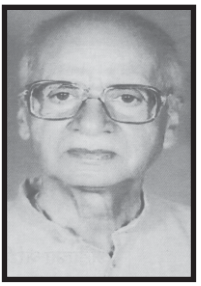

विवेकी राय

कन्हैयालाल नन्दन

डॉ० भवदेव पाण्डेय

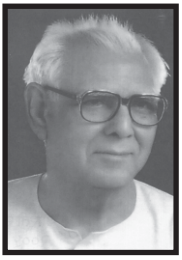

रामदरश मिश्र

विद्यानिवास मिश्र

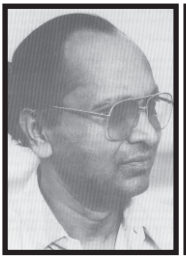

गिरीराज किशोर

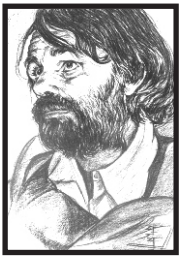

गोरख पाण्डे

ठाकुर प्रसाद सिंह

लीलाधर जगूड़ी

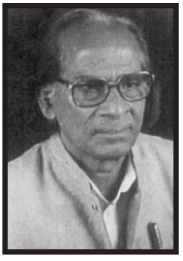

शंकर सुल्तानपुरी

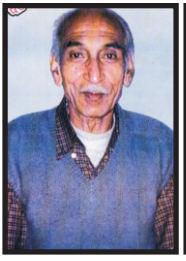

मोहन थपलियाल

विभूतिनारायण राय

उत्तर प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार

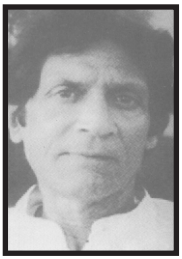
से.रा. यात्री

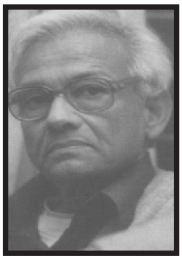
नरेश सक्सेना

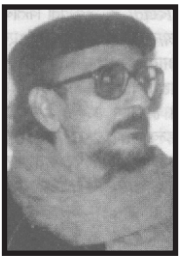
ज्ञानेन्द्रपति

मैत्रेयी पुष्पा

के.पी. सक्सेना

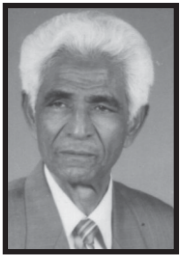
रामस्वरूप 'सिन्दूर'

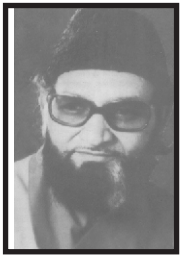
बेकल उत्साही

हृदयेश

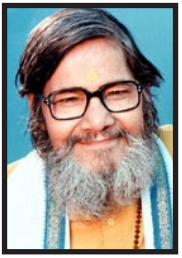
काका हाथरसी

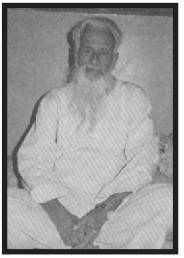
वचनेश त्रिपाठी

इन्दु जैन

चित्रा मुद्गल

गिरीशचन्द्र श्रीवास्तव

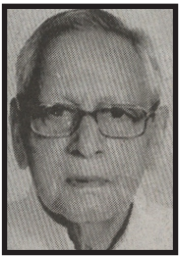
लीलाधर शर्मा 'पर्वतीय'

हरीओम शुक्ला'ओमी'

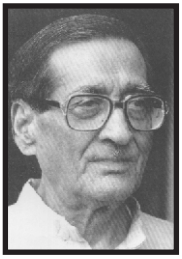
लक्ष्मीशंकर मिश्र 'निशंक'

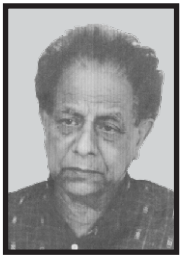
किशन सरोज

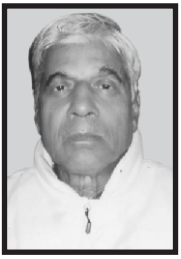
ओम प्रकाश अडिग

श्रीमती उर्मिला श्रीवास्तव

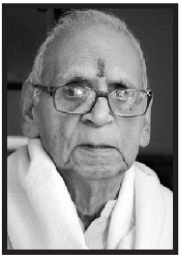
मनु शर्मा

गौरा पंत शिवानी

बाबू गुलाब राय

सुभद्रा कुमारी चौहान

आचार्य कुबेरनाथ राय

शिवमंगल सिंह 'सुमन'

अनिल जनविजय

डॉ. रामविलास शर्मा

जैनेन्द्र कुमार

असगर वजाहत

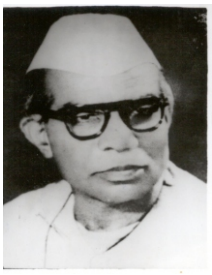
जगदम्बिका प्रसाद मिश्र

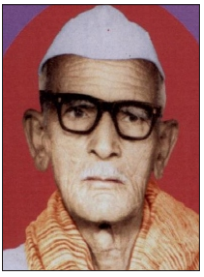
रमई काका

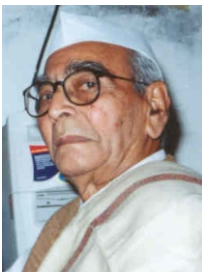
भूपेन्द्रनाथ शुक्ल

सुमित्रा नन्दन पंत

जर्नादन दास

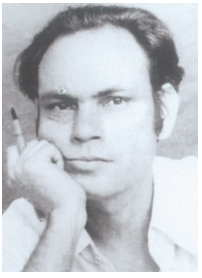
गोपाल उपाध्याय

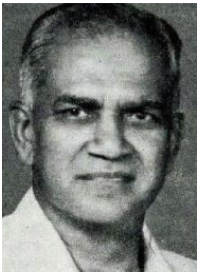
श्याम लाल गुप्ता

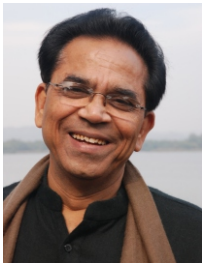
अशोक चक्रधर

बलबीर सिंह रंग

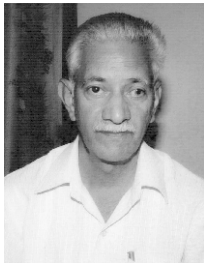
डॉ० शिवओम अम्बर

गया प्रसाद शुक्ला सनेही

कौशलेन्दर पाण्डेय

महीप सिंह

मुंशी अजमेरी 'प्रेम'

प. राम रनेश त्रिपाठी

प. श्रीनारायण चतुर्वेदी

श्याम नरायण पाण्डे

विनोद चन्द्र पाण्डेय

उत्तर प्रदेश में उर्दू साहित्य की प्रमुख विभूतियाँ

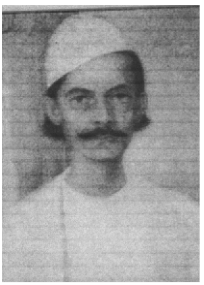
मीर अनीस

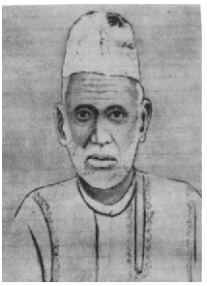
मिर्जा दबीर

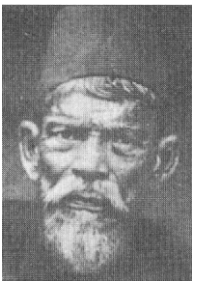
अकबर इलाहाबादी

हसरत मोहानी

सफी लखनवी

अब्दुल माजिद दरियाबादी

डॉ. अब्दुल अलीम

सज्जाद ज़हीर

नुरुल हसन हाशमी

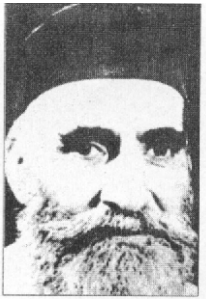
मौ.इम्तियाज अली अर्शी

आनन्द नारायण मुल्ला

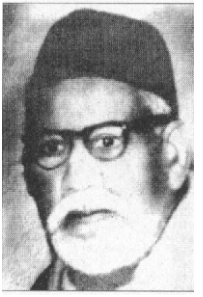
अली अब्बास हुसैनी

सागर निज़ामी

चौ.मो. अली रुदौलवी

कुर्तुल एन हैदर

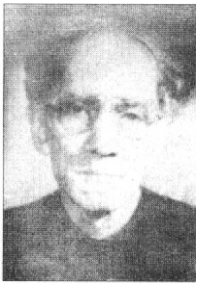
मजनूं गोरखपुरी

आले अहमद सुरुर

रज़िया सज्जाद ज़हीर

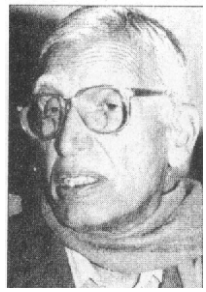

ज्ञान चन्द्र जैन

मसूद हसन रिज़वी 'अदीब'

एहतेशाम हुसैन रिज़वी

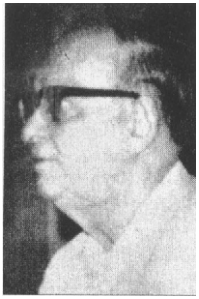

मसूद हुसैन खाँ

इस्मत चुगतई

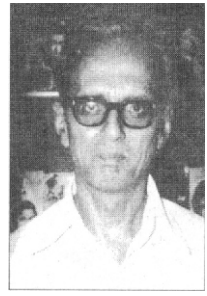

खलीलुलर्रहमान आज़मी

मोहम्मद हसन

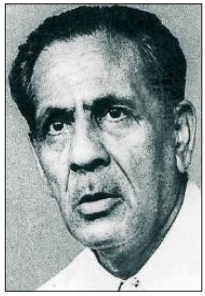

फ़िराक गोरखपुरी

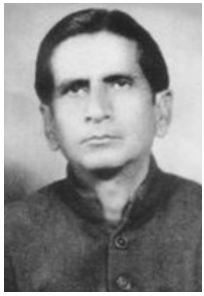

मजाज़ लखनवी

कैफ़ी आज़मी

रशीद अहमद सिद्दीकी

मुइन अहसन ज़ज्बी

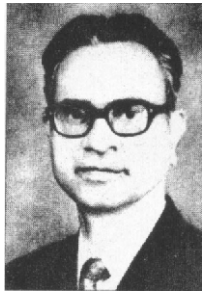

मसीह उज़ ज़मा

वामिक जौनपुरी

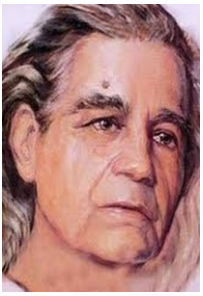
अली सरदार जाफ़री

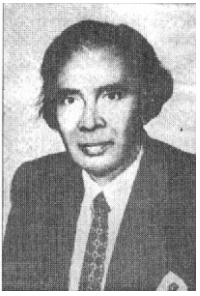
सलाम संदेलवी

गुलाम रब्बानी ताबाँ

क़ाज़ी अब्दुस्सत्तार

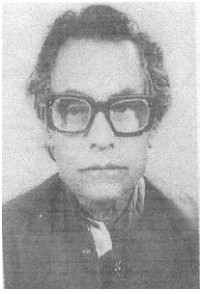
ख़ुमार बाराबंकवी

शहरयार

एजाज़ हुसैन

अली जव्वाद **ज़ैदी**

वजाहत अली संदेलवी

सलाम मछली शहरी

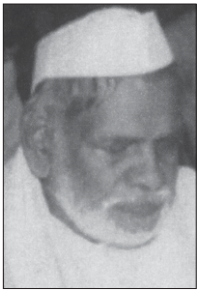
चौधरी सिब्ते मोहम्मद

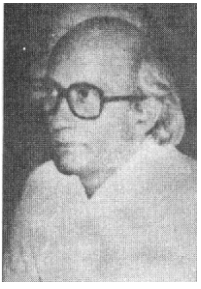
मोहम्मद अक़ील रिज़वी

रशीद हसन खाँ

महमूद इलाही

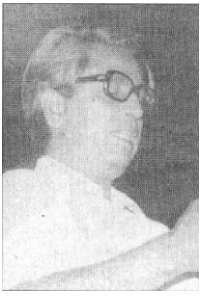
क़मर रईस

महमूदुल हसन रिज़वी

कृष्ण बिहारी नूर

रामलाल

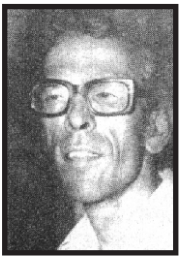

नैयर मसूद

काज़िम अली खाँ

आबिद सुहेल

फ़ज़ल इमाम रिज़वी

अहमद जमाल पाशा

हनीफ़ नक़वी

मंजुर सलीम

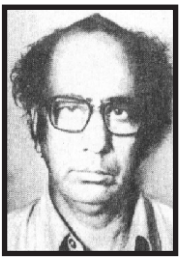

मलिक ज़ादा मंजूर अहमद

बाक़र मेंहदी

बशेशर प्रदीप

मसीहुल हसन रिज़वी

इरफ़ान सिद्दीक़ी

नाज़िश प्रतापगढ़ी

बशीर बद्र

आरज़ू लखनवी

हूरमत उल एकराम

अनवर मिर्जा पुरी

डॉ० वसीम बरेलवी

सीमाब अकबराबादी

शौकत थानवी

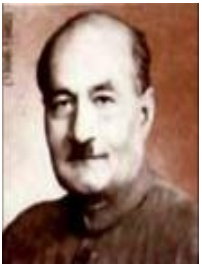
जोश मलिहाबादी

इब्ने सफी

जिगर मुरादाबादी

मंजूर हाशमी

डॉ. रफीक हुसैन

ज्ञानपीठ अवार्ड्स

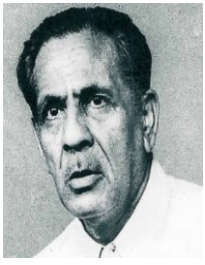
फिराक गोरखपुरी

महादेवी वर्मा

कुर्रतुल–ऐन–हैदर

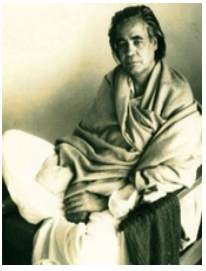
अली सरदार जाफरी

शहरयार

श्री अमरकान्त

श्री लाल शुक्ल

कुंवर नारायण
साहित्य

उत्तर प्रदेश की प्रमुख संगीत एवं नृत्य विभूतियाँ

बिस्मिल्ला खाँ

बेगम अख्तर

विष्णुनारायण भातखण्डे

हरि प्रसाद चौरसिया

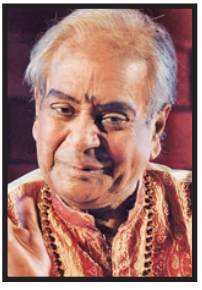

बिरजू महाराज

गिरिजा देवी

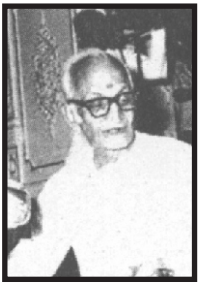

लच्छू महाराज

शम्भू महाराज

गोदई महाराज

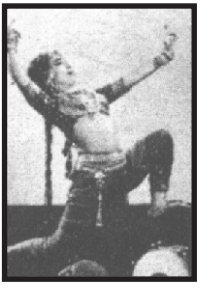

सितारा देवी

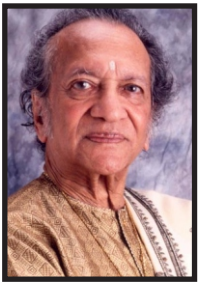

रवि शंकर

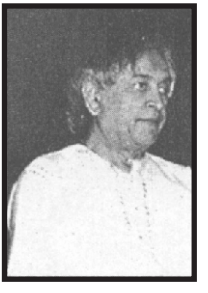

पं. किशन महाराज

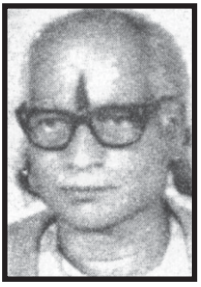

पागलदास

कन्छे महाराज

सविता देवी

कुमकुम धर

अजिता श्रीवास्तव

मालिनी अवस्थी

सुश्री ऊषा गुप्ता

पं. विकास महाराज,

श्रीमती सिद्धेश्वरी देवी

श्री छन्नू लाल मिश्र

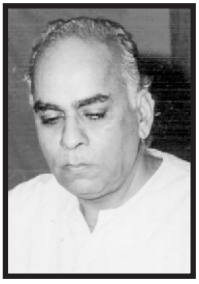

डॉ. लालमनी मिश्रा

श्री गोपाल शंकर मिश्रा

श्री गोपी कृष्ण

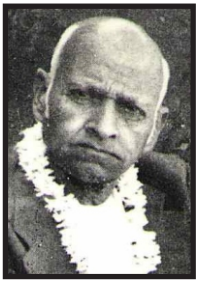

पं. कांथे महाराज

पं. समता प्रसाद

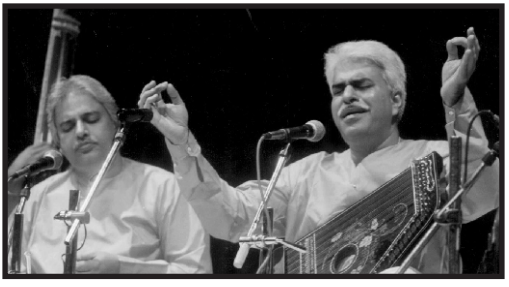

राजन मिश्र, साजन मिश्रा

उत्तर प्रदेश के प्रमुख संगीतकार एवं नाट्यकर्मी

नैमि चन्द्र जैन

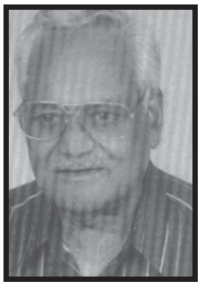
राधेश्याम दीक्षित

रतन थियम

रोमेश मेहता

शिवचरण लाल ''प्रेम''

सुदेश शर्मा

सुरेन्द्र कौशिक

सुरेन्द्र माथुर

विश्वनाथ मिश्र

स्वामी श्रीराम शर्मा

गुलाब बाई

के.बी. चन्द्रा

ललित मोहन तिवारी

विनोद रस्तोगी

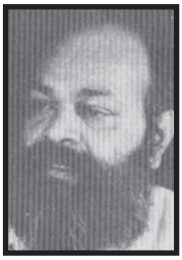
सूर्यमोहन कुलश्रेष्ठ

विजय दीक्षित

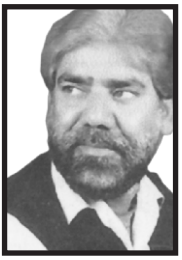
जरीफ़ मलिक आनन्द

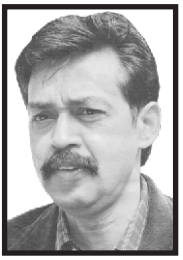
डॉ० बृजेश्वर सिंह

उत्तर प्रदेश के प्रमुख संगीतकार एवं नाट्यकर्मी

आगा हश्र कश्मीरी

अनूप जलोटा

बंसी कौल

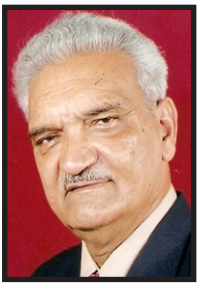
डॉ. अनिल रस्तोगी

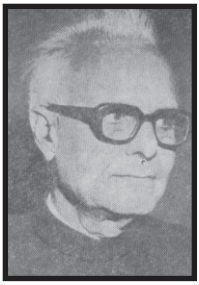
डॉ. भानुशंकर मेहता

डॉ. पुरु दधीच

डॉ. सुरेश अवस्थी

मास्टर फ़िदा हुसैन नरसी

ज्ञानदेव अग्निहोत्री

हरिकृष्ण अरोड़ा

हीरालाल यादव

कृष्णा मिश्रा

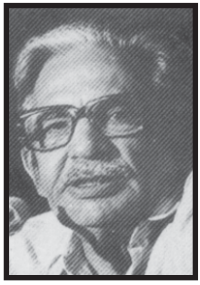
कृष्ण नारायण कक्कड़

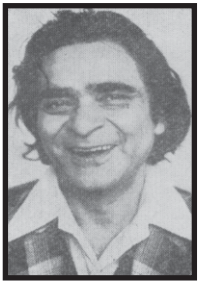
मोहन उपरैती

मुकेश सान्याल

नादिरा ज़हीर बब्बर

उत्तर प्रदेश के प्रमुख सिने विभूतियाँ

कमाल अमरोही

के. आसिफ

नौशाद

शैलेन्द्र

जद्दन बाई

कैफी आजमी

के.एल. सहगल

नरगिस

इन्दीवर

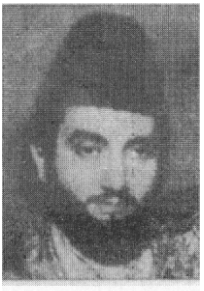
भारत भूषण

मजरूह सुल्तानपुरी

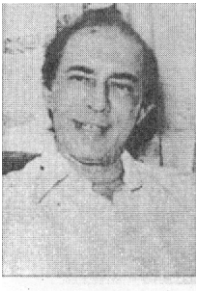
तलत महमूद

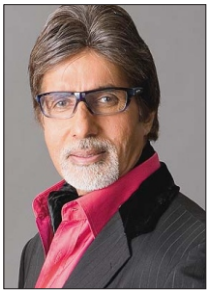

अमिताभ बच्चन

रवीन्द्र जैन

शबाना आजमी

शकील बदायूंनी

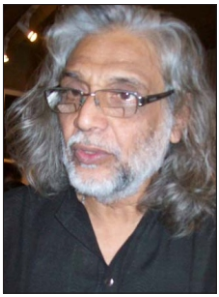

मुजफ्फर अली

योगेश

राज बब्बर

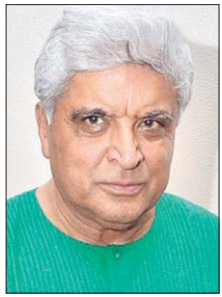

जावेद अख्तर

रेहाना

अचला नागर

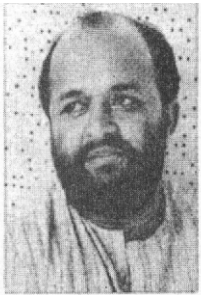

समीर

रेहाना सुल्तान

कैलाश खेर

राजा बुन्देला

अभिजीत

माया गोविन्द

नसीरुद्दीन शाह

मंसूर खान

शाहरूख मिर्जा

उमा देवी 'टुनटुन'

विशाल भारद्वाज

शाद अली

प्रकाश मेहरा

अनुराग कश्यप

राजपाल यादव

कन्हैया लाल

निम्मी

मार्क जुबेर

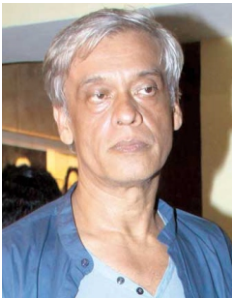

सुधीर मिश्रा

कब्बन मिर्जा

सितारा देवी

युनुस परवेज

निर्मल पाण्डेय

सपना अवस्थी

डेविड धवन

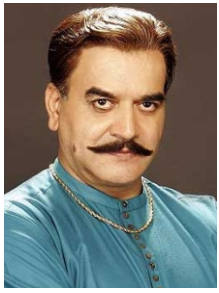

सुरेन्द्र पाल

रजा मुराद

जोहरा सहगल

उत्तर प्रदेश के प्रमुख चित्रकार

आर.एस. बिष्ट

नित्यानंद महापात्र

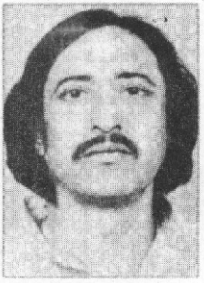
बी.एन. आर्य

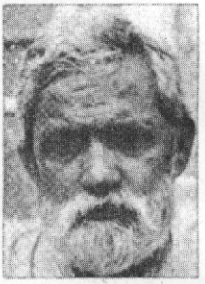
एस.जी. श्रीखण्डे

के.वी. जेना

जयकृष्ण अग्रवाल

असद अली

ए.पी. गज्जर

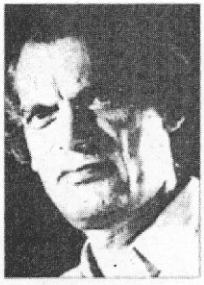
एस. अजमत शाह

आर.एस. धीर

सनत कुमार चटर्जी

सतीश चन्द्रा

दिलीपदास गुप्ता

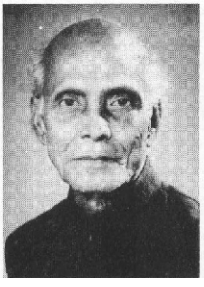
श्रीधर महापात्र

पम्मी लाल

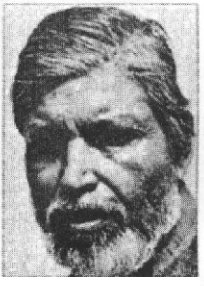
उमेश शर्मा

उत्तर प्रदेश के प्रमुख चित्रकार

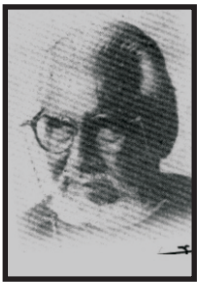
गोपाल मधुकर चतुर्वेदी

विश्वनाथ खन्ना

अश्विनी कुमार शर्मा

बालदत्त पाण्डेय

एस.एन.सक्सेना

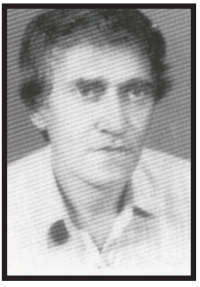
मुहम्मद सलीम

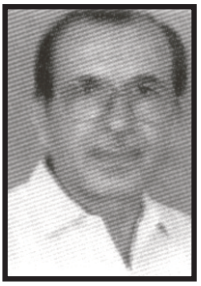
बी.पी.कम्बोज

पुष्पलता शर्मा

बैजनाथ प्रसाद गुप्ता

एन. खन्ना

योगेन्द्र नाथ योगी

जमील अख्तर

एन.एन.राय

रंजीत चक्रवर्ती

शुकदेव श्रोत्रीय

डॉ. कुसुम दास

उत्तर प्रदेश के प्रमुख चित्रकार

कामता प्रसाद

हृदय गुप्ता

अमरनाथ शर्मा

अवधेश मिश्र

पूर्णिमा तिवारी

आलोक कुमार

हीरालाल प्रजापति

इन्दु जोशी

मृदुला शाह

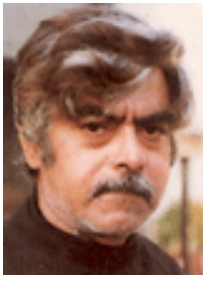

भैंरोनाथ शुक्ल

भारत भूषण

जगदीश गुप्त

राधेश्याम अग्रवाल

रेखा कक्कड़

आर.एस. शाक्य

साधना लाल

स्रोत : इंटरनेट

उत्तर प्रदेश के प्रमुख चित्रकार

संतोष वर्मा

सीमा जावेद

शिवेन्द्र सिंह

स्नेह मोहन

शरद पाण्डेय

उमेश कुमार सक्सेना

विनोद कुमार सिंह

विष्णु स्वरूप सिंह

ज़ेबा हसन

गोगी सरोज पाल

डॉ० नन्दिता शर्मा

स्रोत : इंटरनेट

उत्तर प्रदेश की प्रमुख खेल विभूतियाँ

मेजर ध्यान चन्द

के.डी. सिंह बाबू

मोहम्मद शाहिद

आशीष विंस्टन जैदी

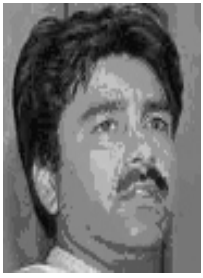
मनोज प्रभाकर

अरुण लाल

मो. कैफ

सुरेश रैना

आर.पी. सिंह

चेतन चौहान

हेमलता काला

ज्ञानेन्द्र पाण्डेय

पीयूष चावला

नरेन्द्र हीरवानी

सुरिन्दर अमरनाथ

रमन लाम्बा

उत्तर प्रदेश की प्रमुख खेल विभूतियाँ

रविकान्त शुक्ला

प्रवीण कुमार

अभिन्न श्याम गुप्ता

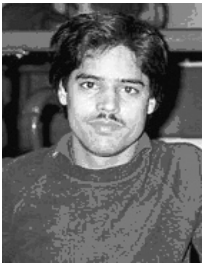

सैयद मोदी

गौस मोहम्मद खान

निखिल चोपड़ा

लाला अमरनाथ

मोहिन्दर अमरनाथ

अर्जुन अवार्ड

अभिन्न श्याम गुप्ता

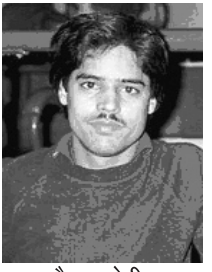

सैयद मोदी

आशीष सिंह राष्ट्रमण्डल खेल स्वर्ण पदक विजेता

अरूणिमा सिन्हा
(एवरेस्ट फतेह करने वाली
प्रथम भारतीय विकलांग खिलाडी)

उत्तर प्रदेश के प्रमुख वरिष्ठ पत्रकार

गणेश शंकर विद्यार्थी

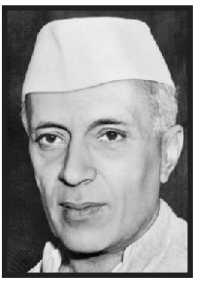
पं. जवाहरलाल नेहरू

पं.मदन मोहन मालवीय

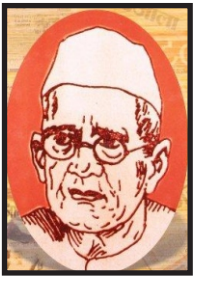
बाबूराव विष्णु पराड़कर

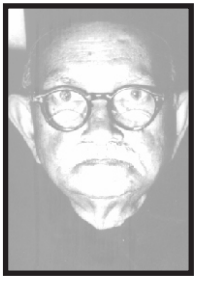
अम्बिका प्रसाद बाजपेयी

एम.चेलापति राव

के. रामा राव

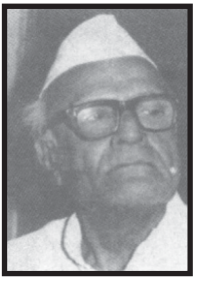
हयातुल्ला अंसारी

सी.वाई.चिन्तामणि

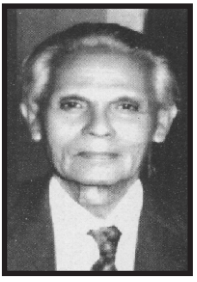
एस.एन.घोष

सच्चिदानन्द सिन्हा

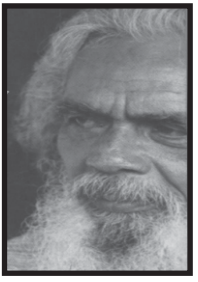
अखिलेश मिश्र

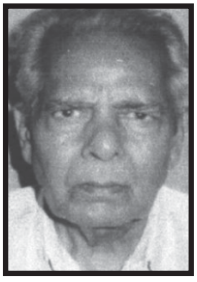
एस.एन.जायसवाल

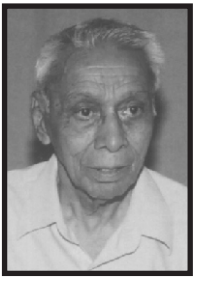
एस.एम.जाफर

इशरत अली सिद्दीकी

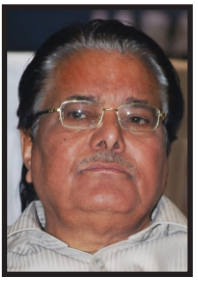
के. विक्रम राव

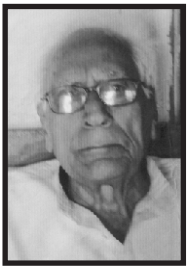

डॉ० धर्मपाल गुप्त 'शलभ'

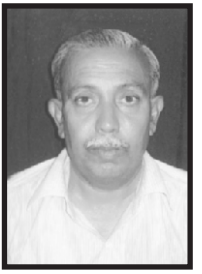

आनन्द मोहन पाण्डेय

ओंकार 'मनीषी'

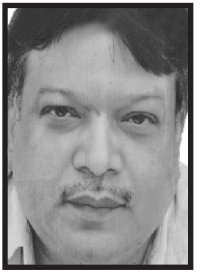

श्री प्रभात सिंह

मृणाल पाण्डेय

नरेन्द्र मोहन

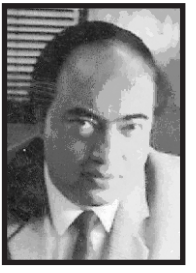

घनश्याम पंकज

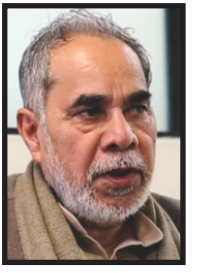

राम बहादुर राय

पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित विभूतियाँ

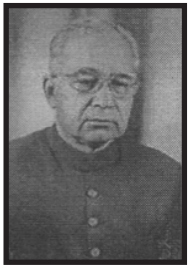

हकीम सै. जिलुर रहमान
(यूनानी औषधि–2006)

भारत भूषण
(साहित्य एवं शिक्षा - 1991)

मोहम्मद शाहिद
(हाकी खिलाड़ी–1986)

डॉ. जयपाल मित्तल
(विज्ञान एवं यांत्रिकी–2003)

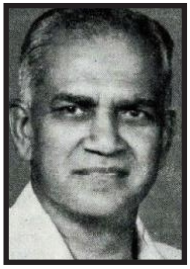

श्याम लाल गुप्ता
साहित्यकार (कवि)

के.डी. सिंह बाबू
(खिलाड़ी–1958)

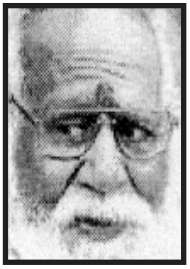

आचार्य गिरिराज किशोर
(राजनीतिज्ञ)

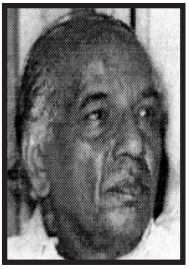

अली जवाद जैदी
(उर्दू साहित्य)

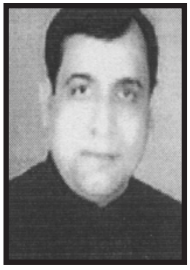

रविन्द्र कुमार
(साहित्य एवं शिक्षा–2001)

बेगम अख्तर
(गजल गायिकी)

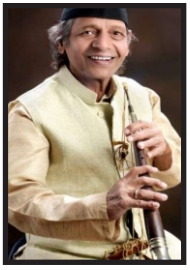

कृष्णा राम चौधरी
शहनाईवादन

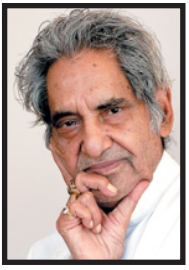

गोपालदास नीरज
(हिन्दी साहित्य–2007)

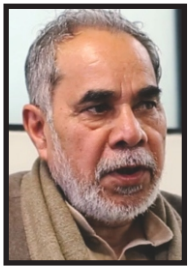

राम बहादुर राय
पत्रकारिता

मुजफ्फर अली
(फिल्म निर्देशक–2005)

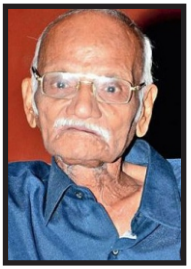

के.पी. सक्सेना
(लेखक–2000)

मालिनी अवस्थी
(लोक संगीत पद्मश्री - 2016)

डॉ0 उषा यादव
(साहित्य एंव शिक्षा)

राम यत्न शुक्ल
(साहित्य एंव शिक्षा)

सुधा सिंह
(खेल)

अशोक कुमार साहू
(मेडिसिन)

चंद्रशेखर सिंह
(कृषि)

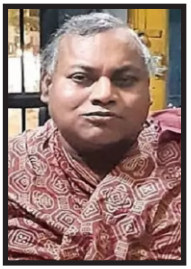

जगदीश चौधरी
(समाजसेवा)

पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित विभूतियाँ

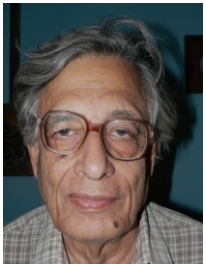

इरफान हबीब

कुर्रतुल–ऐन हैदर

पं. किशन महाराज

रामकिंकर उपाध्याय

भगवतीचरण वर्मा

अमरनाथ झा

मैथिलीशरण गुप्त

जोश मलिहाबादी

रामेश्वरी नेहरू

महादेवी वर्मा

आबिद हुसैन

हजारी प्रसाद द्विवेदी

राय आनन्द कृष्णा

पं. श्रीकृष्णनारायण रतनजंकर

विजय आनन्द

कुंवर नारायण
साहित्य

गिरिजा देवी
संगीत

भगवान सहाय

राधाकमल मुखर्जी

राहुल सांकृत्यायन

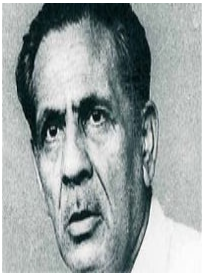
फिराक गोरखपुरी

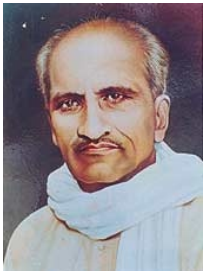
वृन्दावन लाल वर्मा

पं. हरिभाऊ वाकणकर

रवि शंकर

जय कृष्णा

महेश प्रसाद मेहरे

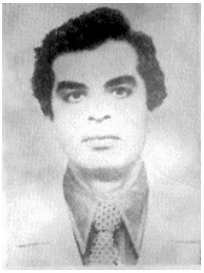
पिताम्बर पन्त

निसार हुसैन खान

अमृत लाल नागर

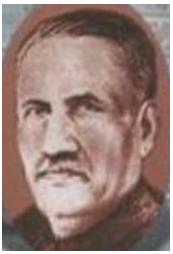

बनारसी दास चतुर्वेदी

जयदेव सिंह

बेगम अख्तर

कैलाश नाथ कौल

नृपेन्द्र मिश्र

कल्बे सादिक

पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित विभूतियाँ

डॉ. जाकिर हुसैन
(सामाजिक कार्य–1954)

विजय लक्ष्मी पंडित
(लोकसेवा–1962)

राय आनन्द कृष्णा
(लोकसेवा–1980)

पं. रविशंकर
(कला–1981)

बिरजू महाराज
(कला–1986)

महादेवी वर्मा
(साहित्य एवं शिक्षा–1988)

उमाशंकर दीक्षित
(सामाजिक कार्य–1989)

कैप्टन लक्ष्मी सहगल
(सामाजिक कार्य–1998)

मिर्जा हमीदुल्ला बेग
(सामाजिक कार्य–1988)

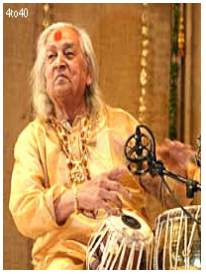

पं. किशन महाराज
(कला–2002)

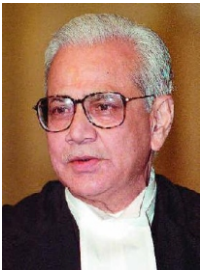

वी.एन. खरे
(कानून/समाज कार्य, 1980)

डॉ. पुरुषोत्तम लाल
(औषधि–1981)

गोविन्द नारायण
(सामाजिक कार्य–2009)

गिरिजा देवी
संगीत

मुरली मनोहर जोशी
समाजिक कार्य

यश्पाल
विज्ञान एवं अभियंत्रिकी

जगतगुरू राम भद्राचार्य

आदर्श सेन आनन्द
जनहित कार्य

बी.बी लाल
(आरकेलॉजी)

साहित्य एकेडमी अवार्ड से सम्मानित विभूतियाँ

राहुल सांकृत्यायन
(1958–इतिहास)

भगवती चरन वर्मा
(1961–उपन्यास)

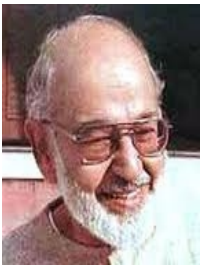

अज्ञेय
(1964–कविता)

जैनेन्द्र कुमार
(1964–उपन्यासकर)

अमृतलाल नागर
(1967–उपन्यास)

हरिवंशराय बच्चन
(1968–कविता)

श्रीलाल शुक्ल
(1969–उपन्यासकार)

रामविलास शर्मा
(1969–उपन्यासकार)

नामवर सिंह
(1971–साहित्य आलोचक)

भवानी प्रसाद मिश्र
(1972–कविता)

हजारी प्रसाद द्विवेदी
(1973–लेखक)

कुंवर नारायण
साहित्य

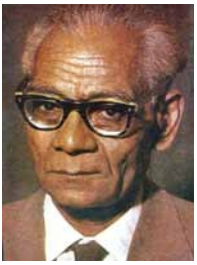

यशपाल
(1976–उपन्यास)

धूमिल
(1979–उपन्यास)

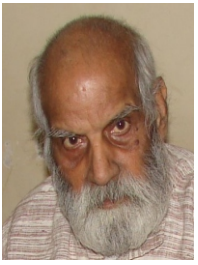

त्रिलोचन
(1981–उपन्यास)

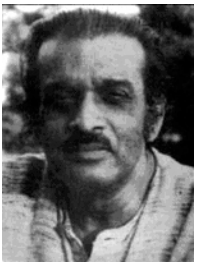

सर्वेश्वर दयाल सक्सेना
(1983–कविता)

शिवमंगल सिंह 'सुमन'
(1974–कविता)

केदारनाथ सिंह
(1989–कविता

केदारनाथ अग्रवाल
(1986–कविता)

रघुवीर सहाय
(1984–कविता)

लीलाधर जगूड़ी
(1997–उपन्यास)

सुरेन्द्र वर्मा
(1996–उपन्यास)

गिरिराज किशोर
(1992–उपन्यास)

विष्णु प्रभाकर
(1993–उपन्यास)

दादासाहब फाल्के अवार्ड्स

नौशाद अली

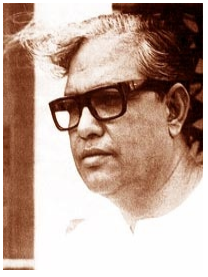

मजरूह सुल्तानपुरी

प्रदेश के जनपदवार दर्शनीय स्थल

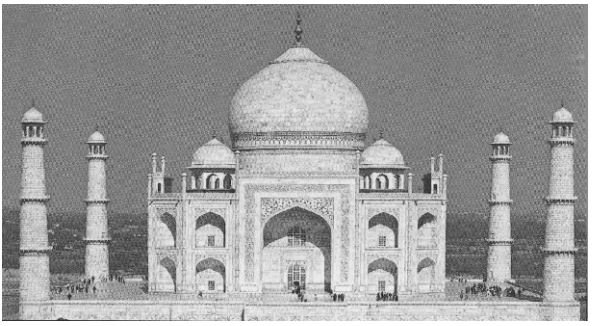

ताजमहल, आगरा

वृन्दावन मंदिर, मथुरा

खानकाह रशीदिया, मैनपुरी

बर्ड सैंक्च्यूरी
जलेसर, एटा

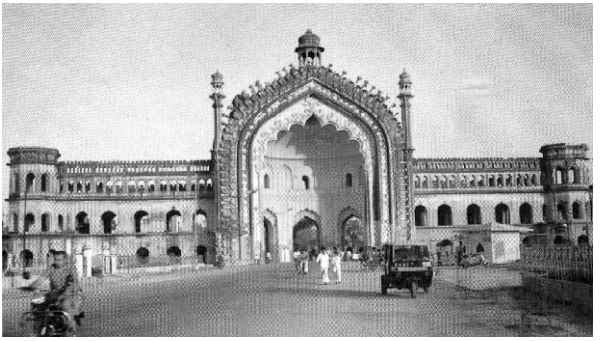

रूमी दरवाजा, लखनऊ

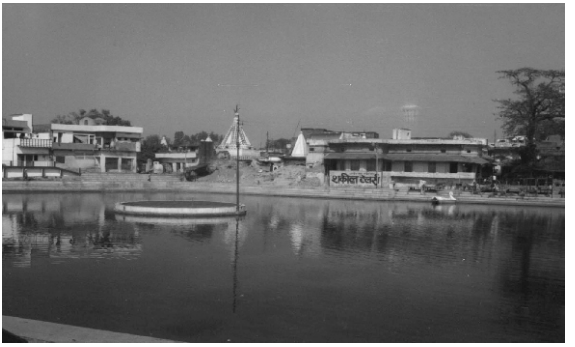

गोला गोकरननाथ मंदिर,
लखीमपुर खीरी

प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर, उन्नाव

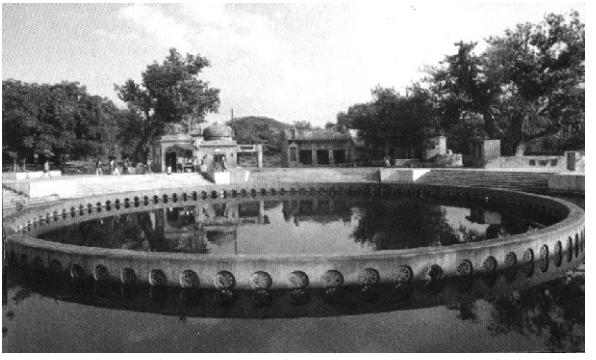

चक्रतीर्थ नैमिषारण्य, सीतापुर

आनन्द भवन, प्रयागराज

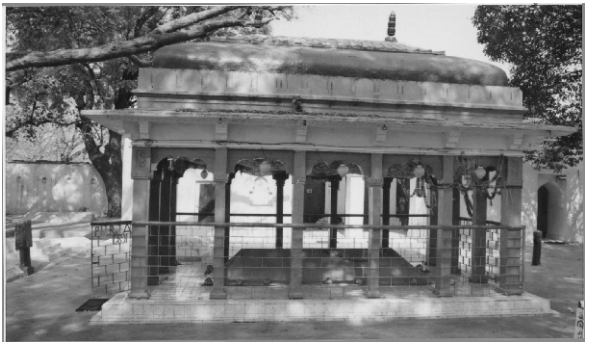

कड़क शाह बाबा की मज़ार, कौशाम्बी

शहीद स्थल बावनी इमली, फतेहपुर

कनक भवन, अयोध्या

कन्नौज में संरक्षित अनूठी
कलाकृति, सप्तमातृका की प्रतिमा

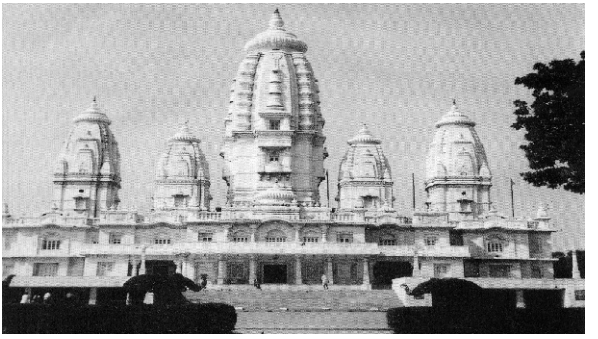

जे० के० मन्दिर, कानपुर नगर

आसई किले से प्राप्त
दिगम्बर जैन मूर्तियाँ, इटावा

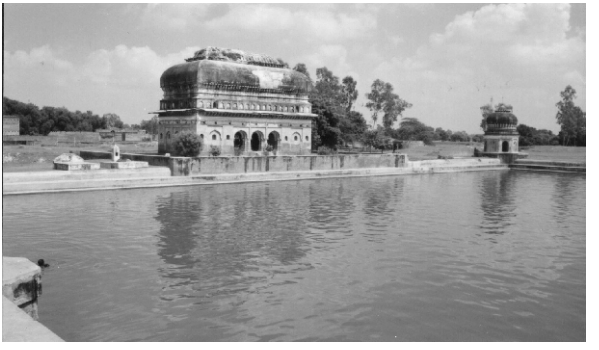

शुक्ल तालाब, अकबरपुर
रमाबाई नगर (कानपुर देहात)

गोरखनाथ मंदिर, गोरखपुर

शहीद स्मारक, महराजगंज

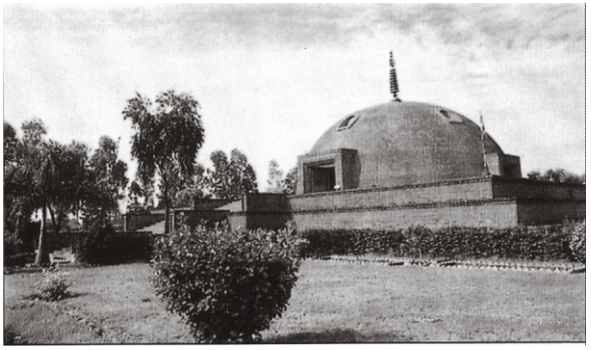

बौद्ध स्तूप, कुशीनगर

बाबा सोमनाथ जी का भव्य मन्दिर, देवरिया

शहीद स्थल छावनी, बस्ती

सन्त कबीर की निर्वाण स्थली,
मगहर (सन्त कबीर नगर)

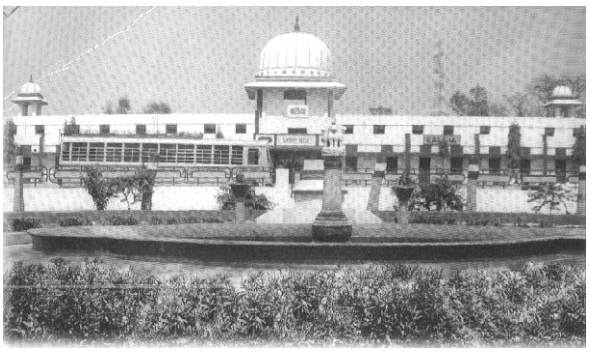

बलिया का रेलवे स्टेशन

चाइना मन्दिर, श्रावस्ती

रानी महल, झांसी

मकरबई मन्दिर, महोबा

कामदगिरि पर्वत, चित्रकूट

कालिंजर दुर्ग, बाँदा

रामपुर रजा लाइब्रेरी, रामपुर

शिबली एकेडमी, आजमगढ़

शहीद स्मारक, मऊ

घंटाघर, बदायूँ

घंटाघर, बहराइच

देवी पाटन मन्दिर, बलरामपुर

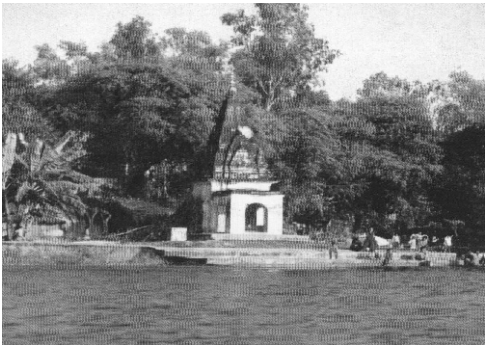

अरगा पार्वती का मन्दिर, गोण्डा

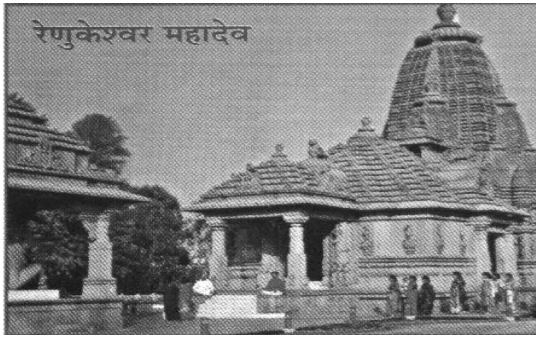

रेणुकेश्वर महादेव मंदिर, सोनभद्र

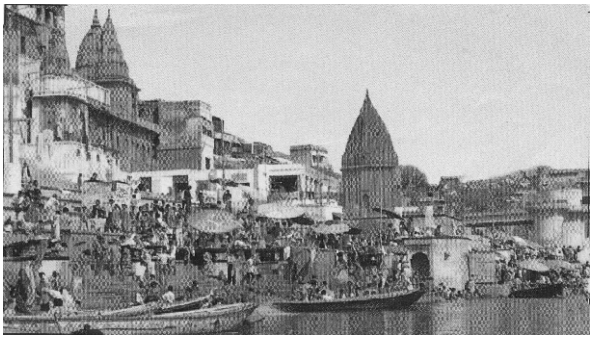

गंगा घाट, वाराणसी

सीताकुण्ड घाट, सुल्तानपुर

सीतामढ़ी धार्मिक पर्यटन स्थल,
संतरविदास नगर, भदोही

घंटाघर, मिर्जापुर

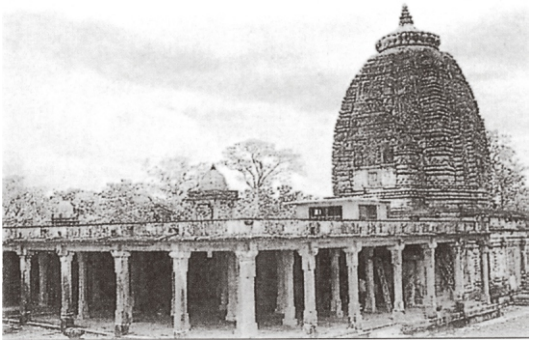

जैन मन्दिर, ललितपुर

चौरासी गुंबद, कालपी (जालौन)

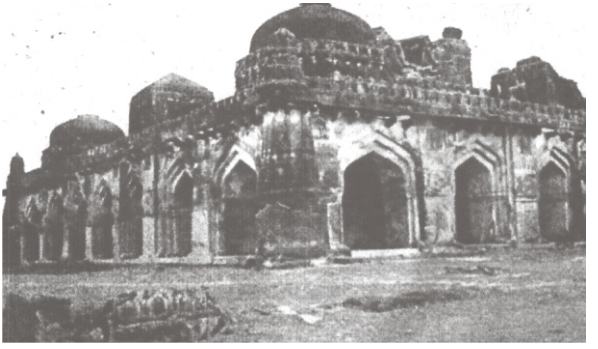

हिन्दी भवन, जौनपुर

प्रसिद्ध बेल्हा देवी मंदिर,
प्रतापगढ़

एजाज अली हॉल, बिजनौर

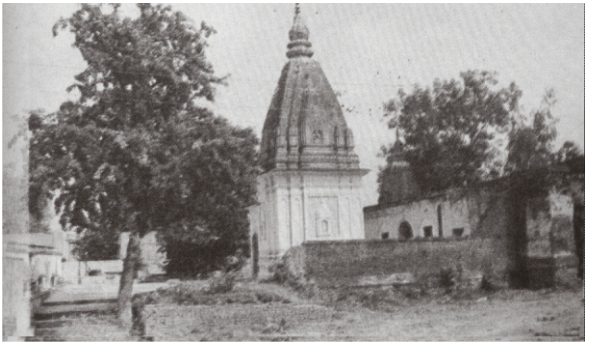

शुक्रताल स्थित प्राचीनतम शिव मंदिर, मुजफ्फर नगर

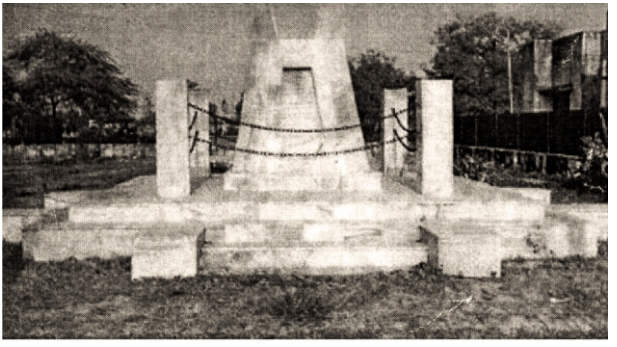

धानपुर शहीद स्मारक चंदौली

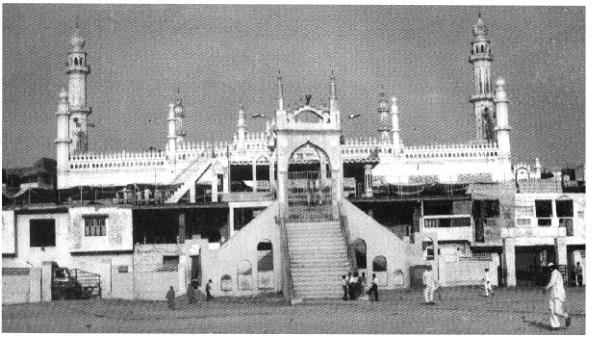

ऐतिहासिक जामा मस्जिद, मुरादाबाद

लार्ड कार्नवालिस का मकबरा
गाजीपुर

घंटाघर, बुलंदशहर

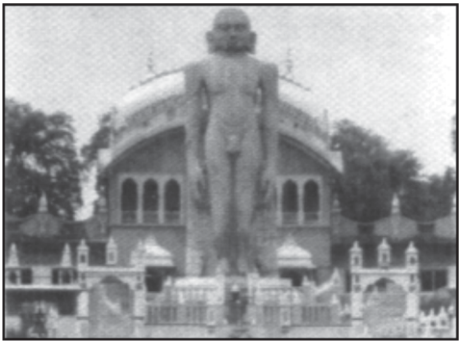

जैन मन्दिर- फिरोजाबाद

श्री सनातन धर्म मन्दिर
गौतमबुद्ध नगर

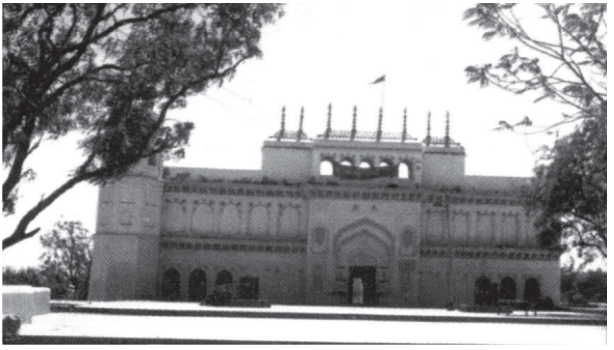

देवकली मन्दिर, औरैय्या

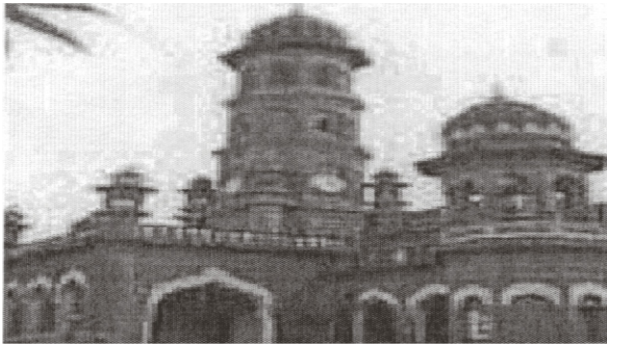

विक्टोरिया हाल,
घण्टाघर, हरदोई

यज्ञशाला, बागपत

प्रसिद्ध मन्दिर
महामायानगर

मुगल घाट, कम्पिल
फर्रुखाबाद

अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटी,
अलीगढ़

बुद्धा स्तूप, पिपरहवा
कपिलवस्तु

औघढ़नाथ मन्दिर
सरधना, मेरठ

देवा शरीफ, बाराबंकी

समसपुर पक्षी विहार
(रायबरेली)

अशफाक उल्ला की मजार शाहजहाँपुर

हनुमतधाम, शाहजहाँपुर

श्री दाओजी महाराज
हसायन, हाथरस

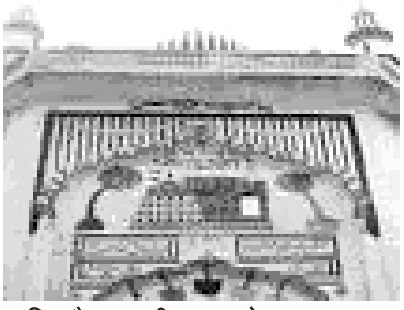

किछौछा शरीफ, अम्बेडकर नगर

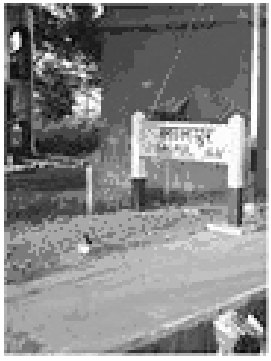

लालपुर
रेलवे स्टेशन
जालौन

प्राचीन श्री गंगा मन्दिर
गढ़मुक्तेश्वर, गाजियाबाद

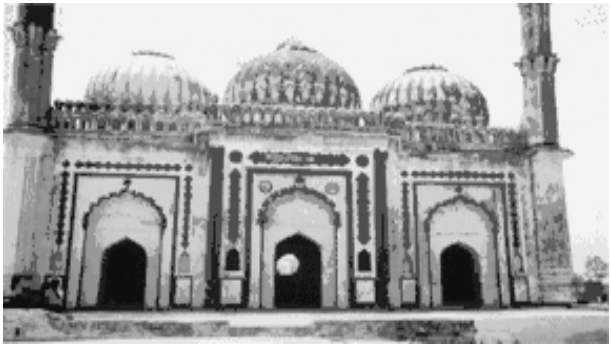

बादशाही मस्जिद, सुल्तानपुर

आनन्द आश्रम, बरेली

कल्पवृक्ष, हमीरपुर

बौद्ध स्तूप, सिद्धार्थनगर

माता शाकुम्बरी देवी मन्दिर,
सहारनपुर

जायसी स्मारक
अमेठी

नदरई का पुल,
कांशीरामनगर
कासगंज

हिन्दी साहित्य और उर्दू अदब

उत्तर प्रदेश में पछुआ और पुरवा दोनों हवाएँ तेज़ चलती हैं, जो यहाँ की जलवायु और संस्कृति को वैविध्यपूर्ण बनाती हैं। भस्म कर देने वाली लू और हड्डियों को कंपाने वाली, ख़ून जमा देने वाली ठंडक, यहाँ के संस्कृति कर्मियों और रचनाकारों को न तो अधिक भावुक बनाती है और न अधिक वस्तुवादी। तटस्थ होकर जीवन और जगत के प्रश्नों पर सोचने-विचारने की गहरी सम्पृक्ति उत्तर प्रदेश, जो कि मध्यदेश के सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, में मिलती है। अमीर खुसरो से लेकर अब्दुल बिस्मिल्लाह तक में खुश्की और तरी का मत आश्चर्यजनक जादू का काम करता है, और फिर यह मत ऐन्द्रजालिकता, 'मुगलों ने सल्तनत बख्श दी', के तम्बू की तरह फैलता ही जाता है। आगरा, मेरठ और बुलन्दशहर की भाषा कैसे काव्य भाषा बनी ? उसमें राजसत्ताओं की भौतिक आवश्यकताएँ और बाजार का तर्क तो है ही इसके अलावा संतों-सूफियों और भक्तों द्वारा विकसित किया जा रहा एक ऐसा भाषा का माध्यम भी है जो प्रमुख सांस्कृतिक कारण है। समाज की छोटी-छोटी इकाइयों के भेदों को बिना समाप्त किये, एक बड़े माध्यम और मूल्य के लिए जीना सिखाती है। अमीर ख़ुसरो की क़व्वालियाँ, शेर और मुकरियाँ, कबीर की साखियों और पदों, तुलसी के दोहा-चौपाइयों और कवित्त, सवैयों तथा मुल्ला दाउद, कुतुबन और जायसी की सूफी रचनाओं ने यही किया। अपनी कृतियों के द्वारा इन रचनाकारों ने केवल उत्तर प्रदेश को ही नहीं, बल्कि हिन्दी को भी गौरवान्वित किया है। कबीर ने काव्यभाषा हिन्दी के प्राक् रूप का प्रयोग किया। कबीर ने अपने समय की वर्णाश्रम धर्म आश्रित विषमतामूलक संस्कृति, नैतिक और सामाजिक संस्था और विचार तंत्रों को चुनौती दी। तत्कालीन सत्ता के सोपानात्मक ढांचे के आधार को ही उन्होंने हिला दिया। प्रेम की अनन्यता और सर्वोपरिता को स्थापित करते हुए कबीर ने अपने अनुभव से प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हुए हर प्रकार की पोथियों को वास्तविकता से दूर मानते हुए अपने समय के निर्गुण मुहावरे में साखियों और सबदों की ऐसी सहज और निश्छल बानी प्रवाहित की कि वे बनारस की सीमाओं को लाँघकर पूरे भारत वर्ष को प्रभावित करने लगे। कबीर सामाजिक आन्दोलन के अगुआ के रूप में प्रमुखता से आगे दिखते हैं। रवीन्द्रनाथ टैगोर की 'गीतांजलि' से ही नहीं एजरा पाउन्ड द्वारा उनकी कविताओं के किए गए अनुवाद से भी उस प्रभाव का पता चलता है। तुलसीदास समग्र हिन्दी भाषी जनता के कंधे पर हाथ रखने वाले ऐसे सजग कवि हैं जो लोक कल्याण को जीवन-मूल्यों के रूप में स्थापित करते हैं। अपने मूल्यों के प्रति तुलसी भी आग्रही हैं। कवित्त और सवैया छन्दों को उन्होंने हिन्दी का जातीय छंद बना दिया। कवि के रूप में अपने पात्रों के प्रति पूर्ण समर्पण तुलसी के अतिरिक्त शायद कहीं नहीं मिलता। जायसी हिन्दू-मुसलमान को एक साथ रहने और निरर्थक लड़ाई से विरत रहने का मानवीय संदेश देते हुए 'पद्मावत' में अत्यन्त विषादपरक ढंग से पृथ्वी के झूठे होने का संकेत करते हैं। 'पद्मावत' का सारा संकेत समग्र जीवन्तता, आश्चर्यजनक जागतिकता, अलाउद्दीन का आक्रमण आदि ''लीन्ह उठाई छार इकमूठी दीन्ह उड़ाई पिरथिवी झूठी'' में समाप्त होता है। अर्थात् अकाट्य यथार्थ यदि यह है तो धर्म, वासना, अहंकार, सत्ता, चीख-पुकार किसलिए ? क्यों आपस में लड़ते हो, अपने स्वधर्म का पालन करो। सूफियों ने प्रेम की पीर का जो शास्त्र रचा और लौकिक विश्वासों तथा मान्यताओं को मिलाकर जैसा आख्यान रचा, निश्चय ही उसने हिन्दी भाषी क्षेत्र की जनता को काफी सहनशील और मिली-जुली संस्कृति वाला बनाया। जौनपुर के शर्की राजाओं के काल में सूफियों द्वारा रचे गये आख्यान साहित्य ने हिन्दी को ही नहीं बांग्ला आदि भाषाओं को भी प्रभावित किया। बंगाल

में 'पद्मावत' का व्यापक प्रभाव पड़ा है। विजयदेव नारायण साही तो 'जायसी' को हिन्दी का सबसे बड़ा कवि मानते हैं। जायसी एकमात्र कवि हैं जो अपने समय के इतिहास और मिथक तथा लोक और अलोक के प्रश्नों से मानव परिस्थितियों के संदर्भ में एक कवि के रूप में जूझते हैं। 'सूरदास' के लिए प्रेमैक्यता ही मुख्य विषय है। प्रेम-स्वीकृत समाज ही सत्य है। शायद ही दुनिया में कोई कवि होगा जो माता और बालक दोनों के हृदय का इतना मार्मिक ज्ञाता हो। बाल सुलभ चेष्टाओं का इतना सहज और संवेदनशील वर्णन दुर्लभ है। बाल-मनोविज्ञान को समझने के लिए सूरदास पहले कवि हैं जो सहायक सिद्ध हुए हैं। उत्तर प्रदेश के भक्तिकालीन इन रचनाकारों के अलावा रसखान, केशवदास, रहीम, मुल्ला दाउद, मंझन उस्मान और नूर मुहम्मद की रचनाएँ कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। कहा जाता है कि अब्दुल रहीम ख़ानख़ाना ने जौनपुर की सूबेदारी के समय में ही 'बरवै नायिका भेद' ग्रंथ की रचना की। रवीन्द्रनाथ टैगोर ने तुलसीदास, सूरदास और कबीरदास पर कविताएँ लिखी हैं और तुलसी को कवियों का कवि कहा है। रचना का ग्रंथ बनना आसान नहीं है। केशवदास– जिन्हें गालियाँ ही मिलीं, भाषा के सजग कवि थे। केशव ने व्यवस्थित रूप से कविता का शास्त्र रचा। रामचन्द्र शुक्ल के आरोपों के बावजूद 'रामचंद्रिका' में कौशल्या, लक्ष्मण और दशरथ आदि का चरित्रांकन केशव ने मानवीय धरातल पर करने का आश्चर्यजनक प्रयत्न किया है, बल्कि काफी सीमा तक देवत्वकरण को समाप्त किया। शब्द के प्रति कवि की खोज का जो उल्लेख केशव ने ''सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर'' कहकर किया है, उसकी दाद तो अज्ञेय ने 'केशव की कविताई' लेख में दी ही है। एक अर्थ में केशव प्रयोगवादियों के आचार्य हैं।

बुलंदशहर के रहने वाले सेनापति, पद को चुन-चुनकर रचने का उल्लेख इस गर्व के साथ करते हैं कि उनकी कविता में श्लेष के माध्यम से कर्म अर्थ में है। चमत्कार के इस प्रदर्शन के अलावा प्रकृति के अनेक पक्षों का यथार्थपरक जो चित्र सेनापति ने प्रस्तुत किया है, वह पूरे रीतिकाल में नहीं है।

हिन्दी गद्य को धार्मिक टीकाओं और खतों-फरमानों से अलग व्यावहारिक प्रयोगों के लिए विकसित करने का श्रेय मुंशी इंशा अल्ला ख़ाँ (लखनऊ), लल्लू जी लाल (आगरा) और सदासुख लाल नियाजी (प्रयाग) को है। 'भाखापन' और 'मुअल्लापन' से अलग ठेठ हिन्दी में लिखी कहानी 'रानी केतकी की कहानी', 'प्रेमसागर' और राजनीति तथा 'सुखसागर' ने लगभग 19वीं शताब्दी भर हिन्दी गद्य को मानकीकृत करने का प्रयत्न किया। 'प्रेमसागर' वर्षों तक सरकारी विद्यालयों में पाठ्यपुस्तक बना रहा। इनके बाद दूसरा प्रमुख साहित्यिक प्रयत्न 'इटावा' से राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा मूल संस्कृत से हिन्दी में 'शकुन्तला' के अनुवाद द्वारा शुरू हुआ। राजा लक्ष्मण सिंह और शिव प्रसाद 'सितारे हिन्द' ने हिन्दी भाषा को विकसित और समृद्ध करने का कार्य किया। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने अपने गुरु शिव प्रसाद और राजा लक्ष्मण सिंह से हटकर हिन्दी भाषा को साहित्य और संस्कृति के साथ विमर्श की भाषा बनाने का अप्रतिम प्रयास किया। आगरा, बरेली, वाराणसी और प्रयागराज में स्थापित सभाओं, समाजों और इन्स्टीट्यूटों ने जातीय जागरण के लिए हिन्दी को अधिकाधिक प्रयुक्त करने का व्यापक प्रयत्न किया। भारतेन्दु और उनके युग के रचनाकारों में बालकृष्ण भट्ट (प्रयागराज), राधाचरण गोस्वामी (मथुरा), राधा मोहन गोकुल (आगरा), काशीनाथ खत्री (प्रयागराज), राधाकृष्ण दास (वाराणसी), श्री निवास दास (मथुरा), रतनानाथ (इटावा), राम गोपाल विद्यान्त (लखनऊ), प्रताप नारायण मिश्र (कानपुर), बदरी नारायण चौधरी 'प्रेमघन' (मिर्ज़ापुर), राधा चरण गोस्वामी (मथुरा), तोताराम वर्मा (अलीगढ़) ने हिन्दी भाषा और साहित्य को न केवल समृद्ध किया, बल्कि हिन्दी जाति को नये सामाजिक-राजनैतिक प्रश्नों तथा परिवर्तनों के प्रति सजग और सचेष्ट भी किया। इन लेखकों ने हिन्दी क्षेत्र में लेखों, पर्चों, नाटकों के अभिनयों, बहसों और टिप्पणियों से हिन्दी को सारे उत्तर भारत में राष्ट्रीय जागरण के प्रतीक के रूप में स्थापित किया। इन लेखकों ने ब्रज भाषा, संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेज़ी से हिन्दी में रूपान्तरण करके उसकी व्यापकता की वृद्धि की तथा राष्ट्रीय भावनाओं को धारण करने में समर्थ किया।

भारतेन्दु के समय में ही ब्रजभाषा में बल्लभ, चैतन्य, निम्बार्क, राधावल्लभी हित हरिवंश आदि सम्प्रदाय

के अनेक कवि या तो पैदा उत्तर प्रदेश में हुए या यहीं आकर बस गये। इन रचनाकारों ने सामान्य गृहस्थों के जीवन से लेकर सामंती जीवन तक की अनेक स्थितियों को आदर्शीकृत कर दिया। मध्यकाल के कठोर सेन्सरशिप के युग में दोहरी अर्थ व्यंजना की इस आश्चर्यजनक पद्धति का आविष्कार योरोपीय मध्यकाल के अनेक कवियों में भी मिलता है। श्रृंगार और अध्यात्म का यह संकेतात्मक रचना-विधान, कृष्ण लीलाओं के बहुमुखी रूपों में पाया जाता है। रस-मुहावरे का उत्तर प्रदेश में जन्म तो नहीं हुआ परन्तु अनेक रूपों में विकास यहीं हुआ।

रीतिकाल को प्रायः दरबारी और रूढ़िबद्ध लक्ष्यपरक काव्य कहकर हेय और त्याज्य माना गया है, परन्तु यही वह काल है जिसने कला माध्यम के द्वारा एक प्रकार की आश्चर्यजनक धर्मनिरपेक्षता विकसित की। पूरे हिन्दी क्षेत्र में एक ही काव्यभाषा में कवित्त और सवैया छंदों में ऐन्द्रिय बोध का ऐसा काव्य रचा गया, जिसको पढ़कर यह पता ही नहीं चलता है कि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ अनेक धार्मिक मतावलम्बी हैं। ऐहिकता को रचना का माध्यम इस सीमा तक बनाना कि अज्ञानी और अशिक्षित से लेकर पढ़े-लिखे पंडित तक रसिकता में डूब जायें इसी समय संभव हुआ। संगीत चित्र और काव्य कलाओं की पारस्परिकता से विकसित इस काल के रचनाकारों में बिहारी (मथुरा), देव (मैनपुरी), चिन्तामणि (कानपुर), मतिराम (कानपुर), भिखारीदास (प्रतापगढ़), भूषण (कानपुर), पद्माकर (बांदा), ग्यास (मथुरा), तोष (प्रयागराज), कुलपति मिश्र (आगरा), बेनी (असनी, फतेहपुर), सुरति मिश्र (आगरा), सुखदेव मिश्र (डुमरियागंज, रायबरेली), श्रीधर उपाध्याय (प्रयागराज), श्रीपति (कालपी, जालौन), रसलीन (बिलग्राम, हरदोई), दूलह (अवध), जगत सिंह (गोण्डा), प्रताप शाही (चरखारी), बेनी प्रवीन (लखनऊ), मुबारक अली (बिलग्राम, हरदोई), गुरुदत्त सिंह भूपति (अमेठी, सुल्तानपुर) आदि कवियों ने रीतिकालीन कविताओं द्वारा ऐसा वातावरण विकसित किया कि कविता सर्व संभव ही नहीं बनी बल्कि शादी-विवाह में एक रस्म के रूप में कला मर्मज्ञता और काव्य कला के ज्ञान को प्रदर्शित करने के लिए रूढ़ि तक बन गई। उत्तर प्रदेश की कुछ जातियों से स्वरचित या किसी अन्य कवि की कवित्त-कविता या सवैया सुनाना वर-कन्या के लिए अनिवार्य सा बन गया। इस प्रकार का काव्य 20वीं शताब्दी तक रचा जाता रहा। डॉ. जगदीश गुप्त की छंदशती में नवीन उद्भावनाएँ और बिम्ब विधान भी हैं। भक्ति के बरक्स इस प्रकार के धर्म निरपेक्ष काव्य का सृजन अपने आप में कम महत्वपूर्ण नहीं है। श्रीधर पाठक (प्रयागराज), मिश्रबन्धु (लखनऊ) और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सतर्क तेजस्विता के साथ गद्य और पद्य की भाषा एक होनी चाहिए इस तर्क से तो रीतिवाद का विरोध किया ही, कविता से अलंकार, श्रृंगार रस और नायिका भेद की परम्परा के बहिष्कार पर भी लिखा। सबसे पहले श्रीधर पाठक ने हिन्दी प्रदीप में एक लेख लिखकर देश प्रेम आदि आधुनिक विषयों पर लिखने और इसे छोड़ने का आग्रह किया। श्रीधर पाठक खड़ी बोली हिन्दी में प्रकृति को नये रूप में प्रस्तुत करने वाले 'नयी चाल' के कवि ही नहीं हैं, बल्कि पहले स्वछंदतावादी रचनाकार हैं जिन्होंने कांग्रेस के पहले 'जयहिन्द' का नारा दिया जैसा कि हरिवंशराय बच्चन ने लिखा है। पाठक जी के प्रयागराज स्थित पद्मकोट में ही एक प्रकार से स्वच्छन्दतावाद से छायावाद का विकास हुआ। सुमित्रानन्दन पंत और महादेवी वर्मा प्रायः यहाँ आते रहते थे। पंत और पाठक जी का संबंध 1909 से ही बहुत गहरा था। मैथिलीशरण गुप्त (चिरगांव, झांसी) के प्रकृति वर्णन और पाठक जी के प्रकृति-वर्णन में अंतर को ध्यान से देखने पर हिन्दी कविता के प्रारम्भ में विद्यमान संभावनाओं का पता लगता है। भाषा को मानकीकृत और व्यवस्थित करने के साथ ही साथ देशप्रेम, राष्ट्रीयता और नये विचारों के प्रति ग्राह्यशीलता का नवजागरणकालीन आग्रह महावीर प्रसाद द्विवेदी की 'सरस्वती' का अग्रणी तत्त्व था। मैथिलीशरण गुप्त की कविताओं का सती तत्त्व और प्रेमचन्द का सत्याग्रही व यथार्थवादी तत्त्व– दोनों ने मिलकर हिन्दी भाषा और कथा-साहित्य को लोकोन्मुखी बनाया। लोक-जागरण के साहित्य को सशक्त माध्यम बनाने का कार्य और राष्ट्रीय आन्दोलन को पूर्णतः राजनैतिक स्वतंत्रता की ओर उन्मुख करने का प्रबल आग्रह एक साथ सक्रिय हुआ। गया प्रसाद शुक्ल सनेही, रूप नारायण पांडे, जगदम्बा प्रसाद हितैषी,

पढ़ीस, राय देवी प्रसाद पूर्ण और कवि मौन आदि की रचनाएँ बकौल निराला खड़ी बोली को समर्थ काव्यभाषा बनाने वाली रचनाएँ हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय 'हरिऔध' के 'प्रिय प्रवास' की राधा, 'साकेत' की सीता, 'कामायनी' की श्रद्धा, 'सेवासदन' की सुमन, 'गोदान' की मालती, 'कर्मभूमि' की सुखदा आदि स्त्रियाँ भारतीय समाज के आदर्शवादी यथार्थवादी दौर का प्रतिनिधित्व करती हैं। प्रेमचन्द और मैथिलीशरण गुप्त दोनों अपने समय को जिस रूप में परिभाषित करते हैं वह सत्याग्रह युग की ही प्रश्नाकुलता का परिणाम है। प्रेमचन्द के 'गबन' और 'गोदान' तथा 'सद्गति', 'गुल्लीडंडा', 'आहुति', 'कफ़न', 'पूस की रात', 'नशा', 'ठाकुर का कुंआ', 'सवा सेर गेहूँ' आदि कहानियों में सामाजिक यथार्थ का जो आन्तरिक उद्घाटन होता है वह हिन्दी क्षेत्र में नहीं हिन्दी के बाहर भी अन्तर्ध्वनित होता है। हिन्दी के कथा साहित्य पर प्रेमचन्द की छायाएँ आज भी छायी रहती हैं यद्यपि प्रेमचन्द के औपन्यासिक शिल्प और सामाजिक समझ से भिन्न उपन्यास भगवतीचरण वर्मा, यशपाल और अज्ञेय ने लिखे। जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी ने मानव मन को केन्द्र में रखकर अनेक उपन्यास लिखे। जैनेन्द्र ने कथा-साहित्य को समर्थ भाषा दी और जोशी ने मन के उद्घाटन की शक्ति। इन कथाकारों ने अपनी कहानियों और उपन्यासों में अनेक नैतिक और सामाजिक प्रश्नों को जिस रूप में रखा, उसके पहले वे उस रूप में नहीं थे। 'त्यागपत्र', 'चित्रलेखा', 'टेढ़े-मेढ़े रास्ते', 'झूठा सच', और 'शेखर एक जीवनी' की दुनिया, प्रेमचंद, प्रसाद की दुनिया नहीं है। कथा साहित्य के क्षेत्र में हिन्दी में लखनऊ का एक खासा दबदबा रहा है। अमृतलाल नागर, श्रीलाल शुक्ल, भगवती बाबू, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिन्दी के कथा समयों का वैसे ही निर्माण किया है जैसे प्रेमचंद ने। उत्तर प्रदेश के शिव प्रसाद सिंह का 'अलग-अलग वैतरणी', विवेकी राय का 'बबूल', राम दरश मिश्र का 'जल टूटता हुआ' तथा अब्दुल बिस्मिल्लाह का 'झीनी झीनी बीनी चदरिया' देशकाल की फांस की ओर संकेत करने वाले उपन्यास हैं। गिरिराज किशोर, बी.राजन, मदन मोहन, देवेन्द्र, प्रियंवद, मुद्राराक्षस, कामतानाथ, अखिलेश आदि ने अपनी रचनाओं से राष्ट्रीय स्तर पर न केवल अपनी छवि निर्मित की है बल्कि अपने प्रयोगों को मनुष्य के सामाजिक और आत्मिक संकट की विसंगतियों सहित रूपायित करने का प्रयत्न किया है। ये वे रचनाकार हैं जिन्होंने अपने भौगोलिक समय और स्थान को फैलाया है। संजीव का 'धार', शैलेश मटियानी का 'मुठभेड़', विभूतिनारायण राय का 'कफ़र्यू' और कमलाकांत द्विवेदी का 'पातीघर', नीलकांत का 'बंधुआ मजदूर रामदास', राजकृष्ण मिश्र का 'दारुलशफ़ा', मैत्रेयी पुष्पा का 'इदन्नमम',वीरेन्द्र सारंग का 'वज्रांगी' महत्वपूर्ण उपन्यास हैं जिनसे पाठक संपृक्त और सजग हुआ है। ऐसे दर्जनों लेखक व उनकी रचनाएँ हैं पर उनका नामोल्लेख न कर पाना हमारी स्थान सीमा है।

हिन्दी नवजागरण के महान रचनाकारों और छायावाद के उन्नायकों में सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला', सुमित्रानन्दन पंत, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा ने उत्तर प्रदेश और हिन्दी दोनों को अपनी रचनाओं से एक प्रकार सनातनत्व प्रदान किया। पंत का पद विन्यास, निराला की क्रान्तिकारी प्रयोगधर्मिता और मौलिकता, जयशंकर प्रसाद का समरसतावादी समाधान और नाटकों में व्याप्त समतावादी राष्ट्रीय जागरण की गहरी दृष्टि तथा महादेवी की मानवीय नारीपरक व यथार्थवादी आध्यात्मिक दृष्टि, गहरी सामाजिक राजनैतिक अन्तर्दृष्टि ने पूरी सृष्टि को मानवीय बना डाला। सब कुछ में प्राण संचार करने वाली हिन्दी के रस छायावाद की भूमि, जिसे काव्य पारिभाषिक दृष्टि से मुश्किल से बहुत छोटा छह-सात वर्ष ही माना जा सकता है, उत्तर प्रदेश ही हो सकता था। 'सरस्वती', 'इन्दु', 'हिन्दी प्रदीप', 'ब्राह्मण', 'भारतेन्दु', 'कवि वचन सुधा', 'बाला बोधिनी', 'स्त्रीदर्पण', 'विज्ञान', 'व्यापार', 'हरिश्चन्द्र मैगजीन', 'स्वराज्य', 'मर्यादा', अभ्युदय', 'माधुरी', 'चांद', सुधा, 'हंस', 'रूपाभ', 'स्वदेश', 'माडर्न', 'दिव्य', 'प्रवासी' आदि पत्रिकाओं ने देश भर में एक ऐसे बौद्धिक वर्ग का निर्माण किया जो व्यापक अर्थ में मानवीय था। ये पत्रिकाएँ छठीं शताब्दी से लेकर स्वतंत्रता के पूर्व के हिन्दी मानस और कुछ सीमा तक भारतीय मानस का निर्माण करती रही हैं।

'क्षितिज के उस पार' या 'कौन तम के पार रे' आदि प्रश्नों को टालकर इस पार को महत्व देने वाले प्रत्यक्षवादियों ने हिन्दी काव्य को नई दिशा दी। बच्चन, नरेन्द्र शर्मा, अंचल और भगवती चरण वर्मा ने वर्जित

रचना क्षेत्र जैसा रवैया छोड़ दिया; उन्मुक्तता और सहजता को कविता के मर्म में स्थापित किया। उत्तर प्रदेश के इन रचनाकारों के गीतों में चिंतनशीलता के बजाय आवेग, स्वच्छंदता और तड़प है। यथार्थ को निरावृत रूप में मन की मौज में ग्रहण करने के कारण इन कवियों ने भाषा में एक विशेष प्रकार की सोच और आकर्षण पैदा किया। हिन्दी को नये प्रतीक प्रदान किये। निराला और पंत की कविताओं में भी युगान्त और युगवाणी की ध्वनि गूँजी। 1936 के प्रगतिशील लेखक संघ के लखनऊ अधिवेशन के बाद जिसे प्रेमचन्द ने सम्बोधित किया था हिन्दी कविता में भारतीय समाज के शोषण और अत्याचार के विविध चित्रों को प्रस्तुत किया गया। प्रगतिशील रचनाकारों में त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, शीलजी उस समय के प्रसिद्ध लेखकों में हैं जिन्होंने हिन्दी काव्य को निरंतर प्रौढ़ बनाया। शमशेर बहादुर सिंह प्रारंभ में इसी दौर से सम्बद्ध थे। अज्ञेय को यदि जन्मस्थान (कुशीनगर) की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का मान लिया जाय तो कहा जा सकता है कि इस दौर के प्रभाव में वे भी थे। इन कवियों ने हिन्दी भाषा को तद्भव शब्दों और नयी अनुभूतियों से सम्पन्न किया। पत्र-पत्रिकाओं ने भी इसमें महत्त्वपूर्ण योगदान किया। 'प्रतीक' (प्रयागराज) के प्रकाशन के साथ हिन्दी कविता में नया दौर प्रारम्भ होता है। 'तार सप्तक' का प्रकाशन एक घटना है, इसमें रामविलास शर्मा, भारतभूषण अग्रवाल उत्तर प्रदेश के रचनाकार हैं परंतु दूसरा सप्तक और तीसरा सप्तक में प्रदेश के कई महत्वपूर्ण रचनाकार शामिल हैं। बल्कि कहा जा सकता है कि दूसरा सप्तक और तीसरा सप्तक तक प्रयोगवाद और नयी कविता के दौर के अनेक लेखन-आन्दोलन ही चूँकि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से प्रारंभ हुए, इसीलिए वे रचनाकार इसी प्रदेश के हैं। शमशेर, नरेश मेहता (जन्म मध्य प्रदेश, रचना क्षेत्र- प्रयागराज), कुँवर नारायण, धर्मवीर भारती, सर्वेश्वर, रघुवीर सहाय, विजयदेव नारायण साही, लक्ष्मीकांत वर्मा, विपिन कुमार अग्रवाल, मलयज, केदारनाथ सिंह इस प्रदेश की ही विभूतियाँ हैं, जिनके कारण यह प्रान्त अपनी सीमा के बाहर भी जाना जाता है।

छठे दशक के इन रचनाकारों का प्रभाव इधर लिख रहे अनेक रचनाकारों में पाया जाता है। देवेन्द्र कुमार, श्रीराम वर्मा, शिवकुटी लाल वर्मा, अजित कुमार, कीर्ति चौधरी आदि रचनाकारों ने कविता को सम्पन्न करने का कार्य किया परन्तु धूमिल ने कविता के स्थिर मुहावरे को तोड़ा। धूमिल ने यथार्थ के स्थिर और अपेक्षाकृत आदर्शीकृत काव्यात्मक मुहावरे के स्थान पर अनुभव और संवेदना के द्वन्द्वात्मक रिश्ते से विकसित एक नया मुहावरा दिया, जिससे कविता कटघरे में खड़े आम आदमी का बयान करने लगती है। धूमिल के मुहावरे की अपनी सीमा थी परन्तु उसका प्रभाव सातवें और आठवें दशक पर व्यापक रूप से पड़ा। विशेषकर उन पर जो कविता को क्रान्ति का एक महत्वपूर्ण माध्यम मानते रहे हैं। भावुक प्रतिक्रियाओं के इस दौर के बाद हिन्दी में अनेक नये कवि इस प्रदेश में आठवें और नवें दशक में हैं। कविता के क्षेत्र में कवि कम कवि यशः प्रार्थी अधिक हैं। नीलाभ, प्रभात, राजेश, वीरेन डंगवाल, नरेश सक्सेना, देवी प्रसाद मिश्र, बोधिसत्व, मान बहादुर सिंह, कात्यायनी, बद्रीनारायण, हरीशचन्द्र पाण्डे, अनिल श्रीवास्तव, अग्निवेद जैसे सैकड़ों कवियों ने अपनी कविताओं से अपने समय के संकट और सामर्थ्य को चिन्तनशील भावना के साथ व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश का योगदान अधूरा ही माना जाएगा अगर कविता और साहित्य को प्रतिष्ठान का रूप देने वाले उन अनेक गीतकारों और रचनाकारों का उल्लेख न हो जिन्होंने गीत विधा में विविध प्रयोग करके उसे सम्मेलनी स्तर से उठाकर महज गले का कमाल नहीं रहने दिया है। विसंगतियों, विद्रूपों और व्यंजनाओं का गहरी सम्प्रेषण क्षमता के साथ प्रयोग इन कवियों ने किया है। इसमें उमाकान्त मालवीय, रमानाथ अवस्थी, मोहन अवस्थी, तन्मय बुखारिया, नीरज, रामस्वरूप सिन्दूर, सोम ठाकुर, महेश्वर तिवारी, के.पी. सक्सेना, कैलाश गौतम, उमाशंकर तिवारी, गुलाब सिंह, यश मालवीय, अमरनाथ श्रीवास्तव विशेष उल्लेखनीय हैं। इन रचनाकारों ने बाजारूपन और कृत्रिम गंभीरता से कविता को यथासंभव बचाया है। हिन्दी गजल को एक विधा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले दुष्यन्त कुमार उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। वैसे प्रयोग तो भारतेन्दु ने भी किया और निराला ने भी परन्तु दुष्यंत के अलावा शमशेर, विजयदेवनारायण साही, अदम गोंडवी, गोरख पांडे और एहतराम इस्लाम ने हिन्दी में ग़ज़ल को व्यापक

अर्थवत्ता प्रदान की है। शमशेर और साही तो काफिया रदीफ की दृष्टि से भी अत्यंत चौकन्ने गजल लिखने वाले हैं। संसार की अन्य भाषाओं की तरह आत्मविमर्शात्मक स्वरूप वाली अनेक महत्वपूर्ण कविताएँ हिन्दी में भी हैं। इन्हें भक्ति अध्यात्म या धर्मानुभूति के खांचे में डालना कठिन है। निराला के आराधना और अर्चना के गीतों से लेकर गोविन्द चन्द्र पांडे की 'किसका', केशव कालीधर की 'समर्थ रीति', लक्ष्मीकांत वर्मा की 'कंचनमृगा', नरेश मेहता की 'उत्सवा' तक एक भिन्न प्रकार का आस्वाद है जो समकालीन प्रश्नों का शाश्वत उत्तर देने का प्रयत्न है।

कहानी विधा एक अर्थ में अंकुरित, पल्लवित और पुष्पित उत्तर प्रदेश में ही हुई। प्रेमचन्द से लेकर दीपक श्रीवास्तव तक उसका सर्जनात्मक तेवर वाला इतिहास है। प्रेमचन्द्र, प्रसाद, यशपाल, अश्क, अज्ञेय आदि पूर्वजों के बाद कहानी विधा विविध आन्दोलनों और परिवर्तनों के दौर से गुजरती रही है। इस दौर में जिन्होंने इसे सम्पन्न बनाया उन लोगों में उत्तर प्रदेश के लेखकों को यदि प्रदेश के माध्यम से जाना जाता हुआ माना जाय– तो मार्कण्डेय, राजेन्द्र यादव, कमलेश्वर, अमरकान्त, शैलेश मटियानी, रामलाल, शेखर जोशी, हृदयेश, दूधनाथ सिंह, विभूतिनारायण राय, ज्ञानरंजन, गिरिराज किशोर, गोविन्द मिश्र, मैत्रेयी पुष्पा, नीलकान्त, शिवमूर्ति, संजीव, शिवानी, ममता कालिया, नमिता सिंह, शिव प्रसाद सिंह, काशीनाथ सिंह, कामतानाथ, रघुवीर सहाय, वसु मालवीय, शैलेन्द्र सागर, प्रियंवद, अखिलेश, मुद्राराक्षस, मनोज पाण्डे, वीरेन्द्र सारंग, लक्ष्मीशंकर मिश्र 'निशंक', से.रा. यात्री तथा अन्य दर्जनों नाम, ने अपनी कहानियों से कहानी को सर्जनात्मक विधा ही नहीं बनाये रखा, बल्कि इस विधा के माध्यम से मनुष्य और यथार्थ दोनों को न केवल उद्घाटित किया, बल्कि संवेदनाओं के ऐसे क्षेत्रों की ओर संकेत किया जो बिल्कुल नया था। ऐसे अंधेरे की ओर संकेत किया जहाँ मणियाँ थीं और ऐसे प्रकाशित स्थलों को दिखाया, जहाँ अंधेरा ही अंधेरा था। नये कथ्य, नयी भाषा और नये यथार्थ और नये शिल्प की दृष्टि से इन रचनाकारों का स्थायी योगदान है। इधर कहानियों में सूचनाओं के जंजाल का तंत्र लक्षणवादी तंत्र से अधिक विकसित हुआ है। कुछ ऐसे लेखक, कवि जो उत्तर प्रदेश में स्थायी रूप से बस गए हैं उनमें से मास्टर कहानीकार उपेन्द्रनाथ अश्क, बलवन्त सिंह, रवीन्द्र कालिया, सतीश जमाली और ज्ञानेन्द्रपति का उल्लेख आवश्यक है। इनमें से कालिया और सतीश के लगभग सभी संकलन उत्तर प्रदेश आवास के बाद छपे हैं। अश्क और बलवन्त सिंह के उपन्यासों और कहानियों से हिन्दी भाषा समृद्ध ही नहीं हुई, बल्कि कथा-साहित्य में जीवनानुभव के विस्तृत वर्णन और रोमांस से यथार्थ का एक नया ही रूप उद्घाटित हुआ है।

नाटक और रंगमंच के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का योगदान अग्रणी है। बालकृष्ण भट्ट, देवकीनन्दन त्रिपाठी, शीतला प्रसाद, गोपाल दास, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, राधाकृष्ण दास और माधव शुक्ल हिन्दी नाटक और रंगमंच के प्रजापति हैं। प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर और वाराणसी के रंगकर्मियों ने विक्टोरिया और अलबर्ट थियेटर कम्पनियों के समानांतर रंगमंच का विकास किया। 1870 के आस-पास प्रयाग रेलवे थियेटर में 300 दर्शकों के प्रमाण मिलते हैं। लखनऊ की विद्यान्त नाट्यशाला में बंगला से अनूदित और मूल हिन्दी नाटकों के 1877 तक खेले जाने के प्रमाण हैं। 1885 में भारतेन्दु के हरिश्चन्द्र के पांच प्रदर्शन हो चुके थे। माधव शुक्ल ने तो कलकत्ता में भी हिन्दी रंगमंच का आन्दोलन चलाया। इन नाटककारों के सामाजिक, समस्यामूलक, ऐतिहासिक, प्रतीकात्मक और देशप्रेमपरक नाटकों के बाद प्रसाद के नाटकों का दौर आता है, जो पठनीय अधिक, अभिनेय कम माने जाते हैं। प्रसाद के नाटकों का अनुकरण बड़े पैमाने पर नहीं हुआ परन्तु वे नाटक राष्ट्र जागरण के ही नहीं राजनैतिक स्वतंत्रता के नाटक हैं। 'ध्रुवस्वामिनी' तो सामाजिक स्वतंत्रता का भी नाटक है। प्रसाद के बाद के समय में ही लक्ष्मीनारायण मिश्र और भुवनेश्वर के नाटक छप रहे थे। इन दोनों ने हिन्दी नाटक को सामाजिक प्रश्नों के सामने खड़े होने और मनुष्य तथा समाज में होने वाले मानसिक भौतिक परिवर्तनों को केन्द्र में रखकर नाटक की भाषा और विधान को बदला। पश्चिम के इब्सन, गाल्सवर्दी और शॉ का प्रभाव ग्रहण कर राम कुमार

वर्मा, जगदीशचन्द्र माथुर, लक्ष्मीकांत वर्मा, लक्ष्मीनारायण लाल, विपिन कुमार अग्रवाल ने हिन्दी नाटक में अनेक संभावनाओं का विस्तार किया। नाटक में अभिनय संभावनाओं का विस्तार भुवनेश्वर से प्रारंभ हुआ। विपिन कुमार, मुद्राराक्षस, लक्ष्मीनारायण लाल, सूर्यमोहन कुलश्रेष्ठ, उर्मिल कुमार थपलियाल, राजेश कुमार, सुलतान अहमद रिज़वी और सत्यव्रत सिन्हा ने उसे समर्थ और समकालीन बनाया। सुरेन्द्र वर्मा, मोहन राकेश के बाद जो सर्वाधिक चर्चित नाटककार हैं वे भी उत्तर प्रदेश में ही जन्मे हैं।

विष्णु प्रभाकर वैसे तो उपन्यासकार और कहानीकार हैं, 'अर्द्धनारीश्वर' पर साहित्य अकादमी सम्मान भी मिला है परन्तु प्रसिद्धि उन्हें नाटकों से ही मिली है। लगभग 10 खंडों में नाटक प्रकाशित हैं। नेमिचंद जैन और गिरीश रस्तोगी का नाट्य आन्दोलन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। 'नटरंग' के बगैर नाटक के विकास की चर्चा अधूरी रह जाती है। सत्यमूर्ति और कृष्णनारायण कक्कड़ को भी रंगकर्म और नाटकों के लिए भुलाना असंभव है। गो कि कक्कड़ जी ने कविता आलोचना, चित्रकला-विमर्श, चित्रकला-अनुवाद में भी समान रूप से योगदान दिया। नाटक के माध्यम से रंगमंच पर सत्य को परिभाषित करने का कार्य जो भारतेन्दु के समय से प्रारंभ हुआ उसे इस प्रदेश के रंगकर्मियों और नाटककारों ने सीमाहीन क्षेत्रों में फैलाया।

आलोचना और पुस्तक समीक्षा दोनों की शुरुआत उत्तर प्रदेश में हुई। भारतेन्दु, बदरीनारायण चौधरी 'प्रेमधन' और बालकृष्ण भट्ट इसके आरंभकर्ता हैं। संयोगिता स्वयंवर नाटक जिसकी पहली समीक्षा हिन्दी में लिखी गई, उसके लेखक श्रीनिवास दास मथुरा के थे। प्रसिद्ध आलोचक मिश्र बन्धु और रामचन्द्र शुक्ल ने न केवल हिन्दी आलोचना की भाषा विकसित की बल्कि पहली बार व्यवस्थित रूप से कुछ मान (कैनन) भी विकसित किये जिसका लोहा लोग आज भी मानते हैं। रामबिलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद गुप्त, नामवर सिंह, विजयदेव नारायण साही, लक्ष्मीकान्त वर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉ. रघुवंश, दूधनाथ सिंह, परमानन्द श्रीवास्तव, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, राजेन्द्र कुमार, डॉ. अजय तिवारी, मधुरेश, विश्वनाथ त्रिपाठी, नित्यानंद तिवारी, अजित कुमार, वागीश शुक्ल, वीरेन्द्र यादव, सुशील सिद्धार्थ, पंकज चतुर्वेदी, कृष्णमोहन, अनिल सिन्हा, प्रणय कृष्ण और मूलचन्द गौतम ने हिन्दी आलोचना को अनेक रूपों में समृद्ध किया है। रामविलास शर्मा जलती मशाल की तरह विद्वत्ता और मूल्यांकन की अद्‌भुत क्षमता से युक्त समर्थ ऐतिहासिक आलोचक हैं। 'निराला की साहित्य साधना' तो जीवनी और आलोचना दोनों का प्रमाण है ही। नयी कविता और अस्तित्ववाद, स्थायी मूल्य और साहित्य रामचन्द्र शुक्ल और हिन्दी आलोचना, 'भारतेन्दु और हिन्दी भाषा की विकास परम्परा' रामचन्द्र शुक्ल के बाद सबसे समर्थ आलोचना के गौरवग्रंथ हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भाषा को मानकीकृत करके हिन्दी को गद्य और पद्य की एक भाषा ही नहीं बनाया, बल्कि हिन्दी भाषियों की चेतना का अपूर्व संस्कार किया। उन्होंने मनोरंजन और उद्देश्य दोनों को साहित्य का लक्ष्य माना। समीक्षाएँ लिखीं भी और लिखवायीं भी। मिश्र बन्धुओं के 'हिन्दी नवरत्न' की समीक्षा आधुनिक रचना की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। शुक्ल जी के प्रमुख शिष्य नन्ददुलारे वाजपेयी (उन्नाव) ने शुक्ल जी से हटकर छायावाद की प्रमुख कृतियों का ही नहीं 'साकेत', 'शेखर एक जीवनी', 'कामायनी', 'गोदान' आदि पर महत्वपूर्ण निबंध लिखे। छायावाद को प्रतिष्ठित करने का कार्य तो किया ही हिन्दी साहित्य बीसवीं शताब्दी की विवृत्ति आलोचना का महत्वपूर्ण प्रतिमान है। सच तो यह है कि शुक्ल जी के बाद वाजपेयी जी कला मर्मज्ञ सामाजिक दृष्टि के सबसे सशक्त आलोचक हैं।

साही की 'जायसी और छठवां दशक', नामवर सिंह की 'कविता के नये प्रतिमान', विपिन कुमार की 'आधुनिकता की पहल', रामस्वरूप चतुर्वेदी की 'भाषा और संवेदना', रमेश कुंतल मेघ का 'अथातो सौन्दर्य जिज्ञासा', परमानन्द श्रीवास्तव की 'शब्द और मनुष्य' तथा वागीश शुक्ल के 'पूर्वग्रह' तथा 'आलोचना' में प्रकाशित लेख प्रतिमानात्मक कृतियाँ हैं। काल्पनिक और अकाल्पनिक गद्य में हिन्दी आलोचना प्रायः दरिद्र है। उत्तर प्रदेश के कुछ लोगों ने प्रयत्न किया है जैसे जगदीश नारायण श्रीवास्तव का 'उपन्यास की शर्त', नेमिचंद जैन (आगरा) की प्रसिद्ध पुस्तक 'अधूरे साक्षात्कार' अभी भी आदर्श बनी हुई है।

यात्रावृत्तान्त, आत्मकथा, जीवनी और संस्मरण आदि विधाओं में ऐतिहासिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश में पैदा हुए रचनाकार अग्रणी रहे हैं। विन्द्रावत लाल वर्मा, श्यामसुन्दर दास की 'मेरी आत्म कहानी' कई अर्थों में आत्मकथा विधा का व्यवस्थित स्वरूप है। हरिवंश राय बच्चन की चार खंडों में प्रकाशित 'क्या भूलूँ क्या याद करूँ', 'नीड़ का निर्माण', 'बसेरे से दूर' और 'दशद्वार से सोपान तक' एक प्रकार से महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। रचनाकारों ने आत्मकथाएँ प्रायः कम लिखी हैं। यात्रा वृत्तान्तों की दृष्टि से अज्ञेय का 'अरे यायावर रहेगा याद', भाषा की संक्षिप्तता और सटीकता तथा वस्तु की जीवंतता का चरम उदाहरण है। जीवनी की दृष्टि से प्रारम्भ तो भारतेन्दु युग में हो चुका था परन्तु इस विधा की व्यवस्थित और प्रभावपूर्ण प्रयोग 'आवारा मसीहा' में विष्णु प्रभाकर ने किया है। अमृत राय का 'कलम का सिपाही', उस अर्थ में और भी महत्वपूर्ण है कि प्रेमचन्द लेखक के पिता भी थे, लेखक के लिए आवश्यक दूरी बनाना कठिन था। यद्यपि इसके पहले चरित्रों और वृत्तान्तों की लम्बी परम्परा मिलती है परन्तु नरेन्द्र शर्मा लिखित 'महात्मा गांधी', राधामोहन गोकुल लिखित 'नेपोलियन बोनापार्ट', रामचन्द्र वर्मा लिखित 'महात्मा गांधी'। हिन्दी लेखकों की जीवनियों की महत्वपूर्ण शुरुआत श्याम सुन्दर दास ने 'हिन्दी कोविद रत्नमाला' से की। इधर डॉ. रामकमल राय ने प्रसिद्ध कवि अज्ञेय पर 'शिखर से सागर तक' शीर्षक से महत्वपूर्ण और एक अर्थ में एकमात्र प्रमाणित जीवनी लिखी है। संस्मरणों में बनारसी दास चतुर्वेदी, श्रीनारायण चतुर्वेदी, कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर', रामनरेश त्रिपाठी और अज्ञेय का विशेष महत्व है। एक प्रकार से इन रचनाकारों ने इसे सर्जनात्मकता प्रदान की। अमृतराय की 'जिनकी याद सदा हरी रहेगी' तथा जगदीश माथुर की 'जिन्होंने जीना जाना' ऐसी पुस्तकें हैं जो भाषा के सांकेतिक और सटीक प्रयोग के कारण संस्मरण में गहरी संवेदनात्मक क्षमता पैदा करती हैं। रेखाचित्रों में महादेवी जी की 'अतीत के चलचित्र' और 'स्मृति की रेखाएँ' अभी भी अन्यतम हैं। एक शब्द का भी अनावश्यक प्रयोग नहीं मिलेगा।

रवीन्द्र कालिया, काशीनाथ सिंह, दूधनाथ सिंह शिवमूर्ति के इधर प्रकाशित संस्मरणों में सर्जनात्मक ऊर्जा के कारण पाठक को आनन्द मिलता है। दूधनाथ सिंह का 'लौट आ ओ धार' और काशीनाथ सिंह का 'काशी का अस्सी' संस्मरण से हटकर एक प्रकार का संस्मरणात्मक गल्प है। यह पुस्तक विधात्मक नयेपन के कारण ही नहीं अपनी बुनावट के कारण भी लीक से हटकर है।

सृजनात्मक चिंतन और ललित निबंधों की दृष्टि से हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ, विवेकी राय, कन्हैया लाल मिश्र 'प्रभाकर', डॉ. रघुवंश, युगेश्वर और कृष्णनाथ का योगदान अविस्मरणीय है। आचार्य द्विवेदी जैसी मर्मवेधनी मानवीय दृष्टि और शोषितों तथा गरीबों के प्रति सहानुभूति का तो अभाव हुआ है, परन्तु प्रकृति मात्र के प्रति व्यापक दृष्टि तथा मानवीय चिन्ता निबंधकारों का मुख्य विषय है।

रचनाकार किसी भी प्रदेश के हों वे मूलतः किसी न किसी भाषा के लेखक होते हैं और भाषाएँ भारत में एक भाषिक क्षेत्र के अन्तर्गत होने के कारण एक दूसरे को कितना कुछ सम्पन्न करती रहती हैं, कहना कठिन है। इस अर्थ में हिन्दी क्षेत्र का व्यापक महत्व है। हिन्दी के अधिसंख्य लेखक उत्तर प्रदेश के हैं परन्तु हिन्दी को इतना व्यापक बनाने का श्रेय उन लेखकों को अपेक्षाकृत अधिक है जो अन्य भाषा क्षेत्रों से हैं। उत्तर प्रदेश के रचनाकारों में से भी अनेक अन्य प्रान्तों में बसे हैं, फलतः बहुआयामों के कारण अनुभव और भाषा का नया संश्लेष पैदा कर सके हैं।

उर्दू अदब

उर्दू भाषा के विकास में उत्तर प्रदेश का विशेष योगदान रहा है। तेरहवीं सदी में यद्यपि अमीर ख़ुसरो ने, जिनका जन्म पटियाली (जिला एटा) पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ था, कुछ पद्यात्मक रचनायें कीं पर उर्दू गद्य का वास्तविक विकास अठारहवीं सदी से प्रारम्भ हुआ था। उर्दू के महान शायर ग़ालिब, मीर तथा नज़ीर अकबराबादी, जिनका दृष्टिकोण धर्मनिरेपक्ष रहा, का जन्म स्थान आगरा था। मीर ने अपने आखिरी दिन लखनऊ में बिताये थे। नज़ीर अकबराबादी आगरा में ही रहे और वहीं उनका देहान्त हुआ। आसिफ़ुद्दौला स्वयं उच्चकोटि के शायर

थे, फलतः लखनऊ उर्दू शायरी का केन्द्र बन गया।

उधर दिल्ली से लखनऊ बहुत सारे शायर आए क्योंकि दिल्ली दरबार उजड़ रहा था। ऐसे आने वाले महान शायरों में फ़ुगाँ, मीर तक़ी मीर, सौदा, मीर ज़ाहिक़ और मीर हसन का उल्लेख किया जा सकता है। इनके बाद मुसहफी, इंशा और जुरअत आये। समय और स्थान के परिवर्तन का प्रभाव यह हुआ कि दिल्ली शायरी की नैराश्यमय एवं उपालम्भपूर्ण शैली का स्थान लखनऊ की सुगम, अलंकारिक एवं ललित शैली ने ले लिया। लखनऊ शैली के दो प्रमुख शायर थे, नासिख़ और आतिश। ग़ज़ल के अतिरिक्त उर्दू शायरी की अन्य विधाओं जैसे मसनवी का सुन्दर उदाहरण मीर हसन, दयाशंकर 'नसीम', नवाब मिर्ज़ा 'शौक़' तथा अहमद अली शौक क़िदवई ने प्रस्तुत किया। इनकी रचनाओं के नाम हैं– 'सहरूलबयान', 'गुलज़ारे नसीम', 'ज़हरे इश्क' और 'आलमेख़्याल'। रेख़ती में जान साहब ने कमाल दिखाया तथा एक पूरा दीवान यादगार छोड़ा। कुछ उर्दू शायरों को रामपुर, फ़र्रुखाबाद में आश्रय मिला। दाग़, असर, अमीर, जलाल और तस्लीम उन प्रसिद्ध शायरों में से थे, जिन्हें रामपुर दरबार की तरफ से मदद मिली।

उर्दू शायरी की एक विधा 'मर्सिया' है जिसे मीर अनीस एवं मिर्ज़ा दबीर और उनके समकालीन शायरों ने उत्कर्ष पर पहुँचाया। अब इस विधा को एक नया आयाम देते हुए जदीद मर्सिये लिखे जा रहे हैं। जोश मलिहाबादी, अली मेंहदी बलरामपुरी, समर हतनौरी, तय्यब काज़मी, तबस्सुम ऐजाज़ी, नासिर लखनवी ने नये मर्सिये को नया रंग दिया। उर्दू नाटककारों में अवध नरेश वाजिद अली शाह 'अख़्तर' ने 'राधा-कन्हैया' का रहस्य लिखकर तथा आगा हसन अमानत ने 'इन्द्रसभा' लिखकर उर्दू साहित्य के इतिहास में नाम पैदा किया। आधुनिक युग में आग़ा हश्र कश्मीरी ने सुविख्यात एवं लोकप्रिय नाटक लिखे। इस परम्परा को विलायत जाफ़री, ज़ैनुद्दीन आदि आगे बढ़ा रहे हैं।

बीसवीं सदी के प्रारम्भ में बृजनारायण 'चकबस्त', सफ़ी, अज़ीज, साक़िब और जलाल ने अपनी ग़ज़लों और नज़्मों में नये विषयों का समावेश किया तथा लखनवी शायरी को नयी दिशा दी । ब्रजनारायण 'चकबस्त' इस संदर्भ में विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, क्योंकि उन्होंने उर्दू शायरी में राष्ट्र प्रेम की भावना का सूत्रपात किया। उत्तर प्रदेश के कुछ अन्य प्रख्यात शायरों में सुरूर जहानाबादी, मौ. मोहम्मद अली 'जौहर', बिशन नारायण दर, नौबतराय नज़र, द्वारिका प्रसाद उफ़ुक़, हसरत मोहानी, यगाना चंगेज़ी, असगर गोंडवी, अकबर इलाहाबादी, आरज़ू लखनवी, फ़ानी बदायूंनी, रियाज़ खैराबादी, मुज़तर खैराबादी, जाफ़र अली खां 'असर' और सिराज लखनवी आदि उल्लेखनीय हैं। इन सब शायरों ने उर्दू ग़ज़ल और शायरी को नया आयाम दिया। उर्दू शायरी में उपालम्भों की शुरुआत और उक्त शैली का विकास भी उत्तर प्रदेश में हुआ।

उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध से 'अवधपंच' में उपहासात्मक कवितायें तथा लेखादि छपा करते थे। इस कोटि के सबसे सफल कवि अकबर इलाहाबादी तथा ज़रीफ़ लख़नवी थे। बाद में गद्य लिखने वालों में रशीद अहमद सिद्दीक़ी, शौकत थानवी, अहमद जमाल पाशा, वजाहत अली सन्दीलवी आदि ने नाम कमाया।

उर्दू गद्य को भी उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण देन रही है। गद्य लिखने वाले सर्वप्रथम लेखकों में लखनऊ के मिर्ज़ा रजब अली बेग 'सुरूर' का नाम आता है। उन्होंने अवध के शासक नसीरुद्दीन हैदर के शासनकाल में 'फ़सान-ए-अजायब' लिखा। कतिपय अन्य रचनायें भी इनके नाम से हैं। इनकी शैली अलंकारिक और दुरूह है। शब्दाडम्बर भी अधिक है।

सन् 1857 के स्वतंत्रता आन्दोलन के बाद मौलाना अब्दुल हलीम 'शरर' तथा पण्डित रतननाथ 'सरशार' के उपन्यासों में उर्दू गद्य लेखन की सरल शैली दिखायी पड़ी। उर्दू साहित्य में नयी परम्परायें प्रारम्भ करने वालों में मिर्जा हादी 'रुसवा', मुंशी सज्जाद हुसैन, मौलाना शिबली, अल्लामा नियाज़ फ़तेहपुरी, अब्दुल माजिद दरियाबादी आदि ने साहित्य और अन्य विषयों पर जो कुछ लिखा, वह अविस्मरणीय है। अलीगढ़ में मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले सर सैय्यद अहमद खां, जो दिल्ली के रहने वाले थे, किन्तु उत्तर

प्रदेश में बस गये थे, ने अपने लेखों आदि में अनेक विषयों का समावेश कर उर्दू साहित्य को नयी दिशा प्रदान की तथा भाषा को सरल और आसान बनाया। उन्होंने समाज सुधार, इतिहास, जीवनी, शिक्षा, राष्ट्रीयता और राजनीति से सम्बद्ध विविध विषयों पर लेख लिखे। उनके विस्तृत ज्ञान की उनके समकालीन लेखक अवहेलना नहीं कर सके। इस प्रकार लेखकों के सामने ऐसे विषय आये, जिनकी तरफ पहले उनका ध्यान ही नहीं गया था। इतिहासकारों में इसी प्रदेश के कमालुद्दीन हैदर हसनी उल हुसैनी, राजा दुर्गा प्रसाद मेहर संदीलवी और मौलवी नजमुल ग़नी रामपुरी ने अवध के इतिहास पर बुनियादी कार्य किया तथा उच्चकोटि की पुस्तकें यादगार के रूप में छोड़ीं। देश के उर्दू पुस्तकों का सबसे महत्वपूर्ण प्रकाशन केन्द्र मुंशी नवल किशोर ने लखनऊ में स्थापित किया था। उर्दू के प्रति इस प्रकाशक की सेवायें अविस्मरणीय हैं। इन्होंने ही 'अवध अखबार' जारी किया था। पं. रतननाथ सरशार का सुविख्यात उपन्यास 'फसान-ए-आज़ाद' इसी अखबार में किश्तवार छपा करता था। सैय्यद जालिब का सुविख्यात अख़बार 'हमदम' लखनऊ से प्रकाशित होता था।

उत्तर प्रदेश से बहुत सारे अदबी रिसाले भी प्रकाशित होते थे। इनमें खदंग-ए-नज़र, उर्दू-ए-मुअल्ला, दिलगुदाज़, ज़माना, अदीब, अल-नाज़िर, निगार, माअरिफ़, नया दौर और किताब उल्लेखनीय हैं। इनमें से 'माअरिफ़' और सूचना विभाग से प्रकाशित 'नया दौर' आज भी प्रकाशित हो रहे हैं।

उर्दू में प्रगतिशील साहित्य को बढ़ावा देने में भी उत्तर प्रदेश आगे रहा है। प्रगतिशील लेखक संघ की प्रथम कांफ्रेंस 1936 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ही आयोजित हुई थी, जिसकी अध्यक्षता सुविख्यात उर्दू-हिन्दी कहानीकार मुंशी प्रेमचन्द ने की थी। प्रगतिशील साहित्य में मजदूरों, किसानों और समाज के अन्य दबे-कुचले वर्गों की समस्याओं के चित्रण पर बल दिया गया और साहित्य द्वारा जनता में अपनी मौलिक समस्याओं और अपने अधिकारों के सम्बन्ध में जागरूकता पैदा करने के चित्रण पर ज़ोर दिया गया। साथ ही साहित्य द्वारा जनता की मौलिक समस्याओं के निराकरण की कोशिश की गई। प्रगतिशील लेखक संघ के संस्थापकों में सज्जाद ज़हीर का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जो एक महत्वपूर्ण साहित्यकार भी थे। इनका संबंध भी उत्तर प्रदेश से था। सुप्रसिद्ध प्रगतिशील समालोचक प्रो. सैय्यद एहतेशाम हुसैन रिज़वी भी उत्तर प्रदेश के थे। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश ने ही उर्दू साहित्य को प्रो. मसूद हसन रिज़वी अदीब, मजनूँ गोरखपुरी, प्रो. एजाज़ हुसैन, डॉ. मसीहउज़्ज़मा, प्रो. आले अहमद सुरूर, प्रो. फज़ले इमाम, अली सरदार जाफ़री और डॉ. इबादत बरेलवी जैसे आलोचक भी दिये। जो अन्य महत्वपूर्ण साहित्यकार, कहानीकार और कवि उत्तर प्रदेश ने उर्दू को दिये, उनमें क़ुअर्तुल ऐन हैदर, इसमत चुगताई, अली अब्बास हुसैनी, उपेन्द्रनाथ अश्क, बलवंत सिंह, हयातुल्लाह अन्सारी, रामलाल, चौधरी मोहम्मद अली, जोश मलिहाबादी, मजाज़, फिराक़ गोरखपुरी, जिगर मुरादाबादी, वामिक़ जौनपुरी, अली सरदार जाफ़री, मोइन एहसन जज़बी, बाक़र मेंहदी, ख़लीलुर्रहमान आज़मी, सलाम मछली शहरी, मजरूह सुल्तानपुरी, कैफ़ी आज़मी, बेकल उत्साही, नज़ीर बनारसी, इरफान सिद्दीकी, शहरयार, बशीर बद्र, वसीम बरेलवी, एहसन रिज़वी, उमर अंसारी, गुलाम रिज़वी गर्दिश, कृष्ण बिहारी 'नूर' और ख़ुमार बाराबंकवी, मन्ज़र सलीम, दाराबबानो 'वफ़ा' आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। उर्दू शायरी के सशक्त प्रतिनिधि के रूप में इरफ़ान सिद्दीकी ने पिछले एक दशक में अपना लोहा मनवाया। भारत ही नहीं पूरी उर्दू दुनिया में उनकी शायरी आधुनिक और प्रगतिशीलता के समागम के रूप में प्रसिद्ध हुई। 'ज्ञानपीठ' से पुरस्कृत 'उमराव जान' फिल्म के गीतकार एवं मशहूर शायर 'शहरयार' ने भी उर्दू शायरी में प्रदेश का नाम बुलन्दियों तक पहुँचाने में बड़ा योगदान दिया।

उत्तर प्रदेश के लिए यह भी कम गर्व का विषय नहीं है कि साहित्य के सर्वोच्च सम्मान 'ज्ञानपीठ' से पुरस्कृत होने वली उर्दू की चार महान विभूतियाँ हैं। उर्दू शायरी को उत्कर्ष पर पहुँचाने वाली महान शख्सियत व मशहूर शायर 'फ़िराक़' गोरखपुरी, विख्यात उपन्यासकार व कथाकार क़ुअर्तुल ऐन हैदर, मशहूर प्रगतिशील शायर अली सरदार जाफ़री एवं शहरयार भी उत्तर प्रदेश के ही हैं।

इसके बाद जिन दो साहित्यकारों को 'सरस्वती सम्मान' से नवाज़ा गया वे भी उत्तर प्रदेश के हैं। इनमें पुरस्कृत समालोचक, लेखक शम्सुर्रहमान फ़ारूकी को पहले और उसके बाद मशहूर कथाकार नैय्यर मसूद को सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया। भारत में अभी तक किसी भी अन्य प्रदेश के उर्दू साहित्यकार को सरस्वती सम्मान प्राप्त नहीं हुआ। इनके अलावा और भी महान एवं महत्वपूर्ण लेखक तथा कवि उत्तर प्रदेश ने उर्दू को दिये हैं।

सन् 1960 में और उसके पश्चात् भारत के उर्दू साहित्य में आधुनिक अभिव्यक्ति (जदीदियत) की जो बात चली, उसे आगे बढ़ाने में सबसे अधिक योगदान उत्तर प्रदेश के शहर प्रयागराज से प्रकाशित होने वाली उर्दू की साहित्यिक पत्रिका 'शबखून' का रहा। इस पत्रिका के माध्यम से सुविख्यात आधुनिक साहित्यकार शम्सुर्रहमान फ़ारुकी ने, जो उत्तर प्रदेश के ही हैं, आधुनिकता की व्याख्या की और उसे आगे बढ़ाया। आधुनिकता के अन्तर्गत साहित्य में प्रतीकात्मक और एब्सट्रेक्ट अभिव्यक्ति पर ज़ोर दिया गया और कहानी, कविता और ग़ज़ल में आज के युग के व्यक्ति की सामाजिक समस्याओं पर कम, मनोवैज्ञानिक समस्याओं के चित्रण पर अधिक ज़ोर दिया गया।

उर्दू साहित्य में शोध कार्य करने वालों तथा समालोचकों में प्रो. महमूद इलाही, प्रो. नूरुल हसन हाशमी, काज़िम अली खाँ, डॉ. सै. मु. अकील रिजवी, डॉ. जाफर रजा, प्रो. शारिब रुदौलवी, प्रो. मुजाविर हुसैन रिज़वी, अली जवाद जैदी तथा डॉ. मुहम्मद हसन, प्रो. कमर रईस, प्रो. हनीफ़ नकवी, प्रो. अकबर हैदरी कश्मीरी, वारिस किरमानी, अनीस अशफाक, वक़ार नासिरी आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इसी प्रकार नैयर मसूद, आबिद सुहेल, बशेषर प्रदीप, जुबेर रिज़वी, मलिक ज़ादा मन्जूर अहमद, वक़ार नासिरी, मसरूर जहाँ, अनीस अंसारी, अम्बर बहराइची, फय्याज रफत, विलायत जाफ़री, मुनव्वर राना, रबाब रशीदी, तसनीम फारुक़ी, बशीर फ़ारुकी, इक़बाल मजीद, काज़ी अब्दुल सत्तार, तारिक़ छतारी, खालिद जावेद, सबीहा अनवर, आयशा सिद्दीक़ी, तसकीन ज़ैदी आदि कहानीकार एवं शायर उर्दू अदब की खिदमत कर रहे हैं। नए साहित्यकारों में कई अहम नाम सामने आए। मसलन शायरी में अज़रा परवीन, कमर अदीब, आमिर रियाज, शाहिद कमाल, संजय मिश्रा 'शौक' और कहानी में गज़ाल जैगम उल्लेखनीय रहीं। इनके अलावा मोहसिन खाँ, शाहिद अख़्तर, इश्रत जफ़र, आरिफ़ अय्यूबी, सुहेल वहीद, क़ायद हुसैन कौसर, असरार जोधा आदि ने कई अच्छे अफसाने लिखकर अपना नाम दर्ज कराया है। अनुवाद कार्य में हैदरी जाफरी सैय्यद और शकील सिद्दीक़ी का नाम विशेष तौर पर लिया जा सकता है। डॉ. वज़ाहत हुसैन रिज़वी, डॉ. रेशमा परवीन, डॉ. अतहर मसूद आदि ने भी तहक़ीक़ व आलोचना के क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है।

इस तरह हम देखते हैं कि उर्दू भाषा एवं साहित्य के विकास और उसकी समृद्धि में उत्तर प्रदेश ने हर युग में योगदान दिया है और अपनी विशेष भूमिका निभाई है। विशेष रूप से उर्दू भाषा को निखारने, संवारने और सुन्दर बनाने में लखनऊ का जो योगदान रहा है, वह अविस्मरणीय है। उर्दू साहित्य की समृद्धि में उत्तर प्रदेश अपनी भूमिका निभा रहा है। यहाँ के कतिपय समालोचकों, लेखकों और शायरों का उर्दू साहित्य में बड़ा ऊँचा स्थान है। यह प्रदेश उर्दू के पालन-पोषण का एक मुख्य केन्द्र रहा है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपनी ज़िम्मेदारी निभाई है और उर्दू के विकास एवं प्रसार के लिए आवश्यक क़दम उठाये हैं। ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त है।

●

हिन्दी और उर्दू पत्रकारिता

हिन्दी पत्रकारिता की प्रथम किरण बंगाल में प्रस्फुटित हुई। हिन्दी का प्रथम पत्र 30 मई, 1826 को कोलकाता से निकला, जिसका नाम 'उदन्त मार्तण्ड' था। यह साप्ताहिक था। इसके सम्पादक पंडित युगुल किशोर शुक्ल कानपुर के थे। उत्तर प्रदेश की हिन्दी पत्रकारिता का ऐतिहासिक अध्ययन करते समय निम्न काल विभाजन करना उपयुक्त होगा– (1) प्रारम्भिक युग (1845-1867 तक), (2) भारतेन्दु युग (1867-1900 तक), (3) द्विवेदी युग (1900 से 1920 तक), (4) गांधी युग या छायावाद युग (1920-1947 तक), (5) स्वातन्त्र्योत्तर युग (1947 से आज तक)।

प्रारम्भिक युग (1845-1867 तक)

उत्तर प्रदेश से प्रकाशित पत्रों में 'बनारस अखबार' पहला हिन्दी पत्र (साप्ताहिक) था। यह जनवरी 1845 में काशी (वाराणसी) से प्रकाशित हुआ। यह हिन्दी भाषी प्रान्तों का प्रथम हिन्दी पत्र था। इसे राजा शिवप्रसाद 'सितारे हिन्द' ने प्रकाशित कराया था। इसके सम्पादक थे– श्री गोविन्द रघुनाथ थत्ते। राजा शिवप्रसाद 'सितारे हिन्द' उर्दू के हिमायती थे। इसी कारण हिन्दी का पत्र होने पर भी 'बनारस अख़बार' की भाषा हिन्दी न होकर उर्दू थी। 'बनारस अख़बार' के बाद काशी (वाराणसी) से ही 1850 ई. में श्री तारामोहन मित्र द्वारा 'सुधाकर' (साप्ताहिक) का प्रकाशन हुआ। यह साप्ताहिक पत्र बंगला तथा हिन्दी दोनों भाषाओं में प्रकाशित होता था। तीन वर्ष बाद यह केवल हिन्दी में प्रकाशित होने लगा। आगरा से 'बुद्धिप्रकाश' का प्रकाशन पत्रकारिता की दृष्टि से ही नहीं, भाषा एवं शैली के विकास के विचार से भी विशेष महत्त्व रखता है। इसका प्रकाशन वर्ष 1852 है। इसके सम्पादक थे– मुंशी सदासुखलाल। आगरा से 'सर्वहितकारक' नामक साप्ताहिक का प्रकाशन 1855 में हुआ। इसके सम्पादक थे– शिवनारायण। इसमें हिन्दी और उर्दू दोनों भाषाएँ रहती थीं पर हिन्दी ही इसकी मुख्य भाषा थी।

शिक्षा के प्रचार-प्रसार के फलस्वरूप हिन्दी पत्रकारिता का विकास भारतीय स्वतंत्रता संग्राम (1857) तक उतनी तेजी से नहीं हुआ जितनी अपेक्षा थी। इसी समय 13 जून, 1857 को प्रेस सम्बन्धी एक कानून जिसे 'गैंगिग ऐक्ट' कहते हैं, लागू किया गया। 1857 की क्रांति की विफलता के परिणामस्वरूप भारतीयों की मनःस्थिति अवसादमय हो गयी थी। इसका प्रभाव उत्तर प्रदेश की सामाजिक, राजनीतिक स्थिति के साथ ही साथ हिन्दी पत्रकारिता के विकास पर भी पड़ा। दमनकारी प्रेस सम्बन्धी कानून की अवधि समाप्त होने एवं राजनीतिक भूकम्प के शान्त होने पर उत्तर प्रदेश की हिन्दी पत्रकारिता में नई जागृति उत्पन्न हुई। 1861 में उत्तर प्रदेश से कई पत्र निकले। इनमें 'सूरज प्रकाश' आगरा से प्रकाशित हुआ। सम्पादक थे– गनेशीलाल। इस पत्र के उर्दू भाग का नाम था– 'आफ़ताबे आलमताब'। 'सर्वोपकारक' और 'ज्ञानप्रकाश' भी आगरा से निकले। 'सर्वोपकारक' के सम्पादक थे– शिवनारायण। 1865 में सर्वोपकारक का अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व कायम हो गया। इसी वर्ष इटावा से 'प्रजाहित' का प्रकाशन हुआ। यह पाक्षिक था। सम्पादक थे– हकीम जवाहरलाल। इसके उर्दू और अंग्रेजी संस्करण भी प्रकाशित हुए। 'लोकमित्र' का प्रकाशन 1 जनवरी, 1863 को आगरा से हुआ। यह ईसाइयों का मासिक पत्र था। इसका प्रकाशन शुद्ध हिन्दी में होता था। 1864 में आगरा से 'भारतखण्डामृत' नाम का पत्र निकला। इसके हिन्दी अंश का नाम 'भारतखण्डामृत' और उर्दू का नाम 'आबेहयात' हुआ। सम्पादक थे– पंडित वंशीधर वाजपेयी। 1865 में बरेली से 'तत्वबोधिनी पत्रिका' का प्रकाशन हुआ। यह

गुलाब शंकर के संपादकत्व में निकली। यह शुद्ध हिन्दी पत्रिका थी। पत्रिका ब्रह्म समाज के सिद्धान्तों का प्रचार करती थी।

भारतेन्दु युग (1867-1900)

1867 ई. में आगरा से 'सर्वजनोपकारक' का प्रकाशन हुआ। पंडित पूर्णचन्द्र इसके सम्पादक थे। इसी वर्ष आगरा से एक और पत्र 'धर्मप्रकाश' निकला। ज्वाला प्रसाद सम्पादक थे। यही 1890 में रुड़की से हिन्दी, उर्दू और संस्कृत में निकलने लगा। 1913 में यह जालौन जिले के कोंच से निकला और 1921 में इसका प्रकाशन कानपुर से होने लगा। भारतेन्दु युग में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने अपने सहधर्मियों का एक मंडल बनाया, जिसे 'भारतेन्दु मंडल' कहा गया। तभी से हिन्दी पत्रकारिता के विकास को नई गतिशीलता प्राप्त हुई। 15 अगस्त, सन् 1867 ई. को भारतेन्दु ने काशी से 'कविवचन सुधा' मासिक पत्र का प्रकाशन आरम्भ किया। इसके प्रकाशन के साथ ही हिन्दी पत्रकारिता के नये युग का सूत्रपात हुआ। आरम्भ में इसमें प्रसिद्ध कवियों की कविताओं का प्रकाशन होता था। भारतेन्दु इसके माध्यम से भारतीय जनता को हिन्दी कविता की परम्परा से परिचित कराना चाहते थे। यह पत्रिका कुछ ही दिनों के बाद मासिक से पाक्षिक हो गई। पाक्षिक 'कविवचन सुधा' में आधुनिक विषयों तथा समाज नीति, राजनीति पर लेख एवं समाचार भी प्रकाशित होते थे। 1875 में यह साप्ताहिक हो गई। 1868 में प्रयाग से विविध विषय भूषित 'वृत्तान्त दर्पण' नामक पत्र सदासुखलाल के सम्पादकत्व में निकला। यह मासिक था। दो वर्ष बाद ही यह कानून का पत्र बना दिया गया। 1869 में 'मंगल समाचार' मेरठ से प्रकाशित हुआ। सम्पादक थे ठाकुर गिरिप्रसाद सिंह। यह हिन्दी-उर्दू में एक साथ निकलता था। इसी वर्ष आगरा से 'जगतसमाचार', जगदानंद और 'पापमोचन' हिन्दी-उर्दू का पत्र था। इसके सम्पादक कृष्णचन्द्र थे। इसका अपना लीथो प्रेस था। 'जगतप्रकाश' मुरादाबाद से निकला। पाक्षिक 'विद्यादर्श' और 'समय विनोद' भी इसी वर्ष निकले। 'विद्यादर्श' मेरठ से प्रकाशित होता था। इसका उर्दू संस्करण भी था। इसमें विद्या की चर्चा रहती थी।

'आगरा एजूकेशनल गजट' का प्रकाशन भी 1869 में हुआ। इसके उर्दू संस्करण के सम्पादक यूसुफ अली और हिन्दी संस्करण के सम्पादक अमीरउद्दीन थे। उर्दू की 150 और हिन्दी की 50 प्रतियाँ छपती थीं। 'ब्रह्मज्ञान प्रकाश' ब्रह्मसमाजी विचारों का पत्र बरेली से निकला था। सम्पादक थे– केशवचन्द्र सेन। 'आगरा अखबार' और 'आर्य दर्पण' का प्रकाशन आगरा तथा शाहजहाँपुर से हुआ। आर्य दर्पण के सम्पादक थे– मुंशी बख्तावर सिंह। यह मासिक पत्र था। आर्य समाज आन्दोलन को गति देने के लिए इसका प्रकाशन किया गया। इन दोनों पत्रों का प्रकाशन वर्ष 1870 था। 1871 में प्रकाशित होने वाले पत्र थे– 'हिन्दू प्रकाश' (कानपुर), 'प्रयाग दूत' (प्रयाग), 'बुन्देलखण्ड अखबार' (ललितपुर), 'म्यूरगजट (मेरठ) और 'सोल्जर्स गजट' (सहारनपुर)। 'प्रेम पत्र' का प्रकाशन 1872 में आगरा से हुआ। यह पाक्षिक था। इसके सम्पादक पंडित रुद्रदत्त शर्मा थे। 'प्रेमपत्र' ही वह प्रथम पत्र है जिससे पंडित रुद्रदत्त का सम्पादकीय जीवन आरम्भ हुआ। 'हरिश्चन्द्र मैगज़ीन', 'हरिश्चन्द्रिका', 'भारत-पत्रिका' और 'मर्यादा परिपाटी समाचार' पत्रिकाओं का प्रकाशन वर्ष 1873 है। इनमें 'हरिश्चन्द्र मैगज़ीन' हिन्दी भाषा और साहित्य की प्रमुख पत्रिका थी। यह मासिक थी। 15 अक्टूबर, 1873 को इसका प्रथम अंक निकला। इसमें पुरातत्व, उपन्यास, कविता, आलोचना, ऐतिहासिक, राजनैतिक, साहित्यिक तथा दार्शनिक लेख, कहानियाँ एवं व्यंग्य आदि का प्रकाशन होता था। इसका प्रकाशन स्थल काशी ही था। 'हरिश्चन्द्रिका' साप्ताहिक हिन्दी पत्रिका थी। इसके अतिरिक्त पत्रिका में राजनीतिक लेख और समाचार भी छपते थे। इसके सम्पादक जयराम थे। 'भारत पत्रिका' का प्रकाशन लखनऊ से हुआ। यह उर्दू-हिन्दी में निकलता था। पत्र का प्रकाशन अवध के ताल्लुकेदारों की संस्था– 'ब्रिटिश इण्डियन एसोसिएशन' ने किया था। 'मर्यादापरिपाटी समाचार' नामक मासिक पत्र का प्रकाशन आगरा से हुआ। यह हिन्दी और संस्कृत में निकलता था। सम्पादक थे पंडित दुर्गाप्रसाद शुक्ल। यह सनातनी पत्र पुरानी मर्यादा की रक्षा हेतु प्रकाशित किया गया।

'हरिश्चन्द्र चन्द्रिका', 'बालाबोधिनी', 'नाटक प्रकाश', 'नागरी प्रकाश' और 'भारत बंधु' का प्रकाशन स्थल क्रमशः काशी, प्रयाग, मेरठ और अलीगढ़ है। इसके अलावा 'सुदर्शन समाचार', 'प्रयाग धर्मपत्रिका' का प्रकाशन प्रयागराज से हुआ। इन पत्रों का प्रकाशन वर्ष 1874 है। इनमें 'हरिश्चन्द्र चन्द्रिका', 'हरिश्चन्द्र मैगजीन' का संशोधित नाम है। यह पत्रिका भी अत्यधिक लोकप्रिय हुई। पत्रिका ने साहित्य और पत्रकारिता के माध्यम से राष्ट्रीय सम्मान की भावना जगाने, साहित्यिक रुचि फैलाने, हिन्दी साहित्य के विविध भागों को समृद्ध करने और हिन्दी भाषा को देश के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में उचित स्थान दिलाने के लिए संघर्ष किया। सरकार इसकी सौ प्रतियाँ खरीदती थी। 'बालाबोधिनी' पत्रिका का प्रकाशन 1 जून, 1874 को हुआ। यह स्त्रीजनों की प्यारी मासिक पत्रिका स्त्री शिक्षा के प्रचारार्थ प्रकाशित की गई थी। 'नाटक प्रकाश' 26 जून, 1874 को प्रयागराज से निकला था। यह नाटकों का मासिक पत्र था। इसके सम्पादक प्रयागराज हाईकोर्ट के वकील रतनचन्द्र थे। 'नागरी प्रकाश' का प्रकाशन मेरठ से हुआ। यह मासिक पत्र था। इसका उद्देश्य नागरी या हिन्दी अक्षरों का विकास करना था। 'भारतबन्धु' साप्ताहिक के सम्पादक तोताराम वर्मा थे। यह मोटे और भद्दे टाइप में छपता था। पत्र का स्वर राजनीतिक अधिक और साहित्यिक कम था। 'धर्म प्रकाश' (प्रयाग), 'आनंद लहरी' (बनारस), 'सुदर्शन समाचार' (प्रयागराज), 'आर्य पत्रिका' (मिर्जापुर), 'मंगल समाचार' (अलीगढ़), 'काशी पत्रिका' (वाराणसी) का प्रकाशन वर्ष 1875 था। 'आनंद लहरी' और 'काशी पत्रिका' साहित्यिक थीं। 'काशी पत्रिका' का प्रकाशन भारतेन्दु की ही प्रेरणा से हुआ था। इसमें 'सत्य हरिश्चन्द्र', 'कर्पूर मंजरी' आदि हरिश्चन्द्र के कई नाटक छपे। यह साप्ताहिक पत्रिका थी। सम्पादक थे– बालेश्वर प्रसाद। 'प्रयाग धर्म प्रकाश' (प्रयागराज) और 'आर्यभूषण' (शाहजहाँपुर) का प्रकाशन 1876 ई. में हुआ।

'अजाब' (शाहजहांपुर), 'हिन्दी प्रदीप' (प्रयागराज) से दोनों पत्र 1877 में निकले। 'हिन्दी प्रदीप' मासिक पत्र का प्रकाशन भारतेन्दु मंडल के वरिष्ठ सदस्य पंडित बालकृष्ण भट्ट ने किया। यह साहित्यिक पत्र था। पत्रकारिता की दृष्टि से 'हिन्दी' का जन्म हिन्दी साहित्य के इतिहास में क्रांतिकारी घटना है। इसने पत्रकारिकता को नयी दिशा दी। भट्ट जी का राजनीतिक दर्शन भारतेन्दु की तरह राष्ट्रीयता और स्वदेशी से परिपूर्ण था। उसमें अकाल, बेरोजगारी एवं सांस्कृतिक संघर्षों पर भी लेख होते थे। इसके अतिरिक्त नाटक, प्रहसन, निबंध और कविताएँ भी प्रकाशित होती थीं। 'हिन्दी प्रदीप' का राष्ट्रीय स्वर निर्भीकता तथा तेजस्विता से परिपूर्ण था। हिन्दी भाषा के प्रचार-प्रसार में 'हिन्दी-प्रदीप' का बराबर सहयोग रहा। 'कायस्थ समाचार' (प्रयाग), 'ज्ञानचन्द्र' (प्रयागराज), 'आर्यमित्र' (काशी), 'दिनकर प्रकाश' (लखनऊ) और 'शुभचिंतक' (कानपुर) का प्रकाशन 1878 ई. में हुआ। 1879 ई. में 'सज्जनकीर्ति सुधाकर' (आगरा) और 'भारतसुदशा प्रवर्तक' फर्रुखाबाद से निकले। प्रवर्तक के सम्पादक थे– पंडित गणेश प्रसाद शर्मा। इसमें वैदिक धर्म प्रचार, सामाजिक कुरीतियों का निवारण, दलितोद्धार, स्त्री-शिक्षा और मादक द्रव्य निवारण आदि विषयों पर लेख छपते थे। 1881 ई. में 'भारती विलास' (आगरा), 'भारतदीपिका' (लखनऊ) और 'आनन्द कादम्बिनी' (मिर्जापुर) पत्र निकले, जिनका हिन्दी पत्रकारिता में विशिष्ट स्थान है। 'आनंद कादम्बिनी' के सम्पादक थे– पंडित बदरी नारायण चौधरी 'प्रेमधन', 'आनन्दकादम्बिनी' के स्तम्भ बड़े आकर्षक और साहित्यिक हुआ करते थे। यथा– सम्पादकीय, 'सम्मति समीर', 'साहित्य सौदामिनी', 'वृतान्त बलाकावली' और 'प्राप्ति स्वीकार' अथवा 'समालोचना सीकर' आदि। पत्रिका के प्रकाशन का मूल उद्देश्य था– साहित्य, समाज, धर्म, राजनीति आदि में परिवर्तन लाना। 1882 में 'प्रयागराज समाचार' (प्रयागराज), 'बालदर्पण' (प्रयागराज), 'देवनागरी प्रचारक' (मेरठ), 'भारतेन्दु' (वृन्दावन) आदि पत्र निकले।

'काशी समाचार' (काशी), 'सत्य प्रकाश' (बरेली), 'दिनकर प्रकाश' (लखनऊ) और 'ब्राह्मण' (कानपुर) का प्रकाशन 1883 में हुआ। 'ब्राह्मण' का प्रथम अंक होली के दिन (15 मार्च, 1883) निकला। पत्र का सिद्धान्त वाक्य था– ''शमोरपिगुणावाच्या दोषा वाच्या गुरोरपि''। इसमें सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक विषयों पर बड़े उत्कृष्ट लेख होते थे। यह अपने समय का निर्भीक पत्र था। इसने देशोन्नति में बाधक

विचारों और कार्यों की कटु आलोचना करने का व्रत ले रखा था। पत्रिका के सम्पादक थे– प्रसिद्ध निबन्धकार पंडित प्रतापनारायण मिश्र।

सन् 1885 से 1895 के बीच प्रकाशित होने वाले महत्वपूर्ण पत्र-पत्रिकाओं में 'हिन्दोस्थान' (कालाकांकर), 'नागरी नीरद' (मिर्जापुर), 'भारतप्रकाश' (मुरादाबाद), 'भारतोदय' (कानपुर), 'रसिक पंच' एवं 'प्रयाग मित्र' (प्रयागराज), 'विचार पत्र' (इटावा), 'भारत भानु' (बनारस), 'बुद्धि प्रकाश' (लखनऊ), 'हिन्दी मंच' (अलीगढ़), 'देवनागरी गजट' (मेरठ), 'खिचड़ी समाचार' (मिर्जापुर), 'भारतहितैषी' (फर्रुखाबाद), 'ब्रजवासी' (मथुरा), 'भारत प्रताप' (मुरादाबाद), 'रसिक पत्रिका' एवं 'रसिक पंच' (कानपुर), 'भारतभूषण' (बनारस), 'बुन्देलखण्ड पंच' एवं 'संसार दर्पण' (झाँसी), तथा 'स्वतंत्र' (लखनऊ), 'सनाढ्योपकारक' (आगरा), 'माहेश्वरी' (हापुड़), 'वनिता हितैषी' (कानपुर), 'नाट्यपत्र' (प्रयागराज), 'सर्वहितैषी' (मुरादाबाद), 'वैश्यहितकारी' (मेरठ), 'जैन गजट' (सहारनपुर), 'जैन समाचार' (लखनऊ), 'ब्राह्मण समाचार' (हरदोई), 'दीनबन्धु' (फर्रुखाबाद), 'प्रश्नोत्तर' और 'कुसुमांजलि' (काशी), 'एलोपैथिक डाक्टर' (प्रयाग), 'विश्वकर्मा' (मथुरा), 'चतुर्वेदी' (आगरा) आदि पत्र प्रकाशित हुए। इन पत्रों में दैनिक 'हिन्दोस्तान' और 'नागरी नीरद' दोनों ने अपनी महत्ता के लिए पत्रकारिता के इतिहास में अक्षुण्ण भूमिका अदा की है। पत्र का प्रथम अंक 1885 में निकला। महामना पंडित मदनमोहन मालवीय इसके प्रधान सम्पादक थे। दैनिक हिन्दोस्तान पत्र का वार्षिक मूल्य रुपये दस था। दैनिक 'हिन्दोस्तान' के माध्यम से महामना मालवीय जी ने हिन्दी पत्रकारिता को मूल्यवान बना दिया। हिन्दी भाषा तथा देवनागरी लिपि का सबल समर्थन इस पत्र द्वारा निरंतर होता रहा।

इसी वर्ष 'नागरी-नीरद' नामक साप्ताहिक पत्र 'प्रेमधन' जी ने मिर्जापुर से निकाला। पत्रिका के स्तम्भों के नाम साहित्य, वर्षा और ऋतु सम्बन्धित हुआ करते थे। यथा– 'सम्पादकीय समिति समीर', 'हास्य हरितांकुर', 'काव्यामृतवर्षा', 'विज्ञापन वीर बहूटियाँ', 'नियम निर्घोष', 'सौदामिनी संदेश', 'अनुवादाम्बुप्रवाह', 'संग्रहसुरेन्द्रायुध' आदि। पत्र में राजनीति, सामाजिक, साहित्यिक, शैक्षणिक आदि विषय चर्चित होते थे। हास-परिहास के लिए प्रहसन, चुटकुले तथा प्रश्नोत्तर होते थे। नागरी का प्रचार इस पत्र का मुख्य उद्देश्य था। 'गौड़ हितकारक' (मुरादाबाद), 'सनातन धर्मपताका' (मुरादाबाद), 'कवि और समालोचक' (बलिया), 'चन्द्रिका' (लखनऊ), 'त्रिवेणी तरंग' (प्रयागराज) का प्रकाशन वर्ष 1886 है। 1897 में 'नागरी प्रचारिणी पत्रिका' का प्रकाशन हुआ। यह शोध पत्रिका थी इसने हिन्दी पत्रकारिता और साहित्य को नया जीवन प्रदान किया। यह त्रैमासिक थी। 1898 में 'आर्यमित्र' (मुरादाबाद) और 'कान्यकुब्ज हितकारी' (कानपुर) का प्रकाशन हुआ। 1899 में 'मथुरा-वैश्य सुखदायक' (मथुरा) और 'देशहितकारी' (मेरठ) पत्र निकले।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि इस युग की पत्रकारिता ने युग चेतना का पर्याय बनकर नये युग का प्रवर्तन किया। हिन्दी भाषा के उत्थान-विकास और भारतीय समाज के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक अर्थात् समग्र चेतना के विकास में इस युग की पत्रकारिता का योगदान स्तुत्य है।

द्विवेदी युग (1900-1920)

हिन्दी साहित्य का द्विवेदी युग (महावीर प्रसाद द्विवेदी) अपनी साहित्यिक आदर्शवादिता के लिए प्रसिद्ध हुआ। इस युग की हिन्दी पत्रकारिता का मूल स्वर साहित्यिक होते हुए भी राष्ट्रीयता के उन्नयन की दृष्टि से ब्रिटिश सरकार के प्रति प्रहारात्मक और राष्ट्रभक्ति से परिपूर्ण था। इस युग की साहित्यिक पत्रिका 'सरस्वती' का प्रकाशन पत्रकारिता के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक घटना है। तीसरे वर्ष में इसके सम्पादन का भार पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उठा लिया। द्विवेदी जी ने इस पत्रिका का सम्पादन लगभग पन्द्रह वर्षों तक किया। उनके सम्पादन काल में 'सरस्वती' का सर्वांगीण विकास हुआ। यह वही अवधि है जिसको बाद में द्विवेदी युग की संज्ञा दी गई। 'सरस्वती' का प्रकाशन लगभग 80 वर्षों तक होता रहा। इसके अन्य सम्पादकों में– पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, पंडित देवीदत्त शुक्ल और पंडित श्रीनारायण चतुर्वेदी प्रमुख हैं सरस्वती का पुर्न प्रकाशन प्रारम्भ हुआ है।

'सरस्वती' ने हिन्दी पत्रकारिता के क्षेत्र में एक नया मानक स्थापित किया। इसने लेखकों को लिखने की

कला का प्रशिक्षण दिया। सम्पादन तकनीक से लोगों को अवगत कराया। साहित्य, समाज और राजनीति से सम्बन्धित समस्त विषयों के लेखों का प्रकाशन किया। इस वर्ष के अन्य प्रकाशित पत्रों के नाम हैं– 'काव्यकलानिधि' (मिर्जापुर), 'सुदर्शन' (काशी), 'अवध समाचार' (लखनऊ), 'कर्तव्यसुधानिधि' (प्रयागराज), 'नूतन व्यापारी' (मेरठ), 'मित्र' (बनारस), 'जाट हितकारी' (आगरा), 'भारतहितोपदेशक मित्र' (बाराबंकी) और 'गोपाल पत्रिका' (लखनऊ) आदि। 'वसुन्धरा' का प्रकाशन वाराणसी से 1902 में हुआ। सम्पादक थे– रामदास वर्मा। सन् 1903 में 'कायस्थ कुल भास्कर' (इटावा), 'धर्मोपदेशक (बरेली), 'वाणिज्य सुखदायक' (काशी), 'रसिक लहरी' (कानपुर), 'सिपाही' (कानपुर), 'अंबला हितकारक' (मुरादाबाद), 'स्त्री दर्पण' (प्रयागराज), 'कवीन्द्र वाटिका' (प्रयागराज), 'धर्मपंच' (मेरठ), 'ब्राह्मण सर्वस्व' (इटावा) आदि पत्र निकले। सन् 1906 ई. में 'कनवजिया' (कानपुर), 'कलवार गजट' (मिर्जापुर), 'रसिक रहस्य' (जौनपुर), 'विनोद वाटिका' (काशी), 'छात्रहितैषी' (अलीगढ़), 'बालप्रभाकर' (बनारस), 'संसार मित्र' और 'वैदिक सर्वस्व' (प्रयाग) से प्रकाशित हुए।

सन् 1907 में प्रयागराज से मदनमोहन मालवीय के सम्पादकत्व में 'अभ्युदय' साप्ताहिक का प्रकाशन हुआ। 'अभ्युदय' प्रदेश में उदार विचारों का प्रमुख पत्र बन गया था। कालान्तर में यह स्वतंत्रता आन्दोलन के प्रवाह में प्रवाहित होकर क्रांतिकारियों का पक्षधर बन गया। इस पत्र के सम्पादकों में मालवीय जी के अलावा– पुरुषोत्तम दास टण्डन, सत्यानंद जोशी, कृष्णकांत मालवीय, वेंकटेशनारायण तिवारी, पद्मकांत मालवीय और पंडित बनारसीदास चतुर्वेदी इसके सम्पादक रहे। 'अभ्युदय' ने अनेक राष्ट्रभक्त पत्रकारों को प्रशिक्षण प्रदान किया। इसी वर्ष 'अभ्युदय' के अतिरिक्त साप्ताहिक 'आनन्द' का प्रकाशन लखनऊ से हुआ। सम्पादक थे– पंडित शिवनाथ शर्मा। ये बड़े आनन्दी व्यक्ति थे। हँसी-दिल्लगी का लेख लिखने वाला उनके समान कोई नहीं हुआ। 1917 में यह दैनिक हो गया था। इस वर्ष अन्य प्रकाशित पत्रों में 'दयानन्द पत्रिका' (मेरठ), 'नागरीप्रचारक' (लखनऊ), 'सदुपकारी' (बरेली) और 'भारतभूमि' (मुरादाबाद) आदि हैं।

'सम्राट' (कालाकांकर), 'कलवार मित्र' (प्रयाग), 'खत्री हितकारी' (काशी), 'क्षत्रिय' (मेरठ) तथा 'व्यापारी व कारीगर' (काशी) पत्र सन् 1908 में निकले। सन् 1909 में 'कर्मयोगी' (प्रयागराज), 'देहाती' (आगरा), 'जहावी' (चुनार), 'कवि' (गोरखपुर), 'स्त्रीधर्मशिक्षक' (प्रयाग), और 'इन्दु' (वाराणसी) का प्रकाशन हुआ। उत्तर प्रदेश की हिन्दी पत्रकारिता को उग्र स्वर प्रदान करने वाले पंडित सुन्दरलाल हैं। इन्हीं के सम्पादकत्व में 'कर्मयोगी' निकला। इसमें ऐसी रचनाएँ छपती थीं, जिसमें भूतकाल के भारत की महानता और उसकी वर्तमान स्थिति को दर्शाया गया हो। 'इन्दु' मासिक का प्रथम अंक 1909 में निकला। यह उच्च कोटि का साहित्यिक पत्र था। सम्पादक थे– प्रसाद जी के भांजे श्री अंबिका प्रसाद गुप्त। 'इन्दु' पत्रिका को हिन्दी-साहित्यिक-संसार में लाने का श्रेय 'प्रसाद जी' को है, क्योंकि यह उन्हीं की प्रेरणा का फल था। प्रसाद का अधिकांश प्रारम्भिक साहित्य इसी पत्रिका के माध्यम से सामने आया। इसमें उनकी कविताएँ, लेख, कहानी, नाटक आदि प्रकाशित हुए। यहीं से उनके स्वच्छन्दतावादी जीवन-दर्शन एवं काव्यान्दोलन का निर्माण होता है। प्रसाद की काव्य साधना के विकास में 'इन्दु' का अविस्मरणीय योगदान है। इसने हिन्दी कविता की नई धारा के पथ को प्रशस्त किया। इसलिए हिन्दी काव्य विकास की धारा को ठीक से समझने के लिए 'इन्दु' की फाइलों का अनुशीलन अनिवार्य है।

'प्रताप' (कानपुर), 'कुलश्रेष्ठ' (अलीगढ़), 'नवजीवन' (काशी), 'प्रजाबंध' (मथुरा), 'सुधांश' (आगरा) का प्रकाशन सन् 1910 में हुआ। इसमें 'प्रताप' एक तेजस्वी पत्र था। इसके सम्पादक बाबू गणेश शंकर विद्यार्थी उत्साही नवयुवक थे। उन्होंने कुछ साथियों की सहायता से इसे निकाला था। थोड़े ही समय में 'प्रताप' ने हिन्दी पत्रकारिता में अपना स्थान बना लिया था। प्रताप का आफिस क्रान्तिकारियों का अड्डा था। अपने नीति-विषयक आदर्शों एवं उद्देश्यों से प्रतिबद्ध 'प्रताप' ने आगे चलकर ब्रिटिश शासन को कदम-कदम पर चुनौती दी और इसके लिए दण्ड भी भोगा।

'श्री सरयूपारीण' (प्रयागराज), 'वैष्णव सर्वस्व' (वृन्दावन), 'जमीनदार' (काशी), 'स्त्रीचिकित्सक' (प्रयागराज), 'भास्कर' (मेरठ), 'जीवन' (कानपुर), 'मर्यादा' (प्रयागराज) का प्रकाशन वर्ष सन् 1911 है। 'मर्यादा' का प्रकाशन पंडित मदन मोहन मालवीय के पुत्र कृष्णकान्त मालवीय ने किया था। कृष्णकान्त ही 'मर्यादा' के प्रथम सम्पादक थे। यह पत्रिका अपने नाम के गुणानुसार सामाजिक मर्यादा और राष्ट्रीय समस्याओं को अभिव्यक्त करते हुए विज्ञान विषयक सामग्री का भी प्रकाशन करती थी। 'आकाश दर्शन' स्तम्भ में ज्योतिष के आधार पर ग्रह नक्षत्रों की गणना मासिक रूप में की जाती थी। पत्रिका को नया स्वरूप प्रदान किया था बाबू सम्पूर्णानन्द ने। इनके द्वारा लिखे गये राजनीतिक लेख उस समय बहुत चर्चित हुए। इन्होंने छद्म नाम से भी लिखा। 'मर्यादा' में छपने वाले विशिष्ट नाम हैं– अयोध्या सिंह उपाध्याय 'हरिऔध', प्रेमचन्द, महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, रामदास गौड़ और कृष्णबिहारी मिश्र। जब सम्पूर्णानन्द जेल गये तो इसके सम्पादन का दायित्व प्रेमचन्द ने उठाया। प्रेमचन्द ने अपनी राजनीतिक एवं सामाजिक दृष्टि से 'मर्यादा' के कलेवर को सँवारा। पत्रिका का प्रकाशन सन् 1923 में बंद हो गया। सन् 1912 में 'प्रेम' (वृन्दावन), 'साहित्य समालोचक' (गोरखपुर) और 'वैश्य' (कानपुर) का प्रकाशन हुआ।

'कानपुर गजट' (कानपुर), 'यादवमित्र' (शिकोहाबाद), 'भारत महिला' (मेरठ), 'भारत नारी हितकारी' (मैनपुरी), 'स्त्री शिक्षा' (कानपुर), 'कन्या मनोरंजन' (प्रयागराज), 'कन्या सर्वस्व' (प्रयागराज), 'आरोग्य सिन्धु' (अलीगढ़), 'वनौषधि प्रकाश' (मेरठ), 'सम्मेलन पत्रिका' (प्रयागराज), 'देहाती' (उरई), 'प्रियंवदा' (मिर्जापुर) और 'हिन्दी साहित्य' (काशी) का प्रकाशन सन् 1913 ई. में हुआ। इन पत्रिकाओं में 'सम्मेलन पत्रिका' और 'प्रभा' का योगदान अविस्मरणीय है। यह हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज से पंडित रामनरेश त्रिपाठी के सम्पादकत्व में प्रकाशित हुई। पत्रिका की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि इसका प्रकाशन आज भी अबाध गति से हो रहा है। यह शोध पत्रिका है। इसका लोक संस्कृति विशेषांक बहुत ही चर्चित हुआ। इसके विशेषांकों में 'कला विशेषांक', 'गांधी-टण्डन स्मृति विशेषांक', 'श्रद्धांजलि विशेषांक', 'साहित्य-संस्कृति भाषा विशेषांक', 'जन्मशती विशेषांक' प्रमुख हैं। पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, पंडित कामता प्रसाद गुरु और पंडित पद्मसिंह शर्मा आदि साहित्य की अमूल्य निधि हैं।

'प्रभा' मासिक राजनीतिक पत्रिका थी। इसके सम्पादकों में गणेश शंकर विद्यार्थी, देवदत्त शर्मा और कृष्णदत्त पालीवाल थे। सन् 1914 में 'अवधवासी' (लखनऊ), 'राजभक्त' (काशी), 'अवध केसरी' (अयोध्या), 'देवनागर' (मेरठ), 'विद्यार्थी' (प्रयागराज), 'डिस्ट्रिक्ट गजट' (बुलन्दशहर), 'हलवाई वैश्य हितैषी' (काशी), 'गूजर हितकारी' (सहारनपुर), 'कृषि सुधार' (मैनपुरी) और 'कलाकुशल' (प्रयागराज) का प्रकाशन हुआ।

'प्रहलाद' (काशी), 'ब्रह्मभट्ट हितैषी' (कानपुर), 'हलवाई वैश्य संरक्षण' (काशी), 'पालीवाल ब्रह्मणोदय' (आगरा), 'चतुर्वेदी' (आगरा), 'विज्ञान' (प्रयागराज), 'डाक्टर' (मथुरा), 'सत्य समाचार' (वृन्दावन), 'तरंगिणी' (काशी), 'व्यापारी' (कानपुर) और 'बालबोध' (बनारस) का प्रकाशन 1915 में हुआ। 'विज्ञान' सार्वजनिक हित का एक अच्छा मासिक पत्र था। इसके सम्पादक थे– कवि पंडित श्रीधर पाठक। इस पत्रिका के अन्य सम्पादकों में– गोपाल प्रसाद भार्गव, ब्रजराज, रामदास गौड़, सत्यप्रकाश युधिष्ठिर भार्गव और गोरखनाथ के नाम हैं। इसका प्रकाशन प्रयागराज की विज्ञान परिषद् करती थी। हिन्दी भाषा वालों को विज्ञान का ज्ञान कराने में पत्रिका का महत्वपूर्ण योगदान है।

सन् 1916 में 'मथुरा समाचार' (मथुरा), 'वैद्य सम्मेलन पत्रिका' (प्रयागराज), 'सुधावर्षक' (अलीगढ़), 'सर्वशिक्षक' (प्रयागराज), 'माथुर वैश्य हितकारी' (आगरा), और 'जैन मार्तण्ड' (हाथरस) पत्र निकले। 'आनन्द' दैनिक (लखनऊ), 'निर्बल सेवक' (बिजनौर), 'भारतबन्धु' (हाथरस), 'बालसखा' (प्रयागराज), 'समाज' (प्रयागराज), 'स्कूल मास्टर' (अलीगढ़), और 'चिकित्सक' (कानपुर) पत्रों का प्रकाशन वर्ष सन् 1917 है। सन् 1918 में प्रकाशित होने वाले पत्रों के नाम हैं– 'सूर्य' (काशी), 'आनन्द प्रचारक' (मथुरा), 'कानपुर समाचार' (कानपुर), 'ब्रह्मऋषि' (मेरठ), 'उत्साह' (जालौन), 'मथुरा गजट' (मथुरा), 'सत्यसेतु'

(शाहजहाँपुर), 'कालिन्दी' (रामनगर, बनारस), 'भारतीय' (लखनऊ), 'ललिता' (मेरठ), 'विश्वविद्या प्रचारक' (लखनऊ), 'ब्रह्मशक्ति' (बनारस), 'आर्य महिला' (बनारस), 'सत्यवादी' (आगरा), 'अहीर समाचार' (शिकोहाबाद), 'जैनपथ प्रदर्शक' (आगरा), 'जैसवाल जैन' (आगरा), 'कायस्थ महिला हितैषी' (अयोध्या) आदि। 'भविष्य' (प्रयागराज), 'गौड़ समाचार' (मैनपुरी), 'संन्यासी' (प्रयागराज), 'व्यापार' (लखनऊ), 'अग्रवाल बन्धु' (आगरा), 'बरनवाल चन्द्रिका' (मुरादाबाद), 'त्यागी ब्राह्मण' (मेरठ), 'धर्माभ्युदय' (आगरा), 'बिजली' (इटावा), 'सेवा' (प्रयागराज), 'संसार' (कानपुर), 'किसान' (फतेहपुर), 'प्रहलाद' (काशी), 'औदुम्बर' (काशी), 'स्वदेश' (गोरखपुर) आदि पत्र 1919 में निकले। इसी वर्ष के उल्लेखनीय मासिकों में– काशी से 'स्वार्थ' और कानपुर के 'हिन्दी मनोरंजन' का हिन्दी पत्रकारिता में विशिष्ट स्थान है।

राष्ट्रीय आन्दोलन को वाणी देने वाला पत्र 'स्वदेश' का प्रकाशन 6 अप्रैल, 1919 को गोरखपुर से हुआ। उग्र विचारों एवं स्वतंत्रता के प्रति समर्पण की भावना के कारण 'स्वदेश' को जन्म से मृत्यु तक सरकारी कोप दृष्टि का शिकार होना पड़ा। प्रकाशन के पूर्व ही इससे 500 रुपये की जमानत माँगी गई थी। इस प्रकार द्विवेदी युगीन हिन्दी पत्रकारिता का इतिहास स्वतंत्रता आन्दोलन के इतिहास से अधिक निकट है। इस युग ने आन्दोलन के विभिन्न स्वरूपों यथा– समाचारों, नेताओं के संदेशों, दमन और अत्याचारों और स्वयंसेवकों की गिरफ्तारियों के विवरण के प्रकाशन के साथ ही हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं में उत्प्रेरित करने वाले लेखों, कविताओं, कहानियों और सम्पादकीय टिप्पणियों, अग्रलेखों के माध्यम से लोक भावना को उत्तेजित कर उसे स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ने का श्रेय प्राप्त किया। इस युग की हिन्दी पत्रकारिता ने साहित्य के क्षेत्र में भी नये-नये प्रयोग किये।

गांधी या छायावाद युग (1920-1947)

सन् 1920 में प्रकाशित होने वाले पत्रों के नाम हैं– 'आज' (वाराणसी)), 'वर्तमान' (कानपुर), 'लोकमत' (कानपुर), 'सुधाकर' (आगरा), 'हिन्दुस्तानी अखबार (प्रयागराज), 'स्वराज्य' अर्द्धसाप्ताहिक (बिजनौर), 'जुझोतिया प्रभा' (झाँसी), ''वैश्यबन्धु' (काशी), 'अग्रवाल लोहिया हितैषी' (आगरा), 'स्वार्थ' (काशी), 'प्रेमबन्धु' (कानपुर), 'विश्वभूषण' (अयोध्या), 'किसान' (उन्नाव), 'आर्यदर्श' (बस्ती), 'अहिंसा समाचार' (काशी) और 'अवध प्रकाश' या 'स्वदेशेन्दु' (अयोध्या), 'भविष्य दैनिक' (प्रयागराज) आदि।

उत्तर प्रदेश की हिन्दी पत्रकारिता को उन्नत और विकसित करने, उसके आदर्श स्वरूप की प्राप्ति करने तथा स्वतंत्रता संग्राम के महायज्ञ में पूर्ण आहुति देने हेतु काशी से हिन्दी दैनिक 'आज' का प्रकाशन 5 सितम्बर 1920 को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ था। इसके जन्मदाता श्री शिवप्रसाद गुप्त थे। गुप्तजी 'आज' को लंदन के 'टाइम्स' जैसा बनाना चाहते थे। पत्र के प्रथम सम्पादक थे श्रीप्रकाश जी। उन्होंने दो वर्षों तक इसका सम्पादन किया। इसके बाद बाबूराव विष्णु पराड़कर ने 1923 से 1955 की जनवरी तक सम्पादन कार्य संभाला। तत्पश्चात् पत्र के सम्पादकों में थे–पंडित कमलापति त्रिपाठी, श्रीकांत ठाकुर, रामकृष्ण, रघुनाथ खाडिलकर, विद्याभास्कर, सत्येन्द्र कुमार गुप्त और शार्दूल विक्रम गुप्त। दैनिक 'आज' राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख पत्र था। सन् 1920 से 1947 तक के बीच यह स्वतंत्रता आन्दोलन का एक दस्तावेज है। 'आज' हिन्दी भाषा और वर्तनी में एकता लाने हेतु सतत प्रयत्नशील था। पत्रकारिता में समाचार लिखने की समस्त तकनीक का जीता-जागता उदाहरण है 'आज'। केवल काशी से निकलने वाला 'आज' अब भी कई स्थानों से निकल रहा है। ज्ञान मण्डल काशी से निकलने वाला 'स्वार्थ' भी अद्वितीय पत्र था। पत्र का विषय अर्थशास्त्र से सम्बन्धित हुआ करता था। इससे पूर्व इस विषय पर कोई स्वतंत्र पत्र नहीं था। सम्पादक थे– पंडित जीवन शंकर याज्ञिक।

'वर्तमान' दैनिक के सम्पादक– पंडित रमाशंकर अवस्थी थे। सरकारी सूत्र के अनुसार 'वर्तमान' का प्रकाशन 22 अक्टूबर, 1920 को असहयोग आन्दोलन को व्यापक समर्थन प्रदान करने हेतु हुआ था। सरकार ने इस पत्र को उग्रवादी पत्रों की सूची में रखा था। यह उग्रवादी प्रकाशनों के लिए विख्यात था। राजनीतिक जागृति के परिणामस्वरूप जहाँ पत्रों के प्रकाशन में तेजी आई वहीं उनकी प्रसार संख्या में भी वृद्धि हुई। 1920

में 'आज' और 'भविष्य' की दो-दो हजार तथा 'प्रताप' और 'वर्तमान' की तीन-तीन हजार प्रसार संख्या हो गई थी। फलस्वरूप जन-जीवन में राजनीतिक जागरूकता की वृद्धि हुई। 'कर्तव्य' (इटावा), 'किसान' (प्रयागराज), 'महिला समाचार' (फतेहपुर), 'नाई मित्र' (झाँसी), 'राष्ट्रीय अध्यापक' (कानपुर), 'नाई ब्राह्मण' (कानपुर), 'तिलक' (आगरा) और 'शिल्प समाचार' (कन्नौज) पत्र सन् 1921 में निकले। इनमें ऐसा कोई पत्र नहीं था, जिसकी दृष्टि का विस्तार विस्तीर्ण हो। सन् 1922 में 'अध्यापक' (मुरादाबाद), 'ब्रजवासी' (मथुरा), 'हिन्दुस्तान' (अलीगढ़), 'जैन केसरी' (हाथरस), 'जीवन' (मथुरा), 'लोकमान्य' (बाँदा), 'लोकमत' (उरई), 'मातृभूमि' (कानपुर), 'सत्यवादी' (अलीगढ़), 'विक्रम' (कानपुर), 'कवि' (गोरखपुर), 'निर्भय' (मैनपुरी), 'परिवर्तन' (कानपुर), 'नवयुग' (प्रयागराज), 'हिन्दू गजट' (सहारनपुर), 'देवेन्द्र' (लखनऊ), 'हिन्दी आउटलुक' (लखनऊ), 'स्वाधीन' (झाँसी), 'देवदर्शन' (प्रयाग), 'महान लोधी राजपूत धर्मपताका' (आगरा), 'झाँसी समाचार' (झाँसी), 'मिर्जापुर समाचार' (मिर्जापुर), 'भारत धर्मनेता' (काशी), 'रजकबन्धु' (प्रयागराज), 'मस्ताना जोगी' (कानपुर), 'कपटसखा' (कानपुर), 'छात्र हितैषी' (अलीगढ़), 'उद्यम' (झाँसी), 'मार्तण्ड' (कानपुर), 'मुनि' (झाँसी), 'माधुरी' (लखनऊ) और 'चाँद मासिक' (प्रयागराज) का प्रकाशन हुआ था।

स्वदेशी और असहयोग आन्दोलन के समर्थन में हुआ था 'ब्रजवासी' का प्रकाशन। पत्र की नीति उदारवादी होते हुए भी कभी-कभी उग्र हो जाती थी। 'कवि' मासिक एक साहित्यिक पत्रिका थी। 'लोकमान्य' राजनीति प्रधान पत्र था। सम्पादक थे, नंदकिशोर वर्मा। उन्हें असहयोग आन्दोलन के प्रसंग में एक वर्ष के कारावास का दण्ड मिला था। 'लोकमत' और 'नवयुग' दोनों असहयोग आन्दोलन तथा गांधी जी के आन्दोलन के प्रसार हेतु निकले थे। इसी वर्ष जुलाई, 1922 से मासिक पत्रिका 'माधुरी' का प्रकाशन लखनऊ से हुआ। नवलकिशोर प्रेस के मालिक विष्णुनारायण भार्गव की प्रेरणा से यह पत्रिका निकली। पत्रिका पूर्णरूपेण साहित्यिक थी। इसका उद्देश्य था– उच्च कोटि के स्थायी साहित्य को प्रस्तुत करना। पत्रिका के मुखपृष्ठ पर 'विविध विषय– विभूषित, साहित्य-सम्बन्धी सचित्र मासिक' लिखा जाता था। साप्ताहिक 'चाँद' इसी वर्ष नवम्बर से मासिक हो गया था। मासिक 'चाँद' के प्रथम सम्पादक श्री रामरख सिंह सहगल थे और संचालिका थी– श्रीमती विद्यावती सहगल। यह प्रयाग से निकला था। पत्र के प्रकाशन का मुख्य उद्देश्य समाज सुधार था।

पत्र के सम्पादकों के नाम हैं– श्री नन्द किशोर तिवारी, शुकदेवराय, चण्डीप्रसाद 'हृदयेश', मुंशी नवजादिकलाल श्रीवास्तव और महादेवी वर्मा। चाँद ने प्रथम बार विशेषांकों की धूम मचा दी थी। इनमें प्रमुख विशेषांक हैं– 'गेल्पांक', 'महिला अंक', 'विधवांक', 'शिशु अंक', 'प्रवासी अंक', 'अछूतांक', 'पत्रांक', 'फाँसी अंक', 'मारवाड़ी विशेषांक', 'विदुषी अंक' और 'भारत वर्ष अंक' आदि। 'चाँद' ने साहित्यिकता के आवरण में राजनीतिक, स्त्री-शिक्षा, सामाजिक सुधार आदि विषयों पर उत्कृष्ट सामग्रियों का प्रकाशन कर प्रदेश की हिन्दी पत्रकारिता में एक नये कीर्ति स्तम्भ की स्थापना की। प्रारम्भ में पत्र का स्वर राजनीतिक कम, सामाजिक सुधार का अधिक था, परन्तु बाद में स्वतंत्रता संग्राम के उग्र प्रवाह में यह क्रांतिकारी विचारों की प्रमुख पत्रिका हो गई। पत्र के 'फाँसी अंक' का प्रकाशन एक ऐतिहासिक घटना थी।

सन् 1923 में प्रकाशित होने वाले पत्र हैं– 'वंदे मातरम्' (फतेहपुर), 'लक्ष्मण' (लखनऊ), 'उत्साह' (झाँसी), 'बुन्देलखण्ड केसरी' (बाँदा), 'स्वच्छन्द' (अलीगढ़), 'स्वाधीन' (फर्रुखाबाद), 'सुखमार्ग' (अलीगढ़), 'अरुणोदय' (मिर्जापुर), 'राष्ट्र' (लखनऊ), 'पुरुषार्थ' (बाराबंकी), 'नैया' (झाँसी), 'नवयुग' (आगरा), 'महिला सुधार' (कानपुर), 'कृषक राजबंधु' (सीतापुर), 'भारतवर्ष' (गोरखपुर), 'झाँसी समाचार' (झाँसी), 'ग्रामवासी' (इलाहाबाद), 'हमदर्द' (कानपुर), 'देशभक्त' (आगरा), 'देहाती' (उरई), 'दीपक' (अयोध्या), 'मातृभूमि' (मेरठ), 'भारत धर्म' (काशी) आदि। 'प्रेत' (लखनऊ), 'मजदूर' (कानपुर), 'किसान' (कानपुर), 'वीर' (बिजनौर), 'साहस' (झाँसी), 'ब्राह्मण हितैषी' (मैनपुरी), 'देशदूत' (काशी), 'कैलाश' (मुरादाबाद), 'ब्रजवासी' (मथुरा), 'भविष्य' (कानपुर), 'महावीर' (सहारनपुर), 'लोकमान्य' (बाँदा), 'वीरेन्द्र' (जालौन), 'हलधर'

(इटावा), 'स्वाधीन' (झाँसी), 'नवयुग' (कानपुर), 'स्वास्थ्य', 'आरोग्य' (कानपुर), 'सिविल सर्जन' (सहारनपुर), 'अध्यापक' (बाराबंकी), 'भूगोल' (प्रयागराज), 'कवीन्द्र' और 'सहारनपुर' (कानपुर), 'हिन्दी पुष्कर' (बरेली), 'रंगमंच' (बरेली), 'मनोरमा' (प्रयागराज), 'साम्यवादी' (कानपुर), 'महिलासर्वस्व' (अलीगढ़), 'उत्साह' (काशी), 'योग प्रचारक' (काशी), 'साहित्य' (कानपुर), 'कृषक राज बन्धु' (लखनऊ), 'मजदूर' (कानपुर), 'शैतान' (लखनऊ) आदि पत्र सन् 1924 में प्रकाशित हुए।

इन पत्रों में 'मनोरमा' साहित्यिक पत्रिका थी। इसके सम्पादक थे श्री ज्योतिप्रसाद मिश्र 'निर्मल'। यह विविध विषय विभूषित 'सचित्र मासिक' पत्रिका थी। इस पत्रिका में लेखों के विषय अत्यन्त गंभीर होते थे। शिक्षाप्रद कविताएँ, सुन्दर तिरंगे भावपूर्ण चित्र, कार्टून तथा पहेलियाँ, मनोरंजक कहानियाँ, वैज्ञानिक विचार और प्रहसन इत्यादि अधिक सुन्दर और मनोरंजक निकलते थे। महिलाओं और बालकों के मनोरंजन हेतु इसमें विशेष सामग्री प्रकाशित होती थी। पत्रिका में प्रकाशित होने वाले स्तम्भों के नाम हैं – बालवाटिका, कुसुमकुंज, वनिता विनोद, संगीत आदि।

सन् 1925 में प्रकाशित होने वाले पत्रों के नाम हैं– 'आर्यमित्र' (आगरा), 'नवयुग' (कानपुर), 'जाटवीर' (आगरा), 'प्राणरक्षा' (मथुरा), 'जीवन' (मथुरा), 'सैनिक' (आगरा), 'यादव' (गोरखपुर), 'अध्यापक' (मुरादाबाद), 'ग्राम सुधार' (मैनपुरी), 'मिर्जापुर गजट' (मिर्जापुर), 'भारत पुत्र' (हाथरस), 'हरदोई डिस्ट्रिक्ट गजट' (हरदोई), 'कुर्मी क्षत्रिय दिवाकर' (काशी), 'मौर्य भाष्कर' (लखनऊ), 'माथुर पत्रिका', 'माथुर क्षत्रिय' (आगरा), 'विश्वकर्मा' (कानपुर), 'वैश्यहितकारी' (मेरठ), 'आयुर्वेद केसरी' (कानपुर), 'आयुर्वेद समाचार' (मेरठ), 'धनवन्तरि' (अलीगढ़), 'वैद्यकल्पद्रुम' (हमीरपुर), 'आधुनिक धन्वन्तरि' (कानपुर), 'राजवैद्या' (प्रयाग), 'डाक्टर' (बरेली), 'कला-कौशल' (कानपुर), 'मातृभूमि' (झाँसी), 'खद्दर' (कानपुर), 'व्यापारिक संसार' (हाथरस) आदि।

इन पत्रों में 'सैनिक' का निकलना हिन्दी पत्रकारिता के लिए गौरव की बात है। 'सैनिक' का प्रकाशन आगरा से श्री कृष्णदत्त पालीवाल ने जून, 1925 को आरम्भ किया था। प्रारम्भ में इसका स्वरूप साप्ताहिक था और यह स्वराज्य पार्टी का पत्र था। इसमें राजनीतिक एवं किसान सभा के विवरण प्रकाशित होते थे। कालान्तर में यह स्वतंत्रता संग्राम का संवाहक बना। सरकार की निगाह इस पत्र पर लगी रहती थी। इस विचार-धारा के पोषक अन्य पत्र थे– 'नवयुग', 'भारतपुत्र', 'मातृभूमि' और 'खद्दर' आदि। सन् 1927 में निकलने वाले प्रमुख पत्रों के नाम हैं– 'सुधा', 'विवेक', 'भारतवर्ष', 'समय'। 'सुधा' का प्रथम अंक अगस्त, 1927 में प्रकाशित हुआ था। यह मासिक पत्रिका थी। सम्पादक थे– पंडित रूपनारायण पाण्डेय और दुलारेलाल भार्गव। यह मुख्यतः साहित्यिक पत्रिका थी, पर राजनीतिक, सामाजिक आदि विषयों पर भी लेख छपते थे। 'सुधा' के प्रत्येक महीने में व्यंग्य-चित्रावली अवश्य रहती थी। इनके विषय कभी सामाजिक, कभी साहित्यिक एवं कभी धार्मिक और कभी संस्कृति से संबंधित होते थे। यह पत्रिका राजनीति के प्रति कितनी जागरूक थी, इसका पता उसके 'कार्टून विशेषांक' का अवलोकन करने से पता चलता है। वैसे तो इस विशेषांक में लेख, कहानी, कविता एवं हास्य-व्यंग्य पर सामग्री पर्याप्त रूप से थी, फिर भी कार्टूनों (व्यंग्य चित्रों) की अधिकता ने इस अंक को 'कार्टून विशेषांक' बना दिया। राष्ट्रीय भावधारा का प्रबल समर्थक साप्ताहिक 'समय' का प्रकाशन जौनपुर से बाबू रामेश्वर प्रसाद सिंह के सम्पादकत्व में 25 अक्टूबर, 1927 को हुआ था। 'समय' एक प्रगतिशील राजनीतिक विचारों का संवाहक पत्र था।

सन् 1928 में पत्रकारिता के प्रकाशन में एक नया निखार आया जिसके नाते प्रदेश के विभिन्न अंचल से अनेक उत्कृष्ट पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ। इसी वर्ष लीडर प्रेस प्रयागराज से 'भारत' (साप्ताहिक), बलिया से 'बलिया गजट', उरई से 'लोकमत', इटावा से 'सुधाकर', मिर्जापुर से 'माधव' और झाँसी से धार्मिक पत्र 'अहिंसा' का प्रकाशन हुआ था। काव्य पत्रिका 'सुकवि' का प्रकाशन भी इसी वर्ष अप्रैल 1928 में शुरू हुआ। पत्रिका में उच्च कोटि के कवियों की कविताएँ प्रकाशित होती थीं। कुछ दिनों बाद 'सुकवि' स्वतंत्रता संग्राम

के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रवादी एवं स्वतंत्रता प्रेमियों का मंच बन गया। उग्र कविताओं का प्रकाशन होता था। वैसे तो 'सुकवि' पूर्ण काव्य पत्रिका थी। पर तत्कालीन पत्रिकाओं ने अपने समय की आवश्यकता के अनुरूप अनेक विषयों से संबंधित सामग्री प्रकाशित की। साप्ताहिक 'मजदूर' का प्रकाशन वर्ष 1928 ही है। सम्पादक थे– गणेश शंकर विद्यार्थी। यह साम्यवादी विचारों से प्रभावित पत्र था। इसी वर्ष झाँसी से 'क्रान्तिकारी' का प्रकाशन हुआ। सम्पादक कृष्ण गोपाल शर्मा के प्रकाशित निम्न विचारों से पत्र की रुझान समझ में आ जाती है– ''हम क्रान्तिकारी हैं। हम क्रान्ति की शपथ ले चुके हैं। अब हम विश्व में एक नई आग को दहकायेंगे। हम अन्याय के शासन को उखाड़ फेकेंगे और पाप की नौका को समुद्र में डुबा देंगे। भाइयों जागो ! बहुत सो चुके। आलस्य छोड़ो और हमारे झण्डे के नीचे आओ। विरोधियों ध्यान रहे, हमारे सामने मत आओ, हमारे मार्ग में व्यवधान मत बनो।'' हिन्दी पत्रकारिता के विकास की दृष्टि से सन् 1929 का वर्ष और ही अनुकूल माना गया। इस वर्ष प्रकाशित होने वाले पत्र हैं– 'कांग्रेस समाचार' (प्रयागराज), 'खिचड़ी समाचार' एवं 'लहरी' (काशी), मासिक 'माया' (प्रयागराज), 'मतवाला' (मिर्जापुर), 'समय' (जौनपुर), 'संसार' (बलिया), 'सुदर्शन' (एटा) और 'श्रीकृष्ण संदेश' (काशी) आदि। सन् 1930 में 'हंस' (काशी), 'सत्याग्रह समाचार' (प्रयागराज), 'भविष्य' (प्रयागराज) और साइक्लोस्टाइल क्रान्तिकारी पत्रों में 'रणभेरी' (बनारस), 'रणडंका', 'रणचण्डी', 'बहिष्कार', 'चण्डिका', 'ज्वालामुखी', 'चिनगारी', 'तूफान', 'शंखनाद' आदि का प्रकाशन हुआ।

'हंस' का सम्पादन मार्च, 1930 में बनारस से लोकमानस को परखने वाले कथाकार प्रेमचन्द के सम्पादकत्व में हुआ। इसके सम्पादकों में श्रीमती शिवरानी देवी, जैनेन्द्र कुमार और श्रीपत राय प्रमुख थे। 'हंस' का जन्म भी स्वाधीनता के उद्देश्य से प्रेरित था। इस पत्रिका के तीन विशेषांक– 'आत्मकथांक', 'काशी अंक' और 'आचार्य द्विवेदी अभिनन्दनांक' अपने में एक से बढ़कर एक हैं। इसके 'रेखाचित्रांक', 'स्वदेशांक' नामक दो विशेषांक और प्रकाशित हुए। 'हंस' अपने प्रारम्भिक दो दशकों तक निकलता रहा। तदोपरान्त बंद होने पर फिर 1985 से बराबर निकल रहा है। 'सत्याग्रह समाचार' का प्रकाशन मार्च-अप्रैल 1930 में इलाहाबाद से हुआ था। सत्याग्रह कमेटी, प्रयागराज का यह दैनिक पत्र था। सम्पादक श्री बैजनाथ कपूर थे। ये कानून के विशेषज्ञ थे। पत्र की साप्ताहिक प्रसार संख्या 1500 थी। इसकी अधिसंख्य प्रतियाँ ग्रामीण अंचलों में प्रसारित होती थीं। इसका मुख्य उद्देश्य सस्ते मूल्य पर गाँवों में सविनय अवज्ञा आन्दोलन के समाचारों को प्रसारित करना और कांग्रेस की गतिविधियों के प्रति जनसमर्थन जुटाना था।

इसी वर्ष साप्ताहिक 'भविष्य' का प्रकाशन प्रयागराज से श्री रामरख सिंह सहगल के सम्पादकत्व में हुआ। पत्र प्रकाशन का उद्देश्य स्वतंत्रता संग्राम के युद्ध में आहुति देना था। सन् 1930 में ही प्रेस आर्डिनेन्स के परिणामस्वरूप सभी हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन स्थगित हो गया था। उस समय प्रदेश के विभिन्न अंचलों से जनता को देश-दशा से अवगत रखने एवं प्रेरणा देने के लिए भूमिगत पत्रकारिता प्रारम्भ की गई। 1930 में जमानत माँगे जाने के फलस्वरूप 'आज' और 'सत्याग्रह समाचार' नाम से निकले तो, पर ये साइक्लोस्टाइल रूप में थे। प्रान्तीय सरकार ने साइक्लोस्टाइल 'सत्याग्रह समाचार' से भी 9 जून 1930 को 2,000 रुपये की जमानत माँगी। बाद में जब इस तरह के साइक्लोस्टाइल पत्रों से भी संबंधित एक और प्रेस अध्यादेश की घोषणा की गई। इसके अनुसार सरकारी अधिकारियों को तलाशी, पत्र-पत्रिकाओं की जब्ती, उन्हें नष्ट करने और अघोषित छापाखानों को जब्त करने आदि का भी अधिकार प्रदान किया गया। साइक्लोस्टाइल पत्रों में सर्वाधिक महत्व 'रणभेरी' का है। 'रणभेरी' का समस्त मैटर पराड़कर जी लिखते थे। दाम एक पैसा था। इसके संचालन एवं लेखन मंडल में – रामचन्द्र वर्मा, विश्वनाथ शर्मा, दुर्गा प्रसाद खत्री, दिनेश दत्त झा, उमाशंकर, आचार्य नरेन्द्र देव और कालिका प्रसाद तथा अन्य रूप से सम्बद्ध कई लोग थे। 'रणभेरी' पत्र और उसके उपकरण का पता लगाने के लिए पुलिस ने एड़ी-चोटी का पसीना एक कर दिया था, परन्तु उसे सफलता नहीं मिली। बनारस से ही 'रणडंका' का भी प्रकाशन हुआ था। इसका सम्पादक एक सैनिक था।

'चिनगारी' पत्र ने भी युवकों का आह्वान किया था– ''समर की रणभेरी बज रही है। वीर सैनिक तिरंगा

राष्ट्रीय झंडा लिए हुए युद्ध क्षेत्र में वीरतापूर्वक बढ़ रहे हैं। भारत के नवयुवकों को यह निश्चय करना है कि युद्ध क्षेत्र में उनका स्थान कहाँ है ? और उस स्थान पर डट जाना है। इसलिए प्रश्न है कि भारत माँ का बंधन कौन काटेगा ? कौन रोती माँ के आँसू पोछेगा।'' इस प्रकार स्वतंत्रता आन्दोलन में इन साइक्लोस्टाइल पत्रों का योगदान अविस्मरणीय है। स्वतंत्रता प्राप्ति की अदम्य लालसा ने उत्तर प्रदेश के हिन्दी पत्रों को कष्ट सहन करने की अद्‌भुत शक्ति और साहस प्रदान कर दिया था जिसके नाते सन् 1932 में उत्तर प्रदेश से 11 पत्रों का प्रकाशन हुआ– 'आदर्श' (खीरी), 'आदेश' (आगरा), 'जागरण' (बनारस), 'जाग्रति' (गोरखपुर), 'कुमार' (कालाकांकर), 'अवध' (प्रतापगढ़), 'प्रताप दैनिक' (कानपुर), 'संदेश' (मेरठ), 'त्रिशूल' (कानपुर), 'वीरभूमि' (झाँसी) और 'वोटर' (कानपुर)। इसमें पाक्षिक एवं साप्ताहिक 'जागरण' का विशेष महत्व है। पाक्षिक 'जागरण' का प्रकाशन 11 फरवरी सन् 1932 को हुआ। सम्पादक थे– आचार्य शिवपूजन सहाय। इसके मुखपृष्ठ पर 'साहित्यिक-पाक्षिक पत्र' लिखा होता था। पाक्षिक 'जागरण' एक वर्ष निकलने के बाद साप्ताहिक रूप में प्रेमचन्द के सम्पादकत्व में निकला। पत्र का प्रकाशन स्थल काशी था। साप्ताहिक 'जागरण' का प्रथम अंक 22 अगस्त, 1932 को निकला। राजनीतिक विचारों के प्रकाशन के लिए इसमें कहानियाँ प्रकाशित होती थीं। 26 अक्टूबर, 1932 के अंक में 'उसका अंत' शीर्षक क्रांतिकारी कहानी प्रकाशन के कारण 'जागरण' से भी जमानत माँगी गई। इस वर्ष हिन्दी के 24 पत्रों का प्रकाशन हमेशा के लिए बंद हो गया। 'जागरण' साप्ताहिक भी अधिक दिनों तक नहीं चल सका। 21 मई, 1934 को वह हमेशा के लिए बन्द हो गया। 'जागरण' अपने दोनों रूपों में शुद्ध साहित्यिक पत्र था।

सन् 1933 में उत्तर प्रदेश से 31 नयी पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ, जिनमें प्रमुख हैं– 'अभिनव' (कानपुर), 'अधिकार' (लखनऊ), 'आशा' (अलीगढ़), 'विशनोई समाचार' (बिजनौर), 'बुन्देलखण्ड केशरी', 'दलितोदय' (कानपुर), 'हिन्दू' (कानपुर), 'जन्मभूमि' (इटावा), 'क्षत्रिय सेवक' (आगरा), 'क्षत्रिय वीर' (आगरा), 'मदारी' (प्रयागराज), 'मातृभूमि' (झाँसी), 'मिलन' (बुलन्दशहर), 'निर्भीक' (हरदोई), 'निष्काम' (मेरठ), 'पालीवाल एवं प्रभात' (अलीगढ़), 'प्रभात' (बलिया), 'राजपूत' (आगरा), 'स्वदेशी' (प्रयागराज), 'तपोभूमि' (मेरठ), 'विकास' (सहारनपुर), 'विश्वबंधु' (सहारनपुर), 'विश्ववाणी' (शाहजहाँपुर) आदि। हिन्दी पत्रकारिता के विकास की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण वर्ष 1936-37 है। इस वर्ष 41 पत्रों का प्रकाशन हुआ, जिसमें प्रमुख हैं– 'आजकल' (प्रयागराज), 'आलोक' (सहारनपुर), 'बिगुल' (लखनऊ), 'चन्द' (सहारनपुर), 'दिग्विजय' (इटावा), 'दूत' (प्रयागराज), 'ग्रामसेवक' (खीरी), 'हिन्दी मिलाप' (बाराबंकी), 'जीवन' (आगरा), 'कर्मधर्म' (झाँसी), 'किसान बंधु' (गोरखपुर), 'नई दुनिया' (आगरा), 'अवधवासी' (बाराबंकी), 'प्रभाकर' (आगरा), 'प्रभात' (मेरठ), 'प्रेमसुधा' (आगरा), 'पंच' (प्रयागराज), 'रोटी' (बिजनौर), 'सत्यवक्ता' (झाँसी), 'शंकर' (गोरखपुर), 'स्वतंत्र' (प्रयागराज), 'उदय' (कानपुर), 'उत्थान' (प्रयागराज), 'वसुंधरा' (बनारस), 'विजय' (लखनऊ) आदि महत्वपूर्ण पत्र-पत्रिकाएँ हैं। सन् 1937 ई. में उत्तर प्रदेश से हिन्दी के अनेक पत्रों का प्रकाशन हुआ, जिनमें– 'दरबार' (प्रयागराज), 'दर्शक' (उरई), 'ग्राम संदेश' (रायबरेली), 'संग्राम' (उन्नाव), 'संघर्ष' (लखनऊ), 'शंखनाद' (कानपुर), 'विश्वबन्धु' (सुलतानपुर) एवं 'विश्वास' (सहारनपुर) आदि पत्र-पत्रिकाएँ उल्लेखनीय हैं। ये सभी पत्र कांग्रेस नीति के समर्थक थे।

1938 में उत्तर प्रदेश के विभिन्न अंचलों से अत्यधिक महत्वपूर्ण पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ। इस वर्ष दैनिक 'आज' का साप्ताहिक रूप 18 जुलाई, 1938 से श्री मुकुन्दीलाल श्रीवास्तव के सम्पादकत्व में निकला। साप्ताहिक 'आज' उस समय का सर्वश्रेष्ठ साप्ताहिक पत्र था, जिसमें अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर लेख होते थे। विदेशी समाचारों से सम्बन्धित दो नेताओं या प्रसिद्ध व्यक्तियों के चित्र होते थे। व्यंग्य चित्रों का प्रकाशन भी होता था। इस वर्ष का दूसरा साप्ताहिक पत्र 'देशभक्त' प्रयाग से श्रीनाथ सिंह के सम्पादकत्व में निकला। पत्र के प्रथम अंक में पत्र की नीति का निर्धारण करते हुए लिखा– ''इसमें संसार के समाचारों का सार, विचारों का निचोड़ और व्यक्तियों आदि की चर्चा के साथ-साथ भारत के राष्ट्रीय और प्रगतिशील जीवन की झाँकी रहेगी।''

पत्र के विशेषांकों में प्रमुख विशेषांक हैं– 'किसान अंक', 'कांग्रेस अंक', 'साक्षरता अंक'। प्रयागराज से इसी वर्ष प्रकाशित होने वाले अन्य पत्र हैं– 'पंच', 'विजय', 'न्याय'। इस वर्ष 'अधिकार' साप्ताहिक का प्रकाशन फतेहगढ़ से हुआ। इसके मुखपृष्ठ पर तिलक का उद्घोष 'स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है' मुद्रित होता था। यह किसानों और मजदूरों की पत्रिका थी, जिसमें क्रान्तिकारी के चित्र तथा उन पर विशेष सामग्री का प्रकाशन होता था। 'विप्लव' का प्रकाशन भी इसी वर्ष हुआ। यह लखनऊ से प्रसिद्ध क्रान्तिकारी यशपाल के सम्पादकत्व में निकली। यह अति उग्र विचारों की राजनीतिक पत्रिका थी जिसके मुखपृष्ठ पर 'तुम करो शांति-समता प्रसार, विप्लव का अपना अनल गान' नीति वाक्य छपता था। पत्र का 'चन्द्रशेखर आजाद अंक' जो क्रांति गाथाओं से परिपूर्ण था, निःसंदेह संग्रहणीय है। इसका प्रकाशन अप्रैल 1940 तक होता रहा है।

सन् 1939 में 'कर्मयोगी' का प्रकाशन प्रयागराज से रामरख सहगल के सम्पादकत्व में हुआ। यह मासिक पत्र था। साप्ताहिक 'वीरभारत' का प्रकाशन बस्ती से हुआ। इसमें राष्ट्रीय विचारों के लेख एवं कविताएँ प्रकाशित होती हैं। मुखपृष्ठ पर 'आवो प्यारे वीरों आवो, मातृभूमि पर बलि-बलि जावो' शीर्षक पंक्तियाँ पत्र की राष्ट्रीय भावना की परिचायक हैं। इस वर्ष के अन्य पत्रों में– 'कमला', 'अग्रगामी', 'मेरठ टाइम्स' (मेरठ), 'नवसंदेश' (आगरा), 'चकल्लस' (लखनऊ), 'हलचल' (गोण्डा), 'प्रकाश' (लखनऊ), 'ताजा तार' (आगरा), 'सत्यप्रकाश' (काशी) आदि महत्वपूर्ण हैं। सन् 1940 में अनेक हिन्दी पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशित हुईं। इन पत्रिकाओं में प्रमुख हैं– 'सिद्धांत' (काशी), 'अग्रगामी' (सीतापुर), 'चातक' (प्रतापगढ़), 'स्वदेश' (अलीगढ़), 'जीवन' (सहारनपुर), 'सूत्रधार' (सीतापुर), 'आनन्द' (उरई), 'अखंड ज्योति' (आगरा), 'मेल' (काशी) और 'विप्लवी ट्रैक्ट' (लखनऊ) आदि। 'सूत्रधार' साप्ताहिक राष्ट्रीय विचारों का पत्र था। 'मेले' दैनिक पत्र 14 मई, 1940 को काशी से निकला। इसके सम्पादक महावीर प्रसाद गहमरी थे। इसका प्रकाशन केवल एक माह हुआ था। 'काशी समाचार' (काशी), 'अमृत' (लखनऊ), 'नवीन भारत' (एटा) और 'संदेश' (आगरा) का प्रकाशन सन् 1941 में हुआ। इस युग की हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं का इतिहास स्वतंत्रता आन्दोलन के इतिहास से गहराई से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश की हिन्दी पत्रकारिता ने स्वतंत्रता आन्दोलन के दौर में जनमत का निर्माण कर जनता की आकांक्षाओं को उजागर करने में महान् योगदान किया। इस आन्दोलन में पत्रों ने एक जागरूक सैनिक की भूमिका निभाई। पत्र-पत्रिकाओं ने दिशा-निर्देशन के साथ-साथ जनचेतना को भी झंकृत किया। साहित्य की नवीन विधाओं की स्थापना भी की इन पत्रिकाओं ने।

स्वातन्त्र्योत्तर युग (1947 से आज तक)

स्वतंत्रता के बाद केवल सामाजिक परिवेश ही नहीं बदला बल्कि लोक कर्तव्यों और अधिकारियों को नवीन दिशा बोध भी हुआ। इस समय देश के सामने राष्ट्र-निर्माण का महान कार्य उपस्थित हुआ। इस कार्य को सफल बनाने के लिए जनमत-निर्माण आवश्यक था। परिणामतः सबसे अधिक भार पत्रकारों पर आया। राष्ट्र जीवन के सभी अंगों के विकास में समुचित सहायता प्रदान करना पत्रकारों का दायित्व बन गया। इससे पत्र-पत्रिकाओं की संख्या में और उनकी प्रसार संख्या में आशातीत वृद्धि हुई। उत्तर प्रदेश की हिन्दी पत्रकारिता के परिप्रेक्ष्य में देखने से पता चलता है कि यहाँ के दैनिक पत्रों ने पत्रकारिता के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। वैसे तो आजादी से पहले निकलने वाले पत्रों में 'आज' का एक प्रमुख स्थान है। यह 1920 से लेकर आज तक हिन्दी पत्रकारिता की श्रीवृद्धि कर रहा है। 1947 से लेकर अब तक जिन प्रतिष्ठित हिन्दी दैनिक पत्रों का प्रकाशन उत्तर प्रदेश से हो रहा है या हुआ है वे हैं– 'आज', भारत, सैनिक, जनवाणी, श्री इण्डिया, अमर उजाला, मयराष्ट्र, सत्ता सुधार, प्रभात, हिन्द, चिंगारी, विश्व परिवार, 'स्वतंत्र भारत', 'दैनिक जागरण', 'नवजीवन', स्वदेश, तरुण भारत, 'नवभारत टाइम्स', 'राष्ट्रीय सहारा', 'हिन्दुस्तान', 'अमृत प्रभात', 'जनसत्ता', 'जनसत्ता-एक्सप्रेस', 'वायस आफ लखनऊ', 'गाण्डीव', 'भास्कर', 'जनमोर्चा', 'राष्ट्रीय स्वरूप तथा अन्य अनेक अखबार। इनके अतिरिक्त सांध्य दैनिकों की भी संख्या काफी है।

उत्तर प्रदेश में साहित्य तथा पत्रकारिता के एक बड़े हिस्से के आधार भी धर्म और अध्यात्म रहे हैं जिनसे पुरातन भारतीय सांस्कृतिक चेतना के प्रसार में मदद मिली। प्रदेश की पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन का उद्देश्य राष्ट्रीय चेतना को जाग्रत करना था। 'कल्याण' तथा 'अखण्ड ज्योति' का प्रकाशन धार्मिक साहित्य के क्षेत्र में

बेजोड़ घटना है। कल्याण का प्रथम अंक अगस्त 1926 में बम्बई (मुम्बई) से प्रकाशित हुआ था। इसका पहला विशेषांक श्री भगवन्नामांक में महात्मा गांधी का राम-नाम की महत्ता पर सारगर्भित लेख छपा था। 'कल्याण' ने लागत से भी कम मूल्य पर हिन्दू संस्कृति अंक, गोअंक, तीर्थांक, संत अंक, भक्त चरितांक तथा विभिन्न पुराणों का विशेषांक रूप में प्रकाशन कर धर्म तथा अध्यात्म के क्षेत्र में जो सेवा की, उसे भुलाया नहीं जा सकता। 'कल्याण' ने 70 से अधिक विशेषांक प्रकाशित किए हैं। हनुमान प्रसाद पोद्दार, चिम्मनलाल गोस्वामी तथा स्वामी रामसुख दास जी जैसी विभूतियों ने 'कल्याण' का सम्पादन किया। स्वतंत्रता के बाद प्रकाशित धार्मिक पत्र हैं– 'भक्त भारत' (वृन्दावन), 'भैरवी' (काशी), 'श्री अमर भारती' (आगरा), 'श्रीकृष्ण संदेश' (मथुरा-1965), 'अध्यात्म ज्योति' (कानपुर-1966), 'भागवत पत्रिका' (मथुरा), 'भगवत दर्शन' (वृन्दावन), 'धर्मदूत' (पिलखुवा-1982), 'आचार्य' (बरेली), 'श्री शंकराचार्य संदेश' (प्रयाग), 'मानस हंस' (हाथरस) आदि। 'अखण्ड ज्योति' का प्रकाशन शान्ति कुंज, मथुरा से होता रहा है। ये सभी धार्मिक पत्र-पत्रिकाएँ अपने आप में एक संस्था हैं। कई तो अब सम्बद्ध संस्थान की पत्र-पत्रिकाएँ हैं– संस्थानों की अपनी अलग भूमिकाएँ हैं।

मानव के लिए सबसे आवश्यक है– स्वास्थ्य। इस क्षेत्र में दिन-प्रतिदिन नये-नये अनुसंधान हो रहे हैं। इसकी जानकारी हेतु अनेक पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन हो रहा है। उत्तर प्रदेश से निकलने वाले प्रमुख पत्र हैं– 'आरोग्य' (गोरखपुर-1957), 'आयुर्वेद संदेश' (लखनऊ-1967), 'आपका स्वास्थ्य' (वाराणसी-1987), 'प्राकृतिक जीवन' (लखनऊ-1991) और 'धनवंतरी' (अलीगढ़-1988) आदि। उद्योग में नित नये-नये उद्योग धंधों का आविष्कार हो रहा है। पर, उत्तर प्रदेश में उसके प्रचार-प्रसार हेतु ठोस इंतजाम नहीं है। हिन्दी भाषा के माध्यम से कुछ पत्रिकाएँ निकल रही हैं– 'अलीगढ़ उद्योग समाचार' (अलीगढ़), 'व्यापार संदेश' और 'उद्योग विकास' (गाजियाबाद-1993) आदि। अमर उजाला समूह ने हिन्दी का सर्वप्रथम वृहद रूप में आर्थिक दैनिक अखबार 'अमर उजाला कारोबार' निकाला। इन दिनों समूह ने इसके प्रकाशन को स्थगित कर रखा है। समय को देखते हुए इस क्षेत्र में अनेक पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जा सकता है। 'बाल पत्रकारिता' के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान उत्तर प्रदेश का ही है, क्योंकि सर्वप्रथम बाल पत्र सन् 1882 में प्रयागराज से प्रकाशित 'बाल दर्पण' मासिक था। भारतेन्दु युग का पत्र बच्चों के लिए एक नवीन प्रयोग था। 1891 में लखनऊ से 'बाल हितकारक' मासिक निकला था। इलाहाबाद से ही फिर 1902 में 'आर्य बाल हितैषी' पत्र प्रकाशित हुआ। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश से अनेक बाल पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ है जिनमें प्रमुख हैं – 'लल्ला' (प्रयागराज-1948), 'जीवन शिक्षा' (वाराणसी-1957), 'राजा बेटा' (वाराणसी-1958), 'बेसिक शिक्षा' (सहारनपुर-1959), 'विज्ञान लोक' (आगरा-1960), 'ज्ञान भारती' (लखनऊ-1962), 'शिशु बंधुर' (लखनऊ-1966), 'मनमोहन' (प्रयागराज-1967), 'बच्चों की पुकार' (लखीमपुर खीरी-1968), 'चमाचम' (लखनऊ-1972), 'बालरुचि' (लखनऊ-1975), 'बालदर्शन' (कानपुर-1975), 'चिल्ड्रन टाइम्स' (लखनऊ-1981), 'नन्हीं मुस्कान' (कानपुर-1981), 'बालनगर' (प्रयागराज-1982), 'लल्लू जगधर' (लखनऊ-1982), 'अच्छे भइया' (प्रयागराज-1986) आदि।

स्वतंत्रता से पूर्व कृषि को केवल पेट भरने का एक साधन माना जाता था, पर आज कृषि कार्य प्रत्येक देश में सर्वोत्तम माना जाता है। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्थान के लिए अनेक विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है। इन विश्वविद्यालयों में नित नये शोध कार्य किये जा रहे हैं। इन शोध कार्यों के विषय में जनमानस को जानकारी देने के लिए अनेक पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन हो रहा है। कृषि और ग्रामीण पत्रकारिता के क्षेत्र में अभी भी कोई संतोषजनक कार्य नहीं हुआ है। स्वतंत्रता के बाद कृषि पत्रों में प्रमुख हैं– 'कृषि सेतु' (सुल्तानपुर-1978), 'खेती किसानी' (अयोध्या-1972), 'किसानोत्थान' (लखनऊ-1972), 'गाँव की बात' (कानपुर-1991), 'देहाती' (आजमगढ़-1933) और कृषक क्रांति (मेरठ-1994) आदि। सन् 1947 के बाद राजनीति के विषय को लेकर बहुत सारी पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ। उत्तर प्रदेश से निकलने वाले राजनीतिक पत्र हैं– 1947 में राष्ट्रधर्म लखनऊ मासिक का प्रकाशन शुरू हुआ इसके प्रथम संपादक थे अटल बिहारी वाजपेयी (पूर्व प्रधानमंत्री), 'माया' (प्रयागराज), 'विकास' (सहारनपुर), 'नया जीवन' (सहारनपुर), 'राष्ट्रधर्म', 'पाञ्चजन्य' (लखनऊ), 'अवकाश' (वाराणसी),

'उ.प्र. संदेश', 'जन' (अयोध्या), उत्तर प्रदेश (मासिक) 'दायित्वबोध' (लखनऊ) आदि। राष्ट्रधर्म के युगान्तर, राष्ट्ररक्षा, हम सबके अटल जी, नमामि गंगे, महापर्व कुम्भ विशेषांक महत्त्वपूर्ण है। 'सांस्कृतिक पत्रकारिता' द्वारा संस्कृति की रक्षा एवं उसका प्रचार-प्रसार किया जाता है। उ.प्र. की संस्कृति और उसकी सांस्कृतिक पत्रकारिता दोनों ही अपने-आप में बेजोड़ हैं। इन पत्रिकाओं में प्रमुख हैं– 'नीहारिका' (आगरा-1962), 'साथी' (मुरादाबाद-1960), 'संगीत' (हाथरस) 'गीत संगीत' (प्रयागराज-1987), 'पुराकल्प' (वाराणसी-1992), 'मालिनी' (प्रयाग-1995), 'संस्कृति' (लखनऊ-1995) समकालीन जनमत (प्रयागराज, 2002) 'कलादीर्घा' (लखनऊ 2000) और 'कला वसुधा' (लखनऊ) आदि। साहित्यिक पत्रकारिता के अन्तर्गत इस पत्रकारिता का भी समावेश हो सकता है, पर साहित्य के अन्तर्गत इसने एक विधा के रूप में अपना अस्तित्व बना रखा है, इसलिए ऐसे पत्रों का एक संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है– 'गुरू जासूस' (प्रयागराज), 'घीसूलाल' (झाँसी), 'घुटाला' (झाँसी), 'घोटाला' (आगरा), 'उखाड-पछाड़' (मथुरा), 'क्या कहाँ' (अलीगढ़), 'काक दृष्टि' (कानपुर), 'खुल्लमखुल्ला' (गाजीपुर), 'चर्चिका' (हरदोई), 'जीजी' (जालौन), 'जागो और जगाओ' (बुलन्दशहर), 'झकझक' (मेरठ), 'झुनझुना' (आगरा), 'टहलमहल' (कानपुर), 'डरो मत' (हाथरस), 'फक्कड़' (कानपुर), 'बम बम' (कानपुर), 'भड़ते' (मथुरा), 'लतियाव' (रामपुर), 'लाल बुझक्कड़' (बलिया), 'भ्रष्टभूत' (हरदोई), 'आफतमेला' (अलीगढ़) अट्टास (लखनऊ) आदि पत्रों ने स्थानीय नागरिकों का मनोरंजन किया। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि उ.प्र. की हास्य-व्यंग्य पत्रकारिता अपने ढंग की निराली है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पत्रिकाओं की संख्या में निरंतर अभिवृद्धि होती गई। लघु पत्रकारिता आन्दोलन भी इसी समय आया। साहित्य की विधि-विधाओं को मंडित करने में 'कथा' (मार्कण्डेय, प्रयागराज), 'कथानक' (सुनील, कानपुर), 'कथा दशक' (सतीश जमाली, प्रयागराज), 'जन संस्कृति' (अवधेश प्रधान, वाराणसी), 'कहानीकार' (कमलगुप्त, वाराणसी), 'नयी रचना' (मदन मोहन, गोरखपुर), 'प्रयोजन' (वीरेन्द्र यादव, लखनऊ), 'वर्तमान साहित्य' (विभूति नारायण राय, गाजियाबाद), 'दस्तावेज' (डॉ. विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, गोरखपुर), 'जनपक्ष' (शैलेश मटियानी, प्रयागराज), 'सम्पर्क' (रामस्वरूप द्विवेदी, प्रयागराज), 'प्रतिज्ञा प्रतीक' (डॉ. सावित्री मिश्र, प्रयागराज), 'तेजस्वी' (बालकृष्ण पाण्डेय, प्रयागराज), 'अतएव' राज्य कर्मचारी (हिन्दी संस्थान, लखनऊ), तद्भव (अखिलेश, लखनऊ) 'कथ्यरूप' (अनिल श्रीवास्तव, प्रयागराज), नूतन कहानियां (सुरेन्द्र अग्निहोत्री प्रयागराज) 'निष्कर्ष' (गिरीश चन्द्र श्रीवास्तव, गोरखपुर), 'समकालीन दस्तावेज' (प्रशांत कुमार, लखनऊ), 'साखी' (केदारनाथ सिंह, गोरखपुर), 'कुंदनशील' (सतीश राज पुष्करणा, मेरठ), 'समकालीन तीसरी दुनिया' (आनंद स्वरूप वर्मा, नोएडा, गाजियाबाद), कथाक्रम (शैलेन्द्र सागर, लखनऊ), 'समकालीन एकलव्य' (लखनऊ), 'समकालीन सोच' (गाजीपुर), 'संदर्श' (शाहजहाँपुर), 'कथासमवेत' (शोभानाथ शुक्ल, सुलतानपुर), (सरवर हसन, गाजियाबाद), 'अन्तर्दृष्टि' (विनोददास), प्रिय संपादक (उग्रनाथ नागरिक, लखनऊ), नागरिक उत्तर प्रदेश (लखनऊ), सामधेनी (राज बहादुर विकल, शाहजहाँपुर), रचना संवाद (पंकज मिश्र, शाहजहाँपुर) पत्रकार सदन (अफ़ज़ाल अंसारी, लखनऊ), विश्व पत्रकार सदन (आबिद हुसैन, मुख्य संपादक-योगीन्द्र द्विवेदी लखनऊ), दलित एशिया, ड्डे (सुरेश पंजक, लखनऊ), अकार (गिरिराज किशोर, कानपुर), परिवेश (मूलचंद गौतम, मुरादाबाद), भारतीय लेखक (भीमसेन त्यागी, नोएडा), अभिनव कदम (जयप्रकाश धूमकेतु, मऊनाथ भंजन), परख (कृष्ण मोहन, प्रतापगढ़), उन्नयन (श्री प्रकाश मिश्र, प्रयागराज), आशय, (बी. के. सोनकिया, लखनऊ), थाती (यतीन्द्र मिश्र, अयोध्या), कल के लिए (डॉ0 जयनारायण, बहराइच), नया मानदण्ड (वाराणसी), उज्ज्वल ध्रुवतारा (जी.पी. मिश्र, कानपुर) आदि पत्रिकाओं का प्रकाशन हो रहा है। इन पत्रिकाओं के अतिरिक्त कुछ और साहित्यिक पत्रिकाएँ भी प्रकाशित हुई हैं या हो रही हैं। जिनकी सूची न दे पाना स्थान की सीमा है।

इस विवरण व विवेचना से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में विभिन्न रुचि, योग्यता, उद्देश्य आदि से प्रेरित होकर प्रज्ञा क्षेत्र के विभिन्न व्यक्तित्व अपनी पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन से हिन्दी पत्रकारिता के विविध आयाम प्रस्तुत कर रहे हैं। इनके अतिरिक्त सैकड़ों दैनिक व साप्ताहिक पत्र अपने जिलावार व क्षेत्रवार विभिन्न संस्करण

प्रकाशित कर उत्तर प्रदेश की हिन्दी पत्रकारिता को कस्बाई, स्थानीय व राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान कर रहे हैं। पत्रकारिता से सम्बद्ध दैनिकों, साप्ताहिकों के विविध प्रयोग व समय-समय पर बढ़ते संस्करण इस बात की ओर इशारा करते हैं कि पत्रकारिता के क्षेत्र में धन का काफी लाभ है तथा सरकार और जनता (पाठक वर्ग) दोनों ही इस लाभ में सकरात्मक भूमिका का निर्वाह करते हैं। सरकार पत्रकारिता को बढ़ावा देने के लिए हर प्रकार की आर्थिक मदद देने का प्रयास करती रहती है पर अब बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के विज्ञापन ज्यादा आकर्षण का केन्द्र व उद्यम हैं।

आज के समय में जब 'संचार क्रान्ति' का बिगुल भारत में भी बजने लगा है तब केवल अख़बारों, पत्र-पत्रिकाओं (प्रिन्ट मीडिया) पर चर्चा करने से ही पत्रकारिता पर बात पूरी नहीं होती। अब जरूरी है कि ब्राडकास्ट व विजुअल मीडिया का भी सामान्य-सा परिचय ले लिया जाय। दरअसल अब मीडिया (पत्रकारिता) का क्षेत्र इतना बड़ा और विविध हो गया है कि उसके आयामों का विस्तार हुआ है। अब तो बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि विज्ञापन के क्षेत्र में काम करने वाले भी अपने को मीडिया क्षेत्र का ही मानते हैं। पत्रकारिता, विज्ञापन व प्रसार विभाग अब एक दूसरे में हस्तक्षेप करते हैं और पत्रकारिता की स्वीकृत व प्रचलित परम्परा को अपने ढंग से रूप देने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि आज कई संस्थानों में 'ब्राण्ड मैनेजर्स' की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो गई है। सम्पादक क्रमशः मैनेजर के रूप में सगर्व तब्दील हो गये हैं। संचार क्रान्ति के इस युग में अब खबर संस्थानों में काम करने वालों के पदों के नाम बदल गए हैं और सम्पादकों का अस्तित्व बदल गया है। इसीलिए विजुअल मीडिया (दृश्य समाचार माध्यम) व ब्राडकास्टिंग मीडिया (श्रवण व उद्घोषणा समाचार माध्यम) के बारे में भी दो-चार परिचयात्मक बातें कर लेना जरूरी लगता है।

ब्राडकास्टिंग मीडिया यानी बोलचाल की भाषा में रेडियो की अवधारणा बिल्कुल दूसरी तरह की थी। वह एक साथ समाचार, मनोरंजन, विविध प्रकार की जानकारियाँ देने का एक सम्पूर्ण माध्यम था लेकिन उसे मीडिया का दर्जा प्राप्त नहीं था। जब से दृश्य माध्यमों (टी.वी.) के सम्पूर्ण खबरिया चैनलों ने अपने को ब्राडकास्टिंग यानी रेडियो (आकाशवाणी) की भूमिका में लाना शुरू किया है तब से मीडिया को ब्राडकास्टिंग मीडिया का स्वरूप दिया जा रहा है। टी.वी. के खबरिया चैनलों के कार्यक्रमों पर हम ध्यान दें तो लगेगा हम एक तरह से रेडियो देख रहे हैं (रेडियो सुन नहीं रहे हैं)। यह परिवर्तन ही हमें इस ओर ध्यान दिलाता है कि लखनऊ आकाशवाणी के अतिरिक्त प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर आदि तमाम केन्द्रों ने किस प्रकार राष्ट्रीय व स्थानीय समाचारों की श्रृंखला तैयार कर और राजनीति तथा समाज के तमाम मुद्दों पर परिचर्चाएँ आयोजित कर पूरे उत्तर प्रदेश में अपने ढंग से समाचारों व मुद्दों को पहुँचा रहे हैं, साथ ही जब डाक तार विभाग की मदद से इसकी शुरुआत मुम्बई में 'द टाइम्स ऑफ इण्डिया' ने शुरू कराई तो केवल संगीत का ही बहुत सीमित क्षेत्रों में प्रसारण शुरू हो सका। दूसरे विश्वयुद्ध से पहले 1933 में एक बार इसका स्वरूप बदला, फिर दूसरे विश्वयुद्ध के समय और 1947 के बाद स्वाधीनता मिलने पर और आज तो इसका स्वपरूप, कार्यक्रम, विस्तार और प्रभाव सब कुछ बदल चुका है। इस दृष्टि से इसने पत्रकारिता का बिल्कुल नया स्वरूप सामने लाकर रख दिया है। यह पत्रकारिता का एक ऐसा माध्यम शुरू से ही रहा जिसने चाहे यह जब निजी हाथों में था या फिर सरकार के हाथ में इसने अपने चलाने वालों को लाभ-ही-लाभ पहुँचाया। आज रेडियो (ब्राडकास्टिंग) पत्रकारिता का विस्तार सबसे ज्यादा है और सम्भवतः सरकार को वित्तीय लाभ भी सबसे ज्यादा !

दृश्य माध्यम की पत्रकारिता (टी.वी. के खबरिया चैनल)

इस माध्यम की पत्रकारिता का विकास लगभग उसी तरह हुआ जैसे रेडियो का हुआ। बड़ा फर्क यह आया कि इस माध्यम ने सबसे तेजी से विकास किया और पूँजीवादी बाजार तथा भूमंडलीकरण के प्रयासों के कारण भारत सरकार को दूरदर्शन के अलावा अनेकानेक पूँजीपतियों को निजी तौर पर अपने चैनल चलाने की छूट दे दी। आज पूरा अंतरिक्ष विभिन्न सैटेलाइट, वेबसाइट से भरा हुआ है। यह एक तरह से अंतरिक्ष खरीदने की होड़ का समय है तो इस माध्यम की पत्रकारिता भी इस होड़ से प्रभावित, संचालित है।

भारत में टी.वी. की शुरुआत यूनेस्को के प्रयासों या कि दबावों से सितम्बर 1959 में हुआ। इसके पीछे फोर्ड फाउन्डेशन की मूल परिकल्पना थी। शिक्षा के विस्तार के नाम पर यहाँ टी.वी. माध्यम की शुरुआत हुई– टी.वी. क्लब बने जो इसके मूल-संचालक शक्ति थे– बिरादरी पूँजीपतियों को भी सहयोग सरकार का था– आज ये दोनों बिरादियाँ अपने खुले तौर पर सफलता का जश्न मना रही हैं।

इस शुरुआत की सीमा थी, बहुत कम क्षेत्रों में टी.वी. की पहुँच हो पाई। चूँकि यूनेस्को का प्रयास था और नेहरू का जमाना था इसलिए शिक्षा के व्यापक प्रसार के नाम पर टी.वी. कार्यक्रम स्कूलों से शुरू हुए फिर ग्रामीण क्षेत्रों में ले जाने का और कृषि-समस्याओं को बताने-समझाने का प्रयास हुआ। सन् 1959 के बाद इसके कार्य क्षेत्र के पड़ाव सन् 1961, 1963, 1965, 1972, 1975, 1976, 1982, 1984 रहे।

सीमित क्षेत्रों में सही पर 1965 से भारत में रेगुलर टी.वी. सर्विस (सेवा) शुरू हुई। 1972 में बम्बई टी.वी. स्थापित हुआ, 1973 में श्रीनगर, अमृतसर, 1975 में लखनऊ, मद्रास व कलकत्ता। टी.वी. के भारतीय इतिहास में 1976 इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस साल से टी.वी. पर कामर्शियल (विज्ञापन) सेवा शुरू हुई और 15 अगस्त 1982 से 'नेशनल प्रोग्राम' आने शुरू हुए तथा टी.वी. रंगीन हुई और कार्यक्रम भी।

सन् 1984 भारत में टी.वी. सेवा का रजत जयन्ती वर्ष था। इसी साल लोकसभा चुनाव होने वाला था– सबकुछ का रंगीन प्रसारण मीडिया-लोक का एक रंगीन समय था। सन् 1960 के दशक से लेकर 1980 के दशक तक अनेकानेक कमेटियों के सुझावों, बहसों, सेमिनारों आदि के बाद 'दूरदर्शन' अपने नए कदम बढ़ा रहा था। कहना चाहिए कि 'यूनेस्को' की दृश्य-अदृश्य जकड़बन्दी से मुक्त हुआ लेकिन इन पच्चीस वर्षों में सरकार, व्यापारियों, पूँजीपतियों तथा जनता को पता लग चुका था कि दूरदर्शन (टी.वी.) का प्रभाव व महत्त्व क्या है। गौर करें तो पता चलेगा कि दूरदर्शन तथा तमाम टी.वी. चैनलों का बड़ी तीव्र गति से सन् 1984 के बाद से ही विकास शुरू हुआ है।

जिस तरह आकाशवाणी अपनी प्रारम्भिक अवस्था पार करते हुए आज एक निश्चित स्वरूप ले चुका है और हर केन्द्र हर घंटे समाचार प्रसारण के साथ आकाशवाणी के राष्ट्रीय क्रम के अन्तर्गत के समाचारों के साथ स्थानीय समाचार, कृषि समाचार, बातचीत, शिक्षा समाचार आदि देते रह रहे हैं उसी तरह दूरदर्शन ने भी समाचारों की अपनी शृंखला बनाई है। अब तो दूरदर्शन ने चौबीस घंटे समाचार देने वाले चैनल बना रखे हैं (दूरदर्शन समाचार, डी.डी. न्यूज)। इस कारण समाचार-संकलनकर्ताओं की एक बड़ी फौज दूरदर्शन ने तैयार की है, ठीक उसी तरह जिस तरह आकाशवाणी ने किया है। इस तरह दूरदर्शन ने समाचार-संकलन के लिए एक जाल बिछा रखा है जो समाचार पत्र (प्रिंट मीडिया) नहीं कर सका है। यहाँ पत्रकारिता की गुणवत्ता की बात नहीं की जा रही है उसकी व्यापकता व कार्यविधि से परिचित हुआ जा रहा है। प्रिन्ट मीडिया अभी फैक्स, इण्टरनेट के जरिये खबरें इकट्ठा कर लेता है पर दूरदर्शन और तमाम टी.वी. के खबरिया चैनलों के पास ओबीसी वैन (आउटडोर ब्राडकास्टिंग वैन) जैसे समाचार संकलन उपकरण हैं जिनके द्वारा उनके पत्रकार (संवाददाता) खबरों और सम्बद्ध तस्वीरों से चैनल को अपडेट किए रहते हैं।

लखनऊ दूरदर्शन और अन्य स्थानों के ट्रान्समिटिंग केन्द्रों के द्वारा उत्तर प्रदेश में दृश्य माध्यम से यहाँ की जनता को अन्तर्राष्ट्रीय, स्थानीय समाचार तो मिल ही रहे हैं इनके अतिरिक्त विभिन्न ज्वलन्त मुद्दों पर बातचीत व बहसें भी मिल रही हैं। यानी समाचार और विचार (मनोरंजन आदि के अतिरिक्त) दोनों ही लोगों को उपलब्ध हो रहे हैं। उनके विकास के कई कार्यक्रमों पर अभी विचार भी जारी है। लोकसभा चैनल का अपना अलग महत्त्व है।

ऐसे सरकारी खबरिया चैनल या कार्यक्रमों के अतिरिक्त निजी पूँजीपतियों के खबरिया चैनल आज बहुतायत से उपलब्ध हैं, जो समाचार देने में हम आगे का हर समय दावा करते हुए 'ब्रेकिंग न्यूज' दिखाते रहते हैं। ऐसे कुछ खबरिया चैनल हैं– एन.डी.टी.वी., सी.एन.एन., आई.बी.एन.-7, आज तक, स्टार न्यूज,

जी.टी.वी. न्यूज,, इंडिया टी.वी., राष्ट्रीय सहारा, सहारा उ.प्र., ई.टी.वी., जनमत, जैन टी.वी., बी.बी.सी. न्यूज,, सी.एन.एन., स्टार वर्ल्ड, सी.एन.बी.सी., न्यूज़ नेशन, समाचार प्लस, न्यूज़ एक्सप्रेस इत्यादि हैं। इनके अतिरिक्त पूर्णतः खेल और व्यापार पर आधारित चैनल भी हैं जैसे ईएसपीएन, टेनस्पोर्टस आदि। इनके अतिरिक्त चैनलों में घुसे कुछ खबरों के कार्यक्रम जैसे– 'आँखों देखी'। दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर इनके मालिकों ने आधे घंटे का समय अपनी ख़बर दिखाने के लिए खरीद रखे हैं।

वास्तव में टी.वी. चैनल पर खबरें देने का तरीका प्रिन्ट मीडिया की तुलना में दूसरी तरह का है। खबरों का एक चंक बनता है जो कुछ घंटे लगातार विज्ञापनों के बीच-बीच में चलता रहता है। यानी खबरें फिर विज्ञापन फिर खबरें– कुल मिलाकर विज्ञापनों और खबरों का प्रतिशत बराबर रहता है या विज्ञापनों का प्रतिशत ज्यादा। टीवी संवाददाताओं की कलमें हैं आमतौर पर फोन, ओबी वैन, अत्याधुनिक कैमरा आदि। इनकी शब्दावली भी प्रिन्ट मीडिया से भिन्न है जैसे– आउटपुट, रन डाउन, इनपुट, एसाइनमेंट, डेक, पैकेज, बाइट, वीओ, फोनो, टिकटैक, इनजस्ट आदि इत्यादि। पदों के नाम भी अलग हैं जैसे असिस्टेंट प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर, एक्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, मैनेजिंग एडीटर, एंकर, एक्जीक्यूटिव एडीटर, सी.ई.ओ., डायरेक्टर (न्यूज़) आदि-इत्यादि। गनीमत है कि अभी संवाददाता पद यहाँ पर बचा हुआ है और अधिकारियों के आगे एडीटर शब्द भी जुड़ा है। वास्तविकता यह है कि अखबार संस्थानों ने जब से पत्रकारों के लिए बनाए गए कानून के अन्तर्गत और पालेकर अवार्ड आदि की रिपोर्ट के अनुसार स्वीकृत सम्पादकीय विभाग के पदनामों को अस्वीकार कर स्वतन्त्र वेतनमान, सेवा शर्तें और सम्पादकीय कर्मियों के पदनाम अपने ढंग से नये रूप में लेकर आए उन्होंने नए पदनाम, वेतनमान व सेवाशर्तें लागू कीं। विजुअल मीडिया इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जिसने पत्रकारिता के सारे स्थापित मानक तोड़ दिए और बंधुआ पत्रकारों की एक नई जमात पैदा की जिसको हमेशा इस आशंका में जीना पड़ता है कि थकान उतारने या घर के बहुत जरूरी काम के लिए दो दिन भी लगातार छुट्टी लेनी पड़ी तो वह ब्लैक लिस्टेड हो जाएगा, उसका प्रमोशन, नौकरी सब कुछ दाँव पर। इन कार्य स्थितियों का प्रभाव इन पत्रकारों के काम और स्वास्थ्य दोनों पर ही पड़ रहा है। यानी विजुअल मीडिया जान हथेली पर रखवाकर काम करा रहा है। इससे हो यह रहा है कि वास्तव में जिन आम जनों की जान हथेली पर है। पत्रकार उनकी हकीकत बयान नहीं कर पाते। दृश्य मीडिया एक तरह से लीपापोती की पत्रकारिता के आदर्शों को निभाते हुए काम करने की अपार संभावनाएँ हैं, खुले रास्ते हैं पर लीपापोती में जो सुख और लाभ हैं वे हकीकत में जाने में कहाँ ! इसलिए दृश्य मीडिया के बिल्कुल एक नए ढंग की पत्रकारिता के लिए आम लोगों को अभ्यस्त होना होगा, जिसकी शुरुआत हो गई है। इस तरह विजुअल मीडिया हमें एक और नए भूमंडलीकरण तथा नए बाजार की चकाचौंध वाली पत्रकारिता में ले जा रहा है इसीलिए पेज थ्री का कान्सेप्ट पत्रकारिता में आया है जहाँ कारपोरेट घरानों की पत्रकारिता है।

इस पत्रकारिता का विस्तार तेजी से हो रहा है। 'डी.डी. उत्तर प्रदेश', 'आज तक', 'न्यूज 18 इण्डिया', 'हिन्दी खबर', 'ए.एन. आई.', 'ए.बी.पी. न्यूज', 'ए.पी.एन. न्यूज चैनल', 'इण्डिया टी.वी.', 'इण्डिया वायस न्यूज चैनल', 'इण्डिया न्यूज चैनल', 'इनाडु टी.वी', 'आई.बी.सी.-24', 'ओ.के. इण्डिया न्यूज चैनल', 'एन.डी. टी.वी.', 'जी. न्यूज', 'सी.एन.एन.-न्यूज 18', 'के. न्यूज 24X7', 'गुलिस्तां टी.वी', 'न्यूज 24', 'न्यूज-1, इण्डिया', 'न्यूज एक्स टी.वी.', 'न्यूज इण्डिया 24X7', 'न्यूज एक्सप्रेस', 'न्यूज वर्ल्ड इण्डिया चैनल', 'टोटल टी.वी.', 'जे.के. न्यूज', 'टी.वी.-100', 'टाइम्स ग्लोबल ब्रॉडकास्टिंग', 'भारत समाचार न्यूज चैनल', 'सहारा इण्डिया टी0वी0 नेटवर्क', 'समाचार प्लस', 'चैनल 1 न्यूज चैनल', 'साधना प्राइम न्यूज', 'नेशनल वायस', 'न्यूज नेशन न्यूज चैनल', 'रिपब्लिक टीवी', 'लाइव टुडे', 'साधना प्लस न्यूज', 'सुदर्शन टी.वी.', 'न्यूज वर्ल्ड' इत्यादि इसके प्रमाण के तौर पर हैं। अखबारों के ग्रामीण संस्करणों की तरह वे छोटे-छोटे शहरों-कस्बों तक में घुसकर खबरें निकाल लाते हैं। इसलिए वह पत्रकारिता के नए दर्शक भी बना रहा है। आप उत्तर प्रदेश की छोटी-छोटी जगहों में घुसकर इक्कीसवीं शताब्दी के विज्ञान-विकसित समय की हकीकत दे सकते हैं।

यहाँ हर ख़बरिया चैनल के विवरण में जाने की जगह नहीं है केवल पत्रकारिता के बदलते चेहरे से परिचित होना है। उत्तर प्रदेश की नई पत्रकारिता ऐसी है जो देश की पत्रकारिता की ही झलक पेश करती है। भारत की सभी भाषाओं में विजुअल खबरिया चैनल का जाल फैला है या ऐसी पत्रकारिता वहाँ पहुँच रही है इसलिए ऐसा नहीं है कि यह स्थिति केवल उत्तर प्रदेश की है। दरअसल अब बिल्कुल नई पत्रकारिता

का युग है चाहे वह किसी विधा में हो– प्रिन्ट या इलेक्ट्रानिक (रेडियो, टीवी)। इसके पत्रकारों के नाम गिनाना उचित नहीं।

उत्तर प्रदेश में उर्दू पत्रकारिता

हमारे सांस्कृतिक इतिहास की यह अजब विडम्बना है कि 'उर्दू' का पहला अख़बार 'जामे जहांनुमा' उर्दू भाषा व साहित्य के किसी परम्परागत प्रतिष्ठित केन्द्र अर्थात् लखनऊ, हैदराबाद या दिल्ली से नहीं बल्कि बांग्ला बहुल क्षेत्र कोलकाता से निकला। यह घटना मार्च 1822 ई. की है। यद्यपि इन सभी जगहों पर प्रेस मौजूद थे। यह बात दीगर है कि इसके संस्थापक-सम्पादक सदासुख लाल उत्तर प्रदेश के जिला मिर्जापुर के रहने वाले थे, जहाँ से बाद में कई अख़बार निकले, मुख्यतः नागरी लिपि में; इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, भारतीय नवजागरण, स्वाधीनता आन्दोलन तथा विभिन्न सामाजिक-बौद्धिक आन्दोलनों में अग्रणी भूमिका निभाने वाली उर्दू पत्रकारिता की शुरुआत का श्रेय आज विराट हिन्दी क्षेत्र के रूप में बार-बार चर्चा में आने वाले उत्तर प्रदेश को जाता है। इसे संयोग कहिये या ईस्ट इण्डिया कम्पनी के दूरअंदेश अधिकारियों की सुनियोजित कोशिश कि हिन्दी का पहला नागरी लिपिधारी समाचार पत्र 'उदंत मार्तण्ड' प्रथम उर्दू अखबार के चार साल बाद (मई 1826) कोलकाता से ही प्रकाशित हुआ। इसके संस्थापक-संपादक पं. जुगल किशोर शुक्ल भी उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के निवासी थे। यानी उर्दू-हिन्दी दोनों के प्रथम प्रकाशन का श्रेय उत्तर प्रदेश को ही है। 'जामे जहांनुमा' तो कलकत्ता में था लेकिन उसके कान लखनऊ की आहटों पर लगे रहते थे। लखनऊ के समाचार उसमें प्रमुखता से छपते थे।

इसी प्रकार थोड़े अर्से बाद ही बम्बई और फिर पंजाब के पेरिस माने जाने वाले शहर लाहौर से प्रकाशित होने वाले क्रमशः दो और एक अख़बारों के सम्पादकों का सम्बन्ध भी उत्तर प्रदेश से था। यह भी इस प्रदेश के अवध क्षेत्र से। खास तौर से बम्बई के 'अखबारे सिकन्दरी', यह था तो फ़ारसी का अख़बार लेकिन उसमें कुछ पृष्ठ 'उर्दू' के लिए मख़्सूस होते थे, लखनऊ की गतिविधियाँ उसमें प्रमुखता से जगह पाती थीं।

उर्दू का पहला अखबार हैदराबाद, दिल्ली से या मुम्बई से या लखनऊ से क्यों नहीं निकला, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना यह कि उर्दू पत्रकारिता की प्रस्थान यात्रा प्रतिरोध तथा जन सम्बद्धता की तीखी आँच में तपकर अस्तित्व में आई थी। वह ईस्ट इण्डिया कम्पनी की बर्बर लूट तथा दमन की क्रूरतापूर्ण कार्यवाहियों के ख़िलाफ जन भावनाओं का उत्तेजक बयान बनकर उभरी थी। वह अपनी सीमाओं में एक सांस्कृतिक अभियान की तरह तो थी ही, स्वाधीनता के पक्ष में गुलामी के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया भी थी। 'जामे जहांनुमा' के बाद जिसकी सर्वाधिक मुखर नुमाइन्दगी उर्दू के पहले बाकायदा अख़बार 'दिल्ली उर्दू अखबार' ने की, जिसका प्रकाशन मई 1837 ई. से प्रारम्भ हुआ। साहित्य के सामाजिक उद्देश्य का प्रारम्भिक दौर दर्शा देने वाले विशिष्ट साहित्यकार मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के विद्वान पिता मौलवी मोहम्मद बाक़र इसके सम्पादक थे। इस अखबार ने अपने स्वरूप से 'उत्तर प्रदेश' की उर्वर भूमि से भविष्य में विकसित होने वाली उर्दू पत्रकारिता के लिए कुछ सिद्धान्त निर्धारित कर दिये थे। यह अख़बार भी लखनऊ के घटनाक्रम पर गहरी नजर रखता था।

इस अख़बार ने अवध के बारे में और भी खबरें छापीं, लेकिन इसका सबसे बड़ा कारनामा 1857 के महासंग्राम में ज़ालिम अंग्रेज़ों के खिलाफ़ एक मुस्तक़िल मोर्चा खोल देना था। इससे ईस्ट इण्डिया कम्पनी के अधिकारी इतना क्षुब्ध हुए कि उन्होंने मौलवी मोहम्मद बाक़र को दिल्ली गेट में सरेआम फाँसी पर लटका दिया। इस जुनूनी कृत्य के पीछे 'दिल्ली उर्दू अखबार' के सम्पादक को अंग्रेज विरोध का दण्ड तो देना ही था, साथ ही उस काल में अंग्रेज़ों के अत्याचार का विरोध करने वाले अखबारों को आतंकित करना भी था, जो संभव नहीं हो पाया। मौलवी मोहम्मद बाक़र अभिव्यक्ति की आज़ादी के पहले शहीद थे। उनके द्वारा चिह्नित स्वतंत्रता एवं प्रतिरोध की दिशा ही उत्तर प्रदेश में विकसित हुई और पत्रकारिता की विशिष्ट पहचान बनी। इसमें सामाजिक एकता का पक्ष अवश्य बाद में बहुत मज़बूत हुआ। इस आधार के निर्माण में उर्दू के पहले अख़बार 'जामे जहांनुमा' की उन साहसपूर्ण अभिव्यक्तियों का उल्लेख भी आवश्यक है जो उसने मैसूर विजय के बाद लार्ड

वेलेजली द्वारा प्रेस पर बोले गये हमले तथा देशी भाषाओं के नये अख़बारों के प्रकाशन पर लगाई गई पाबन्दी के ख़िलाफ शब्दबद्ध की थी। इस मुद्दे पर अवध के सदासुख लाल तथा बंगाल के ब्रह्मसमाजी राजा राममोहन राय एक स्वर थे। भारत में फ़ारसी का पहला अखबार इन्हीं ब्रह्मसमाजी महाशय राजा राममोहन राय ने निकाला था। बाद में वह वाजिद अली शाह के दूत बनकर लन्दन भी गये थे। अवध तथा देश के दूसरे हिस्सों से भी नये अखबार 'दिल्ली उर्दू अखबार' के समान 1836 ई. में नये अखबारों के प्रकाशन पर लगी पाबन्दी हटने के बाद ही निकल सके। इसमें कुछ योगदान 'जामे जहांनुमा' का ज़रूर है।

उत्तर प्रदेश से उर्दू का पहला अखबार 'सदरुल अखबार' 1848 में आगरा कालेज के प्रोफेसर सीफेन्क ने आगरा से ही जारी किया। यह सहकारिता के आधार पर निकाला गया पहला अखबार था। आगरा से ही 1847 में मुंशी क़मरुद्दीन ने नहले पर दहला मारते हुए 'असदुल अखबार' साप्ताहिक पत्र जारी किया, ये दोनों अखबार अवध के नवाब की गतिविधियों के समाचार प्रमुखता से छापते थे। दृष्टिकोण में कुछ भिन्नता अवश्य थी।

भाषा के मामले में 'हिन्दुस्तानी' के प्रबल पक्षधर राजा शिव प्रसाद 'सितारे हिन्द' ने 'बनारस अख़बार' के नाम से नागरी लिपि में उर्दू का पहला अखबार जारी करके उर्दू पत्रकारिता को नई दिशा दिखाई। यह 1845 की घटना है। वर्तमान में 'जदीद मरकज़' लखनऊ इसी दिशा का पथिक है। यद्यपि अनेक विद्वान नागरी लिपि में होने के कारण 'बनारस अखबार' को हिन्दी अखबार मानते हैं। बहरहाल– 1850 में 'सुधाकर' इसकी प्रतिक्रिया में ही निकला था।

यहाँ यह उल्लेख करना अप्रासंगिक नहीं होगा कि उर्दू-हिन्दी दोनों भाषाओं की पत्रकारिता को गहरे संकट के समय उन लोगों ने बहुत सहारा दिया, परम्परा से जिनकी भाषा उर्दू या हिन्दी नहीं थी। 'बनारस अख़बार' के सम्पादक यदि मराठी भाषी गोविन्द नाथ थत्ते थे तो 'सुधाकर' के सम्पादक बंगभाषी तारामोहन मैत्रेय। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में उर्दू पत्रकारिता को सहारा देने वालों में यदि एक ओर अंग्रेजी भाषी सीफेन्क हैं तो दूसरी ओर वे लोग, जिनकी मातृभाषाएँ अवध, ब्रज, डोगरी या भोजपुरी हैं। यह परम्परा बहुत आगे नहीं बढ़ सकी लेकिन 1847 ई. में लालजी ने लखनऊ से उर्दू का पहला अखबार 'लखनऊ अखबार' तथा 1858 में मुंशी नवल किशोर ने 'अवध अखबार' जैसा महत्वपूर्ण अखबार निकालकर उर्दू पत्रकारिता के जो आयाम निर्मित किये, उनके विशद अध्ययन की आवश्यकता है। इसी प्रकार 1849 में लखनऊ के सभी छापेखाने बन्द कर दिये जाने का शाही हुक्म क्यों जारी हुआ, इसकी पड़ताल भी जरूरी है। इन तथ्यों को ध्यान में रखकर देखें तो तत्कालीन सामाजिक जीवन तथा पत्र जगत में जैसा तहलका 'अवध पंच' ने पहली बार अंग्रेजी अख़बारों की नक़ल में कार्टून छापने का सिलसिला शुरू कर किया वह यादगार क़दम था।

लखनऊ तथा उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों से यों तो बीसवीं सदी आरम्भ होने से पहले कई अखबार निकले, लेकिन मुसलमानों के लिए अंग्रेजी शिक्षा के प्रबल पक्षधर सर सैय्यद अहमद खाँ के साइंटिफिक सोसाइटी (1866 ई.) तथा 'तहज़ीबुल अख़लाक' (1870 ई.) अलीगढ़ ने एक बड़े शून्य को तो भरा ही, उर्दू-भाषी मुस्लिम समाज तथा उर्दू पत्रकारिता के लिए नयी राहें भी खोलीं। सर सैय्यद के अख़बार उनके द्वारा आरम्भ किये गये आधुनिक शिक्षा के ऐतिहासिक आन्दोलन का अनिवार्य हिस्सा थे, जो एक खास लयबद्धता की तड़प लिए हुए थे। सर सैय्यद के शिक्षा आन्दोलन के समान यथास्थितिवादी तथा निहित स्वार्थ वाले लोगों द्वारा उनके अख़बारों का भी विरोध किया गया। कानपुर से 'नूरुल आफ़ाक़' और 'नूरुल अनवार', मुरादाबाद से 'लौहे महफूज' तथा आगरा से 'तेरहवीं सदी' नामक पत्र सर सैय्यद के आन्दोलन की काट के उद्देश्य से ही प्रकाशित हुए पर सर सैय्यद कहाँ हार मानने वाले थे।

मुक्ति के पक्ष में निर्मित हुई आधुनिकता की यह थाती तो 'मुस्लिम ग़ज़ट' तथा 'हमदम' का संबल पाकर अधिक सुदृढ़ तथा आभामयी हुई। ये दोनों अखबार लखनऊ से निकलते थे। अपने समय के विशिष्ट पत्रकार

हसन वासिफ उसमानी का मानना था कि ''लखनऊ की पत्रकारिता में एक महत्वपूर्ण स्थान 'मुस्लिम ग़ज़ट' का है। मीर जान साहब के इस पत्र ने गंभीर विचारों एवं साहित्यिक लेखों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।'' मुस्लिम ग़ज़ट ने सामाजिक जीवन में उठने वाली जिज्ञासाओं को तो मंच दिया ही, रूढ़िगत शब्दावली से पत्रकारिता की भाषा को मुक्त करने का प्रयास भी किया।

इसी प्रकार दैनिक 'हमदम' (अक्टूबर 1916) ने, जो अपने समय का निश्चित ही बड़ा अखबार था, जीवन के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण को अपनाते हुए समाचारों की प्रस्तुति में आधुनिक मापदण्डों को प्राथमिकता दी। 'हसन वासिफ उसमानी' ने ठीक ही लिखा है कि– ''उर्दू पत्रकारिता में धर्म, हंगामी राजनीति एवं भावुकता के स्थान पर चिंतन और दृष्टि को स्वीकृति दिलाने में 'मुस्लिम गजट' और 'हमदम' ने लाहौर के 'पैसा अखबार' की तरह समकालीन मानदण्डों को बढ़ावा दिया। समकालीन ज्ञान के सम्प्रेषण को अपना ध्येय और मिशन बनाया। पढ़ने वालों की रुचि बनाये रखने के लिए और उनकी जेहनी तरबियत के लिए साहित्यिक कृतियों के अंश भी प्रकाशित किये और हास्य-व्यंग्य के कालम भी शुरू किये।'' उन्हीं के अनुसार लखनऊ के दैनिक 'हक़ीक़त' व 'हक' ने भी इस परम्परा को आगे बढ़ाया।

विचारणीय तथ्य है कि 1857 के बाद विशेष रूप से 20वीं सदी के आरम्भिक दशकों में समूचे उत्तर भारत में पंजाब सहित मौलाना आजाद के 'अलहिलाल' तथा 'ज़फ़र अली खाँ' के 'ज़मींदार' का जोर था। ऐसे में उत्तर भारत के उर्दू अखबारों ने जो भूमिका निभाई वह बहुत महत्वपूर्ण है। इससे उर्दू अखबारों का साम्राज्यवाद विरोधी तेवर अधिक रचनात्मक हो सका।

आगे चलकर साम्राज्यवाद विरोधी तेवर अधिक तीखा और व्यापक हुआ। 1857 के संग्राम की कड़वाहट शेष थी, तो इस्लामी मुल्कों में जो कुछ घट रहा था, उसका असर भी उर्दू अखबारों पर पड़ रहा था। उर्दू अखबारों की दुनिया में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना हसरत मोहानी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, अब्दुल हलीम शरर, शिबली नोमानी, सैय्यद जालिब, खलीक हसन निजामी, मोहम्मद मजीद हसन बिजनौरी, नियाज़ फ़तेहपुरी, मुंशी दया नारायण निगम और सरदार दीवान सिंह मफ़्तून जैसी बड़ी शख्सियतें सक्रिय थीं। साथ ही वहीदुद्दीन, अनीस अहमद अब्बासी, अब्दुल रऊफ अब्बासी तथा अब्दुल माजिद दरियाबादी भी।

इस महाप्रभामण्डल में उत्तर प्रदेश का वैशिष्ट्य यह है कि 'उर्दू-ए-मुअल्ला' जैसी पत्रिका (1903), 'मुस्तक़िल' जैसे दैनिक (1928) और इनके सम्पादक मौलाना हसरत मोहानी ने, जो अलीगढ़ विश्वविद्यालय के स्नातक थे, अत्यन्त दृढ़ता से राष्ट्रवाद को व्यापक स्वीकृति दिलाने की मुहिम चलाकर साम्राज्यवाद विरोधी दृष्टिकोण को अधिक प्रखर बनाया। रूस की सर्वहारा क्रान्ति का उत्साहपूर्वक स्वागत करने वाले इन महाशय ने आधुनिक चेतना के विस्तार को भी अपनी मुहिम से जोड़ा तथा गैर धार्मिक जनान्दोलनों से एकजुटता प्रदर्शित की। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ लगातार सक्रिय रहने के कारण हसरत मोहानी तथा उनके प्रकाशनों को बार-बार दमन का निशाना बनना पड़ा पर किंचित डिगे या घबराये नहीं। उन्होंने दृढ़ निश्चय का परिचय दिया।

ख़िलाफत आन्दोलन ने उर्दू पत्रकारिता के सम्मुख नई चुनौतियाँ प्रस्तुत कीं, उसके विकास की नई संभावनाएँ भी निर्मित कीं, साथ ही उर्दू पत्रकारिता में भावनात्मक अतिरेक की प्रवृत्ति भी बढ़ी। जो अखबार सर सैय्यद के दृष्टिकोण का अनुकरण करते हुए ब्रिटिश शासन की खुली आलोचना से बच रहे थे, उन्हें भी अपना रवैया बदलना पड़ा। बिजनौर से 1 मई, 1912 को प्रारम्भ होने वाला 'मदीना' ऐसा ही अखबार था। यह अखबार कांग्रेस के नेतृत्व में चलने वाले जंगे आजादी का हमनवा था। इसने विशाल पाठक वर्ग तो तैयार किया ही, साथ ही मौलाना आज़ाद व मौलाना हसरत मोहानी के अखबारों के समान अलगाववादी प्रवृत्ति के प्रभाव से भी अपने को बचाकर रखा। डॉ. इक़बाल, अकबर इलाहाबादी, जफर अली खाँ, हसरत मोहानी वगैरा तो इसमें नियमित रूप से लिखते ही थे, साथ ही उस दौर के तक़रीबन सभी बड़े शायरों की रचनाएँ भी इसमें बराबर छपती थीं। यह अखबार भी उर्दू के अन्य अखबारों के समान स्वदेशी तहरीक का ज़बरदस्त हिमायती था। अपनी

साहसिक अभिव्यक्तियों के कारण इसे भी कई बार सरकारी दमन का शिकार बनना पड़ा। पंजाब प्रान्त में इसके प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। महिला रचनाकारों की रचनाएँ भी अक्सर इसमें जगह पाती थीं। बिजनौर से 'दस्तूर' व 'अलअमान' जैसे अखबार भी निकले।

सूफीवादी अध्यात्म पर अपने महत्वपूर्ण काम के लिए अत्यधिक प्रतिष्ठा अर्जित करने वाले ख़लीक हसन निजामी ने मेरठ से 'तौहीद' (अप्रैल 1913) निकालकर उर्दू पत्रकारिता के इतिहास में नया अध्याय जोड़ा। सुहैल वहीद ने अपनी चर्चित पुस्तक 'सहाफती ज़बान' में इस अखबार की विस्तार से चर्चा की है। उनका मानना है कि इस पर मौलाना मोहम्मद अली जौहर के सम्पादन में प्रकाशित होने वाले 'कामरेड' तथा 'हमदर्द' का खासा प्रभाव था। मौलाना मोहम्मद अली विद्वान व्यक्ति थे, उस वक्त के सभी बड़े अंग्रेजी समाचार पत्रों में उनके लेखादि छपा करते थे, अतः वह उर्दू अखबारों को भी अंग्रेजी अखबारों की ऊँचाई देने के आकांक्षी थे, जिसकी प्रारम्भिक कोशिशें लखनऊ के 'अवध अखबार' तथा सर सैय्यद के 'तहज़ीबुल एख़लाक़' कर चुके थे। जिस प्रकार उपनिवेशवाद विरोधी लेखन में तीखापन बढ़ते जाने के कारण मौलाना मोहम्मद अली तथा उनके सम्पादन में निकलने वाले साप्ताहिकों को लगातार सरकारी दमन का शिकार होना पड़ा, उसी प्रकार 'तौहीद' पर भी सेंसर बिठा दिया गया। परिणामस्वरूप अखबार बन्द हो गया।

1918 में मुरादाबाद से जारी होने वाले 'रहनुमा' ने इस परम्परा को अधिक समृद्ध किया। मोहम्मद अशफ़ाक हुसैन इसके सम्पादक थे। यह पाक्षिक अखबार था तथा समाचारों की अपेक्षा विचार पर अधिक जोर देता था। स्वाधीनता के पक्ष में उर्दू अखबारों द्वारा साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद विरोधी परम्परा को इस अखबार ने भी आगे बढ़ाया। पत्रकारिता के लिए अधिक सृजनात्मक भाषा के निर्माण की दिशा में भी इस अखबार ने उल्लेखनीय काम किया।

उर्दू पत्रकारिता को समृद्ध करने, विशेष रूप से इसके कलात्मक व वैचारिक पक्ष तथा जागरण में इसकी भूमिका को धारदार बनाने में उत्तर प्रदेश के जिन अन्य अखबारों का उल्लेख ज़रूरी है, वह हैं 'दिलगुदाज़' (अब्दुल हलीम शरर), 'खदंगेनज़र' (मुंशी नौबतराय), 'अलनदवा' (मौलाना अबुल कलाम आजाद), 'मंजिल' (हसरत मोहानी), 'मसावत चिंगारी' (सज्जाद ज़हीर), 'हिन्दुस्तान वीकली' (हयातुल्लाह अंसारी), 'रिफार्मर' (ला. मेहर दयाल) और 'स्वराज वीकली'। स्वराज प्रयागराज से और रिफार्मर लखनऊ से प्रकाशित होता था। जफ़रुल मुल्क अलवी के 'अलनाजिर तथा मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी के साप्ताहिकों– सच, सिद्क़ तथा सिद्केजदीद की चर्चा भी ज़रूरी है। अलनाज़िर ने जहाँ साहित्यिक पत्रकारिता को नई ऊँचाई दी, वहीं अब्दुल माजिद दरियाबादी ने उर्दू पत्रकारिता को गद्य का नया वैभव दिया। हसन वासिफ उसमानी ने इन्हें राष्ट्रीय स्तर का अख़बार माना है। पूर्वी संस्कृति के भावुक पक्षधर बनते हुए इन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलन के सांस्कृतिक आयाम का प्रवक्ता बनने का प्रयास भी किया, जिसके सन्दर्भ निश्चित ही सीमित थे।

सामाजिक जीवन में पत्रकारिता के हस्तक्षेप को व्यापक और प्रभावपूर्ण बनाने तथा राष्ट्रीय आन्दोलन में उसकी भूमिका के सैद्धान्तिक आधार को सुदृढ़ करने की उर्दू अखबारों द्वारा बीसवीं सदी के आरम्भ में कायम की गयी रिवायत को दो साहित्यिक पत्रिकाओं– 'ज़माना' (मुंशी दया नारायण निगम) तथा 'निगार' (नियाज़ फतेहपुरी) ने नये आयामों को सम्पन्न करने की हर संभव कोशिश की। इन्होंने किसी हद तक उर्दू पत्रकारिता की बौद्धिक धारा को नये ज्ञान की तपिश दी। साहित्यिक पत्रकारिता के शिखर तो इन्होंने निर्मित किए ही, भावनात्मकता पर विवेक को प्रमुखता दिलाने के क्रम में इन दो पत्रिकाओं ने जो कोशिशें कीं, उसे भी भुलाया नहीं जा सकता।

प्रतिरोध की क्षमता को तीव्र करते तथा वैचारिक अभियानों को शक्ति व ऊर्जा देते हुए उर्दू पत्रकारिता जिस गहरे भाव से भाषा व साहित्य के सरोकारों से सम्बद्ध हुई, वह भारतीय पत्रकारिता के इतिहास की सबसे बड़ी घटना है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश, उसमें भी राजधानी लखनऊ के योगदान का उल्लेख प्रमुखता से हुआ

है। 'अवध अख़बार' द्वारा स्थापित पत्रकारिता और साहित्य के रिश्तों को मजबूत करने की परम्परा का अनुकरण बंगलौर के धार्मिक अख़बार 'नशेमन' को छोड़कर भारत के सभी अख़बारों ने किया। भाषा में संवेदनात्मक लालित्य के हस्तक्षेप की परम्परा भी लखनऊ के अखबारों ने विकसित की और यह पत्रकारिता के सामाजिक दायित्व का निर्वाह करते हुए, भाषा के अपेक्षानुरूप गढ़ने-बनाने के साथ हुआ। अन्य भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों की भाषा भी उत्तरोत्तर बदलती गई। पंडित जवाहर लाल नेहरू तथा रफ़ी अहमद किदवई के प्रयासों से 1945 में लखनऊ से जारी हुए दैनिक 'क़ौमी आवाज़' का योगदान इस सम्बन्ध में ऐतिहासिक महत्व रखता है। सदी के चौथे दशक में उभरे बहुचर्चित कथाकार हयातुल्ला अंसारी लम्बे काल तक इसके सम्पादक रहे। साम्प्रदायिक उबाल वाले कठिन दिनों में उन्होंने इसे न सिर्फ मुस्लिम लीग की नकारात्मक राजनीति का विकल्प बनाया, बल्कि अंग्रेजी अख़बारों के समक्ष खड़े हो सकने वाले एक उर्दू दैनिक की कमी को भी पूरा किया। उन्होंने विचार और टेक्नोलॉजी, दोनों की आधुनिकता को अखबारी तंत्र का हिस्सा बनाया। सामान्य पाठकों तक में सम्पादकीय के प्रति ख़बर जैसी जिज्ञासा उत्पन्न करने तथा स्तरीयता के नये शिखरों को छूते हुए अख़बार को समूचे परिवार की जरूरत बनाने का महान कार्य भी उन्होंने किया। यह पहला अख़बार था, जिसने साप्ताहिक परिशिष्ट निकाला तथा इसके लिए योग्य सम्पादक जुटाये। अन्सारी साहब के बाद इशरत अली सिद्दीकी और उनके बाद उस्मान ग़नी ने क़ौमी आवाज़ के सम्पादक की ज़िम्मेदारी संभाली और अंसारी साहब की परम्परा को आगे बढ़ाया।

उर्दू पत्रकारिता को समूची दुनिया के घटनाक्रम से जोड़ने का श्रेय भी क़ौमी आवाज़ को जाता है। आज़ादी के बाद बदले हुए हालात में इस अखबार ने जिस रचनात्मक पत्रकारिता का सुबूत दिया, वह भी याद रखा जाने वाला कारनामा है। अफसोस कि यह अखबार 1997 में बन्द हो गया है।

आज पत्रकारिता के मापदण्ड बदल गये हैं। एक दौर था जब अकबर इलाहाबादी का यह शेर लोगों की ज़बान पर था और उस पर पत्रकार अमल भी करते थे।

'खींचो न कमानों को, न तलवार निकालो,
जब तोप मुक़ाबिल हो, तो अख़बार निकालो।'

उत्तर प्रदेश की उर्दू पत्रकारिता की चर्चा करते हुए सामाजिक एकता, भारतीय जनवाद, लोकतंत्र तथा स्त्री-शिक्षा के क्षेत्र में इसकी सेवाओं को भी रेखांकित किये जाने की आवश्यकता है। धार्मिक सवालों पर कुछ खास क्षणों में भावुक हो उठने के बावजूद उर्दू अखबारों ने धार्मिक-जातीय द्वेष और घृणा को कभी शक्ति नहीं दी। यहाँ तक कि मुस्लिम लीग के अखबारों 'वहदत' (दिल्ली), 'मंशूर' (कानपुर) को कभी वैसी लोकप्रियता नहीं मिल सकी, जैसी मुस्लिम लीग विरोधी राष्ट्रवाद समर्थक उर्दू अखबारों ने अर्जित की। ठीक उसी तरह जैसे मुस्लिम लीग के आन्दोलन को बड़े मुस्लिम नेताओं और उलेमा का वैसा समर्थन नहीं मिल सका, जैसा राष्ट्रवादी आन्दोलन को मिला। यही कारण है कि सामाजिक एकता के पक्ष में तथा रूढ़िवाद के खिलाफ़ उर्दू अख़बारों ने जो मुहिम चलाई, वो कुछ विशेष क्षणों में भले क्षीण होती तो दिखाई पड़ी हो पर रुकी कभी नहीं।

निःसंदेह अन्य भाषाओं के समाचार पत्रों के समान उर्दू अखबारों ने भी भारतीय समाज की कुछ त्रासद वास्तविकताओं की अनदेखी की। फिर भी स्त्री शिक्षा को सामाजिक स्वीकृति दिलाने के अभियान से जुड़कर उन्होंने अपनी सामाजिक भूमिका को विस्तार दिया। उत्तर प्रदेश के उर्दू अखबारों ने न केवल स्त्री रचनाओं को प्रकाश में आने का अवसर दिया बल्कि स्त्री शिक्षा के पक्ष में लेख-टिप्पणियाँ भी छापीं। महिला पत्रिकाओं के प्रकाशन का सिलसिला भी यहीं से शुरू हुआ। इस सम्बन्ध में 'अंगारे' की प्रसिद्ध कथाकार रशीद जहाँ के पिता शेख मोहम्मद अब्दुल्ला (अलीगढ़) द्वारा जुलाई, 1904 में आरम्भ की गई मासिक पत्रिका 'ख़ातून' का उल्लेख आवश्यक है। मुस्लिम लड़कियों के लिए उत्तर प्रदेश का पहला स्कूल (1907) भी इस पत्रिका के सम्पादक द्वारा ही स्थापित किया गया, जो आज स्त्री शिक्षा का बड़ा केन्द्र है।

यह भी रोचक संयोग है कि धार्मिक पत्रकारिता के उच्चादर्श यहाँ कायम हुए। यहाँ के धार्मिक पत्रों ने बहुत स्तरीय व गंभीर पत्रकारिता की मिसालें पेश की हैं। इसका कारण शायद इन अख़बारों में मौलाना आज़ाद, शिबली नोमानी, अब्दुल माजिद दरियाबादी, सुलेमान नदवी, खलीक़ हसन निज़ामी, मौलाना अबुल हसन अली नदवी तथा मोहम्मद आसिफ किदवई जैसे अनेक विद्वानों का सम्बद्ध होना था। इस पत्रकारिता ने भी उर्दू गद्य को समृद्ध किया तथा विश्व की बड़ी भाषाओं से उर्दू में श्रेष्ठ और आसान अनुवाद की परम्परा को मजबूत बनाया। अलनदवा, सिद्के जदीद, सरफ़राज, तामीरे हयात तथा निदाये मिल्लत, तौहीद, इत्यादि साप्ताहिकों के नाम इस सम्बन्ध में प्रमुखता से लिये जा सकते हैं। वाराणसी से प्रकाशित मासिक पत्रिका 'अलजवाद' एवं लखनऊ से प्रकाशित 'इस्लाह' और 'शोआएअमल' भी महत्व रखते हैं।

उर्दू अख़बारों ने अपने पाठकों को सीमित संदर्भों वाला सही पर अन्तर्राष्ट्रीय बोध अवश्य दिया। हम इन अख़बारों की आलोचना या प्रशंसा करते हुए इस पृष्ठभूमि को नजरअंदाज नहीं कर सकते। इस समय प्रदेश से राष्ट्रीय सहारा, सहाफ़त, इन दिनों, सियासत जदीद, अवधनामा, आग, इन्क़लाब, अखबारे मश्रिक, अनवारे क़ौम, आवाज़े मुल्क, जदीद अमल, वारिसे अवध मताए आख़रत आदि उर्दू दैनिक अखबार भी प्रकाशित हो रहे हैं। यह अखबार हिन्दी एवं अंग्रेजी अखबारों की भाँति पत्रकारिता के सिद्धान्तों को पूरी तरह बरत रहे हैं। साथ ही नये कलेवर एवं आधुनिक टेक्नालजी से परिपूर्ण नज़र आते हैं।

इसी कड़ी में उर्दू दैनिक 'राष्ट्रीय सहारा' के बहुसंस्करणीय शृंखला में लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के कई शहरों से 'इंकलाब' दैनिक का प्रकाशन भी उर्दू पत्रकारिता में बहुत बड़ा योगदान साबित हुआ है। 1947 से मुम्बई से प्रकाशित होने वाले 'इंकलाब' ने उर्दू पत्रकारिता के नये-नये आयाम गढ़े हैं। उत्तर भारत में जो हैसियत उर्दू दैनिक 'कौमी आवाज़' की रही है, वही स्थान 'इंकलाब' का महाराष्ट्र में हो रहा है। इसने भी उर्दू के कई बड़े पत्रकारों को स्थापित किया है। दैनिक 'अवधनामा' और 'आग' में अन्तर्राष्ट्रीय खबरों विशेषकर मध्य पूर्व की ख़बरों का संकलन भी उर्दू पत्रकारिता में योगदान कहा जाएगा।

जहाँ तक साहित्यिक पत्रिकाओं का सम्बन्ध है, इस क्रम में पिछले 70 वर्षों से सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा प्रकाशित उर्दू मासिक पत्रिका 'नया दौर' अपने स्तर को बरकरार रखते हुए उर्दू भाषा, साहित्य एवं सांस्कृतिक विरासत की तर्जुमानी करती आ रही है। हाल ही में 'नया दौर' के द्वारिका प्रसाद 'सफ़ुन्द' और अली बिदरान विशेषांक ने पत्रकारिता के मैदान में अपना विशिष्ट स्थान स्थापित किया है। 'नया दौर' के लगभग सभी विशेषांक एक दस्तावेज़ की हैसियत रखते हैं। उत्तर प्रदेश से निकलने वाली अन्य पत्रिकाओं में शबखूं, तहजीबुल अख्लाक, इमकान, लारैब, सबक-ए-उर्दू, ख़बरनामा, गुलबन आदि हैं।

उर्दू पत्रकारिता के क्षेत्र में अनीस अब्बासी (हक़ीक़त), नसीम इन्हौन्वी (हरीम), सलामत अली मेहदी, जमील मेहदी (अज़ाएम), इसहाक इल्मी (सियासत), वजीहउद्दीन (पैग़ाम), मसीहउलहसन रिजवी, ज़ोय अंसारी, हसन वासिफ़ उस्मानी, मौलाना अब्दुल वहीद सिद्दीकी, परवाना रुदौलवी, हफीज़ नोमानी, अहमद इब्राहीम अल्वी, हसन कमाल, हारुन रशीद, आलिम नकवी, चौधरी सिब्ते मोहम्मद नक़्वी, आबिद सुहेल, हसन अब्बास 'फ़ितरत', शाहनवाज़ कुरैशी, हुसैन अमीन, शाफ़े किदवाई, क़ुतुबुल्लाह, ओबेदुल्लाह नासिर, अल्लामा ज़मीर नक़वी, हुसैन अफ़सर, तारिक क़मर, डॉ. वज़ाहत हुसैन रिज़वी आदि का उल्लेख न करना नाइंसाफी होगी।

सांस्कृतिक विरासत

संगीत

इतिहास गवाह है कि उत्तर प्रदेश संस्कृति, धर्म और राजनैतिक गतिविधियों का केन्द्र रहा है। आर्यों के आगमन से आज तक धर्म, राजनीति और संस्कृति के क्षेत्रों में जितने उतार-चढ़ाव उत्तर प्रदेश ने देखे, उतने किसी और प्रदेश को नहीं देखने पड़े। बहुत सारी कठिनाइयों के बावजूद उत्तर प्रदेश के संगीत ने देश की सांस्कृतिक गतिविधियों में अपने लिए एक विशिष्ट स्थान बनाया है। गंगा और यमुना के बीच का यह क्षेत्र, जो प्राचीन समय में 'तपोभूमि' या 'ऋषि-मुनियों की कर्मभूमि' के रूप में जाना जाता रहा, वैदिक काल से ही 'स्वर गुंजार' का केन्द्र रहा है। ऋग्वेद की ऋचाओं ने यहीं 'सामवेद' का रूप ले लिया। वाल्मीकि से यहीं शिक्षा पाकर लव-कुश ने वीणा पर राम का चरित्र गाया था, जिसे सुनकर अयोध्यावासी अभिभूत हो उनके पीछे चल पड़े थे। यहीं कृष्ण की वंशी ने जड़-चेतन यानी समस्त चराचर जगत में प्राण फूँके। रास-नृत्य, भाव-नृत्य यहीं उपजे, पनपे। गुप्त और हर्ष के काल में भारतीय संगीत अपने शिखर पर था। इस विषय पर अनेक पुस्तकें भी लिखी गई हैं। इसी कालखण्ड में विश्व में अपने ढंग की एकमात्र पुस्तक 'भरतमुनि का नाट्यशास्त्र' की रचना हुई जो उत्तरी भारत के संगीतज्ञों की बाइबिल है।

मुस्लिम काल में संगीत दो अलग-अलग शैलियों में बँट गया। एक को दरबारों से प्रोत्साहन मिला और यह शैली राज्याश्रय में विकसित हुई, जबकि दूसरी का आधार भक्ति था, जिसे सामान्य जन ने अपनाया क्योंकि वह लोगों के लिए जीवन की प्रेरणा देने वाला संगीत था। उस समय के दरबारी संगीत, जिसे उस काल का शासकीय संगीत भी कह सकते हैं– के केन्द्र थे आगरा, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी, लखनऊ, जौनपुर, वाराणसी, अयोध्या, बाँदा, दतिया और अन्य कई राजाओं के दरबार। भक्तिकाल के प्रमुख केन्द्रों में मथुरा, वृन्दावन, अयोध्या आदि थे। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने पुष्टि सम्प्रदाय की स्थापना की जिसमें उपासना का मुख्य विषय 'कृष्णलीला' था। आठ वीणाओं के स्वर प्रार्थना में उठे। इनमें से सबसे मधुर स्वर सूरदास की वीणा का था। कृष्णलीला के सुन्दर गीत रचकर सूरदास ने उन्हें अपनी सुमधुर आवाज दी। इस तरह सूरदास ने साकार भक्ति के अनुरूप स्वरूप को अभिव्यक्ति दी।

ये शैलियाँ आज भी उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं हालांकि बदलती परिस्थितियों के साथ-साथ इनके स्वरूप और क्षेत्र में भी परिवर्तन आते रहे हैं। बनारस, लखनऊ, रामपुर, प्रयागराज के साथ कानपुर, आगरा, बरेली, मेरठ आदि शास्त्रीय संगीत के प्रमुख केन्द्र कहे जा सकते हैं। भजन गीतों की, जो आज भी उत्तर प्रदेश की विशेषता है, अपनी विशिष्टताएँ और खूबियाँ हैं। तुलसी के 'रामचरित मानस' को इतनी अधिक शैलियों में इतनी अधिक बार, इतने भिन्न-भिन्न तरीकों से गाया गया है कि अगर इसकी सारी धुनें इकट्ठी करने लगें तो संगीत का एक अलग ग्रंथ ही तैयार हो जायेगा। शास्त्रीय और भक्ति संगीत के अलावा उत्तर प्रदेश में लोक संगीत का प्रचुर खजाना मौजूद है। सामान्य आदमी के लिए इस विराट खजाने के विस्तार का अनुमान तक लगाना कठिन है। यहाँ के हरेक क्षेत्र में लोकगीतों का ऐसा अद्‌भुत खजाना मौजूद है कि मोटे तौर पर भी इनका लेखा-जोखा संभव नहीं है। उत्तर प्रदेश के लोकगीतों को कला की दृष्टि से भी लिपिबद्ध करना जरूरी है क्योंकि इनमें संगीत के विभिन्न तत्त्व पाये जाते हैं जैसे 'नौटंकी' और 'रास' जो बड़े 'लोक ऑपेरा' हैं और जिनकी परम्परा बड़ी पुरानी है। होली, बारहमासा, कजली, रसिया आदि ने शास्त्रीय संगीत में अपना योगदान दिया है। उत्तर प्रदेश के लोक संगीत ने काफी, पीलू, वृंदावनी, सारंग जैसे रागों को जन्म दिया है। इसलिए, यह कहना सर्वथा

उचित होगा कि संगीत के क्षेत्र में अपने बहुरंगी, बहुआयामी और मूल्यवान योगदान के कारण उत्तर प्रदेश का स्थान बहुत महत्त्वपूर्ण है।

यह सच है कि वर्तमान संगीत के पुनर्जागरण की अलख जगाई महाराष्ट्र में पं. विष्णु दिगम्बर पलुस्कर और पं. विष्णुनारायण भातखण्डे ने, परन्तु उनका प्रयास फलीभूत हुआ उत्तर प्रदेश में। यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण न होगा कि उत्तर प्रदेश की संगीत परम्परा न केवल प्राचीनतम है बल्कि सबसे अधिक समृद्ध भी। उत्तर प्रदेश में देशी और मार्गी दोनों संगीत परम्पराएँ मिलती हैं। एक ओर आगरा, रामपुर, बनारस, लखनऊ (अवध) संगीत को आश्रय देने वाली प्रमुख रियासतें थीं तो दूसरी ओर भरतपुर, प्रयागराज, दतिया, फर्रुखाबाद, मेरठ आदि संगीत के केन्द्र थे। काशी, मथुरा, अयोध्या के मन्दिरों में भक्ति प्रधान ध्रुवपद गायन, भजन-कीर्तन की समृद्ध परम्परा मिलती है। लोक-जीवन तो जीवन के प्रत्येक क्षण में संगीतमय हो उठता है– चाहे वर्षा की फुहार हो, चाहे होली का फाग हो, चाहे चैत की बयार हो और चाहे फसल की बहार। सम्भवतः यही रहा है संगीत की समृद्धि का रहस्य। प्रदेश के अड़ोस-पड़ोस में भी संगीत कला के प्रमुख आश्रयदाताओं एवं पारखी महाराजों की रियासतें थीं जैसे ग्वालियर, दिल्ली, रीवाँ, मैहर, खैरागढ़, दरभंगा आदि जहाँ प्रदेश में संगीतज्ञों के आने-जाने का क्रम बना रहता था।

भारतीय मिथक परम्परा में देवी-देवताओं को जो स्वरूप दिया गया है उसमें कृष्ण ने संगीत को सहज मार्ग रूप में प्रतिपादित किया है। सम्मोहिनी वंशी के रूप में कृष्ण स्वयं संगीत के प्रतिरूप थे। स्वभावतः उनकी जन्म एवं लीलाभूमि मथुरा-वृन्दावन में संगीत प्रधान अर्चना पद्धति प्रचलित एवं लोकप्रिय हुई। वल्लभाचार्य ने संगीतबद्ध भजन, पदों के गायन को मन्दिरों में अर्चना पद्धति के रूप में प्रचलित किया। उनके शिष्य विट्ठलनाथ ने कृष्ण लीला गान सम्प्रदाय के रूप में अष्टछाप कवियों की स्थापना की। इन कवियों में उल्लेखनीय थे– सूरदास, नन्ददास, परमानन्ददास, कुम्भनदास, चतुर्भुज दास, छीत स्वामी, गोविन्द स्वामी एवं कृष्णदास। यह सभी भक्त रचनाकार एवं संगीतकार दोनों थे, जो गेय पदों की रचना करने के साथ सुर-ताल निबद्ध रूप में गाते भी थे। कृष्णभक्ति सम्प्रदाय में अष्टप्रहर उपासना का विशेष प्रचलन हुआ। प्रत्येक प्रहर की लीला के पद अवसर एवं समयानुकूल रागों, तालों में निबद्ध करके गाये जाते थे। स्वरों एवं भावों का यह मणिकांचन संयोग अद्‌भुत था। प्रातःकालीन पद भैरवी (जागो मोहन प्यारे), भैरव, ललित (उठे नन्दलाल...) आसावरी आदि रागों में गाये जाते तो परवर्ती पद बिलावल, रामकली आदि राग-रागिनियों में निबद्ध किये जाते थे। मध्याह्नकालीन लीला सम्बन्धी पद सारंग जैसे रागों में मिलते तो संध्याकालीन पद यमन, धनाश्री, पूरिया धनाश्री, केदार, मालकौस, कान्हरा आदि राग-रागिनियों में निबद्ध होते थे। यही नहीं, इन पदों को सरपरदा, साजगिरि, झीलफ जैसी राग-रागिनियों में बाँधा गया। केवल 'सूरसागर' के लिए ही समीक्षकों का कहना है, ऐसी कोई राग-रागिनी न होगी जो छूट गयी हो। सूरदासी मल्हार के प्रणेता स्वयं सूरदास माने जाते हैं। इन पदों का कहरवा, दादरा, तीनताल में गायन होता था परन्तु ध्रुवपद शैली की प्रधानता थी। इस प्रकार ध्रुवपद गायन शैली, मात्र मृतप्राय शैली न होकर सम्मान प्राप्त एवं जीवन्त शैली का रूप थी। संगीत प्रधान अर्चना पद्धति इतनी अधिक लोकप्रिय हुई कि अन्य कृष्ण भक्तों ने राग एवं तालबद्ध ध्रुवपद गायन को धार्मिक अर्चना का अभिन्न अंग बना लिया।

परमानन्द दास के गायन से वल्लभाचार्य के और गोविन्द स्वामी के गायन माधुर्य से तानसेन के आत्मविभोर होने का उल्लेख मिलता है। श्रेष्ठ संगीतज्ञ होने के कारण स्वामी हितहरिवंश को कृष्ण की वंशी का अवतार माना जाता था। हितहरिवंश ने 84 पदों को 14 राग-रागनियों में निबद्ध किया।

निम्बार्क सम्प्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास संगीत एवं मथुरा-वृन्दावन दोनों के पर्याय आज भी माने जाते हैं। उन्होंने स्वयं 'श्रीकेलिमाल' तथा 'अष्टादश' पदों की रचना की। उनकी रचनाओं में संगीत का व्यापक प्रभाव परिलक्षित होता है। उनके द्वारा रचित 110 पदों का राग विभाजन निम्न प्रकार है :–

कान्हरा 30, मल्हार 22, गौड़ 2, कल्याण 12, बसंत 5, सारंग 11, गौरी 6, विभास 10, नट 2, बिलावल 2।

इसी प्रकार अष्टादश पदों में 4 विभास, 1 बिलावल, 7 आसावरी तथा 6 कल्याण राग में निबद्ध हैं। अनेक विद्वान स्वामी हरिदास को ध्रुवपद की डागुर बानी का प्रवर्तक ही नहीं मानते बल्कि उनकी मान्यतानुसार स्वामी हरिदास ने मन्दिरों में ध्रुवपद गायन द्वारा अर्चना-पद्धति का श्रीगणेश किया। आज भी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को हरिदास जयन्ती समारोह कई दिन चलता है जिसमें विरक्त साधु परम्परागत ध्रुवपद की शैली में गाते हैं। इन संगीतज्ञ भक्तों ने ब्रजभाषा प्रधान ध्रुवपदों को परिष्कृत रूप में प्रस्तुत किया।

स्वामी हरिदास को राग-रागिनियाँ सिद्ध थीं। कहते हैं उनके दीपक राग गाने से दीपक स्वयं प्रदीप्त हो उठते तो मेघ से बादल असमय भी घुमड़ कर बरसने लगते, 'श्री' राग में गायन करते ही प्रकृति पर बसन्त की बहार छा जाती। उनके संगीत से प्रसन्न होकर बाँके बिहारी ने मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी संवत् 1567 को निधिवन में उन्हें दर्शन दिया था, यह किंवदन्ती आज भी प्रचलित है। श्री बाँके बिहारी के प्राकट्य की वह तिथि आज भी विहार पंचमी अथवा श्री पंचमी नाम से प्रसिद्ध है, इसी दिन निधिवन में विशेष संगीत समारोह होता है। कहते हैं स्वामी हरिदास ने तानसेन को दीपक, बैजू बावरा को मेघ और गोपाल नायक को मालकौंस में सिद्धि शक्ति दी थी। हरिदासी सम्प्रदाय के पाँच मुख्य संगीत अर्चना केन्द्र थे :–

(1) बाँके बिहारी का मन्दिर– जहाँ स्वामी हरिदास को दर्शन हुए; (2) निधिवन– स्वामी हरिदास तथा उनके शिष्यों के आश्रम एवं स्वामी जी की समाधि; (3) गोरेलाल का मन्दिर– स्वामी जी की शिष्य परम्परा में नरहरि देव के उपास्य; (4) श्री रसिक बिहारी– स्वामी रसिक देव के ठाकुर; (5) थट्टी स्थान– स्वामी ललित मोहिनी देव द्वारा स्थापित।

स्वामी जी के पदों से तत्कालीन संगीत परम्परा का परिचय मिलता है। तत् वाद्यों में किन्नरी, वीणा, अर्द्धवीणा, अवनद्ध वाद्यों में मृदंग, डफ, घनवाद्यों में झाँझ-मजीरा एवं सुषिर वाद्यों का उल्लेख है। औघट ताल की चर्चा मिलती है। वाद्यों के संदर्भ में स्वामी जी ने लाग, डाट, टिरिप, चन्द्रागति, घात, नृत्य के प्रसंग में ताण्डव, लास्य, भेद-विभेद, अंगहार जैसे पारिभाषिक शब्दों, नृत्य के बोलों 'ता थेई, तत्ता थेई' का विस्तृत उल्लेख किया है। कथक नृत्य को कृष्ण लीला प्रसंगों की प्रेरणा संभवतः इसी संगीतमय लीला पद्धति से मिली होगी। स्वामी हरिदास की परम्परा में अनेक संत-संगीतज्ञ हुए जिन्होंने अर्चना के माध्यम से संगीत परम्परा को समृद्ध किया। इनमें श्री विट्ठल विपुल देव, स्वामी बिहारी शरण, सरसदेव, नरहरि देव, रसिक देव, ललित किशोरी देव तथा ललित मोहिनी देव अष्टाचार्य नाम से प्रसिद्ध हैं। इनके अतिरिक्त स्वामी पीताम्बर देव जी, रूपसखी, चरणदास, किशोरदास, रसिकदेव, बिहारी बल्लभ, शीतलदास, सहचरिशरण, गोवर्द्धन शरण देव, हरिकृष्ण शरण, राधाशरण देव, राधा प्रसाद देव, स्वामी अग्रदास ने मन्दिरों में पल्लवित संगीत परम्परा को समृद्ध किया। आज भी कृष्ण लीला का वर्णन होता है। मथुरा में स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन एवं ध्रुवपद मेला होता है जिसमें श्रेष्ठ संगीतज्ञ दूर-दूर से बड़ी श्रद्धापूर्वक भाग लेने के लिए आते हैं।

मीरा की भाँति ब्रज में कृष्ण भक्ति से ओत-प्रोत ताज बेगम का नाम प्रसिद्ध है जो श्री विट्ठलनाथ से दीक्षा लेकर गिरिधर के रंग में ऐसी रंग गयी कि ब्रज में ही बस गयी और एक दिन होली के अवसर पर श्रीनाथ जी के सम्मुख धमार गाते-गाते श्रीनाथ जी की प्रतिमा में लुप्त हो गयी। बल्लभ सम्प्रदाय के मन्दिरों में आज भी होली के अवसर पर ताज द्वारा रचित ध्रुवपद एवं धमार गायी जाती है।

उपर्युक्त संत परम्परा के साथ अनेक श्रेष्ठ संगीतज्ञ हो गये हैं जिनमें ग्वारिया बाबा, भूरे उस्ताद रासधारी, मदनमोहन पखावजी, मक्खन लाल पखावजी, गणेशी लाल चौबे, गजानन मिश्र, चौथ्या रासधारी, भवानी दास, जीवन लाल, बालकृष्ण, गोपाल लाल, घनश्याम लाल, बौली बाबा उल्लेखनीय हैं। अम्बा जी चतुर्वेदी तो दाऊजी के मन्दिर में नियमित रूप से कीर्तन-भजन गाया करते थे। उनके पुत्र चन्दन चौबे ने ध्रुवपद गायन में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। बाला जी, राजा भइया, कमलनयन ने भी मथुरा की ध्रुवपद परम्परा को समृद्ध किया।

वाराणसी में मन्दिरों की अर्चना और संगीत का अभिनव सम्बन्ध रहा है। वाराणसी में बल्लभ सम्प्रदाय,

अष्टछाप, अष्टाचार्य जैसे संत कवियों, गायकों की नियमित परम्परा नहीं रही है, परन्तु आराध्य के चरण कमलों में कला का पूर्ण समर्पण, साधना की चरम परिणति मानी जाती रही है। कलाकारों ने इस मान्यता का अपने जीवन में निरन्तर अनुशीलन किया है। फलस्वरूप काशी के मन्दिरों में श्रेष्ठतम कलाकार भी आराध्य के सम्मुख घंटे-दो-घंटे नियमित अथवा यदा-कदा ही गाने-बजाने में अपने को कृतकृत्य अनुभव करते हैं। उस्ताद बिस्मिल्ला खाँ के पूर्वज और बिस्मिल्ला खाँ स्वयं डुमराँव के बाला जी मन्दिर में प्रतिदिन प्रातःकाल नियमपूर्वक शहनाई वादन करते थे। काशी विश्वनाथ मन्दिर में प्रातःकाल शहनाई वादन की परम्परा आज भी प्रचलित है। सत्यनारायण मन्दिर, संकटमोचन, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, विश्वनाथ मन्दिर में समारोह प्रायः होते रहते हैं जिनमें कलाकार विशुद्ध आराधना के भाव से स्वयं आकर निःशुल्क कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं और श्रोता बिना किसी शुल्क, भक्ति भाव से शास्त्रीय संगीत का आनन्द लेते हैं। सावन में तो प्रत्येक मन्दिर में विशेषतः हर सोमवार के दिन विशेष शृंगार होता है और इसके साथ गायन, वादन एवं नृत्य के श्रेष्ठ कार्यक्रम भी। संकटमोचन मंदिर के महन्त अमरनाथ जी अपने युग के श्रेष्ठ पखावज वादकों में से एक थे। संकटमोचन मन्दिर में आज भी प्रत्येक वर्ष तीन दिनों का विशाल संगीत सम्मेलन होता है जिसमें काशी के अतिरिक्त दूर-दूर से आए श्रेष्ठ कलाकार भाग लेते हैं। गत अनेक वर्षों से अस्सी घाट के खुले प्रांगण में गंगा तट पर स्व. डॉ. लालमणि मिश्र एवं उनके सहयोगियों के प्रयास से आरम्भ किया गया ध्रुवपद मेला आज भी शिवरात्रि के अवसर पर आयोजित होता है। यह संगीत समारोह अपने ढंग का अद्‌भुत है। ध्रुवपद जैसी तथाकथित अप्रचलित शैली का सम्मेलन, कोई टिकट नहीं, परन्तु पारखी रसिक श्रोताओं का अपार समूह जो स्वयं ताल एवं स्वर ज्ञान में पारंगत है मंच पर पं. रविशंकर, बलराम पाठक, गजानन राव, सियाराम तिवारी, फहीउद्दीन डागर, पागलदास पखावजी आदि जैसे उच्च कोटि के परन्तु निःशुल्क कार्यक्रम देने वाले कलाकार। सारी रात चलने वाला संगीत सम्मेलन। यह परम्परा आज भी जीवन्त है।

अयोध्या वैष्णव भक्ति परम्परा में रामभक्ति शाखा का प्रमुख केन्द्र रही है। यद्यपि राम का चरित्र पराक्रम प्रधान है उसमें वंशी, संगीत के लिए कोई स्थान नहीं है तथापि कृष्ण भक्ति सम्प्रदाय की संगीतात्मकता ने राम भक्ति धारा को भी प्रभावित किया और राम मन्दिरों में भी संगीतमय भजन, कीर्तन की पद्धति चल पड़ी। वैसे रामायण काल में भी अयोध्या की सम्पन्न संगीत परम्परा, नट, नर्तकों-गायकों, वीणा, माल, वाद्य, विशारद, विलम्बित, मध्य, द्रुत गतियों का उल्लेख मिलता है जो गुप्तकाल तक फलती-फूलती रही। बाद में आराध्य की अष्टयाम (प्रातः जागरण से रात्रि शयन तक) संगीतात्मक उपासना का शुभारम्भ हुआ जो वल्लभ सम्प्रदाय के नामी भक्तों में अब भी प्रचलित है। रामानन्द के शिष्य सुरसुरानन्द जी ने 500 ध्रुवपद बन्दिशों की रचना की थी जो आज भी रामानन्दी ध्रुवपद नाम से प्रचलित है। सुरसुरानन्द जी के सम्बन्ध में प्रचलित है कि वह दीपक राग गाते थे तो आरती के दीपक स्वयं प्रज्ज्वलित हो उठते थे, फिर दीपक राग द्वारा प्रदीप्त दीपों से वह आराध्य की आरती करते थे। बड़ी छावनी तथा विद्याकुण्ड में आज भी इनके अनुयायी हैं जो गले में मृदंगार कंठी दानों की माला धारण करते हैं और ध्रुवपद धमार शैली में ही गाते हैं। बरेली के सुप्रसिद्ध ध्रुवपद गायक राम पदारथ जी अयोध्या क्या आए कि बस यहीं रम गये। तत्कालीन अयोध्या नरेश राजा ददुआ ने राजाश्रय दिया। संत-संगीतज्ञ राम पदारथ जी ने पं. संत शरण, बलदेव चतुर्वेदी तथा बाबा धनुषधारी को संगीत की शिक्षा दी। बाबा धनुषधारी इतने प्रतिभा सम्पन्न थे कि उनका गायन अयोध्या के कोने-कोने में प्रचलित हो गया। अयोध्या के विरक्त साधु आज भी बाबा धनुषधारी द्वारा रचित तथा उन्हीं की शैली में बधाई, नवाह, मानस गायन आदि प्रेम से प्रस्तुत करते हैं। बाबा धनुषधारी ने बधाई, मानस गायन को शास्त्रीय संगीत का पुट दिया। उनके शिष्यों सियाराम दास, छेदा सूर, संतशरण ने ध्रुवपद धमार के क्षेत्र में बड़ा यश अर्जित किया। अन्य ध्रुवपद धमार गायकों में थे लालजी भाई सत्य स्नेही, बाबा गौरी शंकर, राम आसरे शरण, चन्द्र प्रकाश मिश्र जो साधु-संतों की भाँति रहते थे। कोदऊ सिंह मृदंगवादक बहुत समय तक अयोध्या में रहे। उनके शिष्य मनमोहन उपाध्याय दतिया में मृदंग, पखावज सीखकर अयोध्या आए जहाँ राजा अयोध्या ने दर्शनेश्वर मन्दिर में उन्हें नियुक्त कर दिया। कोदऊ सिंह के दूसरे अन्य शिष्य वैरागी रामकुमार दास ने अवध बिहारी मन्दिर में सात वर्षों तक मृदंग वादन की अनवरत

साधना की और हनुमान गढ़ी में रहते थे। राम कुमार दास जी ने मृदंग के अतिरिक्त अवध की पखावज एवं तबलावादन परम्परा का सूत्रपात किया। रामकुमार दास के तीन प्रमुख शिष्य थे स्वामी रामदास, ठाकुर दास तथा राममोहिनी शरण। रामदास जी की शिष्य परम्परा में रामध्यान दास तथा छत्रपति सिंह और ठाकुर दास के शिष्यों में श्री महाबीर दास, गोपाल दास एवं पागलदास उल्लेखनीय हैं। ठाकुर दास के अन्य शिष्य यमुना चौधरी (दरभंगा), गोपालदास (मुंगेर), जगदीश सिंह एवं भीषम सिंह (रायगढ़) बाहर बस गये। राममोहिनी शरण के शिष्यों में स्वामी भगवान दास तथा किशोरी दास का नाम लिया जाता है। बाद में स्वामी पागलदास भी इन्हीं के शिष्य हो गये तथा देश के सर्वोच्च पखावज वादकों में उनका स्थान है। अन्य शिष्यों में सरयूदास तथा वसुमित्र शास्त्री तथा इनके अतिरिक्त अवध किशोर चतुर्वेदी उल्लेखनीय हैं। इटावा के कल्लू उस्ताद के ही अनेक शिष्य अयोध्या में रहते थे। शास्त्रीय गायन वादन की यह परम्परा बीसवीं शताब्दी पूर्वार्द्ध में शिथिल होने लगी। मंदिरों में ध्रुवपद धमार गायन का स्थान जै सियाराम जै-जै सियाराम कीर्तन तथा मानस ने गान ले लिया। कुछ दिन कीर्तन अपनी विशिष्ट कीर्तन लोक शैली में होते थे परन्तु इधर फिल्मी प्रभाव के कारण कीर्तन भी फिल्मी गीतों की धुन की पैरोडी बनते जा रहे हैं। कीर्तन सुनकर लगता है कि भक्ति संगीत की अपेक्षा फिल्मीगीत सुन रहे हैं। झूलन आदि उत्सवों पर गायन के साथ नृत्य की परम्परा भी अयोध्या में प्रचलित रही है। नर्तक राम कथा को लेकर चार-जामा पहिने तथा शलमा लगाकर कथक नृत्य करते थे परन्तु इसका स्वरूप शास्त्रीय नहीं था। इधर संत गोपाल मिश्र स्वर्गद्वार के निकट कथक कला केन्द्र खोलकर नृत्य की शिक्षा देने में लगे रहे। पुराने कथक कलाकारों में लोटन जी, नानक जी उल्लेखनीय हैं। कुछ कथक परिवारों का सम्बन्ध वीरू मिश्र, अनोखेलाल तथा अच्छन महाराज से भी है। अयोध्या के तीन मन्दिर शास्त्री नगर, स्वर्गद्वार तथा बेतिया– कथक परिवारों के पास हैं। इसके अतिरिक्त रामप्रिया दास, गुलाब दास, सरस्वती दास, लालदास, तुलसीदास (तपसी छावनी), भगवतदास (रामलीला विहार कुंज), हनुमान दास ने रामलीला थियेटर कम्पनियों द्वारा नाट्य संगीत का प्रचार किया। अयोध्या में शास्त्रीय संगीत की विशुद्ध घराना परम्परा के रूप में प्रतिष्ठा का श्रेय धनुषधारी जी तथा स्वामी रामशंकर दास उर्फ पागलदास को तथा उनके अनेक योग्य शिष्यों को है जिन्होंने अयोध्या में शास्त्रीय संगीत का वातावरण बनाया।

उत्तर प्रदेश की संगीत परम्परा के मध्यकालीन इतिहास में तीन नगण्य स्थानों का महत्त्वपूर्ण योगदान है। प्रदेश के एटा जिले के पटियाली गाँव में सन् 1223 ई. में अमीर खुसरो का जन्म हुआ। विलक्षण प्रतिभा सम्पन्न अमीर खुसरो ने गयासुद्दीन बलबन के ज्येष्ठ पुत्र मुहम्मद सुल्तान, अवध के सूबेदार अमीर अली कैकुवाद, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुब मुबारकशाह तथा पंजाब के गाजी खाँ गयासुद्दीन के दरबारों में नौकरी की तथा विभिन्न विषयों पर लगभग सौ पुस्तकें लिखीं। अमीर खुसरो की पुस्तकों में लगभग 22 फारसी ग्रन्थ तथा कुछ फुटकर रचनाएँ ही आज प्राप्त हैं।

अमीर खुसरो ने संगीत पर भी अनेक पुस्तकें लिखीं जो प्राप्त नहीं हैं। प्रचलित मान्यतानुसार अमीर खुसरो ने ईरानी संगीत रागों में भारतीय प्रचलित रागों का मिश्रण करके अनेक श्रुतिमधुर रागों का आविष्कार किया जो आज भी बड़े लोकप्रिय हैं। पूर्वी, गौड़, कांगली तथा एक अन्य राग के सम्मिश्रण से साजगिरी अथवा साजगरी, हिंडोल तथा नैरेज के मिश्रण से प्रस्तुत यमन, सारंग, पतवल और रास्त को मिलाकर बनाये सरपरदा शाहनाज, पटराग के मिश्रण से बने ज़ीलफ अथवा ज़िल्फ, गारा आदि ऐसे आविष्कारों में उल्लेखनीय हैं। खुसरो ने ईरानी शैली के अंदाज में कव्वाली, तराना, कौलकलबाना, नक्शेगुल आदि शैलियों का प्रचलन किया। उनके द्वारा बनाये गये झूमरा आदि ताल आज भी प्रचलित एवं लोकप्रिय हैं। खुसरो को ही तबला तथा सितार वाद्यों के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। खुसरो के पुत्र फीरोज़ खाँ ने सितार वादन को अपनाया और उनके पौत्र मसीत खाँ ने सितार की मसीतखानी (विलम्बित) वादन शैली का प्रचलन किया। खुसरो ने ही अपने समय में प्रचलित ध्रुवपद गायन शैली में उल्लेखनीय ईरानी संगीत का मिश्रण, संशोधन करके नयी शैली का प्रचलन किया जो उनके जीवन काल के पश्चात् ख्याल गायन शैली के नाम से न केवल लोकप्रिय हुई बल्कि जिसने आगे चलकर ध्रुवपद का स्थान ले लिया। बिलावल सप्तक पर आधारित इस नयी शैली ने भारतीय संगीत पद्धति को

अपनी विशेषताओं के कारण दो भिन्न गायन-वादन पद्धतियों में विभाजित कर दिया; उत्तर भारत में प्रचलित हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति तथा दक्षिण भारत में प्रचलित कर्नाटक संगीत पद्धति। उत्तर प्रदेश के एटा जैसे नगण्य स्थान में जन्म लेने वाले अमीर खुसरो ने संगीत को समृद्ध करने के साथ वर्तमान रूप दिया। इसी प्रकार जौनपुर के सुलतान हुसैन शर्की ने ख्याल गायकी को व्यापक रूप में लोकप्रिय बनाने के साथ टप्पा शैली का प्रचलन किया जिसे संगीतज्ञों ने विशेष उत्साह के साथ अपनाया।

निधिवन, वृन्दावन (मथुरा) के स्वामी हरिदास के केलिमाल संग्रह के माध्यम से अर्चना प्रधान ध्रुवपद गायन तथा अपनी शिष्य परम्परा से संगीत को समृद्ध किया। स्वामी हरिदास ने कृष्णोपासना प्रधान ध्रुवपद शैली को परिष्कृत तथा आध्यात्मिक रूप में सुरक्षित रखा। ग्रंथ 'नाद विनाद' में स्वामी हरिदास के आठ शिष्यों का उल्लेख किया गया है : बैजू, गोपाल लाल, मदन राय, रामदास, दिवाकर पंडित, सोमनाथ पंडित, तानसेन, सौरसेन। स्वामी हरिदास ने प्रचलित वीणा में अठारह के स्थान पर बाइस अथवा चौबीस परदे लगाकर इसके चार तारों पर मध्य, मन्द तथा तार सप्तक के स्वरों को बजाने की शैली तथा शुष्क वादन (अलापचारी) गीतांगय, नृत्यांगय तथा नृत्य एवं संगीत गायन के साथ वीणावादन शैली प्रचलित की। थट्टी सम्प्रदाय के श्याम-श्यामा उपासक स्वामी हरिदास के शिष्यों में तानसेन तथा बैजू विभिन्न दरबारों से सम्बद्ध रहे। तानसेन ने स्वामी हरिदास से वीणा वादन की भी शिक्षा प्राप्त की। तानसेन के संदर्भ में ग्वालियर घराने तथा ग्वालियर में बनी उनकी समाधि का उल्लेख करते हुए उन्हें मध्य प्रदेश से जोड़ा जाता है परन्तु उनकी संगीत शिक्षा-दीक्षा वृन्दावन के निधिवन में स्वामी हरिदास द्वारा हुई तथा उनकी साधना स्थली, कर्मभूमि बनी आगरा की धरती, जहाँ अकबर के दरबार में तानसेन का संगीत परवान चढ़ा और वह अन्तिम समय तक आगरा में ही रहे। सोनिया अथवा बीनकार घराना नाम से प्रसिद्ध उनकी शिष्य परम्परा में नौबत खाँ, नियामत खाँ (सदारंग), वजीर खाँ, हाफिज अली खाँ, अलाउद्दीन खाँ के नाम लिये जा सकते हैं। इसी प्रकार तानसेन घराने की गायकी परम्परा प्रचलित हुई। इन दोनों परम्पराओं के आदि स्रोत निधिवन, वृन्दावन के स्वामी हरिदास ही थे।

सुप्रसिद्ध ध्रुवपद संगीतज्ञों डागर परिवार का सम्बन्ध डागुर बानी गायक स्वामी हरिदास से जोड़ा जाता है। इस मत के समर्थक स्वामी हरिदास की शिष्य परम्परा में स्वामी सत्यदेव, गोपाल स्वामी, गिरधर स्वामी, शिवदत्त, ब्रज नारायण, इमाम बख्श, बहराम खाँ, मुहम्मद जान खाँ, अलाबन्दे खाँ तथा जाकिरुद्दीन, मोइनुद्दीन डागर आदि से डागर बन्धुओं का सम्बन्ध जोड़ते हैं। अनेक विद्वान मानते हैं कि डागुर बानी के गायक हरिदास अकबरकालीन स्वामी हरिदास से भिन्न हैं, स्वामी हरिदास का सम्बन्ध डागुर बानी से था ही नहीं। स्वामी हरिदास की ध्रुवपद गायन शैली गोबरहार थी जिसे उनके शिष्य तानसेन ने सर्वोपरि माना। हरिदास डागुर स्वामी हरिदास से भिन्न तथा तानसेन के परवर्ती शाहजहाँ, औरंगजेब के समकालीन माने गये हैं तो कतिपय अन्य विद्वान हरिदास डागुर को ग्वालियर वासी ज्ञान खाँ का शिष्य मानते हैं। विषय, रचना, शैली, रचना-पद्धति की दृष्टि से भी दोनों में पर्याप्त अंतर है। इसी क्रम में अन्य विद्वान डागर परिवार शिष्य परम्परा का सम्बन्ध आदि गुरु हरिदास डागुर से जोड़ते हैं। शाहजहाँ के समकालीन कालिदास डागुर की शिष्य परम्परा में मसनद अली खाँ, फतेह अली खाँ, रहीमुद्दीन खाँ, फहीमुद्दीन खाँ डागर आदि कलाकार हुए। रसिक शिरोमणि स्वामी हरिदास तथा हरिदास डागुर अथवा कालिदास डागुर भले ही अलग-अलग व्यक्ति हों, परन्तु इससे इनके वृन्दावन, उत्तर प्रदेश वासी होने के सम्बन्ध में कोई मतभेद, विवाद अब तक सामने नहीं आया है। इस दृष्टि से नासिरुद्दीन खाँ, बहराम खाँ, अलाबंदे खाँ, डागर बन्धुओं ज़िया फहीमुद्दीन खाँ डागर की सुप्रसिद्ध एवं लोकप्रिय शिष्य परम्परा उत्तर प्रदेश संगीत परम्परा की महत्वपूर्ण देन है।

अयोध्या के नवाब अवध की राजधानी बनने पर अयोध्या के अनेक कलाकार अवध दरबार में आ गये। नवाब शुजाउद्दौला के समय तक यहाँ कलाकारों का अच्छा-खासा जमघट हो गया। इनमें उल्लेखनीय थे शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली की प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले कथक खुशी महाराज, पंजाब के शोरी मियाँ। आसफुद्दौला द्वारा राजधानी लखनऊ ले जाने के बाद भी यहाँ की संगीत परम्परा पनपती रही। अयोध्या में मेंहदी उस्ताद, रहीमुद्दीन खाँ, मुश्तरी बाई जैसे श्रेष्ठ संगीतज्ञ थे। शम्भू महाराज ने रहीमुद्दीन खाँ से अनेक वर्षों तक

ठुमरी की शिक्षा प्राप्त की। मलिकाए ग़ज़ल बेगम अख्तर ने विश्व के संगीत जगत में अयोध्या का सम्मान बढ़ाया।

वाराणसी की संगीत परम्परा प्रदेश में सबसे अधिक बहुमुखी एवं समृद्ध रही है। इसका कारण है काशी की माटी, जिसका कण-कण संगीत के रस से सराबोर है और है संगीत पारखी आश्रयदाता काशीराज का दरबार। यही कारण है कि काशी की स्थानीय परम्परा के अतिरिक्त वाराणसी ने दूर-दूर से कलाकारों को आकर्षित किया। जो काशी में एक बार आया तो आने वाली पीढ़ियों तक के लिए वहीं बस गया। सुप्रसिद्ध सारंगीवादक मीरजापुर के पंडित शम्भूनाथ मिश्र काशी में आकर बस गये तो कालिका प्रसाद जी हंडिया तहसील, प्रयागराज छोड़कर वाराणसी में रहने लगे। नृत्याचार्य सुखदेव महाराज ने नेपाल छोड़ा तो काशी को अपना घर बना लिया। दिल्ली दरबार छोड़कर ध्रुवपदिये उस्ताद निसार अली खाँ, बीनकार उस्ताद वारिस अली खाँ, ख्याल गायक उस्ताद सादिक अली खाँ, टप्पा गायक उस्ताद अकबर अली खाँ, तानसेन घराने के प्यार खाँ, भूपत खाँ, नेपाल से ही मुहम्मद खाँ (बड़कू मियाँ), लखनऊ से निर्मलशाह काशी आकर इस नगरी पर ऐसे रीझे कि बस यहीं के होकर रह गये। बिस्मिल्ला खाँ के मन में काशी ऐसी बसी कि डुमराँव गाँव पीछे छूट गया। जो काशी छोड़कर बाहर भी रहने लगा उसके तन-मन में काशी ऐसी रम गयी कि अन्तिम क्षण तक उसने काशी को नहीं छोड़ा। सुप्रसिद्ध सुरबहार वादक मुश्ताक अली खाँ भले ही कलकत्ता में जाकर बसे थे परन्तु वह सदैव अपने को ठेठ बनारसी कहते थे। उस्ताद मुश्ताक अली खाँ के पूर्वज सेनिया घराने के बीनकार वारिस अली खाँ, टप्पा गायक अकबर अली खाँ, ध्रुवपद गायक निसार अली खाँ तथा ख्याल गायक सादिक अली खाँ, अन्तिम मुगल सम्राट बहादुर शाह के समय में ही बनारस आकर बस गये थे। मुश्ताक अली खाँ, सेनिया घराने के बरकतुल्ला के शिष्य आशिक अली खाँ के सुपुत्र थे। उदयशंकर, रविशंकर संसार के किसी कोने में भ्रमण करते रहे हों परन्तु काशी उनके मन में हर क्षण बसी रही, कभी ओझल नहीं होने पाई। पंडित रविशंकर ने तो 'रिम्पा' के रूप में काशी को अपने कार्यक्रमों का केन्द्र बनाया।

काशी की गायिकाओं की अपनी विशिष्ट परम्परा रही है। ये गायिकायें मन्दिरों में भी गाती थीं, दरबार और रईसों की महफिलों में भी। ठुमरी, टप्पा से लेकर ख्याल, ध्रुवपद धमार की कठिन बन्दिशें प्रस्तुत करने में ये गायिकायें बेजोड़ थीं। इन गायिकाओं में विद्याधरी, सरस्वती, छोटी मैना, बड़ी मैना, मोती केसर, राजेश्वरी, बड़ी मोती, गौहर, रसूलन बाई, सिद्धेश्वरी देवी, बागेश्वरी देवी, कृष्णदेवी, गिरिजा देवी, शान्ती देवी की प्राचीन परम्परा रही है। सितारा देवी तथा अलखनन्दा ने कथक नृत्य के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान प्राप्त किया।

काशी की वर्तमान संगीत परम्परा लगभग दो सौ वर्ष पुरानी है। ध्रुवपद धमार गायन में पं. रामसेवक मिश्र, पशुपति नाथ, शिवसेवक मिश्र, ज्वाला प्रसाद मिश्र, गुरु प्रसाद मिश्र, शिवनारायण मिश्र, प्रसिद्ध मनोहर, शिवा-पशुपति युगल कलाकारों की विशेष ख्याति रही है। आज भी राजन-साजन तथा अमरनाथ-पशुपतिनाथ अपने युगल गायन के लिए संगीत जगत में लोकप्रिय हैं। काशी के कथक परिवारों में पं. शिवनन्दन मिश्र, उनके पुत्र बड़े रामदास, रामदास जी के श्वसुर पंडित जैकरन मिश्र, छोटे रामदास, पं. हरिशंकर मिश्र, पं. महादेव प्रसाद मिश्र का गायन के ध्रुवपद, धमार, ख्याल के क्षेत्र में विशेष योगदान रहा है। स्थानीय कथक परिवारों ने संगीत, नृत्य के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण हस्तियाँ दी हैं। जैसे उदाहरणार्थ नाम बताने के ख्याल से– कथक में अभयशंकर मिश्र, तबला तथा संगीत समीक्षा में पं. विजय शंकर मिश्र, सितार में अशोक मिश्र जैसे नाम लिए जा सकते हैं। अभय अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के कथक नर्तक हैं। इनके अतिरिक्त अन्य नगरों से काशी में आकर रहने वाले और कुछ बस जाने वाले संगीतज्ञों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनमें उल्लेखनीय हैं– भावे बुवा, भैयाजी लाडे, सोमनाथ, गरुड़कर, सोमनाथ बेहरे, वेदमूर्ति नारायण भट्ट, मुकुन्द विष्णु कालविन्त, अघोर चक्रवर्ती, दामोदर विष्णु कालविन्त, भालचन्द्र चिन्तामणि दामले, उपेन्द्र बाबू। जगदीप जी तथा मौजुद्दीन खाँ द्वारा आंगिक अभिनय की अपेक्षा स्वर माधुरी, बनारसी पुट, भाव प्रधान पूरब अंग की ठुमरी शैली इस ढंग से प्रस्तुत की गयी कि सारे देश पर छा गयी। इधर टप्पा के सुप्रसिद्ध गायक अकबर अली खाँ और शोरी मियाँ के शागिर्द गम्मू खाँ और उनके पुत्र शादे खाँ ने टप्पा का वाराणसी में प्रचार किया। शादे खाँ ने इमाम बाई तथा चित्रा बाई को टप्पा

गायन की शिक्षा दी और टप्पा बनारसी गायकी का अभिन्न अंग बन गया। लक्ष्मी प्रसाद मिश्र, शिव सेवक मिश्र तथा रामसेवक मिश्र के पास टप्पे की दुर्लभ बंदिशों का अपार भण्डार था। बड़े रामदास जी ठुमरी गायकी, ख्यालों की तानों की तैयारी के लिए टप्पे का अभ्यास कराते थे। रसूलन बाई टप्पा गायन के लिए दूर-दूर तक प्रसिद्ध थीं। इमामबादी के पुत्र रमजान खाँ तथा उनके शिष्य नागेन्द्रनाथ भट्टाचार्य ने टप्पा को काशी से कलकत्ते तक पहुँचाया। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में संगीत विभाग खुल जाने के कारण बाहर से अनेक संगीतज्ञ संगीताध्यापन के लिए यहाँ आकर रहने लगे जिनका संगीत परम्परा में योगदान उल्लेखनीय है। इस परम्परा में अनेक नाम लिये जा सकते हैं – पंडित ओमकार नाथ ठाकुर, बलवन्तराय भट्ट, डॉ. लालमणि मिश्र, प्रदीप कुमार दीक्षित, डॉ. एम.आर. गौतम, डॉ. पाटेकर, श्रीकान्त ठकार, डॉ. (कुमारी) प्रेमलता शर्मा, श्रीमती एन.राजम।

खुले चक्करदार बोल, परन, गतों, लड़ियों की प्रधानता के लिए प्रसिद्ध बनारसी राग की परम्परा का प्रवर्तन पंडित राम सहाय द्वारा सन् 1830 के आस-पास माना जाता है। राम सहाय जी ने तबलावादन शैली को ऐसा रूप दिया कि स्वतंत्र वादन के अतिरिक्त ध्रुवपद, धमार, ख्याल, ठुमरी, टप्पा, नृत्य, सितार, सरोद सभी के साथ समान रूपेण सफल संगत की जा सके। रामसहाय जी द्वारा बनाई चक्करदार टेढ़ी परनों में गज परन, सिद्ध परन, चक्करदार परन, कृष्ण परन, रासलीला परन, काली परन, दुर्गा परन, शंकर परन, गणेश परन उल्लेखनीय हैं। राम सहाय जी की शिष्य परम्परा में जानकी सहाय, गौरी सहाय, गौरी सहाय के सुपुत्र भैरव सहाय, बलदेव सहाय, बलदेव सहाय के पुत्र दुर्गादास सहाय, भाँजे पंडित कंठे महाराज, पंडित किशन महाराज, शारदा सहाय के नाम उल्लेखनीय हैं। दूसरी ओर तिरकिट-घिरकिट की कड़ी के लिए प्रसिद्ध तीन चार हजार कायदों, गतों, फर्द, पेशकार, रेलों, टुकड़ों पर पूरा अधिकार रखने वाले भैरव प्रसाद जी के लगभग 400 शिष्यों में प्रमुख थे पंडित मौलवी राम मिश्र, बागेश्वर प्रसाद, पंडित अनोखे लाल, महावीर भट्ट। प्रताप अथवा परतप्पू महाराज की शिष्य परम्परा में उनके पुत्र जगन्नाथ जी, पौत्र शिव सुन्दर और प्रपौत्र बलमोहन महाराज तबले के खलीफा माने जाते थे। कहते हैं शिवसुन्दर के अनुज वाचा मिश्र ने देवी को तबला वादन से प्रसन्न करके तबला वादन में सिद्धि प्राप्त कर ली थी। वाचा मिश्र के पुत्र पंडित सामता प्रसाद गुदई महाराज ने पिता के अतिरिक्त बिस्सू मिश्र जी से भी संगीत शिक्षा प्राप्त की। गुदई महाराज के प्रमुख शिष्यों में हुए कुमार मिश्र, कैलाश मिश्र। पंडित भगवान प्रसाद के पुत्र एवं विश्वनाथ जी के शिष्य पंडित वीरू मिश्र ने तबला वादन, बनारसी बाज में दूर-दूर तक प्रसिद्धि प्राप्त की। अनेक संगीत सम्मेलनों, रियासतों द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। कबीर चौरा के मौलवी राम मिसिर का बनारसी राज अपना अलग था। भैरव प्रसाद मिश्र की परम्परा को इधर प्रतिष्ठा मिली पं. अनोखे लाल द्वारा जिनकी तैयारी, सफाई और नाधिन धिन्ना बोलों का जवाब नहीं था। इनके अतिरिक्त बनारसी राज के युवा कलाकारों में सर्वश्री ईश्वरलाल मिश्र, छोटे लाल मिश्र तथा रामजी मिश्र के नाम लिये जा सकते हैं। तबले के अतिरिक्त ध्रुवपद धमार की लोकप्रियता के कारण काशी में पखावजवादन की समृद्ध परम्परा रही है। इनमें प्रमुख थे मन्नू जी, भोलानाथ पाठक, वृन्दावन दास, मदन मोहन, रामदेव पाण्डेय, संकट मोचन मन्दिर के महन्त पंडित अमरनाथ मिश्र।

तबले की भाँति काशी में सारंगी वादन के तीन घराने प्रचलित रहे हैं– पंडित राम बख्श जिनके पुत्रों गणेश जी, शीतल जी तथा आगे चलकर पंडित हनुमान प्रसाद मिश्र एवं गोपाल मिश्र ने अपने श्रेष्ठ सारंगीवादन से देश-विदेश में सारंगी और बनारस घराने की धाक जमा दी। मीरजापुर से वाराणसी में आकर बसे पंडित श्यामधर मिश्र के पुत्रों सुमेरू (सुमेरनाथ) तथा सियाजी ने सारंगी वादन से सारे देश में प्रसिद्धि प्राप्त की। रामनारायण मिश्र की अपनी सारंगी वादन शैली अलग थी। इनके पुत्रों भवानी भीख जी तथा शम्भूनाथ मिश्र के पुत्र पण्डित सरयू प्रसाद मिश्र तथा पौत्रों पण्डित विश्वनाथ मिश्र, गोपीनाथ मिश्र तथा बैजनाथ मिश्र ने सारंगीवादन परम्परा को समृद्ध किया। बनारस के अन्य श्रेष्ठ सारंगी वादन कलाकारों में तमाकू जी, नारायण मिश्र, भगवान मिश्र, बिरई जी, ठाकुर प्रसाद, सीताराम, पन्नालाल मिश्र, मुंशीराम, आशिक अली खाँ, वंशी महाराज, काशी प्रसाद किन्नर आदि के नाम लिये जा सकते हैं जो स्वतंत्र वादन के अतिरिक्त ध्रुवपद, धमार, ख्याल, टप्पा, ठुमरी

की चतुरंग एवं सफल संगत करने में सिद्धहस्त थे। इन कलाकारों के सम्बन्ध में अनेक किंवदन्तियाँ प्रसिद्ध हैं। सियाजी महाराज की सारंगी पालकी में राजसी ठाठ के साथ जहाँ भी वे जाते, ले जायी जाती। तबला एवं मृदंग वादकों के लिए प्रसिद्ध था कि वह गजपरन बजा कर पागल हाथी को शान्त कर देते थे।

वायलिन वादन में श्रीमती एन. राजम तथा सितारवादक राजभान सिंह के बिना काशी की चर्चा अधूरी रहेगी जो अब काशी में ही रहने लगे हैं। शहनाई वादन में उस्ताद बिस्मिल्ला खाँ बनारस के पर्याय रहे हैं। उनके अतिरिक्त पंडित नन्दलाल, ख़ादिम अली ने वाराणसी की संगीत परम्परा को समृद्ध किया। पंडित रविशंकर, उस्ताद मुश्ताक अली खाँ ने सितार में, श्री उदयशंकर एवं गोपीकृष्ण ने नृत्य के क्षेत्र में वाराणसी का गौरव बढ़ाया। डॉ. लाल मणि मिश्र ने स्वयं विचित्र वीणा वादक होने के साथ देश-विदेश में ध्रुवपद प्रचार-प्रसार, संगीताध्ययन एवं शिक्षा को अधिक वैज्ञानिक, शोधपरक और रचनात्मक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिय। ठाकुर जयदेव सिंह दर्शन एवं धर्म के अतिरिक्त संगीत शास्त्र के भीष्म पितामह के रूप में सम्मानित किये जाते हैं। वाराणसी की संगीत परम्परा आज भी जीवन्त एवं समृद्ध है।

रामपुर रियासत के नवाब हामिद अली स्वयं संगीत प्रेमी थे और स्वयं तत्कालीन मूर्धन्य संगीतज्ञ उस्ताद वजीर खाँ के शिष्य थे। वजीर खाँ सुप्रसिद्ध ख्याल गायक बड़े मुहम्मद खाँ के भाँजे तथा उस्ताद निज़ाम खाँ के सुपुत्र थे जो अपने युग के श्रेष्ठतम ध्रुवपद गायक थे। वज़ीर खाँ ने पिता से ध्रुवपद गायन और मामा से ख्याल गायन की शिक्षा प्राप्त की। उस समय रामपुर में देश के कोने-कोने से आए श्रेष्ठतम संगीतज्ञों का जमघट था जो उस्ताद वजीर खाँ से सीखते थे। इनमें उल्लेखनीय थे उस्ताद मुहम्मद हुसैन, उस्ताद अलाउद्दीन खाँ, उस्ताद मुश्ताक हुसैन खाँ, उस्ताद सादिक अली खाँ आदि। उस समय रामपुर दरबार का संगीत के क्षेत्र में वही स्थान था जो संस्कृत एवं धर्मशास्त्र के क्षेत्र में काशी पण्डित समाज का स्थान था। रामपुर में कलाकारों को मुँहमाँगा पुरस्कार मिलता था।

आसफुद्दौला द्वारा अवध की राजधानी अयोध्या से लखनऊ ले जाने के साथ अनेक कलाकार लखनऊ जाकर बस गये। नवाब वाजिद अली शाह न केवल संगीत मर्मज्ञ, कला प्रेमी बल्कि स्वयं श्रेष्ठ संगीतज्ञ थे। उनके राज्य काल को अवध की कला की दृष्टि से स्वर्ण युग कहा जा सकता है। बिन्दादीन जैसे कथक नृत्य के आचार्य, कोदऊ सिंह जैसे पखावजी वाजिद अली शाह के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। दरबार में ठुमरी, भाव एवं श्रृंगार प्रधान बन्दिशों का विशेष प्रचलन था जो अधिकतर भैरवी, खम्माज, काफी, देश, झिंझोटी आदि राग-रागिनियों तथा दीपचन्दी (14 मात्रा) जल ताल, कहरवा आदि तालों में गाई जाती थीं।

ख्याल, ध्रुवपद गायन की दृष्टि से लखनऊ संगीत का प्रमुख केन्द्र रहा है जहाँ देश के मूर्धन्य कलाकारों का जमघट होता था। उस्ताद सादिक अली खाँ के शिष्य उस्ताद खुर्शेद अली खाँ, लखनऊ गायकी के पितामह माने जाते हैं। उनके शिष्यों में प्रमुख थे लखनऊ के राजा नवाब अली, गुलाम हुसैन, बब्बन साहब, चिन्मय लाहिड़ी, भैया गनपत राव, नसीर खाँ, श्री कृष्ण रातंजकर आदि। ख्याल गायकी को लखनऊ में लोकप्रिय बनाने वाले श्रेष्ठ कलावन्तों में उल्लेखनीय हैं सूरज खाँ, चाँद खाँ, मुराद अली, अमीर अली, छज्जू खाँ, बासत खाँ, हैदर खाँ, गुलाम हुसैन, दूल्हे खाँ, अहमद खाँ, मुहम्मद खाँ, नवाब कासिम अली, अमराव खाँ, तारब अली, रहीम खाँ, यूसुफ खाँ, वजीर खाँ आदि। गुलाम रसूल के पुत्र मियाँ गुलाम नबी शोरी ने टप्पा शैली का प्रवर्तन किया। लखनऊ परम्परा के अनेक संगीतज्ञों ने उनसे टप्पा गायन सीखा। लखनऊ परम्परा को अनेक गायिकाओं ने भी समृद्ध किया। इनमें रहीमन बाई, शराफो बाई, धन्नो बाई, जयसुख बाई, खुर्शेद बाई, चन्द्रा बाई, जसोबाई के नाम लिये जा सकते हैं।

लखनऊ बाज की अपनी विशेषता, शैली रही है। प्यार खाँ, जाफर खाँ, बासत खाँ, बहादुर खाँ, काजिम अली जैसे रबाबिये हुए तो गुलाम मुहम्मद, रहीम सेन, गुलाम हुसैन खाँ, बरकत अली, हसन खाँ डाढ़ी, नवाब अली, वकी खाँ, हशमत जंग, हामिद हुसैन जैसे श्रेष्ठ सितारवादकों को लोग आज भी आदर से याद करते हैं। लखनऊ के ही रज़ा खाँ ने सितार की मध्य, द्रुतलय, प्रधान रजाखानी गत शैली का प्रवर्तन किया। सादिक अली खाँ वीणावादन तथा एवज़ अली खाँ सारंगी वादन में बेजोड़ थे। उस्ताद सुधार खाँ के पौत्रों मोदू

खाँ तथा बख्शू खाँ (पुत्र मम्मन खाँ) ने तबले के लखनऊ घराने का सूत्रपात किया। मोदू खाँ के प्रिय शिष्य पण्डित रामसहाय ने बनारस बाज घराने का प्रवर्तन किया। मम्मन खाँ के तीसरे पुत्र उस्ताद मुहम्मद खाँ के पुत्र मुन्ने खाँ खलीफा की परम्परा में वाजिद हुसैन खाँ, आफाक हुसैन खाँ हुए तो दूसरी ओर आबिद हुसैन की शिष्य परम्परा में वीरू मिश्र, जहाँगीर खाँ, हीरेन्द्र गांगुली, महबूब खाँ आदि जैसे ख्याति प्राप्त तबला वादक हुए। लखनऊ में कोदऊ सिंह, पण्डित सखा राम, पण्डित अयोध्या प्रसाद जैसे पखावजी प्रसिद्ध हुए।

वाजिद अली शाह 'रहस' नृत्य का विशाल आयोजन करते और कृष्ण की भूमिका स्वयं प्रस्तुत करते थे। उन्होंने कैसरबाग में विशाल बारादरी, नहरें, फव्वारे, उद्यान बनवाए जो हर समय केसर की फुहार से गमकते और नूपुरों की झंकार से गूँजते रहते। इसी युग में कथक नृत्य और ठुमरी को विशेष लोकप्रियता प्राप्त हुई। नवाबी प्रभाव के कारण लखनऊ की गायकी में ग़ज़ल एवं शायरी की प्रधानता थी। नृत्य ही नहीं वाजिद अली शाह ने स्वयं 'अख्तर पिया' और बिन्दादीन ने 'सनद पिया' उपनाम से ठुमरी की अनेक बंदिशें तैयार कीं। इसी समय अन्य कलावन्तों ने कदरपिया, चाँदपिया, ललनपिया नाम से ठुमरी की बन्दिशें तैयार कीं, जो बड़ी लोकप्रिय हुईं। अवध दरबार में होलिकोत्सव विराट संगीत समारोह के रूप में मनाया जाता जो दिन-रात चलता रहता। बिन्दादीन के अतिरिक्त शम्भू महाराज, लच्छू महाराज और बिरजू महाराज ने लखनऊ कथक शैली को नई दिशा दी। इधर श्रीकृष्ण रातंजकर को मौरिस कॉलेज का प्रधानाचार्य बनाया गया। इसी क्रम में उस्ताद दूल्हे खाँ, उस्ताद सखावत हुसैन खाँ (सरोद), सादिक अली खाँ (बीनकार), उमर खाँ, इलियास खाँ (सितार), जी.एन. गोस्वामी (वायलिन), युसुफ अली खाँ, ध्रुवतारा जोशी (सितार), डॉ. सुरेन्द्र शंकर अवस्थी ने लखनऊ की संगीत परम्परा को समृद्ध किया। शासकीय स्तर पर उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी कलाकारों को सहायता-सम्मान देने की दिशा में कार्य करती है। लखनऊ महोत्सव में संगीत-सम्मेलन का आयोजन होता है।

आगरा मुगलकाल में संगीत का सबसे बड़ा केन्द्र था। मुगल बादशाह अधिकतर आगरा में ही रहते थे। आगरा के पड़ोस में एक ओर ग्वालियर रियासत थी तो दूसरी ओर दिल्ली दरबार जहाँ से संगीतज्ञों का आना-जाना लगा रहता था। अतः जहाँ ग्वालियर घराने के नत्थन खाँ, पीर बख्श, हद्दू खाँ, हस्सू खाँ, मुहम्मद खाँ, रहमत खाँ, कृष्णराव शंकर, विनायक राव पटवर्द्धन, मेंहदी हुसैन खाँ, नज़ीर खाँ, हफीज़ खाँ, कल्लन खाँ, बालकृष्ण बुआ, इचलकरंजीकर, बन्ने खाँ, गनपत राव आदि जैसे संगीतज्ञों की दमदार, गम्भीर गायकी और तैयारी ने आगरे की गायकी को प्रभावित किया वहीं दूसरी ओर दिल्ली दरबार के संगीतज्ञ थे जिनकी ध्रुवपद एवं ख्याल गायकी अपने ढंग की थी। दिल्ली घराने के संगीतज्ञों में लाल खाँ, बाबा रामदास, हाजी सुजान खाँ, सदारंग, अदारंग, काले मिर्जा, तानरस खाँ, उमराव खाँ, हुसैन अली, फतेह अली की गायकी ने आगरा घराने की गायकी को बहुत अधिक प्रभावित किया। मथुरा पड़ोस में होने के कारण ब्रज भाषा और कृष्णलीला की आगरा घराने की बन्दिशों पर स्पष्ट छाप दृष्टिगोचर होती है। आगरा घराने का सूत्रपात श्यामरंग और सरसरंग से माना जाता है। आगरा घराने के संगीतज्ञों में घग्घे खुदाबख्श, सुप्रसिद्ध ख्याल गायक शेर खाँ, गुलाम अब्बास, गुलाम हैदर खाँ (कल्लन खाँ), नत्थन खाँ, नन्हें खाँ कड़क एवं चमक वाली तानों के लिए प्रसिद्ध मुहम्मद सिद्दीक खाँ, तसद्दुक हुसैन खाँ, अनवर हुसैन खाँ, लताफत हुसैन खाँ, विलायत हुसैन खाँ, स्वामी बल्लभदास, भास्कर बुवा बारवले, दिलीप चन्द्र वेदी, श्री कृष्ण रातंजनकर, जगन्नाथ बुवा पुरोहित के नाम लिये जाते हैं। परन्तु आगरा घराने की गायकी को सबसे अधिक यश मिला आफताबे मौसी की उस्ताद फैय्याज खाँ की लोकप्रियता के कारण। वैसे तो उस समय देश में रज्जब अली खाँ, अल्लादित्ता खाँ, अब्दुल करीब खाँ, बन्दे अली खाँ जैसे अनेक श्रेष्ठ संगीतज्ञ थे परन्तु ख्याल, ध्रुवपद, होरी, धमार सभी शैलियों पर समान अधिकार, अलाप, बढ़त, राग-रागिनी के स्वरूप की अवधारणा और मधुर भावाभिव्यक्ति आदि दृष्टियों से फैयाज खाँ अद्वितीय थे। भैरवी में ''बाजूबन्द खुल-खुल जाय'' और ''ब्रज होली खेलन को रसिया'' से लेकर ध्रुवपद ख्याल तक जब फैयाज खाँ प्रस्तुत करते तो रस की फुहारों से श्रोता भावविभोर हो जाते। आगरा घराने की दूसरी शाखा में ख्याल एवं ठुमरी गायन की प्रधानता थी। इस परम्परा में इमदाद खाँ, हमीद खाँ, प्यार खाँ, लतीफ खाँ के नाम लिये जा सकते हैं। आगरा घराने को कव्वाल बच्चा घराना भी कहा जाता है। वैसे तो फैय्याज खाँ अपने

गायन के बीच-बीच में ''हाँ, हाँ, अरे हाँ'' जैसे शब्दों का भी प्रयोग करते थे, जो ख्याल गायन शैली का नहीं है, परन्तु कव्वाल बच्चों का अपना अलग घराना था जो तानों की पेंचदार फिरत, बल एवं फन्दे वाली तानों के लिए प्रसिद्ध रहा है। इस घराने के प्रतिनिधियों में मुहम्मद खाँ, रहमत खाँ, मुबारक अली खाँ, सादिक अली खाँ, फजले अली खाँ, करम अली, दिलावर अली उल्लेखनीय हैं।

मुगलकाल में, विशेषतः अकबर-काल में फतेहपुर सीकरी का आगरे अथवा दिल्ली की अपेक्षा अधिक महत्व था और अकबर का अधिकांश समय फतेहपुर सीकरी में ही व्यतीत होता था। अतः फतेहपुर सीकरी में संगीतज्ञों का जमघट और परम्परा का सूत्रपात स्वाभाविक था। इस घराने के संगीतज्ञों में जैनू खाँ, जोरावर खाँ, गुलाम रसूल खाँ, छोटे खाँ पखावजी, मदारबख्श के नाम लिये जाते हैं।

सहारनपुर घराने के प्रवर्तक खलीफा मुहम्मद जमाँ सूफी सन्त थे तथा गायन के अतिरिक्त बीन, रबाब और सितार वादन में अद्वितीय माने जाते थे। सहारनपुर के गुलाम तकी खाँ और गुलाम जाकिर खाँ होरी ध्रुवपद गायन के लिए संगीत जगत में प्रसिद्ध थे। बन्दे अली खाँ के जोड़ के बीनकार पूरे देश में इने-गिने थे। इस परम्परा के गुलाम आज़म, गुलाम कासिम, गुलाम जामिन, बहराम खाँ की ख्याति दूर-दूर तक थी। बहराम खाँ ने भारतीय संगीत के अध्ययन की दृष्टि से हिन्दी-संस्कृत का अध्ययन किया और उन्हें पण्डित की उपाधि से अलंकृत किया गया। बहराम खाँ की शिष्य परम्परा में गौसी बाई, फरीद खाँ, मौला बख्श सांखड़ वाले तथा जाकिरुद्दीन खाँ एवं अलाबन्दे खाँ थे। जाकिरुद्दीन खाँ तथा अलाबन्दे खाँ के ध्रुवपद एवं होरी गायन की पूरे देश में धूम थी। सभी रियासतों से इन दोनों के लिए प्राप्त होने वाले निमंत्रण पत्रों का ताँता लगा रहता था। सन् 1915-16 में बड़ौदा संगीत सम्मेलन के मंच पर जब क्लीमेण्ट ने अपना बनाया हारमोनियम प्रस्तुत करते हुए दावा किया कि उनके हारमोनियम में सभी श्रुतियाँ निकल सकती हैं तो उनकी चुनौती जाकिरुद्दीन खाँ एवं अलाबन्दे खाँ ने सफलतापूर्वक स्वीकार की और गाकर बतलाया कि श्रुतियाँ गले से ही निकल सकती हैं। इनमें गले की हरकतें हारमोनियम पर निकालने में असफल होने पर श्री क्लीमेण्ट ने अपना वाद्य और दावा वापस ले लिया। वस्तुतः वर्तमान ध्रुवपद परम्परा को इस घराने का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। अलाबन्दे खाँ के पुत्रों नसीरुद्दीन खाँ, रहीमुद्दीन खाँ, इमामुद्दीन खाँ डागर एवं मोहनुद्दीन डागर ने ध्रुवपद, धमार, होरी गायन के क्षेत्र में सहारनपुर घराने की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। अब्बन खाँ गायन के साथ संगीत शास्त्र के प्रकाण्ड विद्वान थे। उन्होंने अनेक राग-रागिनियों पर शोध कार्य भी किया था।

बहादुर हुसैन खाँ तथा हद्दू खाँ के शिष्य इनायत हुसैन खाँ सहसवान घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनायत हुसैन नेपाल, ग्वालियर, रामपुर, हैदराबाद दरबार में रहे और सम्मानित किये गये। इनके शिष्यों रामकृष्ण, बाजे बुआ, छज्जू खाँ, नजीर खाँ ने सहसवान की संगीत परम्परा को समृद्ध किया। इमदाद खाँ, मुश्ताक हुसैन खाँ, फिदा हुसैन के पुत्र उस्ताद निसार हुसैन खाँ, मुश्ताक हुसैन खाँ के पुत्र इश्तियाक हुसैन और हारमोनियम नवाज़ इशाक हुसैन के कारण सहसवान संगीत परम्परा का नाम आदर के साथ लिया जाता है।

जब तक रसिक पारखी चाँद खाँ और काले खाँ का ध्रुवपद धमार गायन के क्षेत्र में नाम रहेगा, अतरौली घराने का नाम भी अमर रहेगा। इनके पूर्वज शाण्डिल्य गोत्र के ब्राह्मण थे जिन्होंने आगे चलकर इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। इस परम्परा के दुल्लू खाँ और छज्जू खाँ ध्रुवपद की गोबरहार अथवा गोहार बानी के लिए प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय थे। हुसैन खाँ, शाहाब खाँ, ध्रुवपद धमार गायन में बेजोड़ थे तो मानतोल खाँ डागुर बानी के विशेषज्ञ कलाकार माने जाते थे। गुलाम गौस खाँ के परिवार में गोहार बानी की परम्परा चल रही थी परन्तु गुलाम गौस खाँ की रुचि डागुर बानी में थी। अतः उन्होंने अपनी प्रतिभा और लगन से डागुर बानी के संगीतज्ञों में शीर्षस्थ स्थान प्राप्त किया। खैराती खाँ के खण्डारी बानी को ध्रुवपद गायन में अपनाया। करीम बख्श ने भी खण्डारी बानी का अभ्यास किया। चिम्मन खाँ, करीम बख्श खाँ, जहाँगीर खाँ, जुहूर खाँ ने ध्रुवपद धमार के साथ ख्याल गायन के क्षेत्र में भी अतरौली घराने का सम्मान बढ़ाया। जहूर खाँ तो इतना अच्छा गाते थे कि एक बार रास्ते में इन्हें डाकुओं ने घेर लिया लूटने के लिए। तानपूरा देखकर डाकुओं ने गाने के लिए कहा। जहूर बख्श का गायन सुनकर डाकू ऐसे मंत्रमुग्ध हुए कि उन्होंने न केवल क्षमा माँगी बल्कि भारी धनराशि देकर

सुरक्षित पहुँचा दिया। भूपत खाँ, इमाम बख्श, गुलाम खाँ, हस्सू खाँ, दौलत खाँ, अतरौली वाले अल्लादिया खाँ, अली अहमद खाँ, ख्वाजा अहमद खाँ, अज़मत हुसैन खाँ ने ध्रुवपद, धमार, होरी, ख्याल, दादरा सभी शैलियों में भागलपुर, मुंगेर, बनारस, पटना, कलकत्ता दूर-दूर तक अनेक रियासतों में यश प्राप्त किया।

बुलन्दशहर के सिकन्दराबाद में रमज़ान खाँ, कुतुब बख्श, मुहम्मद अली खाँ, अजमत उल्ला खाँ, कुदरत उल्ला खाँ, जहूर खाँ, फिदा हुसैन खाँ, बदरुज़्ज़माँ मुजफ्फर खाँ जैसे श्रेष्ठ ध्रुवपद एवं ख्याल गायकों का जमघट था। कुतुबबख्श सितारवादन में भी प्रवीण थे। कुतुब अली खाँ के कार्यक्रम के पश्चात् किसी अन्य कलाकार का कार्यक्रम जमना कठिन होता था। मुहम्मद अली खाँ को राजसी सम्मान प्राप्त था। कुदरत उल्ला खाँ, तराने की गायकी के अतिरिक्त कव्वाली गायन में सारे देश में बेजोड़ थे तथा अपनी सुरीली, बुलन्द एवं पाटदार आवाज के लिए संगीत जगत में प्रसिद्ध थे। भास्कर बुवा बारवले इनके प्रिय शिष्य थे। बदरुज़्ज़माँ शास्त्रीय संगीत के अतिरिक्त ठुमरी, दादरा आदि ऐसे सुरीले ढंग से गाते कि सुनने वाले ठगे से रह जाते।

खुर्जा (अलीगढ़) घराने का आरम्भ नत्थे खाँ के पुत्र जोधे खाँ से माना जाता है जो दिल्ली दरबार से आकर खुर्जा में बस गये। इमाम खाँ, गुलाम हुसैन खाँ, ज़हूर खाँ, अलताफ हुसैन खाँ, गुलाम हैदर खाँ ऐसे संगीतज्ञ थे जिनका ध्रुवपद, धमार, ख्याल, तराना, ठुमरी, टप्पा, तिरवट, चतुरंग पर समान अधिकार था तथा इन लोगों की गायकी बुलन्द परन्तु पेंचदार मानी जाती थी। ज़हूर खाँ की बनाई ध्रुवपद, ख्याल छन्द, प्रबन्ध, चतुरंग, सरगम की अनेक बंदिशें अभी तक प्रचलित हैं। इसी घराने के गफूर बख्श श्रेष्ठ सितारवादक थे। ये सभी कलाकार अपने को खुर्जा घराने का प्रतिनिधि कहने में गर्व का अनुभव करते थे। ऐसा लगता है कि दिल्ली दरबार की स्थिति डाँवाडोल होने पर कलाकार आस-पास खुर्जा, अतरौली, बुलन्दशहर आदि स्थानों में बसते गये। वहाँ संगीत परम्परा ने जन्म लिया। जौनपुर के सुल्तान हुसैन शर्की के संगीत में योगदान से सभी सुपरिचित हैं।

मथुरा के ध्रुवपद में कृष्णभक्ति सम्प्रदाय मन्दिरों, विरक्त साधुओं के अतिरिक्त सूबेदार नवाब अली खाँ के दरबार से संगीतज्ञों की अलग परम्परा मिली है। कौड़ी रंग और पैसारंग दोनों भाई ध्रुवपद धमार एवं ख्याल के बड़े प्रसिद्ध गायक थे। पानखाँ को इन सभी शैलियों पर समान अधिकार था और नवाब से इन्हें ज़ागीर मिलती थी। बुलाकी खाँ श्रेष्ठ गायक होने के साथ संगीत शास्त्र के प्रकाण्ड विद्वान थे और अधिकतर मथुरा के मन्दिरों में ही गाते थे। मथुरा के ही अहमद खाँ (गुलदीन खाँ) सितारवादन में इतने निपुण थे कि गुजरात के लूनावडा दरबार में एक-एक स्वर सटीक लगाने पर एक दिन के कार्यक्रम में इन्हें कई महीनों, वर्ष भर का वेतन पुरस्कार स्वरूप मिल जाता। काले खाँ ने 'सरस पिया' नाम से ख्याल ठुमरी, ध्रुवपद की अनेक रचनाएँ कीं जो आज भी लोकप्रिय एवं प्रचलित हैं। गुलाम रसूल खाँ ने अपने संगीत शिक्षण की यात्रा का शुभारम्भ मथुरा से ही किया लेकिन जाकर बस गए बड़ौदा दरबार में। फैयाज़ खाँ सितार वादन में अद्वितीय थे। मुन्नन खाँ ने भी सितारवादन में बड़ी ख्याति अर्जित की लेकिन मुर्शिदाबाद अपने श्रेष्ठ गायन के लिए देश भर में प्रसिद्ध थे। दोनों संस्कृति के अच्छे विद्वान थे। कहते हैं आज से 80-90 वर्ष पूर्व इन कलाकारों को नेपाल आदि स्थानों में एक-एक कार्यक्रम के लिए एक लाख रुपये तथा बहुमूल्य हीरे-जवाहरात पुरस्कार स्वरूप मिलते थे।

उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद की अपनी विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण संगीत परम्परा रही है। इसके परवर्ती प्रतिभा सम्पन्न कलाकार उस्ताद इनायत खाँ के गौरीपुर रियासत (बंगाल) में बस जाने के कारण सितार वादन का यह अनूठा घराना गौरीपुर घराना के नाम से भी प्रसिद्ध था। विशिष्ट वाद्य शैली के श्रेष्ठ प्रतिनिधि इमदाद खाँ की लोकप्रियता के कारण पारखी संगीत प्रेमी इसे इमदादखानी बाज नाम से भी जानते थे। सितार वाद्य पर गायकी, विशेषतः किराने घराने की गायकी, हूबहू प्रस्तुत करने के कारण अनेक संगीत समीक्षक इस परम्परा को किराना घराना के अन्तर्गत मानते हैं। 'बाज एक, नाम अनेक' इसकी सबसे बड़ी विशेषता है।

इटावा की सितार वादन संगीत परम्परा सात पीढ़ियों से भी अधिक पुरानी है। इस घराने के पूर्वजों में मलूकदास के राजपूत वंशज सुरजन सिंह, सुरजन सिंह के पुत्र तुराब खाँ, पौत्र साहबदाद खाँ, प्रपौत्र इमदाद खाँ, इमदाद खाँ के दो पुत्र इनायत खाँ, वहीद खाँ, इनायत खाँ के पुत्र विलायत खाँ, इमरत खाँ तथा वंशजों में रईस

खाँ उल्लेखनीय हैं। ध्रुवतारा जोशी इसी परम्परा के प्रतिनिधि हैं। बीनकार अंग के फलस्वरूप सितार सुरबहार पर ग्वालियर, आगरा तथा किराने घराने की गायकी सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने की अद्‌भुत क्षमता के अतिरिक्त इटावा संगीत परम्परा की इस बात की अपनी विशेषताएँ रही हैं। विशुद्ध बाज अंग, मींड़ का विस्तार, झाले की विविधता तथा माला जैसी लड़ी, स्वरों की शुद्धतायुक्त तैयारी, सपाट तान, कूटतान, तिहाई आदि संगीत के प्रति आध्यात्मिक दृष्टिकोण तथा साधुसंत जैसा उदासीन जीवन इस संगीत परम्परा की दूसरी विशेषता रही है।

उस्ताद विलायत खाँ ने अपनी अथक साधना तथा विलक्षण प्रतिभा से इटावा की संगीत परम्परा को विशेष समृद्ध किया। उनकी लगभग तेरह-चौदह वर्ष की आयु थी, जिस समय पिता उस्ताद इनायत खाँ के आकस्मिक निधन से घराने तथा उसकी विशिष्ट शैली परम्परा के भविष्य पर प्रश्नचिह्न लग गया। उस्ताद विलायत खाँ ने चुनौती स्वीकार की, वर्षों अपने को कमरे में बन्द करके पूर्वजों और उनके बाज का मनन करते हुए पन्द्रह-सोलह घंटे प्रतिदिन सितार सुरबहार पर रियाज (अभ्यास) करते रहे और अन्ततः संगीत में जैसे सिद्धि प्राप्त कर ली। उन्होंने सितार सुरबहार में दो के स्थान पर एक ही तुम्बा रखा। सितार सुरबहार पर हृदयस्पर्शी, सुमधुर, सटीक मींड़ लेने में उस्ताद विलायत खाँ अद्वितीय हैं। एक ही परदे पर पूरे सप्तक की मींड़ लेने, अद्‌भुत लयकारी, अति द्रुत लय के बावजदू माधुर्य, स्वरों की शुद्धता उनकी विशेषता है। विलायत खाँ के दादा इमदाद खाँ इन्दौर में रहे तो चाचा वहीद खाँ कलकत्ता में और पिता इनायत खाँ गौरीपुर में रहे। शहनाई जैसे गायकी प्रधान सुषिर वाद्य के साथ अपने वाद्य सितार की अनेक वाद्यगत सीमाओं तथा कठिनाई को पार करते हुए बिस्मिल्ला खाँ के साथ सही अर्थों में सफल जुगलबंदी उस्ताद विलायत खाँ की विलक्षण प्रतिभा की द्योतक है। यदि बिस्मिल्ला खाँ ने हेय समझे जाने वाले लोकवाद्य को शास्त्रीय संगीत वाद्यों के सर्वोच्च सिंहासन पर प्रतिष्ठित किया तो विलायत खाँ ने सितार सुरबहार वादन को नया अनुकरणीय आयाम दिया। मुम्बई में कई दशक रहने के पश्चात् महानगरी की चमक-दमक, प्रचार-प्रसार, चकाचौंध छोड़कर नगर के कोलाहल से दूर उत्तर प्रदेश के देहरादून के सुरम्य वनखण्ड, प्रकृति के बीच संगीत के माध्यम से एकान्तवास, आध्यात्मिक साधना, नाद ब्रह्म चिंतन के रूप में जीवन में शान्ति की रसात्मक साधना में तल्लीन विलायत खाँ ने इटावा परम्परा विशेषतः अपने पिता, पितामह के जीवन दर्शन का अनुशीलन किया।

कासगंज (एटा) के ख्वाजा बख्श श्रेष्ठ गायक होने के साथ प्रसिद्ध सितारवादक भी थे और दिल्ली दरबार के पतन तक बहादुरशाह जफर के दरबार में ही रहे।

शाहजहाँपुर घराना सरोद वादन के क्षेत्र में विशेष प्रसिद्ध रहा है। उस्ताद काजिम अली के शिष्य, इंसाफ अली रबाबिया तथा इनायत अली खाँ सरोदिया ने अपने-अपने क्षेत्र में बड़ी ख्याति अर्जित की। इनायत खाँ के पौत्र सखावत खाँ (पुत्र शफात खाँ) ने उस्ताद मीरू खाँ, उस्ताद करामत उल्ला तथा प्रोफेसर कौकब से सीखकर सरोदवादन के क्षेत्र में अभूतपूर्व ख्याति प्राप्त की तथा भातखण्डे संगीत विद्यालय, लखनऊ में अध्यापन कार्य करते रहे। उस्ताद सखावत खाँ के पुत्र उस्ताद इलियास खाँ सितारवादन के क्षेत्र में प्रतिष्ठा एवं लोकप्रियता का कीर्तिमान रहे हैं। इलियास खाँ की शिष्य परम्परा में सितार तथा सरोद वादन की परम्पराएँ चल रही हैं।

बनारसी अंग और लखनऊ कथक नृत्य शैलियों की भाँति तबले की वादन शैलियों ने तबले के विभिन्न घरानों का रूप लिया। चाँटी स्याही के अधिक प्रयोग, पेशकार, कायदों-तिनक तिन, केन, धिनगिन, धिड़ान आदि बोलों की बहुलता के कारण मेरठ जनपद के अजराड़ा घराने ने अपना विशिष्ट स्थान बना लिया। इस शैली के प्रवर्तकों, प्रमुख कलाकार प्रतिनिधियों मुहम्मदी बख्श, कल्लू खाँ, चाँद खाँ, हस्सू खाँ, शम्भू खाँ और हबीबुद्दीन खाँ आदि के नाम उल्लेखनीय हैं।

इसी प्रकार दिल्ली से आकर उस्ताद मोदू खाँ और बख्शू खाँ लखनऊ में बस गये। उन्होंने कथक नृत्य के अनुरूप परन, नृत्य की आत्मा लिए चक्करदार टुकड़ों, धिड़नग, धतिन्न आदि बोलों की प्रधानता के साथ विशिष्ट शैली का प्रचलन किया जो लखनऊ शैली के नाम से प्रसिद्ध हुई। खलीफा मम्मू खाँ, मुहम्मद खाँ, मुन्ने खाँ, वाजिद हुसैन खाँ (खलीफा पूरब), आबिद हुसैन खाँ, वीरू मिश्र, जहाँगीर खाँ, महबूब खाँ की समृद्ध परम्परा के कारण लखनऊ के बाज को तबला वादन के क्षेत्र में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। उधर बख्शू खाँ ने टुकड़ों,

रेलों, परनों के अतिरिक्त त्तिधिड़ान, किट, धिड़नग, दिनतक, धिंता आदि बोलों के साथ बोलों की तैयारी, सफाई और मिठास को महत्व दिया। उनकी शैली फर्रुखाबाद घराने के नाम से प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय हुई। फर्रुखाबाद के घराने के कलाकारों में हाजी खाँ, हुसैन अली खाँ, मुनीर खाँ, अहमद जान थिरकवा, अमीर हुसैन, गुलाब हुसैन, नन्हें खाँ, मसीत खाँ तथा करामत हुसैन के नाम लिये जा सकते हैं। पहले कलाकार अशिक्षित अवश्य होते थे परन्तु गुणी एवं अपनी कला में पारंगत थे। कहते हैं रामपुर के बहादुर हुसैन खाँ, छम्मन साहब और जानी साहब ने थाट पद्धति, आधारभूत कल्याण थाट, पूर्वांग, उत्तरांग, राग वर्गीकरण के सिद्धान्त का बहुत पहले प्रतिपादन किया था जो भातखण्डे थाट एवं राग सिद्धान्त पद्धति से बहुत कुछ मिलता-जुलता है।

प्रयागराज कोई रियासत नहीं थी परन्तु संगीत प्रेम, रईस ज़मींदारों के कारण यहाँ देश भर के शीर्षस्थ संगीतज्ञों का जमघट बना रहता। विलायत खाँ, बिस्मिल्ला खाँ आदि जैसे कलाकारों ने मंच प्रदर्शन का शुभारम्भ प्रयाग के संगीत सम्मेलन से किया। देश का शायद ही कोई ऐसा श्रेष्ठ संगीतज्ञ होगा जिसने प्रयागराज के संगीत सम्मेलन में भाग न लिया हो। जिसे प्रयागराज संगीत सम्मेलन के पारखी श्रोताओं की 'वाह-वाह' मिल गयी, वह देश का सर्वश्रेष्ठ संगीतज्ञ बन गया। यही कारण है कि सभी संगीतज्ञ प्रयागराज के संगीत सम्मेलन में अवसर मिलने के लिए लालायित रहते और प्रदर्शन का अवसर मिलने पर गर्व का अनुभव करते। यहाँ संगीत सम्मेलन चार-पाँच दिनों तक दिन-रात चलते। न कलाकार थकते और न श्रोता। प्रयागराज के संगीत प्रेमी शिक्षित समाज के प्रयास का ही फल था कि शिक्षित एवं सम्भ्रान्त परिवारों में अस्पृश्य एवं त्याज्य समझी जाने वाली संगीत कला एवं कलाकार को प्रतिष्ठित स्थान मिला। प्रयाग संगीत समिति आज परीक्षार्थियों तथा केन्द्रों की संख्या की दृष्टि से देश की सबसे बड़ी संगीत संस्थाओं में से एक है।

प्रयागराज में गायक-गायिकाओं की अपनी परम्परा रही है। टीपदार, तेज परन्तु मीठी आवाज वाली जानकी बाई उर्फ छप्पन छुरी के मोहक संगीत को संगीत के पारखी आज तक भूल नहीं सके हैं। जानकी बाई प्रयागराज की शान थीं। बिस्मिल शायर ने उनके लिए ठीक ही लिखा था :–

हर ग़ज़ल अब ख़त्म हो इस टीप पर उस्ताद की,
मेरा नाम जानकी बाई और इलाहाबाद की।

यह मिसरा जानकीबाई को इतना पसन्द आया कि जब उनके गायन की कोई रिकार्डिंग होती तो वह उस राग व ताल विशेष में निबद्ध बोल के पहिले गातीं ''मेरा नाम जानकीबाई इलाहाबाद'' और फिर अपना गायन आरम्भ करतीं। यही मिसरा उनके रिकार्ड की पहचान (ट्रेड मार्क) जैसा बन गया था। उन दिनों जब रेकार्ड बनाने का प्रचलन नहीं हुआ था जानकी बाई के सैकड़ों रेकार्ड बन गये थे। इनके रेकार्ड्स के विज्ञापनों में लिखा रहता ''जिनका गायन सुनकर मुर्दे जिंदा हो गये'' और सचमुच उनका गायन ऐसा ही बतलाया जाता है। बनारसी अंग की गायिकायें विद्याधरी, रसूलन बाई, सिद्धेश्वरी, गौहरजान (कलकत्ता) बराबर प्रयागराज आया करती थीं। पंडित विष्णु दिगम्बर के शिष्य विष्णु ए. कशालकर, बी.एन. ठकार प्रयाग में ही बस गये और आजीवन यहीं रहे। श्री एन.एल. गुणे (गायन), एस.आर. मावलंकर (सितार) ने प्रयाग को अपना स्थायी निवास बनाया। सरोदवादन में उस्ताद करामत उल्ला खाँ का घराना प्रसिद्ध था जिनके शिष्यों में उस्ताद चुन्ने खाँ तथा पंडित गणेश प्रसाद द्विवेदी, बनवारी लाल सितार में उल्लेखनीय हैं। तबलावादन के क्षेत्र में उस्ताद यूसुफ खाँ, प्रोफेसर लाल जी के नाम लिये जा सकते हैं। सारंगी वादन में नजीर खाँ का नाम उल्लेखनीय है। तबलावादन के क्षेत्र में उस्ताद यूसुफ खाँ, प्रोफेसर लालजी के नाम लिये जा सकते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया तथा रघुनाथ सेठ ने बाँसुरीवादन में बम्बई और देश के कोने-कोने तक प्रयाग की संगीत परम्परा का सम्मान बढ़ाया है।

अन्य पुराने कलाकारों में तत्कालीन ख़लीफा पण्डित भोला भट्ट का नाम आता है जो अलोपीबाग में रहते थे। भट्ट के पास ध्रुपद, होरी, ख्याल, ठुमरी, टप्पा की दुर्लभ बन्दिशों का अपार भण्डार था। गगन बाबू वायलिन वादन में अद्वितीय थे। लय पर उनका अभूतपूर्व अधिकार था। उनके शिष्यों में श्रीराम श्रीवास्तव तथा

जोई श्रीवास्तव ने वायलिन वादन के क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त की। हारमोनियम वादक नीलू बाबू को लोग आज भी याद करते हैं। उन्होंने इतना अधिक अभ्यास किया था कि अभ्यास करते-करते हाथों की उंगलियाँ टेढ़ी हो गयी थीं। किसी समय में केसरबाई की समस्त रियासतों के संगीत सम्मेलनों में धाक थी। वह जानकी बाई के साथ गाती थीं। पैंसठ वर्ष से भी अधिक आयु वाली कृष्णा देवी सात वर्ष की आयु से ही गायन द्वारा प्रसिद्धि प्राप्त करने लगी थीं। उन्होंने लोकप्रियता का कीर्तमान स्थापित किया। अब तक बादशाही मण्डी स्थित उनके निवास से कभी भोर में तैरती पंक्तियाँ ''कब लोगे खबर मोरी राम'' मन को स्पर्श कर जाती हैं और स्वर्णिम अतीत की याद दिलाती हैं। किराना घराने के हबीब खाँ की शिष्या मुनीर खातून बेगम ने न केवल अपने देश के कोने-कोने में बल्कि पाकिस्तान एवं अन्य देशों में अभूतपूर्व लोकप्रियता प्राप्त की।

प्रयाग में संगीत सम्मेलनों की परम्परा संगीत कला की प्रतिष्ठा एवं संगीत समिति की स्थापना में मेजर रंजीत सिंह, बैजनाथ सहाय तथा डी.आर. भट्टाचार्य का विशेष योगदान रहा है। श्री प्रोजेश बनर्जी ने संगीत की दिशा में पर्याप्त कार्य किया तो श्री महेश नारायण सक्सेना ने संस्थागत पद्धति के लिए भी शास्त्र पर अनेक पुस्तकें लिखीं। संगीत सदन से संगीत संबंधी अनेक पुस्तकें प्रकाशित हुईं।

उत्तर प्रदेश का प्रत्येक अंचल संगीत के अतिरिक्त प्रत्येक क्षेत्र के अपने लोकगीत हैं। ब्रज की होली, रासनृत्य, मीरजापुर-बनारस की कजरी, बिरहा, कानपुर में श्रीकृष्ण पहलवान और हाथरस में पंडित नत्थाराम शर्मा की नौटंकी परम्परा, प्रदेश के ग्रामों में आल्हा, सावन आदि जैसी शैलियाँ, रामलीला मण्डलियाँ, पर्वतीय प्रदेश का संगीत– इन सबसे समस्त प्रदेश संगीत रस से आप्लावित होता रहता है। वस्तुतः उत्तर प्रदेश की संगीत परम्परा अत्यन्त प्राचीन और देश में सबसे अधिक समृद्ध रही है अतः इसे सरस प्रदेश कहना उपयुक्त प्रतीत होता है।

उत्तर प्रदेश की संगीत परम्परा की अपनी विशेषताएँ रही हैं और योगदान भी ऐतिहासिक रहा है। शायद इसका कारण इस प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, इसकी माटी के कण-कण में बसी संगीतात्मकता है। इटावा, अतरौली, सहसवान, किराना से लेकर रामपुर, आगरा, बनारस, लखनऊ, प्रयागराज तक और इनके अतिरिक्त मथुरा, वृन्दावन, अयोध्या के कोने से सुरीले स्वरों की झंकार, उसकी अनुगूँज सुनाई देती है। शायद इस कारण इस प्रदेश का संगीतज्ञ पारसमणि कहा जाता है, जिसे जिसने स्पर्श कर लिया वह लोहे से सोना बन गया।

लखनऊ परम्परा के जनक गुलाम रसूल के प्रपौत्र (पुत्र उस्ताद मक्खन खाँ), नत्थन पीर बख्श ग्वालियर चले गये तथा लखनऊ की गायन शैली में अपने ढंग से परिवर्तन करके नयी शैली के साथ ग्वालियर घराने का सूत्रपात किया, जिसने हद्दू खाँ, हस्सू खाँ जैसे संगीतज्ञों के कारण संगीत की घराना गायकी में अपना प्रमुख स्थान बना लिया। नत्थन पीर बख्श के प्रपौत्र हस्सू खाँ के शिष्य पंडित वासुदेव राव जोशी तथा जोशी के शिष्य पंडित बालकृष्ण बुवा, इचलकरंजीकर की शिष्य परम्परा में पंडित विष्णु दिगम्बर जी के यशस्वी शिष्य हुए। इस प्रकार उत्तर प्रदेश के नत्थन पीर बख्श से ग्वालियर घराने तथा पण्डित विष्णु दिगम्बर पलुस्कर की शिष्य परम्परा का सूत्रपात हुआ। गुलाम रसूल के दूसरे प्रपौत्र (पुत्र उस्ताद शक्करा खाँ) बड़े मुहम्मद खाँ जयपुर चले गये।

उस्ताद बड़े मुहम्मद खाँ तथा उनके पुत्र मुबारक अली खाँ की गायकी ने उस्ताद अल्ला दित्ता खाँ को बड़ा प्रभावित किया, वह उनके शिष्य बन गये। इस परम्परा में केसर बाई केरकर, भुर्जी खाँ, मंजी खाँ, मल्लिकार्जुन मंसूर, किशोरी अमोनकर जैसे श्रेष्ठ संगीतज्ञ हुए। वैसे उस्ताद अल्लादित्ता खाँ स्वयं अतरौली (जिला अलीगढ़) के थे और आगे चलकर बम्बई में रहने लगे। सहारनपुर के सुप्रसिद्ध ध्रुवपद, होरी गायक सूफी संत खलीफ मुहम्मद जमा की शिष्य परम्परा में बीनकार बन्दे अली खाँ, ध्रुवपद गायकों नासिरुद्दीन खाँ, जाकिरुद्दीन खाँ, रहीमुद्दीन खाँ, नसीर मोइनुद्दीन, नसीर अमीनुद्दीन तथा नसीर फैयाजुद्दीन के नाम उल्लेखनीय हैं। सहारनपुर के निकट किराना नामक ग्राम निवासी अब्दुल वसीम खाँ ने जिस गायकी का प्रचलन किया, वह किराना घराने के नाम से लोकप्रिय हुई। इसी घराने में बालकृष्ण बुवा, हीराबाई बड़ौदकर, बहरे बुवा, रामभाऊ

कुंदगोलकर, श्रीमती गंगूबाई हंगल, सुरेश बाबू माने, रोशन आरा बेगम, भीमसेन जोशी जैसे यशस्वी संगीतज्ञ हुए। इसी प्रकार मुरादाबाद जिले में बिजनौर में उस्ताद दिलावर हुसैन के पुत्र छज्जू खाँ, नजीर खाँ तथा खादिम हुसैन खाँ बम्बई के भिण्डी बाजार मुहल्ले में जाकर बस गये। उनके हृदयग्राही अलाप, सूत, मींड, गमक, मेरुखण्ड पद्धति पर आधारित तानों के कारण यह लोकप्रिय गायकी भिण्डी बाजार घराना नाम से प्रसिद्ध हुई। इस घराने की शिष्य परम्परा में मम्मन खाँ, शमीर खाँ (शिष्य उस्ताद अमीर खाँ), मुहम्मद खाँ, कप्तान बख्श, झण्डे खाँ, जान खाँ, चाँद खाँ, अंजनीबाई मालपेकर, अमान अली खाँ, रमेश नादकर्णी, बसन्त राव देशपाण्डे जैसे श्रेष्ठ कलाकार हुए।

स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर ने अमान अली से कई वर्षों संगीत की शिक्षा प्राप्त की। भिण्डी बाजार घराने से संबंधित प्रकाशन में इसका उल्लेख किया गया है। इटावा के सितार नवाब इनायत खाँ गौरीपुर (बंगाल) चले गये तो सितार का गौरीपुर घराना प्रचलित हो गया जिसके प्रमुख प्रतिनिधि हुए उस्ताद इनायत खाँ, उस्ताद विलायत खाँ, जयपुर के पंडित जयलाल जी ने पंडित बिन्दादीन जी से दस वर्ष कथक नृत्य की शिक्षा प्राप्त की तथा लौटने पर बिन्दादीन जी द्वारा सिखलाई शैली में तोड़ा, परन की प्रधानता का समावेश करके कथक के जयपुर घराने का नाम दिया। इस घराने की शिष्य परम्परा उल्लेखनीय है– सोहन लाल, मोहन लाल, दुर्गा लाल, रोशन कुमारी, कार्तिकेय। इस प्रकार यह कथन कि ''वर्तमान हिन्दुस्तानी संगीत मुख्यतः उत्तर प्रदेश की देन है'' कहना अनुचित न होगा और न अतिशयोक्तिपूर्ण।

रंगकर्म

उत्तर प्रदेश के विभिन्न अंचलों की बोली, बानी और संस्कृति की विविधता ने लोकनाट्य एवं लोक संगीत (गायन, वादन, नर्तन) को अनन्तरूपता प्रदान कर प्रदेश की संस्कृति को अनगिनत रूपों में सजा-सँवार कर हमें वैभवशाली सांस्कृतिक संपदा का स्वामी बनाया है। नागरसभा, भरथरी, धोबिया राग, स्वांग सपेड़ा, रावला, गुलाबो-सिताबो (पुतुल नाट्य), ख्याल, स्वांग, भगत, सांगीत (नौटंकी), धनुष यज्ञ, रामलीला, रासलीला आदि प्रदेश के विविध पारम्परिक नाट्य रूपों में से बीसवीं शताब्दी के अंत तक शनैः शनैः अनेक रूपों का क्षरण हो चला और उन्हें लुप्तप्राय की संज्ञा से अभिहित किया जाने लगा– उपभोक्ता संस्कृति, भूमंडलीकरण और इलेक्ट्रानिक मीडिया के आतंक की मार खाते हुए 21वीं सदी की देहरी में जिन रूपों को लेकर हम दाखिल हो सके हैं उनमें मुख्यतः रामलीला, रासलीला और नौटंकी ही प्रदेश के प्रतिनिधि लोकनाट्य के रूप में अभिहित किये जा सकते हैं। रामलीला का अपना कोई एक मानक रूप नहीं है। प्रदेश की प्राचीन एवं प्रतिनिधि रामनगर (वाराणसी) की रामलीला आज भी पूरे नगर के विभिन्न क्षेत्रों को अपनी लीला स्थली बना लेती है– रामलीला समिति प्रायः प्रदेश के छोटे-बड़े सभी नगरों में होती है कुछ नगरों में मंच बनाकर किसी एक केन्द्रीय स्थल पर एक ही रामलीला समिति द्वारा और किन्हीं नगरों में अनेक समितियों द्वारा अलग-अलग रामलीलाएँ होती हैं। रासलीला आज भी अपनी रूढ़िगत परम्परा एवं अनुशासन से बंधे होने के कारण अपनी गायकी और अभिनय की पारम्परिक शैली में ही निबद्ध है।

नौटंकी का स्वरूप मूलतः वीथि नाटक का है, किन्तु पिछली शताब्दी के उत्तरार्द्ध से शनैः शनैः इसके प्रदर्शन औपचारिक प्रेक्षागृह और मंच पर भी होने लगे हैं। फिल्म और टी.वी. की बढ़ती हुई लोकप्रियता की चकाचौंध में इस विधा ने आधुनिकता का जामा फूहड़पन के साथ ओढ़ना शुरू कर दिया जिसके फलस्वरूप इस विधा और इसके कलाकारों के अस्तित्व पर भी संकट के घने बादल घिरने लगे हैं। नौटंकी कलाकारों के वजूद को कायम रखने के लिए **नौटंकी कला केन्द्र** नामक संस्था सचेष्ट है।

उत्तर प्रदेश के आधुनिक रंगेतिहास की चर्चा करते समय प्रायः 1843 में लखनऊ में नवाब वाजिद अली शाह द्वारा लिखित **किस्सा राधा कन्हैया** तथा 1853 में उन्हीं के संरक्षण में सैय्यद आगा हसन अमानत लखनवी कृत **इन्दरसभा** के मंचन का जिक्र किया जाता है किन्तु भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का यह मत निर्विवाद लगता है कि विशुद्ध नाटक रीति से पात्र-प्रवेशादि नियम रक्षण द्वारा उनके पिता बाबू गोपालचन्द्र (उपनाम गिरधरदास)

द्वारा 1857-58 में लिखित भाषा का प्रथम नाटक **नहुष** था। वाराणसी में 3 अप्रैल, 1868 को शीतला प्रसाद त्रिपाठी कृत **जानकी मंगल** के मंचन को आधुनिक विधि से सम्पन्न प्रथम मंच प्रयोग कहना सर्वमान्य है। हिन्दी नाट्यलेखन के साथ ही नाटकों के मंच प्रयोग की परम्परा के पहले अलमबरदार भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ही थे अतः उन्हें आधुनिक हिन्दी रंगमंच का जनक कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है। उनकी प्रेरणा से कानपुर में पंडित प्रतापनारायण मिश्र ने रंगमंच का अलख जगाया। 1870 में वाराणसी में जन्मे आगा मुहम्मद शाह ने जब होश संभाला तो उन्होंने नौटंकियाँ भी देखीं, भारतेन्दु के नाटक भी देखे और व्यावसायिक पारसी थियेट्रिकल कंपनियों के नाटक भी देखे और कालान्तर में नाट्यलेखक के रूप में वे आगा हश्र काश्मीरी के नाम से व्यावसायिक रंगमंच के क्षेत्र में यशस्वी हुए। उनकी देखरेख में चरखारी (महोबा) के महाराज ने चरखारी (महोबा) में एक थियेटर कम्पनी कायम की जो कुछ दिन चली। उनके समकालीन पंडित राधेश्याम कथावाचक तथा नारायण प्रसाद बेताब ने भी नाटककार के रूप में यश अर्जित किया तथा पारसी हिन्दी रंगमंच की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान किया। इसके विपरीत 1881 को प्रयागराज में जन्मे कवि-सेनानी पंडित माधव शुक्ल ने अपने नाट्यलेखन एवं विशिष्ट नाटकों के सफल निर्देशन द्वारा राष्ट्रीय भावधारा को अग्रसारित करने के साथ ही विभिन्न नगरों में हिन्दी नाट्य समितियों की स्थापना की। निस्संदेह हिन्दी रंगमंच के द्वितीय उत्थान काल में उनके योगदान का स्मरण करते हुए उन्हें हिन्दी रंगमंच का उन्नायक कहना सटीक है। 19वीं शताब्दी के सातवें दशक में पारसी थियेट्रिकल कम्पनियों के अतिरिक्त बंगला के नाट्य दलों द्वारा भी वृन्दावन, आगरा, कानपुर, प्रयागराज और लखनऊ आदि में नाट्य प्रदर्शन करने के संदर्भ मिलते हैं– छतर मंजिल, लखनऊ में कलकत्ता के **ग्रेट नेशनल थियेटर** द्वारा 1875 में बंगला नाटक **नीलदर्पण** के प्रदर्शन के दौरान एक अंग्रेज द्वारा नाट्य दल के कलाकारों से हुई मारपीट, 1876 की ड्रामा परफारमेन्स एक्ट लागू होने का एक कारण बनी। मजे की बात यह है कि लखनऊ की इस घटना के 78 वर्ष बाद 1953 में लखनऊ के रिफ़ा-ए-आम क्लब के हॉल में इप्टा, लखनऊ द्वारा खेले गए मुंशी प्रेमचंद की कहानी **ईदगाह** के बेगम रज़िया सज्जाद ज़हीर कृत नाट्य रूपान्तर के अमृतलाल नागर के निर्देशन में हुए मंचन के विरुद्ध तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा इसी ड्रामा परफारमेन्स एक्ट के तहत चलाये गए मुकदमे का ऐतिहासिक फैसला 1956 में उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के न्यायमूर्ति, प्रसिद्ध शायर पंडित आनन्दनारायण मुल्ला ने किया और स्वाधीनता के बाद इस धारा को निरस्त करने की व्यवस्था दी।

बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध के चौथे दशक में बोलपट (सिनेमा) के आने तक लखनऊ, वाराणसी, प्रयाग, कानपुर, आगरा, गोरखपुर, मेरठ आदि में पारसी थियेट्रिकल कम्पनियों का ही बोलबाला रहा। नाटकों का मंचन शौकिया रंगमंच के रूप में कतिपय नाट्य संस्थाओं अथवा स्कूलों कॉलेजों एवं कुछ विश्वविद्यालयों के वार्षिकोत्सवों में ही होता रहा, बोलपट के आते ही थियेट्रिकल कम्पनियों का बाजार खत्म हो गया। द्वितीय महायुद्ध के बाद 1943 में वामपंथी एवं प्रगतिशील कलाकारों तथा बुद्धिजीवियों द्वारा स्थापित इप्टा (भारतीय जननाट्य संघ) की शाखाएँ आगरा, मेरठ, कानपुर, लखनऊ आदि नगरों में राजेन्द्र सिंह रघुवंशी, महावीर स्वामी, ललितमोहन अवस्थी, बाबूलाल वर्मा, गोकुलचन्द्र रस्तोगी आदि के प्रयास से कायम हुई जो प्रायः छठे दशक तक अधिक सक्रिय रहीं। प्रेमचन्द की कहानियों और उपन्यासों के नाट्य रूपान्तर इप्टा की शाखाओं द्वारा खूब खेले गए। इस काल में कुछ अपवादों को छोड़कर आमतौर से नाटककार मंचन के लिए नहीं पाठ्यक्रम के लिए ही नाटक लिखते रहे। कालेजों के शौकिया मंच की आवश्यकता प्रायः रामकुमार वर्मा, उपेन्द्रनाथ अश्क, जगदीश चन्द्र माथुर, लक्ष्मीनारायण लाल तथा कृष्ण चन्दर आदि के नाटक ही पूरी करते रहे। आल इण्डिया रेडियो के लिए लिखे गए विष्णु प्रभाकर और चिरंजीत के नाटक भी मंच पर खेले गए।

स्वाधीनता के बाद भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय संगीत नाटक अकादमी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अन्तर्गत गीत नाट्य प्रभाग कायम किये गए इन्हीं की तर्ज़ पर सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा भी नाटक एवं रंगमंच की गतिविधियाँ आरम्भ हुईं जिनमें नाटक प्रतियोगिता तथा प्रचार-प्रसार हेतु नाट्य दल की स्थापना मुख्य है, 1963 में उ.प्र. संगीत नाट्य भारती (राज्य की संगीत नाटक

अकादमी) कायम हुई जो अप्रैल 1968 के पूर्व रंगमंच के क्षेत्र में सक्रिय न हो सकी। 1961 में रवीन्द्र शतवार्षिकी के उपलक्ष्य में भारत सरकार के सहयोग से राज्यों में आरम्भ की गई रवीन्द्र रंगशालाओं के निर्माण की योजना के अन्तर्गत 1964 में प्रदेश की राजधानी में निर्मित रवीन्द्रालय ने राजधानी के रंगान्दोलन को गति प्रदान करने में मुख्य भूमिका का निर्वाह किया। प्रायः इन्हीं-आठवें दशकों में इलाहाबाद में मेहता प्रेक्षागृह, वाराणसी में नागरी नाट्य मंडली का प्रेक्षागृह, आगरा में सूरसदन, कानपुर में लाजपत भवन आदि सर्वसुविधा सम्पन्न प्रेक्षागृह तैयार हुए। प्रेक्षागृहों के निर्माण के फलस्वरूप रंगकर्मी उत्साहित हुए, सभी नगरों में नाट्य संस्थाएँ गठित होने लगीं, राज्य अकादमी द्वारा आयोजित नाट्य कार्यशालाओं, नाट्य प्रतियोगिताओं, समारोहों के आयोजनों, केन्द्रीय संगीत नाटक अकादमी, उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय (अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय), उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र तथा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं ने रंगमंच की गतिविधियों को विगत चार दशकों में बहुत बढ़ावा दिया। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के नाट्य कला के स्नातकों तथा 1975 में उत्तर प्रदेश में स्थापित भारतेन्दु नाट्य अकादमी में प्रशिक्षित नाट्यकर्मियों द्वारा नित नए नाट्य प्रयोगों से रंगचेतना के विकास में सहयोग मिला। आज उत्तर प्रदेश में लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा, मेरठ, गोरखपुर सदृश महानगर ही नहीं वरन् मथुरा, उरई, रायबरेली, उन्नाव, अयोध्या, बस्ती, गाजीपुर, बरेली, मुरादाबाद, शाहजहाँपुर, गाजियाबाद आदि अनेक नगरों में रंगमंच की गतिविधियाँ प्रायः होती रहती हैं– इन नाट्य केन्द्रों में एकाधिक सक्रिय नाट्य संस्थाएँ कार्यरत हैं। दर्पण, भारतीय जननाट्य संघ, मेघदूत, यायावर, थियेटर आर्ट्स वर्कशाप नव चेतना सांस्कृतिक संगठन (लखनऊ), रूपान्तर (गोरखपुर), भारतीय जननाट्य संघ (आगरा), स्वास्तिक (मथुरा), नागरी नाट्य मंडली, श्री नाट्यम (वाराणसी), समानान्तर इटीमेट थियेटर, प्रयाग रंगमंच दस्ता, (प्रयागराज), माध्यम नाट्य संस्थान (गाजीपुर), साधना नाट्य कला केन्द्र (गाजियाबाद) आदि संस्थाएँ अपने कार्यकलापों के स्तर और नैरंतर्य को बनाए रखने में सचेष्ट दिखती हैं। उत्तर प्रदेश में विगत दशकों में प्रतिभाशाली रंगकर्मियों की संख्या में आशातीत वृद्धि हुई है– प्रथम पंक्ति के जिन नाट्य निर्देशकों ने अपनी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर बनाई है और जो रंगमंच के विकास में सक्रिय हैं उनमें उर्मिल कुमार थपलियाल, राज बिसारिया, सूर्यमोहन कुलश्रेष्ठ (लखनऊ), श्रीमती गिरीश रस्तोगी (गोरखपुर) के नाम उल्लेखनीय हैं। प्रादेशिक स्तर पर ख्याति अर्जित करने वाले नाट्य निर्देशकों एवं अभिनेता-अभिनेत्रियों के नामों की सूची बहुत बड़ी है।

पिछली शताब्दी के उत्तरार्द्ध में रंगमंच की कसौटी पर खरी उतरने वाली नाट्य कृतियाँ देने वाले उत्तर प्रदेश के नाट्य लेखकों में सत्यव्रत सिन्हा, लक्ष्मीनारायण लाल, ज्ञानदेव अग्निहोत्री, गोविन्दबल्लभ पन्त, शम्भुनाथ सिंह, सर्वेश्वरदयाल सक्सेना तथा सर्वश्री विनोद रस्तोगी, सिद्धेश्वर अवस्थी, उर्मिल कुमार थपलियाल, राजेश कुमार, मुद्राराक्षस, नरेश सक्सेना, नीलाभ, अजित पुष्कल, गिरिराज किशोर, सुशील कुमार सिंह, रंजीत कपूर, परिमल दत्ता, श्याम नारायण, श्रीमती मृणाल पाण्डेय उल्लेखनीय हैं। स्वाधीनता के उपरान्त उत्तर प्रदेश के नाट्यान्दोलन को गति प्रदान करने में जिन रंगकर्मियों ने अपनी संगठन क्षमता अथवा कल्पनाशीलता अथवा समीक्षाओं अथवा अन्य प्रकार से उल्लेखनीय भूमिका अदा की उनमें अमृतलाल नागर, द्विजेन्द्रनाथ सान्याल, सत्यमूर्ति, हरिमोहन सैम्पसन, सरनबली श्रीवास्तव तथा सर्वश्री कुंवर नारायण, डॉ. भानुशंकर मेहता, कृष्णनारायण कक्कड़, के.बी. चन्द्रा, स्वदेश बन्धु, डॉ. शरद नागर, दयाप्रकाश सिन्हा, डॉ. शिवमूरत सिंह, डॉ. अनिल रस्तोगी, डी. बैकुण्ठनाथ शर्मा, सतीश चित्रवंशी के नाम उल्लेखनीय हैं।

उत्तर प्रदेश में नुक्कड़ नाटकों की भी महत्त्वपूर्ण भूमिका है जिसने यहाँ के मात्र मनोरंजक व फूहड़ नाटकों पर हमला करते हुए जाति-विद्वेष, सांप्रदायिकता, प्रांतीयता, व्यक्तिवाद, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, कुरीतियों के विरुद्ध जनता को तैयार किया, संदेश दिया ताकि आदमी-आदमी के बीच प्रेम का व्यवहार पैदा हो तथा विसंगतियों, विडम्बनाओं व शोषण के विरुद्ध जागरूकता पैदा हो। प्रतिबद्धता ही नुक्कड़ नाटकों की असली पहचान है। प्रयागराज, वाराणसी गोरखपुर, लखनऊ, आजमगढ़, अलीगढ़, जौनपुर, कानपुर सहित

उ.प्र. के विभिन्न छोटे व ग्रामीण इलाकों में बनी विभिन्न नाट्य व सांस्कृतिक संस्थाओं ने वर्षों तक नुक्कड़ नाटक किये स्थिति यहाँ तक आई कि नवचेतना सांस्कृतिक संगठन की नाट्य टीम द्वारा निशातगंज सब्जी मंडी (लखनऊ) के पास नुक्कड़ नाटक करते समय निशातगंज (लखनऊ) पुलिस ने रंगकर्मियों के सीने पर बंदूक रख दी और गाजियाबाद क्षेत्र में 'सहमत' के सफदर हाशमी को गुंडों ने मौत के घाट उतार दिया। नुक्कड़ नाटकों का राष्ट्रीय नाटक समारोह वर्षों तक नैनीताल (जब वह उ.प्र. में था) में होता रहा जिसकी सर्वत्र चर्चा होती थी। कुछ समय के विराम के बाद नुक्कड़ नाटकों का दौर फिर इन्हीं जगहों पर शुरू होता दिखायी दे रहा है जिसे हम उ.प्र. के नाटय आंदोलन में एक नया चरण मान सकते हैं। दूसरी तरफ भारतेन्द्र नाटय अकादमी (बी.एन.ए.) के छात्रों व अकादमी की ओर से भी नाट्य गतिविधियाँ (मंचन, निर्देशन संगोष्ठी आदि) बढ़ी हैं बहुत सारे सरकारी प्रचारात्मक कार्यक्रमों को लेकर भी नुक्कड़ नाटक किए जा रहे हैं, जो विधा को बढ़ाने की दृष्टि से एक शुभ संकेत है।

लगभग 25 वर्षों से प्रदेश में बाल रंगमंच को एक अलग पहचान देने की दिशा में उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी द्वारा पहल की गई, केन्द्रीय संगीत नाटक अकादमी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय तथा संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश ने भी विगत दो दशकों से इस ओर ध्यान दिया जिसके फलस्वरूप बाल रंगमंच के विकास के लिए अनेक संस्थाओं द्वारा कुछ नगरों में ग्रीष्मावकाश में नाट्य शिविरों आदि के आयोजन होते रहते हैं। इन संस्थाओं में भारतीय जन नाट्य संघ (आगरा), साधना नाट्यकला केन्द्र (गाजियाबाद), यायावर (लखनऊ), साक्षात्कार का बाल रंगमंच प्रभाग, ए.बी.सी.डी., तथा नेहरू बाल भवन प्रयागराज, अभिनय ज्योति (वाराणसी) उल्लेखनीय हैं। इन संस्थाओं तथा बाल रंगमंच के प्रति जागरूक प्रदेश के वयोवृद्ध नाट्यकर्मी ललितमोहन थपलियाल (गाजियाबाद) तथा बाल रंगमंच विशेषज्ञ श्रीमती रेखा जैन एवं अनुभवी पोखरिया, चित्रा मोहन (लखनऊ) आदि ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

उत्तर प्रदेश में रंग प्रयोगों की विशद समीक्षाएँ छठे-सातवें दशक तक अंग्रेजी के अखबारों लीडर, द पायोनियर और नेशनल हेराल्ड में ही प्रकाशित होती थीं। 1964-65 से दैनिक नवजीवन में कुशीलव की विशद समीक्षाएँ प्रकाशित होने लगीं। शनैः शनैः प्रदेश के हिन्दी-अंग्रेजी के प्रायः सभी दैनिक समाचार पत्रों में रंग गतिविधियों की सचित्र चर्चा प्रमुखता से होने लगीं। उत्तर प्रदेश से रंगमंच विषयक पहली डिमाई आकार की पत्रिका 1953-54 में इप्टा (भारतीय जननाट्य संघ) आगरा ने **रंगमंच** शीर्षक से प्रकाशित की जो बाद में **अभिनय** के नाम से प्रकाशित हुई। 1972 में नक्षत्र, लखनऊ ने पहले चक्र मुद्रित पत्र **रंगमंच समाचार** शुरू किया जिसके कुछ अंक टैबलायड आकार में छपे। अगस्त 1973 से इसका प्रकाशन डॉ. झ.ला. सुल्तानिया 'अज्ञात' के सम्पादन में मासिक पत्रिका **रंगभारती** के रूप में हुआ। दर्पण संस्था ने काफी समय तक **दर्पण दृश्य** अंतर्देशीय नाट्य पत्र प्रकाशित किया। 1976 में बन्धु कुशावर्ती ने **बाल रंगमंच** का प्रकाशन आरम्भ किया। नौटंकी कला केन्द्र ने डॉ. कृष्णमोहन सक्सेना के सम्पादन में नौटंकी एवं लोक प्रदर्शनकारी कलाओं पर केन्द्रित पत्रिका **नौटंकी कला** का प्रकाशन किया। इन सभी पत्रिकाओं का जीवन कुछ महीनों से लेकर चंद सालों का ही रहा। जुलाई 1977 से उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी ने प्रदर्शनकारी कलाओं को समर्पित त्रैमासिक **छायानट** आरम्भ किया जिसका प्रकाशन अब तक नियमित रूप से हो रहा है– भारतेन्दु नाट्य अकादमी ने अपने रजत जयंती वर्ष (2000 ई.) से **भरतरंग** अर्द्धवार्षिक का प्रकाशन आरम्भ किया है– सुदूर गाजीपुर से **माध्यम नाट्य संस्थान** की ओर से डॉ. शिवमूरत सिंह के सम्पादन में वार्षिक नाट्य पत्रिका **रंगप्रभा** का प्रकाशन कुछ वर्षों से हो रहा है। 2000 ई. में **वर्तमान साहित्य (गाजियाबाद)** द्वारा संग्रहणीय शताब्दी नाटक विशेषांक प्रकाशित किया गया। सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उ.प्र. की मासिक पत्रिका **उत्तर प्रदेश** भी प्रदेश की रंग गतिविधियों को प्रायः प्रमुखता से रेखांकित कर रही है, एक अल्पविराम के बाद 2001 ई. में इसका 29वें वर्ष में प्रवेश अभिनन्दनीय है। इसी वर्ष (2001 ई.) से प्रमुख संस्कृति कर्मी शाखा वंद्योपाध्याय के सम्पादन में प्रदर्शनकारी कलाओं पर केन्द्रित सुंदर साज-सज्जा एवं सारगर्भित सामग्रीयुक्त

त्रैमासिक **कला वसुधा** की सांस्कृतिक मंच पर आमद स्वागत योग्य है। इसमें रंगकर्म पर भी सामग्री रहती है।

कला

ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो उत्तर प्रदेश में कला-परम्परा का लम्बा और प्राचीन इतिहास है। होशंगाबाद, जोगीमारा, मिर्जापुर की सोनकढ़ा, रियासत रायगढ़, मानिकपुर आदि विभिन्न पर्वत श्रेणियाँ जो कई राज्यों के बीच से गुजरती हुई गई हैं, उनकी गुफाओं में शैल चित्रकला का प्राचीन और वैभवशाली विकास देखने को मिलता है। इसी तरह ग्रामीण लोक कलाओं में भी संस्कृति व रीति-रिवाजों के अनुसार चित्रकला का भारतीय स्वरूप देखने को मिलता है जिसमें ईश्वर से लेकर समाज में फैले विभिन्न रूपों व प्रतीकों की छवि मिलती है। विभिन्न स्थानों पर प्रस्तर प्रतिमाएँ व टेराकोटा के रूप भी दिखाई देते हैं। वाराणसी, जौनपुर, गोरखपुर, कुमायूँ, गढ़वाल (अब उत्तराखंड राज्य में), अवध क्षेत्र– पूर्वांचल, बुन्देल खण्ड और पश्चिमांचल, प्रयागराज, मिर्जापुर आदि विभिन्न ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कला जगत का विशिष्ट भारतीय गुणों व चरित्रों, परम्पराओं व रूढ़ियों, अंधविश्वासों व प्रतीकों से भरा कला का एक विशिष्ट, निजी व पुरातन इतिहास बिखरा पड़ा है। कहते हैं जीने के लिए विभिन्न उपाय करने की जब जरूरत मनुष्य को पड़ी तब आदिकाल से उसकी कल्पना शक्ति व जीवन की जरूरतों ने विभिन्न प्रकार के आविष्कार व निर्माण की ओर प्रेरित किया। मनुष्य की इसी कल्पना शक्ति ने उसे बाद में विभिन्न रीति-रिवाजों को प्रस्तुत करने व उनका आनन्द लेने के लिए मूर्तियों, चित्रों, गीतों व संगीत की रचना की प्रेरणा दी। प्रारम्भ में उनमें अनगढ़ता चाहे जितनी रही हो पर जीवन के स्पंदन से वह खदबदाता रहता था। जीवन में ऐसी रुचि लेने और उसे निरंतर आनंदमय बनाने की स्वाभाविक प्रेरणा ने मनुष्य से चित्रकला व मूर्तिकला का विकास करवाया। विज्ञान, सभ्यता, संस्कृति के विकास के साथ-साथ इन कलाओं का रूप भी बदलता गया। आज जिसे हम आधुनिक कला या चित्रकला के नाम से जानते हैं उस कला की जड़ें यहाँ प्राचीन काल से ही किसी न किसी रूप में मौजूद रही हैं। कला हर समय में आधुनिक रही है। जो भी नया रचा जाता है वह आधुनिक होता है। राजपूत, मुगल व पहाड़ी शैलियों में उसका बीसवीं सदी से विकास हुआ जिसे हम आधुनिक चित्रकला के नाम से जानते हैं।

ब्रिटिश शासकों ने यहाँ की मेधा के दोहन के लिए एकेडेमिक व इण्टेलेक्चुअल अभियान शुरू किये। इसी अभियान के तहत उन्होंने 1907 में औद्योगिक कांफ्रेन्स की जिनमें विविध बौद्धिक जगत में प्रवेश के लिए संस्थाओं की स्थापना पर विचार किया गया। राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय, लखनऊ की 1911 में स्थापना के उद्देश्य के पीछे अंग्रेजों की यही मंशा थी बाद में स्वाधीनता के बाद यह संस्थान लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध होकर लखनऊ कला एवं शिल्प महाविद्यालय हो गया है।

इस प्रकार उत्तर प्रदेश में कला के क्षेत्र में आधुनिकता का प्रवेश होता है। इस महाविद्यालय की स्थापना के बाद भारतीय चित्रकला का आधुनिक दुनिया में लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश का भी, प्रवेश होता है। लेकिन यहाँ हम जिस हिस्से पर संकेत करेंगे वह है प्राचीन और आधुनिक कला परिदृश्य का वह हिस्सा जो स्वाधीनता के बाद शुरू होता है।

मानव सभ्यता के विकास में संस्कृति एक ऐसा आयाम है जिसे काल के अनुसार बिल्कुल अलग करके नहीं देखा जा सकता। यानी पिछले अध्याय, पिछली प्रवृत्तियाँ, पिछली अभिरुचियों का प्रभाव अगले अध्याय पर पड़ता-ही-पड़ता है। यह एक सतत् प्रक्रिया है। इसीलिए जब हम स्वाधीनता के बाद के उत्तर प्रदेश की कला के पचास वर्षों पर नजर डालते हैं तो उसे पिछली कला-परम्पराओं और प्रभावों से बिल्कुल मुक्त या अकेला नहीं पाते। वास्तव में यह कला की जीवंतता व विकास का प्रमाण भी है। इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश की कला पिछले पचास वर्षों में अपना विशिष्ट विकास करते हुए भी अपने अतीत की छाया या प्रभाव से बिल्कुल मुक्त नहीं है। पिछली छायाओं, प्रभावों से सर्वथा मुक्त हुआ भी नहीं जा सकता। इनमें से बहुत सारे प्रसिद्ध कलाकार ऐसे हैं जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के शासनकाल से उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट कालेज आफ आर्ट्स एण्ड क्रॉफ्ट, लखनऊ से काम शुरू किया और स्वाधीनता के बाद इनके काम में नया परिवर्तन आया। उनकी जो कला-धारा

थी वह अपने अनुसार ही विकसित होती रही। जैसे वीरेश्वर सेन, ललित मोहन सेन, हरिहर लाल मेढ़, बी.एन. जिज्जा, सुधीर रंजन खास्तगीर इत्यादि। इन सभी चित्रकारों ने उत्तर प्रदेश में रहते हुए भी प्रदेश की सीमा लांघकर राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय कला जगत में अपना स्थान बनाया। इस संदर्भ में चित्रकार एन. खन्ना का एक उद्धरण दृष्टव्य है– ''प्रदेश की कला में आधुनिक आयामों की ऊर्जा के लिए लखनऊ कला महाविद्यालय की एक बहुत बड़ी भागीदारी रही है। 1911 से 1925 तक नेथोलियन हर्ड ने प्रधानाचार्य के पद पर रहकर भी अंग्रेजी सत्ता से देशज कला को आहत नहीं होने दिया। 1925 में प्रथम भारतीय प्रधानाचार्य के रूप में आचार्य असित कुमार हाल्दार का आगमन हुआ। उस समय उनकी हैसियत आधुनिक भारतीय कला में पहली पंक्ति के मजबूत स्तम्भ सी थी। उन्होंने नए प्रयोगों के लिए वाश व टेम्परा माध्यम से सरलता व सादगी के अस्तित्व का मंत्र दिया। बंगाल की राष्ट्रीय चेतना से चले हाल्दार से पहले 1918 में लघु दृश्य चित्रों के प्रख्यात वीरेश्वर सेन (1897-1974) विद्यालय में पहले ही आ चुके थे। सौभाग्य से 1945 में वहीं की शाखा के ललित मोहन सेन (1900-1954) को प्राचार्य का पद संभालने को मिला। दस वर्षों तक पदीय सेवा के दौरान, उन्होंने पेस्टल व ऑयल पेस्टल से नैसर्गिक सौन्दर्य तथा आकृतियों, विशेषकर मुखाकृतियों में सजीव बोधगम्यता के लिए प्रयोगों की दिशाओं में विस्तार किया। उन्होंने ग्राफिक के तकनीकी पक्ष एवं रचना प्रक्रिया में बौद्धिक चिंतन का सूत्र दिया। फिर दो वर्षों तक ललित कला विभाग के अध्यक्ष प्रो. हरिहर लाल मेढ़ (1909-1974) जो स्वयं प्राकृतिक सौन्दर्य एवं छविचित्रों के अध्यापन के लिए प्रख्यात थे, ने उस समय पुनः 1963-64 में कार्यकारी प्राचार्य के रूप में कार्य किया। 1956 में दून स्कूल से आमंत्रित सुधीर रंजन खास्तगीर (1907-1974) के आगमन से विद्यालय को स्वर्णकाल का सूर्य मिला।

इससे स्पष्ट है कि स्वाधीनता के समय तक उत्तर प्रदेश में कला का एक मुकम्मिल वातावरण बन चुका था और पूरे देश में अपनी विशिष्टता के कारण यहाँ का कला स्कूल अपनी पहचान बना चुका था। स्वाधीनता प्राप्ति के पूर्व से ही उत्तर प्रदेश में आधुनिक कला प्रवृत्तियों ने प्रवेश करना शुरू किया था। वास्तव में यह नया कला आन्दोलन था। कला उपकरणों का विकास तो हो ही रहा था लेकिन कला के काम में आधुनिक जीवन की समस्याएँ व विसंगतियाँ प्रवेश करने लगी थीं। दो विश्व युद्धों को झेल लेने के बाद कला परिदृश्यों में चिंतन का विकास एकदम से यथार्थ और मानवीय संवेदनाओं तथा त्रासदी के आधार पर शुरू हो गया था। कला का काम केवल रम्य रचना नहीं है, वह केवल विलास और मनोरंजन की वस्तु नहीं है बल्कि वह कुछ सामाजिक दायित्व भी निभाती है। इस तरह कला की दुनिया में एक नए धरातल ने अपनी जगह बनाई जिसमें मनुष्य और उसका यथार्थ, उसका शोषण व संघर्ष, उसकी बदहाली व मानसिक दशा सब कुछ आ गया। एक तरफ प्रकृति का सुरम्य सौन्दर्य था तो दूसरी ओर भूख-पीड़ा, उपेक्षा, आक्रमण की दशाओं की अभिव्यक्ति भी कला के काम में आना शुरू हो गई थी। यानी कला के काम की विषय वस्तु में परिवर्तन हुआ, उसके सरोकार और सामाजिक उत्तरदायित्व बदले।

इन सारी स्थितियों का प्रभाव उत्तर प्रदेश के कला-विकास को भी एक रूप देता है। उत्तर प्रदेश में कला की चाहे विभिन्न परम्पराएँ विभिन्न क्षेत्रों में पहले से ही मौजूद रही हों लेकिन स्वाधीनता के बाद एक नया आयाम इस प्रकार आया कि लखनऊ कला महाविद्यालय तथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से निकले हुए तमाम कलाकार प्रदेश के विभिन्न भागों में छा गए। विभिन्न निजी और सरकारी शिक्षण संस्थाओं में कला शिक्षक के रूप में उनकी नियुक्ति हुई। वे नौकरी भी करते रहे और अपना मूल काम चित्रकला, मूर्तिकला आदि भी करते थे और नई विषय-वस्तु, कला-तकनीक आदि के साथ सामने आ रहे थे। उन्हें बढ़ने में या स्वयं को और विकसित करने में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी ने भी अपने राष्ट्रीय प्रदर्शनियों, शिविरों, छात्रवृत्तियों आदि के द्वारा विभिन्न अवसर दिए।

दरअसल स्वाधीनता के बाद उत्तर प्रदेश में कला का विकास विभिन्न माध्यमों से हुआ। मुख्य माध्यम तो लखनऊ का कला और शिल्प महाविद्यालय ही था। कला के क्षेत्र में इसकी एक महत्वपूर्ण परम्परा रही है। इसी तरह विभिन्न विश्वविद्यालयों में कला के विभाग खुले। चित्रकला, मूर्तिकला और व्यावसायिक कला की पढ़ाइयाँ

शुरू हुईं। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में कला का एक पूरा विभाग ही खुला। इसी प्रकार इलाहाबाद विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय, पंतनगर आदि में कला-शिक्षण का काम शुरू हुआ। औद्योगिक नगर होने के बावजूद कानपुर और अलीगढ़ में भी कला के विभाग खुले और विभिन्न स्तरों पर कला-शिक्षण आरम्भ हुआ। स्कूलों, इंटर कॉलेजों, डिग्री कॉलेजों और विश्वविद्यालय स्तर पर कला शिक्षण का जो विकास स्वाधीनता के बाद हुआ उसने उत्तर प्रदेश में कला-विकास किया। इनके अतिरिक्त विभिन्न नगरों में विभिन्न कलाकारों के सामूहिक और निजी प्रयास से कई संस्थाएँ स्थापित हुईं जिनमें वरिष्ठ चित्रकारों/कलाकारों से लेकर युवतर कलाकारों की भी किसी-न-किसी रूप में हिस्सेदारी रही। इन संस्थाओं ने कला को एक नया परिदृश्य देने, युवा कलाकारों में काम करने की ऊर्जा भरने में बड़ी मदद की।

राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय ललित कला अकादमी की तरह यहाँ भी कल्चरल अफेयर्स एण्ड साइंटिफिक रिसर्च डिपार्टमेंट उ.प्र. की देखरेख में 8 फरवरी 1962 को एक स्वायत्त कला संस्था यू.पी. स्टेट ललित कला अकादमी की स्थापना लखनऊ में हुई जिसका मूल उद्देश्य प्रदेश में कला एवं कलाकारों की प्रोन्नति करना था। अकादमी आज भी अपने कार्य में समर्पित है। इसके प्रथम अध्यक्ष डॉ. सम्पूर्णानन्द थे।

यही नहीं केन्द्रीय ललित कला केन्द्र ने भी 1984 में अपना क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ में स्थापित किया जिसका मूल उद्देश्य उत्तर प्रदेश में कला के एक नए वातावरण का सृजन, कलाकारों को काम करने की जगह उपलब्ध कराना, उनकी कलाओं की सामूहिक तथा एकल प्रदर्शनी आयोजित करना, देश के विभिन्न भागों की कला विशिष्टताओं, नए कलाकारों से यहाँ के कलाकारों का परिचय कराना, विभिन्न राज्यों के युवा कलाकारों को अत्यन्त सामान्य नियमों के आधार पर केन्द्र में दाखिला देकर काम करने की जगह व अवसर प्रदान करना आदि था।

जाहिर था उत्तर प्रदेश में कलाकारों की संख्या जिस तरह बढ़ रही थी और कलाकार अपना काम आम दर्शकों के बीच भी ले जाना चाहते थे तथा अन्य राज्यों के युवा तथा वरिष्ठ चित्रकारों, कलाकारों के काम से परिचित होना चाहते थे उनके लिए उ.प्र. राज्य ललित कला अकादमी तक राष्ट्रीय ललित कला केन्द्र पर्याप्त अवसर उपलब्ध नहीं करा पा रहे थे। उनकी अपनी सरकारी सीमाएँ, नियम-कानून थे और पूरी तरह कला का वातावरण तैयार करना तथा निरन्तर कला गतिविधियों की खोज करते हुए, नए कलाकारों को प्रोत्साहित करते रहना संभव नहीं था।

इन स्थितियों में युवा चित्रकारों/कलाकारों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए यह आवश्यक हो गया था कि यहाँ भी कुछ लोग निजी प्रयासों से कला दीर्घाओं को चालू करें। इसकी एक बड़ी परम्परा भारत के महानगर मुम्बई, दिल्ली, मद्रास आदि में पहले ही स्थापित हो चुकी थी। अतः उत्तर प्रदेश के विभिन्न नगरों जैसे– लखनऊ में 'सृष्टि आर्ट गैलरी' का उद्घाटन अगस्त 1994 में हुआ और बाद में– 'गैलरी डी आर्ट' नाम से एक कला दीर्घा 11 मई 1997 को उद्घाटित हुई। इनमें से 'सृष्टि' बन्द हो गई है। वाराणसी में भी इस ढंग के कुछ कला केन्द्र निजी, सामूहिक व छात्रों के प्रयासों से सक्रिय हैं; जैसे ए.बी.सी. आर्ट गैलरी, कला केन्द्र, आर्य भाषा संस्थान, वर्किंग आर्टिस्ट्स-आफ वाराणसी आदि। कानपुर की संस्थाएँ– चिकितुषी, शिल्पी कला केन्द्र आदि। गोरखपुर की संस्था– 'सृजन' आदि। इसी तरह आगरा की संस्था– 'संकल्प आर्ट सोसाइटी' और अलीगढ़ की संस्था– 'उत्कर्ष फनकार सोसाइटी', प्रयागराज की जैसी विभिन्न संस्थाएँ इस प्रदेश में हैं जो अपने स्तर से विभिन्न कला गतिविधियाँ करती हैं।

स्वाधीनता के बाद के उत्तर प्रदेश के कला परिदृश्य को देखने के लिए मुख्य रूप से तीन-चार बिन्दुओं पर गौर करना जरूरी है। पहली बात है कि स्वाधीनता के बाद उत्तर प्रदेश (विशेष तौर पर लखनऊ) में कला के जितने सरकारी, गैर सरकारी व निजी संस्थान स्थापित हुए उन्होंने क्या गतिविधियाँ कीं ? यहाँ से कितने कलाकार बाहर गए ? यहाँ कला प्रशिक्षण करते हुए कलाकारों ने किस ढंग से काम किया तथा आत्मशिक्षित कलाकारों की क्या भूमिका रही ? फ्रीलांस आर्टिस्ट के रूप में कलाकारों की क्या भूमिका रही ? फिर कला

संबंधी कोई पत्र-पत्रिका प्रकाशित हुई कि नहीं तथा यहाँ दैनिक पत्र-पत्रिकाओं में कला-समीक्षाओं की क्या स्थिति रही ? किस दिशा व कितनी वस्तुपरकता के साथ वे सामने आईं। इस प्रकार हम देखते हैं कि पिछले पचास वर्षों में उत्तर प्रदेश में कला गतिविधियों के विकास के अनेकानेक चरण रहे हैं।

राज्य ललित कला अकादमी ने यहाँ से 'कला त्रैमासिक' नाम से पत्रिका कुछ वर्षों तक निकाली। लगभग छह साल के बाद यह स्थगित हो गई और अब फिर निकलना शुरू हुई है। इसके शुरुआती दौर के संपादक मंडल में पी.सी. लिटिल, कृष्णनारायण कक्कड़ आदि थे। इस पत्रिका से प्रदेश की विभिन्न कला गतिविधियों की एक झलक मिलती थी और कई बार कला संबंधी कुछ सूचनात्मक व महत्वपूर्ण लेख भी सामने आते थे, जिनसे उत्तर प्रदेश का कला परिदृश्य समझने में कुछ सहायता मिलती थी। इधर 'कला दीर्घा' नामक कला पत्रिका का प्रकाशन भी शुरू हुआ है। वैसे साहित्यिक पत्रिका भी कला को स्थान देती हैं। पत्रिका के बाद उन गतिविधियों का महत्व होता है जो विभिन्न कला संस्थाएँ करती रहती हैं क्योंकि इनसे पता चलता है कि प्रदेश में कला और कलाकार की दिशा क्या है तथा वे किस ढंग से काम करते हैं।

स्वाधीनता के प्रारंभिक काल में शांति निकेतन, कलकत्ता, मद्रास, मुम्बई, अहमदाबाद, बड़ौदा आदि देश के प्रमुख कला केन्द्रों में ज्यादातर कलाकारों ने यथार्थवादी व प्रभाववादी शैली में आकृतिमूलक या दृश्य चित्रों को लेकर ही विभिन्न प्रयोग किए। भारतीय चित्रकला पर ईरानी, जापानी, चीनी, तिब्बती और बाद में यूरोपीय कलाओं का प्रभाव रहा है। इससे प्रभावित होकर यहाँ के वरिष्ठ व शताब्दी के शुरुआती दौर के चित्रकारों ने काफी काम किए लेकिन बाद में अपनी निजी शैली व विषयवस्तु का प्रयोग भी शुरू किया। उत्तर प्रदेश में भी कला का परिदृश्य चूँकि वही था इसीलिए इन सारे प्रभावों व प्रयोगों के बावजूद यहाँ के चित्रकारों, कलाकारों ने अपने ढंग से काम किया। इन पर आधुनिक कला परिदृश्य और निजी प्रयास स्पष्ट है। वरिष्ठ चित्रकार मदनलाल नागर ने ठीक टिप्पणी की है कि– ''उत्तर प्रदेश में भी सन् 1949-50 ई. के लगभग कुछ नयी पीढ़ी के कलाकार लीक से हटकर नये प्रयोगों की ओर अग्रसर हुए।'' ऐसे कलाकारों में हम सुरेश्वर सेन, विश्वनाथ खन्ना, रमेश चन्द्र साथी, आर.एस. बिष्ट, मदनलाल नागर, विजय चक्रवर्ती, कांजीलाल, नित्यानंद महापात्र, अजमत शाह, एस.पी. चड्ढा, बी.एन. आर्य, फ्रैंक वैसली, योगेन्द्रनाथ योगी– जैसे तत्कालीन पुराने नए कलाकारों का नाम ले सकते हैं। इनमें मूर्तिकार जयनारायण सिंह का अपना एक विशेष महत्व है। अवतार सिंह पँवार शांति निकेतन से आए थे। राम किंकर बैज का उन पर प्रभाव था। उन्होंने मूर्तिकला में नयी शैली ईजाद की। 1945 में उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था साथ ही न्यूड फोटोग्राफी में कलात्मक प्रयोग किए। उत्तर प्रदेश में चित्रकला के विकास की तस्वीर वास्तव में लखनऊ कला महाविद्यालय तथा विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी कला संस्थाओं, ग्रुपों व निजी कला दीर्घाओं में विभिन्न कलाकारों के काम की होने वाली प्रदर्शनी से पता चलता है।

शुरू में लखनऊ कला महाविद्यालय में होने वाली वार्षिक कला-प्रदर्शनी का विशेष महत्व रहा है। इन्हीं कलाकारों में से ज्यादातर कलाकार बाहर निकले हैं या अपने काम को विशिष्ट बनाते हुए राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के हुए हैं। ऐसी संस्थाओं में उत्तर प्रदेश कलाकार संघ का एक विशेष महत्व है जो 1936 में स्थापित होकर अपनी कुछ गतिविधियाँ चलाकर फिर निष्क्रिय पड़ गया पर 1948 में यह पुनः सक्रिय हो गया और सभी कलाकारों ने इसमें अपनी हिस्सेदारी दिखाई। इसके अन्तर्गत लखनऊ सहित आगरा, वाराणसी, कानपुर, अल्मोड़ा, रानीखेत, मसूरी, नैनीताल आदि विभिन्न स्थानों पर विभिन्न कलाकारों के काम की प्रदर्शनियाँ आयोजित होती रहीं जिनसे स्पष्ट हुआ कि यहाँ के कलाकार किस ढंग से काम में जुटे हुए हैं। बल्कि ऐसे ही कलाकारों में एक रणदा उकील भी अपने विशिष्ट काम और बाद में दिल्ली में चित्रकला स्कूल की स्थापना के लिए प्रसिद्ध हुए। यह एक ऐसा विशिष्ट स्कूल सिद्ध हुआ जिसमें कई महत्वपूर्ण चित्रकारों ने अभ्यास किया, दीक्षा ली। ऐसे ही एक महत्वपूर्ण चित्रकार कवि शमशेर बहादुर सिंह ने भी यहाँ चित्रकला की शिक्षा ली और यथार्थवादी चित्रकला परम्परा में काफी महत्वपूर्ण काम किया। वह हिन्दी के अत्यन्त महत्वपूर्ण कवि हैं अतः जब उन्होंने चित्र बनाना शुरू किया (अनियमित रूप से) तो उनके काम में गहरी संवेदना, मानव-जीवन के विभिन्न

यथार्थवादी और सेन्सुअस चित्र मिलते हैं। टूटी खाट, एक छोटा सा कमरा, एक छत, एक रेल क्रासिंग से लेकर पुष्ट स्तनों का सौन्दर्य उनके चित्रों में देखते बनता है। उनका महत्व इसलिए भी है कि उन्होंने स्वाधीनता के इन पचास वर्षों में एक-एक कर मानों अपने कवि कर्म के लिए विशेष ऊर्जा लेने के लिए चित्रकला के काम किये। एक अद्भुत लयात्मकता से उनका काम भरा है जहाँ मानव जीवन के विभिन्न रूप अपनी पूरी ऊष्मा के साथ मौजूद हैं। कवि-चित्रकार की चर्चा चल रही है तो दो-तीन अन्य महत्वपूर्ण ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी चर्चा के बिना उत्तर प्रदेश का कला इतिहास कभी पूरा नहीं हो सकता। ये हैं– महादेवी वर्मा, बिपिन कुमार अग्रवाल, जगदीश गुप्त, श्रीपत राय, घनश्याम रंजन आदि।

जब हम कला संस्थाओं की बात करते हैं तो कानपुर के इन्टरनेशनल सेंटर, लखनऊ की 'सोशल वेल्फेयर सोसाइटी', विजुअल आर्ट सोसाइटी, ग्रुप आफ नाइन आर्टिस्ट्स आदि को भुलाया नहीं जा सकता। सोशल वेलफेयर सोसाइटी के संस्थापक सदस्य व सचिव थे गजनफर हुसैन सिद्दीकी और संयुक्त सचिव जे.एन. सिंह। समाज कल्याण के साथ इस संस्था ने कला के क्षेत्र में भी अपने ढंग से बिल्कुल अलग काम किया। विभिन्न शहरों में अनेक कला-प्रदर्शनियाँ आयोजित कीं जिनमें जे.एन. सिंह की कृतियों की प्रदर्शनी पोलिश कला प्रदर्शनी, ब्रिटिश मास्टर पीसेज थ्रू द एजेज, रूमानियन शिल्प के अन्तर्गत विशिष्ट प्रदर्शनियाँ आयोजित कीं और सुधीर खास्तगीर की एकल प्रदर्शनी भी आयोजित की। इन आयोजनों से उत्तर प्रदेश में कला को लेकर एक विशिष्ट प्रकार की चेतना व उत्सुकता का विकास हुआ। दुनिया की विभिन्न कला शैलियों से यहाँ के कलाकार परिचित हुए, वाश शैली की विशिष्टता व कोमलता को आत्मसात किया और अपने काम के लिए नई ऊर्जा, तकनीक व विषय वस्तु प्राप्त किए। ग्रुप-5, लखनऊ ने 1969 में प्रदर्शनियाँ आयोजित कीं फिर 1970 में ग्रुप-9 की स्थापना करके गतिविधियाँ कीं। इन दोनों ग्रुपों के संस्थापक सदस्य जे.एन. सिंह, घनश्याम रंजन, सतीश द्विवेदी, के.के. श्रेष्ठ आदि मुख्य थे। लखनऊ ग्रुप की स्थापना 1981 में हुई थी। वाराणसी में वर्किंग आर्टिस्ट आफ वाराणसी का गठन 90 के दशक में किया था। फिर लखनऊ में यू.पी. वर्किंग आर्टिस्ट एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर, 2000 में हुई थी।

आज उत्तर प्रदेश में जितने चित्रकार/मूर्तिकार काम कर रहे हैं उन सबका नामोल्लेख करना तो संभव नहीं है लेकिन स्वाधीनता के इन पचास वर्षों में कुछ महत्वपूर्ण कलाकारों का नाम लिए बिना यहाँ का कला-परिदृश्य व सांस्कृतिक विकास की रूपरेखा स्पष्ट नहीं होगी। इसलिए ऐसे कुछ नाम इस प्रकार हैं– क्षितीन्द्रनाथ मजूमदार, सी. बरतरिया, सुखवीर सिंहल, श्रीराम वैश्य, सुधीर खास्तगीर, रामचन्द्र शुक्ल, मदनलाल नागर, आर.एस. बिष्ट, बी.एन. आर्य, सतीश चन्द्र, जयकृष्ण, मोहम्मद सलीम, अजमत शाह, डी.पी. धूलिया, श्रीमुनि सिंह, नारायण कुमार मिश्र, रणवीर सक्सेना, सुमानव, रथिन मित्रा, दिलीप दास गुप्ता, आर.सी. साथी, आर.एस. धीर, असद अली, पम्पीलाल, पी.सी. लिटिल, श्रीपत राय, नरेन्द्रनाथ राय, एस. दास गुप्त, नन्द किशोर खन्ना, गोपाल कृष्ण, गज्जर, सतीश द्विवेदी, शंखो चौधरी, तूफान रफाई, गोपाल मधुकर चतुर्वेदी, एस.एन. सक्सेना, मो. हनीफ, नित्यानंद महापात्र, अवतार सिंह पवार, विमला विष्ट, कृष्ण शंकर, प्रभा पंवार, सुधा अरोड़ा, बलवीर सिंह कट्ट, अखिलेश निगम, घनश्याम रंजन, बालादत्त पाण्डेय, एन. खन्ना। ये स्वाधीनता बाद के ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने विविध शैली में अपने काम किए और उ.प्र. की एक खास पहचान बनाई। राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति हासिल की। आज भी इनमें से ज्यादातर कलाकार अपने काम में लगे हुए हैं।

इनके बाद चित्रकारों की अगली पीढ़ी आई जिसने अपने काम को नए आयाम दिये। पहले की तुलना में इस पीढ़ी में मूर्तिकार भी ज्यादा थे और चित्रकार भी। इनमें से कई ऐसे थे जिन्होंने समय-परिवर्तन और बाजार की स्थिति को देखते हुए मूर्तियाँ बनाईं। इनमें ओम झिंगरन (1994 में निधन, 37 साल की उम्र में), पवन कुमार 'निर्धन', उमेश सक्सेना, नानक वर्मा, मो. शकील, शरद पाण्डेय, राजेन्द्र प्रसाद, राजेन्द्र प्रसाद गोण्ड, बी.एन. शुक्ला, डी.पी. मोहन्ती, अजीत वर्मा, अवधेश मिश्र, राजीव मिश्र, आर.एस. शाक्या, आशुतोष निगम, सनत कुमार चैटर्जी, राम कंवर, राजेन्द्र 'करन', नवाज, कृष्ण कुमार सिंह, विमल बालचन्द्र, राजीव मंडल, विमल रमैया, वंदना राजदान, विश्वनाथ, सैयद, आजाद सोनकर, अनीता नारायण, रीना पंवार,

चन्द्रकांत कुमार पालीवाल, खालिद अहमद, दशरथ, अरुण कुमार गुप्ता, रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, धर्मेन्द्र कुमार, अशोक भौमिक, रमेश राय, मकबू अंसारी, बृजेश कटियार, जफर, रोशन, योगेन्द्र देव सिंह, विनोद कुमार सिंह, रातुलचन्द्र गोगोई, मुकुल पंवार, अरविन्द कुमार सिंह, अमित कुमार जायसवाल, अभय, अरुण सिंह, अशोक कुमार उपाध्याय, राघवेन्द्र प्रताप सिंह, अमित कुमार शर्मा, अजीत कुमार सिंह, असित कुमार पटनायक, ईश्वर चन्द्र गुप्ता, उमेन्द्र प्रताप सिंह, कमलेश कुमार, चंदन कुमार, टंकेश कुमार, दलसिंगार प्रजापति, दिनेश कुमार, नवीन श्रीवास्तव, नरेन्द्रजीत सिंह, पंकज शर्मा, पंकज सरोज, प्रह्लाद सिंह, बी.आर. नरेन्द्र, भारतभूषण, राजेन्द्र प्रसाद यादव, शिवनाथ राम, शत्रुघ्न प्रसाद, शशि प्रकाश, सुनतराम चौधरी, संजय कुमार साहनी, संतोष कुमार खन्ना, हृदय गुप्ता, ज्ञानेन्द्र कुमार मिश्र, सुशील कन्नौजिया, आलोक कुमार, पुरुषोत्तम सिंह, प्रदीप शर्मा, शिवेन्द्र सिंह, तिलोक कुमार शर्मा, संजय कुमार, नवरतन लाल गुप्ता, रामहृदय, पंकज, पी. मदन गुप्ता, धर्मराज सिंह, दिलीप कुमार, ब्रह्म स्वरूप, शिव बालक, राम बाबू आदि अनेकानेक चित्रकारों/मूर्तिकारों के नाम लिए जा सकते हैं। इनमें से अधिसंख्य कलाकार ऐसे हैं जो फ्रीलांस भी हैं और पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रहे हैं।

महत्वपूर्ण बात है कि जिस प्रकार उपरोक्त कलाकार पूरे उत्तर प्रदेश में प्रचलित कला प्रवृत्ति की एक तस्वीर पेश करते हैं, उसी प्रकार महिला कलाकारों की भी एक लम्बी परम्परा यहाँ विकसित हुई। उत्तर प्रदेश में काफी पहले से ही कला की तरफ एक विशेष रुचि महिलाओं में दिखाई पड़ी। बल्कि कहना तो यह चाहिए कि विशिष्ट और यथार्थ की गहरी पकड़, उपेक्षित समाज व महिला वर्ग की गहरी संवेदना की चित्रकार अमृता शेरगिल गोरखपुर की ही थीं। उनके पति वहाँ डॉक्टर थे। अप्रत्यक्ष रूप से अमृत शेरगिल का प्रभाव आधुनिक भारत के बहुत सारे चित्रकारों पर पड़ा है। प्रभा पंवार, सुधा अरोड़ा, विमला बिष्ट, अपर्णा सचान, चित्रलेखा सिंह, पुष्पा गुप्ता, किरन राठौर, करुणा सिब्बू, अलकनंदा मुखर्जी, अर्चना वर्मा, अनुसूया सिंह, अनीता नारायण, आराधना, इंदिरा पुनिया, कृष्णा बैराठी, कुसुम दास, कीर्ति वर्मा, प्रेरणा सिंह, प्रेमा मिश्रा, पुष्पा खन्ना, पूर्णिमा तिवारी, प्रेम कुमारी श्रीवास्तव, पुष्पा सिंह, मृदुला सिन्हा, मंजू प्रसाद, मंजुला चतुर्वेदी, मनीषा दोहरे, मंजू शुक्ला, मालविका कपूर, दीपा पाठक, नीता कुमार, नीलम यादव, निशी कुमारी, रंजना शर्मा, रेशमा जाफरी, रेखा कक्कड़, रेखा निगम, रोली सिंह, रूपम त्रिपाठी, वर्षा जौहरी, वसुधा योगी, वंदना, वंदना राजदान, शीला, संध्या जायसवाल, सिरताज सालेहा, फातिमा काजमी, सुषमा अग्रवाल, साधना लाल, इन्दु रस्तोगी, रेणु सिंह, प्रेमलता सिंह, सीमा जावेद, सावित्री पाल, दीपा खरे, ज्योति शुक्ला, किक्षा श्रीवास्तव, रुकइया सुल्ताना, विभावरी सिंह, विधि निगम, रेखा यादव, स्नेह मोहन, संगीता शर्मा, रंजना सिन्हा, वीणा श्रीवास्तव, मीना सिंह, इंदु रस्तोगी, शुभ्रा नाग, सारिका बाला, हेमा पांडेय, श्वेता शर्मा, अमृत मेहरोत्रा इत्यादि अनेक उल्लेखनीय नाम हैं जिन्होंने अपने-अपने ढंग से कला विकसित की है।

यहाँ जितने भी कलाकारों के नाम लिए गए हैं उनमें आकारादि क्रम और उम्र का ध्यान नहीं रखा गया है। वे कहाँ के हैं यह भी नहीं लिखा है लेकिन लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, आगरा, अलीगढ़, कानपुर, सुल्तानपुर, जौनपुर, बरेली, मिर्जापुर, सीतापुर आदि स्थानों के कलाकार हैं। यानी स्वाधीनता के बाद ये पूरे-पूरे उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। 1947 के बाद जैसे-जैसे वर्ष आगे निकलते गए और लखनऊ के कलाकारों का परिचय तथा जानकारी बाहर के कलाकारों, उनके काम और गतिविधियों से हुआ इन कलाकारों ने जीवन, समाज, राजनीतिक और मनोलोक की विभिन्न स्थितियों को पकड़ने की कोशिश की है। अकारण नहीं है कि इनके कार्यों की प्रदर्शनियाँ ललित कला अकादमी दीर्घा से लेकर सृष्टि कला दीर्घा, गैलरी दी आर्ट तक में आए दिन लगती रहती हैं। इनको देखने से लगता है कि उत्तर प्रदेश में काम काफी हो रहा है और राष्ट्रीय स्तर पर भी उसकी पहचान बन रही है। अफसोस है कि 'सृष्टि' आर्ट गैलरी बन्द हो गई और गैलरी 'द आर्ट' लगभग कला वस्तुओं की एक दुकान में बदल चुकी है।

उत्तर प्रदेश में, खास तौर से लखनऊ में, कला-समीक्षाएँ भी नियमित होती हैं। यहाँ के प्रमुख कला समीक्षकों में कृष्ण नारायण कक्कड़, अनिल सिन्हा, अखिलेश निगम, घनश्याम रंजन, एन. खन्ना आदि हैं

जिन्होंने कला-समीक्षा को व्यावहारिक व ठोस आधार दिया है तथा उत्तर प्रदेश की कला की व्याख्या कर रहे हैं। वैसे यहाँ के सभी दैनिक पत्रों में कला प्रदर्शनियों पर संवाद लिखने वाले नए-पुराने उत्सुक और उत्कर्ण संवाददाता हैं जो निरंतर अपने को विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। कला-समीक्षक वास्तव में उस उत्तरदायित्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं जिससे प्रदेश की आधुनिक कला व सांस्कृतिक परिदृश्य तथा विकास की तस्वीर स्पष्ट होती है। इनमें खास तौर से दो-एक ऐसे कला समीक्षक हैं जिन्होंने कला-समीक्षा का, एक तरह से उत्तर प्रदेश में इतिहास रचा है और समीक्षा की एक सर्वथा नई स्थापना की है, जिससे केवल कला प्रदर्शनियों का विवरण ही नहीं मिलता बल्कि कला के आधुनिक संदर्भ में जितने भी सवाल पैदा हो सकते हैं उन्हें वे उठाते रहे हैं और उन पर चर्चा करते रहते हैं। आज यह परिदृश्य बदल गया है। 2007 तक आते-आते कला समीक्षा की स्थिति समाप्तप्राय है। शेष अखबारों में कला-प्रदर्शनी की सूचनाएँ छपती हैं।

उत्तर प्रदेश का कला परिदृश्य तथा इसके विकास की रेखाएँ किस प्रकार फैली हैं इसे इस तथ्य से भी जाना जा सकता है कि यहाँ से कितने कलाकार बाहर गए और महत्वपूर्ण कलाकार के रूप में प्रतिष्ठित हुए, उदाहरण के तौर पर श्याम शर्मा पटना में हैं, बलदेव गंभीर अमृतसर में, सुरेन्द्र जोशी और राम अवतार जायसवाल जयपुर में, अशोक भौमिक, मामून नोमानी व राजीव लोचन, रमेश बिष्ट, मुकुल पंवार, श्याम शर्मा (चित्रकार) दिल्ली में, संपत कुमार शांति निकेतन में तो हरीश राम शिमला कला महाविद्यालय के प्राचार्य। यह चर्चा अधूरी रह जाएगी अगर चित्रकार यशोधर मठपाल की चर्चा न की जाय। एक आदर्शवादी भूदानी की तरह यशोधर मठपाल ने स्वयं तो समय-समय पर चित्रकला का उत्कृष्ट काम किया ही है भीमताल में इन्होंने अपना एक बड़ा व विविध कला-संग्रहालय भी स्थापित किया है जो इनके अथक परिश्रम और खोजी दृष्टि का परिणाम है। पहाड़ क्षेत्र की कलात्मक संपदा और कलात्मक प्रतिमाओं का संयोजन, संकलन इनके संग्रहालय का उद्देश्य है। वास्तव में उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में स्वाधीनता के बाद कला और संस्कृति का जो विकास हुआ है उसकी एक झलक यहाँ मिलती है। वास्तव में यह एक 'कला आश्रम' है।

यही नहीं उत्तर प्रदेश के कलाकार फिल्मी दुनिया व राजनीति में भी गये और अपनी जगह बनाई। मिसाल के तौर पर ललित नाग और मुजफ्फर अली को लिया जा सकता है। नाग ने फिल्मों में कला निर्देशन किया और कार्टून फिल्मों के निर्माण में महारथ हासिल की। मुजफ्फर अली की गहरी रुचि चित्रकला में थी, शुरू में काफी काम उन्होंने किए, कई प्रदर्शनियों में शामिल हुए तथा उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी से पुरस्कृत भी हुए। बाद में राजनीति और फिल्म में सक्रिय हुए लेकिन आज भी उनके मन में चित्रकला के लिए गहरा लगाव है।

ये सारी स्थितियाँ स्पष्ट करती हैं कि उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक विकास के साठ वर्ष किन-किन राहों से गुजरे हैं। 1957-58 में बनी 'फोर आर्टिस्ट ग्रुप' (फैग) तथा 1960 में ग्रुफ आफ यंग पेंटर्स एंड स्कल्पटर्स (जिण्स)। सूचना विभाग की तत्कालीन सहायक निदेशक सरला साहनी ने फैग और विभिन्न कलाकारों श्री मुनि सिंह, विजय चक्रवर्ती, एस.जी. श्रीखण्डे आदि का अपूर्व योगदान रहा, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में कला का एक वातावरण तैयार किया। चित्रकार अखिलेश निगम, जो अपनी प्रिंटाज शैली के रूप में विशेष तौर पर जाने जाते हैं, कहते हैं– ''1975-76 में क्रमशः दो और कला संस्थाओं ने, 'विजुअल आर्ट सोसाइटी' और 'यू.पी. आर्ट कौंसिल'– के नाम से जन्म लिया परन्तु क्रमशः ललित कला अकादमी की कला वीथिका में (दस चित्रकारों और मूर्तिकारों की कृतियों की) एक-एक प्रदर्शनी आयोजित कर ये संस्थाएँ आगे न बढ़ सकीं। अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष में 'तरनी' नाम से प्रभा पंवार की अध्यक्षता में एक महिला चित्रकार संस्था का जन्म हुआ जिसने काफी समय तक प्रदर्शनियों सहित कला संबंधी कई कार्यक्रम आयोजित किये। इसके अतिरिक्त इलाहाबाद संग्रहालय, भारत कला भवन-वाराणसी, राज्य संग्रहालय-लखनऊ, अल्मोड़ा के अतिरिक्त म्यूनिसिपल आर्ट गैलरी, लखनऊ और लोक कला संग्रहालय लखनऊ का महत्वपूर्ण योगदान है।

इस विवेचन से यह तस्वीर उभरती है कि आजादी के बाद के उत्तर प्रदेश की कला चेतना ने कई तरह की विकास रेखाएँ पार की हैं जिनमें उ.प्र. राज्य ललित कला अकादमी, केन्द्रीय ललित कला केन्द्र, सृष्टि कला

दीर्घा सहित अनेक कला संस्थाओं का योगदान है। अकादमी ने अपने 23 सूत्रीय कार्य योजनाओं के अन्तर्गत प्रतिभाशाली कलाकारों को उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियाँ, कला आयोजन के लिए आर्थिक सहायता, कला संबंधी पुस्तकों-पत्रिकाओं, मोनाग्राफ, पोर्टफोलियो, पिक्चर पोस्ट कार्ड, पोस्टर आदि के प्रकाशन सहित डॉ. राधाकमल मुखर्जी व्याख्यानमाला तथा व्याख्यान, सेमिनार व कला गोष्ठियों आदि से उत्तर प्रदेश में कला के विकास के लिए बहुमुखी कार्य किए जाते हैं। इसी तरह राष्ट्रीय ललित कला केन्द्र में जहाँ बाहर के और स्थानीय कलाकार काम करते हैं, वहीं प्रदर्शनियाँ, कार्यशालाएँ और मदनलाल नागर व्याख्यानमाला साठ वर्षों का यह संक्षिप्त कला परिदृश्य अभी अन्य आयामों में विकसित होगा, इसकी पूरी संभावना है क्योंकि नयी-नयी कला शैलियाँ विकसित हो रही हैं। जरूरत है कि उत्तर प्रदेश में कला के विविध आयामों पर स्वतंत्र रूप से कार्य योजनाएँ बनाई जाएँ।

कलाकर्म के इस विकास में कलाकारों के सामने आर्थिक समस्याएँ या कि जीवन यापन की समस्याएँ विकराल रूप में सामने आ रही हैं इसलिए उन्हें छद्म काम करने, ठेके पर काम लेने, महत्त्वपूर्ण चित्रों की अनुकृति बनाने, चित्रकार/मूर्तिकार बनने की अद्म्य व शौक रखने वाले पैसे वाले लोगों के लिए काम कर देने उत्सव/मेले/त्यौहारों को ध्यान में रखकर मूर्तियाँ बनाने, लकड़ी में कला को सँवारने, कुछ चित्रकारी का काम करने की मजबूरी पैदा हो रही है। कुछ समय तक इस मजबूरी में काम करने के बाद ऐसे कलाकारों की आदत व स्वभाव में ये चीजें घर करती जा रही हैं जिनसे उबरना उनके लिए संभव दिखायी नहीं देता। उत्तर प्रदेश के कला परिदृश्य पर पिछले दो दशकों से छाए व घने होते जा रहे इस धुंधलके ने यहाँ की गरिमा को काफी क्षति पहुँचायी है। इसका एक अन्य बड़ा कारण है उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी तथा केन्द्रीय ललित कला केन्द्र के स्वायत्त चरित्र का निरंतर गिरते हुए लगभग एक सरकारी संस्थान में बदल जाना। चित्रकार सतीश चंद्र के अकादमी अध्यक्ष रहते हुए अकादमी जो नई कला दीर्घाएँ बनी तथा पुरानी का नवीनीकरण किया गया तथा अकादमी की वित्तीय सहायता राशि बढ़ी और कला-गतिविधियाँ भी, वे अब वहीं रुकी हुई हैं बल्कि वित्तीय सहायता में तो निरंतर कटौती हो रही है; छवि कुछ ऐसी बन गई है कि अकादमी के पास कला गतिविधियों की परिकल्पना करना मुश्किल हो रही है इसलिए स्वीकृत राशि भी पूरी तरह खर्च नहीं हो पा रही तो वित्तीय कटौती का आधार बन गयी। यही कारण है कि अकादमी में कला गतिविधियों के नाम पर अपना रजिस्टर पूरा कर रही है। लगभग ऐसा ही हाल राष्ट्रीय ललित कला केन्द्र की लखनऊ शाखा का भी है सिवा इसके कि 47वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी के अवसर पर यहाँ कुछ आधुनिक कला दीर्घाएँ उद्घाटित की गई जिनमें कला गतिविधियाँ जारी रहने की उम्मीद है। 2005 के लिए उ.प्र. कला जगत को केन्द्र की ओर से यह एक वस्तु परक तोहफा है। कला गतिविधियों का स्वरूप, निरंतरता ही इस तोहफे को सार्थक बना सकती है। इसकी उम्मीद केन्द्र की इस शाखा से बनी हुई है।

●

उत्तर प्रदेश और सिनेमा

बीसवीं शताब्दी में सिनेमा भारतवर्ष में सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तन के एक सशक्त माध्यम के रूप में उभरकर सामने आया। मनोरंजन-उद्योग होने के नाते इसने देश के लोगों के सामाजिक व्यवहार को प्रभावित किया है। जन संस्कृति के विकास में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी है। सिनेमा के साथ उत्तर प्रदेश की भागीदारी विकास काल से रही है। उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ फिल्मों का सबसे ऊँचा बाजार है। इसी कारण हर वर्ष फिल्मों में छाया रहता उत्तर प्रदेश का रंग। उत्तर प्रदेश और मुम्बई फिल्म नगरी दोनों ही एक दूसरे पर काफी हद तक आश्रित हैं। अगर हम इस आशय को नापतौल कर देखें तो उत्तर प्रदेश का ही पलड़ा भारी पड़ेगा। राज्य की विशाल जनसंख्या मुम्बई फिल्म नगरी को हिन्दी फिल्मों का सबसे बड़ा बाजार तो उपलब्ध कराती ही है, साथ ही वहाँ काम करने वालों में एक बड़ा प्रतिशत उत्तर प्रदेश का ही है। कहा जाता है कि एक समय बॉलीवुड में दखल के मामले में उत्तर प्रदेश अव्वल नम्बर पर था। फिल्मों में शायद ही कोई क्षेत्र अछूता बचा हो जहाँ उत्तर प्रदेश के लोगों ने अपनी सार्थक मौजूदगी दर्ज न करायी हो।

उत्तर प्रदेश में फिल्मों की शूटिंग के लिए अत्यन्त मनोरम स्थल भी थे लेकिन फिल्मों की शूटिंग यहाँ नहीं होती थी परन्तु पिछले कुछ वर्षों से उत्तर प्रदेश सरकार की फिल्म नीति के कारण यहाँ शूटिंग कार्य शुरू हो गया, फिल्मकार कहने लगे हैं यूपी में फ्रेंडली है शूटिंग का माहौल। जिसके कारण सबसे सफलतम फिल्मों के रूप में दर्ज 'गदर', 'इश्कजादे', 'बुलेट राजा', 'तनु वेड्स मनु' की शूटिंग हुई है। हाल के वर्षों में राजधानी लखनऊ में तथा आसपास, दावत-ए-इश्क, बाबर, रंगदारी, डेढ़ इश्किया, जॉली एलएलबी-2, टॉइलट-एक प्रेम कथा, बरेली की बरफी, अलीगढ़, मुक्काबाज, तमिल फिल्म थिरूत्तु पायले-2 का हिन्दी रीमेक, दोस्ती जिन्दाबाद रेड, आईएम. नॉट ए देवदास बनारस में राझड़ा, टप्पा आदि प्रमुख फिल्मों की शूटिंग हुई है। बॉलीबुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने फिल्म गुलाबो-सिताबो की शूटिंग राजधानी लखनऊ में एक माह से अधिक समय रह कर की है। अजय देवगन की फिल्म मैदान, अछूती व अनूठी लोकेशन की मौजूदगी के कारण उत्तर प्रदेश में फिल्मों की शूटिंग का दौर भी लौट रहा है। बीते वर्षों में 200 से अधिक हिन्दी, भोजपुरी तथा दक्षिण भारतीय भाषा की फिल्मों की शूटिंग प्रदेश के विभिन्न नगरों में हो चुकी है। आज हमारे पास तकनीकी ज्ञान, नयी मशीनें व अत्याधुनिक कैमरे उपलब्ध हैं। इन्हीं सब खूबियों को देखते हुए उत्तर प्रदेश में नयी फिल्म सिटी बनाने की दिशा में कार्य प्रगति पर है। प्रदेश में फिल्म निर्माण की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 'फिल्म बन्धु' का गठन किया गया है जिसमें फिल्म निर्माण में आने वाली कठिनाइयों का निराकरण किया जा रहा है। 'फिल्म बन्धु' के माध्यम से क्षेत्रीय फिल्मों के निर्माण के लिए अवस्थापना सुविधा प्रदान की जा रही है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश ने बड़ा दिल दिखाते हुए हिन्दी और उसकी सहयोगी भाषाओं ही नहीं अपितु तमिल, तेलुगू सहित दक्षिण भारतीय भाषाओं की फिल्मों की शूटिंग प्रदेश में करने पर फिल्म बन्धु अनुदान देगा। इस शुभ समाचार के बाद तमिल फिल्म की शूटिंग प्रदेश के आंगन में सम्पन्न हो चुकी है।

माना जाता है कि 'आलम आरा' (1931) के निर्देशक उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के रहने वाले बी.पी. मिश्रा थे। एक बार पृथ्वीराज कपूर ने पत्रकारों के समक्ष यह स्वीकार किया था कि बी.पी. मिश्रा ही 'आलम आरा' के निर्देशक थे। 'इम्पीरियल' फिल्म कम्पनी ने इसका निर्माण किया था। यह कम्पनी इससे पहले मूक फिल्मों का निर्माण किया करती थी और बी.पी. मिश्रा इसी कम्पनी के जाने-माने निर्देशक थे। मूक फिल्मों के जमाने में उनके निर्देशन में 'मिड नाइट राइडर', 'नाहर सिंह डाकू', 'शीशमहल', 'अलीबाबा चालीस चोर' आदि फिल्में इम्पीरियल कम्पनी में बनी थीं। दुर्भाग्य से असमय ही उनकी मृत्यु हो गयी।

सन् 1931 में चलती फिरती तस्वीरों को स्वर भी मिल गये। 'आलम आरा' से आरम्भ हुआ आवाज का यह सफल अभियान अब तक भारत की लगभग सभी क्षेत्रीय भाषाओं में गूँजता रहा है। लेकिन अब जब बात लोकप्रियता की हो तो हिन्दी फिल्मों का कोई सानी नहीं है। उत्तर प्रदेश ने सिनेमा को सिर्फ दर्शक ही नहीं

दिये अपितु गुणी और प्रतिभावान कलाकार भी दिये हैं जो पर्दे पर और पर्दे के पीछे अथक मेहनत से सिल्वर स्क्रीन में रंग भरते रहे हैं। हिन्दी सिनेमा को पहाड़ी सान्याल, मोतीलाल, अजीत जैसा खलनायक, चित्रगुप्त तथा रवि जैसे संगीतकार व देवेन्द्र गोयल, भीमसेन तथा बासु चटर्जी, त्रिलोक जेटली आदि निर्माता-निर्देशक इसी प्रदेश ने दिये हैं। यहाँ के विभिन्न लोकनृत्य, शास्त्रीय नृत्य और गीत की शैलियों ने हिन्दी सिनेमा के गीत-संगीत को समृद्ध किया है। इन दिनों अमेठी के मनोज मुंतशिर के गीतों की धूम मची हुई है। जोश मलिहाबादी, पंडित नरेन्द्र शर्मा, मजाज लखनवी, शकील बदायूँनी, इंदीवर, कैफी आज़मी, मजरूह सुल्तानपुरी, हरिवंशराय बच्चन, जॉ निसार अख्तर, शैलेन्द्र, नीरज, अन्जान, खुमार बाराबंकवी, योगेश, समीर, अली सरदार जाफरी, हसन कमाल, अन्जुम पीलीभीती, शहरयार, संतोष आनन्द, देव कोहली, शबनम गोरखपुरी, नूर बिजनौरी, देवमणि पाण्डेय शबाब मेरठी, बहजाद लखनवी, जलाल मलिहाबादी, अहमद वसी, प्रवीण भारद्वाज, फैज अनवर, पंछी जालौनवी, मनोज यादव, नितिन रैकवार, राम भारद्वाज प्रसिद्ध गीतकारों में हैं। गीतकार, पटकथाकार जावेद अख्तर का बचपन लखनऊ में अपनी ननिहाल में बीता। शकील बदायूँनी ने 'मदर इण्डिया', 'आन' और 'उड़न खटोला' के अमर गीत लिखे। झाँसी के शशिधर मुखर्जी, शंकर मुखर्जी और सुबोध मुखर्जी ने फिल्मकार के तौर पर हिन्दी सिनेमा को समृद्ध किया। जैनेन्द्र कुमार ने लेखन तथा इफ्तिखार ने पुलिस अधिकारी के रूप में स्क्रीन पर अपनी प्रभावपूर्ण उपस्थिति दर्ज करायी। मजरूह सुल्तानपुरी ने बोलती फिल्मों के प्रारम्भिक दौर से गीत लिखना शुरू किया था। आगे चलकर पॉप गीतों के जमाने में भी उनकी कलम का जादू कम नहीं हुआ। ए.आर. कारदाह की 'शाहजहाँ' से लेकर अपने बेटे अन्दलीब की फिल्म 'जानम समझा करो' तक के लम्बे सफर में मजरूह सुल्तानपुरी ने 'धीरे-धीरे वो हमारे दिल' और नौजवानों के लिए 'पापा कहते हैं' जैसे गीतों से हर फिल्मी दृश्य को सँवारते रहे। उत्तर प्रदेश से हिन्दी सिनेमा को कई कहानीकार, पटकथा लेखक में मिले। नरोत्तम व्यास, पं. राधेश्याम कथावाचक, नारायण प्रसाद बेताब, मुंशी प्रेमचन्द, भगवतीचरण वर्मा, अमृतलाल नागर, उपेन्द्रनाथ 'अश्क', भगवती प्रसाद बाजपेयी, धर्मवीर भारती, इस्मत चुगताई, शौकत कैफी, डॉ. राही मासूम रजा, कमलेश्वर, ज्ञान अग्निहोत्री, राजेन्द्र यादव, कुशवाहा कान्त, गुलाब रत्न बाजपेयी गुलाब, जैनेन्द्र जैन, माया गोविन्द, गौहर कानपुरी, डॉ. अचला नागर, अतुल तिवारी, के.पी. सक्सेना, कमल पाण्डेय उत्तर प्रदेश के ख्याति प्राप्त पटकथा लेखकों में से हैं।

अभिनय के सरताज बने अमिताभ बच्चन इलाहाबाद के हैं। यहाँ की मीठी बोली का असर उनकी संवाद अदायगी की शैली बन गया जिसने उन्हें बुलन्दियों पर बैठा दिया। 'ताजमहल' की नायिका बीना राय लखनऊ के ही आई.टी. कालेज की छात्रा थीं। अभिनय कला में संस्थान बन चुके नसीरुद्दीन शाह का सम्बन्ध भी उत्तर प्रदेश से है। गुलजार की फिल्म 'माचिस' में अभिनय के जौहर दिखाने वाले चन्द्रचूड़ सिंह अलीगढ़ के रहने वाले हैं। फैजाबाद में जन्मी अनुष्का शर्मा, कानपुर में पूनम ढिल्लो, बरेली में पली-बढ़ी प्रियंका चोपड़ा, इटावा की पिया बाजपेयी जैसे अनेक नाम हैं। निर्देशक रामगोपाल वर्मा की बहुचर्चित फिल्मों 'सत्या' और 'कौन' के खूबसूरत छायांकन के बाद लखनऊ के मजहर कामरान का नाम अब फिल्मी दुनिया में नया नहीं है। 'सत्या' की सिनेमैटोग्राफी पहले एक हालीवुड के छायाकार कर रहे थे। मेरे महबूब, मेरे हुजूर, चौदहवीं का चाँद, शतरंज के खिलाड़ी, पाकीजा, उमराव जान को देखना तो वैसे लखनऊ शहर को एक शताब्दी पहले देखना जैसा है। लखनऊ के अलावा अन्य कई धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल भी हिन्दी फिल्मों के प्रिय शूटिंग स्थल हैं। आगरा के ताजमहल के दर्शन तो बहुत सी फिल्मों में होते रहे हैं। इस शहर के अन्दर की तस्वीर बासु भट्टाचार्य की 'सारा आकाश' में दिखती है। वाराणसी का चित्रण अनगिनत फिल्मों में हुआ है। मर्चेन्ट आइवरी की अंग्रेजी फिल्म 'द गुरू' की कहानी वाराणसी के इर्द-गिर्द घूमती है। महाश्वेता देवी के उपन्यास पर आधारित 'संघर्ष' वाराणसी के पण्डों के आपसी वैमनस्य की कहानी थी। प्राकृतिक, सांस्कृतिक हर तरह से समृद्ध होने के बावजूद उत्तर प्रदेश में शूटिंग उन शहरों में न होकर वैसे ही सेट लगाकर, माहौल तैयार कर, कर ली जाती है। पिछले कुछ समय से मुम्बई के बड़े निर्माताओं ने सरकार की पहल पर यहाँ आकर प्रदेश की फिल्म नीति से जुड़े

मसलों पर चर्चा की थी। इन फिल्मकारों ने इसमें दिलचस्पी दिखाकर उत्तर प्रदेश में फिल्म निर्माण की संभावना को पुख्ता किया है। नये छविगृहों का निर्माण कराना, सस्ते दामों पर मनोरंजन उपलब्ध कराना तथा रचनात्मक एवं उद्देश्यपूर्ण फीचर फिल्मों के निर्माण को ध्यान में रखकर 10 सितम्बर 1975 को उ.प्र. चलचित्र निगम की स्थापना की गयी थी। गाजियाबाद और दिल्ली के बीच स्थित नोएडा छोटी फिल्म नगरी मानी जाती है। क्षेत्रीय सिनेमा के रूप में भोजपुरी फिल्मों को पूर्वांचल के गोरखपुर, वाराणसी मंडलों में विस्तार मिला है।

फिल्म वितरण की दृष्टि से उत्तर प्रदेश क्षेत्र, दिल्ली, यू.पी. सर्किल के नाम से मशहूर है। सर्वाधिक दर्शकों वाले इस क्षेत्र में मनोरंजन कर सबसे अधिक है। फिल्म नीति पर सरकार और फिल्म प्रतिनिधियों के बीच गहन विचार-विमर्श हुआ। शादी में जरूर आना, मंजूनाथ, रामभजन, इश्क के परिन्दे, दो दूनी चार, बर्फी, पति-पत्नी और वो, मिर्जापुर-2, मिलियन डॉलर आर्मी सहित अनेक फिल्मों की शूटिंग राजधानी के आस-पास हुई है।

पिछले कुछ वर्षों की सरकारी पहल को देखते हुए ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश सिर्फ दर्शक और कलाकार ही नहीं देगा बल्कि स्वयं उद्देश्यपूर्ण फिल्मों का निर्माता बनने की ओर अग्रसर होगा।

उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख सिने व्यक्तित्व

उत्तर प्रदेश में जन्मे या यहाँ की मिट्टी में रहकर बॉलीवुड में अपना तथा प्रदेश का नाम रोशन करने वाले विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े कुछ लोगों की सूची इस प्रकार भी है :–

आर.एन. शुक्ला, के. आसिफ, बासु चटर्जी, भीमसेन, कमाल अमरोही, ए.एन. अंसारी, त्रिलोक जेटली, देवी शर्मा, रवि नगाईच, शंकर मुकर्जी, सुबोध मुकर्जी, नासिर हुसैन, नजीर हुसैन, अनवर हुसैन, ताहिर हुसैन, प्रकाश मेहरा, रामशंकर चौधरी, शेखर, आर चन्द्रा, सिप्ते हसन रिजवी, याकुब हसन रिजवी, आर.डी. माथुर, अनिल शर्मा, गोविन्द मूनिस, शिव कुमार, मुजफ्फर अली, सुधीर मिश्रा, विशाल भारद्वाज, बोनी कपूर, अनुराग कश्यप, तिग्मांशु धुलिया, माहरूख मिर्जा, शहरूख सुल्तान, मेराज, सुनील बत्रा, राकेश साहू, चन्दू सिंह, सनोज मिश्रा, अनुभव सिन्हा, राम बुन्देला, चन्द्रपाल सिंह आदि।

नरगिस, तलत महमूद, निर्मला देवी, शमा जैदी, जद्दन बाई, रेहाना सलमा सिद्दीकी, कुन्दनलाल सहगल, मदन सहगल मुकेश, गोपीकृष्ण, भारत भूषण, लच्छू महाराज, हरि प्रसाद चौरसिया, सुजीत कुमार, हीरालाल, कन्हैयालाल, लीला मिश्रा, शबाना आजमी, कुमकुम, उमादेवी (टुनटुन), सितारा देवी, यूनुस परवेज, रेहाना सुल्तान, राज बब्बर, सुरेन्द्र पाल, राजा बुन्देला, रंजीत कपूर, अन्नू कपूर, सुल्तान अहमद, हुमायूँ मिर्जा, नसीरूद्दीन शाह, संतोष सरोज, के.के. सिंह, मंदाकिनी, निशा गोयल, दीप्ती भटनागर, लारा दत्ता, मंसूर खान, आमिर खान, शक्तिमान, हसन कमाल, मुशीर रियाज, प्रेम कपूर, मोतीसागर, प्रीति सागर, नाजनीन, तारिक, नदीन खान, जमील खान, अदिति शर्मा, जोया अफरोज, पूजा बत्रा, श्वेता तिवारी, साहिल शेख, पुलकित सिंह, संदीप नाथ, इंदर ठाकुर, राकेश पाण्डेय, साधना सिंह, आयुष कुमार, विश्वनाथ मिश्रा, शाहीन सुल्ताना, ब्रज गोपाल, मोहन भण्डारी, राजकुमार त्रिवेदी, राजेन्द्रनाथ मिश्रा, विनय श्रीवास्तव, कविता चौधरी, रहमान, नौशाद, समीर, रानी मुखर्जी, जया भट्टाचार्या, राम गोविन्द, ललित तिवारी, सपना अवस्थी, राजेश कुमार सिंह, रवीन्द्र जैन, अपूर्व अग्निहोत्री, अरुण गोविल, सूरज कुमार वर्मा, मुश्ताक अली, अनूप जलोटा, बाबा आजमी, स्नेहा सांगवान, सुनिधि चौहान, कनिका कपूर, मालिनी अवस्थी, रवि किशन, मनोज तिवारी, दिनेश यादव निरहुआ, मनोज मिहिर, अनुपम श्याम, राजू श्रीवास्तव, तनवीर जैदी, सौरभ दुबे, राजपाल यादव, आदित्य शर्मा, उदय यादव, कैलाश खेर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, बीरेन्द्र सक्सेना, विनीत सिंह, अनु प्रिया, वरुण बडोला, मुकुल नाग आदि।

उ.प्र. फिल्म बन्धु तथा फिल्म नीति

प्रदेश के गौरवशाली इतिहास, इसकी वैभवपूर्ण वास्तुकला तथा स्थानीय संस्कृतियों की विविधता आदि फिल्म निर्माण के लिए आवश्यक तत्व के सदुपयोग से पर्यटन विकास को नये आयाम मिले तथा रोजगार सृजन के नये साधन उपलब्ध कराने हेतु यद्यपि 1999 में फिल्म नीति की घोषणा की गयी थी,

तथापि इसमें अन्य आवश्यक सुसंगत प्रावधानों की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए कतिपय संशोधन किए गये हैं, ताकि उ.प्र. में उपलब्ध असीम संभावनाओं को फिल्मांकित करने का समुचित उपयोग हो सके। उ.प्र. में न केवल बड़े पैमाने पर शूटिंग का कार्य सम्पन्न हो सके, बल्कि फिल्म निर्माण के विविध पक्षों से जुड़ी गतिविधियों का भी समग्र विकास हो सके। इस नीति का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में फिल्म उद्योग के समग्र विकास हेतु एक सुसंगठित ढाँचा एवं उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि उत्तर प्रदेश फिल्म निर्माण के लिए महत्वपूर्ण केन्द्र के रूप में विकसित हो सके। प्रदेश के अद्भुत मनोहारी तथा रमणीय पर्यटन स्थलों के बारे में जानकारी मिले, एवं पर्यटकों को आकर्षित करना। प्रदेश की सांस्कृतिक, पौराणिक, ऐतिहासिक विरासत एवं गौरवशाली परम्परा को देश एवं विदेश में प्रचारित-प्रसारित किया जा सके। प्रदेश में अभिनय व फिल्म निर्माण की प्रतिभाओं को विकास के अवसर मिलें। प्रदेश में रोजगार सृजन के अवसर सुलभ हों। फिल्म उद्योग के माध्यम से अतिरिक्त पूँजी निवेश आकर्षित करने के साथ साथ देश व प्रदेश की जनता को स्वस्थ एवं अपेक्षाकृत सस्ता मनोरंजन उपलब्ध हो सके। इसी उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा उ.प्र. फिल्म बन्धु का गठन किया गया है। प्रदेश में फिल्म निर्माण के लिए उपयुक्त वातावरण सृजन करने के लिए निम्न प्रयास किये जायेंगे– प्रशासनिक सहायता, वित्तीय प्रोत्साहनों का आकर्षण पैकेज, अपेक्षित सुविधाएँ उपलब्ध कराना, सुयोग्य प्रकरणों में वित्तीय समर्थन की आकर्षक प्रणाली तथा सिनेमा के प्रचार-प्रसार से जुड़े गैर-सरकारी संगठनों को बढ़ावा देना आदि। फिल्मों के विकास के लिए आवश्यक अवस्थापना को सामान्य तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। शूटिंग तथा फिल्म निर्माण के लिए अवस्थापना जैसे स्टूडियो एवं प्रोसेसिंग प्रयोगशालाएँ। फिल्म प्रदर्शन के लिए अवस्थापना उपकरण, कलाकारों, तकनीशियनों तथा विशिष्ट क्षेत्रों में विशेषज्ञता की प्रशिक्षण सुविधाएँ।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व में नोएडा में फिल्म सिटी का विकास किया गया था जो शनैः शनैः अब उत्तरी भारत में बन रहे टी.वी. सीरियल्स फिल्म नगरी में उपलब्ध सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा, ताकि यह फिल्म नगरी उत्तरी भारत में फिल्म निर्माण के केन्द्र के रूप में विकसित हो सके। प्रदेश में उपलब्ध संभावनाओं को पूर्ण सुनिश्चित करने के लिए विशेषज्ञ एजेन्सी के माध्यम से एक सम्भाव्यता अध्ययन कराया जाएगा। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य निजी क्षेत्र में नवीन फिल्म नगरी/नगरियों/फिल्म लैबोरेटरी की स्थापना के लिए सम्भावनाओं का मूल्यांकन करना होगा। यह अध्ययन 'फिल्म बन्धु' द्वारा कराया जाएगा तथा इसकी रिपोर्ट के आधार पर एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर उसे क्रियान्वयन हेतु निजी क्षेत्रों को प्रस्तुत किया जाएगा। प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष के लिए भी विस्तृत कार्य योजना बनायी जायेगी।

उत्तर प्रदेश में पूर्ण रूप से क्रियाशील फिल्म नगरी/नगरियों की स्थापना होने तथा स्थानीय सिनेमा उद्योग का पर्याप्त विकास होने तक राज्य सरकार द्वारा विभिन्न शासकीय विभागों यथा– शिक्षा, सूचना तथा संस्कृति में उपलब्ध उपकरण फिल्म निर्माताओं को किराए पर उपलब्ध कराए जाएंगे। फिल्म निर्माताओं की आवश्यकता के अनुरूप इन उपकरणों के वर्तमान भण्डार को बढ़ाया जायेगा। इन उपकरणों के अर्जन तथा उनके रखरखाव के लिए 'फिल्म विकास निधि' का उपयोग किया जाएगा। इस कार्य हेतु फिल्म बन्धु, 'नोडल एजेंसी' के रूप में कार्य करेगा तथा समस्त उपकरणों का एक 'पूल', फिल्म बन्धु में स्थापित किया जाएगा। उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 'फिल्म बन्धु' शासकीय विभागों के अतिरिक्त निजी क्षेत्र में भी पूल बना सकेगा।

शूटिंग स्थलों का विकास

प्रदेश में उपलब्ध प्रचुर नैसर्गिक सुन्दरता, समृद्ध सांस्कृतिक परम्पराओं तथा ऐतिहासिक स्मारकों की पृष्ठभूमि का पर्यटन विभाग निरन्तरता के आधार पर प्रदेश में आउटडोर शूटिंग के लिए स्थलों का चयन कर उनका विकास करेगा तथा सक्रियता से प्रचार करेगा। इसके लिए ट्रांसपैरेन्सीज, लघु फिल्में, प्रचार-साहित्य, जैसे– ब्रॉशर्स इत्यादि विकसित किये जायेंगे। प्रदेश में नयी 'पर्यटन नीति' के तहत निजी क्षेत्र को इस बात के

लिए उत्प्रेरित किया जाएगा कि वे इन शूटिंग स्थलों पर होटल्स, मोटल्स, रेस्टोरेन्ट तथा कैम्पिंग सुविधाओं की स्थापना करें।

कलाकारों तथा तकनीशियनों का प्रशिक्षण

फिल्म उद्योग के उपयुक्त विकास के लिए यह परम आवश्यक है कि प्रतिभा-सम्पन्न कलाकार तथा प्रशिक्षित तकनीशियन सुगमता से उपलब्ध हों। उत्तर प्रदेश में फिल्म तथा टेलीविजन इंस्टीट्यूट की एक शाखा खोलने के लिए राज्य सरकार, भारत सरकार से समन्वय स्थापित करेगी ताकि उन प्रतिभाशाली नवयुवकों की आकांक्षा पूर्ति हो सके जो कि देश के उत्तरी भाग में फिल्मों को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। इस शाखा की स्थापना होने तक प्रदेश की प्रख्यात भारतेन्दु नाट्य अकादमी का विकास, 'राज्य फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान' के रूप में किया जायेगा।

फिल्म तकनीशियनों को चुने हुए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षित किया जायेगा। इस उद्देश्य से सम्बन्धित पाठ्यक्रम कुछ संस्थानों में प्रारम्भ किए जाएँगे। राज्य सरकार द्वारा निजी क्षेत्र को भी फिल्म सम्बन्धी व्यवसायों एवं पाठ्यक्रमों के साथ प्रशिक्षण संस्थान खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे तथा सत्यजित रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता में उत्तर प्रदेश के प्रशिक्षणरत विद्यार्थियों को वार्षिक छात्रवृत्ति रु. 25,000/- दी जाएगी। छात्रवृत्तियों की अधिकतम संख्या दोनों संस्थानों में प्रत्येक के लिए अलग-अलग होगी। इस कार्य पर व्यय होने वाली धनराशि का वहन 'फिल्म विकास निधि' से किया जाएगा। प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में 'परफॉर्मिंग आर्ट्स' के पाठ्यक्रम आरम्भ किए जाएंगे ताकि प्रदेश के युवा वर्ग को अपनी प्रतिभा विकसित एवं मुखरित करने का अवसर प्राप्त हो सके।

फिल्म इकाइयों के लिए आवासीय सुविधा

प्रदेश में आउटडोर शूटिंग करने वाली इकाइयों को उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के होटल्स/मोटल्स में कमरों के किराए में 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। लोक निर्माण विभाग, वन विभाग तथा सिंचाई विभाग एवं राज्य सम्पत्ति विभाग के अतिथि गृह/विश्रामालय भी इन फिल्म इकाइयों को नियमित भुगतान पर उपलब्ध होंगे।

सरकारी हवाई पट्टियों का प्रयोग

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के विभिन्न भागों में स्थित हवाई पट्टियों के प्रयोग की सुविधा आउट-डोर शूटिंग करने वाली फिल्म इकाइयों को निर्धारित शुल्क के भुगतान पर अनुमन्य करायी जा सकें।

फिल्मों का वित्त पोषण

फिल्म उद्योग के विकास में फिल्मों का वित्त पोषण एक महत्वपूर्ण कारक है। भारत सरकार फिल्मों को उद्योग का दर्जा देने के लिए राजी हो गयी है तथा व्यावसायिक बैंकों से फिल्मों के वित्त पोषण की प्रक्रिया निर्धारण करने हेतु 'कानन समिति' का गठन किया गया है। उत्तर प्रदेश की राज्य वित्तीय संस्थाएँ पहले से ही स्टूडियो तथा उपकरणों जैसे– हार्डवेयर के लिए नियमित व्यावसायिक शर्तों पर वित्त पोषण की सुविधा उपलब्ध करा रही है। 'कानन समिति' की अनुशंसाएँ प्रस्तुत होने पर तथा भारत सरकार द्वारा उन्हें स्वीकार कर लेने पर राज्य सरकार उन्हें अंगीकृत करने के लिए प्रतिबद्ध है। 'कानन समिति' की रिपोर्ट आने तक फिल्मों का वित्त पोषण 'फिल्म बन्धु' द्वारा 'फिल्म विकास निधि' के माध्यम से किया जायेगा। प्रदेश 'नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कारपोरेशन' पिकप अथवा बैंकों के साथ संयुक्त ऋण योजना में प्रतिभागी बनेगा, किन्तु यह वित्त पोषण केवल उन्हीं फिल्मों को अनुमन्य होगा जो 75 प्रतिशत से अधिक उत्तर प्रदेश में फिल्मांकित की जायेंगी तथा प्रदेश की छवि को उभारेंगी।

फिल्म निधि

फिल्म तथा फिल्म सम्बन्धी अवस्थापना के विकास की विभिन्न योजनाओं का वित्त पोषण करने के लिए

सिनेमा टिकटों पर 50 पैसे का शुल्क चार्ज किया जायेगा। यह शुल्क प्रत्येक जिले के कोषागार में फिल्म निधि के नाम से जमा किया जायेगा। इस प्रकार से एकत्र की गयी धनराशि समेकित रूप में कर एवं निबन्धन विभाग से ज्ञात कर उसके समतुल्य धनराशि प्रत्येक वर्ष सूचना विभाग के आय-व्ययक में अलग लेखा शीर्षक खोलकर प्रावधानित करायी जायेगी तथा उसे अनुदान के रूप में 'फिल्म बन्धु' को स्वीकृत की जायेगी जिसे फिल्म बन्धु के अधीन स्थापित फिल्म विकास निधि में जमा किया जायेगा। इसका संचालन ''उत्तर प्रदेश फिल्म बन्धु'' द्वारा किया जायेगा। इसके साथ ही फिल्म विकास निधि में अनुदान के अतिरिक्त फिल्म उपकरणों के किराये, फिल्म महोत्सव के आयोजन में टिकटों से होने वाली आय को भी जमा किया जायेगा।

सूचना विभाग

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदेश के सांस्कृतिक, पर्यटन, कृषि, साहित्यिक, औद्योगिक, ग्राम्य विकास तथा अन्य विकास सम्बन्धी विषयों पर वृत्त चित्र एवं वर्तमान घटना क्रम पर समाचार चित्र निर्मित करने का कार्य किया जाता है। अधिसंख्य वृत्त चित्र तथा समाचार चित्र का फिल्मांकन प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में किया जाता है। अब तक इस विभाग द्वारा 95 समाचार चित्र तथा 165 वृत्त चित्र तैयार किये जा चुके हैं। इनमें 28 रंगीन वृत्त चित्र सम्मिलित हैं। उल्लेखनीय है कि इस विभाग द्वारा निर्मित उत्तर प्रदेश समाचार संख्या 54 को 26वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह 1979 में पुरस्कृत भी किया गया है। इस विभाग द्वारा निर्मित वृत्त चित्र 'फूलों की घाटी' तथा 'बदरी-केदार' पर बने चित्रों को देश की 14 भाषाओं में डबिंग कराकर अखिल भारतीय सर्किट में विभिन्न सिनेमा घरों में प्रदर्शित किया गया। अब तक निर्मित वृत्त चित्रों में 'कार्बेट नेशनल पार्क', 'लखनऊ मेरा लखनऊ', 'महात्मा गांधी और उत्तर प्रदेश', 'चोर-चोर', 'फूलों की घाटी', 'बदरी-केदार', 'नैमिषारण्य', 'ब्रज में होली', 'ग्राम्या', 'कुम्भ मेला', 'भागीरथी', 'सुमित्रानन्दन पंत', 'महादेवी वर्मा', 'प्रेमचन्द', 'बुन्देलखण्ड', 'विकास की चमक हर आँख में' इत्यादि वृत्त चित्र विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

फिल्म पत्रकारिता

उत्तर प्रदेश में फिल्म पत्रकारिता का जहाँ तक प्रश्न है तो इस क्षेत्र में पहला नाम 1930 के दशक में उमाशंकर जोशी का उभरता है। इसके बाद फिर रामकृष्ण, कपिलकुमार, धर्मेन्द्र गौड़, ओंकार शरद, विनोद भारद्वाज, कुंवर नारायण, सतीश सिंह, जिनेन्द्र जैन, महादेव शर्मा, नेत्र सिंह रावत ने फिल्म पत्रकारिता में महत्वपूर्ण योगदान किया है। इस सिलसिले को आगे बढ़ाया मंगलेश डबराल, मोहित थपलियाल, धीरेन्द्र अस्थाना, राजेन्द्र प्रसाद काण्डपाल, ओम प्रकाश गुप्ता, विवेक चटर्जी, प्रवीण श्रीवास्तव, हेमंत शुक्ल, वीर विनोद छाबड़ा, अवधेश नारायण 'प्राण', सुरेन्द्र अग्निहोत्री, गौतम चटर्जी आदि ने।

दर्शनीय स्थल, मेले एवं प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्ति

युगों की प्राचीन परम्परा के इस प्रदेश में बहुत से ऐसे स्थान हैं, जिनका धार्मिक महत्व है। बहुत से ऐसे स्थल भी हैं, जिन्हें तीर्थ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐतिहासिक और पर्यटन की दृष्टि से उनका बड़ा महत्व है। हमारा प्रदेश ऐसे सांस्कृतिक केन्द्रों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इसी प्रकार के कुछ स्थान इस प्रकार हैं:–

सोरों (जिला एटा)– सोरों या शूकर क्षेत्र की गणना भारत के पवित्र तीर्थों में होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम पृथ्वी का आविर्भाव यहीं हुआ था। इस तीर्थ में वराह भगवान का एक अति प्राचीन दर्शनीय मन्दिर है। इस मन्दिर में भगवान वराह की विशाल प्रतिमा स्थापित है और निकट ही हरिपदी पर वराह घाट है। शूकर क्षेत्र में प्राचीन काल से भगवान वराह की पुण्य स्मृति में मार्गशीर्ष का मेला लगता है।

काशी (वाराणसी)– यह भारत के ही नहीं, संसार के प्राचीनतम नगरों में से एक है। यह नाम वरुणा और अस्सी, दो नदियों से मिलकर बना है। वर्तमान काशी में दर्शनीय मन्दिर विश्वनाथ, अन्नपूर्णा, संकटमोचन, दुर्गा मन्दिर, तुलसी मानस मन्दिर, विश्वविद्यालय का विश्वनाथ मन्दिर, आदि विश्वेश्वर, साक्षी विनायक और पांचरत्न आदि हैं। कुण्डों तथा वापियों में दुर्गा कुण्ड, पुष्कर कुण्ड, पिशाचमोचन, कपिलधारा, लोलार्क, मानसरोवर तथा मन्दाकिनी उल्लेखनीय हैं। यहाँ घाटों की संख्या बहुत है। इनमें अस्सी, तुलसी, हरिश्चन्द्र, अहिल्याबाई, दशाश्वमेध तथा मणिकर्णिका घाट आदि विशेष प्रसिद्ध हैं।

देवबन्द (जिला सहारनपुर)– मुजफ्फरनगर से 24 कि.मी. दूर देवबंद रेलवे स्टेशन है। यहाँ दुर्गा जी का मन्दिर है। मन्दिर के समीप देवी कुण्ड सरोवर है।

शाकम्भरी देवी– यह मन्दिर सहारनपुर से 41.6 कि.मी. दूर है। शाकम्भरी देवी का मन्दिर चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ नवरात्र में मेला लगता है।

हस्तिनापुर (जिला मेरठ)– यह नगरी मेरठ से 35.2 कि.मी. दूर है। यह पाण्डवों की राजधानी थी। कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ बड़ा मेला लगता है। यह प्रसिद्ध जैन तीर्थ भी है। आदि तीर्थंकर ऋषभदेव जी को राजा श्रेयांस ने यहीं इक्षुरस का दान दिया था। इसलिए इसे 'दानतीर्थ' कहा जाता है। यहाँ से पास ही भसूमा गाँव में प्राचीन जैन प्रतिमाएँ हैं।

गढ़मुक्तेश्वर (जिला गाजियाबाद)– मेरठ से 42 कि.मी. दूर गंगा के दाहिने तट पर स्थित गढ़मुक्तेश्वर प्राचीन काल में हस्तिनापुर नगर का एक मोहल्ला था। यहाँ मुक्तेश्वर शिव का मन्दिर है। मन्दिर के पास ही झारखंडेश्वर नाम का एक प्राचीन शिवलिंग है। कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ मेला लगता है।

शृंगीरामपुर– यह फर्रुखाबाद जिले में गंगा के दक्षिणी तट पर स्थित है। यहाँ शृंगी ऋषि का मन्दिर है। कार्तिक पूर्णिमा तथा दशहरा को यहाँ मेला लगता है।

शृंगवेरपुर– जिला प्रयागराज से 48 कि.मी. दूर राम चौरा रोड स्टेशन से 3 मील की दूरी पर शृंगवेरपुर है। यहीं पर भगवान राम ने वन जाते हुए निषादराज का आग्रह मानकर रात्रि में विश्राम किया था।

विन्ध्याचल (जिला मिर्जापुर)– यहाँ विन्ध्यवासिनी देवी का प्रसिद्ध मन्दिर है। नवरात्र में यहाँ मेला लगता है।

लोधेश्वर– यह बाराबंकी जिले में है। यहाँ लोधेश्वर जी का मन्दिर है।

देवीपाटन (जिला गोण्डा)– यहाँ पाटेश्वरी देवी का प्रसिद्ध मन्दिर है। कहा जाता है कि यहाँ पर देवी की स्थापना महाराज विक्रमादित्य ने की थी। यहाँ प्रतिवर्ष मेला लगता है।

मगहर (जिला संत कबीर नगर)– कबीरदास जी ने यहीं पर शरीर छोड़ा था। संत कवि कबीर की समाधि और मजार, हिन्दू-मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में यहीं स्थित है। उनके पुत्र कमाल की समाधि भी यहीं है। कबीर पंथियों का यह पवित्र तीर्थस्थल है।

भृगु मन्दिर (बलिया)– ब्रह्माजी के पुत्र भृगु के शिष्य दरदर मुनि की यह तपस्थली रही है। इन्हीं के नाम पर यहाँ भारत का विख्यात ददरी मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर प्रतिवर्ष लगता है।

मथुरा– सप्त महापुरियों में इसकी गणना होती है। इसका प्राचीन नाम मथुरा था। वर्तमान मथुरा के समीप मधुवन में पहले मधु और उसके पुत्र लवण का शासन था। मधु के नाम पर मधुरी या मधुपुरी नगरी बसी थी। श्रीराम के भाई शत्रुघ्न ने लवण को मारकर इस नगरी को नया रूप दिया था। चन्द्रवंश की यादव शाखा में श्रीकृष्ण का जन्म यहीं हुआ था। मथुरा में द्वारिकाधीश मन्दिर और विश्राम घाट के दर्शन के लिए लाखों यात्री प्रतिवर्ष यहाँ आते हैं। मथुरा में निम्न दर्शनीय स्थल हैं-

- **वृन्दावन** (जिला मथुरा) – वृन्दावन, मथुरा से 9.6 कि.मी. पर स्थित है। यहाँ करीब 4 हजार मन्दिर, घाट और सरोवर हैं। गोविन्द देव मन्दिर बड़ा भव्य और सुन्दर है। जयपुर के महाराज मानसिंह ने सन् 1590 में इसे बनवाया था। गोविन्द देव मन्दिर के सामने द्रविण शैली में निर्मित सफेद पत्थर का बना रंगनाथ का विशाल मन्दिर स्थित है। बिहारी जी का मन्दिर, राधाबल्लभ जी का मन्दिर, राधारमण जी का मन्दिर, गोपीनाथ जी का मन्दिर, शाहजी का मन्दिर, अष्टसखी मन्दिर आदि वृन्दावन के प्रसिद्ध मन्दिर हैं। निधिवन और सेवाकुंज प्रसिद्ध वन स्थलियाँ हैं। वंशीवट, कालीदह और केशघाट यमुना के प्रसिद्ध घाट हैं।
- **नन्दगाँव** (जिला मथुरा)– मथुरा से 48 कि.मी. उत्तर-पूर्व में एक पहाड़ी की तलहटी में नंदगाँव स्थित है। नंद बाबा का घर जिस स्थान पर था, वहाँ पहाड़ी के ऊपरी भाग में एक विशाल मंदिर स्थित है। यह हिन्दुओं का एक पवित्र स्थल है।
- **गोवर्धन** (जिला मथुरा)– गोवर्धन, मैदान से सौ फुट की ऊँचाई पर स्थित है। यह मथुरा से 23 कि.मी. दूर पड़ता है और मथुरा से डीग (भरतपुर) जाने वाली सड़क पर स्थित है। यहाँ के विशाल पक्के सरोवर (पवित्र मानसी गंगा) के पास हरिदेव का मनोहर मन्दिर है, जिसे अकबर के राज्यकाल में अम्बर के राजा भगवान दास ने बनवाया था।
- **बरसाना** (जिला मथुरा)– बरसाना गाँव गोवर्धन से 24 कि.मी. उत्तर में कोसी (आगरा-दिल्ली सड़क पर) के 16 कि.मी. दक्षिण में स्थित है। इसे भगवान कृष्ण की प्रिया राधाजी का जन्मस्थान होने का गौरव प्राप्त है। बरसाना का मूल नाम ब्रह्मासारिणी था। यह एक पहाड़ी की ढाल पर स्थित है। पहाड़ी के चार प्रमुख शिखर चतुर्मुखी देवत्व के प्रतीक माने जाते हैं और लाड़ली जी, जो राधाजी का स्थानीय नाम है, के सम्मान में निर्मित मन्दिरों से सुशोभित है। यहाँ प्रतिवर्ष राधाष्टमी के अवसर पर मेला लगता है।
- **दाऊजी** (जिला मथुरा)– दाऊजी मथुरा से लगभग 21 कि.मी. की दूरी पर है। नगर के मध्य में भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ (दाऊजी) का प्रसिद्ध मन्दिर बना हुआ है। यहाँ वर्ष में दो मेले लगते हैं। इनमें एक भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को लगता है, जिसे देवछठ कहते हैं तथा दूसरा अगहन की पूर्णिमा को लगता है।

बिठूर (जिला कानपुर) – कानपुर नगर से लगभग 24 कि.मी. उत्तर-पश्चिम में गंगा के किनारे बसा हुआ यह स्थान ऐतिहासिक और धार्मिक दोनों दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण है। इसका प्राचीन नाम ब्रह्मावर्त तीर्थ है। यहीं रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का आश्रम बताया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ मेला लगता है।

चित्रकूट– (जिला चित्रकूट) बाँदा से झाँसी-मानिकपुर रेलवे लाइन द्वारा चित्रकूट लगभग 75 कि.मी. दक्षिण-पूरब में स्थित है। चित्रकूट के पास मन्दाकिनी बहती है। वन जाते समय श्रीराम यहाँ ठहरे थे। जनश्रुति के

अनुसार महर्षि वाल्मीकि भी यहाँ रहे थे। बहुत से पवित्र स्थल, छोटी-छोटी पहाड़ियाँ मन्दाकिनी के किनारे पाई जाती हैं। मन्दाकिनी, जिसे पयस्विनी भी कहते हैं, चित्रकूट के सुरम्य जंगलों से होकर बहती है। इस नदी के बायें तट पर कामतानाथ से लगभग 2.4 कि.मी. पर सीतापुर है, जहाँ नदी के किनारे-किनारे 24 घाट हैं। इनमें से राघव प्रयाग, कैलाश घाट, रामघाट और घृतकल्प घाट विशेष रूप से पवित्र माने जाते हैं। सीतापुर में अनेक प्राचीन मन्दिर हैं। रामघाट के समीप स्थित पर्णकुटी के विषय में कहा जाता है कि राम ने यहाँ निवास किया था। यहाँ से लगभग 30 कि.मी. की दूरी पर सती अनुसूया और महर्षि अत्रि का आश्रम है। एक पहाड़ी के अंचल में अनुसूया, अत्रि, दत्तात्रेय और हनुमान जी के मंदिर हैं। इसे मन्दराचल कहते हैं। यहीं से मन्दाकिनी निकलती है। सीतापुर से 3.30 कि.मी. की दूरी पर रमणीक जानकी कुण्ड है। यहाँ नदी की धारा श्वेत पत्थरों के ऊपर से होकर बहती है। जानकी कुण्ड से 3.2 कि.मी. पर स्फटिक शिला है। यहाँ दो बड़ी चट्टानें हैं। कहा जाता है कि राम, लक्ष्मण और सीता ने यहाँ पर विश्राम किया था। चित्रकूट में भरत कूप भी है। इसके सम्बन्ध में कथा यह है कि श्रीराम के राजतिलक हेतु सभी पवित्र नदियों से एकत्र जल को इस कुँए में डाला गया था।

राजापुर (जिला चित्रकूट) – बाँदा से 99.2 कि.मी. और चित्रकूट से 38.4 कि.मी. की दूरी पर राजापुर नामक स्थान है। कहा जाता है कि महाकवि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म यहीं हुआ था। यहाँ तुलसी स्मारक समिति की ओर से एक सुन्दर स्मारक का निर्माण हुआ है।

देवा शरीफ (जिला बाराबंकी) – बाराबंकी से लगभग 12 कि.मी. दूर स्थित देवा में प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार है। उनके वार्षिक उर्स के अवसर पर कार्तिक में देवा में एक बड़ा मेला लगता है।

महोबा- चन्देलों के वैभवशाली समय में वर्तमान बुन्देलखण्ड का नाम 'जेजाक युक्ति' था तथा इसकी राजधानी महोबा थी। इसी महोबा में वीर शिरोमणि आल्हा और ऊदल का जन्म हुआ था। **दर्शनीय**- कीरत सागर, चन्देल कालीन स्मारक।

बहराइच– यहाँ सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह है। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आये थे।

गोला गोकर्णनाथ (जिला लखीमपुर खीरी) – त्रेता युग में रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने रावण को लंका में शिवलिंग स्थापित करने का आदेश दिया था। शिवलिंग को भूमि पर रखना निषेध था। रावण ने मार्ग में शिवलिंग को एक भक्त के पास कुछ देर के लिए छोड़ा, लेकिन वह उसका भार सहन न कर सका और उसने उस शिवलिंग को भूमि पर रख दिया। शिवलिंग वहीं स्थापित हो गया। लौटकर रावण यह देखकर क्रोधित हुआ और लिंग को अंगूठे से दबा दिया जो कान के आकार का हो गया। इसी आधार पर इस स्थान का नाम गोला गोकर्णनाथ पड़ा। यह स्थान लखीमपुर-खीरी से लगभग 35 कि.मी. दूर है।

कम्पिल (जिला फर्रुखाबाद)– अपने अंतःस्थल में देश के लम्बे इतिहास की रहस्यपूर्ण रोचकता छिपाये हुए यह छोटी सी भाव-मुग्धा नगरी अति प्राचीन काल से आज तक दर्शन, धर्म और संस्कृति की मनोहर मंजूषा के रूप में विख्यात रही है। विष्णु पुराण, जातक, रामायण तथा उत्तराध्ययन सूत्र एवं अनेक ग्रन्थों व रिपोर्टों में इस नगरी का उल्लेख विभिन्न रूपों, प्रसंगों और परिवेशों में किया गया है। पतित पावनी गंगा नदी के दायें तट पर कायमगंज तहसील के कस्बे से 10 कि.मी. पश्चिम में सड़क द्वारा सम्बद्ध यह तीर्थ स्थान जैन धर्म के प्रवर्तक तेरहवें तीर्थंकर भगवान विमलनाथ, महासती द्रौपदी तथा गुरु द्रोणाचार्य की जन्मस्थली है। द्रौपदी का स्वयंवर भी यहीं हुआ था। हमारी अमूल्य सांस्कृतिक निधि के प्रमुख दिग्दर्शक, जो कम्पिल में विद्यमान हैं, उनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :–

- ***मुगलघाट***– द्रौपदी कुण्ड के समीप ही मुगल बादशाह औरंगजेब ने गंगा नदी के किनारे गुम्बदनुमा चार घाटों का निर्माण कराया था।
- ***कपिलमुनि का आश्रम***– यहाँ खुदाई करते समय एक गुफा मिली है, जिसमें कुछ मूर्तियाँ और पूजा-पाठ की सामग्री उपलब्ध हुई है।
- ***रामेश्वरधाम मन्दिर***– कहा जाता है कि भरत के छोटे भाई शत्रुघ्न ने भगवान राम द्वारा लंका से लाये

शिवलिंग को, जिसकी पूजा सीताजी लंका निवास के समय अशोक वाटिका में प्रतिदिन करती थीं, इसी स्थान पर प्रतिष्ठित किया था।

- ***जैन श्वेताम्बर मन्दिर***– इस भव्य मन्दिर के मूल नायक भगवान विमलनाथ हैं जो मन्दिर में ऊँचे आसन पर विराजमान हैं। मंदिर के चारों कोनों पर चार कल्याणकों के स्मारक हैं।
- ***जैन दिगम्बर मन्दिर***– इसमें भगवान विमलनाथ की मूल नायक प्रतिमा विद्यमान है। अनुमान है कि यह प्रतिमा कई सौ वर्ष पुरानी है।
- ***भेदकुण्ड***– कम्पिल ग्राम से 3 मील पूर्व में स्थित है। कहा जाता है कि अर्जुन ने इसी स्थान पर द्रौपदी के वरण हेतु मीन वेध किया था। हमारी संस्कृति के प्रतीक इन मन्दिरों के अतिरिक्त कम्पिल में अनेक छोटे-छोटे मंदिर, खण्डहर, प्राचीन कुँए आदि हैं, जो पर्यटकों, तीर्थयात्रियों, शिल्पियों, शोध-छात्रों आदि के लिए आकर्षण और महत्व के केन्द्र हैं।
- ***संकिस्सा–*** प्राचीन काल में इसे संकास्य कहते थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने इसका उल्लेख 'कपित्थ' नाम से किया है। वर्तमान संकिस्सा जिला फर्रुखाबाद में है। इसके एक टीले पर, जो पूर्व से पश्चिम तक 455 मीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक 303 मीटर है, कतिपय भग्नावशेष हैं। बौद्ध मतानुयायियों के अनुसार भगवान बुद्ध देवलोक से पृथ्वी पर यहाँ अवतरित हुए थे। यह स्थान हिन्दुओं के लिए भी पवित्र है। प्रतिवर्ष यहाँ श्रावणी मेला लगता है।

नैमिषारण्य (जिला सीतापुर)– पृथ्वी पर सत्य की स्थापना के लिए देवताओं ने यहीं पर वृत्तासुर के वध हेतु अस्त्र बनाने के लिए महर्षि दधीचि से प्रार्थना की थी। नैमिषारण्य आध्यात्मिक विकास का केन्द्र रहा है। यह अट्ठासी हजार ऋषियों की तपस्थली रही है। यहाँ तीस हजार तीर्थस्थल हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर साधना करने वाले की सिद्धि-प्राप्ति निश्चित है। नैमिषारण्य में अनेक पुण्य तीर्थ हैं जिनकी यात्रा के लिए भारत के कोने-कोने से लाखों यात्री आते हैं। महर्षि दधीचि की पुण्य स्मृति में चौरासी कोस की परिक्रमा फाल्गुन महीने की अमावस्या से प्रारम्भ होकर पूर्णिमा को मिश्रिख में समाप्त होती है। यहाँ के कुछ तीर्थ हैं :–

- ***चक्रतीर्थ***– नैमिष के तीर्थों में चक्रतीर्थ सर्वोपरि है। इसके समान पृथ्वी तल पर दूसरा कोई तीर्थ नहीं है। प्रसिद्ध है कि ब्रह्माजी की मानसिक शक्ति से निर्मित दिव्य चक्र के पृथ्वी पर गिरने से एक गोलाकार कुण्ड बन गया जो चक्रतीर्थ कहलाया।
- ***व्यास गद्दी***– चक्रतीर्थ के निकट व्यास गद्दी तीर्थ है, जहाँ व्यास ने वेद को चार भागों में विभाजित किया तथा पुराणों की रचना की थी।
- ***सूत गद्दी***– यहाँ सूत और शौनक संवाद हुआ था।
- ***श्री ललिता देवी का मन्दिर*** – यह स्थान चक्रतीर्थ के निकट ही है। कहते हैं कि ब्रह्माजी के आदेश से यहाँ ललिता नामक शक्ति ने अवतरित होकर ब्रह्मा जी के चक्र की शिखा पकड़कर उसे स्तंभित कर दिया था। भक्तजनों में इस मंदिर का बहुत महत्व है।
- ***श्री हनुमान गढ़ी एवं पंच पाण्डव***– यहाँ हनुमान जी की एक विशाल मूर्ति है। जनश्रुति के अनुसार हनुमान जी अहिरावण का वध कर श्रीराम तथा लक्ष्मण को लेकर इसी स्थान पर पाताल तोड़कर प्रकट हुए थे। यहीं पर पाण्डवों का भी मंदिर है। पाण्डवों ने अज्ञातवास के समय यहीं निवास किया था।
- **मिश्रिख**– नैमिषारण्य से 10 कि.मी. दूरी पर मिश्रिख स्थित है। कथा है कि यहाँ पर महर्षि दधीचि ने अपनी अस्थि दान करने के पूर्व समस्त तीर्थों के जल से स्नान किया था, जिससे इसका नाम मिश्रित अथवा मिश्रिख पड़ा। यहाँ महर्षि दधीचि आश्रम और सीताकुण्ड दर्शनीय है।

गोरखनाथ मन्दिर (गोरखपुर)– जिस स्थान पर महायोगी गोरखनाथ जी ने खिचड़ी का प्रसाद बाँटा था और चमत्कार दिखाया था, उसी स्थान पर गोरखनाथ जी का मन्दिर स्थापित है। इस नगर का नाम तभी से महायोगी के नाम पर गोरखपुर पड़ा। महायोगी जी की यह तपस्थली है और नाथ सम्प्रदाय की सिद्धपीठ है।

शुक्रताल (जिला मुजफ्फरनगर)– यहाँ वट वृक्ष के नीचे बैठकर महर्षि शुक्राचार्य जी ने राजा परीक्षित को महाभारत की कथा सुनाई थी। कार्तिक में पूर्णमासी एवं एकादशी पर हजारों भक्त दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। प्रायः प्रत्येक मास में भागवत सप्ताह का आयोजन होता है। यहाँ अनेक धर्मों के अनुयायियों के मन्दिर हैं।

भरत कुण्ड– जिला अयोध्या से 25 कि.मी. दूर नन्दिग्राम के नाम से यह स्थान प्रसिद्ध है। यहाँ पर भरत जी ने श्री रामचन्द्र जी के वनवास की अवधि में 14 वर्ष तक तपस्या की थी।

किछौछा (जिला अम्बेडकर नगर)– यहाँ मुस्लिम संत सैयद महमूद शाह अशरफ जहाँगीर की दरगाह है।

बांगरमऊ– यह जिला उन्नाव में एक छोटा सा कस्बा है। इसकी प्रसिद्धि का कारण यहाँ स्थित राजराजेश्वरी श्री विद्या का मन्दिर है। इसमें जगदम्बा की एक बड़ी सुन्दर प्रतिमा है, जो अष्ट धातुओं के मिश्रण से बनी है। मन्दिर कुण्डलिनी-योग विचारधारा पर आधारित है तथा स्थापत्य कला की दृष्टि से विशिष्ट महत्व का है।

बांसा– बाराबंकी से लगभग 16 कि.मी. दूर स्थित बांसा मुसलमानों के लिए सुप्रसिद्ध सूफी संत सैयद शाह अब्दुल रज्जाक की दरगाह के कारण एक तीर्थ स्थान बन गया है।

बाराबंकी– लखनऊ से लगभग सत्ताइस कि.मी. की दूरी पर जनपद बाराबंकी है, जहाँ महादेवा, किन्तूर, कोटवाधाम आदि प्रसिद्ध तीर्थ स्थान हैं। यहाँ महादेव की स्थापना, कहा जाता है कि स्वयं महाराज युधिष्ठिर ने की थी। किन्तूर ग्राम में महारानी कुन्ती द्वारा स्थापित कुन्तेश्वर मन्दिर है। इसी जनपद के ग्राम बदोसराय में हिन्दू-मुस्लिम एकता की प्रतीक सलामत शाह की मजार है।

अतरंजीखेड़ा : अतरंजीखेड़ा उत्तर प्रदेश में काली नदी के तट पर एटा जिले में स्थित है। यहाँ से गैरिक मृदभाण्ड संस्कृति से लेकर गुप्त युग तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ह्वेनसांग (चीनी यात्री) ने अपने यात्रा विवरण में 'अतरंजीखेड़ा' को 'पि-लो-शा-न' कहा है। अतरंजीखेड़ा से गैरिक मृदभाण्ड तथा कृष्ण लोहित मृद्भाण्ड संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। यहाँ से प्राप्त अवशेष मुख्यतया चित्रित धूसर मृद्भाण्ड संस्कृति से सम्बद्ध हैं। इस युग में 1000 ई.पू. के लौह-प्रयोग, धान की खेती, वृत्ताकार अग्निकुण्ड तथा कटे निशान वाले पशुओं की हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं। इस युग को उत्तर वैदिक युग से सम्बद्ध स्वीकार किया जाता है। उत्तरी काली ओपदार मृद्भाण्ड संस्कृति के चरण में अतरंजीखेड़ा एक नगर के रूप में उभरा था। यहाँ के लोग प्रायः कृषिजीवी और स्थिर प्रवृत्ति के थे। अतरंजीखेड़ा से शुंगों, कुषाणों तथा गुप्तों से सम्बद्ध अवशेष भी प्राप्त हुए हैं।

अयोध्या : अयोध्या उत्तर प्रदेश में अयोध्या जिले में सरयू नदी के तट पर स्थित है। इसका प्राचीन नाम अयाज्सा था। अयोध्या उत्तर प्रदेश के उपजाऊ मैदान में स्थित है, इस कारण अयोध्या की एक आर्थिक पृष्ठभूमि भी रही है। यही कारण है कि अयोध्या में उत्तरी काली ओपदार मृद्भाण्ड संस्कृति से लेकर गुप्तकाल तक के साक्ष्य मिले हैं। महाजनपद युग में अयोध्या कोशल जनपद की प्रमुख नगरी थी। बौद्ध परम्परा के अनुसार यहाँ अशोक ने एक स्तूप का निर्माण कराया था। जैन ग्रन्थों में आदिनाथ सहित पाँच तीर्थंकरों का जन्मस्थल अयोध्या को ही माना गया है। अयोध्या नगरी भारत की सप्तमहापुरियों में से एक है। इस नगरी को भगवान श्री राम के जन्म स्थान का गौरव प्राप्त है। यह नगरी बहुत समय तक इक्ष्वाकुवंशी राजाओं की राजधानी रही। इस नगरी में श्री राम, सीता और दशरथ से सम्बन्धित अनेक स्थान हैं। अयोध्या पर बैक्ट्रियाई यूनानियों के आक्रमण हुए थे। अयोध्या से पुष्यमित्र शुंग का एक लेख प्राप्त हुआ है। गुप्तों के काल में अयोध्या प्रमुख नगरी थी। साकेत इस क्षेत्र का ही नाम है। ह्वेनसांग ने अयोध्या में अनेक बौद्ध मन्दिरों का उल्लेख किया है।

अहिच्छत्र : अहिच्छत्र की समता (पहचान) उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में स्थित रामनगर से की गयी है। उत्तर प्रदेश के उपजाऊ मैदान में स्थित होने के कारण अहिच्छत्र में नागरिक विकास के तत्व उभरे थे, इस कारण यहाँ से मृद्भाण्ड संस्कृतियों से लेकर गुप्तोत्तर युग तक के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अहिच्छत्र से चित्रित धूसर मृद्भाण्ड तथा लाल मृद्भाण्ड संस्कृति के अवशेष मिले हैं। महाजनपद युग में यह उत्तरी

पांचाल की राजधानी थी। अशोक ने यहाँ एक स्तूप का निर्माण कराया था। ई.पू. 100 से 300 ई. के मध्य वाले स्तरों से मृण्मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। इसी समय के 'मित्र' उपाधि वाले राजाओं के सिक्के भी मिले हैं। कुषाणों के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। गुप्तकाल में अहिच्छत्र एक नगर के रूप में प्रसिद्ध था। अहिच्छत्र के शासक अच्युत को सम्राट समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। यहाँ से गुप्तकालीन यमुना की एक मूर्ति प्राप्त हुई है। 350 ई. से 750 ई. के मध्य के मन्दिर, देवकक्ष भी प्राप्त हुए हैं।

आलमगीरपुर : आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ के समीप स्थित है। आलमगीरपुर के उत्खनन से प्राप्त अवशेष सैन्धव सभ्यता के पूर्वी विस्तार की पुष्टि करते हैं। यह स्थल उत्तर-हड़प्पा सभ्यता का भी केन्द्र था। आलमगीरपुर से कपास उत्पादन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।

आगरा : आगरा उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के तट पर स्थित महानगर है। आगरा की स्थापना 1504 ई. में सुल्तान सिकन्दर लोदी ने की थी, उसने इसे सामयिक महत्व का स्थान घोषित कर सैनिक-राजनीतिक केन्द्र बनाया था। मध्य युग में राजस्थान तथा दक्षिण में मालवा की ओर जाने वाले मार्ग पर स्थित होने के कारण आगरा का राजनीतिक-आर्थिक-व्यापारिक महत्व स्थापित था। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने आगरा को ही अपनी राजधानी बनाया था। मुगल सम्राट अकबर, जहाँगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब की भी यह राजधानी रही थी। जहाँगीर के काल में नूरजहाँ ने आगरा में अपने पिता एत्मादद्दौला का शानदार मकबरा निर्मित कराया था। शाहजहाँ ने किले में अनेक भव्य भवन निर्मित कराकर आगरा को वैभव प्रदान किया था। इन भवनों में जहाँगीरी एवं अकबरी महल प्रमुख थे। शाहजहाँ द्वारा निर्मित ताजमहल एवं मोती मस्जिद स्थापत्यकला के सर्वश्रेष्ठ प्रतीक हैं। मुगलकाल में आगरा मुस्लिम शिक्षा का प्रमुख केन्द्र था। यह व्यावसायिक केन्द्र के रूप में समस्त भारत में चर्चित था। आगरा के समीपवर्ती क्षेत्रों में नील की खेती होती थी। सभी यूरोपियन यात्रियों (राल्फ फिच, बर्नियर, आदि) ने आगरा के वैभव की प्रशंसा की है।

कन्नौज : प्राचीन भारत में कान्यकुब्ज के नाम से चर्चित कन्नौज उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण नगरों में स्वीकार किया जाता है। वर्तमान में यह प्रदेश का जनपदीय नगर है और गंगा नदी तट पर स्थित है। गंगा-यमुना दोआब क्षेत्र में स्थित होने के कारण कन्नौज का आर्थिक महत्व ईसा पूर्व शताब्दियों से रहा था। कन्नौज का उल्लेख टॉलेमी के 'द ज्योग्राफी' एवं पतंजलि के महाभाष्य तथा सभी पुराणों, महाभारत एवं चीनी यात्रियों (फाह्यिान, ह्वेनसांग) के यात्रा-विवरणों में प्राप्त होता है। कन्नौज में पहली बस्ती के साक्ष्य उत्तरी काले मद्भाण्ड युग से कुषाण युग तक के प्राप्त हुए हैं। गुप्तों और मौखरियों के समय यह प्रमुख नगर था। पुष्यभूति शासक हर्षवर्द्धन के समय कन्नौज की सर्वांगीण उन्नति हुई थी। ह्वेनसांग ने तत्कालीन वैभव की भूरि-भूरि प्रशंसा की है। उस समय कन्नौज 'नगरमहोदय श्री' कहलाता था। हर्षोत्तर युग में कन्नौज पर अपनी प्रभुता स्थापित करने के लिए गुर्जर-प्रतिहारों, पालों एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुए त्रिदलीय संघर्ष का कारण इस नगर का वैभव व आर्थिक-राजनीतिक महत्ता थी। प्रतिहारों ने सर्वाधिक समय तक अपना प्रभुत्व कन्नौज में स्थापित रखा था। 1018-1019 ई. में महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया था। मुहम्मद गोरी के समय कन्नौज का शासक जयचन्द गहड़वाल था। कन्नौज शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का ऐतिहासिक केन्द्र लगभग 1000 वर्षों तक बना रहा था। यहाँ हिन्दू व बौद्ध दोनों प्रकार की शिक्षा-विधि प्रचलित रही थी। यहाँ के बौद्ध महाविद्यालय में चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अध्ययन-अध्यापन किया था। राजशेखर, भवभूति, वाण कन्नौज से सम्बद्ध रहे थे। ह्वेनसांग के अनुसार कन्नौज में अशोक ने स्तूप निर्मित कराया था। इस प्रकार कन्नौज प्राचीन व मध्यकाल का चर्चित नगर था। यहाँ हजारों वर्ष पुराने खण्डहर, मंदिर और मस्जिद पर्यटकों के आकर्षण के केन्द्र हैं। इनमें से कुछ हैं :–

क्षेमकली देवी का मन्दिर– यह अब भी जिले के पूर्वी किनारे पर एक चबूतरे पर सुशोभित है। क्षेमकली देवी राजमहल की प्रमुख देवी थीं। इनका आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद ही कोई कार्य प्रारम्भ किया जाता था। इसी स्थान पर सम्राट जयचन्द्र की तोप रखी रहती थी।

पद्मावती सती मन्दिर– कन्नौज से 5 कि.मी. की दूरी पर दक्षिण-पश्चिम दिशा में देवरिया ताल के पूर्वी तट पर लाखन की रानी पद्मावती सती हुई थीं जिनकी पुण्य स्मृति में पद्मावती सती मन्दिर बना हुआ है। सावन के महीने में यहाँ मेले का आयोजन भी होता है।

जयचन्द्र के किले के अवशेष– राजा जयचन्द्र के किले की अवशेष यहाँ पाये जाते हैं।

राजा जयचन्द्र की सोलहद्वारी तथा बारहद्वारी– कन्नौज से 3 कि.मी. की दूरी पर यह वह स्थान है जहाँ आल्हा और ऊदल की कचहरी लगती थी। यहाँ आज भी प्राचीन भवनों के अवशेष उपलब्ध हैं। चिन्तामणि मन्दिर, गौरीशंकर मन्दिर, मकदून जहानियाँ की मस्जिद, हाजी शरीफ मंदिर, अजयपाल, जामा मस्जिद, बालापीर, फूलवती देवी का मंदिर आदि दृष्टव्य हैं।

कपिलवस्तु : कपिलवस्तु की पहचान उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के पिपरहवा से की गयी है। भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी (नेपाल) इसके समीप ही है। यह क्षेत्र तराई में है। कपिलवस्तु के विषय में पालि एवं संस्कृत ग्रन्थों तथा पुरातात्विक अवशेषों से विशेष प्रकाश पड़ता है। कपिलवस्तु का अर्थ कपिल ऋषि के वास (स्थान) से लगाया गया है। बौद्धकाल में कपिलवस्तु शाक्य गणराज्य की राजधानी थी। यहाँ उत्तरी काली ओपदार मृद्भाण्ड युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मौर्य सम्राट अशोक ने इस पवित्र स्थल की यात्रा की थी। कुषाणों के सिक्के कपिलवस्तु के उत्खनन में प्राप्त हुए हैं। कपिलवस्तु श्रावस्ती-वाराणसी मार्ग तथा वैशाली-पुरुषपुर मार्ग का प्रमुख केन्द्र स्थल रहा था, इसलिए कपिलवस्तु में आर्थिक-व्यापारिक सक्रियता के साक्ष्य मिलते हैं। महावस्तु के अनुसार कपिलवस्तु में अनेक प्रकार के शिल्प प्रचलित थे।

कुशीनगर : कुशीनगर की पहचान उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित कसिया स्थल से की गयी है। दिव्यादान, दीघनिकाय, अशोक के आठवें वृहद् शिलालेख, कनिष्क के सिक्कों तथा फाहियान एवं ह्वेनसांग के यात्रा-विवरणों से कुशीनगर की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण (483 ई.पू.) कुशीनगर में ही हुआ था। गुप्तकाल तथा कुशीनगर का प्रमुख महत्व स्थापित रहा था। श्रावस्ती-वाराणसी मार्ग का प्रमुख केन्द्र होने के कारण इसका आर्थिक-व्यापारिक महत्व स्थापित था। प्रमुख बौद्ध नगरी होने के कारण अशोक के समय में कुशीनगर में अनेक स्थापत्य कृतियाँ निर्मित हुई थीं। यह स्थापत्य निर्माण गुप्तकाल में भी खूब रहा था। अशोक ने यहाँ स्तूप व विहार निर्मित कराये थे। कुशीनगर से कनिष्क के सिक्के प्राप्त हुए हैं। कुमारगुप्त के समय हरिबल ने भी स्तूप एवं विहार निर्मित कराये थे। कुशीनगर के व्यापारियों एवं शिल्पियों के द्वारा मुद्रा-परिचालन के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। हूणों के कुशीनगर पर आक्रमण के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं।

कौशाम्बी : कौशाम्बी की पहचान उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के समीप यमुना नदी के तट पर स्थित कोसम नामक गाँव से की गयी है। वर्तमान में यह जनपद के रूप में जाना जाता है। जैन, बौद्ध साहित्य तथा पुरातात्विक अवशेषों से कौशाम्बी पर विस्तृत प्रकाश पड़ता है। फाहियान तथा ह्वेनसांग के यात्रा-विवरणों में कौशाम्बी की विस्तृत चर्चा की गयी है। कौशाम्बी को आद्य-नगरीय स्थल भी स्वीकार किया जाता है। महाजनपद युग में कौशाम्बी वत्स महाजनपद की राजधानी थी। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के पश्चात् कौशाम्बी आर्थिक तथा धार्मिक महत्व का केन्द्र स्थल बन गयी थी। कौशाम्बी उत्तरापथ और दक्षिणापथ का पड़ाव स्थल थी। मौर्योत्तर युग तक यह महत्वपूर्ण नगर रहा था; यहाँ से विमकडफिसस तथा कनिष्क के सिक्के प्राप्त हुए हैं। मघों ने कौशाम्बी को राजधानी बनाकर दूसरी-तीसरी शताब्दी ई. में इसे राजनीतिक-आर्थिक महत्व प्रदान किया था। कौशाम्बी को हूण नेता तोरमाण के आक्रमण से विशेष

क्षति पहुँची थी। इस प्रकार दीर्घकाल तक कौशाम्बी का सांस्कृतिक-आर्थिक-राजनीतिक-सामयिक महत्व स्थापित रहा था। बुद्ध की यह कार्यस्थली के रूप में सदैव चर्चित रही थी। यह थेरपन्थ का प्रमुख केन्द्र थी। घोषितारामविहार, अशोक का प्रयाग स्तम्भ इसके सांस्कृतिक महत्व के साक्ष्य हैं।

कड़ा : कड़ा उत्तर प्रदेश में प्रयागराज से 64 किमी. पश्चिम में गंगा तट पर स्थित है। गंगा-यमुना दोआब तथा प्रमुख व्यापारिक मार्ग पर अवस्थित होने के कारण कड़ा का आर्थिक महत्व रहा था। इस कारण सल्तनत काल एवं मुगल काल में कड़ा महत्वपूर्ण इक्ता (सूबा) था। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के समय कड़ा का सूबेदार अलाउद्दीन खिलजी था। कड़ा से ही अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ई. में अपना सफल अभियान (देवगिरि अभियान) सम्पन्न किया था। 1296 ई. में ही कड़ा में सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने करवाई थी और अपने को दिल्ली सल्तनत का सुल्तान घोषित कर दिया था। कड़ा क्षेत्र में सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक ने स्वर्गद्वारी की स्थापना की थी। शाहजादा सलीम ने 1602 ई. में अकबर के विरुद्ध विद्रोह करके कड़ा दुर्ग में ही शरण ली थी। 1765 ई. में सन्धि के अनुसार अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने अंग्रेज कम्पनी को कड़ा सौंप दिया था। भक्त सन्त मलूकदास की जन्मस्थली कड़ा थी।

कालिंजर : उत्तर प्रदेश के बाँदा जनपद में कालिंजर दुर्गीकृत स्थल है। पूर्वमध्य युग में कालिंजर में राजपूतों का शासन था। बारहवीं शताब्दी के बाद से कालिंजर तुर्कों, अफगानों, मुगलों के आक्रमणों से प्रभावित रहा था। 1022 ई. में महमूद गजनवी ने कालिंजर को पदाक्रान्त किया था। 1202 ई. में कुतुबुद्दीन ऐबक ने चन्देल शासक परमार्दिदेव को कालिंजर में पराजित किया था। 1545 ई. में कालिंजर के सैन्य अभियान में बारूद विस्फोट से शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गयी थी। मुगल सम्राट अकबर ने 1569 ई. में कालिंजर के शासक रामचन्द्र को पराजित कर कालिंजर पर आधिपत्य स्थापित कर लिया था। कालिंजर का सदैव सामयिक महत्व स्वीकार किया जाता रहा था।

कालपी : कालपी उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में यमुना नदी के तट पर स्थित है। गंगा-यमुना के दोआब क्षेत्र में स्थित होने के कारण इसका आर्थिक महत्व स्वीकार किया जाता रहा था। दसवीं शताब्दी ई. में कालपी में चन्देलों का शासन स्थापित था। काल प्रियनाथ सूर्य मंदिर महर्षि वेदव्यास की जन्म स्थली, किला के ध्वंसावशेष, पाहलाल का मंदिर, बीरबल का महल, चौरासी गुम्बद महत्वपूर्ण है। कालपी में ही देवब्रत ने भीष्म प्रतिज्ञा की थी।

कोइल : कोइल अथवा कोल उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित है। भारत में तुर्कों के आगमन के समय कोइल पर राजपूतों का प्रभुत्व स्थापित था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 ई. में कोइल पर अधिकार स्थापित किया था। इब्नबतूता कोइल के नगर वैभव की प्रशंसा करता है। सुल्तान बहलोल लोदी के समय कोइल का स्थानीय शासक ईसा खाँ था, जिसने बहलोल की अधीनता स्वीकार कर ली थी।

गढ़वा : गढ़वा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में स्थित है। यहाँ से गुप्त शासकों, कुमारगुप्त प्रथम के दो शिलालेख तथा स्कन्दगुप्त का एक लेख प्राप्त हुए हैं। कुमारगुप्त के शिलालेखों में गुप्त संवत् 98 की तिथि अंकित है। शिलालेखों से दानगृह को दान देने की सूचना प्राप्त होती है। स्कन्दगुप्त के शिलालेखों में गुप्त संवत् 148 की तिथि अंकित है। इस लेख से विष्णु की प्रतिमा की स्थापना एवं पूजा के लिए दान दिये जाने की सूचना मिलती है।

चुनार : चुनार उत्तर प्रदेश में विन्ध्य के पहाड़ी क्षेत्र में गंगानदी के तट पर मिर्जापुर जिले में स्थित है। मध्यकाल में चुनार सामयिक महत्व के कारण सदैव चर्चित रहा था; चुनार से पूर्वी भारत पर नियन्त्रण रखा जा सकता था। चौदहवीं शताब्दी में चुनार में चन्देलों का शासन स्थापित था। मुगल सम्राट बाबर ने

चुनार पर अधिकार कर लिया था। शेरशाह सूरी के दमन के क्रम में हुमायूँ ने चुनार के किले की घेराबन्दी की थी परन्तु शेरशाह ने ही चुनार पर अपना नियन्त्रण स्थापित कर लिया था। यहाँ के दुर्ग में आदि विक्रमादित्य का बनवाया हुआ भर्तृहरि का मन्दिर है। पास ही बल्लभ सम्प्रदाय का कूप मन्दिर है, जहाँ श्री विट्ठलनाथ जी की गद्दी है।

जौनपुर : उत्तर प्रदेश में गोमती नदी के तट पर स्थित जौनपुर जिला मुख्यालय है। जौनपुर की स्थापना सुल्तान फीरोजशाह तुगलक ने 1358 ई. में मुहम्मद तुगलक उर्फ जौना खाँ के सम्मान में की थी। तुगलक वंश के पतन के समय जौनपुर मलिक हुसैन शर्की के नेतृत्व में स्वतन्त्र हो गया और शर्की सल्तनत की जौनपुर में स्थापना हुई। 1492 में सिकन्दर लोदी ने पुनः जौनपुर को दिल्ली सल्तनत को अंग बना लिया था। जौनपुर अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों एवं स्थापत्य कला के लिए चर्चित रहा था। साहित्य, स्थापत्य कला (अटाला मस्जिद), संगीत कला के लिए जौनपुर के शर्की सुल्तानों का योगदान चिरस्मरणीय रहा। इसी विशेषता के कारण जौनपुर को 'शीराज-ए-हिन्दी' कहा जाता था।

झाँसी : उत्तर प्रदेश का जिला नगर झाँसी मध्यकालीन नगर है; झाँसी की स्थापना 1613 ई. में ओरछा शासक बीर सिंह बुन्देला ने की थी। 1732 ई. में जैतपुर युद्ध के बाद झाँसी स्थानीय ओरछा शासक छत्रसाल द्वारा पेशवा बाजीराव प्रथम को सौंप दी गयी थी। तत्पश्चात् झाँसी पर मराठों का प्रभुत्व स्थापित रहा था। रानी लक्ष्मीबाई झाँसी के स्वतन्त्र राज्य के शासक गंगाधर राव की पत्नी थी, जिन्होंने 1857 ई. के महान् विद्रोह में अपनी वीरता व साहस का लोहा अंग्रेजों से स्वीकार कराकर भारत के स्वतन्त्रता संग्राम में वीरगति प्राप्त की थी। झाँसी में लक्ष्मीबाई का महल, महादेव मन्दिर, मेंहदी बाग प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक अवशेष सुरक्षित हैं।

देवगढ़ : देवगढ़ उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है। देवगढ़ से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों से गुप्तकाल के विशेष स्थापत्य एवं मूर्तिकला संस्कृति की जानकारी ज्ञात होती है। देवगढ़ में मूर्तियों सहित मन्दिर प्राप्त हैं जो गुप्तकालीन हैं। इनमें दशावतार मन्दिर सर्वाधिक उल्लेखनीय है, यह भगवान विष्णु का मन्दिर पाषण-स्थापत्य का सुन्दर प्रतीक है। नव तथा सिह की गुफा देवगढ़ से जैन तीर्थंकर ऋषभदेव की पुत्री ब्राह्मी द्वारा उत्कीर्णित लिपियों का अभिलेख मिला है। यहाँ से चन्देलों के अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं।

ललितपुर : कला इतिहास की नगरी ललितपुर गुप्त कालीन मूर्तिकला तथा आदिमानव की गुफाओं में मौजूद भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है। चाँदपुर-जहाजपुर, दुघई, रणछौर जी, सीरोन, पवा, आल्हा, उदल की बैठकी मदनपुर, नीलकंठ शिव मंदिर वाली, तालवेहट तथा बानपुर का किला, हजारिया महादेव आदि प्रसिद्ध स्थल हैं।

प्रयागराज : प्रयागराज (पूर्व में इलाहाबाद) उत्तर प्रदेश में गंगा-यमुना के संगम पर स्थित है। मौर्योत्तर युग के पश्चात् के कालखण्ड में जब व्यापारिक ठहराव की स्थति रही, उस समय दोआब की उपजाऊ भूमि में स्थित प्रयाग का राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक महत्व बहुत बढ़ता चला गया। गुप्त युग से प्रयाग का धार्मिक-राजनीतिक महत्व बहुत बढ़ गया था। प्रयागराज से अशोक स्तम्भ पर हरिषेण द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रशस्ति लेख प्राप्त हुआ है। प्रयाग-प्रशस्ति से समुद्रगुप्त की सैनिक एवं कलात्मक गतिविधियों की जानकारी मिलती है। एस.आर. गोयल का कथन है कि पाटलिपुत्र के पूर्व प्रयागराज गुप्त सामन्तों की राजधानी भी रही थी। गुप्तों के सम्राट बनने के उपरान्त प्रयाग उनकी धार्मिक-सांस्कृतिक राजधानी बनी रही। गुप्तों के पतन के पश्चात् हर्षवर्द्धन गुर्जर-प्रतिहारों, चन्देलों, गहड़वालों का आधिपत्य प्रयागराज पर स्थापित रहा था। अकबर बादशाह ने प्रयाग की पुनर्स्थापना कर 'इलाहाबाद' नाम दिया जो आज सर्वाधिक प्रचलित-चर्चित है। प्रयागराज का धार्मिक महत्व (त्रिवेणी संगम) के कारण सदैव रहा है। इसे तीर्थराज कहा जाता है। हर्षवर्द्धन प्रति पाँचवें वर्ष प्रयागराज में महामोक्ष परिषद् का आयोजन करता था। कालिदास, कल्हण, अल्बरूनी ने प्रयागराज के धार्मिक-सांस्कृतिक महत्व की चर्चा की है।

फतेहपुर सीकरी : फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश के आगरा के समीप स्थित है। मध्यकाल में अकबर ने इसे प्रसिद्धि प्रदान की थी; अकबर यहाँ के प्रसिद्ध शेख सलीम चिश्ती के कारण इसको पवित्र भूमि मानते थे। सलीम (जहाँगीर) का जन्म यहीं हुआ था। तत्पश्चात् अकबर ने यहाँ शानदार स्थापत्य स्मारक बनवाये। 1573 ई. से 1588 ई. तक फतेहपुर सीकरी मुगल साम्राज्य की राजधानी रही थी। फतेहपुर सीकरी के शानदार स्थापत्य प्रतीकों में शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, बुलन्द दरवाजा, जामा मस्जिद, जोधाबाई का महल, दीवाने खास, बीरबल का महल, मरियम का महल, पंच महल, आदि बहुत प्रसिद्ध हैं।

बाँसखेड़ा : उत्तर प्रदेश में शाहजहाँपुर जिले में गंगा नदी के तट पर स्थित बांसखेड़ा से प्राप्त हर्षवर्द्धन का 628 ई. का ताम्रदानपट्ट लेख इतिहास स्रोत है। इससे हर्ष की वंशावली, प्रशासनिक संरचना की जानकारी प्राप्त होती है। बांसखेड़ा, अभिलेख में पुष्यभूति के अतिरिक्त हर्ष के समस्त पूर्वजों का उल्लेख है। राज्यवर्द्धन के सैनिक अभियानों का भी वर्णन है। इस अभिलेख में प्रशासनिक इकाइयों, अधिकारियों एवं दातव्य गाँवों पर लगने वाले करों की जानकारी मिलती है। इस अभिलेख में हर्षवर्द्धन द्वारा अहिच्छत्र भुक्ति के मर्कटसागर गाँव को कर-मुक्त करके दो ब्राह्मणों को दान देने का उल्लेख है, साथ ही इस अभिलेख में हर्ष के हस्ताक्षरों की अनुलिपि उत्कीर्ण है।

बदायूँ : बदायूँ उत्तर प्रदेश का जिला मुख्यालय है। दिल्ली सल्तनत काल में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण इक्ता स्वीकार की जाती थी। सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश बदायूँ का ही इक्तादार था। सूफी सन्त शेख निजामुद्दीन औलिया बदायूँ के ही थे। अकबर के समय का प्रमुख इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूँनी भी बदायूँ का था। दिल्ली-लखनौती मार्ग का यह प्रमुख केन्द्र स्थल था अतः इसका व्यापारिक-आर्थिक महत्व था। दोआब का प्रमुख क्षेत्र होने के कारण इसका कृषि उपज में भी महत्व स्थापित था।

बरन : वरन उत्तरप्रदेश के बुलन्दशहर जिले में स्थित है। यहाँ के राजपूत शासकों ने मुस्लिम आक्रान्ताओं का डटकर मुकाबला किया था। 1018 ई. में महमूद गजनवी ने बरन को पदाक्रान्त किया था। 1193 ई. में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बरन के शासक को पराजित कर अधिकार कर लिया था। प्रसिद्ध इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी बरन का ही निवासी था।

भीतरगाँव : भीतरगाँव उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है; इसका सम्बन्ध गुप्तकालीन मन्दिर निर्माण शैली से है। गुप्तकाल में छोटी-पकी ईंटों एवं पत्थरों से निर्मित यहाँ का मन्दिर का अवशेष ऐतिहासिक महत्व रखता है। यह मन्दिर चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में बना था। भीतरगाँव के मन्दिर की उल्लेखनीय विशेषता इसमें शिखर का होना तथा ऊँचे चबूतरे पर निर्मित होना है। मन्दिर की छत पिरामिडाकार है, इसकी बाहरी दीवारों को देवी-देवताओं की मूर्तियों से उकेरा गया है।

मेरठ : उत्तर प्रदेश के जिला नगर के रूप में चर्चित मेरठ प्राचीन काल से ऐतिहासिक घटनाओं से सम्बद्ध रहा है। मध्यकाल में राजपूत सरदार हरदत्त ने यहाँ एक किला निर्मित कराया था। बारहवीं शताब्दी के अन्त में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मेरठ को दिल्ली सल्तनत का भाग बना लिया था। फीरोजशाह तुगलक ने अशोक स्तम्भ मेरठ से उठवाकर दिल्ली में स्थापित कराया था। 10 मई, 1857 को भारत के महान विद्रोह का विस्फोट मेरठ से ही हुआ था।

राजघाट : राजघाट उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में गंगा नदी के तट पर स्थित है। राजघाट ऐतिहासिक महत्व से युक्त जानकारियों से सम्बद्ध पुरातात्विक प्रमाण प्रस्तुत करता है। वर्तमान में राजघाट वाराणसी नगर का उपभाग है। राजघाट से उत्तरी काले मृद्भाण्ड संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। वाराणसी महाजनपद युग में काशी महाजनपद की राजधानी थी। यहाँ के शिल्प और व्यापारी समृद्ध थे, जिन्होंने नगर में अपने सिक्के प्रचलित किये थे। विविध प्रकार के शिल्पों का यहाँ विकास हुआ था। पतंजलि ने यहाँ के रेशम-वस्त्र शिल्प का उल्लेख किया है। यह मध्य एशिया और यूनानी-रोमन संसार से व्यापारिक सम्पर्क रखता था। ह्वेनसांग ने भी यात्रा-विवरण में इसका विस्तृत उल्लेख किया है। गुप्तकाल में इसका

अत्यधिक राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक महत्व था। शिक्षा, दर्शन का केन्द्र स्थल थाः अल्बरूनी भी इसके सांस्कृतिक प्रभाव से मुग्ध था।

सरायनाहर राय : सरायनाहर राय उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। यहाँ के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों के आधार पर इस स्थानीय सभ्यता की तिथि लगभग 8000 ई.पू. मानी गयी है। मध्यपाषाण युग तथा स्तम्भगर्त के सर्वाधिक प्राचीन साक्ष्य यहाँ से मिले हैं।

श्रावस्ती : श्रावस्ती उत्तर प्रदेश का जिला है। श्रावस्ती की पहचान बहराइच-गोण्डा जिलों के मध्य सेहट-मेहट गाँव से हुई है। श्रावस्ती से महाजनपद युग से गुप्तोत्तर युग तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं। महाजनपद युग में कोशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। श्रावस्ती तीन प्रमुख व्यापारिक मार्गों (उत्तरापथ, दक्षिणापथ, मध्यपथ) के केन्द्र में स्थित होने के कारण आर्थिक, सामयिक एवं राजनीतिक महत्व रखती थी। श्रावस्ती भगवान बुद्ध की प्रिय नगरी थी। यहाँ के साहूकार अनाथपिण्डक ने जेतवनमहाविहार बौद्धों को अनुदान में दिया था। जैन तीर्थंकर सम्भवनाथ एवं चन्द्रप्रभु श्रावस्ती से सम्बद्ध थे। आजीवक सम्प्रदाय के महान् प्रवर्तक मक्खलि गोसाल की जन्मस्थली श्रावस्ती थी। श्रावस्ती से कनिष्क के दो अभिलेख प्राप्त हुए हैं। फाहियान तथा ह्वेनसांग ने अपने यात्रा-विवरणों में श्रावस्ती का विस्तृत उल्लेख किया है।

सारनाथ : उत्तर प्रदेश में वाराणसी नगर से 12 किमी. दूर स्थित सारनाथ प्राचीनकाल में इसिपतन मिगदाय (ऋषिपत्तन मृगदाव) के रूप में प्रसिद्ध था। यह बौद्ध सम्प्रदाय एवं मौर्यकला से सम्बद्ध स्थल है। भगवान बुद्ध का धर्मचक्र प्रवर्तन सारनाथ में हुआ था। मौर्य सम्राट अशोक ने सारनाथ में एक सिंह-शीर्ष प्रस्तर स्तम्भ बनवाया था। स्वतन्त्र भारत का राज चिह्न इसी सिंह-शीर्ष को अपनाया गया है। यह मौर्य प्रस्तर कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। सारनाथ के स्तम्भ पर अशोक का लघु लेख भी उत्कीर्ण है। फाहियान ने सारनाथ की यात्रा की थी, इसका विस्तृत उल्लेख उसने अपने यात्रा-विवरण में दिया है। ह्वेनसांग के समय सारनाथ थेरवाद का प्रमुख केन्द्र था; अपने यात्रा-विवरण में ह्वेनसांग ने इसका वर्णन किया है। मध्य युग में गहड़वाल शासक की रानी कुमारदेवी ने यहाँ विहार और संघाराम बनवाये थे। उत्खनन में सारनाथ से गुप्तकालीन धमेख स्तूप के अवशेष प्राप्त हुए हैं।

सोहगौरा : सोहगौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है। यहाँ से उत्तरी काली ओपदार मृद्भाण्ड संस्कृति के तथा मौर्योत्तर काल के सिक्के भी मिले हैं। कुषाणों के सिक्के तथा लौह वस्तुएँ भी प्राप्त हुई हैं।

सम्भल : उत्तर प्रदेश सम्भल जिला मध्यकालीन भारत में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल था। सल्तनत काल में यह महत्वपूर्ण इक्ता मानी जाती थी। मुगलकाल में भी सम्भल महत्वपूर्ण स्थल था, इसका सामयिक महत्व सदैव बना रहा था। बाबर की मृत्यु के बाद सम्भल का क्षेत्र हुमायूँ ने अपने भाई अस्करी को प्रदान कर दिया था। बाबर ने यहाँ एक जामा मस्जिद का निर्माण कराया था।

सामूगढ़ : उत्तर प्रदेश में आगरा से 16 किमी पूर्व में स्थित सामूगढ़ शाहजहाँ के उत्तराधिकार संघर्ष का प्रमुख स्थल रहा था। 29 मई, 1658 ई. को यहाँ हुए युद्ध में औरंगजेब-मुराद की संयुक्त सेना को विजय प्राप्त हुई थी तथा दारा के नेतृत्व में शाही सेना की पराजय हो गयी थी; युद्ध में विजय प्राप्त होने के उपरान्त औरंगजेब ने शाहजहाँ को आजीवन नजरबन्द कर दिया था तथा अपने को बादशाह घोषित कर दिया था।

सिकन्दरा : उत्तर प्रदेश में आगरा के समीप स्थित सिकन्दरा मुगल बादशाह अकबर के मकबरे के लिए चर्चित है। अकबर ने अपने जीवनकाल में इसका निर्माण प्रारम्भ कर दिया था परन्तु 1613 ई. में इसे जहाँगीर के राज्यकाल में पूरा निर्मित किया जा सका था। इस मकबरे में बौद्ध कला की स्थापत्य शैली का प्रभाव भी दृष्टिगत होता है।

हुलास : हुलास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है। यहाँ से उतर हड़प्पा युग से सम्बद्ध अवशेष प्राप्त हुए हैं। उत्तरी काली ओपदार मृद्भाण्ड संस्कृति के प्रमाण भी मिले हैं। शुंगों और कुषाणों के समय में भी हुलास में आवासीय बस्तियाँ थीं।

लखनऊ : उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ गोमती तट पर स्थित है। जनश्रुति है कि इस नगर को भगवान श्रीराम के भाई लक्ष्मण ने बसाया था और इसका प्राचीन नाम लक्ष्मणपुरी था। यहाँ एक पुराना टीला है, जो लक्ष्मण टीला के नाम से प्रसिद्ध है। लखनऊ की प्रसिद्धि उत्तर मुगल काल से प्रारम्भ हुई, जब अवध के सूबेदार सआदत खाँ ने अपनी स्वतन्त्र सत्ता स्थापित की थी। नवाब आसफउद्दौला के समय अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानान्तरित हो गयी और तब से 1856 ई. तक (वाजिद अली शाह तक) लखनऊ सांस्कृतिक गतिविधियों का केन्द्र रही थी। आसफुद्दौला ने रूमी दरवाजा और इमामबाड़ा बनवाया। आसफी मस्जिद, दौलतखाना, रेजीडेंसी, बिबियापुर कोठी और चौक बाजार का निर्माण भी आसफुद्दौला ने ही करवाया था। गाजीउद्दीन हैदर ने शाहनजफ, मोतीमहल, मुबारक मंजिल, सआदत अली और खुर्शीदजादी के मकबरे बनवाये। उसने नगर के दक्षिण में एक नहर भी बनवायी। मोहम्मद अली शाह ने हुसैनाबाद का इमामबाड़ा, बड़ी जामा मस्जिद, हुसैनाबाद बारादरी आदि इमारतें बनवाईं। प्रसिद्ध छतर मंजिल का निर्माण नसीरुद्दीन हैदर ने करवाया। स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों के सम्मान में यहाँ बनवाया गया शहीद स्मारक, चिड़ियाघर और नेशनल बोटेनिकल गार्डन भी दर्शनीय हैं। यहाँ प्रसिद्ध मुस्लिम संत शाहमीना की मजार है। शाहमीना लगभग 500 वर्ष पूर्व दिवंगत हुए और मुस्लिम महीने 'रजब' के प्रथम गुरुवार को इनका वार्षिक उर्स मनाया जाता है। हिन्दू और मुसलमान, दोनों ही उनके भक्त हैं। बसन्त पंचमी को आयोजित 'बसन्त की नौचन्दी' में दोनों ही भाग लेते हैं। कत्थक का यह केन्द्र रहा है। 1857 के महान् विद्रोह की प्रमुख वीरांगना बेगम हजरत महल ने इतिहास रचा था। लखनऊ महानगर शिया सम्प्रदाय का प्रमुख केन्द्र है। ईरान में इस्लामी क्रान्ति के नेता इमाम खुमैनी के पूर्वज लखनऊ से ईरान गये थे। हिन्दुस्तान में रहने के कारण उन्हें ईरान में 'हिन्दल' कहा जाता था। आज भी लखनऊ, बाहर से आने वाले शिया सम्प्रदाय के लिए एक पवित्र नगर है।

दर्शनीय स्थल (लखनऊ)

लखनऊ में 21वीं सदी के प्रथम दशक में सौन्दर्य के नये प्रतिमान जुड़े हैं। इनमें प्रमुख रूप से डॉ. भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल द्वार, डॉ. भीमराव अम्बेडकर विहार, समतामूलक चौक, सामाजिक परिवर्तन गैलरी, डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मारक दृश्य स्थल, सामाजिक परिवर्तन संग्रहालय, मान्यवर श्री कांशीराम जी स्मारक स्थल, डॉ. राममनोहर लोहिया पार्क, जनेश्वर मिश्र पार्क ऐतिहासिक एवं दर्शनीय स्थल हैं।

- **डॉ. राममनोहर लोहिया पार्क, गोमती नगर**

लखनऊ की प्रतिष्ठित गोमतीनगर योजना के विपिन खण्ड में लगभग 80 एकड़ क्षेत्रफल पर डॉ. राममनोहर लोहिया पार्क विकसित किया गया है। इस पार्क में 100 से अधिक प्रजाति के वृक्ष लगाये गये हैं तथा शरद, वसन्त एवं वर्षा ऋतु के समय 50 से अधिक प्रजाति के पक्षी इस पार्क में निवास करते हैं। पार्क में विशाल वाटरबाडी, वृहद् लॉन, फाउन्टेन व म्यूजिकल फाउन्टेन इसके स्वरूप को नया आयाम प्रदान करते हैं। महान समाजवादी डॉ. राममनोहर लोहिया की स्मृति में विकसित इस विशाल पार्क का मुख्य भ्रमण पथ एक किमी. लम्बाई में पार्क के उत्तरी छोर को दक्षिण-पश्चिमी छोर से जोड़ता है। मुख्य भ्रमण पथ पर रफ कोटा स्टोन फिनिश तथा शेष सभी पाथवे पर विट्रीफाइड टाइल्स लगायी गयी हैं। पार्क के मध्य में एक विशालकाय पैडेस्टल पर डॉ. राम मनोहर लोहिया की 18 फीट ऊँची कांस्य प्रतिमा स्थापित है, जिसके पार्श्व में 25 मीटर ऊँचाई के चार पिलर स्थापित किए गये हैं, जो कि डॉ. लोहिया के चौखम्भा सिद्धान्त को प्रतिपादित करते हैं। मुख्य स्मारक के निकट विकसित अर्द्ध चन्द्र पथ पर डॉ. लोहिया के छह निकट सहयोगियों के

जीवन वृत्तान्त अंकित करते हुए स्मृति स्तम्भ निर्मित किए गए हैं। पार्क में बच्चों के प्रयोग हेतु झूले, जन सुविधाओं के दृष्टिकोण से टायलेट, बेंच आदि सुविधाएँ स्थापित की गयी हैं। सभी पाथवे पर प्रकाश की समुचित व्यवस्था की गयी है, जिस पर प्रातः व सायंकाल भ्रमण के समय कर्णप्रिय एवं मधुर संगीत बजाया जाता है।

- **डॉ. भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल**

लखनऊ में गोमती नदी के उत्तरी किनारे पर स्थित 'डॉ. भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल' 107 एकड़ (4,33,417 वर्ग मी.) क्षेत्रफल में निर्मित है। स्मारक से बढ़कर निकलने पर डॉ. भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन संग्रहालय, सामाजिक परिवर्तन गैलरी और सामाजिक परिवर्तन स्तम्भ दर्शनीय है।

- **श्री कांशीराम जी स्मारक स्थल**

श्री कांशीराम जी स्मारक स्थल 60 एकड़ (2,42,811 वर्ग मी.) में विकसित है।

- **बौद्ध विहार शान्ति उपवन**

31 एकड़ (1,25,710 वर्ग मी.) के क्षेत्रफल में विकसित यह उपवन 1.2 कि.मी. की लम्बाई में है और शारदा नहर तथा वी.आई.पी. रोड के पार्श्व में है। इस उपवन के किनारे पर संरचनाएँ और विस्तृत बगीचे हैं। इसके पार्श्व में मेल खाती हुयीं सामाजिक परिवर्तन के नायकों की प्रतिमाएँ हैं। इससे आबद्ध ध्यान कक्ष और विस्तृत पुस्तकालय है।

- **श्री कांशीराम जी ग्रीन (इको) गार्डेन**

श्री कांशीराम जी स्मारक के समीप श्री कांशीराम जी ग्रीन (इको) गार्डेन है। लगभग 112 एकड़ क्षेत्रफल में निर्मित इस गार्डेन के अन्दर भ्रमण हेतु आने वाले आगन्तुकों की सुरक्षा एवं सुरक्षित हरित क्षेत्र उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से सुदृढ़ व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है। पार्क के अन्दर प्रवेश, पूर्वी एवं पश्चिमी चहारदीवारी पर स्थित विशाल एवं भव्य प्रवेश द्वारों द्वारा नियंत्रित किया गया है। सेन्ट्रल माउन्ड के चारों ओर एक विशाल जलाशय बनाया गया है, जिसमें फौव्वारे एवं पशु-पक्षियों की 500 से अधिक प्रतिमायें लगायी गयी हैं।

- **राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल एवं ग्रीन गार्डन**

राजधानी दिल्ली से सटे जनपद गौतमबुद्ध नगर के अति महत्वपूर्ण नोएडा के सेक्टर-95 में राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल एवं ग्रीन गार्डेन यमुना नदी के किनारे 3.32 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में महान सन्तों, गुरुओं व महापुरुषों के आदर-सम्मान में बनाया गया है।

हुलासखेड़ा : हुलासखेड़ा उत्तर प्रदेश के लखनऊ जनपद में स्थित है। हुलासखेड़ा से कुषाणकाल से गुप्त युग तक के भौतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। कुषाणकालीन अवशेषों में सर्वाधिक उल्लेखनीय हैं- 200 मीटर लम्बी सड़क, सुनियोजित जल-निकासी की व्यवस्था, कार्तिकेय की स्वर्णप्रतिमा, चाँदी के आहत सिक्के और तीन कुषाण शासकों के ताम्र सिक्के। हुलासखेड़ा से जो गुप्तकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं, उनमें दुर्ग के भग्नावशेष, ताँबे-चाँदी के सिक्के, गुप्तलिपि में लिखी कुछ मुहरें, हाथीदाँत की कंघी, मोहर छापे, 17 छड़ों वाली लोहे की अण्डाकार वस्तुएँ प्रमुख हैं।

पर्व और मेले

प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश में लगभग 2,250 मेले लगते हैं। सबसे अधिक मथुरा में (86) और उसके बाद कानपुर में (79) तथा हमीरपुर में (79) मेले लगते हैं। झाँसी में 78, आगरा में 72 तथा फतेहपुर में 70 मेले प्रतिवर्ष लगते हैं।वाराणसी नगर महापालिका में फातमा (चेतगंज) में लगभग 1,00,000 आदमी मुहर्रम के दसवें दिन एकत्र होते हैं।

प्रति बारहवें और छठे वर्ष कुम्भ एवं अर्द्ध कुम्भ मेला प्रयागराज तथा हरिद्वार में लगता है। इनमें बहुत विशाल संख्या में लोग आते हैं।

सूर्य एवं चन्द्र-ग्रहण के अवसरों पर गंगा स्नान के लिए भी बहुत बड़ी संख्या में लोग वाराणसी एवं अन्य तीर्थ स्थानों पर एकत्र होते हैं।

राज्य में विभिन्न सम्प्रदायों के लोगों द्वारा लगभग 40 त्योहार मनाये जाते हैं। हिन्दुओं द्वारा मनाये जाने वाले प्रमुख त्योहार हैं :– शीतला-अष्टमी, रक्षाबन्धन, वैशाखी पूर्णिमा, बरगदी अमावस्या, ज्येष्ठ दशहरा, गुरु पूर्णिमा, नाग पंचमी, हलषष्ठी, कृष्ण जन्माष्टमी, हरतालिका तीज, गणेश चतुर्थी, अनन्त चतुर्दशी, पितृ विसर्जनी अमावस्या, दुर्गा-नवमी, दशहरा, करवा चौथ, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भय्या दूज, देवोत्थानी एकादशी, कार्तिक पूर्णिमा, सकट चौथ, मकर संक्रांति, वसन्त पंचमी, शिवरात्रि और होली।

बौद्ध बुद्ध पूर्णिमा, जैन महावीर जयन्ती तथा सिख गुरु नानक जन्मदिवस मनाते हैं। इन त्योहारों में हिन्दू भी बड़ी संख्या में भाग लेते हैं।

मुसलमानों के प्रमुख त्योहार हैं– रमजान, ईदुज्जुहा, मोहर्रम, ईदुलफितर, बारावफात और शब-ए-बरात। ईसाइयों के मुख्य पर्व हैं– नववर्ष दिवस, गुड-फ्राइडे, ईस्टर और क्रिसमस।

पर्यटन उत्सवों पर लगने वाले मेले

	स्थान	उत्सव		स्थान	उत्सव
1.	लखनऊ	लखनऊ महोत्सव	2.	वाराणसी	वाराणसी पर्यटन उत्सव
3.	वाराणसी	संकट मोचन संगीत उत्सव	4.	वाराणसी	गंगा महोत्सव
5.	प्रयागराज	कुम्भ मेला	6.	प्रयागराज	अर्द्धकुम्भ मेला
7.	प्रयागराज	माघ मेला	8.	प्रयागराज	वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल
9.	प्रयागराज	पर्यटन उत्सव	10.	आगरा	ताज महोत्सव
11.	आगरा	कैलाश मेला	12.	आगरा	बटेश्वर मेला
13.	आगरा	राम बारात	14.	बटेश्वर (आगरा)	ऊँट मेला
15.	मथुरा	होलिकोत्सव	16.	मथुरा (मथुरा सर्किल गोकुल)	श्रीकृष्ण जन्माष्टमी
17.	वृन्दावन (मथुरा)	मुड़िया मेला	18.	बरसाना ब्रज (मथुरा)	लठ्ठमार होली
19.	अयोध्या	परिक्रमा मेला	20.	अयोध्या	रामायण मेला अयोध्या
21.	देवा (बाराबंकी)	देवा मेला	22.	मगहर (बस्ती)	कबीर मेला
23.	कम्पिल (फर्रुखाबाद)	कम्पिल पर्यटनोत्सव	24.	फर्रुखाबाद	राम नगरिया मेला श्रमीरामपुर मेला
25.	कन्नौज	कन्नौज पर्यटनोत्सव	26.	चित्रकूट	रामायण मेला
27.	मेरठ	नौचँदी मेला	28.	सरधाना (मेरठ)	सरधाना महोत्सव
29.	झाँसी	झाँसी आयुर्वेद महोत्सव	30.	बाँदा	कालिन्जर मेला
31.	कानपुर	बिठूर गंगा महोत्सव	32.	एटा	सोरों मेला
33.	गोरखपुर	खिचड़ी मेला	34.	उत्तर प्रदेश	गंगा दशहरा
35.	उत्तर प्रदेश	नकैया चेतगंज	36.	सैफई (इटावा)	सैफई महोत्सव

उत्तर प्रदेश के प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्ति

कबीर : कबीर का जन्म 1425 ई. में वाराणसी में हुआ था। कहते हैं वे एक विधवा ब्राह्मणी की सन्तान थे, जिन्हें लोकलाज के भय से उन्हें जन्मते ही लहरतारा तालाब के समीप छोड़ दिया गया था। निःसन्तान जुलाहा दम्पति (नीरू व नीमा) ने उसे पाला-पोसा और उसका नाम 'कबीर' रखा था जिसका अर्थ होता है 'महान'; इस प्रकार कबीर का प्रारम्भिक जीवन मुस्लिम परिवेश में व्यतीत हुआ। कबीर की शिक्षा किसी विद्यालय में नहीं हुई थी, उनका ज्ञान जीवन के गहन अनुभवों पर आधारित था। ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वामी रामानन्द को अपना गुरु बनाया। कबीर ने तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था पर कठोर आघात किया तथा समाज-सुधार करने की लोगों को प्रेरणा दी थी। मध्ययुगीन समाज-सुधारकों में कबीर का व्यक्तित्व व कृतित्व अनुपम रहा था। वे मात्र भक्त ही नहीं अपितु एक युगस्रष्टा, समाज-सुधारक, महात्मा तथा उच्च गुणों से युक्त महामानव थे। कबीर ने युग-युग से प्रताड़ित समाज के निम्न वर्ग को अपनी ओजस्वी वाणी द्वारा सम्मानजनक स्थान तक पहुँचाने की चेष्टा की थी, उनके आत्म-सम्मान को जगाया था।

निजामुद्दीन औलिया : निजामुद्दीन औलिया का जन्म उत्तर प्रदेश के बदायूँ में हुआ था। 1236 ई. में जन्मे निजामुद्दीन औलिया का प्रारम्भिक जीवन कष्टप्रद था। 1256 ई. में निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के शिष्य बन गये थे। उन्हीं के प्रभाव से निजामुद्दीन औलिया ने चिश्ती सम्प्रदाय को अपनाया तथा उसका प्रचार करना प्रारम्भ किया। शेख निजामुद्दीन औलिया ने सभी वर्ग के व्यक्तियों को अपना शिष्य बनाया था, प्रत्येक व्यक्ति के लिए उनके यहाँ के दरवाजे खुले थे। निजामुद्दीन औलिया ने अपना सम्पूर्ण जीवन सूफी धर्म के प्रचार में लगाया था। 1325 ई. में शेख निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हो गयी।

बाणभट्ट : बाणभट्ट हर्षवर्द्धन के दरबार में सम्मानित कवि व विद्वान के रूप में इतिहास में चर्चित हैं। बाणभट्ट ने 'हर्षचरित' व 'कादम्बरी' नामक ग्रन्थों की रचना की थी, दोनों ग्रन्थों में तत्कालीन भारत की जानकारी प्राप्त होती है। समकालीन इतिहास को जानने के लिए ये दोनों ग्रन्थ महत्वपूर्ण स्रोत हैं। कन्नौज में रहने वाले इस महान् विद्वान की प्रशंसा स्वयं सम्राट हर्षवर्द्धन तथा चीनी यात्री ह्वेनसांग ने की थी।

जियाउद्दीन बरनी : जियाउद्दीन बरनी बरन (बुलन्दशहर जिले में स्थित) का निवासी था, उसकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना तारीख-ए-फीरोजशाही' 1265 ई. से लेकर 1358 ई. तक के इतिहास की घटनाओं को अभिव्यक्त करती है। इतिहासकार बरनी के सम्बन्ध सुल्तानों से रहे थे, मुहम्मद तुगलक, फीरोज तुगलक के सम्पर्क में वह रहा था, अतः उसकी कृति समकालीन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। अधिकांश घटनाओं का वह चश्मदीद साक्षी रहा था। बरनी की दूसरी महत्वपूर्ण कृति 'फतवा-ए-जहांदारी' तत्कालीन राज्य-व्यवस्था का महत्वपूर्ण ग्रन्थ है।

अमीर खुसरो : अमीर खुसरो का जन्म 1253 ई. में पटियाली में हुआ था। वह फारसी भाषा का महान् कवि व इतिहासकार था, उसने हिन्दी (हिन्दवी) में भी रचनाएँ की थीं। वह अपने को भारतीय तोता कहता था। उसे भारतीय होने का गर्व था। अमीर खुसरो शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। वह सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहा था। वह सम्पूर्ण भारत का भ्रमण कर चुका था। उसकी प्रसिद्ध रचनाएँ तत्कालीन इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ये रचनायें हैं- केरानुस्सादैन, मिफताहुल फुतूह, नूह सिपेहर, दिवलरानी-खिज्र खाँ, तुगलकनामा, खजाइनुल फुतूह।

शेख फैजी : शेख फैजी का जन्म 1547 ई. में आगरा में हुआ था। अकबरकालीन प्रसिद्ध विद्वान शेख मुबारक का पुत्र था। वह बचपन से कविता करने लगा था। मुगल सम्राट अकबर शेख फैजी की प्रशंसा से मुग्ध हो गया था। अकबर ने शीघ्र ही शेख फैजी को दरबार में स्थान प्रदान किया। शेख फैजी स्वतन्त्र विचारों वाला विद्वान था। धर्मान्धता का विरोध होने के कारण अकबर का कृपापात्र था। शेख फैजी अकबर के काल का श्रेष्ठ कवि व विद्वान था। बदायूँनी ने फैजी की अत्यधिक प्रशंसा की है तथा उसे काव्य, इतिहास, चिकित्साशास्त्र निबन्ध रचना में अद्वितीय बताया है। अकबर द्वारा स्थापित दीन-ए-इलाही का शेख फैजी सदस्य था। 1595 ई. में शेख फैजी की मृत्यु हो गयी थी।

अबुल फजल : अबुल फजल का जन्म 1550 ई. में आगरा में हुआ था। अबुल फजल शेख मुबारक का पुत्र व शेख फैजी का छोटा भाई था। अबुल फजल बहुत योग्य था तथा अपनी योग्यता के कारण ही वह अकबर का परामर्शदाता बन गया था। अबुल फजल की दो प्रमुख रचनाएँ 'अकबरनामा' व 'आइने-अकबरी' अकबरकालीन इतिहास के मुख्य स्रोत हैं। अबुल फजल तुर्की, फारसी, संस्कृत, अरबी, हिन्दी का विद्वान था। अबुल फजल ने दक्षिणी अभियान का अकबर के साथ नेतृत्व किया था। 1602 ई. में दक्षिण से वापसी के मार्ग में वीरसिंह बुन्देला ने, शाहजादा सलीम के परामर्श से जो उसका विरोधी था, अबुल फजल की हत्या कर दी थी।

राजा टोडरमल : राजा टोडरमल का जन्म सीतापुर जिले के लहरपुर गाँव में हुआ था। वह बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि का था अतः युवा होने पर शेरशाह सूरी की सेवा में कार्यरत हो गया था। सूरवंश के पतन के पश्चात् उसने मुगलों की सेवा प्रारम्भ की तथा अपनी योग्यता से वह अकबर का दीवान बन गया था। अन्ततः अकबर उसकी राजस्व व्यवस्था से प्रभावित हुआ और उसे प्रधानमन्त्री का पद प्रदान किया। टोडरमल ने अपनी योग्यता व परिश्रम से मुगलों की भू-व्यवस्था को नवीन स्वरूप प्रदान कर व्यवस्थित किया। इसी कार्य से वह इतिहास में चर्चित हो गया। टोडरमल ने दहसाला बन्दोबस्त व्यवस्था स्थापित की थी। भूमि की नाप कराकर, उपज का सही मूल्यांकन करने के लिए उसका वर्गीकरण किया गया था। भूमि के आधार पर ही भूमिकर निर्धारित किया गया था, इस भू-व्यवस्था से किसानों को लाभ प्राप्त हुआ और राजस्व में वृद्धि हुई। टोडरमल एक योग्य वित्तमन्त्री के साथ-साथ कुशल सैन्य संचालक भी था। 1565 ई. में उसने उजबेगों के दमन में, 1568 ई. के रणथम्भौर अभियान में उसने अपनी सैन्य प्रतिभा का परिचय दिया था। टोडरमल 1589 ई. को इस संसार से विदा हो गया और अपनी अक्षयकीर्ति को सदैव के लिए छोड़ गया था।

बीरबल : बीरबल का जन्म कालपी (जिला जालौन) में 1528 ई. में हुआ था। वह जन्म से ब्राह्मण थे, उनका मूल नाम महेशदास था। वह प्रारम्भ से ही तीक्ष्ण बुद्धि का कवि हृदय का हास्यप्रिय व्यक्ति थे। उनकी प्रतिभा से प्रभावित रीवां नरेश रामचन्द्र बघेल ने उनको अपने दरबार में स्थान दिया था तत्पश्चात् उन्हें आमेर के राजा भगवानदास ने आश्रय दिया, जहाँ से वह अकबर के दरबार में नौ-रत्नों में सम्मिलित किये गये थे। बीरबल ने दीन-ए-इलाही को स्वीकार कर लिया था। 1583 ई. में बीरबल दीवानी न्याय विभाग के प्रमुख अधिकारी नियुक्त किये गये। अकबर ने बीरबल की सेवा से प्रसन्न होकर 2,000 का मनसबदार बनाया था तथा 'कविराज' की उपाधि दी थी। 1586 ई. में बीरबल युसुफ जाइयों के साथ युद्ध में मारे गये।

तात्या टोपे : तात्या टोपे का मूल नाम 'रामचन्द्र' था। तात्या उन्हें स्नेह से कहा जाता था, अतः वह तात्या कहे जाने लगे। बिठूर में अंग्रेजों द्वारा पेन्शन प्राप्त पेशवा बाजीराव द्वितीय ने उनका पालन-पोषण किया था; वे उन्हें तात्या टोपे कहते थे, इसी नाम से वे चर्चित हुए। पेशवा बाजीराज द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब मोरोपन्त की पुत्री मनु (लक्ष्मीबाई के नाम से चर्चित) भी पेशवा बाजीराव द्वितीय के महल (बिठूर में) में रहती थी अतः तीनों को साथ-साथ अपना बचपन बिताने का अवसर प्राप्त हो गया; उन तीनों में एक-दूसरे के प्रति असीम स्नेह उत्पन्न हो गया था और वे सदैव एक साथ सहयोगी की भाँति रहे थे। तात्या टोपे ने सदैव नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई की सेवा की थी। 1857 ई. के महासमर में उसने (तात्या टोपे ने) अपनी गनीमी कावा रणनीति (छापामार रणनीति), अद्वितीय साहस वीरता से अंग्रेजों को भयभीत कर दिया था। अन्ततः अंग्रेजों ने कूटनीति का सहारा लिया तथा नरवर के राजा मानसिंह की सहायता से तात्या टोपे को छल से 7 अप्रैल, 1859 ई. को गिरफ्तार कर लिया और 15 अप्रैल, 1859 ई. को शिवपुरी के सैनिक न्यायालय में मुकदमा चलाकर 18 अप्रैल, 1859 ई. को फाँसी पर चढ़ा दिया। निःसन्देह कानपुर, बिठूर, झाँसी, काल्पी सभी स्थानों पर उसने अंग्रेजों को 1857 ई. के प्रथम स्वतन्त्रता

संग्राम में धूल चटा दी थी। अंग्रेज उसके नाम से थर्राते थे। भारत के इतिहास में तात्या टोपे का नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित रहेगा।

महारानी लक्ष्मीबाई : महारानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मनु था। उनका पालन-पोषण बिठूर के महल में पेशवा बाजीराव द्वितीय की देख-रेख में हुआ था। वह मोरोपन्त की पुत्री थी। पेशवा बाजीराव स्नेह से 'छबीली' कहते थे; पेशवा के स्नेह से ही उसने घुड़सवारी, तलवार चलाने की कला सीखी। सयानी होने पर उसका विवाह झाँसी के महाराज गंगाधर से हो गया और तब मनू (मणिकर्णिका) का नाम महारानी लक्ष्मीबाई हो गया। परन्तु वह कुछ ही समयोपरान्त विधवा हो गयीं; अंग्रेज गवर्नर जनरल डलहौजी ने अपनी 'हड़प नीति' द्वारा झाँसी राज्य को उत्तराधिकार से वंचित करते हुए 7 मार्च, 1854 को अंग्रेजी साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को उत्तराधिकारी स्वीकार कराने का कम्पनी सरकार से प्रयास किया परन्तु असफल रहीं। अतः वे अंग्रेजों के प्रति क्षोभ व क्रोध से दग्ध हो गयी थीं। अन्ततोगत्वा 1857 ई. के महासमर में उन्होंने झाँसी में अंग्रेजों को भयंकर टक्कर दी। 7 जून, 1857 ई. को झाँसी पर महारानी लक्ष्मीबाई का अधिकार हो गया। लगभग दस माह बाद मार्च 1858 ई. में नये अंग्रेज सेनानायक जनरल ह्यूरोज ने पुनः संघर्ष प्रारम्भ किया। महारानी लक्ष्मीबाई ने अद्वितीय साहस व वीरता का परिचय दिया, इसमें अंग्रेज जनरल बहुत प्रभावित हुआ। परन्तु अल्प साधनों द्वारा वे अधिक समय तक विस्तृत अंग्रेजी साधनों का सामना करने में असमर्थ हो गयीं; फिर भी उसने आत्म-समर्पण नहीं किया, अन्ततः उनके इस महासंघर्ष में सभी सैनिक शहीद हुए और महारानी लक्ष्मीबाई ने भी 18 जून, 1858 ई. को युद्ध करते हुए वीरगति प्राप्त की। भारतीय इतिहास में इस वीरांगना का नाम सदैव स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगा। उसने अपने देश की रक्षा व गौरव के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी; रानी लक्ष्मीबाई की वीरता व साहस से अंग्रेज भी प्रभावित थे। महारानी लक्ष्मीबाई के वीरगति प्राप्त होने की जानकारी मिलने पर स्वयं उनके विरुद्ध आक्रमण का नेतृत्व करने वाले अंग्रेज जनरल ह्यूरोज ने कहा था, ''विद्रोहियों में अगर कोई जवांमर्द था तो वह झाँसी वाली रानी थी।''

रानी दुर्गावती : बुन्देलखण्ड के राठ-महोबा के चन्देल राजा शालिवाहन की पुत्री दुर्गावती विंध्यांचल-सतपुड़ा के अंचल में राज करने वाले स्थानीय गौढ-गढ राज्य के प्रतापी राजा संग्राम शाह की पुत्रवधु थी। पति दलपत शाह के निधन के बाद अपने अल्पायु पुत्र वीर नारायण की संरक्षिका के रूप में उन्होंने चौदह वर्ष (सन् 1550-1564 ईस्वी) तक शासन किया। उन्होंने मालवा के शासक बाज बहादुर और आक्रान्ता मियाना अफगानों को तो परास्त किया ही, मुगल बादशाह अकबर के भेजे सेनापति आसफखान को कड़ी टक्कर दी थी। युद्ध क्षेत्र में ही खुद को कटार घोंप कर आत्म बलिदान कर एक गौरवशाली इतिहास रच दिया।

नाना साहब : नाना साहब का नाम भारतीय राष्ट्रीय स्वातन्त्र्य संघर्ष में चिरस्मरणीय है। नाना साहब का प्रारम्भिक नाम गोविन्द था परन्तु वे अपने परिवार में 'घोड़ोपन्त' के नाम से चर्चित थे। उनका पालन-पोषण बिठूर में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अपने दत्तक पुत्र के रूप में किया था तथा प्यार में वे 'नाना' कहलाने लगे थे। पेशवा बाजीराव को प्राप्त पेन्शन से नाना को वंचित कर दिया गया था, अतः उन्होंने कम्पनी सरकार के विरुद्ध अपील करने हेतु अजीमुल्ला को इंग्लैण्ड भेजा परन्तु असफलता ही हाथ लगी, फलस्वरूप 1857 के महासमर में उन्होंने अंग्रेजों से डटकर संघर्ष किया। अंग्रेज सरकार ने नाना को पकड़ने हेतु एक लाख रुपये की घोषणा की थी, परन्तु उन्हें पकड़ा नहीं जा सका; वे अन्तिम दौर तक संघर्षरत रहे यद्यपि अंग्रेजों के विस्तृत साधनों के समक्ष वे सफल न हो सके। अन्ततः वे नेपाल के जंगलों की ओर पलायन कर गये, परन्तु अपनी वीरता, साहस की गाथा अपने भारतीय लोगों के लिए छोड़ गये जो उन्हें अनुप्राणित करती रही और सदैव प्रेरित करती रहेगी।

बेगम हजरत महल : 1857 ई. के सैनिक विद्रोह व प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान लखनऊ में हुए विद्रोह का नेतृत्व अवध की महारानी बेगम हजरत महल ने किया था। अवध के नवाब वाजिद अली शाह अंग्रेजों की कैद में कोलकाता (तत्कालीन कलकत्ता) में थे, अतः अवध के प्रशासन की बागडोर बेगम

हजरतमहल के हाथों में थी। उसने अपने नाबालिग बेटे बिरजिस कद्र को अवध का नवाब घोषित किया और अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध प्रारम्भ कर दिया। इस संघर्ष में बेगम हजरतमहल ने अवध के किसानों तथा जमींदारों का अपूर्व सहयोग प्राप्त किया था। अवध में 30-31 मई, 1857 ई. को भीषण संघर्ष का सूत्रपात हो गया; संघर्ष व्यापक हो गया और अंग्रेजों को भागना पड़ गया। परन्तु बेगम हजरत महल के साधन अल्प थे, अंग्रेजों को पंजाब व नेपाल से सहायता प्राप्त हो गयी और उन्होंने सितम्बर 1858 ई. में लखनऊ पर पुनः अधिकार कर लिया। बेगम हजरत महल ने पराजित होने पर भी आत्म-समर्पण नहीं 1564किया, वे नेपाल पलायन कर गयीं, परन्तु अपनी वीरता, साहस तथा देशभक्ति से सम्पूर्ण भारतवासियों को गौरव पथ पर चलने के लिए प्रेरणा की स्रोत बन गयीं। इतिहास में वे सदैव स्वर्णअक्षरों में अंकित रहेंगी।

अजीजन बेगम : 1857 ई. के स्वतन्त्रता संग्राम की बलिदानी महिलाओं में कानपुर की नाचने-गाने वाली महिला अजीजन बेगम का नाम विशेष चर्चित है। उनका जन्म लखनऊ में हुआ था, दुर्भाग्य की थपेड़ों से वे कानपुर आईं और उस समय की मशहूर तवायफ उमराव जान अदा के साथ नाचने-गाने का काम करने लगीं; यहीं उनका सम्पर्क क्रान्तिकारियों से हुआ। नाना साहब के आह्वान पर अजीजन बेगम ने अंग्रेजों से टक्कर लेने के लिए महिलाओं को संगठित किया; शीघ्र ही वे महिला सशस्त्र दल की नेता बन गयीं। प्रसिद्ध ब्रिटिश इतिहासकार सर जॉर्ज ट्रेवेलियन ने अजीजन बेगम को एक योद्धा के रूप में वर्णित करते हुए लिखा है, ''घोड़े पर सवार सैनिक वेश-भूषा में अनेक तमगे लगाये और हाथ में पिस्तौल लिए अजीजन बिजली की तरह अंग्रेज सैनिकों को रौंदती चली जाती थी, उसके साथ महिलाओं की घुड़सवार टुकड़ी भी घूमा करती थी। सैनिकों को हथियार देना, प्यासे सैनिकों को पानी पिलाना एवं घायलों की देखभाल करना, उसके प्रमुख कार्य थे।'' पं. सुन्दरलाल ने अपनी पुस्तक 'भारत में अंग्रेजी राज' में लिखा है कि कानपुर पर विद्रोहियों का अधिकार होने के बाद बंदी अंग्रेज स्त्रियों व बच्चों की हत्या के लिए विद्रोहियों को उकसाने वाली अजीजन बेगम ही थी। सम्भवतः ऐसा उसने अंग्रेजों के अमानवीय अत्याचारों के कारण क्रोध और घृणा के आवेश में किया होगा। अन्ततः अजीजन को गिरफ्तार कर अंग्रेज कमाण्डर सर हेनरी हेवलाक के समक्ष लाया गया। एक मुस्लिम क्रान्तिकारी (अजीमुल्ला खाँ) का पता बताने की शर्त पर उसे माफी देने का वायदा किया गया। अजीजन ने ऐसा करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया फलस्वरूप उसे गोली से उड़ा दिया गया। गोली लगने से ठीक पहले उसने जयघोष किया, ''हिन्दुस्तान अमर रहे'' और फिर शहीदों की टोली में मिल गयीं।

सर सैयद अहमद खाँ : सर सैयद अहमद खाँ का जन्म 1817 ई. में दिल्ली में हुआ था। 1839 ई. में उन्होंने आगरा के अंग्रेज कमिश्नर की अधीनता में सेवा प्रारम्भ की। 1857 ई. में वह सदर अमीन नियुक्त थे। 1876 ई. में सर सैयद अहमद खाँ सरकारी सेवा से निवृत्त होकर समाज-सुधारक बने। वे मुस्लिम समाज में सुधार चाहते थे। मुसलमानों में नयी शिक्षा का प्रसार चाहते थे। इसी उद्देश्य से उन्होंने अलीगढ़ में मोहम्मडन ऐंग्लो ओरियंटल स्कूल स्थापित किया व 1878 ई. में मोहम्मडन ऐंग्लो ओरियंटल कॉलेज की स्थापना की थी। सर सैयद अहमद खाँ ने मुसलमानों की स्थिति सुधारने के लिए अलीगढ़ आन्दोलन चलाया था। 1898 ई. में उनकी मृत्यु हो गयी।

मोतीलाल नेहरू : पं. मोतीलाल नेहरू का जन्म 1861 ई. में हुआ था। उन्होंने शिक्षा प्राप्ति के उपरान्त इलाहाबाद (अब 'प्रयागराज') में वकालत प्रारम्भ की, जिसमें वे पूर्ण सफल हुए। उनकी गणना भारत के महान् वकीलों में की जाती थी। स्वदेशी आन्दोलन के दौर में उन्होंने राजनीति में सक्रियता प्रदर्शित की थी। 1919 ई. में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। असहयोग आन्दोलन के अन्तर्गत उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी। असहयोग आन्दोलन के स्थगित हो जाने के उपरान्त उन्होंने स्वराज दल गठित किया। साइमन कमीशन के विरोध करने के पश्चात् नेहरू रिपोर्ट तैयार की जो आधुनिक संविधान

का ब्लू प्रिण्ट स्वीकार की जाती है। 1930 ई. में उनकी मृत्यु हो गयी थी। मृत्यु से पूर्व उन्होंने कहा था, ''मैं स्वाधीन भारत में मरना चाहता था, परन्तु मेरी इच्छा पूर्ण न हो सकी।''

पं. मदन मोहन मालवीय : पं. मदन मोहन मालवीय का जन्म इलाहाबाद (अब प्रयागराज) में 27 दिसम्बर, 1861 ई. को हुआ था; शिक्षा प्राप्ति के उपरान्त वे शिक्षक बने तथा समाज सेवा भी प्रारम्भ की। 1902 ई. में वे संयुक्त प्रान्त की विधान परिषद् के लिए निर्वाचित हुए थे। 1910 ई. से 1920 ई. तक वे केन्द्रीय विधान सभा के सदस्य रहे थे। उन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन (लन्दन में आयोजित) में भाग लिया था। 1934 ई. में 'साम्प्रदायिक निर्णय' का उन्होंने घोर विरोध किया था। मालवीय जी देशभक्ति को धर्म का एक अंग मानते थे। मालवीय जी भारत के पिछड़ेपन का कारण भारतीयों की निरक्षरता को मानते थे अतः उन्होंने भारतीयों की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया। इसी उद्देश्य से उन्होंने बनारस (अब 'वाराणसी') में 'बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय' की स्थापना की (1918 ई. में)। 1946 ई. में मालवीय जी की मृत्यु हो गयी थी।

पं. जवाहरलाल नेहरू : स्वतन्त्र भारत के प्रथम प्रधानमन्त्री पं. जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवम्बर, 1889 ई. को इलाहाबाद (अब प्रयागराज) में हुआ था। उनके पिता पं. मोतीलाल नेहरू भारत के प्रतिष्ठित वकील थे। पं. जवाहरलाल नेहरू पर उनके शिक्षक ब्रुक्स का बहुत प्रभाव था। ब्रुक्स ने उन्हें मानवता का पाठ बहुत लगन से पढ़ाया था। जवाहरलाल की उच्च शिक्षा इंग्लैण्ड में हुई थी; उन्होंने इंग्लैण्ड से बी.ए. तथा कानून की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। छात्र जीवन से ही उन्हें राजनीति में रुचि थी। 1912 ई. में भारत वापस आकर इलाहाबाद (अब प्रयागराज) में वकालत प्रारम्भ की व इसी समय से उन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन में सम्मिलित होना प्रारम्भ कर दिया। 1916 ई. में उनका विवाह कमला से हुआ व इसी वर्ष वे महात्मा गांधी के सम्पर्क में आये। 1923 ई. में जवाहरलाल को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महासचिव बनाया गया था। 1927 ई. में उन्होंने रूस की यात्रा की जिससे उनके समाजवादी विचारों में दृढ़ता आयी। 1928 ई. में लखनऊ में साइमन आयोग के बहिष्कार के दौरान वे लाठियों से मर्माहत हुए। 1929 ई. में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया जहाँ उन्होंने घोषणा की ''हमारा लक्ष्य स्वाधीनता है। स्वाधीनता का अर्थ है- पूर्ण स्वतन्त्रता।'' जवाहरलाल ने सविनय अवज्ञा आन्दोलन में तथा 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया तथा जेल गये। 1946 ई. में उन्होंने भारत की अन्तरिम सरकार का गठन किया तथा भारत के स्वतन्त्र होने पर स्वतन्त्र भारत के प्रथम प्रधानमन्त्री बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। इस पद पर वे मृत्यु-पर्यन्त (27 मई, 1964 ई.) कार्यरत रहे। पं. जवाहरलाल नेहरू एक राजनीतिज्ञ, प्रशासक, देश भक्त तथा उच्च कोटि के लेखक थे। उन्होंने 'भारत की खोज', 'विश्व इतिहास की झलक', 'आत्मकथा' लिखीं जो साहित्य व इतिहास की अमूल्य निधियाँ हैं। वे समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति थे। उनका विश्वास था कि आर्थिक स्वतन्त्रता के बिना राजनीतिक स्वतन्त्रता अधूरी है। डॉ. राधाकृष्णन ने उनके बारे में लिखा था, ''स्वाधीनता संग्राम के योद्धा के रूप में वे यशस्वी थे और आधुनिक भारत के निर्माण के लिए उनका योगदान अभूतपूर्व था।''

लालबहादुर शास्त्री : लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर, 1904 ई. को मुगलसराय में हुआ था। महात्मा गान्धी से प्रभावित होकर उन्होंने 1921 ई. में राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लिया था। 1951 ई. में लालबहादुर शास्त्री कांग्रेस के महामन्त्री बने थे, उसके उपरान्त उन्होंने अनेक पदों पर कार्य किया। पं. जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु (1964 ई.) के पश्चात् वे भारत के प्रधानमन्त्री बने थे। 1965 ई. में भारत-पाक युद्ध में विजय श्री प्राप्त करने का श्रेय उन्हें प्राप्त है। 11 जनवरी, 1966 ई. को ताशकन्द में उनकी मृत्यु हो गयी थी

चन्द्रशेखर आजाद : चन्द्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई, 1906 ई. को हुआ था। उन्होंने काशी (अब 'वाराणसी') में संस्कृत का अध्ययन किया था। वे महात्मा गांधी के असहयोग आन्दोलन से प्रभावित हुए और अपनी शिक्षा को रोककर आन्दोलन रत हो गये, उस समय उनकी आयु मात्र 14 वर्ष की थी। इस आन्दोलन में गिरफ्तार होने पर वे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किये गये जहाँ अपनी वीरता व साहस की देदीप्यमान मिसाल से वे लोकप्रिय तथा चर्चित हो गये। कलेक्टर के पूछने पर उन्होंने अपना नाम 'आजाद', पिता का नाम 'स्वतन्त्र', निवास स्थान 'जेल' बतलाया; इस पर क्रोधित होकर मजिस्ट्रेट ने 15 बैंत मारने का आदेश दिया। प्रत्येक बैंत पर वे 'वन्देमातरम्' व 'महात्मा गांधी की जय' के नारे लगाते रहे थे। इस घटना के पश्चात् वे सम्पूर्ण भारत में सर्वाधिक प्रिय बन गये थे। उन्होंने शीघ्र ही अंग्रेजों के विरुद्ध क्रान्तिकारियों का एक संगठन बनाया जिसे 'हिन्दुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन' कहा गया। इस संगठन में शचीन्द्रनाथ सान्याल, योगेशचन्द्र चटर्जी, रामप्रसाद बिस्मिल, राजेन्द्र लाहिड़ी, इत्यादि प्रमुख क्रान्तिकारी सम्मिलित थे। संगठन को धन की आवश्यकता अनुभव होने पर सितम्बर 1925 ई. में सरकारी खजाने को लूट लिया जो 'काकोरी घटना' के नाम से इतिहास में अंकित है। पुलिस उन्हें बन्दी नहीं बना सकी थी। 1928 ई. में पुलिस अधिकारी साण्डर्स की हत्या में वे संलग्न थे क्योंकि इस पुलिस अधिकारी ने निर्दोष भारतीयों का बर्बरता से उत्पीड़न किया था; इस बार भी पुलिस उन्हें गिरफ्तार न कर सकी और वे क्रान्तिकारियों तथा आन्दोलनकर्ताओं को सहयोग करते रहे थे। परन्तु 27 फरवरी, 1931 ई. को इलाहाबाद (अब प्रयागराज) के अल्फ्रेड पार्क में वे पुलिस की गोलियों से घिर गये तथा बन्दी बनाये जाने के पूर्व ही उन्होंने अपनी पिस्टल से स्वयं को गोली मार ली और शहीद हो गये। अन्त तक वे आजाद रहे। इस साहस व वीरता तथा अटूट देशभक्ति की भावना से वे प्रत्येक भारतीय के लिए परम आदरणीय बन गये तथा भारत के स्वातन्त्र्य संघर्ष के इतिहास में देदीप्यमान नक्षत्र की भाँति जगमगाते रहेंगे।

●

अर्थव्यवस्था/आर्थिक समीक्षा

उत्तर प्रदेश भारत के विशालतम राज्यों में से एक है जो कि 25°-31° उत्तरी अक्षांश तथा 77°-84° पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थिति है। इसके उत्तर में नेपाल राष्ट्र एवं उत्तराखण्ड राज्य, दक्षिण में मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, पूर्व में बिहार एवं झारखण्ड तथा पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली एवं राजस्थान की सीमाएं मिलती हैं। इस प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किमी. है, जो भारत के सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल 3287 हजार वर्ग किमी. का 7.33 प्रतिशत है। क्षेत्र के विस्तार की दृष्टि से राजस्थान (10.41 प्रतिशत), महाराष्ट्र (9.36 प्रतिशत), मध्य प्रदेश (9.03 प्रतिशत), आन्ध्र प्रदेश (8.37 प्रतिशत) के बाद उत्तर प्रदेश (7.33 प्रतिशत) का स्थान भारत के पाँचवे विशाल राज्य के रूप में है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में प्रथम स्थान है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 1998 लाख है, जो भारत की वर्ष 2011 की कुल जनसंख्या (12106 लाख) का 16.5 प्रतिशत है।

उत्तर प्रदेश में 18 मण्डल हैं तथा इन मण्डलों में कुल 75 जनपद हैं। प्रदेश को नियोजन के दृष्टिकोण से चार आर्थिक क्षेत्रों यथा- पूर्वी, पश्चिमी, केन्द्रीय एवं बुन्देलखण्ड में विभक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान तथा ग्राम्य विकास कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में 825 सामुदायिक विकास खण्ड भी बनाये गये हैं।

उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति सम्बन्धी आर्थिक सम्भागवार कुछ प्रमुख संकेतक

क्र. सं.	मद	आर्थिक सम्भाग				
		पूर्वी	बुन्देलखण्ड	पश्चिमी	केन्द्रीय	उत्तर प्रदेश
1.	जनसंख्या का घनत्व (2011)	931	329	930	785	829
2.	कुल जनसंख्या में मुख्य कर्मकरों का प्रतिशत (2011)	19.12	27.19	24.28	24.17	22.34
3.	कृषि में लगे मुख्य कर्मकरों का कुल मुख्य कर्मकरों से प्रतिशत (2011)	59.42	69.44	51.28	59.51	56.74
4.	फसल सघनता (2015-16)	160.58	136.44	166.07	156.46	159.11
5.	शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल से प्रतिशत (2015-16)	80.55	62.42	96.82	87.63	86.41
6.	प्रति हेक्टेयर सकल बोये गये क्षेत्रफल पर कुल उर्वरक वितरण किलोग्राम (2017-18)*	168.74	109.52	202.30	179.07	177.65

7.	प्रति व्यक्ति कृषि उपज का सकल मूल्य रु. प्रचलित भावों पर (2016-17) आधार वर्ष (2011-12)	7724	17153	13903	11242	1111
8.	प्रति व्यक्ति औद्योगिक उत्पादन का सकल मूल्य रु. (2015-16)	4148	3559	34851	21134	18614
9.	प्रति लाख जनसंख्या पर पंजीकृत कारखानों में लगे व्यक्तियों की संख्या (2015-16)	112	104	953	424	482
10.	कुल उपभुक्त विद्युत में से कृषि में उपभुक्त विद्युत का प्रतिशत (2018-19)	18.09	30.13	22.09	12.34	19.71
11.	प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग की मात्रा (कि.वा. प्रति घं.) (2018-19)	262.84	365.25	542.28	374.97	392.23
12.	ऋण जमा अनुपात (मार्च 2019)	29.69	49.04	54.70	36.64	42.25
13.	प्रति लाख जनसंख्या पर संस्थानुसार स्कूलों की संख्या (2018-19)					
	क. जूनियर बेसिक	76	92	73	77	76
	ख. सीनियर बेसिक	37	50	38	34	38
	ग. हायर सेकेण्डरी	12	10	12	11	12
14.	प्रति लाख जनसंख्या पर संस्थानुसार विद्यार्थियों की संख्या (2018-19)					
	क. जूनियर बेसिक	9203	8422	7400	7910	8261
	ख. सीनियर बेसिक	3068	3496	2101	2686	2659
	ग. हायर सेकेण्डरी	6706	5011	5891	5701	6141
15.	प्रति लाख जनसंख्या पर एलोपैथिक चिकित्सालयों एवं औषधालयों की संख्या (2018-19)	2.41	3.11	1.99	1.94	2.20
16.	प्रति लाख जनसंख्या पर एलोपैथिक चिकित्सालयों एवं औषधालयों में शैय्याओं की संख्या (2018-19)	39.08	49.97	35.13	45.32	39.24
17.	प्रति हजार आबाद मजरों पर नल द्वारा पेयजल युक्त मजरों की सं. (2018-19)	985.7	984.7	983.1	991.8	986.3
18.	प्रति लाख जनसंख्या पर लोक नि.वि. के अधीन पक्की सड़कों की लम्बाई (कि.मी.) (2017-18)	121.39	131.27	90.97	99.58	106.60

* सकल बोया गया क्षेत्रफल वर्ष 2015-16 पर आधारित है।

19. प्रति हजार वर्ग किमी. क्षेत्रफल पर लोक नि.वि. की पक्की सड़कों की लम्बाई कि.मी. (2017-18)	1294.70	470.46	940.82	770.49	977.08
20. विद्युतीकृत ग्रामों का कुल आबाद ग्रामों से प्रतिशत (2018-19) 2011 के आबाद ग्रामों के आधार पर	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

स्रोत :- सांख्यिकीय डायरी उ.प्र. 2019, अर्थ एवं संख्या प्रभाग उ.प्र.

राज्य की अर्थव्यवस्था

राज्य आय के वर्ष 2018-19 के जारी त्वरित अनुमान के अनुसार वर्ष 2018-19 में स्थिर (2011-12) भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) की वृद्धि दर 5.3% रही है। वर्ष 2018-19 में स्थिर (2011-12) भावों में सकल राज्य घरेलू मूल्य वर्धन (जीएसवीए) में प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक खण्डों की वृद्धि दर क्रमशः 2.1%, 4.5%, 7.6% रही है। प्रचलित भावों पर निवल राज्य घरेलू उत्पाद (एनएसडीपी) के सन्दर्भ में वर्ष 2018-19 की प्रति व्यक्ति आय रु. 66512 आंकलित हुई है जो गत वर्ष से 13.17% की वृद्धि दर को दर्शाता है। वर्ष 2018-19 में प्रचलित भावों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन (जीएसवीए) का खण्डवार वितरण इस प्रकार है- (क) प्राथमिक खण्ड-25.8%, (ख) द्वितीयक खण्ड-27.0% तथा (ग) तृतीयक खण्ड- 47.2%। प्रदेश के राज्य आय के वर्ष 2018-19 के जारी त्वरित अनुमानों का विस्तृत विवरण निम्नवत् है :

सकल राज्य मूल्य वर्धन (स्थायी भावों पर)

आधार वर्ष 2011-12 पर जारी वर्ष 2018-19 के त्वरित अनुमानों के अनुसार बुनियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन वर्ष 2011-12 में रु. 681895 करोड़, वर्ष 2012-13 में रु. 716339 करोड़, वर्ष 2013-14 में रु. 754331 करोड़, वर्ष 2014-15 में रु. 780937 करोड़, वर्ष 2015-16 में रु. 851574 करोड, वर्ष 2016-17 में रु. 947623 करोड़, वर्ष 2017-18 में 1016074 करोड़ तथा वर्ष 2018-19 में 1070751 रहा है, जो वर्ष 2012-13 में 5.1%, वर्ष 2013-14 में 5.3%, वर्ष 2014-15 में 3.5%, वर्ष 2015-16 में 9.0%, वर्ष 2016-17 में 11.3% , वर्ष 2017-18 में 7.2% तथा वर्ष 2018-19 में 5.4 की वृद्धि दर को दर्शाता है।

सकल राज्य मूल्य वर्धन में प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक खण्डों की वृद्धि दर वर्ष 2012-13 में क्रमशः 4.4%, 2.8% तथा 6.8%, वर्ष 2013-14 में क्रमशः (-) 0.1%, 7.9% तथा 7.1%, वर्ष 2014-15 में क्रमशः (-) 0.9%, (-) 2.0% तथा 9.2%, वर्ष 2015-16 में क्रमशः 5.6%, 15.3% तथा 7.6%, वर्ष 2016-17 में 7.1%, 27.9% तथा 4.2%, वर्ष 2017-18 में क्रमशः 9.1%, 4.2% तथा 8.3% एवं वर्ष 2018-19 में 2.1%, 4.5% तथा 7.6% रही है।

खण्डवार विश्लेषण (स्थायी भावों पर)

प्राथमिक खण्ड : इसके अन्तर्गत कृषि, वानिकी एवं मत्स्यन तथा खनन और उत्खनन उपखण्ड शामिल हैं। नवीन शृंखला में प्राथमिक खण्ड के अन्तर्गत फसल तथा पशुपालन के अनुमान पृथक-पृथक आंकलित किये गये हैं जबकि पुरानी शृंखला में यह कृषि तथा संवर्गीय क्षेत्र के अन्तर्गत एक साथ आंकलित किये जाते थे।

- स्थायी भावों पर प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में फसल उपखण्ड के अन्तर्गत वर्ष 2012-13, वर्ष 2013-14, वर्ष 2014-15, वर्ष 2015-16, वर्ष 2016-17, वर्ष 2017-18 तथा वर्ष 2018-19 में क्रमशः 5.0%, (-)2.3%, (-)5.4%, 4.9%, 6.6%, 6.0% तथा 5.5% की वृद्धि हुई है।

- पशुपालन उपखण्ड के अन्तर्गत प्रदेश के सकल राज्य मूल्य वर्धन में वर्ष 2012-13, वर्ष 2013-14, वर्ष 2014-15, वर्ष 2015-16, वर्ष 2016-17, वर्ष 2017-18 तथा वर्ष 2018-19 में क्रमशः 4.9%, 4.7%, 5.6%, 3.7%, 3.4%, 0.5% तथा 6.6% की वृद्धि हुई है।
- मत्स्य उपखण्ड के अन्तर्गत प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में वर्ष 2012-13, वर्ष 2013-14, वर्ष 2014-15, वर्ष 2015-16, वर्ष 2016-17, वर्ष 2017-18 एवं वर्ष 2018-19 में क्रमशः 4.7%, 3.3%, 6.4%, 2.1%, 22.4%, 1.8% तथा 5.3% की वृद्धि हुई है।
- खनन एवं पत्थर निकालना उपखण्ड के अन्तर्गत प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में वर्ष 2012-13, वर्ष 2013-14, वर्ष 2014-15, वर्ष, 2015-16, वर्ष 2016-17, वर्ष 2017-18 तथा वर्ष 2018-19 में क्रमशः (-) 0.6%, 10.1%, 28.2%, 32.4%, 9.5%, 89.0% तथा (-) 26.6% की वृद्धि हुई है।

माध्यमिक खण्ड : माध्यमिक खण्ड के अन्तर्गत विनिर्माण, विद्युत गैस तथा जल सम्पूर्ति एवं निर्माण कार्य उपखण्ड शामिल हैं। प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में द्वितीयक खण्ड के अन्तर्गत वर्ष 2012-13, वर्ष 2013-14, वर्ष 2014-15, वर्ष 2015-16, वर्ष 2016-17, वर्ष 2017-18, एवं वर्ष 2018-19 में क्रमशः 2.8%, 7.9%, (-) 2.0%, 15.3%, 27.9%, 4.2% तथा 4.5% की वृद्धि हुई है।

प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में विनिर्माण उपखण्ड के अन्तर्गत वर्ष 2012-13, वर्ष 2013-14, वर्ष 2014-15, वर्ष 2015-16, वर्ष 2016-17, वर्ष 2017-18 एवं वर्ष 2018-19 में क्रमशः 4.1%, 13.7%, (-)10.0%, 26.4%, 47.0%, 2.9%, तथा 3.9% की वृद्धि हुई है।

प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में विद्युत गैस तथा जल सम्पूर्ति के अन्तर्गत वर्ष 2012-13, वर्ष 2013-14, वर्ष 2014-15, वर्ष 2015-16, वर्ष 2016-17, वर्ष 2017-18 तथा वर्ष 2018-19 में क्रमशः 5.8%, 13.0%, 6.0%, 6.3%, 14.3%, 12.3% तथा 3.0% की वृद्धि हुई है।

प्रदेश के सकल राज्य मूल्य वर्धन में निर्माण उपखण्ड के अन्तर्गत वर्ष 2012-13, वर्ष 2013-14, वर्ष 2014-15, वर्ष 2015-16, वर्ष 2016-17, वर्ष 2017-18 तथा वर्ष 2018-19 में क्रमशः 1.0%, 1.1%, 6.5%, 5.2%, 6.6%, 5.3% तथा 5.8% की वृद्धि हुई है।

तृतीयक खण्ड : अर्थव्यवस्था के तृतीयक खण्ड के अन्तर्गत "परिवहन-संचार-व्यापार", "वित्त तथा स्थावर सम्पदा" एवं "सामुदायिक तथा निजी सेवायें" उपखण्ड सम्मिलित हैं। प्रदेश के सकल राज्य मूल्य वर्धन में सेवा उपखण्ड के अन्तर्गत वर्ष 2012-13, वर्ष 2013-14, वर्ष 2014-15, वर्ष 2015-16, वर्ष 2016-17, वर्ष 2017-18 तथा वर्ष 2018-19 में क्रमशः 6.8%, 7.1%, 9.2%, 7.6%, 4.2%, 8.3% तथा 7.6% की वृद्धि हुई है।

सकल राज्य मूल्य वर्धन (प्रचलित भावों पर)

बुनियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन वर्ष 2011-12 में रु. 681895 करोड़ तथा वर्ष 2012-13 में रु. 777206 करोड़, वर्ष 2013-14 में रु. 885565 करोड़ तथा वर्ष 2014-15 में रु. 948993 करोड़, वर्ष 2015-16 में रु.1057651 करोड़, वर्ष 2016-17 में रु. 1198489 करोड़, वर्ष 2017-18 में रु. 1338226 करोड़ तथा वर्ष 2018-19 में रु. 1475082 करोड़ रहा है।

प्राथमिक खण्ड का सकल राज्य मूल्य वर्धन वर्ष 2011-12, वर्ष 2012-13, वर्ष 2013-14, वर्ष 2014-15, वर्ष 2015-16, वर्ष 2016-17, 2017-18, तथा वर्ष 2018-19 में क्रमशः रु.189787 करोड़, रु. 219964 करोड़, रु. 246724 करोड़, रु. 254845 करोड़, रु. 283769 करोड़, रु. 310503 करोड़, रु. 349848 करोड़ तथा रु. 380310 करोड़ रहा है।

द्वितीयक खण्ड का सकल राज्य मूल्य वर्धन वर्ष 2011-12, वर्ष 2012-13, वर्ष 2013-14, वर्ष 2014-15, वर्ष 2015-16, वर्ष 2016-17, वर्ष 2017-18 तथा वर्ष 2018-19 में क्रमशः रु. 181781 करोड़, रु. 200719 करोड़, रु. 231544 करोड़, रु. 238000 करोड़, रु. 269234 करोड़, रु. 333993 करोड़ तथा रु. 366435 तथा रु. 398526 करोड़ रहा है।

तृतीयक खण्ड का सकल राज्य मूल्य वर्धन वर्ष 2011-12, वर्ष 2012-13, वर्ष 2013-14, वर्ष 2014-15, वर्ष 2015-16, वर्ष 2016-17, वर्ष 2017-18 तथा वर्ष 2018-19 में क्रमशः रु. 310326 करोड़, रु.356522 करोड़, रु.407297 करोड़, रु. 456148 करोड़, रु. 504649 करोड़, रु. 553994 करोड़, रु. 621943 करोड़ तथा रु. 696246 करोड़ अनुमानित रहा है।

अर्थव्यवस्था की खण्डीय संरचना

राज्य की अर्थव्यवस्था में विभिन्न खण्डों के अंशदानों एवं निश्चित अवधि में हुए परिवर्तनों से यह बोध होता है कि विभिन्न आर्थिक क्षेत्र किस प्रकार विकसित हो रहे हैं। वर्ष 2018-19 के त्वरित अनुमानों के अनुसार प्राथमिक खण्ड का स्थायी (2011-12) भावों पर राज्य के निवल मूल्य वर्धन में योगदान जो वर्ष 2011-12 में 29.0 प्रतिशत था, वो घटकर वर्ष 2018-19 में 24.1 प्रतिशत रह गया है। इस अवधि में राज्य की अर्थव्यवस्था के प्राथमिक खण्ड में कृषि (फसल) का योगदान 18.5 प्रतिशत से घटकर 14.1 प्रतिशत रह गया है। वर्ष 2018-19 में पशुपालन खण्ड का योगदान 6.2 प्रतिशत तथा वन उद्योग एवं लट्ठे बनाना खण्ड का योगदान 1.6 प्रतिशत है। इस प्रकार प्राथमिक खण्ड के अन्तर्गत फसल खण्ड का योगदान अभी भी सर्वाधिक है।

माध्यमिक खण्ड का राज्य के निवल मूल्य वर्धन में योगदान वर्ष 2011-12 में 25.9 प्रतिशत था जो वर्ष 2018-19 में भी 30.1 प्रतिशत है। इस खण्ड के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 में विनिर्माण उपखण्ड का योगदान 17.8 प्रतिशत तथा निर्माण उपखण्ड का योगदान 11.5 प्रतिशत रहा है।

तृतीयक खण्ड का राज्य के निवल मूल्य वर्धन में योगदान वर्ष 2011-12 में 45.1 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2018-19 में 45.8 प्रतिशत हो गया है। इस खण्ड के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 में सर्वाधिक योगदान स्थावर सम्पदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यावसायिक उपखण्ड का 12.5 प्रतिशत रहा है। वर्ष 2018-19 में व्यापार, होटल एवं जलपान गृह का योगदान 10.4 प्रतिशत तथा परिवहन संग्रहण तथा संचार खण्ड का योगदान 7.7 प्रतिशत आंकलित हुआ है। खण्डीय संरचना के इस परिवर्तन से यह संकेत मिलता है कि वर्ष 2011-12 से राज्य की अर्थव्यवस्था कृषीय से अकृषीय की ओर निरन्तर अग्रसर होती जा रही है तथापि राज्य की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था में कृषि की प्रधानता है।

प्रति व्यक्ति आय

वर्ष 2018-19 के त्वरित अनुमान के अनुसार प्रदेश की निवल राज्य घरेलू उत्पाद के सन्दर्भ में प्रचलित भावों पर प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2011-12 में रु. 32002 थी जो बढ़कर वर्ष 2018-19 में रु. 66512 हो गयी है। वर्ष 2017-18 तथा वर्ष 2018-19 में प्रति व्यक्ति आय में क्रमशः 11.5% तथा 13.1% प्रतिशत की वृद्धि दर परिलक्षित हुई है। प्रदेश की निवल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में स्थायी भावों पर प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2011-12 में रु. 32002 थी जो बढ़कर वर्ष 2018-19 में रु. 44421 हो गयी है। वर्ष 2017-18 तथा वर्ष 2018-19 में प्रति व्यक्ति आय में क्रमशः 5.3 प्रतिशत तथा 3.8 प्रतिशत की वृद्धि दर परिलक्षित हुई है जैसे कि निम्न तालिका में दृष्टव्य है:

तालिका

प्रदेश की निवल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में प्रति व्यक्ति आय (रु.में)

वर्ष	प्रचलित भावों पर	गतवर्ष में प्रतिशत वृद्धि	स्थायी भावों पर	गत वर्ष से प्रतिशत वृद्धि
2011-12	32002	-	32002	-
2012-13	35812	11.9	32908	2.8
2013-14	40124	12.0	34044	3.5
2014-15	42267	5.3	34583	1.6
2015-16	47118	11.5	36973	6.9
2016-17	52744	11.9	40641	9.9
2017-18	58821	11.5	42798	5.3
2018-19	66512	13.1	44421	3.8

प्रदेश के राज्य आय तथा अखिल भारतीय राष्ट्रीय अनुमानों का विश्लेषण

केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी राष्ट्रीय आय के वर्ष 2018-19 के अनन्तिम अनुमान के अनुसार राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में प्रचलित भावों पर वर्ष 2011-12 में प्राथमिक तथा द्वितीयक खण्ड का योगदान क्रमशः 21.7 प्रतिशत व 29.3 प्रतिशत था जो घटकर वर्ष 2018-19 में 18.5 प्रतिशत व 27.2 प्रतिशत हो गया है। इसके विपरीत तृतीयक खण्ड का योगदान वर्ष 2011-12 में 49.0 प्रतिशत था जो बढ़कर वर्ष 2018-19 में 54.3 प्रतिशत हो गया है। वर्ष 2018-19 में राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदान 16.4 प्रतिशत विनिर्माण खण्ड का है। उक्त अवधि में प्रदेश में भी प्राथमिक खण्ड के योगदान में कमी आई है जबकि तृतीयक खण्ड का योगदान 45.5 प्रतिशत से बढ़कर 47.2 प्रतिशत हो गया है। वर्ष 2018-19 में राज्य की अर्थव्यवस्था में अभी भी कृषि खण्ड की प्रधानता है।

वर्ष 2018-19 में स्थायी (2011-12) भावों पर सकल घरेलू उत्पाद में अखिल भारतीय स्तर पर 6.8 प्रतिशत तथा राज्य स्तर पर 5.3 प्रतिशत की वृद्धि दर परिलक्षित हुई है।

वर्ष 2011-12 से वर्ष 2018-19 की अवधि में प्रचलित भावों पर राज्य की प्रति व्यक्ति आय निवल घरेलू उत्पाद के सन्दर्भ में रु. 32002 से बढ़कर 66512 हो गयी जबकि अखिल भारतीय स्तर पर रु. 63462 से बढ़कर रु. 126406 हो गयी है। वर्ष 2011-12 से वर्ष 2018-19 तक प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति आय का लगभग 50 प्रतिशत रही है।

लोक निधि-

प्रदेश की विकासशील अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण संसाधनों की सृजन क्षमता सीमित है। ऐसी स्थिति में प्रदेश के विकासात्मक गतिविधियों हेतु सीमित संसाधनों के दृष्टिगत प्रदेश का विकास किया जाना एक बड़ी चुनौती है।

1. राजस्व प्राप्ति-

राज्य के संसाधन मुख्य रूप से राज्य के अपने संसाधन तथा केन्द्र सरकार से अन्तरण के आधार पर प्राप्त होते हैं। राज्य के राजस्व आय के प्रमुख स्रोत हैं- कर, करेत्तर राजस्व तथा केन्द्र सरकार से अन्तरण। केन्द्रीय अन्तरण के स्रोत हैं केन्द्रीय करों के विभाज्य अंश में राज्य का अंश तथा केन्द्र से अनुदान। वर्ष 2017-18 के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश को रु. 2,78,775.45 करोड़ के कुल राजस्व आय में राज्य के कर एवं करेत्तर राजस्व से रु. 1,17,187.86 करोड़ तथा केन्द्र से करों के विभाज्य अंश में तथा केन्द्रीय

अनुदानों के रूप में रु. 1,61,587.99 करोड़ प्राप्त हुआ। राज्य के गत पाँच वर्षों की राजस्व प्राप्तियों को निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका

राज्य की कुल राजस्व प्राप्ति से आय के स्रोत का प्रतिशत **(करोड़ रु. में)**

वर्ष	राज्य का स्वयं का राजस्व		केन्द्रीय संक्रमण		कुल राजस्व प्राप्तियाँ
	राज्य कर तथा शुल्क	राज्य करेत्तर राजस्व	केन्द्रीय करों में अंश	केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान	
2014-15	74172.98	19934.80	66622.35	32691.48	193421.61
2015-16	81106.29	23134.66	90973.66	31861.33	227075.94
2016-17	85966.25	28944.07	109427.96	32536.87	256875.15
2017-18	97393.00	19794.86	120939.14	40648.45	278775.45
2018-19(पु.अ.)	134300.00	28821.66	141539.97	75360.09	380021.72

राज्य की राजस्व आय में राज्य के कर एवं करेत्तर राजस्व का अंश वर्ष 2018-19 के वास्तविक आकड़ों के अनुसार 42.9 प्रतिशत था अर्थात राज्य के कुल राजस्व प्राप्ति में लगभग 57.1 प्रतिशत अंश केन्द्र सरकार से अंतरण के माध्यम से प्राप्त होता है। संसाधनों में वृद्धि के लिए राज्य सरकार द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे हैं।

2. राजस्व व्यय-

राजस्व व्यय के मुख्य भाग हैं- राज्य करों की वसूली पर व्यय, ब्याज का भुगतान, प्रशासनिक तथा सामान्य सेवाओं पर व्यय तथा सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय। वर्ष 2014-15 से वर्ष 2018-19 की अवधि में राजस्व व्यय तथा सामान्य, सामाजिक, आर्थिक सेवाओं एवं स्थानीय निकायों के अनुदान पर होने वाले राजस्व व्यय को निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका

राजस्व व्यय के मुख्य घटक **(करोड़ रु. में)**

वर्ष	कुल राजस्व व्यय	राजस्व व्यय के घटक			
		सामान्य सेवायें	सामाजिक सेवायें	आर्थिक सेवायें	स्थानीय निकायों को अनुदान
2014-15	171027.33	64305.73	60905.78	34885.24	10930.58
2015-16	212735.95	72227.92	82486.46	47881.28	10140.29
2016-17	236592.26	88254.82	91861.12	45834.16	10642.16
2017-18	266223.52	105781.67	84251.68	64634.76	11555.41
2018-19(पु.अ.)	332774.06	137011.04	111081.78	72493.72	12187.52

सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर होने वाला व्यय विकासात्मक श्रेणी में तथा सामान्य सेवाओं पर किया जाने वाला राजस्व व्यय विकासेत्तर व्यय कि श्रेणी में आता है। वित्तीय वर्ष 2015-16 तक विकासेत्तर राजस्व व्यय का अंश कुल राजस्व व्यय में घटकर 34 प्रतिशत के स्तर तक आ गया था परन्तु इसके उपरान्त इसमें लगातार वृद्धि परिलक्षित हो रही हैं।

3. वेतन, पेंशन, ब्याज-

राज्य के व्यय का एक बड़ा भाग राज्य कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन के रूप में व्यय हो जाता है। यह राज्य सरकार का वचनबद्ध व्यय है जिसे राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना अनिवार्य है। इन मदों में किये जाने वाले व्यय का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका

वेतन, पेंशन एवं ब्याज पर राजस्व व्यय (करोड़ रु. में)

वर्ष	वेतन	पेंशन	ब्याज	वेतन+ पेंशन+ ब्याज
2014-15	61,557.74	22,304.61	18,864.44	1,02,726.79
2015-16	73,795.79	24,149.57	21,447.87	1,19,393.23
2016-17	84,591.85	28,226.94	26,935.67	1,39,754.46
2017-18	10,0260.43	38,476.49	29,135.83	1,67,872.75
2018-19(पु.अ.)	11,8170.85	47,617.49	31,870.70	1,97,659.04

4. पूँजीगत परिव्यय

पूँजीगत परिव्यय राज्य की विकासात्मक गतिविधि को प्रदर्शित करने वाला व्यय है तथा प्रदेश का विकास पूँजीगत परिव्यय पर ही निर्भर होता है। पूँजीगत परिव्यय का यद्यपि कोई मानक निर्धारित नहीं किया जाता है अपितु यह सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में जितना अधिक होगा, उतना राज्य के लिए बेहतर माना जाता है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य सरकार द्वारा लघु एवं सीमान्त किसानों की वर्षों से चली आ रही ऋण की समस्या के दृष्टिगत व्यापक स्तर पर ऋण राहत के एक बड़े अंश का मोचन किया गया जिसके कारण पूंजीगत परिव्यय में वर्ष 2017-18 में कमी परिलक्षित हो रही हैं। राज्य सरकार का यह कदम वर्ष 2022 तक कृषकों की आय दुगनी करने की दशा में एक सकारात्मक पहल है तथा इसका दीर्घकालीन अनुकूल प्रभाव प्रदेश की वृद्धि दर पर पड़ेगा।

5. ऋण का उपयोग-

परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु राज्य सरकार द्वारा कतिपय माध्यमों से ऋण लिया जाता है तथा वित्तीय अनुशासन के अभाव में लिया जाने वाला ऋण अनियंत्रित होकर पूरी अर्थव्यवस्था को चरमरा सकता है। लोक वित्त के सिद्धान्त के अन्तर्गत व्यय को वहन करने के लिए ऋण लेना बुरा नहीं है। बशर्ते उस ऋण का उपयोग परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए किया जाये।

6. राजकोषीय घाटा-

किसी भी राज्य की वित्तीय स्थिति को आंकने का सबसे महत्त्वपूर्ण संकेतक राजकोषीय घाटा का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशत होता है। वर्ष 2014-15 में यह 3.40 प्रतिशत के स्तर पर था जो वर्ष 2017-18 में घटकर 2.02 प्रतिशत के स्तर पर आ गया है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2010-11 से वर्ष 2014-15 की अवधि हेतु 13वें वित्त आयोग द्वारा 3.0 प्रतिशत की सीमा भी निर्धारित की गयी थी। राज्य सरकार द्वारा आयोग की संस्तुति के अनुसार उक्त वर्षों में राजकोषीय घाटा को निर्धारित

3 प्रतिशत के स्तर से नीचे ही बनाये रखे जाने के प्रयास किये गये हैं। वित्तीय वर्ष 2015-16 से 14वें वित्त आयोग की संस्तुति के क्रम में पुनः 3 प्रतिशत की सीमा निर्धारित की गयी परन्तु दो शर्तों यथा- ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 25 प्रतिशत से कम होने तथा ब्याज भुगतान/राजस्व प्राप्ति के 10% से कम होने पर आगामी वर्ष में क्रमशः 0.25-0.25 प्रतिशत की लोचनीयता प्रदान की गयी अर्थात शर्त पूर्ण करने की स्थिति में राज्य अधिकतम 3.5 प्रतिशत तक राजकोषीय घाटा की सीमा तक जा सकते हैं।

7. राज्य की कुल ऋण ग्रस्तता-

प्रदेश में विकासात्मक योजनाओं एवं सामाजिक उत्थान के अनेक कार्यों हेतु राज्य सरकार को अपने सीमित संसाधनों के दृष्टिगत ऋण लेने की आवश्यकता होती है। उत्तर प्रदेश राज्य की व्यवस्था विकासशील है जिस कारण अनेक स्रोतों से राज्य सरकार द्वारा ऋण की उगाही की जाती है। राज्य सरकार की कुल ऋणग्रस्तता को निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका

राज्य की कुल ऋणग्रस्तता **(करोड़ रु. में)**

वर्ष	बाजार ऋण	अल्प बचत	भविष्य एवं पेंशन निधियाँ	ऊर्जा बन्धपत्र	अन्य*	कुल ऋणग्रस्तता
2014-15	1,02,666.91	65,444.26	45,480.38	5,857.32	47,371.82	2,66,820.69
2015-16	1,27,967.87	69,782.94	47,014.66	34.872.73	44,297.46	3,23,935.66
2016-17	1,64,872.26	65,251.36	48,733.64	49,674.02	44,886.05	3,73,417.33
2017-18	2,02,050.26	60,608.32	51,263.76	49,674.02	45,120.13	4,08,716.49
2018-19 (पु.अ.)	2,37,356.93	55,736.67	54,020.36	49,674.02	45,720.72	4,42,508.70

***अन्य में वित्तीय संस्थाओं से ऋण, भारत सरकार से ऋण, जमा एवं अग्रिम अन्य देयतायें शामिल हैं।**

उत्तर प्रदेश राज्य की अर्थव्यवस्था विकासशील हैं जिस कारण अनेक स्रोतों से राज्य सरकार द्वारा ऋण की उगाही की जाती है। राज्य सरकार की कुल ऋणग्रस्तता उक्त तालिका के अनुसार वर्ष 2017-18 तक कुल ऋणग्रस्तता रु. 408716.49 करोड़ तक पहुंच गयी है तथा वर्ष 2018-19 के अन्त तक इसके रु. 442508.70 करोड़ तक होने का अनुमान है।

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि कुल ऋण ग्रस्तता लगातार बढ़ती जा रही है, परन्तु किसी भी राज्य की ऋण ग्रस्तता का आंकलन उसकी कुल ऋण ग्रस्तता से नहीं अपितु सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशत के रूप में किये जाने पर ही राज्य की सही स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। इस सम्बन्ध में कतिपय केन्द्रीय वित्त आयोगों द्वारा राज्य एवं संघ के लिए ऋण एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिए निर्धारित अनुपात की संस्तुति की जाती रही है तथा यदि राज्य अथवा संघ अपने निर्धारित प्रतिशत अनुपात की सीमा के अन्दर हैं तो राज्य की ऋण स्थिति नियन्त्रित मानी जाती है।

प्रदेश में बैंकिंग नेट वर्क

प्रदेश में मार्च 2019 तक कुल 18394 बैंक शाखायें कार्यरत हैं जिनके माध्यम से बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

उत्तर प्रदेश में मार्च 2019 तक कुल कार्यरत बैंक शाखायें

क्र.सं.	बैंक का प्रकार	बैंक शाखाओं की संख्या (2018-19)
1.	सार्वजनिक बैंक	11154
2.	निजी बैंक	1337
3.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	4314
4.	सहकारी बैंक	1589
	कुल	**18394**

बैंकों की वार्षिक जमा– प्रदेश में व्यवसायिक बैंकों (ग्रामीण बैंकों सहित) में मार्च 2019 तक रु. 1030115.17 करोड़ की धनराशि जमा है।

बैंकों की वार्षिक ऋण योजना– कृषि उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में ऋण वितरण करने हेतु प्रत्येक जनपद के लिए प्रतिवर्ष वार्षिक ऋण योजना तैयार करायी जाती है। वर्ष 2018-19 के दौरान वार्षिक ऋण योजनान्तर्गत रु. 174110.34 करोड़ का ऋण बैंकों द्वारा वितरित किया गया।

कृषि एवं सम्वर्गीय सेवा

कृषि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। प्रदेश को खाद्यान्न उत्पादन में आत्म निर्भर बनाने, जनता को खाद्य एवं पोषण सुरक्षा प्रदान करने, राज्य को राष्ट्र के खाद्य भण्डार के रूप में सम्पन्न बनाने तथा ग्रामीण जनता की आर्थिक उन्नति एवं सम्पन्नता सुनिश्चित कर ग्राम्य जीवन में गुणवत्तायुक्त सुधार लाने के लिए प्रदेश सरकार प्रयासरत है। सरकार का उद्देश्य कृषि विकास की दर को गति प्रदान करने के साथ-साथ फसलोत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करना, क्षेत्रीय असंतुलन को दूर कर क्षेत्र विशेष हेतु विशिष्ट योजनाओं का क्रियान्वयन तथा कृषकों को रोजगार के नये अवसर सृजित करना है।

राज्य आय के त्वरित अनुमानों के अनुसार वर्ष 2018-19 में प्रचलित भावों पर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद 1668229.24 करोड़ रु. में कुल कृषीय फसलों का अंश 23367.61 करोड़ रुपये था। वर्ष 2018-19 में प्रचलित भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि एवं सम्वर्गीय क्षेत्र का योगदान 24.6 प्रतिशत रहा जिसमें कृषीय फसलों का योगदान 15.8 प्रतिशत रहा।

वर्ष 2017-18 में स्थायी भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि एवं संवर्गीय क्षेत्र की वार्षिक वृद्धि दर 4.0 प्रतिशत थी जो कि वर्ष 2018-19 में 5.4 प्रतिशत हो गयी है। इसी प्रकार फसलों की वृद्धि दर जो कि वर्ष 2017-18 में 6.0 प्रतिशत थी, वर्ष 2018-19 में 5.5 प्रतिशत हो गयी।

कृषि में कार्यरत कर्मकरों की स्थिति

वर्ष 2011 की जनगणनानुसार उत्तर प्रदेश में कुल 658.15 लाख कर्मकर थे, जिसमें 190.58 लाख कृषक एवं 199.39 लाख कृषि श्रमिक थे। कुल कर्मकरों में कृषकों एवं कृषि श्रमिकों का प्रतिशत अंश 59.3 था। वर्ष 2001 एवं 2011 की जनगणनानुसार उत्तर प्रदेश में कुल कर्मकरों का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका

उत्तर प्रदेश में कुल कर्मकरों की संख्या तथा उनका प्रतिशत विवरण

क्र. सं.	मद	इकाई	कर्मकरों की संख्या		कर्मकरों का प्रतिशत	
			वर्ष 2001	वर्ष 2011	वर्ष 2001	वर्ष 2011
1.	कृषक	लाख	221.68	190.58	41.1	29.0
2.	कृषि श्रमिक	लाख	134.01	199.39	24.8	30.3
3.	पारिवारिक उद्योग	लाख	30.31	38.99	5.6	5.9
4.	अन्य	लाख	153.84	229.19	28.5	34.8
	योग		**539.84**	**658.15**	**100.0**	**100.0**

उक्त तालिका में दो जनगणना वर्षों के आंकड़ों की तुलना से स्पष्ट है कि कृषकों की संख्या घट रही है तथा कृषि श्रमिकों की संख्या बढ़ रही है।

भूमि उपयोगिता

वर्ष 2015-16 के भू-उपयोग सांख्यिकीय के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल 24170 हजार हेक्टेयर है जिसमें 1666 हजार हे. वन क्षेत्र, 453 हजार हे. ऊसर और खेती के अयोग्य भूमि, 3123 हजार हे. खेती के अतिरिक्त अन्य उपयोग में आने वाली भूमि, 395 हजार हे. कृष्य बेकार भूमि, 65 हजार हे. स्थायी चरागाह एवं अन्य चराई की भूमि, 291 हजार हे. अन्य वृक्षों, झाड़ियों आदि की भूमि, 1161 हजार हे. वर्तमान परती तथा 547 हजार हे. भूमि अन्य परती की है। वर्ष 2015-16 के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 26203 हजार हे. कुल बोया गया क्षेत्रफल है जिसमें 16469 हजार हे. वास्तविक बोया गया क्षेत्रफल तथा 9734 हजार हे. एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल है।

प्रदेश में फसलों के अन्तर्गत आच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता की स्थिति

प्रदेश में वर्ष 2000-2001 से वर्ष 2018-2019 तक फसलों के अन्तर्गत आच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता की स्थिति निम्न तालिका में दर्शायी गई है :

तालिका

फसल	आच्छादन (लाख हे.)		उत्पादन (लाख मी.टन में)		उत्पादकता कु./ हे.	
	वर्ष 2000-01	वर्ष 2018-19	वर्ष 2000-01	वर्ष 2018-19	वर्ष 2000-01	वर्ष 2018-19
चावल	59.04	58.95	116.72	159.32	19.77	27.03
गेहूँ	92.39	98.56	251.68	380.40	27.24	38.60
धान्य	176.16	176.91	405.76	580.03	23.03	32.79
दलहन	26.92	22.95	21.61	23.97	8.03	10.44
खाद्यान्न	203.08	199.86	427.37	604.00	21.04	30.12
तिलहन	8.92	12.34	7.10	13.62	8.25	10.79

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि धान्य फसलों का कुल आच्छादन वर्ष 2000-01 में 176.16 लाख हे. था, जो वर्ष 2018-19 में बढ़कर 176.91 हे. हो गया। दलहनी फसलों का आच्छादन वर्ष 2000-01 के 26.92 लाख हे. से घटकर वर्ष 2018-19 में 22.95 लाख हे. हो गया जबकि तिलहन के अन्तर्गत आच्छादन 8.92 लाख हे. से बढ़कर 12.34 लाख हे. हो गया।

इन फसलों के उत्पादन की स्थिति का विश्लेषण करने से स्पष्ट है कि धान्य फसलों का उत्पादन वर्ष 2000-01 के 405.76 लाख मी.टन से बढ़कर वर्ष 2018-19 में 580.03 लाख मी.टन हो गया। दलहन के औसत उत्पादन में वृद्धि हुई है और यह वर्ष 2000-01 के 21.61 लाख मी.टन से बढ़कर वर्ष 2018-19 में 23.97 लाख मी.टन हो गया। तिलहन के अन्तर्गत उत्पादन विगत 18 वर्षों में बढ़ा है। यह वर्ष 2000-01 के 7.10 लाख मी.टन से बढ़कर वर्ष 2018-19 में 13.62 लाख मी.टन हो गया है।

इसी प्रकार इन फसलों की उत्पादकता की स्थिति का विश्लेषण करने से स्पष्ट है कि धान्य फसलों की उत्पादकता वर्ष 2000-01 में 23.03 कुन्टल प्रति हे. से बढ़कर वर्ष 2018-19 में 32.79 कु. प्रति हे. हो गयी। दलहन फसलों की उत्पादकता वर्ष 2000-01 के 8.03 कु. प्रति हे. से बढ़कर 10.44 कु. प्रति हे. हो गयी तथा तिलहन फसलों की उत्पादकता वर्ष 2000-01 के 8.25 कु. प्रति हे. से बढ़कर 10.79 कु. प्रति हे. हो गयी।

उर्वरक

कृषि उपज बढ़ाने के लिए सिंचाई के साधनों की पर्याप्त आवश्यकता के साथ ही साथ रासायनिक उर्वरकों का भी अपना महत्त्वपूर्ण स्थान है। विभिन्न फसलों के उत्पादन में वृद्धि के लिए रासायनिक उर्वरकों का समुचित मात्रा में प्रयोग वांछित है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2017-18 में 46.55 लाख मी.टन रासायनिक उर्वरकों का वितरण किया गया जो वर्ष 2018-19 में बढ़कर 47.22 लाख मी. टन हो गया। उत्तर प्रदेश में विभिन्न वर्षों के अन्तर्गत रासायनिक उर्वरकों का वितरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका

उत्तर प्रदेश में रासायनिक उर्वरकों का वितरण

(हजार मी.टन में)

वर्ष	नाइट्रोजन (एन.)	फास्फेट (पी.)	पोटाश (के.)	योग
2011-12	3067	1024	167	4258
2012-13	3352	1166	133	4651
2013-14	2972	765	105	3842
2014-15	3169	915	187	4272
2015-16	2930	1098	202	4230
2016-17	2890	1134	238	4261
2017-18	3224	1192	239	4655
2018-19	3481	1051	190	4722

बीज वितरण

कृषि उत्पादन में वृद्धि उन्नतिशील बीजों पर निर्भर करती है। उन्नतशील बीजों के उत्पादन के साथ-साथ इनका ससमय वितरण भी महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2015-16 में 6310.0 हजार कुन्तल बीज वितरण के लक्ष्य के सापेक्ष 4812.80 हजार कुन्तल बीजों का वितरण किया गया, वहीं वर्ष 2016-17 में 5553.00 हजार कुन्तल बीज वितरण के लक्ष्य के सापेक्ष 5093.59 हजार कुन्तल बीजों का वितरण किया गया। वर्ष 2017-18 में 5614.08 हजार कुन्तल बीज वितरण लक्ष्य के सापेक्ष 5468.17 हजार कुन्तल बीजों का वितरण किया गया। वर्ष 2018-19 में 5622.17 हजार कुन्तल बीज वितरण का लक्ष्य के सापेक्ष 57415.54 हजार कुन्तल बीजों का वितरण किया गया है।

वन

वृक्षों से ही भूमि संरक्षण, जल संरक्षण एवं पर्यावरण सुरक्षा सुनिश्चित होती है। दुर्लभ वन्य जीव प्रजातियों का वन प्राकृतिक वास है। उत्तर प्रदेश में वनावरण एवं वृक्षारोपण का कुल क्षेत्रफल 22,121 वर्ग किमी. है जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किमी. के सापेक्ष मात्र 9.18 प्रतिशत है। यह राष्ट्रीय वन नीति, 1988 के मानक स्तर 33.33 प्रतिशत से कम है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2015-16 में कुल प्रतिवेदित क्षेत्र 241.70 लाख हे. था। वनों का क्षेत्रफल प्रदेश के प्रतिवेदित क्षेत्रफल का 6.9 प्रतिशत है जबकि भारत में यह लगभग 23 प्रतिशत है। सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2018-19 (त्वरित अनुमान के अनुसार) में वनों का अंश प्रचलित भावों पर रु.19092.16 करोड़ है, जो कि सकल राज्य आय का 1.3 प्रतिशत है। वर्ष 2018-19 में वन क्षेत्र की विकास दर 2.8 प्रतिशत रही हैं।

प्रदेश में मुख्य/गौण वनोपज

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2018-19 में 173 हजार घन मीटर इमारती लकड़ी, 01 हजार घन मी. चट्टा जलाने की लकड़ी, 16 हजार कौड़ी बांस, 265 हजार मानक बोरी तेंदू पत्ता तथा 01 हजार कुन्तल भाभड़ घास का उत्पादन हुआ। विभिन्न वर्षों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश की मुख्य/गौण वनोपज का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया हैः

तालिका

उत्तर प्रदेश की मुख्य/गौण वनोपज

मद	वर्ष 2011-12	वर्ष 2015-16	वर्ष 2016-17	वर्ष 2017-18	वर्ष 2018-19#
1. इमारती लकड़ी (हजार घन मी.)	193	228	174	159	173
(क) साल	27	32	18	15	16
(ख) सागौन	8	8	7	6	8
(ग) शीशम	12	14	16	20	22
(घ) खैर	3	3	3	3	3
(च) असना	-	1	1	1	1
(छ) यूकेलिप्टस	111	112	71	68	72
(ज) विविध	32	58	58	46	51
2. जलाने की लकड़ी (हजार घन मी.)	3	4	1	0	1
3. बांस (हजार कौड़ी)	40	25	52	12	16
4. तेंदू पत्ता (हजार मानक बोरी)	175	186	180	253	265
5. भाभड़ घास (हजार कुन्तल)	2	1	1	1	1

अनन्तिम

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2017-18 की अपेक्षा वर्ष 2018-19 में सभी इमारती लकड़ियों का उत्पादन बढ़ा है। इसी प्रकार वर्ष 2018-19 में गत वर्ष 2017-18 की अपेक्षा बांस तथा तेंदू पत्ता का उत्पादन भी बढ़ा है।

पशुधन

पशु सम्पदा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश एक समृद्ध राज्य है। देश के कुल पशुधन का 13.4 प्रतिशत पशु सम्पदा उत्तर प्रदेश में है। प्रदेश की लगभग 80 प्रतिशत जनता ग्रामीण अंचल में निवास करती है जिसके जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत कृषि एवं पशुपालन है। वर्ष 2018-19 के त्वरित अनुमान के अनुसार वर्ष

2018-19 में स्थायी भावों पर पशुपालन खण्ड की वृद्धि दर 6.6 प्रतिशत रही है, जबकि वर्ष 2017-18 में 0.5 प्रतिशत थी। वर्ष 2011-12 में प्रचलित भावों पर राज्य के सकल मूल्य वर्धन में पशुधन क्षेत्र का योगदान 6.4 प्रतिशत था, जो वर्ष 2018-19 में बढ़कर 6.9 प्रतिशत हो गया।

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2012 की पशु गणनानुसार कुल पशुओं की संख्या 687.16 लाख थी। इसमें गायों की संख्या 90.69 लाख तथा भैसों की संख्या 154.32 लाख थी, जो कुल पशुधन का क्रमशः 13.2 प्रतिशत व 22.5 प्रतिशत है। कुल गायों एवं भैसों की संख्या में दूध देने वाली गायों एवं भैसों की संख्या क्रमशः 64.9 प्रतिशत तथा 68.3 प्रतिशत रही। वर्ष 2007 एवं 2012 की पशुगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पशुधन को निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका

उत्तर प्रदेश में पशुधन संख्या

(हजार में)

मद	वर्ष 2007	वर्ष 2012	वृद्धि दर प्रतिशत में
1. कुल गोजातीय	19097	19557	2.41
(क) गाय*	6558	9069	38.29
1. दूध दे रही	4546	5883	29.41
2. दूध नहीं दे रही	1404	2372	68.95
2. कुल महिष जातीय	26440	30625	15.83
(ख) भैंस*	12869	15432	19.92
1. दूध दे रही	9186	10538	14.72
2. दूध नहीं दे रही	2575	3412	32.50
3. भेड़	1400	1354	(-)3.29
4. बकरी	14829	15586	5.10
5. सूकर	1987	1334	(-)32.86
6. अन्य पशुधन	212	260	22.64
कुल पशुधन	63966	68716	7.43
कुल कुक्कुट	17880	18668	4.41

* इसमें दुधारू, एक बार न व्यायी तथा अन्य मादाएं सम्मिलित हैं।

प्रदेश में पशु चिकित्सा सेवा

वर्तमान में प्रदेश में पशु चिकित्सा एवं नस्ल सुधार हेतु 2202 पशु चिकित्सालय, 2575 पशु सेवा केन्द्र, 267 डी श्रेणी पशु औषधालय, 25 सचल पशु चिकित्सालय, 05 पालीक्लीनिक, 01 केन्द्रीय प्रयोगशाला, 10 मण्डलीय प्रयोगशाला, 5043 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र, 03 अतिहिमीकृत वीर्य उत्पाद केन्द्र एवं 01 पशु जैविक औषधि उत्पादन संस्थान मुख्य रूप से पशुपालन के क्षेत्र में पशुपालकों को अपनी सेवायें प्रदान कर रहे हैं।

पशु उत्पाद एवं उत्पादकता

प्रदेश में वर्ष 2015-16 में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दुग्ध उपलब्धता 335 ग्राम थी, जो वर्ष 2017-18 में बढ़कर 350 ग्राम प्रति दिन हो गयी है। उत्तर प्रदेश माँस उत्पादन में देश में अग्रणी प्रदेश है जिसके द्वारा लगभग देश का 60 प्रतिशत मांस का निर्यात किया जाता है। विभिन्न वर्षों में पशु उत्पादों की प्रगति निम्न तालिका में दर्शायी गयी है:

उत्पादकता की तुलनात्मक स्थिति

उत्पाद	उत्पादकता की स्थिति		
	वर्ष 2017-18	वर्ष 2018-19	वर्ष 2019-20 अगस्त 2019 तक
1. दूध (लाख मि० कुन्तल)	290.52	304.94	108.00
2. अण्डा (लाख संख्या में)	24398	26050	8900
3. ऊन (लाख किग्रा.)	12.99	13.16	-
4. माँस (हजार टन)	1151.12	1227.09	390.00

मत्स्य पालन

उत्तर प्रदेश का कुल अन्तर्स्थलीय मत्स्य उत्पादन 4.94 लाख मीट्रिक टन रहा है, जो आन्ध्र प्रदेश व पश्चिम बंगाल के बाद भारत में तीसरा स्थान है। मत्स्य पालन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बेकार पड़ी कृषि हेतु अनुपयुक्त भूमि/तालाब/पोखरों/जलाशयों का उपयोग करके अतिरिक्त आय अर्जित की जा सकती है तथा ग्रामीण अंचल में बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार का साधन जुटाने तथा सामाजिक व आर्थिक दशा सुधारने का एक अच्छा अवसर सुलभ कराया जा सकता है। मत्स्य विकास कार्यों को कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु. 116.98 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया है।

प्रदेश में 11वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में समस्त स्रोतों से आंकलित मत्स्य उत्पादन 4.50 लाख मी. टन था जो 12वीं पंचवर्षीय योजना काल के तृतीय वर्ष 2015-16 में 5.05 लाख मी.टन, वर्ष 2016-17 में 6.18 लाख मी. टन तथा वर्ष 2017-18 में 6.29 लाख मी.टन के स्तर तक पहुँच गया। प्रदेश में मत्स्य उत्पादन की त्रैमासिक गणना की जाती है। वर्ष 2018-19 में वार्षिक लक्ष्य 6.50 लाख मी. टन के सापेक्ष 6.62 लाख मी. टन मत्स्य उत्पादन हुआ।

तालिका

अनुमानित मत्स्य उत्पादन एवं औसत मत्स्य उत्पादकता

वर्ष	अनुमानित मत्स्य उत्पादन (लाख मी.टन) उपलब्धि	औसत मत्स्य उत्पादकता (किग्रा./हे./वर्ष) उपलब्धि
2011-12	4.30	3335
2012-13	4.50	3402
2013-14	4.64	3600
2014-15	4.94	4140
2015-16	5.04	4140
2016-17	6.18	4155
2017-18	6.29	4375
2018-19	6.62	4455

औद्योगिक विकास

प्रदेश सरकार द्वारा जारी राज्य आय के वर्ष 2018-19 के त्वरित अनुमानों के अनुसार वर्ष 2012-13, वर्ष 2013-14, वर्ष 2014-15, वर्ष 2015-16, वर्ष 2016-17, वर्ष 2017-18 एवं वर्ष

2018-19 में स्थायी भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विर्निमाण क्षेत्र की वृद्धि दर क्रमशः 4.1%, 13.7%, (-) 10.0%, 26.4%, 47.0%, 2.9%, तथा 3.9% रही है। वर्ष 2018-19 में संगठित एवं असंगठित विनिर्माण क्षेत्र में क्रमशः 3.3 प्रतिशत तथा 7.01 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है। वर्ष 2018-19 में कुल विनिर्माण में संगठित एवं असंगठित क्षेत्र का योगदान क्रमशः 79.6 प्रतिशत एवं 20.4 प्रतिशत आंकलित किया गया है। प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान वर्ष 2011-12, वर्ष 2012-13, वर्ष 2013-14, वर्ष 2014-15, वर्ष 2015-16, वर्ष 2016-17, वर्ष 2017-18 तथा वर्ष 2018-19 में क्रमशः 12.9%, 12.3%, 12.8%, 11.1%, 12.4%, 15.1%, 14.6 व 14.5% रहा है। जब कि खनन क्षेत्र एवं निर्माण क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्ष 2018-19 में योगदान क्रमशः 1.2 प्रतिशत तथा 10.2 प्रतिशत दृष्टिगोचर हुआ है। खनन क्षेत्र की वृद्धि दर वर्ष 2012-13, वर्ष 2013-14, वर्ष 2014-15, वर्ष 2015-16, वर्ष 2016-17, वर्ष 2017-18 एवं वर्ष 2018-19 में क्रमशः (-) 0.6, 10.1, 28.2, 32.4 तथा 8.5, 89.0, 25.5 तथा (-) 26.6 प्रतिशत रही है। वहीं निर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर वर्ष 2012-13, वर्ष 2013-14, वर्ष 2014-15, वर्ष 2015-16, वर्ष 2016-17, वर्ष 2017-18 एवं वर्ष 2018-19 में क्रमशः 1.0 प्रतिशत, 1.1 प्रतिशत, 6.5 प्रतिशत, 5.2 प्रतिशत, 6.6 प्रतिशत, 5.3%, तथा 5.8% रही है।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक

प्रदेश के औद्योगिक उत्पादन सम्बन्धी मदों में हुई प्रगति का आंकलन करने के लिए तालिका दी गई है। तालिका से स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश का विनिर्माण औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (2011-12= 100) वर्ष 2017-18 में 117.15 था जो 5.5 प्रतिशत अधिक होकर वर्ष 2018-19 में 123.62 हो गया। सर्वाधिक वृद्धि (10.6 प्रतिशत) रसायन (पेट्रोलियम तथा कोयला के अतिरिक्त) के उत्पाद वर्ग में हुई।

तालिका

उत्तर प्रदेश में औद्योगिक उत्पादन में सूचकांक (2011-12=100)

	उद्योग वर्ग	वर्ष		गत वर्ष की अपेक्षा
		2017-18	2018-19	प्रतिशत वृद्धि
	1	2	3	4
1.	खाद्य विनिर्माण	98.97	108.73	9.9
2-	पेय तम्बाकू एवं तम्बाकू के उत्पाद	62.98	65.76	4.4
3.	सूती कपड़ा	129.86	132.04	1.7
4-	रसायन (पेट्रोलियम तथा कोयला के अतिरिक्त)	119.71	132.42	10.6
5-	मूल एवं मिश्रित धातु उद्योग	133.62	138.16	3.4
6-	यातायात उपकरण एवं पुर्जे	123.84	125.88	1.6
7-	अन्य	122.68	128.79	5.0
	विनिर्माण सूचकांक	**117.15**	**123.62**	**5.5**

उत्तर प्रदेश के पारम्परिक उद्योगों में उत्पादन की प्रवृत्ति

सीमेंट, चीनी, वनस्पति एवं वस्त्र उद्योग आदि की गिनती प्रदेश के अत्यन्त महत्त्वपूर्ण उद्यागों में की

जाती है। ये उद्योग लोगों को रोजगार तो सुलभ कराते ही हैं, साथ ही उनके उत्पाद से दैनिक जीवन की बहुत सी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इन उद्योगों का सुदृढ़ होना प्रदेश के आर्थिक स्तर को ऊँचा करता है। इन मदों से सम्बन्धित आंकड़े निम्न तालिका में दृष्टिगत हैं:

तालिका

उत्तर प्रदेश के पारम्परिक उद्योगों में उत्पादन की प्रवृत्ति

वर्ष	चीनी# (हजार मी.टन)	सीमेन्ट (हजार मी.टन)	वनस्पति तेल** (हजार मी.टन)	सूती कपड़ा (लाख वर्ग मी.)	सूत (हजार मी.टन)
2010-11	5887	7052	145	-	-
2011-12	6974	7021	113	-	-
2012-13	7485	-	-	51	40
2013-14	6495	-	-	49	40
2014-15	7100	-	-	30	39
2015-16	6855	-	-	43	42
2016-17	8773	-	68	30R	35
2017-18	12050	-	60	16	29

- अप्राप्त
R- संशोधित
\+ केवल मिल क्षेत्र
\# अक्टूबर से सितम्बर तक
** नवम्बर से अक्टूबर तक

उपरोक्त तालिका से विदित होता है कि चीनी के उत्पादन में वृद्धि और कमी की मिश्रित प्रवृत्ति रही है। चीनी के उत्पादन में वर्ष 2017-18 (12050 हजार मी.टन) में वर्ष 2016-17 (8773 हजार मी.टन) की तुलना में 37.35 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

इसी प्रकार वनस्पति तेल के उत्पादन में वर्ष 2017-18 (60 हजार मी.टन) में वर्ष 2016-17 (68 हजार मी.टन की तुलना में 11.76 प्रतिशत की कमी हुई है। प्रदेश में सूत के उत्पादन में वृद्धि और कमी की मिश्रित प्रवृति रही है। सूत के उत्पादन में वर्ष 2017-18 (29 हजार मी.टन) में वर्ष 2016-17 (35 हजार मी.टन) की तुलना में 17.14 प्रतिशत की कमी हुई है।

खनिज

आर्थिक विकास में खनिजों का एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। प्रदेश में मुख्य खनिजों तथा उप खनिजों के खनन के फलस्वरूप प्रदेश को न केवल भारी मात्रा में राजस्व की प्राप्ति हो रही है, अपितु बड़ी संख्या में लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं।

प्रदेश में मुख्य खनिज पदार्थों के अन्तर्गत बाक्साइट, डायस्पोर, डोलोमाइट, जिप्सम, चूने का पत्थर, मेग्नेसाइट ओकर (गेरू), फास्फोराइट, पायरोफाइलाइट सिलिका सैण्ड, गन्धक, स्टीटाइट तथा कोयला आदि की गणना की जाती है, जबकि साधारण बालू, इमारती पत्थर, ईंट बनाने की मिट्टी, मौरंग, बजरी, कंकड़ शोरा, संगमरमर तथा लाइमस्टोन की गणना उप खनिज पदार्थों के अन्तर्गत की जाती है।

उत्तर प्रदेश के मुख्य खनिज पदार्थों के उत्पादन का मूल्य एवं परिमाण से सम्बन्धित आंकड़े निम्न तालिका में दिये गये हैं:

तालिका

उत्तर प्रदेश में मुख्य खनिज पदार्थों के उत्पादन का मूल्य एवं परिमाण के आंकड़े

क्र.सं.	खनिज पदार्थ	उत्पादन का मूल्य (लाख रु.में) वर्ष		गत वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत	परिमाण ('000 मी.टन) वर्ष		गतवर्ष की की अपेक्षा प्रतिशत
		2017-18	2018-19*	वृद्धि	2017-18	2018-19*	वृद्धि
1.	स्टीटाइट	-	-	-	-	-	-
2.	**गन्धक**	-	-	-	**43016**	**46111**	**7.19**
3.	**कोयला**	-	-	-	**16659**	**18884**	**13.36**
4.	**चूने का पत्थर**	**5268**	**6244**	**18.53**	**2139**	**2388**	**11.64**

* अनन्तिम

उप खनिज पदार्थों की भी अपनी महत्ता है। इन पदार्थों की उपलब्धता भी देश/प्रदेश के आर्थिक स्तर के लिए काफी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इनके उत्पादन का मूल्य एवं परिमाण के आंकड़े निम्न तालिका में दिये गये हैं:

तालिका

उत्तर प्रदेश में उप खनिज पदार्थों के उत्पादन का मूल्य एवं परिमाण के आंकड़े

क्र० सं०	उप खनिज पदार्थ	उत्पादन का मूल्य (लाख रु. में)			परिमाण (लाख घन मी.)		
		2017-18	2018-19*	गत वर्ष की अपेक्षा % वृद्धि	2017-18	2018-19*	गत वर्ष की अपेक्षा % वृद्धि
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	साधारण बालू	253689	130037	- 48.74	845.63	451.98	- 46.55
2.	स्लैब स्टोन	1711.92	16440.60	860.36	1.05	42.33	3931.43
3.	मिट्टी	189911.25	298759.75	57.32	272.01	33.34	- 87.74
4.	ग्रेनाइट	108421.42	10544.05	- 90.27	52.50	10.71	- 79.60
5.	ईंटों की संख्या (लाख में)	125858.25	91296.95	- 27.46	466142	337712	- 27.55
6.	मौरंग	438990	621636	41.61	58.33	828.85	1327.75
7.	बजरी	-	10215.25	-	-	17.46	-

* अनन्तिम,

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में वर्ष 2017-18 की अपेक्षा वर्ष 2018-19 में साधारण बालू, ग्रेनाइट तथा ईट की संख्या को छोड़कर शेष उप खनिज पदार्थों के उत्पादन के मूल्य में वृद्धि

परिलक्षित हुई है। सर्वाधिक वृद्धि (860.60 प्रतिशत) स्लैब स्टोन के मूल्य में हुई है। इसी प्रकार गत वर्ष की अपेक्षा वर्ष 2018-19 में स्लैब टोन एवं मौरंग को छोड़कर शेष खनिज पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि हुई है।

सेवा क्षेत्र

राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकीय वर्गीकरण के अनुसार सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत परिवहन संग्रहण तथा संचार, व्यापार होटल एवं जलपान गृह, बैंक व्यापार तथा बीमा, स्थावर सम्पदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यवसायिक सेवाएं, सार्वजनिक प्रशासन एवं अन्य सेवाएं खण्ड सम्मिलित हैं।

सेवा खण्ड का निष्पादन

आधार वर्ष 2011-12 पर जारी प्रदेश के वर्ष 2018-19 के त्वरित अनुमानों के अनुसार सेवा क्षेत्र जो राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकीय के वर्गीकरण के तृतीयक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, का प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में स्थायी भावों पर लगभग 47.3 प्रतिशत का अंशदान है जबकि प्राथमिक तथा द्वितीयक क्षेत्र का योगदान क्रमशः 23.0 प्रतिशत तथा 29.6 प्रतिशत है। इस प्रकार सेवा क्षेत्र का महत्त्व स्वयं सिद्ध है। वर्ष 2017-18 व वर्ष 2018-19 में इस क्षेत्र की वृद्धि दर क्रमशः 8.3 प्रतिशत तथा 7.6 प्रतिशत रही है। प्रचलित भावों पर प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में सेवा क्षेत्र का योगदान वर्ष 2011-12 में 45.5 प्रतिशत था जो बढ़कर वर्ष 2018-19 में 47.2 प्रतिशत हो गया है।

प्रदेश में सकल मूल्य वर्धन में सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर तथा प्रतिशत वितरण

(स्थायी भावों पर)

मद	वर्ष					
	2011-12	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18***	**2018-19#**
वृद्धि दर	-	9.2	7.5	4.2	8.3	7.6
प्रतिशत वितरण	45.5	49.6	49.0	45.9	46.3	47.3

* अनन्तिम, # त्वरित अनुमान

परिवहन

परिवहन एवं व्यापार सम्बन्धी क्रिया-कलापों का विकास एवं विस्तार सड़कों के विकास पर निर्भर करता है। कृषि एवं औद्योगिक विकास में सड़क एवं संचार जैसी अवस्थापनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कच्चे मालों की आपूर्ति तथा निर्मित उत्पादों के विक्रय के लिए परिवहन का महत्त्वपूर्ण योगदान होता है।

सड़क

सड़क नेटवर्क अर्थव्यवस्था के निरन्तर और समावेशी विकास के लिए महत्त्वपूर्ण घटक है। यह देश भर में यात्रियों की आवाजाही और माल ढुलाई की सुविधा प्रदान करता है। परिवहन के विभिन्न साधनों के बीच सड़क परिवहन अपनी लास्टमाईल कनेक्टीविटी की भूमिका की वजह से महत्त्वपूर्ण है। पिछले कुछ वर्षों में परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में भारत में यात्रियों की आवाजाही तथा माल की ढुलाई का कार्य तेजी से सड़क परिवहन क्षेत्र की ओर स्थानान्तरित हुआ है।

प्रदेश के विकास के लिए अवस्थापना सुविधाओं को उपलब्ध कराने में मार्गों एवं सेतुओं की विशेष भूमिका है। उत्तर प्रदेश में लोक निर्माण विभाग द्वारा संघृत मार्गों की कुल लम्बाई सम्बन्धी आंकड़े निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं:

तालिका

रोड नेटवर्क की वर्तमान स्थिति

क्र.	मार्ग का वर्गीकरण	31.3.2014 तक	31.3.2015 तक	31.3.2016 तक	31.3.2017 तक	31.3.18 तक	वर्तमान स्थिति
1.	राष्ट्रीय मार्ग (किमी.)	7550	7572	7572	8328	10981	11384
2.	राज्य मार्ग (किमी.)	7543	7597	7147	7202	6810	6859
3.	प्रमुख जिला मार्ग (किमी.)	7338	7338	7637	7486	7277	7388
4.	अन्य जिला मार्ग (किमी.)	42434	43512	46006	47576	49037	49138
5.	ग्रामीण मार्ग (किमी.)	141593	149193	163035	169051	168694	175437
	योग	**206458**	**215212**	**231397**	**239643**	**242799**	**250206**

स्रोत- लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।

सड़क परिवहन

सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत प्रदेशवासियों को सस्ती एवं सुगम परिवहन सेवायें सुलभ कराने के उद्देश्य से उ.प्र. राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना की गयी है। इन सेवाओं से सम्बन्धित आंकड़े निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं:

तालिका

उत्तर प्रदेश में राजकीय सड़क परिवहन परिचालन के आंकड़े

क्र. सं.	मद	वर्ष				
		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2017-18 की अपेक्षा वर्ष 2018-19 में प्रतिशत वृद्धि
1.	औसत परिचालित बसें (सं.)	9269	10526	11862	11615	- 2.1
2.	वर्ष के अन्त में परिचालित मार्ग (सं.)	2357	2711	2933	2979	1.6
3.	वर्ष के अन्त में परिचालित मार्गों की औसत लम्बाई (किमी.)	224	251	258	257	- 0.4
4.	वर्ष के अन्त में परिचालित मार्गों की कुल लम्बाई (हजार किमी.)	529	681	757	765	1.1
5.	दैनिक कुल परिचालित दूरी (हजार किमी.)	3238	3703	4092	3972	- 2.9
6.	प्रतिदिन ले जाये गये यात्री (लाख)	15.19	15.47	17.15	16.48	- 3.9
7.	दुर्घटनाएं (प्रति लाख किमी.)	0.07	0.06	0.06	0.07	16.7
8.	कुल दुर्घटनाएं (सं.)	630	648	741	751	1.4

प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि के कारण आवागमन एवं यातायात की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप मार्गों पर चलने वाली गाड़ियों की संख्या में भी निरन्तर वृद्धि हो रही है। इस परिप्रेक्ष्य में राजकीय एवं निजी क्षेत्रों की गाड़ियों से सम्बन्धित आंकड़े निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं :

तालिका

उत्तर प्रदेश में सड़क पर चल रही मोटर गाड़ियां

क्र.सं.	मद	मोटर गाड़ियों की संख्या 31 मार्च को		वर्ष 2017-18 की अपेक्षा वर्ष 2018-19 में प्रतिशत वृद्धि	गाड़ियों का प्रतिशत अंश	
		2017-18	2018-19*		2017-18	2018-19
1.	मोटर साइकिल	23911791	26597000	11.2	81.3	81.3
2.	कार	2777553	3089250	11.2	9.4	9.4
3.	बस	89699	98836	10.2	0.3	0.3
4.	टैक्सी	524393	606307	15.6	1.8	1.9
5.	ट्रक	609225	691908	13.6	2.1	2.1
6.	ट्रैक्टर	1339980	1447604	8.0	4.6	4.4
7.	अन्य	154252	193596	25.5	0.5	0.6
	कुल	**29406893**	**32724501**	**11.3**	**100.0**	**100.0**

*अनन्तिम

(स्रोतः- परिवहन आयुक्त, उ०प्र० एवं उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम)

विद्युत

विद्युत सुविधा की सुदृढ़ एवं व्यापक व्यवस्था के बिना समग्र आर्थिक विकास सम्भव नहीं है। राज्य सरकार द्वारा विद्युत उत्पादन की दिशा में अनेक प्रयास किये जा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश में विद्युत का उत्पादन एवं उपभोग से सम्बन्धित आंकड़े निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं:

तालिका

उत्तर प्रदेश में विद्युत का उत्पादन एवं उपभोग

क्र.सं.	मद	वर्ष		गत वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि
		2017-18	2018-19	
1.	अधिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	5999*	5999	0
2.	उपभोग (मिलियन यूनिट)	88110	87945	- 0.19
3.	कुल उत्पादन (मिलियन यूनिट)	30073*	30627	1.84
4.	उपभोक्ताओं की संख्या (हजार में)	19922.2	25979.1	30.40

*संशोधित

स्रोत- उ.प्र. पावर कारपोरेशन लिमिटेड, नियोजन स्कन्ध, लखनऊ

उत्तर प्रदेश एवं कुछ अन्य प्रमुख राज्यों में प्रति व्यक्ति विद्युत उत्पादन/उपभोग की संख्या सम्बन्धी आंकड़े निम्न तालिका में दर्शाय गये है:

तालिका

उत्तर प्रदेश एवं भारत के कुछ अन्य प्रमुख राज्यों में प्रति व्यक्ति विद्युत उत्पादन/उपभोग की संख्या सम्बन्धी आंकड़े वर्ष 2017-18

क्र. सं.	राज्य	प्रति व्यक्ति विद्युत उत्पादन (कि. वाट घंटा)	प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग (कि. वाट घंटा)
1.	आन्ध्र प्रदेश	1174	1388
2.	बिहार	3	280
3.	झारखण्ड	409	927
4.	गुजरात	1377	2321
5.	हरियाणा	1039	1990
6.	कर्नाटक	**736**	1356
7.	केरल	167	766
8.	मध्य प्रदेश	748	1020
9.	छत्तीसगढ़	2418	2003
10.	महाराष्ट्र	991	1371
11.	ओडिशा	464	1593
12.	पंजाब	1541	2049
13.	राजस्थान	792	1178
14.	तमिलनाडु	792	1834
15.	पश्चिम बंगाल	419	699
16.	उत्तर प्रदेश	329	628
17.	उत्तराखण्ड	1077	1450
18.	हिमांचल प्रदेश	1616	1393
19.	असम	45	330
20.	गोवा	0	2229
	भारत	**1009**	**1149**

स्रोत- केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, भारत सरकार।

विद्युतीकृत ग्राम

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की परिभाषा के अनुसार उत्तर प्रदेश में विद्युतीकृत ग्रामों (राजस्व) की संख्या वर्ष 2018-19 में 97814 है। प्रदेश में अनुसूचित जाति बस्तियों की दशा सुधारने के लिए उनमें विद्युतीकरण हेतु यथोचित प्रयास किये जा रहे हैं। वर्ष 2018-19 के अन्त तक 99462 अनुसूचित जाति बस्तियों में विद्युतीकरण कार्य कराया जा चुका है।

वैकल्पिक ऊर्जा

ऊर्जा के परम्परागत स्रोतों में निरन्तर कमी होने एवं उनके अधिकाधिक उपयोग से बढ़ते पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्या के निदान हेतु ऊर्जा के गैर-परम्परागत स्रोतों के उपयोग को प्रभावी बनाने की दिशा में प्रदेश सरकार द्वारा अनेक कदम उठाये जा रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में वर्ष 1983 में प्रदेश में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अधिकरण (यू.पी. नेडा) का गठन किया गया। ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में ऊर्जा की आवश्यकता

की पूर्ति हेतु अभिकरण द्वारा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा एवं ऊर्जा संरक्षण जैसे अनेक ऊर्जा स्रोतों के दोहन हेतु उपयुक्त तकनीकी के विकास एवं प्रचार के लिए प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन हेतु प्रदेश सरकार द्वारा सौर ऊर्जा नीति 2017 प्रख्यापित की गयी। इस नीति में थर्ड पार्टी सेल, ओपन एक्सेस एवं सोलर पार्क के विकास का प्राविधान किया गया है। नीति में वर्ष 2022 तक कुल 10700 मेगावाट क्षमता की सौर विद्युत परियोजनाओं के लक्ष्य का निर्धारण किया गया है। जिसमें से 6400 मेगावाट के यूटिलिटी स्केल सोलर पावर प्रोजेक्ट और 4300 मेगावाट के रूपटाप पावर प्लाण्ट प्रोजेक्ट हैं।

संचार

संचार माध्यमों के अन्तर्गत डाकघरों का अत्यधिक महत्त्व है, क्योंकि इनके माध्यम से जनसामान्य को सस्ती एवं सुलभ संदेशवाहन सेवा उपलब्ध होने के साथ ही अल्प बचत कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन में भी सहायता मिलती है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2015-16 में कुल डाकघरों की संख्या 17662 थी जिनमें 1933 डाकघर नगरीय क्षेत्र में तथा 15729 डाकघर ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत थे। वर्ष 2018-19 में इनकी संख्या बढ़कर 17672 हो गई जिनमें 1927 डाकघर नगरीय क्षेत्र में तथा 15745 डाकघर ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध थे। उत्तर प्रदेश में डाकघरों की स्थिति निम्न तालिका में दर्शायी गयी है:

तालिका

उत्तर प्रदेश डाकघरों की संख्या (31 मार्च को)

मद	वर्ष			
	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
डाकघरों की संख्या	17662	17670	17671	17672
(क) नगरीय	1933	1935	1924	1927
(ख) ग्रामीण	15729	15735	15747	15745

दूरभाष

दैनिक जीवन में तथा व्यापारिक, वाणिज्यिक एवं व्यवसायिक क्रियाकलापों में दूरभाष सेवाओं का बड़ा महत्त्व है। उत्तर प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शन, टेलीफोन एक्सचेंज, इण्टरनेट सब्सक्राइबर एवं मोबाइल कनेक्शन की स्थिति निम्न तालिका में दर्शायी गयी है:

तालिका

उत्तर प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शन, टेलीफोन एक्सचेंज, इन्टरनेट सब्सक्राइबर एवं मोबाइल कनेक्शन की स्थिति

वर्ष	बेसिक टेलीफोन कनेक्शन की संख्या	टेलीफोन एक्सचेंज की संख्या	इन्टरनेट सब्सक्राइबर की संख्या	मोबाइल कनेक्शन की संख्या (हजार में)
2016-17	619110	3087	192569	15311
2017-18	568962	3068	180816	11845*
2018-19	530540	3061	167728	16302

स्रोत- चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, उ.प्र. तथा मुख्य महाप्रबन्धक दूरसंचार भारत संचार निगम लि. उ.प्र. पूर्वी एवं पश्चिमी परिमण्डल।

*भारत संचार निगम लि० उ०प्र० पश्चिमी परिमण्डल के आंकड़े सम्मिलित नहीं है।

शिक्षा

प्रदेश के विकास में शिक्षा का महत्त्वपूर्ण योगदान है। शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का प्रमुख साधन है। शिक्षित व्यक्ति ही राष्ट्र की आर्थिक प्रगति को वास्तविक गति प्रदान कर सकते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का साक्षरता प्रतिशत 67.7 है जिसमें पुरुषों में साक्षरता प्रतिशत 77.3 तथा महिलाओं में साक्षरता प्रतिशत 57.2 है जबकि इसी अवधि में भारत का साक्षरता प्रतिशत 73.0 है। वर्ष 2011 की जनगणनानुसार देश में साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक केरल राज्य में (94.0 प्रतिशत) रहा, जो भारत के साक्षरता प्रतिशत (73.0) से भी अधिक है। अन्य राज्यों हिमांचल प्रदेश (82.8 प्रतिशत), महाराष्ट्र (82.3 प्रतिशत), तमिलनाडु (80.1 प्रतिशत) एवं उत्तराखंड (78.8 प्रतिशत) आदि की तुलना में उत्तर प्रदेश का साक्षरता प्रतिशत (67.7 प्रतिशत) कम है।

उत्तर प्रदेश के विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में साक्षरता प्रतिशत का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि इनमें विषमताएं देखने को मिलती हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक बुन्देलखण्ड क्षेत्र में (69.3) तथा सबसे कम पूर्वी क्षेत्र में (67.4) है। उत्तर प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत में सुधार हुआ है- जहाँ वर्ष 1991 में उ.प्र. में साक्षरता 40.07 प्रतिशत थी वहीं 15.06 प्वॉइन्ट बढ़कर वर्ष 2001 में 56.03 प्रतिशत एवं वर्ष 2011 में 67.7 प्रतिशत हो गयी किन्तु अभी भी प्रदेश एवं राष्ट्र स्तर की साक्षरता में 5.3 प्रतिशत प्वॉइन्ट का अन्तर है।

तालिका

उत्तर प्रदेश विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में साक्षरता प्रतिशत

क्र.सं.	आर्थिक क्षेत्र	साक्षरता प्रतिशत वर्ष 2001			साक्षरता प्रतिशत वर्ष 2011		
		व्यक्ति	पुरुष	स्त्री	व्यक्ति	पुरुष	स्त्री
1.	पूर्वी	54.3	68.6	39.1	67.4	78.1	56.2
2.	पश्चिमी	57.4	68.8	44.0	67.5	76.5	57.2
3.	केन्द्रीय	57.6	68.1	45.5	68.3	76.3	59.3
4.	बुन्देलखण्ड	59.3	73.1	43.1	69.3	79.9	57.1
5.	उत्तर प्रदेश	56.3	68.8	42.2	67.7	77.3	57.2
	भारत	64.8	75.3	53.7	73.0	80.9	64.6

प्रदेश में शिक्षण सुविधायें

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2017-18 में जूनियर बेसिक विद्यालयों की संख्या 164319 थी जो वर्ष 2018-19 में बढ़कर 169689 हो गयी। इसी प्रकार सीनियर बेसिक विद्यालयों की संख्या वर्ष 2017-18 में 80583 थी जो वर्ष 2018-19 में बढ़कर 84368 हो गयी। वर्ष 2017-18 में हायर सेकेन्डरी विद्यालयों की संख्या 25896 थी जो वर्ष 2018-19 में बढ़कर 26434 हो गयी।

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2017-18 में जूनियर बेसिक विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या 225 हजार थी जो वर्ष 2018-19 में बढ़कर 632 हजार हो गयी। इसी प्रकार वर्ष 2017-18 में सीनियर बेसिक विद्यालयों

में अध्यापकों की संख्या 128 हजार थी जो वर्ष 2018-19 में बढ़कर 230 हजार हो गयी। वर्ष 2017-18 में हायर सेकेण्डरी विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या 296 हजार थी जो वर्ष 2018-19 में 5.07 प्रतिशत बढ़कर 311 हजार हो गयी।

प्रदेश के विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में विद्यालयों/विद्यार्थियों की संख्या

वर्ष 2018-19 में प्रति लाख जनसंख्या पर जूनियर बेसिक विद्यालयों की संख्या उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सर्वाधिक 82 थी, जबकि प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में यह सबसे कम 73 थी और इसी अवधि में उत्तर प्रदेश में प्रति लाख जनसंख्या पर जूनियर बेसिक विद्यालयों की संख्या 76 थी।

इसी प्रकार वर्ष 2018-19 में प्रति लाख जनसंख्या पर सीनियर बेसिक विद्यालयों की संख्या सर्वाधिक 50 बुन्देलखण्ड क्षेत्र में तथा सबसे कम 34 केन्द्रीय क्षेत्र में रही, जबकि इसी अवधि में उत्तर प्रदेश में यह संख्या 38 रही। वर्ष 2018-19 में प्रति लाख जनसंख्या पर हायर सेकेण्ड्री विद्यालयों की संख्या पश्चिमी एवं पूर्वी क्षेत्र में 12 तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सबसे कम 10 रही जबकि इसी अवधि में उत्तर प्रदेश में यह संख्या 12 थी।

वर्ष 2018-19 में जूनियर बेसिक विद्यालयों में प्रति अध्यापक छात्र संख्या सर्वाधिक (31) पूर्वी क्षेत्र में तथा सबसे कम (28) बुन्देलखण्ड एवं केन्द्रीय क्षेत्र में रही, जबकि इसी अवधि में उत्तर प्रदेश में यह संख्या 29 रही। सीनियर बेसिक विद्यालयों में प्रति अध्यापक छात्र संख्या वर्ष 2018-19 में सर्वाधिक (28) पूर्वी क्षेत्र में तथा सबसे कम (23) पश्चिमी क्षेत्र में रही, जबकि इसी अवधि में उत्तर प्रदेश में यह संख्या 26 रही। वर्ष 2018-19 में हायर सेकेन्ड्री विद्यालयों में प्रति अध्यापक छात्र संख्या सर्वाधिक (49) बुन्देलखण्ड क्षेत्र में तथा सबसे कम (43) पूर्वी क्षेत्र में रही, जबकि उत्तर प्रदेश में यह संख्या 44 रही।

तालिका

उत्तर प्रदेश में विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में प्रति लाख जनसंख्या पर विद्यालयों/ प्रति अध्यापक पर विद्यार्थियों की संख्या (2018-19)

क्र.सं.	आर्थिक क्षेत्र	प्रति लाख जनसंख्या पर विद्यालयों की संख्या			प्रति अध्यापक पर विद्यार्थियों की संख्या		
		जूनियर बेसिक	सीनियर बेसिक	हायर सेकेण्ड्री	जूनियर बेसिक	सीनियर बेसिक	हायर सेकेण्ड्री
1.	पूर्वी	76	37	12	31	28	43
2.	बुन्देलखण्ड	92	50	10	28	25	49
3.	पश्चिमी	73	38	12	29	23	44
4.	केन्द्रीय	77	34	11	28	27	47
	उत्तर प्रदेश	76	38	12	29	26	44

माध्यमिक शिक्षा

माध्यमिक शिक्षा सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था की एक मजबूत कड़ी है जो देश के समृद्ध भविष्य का निर्माण करती है। प्रदेश सरकार ने बालक एवं बालिकाओं की शैक्षिक गुणवत्ता के सम्वर्द्धन हेतु प्रासंगिक पाठ्यक्रम तथा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अनेक अभिनव प्रयास किये हैं जिससे माध्यमिक शिक्षा उपर्युक्त लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित कर सके। माध्यमिक शिक्षा बेसिक शिक्षा (आधारिक शिक्षा) एवं उच्च

शिक्षा के बीच सेतु के रूप में कार्य करती है। यहाँ बालक बालिकाओं को गुणात्मक शिक्षा प्रदान कर समाज के विभिन्न क्षेत्रों हेतु, सुशिक्षित, चरित्रवान सुयोग्य मानव संसाधन के रूप में विकसित कर आगे बढ़ाने का कार्य सम्पन्न किया जाता है। वर्तमान में प्रदेश में 2101 राजकीय, 4885 अशासकीय सहायता प्राप्त 21671 वित्त-विहीन एवं 310 स्थानीय निकाय कुल 28967 माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं।

उच्च शिक्षा

प्रदेश के नियोजित विकास में उच्च शिक्षा का विशेष योगदान है। सरकार उच्च शिक्षा के विकास एवं गुणवत्ता संवर्द्धन हेतु कटिबद्ध है। लोक कल्याण को वरीयता देते हुए शैक्षिक रूप से अविकसित तथा पिछड़े क्षेत्र में विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों की स्थापना की गयी है। प्रदेश के उच्च शिक्षा संस्थानों को आधुनिकतम संसाधनों से परिपूर्ण किया जा रहा है, साथ ही इस बात पर विशेष बल दिया जा रहा है कि छात्र/छात्राओं को व्यवसायपरक एवं कौशल विकास से परिपूर्ण शिक्षा प्रदान की जाये जिससे प्रदेश का युवा वर्ग स्वावलम्बी बन सके। प्रदेश में स्नातक एवं परास्नातक स्तर के शिक्षण संस्थान एवं विद्यार्थियों से सम्बन्धित आंकड़े निम्नवत् हैं:

तालिका

उत्तर प्रदेश में डिग्री स्तर की शिक्षण संस्थाओं एवं विद्यार्थियों की संख्या

क्र.सं.	संस्था	वर्ष	
		2017-18	**2018-19**
1.	विश्वविद्यालयों की संख्या	45	45
	(क) राज्य विश्वविद्यालय	16	16
	(ख) मुक्त विश्वविद्यालय	01	01
	(ग) डीम्ड विश्वविद्यालय	01	01
	(घ) निजी विश्वविद्यालय	27	27
2.	महाविद्यालयों की संख्या	6681	7026
	(क) राजकीय महाविद्यालय	158	164
	(ख) अशासकीय महाविद्यालय	331	331
	(ग) स्ववित्त पोषित महाविद्यालय	6192	6531
3.	महाविद्यालयों में छात्र संख्या	5574638	4382527
	(क) छात्र	2797501	2074205
	(ख) छात्राएं	2777137	2308322

प्राविधिक शिक्षा

वर्तमान युग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का उत्कर्षकाल है। नित्य नई प्राविधियाँ विकसित हो रही हैं तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्पर्धा से श्रेष्ठता व गुणवत्ता के नवीन आयाम जन्म ले रहे हैं। विकास के ऐसे क्रान्तिक परिदृश्य में प्राविधिक शिक्षा की विशेष प्रासंगिकता है। प्रदेश में प्राविधिक शिक्षा सुलभ कराने हेतु डिग्री, डिप्लोमा तथा प्रमाण-पत्र स्तर की त्रिस्तरीय शिक्षा की व्यवस्था की गयी है।

इसके अतिरिक्त दिव्यांगों एवं अल्पसंख्यक के कल्याणार्थ राज्य के विभिन्न जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान (एम.एस.डी.पी.) के अन्तर्गत केन्द्र के आर्थिक सहयोग से पालीटेक्निक स्थापित किये जा रहे हैं। प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी पालीटेक्निकों की स्थापना की जा रही है।

तालिका

उत्तर प्रदेश में डिग्री/डिप्लोमा स्तर के प्राविधिक संस्थाओं की प्रगति

क्र.सं.	संस्थाएं	वर्ष		
		2016-17	2017-18	2018-19
1.	इंजीनियरिंग कालेजों की संख्या	12	12	12
	(क) प्रवेश क्षमता	3518	2777	3021
	(ख) वास्तविक प्रवेश	3021	2758	2917
2.	डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं की संख्या	145	155	160
	(क) प्रवेश क्षमता	37170	37170	36810
	(ख) वास्तविक प्रवेश	34890	33157	30875

नोट :- उपर्युक्त आंकड़े केवल प्राविधिक शिक्षा निदेशालय के नियंत्रणाधीन संस्थाओं से सम्बन्धित हैं।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

लोक कल्याणकारी राज्य की मुख्य प्राथमिकता जनसाधारण को बेहतर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। प्रदेश में सरकारी एवं निजी क्षेत्र के सम्मिलित प्रयासों के फलस्वरूप चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का निरन्तर विस्तार हो रहा है।

स्वास्थ्य सम्बन्धी इन्डिकेटर की दृष्टि में प्रदेश

प्रदेश सरकार के सतत प्रयास से स्वास्थ्य एवं जनांकिकीय संकेतकों में पर्याप्त सुधार आया है। अभी भी उत्तर प्रदेश इन संकेतकों में राष्ट्रीय औसत से पीछे है, जैसा कि निम्न तालिका से परिलक्षित हो रहा है:

तालिका

प्रदेश में जन्म दर, मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर सम्बन्धी आंकड़े

क्र.सं.	मद	वर्ष					
		2015		2016		2017	
		उ० प्र०	भारत	उ० प्र०	भारत	उ० प्र०	भारत
	भारत						
1.	जन्म दर	26.7	20.8	26.2	20.4	25.9	20.2
2.	मृत्यु दर	7.2	6.5	6.9	6.4	6.7	6.3
3.	शिशु मृत्यु दर	46	37	43	34	41.0	33.0

स्रोत : एस.आर.एस. बुलेटिन महारजिस्ट्रार, भारत सरकार।

प्रसव के दौरान महिलाओं की मृत्यु दर में कमी लाना सम्पूर्ण स्वास्थ्य व्यवस्था का एक महत्त्वपूर्ण लक्ष्य है। मातृत्व मृत्यु दर से तात्पर्य प्रतिवर्ष एक लाख जीवित जन्म पर माताओं की मृत्यु दर से है। अद्यतन एस.आर.एस. बुलेटिन के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर पर मातृत्व मृत्यु दर वर्ष 1997-98 में क्रमशः 606 एवं 398 थी जो घटते हुए वर्ष 2014-2016 में क्रमशः 201 तथा 130 हो गयी। स्पष्ट है कि प्रदेश में मातृत्व दर अभी भी राष्ट्रीय औसत से अधिक है।

तालिका

भारत एवं प्रदेश में मातृत्व मृत्यु दर सम्बन्धी आंकड़े

वर्ष	मातृत्व मृत्यु दर	
	उत्तर प्रदेश	भारत
1997-98	606	398
1999-01	593	327
2001-03	517	301
2004-06	440	254
2007-09	359	212
2010-12	292	178
2011-13	285	167
2014-16	201	130

स्वास्थ्य सम्बन्धी इन्डिकेटर की दृष्टि में प्रदेश

वर्ष 2018-19 में उत्तर प्रदेश में प्रति लाख जनसंख्या पर एलोपैथिक चिकित्सालयों/औषधालयों की संख्या सर्वाधिक 3.11 बुन्देलखण्ड क्षेत्र में तथा सब से कम 1.94 केन्द्रीय क्षेत्र में रही। प्रति लाख जनसंख्या पर एलोपैथिक चिकित्सालयों/औषधालयों में उपलब्ध शैय्याओं की संख्या सर्वाधिक 49.97 बुन्देलखण्ड क्षेत्र में एवं सबसे कम 35.13 पश्चिमी क्षेत्र में रही। प्रति लाख जनसंख्या पर आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथिक चिकित्सालयों एवं औषधालयों की संख्या सर्वाधिक 2.84 बुन्देलखण्ड क्षेत्र में एवं सबसे कम 1.37 पश्चिमी क्षेत्र में रही। प्रति लाख जनसंख्या पर आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथिक चिकित्सालयों एवं औषधालयों में शैय्याओं की संख्या सर्वाधिक 6.99 बुन्देलखण्ड क्षेत्र में एवं सबसे कम 3.81 पश्चिमी क्षेत्र में रही। जैसा कि तालिकागत आंकड़ों से स्पष्ट है:

तालिका

प्रदेश में प्रति लाख जनसंख्या पर चिकित्सालयों/औषधालयों की संख्या (2018-19)

आर्थिक सम्भाग	प्रति लाख जनसंख्या पर एलोपैथिक चिकित्सालयों एवं औषधालयों की संख्या	प्रति लाख जनसंख्या पर एलोपैथिक चिकित्सालयों एवं औषधालयों में शैय्याओं की संख्या	प्रति लाख जनसंख्या पर आयुर्वेदिक/ यूनानी/होम्योपैथिक चिकित्सालयों एवं औषधालयों की संख्या	प्रति लाख जनसंख्या पर आयुर्वेदिक/ यूनानी/होम्योपैथिक चिकित्सालयों एवं औषधालयों में शैय्याओं की संख्या
1. पूर्वी	2.41	39.08	1.96	5.03
2. बुन्देलखण्ड	3.11	49.97	2.84	6.99
3. पश्चिमी	1.99	35.13	1.37	3.81
4. केन्द्रीय	1.94	45.32	1.81	4.95
उत्तर प्रदेश	2.20	39.24	1.75	4.65

उत्तर प्रदेश में चिकित्सा सेवाएं

प्रदेश के निवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। प्रदेश में विभिन्न प्रकार के राजकीय चिकित्सालयों/औषधालयों से सम्बन्धित कुछ प्रमुख मदों के आंकड़े निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं:

तालिका

उत्तर प्रदेश में राजकीय चिकित्सालयों एवं औषधालयों का विवरण

क्र.सं.	मद	एलोपैथिक		आयुर्वेदिक एवं यूनानी वर्ष		होम्योपैथिक	
		1.1.18	1.1.19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19
1.	चिकित्सालयों/औषधालयों की संख्या	5117	5119	2370	2360	1575	1576
2.	शैय्याओं की संख्या	86881	87977	11077	11077	438	438
3.	चिकित्सित रोगियों की संख्या (हजार में)	9675	10739	31772	16492	27896	26464

ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा

राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण/स्थापना की नीति निर्धारित की गई है जिसके अनुसार 30,000 की आबादी पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं एक लाख की आबादी पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण/स्थापना की नीति निर्धारित है। वर्ष 2018-19 में 4473 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र क्रियाशील हैं।

102 नेशनल एम्बुलेंस सेवा- यह सुविधा पूरे प्रदेश में गर्भवती महिलाओं एवं एक वर्ष की आयु तक के शिशुओं को निःशुल्क घर से चिकित्सालय तथा चिकित्सालय से घर तक तथा एक चिकित्सा इकाई से दूसरे चिकित्सा इकाई तक लाभार्थी को परिवहित करने में भी प्रयोग की जाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में एम्बुलेंस पहुँचने का अधिकतम समय 30 मिनट तथा शहरी क्षेत्रों में 20 मिनट निर्धारित किया गया है। यह सुविधा प्रदेश के सभी जनपदों में 24 घण्टे उपलब्ध है। 2018-19 में 102 मेडिकल एम्बुलेंस की संख्या 2270 है।

108 एम्बुलेंस सेवा- रोगियों को आकस्मिक परिस्थितियों में अविलम्ब निकटवर्ती चिकित्सा इकाई तक पहुँचाये जाने हेतु आकस्मिक चिकित्सीय परिवहन सेवा प्रदान करने हेतु प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत 2200 एम्बुलेंसों का संचालन पूर्णतया निःशुक्ल टोल फ्री नम्बर '108' के माध्यम से किया गया है। प्रदेश के किसी भी कोने से निःशुल्क टोल फ्री नम्बर '108' पर कॉल करने पर शहरी क्षेत्र में 15 मिनट में तथा ग्रामीण क्षेत्र में 30 मिनट में एम्बुलेंस को रोगी तक पहुँचाये जाने की व्यवस्था की जाती है तथा उक्त एम्बुलेंस के द्वारा रोगी को निकटवर्ती राजकीय चिकित्सा इकाई तक पहुँचाकर चिकित्सा सेवा सुलभ करायी जाती है। प्रदेश में 108 एम्बुलेंस सेवा आरम्भ की तिथि से माह जुलाई 2019 तक कुल 12800849 रोगियों को लाभान्वित किया जा चुका है।

परिवार नियोजन कार्यक्रम

बढ़ती हुई जनसंख्या देश एवं प्रदेश के विकास में एक प्रमुख अवरोधक है। अतः इसको नियंत्रित करने

तथा जन सामान्य को इससे होने वाले लाभ से अवगत कराने हेतु परिवार नियोजन एवं मातृ एवं शिशु कल्याण कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2018-19 में कुल 280.78 हजार व्यक्तियों ने नसबन्दी कराया जो वर्ष 2017-18 के 259.01 हजार की तुलना में 8.4 प्रतिशत अधिक था। इनमें वर्ष 2018-19 में नसबन्दी कराने वाले पुरुषों की संख्या 4.12 हजार थी जो गत वर्ष 3.96 हजार की तुलना में 4.04 प्रतिशत अधिक था। इसी प्रकार वर्ष 2018-19 में महिला नसबन्दी की संख्या 276.66 हजार थी जो गतवर्ष 255.05 हजार की तुलना में 8.47 प्रतिशत अधिक था।

प्रदेश में परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत अन्य साधनों का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों में वर्ष 2017-18 में लूप निवेशन तथा कापर टी, ओरल पिल्स एवं सी.सी. का प्रयोग करने वाली महिलाओं की संख्या क्रमशः 1043.89 हजार, 537.23 हजार तथा 267.00 हजार थी। वर्ष 2018-19 में लूप निवेशन तथा कापर टी, ओरल पिल्स एवं सी.सी. का प्रयोग करने वाली महिलाओं की संख्या क्रमशः 830.75 हजार, 520.71 हजार तथा 280.80 हजार हो गयी।

महिला एवं बाल कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत गर्भवती महिलाओं को टिटनेस एवं बच्चों को काली खांसी, पोलियो इत्यादि के टीके लगाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2017-18 में उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत 48.47 लाख टी.टी., 46.86 लाख डी.टी.पी., 46.60 लाख पोलियो, 48.98 लाख बी.सी.जी. एवं 46.02 लाख मीजिल्स के टीके लगाये गये। वर्ष 2018-19 में टिटनेस, पोलियो, बी.सी.जी. एवं मीजिल्स के टीकों की संख्या क्रमशः 49.01 लाख, 44.44 लाख, 50.11 लाख 52.29 लाख एवं 45.79 लाख हो गयी।

स्वच्छ पेयजल एवं जलोत्सारण सुविधा

जन सामान्य के स्वस्थ जीवन हेतु स्वच्छ पेयजल तथा स्वच्छ वातावरण की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2018-19 में पेयजल सुविधा युक्त नगरों की संख्या 652 तथा इससे लाभान्वित जनसंख्या 492 लाख थी। इसी प्रकार वर्ष 2018-19 में पेयजल सुविधायुक्त पूर्ण आच्छादित मजरों की संख्या 260118, आंशिक आच्छादित मजरों की संख्या शून्य तथा इससे लाभान्वित जनसंख्या 1723 लाख थी। प्रदेश में वर्ष 2018-19 में वातावरणीय स्वच्छता हेतु जलोत्सारण सुविधायुक्त नगरों की संख्या 63 तथा इनसे लाभान्वित जनसंख्या 85 लाख थी।

श्रम शक्ति एवं सेवायोजन

श्रम शक्ति का अभिप्राय 15-59 वय वर्ग की जनसंख्या से लगाया जाता है और इसी वय वर्ग के व्यक्तियों से रोजगार हेतु उपलब्ध रहने की अपेक्षा की जाती है।

प्रदेश में वर्ष 2011 की जनगणनानुसार 658.15 लाख कुल कर्मकर थे, जिनमें 190.58 लाख कृषक, 199.39 लाख कृषि श्रमिक, 38.99 लाख पारिवारिक उद्योगों तथा 229.19 लाख अन्य कार्यों में लगे कर्मकार थे। कुल कर्मकरों में मुख्य तथा सीमान्त कर्मकरों की संख्या क्रमशः 446.35 लाख तथा 211.80 लाख थी।

प्रदेश में कुल कर्मकारों का विवरण (2011 जनगणनानुसार) तालिका में दिया जा रहा है-

मद	कर्मकर	कर्मकरों का प्रतिशत
1	2	3

1. कृषक (लाख)	190.58	29.0
2. कृषि श्रमिक (लाख)	199.39	30.3
3. पारिवारिक उद्योग (लाख)	38.99	5.9
4. अन्य (लाख)	229.19	34.8
कुल कर्मकर	**658.15**	**100.00**

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में कुल कर्मकरों में 29.0 प्रतिशत कृषक के रूप में, 30.3 प्रतिशत कृषि श्रमिक के रूप में, 5.9 प्रतिशत पारिवारिक उद्योग धन्धों में तथा 34.8 प्रतिशत अन्य कार्यों में कर्मकर लगे हैं।

सेवायोजन सेवा -

सेवायोजन सेवाओं के अन्तर्गत सेवायोजन कार्यालयों द्वारा मुख्य रूप से बेरोजगार अभ्यर्थियों का रोजगार हेतु पंजीयन तथा उन्हें सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में वैतनिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु अधिसूचित रिक्तियों की पूर्ति हेतु सम्प्रेषित करना, व्यवसाय मार्ग निर्देशन कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार बाजार में उपलब्ध प्रशिक्षण, उच्च शिक्षा के अवसरों के सम्बन्ध में बेरोजगार अभ्यर्थियों को सम्यक् एवं उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराना, स्वतः नियोजन के क्षेत्र में अपना उद्योग स्थापित करने हेतु बेरोजगार अभ्यर्थियों को प्रोत्साहित करना एवं ऋण सम्बन्धी सुविधायें उपलब्ध कराने में उनकी सहायता करना, समाज के निर्बल वर्ग के अभ्यर्थियों की सेवानियोजकता तथा कौशल में वृद्धि करना, रोजगार/बेरोजगारी के विभिन्न आयामों के सम्बन्ध में सूचनाओं का एकत्रीकरण, संकलन, प्रचार एवं प्रसार आदि कार्य सम्पादित किये जा रहे हैं। बेरोजगारों को सेवायोजन सहायता प्रदान करने हेतु प्रदेश में 106 सेवायोजन कार्यालय, 16 जनपदों में विकलांगों हेतु विशिष्ट सेवायोजन कार्यालय, 13 विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालय सेवायोजन सूचना एवं मंत्रणा केन्द्र, 03 नगर सेवायोजन कार्यालय तथा मुख्यालय स्तर पर 01 व्यवसायिक एवं प्रबन्धकीय सेवा-योजन कार्यालय स्थापित हैं। सेवायोजन से सम्बन्धित कुछ प्रमुख मदों के आंकड़े निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं:

तालिका

उत्तर प्रदेश में सेवायोजन कार्यालयों द्वारा रोजगार सृजन सम्बन्धी आंकड़े

क्र.सं. मद	वर्ष		गतवर्ष की अपेक्षा
	2017	**2018**	**प्रतिशत वृद्धि**
1. पंजीकृत अभ्यर्थियों की संख्या	326280	422430	(+)29.47
2. अधिसूचित रिक्तियों की संख्या	931	237	(-)74.54
3. अधिसूचित रिक्तियों में सम्प्रेषण	7386	4483	(-)39.30
4. सवेतन रोजगार में लगाये गये अभ्यर्थियों की संख्या	47930	113910	(+)137.66
5. स्वतः रोजगार में लगाये गये अभ्यर्थियों की संख्या	426	91	(-)78.64

6. वर्ष के अन्त में सक्रिय पंजिका पर उपलब्ध अभ्यर्थियों की संख्या (हजार में)	2647	2112	(-)20.21

प्रदेशवासियों को सवैतनिक रोजगार सुलभ कराने में सार्वजनिक क्षेत्र की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र में सेवायोजनाओं से सम्बन्धित आंकड़े निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं:

तालिका

उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र के सेवायोजकों की संख्या

क्र.सं.	मद	वर्ष		गत वर्ष की अपेक्षा
		मार्च 2017	मार्च 2018	प्रतिशत वृद्धि
1.	केन्द्र सरकार	727	725	(-)0.28
2.	राज्य सरकार	8456	8371	(-)1.01
3.	अर्द्ध सरकार (केन्द्र)	5621	5595	(-)0.46
4.	अर्द्ध सरकार (राज्य)	1608	1600	(-)0.50
5.	स्थानीय निकाय	1332	1311	(-)1.58
	योग	**17744**	**17602**	(-)**0.80**

केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा स्थानीय निकायों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या निम्न तालिका में दर्शाया गया है-

तालिका

उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या

क्र.सं.	मद	वर्ष		गत वर्ष की अपेक्षा
		मार्च 2017	मार्च 2018	प्रतिशत वृद्धि
1.	केन्द्र सरकार	307718	302877	(-)1.57
2.	राज्य सरकार	705319	699952	(-)0.76
3.	अर्द्ध सरकार (केन्द्र)	162500	158989	(-)2.16
4.	अर्द्ध सरकार (राज्य)	333192	330335	(-)0.85
5.	स्थानीय निकाय	107731	107369	(-)0.34
	योग	**1616460**	**1599522**	(-)**1.05**

उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारी

उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र में कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या में मार्च 2018 में गत वर्ष 2017 की अपेक्षा 1.32 प्रतिशत की वृद्धि दृष्टिगोचर हुई। निजी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या के आंकड़े निम्नतालिका में दर्शाये गये हैं:

तालिका

उत्तर प्रदेश के निजी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या

क्र.सं.	मद	वर्ष		गत वर्ष की अपेक्षा
		मार्च 2017	मार्च 2018	प्रतिशत वृद्धि
1.	एक्ट अधिष्ठान	658083	667671	1.46
2.	नान एक्ट अधिष्ठान	49874	49657	(-)0.44
	योग	**707957**	**717328**	**1.32**

उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में कार्यरत महिला कर्मचारी

प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत महिला कर्मचारियों की संख्या मार्च 2018 में गत वर्ष 2017 की अपेक्षा 2.34 प्रतिशत तथा निजी क्षेत्र में 2.79 प्रतिशत अधिक रही जबकि सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को मिलाकर देखने से इनमें उक्त अवधि में गत वर्ष की अपेक्षा 2.50 प्रतिशत की वृद्धि दृष्टिगोचर होती है। गत वर्ष की अपेक्षा निजी क्षेत्र में कार्यरत महिला कर्मचारियो की संख्या में सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत महिला कर्मचारियों की संख्या से तुलनात्मक रूप से अधिक वृद्धि परिलक्षित हुई। इन्हें निम्न तालिका से देखा जा सकता है-

तालिका

उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में कार्यरत महिला कर्मचारियों की संख्या

क्र. सं.	मद	वर्ष		गत वर्ष की अपेक्षा
		मार्च 2017	मार्च 2018	प्रतिशत वृद्धि
1	2	3	4	5
1.	सार्वजनिक क्षेत्र	206884	211734	2.34
2.	निजी क्षेत्र	107848	110854	2.79
	योग	**314732**	**322588**	**2.50**

प्रदेश के विकास की चुनौतियाँ तथा प्राथमिकताएँ

उत्तर प्रदेश देश का असीम संभावनाओं वाला प्रदेश रहा है और विशाल भी इतना कि विकास का सफर तय करना प्रदेश के नेतृत्व के लिये हमेशा से बड़ी चुनौती रहा है। समाज के सभी वर्गों और राज्य के प्रत्येक नागरिक व क्षेत्र के विकास के लिए सरकार कृत संकल्प है। प्रदेश के विकास में समस्त जनता की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए राज्य सरकार का लक्ष्य प्रदेश वासियों को उत्कृष्ट एवं प्रभावी जनसेवाएं उपलब्ध कराना है।

उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन (एक हजार अरब) डालर की अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश में एक ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनने की क्षमता है। हालांकि यह एक बड़ा लक्ष्य है। लेकिन राज्य में अपेक्षित संसाधन और श्रमशक्ति होने के कारण असंभव नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिनांक 21.02.2018 को प्रदेश में सम्पन्न इन्वेस्टर समिट में देश को 5 ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस क्रम में

माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा दिनांक 22.09.2019 को विश्वास दिलाया गया कि ''वर्ष 2024 तक देश को 5 ट्रिलियन डालर अर्थव्यवस्था बनाने की कार्य योजना को मूर्त रूप देने हेतु उत्तर प्रदेश एक ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा। इस दिशा में प्रदेश के समग्र विकास और सुशासन का रोड मैप तैयार करना और एक टीम के रूप में उसे जमीन पर उतारना सरकार का लक्ष्य है।'' विकास की ओर अग्रसर विश्व में दस खरब डालर क्लब अर्थव्यवस्थाओं का वह समूह है जिनका वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद 10 खरब अमेरिकी डालर (एक ट्रिलियन डालर) से अधिक है। भारत 2007 में इस क्लब में सम्मिलित हुआ था।

उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था में प्रमुख स्थान रखता है। भारत की जी0डी0पी0 में 8.8 प्रतिशत के योगदान के साथ महाराष्ट्र व तमिलनाडु के बाद प्रदेश तीसरे स्थान पर है। वर्ष 2018-19 में उत्तर प्रदेश की जी0एस0डी0पी0 16.68 लाख करोड़ (0.234 ट्रिलियन डालर) अनुमानित है तथा प्रदेश की जी0डी0पी0 की विकास दर 5.3 प्रतिशत है जिसके सापेक्ष देश की जी0डी0पी0 में पिछले वर्ष की तुलना में 6.8 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई।

जनगणना 2011 के अनुसार देश की कुल जनसंख्या का लगभग 16 प्रतिशत अंश उत्तर प्रदेश में निवास करता है। जनसंख्या बाहुल्य होने के बावजूद प्रदेश में कार्य सहभागिता दर 32.9 प्रतिशत है जो कि देश की कार्य सहभागिता दर 39.8 प्रतिशत से कम है। संभवतः इसका मुख्य कारण प्रदेश में महिलाओं की की सहभागिता दर कम (16.7 प्रतिशत) होना है।

उक्त विषमताओं के बाद भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, श्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में प्रदेश विगत दो वर्षों से उत्तरोत्तर विकास के पथ पर अग्रसर है। सरकार द्वारा किये गये प्रयास यथा-इन्वेस्टर्स समिट, इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, डिफेन्स कॉरीडोर, ओ0डी0ओ0पी0, स्किल इण्डिया, स्टार्टअप इण्डिया इत्यादि ने आर्थिक विकास में उत्प्रेरक का कार्य किया है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2015-16 से राज्य की विकास दर अधिकांश वर्षों में राष्ट्रीय विकास दर से अधिक रही।

उक्त लक्ष्य की प्राप्ति हेतु राष्ट्र स्तर पर पी0एच0डी0सी0सी0आई0 ने सितम्बर, 2019 में एक स्टेट पालिसी कान्क्लेव ''चार्टिंग ए ट्रांन्सफॉरमेशनल एक्शन एजेण्डा विद् नेशनल एम्बिशन एण्ड रिजनल एसपायरेशन'' का आयोजन किया जो कि निम्न क्षेत्रों में विकास की संभावना दर्शाते हैं-

1. कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण
2. शिक्षा, कौशल विकास और नियोजनीयता
3. इंफ्रास्ट्रक्चर
4. इज ऑफ डूईग बिजनेस एवं एम0एस0एस0ई0
5. बायोटेक्नोलॉजी

वर्तमान परिदृश्य में राज्य की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक खण्ड का योगदान 25.8 प्रतिशत, माध्यमिक खण्ड का योगदान 27.0 प्रतिशत तथा तृतीय खण्ड का योगदान 47.2 प्रतिशत है। स्पष्ट है कि तृतीय खण्ड का योगदान प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक है। खण्डवार वृद्धि दर की निम्न तालिका से स्पष्ट है कि प्रदेश निरंतर विकास की ओर अग्रसर है-

खण्डवार सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि दर

क्रम सं0	खण्ड	2017-18	2018-19
1.	प्राथमिक	9.1	2.1
2.	माध्यमिक	4.2	4.5
3.	तृतीयक	8.3	7.6
4.	जीएसडीपी	7.2	5.3

बहुआयामी विकास लक्ष्य

प्रदेश को एक ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनाना माननीय मुख्यमंत्री जी की शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक है। वर्तमान परिदृश्य में उक्त लक्ष्य को वर्ष 2023-24 तक प्राप्त करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। परन्तु माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उक्त लक्ष्य को अपेक्षाकृत तेज विकास दर से अगले पांच वर्षों में प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस क्रम में मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 08.11.19 को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं यथा- 1. आई0आई0एम, लखनऊ, 2. आई0आई0एम0, बंगलौर, 3. आई0आईएम0, अहमदाबाद, 4. अर्नेस्ट एण्ड यंग, 5.ग्राण्ट थार्टन, 6.के0पी0एम0जी0, 7. जापान ग्रुप द्वारा प्रस्तुतीकरण किया गया। इन संस्थाओं द्वारा मा0 मुख्यमंत्री जी के समक्ष प्रस्तुतीकरण कर राज्य की अर्थव्यवस्था को लक्ष्य तक पहुंचाने हेतु थ्रस्ट एरियास को चिन्हित किया गया। उसके आधार पर उपयुक्त रोडमैप बनाने की कार्यवाही गतिमान है।

प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विकास के उत्प्रेरक (ग्रोथ इंजन)

ग्रोथ इंजन अर्थव्यवस्था के सतत् विकास दर को बनाये रखने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। भारत ग्रोथ के नए इंजन के रूप में वैश्विक विकास में योगदान करने को तैयार है। इस क्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा कहा गया है कि ''प्रधानमंत्री ने देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डालर बनाने का जो लक्ष्य तय किया है, उत्तर प्रदेश ही इसका ग्रोथ इंजन बनेगा।'' प्रदेश की 1 ट्रिलियन डालर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की प्रतिपूर्ति हेतु प्रत्येक सेक्टर में अपेक्षित प्रयास किया जाना है।

प्रदेश में तकनीकी उन्नयन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलवमेंट, कृषि तथा विनिर्माण में विकास, कौशल विकास, शिक्षा, रोजगार सृजन एवं निवेश इत्यादि के सम्बन्ध में उचित नीतिगत निर्णय द्वारा कम समय में लक्ष्य की ओर अग्रसर हुआ जा सकता है। उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है। अधिकांश जनसंख्या कृषि तथा सम्वर्गीय क्रियाकलापों एवं सूक्ष्म व लघु उद्योगों में कार्यरत है। अतः कृषि एवं एम0एस0एम0एई0प्रदेश के विकास के ग्रोथ इंजन के रूप में अर्थव्यवस्था को लक्ष्य तक पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। समग्र विकास हेतु विभिन्न सेक्टरों के अंतर्गत चिन्हित चुनौतियां तथा प्रदेश के विकास की रणनीति निम्नवत् प्रस्तुत है :-

1. कृषि एवं पशुपालन

उत्तर प्रदेश के जीएसडीपी में कृषि एवं पशुपालन खण्ड का योगदान लगभग 23 प्रतिशत है तथा कुल कर्मकरों का लगभग 50 प्रतिशत प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से जुड़ा हुआ है। प्रदेश में कृषि खण्ड असंगठित विनिर्माण क्षेत्र, सेवा खण्ड, परिवहन, भण्डारण एवं संचार खण्ड का मुख्य संचालक है। कृषि खण्ड के विकास में पशुधन, मत्स्य एवं खाद्य प्रसंस्करण की महत्वपूर्ण भूमिका है। उक्त के अतिरिक्त कृषि खण्ड के सतत् विकास हेतु ड्रिप सिंचाई, यंत्रीकृत कृषि, ऑरगेनिक/कामर्शियल फार्मिंग, अधिक उपजदायी किस्म के उन्नतिशील बीजों का ससमय वितरण, मृदा स्वास्थ्य में गिरावट को रोकना, सौर ऊर्जा चालित ट्रैक्टर्स/पम्पसेट्स/ट्यूबवेल्स का प्रयोग, कृषि जलवायु क्षेत्र अनुकूल फसल चक्र अपनाना, अधिक से अधिक पशुचिकित्सालयों की स्थापना एवं मत्स्य विकास नीति का प्रभावी कार्यान्वयन इत्यादि को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

यद्यपि प्रदेश में कृषि उत्पादन प्रादेशिक जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति हेतु उच्च स्तर पर है परन्तु अन्य प्रदेशों पंजाब व हरियाणा की तुलना में प्रदेश में उत्पादकता कम है जैसा कि निम्न सारणी से स्पष्ट है-

प्रमुख फसलों की उत्पादकता वर्ष 2016-17 (किग्रा0/हेक्टेयर)

क्रसं0	राज्य/मद	गेहूँ	धान	तिलहन	गन्ना
1.	पंजाब	4704	3998	1386	81273
2.	हरियाणा	4514	3213	1832	80618
3.	उत्तर प्रदेश	3113	2295	876	64893

स्रोत- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

कृषि खण्ड में जी0एस0डी0पी0बढ़ाने तथा कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा में निवेश के संबंध में प्रोफेसर अशोक गुलाटी (आई0सी0आर0आई0ई0आर0 में कृषि के प्रोफेसर) व साक्षी गुप्ता के शोध-पत्र **''इम्पैक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एण्ड सब्सिडीज ऑन एग्रीकल्चर जी0डी0पी0 ग्रोथ एण्ड पावर्टी एलीविएशन''** से यह निष्कर्ष निकला है कि कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा किये गये एक रुपये के निवेश से कृषि की जी0एस0डी0पी0 में रुपये 11.20 की वृद्धि होती है। यदि दस लाख रु. कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा पर व्यय किये जाये तो 382 लोगों को गरीबी रेखा के स्तर से ऊपर उठाया जा सकता है। स्पष्ट है कि प्रदेश में कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा पर व्यय धनराशि को बढ़ाकर न केवल कृषि खण्ड का बल्कि समाज का भी विकास किया जा सकता है। इस क्रम में भारत व चीन के कृषि खण्ड का तुलनात्मक अध्ययन भी अवलोकनीय है-

भारत व चीन की तुलनात्मक स्थिति

क्रम सं0	मद	भारत	चीन
1.	कृषि योग्य भूमि (मि0है0)	156	120
2.	सिंचित क्षेत्र	48 प्रति0	41 प्रति0
3.	कृषीय उत्पादन	$407 बिलियन	$1367 बिलियन
4.	राज्य की जी0एसडी0पी0 में अनुसंधान एवं विकास का योगदान	$1.4 बिलियन	$7.8 बिलियन

उक्त अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि यद्यपि चीन का सिंचित क्षेत्रफल, कुल बोया गया क्षेत्रफल आदि भारत की तुलना में कम है तथापि कृषि उत्पादन भारत से लगभग तीन गुना से भी ज्यादा है। यदि कृषि क्षेत्र में चीन का मॉडल अपनाया जाए तो एक ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य की पूर्ति हेतु कृषि खण्ड का जी0डी0पी0 में योगदान बढ़ाया जा सकता है।

2. एम0एस0एम0ई0

देश के कुल विनिर्माण उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान 8 प्रतिशत है एवं इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के निर्यात में उत्तर प्रदेश अग्रणी है। राज्य के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। एमएसएमई सेक्टर कृषि के बाद सबसे कम पूंजी में रोजगार सृजन करने वाला क्षेत्र है। देश में सर्वाधिक अनुमानतः 14.2 प्रतिशत एमएसएमई उत्तर प्रदेश में कार्यरत हैं। एमएसएमई क्षेत्र के उत्पादों के निर्यात में उत्तर प्रदेश प्रमुख राज्य है जिसमें हस्तशिल्प उत्पाद, इंजीनियरिंग गुड्स, रेडीमेड गारमेन्ट्स, जरदोजी, कालीन, चर्म उत्पाद, सिल्क उत्पाद इत्यादि सम्मिलित है। प्रदेश सरकार द्वारा ओडीओपी स्कीम की सहायता से अगले कुछ वर्षों में एमएसएमई उत्पादों के निर्यात को बढ़ाकर 5 ट्रिलियन रुपये तक करने का लक्ष्य है।

प्रदेश में रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकारद्वारा दिनांक 24.01.2018 को ''एक जनपद एक उत्पाद'' नाम से एक महत्वाकांक्षी योजना प्रारम्भ की गयी है। योजनान्तर्गत सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों तथा हस्तशिल्प इकाईयों के माध्यम से प्रदेश के समावेशी एवं सतत् आर्थिक विकास हेतु प्रत्येक जनपद से विशिष्ट पहचान रखने वाले उत्पादों का चयन करते हुए उनके कुशलतापूर्वक उत्पादन एवं विपणन हेतु आवश्यक सुविधाओं का विकास किया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में 15 से 49 आयु वर्ग की जनसंख्या का कुल जनसंख्यामें प्रतिशत 49.74 था जो कि वर्तमान में कार्यकारी जनसंख्या के रूप में परिविर्तित हो चुकी है। एक जनपद एक उत्पाद योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना एवं अन्य योजनाओं के अन्तर्गत 50,000 से ज्यादा शिल्पियों, बुनकरों एवं खादी कामगारों को वर्ष 2018-19 में कौशल उन्ननयन प्रशिक्षण दिया गया है। भविष्य में बाजार की मांग के आधार पर पाठ्यक्रम और व्यापार कौशल प्रदान करने हेतु कम एच0डी0आई0 वाले जनपदों में माध्यमिक और उच्च शिक्षा संस्थानों के साथ डिप्लोमा स्तरके तकनीकी शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने और कौशल विकास मिशन के माध्यम से दिव्यांग महिलाओं और व्यक्तियों के लिए कौशल/नौकरियों के नए सेट डिजाईन किये जाने का लक्ष्य है। कौशल विकास को शत्-प्रतिशत रोजगार तथा स्वरोजगार से जोड़कर सभी के लिए काम की परिस्थितियां पैदा की जाएंगी। अगले 2.5 वर्षों में ओ0डी0ओ0पी0, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना एवं अन्य खादी कामगार, हस्तशिल्पी, बुनकर कौशल विकास योजनाओं से लगभग 1.00 लाख शिल्पियों, बुनकरों एवंअन्य कामगारों का कौशल उन्नयन किया जायेगा। वर्ष 2022 तक राज्य में विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों द्वारा 14 लाख और वर्ष 2030 तक 65 लाख लोगों को कौशल उन्नयन प्रशिक्षण देकर उनकी आय बढ़ाने और रोजगार के लिये तैयार करने का लक्ष्य है।

1. निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना।
2. कुशल मानव संसाधन का विकास करना।
3. औद्योगिक उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना।
4. हस्त शिल्प तथा दस्तकारी इकाईयों को जीवनक्षम बनाना।

उत्तर प्रदेश जैसे विशाल प्रदेश में एम0एस0एम0ई0 में विविधता की अधिक सम्भावना है। उपयुक्त मैथोडोलॉजी के अभाव में इस खण्ड को जी0एस0डी0पी0 में पूर्णतया समाहित नहीं किया जा रहा है। इस उद्देश्य की प्रतिपूर्ति हेतु भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के उद्यमों की पहचान करने के लिए 1 अक्टूबर, 2019 से एक अल्पकालीन सर्वेक्षण करवाया जा रहा है। उक्त सर्वेक्षण 1 अप्रैल, 2020 से समस्त राज्यों के सहयोग से कराया जाना प्रस्तावित है। इससे असंगठित क्षेत्र के उद्यमों में समाविष्ट श्रमशक्ति व जी0वी0ए0 प्रति कर्मकर का आंकलन किया जा सकेगा। परिणामतः प्रदेश की जी0एस0डी0पी0 में असंगठित क्षेत्र के योगदान का संकलन किया जाना संभव होगा जिससे जी0एस0डी0पी0 में निःसंदेह वृद्धि होगी।

3. अन्य खण्ड

एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु उक्त प्राथमिकता प्राप्त सेक्टर के अतिरिक्त अन्य खण्डों में भी सतत् विकास को बनाये रखना आवश्यक है।

प्रदेश में औद्योगिक विकास एवं निवेश को बढ़ावा देने हेतु 21 एवं 22 फरवरी 2018 को इन्वेस्टर समिट-2018 का आयोजन किया गया, जिसमें देश और विदेश के प्रतिष्ठित उद्यमियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। समिट के दौरान रु. 4.68 लाख करोड़ के 1047 एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित हुये। शासन के निर्देशानुसार

एम0ओ0यू0 निरन्तर फालोअप किया जा रहा है। तत्क्रम में प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित प्रथम एवं द्वितीय ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी के माध्यम से क्रमशः 2.06 लाख एवं 2.65 लाख रोजगार सृजित होने की संभावना है।

- **पर्यटन**

वर्ष 2018 में आने वाले कुल पर्यटकों की संख्या के अनुसार प्रदेश का देश में द्वितीय स्थान था तथा विदेशी पर्यटकों की संख्या के अनुसार देश में तृतीय स्थान रहा। पर्यटन खण्ड न केवल 2.28 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करता है। बल्कि विदेशी मुद्रा अर्जन का भी प्रमुख स्रोत है। उत्तर प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र को सशक्त बनाने हेतु निम्न रणनीति अपनायी जा रही है-

- उत्तर प्रदेश को वर्ष 2023 तक भारत का सबसे पंसदीदा पर्यटन गंतव्य बनाना।
- पर्यटन में प्रति वर्ष रु. 5000 करोड़ का निवेश आकर्षित करना।
- पर्यटन से प्रति वर्ष लगभग 5,00,000 व्यक्तियों का रोजगार सृजन।
- घरेलू पर्यटन एवं विदेशी पर्यटन में अगले पांच वर्षों में क्रमशः 15 प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि का प्रयास।
- प्रतिवर्ष 10 प्राचीन इमारतों को धरोहर होटलों में रूपांतरित करना।
- अगले पांच वर्षों में 10,000 पर्यटन सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षण प्रदान कराना।
- स्थानीय पर्व एवं आयोजन को बढ़ावा देना (जैसे-दीपोत्सव, गंगा महोत्सव, शिल्पोत्सव नोएडा आदि)।
- प्रतिवर्ष लगभग 1,00,000 पर्यटकों को उत्तर प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्य की तरफ आकर्षित करना।
- प्रदेश में क्षेत्रीय धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थल पर पहुंचने हेतु सड़क, रेल एवं वायुमार्गों की कनेक्टीविटी में सुधार।

- **आई0टी0 एवं स्टार्टअप्स**

आई0टी0 इन्डस्ट्रीज, स्टार्टअप्स, अवस्थापना, मानव संसाधन विकास और प्रभावी नीतियों द्वारा उत्तर प्रदेश आई0टी0 सेक्टर के विकास हेतु निरंतर प्रयासरत है। उक्त के क्रम में पी0पी0पी0 माडल पर लखनऊ में आई0टी0 सिटी की स्थापना की गयी है। इसी प्रकार आगरा, मेरठ, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, बरेली आदि स्थानों पर आई0टी0 पार्क का निर्माण प्रस्तावित है। प्रदेश में स्टार्टअप के प्रोत्साहन हेतु रुपये एक हजार करोड़ के स्टार्टअप फंड की स्थापना की गयी है। आईटी/इलेक्ट्रॉनिक सिटी, आईटी पार्क्स, स्टार्टअप, इन्क्यूवेटर इत्यादि की स्थापना एवं इलेक्ट्रानिक विनिर्माण क्लस्टर विकास की योजना द्वारा प्रदेश में आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों को बढ़ाने के साथ ही एक नई आईटी और स्टार्टअप नीति 2019 एवं नई इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2019 पर कार्य चल रहा है। स्टार्टअप पोर्टल को ऑनलाइन पंजीकरण के लिए विकसित किया जायेगा।

- **अवस्थापना विकास**

अवस्थापना सुविधाओं के अन्तर्गत परिवहन, संचार, ऊर्जा तथा पेयजल विकास संबंधी भौतिक सुविधाओं का विस्तार शामिल है। इन सुविधाओं की सुदृढ़ एवं व्यापक व्यवस्था के बिना समग्र आर्थिक विकास सम्भव नहीं है। अवस्थापना सुविधाओं पर किया जा रहा निवेश, कृषि, उद्योग तथा व्यापार के विकास हेतु उत्प्रेरक का कार्य करता है। राज्य में परिवहन एवं संचार व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं उपयोगी बनाने की दृष्टि से प्रदेश में सड़क मार्गों, एक्सप्रेस वेज, रेल मार्गों, वायु मार्गों, जल मार्गों एवं मेट्रो रेल के विकास पर अधिक बल दिया जा रहा है। अवस्थापना विकास हेतु प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर, गंगा एक्सप्रेस वे, गोरखपुर

लिंक एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे, बुंदेलखण्ड एक्सप्रेस वे, स्मार्ट सिटी मिशन आदि परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे न केवल प्रदेश के अवध और पूर्वांचल क्षेत्रों को जोड़ेगा, बल्कि इसके निर्माण से पूर्वी क्षेत्र प्रदेश की राजधानी के साथ आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे तथा यमुना एक्सप्रेस-वे के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से भी जुड़ जाएगा। उक्त एक्सप्रेस-वे के निर्माण से रोजगार सृजन के अतिरिक्त पर्यटन, व्यापार, विनिर्माण, निर्माण खण्ड, स्थानीय उत्पाद तथा अन्य सेवा क्षेत्रों में भी समग्र विकास होगा। इससे क्षेत्रीय विषमताओं में भी कमी आयेगी।

- **स्मार्ट सिटी मिशन**

केन्द्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में चयनित किए गए 12 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना प्रस्तावित है। इस योजना के तहत रुपये 20 हजार करोड़ की परियोजनायें प्रगति पर हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य स्मार्ट सिटी के विकास के लिए आय-व्ययक में 175 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

- **रेशम उत्पादन**

रेशम निदेशालय के प्रयासों से प्रदेश में कच्चे रेशम का कीट पालन क्षेत्र में विकास हो रहा है। वर्ष 2018-19 में प्रदेश का कुल कच्चा रेशम उत्पादन लगभग 300 मीट्रिक टन और कोया उत्पादन लगभग 26000 था। रेशम कीट विकास योजना, रेशम अनुसंधान एवं विकास योजना, उष्णकटिबंधीय टसर के लिए नर्सरी पौध उत्पादन की योजना एवं नील क्रांति मिशन के माध्यम से रेशम कीट पालन उद्योग को प्रोत्साहित करके राज्य में रेशम उत्पादन को बढ़ाने का प्रस्ताव है।

- **ऊर्जा**

अर्थव्यवस्था के समग्र विकास में ऊर्जा की आधारभूत आवश्यकता है। कृषि और औद्योगिक विकास में अभिवृद्धि के लिए विद्युत की उपलब्धता महत्वपूर्ण घटक है। उत्तर प्रदेश में विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं आपूर्ति में सुधार हेतु किये जा रहे प्रयासों का विवरण निम्नवत् है:-

- उ0प्र0 सरकार द्वारा भारत सरकार के सहयोग से 24X7 पावर फार आल योजना का क्रियान्वयन किया जा चुका है जिसके अन्तर्गत सभी को 24 घण्टे बिजली दिये जाने हेतु दीनदयाल ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, सौभाग्य योजना, उजाला योजना एवं अन्य विभिन्न योजनाओं द्वारा प्रयास किया जा रहा है।
- सुगम संयोजन योजना- गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले कई परिवार के घरों में अब तक बिजली नहीं पहुंची है। इसे देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। वह बीपीएल कार्ड धारकों को मुफ्त बिजली कनेक्शन उपलब्ध करा रही है। यह काम सुगम संयोजन योजना के अंतर्गत किया जा रहा है।
- ऊर्जा के गैर-परंपरागत स्रोतों के उपयोग को प्रभावी बनाने की दिशा में यूपी नेडा द्वारा ग्रिड संयोजित सौर ऊर्जा विद्युत उत्पादन परियोजनाएं, मिनी-ग्रिड सोलर पावर प्लान्ट परियोजना कार्यक्रम, रूफटाप ग्रिड कनेक्टेड सोलर पीवी पावर प्लाण्ट का क्रियान्वयन, सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, सोलर पावर पैक योजना एवं प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में आर0ओ0 वाटर संयंत्र कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

- **चिकित्सा एवं स्वास्थ्य**

उत्तर प्रदेश राज्य ''स्वास्थ्य नीति'' लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य है। प्रदेश में 6 करोड़ लोग आयुष्मान योजना से लाभान्वित हैं, इसके अतिरिक्त 55 लाख लोग मुख्यमंत्री जन-आरोग्य योजना से आच्छादित हैं। प्रदेश में फार्मास्यूटिकल के साथ ही हेल्थकेयर क्षेत्र के विकास के प्रति निवेशकों ने विशेष रूचि प्रदर्शित की है। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उद्यमियों से 5378 करोड़ रुपये की आठ परियोजनाओं के प्रस्ताव

ग्रेटर नोएडा व यमुना एक्सप्रेस-वे के पास लखनऊ, मथुरा, गाजियाबाद व मुरादाबाद के लिए प्राप्त हुए हैं। इन परियोजनाओं के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में रेडियोलॉजी व पैथोलॉजी तथा डायग्नोस्टिक सेवाओं को विकसित किए जाने और ग्रेटर नोएडा व लखनऊ में मेडिकल सिटी विकसित करने के साथ सुपर-स्पेशिएलिटी अस्पताल व अन्य चिकित्सालय बनाने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन परियोजनाओं से करीब 37 हजार लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है।

मील के पत्थर स्वरूप अर्थव्यवस्था के विभिन्न खण्डों हेतु वर्तमान स्थिति, 2022 एवं 2024 का लक्ष्य निम्नवत् है-

क्रम सं0	गतिविधि	वर्तमान स्थिति	लक्ष्य (वर्ष 2022)	लक्ष्य (वर्ष 2024)
1.	एम.एस.एम.ई की संख्या (लाख)	42.00	45.00	55.00
2.	कार्यबल का रोजगार (लाख)	105.00	118.00	130.00
3.	निर्यात (करोड़ रुपये)	1,14000	1,35000	1,50000
4.	हस्तकला का निर्यात (करोड़ रुपये)	9,500	12000	18000
5.	हथकरघा उत्पादन (मिलियन मी0)	50.8	57.0	60.0
6.	पावरलूम उत्पाद (मिलियन मी0)	2,950.00	3,350.00	3,500.00
7.	कच्चा रेशम उत्पादन (मीट्रिक टन)	330.00	410	510
8.	नामित औद्योगिक भूमि प्रतिशत	0.06	0.07	0.09
9.	कौशल उन्नयन (संख्या करोड़)	10.00	14.00	30.50
10.	क्लस्टर विकास परियोजनाओं की संख्या	15	20	30
11.	पर्यटन की आमद (लाख)	2,888.61	3,200.00	3,528.00
12.	पर्यटन क्षेत्र में रोजगार (लाख)	2.28	3.75	4.50
13.	आईटी सिटी की संख्या	1	1	1
14.	इलेक्ट्रनिक सिटी की संख्या	0	1	1
15.	आईटी पार्क की संख्या	8	8	10
16.	स्टार्ट अप की संख्या	200	1000	1500
17.	इन्क्युबेटर की संख्या	25	75	100

स्रोतः- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0 द्वारा एस0डी0जी0-8 हेतु विभिन्न विभागों से प्राप्त कार्ययोजना से संकलित।

स्पष्ट है कि प्रदेश की अर्थवयवस्था को वन ट्रिलियन डॉलर किये बिना भारत सहित प्रदेश के चतुर्दिक विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। इस हेतु समस्त प्रशासनिक विभागों, अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित संस्थानों का वांछनीय सहयोग आवश्यक है ताकि इनमें समन्वय करके हर सेक्टर में विकास की अधिकतम सीमा का आंकलन किया जा सके और ''सकल विकास दर'' की अनुमन्य मदों में आनुपातिक वृद्धि की जा सके। वन ट्रिलियन डॉलर लक्ष्य की प्राप्ति प्रथम दृष्टया चुनौतीपूर्ण है परन्तु असंभव नहीं है।

आर्थिक क्षेत्रवार जनपदों की सूची

आर्थिक क्षेत्र	सम्मिलित जनपद					
1	2					
1. पश्चिमी क्षेत्र	1.	सहारनपुर	2.	बुलन्दशहर	3.	मेरठ
	4.	गाजियाबाद	5.	मुजफ्फर नगर	6.	अलीगढ़
	7.	मथुरा	8.	आगरा	9.	मैनपुरी
	10.	एटा	11.	बरेली	12.	बिजनौर
	13.	बदायूँ	14.	मुरादाबाद	15.	शाहजहाँपुर
	16.	पीलीभीत	17.	रामपुर	18.	फर्रुखाबाद
	19.	इटावा	20.	फिरोजाबाद	21.	गौतमबुद्धनगर
	22.	हाथरस	23.	अमरोहा	24.	कन्नौज
	25.	बागपत	26.	औरैया	27.	कासगंज
	28.	शामली	29.	हापुड़	30.	संभल
2. केन्द्रीय क्षेत्र	1.	कानपुर नगर	2.	कानपुर देहात	3.	फतेहपुर
	4.	लखनऊ	5.	उन्नाव	6.	रायबरेली
	7.	सीतापुर	8.	हरदोई	9.	खीरी
	10.	बाराबंकी				
3. पूर्वी क्षेत्र	1.	प्रयागराज	2.	वाराणसी	3.	मिर्जापुर
	4.	जौनपुर	5.	गाजीपुर	6.	बलिया
	7.	गोरखपुर	8.	देवरिया	9.	बस्ती
	10.	आजमगढ़	11.	अयोध्या	12.	गोण्डा
	13.	बहराइच	14.	सुल्तानपुर	15.	प्रतापगढ़
	16.	सोनभद्र	17.	महराजगंज	18.	सिद्धार्थनगर
	19.	मऊ	20.	संत रविदास नगर (भदोही)	21.	कुशीनगर
	22.	अम्बेडकरनगर	23.	कौशाम्बी	24.	चन्दौली
	25.	बलरामपुर	26.	श्रावस्ती	27.	संत कबीरनगर
	28.	अमेठी				
4. बुन्देलखण्ड क्षेत्र	1.	बाँदा	2.	हमीरपुर	3.	जालौन
	4.	झाँसी	5.	ललितपुर	6.	महोबा
	7.	चित्रकूट				

सामाजिक स्थिति

उत्तर प्रदेश भारतीय सभ्यता का उद्‌गम स्थल रहा है। अति प्राचीन समय से विभिन्न जाति एवं सामाजिक समूह इस क्षेत्र में आये और यहीं बस गये। इस राज्य में भारतवर्ष की जनसंख्या का 16.51 प्रतिशत भाग निवास करता है तथा भौगोलिक दृष्टि से यह राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं आन्ध्र प्रदेश राज्यों के पश्चात पाँचवे स्थान पर है। इसका भौगोलिक क्षेत्र भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 7.3 प्रतिशत है। इसका सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्र 2,40,928 वर्ग किमी0 है।

प्रशासनिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश 18 मण्डलों में विभाजित है जिसमें 75 जनपद, 915 नगर एवं नगर क्षेत्र, 17 नगर निगम, 198 नगर पालिका परिषद्, 438 नगर पंचायतें, 59073 ग्राम पंचायतें, 825 विकास खण्ड, 97814 आबाद ग्राम, 350 तहसीलें, 17672 डाकघर एवं 3061 टेलीफोन एक्सचेंज हैं।

राजनैतिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश लोकसभा में 80 सदस्य, राज्यसभा में 31 सदस्य, विधानसभा में 404 सदस्य तथा विधान परिषद् में 100 सदस्य चुनकर भेजता है। आर्थिक दृष्टि से यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल 658.15 लाख कर्मकर थे, जिनमें 190.58 कृषक एवं 199.39 लाख कृषि श्रमिक थे। कुल कर्मकरों में कृषकों एवं कृषि श्रमिकों का प्रतिशत अंश 59.3 था। उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति राज्य आय (नवीन शृंखला) वर्ष 2011-12 के प्रचलित भावों पर वर्ष 2018-19 (त्वरित अनुमान) प्रति व्यक्ति आय रु. 66512 है।

जनसंख्या

जनसंख्या के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में प्रथम स्थान है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 1998 लाख है जो भारत की वर्ष 2011 की कुल जनसंख्या 12106 लाख का 16. 5 प्रतिशत है।

जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत के 36 प्रदेशों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा प्रदेश है। विभिन्न प्रदेशों की जनसंख्या सम्बन्धी सूचना तालिका में दृष्टिगत है-

भारतीय संघ के विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों का क्षेत्रफल, जनसंख्या एवं घनत्व-2011

क्र.सं.	राज्य	क्षेत्रफल 2011 (हजार वर्ग किमी०)	जनसंख्या 2011 हजार में	घनत्व 2011 (प्रति वर्ग किमी०)
1	आन्ध्र प्रदेश	163	49387	308
2	अरुणाचल प्रदेश	84	1384	17
3	असम	78	31206	398
4	बिहार	94	104099	1106

5	छत्तीसगढ़	135	25545	189
6	गोवा	4	1459	394
7	गुजरात	196	60440	308
8	हरियाणा	44	25351	573
9	हिमाचल प्रदेश	56	6865	123
10	जम्मू एवं कश्मीर	222	12541	124
11	झारखण्ड	80	32988	414
12	कर्नाटक	192	61095	319
13	केरल	39	33406	860
14	मध्य प्रदेश	308	72627	236
15	महाराष्ट्र	308	112374	365
16	मणिपुर	22	2856	128
17	मेघालय	22	2967	132
18	मिजोरम	21	1097	52
19	नागालैण्ड	17	1979	119
20	ओड़िशा	156	41974	270
21.	पंजाब	50	27743	551
22.	राजस्थान	342	68548	200
23.	सिक्किम	7	611	86
24.	तमिलनाडु	130	72147	555
25.	तेलंगाना	112	35194	307
26.	त्रिपुरा	10	3674	350
27.	उत्तर प्रदेश	241	199812	829
28.	उत्तराखण्ड	53	10086	189
29.	पश्चिम बंगाल	89	91276	1028
30.	अण्डमान-निकोबार आईसलैण्ड	8	381	46
31.	चण्डीगढ़	0	1055	9258
32.	दादर नागर हवेली	0	344	700
33.	दमन-द्वीप	0	243	2191
34.	दिल्ली	1	16788	11320
35.	लक्ष्यद्वीप	0	64	2149
36.	पुडुचेरी	0	1248	2547
	भारत	**3287+**	**1210855**	**382**

+120849 वर्ग किमी0 विवादित क्षेत्र भी सम्मिलित है।

स्रोत : सांख्यकी डायरी, उ०प्र० - 2019

जनसंख्या घनत्व

उत्तर प्रदेश में वर्ष 1991 में प्रति वर्ग किमी0 पर 548 व्यक्ति थे जो कि 2001 में 690 तथा 2011 में 829 प्रति वर्ग किमी0 हो गये जो कि राष्ट्रीय औसत 382 से अधिक है। इससे स्पष्ट है कि जनसंख्या के घनत्व की दृष्टि से भी व्यक्तियों का भार प्रति किमी0 क्षेत्र के अनुसार बढ़ रहा है।

जनसंख्या वृद्धि

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार वर्ष 2001-11 की अवधि में कुल जनसंख्या की दशकीय वृद्धि में प्रदेश का भारत के राज्यों में गत दशक की भाँति ग्यारहवाँ स्थान रहा। 2001-11 की अवधि में उ.प्र. की कुल जनसंख्या की दशकीय वृद्धि में (20.23 प्रतिशत) थी जबकि उक्त अवधि में भारत की दशकीय वृद्धि (17.7 प्रतिशत) से अधिक रही। 1991-2001 की अवधि में उक्त वृद्धि (25.8 प्रतिशत) थी जो उक्त अवधि में भी भारत की दशकीय वृद्धि 21.5 प्रतिशत से अधिक थी।

उत्तर प्रदेश के कुछ मदों के आर्थिक क्षेत्रवार आँकड़े

उत्तर प्रदेश को 4 आर्थिक क्षेत्रों यथा- पूर्वी, पश्चिमी, केन्द्रीय एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र में बाँटा गया है। आर्थिक क्षेत्रवार कुछ मदों के आँकड़े निम्न तालिका में दृष्टिगत हैं-

उत्तर प्रदेश के विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के जनगणना 2011 के कुछ प्रमुख मदों के आँकड़े

	आर्थिक क्षेत्र	कुल जनसंख्या (लाखों में)	जनसंख्या का प्रतिशत	भौगोलिक क्षेत्रफल हजार वर्ग किमी०	जनसंख्या का घनत्व (प्रति वर्ग किमी.)	प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या
1	पूर्वी	804	40.0	86(35.6)	931	952
2	पश्चिमी	743	37.2	80(33.2)	930	884
3	केन्द्रीय	355	18.0	46(19.0)	785	895
4	बुन्देलखण्ड	97	4.8	29(12.2)	329	877
	उत्तर प्रदेश	1998	100.0	241(100.00)	829	912

नोट - कोष्ठक में प्रतिशत दर्शाया गया है।

उक्त तालिका से ज्ञात होता है कि पूर्वी क्षेत्र की जनसंख्या 40.0 प्रतिशत है तथा जनसंख्या की दृष्टि से यह सबसे बड़ा क्षेत्र है, इसके बाद क्रमशः पश्चिमी क्षेत्र (37.2 प्रतिशत) व केन्द्रीय क्षेत्र (18.0 प्रतिशत) तथा सबसे बाद बुन्देलखण्ड क्षेत्र (4.8 प्रतिशत) आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भी प्रदेश के क्षेत्रफल का 35.6 प्रतिशत भाग पूर्वी क्षेत्र में है, जो प्रथम स्थान पर तथा इसके बाद क्रमशः पश्चिमी क्षेत्र (33.2 प्रतिशत) केन्द्रीय क्षेत्र (19.0 प्रतिशत) तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्र (12.2 प्रतिशत) क्षेत्रफल का स्थान है।

लिंगानुपात की प्रवृत्ति

स्त्री-पुरुष अनुपात से तात्पर्य प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या से है। वर्ष 1901 से 2011 की अवधि में स्त्री-पुरुष अनुपात के आँकड़े तालिका में दर्शाये गये हैं-

तालिका

उत्तर प्रदेश एवं भारत के स्त्री-पुरुष अनुपात के आँकड़े

वर्ष	उत्तर प्रदेश		भारत	
	समस्त आयु वर्ग	0-6 वर्ष आयु वर्ग	समस्त आयु वर्ग	0-6 वर्ष आयु वर्ग
1	2	3	4	5
1901	938	-	972	-
1911	916	-	964	-
1921	908	-	955	-
1931	903	-	950	-
1941	907	-	945	-
1951	908	-	946	-
1961	907	-	941	976
1971	876	923	930	964
1981	882	935	934	962
1991	876	927	927	945
2001	898	916	933	927
2011	912	902	943	919

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि प्रदेश में प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या वर्ष 1901 की जनगणनानुसार 938 थी इसके पश्चात् वर्ष 1991 तक इसमें कमी एवं मिश्रित प्रवृत्ति रही। वर्ष 2001 से इसमें पुनः वृद्धि आरम्भ हुई और यह बढ़ते हुए वर्ष 2001 एवं 2011 में क्रमशः 898 एवं 912 हो गयी। भारत में वर्ष 2011 में यह संख्या 943 है जबकि वर्ष 2001 में यह 933 ही थी।

साक्षरता प्रतिशत

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरों की संख्या 1144 लाख है जिनमें 682 लाख पुरुष तथा 462 लाख महिला साक्षर हैं तथा प्रदेश का साक्षरता प्रतिशत 67.7 है जो भारत के संगत अवधि के साक्षरता प्रतिशत 73.0 से कम है जबकि वर्ष 2001 में यह प्रतिशत 56.3 था जो भारत के संगत अवधि में साक्षरता प्रतिशत 64.8 से कम था।

उत्तर प्रदेश में विकलांग व्यक्तियों की जनसंख्या

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में 4157514 कुल विकलांग व्यक्ति हैं जिसमें 763988 दृष्टिहीनता, 266586 मूक, 1027835 बहरापन, 677713 गति, 76603 मानसिक, 181342 मानसिक मंदता, 946436 अन्य एवं 217011 बहु विकलांगता की श्रेणी में आते है। प्रदेश में विकलांग व्यक्तियों का कुल जनसंख्या का प्रतिशत 2.08 है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या (1998.12 लाख) में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या क्रमशः 413.58 लाख एवं 11.34 लाख थी

जो कुल जनसंख्या की क्रमशः 20.7 प्रतिशत तथा 0.6 प्रतिशत थी जबकि इसी अवधि में भारत में यह प्रतिशत क्रमशः 16.6 एवं 8.6 था।

उत्तर प्रदेश में प्रमुख धर्मानुसार जनसंख्या

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में 1593.1 लाख (79.8 प्रतिशत) हिन्दू, 384.8 लाख (19.3 प्रतिशत) मुस्लिम, 3.6 लाख (0.2 प्रतिशत) ईसाई, 6.4 लाख (0.3 प्रतिशत) सिक्ख, 2.1 लाख (0.1 प्रतिशत) बौद्ध, 2.1 लाख (0.1 प्रतिशत) जैन एवं 6.0 लाख (0.3 प्रतिशत) अन्य एवं अवर्णित धर्म के व्यक्ति निवास करते हैं।

उत्तर प्रदेश धर्मानुसार जनसंख्या 2011

	धर्म	जनसंख्या	कुल जनसंख्या प्रतिशत में
1.	हिन्दु	159312654	79.73
2.	मुस्लिम	38483967	19.26
3.	ईसाई	356448	0.18
4.	सिक्ख	643500	0.32
5.	बौद्ध	206285	0.10
6.	जैन	213267	0.11
7.	अन्य तथा अवर्णित धर्म	596220	0.30
	कुल जनसंख्या	199812341	100.00

जन्म दर, मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर

एम.आर.एस. बुलेटिन भारत सरकार के अनुसार प्रदेश में वर्ष 2000 में जन्म दर, मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर क्रमशः 32.8, 10.3, 83 थी जो निरंतर गिरते हुए वर्ष 2013 में क्रमशः 27.2, 7.7, एवं 50 हो गयी एवं पुनः गिरते हुए वर्ष 2015 में क्रमशः 26.7, 7.2 एवं 46.0 हो गयी एवं पुनः गिरते हुए वर्ष 2016 में क्रमशः 26.2, 6.9 एवं 43.0 एवं पुनः गिरते हुए वर्ष 2017 में क्रमशः 25.9, 6.7 एवं 41.0 हो गयी है। राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2013 में उक्त संख्या क्रमशः 21.4, 7.0, 40 एवं वर्ष 2015 में उक्त संख्या क्रमशः 20.8, 6.5 एवं 37.0 एवं 2016 में उक्त संख्या क्रमशः 20.4, 6.4 एवं 34.0 एवं 2017 में उक्त संख्या क्रमशः 20.2, 6.3 एवं 33.0 रही।

प्रदेश में जन्म दर, मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर सम्बन्धी आँकड़े (प्रति हजार)

मद	वर्ष							
	2013		2015		2016		2017	
	उ0प्र0	भारत	उ0प्र0	भारत	उ0प्र0	भारत	उ0प्र0	भारत
1	2	3	4	5	6	7	8	9
जन्म दर	27.2	21.4	26.7	20.8	26.2	20.4	25.9	20.2
मृत्यु दर	7.7	7.0	7.2	6.5	6.9	6.4	6.7	6.3
शिशु मृत्यु दर	50.0	40.0	46.0	37.0	43.0	34.0	41.0	33.0

प्रदेश के महत्त्वपूर्ण तथ्यात्मक आँकड़े

- क्षेत्रफल - 240928 वर्ग किमी0
- जिलों की संख्या - 75
- मण्डलों की संख्या - 18
- कुल जनसंख्या (वर्ष 2011) - 199812341
  - पुरुष - 104480510
  - महिला - 95331831
- 2001-2011 में जनसंख्या में कुल वृद्धि - 33614420
- 2001-2011 में जनसंख्या में दशकीय प्रतिशत वृद्धि दर - 20.23
- 2001-2011 में ग्रामीण जनसंख्या में दशकीय प्रतिशत वृद्धि दर - 18.0
- 2001-2011 में नगरीय जनसंख्या में दशकीय प्रतिशत वृद्धि दर - 28.8
- नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत अंश (2011) - 22.3
- जनसंख्या घनत्व - 829
- लिंगानुपात - 912:1000
- कुल जनसंख्या में 0-6 आयु वर्ग की बाल जनसंख्या का प्रतिशत
  - कुल बच्चे - 18.35 प्रतिशत
  - बालक - 18.18 प्रतिशत
  - बालिकाएँ - 18.54 प्रतिशत
- साक्षरता दर 7 वर्ष व अधिक की जनसंख्या के लिए (2011)
  - कुल - 67.7 प्रतिशत
  - पुरुष - 77.3 प्रतिशत
  - महिला - 57.2 प्रतिशत

सर्वाधिक व न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जनपद-2011 (जनसंख्या हजार में)

अधिकतम			न्यूनतम		
क्र.सं.	**जनपद**	**कुल जनसंख्या**	**क्र.सं.**	**जनपद**	**कुल जनसंख्या**
1	प्रयागराज	5954	1	महोबा	876
2	आजमगढ़	4614	2	चित्रकूट	992
3	लखनऊ	4589	3	हमीरपुर	1104
4	कानपुर नगर	4581	4	श्रावस्ती	1117
5	जौनपुर	4494	5	ललितपुर	1222

सर्वाधिक व न्यूनतम क्षेत्रफल वाले 5 जनपद-2011

अधिकतम			न्यूनतम		
क्र.सं.	जनपद	क्षेत्रफल (वर्ग किमी.)	क्र.सं.	जनपद	क्षेत्रफल (वर्ग किमी.)
1	खीरी	7680	1	हापुड़	660
2	सोनभद्र	6905	2	गाजियाबाद	910
3	हरदोई	5986	3	भदोही	1015
4	सीतापुर	5743	4	शामली	1212
5	प्रयागराज	5482	5	गौतमबुद्ध नगर	1282

सर्वाधिक व न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 5 जनपद-2011

अधिकतम			न्यूनतम		
क्र.सं.	जनपद	जनसंख्या घनत्व (व्यक्ति/वर्ग किमी.)	क्र.सं.	जनपद	जनसंख्या घनत्व (व्यक्ति/वर्ग किमी.)
1	गाजियाबाद	3674	1	ललितपुर	242
2	वाराणसी	2395	2	सोनभद्र	270
3	लखनऊ	1816	3	हमीरपुर	275
4	संत रविदास नगर	1555	4	महोबा	279
5	कानपुर नगर	1452	5	चित्रकूट	308

सर्वाधिक व न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले 5 जनपद-2011

अधिकतम			न्यूनतम		
क्र.सं.	जनपद	दशकीय वृद्धि दर प्रतिशत	क्र.सं.	जनपद	दशकीय वृद्धि दर प्रतिशत
1	गौतमबुद्ध नगर	49.11	1	कानपुर नगर	9.92
2	गाजियाबाद	41.27	2	हमीरपुर	11.12
3	श्रावस्ती	30.54	3	बागपत	11.95
4	बहराइच	29.10	4	फतेहपुर	14.05
5	बलरामपुर	27.72	5	देवरिया	14.25

सर्वाधिक व न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 जनपद-2011

अधिकतम			न्यूनतम		
क्र.सं.	जनपद	लिंगानुपात	क्र.सं.	जनपद	लिंगानुपात
1	जौनपुर	1024	1	महोबा	851
2	आजमगढ़	1019	2	चित्रकूट	861

3	देवरिया	1017	3	हमीरपुर	861
4	प्रतापगढ़	998	4	श्रावस्ती	862
5	सुल्तानपुर	983	5	ललितपुर	863

सर्वाधिक व न्यूनतम साक्षरता वाले 5 जनपद-2011

	अधिकतम			न्यूनतम	
क्र.सं.	जनपद	साक्षरता दर	क्र.सं.	जनपद	साक्षरता दर
1	गौतमबुद्ध नगर	80.12	1	श्रावस्ती	46.74
2	कानपुर नगर	79.65	2	बहराइच	49.36
3	औरय्या	78.95	3	बलरामपुर	49.51
4	इटावा	78.41	4	बदायूँ	51.29
5	गाजियाबाद	78.07	5	रामपुर	53.34

सर्वाधिक व न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले 5 जनपद-2011

	अधिकतम			न्यूनतम	
क्र.सं.	जनपद	पुरुष साक्षरता दर	क्र.सं.	जनपद	पुरुष साक्षरता दर
1	गौतमबुद्ध नगर	88.26	1	श्रावस्ती	57.16
2	औरय्या	86.11	2	बहराइच	58.34
3	इटावा	86.06	3	बलरामपुर	59.73
4	गाजियाबाद	85.42	4	बदायूँ	60.98
5	झाँसी	85.38	5	रामपुर	61.40

सर्वाधिक व न्यूनतम महिला साक्षरता वाले 5 जनपद-2011

	अधिकतम			न्यूनतम	
क्र.सं.	जनपद	महिला साक्षरता दर	क्र.सं.	जनपद	महिला साक्षरता दर
1	कानपुर नगर	75.05	1	श्रावस्ती	34.78
2	लखनऊ	71.54	2	बलरामपुर	38.43
3	गौतमबुद्ध नगर	70.82	3	बहराइच	39.18
4	औरय्या	70.61	4	बदायूँ	40.09
5	गाजियाबाद	69.79	5	रामपुर	44.44

नियोजन

प्रदेश के नियोजित विकास हेतु नियोजन प्रक्रिया को वैज्ञानिक आधार के साथ प्रभावी एवं सुदृढ़ बनाने तथा योजना निर्माण हेतु आधारभूत आँकड़ों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ ही अन्य तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश का गठन किया गया। प्रमुख सचिव नियोजन, उत्तर प्रदेश शासन इस संस्थान के पदेन अध्यक्ष हैं। वर्ष 2019-2020 में इस संस्थान के अन्तर्गत निम्न प्रभाग कार्यरत हैं :-

1. अर्थ एवं संख्या प्रभाग
2. विकास अन्वेषण एवं प्रयोग प्रभाग
3. मूल्यांकन प्रभाग
4. प्रशिक्षण प्रभाग
5. क्षेत्रीय नियोजन प्रभाग
6. दीर्घकालीन योजना प्रभाग
7. जनशक्ति नियोजन प्रभाग
8. योजना अनुश्रवण एवं मूल्य प्रबन्धन प्रभाग
9. प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग

संस्थान के उपर्युक्त प्रभागों में योजना निर्माण हेतु आधारभूत आँकड़ों का संग्रहण, विश्लेषण, प्रकाशन एवं उपलब्धता सुनिश्चित कराने एवं प्रदेश की आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन एवं समीक्षा का महत्त्वपूर्ण कार्य अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा किया जाता है। प्रदेश में कार्यान्वित विकास कार्यक्रमों, योजनाओं के सामयिक मूल्यांकन का कार्य मुख्यतः मूल्यांकन प्रभाग द्वारा किया जाता है।अग्रगामी प्रयोगों द्वारा ग्रामीण विकास के शोध एवं अध्ययन का कार्य विकास अन्वेषण एवं प्रयोग प्रभाग द्वारा किया जाता है। प्रयोगों द्वारा विभिन्न क्षेत्रीय परिस्थितियों में नये विकास कार्यक्रमों की सम्भाव्यता आदि का परीक्षण भी किया जाता है। संस्थान के प्रशिक्षण प्रभाग द्वारा नियोजन प्रक्रिया, प्रायोजना रचना तथा विकास योजनाओं के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन सम्बन्धी तथा विभिन्न विकास विभागों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की दक्षता में अभिवृद्धि करने हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रदेश की अन्तर्क्षेत्रीय विषमताओं का अध्ययन एवं विशेष क्षेत्रीय योजनाएं तैयार करने का कार्य क्षेत्रीय नियोजन प्रभाग द्वारा किया जाता है। प्रदेश में जनशक्ति सम्बन्धी विभिन्न पहलुओं का अध्ययन एवं विश्लेषण कार्य जनशक्ति नियोजन प्रभाग द्वारा तथा दीर्घकालीन योजनाओं हेतु अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन एवं विश्लेषण तथा दीर्घकालीन योजना की संरचना का कार्य दीर्घकालीन योजना प्रभाग द्वारा किया जाता है।

प्रदेश के विभिन्न विभागों एवं निगमों की चयनित वृहद् परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों का अनुश्रवण एवं परियोजनाओं की लागत प्रबन्धन सम्बन्धी कार्य योजना अनुश्रवण एवं मूल्य प्रबन्धन प्रभाग द्वारा किया जाता है। प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा विभिन्न विकास परियोजनाओं को वित्तीय सहायता, तकनीकी सम्भाव्यता तथा आर्थिक एवं सामाजिक लाभप्रदता के परीक्षण का कार्य किया जाता है तथा विभिन्न उच्च स्तरीय समितियों के माध्यम से प्रदेश में विनियोजन हेतु परियोजनाओं का अनुमोदन कराया जाता है।

अर्थ एवं संख्या प्रभाग

उत्तर प्रदेश में आँकड़ों को व्यवस्थित रूप से एकत्रित करने, संकलित करने एवं शासन को उपलब्ध कराने की दृष्टि से इस प्रभाग की स्थापना वर्ष 1931 में ''ब्यूरो आफ स्टैटिस्टिक्स् एण्ड इकोनामिक रिसर्च'' नाम से की गयी थी। बीच में अनेक बार इस विभाग को पुनर्गठित किया गया। वर्ष 1947 में आर्थिक सलाहकार एवं निदेशक का पद सृजित कर इसे एक सम्पूर्ण विभाग का स्वरूप प्रदान किया गया। वर्ष 1961 में इस विभाग को अर्थ एवं संख्या निदेशालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। अंततः वर्ष 1971 में नियोजन के अन्तर्गत राज्य नियोजन संस्थान की स्थापना की गयी तथा उक्त स्थापना के साथ ही यह विभाग अर्थ एवं संख्या प्रभाग के रूप में जाना जाने लगा।

प्रभाग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य

1. प्रदेश की अर्थव्यवस्था की नियमित समीक्षा करना तथा उसके निष्कर्षों से राज्य सरकार को अवगत कराना एवं परामर्श देना।
2. प्रदेश के आर्थिक नियोजन हेतु विभिन्न आर्थिक एवं सामाजिक विषयों पर आँकड़ों का एकत्रीकरण, प्रशोधन, विश्लेषण एवं प्रकाशन।
3. राज्य सरकार की नियोजन प्रक्रिया में वांछित सहयोग देना।
4. केन्द्र तथा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों को उनकी आवश्यकतानुसार आँकड़ों की आपूर्ति।
5. राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के सांख्यिकीय कार्यों में सामन्जस्य स्थापित करना तथा व्यवस्थित एवं तार्किक आधार पर सांख्यिकीय कार्यों को समुचित दिशा प्रदान करना।
6. विकास कार्यक्रमों की प्रगति का संकलन, सत्यापन एवं अनुश्रवण कार्य में सहयोग देना।
7. जिला योजनाओं की संरचना एवं अनुश्रवण।

अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा सम्पादित किये जा रहे कार्यों का संक्षिप्त विवरण-

- राज्य आय अनुमान

•• वर्तमान में राज्य आय के वर्ष 2019-20 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार जी0एस0डी0पी0 (सकल राज्य घरेलू उत्पाद) में स्थायी भावों पर पिछले वर्ष से 4.4 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई हैं।

•• वर्ष 2019-20 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय पिछले वर्ष से 5.9 प्रतिशत बढ़कर रु. 70,419 आंकलित की गई हैं।

- सकल स्थायी पूँजी निर्माण

- जिला घरेलू शुद्ध उत्पाद
- उ.प्र. के आय-व्ययक का आर्थिक एवं कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण
- उ.प्र. की आर्थिक समीक्षा
- मण्डलीय सामाजार्थिक समीक्षायें
- जनपदीय सामाजार्थिक समीक्षायें
- विकास खण्ड स्तरीय सामाजार्थिक समीक्षायें
- जिला योजना की संरचना एवं अनुश्रवण
- स्थानीय निकायों के आय-व्ययक वर्गीकरण सम्बन्धी कार्य
- औद्योगिक उत्पादन सूचकांक
- वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण
- राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण
- भवन निर्माण सम्बन्धी आंकड़े
- थोक/फुटकर भाव संग्रह
- मजदूरी की दरें
- क्षेत्रीय अधिकारियों के निरीक्षणों पर आधारित स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट का विश्लेषण
- ग्राम्य विकास कार्यों का मासिक प्रगति प्रतिवेदन
- जिलेवार विकास संकेतक उ.प्र.
- उ.प्र. एक झलक (आंकड़ों में)
- सांख्यिकीय डायरी
- अन्तर्राज्यीय तुलनात्मक आंकड़ें
- सांख्यिकीय सारांश, उ.प्र.
- अन्तर जनपदीय आंकड़ें

विकास अन्वेषण एवं प्रयोग प्रभाग

विकास अन्वेषण एवं प्रयोग प्रभाग की स्थापना वर्ष 1954 में हुई थी। इस प्रभाग का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं को चिन्हित करके, क्रियात्मक शोध पद्धति अपनाते हुये पायलेट प्रोजेक्ट बनाना तथा क्षेत्र की वास्तविक परिस्थितियों में उपलब्ध संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए जनसहभागिता को अपनाते हुए उसका क्रियान्वयन करके उपयुक्त माडल विकसित करना है। सफल कार्यक्रमों को शासन के सम्बन्धित विभागों को व्यापक प्रचार तथा ''रेप्लीकेशन'' हेतु हस्तान्तरित किया जाता है।

मूल्यांकन प्रभाग

प्रभाग का गठन एवं उद्देश्य

उत्तर प्रदेश में मूल्यांकन संगठन की स्थापना कार्यकारी दल की संस्तुतियों के आधार पर वर्ष 1965 में की गयी थी। इस प्रदेश में मूल्यांकन संगठन स्थापित करने में कार्यकारी दल की संस्तुतियों का पूर्ण रूपेण अनुसरण किया गया है। मूल्यांकन संगठन की नीति एवं कार्यक्रमों के निर्धारण तथा

मूल्यांकन अध्ययनों के सफल संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा एक उच्चस्तरीय राज्य मूल्यांकन सलाहकार परिषद मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित की गयी थी, ताकि मूल्यांकन सलाहकार परिषद मूल्यांकन सम्बन्धी कार्य का प्रभावकारी ढंग से सम्पादन कर सके। तत्पश्चात् वर्ष 1972 से मूल्यांकन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उ.प्र. की स्थापना के फलस्वरूप एक प्रभाग के रूप में स्थापित है।

प्रभाग का कार्य

प्रदेश के विकास में मूल्यांकन प्रभाग की अहम भूमिका है। योजनाएं अपने उद्देश्यों की पूर्ति में किस हद तक सफल रही हैं, योजनाओं का क्रियान्वयन शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों/दिशा–निर्देशों के अनुरूप हो रहा है अथवा नहीं एवं योजनाओं के अन्तर्गत सम्पादित कार्यों की वास्तविक स्थिति क्या है, आदि को ज्ञात करने के उद्देश्य से मूल्यांकन दल द्वारा चयनित जनपदों में जाकर लाभान्वितों से साक्षात्कार कर आवश्यक तथ्य संकलित किये जाते हैं। साथ ही जनप्रतिनिधियों एवं सम्बन्धित राज्य स्तरीय/जनपद स्तरीय अधिकारियों/कर्मचारियों से विचार–विमर्श कर योजना के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की जाती है। उपरोक्त समस्त तथ्यों का समावेश करते हुए अध्ययन प्रतिवेदन को अन्तिम रूप प्रदान किया जाता है। अध्ययन प्रतिवेदन में मूल्यांकनोपरान्त प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर योजना को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु सुझाव/संस्तुतियाँ की जाती हैं।

प्रशिक्षण प्रभाग

प्रशिक्षण प्रभाग की स्थापना 1981 में एक स्वतंत्र इकाई के रूप में राज्य नियोजन संस्थान उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत की गयी थी। यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार की सेवाओं के 'क' एवं 'ख' वर्ग के अधिकारियों एवं राज्य नियोजन संस्थान के कार्मिकों हेतु नियोजन एवं विकास से संबंधित विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त अर्थ एवं संख्या प्रभाग के नवनियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है।

प्रमुख कार्य योजना

प्रशिक्षण प्रभाग की कार्ययोजना के अंतर्गत नियोजन विभाग, राज्य योजना आयोग, भूमि उपयोग परिषद तथा राज्य नियोजन संस्थान के अधिकारियों एवं कर्मचारियों एवं प्रदेश के विभिन्न विकास विभागों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं के अनुरूप संबंधित विषयों यथा-परियोजना नियोजन एवं प्रबन्धन, विकेन्द्रित नियोजन, मानव विकास एवं जेण्डर इशूज, कार्यालय प्रबन्धन इत्यादि विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

क्षेत्रीय नियोजन प्रभाग

प्रदेश में संतुलित सामाजिक एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत क्षेत्रीय नियोजन प्रभाग की स्थापना वर्ष 1971 में की गयी। इस प्रभाग का प्रमुख कार्य प्रदेश के अन्तर्गत विभिन्न स्तरों पर व्याप्त क्षेत्रीय विषमताओं एवं समस्याओं को अभिज्ञानित करने हेतु अध्ययन करना है। प्रभाग के प्रमुख कार्यकलापों का विवरण निम्नवत् है :-

1. पूर्वान्चल विकास बोर्ड के सचिवालय के रूप में कार्य करना।
2. बुन्देलखण्ड विकास बोर्ड के सचिवालय के रूप में कार्य करना।

3. भारत के राज्यों के मध्य, प्रदेश की तथा आर्थिक सम्भागों की तुलनात्मक स्थिति को विकास संकेतकों के माध्यम से दर्शाने हेतु नियोजन एटलस की प्रतिवर्ष संरचना करना।
4. प्रदेश में जनपदवार पिछड़े विकास खण्डों का अभियान।
5. प्रदेश की अन्तर्क्षेत्रीय एवं अन्तर्जनपदीय विषमताओं को अभिज्ञानित करना।

बुन्देलखण्ड पैकेज

1. वित्तीय वर्ष 2020-21 की उपलब्धियाँ

बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में सम्बन्धित विभागों यथा नमामिगंगे एवं जलापूर्ति विभाग (लघु सिंचाई विभाग) द्वारा 124 चेकडैम 73 तालाबों का आधुनिकीकरण कृषि विभाग द्वारा 600 स्प्रिंकर सिंचाई प्रणाली का कृषकों को वितरण तथा 75 वाटर हार्वेस्टिंग चेकडैम का निर्माण उद्यान विभाग द्वारा 827 हे0 क्षेत्रफल में ड्रिप इरीगेशन 16586 हे0 क्षेत्रफल में स्प्रिंकर सिंचाई प्रणाली का वितरण 41 प्याज भण्डार गृह 152 आन फार्मपैक हाउस एवं 49 लघु प्रसंस्करण इकाइयां निर्मित पशुधन विभाग द्वारा महिला समृद्धिकरण-ब्रायलर पालन योजनान्तर्गत 9888 लाभार्थियों को लाभान्वित कृत्रिम गर्भाधन द्वारा 8004 उत्पादन और पशुधन कार्यक्रम के सम्बन्ध में जागरूकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 1250 लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

2. वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित योजनायें

कोई नई योजना प्रस्तावित नहीं है। अधूरी परियोजनाओं को पूरा कराया जायेगा।

दीर्घकालीन योजना प्रभाग

दीर्घकालीन योजना प्रभाग की स्थापना वर्ष 1971-72 में की गयी थी। प्रभाग का मुख्य उद्देश्य राज्य अर्थव्यवस्था के सर्वांगीण विकास हेतु एक उपयुक्त दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य तैयार करना है, जिसकी पृष्ठभूमि में लघु अवधीय विकास की प्राथमिकतायें तथा उसका स्वरूप निर्धारित किया जा सके। इस उद्देश्य के अनुरूप राष्ट्रीय विकास परिप्रेक्ष्य से तालमेल स्थापित करते हुए प्रदेश की क्षेत्रकीय एवं समग्र (सेक्टोरल एण्ड ओवर आल) अर्थव्यवस्था हेतु अपेक्षित वृद्धि दर, आवश्यक विनियोग एवं योजना परिव्यय, सम्भावित रोजगार सृजन एवं गरीबी उन्मूलन आदि के अनुमान तैयार करना प्रभाग की सहवर्ती प्रतिबद्धतायें हैं। इन्हीं उद्देश्यों एवं अपेक्षाओं की पूर्ति हेतु समग्र अर्थव्यवस्था एवं उसके विभिन्न क्षेत्रकों के प्रमुख बैरियबुल्स (उत्पादन, उपभोग, विनियोग, बचत आदि) की संरचना तथा कतिपय विशिष्ट पैरामीटर्स/पहलुओं (श्रम-उत्पादन, अनुपात, पूँजी-उत्पादन अनुपात, विकास-रणनीति आदि) से सम्बन्धित बहुआयामी अध्ययनों का सतत् सम्पादन प्रभाग का महत्त्वपूर्ण कार्य है।

वर्ष 2019-20 के प्रकाशनों की सूची

1. आय-व्ययक की संरचना वर्ष 2017-18
2. सतत विकास लक्ष्य-विजन 2030 (हिन्दी एवं अंग्रेजी)
3. उ0प्र0 सतत विकास लक्ष्य (छोटी पुस्तिका)
4. उ0प्र0 सतत विकास लक्ष्य (बड़ी पुस्तिका)

(प्रकाशन 2, 3 व 4 नियोजन विभाग वेबसाइट planning.up.nic..in पर उपलब्ध है।)

जनशक्ति नियोजन प्रभाग

जनशक्ति नियोजन प्रभाग की स्थापना वर्ष 1971 में राज्य नियोजन संस्थान की स्थापना के साथ की गयी थी। इसका कार्य ऐसे अध्ययनों को करना है जिनसे प्रदेश की विभिन्न विकास योजनाओं के सफल कार्यान्वयन हेतु तकनीकी एवं व्यवसायिक कार्मिकों की उपलब्धता समय से एवं आवश्यकतानुसार सुनिश्चित हो सके तथा बेरोजगारी की समस्या को कम करने हेतु सुझाव दिये जा सकें। साथ ही शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थाओं में आवश्यक सुधार लाकर उन्हें अधिक उपयोगी बनाने तथा उपलब्ध जनशक्ति का विकास कार्यों में अधिकाधिक उपयोग सुनिश्चित कर, मानव संसाधन विकास में योगदान प्रदान करना है। प्रभाग द्वारा किये गये अध्ययनों को निम्नलिखित चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है :

1. महत्त्वपूर्ण श्रेणी के तकनीकी कार्मिकों का स्टॉफ तथा मांग एवं पूर्ति का आंकलन।
2. विभिन्न स्त्रोतों से उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर प्रदेश की जनशक्ति का आंकलन, रोजगार एवं बेरोजगारी की स्थिति तथा इनमें हो रहे परिवर्तनों का तुलनात्मक अध्ययन।
3. विकास कार्यक्रमों का रोजगार के दृष्टिकोण से विश्लेषण तथा रोजगारपरक योजनाओं का लाभार्थियों की आय एवं रोजगार पर प्रभाव।
4. प्रदेश में प्रशिक्षण संस्थाओं की उपयुक्तता तथा प्रशिक्षित जनशक्ति का उपयोग।

जनशक्ति नियोजन प्रभाग द्वारा किये जा रहे कार्यों का विवरण (2019-20)

1. केन्द्र सरकार के अपेक्षानुसार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाओं के लाभार्थियों का डिजिटाईजेशन तथा आधार के साथ लिंकेज का अनुश्रवण तथा उत्तर प्रदेश डी.बी.टी. पोर्टल पर डी.बी.टी. योजनाओं को ऑनबोर्ड करना।
2. चयनित केन्द्र पोषित डी.बी.टी. योजनाओं की पाक्षिक एवं क्रमिक प्रगति की सूचना मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध कराना।
3. आयुवर्ग -18 वर्ष में आधार जनरेशन में वृद्धि किये जाने से सम्बन्धी कार्यवाही तथा आधार परियोजना से सम्बन्धित अन्य कार्य।

वर्ष 2020-21 में प्रस्तावित जनशक्ति नियोजन प्रभाग के कार्यों का विवरण-

1. केन्द्र सरकार के अपेक्षानुसार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाओं के लाभार्थियों का डिजिटाईजेशन तथा आधार के साथ लिंकेज का अनुश्रवण तथा उत्तर प्रदेश डी0बी0टी0 पोर्टल पर डी0बी0टी0 योजनाओं को ऑनबोर्ड करना।
2. चयनित केन्द्र पोषित डी0बी0टी0 योजनाओं की पाक्षिक एवं क्रमिक प्रगति की सूचना मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध कराना।
3. आयुवर्ग 0-18 वर्ष में आधार जनरेशन में वृद्धि किये जाने से सम्बन्धी कार्यवाही तथा आधार परियोजना से सम्बन्धित अन्य कार्य।
4. राज्य नियोजन संस्थान, उ0प्र0 का कार्य-विवरण वर्ष 2020-21

5. सरप्लस स्टाफ पूल एवं अनुपयोगी स्टाफ सम्बन्धी कार्य।
6. एन0आई0सी0 के माध्यम से एन0जी0ओ0 वेबपोर्टल का निर्माण कराना।
7. विभागीय कार्यों के लिये कन्सल्टेंट (सीनियर लेवल/मिड लेवल तथा जूनियर लेवल) की सेवायें प्राप्त करने हेतु सेवा प्रदायी संस्था (कन्सल्टेंसी फर्म्स) का इम्पैनलमेन्ट किये जाने से सम्बन्धी कार्य।
8. प्रदेश के विभिन्न विभागों में प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती करने हेतु सेवा प्रदायी संस्थाओं का इम्पैनलमेन्ट किये जाने से सम्बन्धी कार्य।

योजना अनुश्रवण एवं मूल्य प्रबन्धन प्रभाग

नियोजन विभाग के अन्तर्गत योजना अनुश्रवण एवं मूल्य प्रबन्धन प्रभाग का सृजन मई, 1973 में इस उद्देश्य से किया गया था कि यह प्रभाग प्रदेश के विभिन्न विभागों द्वारा चलाई गयी चयनित परियोजनाओं की प्रगति पर दृष्टि रखेगा तथा उनके क्रियान्वयन में आने वाले अवरोधों, समस्याग्रस्त क्षेत्रों तथा कमी के सम्बन्ध में शासन को नियमित रूप से अवगत करायेगा। साथ ही प्रभाग से यह भी अपेक्षा की गयी है कि वह परियोजनाओं के क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा, उनके निर्धारित लक्ष्यानुसार पूर्ण न हो पाने के कारण, भविष्य में सम्भावित अवरोधों की जानकारी तथा लागत एवं समयवृद्धि पर अंकुश आदि के सम्बन्ध में सुझावात्मक टिप्पणी सहित वस्तुस्थिति से शासन एवं उच्च प्रबन्धन को अनुश्रवण टिप्पणी के माध्यम से नियमित रूप से अवगत करायेगा।

यह प्रभाग अपने उद्देश्यों के अनुरूप सीमित साधनों एवं जनशक्ति का उपयोग करते हुए तत्परता से अपेक्षानुसार अपने उत्तरदायित्वों का निष्पादन कर रहा है। वर्तमान में प्रभाग द्वारा निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण कार्य किये जा रहे हैं :-

- रु. 5.00 करोड़ से अधिक लागत की मार्ग/पेयजल/सीवर/ड्रेनेज निर्माण की परियोजनायें तथा अन्य रु. 1.00 करोड़ से अधिक लागत की निर्माणाधीन परियोजनाओं का ई-परियोजना प्रबन्धन वेबप्रणाली के माध्यम से प्रगति का अनुश्रवण कर नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित करा कर तथा अनुश्रवण आख्या का सम्बन्धित विभागों को प्रेषित की गयी।
- ई-परियोजना प्रबन्धन वेबप्रणाली के अन्तर्गत विभिन्न विकास विभागों की निर्माणाधीन परियोजनाएं अपलोड/अपडेट करने का नियमित अनुश्रवण किया गया।
- प्रदेश के विकास विभागों की निर्माणाधीन परियोजनाओं जिनमें 10 प्रतिशत से अधिक लागत वृद्धि हो चुकी है तथा/अथवा 06 माह से अधिक कार्यावधि वृद्धि हो गयी है उन परियोजनाओं की विस्तृत रिपोर्ट विभागों द्वारा नियोजन विभाग कों उपलब्ध करायी गयी। इन सभी परियोजनाओं की अपर मुख्य सचिव, नियोजन के स्तर पर त्रैमास में समीक्षा बैठक आयोजित की गयी तथा वस्तुस्थिति से उच्च स्तर को अवगत कराया गया।
- मा0 प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में वीडियों कान्फ्रेसिंग के माध्यम से PRAGATI (Pro Active Governance and Timely Implementation) के अन्तर्गत चिन्हित प्रकरणों की मासिक समीक्षा बैठकों में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के भाग लेने सम्बन्धी समस्त कार्य सम्पादित किय गये। वर्ष 2019-20 में PRAGATI की 03 बैठकें आहूत की गयी।

- PRAGATI कार्यक्रम के अन्तर्गत चिन्हित प्रकरणों मा0 प्रधानमंत्री कार्यालय, भारत सरकार के PRAGATI वेबपोर्टल पर दर्शित प्रकरणों की अद्यावधिक परिपालन आख्या (ATR) वेबपोर्टल पर अपलोड किया। वर्ष 2019-20 में PRAGATI (ATR) के 173 Issues पर अद्यतन स्टेटस PRAGATI वेबपोर्टल पर अपलोड किया गया, जिससे 20 Issues Fully Resolved हो गये।
- उद्योग संवर्धन एवं आन्तरिक व्यापार विभाग (DPIIT), भारत सरकार में गठित Project Monitoring Group (PMG) की मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में PMG, भारत सरकार के संयुक्त सचिव के साथ 02 समीक्षा बैठकें आहूत की गयी।
- सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के समस्त तकनीकी कार्यों के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु नियोजन विभाग द्वारा राज्य नोडल के रूप में भारत सरकार तथा जिला प्राधिकारियों के मध्य समन्वय का कार्य सम्पादित किया गया।
- मंत्रिमण्डलीय सचिवालय भारत, नई दिल्ली की E-Samiksha वेबसाइट पर विभिन्न वर्गों के अन्तर्गत दर्शित Action Points पर प्रदेश का अद्यतन स्टेटस सम्बन्धित विभागों से पत्राचार एवं समय-समय पर समीक्षा बैठकें आहूत कर अपडेट करायी गयी।
- प्रदेश में निर्माणाधीन रु. 100 करोड़/रु. 500 करोड़ से अधिक लागत की परियोजनाओं की प्रगति की अपर मुख्य सचिव, नियोजन, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में समीक्षा बैठकें आयोजित करायी गयी।

प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग

प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग का गठन राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत दिनांक 29.05.1972 को हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश की विभिन्न विकास प्रायोजनाओं हेतु पूँजी विनियोग के प्रस्तावों की वित्तीय सहायता, तकनीक सम्भाव्यता तथा आर्थिक एवं सामाजिक लाभ प्रदता का मूल्यांकन करना है।

प्रभाग का कार्यक्षेत्र

- व्यय वित्त समिति सचिवालय
- पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड (पी.आई.बी.) सचिवालय

व्यय वित्त समिति का संगठन तथा कार्यक्षेत्र

- व्यय के महत्त्वपूर्ण प्रस्तावों के सभी पहलुओं पर जाँच करके तत्परता से अन्तिम निर्णय लिये जाने के उद्देश्य से दिनाँक 22 अप्रैल 1977 द्वारा व्यय वित्त समिति का गठन किया गया था।
- इस समिति की सदस्यता, कार्य प्रक्रिया, कर्तव्य व कार्य क्षेत्र आदि के सम्बन्ध में दिनाँक 24 जुलाई, 1998 द्वारा आंशिक संशोधन किया गया।

समिति का कार्यक्षेत्र

- योजनाओं/परियोजनाओं में व्यय के प्रस्तावों का मूल्यांकन (अप्रेजल) एवं औचित्व के परीक्षण का स्तर निम्नवत है–

क्र.सं.	परियोजना के व्यय के प्रस्ताव	व्यय के प्रस्तावों का मूल्यांकन (अप्रेजल) एवं उनके औचित्य का प्रशिक्षण
1.	रु. 5.00 करोड़ तक	प्रशासकीय विभाग
2.	रु. 5.00 करोड़ से अधिक एवं रु. 25.00 करोड़ तक	प्रशासकीय विभाग (जिस प्रशासकीय विभाग में मुख्य अभियन्ता तैनात हो।)
3.	रु. 5.00 करोड़ से अधिक एवं रु. 25.00 करोड़ तक	पी.एफ.ए.डी. तथा प्रशासकीय विभाग (जिस प्रशासकीय विभाग में मुख्य अभियन्ता न हो)।
4.	रु. 25.00 करोड़ से अधिक	पी.एफ.ए.डी. तथा प्रमुख सचिव वित्त की अध्यक्षता में गठित व्यय वित्त समिति।

पब्लिक इन्वेस्टमेन्ट बोर्ड एवं उसकी स्थाई समिति का संगठन तथा कार्यक्षेत्र

1. प्रदेश में पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड का गठन जनवरी, 1977 में राज्य सरकार द्वारा किया गया था।
2. पब्लिक इन्वेस्टमेन्ट बोर्ड का मुख्य कार्य प्रदेश के सार्वजनिक क्षेत्र में किये जाने वाले पूँजी विनियोग प्रस्तावों का परीक्षण करके अनुमोदन/संशोधन/अस्वीकृत हेतु अपनी संस्तुति देना है।
3. पब्लिक इन्वेस्टमेन्ट बोर्ड प्रदेश में नये नियमों की स्थापना की आवश्यकता का भी परीक्षण करता है।

पब्लिक इन्वेस्टमेन्ट बोर्ड का कार्य क्षेत्र

1. सार्वजनिक उद्यमों, स्टेट्यूटरी निगमों, सहकारी संस्थाओं, स्वायत्तशासी निकायों स्थानीय निकायों विचार करना के सभी विनियोजन प्रस्तावों पर (को छोड़कर, जिनमें कुल विनियोजन पांच करोड़ रुपये अथवा इससे अधिक हो।)
2. संयुक्त सहायतित क्षेत्र के उन सभी प्रस्तावों पर विचार करना जिनमें राज्य सरकार अथवा उसकी किसी संस्था द्वारा अंशपूंजी के रूप में एक करोड़ रुपये या अधिक का विनियोजन किया जाता है।
3. ऐसे प्रस्तावों पर विचार करना जिनमें पुनरीक्षित अनुमानों से मौलिक अनुमानों की अपेक्षा निम्न प्रकार से अधिक धनराशि लगने की सम्भावना होः-
   - प्रायोजनायें जिनकी मूल अनुमानित लागत रु. 5.00 करोड़ तक हो- 15 प्रतिशत।
   - प्रायोजनायें जिनकी मूल अनुमानित लागत रु. 50.00 करोड़ से 100.00 करोड़ तक हो- रु. 7.50 करोड़ तथा रु. 50.00 करोड़ के ऊपर बढ़ी हुई लागत का 12.5 प्रतिशत।
   - प्रायोजनायें जिनकी मूल अनुमानित लागत रु. 100.00 करोड़ से अधिक हो- रु. 13.75 करोड़ तथा रु. 100.00 करोड़ के ऊपर बढ़ी हुई लागत का 7.5 प्रतिशत।
4. ऐसी प्रायोजनाओं को पुनरीक्षित किया जाता है, जिनकी पुनरीक्षित प्रायोजना लागत, मूल लागत से 25 प्रतिशत अथवा उससे अधिक हो तो पुनरीक्षित प्रायोजना पी0आई0बी0 के समक्ष प्रस्तुत की जाती है।

5. संयुक्त/सहायतित क्षेत्र के उन सभी प्रस्तावों पर विचार करना जिनमें राज्य सरकार अथवा उसकी किसी संस्था द्वारा अंशपूंजी के रूप में 50 लाख रुपये से एक करोड़ रुपये तक का विनियोजन किया जाना हो और प्रस्ताव की कुल अनुमानित लागत 10 करोड़ रुपये से अधिक न हो।
6. उपरोक्त के अतिरिक्त यदि निम्नलिखित पैरामीटर्स में भी परिवर्तन हो जाता है तो सुनिश्चित प्रायोजना को पी0बी0आई0 के अनुमोदनार्थ लाना आवश्यक होगा।
   1. प्रोडक्ट मिक्स में परिवर्तन।
   2. अधिष्ठापित क्षमता में परिवर्तन।
   3. वित्तीय व्यवस्था में परिवर्तन।

पब्लिक इन्वेस्टमेन्ट बोर्ड की स्थाई समिति

बोर्ड के विचारार्थ प्राप्त विनियोजन प्रस्तावों की संख्या में काफी अधिक वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सितम्बर, 1985 में एक स्थाई समिति का सृजन किया गया था, जिसे पब्लिक इन्वेस्टमेन्ट बोर्ड की स्थाई समिति कहा गया।

पी०आई०बी० की स्थायी समिति का कार्य एवं क्षेत्र

पी0आई0बी0 की स्थायी समिति का क्षेत्र एवं कार्य निम्न प्रकार होगा :

1. सार्वजनिक उद्यमों, सांविधिक निगमों, सहकारी संस्थाओं, स्वायतशाषी निकायों (स्थानीय निकायों को छोड़कर) के उन सभी पूँजी विनियोजन प्रस्तावों पर विचार करना जिनमें कुल विनियोजन एक करोड़ रुपये या उससे अधिक परन्तु पाँच करोड़ रुपये से कम हो।
2. संयुक्त/सहायतित क्षेत्र में उन सभी प्रस्तावों पर विचार करना जिनमें राज्य सरकार अथवा उसकी किसी संस्था द्वारा अंश पूंजी में 50.00 लाख रुपये से एक करोड़ रुपये का विनियोजन किया जाता है और प्रस्ताव की कुल अनुमानित लागत रु. 10.00 करोड़ से अधिक न हो।
3. मूल स्वीकृत अनुमानित लागत के अनुसार अनुच्छेद 3.2.1 एवं 3.2.2. की परिधि में आने वाले पुनरीक्षित लागत के प्रस्तावों पर विचार करना, जिनमें पुनरीक्षित अनुमानित लागत मूल लागत की अपेक्षा 15 प्रतिशत अधिक न हो।

जिला योजना

- भारत का संविधान की धारा-243 जेड डीके अधीन उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम 1999 के साथ गठित उत्तर प्रदेश (जिला योजना समिति) संशोधन (अधिनियम 2007) के माध्यम से प्रदेश में लागू नवीन विकेन्द्रित नियोजन प्रणाली के अन्तर्गत जिला विकास योजना तैयार किये जाने की व्यवस्था है।
- उक्त अधिनियमों के अन्तर्गत प्रत्येक जनपद में जिला योजना समिति गठित है, जिसकी अध्यक्षता मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा नामित जनपद के प्रभारी मा0 मंत्री जी द्वारा किये जाने की व्यवस्था है।

- वित्तीय वर्ष 2019-2020 की जिला योजना संरचना हेतु वित्त विभाग द्वारा निर्धारित परिव्यय रु. 26500.00 करोड़ की जनपदवार फांट जनपदों को सूचित करते हुए आवश्यक मार्ग-निर्देश दिनांक 13 नवम्बर, 2018 को जारी किये गये थे।
- इस सम्बन्ध में जनपदों से अनेकों अनुस्मारकों के पश्चात प्राप्त अनुमोदित जिला योजनाओं के आधार पर जनपदवार/योजनावार परिव्यय के निर्धारण हेतु जनपदों के मुख्य विकास अधिकारियों/जिला अर्थ एवं संख्याधिकारियों की माह नवम्बर, 2019 में बैंठकें आयोजित की गई।

  तद्नुसार जनपदवार/योजनावार निर्धारित परिव्यय की सूचना जनपदों/विभागों को शासनादेश दिनांक 16 दिसम्बर, 2019 द्वारा जारी कर दी गई।

जियो इंफार्मेटिक्स सिस्टम (भूमि उपयोग परिषद)

- प्रदेश में वर्ष 2018-19 से सभी कार्यक्रमों/योजनाओं/परियोजनाओं के नियोजन अनुश्रवण, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन को जिया इन्फार्मेटिक्स सिस्टम आधारित प्रणाली के माध्यम से किये जाने का निर्ण लिया गया है।
- प्रदेश के सभी विभागों को शासनादेश दिनांकः 17 जुलाई, 2018 द्वारा दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं कि विभागीय एवं सार्वजनिक उपयोग में आने वाली सभी परिसम्पत्तियों की जियो टैगिंग की जाएगी। इस जियो डेटा बेस के उपयोग से वास्तविक स्थिति का आंकलन, रियल टाइम मानीटरिंग, एकीकृत व्यवस्था, मितव्ययिता इत्यादि में सुविधा होगी।
- प्रथम चरण में निर्माणाधीन परिसम्पत्तियों की जियो टैगिंग की जायेगी साथ ही प्रत्येक नये कार्य के लिए भी अपनायी जायेगी। द्वितीय चरण में पूर्व में निर्मित सभी परिसम्पत्तियों की जियो टैगिंग करायी जाये।
- प्रदेश में जी0आई0एस0 के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार के नेशनल ई-गवर्नेन्स डिवीजन, इलेक्ट्रानिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन्स एण्ड जियो इंफार्मेटिक्स, गुजरात (बाईजैग) के सहयोग से निःशुल्क विभागीय जियो पोर्टल विकसित कर क्रियान्वित किया जा रहा है।
- प्रोजेक्ट के संचालन हेतु नेशनल ई-गवर्नेन्स डिवीजन, इलेक्ट्रानिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार तथा प्रदेश सरकार से नियोजन विभाग, के मध्य एक अनुबन्ध दिनांक 08.03.2019 को हस्ताक्षरित हुआ है। उक्त प्रोजेक्ट की अवधि हस्ताक्षर के दिनांक से 02 वर्ष की है।
- सम्पूर्ण कार्य को पूर्ण करने हेतु सम्बन्धित विभागों के सहयोग से एक रोड मैप तैयार किया गया है। विभागीय डेटा/मेटा डेटा के आधार पर जियो पोर्टल विकसित कर क्रियान्वित किये जाने हेतु माह मई, 2019 से जनवरी, 2021 की समयावधि निर्धारित की गयी है।
- विभागों/उपविभागों/संस्थाओं/निगमों के डेटा/मेटा डेटा के आधार पर 236 जियो पोर्टल्स विकसित किये जा चुके हैं जिनके क्रियान्वयन की कार्यवाही प्रचलित है। साथ ही विभिन्न विभागों हेतु 19 मोबाइदल ऐप भी निर्गत किए गए हैं।

उ०प्र० राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड

- कृषक उत्पादन कम्पनियों का गठन-124 कम्पनियों एवं आच्छादित जनपद-42

(i) कृषि उपजों को राष्ट्रीय बाजार में सीधे उपलब्ध कराने के उद्देश्य से e-NAM पोर्टल पर 43 कम्पनियों तथा e-CHARAK पोर्टल पर 05 कम्पनियों का पंजीयन कराया जा चुका है।

(ii) औषधीय कृषि उत्पादों को राष्ट्रीय बाजार में ऑन लाईन ट्रेडिंग के लिए e-NAM पोर्टल पर 43 कम्पनियों तथा e-CHARAK पोर्टल पर 05 कम्पनियों का पंजीयन कराया गया है तथा शेष अन्य कम्पनियों के पंजीयन की कार्यवाही प्रक्रियागत है।

पर्यावरण अनुकूल व्यावसायिक कृषि प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन 812.65- एकड़

- प्रदेश में जैव ऊर्जा उद्यमों की स्थापना में तकनीकी सहयोग-

(i) कृषि अपशिष्टों से सी0बी0जी0 उत्पादन की व्यावसायिक परियोजना-06

(ii) कृषि अपशिष्टों से 2जी0 एथेनॉल उत्पादन की परियोजना-02

(iii) कृषि अपशिष्टों से ड्रॉप-इन-फ्यूल के उत्पादन की परियोजना-01

- बी0ई0एम0सी0 मॉडल प्रदर्शन इकाईयों की स्थापना-15
- किसानों को पर्यावरण अनुकूल कृषि कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु प्रशिक्षण कैम्पों का आयोजन-8
- कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान फार्मर प्रोड्यूसर कमनियों के सहयोग से किसानों के खेत पर से ही कृषि एवं औद्योगिकी उपजों के संग्रहण तथा उसे बाजार/उपभोक्ताओं तक सीधे पहुँचाने हेतु आवश्यक तकनीकी सहयोग प्रदान किया गया। इस सम्बन्ध में उ0प्र0 सरकार के फसेबुक पोर्टल पर भी बोर्ड की उपलब्धियों का सन्दर्भ प्रस्तुत किया।

महत्वाकांक्षी जनपदों का रूपान्तरण कार्यक्रम

- नीति आयोग द्वारा मानव विकास से सम्बंधित संयुक्त सूचकांक composite index जिसमें 6 विषयगत क्षेत्र (Thematic area) चिकित्सा एवं पोषण, शिक्षाएं कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास तथा आधारभूत अवसंरचना से सम्बंधित 49 सूचकांक (Key Performance Indicatiors-KPLs) सम्मिलित हैं, के आधार पर प्रदेश के 08 जनपदों-बहराईच, बलरामपुर, चन्दौली, चित्रकूट, फतेहपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र का चिन्हांकन किया गया है।
- नीति आयोग द्वारा महत्वाकांक्षी जनपदों द्वारा किये जा रहे प्रयासों का आंकलन रियल टाइम मानीटरिंग डैशबोर्ड http://championsofchange.gov.in द्वारा किया जा रहा है। डैशबोर्ड पर जनपदों द्वारा आंकड़ों का अंकन किया जाता है।
- उच्च स्तरीय सतत् मार्गदर्शन एवं अनुश्रवण के फलस्वरूप महत्वाकांक्षी जनपदों द्वारा उत्तरोत्तर प्रगति की गई है। नीति आयोग द्वारा इन जनपदों का पुरस्कृत भी किया गया है।

बार्डर एरिया डेवलपमेन्ट कार्यक्रम

- बार्डर एरिया डेवलपमेन्ट कार्यक्रम भारत सरकार की सहायता से वर्ष 1999 से प्रदेश में संचालित किया जा रहा है। यह योजना नेपाल अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से लगे प्रदेश के 07 जनपदों

यथा-पीलीभीत, खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर एवं महराजगंज के 21 विकास खण्डों के ग्रामों में योजना क्रियान्वित है।

- अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के निकटवर्ती सुदूर एवं दुर्लभ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की विशेष आवश्यकताओं (क्रिटिकल गैप्स) को पूरा करना।
- भारत सरकार से विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में शत-प्रतिशत धनराशि अनुदान के रूप में प्राप्त हो रही थी परन्तु वर्ष 2016-17 से भारत सरकार द्वारा फडिंग पैटर्न में परिवर्तन करते हुये 60 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 40 प्रतिशत धनराशि राज्य सरकार को वहन किये जाने की व्यवस्था क्रियान्वित है।
- योजनान्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से सटे 0-10 किमी0 के क्षेत्र में सड़क एवं पुलिया निर्माण, सी0सी0रोड एवं नाली निर्माण, ग्रामीण पेयजल, सामुदायिक भवन का निर्माण, शौचालय निर्माण, प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चहारदीवारी एवं डबल यूनिट के शौचालय का निर्माण एवं ग्रामीण पेयजल/पाइप पेयजल/सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उपकेन्द्रों के भवन निर्माण/विस्तार एवं आवास का निर्माण, आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण, चैकडैम/काजवे/रिटर्निंगवाल/सुरक्षावाल निर्माण, बाढ़ शरणालय निर्माण, किसान भोड का निर्माण, पर्यटक शेड का निर्माण, मिनी स्टेडियम का निर्माण बाढ़ सुरक्षा निर्माण/विस्तार, सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना/सोलर लाइट/सोलर पम्प/सोलर पावर फेन्सिंग की स्थापना आदि कार्य क्रियान्वित किये जा रहे हैं।

वित्त

सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा संगठन

विभाग की स्थापना, उद्देश्य, निर्धारित कार्य तथा विभाग का संगठनात्मक ढ़ाचाः-

वर्ष 1952-53 से पूर्व तत्समय प्रचलित सहकारी समिति अधिनियम 1912 की व्यवस्थाओं के अधीन सहकारी संस्थाओं के प्रशासनिक नियन्त्रण एवं लेखा परीक्षा कार्य का दायित्व निबन्धक सहकारी समितियों के अधीन था, किन्तु स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं प्रभावी लेखा परीक्षा हेतु शासकीय आदेश संख्या एस0ए0 299/दस-300 (22)/1950 दि0 06.04.1953 के अन्तर्गत सहकारिता विभाग के नियंत्रण से विधिक लेखा परीक्षा को पृथक करके वित्त विभाग के अधीन सहकारी लेखा परीक्षा संगठन विभाग का गठन किया गया। और इसी वर्ष इस संगठन के प्रशासनिक अधिकारी विभागाध्यक्ष के रूप में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी की नियुक्ति की गयी तथा निबन्धक सहकारी समितियां उ0प्र0 के नियंत्रणाधीन सहकारी संस्थाओं की लेखा परीक्षा का दायित्व इस संगठन को हस्तान्तरित किया गया ।

सहकारी संस्थाओं के प्रशासनिक नियंत्रण के लिए सहकारी समिति अधिनियम 1965 प्रतिपादित किया गया जो 1970 में अस्तित्व में आया। इसके अस्तित्व में आने के पश्चात उ0प्र0 सरकार की अधिसूचना संख्या 9166 - सी/12-सी-ए-5 (3)-70 दि0 29 मार्च 1971 एवं अधिसूचना संख्या 346 - सी/12-सी-ए-5 (3)-70 दि0 14 अक्टूबर, 1971 द्वारा उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम 1965 (उ0प्र0अधिनियम संख्या 1966) की धारा 3 की उपधारा 2 के अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 64 की उपधारा (1) एवं धारा 65 की उपधारा (1) और उ0प्र0 सहकारी नियमावली 1968 के अध्याय 17 में दिये गये नियम 208, 218, 221, 223 में इंगित कार्यवाही के संबंध में निबंधक के अधिकार मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0प्र0 को प्रदान किये गये।

उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम 1965 की धारा 64 (1) के अधीन विभिन्न प्रकार की सहकारी संस्थाओं की वर्ष में एक बार सांविधिक लेखा परीक्षा इस विभाग द्वारा सम्पन्न करायी जाती है।

इसी प्रकार पंचायत संस्थाओं की लेखा परीक्षा भी वर्ष में एक बार उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियमावली के नियम संख्या 186 भी विभाग द्वारा प्रारम्भ से कराई जा रही है। इसके अलावा शासकीय विज्ञप्ति पंचायतीराज अनुभाग-2 संख्या-1511/ 33-2-99-29 जी/99 दि0 18 मई 1999 के अनुसार पंचायतों के अन्तर्गत सी0ए0जी0 के तकनीकी मार्ग दर्शन एवं निर्देशों के क्रम

में गांव सभाओं की लेखा परीक्षा के साथ-साथ क्षेत्र पंचायतों व जिला पंचायतों की लेखा परीक्षा का कार्य भी इस विभाग को सौपा गया है।

वर्तमान में निम्नलिखित प्रशासनिक विभागाध्यक्षों के नियंत्रणाधीन संहकारी एंव पचांयत संस्थाओं की विधिक लेखा परीक्षा इस संगठन द्वारा की जा रही है-

1. निबन्धक सहकारी समितियां, उ0प्र0 लखनऊ (सहकारी बैंकों के अतिरिक्त)।
2. गन्ना आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ।
3. निदेशक, उद्योग, उ0प्र0 कानपुर।
4. निदेशक हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0 कानपुर।
5. आयुक्त एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड।
6. दुग्ध आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ।
7. आवास आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ।
8. निदेशक, मत्स्य, उ0प्र0 लखनऊ।
9. निदेशक, पंचायतराज, उ0प्र0 लखनऊ।
10. निदेशक,, रेशम औद्योगिक सहकारी समितियां, उ0प्र0 लखनऊ।
11. निदेशक, उद्यान एवं फल संरक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
12. आयुक्त ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।

उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम 1965 की धारा 64(1) एवं उ0प्र0 सहकारी समिति नियमावली 1968 में प्रतिपादित व्यवस्थानुसार सहकारी समितियों की लेखा परीक्षा कराये जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश प्रख्यापित हैं। जिसके अन्तर्गत सम्बन्धित सहकारी संस्थाओं एवं प्रशासनिक विभाग का यह उत्तरदायित्व है कि वह लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेखों को लेखा परीक्षा को उपलब्ध कराये किन्तु संस्था एवं प्रशासनिक विभाग द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में अपेक्षित समुचित सहयोग न प्रदान किये जाने के कारण सभी सहकारी संस्थाओं की प्रत्येक वर्ष लेखा परीक्षा अधिकारी, सम्भागीय लेखा परीक्षा अधिकारी एवं जिला लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा सम्बन्धित संस्थाओं के प्रमुख/प्रशासनिक विभागों को वांक्षित अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में पत्राचार एवं गोष्ठियों का आयोजन किया जाता है जो कि लेखा परीक्षा के उत्तरोत्तर प्रगति के लिए अपेक्षित है। लेखा परीक्षा द्वारा निर्गत सामान्य प्रतिवेदन या विशिष्ट प्रतिवेदनों में उठायी गयी आपत्तियों को प्रतिवेदन निर्गमन से 6 सप्ताह के अन्दर परिपालन की व्यवस्था सहकारी समिति अधिनियम 1965 में निर्धारित है। जिन प्रकरणों में गम्भीर किस्म की अनियमिततायें या अपहरण के प्रकरण होते हैं उनमें प्रशासनिक विभाग द्वारा सहकारिता पुलिस सेल में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जाती है। जिनके द्वारा न्यायालय में वाद दायर करते हैं तथा प्रशासनिक विभाग द्वारा विभागीय कार्यवाही सम्पन्न की जाती है।

सहकारी एवं पंचायत संस्थाओं के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों एवं विशेष प्रतिवेदनों को अनुमोदन हेतु अलग-अलग कर्मचारियों एवं अधिकारियों को अधिकार प्रदान किये गये हैं। जैसे छोटी स्तर की संस्थायें यथा गांव पंचायतें, साधन सहकारी समितियां, मत्स्य समितियां, दुग्ध समितियां आदि के लेखा परीक्षा-प्रतिवेदन/विशेष प्रतिवेदन दल प्रभारी के हस्ताक्षर से निर्गत होते हैं। मझोली स्तर की संस्थायें जैसे दुग्ध संघ, आदि के प्रतिवेदनों का अनुमोदन जिला लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा तथा बड़े स्तर की संस्थायें जैसे जिला पंचायत चीनी मिलें आदि के आडिट नोट का अनुमोदन उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा किया जाता है।

इसी प्रकार प्रदेश स्तरीय सहकारी संस्थाओं के लेखा परीक्षा कार्य के पर्यवेक्षण हेतु संस्था मुख्यालय में उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी की नियुक्ति की गयी है जैसे पी0सी0एफ0, पी0सी0डी0एफ0, सहकारी चीनी मिल संघ आदि, जो इन संस्थाओं के मुख्यालय एवं शाखाओं की लेखापरीक्षा सामयिक रूप से सम्पन्न कराने, प्रमाण पत्र निर्गत करने, आडिट नोट/स्पेशल आडिट नोट निर्गत करने हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी होते हैं।

लेखा परीक्षा सम्बन्धी कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त पूर्ण करायी गयी लेखा परीक्षा पर लेखा परीक्षा शुल्क निर्धारित किये जाने की व्यवस्था थी जिसे शासनादेश संख्या- 13/ 2018/ आडिट -2-695/ दस-2018-355(11) / 2017 दिनांक- 01 अक्टूबर, 2018 के माध्यम से समाप्त कर दी गई है।

(1) जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत

उ0प्र0 शासन पंचायती राज अनुभाग-2 संख्या 1511/33-2/99/29जी/99 लखनऊ 18 मई 1999 की अधिसूचना द्वारा उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 की अन्य धाराओं के साथ धारा-118 उ0प्र0 जिला परिषद तथा क्षेत्र समिति (बजट तथा सामान्य) लेखा नियमावली 1965 के नियम-2 के खण्ड (7) में परीक्षक का तात्पर्य मुख्यलेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें उ0प्र0 प्रतिस्थापित कर संशोधन किया गया शासनादेश संख्या आडिट 5132/दस-99-101(99)97 दिनांक 16.3.2000 द्वारा मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें को क्षेत्र पंचायतों की लेखा परीक्षा हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है और इसी के अन्तर्गत क्षेत्र/जिला पंचायत की सांविधिक लेखा परीक्षा इस विभाग द्वारा सम्पन्न की जाती है।

उ0प्र0 सरकार, पंचायती राज अनुभाग-1 की अधिसूचना क्रमांक- 854/33-1-2001-126/96 लखनऊ दिनांक 30 मार्च 2011 द्वारा उत्तर प्रदेश, पंचायती राज (सत्रहवां संशोधन) नियमावली 2011 के अन्तर्गत उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 186 में संशोधन मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एंव पचांयते, उ0प्र0 की वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार द्वारा राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखने की व्यवस्था की गई है।

ग्राम पंचायत

उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 186 के अधीन गांव पंचायतों की लेखा परीक्षा मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा सम्पन्न की जाती है।

उ0प्र0 सरकार पंचयाती राज अनुभाग-2 की अधिसूचना क्रमांक 1407/33-2-2011-72 जी/2011 लखनऊ दिनांक 30 मार्च 2011 के द्वारा उ0प्र0 जिला पचांयत तथा क्षेत्र पचांयत (बजट तथा सामान्य लेखा) (छठवां संशोधन) नियमावली 2011 के माध्यम से 1965 के नियमावली के नियम संख्या 176 में संशोधन करते हुए जिला पंचायतों/क्षेत्र पंचायतों हेतु मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियों एंव पंचायते, उ0प्र0 की वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार द्वारा राज्य विधान मण्डल मे ंरखे जाने की व्यवस्था की गई है।

उल्लेखनीय है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की लेखा परीक्षा संगत अधिनियम एवं नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत इस विभाग द्वारा स्वतंत्र रूप से की जाती है। यह विभाग सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों के नियंत्रण से मुक्त वित्त विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यरत है जिससे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष लेखा परीक्षा सुनिश्चित होती है।

सांविधिक लेखा परीक्षा के उपरान्त लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में उठाई गयी आपत्तियों के अनुपालन हेतु आपत्तियां सम्बन्धित संस्थायें यथा जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत/ ग्राम पंचायत संस्थाओं के प्रमुख/प्रशासनिक विभाग को उपलब्ध करा दी जाती है क्योंकि लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में उठाई गयी आपत्तियों का अनुपालन करने की पूर्ण जिम्मेदारी प्रशासनिक विभाग की होती है।

आगामी वर्षों की लेखा परीक्षा सम्बन्धी कार्ययोजना

विगत वर्षों में सहकारिता एवं पंचायती राज विभाग एवं इनकी संस्थाओं द्वारा लेखा परीक्षा हेतु कुल संस्थाओं के सापेक्ष वर्षवार उपलब्ध कराये गये अभिलेखों, लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के अनुपालनों को दृष्टिगत रखते हुए आगामी वर्षो की लेखा परीक्षा संबंधी कार्ययोजना निम्नवत् है :-

- सम्बन्धित विभाग/संस्थाओं के साथ मासिक/त्रैमासिक आधार पर संयुक्त बैठक कर लेखा परीक्षा अधिनियम एवं नियमों के अन्तर्गत सम्बन्धित वर्ष के अभिलेखों की लेखा परीक्षा हेतु समय से अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जायेगी।
- समय से अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित हो जाने के पश्चात सम्बन्धित वर्ष में ही उपलब्ध अभिलेखों की शत-प्रतिशत लेखा परीक्षा सम्पन्न कराते हुए शत-प्रतिशत लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों का निर्गमन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- सम्पन्न लेखा परीक्षा के सापेक्ष लेखा परीक्षा अधिनियम एवं नियमों के अन्तर्गत सम्बन्धित वर्ष में ही लेखा परीक्षित संस्थाओं के निर्गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की आपत्तियों में गंभीर प्रकृति की आपत्तियों

पर विशिष्ट लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों को भी सम्बन्धित वर्षों में ही निर्गत कराने की व्यवस्था की जायेगी, जिससे लेखा परीक्षा का लाभ त्वरित गति से संस्था एवं आम जनता को प्राप्त हो सके।

- निर्गत सामान्य एवं विशिष्ट लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में उद्घाटित सामान्य एवं अपहरण/दुरूपयोग/अनियमितता सम्बन्धी गंभीर प्रकृति की आपत्तियों का सम्बन्धित विभाग एवं लेखा परीक्षित संस्थाओं के साथ संयुक्त बैठक कर लेखा परीक्षा अधिनियम में वर्णित व्यवस्थानुसार इनका शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा, जिससे इन संस्थाओं में विनियोजित राजकीय धन की सुरक्षा एवं सदुपयोग सुनिश्चित हो सके।
- लेखा परीक्षा अधिनियम एवं नियमों के आलोक में प्रदत्त व्यवस्था का अक्षरषः अनुपालन करते/कराते हुए आगामी वर्षों में विगत वर्षों की अलेखा परीक्षित संस्थाओं के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों एवं संस्थाओं के साथ संयुक्त मासिक एवं त्रैमासिक बैठकों में किस्तवार ऐसी व्यवस्था निर्धारित करना/कराना जिससे कि आगामी वर्षों में लेखा परीक्षा हेतु बकाया पड़ी हुई सहकारिता एवं पंचायती राज संस्थाओं का अभिलेख पूर्ण कराकर इनकी शत प्रतिशत लेखा परीक्षा सम्पन्न करायी जा सके।
- वर्तमान में सहकारिता विभाग के अनुपालन हेतु लम्बित सामान्य एवं विशिष्ट लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के अनुपालन हेतु अधिनियम एवं नियमों में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत सम्बन्धित विभागों एवं संस्थाओं के साथ संयुक्त बैठक कर इन लम्बित लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में उद्घाटित आपत्तियों के अनुपालन की किस्तवार व्यवस्था सुनिश्चित करना/कराना।
- इसी प्रकार पंचायती राज विभाग के अनुपालन हेतु लम्बित सामान्य एवं विशिष्ट लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के अनुपालन हेतु अधिनियम एवं नियमों में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत सम्बन्धित विभागों एवं संस्थाओं के साथ संयुक्त बैठक कर इन लम्बित लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में उद्घाटित आपत्तियों के अनुपालन की किस्तवार व्यवस्था सुनिश्चित करना/कराना।
- विभाग द्वारा किराये के भवन राज सदन, अयोध्या, फैजाबाद में एक विभागीय लेखा परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र संचालित था। प्रशिक्षण केन्द्र के भवन की जर्जर स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए शासन की अनुमति से इसमें प्रशिक्षण कार्य दिनांक 10.10.2000 से बन्द कर दिया गया है, जिसके कारण विभाग के लेखा परीक्षक अप्रशिक्षित है।

शासन स्तर पर नये प्रशिक्षण केन्द्र के निर्माण की पत्रावली विचाराधीन है, आगामी वर्षो में नये प्रशिक्षण केन्द्र के निर्माण एवं उक्त अप्रशिक्षित लेखा परीक्षकों के प्रशिक्षण की सुचारू व्यवस्था कराना विभाग की विशेष प्राथमिकता में है।

किन्तु उपर्युक्त कार्ययोजना की शत-प्रतिशत सफलता तभी सुनिश्चित हो सकेगी जब लेखा परीक्षा अधिनियम-2017, जो वर्तमान में शासन स्तर पर लागू/पारित होने की प्रक्रियान्तर्गत है, यथाशीघ्र लागू/पारित हो जायेगा तथा शासन द्वारा सहवर्ग शक्ति की कमी को पूर्ण कर दिया जायेगा।

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग

विभाग की स्थापना की पृष्ठभूमि

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग की स्थापना महालेखाकार कार्यालय की एक शाखा के रूप में वर्ष 1898 में हुई थी। तत्पश्चात् पहली अप्रैल, 1926 को राज्य सरकार ने स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग को अपने नियंत्रण में ले लिया, जो सम्प्रति शासन के वित्त विभाग के नियंत्रणाधीन संचालित है। राज्य सरकार इस विभाग के माध्यम से प्रदेश भर में प्रदान की गयी निधियों की सम्परीक्षा करता है।

उद्देश्य

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग का उद्देश्य प्रदेश की स्थानीय निकायों, स्वायत्तशासी संस्थाओं, सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं, विकास प्राधिकरणों, राज्य विश्वविद्यालयों, न्यास निधियों तथा राज्य सरकार से अनुदानित अन्य संस्थाओं की लेखा परीक्षा इस विभाग द्वारा सम्पादित कराया जाता है। इसके अतिरिक्त शासन द्वारा विभिन्न संस्थाओं की विशेष सम्परीक्षा हेतु आवंटित लेखों की भी सम्परीक्षा सम्पादित की जाती है।

विभाग का संगठनात्मक ढ़ांचा

यह विभाग शासन के वित्त विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण में है तथा विभाग के संगठनात्मक ढांचे के अनुसार निदेशक विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। जिसका मुख्यालय प्रयागराज/इलाहाबाद में स्थापित है। निदेशक के प्रशासनिक नियंत्रण में मुख्यालय स्तर पर संयुक्त निदेशक, उप निदेशक तथा सहायक निदेशक के पद सृजित है। जिनके अधीन मण्डलों को उप निदेशक एवं सम्वर्ती सम्परीक्षाओं के संचालन हेतु उप निदेशक/सहायक निदेशक तथा जनपद स्तर पर जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पद सृजित है। जिनके द्वारा प्रदेश के सभी स्वायत्तशासी संस्थाओं की सम्परीक्षा सम्पादित की जाती है। विभाग में एक प्रशिक्षण संस्थान भी स्थापित है। जिसमें प्रधानाचार्य, वरिष्ठ प्रवक्ता, प्रवक्ता एवं प्रशिक्षक के पद स्वीकृत है।

सम्परीक्षा कार्य

वित्तीय वर्ष 2019-20 में सम्परीक्षा हेतु कुल 11941 लेखों की सम्परीक्षा हेतु 292052 मानव दिवस का कार्य उपलब्ध था। वर्तमान में उपलब्ध जनशक्ति के सापेक्ष सम्परीक्षा हेतु 73536 मानव दिवस उपलब्ध होने के कारण 2590 लेखों के सम्परीक्षा का लक्ष्य रखा गया था। जिसके सापेक्ष 2842 लेखे की सम्परीक्षा पूर्ण की गयी तथा 71271 मानव दिवस का कार्य किया गया। इस प्रकार लक्ष्य के सापेक्ष 97% कार्य सम्पादित किया गया। जनशक्ति के अभाव में शेष कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका। उपरोक्त के अतिरिक्त दो लेखों के विशेष सम्परीक्षा भी पूर्ण की गयी।

सम्परीक्षा शुल्क

वित्तीय वर्ष 2019-20 के प्रारम्भ में गत वर्ष तक का बकाया अवशेष रू. 2,61,29,93,645=00 था जिसके सापेक्ष रू. 10,17,09,285=00 की वसूली की गयी। वर्ष 2019-20 में शासन द्वारा

शासनादेश संख्या-12/2018/आडिट-2-695/ दस-2018-355(1)/2017 दिनांक 01 अक्टूबर, 2018 के द्वारा सम्परीक्षा शुल्क आरोपण से संस्थाओं को मुक्त कर दिये जाने के कारण कोई सम्परीक्षा शुल्क का आरोपण नहीं किया गया। सम्परीक्षा शुल्क की अवशेष धनराशि शासनादेश संख्या-1/2019/आडिट-2-1155/ दस-2019-355(।।)/2017 दिनांक 27 सितम्बर, 2019 द्वारा अपलिखित कर दिया गया है।

पिछले पांच वर्षों का बजट का तुलनात्मक विवरण

(धनराशि लाख रू0 में)

वर्ष	बजट	व्यय
2015-16	6132.39	5318.70
2016-17	7174.00	5737.14
2017-18	7841.46	6421.97
2018-19	8311.72	6710.26
2019-20	8552.23	6636.77

कोषागार निदेशालय, उत्तर प्रदेश

संक्षिप्त परिचय

प्रदेश के कोषागारों पर नियंत्रण और पर्यवेक्षण के लिए कोषागार निदेशालय की स्थापना सन् 1965 में हुई, जिसका मुख्यालय लखनऊ बनाया गया। कोषागार निदेशक को इस विभाग का प्रमुख घोषित किया गया और उनकी सहायता के लिये एक अपर निदेशक, दो संयुक्त निदेशक, एक उप निदेशक और एक विशेष कार्यकारी अधिकारी (ओ.एस.डी) नियुक्त किये गये। यह समस्त अधिकारी उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा संवर्ग के हैं। निदेशक कोषागार को मण्डलीय कार्यालयों के अधीनस्थ कार्मिकों, सहायक कोषाधिकारी, उप कोषाधिकारी, नई दिल्ली स्थित भुगतान एवं लेखा कार्यालय के कर्मचारियों तथा जवाहर भवन लखनऊ स्थित कोषागार के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए भी अधिकृत किया गया है। निदेशक को इन अधिकारियों के कैडर प्रबंधन का अधिकार भी दिया गया है। निदेशालय के अधीन अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन के मण्डलीय कार्यालय तथा जिला स्तर पर कोषागार है, जो जिलाधिकारी के प्रशानिक एवं कोषाधिकारी के कार्यकारी नियंत्रण में कार्य करते हैं। जिले के तहसील स्तर पर उपकोषागार हैं जो जिला कोषागार के अधीन, उपकोषाधिकारी के कार्यकारी नियंत्रण में कार्य करते है।

लक्ष्य

कोषागार निदेशालय का प्रमुख लक्ष्य प्रदेश सरकार के समस्त राजकीय वित्तीय लेन-देन एवं वेतन तथा पेंशन को कोषागारों के माध्यम से संचालित कराना तथा कोषागार व्यवस्था के नियंत्रण एवं संचालन हेतु पर्याप्त उपकरण एवं स्वचालित साधनों की उपलब्धता बनाए रखना है जिससे विभागीय कार्यों को सफलतापूर्वक सम्पादित किया जा सके।

प्रमुख विशेषताएं

1. पूर्ण कम्प्यूटरीकृत कार्य-प्रणाली द्वारा कार्यों का संचालन
2. ऑनलाइन भुगतान व प्राप्ति प्रणाली
3. पारदर्शी कार्य
4. सेंट्रलाइज्ड डाटा प्रबंधन
5. ऑनलाइन डी0डी0ओ0 पोर्टल
6. कोषवाणी वेबसाइट द्वारा विभागों एवं जनता के लिए वांछित डाटा उपलब्धता

कार्य

1. कोषागार निदेशालय, मण्डलीय अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन तथा जनपद कोषागारों के कार्यालयों के बजट का आवंटन करना।
2. उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा के समूह 'ख' के अधिकारियों के अधिष्ठान सम्बन्धी कार्य यथा स्थानान्तरण, प्रतिनियुक्ति, भवन निर्माण और भवन की मरम्मत के लिए अग्रिम धनराशि की अनुमति देना।
3. वित्त एवं लेखा सेवा के अधिकारियों, उप कोषाधिकारी/सहायक कोषाधिकारी और प्रदेश के जनपद कोषागार कर्मचारियों के प्रशिक्षण के पाठयक्रम की निगरानी करना।
4. महालेखाकार, उ0प्र0 के साथ कार्यो में समन्वय स्थापित करना।
5. उत्तर प्रदेश के समस्त कोषागारों के कार्यो का पर्यवेक्षण/नियन्त्रण करना।
6. शासन एवं कोषागारों के मध्य समन्वयक की भूमिका।

मण्डलीय अपर निदेशक, कोषागार और पेंशन

समय के साथ-साथ कोषागारों में लेन देन की संख्या कई गुना बढ़ गई। अतः इनके कार्यो पर उचित नियंत्रण तथा काम में गुणवत्ता लाने के लिए मण्डल स्तर पर अपर निदेशक कोषागार के कार्यालय स्थापित किये गए हैं, जिनके कार्य और दायित्व निम्न प्रकार हैः-

1. अपने मण्डल के कोषागारों का वर्ष में दो बार निरीक्षण करना और निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं को दूर कराना।
2. यह सुनिश्चित करना कि मण्डल के जिला कोषागारों द्वारा लेखा निर्धारित समय पर महालेखाकार कार्यालय एवं मुख्य रक्षा लेखा नियंत्रक पेंशन इलाहाबाद को प्राप्त हो जाए तथा कोषागारों द्वारा वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय को आन लाइन सूचनाएं भेज दी जाएँ।
3. मण्डल के सभी कोषागार कार्यालयों से सम्बंधित लम्बित लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों का समय से निस्तारण।
4. भारत सरकार द्वारा भुगतान दावों के वाउचरों का अभिलेखन सुनिश्चित करना।
5. सी.सी.एल/डी.सी.एल. का कड़ाई से अनुपालन कराना।
6. यह सुनिश्चित करना कि कोषागारों द्वारा स्टाम्प के लिए समय से मांग एवं उपलब्धता सक्षम अधिकारियों के द्वारा की जाए।

7. शिकायतों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित कराना।
8. 01 अप्रैल 2000 से प्रदेश सरकार के मण्डल के सभी राजकीय कर्मचारियों (समूह ख एवं ग) को पेंशन, ग्रेच्युटी एवं राशिकरण स्वीकृत करना।

जिला कोषागार

जिला कोषागार जिले के प्रत्येक शासकीय भुगतान एवं प्राप्तियों के लिये अधिकृत है। वर्तमान में यह कार्य डी0डी0ओ0 पोर्टल एवं कम्प्यूटरीकृत कार्यप्रणाली के साथ किया जाता है।

प्रमुख कार्य योजनायें

बिल पारण :- जिला कोषागारों में प्राप्त होने वाले विभिन्न विभागों के बिल, अनुदानवार बिल पासिंग लेखाकारों को दे दिये जाते हैं, जो कि उस बिल को पास करने व भुगतान करने के लिये उत्तरदायी होते हैं। आहरण वितरण अधिकारी द्वारा अपने बनाये हुये बिलों को कोषागार प्राप्ति रजिस्टर में अंकित कर कोषागार में प्रस्तुत किया जाता हैं और सही बिल होने पर भुगतान कर दिया जाता है।

कम्प्यूटरीकरण :- कोषागारों के बढ़ते हुए कार्य एवं उत्तरदायित्व तथा उनसे उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों और त्रुटियों के निराकरण तथा समय से त्रुटि रहित लेखा महालेखाकार कार्यालय को उपलब्ध कराने के उददेश्य से कम्प्यूटरीकरण करने का निर्णय लिया गया। प्रायोगिक रूप से यह कार्य प्रारम्भ में लखनऊ स्थित जवाहर भवन लखनऊ, उन्नाव तथा कोषागार इलाहाबाद में लागू किया गया। उसी समय यह भी निर्णय लिया गया कि कोषागारों में विभिन्न प्रकार के देयकों हेतु प्रयोग में लाये जाने वाले 36 प्रपत्रों को सरलीकृत कर ऐसा स्वरूप प्रदान किया जाय कि वे कम्प्यूटरीकरण व्यवस्था में भी प्रयोग हो सके। अतः इन प्रपत्रों को आवश्यकतानुसार संशोधित कर वर्तमान में इनकी संख्या घटाकर 6 कर दी गयी है।

कैश शाखा :- जिला कोषागार के कैश शाखा के अन्तर्गत विभिन्न मूल्यों के न्यायिक एवं गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर का विक्रय किया जाता है और स्टाम्प विक्रय से प्राप्त यह धनराशि राज्य सरकार की आय का एक प्रमुख स्रोत है। कैश शाखा के अन्तर्गत जिलों के प्रत्येक कोषागार में डबल लॉक एवं सिंगल लॉक होता है। डबल लॉक में समस्त मूल्यों के स्टाम्प पेपर रखे जाते हैं। डबल लॉक में जिलाधिकारी के निर्देशन में विभिन्न प्रकार की अन्य बहुमूल्य वस्तुयें, मूर्तियां, प्रपत्र एवं राजकीय स्तर पर करायी जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं के परीक्षा प्रपत्र भी रखे जाते हैं।

पेंशन वितरण :- वर्तमान में पूरे प्रदेश में पेंशन वितरण का कार्य आन लाइन किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत कोषागारों द्वारा पेंशनर्स की पेंशन सीधे उनके बैंक खातों में भेज दी जाती है। इस व्यवस्था से पेंशन प्रत्येक माह के प्रथम दिवस को पेंशनर्स के खाते में स्थानान्तरित हो जाती है। इसके लिये किसी भी पेंशनर को कोषागार आने की अनिवार्यता समाप्त हो गयी है। पेंशनर को केवल वर्ष में एक बार जीवित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने हेतु कोषागार आना पड़ता है। कोषागारों द्वारा पेंशनरों की सुविधा हेतु कोर बैंकिंग के माध्यम से पेंशन भेजने की व्यवस्था की गयी है। वर्तमान में जीवन प्रमाण वेबसाइट द्वारा पेंशनर का जीवित प्रमाण पत्र प्राप्त करने की व्यवस्था कर दी गयी है। इससे पेंशनर्स देश-विदेश में कहीं पर भी रह कर डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र कोषागार में बिना उपस्थित हुए ऑन-लाइन प्रस्तुत कर सकते हैं। कोषाधिकारी द्वारा पेंशनर को भुगतान की जाने वाली पेंशन का

समस्त विवरण कोषवानी वेबसाइट पर भी डाला जाता है। अतः सीधे वेबसाइट से भी पेंशनर अपने पेंशन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

उ0प्र0 महालेखाकार कार्यालय के साथ इंटरफेस :- कोषागारों से महालेखाकार कार्यालय को हार्डकापी में बाउचर भेजे जाते रहे हैं। कोषागारों के कम्प्यूटरीकरण के साथ ही महालेखाकार कार्यालय को इस बात के लिए राजी करने की कोशिश की गई कि ट्रेजेरी के खातों के वाउचर्स की एंट्री करने के बजाय उनकी सॉफ्ट कॉपी को मंजूरी दें और उसे अपने सिस्टम पर अपलोड कर दें। आखिरकार महालेखाकार कार्यालय यू.पी. और ट्रेजेरी के सिस्टम के बीच इंटरफेस बनाया गया और अब महालेखाकार कार्यालय खातों की सॉफ्टकॉपी को स्वीकार कर रहा है।

विभाग की नीति/भौतिक प्रगतिः-

- **ई-पेमेंट :-** एन0पी0एस0 (NPS) और फाइनैंशियल मैनेजमेन्ट इनफॉरमेशन सिस्टम् (FMIS) जैसी योजनाओं के साथ-साथ सरकार ने ई-पेमेंट की एक और नई योजना वर्ष 2012-13 में लॉन्च की। ई-पेमेंट योजना को वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रदेश के समस्त कोषागारों में लागू कर दिया गया। इस योजना के तहत कोषागारों को अपने सभी भुगतान इंटरनेट के माध्यम से ही करने हैं। शुरुआती दौर में एसबीआई द्वारा ई-भुगतान का जो प्रस्ताव पेश किया गया था उसका कोषागारों के सिस्टम से कोई लिंक नहीं था और एसबीआई की नेट बैंकिग द्वारा बनाई गई ट्रांजैक्शन आईडी को कोषागार सिस्टम में हाथों से ही दर्ज करना पड़ता था। इस समस्या को दूर करने के लिए कोषागार स्तर पर एक टोकन नंबर बनाया गया जो बिल रिसीविंग के समय जारी किया जाता था। यह टोकन नंबर दोनों सिस्टम के बीच एक लिंक का काम करता है। एनआईसी द्वारा एक सॉफ्टवेयर बनाया गया जिसे डीडीओ इस्तेमाल कर सकें। इस सॉफ्टवेयर पर लाभार्थियों की फाईल तैयार करनी होती थी जिसमें उनका खाता नंबर, ट्रांजैक्शन फाइल जिसमें बकाया रकम का ब्यौरा और सभी बिलों के लिऐ बनाए गए टोकन नंबर की जानकारी देनी होती है। सभी डीडीओ को यह निर्देश दिये गए कि वह बैंकों में अपना पंजीकरण कराये और नेट बैंकिग के लिए अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड ले लें। इसके बाद एनआईसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके डीडीओ को बेनिफिशियरी और ट्रांजैक्शन फाईल बनानी होती हैं और उसे बैंक की वेबसाइट पर अपलोड करना होता हैं। कोषाधिकारी की अंतिम पुष्टि के बाद रकम लाभार्थी के खाते में क्रेडिट कर दी जाती है। ई-शासन प्रणाली के क्षेत्र में यह एक बहुत बड़ा कदम है। यह व्यवस्था दिसम्बर, 2018 तक सुगमतापूर्वक संचालित रही। ई-पेमेंट योजना का एक अधिक उन्नत और परिष्कृत रूप ई-कुबेर योजना वित्तीय वर्ष 2018-19 में चरणबद्ध तरीके से लागू की गयी।
- **नवीन पेंशन योजना/राष्ट्रीय पेंशन योजना :-** इस योजना के प्रारम्भ में नई पेंशन योजना को डीसीआई नंबर के साथ पेंशन निदेशालय ने शुरू किया था। पेंशन निदेशालय द्वारा इस परियोजना के तहत हजारों कर्मचारियों को डीसीआई नंबर प्रदान किये गये और उनके खातों का हिसाब रखना प्रारम्भ किया गया। वर्तमान में एनएसडीएल द्वारा उक्त खातों का रख-रखाव किया जा रहा है। ऑनलाइन लॉगिन कर कटौतियों का विवरण देखा जा सकता है।

- **एनएसडीएल के माध्यम से नवीन पेंशन योजना का संचालन :-** वर्तमान में नवीन पेंशन योजना का नाम राष्ट्रीय पेंशन योजना हो गया है। अब एनपीएस कर्मचारियों का पंजीकरण और उनके योगदान का ब्यौरा रखना एनएसडीएल का उत्तरदायित्व है। पुराने डीसीआई नंबर की जगह अब प्रान का इस्तेमाल होने लगा है। वर्तमान में एनएसडीएल, एनआईसी, पेंशन निदेशालय, कोषागार निदेशालय और एफएसडी के संयुक्त सहयोग से राष्ट्रीय पेंशन योजना सुचारू रूप से कार्य कर रही है।
- **सातवें वेतन आयोग के अनुसार पुनरीक्षण :-** उत्तर प्रदेश सरकार ने सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों को वेतन एवं पेंशन हेतु जारी कर दिया है। तत्क्रम में कोषागार स्तर से सारी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सातवें वेतन आयोग के अनुसार कोषागार पैकेज में आवश्यक परिवर्तन किए गए हैं एवम् सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों को अंगीकृत करते हुए भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।
- **डी0डी0ओ0 पोर्टल :-** प्रदेश में ई-पेमेंट व्यवस्था के अन्तर्गत कोषागारों द्वारा ऑनलाइन सीधे लाभार्थी के खाते में भुगतान की व्यवस्था की गयी। ई-पेमेंट व्यवस्था को और सुदृढ़ करने हेतु डी0डी0ओ0 स्तर पर सभी कर्मचारियों एवं लाभार्थियों के डेटा बेस को संकलित करते हुए डी0डी0ओ0 पोर्टल द्वारा लॉनलाइन बिल बनाने की व्यवस्था अक्टूबर, 2017 से की गयी।
- **यूपीएफएएस की वेबसाइट :-** कोषागार निदेशालय द्वारा यू.पी. फाईनेन्स एण्ड एकाउन्ट सर्विसेज़ की एक वेबसाइट बनाई गयी है, जिसमें वित्त एवं लेखा संवर्ग के सभी अफसरों के कार्य तथा पोस्टिंग आदि की जानकारियॉ उपलब्ध है। अफसरों के एसीआर की जानकारी भी इस वेबसाइट पर उपलब्ध है।
- **केंद्रीय सर्वर :-** इस समय यू.पी. के 78 जनपदीय कोषागार, राजभवन, इरला अनुभाग तथा विधान सभा कोषागार स्वयं की एप्लिकेशन और डेटा सर्वर पर केंद्रित तरीके से काम कर रहे हैं। कोषागार का डेटा 'कोषवाणी' सर्वर पर हर घंटे अपलोड होता है तथा नई योजनाएं जैसे ई-भुगतान और केंद्रीय बजट आवंटन सिस्टम पर भी एकीकरण तरीके से काम शुरू हुआ है।
- **ई-रिसीट :-** वर्तमान समय में प्रदेश में जी0एस0टी0 एवं वैट की 100% रिसीट प्राप्त की जा रही है तथा राजकोष पोर्टल (Rajkosh.up.nic.in) के माध्यम से विभिन्न विभागों के पोर्टल को इन्टीग्रेट करके रिसीट प्राप्त की जा रही है।

भविष्य में प्रदेश के समस्त विभागों की प्राप्तियॉ ई-कुबेर के माध्यम से प्राप्त किये जाने की कार्य योजना (Action plan) पर कार्य चल रहा है। आर0बी0आई0 तथा एन0आई0सी0 द्वारा इस संबंध में आवश्यक परीक्षण किये जा रहे है।

- **ई-कुबेर प्रणाली :-** शासनादेश संख्याः ए-1-635/दस-2017-10(25)/2007, दिनांक 30 जून, 2017 के अनुपालन में कोषागार कानपुर नगर में दिनांक 11 जुलाई, 2017 से ई-कुबेर प्रणाली का परीक्षण प्रारम्भ किया गया। 11 जुलाई, 2018 के पश्चात इस प्रणाली को चरणबद्ध तरीके से प्रदेश के समस्त कोषागारों में लागू किया गया तथा दिसम्बर, 2018 के पश्चात् प्रदेश के समस्त कोषागारों में इस व्यवस्था को लागू कर दिया गया। इस प्रणाली की निम्न विशेषतायें है :-

1. ई-कुबेर प्रणाली के अन्तर्गत कोषागार द्वारा सेंट्रल ट्रेजरी सिस्टम के माध्यम से आर0बी0आई0 द्वारा बेनीफिशियरी के खातों में हर आधे घंटे में भुगतान क्रेडिट हो रहा है।

2. यदि किसी बेनीफिशियरी का खाता त्रुटिपूर्ण है अथवा खाता नॉन ऑपरेटिंग है या आई0एफ0एस0सी0 कोड गलत है अथवा किसी भी अन्य कारणों से बेनीफिशियरी के खाते में धनराशि क्रेडिट नही हो पा रही है, तो वह धनराशि कोषागार के खाते में उसी दिन वापस प्राप्त हो जा रही है अर्थात सरकार का पैसा सरकार के खाते में उसी दिन वापस प्राप्त हो जाता है। जब कि पूर्व संचालित भुगतान प्रणाली (एस0बी0आई0पोर्टल) के अन्तर्गत बैंक द्वारा फेल ट्रांजैक्शन के सापेक्ष बैकर्स चेक बनाकर रख लिया जाता था, जिससे राजकोष से धन आहरित हो जाता था, और बेनीफिशियरी को काफी समय बाद भुगतान प्राप्त हो पाता था जबकि वर्तमान में संचालित प्रणाली से इन सभी असुविधाओं से मुक्ति मिल गयी है और राजकोष से हो रहे अनावश्यक व्यय पर प्रभावी रूप से रोक लगेगी।

3 ई-कुबेर प्रणाली लागू हो जाने के उपरान्त ड्राफ्ट बनाने की सुविधा समाप्त हो जाने से विभागों द्वारा जो अनावश्यक रूप से ड्राफ्ट बनवाकर रख लिया जाता था, जिससे सरकार का राजस्व तो आहरित हो जाता था परन्तु बेनीफिशियरी को भुगतान समय से प्राप्त नहीं होता था। इसके अतिरिक्त ड्राफ्ट बनवाने में कमीशन के रूप में होने वाले व्यय की भी बचत हो रही है।

4 ई-कुबेर प्रणाली में पेमेंट स्क्राल उसी दिन अथवा बिलम्बतम अगले दिन प्रातः प्राप्त हो रहा है जबकि वर्तमान प्रणाली में पेंमेंट स्क्राल प्रायः बिलंबित हो जाता है।

5 भुगतान पक्ष का खारिजा स्वतः हो रहा है। पेमेंट की कैशबुक मिलाने में कोई भी असुविधा नही होती है। वर्तमान प्रणाली में स्क्राल ई-मेल के माध्यम से भेजा जाता है।

6 ई-कुबेर प्रणाली के अन्तर्गत प्रत्येक ई-पेमेंट में पूर्व निर्धारित 05 हजार लाभार्थियों की संख्या को रिजर्व बैंक द्वारा बढ़ाकर 50 हजार कर दिया गया है, जिससे किसी भुगतान में लाभार्थियों की संख्या अधिक होने पर भी एक साथ भुगतान किया जाना संभव हो गया है।

7 भुगतान संबंधी जानकारी एवं एम0आई0एस0 हेतु रिजर्व बैंक की ओर से राज्य सरकार को पोर्टल उपलब्ध कराया जायेगा जिससे भुगतान की जानकारी तत्काल उपलब्ध होगी तथा स्क्राल आने की बाध्यता नही रह जायेगी जबकि वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत स्टेट बैंक से अनेक बार अनुरोध करने पर भी हेल्पडेस्क उपलब्ध नहीं करायी गयी। इस प्रकार शासकीय हित में ई-कुबेर प्रणाली लागू हो जाने से धन व समय दोनों की बचत हो रही है।

8 शासन द्वारा मितव्ययिता के दृष्टि से उ0प्र0वित्त एवं लेखा सेवा के कुल-72 पदों को समाप्त कर दिया गया है। इसी प्रकार विभिन्न जनपदों में कोषागारों के अधीनस्थ उपकोषागारो के वर्ष 2017 में कुल-22 एवं वर्ष-2019 में कुल-46 पदों को भी समाप्त कर दिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 की उपलब्धियाँ:- प्रदेश के समस्त कोषागारों में लागू ई-पेमेंट एवं सेन्ट्रल सर्वर की व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने हेतु कोषागारों हेतु बिल पारण काउन्टरों पर नये डेस्कटाप, पेंशनरों के सत्यापन हेतु अतिरिक्त बायोमेट्रिक डिवाइस की स्थापना, यू0पी0एस0 क्रय, लाइन मैट्रिक्स प्रिन्टर क्रय, थिन क्लाइंट क्रय, एन्टीवायरस क्रय की व्यवस्था की गयी है। पिछले वर्षों में

कोषागारों के कार्यों का कम्प्यूटरीकरण और ई-शासन प्रणाली के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हुआ है। समय के साथ अन्य वांछित परिवर्तन करते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहने के लिए कोषागार निदेशालय सदैव तत्पर है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित योजनायें :-

(क) कोषागारों के सर्वर को महालेखाकार, बैंकों तथा राज्य सरकार के सभी विभागों के वेबसाइट से इंटीग्रेट किया जायेगा जिससे पेपरलेस व्यवस्था की ओर अग्रसर हों।

(ख) ई-कुबेर प्रणाली के माध्यम से प्रदेश में ई-रिसीट की व्यवस्था प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है। इस संबंध में आर.बी.आई. के द्वारा यह अवगत कराया गया है कि झारखण्ड एवं हिमांचल प्रदेश में आ रहे गतिरोध का समाधान आर.बी.आई. द्वारा किया जा रहा है, पूर्ण रूप से समाधान होने के उपरान्त ही उत्तर प्रदेश में भी ई-रिसीट की प्रक्रिया लागू की जायेगी।

(ग) कोषवाणी पर प्राप्तियों की व्यवस्था अभी नहीं है, इसे करने की व्यवस्था की जानी है।

(घ) एन.आई.सी. के प्रस्ताव पर कोषागार के सेन्ट्रल सर्वर का डी.आर. सेन्टर स्थापित किया जाना है।

पेन्शन निदेशालय, उत्तर प्रदेश

राजकीय सेवकों के पेंशन स्वीकृति हेतु पेंशन निदेशालय का गठन दिनांक 30.09.1988 अथवा इसके बाद सेवा निवृत्त एवं मृत शासकीय सेवकों के लिए किया गया। पेंशन निदेशालय के गठन के उपरान्त पेंशन निदेशालय स्तर से मुख्य रूप से दो प्रकार के कार्यों का संपादन किया जाता है।

1. पेंशन स्वीकृति सम्बन्धी।
2. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली सम्बन्धी।

पेंशन निदेशालय द्वारा किये गए महत्वपूर्ण कार्य

पुरानी पेंशन योजना स्वीकृति सम्बन्धी

- कंप्यूटर पर आधारित प्रक्रिया पर पेंशन स्वीकृति का कार्य करने हेतु पेंशन निदेशालय तथा मंडलीय स्तर पर IPMS Pension System से कार्य को लागू किया गया। IPMS Pension System को पेंशन निदेशालय द्वारा NIC के सहयोग से बनाया गया। वर्तमान में इसका अद्यतन रखरखाव पेंशन निदेशालय स्तर पर किया जा रहा है।
- पेंशन स्वीकृतियों में हो रहे अनावश्यक विलम्ब एवं अन्यं कठिनाइयों को ध्याान रखते हुए शासनादेश दिनांक 18.09.2014 द्वारा प्रदेश में पेंशन स्वीकृति के कार्य को Central Server पर केंद्रीकृत कर ई-पेंशन की व्यवस्था चरणबद्ध रूप से प्रारंभ की गई। इस हेतु ई-पेंशन पोर्टल http://epensionupnic.in जारी किया गया। पूरे प्रदेश में 01.04.2016 से राजकीय कार्मिकों के लिए ई-पेंशन प्रणाली लागू की गई। दिनांक-15.05.2020 से चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों की पेंशन स्वीकृति भी ई-पेंशन से करने की व्यवस्था की गयी।
- ई-पेंशन की व्यवस्था वेब बेस्ड व्यवस्था है जिससे प्रदेश भर के आहरण एवं वितरण अधिकारी को सीधे पेंशन स्वीकृति प्रक्रिया से जोड़ दिया गया है।

- उक्त व्यवस्था से पेंशन स्वीकृति एवं पेंशन आदि के भुगतान की प्रक्रिया को सुद्रढ़ एवं और अधिक पारदर्शी किया गया।
- उक्त पोर्टल में पेंशनर अपने प्रकरण की स्थिति अपने Employee ID (GPF/ PRAN) का उपयोग कर प्राप्त कर सकता है। पेंशनर को समय-समय पर SMS तथा ईमेल द्वारा भी प्रकरण की स्थिति प्राप्त कराने की व्यवस्था भी की गई है।
- ई-पेंशन प्रक्रिया में जनवरी 2014 से मार्च 2020 तक 64278 प्राधिकार पत्र जारी किये जा चुके हैं।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) सम्बन्धी

- 01.04.2005 या उसके बाद सेवा में आये कार्मिकों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (अंशदान पेंशन योजना) लागू की गई, जिसके अंतर्गत निदेशक पेंशन को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया।
- पेंशन निदेशालय स्तर पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिको की कटौती एवं लेखों का रख रखाव वर्ष 2011-12 तक पेंशन निदेशालय से किया जा रहा था, जो 1 अप्रैल 2012 से एन.एस.डी.एल. को हस्तांतरित कर दिया गया है।
- उक्त के क्रम में निदेशक पेंशन को नोडल अधिकारी बनाया गया। अब तक समस्त कोषागारों का पंजीकरण एन.एस.डी.एल. से कराया जा चुका है।
- 5716 आहरण एवं वितरण अधिकारियों का एन.एस.डी.एल. से पंजीकरण कर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से जोड़ा जा चुका है।
- 01.04.2012 से 31.03.2020 तक 4.53 लाख कार्मिकों का PRAN हेतु पंजीकरण कराया जा चुका है।
- 01.04.2012 से 31.03.2020 तक अंशदान (कार्मिक एवं सरकारी अंशदान सहित) के रुप में लगभग रु. 13763.52 करोड़ Trustee Bank को हस्तांतरित किया जा चुका है।

महत्वपूर्ण कार्य जो किये जाने हैं

- ई-पेंशन की व्यवस्था लागू होने के बाद भी पेंशन प्रपत्र एवं सम्बंधित की सर्विस बुक जाँच हेतु मूल रूप से पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी को मूल रूप से प्रेषित की जाती है जिससे पेंशन स्वीकृति की प्रक्रिया में समय लगता है। इस हेतु वेतन निर्धारण की जाँच प्रक्रिया को ई-पेंशन साफ्टवेयर के माध्यम से आहरण एवं वितरण अधिकारी स्तर पर ही स्वतः किया जाना।
- ई-पेंशन से सम्प्रति मुक्त श्रेणी के कार्मिकों जैसे सेल्फ DDO, पुलिस विभाग, सचिवालय सेवा, अनुदानित संस्थाएं जैसे परिषदीय विद्यालय, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा को ई-पेंशन की परिधि में लाना।
- ई-पेंशन पोर्टल की व्यवस्था में प्रयोग किया जा रहा सेन्ट्रल सर्वर कोषागार निदेशालय से सम्बंधित है जिसके कुछ हिस्से (Memory) को शेयरिंग के माध्यम से पेंशन के कार्य हेतु प्रयोग किया जा

रहा है। पेंशन निदेशालय के लिए अलग सेन्ट्रल सर्वर की व्यवस्था करना विचाराधीन है, जिससे पेंशन स्वीकृति प्रक्रिया को और सुचारु बनाया जा सके।

- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के सुचारू क्रियान्वयन हेतु पेंशन निदेशालय स्तर पर NPS सेल का गठन प्रस्तावित है।
- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत होने वाले PRAN का पंजीकरण एवं अंशदान (Subscriber Contribution File) को upload करने का कार्य अभी maual किया जाता है। उक्त कार्य को सिक्योर करने एवं manual कार्य को हटाने तथा कटौती को यथा समय बुक करने के लिए प्रदेश स्तर के सर्वर को CRA सर्वर से Integrate किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

आन्तरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय,

निदेशालय की स्थापना

उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या एस-3-1982/दस-34(43)/86 दिनांक 21 जुलाई, 1986 द्वारा राज्य के सभी विभागों में लेखा रखने की पद्धति में सुधार लाने हेतु अध्ययन कर प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को सुझाव देने तथा विभागाध्यक्षों एवं अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों तक बनाये जाने वाले लेखों के निरीक्षण और उसमें पायी गयी कमियों के निराकरण के उद्देश्य से **''विभागीय लेखा निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ''** की स्थापना की गयी थी। शासनादेश संख्या बी-1-2438/दस-1988 दिनांक 21-07-1988 द्वारा विभिन्न विभागों के कोषागार में खोले गये **''वैयक्तिक लेखा खातों की नियमित सम्परीक्षा''** निदेशक, विभागीय लेखा उ0प्र0 लखनऊ द्वारा किये जाने का दायित्व सौंपा गया।

विभाग का नाम परिवर्तन एवं अतिरिक्त कार्य सौंपा जाना

शासन द्वारा वित्तीय प्रबन्ध के आधुनिकीकरण एवं आन्तरिक लेखा परीक्षा के सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से मेसर्स प्राइस वाटर हाऊस कूपर्स लि0 से छः माह का सघन अध्ययन कराया गया था। अध्ययनोपरान्त उनके द्वारा की गयी संस्तुतियों को शासन स्तर पर स्वीकार करते हुए राज्य आन्तरिक लेखा परीक्षा के साथ शासनादेश संख्या- रा0आ0 ले0प0प्र0-2030/दस-03-10 (112ए)/01 दिनांक 15 जनवरी, 2003 द्वारा **''वित्तीय प्रबन्धन के आधुनिकीकरण एवं आन्तरिक लेखा परीक्षा को मजबूत बनाने हेतु विभागीय लेखा निदेशालय, उ0प्र0 का नाम परिवर्तित करके, आन्तरिक लेखा परीक्षा निदेशालय, उ0प्र0''** रखा गया है और उपरोक्त दायित्वों के अतिरिक्त निम्नलिखित दायित्व सौंपे गयेः-

1. राज्य के आन्तरिक लेखा परीक्षा नीतियों का कार्यान्वयन निदेशक, आन्तरिक लेखा परीक्षा के माध्यम से कराया जायेगा।
2. राजकीय विभागों में आन्तरिक लेखा परीक्षा का कार्य निदेशक, आन्तरिक लेखा परीक्षा या उनके द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारियों या विभाग हेतु नियुक्त आन्तरिक लेखा परीक्षा अधिकारियों द्वारा किया जायेगा।
3. निदेशक, आन्तरिक लेखा परीक्षा शासन के वित्त विभाग के निर्देश पर/विभागीय आन्तरिक लेखा परीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट पर विशेष सम्परीक्षा करेंगे।

4. आन्तरिक लेखा परीक्षा का कार्य विभाग में कार्यरत लेखा परीक्षकों/वरिष्ठ लेखा परीक्षकों/सहायक लेखाकारों/लेखाकारों विभागों के वित्त नियंत्रक/मुख्य लेखा अधिकारी/मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी या उनके पद का कार्य करने वाले अधिकारी के पर्यवेक्षण में किया जायेगा तथा वे विभागीय लेखा परीक्षा मैनुवल तैयार करके अद्यावधिक रखेंगे। विभाग में लेखा परीक्षा के उपरान्त पायी गयी अनियमितताओं की पिछले त्रैमास की सूचना अगले माह की (जुलाई, अक्टूबर, जनवरी एवं अप्रैल) 20 तारीख तक अपने विभागाध्यक्ष व निदेशक, आन्तरिक लेखा परीक्षा, उ0प्र0 को देंगे। उक्त सूचना की समीक्षा करके तथा अन्य विशेष आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन निदेशक, आन्तरिक लेखा परीक्षा, उ0प्र0 राज्य आन्तरिक लेखा परीक्षक के माध्यम से शासन को प्रस्तुत करेंगे।
5. राज्य स्तरीय आन्तरिक सम्परीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु त्रैमासिक व वार्षिक आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तैयार करना।
6. विभागों द्वारा तैयार आन्तरिक लेखा परीक्षा कार्य योजना/वार्षिक कैलेण्डर का अन्तिम रूप दिया जाना।
7. आन्तरिक लेखा परीक्षा में लगे कार्मिकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम व उसकी रूपरेखा तैयार करना।
8. सम्परीक्षा हेतु मानकों का निर्धारण व विभाग के आन्तरिक सम्परीक्षा अधिकारी द्वारा त्रैमास/वार्षिक कैलेण्डर प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण के सम्बन्ध में दिशा निर्देश देना। आन्तरिक लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में राज्य को सलाह देना। विभागों में गठित विभागीय आन्तरिक लेखा परीक्षा समिति में भाग लेना।
9. उच्च स्तरीय आन्तरिक लेखा परीक्षा की बैठकों/सेमिनार आदि में राज्य का प्रतिनिधित्व करना।

विभाग का नाम परिवर्तन एवं अतिरिक्त कार्य सौंपा जानाः-

उपरोक्त कार्यों के साथ-साथ निदेशक, आन्तरिक लेखा परीक्षा, उ0प्र0 को वेतन समिति(2008) के दसवें प्रतिवेदन (भाग-6) में वित्त विभाग के अन्तर्गत आन्तरिक लेखा परीक्षा निदेशालय, उ0प्र0 के सम्बन्ध में वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-2022/दस-54 (एम)2008टी0सी0, दिनांक 28 नवम्बर, 2011 एवं वित्त (सेवायें) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-एस0ई0-324/दस-2012-आ-11/2011, दिनांक, 19.06.2012 द्वारा ''प्रदेश के विभिन्न विभागों में उपलब्ध अधीनस्थ लेखा संवर्ग के सहायक लेखाकार, लेखाकार एवं सहायक लेखाधिकारी तथा लेखा परीक्षा संवर्ग के लेखा परीक्षक, ज्येष्ठ लेखा परीक्षक एवं सहायक लेखाधिकारी के पदों पर चयन, नियुक्ति तथा स्थानान्तरण की कार्यवाही का दायित्व'' इस निदेशालय को सौंपा गया है। उक्त दायित्वों के निर्वहन हेतु शासन द्वारा निम्नलिखित सेवा नियमावली जारी की गयी हैंः-

क्रम सं0	**वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 (नियमावली एवं विधि प्रकोष्ठ) द्वारा जारी अधिसूचना संख्या**	**नियमावली का नाम**	**पदों की संख्या जो नियमावली में समाहित किये गये हैं।**
1	**2**	**3**	**4**
1.	संख्या-वि0वे0नि0(प्रकोष्ठ)-251/ दस-2014-11-13, दिः 07.11.14	उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2014	लेखा संवर्ग में लेखाकार एवं सहायक लेखाकार के कुल **पद- 7602**

2.	संख्या-1/2015/वे0आ0-2-53/ दस-2015-11-13, दिनांक 20.01.15	उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग अधीनस्थ लेखा परीक्षा संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2015	लेखा परीक्षा संवर्ग में ज्येष्ठ लेखा परीक्षक एवं लेखा परीक्षक के कुल **पद- 962**
3.	संख्या-27/2015/वे0आ0-2-355/ दस-2014, दिनांक 13.05.2015	उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग सहायक लेखा अधिकारी (राजपत्रित) सेवा नियमावली, 2015	सहायक लेखा अधिकारी के कुल **पद- 370**

आन्तरिक लेखा परीक्षा से सम्बन्धित कर्त्तव्य, दायित्व एवं प्रगति

शासनादेश संख्या- रा0आ0 ले0प0प्र0-2030/दस-03-10 (112 ए)/01, दिनांक 15 जनवरी, 2003 द्वारा वित्तीय प्रबंधन के आधुनिकीकरण एवं आन्तरिक लेखा परीक्षा को मजबूत बनाने के उद्देश्य से इस निदेशालय को विभागीय लेखा के अतिरिक्त आन्तरिक लेखा परीक्षा से सम्बन्धित कार्य सौंपते हुए इस निदेशालय का नाम परिवर्तित करके **"आन्तरिक लेखा परीक्षा निदेशालय"** रखा गया और उपरोक्त दायित्वों के अतिरिक्त निम्नलिखित दायित्व सौंपे गयेः-

क्रमांक	**शासनादेश संख्या-रा0आ0 ले0प0प्र0-2030/दस-03-10(112 ए)/01, दिनांक 15 जनवरी, 2003 द्वारा सौंपे गये कर्त्तव्य एवं दायित्व**	**प्रगति**
1.	राज्य की आन्तरिक लेखा परीक्षा नीतियों का कार्यान्वयन कराना	प्रदेश में आन्तरिक लेखा परीक्षा को सुदृढ़ करने, प्रभावी बनाने, निर्देशन एवं अनुश्रवण कराया जा रहा है।
2.	आन्तरिक लेखा परीक्षा अधिकारी का कार्य विभागों में सर्जित मुख्य/वरिष्ठ सम्परीक्षा अधिकारी/सम्पीक्षा अधिकारी के पदों पर कार्यरत अधिकारियों द्वारा अन्तिम एवं स्वतंत्र रूप से किया जाता है तथा जिन विभागों में मुख्य/वरिष्ठ सम्परीक्षा अधिकारी/सम्परीक्षा अधिकारी के पद सृजित नहीं हैं उन विभागों में वित्त नियंत्रक या तो स्वयं आन्तरिक लेखा परीक्षा का कार्य देखेगें अथवा अपने अधीन वित्त एवं लेखा सेवा के वरिष्ठतम् अधिकारी को जो कम से कम लेखाधिकारी के पद पर कार्यरत हो नामित कर सकते हैं। जिन विभागों में वित्त नियंत्रक के पद सृजित नहीं हैं उन विभागों में वित्त एवं लेखा सेवा के वरिष्ठतम् अधिकारी आन्तरिक लेखा परीक्षा अधिकारी होंगे।	वित्तीय वर्ष 2020-21 में 66 विभागों में आन्तरिक लेखा परीक्षा का कार्य सम्पन्न कराया जा रहा है।
3.	वित्त विभाग के निर्देश पर/विभागीय आन्तरिक लेखा परीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट पर विशेष सम्परीक्षा का कार्य।	शासन के वित्त विभाग के निर्देशानुसार विशेष सम्परीक्षा करायी जाती है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में 45 एवं 2020-21 के माह जून तक 01 कार्यालय/इकाई की विशेष सम्परीक्षा करायी गयी हैं।
4.	विभाग में लेखा परीक्षा के उपरान्त पायी गयी अनियमितताओं की पिछले त्रैमास की सूचना अगले माहों की (जुलाई, अक्टूबर, जनवरी एवं अप्रैल) 20 तारीख तक प्राप्त कर विश्लेषण उपरान्त त्रैमासिक समीक्षात्मक प्रतिवेदन शासन को प्रस्तुत करना।	वित्तीय वर्ष 2019-20 में 50 विभागों द्वारा कार्य योजना का अनुमोदन कराया गया है। त्रैमास की प्राप्त सूचनाओं की समीक्षा रिपोर्ट शासन को प्रेषित की जाती है। जिन विभागों की सूचना इस निदेशालय को प्राप्त नहीं हुई है उनको अनुस्मारक पत्र भेजा गया है।
5.	विभागों द्वारा तैयार आन्तरिक लेखा परीक्षा कार्य योजना/वार्षिक कैलेण्डर का अन्तिम रूप दिया जाना।	वित्तीय वर्ष 2019-20 में 66 विभागों में आन्तरिक लेखा परीक्षा कार्य हेतु चिहिन्त थे, जिनमें से 50 विभागों के वार्षिक कार्य योजना का अनुमोदन आन्तरिक लेखा परीक्षा अधिकारियों द्वारा कराया गया था। 11 विभागों में स्टाफ की कमी के कारण

		कार्य योजना अनुमोदित नहीं करायी गयी तथा 05 विभागों के आन्तरिक लेखा परीक्षा अधिकारियों द्वारा कार्ययोजना का अनुमोदन नहीं कराया गया। जिन विभागों की कार्ययोजना प्राप्त नहीं हुई हैं, उनकों अनुस्मारक पत्र भेजे गये हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 में माह जून तक 09 विभागों द्वारा कार्ययोजना का अनुमोदन कराया गया है।
6.	आन्तरिक लेखा परीक्षा में लगे कार्मिकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम व उसकी रूपरेखा तैयार करना।	वित्तीय वर्ष 2019-20 में विभिन्न विभागों के आन्तरिक लेखा परीक्षा में लगे कार्मिकों को सम्प्रेक्षण में सुधारवादी दृष्टिकोण परफारमेन्स मैनेजमेन्ट तथा सिस्टम सम्प्रेक्षण विषय पर कार्मिकों को प्रशिक्षण हेतु वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ से 30 कार्मिकों को प्रशिक्षण दिलाया गया है।
7.	सम्परीक्षा हेतु मानकों का निर्धारण व विभाग के आन्तरिक सम्परीक्षा अधिकारी द्वारा त्रैमासिक/वार्षिक प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण के सम्बन्ध में दिशा निर्देश।	समय-समय पर विभागों के आन्तरिक लेखा परीक्षा अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 में उ0प्र0 में ''वित्तीय प्रबन्ध के आधुनिकीकरण एवं आन्तरिक सम्प्रेक्षा के सुदृढ़ीकरण'- परियोजना में आन्तरिक लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु विभिन्न विभागों के आन्तरिक लेखा परीक्षा अधिकारियों/वित्त नियंत्रकों की बैठक दिनांक 26.11.2019 एवं 27.11.2019 को आहूत की गयी, जिसका कार्यवृत्त सम्बन्धित विभागों को कार्यवाही हेतु निर्गत किया गया है।
8.	विभागों में गठित विभागीय आन्तरिक लेखा परीक्षा समिति में भाग लेना।	शासनादेश में निहित व्यवस्था के अनुसार विभागीय आन्तरिक लेखा परीक्षा समिति में सदस्य के रूप में भाग लिया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित योजनाएं

1. वित्तीय वर्ष 2020-21 में लेखाकार, ज्येष्ठ लेखा परीक्षक एवं सहायक लेखाधिकारी के पदों की रिक्तियों के सापेक्ष कार्मिकों की पदोन्नतियाँ।
2. वित्तीय वर्ष 2020-21 में देय कार्मिकों की देय ए0सी0पी0 स्वीकृत करना।
3. 66 विभागों द्वारा आन्तरिक लेखा परीक्षा का कार्य कियाजा रहा है। उक्त 66 विभागों की आन्तरिक लेखा परीक्षा की कार्य योजना अनुमोदित करना तथा त्रैमासिक सूचना शासन को प्रेषित करना।

राष्ट्रीय बचत निदेशालय

राष्ट्रीय बचत निदेशालय, उत्तर प्रदेश गठन वर्ष 1973 में किया गया है, राष्ट्रीय बचत का मुख्य उद्देश्य नागरिकों में बचत की आदत विकसित करना है। शासन स्तर पर वित्त आयुक्त एवं प्रमुख सचिव वित्त, उ0प्र0 शासन, राष्ट्रीय बचत विभाग के निदेशक एवं विशेष सचिव वित्त उ0प्र0 शासन विभाग के अपर निदेशक हैं।

राष्ट्रीय बचत योजनाओं की विभिन्न प्रतिभूतियों में धनराशि निवेशित कराने हेतु जनपद स्तर पर स्थापित कार्यालयों द्वारा अधिकृत अभिकर्ताओं एवं महिला प्रधान अभिकर्ताओं की नियुक्ति एवं नवीनीकरण का कार्य किया जाता है। इन योजनाओं में निवेशित धनराशि अधिकांशतया इन्हीं अभिकर्ताओं के माध्यम से जमा होती है।

विभाग की प्रमुख कार्य योजनायें

1. शासन के निर्देशानुसार प्रदेश का राष्ट्रीय बचत योजना का शुद्ध जमा धनराशि का वार्षिक लक्ष्य

निर्धारित किया जाता है, तदोपरान्त उक्त लक्ष्य का विभाजन प्रदेश के जनपदों के मध्य विभाजित कर दिया जाता है। प्रत्येक मंडल के अंतर्गत आने वाले जनपदों के लक्ष्य का योग मंडल का लक्ष्य होता है। जनपद स्तर पर जिलाधिकारी के नियंत्रण/निर्देशन में सहायक निदेशक (बचत)/ जिला बचत अधिकारी द्वारा जनपद के अधिकारियों, बचत अभिकर्ताओं द्वारा जन सामान्य से संपर्क स्थापित कराकर धनराशि निवेश कराई जाती है एवं मंडल स्तर पर आयुक्त के नियंत्रण/निर्देशन में उप निदेशक राष्ट्रीय बचत द्वारा राष्ट्रीय बचत योजना की प्रगति की समीक्षा कराई जाती है।

2. डाकविभाग में धनराशि निवेश कराये जाने के सम्बन्ध में आने वाली समस्याओं का निराकरण यथासंभव डाक विभाग के अधिकारियों को संपर्क कर, जिला डाल समन्वय समिति एवं मंडल स्तर पर मंडलीय डाक समन्वय समितियों के माध्यम से तथा सहायक निदेशकों द्वारा अभिकर्ताओं के साथ हुई बैठकों द्वारा किया जाता है।

राष्ट्रीय बचत की वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित योजनायें

राष्ट्रीय बचत निदेशालय द्वारा अपनी कोई परियोजना संचालित नहीं है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बचत की विभिन्न प्रतिभूतियां प्रचलन में हैं, इन प्रतिभूतियों की ब्याज दरें प्रत्येक तिमाही में केन्द्र सरकार द्वारा घोषित की जाती हैं। वर्तमान में प्रचलित प्रतिभूतियों में निवेश डाकघरों के माध्यम से एवं कुछ प्रतिभूतियों में डाकघरों के साथ ही साथ भारतीय स्टेट बैंक तथा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं के माध्यम से धनराशि निवेशित की जाती है।

राष्ट्रीय बचत योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु प्रदेश का शुद्ध जमा का वार्षिक लक्ष्य रुपये 6000 करोड़ निर्धारित किया गया था, जिसके सापेक्ष माह मार्च 2020 तक 13756.34 करोड़ शुद्ध जमा कराते हुए 229.27 प्रतिशत (अनन्तिम-स्टेट ऑफ इंडिया से कोविड-19 महामारी के कारण पी0पी0एफ0 के आंकड़े अप्राप्त) की उपलब्धि अर्जित कर ली गयी है।

विभाग की नीति

राष्ट्रीय बचत की योजना ग्रामीण अंचलों व नगरीय अंचलों में जन सामान्य में धन निवेशित कराकर बचत की आदत को बढ़ावा देना है जिससे वे अपने आने वाले भविष्य को सुरक्षित कर सकें। निवेशकों को बचत हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से अभिकर्ताओं की नियुक्ति की जाती है और अभिकर्ताओं को धन डाकघर की विभिन्न प्रतिभूतियों में निवेशित कराने पर कमीशन मिलता है जोकि उनके जीविकोपार्जन में सहायक होता है।

राजस्व

उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है। औद्योगिक विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों में बहुआयामी विकास होने के बावजूद आज भी प्रमुख उद्यम कृषि ही है, जिससे इस देश की बहुसंख्यक जनता सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। कृषि तथा कृषि पर आधारित अन्य व्यवसायों के लिए भूमि सबसे महत्त्वपूर्ण कारक है। भूमि सम्बन्धी अभिलेखों के समुचित रख-रखाव, बिखरे जोतों की चकबन्दी, कृषि उपज सम्बन्धी आंकड़ों के संकलन, कृषकों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, भूमि विवादों के निपटारे, भूमि सुधार सम्बन्धी कार्यक्रमों का सृजन एवं उनका क्रियान्वयन तथा प्रदेश के राजस्व में वृद्धि के लिए विभिन्न देयों की वसूली जैसे महत्त्वपूर्ण कार्यों का निष्पादन राजस्व विभाग के प्रमुख दायित्व हैं। सामान्य जनता, कृषक, निर्बल वर्ग से सीधे जुड़े होने के कारण राजस्व विभाग प्रदेश शासन के मेरुदण्ड की भांति है। उक्त के अतिरिक्त प्रदेश की जनता को निश्चित समय सीमा के भीतर सेवाएं प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश जनहित गारण्टी कानून के अन्तर्गत अधिसूचित एवं उससे सम्बन्धित और आनुषांगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए कानून बनाने का कार्य भी राजस्व विभाग द्वारा किया जा रहा है। राजस्व विभाग के विभिन्न कार्यों के सम्पादन हेतु वर्तमान में निम्न विभागाध्यक्ष कार्यालयों के माध्यम से कार्य हो रहें हैं।

राजस्व विभाग की महत्वपूर्ण उपलब्धियों का अद्यावधिक विवरण

राजस्व विभाग के प्रमुख कार्य

राजस्व विभाग के प्रमुख कार्य प्रदेश के भूमि सम्बन्धी आंकड़ों का समुचित रखरखाव, कृषि उपज सम्बन्धी आंकड़ों का संकलन, भूमि विवादों के निपटारे, भूमि सुधार सम्बन्धी जनकल्याणकारी विभिन्न कार्यक्रमों का सृजन एवं उनके क्रियान्वयन के साथ-साथ प्रदेश के राजस्व में वृद्धि के लिए कर एवं करेत्तर देयों सहित राजस्व देयों की वसूली करना है। शासन द्वारा निर्धारित विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों में मुख्य देयों तथा विविध देयों की वसूली, अवैध कब्जेदारों को हटाकर वास्तविक पट्टेदारों का कब्जा दिलाया जाना, कृषि एवं आवास भूमि का चिह्नीकरण एवं आवंटन, खतौनी का कम्प्यूटरीकरण, सम्पूर्ण समाधान दिवस, लोक शिकायत तथा एकल खिड़की से प्रार्थना पत्रों का समयबद्ध निस्तारण सम्मिलित हैं। भूमि सुधार कार्यक्रमों को त्वरित व प्रभावी ढंग से लागू करना, प्रशासनिक व्यवस्थाओं में सहयोग, अन्य विभागों की सामाजिक, आर्थिक नीतियों के क्रियान्वयन के साथ-साथ दैवीय आपदा में भी राजस्व विभाग की प्रमुख भूमिका है। राजस्व विभाग द्वारा किये जाने वाले मुख्य क्रियाकलाप निम्नवत हैं:

भूमि सुधार कार्यक्रम

भूमि सुधार एक गतिशील प्रक्रिया है। भूमि जैसी दैव प्रदत्त आर्थिक सम्पदा का सम्यक लाभ समाज

के सभी वर्ग के लोगों को मिले इसके लिये उ.प्र. सरकार ने समय की मांग के अनुरूप कुछ व्यवहारिक, संतुलित एवं जनोपयोगी कदम उठाये गये हैं। भूमि सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत विगत तीन वर्षों की उपलब्धि का विवरण निम्नवत हैः

- **कृषि एवं आवास पट्टे में सभी गरीबों को समानता**

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 में कृषि योग्य भूमि पट्टे पर आवंटित करने के लिये संघ के सशस्त्र बल में सक्रिय सेवा में रहते हुये जिनकी मृत्यु हुई हो, ऐसे व्यक्ति के परिवारजन को प्रथम वरीयता एवं संघ के सशस्त्र बल में सक्रिय सेवा में रहते हुये पूर्णतया विकलांग होने वाले व्यक्ति को द्वितीय वरीयता तथा इसके उपरान्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के भूमिहीन कृषि श्रमिक या गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले को सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों से उच्च वरीयता प्रदान की गयी है।

वित्तीय वर्ष	लक्ष्य (हे०में)	उपलब्धि (हे०में)	प्रतिशत
2017-2018	1633	2103.293	128.80
2018-2019	1378	1995.645	157.26
2019-2020	990	1593.93	161.00

- **ग्रामीण आवास स्थल आवंटन**

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों एवं ग्रामीण कारीगरों के परिवारों को जिनके पास पर्याप्त आवास उपलब्ध नहीं है, को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता–2006 की धारा–64 के अन्तर्गत आवास स्थल उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान किया गया है। आबादी स्थलों के आवन्टनों में विधवा और विकलांग व्यक्तियों को अधिमान दिये जाने की व्यवस्था दी गयी है। आवास स्थल आवन्टन की विगत तीन वर्षों की उपलब्धियां निम्नवत् रही है :-

वर्ष	लक्ष्य (परिवार)	उपलब्धि (परिवार)	प्रतिशत
2017-2018	20120	23071	114.67
2018-2019	17200	22466	147.90
2019-2020	15200	16486	108.46

(माह दिसम्बर, 2019 तक)

- **मत्स्य पालन हेतु ताल पोखरों का आवंटन**

मछुआ समुदाय के व्यक्तियों को मत्स्य पालन हेतु तालाबों एवं पोखरों का आवंटन रोजगार उपलब्ध कराये जाने हेतु किया गया है। इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत राजाज्ञा में संशोधन करते हुये विस्तृत योजना दिनांक 17-10-95 में लागू की गयी थी। वर्तमान में भी उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली के अन्तर्गत मत्स्य पालन हेतु पट्टों का आवंटन किया जा रहा है।

- **कुम्हारी कला एवं मूर्ति कला के प्रोत्साहन हेतु कुम्हार जाति एवं इस व्यवसाय में लगे व्यक्तियों को मिट्टी उपलब्ध कराये जाने हेतु मिट्टी का आवंटन**

कुम्हारी कला के व्यवसाय में लगे परिवारों की आर्थिक उन्नति एवं उनके व्यवसाय के लिये ताल, पोखरों एवं अन्य स्थलों, जहां कुम्हारी कला हेतु उपयुक्त चिकनी मिट्टी उपलब्ध हो, का आवंटन शासनादेश संख्या-4317/1-2/93-रा0-2, दिनांक 23 दिसम्बर, 1993 द्वारा जनवरी, 1994 से किया जा रहा है।

वर्ष	लक्ष्य (स्थल)	उपलब्धि (स्थल)	प्रतिशत
2017-2018	1184	1309	110.56
2018-2019	1074	1451	157.55
2019-2020	1200	4678	398.83
(माह दिसम्बर, 2019 तक)			

- **वृक्षारोपण हेतु पट्टे**

वृक्षारोपण हेतु हरियाली कार्यक्रम क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में भूमि का पट्टा दिये जाने का शासनादेश दिनांक 30.12.1985 निर्गत किया गया है। उक्त शासनादेश के अन्तर्गत वृक्षारोपण करने वाले व्यक्तियों को केवल वृक्षों के उपयोग तथा उपज व उनसे होने वाले लाभ हेतु पट्टा दिये जाने की व्यवस्था की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत विगत तीन वर्षों की उपलब्धियां निम्नवत् रही है।

वर्ष	लक्ष्य (हे०में)	उपलब्धि (हे०में)	प्रतिशत
2017-2018	457	679.025	148.58
2018-2019	418	598.26	149.56
2019-2020	365	576.992	158.06
(माह दिसम्बर, 2019 तक)			

उत्तराधिकार में महिलाओं के अधिकार में वृद्धि

कुछ वर्ष पूर्व विधवा को, पुत्रों के समतुल्य अधिकार प्रदान कर तथा पट्टों में पति-पत्नी का नाम संयुक्त रूप से दर्ज करने की व्यवस्था कर, उत्तर प्रदेश सरकार ने लिंग भेद कम करने की दिशा में जो शुरुआती ठोस कदम उठाया था उसे बढ़ाते हुये उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता–2006 में निर्धारित उत्तराधिकार के क्रम को संशोधित कर इसे महिलाओं के मालिकाना हक के अनुकूल बनाया गया है।

वर्तमान में विवाहिता पुत्री को भाइयों, अविवाहित बहन एवं भतीजों से उच्च वरीयता प्रदान की गयी है। इसके अतिरिक्त अविवाहित बहन को भी भाइयों और भतीजों के समतुल्य अधिकार दिया गया है। पितामही–पितामह को उत्तराधिकार हेतु अब एक श्रेणी में कर दिया गया है। किसी महिला को उत्तराधिकार में पिता से प्राप्त कृषि भूमि में अब उस महिला की मृत्यु हो जाने पर उसके पुत्रों एवं अविवाहिता पुत्री का बराबर का अधिकार होगा।

दिव्यांगों के लिये आवासीय पट्टों की व्यवस्था

निःशक्त जन अधिनियम, 1995 की धारा–43 के अन्तर्गत दिव्यांग व्यक्तियों को वरीयता के आधार पर रियायती दर पर आवास भूमि आवंटन करने के संकल्प को मूर्तरूप देने के लिये उ.प्र. सरकार ने राजस्व संहिता–2006 के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले खेतिहर मजदूर, ग्रामीण शिल्पी एवं अनुसूचित जाति एवं आदिम जाति के अन्य व्यक्ति, जिनके पास आवास हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है, के लिये आवासीय भूमि आवंटित करने की व्यवस्था की है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता–2006 की धारा 64 (1) में आबादी स्थलों के आवन्टन के लिए निर्धारित वरीयता क्रम में प्रत्येक श्रेणी के अन्तर्गत शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों को अधिमान दिये जाने की व्यवस्था की गयी है।

अनाधिकृत कब्जे/अतिक्रमण के विरुद्ध कार्यवाही

शासनादेश संख्या-402/1-2-2017-1 (सामान्य)/2017 दिनांक 01-05-2017 द्वारा ग्राम सभा/सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने एवं अतिक्रमणकर्ताओं/भू-माफियाओं के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में प्रदेश में चार स्तरीय क्रमशः राज्य, मण्डल, जनपद व तहसील स्तर पर एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स का गठन किया गया है और इस सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों के प्रभावी अनुश्रवण हेतु एंटी भू-माफिया पोर्टल का विकास किया गया है।

अद्यतन सूचना के अनुसार अब तक प्रदेश में दिनांक 12-02-2020 तक कुल 2,77,002 शिकायतें पोर्टल पर दर्ज की गयीं, जिनमें से 2,76,329 शिकायतें निस्तारित की गयीं और 673 शिकायतें निस्तारण हेतु अवशेष हैं। एंटी भू-माफिया अभियान के अंतर्गत 68905.68 हे. क्षेत्रफल अवैध अतिक्रमण से अवमुक्त कराया गया है तथा 22,563 राजस्व वाद, 820 सिविल वाद, 3,885 एफ.आई.आर. दर्ज करायी गयी हैं।

खतौनी पुनरीक्षण एवं सहखातेदारों का अंश निर्धारण

उ.प्र. राजस्व संहिता-2006 की धारा-(2) तथा उ.प्र. राजस्व संहिता नियमावली-2016 के नियम-28 के अनुरूप प्रदेश के कुल 1,10,334 राजस्व ग्रामों की खतौनियों में खतौनी पुनरीक्षण एवं खातेदारों/सहखातेदारों के गाटो में अंश निर्धारण का कार्य वर्ष 2017 से किया जा रहा है। वर्ष 2017 से अब तक 49,814 ग्रामों में कार्य पूर्ण हो चुका है। अवशेष 60,520 राजस्व ग्रामों खतौनियों में अंश निर्धारण कार्य किया जाना है, जिसे मार्च, 2023 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।

खतौनी में खातेदारों/सहखातेदारों के गाटों के अंश का निर्धारण किये जाने से निम्न लाभ होंगे।

1. खतौनी में सहखातेदारी के गाटों के अंश का निर्धारण किये जाने से कोई भी खातेदार अपने हिस्से से अधिक भूमि का विक्रय नहीं कर सकेगा।
2. खातेदारों/सहखातेदारों के अंश निर्धारण के बटवारे के वादों में कमी आयेगी।
3. अंश के निर्धारण से सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को मिल सकेगा।

कृषक दुर्घटना बीमा योजना/मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना

कृषक दुर्घटना बीमा योजना

कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 में शासन द्वारा अनाच्छादित अवधि के स्वीकृत लम्बित दावों के भुगतान हेतु (दिनांक 14 सितम्बर, 2016 के प्रातः 10:00 बजे के पूर्व के) कुल प्राविधानित धनराशि रुपये 85.00 करोड़ अवमुक्त की गयी थी, शासन द्वारा अवमुक्त उक्त धनराशि में से 72.9825 करोड़ रुपये का आवंटन प्रदेश के जनपदों को किया जा चुका है, जिससे लगभग 1460 लाभार्थी लाभान्वित हुये। वर्तमान में जनपदों द्वारा प्रेषित कोई मांग अवशेष नहीं है।

आगामी वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु योजना के अनाच्छादित अवधि के स्वीकृत लम्बित दावों के भुगतान हेतु (दिनांक 14 सितम्बर, 2016 के प्रातः 10:00 बजे के पूर्व के) कुल धनराशि रु. 5.00 करोड़ रुपये का अनुमान शासन को प्रेषित किया गया है।

मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना

- मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना का संचालन परिषद द्वारा तीन बीमा कंपनियों।
- ओरियन्टल इं0क0लि0, दि न्यू इण्डिया ए0कं0लि0 एवं यूनाइटेड इं0इं0कं0लि0) के माध्यम से दिनांक 14 सितम्बर 2018 से 13 सितम्बर 2019 तक किया गया है।
- बीमा कंपनियों द्वारा प्रेषित अद्यावधिक सूचना के अनुसार प्रदेश के जनपदों द्वारा बीमा कंपनियों को मृत्यु एवं दिव्यांगता के 27508 दावे प्रेषित किये गये। भुगतान किये गये 14913 दावों के सापेक्ष 743.35 करोड़ रु. की धनराशि का भुगतान किया गया है। इसके अतिरिक्त चिकित्सा सुविधा के अन्तर्गत 3459 दावों के सापेक्ष 2556 दावों का भुगतान किया गया, जिसमें धनराशि 4.24 करोड़ रु. निहित है।
- मा0 मुख्यमंत्री जी के अपेक्षानुसार जिलाधिकारियों के माध्यम से प्रदेश के खातेदार/सहखातेदार कृषकों के लिए पूर्व में संचालित कृषक दुर्घटना बीमा योजना की भांति दिनांक 14 सितम्बर, 2019 से मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के संचालन का संशोधित प्रस्ताव परिषद द्वारा दिनांक 06 जनवरी 2020 को शासन को प्रेषित किया गया है, जिसका अनुमोदन कैबिनेट द्वारा किया जा चुका है।
- वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 के अवशेष 06 माहों हेतु मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लाभार्थियों को दिनांक 14 सितम्बर 2019 से लाभ प्रदान किये जाने के लिए कुल धनराशि 459.68 करोड़ पुनर्विनियोग प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है।
- आगामी वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु योजना के कार्यान्वयन हेतु मद संख्या-03 मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के कार्यान्वयन हेतु धनराशि 13.86 करोड़ रु. तथा मद संख्या-04 मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना हेतु धनराशि रु. 845.50 करोड़ अर्थात कुल धनराशि 859.36 करोड़ रु. का अनुमान शासन को प्रेषित किया गया है।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तथा आम आदमी बीमा योजना (क्लोज ग्रुप)

भूमिहीन परिवारों, पंजीकृत श्रमिकों तथा असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान कराये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा चलायी जा रही प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तथा आम आदमी बीमा योजना (क्लोज ग्रुप) का क्रियान्वयन प्रदेश में भी दिनांक 01.01.2018 से किया जा रहा है। योजना के क्रियान्वयन हेतु कार्यदायी संस्था भारतीय जीवन बीमा निगम है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 में लगभग 73.00 लाख लाभार्थियों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत बीमा आचरण कराये जाने हेतु प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना मद में रु. 12045.00 लाख तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना मद मकें रु. 438.00 लाख की धनराशि प्राविधानित की गयी है। आम आदमी बीमा योजना (क्लोज ग्रुप) के अंतर्गत लगभग 6.00 लाख लाभार्थियों को बीमा का लाभ प्रदान कराये जाने हेतु रु. 1000.00 लाख की धनराशि प्राविधानित की गयी है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना मद में रु. 9900.00 लाख प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना मद में रु. 360.00 लाख तथा आम आदमी बीमा योजना मद में रु. 1000.00 लाख की धनराशि का बजट अनुमान प्रस्तावित किया गया है।

उल्लेखनीय है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 में कार्यदायी संस्था भारतीय जीवन निगम द्वारा योजनाओं का क्रियान्वयन बन्द कर दिये जाने के कारण योजनाओं के लिये प्रावधानित उक्त धनराशि के सापेक्ष अभी तक कोई व्यय नहीं हुआ है। इस तथ्य से शासन को दिनांक 17.01.2020 को अवगत कराया जा चुका है।

राजस्व वादों का निस्तारण एवं राजस्व न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण

राजस्व न्यायालयों में बड़ी संख्या में लम्बित वादों के त्वरित निस्तारण का कार्य शासन के विकास एजेण्डा में शामिल है। यह कार्य शासन की शीर्ष प्राथमिकता में है। शासन के निर्देशानुसार परिषद द्वारा ''राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली'' नाम से एक नए पोर्टल का विकास कराया गया है। प्रदेश में तहसील, जनपद एवं मण्डल तथा राजस्व परिषद् स्तर पर राजस्व न्यायालय स्थापित एवं कार्य कर रहे हैं। इस कार्य हेतु साफ्टवेयर एन.आई.सी. राज्य एकक, उत्तर प्रदेश द्वारा विकसित किया गया है। इस साफ्टवेयर में आम जनता/अधिवक्ता, पीठासीन अधिकारी, पेशकार व प्रवर न्यायालयों के अवलोकन एवं कार्य दिवस वार कार्यों के कम्प्यूटरीकरण की व्यवस्था है।

वादकारियों हेतु

- वाद की तिथि अथवा वाद सूची इण्टरनेट पर 24 x 7 उपलब्ध, इसके लिये न्यायालय आने की आवश्यकता नहीं।
- वाद में पारित आदेशों को इण्टरनेट पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था।
- वाद से संबंधित सभी पक्षों को उनके मोबाइल पर अग्रिम सुनवाई की सूचना उपलब्ध कराना।

वर्तमान में पोर्टल पर राजस्व वादों के निस्तारण की स्थिति निम्न है :

प्रदेश के जनपदीय राजस्व न्यायालयों में 01 जनवरी 2017 से 31 दिसम्बर 2017 तक कुल 1312512 वाद दायर हुए, जिसके सापेक्ष कुल 1213941 वादों का निस्तारण किया गया। 01 जनवरी 2018 से 31 दिसम्बर 2018 तक कुल 1821716 वाद दायर हुए, जिसके सापेक्ष कुल 1637198 वादों का निस्तारण किया गया। 01 जनवरी 2019 से 31 दिसम्बर 2019 तक कुल 1826813 वाद दायर हुए जिसके सापेक्ष 1806773 वादों का निस्तारण किया गया। 01 जनवरी 2020 से 31 जनवरी 2020 तक कुल 150082 वाद दायर हुए जिसके सापेक्ष कुल 155228 वादों का निस्तारण किया गया। इस प्रकार उक्त अवधि में कुल 5111123 दायर वादों के सापेक्ष 4813140 वादों का निस्तारण किया गया।

इसी प्रकार प्रदेश के मण्डलीय राजस्व न्यायालयों में 01 जनवरी 2017 से 31 दिसम्बर 2017 तक कुल 17934 वाद दायर हुए जिसके सापेक्ष कुल 21821 वादों का निस्तारण किया गया। 01 जनवरी 2018 से 31 दिसम्बर 2018 तक कुल 28934 वाद दायर हुए जिसके सापेक्ष कुल 22030 वादों का निस्तारण किया गया। 01 जनवरी 2019 से 31 दिसम्बर 2019 तक कुल 21627 वाद दायर हुए जिसके सापेक्ष 19026 वादों का निस्तारण किया गया। 01 जनवरी 2020 से 31 जनवरी 2020 तक कुल 1488 वाद दायर हुए जिसके सापेक्ष कुल 1119 वादों का निस्तारण किया गया। इस प्रकार उक्त अवधि में कुल 69983 दायर वादों के सापेक्ष 63996 वादों का निस्तारण किया गया।

सम्पूर्ण समाधान दिवस

प्रदेश में जनसमस्याओं के निराकरण के लिए प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृती मंगलवार को जनपद में किसी एक तहसील जिलाधिकारी की अध्यक्षता में व शेष तहसीलों में उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया जाता है।

समन्वित जन शिकायत निवारण प्रणाली (आई.जी.आर.एस.) से संबंधित समाधान दिवस के पोर्टल पर जनपदों द्वारा दर्ज की गयी सूचना के अनुसार 01 जनवरी 2019 से 31 दिसम्बर 2019 तक कुल 4,66,050 शिकायतें प्राप्त हुई जिसके सापेक्ष 4,63,487 शिकायतें निस्तारित की गयी। 01 जनवरी 2020 से 13 फरवरी 2020 तक कुल 73,890 शिकायतें प्राप्त हुई जिसके सापेक्ष 49,889 शिकायतों का निस्तारण किया गया।

राजस्व भवनों का निर्माण

- राजस्व विभाग के अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न मण्डलों/जनपदों/तहसीलों के अनावासीय तथा आवासीय भवनों के चालू निर्माण कार्य, नवनिर्माण/पुनर्निर्माण तथा भूमि क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल रु0- 254.19 करोड़ की बजट व्यवस्था है।
- पुरानी तहसीलों का कायाकल्प एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास योजना के अन्तर्गत विगत तीन वर्षों में प्रदेश की विभिन्न 213 तहसीलों के लिए कुल रु0 77.00 करोड़ स्वीकृत किया गया है। 121 तहसीलों में कार्य पूर्ण हो गया है। तथा शेष तहसीलों में कार्य शीर्ष प्राथमिकता

पर कराया जा रहा है। चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में इस योजना को क्रियान्वित किए जाने हेतु 8 तहसीलों हेतु रु0 300.00 करोड़ की बजट व्यवस्था है।

- आगामी वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रदेश के विभिन्न मण्डलों/जनपदों/तहसीलों के अनावासीय तथा आवासीय भवनों के चालू निर्माण कार्य, नवनिर्माण/पुनर्निमाण तथा भूमि क्रय एवं भवनों के रख रखाव हेतु अनुरक्षण व लघुनिर्माण मद में कुल रु. 215.17 करोड़ का आय-व्ययक अनुमान शासन को प्रेषित किया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2020-21 में नये राजस्व भवनों में जनपद सहारनपुर की नवसृजित तहसील रामपुर मनिहारन, कन्नौज की हसेरन, कुशीनगर की खड्डा, पीलीभीत की अमरिया, अमरोहा की नौगॉवसादात के अनावासीय तथा आवासीय भवनों का निर्माण तथा मंडलायुक्त वाराणसी के अनावासीय तथा आवासीय भवनों का जीर्णोद्वार मुख्य रूप से प्रस्तावित है।
- वित्तीय 2019-20 में अनुदान संख्या-50 के अन्तर्गत प्रदेश की तहसीलों में नायब तहसीलदार व तहसीलदार (न्यायिक) के उपयोगार्थ तहसीलों में पृथक शौचालयों की व्यवस्था कराये जाने हेतु रु. 200.00 लाख के सापेक्ष रु. 200.00 लाख की स्वीकृति निर्गत की गई है। उक्त योजना हेतु आगामी वित्तीय वर्ष 2020-21 में 100 तहसीलों हेतु रु. 500.00 लाख के व्यय का अनुमान शासन को प्रेषित किया गया है।
- लेखपाल प्रशिक्षण संस्थान, चिनहट, लखनऊ को उच्चीकृत कर राजस्व अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान (रोटी) के रूप में स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस परियोजना पर रु. 1226.83 लाख की लागत संभावित है। जिसके सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 490.73 लाख की बजट व्यवस्था। आगामी वित्तीय वर्ष 2020-21 में भी उक्त परियोजना हेतु रु. 490.73 लाख का आय व्ययक अनुमान प्रेषित किया गया है।

कम्प्यूटराइजेशन

भू-अभिलेख/खतौनी का कम्प्यूटरीकरण (भूलेख)

- चकबन्दी वं सर्वेक्षण प्रक्रिया से बाहर समस्त 1,06,198 ग्राम खतौनियों को डिजिटाइ कर दिया गया है। जिसे ऑनलाइन (एटीटीपीः//यूपीभूलेख.जीओवी.इन) भूलेख पोर्टल पर देखा जा सकता है।
- तहसील केन्द्र से कम्प्यूटरीकृत खतौनी के उद्वरण की प्रतिलिपि रु. 15/- शुल्क लेकर उपलब्ध करायी जा रही है जनसेवा केन्द्रों से भी कम्प्यूटरीकृत खतौनी के उद्धरण की प्रतिलिपि निर्धारित प्रभार देकर प्राप्त किया जा सकता है।
- माह जनवरी 2020 तक 7.55 करोड़ डिजिटली हस्ताक्षरित खतौनी के उद्धरण निर्गत किये जा चुके हैं।

भू-मानचित्रों का डिजिटाइजेशन

- भारत सरकार द्वारा संचालित डिजिटल इण्डिया भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डी.आई. एल.आर.एम.पी.) के अन्तर्गत प्रदेश के 1,08,867 राजस्व ग्रामों के भू-मानचित्रों के डिजिटाइजेशन का कार्य सम्पन्न कराया जा रहा है।
- प्रदेश में जनपदों के समस्त ग्रामों के उपलब्ध भू-मानचित्रों को स्कैन एवं डिजिटाइज्ड कर एन. आई.सी. तैयार किये गये 'भू-नक्शा' साफ्टवेयर से लिंक किया जा रहा है।
- अद्यतन 70,995 राजस्व ग्रामों के भू-मानचित्रों के डिजिटाइजेशन कर 'भू-नक्शा' साफ्टवेयर (खतौनी) से लिंक किया जा चुका है। शेष पर कार्यवाही गतिमान है।

तहसीलों में मॉर्डन रिकार्ड रूम की स्थापना

- भारत सरकार के डिजिटल इण्डिया लैंड मार्डनाईजेशन प्रोग्राम के अन्तर्गत प्रदेश की कुल 350 तहसीलों में मार्डन रिकार्ड रूम की योजना प्रस्तावित है। इसके अन्तर्गत अभिलेखों के स्कैनिंग/डिजिटाईजेशन का कार्य किया जाना है जिससे अभिलेखों का संरक्षण एवं हितबद्ध व्यक्तियों को उसकी कम्प्यूटरीकृत प्रति उपलब्ध करायी जा सके।

सर्वेक्षण एवं अभिलेख प्रक्रिया की स्थिति

- राजस्व परिषद के अनुभाग-9 के नियंत्रणाधीन सम्पादित होने वाले महत्वपूर्ण कार्यों में प्रदेश में मण्डलों, जनपदों एवं तहसीलों के सृजन/पुर्नगठन/परिसीमन तथा सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रिया का कार्य सम्पन्न कराया जाता है। सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रिया के कार्य हेतु स्वीकृत प्रदेश की 6 सर्वेक्षण इकाइयों द्वारा प्रश्नगत कार्य सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रिया नियमावली 1978 के प्राविधानानुसार कराया जाता है, जिसके अन्तर्गत सर्वेक्षण हेतु ग्रामों की अधिसूचना निर्गत कराते हुये सर्वेक्षण के उपरान्त संबंधित ग्रामों को सर्वेक्षण प्रक्रिया से पृथक करने हेतु डिनोटिफिकेशन की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाती है।

चकबन्दी विभाग के कार्यकलाप

प्रदेश में चकबन्दी योजना वर्ष 1954 से प्रारम्भ की गयी। इस योजना का भूमि सुधार, हरित क्रान्ति एवं ग्राम विकास से सीधा सम्बन्ध है। चकबन्दी का उद्देश्य कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि कर कृषकों का जीवन स्तर ऊँचा करना है। इस योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत बिखरे हुए खेतों को इकजाई करके चक प्रदिष्ट किये जाते हैं तथा चकमार्ग, सम्पर्क मार्ग, सिंचाई की नाली, सामान्य आबादी, अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के लिये आबादी एवं अन्य सार्वजनिक प्रयोजनों हेतु भूमि आरक्षित की जाती है। इस प्रकार चकबन्दी क्रियाओं के चलते हरित क्रान्ति के साथ-साथ सामाजिक परिवेश में भी परिवर्तन हुआ है। विशेष रूप से समाज में उपेक्षित वर्ग को गृह निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने में इस योजना का उल्लेखनीय योगदान है। सार्वजनिक उपयोग हेतु भूमि का आरक्षण ग्रामवासियों के लिये एक उपलब्धि है।

विभागीय कार्यकलापों की रिपोर्ट

प्रथम चक्र व द्वितीय चक्र में लिये गये ग्रामों की प्रगति का विवरण निम्नवत है:

प्रथम चक्र

1. प्रथम चक्र में लिये गये ग्राम-	101348
2. प्रथम चक्र में पूर्ण किये गये ग्राम-	100291
3. प्रथम चक्र के अवशेष ग्राम-	1057

द्वितीय चक्र

1. द्वितीय चक्र में लिये गये ग्राम-	27458
2. द्वितीय चक्र में पूर्ण किये गये ग्राम-	25092
3. द्वितीय चक्र के अवशेष ग्राम-	2366

प्रथम व द्वितीय चक्र के कुल अवशेष ग्राम- 3423

वित्तीय वर्ष 2020-21 में दिनांक 31-01-2020 तक प्रगति का विवरण-

क्रमांक	मद	दिनांक 01-04-2020 से 31-01-2020 तक की प्रगति
1.	चक निर्माण/पुष्टीकरण अन्तर्गत (धारा-23)	100164 हे0
2.	अन्तिम अभिलेखों की तैयारी अन्तर्गत (धारा-27)	335373 गाटे
3.	चकबन्दी कार्य पूर्ण करके ग्रामों का प्रकाशन अन्तर्गत (धारा-52)	181 ग्राम

वित्तीय वर्ष 2019-20के लिए प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य

1.	चक निर्माण/पुष्टीकरण अन्तर्गत (धारा-23)	1,10,000 हे0
2.	अन्तिम अभिलेखों की तैयारी अन्तर्गत (धारा-27)	9,00,000 गाटे
3.	चकबन्दी कार्य पूर्ण करके प्रकाशन की कार्यवाही अन्तर्गत (धारा-52)	800 ग्राम

भूमि अध्याप्ति निदेशालय

भूमि अध्याप्ति निदेशालय की स्थापना उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या-7-4(9)/86-114-रा.-13, दिनांक 04 जुलाई, 1987 द्वारा राजस्व परिषद के अधीन की गयी। इस शासनादेश द्वारा निदेशक, भूमि अध्याप्ति को भूमि अध्याप्ति सम्बन्धी मामलों में निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाया गया

है एवं रूटीन मामलों में सीधे शासन से पत्र व्यवहार करने हेतु अधिकृत किया गया है। नीति विषयक मामले राजस्व परिषद के माध्यम से प्रस्तुत किये जाने की व्यवस्था की गयी है। भूमि अध्यापित निदेशालय में निदेशक (भूमि अध्यापित) के प्रतिवेदक अधिकारी मा. अध्यक्ष, राजस्व परिषद होते हैं।

वर्तमान समय में भूमि अध्यापित निदेशालय द्वारा शासनादेश दिनांक 04 जुलाई, 1987 तथा समय-समय पर इसमें किये गये संशोधनों के अनुसार भूमि अध्यापित सम्बन्धी कार्य किया जा रहा है। शासनादेश दिनांक 11 जून, 2008 द्वारा उक्त शासनादेश में संशोधन करते हुए उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास अधिनियम के अन्तर्गत गठित औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा अन्य अधिकारी, जो अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी से निम्न स्तर के न हों, को निदेशक, भूमि अध्याप्ति में निहित समस्त भू-अध्याप्ति कार्यों के निर्वहन हेतु अधिकृत किया गया है।

भूमि अध्यापित निदेशालय का कार्यालय उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद के अनुभाग-10 में स्थापित है। निदेशालय स्तर पर मुख्य रूप से प्रदेश के 38 जनपदों में स्थापित कुल 49 भूमि अध्याप्ति इकाइयों में कार्यरत कर्मचारियों की स्थापना का कार्य विभिन्न सेवा नियमावलियों एवं समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार किया जाता है।

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–51 की उपधारा (1) और (2) के अन्तर्गत ''भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण'' की स्थापना शासन के राजस्व अनुभाग–13 की अधिसूचना संख्या–907/एक–13–2015–7क (6)/14 दिनांक 03.12.2015 द्वारा किया जा चुका है। कार्यो के सुगम संचालन हेतु प्रदेश के 12 मण्डलों एवं जनपद गौतमबुद्धनगर में प्राधिकरण की स्थापना की गयी है।

राहत आयुक्त संगठन

राहत आयुक्त संगठन द्वारा भारत सरकार से ग्यारह प्रकार की अधिसूचित आपदाओं (बाढ़ भूकम्प/सूखा, चक्रवात, कोहरा/शीतलहरी, अग्निकांड, कीट आक्रमण, हिम–स्खलन, ओलावृष्टि, बादल फटना, भू–स्खलन) से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत/सहायता प्रदान किये जाने का महत्त्वपूर्ण कार्य किया जाता है। उक्त के अतिरिक्त एवं राज्य सरकार द्वारा 9 आपदाओं-बेमौसम भारी वर्षा, आकाशीय विद्युत, आंधी-तूफान, लू-प्रकोप, नाव दुर्घटना, सर्पदंश, सीवर सफाई, गैस रिसाव, बोरबेल में गिरना एवं मानव वन्य-जीव द्वन्द को राज्य स्तरीय आपदा घोषित किया गया है।

इस संबंध में भारत सरकार द्वारा राज्य आपदा मोचक निधि हेतु निर्धारित मानक एवं दरों के आधार पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा राहत प्रदान किये जाने हेतु धनराशि स्वीकृत की जाती है। राहत आयुक्त संगठन द्वारा इन कार्यों के अलावा आपदा की पूर्व सम्भावना, आपदा आने की स्थिति तथा आपदा के पश्चात की स्थिति में कन्ट्रोल रूम का संचालन किया जाता है जिसके माध्यम से जिलाधिकारीगण/संबंधित अधिकारियों को राहत आदि के संबंध में दिशा–निर्देश दिये जाते हैं।

आपदा प्रबंधन विभाग

1- आपदा प्रबंधन के वर्तमान में दो मुख्य आयाम हैं :-

- आपदा के पूर्व आपदा जोखिम का अनुमान व आकलन करना, उनके बचाव व न्यूनीकरण के लिए

उपाय, नीति व योजना तैयार करना तथा इस संबंध में आवश्यक पूर्व तैयारी व क्षमता संवर्धन संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित कराना।

- आपदा के उपरान्त खोज बचाव एवं राहत (आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार राहत प्रदान किया जाना) प्रदान किया जाना व बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों के पुनर्वास की व्यवस्था।

2- आपदा प्रबंधन के पूर्व तैयारी के सम्बन्ध में राज्य स्तर पर निम्न व्यवस्थाएं की गई हैं:

- आपदा प्रबन्धन को प्रभावी बनाने हेतु भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध अधिनियम 2005 के आलोक में उ.प्र. सरकार द्वारा राज्य आपदा प्रबन्ध अधिनियम 2005 पारित किया गया है।
- उक्त अधिनियम में किए गए प्रावधान के तहत उ.प्र. राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष मा. मुख्यमंत्री जी उ.प्र. शासन है। उक्त के अतिरिक्त मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन पदेन रूप से प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं। उ.प्र. राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण के संचालन हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया है।
- उ.प्र. राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण का कार्य प्रदेश में आपदा जोखिम की पहचान करना, जोखिम न्यूनीकरण के उपाय करना, आपदा से पूर्व तैयारी करना, आपदा से बचाव हेतु लोगों को प्रशिक्षित व जागरूक करना तथा आपदा से बचाव के क्षमता संवर्धन सम्बन्धी योजनाएं इत्यादि तैयार करना है।
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंध अधिनियम 2005 के प्रावधान के अनुसार जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण का गठन किया गया है। जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण का मुख्य कार्य जनपद में आपदा जोखिम की पहचान करना, जोखिम न्यूनीकरण के उपाय करना, आपदा से पूर्व तैयारी करना, आपदा से बचाव हेतु लोगों को प्रशिक्षित व जागरूक करना तथा आपदा से सम्बन्धित योजनाएं आदि तैयार करना है।

3- आपदा के उपरांत खोज बचाव एवं राहत हेतु राज्य स्तर पर निम्न व्यवस्थाएं की गयी हैं:

- उ.प्र. शासन के राजस्व विभाग के अधीन राहत आयुक्त संगठन का गठन किया गया है। राजस्व विभाग, राहत आयुक्त संगठन एवं जनपद स्तर पर प्रशासन के समन्वित प्रयास से आपदा के उपरांत खोज बचाव एवं राहत के कार्य सुचारू रूप से सम्पादित किये जाते हैं। खोज, बचाव एवं राहत के कार्य हेतु प्रदेश स्तर पर राज्य आपदा मोचक निधि (एस.डी.आर.एफ.) का गठन किया गया है। राज्य स्तर पर गठित राज्य आपदा मोचक निधि (एस.डी.आर.एफ.) का वित्त पोषण 75 प्रतिशत भारत सरकार तथा 25 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।
- सुदृढ़ आपदा प्रबंधन के दृष्टिगत खोज, बचाव एवं राहत के कार्यों को सुचारू रूप से निष्पादित किए जाने हेतु तथा राज्य आपदा मोचक निधि (एस.डी.आर.एफ.) की धनराशि को व्यय किए जाने हेतु राज्य स्तर पर मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त तथा जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आपदा राहत समिति का गठन किया गया है।

आपदा प्रबंधन एवं राहत की वर्तमान स्थिति

आपदा प्रबंधन

- राज्य आपदा मोचक निधि में बजट प्राविधान वित्त आयोग की संस्तुति के अनुरूप किया जाता है चौदह वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य आपदा मोचक निधि में रु. 820.00 करोड़ की बजट व्यवस्था की गयी है।
- वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य आपदा मोचक निधि से अब तक मदवार विभिन्न जनपदों को निम्नवत धनराशि आवंटित की जा चुकी है।

दिनांक 13.02.2020 धनराशि लाख रु. में

सूखा	बाढ़	चक्रवात	ओलावृष्टि	अग्निकाण्ड	शीतलहरी	राज्य द्वारा घोषित आपदा	एस.डी. आर.एफ. -10	एस.डी. आर.एफ. सामान्य	कुल
2099.07	7253.10	116.00	2407.80	3256.00	4209.00	8198.33	4793.14	1069.16	33401.60

- प्रदेश में बाढ़ विस्थापितों के पुर्नवास हेतु भूमि क्रय करके निःशुल्क आवंटित किये जाने की नीति दिनांक 31.07.2012 द्वारा निर्धारित की गयी है जिसके क्रम में वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 10.00 करोड़ के सापेक्ष जनपद सीतापुर व बहराइच को रु. 257.77 लाख बाढ़ विस्थापितों को बसाये जाने हेतु भूमि क्रय किये जाने के लिए स्वीकृत की गयी है।
- प्रदेश में बाढ़/सूखा से प्रभावित जनपदों (बहराइच, कुशीनगर, गाजीपुर, बलिया, वाराणसी, सोनभद्र, बस्ती, महराजगंज, आजमगढ़, गोण्डा, मुरादाबाद, गोरखपुर, चित्रकूट) में आपदा से बचाव के लिए 13 आपदा विशेषज्ञ एवं 07 आपदा सलाहकारद जनप बहराइच, चन्दौली, फतेहपुर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, चित्रकूट एवं श्रावस्ती में कार्य कर रहे हैं।
- आपदाओं से निपटने के लिए प्रदेश स्तर पर स्टेल इमेरजेंसी कन्ट्रोल रूम की स्थापना की गयी है जो 24X7 शास्त्री भवन,द्वितीय तलमें संचालित किया जा रहा है। कन्ट्रोल रूम आवश्यकतानुसार समस्त जनपदों एवं संबंधित विभाग जैसे सिंचाई, कृषि, मौसम विभाग, केन्द्रीय जल आयोग, राष्ट्रीय एवं राज्य आपदा मोचक बल, उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण आदि से समन्वय स्थापित कर आपदाओं से प्रभावितों को यथाशीघ्र राहत एवं बचाव उपलब्ध कराने का कार्य करता है।
- बाढ़ आपदा से निपटने के राहत आयुक्त की अध्यक्षता में बाढ़ अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है। यह समिति वर्ष 2019-20 में बाढ़ से पूर्व तथा बाढ़ के दौरान समस्त विभागों के साथ मिशन मोड में समन्वय बैठकोंको संचालित किया गया है।
- वर्ष 2019 में आयी बाढ़/अतिवृष्ट से 51 जनपद प्रभावित हुए थे। प्रदेश में बाढ़ के दृष्टिगत पी.ए.सी. के 41 प्लाटून को स्थापित किया गया। बाढ़ से प्रभावित जनपदों को भोजन, पीने का पानी एवं चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध करायी गयी। बाढ़ से प्रभावित परिवारों को राहत कैम्प

में स्थानान्तरित किया गया। कुल 193095 पैकेट बाढ़ से प्रभावित परिवारों में वितरित किया गया। बाढ़ से हुई क्षति के आंकलन के लिए केन्द्रीय दल भारत सरकार द्वारा प्रभावित जनपदों का स्थलीय निरीक्षण किया गया तथा क्षति के सापेक्ष रु. 367.00 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गयी।

- प्रदेश सरकार की नीति के अंतर्गत सूखे से प्रभावित जनपदों को राहत प्रदान करने हेतु सुविधा उपलब्ध करयी जाती है। जनपद झांसी, महोबा, ललितपुर, प्रयागराज को रु. 10-10 लाख प्रति जनपद एवं जनपद सोनभद्र को रु. 20.49 करोड़ की धनराशि आवंटित की गयी है।
- वर्ष 2019 में शीतलहर के दौरान गरीब, असहाय एवं निराश्रित परिवारों/लोगों के लिए कम्बल वितरण एवं अलाव जलाये जाने की व्यवस्था जिला प्रशासन के सहयोग से की गयी। दिनांक 13.02.2020तक प्रदेश के समस्त जनपदों को कम्बल क्रय किये जाने एवं अलाव जलाये जाने हेतु रु. 42.09 करोड़ की धनराशि आवंटित की जा चुकी है। उक्त के क्रम में समस्त जनपदों द्वारा कुल 10,31,045 कम्बल वितरित कर दिये गये, जो गत 04 वर्षों की तुलना में सबसे अधिक है। कुल 2702 स्थानों पर अलाव जलाये गये। शासन द्वारा ठंड से बचाव के संबंध में समस्त जिलाधिकारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश दिये गये हैं।
- आपदा प्रभावितों को त्वरित पहुंचाने की कार्यवाही करते हुए राहत आयुक्त कार्यालय की एक मोबइल एप को विकसित करने का निर्णय लिया गया है। इस एप की सहायता से किसी भी आपदा से प्रभावित व्यक्ति अपनी शिकायत खुद रजिस्टर करते हुए उसके शिकायत की स्थिति भी प्राप्त कर सकता है। इस एप की सहायता से शिकायतों पर शासन स्तर से निगरानी की जा सकेगी।
- प्रभावित को त्वरित राहत उपलब्ध कराने में आने वाली समस्याओं के दृष्टिगत समस्त जनपदों से प्राप्त सुझावों को सम्मिलित करते हुए एक विस्तृत गाइडलाइन तैयार की जा रही है जो त्वरित राहत में हो रही समस्याओं को दूर करेगी।

जिला गजेटियर विभाग, उत्तर प्रदेश के कार्यकलापों एवं योजनाओं की उपलब्धियों का अद्यावधिक विवरण

गजेटियर्स किसी भी स्थान का परिचयात्मक अभिलेख होते हैं, अतः ब्रिटिश शासनकाल में प्रदेश के सभी जिलों के जिला गजेटियर्स लिखे गये थे। देश की स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार द्वारा इस परम्परा को आग बढ़ाते हुये सभी प्रदेशों के गजेटियर्स को पुनरीक्षित करने की योजना प्रारम्भ की गयी। उत्तर प्रदेश में वर्ष 1957 में जिला गजेटियर विभाग की स्थापना के साथ इस योजना का कार्य प्रारम्भ किया गया तथा केन्द्र सरकार द्वारा पोषित इस योजना के अन्तर्गत विभाग द्वारा अब तक प्रदेश के तत्कालीन सभी 54 जिलों के जिला गजेटियर्स एवं 08 जनपदों के पूरक अंक (सप्लीमेन्ट्री वाल्यूम्स) अंग्रेजी भाषा में तैयार कर प्रकाशित कराये गये। जिला गजेटियर विभाग ने प्रदेश का प्रथम वृहद ''राज्य गजेटियर'' पाँच खण्डों में तैयार कर प्रकाशित कराया है।

प्रदेश के सभी जिलों के गजेटियर्स का पुनरीक्षण/लेखन हिन्दी भाषा में कराये जाने की योजना है। इस योजना के अन्तर्गत यह निर्णय लिया गया है कि सर्वप्रथम उन जिलों के गजेटियर्स प्रथमतः तैयार कराये जायें जो कि नवसृजित हैं तथा उन जिलों के गजेटियर्स को पुनरीक्षित किया जाये जिन जिलों से ये नवसृजित जिले सृजित हुये हैं। इस शृंखला में गाजियाबाद, मेरठ, ललितपुर, कानपुर देहात तथा फिरोजाबाद के गजेटियर लिखे तथा प्रकाशित कराये जा चुके हैं तथा बिक्री हेतु राजकीय मुद्रणालय में उपलब्ध हैं। झाँसी जिले के गजेटियर के प्रेस से प्राप्त डमी प्रति से इण्डेक्स का निर्माण कार्य पूर्ण कर मुद्रण हेतु प्रेस भेज दिया गया था, जो मुद्रणोपरान्त विभाग को प्राप्त हो चुका है। समस्त जिलों के गजेटियर को जनसामान्य की सुविधा हेतु विभागीय वेबसाइट (गजेटियर.यूपी.एनआईसी.इन) पर उपलब्ध था, किन्तु वेबसाइट की सिक्योरिटी आडिट न होने के कारण यह वेबसाइट अभी रुका हुआ है, जिसको शीघ्र ही चालू कराये जाने की कार्यवाही प्रचलित है।

वर्तमान समय में 25 जिलों (1–संतकबीर नगरं, 2–महराजगंज, 3–औरैय्या, 4–संतरविदास नगर, 5–अमेठी, 6–अम्बेडकर नगर, 7–मऊ, 8–कुशीनगर, 9–कन्नौज, 10–सोनभद्र, 11–चंदौली, 12–चित्रकूट, 13–हापुड़, 14–गौतमबुद्ध नगर, 15–कौशाम्बी, 16–महोबा, 17–शामली, 18–बागपत, 19–श्रावस्ती, 20–अमरोहा, 21–संभल, 22–हाथरस, 23–कासगंज, 24–सिद्धार्थ नगर, 25–बलरामपुर) के गजेटियर को हिन्दी में लेखन हेतु लक्ष्य निर्धारित कर प्रश्नावली प्रषित करते हुए सूचना की माँग की गयी है।

उपरोक्त जिलों से मांगी गयी सूचना में से जनपद-कन्नौज, महाराजगंज, महोबा, हाथरस, चंदौली, अमेठी, चित्रकूट, श्रावस्ती एवं सोनभ्रद कुल 09 जनपदों की सूचना विभाग को प्राप्त हो चुकी है, जिसके परीक्षण के उपरान्त श्रावस्ती एवं चंदौली जिलों के गजेटियर का लेखन कार्य किया जा रहा है। महोबा जनपद का दौरा संकलन अधिकारियों द्वारा किया जा चुका है तथा उपरोक्त 09 जनपदों के नोडल अधिकारियों की दिनांक 08.08.2019 एवं 27.11.2019 को बैठकें आयोजित की जा चुकी है।

आबकारी

भारतीय संविधान के अनुच्छेद-47 में निरूपित सिद्धान्त के अनुरूप प्रदेश के आबकारी प्रशासन की मौलिक नीति मादक वस्तुओं के अनौषधीय उपयोग के निषेध का उन्नयन, प्रवर्तन एवं प्रभावीकरण है। तद्नुसार मद्य निषेध की नीति को प्रमुखता देते हुए विभाग सुनिश्चित करता है कि उपयुक्त पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण द्वारा मादक वस्तुओं की वैधानिक बिक्री से अधिकतम राजस्व प्राप्त किया जाय।

प्रदेश के विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं हेतु राजस्व अर्जित करने वाले विभागों में आबकारी विभाग का प्रमुख स्थान है। वर्तमान में प्रदेश में व्यापार कर (वस्तु एवं सेवाकर) के बाद आबकारी की प्राप्तियाँ ही सर्वाधिक हैं। आबकारी विभाग पर होने वाला कुल व्यय इस विभाग द्वारा अर्जित सकल राजस्व का लगभग एक प्रतिशत है। इस प्रकार विभाग द्वारा अर्जित किये गये राजस्व का लगभग 99 प्रतिशत भाग राज्य की विकास योजनाओं के लिए प्रयुक्त किया जाता है।

आबकारी विभाग का उद्देश्य

उत्तर प्रदेश में नये उद्यमियों एवं व्यवसायियों को मदिरा व्यवसाय में प्रवेश के अवसर उपलब्ध कराने, उपभोक्ताओं को मानक गुणवत्ता की मदिरा उचित दाम पर उपलब्ध कराने व प्रदेश के राजस्व में समुचित वृद्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पूर्व प्रचलित व्यवस्था में यथावश्यक संशोधन कर वर्ष वर्ष 2019-20 के लिए आबकारी नीति घोषित की गयी है। इस नीति के अन्तर्गत राजस्व वृद्धि के मुख्य उद्देश्य के साथ-साथ निम्न आनुषंगिक बिन्दुओं को समाविष्ट किया गया है-

- कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहन तथा गन्ना उत्पादकों को उचित गन्ना मूल्य का भुगतान।
- चीनी एवं अल्कोहल उत्पादक इकाइयों का आधुनिकीकरण एवं नवीनतम तकनीक के प्रयोग से उत्पादकता में वृद्धि जिससे औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहन मिल सके।
- एथनाल के उत्पादन से भारत सरकार की विदेशी मुद्रा की बचत।
- मदिरा- उद्योग-व्यवसाय से हितबद्ध अनुज्ञापियों द्वारा किये गये पूँजी निवेश पर समुचित लाभार्जन एवं उपभोक्ता-सन्तुष्टि।
- प्रक्रियाओं का सरलीकरण।

गन्ने से शीरा उत्पादन

प्रदेश के कृषि उपज में गन्ने का एक बहुत बड़ा भाग है। इस गन्ने का पूर्णता से उपभोग राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए नितान्त आवश्यक है। गन्ने से चीनी के अतिरिक्त उप उत्पाद के रूप में शीरा

भी प्राप्त होता है, जिसका उपयोग अल्कोहल निर्माण होने के साथ-साथ आग्जेलिक एसिड, साइट्रिक एसिड, ईस्ट निर्माण, पशु एवं कुक्कुट आहार, कोयला टिकली उद्योग तथा कार्बन एवं ढलाई उद्योगों में किया जाता है। प्रदेश में स्थापित 158 चीनी मिलों में से कार्यरत चीनी मिलों की संख्या 121 हो गयी है। इन सभी चीनी मिलों में इस महत्त्वपूर्ण औद्योगिक उत्पाद शीरे को संरक्षित करने के लिए लगभग 309.61 लाख कु. संचय क्षमता उपलब्ध है।

शीरे का सुरक्षित भण्डारण एवं अधिकतम लाभकारी उपयोग

वर्तमान में प्रदेश में उत्पादित गन्ने की पेराई हेतु 158 चीनी मिलें हैं। जिनमें से शीरा सत्र 2019-20 में 121 चीनी मिलें कार्यरत हैं। चीनी मिलों से निकलने वाले शीरे की खपत के लिए शीरे पर आधारित आसवनियों व अन्य उद्योग पहले प्रदेश में उपयुक्त संख्या में स्थापित नहीं हुए थे। इसके परिणाम-स्वरूप चीनी मिलों को अपनी फैक्ट्री में उत्पादित किन्तु भारी मात्रा में अप्रयुक्त शीरे को फैक्ट्री परिसर से उठाकर बाहर फिंकवाने के लिए चीनी मिलों को अतिरिक्त धन व्यय करना पड़ता था। शीरे के निस्तारण की समस्या और इस निस्तारण से उत्पन्न प्रदूषण से बचने के लिए विज्ञान की प्रगति के साथ-साथ शीरे पर आधारित आसवनियाँ एवं अन्य उद्योग स्थापित हुये, जिससे अब वर्तमान में चीनी मिलों में उत्पादित सम्पूर्ण शीरे का सदुपयोग हो रहा है। अतः शीरे जैसे बहुउपयोगी कच्चे माल का सुरक्षित भण्डारण प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए अत्यन्त आवश्यक है। शीरा सत्र 2019-20 (1 नवम्बर 2019 से 30 नवम्बर 2019 तक) में 49.79 लाख कुन्तल शीरे का उत्पादन हुआ है।

प्रदेश में शीरे के उत्पादन के दो स्त्रोत हैं :–

1. वैक्यूम पैन पद्धति से चीनी बनाने वाली चीनी मिलों द्वारा।
2. खाण्डसारी इकाइयों द्वारा।

अभी तक प्रदेश में खाण्डसारी इकाइयों द्वारा उत्पादित शीरे पर आबकारी विभाग का सीधे कोई नियंत्रण नहीं है, परन्तु खाण्डसारी इकाइयों द्वारा शीरा निर्यात किये जाने हेतु शीरा नियंत्रक से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 एवं उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण नियमावली, 1974 के अन्तर्गत चीनी मिलों में उत्पादित शीरे पर राज्य सरकार नियंत्रण रखती है तथा प्रदेश के आबकारी आयुक्त, शीरा नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं। नियमानुसार चीनी के किसी कारखाने का अध्यासी कारखाने के भू-गृहादि के भीतर उतनी संख्या और आकार की संग्रहण टंकियाँ रखेगा जिससे कि एक बार में कारखाने के लिए तत्समय रजिस्ट्रीकृत पूर्ण पेराई क्षमता के अनुसार 140 कार्य दिवसों में पेरे जाने वाले सम्पूर्ण गन्ने के 4 प्रतिशत के हिसाब से संगणित शीरे के कुल उत्पादन का कम से कम 60 प्रतिशत या पिछले 04 वर्ष के सर्वाधिक कुल उत्पादन का 60 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, संग्रह कर सके। शीरा वर्ष 2019-20 में प्रदेश में कुल 121 चीनी मिलें कार्यरत हैं। प्रदेश में शीरा वर्ष 2018-19 में 39 चीनी मिलें बन्द तथा 119 चीनी मिलें कार्यरत रही हैं। विगत सत्र में रामपुर, कुठकुईयाँ, गौरी बाजार, आनन्द नगर, नवाबगंज, नन्दगंज, महोली, बरेली, बाराबंकी, छितौनी, मुन्डेरवा, हरदोई, मलियाना, घुघली, औराई, धुरियापार, खलीलाबाद, भटनी, बुढ़वल, देवरिया, बैतालपुर, पिपराइच, रामकोला-के, शाहगंज, छाता, दरियापुर, घाटमपुर, लक्ष्मीगंज, कमलापुर,

मझोला, सराया, रसड़ा, आनन्द एग्रोकेम, बस्ती, बघौली, अमरोहा, विडवी, शाकुम्भरी व पड़रौना चीनी मिलें बन्द थी।

ऑन लाइन शीरा संम्भरण की प्रक्रिया

ऑनलाइन शीरा सम्भरण हेतु आसवनी एवं औद्योगिक इकाईयों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाता है, जिसके परीक्षणोपरान्त शीरे के सम्भरण हेतु ऑनलाइन परमिट आदेश जारी कर दिया जाता है।

नई शीरा नीति वर्ष 2019-20 के मुख्य प्राविधान

- गत वर्ष के अवशेष आरक्षित शीरे को अग्रेनीत करते हुए इस वर्ष की आवश्यकता में समायोजित किया गया है। वर्तमान में आरक्षित शीरे की देयता 18 प्रतिशत निर्धारित की गयी है।
- आरक्षित तथा अनारक्षित शीरे की निकासी के मध्य अनुपात 1:4.56 रखा गया है जो माहवार निकासी पर लागू रहेगा।
- चीनों मिलों को पेराई सत्र के दौरान आरक्षित शीरे को संचित रखते हुए अनारक्षित शीरे के निस्तारण की सुविधा दी गयी है।
- शीरा सम्भरण को सुगम बनाने के लिये मांग पत्रों को ऑनलाइन व्यवस्था के अन्तर्गत निस्तारण की व्यवस्था की गयी है।
- देशी मदिरा निर्माण के लिए अन्य आसवनियों से देशी मदिरा उत्पादक आसवनियों को आपूर्ति की गयी ई.एन.ए. के समतुल्य मात्रा का आरक्षित शीरा देशी शराब निर्माता आसवनियों को आवंटित आरक्षित शीरे में से समायोजित करके ई.एन.ए. आपूर्तक आसवनी को किये जाने की व्यवस्था की गयी है।
- भारत सरकार द्वारा एथनॉल ब्लेण्डड पेट्रोल (ई.बी.पी.) प्रोग्राम के अर्न्तगत बी-हैवी शीरे से पावर अल्कोहल बनाने पर विशेष बल दिया जा रहा है अतः उत्तर प्रदेश राज्य में बी. हैवी शीरे से एथनाल का उत्पादन किये जाने का निर्णय लिया गया है।
- शीरा वर्ष 2019-20 में अन्य राज्यों /अन्य राष्ट्रों को शीरे के निर्यात/आयात करने की अनुमति शीरा नियंत्रक की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्रदान किये जाने की व्यवस्था है।
- शीरा आयात/निर्यात करने की अनुमति प्रदान की गयी है।
- शीरा वर्ष 2019-20 में चीनी मिलों में संचित बिलोग्रेड/जले शीरे के निस्तारण की व्यवस्था की गयी है।
- प्रदेश के अन्दर खपत के लिये शीरे पर प्रशासनिक शुल्क की दर रु. 11/- प्रति कुन्तल तथा प्रदेश के बाहर निर्यात के लिये रु. 15/-प्रति कुन्तल रखा गया है। देश के अन्य प्रान्तों से शीरा आयात के लिये प्रशासनिक शुल्क की दर रु. 11/- प्रति कुन्तल तथा अन्य राष्ट्रों से शीरा आयात/निर्यात पर रु.15/-प्रति कुन्तल निर्धारित की गयी है।
- समस्त आसवनियों में शीरे एवं इससे उत्पादित अल्कोहल के सभी चरणों की कार्यवाहियों को वेब

कैम व अन्य अत्याधुनिक तकनीकी के माध्यम से रिकॉर्ड रखे जाने की कार्यवाही किये जाने हेतु उन्मुख होने का प्रयास किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है, जिससे विभाग की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता का समावेश होगा तथा व्यापार करने की सुगमता को बढ़ावा मिलेगा।

अल्कोहल

आबकारी विभाग देशी/विदेशी मदिरा, बीयर और भांग से राजस्व अर्जित करने वाला विभाग समझा जाता है। वास्तव में प्रदेश में उत्पादित अल्कोहल का 60 से 76 प्रतिशत भाग औद्योगिक विकास हेतु प्रदेश के उद्योगों द्वारा जनोपयोगी महत्त्वपूर्ण पदार्थों के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है अथवा प्रदेश/देश के बाहर निर्यात किया जाता है। प्रदेश के बाहर अल्कोहल के निर्यात से राज्य को राजस्व प्राप्त होने के साथ-साथ कम अल्कोहल उत्पादन वाले राज्यों को राजस्व अर्जन में सहायता मिलती है। वहीं देश के बाहर अल्कोहल निर्यात से देश की प्रगति के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित कराने में प्रदेश को एक महत्त्वपूर्ण स्थान भी प्राप्त हुआ है।

वर्ष 2020-21 हेतु घोषित नयी आबकारी नीति के महत्वपूर्ण तथ्य

मदिरा के व्यवसाय में एकाधिकार समाप्त करने के उद्देश्य से एक अनुज्ञापी को सम्पूर्ण प्रदेश में दो से अधिक दुकानें आवंटित न किये जाने का निर्णय लिया गया है परन्तु नवीनीकृत दुकानों के संबंध में इस प्रतिबंध को प्रभावी नहीं किया गया है तथा आबकारी अनुज्ञापन हेतु आवेदक को हैसियत प्रमाण पत्र, अधिकृत आयकर वैल्यूअर द्वारा निर्गत धारित सम्पत्ति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं विगत वर्ष की आयकर विवरणी संलग्न करना पूर्व की भांति अनिवार्य किया गया है, जिससे छद्म नामों से अनुज्ञापन प्राप्त करने की दुष्प्रवृत्ति पर रोक लग सके तथा वास्तविक नाम से अनुज्ञापन प्राप्त किया जा सके। विभाग में ऑनलाइन व्यवस्था लागू होने एवं ढांचागत विकास में होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु तथा व्यवस्थापन की प्रक्रिया में गम्भीर एवं वास्तविक आवेदकों को ही सम्मिलित होने का अवसर दिये जाने तथा अवास्तविक एवं अक्षम व्यक्तियों को प्रक्रिया में भाग लेने से रोकने के लिये प्रोसेसिंग फीस में वृद्धि की गयी है। देशी शराब दुकानों की बेसिक लाइसेंस फीस की दर को समाप्त करते हुये गतवर्ष की बेसिक लाइसेंस फीस में 10 प्रतिशत वृद्धि की गयी है। विदेशी मदिरा दुकानों एवं माडल शाप की लाइसेंस फीस में 20 प्रतिशत की तथा बीयर की दुकानों की लाइसेंस फीस में 15 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है। वर्ष 2019-20 के देशी शराब के ऐसे अनुज्ञापियों के लिए अगले वर्ष (2020-21) हेतु नवीनीकरण की व्यवस्था लागू की गयी है, जिन्होंने वर्ष 2019-20 में 31 दिसम्बर, 2019 तक एम.जी.क्यू. के सापेक्ष 02 प्रतिशत से अधिक का उठान किया हो। इसी प्रकार विदेशी मदिरा, बीयर और माडल शाप के संबंध में दुकानों पर 31 दिसम्बर, 2019 तक प्रतिफल फीस में 20 प्रतिशत की वृद्धि प्राप्त करने वाले अनुज्ञापियों के लिये भी 2020-21 हेतु नवीनीकरण की सुविधा अनुमन्य की गयी है। उत्पादन से लेकर फटकर अनुज्ञापन स्तर तक मदिरा के आवागमन एवं अन्तरण पर सतर्क दृष्टि रखने तथा करापवंचन को रोकने के उद्देश्य से लेकर फुटकर अनुज्ञापन स्तर तक मदिरा के आवागमन एवं अन्तरण पर सतर्क दृष्टि रखने तथा करापवंचन को रोकने के उद्देश्य से ट्रैक एवं ट्रेस प्रणाली लागू की जा रही है। इस हेतु सेवा प्रदाता के चयन के क्रम में निविदा प्रक्रिया संपादित की जा रही है।

अल्कोहल, भांग व नारकोटिक पदार्थ औषधियों की निर्माणशालाएँ

औषधीय और प्रसाधन निर्मितियों के प्रयोजार्थ अविकृत स्प्रिट, भांग तथा अन्य उत्पाद शुल्क योग पदार्थों को कब्जा में रखने को विनियमित करने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश औषधीय और प्रसाधन निर्मितियों के प्रयोजनार्थ अविकृत स्प्रिट, भांग तथा अन्य उत्पाद शुल्क योग पदार्थों को कब्जा में रखने हेतु लाइसेंस नियमावली, 2019 प्रख्याति की गयी है, जिसके अन्तर्गत भांग तथा अल्कोहल का आवंटन एफ०एल०-49 अनुज्ञापन के अन्तर्गत औषधियों के निर्माण हेतु किया जाता है। उक्त के साथ ही एफ०एल०-49 अनुज्ञापन के अन्तर्गत स्वजनित अल्कोहल युक्त औषधियां भी उत्पादित की जाती है। इस प्रकार के कुल 52 अनुज्ञापन कार्यरत है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि नारकोटिक औषधियों के उत्पादन हेतु उत्तर प्रदेश स्वापक औषधि नियमावली, 1986 में संशोधन किया जा रहा है।

स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम-1985 की धारा-10 व 78 के प्रावधानानुसार राज्य सरकार द्वारा विज्ञापित उत्तर प्रदेश स्वापक औषधि नियमावली, 1986 के अन्तर्गत पापी हेड (पॉपीस्ट्रॉ) अर्थात पोस्ता डोडा का क्रय-विक्रय तात्कालिक प्रभाव से सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में निषिद्ध कर दिया गया है।

उपरोक्त नियमावली के अंतर्गत नारकोटिक ड्रग्स के निर्माण, कब्जे में रखने, क्रय-विक्रय करने तथा परिवहन आदि प्रयोजनों के लिये निम्नानुसार अनुज्ञापन प्रदान किये जाते हैंः-

1. नारकोटिक्स ड्रग्स के थोक व्यापार (विनिर्माता और व्यापारी) का अनुज्ञापन-एन.डी.एल.डी.
2. नारकोटिक्स ड्रग्स के परिवहन हेतु अनुज्ञापत्र-एन.डी.टी.
3. नारकोटिक्स ड्रग्स के रसायनज्ञ हेतु अनुज्ञापत्र-एन.डी.एल.सी.
4. चिकित्सा के आधार पर अफीम को मुख से सेवन करने/कब्जे में रखने एवं परिवहन करने के लिये अनुज्ञापत्र-एन.डी.ओ.-1

आबकारी विभाग, उत्तर प्रदेश की प्रयोगशालाएँ

उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग में कुल 4 प्रयोगशालाएँ कार्यरत हैं। वर्तमान में प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में गोरखपुर, मध्य क्षेत्र में लखनऊ तथा पश्चिमी क्षेत्र मेरठ में एक-एक क्षेत्रीय प्रयोगशालाएँ कार्यरत हैं। इन प्रयोगशालाओं में कार्यों के समन्वय, अनुश्रवण व नियंत्रण हेतु आबकारी मुख्यालय प्रयागराज में एक केन्द्रीय प्रयोगशाला कार्यरत है।

क्षेत्रीय आबकारी प्रयोगशालाओं में आसवनियों, यवासवनियों, चीनी मिलों, मदिरा के अनुज्ञापित दुकानों, अल्कोहल पर आधारित उद्योगों आदि से सम्बन्धित पदार्थों के नमूनों का परीक्षण करके उनकी गुणवत्ता पर समुचित नियंत्रण रखा जाता है। आसवनियों द्वारा उत्पादित शोधित सुरासव, देशी मदिरा, विदेशी मदिरा आदि का श्रेणीकरण एवं विस्तृत रासायनिक परीक्षण करके मानव उपभोग हेतु उपयुक्तता का प्रमाण-पत्र देने का कार्य प्रयोगशालाओं द्वारा सम्पादित किया जाता है। इन्हीं प्रयोगशालाओं में आबकारी मैनुअल खण्ड-1 के प्रस्तर 781 व 785 के प्राविधानों के अन्तर्गत आसवनियों में प्रयुक्त होने वाले विकारकों एवं विकृत सुरा का परीक्षण किया जाता है। देशी व विदेशी मदिरा में प्रयुक्त होने वाले कैरामल,

रंगों व सुगन्धों का परीक्षण उत्तर प्रदेश आबकारी मैनुअल खण्ड-1 के प्रस्तर 713 के प्राविधानानुसार किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रयोगशालाओं में विशुद्ध मद्यसार, मदिरा, शीरा, ताड़ी, एफ.एल.-41 इकाईयों के थिनर आदि के परीक्षण का कार्य भी किया जाता है।

मुख्यालय स्थित केन्द्रीय प्रयोगशाला में अल्कोहल, भांग व नारकोटिक्स पदार्थयुक्त औषधियों के नमूनों के परीक्षण का कार्य किया जाता है। वर्तमान में इन औषधियों के नमूनों में उपस्थित अल्कोहल की मात्रा का परीक्षण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के समस्त क्षेत्रीय अधिकारियों, आसवनियों, फार्मेसियों व अन्य औद्योगिक इकाइयों के जील व जर्मन मेक अल्कोहलोमीटर सेट तथा थर्मामीटर के मानकीकरण के साथ प्रदेश की आसवनियों के डेनाटोनियम बेन्जोएट/सैकराइड से विकृत विशेष विकृत सुरा/पावर अल्कोहल के नमूनों के परीक्षण का कार्य किया जा रहा है।

प्रवर्तन कार्य

आबकारी विभाग प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा राजस्व अर्जक विभाग है, जो मादक पदार्थों के वैध उपभोग एवं व्यापार से राजस्व अर्जन करते हुए अवैध उपभोग एवं अवैध व्यापार का शमन करता है। सम्प्रति प्रदेश में **14,314** देशी मदिरा की, 5,768 विदेशी मदिरा की, 5,038 बीयर की, 406 मॉडल शॉप्स एवं 2,664 भांग की अनुज्ञापित दुकानें हैं। जहाँ एक तरफ अनुज्ञापित दुकानों से मादक पदार्थों की बिक्री होती है, वहीं दूसरी तरफ असामाजिक तत्वों द्वारा भी अवैध मादक पदार्थों की बिक्री की जाती है, जिससे राजस्व एवं जनस्वास्थ्य की हानि के अतिरिक्त समय-समय पर अवैध शराब पीने से विषाक्त काण्ड द्वारा जन हानि भी हो सकती है। कतिपय अराजक तत्वों द्वारा जाने-अनजाने मिथाइल अल्कोहल विष का प्रयोग भी कर लिया जाता है जिससे जन हानि सम्भव है। अपराध शमन कार्य हेतु प्रत्येक जनपद की आवश्यकतानुसार अपराध निरोधक क्षेत्र में विभाजित किया गया है, जिसमें आबकारी निरीक्षक नियुक्त किये गये हैं। इनके पर्यवेक्षण हेतु प्रत्येक जनपद में जिला आबकारी अधिकारी, मण्डल में उप आबकारी आयुक्त व जोन स्तर पर संयुक्त आबकारी आयुक्त नियुक्त हैं। उक्त के अतिरिक्त केवल अपराध निरोधक कार्य हेतु ही प्रत्येक मण्डल में सहायक आबकारी आयुक्त के अधीन दो आबकारी निरीक्षक, दो हेड कान्स्टेबिल एवं दस कान्स्टेबिल को सम्मिलित कर एक प्रवर्तन इकाई का गठन किया गया है। सम्पूर्ण प्रदेश को पाँच जोन में विभक्त कर इनमें नियुक्त संयुक्त आबकारी आयुक्त द्वारा भी पर्यवेक्षण कार्य हेतु अपना योगदान दिया जाता है। इसके अतिरिक्त मुख्यालय स्तर पर आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के अधीन आबकारी अभिसूचना ब्यूरो स्थापित है। अभिसूचना ब्यूरो का नियंत्रण संयुक्त आबकारी आयुक्त, ई०आई०बी० के अधीन है, जिनके सहायतार्थ पांच उप आबकारी आयुक्त एक सहायक आबकारी आयुक्त, छः आबकारी निरीक्षक एवं बारह आबकारी सिपाही रहते हैं। आबकारी अभिसूचना ब्यूरो (ई०आई०बी०) के अन्तर्गत आने वाली मण्डल स्तर पर स्थापित प्रवर्तन ईकाईयां एवं आबकारी अभिसूचना ब्यूरो आबकारी अपराधों एवं तस्करों की स्वयं पकड़-धकड़ करने के अतिरिक्त इस सम्बन्ध ा में सूचनायें एकत्र कर विभिन्न जनपदों एवं देश के विभिन्न राज्यों के बीच आबकारी अपराधों से सम्बंधित सूचनाओं का आदान-प्रदान भी करता है तथा भारत सरकार के नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरों के सम्पर्क में रहता है। साथ ही देशी शराब तथा विदेशी मदिरा की दुकानों के उपभोग तथा उससे

प्राप्त होने वाले राजस्व पर सतत् निगरानी रखता है। वर्तमान में आबकारी अपराधों के नियंत्रण हेतु 47 सचल दल कार्यरत है। इसके अतिरिक्त ई०आई०बी० अनुभाग विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध प्राप्त होने वाली शिकायतों की जांच कार्यवाही सम्पादित करता है। आबकारी राजस्व की सुरक्षा एवं विभाग की कार्य कुशलता बढ़ाने में भी आबकारी अभिसूचना ब्यूरो का महत्वपूर्ण योगदान है।

आबकारी नीति 2019-20 में प्रवर्तन अनुभाग से सम्बन्धित विवरण निम्नानुसार उल्लिखित थे :-

1- आबकारी अपराधों से सम्बन्धित छोटे मुकदमों के त्वरित निस्तारण एवं न्यायालयों में संख्या कम करने के दृष्टिकोण से संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम की धारा-74(1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग हेतु आबकारी निरीक्षक से न्यून स्तर के अधिकारियों को सशक्त किये जाने तथा अन्तर्ग्रस्त मादक पदार्थों (नारकोटिक पदार्थों को छोड़कर) की अधिकतम सीमा, मदिरा के लिये 20 ली० व भांग के लिये 5 किलोग्राम निर्धारित किये जाने एवं इस संबंध में शमन फीस अवैध शराब के मामलों में रु. 250 प्रति ली० तथा भांग के प्रकरणों में रु. 200 प्रति किलोग्राम से कम नहीं होगी, का प्राविधान नई आबकारी नीति वर्ष 2018-19 में किया गया है।

2- संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम की धारा-74 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रयोजन हेतु सशक्त अधिकारियों को उक्त अधिनियम की धारा-34(1) की उपधारा- (क) व (ख) के अन्तर्गत लाइसेंस, परमिट अथवा पास के निरस्तीकरण अथवा निलम्बन के बदले क्षतिपूर्ति स्वीकार करने अथवा धारा- 64 व धारा- 68 के अन्तर्ग्रस्त अभियोगों को प्रशमित करने का अधिकार प्राप्त है। इस प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आबकारी विभाग के सहायक आबकारी आयुक्त स्तर तक के अधिकारियों को सशक्त किया गया है, परन्तु ऐसे अधिकार प्राप्त अधिकारियों में संयुक्त आबकारी आयुक्त सम्मिलित नहीं है। नई आबकारी नीति 2018-19 में शासकीय कार्यहित में संयुक्त आबकारी आयुक्त स्तर के अधिकारियों को भी इस धारा के अन्तर्गत सशक्त किया गया है।

विषाक्त शराब से होने वाली मौतों की रोकथाम के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही

मिथाइल अल्कोहल एक अत्यन्त विषैला रसायन है जो प्रदेश में गाजियाबाद की दो एवं बाराबंकी, कानपुर, इलाहाबाद तथा बुलन्दशहर जनपदों में स्थित एक-एक औद्योगिक इकाइयों से सह उत्पादन के रूप में निकलता है। मिथाइल अल्कोहल का रंग, गन्ध, बनावट आदि पेय मदिरा में प्रयुक्त होने वाले इथाइल अल्कोहल (रेक्टीफाइड स्प्रिट) से मिलता जुलता है जिसके कारण भ्रम की स्थिति में कभी-कभी इसका उपयोग अवैध अड्डों पर बिकने वाली अवैध मदिरा के रूप में भी किया जाता है।

गृह विभाग 31 जुलाई 1989 तथा उत्तर प्रदेश प्वाइजन्स (रेगुलेशन आफ पजेशन एण्ड सेल) (संशोधन) नियमावली, 1994 के अन्तर्गत मिथाइल अल्कोहल को विष की सूची में सम्मिलित कर लिया गया है। तदनुसार विष नियमावली, 1921 के अन्तर्गत बिना लाइसेंस प्राप्त किये मिथाइल अल्कोहल का संचय, विक्रय, परिवहन आदि नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार

मजिस्ट्रेट, निरीक्षक के ऊपर के पुलिस अधिकारी, तहसीलदार या मुख्य चिकित्साधिकारी इसके दुरुपयोग रोकने के लिए कार्यवाही हेतु सक्षम हैं। आबकारी विभाग के अधिकारियों को उक्त नियमावली के अन्तर्गत अधिकार देने हेतु प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया था जिसके परिप्रेक्ष्य में नियमावली को संशोधित कर आबकारी विभाग के आबकारी निरीक्षक स्तर तथा उससे ऊपर के अधिकारियों को भी नियमावली उल्लिखित अन्य अधिकारियों के समान अधिकृत किया गया है।

मिथाइल अल्कोहल को रंजित किए जाने हेतु कर्मक के रूप में 0.0002% क्रिस्टल वायलेट तथा तीक्ष्ण गंधकारक पदार्थ के रूप में 0.2% क्रोटनैल्डिहाइड मिलाये जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त क्लोरल हाइड्रेट नामक विषैले एवं नशीले पदार्थ का अपमिश्रण ताड़ी एवं मदिरा में करने के कारण तैयार जहरीली शराब के सेवन से हुई मृत्यु का प्रकरण भी प्रकाश में आया है। क्लोरल हाइड्रेट का परीक्षण फील्ड स्तर पर करने हेतु आबकारी विभाग के अधिकारियों/आबकारी निरीक्षकों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया है। अधिकारियों को क्लोरल हाइड्रेट परीक्षण हेतु किट भी उपलब्ध कराई गयी है। जिससे उसका परीक्षण मौके पर ही शीघ्रता से किया जा सके।

उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग में ई-गवर्नेन्स की प्रगति

उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में पेय मदिरा उत्पादन एवं आपूर्ति की प्रक्रिया पर नियंत्रण रखे जाने तथा राजस्व क्षति को रोकने के उद्देश्य से ट्रैस प्रणाली लागू की गयी है। इस व्यवस्था के अंतर्गत विभागीय पोर्टल पर, उत्पादित पेय मदिरा, पारेषित पेय मदिरा, आपूर्तिकर्ता, प्राप्तकर्ता, सन्निहित राजस्व आदि की समस्त सूचनायें, प्रतिक्षण उपलब्ध होकर अद्यतन हो रही हैं। मदिरा की बोतलों पर क्यू.आर. कोड स्टिकर्स का प्रयोग किया जा रहा है जिनमें बोतल के उत्पादन से संबंधित समस्त सूचना यथा ब्राण्ड, उत्पादक, धारिता, अधिकतम फुटकर मूल्य आदि उपलब्ध रहती है। कोई भी नागरिक मोबाइल ऐप के प्रयोग से क्यू.आर. कोड लगी मदिरा की बोतल के संबंध में उपरोक्त विवरण ज्ञात कर सकता है। वर्तमान में समस्त उत्पादक इकाइयों एवं आपूर्तक इकाइयों द्वारा मदिरा की पेटियों पर लगे बार-कोड को स्कैन करके ही इसकी कम्प्यूटर से ऑन-लाइन जेनरटेड पासों के माध्यम से निकासी दी जा रही है।

आबकारी विभाग के सम्पूर्ण कार्यप्रणाली को पी.ओ.एस. मशीन सहित ऑन-लाइन किए जाने एवं एण्ड टू एण्ड सोल्युशन उपलब्ध कराने के दृष्टिगत Integrated Excise Supply Chain Management System (IESCMS) हेतु सेवा प्रदाता के चयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उक्त प्रस्तावित प्रणाली में शीरा के उत्पादन/संचय/वितरण से लेकर अल्कोहल का उत्पादन/संचय/वितरण, बाटलिंग, एवं उपभाग के विभिन्न चरणों हेतु आवश्यक पी.ओ.एस. (PoS) मशीन्स, हैण्डहेल्ड स्कैनर्स, सी.सी.टी.वी. डिजीलाक्स, जी.पी.एस. आदि विभिन्न प्रकार के हार्डवेयर की आपूर्ति, स्थापना एवं संचालन/अनुरक्षण आदि का समावेश किया जायेगा।

विधिक कार्य

आबकरी विभाग, उत्तर प्रदेश से संबंधित माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/खण्डपीठ लखनऊ, मा० राज्य लोक सेवा अधिकरण, लखनऊ व अन्य

अदालतों में दायर सिविल अपीलों/विशेष अनुज्ञा याचिकाओं/रिट याचिकाओं/अपीलों/निदेश याचिकाओं/वादों एवं अन्य मामलों में प्रतिशपथ पत्र/पूरक शपथ पत्र/लिखित विवेचन तथा आपत्ति प्रस्तुत करने के साथ-साथ प्रभावी प्रतिवाद एवं सक्रिय पैरवी की जाती है। विभाग के विरूद्ध तथा विभाग द्वारा विभिन्न न्यायालयों में दायर वादों की पैरवी, प्रतिवाद आदेश/अपील दायर करने की अनुमति/प्राप्त करने एवं अन्य न्यायालीय कार्यों के सम्पादन हेतु कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज स्थित विधि प्रकोष्ठ में किया जाता है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में पैरवी हेतु एक उप आबकारी आयुक्त (विधि), गाजियाबाद की तैनाती की गई है, जिसका मुख्यालय गाजियाबाद है। विभाग के विरूद्ध वादों/पैरवी व अन्य विधिक कार्य एडवोकेट आन रिकार्ड करते हैं।

माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ व माननीय राज्य लोक सेवा अधिकरण लखनऊ में लम्बित वादों की पैरवी के लिये एक सहायक आबकारी आयुक्त (विधि), दो आबकारी निरीक्षक व तीन अन्य स्टाफ की नियुक्ति की गई है। विभाग के विरूद्ध दायर वादों में बहस/पैरवी अन्य विधिक कार्य क्रमशः मुख्य स्थायी अधिवक्ता व प्रस्तुतकर्ता अधिकारी करते हैं।

संस्थागत वित्त

दिसम्बर, 1968 में राष्ट्रपति शासन काल के दौरान तत्कालीन श्री राज्यपाल द्वारा यह महसूस किया गया कि व्यावसायिक बैंकों एवं अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रदेश में पर्याप्त विनियोजन न किये जाने के परिप्रेक्ष्य में एक ऐसा संगठन स्थापित किया जाये जो इन वित्तीय संस्थाओं एवं व्यावसायिक बैंकों के माध्यम से विभिन्न प्रशासनिक विभागों/सार्वजनिक एवं सहकारी क्षेत्रीय संस्थाओं की परियोजनाओं और विकास कार्यक्रमों के लिए धनराशि जुटाने हेतु समन्वय का कार्य कर सके। तद्नुसार प्रारम्भिक चरण में फरवरी, 1969 में वित्त विभाग में एक ''संस्थागत वित्त प्रकोष्ठ'' का गठन किया गया तथा कार्य की बढ़ोत्तरी के साथ इसे वर्ष 1972 में पूर्णकालिक एवं स्वतंत्र विभाग के रूप में परिवर्तित कर दिया गया जिसके अधीन यह निदेशालय कार्य कर रहा है।

राज्य के विभिन्न निर्बल वर्गों के कल्याणार्थ प्रतिपादित तथा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न सामाजिक सुरक्षा समूह बीमा योजनाओं के राज्य स्तर पर सुचारु रूप से समन्वयन तथा उनकी प्रगति का समुचित अनुश्रवण कराये जाने का निर्णय लिये जाने के फलस्वरूप जनवरी, 1990 में राज्य सरकार के शासनादेश के माध्यम से संस्थागत वित्त निदेशालय, उ.प्र. का नाम बदल कर संस्थागत वित्त एवं सर्वहित बीमा निदेशालय, उ.प्र. कर दिया गया। फील्ड स्तर पर इस निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय क्रमशः वाराणसी, मेरठ, कानपुर, प्रयागराज, आगरा एवं गोरखपुर में स्थापित हैं। पुनः वर्ष 2015 में वाह्य सहायतित परियोजना विभाग एवं सामाजिक सुरक्षा समूह बीमा योजनाओं से संबंधित कार्यों का समावेश करते हुए निदेशालय का नाम संस्थागत वित्त बीमा एवं वाह्य सहायतित परियोजना महानिदेशालय उत्तर प्रदेश कर दिया गया है।

प्रमुख उत्तरदायित्व एवं कार्य योजना

- वित्तीय समावेशन/बैंक शाखा प्रसार की प्रगति का नियमित अनुश्रवण करना।
- केन्द्रीय वित्तीय संस्थाओं/व्यावसायिक बैंकों एवं प्रशासकीय विभागों तथा सार्वजनिक/सरकारी संस्थाओं के मध्य समन्वय का कार्य करना। विभिन्न कल्याणकारी एवं रोजगारपरक योजनाओं के क्रियान्वयन में बैंकों/वित्तीय संस्थाओं में वित्त पोषण से सम्बन्धित मामलों में कार्यदायी/प्रशासकीय विभागों को सहायता देना।
- कमजोर वर्ग के लोगों के लिए रोजगार सृजन के संसाधन जुटाये जाने के परिप्रेक्ष्य में बैंक क्रेडिट से सम्बन्धित योजनाओं को उत्तर प्रदेश लोकधन (देयों की वसूली) अधिनियम के अन्तर्गत उन्हें राज्य पुरोनिधानित घोषित करना।

- सेवा क्षेत्र अवधारणा के अन्तर्गत जनपद के आर्थिक विकास के लिए अग्रणी बैंकों के माध्यम से वार्षिक ऋण योजनायें तैयार कराना एवं उसके अन्तर्गत वित्त पोषण का सतत् अनुश्रवण करना ताकि सुनियोजित ढंग से प्रदेश का आर्थिक विकास हो सके एवं विभिन्न कार्यक्रमों एवं रोजगारपरक योजनाओं के अन्तर्गत बजटीय भार कम हो सके।
- अग्रणी बैंक योजना के अन्तर्गत गठित विभिन्न जनपद एवं राज्य स्तरीय समितियों की बैठकों में प्रतिभाग करना।
- त्रैमासिक अन्तराल पर होने वाली राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठकों का समन्वय करना तथा उनमें प्रतिभाग करना।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से संबंधित सभी गतिविधियों का प्रदेशीय स्तर पर समन्वय करना तथा उनके द्वारा की गयी प्रगति का अनुश्रवण करना।
- बैंकों के ऋण जमानुपात का अनुश्रवण करना एवं बैंकों से सम्बन्धित प्राप्त लोक शिकायतों का निस्तारण कराना।
- वसूली प्रमाण पत्रों के सापेक्ष बैंक के बकायों की वसूली में सहायता प्रदान करना। दैवीय आपदाओं की दशा में बैंक ऋणों की रिशिड्यूलिंग कराने में बैंकों से समन्वय करना।
- भारतीय रिजर्व बैंक/नाबार्ड/भारत सरकार से संस्थागत वित्त संबंधी नीति विषयक मामलों को उठाया जाना एवं उनका समाधान खोजना।
- नाबार्ड की माइक्रोफायनेसिंग योजनाओं के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूहों/कृषक क्लब आदि के गठन में आवश्यक सहायता प्रदान करना ताकि प्रदेश में अधिकाधिक संस्थागत वित्त सुलभ हो सके।
- विभिन्न निगमों/सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा वित्तीय संस्थाओं एवं बैंकों से लिए गये ऋण के अतिदेय को एकमुश्त समाधान के माध्यम से निस्तारित कराये जाने में समन्वय की भूमिका अदा करना।
- सामाजिक सुरक्षा समूह बीमा योजनाओं का अनुश्रवण एवं अनुसरण कर उनमें गतिशीलता लाना एवं इन्हें और अधिक जनोन्मुखी, व्यापक, सरल एवं व्यवहारिक बनाने हेतु समय-समय पर सम्बन्धित बीमा कम्पनियों/कार्यदायी विभागों को सुझाव देना।

विभाग द्वारा अनुश्रवण किये जाने वाले कार्यक्रम

1. प्रदेश में बैंकिंग नेटवर्क

प्रत्येक नागरिक को सुगम बैंकिंग सेवायं प्रदान करने के उद्देश्य से संस्थागत वित्त विभाग के प्रभावी अनुश्रवण के फलस्वरूप मार्च, 2020 तक प्रदेश में कुल 18937 बैंक शाखाओं एवं 63179 बैंक मित्रों तथा इण्डियन पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक लि. की 73 शाखाओं एवं 17664 एक्सेस प्वाइन्ट्स के माध्यम से प्रदेश के समस्त नागरिकों को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही है।

उत्तर प्रदेश में जून, 2020 तक कुल कार्यरत बैंक शाखाओं का विवरण निम्नवत् है :

क्र.स.	बैंक का प्रकार	बैंक शाखाओं की संख्या
1	सार्वजनिक बैंक	10886
2	निजी बैंक	2014
3	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	4287
4	सहकारी बैंक	1583
5	स्मॉल फाइनेन्स बैंक (उत्कर्ष)	167
	कुल	**18937**

2. वार्षिक ऋण योजना

प्रदेश के एक समान विकास की अवधारणा से विभिन्न रोजगारपरक योजनाओं जैसे- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, पं. दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना तथा कृषि, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, निर्यात ऋण, शिक्षा, गृह, ऊर्जा आदि क्षेत्रों के अंतर्गत बैंकों के माध्यम से ऋण वितरण कराये जाने हेतु प्रत्येक जनपद के लिए प्रति वर्ष वार्षिक ऋण योजना तैयार की जाती हैं। संस्थागत वित्त विभाग के गहन अनुश्रवण/अनुसरण के फलस्वरूप वर्ष 2019-20 के दौरान वार्षिक ऋण योजनान्तर्गत मार्च 2020 तक रु. 200855.60 करोड़ का ऋण बैंकों द्वारा वितरित किया गया, जो गत वर्ष 2018-19 की समान अवधि के अन्तर्गत वितरित ऋण रु. 174110.34 करोड़ से रु. 26745.26 करोड़ अधिक है।

3. ऋण जमानुपात

प्रदेश में समस्त अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) के 31 मार्च, 2020 को कुल जमा धनराशि रु. 1119578.80 करोड़ के सापेक्ष रु. 571446.53 करोड़ के अग्रिम बकाया थे। इस प्रकार प्रदेश में समस्त अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) का 31 मार्च, 2020 के अन्त तक ऋणजमानुपात 51.04 प्रतिशत था।

4. प्रदेश में वित्तीय सेवाओं से सम्बन्धित योजनाओं की प्रगति

(क) प्रधानमंत्री जन-धन योजना- प्रदेश के समस्त जनपदों में प्रत्येक परिवार को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा चलाये जा रहे वित्तीय समावेशन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के सभी 75 जनपदों में मार्च, 2020 तक लगभग 6.13 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं, जिसमें सक्रिय 5.73 करोड़ खातों के सापेक्ष 4.86 करोड़ खातों को रूपे डेबिट कार्य जारी किये जा चुके हैं। इनमें से 4.70 करोड़ खातों को आधार से जोड़ा जा चुका है। योजनान्तर्गत प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है।

(ख) प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पी.एम.एस.बी.वाई.) के अंतर्गत बैंक खाता धारकों, जिनकी आयु 18 से 70 वर्ष के मध्य है, को वार्षिक प्रीमियम रु. 12 में रु. 2.00 लाख के दुर्घटना बीमा का कवरेज उपलब्ध होगा, जो विकलांगता की स्थिति में भी उपलब्ध होगा। योजनान्तर्गत 31 मार्च, 2020 तक 2.54 करोड़ व्यक्तियों को पंजीकृत किया जा चुका है। योजनान्तर्गत उ.प्र. का देश में प्रथम स्थान है।

(ग) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पी.एम.जे.जे.बी.वाई.) के अंतर्गत बैंक के खाता धारकों जिनकी आयु 18 से 50 वर्ष के मध्य है, को रु. 2.00 लाख का जीवन बीमा वार्षिक प्रीमियम रु. 330/- पर उपलब्ध होगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 31 मार्च, 2020 तक 65.01 लाख व्यक्ति पंजीकृत किये जा चुके हैं। योजनान्तर्गत उ.प्र. का देश में द्वितीय स्थान है।

(घ) अटल पेंशन योजना (ए.पी.वाई.) वृद्धावस्था में आय का स्रोत प्रदान करने के उद्देश्य से 18 से 40 वर्ष के मध्य आयु वर्ग के व्यक्तियों हेतु यह योजना लागू की गयी है, ताकि न्यूनतम 20 वर्ष तक अंशदान का भुगतान करने पर 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात् से उन्हें मासिक पेंशन का लाभ मिल सके। योजना के प्रारम्भ से 31 मार्च, 2020 तक 32.42 लाख व्यक्तियों को पंजीकृत किया जा चुका है। वर्ष 2019-20 में नामांकन करने में योजनान्तर्गत प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभिन्न बैंक वित्त पोषित शासकीय योजनाओं सहित प्राथमिकता क्षेत्र (कृषि, उद्योग, सेवा आदि) के वित्त पोषण हेतु प्रदेश में बैंकों द्वारा 246751.02 करोड़ का ऋण वितरण वार्षिक, ऋण योजना के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है।

विगत पांच वर्षों में संस्थागत वित्त, बीमा एवं वाह्य सहायतित परियोजना महानिदेशालय एवं उसके क्षेत्रीय कार्यालयों को वर्षवार आवंटित बजट एवं उसके सापेक्ष हुए व्यय का विवरण

वित्तीय वर्ष	आवंटित बजट की धनराशि	वास्तविक व्यय की धनराशि
2015-16	426842000.00	410926000.00
2016-17	9642720000.00	7173493000.00
2017-18	7018287000.00	6824158000.00
2018-19	7180933000.00	6823980000.00
2019-20	84591000.00	65858000.00
योग	**24353373000.00**	**21298415000.00**

वाणिज्य कर

वाणिज्य कर प्रदेश के कर राजस्व का महत्त्वपूर्ण विभाग है। दिनांक 01.07.2017 से वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर एक समेकित कर के रूप में **माल एवं सेवा कर (जी0एस0टी0)** लागू हुआ तदुपरान्त जी0एस0टी0 से आच्छादित वस्तुओं एवं सेवाओं पर जी0एस0टी0 राजस्व जमा हो रहा है। जून, 2017 तक देय वैट, सी0एस0टी0 व प्रवेश कर अधिनियम के अन्तर्गत राजस्व जमा हुआ है। पेट्रोल, डीजल, क्रूड आयल, वायुयान ईंधन, नेचुरल गैस, मानवीय उपयोग हेतु शराब जी0एस0टी0 से आच्छादित नहीं है, इसलिए उक्त वस्तुएं नॉन जी0एस0टी0 के अन्तर्गत हैं और इन पर पूर्व की भाँति वैट राजस्व जमा हो रहा है।

वर्ष 2019-20 में जी0एस0टी0 एवं वैट का समेकित राजस्व रु. 72931.36 करोड़ संग्रहीत हुआ है। वर्ष 2020-21 का वार्षिक लक्ष्य रु. 91568 करोड़ है। वर्ष 2020-21 में दिसम्बर, 20 तक 58.7 प्रति0 की पूर्ति करते हुये रु. 53769 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है जो गत वर्ष से रु. 162 करोड़ अधिक है।

वाणिज्य कर विभाग में कर व्यवस्था के विकास के विभिन्न सोपान

विभाग के स्थापना के समय से अनेक ऐसे निर्णय लिये गये हैं जिनका विभाग के वर्तमान स्वरूप में महत्वपूर्ण योगदान है, ऐसे कुछ निर्णयों का उल्लेख निम्न प्रकार हैः-

- दिनांक 01-07-2017 से जी0एस0टी0 अधिनियम लागू किया गया।
- दिनांक 01-04-2018 से इण्टरस्टेट परिवहन के लिये नेशनल ई-वे बिल लागू किया गया।
- दिनांक 15-04-2018 से इण्ट्रास्टेट परिवहन के लिये ई-वे बिल लागू किया गया।
- दिनांक 01-04-2019 से जी0एस0टी0 के अन्तर्गत पंजीयन की सीमा रु. 20 लाख से बढ़ाकर रु. 40 लाख तथा समाधान के व्यापारियों की सीमा रु. 1 करोड़ से बढ़ाकर रु. 1.50 करोड़ कर दिया गया।
- दिनांक 01-04-2019 से सेवाक्षेत्र के रु. 50 लाख टर्नओवर तक के व्यापारियों के लिए समाधान योजना 5 प्रति0 की समाधान योजना लायी गयी।
- **शासनादेश दिनांक 28.12.2018 द्वारा उ0प्र0 व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन।**

मिशनः-

''भ्रमरा इव पादपम्''

उद्देश्यः-

- जी0एस0टी0 अधिनियम द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में माल एवं सेवा की आपूर्ति पर देय कर को जमा कराना।

- नॉन-जी0एस0टी0 गुड्स पर वैट अधिनियम के अन्तर्गत देय कर को जमा कराना।
- राज्य के उद्योगों को प्रोत्साहन देना।
- व्यापारियों के हितों की रक्षा करना।

संगठनः-

वाणिज्य कर विभाग का संगठन मुख्यतः तीन भागों में विभक्त है। प्रथम प्रशासनिक/कर निर्धारण कार्य, द्वितीय न्यायिक कार्य तथा तृतीय प्रवर्तन कार्यों से सम्बन्धित है।

प्रशासनिकः-

उ0प्र0 शासन के राज्य कर (पूर्व कर एवं निबन्धन) विभाग के अन्तर्गत वाणिज्य कर विभाग है। वर्ष 2019-20 एवं वर्तमान में श्री आलोक सिन्हा राज्य के अपर मुख्य सचिव हैं। कमिश्नर व वाणिज्य कर के विभागाध्यक्ष हैं। उनके सामान्य प्रशासनिक नियंत्रण में विभाग का कार्य सम्पन्न होता है। वर्ष 2019-20 एवं वर्तमान में श्रीमती अमृता सोनी, कमिश्नर के पद पर कार्यरत हैं।

क्षेत्र

विभागीय कार्यों के सुगमता से संचालन हेतु प्रदेश की भौगोलिक सीमा में वाणिज्य कर विभाग 20 जोन, 45 संभाग तथा 436 खण्ड कार्यालयों में विभाजित हैं। विभागीय कार्यालय 93 स्थलों पर स्थापित हैं, जिन्हें वाणिज्य कर मण्डल कार्यालय कहा जाता है। बड़े करदाताओं की सुविधा हेतु 21 कारपोरेट सर्किल सभी जोन में एवं एक ऑयल कारपोरेट सर्किल मुख्यालय पर स्थापित है।

वाणिज्य कर राजस्व संग्रह

विगत वर्षों में वाणिज्य कर राजस्व संग्रह निम्न प्रकार रहा हैः-

(करोड़ रु. में)

वर्ष	राजस्व (संग्रह)	गत वर्ष से वृद्धि की धनराशि
2011-12	32996.83	-
2012-13	34869.54	1872.71
2013-14	39624.06	4754.52
2014-15	42931.54	3307.48
2015-16	47690.96	4759.42
2016-17	51819.91	4128.95
2017-18	58738.12	6918.21
2018-19	70060.32	11322.20
2019-20	72931.36	2871.04

प्रवर्तन कार्य

- करापवंचन के प्रभावी नियंत्रण के लिए प्रदेश के सभी 20 जोन में जोनल स्तर पर एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि.अनु.शा./प्रवर्तन) के कार्यालय स्थापित हैं। इनके अधीन सम्भागीय स्तर पर

ज्वाइंट कमिश्नर (वि.अनु.शा.) के कार्यालय हैं। इन सभी कार्यालयों से अपने-अपने अधिक्षेत्र के सचल दल तथा वि.अनु.शा. इकाइयों के कार्य नियंत्रित व सम्पादित होते हैं। प्रदेश में 148 सचल दल इकाइयाँ सभी जोनल कार्यालयों में तथा 02 वाणिज्य कर मुख्यालय पर कुल 150 सचल दल इकाइयाँ एवं 45 विशेष अनुसंधान शाखा की प्रवर्तन इकाइयाँ कार्यरत हैं।

- विभाग की प्रदेश में स्थापित 150 सचलदल इकाइयों द्वारा वर्ष 2019-20 में वाहनों की जाँच में पाये गये 27710 दोषी वाहनों से रु. 245 करोड़ की जमानत/अर्थदण्ड जमा करायी गयी है।
- विभाग की 45 विशेष अनुसंधान शाखा इकाइयों द्वारा व्यापार स्थल की जाँच करके वर्ष 2019-20 में रु. 1098.73 करोड़ का अपवंचित कर प्रकाशन में लाया गया तथा जी0एस0टी0 व्यवस्था के अन्तर्गत सीजर के समय ही उपलब्ध करापवंचित स्टाक पर देय राजस्व रु. 77.31 करोड़ जमा कराया गया।

पंजीकृत व्यापारियों के लिये मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना-

- इस योजना के अंतर्गत विभाग में पंजीकृत सभी व्यापारी स्वतः बीमित माने जाते हैं। इससे सम्बन्धित प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।
- इस योजना के अन्तर्गत पंजीकृत व्यापारी की हत्या व दुर्घटना में मृत्यु/आंशिक व पूर्ण विकलांग हो जाने की स्थिति में पंजीकृत व्यापारी के नामिनी/उत्तराधिकारी/स्वयं व्यापारी को बीमित धनराशि का भुगतान किया जाता है।
- वर्ष 2017-18 में उक्त योजना हेतु दिनांक 15.06.2017 से दिनांक 14.06.2018 तक अर्थात एक वर्ष हेतु दि ओरिएन्टल इंश्योरेन्स कंपनी लि. लखनऊ का चयन किया गया है। इस अवधि में पात्र 115 व्यापारी के परिजन को इस बीमा कंपनी द्वारा भुगतान किया जा चुका है।
- बीमित धनराशि दिनांक 27.10.2017 से रु. 5 लाख से बढ़ाकर रु. 10 लाख किया गया है।
- दिनांक 27.10.2017 से 14.06.2018 तक प्राप्त दावों में रु. 5 लाख का भुगतान बीमा कम्पनी द्वारा तथा रु. 5 लाख का भुगतान शासन की स्वीकृति के उपरान्त विभाग द्वारा किया जा रहा है।
- दिनांक 15.06.2018 से विभाग द्वारा ही उक्त बीमा योजना संचालित है, जिसमें लाभार्थी को विभाग द्वारा रु. 10 लाख की धनराशि शासन से स्वीकृत कराकर दी जा रही है।
- वर्ष 2019-20 में 143 व्यापारी के परिजन लाभान्वित हो चुके हैं।
- वर्ष 2020-21 में दिसम्बर में 74 व्यापारी के परिजन लाभान्वित हो चुके हैं।

विभाग द्वारा राजस्व वृद्धि हेतु किये गये आईटी इनीसीएटिव कार्य

- व्यापारियों व अधिवक्ताओं की सुविधा हेतु वैट के कर निर्धारण वादों के ऑनलाइन हियरिंग हेतु **डीलर ई-पासबुक** एप विकसित किया गया है।
- रु. 500 करोड़ से अधिक वार्षिक टर्न ओवर के टैक्सपेयर्स के लिए **ई-इनवाइस** की व्यवस्था दिनांक 01 अक्टूबर 2020 से प्रभावी की गयी है।
- नए पंजीयन के व्यापार स्थल सत्यापन हेतु मोबाइल एप (**ABHYUTHAN**) विकसित।
- प्रवर्तन कार्यों में सचल दल व विशेष अनुसंधान शाखा इकाइयों की समस्त कार्य प्रणाली को

ऑनलाइन लागू किये जाने में उत्तर प्रदेश प्रथम राज्य रहा है। इस हेतु **MMS** व **SMS Module** विकसित।

- व्यापारियों के रिटर्न दाखिल करने का अनुपालन एवं ई-वे बिल आदि के आधार पर **डीलर रिस्क स्कोर** बनाया गया।
- बड़े व्यापारियों के व्यापारिक संव्यवहारों से संबंधित समस्त विवरण हेतु **Dealer 360 Degree Profile** बनायी गयी।
- ई-वे बिल के सत्यापन हेतु EWAY-BILL COLLECTION APP विकसित।
- सचल दल के वाहनों पर **Vehicles Tracking System (VTS)** प्रणाली लगायी गयी है और इसके अनुश्रवण हेतु मुख्यालय में केन्द्रीकृत कमाण्ड सेन्टर स्थापित किया गया है।
- प्रवर्तन कार्य में पाए गए करापवंचको की आईटीसी ब्लॉक एवं भौतिक सत्यापन हेतु मुख्यालय से संबंधित खण्ड एवं अन्य राज्यों को सूचना शेयर करने के लिए **Alert Information Sharing System** बनाया गया है।
- प्रदेश के 41 प्रवेश मार्गों पर स्थापित रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडिन्टीफिकेशन डिवाइस (आरएफआईडी) से रियल टाइम डाटा प्राप्त करके ई-वे बिल के पुनः उपयोग पर प्रभावी नियन्त्रण किया जा सका है।

विभाग द्वारा लिए गये निर्णय एवं व्यापारियों को दी गयी सुविधाएं

- जीएसटी की प्रथम वर्षगांठ पर व्यापारियों को उनके व्यापार स्थल पर ही पंजीयन व रिटर्न की समस्याओं के समाधान के लिए **वाणिज्य कर आपके द्वार कार्यक्रम** संचालित किया गया।
- जी0एस0टी0 रिफण्ड की समस्त प्रक्रिया को दिनांक 26.09.2019 से ऑनलाइन की गयी है।
- वर्ष 2017-18 के जी0एस0टी0 की वार्षिक विवरणी दाखिल किये जाने का अन्तिम दिनांक पुनः बढ़ाकर दिनांक 07.02.2020 की गयी।
- वर्ष 2019-20 के वैट के कालबाधित वादों के निस्तारण की अन्तिम तिथि 31 मार्च, 20 से 30 जून जिसे पुनः बढ़ाकर **31 अक्टूबर** की गयी है।
- प्रदेश में व्यापार कर, बिक्री कर, वैट व मनोरंजन कर के अधिनियम के अन्तर्गत 31 मार्च, 2019 तक सृजित मांग की अवशेष बकाया जमा कराने हेतु 27 फरवरी से 31 अक्टूबर, 2020 तक ब्याज/अर्थदण्ड माफी योजना-2020 लागू की गयी जिसमें रु. 113.12 करोड़ की आच्छादित बकाया जमा करायी गयी।
- रिटर्न दाखिला हेतु व्यापारियों को एलर्ट करने के लिए **03 बार एसएमएस** किया जाता है।
- व्यापारियों की सुविधा के दृष्टिगत **एस0एम0एस0 के द्वारा निल रिटर्न** दाखिल किये जाने की सुविधा माह जून, 20 से प्रारम्भ की गयी है।

राजस्व संग्रह व पंजीयन वृद्धि हेतु मा० मुख्यमंत्री जी की बैठकों का विवरण

मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा राजस्व संग्रह व प्रवर्तन कार्यों की नियमित समीक्षा की गयी है। वाणिज्य कर जोनल स्तर के कर निर्धारण व प्रवर्तन के अधिकारियों के साथ भी बैठक की गयी है। विभाग द्वारा प्रत्येक जोन के जोनल प्रोफाइल तैयार किये गये हैं, जिसमें जोन के अधिक्षेत्र में जीएसटी राजस्व प्राप्त

होने के स्रोत तथा सम्भावित करापवंचन के तथ्यों को चिन्हित किया गया है। विभाग के द्वारा नियमित अनुश्रवण किया जाता है।

बैठक के दिनांक -

- जोनल एडीशनल कमिश्नर के साथ बैठक दिनांक 12.11.2019
- सम्भागीय ज्वाइन्ट कमिश्नर के साथ बैठक दिनांक 20.11.2019
- जोनल एडीशनल कमिश्नर के साथ बैठक दिनांक 01.01.2020 एवं
- अपर मुख्य सचिव एवं आयुक्त वाणिज्य कर के साथ बैठक दिनांक 21.01.2020
- जोनल एडीशनल कमिश्नर के साथ बैठक दिनांक 24.12.2020

जीएसटी लागू होने के उपरान्त जीएसटी के सफल क्रियान्वयन हेतु कराये गये महत्वपूर्ण कार्यों के परिणामस्वरूप वर्ष 2019-20 में जीएसटी राजस्व में वृद्धि 13.20 प्रति0 की प्राप्त हुई है तथा जीएसटी के आरक्षित राजस्व से गैप का प्रतिशत देश के औसत 20.9 के सापेक्ष 10.8 प्रति0 है।

मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा की गयी अपेक्षा के अनुपालन में प्रदेश में दिनांक 21.11.2019 से पंजीयन बढ़ाने हेतु **विशेष जागरूकता अभियान** चलाया गया। जिसमें विभाग के 436 वाणिज्य कर खण्डों में कुल 661 टीमें बनाकर सर्वेक्षण कार्य किया गया है। जिनके द्वारा प्रदेश की सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं व नगर पंचायतों तथा 2000 से अधिक जनसंख्या की ग्राम पंचायतों में यह कार्य किया गया है। अभियान अवधि में 17.05 लाख व्यापारियों से संपर्क किया गया जिसमें एक लाख से अधिक नए पंजीयन हुए।

गणना के साथ-साथ पंजीयन कैम्प, कार्यशाला, गोष्ठियां आदि आयोजित करके व्यापारियों को पंजीयन व रिटर्न फाइलिंग आदि की जानाकारी भी दी गयी है। विभाग द्वारा 400 से अधिक सेमिनार एवं 3500 से अधिक कैम्प आयोजित किये गये। परिणामस्वरूप 90 प्रति0 से अधिक प्रदेश में रिटर्न दाखिल हो रहे हैं, जो देश के औसत से 3 प्रति0 अधिक हैं। दिनांक 25.01.2020 से प्रदेश के सभी 75 जिलों एवं 20 तहसीलों कुल 95 लोकेशन में पंजीयन व रिटर्न दाखिल करने की सुविधा हेतु **हेल्प डेस्क** क्रियाशील किये गये, जिसमें कम्प्यूटर, स्कैनर, प्रिंटर व इंटरनेट आदि की सुविधा उपलब्ध कराते हुए कम्प्यूटर विशेषज्ञ एवं अधिकारियों की तैनाती की गयी। हेल्प डेस्क में कार्यालय अवधि में व्यापारियों को पंजीयन व रिटर्न दाखिल करने की सुविधा दी गयी है।

व्यापारियों को किसी भी प्रकार की कठिनाइयों से राज्य सरकार के समक्ष समय से प्रस्तुत किये जाने व यथाशीघ्र परिणाम मिलने के आशय से प्रदेश में व्यापारी कल्याण बोर्ड की स्थापना की गयी। जिनकी नियमित बैठकें करायी जा रही हैं और प्राप्त सुझाव को शासन स्तर से परीक्षण कराकर जीएसटी काउन्सिल तक प्रस्तुत किया जा रहा है। व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए पूर्व प्रचलित व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना की धनराशि रु. 5 लाख से बढ़ाकर रु. 10 लाख की गयी।

संभावित करापवंचन पर प्रभावी रोक लगाने हेतु प्रवर्तन इकाइयों की कार्यप्रणाली को ऑनलाइन किये जाने में उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य है जिसकी जीएसटी काउन्सिल द्वारा सराहना की गयी। प्रदेश में 148 सचल दल इकाइयों व 45 वि0अनु0शा0 कार्यरत हैं। सचल दल इकाइयों मालवाहक परिवहित वाहनों की जांच राज्य मार्गों पर की जाती है तथा वि0अनु0शा0 इकाइयों द्वारा करापवंचन की पुष्ट

एवं पूर्ण सूचना प्राप्त होने के उपरान्त ऑनलाइन प्रोफाइल तैयार करके सक्षम स्तर से अनुमति प्रदान करके व्यापारिक स्थल पर जाकर की जाती है। प्रदेश सरकार द्वारा संगठित करापवंचन में रोक लगाए जाने हेतु वाणिज्य कर की 2 केन्द्रीकृत एसटीएफ इकाइयां तैनात की गयी हैं। जिनके द्वारा विगत 01 वर्ष में 10 नेटवर्क का पर्दाफाश किया गया और एक गिरफ्तारी भी हुई है। वि0अनु0शा0 इकाइयों की जांच में रु. 1 करोड़ से अधिक करापवंचन के मामले की मॉनिटरिंग हेतु इन्वेशटिगेशन मॉनिटरिंग यूनिट स्थापित की गयी है। सचल दल इकाइयों की ऑनस्पाट लोकेशन प्राप्त करने हेतु मुख्यालय में कमाण्ड सेन्टर स्थापित किया गया है। प्रत्येक सचल दल इकाइयों पर वीटीएस लगाया गया है तथा वि0अनु0शा0 इकाईयों द्वारा जांच के लिए बॉडीवार्न कैमरा लगाकर की जाती है।

प्रदेश में प्राप्त व्यापारियों द्वारा दिये गये कर विवरणी के ऑनलाइन डाटा के आधार पर रेड फ्लैगिंग का माड्यूल विकसित किया गया है जिनमें करापवंचन के 10 से अधिक मानक बनाकर ऑनलाइन 4-5 मानक पर प्रतिकूल पाए जाने पर संबंधित डीलर व ट्रांसपोर्टर को रेड फ्लैग करते हुए अधिकारी के लॉगइन पर जांच हेतु उपलब्ध करा दिया जाता है। इस प्रकार विभाग द्वारा 360 डिग्री एनालिसिस करके रेड फ्लैग फर्मों, रेड फ्लैग ट्रांसपोर्टस की जांच करायी जाती है। विभिन्न पर्यवेक्षण स्थलों पर भी अनुरक्षण हेतु ऑनलाइन सिस्टम बनाया गया है।

कोविड-19 के कारण व्यापारियों को जीएसटी रिटर्न दाखिल करने हेतु प्रदान की गयी सहूलियत -

- माह फरवरी व मार्च, 20 के रिटर्न हेतु रु. 5 करोड़ से अधिक टर्न ओवर के व्यापारियों के लिए अगले माह की 20 तारीख के स्थान पर क्रमशः 04 अप्रैल व 05 मई विस्तारित हुई। इसी क्रम में अप्रैल हेतु 04 जून विस्तारित की गयी।
- माह फरवरी व मार्च, 20 के रिटर्न हेतु रु. 5 करोड़ से कम टर्न ओवर के व्यापारियों के लिए अगले माह की 24 तारीख के स्थान पर क्रमशः 30 जून व 05 जुलाई विस्तारित हुई। इसी क्रम में अप्रैल हेतु 09 जुलाई, मई हेतु 15 सितम्बर, जून हेतु 25 सितम्बर, जुलाई हेतु 29 सितम्बर एवं अगस्त हेतु 3 अक्टूबर विस्तारित की गयी।
- उपरोक्त के साथ-साथ रु. 5 करोड़ से अधिक के डीलर को माह फरवरी से अप्रैल, 20 तक के देय कर के साथ रिटर्न जमा करने पर ब्याज में 50 प्रतिशत की छूट अर्थात् 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 24 जून, 20 तथा रु. 5 करोड़ से कम टर्नओवर के डीलर के लिए यही सुविधा 30 सितम्बर, 20 तक प्रदान की गयी।
- विशेष कार्यों में लॉकडाउन की अवधि में आमजन को आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति के लिए डोर टू डोर डिलवरी करने वाले व्यापारियों को चिन्हित करके जनपदवार किराना/भोजन सामग्री वितरण करने वाले व्यापारी/संस्था की सूची बनाकर विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करायी गयी, जो राज्य सरकार में सराहनीय रही है।

स्टाम्प एवं निबंधन

भूमिका

उत्तर प्रदेश सरकार हेतु राजस्व संग्रह करने वाले प्रमुख विभागों, वाणिज्यि कर, स्टाम्प एवं निबन्धन, आबकारी, मनोरंजन कर, परिवहन कर आदि में स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है।

अठारहवीं सदी में लेख पत्रों के निबन्धन का कार्य शहर के काजी के द्वारा किया जाता था। वर्ष 1773 से सर्वप्रथम निबन्धन प्रणाली आरम्भ की गई। वर्ष 1864 में निबन्ध अधिनियम पारित किया गया, जिसमें कुछ लेखापत्रों का पंजीकरण अनिवार्य रूप से किये जाने की व्यवस्था की गई। समय-समय पर इस प्रणाली में परिवर्तन होता रहा है। मुख्य रूप से वर्ष 1908 में निबन्धन अधिनियम को संहिताबद्ध किया गया जो आज तक प्रभावी है।

स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग जनता से सीधे सम्पर्क में आने वाला तथा उन्हें सेवायें प्रदान करने वाला अत्यन्त महत्वपूर्ण विभाग है। प्रत्येक वर्ष इस विभाग द्वारा लगभग तीस लाख से अधिक लेखापत्रों का पंजीयन होता है, जिसमें लगभग दो करोड़ लोग विभाग के सम्पर्क में आते है।

पक्षकारों के मध्य होने वाले संव्यवहारों में निष्पादित बैनामा, गोदनामा, इकरारनामा, वसीयत आदि विभिन्न प्रकार के लेखापत्रो, जिसमें विवाहों के घोषणा पत्र भी सम्मिलित है का पंजीकरण एवं इन्हें चिरकाल तक सुरक्षित रखने का कार्य निबन्धन विभाग द्वारा किया जाता है। साथ ही इन लेखापत्रों पर देय स्टाम्प शुल्क की प्राप्ति सुनिश्चित की जाती है। निबन्धन विभाग राज्य सरकार के लिए राजस्व अर्जन की दृष्टि से वाणिज्य कर एवं आबकारी विभाग के पश्चात् तीसरा अत्यन्त महत्वपूर्ण विभाग है।

निबन्धन विभाग के उद्देश्य

लेखपत्रों के निबन्धन की एक ऐसी व्यवस्था सृजित करना, जिसमें किसी विशेष सम्पत्ति के अन्तरण विषय, पक्षकरों के बीच अधिकारों/दायित्वों की संविदा को सामान्य जनता को सुलभ एवं सार्वजनिक कराना अनन्तकाल तक इनके रिकार्डो को जन समान्य हेतु सुरक्षित रखना तथा इसके माध्यम से कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना तथा सामाजिक विद्वेष को समाप्त करना क्योंकि जहाँ भी सम्पत्ति सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होते हैं, वहां सम्बन्धित सम्पत्ति के बैनामा, वसीयत आदि के द्वारा

विवादों का तुरन्त समाधान किया जाता है। बैनामा वसीयत आदि के माध्यम से ही पक्षकारों के मध्य निष्पादित लेखपत्रों को वैधानिक महत्व प्रदान किया जाना तथा धोखाधड़ी की कार्यवाही को रोकना तथा साथ लेखपत्रो को निबन्धन के पश्चात् न्यालयालयों में वैधानिक साक्ष्य हेतु ग्राहय भी बनाना संभव है। स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग इस व्यवस्था को उत्तरोत्तर पारदर्शी, त्वरित, आधुनिक, सरल एवं भ्रष्ट्राचार मुक्त बनाने हेतु कटिबद्ध है। ऑन लाइन रजिस्ट्रेशन इस दिशा में विभाग का एक महत्वपूर्ण क़दम है। इसके अन्तर्गत न सिफ लेखपत्रों काऑन लाइन रजिस्ट्रेशन होगा बल्कि आम जनता घर बैठे निबन्धित विलेखों के सम्बन्ध में सूचना, नकलों तथा भारमुक्त प्रमाण-पत्र भी प्राप्त कर सकेंगे।

विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाये

1.	लेखपत्रों का पंजीकरण	उप निबन्धक कार्यालयों तथा जिला निबन्धक कार्यालयों द्वारा
2.	स्टाम्प शुल्क का निर्धारण	कलेक्टर की शक्तियां का उपयोग करने वाले अधिकारियों द्वारा
3.	स्टाम्प पत्रों/ई-स्टाम्प पत्रों की बिक्री	कोषागार, स्टाम्प विक्रेताओं तथा SHICL ई-स्टाम्प के माध्यम से
4.	दस्तावेज लेखन	विभाग से लाइसेन्स प्राप्त दस्तावेज लेखको द्वारा
5.	सम्पत्ति का मूल्यांकन	जिला कलेक्टर कार्यालयों द्वारा
6.	पंजीकृत लेखपत्रों की प्रतिलिपि	उप निबन्धक कार्यालयों द्वारा उपलब्ध कराना
7.	भार मुक्ति प्रमाण-पत्र	उप निबन्धक कार्यालयों द्वारा जारी करना
8.	विवाह के पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी करना	उप निबन्धक कार्यालयों द्वारा
9.	वसीयतनामा जमा करना	जिला निबन्धक कार्यालयों द्वारा

संगठनात्क ढाँचा

स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग का नियंत्रण माननीय मंत्री, स्टाम्प रजिस्ट्रेशन एवं न्याय शुल्क प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन के नेतृत्व में निबन्धन विभाग द्वारा किया जाता है। इसका मुख्यालय प्रयागराज तथा शिविर कार्यालय लखनऊ में स्थित है। इसके विभागाध्यक्ष महानिरीक्षक निबन्धन अपर सचिव/आयुक्त स्टाम्प, राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश हैं, जो आई०ए०एस० संवर्ग के सचिव स्तर के अधिकारी है। विभागाध्यक्ष पदेन अपर सचिव राजस्व परिषद भी होता है। महानिरीक्षक निबन्धन के सहायतार्थ चार अपर महानिरीक्षक निबन्धन/अपर आयुक्त स्टाम्प के

पद सृजित है, जिसमें से दो पदों पर आई०ए०एस०/वरिष्ठ पी०सी०एस० संवर्ग के अधिकारी तथा दो पदों पर विभागीय अधिकारी नियुक्त किये जाते है। महानिरीक्षक निबन्धन के साथ मुख्यालय पर वित्त एवं लेखा संवर्ग के एक वित्त एवं लेखाधिकारी व एक सहायक लेखाधिकारी नियुक्त है। विभागीय आंकड़ों के संलकन/प्रस्तुतीकरण के लिए एक अर्थ एवं संख्याधिकारी एवं एक अपर सांख्याकीय अधिकारी भी मुख्यालय कार्यरत है। मण्डल/वृत्त स्तर पर उप महानिरीक्षक निबन्धन/उपआयुक्त स्टाम्प के मंडलीय कार्यालय तथा जिले स्तर पर महानिरीक्षक निबन्धन/सहायक आयुक्त स्टाम्प के नियंत्रणाधीन जिला स्तरीय कार्यालय स्थापित है। इसके अतिरिक्त लेखपत्रों के निबन्धन हेतु प्रदेश में उप निबन्धक के पद सृजित किये गये है, जो तहसील क्षेत्राधिकारी के स्तर पर निबन्धनकर्ता अधिकारी के रूप में कार्य करते है। जिला निबन्धक के पद का दायित्व शासन द्वारा जिले में कार्यरत अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) को पदेन प्रदान किया गया है, जिन्हें रजिस्ट्रेशन एक्ट के अधीन संवैधानिक कर्तव्यों के निर्वहन का दायित्व सौंपा गया है।

स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग की प्रमुख कार्य योजनायें

विभाग द्वारा अपने अधिष्ठान व्यय के अलावा मुख्य रूप से न्यायिक और न्यायिकेत्तर स्टाम्पों की छपाई एवं ढुलाई सम्बन्धी लागत एवं उनकी बिक्री तथा निवेश प्रमाण पत्रों पर देय स्टाम्प शुल्क का उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि समिति को संक्रमण, वाटर मार्क पेपर की बिक्री आदि पर व्यय का वहन भी किया जाता है।

स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग के आय-व्ययक अनुमान को मुख्यतः तीन उप शीर्षकों में विभाजित किया गया है।

1. स्टाम्प न्यायिक

इसके अन्तर्गत निदेशन तथा प्रशासन शीर्षक से विभिन्न कोषागारों में कार्यरत प्रेस मैन तथा शासन में कार्यरत ओ०एस०डी० कार्यालयों का अधिष्ठान सम्बन्धी व्यय कया जाता है। इसके अतिरिक्त स्टाम्पों की लागत शीर्षक से न्यायिक स्टाम्पों की छपाई एवं ढुलाई पर होने वाला व्यय किया जाता है तथा स्टाम्पों की बिक्री पर व्यय शीर्षक से न्यायिक स्टाम्पों की स्टाम्प वेण्डरों के माध्यम से होने वाली बिक्री पर स्टाम्प वेन्डरों को देय 1 प्रतिशत कमीशन का व्यय किया जाता है। साथ ही साथ स्टाक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि0 के माध्यमसे होने वाले ई-स्टाम्पों की बिक्री पर संस्था को देय 0.5 प्रतिशत कमीशन का व्यय किया जाता है।

2. स्टाम्प न्याययिकेत्तर

इसके अतिरिक्त निदेशन तथा प्रशासन शीर्षक से मुख्यालय पर कार्यरत स्टाम्प अनुभाग के कार्मिकों का अधिष्ठान सम्बन्धी व्यय किया जाता है। इसके अतिरिक्त स्टाम्पों की लागत शीर्षक से न्यायिकेत्ततर स्टाम्पों की छपाई एवं ढुलाई पर होने वाला व्यय किया जाता है तथा स्टाम्पों की बिक्री पर स्टाम्प वेन्डरों को देय 1 प्रतिशत कमीशन का व्यय किया जाता है साथ ही स्टाक होल्डिंग

कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि० के माध्यम से होने वाले ई-स्टाम्पों की बिक्री पर संस्था को देय 0.5 प्रतिशत कमीशन का व्यय किया जाता है। निवेश प्रमाणपत्र पर देय स्टाम्प शुल्क का उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि को संक्रमण पर होने वाले व्यय भी इसी मद के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाता है।

जनपद में उत्तर प्रदेश स्टाम्प नियमावली-1942 के अधीन नियुक्त अनुज्ञप्ति धारक स्टाम्प विक्रेताओं को उत्तर प्रदेश ई-स्टाम्पिंग नियमावली-2013 के नियम-13 के अन्तर्गत प्राधिकृत संग्रह केन्द्र (ए०सी०सी०) बनाये जाने हेतु अधिकृत किया जाता है।

3. पंजीकरण शुल्क

उत्तर प्रदेश शासन स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2 संख्या-01/2020/127/ 94-स्टा०नि०-2-2020-700(74)/201 दिनांक 13.02.2020 के द्वारा विलेखों के पंजीयन शुल्क में संशोधन करते हुए पूर्व में लागू निबन्धन शुल्क की दर 2 प्रतिशत (अधिकतम रू० 20,000/-) के स्थान पर सामान्य रूप से 01 प्रतिशत निबन्धन शुल्क वसूलने की व्यवस्था की गई है।

4. पंजीकरण

इसके अन्तर्गत निदेशन तथा प्रशासन शीर्षक को दो योजनाओं क्रमशः मुख्यालय तथा जिलाव्यय में वर्गीकृत किया गया है। मुख्यालय योजना से स्टाम्प एवं पंजीयन मुख्यालय/शिविर कार्यालय तथा मंडलों एवं जनपदों के उपमहानिरीक्षक निबन्धन/सहायक महानिरीक्षक निबन्धन कार्यालयों के अधिष्ठान सम्बन्धी व्यय किये जाते है। इसी प्रकार जिला व्यय योजना से उपनिबन्धक कार्यालयों के अधिष्ठान सम्बन्धी व्यय किये जाते है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 की उपलब्धियाँ

राजस्व प्राप्तियां

वित्तीय वर्ष 2019-20 में विभाग के लिए सकल राजस्व प्राप्तियों हेतु रू० 19179.07 करोड़ का लक्ष्य रखा गया। इस लक्ष्य के सापेक्ष 16066.15 करोड़ की राजस्व प्राप्ति हुई जो कि वार्षिक लक्ष्य का 83.80 प्रतिशत है।

जनोपयोगी कार्य

- सम्पत्ति पंजीकरण की व्यवस्था जनसामान्य को अपने लेखपत्र का ऑनलाइन साफ्टवेयर के माध्यम से सृजन कर सकता है तथा सृजित दस्तावेज के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण करा सकता है, जिससे वह किसी मध्य वर्ती के बिना भी अपने लेखपत्र का पंजीकरण करा सकता है।
- विभाग के द्वारा ई-विवाह पंजीकरण प्रारम्भ कर दिया गया है तथा जन सामान्य की सुविधा के दृष्टिगत विवाह पंजीकरण हेतु सम्बन्धित के विकल्प के अनुसार उप निबन्धक कार्यालय में पंजीकरण सुविधा प्रदान की गई है।

- सम्पत्ति विवरण सत्यापन विभागीय पोर्टल पर वर्तमान में यह व्यवस्था दी गई है कि कोई व्यक्ति किसी सम्पत्ति को खरीदने से पूर्व सम्पत्ति खोज विकल्प का प्रयोग कर सम्पत्ति का सत्यापन कर सकता है। उक्त से सम्पत्ति पंजीकरण में होने वाली धोखाधड़ी से बचाने में मदद की जा रही है।
- दाखिल खारिज आमजन को दस्तावेजों के निबन्धन के उपरान्त दाखिल खारिज संबंधी कार्यवाही हेतु सुगता प्रदान किये जाने के दृष्टिगत राजस्व परिषद् के पोर्टल का विभागीय पोर्टल से एकीकृत कर दिया गया है। इस व्यवस्था से दो विभागों के मध्य समन्वय सुगम हुआ है एवं दाखिल खारिज की प्रक्रिया साधारण हो जाने से आम जनता को इसका लाभ दिया जा रहा है।
- विभाग के उप निबन्धक कार्यालयों में निबन्धित लेखपत्रों को डिजिटल रूप में संरक्षित किया जा रहा है जिससे वर्तमान एवं भविष्य में जनसामन्य को आवश्यकता पड़ने पर इन्टरनेट आधारित सेवाओं द्वारा अभिलेख सुलभ कराये जा सके।
- भारत सरकार Ease of Doing Business को कार्यक्रम के अन्तर्गत विभागीय पोर्टल को उद्योग बन्धु को सिंगल विण्डों, निवेश मित्र, ई-डिस्ट्रिक्ट, सी०एम० डैश बोर्ड एवं राजस्व परिषद् की वेबसाइट से एकीकृत किया गया है। इस व्यवस्था से प्रदेश में उद्यमियों को सुविधा हुई है एवं राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रदेश की छवि में सुधार हुआ है।
- बैंक ऑफ इंडिया शेयर होल्डिंग (BOISL) से शेयर अंतरण में ब्रोकर टर्नओवर पर स्टाम्प शुल्क अधिग्रहित करने हेतु अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया गया है, जिससे शेयर अन्तरणों से रू० 30 करोड़ की अतिरिक्त आय प्राप्त हुई है।
- भारत सरकार के डिजिटल कार्यक्रम एवं इलेक्ट्रिानिक स्टाम्प शुल्क प्रणाली के अन्तर्गत फर्जी स्टाम्पों पर प्रभावी रोक लगाने के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश ई-स्टाम्प नियमावली-2013 को प्रभावी किया गया है। वर्ष 2013 से स्टॉक होल्डिंग कारपेरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड को उत्तर प्रदेश सरकार के स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग हेतु केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण (C.R.A.) नियुक्त किया गया है।
- दिव्यांगजन हेतु ग्राउण्ड फ्लोर पर रजिस्ट्री की सुविधा हेतु समस्त उप निबन्धकों को लैपटाप उपलब्ध कराये गये है एवं इस आशय के निर्देश भी दिये गये है कि दिव्यांगजनों को रजिस्ट्री की व्यवस्था ग्राउण्ड फ्लोर पर ही उपलब्ध करायी जाय।
- जैव उर्जा उद्यम प्रोत्साहन कार्यक्रम के अन्तर्गत इकाई की संस्थापना हेतु भूमि क्रय के लिए 100 प्रतिशत स्टाम्प छूट प्रदान की गयी।
- दिनांक 18.01.2019 द्वाराउत्तर प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग विकास एवं सतत स्व रोजगार प्रोत्साहन नीति-2018 के प्रस्तर-5.1.1 में यथा उपबन्धित रूप से अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए अनुसूची के स्तम्भ-4 में यथा उल्लिखित लिखतों

के सम्बन्ध में प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में सूची के स्तम्भ-3 में उल्लिखित सीमा तक छूट प्रदान की गई है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित योजनायें

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा राजस्व प्राप्तियों को प्राप्त करने हेतु कोरोना महामारी अवधि में किये गये उपाय-

1. उ0प्र0 ई-स्टाम्पिंग नियावली 2013 के अंतर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में शत प्रतिशत ई-स्टाम्प निर्गत करने की व्यवस्था लागू कर दी गयी है एवं भौतिक स्टाम्प की छपाई पूर्ण रूप से रोक दी गई है। इस निर्णय से उ0प्र0 राज्य शत प्रतिशत ई-स्टाम्प जारी करने वाले चुनिंदा अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है।
2. ई-स्टाम्पिंग व्यवस्था को सुदृढ़ करने एवं सर्वसुलभता से आमजनों को स्टाम्प उपलब्ध कराने हेतु सितम्बर 2020 तक 1050 अधिकृत स्टाम्प विक्रेताओं एवं 409 सार्वजनिक बैंक शाखाओं को प्राधिकृत संग्रह केन्द्र (ए०सी०सी०) नियुक्त किया गया, जिसमें प्रतिदिन बढ़ोत्तरी हो रही है। कोरोना महामारी में यह व्यवस्था अत्यन्त ही उपयोगी साबित हुई है एवं ई-स्टाम्प सर्वसुलभ उपलब्ध होने के बावजूद विभागीय राजस्व प्राप्तियाँ उत्साहवर्धक रही है।
3. विलेखों के निबन्धन हेतु देय 2% निबन्धन शुल्क को घटाकर 1% किया गया एवं निबन्धन शुल्क को कैशलेस जमा कराये जाने की व्यवस्था को भारतीय स्टेट बैंक से अनुबन्ध कर लागू किया गया।
4. भारत सरकार के डिजिटल इण्डिया प्रोग्राम के अंतर्गत ई-स्टाम्पिंग की पेपर आधारित प्रणाली से पूर्णरूपेण डिजीटल स्टाम्प की दिशा में प्रथम कदम केरूप में बैंक ऋण से सम्बन्धित ऑनलाइन निष्पादित लेखपत्रों को डिजिटली स्टाम्पित करने हेतु National e-Governance Services Limited (NESL)/ Stock Holding Corporatioin of India (SHCL) के सहयोग से कार्य किया जा रहा है। उ०प्र० राज्य डिजिटल ई-स्टाम्पिंग प्रारम्भ करने वाला दूसरा राज्य हो गया है। उद्यतन 19 बैंक इस व्यवस्था से इन्टेग्रेड किये जा चुके है।
5. विभाग द्वारा प्रदत्त सेवाओं यथा-सम्पत्ति पंजीकरण, विवाह पंजीकरण, भारमुक्त प्रमाण-पत्र, अप्रयुक्त स्टाम्प शुल्क वापसी के प्रकरण इत्यादि को जनसामान्य को समयबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिानिकली उपलब्ध कराये जाने हेतु विभागीय पोर्टल को राज्य सरकार के कामन पोर्टल एवं निवेश मित्र पोर्टल से एकीकृत कर दिया गया है। इससे विभागीय सेवायें आमजनों को आसानी से उपलब्ध करायी जा रही है।

राजस्व प्राप्ति

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए स्टाम्प पंजीकरण के लिए राजस्व प्राप्त का लक्ष्य

रू० 23197.00 करोड़ निर्धारित किया गया है, जिसके लिए विभाग द्वारा प्रभावी कार्य योजना निर्मित की गई है। अवशेष वसूली स्टाम्पवादों का त्वरित निस्तारण, करारपवंचन की रोकथाम करते हुए उक्त निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने कोरोना महामारी में विभागीय राजस्व प्राप्तियों को निर्धारित लक्ष्य के अनुसार प्राप्त करने के उद्देय से लॉकडाउन के पश्चात् विभाग के कार्यालय दिनांक 16 अप्रैल, 2020 से क्रियाशील किये गये, उक्त के साथ ही रजिस्ट्री हेतु ऑनलाइन एपांटमेन्ट सिस्टम लागू किया गया। महामारी की अवधि में विभाग द्वारा किये अभिनव तकनीकी प्रयोगों की सहायता से सितम्बर 2020 मासान्त तक रू० 5511.96 करोड़ की राजस्व प्राप्त की गयी, जो कि विगत वर्ष की इस अवधि की प्राप्तियों रू० 800595 का 89% है।

पंजीकृत विलेखों की स्कैनिंग तथा डिजिटाइजेशन

स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग में डाक्यूमेन्ट मैनेजमेन्ट सिस्टम को प्रभावी बनाने के लिए विलेखों को अधिक समय तक सुरक्षित रखने हेतु स्कैनिंग कराये जाने की आवश्यकता है। विभाग के उपनिबन्धक कार्यलयों में निबन्धित लेखपत्रों को डिजिटल रूप से संरक्षित किया जाना प्रस्तावित है, जिसे भविष्य में जनसामान्य को इन्टरनेट आधारित सेवाओं द्वारा अभिलेख सुलभ कराये जा सके। इस कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में लेखपत्रों के स्कैनिंग एवं इनडैक्सिंग कार्य हेतु धनराशि रू० 40.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पुराने पंजीकृत विलेखों की इण्डक्सिंग, स्कैनिंग व डिजिटाइजेशन का कार्य प्रथम चरण में 03 जनपदों-बाराबंकी, अम्बेडकर नगर व श्रावस्ती में प्रारम्भ किया गया, जिसके अंतर्गत विगत 20 वर्षों के सभी विलेखों को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जा रहा है। तत्पश्चात् पंजीकृत विलेखों की स्कैनिंग एवं डिजिटाईजेशन का कार्य सम्पूर्ण प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से लागू करने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

कृषि

अभ्युदय

जीवन यापन में संतुलित एवं गुणवत्तायुक्त भोजन की अनिवार्यता को दृष्टिगत रखते हुए कृषि विभाग की वर्ष 1875 में स्थापना की गयी। प्रारम्भ में कृषि विभाग का कार्य कृषि सम्बन्धी आंकड़ों के संकलन तथा आदर्श प्रक्षेत्रों की स्थापना तक ही सीमित था। वर्ष 1880 में कृषि विभाग को भू-अभिलेख विभाग से सम्बद्ध कर दिया गया। गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया एक्ट-1919 के पारित होने के उपरांत कृषि क्षेत्र राज्य सरकार के अधीन हो जाने के फलस्वरूप कृषि विभाग को 01 दिसम्बर, 1919 से एक स्वतंत्र विभाग बनाया गया तथा 1 मई, 1920 को इसकी विधिवत स्थापना हुई। विभाग के तत्कालीन क्रियाकलापों में कृषि क्षेत्र यथा- उपज पालन, भूमि संरक्षण, गन्ना उत्पादन, उद्यान एवं कोलोनाइजेशन सम्बन्धी गतिविधियों का समावेश था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् गन्ना विभाग के गठन के फलस्वरूप गन्ना उत्पादन सम्बन्धी कार्य नवगठित विभाग में समाहित कर दिया गया। कालान्तर में उद्यान एवं कृषि विपणन को भी कृषि विभाग से अलग किया गया है।

कृषि विभाग अपने वर्तमान स्वरूप में विविध संस्थाओं यथा- उ.प्र. बीज विकास निगम, राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, यू.पी. एग्रो, राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान रहमानखेड़ा, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद आदि के सम्मिलित प्रयास से कृषि उत्पादन सम्बन्धी क्रियाकलापों को गति प्रदान करने में प्रयासरत है।

दायित्व

कृषि विभाग प्राकृतिक संसाधनों यथा- मृदा, जल एवं जैव विविधता के समुचित संरक्षण, देश/प्रदेश की कृषि उत्पादन नीतियों के विनिर्माण एवं क्रियान्वयन तथा संसाधनों को अक्षुण्ण बनाये रखते हुए उत्तरोत्तर वृद्धि परक उत्पादन के आयाम विकसित करने के लिए सतत प्रयासरत है। कृषि विभाग का उत्तरदायित्व, क्षेत्र विशेष की परिस्थितियों के अनुसार तकनीकी प्रसार एवं कृषि निवेश प्रबन्धन के माध्यम से विभिन्न फसलों की उत्पादकता एवं उत्पादन में वृद्धि करने तथा प्रदेश में कृषि विकास की दर को तीव्र गति प्रदान करना है। इस हेतु राज्य सरकार, भारत सरकार, राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सहयोग से उपर्युक्त कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का दायित्व कृषि विभाग पर है।

उद्देश्य

कृषि विभाग का मूल उद्देश्य कृषि विकास की दर को गति प्रदान करने के साथ-साथ फसलोत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करना है, जिससे प्रदेश के कृषकों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर उनके

जीवन-स्तर को ऊपर उठाया जा सके। इसके अतिरिक्त प्रदेश में व्याप्त क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए क्षेत्र विशेष के लिए उपयुक्त योजनाओं का क्रियान्वयन एवं कृषकों को रोजगार के नये अवसर सृजित करना है।

उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किये जा रहे प्रयास

- कृषि उत्पादन की विकास दर प्रति वर्ष 5.1 प्रतिशत बनाये रखते हुए खाद्य सुरक्षा प्रदान करने हेतु कृषि की नवीन तकनीकी का प्रचार-प्रसार तथा कृषकों की कृषि से सम्बन्धित समस्याओं का समाधान।
- कृषकों को विभिन्न पारिस्थितिकीय परिस्थितियों में उपयुक्त फसलों से अधिक उत्पादन लेने हेतु विभिन्न योजनाओं के माध्यम से तकनीकी प्रदर्शन का आयोजन एवं उनके परिणामों से कृषकों को परिचित कराना।
- विभाग द्वारा विभिन्न फसलों की उत्पादकता एवं उत्पादन में वृद्धि हेतु संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन।
- कृषि निवेशों की आपूर्ति निर्धारित समय-सारिणी के अनुरूप कृषकों के मध्य उपलब्ध कराना।
- कृषि उत्पादन में प्राकृतिक आपदाओं, कीट/रोग आदि जोखिम के कारण होने वाली क्षति की पूर्ति के लिए प्रेदश में संचालित कृषि बीमा योजनाओं को व्यापकता प्रदान करना।
- कृषि उत्पादन के लिए अपरिहार्य विभिन्न कृषि निवेशों की गुणवत्ता नियंत्रण पर सतत निगरानी रखना।
- दैवीय आपदाओं यथा- बाढ़, सूखे की स्थिति आदि में उन परिस्थितियों के अनुसार आकस्मिक योजनाएं बनाकर कृषकों को सही समय पर उचित जानकारी देना एवं उसी के अनुरूप कृषि निवेशों की व्यवस्था करना एवं इस प्रकार के जोखिम से बचाने के लिए कृषकों को फसल बीमा हेतु प्रोत्साहित करना।
- प्रदेश की समस्याग्रस्त भूमि यथा- जलमग्न, ऊसर, बंजर, बीहड़ आदि भूमि को उपचारित करके उपजाऊ बनाकर कृषि क्षेत्रफल में वृद्धि करना।

कृषि विभाग के नवीन संकल्प

- वर्ष 2022 तक उत्तर प्रदेश के किसानों की कृषि आमदनी को दो गुना करने के लिए तैयार विस्तृत रोडमैप के अनुसार ग्रेडिंग, प्रसंस्करण, विपणन एवं कृषि विविधीकरण पर फोकस करते हुए लक्ष्य को प्राप्त करना।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ सभी इच्छुक एवं जरूरतमंद किसानों तक पहुँचाना।
- सभी कृषकों को स्वायल हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराना।
- 50 लाख किसानों को ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई से लाभान्वित कराना।
- प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश में गठित राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था से पंजीकृत कृषकों को मानक के अनुसार उनके उत्पादों का प्रमाणन कराना।

- वर्मी कम्पोस्ट तथा गोबर गैस संयंत्रों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विशेष अनुदान उपलब्ध कराना।

कृषि विभाग के कार्यक्रम

विभाग द्वारा कार्यक्रमों के नियमित संचालन के लिए क्षेत्रीय भू-जलवायु परिस्थितियों के अनुसार खरीफ, रबी एवं जायद में कार्यक्रमों का निरूपण, नियोजन एवं क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए रणनीति तैयार करने एवं इसे निर्धारित समय-सीमा में क्रियान्वित करने की कार्यवाही की जाती है। कृषि विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन के लिए नियमित अनुश्रवण एवं मूल्यांकन की व्यवस्था की गयी है। जिसके अन्तर्गत कृषि निदेशालय स्तर पर मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशकों के साथ वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों/मा. कृषि मंत्री की अध्यक्षता में कार्यक्रमों एवं योजनाओं की प्रगति की सतत समीक्षा की जाती है। मण्डल एवं जनपद स्तर पर भी नियमित समीक्षा की व्यवस्था है। सूचना तकनीक एवं इंटरनेट के माध्यम से क्षेत्रीय अधिकारियों से वीडिया कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से भी समीक्षा की जाती है।

वर्ष 2019-20 में जनपद स्तर पर प्राप्त ऑफलाइन शिकायतों के अन्तर्गत 1.18 लाख कृषकों की रु. 704.08 करोड़ की डिमाण्ड जेनरेट की गयी है जिसमें 56 जनपदों के 66257 किसानों को अब तक रु. 393.92 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। इस प्रकार अब तक कुल 45.20 लाख किसानों को रु. 25215.22 करोड़ का ऋण मोचन किया जा चुका है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पी०एम०-किसान) योजना-वर्ष 2018-19 में योजनान्तर्गत अब तक 185.75 लाख कृषकों को प्रथम किश्त के रूप में रु. 3715.03 करोड़ की धनराशि डी.बी.टी. के माध्यम से हस्तान्तरित की गयी। प्रथम किश्त हेतु चयनित लाभान्वित कृषकों में से 171.05 लाख कृषकों को द्वितीय किश्त के रूप में रु. 3420.93 करोड़ तथा द्वितीय किश्त में लाभान्वित कृषकों में से 149.92 लाख कृषकों को तृतीय किश्त के रूप में 2998.36 करोड़ तथा तृतीय किश्त में लाभान्वित कृषकों में से 77.29 लाख कृषकों को चतुर्थ किश्त के रूप में रु. 1545.76 करोड़ की धनराशि को सम्मिलित करते हुए कुल रु. 11680.08 करोड़ की धनराशि डी.बी.टी. के माध्यम से कृषकों के खातों में हस्तान्तरित की गयी।

प्रधानमंत्री किसान मान-धन (पी०एम०-के०एम०वाई०) योजना-वर्ष 2019-20 में प्रदेश के लघु एवं सीमान्त कृषकों को सामाजिक सुरक्षा कवच उपलब्ध कराने एवं वृद्धावस्था में उनकी आजीविका के साधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्वैच्छिक रूप से पुरुष व महिला दोनों के लिए 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर रु. 3000/- माह की एक सुनिश्चित मासिक पेंशन योजना है। यह एक स्वैच्छिक एवं अंशदायी पेंशन योजना है और इसमें सम्मिलित होने की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष तक है। अब तक 239050 लाभार्थियों को कार्ड उपलब्ध कराया जा चुका है, जिसमें पुरुष 75.01 प्रशित एवं महिला 24.99 प्रतिशत हैं। इस योजना में 18-25 आयु वर्ग के 23.67 प्रतिशत, 26-35 आयु वर्ग के 49.84 प्रतिशत तथा 36-40 आयु वर्ग के 26.49 प्रतिशत लाभार्थी हैं।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (रफ्तार)

भारत सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं में से एक प्रमुख योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य कृषि एवं संवर्गीय क्षेत्रों में उपलब्ध संसाधन के आधार पर जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर कृषि विकास की योजनाएं तैयार कर महत्वपूर्ण फसलों के उत्पादन क्षमता एवं उसके वास्तविक उपज के अंतर को कम करके किसानों की आय में वृद्धि करना है। इस योजनान्तर्गत पश्चिमी उ.प्र. के जनपदों में फसल विविधीकरण कार्यक्रम, त्वरित चारा विकास कार्यक्रम, पशुपालन, सिंचाई, मत्स्य, उद्यान, गन्ना, डास्प, रेशम, कृषि शोध इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण कृषि विकास कार्यक्रमों को प्रदेश की आवश्यकतानुसार संचालित किया जा रहा है।

- **पूर्वी उत्तर प्रदेश में हरित क्रान्ति** के विस्तार की उप योजना (राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से पोषित) वर्ष 2010-11 से पूर्वी उत्तर प्रदेश में संचालित की जा रही है। योजना का मुख्य उद्देश्य चावल एवं गेहूँ की उत्पादकता में बढ़ोत्तरी, मृदा स्वास्थ्य में सुधार, सिंचाई क्षमता सृजन एवं जल के कुशल उपयोग, कृषि यंत्रीकरण, ऊसर क्षेत्रों में जिप्सम का प्रयोग, सामुदायिक भण्डारण योजना तथा खेती की लागत को कम करने हेतु उन्नत कृषि पद्धति को बढ़ावा दिया जाना है। चयनित जनपदों में फसलों की उत्पादकता में उत्साहवर्द्धक वृद्धि के आँकड़े प्राप्त हो रहे हैं।
- **नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन-** प्रदेश में गेहूँ, चावल, मोटे आनाज, दलहन एवं तिलहन के उत्पादन की असमानता को दूर करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन चलायी जा रही है। इस योजनान्तर्गत जूट, कपास एवं गन्ना जैसी व्यवसायिक फसलों के साथ-साथ वर्ष 2019-20 से तिलहनी फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि हेतु सम्मिलित किया गया है।
- **नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नालॉजी-** इस योजनान्तर्गत चार सब मिशन यथा- सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, सब मिशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकनाइजेशन, सब मिशन ऑन सीड एण्ड प्लान्टिंग मैटेरियल एवं नेशनल ई-गवर्नेस प्लान एग्रीकल्चर इस मिशन से संचालित किये जा रहे हैं।
- **प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-** इस महत्वाकांक्षी योजनान्तर्गत जिला सिंचाई योजना एवं राज्य सिंचाई योजना तैयार कर हर खेत को पानी देने की व्यवस्था करते हुए अधिकाधिक क्षेत्रों में सुनिश्चित सिंचाई एवं जल उपयोग क्षमता को बढ़ाने के साथ-साथ भूमिजल स्तर को ऊपर उठाने तथा वर्षा आधारित क्षेत्रों में वाटरशेड के आधार पर भूमि एवं जल संरक्षण कार्यों के द्वारा जल संवहरण, जल प्रबन्धन एवं फसल प्रबन्धन कर उत्पादन में वृद्धि करना है। इसके चार मुख्य घटक हैं:-

  1. ए0आई0बी0पी0
  2. हर खेत को पानी
  3. प्रति बूँद अधिक फसल
  4. जलागम विकास

- **नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर-** नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत निम्न मुख्य घटक हैं :

  अ- रेनफ्रेड एरिया डेवलपमेन्ट (आर.ए.डी.)

  ब- मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन (एस.एच.एम.)

  1- स्वायल हेल्थ

  2- स्वायल हेल्थ कार्ड

  स- परम्परागत कृषि विकास योजना (पी.के.वी.वाई.) - नमामि गंगे

- **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना-** भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप वर्ष 2016-17 से प्रदेश के सभी जनपदों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना संचालित की जा रही है। योजना खरीफ एवं रबी की अधिसूचित फसलों को दैवीय आपदा के विरुद्ध बीमा प्रदान करने, कृषि में नयी तकनीकी के उपयोग को बढ़ावा देना, फसली ऋण के प्रभाव को बनाये रखने एवं आपदा वर्षों में कृषकों की आय को स्थिर रखने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है।
- **पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना :** प्रतिकूल मौसम की परिस्थितियों से फसलों के नष्ट होने की सम्भावना के आधार पर कृषकों को बीमा कवर के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश के चयनित जनपदों में चयनित औद्यानिक फसलों- केला एवं मिर्च फसल को अधिसूचित करते हुए योजना संचालित की जा रही है।
- **इन्टीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर सेन्सस इकोनामिक्स एण्ड स्टेटिस्टिक्स-** भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पूर्व में संचालित इम्प्रूवमेन्ट ऑफ एग्रीकल्चर स्टेटिस्टिक्स स्कीम के अन्तर्गत टी0आर0एस0 एवं आई0सी0एस0 योजना का संचालन किया जा रहा था। उक्त दोनों योजनाओं को इन्टीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर सेन्सस इकोनामिक्स एण्ड स्टेटिस्टिक्स में संविलीन कर संचालित किया जा रहा है।
- **प्रमाणित बीजों पर अनुदान सम्बन्धी योजना-** इस योजना के माध्यम से कृषकों को खरीफ एवं रबी की फसलों के गुणवत्ता युक्त बीज अनुदानित दर पर उपलब्ध कराये जा रहे हैं। इस पर होने वाला व्यय राज्य सरकार द्वारा शत-प्रतिशत वहन किया जाता है।
- **संकर बीजों के उपयोग को बढ़ावा देने की योजना-** देश एवं प्रदेश की खाद्य सुरक्षा को अक्षुण्ण बनाये रखने, अधिक से अधिक खाद्यान्न उत्पादन को प्राप्त करने के साथ-साथ प्रदेश के 90 प्रतिशत से अधिक लघु एवं सीमान्त कृषकों की आय में वृद्धि को लक्षित करते हुए प्रदेश सरकार इस योजना के माध्यम से अधिक उपज देने वाली हाईब्रिड बीजों को अनुदानित दर पर उपलब्ध करा रही है।
- **अटल सोलर फोटो वोल्टिक इरीगेशन पम्प की स्थापना-** वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के अधिकाधिक प्रयोग को बढ़ावा देने, पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम करने के साथ-साथ पर्यावरणीय अनुकूलता के दृष्टिगत इस योजना का संचालन किया जा रहा है।

- **कृषि प्रशिक्षित उद्यमी स्वावलम्बन (एग्री जंक्शन) योजना-** कृषि स्नातकों को रोजगार उपलब्ध कराते हुए किसानों को उनके फसल उत्पादों एवं कृषि निवेशों के लिए कृषि केन्द्र (एग्री जंक्शन) के बैनर तले समस्त सुविधाएं ''वन स्टाप शॉप'' के माध्यम से स्थानीय स्तर पर उपलब्ध करायी जा रही है।
- **विभिन्न पारिस्थितिकीय संसाधनों द्वारा कीट/रोग नियंत्रण की योजना -** रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग से दृष्टिगोचर दुष्प्रभावों को कम करने हेतु चलायी जा रही है। योजना के अन्तर्गत बायो एजेन्ट्स, बायो पेस्टीसाइड्स एवं एकीकृत नाशी जीव प्रबन्धन जैसी तकनीकों के प्रयोग से कीट/रोग नियंत्रण किये जाने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है।
- **पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना -** प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 07 जनपद एवं विन्ध्य क्षेत्र के मिर्जापुर, सोनभद्र एवं चंदौली जनपद को छोड़कर शेष 65 जनपदों में समस्याग्रस्त ग्रामीण क्षेत्रों में बीहड़, बंजर एवं जल भराव क्षेत्रों को सुधारने, कृषि मजदूरों की आवंटित भूमि का उपचार कराने तथा उन्हें आजीविका उपलब्ध कराने के लिए पंडित दीन दयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना हेतु वित्तीष वर्ष 2017-18 से प्रारम्भ की गयी।
- विगत वर्षों से प्रदेश की खाद्यान्न उत्पादकता में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। इसे गतिशील बनाये रखने के लिए कृषि उत्पादन की नवीन तकनीक को ससमय कृषकों तक पहुँचाना, सामयिक कृषि संसाधन व्यवस्था हेतु मण्डल, जनपद, विकासखण्ड एवं न्याय पंचायत स्तर पर खरीफ एवं रबी मौसमों के प्रारम्भ में गोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है। गोष्ठियों में कृषि विश्वविद्यालय एवं अन्य संस्थाओं के वैज्ञानिक तथा प्रदेश स्तर के अन्य विभागों के अधिकारियों द्वारा भाग लेकर कृषकों के हितोपयोगी बनाया जाता है।

  वित्तीय वर्ष 2020-21का लक्ष्य एवं कार्यक्रम- वर्ष 2020-21 में 640.32 लाख मै0 टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य प्रस्तावित है। इसके अन्तर्गत खरीफ में 222.81 लाख मै0 टन एवं रबी में 417.51 लाख मै0 टन का लक्ष्य निर्धारण के साथ 12.00 मै0 टन तिलहन (शुद्ध) उत्पादन का लक्ष्य प्रस्तावित है।

● नई प्रस्तावित योजना

1- **पराली प्रबन्धन योजना**- खरीफ फसलों के अवशेष प्रबन्धन एवं पराली को जलाये जाने से रोकने के लिए कृषकों एवं विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिये जाने तथा फसल की जड़ से कटाई के लिए कृषकों को यंत्र उपलब्ध कराये जाने के लिए 'पराली प्रबन्धन योजना' हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु. 300.00 करोड़ की आवश्यकता है। तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में रु. 300.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गयी है।

2- **प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों के बकाया विद्युत देयों का भुगतान**- प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों के बकाया विद्युत देयों के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु. 10.00 करोड़ की आवश्यकता है। तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में रु. 10.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गयी है।

3- **उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति का क्रियान्वयन**- कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने

के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति-2019 के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु. 15.00 करोड़ की आवश्यकता है। तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में रु. 15.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गयी है।

4- **उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति का क्रियान्वयन**- कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति-2019 के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु. 500.00 लाख की आवश्यकता है। तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में रु. 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गयी है।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में हरित क्रान्ति की योजना (बी०जी०आर०ई०आई०)

योजना के उद्देश्य :

- आधुनिकतम फसल उत्पादन तकनीकी को अपनाते हुए चावल एवं गेहूँ के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि।
- फसल सघनता एवं किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से चावल-परती (राइस फैलो एरिया) क्षेत्र में खेती को प्रोत्साहन करना।
- सिंचाई जल का कुशलतापूर्वक उपयोग।
- कटाई उपरान्त तकनीकी एवं विपणन सुविधा को बढ़ाना तथा कृषि उत्पादों के भंडारण हेतु भंडारण क्षमता में बढ़ोत्तरी।

बीज

प्रमाणित बीज वितरण पर अनुदान

योजना का नाम : प्रमाणित बीजों के वितरण पर अनुदान (राज्य सेक्टर)

उद्देश्य :

प्रदेश के कृषकों को धान, गेहूँ, जौ एवं दलहन, तिलहन बीजों पर अतिरिक्त अनुदान की सुविधा उपलब्ध कराकर बीज प्रतिस्थापन दर में बढ़ोत्तरी के साथ उत्पादन में वृद्धि करना।

कार्य क्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।

कृषको को दी जाने वाली सुविधाएं :

खरीफ/रबी 2020-21 में भारत सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रदत्त अनुदान के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा भी वितरित किये जाने वाले बीजों पर निम्न विवरणानुसार अनुदान अनुमन्य है:-

(धनराशि रु./कुं. में)

फसलें	10 वर्ष तक की अधिसूचित प्रजातियों पर)	10 वर्ष से अधिक अधिसूचित प्रजातियों पर)
धान/गेहूँ	600	300
दलहनी (खरीफ+रबी)	2000	1000
तिलहनी (खरीफ+रबी)	1500	1500 (150 वर्ष तक की प्रजातियों पर)

बुन्देलखण्ड के जनपदों में खरीफ में आच्छादन बढ़ाने के उद्देश्य से खरीफ 2022 तक 30 प्रतिशत का अतिरिक्त अनुदान देय है एवं इसके साथ-साथ कोदो के 03 किग्रा0 एवं कपास के 05 किग्रा0 बीजों के मिनीकिट कृषकों को निःशुल्क वितरित किया जायेगा।

राज्य योजनान्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष केन्द्रीय योजनान्तर्गत बीज वितरण के लक्ष्यों में कमी होने पर केन्द्र योजना से अधिक वितरित बीजों पर केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदान के समान राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त अनुदान प्रमाणित बीजों के वितरण की योजनान्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगा।

संकर बीजों के वितरण पर अनुदान :-

योजना का नाम : प्रदेश में संकर बीजों के उपयोग को बढ़ावा देने की योजना

उद्देश्य :

वर्ष 2020-21 में प्रदेश के कृषकों को संकर धान, संकर मक्का एवं संकर बाजरा के प्रमाणित/ ट्रुथफुल बीज जिनकी कृषकों में अच्छी मांग/लोकप्रियता तथा भारत सरकार द्वारा अधिसूचित हों, की विभिन्न प्रजातियों पर अनुदान की सुविधा उपलब्ध कराकर उक्त प्रजातियों से अधिक से अधिक क्षेत्राच्छादन के साथ उत्पादन में वृद्धि करना।

कार्य क्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।

कृषकों को दी जाने वाली सुविधाएं

संकर धान के प्रमाणित/ट्रुथफुल बीज जिनकी कृषकों में अच्छी मांग/लोकप्रियता तथा भारत सरकार द्वारा अधिसूचित हों, के वितरण पर रु. 5000 प्रति कुं0 अथवा मूल्य का 50 प्रतिशत जो भी कम हो तथा संकर मक्का, संकर ज्वार एवं संकर बाजरा के प्रमाणित/ट्रुथफुल बीज जिनकी कृषकों में अच्छी मांग/लोकप्रियता तथा भारत सरकार द्वारा अधिसूचित हों, के वितरण पर रु. 5000 प्रति कुं0 अथवा मूल्य का 50 प्रतिशत जो भी कम हो अनुदान अनुमन्य कराये जाने की योजना है।

राज्य योजनान्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष केन्द्रीय योजनान्तर्गत बीज वितरण के लक्ष्यों में कमी होने पर केन्द्रीय योजना के लक्ष्यों से अधिक वितरित बीजों पर केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदान के समान राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त अनुदान संकर बीजों के उपयोग को बढ़ावा देने की योजनान्तर्गत दिया जायेगा।

योजना का नाम : आधारीय बीज भण्डार पूंजीगत परिव्यय।

उद्देश्य :

विभिन्न बीज वितरक संस्थाओं एवं निजी बीज उत्पादकों के माध्यम से प्रमाणित /गुणात्मक बीजों का वितरण प्रदेश के कृषकों को किया जाता है।

कार्य क्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।

विभाग द्वारा कार्यक्रमों के नियमित संचालन के लिए क्षेत्रीय भू-जलवायु परिस्थितियों के अनुसार खरीफ, रबी एवं जायद में कार्यक्रमों का निरूपण, नियोजन एवं क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए

रणनीति तैयार करने एवं इसे निर्धारित समय-सीमा में क्रियान्वित करने की कार्यवाही की जाती है। कृषि विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन के लिए नियमित अनुश्रवण एवं मूल्यांकन की व्यवस्था की गयी है। कृषि निदेशालय स्तर पर प्रत्येक माह मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशकों के साथ वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों/मा0 कृषि मंत्री की अध्यक्षता में कार्यक्रमों एवं योजनाओं की प्रगति की मासिक समीक्षा की जाती है। मण्डल एवं जनपद स्तर पर भी नियमित समीक्षा की व्यवस्था है। सूचना तकनीक एवं इण्टरनेट के सहयोग से क्षेत्रीय अधिकारियों से वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से भी समीक्षा की जाती है।

उ०प्र० राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, लखनऊ

स्थापना :-

- भारतीय बीज अधिनियम-1966 की धारा-8 के अधीन दिनांक 05 अक्टूबर, 1976 को स्थापित।
- सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में पंजीकृत।
- खरीफ 1977 से बीज प्रमाणीकरण का कार्य प्रारम्भ किया।

उद्देश्य :-

- भारतीय न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानकों के अनुसार प्रमाणित बीज उत्पादन एवं बीज प्रमाणीकरण संस्था के दायित्वों का निर्वहन करना।

बीज उत्पादक संस्थायें :-

बीज प्रमाणीकरण हेतु प्रदेश के कृषि विभाग, उद्यान विभाग, पशुपालन विभाग, कृषि विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय बीज निगम, उ0प्र0 बीज विकास निगम, सहकारी संस्थायें एवं 888 निजी बीज उत्पादक संस्थायें हैं। वर्ष 2017-18 में 55880 कृषकों का पंजीयन हुआ है।

बीज विधायन संयंत्र :-

वर्तमान में कृषि विभाग के 40, उद्यान विभाग के 02, पशुपालन विभाग के 09, कृभकों 04, इफ्को/आई0एफ0एफ0डी0सी0 03, एन0डी0डी0बी0/आई0आई0पी0आर0 02, कृषि/पशु चिकित्सा वि0वि0 15, उ0प्र0 बीज विकास निगम के 23, राष्ट्रीय बीज निगम 08, पी0सी0डी0एफ0-1 तथा निजी बीज उत्पादक संस्थाओं के 482 इस प्रकार कुल 589 बीज विधायन संयंत्र पंजीकृत हैं।

बीज परीक्षण प्रयोगशाला :-

वर्तमान में उ0प्र0 राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था की लखनऊ, कानपुर, मुजफ्फरनगर, मऊ एवं बरेली में पांच बीज परीक्षण प्रयोगशालायें कार्यरत हैं।

वर्ष 2020-21 के भावी कार्यक्रम :-

- वर्ष 2020-21 में 1,70,000 हे0 क्षेत्रफल का पंजीकरण एवं 41,00,000 लाख कु0 बीज प्रमाणन प्रस्तावित है।

- बीज प्रमाणीकरण प्रक्रिया के प्रचार-प्रसार हेतु कृषकों एवं तकनीकी कर्मियों का प्रशिक्षण।
- ई-गवर्नेन्स संस्था में पंजीकरण से पैंकिंग तक का समस्त कार्य ऑनलाइन है।

उ०प्र० राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था, लखनऊ

उ0प्र0 राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना दिनांक 08 अगस्त, 2014 को हुई थी। वर्ष 2016 से पंजीकरण एवं प्रमाणीकरण कार्य प्रारम्भ किया गया।

उद्देश्य -

संस्था का मुख्य उद्देश्य जैविक खेती का विस्तार एवं जैविक उत्पादों का प्रमाणीकरण राष्ट्रीय जैविक उत्पाद मानकों के अनुरूप करते हुए स्कोप प्रमाण-पत्र तथा कारोबार प्रमाण-पत्र जारी करना।

कार्य क्षेत्र -

एपिडा (कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण) के दिशा निर्देश के अनुसार उ0प्र0 राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था भारतवर्ष की सीमाओं के अंतर्गत किसी भी राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश में जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण का कार्य सम्पन्न करा सकती है।

कृषकों को दी जाने वाली सुविधाएं -

उ0प्र0 राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था एक स्वशासी एवं स्ववित्तपोशी संस्था है। संस्था न्यूनतम शुल्क पर जैविक प्रमाणीकरण एवं निःशुल्क जैविक प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराती है।

उ०प्र० बीज विकास निगम

उ0प्र0 राज्य के विभाजन के पूर्व उत्तर प्रदेश बीज एवं तराई विकास निगम, जिसका मुख्यालय उत्तरांचल में अवस्थित था, अधिकांश ढांचा उत्तरांचल राज्य में चला गया। प्रदेश की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 29 जून, 2001 को उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम की स्थापना का निर्णय हुआ एवं दिनांक 15 फरवरी, 2002 को कम्पनी अधिनियम की धारा 25 के अन्तर्गत निगम पंजीकृत हुआ। दिनांक 09 दिसम्बर 2002 को उत्तर प्रदेश बीज एवं तराई विकास निगम की आस्तियों एवं दायित्वों के विभाजन संबंधी समझौता ज्ञापन निष्पादित हुआ तथा दिनांक 10 दिसम्बर 2002 से निगम द्वारा व्यवसाय प्रारम्भ किया गया।

उद्देश्य -

उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम की स्थापना शासनादेश संख्या : 2397/12-2 दिनांक 29.06.2001 के द्वारा उत्तर प्रदेश में बीजों के उत्पादन, वितरण व्यवस्था के उद्देश्य से की गयी है।

कार्य क्षेत्र -

निगम अपने 09 परियोजना कार्यालय एवं 23 शाखा कार्यालय के माध्यम से प्रदेश में लगभग 6500 बीज उत्पादकों के माध्यम से अपने बीज उत्पादन एवं वितरण कार्यक्रम को क्रियान्वित कर रहा है।

क्षेत्रीय कार्यालय –

1. मेरठ, 2. आगरा, 3. लखनऊ, 4. वाराणसी, 5. कानपुर, 6. गोरखपुर, 7. जालौन (उरई), 8. अयोध्या, 9. बरेली

कृषकों को दी जाने वाली सुविधायें –

1. बीज उत्पादकों को बीज उत्पादन प्रक्रिया के संबंध में प्रशिक्षित करना।
2. बीज उत्पादन हेतु आधारीय बीज उपलब्ध कराना।
3. बीज उत्पादकों का बीज उत्पादन के लिए पंजीकरण एवं प्रमाणन कार्य करना।
4. मानकों के अनुरूप पाये गये असंसाधित बीजों का अन्तःग्रहण कर विधायन एवं पैकिंग कार्य करना।
5. बीज उत्पादकों को अन्तःग्रहण केन्द्र तक बीज को लाने हेतु यातायात एवं बोरों के उपयोग हेतु अनुदान एवं प्रोत्साहन धनराशि उपलब्ध कराना।

खाद तथा उर्वरक

प्रदेश के कृषि उत्पादकों को गुणवत्तायुक्त उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का कार्य किया जा रहा है। इस कार्य में प्रदेश स्तर पर सहकारिता, गन्ना संघ, यू0पी0 स्टेट एग्रो एवं निजी संस्थाओं का भी सहयोग प्राप्त किया गया है।

विगत वर्षों में उर्वरकों के वितरण (तत्व के रूप में) की प्रगति एवं वर्ष 2020-21 के प्रस्तावित लक्ष्यों का वितरण निम्नवत् है :

(मात्रा 000 टन में)

वर्ष		नत्रजन	फास्फोरस	पोटाश	योग
2017-18	लक्ष्य	3136	1206	330	4672
	पूर्ति	3223	1412	296	4931
2018-19	लक्ष्य	3223	1254	354	4831
	पूर्ति	3354	1351	295	5000
2019-20	लक्ष्य	3294	1140	315	4750
(31 जनवरी, 2019 तक)	पूर्ति	3449	1642	294	5385
2020-21	लक्ष्य	4040	1466	444	5950

वनस्पति संरक्षण

योजना का नाम – विभिन्न पारिस्थितिकीय संसाधनों द्वारा कीट/रोग नियंत्रण योजना।

उत्तर प्रदेश का मूल आधार कृषि है तथा लगभग 65 प्रतिशत जनसंख्या पर आधारित है। बढ़ती जनसंख्या के खाद्यान्न आवश्यकता की पूर्ति हेतु कीट, रोग एवं खरपतवारों की रोकथाम के लिए कृषि रक्षा रसायनों के प्रयोग से उत्पादन में वृद्धि हुई।

एक अनुमान के अनुसार प्रदेश में प्रति वर्ष फसलों में कीट, रोग तथा खरपतवारों आदि द्वारा लगभग 15 से 20 प्रतिशत क्षति होती है, जिसमें लगभग 33 प्रतिशत खरपतवारों, 26 प्रतिशत रोगों, 20 प्रतिशत कीटों, 7 प्रतिशत भण्डारण के कीटों, 6 प्रतिशत चूहों तथा 8 प्रतिशत अन्य कारक सम्मिलित हैं।

उक्त के दृष्टिगत कृषकों की सहभागिता से फसलों में कीट एवं रोगों के प्रकोप की निगरानी करते हुए समय से उचित जानकारी कृषकों को उपलब्ध कराते हुए वर्तमान परिदृश्य में कीट/रोगों द्वारा क्षति से बचाव तथा फसलोत्पादन बढ़ाने हेतु विभिन्न पारिस्थतिकीय संसाधनों द्वारा कीट/रोग नियंत्रण योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

उद्देश्य

- बायोपेस्टीसाइड्स एवं बायोएजेण्ट्स के उत्पादन एवं वितरण में गुणात्मक अभिवृद्धि करना।
- रासायनिक कृषि रक्षा रसायनों के वितरण में लाल श्रेणी में वर्गीकृत (सबसे अधिक जहरीले रसायनों) पर अनुदान न दिया जाना और क्रमशः कम जहरीले रसायनों को ही अनुदान की परिधि में रखना।
- बीज शोधन कार्यक्रम को प्रोत्साहित किया जाना ताकि अल्प व्यय में बीज जनित रोगों पर नियंत्रण रखा जा सके।
- खरपतवार नियंत्रण हेतु अभियान के तौर पर कार्यवाही किया जाना।
- फसलवार एकीकृत नाशजीवी प्रबंधन (आईपीएम) प्रणाली के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाना।

कार्य क्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।

सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाइजेशन

उद्देश्य

1. जिले/गांव स्तर पर कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों में कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देना।
2. कृषि के विभिन्न कार्यों के निष्पादन हेतु संबंधित कृषि यंत्रों को किराये पर सेवा उपलब्ध कराना।
3. लघु एवं सीमान्त जोतों को फसलों के मौसम में यंत्रीकरण की सुविधा व्यापक स्तर पर उपलब्ध कराना।
4. कस्टम हायरिंग सेन्टरों पर कृषि यंत्रों एवं मशीनों के क्रियान्वयन वं मरम्मत प्रक्रिया हेतु कृषि एवं यंत्र निर्माताओं और कृषि विज्ञान केन्द्रों का सहयोग प्राप्त करना।
5. फसल उत्पादन प्रक्रिया में उन्नत एवं आधुनिकतम विकसित कृषि यंत्रों के उपयोग को बढ़ावा देना।
6. फसल अवशेष को जलाये जाने से रोकने के लिए फसल अवशेष प्रबन्धन हेतु आधुनिक कृषि यंत्रों को बढ़ावा देना।

कार्य क्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।

,,कृषि सूचना तंत्र के सुदृढ़ीकरण एवं कृषक जागरूकता कार्यक्रम

उद्देश्य – इलेक्ट्रानिक, प्रिन्ट मीडिया, किसान मेला, प्रदर्शनी, साहित्य एवं पत्रिकाएं तथा किसान सेवारथ संचालन के माध्यम से किसानों को कृषि की नवीनतम जानकारी एवं किसानों के हितार्थ संचालित योजनाओं की जानकारी प्रदान कर कृषि उत्पादन में वृद्धि करना।

कार्य क्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।

उत्पादकों को दी जाने वाली सुविधायें :

प्रसार शिक्षा एवं प्रशिक्षण, ब्यूरो द्वारा इलेक्ट्रानिक, प्रिन्ट मीडिया, किसान मेला, प्रदर्शनी, साहित्य एवं पत्रिकाएं तथा किसान सेवारथ संचालन के माध्यम से किसानों को कृषि की नवीन तकनीक, बीज, उर्वरक, कृषि रक्षा रसायन, बीज शोधन, मृदा परीक्षण आदि की जानकारी देकर कम लागत पर अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए जागरूक किया जायेगा।

भौतिक उपलब्धियाँ

वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 (माह दिसम्बर) तक की भौतिक उपलब्धियाँ

इलेक्ट्रानिक एवं प्रिन्ट मीडिया

- **निजी रेडियो एवं आकाशवाणी कार्यक्रम**

समसामायिक कृषि कार्यक्रमों, विभिन्न फसलों की वैज्ञानिक खेती पर एवं किसानों की सफलता की कहानी पर आडियो स्पाट तैयार कराकर प्रदेश स्तर पर निर्धारित अवधि के स्पाट कृषि चर्चा, खेती किसानी, श्रमिक जगत आदि-आदि कार्यक्रमों में एवं 15 मिनट का रेडियो कार्यक्रम प्रसारित किया गया।

- **दूरदर्शन/निजी टेलीवीजन कार्यक्रम**

समसामायिक कृषि कार्यक्रमों, विभिन्न फसलों की वैज्ञानिक खेती पर एवं किसानों की सफलता की कहानी पर वीडियो स्पाट/फिल्म तैयार कराकर प्रदेश स्तर पर दूरदर्शन के माध्यम से प्रसारित किया गया।

- **समाचार पत्र द्वारा विज्ञापन**

समसामायिक कृषि कार्यक्रमों, किसानों के हितार्थ संचालित योजनाओं एवं अन्य कृषि सम्बन्धी जानकारी उत्पादकों को देने हेतु समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन कराने का कार्यक्रम है।

- **तकनीकी फिल्मों का निर्माण, प्रदर्शन एवं वितरण**

उत्पादकों को कृषि से सम्बन्धित तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने हेतु फिल्मों का निर्माण जिसमें विभिन्न फसलों की खेती नवीनतम तकनीक, कृषि उपकरण, बीज शोधन, मृदा परीक्षण, फसलों में लगने वाले रोग एवं बचाव, फसल उपज का भण्डारण आदि विषयों को सम्मिलित किया गया है, को निर्मित कर जनपदीय उप कृषि निदेशक को उपलब्ध कराये जाने का कार्यक्रम है।

किसान मेला एवं प्रदर्शनी

• विकास खण्ड स्तरीय कृषि निवेश मेला

नवीनतम कृषि तकनीक, बीज, खाद, जैविक कृषि रक्षा रसायन कीटनाशी, जैविक उर्वरक, रासायनिक उर्वरक का संतुलित प्रयोग आदि विषयों की जानकारी देकर उत्पादकों को जागरूक कर उत्पादकों की आय दुगुनी करने के उद्देश्य से प्रदेश के प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर विकास खण्ड स्तरीय कृषि निवेश मेला का सफलतापूर्वक आयोजन कराकर उत्पादकों को लाभान्वित कराये जाने का कार्यक्रम है।

• प्रदेश के पारम्परिक मेलों/महोत्सवों में विराट किसान मेले का आयोजन-

उत्पादकों को कृषि की आधुनिक तकनीकी की जानकारी किसानों के हितार्थ शासन द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी हेतु पारम्परिक मेलों एवं महोत्सवों के साथ विराट किसान मेलों का आयोजन कराकर उत्पादकों को लाभान्वित कराये जाने का कार्यक्रम है।

• एग्रोक्लाइमेटिक जोन स्तर

नवीनतम कृषि तकनीक, बीज, खाद, जैविक कृषि रक्षा रसायन कीटनाशी, जैविक उर्वरक, रासायनिक उर्वरक का संतुलित प्रयोग आदि विषयों की जानकारी देकर उत्पादकों को जागरूक उत्पादकों की आय दुगुनी करने के उद्देश्य से प्रदेश के एग्रोक्लाइमेटिक जोन स्तर पर एक/दो/तीन दिवसीय विराट किसान मेला का आयोजन कर उत्पादकों को लाभान्वित कराये जाने का कार्यक्रम है।

• किसान मेलों एवं प्रदर्शनियों में सहभागिता

प्रसार शिक्षा एवं प्रशिक्षण ब्यूरो द्वारा राज्य एवं राज्य के बाहर आयोजित होने वाले कृषि एक्सपो, किसान मेला, कृषि प्रदर्शनी एवं गोष्ठियों में 30 प्रदर्शनी/स्टाल लगाकर सहभागिता के माध्यम से उत्पादकों को लाभान्वित कराये जाने का कार्यक्रम है।

होर्डिंग्स के माध्यम से प्रचार-प्रसार

किसानों को जागरूक कर न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने हेतु कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं, देय अनुमन्य सुविधायें, कृषि तकनीक आदि से संबन्धित जानकारी का व्यापक प्रचार-प्रसार प्रदेश के प्रत्येक विकास खण्ड पर एक तथा जनपद स्तर तहसील स्तर पर एक-एक होर्डिंग स्थापित करके कराये जाने का कार्यक्रम है।

किसान दिवस का आयोजन

जनपद स्तर पर प्रत्येक माह किसान दिवस का आयोजन किया जा रहा है जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी करते हैं। इस आयोजन में जनपद के प्रशासनिक अधिकारी, कृषि विभाग एवं कृषि से सम्बन्धित अनुशांगिक विभागों के अधिकारी एवं प्रगतिशील किसान प्रतिभाग करते हैं। किसान दिवस कृषकों की समस्याओं का निराकरण क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार योजनाओं का क्रियान्वयन एवं नियोजन पर विचार-विमर्श किया जाता है।

मशीन एवं भवन का सुदृढ़ीकरण

प्रसार, शिक्षा एवं प्रशिक्षण ब्यूरो में स्थापित प्रेस एवं भवन के सुदृढ़ीकरण, जिसमें पुरानी एवं नई मशीनों के क्रियान्वयन हेतु मशीनों के अनुरक्षण एवं वार्षिक अनुरक्षण अनुबन्ध व भवन मरम्मत तथा विद्युत का कार्य किया जाता है।

कम्प्यूटरीकृत कार्यालय

प्रसार, शिक्षा एवं प्रशिक्षण ब्यूरो में स्थापित प्रेस एवं प्रेस की क्षमता बढ़ाने, ब्यूरो से संचालित योजनाओं के पर्यवेक्षण, अनुश्रवण/मूल्यांकन तथा सूचनाओं के प्रेषण हेतु कार्यालय का कम्प्यूटरीकरण के उपरान्त कम्प्यूटर का संचालन/अनुरक्षण किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के भौतिक लक्ष्य एवं भावी कार्यक्रम

इलेक्ट्रानिक एवं प्रिन्ट मीडिया

आकाशवाणी कार्यक्रम

वर्तमान समय में इलेक्ट्रानिक मीडिया प्रचार-प्रसार का एक सशक्त माध्यम है। प्रसार शिक्षा एवं प्रशिक्षण, ब्यूरो द्वारा समसामायिक कृषि कार्यक्रमों, फसल अवशेष जलाने से रोकने, उनके उपयोग के तरीकों एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों का प्रचार-प्रसार, विभिन्न फसलों की वैज्ञानिक खेती पर एवं किसानों की सफलता की कहानी पर आडियो स्पाट तैयार कराकर प्रदेश स्तर पर आकाशवाणी द्वारा संचालित 12 प्राइमरी चैनलों यथा-लखनऊ, आगरा, इलाहाबाद, गोरखपुर, नजीबाबाद, रामपुर, वाराणसी, बरेली, फैजाबाद, झांसी, मथुरा एवं ओबरा के माध्यम से निर्धारित अवधि के स्पाट कृषि चर्चा, खेती किसानी, श्रमिक जगत आदि-आदि कार्यक्रमों में एवं 15 मिनट का रेडियो कार्यक्रम प्रसारित कराया जायेगा।

किसान मेला एवं प्रदर्शनी

विकास खण्ड स्तरीय कृषि निवेश मेला

प्रदेश के समस्त 821 विकास खण्डों में विकास खण्ड स्तरीय एक दिवसीय कृषि निवेश मेला का आयोजन वर्ष में रबी और खरीफ सीजन में कुल दो बार किया जायेगा। इसमें विकास खण्ड के अन्तर्गत सभी गांवों के किसानों कृषि, उद्यान, पशुपालन, रेशम, सहकारिता, सिंचाई, विद्युत एग्रो आदि विभागों के अधिकारियों, बैंकर्स, एन0जी0ओ0 एवं कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिक भाग लेंगे। विकास खण्ड स्तरीय कृषि निवेश मेला के दिन कृषि संबंधी जानकारी के साथ विकास खण्ड के चयनित लाभार्थी उत्पादकों को फसल प्रदर्शन/किट/बीज मिनीकिट/कृषि उपकरण/किसान क्रेडिट कार्ड एवं अनुदान पर कृषि निवेश उपलब्ध कराया जायेगा। एक दिवसीय मेले के साथ ही राजकीय कृषि बीज भण्डार पर मई के प्रथम सप्ताह से अन्तिम सप्ताह तक कृषि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं तथा कृषि की नवीनतम तकनीकी जानकारी मुद्रित प्रदर्श का प्रदर्शन बीज भण्डार में उचित स्थान पर किया जायेगा तथा बीज/सूक्ष्म पोषक तत्व एवं जिंक आदि क्रय करने हेतु आने वाले कृषकों को राजकीय कृषि बीज भण्डार पर उपस्थित विशेषज्ञ/तकनीकी कर्मचारी द्वारा कृषि से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई जायेगी।

इस अवसर पर विभाग एवं निजी सहभागिता (उर्वरक, बीज, कृषि रक्षा सामग्री एवं कृषि उपकरणों के निजी विक्रेता) के आधार पर प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जायेगा। प्रत्येक विकासखण्ड स्तरीय मेले में भाग लेने वाले किसानों में से कम से कम 25 किसानों से कृषि एवं पशुपालन नामक मासिक पत्रिका का वार्षिक सदस्यता शुल्क रु. 24/- प्राप्त करते हुए अनिवार्य रूप से सदस्यता शुल्क एवं सदस्यों की सूची जनपदीय उप कृषि निदेशक, ब्यूरो अनुभाग को उपलब्ध करायेंगे।

प्रदेश के पारम्परिक मेलों/महोत्सवों के साथ विराट किसान मेला का आयोजन

प्रदेश के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों में पारम्परिक मेलों/महोत्सवों का आयोजन नियमित रूप से किया जाता है। पारम्परिक मेलों/महोत्सवों के आयोजन के साथ विराट किसान मेला का आयोजन किया जायेगा। किसान मेलों में कृषि विशेषज्ञों के व्याख्यान, प्रदर्शनी, साहित्य, दृश्य-श्रव्य आदि के माध्यम से किसानों के हितार्थ शासन द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी, कृषि संबंधी समस्त जानकारियां, कृषि निवेशों की उपलब्धता, कृषि यंत्रों के प्रदर्शन एवं उनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी तथा उत्पादकों-वैज्ञानिक-अधिकारी संवाद के माध्यम से समस्याओं का निदान किया जायेगा। ताकि किसान अत्याधुनिक कृषि विधाओं से परिचित होकर अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करते हुए कृषि विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान कर सकें। इस मेले में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के कृषि एवं किसान संबंधी चिन्तन एवं एकात्म मानववाद के सिद्धान्त से कृषकों को परिचित कराया जायेगा।

राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ

उद्देश्य

संस्थान की स्थापना का मुख्य उद्देश्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा खोजी गयी, कृषि की नवीनतम तकनीकी को प्रदेश में कृषि एवं सम्बद्ध विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों एवं कृषकों को अवगत कराकर उन्हें प्रशिक्षित करना है।

कार्यक्षेत्र :- संस्थान का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।

किसानों को दी जाने वाली सुविधायें :

1. किसानों/विभिन्न विभागों के प्रसार कर्मियों/अधिकारियों को नवीनतम कृषि तकनीकी का प्रशिक्षण।
2. उन्नतशील आधारीय/प्रमाणित संकर बीजों का कृषि विभाग के माध्यम से कृषकों को उत्पादन कर उपलब्ध कराना।
3. प्रक्षेत्र से सम्बन्धित प्रयोगिक जानकारी संस्थान पर प्रदर्शन आयोजित कर कृषकों को उपलब्ध कराना।
4. जैविक खेती के सम्बन्ध में वर्मी कम्पोस्ट नाडेप कम्पोस्ट एवं अन्य विधियों का प्रयोगिक प्रदर्शन कराना व जैविक उर्वरकों का उत्पादन।
5. औषधीय तथा सगंध पौधों का प्रायोगिक प्रदर्शन कर जानकारी कराना।
6. उन्नत कृषि यंत्रों/फार्म मशीनरी का परीक्षण कर उनकी उपयोगिता के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध कराना।

7. कृषकों को ट्रैक्टर एवं पम्पिंगसेट के रखरखाव के सम्बन्ध में तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराना।
8. न्याय पंचायत स्तर पर ट्रैक्टर मैकेनिक की व्यवस्था हेतु ट्रैक्टर मैकेनिकों के प्रशिक्षण को रोजगार परक प्रशिक्षण देकर उनको रोजगार उपलब्ध कराना।
9. विभिन्न योजनाओं में कर्मियों को प्रशिक्षण कर दक्ष बनाना।
10. मानव संसाधन के विकास हेतु अग्रणी कार्य करना एवं दक्षता में वृद्धि करना।

- **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना**

योजना में बीमित क्षेत्र में बीमित फसलों की बुआई न कर पाने/असफल बुवाई की स्थिति अथवा फसल की बुआई से कटाई की समयावधि में फसलों को प्राकृतिक आपदाओं, रोगों, कृमियों से क्षति की स्थिति में फसलों की क्षति का आंकलन मौसम के अन्त में अधिसूचित फसलों पर निर्धारित संख्या में सम्पादित फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त उपज के आधार पर ग्राम पंचायत स्तर पर किया जाता है। स्थानिक आपदाओं-ओला, भूस्खलन व जनप्लावन तथा फसल की कटाई के उपरांत आगामी 14 दिनों की अवधि तक खेत में कटी हुई फसल को बेमौसम/चक्रवाती वर्षा से क्षति की स्थिति में बीमित कृषक को आपदा से 72 घंटे के अन्दर अपने बैंक अथवा बीमा कम्पनी को सूचित करना आवश्यक है जबकि अन्य जोखिमों में क्षति का आंकलन बीमा कम्पनी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जाता है, जिसके लिए कृषकों को व्यक्तिगत दावा प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है। फसल की मध्य अवस्था तक फसल की संभावित उपज में प्रतिकूल मौसमी स्थिति से 50 प्रतिशत या अधिक की क्षति की स्थिति में तत्कालिक सहायता प्रदान की जाती है जो आपदा की स्थिति में उत्पादन लागत में व्यय के अनुरूप होती है। तत्कालिक सहायता की धनराशि को मौसम के अन्त में फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर कुल क्षतिपूर्ति की धनराशि में समायोजित किया जाता है।

पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना

वर्ष 2019-20 में योजना के अन्तर्गत चयनित फसलें व जनपद

क्र.सं.	मौसम	फसल का नाम	चयनित जनपदों के नाम
1.	खरीफ	केला	कुशीनगर, गोरखपुर, बहराइच, बाराबंकी, कोशाम्बी, देवरिया, फतेहपुर, लखनऊ, प्रयागराज, अयोध्या, लखीमपुरखीरी, गोण्डा, सीतापुर व महराजगंज **(14 जनपद)**
2.	खरीफ	मिर्च	बाराबंकी, फतेहपुर, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, उन्नाव, कोशाम्बी, वाराणसी, बदायूँ, कानपुर नगर, बरेली, शाहजहाँपुर, मिर्जापुर, लखीमपुर खीरी, कन्नौज, रायबरेली, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया **(18 जनपद)**

3.	रबी	टमाचर	आगरा, बाराबंकी, एटा, अयोध्या, कानपुर नगर, मैनपुरी, उन्नाव, सीतापुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मिर्जापुर, अम्बेडकरनगर, सोनभद्र, फिरोजाबाद, बलिया, **(15 जनपद)**
4.	रबी	शिमला मिर्च	फिरोजाबाद, मुरादाबाद, बदायूँ, बरेली (04 जनपद)।
5.	रबी	हरी मटर	बाराबंकी, बस्ती, गोण्डा, हमीरपुर, जालौन, झांसी, सुल्तानपुर, एटा, प्रयागराज, वाराणसी, देवरिया, बहराइच, फतेहपुर, गाजीपुर, बलिया, कासगंज **(16 जनपद)**
6.	रबी	आम	सहारनपुर, मेरठ, बागपत, बुलन्दशहर, अमरोहा, प्रतापगढ़, वाराणसी, उन्नाव, सीमापुर, हरदोई, अयोध्या, बाराबंकी, लखनऊ **(13 जनपद)**

योजना के अन्तर्गत कुल 46 जनपद सम्मिलित।

योजना में फसलों की सम्भावित क्षति का आंकलन विकासखण्ड में स्थापित मौसम केन्द्र स्तर पर फसल की बुवाई से कटाई की समयावधि के प्रत्येक महत्वपूर्ण चरणों में फसलवार निर्धारित मौसमी स्थितियों तथा मौसम के प्रतिदिन के आंकड़ों में विचलन के आधार पर फसलों की सम्भावित क्षति को दृष्टिगत रखते हुए किया जायेगा। योजना के प्राविधानों के अनुसार कृषकों को क्षतिपूर्ति देय होने पर बीमा कम्पनी द्वारा क्षतिपूर्ति की धनराशि बैंक के माध्यम से कृषकों के बैंक खाते में जमा करा दी जायेगी। क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए कृषकों द्वारा व्यक्तिगत दावा प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।

पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना की प्रगति

मद	**वर्ष 2018-19**	**वर्ष 2019-20**	
बीमित कृषक	4894 कृषक (गैर ऋणी-08)	**खरीफ**	**रबी**
		6066 कृषक (गैर ऋणी-128)	2197 कृषक (गैर ऋणी-71)
बीमित क्षेत्र	2552.22 हे0	2852.12 हे0	2179.58 हे0
बीमित राशि	रु. 2838.58 लाख	रु. 3706.85 लाख	रु. 1491.70 लाख
कृषक प्रीमियम	रु. 141.92 लाख	रु. 183.86 लाख	रु. 74.59 लाख
राज्य अनुदान	रु. 222.02 लाख	रु. 238.75 लाख	रु. 103.82 लाख
केन्द्र अनुदान	रु. 222.02 लाख	रु. 238.75 लाख	रु. 103.82 लाख
कुल प्रीमियम	रु. 585.96 लाख	रु. 660.86 लाख	रु. 282.23 लाख
लाभार्थी कृषक	4300 कृषक	-	-
वितरित क्षतिपूर्ति	**रु. 339.60 लाख**	-	-

* अद्यतन।

उ०प्र० कृषि विविधीकरण परियोजना:-

- सी0डी0पी0-ओ0जी0आर0एस0 उपयोजनान्तर्गत 320.36 हे0 क्षेत्र में खरीफ उर्द/मंग तथा 44 हे0 क्षेत्र में अरहर, 53 हे0 क्षेत्र में खरीफ मक्का, 125 हे0 क्षेत्र में बाजरा/मोटा अनाज एवं 64 हे0 क्षेत्र में पापुलर के बन्ड प्लान्टेशन के प्रदर्शन आयोजित कराये गये। प्रक्षेत्र यंत्रीकरण एवं मूल्य संवर्धन कार्यक्रम अन्तर्गत 220 मल्टी क्राप थ्रेशर, 180 रोटावेटर, 40 जीरो टिल सीड ड्रिल, 19 ट्रैक्टर माऊण्टेड स्प्रेयर, 812 पावर स्प्रेअर तथा फसल अवशेष प्रबन्धन के अन्तर्गत 20 रीपर कम बाइन्डर एवं 33 पावर टिलर का वितरण। जल प्रबन्धन के अन्तर्गत 149 वाटर वैरिंग पाइप, 571 लेजर लैण्ड लेवलर एवं 02 स्प्रिंकलर सेट का वितरण। 42 स्ट्रारीपर/चापर 70 हैरो एवं 88 कल्टीवेटर का वितरण तथा 33 जनपद/ब्लाक/तहसील स्तरीय गोष्ठी/सेमिनार का आयोजन कराया गया।
- सी0डी0पी0-ओ0जी0आर0एस0 उपयोजनान्तर्गत 310 हे0 क्षेत्र में मसूर, चना 300 हे0 क्षेत्र में सरसों एवं 400 हे0 क्षेत्र में गेहूँ के प्रदर्शन आयोजित कराये गये। प्रक्षेत्र यंत्रीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत 22 मल्टी क्राप थ्रेशर, 103 रोटावेटर, 11 जीरो टिल एवं 03 पावर स्प्रेअर का वितरण। साईट स्पेसफिक गतिविधि के अन्तर्गत 28 पम्पसेट, 01 वाटर कैरिंग पाइप, 02 ड्रीप इरिगेशन एवं 29 लैण्ड लेवलर का वितरण एवं 13 कृषक प्रशिक्षण का आयोजन कराया गया।

वर्ष 2019-20 की महत्वपूर्ण उपलब्धियां :-

कृषि विभाग

- एकीकृत धान्य विकास कार्यक्रम-चावल के अंतर्गत 10015 कु0 उन्नतशील बीज, 3405 कु0 संकर धान बीज, 1748 कु0 सुगन्धित धान बीज, 160 हे0 क्षेत्र हेतु लिंक सल्फेट एवं 210 हे0 क्षेत्र हेतु सूक्ष्म पोषक तत्वों का वितरण लाभार्थियों में डी0बी0टी के माध्यम से कराया गया। 3384 हे0 क्षेत्र में संकर धान के खण्ड प्रदर्शन आयोजित कराये गये।
- एकीकृत धान्य विकास कार्यक्रम-गेहूँ के अन्तर्गत 196552 कु0 उन्नतशील गेहूँ बीज का लाभार्थियों में डी0बी0टी0 के माध्यम से वितरण कराया गया। 3800 हे0 क्षेत्र में गेहूँ के खण्ड प्रदर्शन आयोजित कराये गये।
- 96953 वर्मी कम्पोस्ट इकाइयों के स्थापना का कार्य प्रगति पर।
- उर्वरक एवं कीटनाशी गुण नियन्त्रण प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत 03 आरविटल इनकूवेटर शेकर एवं 02 गैस क्रोमेटोलोजी (जी0एल0सी0) का क्रय किया गया।
- खरीफ में 15509 किसान पाठशाला का आयोजन कराया गया।
- 131 किसान कल्याण केन्द्रों के स्थापना का कार्य प्रगति पर।
- आर0ए0टी0डी0एस0 हरदोई एवं मेरठ में उच्च-तकनीकयुक्त मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं के स्थापना का कार्य प्रगति पर।
- राजकीय ऊसर प्रक्षेत्र कामिशमाबाद-हरदोई, कटियार एवं रहीमाबाद-लखनऊ को माडल प्रक्षेत्र के रूप में विकसित करने का कार्य प्रगति पर।

- जनपद पीलीभीत में जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु 35 क्लस्टर के निर्माण का कार्य प्रगति पर।
- प्रदेश में 08 आकांक्षात्मक जनपदों में 377 नाडेप कम्पोस्ट इकाइयों के स्थापना का कार्य प्रगति पर।
- राजकीय कृषि प्रक्षेत्रों के आधारभूत संरचना विकास के कार्य प्रगति पर।

आगामी वित्तीय वर्ष 2020-21 के भौतिक लक्ष्य एवं भावी कार्यक्रम

योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कृषि एवं संवर्गी विभागों/संस्थाओं हेतु रु. 906.03 करोड़ के वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किये गये :-

योजनान्तर्गत कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय परियोजना जांच समिति (एस0एल0पी0एस0सी0), विभाग/संस्थाओं द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं की स्क्रीनिंग हेतु गठित है। एस0एल0पी0एस0सी0 की संस्तुति एवं भारत सरकार के अभिमत के साथ मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (एस0एल0एस0सी0) में रखी जाती है। एस0एल0एस0सी0 के अनुमोदनानुसार ही परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जायेगा। वर्ष 2020-21 के लिए परियोजनाओं के अनुमोदनार्थ माह जनवरी एवं फरवरी, 2020 में एस0एल0एस0सी0 का आयोजन सम्भावित है। तदोपरान्त ही कार्यक्रमवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों का विवरण दिया जा सकेगा। वर्ष 2020-21 हेतु बी0जी0आर0ई0आई0 उपयोजना, स्वच्छता एक्शन प्लान (एस0ए0पी0) सी0डी0पी0 उपयोजना, ए0एफ0डी0पी0 उपयोजना तथा एनीमल हेल्थ सबस्कीम हेतु भी भारत सरकार से एलोकेशन प्राप्त होने की प्रत्याशा है।

राज्य सहायतित योजना का विवरणः-

पं० दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना

ग्रामीण क्षेत्रों में बीहड़, बंजर एवं जल भराव क्षेत्रों को सुधारने, कृषि मजदूरों की आवंटित भूमि का उपचार कराने तथा उन्हें आजीविका उपलब्ध कराने हेतु पं0 दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक प्रस्तावित है।

योजना के उद्देश्य :-

- योजनान्तर्गत लघु एवं सीमान्त कृषकों की अनुपजाऊ/कम उपजाऊ भूमि को उन्हीं के द्वारा उन्हीं के लिये उन्हीं से सुधार कराना।
- परियोजना क्षेत्र में उपलब्ध बीहड़ एवं बंजर (कृष्य एवं अकृष्य भूमि) तथा ग्रामसभा की भूमि को भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को राजस्व विभाग के सहयोग से आवंटित कराकर अथवा पहले से आवंटित भूमि को खेती योग्य बनाना।
- बीहड़ एवं बंजर भूमि को सुधार कर कृषि उत्पादन योग्य बनाना।
- फसल उत्पादकता में वृद्धि हेतु कृषि, बागवानी एवं कृषि वानिकी से सम्बन्धित कार्य कराना।
- जल भराव क्षेत्रों का उपचार कर फसलोत्पादन तथा उत्पादकता वृद्धि को प्रोत्साहित करना।

- दैनिक मजदूरी के माध्यम से परियोजना क्षेत्र के निवासियों को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार उपलब्ध कराना।

योजना का कार्यक्षेत्र :-

योजना का क्रियान्वयन प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र के समस्त 07 जनपदों को छोड़कर शेष 68 जनपदों में प्रस्तावित है।

वित्तीय नियंत्रण एवं अनुशासन

कृषि विभाग में वित्तीय नियंत्रण एवं अनुशासन बनाये रखे जाने हेतु लेखा संगठन का ढाँचा विद्यमान है। सृजित लेखा संगठन में वित्त नियंत्रक के अधीन वरिष्ठ वित्त एवं लेखा अधिकारी, वित्त एवं लेखा अधिकारी, सहायक लेखा अधिकारी, लेखाकार, सहायक लेखाकार लेखा एवं कार्मिकों के सेवा सम्बन्धी प्रकरणों के विस्तार हेतु कार्यरत है। निदेशालय स्तर पर वित्त नियंत्रक, वरिष्ठवित्त एवं लेखा अधिकारी, लेखा अधिकारी, सहायक लेखा अधिकारी, लेखाकार एवं सहायक लेखाकार पद स्थापित है। मण्डल स्तर पर लेखा अधिकारी, सहायक लेखा अधिकारी, लेखाकार एवं सहायक लेखाकार के पद सृजित हैं। जनपद स्तर एवं कार्यालय स्तर पर लेखाकार एवं सहायक लेखाकार के पद सृजित हैं। निदेशालय स्तर पर निम्नलिखित अनुभागों से लेखा संगठन द्वारा कतिपय कार्य व्यवहरित किये जा रहे हैं:-

1. **बजट अनुभाग :** इस अनुभाग द्वारा बजट मैनुअल के अनुसार आय-व्ययक तैयार कर निर्धारित अवधि में प्रशासकीय विभाग को उपलब्ध कराया जाता है प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर शासन स्तर से निर्गत स्वीकृतियों के सापेक्ष विभागीय कार्यालयों को धन आवंटन किया जाता है तथा इसके सापेक्ष व्यय नियंत्रण का भी सतत अनुश्रवण किया जाता है।

   शासन के दिशा-निर्देश के अनुसार समस्त धन आवंटन वेबबेस्ड डाटा ट्रान्समिशन प्रणाली से कम्प्यूटर साफ्टवेयर के माध्यम से कोषागारों को प्रेषित किया जा रहा है। आहरण सम्बन्धी समस्त कार्य ऑन लाइन साफ्टवेयर के माध्यम से ही किया जा रहा है। राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार समस्त राजकीय भुगतान एन0ई0एफ0टी0/आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से इलेक्ट्रानिकली लाभार्थी के खाते में सीधे किया जा रहा है।

2. **पेंशन अनुभाग :** सेवानिवृत्त कार्मिकों के पुनरीक्षित पेंशन भुगतान आदेश एवं ऐसे ही अन्य प्रकरणों को महालेखाकार कार्यालय/पेंशन स्वीकर्ता कार्यालय से निस्तारित कराये जाने का कार्य किया जाता है। सेवानिवृत्त कार्मिकों के वित्तीय वर्ष 2016-17 में 1646, वित्तीय वर्ष 2017-18 में 2021 तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 में (31.12.2019 तक) 2103 पेंशन प्रकरणों को निस्तारित किया गया। इसी प्रकार से अन्य सेवानिवृत्तिक देयकों के निस्तारण के सम्बन्ध में अपेक्षित कार्यवाही की जाती है।

ई- गवर्नेन्स

नेशनल ई-गवर्नेन्स प्लान एग्रीकल्चर (एनईजीपी-ए), उत्तर प्रदेश

योजना का उद्देश्य :-

योजना का मुख्य उद्देश्य सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार तकनीक का उपयोग करते हुये सरकार द्वारा क्रियान्वित योजनाओं में देय सुविधाओं से किसानों को अवगत कराते हुये कृषि के क्षेत्र में नवीनतम एवं उन्नत कृषि तकनीक के उपयोग द्वारा उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाना एवं योजनाओं के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण को और अधिक प्रभावी तरीके से लागू करना है। इस योजना के माध्यम से केन्द्रीय कृषि पोर्टल एवं राज्य कृषि पोर्टल के बीच एकीकृत तरीके से सूचनाओं के आदान-प्रदान के साथ सभी नागरिकों/कृषकों को सूचनायें एवं सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है।

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ०प्र०

मण्डी परिषद द्वारा संचालित किसानों हेतु कल्याणकारी योजनाएं

नवीन मण्डी स्थलों तथा मण्डी क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों के साथ-साथ किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए मण्डी परिषद, द्वारा मुख्यमंत्री कल्याणकारी योजनाएं चलायी जा रही हैं। कुछ प्रमुख योजनाएं इस प्रकार हैं :-

1- मुख्यमंत्री खेत-खलिहान अग्नि दुर्घटना सहायता योजना

इस योजना में खलिहान में रखी गयी फसल अथवा किसान की खड़ी फसल में आग, बिजली अथवा आकाशीय बिजली से यदि जलकर नष्ट हो जाती है तो उसे मण्डी परिषद द्वारा मण्डी समिति के माध्यम से निम्नलिखित विवरण के अनुसार सहायता धनराशि दी जाती है:-

	अग्निकाण्ड में क्षतिग्रस्त फसल/क्षेत्रफल	देय धनराशि
(अ)	एक हेक्टेयर अर्थात् 2.5 एकड़ तक क्षतिग्रस्त होने की दशा में	अधिकतम रुपये 30,000/- अथवा वास्तविक आंकलित क्षति जो भी कम हो।
(ब)	एक हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर अर्थात् 2.5 एकड़ से 5 एकड़ तक क्षतिग्रस्त होने की दशा में	अधिकतम रुपये 40,000/- अथवा वास्तविक आंकलित क्षति जो भी कम हो।
(स)	2 हेक्टेयर या 5 एकड़ से अधिक क्षतिग्रस्त होने की दशा में	अधिकतम रुपये 50,000/- अथवा वास्तविक आंकलित क्षति जो भी कम हो।

2- मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना

सरकार द्वारा घोषित मण्डी क्षेत्रों के अन्तर्गत कृषि सम्बन्धी कार्य करते हुए किसानों, खेतिहर मजदूरों, मण्डी समिति के लाइसेन्स प्राप्त पल्लेदार, तोलक/मापक, जो केवल कृषि अथवा कृषि से सम्बन्धित कार्य में संलग्न हों, के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर मण्डी परिषद द्वारा मण्डी समिति के माध्यम से संचालित उक्त योजना के अन्तर्गत दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को सहायता दी जाती है।

3- मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना

4- मुख्यमंत्री कृषक उपहार योजना

5- मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन मण्डी समिति के व्यापारी एवं आढ़ती दुर्घटना सहायता योजना

इस योजनान्तर्गत मण्डी समिति से लाईसेन्स प्राप्त किसी व्यापारी एवं आढ़ती की निर्मित मण्डी स्थल/उपमण्डी स्थल परिसर में निर्दिष्ट कृषि उत्पादों का व्यापारिक कार्य करते समय वाह्य हिंसक एवं दृष्टिगत कारणों से मृत्यु होने पर उनके विधिक उत्तराधिकारी को आर्थिक सहायता के रूप में सहायता राशि रु. 3.00 लाख दिये जाने की व्यवस्था की गयी है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में माह नवम्बर, 2019 तक कोई भुगतान किये जाने की सूचना सम्भागों से प्राप्त नहीं हुई है। इस योजना के अन्तर्गत दावा प्राप्त होने पर मण्डी समितियों द्वारा नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

6- मुख्यमंत्री मण्डी स्थल/उपमण्डी स्थल अग्निकाण्ड दुर्घटना सहायता योजना

इस योजनान्तर्गत मण्डी स्थल एवं उपमण्डी स्थल के परिसरों में कार्यरत ऐसे लाइसेन्स प्राप्त व्यापारियों एवं आढ़तियों, जिन्हें मण्डी परिसर में दुकान अथवा स्थान आवंटित किया गया है, मण्डी स्थल एवं उपमण्डी स्थल के परिसर में अग्नि दुर्घटना होने पर व्यापारियों एवं आढ़तियों को हुई वास्तविक क्षति अथवा धनराशि रु. 2.00 लाख, जो भी कम हो, आर्थिक सहायता के रूप में दिये जाने की व्यवस्था दिनांक 01.04.2019 प्रारम्भ की गयी है।

7- बुन्देलखण्ड पैकेज अन्तर्गत विशिष्ट मण्डी स्थलों एवं ग्रामीण अवस्थापना केन्द्रों का निर्माण

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के पिछड़ेपन के दृष्टिगत इसके समग्र विकास के लिये योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा विशेष आर्थिक पैकेज स्वीकृत किया गया है जिसके अन्तर्गत कृषि विपणन एवं भण्डारण की अवस्थापना सुविधाओं के विकास का दायित्व मण्डी परिषद को सौंपा गया है। इस हेतु रु. 667.77 करोड़ की आर्थिक सहायता भी अनुमोदित की गयी है। योजना अन्तर्गत परिषद द्वारा बुन्देलखण्ड के 07 जनपदों, (ललितपुर रु. 66.00 करोड़, बांदा रु. 63.47 करोड़ चित्रकूट रु. 64.02 करोड़, महोबा रु. 55.67 करोड़, हमीरपुर रु. 58.40 करोड़, जालौन रु. 62.86 करोड़ एवं झांसी रु. 63.52 करोड़) में कुल रु. 433.94 करोड़ की परियोजना स्वीकृत की गयी है। इसी प्रकार कुल 133 नग ग्रामीण अवस्थापना केन्द्रों (रिन) जिनकी लागत रु. 216.82 करोड़ है, की परियोजनायें स्वीकृत की गयी हैं। 06 विशिष्ट मण्डी स्थलों एवं 133 रिनों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है।

ग्राम्य विकास

भूमिका

ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश, राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास एवं गरीब परिवारों की निर्धनता दूर करने के लिये प्रतिबद्ध है। तदनुसार विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है जिनका उद्देश्य मजदूरी की गारंटी देना, महिलाओं के सुदृढ़ स्वयं सहायता समूहों का गठन कर उन्हें स्वतः रोजगार के क्रियाकलापों में स्थापित कराना ताकि वे स्वयं अपना आर्थिक उत्थान कर सकें, ग्रामीण आधारभूत संरचना का निर्माण, सभी गरीब आवास विहीन परिवारों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराना, ताकि ग्रामीण परिवारों के जीवन स्तर में अपेक्षित स्तर तक सुधार हो सके।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), मुख्य मंत्री आवास योजना-ग्रामीण, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना, विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि (विधायक निधि), बाबा साहब अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन तथा मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना आदि योजनाएं संचालित की जा रही हैं।

आजादी के सात दशक से पिछड़े और वंचित गांवों को चिन्हित कर उनमें प्राथमिकता पर विकास कार्य कराए जा रहे हैं। प्राकृतिक आपदा, कालाजार प्रभावित क्षेत्रों, जापानी एन्सेफलाइटिस/एक्यूट एन्सेफलाइटिस सिंड्रोम (जे.ई./ए.ई.एस.), तथा वनटांगिया, मुसहर जनजाति प्रभावित परिवारों को प्राथमिकता पर निःशुल्क आवासीय सुविधा से लाभान्वित किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में ग्राम्य विकास विकास विभाग द्वारा रोजगार परक एवं अवस्थापना विकास की योजनाओं का संचालन कर ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए निर्धारित किये गए लक्ष्यों को प्राप्त किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य सरकार के संकल्प को पूरा करने का हर सम्भव प्रयास किया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक ग्राम्य विकास कार्यक्रम का लाभ निचले स्तर तक पहुंचाने हेतु व्यापक रणनीति तैयार कर ही गयी है। एवं बजटीय व्यवस्था आवश्यकतानुरूप करायी जा रही है।

जिला स्तर

जिला स्तर पर विभिन्न कार्यक्रयों के सुव्यवस्थित एवं प्रभावी संचालन हेतु प्रशासनिक व्यवस्था

के अंतर्गत मुख्य विकास अधिकारी के नेतृत्व में जिला स्तर पर सृजित किये गये पदों का विवरण निम्नवत् है :-

1- मुख्य विकास अधिकारी
2- सहायक लेखाधिकारी
3- जिला विकास अधिकारी
4- परियोजना निदेशक
5- उपायुक्त श्रम/स्वतः रोजगार
6- सहायक परियोजना अधिकारी
7- अपर परियोजना निदेशक
8- अपर परियोजना अर्थशास्त्री
9- सहायक अभियन्ता।

विकास खण्ड स्तर

विकास खण्ड पर खण्ड विकास अधिकारी के पद सृजित हैं। इनकी सहायता हेतु सम्बन्धित योजनाओं के सहायक विकास अधिकारी तथा संयुक्त खण्ड विकास अधिकारी के पद भी सृजित हैं।

ग्राम स्तर

ग्राम स्तर पर कार्य संचालन का उत्तरदायित्व ग्राम विकास अधिकारी का है जो विषयवस्तु विशेषज्ञ (सहायक विकास अधिकारियों) के सहयोग से कार्य करते हैं।

दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान (मुख्यालय लखनऊ)

इस विभाग का संचालन एक पृथक महानिदेशक द्वारा किया जाता है। महानिदेशक की सहायता हेतु अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक तथा शोध अधिकारी के पद सृजित हैं।

उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद, उत्तर प्रदेश

इस विभाग का संचालन आयुक्त, उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद द्वारा किया जाता है। आयुक्त की सहायता हेतु संयुक्त आवास आयुक्त, सहायक आवास आयुक्त एवं वित्त नियन्त्रक के पद सृजित हैं।

उ०प्र० ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण

अभिकरण का संचालन मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा किया जाता है। अभिकरण में विभिन्न अधिकारियों के मध्य समन्वय हेतु अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी का एक पद सृजित किया गया है। अभिकरण का वित्तीय प्रबन्धन वित्त नियंत्रक द्वारा सुनिश्चित किया जाता है, जबकि अभिकरण के तकनीकी कार्यों के लिये मुख्य अभियन्ता, राज्य गुणवत्ता समन्वयक, राज्य तकनीकी अधिकारी एवं वरिष्ठ अभियन्ता (गुणवत्ता नियंत्रण) के पद हैं। अभिकरण की सूचना प्रबन्ध व्यवस्था हेतु आई०टी० कोआर्डिनेटर, एम एण्ड ई स्पेशलिस्ट एवं सूचना अधिकारी के पद हैं जबकि अभिकरण के सामान्य प्रशासनिक कार्यों हेतु उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी का पद सृजित है।

राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के क्रियान्वयन के लिये मुख्यालय पर शीर्ष संस्था के रूप में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन सोसायटी का गठन किया गया है। सोसायटी की जनरल बॉडी के अध्यक्ष मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन हैं। प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश शासन समिति के उपाध्यक्ष हैं।

राज्य स्तर पर आयुक्त ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश पदेन मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सी.ई.ओ.) है तथा उनके अधीन मिशन निदेशक, अपर मिशन निदेशक, संयुक्त मिशन निदेशक, मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी तथा प्रोफेशनल्स की टीम का प्रावधान है। इसी प्रकार जिले स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी के अधीन उपायुक्त (स्वतः रोजगार)/परियोजना निदेशक एन.आर.एल.एम तथा प्रोफेशनल की टीम का प्रावधान है। विकास खण्ड स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी की अध्यक्षता में प्रोफेशनल्स की टीम का प्रावधान है।

महात्मा गांधी नरेगा राज्य स्तरीय प्रकोष्ठ

इसका संचालन रोजगार गारंटी आयुक्त द्वारा किया जाता है। रोजगार गारंटी आयुक्त की सहायता हेतु अपर आयुक्त मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, संयुक्त आयुक्त, उपायुक्त एवं सहायक आयुक्त कार्यरत हैं।

सोशल आडिट निदेशालय

भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में मनरेगा के कार्यों की सोशल आडिट किये जाने हेतु सोशल आडिट निदेशालय स्थापित किया गया है जिसका संचालन निदेशक सोशल आडिट द्वारा किया जाता है। निदेशक सोशल आडिट के अन्तर्गत यह देखा जाता है कि मनरेगा एवं प्रधानमंत्री आवास के कार्यक्रमों में पारदर्शिता एवं जवाबदेही के मानकों का पालन किया जाता रहा है अथवा नहीं। निदेशक सोशल आडिट की सहायता हेतु दो विशेषज्ञों, सोशल आडिट विशेषज्ञ एवं वित्त विशेषज्ञ की तैनाती की गयी है।

उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन

दीनदयाल अन्त्योदय योजना-एन.आर.एल.एम. भारत सरकार की एक महत्त्वाकांक्षी योजना है। एन.आर.एल.एम. का प्रारम्भ पूर्व में संचालित स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की कमियों जैसे कि ग्रामीण परिवारों का असामान्य गठन, सदस्यों का अनुपयुक्त क्षमतावर्धन, बैंक द्वारा पर्याप्त ऋण-वितरण का अभाव एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन करने हेतु सक्षम-प्रोफेशनल्स का अभाव इत्यादि को दुरस्त करते हुये किया गया। एन.आर.एल.एम. भारत सरकार द्वारा संचालित बड़े पैमाने पर गहन रूप से समुदाय द्वारा संचालित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है। वर्तमान में इस योजना का क्रियान्वयन भारत के समस्त 28 राज्यों में चरणबद्ध क्रियान्वयन रणनीति के तहत किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश में इस योजना का प्रारम्भ वर्ष 2013 में किया गया। उत्तर प्रदेश में इस योजना के क्रियान्वयन हेतु उ.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की स्थापना ग्राम्य विकास विभाग के संरक्षण में एक स्वायत्त संस्था के रूप में की गयी जिसका पंजीकरण सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट- 1860 के अन्तर्गत

किया गया है। यह योजना उ.प्र. सरकार के ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित की जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उ.प्र. राज्य में रह रहे ग्रामीण गरीब परिवारों की कम से कम एक महिला सदस्य को समूह एवं अन्य सामुदायिक संस्था के माध्यम से संगठित कर उन्हें स्वावलम्बी बनाना है। विविध आजीविका कार्यकलापों को ध्यान में रखते हुए मिशन 03 आधारों पर कार्य करता है- गरीबों के लिये विद्यमान आजीविका विकल्पों में वृद्धि करना, बाहरी क्षेत्रों में रोजगार के अनुसार उनका कौशल विकास करना और स्वरोजगार एवं उद्यमशीलता (लघु उद्यमों के लिये) को प्रोत्साहित करना। इस योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के एक करोड़ दस लाख ग्रामीण गरीब परिवारों को दस लाख स्वयं सहायता समूह, एक लाख ग्राम संगठन एवं तीन हजार संकुल स्तरीय संगठनों में संगठित करना है।। मिशन अन्तर्गत बजट व्यवस्था भारत सरकार द्वारा 60 प्रतिशत एवं राज्य सरकार द्वारा 40 प्रतिशत के अनुपात में की जाती है।

मिशन का उद्देश्य -

- ग्रामीण गरीब महिलाओं को स्वयं सहायता समूह एवं समूहों को ग्राम संगठन एवं संकुल स्तरीय संघ के रूप में संगठित करना।
- गठित स्वयं सहायता समूहों एवं उनके संगठनों का प्रशिक्षण एवं क्षमता वर्धन करना।
- ग्रामीण गरीब परिवारों का सामाजिक एवं आर्थिक विकास कर जीवनयापन का बेहतर अवसर प्रदान करना।
- समूहों एवं उनके संगठनों की आवश्यकताओं एवं जीविकोपार्जन हेतु मिशन की तरफ से रिवाल्विंग फण्ड एवं सामुदायिक निवेश निधि प्रदान करना।
- मिशन के अन्तर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों को बैंक से कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाना।

क्रियान्वयन रणनीति -

- परियोजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य, जिला व विकास खण्ड स्तर पर मिशन प्रबंधन इकाई की स्थापना की जाती है जिसमें योग्य एवं अनुभवी एवं समर्पित प्रोफेशनल्स की नियुक्ति की तैनाती की जाती है।
- कार्यक्रम के क्रियान्वयन के सामुदायिक-प्रचालन नियमावली सहित अन्य प्रचालन नियमावली तैयार की गयी है।
- वृहद् स्तर पर सामुदायिक कैडर जैसे- बुक कीपर, समूह सखी, सामुदायिक सन्दर्भ व्यक्ति आदि का विकास करना एवं परियोजना के फैलाव, क्रियान्वयन एवं सामुदायीकरण के लिये सहयोग प्राप्त किया जाता है।
- वित्तीय वर्ष 2018-19 में उ.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का क्रियान्वयन इन्टेन्सिव रणनीति के अन्तर्गत राज्य के 44 जनपदों के 266 विकास खण्डों में किया जा रहा है। (05 जनपदों के 16 विकास खण्ड माह दिसम्बर 2018 में इन्टेन्सिव घोषित हुये हैं।)
- वित्तीय वर्ष 2019-20 में उ.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का क्रियान्वयन इन्टेन्सिव रणनीति के अन्तर्गत राज्य के 52 जनपदों के 453 विकास खण्डों में किया जा रहा है।

मिशन द्वारा ग्रामीण परिवेश की महिलाओं के जीविकोपार्जन हेतु क्रियान्वित कार्यक्रम-

- महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना में 194731 महिला किसानों को सतत कृषि पद्धतियों एवं गुणात्मक पशुपालन पर प्रशिक्षण दिया गया है।
- **बुन्देलखण्ड क्षेत्र में डेयरी वेल्यू चेन (दुग्ध मूल्य श्रृंखला)** कार्यक्रम के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड क्षेत्र में दुग्ध बेचने हेतु महिलाओं की प्रोड्यूसर कम्पनी का गठन कर बुन्देलखण्ड के 05 जनपदों (चित्रकूट, झांसी, बाँदा, हमीरपुर एवं जालौन) में 05 वर्षों में 48000 महिला किसानों के साथ कार्य करते हुए पंचम वर्ष के अन्त तक प्रतिदिन 1,60,000 लीटर दुग्ध का संग्रह किया जायेगा एवं प्रत्येक महिला को रु. 40,000 प्रतिवर्ष का अतिरिक्त लाभ होगा।
- **स्टार्ट अप विलेज इंटरप्रोन्योरशिप प्रोग्राम** के अंतर्गत 06 जनपदों में कुल 10000 उद्यमियों को विकसित किया जाना है जिसके सापेक्ष अब तक लघु उद्यमियों को लाभान्वित किया जा चुका है।
- **70 लाख सौर ऊर्जा कार्यक्रम** के अंतर्गत 29 जनपदों के 115 विकास खण्डों में लगभग 34 लाख सोलर लैम्प की एसेम्बली एवं डिस्ट्रीब्यूशन स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा किया है एवं इस कार्य से रु. 6 करोड़ की आय हो चुकी है।
- **आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना** के माध्यम से 185 वाहनों का संचालन कर दूर दराज के ग्रामों को ब्लॉक मुख्यालय एवं कस्बों से जोड़ा जा रहा है।

मिशन द्वारा अभिसरण के माध्यम से किये जा रहे कुछ महत्त्वपूर्ण कार्य

- **स्कूल यूनीफार्म सिलाई** के माध्यम से सर्वशिक्षा अभियान, बेसिक शिक्षा, कस्तूरबा विद्यालय आदि स्कूलों के छात्र/छात्राओं की 2620840 यूनीफार्म की सिलाई (ड्रेस मेकिंग) कार्य से एस.एच.जी. की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त एवं स्वावलम्बी बनाया गया है।
- **फार्म मशीनरी बैंक** के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को जोड़ कर अब तक कुल 110 फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना की जा चुकी है।

आजीविका सम्बन्धी अन्य गतिविधियाँ

- इसके अंतर्गत प्रदेश के विकास भवनों एवं विकास खण्ड कार्यालयों में 360 कैफेटेरिया- ''प्रेरणा कैन्टीन'' का संचालन जनपद आजमगढ़, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर के चिकित्सालयों में गर्भवती/ प्रसूता महिलाओं को भोजन की आपूर्ति की जा रही है।
- इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रदेशों में आयोजित होने वाले मेलों में स्वयं सहायता समूहों की सहभागिता एवं मनरेगा योजना के अंतर्गत लगाये जाने वाले सिटीजन इन्फारमेंशन बोर्ड आदि के निर्माण का कार्य कराया जा रहा है, जिससे आय अर्जन के साथ-साथ उन्हें स्वावलम्बी एवं सशक्त बनाया जा रहा है।
- विशेष अभिसरण के अंतर्गत बैकयार्डपोल्ट्री, जरी, जरदोजी एवं कास्ट कला, स्वास्थ्य, पोषण पर कार्य किया जा रहा है।

- ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में प्रत्येक प्रदेश में आयोजित होने वाले मेलों में उ.प्र. के स्वयं सहायता समूहों की सहभागिता करायी जा रही है।
- वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 1250.72 करोड़ की व्यवस्था बजट में की गयी है एवं योजना के अंतर्गत माह नवम्बर 2019 तक कुल 338430 समूह गठित कर 3615954 परिवारों को जोड़ा गया है। इसमें से 181593 समूहों को रिवाल्विंग फण्ड, 88476 समूहों को बैंक क्रेडिट 82449 समूहों को सी.आई.एफ. दिलाया गया है। इसके अतिरिक्त 12232 ग्राम संगठन व 427 क्लस्टर लेवल फेडरेशन गठित किये गये हैं। योजना के अंतर्गत अब तक रु. 272.38 रिवाल्विंग फण्ड, रु. 906.93 करोड़ सी.आई.एफ. रु. 442.38 करोड़ का बैंक क्रेडिट लिंकेज भी कराया गया है।
- वर्ष 2020-21 हेतु रु. 1572.19 करोड़ की व्यवस्था बजट में प्राविधानित की गयी है जिसमें 60 प्रतिशत केन्द्रांश रु. 943.31 करोड़ एवं 40 प्रतिशत राज्यांश रु. 628.88 करोड़ है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम

योजना का प्रारम्भ –

प्रथम चरण 2 फरवरी, 2006 से 22 जनपदों में, दूसरा चरण 15 मई, 2007 से 17 अतिरिक्त जनपदों में तथा तीसरा चरण 01 अप्रैल, 2008 से सभी जनपदों में।

उद्देश्य –

इस अधिनियम का उद्देश्य ऐसे प्रत्येक ग्रामीण परिवार, जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रमकार्य करना चाहते हैं, को एक वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिनों की गारण्टीयुक्त मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराना है।

वित्त पोषण –

भारत सरकार द्वारा अकुशल मजदूरी पर शत-प्रतिशत अंश। सामग्री पर भारत सरकार का 75 प्रतिशत अंश एवं राज्य सरकार का 25 प्रतिशत अंश।

योजना के मुख्य बिन्दु

- माँग आधारित योजना। परिवारों का पंजीकरण ग्राम पंचायत में किया जाता है।
- ग्राम पंचायतें/कार्यक्रम अधिकारी रोजगार आवंटित करने के लिए उत्तरदायी हैं।
- श्रमिक को रोजगार उसके निवास के 05 किमी. के अन्दर दिया जायेगा। उससे अधिक दूरी होने पर 10 प्रतिशत अधिक मजदूरी का भुगतान श्रमिक को देय होगा।
- 15 दिन के अन्दर रोजगार न दिये जाने पर नियमानुसार बेरोजगारी भत्ते का भुगतान किया जायेगा।
- प्रदेश में मजदूरी दर रु. 182/- प्रति मानव दिवस निर्धारित है।

योजनान्तर्गत कराये जाने वाले कार्य

- कंटूर ट्रेंच (समान गहराई वाली खाई), समोच्च बांध, पत्थर के रोक बांध (बोल्डर चेक),

बेलनाकार संरचनाएँ, भूमिगत बांध, मिट्टी के बांध, रोक बांध तथा स्प्रिंगशेड विकास सहित जल संरक्षण एवं जल संचय,

- सूखे से बचाव के लिए वनरोपण और वृक्षारोपण,
- सिंचाई के लिए सूक्ष्म और लघु सिंचाई परियोजनाओं सहित नहरों का निर्माण,
- अनुसूची-1 के प्रस्तर 1ग में निर्दिष्ट परिवारों द्वारा स्वामित्वाधीन भूमि पर सिंचाई सुविधाओं, खेत में बनाए गए तालाब, बागवानी, पौधरोपण, खेत बांध और भूमि विकास का प्रावधान,
- परम्परागत जल निकायों के पुनर्जीवीकरण सहित जलाशयों की गाद निकालना,
- भूमि विकास,
- बाढ़ नियन्त्रण एवं सुरक्षा परियोजनाएँ जिनमें जलभराव से ग्रस्त इलाकों में पानी की निकासी, बाढ़, नालों (चैनलों) को गहरा करना और मरम्मत करना, चौर नवीकरण, तटीय संरक्षण के लिए स्टोर्मवाटर ड्रेनों का निर्माण शामिल है,
- ग्रामों के भीतर जहाँ भी आवश्यक हो, पुलियों और सड़कों की व्यवस्था सहित बारहमासी सड़क संपर्क मुहैया कराने के लिए ग्रामीण सड़क संपर्क,
- ब्लॉक स्तर पर ज्ञान संसाधन केन्द्र के रूप में भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केन्द्र तथा ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत भवन का निर्माण,
- कृषि से सम्बन्धित कार्य जैसे कि एनएडीईपी कम्पोस्टिंग, वर्मी-कम्पोस्टिंग, तरल-जैव खाद,
- पशुधन सम्बन्धी कार्य जैसे कि मुर्गीपालन शेल्टर, बकरी शेल्टर, पक्का फर्श निर्माण, यूरिन टैंक तथा पशुओं के लिए चारे की गाद, पशु आहार पूरक के रूप में अजोला,
- मत्स्यपालन सम्बन्धी कार्य जैसे कि सार्वजनिक भूमि पर मौसमी जल निकायों में मछली पालन,
- तटवर्ती क्षेत्रों में कार्य जैसे कि मछली सुखाने के यार्ड, बैल्ट वेजीटेबल क्षेत्र,
- ग्रामीण पेयजल सम्बन्धी कार्य जैसे कि सोख्ता गड्ढा, रिचार्ज पिट्स,
- ग्रामीण स्वच्छता सम्बन्धी कार्य जैसे कि वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय, विद्यालय शौचालय, आंगनबाड़ी शौचालय, ठोस व तरल अपशिष्ट सामग्री प्रबन्धन,
- प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण आवास के निर्माण में 90 मानव दिवस का श्रमांश,
- खाद्य गोदामों का निर्माण,
- आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण,
- खेल के मैदानों का निर्माण,
- राज्य सरकार के परामर्श से केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले कोई अन्य कार्य,
- माह जुलाई, 2014 से भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार योजनान्तर्गत कुल व्यय का 60 प्रतिशत व्यय कृषि से संबंधित कार्यों के लिए किया जायेगा।
- **वित्तीय वर्ष 2019-20 की प्रगति-** रोजगार सृजन के भौतिक लक्ष्य 25.00 करोड़

मानव दिवस के सापेक्ष दिनांक 10.12.2019 तक 16.11 करोड़ मानव दिवस का रोजगार सृजित किया गया है तथा रु. 3927.38 करोड़ की धनराशि व्यय करके 43.84 लाख परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में दिनांक 10.12.2019 तक 96 प्रतिशत मजदूरी का भुगतान ससमय किया गया है। ए.बी.पी.एस. से जुड़े श्रमिकों की संख्या को 22 लाख से बढ़ाकर लगभग तीन गुना 63.73 लाख किया गया। (कुल 106.78 लाख क्रियाशील श्रमिकों के सापेक्ष 63.73 लाख-60 प्रतिशत) आधार से कुल 106.78 लाख क्रियाशील श्रमिकों के सापेक्ष 97.41 लाख अर्थात् 86 प्रतिशत श्रमिक जोड़े गए। पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु जियो टैगिंग की जा रही है। कुल कराए गए कार्य 45.57 लाख के सापेक्ष कुल 41.99 लाख अर्थात् 92 प्रतिशत कार्यों की जियो टैगिंग की जा चुकी है। तालाबों के निर्माण/जीर्णोद्धार की प्रगति नरेगा योजनान्तर्गत 15189 तालाबों का चयन किया गया है जिसमें से 13242 तालाबों का कार्य पूर्ण हो चुका है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 हेतु लक्षित 10,425 आँगनबाड़ी केन्द्रों के सापेक्ष लगभग १०३८७ केन्द्र पूर्ण कराए गए। वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु लक्षित 5993 आँगनबाड़ी केन्द्रों के सापेक्ष 5895 केन्द्रों का कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है जिसके सापेक्ष 2297 केन्द्र पूर्ण कराए गये। 05 जनपदों के 34 वनटांगिया ग्रामों में 7415 परिवारों में 7415 जॉब कार्ड निर्गत किये गये हैं। 188047 मानव दिवस लक्ष्य के सापेक्ष 309150 मानव दिवस सृजित किये गये हैं। 34 वनटांगिया ग्रामों में 12 तालाबों के जीर्णोद्धार के लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत संतृप्तिकरण कर लिया गया है। 19 जनपदों में 51120 मुसहर परिवार चिह्नित कर 49025 मुसहर परिवारों को जॉब कार्ड निर्गत किये गये हैं। 2010990 मानव दिवस का सृजन किया गया है। नदियों के पुनरुद्धार का कार्य भी प्रगति पर है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में नदियों के पुनरुद्धार की कार्यवाही की जा रही है। उक्त नदियों के पुनरुद्धार के अंतर्गत कुल 2766.39 किमी0 के सापेक्ष 618.39 किमी0 पर कार्य पूर्ण करते हुए 2438.56 लाख रुपये धनराशि व्यय की गई है।

वर्ष 2020-21 में श्रम बजट अनुमानित 35.00 करोड़ मानव दिवस सृजन किये जाने का लक्ष्य है।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण

ग्रामीण आवास योजना की उत्पत्ति राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एनआरईपी-1980) और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (आरएलईजीपी-1983) के मजदूरी रोजगार कार्यक्रमों से हुई थी क्योंकि इन कार्यक्रमों के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति और मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों के लिए मकानों के निर्माण की अनुमति दी जाती थी। जून, 1985 से आरएलईजीपी की उप-योजना के रूप में इंदिरा आवास योजना शुरू की गई जिसमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों के मकानों के निर्माण के लिए निधियों का निर्धारण किया गया। जब अप्रैल, 1989 में जवाहर रोजगार योजना (जे आर वाई) शुरू की गई थी तब इसकी 6 प्रतिशत निधियां अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों के मकानों के निर्माण के लिए आवंटित की जाती थी। (वर्ष 1993-94) में जेआरवाई के अंतर्गत मकानों के लिए निर्धारित निधियों को बढ़ाकर 10 प्रतिशत करते हुए गैर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों को भी इसमें

शामिल किया गया। अतिरिक्त 4 प्रतिशत निधियों का उपयोग गैर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के लिए किया जाना था।

लक्ष्य एवं उद्देश्य

वर्ष 2022 तक सभी को आवास उपलब्ध कराने के लिए सरकार वचनबद्ध है। ग्रामीण आवास परिदृश्य में इस कमी को दूर करने तथा सरकार की इस प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए आईएवाई योजना को वर्ष 2016-17 से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के रूप में पुनर्गठित किया गया है। पीएमएवाई-जी के अन्तर्गत सभी बेघर परिवारों और कच्चे तथा जीर्ण-शीर्ण मकानों में रह रहे परिवारों को वर्ष 2022 तक बुनियादी सुविधायुक्त पक्का आवास उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना का क्रियान्वयन पूर्णतः केन्द्र पोषित योजना के रूप में दिनांक 25-12-2000 से प्रदेश में किया गया था। योजना के अन्तर्गत मैदानी क्षेत्र में 500 अथवा उससे अधिक आबादी (2001 की जनगणना के आधार पर) की बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ना था। नक्सल प्रभावित जनपदों में सम्पर्क मार्गों के चयन हेतु आबादी का न्यूनतम मानक 250 है। साथ ही पूर्व में निर्मित ग्रामीण सम्पर्क मार्ग (अन्य जिला मार्ग एवं ग्रामीण मार्ग) के उच्चीकरण के कार्य भी योजनान्तर्गत अनुमन्य किये गये थे। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर चिह्नित 500 या उससे अधिक आबादी की समस्त जुड़ सकने योग्य ग्रामीण बसावटों को पक्के मार्गों से एकल सम्पर्कता के आधार पर आच्छादित करने का लक्ष्य पूर्ण कर लिया गया है। नक्सल प्रभावित जनपदों में 250 या उससे अधिक आबादी की ग्रामीण बसावटों को योजनान्तर्गत आच्छादित किये जाने का लक्ष्य भी पूर्ण कर लिया गया है।

प्रदेश की उक्त उपलब्धियों के कारण ही इसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के द्वितीय चरण (पी.एम.जी.एस.वाई-2) के क्रियान्वयन हेतु देश में चयनित किये गये मात्र 08 राज्यों (पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम एवं उत्तर प्रदेश) के साथ सम्मिलित किया गया है। केन्द्र सरकार द्वारा पी.एम.जी.एस.वाई-2 के अन्तर्गत पूर्व निर्मित व जर्जर मार्गों के सुधार के कार्य अनुमन्य किये गये हैं।

वित्तीय वर्ष 2015-16 में भारत सरकार द्वारा फण्डिंग पैटर्न में बदलाव कर दिया गया है जिसके अनुसार केन्द्रांश 60 प्रतिशत तथा राज्यांश 40 प्रतिशत है। यह व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2015-16 से ही लागू कर दी गयी है।

इस योजना के सुचारु रूप से संचालन, क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण हेतु सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के अधीन राज्य स्तर पर ग्राम्य विकास विभाग के अधीन उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण (यू.पी.आर.आर.डी.ए.) का एक पंजीकृत समिति के रूप में गठन किया गया है। प्रदेश में योजना का क्रियान्वयन मुख्यतः दो कार्यदायी संस्थाओं- लोक निर्माण विभाग तथा ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के माध्यम से कराया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रदेश के 42 जनपदों में तथा ग्रामीण

अभियन्त्रण विभाग द्वारा शेष 33 जनपदों में योजना क्रियान्वित की जा रही है। योजना के क्रियान्वयन हेतु कार्यदायी संस्थाओं द्वारा प्रत्येक जनपद में कार्य की मात्रा के आधार पर कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाइयों का गठन किया गया है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत लोक निर्माण विभाग तथा ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के मध य आवंटित जनपदों का विवरण निम्नवत् हैः-

लोक निर्माण विभाग द्वारा सेवित 42 जनपद :-

आगरा, प्रयागराज, अम्बेडकरनगर, औरैया, आजमगढ़, बहराइच, बलरामपुर, बरेली, चन्दौली, चित्रकूट, बिजनौर, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, गोरखपुर, गाजीपुर, हमीरपुर, हरदोई, हाथरस, अमरोहा, झांसी, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कौशाम्बी, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, मैनपुरी, मऊ, प्रतापगढ़, सन्तकबीरनगर, सहारनपुर, शाहजहांपुर, श्रावस्ती, सीतापुर, सुल्तानपुर, अमेठी, वाराणसी, जालौन, सोनभद्र।

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा सेवित 33 जनपद :-

अलीगढ़, जौनपुर महराजगंज, मेरठ, मुरादाबाद, सम्भल, मुजफ्फरनगर, शामली, रायबरेली, रामपुर, सिद्धार्थनगर, उन्नाव, देवरिया, बाँदा, फर्रुखाबाद, बदायूं, बागपत, बाराबंकी, बस्ती, मथुरा, कासगंज, एटा, इटावा, फैजाबाद, गोण्डा, कुशीनगर, ललितपुर, महोबा, पीलीभीत, भदोही, बुलन्दशहर एवं मिर्जापुर।

भौतिक प्रगति

- वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 में हेतु 700 किलोमीटर सड़कें निर्मित करने का लक्ष्य रखा गया है तथा दिनांक 03.12.2019 तक 282.53 किमी0 सड़कें बनाई जा चुकी हैं।
- योजना के अन्तर्गत प्रदेश में वर्ष 2017-18 व 2018-19 में नई तकनीकों का प्रयोग कर 1926.10 किलोमीटर सड़कों का निर्माण प्रस्तावित किया गया था जिसमें वेस्ट प्लास्टिक-760.41 किमी., कोल्ड मिक्स-584.07 किमी., नैनो टेक्नोलोजी-517.36 किमी., सी.सी. ब्लाक-26.78 किमी., फ्लाई ऐश-27.80 किमी., आरसीसीपी-6.90 किमी., लाईम स्टेब्लाइजेशन 1.50 किमी. तथा पैनेल्ड सीमेन्ट कान्क्रीट 1.28 किमी० सम्मिलित है। योजनान्तर्गत प्रदेश में 30.11.2019 तक नई तकनीकों का प्रयोग कर 1735.02 किमी. सड़क का निर्माण किया जा चुका है एवं अन्य कार्य प्रगति पर हैं।
- योजना में निर्मित सड़कें जो लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित की जा चुकी थीं उनमें से जो सड़कें निर्माण के बाद 6वें, 7वें, 8वें वर्ष में है उनका पीरियाडिक रिन्यूवल पीएमजीएसवाई द्वारा कराया जा रहा है। वर्तमान वर्ष में ऐसी अद्यतन 215.46 किमी. लम्बाई का पीरियाडिक रिन्यूवल का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा 125.400 किलोमीटर का कार्य माह मार्च 2020 तक पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है। इन कार्यों पर इस वर्ष अब तक रु. 18.83 करोड़ व्यय किया जा चुका है तथा इसके अतिरिक्त मार्च 2020 तक रु. 38.55 करोड़ व्यय किया जाना अनुमानित है।

- वर्तमान में पीएमजीएसवाई-3 के अन्तर्गत डी.पी.आर. गठन की कार्यवाही की जा रही है। वर्ष 2019-20 हेतु प्रदेश को 2500 किमी० लम्बाई को उच्चीकरण करने का लक्ष्य है। इस योजना की विशेषता है कि प्रत्येक मार्ग को अस्पताल, विद्यालय, डिग्री कालेज, किसान मण्डी एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन क्लस्टर, के अंक निर्धारित किये गये हैं। सड़क का चयन अंकों के आधार पर किया जायेगा। योजना में केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 60:40 है तथा 10 वर्ष डिजाइन अवधि पूर्ण करने वाली सड़कों को ही चयनित किया जायेगा।

वित्तीय प्रगति

- वित्तीय वर्ष 2019-20 के प्रारम्भ में रु. 969.18 करोड़ प्रारम्भिक शेष था। इस प्रकार योजना के कार्यों हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है।
- योजना के कार्यों पर दिनांक 30.11.2019 तक रु. 239.50 करोड़ व्यय किया जा चुका है।

अनुरक्षण व्यवस्था

- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की एक महत्त्वपूर्ण विशिष्टता योजनान्तर्गत निर्मित मार्गों का निर्माणोपरान्त 5 वर्ष तक सुनिश्चित रख-रखाव भी है। मार्गों के निर्माण हेतु गठित किये जाने वाले अनुबन्ध में ही उक्त व्यवस्था अन्तर्निहित है। मार्ग के पूर्ण होने की तिथि से 6 माह पश्चात् उसके 5 वर्षीय अनुरक्षण की व्यवस्था प्रभावी हो जाती है जिसके लिये राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष विभागीय आय-व्ययक में उचित वित्तीय प्राविधान भी सुनिश्चित किया जाता है। निर्माणोपरान्त 5 वर्ष तक निर्मित मार्गों के अनुरक्षण का दायित्व उसी ठेकेदार का है जिसके द्वारा मार्ग का निर्माण किया गया है। अनुरक्षण के 5 वर्ष समाप्त हो जाने के पश्चात् मार्गों को आगे नियमित अनुरक्षण हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित कर दिया जाता है।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की 05 वर्षीय अनुरक्षणाधीन सड़कों को गड्ढामुक्त रखने हेतु प्रदेश में वर्ष 2019-20 में अभियान चलाया गया तथा दिनांक 30.11.2019 किमी० सड़कों की गड्ढामुक्ति सुनिश्चित की गयी।
- प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता के दृष्टिगत सड़कों के रख-रखाव हेतु अभियान चलाकर अनुरक्षणाधीन सड़कों को अनुरक्षण अवधि में गड्ढामुक्त रखने की कार्यवाही की जा रही है। तत्क्रम में सतत अनुश्रवण कर जनपदों को अनुपालन की सुनिश्चितता हेतु निर्देश दिये गये हैं।
- योजनान्तर्गत निर्मित मार्गों के अनुरक्षण हेतु इस वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 50 करोड़ का प्राविधान है जिसके सापेक्ष वर्ष 30.11.2019 तक प्रदेश सरकार द्वारा रु. 40 करोड़ की धनराशि उपलब्ध करा दी गयी है। अद्यतन रु. 35.30 करोड़ व्यय किया गया है तथा शेष धनराशि माह मार्च 2020 तक व्यय की जानी प्रस्तावित है।
- मार्गों के वस्तुनिष्ठ मानकों के आधार पर नियमित अनुरक्षण हेतु प्रदेश के समस्त ग्राम सम्पर्क मार्गों के अनुरक्षण हेतु ''उत्तर प्रदेश ग्राम सम्पर्क मार्ग अनुरक्षण नीति, 2013'' प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 22 नवम्बर 2013 को जारी कर दी गयी है। इससे

योजनान्तर्गत निर्मित किये गये मार्गों तथा सृजित परिसम्पत्तियों का स्थायी तौर पर नियमित रख-रखाव सुनिश्चित हो सकेगा।

गुणवत्ता नियंत्रण

- सड़कों के निर्माण एवं रख रखाव में गुणवत्ता बनाये रखने हेतु त्रिस्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली प्रभावी है। राष्ट्रीय गुणवत्ता नियंत्रक (नेशनल क्वालिटी मॉनीटर), राज्य गुणवत्ता नियंत्रक (स्टेट क्वालिटी मॉनीटर) व सम्बन्धित विभागीय उच्चाधिकारियों द्वारा समय-समय पर योजनान्तर्गत निर्मित व निर्माणाधीन सड़कों की गुणवत्ता की जांच की जाती है। इसके अतिरिक्त अनुरक्षणाधीन मार्गों का भी स्टेट क्वालिटी मानीटर्स के माध्यम से नियमित निरीक्षण कराया जाता है ताकि अनुरक्षण कार्यों में भी अपेक्षित गुणवत्ता सुनिश्चित करायी जा सके। जहां-जहां गुणवत्ता में कमी दृष्टिगोचर होती है, वहां उक्त कमी को क्वालिटी मानीटर्स द्वारा अपनी निरीक्षण आख्या में इंगित किया जाता है जिसका सम्बन्धित जनपद द्वारा निराकरण सुनिश्चित किया जाता है।
- वित्तीय वर्ष 2020-21 में योजना के क्रियान्वयन हेतु रु. 1357.47 करोड़ का बजट प्राविधान है।

मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण

1. मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण पूर्णतया राज्य सहायतित योजना है, जो फरवरी-2018 में प्रारम्भ की गयी है।

1. ग्रामीण क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदा से कालाजार से प्रभावित वनटांगिया एवं मुसहर वर्ग के परिवार, जे०ई०/ए०ई०एस० से प्रभावित कुष्ठ रोग से प्रभावित परिवार एवं प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की पात्रता से आच्छादित परन्तु एसईसीसी-2011 के आधार पर आवासीय सुविधा हेतु तैयार की गयी पात्रता सूची में सम्मिलित न होने वाले छतविहीन एवं आश्रयविहीन कच्चे/जर्जर आवासों में रह रहे परिवार के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण लागू की गयी है।
2. प्रारम्भिक रूप से योजना में 60563 लाभार्थी चिन्हित किए गये है, जिसमें प्राकृतिक आपदा के 16107, वनटंगिया 4355, मुसहर 34162, कालाजार प्रभावित परिवार 123, जे०ई०/एईएस प्रभावित 1919 परिवार तथा कुष्ठ रोग से प्रभावित परिवार हैं।
3. वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल 16700 लाभार्थियों को इस योजना से लाभान्वित किया जा चुका है, जिसमें 12483 सामान्य वर्ग, 4171 अनु0जाति (मुसहर वर्ग सहित) तथा 100 अनुसूचित जनजाति के लाभार्थी समिलित हैं। वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल रु. 201.201 करोड़ की धनराशि की व्यवस्था बजट में की गयी थी।
4. वित्तीय वर्ष 2019-20 में सामान्य वर्ग के 4488 अनुसूचित जाति के 29398 एवं अनुसूचित जनजाति के 154 लााभार्थी इस प्रकार कुल 34040 लाभार्थियों को लाभान्वित कराये जाने का लक्ष्य है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 429.40 करोड़ की धनराशि की व्यवस्था बजट में की गयी।

5. वित्तीय वर्ष 2020-21 में कल 40000 लाभार्थियों को लाभान्वित कराये जाने हेतु रु. 369.40 करोड़ की धनराशि की व्यवस्था बजट में प्राविधाानित की गयी है।

मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना

उत्तर प्रदेश के ऐसे दूरस्थ गांव, जो प्रदेश के सीमावर्ती (अन्तर्राष्ट्रीय/अन्तर्राज्यीय) क्षेत्र पर स्थित हैं तथा आजादी के बाद से अभी तक इन ग्रामों का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाया है तथा वनटांगिया, मुसहर एवं थारू आदि वर्गों के बाहुल्य वाले ग्रामों में अवस्थापना एवं लाभार्थीपरक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पूर्णतः नहीं मिल पाया है, ऐसे पिछड़े राजस्व ग्रामों (मजरे, पुरवे, टोले-बसावट सहित) में अवस्थापना, लाभार्थीपरक व विकास योजनाओं को प्राथमिकता पर आच्छादित करने हेतु ''मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना'' का शुभारम्भ किया गया है।

इसी प्रकार देश की रक्षा में शहीद हुए सेना एवं अर्द्धसैनिकों के ग्रामों एवं भौगोलिक संरचनाओं की दृष्टि से अत्यंत विषम परिस्थितियों से घिरे अति पिछड़े ग्रामों को भी इस योजना से आच्छादित किया जा रहा है। योजनान्तर्गत चयनित राजस्व ग्रामों (मजरे, पुरवे, टोले, बसावट सहित) में 17 कार्यदायी विभागों द्वारा 24 कार्यक्रम संचालित कर ग्रामों के संतृप्तिकरण की कार्यवाही प्रगति पर है।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन

वर्ष 2019-20 की प्रगति- वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिये योजना के क्रियान्वयन हेतु रु. 224.47 करोड़ का बजट प्राविधान प्रस्तावित किया गया है, जिसके सापेक्ष भारत सरकार से अद्यतन धनराशि रु. 76.3620 करोड़ प्राप्त हो चुकी है।

वर्ष 2020-21 के लिए योजनान्तर्गत धनराशि रु. 174.79 करोड़ का बजट प्राविधान प्रस्तावित है।

ई-गवर्नेन्स

आयुक्त, ग्राम्य विकास कार्यालय

- आयुक्त, ग्राम्य विकास कार्यालय स्तर से समस्त ग्राम्य विकास कार्यक्रमों का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन ई-गवर्नेन्स के माध्यम से किया जा रहा है। विभाग की वेबसाईट - एचटीटीपीः//आरडी.यूपी.एनआईसी.इन पर विभिन्न कार्यक्रमों के मार्गनिर्देश एवं अन्य महत्वूपर्ण जानकारी जन सामान्य के लिए उपलब्ध है। ग्राम्य विकास विभाग की योजनाओं के प्रभावी अनुश्रवण के लिये राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र उत्तर प्रदेश द्वारा एक वेबसाइट आधारित साफ्टवेयर रूरलसाफ्ट (एचटीटीपीः//रूरलसाफ्टनेट.यूपी.एनआईसी.इन) विकसित किया गया है। इस साफ्टवेयर का उपयोग कर समस्त जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (डी०आर०डी०ए०) द्वारा योजनाओं की मासिक प्रगति सूचना प्रतिमाह अपडेट की जाती है।
- मुख्यालय के लगभग सभी प्रकार के कार्य यथा-समस्त बजट कार्य, स्वीकृतियां निर्गत करने, स्वीकृतियों के समक्ष व्यय तथा उसकी उत्तरोत्तर प्रगति, अनुश्रवण, पेंशन, सामान्य

भविष्य निर्वाह निधि, वेतन बीजक आदि का निष्पादन कम्प्यूटर के माध्यम से किये जा रहे हैं।

- विभाग में सभी खरीद जेम पोर्टल (सरकारी इलेक्ट्रॉनिक बाजार) के माध्यम से की जा रही है।
- विभाग में ई-टेंडरिंग लागू है और सभी संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।
- महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति प्रदर्शित करने वाले डैशबोर्ड विभाग की वेबसाइट पर विकसित किए गए हैं।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), एन.आर.एल.एम. मनरेगा के अनुश्रवण के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तैयार कराये गये एम.आई.एस. का क्रियान्वयन भी प्रदेश में किया जा रहा है।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) एवं मनरेगा के अन्तर्गत लाभार्थियों को भुगतान की जाने वाली धनराशि इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया के माध्यम से लाभार्थियों के खाते में सीधे धनराशि अंतरित की जाती है।

यू०पी०आर०आर०डी०ए० (प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना)

- राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण नई दिल्ली द्वारा सी-डैक पुणे से तकनीकी एवं वित्तीय प्रबंधन के अनुश्रवण के लिए ओ०एम०एम०ए०एस० (आन लाइन प्रबंधन, अनुश्रवण एवं लेखा प्रणाली) साफ्टवेयर बनवाया गया है, जिसमें वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की प्रविष्टि कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाइयों द्वारा की जाती है और उपरोक्त प्रविष्टियों तथा वित्तीय एवं भौतिक की प्रगति का पर्यवेक्षण यूपीआरआरडीए द्वारा किया जाता है। वर्तमान में योजनान्तर्गत कार्यों के निविदा आमंत्रण व स्वीकृति की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने हेतु ओ०एम०एम०ए०एस० प्रणाली के अन्तर्गत विभिन्न फेजों के भारत सरकार द्वारा स्वीकृत पैकेजों/मार्गों की निविदाओं को ऑन लाइन के माध्यम से आमंत्रित किया जा रहा है।
- यू०पी०आर०आर०डी०ए० द्वारा अपनी वेब साइट डब्लू०डब्लू०डब्लू०यूपीआर आरडीए०ओआरजी संचालन किया जा रहा है, जिस पर अभिकरण व योजना से सम्बंधित दिशा निर्देश व सूचनाएं उपलब्ध हैं। अभिकरण व कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाइयों के मध्य सुगम पत्र व्यवहार एवं सूचना के आदान-प्रदान हेतु समस्त इकाइयों को ई-मेल एकाउन्ट प्रदान करते हुए सफलता पूर्वक संचालन किया जा रहा है।

तकनीकी प्रबंधन प्रणाली :-

- ओ०एम०एम०ए०एस० पर प्रत्येक जिले का मास्टर डाटा सर्वे कराकर फीड किया जाता है। इसमें ब्लाक, गांव, बसावट, जनसंख्या, उपलब्ध मार्ग, प्रस्तावित मार्ग, स्कूल, अस्पताल, लिंक रूट, थ्रू रूट, नेशनल हाईवे सम्पर्क, स्टेट हाईवे सम्पर्क इत्यादि डाटा की

ओ०एम०एम०ए०एस० पर विभिन्न फार्मों में प्रविष्टि की जाती है। इसके पश्चात् कोरनेटवर्क, सी०एन०सी०पी०एल० (कॉम्प्रिहेन्सिव न्यू कनेक्टिविटी प्रियोरिटी लिस्ट) जनसंख्या के आधार पर तैयार होती है। इसी प्रकार से सी०यू०पी०एल० (कॉम्प्रिहेन्सिव अपग्रेडशन प्रियोरिटी लिस्ट) तैयार होती है।

- राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, नई दिल्ली द्वारा प्रस्तावित मार्गों को उनकी लम्बाई, लागत व अन्य सूचनाओं के आधार पर ऑन-लाइन स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- निर्मित व निर्माणाधीन मार्गों की गुणवत्ता की अद्यतन स्थिति का विवरण राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनीटर (नेशनल क्वालिटी मॉनीटर), राज्य गुणवत्ता मॉनीटर (स्टेट क्वालिटी मॉनीटर) द्वारा किए गये निरीक्षणों का विवरण ओ०एम०एम०ए०एस० पर अपलोड कर दिया जाता है।
- ओ०एम०एम०ए०एस० पर राष्ट्रीय ग्रामीण सम्बन्धित मॉनीटर द्वारा ओ०एम०एम०ए०एस० पर भी किया जाता है। स्वीकृति, प्रगति, गुणवत्ता आदि की स्थिति ओ०एम०एम०ए०एस० के सिटीजन सेक्शन में सर्व साधारण के लिए उपलब्ध है।
- 05 वर्ष के अन्तर्गत रुटीन मेन्टीनेन्स के कार्यों के देयकों के ऑनलाइन भुगतान हेतु भारत सरकार द्वारा ई-मार्ग पोर्टल डेवलप किया गया है वर्तमान में यह पोर्टल परीक्षण टेस्टिंग के फेज में है। शीघ्र ही रुटीन मेन्टीनेन्स के कार्यों का भुगतान ई-मार्ग पोर्टल द्वारा किया जाना प्रस्तावित है।

वित्तीय प्रबंधन प्रणाली :-

- ओ०एम०एम०ए०एस० के अन्तर्गत एकाउन्ट्स मॉड्यूल में प्रत्येक कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई को एक अलग से लाग इन आई०डी० और पासवर्ड दिया गया है, जिससे वे प्रत्येक मार्ग पर होने वाले व्यय के प्रत्येक बाउचर की ऑनलाइन प्रविष्टि कर सकें। प्रत्येक कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई द्वारा ऑन लाइन प्रविष्टियां की जा रही हैं, जिसके परिणामस्वरूप मार्गवार व्यय, मासिक लेखा, बैलेंस शीट आदि ओ०एम०एम०ए०एस० के सिटीजन सेक्शन में देखा जा सकता है। योजना में प्रदेश की सभी निर्माण कार्यक्रम क्रियान्वयन ईकाइयों द्वारा जून 15 से ठेकेदारों को ई-पेमेन्ट के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है तथा माह अगस्त 2018 से ई-पेमेन्ट को पीएफएमएस से जोड़ दिया गया है। योजना में सभी निर्माण कार्य के ठेकेदारों को ई-पेमेन्ट पीएफएमएस के माध्यम से हो रहा है।

पंचायती राज

गाँवों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास से ही प्रदेश का विकास सम्भव है। स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने के उद्देश्य से संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम 1947 पारित कर वर्ष 1949 में गाँव सभाओं की स्थापना की गयी। सत्ता के विकेन्द्रीकरण हेतु गठित बलवन्तराय मेहता समिति की संस्तुतियों के आधार पर वर्ष 1961 में प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करने के उद्देश्य से क्षेत्र समितियों तथा जिला परिषदों का गठन किया गया।

73वें संविधान संशोधन के अनुक्रम में निश्चित समय पर पंचायतों का निर्वाचन सम्पन्न कराने, ग्राम स्तर पर ही आर्थिक एवं सामाजिक विकास की योजनाएं बनाने, अनूसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं तथा पिछड़े वर्गों के लोगों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु उनके लिए आरक्षण सुनिश्चित करने एवं पंचायतों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम 1994 के माध्यम से संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम 1947 तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 संशोधित किया गया।

संविधान के 73वें संशोधन के माध्यम से अधिनियम में किए गए प्रावधानों एवं तद्नुसार उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 में की गई व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक 5 वर्ष के अन्तराल पर पंचायतों के निर्वाचन की व्यवस्था के अनुरूप वर्ष 2015 में ग्राम पंचायतों के चुनाव कराकर उन्हें संगठित कराया गया तथा क्षेत्र पंचायत प्रमुखों व जिला पंचायत अध्यक्ष एवं सदस्य पदों हेतु निर्वाचन कराये गए। पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों द्वारा आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने एवं उन्हें क्रियान्वित करने का प्रावधान किया गया है ताकि वे क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार योजनाएं तैयार करके उनका क्रियान्वयन कर स्थानीय जनता को अधिकाधिक लाभ पहुँचा सकें।

पंचायतों को स्वशासन की इकाई के रूप में सक्षम बनाना और उन्हें आर्थिक रूप से सुदृढ़ करना सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न विभागों के 15 कार्य पंचायतों को हस्तांतरित किए गए हैं। विभिन्न विभागों की 10 गतिविधियों/ योजनाओं हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी तथा ग्राम विकास अधिकारी से ग्राम पंचायतों के सचिव का कार्य लिया जा रहा है। सामाजिक और आर्थिक विकास की योजनाएं तैयार करने और उन्हें क्रियान्वित करने

हेतु केन्द्रीय चौदहवां वित्त आयोग की संस्तुतियों तथा राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर पंचायतों को नागरिक सुविधाओं के अनुरक्षण एवं परिसम्पत्तियों के रखरखाव हेतु धनराशि संक्रमित किये जाने की व्यवस्था है। इसके साथ ही ग्राम्य विकास के अन्तर्गत संचालित विभिन्न गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार सृजन की योजनाओं यथा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना, योजनाओं की धनराशि भी सीधे पंचायतों को परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु उपलब्ध करायी जा रही है।

क्षेत्र पंचायतों को ग्राम्य विकास विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन, अनुश्रवण तथा मूल्यांकन का दायित्व सौंपने के साथ-2 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, विकास खण्ड स्तरीय पशु चिकित्सालय व बीज केन्द्र का संचालन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत विपणन गोदामों के पर्यवेक्षण का दायित्व सौंपा गया है।

15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में परफार्मेन्स ग्रान्ट की धनराशि रू0-118057.00 लाख का आय-व्ययक प्रावधान था। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये रू0-0.00 लाख का आय-व्ययक प्राविधान किया गया है।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)-

केन्द्रीय प्रायोजित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, केन्द्रीय वित्त पोषित सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को प्रोत्साहन स्वरूप आर्थिक सहायता उपलब्ध कराते हुए व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण किया जाता है। योजना का क्रियान्वयन वर्ष 1999-2000 में चार जनपदों से प्रारम्भ होकर वर्तमान में समस्त जनपदों में किया जा रहा है। अभियान का संचालन जनपद स्तर पर जिला पंचायत के नियन्त्रणाधीन जिला स्वच्छता समिति द्वारा किया जाता है। अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में प्रभावी जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा सर्वप्रथम व्यक्तिगत शौचालयों की माँग का सृजन किया जाना है ताकि शौचालयों के निर्माण के उपरान्त उनका उपयोग हो तथा व्यक्तियों में स्वच्छ आदतें भी विकसित हों।

व्यक्तिगत शौचालय निर्माण, शासनादेश दिनांक 25 अगस्त 2004 द्वारा व्यक्तिगत शौचालय की ईकाई लागत रू0 625 से बढ़कर रू0 1980 की गयी थी। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को व्यक्तिगत शौचालय निर्माण हेतु रू0 900 केन्द्रांश तथा रू0 300 राज्यांश कुल रू0 1200 अनुदान के रूप में तथा रू0 300 ग्राम पंचायत द्वारा विशेष प्रोत्साहन के रूप में उपलब्ध कराया जाता था और रू0 400 लाभार्थी द्वारा वहन किया जाता था। कुल लक्ष्य के 10 प्रतिशत के समतुल्य गरीबी रेखा के ऊपर रहने वाले परिवारों के लिए भी व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण हेतु रू0 1500 विशेष प्रोत्साहन के रूप में लाभार्थी को उपलब्ध कराया जाता था।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में 31 दिसम्बर, 2019 तक शासन द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 600000.00 लाख के सापेक्ष केन्द्रांश के रूप में रू0- 77987.20 लाख तथा राज्य सरकार द्वारा राज्यांश के रूप में रू0 51991.47 लाख व परफारमेन्स इन्सेंटिव ग्राण्ट

फण्ड में केन्द्रांश के रूप में रू. 114674.72 लाख इस प्रकार कुल रू. 244653.39 लाख अवमुक्त किया गया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में गत वर्ष के शेष सहित कुल रू. 389286.40 लाख उपलब्ध था, जिसमें से माह दिसम्बर, 2019 तक रू. 127801.26 लाख का व्यय करते हुये कुल 3404762 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कराया गया। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये रू. 579116.13 लाख (केन्द्रांश व राज्यांश) का आय-व्ययक का प्राविधान किया गया है।

मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना

पंचायती राज विभाग में उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को मुख्यमंत्री द्वारा पुरस्कार देने की घोषणा की गयी है, जिसके लिये वित्तीय वर्ष 2019-20 में रू. 2500.00 लाख का आय-व्ययक प्राविधान किया गया था। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए रू. 2500.00 लाख का आय-व्ययक प्राविधान किया गया है।

प्रत्येक न्याय पंचायत में दो चन्द्र शेखर आजाद ग्रामीण विकास सचिवालय की स्थापना

प्रदेश की प्रत्येक न्याय पंचायत में पंचायतों के सशक्तिकरण हेतु दो चन्द्र शेखर आजाद ग्रामीण विकास सचिवायल की स्थापना किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में रू. 2000.00 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया था। उक्त योजनान्तर्गत आगामी वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए रू. 3000.00 लाख का आय-व्ययक प्राविधान किया गया है।

जिला पंचायतों में कांजी हाउसों का निर्माण/स्थापना एवं संचालन

वित्तीय वर्ष 2019-20 में रू. 4000.00 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया था। उक्त योजनान्तर्गत आगामी वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु रू. 2600.00 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया है।

प्रदेश के सर्वांगीण विकास और प्रदेश की पंचायतों को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सबल बनाने के लिए उन्हें सुदृढ़ करना शासन की प्राथमिकता है।

पंचायती राज विभाग द्वारा वर्तमान में निम्नलिखित प्रमुख कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जा रहा है।

1. ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम (स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)।
2. पंचायती राज पदाधिकारियों एवं कर्मियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम।
3. राज्य वित्त आयोग एवं पन्द्रहवां वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान।
4. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों का विकास।
5. प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर दो चन्द्र शेखर आजाद सचिवालय की स्थापना।
6. डॉ0 राममनोहर लोहिया पंचायत सशक्तीकरण योजना।
7. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान।

8. मुख्यमंत्री प्रचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना।

9. जिला पंचायतों में कांजी हाउसों का निर्माण/स्थापना एवं संचालन

विभाग की योजनाओं की प्रमुख उपलब्धियाँ

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

पंचायतीराज विभाग की योजनायें एवं उपलब्धियाँ

वर्ष 2019-20 में स्वीकृत योजनायें, कराये गये कार्यों तथा 2020-21 में प्रस्तावित योजनाओं का विवरण निम्न प्रकार है:

वर्ष 2019-20 तथा 2020-21 की योजनाएं-

सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान/निर्मल भारत अभियान/स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत परियोजना के प्रारम्भ से माह 31 दिसम्बर, 2019 तक शासन द्वारा केन्द्रांश के रूप में कुल रू0-1609245.55 लाख तथा राज्य सरकार द्वारा राज्यांश के रूप में रू0-921265.71 लाख, इस प्रकार कुल रू0-2530511.26 लाख धनराशि अवमुक्त की गयी है। कुल अवमुक्त धनराशि में से माह 31 दिसम्बर 2019 तक रू0-2518677.211 लाख व्यय करते हुए बेंसलाइन सर्वे-2012 में कुल 2,49,32,342 परिवार पाये गये जिसमें 76,12,048 परिवार शौचालय युक्त पाये गये तथा 1,73,20,294 परिवार शौचालय विहीन पाये गये। बेंसलाइन सर्वे 2012 के अनुरूप शत प्रशित परिवारों को शौचालय सुविधा से आच्छादित किया जा चुका है। बेंसलाइन सर्वे में छूटे हुए पात्र (एल0ओ0बी0) परिवारों का सर्वे कराया गया। सर्वे में एल0ओ0बी0 अन्तर्गत कुल 43,22,588 परिवार शौचालय विहीन पाये गये, जिसके सापेक्ष दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 तक कुल 43,12,444 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कराया गया। उक्त के अतिरिक्त 101614 आंगनबाड़ी शौचालयों 243573 स्कूल शौचालयों तथा 2366 सामुदायिक (महिला) शौचालय काम्पलेक्सों का भी निर्माण कराया गया।

वर्ष 2019-20 में 31 दिसम्बर, 2019 तक शासन द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0-600000.00 लाख के सापेक्ष केन्द्रांश के रूप में रू0-77987.20 लाख तथा राज्य सरकार द्वारा राज्यांश के रूप में रू0-51991.47 लाख व परफारमेन्स इन्सेंटिव ग्राण्ट फण्ड में केन्द्रांश के रूप में रू0-114674.72 लाख इस प्रकार कुल रू0-244653.39 लाख अवमुक्त किया गया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में गत वर्ष के शेष सहित कुल रू0-389286.40 लाख उपलब्ध था, जिसमें से माह दिसम्बर, 2019 तक रू0-127801.26 लाख का व्यय करते हुए कुल 3404762 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कराया गया। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये रू0-579116.13 लाख (केन्द्रांश व राज्यांश) का आय-व्ययक का प्रावधान किया गया है।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों का विकास

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों के विकास के सम्बन्ध में ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों में नागरिक अवस्थापना उपलब्ध कराने हेतु शासन द्वारा अन्त्येष्टि स्थलों के विकास का निर्णय लेते हुए वित्तीय वर्ष 2019-20 में रू0-10000.00 लाख का आय-व्ययक अनुमान किया गया था। वित्तीय वर्ष 2020-21 में रू0 10000.00 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया है।

डॉ0 राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तीकरण योजना

डॉ0 राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तीकरण योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में धनराशि रू0 404.00 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया था, जिसके सापेक्ष जनपद कार्यक्रम प्रबन्धन इकाइयों हेतु परामर्शी, जनपद कार्यक्रम प्रबन्धन इकाइयों हेतु डेस्कटॉप कम्प्यूटर सिस्टम एवं ई-गवर्नेन्स के अन्तर्गत विकसित सॉफ्टवेयर पर प्रशिक्षण का कार्य आदि प्रमुख गतिविधियाँ संचालित की गयी हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये धनराशि रू0 405.00 लाख आय-व्ययक प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना

पंचायतीराज विभाग में उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को मुख्यमंत्री द्वारा पुरस्कार देने की घोषणा की गयी है, जिसके लिये वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए रु. 2500.00 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया था। वित्तीय वर्ष 2020-21 में रू0 45861.21 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया है।

प्रत्येक न्याय पंचायत में दो चन्द्र शेखर आजाद ग्रामीण विकास सचिवालय की स्थापना

प्रदेश की प्रत्येक न्याय पंचायत में पंचायतों के सशक्तिकरण हेतु दो चन्द्र शेखर आजाद ग्रामीण विकास सचिवालय की स्थापना किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 2000.00 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया था। वित्तीय वर्ष 2020-21 में रू0-3000.00 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया है।

राज्य वित्त आयोग

पंचायतों की आर्थिक स्थिति त्वरित गति से सुदृढ़ करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुक्रम में प्रदेश के कुल करों की शुद्ध आय का 5.5 प्रतिशत अंश पंचायतों को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में सामान्य समानुदेशन की धनराशि रु. 580000.00 लाख का आय-व्ययक प्राविधान था, जिसके सापेक्ष रू0-1826.03 लाख पंचायती राज संस्थाओं को अवमुक्त किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में रू0-620000.00 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया है।

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना को केन्द्र पुरोनिधानित योजना के रूप में 60.40 (केन्द्रांशः राज्यांश) के वित्तीय अनुपात में वर्ष 2018-19 से प्रारम्भ किया गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में योजनान्तर्गत कुल धनराशि रू0-49667.75 लाख का आय-व्ययक प्रावधान के सापेक्ष पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कुल धनराशि रू0-84245.00 लाख की वार्षिक कार्ययोजना (धनराशि रू0 41692.00 लाख की वार्षिक तथा धनराशि रू0 42553.00 लाख की अनुपूरक कार्ययोजना) स्वीकृत की गयी है, जिसमें 60 प्रतिशत केन्द्रांश रू0 50547.00 एवं 40 प्रतिशत राज्यांश के रूप में

धनाशि रू0-33698.00 लाख सम्मिलित है। आगामी वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये धनराशि रू0-45861.21 लाख का आय-व्ययक प्राविधान किया गया है।

पंचायतों को अधिकारों का प्रतिनिधायन

73वें संविधान संशोधन के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम 1994 द्वारा संशोधित संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम 1947 तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 दिनांक 22 अप्रैल 1994 से लागू हुआ।

जिला पंचायतों में गोवंश संरक्षण/निराश्रित पशु संरक्षण हेतु कांजी हाउसों का पुनर्निर्माण/स्थापना एवं संचालन

वित्तीय वर्ष 2019-20 में नई मांग/प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से रू0-4000.00 लाख का आय-व्ययक प्राविधान किया गया था। उक्त योजनान्तर्गत आगामी वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु रू0-2600.00 लाख का आय-व्ययक प्राविधान किया गया है।

●

जलशक्ति विभाग
(सिंचाई एवं जल संसाधन)

मानव जाति के आर्थिक विकास में प्राकृतिक परिस्थितियों एवं भौगोलिक विशेषताओं की महत्त्वपूर्ण भूमिका रहती है। प्रकृति ने मानव के भरण-पोषण हेतु अनेक प्राकृतिक स्रोत भी उपलब्ध कराये हैं, जिनका सदुपयोग कर मानव समाज अधिकाधिक लाभान्वित होने का प्रयत्न करता है। उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतों में जल का प्रमुख स्थान है, जिसके अभाव में केवल मानव ही नहीं वरन् सामान्यतः सम्पूर्ण जीव-जन्तु एवं वनस्पतियों का अस्तित्व ही संकट में पड़ जाता है। खाद्यान्न उत्पादन हेतु कृषि कार्यों में जल की पूर्ति सामान्यतया वर्षा के जल से ही होती है, किन्तु अनावर्षण, असामयिक अथवा अपर्याप्त वर्षा की स्थिति में समय अनुसार कृत्रिम साधनों द्वारा जल उपलब्ध कराकर उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है एवं सम्भावित क्षति को पर्याप्त मात्रा में कम किया जा सकता है। प्रदेश के उत्तरी भाग में हिमालय पर्वत स्थित है एवं उसके हितकारी प्रभाव के फलस्वरूप प्रचुर जल सम्पदा उपलब्ध है, जिसका सदुपयोग आर्थिक विकास हेतु अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है।

नीति

एक कल्याणकारी शासन प्रणाली में यह निहित होता है कि प्रदेश के कल्याण हेतु ऐसी नीति अपनायी जाये जिसके फलस्वरूप जनता को अधिकाधिक सुविधायें उपलब्ध हो सकें। स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त प्रदेश के सन्तुलित विकास के लिये यह आवश्यक था कि प्रदेश में उपलब्ध जल स्रोतों का कृषि उत्पादन के लिये अधिकाधिक उपयोग किया जाये, भले ही शासन को इस उपयोग में कोई प्रत्यक्ष लाभ न हो सके। अतः प्रदेश के चतुर्मुखी विकास हेतु प्रत्येक अंचल में उपलब्ध सभी स्रोतों का अधिकाधिक उपयोग कर पर्याप्त सिंचन क्षमता सृजित कर उत्पादन में वृद्धि एवं कृषि में स्थिरता लाने हेतु शासन पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत सिंचाई कार्यों के निर्माण पर बल दे रहा है।

दायित्व

प्रदेश में वृहद्, मध्यम एवं राजकीय लघु सिंचाई परियोजनाओं का अनुसंधान एवं निर्माण कर सिंचन सुविधा उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व प्रदेश के सिंचाई विभाग का है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकास योजनाओं तथा पावर कारपोरेशन द्वारा वित्त पोषित जल विद्युत परियोजनाओं के सिविल कार्यों के निर्माण कार्यों का सम्पादन एवं अनुरक्षण भी इसी विभाग के द्वारा किया जाता है। विभाग द्वारा निर्मित एवं अन्य संस्थाओं द्वारा पूर्ण किये गये कार्यों, जो शासन द्वारा स्थानान्तरित किये जाते हैं, के परिचालन एवं अनुरक्षण का कार्य भी सिंचाई विभाग करता है।

सरयू नहर परियोजना

पूर्वी उत्तर प्रदेश के 09 जनपदों- बहराइच, श्रावस्ती, गोण्डा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संतकबीरनगर, गोरखपुर, महाराजगंज में सिंचाई सुविधा का अभाव होने के कारण वर्ष 1982 में लेफ्ट घाघरा कैनाल प्रोजेक्ट को पुनरीक्षित करते हुए सरयू नहर परियोजना के नाम से 299.20 करोड़ की परियोजना उत्तर प्रदेश सरकार के पत्र दिनांक 24.03.1982 के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी। परियोजना के अन्तर्गत घाघरा नदी के बायें बैंक से गिरजा बैराज से सरयू योजक नहर का निर्माण प्रस्तावित किया गया जिससे सरयू बैराज पर पानी उपलब्ध कराते हुए 360 क्यूमेक पानी सरयू मुख्य नहर को दिया जाना है। इसके द्वारा राप्ती नदी के बायें क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सरयू मुख्य नहर से 95 क्यूमेक पानी राप्ती योजक नहर के द्वारा राप्ती मुख्य नहर को दिया जाना है। राप्ती मुख्य नहर के द्वारा जनपद श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराते हुए बानगंगा नदी में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कराते हुए कैम्पियरगंज शाखा के निर्माण द्वारा जनपद-सिद्धार्थनगर, महराजगंज एवं गोरखपुर जनपद को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया गया है। परियोजना के अन्तर्गत राप्ती नदी पर उतरौला पम्प कैनाल, डुमरियागंज पम्प कैनाल व घाघरा नदी पर अयोध्या पम्प कैनाल व गोला पम्प कैनाल के निर्माण के साथ-साथ 3600 नये नलकूपों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित किया गया जिससे भू-स्तरीय तथा भूमिगत जल का सदुपयोग हो सके व जल-भराव की आशंका न रहे। पर्यावरणीय संतुलन को बनाये रखने हेतु वृक्षारोपण के कार्य को भी परियोजना में समाहित किया गया। परियोजना के कार्यों का विस्तार होने पर वर्ष 1998 में परियोजना की पुनरीक्षित लागत रु. 2965.16 करोड़ का अनुमोदन केन्द्रीय जल आयोग की 72वीं बैठक में प्रदान किया गया। सरयू नहर परियोजना के प्रथम चरण के अन्तर्गत सरयू बैराज, राप्ती बैराज, उतरौला पम्प कैनाल, डुमरियागंज पम्प कैनाल, सरयू योजक नहर, सरयू मुख्य नहर, इमामगंज शाखा, गोण्डा शाखा, बांसी शाखा, तरबगंज शाखा, इटियाथोक शाखा, मनकापुर शाखा, खलीलाबाद शाखा व इनके वितरण प्रणाली का निर्माण करते हुए 10.79 लाख सिंचन क्षमता का सृजन करते हुए कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जाने लगी। परियोजना की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए कार्यों को पूर्ण कराने हेतु द्वितीय पुनरीक्षण वर्ष 2010 में धनराशि रु. 7270.32 करोड़ की स्वीकृति, उत्तर प्रदेश सरकार के ई.एफ.सी. दिनांक 16.07.2010 के द्वारा प्रदान की गयी। सरयू नहर परियोजना के उत्तर प्रदेश के अर्थव्यवस्था में योगदान को दृष्टिगत भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2012 में राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया। उस समय परियोजना के अन्तर्गत अवशेष कार्य व जो नहरें पूर्व में निर्मित हुई थीं परन्तु बीच में गैप होने के कारण हाइड्रोलिक कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही थी उन नहर प्रणालियों के साथ-साथ राप्ती नहर प्रणाली के अन्तर्गत अवशेष भूमि व कार्यों को पूर्ण करने हेतु भूमि क्रय करने के नये शासनादेश के आधार पर भूमि की लागत में अप्रत्याशित वृद्धि होने के कारण परियोजना की पुनरीक्षित लागत धनराशि रु. 9802.63 करोड़ का अनुमोदन केन्द्रीय जल आयोग के द्वारा 19 जनवरी 2018 को प्रदान किया गया। तदोपरान्त सरयू नहर परियोजना के अन्तर्गत पूर्व में निर्मित नहरों के गैप्स की भूमि को प्राथमिकता पर प्राप्त करते हुए नहरों के गैप्स का निर्माण कार्य पूर्ण कर वर्तमान

में और अधिक सिंचाई सुविधा कृषकों को प्रदान किया जा रहा है। साथ ही राप्ती मुख्य नहर, कैम्पियरगंज शाखा व उनके वितरण प्रणाली का निर्माण कार्य तीव्रता से सम्पादित कराया जा रहा है। वर्तमान में प्रस्तावित 14.04 लाख हे0 सिंचन क्षमता के विरुद्ध 12.61 लाख हे0 सिंचन क्षमता सृजित करते हुए 5.50 लाख हे0 सिंचन क्षमता का उपभोग कर कृषकों को सिंचाई सुविधा प्रदान किया जा रहा है। इस प्रकार से उक्त परियोजना के निर्माण से घाघरा नदी, सरयू नदी, राप्ती नदी, बानगंगा नदी व रोहनी नदी को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है, व साथ ही साथ परियोजना के निर्माणधीन होने पर कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है जो परियोजना की एक अभूतपूर्व उपलब्धि है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु इस परियोजना पर रु. 140400.00 लाख का बजट प्राविधान प्रस्तावित किया गया है।

अर्जुन सहायक परियोजना

संक्षिप्त विवरण

परियोजना के अन्तर्गत चौ. चरण सिंह लहचूरा बांध से 73.60 क्यूमेक डिस्चार्ज की अर्जुन फीडर नहर निर्मित की जायेगी, जिससे अर्जुन बांध को पानी दिया जा सकेगा। तत्पश्चात् अर्जुन बांध से 62.32 क्यूमेक डिस्चार्ज की कबरई फीडर नहर निकालकर चन्दावल तथा कबरई बांध को पानी दिया जा सकेगा तथा कबरई बांध की ऊंचाई 9.30 मी. बढ़ाते हुए जल भंडारण क्षमता में वृद्धि की जायेगी। कबरई बांध से 50 किमी. की कबरई मुख्य नहर व 110 किमी. इसकी वितरण प्रणाली द्वारा नये कमाण्ड क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति

परियोजना को व्यय वित्त समिति द्वारा दिनांक 24-10-2008 को आहूत बैठक में रु. 80650.00 लाख की लागत अनुमोदित की गयी थी। श्रमिक, सामग्री एवं भूमि की दरों में वृद्धि होने के कारण परियोजना का पुनरीक्षण वर्ष 2015 की दरों पर धनराशि रु. 259393.04 लाख का किया गया, जिसे व्यय वित्त समिति राज्य नियोजन संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ की बैठक दिनांक 26.03.2016 में रु. 259393.04 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी है तथा प्रशासकीय स्वीकृति शासन के पत्रांक-122/1655/16-27-सिं-137-एस.ए.वी./2013, दिनांक 27-06-2016 द्वारा प्रदान की गयी है, परियोजना को केन्द्रीय जल आयोग की तकनीकी सलाहकार समिति की 129वीं बैठक दिनांक 08.07.2016 में अनुमोदित किया गया है तथा जिसमें कार्यों की लागत रु. 246568.58 लाख है।

अद्यतन स्थिति

परियोजना कार्यों पर आवंटित धनराशि के अनुरूप सितम्बर 2018 तक 2054.92 हे. भूमि क्रय की जा चुकी है तथा क्रय भूमि पर परियोजना से सम्बन्धित 72 प्रतिशत भौतिक कार्यों को पूर्ण कराया जा चुका है। अवशेष 28 प्रतिशत कार्यों को आवंटन के अनुरूप दिसम्बर, 2019 तक पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है।

वित्तीय प्रगति

परियोजना कार्यों को अधिशासी अभियंता, सिंचाई निर्माण खण्ड-कर्वी, मौदहा बांध निर्माण खण्ड-

हमीरपुर एवं इस खण्ड द्वारा सम्पादित कराया जा रहा है। परियोजना पर वर्ष 2017-18 हेतु प्राविधानित धनराशि रु. 10000.00 लाख के सापेक्ष रु. 10000.00 लाख का आवंटन माह मार्च, 2018 तक प्राप्त हुआ था, जिसका पूर्ण उपभोग कर परियोजना के कार्य सम्पादित कराये गये। इस प्रकार स्वीकृत परियोजना धनराशि रु. 259393.04 लाख के सापेक्ष माह मार्च, 2018 तक कुल रु. 99065.44 लाख व्यय किया जा चुका है। अवशेष धनराशि रु. 160327.60 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु रु. 74100.00 लाख का निर्माण कार्यक्रम तैयार किया गया है। दिनांक 31.10.2018 तक रु. 32500.00 लाख का धनावंटन प्राप्त हुआ है, जिसके सापेक्ष रु. 32500.00 लाख का उपभोग करते हुये परियोजना कार्य सम्पादित कराये गये हैं।

परियोजना से लाभ

परियोजना से जनपद-महोबा, बांदा एवं हमीरपुर के 168 ग्रामों के 149764 कृषक सिंचाई सुविधाओं से लाभान्वित होंगे तथा रबी फसली में 25418 हे. एवं खरीफ फसली में 18963 हे. कुल 44381.00 हे. अतिरिक्त सिंचन क्षमता के सृजन के साथ-साथ महोबा नगर को पेयजल हेतु 20 एम.सी.एम. जल की उपलब्धता सुनिश्चित कराया जाना प्रस्तावित है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु. 20265.00 लाख का बजट प्रावधान है।

मध्य गंगा संगठन के अंतर्गत मध्य गंगा नहर परियोजना, द्वितीय चरण

मध्य गंगा नहर परियोजना (द्वितीय चरण) के अंतर्गत वर्षाकाल में गंगा नदी के अतिरिक्त पानी का खरीफ फसली में सिंचन सुविधा उपलब्ध कराने में उपयोग कराना प्रस्तावित है। इसके लिए बिजनौर स्थित मध्य गंगा बैराज के बायें पार्श्व पर पूर्व में निर्मित हेड रेगुलेटर से मुख्य नहर का निर्माण कर गंगा नदी के पानी को इसमें डाईवर्ट कर इस नहर द्वारा पानी का उपयोग किया जाएगा। इस परियोजना के अंतर्गत 147.00 क्यूमेक्स क्षमता की 66.20 किमी. लम्बी मुख्य लाईन्ड नहर एवं इससे 50 किमी. लम्बाई की बहजोई शाखा जिसका शीर्ष डिस्चार्ज 60 क्यूमेक्स (2118.0 क्यूसेक) तथा 60.00 किमी. लम्बाई की चन्दौसी शाखा जिसका शीर्ष डिस्चार्ज 42.60 (1503.78 क्यूसेक) क्यूमेक्स का निर्माण प्रस्तावित है। इस परियोजना के अंतर्गत 1167 किमी. वितरण प्रणाली का निर्माण प्रस्तावित है। परियेजना का कुल सी.सी.ए. 2,25,433 हे. है, जिसके सापेक्ष जनपद अमरोहा, मुरादाबाद एवं सम्भल के 1,46,532 हे. क्षेत्र में सिंचन सुविधा उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। मध्य गंगा मुख्य नहर जनपद बिजनौर व अमरोहा से गुजरती है व बहजोई एवं चन्दौसी शाखा जनपद अमरोहा व सम्भल से गुजरती है। वर्ष 2004 के मूल्य सूचकांक के आधार पर केन्द्रीय जल आयोग द्वारा वर्ष 2007 में परियोजना की लागत 1060.76 करोड़ की स्वीकृति थी, जिसका पुनरीक्षण वर्ष 2011 के मूल्य सूचकांक के आधार पर केन्द्रीय जल आयोग द्वारा वर्ष 2013 में परियोजना की लागत 2865.11 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। परियोजना की इन्वेस्टमेन्ट क्लीरेन्स योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा 21.06.2013 द्वारा प्रदान की जा चुकी है।

मध्य गंगा परियोजना (द्वितीय चरण) ए.आई.बी.पी. से वित्त पोषित करने हेतु भारत सरकार के साथ

एम.ओ.यू., मूल परियोजना लागत रु. 972.49 करोड़ पर किया गया था। जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अक्टूबर, 2013 में जारी ए.आई.बी.पी. की संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुरूप मार्च, 2013 तक परियोजना पर किये गये व्यय के उपरांत, मूल कार्य लागत के सापेक्ष अवशेष धनराशि पर 20 प्रतिशत वृद्धि स्वीकार करते हुए पुनरीक्षित एम.ओ.यू. कुल रु. 975.31 करोड़ कर दिया गया है, जिसकी वैधता मार्च, 2015 तक थी।

संशोधित परियोजना लागत रु. 4417.21 करोड़ व्यय वित्त समिति द्वारा दिनांक 07.10.2017 की बैठक में अनुमोदित कर दी गयी है। परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति 22.12.20 को प्रदान की गयी। वित्तीय वर्ष 2019-20 में परियोजना हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्राविधानित धनराशि रु. 1355.38 करोड़ में से रु. 1017.00 करोड़ धनराशि अवमुक्त कर दी गयी है। इसके सापेक्ष माह दिसम्बर 2019 तक रु. 831.00 करोड़ का व्यय हो चुका है। परियोजना को भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.) के अंतर्गत शामिल करते हुए देश की सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत प्राथमिकता प्रदान की गयी है, जिसे आगमी कुछ माह में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। ए.आई.बी.पी., पी.एम.के.एस.वाई. के अंतर्गत वित्त पोषण हेतु नाबार्ड से अनुबन्ध हो चुका है। वितरण प्रणाली से सिंचित होने वाले कमाण्ड क्षेत्र/समादेश क्षेत्र में माइक्रो इरिगेशन से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। परियोजना की भौतिक प्रगति 54 प्रतिशत है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु रु. 143604.94 लाख का प्रावधान है।

उत्तर प्रदेश वॉटर सेक्टर रीस्ट्रक्चरिंग परियोजना (द्वितीय चरण)

उत्तर प्रदेश वाटर सेक्टर रीस्ट्रक्चरिंग परियोजना विश्व बैंक के सहयोग से वाटर सेक्टर के पुनर्गठन हेतु चार चरणों में पूरे किये जाने पर मार्च 2002 में सहमति हुई। उत्तर प्रदेश वाटर सेक्टर रीस्ट्रक्चरिंग परियोजना प्रथम चरण में घाघरा-गोमती सिंचाई समादेश क्षेत्र की नहर प्रणालियों के पुनरुद्धार, नालों का पुनरोद्धार, जल उपभोक्ता समितियों का गठन, विभाग में सूचना प्रणाली विकसित किये जाने आदि कार्य प्रस्तावित किये गये।

उ.प्र. वॉटर सेक्टर रीस्ट्रक्चरिंग परियोजना प्रथम चरण

- कार्य प्रारम्भ की तिथि 27 मार्च, 2002
- कार्य पूर्ण होने की तिथि 31 अक्टूबर, 2011

परियोजना के प्रथम चरण के अंतर्गत लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ एवं जौनपुर जनपदों में पाइलट प्रोजेक्ट के रूप में हैदरगढ़ शाखा नहर (किमी. 22.980 तक) तथा जौनपुर शाखा नहर प्रणालियों के अंतर्गत 3.43 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य कमाण्ड क्षेत्र में नहरों एवं नालों का पुनरोद्धार/आधुनिकीकरण के कार्य पूर्ण कराये गये हैं। कुल संशोधित स्वीकृत लागत रु. 747.03 करोड़ के सापेक्ष रु. 735.82 करोड़ का व्यय हुआ। उक्त जनपदों में कमाण्ड क्षेत्र में स्थित नालों के अंदर विभिन्न कार्य कराकर ड्रेनेज प्रणाली में सुधार कर जल प्लावन समस्या का भी समाधान किया गया है। सिंचाई विभाग की सूचना प्रबन्ध प्रणली को भी विकसित कर कार्य किया गया है।

उ.प्र. वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना (द्वितीय चरण)

परियोजना से सम्बन्धित रिहैबिलिटेशन एवं आधुनिकीकरण के प्रोजेक्ट रिपोर्ट एण्ड इम्प्लीमेन्टेशन प्लान (पी.आई.पी.) दिनांक 28.01.2013 को व्यय वित्त समिति द्वारा धनराशि रु. 3563.2 करोड़ मात्र की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। विश्व बैंक द्वारा परियोजना द्वितीय चरण के कार्यों हेतु रु. 2835.00 करोड़ हेतु अपनी सहमति प्रदान की है। विश्व बैंक तथा भारत सरकार के आर्थिक कार्य विभाग की सहमति से परियोजना के द्वितीय चरण की सहमत लागत 2835 करोड़ के सापेक्ष 70 प्रतिशत (1984 करोड़) का ऋण विश्व बैंक तथा 30 प्रतिशत (851 करोड़) राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना है।

लाभान्वित जनपद

परियोजना के अंतर्गत लाभान्वित 16 जनपदों का विवरण निम्न प्रकार हैं :-

- शारदा सहायक कमाण्ड (हैदरगढ़ ब्रान्च किमी. 22.980 डी./एस.)

  जनपद (3 अदद) - बाराबंकी, रायबरेली एवं अमेठी

- बुन्देलखण्ड क्षेत्र (रोहिनी, जामिनी एवं सजनम बांध कैनाल प्रणाली)

  जनपद (1 अदद) - ललितपुर

- निचली गंगा नहर प्रणाली

  जनपद (12 अदद) - एटा, फिरोजाबाद, कासगंज, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, फतेहपुर एवं कौशाम्बी

परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित कार्य एवं सम्बन्धित प्रगति

- समानान्तर निचली गंगा नहर (पी.एल.जी.सी.) की क्षमता पुनर्स्थापना के कार्य के अंतर्गत नहर के आंतरिक सेक्शन का कार्य पूर्ण कर नहर को सिंचाई के कार्य हेतु दिनांक 21.06.2014 से संचालित किया जा चुका है। इस कार्य के पश्चात् नहर की क्षमता 4200 क्यूसेक से बढ़कर 6480 क्यूसेक हो गयी है। समानान्तर निचली गंगा नहर की लाइनिंग के कार्यों हेतु 10 लॉट में कुल लागत रु. 1104 करोड़ के अनुबन्ध गठित किये जा चुके हैं। लाइनिंग के कार्य की प्रगति 50 प्रतिशत है। लाइनिंग के पश्चात् समानान्तर निचली गंगा नहर (पी.एल.जी.सी.) की क्षमता 8900 क्यूसेक हो जाएगी।

- हैदरगढ़ शाखा के किमी. 22.98 डाउन प्रणाली के आधुनिकीकरण एवं पुनरोद्धार का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

- बुन्देलखण्ड क्षेत्र के ललितपुर जनपद के अंतर्गत रोहिनी, जामिनी एवं सजनम बांध नहर प्रणालियों के आधुनिकीकरण एवं पुनरोद्धार कार्य हेतु अनुबंध गठित किया गया था, जिसे माह जुलाई, 2015 में पूर्ण होना था। परन्तु ठेकेदार द्वारा मात्र 19 प्रतिशत कार्य कराया गया। वांछित प्रगति न होने के कारण अनुबंध रद्द किया गया। अवशेष कार्यों को 5 लॉटों में पूर्ण करने हेतु अनुबंध किया गया है। कार्य की कुल प्रगति 43 प्रतिशत है।

- शासनादेश सं0 2058/14-27-सिं.4.25 (डब्ल्यू) दिनांक 20.10.2014 के क्रम में सिंचाई विभाग के अंतर्गत फ्लड मैनेजमेंट इन्फारमेशन सिस्टम (एफ.एम.आई.एस.) सेन्टर कमाण्ड सेन्टर न्यू परिकल्प भवन में स्थापित किया जा चुका है। राप्ती बेसिन हेतु फ्लड फोरकास्ट एण्ड इनुनडेशन मेपिंग मॉडल विकसित करने हेतु कन्सलटेन्सी सेवा ली जा रही है, जिसे जून, 2018 में पूर्ण कर लिया गया है। मॉडल विकसित हो जाने के उपरांत राप्ती बेसिन में तीन दिन पूर्व बाढ़पूर्वानुमान किया जाना प्रगति पर है।

- परियोजना अंतर्गत कृषि विभाग द्वारा परियोजना क्षेत्र (I & II) में 2020 तक कुल 5220 फार्मर वाटर स्कूल स्थापित करने के निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध वर्ष 2016-17 में 240 फार्मर वाटर स्कूल स्थापित एवं एडिप्टिवट्रायल कर किसानों को प्रशिक्षित किया गया। वर्ष 2017-18 हेतु 1160 फार्मर वाटर स्कूल स्थापित किये जा चुके हैं। वर्ष 2018-19 में 2060 फार्मर वाटर स्कूल स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

- परियोजना द्वितीय चरण क्षेत्र में 1024 माइनर लेवल जल उपभोक्ता समिति स्थापित किये जाने के निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष अब तक बेतवा संगठन के अंतर्गत बुन्देलखण्ड जिले में 51 माइनर लेवल जल उपभोक्ता समिति, शारदा सहायक संगठन के अंतर्गत बाराबंकी, रायबरेली एवं अमेठी जिले में 264 माइनर लेवल जल उपभोक्ता समिति तथा रामगंगा संगठन के अंतर्गत फर्रुखाबाद एवं कौशाम्बी में 49 जल उपभोक्त समिति स्थापित की जा चुकी है। रामगंगा संगठन के अंतर्गत शेष जनपदों में माह मार्च, 2020 तक जल उपभोक्ता समितियां गठित की जानी प्रस्तावित हैं।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक अनुमान में इस परियोजना हेतु रु. 29500.00 लाख का प्रावधान है।

कनहर सिंचाई परियोजना

उत्तर प्रदेश के सोनभद्र की दुद्धी तहसील अनवरत सूखाग्रस्त रहती है। यहां की जनसंख्या आदिवासी बाहुल्य है तथा सिंचाई का कोई साधन नहीं है। इस तहसील में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कनहर नदी पर 39.90 मीटर ऊंचा तथा 3.24 किमी. लम्बा बांध बनाकर 0.15 मिलियन एकड़ फीट जल उपयोग करने हेतु कनहर सिंचाई परियोजना निर्माणधीन है। इस परियोजना में 121.10 किमी. मुख्य नहरें एवं शाखायें तथा 190.00 किमी. लम्बी राजवाहों एवं अल्पिकाओं के माध्यम से 26075 हे. कृषि योग्य क्षेत्र में दोनों फसलों को मिलाकर कुल 35467 (खरीफ 21121 हे.+रबी 14346 हे.) हे. क्षेत्र सिंचित करने का प्रस्ताव है। इस परियोजना के क्रियान्वयन से दुद्धी एवं चोपन विकास खण्डों के लगभग 108 ग्रामों के परिवारों की जनसंख्या लाभान्वित होगी तथा सिंचाई विभाग द्वारा पूर्व में निर्मित 12 बन्धियों को भी अतिरिक्त जल उपलब्ध कराया जाना संभव हो सकेगा।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में परियोजना पर रु. 500.00 करोड के बजट का प्राविधान किया गया है, जिसके सापेक्ष माह 08.2019 तक रु. 120.22 का उपभोग कर लिया गया है परियोजना की भौतिक प्रगति लगभग 72 प्रतिशत है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु इस परियोजना पर रु. 20000.00 लाख का प्रावधान है।

बदायूँ सिंचाई परियोजना

गंगा नदी एवं रामगंगा नदी के दोआब में स्थित जनपद बरेली की तहसील सदर एवं तहसील आंवला तथा जनपद बदायूँ की तहसील दातागंज व सदर में वर्तमान में नहरों से सिंचाई हेतु कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। यहां की सिंचाई मुख्यतः भू-जल तथा वर्षा जल पर निर्भर रहती है। विगत कई वर्षों से बदायूँ जनपद के अधिकांश भाग में नलकूपों के द्वारा सिंचाई की जा रही है। इस कारण से जनपद बदायूँ में एवं जनपद बरेली की आंवला तहसील के भूगर्भ जल स्तर के कारण अधिकांश नलकूप सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने में प्रायः असफल हो जाते हैं। क्षेत्र में नहरों से खरीफ फसल को सिंचाई सुविधा प्रदन करने के उद्देश्य से बदायूँ सिंचाई परियोजना तैयार की गयी है। परियोजना के अंतर्गत सकल कमाण्ड क्षेत्रफल 66877 हे. कृषि कमाण्ड क्षेत्रफल 53504 है। और खरीफ की फसल का समुचित एवं सुनिश्चित सिंचन क्षेत्र 37453 हे0 (कृषि कमाण्ड का 70 प्रतिशत) है। परियोजना के अन्तर्गत रामगंगा बैराज का निर्माण, मुख्य नहर 15.600 किमी., शाखाएं 73.600 किमी एवं राजवाहे व अल्पिकाएं 380.100 किमी. का निर्माण प्रस्तावित है। बैराज का परिकल्पन 10900 क्यूमेक डिस्चार्ज पर किया गया है। बैराज की लम्बाई 617 मी. है।

परियोजना की कुल लागत आधार मूल्य वर्ष 2011-12 पर रु. 630.04 करोड़ आगणित की गयी थी, जिसे दिनांक 27.04.2012 को व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित किया गया। उक्त परियोजना 31 मार्च, 2017 तक अवधि में पूर्ण करने हेतु नाबार्ड द्वारा स्वीकृत की गयी थी। परियोजना पर अब तक प्राप्त आवंटन के सापेक्ष परियोजना की कुल प्रगति अब तक लगभग 63 प्रतिशत है। जिसमें बैराज का निर्माण कार्य अब तक लगभग 90 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। विगत वर्षों में भूमि की सर्किल दरों में वृद्धि हो जाने व नये शासनादेश के अनुसार प्रतिकर की दर वर्तमान सर्किल दरों के चार गुने का प्रावधान किये जाने के कारण तथा शेड्यूल ऑफ रेट्स के पांच बार पुनरीक्षित होने के कारण तथा परियोजना के पक्के कार्यों के विस्तृत अनुमोदित ड्राइगों के आधार पर सिविल कार्यों की मात्राओं में भी वृद्धि हो जाने के कारण परियोजना की लागत में वृद्धि हो गयी है। इस प्रकार पुनरीक्षित परियोजना लागत रु. 2208.22 करोड़ की तैयार कर मार्च, 2016 में अनुमोदन हेतु प्रेषित की गयी थी। पुनरीक्षित प्रायोजना को प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आंकलित करने के पश्चात् व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 03.07.2019 में रु. (210015.79 लाख एवं जी.एस.टी. नियमानुसार देय) की लागत पर स्वीकृत किया गया। पुनरीक्षित परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रत्याशा में है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु रु. 3000.00 लाख का प्रावधान है।

जनपद रामपुर में कोसी नहर प्रणाली के विस्तार, रिमोडलिंग एवं आधुनिकीकरण (ई.आर.एम.) के अंतर्गत कोसी नदी पर रामपुर बैराज के निर्माण की परियोजना

जनपद रामपुर की तहसील स्वार में मुख्य नहर कोसी नदी के बाएं किनारे से निकलती है इस नहर का शीर्ष निस्सरण क्षमता 400 क्यूसेक एवं नहर प्रणाली की कुल लम्बाई 197.63 किमी. तथा

सी.सी.ए. 24925 हे. प्रस्तावित है। निर्माणधीन रामपुर बैराज, लालपुर वियर से 3.00 किमी. डाउन स्ट्रीम में स्थित है। बैराज निर्माण से नहरों के कमांड क्षेत्र में कृषकों के सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि के साथ-साथ विकासखण्ड सैदनगर, स्वार एवं चमरव्वा, जो कि वर्तमान में डार्क जोन में है, के जलस्तर में सुधार लाने में सहायक होगा। परियोजना निर्माण से सिंचाई क्षमता खरीफ में 13337 हे. तथा रबी में 8487 हे. करना प्राविधानित है रामपुर बैराज 4517 क्यूमेक डिस्चार्ज के लिये डिजाइन किया गया है, कुल वाटर वे 352.00 मी है।

रामपुर बैराज की मूल परियोजना व्यय वित्त समिति की दिनांक 12.11.2014 की बैठक में धनराशि रु. 216.35 करोड़ की स्वीकृत है। परियोजना की लागत वृद्धि, मुख्यतः नये शासनादेश के अनुसार भूमि प्रतिकर की दर वर्तमान सर्किल दरों के चार गुने का प्राविधान व शेड्यूल आफ रेट्स में वृद्धि तथा विस्तृत डिजाइन के पश्चात् स्वीकृत डिटेल ड्राइंग के अनुसार आइटम की मात्राओं में हुई है। अतः पुनरीक्षित परियोजना बनाकर 2018 में प्रस्तुत की गयी। पुनरीक्षित परियोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आंकलित करने के पश्चात् व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 03.07.2019 में (रु. 595.99 करोड़ की परियोजना एवं जी.एस.टी. नियमानुसार देय) की लागत पर स्वीकृत किया गया। रामपुर बैराज का निर्माण कार्य प्रगति में है। रामपुर बैराज की भौतिक प्रगति (पुनरीक्षित परियोजना) के सापेक्ष 42 प्रतिशत है। पुनरीक्षित परियोजना को प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की प्रत्याशा में है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु रु. 7653.17 लाख का प्रावधान है।

जसराना नवीन नहर परियोजना

- जसराना नवीन नहर परियाजना, पुनरीक्षित लागत रु. 197.79 करोड़।
- परियोजना वर्ष 2013 में परियोजना रु. 131.24 करोड़ की स्वीकृत थी परन्तु भूमि की दरें चार गुना अधिक बढ़ जाने के कारण परियोजना पुनरीक्षित की गयी जिसकी लागत रु. 197.79 करोड़ स्वीकृत है।
- **परियोजना का उद्देश्य :** परियोजना का उद्देश्य फिरोजाबाद के डार्कजोन, विकास खण्ड शेखपुर हथवन्त एवं खैरागढ़ के किसानों को सिंचाई तथा फिरोजाबाद शहर वासियों को पीने हेतु जल उपलब्ध कराना।
- **परियोजना से लाभ :**
- जनपद फिरोजाबाद शहर में पेयजल हेतु 50 क्यूसेक जलापूर्ति।
- परियोजना क्रियान्वित होने पर जनपद फिरोजाबाद के 9520 हे0 क्षेत्र में लगभग 92000 कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी।

परियोजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति :

- परियोजना की भौतिक प्रगति 98.20 प्रतिशत है तथा वित्तीय प्रगति 88 प्रतिशत है।

- मार्च 2019 तक इस परियोजना पर रु. 174.25 करोड़ व्यय किया जा चुका है।
- वर्ष 2019-20 में परियोजना पर रु. 2.00 करोड़ धनावंटन के सापेक्ष 2.00 करोड़ व्यय किया जा चुका है। इस प्रकार परियोजना पर अब तक कुल रु. 176.25 व्यय हुआ है।

अवशेष :

- जसराना फीडर नहर में 1.200 किमी लाइनिंग का कार्य अवशेष है।
- जसराना फीडर नहर एवं मानइरों पर प्रस्तावित 96 पक्के कार्य का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है।
- जसराना नवीन नहर के किमी0 23.500 पर स्केप के हेड रेगुलेटर निर्माण का कार्य।
- टेलगूल एवं कुलावा निर्माण कार्य।
- **उपयोगिता :** परियोजना की स्वीकृत लागत रु. 197.98 करोड़ में से 176.25 करोड़ व्यय किया जा चुका है परियोजना की भौतिक प्रगति 98.40 प्रतिशत एवं वित्तीय प्रगति 89 प्रतिशत है। परियोजना पर वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 2.00 करोड़ बजट प्राविधानित था जिसके सापेक्ष रु. 2.00 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है, अवशेष कार्य पूर्ण कराने हेतु रु. 11.15 करोड़ की मांग पुनर्विनियोजन से प्रेषित की गयी है। परियोजना के अवशेष कार्य पूर्ण होने पर परियोजना की उपयोगिता पूर्ण हो जायेगी।
- वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु. 720.00 लाख का बजट प्राविधान है।

लखनऊ में गोमती नदी का चैनेलाइजेशन

गोमती नदी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मध्य से गुजरती है तथा उसकी जीवन-रेखा है। लखनऊ की जीवन रेखा होने के बावजूद यह नदी अविकसित है तथा इसका पानी भी काफी गन्दा है। विगत वर्षों में भूगर्भ जल के गिरते जल-स्तर एवं जल संसाधनों के अनियमित दोहन से इसके अस्तित्व पर संकट उत्पन्न हो गया है। गोमती नदी में जल की कमी एवं पर्याप्त बहाव न होने के कारण जलीय प्रदूषण के कारण पर्यावरण को भी गम्भीर हानि हो रही है। वर्तमान में भैंसाकुण्ड के समीप निर्मित बैराज के अपस्ट्रीम में नदी में गऊघाट से पीने के पानी की शहर को आपूर्ति किये जाने के कारण नदी में जल का स्तर बनाये रखा जाता है, जिसके कारण नदी के इस भाग में लगभग 30 वर्ष से कभी सफाई नहीं हो पायी है, जिससे यह भाग एवं इसमें प्रवाहित हो रहा पानी काफी गन्दा हो गया है।

लखनऊ में गोमती नदी का चैनेलाइजेशन (हार्डिंग ब्रिज से वियर तक) की पुनरीक्षित परियोजना जिसकी लागत रु. 1513.51 करोड़ है जो लेखाशीर्षक 4700 के अन्तर्गत व्यय–वित्त समिति से स्वीकृत है। प्रस्तावित परियोजना में गोमती नदी को हार्डिंग ब्रिज से वियर तक डायाफ्राम वाल निर्मित कर चैनेलाईजशन के साथ-साथ नदी के दोनों तटों पर गोमती बैराज के डाउनस्ट्रीम में साइकिल ट्रैक, वॉकिंग

ट्रैक तथा लैण्ड स्केपिंग, रबर डैम, इण्टरसेप्टिंग ट्रंक ड्रेन का निर्माण, ग्रीनरी का कार्य, म्यूजिकल फाण्उन्टेन आदि के कार्य का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त पुलों/बैराज आदि का इल्यूमिनेशन एवं लक्जरी पैसेन्जर बोट का क्रय भी सम्मिलित है। इस पुनरीक्षित परियोजना पर लागत रु. 1513.51 करोड़ के सापेक्ष रु. 1475.194 करोड़ का व्यय हो चुका है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु. 1500.00 लाख का बजट प्राविधान प्रस्तावित है।

भौंरट बांध परियोजना

भौंरट बांध परियोजना जनपद ललितपुर के तहसील महरौनी के विकास खण्ड,महरौनी में ग्राम भैंरा के समीप जामनी नदी, जो कि बेतवा नदी की सहायक नदी है, पर वर्तमान जामनी बांध के लगभग 49 किमी. डाउन स्ट्रीम में प्रस्तावित है। परियोजना के अन्तर्गत जामनी नदी पर 45.08 मि0घनमी0 उपयोगी जलग्रहण क्षमता के बांध का निर्माण किया जायेगा, जिसके बांये पार्श्व से 4.00 किमी0 लम्बी 0.5 क्यूसेक शीर्ष निस्सारण क्षमता की नहर का निर्माण भी प्रस्तावित है तथा बांध के बांये पार्श्व से 18.200 किमी0 लम्बी, 4.00 क्यूमेक शीर्ष निस्सारण क्षमता की फीडर चैनल का निर्माण कर जामनी बांध की बांध की बांयी नहर प्रणाली के अन्तर्गत बानपुर राजवाहे के किमी0 13.300 पर जल पहुंचा कर बानपुर राजवाहे के किमी0 29.00 तक टेल कमाण्ड में तथा नहर प्रणाली निर्मित कर 7000 हे0 रबी एवं 9000 हे0 खरीफ अर्थात् कुल 16000 हे0 क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

भौंरट बांध परियोजना पर वित्तीय वर्ष 2020-21 रु. 3500.00 लाख का प्रावधान है।

केन बेतवा लिंक परियोजना

उ.प्र. एवं म.प्र. के बीच स्थित केन-बेतवा लिंक कमाण्ड में उपलब्ध जल के समुचित उपयोग/ वितरण के सम्बन्ध में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों द्वारा केन्द्र सरकार के तत्वावधान में दिनांक 25.08.2015 को एक एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर हुए। इसके अनुसार म.प्र. एवं उ.प्र. के बीच केन नदी के बंटवारे पर सहमति हुई। यह परियोजना को दो फेज में तैयार किया गया। प्रथम फेज के अंतर्गत केन नदी पर दोधन बांध का निर्माण प्रस्तावित किया गया। प्रस्तावित स्थल म.प्र. राज्य के जनपद पन्ना की तहसील बीजापुर में स्थित है। बांध में जल की उपलब्धता 218.00 टी.एम.सी. आंकलित की गयी है। इसमें से 80.00 टी.एम.सी. बांध के अंदर म.प्र. के उपयोग, 15.00 टी.एम.सी. क्षेत्रीय रिचार्ज को सम्मिलित करते हुए लगभग 123.00 टी.एम.सी. जल उपलब्ध होगा। इस परियोजना का जल दोनों राज्यों के मध्य क्रमशः 60-60 टी.एम.सी. प्राविधानित है। अवशेष जल का उपयोग बांध के नीचे इकोलॉजिकल व बेतवा वेसिन के लिए किया जाना है।

परियोजना लागत

यह परियोजना वर्ष 2008 के मूल्य पर आगणित लागत रु. 9393.00 करोड़ थी, जो वर्ष 2016 में पुनरीक्षित होकर 18057.08 करोड़ हो गयी है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में इस परियोजना हेतु रु. 200.00 लाख का बजट प्रावधान है।

लघु डाल सिंचाई योजना

राजकीय लघु सिंचाई उठाऊ योजनाएं

प्रदेश के प्रत्येक अंचल में वृहद एवं मध्यम योजनाओं के अन्तर्गत नहर प्रणालियों द्वारा सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं है। इनके अतिरिक्त जिन स्थानों पर राजकीय नलकूपों का निर्माण किया जाना तकनीकी रूप से साध्य नहीं है वहाँ सिंचाई हेतु जल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लघु डाल सिंचाई की व्यवस्था ही एक मात्र विकल्प है जिस हेतु लघु डाल नहरों का निर्माण महत्त्वपूर्ण है। वर्तमान में प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 252 लघु डाल नहरों द्वारा सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

कार्यरत लघु डाल नहरों का आधुनिकीकरण

वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 1800.00 लाख की प्रस्तावित बजट व्यवस्था से 2.00 हजार हेक्टेयर सिंचन क्षमता की पुनर्स्थापना हेतु आधुनिकीकरण का कार्य प्रगति पर है।

देउम पम्प नहर परियोजना (नाबार्ड पोषित)

जनपद प्रतापगढ़ में देउम पम्प नहर परियोजना (नाबार्ड पोषित) क्षमता 40 क्यूसेक, लागत रु. 1728.59 लाख है। परियोजना के पूर्ण हो जाने पर 1300 हेक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन होगा। वित्तीय वर्ष 2018-19 तक धनराशि रु. 1636.59 लाख व्यय हुआ है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में धनराशि रु. 92.00 लाख से परियोजना के अवशेष कार्यों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

अदसड न्यू पम्प नहर परियोजना (नाबार्ड पोषित)

जनपद चन्दौली में अदसड न्यू पम्प नहर परियोजना (नाबार्ड पोषित) क्षमता 50 क्यूसेक, लागत रु. 3733.80 लाख है। परियोजना के पूर्ण हो जाने पर 2679 हेक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन होगा। वित्तीय वर्ष 2018-19 तक धनराशि रु.3050.00 लाख व्यय हुआ है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में धनराशि रु. 685.80 लाख से परियोजना के अवशेष कार्यों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

धुरियाघाट पम्प नहर परियोजना (नाबार्ड पोषित)

जनपद मिर्जापुर में धुरियाघाट पम्प नहर परियोजना (नाबार्ड पोषित) क्षमता 20 क्यूसेक, लागत धनराशि रु. 1393.24 लाख है। परियोजना के पूर्ण हो जाने पर 2040 हेक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन होगा। वित्तीय वर्ष 2018-19 तक धनराशि रु. 1101.24 लाख व्यय हुआ है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में धनराशि रु. 292.00 लाख से परियोजना के अवशेष कार्यों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

बाँध एवं बैराज

- ओखला बैराज, ओखला नई दिल्ली के पुराने जीर्णशीर्ण 18 अदद बे-गेटों के प्रतिस्थापन का कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण कराया गया।
- राम गंगा मुख्य बांध एवं सैडिल बांध, कालागढ़ को स्वचालित कराया गया।
- हिन्डन बैराज, गाजियाबाद के 07 अदद पुराने जीर्णशीर्ण अदद बे-गेटों के प्रतिस्थापन का कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण कराया गया।

- बन्डई बांध, ललितपुर में 04 नवीन गेटों की स्थापना का कार्य।
- अफजल बैराज, बिजनौर के स्वचालन का कार्य कराया गया।
- हरेवली बैराज, बिजनौर के स्वचालन का कार्य कराया गया।
- सरयू घाघरा पर जनपद गोण्डा स्थित एल्गिन चरसड़ी के निकट बाढ़ की विभीषिका को न्यूनतम करने के दृष्टिगत ड्रेजिंग का कार्य।
- राप्ती नदी पर जनपद बलरामपुर में ग्राम चन्दापुर को बाढ़ की विभीषिका से बचाने हेतु ड्रेजिंग का कार्य।
- बुन्देलखण्ड के ललितपुर जनपद में स्थित कचनौदा बांध पर नवीनतम स्काडा तकनीक का प्रयोग करते हुए गेटों को पूर्णतः स्वचलित किया गया।
- बैराजों की सुरक्षा एवं पर्यवेक्षण के दृष्टिगत 14 बैराजों/बांधों पर कैमरों की स्थापना करायी गयी जिससे उनको आनलाइन कहीं से भी देखा जा सकता है।

महत्वपूर्ण योजनाओं की विगत 03 वर्षों की उपलब्धियाँ

वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनायें

वर्तमान सरकार के कार्यकाल (03 वर्ष) 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 में विभाग की कुल 14 परियोजनायें बाणसागर नहर परियोजना, पहाड़ी बाँध परियोजना, जमरार बाँध परियोजना, पहूँज बाँध पुनरोद्धार परियोजना, गुण्टा बाँध रेस्टोरेशन/रिनोवेशन ऑफ एलाइड वर्क परियोजना, पं0 दीनदयाल उपाध्याय पथरई बाँध परियोजना, लहचूरा बाँध परियोजना, मौदहा बाँध नहर प्रणाली की क्षमता पुनर्स्थापना की परियोजना, रसिन बाँध परियोजना, चौधरीचरण सिंह लखेरी बाँध परियोजना, बण्डई बाँध परियोजना, जाखलौन पम्प नहर की क्षमता पुनर्स्थापना की परियोजना, जाखलौन पम्प नहर पर 2.50 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना की परियोजना, जाखलौन पम्प नहर पर 3.42 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना की परियोजना पूर्ण की गयी है। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से कुल 2.66 लाख हे0 सिंचन क्षमता सृजित हुई, जिससे कि 2.35 लाख कृषक लाभाविन्त हो रहे हैं, इसके अतिरिक्त 5.92 मेगावाट हरित ऊर्जा (विद्युत) का उत्पादन अगस्त, 2020 से प्रारम्भ हो जायेगा।

1. महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनायें

- वित्तीय वर्ष 2020-21 में 12 परियोजनाओं सरयू नहर (राष्ट्रीय) परियोजना, अर्जुन सहायक परियोजना, मध्यगंगा (द्वितीय चरण) परियोजना, उ0प्र0 वॉटर रीस्ट्रक्चरिंग परियोजना (विश्व बैंक पोषित), मसगाँव एवं चिल्ली स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजना, कुल पहाड़ स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजना, शहजाद बाँध स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजना, भौंरट बाँध परियोजना, भावनी बाँध परियोजना, रतौली वीयर परियोजना, कचनौंदा बांध परियोजना, उमर हठ पम्प नहर परियोजना द्वितीय को पूर्ण करने का लक्ष्य है। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से कुल 17.76 लाख हे0 सिंचन क्षमता सृजित होगी एवं 43.38 लाख कृषक लाभाविन्त होंगे।

सिल्ट सफाई

- वर्ष 2017-18 में 25398 किमी0, वर्ष 2018-19 में 27434 किमी0 एवं 2019-20 में 46220 किमी0 राजवाहों एवं अल्पिकाओं की सिल्ट सफाई करायी गयी है, जो वर्ष 2017-18 से 82 प्रतिशत अधिक है।
- सिल्ट सफाई कार्य में मा0 सांसदों, विधायकों, स्थानीय जन प्रतिनिधियों द्वारा उद्घाटन एवं कार्य के दौरान सिल्ट सफाई कार्य का निरीक्षण किया गया है। सिल्ट सफाई कार्य स्थानीय समाचारपत्रों/मीडिया में व्यापक प्रचार-प्रसार के साथ कराया गया है एवं कार्य से सम्बन्धित नहरों की सूची भी मा0 जन प्रतिनिधियों को उपलब्ध करायी गयी है।

सींच

- विगत 03 वर्षों में नहरों/नलकूपों से वर्तमान सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 में नहरों/नलकूपों से 8254.62 हजार हेक्टेयर, वर्ष 2018-19 में 8610.33 हजार हेक्टेयर एवं 2019-20 में 8625.15 हजार हेक्टेयर सींच हुई है जो वर्ष 2017-18 से 370.53 हजार हेक्टेयर अधिक है।

बाढ़ एवं जलोत्सारण

- बाढ़ से बचाव हेतु नदियों पर 523 अदद तट बन्ध (लम्बाई 3869 कि0मी0) निर्मित है एवं 6450 अदद नाले (लम्बाई लगभग 42625 कि0मी0) है।
- वर्तमान सरकार के विगत तीन वर्षों में परियोजनाओं का लक्ष्य 317 के सापेक्ष 334 परियोजनाएं पूर्ण की गयीं।

वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 हेतु बाढ़ परियोजनाओं का निर्धारित लक्ष्य एवं प्रगति

- वर्ष 2019-20 में कुल 247 चलित परियोजनाएं ली गयी जिनकी लागत रु0 2409.64 करोड़।
- माह मार्च, 2020 तक 149 परियोजनाएं, लागत रु0 1154.11 करोड़ की पूर्ण की गयी।
- वर्ष 2019-20 की अवशेष 98 परियोजनाएं लागत रु0 1255.53 करोड़। वर्ष 2020-21 पूर्ण किया जाना प्रस्तावित।

अन्य विशिष्ट कार्य

1. गंगा यात्रा (दिनांकः 27.01.2020 से 31.01.2020 तक)

जनपद बिजनौर से कानपुर एवं बलिया से कानपुर तक 1398 कि0मी0 की गंगा यात्रा की गई तथा अविरल एवं निर्मल बनाने हेतु जनजागरण करते हुए यात्रा जनआन्दोलन में परिवर्तित होकर सफलता पूर्वक सम्पन्न हुई।

2. रामजी की पैड़ी, अयोध्या

अयोध्या स्थित रामजी की पैड़ी पर अविरल जल प्रवाह परियोजना दिसम्बर 2018 में प्रारम्भ की गई थी जिसमें 240 क्यूसेक का पम्प हाउस एवं रामजी की पैड़ी मुख्य चैनल को सरयू नदी तक

ग्रेडिन्ट प्रदान करते हुए रीमोडलिंग का कार्य इंगित था, इस कार्य को रिकार्ड समय में एक वर्ष के भीतर पूर्ण किया गया एवं अक्टूबर 2019 के दीपोत्सव में रामजी की पैड़ी को अविरल जल का प्रवाह सुनिश्चित किया गया है, जिससे रामजी की पैड़ी पर श्रद्धालुओं के लिए स्नान एवं आचरन हेतु अविरल स्वच्छ जल उपलब्ध हो रहा है।

3. नहरों के सेवा मार्गों को गड्ढामुक्त/नवीनीकरण

वित्तीय वर्ष 2017-18 से पूर्व नहरों पर पक्के एवं कच्चे सेवा मार्गों (पेन्टेड तथा अनपेन्टेड रोड) की कुल लम्बाई 20,492 किमी0 थी जिसमें 9960 किमी0 में पक्की सड़कें निर्मित थीं जो अत्यन्त जर्जर हो गयी थीं जिसमें से वर्तमान सरकार द्वारा विभिन्न वित्तीय वर्षों में निम्नानुसार सड़कें गड्ढामुक्त/नवीनीकृत की गयी हैं।

- वर्ष 2017-18 में 1948 किमी0, व्यय रु0 155.62 करोड वर्ष 2018-19 में 1563 किमी0, व्यय रु0 156.63 करोड वर्ष 2019-20 में 1619.22 किमी0, व्यय 206.00 करोड़ सडकें गड्ढामुक्त/नवीनीकृत की गई है।

- **अवैध कब्जे/अतिक्रमण से मुक्ति अभियान**

व्यापक अभियान चलाकर सिंचाई विभाग की परिसम्पत्तियों पर से अवैध कब्जे/अतिक्रमण को युद्व स्तर पर हटाये जाने की कार्यवाही की गयी है। कुल 1990.00 हे0 परिसम्पत्तियों को अवैध कब्जे/अतिक्रमण से मुक्त कराया गया।

पशुधन

उत्तर प्रदेश, विशाल जनसंख्या, पशु संख्या एवं क्षेत्रफल वाला प्रदेश है। प्रदेश की 20 करोड़ से अधिक आबादी को प्रदेश सरकार से बहुत सी अपेक्षायें हैं। इन जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न संकल्प लिये गये है विशेषकर गोवंशीय पशुओं के संरक्षण एवं संवर्धन के कार्यों को तीव्र गति से किया जाना। प्रदेश में निराश्रित/छुट्टा (अन्ना पशुओं) से कृषकों की फसलों को हो रहे नुकसान से बचाव हेतु सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रम/योजनायें संचालित की जा रही हैं।

सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) के वैश्विक लक्ष्यों में गरीबी एवं भुखमरी उन्मूलन, पर्यावरण की रक्षा, आर्थिक असमानता को दूर करना, लैंगिक समानता, सभी के लिए शांति, अच्छा स्वास्थ्य एवं जीवनस्तर और न्याय सुनिश्चित किया जाना शामिल है, इसमें जलवायु परिवर्तन, आर्थिक असमानता, नवाचार, टिकाऊ, उपभोग जैसे नए विषय जोड़े गये हैं। प्रदेश सरकार के संकल्प में निहित 2022 तक कृषकों की आय को दोगुनी किये जाने हेतु कृषि समृद्धि आयोग का गठन किया गया है जिसके अन्तर्गत पशुधन विभाग की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।

पशुपालन विभाग की संरचना

प्रदेश में पशुपालन विभाग अन्तर्गत 2 निदेशकों के पद सृजित है यथा निदेशक (प्रशासन एवं विकास) तथा निदेशक (रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र) अपने-अपने पदों पर पदासीन हैं। दोनों निदेशकों को विभिन्न योजनाओं की संरचना, स्वीकृति एवं क्रियान्वयन वित्तीय अनुशासन एवं प्रशासनिक व्यवस्था में सहयोग हेतु चार अपर निदेशक (ग्रेड-1), एक वित्त नियंत्रक एवं एक संयुक्त निदेशक (प्रशासन) का पद भी सृजित हैं।

1. विभाग के मुख्य उद्देश्य

1. प्रदेश में दूध अण्डा, ऊन एवं मांस के उत्पादन में वृद्धि करना।
2. समन्वित पशु स्वास्थ्य सुरक्षा एवं चिकित्सा कार्यक्रमों की क्षमता का उपयोग कर पशुओं को स्वस्थ रखना।
3. विभिन्न पशु महामारियों के नियंत्रण एवं उन्मूलन हेतु समग्र एवं सघन प्रयास करना।
4. पशुधन एवं कुक्कुट विकास के क्षेत्र में उद्यमिता का विकास किया जाना।
5. पशु प्रजनन नीति 2018 को जलवायुनुकूलित क्षेत्रों के अनुसार प्रजाति का चयन कर कार्यान्यवित किया जाना।

6. विभिन्न लघु पशुओं (भेड़/बकरी/सूकर आदि) का विकास एवं लघु पशु उत्पादन क्षेत्र में स्वरोजगार का सृजन एवं गरीब ग्रामीणों का आर्थिक सुधार सुनिश्चित करना।
7. पशुधन हेतु पर्याप्त चारे एवं पोषण की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
8. गोशालाओं का विकास करना, गोवंशीय पशुओं की अवैध तस्करी/परिवहन को रोकने एवं गोवध निवारण अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु सहयोग प्रदान करना।
9. पशुपालन विभाग के कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार-प्रसार पशु आरोग्य मेलों के माध्यम से किया जाना।
10. सेक्स्ड सीमेन के उपयोग से 90 प्रतिशत बछिया उत्पन्न किया जाना।
11. डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं को संचालित करना।
12. प्रदेश में सेक्स्ड सीमेन स्ट्राज का उत्पादन किया जाना।
13. बकरियों में कृत्रिम गर्भाधान किया जाना तथा प्रदेश में ही स्ट्राज का उत्पादन करना।

उपलब्धियाँ

- वर्ष 2018-19 में उत्तर प्रदेश 305.189 लाख मीट्रिक टन (वृद्धि दर 4.96 प्रतिशत) दुग्ध उत्पादन कर देश में प्रथम स्थान पर है। वर्ष 2019-20 में अद्यतन माह जनवरी 2020 तक 261.40 लाख मी0टन0 दुग्ध उत्पादन किया गया है।
- वर्ष 2018-19 में 26050.007 लाख अण्डों का उत्पादन किया गया था, जिसकी वृद्धि दर 6.77 प्रतिशत है। वर्ष 2019-20 में अद्यतन माह जनवरी 2020 तक 24720.00 लाख अण्डों का उत्पादन किया गया है।
- वर्ष 2018-19 में 12270.92 लाख किलोग्राम मांस का उत्पादन किया गया था, जिसकी वृद्धि दर 6.60 प्रतिशत है। वर्ष 2019-20 में माह जनवरी 2020 तक 8200.00 लाख किलोग्राम मांस का उत्पादन किया गया है।
- कुक्कुट विकास नीति के तहत कामर्शियल लेयर्स फार्मिंग की (30,000 व 10,000 पक्षी की एक इकाई) क्रमशः 315 इकाईयां, 286 इकाईयां क्रियाशील हैं।
- ब्रायलर पैरेन्ट फार्म की (10,000 पक्षी की एक इकाई) 29 इकाईयां क्रियाशील हैं, जिनसे अद्यतन 41.75 लाख अतिरिक्त चूजें (प्रतिमाह) उत्पादित हो रहे हैं।
- प्रदेश में कुक्कुट विकास नीति-2013 को 2022 तक बढ़ाया गया है। नीति अन्तर्गत 104.64 लाख अण्डा प्रतिदिन उत्पादित हो रहा है।
- कुक्कुट विकास नीति के अन्तर्गत 84980 व्यक्तियों को रोजगार मिला है एवं अद्यतन प्रदेश में रु. 992.42 करोड़ का निवेश हुआ है।
- बैकयार्ड कुक्कुट योजनान्तर्गत निर्धन व्यक्तियों को भोजन में पोषक तत्व (प्रोटीन) पूर्ति हेतु अण्डा एवं कुक्कुट मांस का उत्पादन करना एवं स्वरोजगार सृजित करना योजना का मूल

उद्देश्य है। वर्ष 2018-19 में 15000 बैकयार्ड कुक्कुट इकाईयों की स्थापना की गयी है। वर्ष 2019-20 में 15000 बैकयार्ड कुक्कुट इकाईयों की स्थापना किया जाना लक्षित है जिसके सापेक्ष 4000 इकाईयां स्थापित की गयी हैं।

- वर्ष 2019-20 में 168 लाख कृत्रिम गर्भाधान किया जाना लक्षित है, जिसके सापेक्ष माह जनवरी 2020 तक 98.04 लाख पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान किया गया है।
- वर्ष 2018-19 में बधियाकरण, चिकित्सा एवं टीकाकरण कार्यक्रम में क्रमशः 27.498, 333.98 लाख 1613.44 लाख लक्ष्य के सापेक्ष पूर्ति क्रमशः 23.5, 375.43 एवं 1434.01 लाख किया गया है। वर्ष 2019-20 में बधियाकरण, चिकित्सा एवं टीकाकरण कार्यक्रम में क्रमशः 29.83, 333.98 लाख लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसके सापेक्ष पूर्ति क्रमशः 19.77, 311.10 एवं 1282.298 लाख किया गया है।
- कृषकों की आय को दोगुनी किये जाने की दिशा में विशिष्ट उपलब्धि आर0के0वी0वाई योजनान्तर्गत गोवंशीय पशुओं में वर्गीकृत वीर्य के उपयोग से 1005 मादा संतति एवं उच्च गुणवत्तायुक्त 96 नर संतति सहित कुल 1098 संतति उत्पन्न हुई है। योजनान्तर्गत मादा संतति उत्पन्न होने का प्रतिशत 90 है। अतः योजना के सफलता के दृष्टिगत इस कार्यक्रम को प्रदेश के समस्त जनपदों में संचालित किये जाने का निर्णय मा0 मंत्रिपरिषद से लिया गया है। वर्ष 2019-20 में 'सेक्सड सीमेन के उपयोग की योजना' के अन्तर्गत 57 जनपदों में साहीवाल, थारपारकर, हरियाणा एवं गंगातीरी प्रजाति के वर्गीकृत वीर्य के स्ट्राज को उपलब्ध कराया जा रहा है एवं 39 जनपदों में कृत्रिम गर्भाधान का कार्य प्रारंभ किया गयाहै।
- गोकुल ग्राम मिशन अन्तर्गत भ्रूण प्रत्यारोपण केन्द्र निबलेट, बाराबंकी में परियोजना प्रारम्भ से अद्यतन 276 भ्रूणों को गायों में प्रत्यारोपित किया गया है जिससे कुल 73 पशु गर्भित पाये गये जिनमें से अद्यतन 52 संततियां (नर वत्स-31,मादा वत्स-21) उत्पन्न हुयी हैं।
- वर्ष 2018-19 में गोसंरक्षण केन्द्र की स्थापना योजनान्तर्गत प्रदेश के निराश्रित/बेसहारा गोवंश की समस्या के निराकरण हेतु बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 07 जनपदों को छोड़कर प्रदेश के शेष 68 जनपदों में एक-एक वृहद् गो-संरक्षण केन्द्र का निर्माण कराया जा रहा है। वर्ष 2019-20 में भी उक्त कार्य हेतु शासन द्वारा रू0 1.20 करोड़ की दर से कुल 68 केन्द्रों हेतु कुल धनराशि रु. 81.60 करोड़ स्वीकृत किया गया है।
- प्रदेश में बुन्देलखण्ड क्षेत्र में निराश्रित गोवंश की समस्या के निराकरण हेतु बुन्देलखण्ड के प्रत्येक जनपद में 05-05 गो-आश्रय केन्द्र स्थापित किये गये हैं। उक्त कार्य हेतु शासन द्वारा कुल रू0 10.00 करोड़ की धनराशि उपलब्ध करायी गयी है।
- वर्ष 2018-19 में बुन्देलखण्ड क्षेत्र के समस्त जनपदों में एक-एक गोवंश वन्य विहार की स्थापना की गयी है। वर्ष 2019-20 में भी बुन्देलखण्ड क्षेत्र के समस्त जनपदों में एक-एक गोवंश वन्य विहार की स्थापना की जा रही है जिसके लिये शासन द्वारा रू0 8.40 करोड़ स्वीकृति किये गये हैं।

- वर्ष 2018-19 में छुट्टा गोवंश के रख-रखाव की योजनान्तर्गत प्रदेश के 16 नगर निगमों में संचालित गोशालाओं में संरक्षित पशुओं के भरण-पोषण हेतु रू0 30.00 प्रति पशु की दर से कुल रू0 17.52 करोड़ की धनराशि शासन द्वारा स्वीकृति कर उक्त समस्त नगर निगमों को उपलब्ध कराया गया है। वर्ष 2019-20 में प्रश्नगत योजनान्तर्गत अद्यतन रु. 203.1122 करोड़ शासन द्वारा स्वीकृति किया गया है।
- जनपद बरेली के ग्राम मुड़िया मुकर्रमपुर तहसील बहेड़ी में रू0 36.92 करोड़ की लागत से भ्रूण प्रत्यारोपण केन्द्र स्थापित किया गया है। उक्त केन्द्र पर उच्च गुणवत्तायुक्त भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक से स्वदेशी नस्ल के वत्स उत्पन्न किये जायेंगे तथा पशुपालकों/ पशुचिकित्साधिकारियों को प्रशिक्षण देने का कार्य भी किया जायेगा।
- प्रदेश में विभाग द्वारा प्रथम बार गोशालाओं का पंजीकरण आनलाइन किया जा रहा है। अद्यतन 532 गोशालाएं पंजीकृत हैं।
- गोकुल मिशन के अन्तर्गत प्रदेश में स्वदेशी पशुओं के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु जनपद वाराणसी में गोकुल ग्राम की स्थापना की गयी है तथा जनपद शाहजहाँपुर में भी गोकुल ग्राम की स्थापना की जा रही है।
- अस्थायी/स्थायी गोवंश आश्रय स्थल/गो-संरक्षण केन्द्रों/कान्हा उपवन/कांजी हाउस में शहरी तथा ग्रामीण अंचल में कुल 4.48 लाख गोवंशीय पशु संरक्षित किये गये हैं।
- मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनतर्गत 14 नवीन पशुचिकित्सालयों के निर्माण हेतु शासन द्वारा रू0 0.4017 करोड़ की दर से कुल रू0 5.6238 करोड़ स्वीकृत किये गये हैं जिसमें से 8 पशुचिकित्सालयों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। शेष पशुचिकित्सालयों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

पशुपालन का वर्तमान स्तर :-

उत्तर प्रदेश विशाल जनसंख्या एवं क्षेत्रफल वाला प्रदेश है। प्रदेश की आबादी 20 करोड़ से अधिक है जो राष्ट्रीय जनसंख्या का लगभग 16.16 प्रतिशत है, जिसमें अनुमानत 70 प्रतिशत लोग आज भी गांवों में निवास करते हैं एवं कृषि आधारित कार्य उनकी जीविकोपार्जन का साधन है। गांवों में निवास कर रही जनसंख्या का 65 प्रतिशत ग्रामीण छोटे कृषक, 7.8 प्रतिशत दो एकड़ से कम जोत वाले कृषक तथा 27.2 प्रतिशत दो से पांच एकड़ की जोत वाले कृषक हैं। अधिक जनसंख्या एवं कम जोत भूमि के कारण प्रदेश के बहुसंख्यक किसानों को कृषि के साथ-साथ अन्य संबंधित कार्य अपनी जरूरतों की पूर्ति हेतु करना पड़ता है। ऐसे ग्रामीण परिवारों के जीविकोपार्जन हेतु पशुपालन सर्वोत्तम विकल्प है, क्योंकि छोटी जोतों पर भी यह किसानों को नियमित एवं सुनिश्चित आय सुलभ कराता है। वस्तुतः इन्हीं लघु कृषकों/भूमिहीन कृषि श्रमिकों द्वारा प्रदेश में उपलब्ध पशुधन का लगभग 90 प्रतिशत पशुओं का पालन-पोषण किया जाता है।

प्रदेश दुग्ध उतपादन में देश में प्रथम स्थान पर है और प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 339

ग्राम प्रतिदिन है। प्रदेश में प्रति गाय अथवा प्रति भैंस औसत दैनिक उत्पादन क्रमशः 3.961 तथा 4.534 किलोग्राम है। इस प्रकार प्रदेश में प्रति पशु दुग्ध उत्पादन वृद्धि की असीम सम्भावनायें हैं।

प्रदेश सकल अण्डा उत्पादन में देश में आठवें स्थान पर है, प्रदेश में उत्पादित कुल अण्डे का 35 प्रतिशत अण्डा निजी क्षेत्रों से तथा 65 प्रतिशत बैकयार्ड पोल्ट्री से प्राप्त होता है। प्रदेश में पक्षियों से प्रति पक्षी औसत वार्षिक अण्डा उत्पादन की संख्या 190.5 है। अण्डा/मांस के उत्पादन-खपतें के अन्तर को पूरा केरने के लिए लगभग 45 लाख अण्डा और 0.30 लाख ब्रायलर पक्षियों का प्रतिदिन निकटस्थ प्रदेशों से आयात करना होता है। इस प्रकार कुक्कुट पालन व्यवसाय के निजी क्षेत्रों में विकास की पूर्ण संभावनायें हैं।

वर्ष 2020-21 हेतु प्रथमिकतायें

1. कृषकों की आय को दोगुना किये जाने में पशुपालन की अहम भूमिका के दुष्टिगत सहयोग प्रदान करना।
2. विभिन्न कार्यक्रमों, यथा पशु प्रजनन पशुचिकितसा तथा स्वास्थ्य में गुणात्मक सुधार लाया जाना एवं पशुपालन सेवाओं का विस्तार करना।
3. किसानों को अधिक लाभ दिलाने के उद्देश्य से सथानीय जरूरतों के अनुरूप पशुपालन की योजनाएं तैयार करना तथा उनके क्रियान्वयन में किसानों की सहभागिता सुनिश्चित कराना।
4. फसलों की क्षति को रोकने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर भूमि आरक्षित कर गोवंश संरक्षण की योजना।
5. अवैध कत्लखानों को पूरी कठोरता से बन्द किये जाने हेतु नगर निगम विभाग को सहयोग प्रदान किया जायेगा।
6. दुधारू पशुओं की तस्करी को रोकने में जिला प्रशासन को सहयोग प्रदान करना।
7. नयी प्रजनन नीति 2018 को लागू कर कार्यान्वयन कराया जाना।
8. कुक्कुट विकास नीति 2013 को वर्ष 2022 तक बढ़ाते हुये प्राख्यापित किया गया है, का क्रियान्वयन किया जाना।
9. नीति आयोग द्वारा निर्धारित गोल के उद्देश्यों को पूर्ण किया जाना।

पशुचिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

परिचयात्मक :-

कृषि के साथ-साथ पशुपालन का कार्य ग्रामीण परिवेश में एक सामान्य प्रक्रिया है, परन्तु प्रति व्यक्ति कम कृषि जोत भूमि होने के कारण गावों में जीविकोपार्जन एवं आर्थिक उन्नति हेतु पशुपालन एक प्रमुख साधन है। विभिन्न पशुधन विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में पशुचिकित्सा एवं पशु स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है। पशुओं को पूर्णतः स्वस्थ रखने एवं

गुणवत्तायुक्त पशुजन्य उत्पादों की निरन्तर आवश्यकता अपरिहार्य होने के कारण पशुचिकित्सा एवं पशु स्वास्थ्य का महत्व स्वतः बढ़ गया है।

उद्देश्य :-

1. प्रदेश के पशुओं को चिकित्सा सुविधा एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधायें उपलब्ध कराना।
2. पशुओं में फैलने वाली संक्रामक बीमारियों की रोकथाम हेतु टीकाकरण कार्य निष्पादित करना।
3. अनियन्त्रित पशु प्रजनन को रोकने तथा कृत्रिम गर्भाधान को बढ़ावा दिये जाने हेतु अवर्णित व अनुपयोगी नर पशुओं का बधियाकरण करना।
4. प्रदेश में स्थापित पशुचिकित्सा पाली क्लीनिक के माध्यम से गुणवत्तायुक्त विशेषज्ञ पशुचिकित्सा सेवाओं को उपलब्ध कराना।
5. जनपद में स्थापित रोग निदान प्रयोगशालाओं के माध्यम से पशुओं में उत्पन्न होने वाली बीमारियों के निदान हेतु रोगों की जांच, पैथालोजी की सुविधा उपलब्ध कराना।
6. पशुओं से मानव में फैलने वाली रैबीज जैसी जानलेवा बीमारियों पर नियंत्रण करना।
7. प्रदेश में होने वाली प्रमुख बीमारियों को भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रारूप पर सर्वे का कार्य किया जाना।
8. ''रिण्डरपेस्ट'' जैसी घातक बीमारी का पुनः प्रकोप न होने के उद्देश्य से रूट सर्च एवं बिलेज सर्च का कार्य करना।
9. पशुरोग नियंत्रण की योजना (60 प्रतिशत के0पो0) के अन्तर्गत राष्ट्रीय महत्ता के विभिन्न रोगों पर नियंत्रण किया जाना।
10. स्टर्लिटी इन्फर्टीलिटी बीमारियों पर नियंत्रण करना।
11. वित्तीय वर्ष 2019-20 तक भारत सरकार की 60-प्रतिशत सहायता पर एफ0एम0डी0 फ्री जोन का प्रदेश समस्त 75-जनपदों में स्थापना अन्तर्गत सघन एफ0एम0डी0 टीकाकरण का कार्य निष्पादित किया गया।
12. वर्तमान में एफ0एम0डी0 एवं ब्रुसैल्लोसिस का सघन टीकाकरण कार्य हेतु भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पशुरोग नियंत्रण कार्यक्रम (एन.ए.डी.सी.पी.) संचालित की जा रही है।
13. रोगों के रोकथाम हेतु प्रमुख वैक्सीनों का उत्पादन जैविक औषधि उत्पादन संस्थान द्वारा किया जाना।

कार्यों का विवरण एवं निर्वहन

1. पशु चिकित्सा एवं रोगों की रोकथाम :-

(अ) पशु चिकित्सा एवं रोगों की रोकथाम हेतु 2202 पशु चिकित्सालय, 267 ''द'' श्रेणी पशु औषधालयों तथा 2575 पशु सेवा केन्द्रों से निरन्तर सेवाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं। साथ ही

वर्तमान में 31-नवीन पशुचिकित्सालयों की स्थापना अन्तर्गत निर्माण कार्य प्रगति पर है। पशुपालकों को पशु चिकित्सा एवं कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उनके समीप में उपलब्ध कराने, प्रभावी रोग नियंत्रण एवं किसी संक्रामक/महामारी रोग के फैलने की स्थिति में तत्काल रोकथाम, पशुओं में शत-प्रतिशत बांझपन शिविरों के आयोजन, टीकाकरण आदि सुविधायें पशुपालकों को उपलब्ध कराने हेतु 825-सचल इकाईयां भी क्रियाशील हैं। वर्तमान में लगभग 20,000 पशु संख्या पर एक पशु चिकित्सालय स्थापित है। राष्ट्रीय कृषि आयोग की संस्तुति के आधार पर प्रत्येक 5,000 पशुओं पर एक पशुचिकित्सालय की स्थापना की जानी थी, परन्तु सीमित संसाधन एवं धनाभाव के कारण उत्तर प्रदेश में उक्त सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। वर्ष 2019-20 में नवीन पशु चिकित्सालयों की स्थापना, बाउण्ड्रीवाल का निर्माण, अधूरे/जर्जर/भवन विहीन पशु चिकित्सालयों के निर्माण के साथ-साथ नवीन पशु सेवा केन्द्रों के खोले जाने व पशु सेवा केन्द्रों के बाउण्ड्रीवाल, अधूरे/ जर्जर/ भवन विहीन के निर्माण का प्रस्ताव है।

(ब) पशु चिकित्सालयों का सुदृढ़ीकरण (पशु चिकित्सालयों का पुनरोद्धार तथा अतिरिक्त उपकरणों की व्यवस्था) 75-प्रतिशत सम्प्रति 60 प्रतिशत केन्द्र पोषित योजना के अन्तर्गत प्रारम्भिक चरण में चिन्हित जनपदों के अनुमोदित 150-तहसील स्तरीय पशु चिकित्सालयों सुदृढ़ीकरण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। उक्त योजना के द्वितीय चरण में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित अन्य 81-तहसील स्तरीय पशु चिकित्सालयों के सुदृढ़ीकरण का कार्य पूर्ण। वित्तीय वर्ष 2017-18 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में पशुचिकित्सालयों के सुदृढ़ीकरण अन्तर्गत अन्य 50-पशु चिकित्सालयों पर भी निर्माण कार्य एवं अतिरिक्त उपकरणों की व्यवस्था की जा चुकी है। साथ ही राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-रफ्तार में वित्तीय वर्ष 2018-19 में पशुचिकित्सालयों के सुदृढ़ीकरण अन्तर्गत 37-पशु चिकित्सालयों पर निर्माण कार्य एवं अतिरिक्त उपकरणों से व्यवस्थित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में एसपीरेशनल जनपदों में 40-अन्य पशुचिकित्सालयों के सुदृढ़ीकरण किये जाने का प्रस्ताव है।

2. पॉलीक्लीनिक की स्थापना :-

वर्तमान में विषय विशेषज्ञों द्वारा विशेष पशुचिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने हेतु पांच पशुचिकित्सा पालीक्लीनिक क्रमशः गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, लखनऊ, बड़ौत-बागपत तथा सैफई-इटावा में कार्यरत है, जिनके माध्यम से रेडियोलाजिस्ट, सर्जन एवं गायनाकोलाजिस्ट द्वारा विशेष रोग निदान सेवाएं (विषय विशेषज्ञों द्वारा) आधुनिक उपकरणों के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। वर्ष 2014-15 में जनपद-बस्ती में नवीन पशु चिकित्सा पॉलीक्लीनिक, बस्ती की स्थापना हेतु स्वीकृत है, जिसका निर्माण अन्तिम चरण में है। साथ ही वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रदेश के अन्य 15-मण्डलीय जनपदों के मुख्यालय पर नाबार्ड द्वारा वित्त-पोषित योजना-ग्रामीण अवस्थापना विकास निधि (आर.आई.डी.एफ.) अन्तर्गत एक-एक नवीन पशु चिकित्सा पॉलीक्लीनिक की स्थापना कराये जाने की कार्य-योजना अनुमोदित है। उक्त के सापेक्ष 08-पशुचिकित्सा पॉलीक्लीनिकों (आगरा, अलीगढ़, मुरादाबाद, चित्रकूट धाम-बांदा, अयोध्या, आजमगढ़, वाराणसी, झांसी) का

वित्तीय वर्ष 2016-17 में निर्गत वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष निर्माण कार्य प्रगति पर है। साथ ही वित्तीय वर्ष 2017-18 में अवशेष 07-पशुचिकित्सा पॉलीक्लीनिकों (प्रयागराज, भदोही-मिर्जापुर, कानपुर, देवीपाटन-गोण्डा, सहारनपुर, गौतमबुद्धनगर, मेरठ, बरेली) के निर्माण हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष उनके निर्माण का कार्य प्रगति पर है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में ग्रामसभा-मदावली, विकासखण्ड व तहसील-टूण्डला, जनपद-फिरोजाबाद में नीवन पशु चिकित्सा पॉलीक्लीनिक की स्थापना कराये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदत्त है। उक्त प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रथम किश्त की निर्गत वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष निर्माण कार्य गति पर है।

3. रोग निदान तथा बीमारियों की खोज :-

उक्त कार्य हेतु एक केन्द्रीय प्रयोगशाला निदेशालय पर तथा 10 मंडलीय प्रयोगशालायें मंडलों पर कार्यरत हैं, जिनके द्वारा पशुरोगों की जांच एवं डायग्नोसिस की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। वित्तीय वर्ष 2004-05 में मण्डलीय प्रयोगशाला वाराणसी एवं अयोध्या, वर्ष 2005-06 में बरेली, मुरादाबाद तथा वर्ष 2006-07 में प्रयागराज एवं आगरा तथा वर्ष 2007-08 में मेरठ में प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ीकरण किया गया है। वर्ष 2008-09 से वर्ष 2009-10 तक झांसी व कानपुर प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण का कार्य किया गया है। वर्ष 2010-11 में अलीगढ़ में स्थापित स्वाइन फीवर प्रयोगशाला के सुदृढ़ीकरण हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष सुदृढ़ीकरण का कार्य किया गया है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत वित्त-पोषण से प्रदेश के अन्य 65-जनपदों के मुख्यालय पर एक-एक नवीन रोग निदान प्रयोगशाला की स्थापना की गई है।

4. पशुरोगों के नियंत्रण का कार्यक्रम :-

(1) पशुपालन विभाग द्वारा आलोच्य 2017-18 से पशुओं के रोगों के नियंत्रण हेतु विभिन्न प्रकार के रोग निरोधक टीकाकरण का कार्य निःशुल्क किया जा रहा है।

(2) पशु रोगों के नियंत्रण हेतु राज्यों को सहायता-एस्कैड-60-प्रतिशत केन्द्र पोषित योजना के अन्तर्गत समस्त जनपदों में विगत वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्ययोपरान्त अवशेष केन्द्रांश का वर्ष 2017-18 में रिवैलीडेशन की धनराशि के सापेक्ष प्रदेश के समस्त 75-जनपदों में एच.एस. रोग निरोधक टीकाकरण का कार्यक्रम अभियान के रूप में चलाया गया। साथ ही वित्तीय वर्ष 2017-18 में भारत सरकार के निर्देशानुसार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में अनुमोदित एच.एस. टीकाकरण कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश में सम्प्रति एच.एस. टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

पशु रोगों के नियंत्रण हेतु राज्यों को सहायता-एस्कैड-योजनान्तर्गत पशुओं की विभिन्न रोगों से सुरक्षा हेतु पशुपालकों को जागरूक करने हेतु विविध कार्यक्रम एवं पशुचिकित्साविदों व पैरावेटेनरी कार्मिकों को समय-समय पर आवश्यक तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किये जाने का कार्य भी किया जाता है।

पशु रोगों के नियंत्रण हेतु राज्यों को सहायता (एस्कैड)-योजना अन्तर्गत भारत सरकार के निर्देशानुसार बारहवीं पंचवर्षीय योजना में, कुत्तों के काटने से पशुओं में होने वाले रैबीज रोग की रोकथाम हेतु रैबीज रोग निरोधक टीकाकरण एवं पशुओं को अन्तः परजीवी से सुरक्षित रखने हेतु अभियान के रूप में दवापान की व्यवस्था किये जाने के लिये इण्डो-पैरासिटिक कण्ट्रोल कार्यक्रम नामक दो नवीन कार्यक्रमों का प्रदेश के समस्त जनपदों में क्रियान्वयन किया जा रहा है।

(3) वित्तीय वर्ष 2017-18 में समस्त 75-जनपदों में भारत सरकार के निर्देशानुसार पी0पी0आर0 टीकाकरण एक पृथक कार्यक्रम-पी0पी0आर0-सी.पी. (60 प्रतिशत के0पो0) के अन्तर्गत किया जा रहा है।

साथ ही वित्तीय वर्ष 2017-18 में भारत सरकार के निर्देशानुसार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में अनुमोदित पी0पी0आर0 टीकाकरण कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश में सम्प्रति पी0पी0आर0 टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

राष्ट्रीय महत्ता के कुछ प्रमुख बीमारियों जैसे टी0बी0, ब्रूसैल्ला, पुलोरम डिजीज, स्वाइन फीवर, रैबीज एवं बोवाईन स्टर्लिटी इन्फर्टिलिटी एवं एबार्शन रोगों का नियंत्रण किया जाता है। उक्त रोग के नियंत्रण हेतु प्रदेश में निदेशालय स्तर पर कुक्कुट रोग नियंत्रण प्रयोगशाला तथा टी0बी0 ब्रूसैल्ला यूनिट स्थापित है। वर्तमान समय में 9 स्टर्लिटी इन्फर्टिलिटी एवं 10 कैनाईन रैबीज यूनिट एवं 2 पुलोरम डिजीज यूनिट, एक सूकर रोग निदान प्रयोगशाला स्थापित हैं।

पशुरोगों के नियंत्रण के अन्तर्गत नेशनल कण्ट्रोल प्रोग्राम ऑन ब्रुसैल्लोसिस (एन.सी.पी.बी.) -राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत वित्तीय पोषण से प्रदेश में प्रजनन योग्य मादा पशुओं में गर्भाधान होने के उपरान्त होने वाले संक्रामक गर्भपात (ब्रुसेल्लोसिस) को नियंत्रित करने हेतु विविध कार्यक्रम चलाये जाने की कार्य योजना वर्तमान में अनुमोदित हैं। वित्तीय वर्ष 2017-18 में भारत सरकार के निर्देशानुसार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में अनुमोदित ब्रुसैल्लोसिस टीकाकरण कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश में सम्प्रति ब्रुसैल्लोसिस टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वर्ष 2019-20 से भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश में राष्ट्रीय पशुरोग नियंत्रण कार्यक्रम (एन.ए.डी.सी.पी.) के अन्तर्गत ब्रुसैल्लोसिस टीकाकरण अभियान चलाया जाना प्रस्तावित है।

3. रोगों से बचाव हेतु टीकों का उत्पादन

स्वस्थ पशु देश की चल सम्पत्ति हैं। रोगों के निदान से बेहतर बचाव के सिद्धान्त को मानते हुए पशुओं को संक्रामक रोगों से बचाव के लिए पशु जैविक औषधि संस्थान द्वारा उत्पादित टीका बहुत प्रभावकारी है। जिससे पशुपालकों के मूल्यवान पशु की रक्षा होती है। अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से एक गरीब पशु स्वामी को इस निमित्त एक ओर तो उसके मूल्यवान पशु का जीवन सुरक्षित हो जाता है और दूसरी ओर संक्रामक बीमारी हो जाने पर इसके दुष्प्रभाव से संबंधित क्षेत्र के अन्य

पशु भी संक्रमित होने से बच जाते हैं, जिससे उनकी उत्पादकता में सतत वृद्धि होती है। पशु-पक्षियों में विभिन्न रोगों के रोकथाम हेतु टीकों के उत्पादन का कार्य निदेशालय स्थित पशु जैविक औषधि संस्थान के द्वारा किया जा रहा है।

वर्तमान में निम्नलिखित कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैंः-

1. कामर्शियल लेयर्स फार्म की स्थापना (राज्य योजना) 5 वर्षों में 123 लाख पक्षी क्षमता के फार्म।
2. ब्रायलर पैरेन्ट फार्म की स्थापना (राज्य योजना) 5 वर्षों में 6 लाख पक्षी क्षमता के फार्म।
3. कुक्कुट प्रक्षेत्र/हैचरी की स्थापना।
4. 30 दिवसीय कुक्कुट प्रशिक्षण, महानगर प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ।
5. आहार परीक्षण प्रयोगशाला।
6. कुक्कुट रोग निदान प्रयोगशाला।
7. बैकयार्ड कुक्कुट विकास कार्यक्रम (रा0यो0/एस0सी0पी0/समाज कल्याण विभाग से वित्त पोषित)-राज्य योजना।
8. इन्नोवेटिव पोल्ट्री प्रोडक्टिविटी प्रोजेक्ट फार लो इनपुट टेक्नोलाजी बर्ड्स (60 प्रतिशत केन्द्र पोषित)
9. इन्नोवेटिव पोल्ट्री प्रोडक्टिविटी प्रोजेक्ट फार ब्रायलर बर्ड्स (60 प्रतिशत केन्द्र पोषित)।
10. बुन्देलखण्ड पैकेज अन्तर्गत महिला समृद्धिकरण ब्रायलर पालन योजना।

वर्ष 2020-21 में किये जाने वाले कार्य :-

1. विभागीय प्रगति पुस्तिका को प्रकाशन तथा आधारभूत आंकड़ों का संकलन एवं भौतिक लक्ष्य का जनपद/मण्डल/राज्य स्तरीय निर्धारण कर शासन एवं क्षेत्रीय अधिकारियों को उपलबध कराया जायेगा। चार चिन्हित कार्यक्रमों टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, चिकित्सा एवं बधियाकरण का अनुश्रवण किया जायेगा।
2. वार्षिक सर्वेक्षण योजनान्तर्गत जनपदों का क्षेत्रीय कार्य सम्पन्न कराया जायेगा तथा अनुमानों को अंतिम रूप देकर भारत सरकार/राजय सरकार को उपलब्ध कराना तथा सर्वेक्षण प्रतिवेदन 2015-16 का प्रकाशन कराना।
3. राजकीय पशुधन प्रक्षेत्रों के वर्ष 2016-17 का प्रतिवेदन तैयार किया जायेगा, तथा 31 मार्च 2017 की स्थिति के।

●

दुग्ध विकास

दुग्ध विकास विभाग की स्वतंत्र रूप से स्थापना वर्ष 1976 में हुई। इससे पूर्व दुग्ध विकास कार्यक्रम सहकारिता विभाग का एक अंग था। वर्ष 1976 में ही राज्य दुग्ध परिषद का गठन उ.प्र. दुग्ध अधिनियम 1976 की धारा-3 के अधीन एक निगमित निकाय के रूप में किया गया। इसका प्रमुख कार्यकलाप मुख्यतः दुग्ध संघों को आर्थिक एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना, क्षेत्र आरक्षण, दुग्ध मूल्य निर्धारण एवं दुग्ध उत्पाद विनियमन आदेश लागू करना आदि निर्धारित किया गया।

प्रारम्भ में दुग्ध विकास कार्यक्रम के प्रभावी संचालन हेतु वर्ष 1962 में प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेरी फेडरेशन (पी.सी.डी.एफ.) का एक शीर्ष दुग्ध सहकारी संस्था के रूप में उ.प्र. सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत गठन किया गया। जिसके द्वारा शिशु दुग्ध आहार निर्माणशाला, मुरादाबाद की स्थापना कर उसका संचालन प्रारम्भ किया गया।

दुग्ध विकास कार्यक्रम को गतिशीलता प्रदान करने हेतु भारत सरकार द्वारा आपरेशन फ्लड योजना वर्ष 1970-71 से प्रदेश के 8 जनपदों में चलाई जानी प्रस्तावित हुई, योजना संचालन के प्रारम्भिक चरण में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु पी.सी.डी.एफ. को कार्यान्वयन एजेन्सी घोषित किया गया। मात्र तीन जनपद वाराणसी, मेरठ तथा आंशिक रूप से बलिया में वर्ष 1973 से आपरेशन फ्लड योजना प्रारम्भ की गयी। इसके बाद आपरेशन फ्लड द्वितीय चरण का कार्यक्रम वर्ष 1982-83 से 1987-88 तक तथा आपरेशन फ्लड तृतीय चरण वर्ष 1996-97 तक चला। इसके अन्तर्गत दुग्ध उपार्जन की प्रबल संभावनाओं से युक्त प्रदेश के 30 जनपदों का चयन कर उनमें 30 दुग्ध संघों का गठन कर आपरेशन फ्लड योजना को क्रियान्वित किया गया।

प्रदेश के शेष 21 जनपदों, जो दुग्ध उपार्जन के क्षेत्र में अपेक्षाकृत पिछड़े हुए थे, को नॉन-आपरेशन फ्लड योजना के अन्तर्गत आच्छादित कर उनके विकास हेतु दुग्ध विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन 1992 से (राज्य दुग्ध परिषद द्वारा) प्रारम्भ किया गया।

वर्तमान में सहकारिता के माध्यम से दुग्ध विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु प्रादेशिक कोआपरेटिव डेयरी फेडरेशन लि., लखनऊ क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में कार्यरत है। इसके माध्यम से सहकारी क्षेत्र के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों के दुग्ध संघों का विलयन करते हुए 20 दुग्ध संघों के माध्यम से दुग्धशाला विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके अन्तर्गत सहकारी दुग्ध समितियों का गठन, पुनर्गठन, उनसे दुग्ध उपार्जन व प्रक्रिया उपरान्त नगरीय उपभोक्ताओं को दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों की आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है। समितियों के दुग्ध उत्पादकों को तकनीकी निवेश सेवायें, क्रत्रिम गर्भाधान व पशु स्वास्थ्य सेवायें भी उपलब्ध करायी जाती हैं ताकि दुग्ध उत्पादन में तद्नुसार वृद्धि सुनिश्चित होने के साथ दुग्ध उत्पादकों की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ हो।

- **दुग्ध विकास विभाग के उद्देश्य**

दुग्ध विकास विभाग का मूल उद्देश्य प्रदेश के ग्रामीण अंचलों के निर्बल वर्ग के किसानों, कृषक मजदूरों एवं भूमिहीनों को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाने हेतु उनके गांव में ही दुग्ध सहकारिताओं का गठन कर उनके ही माध्यम से दुग्ध उपार्जन से संबंधित कार्यक्रम लागू कर उन्हें अतिरिक्त रोजगार प्रदान करना एवं अधिकतम दुग्ध उपार्जन कर नगरीय क्षेत्र तथा अन्य उपभोक्ताओं को स्वच्छ, शुद्ध एवं विसंक्रमित दूध एवं विभिन्न प्रकार के दुग्ध उत्पादों को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना है।

- **विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था**

दुग्धशाला विकास विभाग में विभागाध्यक्ष के रूप में दुग्ध आयुक्त, उ०प्र० और उनके सहायतार्थ लखनऊ स्थित मुख्यालय पर अपर आयुक्त, दुग्धशाला विकास, वित्त नियंत्रक, दुग्धशाला प्राविधिक अभियन्ता, संयुक्त दुग्ध आयुक्त (प्रशासन), मुख्य दुग्धशाला विकास अधिकारी, दुग्धशाला विकास अधिकारी, उप दुग्धशाला विकास अधिकारी, उप निदेशक (सांख्यिक) एवं सांख्यिक आदि पद स्वीकृत हैं। मण्डल स्तर पर दुग्धशाला विकास अधिकारी और जनपद स्तर पर उप दुग्धशाला विकास अधिकारी के पद स्वीकृत हैं।

- **विभाग के कार्यकलाप**

विभाग द्वारा संचालित किये जा रहे विभिन्न कार्यकलाप मुख्य रूप से निम्नानुसार तीन भागों में विभाजित हैं :

(क) रेग्यूलेटरी कार्यकलाप - इसके अंतर्गत विभिन्न नियम/अधिनियम लागू करना, यथा- सहकारी समितियों का निबन्धन, ऑडिट, पंजीयन, निरीक्षण, इंजीनियरिंग आदि कार्य सम्मिलित हैं।

(ख) विकास सम्बन्धी कार्य - प्रदेश में दुग्धशाला विकास के साथ-साथ दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना।

(ग) व्यावसायिक कार्यक्रम - दुग्ध उपार्जन एवं विपणन का क्रियान्वयन दुग्ध सहकारिताओं के माध्यम से कराना।

- **विभाग के कार्यकलापों का ढाँचा**

विभाग के प्रमुख के रूप में दुग्ध आयुक्त उत्तर प्रदेश समस्त दुग्ध समितियों, दुग्ध संघों और शीर्ष स्तर पर पी.सी.डी.एफ. के रेगुलेटरी कार्यों के लिए उत्तरदायी हैं तथा सहकारिता पद्धति के अंतर्गत निबंधक के दायित्वों का भी निर्वहन करते हैं।

दुग्धशाला विकास विभाग की योजनाओं का बजट नियंत्रण भी दुग्ध आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाता है।

दुग्धशाला विकास विभाग के सहकारी कार्यकलाप त्रिस्तरीय ढाँचे के माध्यम से क्रियान्वित किए जा रहे हैं। ग्रामीण स्तर पर दुग्ध उत्पादक सदस्यों की दुग्ध समितियाँ गठित कर उन्हें दुग्ध उत्पादन उचित मूल्य, उपार्जन के लिए सहायता एवं सुविधाएँ उपलब्ध करायी जाती हैं, उनसे जनपद स्तर पर संचालित दुग्ध संघ द्वारा दुग्ध क्रय किया जाता है। जनपद स्तरीय दुग्ध संघों में प्रादेशिक को-आपरेटिव डेरी फेडरेशन (पीसीडीएफ) तथा उत्तर प्रदेश राज्य दुग्ध परिषद के माध्यम से दुग्ध उपार्जन/विपणन/समन्वय हेतु तकनीकी एवं व्यावहारिक नियंत्रण प्रभावी है।

● **दुग्ध सहकारिताओं की व्यावसायिक कार्यकुशलता एवं क्षमता में वृद्धि**

सहकारिता के क्षेत्र में दुग्धशाला विकास कार्यक्रमों का अपना एक गौरवशाली इतिहास है। सर्वप्रथम वर्ष 1917 में 'कटरा सहकारी दुग्ध समिति' प्रयागराज की स्थापना के साथ प्रदेश में ही नहीं वरन् देश में भी यह पहला अवसर था कि जब दुग्ध व्यवसाय के क्षेत्र में सहकारिता का प्रादुर्भाव हुआ, परन्तु अगले दो दशकों में इस दिशा में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई। वर्ष 1938 में देश के प्रथम दुग्ध संघ 'लखनऊ दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि.' की स्थापना उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुई। इसके बाद प्रयागराज वर्ष 1941, वाराणसी वर्ष 1947, कानपुर वर्ष 1948, हल्द्वानी जनपद नैनीताल वर्ष 1949 (अब उत्तराखण्ड राज्य में) तथा मेरठ वर्ष 1951 में सहकारी दुग्ध संघ स्थापित होते रहे।

प्रथम एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में हल्द्वानी (अब उत्तराखण्ड राज्य में) के अतिरिक्त उस समय तक स्थापित अन्य सभी 5 दुग्ध संघों में पाश्च्युराइजेशन प्लाण्ट स्थापित किये गये तथा वर्ष 1954 में अल्मोड़ा दुग्ध संघ (अब उत्तराखण्ड राज्य में) स्थापित हुआ।

अतः स्पष्ट है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष 1961 तक दुग्धशाला विकास कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश में कोई विशेष महत्त्व नहीं मिला और प्रारम्भ से वर्ष 1961 तक मात्र रु. 72.34 लाख की आर्थिक सहायता शासन द्वारा इस कार्यक्रम को उपलब्ध करायी गयी।

प्रदेश में दुग्धशाला विकास को गतिशील बनाने की दिशा में वर्ष 1962 में प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेरी फेडरेशन लि. की स्थापना एक तकनीकी सलाहकार संस्था के रूप में की गयी थी। वर्ष 1970-71 में आपरेशन फ्लड-1 योजना प्रदेश के 8 जनपदों में लागू की गयी, जिसकी क्रियान्वयन एजेन्सी इस संस्था को बनाया गया। योजनान्तर्गत मेरठ व वाराणसी में एक-एक लाख लीटर दैनिक दुग्ध हैण्डलिंग क्षमता की दो फीडर बैलेन्सिंग दुग्धशालायें एवं 100-100 मीट्रिक टन क्षमता की दो पशु आहार निर्माणशालायें तथा रायबरेली में जर्सी गौ प्रजनन इकाई की स्थापना की गयी।

उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला प्रदेश है। दुग्धशाला विकास कार्यक्रम को गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन और प्रदेश के त्वरित औद्योगिकीकरण के परिप्रेक्ष्य में देखते हुये प्रत्येक स्तर पर प्रोत्साहित कर रोजगार सृजित किया जाना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश में दुग्ध विकास कार्यक्रम त्रिस्तरीय ढाँचे के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। वर्तमान में जहाँ प्रदेश में कार्यरत समितियों के लगभग 3 लाख से अधिक ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों को, जिनमें अधिकांशतः सीमान्त, भूमिहीन अथवा लघु कृषक हैं, दूध का बेहतर एवं लाभकारी मूल्य दिलाना सम्भव हुआ है। वहीं शहरी उपभोक्ताओं को समुचित मूल्य पर उच्च गुणवत्ता का तरल दुग्ध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पाद उपलब्ध कराने में भी सफलता मिली है। दुग्धशाला विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सहकारी दुग्ध समितियों के गठन/पुनर्गठन, उत्पादकों के प्रशिक्षण, दुग्ध उपार्जन, परिवहन, प्रसंस्करण, दुग्ध उत्पादों का उत्पादन, तरल दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद विपणन अर्थात् ''प्री-प्रोडक्शन टू पोस्ट मार्केटिंग'' की समग्र व्यवस्था है।

● **राज्य दुग्ध परिषद का गठन**

''उत्तर प्रदेश दुग्ध अधिनियम, 1976'' की धारा-3 के अन्तर्गत एक निगमित निकाय के रूप में 'उ.प्र. राज्य दुग्ध परिषद' का गठन किया गया। इसे प्रदेश में दुग्धशाला विकास कार्यक्रम को गतिशील बनाने का दायित्व सौंपा गया। इस संगठन द्वारा लाइसेंसिंग कार्यों के साथ-साथ दुग्धशाला विकास

कार्यक्रमों में भी गति प्रदान की गयी। परिषद को प्रथम बार वर्ष 1990 में गैर आपरेशन फ्लड जनपदों, जिन्हें दुग्ध परिषद जनपद कहा गया, में दुग्धशाला विकास कार्यक्रमों को संचालित करने हेतु क्रियान्वयन एजेन्सी घोषित किया गया। इस प्रकार दुग्ध संघों पर प्रभावी नियंत्रण के फलस्वरूप विकास कार्यों में आशातीत सफलता मिली। वर्ष 2004 में दुग्ध विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन व व्यावसायिक कार्यों का संचालन समान रूप से आपरेशन फ्लड जनपदों एवं गैर आपरेशन फ्लड जनपदों में करने हेतु प्रादेशिक को-ऑपरेटिव डेरी फेडरेशन को क्रियान्वयन एजेन्सी घोषित किया गया। परिषद के कार्यकलापों में क्षेत्र आरक्षण, दुग्ध मूल्य निर्धारण एवं दुग्ध उत्पाद विनिमय आदेश लागू करना मुख्य है।

वित्तीय आवश्यकताओं का स्पष्टीकरण योजना

केन्द्र पुरोनिधानित योजना

1- दुग्ध विकास की राष्ट्रीय योजना (एनडीडीपी)

वर्ष 2014-15 में पूर्व संचालित केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं का पुनर्गठन कर भारत सरकार द्वारा दुग्ध विकास की राष्ट्रीय योजना संचालित की जा रही है। दुग्ध विकास हेतु राष्ट्रीय योजना के उद्देश्य निम्नवत् हैं :

1. गुणवत्तायुक्त दुग्ध उत्पादन हेतु अवस्थापना सुविधाओं का सृदृढ़ीकरण तथा कोल्ड चेन की स्थापना, जिससे कि कृषकों को उपभोक्ताओं से जोड़ना।
2. दुग्ध उपार्जन प्रसंस्करण तथा विपणन हेतु अवस्थापना सुविधाओं की स्थापना।
3. दुग्ध उत्पादकों हेतु प्रशिक्षण अवस्थापना सुविधाओं की स्थापना।
4. गांव स्तर पर दुग्ध सहकारी समितियों/उत्पादक कम्पनियों का सृदृढ़ीकरण।
5. तकनीकी निवेश सुविधाओं यथा पशुआहार, मिनरल मिक्सचर उपलब्ध कराते हुए दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना।
6. दक्ष/योग्य (वायबिल) दुग्ध संघों/फेडरेशन के पुनर्जीविकरण में सहयोग प्रदान करना।

वित्तीय वर्ष 2019-20 सहेतु उक्त मद में अनुदान संख्या-16 के अन्तर्गत बजट प्राविधान उपलब्ध नहीं है। वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु उक्त मद में कोई धनराशि प्रस्तावित नहीं हैं।

2- एन.पी.डी.डी. योजनान्तर्गत दुग्ध संघों का पुर्नजीवीकरण

वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु उक्त मद में अनुदान संख्या-16 के राज्यांश के रूप में रु. 1966.26 लाख का आय-व्ययक प्राविधान उपलब्ध है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु रु. 1966.26 लाख प्रस्तावित है।

- **हरा चारा उत्पादन एवं वितरण कार्यक्रम**

किसानों को अच्छी गुणवत्ता के चारा उत्पादन करने एवं अधिक उत्पादन करने वाली जई, बरसीम चायनीज कैबेज, सारगम, लोबिया, सारगम सूडान एवं मल्टीकट राई ग्रास आदि की उच्च गुणवत्ता वाली प्रजातियों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मिनीकिट किसानों को उपलब्ध कराया जायेगा। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु रु. 152.04 लाख की वित्तीय सहायता प्रस्तावित है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु उक्त मद में अनुदान संख्या-16 में रु. 152.04 लाख प्रस्तावित है।

राज्य योजना

● **सूचना तकनीकी एवं कम्प्यूटरीकरण योजना**

इस योजना में दुग्धशाला विकास विभाग के जनपदीय/मण्डलीय कार्यालयों तथा प्रदेश के समस्त दुग्ध संघों, प्रशिक्षण केन्द्रों, क्षेत्रीय मार्केटिंग कार्यालयों, कार्यदायी संस्थाओं एवं दुग्ध आयुक्त कार्यालय तथा पी.सी.डी.एफ. मुख्यालय आदि के क्रियाकलापों में आधुनिक पद्धति पर एकरूपता लाने हेतु संचार एवं कम्प्यूटरीकरण व्यवस्था करते हुए मुख्यालय से सभी संस्थानों/कार्यालयों में नेटवर्क स्थापित किये जाने का कार्यक्रम आच्छादित है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु उक्त मद में अनुदान संख्या-16 के अन्तर्गत उपलब्ध आय-व्ययक रु. 150.00 लाख के सापेक्ष रु. 150.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी हो चुकी है।

वित्तीय वर्ष 2021-21 हेतु उक्त मद में अनुदान संख्या-16 में रु. 200.00 लाख प्रस्तावित है।

● **दुग्ध उत्पादक सदस्यों को सहकारिताओं के अन्तर्गत प्रोत्साहित करना (गोकुल पुरस्कार)**

इस योजना के अन्तर्गत दुग्ध सहकारिताओं से सम्बद्ध दुग्ध उत्पादकों को उनके मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करने एवं दुधारू पशुओं के अच्छे रख-रखाव हेतु प्रोत्साहित कर अधिक दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश के जनपदों में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादित कर दुग्ध समिति के माध्यम से दुग्ध संघों को सर्वाधिक दूध विक्रय करने वाले दुग्ध उत्पादक को जनपद स्तर पर रु. 51,000 नकद एवं प्रदेश स्तर पर सर्वाधिक दुग्ध उत्पादित करने वाले प्रथम दो दुग्ध उत्पादकों को प्रथम एवं द्वितीय पुरस्कार क्रमशः रु. 1.50 लाख, रु. 1.00 लाख नकद तथा बछड़ा के साथ श्री कृष्ण के मूर्ति की शील्ड प्रदान की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 से सर्वाधिक दुग्ध उत्पादित करने वाले दुग्ध उत्पादक को जनपद स्तर पर रु. 51.000 एवं प्रदेश स्तर पर प्रथम दो उत्पादकों को प्रथम पुरस्कार रु. 2.00 लाख एवं द्वितीय पुरस्कार रु. 1.50 लाख नकद तथा प्रमाण-पत्र व शील्ड प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु उक्त मद में अनुदान संख्या-16 में रु. 54.00 लाख की धनराशि का बजट प्राविधान है, जिसके सापेक्ष रु. 54.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी हो चुकी है।

वित्तीय वर्ष 2021-21 हेतु उक्त मद में अनुदान संख्या-16 में रु. 55.73 लाख की धनराशि प्रस्तावित है।

● **नन्द बाबा पुरस्कार**

''देशी नस्ल की गाय के माध्यम से दुग्ध उत्पादन करने वाले दुग्ध उत्पादक सदस्यों को सहकारिता के अंतर्गत प्रोत्साहित करना (नन्द बाबा पुरस्कार)'' के अंतर्गत वर्ष 2017-18 के आधार पर प्रदेश के 75 जनपदों में सहकारी दुग्ध समितियों को सर्वाधिक देशी नस्ल की गाय के दुग्ध की आपूर्ति करने वाले 75 दुग्ध उत्पादकों को (नन्द बाबा पुरस्कार) से सम्मानित किया जाना प्रस्तावित है।

इस योजना में देशी नस्ल की गाय से सवार्धिक दूध, दुग्ध समितियों के माध्यम से दुग्ध संघ को वर्ष में कम से कम 1500 ली. दूध का विक्रय करने वाले उत्पादक को नन्द बाबा पुरस्कार वितरण हेतु विकास खण्ड/जनपद स्तर/राज्य स्तर पर क्रमशः धनराशि रु. 5100.00, रु. 21000.00 एवं रु. 51000.00 पुरस्कार तथा प्रत्येक लाभार्थी को प्रमाण-पत्र एवं प्रतीक-चिह्न दिया जाना प्रस्तावित है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु उक्त मद में अनुदान संख्या-16 में रु. 136.26 लाख का बजट प्राविधान है, जिसके सापेक्ष रु. 96.5457 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी हो चुकी है।

वित्तीय वर्ष 2021-21 में रु. 174.300 लाख का आय-व्ययक अनुमान प्रस्तावित है।

- **पी.सी.डी.एफ. के सुदृढ़ीकरण हेतु ऋण**

दुग्ध विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत नये डेयरी प्लाण्टों की स्थापना एवं पुनरुद्धार हेतु पूंजी निवेश/ ऋण के रूप में वित्तीय वर्ष 2019-20 में उक्त मद में अनुदान संख्या-16 में रु. 15000.00 लाख की धनराशि का बजट प्राविधान है।

वित्तीय वर्ष 2021-21 में उक्त मद में अनुदान संख्या-16 में कोई धनराशि प्रस्तावित नहीं है।

- **सी0जी0 सिटी, लखनऊ में नवनिर्मित प्रशिक्षण केन्द्र में कम्प्यूटर लैब की स्थापना**

इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में सी0जी0 सिटी लखनऊ में नवनिर्मित प्रशिक्षण केन्द्र में कम्प्यूटर लैब की स्थापना हेतु पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के रूप में अनुदान संख्या-16 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रु. 47.00 लाख के सापेक्ष शत-प्रतिशत वित्तीय स्वीकृति निर्गत हो चुकी है।

वित्तीय वर्ष 2021-21 में उक्त मद में अनुदान संख्या-16 में कोई धनराशि प्रस्तावित नहीं है।

- **मथुरा में नवीन डेरी स्थापना**

वित्तीय वर्ष 2019-20 में मथुरा में एक लाख लीटर क्षमता की नवीन डेरी की स्थापना हेतु रु. 28119.00 लाख की प्रस्तावित लागत के समक्ष राज्यांश में रु. 5623.00 लाख का बजट प्रावधान है।

वित्तीय वर्ष 2021-21 हेतु उक्त मद में अनुदान संख्या-16 में रु. 5500.00 लाख की धनराशि प्रस्तावित है।

- **उ०प्र० राज्य दुग्ध परिषद को वित्तीय सहायता**

उत्तर प्रदेश दुग्ध नीति 2018 के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के लिये उत्तर प्रदेश राज्य दुग्ध परिषद को नोडल एजेन्सी बनाया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य दुग्ध परिषद के संचालन एवं सुदृढ़ किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु रु. 536.68 लाख का बजट प्राविधान है, जिसके सापेक्ष शत प्रतिशत वित्तीय स्वीकृति जारी हो चुकी है।

वित्तीय वर्ष 2021-21 हेतु उक्त मद में अनुदान संख्या-16 में रु. 163.84 लाख की धनराशि प्रस्तावित है।

- **कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम (सामान्य/एस.सी.पी.)**

दुग्ध विकास विभाग के अन्तर्गत संचालित सहकारी प्रशिक्षण संस्थाओं में ए.आई. कार्यकर्ता, प्रबन्ध कमेटी सदस्य, ए.आई. रिफ्रेसर, प्रोग्रेसिव प्रोड्यूसर, क्लीन मिल्क प्रोड्यूसर, मार्केटिंग स्टाफ, ए.एम.सी.यू. व बी.एम.सी. आपरेटर आदि के प्रशिक्षण कार्य आच्छादित हैं। साथ ही उपभोक्ताओं एवं दुग्ध उत्पादकों के जागरूकता हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित किये जा रहे हैं।

वर्ष 2020-21 में उक्त मद में अनुदान संख्या-16 एवं 83 में क्रमशः रु. 200.00 लाख व रु. 182.60 लाख की धनराशि प्रस्तावित है।

- **उ.प्र. दुग्ध नीति 2018**

शासनादेश दिनांक 07 जून, 2018 द्वारा उ.प्र. दुग्ध नीति-2018 लागू की गयी है। दुग्ध नीति के द्वारा प्रदेश में ग्रामीण अंचल के किसानों को दुग्ध व्यवसाय में अभिरुचि पैदा कर स्वरोजगार में स्थापित करना, दुग्ध उत्पादकों के हितों की रक्षा करना, दुग्ध उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता के दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ उपलब्ध कराना, नये रोजगार का सृजन करना तथा दुग्ध प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करने के लिए अवस्थापना सुविधाओं का विकास, पूंजी निवेश एवं तकनीकी उन्नयन को प्रोत्साहन, मानव संसाधन विकास, बाजार विकास, अनुसंधान एवं विकास, प्रोत्साहन, गुणवत्ता एवं प्रमाणीकरण तथा अनुदान, ऋण एवं रियायतें आदि कार्यक्रम सन्निहित हैं।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए अनुदान संख्या-16 में धनराशि रु. 500.00 लाख का बजट प्राविधान है, जिसके सापेक्ष धनराशि रु. 250.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी हो चुकी है।

वित्तीय वर्ष 2021-21 के लिए अनुदान संख्या-16 में धनराशि रु. 500.00 लाख प्रस्तावित है।

- **बुन्देलखण्ड पैकेज**

बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत दुग्ध विकास विभाग से सम्बन्धित कार्यों के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 हेतु कुल स्वीकृत लागत रु. 107.01 करोड़ के सापेक्ष जनपद बाँदा में रु. 103.16 करोड़ की लागत से एक लाख ली० प्रतिदिन क्षमता का डेरी प्लान्ट का निर्माण कराया जायेगा। समिति गठन मद में प्राप्त धनराशि रु. 2.83 करोड़ से कुल 404 समितियों का गठन एवं समिति पुर्नगठन मद में प्राप्त धनराशि रु. 1.02 करोड़ से 486 समितियों को पुनर्गठन का कार्य सम्पन्न किया जाना है।

मत्स्य विकास

उत्तर प्रदेश में मत्स्य पालन एवं उसके विकास हेतु पर्याप्त जल संसाधन उपलब्ध होने के कारण मत्स्योत्पादन के विकास की प्रबल संभावनाएं हैं। साथ ही मत्स्य सेक्टर के विकास से मम्स्य पालकों/कषकों की आय में पर्याप्त वृद्धि होने के अवसर उपलब्द्ध हैं। मछली एक सुपाचय एवं पौटिटक मांसाहार है जिसमें औषधीय तत्व प्रचुर मात्रा में पाये जाते हैं। आधुनिक शोधों के अनुसार मछली का मनुष्य को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण योगदान है। वर्तमान जीवन शैली में भागमभाग एवं तनाव के कारण मानव शरीर को स्वस्थ रखने हेतु प्रोटीन एवं अन्य खनिज पदार्थों की भोजन के रूप में आवश्यकता होती है जो मछलियों में प्राकृतिक रूप से मौजूद रहती है। इसी कारण मछली की आहार के रूप में लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश में प्रचुर जल संसाधन विद्यमान हैं जिनके विवेकपूर्ण उपयोग से प्रदेश मत्स्य पालन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सकता है। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिये प्रदेश में मत्स्य सेक्टर के विकास से व्यक्तियों को रोजगार के अतिरिक्त अवसर प्राप्त होंगे साथ मत्स्य उत्पाद के रूप में प्रोटीनयुक्त सुपाच्य आहार की उपलब्धता भी सुचिश्चित हो सकेगी।

इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु राज्य एवं केन्द्रसरकार के सहयोग से मत्स्य विकास की विभिन्न योजनाओं को एक अम्ब्रेला के अन्तर्गत लाते हुए सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम ''ब्लू रिवोल्यूशन : इन्टीग्रेटेड डेवलपमेट एण्ड मैनेजमेन्ट आफ फिश्रीज'' वर्ष 2016-17 से संचालित की गयी, जिसका उद्देश्य ऐसे जलक्षेत्र जहां मत्स्य पालन की प्रचुर सम्भावनायें हैं, को सर्वांगीण रूप से विकसित करना है। इसके अन्तर्गत निजी क्षेत्र में फिश फीड मिलों की स्थापना, सोलर पावर सपोर्ट सिस्टम, रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम यूनिटों की स्थापना, मत्स्य हैचरियों की स्थापना, मार्डन मत्स्य बाजार की स्थापना तथा मत्स्य विपणन का सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम आदि परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त आवास विहीन मछुआ परिवारों को राज्य सरकार आवास की सुविधा केन्द्र सरकार के सहयोग से उपलब्ध करा रही है और मत्स्य पालकों को निःशुल्क दुघर्टना बीमा योजना से आच्छादित कर आकस्मिकता की स्थिति में उनके हितों का प्रयास सुनिश्चित किया जा रहा है।

जलाशयों से मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि लाने के लिए विभाग द्वारा केज कल्चर (पिजडो में मत्स्य पालन) के माध्यम से मत्स्य पालकों/व्यवसाइयों को इस विधि को अपनाने हेतु प्रेरित किया जा रहा है जिसके अनुकूल परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। ऊसर भूमि पर पक्के तालाब तैयार कर कम जल संसाधनों के साथ मत्स्य उत्पादन हेतु रीसरकुलेट्री एक्वाकल्चर सिस्टम को अपनाने हेतु प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिससे अनुपयुक्त ऊसर भूमि का उपयोग मत्स्य पालन के लिए संभव हो पा रहा है। ''ब्लू रिवोल्यूशन : इन्टीग्रेटेड डेवलपमेट एण्ड मैनेजमेन्ट आफ

फिश्रीज'' के अन्तर्गत संचालित उपयोजनाओं के माध्यम से प्रदेश में कम समय में अधिक उत्पादन देने वाली मत्स्य प्रजातियां यथाजयन्ती, रोहू, तिलेपिया, पंगेसियस आदि को बढ़ावा दिये जाने का उद्देश्य पूर्ण हो सकेगा। इन मछुआ परिवारों का सामाजिक एवं आर्थिक विकास संभव हो सकेगा।

सुनियोजित मत्स्य विकास हेतु राज्य सरकार ने जलाशयों का पुनर्वर्गीकरण करते हुए नई जलाशय नीति लागू की है तथा नदियों में मत्स्यखेट नीति भी लागू की गयी है, जिससे परम्परागत मछुआ समुदाय के जीविकोपार्जन में सुनिश्चित सुधार होगा।

पौष्टिक खाद्य पदार्थों की श्रेणी में मछली की अपनी विशेष उपयोगिता है, जिसमें उच्चकोटि का प्रोटीन एवं विभिन्न विटामिन तथा अन्य पोषक तत्व जैसे- फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन आदि का मिश्रण पाया जाता है, जो जन स्वास्थ्य के लिए विशेष उपयोगी है। प्रदेश में मत्स्य विकास हेतु पर्याप्त जल संसाधन की उपलब्धता है, जिसका समुचित उपयोग कर जन सामान्य को पौष्टिक मत्स्य आहार की उपलब्धता सुनिश्चित कराना तथा इस कार्यक्रम से जुड़े व्यक्तियों विशेषतः मछुआ समुदाय के व्यक्तियों का सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान करना विभाग का मुख्य उद्देश्य है। मत्स्य पालन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बेकार पड़ी कृषि हेतु अनुपयुक्त भूमि/तालाब/पोखरों/जलाशयों का उपयोग करके अतिरिक्त आय अर्जित की जा सकती है तथा ग्रामीण अंचल में बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार का साधन जुटाने तथा सामाजिक व आर्थिक दशा सुधारने का एक अच्छा अवसर सुलभ कराया जा सकता है। प्रदेश में मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि लाने हेतु शासन द्वारा ''विजन एण्ड पर्सपेक्टिव प्लान फार द डेवलेपमेन्ट आफ फिशरीज सेक्टर 2013'' का अवधारण करते हुए दस वर्षीय कार्यक्रमों को लागू कराने का संकल्प लिया है, जिसके अन्तर्गत मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा प्रदान करते हुए उसके प्रावधानों का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

विभाग के मूल उद्देश्य व कार्यक्रमों की भौतिक प्रगति

विभाग द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों का मूल उद्देश्य प्रदेश में उपलब्ध जल संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए मत्स्य उत्पादन के साथ-साथ रोजगार के अतिरिक्त साधनों का सृजन तथा स्वरोजगार के संसाधन उपलब्ध कराना है। इसके अतिरिक्त मछुआ समुदाय के व्यक्तियों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान हेतु आवास/बीमा/ऋण आदि की सुविधायें भी सुलभ करायी जाती हैं इसी प्रकार मत्स्य पालकों की आय में वृद्धि लाये जाने के दृष्टिगत मत्स्य पालन विविधीकरण के अभिनव कार्यक्रम संचालित कराये जा रहे हैं।

प्रदेश में उपलब्ध वृहद एवं मध्यमाकार जलाशयों, प्राकृतिक झीलों तथा ग्रामीण अंचलों के तालाबों का कुल 5.34 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र उपलब्ध है। इन जल संसाधनों की उपलब्धता तथा मत्स्य पालन के अन्तर्गत लाये गये जल क्षेत्र से सम्बन्धित विवरण निम्नवत् हैः-

बंधा हुआ जल संसाधन	कुल उपलब्ध जल क्षेत्र (लाख हेक्टेयर)	मत्स्य आखेट प्रबंधन एवं मत्स्य पालन के अन्तर्गत उपयोग में लाया गया जल क्षेत्र (लाख हेक्टेयर)	प्रतिशत
1- वृहद एवं मध्यामाकार जलाशय	2.28	2.26	99.12

2- प्राकृतिक झीलें	1.33	0.20	15.03
3- ग्रामीण अंचल के तालाब	1.71	1.20	69.36
योग	**5.34**	**3.66**	**68.53**

विभाग द्वारा संचालित योजनाओं व विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रदत्त सुविधाओं तथा प्रगति से सम्बन्धित विवरण निम्न प्रकार हैं:-

ग्रामीण अंचल में मत्स्य पालन को बढ़ावा

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 में उपरोक्त समस्त केन्द्र पुरोनिधनित/केन्द्र पोषित योजनाओं को एक अम्ब्रेला में लाते हुये नयी सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम ''ब्लू रिवोल्यूशन : इन्टीग्रेटेड डेवलपमेट एण्ड मैनेजमेन्ट आफ फिश्रीज'' आरभ की गयी, जिसके अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के मानकों में परियोजना लागत को बढ़ाते हुय मत्स्य पालकों को अधिक से अधिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देय से प्रदेश में केन्द्रीय सहायता 50 प्रतिशत एवं राज्य सहायता व लाभार्थी अंश 25-25 प्रतिशत की दर से मत्स्य विकास के कार्यक्रम संचालत किये जा रहे थे, परन्तु भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के मध्य सत्र में प्रश्नगत योजना के फंडिंग पैटर्न में परिवर्तन कर दिया गया है। इस कारण केन्द्र सरकार द्वारा लाभार्थीपरक उपयोजनाओं में परियोजना हेतु निर्धरित इकाई लागत की अधिकतम सीमा के सापेक्ष सामान्य वर्ग के लाभार्थी को परियोजना लागत का 24 प्रतिशत केद्रीय सहायता, 16 प्रतिशत राज्यांश तथा 60 प्रतिशत सम्बधित लाभार्थी द्वारा स्वयं वहन किये जाने तथा कमजोर वर्ग यथा महिला एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति लाभार्थी को परियोजना लागत का 36 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता का 24 प्रतिशत राज्यांश तथा 40 प्रतिशत सम्बन्धित लाभार्थी द्वारा स्वयं वहन किये जाने की व्यवस्था की गयी है। प्रदेश में मत्स्य विकास योजनाओं को लागू किये जाने से पूर्व मत्स्य उत्पादकता 600 किग्रा0/हेक्टेयर/वर्ष थी। वर्ष 2019-20 में ''ब्लू रिवोल्यूशन : इन्टीग्रेटेड डेवलपमेन्ट एण्ड मैनजमेन्ट आफ फिशरीज योजना'' के माध्यम से प्रदेश की मस्य उत्पादकता 4440 किग्रा./हेक्टेयर/वर्ष उपलब्धि रही है।

मत्स्य बीज उत्पादन एवं वितरण

तालाबों में उत्तम मत्स्य प्रजातियों के गुणवत्तायुक्त मत्स्य बीज का संचय मत्स्य पालन कार्यक्रम की सफलता के लिए नितान्त आवश्यक है। मत्स्य बीज उत्पादन का कार्य मत्स्य विकास निगम द्वारा निर्मित 09 बड़े आकार की हैचरियों, मत्स्य विभाग के 37 प्रक्षेत्रों एवं निजी क्षेत्र में स्थापित छोटे आकर की 250 हैचरियों द्वारा किया जा रहा है तथा प्रदेश को मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में स्वावलम्बी बनाने हेतु निजी क्षेत्र में मिनी हैचरियों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जा रहा है। भारत सरकार की 'नीली क्रान्ति' योजनान्तर्गत निजी क्षेत्र में एक मिनी हैचरी की स्थापना हेतु रु. 25.00 लाख इकाई लागत पर कुल 40 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य है, जिसमें (60 प्रतिशत केन्द्रांश + 40 प्रतिशत राज्यांश) जो कि सामान्य वर्ग रु. 10.00 लाख की सीमा में केन्द्रांश - रु. 6.00 लाख प्रति हेक्टेयर पर कुल 40 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य है जिसमें (60 प्रतिशत केन्द्रांश रु. 6.00 लाख, राज्यांश रु. 4.00 लाख तथा शेष रु. 15.00 लाख लाभार्थी द्वारा स्वयं वहन किया जाता है। इसके अतिरिक्त मत्स्य अंगुलिका उत्पादन हेतु मत्स्य बीज रियरिंग इकाई लागत-

रु. 6.00 लाख प्रति हेक्टेयर पर कुल 40 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य है जिसमें (60 प्रतिशत केन्द्रांश+40 प्रतिशत राज्यांश) जो कि रु. 2.40 लाख अनुदान की सीमा में केन्द्रांश रु. 1.40 लाख तथा राज्यांश रु. 0.96 लाख तथा शेष रु. 3.60 लाख लाभार्थी द्वारा स्वयं वहन किया जाता है। इसी प्रकार इन योजनाओं में कमजोर वर्ग (महिला/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) के लिए कुल 60 प्रतिशत अनुदान (केन्द्रांश 60 प्रतिशत + राज्यांश 40 प्रतिशत) अनुमन्य है, अर्थात् परयोजना की इकाई लागत के अन्तर्गत परियोजना लागत का 36 प्रतिशत केन्द्रांश, 24 प्रतिशत राज्यांश व 40 प्रतिशत लाभार्थी द्वारा वहन किये जाने का प्रावधान है।

जलाशयों में मत्स्य विकास

मत्स्य विकास व मत्स्याखेट की दृष्टि से भारत सरकार एवं राष्ट्रीय मात्स्यकीय विकास बोर्ड के मैनुअल के अनुसार जलाशयों को क्षेत्रफल के आधार पर 5 श्रेणी में विभक्त किया गया है तथा उन्हें 10 वर्ष हेतु ई-निविदा/निविदा के माध्यम से निस्तारित किये जाने की व्यवस्था है। श्रेणी 1, 2 एवं 3 के जलाशयों का ठेका उच्चतम ई-निविदा पर पंजीकृत मछुआ सहकारी समिति/ठेकेदार को ई-निविदा पद्धति से दिये जाने की व्यवस्था है। श्रेणी-4 के जलाशयों तथा 5 के विभागीय तालाबों के निस्तारण की प्रक्रिया चक्र में पंजीकृत मत्स्य जीवी सहकारी समितियों के मध्य निस्तारित किये जाने तथा वांछित मूल्य प्राप्त न होने की दशा में समितियों के साथ-साथ ठेकेदारों को भी सम्मिलित किये जाने एवं उच्चतम निविदा के माध्यम से ठेका दिये जाने की व्यवस्था है।

मछुआ समुदाय के कल्याणार्थ कार्यक्रम

पिछड़े तथा आर्थिक रूप से कमजोर मछुआ समुदाय के आर्थिक व सामाजिक उत्थान हेतु मत्स्य जीवी सहकारी समितियों का गठन व पंजीकरण, मछुआ दुर्घटना बीमा एवं आवास विहीन मछुआरों के लिए 'ब्लू रिवोल्यूशन : इन्टीग्रेटेड डेवलपमेन्ट एण्ड मैनेजमेन्ट आफ फिशरीज योजना' के तहत मछुआ आवास योजना क्रियान्वित की जा रही हैं। प्रदेश में 1111 प्राथमिक समितियां, 22 जनपद स्तरीय संघ एवं 01 प्रदेशीय संघ की स्थापना की गयी है। दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत पंजीकृत मछुआ सहकारी समिति के सदस्यों तथा सक्रिय मत्स्य पालकों की दुर्घटनावश मृत्यु/स्थाई अपंगता होने की दशा में रु. 2,00,000 व स्थाई आंशिक अपंग होने की दशा में रु. 1,00,000 की धनराशि दिये जाने का प्रावधान है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 में 1,03,333 व्यक्तियों को आच्छादत किया गया, वर्ष 2019-20 में भारत सरकार द्वारा मत्स्य पालकों का आनलाइन डाटा फीडिग के द्वारा 134014 मत्स्य पालकों का आच्छादित किया जा चुका मछुआ आवास योजना के अन्तर्गत आवास विहीन मछुआरों को प्रधानमंत्री आवास योजना के समान प्रति आवास रूपये 1.20 लाख की सुविधा अनुमन्य हैं। भारत सकारी के सहयोग से यह योजना कियान्वित की जा रही है। तथा प्रदेश में वर्ष 2018-19 तक कुल 25092 मछुआ आवास निर्मित कराये जा चुके हैं। वर्ष 2019-20 में 890 सकिय मछुआरों को रू० 10.68 करोड़ की आर्थिक सहायता प्रदान करायी गयी। **2.5 मत्स्य उत्पादन-** प्रदेश में वर्ष 2019-20 में 6.97 लाख मी० टन का मत्स्य उत्पादन का स्तर रहा।

ब्लू रिवोल्यूशन : इन्टीग्रेटेड डेवलपमेन्ट एण्ड मैनेजमेन्ट आफ फिशरीज योजना

ब्लू रिवोल्यूशन योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को 40 प्रतिशत अनुदान धनराशि जिसमें केन्द्रांश 24 प्रतिशत व राज्यांश 16 प्रतिशत सम्मिलित हैं। कमजोर वर्ग यथा- महिला, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को अनुदान धनराशि 60 प्रतिशत जिसमें केन्द्रांश 36 प्रतिशत व राज्यांश 24 प्रतिशत सम्मिलित है कि अनुदान सहायता निर्धारित है। अवशेष धनराशि लाभार्थी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा। यह योजना प्रोजेक्ट/डी0पी0आर0 आधारित है। इस योजना के संचालन हेतु भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रत्येक परियोजना की विस्तृत योजना विवरण (डी0पी0आर0) बनाते हुए लाभार्थीपरक योजना हेतु लाभार्थी द्वारा कार्य कराये जाने की व्यवस्था है।

उपलब्धि

वित्तीय वर्ष 2019-20 में ब्लू रिवोल्यूशन योजनान्तर्गत 123.040 हे0 में तालाब सुधार का कार्य 104.68 हे0 में तालाब सुधार में निवेश, 477,95 हे० में निजी भूमि में तालाब निर्माण, 70.10 हे० तालाब निर्माण में निवेश, 141.05 हे० में रियनिंग यूनिट की स्थापना, 204.57 मनरेगा के तालाबों के लिए प्रथम वर्ष में निवेश 04 सोलर पावर सर्पोट सिस्टम फार एक्वाकल्चर की स्थापना, 04 स्माल फीड मिल व 04 हैचरी की स्थापना, 57 रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम की स्थापना की गयी है। इसके अतिरिक्त 508 मोटर साइकिल विथ आइस बाक्स व 05 आटो रिक्सा विथ आइस बाक्स के वितरण का कार्य भी किया गया है। मथुरा एवं हाथरस जनपद में खारे जल में श्रिम्प उत्पादन में सफलता प्राप्त करते हुए 20 हे० में प्रथम बार श्रिम्प उत्पादन किया गया। सौर उर्जा के माध्यम से जलापुर्ति की व्यवस्थायें सुनिश्चित कराने के लिए उ०प्र० मत्स्य विकास निगम की हैचरियों पर 40 सोलर पावर सपोर्ट सिस्टम स्थापित कराये जा रहे हैं।

मत्स्य बीज उत्पादन

मत्स्य पालन कार्यक्रम की सफलता गुणवत्तायुक्त मत्स्य बीज पर निर्भर है। मत्स्य बीज उत्पादन के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम द्वारा 9 बड़े आकार की हैचरियों का निर्माण कराया गया है तथा मत्स्य विभाग के प्रबन्धान्तर्गत 37 विभागीय प्रक्षेत्र/हैचरियां स्थापित हैं। इस कार्यक्रम में निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से बैंक ऋण/पूंजी निवेश से कुल 250 मिनी हैचरियों का निर्माण कराया जा चुका है, वर्ष 2019-20 में मत्स्य बीज उत्पादन 3028.78 मिलियन रहा है।

मछुआ समुदाय के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान हेतु सहकारी समितियों का गठन

मत्स्य व्यवसाय से जुड़े मछुआ जाति के व्यक्तियों के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर में सुधार लाने हेतु सहकारिता के माध्यम से उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से त्रिस्तरीय ढांचा तैयार किया गया है। प्रदेश स्तर पर मत्स्य जीवी सहकारी संघ, जनपद स्तर पर जिला सहकारी मत्स्य विकास एवं विपणन फेडरेशन तथा न्याय पंचायत स्तर पर प्राथमिक मत्स्य जीवी सहकारी समितियां गठित की गई हैं। वर्तमान में 1111 प्राइमरी समितियां, 22 जिला फेडरेशन व 01 प्रादेशिक मत्स्य सहकारी संघ प्रदेश में कार्यरत हैं।

मछुआ दुर्घटना बीमा योजना

प्रदेश में मछुआ दुर्घटना बीमा योजना वर्ष 1985-86 से प्रारम्भ की गयी है। योजनान्तर्गत आच्छादित सदस्यों की दुर्घटनावश मृत्यु/स्थाई अपंगता की दशा में रु. 2.00 लाख तथा दुर्घटना में आंशिक स्थाई अपंग होने की दशा में रु. 1.00 लाख बीमित राशि का भुगतान किया जाता है। वर्ष 2018-19 में बीमा धनराशि का प्रीमियम रु. 12.00 (रु. 6.00 भारत सरकार व रु. 6.00 राज्य सरकार) प्रति सदस्य की दर से राष्ट्रीय मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0, नई दिल्ली के माध्यम से बीमा कम्पनी को भुगतान किया गया है। लाभार्थी को कोई भी धनराशि स्वयं वहन नहीं करनी पड़ती है। वर्ष 2019-20 तक 1,34,014 सक्रिय मत्स्य पालकों को बीमा से आच्छादित किया गया है।

मछुआ आवासों का निर्माण

मछुआ आवास योजना के अन्तर्गत आवास विहीन मछुआरों को प्रधानमंत्री आवास योजना के समान दर पर प्रति आवास रुपये 1.20 लाख की सुविधा अनुमन्य है। भारत सरकार के सहयोग से यह योजना क्रियान्वित की जा रही है मछुआ आवास के निर्माण के लिए 890 सक्रिय मछुआरों को रु. 10.68 करोड़ की आर्थिक सहायता प्रदान की गयी है।

ई गवर्नेन्स के क्रियान्वयन की प्रगति

निदेशालय द्वारा वित्तीय 2017-18 में समस्त मण्डलों को एक-एक कम्प्यूटर, प्रिन्टर, आल इन वन व यू०पी०एस० जेम पोर्टल से क्रय कर उपलब्ध कराया गया है व वित्तीय वर्ष 2018-19 में एनइजीपी-ए योजनान्तर्गत समस्त जनपदों को एक-एक कम्प्यूटर, प्रिन्टर आल इन वन व यू०पी०एस०कृषि विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया है। मुख्यालय स्तर पर वर्तमान में 25 कम्प्यूटरों द्वारा सफलतापूर्वक कम्प्यूटर संबंधी कार्य किये जा रहे हैं जैसे- बजट आवंटन, पे-रोल, पेंशन इत्यादि समस्त टंकण का कार्य एमएस वर्ल्ड पर व रिर्पोटिंक का कार्य एमएस एक्सल द्वारा सम्पन्न किया जा रहा है। समस्त जनपदों ई मेल, वाटस एप एण्ड एस एम एस के माध्यम से विभिन्न पटलों द्वारा सूचनायें प्राप्त करने व भेजने की सुविधा है मत्स्य पालकों की सुविधा एवं समस्या निवारण हेतु टोलफ्री नम्बर- 1800 180 5661 की भी सुविाा दी गयी है। किसानों को योजनाओं की जानकारी हतु विभागीय वेबसाइट http://fisheries.upsdc.gov.in विकसित करायी गयी है। मत्स्य विभाग की समस्त योजनाओं को आनलाइन करने, उनका एम.आई.एस. सॉफ्टवेयर विकसित करने, आम जनमानस को विभाग की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु आनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का कार्य यूपीडेस्को के माध्यम से पोर्टल कराया जा रहा है। आर0के0वी0वाई0 योजना में लाभार्थियों का भुगतान डी0बी0टी0 के माध्यम से पोर्टल http://fymis.upsdc.gov.in विकसित किया गया है। विभाग की समस्त योजनाओं में लाभार्थियों को भुगतान डी०बी०टी० के माध्यम से किया जा रहा है।

●

सहकारिता

भारत के ग्रामीण अंचल में सीमान्त एवं छोटे कृषकों को साहूकारों के आर्थिक शोषण से मुक्त कराने हेतु सहकारिता के माध्यम से आसान शर्तों पर कर्ज चुकाने की व्यवस्था वर्ष 1904 से सहकारी ऋण समिति अधिनियम बनाने से हुईं। इस अधिनियम में आगे चलकर कुछ कमियां दृष्टिगत हुई, जिसे दूर करते हुये एवं सहकारिता के कार्यक्षेत्र में वृद्धि लाने हेतु वर्ष 1912 में नया सहकारी अधिनियम बनाया गया।

कालान्तर में सहकारी आन्दोलन के बहुमुखी प्रसार को दृष्टिगत रखते हुये वर्ष 1965 में नया सहकारी अधिनियम लागू किया गया। वर्तमान में इसी अधिनियम के अधीन समस्त सहकारी समितियाँ अपने कार्यों का निष्पादन कर रही हैं। सहकारिता विभाग के संगठन का उद्देश्य न केवल कृषकों को सस्ते ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना है, वरन् प्रदेश के ग्रामीण तथा शहरी जनता के निर्बल और निर्धन वर्ग को समृद्धिशाली बनाते हुये उनके स्तर को उठाना है। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभाग द्वारा विभिन्न योजनायें यथा-सहकारी ऋण एवं बैंकिंग कृषि निवेश, क्रय-विक्रय, एकीकृत सहकारी विकास आदि क्रियान्वित कर सस्ते ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने, सदस्यों में बचत की भावना को विकसित करने, कृषकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के क्रय-विक्रय की व्यवस्था कर उत्पादकों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने में भी सहयोग प्रदान करती है। यह समितियाँ किसानों को कृषि कार्य के उपयोग में आने वाले विभिन्न प्रकार के कृषि निवेशों को उन्हें उचित मूल्य पत्र उपलब्ध कराती है।

अधिकोषण योजना

अल्पकालीन सहकारी साख संरचना के त्रिस्तरीय ढांचे में शीर्ष स्तर पर उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक, जिला स्तर पर 50 जिला सहकारी बैंक तथा न्याय पंचायत स्तर पर पैक्स स्थित हैं। उ०प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में किसानों से कृषि यन्त्रीकरण, पशुपालन, भूमि सुधार हेतु 323 शाखाओं के माध्यम से दीर्घकालीन ऋण वितरण किया जाता है।

अल्पकालीन ऋण वितरण

वर्ष 2019-20 में अल्पकालीन ऋण वितरण के लक्ष्य रु. 9500.00 करोड़ के सापेक्ष दिनांक 31-03-2020 तक रु. 6150.21 करोड़ का ऋण वितरण किया गया, जो वार्षिक लक्ष्य का 64.74 प्रतिशत है। अल्पकालीन ऋण वितरण द्वारा कुल 16.75 लाख कृषकों को लाभान्वित किया गया।

वर्ष 2020-21 में खरीफ हेतु अल्पकालीन ऋण वितरण के लक्ष्य रु. 5900.00 करोड़ के लक्ष्य के सापेक्ष दिनांक 31-05-2020 तक रु. 1041.35 करोड़ का ऋण वितरित किया जा चुका है।

उ०प्र० कोआपरेटिव बैंक की 27 शाखाएँ एव 50 सहकारी बैंकों की 1260 शाखाएँ सी०बी०एस० प्रणाली से आच्छादित हैं तथा इनके द्वारा अपने ग्राहकों को रूपे कार्ड, रूपे के०सी०सी०, आर०टी०जी०एस०/निफ्ट, एस०एम०एस० अलर्ट, सी०टी०एस०, ई०सी०एस० क्रेडिट तथा ए०बी०पी०एस० एवं डायरेक्ट बेनीफिट ट्रान्सफर की सुविधा प्रदान कर डिटिलाइजेशन में अपना बहुमूल्य योगदान दिया जा रहा है।

- जिला सहकारी बैंकों द्वारा 142 ए०टी०एम० (22 जिला सहकारी बैंकों की शाखाओं द्वारा संचालित) का संचालन किया जा रहा है।
- 41 जिला सहकारी बैंकों द्वारा ए०टी०एम० सहित मोबाइल वैन की सुविधा उपलब्ध करायी जा चुकी है, जिससे दूरस्थ ग्रामीण अंचलों के कृषकों को बैंकिंग सुविधा सुगमता से उपलब्ध हो रही है। यू०पी० कोआपरेटिव बैंक द्वारा भी एक मोबाइल वैन का उपयोग जन सुविधा हेतु किया जा रहा है।
- भारतीय रिजर्व बैंक की केन्द्रीय भुगतान प्रणाली की सीधी सदस्यता ग्रहण कर आर०टी०जी०एस०/एन०ई०एफ०टी० सुविधा हेत स्वयं का Code-UPCB0000001 प्राप्त किया गया।
- प्रदेश के गन्ना कृषकों को गन्ना मूल्य भुगतान हेतु उ०प्र० कोआपरेटिव बैंक लि० द्वारा सहकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के अन्तर्गत स्थापित 23 चीनी मिलों का अंकन 2124.87 करोड़ रु. की ऋण सीमाएं स्वीकृत कर दिनांक 31.03.2020 तक रु. 1370.12 करोड़ रु. का वित्तपोषण उपलब्ध कराया गया।
- व्यवसाय विविधिकरण योजनान्तर्गत रु. 446.10 लाख का वितरण।

कृषि-निवेश योजना

उर्वरक वितरण

उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान देश है। यहां की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। प्रदेश में कृषकों को ऋण एवं कृषि-निवेश उपलब्ध कराने में सहकारी क्षेत्र की अहम भूमिका है। प्रदेश में राज्य स्तर से न्यायपंचायत स्तर तक सहकारी समितियों/संस्थाओं का विशाल एवं सुदृढ़ ढांचा विद्यमान है जिनके माध्यम से कृषकों को ऋण एवं कृषि-निवेश तथा उर्वरक एवं प्रमाणित बीज आदि उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है।

वर्ष 2019-20 के अन्तर्गत उर्वरकों के कुल निर्धारित लक्ष्य 31.11 लाख मै० टन के सापेक्ष दिनांक 31-03-2020 तक 36.96 लाख मै० टन उर्वरकों का वितरण समितियों के माध्यम से हुआ है जो कि उर्वरक वितरण के कुल लक्ष्य के सापेक्ष 111.79 प्रतिशत है।

चालू वर्ष 2020-21 के अन्तर्गत खरीफ अभियान में उर्वरक वितरण के कुल निर्धारित लक्ष्य 12.90 लाख मै० टन के सापेक्ष दिनांक 31-05-2020 तक 1.92 लाख मै० टन उर्वरक का वितरण सहकारी समितियों के माध्यम से हुआ।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि प्रदेश में सम्पूर्ण उर्वरक आपूर्ति का लगभग 55 प्रतिशत वितरण सहकारिता विभाग द्वारा किया जाता है।

इसी प्रकार प्रमाणित बीज वितरण के वर्ष 2019-20 के कुल निर्धारित लक्ष्य 100100 कु० के सापेक्ष 58652 कु० बीज पी०सी०एफ० द्वारा सहकारी समितियों को उपलब्ध कराया गया। उपलब्ध बीज का शत-प्रतिशत वितरण किया गया।

चालू वर्ष 2020-21 के अन्तर्गत खरीफ अभियान में बीज वितरण के कुल निर्धारित लक्ष्य 2000 कु० के सापेक्ष 622 कु० बीज की उपलब्धता हुयी। उपलब्ध बीज के सापेक्ष दिनांक 31-05-2020 तक 194 कु० बीज का वितरण सहकारी समितियों के माध्यम से किया गया।

उपभोक्ता योजना

उपभोक्ताओं को दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से न्याय पंचायत, जनपद एवं प्रदेश स्तर पर सहकारी संस्थाओं के माध्यम से उपभोक्ता योजना का संचालन किया जा रहा है। यह योजना सम्पूर्ण प्रदेश में लागू है। योजनान्तर्गत प्रदेश में प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियों, केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भण्डारों तथा प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी समितियों आदि द्वारा उपभोक्ता व्यवसाय किया जा रहा है।

इस योजनान्तर्गत 1978 सहकारी समितियों द्वारा पूरे प्रदेश में उपभोक्ता सामाग्री की आपूर्ति की जा रही है, जिसमें से 1498 समितियाँ ग्रामीण क्षेत्र में तथा 480 समितियाँ नगरीय क्षेत्र में कार्यरत हैं। जनपद स्तर पर 48 केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार भी कार्यरत हैं। उपर्युक्त समितियाँ स्थानीय व्यवस्था के अन्तर्गत निजी संसाधनों का उपयोग कर थोक दरों पर सामग्री क्रय करती है तथा खुदरा दर निर्धारित कर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराती हैं। उन सहकारी समितियों से कोई भी व्यक्ति सामान खरीद सकता है। इसके अतिरिक्त कतिपय केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भण्डार शासन की नीति के अनुरूप मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत गेहूँ एवं धान क्रय का कार्य भी करते हैं। इन समितियों द्वारा वर्ष 2019-20 हेतु निर्धारित लक्ष्य रु. 43228.00 लाख के सापेक्ष दिनांक 31.03.2020 तक ग्रामीण उपभोक्ता व्यवसाय रु. 16518.57 लाख रहा है।

सहकारी समितियों को स्वाश्रयी बनाने एवं उनके कर्मचारियों के वेतन के समाधान के दृष्टिगत पंतजलि उपभोक्ता उत्पादों एवं पशु आहार की बिक्री सहकारी समितियों के माध्यम से प्रारम्भ है।

प्रथम चरण में सहारनपुर, मुरादाबाद एवं मेरठ मण्डल में पतंजलि उपभोक्ता उत्पाद एवं पंतजलि पशु आहार की बिक्री पायलेट बेसिस पर प्रारम्भ हो चुकी है। योजना आरम्भ से दिनांक

31.03.2020 तक सहारनपुर, मेरठ एवं मुरादाबाद मण्डल में पंतजलि उपभोक्ता उत्पादों की बिक्री 281 रिटेलर संस्थाओं द्वारा रु. 313.81 लाख के उपलब्ध स्टाक के सापेक्ष रु. 289.88 लाख की गयी है।

सहकारी क्रय-विक्रय योजना

कृषकों को परम्परागत बिचौलियों के शोषण से मुक्त कराते हुये उनकी उपज का उचित मूल्य दिलवाने एवं उनके आर्थिक हितों की सुरक्षा करने के उद्देश्य सहकारी क्रय-विक्रय समितियों का गठन किया गया है। क्रय-विक्रय योजनान्तर्गत प्रदेश स्तर पर उ०प्र० कोआपरेटिव फेडरेशन लि० (पी०सी०एफ०) का गठन किया गया, जो कृषि उपजों का क्रय-विक्रय, विधायन, चीनी वितरण, उर्वरक/बीज वितरण तथा मूल्य समर्थन योजना में स्टेट एजेण्ट के रूप में कार्य करते हुए समितियों/केन्द्रों के माध्यम से कृषि उपजों की खरीद करता है। जनपद स्तर पर 58 जिला सहकारी संघ गठित हैं, जिनके द्वारा जनपद स्तर पर कृषि उपजों का क्रय-विक्रय, उर्वरक/बीज वितरण, तथा मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत कृषकों की कृषि उपजों खरीद की जाती है। इसी प्रकार तहसील स्तर पर 258 सहकारी क्रय-विक्रय समितियों का गठन किया गया है, जो उर्वरक/बीज वितरण एवं मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत कृषकों की कृषि उपजों को उचित मूल्य पर खरीदती है।

मूल्य समर्थन योजना

कृषकों को उनकी उपजों का उचित मूल्य दिलाने एवं बिचौलियों के शोषण से उन्हें मुक्त कराने के उद्देश्य से क्रय-विक्रय योजनान्तर्गत मूल्य समर्थन योजना का संचालन किया जाता है, जिसमें कृषकों से उनकी प्रमुख उपज-गेहूँ एवं धान की खरीद की जाती है। मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत आलोच्य वर्ष 2019-20 में गेहूँ एवं धान की खरीद की गयी है, जिसका विवरण अधोलिखित हैः-

ग्रामीण-गोदाम योजना

(मात्रा मै० टन में)

वर्ष	गेहूँ	धान
2019-20	2152935.598	2023143.751
2020-21	2251221.787	-
	(दि0 30.06.2020 तक)	

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2019-20 में 100 मै० टन के 100 गोदाम निर्माण कार्य कराने हेतु शासन द्वारा नामित कार्यदायी संस्थाओं उ०प्र० राज्य निर्माण सहकारी संघ लि० तथा उ०प्र० राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि०, लखनऊ का चयन किया गया है उक्त कार्यदायी संस्थाओं को 50-50 गोदाम के निर्माण कार्य आवंटित किये गये हैं जिसके सापेक्ष उ०प्र० राज्य निर्माण सहकारी संघ लि०, लखनऊ द्वारा 20 गोदामों व उ०प्र० राज्य निर्माण एवं

श्रम विकास सहकारी संघ लि०, लखनऊ द्वारा 29 गोदामों का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया है।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2020-21 में 250 मै० टन के 25 गोदाम निर्माण कार्य कराने का अनुमोदन शासन द्वारा प्रदान किया गया है।

एकीकृत सहकारी विकास योजना

समस्त प्रकार की सहकारी समितियों के समन्वित विकास के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा पुरोनिधानित एकीकृत सहकारी विकास योजना वर्ष 1991-92 से संचालित है। अब तक 34 जनपदों में परियोजना पूर्ण हो चुकी है। वर्तमान में जनपद इलाहाबाद (प्रयागराज), कौशाम्बी, अम्बेदकरनगर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, हाथरस, मेरठ, अमरोहा, पीलीभीत, झाँसी, सोनभद्र एवं शाहजहाँपुर में परियोजनाएं संचालित है तथा 23 अन्य जनपदों यथा-आगरा, उन्नाव, हापुड़, सीतापुर, औरेया, ललितपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, आजमगढ़, चित्रकूट, बलरामपुर बहराइच, चन्दौली, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, फतेहपुर, कुशीनगर, हरदोई, लखनऊ, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, सन्तकबीर नगर एवं बस्ती में प्रस्तावित योजना पर कार्य प्रगति पर है।

वन एवं वन्य जीव

भूमिका

उत्तर प्रदेश में वनावरण एवं वृक्षारोपण का कुल क्षेत्रफल 22,148 वर्ग कि०मी० है जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 240928 वर्ग कि०मी० के सापेक्ष मात्र 9.19 प्रतिशत है। यह राष्ट्रीय वन नीति, 1988 के मानक स्तर 33.333 प्रतिशत से कम है। उत्तर प्रदेश देशों का सर्वाधिक आबादी वाली प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में वनों का समुचित ढंग से प्रबन्धन करने हेतु वन एवं वन्य जीवन विाग की स्थापना वर्ष 1855 में की गई थी उत्तर प्रदेश की निरन्तर बढती आबादी एवं अन्य विकास कार्यों के लिए भूमि की बढ़ती मांग के फलस्वरूप जहा एक ओर प्रदेश में राष्ट्रीय वन हैं, वहीं दूसरी ओर इस घनी आबादी वाली प्रदेश में आम जनता की ईंधन, चारापत्ती, इमारती लकड़ी तथा लघु एवं अन्य कटीर उद्योगों के लिए वन उपज की मांग एवं सीमित वन ससाधनों से आपूर्ति के बीच अंतर उन्नरोत्तर बढ़ता जा रहा है।

प्रदेश की आर्थिक एव समाजिक सिति को सुदृढ़ करने हेतु यह आवश्यक है कि उपलब्ध वनों का वैज्ञानिक पद्धति से सघ्ज्ञन प्रबन्ध किया जायें। वृक्षों से भूमि संरक्षण तथा जल संरक्ष्ज्ञण के साथ-साथ मानव जीवन हेतु शुद्ध पर्यावरण की उपलधता सुनिश्चित होती है। पर्यावरणीय समस्याओं के निवारण हेतु विभाग की यह रणनीति रही है कि वन क्षेत्र के बाहरी सामुदायिक, सरकारी, अर्द्धसकारी, निजी भूमि पर अधिक से अधिक वृक्षों का रोपण किया जाये। इस उद्देश्य से प्रदेश में वृक्षाच्छाउन बढ़ाने के लिए अवनत वन भूमि, सामुदायिक भूमि, रेल सड़क तथा कृषकों की अनुपजाऊ निजी भूमि पर अधिकाधिक वृक्षारोपण करने का कार्य किया जा रहा है। प्रदेश की विविधतापूर्ण भौगोलिक संरचना एवं जलवायु में पाये जाने वाले वन्य जीवों व जैव विविधता संरक्षण हेतु विााग द्वारा प्रदेश में स्थापित 1 राष्ट्रीय उद्यान, 26 वन्य जीव विहारों, 1 आरक्षित संरक्षण क्षेत्र तथा 4 प्राणि उद्यानों का प्रबन्ध भी किया जा रहा है।

वन क्षेत्र के आसपास कृषि एवं औद्योगिकीकरण के विकास के कारण वन पार्कों एवं वन्यजीव वास स्थलों के पास होने वाली वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं पर नियंत्रण व निवारण हेतु समुचित कार्यवाही वन एवं वन्य जीवन विभाग की जा रही है। विभाग द्वारा वन एवं वन्य जीव संरक्षण के साथ-साथ जैव विविधता संरक्षण का कार्य किया जा रहा है। वन एवं वन्य जीव विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कार्य क्षमता में वृद्धि तथा उनके कल्याण हेतु भी विभिन्न कार्य कराये जा रहे है।

वन एवं वन्य जीव विभाग में प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, लखनऊ राज्य सरकार के वन एव वन्य जीवन प्रशसन से सम्बन्धित तकनीकी परामर्शदाता है तथा शासन स्तर पर विभागीय नीतियों के निर्धारण के लिए उत्तरदायी है।

वृक्षारोपण योजनायें

राज्य पोषित एवं केन्द्र द्वारा वित्त पोषित योजनाओं के अन्तर्गत विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही बागान योजनाओं का विवरण निम्नवत है-

सामाजिक वानिकी योजना

सामाजिक वानिकी योजना प्रदेश के ग्राम वासियों को प्रकाष्ठ ईधनएवं चारा पत्ती तथा लघु वन उपज की उपलब्धता सुनश्चित करने हेतु कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश समस्त पजपदों में वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध ग्राम समाज एवं सामुदायिक भूमि तथा अवनत वन भूमि पर वृक्षारोपण कार्य कराया जाता है। इस योजना के अनतर्गत अनुसूचित जातति के समुदाय को लाभ पहुंचाने हेतु स्पेशल कम्पोनेट प्लान तथा अनुसूचित जनजाति हेतु ट्राइबल सब प्लान के अन्तर्ग भी बबजट प्राविधान किया जाता है जिससे उन्हें दैनिक पारिश्रमिक के अतिरिक्त जलौनी लकड़ी फलफूल तथा प्रशुओं के लिए चारा-पत्ति आदि सुविधा पूर्व उपलब्ध हो सके।

वर्ष 2017-18 के अन्त तक इस योजना (सामान्य, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति साहित)के अन्तर्गत कुल रु. 177590.20 लाख व्यय किया गया जिससे 432998 हे० क्षेत्र में वृक्षारोपण एवं 256133 है० में कृषि वानिकी कार्य किये गये।

शहरी क्षेत्रों में सामाजिक वानिकि योजना

यह योजना प्रदेश के समस्त जनपदों में कार्यान्वित की जा रही है। वृक्षारोपण पर होने वाला व्यय पूर्णतया राज्य सरकार द्वारा वहन कियाजाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के समस्त शहरों/नगरों में कुल कारखानों तथा वाहनों से हो रहे वायु प्रदूषण को रोकना, मार्गों एवं नगरों का सौन्दर्य बढ़ाना तथा पथिकों के छाया उपलब्ध कराना है। इस योजना के अर्न्तगत प्रमुख रूप से इमली, नीम पीपल बरगद, आम, कदम, अशोक गुलमोहर, अकेसिया तथा अन्य शोभाकार प्रजातियां रोपित की जाती हैं।

हरित पट्टी विकास योजना

यह योजना सम्पूर्ण पदेश में पर्यावरण सुधाार हेतु कियान्वित की जा रही है। इस योजना में कराये गये कार्यो में सुरक्षा एवं सिंचाई की व्यवस्था विशेश रूप से सुनिश्चित की जाती है। वर्ष 2013-14 से वर्ष 2017-18 तक इस योजना में रु. 694771 लाख व्यय किया गया है जिससे 3652 हे0 क्षेत्र में वृक्षारोपण कराया गया है।

वनावरण सम्बर्द्धन परियोजना

अवनत वन एवं खुले वन क्षेत्रें में वनावरण संवर्द्धन के उद्देश्य से प्रदेश के 18 जनपदों (आगरा, अलीगढ़, शाहजहांपुर, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, झांसी, बांदा कानपुर नगर, लखनऊ, फैजाबाद, गोण्डा, वाराणसी, मिर्जापुर, इलाहाबाद, गोरखपुर, बस्ती एवं आजमगढ़) में नाबार्ड वित्त पोष्ज्ञण से यह योजना क्रियान्वित की जा रही है। वर्ष 2014-15 से वप्र 2017-18 तक इस योजना में रु. 4208.37 लाख व्यय किया गया है जिससे 3539 है0 क्षेत्र में वृक्षारोपण कराया गया है।

नेशनल बैम्बू मिशन योजना

नेशनल बैम्बू मिशन एक केन्द्र पुरानिधानित योजना है जिसमें 60 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 40 प्रति0 राज्यांश का प्राविधान है। इस योजना में वन क्षेत्रों तथा गैर क्षेत्रों में बांस वृक्षारोपण कर बांस

क्षेत्र को बढ़ाना है। इस योजना के मुख्य कार्यों में बांस वृक्षारोपण हेतु उच्च गुणवत्ता युक्त रोपण समग्री हेतु पौधशालाओं का विकास, वन क्षेत्रों में बांस वृक्षारोपण, गैर वन क्षेत्रों में बांस वृक्षारोपण, बैम्बू ट्रीटमेंट प्लान्ट/प्रोसेसिंग यूनिट फार वैल्यू एडीसन/प्राईमरी प्रोसेसिंग यूनिट/काटेज इन्डस्ट्री/फर्नीचर मेकिंग (प्राईवेट एवं सरकारी)/ज्वेलरी मेकिंग /स्टिक मेकिंग/डिमोस्ट्रेशन प्लाट/रूरल हाट (प्राइवेट)/कार्बोनाइजेशन प्लान्ट/विजनेस इन्क्यूवेटर्स/कामन फैसलिटी सेन्टर/बैम्बू डिपो/बैम्बू बाजार/इन्क्यूवेशन सेन्टर (सरकारी) प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास तथा प्रचार-प्रसार सम्मिलित है। इस योजना से कृषकों के उत्पादकता, रोजगार के अवसर, आय सृजन, ग्रामीण परिवारों विशेष रूप से छोटे किसानों की आजीविकास के संसाधानों में वृद्धि होगी। वर्ष 2019-20 में इस योजना में रु. 2496.58 लाख के व्यय का अनुमान है। वर्ष 2020-21 में रु. 972.18 लाख का आय-व्ययक प्राविधान किया गया है।

विभाग में ई-गवर्नेन्स

उत्तर प्रदेश वन एवं बन्य जीव विभाग में आई0टी0 के विकास कार्योंके अन्तर्गत विभिन्न सिटीजन सेंट्रिक सेवाओं को आनलाईन उपलब्धा कराने के उद्देश्य से आवश्यक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर की व्यवस्था की जाती है। भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार वन एवं वन्य जीव विभाग की अधिकारिक वेबसाइट का विकास किया गया है, जिसमें विभाग से सम्बन्धित विभिन्न गतिविधियों यथा- शासनादेश, निविदायें, स्थाई सेवाओं एवं जन शिकायतों के त्वरित निस्तारण के अन्तर्गत आनलाईन फेलिंगपरमिट साफ्टवेयर एप्लीकेशन सिस्टम एवं कम्पलेन्ट मानीटिरिंग सिस्टम विकसित किया जा रहा है। इसी क्रम में उ0प्र0 वन मुख्यालय व कमाण्ड सेंटर सहित समस्त वन प्रभागों, क्षेत्रीय वन संरक्षकों एवं मुख्य वन संरक्षकों के कार्यालयों को हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर आधारित वीडिया कान्फ्रेंसिंग सुविधा से जोड़ा गया है। इन्टरनेट नेटवर्किंग व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये जाने के उद्देश्य में समस्त क्षेत्रीय कार्यालयों को बी0एस0एन0एल0 के हाई स्पीड ब्राड बेण्ड प्लान से जोड़ा गया है ताकि हाई स्पीड डाटा ट्रान्सफर एवं उच्च गति से आनलाईन सूचनाओं के संकलन का कार्य किय जाना संभव हो सके।

विभिन्न आनलाईन साफ्टवेयरों के सुलभ संचालन एवं सम्बन्धित साफ्टवेयरों के डाटा भण्डार हेतु आई0टी0 सेल में नवीनतम टेक्नोलाजी पर आधाारित डेडीकेटिड वेबसर्वर स्थापित किया गया है।

वन्य जीव परिरक्षण योजनायें

प्रोजेक्ट टाइगर

दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को भारत सरकार की योजना-''प्रोजेक्ट टाइगर'' से वर्ष 1987 में आच्छादित किया गया। कालान्तर में किशनपुर वन्यजीव विहार, कतर्नियाघाट वन्यजीव विहार, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व बिजनौर तथा पीलीभीत टाइगर रिजर्व को भी इसके साथ रख कर इसे संयुक्त रूप से भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ''प्रोजेक्ट टाइगर'' योजना के अन्तर्गत लाया गया। वर्तमान में रिजर्व का क्षेत्र का प्रबन्ध मुख्यत: ''प्रोजेक्ट टाइगर'' योजना से वित्त पोषित है। यह योजना भरत सरकार तथा राज्य सरकार के संयुक्त वित्त पोषण से बाघ एवं उसके प्राकृतवास

के संरक्षण हेतु चलाई जा रही है इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 से वर्ष 2017-18 तक रु. 6731.01 लाख व्यय कियागया है। वर्ष 2018-19 में रु. 1810.08 लाख व्यय किया गया है। वर्ष 2019-20 में रु. 2289.15 लाख के व्यय का अनुमान है। वर्ष 2020-21 में रु. 2984.42 लाख का आय-व्ययक प्राविधान किया गया है।

इन्टीग्रेटेड डेवलपमेन्ट आफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स

यह योजना भारत सरकार एवं राज्य सरकार के संयुक्त वित्त पोषण से प्रदेश के समस्त पक्षी विहार एवं वन्यजीव विहारों के विकास हेतु क्रियान्वित की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2012-13 से वर्श 2017-18 तक रु. 2233.21 लाख व्यय किया गया है वर्ष 2018-19 में रु. 479.89 लाख व्यय किया गया है। वर्ष 2019-20 में रु. 811.22 लाख के व्यय का अनुमान है। वर्ष 2020-21 में रु. 1500.00 लाख का आय-व्ययक प्राविधान किया गया है।

प्रोजेक्ट एलीफैन्ट

यह योजना भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत सरकार एक राज्य सरकार की संयकत सहायता से ''उत्तर प्रदेश एलीफैन्ट रिजर्व'' हेतु चलाई जा रही है। योजना के अन्तर्गत हाथी के प्राकृतवास की सुरक्षा व संरक्षण में वन्यजीवन संरक्ष्ज्ञण के प्रति चेतना व जागरूकता उत्पन्न करना आदि कार्यों के लिए केन्द्रीय सहायता प्राप्त होती है। वर्ष 2012-13 से वर्ष 2017-18 तक रु. 117.57 लाख व्यय किया गया है। वर्ष 2018-19 में रु. 60.02 लाख व्यय किया गया है। वर्ष 2019-20 में रु. 76.95 लाख के व्यय का अनुमान है। वर्ष 2020-21 में रु. 80.51 लाख का आय-व्ययक प्राविधान किया गया है।

नेशनल प्लान फार कन्जर्वेशन आफ एक्वेटिक ईको सिस्टम

यह योजना पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के नेशनल वेटलैण्ड कन्जर्वेशन प्रोग्राम के अन्तर्गत चलाई जा रही है। योजना भारत सरकार के संयुक्त वित्त पोषण से चलायी जा रही है। इस योजना का उद्देश्य संरक्षित तथा गैर संरक्षित वेटलैंण्ड की सुरक्षा, प्राकृत वास सुधार, कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट, शोध, स्थानीय समुदायों के साथ भागीदार प्रबंध एवं जलगुणवत्ता अनुश्रवण आदि मदों में सहायता पहुंचाना है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2013-14 से वर्ष 2017-18 तक रु. 999.85 लाख व्यय किया गया है। वर्ष 2018-19 में रु. 180.49 लाख व्यय किया गया है। वर्ष 2019-20 में रु. 457.00 लाख के व्यय का अनुमान है। वर्ष 2020-21 में रु. 800.00 लाख का आय-व्ययक प्राविधान किया गया है।

जनपद इटावा में बब्बर शेर प्रजनन केन्द्र व लायन सफारी पार्क का विकास

इस योजना का औचित्य जन सामान्य के लिए वन्य जीव संरक्षण एवं सम्बर्द्धन के प्रति जागरूकता उत्पन्न किया जाना है। वर्तमान में एशियन बब्बर शेर का अस्तित्व खतरे में है तथा इनके प्राकृतवास मात्र गिर फारेस्ट, गुजरात तक सीमित रह गये हैं। अतः इन्हें उपयुक्त वासस्थल का विकास करके संरक्षण प्रदान किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। इटावा जनपद में लायन सफारी की स्थापना से बब्बर शेरों के लिए वैकल्पिक वास स्थल विकसित होगा। क्षेत्र की स्थानीय जलवायु के अनुसार वनस्पतियों का संरक्षण एवं सम्बर्द्धन कर क्षेत्र को बब्बर शेरों के प्राकृतिक वासस्थल के रूप में विकसित करना है।

इस योजना में वर्ष 2012-13 से वर्ष 2017-18 तक रु. 21196.28 लाख व्यय किया गया है। वर्ष 2018-19 में रु. 184.88 लाख व्यय किया गया है। वर्ष 2019-20 में रु. 1243.90 लाख के व्यय का अनुमान है। वर्ष 2020-21 में रु. 1272.90 लाख का आय-व्ययक प्राविधान किया गया है।

दुधवा नेशनल पार्क के वन विश्राम गृहों तथा आन्तरिक मार्गों का सुदृढ़ीकरण

दुधवा नेशनल पार्क के वन विश्राम गृहों तथा आन्तरिक सड़कों का सुदृढ़ीकरण कर इसे सुसज्जित किये जाने के उद्देश्य से यह योजना क्रियान्वित की जा रही है।

दुधवा नेशनल पार्क में टूरिज्म के विकास एवं वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण एवं सम्बर्द्धन के लिये परीक्षणोपरान्त यथोचित कार्य किये जायेंगे।

संरक्षित क्षेत्र के बाहर वन्यजीवों का प्रबन्ध

उत्तर प्रदेश में संरक्षित क्षेत्र जहाँ वन्यजीवों की अधिकता है, के संरक्षण एवं इनके प्राकृतिक वास के विकास को समुचित रूप से करने के उद्देश्य से संसाधन उपलब्ध कराया जाना तथा निरन्तर विकास के कारण वन्यजीव के प्राकृतवास पर बढ़ते जैव दबाव के कारण समग्र प्रदेश में मानव वन्य जीव संघर्ष की बढ़ती हुई घटनाओं के निराकरण के उद्देश्य से यह योजना वर्ष 2013-14 से प्रारम्भ की गयी है।

वर्ष 2013-14 से वर्ष 2017-18 तक रु. 475.00 लाख व्यय किया गया है। वर्ष 2018-19 में रु. 94.73 लाख व्यय किया गया है। वर्ष 2019-20 में रु. 95.90 लाख के व्यय का अनुमान है। वर्ष 2020-21 में रु. 95.00 लाख का आय-व्ययक प्राविधान किया गया है।

ईको पर्यटन का विकास

इस योजना के माध्यम से प्रदेश में ईको पर्यटन को बढ़ावा दिया जाता है। यह योजना प्रदेश के उन क्षेत्रों में लागू की जा रही है जहाँ प्राकृतिक सौन्दर्य की छटा हो, वन एवं वन्य जीवों की बहुतायत हो और पर्यटकों के लिए क्षेत्र आकर्षक हो। परियोजना के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ स्थानीय जनता को रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं।

इस योजना में वर्ष 2012-13 से वर्ष 2017-18 तक रु. 2281.23 लाख व्यय किया गया है। वर्ष 2018-19 में रु. 10.00 लाख व्यय किया गया है। वर्ष 2019-20 में रु. 10.00 लाख के व्यय का अनुमान है। वर्ष 2020-21 में रु. 10.00 लाख का आय-व्ययक प्राविधान किया गया है।

गोरखपुर में चिड़ियाघर की स्थापना

इस योजना के अन्तर्गत वन्य जीवों के प्रति जनमानस में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जनपद गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान का निर्माण किया जा रहा है।

इस योजना में वर्ष 2017-18 तक रु. 9329.71 लाख व्यय किया गया है। वर्ष 2018-19 में रु. 2498.82 लाख व्यय किया गया है। वर्ष 2019-20 में रु. 10000.00 लाख के व्यय का अनुमान है। वर्ष 2020-21 में रु. 4000.00 लाख का आय-व्ययक प्राविधान किया गया है।

बर्ड फेस्टिवल का आयोजन

उत्तर प्रदेश राज्य में पक्षियों के प्रति आम जनता में जागरूकता उत्पन्न करने एवं विद्यार्थियों को इन जीवों के वास स्थल, क्रियाकलाप तथा विदेशी पक्षियों के माइग्रेशन के विषय में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु 'बर्ड फेस्टिवल' का आयोजन किया जाता है। इस बर्ड फेस्टिवल के आयोजन में वन विभाग के अतिरिक्त उ.प्र. पर्यटन विभाग, सूचना विभाग, एफ.आई.सी.सी.आई., गैर-सरकारी संस्थाओं एवं स्थानीय जनता को भी शामिल किया जाता है।

वर्ष 2016-17 में रु. 50.00 लाख व्यय किया गया है। वर्ष 2017-18 में कोई व्यय नहीं किया गया है। वर्ष 2018-19 में रु. 98.31 लाख व्यय किया गया है वर्ष 2019-20 में रु. 100.00 लाख के व्यय का अनुमान है। वर्ष 2020-21 में रु. 100.00 लाख का आय-व्ययक प्राविधान किया गया है।

नवाब वाजिद अली शाह प्राणि उद्यान, लखनऊ में तितली पार्क

तितलियों का पर्यावरण संरक्षण में महत्त्वपूर्ण योगदान है। ये फूलों के परागण एवं बीजों के अंकुरण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तितलियों की संख्या कम होती जा रही है। नवाब वाजिद अली शाह प्राणि उद्यान, लखनऊ में इस तितली पार्क के माध्यम से आम जन-मानस में तितलियों के बारे में जागरूकता बढ़ाई गयी है।

इस योजना वर्ष 2016-17 में रु. 100.00 लाख व्यय किया गया है। वर्ष 2017-18 में रु. 24.76 लाख व्यय किया गया है। वर्ष 2018-19 में रु. 11.63 लाख व्यय किया गया है योजना समाप्त हो जाने के कारण वर्ष 2019-20 में कोई व्यय नहीं किया जाना है।

कानपुर प्राणि उद्यान, कानपुर में तितली पार्क

तितलियों का पर्यावरण संरक्षण में महत्त्वपूर्ण योगदान है। ये फूलों के परागण एवं बीजों के अंकुरण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तितलियों की संख्या कम होती जा रही है। कानपुर प्राणि उद्यान, कानपुर में इस तितली पार्क के माध्यम से आम जन-मानस में तितलियों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा रही है।

मूसाबाग वन क्षेत्र, लखनऊ का विकास एवं संरक्षण

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित अवध वन प्रभाग के लखनऊ रेंज के अन्तर्गत एल.आई.टी. (मूसाबाग) वन ब्लाक मूसाबाग वन क्षेत्र में वर्ष 1970 के दशक में स्थापित एल.आई.टी. वन विश्राम गृह, वन क्षेत्राधिकारी कार्यालय, कर्मचारी आवासीय परिसर, दर्शकों के मनोरंजन हेतु वन चेतना केन्द्र, चिल्ड्रेन पार्क, कैन्टीन तक पहुंचने हेतु आर.सी.सी. पुल, पुरुष एवं महिला शौचालय, पेयजल सुविधा, पौधशाला, वाटर चैनल को इको टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु यह योजना क्रियान्वित की जा रही है।

आचार्य नरेन्द्र देव स्मृति पार्क की स्थापना

जन साधारण को वानिकी कार्यों की जानकारी देने व उनमें अभिरुचि पैदा करने तथा उन्हें मानसिक शान्ति प्रदान करने हेतु जनपद सीतापुर में इलियासग्रांट वन भूमि में आचार्य नरेन्द्र देव स्मृति पार्क की स्थापना की जा रही है।

दुधवा टाइगर रिजर्व का विकास

वनों की सुरक्षा एवं संरक्षण के कार्य हेतु रिजर्व के फ्रन्ट लाइन कर्मचारी (वन रक्षक, वन्य जीव रक्षक, वन दरोगा तथा उपराजिक) वन क्षेत्र में स्थित वन चौकियों पर रहते हैं। इन कर्मचारियों के परिवार तथा बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराये जाने हेतु सेना में सीमा पर तैनात जवानों की भांति फील्ड हास्टल जैसी सुविधा प्रदान किये जाने हेतु दुधवा टाइगर रिजर्व के अन्तर्गत ट्रांजिट हास्टल का निर्माण कराया जा रहा है।

मयूर संरक्षण केन्द्र की स्थापना

वृन्दावन जनपद मथुरा में राष्ट्रीय पक्षी मोर के संरक्षण के लिए एक मयूर संरक्षण केन्द्र की स्थापना के उद्देश्य से यह योजना क्रियान्वित की जा रही है।

वन्य जीव प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना

वन विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों, गैर राजकीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों तथा विद्यार्थियों को वन्य जीव संरक्षण, मानव-वन्य जीव संघर्ष तथा वन्य जीव रेस्क्यू से सम्बन्धित प्रशिक्षण हेतु लखनऊ मण्डल में ''वन्य जीव प्रशिक्षण केन्द्र'' की स्थापना की जानी है।

वर्ष 2017-18 में कोई व्यय नहीं किया गया है। वर्ष 2018-19 में कोई व्यय नहीं किया गया है। वर्ष 2019-20 में रु. 10.00 लाख के व्यय का अनुमान है। वर्ष 2020-21 में रु. 10. 00 लाख के आय-व्यय प्राविधान किया गया है।

कुकरैल वन क्षेत्र के अन्तर्गत इको पर्यटन एवं जैव विविधता केन्द्र की स्थापना

कुकरैल वन क्षेत्र में स्थित पिकनिक स्पॉट क्षेत्र लखनऊ वासियों एवं निकटवर्ती क्षेत्रों के निवासियों के साथ-साथ बाहरी पर्यटकों के लिए भी एक अत्यन्त आनन्दमयी स्थान है। प्रतिदिन हजारों की संख्या में दर्शक/पर्यटक यहां मनोरंजन एवं मानसिक शान्ति हेतु आते हैं। मनोरंजन के साथ-साथ स्कूल एवं कॉलेजों से आने वाले विद्यार्थियों को पेड़-पौधों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से आर्बोरेटम बनाने की योजना तैयार की गयी है। भारत में पाये जाने वाले वृक्षों की अधिक से अधिक प्रजातियों को एक ही स्थान पर लगाया जायेगा, जिससे पेड़-पौधों में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं को अध्ययन में सुविधा मिल सके। पर्यटकों की रुचि को बनाये रखने एवं उन्हें स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नेचर ट्रेल व घास का मैदान/लॉन का रख-रखाव कार्ययोजना में समावेश किया गया है।

वर्ष 2019-20 में रु. 500.00 लाख के व्यय का अनुमान है। वर्ष 2020-21 में रु. 500. 00 लाख के आय-व्यय प्राविधान किया गया है।

उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड निधि

वन विभाग के अंतर्गत जैव विविधता के संरक्षण एवं सम्पोषण हेतु जैव विविधता बोर्ड का गठन किया गया है।

प्रिंस ऑफ वेल्स जुलोजिकल गार्डेन्स लखनऊ को अनुदान

इस योजना का उद्देश्य लखनऊ चिड़ियाघर, जो कि प्रदेश के महत्वपूर्ण चिड़ियाघरों में एक है, को वार्षिक अनुदान प्रदान किया जाता है।

कानपुर प्राणि उद्यान

प्रदेश के महत्त्वपूर्ण प्राणि उद्यान के रखरखाव तथा अन्य व्यय हेतु योजना कार्यान्वित है।

वर्ष 2017-18 में रु. 100.00 लाख तथा वर्ष 2018-19 में रु. 100.00 लाख व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 100.00 लाख के व्यय का अनुमान है। वर्ष 2020-21 में रु. 110.00 लाख के आय-व्यय प्राविधान किया गया है।

औद्योगिक एवं पल्पवुड वृक्षारोपण

इस योजना में पूर्व संचालित औद्योगिक एवं पल्पवुड वृक्षारोपण के अन्तर्गत कार्यरत स्टाफ, जो कि मुजफ्फरनगर, मेरठ, बरेली, बिजनौर, पीलीभीत, इटावा, झाँसी, लखीमपुर खीरी, गोण्डा, गाजियाबाद, लखनऊ, अमरोहा एवं चित्रकूट जनपदों में तैनात हैं, के वेतन भत्तों का भुगतान किया जाता है।

उक्त योजना के अन्तर्गत पूर्व संचालित योजना के अन्तर्गत कराये गये वृक्षारोपण एवं पौधालयों में पौध उगाने हेतु भी व्यय किया जाता है।

वर्ष 2017-18 में रु. 39.77 लाख तथा वर्ष 2018-19 में रु. 38.58 लाख व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 40.00 लाख के व्यय का अनुमान है। वर्ष 2020-21 में रु. 40.00 लाख के आय-व्यय प्राविधान किया गया है।

नई योजनाएं

राजभवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में प्रस्तावित पंचतंत्र वन की स्थापना

राजभवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में प्रस्तावित पंचतंत्र वन की स्थापना से राजभवन के सौन्दर्य में वृद्धि तथा वातावरण इको फ्रेन्डली होगा। इस योजना में वर्ष 2020-21 में रु. 122.72 लाख का आय-व्ययक प्राविधान किया गया है।

नमांमि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग (राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन) (राज्य स्वच्छ गंगा मिशन) (भूगर्भ जल विभाग) (लघु सिंचाई विभाग)

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के अन्तर्गत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन विभाग द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम को समाहित करते हुए वित्तीय वर्ष 2019-20 में जल जीवन मिशन कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है, जिसके अन्तर्गत मार्च, 2024 तक हर घर को नल से जल दिये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा राज्य ग्रामीण पेजयल योजना, बस्ती एवं गोरखपुर मण्डल तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्र के बांदा एवं चित्रकूट मण्डल के सरकारी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मुख्यमंत्री आर०ओ० पेयजल योजना क्रियान्वित की जा रही है तथा बुन्देलखण्ड, विन्ध्य एवं गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजना इसी वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित है, साथ ही विश्व बैंक सहायतित नीर-निर्मल परियोजना भी क्रियान्वित की जा रही है।

राज्य स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा मल जल शोधन, नालों का शोधन, घाट नवनिर्माण एवं पनुरोद्धार, घाट सफाई, नदी सतह सफाई, वनीकरण एवं जैव विविधता, गंगा स्वच्छता अभियान हेतु जन-जागरूकता एवं प्रचार-प्रसार का कार्य नमामि गंगे कार्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु चलाया जा रहा है।

प्रदेश में गिरते भूभर्ग जल स्तर में सुधार तथा भूगर्भ जल के नियोजित विकास एवं प्रबन्धन के साथ भूजल से सम्बन्धित समस्याओं के अध्ययन एवं भूजल संरक्षण हेतु जन जागरूकता के लिए 05 योजनायें यथा- भूगर्भ जल सर्वेक्षण का विकास, आकलन एवं सुदृढ़ीकरण, शासकीय भवनों पर रूफटाप रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की स्थापना, भूजल संसाधनों की गुणवत्ता का अनुश्रवण एवं मैपिंग, भूजल जन-जागरूकता एवं प्रचार-प्रसार तथा राज्य भूजल संरक्षण मिशन संचालित है। इसके साथ ही प्रदेश में स्टेट ग्राउण्ड वाटर इन्फारमेटिक्स सेन्टर एवं भूजल भवन की स्थापना तथा नये पीजोमीटर की स्थापना की नवीन योजनायें प्रस्तावित हैं। प्रदेश में भूजल संसाधनों की सुरक्षा, संरक्षण, प्रबन्धन एवं विनियमन के दृष्टिगत उ०प्र० भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम-2019 लागू किया गया है।

ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम

1. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम/जल जीवन मिशन

- **कार्यक्रम का विवरण**

प्रदेश में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति हेतु केन्द्र सहायतित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का संचालन केन्द्र एवं राज्य द्वारा 50:50 प्रतिशत वित्त पोषण के आधार पर किया जा रहा था। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम को समाहित करते हुये वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 में जल जीवन मिशन कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है जिसके अन्तर्गत हर घर को नल से जल उपलब्ध कराया जाना लक्षित है।

भारत सरकार द्वारा नीति निर्धारण के अनुसार दिशा-निर्देश निर्गत किये गये। तत्क्रम में कार्यवाही की जा रही है।

- **भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्राथमिकताएं-**

वर्तमान में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य किये जा रहे हैंः-

- आर्सेनिक एवं फ्लोराइड प्रभावित बस्तियां।
- जे०ई०/ए०ई०एस० से प्रभावित ग्राम।
- पूर्व से निर्माणाधीन पाइप पेयजल योजनायें।
- सांसद आदर्श ग्राम योजना।
- स्कूल/आंगनबाड़ी/केन्द्र/ग्राम पंचायत भवनों/स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक भवन।

इन प्राथमिकताओं में क्रियाशील नल जल संयोजन (एफ०एच०टी०सी०) के माध्यम से पेयजल उपलब्धता हेतु प्रमुखता दी गई है।

भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित जल जीवन मिशन के अन्तर्गत मार्च, 2024 तक हर घर को नल से जल दिए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में जारी वित्तीय स्वीकृति के दिशा-निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माणाधीन ऐसी योजनायें, जिनमें 50 प्रतिशत से अधिक प्रगति हो चुकी है, पर प्राथमिकता पर धन आवंटन किया जाना है। प्रदेश के अनाच्छादित बस्तियों को पाइप पेयजल योजनाओं से मार्च 2024 तक आच्छादित किया जाना है।

- **भौतिक प्रगति**

प्रदेश की लगभग 90 प्रतिशत आबादी पेयजल हेतु पूर्णतः हैण्डपम्प पर निर्भर है, परन्तु राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत हैण्डपम्प के स्थान पर पाइप पेयजल योजनाओं का निर्माण कराया जा रहा है। वर्तमान में गुणता प्रभावित पाइप पेयजल योजना से आच्छादित करने हेतु प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा सके।

प्रदेश के सांसद आदर्श ग्राम/जे०ई०-ए०ई०एस० तथा आर्सेनिक/फ्लोराइड से प्रभावित ग्रामीण बस्तियों में 50 प्रतिशत से अधिक प्रगति वाली योजनाओं पर धनराशि आवंटन प्राथमिकता पर किया जा रहा है।

वर्ष 2019-20 में राष्ट्रीय ग्रामीण जल सम्पूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत निर्माणाधीन योजनाओं में से 320 पाइप पेयजल योजनाओं को पूर्ण किये जाने के लक्ष्य के सापेक्ष 305 योजनाओं को पूर्ण किया जा चुका है।

- **जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं सतर्कता कार्यक्रम**

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी कार्यक्रम का राष्ट्रीय स्तर पर संचालन किया जा रहा है। उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य किये जा रहे हैं:-

- पेयजल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी के अंतर्गत प्रदेश के समस्त ग्रामीण पेयजल स्रोतों के रासायनिक एवं जैविक परीक्षण के लिये प्रत्येक जनपद स्तर पर प्रयोगशालाएं स्थापित की गयी हैं एवं राज्य स्तर पर एन०ए०बी०एल० से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला संचालित है। इसके अतिरिक्त 05 मोबाइल प्रयोगशालाएं भी संचालित की गयी हैं।

ग्राम पंचायत स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत फील्ड किट के माध्यम से समस्त पेयजल स्रोतों (समस्त सरकारी एवं व्यक्तिगत पेयजल स्रोतों) की शत-प्रतिशत फील्ड स्तरीय परीक्षण का कार्य पंचायत स्तर पर चिन्हित पंचायत कर्मियों द्वारा किया जायेगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत को स्थानीय स्तर पर जल की गुणवत्ता की जांच के लिये एक फील्ड टेस्ट किट व एच०टू०एस० की शीशियां उ०प्र० जल निगम द्वारा उपलब्ध करायी गयी हैं।

- **वित्तीय प्रगति**

- वर्ष 2019-20 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि में से रु० 886.44 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।
- वित्तीय वर्ष 2020-21 में योजना के क्रियान्वयन हेतु रु० 3000.00 करोड़ का बजट प्राविधान प्रस्तावित है।

2. राज्य ग्रामीण पेयजल योजना

- **भौतिक प्रगति**

- राज्य सरकार द्वारा अपने वित्तीय संसाधनों से 2016-17 में "राज्य ग्रामीण पेयजल योजना" आरम्भ की गयी है। उक्त योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्राथमिकता/दिशा-निर्देशों के अनुसार ऐसे ग्रामों में पेयजल योजनाएं क्रियान्वित की जाती

हैं जो केन्द्र पोषित ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित प्राथमिकता से आच्छादित नहीं हैं, जिन्हें प्रदेश में शुद्ध पेयजल समस्याग्रस्त ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यन्त आवश्यकता है।

- वर्ष 2019-20 में मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत जनपद आगरा, मैनपुरी एवं गोण्डा में नयी पेयजल योजनाएं स्वीकृत की गयी हैं। वर्तमान में 172 पाइप पेयजल योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।
- उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत माह जनवरी, 2020 तक 33 परियोजनायें पूर्ण की जा चुकी हैं तथा 47 परियोजनाओं पर 75 प्रतिशत से अधिक की प्रगति अर्जित की जा चुकी है।

- **वित्तीय प्रगति**

वर्ष 2019-20 में रु0 120.00 करोड़ का बजट प्राविधान है तथा रु० 83.30 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है, जिसके सापेक्ष रु० 67.99 करोड़ की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

3. बुन्देलखण्ड, विन्ध्य एवं गुणता प्रभावित क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजना

- **भौतिक प्रगति**

बुन्देलखण्ड/विन्ध्य एवं गुणता प्रभावित क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजना के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 07 एवं विन्ध्य क्षेत्र के 02 जनपदों तथा उ०प्र० के समस्त गुणता प्रभावित ग्रामों को चरणबद्ध रूप से पाइप पेयजल योजनाओं से आच्छादित किये जाने की योजना है।

प्रथम चरण में बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्य क्षेत्र के 09 जनपदों की 6537 पाइप पेयजल योजना से अनाच्छादित ग्रामों (बुन्देलखण्ड क्षेत्र के कुल 3630 ग्राम विन्ध्य क्षेत्र के 2907 ग्राम) के लिये कुल 545 पाइप पेयजल योजनाओं (68 योजनायें सतही स्रोत आधारित एवं 477 योजनायें भूजल आधारित) तैयार की गई हैं, जिनकी स्वीकृति की कार्यवाही प्रचलित है।

उक्त परियोजनाओं की अनुमानित लागत रु० 9000.00 करोड़ बुन्देलखण्ड क्षेत्र के समस्त 07 जनपदों तथा रु० 6700.00 करोड़ विन्ध्याचल क्षेत्र के दोनों जनपदों हेतु आकलित है।

योजनान्तर्गत निर्माण कार्य मार्च 2020 में प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

- **वित्तीय प्रगति**

वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु० 3000.00 करोड़ का बजट प्राविधान किया गया है, जिसके सापेक्ष रु० 66.85 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है। शेष स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में भी धनराशि रु० 3000.00 करोड़ का बजट प्राविधान प्रस्तावित है।

4. मुख्यमंत्री आर०ओ० पेयजल योजना

- **भौतिक प्रगति**

प्रदेश के जे०ई०/ए०ई०एस० प्रभावित बस्ती एवं गोरखपुर मण्डल तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्र के

बांदा एवं चित्रकूट मण्डल के जनपदों के सरकारी प्राथमिक एवं सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अल्ट्राफिल्ट्रेशन तकनीकी पर आधारित जल शोधन संयंत्र के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु सरकार द्वारा यह योजना प्रारम्भ की गयी है। योजनान्तर्गत कुल 14 जनपदों में 28041 विद्यालयों में 25-25 लीटर भण्डारण क्षमता में अल्ट्राफिल्ट्रेशन तकनीकी पर आधारित जल शोधन संयंत्र के अधिष्ठापन की कार्यवाही की गई है।

वित्तीय प्रगति

वित्तीय वर्ष 2019-20 में बजट के माध्यम से रु० 25.00 करोड़ का बजट प्राविधान किया गया है, जिसके सापेक्ष शत-प्रतिशत वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में भी धनराशि रु० 25.00 करोड़ का बजट प्राविधान प्रस्तावित है।

नीर-निर्मल परियोजना (विश्व बैंक सहायतित)

परियोजना परिचय

- **कुल परियोजना लागत** — **रु० 2035 करोड़**
  - इन्फ्रास्ट्रक्चर
    - पेय जल योजनाओं हेतु — रु० 1594 करोड़
    - एस०एल०डब्लू०एम० — रु० 192 करोड़
  - क्षमता संवर्धन, प्रशिक्षण एवं प्रचार-प्रसार — रु० 173 करोड़
  - परियोजना प्रबन्धन — रु० 76 करोड़

भौतिक प्रगति

- इस परियोजना के प्रथम बैच में प्रदेश के पूर्वी अंचल के जे०ई०/ए०ई०एस० एवं आर्सेनिक/फ्लोराइड प्रभावित जनपद कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, गोण्डा, इलाहाबाद, बस्ती, बहराइच, बलिया एवं गाजीपुर लिये गए हैं। द्वितीय बैच में जनपद सोनभद्र, फतेहपुर, वाराणसी, सिद्धार्थनगर तथा सन्तकबीर नगर को भी सम्मिलित किया गया है।
- विश्व बैंक पोषित 'नीर निर्मल योजना' के अन्तर्गत प्रथम बैच की 233 निर्माणाधीन योजनाओं में से 228 योजनाओं को पूर्ण किया जा चुका है तथा शेष योजनाओं को मार्च, 2020 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। विश्व बैंक पोषित द्वितीय बैच की प्रस्तावित 380 योजनाओं में से 312 योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है।

वित्तीय प्रगति

परियोजना के अन्तर्गत 50% वित्त पोषण विश्व बैंक अंश के रूप में तथा 49% अंश राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि से केन्द्रांश एवं राज्यांश के रूप में उपलब्ध होता है। शेष 1 % धनराशि सामुदायिक सहभागिता के रूप में प्राप्त होती है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में विश्व बैंक के अंश के रूप में रु० 331.77 करोड की धनराशि

एवं केन्द्रांश तथा राज्यांश के रूप में रु0 113.52 करोड़, इस प्रकार कुल धनराशि रु० 445.29 करोड़ प्राप्त हुई है, जिसके सापेक्ष रु० 315.84 करोड़ की धनराशि का व्यय किया गया है।

- **राज्य स्वच्छ गंगा मिशन-उ०प्र०, लखनऊ**

एन.जी.आर.बी./नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित योजनाएं

राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन, पर्यावरण एवं मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 20.02.2009 द्वारा गंगा नदी के प्रदूषण का प्रभावी रूप से उपशमन करने और गंगा नदी के संरक्षण के उपाय करने के लिए मा. प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में किया गया है। एन.जी.आर.बी.ए. के उद्देश्यों में कुछ परिवर्तन करते हुए वर्ष 2016 में नमामि गंगे कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया।

गंगा नदी कुल लगभग 2500 किमी की अपने यात्रा में 1025 किमी की यात्रा उ०प्र० में करती है। इस यात्रा के दौरान प्रदेश के 26 जनपदों, 21 नगर निकायों व 1012 ग्राम पंचायतों से गुजरती है।

मल-जल शोधन संबंधी कार्य

नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत 19.03.2017 तक सीवरेज सम्बन्धी लगभग रु० 2961.00 करोड़ की कुल 17 परियोजनाएं स्वीकृत थीं, तत्समय 04 परियोजनाएं पूर्ण, 09 परियोजनाएं निर्माणाधीन व 04 परियोजनाओं पर टेण्डर की प्रक्रिया प्रारम्भ थी। इसके उपरान्त 28 परियोजनाएं लागत रु० 7446.33 करोड़ की (17 हाइब्रिड एन्यूटी मोड पर तथा 11 डी०बी०ओ०टी० मोड़ पर) स्वीकृत हुई और वर्तमान में सीवरेज सम्बन्धी लगभग रु० 10288.40 करोड़ की कुल 45 परियोजनाएं स्वीकृत हैं।

स्वीकृत 45 परियोजनाओं के सापेक्ष 15 परियोजनाएं पूर्ण, 19 परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं तथा 11 परियोजनाएं निविदा की प्रक्रिया में हैं।

निम्नानुसार 15 परियोजनाएं पूर्ण कर उनका रख-रखाव एवं संचालन का कार्य किया जा रहा है:-

1. सीवरेज एण्ड नान सीवरेज योजना, प्रयागराज, डिस्ट्रिक्ट-बी, ई
2. सीवरेज एण्ड नान सीवरेज योजना, प्रयागराज, डिस्ट्रिक्ट-ए
3. सीवरेज योजना, डिस्ट्रिक्ट-ई, प्रयागराज,
4. 14 एम.एल.डी. एस.टी.पी. सलोरी प्रयागराज,
5. सीवरेज नेटवर्क डिस्ट्रिक्ट-ई, प्रयागराज, (अति. कार्य)
6. सीवरेज परियोजना, कन्नौज
7. सीवरेज योजना, नरोरा, बुलन्दशहर
8. सीवरेज योजना, गढ़मुक्तेश्वर

9. सीवरेज अपग्रेडेशन का कार्य, अनूपशहर, बुलन्दशहर
10. सीवरेज योजना, डिस्ट्रिक्ट-सी, प्रयागराज
11. सीवरेज योजना, डिस्ट्रिक्ट-बी, प्रयागराज
12. इन्टरसेप्शन एण्ड डायवर्जन नाला, सीसामऊ, कानपुर
13. सीवरेज परियोजना डिस्ट्रिक्ट-ए, प्रयागराज
14. इन्टरसेप्शन एण्ड डायवर्जन नाला, अयोध्या
15. बिठूर सीवरेज परियोजना, बिठूर, जनपद कानपुर

नालों का शोधन कार्य

कुम्भ मेला 2019 के दृष्टिगत प्रदेश में बिजनौर से बलिया तक 227 में से 155 नालों का 15 दिसम्बर 2018 से 15 जून 2019 तक बायोरिमेडियेशन तकनीक द्वारा शोधन कार्य कराया गया। नालों के शोधन कार्य में भारत सरकार की राष्ट्रीय स्तर की संस्था क्रमशः नीरी, नागपुर, एन.पी.सी.सी., गुडगांव तथा आई.आई.टी.आर. लखनऊ द्वारा सहयोग किया गया। नीरी नागपुर द्वारा स्वयं की तकनीक (आर०ई०एन०ई०यू०) के माध्यम से प्रयागराज के 06 नालों पर 02 वर्ष के लिए शोधन का कार्य किया जा रहा है।

एन.पी.सी.सी. गुड़गाव द्वारा प्रदेश के 07 नालों पर शोधन का कार्य किया गया। शेष नालों पर चयनित फर्मों के माध्यम से बायोरिमेडियेशन कर नालों का शोधन किया गया। नालों पर शोधन कार्य की गुणवत्ता की जांच के लिए सी.एस.आई.आर.-आई.आई.टी.आर. (भारतीय विष अनुसंधान संस्थान) लखनऊ की एन.ए.बी.एल. प्रमाणित लैब के माध्यम से नालों के शोधन पर गुणवत्ता परख का कार्य किया गया। उक्त कार्य हेतु राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली द्वारा रु० 109.71 करोड़ तथा राज्य सरकार द्वारा रु० 4.97 करोड़ का वित्तीय सहयोग प्रदान किया गया है।

घाट नवनिर्माण एवं पुनरोद्धार

भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम इन्जीनियर्स इण्डिया लिमिटेड द्वारा गंगा नदी के घाटों एवं शवदाहगृह का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। अब तक भारत सरकार द्वारा कुल स्वीकृत 13 डी.पी.आर. के सापेक्ष 68 घाट एवं 17 शवदाहगृहों के निर्माण कार्य क्रमशः मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बुलन्दशहर, सम्भल, बिठूर, कानपुर, फर्रुखाबाद, उन्नाव, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी जिलों में ई. आई.एल. द्वारा कार्य कराये जा रहे हैं, जिसमें से 60 घाट एवं 14 शवदाहगृह का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त एन.एम.सी.जी. द्वारा अनुमोदित नगर निगम, वाराणसी द्वारा 26 घाटों के पुनरोद्धार का कार्य भी कराया जा रहा है। 26 घाटों के सापेक्ष 17 घाटों के पुनरोद्धार का कार्य भी पूर्ण किया जा चुका है।

नदी सतह सफाई का कार्य

नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत 05 नगरों क्रमशः वाराणसी, इलाहाबाद, गढ़मुक्तेश्वर, कानपुर

एवं मथुरा-वृन्दावन में नदी सतह की सफाई के लिए तीन वर्ष हेतु कार्य लागत रु० 12.40 करोड़ स्वीकृत हुआ है। उक्त परियोजना दिनांक 31.12.2019 को पूर्ण हो चुकी है।

वनीकरण एवं जैव विविधता का कार्य

नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत वन विभाग, उ०प्र० को प्रदेश को वनीकरण व जैव विविधता संरक्षण हेतु लागत रु० 136.07 करोड़ की 07 परियोजनाएं स्वीकृत की गयी हैं, जिसके अन्तर्गत गंगा व सहायक नदियों के किनारे वृक्षारोपण, औषधीय पौधों के रोपण कर लोगों की आजीविका का संवर्द्धन, जलीय जैव विविधता जैसे कछुआ एवं घड़ियाल के संरक्षण एवं गंगा किनारे स्थित 27 जनपदों में वेटलैण्ड के संरक्षण एवं प्रबन्धन आदि कार्य कराये जा रहे हैं।

भूगर्भ जल विभाग, उ०प्र०

भूगर्भ जल विभाग की स्थापना वर्ष 1975 में एक पृथक विभाग के रूप में कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र० के प्रशासनिक नियंत्रण में की गयी। राज्य में भूगर्भ जल संसाधनों के निरन्तर बढ़ते महत्व एवं इसके प्रभावी प्रबन्धन के दृष्टिगत भूगर्भ जल विभाग को प्रदेश की भूजल सम्पदा के सर्वेक्षण, अनुसंधान, नियोजन, विकास व प्रबन्धन तथा भूगर्भ जल दोहन के नियंत्रण एवं भूगर्भ जल संरक्षण, संचयन व विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही रिचार्ज योजनाओं के समन्वय तथा अनुश्रण हेतु वर्ष 2004 में 'नोडल एजेंसी' घोषित किया गया।

विभाग के मुख्य कार्य दायित्व प्रदेश की भूजल सम्पदा का सर्वेक्षण, आकलन, प्रबन्धन व नियोजन तथा उसे जुड़ी समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन, भूगर्भ जल दोहन पर नियंत्रण, भूजल संरक्षण, संचयन तथा रिचार्ज योजनाओं को तकनीकी समन्वय व अनुश्रवण करना है।

भूगर्भ जल विभाग की पूर्व से संचालित योजनाएं एवं वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रस्तावित योजना/कार्यक्रम इस प्रकार हैं:-

1. भूगर्भ जल सर्वेक्षण का विकास, आकलन एवं सुदृढ़ीकरण।
2. शासकीय भवनों पर रूफटाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की स्थापना।
3. भूजल संसाधनों की गुणवत्ता का अनुश्रवण एवं मैपिंग।
4. भूजल जन-जागरूकता एवं प्रचार-प्रसार।
5. राज्य भूजल संरक्षण मिशन।

नवीन योजना

1. स्टेट ग्राउण्ड वाटर इनफार्मेटिक्स सेन्टर एवं भूजल भवन की स्थापना।
2. नये पीजोमीटर की स्थापना/निर्माण।

1. स्टेट ग्राउण्ड वाटर इनफार्मेटिक्स सेन्टर एवं भूजल भवन की स्थापना

भूजल संसाधनों के सघन एवं सतत अनुश्रवण तथा भूजल की गणुवत्ता के संवदेनशील क्षेत्रों के चिन्हांकन एवं प्रबन्धन के दृष्टिगत प्रदेश में स्टेट ग्राउण्ड वाटर इन्फार्मेटिक्स सेन्टर एवं भूजल

भवन बनाये जाने की तत्काल आवश्यकता है। विभाग के पास जनपद-लखनऊ में मुख्यालय स्तर पर भी स्वयं का कोई भवन नहीं है। शासन के अथक प्रयासों द्वारा जनपद-लखनऊ में स्टेट ग्राउण्ड इन्फार्मेटिक्स सेन्टर एवं भूजल भवन की स्थापना हेतु जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा जनपद-लखनऊ के **सरोजनी नगर तहसील** के अन्तर्गत ग्राम-हरिहरपुर में 4072.83 वर्ग मीटर भूमि विभाग के पक्ष में निःशुल्क उपलब्ध कराई गई है। स्टेट ग्राउण्ड वाटर इनफार्मेटिक्स सेन्टर एवं भूजल भवन की स्थापना हेतु नवीन मांग के माध्यम से योजना प्रस्तावित की गई है।

प्रस्तावित स्टेट ग्राउण्ड वाटर इनफार्मेटिक्स सेन्टर एवं भूजल भवन की स्थापना हेतु कुल अनुमानित लागत रु० 2518.00 लाख आंगणित की गयी है, जिसमें से उक्त हेतु विश्व बैंक पोषित नेशनल हाइड्रोलाजी प्रोजेक्ट के अन्तर्गत रु० 1000.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है। अवशेष धनराशि रु0 1518.00 लाख का प्रावधान इस योजना हेतु किया जाना है, जिसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु0 1000.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

2. नये पीजोमीटर की स्थापना/निर्माण

प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में भूजल स्तर के मापन हेतु सतत रूप से विभागीय पीजोमीटर की स्थापना किये जाने हेतु ग्रामीण क्षेत्र में 5x5 कि०मी० एवं शहरी क्षेत्र में 2x2 कि०मी० के ग्रिड का निर्धारण किया गया था जिसके क्रम में प्रदेश के समस्त जनपदों में पीजोमीटर की स्थापना की गई। जी०आई०एस० तकनीक के माध्यम से उपरोक्त ग्रिड के अनुसार समस्त जनपदों को संतृप्त किये जाने हेतु तथा भूजल स्तर मापन के लिए पूर्व चयनित कूप के सूख जाने के फलस्वरूप लगभग 3000 नं० अतिरिक्त पीजोमीटर की स्थापना किया जाना आवश्यक है, जिससे भूजल स्तर का सघन एवं सतत रूप से मानीटरिंग कार्य किया जा सकेगा। वर्ष 2020-21 में ग्रिड के अनुसार जनपदों को संतृप्त किये जाने हेतु 600 नं. नये पीजोमीटर की स्थापना का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में उक्त कार्य हेतु रु० 600.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु उपरोक्त सभी विभागीय योजनाओं को सम्मिलित करते हुए राजस्व पक्ष में रु० 8544.60 लाख एवं पूँजीगत पक्ष में रु० 2082.00 लाख, कुल रु० 10626.60 लाख का बजट प्रावधान है।

लघु सिंचाई विभाग

लघु सिंचाई विभाग का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु कृषकों को सिंचाई के मामले में आत्मनिर्भर बनाना है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में मुख्यतः निःशुल्क बोरिंग का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। बुन्देलखण्ड तथा प्रदेश के पठारी, कठिन एवं गहरे स्ट्रेटा वाले क्षेत्रों में रिग मशीनों से गहरी बोरिंग तथा एल्युवियल क्षेत्रों में मध्यम गहराई के नलकूपों के निर्माण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त भूगर्भ जल रिचार्ज हेतु वर्षा जल संचयन एवं भूजल संवर्द्धन तथा ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग/चैकडैमों के निर्माण की योजना संचालित है।

लघु सिंचाई विभाग के अन्तर्गत मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्यक्रम संचालित हैंः-

1. वर्षा जल संचयन एवं भूजल संवर्द्धन।
2. ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग/चेकडैमों के निर्माण की योजना।
3. डॉ. राममनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप के निर्माण की योजना।
4. लघु सिंचाई विभाग में विशेष उपकरणों का क्रय।
5. बोरिंग गोदाम के निर्माण की योजना।
6. लघु सिंचाई एवं जल प्रयोग प्रशिक्षण संस्थान भवन का सुदृढ़ीकरण/निर्माण।
7. क्षेत्रीय लघु सिंचाई प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना।
8. लघु सिंचाई कार्यों की संगणना।
9. सामूहिक मिनी ग्रीन ट्यूबवेल योजना।
10. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना "हर खेत को पानी"

नई योजना

1. मुख्य मंत्री लघु सिंचाई योजना

1. वर्षा जल संचयन एवं भूजल संवर्द्धन

वर्तमान में प्रदेश के 82 अतिदोहित एवं 47 क्रिटिकल विकास खण्ड हैं। उक्त विकास खण्डों के अतिदोहित/क्रिटिकल की श्रेणी में आ जाने के कारण भूजल स्रोतों की निरंतरता को कायम रखना प्रदेश के कृषि विकास के लिए अति आवश्यक है। अतः यह अपरिहार्य हो जाता है कि इन विकास खण्डों में भूगर्भ जल उपलब्धता की संकटग्रस्त स्थिति को वर्षा जल संचयन एवं रिचार्जिंग योजनाओं के माध्यम से प्रभावी ढंग से सुधारा जाए। प्रदेश के 151 सेमी **क्रिटीकल** विकास खण्डों को सुधाराने के उपाय भी किये जाने होंगे, ताकि वह समय के साथ अतिदोहित/क्रिटीकल श्रेणी में आने से बचे रहें। दिन-प्रतिदिन भूजल के गहराते संकट के दृष्टिगत वर्षा जल संचयन, भूजल संवर्द्धन एवं जल संरक्षण आज की महती आवश्यकता है। योजनान्तर्गत सामुदायिक तालाबों का पुनर्विकास एवं प्रबन्धन का कार्य भी किया जाना है। योजना के अन्तर्गत 01 हेक्टेयर से 0.5 हेक्टेयर क्षेत्रफल के तालाबों का पुनर्विकास एवं प्रबन्धन किया जा रहा है। योजना के अन्तर्गत वर्तमान में प्रति हेक्टेयर औसत इकाई लागत प्रति हेक्टेयर रु० 20.00 लाख आगणित की गयी है। जो तालाब के आकार एवं स्थलीय परिस्थितियों के अनुसार तथा सामग्री के दरों में वृद्धि के कारण परिवर्तनीय होगा। वित्तीय वर्ष 2019-20 में इस योजना में रु० 4760.00 लाख का बजट प्राविधान है जिससे 118 तालाबों के लक्ष्य के सापेक्ष निर्माण कार्य किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में इस योजना में रु० 4800.00 लाख का बजट प्राविधान है।

2. ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग अन्तर्गत चेकडैम के निर्माण की योजना

प्रदेश में वर्षा जल के इष्टतम उपयोग तथा सिंचाई के साथ-साथ भूगर्भ जल रिचार्ज में अभिवृद्धि हेतु विशेष रूप से बुन्देलखण्ड एवं अन्य पठारी क्षेत्रों में स्थानीय नदी/नालों पर चेकडैम

बनाकर यह कार्य किये जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2018-19 में बजट प्राविधान रु० 4000.00 लाख के सापेक्ष 141 चेकडैमों का निर्माण किया गया। वित्तीय वर्ष 2019-20 में इस योजना के अन्तर्गत रु० 4570.0 लाख के बजट प्राविधान से माह जनवरी 2020 तक 118 चेकडैमों के निर्माण कार्य प्रगति पर हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 में इस योजना में रु० 4570.00 लाख का बजट प्राविधान है।

3. डॉ० राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप के निर्माण की योजना

डॉ० राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूल के निर्माण की योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति कृषक बाहुल्य समूह को नलकूप निर्माण (ड्रिलिंग, एसेम्बली, सबमर्सिबल पम्प, पम्प हाउस, हौदी इत्यादि) हेतु वास्तविक लागत अधिकतम रु० 4.02 लाख जल वितरण प्रणाली हेतु एच. डी.पी.ई. पाइप सिंचाई सिस्टम के लिये वास्तविक लागत का अधिकतम रु० 30000/- तथा ऊर्जीकरण हेतु विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित प्रति नलकूल अनुमन्य धनराशि रु० 68000/- का अनुदान पृथक-पृथक देय है। इस प्रकार सामूहिक नलकूप (अनुसूचित जाति/जनजाति) के कृषक को अधिकतम रु० 5.00 लाख का अनुदान अनुमन्य है। यह धनराशि नलकूप के छिद्रण होने के पश्चात् नलकूप के ऊर्जीकरण हेतु समूह के नाम सहित उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन को उपलब्ध करायी जा रही है।

सामान्य श्रेणी के लघु/सीमान्त कृषक बाहुल्य समूह हेतु नलकूप निर्माण (ड्रिलिंग, एसेम्बली, सबमर्सिबल पम्प, पम्प हाउस, हौदी इत्यादि) हेतु वास्तविक लागत का 75 प्रतिशत अधिकतम रु० 3.015 लाख जल वितरण प्रणाली हेतु एच०डी०पी०ई० पाइप सिंचाई सिस्टम के लिये वास्तविक लागत का 75 प्रतिशत अधिकतम रु० 22500/- तथा ऊर्जीकरण हेतु विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित प्रति नलकूप अनुमन्य धनराशि रु० 68000/- का अनुदान पृथक-पृथक देय है। इस प्रकार सामूहिक नलकूप (सामान्य जाति) के कृषक को अधिकतम रु० 3.92 लाख का अनुदान अनुमन्य है। यह धनराशि नलकूप के छिद्रण होने के पश्चात् नलकूप के ऊर्जीकरण हेतु समूह के नाम सहित उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन को उपलब्ध करायी जा रही है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल उपलब्ध बजट प्राविधान रु० 715.60 लाख से निर्धारित लक्ष्य 155 नलकूप निर्माण पूर्ण कराया गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल प्राविधानित बजट रु० 1392.00 लाख से निर्धारित लक्ष्य 300 नलकूप निर्माण के सापेक्ष माह जनवरी, 2020 तक 110 नलकूप का निर्माण पूर्ण कराया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में इस योजना में रु० 1400.00 लाख का बजट प्राविधान है।

4. लघु सिंचाई विभाग में विशेष उपकरणों का क्रय

इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2019-20 में इस योजना में रु० 50.00 लाख का बजट प्राविधान है जिसका उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2020-21 में भी इस योजना में रु० 50.00 लाख का बजट प्राविधान है।

5. बोरिंग गोदाम के निर्माण की योजना

लघु सिंचाई विभाग द्वारा मुख्यतः कृषकों की बोरिंग का कार्य कराया जाता है। यह बोरिंग कार्य विकास खण्ड स्तर पर कार्यरत अवर अभियन्ताओं की देख-रेख में बोरिंग टेक्नीशियन/सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के द्वारा कराया जाता है। इन बोरिंगों के कराने हेतु उपकरण एवं संयंत्रों के रख-रखाव तथा भण्डारण हेतु विकास खण्ड स्तर पर बोरिंग गोदाम की नितान्त आवश्यकता होती है। विभाग का लक्ष्य है कि सभी विकास खण्डों में तथा जिन जनपदों में विभाग को शासकीय भूमि आवंटित हो गयी है वहां जनपद स्तरीय बोरिंग गोदामों का निर्माण कराया जाय। उक्त हेतु विभाग द्वारा बोरिंग गोदाम मद में धनराशि का प्राविधान प्रत्येक वर्ष कराया जाता है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में इस योजना में रु० 50.00 लाख का बजट प्राविधान के सापेक्ष कार्य कराये जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 में इस योजना में रु० 50.00 लाख का बजट प्राविधान है।

6. लघु सिंचाई एवं जल प्रयोग प्रशिक्षण संस्थान भवन का सुदृढ़ीकरण/निर्माण

प्रदेश स्तर पर लघु सिंचाई विभाग द्वारा किये जा रहे कार्य के प्रशिक्षण हेतु लघु सिंचाई एवं जल प्रयोग प्रशिक्षण संस्थान का परिसर बक्शी का तालाब, जनपद-लखनऊ में राज्य ग्राम्य विकास संस्थान परिसर के बगल में 2.60 हेक्टेयर क्षेत्र में स्थित है। उक्त परिसर में प्रशिक्षण कक्ष, हॉस्टल, प्रशासनिक भवन, वर्कशाप एवं आवासीय भवन है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में इस योजना में रु० 369.72 लाख का बजट प्राविधान के सापेक्ष सुदृढ़ीकरण/निर्माण कार्य कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में इस योजना में रु० 100.00 लाख का बजट प्राविधान है।

7. क्षेत्रीय लघु सिंचाई प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना

लघु सिंचाई कार्यक्रम में हो रहे सर्वोन्मुखी विस्तार के दृष्टिगत प्रशिक्षण की वर्तमान व्यवस्था, जिसके लिये लघु सिंचाई एवं जल प्रयोग प्रशिक्षण संस्थान का परिसर बक्शी का तालाब, जनपद लखनऊ में स्थापित है, अपर्याप्त है। निरन्तर बढते जा रहे संकटग्रस्त विकास खण्डों एवं भूजल परिदृश्य के गम्भीर हो जाने के परिणामस्वरूप वर्षा जल संचयन, सतही जल के इष्टतम् सदुपयोग एवं जल संरक्षण हेतु विभागीय कर्मचारियों/अधिकारियों को लगातार प्रशिक्षित करने तथा कृषकों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता के दृष्टिगत प्रदेश के पूर्वी जोन, पश्चिमी जोन एवं बुन्देलखण्ड में एक-एक क्षेत्रीय लघु सिंचाई प्रशिक्षण संस्थान परिकल्पित किया गया है। पूर्वी क्षेत्र में कृषि उत्पादकता में वृद्धि पर केन्द्र सरकार द्वारा विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश को सम्मिलित किया गया है। अतः इस क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों एवं जियोहाइड्रोलाजिकल दशाओं के दृष्टिगत जल प्रबन्धन में अनवरत प्रशिक्षण प्रदान किये जाने के उद्देश्य से पूर्वी उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद में एक प्रशिक्षण संस्थान स्थाापित किया रहा है। विभिन्न चरणों में धन की उपलब्धता के अनुसार संस्थान की स्थापना की कार्यवाही की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में इस योजना में रु0 100.00 लाख का बजट प्राविधान के सापेक्ष निर्माण कार्य किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में इस योजना में रु० 100.00 लाख का बजट प्राविधान है।

8. लघु सिंचाई कार्यों की संगणना

लघु सिंचाई योजनाओं के विकास, नियोजन एवं क्रियान्वयन हेतु लघु सिंचाई योजनाओं से संबंधित निश्चित, एकीकृत, तथ्यात्मक एवं सुदृढ़ आंकड़े होना आवश्यक है। जिसके दृष्टिगत केन्द्र सरकार द्वारा पूर्व की भाँति केन्द्र पोषित "रेशनाइलाइजेशन ऑफ माइनर इरीगेशन स्टैटिस्टिक्स योजना" अन्तर्गत वर्ष 2017-18 को आधार वर्ष मानकर लघु सिंचाई कार्यों की छठी संगणना कराये जाने का निर्णय लिया गया है जिसमें कृषि वर्ष 2017-18 अर्थात जून 2018 तक स्थापित समस्त लघु सिंचाई योजनाओं को सम्मिलित कर कार्य कराया जा रहा है। इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु0 3156.05 लाख के सापेक्ष कार्य कराये जा रहे हैं वित्तीय वर्ष 2020-21 में इस योजना में रु० 2741.08 लाख का बजट प्राविधान है।

9. सामूहिक मिनी ग्रीन ट्यूबवेल योजना

सौर ऊर्जा चालित नलकूपों को बढ़ावा देने हेतु विभाग द्वारा सामूहिक मिनी ग्रीन ट्यूबवेल योजना प्रस्तावित की गयी है। जिसके अन्तर्गत आफ ग्रिड सामूहिक नलकूपों पर 5 हार्स पावर के सोलर पम्पसेटों की स्थापना की जायेगी। प्रस्तावित योजना की इकाई लागत रु० 4.69 लाख है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में इस योजना में रु० 600.00 लाख का बजट प्राविधान है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में इस योजना में रु० 600.00 लाख का बजट प्राविधान है।

10. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक "हर खेत को पानी" के अन्तर्गत प्रदेश के कुल 15 जनपदों के ऐसे 38 विकास खण्डों का चयन किया गया है जो सुरक्षित विकास खण्डों के श्रेणी में आते हैं जहाँ औसतन वार्षिक वर्षा 750 एम.एम. अथवा उससे अधिक होती है। इस योजना में ऐसे कृषकों को लाभान्वित किया जाना है जो लघु एवं सीमान्त श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति महिला कृषकों को वरीयता प्रदान की जायेगी। इस घटक के अन्तर्गत 60 प्रतिशत अंश भारत सरकार का एवं 40 प्रतिशत अंश राज्य सरकार का है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में इस योजना में रु० 5000.00 लाख का बजट प्राविधान है जिससे 13061 निःशुल्क बोरिंग, 1111 मध्यम गहरे बोरिंग, 50 गहरे बोरिंग एवं 125 ब्लास्टकूप का निर्माण किया जाना है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में इस योजना में रु० 5000.00 लाख का बजट प्राविधान है।

नई योजना

1. मुख्य मंत्री लघु सिंचाई योजना

प्रदेश में उथले, मध्यम गहरे एवं गहरे नलकूपों की मांग बढ़ने तथा सूक्ष्म सिंचाई पद्धति को लागू करने के दृष्टिगत विभाग स्तर पर उक्त योजनाओं को समेकित रूप से सम्मिलित करते हुए एक नयी योजना मुख्य मंत्री लघु सिंचाई योजना क्रियान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

नयी योजनान्तर्गत निःशुल्क बोरिंग/उथले नलकूल योजना में लगभग 30 मीटर तक की गहराई में बोरिंग सेट द्वारा बोरिंग की जाती है। इस योजना में लघु, सीमान्त तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के लघु एवं सीमान्त कृषकों हेतु बोरिंग के अनुदान क्रमशः रु० 5000, रु० 7000 एवं रु० 10000 अधिकतम अनुमन्य की जा रही है। इसके अतिरिक्त पम्पसेट की स्थापना पर सामान्य श्रेणी के लघु एवं सीमान्त तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों को पम्पसेट पर अधिकतम क्रमशः रु० 4500, रु० 6000 एवं रु० 9000 का अनुदान देय है। उक्त वर्णित अनुदान के अतिरिक्त 25 प्रतिशत लाभार्थियों को जल वितरण हेतु अधिकतम रु० 3000 का अनुदान दिया जा रहा है।

मध्यम गहरी बोरिंग योजनान्तर्गत 31 मीटर से 60 मीटर तक की गहराई की बोरिंग की जाती है। इसमें लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रु० 75000 का अनुदान कृषकों को दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक नलकूप पर जल वितरण के लिए एच०डी०पी०ई० पाइप सिंचाई प्रणाली योजना हेतु लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रु० 10000 का अनुदान भी पृथक से दिया जा रहा है। उपरोक्त वर्णित अनुदान के अतिरिक्त निर्मित नलकूपों के ऊर्जीकरण हेतु विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित प्रति नलकूप अनुमन्य अनुदान की धनराशि रु० 68000 भी दिया जा रहा है। इस प्रकार मध्यम गहरी बोरिंग योजना में अधिकतम रु० 1.53 लाख का अनुदान अनुमन्य है।

गहरी बोरिंग योजना में 61 मीटर से 90 मीटर गहराई की बोरिंग हैवीरिग मशीन से की जाती है। इसमें लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रु० 1.00 लाख का अनुदान कृषकों को दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक नलकूल पर जल वितरण के लिए एच०डी०पी०ई० पाइप सिंचाई प्रणाली योजना हेतु लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रु० 10000 का अनुदान भी पृथक से दिया जा रहा है। उपरोक्त वर्णित अनुदान के अतिरिक्त निर्मित नलकूपों के ऊर्जीकरण हेतु विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित प्रति नलकूप अनुमन्य अनुदान की धनराशि रु० 68000 भी दिया जा रहा है। इस प्रकार गहरी बोरिंग योजना में अधिकतम रु० 1.78 लाख का अनुदान अनुमन्य है। उपरोक्त योजना शत-प्रतिशत राज्यांश द्वारा ही क्रियान्वित किया जाना प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में इस योजना हेतु रु० 21635.36 लाख का बजट प्राविधान है।

●

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण

उत्तर प्रदेश समृद्ध जैव-विविधता और विभिन्न कृषि जलवायु परिस्थितियों से युक्त है, जो एक विशाल विवधिता की बागवानी फसलों के लिए आदर्श है। इस क्षेत्र के अन्तर्गत फल, सब्जियां, फूलों की खेती, मसाले, औषधीय एवं सगन्ध फसलें शामिल हैं, जो न केवल प्रति इकाई क्षेत्र से अधिक आमदनी देने में महत्वपूर्ण है अपितु पोषण सुरक्षा, कई खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए कच्चे माल के स्रोत और प्रचुर मात्रा में विदेश मुद्रा अर्जन के साथ राज्य के लोगों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान में अग्रणी भूमिका निभाती हैं। प्रदेश की अधिकांश जोतें छोटी हैं, जिनके लिए बागवानी फसलें वरदान स्वरूप हैं। बागवानी फसलों के मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण के द्वारा न केवल तुड़ाई उपरान्त होने वाली क्षतियों में कमी आती है अपितु उत्पादक को अपने उत्पादन का अधिक मूल्य प्राप्त होता है।

प्रदेश की प्रमुख बागवानी फसलों में फलों के अन्तर्गत आम, अमरूद, आंवला, नींबू वर्गीय फल, लीची, केला, कटहल, बेर, बेल, पपीता, खरबूजा, तरबूज, आदि तथा शाकभाजी फसलों के अन्तर्गत आलू, टमाटर, बैंगन, गोभी वर्गीय सब्जियां, सब्जी मटर, परवल, कद्दूवर्गीय सब्जियां, सेम, ग्वार, लोबिया, फ्रेन्चबीन, प्याज, पत्ते वाली सब्जियां आदि, मसाले जैसे- धनिया, मेथी, लहसुन, हल्दी, अदरक आदि, पुष्पीय फसलों में गुलाब, जरबेरा, ग्लैडियोलाई, रजनीगंधा, गेंदा आदि, सगंध फसलों में मेंथा, दमिश्क रोज, औषधीय फसलों में तुलसी, एलोवेरा (घृतकुमारी) आदि तथा अनुपूरक उद्यम के रूप में मशरूम उत्पादन, शहद उत्पादन एवं पान की खेती आदि के संहत क्षेत्र विद्यमान हैं।

आलू उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश का प्रमुख आलू उत्पादक राज्य है। प्रदेश में देश के कुल उत्पादन का लगभग 35 से 40 प्रतिशत आलू उत्पादित होता है। वर्ष 2018-19 में प्रदेश में 6.10 लाख हैक्टेयर क्षेत्रफल में लगभग 153.23 लाख मीट्रिक टन आलू उत्पादन हुआ। वर्ष 2019-20 में प्रदेश में प्राथमिक सूचना के अनुसार 6.00 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में लगभग 150 लाख मीट्रिक टन आलू उत्पादन संभावित है। वर्ष 2020-21 में प्रदेश में 6.15 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में लगभग 155 लाख मीट्रिक टन आलू उत्पादन का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है।

राष्ट्र और प्रदेश की अर्थ व्यवस्था में बागवानी फसलों के महत्व को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से , राज्य में बागवानी विकास हेतु एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक प्रयास किया गया है। उद्देश्य है कि विभिन्न प्रकार की बागवानी फसलों को उगाकर, आय में वृद्धि, रोजगार सृजन और बागवानी क्षेत्र में 10 प्रतिशत की विकास दर प्राप्त करने के लिए मौजूदा क्षमता को विकसित करने हेतु कार्यक्रम तैयार किया जाये। बागवानी एक प्रमुख कृषि गतिविधियों के क्षेत्र के रूप में उभरा है क्योंकि बागवानी फसलों के क्षेत्र और उत्पादन दोनों में पर्याप्त वृद्धि हुई है। बागवानी फसलों को भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र से अन्य फसलों की तुलना में उच्च उत्पादकता प्रदान करने का अन्तर्निहित लाभ है, जिसके

परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च आय और रोजगार सृजन हुआ है। अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में फल और सब्जियों ने अनाज वाली फसलों की तुलना में अधिक उपज और उच्च कीमतों के कारण प्रति इकाई क्षेत्र में 20 से 30 गुना अधिक विदेशी मुद्रा का अर्जन प्रदर्शित किया है।

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग प्रदेश में फल, शाकभाजी, आलू, मसाले, पुष्प, सगंध आदि बागवानी फसलों के विकास, फल-सब्जी संरक्षण विधियों के प्रचार-प्रसार के साथ मधुमक्खी पालन, खाद्य प्रसंस्करण, कुकरी, बेकरी, मेंथा, पान तथा मशरूम की खेती हेतु प्रशिक्षण प्रदान कराने के अतिरिक्त विभिन्न योजनाओं को सुनियोजित ढंग से कार्यान्वित कर रहा है।

औद्यानिक योजनाओं के प्रमुख उद्देश्य

(1) औद्यानिक फसलों की उत्पादकता एवं गुणवत्ता में वृद्धि हेतु उपलब्ध नवीनतम तकनीकी को कृषकों तक पहुँचाना तथा उनको अपनाने हेतु प्रेरित करना।

(2) औद्यानिक फसलों के सघनीकरण एवं फसल-चक्र में परिवर्तन कर उत्पादकों को उनके श्रम एवं कम निवेश पर अधिक लाभ पहुँचाना।

(3) वैज्ञानिक संस्तुतियों के अनुसार आवश्यक निवेशों का सामयिक एवं वैज्ञानिक उपयोग कराना।

(4) औद्यानिक फसलों का उचित मूल्य दिलाने तथा सतत् आपूर्ति हेतु भण्डारण, विधायन एवं विपणन की सुविधाओं का विकास करना, प्राथमिक औद्यानिक सहकारी समितियों का गठन कराकर उन्हें प्रभावी बनाना।

(5) फल एवं सब्जी संरक्षण, कुकरी, बेकरी, खाद्य प्रसंस्करण, मशरूम तथा मौन पालन में अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक प्रशिक्षण देकर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना तथा पान विकास के लिए कार्यक्रम चलाना।

(6) बागवानों की तकनीकी समस्याओं का समाधान ढूँढ़ना तथा प्रायोगिक परिणामों को जन साधारण तक पहुँचाना।

(7) सेवारत अधिकारियों/कर्मचारियों तथा कृषकों को नवीनतम् तकनीकी विधाओं में प्रशिक्षण देकर तकनीकी हस्तांतरण को प्रभावी रूप से क्रियान्वित कराना।

(8) क्षेत्र आधारित रणनीति के माध्यम से, जिसमें अनुसंधान, प्रौद्योगिकी प्रोन्नति, विस्तार, फसल कटाई के बाद का प्रबंधन, प्रसंस्करण और विपणन शामिल हैं, बागवानी क्षेत्र को सर्वांगीण विकास प्रदान करना।

वर्तमान में विभाग द्वारा कृषकों को प्रदत्त सुविधाओं का विवरण

(1) बागवानी फसलों- फल, शाकभाजी, मसाले, आलू एवं अलंकृत बागवानी के लिए उन्नत रोग रहित प्रमाणित रोपण सामग्री- पौध, बीज आदि लाभ-हानि रहित मूल्य पर औद्यानिक उत्पादकों को उपलब्ध कराना।

(2) सघन फल विशेष के क्षेत्रों में फल-पट्टी (आम, अमरूद, आंवला) की घोषणा एवं उनका सर्वांगीण विकास।

(3) औद्यानिक फसलों की खेती, बागों के रेखांकन, कीट-व्याधि के बचाव सम्बन्धी नवीनतम् तकनीक को उपलब्ध करा कर सहयोग देना।

(4) मौन पालन, मशरूम की खेती तथा पान की खेती हेतु प्रशिक्षण एवं अनुदान की सुविधा।

(5) विभाग के अधीन राजकीय सामुदायिक फल संरक्षण केन्द्रों पर फल-सब्जी संरक्षण कार्य के साथ ही विभिन्न अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं ग्रामीण शिविरों का आयोजन करना।

(6) राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्रों पर फल संरक्षण, कुकरी व बेकरी, कन्फेक्शनरी आदि के अल्प-कालिक एवं दीर्घकालिक प्रशिक्षण की सुविधा।

(7) औद्यानिक फसलों की खेती हेतु प्रोत्साहन स्वरूप अनुदान की सुविधा।

(8) प्राथमिक औद्यानिक विपणन सहकारी समितियों के माध्यम से उ.प्र. राज्य औद्यानिक विपणन संघ (हॉफेड) के द्वारा श्रेणीकरण, संग्रहण, विपणन आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराना।

(9) लाभार्थी कृषकों के लिए नवीनतम उत्पादन तकनीकों, पुराने बागों के जीर्णोद्धार, फसल तुड़ाई उपरान्त प्रबन्धन एवं विपणन पर स्थानीय रूप से तथा औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्रों पर प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना, प्रशिक्षण एवं भ्रमण कार्यक्रम आयोजित कराना।

(10) विभाग द्वारा कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से चयनित औद्यानिक फसलों के विकास के कार्यक्रमों के अन्तर्गत ऑनलाइन पंजीकरण तथा अनुदान की सुविधा के लाभार्थी कृषकों को डी.बी.टी. के माध्यम से उपलब्ध कराना।

(11) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना हेतु अनुदान/राज्य सहायता की सुविधा।

कार्य एवं प्रगति

औद्यानिक फसलों की खेती अन्य कृषि फसलों की तुलना में संवेदनशील होने के कारण निरन्तर देख-रेख तथा कीट-व्याधि नियन्त्रण के लिए विशेष प्रयास अपेक्षित होता है। साथ ही अच्छी उपज करने हेतु उच्च कोटि की रोग मुक्त रोपण सामग्री का भी विशेष महत्त्व है। विभाग राजकीय उत्पादन इकाइयों पर तकनीकी दृष्टि से उन्नत प्रजाति के रोग मुक्त पौधे, आलू, शाकभाजी तथा मसालों के बीज उत्पादित कर लागत मूल्य पर कृषकों को उपलब्ध कराने के लिए प्रयत्नशील है।

प्रदेश की अनुकूल एवं उपयुक्त जलवायु में लगभग सभी प्रकार की सब्जियों, विविध मसालों एवं आलू तथा आम, अमरूद, आंवला, कटहल, पपीता, केला, लीची, अनार, शरीफा आदि फलों की खेती की जाती है। लखनऊ की दशहरी, सफेदा तथा चौसा, सहारनपुर, मेरठ तथा बागपत का रटौल, वाराणसी का लंगड़ा आम, इलाहाबाद, उन्नाव, कानपुर, तथा बदायूं का अमरूद तथा प्रतापगढ़ का आँवला अपनी उत्तम गुणवत्ता के कारण सारे देश में विख्यात है। लखनऊ, वाराणसी, सहारनपुर, मेरठ, बागपत, बुलन्दशहर, मुरादाबाद, अमरोहा, प्रतापगढ़, वाराणसी, उन्नाव, सीतापुर, हरदोई, बाराबंकी तथा अयोध्या जनपदों के सघन आम उत्पादक क्षेत्रों को आम फल पट्टी क्षेत्र घोषित किया गया है। प्रतापगढ़ में आंवला एवं कौशाम्बी तथा बदायूं जनपद में संहत क्षेत्रों को अमरूद की फल पट्टी घोषित किया जा चुका है। सब्जी उत्पादन में प्रदेश का गौरवपूर्ण स्थान है। यहाँ पर गोभी, टमाटर, मटर, बैंगन, शलजम, मूली, पालक, भिण्डी, लौकी, कटहल, कद्दू, अरबी, मिर्च, लहसुन, प्याज का व्यावसायिक उत्पादन किया जाता है तथा प्रदेश से देश के दूसरे प्रान्तों को भेजा जाता है। देश का लगभग 35 से 40 प्रतिशत आलू उत्तर प्रदेश में उत्पादित होता है तथा यहाँ से आलू दूसरे प्रदेशों एवं देशों में निर्यात होता है।

प्रदेश में विकास कार्यक्रमों का सिंहावलोकन

फसल कृषि कर्म-निदेशन तथा प्रशासन

इस शीर्षक के अन्तर्गत लखनऊ स्थित उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय उत्तर प्रदेश के विभिन्न अनुभागों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते तथा आकस्मिक व्यय सम्मिलित है।

फसल कृषि कर्म-निदेशन तथा प्रशासन

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के अधीनस्थ कार्यालयों के अभिलेखों का सम्प्रेक्षण वित्त नियन्त्रक, निदेशालय, लखनऊ की देख-रेख में सम्प्रेक्षण दलों द्वारा किया जाता है। सम्प्रेक्षण में पाई गई अनियमितताओं का निराकरण विभागध्यक्ष के निर्देशन में आख्याओं के प्रेषण एवं निस्तारण की कार्यवाही कराई जाती है।

अनुश्रवण

विभाग की राजकीय पौधशालाओं पर उत्पादित होने वाली विभिन्न औद्यानिक फसलों के कलमी, बीजू तथा शोभाकार पौधों के निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों के सापेक्ष उत्पादन प्रगति का माहवार संकलन किया जाता है, तद्नुसार पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु समय-समय पर आवश्यक निर्देश जारी कराये जाते हैं। विभाग द्वारा संचालित सभी औद्यानिक विकास कार्यक्रमों की जनपदवार/मदवार/माहवार भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का संकलन किया जाता है। निदेशालय स्तर पर आयोजित बैठकों में मण्डलीय/जनपदीय अधिकारियों के अधीन उत्पादन कार्यक्रम तथा औद्यानिक विकास योजनाओं की समीक्षा की जाती है। बैठकों का कार्यवृत्त जारी करना तथा उन पर अनुपालन की कार्यवाही का अनुश्रवण किया जाता है। विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रेषित उत्पादन इकाईयों के समय-समय पर किये गये निरीक्षणों पर जारी निरीक्षण आख्याओं पर निदेशालय स्तर पर समीक्षा के उपरान्त निर्देश पत्र निर्गत किये जाते हैं।

सांख्यिकी

औद्यानिक फसलों के अन्तर्गत फलों में आम, अमरूद, केला, पपीता, नींबू वर्गीय, लीची, आंवला, तरबूज एवं खरबूजा व सब्जियों में आलू, प्याज, टमाटर, शकरकंद, भिण्डी, बैंगन, फूलगोभी, गाजर, शलजम, मूली, करेला, लौकी, कद्दू, परवल, पेठा, अरबी, हरी मटर, पातगोभी, तरोई, बीन्स एवं मसालों में हल्दी, मिर्च (सूखी), धनिया, अदरक, लहसुन, मेथी एवं सौंफ के क्षेत्रफल के आंकड़ों का संकलन, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश से प्राप्त खरीफ, रबी एवं जायद जिन्सवार के माध्यम से किया जाता है। कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा विभाग, उ0प्र0 से केला, पपीता, आलू, प्याज, शकरकंद एवं मसाला फसलों के उत्पादन आंकड़ों का संकलन किया जाता है। विभागीय जनपदीय अधिकारियों से प्राप्त प्रमुख औद्यानिक फसलों के आंकड़ों के आधार पर विभिन्न फल, शाकभाजी, मसाला, पुष्प एवं औषधीय व सगंध पौधों सम्बंधी विविध आंकड़ें भारत सरकार के हैपिस पोर्टल पर वर्ष 2013-14 से अनुरक्षित किया जा रहे हैं। वर्ष 2020-21 में भी उपरोक्त फसलों के क्षेत्रफल के आंकड़ों के संकलन का कार्य किया जायेगा।

प्रदेश में गुणवत्तायुक्त पान उत्पादन प्रोत्साहन योजना

प्रदेश में गुणवत्तायुक्त पान उत्पादन को प्रोत्साहन योजना वर्ष 2019-20 में प्रदेश के 12 जनपदों

यथा-उन्नाव, रायबरेली, लखनऊ, जौनपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, बलिया, आजमगढ़, कानपुर नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर एवं सोनभद्र में क्रियान्वित है। योजनान्तर्गत पान की खेती हेतु 1500 वर्ग मी. में प्रति बरेजा निर्माण लागत की धनराशि रु. 1,51,360 का 50 प्रतिशत धनराशि रु. 75,680.00 विभिन्न निवेशों पर देय है।

योजनान्तर्गत वर्ष 2020-21 के योजनान्तर्गत कार्यक्रम निम्नवत हैः-

क्र. सं.	कार्यक्रम	इकाई	गुणवत्तायुक्त पान उत्पादन को प्रोत्साहन योजना वर्ष 2020-21	
			भौतिक लक्ष्य (रु. लाख में)	वित्तीय लक्ष्य (रु. लाख में)
1.	बरेजा निर्माण	1500 वर्ग मी.	63	47.67
2.	भ्रमण/प्रशिक्षण गोष्ठी	संख्या	3	2.40

बागवानी एवं वनस्पतियों की फसलें (उद्यान घटक)

कम्प्यूटरीकरण, प्रशिक्षण एवं विस्तार

शासन की नीति के अनुरूप योजनान्तर्गत विभाग में कम्प्यूटरीकरण का कार्य, अधिकारियों/कर्मचारियों को कम्प्यूटर में प्रशिक्षण व विभाग के क्रिया-कलापों/कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार हेतु मण्डलीय औद्यानिक गोष्ठियों का आयोजन करना तथा कृषकों को औद्यानिक जानकारी उपलब्ध कराये जाने हेतु तकनीकी साहित्य का प्रकाशन कराने जैसे कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया गया है। इस निमित्त चयनित अधिकारियों/कर्मचारियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिलाया गया। विभाग में कम्प्यूटर के प्रयोग से वार्षिक तथा योजनाओं/कार्यक्रमों की प्रगति का अनुश्रवण, बजट का आवंटन, औद्यानिक आंकड़ों का रख-रखाव आदि कार्यक्रम सम्पादित किये जा रहे हैं। विभागीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों के प्रभावी अनुश्रवण हेतु ई-पोर्टल विकसित करने की कार्यवाही प्रगति पर है।

आलू बीज उत्पादन कार्यक्रम

इस कार्यक्रम का उद्देश्य आलू उत्पादकों को उच्चकोटि के रोग रहित आलू बीज उपलब्ध कराकर प्रदेश में आलू उत्पादन तथा उत्पादकता में अभिवृद्धि कराना है। उत्तर प्रदेश आलू के उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य है। विभाग द्वारा भारत सरकार के केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला (हि.प्र.) से ब्रीडर आलू बीज प्राप्त करके उसका सम्वर्धन चयनित राजकीय प्रक्षेत्रों पर आधारित प्रथम एवं आधारित द्वितीय श्रेणी में कराया जाता है। इस प्रकार उत्पादित आलू बीज का वितरण आलू उत्पादकों में जनपदीय उद्यान अधिकारियों के माध्यम से कराया जाता है।

शाकभाजी एवं मसाला विकास

कृषकों को उचित मूल्य पर आधारीय प्रमाणित/सत्य बीज (ट्रुथफुल लेवल) उपलब्ध कराये जाने हेतु विभागीय राजकीय प्रक्षेत्रों/औद्यानिक इकाइयों पर रबी, खरीफ एवं जायद मौसम की विभिन्न प्रजातियों के शाकभाजी बीजों के सम्वर्धन का कार्यक्रम क्रियान्वित किया जाता है। विगत वर्षों में राजकीय प्रक्षेत्रों पर उत्पादन कार्यक्रम का विवरण निम्नानुसार है :

मौसमवार शाकभाजी बीज सम्वर्धन कार्यक्रम

(क्षेत्रफल-हे. में, उत्पादन-कुन्टल में)

वर्ष	रबी		खरीफ		जायद		कुल योग	
	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन
2015-16	108.00	1150.00	10.25	34.00	52-75	126.50	171.00	1310.50
2016-17	103.00	427.00	08.00	15.43	63.50	105.00	174.00	577.43
2017-18	100.00	435.43	10.00	36.00	67.00	115.00	177.50	587.13
2018-19	64.00	293.00	07.00	09.00	55.00	110.00	126.00	412.56
2019-20 (सम्भावित)	100.00	1250.00	04.00	18.00	60.00	200.00	164.00	1468.00
2020-21 (प्रस्तावित)	100.00	1250.00	05.00	20.00	60.00	200.00	165.00	1470.00

लघु एवं सीमान्त कोटि के कृषकों हेतु संकर शाकभाजी का उत्पादन एवं प्रबन्धन की योजना

उत्तर प्रदेश की जलवायु, जैव-विविधता एवं कृषि जलवायु की परिस्थितियाँ विभिन्न प्रकार के औद्यानिक फसलों के उत्पादन हेतु सर्वथा उपयुक्त है। प्रदेश में औद्यानिक फसलों- फल, शाकभाजी, मसालें, पुष्प, आलू, औषधीय एवं सगंध पौधे आदि के व्यापक क्षेत्र हैं। इन फसलों का प्रति इकाई क्षेत्र से अधिक आय प्राप्त करने, पोषण सुरक्षा प्रदान करने तथा आर्थिक एवं सामाजिक उन्नयन में विशेष महत्त्व है। प्रदेश में 90 प्रतिशत से अधिक लघु एवं सीमान्त कोटि के कृषक हैं। इन कृषकों के लिए खरीफ, रबी एवं जायद मौसम में शाकभाजी की फसल सघनता में वृद्धि कर, अधिक उत्पादन प्राप्त कर इकाई क्षेत्र से अधिक आय प्राप्त करने में लाभकारी है। अतः लघु एवं सीमान्त कृषकों के आर्थिक एवं सामाजिक उन्नयन हेतु योजना प्रस्तावित की गयी है। योजनान्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 में धनराशि रु0 2500.00 लाख (रुपये पच्चीस करोड़) की व्यवस्था की गई है।

योजना का उद्देश्य

(1) अल्प अवधि में शाकभाजी उत्पादन से प्रति इकाई क्षेत्र से अधिक आमदनी प्राप्त करना।

(2) शाकभाजी फसलों से खरीफ, रबी एवं जायद मौसम में फसल सघनता वृद्धि।

(3) छोटी जोत के लघु एवं सीमान्त कोटि के कृषकों के लिए बहुपयोगी व्यवस्था।

(4) शाकभाजी उत्पादन में वृद्धि, पोषण स्तर में सुधार तथा लघु सीमान्त कृषकों के लिए छोटी जोत से निरन्तर आय सृजन।

आच्छादित जनपद - प्रदेश के 45 जनपदों में योजना का क्रियान्वयन कराया जायेगा

अनुमन्य क्षेत्रफल - योजनान्तर्गत लघु एवं सीमान्त कोटि के कृषकों को न्यूनतम 0.1 हे. से अधिकतम 2.0 हे. सीमा के अन्तर्गत अनुदान अनुमन्य होगा

अनुदान पैटर्न - मिशन फॉर इन्टीग्रेटेड डेवलपमेन्ट ऑफ हार्टीकल्चर की आपरेशनल गाइड-लाइन में संकर शाकभाजी उत्पादन की इकाई लागत प्रति हे. धनराशि रु0 50000 निर्धारित है।

इकाई लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम धनराशि रु0 20000 प्रति हे. संकर टमाटर, संकर पातगोभी, संकर कुकरबिट्स, संकर भिण्डी, संकर फूलगोभी एवं संकर बैगन पर अनुदान अनुमन्य है।

प्रदेश में औद्यानिक उत्पादन के सघनीकरण एवं बीज प्रोसेसिंग केन्द्र की स्थापना :-

औद्यानिक फसलों विशेषकर फल एवं सब्जियों का अधिक उत्पादन किये जाने के उद्देश्य की पूर्ति हेतु योजनान्तर्गत प्रदेश के विभिन्न जनपदों में विभागीय राजकीय पौधशाला एवं बीज संवर्धन प्रक्षेत्र स्थापित करके उन्नत प्रजाति के फलदार पौधे और शाकभाजी बीज उत्पादित कर कृषकों को बिना लाभ हानि के मूल्य पर उपलब्ध कराये जाते हैं। योजनान्तर्गत प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 65 राजकीय पौधशालायें, 2 आदर्श तथा संतति उद्यान, 5 शाकभाजी बीज एवं मसाला प्रक्षेत्र, सीलिंग से प्राप्त 13 बागों, एक बीज परीक्षण प्रयोगशाला तथा दो बीज प्रोसेसिंग केन्द्र लखनऊ तथा बस्ती में स्थापित हैं।

प्रदेश में फल पौधशाला विनियमन अधिनियम1976 के अन्तर्गत निजी पौधशालाओं की गुणवत्ता पर नियंत्रण

कृषकों को निजी पारैधशालाओं से उन्नत, रोग मुक्त तथा शुद्ध प्रजाति के पौधे उपलब्ध कराने के उद्देश्य से फल पौधशाला विनियमन अधिनियम 1976 लागू है। इस अधिनियम को सुचारू रूप से कार्यान्वित करने के लिये निदेशालय स्तर पर एक पौधशाला अधिकारी श्रेणी-2 तथा कार्यालय सहायकों के पद सृजित किये गये हैं। पौधशालाओं पर शुद्ध प्रजाति के पौध उत्पादन के लिये मातृ पौधों का रोपण, क्यारियों में पौधों का रख-रखाव व निर्धारित मानकों के अनुरूप आम, अमरूद, आंवला आदि फलों के कलमी पौधों के उत्पादन पर विशेष बल दिया जा रहा है। इन पंजीकृत पौधशालाओं से उत्तर प्रदेश के साथ-साथ देश के अन्य प्रान्तों को कलमी पौधे आपूर्ति किये जाते हैं।

पौध उत्पादन कार्यक्रम

प्रदेश के कृषकों उनकी भूमि पर बाग स्थापित कराने के उद्देश्य से विभाग की राजकीय पौधशालाओं में उच्च गुणवत्तायुक्त पौधों का उत्पादन जनपदों में संचालित पौधशालाओं से कराया जाता है। इन पौधशालाओं पर फलदार पौधों में मुख्यतः आम, अमरूद, आंवला, नींबू वर्गीय फल, लीची एवं अन्य पौधों के साथ-साथ बीजू एवं शोभाकार पौधे तैयार कराये जाते हैं। उत्पादित पौधों का उपयोग विभाग में संचालित विभिन्न क्षेत्र विस्तार योजनाओं में रोपण कार्यक्रमों में एवं नकद बिक्री पर (बिना लाभ-हानि के लागत मूल्य पर) कृषकों को सुलभ कराया जाता है। विभाग की पौधशालाओं में विभिन्न फलदार पौधों की प्रजातियाँ जैसे-आम कलमी (दशहरी, लंगड़ा, चौसा, सफेदा, आम्रपाली, मल्लिका, नीलम इत्यादि), अमरूद कलमी (एल-49, इलाहाबाद सफेदा, एपिल कलर, सुर्खा, संगम इत्यादि।, आंवला कलमी (एन-6,7,10, कंचन, कृष्णा, चकैया इत्यादि), लीची गूटी (शाही, कलकतिया, चाइना इत्यादि), के अतिरिक्त अन्य पौधों की विभिन्न प्रजातियों का उत्पादन कराया जाता है। इसी प्रकार बीजू पौधों में जैसे पपीता, कटहल, करौंदा, बेर नींबू इत्यादि के साथ-साथ शोभाकार पौधों जैसे-गुलाब, क्रोटन, बोगेनवेलिया, चाँदनी, मनोकामिनी इत्यादि पौधों का उत्पादन कराया जाता है।

वर्तमान में विभाग में संचालित एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत प्रदेश में पौधशालाओं की स्थापना कराकर उच्च गुणवत्ता के पौध उत्पादन कराये

जाने का कार्य संचालित किया जा रहा है। प्रसारण की विभिन्न विधियों के साथ-साथ क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग मुख्यतः आम एवं वेज ग्राफ्टिंग अमरूद के पौधे तैयार करने में प्रयोग किये जाते हैं। प्रदेश के विभिन्न पौधशालाओं को आम, अमरूद, आंवला, लीची एवं नींबू के पौधे उत्पादन के लिए चिन्हित कर पौधों का उत्पादन कराया जाता है। विभिन्न औद्यानिक उत्पादन इकाईयों, राजकीय पौधशालाओं, राजकीय संतति उद्यान तथा बहुउद्देशीय औद्यानिक प्रक्षेत्रों पर उनमें उपलब्ध ढांचागत सुविधाओं, मानव संसाधन एवं बजट की उपलब्धता के आधार पर स्थानीय मांग के अनुरूप पौध उत्पादन के कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु 52.80 लाख पौध उत्पादन लक्ष्य के सापेक्ष 52.50 लाख तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 में 49.19 लाख पौध उत्पादन लक्ष्य के सापेक्ष 43.49 लाख पौधों का उत्पादन हुआ। वित्तीय वर्ष 2017-18 में 44.80 लाख पौध उत्पादन लक्ष्य के सापेक्ष 39.73 लाख पौधों का उत्पादन हुआ। वित्तीय वर्ष 2018-19 में 40.48 लाख पौध उत्पादन लक्ष्य के सापेक्ष 43.78 लख पौधों का उत्पादन किया गया है। वर्ष 2019-20 में 44.02 लाख के सापेक्ष (माह दिसम्बर 2019 तक) 29.46 लाख पौधों का उत्पादन किया गया है।

नवीन उद्यान रोपण कार्यक्रम

पर्यावरण संतुलन बनाये रखने के लिए यह आवश्यक है कि प्रदेश का अधिक से अधिक भू-भाग हरा-भरा, वनों एवं वृक्षों से आच्छादित रहे। विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्ध अनुदान की सुविधा प्रदत्त कर नवीन उद्यानों का रोपण कराया जाता है जिसमें मुख्यतः फलदार (कलमी व बीजू पौधों) व कुछ शोभाकार पौधों का रोपण कार्य कराया जाता है जिससे प्रदेश के भू-भाग हरियाली से परिपूर्ण रहें तथा पर्यावरण संतुलन बनाये रखा जा सके।

फल पट्टियों का विकास कर बागवानी को बढ़ावा दिये जाने की योजना

प्रदेश की भूमि एवं जलवायु फलदार पौधों के लिए उपयुक्त है। प्रदेश के कतिपय जनपदों के क्षेत्र विशेष उत्पादन के लिए अधिक उपयुक्त हैं। इन क्षेत्रों में फल विशेष के गुणवत्तायुक्त उत्पादन तथा क्षेत्र विस्तार को प्रोत्साहित करने हेतु फल पट्टी के रूप में विकसित करने का प्रयास किया गया है। प्रदेश में 3 फलों- आम, अमरूद एवं आंवला के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा फल पट्टी घोषित की गयी है। आम फलपट्टी के अन्तर्गत जनपद सहारनपुर, मेरठ, बागपत, बुलन्दशहर, अमरोहा, प्रतापगढ़, वाराणसी, लखनऊ, उन्नाव, सीतापुर, हरदोई, अयोध्या तथा बाराबंकी के 31 विकास खण्ड आच्छादित हैं। अमरूद फलपट्टी हेतु जनपद कौशाम्बी एवं बदायूँ के 06 विकास खण्ड लिये गये हैं तथा आंवला फलपट्टी के अन्तर्गत प्रतापगढ़ के 2 विकास खण्ड अंगीकृत किये गये हैं। फल विशेष के गुणवत्तायुक्त उत्पादन एवं क्षेत्र विस्तार हेतु फल पट्टियों का विकास कर बागवानी को बढ़ावा देने हेतु योजना का प्रारम्भ वर्ष 2017-18 से किया गया है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में धनराशि रु. 184.12 लाख की व्यवस्था की गई है।

योजना के उद्देश्य

(1) संहत क्षेत्रों में गुणवत्तायुक्त फल उत्पादन तथा क्षेत्र विस्तार करना।

(2) पुराने अल्प उत्पादक बागों का जीर्णोद्धार एवं कैनोपी प्रबन्धन।

(3) विपणन/भण्डारण की सुगमता हेतु प्लास्टिक क्रेट्स का वितरण।

(4) आम की तुड़ाई से क्षति को बचाने हेतु मैंगो हार्वेस्टर को उपलब्ध कराना।

(5) फलों के भण्डारण/ग्रेडिंग हेतु आनफार्म पैक हाउस निर्माण कराना।

(6) कीट/व्याधि रसायनों से होने वाले प्रदूषण/हानियों से सुरक्षा हेतु आई0पी0एम0/आई0एन0एम0/ पैकेज को प्रोत्साहित करना।

(7) कीट नाशक रसायनों के छिड़काव हेतु पावर स्प्रेयर का वितरण।

(8) फलोत्पादन की तकनीकों एवं तुड़ाई के उपरान्त क्षतियों को कम करने आदि के सम्बन्ध में कृषकों/ बागवानों को प्रशिक्षित करना।

(9) योजना के प्रचार-प्रसार हेतु गोष्ठियों का आयोजन करना।

आच्छादित जनपद - प्रदेश के 15 जनपदों में योजना का क्रियान्वयन कराया जायेगा।

औषधीय जड़ी-बूटियों के विकास हेतु हर्बल गार्डन की योजना

इस योजना का प्रारम्भ वर्ष 2002-2003 में हुआ जिसका उद्देश्य लुप्तप्राय हो रही महत्त्वपूर्ण औषधीय जड़ी बूटियों की खेती को बढ़ावा देना, उनको संरक्षित करना व उनके बीज/पौध रोपण सामग्री का उत्पादन करना है ताकि महत्त्वपूर्ण औषधीय फसलों को संरक्षित किया जा सके और उनकी खेती में वृद्धि हो सके।

दसवीं पंचवर्षीय योजनाकाल समाप्त हो जाने के पश्चात् यह योजना जिला एवं मण्डलीय कार्यालय की योजना में स्थानान्तरित हो गयी है। यह योजना वर्ष 2010-11 से प्रदेश के 18 जिलों बाराबंकी, मथुरा, सोनभद्र, हरदोई, पीलीभीत, हमीरपुर, बलरामपुर, गाजीपुर, बहराइच, बस्ती, मुजफ्फरनगर, महराजगंज, बलिया, गोण्डा, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, झाँसी एवं अयोध्या जनपदों में चलाई जा रही है। इस योजना में सतावर तथा सर्पगन्धा के क्षेत्र विस्तार के अन्तर्गत 0.2 हे. क्षेत्रफल की इकाई पर फसल प्रदर्शन हेतु अनुदान क्रमशः रु. 2500/- एवं रु. 6250/- प्रति प्रदर्शन निवेश के रूप में लाभार्थी कृषकों को दिया जाता है।

पर्यावरणीय उद्यान/पार्क की स्थापना

पर्यावरण को संतुलित बनाये रखने के उद्देश्य से उद्यान विभाग द्वारा प्रदेश के विभिन्न जनपदों में लोहिया पर्यावरणीय उद्यान एवं पार्क की स्थापना कराये जाने की स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान की गई।

लोहिया पर्यावरणीय उद्यान एवं पार्क की स्थापना वित्तीय वर्ष 2012-13 में जनपद कन्नौज एवं इटावा में की गई। वित्तीय वर्ष 2013-14 में जनपद गाजीपुर में लोहिया पर्यावरणीय उद्यान एवं पार्क की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई, जिसका लोकार्पण वित्तीय वर्ष 2015-16 में किया गया। वित्तीय वर्ष 2015-16 में जनपद जौनपुर में लोहिया पर्यावरणीय उद्यान एवं पार्क की स्थापना की गई जो वित्तीय वर्ष 2016-17 में जनोपयोग में लाया गया। वित्तीय वर्ष 2017-18 में जनपद गोरखपुर में तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 में जनपद अयोध्या में एक नये लोहिया पर्यावरणीय उद्यान एवं पार्क की स्थापना कराये जाने हेतु धनराशि रु. 150.00 लाख आवंटित की गयी। वित्तीय वर्ष 2019-20 के निमित्त धनराशि रु. 220.70 लाख का प्राविधान कराया गया था, जिसमें पूर्व में स्थापित हो चुके लोहिया पर्यावरणीय उद्यान एवं पार्कों के रख-रखाव हेतु रु. 70.70 लाख में से प्रथम किस्त में रु. 37.05 लाख आवंटित

की जा चुकी है एवं द्वितीय किस्त रु.27.86 लाख आवंटन का प्रस्ताव है। जनपद संतकबीरनगर में एक नये लोहिया पर्यावरणीय उद्यान एवं पार्क की स्थापना कराये जाने हेतु धनराशि रु. 97.00 लाख का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में पूर्व में स्थापित हो चुके लोहिया पर्यावरणीय उद्यान एवं पार्कों का रख-रखाव तथा नये पर्यावरणीय उद्यान एवं पार्क की स्थापना कराये जाने का प्रस्ताव है।

वार्षिक कार्य योजना 2020-21 हेतु प्रस्तावित प्राविधान

(धनराशि लाख रु. में)

योजनान्तर्गत - कुल प्राविधान	सामान्य	स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान	योग
केन्द्रांश - 60 प्रतिशत	11698.52	1501.48	13200.00
राज्यांश - 40 प्रतिशत	7799.02	1000.98	8800.00
योग	**19497.54**	**2502.46**	**22000.00**

पौध संरक्षण कार्यक्रम

औद्यानिक फसलों यथा-फल, शाकभाजी, आलू, अलंकृत बागवानी एवं मसालों में अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए बुवाई/पौधरोपण से लेकर उनकी उपज प्राप्त करने एवं भण्डारण तक में कीट एवं व्याधियों से सुरक्षा तथा उपचार आवश्यक होते हैं। विभिन्न औद्यानिक फसलों में लगने वाले कीट एवं व्याधियों से बचाव हेतु सामयिक कार्यवाही कराने हेतु विभाग द्वारा उपलब्ध साधनों के आधार पर सम्भावित बीमारियों एवं कीटों के सम्बन्ध में सूचनायें प्राप्त करने तथा उन पर उपचार संबंधी जानकारी एवं परामर्श समाचार पत्रों, आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के माध्यम से प्रसारित कराई जाती है जिससे किसाने अपने खेतों में समय-समय पर अपनाकर अपनी फसल को क्षति से बचाते हैं।

राज्य में मधुमक्खी पालन की योजना

मधुमक्खी पालन या मौनपालन एक अत्यन्त लाभप्रद व्यवसाय है। मधुमक्खी पौष्टिक खाद्य पदार्थ शहद का उत्पादन करती हैं। मधुमक्खियाँ मधु के अलावा मोम, प्रोपोलिस, रायल जेली तथा डंक विष प्रदान करती हैं एवं सभी औद्यानिक फसलों में पर-परागण कर पैदावार बढ़ाने में सबसे अधिक भूमिका निभाती हैं। पर-परागण प्रक्रिया के बाद फसलों का वजन बढ़ता है एवं पौष्टिकता अपेक्षाकृत अच्छी होती है। प्रदेश के कृषकों एवं बागवानों को मौनपालन व्यावसायिक रूप से अपनाने हेतु उन्हें प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विभाग द्वारा प्रदेश के विभिन्न जनपदों में मौनपालन प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। प्रदेश में निम्नांकित मौनपालन केन्द्र एवं उपकेन्द्र संचालित हैं :

(क) केन्द्र - 1. प्रयागराज, 2. सहारनपुर, 3. बस्ती, 4. मुरादाबाद।

(ख) उपकेन्द्र - 1. लखनऊ, 2. प्रयागराज, 3. गोरखपुर, 4. आगरा, 5. बरेली, 6. वाराणसी, 7. सुल्तानपुर, 8. गाजीपुर, 9. जौनपुर, 10. अयोध्या, 11. कानपुर नगर, 12. आजमगढ़।

राजकीय मौनपालन प्रशिक्षण केन्द्रों पर वर्ष में एक दीर्घकालीन प्रशिक्षण सत्र तीन माह का (16 सितम्बर से 15 दिसम्बर तक) तथा तीन अल्पकालीन डेढ़-डेढ़ माह के (16 दिसम्बर से 31 जनवरी तक, 1 फरवरी से 15 मार्च तक, 2 अप्रैल से 16 मई तक) प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त मौनपालन केन्द्रों/उपकेन्द्रों पर 6 दिवसीय आकस्मिक ज्ञानार्जन शिविरों का आयोजन करके मौनपालन का प्रशिक्षण दिया जाता है। सभी केन्द्रों/उपकेन्द्रों पर राजकीय मधु उत्पादन के साथ उन्नतिशील मौनवंशों का संवर्धन किया जाता है। केन्द्रों/उपकेन्द्रों पर तैनात तकनीकी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा इच्छुक व्यक्तियों को मौनपालन अपनाने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है तथा व्यक्तिगत मौनपालकों के मौनवंशों की देखरेख एवं तकनीकी मार्ग-निर्देश विभागीय कर्मचारियों द्वारा उपलब्ध कराया जाता है।

विभागीय कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रदेश में एपिस मैलीफेरा इटैलियन प्रजाति के मौनवंशों का विभाजन/संवर्धन करके कृषकों में वितरण तथा राजकीय मधु उत्पादन कार्यक्रम वृहद स्तर पर चलाया जा रहा है। मौनपालन योजना की विगत वर्षों की भौतिक प्रगति का विवरण निम्नवत् है :-

क्र.सं.	मद	इकाई	2017-18		2018-19		2019-20		2019-21
			लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	प्रस्तावित लक्ष्य
1.	राजकीय मधु उत्पादन	किग्रा0	4500	4500	4525	4283	4525	3085	4565
2.	मौनवंश वितरण	संख्या	100	100	105	61	112	45	100
3.	मौनपालन प्रशिक्षण	संख्या	4525	4525	4550	4659	4600	3565	4615
4.	व्यक्तिगत मौनपालकों द्वारा मधु उत्पादन	किग्रा0	89200	89200	90000	93700	90500	60675	90000

बागवानी तथा वनस्पति की फसलें (खाद्य प्रसंस्करण घटक)

खाद्य प्रसंस्करण शाखा में संचालित योजनाएं

खाद्य प्रसंस्करण प्रसार सेवा

फल सब्जियों की वर्ष भर उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिये उत्पादन के समय ही वैज्ञानिक विधियों से प्रसंस्कृत करा कर नष्ट होने से बचाया जा सकता है। प्रसंस्करण आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अधीन एक राजकीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्यागिकी संस्थान, लखनऊ एवं 10 राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित हैं।

राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना

राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्रों के द्वारा कैटरिंग संस्थानों में समुचित प्रशिक्षण प्राप्त कार्मिकों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को खाद्य विज्ञान सम्बंधी विधाओं में प्रशिक्षण देकर दक्ष मानव संसाधन की आवश्यकता की पूर्ति की जाती है। प्रदेश में होटल उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा शिक्षित बेरोजगारों को खाद्य पदार्थों के विभिन्न प्रसंस्करण विधाओं में प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार स्थापित करने के लिए प्रदेश के 10 महानगरों वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ, झाँसी, गोरखपुर, कानपुर नगर, अयोध्या, आगरा, बरेली तथा मुरादाबाद में एक-एक राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित हैं। इन राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्रों पर खाद्य प्रसंस्करण, बेकरी एवं

कन्फेक्शनरी तथा पाककला पाठ्यक्रम में एक वर्षीय रोजगारपरक ट्रेड डिप्लोमा एवं एक मासीय अल्पकालीन बेकरी एवं कन्फेक्शनरी, पाक कला के सम्मिलित पाठ्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

महात्मा गांधी खाद्य प्रसंस्करण ग्राम स्वरोजगार योजना

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 के अधीन खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 के अन्तर्गत ''महात्मा गांधी खाद्य प्रसंस्करण ग्राम स्वरोजगार योजना'' प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण से सम्बन्धित लघु इकाई स्थापित करने के उद्देश्य से वर्ष 2018 में संचालित किया गया। न्याय पंचायत स्तर पर तीनदिवसीय खाद्य प्रसंस्करण जागरूकता शिविर के आयोजनोपरान्त लाभार्थियों को खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में जागरूक करते हुए जनपद स्तर पर एक माह का उद्यमिता विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में प्रशिक्षार्थियों को खाद्य प्रसंस्करण से सम्बन्धित लघु इकाई स्थापित करने हेतु खाद्य प्रसंस्करण की विभिन्न विधाओं (यथा- मसाला, बड़ी, पापड़, चिप्स, आयल स्पेलर, दलहन-तिलहन, आटा चक्की, दुग्ध एवं फल-सब्जी प्रसंस्करण आदि) में तकनीकी एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ-साथ परियोजना प्रस्ताव निर्माण, वित्तीय प्रबन्धन एवं विपणन के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान की जाती है। एक माह का उद्यमिता विकास प्रशिक्षण उपरान्त प्रशिक्षण प्राप्त लाभार्थियों में से चयन कमेटी के माध्यम से सूक्ष्म/लघु खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना हेतु इच्छुक लाभार्थियों का चयन कर प्रोजेक्ट प्रस्ताव तैयार कराकर तकनीकी/व्यवहारिक सहयोग प्रदान करते हुए इकाई स्थापना के लिये परियोजना में मशीन-उपकरण की लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रु. 1.00 लाख का अनुदान इकाई का भौतिक सत्यापन/निरीक्षण के पश्चात लाभार्थी के खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से हस्तान्तरित किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 की प्रगति एवं वर्ष 2020-21 के प्रस्तावित लक्ष्यः-

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	वर्ष 2019-20 (माह दिसम्बर 2019 तक)				वर्ष 2020-21 प्रस्तावित			
		भौतिक (संख्या में)		वित्तीय (लाख रु. में)		भौतिक (संख्या में)		वित्तीय (लाख रु. में)	
		लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति
1.	तीन दिवसीय खाद्य प्रसंस्करण जागरूकता शिविर	400	385	80	69.55	1500	-	300.00	-
2.	एक माह काउद्यमिता विकास प्रशिक्षण	50	38	0	10.82	150	-	150	-
3.	सूक्ष्म/लघु खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना	100	102	99.81	30.40	750	-	750	-
				योग	**229.81**	**110.77**		**1200.00**	

सूक्ष्म/लघु इकाई की स्थापना :

जनपदों से सूक्ष्म/लघु इकाई स्थापना हेतु प्राप्त 186 प्रस्ताव जिसमें फल सब्जी प्रसंस्करण के 107, अनाज से सम्बन्धित 46, उपभोक्ता उत्पाद यथा- नमकीन, पेय पदार्थ बेकरी आदि के 13, मसाला उद्योग के 09 एवं दुग्ध प्रसंस्करण इकाई के 10 स्वीकृत प्रस्तावों के सापेक्ष 102 इकाईयों के

सापेक्ष अनुदान धनराशि आवंटित की जा चुकी है। स्वीकृत 186 प्रस्तावों में से 31 प्रस्तावों की इकाईयां स्थापित की जा चुकी हैं, जिनके अनुदान की धनराशि का भुगतान किया जा चुका है।

राजकीय सामुदायिक फल संरक्षण केन्द्रों के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण की योजना (राज्य सेक्टर)

इस योजनान्तर्गत प्रति वर्ष राजकीय फल संरक्षण केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण किया जाता है। योजनान्तर्गत 08 केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण (भदोही, कुशीनगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, लखनऊ (आदर्श नगर), जौनपुर, अयोध्या व गोरखपुर आदि।) किया जाना है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 100.00 लाख उपलब्ध हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु धनराशि रु. 100.00 लाख प्रस्तावित की जा रही है।

फूड एक्सपो, मेले, प्रदर्शनी आदि का आयोजन करने सम्बन्धी योजना

इस योजना के अन्तर्गत एग्री एक्सपो, फूड एक्सपो, फूड एण्ड टेक्नोलॉजी एक्सपो, विभिन्न मेले एवं प्रदर्शनियों में खाद्य प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग से सम्बन्धित आयोजनों में सहभागिता तथा इनमें उत्तर प्रदेश के उत्पादों को प्रदर्शित करने तथा प्रदेश के प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों को प्रचारित करने का प्रस्ताव है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में योजनान्तर्गत रु. 10.00 लाख की धनराशि उपलब्ध है। वर्ष 2020-21 हेतु धनराशि रु. 50.00 लाख प्रस्तावित है।

वानिकी और वन्य जीवन

पर्यावरणीय वानिकी और वन्य जीवन

सार्वजनिक उद्यान

व्यावसायिक पुष्पोत्पादन के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा अलंकृत उद्यानों के विकास हेतु कार्यक्रम संचालित हैं। योजनान्तर्गत प्रदेश के विभिन्न संस्थानों पर राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस तथा अन्य अलंकारिक बागवानी से सम्बन्धित इकाईयां स्थापित हैं। योजना मुख्यतया अलंकारिक बागवानी के कार्यों से सम्बन्धित है जिसके अन्तर्गत अलंकारिक बागवानी का रख-रखाव किया जाता है। ये उद्यान प्रदेश के बड़े-बड़े नगरों की घनी आबादी में स्थापित हैं। नागरिकों को प्राकृतिक सौन्दर्य की छटा तथा शुद्ध एवं सरस वातावरण सुलभ कराने में इनका योगदान है। इन उद्यानों पर विभिन्न प्रकार के अलंकारिक सुन्दर फूलों की खेती, घास के मैदान, रॉकरी, ग्रीन हाउस, श्रब्स आदि को बनाने व उनके रख-रखाव का कार्य किया जा रहा है। ये उद्यान इच्छुक व्यक्तियों को पौध एवं बीज सुलभ कराते हैं तथा इनमें कार्यरत कर्मचारी इच्छुक व्यक्तियों को इनकी खेती की तकनीकी जानकारी सुलभ कराते हैं।

कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा

औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र

उत्तर प्रदेश समृद्ध जैव-विविधता और विभिन्न कृषि-जलवायु परिस्थितियों से युक्त है, जो एक विशाल विविधता के बागवानी फसलों के लिए आदर्श है। इस क्षेत्र के अन्तर्गत फल, सब्जियां, फूलों की खेती, मसाले, औषधीय एवं सगन्ध फसलें शामिल हैं, जो न केवल प्रति इकाई क्षेत्र से अधिक आमदनी देने में महत्वपूर्ण हैं। अपितु पोषण सुरक्षा, कई खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए कच्चे माल के स्रोत और प्रचुर मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जन के साथि राज्य के लोगों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान में अग्रणी भूमिका निभाती हैं।

बागवानी एक प्रमुख कृषि गतिविधियों के क्षेत्र के रूप में उभरा है क्योंकि बागवानी फसलों के क्षेत्र और उत्पादन दोनों में पर्याप्त वृद्धि हुई है। बागवानी फसलों को भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र से अन्य फसलों की तुलना में उच्च उत्पादकता प्रदान करने का अन्तर्निहित लाभ है, जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च आय और रोजगार सृजन हुआ है। अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में फल और सब्जियों ने अनाज वाली फसलों की तुलना में अधिक उपज और उच्च कीमतों के कारण प्रति इकाई क्षेत्र में 20 से 30 गुना अधिक विदेशी मुद्रा का अर्जन प्रदर्शित किया है। पिछले वर्षों में एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति देखी गयी है कि बागवानी विकास शनै-शनैः ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों में और पारम्परिक कृषि उद्यम से कॉरपोरेट क्षेत्र में विविधीकृत हुआ। इस प्रवृत्ति ने विभिन्न बागवानी फसलों के उत्पादन और चिह्नीकरण के प्रबन्धन में उन्नति प्रौद्योगिकी, अधिक से अधिक व्यवसायी करण और व्यवसायिकता को अपनाया है। परिणामस्वरूप, हम आज राज्य में बकागवानी विकास की अवधारणा में एक परिवर्तनशील बदलाव के साक्षी हैं। प्रदेश के किसानों के उत्पादन बढ़ाने एवं उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से विभाग द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रम/गतिविधियां संचालित की जा रही हैं:-

औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र, बस्ती

पूर्वांचल में बागवानी विकास के उद्देश्य से वर्ष 1956-57 में इस केन्द्र की स्थापना की गई। औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र, बस्ती पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक महत्त्वपूर्ण बागवानी प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 30.96 हेक्टेयर है जो यहां की जलवायु में उगाये जाने वाले आम, अमरूद, केला, लीची, आँवला, नींबू, बेर, कटहल, बेल, आड़ू, नाशपाती तथा लोकाट आदि फलदार वृक्षों की लगभग 400 प्रजातियों के अतिरिक्त शोभाकार पौधों एवं सब्जी तथा मसाला की फसलों के अन्तर्गत आच्छादित है। केन्द्र पर एक प्रयोगशाला, बीज विधायन संयंत्र, मशरूम स्पान प्रयोगशाला, केन्द्रीय पौधशाला तथा आदर्श पौधशाला भी स्थापित है। इसके अतिरिक्त इस केन्द्र के अधीन ही राजकीय संतति उद्यान, बंजरिया एवं फल उत्कृष्टता केन्द्र बंजरिया, बस्ती जो वर्ष 2017-18 में स्थापित हुआ है, जिसमें 20 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर आलू, शाकभाजी बीज तथा पौध उत्पादन का कार्य संचालित है। केन्द्र पर फसल एवं फसल विधि सुधार औद्यानिक फसलों के उत्पादन, पौधशाला प्रबन्धन, मौनपालन और मशरूम उत्पादन एवं पोस्ट हार्वेस्ट तकनीक आदि पर वर्ष भर प्रशिक्षण दिये जाने की अवस्थापना सुविधा है।

उद्देश्य

1. औद्यानिकी क्षेत्र में हो रहे नवीन शोध कार्यों को पूर्वी उत्तर प्रदेश की जलवायु में परीक्षण एवं मूल्यांकन करना।
2. गुणवत्तायुक्त सब्जी बीज, आलू बीज, कलमी फल पौध एवं शोभाकार पौध उत्पादन कर कृषकों को उपलब्ध कराना।
3. नवीन तकनीकों का प्रदर्शन, प्रशिक्षण एवं गोष्ठियों के माध्यम से प्रचार-प्रसार करना।
4. किसानों के औद्यानिक फसलों के उत्पादन से सम्बन्धित समस्याओं का निराकरण करना।
5. कृषकों एवं बेरोगार युवकों का व्यवसायिक प्रशिक्षण देना जिसमें मौनपालन, मशरूम उत्पादन एवं राष्ट्रीय कौशल विकास योजनान्तर्गत माली प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित है।

सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स, बस्ती

फल एवं सब्जी उत्पादन के उपरोक्त विशिष्ट तकनीकी के विकास की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार एवं इजराइल सरकार के सहयोग से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आधुनिक फल एवं सब्जी उत्पादन परियोजना के प्रदर्शन के लिए फल उत्कृष्ठता केन्द्र, बंजरिया, बस्ती एवं शाकभाजी उत्कृष्टता केन्द्र, कन्नौज की स्थापना की गई है। इसका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 26.10.2018 को कृषि कुम्भ के अवसर पर किया गया। इस केन्द्र के अन्तर्गत निम्नलिखित सुविधाएं विकसित की गई हैं।

(i) हाईटेक नर्सरी

फल एवं सब्जी की अधिक उत्पादन लेने के लिये आवश्यक है कि रोपण हेतु पौधे स्वस्थ, शक्तिशाली और सभी प्रकार के कीट एवं बीमारियों से मुक्त हों। हाईटेक नर्सरी में उपयुक्त वातावरण में वर्ष भर पौधे तैयार किये जा सकते हैं। इसमें तापक्रम कम या अधिक करने की सुविधा उपलब्ध रहती है। इसके अन्दर कीट एवं बीमारियों का प्रकोप नगण्य होता है। क्योंकि यह पालीथीन सीट की बनी संरचना होती है जिसकें अन्दर कीट प्रवेश नहीं कर सकता है। इसके अतिरिक्त इसमें पौध उत्पादन हेतु मिट्टी के स्थान पर कोकोपीट, वर्मीकूलाइट एवं परलाइट का प्रयोग किया जायेगा। इसमें बीजों का जमाव अच्छा होता है तथा कम समय में पौधे तैयार हो जाते हैं। हाईटेक नर्सरी में बीज से पौध तैयार होने के बाद उन्हें नेचुरली वेन्टीलेटेड पालीहाउस में ले जाया जायेगा।

राजकीय ऊत्तक संवर्धन प्रयोगशाला, अलीगंज, लखनऊ

कृषकों को चयनित फल, शाकभाजी एवं फूलों के गुणात्मक उत्पादन हेतु व्यावसायिक स्तर पर उत्कृष्ट रोपण सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश दिनांक 25 जुलाई, 1992 द्वारा उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अन्तर्गत राजकीय शीतगृह परिसर अलीगंज, लखनऊ पर राजकीय ऊत्तक संवर्धन प्रयोगशाला की स्थापना की गयी। ऊत्तक संवर्धन विधि/तकनीकी वास्तव में प्रयोगशाला के अन्दर नियंत्रित ताप, प्रकाश एवं तैयार कल्चर मीडिया में किसी पौधे को पादप कोशिकाओं को गुणित संख्या में विकसित किये जाने की विधि है, जिसमें जैव तकनीकी/जैव अभियांत्रिकी विधियों का प्रयोग करके तीव्रगति से अनुवांशिक रूप से समान एवं व्याधि मुक्त रोपण सामग्री का उत्पादन किया जाता है। चूंकि देश से औद्यानिक उत्पादों के निर्यात की अपार सम्भावनाएं है और यह वास्तविक रूप में तभी सम्भव होगा जब कृषकों को समय से अनुवांशिक रूप से समान, उत्कृष्ट एवं अच्छी गुणवत्ता की रोपण सामग्री प्रचुर मात्रा में उपलब्ध करायी जाये। औद्यानिक फसलों की ऊत्तक सम्वर्धन रोपण सामग्री इस उद्देश्य को पूरा करने में सहायक एवं सक्षम है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश के कृषकों के बीच ऊत्तक सम्वर्धन प्रयोगशाला की नई तकनीक की ग्राहयता का शुभारम्भ किया गया है। राजकीय ऊत्तक सम्वर्धन प्रयोगशाला की स्थापना निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की गयी है :-

1. केले की उत्तम प्रजातियों का ऊत्तक संवर्धन विधि से माइक्रोप्रोपेगेशन।
2. पपीते की उत्तम प्रजातियों का माइक्रोप्रोपेगेशन एवं उनका आनुवंशिकीय विकास।
3. आलू की उत्तम प्रजातियों का ऊत्तक संवर्धन विधि से माइक्रोप्रोपेगेशन।
4. अलंकृत पौध-जैसे : जरबेरा, कारनेशन आदि का माइक्रोप्रोपेगेशन।

इस प्रकार ऊत्तक संवर्धन प्रयोगशाला पर ऊत्तक संवर्धन विधि द्वारा रोपण सामग्री के उत्पादन की विभिन्न अवस्थायें हैं जैसेः कल्चर की स्थापना, प्रोलीफिरेशन, शूट मल्टीप्लीकेशन, रूटिंग एवं हार्डेनिंग आदि। उपरोक्त वर्णित अवस्थाओं में विभिन्न फसलों के लिए एक निर्धारित समय/मानक/प्रोटोकॉल के अनुसार अलग-अलग समय लगता है। सामान्य रूप से एक फसल, कल्चर के विकास से लेकर हार्डेनिंग कर बिक्री हेतु प्लान्टलेट्स तैयार करने में लगभग नौ माह का समय तथा ग्रीन हउस में हार्डेनिंग हेतु 6 सप्ताह का समय लगता है। प्रयोगशाला पर विगत पांच वर्षों में केला प्रजाति जी-9 उत्पादन का विवरण निम्नवत् है :-

क्र.सं.	पौधे का नाम	वर्ष	उत्पादन (संख्या)
1.	केला, ग्रैण्डनेन प्रजाति-9	2015-16	74500
		2016-17	37400
		2017-18	47300
		2018-19	25868
		2019-20 (दिसम्बर, 2019 तक)	20000

वर्ष 2020-21 में ऊत्तक संवर्धन प्रयोगशाला पर किये जाने वाले कार्यों की रूपरेखा निम्नानुसार होगी :-

1. ऊत्तक संवर्धन प्रयोगशाला पर शोध एवं विकास कार्यों के अन्तर्गत कारनेशन एवं जरबेरा के पौधों का उत्पादन।
2. ऊत्तक संवर्धन प्रयोगशाला पर शोध एवं विकास के द्वारा लिलियम के विभिन्न प्रजातियों के मानक प्रोटोकॉल का निर्धारण किया जायेगा।
3. केले के ग्रेण्डनैन प्रजाति के पौधों का प्रयोगशाला पर व्याावसायिक स्तर पर अनुमानित 75,000 पौधों का उत्पादन कर कृषकों को गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी।
4. जरबेरा की विभिन्न प्रजातियों की कल्चर स्थापना एवं मल्टीप्लीकेशन उत्पादन किया जायेगा।
5. ऊत्तक संवर्धन प्रयोगशाला पर शोध एवं विकास के द्वारा पपीते के पौधों को ऊत्तक संवर्धन विधि द्वारा तैयार करने हेतु मानक प्रोटोकाल का निर्धारण करना।

पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र-महोबा

पान एक बहुवर्षीय बेल है। भारत के अतिरिक्त विश्व के अन्य देशों में यथा- थाइलैण्ड, फिलीपीन्स एवं इण्डोनेशिया में पान एक महत्त्वपूर्ण व्यवसायिक फसल है। भारत वर्ष में लगभग 40 हजार हेक्टेयर भूमि में पान की व्यवसायिक खेती की जाती है। यह फसल कृषि एवं व्यापार से जुड़े लोगों का जीविकोपार्जन का एक प्रमुख साधन है।

भारत में पान मुख्य रूप से कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं राजस्थान में उगाया जाता है। उत्तर प्रदेश में इसकी खेती लगभग ढाई हजार हेक्टेयर में की जाती है। उत्तर प्रदेश के 24 जनपदों में इसकी व्यवसायिक खेती की जाती है। जिसमें मुख्य रूप से महोबा, ललितपुर, बांदा, प्रयागराज, उन्नाव, लखनऊ, कानपुर देहात, हरदोई, जौनपुर, मिर्जापुर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, गोरखपुर, आजमगढ़ एवं बाराबंकी प्रमुख हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पान के महत्त्व को देखते हुए 1981 में पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना जिला योजना के अन्तर्गत 10 एकड़ के फार्म पर महोबा-चरखारी रोड, महोबा जनपद में की गयी थी। जिसमें पान से सम्बन्धित शोध कार्य, प्रशिक्षण एवं कृषकों को तकनीकी जानकारी दी जाती है। महोबा में 800 सौ बरेजों का निर्माण प्रतिवर्ष किया जाता है, जिससे उत्पादित पान को प्रदेश के साथ-साथ अन्य प्रदेशों में भी भेजा जाता है। केन्द्र पर प्रदेश के कृषकों के साथ अन्य प्रदेशों के कृषकों के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं, जिसमें बरेजा निर्माण की तकनीकी, कटिंक, उपचार, रोग-कीट प्रबन्धन पर प्रशिक्षण दिया जाता है तथा पान उत्पादन में आने वाली समस्याओं का निराकरण किया जाता है।

पान की प्रमुख प्रजातियाँ

1. महोबा देशावरी
2. कलकतिया
3. कपूरी
4. बंगला
5. सागर बंगला
6. सांची
7. नोवाकटक
8. आयुर्वेदिक बंगला
9. पन्ना बंगला
10. ककेर
11. पाली देशी
12. कपूरी मीठा
13. सौंफिया
14. जैसवारी
15. भानूपुरा देशी

विशेष योजनायें

आलू के लाभकारी मूल्य हेतु बाजार हस्तक्षेप योजना

बाजार हस्तक्षेप योजना लागू करने के लिए भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार गत वर्ष के उत्पादन में 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि एवं बाजार भाव में 10 प्रतिशत की कमी होने पर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया जाता है। प्रदेश में आलू उत्पादन में वृद्धि एवं बाजार मूल्यों को दृष्टिगत रखते हुए बाजार हस्तक्षेप योजना के अन्तर्गत किसानों का 02 लाख मिट्रिक टन आलू क्रय करने का प्रस्ताव भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित किया जाना प्रस्तावित है।

परती भूमि विकास

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-वाटरशेड डेवलपमेन्ट काम्पोनेन्ट
(पी०एम०के०एस०वाई-डब्ल्यू०डी०सी०)

योजना की संक्षिप्त रूपरेखा

भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वाटरशेड विकास हेतु वित्त पोषित डीपीएपी एवं आईडब्ल्यूडीपी योजनाओं को वर्ष 2008-09 में बंद करते हुए पूर्व स्वीकृत परियोजनाओं को पूर्ण करने की अंतिम समय-सीमा मार्च 2013 निर्धारित की गई है। इन योजनाओं के स्थान पर वर्षा सिंचित क्षेत्रों में समेकित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) की योजना वित्तीय वर्ष 2009-10 से आरम्भ की गयी है। यह कार्यक्रम वर्ष 2015-16 से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-वाटरशेड डेवलपमेंट कम्पोनेन्ट के रूप में क्रियान्वित किया जा रहा है।

वर्षा सिंचित क्षेत्रों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने पर इन क्षेत्रों में गरीबी, जल की कमी, भूजल स्तर में तेजी से गिरावट तथा कमजोर पारिस्थितिकीय प्रणालियों की भयावह स्थिति का पता चलेगा। वायु तथा जल के द्वारा मृदा के क्षरण के कारण भूमि का अवक्रमण, वर्षा जल के उपयोग की कम क्षमता, अधिक जनसंख्या का दबाव, चारे की अत्यधिक कमी, पशुधन से अत्यंत कम उत्पादन, जल उपयोग की क्षमता में कम निवेश, सुनिश्चित और लाभकारी विपणन अवसरों की कमी और कमजोर अवसंरचना समर्थकारी नीतियों की मुख्य चिन्ताएं हैं। अतः वर्षा सिंचित क्षेत्रों में चुनौती सतत् आधार पर आय, उत्पादकता को बढ़ाने तथा जीविका की सुरक्षा हेतु एकीकृत कृषि प्रणालियों पर जोर देते हुये सहभागी वाटरशेड विकास के जरिये ग्रामीण जीविका-साधनों में सुधार लाना है।

इन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुये नवम्बर, 2006 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण (एनआरएए) का गठन किया गया है। भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, सभी सम्बन्धित मंत्रालयों, सम्बन्धित संस्थानों एवं एनआरएए के सहयोग से वाटरशेड विकास परियोजनाओं के लिये समान मार्गदर्शी सिद्धान्त-2008 (संशोधित-2011) तैयार किया गया है जिसकी मुख्य विशेषताएं निम्नवत् हैं:-

- **राज्यों को शक्तियों का प्रत्यायोजन –** राज्यों को अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत इस मार्गदर्शी सिद्धान्त में निर्धारित किये गये मापदंडों के तहत वाटरशेड परियोजनाएं स्वीकृत करने तथा इनके कार्यान्वयन की निगरानी करने के अधिकार दिये गये हैं।

- **समर्पित संस्थाएं** – वाटरशेड कार्यक्रम के प्रबन्धन के लिए राष्ट्रीय, राज्य तथा जिला स्तर पर बहु-विधा सम्पन्न व्यावसायिक दलों से युक्त समर्पित कार्यान्वयन एजेन्सियाँ स्थापित की गयी हैं।
- **समर्पित संस्थाओं को वित्तीय सहायता** – वाटरशेड परियोजनाओं के प्रबन्धन में व्यावसायिकता सुनिश्चित करने के लिये जिला तथा राज्य पर संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिये अतिरिक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी गयी।
- **कार्यक्रम की अवधि** – कार्यक्षेत्र तथा प्रत्याशाओं में वृद्धि किए जाने को मद्देनजर रखते हुये परियोजना अवधि को तीन अलग-अलग चरणों अर्थात प्रारम्भिक चरण, कार्यचरण तथा समेकन चरण में विभक्त किया गया तथा परियोजना की कार्यावधि 4 वर्ष से 7 वर्ष तक रखी गयी।
- **जीविका अभिमुखीकरण** – संरक्षण उपायों के साथ-साथ उत्पादकता में वृद्धि तथा जीविका साधनों को विकसित करने को प्राथमिकता प्रदान की गयी।
- **सामूहिक पद्धति (क्लस्टर एप्रोच)** – सूक्ष्म जल संग्रहण क्षेत्रों के समूहों को शामिल करके 1000-5000 हेक्टेयर तक की औसत आकार की भूजलीय इकाइयों की परियोजनाओं को तैयार करने की व्यवस्था दी गयी।
- **वैज्ञानिक आयोजना** – कार्यक्रम की आयोजना, निगरानी तथा मूल्यांकन में सूचना प्रौद्योगिकी तथा दूर संवेदी, निविष्टियों को उपयोग में लाने पर विशेष बल दिया गया।
- **क्षमता निर्माण** – वाटरशेड कार्यक्रम के क्रियान्वयन में शामिल सभी कार्यकर्ताओं और भागीदारों के क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण को सुनिश्चित करने हेतु व्यापक व्यवस्था की गयी।
- **बहुस्तरीय पद्धति** – शिखर से घाटी की ओर क्रमबद्ध पद्धति से वाटरशेड विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर बल दिया गया।

वाटरशेड विकास दल (डब्ल्यूडीटी)

परियोजना कार्यान्वयन एजेन्सी (पीआईए) स्तर पर वाटरशेड विकास दल (डब्ल्यूडीटी) का गठन किया गया है। वाटरशेड विकास दल में कृषि, मृदा, विज्ञान, जल प्रबन्धन, सामाजिक संगठन तथा संस्थागत निर्माण में व्यापक जानकारी और अनुभव रखने वाले कम से कम चार सदस्य सेवा प्रदाता के माध्यम से तैनात किये गये हैं।

वाटरशेड समिति (डब्ल्यूसी)

वाटरशेड विकास दल (डब्ल्यूडीटी) की तकनीकी सहायता से वाटरशेड परियोजना कार्यान्वित करने के लिये ग्राम पंचायत स्तर पर वाटरशेड समिति (डब्ल्यूसी) गठित की गयी है। ग्राम प्रधान को वाटरशेड समिति का अध्यक्ष नियुक्ति किया गया है। वाटरशेड समिति के सचिव का चयन ग्राम पंचायत की बैठक में किया जाता है जो एक वैतनिक कार्यकर्ता है तथा पंचायत सचिव से पृथक है तथा इसका चयन योग्यता एवं अनुभव के आधार पर किया जाता है। वाटरशेड समिति में कम से कम 10 सदस्य होते हैं।

वाटरशेड परियोजना के चयन हेतु मानदण्ड

- पेयजल की अत्यधिक कमी।

- भू-जल संसाधनों का अत्यधिक दोहन।
- बंजर भूमि/अवक्रमित भूमि की अधिकता।
- पहले ही विकसित/सुधार किये जा चुके किसी अन्य वाटरशेड के साथ निकटता।
- स्वैच्छिक रूप से योगदान करने, समान सम्पत्ति संसाधनों को बांटने के लिये समाजिक विनियमों को लागू करने, लाभों का समान वितरण करने तथा सृजित की गई परिसम्पत्तियों के संचालन एवं रख-रखाव हेतु व्यवस्थायें करने के लिये ग्रामीण समुदाय की सहमति होना।
- अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का अनुपात।
- परियोजना का क्षेत्र सुनिश्चित सिंचाई के अन्तर्गत शामिल नहीं होना चाहिये।
- भूमि की उत्पादन क्षमता।

वित्त पोषण

भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा 90:10 के अनुपात में वित्त पोषण किया जाता रहा है। भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 09.03.2015 द्वारा वित्त पोषण के मानक में परिवर्तन करते हुये वित्तीय वर्ष 2015-16 में केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 50:50 कर दिया गया था तदोपरान्त वित्त सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने अ0शा0प0सं0-32/पीएसओ/एफएस/2015 दिनांक 28.10.2015 द्वारा केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 60:40 कर दिया गया है। भारत सरकार द्वारा समेकित वाटरशेड प्रबन्ध कार्यक्रम हेतु वर्ष 2013-14 से विन्ध्यक्षेत्र हेतु रु.15,000/- प्रति हे0 तथा शेष क्षेत्र हेतु रु. 12,000/- प्रति हे0 की धनराशि अनुमन्य की गई है।

योजना का कार्यक्षेत्र

प्रदेश के 3 जनपदों (गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर एवं शामली) को छोड़कर शेष 72 जनपदों में कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। वर्षा सिंचित क्षेत्रों में गरीबी, पेयजल की कमी, भूजल स्तर में गिरावट एवं कमजोर पारिस्थितिकीय संतुलन वाले क्षेत्रों के लगभग 80 लाख हे. क्षेत्र की 7863 माइक्रोवाटरशेड परियोजनाओं की कार्ययोजना (एस.पी.एस.पी.) तैयार करायी गयी है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-वाटरशेड डेवलपमेन्ट कम्पोनेन्ट (पी.एम.के.एस.वाई-डब्ल्यू.डी.सी.) के अन्तर्गत स्वीकृति परियोजनाओं को वर्ष 2018-19 में केन्द्रीय सहायता उपलब्धा न कराना

भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्र सं0 जेड-11011/32/2014-पीपीसी (पार्ट-1) दिनांक 08.02.2018 के द्वारा बैच पंचम (वर्ष 2013-14 में स्वीकृति) की 67 परियोजनायें तथा बैच षष्टम (वर्ष 2014-15 में स्वीकृति) की 58 परियोजनाओं को वर्ष 2018-19 से केन्द्रीय सहायता उपलब्ध न करते हुए राज्य के संसाधन से वित्त पोषण करने की सलाह दी है। इसी प्रकार पत्र सं0 जेड-11011/32/2014-पी.पी.सी. दिनांक 01.08.2018 के द्वारा बैच तृतीय (वर्ष 2011-12 में स्वीकृति) की 158 परियोजनायें तथा बैच चतुर्थ (वर्ष 2012-13 में स्वीकृति) की

64 परियोजनाओं जो कि प्रारम्भिक चरण में है, को वर्ष 2018-19 से केन्द्रीय सहायता उपलब्ध न करते हुए राज्य के संसाधन से वित्त पोषण करने की सलाह दी है।

वित्तीय व भौतिक प्रगति

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-वाटरशेड डेवलपमेन्ट कम्पोनेन्ट के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु अनुदान संख्या-12 में रु0 9712.48 लाख का आय-व्ययक का प्रावधान किया गया है।

आईडब्ल्यूएमपी योजना के अन्तर्गत अब तक भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-10 से 2017-18 तक उपलब्ध करायी गयी धनराधि रु0 1007.95 करोड़ के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2018 तक रु0 857.71 करोड़ व्यय करके 17860 आस्था मूलक कार्य, 13432 स्वयं सहायता समूह तथा 13927 प्रयोक्ता समूहों का गठन करते हुए 8992 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कर 5,80,768 प्रशिक्षणार्थियों को लाभान्वित किया गया एवं 7,61,295 हे0 क्षेत्र उपचारित किया गया है।

विभागीय वेबसाइट की स्थापना

विभागीय कार्यकलापों को आम जनता तक पहुँचाने की दृष्टि से आधुनिक सूचना तकनीकी का प्रयोग कर विभागीय वेबसाइट (यूपी.एलडीडब्ल्यूआर.यूपी.एनआईसी.इन) द्वारा योजनाओं के विवरण एवं विभागीय कार्यकलापों की सुगम सुलभता सुनिश्चित की गयी है।

उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम का संक्षिप्त विवरण

अपघटित भूमि के स्थायी सुधार तथा अकृष्य भूमि यथा- ऊसर, बंजर एवं बीहड़ को कृषि योग्य बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा दिनांक 31 मार्च, 1978 को ''उ.प्र. भूमि सुधार निगम'' की स्थापना की गयी थी। प्रथमतया कृषि विभाग के पास उपलब्ध 03 ऊसर ग्रस्त प्रक्षेत्र (जहाँ कोई उत्पादन नहीं होता था) यथा– पीपरसन्ड, रसूलपुर तथा शिवरी में ऊसर भूमि का सुधार निगम द्वारा प्रारम्भ किया गया। इन प्रक्षेत्रों को सुधार कर बीज उत्पादन का कार्य निगम द्वारा किया जाता रहा है।

उक्त के अतिरिक्त निगम कृषि विभाग द्वारा संचालित ऊसर सुधार एवं अन्य परियोजनाओं के लिए जिप्सम व पायराइट (मृदा सुधारक) के आपूर्ति कराने का कार्य करता रहा है। वर्ष 1992-93 से प्रदेश में विश्व बैंक सहायतित उत्तर प्रदेश सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन परियोजना प्रथम एवं द्वितीय व यूरोपिन इकनोमिक कम्युनिटी (ई.ई.सी.) सहायतित उत्तर प्रदेश अल्कलाइन लैण्ड रिक्लेमेशन एण्ड डेवलेपमेंट परियोजना की स्वीकृति प्राप्त हुई, जिसके निष्पादन का दायित्व निगम को देने का निर्णय प्रदेश शासन द्वारा लिया गया। इसके फलस्वरूप निगम के कार्य क्षेत्र में वृद्धि हुई। इस प्रकार वर्ष 1992-93 से विभिन्न परियोजनाएं निगम द्वारा संचालित की जा चुकी हैं। उ.प्र. भूमि सुधार निगम द्वारा वर्तमान में विश्व बैंक पोषित उत्तर प्रदेश सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन तृतीय परियोजना संचालित की जा रही है।

- **निगम के 'मेमोरेन्डम एण्ड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन' के अनुसार इसके निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं :**

भूमि सुधार, भूमि संरक्षण, भूमि की उपयोगिता बढ़ाने तथा जल स्रोतों को संरक्षित करने के उचित उपाय करना, जैसे :

1. ऊसर सुधार, बीहड़ एवं जल कटाव से प्रभावित भूमि सहित सभी प्रकार की भूमि का सुधार।
2. सतही एवं भूमिगत जल निकास।
3. भूमि क्षरण को रोकने तथा सुधार के उपाय।
4. बंजर एवं रेगिस्तानी भूमि पर वृक्षारोपण का नियोजन एवं देखभाल।
5. बाढ़ एवं सूखे से भूमि के बचाव के उपाय।
6. चरागाहों का सुधार एवं पशुओं द्वारा चराई को नियंत्रित करना।
7. समतलीकरण, लैण्ड शेपिंग तथा ग्रेडिंग।
8. जल प्रबन्ध, सिंचाई स्रोतों का संरक्षण, स्प्रिंकलर सेट एवं गेट पाइन का प्रयोग तथा वाटर हारवेस्टिंग के उपाय।

- **निगम का प्रशासनिक ढांचा**

उ.प्र. भूमि सुधार निगम उ.प्र. सरकार का उपक्रम है जो कि कम्पनी एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कृषि उत्पादन आयुक्त हैं एवं प्रमुख सचिव (परती), प्रमुख सचिव (कृषि) के साथ-साथ प्रमुख सचिव (वित्त), प्रमुख सचिव (सार्वजनिक उद्यम), प्रमुख सचिव (सिंचाई), प्रमुख सचिव (नियोजन), प्रमुख सचिव/सचिव (वाह्य सहायतित परियोजना), प्रमुख सचिव (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी), उ.प्र. शासन अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधियों के अतिरिक्त महानिदेशक (उपकार), कृषि निदेशक तथा प्रबन्ध निदेशक सहित इसके कुल बारह सदस्य हैं।

- **निगम की वर्तमान गतिविधियाँ**

उ.प्र. भूमि सुधार निगम द्वारा पूर्व में संचालित उ.प्र. सोडिक लैण्ड प्रथम परियोजना तथा उ0प्र0 सोडिक लैण्ड द्वितीय परियोजना की उपलब्धियों के दृष्टिगत् विश्व बैंक वित्त पोषण से उ.प्र. सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन तृतीय परियोजना प्रदेश के 32 जिलों (भदोही, जौनपुर, वाराणसी, गाजीपुर, आजमगढ़, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अयोध्या, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, शाहजहांपुर, उन्नाव, लखनऊ, प्रतापगढ़, प्रयागराज, फतेहपुर, कानपुर देहात, कानपुर नगर, औरय्या, इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद, एटा, मैनपुरी, अलीगढ़, बुलन्दशहर, कासगंज, अम्बेडकर नगर, अमेठी, कौशाम्बी एवं फिरोजाबाद) में संचालित की जा रही है तथा 12 जनपदों में यथा- इटावा, औरय्या, फिरोजाबाद, बाराबंकी, प्रयागराज, कौशाम्बी, रायबरेली, प्रतापगढ़, जौनपुर, सुल्तानपुर, फतेहपुर एवं कानपुर देहात में बीहड़ सुधार परियोजना कार्यान्वित की जा रही है, जिसके अन्तर्गत 1.30 लाख हे. ऊसर भूमि का सुधार तथा 0.05 लाख हे. बीहड़ क्षेत्र के सुधार के साथ-साथ गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम सम्मिलित किया गया है। विस्तृत विवरण निम्नवत् है :

- **उ.प्र. सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन तृतीय परियोजना (संक्षिप्त परिचय)**

परियोजना का लक्ष्य

ऊसर सुधार	- 1,30,000 हेक्टेयर
बीहड़ पायलट परियोजना	- 5000 हेक्टेयर (फतेहपुर एवं कानपुर देहात)

परियोजना का कार्यक्षेत्र

परियोजना के अन्तर्गत ऊसर सुधार के लिए रिमोट सेसिंग एप्लीकेशन सेन्टर चिह्नित ऊसर बाहुल्य वाले 32 जनपद यथा- आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, सन्त रविदास नगर, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, अमेठी, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, प्रतापगढ़, प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, कानपुर देहात, कानपुर नगर, औरय्या, इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद, एटा, कासगंज, मैनपुरी, फिरोजाबाद, अलीगढ़, बुलन्दशहर, अयोध्या, वाराणसी एवं शाहजहांपुर, चयनित किये गये हैं।

विश्व बैंक से प्राप्त होने वाली आर्थिक सहायता की शर्तें-

विश्व बैंक से आर्थिक सहायता आई.डी.ए. (इन्टरनेशलन डेवलेपमेन्ट एसोसिएशन) क्रेडिट के रूप में प्राप्त होगी। आई.डी.ए. के अन्तर्गत प्रतिदान की शर्तें निम्नांकित हैं–

1. 10 वर्ष की अवधि तक कोई प्रतिदान नहीं।
2. 11 से 20 वर्ष तक प्रति छमाही 1.25 प्रतिशत।
3. 21 से 35 वर्ष तक प्रति छमाही 2.5 प्रतिशत।

परियोजना के कार्यान्वयन से प्राप्त होने वाले लाभ :

1. परियोजना के लाभार्थी

- परियोजना से अनुमानतः 2.40 लाख कृषक लाभान्वित होंगे, जिनमें 33 प्रतिशत अनु.जा. एवं अनुसूचित जनजाति के कृषक तथा 47 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग के कृषक सम्भावित हैं।

2. उत्पादकता में अनुमानित वृद्धि :

'सी' श्रेणी की ऊसर भूमि में उत्पादकता में वृद्धि :

- धान : लगभग शून्य से 35 कुन्तल प्रति हे. तक
- गेहूँ : लगभग शून्य से 30 कुन्तल प्रति हे. तक

योजना का लाभ प्राप्त किये जाने की पात्रता

1. कृषक परियोजनान्तर्गत आच्छादित जनपदों के चयनित ग्राम में रहता हो।
2. वह ऊसर भूमि का स्वामी/पट्टेदार हो।
3. वह बटाई पर खेती न करता हो।
4. वह समूह में कार्य करने को इच्छुक हो।

ग्रामीण अभियंत्रण

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग का सृजन शासन के ग्राम्य विकास के अंतर्गत वर्ष 1972 में प्रदेश के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को सम्पादित कराये जाने के उद्देश्य से किया गया है। ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग का कोई अपना विभागीय आयोजनागत बजट नहीं है। ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग विभिन्न विभागों से निक्षेप के रूप में प्राप्त धनराशि से निर्माण कार्यों का सम्पादन कराता है।

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा निर्माण कार्यों में गुणवत्ता नियन्त्रण हेतु मण्डल स्तर पर मण्डलीय टेस्टिंग प्रयोगशालाओं की स्थापना की गयी है तथा निर्माण कार्यों के सामग्री परीक्षण किये जाने की व्यवस्था की गयी है, जिससे निश्चित रूप से विभागीय निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में वृद्धि होगी एवं अन्य निर्माण एजेन्सी भी उक्त प्रयोगशाला में निर्माण सामग्री की गुणवत्ता जांच करा सकेगी।

विभाग में ई-टेन्डरिंग/ई-प्रोक्योरमेन्ट लागू कर निविदा प्रक्रिया में वृहद प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। ई-टेन्डरिंग हेतु अधिाक से अधिाक ठेकेदारों को पंजीकृत कर निर्माण प्रक्रिया में सम्मिलित किया जा रहा है, जिससे प्रतिस्पर्धात्मक दरें भी प्राप्त होंगी। ई-टेन्डरिंग हेतु विभागीय अधिकारियों को विभागीय संरचना के अनुसार मैपिंग करते हुए डिजिटल हस्ताक्षर बनवाकर रजिस्टर्ड कर दिया गया है।

विभाग में निर्माण कर्यों की गुणवत्ता सुधार हेतु थर्ड पार्टी के रूप में प्रदेश स्थिति इन्जीनियरिंग कालेजों को आबद्ध किया गया है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु इन्जीनियरिंग कालेजों के विशेषज्ञों द्वारा निरीक्षण कराया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में शासन द्वारा अधिष्ठान सम्बन्धी मतदेय मद के अन्तर्गत कुल रु. 525.62 करोड़ का प्राविधान किया गया है जिसके सापेक्ष माह जून, 2020 तक रु. 439.97 करोड़ का व्यय किया गया एवं भारित मद के अन्तर्गत धनराशि रु. 7.50 लाख के सापेक्ष शून्य व्यय किया गया।

1- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

यह योजना वर्ष 2001 में प्रारम्भ की गयी थी। प्रारम्भ के समय विभाग को कुल 14 जनपदों का कार्य सौंपा गया था। गुणवत्ता एवं प्रगति के तुलनात्मक अध्ययन उपरान्त शासन द्वारा ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के लिए आवंटित जनपदों की संख्या बढ़ाई गयी तथ वर्तमान में 33 जनपदों में यह कार्य ग्रामीण विभाग द्वारा किया जा रहा है।

प्रारम्भ से लेकर अब तक इस योजना के अन्तर्गत 5283 मार्गों का निर्माण करते हुए कुल

20400.70 किमी0 मार्गों का निर्माण कार्य कराया गया तथा 4312 बसावटों को लाभान्वित किया गया।

इस वर्ष कुल 49 मार्ग लक्षित हैं, जिसमें से 04 मार्गों का कार्य पूर्ण किया जा चुका है शेष 45 मार्गों को समयान्तर्गत पूर्ण कराये जाने का प्रयास किया जा रहा है। कुल निर्मित सड़कों में से 4398 सड़कें लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित की जा चुकी है।

सामान्य योजना

वित्तीय वर्ष 2020-21 के विभिन्न योजनाओं के विभिन्न विभागों से यथा कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, आयुष विभाग, चिकित्सा विभाग, खेलकूद विभाग, युवा कल्याण विभाग, पर्यटन विभाग, पूर्वांचल विकास निधि, बुन्देलखण्ड विकास निधि, सांसद निधि एवं विधायक निधि आदि कार्यों के डिपाजिट के रूप में माह जून, 2020 तक कुल उपलब्ध धनराशि रु. 586.20 करोड़ के सापेक्ष रु. 91.27 करोड़ व्यय करते हुए 765 भवन, 1359 सम्पर्क मार्ग एवं 32 पुलियों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया एवं 2328 भवन, 3823 सम्पर्क मार्ग तथा 100 पुलियों का निर्माण कार्य प्रगति के विभिन्न चरणों में है।

2- वर्ष 2019-20 (चयन वर्ष 2018-19) एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 (चयन वर्ष 2017-18) आँगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण :-

कुल लक्षित 2526 आँगनबाड़ी केन्द्रों में से 1694 आँगनबाड़ी केन्द्र पूर्ण कराये जा चुके हैं। शेष 832 केन्द्र विभिन्न स्तरों पर प्रगति में हैं। कुल स्वीकृति धनराशि रु. 193.97 करोड़ के विरूद्ध रु. 117.48 करोड़ विभाग को प्राप्त हुआ है, जिसके सापेक्ष रु. 95.25 करोड़ व्यय किया जा चुका है।

3- माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत प्रत्येक विधान सभा में रु. 05.00 करोड़ तक के मार्गों का निर्माण कार्य :-

त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत कुल 329 विधानसभाओं में 4032 कार्यों की स्वीकृति प्राप्त हुई थी, जिनकी स्वीकृति धनराशि रु. 1625.57 करोड़ के विरूद्ध कुल 1607.69 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

रु. 10.00 लाख की लागत के ऊपर सभी कार्यों की ई-निविदाएं आमंत्रित की गयी। लक्षित 4032 कार्यों में से 10 जुलाई 2020 तक 3788 कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा 144 कार्य प्रगति में हैं एवं 105 कार्य निरस्त/विवादित हैं। प्रगति में चल रहे निर्माण कार्यों में सी0सी0 एवं इण्टरलॉकिंग के समस्त कार्यों को पूर्ण कर लिया गया है तथा लेपन के शेष 144 कार्य शीघ्र पूर्ण करा लिए जायेंगे।

उल्लेखनीय है कि इन सभी कार्यों का निरीक्षण प्रत्येक जनपद के जिलाधिकारियों द्वारा गठित टास्कफोर्स के माध्यम से भी किया जा रहा है।

बेसिक शिक्षा

''सभी सुशिक्षित सभ्य बनें, जन-जन का कल्याण करें'' के सर्वमान्य सिद्धान्त के लिए शिक्षा, एक अत्यंत सशक्त एवं प्रभावकारी माध्यम है। शिक्षा ही मानव को सुसंस्कृत एवं सभ्य बनाकर एक प्रगतिशील आदर्श समाज का निर्माण करती है, जो संविधान के प्रति निष्ठा, धर्म-निरपेक्षता एवं लोकतंत्र के आदर्श मूल्यों की प्राप्ति में मार्गदर्शन कर सहायता करती है। बौद्धिक सम्पन्नता एवं राष्ट्रीय आत्म निर्भरता की आधारशिला शिक्षा ही है।

वर्ष 1972 तक शिक्षा निदेशक के अंतर्गत प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च तथा प्रशिक्षण स्तर की शिक्षा संचालित थी। शिक्षा के बढ़ते कार्यों, विद्यालयों एवं नये-नये प्रयोगों के कुशल संचालन तथा कार्यक्रम को अधिक गतिशील एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से वर्ष 1972 से शिक्षा निदेशालय के विभाजन का निर्णय शासन स्तर पर किया गया, जिसके अन्तर्गत शिक्षा निदेशक (बेसिक), शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) एवं उच्च शिक्षा निदेशक के पदों का सृजन कर इसे तीन खण्डों में विभाजित किया गया, किन्तु वर्ष 1975 में बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा का एकीकरण कर दिया गया, जबकि उच्च शिक्षा विभाग यथावत अलग चलता रहा। वर्ष 1985 में बेसिक शिक्षा को अधिक प्रभावी एवं गतिशील बनाने के लिए पृथक से बेसिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना की गई। उक्त तीन निदेशालयों के अतिरिक्त प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थाओं को गतिशील एवं प्रभावी तथा इसके लिए भी अलग से एक निदेशक की नियुक्ति की गयी।

प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, उर्दू एवं प्राच्य भाषा, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण तथा शोध कार्यक्रमों को अधिक गतिशील और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से अलग-अलग निदेशालय स्थापित किए गए हैं। इन पांच निदेशालयों हेतु एक आय-व्ययक सम्मिलित रूप से बनता था। विभिन्न कार्यक्रमों की जनधारणा, नीति, स्वरूप एवं आकार तथा इसके नियोजन और कार्यान्वयन व आवश्यकताओं आदि को दृष्टिगत रखते हुए शासन ने यह निर्णय लिया कि वर्ष 1986-87 से प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्रशिक्षण एवं शोध कार्यक्रमों का अलग-अलग आय-व्ययक तैयार हो।

प्राथमिक शिक्षा से संबंधित गैर सरकारी निजी विद्यालयों को मान्यता एवं सामान्य नियंत्रण के कार्य हेतु उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद का गठन 25-07-1972 को किया गया। ऐसे विद्यालयों की देख-रेख हेतु मण्डल स्तर पर मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) तथा जनपद स्तर पर बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा विकास खण्ड स्तर पर खण्ड शिक्षा अधिकारियों की व्यवस्था रखी गई। परिषदीय विद्यालयों

में कार्यरत शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन वितरण, सामान्य भविष्य निर्वाह निधि की धनराशि के रख-रखाव एवं सेवानिवृत्त लाभों के भुगतान हेतु बेसिक शिक्षा परिषद में लेखा संगठन की भी स्थापना वर्ष 1986 में की गई, जिसके अन्तर्गत जनपदों के वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक शिक्षा) तथा परिषद मुख्यालय पर वित्त नियंत्रक बेसिक शिक्षा का अधिष्ठान स्थापित किया गया।

प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिक्ष्य की प्राप्ति हेतु शिक्षा की पहुँच का विस्तार, बच्चों के ठहराव में वृद्धि एवं शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के सुनियोजित कार्यक्रम संचालित है।

प्राथमिक शिक्षा एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा

संविधान के अनुच्छेद-45 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत यह व्यवस्था बनाई गयी थी कि संविधान को अंगीकृत करके 10 वर्षों के अन्दर 6 से 14 वय वर्ग के सभी बालक/बालिकाओं के लिये निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी। वर्ष 1986 में जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी तब से अब तक शिक्षा विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में काफी सुधार हुआ है। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में प्राथमिक शिक्षा को विशेष महत्त्व दिया गया है। प्रारम्भिक शिक्षा के लक्ष्य की पूर्ति के लिए प्रदेश के सभी जनपदों में 'सर्व शिक्षा अभियान' योजना संचालित है।

राज्य सरकार द्वारा 6 से 14 वय वर्ग के सभी बच्चों को कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

निःशुल्क और बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक 300 आबादी और 1.00 किमी0 की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय की सुविधा तथा 03 किमी0 की दूरी एवं 800 आबादी पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना का मानक निर्धारित करते हुए विद्यालयों की स्थापना की गई है।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों तथा पिछड़े वर्गों के बालक/बालिकाओं को विद्यालय में प्रवेश दिलाने में विशेष बल दिया जाता है। कक्षा 1 से 8 तक के सभी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए प्रतिवर्ष निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें एवं 02 सेट यूनीफार्म उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त छात्र-छात्राओं को पका-पकाया पौष्टिक मध्यान्ह भोजन नियमित रूप से देने की व्यवस्था की गई है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में छात्र-छात्राओं को निःशुल्क स्कूल बैग उपलब्ध कराने की योजना प्रारम्भ की गई, जिसे वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में भी संचालित किया गया। वित्तीय वर्ष 2019-20 में भी उक्त योजना संचालित कराये जाने का प्रस्ताव है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में कक्षा 1 से 8 तक में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को निःशुल्क 1 जोड़ी जूता एवं 2 जोड़ी मोजा तथा 1 स्वेटर उपलब्ध कराये जाने की नवीन योजना प्रारम्भ की गई, जिसे वित्तीय वर्ष 2019-20 में भी संचालित किया गया तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 में संचालित कराये जाने का प्रस्ताव है।

1. स्कूल चलो अभियान तथा छात्र नामांकन-

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009 के अन्तर्गत, ''सब पढ़ें, सब बढ़ें'' के संकल्प को पूरा करने के लिए 'स्कूल चलो अभियान' के अन्तर्गत विद्यालयों में बच्चों के शत्-प्रतिशत नामांकन एवं ठहराव के उद्देश्य से रैलियों, गोष्ठियों का आयोजन किया गया। 'शारदा'

(स्कूल हर दिन आये) ''ऑनलाइन पोर्टल''के माध्यम से प्रदेश के आउट ऑफ स्कूल/ड्रॉप आउट बच्चों का चिन्हांकन करके उनका नामांकन कराया गया। शैक्षिक सत्र 2019-20 में, परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में लगभग 1.60 करोड़ बच्चों का नामांकन कराया गया है, जो गत वर्ष से लगभग 02 लाख अधिक है। वर्ष 2020-21 में भी परिषदीय विद्यालयों में छात्र नामांकन को बढ़ाने का लक्ष्य है।

2. कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय भवन का निर्माण

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए रुपये 155.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु रुपया 155.35 लाख का प्रावधान है।

3. निःशुल्क पाठ्य-पुस्तक का वितरण

बेसिक शिक्षा परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रतिवर्ष कक्षा 1 से 8 तक के समस्त छात्र-छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराने की व्यवस्था है।

4. निःशुल्क यूनीफार्म वितरण

योजनान्तर्गत परिषदीय विद्यालयों के समस्त वर्ग की बालिकाओं एवं अनुसूचित जाति-जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के समस्त बालकों तथा सामान्य वर्ग के बी.पी.एल. (गरीबी रेखा से नीचे) परिवार के बालकों को निःशुल्क यूनीफार्म राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी जाती है। प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 4000.00 लाख की धनराशि का प्रावधान किया गया है जिसकी स्वीकृति जारी की जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु निःशुल्क यूनीफार्म दिये जाने हेतु रु. 4000.00 लाख का बजट प्रावधान है।

5. विद्यालयी खेलकूद तथा स्काउट एवं बालचर कार्यक्रम

शैक्षिक संस्थाओं में शैक्षिक कार्यक्रमों के साथ-साथ शिक्षणेत्तर कार्य कलापों को भी महत्व दिया जाता है। खेलकूद से ही स्वस्थ्य शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। विद्यालयी खेलकूद कार्यक्रम में प्रतिस्पर्द्धा करने का बढ़ावा मिलता है। इससे अपने ज्ञान व खेल के स्तर के उन्नयन के प्रति उत्कण्ठा पैदा होती है। इस हेतु बेसिक शिक्षा विभाग के विद्यायलयों के छात्र-छात्राओं के लिये प्रतिवर्ष प्रतियोगिताएं आयोजन की व्यवस्था है।

उपर्युक्त योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 110.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है, जिसकी वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। विकास खण्ड स्तर, जनपद स्तर, मण्डल स्तर एवं राज्य स्तर पर खेलकूद कार्यक्रमों का आयोजन किया गया एवं बच्चों को इसका लाभ प्राप्त हुआ। वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु. 120.00 लाख का प्रावधान है।

इस प्रकार वर्ष 2019-20 हेतु बालचर स्काउटिंग में रुपये 144.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है, जिसकी स्वीकृति जारी की जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये रु. 144.00 लाख का बजट प्रावधान है।

6. स्कूल बैग

वित्तीय वर्ष 2019-20 में, परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक, राजकीय विद्यालयों, अशासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक/ उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के कक्षा 1 से 8 तक के छात्र-छात्राओं को स्कूल बैग दिये जाने हेतु रु. 11000.00 की धनराशि का प्रावधान है जिसकी वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु रु. 11000.00 लाख का बजट प्रावधान है।

7. परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को निःशुल्क जूता-मोजा एवं स्वेटर उपलब्ध कराया जाना

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को निःशुल्क जूता एवं मोजा उपलब्ध कराये जाने हेतु रु. 30000.00 लाख का प्रावधान किया गया है जिसकी वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत छात्र-छात्राओं हेतु रु. 30000.00 लाख का बजट प्रावधान है।

8. अलाभित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को असहायतित विद्यालयों में प्रवेश दिलाये जाने की योजना

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा-12(1)ग के सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अलाभित समूह और दुर्बल वर्ग के बच्चों का नामांकन कराया जाता है। वर्तमान शैक्षिक सत्र 2019-20 में 59588 बच्चों का प्रवेश कराया गया। जिसके लिए रु. 400.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए रुपये 90,000 बच्चों को प्रवेश दिलाये जाने का लक्ष्य है। फीस प्रतिपूर्ति हेतु रु. 400.00 लाख की धनराशि एवं पाठ्य पुस्तक व निःशुल्क ड्रेस हेतु रु. 3000.00 लाख का बजट प्रावधान है।

निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा

परिषदीय विद्यालयों तथा स0प्र0 अशासकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों के परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति। 20- सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के लिए रु. 4000.00 लाख का प्रावधान है।

अलाभित समूह व दुर्बल वर्ग के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक व निःशुल्क ड्रेस का वितरण- 20- सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के लिए रु. 3000.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

अशासकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे अलाभित समूह एवं कमजोर वर्ग के कक्षा 1 से 8 के बच्चों की शिक्षा पर आने वाले व्यय के निमित्त सहायता-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के लिए रु. 400.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

प्रदेश में संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को निःशुल्क यूनीफार्म-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के लिए रु. 4000.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है।

अनौपचारिक शिक्षा

अनौपचारिक शिक्षा के अन्तर्गत परियोजना अधिकारी सहायक परियोजना अधिकारी का अधिष्ठान व्यय योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु. 368.55 लाख का बजट प्रावधान है।

साक्षर भारत मिशन-2012 योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के अन्तर्गत रु. 200.52 लाख का बजट प्रावधान है।

अध्यापक और अन्य सेवायें

चयनित अध्यापकों को उनकी विशिष्ट सेवाओं हेतु प्रति वर्ष राष्ट्रीय पुरस्कार/राज्य पुरस्कार प्रदान करने की योजना संचालित है। इस योजनान्तर्गत प्रतिवर्ष प्रदेश के चयनित अध्यापकों को राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर पुरस्कृत कर सम्मानित किया जाता है।

समग्र शिक्षा अभियान

समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु. 1331280.57 लाख का बजट प्रावधान है।

समग्र शिक्षा

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 से समग्र शिक्षा लागू की गयी है, जिसमें पूर्व से संचालित सर्व शिक्षा अभियान, माध्यमिक शिक्षा अभियान एवं टीचर एजूकेशन सम्मिलित किया गया है।

केन्द्र-राज्य अंशदान का प्रतिशत

समग्र शिक्षा भारत सरकार की केन्द्र पुरोनिधानित योजना है एवं राज्य के सभी जनपदों में संचालित है। वित्तीय पोषण का स्वरूप- भारत सरकार का अंश 60 प्रतिशत एवं राज्य सरकार का अंश 40 प्रतिशत है।

निर्माण कार्य

ऑपरेशन कायाकल्प

- परिषदीय विद्यालयों में आधारभूत अवस्थापना सुविधाओं हेतु 07 मानकों से संतृप्त करने के लिए अभियान गतिमान है। मार्च, 2020 तक 07 मानकों यथा-ब्लैकबोर्ड, बालक-बालिकाओं के पृथक-पृथक शौचालय, स्वच्छ पेयजल एवं मल्टीपल हैण्डवाशिंग प्रणाली, फर्श की मरम्मत/टाइल्स लगवाना, विद्युतीकरण, किचेनशेड का जीर्णोद्धार, विद्यालय प्रांगण में इण्टरलाकिंग टाइल्स मार्च, 2020 तक संतृत्प किया जाना है।
- मार्च, 2022 तक 02 मानक (बाउण्ड्रीवाल एवं फर्नीचर) हेतु अन्तर्विभागीय समन्वय स्थापित कर आधारभूत व्यवस्थाओं को चरणबद्ध ढंग से संतृप्त करना।

यूनिफार्म

- परिषदीय एवं राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत समस्त छात्राओं, अनुसूचित

जाति एवं जनजाति के छात्रों तथा बी0पी0एल0 परिवार के छात्रों को निःशुल्क स्कूल यूनीफार्म उपलब्ध करायी गयी जिसमें 1.46 करोड़ छात्र-छात्राएं लाभान्वित हुए।

निःशुल्क पाठ्य-पुस्तक

- समस्त परिषदीय, राजकीय एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 1-8 तक अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को गुणवत्तायुक्त निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकें उपलब्ध करायी गयी, जिससे 1.73 करोड़ छात्र-छात्राएं लाभान्वित हुए।

बालिका शिक्षा

- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय- प्रदेश पिछड़े विकास खण्डों में अपवंचित एवं कमजोर वर्ग की बालिकाओं के लिए कक्षा 6-8 तक की निःशुल्क आवासीय सुविधा सहित शिक्षा हेतु समस्त 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संचालित हैं, जिनमें कुल 73,790 बालिकाएं अध्ययनरत हैं।
- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं के संबंध में गैप एनालिसिस के आधार पर चिन्हित किये गये कार्यों की पूति हेतु प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही गतिमान है।
- कक्षा 8 से आगे की शिक्षा के लिए 404 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को उच्चीकृत किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
- **मीना कैम्पेन-** समुदाय को शिक्षा के प्रति जागरूक करने, बालिका शिक्षा के महत्व के बारे में जन सामान्य को अवगत कराने तथा मीना मंच को और सशक्त बनाने के उद्देश्य से मीना कैम्पेन आयोजित किया जा रहा है, जिसकी विषय वस्तु- ''खुशियों के सपने बुनो, बाल विवाह नहीं शिक्षा चुनो''। कैम्पेन, का मुख्य उद्देश्य कक्षा 5 तथा 8 पास बालिकाओं के शाला त्याग की प्रवृत्ति को समाप्त करना एवं बाल विवाह की रोकथाम के साथ ही मिड डे मील, प्रेरणा प्रणाली एवं आपेरशन कायाकल्प विषय पर भी व्यपक प्रचार-प्रसार किया जाना।
- विडियो वैन, नुक्कड, नाटकों, बस ब्राडिंग व रेडियो के माध्यम से 06 जनपदों के समस्त 52 विकास खंडों में फिल्म स्थानों यथा बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, कचहरी व प्रमुख चौराहों पर बालिका शिक्षा का महत्व, बच्चों को नियमित विद्यालय भेजने के लिये अभिभावकों को जागरूक करना।
- किशोर-किशोरियों को अभिव्यक्ति के अवसर देने व जीवन कौशल विकसित करने के लिए 45625 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मीना मंच गठित किये गये हैं तथा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सभी उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 7 एवं 8 के सभी बालक बालिकाओं के लिए जीवन कौशल शिक्षा के सत्र का संचालन किया जा रहा है।

समेकित शिक्षा

- विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों (दिव्यांग) के लिए समेकित शिक्षा- वाक्श्रवण दिव्यांग तथा दृष्टि दिव्यांग बच्चों को 08 माह हेतु 83 एक्सीलरेटेड लर्निंग कैम्प आवासीय सुविधा सहित संचालित

किये गये हैं, जिनमें 2,686 वाक्श्रवण दिव्यांग तथा 1,422 दृष्टि दिव्यांग बच्चों को आवासीय सुविधा सहित शिक्षा दी जा रही है।

- सहायक उपस्कर/उपकरण- एलिम्को कानपुर के सहयोग से 14545 दिव्यांग बच्चों को सहायक उपस्कर/उपकरण उपलब्ध कराये गये।
- मेडिकल एसेसमेन्ट कैम्प- बच्चों की दिव्यांगता की जांचकर दिव्यांगता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने हेतु 474 मेडिकल एसेसमेन्ट कैम्प का आयोजन किया गया। 23818 बच्चों का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया। 12358 बच्चों को सर्टिफिकेट प्रदान किये गये।
- समर्थ- दिव्यांग बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने तथा समावेशी शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों के मानीटिरिंग एवं रिपोर्टिंग के लिए ''समर्थ'' मोबाइल ऐप बेस्ड इन्टीग्रेटेड प्रणाली विकसित की गयी है।

सामुदायिक सहभागिता - निःशुल्क यूनीफार्म एवं पाठ्य-पुस्तकों का वितरण

- आउट ऑफ स्कूल बच्चों का चिन्हांकन एवं विशेष प्रशिक्षण-शैक्षिक सत्र 2019-20 में आउट ऑफ स्कूल बच्चों का चिन्हिांकन, पंजीकरण एवं नामांकन हेतु शारदा कार्यक्रम संचालित किया गया। प्रत्येक जनपद से 02-02 सदस्यों का राज्य स्तर पर मास्टर्स ट्रेनर्स प्रशिक्षित किया गया। समस्त जनपदों के न्याय पंचायत प्रभारी, खण्ड शिक्षा प्रभारी, जिला समन्वयक एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को राज्य स्तरीय ट्रेनर्स द्वारा समस्त जनपदों में कार्यशाला आहूत कर आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिन्हांकन हेतु उन्मुखीकरण किया गया। हाउस होल्ड सर्वे 3.21 लाख आउट ऑफ स्कूल बच्चों का चिन्हांकन किया गया। 6 वर्ष के 2.15 लाख बच्चे तथा 7-14 आयु वर्ग के 1.06 लाख बच्चों का नामांकन कराया गया।
- आउट ऑफ स्कूल बच्चों के लिए 10 आच्छादित जनपदों (आगरा, अलीगढ़, बरेली, फिरोजाबाद, गोरखपुर, कानपुरनगर, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद एवं प्रयागराज) में कौशल विकास हेतु कम्प्यूटर ट्रेनिंग आदि कौशल विकास मिशन से अनुबन्ध किया जाना प्रस्तावित है।
- **विद्यालय प्रबंध समिति-** विद्यालय प्रबन्ध समिति की मासिक बैठक माह के प्रथम बुद्धवार को आयोजित करने के हेतु शासनादेश जारी किया गया। परिषदीय विद्यालयों में विद्यालय प्रबन्ध समिति की मासिक बैठकों का कार्यवृत्त रिकॉर्ड करने हेतु एस0एम0सी0 बैठक रजिस्टर उपलब्ध कराया गया है। विद्यालय प्रबंध समिति की गतिविधियों के अनुश्रवण हेतु एस0एम0सी0 प्रेरणा मॉड्यूल लागू किया गया है।
- विद्यालय प्रबन्ध समितियों को सक्रिय करने हेतु समिति के समस्त सदस्यों को विद्यालय स्तर पर प्रशिक्षण प्रदेश के 1.58 लाख विद्यालयों में आयोजित किया जा रहा है। विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों के कार्य एवं दायित्व के बारे में प्रशिक्षित करने हेतु जनपहल प्रशिक्षण मॉड्यूल एवं हस्तपुस्तिका उपलब्ध करायी गयी।

- परिषदीय विद्यालयों में अभिभावक अध्यापक (पी0टी0एम0) की त्रैमासिक बैठक प्रत्येक माह के दूसरे सोमवार को आयोजित करने एवं वार्षिकोत्सव के आयोजन हेतु शासनादेश जारी किया गया है।
- विद्यालय प्रबन्ध समिति के सदस्यों को जागरूक करने एवं उनके कार्यों एवं दायित्वों की जानकारी देने हेतु शैक्षिक सत्र 2019-20 में दिनांक 19 अगस्त, 2019 से 26 फरवरी, 2020 तक जनपहल रेडियो कार्यक्रम का प्रसारण किया जाना है। 52 एपिसोड का प्रसारण-प्रत्येक सोमवार एवं बुद्धवार को मीडियम वेब से समय पूर्वान्ह् 11:30 बजे तक एवं विविध भारती तथा एफ0एम0 चैनल द्वारा पूर्वान्ह् 10:45 से 11:00 बजे तक किया जाता है।

नये महत्वपूर्ण क्रियाकलाप- मिशन प्रेरणा

- लक्ष्य- मार्च, 2022 तक प्रदेश के समस्त ब्लाक को बुनियादी शिक्षा प्राप्त ब्लाक (ग्रेड कम्पिटेन्ट ब्लॉक) घोषित करने का लक्ष्य है। कक्षा 01-05 के बच्चों में गणित एवं भाषा अधिगम स्तर सुनिश्चित करने के लिए मिशन प्रेरणा हेतु लक्ष्य (गोल) निर्धारित किए गए हैं, जिसमें लक्ष्यों को त्रैमासिक विभाजित करते हुए प्रेरणा तालिका में अंकित किया जायेगा, तथा विद्यालयों की कक्षा में चस्पा किया जायेगा। प्रत्येक माह प्रधानाध्यापक एवं एकेडमिक रिसोर्स पर्सन (एआरपी) द्वारा अनुश्रवण एवं प्रमाणीकरण किया जायेगा। इस लक्ष्य का विकासखण्डवार परियोजना से आबद्ध प्रतिष्ठित एजेन्सी के माध्यम से रैण्डम वेरिफिकेशन कराते हुए सम्बन्धित विकासखण्ड को प्रेरणा घोषित ब्लाक घोषित किया जायेगा, जिसमें विद्यार्थियों द्वारा ग्रेड कम्पीटेंसी को हासिल कर लिया गया है।
- **''मानव संपदा'' पोर्टल**- ''मानव संपदा'' पोर्टल के अंतर्गत शिक्षकों का सेवा-विवरण, समस्त प्रकार के अवकाश, सेवा-पुस्तिका, जी0पी0एफ0, चरित्र-पंजिका, प्रशिक्षण, पेंशन आदि संबंधी कार्यों हेतु त्वरित एवं पारदर्शी ऑनलाइन व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है, इसका उद्देश्य शिक्षकों की समस्याओं का त्वरित गति से निराकरण कराना है, जिससे कि शिक्षकों को अनावश्यक रूप से सम्बन्धित कार्यालय न आना पड़े और वह विद्यालय में शिक्षण कार्य पर अधिक से अधिक ध्यानाकर्षित कर सकेंगे।

वर्ष 2019-20 की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट हेतु परिव्यय, केन्द्रांश व राज्यांश

- समग्र शिक्षा की वार्षिक योजना एवं बजट 2019-20 की स्वीकृति हेतु दिनांक 13 जून, 2019 को आयोजित प्रोजेक्ट एप्रूवल बोर्ड, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार की बैठक में रु. 9050.52 लाख परिव्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इसके सापेक्ष भारत सरकार का 60 प्रतिशत अंश रु. 5451.49 करोड़ तथा राज्य सरकार को 40 प्रतिशत अंश रु. 3634.33 करोड़ बनता है।
- समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2020-21 तैयार किये जाने हेतु मानव संसाधन

विकास मंत्रालय, भारत सरकार से कोई दिशा-निर्देश अभी प्राप्त नहीं हुआ है। प्रोजेक्ट अप्रूवल की बैठक में प्राप्त स्वीकृति के आधार पर ही समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्ययोजना 2020-21 का परिव्यय निर्धारित हो सकेगा।

मध्याह्न भोजन योजना - एक परिचय

मध्यान्ह भोजन योजना भारत सरकार तथा राज्य सरकार के समवेत प्रयासों से संचालित है। सरकार द्वारा यह योजना 15 अगस्त, 1995 को लागू की गयी थी, जिसके अन्तर्गत कक्षा-1 से 5 तक प्रदेश के सभी सरकारी/परिषदीय/राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी बच्चों को 80 प्रतिशत उपस्थिति पर प्रति माह 03 किग्रा0 गेहूँ अथवा चावल दिये जाने की व्यवस्था की गयी है किन्तु योजना के अन्तर्गत छात्रों को दिये जाने वाले खाद्यान्न का पूर्ण लाभ छात्रों का न प्राप्त होकर उसके परिवार के मध्य बंट जाता था, इससे छात्र को वांछित पौष्टिक तत्व कम मात्रा में प्राप्त होते थे।

मा. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28 नवम्बर, 2001 को दिये गये निर्देश के क्रम में प्रदेश में दिनांक 01 सितम्बर, 2004 से पका-पकाया भोजन प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध कराने की योजना आरम्भ कर दी गयी। योजना की सफलता को दृष्टिगत रखते हुए अक्टूबर, 2007 से इसे शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉकों में स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी लागू किया गया एवं 01 अप्रैल, 2008 से समस्त ब्लॉकों मे विस्तारित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त राजकीय/स्थानीय निकाय, सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय के कक्षा-8 तक के छात्रों, मदरसों में भी योजना आच्छादित है। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अंतर्गत संचालित विशेष श्रमिक विद्यालयों में भी योजना को वर्ष 2010-11 में लागू किया गया।

- **मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण का गठन**

मध्याह्न भोजन योजना के क्रियान्वयन से विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु मध्याह्न भोजन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश का गठन अक्टूबर, 2006 में निम्न उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया गया है :

1. प्रदेश के राजकीय, परिषदीय तथा राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों, ई.जी.एस. एवं ए.आई.ई. केन्द्रों तथा अनुदानित मदरसों में अध्ययनरत बच्चों को पौष्टिक पका-पकाया भोजन उपलब्ध कराना।
2. पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराकर बच्चों में शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता को विकसित करना।
3. विद्यालयों में छात्र संख्या बढ़ाना।
4. प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों में विद्यालय में रुकने की प्रवृत्ति विकसित करना तथा ड्रॉप आउट रेट कम करना।
5. बच्चों में भाई-चारे की भावना विकसित करना तथा विभिन्न जातियों एवं धर्मों के मध्य के अन्तर को दूर करने हेतु उन्हें एक साथ बिठाकर भोजन कराना ताकि उनमें अच्छी समझ पैदा हो।

- **मध्यान्ह भोजन योजना से आच्छादित विद्यालय की श्रेणी एवं बच्चों की संख्या**

मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत वर्तमान में प्रदेश के लगभग 1,14,382 प्राथमिक विद्यालय एवं 54386 उच्च प्राथमिक विद्यालय में कुल 1,68,768 विद्यालय योजना से आच्छादित हैं, जिसमें प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत 123.15 लाख एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर 57.05 लाख कुल 180.20 लाख छात्र-छात्रायें योजना आच्छादित हैं, जो देश में सर्वाधित हैं।

- **मध्यान्ह भोजन योजना में कार्यरत रसोइया**

भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार निर्गत शासनादेश दिनांक 24.04.2010 द्वारा मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत प्रदेश में शैक्षिक सत्र 2019-20 में लगभग 3,96,959 रसोइया अनुमोदित है, जिसके सापेक्ष 3,95,247 लाख रसोइया विद्यालयों में कार्यरत है, जिसमें लगभग 90 प्रतिशत महिलायें कमजोर वर्ग से है। विद्यालय में अध्ययनरत् पाल्य के अभिभावकों में से रसोइया रखे जाने का प्राविधान है। इसकी मंशा यह है कि विद्यालय में पकाये जाने वाले भोजन की गुणवत्ता एवं शुद्धता बनी रहे।

वित्तीय व्यवस्था-

अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	वास्तविक आंकड़े 2018-19	आय-व्यय 2019-20	आय-व्यय अनुमान 2020-21
71	2202-01-112-01-02-खाद्यान्न एवं प्रबंधन व्यय (के0-100/रा0-0)	14517.21	13466.67	16950.76
71	2202-01-112-01-03-कुकिंग लागत आदि (के0-60/रा0-40)	107047.24	139118.04	174093.06
71	2202-01-112-01-02-मध्यान्ह भोजन हेतु बर्तन आदि का क्रय (के0-0/रा0-100)	-	0.01	0.01
71	2202-01-112-04-00-फल वितरण (के0-0/रा0-100)	15719.14	16670.83	16670.83
71	2202-01-112-05-00-एल0पी0जी0 कनेक्शन क्रय (के0-0/रा0-100)1	0.00	591.63	0.00
71	4202-01-201-09-24-केन्द्रीयकृत किचेन निर्माण (के0-0/रा0-100) पूँजीगत	1250.00	2500.00	2500.00
71	2202-01-789-01-03-कुकिंग लागत आदि (के0-60/रा0-40)	52578.02	53749.74	59165.70
71	2202-01-796-01-01-मध्यान्ह भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम (के0-60/रा0-40)	1437.37	2031.72	2055.72
	कुल	192548.98	228128.64	271436.08

अन्य बिन्दु

- प्रदेश सरकार के निर्देश पर मध्यान्ह भोजन योजना की गुणवत्ता चेक करने के लिए प्रत्येक विद्यालय में ''माँ समूह'' का गठन किया गया है।
- भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश के 15 जनपदों के 280 विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन योजना के सोशल ऑडिट का कार्य, सोशल ऑडिट निदेशालय के द्वारा किया जा रहा है।
- समस्त विद्यालयों में ''आदर्श किचेन'' व्यवस्थित किये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।
- प्रदेश के समस्त परिषदीय विद्यालयों में ''किचेन गार्डेन'' विकसित किये जाने का प्रस्ताव है।
- प्रदेश के समस्त प्राथमिक/उच्च प्राथमिक एवं राजकीय विद्यालयों को शत्-प्रतिशत गैस कनेक्शन से आच्छादित किया गया है।
- प्रदेश के समस्त विद्यालयों के प्रत्यक सोमवार तथा माह के अन्तिम बृहस्पतिवार को ताजा एवं मौसमी फल दिया जाता है।
- मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत कार्यरत रसोइयों को ''पोषणा फिल्म'' के माध्यम से प्रशिक्षण एवं जनपद स्तर पर रसोइया पाक-कला प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। उक्त के अतिरिक्त विकासखण्ड स्तर पर रसोइयों को प्रशिक्षण हेतु आयोजन किये जाने का प्रस्ताव है।
- अक्षयपात्र फाउन्डेशन द्वारा जनपद मथुरा के लगभग 1.68 लाख, जनपद लखनऊ के लगभग 1.51 लाख तथा गोरखपुर के लगभग 9000 छात्र/छात्राओं को केन्द्रीयकृत किचेन क माध्यम से मध्यान्ह भोजन वितरण किया जा रहा है। अन्य 11 जनपद यथा- वाराणसी, प्रयागराज, आगरा, कानपुर नगर, इटावा, कन्नौज, रामपुर, बलिया, आजमगढ़, अम्बेडकर नगर एवं गाजियाबाद में भी इस हेतु केन्द्रीयकृत किचेन का निर्माण प्रस्तावित है, जिसमें से 05 जनपदों यथा- वाराणसी, कानपुर नगर, आगरा, अम्बेडकर नगर एवं गाजियाबाद में केन्द्रीयकृत किचेन निर्माण हेतु रु. 2.5 करोड़ प्रति जनपद की दर से उपलब्ध कराया गया है।
- समस्त विद्यालयों में मेन्यू व लोगो दीवार पर प्रिन्ट कराने तथा कार्यरत रसोइयों हेतु एप्रेन, गलब्स व हेड कवर की व्यवस्था की जा रही है।

साक्षर भारत कार्यक्रम

महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा 4 जून, 2009 को संसद के संयुक्त अधिवेशन में अपने उद्बोधन में देश में महिलाओं की साक्षरता में सुधार एवं उन्हें प्राथमिकता के आधार पर साक्षर बनाये जाने पर बल दिया गया है। भारत सरकार द्वारा उक्त के परिप्रेक्ष्य में साक्षर भारत मिशन-2012 कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। योजना का शुभारम्भ औपचारिक रूप से 8 सितम्बर, 2009 को अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर हुआ। योजना को भारत सरकार द्वारा 1 अक्टूबर, 2009 से देश में लागू किया गया है।

साक्षर भारत योजना के अन्तर्गत देश के उन 365 जनपदों का चयन किया गया है, जहाँ वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर महिला साक्षरता दर 50 प्रतिशत से कम है। उत्तर प्रदेश में उपर्युक्त आधार पर 70 जनपदों (औरैया, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर एवं हापुड़ को छोड़कर) का चयन किया गया है। योजनान्तर्गत मुख्यतः 15+ वय वर्ग के निरक्षरों को बेसिक साक्षरता प्रदान करने का लक्ष्य है।

उत्तर प्रदेश में उपर्युक्त वय वर्ग में 182 लाख निरक्षरों को साक्षर किए जाने का लक्ष्य है, जिसमें 26 लाख पुरुष एवं 156 लाख महिलाएं सम्मिलित हैं ।

योजना का उद्देश्य

- 15+ वय वर्ग के निरक्षरों को बेसिक साक्षरता (कार्यात्मक साक्षरता) प्रदान करना।
- प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर एक 'लोक शिक्षा केन्द्र' की स्थापना करना, जिसके माध्यम से कार्यक्रम की गतिविधियों का संचालन करना, सतत् शिक्षा केन्द्र की व्यवस्था कराना, विकास कार्यक्रमों की जानकारी देना एवं खेलकूद मनोरंजन की गतिविधियों का आयोजन करना।
- नवसाक्षरों को उनकी साक्षरता को बनाये रखने के लिए बेसिक सहायता के उपरान्त समतुल्यता कार्यक्रम के माध्यम से औपचारिक शिक्षा से जोड़ा जाना।
- नवसाक्षरों को व्यावसायिक साक्षरता में जन शिक्षण संस्थान के माध्यम से प्रशिक्षण उपलब्ध कराना।
- नवसाक्षरों को जीवन-पर्यंत शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से लर्निंग सोसाइटी तैयार कर विभिन्न कार्यक्रमों के अवसर प्रदान करना।

लक्ष्य

- 80 प्रतिशत साक्षरता दर प्राप्त करना।
- जेण्डर गैप के वर्तमान अन्तर को 10 प्रतिशत तक लाना।
- सामाजिक, क्षेत्रीय, जेण्डर भेदभाव में कमी लाना।

साक्षर भारत मिशन की प्रगति

राज्य स्तर- राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण का पुनर्गठन करते हुए मा. मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में साधारण सभा का एवं मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया है।

जनपद स्तर- जनपद स्तर पर कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु लोक शिक्षा समिति का गठन किया गया है, जिसकी साधारण सभा मा. जिला अध्यक्ष, पंचायत की अध्यक्षता में तथा कार्यकारिणी समिति का गठन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में किया गया है।

ब्लॉक स्तर- ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक प्रमुख की अध्यक्षता में ब्लॉक लोक शिक्षा समिति का गठन किया गया है, जिसमें खण्ड शिक्षा अधिकारी को समिति का सदस्य-सचिव बनाया गया है।

ग्राम पंचायत स्तर- ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत लोक शिक्षा समिति का गठन किया गया है, जिसका सदस्य सचिव, ग्राम पंचायत स्तर पर परिषदीय प्राथमिक विद्यालय के वरिष्ठ प्रधानाध्यापक को सदस्य-सचिव बनाया गया है।

- भारत सरकार द्वारा योजना में वित्तीय प्रबन्धन हेतु फण्ड फ्लो मैनेजमेंट के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक को नोडल बैंक बनाया है, जिसके माध्यम से राज्य से ग्राम पंचायत तक कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी समितियों के खातों में धनराशि दी जाएगी।

- कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी स्तरों पर समितियों का गठन करते हुए ग्राम पंचायतों में लोक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना का कार्य पूर्ण कर केन्द्रों का संचालन किया गया है।
- असाक्षरों को बेसिक साक्षरता प्रदान करने के उद्देश्य से 15+ वय वर्ग के असाक्षरों को सर्वेक्षण के माध्यम से चिन्हित करते हुए साक्षरता केन्द्रों का संचालन प्रारम्भ कर लिया गया है।
- योजनान्तर्गत प्रत्येक वर्ष में दो बार आयोजित साक्षरता परीक्षा में अभी तक 133.53 लाख लोग सम्मिलित हुए हैं, जिनमें 102.37 लाख प्रतिभागी सफल घोषित हुए हैं। इस प्रकार सफलता का प्रतिशत 76.66 प्रतिशत रहा है। इन सभी सफल प्रतिभागियों को राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, भारत सरकार द्वारा प्रमाण-पत्र दिये गये हैं।

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, लखनऊ

भारत सरकार की शैक्षिक नीति के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश शासन द्वारा वर्ष-1981 में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गयी है। परिषद की स्थापना का मूल उद्देश्य शैक्षिक शोध, सेवापूर्व एवं सेवारत् प्रशिक्षण की व्यवस्था, प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम एवं पाठ्य-पुस्तकों का विकास तथा उनका संशोधन एवं पुनरीक्षण आदि है। इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित मूल्यों एवं मानवीय मूल्यों तथा प्रारम्भिक, माध्यमिक एवं शिक्षक-शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता सम्वर्द्धन हेतु परिषद सतत् प्रयासरत है।

परिषद के उद्देश्य और प्रमुख कार्य

- शिक्षा के गुणात्मक-उन्नयन की दृष्टि से क्रियात्मक अनुसंधान करना, अनुसंधानों का समन्वयन व क्रियान्वयन करना तथा उन्हें प्रोत्साहन देना।
- सेवा पूर्व/सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण का आयोजन तथा शिक्षक-प्रशिक्षण के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं को आवश्यक परामर्श एवं निर्देशन देना।
- नवीनतम शिक्षण विधियों तथा विशिष्ट कार्यक्रमों एवं उनके क्रियान्वयन से सम्बन्धित योजना को विद्यालयों तथा शैक्षिक आयोजकों तक पहुंचाना।
- शैक्षिक कार्यक्रमों के आयोजन हेतु राज्य के शिक्षा विभाग, विश्वविद्यालयों, अन्य शैक्षिक संस्थाओं और कतिपय अभिकरणों से सहयोग प्रदान करना।
- विद्यालयी शिक्षा के स्तर को उन्नत बनाने की दृष्टि से राज्य प्रशासन तथा अन्य अभिकरणों को परामर्श देना।
- पाठ्यक्रम, पाठ्य-पुस्तकों, शिक्षक-संदर्शिका, प्रशिक्षण मॉड्यूल, शिक्षण-सामग्री तथा अन्य उपयोगी साहित्य का विकास, प्रकाशन एवं प्रचार-प्रसार करना।
- सरकार द्वारा संदर्भित अनुसंधान और प्रशिक्षण संबंधी अन्य कार्यक्रमों का आयोजन।

माध्यमिक शिक्षा

"सभी सुशिक्षित सभ्य बने, जन-जन का कल्याण करें" के सर्वमान्य सिद्धान्तों के लिए शिक्षा, एक अत्यन्त सशक्त एवं प्रभावकारी माध्यम है। शिक्षा राष्ट्र के वर्तमान एवं भविष्य निर्माण का अनुपम साधन है। शिक्षा ही मानव को सुसंस्कृत एवं सभ्य बनाकर एक सुन्दर आदर्श समाज का निर्माण करती है, जो संविधान के प्रति निष्ठा, धर्म निरपेक्षता एवं लोकतंत्र के आदर्श मूल्यों की प्राप्ति में मार्गदर्शन कर सहायता करती है। बौद्धिक सम्पन्नता एवं राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता की आधारशिला शिक्षा ही है। व्यक्ति और समाज के बहुमुखी विकास के लिए शिक्षा की उपादेयता निर्विवाद है।

1972 तक शिक्षा निदेशक के अन्तर्गत प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च तथा प्रशिक्षण स्तर की शिक्षा संचालित थी। शिक्षा के बढ़ते कार्यों, विद्यालयों एवं नये-नये प्रयोगों के कुशल संचालन कार्यक्रम को अधिक गतिशील एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से वर्ष 1972 से शिक्षा निदेशालय के विभाजन का निर्णय शासन स्तर पर किया गया। जिसके अन्तर्गत बेसिक शिक्षा निदेशक एवं उच्च शिक्षा निदेशक के पदों का सृजन कर इसे तीन खण्डों में विभाजित किया गया, किन्तु 1975 में बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा का एकीकरण कर दिया गया जबकि उच्च शिक्षा यथावत अलग चलता रहा। वर्ष 1985 में बेसिक शिक्षा को अधिक प्रभावी एवं गतिशील बनाने के लिए पृथक से बेसिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना की गई। उक्त तीन निदेशालयों के अतिरिक्त प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थाओं को प्रभावी नियंत्रण एवं प्रशासन देने के उद्देश्य से वर्ष 1981 में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गई तथा इसके लिए भी अलग से एक निदेशक नियुक्त किए गए।

प्रदेश के प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा तथा उर्दू एवं प्राच्य भाषा प्रशिक्षण एवं शोध कार्यक्रमों को अधिक गतिशील और प्रभावी बनाने के उद्देदश्य से अलग-अलग निदेशालय स्थापित किए गए है। इन पाँच निदेशालयों हेतु एक आय-व्ययक सम्मिलित रूप से बनता था। विभिन्न कार्यक्रमों की जनधारणा, नीति, स्वरूप एवं आकार तथा इसके नियोजन और कार्यान्वयन व आवश्यकताओं आदि की दृष्टिगत रखते हुये शासन ने यह निर्णय लिया कि वर्ष 1986-87 से प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्रशिक्षण एवं शोध कार्यक्रमों का अलग-अलग आय-व्ययक तैयार हो। उर्दू का आय-व्ययक माध्यमिक शिक्षा में ही शामिल कर बनाया जाता है।

इस प्रकार वर्ष 1994-95 से अनुदान सं0-71 के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा, अनुदान सं0-72

के अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा, अनुदान सं0-73 के अन्तर्गत उच्च शिक्षा तथा अनुदान सं0-75 के अन्तर्गत राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के आय-व्ययक तैयार करने का प्राविधान किया गया है।

संयुक्त शिक्षा के प्रचार-प्रसार तथा उन्नयन हेतु उ0प्र0 शासन द्वारा माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद् अध्यादेश-2000, दिनांक 30 दिसम्बर, 2000 को प्रख्यापित किया गया। इस परिषद् का अध्यक्ष शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) को ही बनाया गया। प्रथमा, मध्यमा और उत्तर मध्यमा, कक्षाओं के परीक्षा पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकें तथा शिक्षण-सामग्री का निर्धारण एवं इन पर आख्याओं का संचालन कराने का दायित्व संस्कृत शिक्षा परिषद् को सौंपा गया। यह परिषद् 1 मार्च, 2000 को गठित होकर कार्यरत है।

शिक्षा निदेशक (मा0) की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा परिषद् भी अपने दायित्वों का निर्वहन कुशलता से कर रहा हे। हाईस्कूल, इण्टर, पत्राचार एवं व्यावसायिक शिक्षा की परीक्षाओं के संचालन हेतु पाठ्यक्रमों का निर्धारण, विद्यालयों को मान्यता, राष्ट्रीयकृत पुस्तकों के निर्माण एवं प्रकाशन तथा शोध कार्यक्रमों का मूल्यांकन करना माध्यामिक शिक्षा परिषद् के प्रमुख दायित्वों में से है। माध्यमिक शिक्षा परिषद् अपने चार क्षेत्रीय कार्यालयों (प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, बरेली) तथा प्रयागराज स्थित मुख्यालय क्रमशः अपर सचिव एवं सचिव के देखरेख में कार्यरत है।

केन्द्र पुरोनिधानित समग्र शिक्षा अभियान (माध्यमिक शिक्षा) का मुख्य उददे्श्य-14 से 18 आयुवर्ग के सभी बालक-बालिकाओं विशेष रूप से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की छात्र-छात्राओं को माध्यमिक स्तर पर गुणवत्तापूर्ण एवं व्ययभार वहन योग्य शिक्षा उपलब्ध कराना है। इस हेतु शैक्षिक अवस्थापना सुविधओं की व्यवस्था की जानी है। अभियान अवधि में माध्यमिक स्तर पर निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त किया जाना है।

- उच्च प्राथमिक विद्यालयों को उच्चीकृत कर उच्च माध्यमिक विद्यालय तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों को उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बनाया जाना।
- समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा की पहुंच विशेषकर समाज के सभी वर्गों एवं क्षेत्रों के समस्त बालक-बालिकाओं एवं ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रहने वाले विशेषकर दिव्यांग छात्रों तथा अपवंचित श्रेणी के बच्चों के लिए सुनिश्चित की जायेगी।

समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत निम्नलिखित योजनाओं का संचालन किया जा रहा है-

1. राजकीय हाईस्कूलों की स्थापना
2. राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा के विभिन्न ट्रेडों का संचालन
3. बलिका छात्रावासों का निर्माण एवं निर्मित बालिका छात्रावासों का संचालन
4. आई0ई0डी0एस0एस0 योजना के अन्तर्गत दिव्यांग छात्रों हेतु समेकित शिक्षा योजना
5. कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु कला उत्सव का आयोजन

6. राजकीय माध्यमिक विद्यालयों हेतु वार्षिक विद्यालय अनुदान
7. राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों का सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण

इनके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण योजनायें संचालित की गई हैं:-

1. सैनिक स्कूल की स्थापना
2. मण्डल/जिला स्तर पर शिक्षा कार्यालय तथा आवासीय भवनों का निर्माण
3. राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के भवनों का निर्माण, विस्तार, विद्युतीकरण तथा भूमि/भवन क्रय

शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा से संबंधित कार्य सम्पादित किये जाते है। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा स्तर के कार्यालयों और माध्यमिक विद्यालयों को दिशा निर्देश एवं मार्ग-दर्शन देने के अतिरिक्त राज्य योजनाओं और जिला योजनाओं के अन्तर्गत नवीन योजनाओं का बजट प्रारूप तैयार किया जाता है। इन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु समय-समय पर दिशा-निर्देश भी दिये जाते है। शिक्षा में गुणात्मक सुधार तथा उन्नयन हेतु गोष्ठियों और सम्मेलनों के आयोजन से संबंधित कार्य का सम्पादन किया जाता है।

माध्यमिक शिक्षा के अधीन चल रहे अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के वेतन वितरण की व्यवस्था एवं सभी विद्यालयों के लेखों की समुचित जांच कराने के लिए शिक्षा विभाग के लेखा संगठन को सुदृढ़ किया गया है।

माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की स्थापना

अशासकीय मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापकों तथा अध्यापकों की नियुक्ति/प्रोन्नतियों हेतु वर्ष 1982 में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का गठन किया गया। कालान्तर में आयोग को विघटित करते हुए क्षेत्रीय चयन बोर्डों की स्थापना प्रयागराज, वाराणसी तथा मेरठ में की गई। पुनः इन तीनों क्षेत्रीय चयन बोर्डों को समाप्त करते हुए अधिसूचना दिनांक 22-4-98 द्वारा उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का गठन किया गया। चयन बोर्ड वर्तमान में प्रयागराज में स्थापित है।

पत्राचार शिक्षा संस्थान, उ०प्र०, प्रयागराज

मानव संस्कृति एवं सभ्यता के विकास के साथ ही शिक्षा का अभ्युदय हुआ है। सामाजिक चेतना, जन समूह की आवश्यकता, देशकाल की विशिष्टता परिस्थिति एवं युग धर्म ने शिक्षा व्यवस्था तथा प्रक्रिया को सदैव प्रभावित किया है। अस्तु सामाजिक न्याचय एवं संवैधानिक दायित्व को पूर्ण करने का उद्देय से दूर शिक्षा पत्राचार शिक्षा-विधा का अभ्युदय एक स्वभाविक प्रक्रिया है।

दूर शिक्षा विधा में समाज के प्रत्येक स्तर के व्यक्ति को उसकी आवश्यकता एवं आकांक्षा के अनुसार स्तरीय शिक्षा प्रदान करने की व्यापक व्यवस्था है और अपनी इसी उदारता के कारण दूर शिक्षा, विद्यार्थी को उसके घर पर शिक्षा प्रदान करने में सफल सिद्ध हुयी है। शिक्षा का अवसर प्रत्येक व्यक्ति को उसकी सुविधा एवं आवश्यकता के अनुसार प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 1980-81 में पत्राचार शिक्षा संस्थान, उ0प्र0 प्रयागराज की स्थापना की गयी।

पत्राचार शिक्षा सामान्य योजना (दो वर्षीय योजना)

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा संचालित इण्टरमीडिएट परीक्षा में व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के रूप में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के शैक्षिक स्तर को उन्नत करने के उद्देश्य से वर्ष 1982-83 से यह योजना संचालित हैं। इण्टरमीडिएट व्यक्तिगत परीक्षा के लिये मानविकी, वैज्ञानिक एवं वाणिज्यिक वर्ग के परीक्षार्थियों के लिये संस्थान द्वारा 29 विषयों में पत्राचार शिक्षण की व्यवस्था की जाती थी, किन्तु शासनादेश संख्या-6699/15-7-2004-01(87)/2000 दिनांक 28 सितम्बर 2004 द्वारा खेल एवं शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य विषय घोषित किये जाने के बाद अब कुल 30 विषयों में पत्राचार की व्यवस्था की गयी है।

एक वर्षीय पत्राचार शिक्षा योजना

शासन द्वारा माध्यमिक शिक्षा परिषद् उ0प्र0 के विनियमों के अध्याय 12 के उपखण्ड-4 और 5 को विखण्डित कर उपखण्डों-37(2) जोड़ते हुए उन सभी व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के लिये जो कक्षा-11 या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण है, को पत्राचार शिक्षा में पंजीकृत कर एक वर्षीय पत्राचार शिक्षा पाठ्यक्रम का अनुसरण करना अनिवार्य कर दिया गया है, जो अवैध ढंग से कक्षा-11 या कमकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाणपत्र माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित इण्टरमीडिएट की व्यक्तिगत परीक्षा में सीधे सम्मिलित हो जाते थे।

गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों की सहायता

(रुपये लाख में)

मद	वास्तविक व्यय 2018–19	पुनरीक्षित अनुमान 2019–20	आय–व्ययक अनुमान 2020–21
राजस्व	667180.41	777817.30	848064.00

इस शीर्षक के अन्तर्गत गैर सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन, मंहगाई तथा क्षतिपूर्ति एवं अनुमन्यता आदि पर व्यय होने वाले मद के लिये अनुदान दिये जाते है। अनुदान का आवंटन साख-सीमा योजना के अन्तर्गत कोषाधिकारियों तथा आहरण एवं वितरण अधिकारियों के पक्ष में किया जाता है। आहरण एवं वितरण अधिकारी आवंटित धनराशि की सीमा तक की कोषागारों से अनुदान का आहरण कर सकते है। इसी शीर्षक के अन्तर्गत बालक तथा बालिका विद्यालयों को वेतन भत्ते आदि से संबंधित धनराशियों को प्राविधान किया जाता है।

केन्द्रीय राज्य पुस्तकालय

इस पुस्तकालय की स्थापना वर्ष 1940 में हुई थी। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य यह है कि पुस्तकालय में शिक्षा संबंधी पुस्तकों तथा पत्र-पत्रिकाओं का अच्छा संकलन किया जाय। इसके अतिरिक्त रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत प्रदेश में प्रकाशित पुस्तकों का संकलन भी इस पुस्तकालय

में किया जाता है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस पुस्तकालय के नये भवनों का निर्माण कराया गया। वर्ष 2020-21 में वेतनादि मदों में रू0 422.65 लाख का प्राविधान प्रस्तावित किया गया हैं।

पुस्तकालय की नीति एवं पद्धति का विकास

सचिवालय स्तर पर शिक्षा विभाग के अन्तर्गत एक पुस्तकालय प्रकोष्ठ की स्थापना वर्ष 1980-1981 में की गई है। इस प्रकोष्ठ का यह उत्तरदायित्व है कि वह प्रदेश के लिए आधुनिक पुस्तकालय पद्धति के विषय में आवश्यक परियोजनाएं बनायें और प्रशासनिक तथा तकनीकी कार्य करें। वर्ष 2020-21 में रू0 29.51 लाख का बजट प्राविधान प्रस्तावित किया गया है।

अमीरूद्दौला पब्लिक लाइब्रेरी, लखनऊ के विकास एवं सुदृढ़ीकरण हेतु शासन ने राजस्व पक्ष में वर्ष 2020-21 में रू0 91.00 लाख का बजट प्राविधान प्रस्तावित किया गया है।

सार्वजनिक पुस्तकालयों को अनुदान

सार्वजनिक पुस्तकालयों को अनुदान नामक इस योजना के अन्तर्गत पुस्तकालयों को पुस्तकीय सहायता तथा भवन निर्माण एवं फर्नीचर क्रय हेतु सहायता उपलब्ध कराई जाती है। प्रतिवर्ष अधिक से अधिक सार्वजनिक पुस्तकालय इस परियोजना से लाभ उठाते है। वर्ष 2020-21 में रू0 40.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है।

उत्तर प्रदेश में व्यावसायिक शिक्षा योजना

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्रोग्राम ऑफ एक्शन के अनुसार उत्तर प्रदेश में केन्द्र पुरोनिधानित व्यावसायिक शिक्षा योजना वर्ष 1989-90 से प्लस दो स्तर पर (इण्टरमीडिएट) से प्रारम्भ की गयी थी। वर्तमान में उक्त योजनान्तर्गत से 892 माध्यमिक विद्यालय अच्छादित है।

चयनित विद्यालयों में माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा 35 ट्रेडो में से प्रत्येक विद्यालय में दो या तीन उपयोगी ट्रेड स्वीकृत किये गये है।

व्यावसायिक शिक्षा में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को हिन्दी अनिवार्य के साथ-साथ वैकल्पिक विषय, सामान्य आधारित विषय तथा व्यावसायिक ट्रेडों में एक-एक ट्रेड लेना होता है।

प्रदेश में 892 व्यावसायिक शिक्षा योजना के अन्तर्गत चयनित माध्यमिक विद्यालयों में लगभग 6 वर्षों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं का विवरण निम्नवत् हैः-

क्र0सं0	वर्ष	छात्र संख्या	उत्तीर्ण प्रतिशत
1	2014—15	47326	92.06
2	2015—16	40483	91.95
3	2016—17	38168	96.50
4	2017—18	38754	92.41
5	2018—19	42321	96.57

ट्रेडों में अध्यापन कार्य अतिथि विषय विशेषज्ञों के माध्यम से कराये जाने की व्यवस्था है। अतिथि विषय विशेषज्ञों के मानदेय वृद्धि के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-868/ पन्द्रह-10-2018-1(137)/03-टी0सी0, दिनांक 05 जुलाई, 2018 द्वारा माध्यमिक शिक्षा के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत अतिथि विषय विशेषज्ञों के मानदेय की दरों में निम्नवत् वृद्धि करते हुए संशोधन किया गया है।

(1)	इण्टर स्तर पर कार्यरत व्यावसायिक शिक्षक/अतिथि विषय विशेषज्ञ	500 प्रति व्याख्यान/अधिकतम 15000 प्रतिमाह
(2)	हाईस्कूल स्तर पर कार्यरत व्यावसायिक शिक्षक/अतिथि विषय विशेषज्ञ	500 प्रति व्याख्यान/अधिकतम 15000 प्रतिमाह

वित्तीय वर्ष 2019-20 में अतिथि विषय विशेषज्ञों के मानदेय भुगतान हेतु रूपये 30.00 करोड़ का बजट प्राविधान है। उक्त धनराशि के सापेक्ष 25.50 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो गयी है। उक्त धनराशि सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षकों को उपलब्ध करा दी गयी है। अध्यापन कार्य कर रहे अतिथि विषय विशेषज्ञों को शैक्षिक योग्यता का निर्धारण शासनादेश संख्या - 839/15-10-2011, दिनांक 12-08-2011 (यथासंशोधित दिनांक 27-03-2015) द्वारा किया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में अतिथि विषय विशेषज्ञों के मानदेय भुगतान हेतु 50.00 करोड़ का बजट प्राविधान है।

समग्र शिक्षा अभियान

केन्द्र पुरोनिधानित राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजना को भारत सरकार द्वारा समग्र शिक्षा अभियान के रूप में सर्व शिक्षा अभियान के साथ एकीकृत कर दिया गया है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजना के अन्तर्गत संचालित समस्त योजनाओं को तद्नुसार समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत संचालित किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार इस योजना के प्रदेश में लागू किया गया है। इसके अन्तर्गत मुख्य रूप से माध्यमिक स्तर के छात्र-छात्राओं के लिए निर्धारित दूरी पर माध्यमिक स्तरीय शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराना, माध्यमिक विद्यालयों का सुदृढ़ीकरण, गुणवत्ता-विकास तथा सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण का आयोजन है। वर्ष 2009-10 से अद्यतन कुल 1486 राजकीय हाईस्कूल स्थापित कराये गये है। तद्नुसार इन विद्यालयों के संचालन हेतु प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकों के पद भी सृजित किये गये है।

योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में 35193.25 लाख वेतन एवं 20000.00 लाख गैर वेतन मद में कुल 55193.25 लाख का बजट प्रावधान किया गया था, जिसके सापेक्ष वेतन मद में 25345.42 लाख तथा गैर वेतन मद में 19440.42 लाख कुल 44785.84 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई थी। वित्तीय वर्ष 2018-19 में 37377.91 लाख वेतन का बजट प्रावधान किया गया था जिसके सापेक्ष 33544.88 लाख की वित्तीय स्वीकृतियां जारी की गयी थी। वित्तीय वर्ष 2019-20 में 40023.87 लाख वेतन का बजट प्रावधान किया गया है जिसके दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 सापेक्ष 20417.15 लाख की वित्तीय स्वीकृतियां जारी की जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में समग्र माध्यमिक शिक्षा अभियान हेतु 685.86 करोड़ का बजट प्रस्तावित है।

शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े विकास खण्डों में माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत अपवंचित वर्ग की बालिकाओं के लिए 191 बालिका छात्रावासों के निर्माण हेतु स्वीकृति प्राप्त हुई है जिनमें से 107 बालिका छात्रावास निर्मित हो चुके हैं तथा शेष का निर्माण कार्य प्रगति पर है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 भी 21693.82 लाख का बजट प्रावधान था, जिसके सापेक्ष 6854.30 लाख को स्वीकृत, निर्गत की गयी थी। वर्ष 2017-18 में उक्त योजनान्तर्गत 21693.82 लाख का बजट प्रावधान किया गया था तथा इसके सापेक्ष 8810.50 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई थी। वर्ष 2018-19 में उक्त योजनान्तर्गत 21693.82 लाख का बजट प्रावधान किया गया था तथा इसके सापेक्ष 3329.53 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई थी। वर्ष 2019-20 में उक्त योजनान्तर्गत 21693.82 लाख का बजट प्रावधान किया गया है। अब यह योजना समग्र शिक्षा अभियान का अंग है।

उर्दू निदेशालय

शासनादेश संख्या-2717/15-13-07(35)/201 दिनांक 15 नवम्बर, 2007 द्वारा निदेशक, उर्दू एवं प्राच्य भाषाएं, उ.प्र., लखनऊ के पद को समाप्त कर दिये जाने के फलस्वरूप निदेशक, उर्दू एवं प्राच्य भाषायें, उ0प्र0 लखनऊ के पदनाम को बदलकर अब निदेशक, साक्षरता, वैकल्पिक शिक्षा, उर्दू एवं प्राय भाषाऐं, उ.प्र. लखनऊ कर दिया गया है। इस अनुभाग में अधिकारियों/कर्मचारियों के 14 पद सृजित है, जिनका विवरण आगे दिया गया है। सम्प्रति इस अनुभाग द्वारा साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा से सम्बन्धित कार्य किया जा रहा है तथा आगे भी साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा से संबंधित कार्य किया जायेगा।

उर्दू भाषा की शिक्षा एवं उर्दू के विकास पर कार्य

प्राथमिक स्तर

प्रदेश में प्राथमिक स्तर पर अल्पसंख्यक के बच्चों को अपनी मातृभाषा के माध्यम से शैक्षिक सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु प्राथमिक विद्यालयों में एक कक्षा में पांच से अधिक छात्र उपलब्ध होने पर उर्दू के एक अध्यापक की व्यवस्था की जाती है। इसके अतिरिक्त बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालायों में उर्दू पढ़ने के लिए अग्रिम छात्र पंजिका रखने तथा उसे भरे जाने हेतु पूर्व से ही स्थायी निर्देश हैं, जिसे नये सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व अभिभावक अपने बच्चे को विद्यालय में प्रवेश दिलाने के समय उसको भाषा पढ़ाने विषयक विवरण अंकित कर सकें। सम्प्रति अग्रिम छात्र पंजिका प्रवेश के सभी बेसिक शिक्षा परिषदीय, प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा मान्यता प्राप्त प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मातृभाषा तथा जिस भाषा के माध्यम से छात्र पढ़ना चाहता है, के सम्बन्ध में सूचना देने का प्राविधान किया गया है। विद्यालयों में उर्दू पढ़ाने हेतु समय सारिणी में पृथक से व्यवस्था की जाती है।

परिषदीय-सीनियर बेसिक स्कूलों में कक्षा-6 से 8 तक त्रिभाषा योजनान्तर्गत उर्दू भाषा को एक विषय के रूप में पढ़वाने की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है।

उर्दू शिक्षा सम्बन्धी अन्य सुविधायें

उर्दू प्रवीणता परीक्षा

राजकीय स्थानीय निकायों एवं सार्वजनिक निगमों के कर्मचारियों को उर्दू सीखने हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष उर्दू की दो प्रवीणता परीक्षायें जूनियर हाईस्कूल स्तर तथा हाईस्कूल स्तर की रजिस्टर, विभागीय परीक्षायें, उ0प्र0 इलाहाबाद द्वारा संचालित होती है। इन परीक्षाओं में हाईस्कूल स्तर की परीक्षा उत्तीण होने वाले कर्मचारियों को प्रमाण-पत्र के अतिरिक्त प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण कर्मचारियों को रू0 700/-, द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण कर्मचारियों को रू0 500/-, तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को रू0 400/- तथा जूनियर हाईस्कूल स्तर की उर्दू की वैकल्पिक प्रवीणता परीक्षा प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी में उत्तीण होने पर क्रमशः रू0 300/-, 200/- तथा 100/- का पुरस्कार दिये जाने का प्राविधान है।

उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र

भारत सरकार द्वारा संचालित केन्द्रीय भाषा संस्थान, मैसूर द्वारा देश के विभिन्न स्थानों पर गैर उर्दू जानकार जूनियर/माध्यमिक स्तरों के लिए विभिन्न विषयों के अध्यापकों के उर्दू तथा अन्य भारतीय भाषाओं में 10 माह का प्रशिक्षण आयोजित होता है। इस योजनान्तर्गत उर्दू शिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र मदन मोहन मालवीय मार्ग, लखनऊ में खोला गया है। यहां शिक्षण की अवधि में अध्यापकों को पूरा वेतन तथा रू0 800/- मसिक छात्रवृत्ति तथा मार्ग व्यय दिया जाता है। प्रोत्साहन स्वरूप इन प्रशिक्षित अध्यापकों को उर्दू भाषा शिक्षण करने पर रू0 70/- प्रतिमाह का भुगतान भी केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है। यदि वे अपने विद्यालय में कम से कम 10 छात्रों को उर्दू पढ़ाते है।

उच्च शिक्षा

पं0 दीनदयाल उपाध्याय के व्यक्तित्व, कृतित्व एवं चिन्तन पर शोध कार्य हेतु प्रदेश के 15 राज्य विश्वविद्यालयों में पं0 दीनदयाल उपाध्याय शोधपीठ की स्थापना की गयी है। इसके अतिरिक्त शोध कार्यों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ में भाऊराव देवरस शोधपीठ तथा अभिनव गुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ शैव फिलास्फी एवं एस्थेटिक्स की स्थापना की गयी है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ में अटल सुशासन पीठ की स्थापना की गयी है तथा महात्मा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय रोजगार पीठ की स्थापना की कार्यवाही गतिमान है। वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर में प्रो0 राजेन्द्र सिंह (रज्जू भैया) इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल साइन्स ऑफ स्टडी एण्ड रिसर्च तथा रिसर्च सेण्टर फॉर रिन्यूएबल एनर्जी एण्ड नैनो साइन्स एण्ड टेक्नोलॉजी की स्थापना की गयी है।

प्रस्तावना

सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं नैतिक विमर्शों पर मानवीय संवेदनाओं, एवं मानवता को प्रबोधित कर व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास का अवसर उपलब्ध कराने वाली उच्च शिक्षा, वैश्वीकरण से ओत-प्रोत वर्तमान तीव्र परिवर्तनशील परिवेश में नवीन अवसरों एवं चुनौतियों के ऐसे दौर से गुजर रही है, जिसमें एक ओर उच्च शिक्षा के प्रति बढ़ती जनचेतनाओं एवं आकांक्षाओं से वर्तमान संरचना पर बढ़ते दबाव का सामना करना है तो वहीं दूसरी ओर अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा एवं गुणवत्ता के विश्वव्यापी वातावरण में ज्ञान के सृजन के द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक लाभ एवं क्षमतायें अर्जित करने के अवसरों को प्राप्त करना भी आवश्यक हो गया है।

सर्वमान्य सत्य है कि ज्ञान-विज्ञान तथा वैश्वीकरण के इस दौर में एक शक्तिशाली एवं सर्वांग विकसित राष्ट्र के निर्माण में सर्वाधिक निर्णायक भूमिका शिक्षा जगत की है। उच्च शिक्षा की भूमिका मात्र बुद्धि विलास अथवा अक्षर ज्ञान नहीं है अपितु उच्च शिक्षा की अधोलिखित भूमिकायें स्वीकार की गयी हैं:-

1. सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण, उदात्त मूल्यों वाले चारित्रिक गुणों का विकास तथा देश की बहुलतावादी संस्कृति का संवर्द्धन करना।
2. मानव संसाधन का विकास करना एवं वैज्ञानिक तरीके से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षित व्यक्तियों को तैयार करना जो विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्धा में अपनी श्रेष्ठता प्रमाणित कर सकें।

3. अनुसंधान की सुविधाएं उत्पन्न कराना और अन्तरानुशासनिक अध्ययन को प्रोत्साहित करना।
4. समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धान्त पर शिक्षा प्रणाली को विकसित करना।
5. समरसता, धर्मनिरपेक्षता तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रमुखता देना।
6. लोकतांत्रिक संस्थाओं में दृढ़ आस्था रखने वाले जागरूक तथा राष्ट्र समर्पित पीढ़ी को तैयार करना।
7. विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में अवस्थित उच्च शिक्षा के केन्द्रों एवं संस्थानों के नवीनतम पाठ्यक्रमों तथा शोध परिणामों की प्राप्ति, उनका विश्लेषण, अनुप्रयोग तथा संवर्द्धन करना।

इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शासन द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि प्रदेश के उच्च शिक्षा की संस्थाओं को आधुनिकतम संसाधनों से परिपूर्ण उच्च कोटि की शिक्षण व्यवस्था उपलब्ध हो, साथ ही इस बात पर विशेष बल दिया जा रहा है कि छात्र/छात्राओं को व्यवसायपरक कौशल विकास शिक्षा प्रदान की जाय, जिससे प्रदेश का युवा वर्ग स्वावलम्बी बन सके। शिक्षित युवाओं की सरकारी सेवाओं पर निर्भरता में उत्तरोत्तर कमी और उनका देश की समृद्धि में योगदान सुनिश्चित करने के लिए रोजगारपरक पाठ्यक्रमों के विकास पर बल दिया जा रहा है साथ ही निरोग रहने हेतु योग को एक विषय के रूप में शिक्षा प्रदान करने को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस समय शासन विशेष सक्रियता के साथ सुयोग्य प्राध्यापकों की नियुक्ति, भवन निर्माण/विस्तार, ई-पुस्तकालयों की स्थापना, महाविद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार, सुसज्जित प्रयोगशाला तथा सूचना क्रान्ति की चुनौतियों से निपटने के लिए महाविद्यालयों के कम्प्यूटरीकरण, पुस्तकालयों में मुफ्त वाई-फाई की व्यवस्था, वर्युवल क्लास रूम की स्थापना पर बल दे रहा है। राष्ट्रीय उच्चतम शिक्षा अभियान के अन्तर्गत आधारभूत सुविधाओं के विस्तार एवं नये महाविद्यालयों के भवन निर्माण पर विशेष बल दिया जा रहा है। प्राथमिकता के आधार पर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजी पूंजी निवेश एवं सहभागिता को प्रोत्साहित करते हुए असेवित क्षेत्रों में महाविद्यालयों की स्थापना पर भी बल दिया जा रहा है। गुणवत्तायुक्त उच्च शिक्षा के विकास के लिए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को प्रोत्साहितम करते हुए मानक निर्धारित किये गये हैं।

निदेशालय में निदेशक, एक संयुक्त निदेशक (प्रशासन), दो संयुक्त निदेशक, एक उप निदेशक (सांख्यिकी), तीन सहायक निदेशक, तथा तीन सांख्यिकी शोध अधिकारी कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त उच्च शिक्षा निदेशालय से सम्बन्धित वित्तीय मामलों की देख-रेख एवं सम्परीक्षा कार्य तथा प्रदेश के समस्त सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों/राज्य विश्वविद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों के पेंशन स्वीकृत करने आदि कार्यों के लिए एक वित्त नियंत्रक, एक वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, दो लेखाधिकारी तथा दो सहायक लेखाधिकारी भी हैं। साथ ही क्षेत्रीय कार्यालयों में एक-एक लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी के पद सृजित हैं।

उच्च शिक्षा के कार्यों के सम्पादन एवं अनुश्रवण हेतु वर्ष 1980-81 में गोरखपुर, 1984-85 में लखनऊ, वर्ष 1990-91 में कानपुर, वर्ष 1992-93 में मेरठ एवं वर्ष 1995-96 में आगरा, बरेली, झांसी

तथा वाराणसी में उच्च शिक्षा के क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना की गई है। सभी क्षेत्रीय कार्यालय महाविद्यालयों पर वित्तीय नियंत्रण रखने एवं विभिन्न समस्याओं का निराकरण करने में उच्च शिक्षा निदेशालय एवं शासन की अपेक्षित सहायता करते हैं।

वर्तमान की आवश्यकताओं एवं भविष्य की सम्भावनाओं के आलोक में ही शासन द्वारा प्रत्येक पंचवर्षीय योजनाओं में उच्च शिक्षा के विकास के लिये सामाजिक विकास की प्रगतिशील योजनायें बनाई गई, जिससे देश की युवा पीढ़ी का बौद्धिक विकास हो सके और वे राष्ट्र की अपेक्षाओं के अनुरूप अपनी सार्थकता प्रमाणित कर सके।

विगत योजनाओं में राजकीय महाविद्यालयों के भवनों के निर्माण/विस्तार, विद्युतीकरण एवं प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण के साथ सुसज्जित पुस्तकालयों एवं वाचनालयों तथा सूचना क्रांति की चुनौतियों से निपटने के लिये महाविद्यालयों के कम्प्यूटरीकरण पर बल दिया जा रहा है।

प्रदेश के शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों के विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक, एवं वित्तीय कार्यों का नियन्त्रण तथा सम्पादन उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में विश्वविद्यालयों को दिया जाने वाला सहायता अनुदान

2202-सामान्य शिक्षा

03-विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा

102-विश्वविद्यालयों को सहायता

(रूपये लाख में)

मद	वास्तविक व्यय	पुनरीक्षित अनुमान	आय-व्ययक अनुमान
	2018-19	2019-20	2020-21
1	2	3	4
राजस्व लेखा	18838.35	19651.22	21687.47

प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन 16 राज्य विश्वविद्यालय, 01 मुक्त विश्वविद्यालय और 01 डीम्ड विश्वविद्यालय संचालित हैं। उच्च शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन प्रदेश के विश्वविद्यालयों/डीम्ड विश्वविद्यालयों प्रदेश सरकार द्वारा उच्च शिक्षा के विस्तार में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना पर बल दिया जा रहा है। सम्प्रति प्रदेश में 27 निजी विश्वविद्यालय हैं। शासन द्वारा निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में आवश्यक गाइडलाइन्स शासनादेशों के माध्यम से निर्धारित की गई है।

प्रदेश के निम्नांकित विश्वविद्यालयों में से क्रमांक 1 से 11 तक को ''सहायता अनुदान'' की स्वीकृति शासन स्तर से प्रदान की जाती है। शेष क्रमांक 12 से 17 तक के विश्वविद्यालय अपने निजी स्रोतों से व्ययभार वहन करते हैं :-

1. लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
2. दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर।

3. सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी।

4. महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

5. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

6. डा0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ।

7. उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज।

8. ख्वाजा मुईनुद्दीन विश्ती उर्दू-अरबी-फारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ।

9. सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।

10. इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, प्रयागराज।

11. जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया।

12. डा0 भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, आगरा।

13. छत्रपति शाहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर।

14. बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी।

15. डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या।

16. महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली।

17. वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर।

पूँजीगत मद

प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों के विकास हेतु कई योजनायें प्रस्तावित हैं, जिसके अन्तर्गत भवन निर्माण तथा महाविद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं को उपलबध कराये जाने को प्राथमिकता दी जा रही है। पूँजीगत मद में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अन्तर्गत मॉडल डिग्री कालेजों की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में रू0 1550.00 लाख का तथा राजकीय महाविद्यालयों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने हेतु रू0 1937.50 लाख एवं राज्य विश्वविद्यालयों में आधारभूत सुविधायें उपलब्ध कराये जाने हेतु 1937.50 लाख का बजट प्रावधान किया गया है। उक्त के अतिरिक्त राजकीय महाविद्यालयों के निर्माणाधीन भवनों को पूर्ण कराने हेतु रू0 3000.00 लाख एवं राजकीय महाविद्यालयों के भवनों के निर्माण, विस्तार एवं विद्युतीकरण हेतु रू0 500.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है।

राजकीय पब्लिक लाइब्रेरी, प्रयागराज

ब्रिटिश शासन के दौरान वर्ष 1864 में इस पुस्तकालय की स्थापना तत्कालीन लेफ्टिनेन्ट गवर्नर की स्वीकृति से की गयी थी। वर्तमान पब्लिक लाइब्रेरी भवन जो कि गोथिक स्थापत्य शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है, का निर्माण 1864 में आरम्भ हुआ तथा 1878 में यह भवन बनकर तैयार हुआ। इस भवन का वास्तविक नाम थार्नहिल मायने मेमोरियल है। उत्तर प्रदेश को उस दौरान नार्थ वेस्टर्न प्राविंसेस ऑफ अवध के नाम से जाना जाता था तथा इसके विधान मण्डल ''लेजिस्टलेटिव काउन्सिल फॉर द नार्थ वेस्टर्न प्राविंसेज ऑफ अवध'' की प्रथम तथा अन्य 13 बैठकें इस पुस्तकालय भवन

में सम्पन्न हुई। पुस्तकालय के 100 वर्ष पूरे होने पर इसके शताब्दी समारोह में तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्व0 श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने सम्बोधन में गंगा, जमुना एवं सरस्वती की त्रिवेणी के समान प्रयागराज उच्च न्यायालय, प्रयागराज विश्वविद्यालय एवं राजकीय लाइब्रेरी को आधुनिक त्रिवेणी की संज्ञा प्रदान की थी।

वर्तमान परिदृश्य

राज्य सरकार द्वारा 1975 में पुस्तकालय का प्रान्तीयकरण करते हुए इसे उच्च शिक्षा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में शामिल किया गया। पुस्तकालय के व्यवस्थित संचालन हेतु महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा मण्डलायुक्त प्रयागराज मण्डल की अध्यक्षता में दस सदस्यीय पुस्तकालय प्रबन्ध समिति का गठन किया गया है। पुस्तकालय के व्यवस्थित संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभिन्न मानक मदों के अन्तर्गत धनराशि रू0 163.98 लाख का बजट प्रावधान किया गया है। पुस्तकालय में विभिन्न श्रेणियों के कुल 26 पद सृजित हैं, जिसके सापेक्ष वर्तमान में 21 कर्मचारी कार्यरत हैं। पुस्तकालय में विभिन्न विषय क्षेत्रों एवं भाषाओं में लगभग 60 पत्रिकायें एवं 22 समाचार पत्र पाठकों के सुलभ संदर्भ हीतु उपलब्ध है। गत वर्ष लगभग 48 हजार पाठकों द्वारा 54160 पाठ्य सामग्रियों का उपयोग किया गया। पाठकों की मांग पर लगभग 2766 छायाप्रतियां उपलब्ध कराई गई।

पुस्तक संग्रह

पुस्तकालय का संग्रह पुस्तकालय भवन की भांति अत्यन्त महत्वपूर्ण है। यहां पर महत्वपूर्ण दुर्लभ पाठ्य सामग्री के साथ ही नीवन पुस्तकों का ऐसा विपुल भण्डार है, जो अन्यत्र उपलब्ध नहीं है। पुस्तकालय के संग्रह में लगभग सभी विषय क्षेत्रों से सम्बन्धित हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी, बंगला, फ्रेन्च व अन्य भाषाओं में पुस्तकों की विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध है। पुस्तकालय के संग्रह में विभिन्न विषयों पर लगभग 1.25 लाख पुस्तकें उपलब्ध है।

पुस्तकालय द्वारा अर्जित महत्वपूर्ण उपलब्धियां

इन्टरनेट, सोशल मीडिया तथा आन्य इलेक्ट्रानिक माध्यमों की चुनौतियों के बावजूद विगत वर्षों में इस पुस्तकालय की पाठक संख्या में प्रति वर्ष उल्लेखनीय वृद्धि हुई है तथा वर्तमान समय में यह उत्तर भारत के सर्वाधिक पाठक संख्या वाले पुस्तकालयों में से एक है।

प्रसिद्ध ऑनलाइन जर्नल ''द सिटीजन'' द्वारा जारी विवरण के अनुसार यह पुस्तकालय देश के दस सर्वाधिक सुन्दर पुस्तकालयों में शामिल है।

इण्डिया टुडे द्वारा जारी ऑनलाइन रिपोर्ट में इस पुस्तकालय को देश में छठवां स्थान प्राप्त है।

विश्वविद्यालय ऑनलाइन ज्ञानकोश विकीपीडिया द्वारा इस पुस्तकालय को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है।

विश्व प्रसिद्ध अन्तर्राष्ट्रीय सूचना डायरेक्टरी ''यूरोपा वर्ड ऑफ लर्निंग'' द्वारा भी इस पुस्तकालय को स्थान प्रदान किया गया है।

लाइब्रेरी के संचालन हेतु निम्नांकित अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में रू0 163.98 लाख की व्यवस्था राजस्व मद में की गयी है।

उच्च शिक्षा निदेशालय के दायित्व एवं कर्तव्य

1. प्रदेश के क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यालयों तथा समस्त राजकीय महाविद्यालयों के प्रबन्धन, नियन्त्रण तथा उनके विकास कार्य का दायित्व।
2. प्रदेश के समस्त सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में शासकीय व्यवस्था के माध्यम से वेतन वितरण एवं उनसे सम्बन्धित अन्य प्रशासनिक कार्य तथा समय-समय पर पुनरीक्षित वेतनमानों में वेतन निर्धारण।
3. सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के अध्यापकों की वर्तमान रिक्तियों तथा आने वाले शिक्षा सत्र के अन्तर्गत संभावित रिक्तियों की सूचना महाविद्यालय से प्राप्त करना तथा सूचित रिक्तियों की विषयवार समेकित सूची उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रयागराज को विज्ञापन एवं चयन हेतु प्रेषित करना।
4. उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा चयनित एवं संस्तुत अभ्यर्थियों को रिक्तियों की निर्दिष्ट सूची में से आसन-व्यवस्था हेतु प्रबन्धतन्त्र को नियुक्ति आदेश निर्गत करने हेतु नाम प्रेषित करना।
5. सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम एवं अन्तिम भुगतान की स्वीकृति।
6. सेवानिवृत्त होने पर पेंशन भुगतान आदेश निर्गत करना।
7. उच्च शिक्षा से सम्बन्धितम न्यायालयीय वादों का निस्तारण कराना।
8. विश्वविद्यालयों के साथ समन्वय रखते हुए उच्च शिक्षा के नियमों, परिनियमों एवं अधिनियमों तथा विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के दायित्व का निर्वहन।
9. शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों के अभिलेखों का मुख्यालय की आडिट इकाई द्वारा आन्तरिक सम्प्रेक्षण।
10. महाविद्यालयों में उद्घाटित प्रबन्धकीय एवं वित्तीय अनियमितताओं का निवारण।
11. प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में प्राधिकृत नियंत्रक/प्रशासक नियुक्त कराये जाने से सम्बन्धित कार्यवाही।
12. प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के तीन वर्ष से आधिक समय से रिक्त पदों को पुनर्जीवित करते हुये अनुज्ञा प्रदान करना तथा शासन द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेशों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करया जाना।

उच्च शिक्षा की गुणवत्ता का उन्नयन एवं विकास

1. उच्च शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने हेतु प्रदेश में सहारनपुर, आजमगढ़ तथा अलीगढ़ में 03 नये राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही है।

2. उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग दिनांक 27 दिसम्बर, 2019 को उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-22 सन् 2019 के रूप में प्रकाशित किया जा चुका है। इस आयोग द्वारा उच्च शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग एवं बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर पदों पर चयन की कार्यवाही की जायेगी।

3. प्रदेश में 51 नये राजकीय महाविद्यालयों तथा 01 राजकीय महाविद्यालय में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय की स्थापना की जा रही है, जिसमें 48 राजकीय महाविद्यालय तथा 01 राजकीय महाविद्यालय में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय की स्थापना माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा से आच्छादित है एवं 03 राजकीय महाविद्यालय उच्चादेश से आच्छादित है। इन राजकीय महाविद्यालयों में से 36 राजकीय महाविद्यालयों तथा 01 राजकीय महाविद्यालय में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय की स्थापना के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु धनराशि निर्गत की जा चुकी है और निर्माण कार्य प्रगति पर है। शेष 15 राजकीय महाविद्यालयों में से 12 राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना हेतु भूमि प्राप्त हो चुकी है एवं 03 राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना हेतु भूमि प्राप्त करने की कार्यवाही गतिमान है। राज्य सेक्टर के अन्तर्गत नये राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में रू0 2500.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है। उपर्युक्त वर्णित राजकीय महाविद्यालयों के अतिरिक्त राज्य सेक्टर के 26 अन्य राजकीय महाविद्यालयों में से 23 राजकीय महाविद्यालयों तथा 03 राजकीय महाविद्यालयों में संकाय का भवन निर्माण कार्य प्रगति पर है। राजकीय महाविद्यालयों के निर्माणाधीन भवनों को पूर्ण कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में रू0 3000.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है।

4. महायोगी गुरू श्रीगोरक्षनाथ के लोकोपयोगी मन्तव्यों एवं उपदेशों को एकत्रित करके योगानुकूल सिद्धांतों एवं प्रयोगों को जीवनोपयोगी कार्य तथा व्यवहार में परिवर्तित करने के लिए दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर में महायोगी गुरू श्रीगोरक्षनाथ शोधपीठ की स्थापना की गयी है। इस हेतु शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर संवर्ग के कुल 28 पदों का सृजन किया गया है।

5. पं0 दीन दयाल उपाध्याय के व्यक्तित्व, कृतित्व एवं चिन्तन पर शोध कार्य हेतु प्रदेश के 15 राज्य विश्वविद्यालयों में पं0 दीन दयाल उपाध्याय शोधपीठ की स्थापना की गयी है। इसके अतिरिक्त शोध कार्यों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ में भाऊराव देवरस शोधपीठ तथा अभिनव गुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ शैव फिलास्फी

एवं एस्थेटिक्स की स्थापना की गयी है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ में अटल सुशासन पीठ की स्थापना की गयी है तथा महात्मा गांधी अन्तराट्रीय रोजगार पीठ की स्थापना की कार्यवाही गतिमान है। वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर में प्रो0 राजेन्द्र सिंह (रज्जू भैया) इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल साइन्स ऑफ स्टडी एण्ड रिसर्च तथा रिसर्च सेण्टर फॉर रिन्यूएबल एनर्जी एण्ड नैनो साइन्स एण्ड टेक्नोलॉजी की स्थापना की गयी है।

6. सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर को अन्तर्राष्ट्रीय बुद्धिस्ट सेंटर एवं सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन हिन्दुइज्म, बुद्धिज्म एण्ड जैनिज्म के रूप में विकसित किया जा रहा है। विश्वविद्यालय में स्थापित किये जा रहे अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध केन्द्र में प्राच्य भाषा एवं विदेशी भाषा केन्द्रों की स्थापना की जायेगी। प्राच्य भाषा के अन्तर्गत संस्कृत, पाली, प्राकृत एवं अपभ्रंश एवं विदेशी भाषाओं में नेपाली, तिब्बती, सिंहली, जापानी, थाई एवं कोरियाई भाषाओं एवं संस्कृति का अध्ययन कराया जायेगा। इस हेतु 21 शिक्षक एवं 24 शिक्षणेत्तर पदों का सृजन किया गया है।

7. पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में डी0ए0वी0 कालेज, कानपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है।

8. राज्य विश्वविद्यालयों में शैक्षिक कैलेण्डर निर्धारित कर दिया गया है। सत्र निर्धारण किये जाने के फलस्वरूप विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में पठन-पाठन का कार्य नियमित हो रहा है।

9. राज्य विश्वविद्यालयों में नकल विहीन परीक्षा कराया जाना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में सम्मिलित है। परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग पर नियंत्रण करने, परीक्षाओं की सुचिता पवित्रता एवं पारदर्शिता तथा शान्ति व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से परीक्षाओं के आयोजन हेतु परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण के सम्बन्ध में दिनांक 03 जनवरी, 2020 निर्गत किया गया है।

10. निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु भूमि का मानक नगरीय क्षेत्र हेतु 40 एकड़ तथा ग्रामीण क्षेत्र हेतु 100 एकड़ निर्धारित था जिसे सरकार द्वारा संशोधित कर क्रमशः नगरीय क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र में 20 एकड़ एवं 50 एकड़ कर दिया गया है। निजी क्षेत्रों में विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु एकल अधिनियम के रूप में उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 प्राख्यापित किया गया है।

●

प्राविधिक शिक्षा

उद्देश्य

वर्तमान युग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का उत्कर्षकाल है। नित्य नई प्राविधियाँ विकसित हो रही हैं तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्पर्द्धा से श्रेष्ठता व गुणवत्ता के नवीन आयाम जन्म ले रहे हैं। विकास के ऐसे क्रान्तिक परिदृश्य में प्राविधिक शिक्षा के स्वरूप व स्तर की प्रासंगिकता का विशेष महत्त्व है। प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा सम्बन्धित विकास के लक्ष्यपरक संकल्प व प्रदेश में प्राविधिक शिक्षा प्रणाली की क्षमता में सुधार, प्रसार तथा गुणवत्ता में उत्तरोत्तर सुधार की प्रतिबद्धता के साथ उच्च स्तर के तकनीशियन विकसित करके कार्य क्षेत्र की आकांक्षाओं के अनुरूप उनकी सुसंगत आपूर्ति करने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। प्रदेश के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास के लिये तकनीकी शिक्षा की मूलभूत आवश्यकताओं की आपूर्ति हेतु समय-समय पर इंजीनियरिंग कालेजों एवं डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं की स्थापना कर सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के प्रतिष्ठानों को तकनीकी जनशक्ति की आपूर्ति एवं क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने की दिशा में प्राविधिक शिक्षा विभाग निरन्तर कार्यशील रहा है। प्राविधिक शिक्षा विभाग प्रौद्योगिकी के आधुनिक विषयों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने एवं विकलांग छात्र/छात्राओं को प्राविधिक शिक्षा में सहभागी बनाने के लिये सतत प्रयत्नशील है।

उत्तर प्रदेश में वर्तमान में प्राविधिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन 16 स्नातक/स्नातकोत्तर स्तरीय संस्थायें तथा 1321 डिप्लोमा स्तरीय संस्थाएं संचालित हैं। इनके अतिरिक्त 51 डिप्लोमा स्तरीय राजकीय संस्थायें अवस्थापना की स्थिति में हैं। प्राविधिक शिक्षा के गुणात्मक सुधार एवं त्वरित विकास हेतु शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान, डिप्लोमा स्तरीय पाठ्यक्रमों की परीक्षा सम्पन्न कराने हेतु प्राविधिक शिक्षा परिषद तथा छात्रों के प्रवेश हेतु सुयोग्य छात्रों के चयन हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद का गठन किया गया है।

डिग्री स्तर

- **संगठन संरचना**
- **डिग्री स्तर की संस्थाओं का प्रशासनिक नियंत्रण**
- **प्राविधिक विश्वविद्यालय**

पूर्ववर्ती महामाया प्राविधिक विश्वविद्यालय, गौतमबुद्ध नगर तथा गौतमबुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ को मर्ज कर दिनांक 01.11.2013 को उ.प्र. प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ की स्थापना की गयी। वर्तमान में यह डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, उ.प्र. लखनऊ के नाम

से जाना जाता है। इस विश्वविद्यालय का मुख्य कार्य प्रदेश में स्थापित ऐसे निजी एवं सरकारी संस्थान जो बी.टेक./बी.फार्मा./बी.आर्क./एम.बी.ए./एम.सी.ए./होटल मैनेजमेंट/एम.फार्मा. एवं एम.टेक. पाठ्यक्रम संचालित करते हैं, को सम्बद्धता प्रदान करना, प्रवेश परीक्षा आयोजित करना, पाठ्यक्रम को निर्धारित करना तथा परीक्षा के उपरान्त अध्ययनरत छात्रों को डिग्री प्रदान करना है।

मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर को रुड़की विश्वविद्यालय की भांति मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर बनाया गया है जो दिनांक 01.12.2013 से क्रियाशील है।

हरकोर्ट बटलर टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट (एच.बी.टी.आई.), कानपुर को उपर्युक्त की भांति हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर बनाया गया है जो दिनांक 01.09.2016 से क्रियाशील है।

डिग्री स्तर की संस्थाओं का गठन

शासकीय सहायता प्राप्त इंजीनियरिंग कालेजों की व्यवस्था तथा संचालन का दायित्व संस्था प्रमुख का होता है। उसकी सहायता के लिए रजिस्ट्रार तथा वित्त अधिकारी के पद सृजित हैं।

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) योजना

यह योजना भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा क्रमशः 65:35 प्रतिशत वित्त पोषित थी परन्तु वर्तमान में भारत सरकार द्वारा अनुदान का प्रतिशत परिवर्तित कर 60:40 प्रतिशत कर दिया गया है। योजना का उद्देश्य महाविद्यालय/तकनीकी संस्थानों में शिक्षा के स्तर/गुणवत्ता में वृद्धि कर पर्याप्त मात्रा में तकनीकी शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना करना है, जिससे युवाओं को गुणवत्तारक शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके। प्राविधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत डिग्री सेक्टर में इस योजना के अन्तर्गत राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, बस्ती एवं गोण्डा का निर्माण कराया जा रहा है।

उक्त के अतिरिक्त हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर तथा मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर के सुदृढ़ीकरण/विकास के कार्य कराए जा रहे हैं।

पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया

डिग्री स्तर की संस्थाओं में छात्रों का प्रवेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य अभियंत्रण प्रवेश परीक्षा प्रभाग द्वारा आयोजित किया जाता है जिसमें सम्मिलित होने के लिये न्यूनतम योग्यता विज्ञान/गणित विषयों के साथ इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष है।

डॉ0 ए.पी.जे. अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2019-20 हेतु उ.प्र. राज्य प्रवेश परीक्षा का आयोजन कर बी.टेक., बी.फार्मा, बी.आर्क तथा होटल मैनेजमेंट के पाठ्यक्रमों हेतु चयन कराकर 21,277 अभ्यर्थियों को प्रवेश दिलाया गया। शिक्षण सत्र 2020 में उ0प्र0 राज्य प्रवेश परीक्षा का आयोजन डॉ0 ए.पी.जे. अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा कराया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा शैक्षिक सत्र 2021 से प्रदेश में स्थापित इंजीनियरिंग कालेजों में प्रवेश, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, नई दिल्ली द्वारा आयोजित परीक्षा जे.ई.ई. के माध्यम से कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए सुविधाएं

प्राविधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत चल रही समस्त डिग्री स्तरीय संस्थाओं में प्रवेश हेतु अनूसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 21 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 02 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 27 प्रतिशत एवं सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थ ई.डब्लू.एस. के अभ्यर्थियों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है। छात्राओं हेतु डिप्लोमा में प्रवेश हेतु शासनादेशानुसार 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था है एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु 05 प्रतिशत, सैनिक आश्रित के अभ्यर्थियों के लिये 05 प्रतिशत, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिये 02 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था है।

अनूसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर सामान्य वर्ग के पात्र छात्रों को समाज कल्याण विभाग, अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों को पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा प्रदान की जाती है।

ई-गवर्नेन्स

डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, उ.प्र., लखनऊ से लगभग 742 संस्थान सम्बद्ध हैं जिनमें लगभग दो लाख छब्बीस हजार एक सौ उन्नीस छात्र अध्ययनरत हैं। विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्ध संस्थाओं में बी.टेक., बी0फार्मा, बी.आर्क., बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेण्ट एण्ड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, एम.बी.ए., एम.बी.ए. (रूरल डेवेलपमेंट), एम.सी.ए., एम.फार्मा एवं एम.टेक. आदि पाठ्यक्रम चलाये जा रहे हैं। विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न संस्थाओं की शैक्षिक गतिविधियों पर निगरानी एवं नियंत्रण करने के लिये विश्वविद्यालय ने एक इन्टरैक्टिव वेब एप्लीकेशन की संरचना की है जिसके अन्तर्गत प्रमुख रूप से निम्न कार्य सम्पन्न कराये जा रहे हैंः

1. समस्त छात्रों की कक्षाओं में मासिक उपस्थिति का प्रेषण वेबसाइट के माध्यम से संस्थाओं द्वारा किया जाता है एवं विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों की उपस्थिति के आधार पर वांछित कार्यवाही की जाती है।
2. छात्रों के परीक्षा फार्म इन्टरनेट के माध्यम से जमा कराये जाते हैं।
3. छात्रों की सैत्रिक परीक्षा के अंकों का संस्थाओं द्वारा आनलाइन सबमिशन (प्रेषण) किया जाता है।
4. समस्त संस्थाओं द्वारा थ्योरी एवं प्रैक्टिकल विषयों के सैत्रिक अंकों का वेबसाइट के माध्यम से प्रेषण कराया जाता है।
5. प्रायोगिक परीक्षा के अंकों का भी प्रेषण संस्थाओं द्वारा वेबसाइट के माध्यम से किया जा रहा है।
6. विश्वविद्यालय द्वारा सभी छात्रों की परीक्षा के प्रवेशपत्र संस्थाओं के लिये सत्यापन एवं रोललिस्ट आदि संस्थाओं को नेट के माध्यम से प्राप्त करायी जाती है।
7. सभी संस्थाओं में कार्यरत शिक्षकों का बायोडाटा वेबसाइट के माध्यम से जमा कराया जाता है।

8. परीक्षाफल प्राप्त होने के उपरान्त परीक्षाफल पंजिका वेबसाइट के माध्यम से संस्थाओं को प्राप्त कराये जाते हैं।

9. परीक्षाफल की घोषणा एवं छात्रों के परीक्षाफल एवं इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय द्वारा समस्त छात्रों एवं संस्थाओं से किये जाने वाले सामान्य पत्राचार प्रायः वेबसाइट के माध्यम से किये जाते हैं।

10. प्रश्न पत्रों का प्रेषण आनलाइन किया जाता है।

11. उत्तर पुस्तिकाओं का डिजिटल मूल्यांकन कराया जाता है।

इनके अतिरिक्त विश्वविद्यालय द्वारा अन्य सामान्य कार्य एवं प्रवेश परीक्षा के उपरान्त विभिन्न संस्थाओं में प्रवेश हेतु आनलाइन काउंसिलिंग का कार्य आदि विश्वविद्यालय द्वारा किये जा रहे हैं। इस कांउसिलिंग की पद्धति के कारण छात्र विभिन्न स्थानों पर अनावश्यक यात्रा एवं असुविधाओं से बच जाते हैं।

विश्वविद्यालय द्वारा अपने से सम्बद्ध संस्थाओं के शैक्षिक नियंत्रण हेतु इस वेब एप्लीकेशन का भरपूर प्रयोग किया जा रहा है।

डिप्लोमा सेक्टर

- **डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं का प्रशासनिक नियंत्रण**
- **प्राविधिक शिक्षा निदेशालय**

प्रदेश में चल रही डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं के प्रशासन तथा संचालन का सम्पूर्ण दायित्व प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, कानपुर का है, जिसके प्रमुख निदेशक प्राविधिक शिक्षा हैं।

उक्त के अतिरिक्त चार क्षेत्रीय कार्यालय- वाराणसी, लखनऊ, दौराला (मेरठ) एवं झाँसी में हैं। इन क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्यालयाध्यक्ष सम्बन्धित क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक हैं, जिनकी सहायता के लिए एक-एक वित्त एवं लेखाधिकारी का पद सृजित है। इनका मुख्य कार्य क्षेत्रीय डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं का पर्यवेक्षकीय नियंत्रण है।

प्राविधिक शिक्षा परिषद

इस कार्यालय का प्रमुख, परिषद का सचिव होता है तथा इसके अध्यक्ष/उपाध्यक्ष शासन द्वारा नामित किये जाते हैं।

प्राविधिक शिक्षा परिषद का कार्य प्रदेश की पालीटेक्निकों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्रों की परीक्षा आयोजित कराना तथा निजी क्षेत्र की पालीटेक्निकों को सम्बद्धता प्रदान करना है।

शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान

संस्थान का कार्य संकाय प्रशिक्षण, पाठ्यचर्या विकास/प्रशिक्षण, पाठ्य संसाधन विकास एवं शैक्षिक व तकनीकी कार्य करना है।

संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद

यह एक स्वशासी स्ववित्त पोषित संस्था है तथा सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अधीन पंजीकृत

है। इस परिषद का विभागाध्यक्ष निदेशक, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद् होता है तथा प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा, उ.प्र. शासन इस परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं।

यह संस्था प्रदेश की सभी पालीटेक्निकों में प्रवेश के लिये प्रदेश स्तरीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन कराती है।

डिप्लोमा स्तर की संस्थाएं

प्रदेश में विभाग के अधीनस्थ 147 राजकीय, 19 अनुदानित एवं 1155 निजी क्षेत्र में स्थापित संस्थाओं में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है तथा इनके अतिरिक्त 51 राजकीय पालीटेक्निक संस्थाएं अभी अवस्थापना प्रक्रिया में हैं।

• दिव्यांगों के लिए प्राविधिक शिक्षा

डॉ. अम्बेडकर इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फार हैण्डीकैप्ड, कानपुर

राष्ट्रीय नवीन शिक्षा नीति-1986 तथा विकलांगजन (अवसरों की समानता, अधिकार, संरक्षण एवं पूर्ण सहभागिता) अधिनियम-1995 के अनुपालन स्वरूप राज्य के शारीरिक रूप से दिव्यांग नवयुवकों को तकनीकी शिक्षा से जोड़ कर उनकी समाज के लिये उपादेयता में वृद्धि करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने वर्ष 1997 में तत्कालीन विश्व बैंक सहायतित परियोजना के अंतर्गत कानपुर में डॉ अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी फार हैण्डीकैप्ड (ए.आई.टी.एच.) की स्थापना की है। प्रथम चरण में तीन डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के साथ इस संस्थान का शुभारम्भ सत्र 1998-99 से किया गया। एच.बी.टी.यू. कानपुर के पश्चिमी परिसर में से उपलब्ध कराई गई 15 एकड़ भूमि पर स्थापित इस संस्थान में निम्न डिप्लोमा पाठ्यक्रम सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत संचालित हैं। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रानिक्स इंजी0 पाठ्यक्रम स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत गत वर्ष तक संचालित था, परन्तु निर्धारित प्रवेश क्षमता के सापेक्ष प्रवेश शून्य होने की स्थिति में इसे बंद कर दिया गया। वर्तमान में संचालित पाठ्यक्रमों का विवरण निम्नवत् है:-

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	अवधि	वार्षिक प्रवेश क्षमता
1.	आर्कीटेक्चरल असिस्टेण्टशिप	3 वर्ष	50
2.	कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग	3 वर्ष	50
3.	मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेण्ट एण्ड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस	2 वर्ष	50

दिव्यांगजन हेतु अन्य पालीटेक्निक संस्थाओं में व्यवस्था

उक्त विशिष्ट संस्था– ए.आई.टी.एच. के अतिरिक्त भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्वीकृत **''स्कीम फार इन्टीग्रेटिंग परसन्स विद डिसएबिलिटीज इन दि मेन स्ट्रीम आफ टेक्नीकल एण्ड वोकेशनल एजूकेशन''** के अंतर्गत राजकीय पालीटेक्निक, झांसी एवं राजकीय

महिला पालीटेक्निक, मुरादाबाद में भी दिव्यांग छात्र-छात्राओं को प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, इसके अतिरिक्त अन्य सभी संस्थाओं में भी प्रवेश हेतु 5 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की सुविधा अनुमन्य है।

महिला पालीटेक्निकों की स्थापना

तकनीकी शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने एवं तकनीकी शिक्षा के आधुनिक विषयों में महिलाओं को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से प्रदेश में महिलाओं के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विकास एवं नई संस्थाओं की स्थापना पर बल दिया गया है। वर्तमान में 21 महिला पालीटेक्निक (19 राजकीय एवं 02 सहायता प्राप्त) संचालित हैं। सत्र 2019-20 में इन महिला पालीटेक्निक संस्थाओं की कुल प्रवेश क्षमता 5578 रही है।

स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम

स्ववित्त पोषण के आधार पर प्रदेश की 12 सहायता प्राप्त पालीटेक्निक संस्थाओं यथा- जवाहर लाल नेहरू पालीटेक्निक, महमूदाबाद (सीतापुर), फिरोजगांधी पालीटेक्निक, रायबरेली, श्री रामदेवी रामदयाल त्रिपाठी महिला पालीटेक्निक, कानपुर, एम.जी. पालीटेक्निक, हाथरस, श्री अनारदेवी खण्डेलवाल महिला पालीटेक्निक, मथुरा, हंडिया पालीटेक्निक, हंडिया, डी.जे. पालीटेक्निक, बड़ौत, डी.एन. पालीटेक्निक, मेरठ, बी.आर.ई.आई. बिचपुरी, आगरा, एम.पी. पालीटेक्निक, गोरखपुर, हीवेट पालीटेक्निक, लखनऊ एवं जनता पालीटेक्निक, जहांगीराबाद में स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनकी शैक्षणिक सत्र 2019-20 में कुल प्रवेश क्षमता 1799 रही है।

भारत सरकार के सहयोग से पालीटेक्निकों का सुदृढ़ीकरण

भारत सरकार की योजना ''सब-मिशन ऑन पालीटेक्निक अन्डर दि को-आर्डिनेटेड एक्शन फॉर स्किल डेवलेपमेन्ट के अन्तर्गत पालीटेक्निकों के सुदृढ़ीकरण/उन्नयन के लिये सीधी केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने हेतु विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट भारत सरकार को प्रेषित की गयी थी एवं इस निमित्त भारत सरकार द्वारा वर्ष 2011-12 से व्यवस्था परिवर्तन के फलस्वरूप धनराशि राज्य सरकार के द्वारा आय-व्ययक के माध्यम से स्वीकृत की जाती है। वर्तमान में इस योजनान्तर्गत 49 पुराने राजकीय पालीटेक्निक आच्छादित हैं तथा कुल धनराशि रु. 45.00 करोड़ भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है। जिसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2018-19 तक रु. 22.84 करोड़ का व्यय किया जा चुका है। भारत सरकार द्वारा निर्मित/निर्माणाधीन 41 पॉलीटेक्निकों में साज-सज्जा, उपकरण एवं फर्नीचर आदि के क्रय हेतु भी प्रति संस्था रु. 4.30 करोड़ की धनराशि अनुमन्य है, जिसमें से 39 पालीटेक्निकों हेतु कुल रु. 117.72 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है, जिसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2018-19 तक रु. 57.69 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

महिलाओं के संरक्षित एवं सुरक्षित शिक्षण-प्रशिक्षण को दृष्टिगत रखते हुये उन्हें छात्रावासीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट भारत सरकार को प्रेषित की गई है जिसके परिप्रेक्ष्य में

भारत सरकार द्वारा 52 संस्थाओं (पुरुष/महिला) में 60 सीटेड महिला छात्रावास निर्माण हेतु सीधी केन्द्रीय सहायता प्रति संस्था रु.1.00 करोड़ की दर से किस्तों में प्रदान की जा रही है, जिसका अधिकांश अंश भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में इस योजना हेतु रु. 175.00 लाख के आय-व्ययक की व्यवस्था है।

पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया

डिप्लोमा स्तर की संस्थाओं में छात्रों के प्रवेश सामान्यतः संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0, लखनऊ के माध्यम से होते हैं। राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त तथा निजी क्षेत्र की पॉलीटेक्निक संस्थाओं की प्रवेश क्षमता, 2,40,639 के विरुद्ध आयोजित प्रवेश परीक्षा-2019 में कुल 4,36,715 अभ्यर्थी पंजीकृत हुये एवं परीक्षा में 3,60,787 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए, जिसके सापेक्ष 3,39,174 परीक्षार्थी सफल घोषित हुये। ऑनलाइन कांउसिलिंग के माध्यम से कुल 1,47,682 अभ्यर्थियों को शैक्षणिक सत्र 2019-20 हतु प्रवेश दिया गया।

विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश क्षमता

डिप्लोमा स्तर की राजकीय तथा अनुदानित संस्थाओं की संख्या एवं प्रवेश क्षमता वर्ष 1950-51 में क्रमशः 11 एवं 655 में उत्तरोत्तर वृद्धि कर वर्तमान में क्रमशः 166 एवं 42646 हो गई है।

निजी क्षेत्र की गैर अनुदानित 1155 संस्थाओं में कुल प्रवेश क्षमता 1,88,271 है।

भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना

कम्युनिटी डेवलेपमेंट थ्रू पालीटेक्निक स्कीम

यह योजना भारत सरकार द्वारा शत-प्रतिशत वित्त पोषित है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण अंचलों के निवासियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने, उनकी सामाजिक, आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये स्थानीय आवश्यकतानुसार अल्पकालीन रोजगारपरक व्यावसायिक/तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के द्वारा लाभ पहुँचाना है। वर्ष 2009-10 में भारत सरकार द्वारा 53 संस्थाओं में योजना संचालन की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर सामान्य वर्ग के छात्रों के लिये सुविधायें

प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत चल रही समस्त डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये 21 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये 02 प्रतिशत अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये 27 प्रतिशत एवं सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्म के लाभार्थ ई0डब्लू0एस0 के अभ्यर्थियों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है। छात्राओं हेतु डिप्लोमा में प्रवेश हेतु शासनादेशानुसार 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था है एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु 05 प्रतिशत, सैनिक आश्रित के अभ्यर्थियों के लिये 05 प्रतिशत, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिये 02 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था है।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर सामान्य वर्ग के पात्र छात्रों को समाज कल्याण विभाग, अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों को पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा प्रदान की जाती है।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी/प्रतिरक्षा कर्मचारी आश्रित छात्रों को रु. 25/- प्रतिमाह की दर से कुल 10 माह के लिये तथा रु. 50/- पुस्तकीय सहायता प्रदान की जाती है।

प्रथम वर्ष में प्रवेश क्षमता अथवा वास्तविक प्रवेश क्षमता के 10 प्रतिशत छात्रों को मेरिट कम मींस छात्रवृत्ति प्रवेश की तिथि से रु. 25/- प्रतिमाह की दर से साढ़े दस माह के लिये दी जाती है। प्रथम वर्ष में छात्रवृत्ति परीक्षा आयोजित करके योग्यता/परिवार नियोजन 02 बच्चों तक सीमित तथा साधनों के मूल्यांकन के आधार पर स्वीकृत की जाती है।

ई-गवर्नेन्स

निदेशालय प्राविधिक शिक्षा, उ.प्र. कानपुर के द्वारा वेबसाईट की संरचना की गई जिसके माध्यम से निम्न कार्य सम्पन्न किये जा रहे हैं :

1. प्रदेश में परिषद से सम्बद्धता प्राप्त समस्त संस्थाओं (राजकीय, अनुदानित तथा निजी क्षेत्र में स्थापित पॉलीटेक्निक संस्थाओं) की सूची जिसमें संस्था में संचालित पाठ्यक्रमों का विवरण, प्रवेश क्षमता एवं संस्था की सम्पर्क सूची इत्यादि उपलब्ध कराई गई है।
2. परिषद की नियमावली एवं गजट भी इस वेबसाईट पर उपलब्ध है।
3. परिषद की वेबसाईट द्वारा प्रदेश में संचालित पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्या भी डाउनलोड की जा सकती है।
4. प्रदेश की निजी क्षेत्र में नई संस्था खोलने एवं पुरानी संस्था में पाठ्यक्रम बढ़ाये जाने अथवा बन्द करने आदि की सूचना एवं फार्म भी उपलब्ध कराये गये हैं।
5. प्रदेश में स्थापित प्रत्येक संस्था की एक लागइन आई0डी0 है जिसके माध्यम से परिषद द्वारा समस्त सूचनाएं एवं निर्देश (जैसे प्रयोगात्मक परीक्षा हेतु परीक्षकों की नियुक्ति पत्र आदि) जारी कर कार्य संचालित किया जाता है।
6. परिषद द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों के अन्तर्गत ई-टेण्डर/जेम पोर्टल के माध्यम से समस्त सामग्री क्रय आदि सम्पन्न कराये जाते हैं।
7. परिषद की वेबसाईट पर शासन की विभिन्न प्रकार की याजनाओं जैसे दर्पण पोर्टल एवं जनहित गांरटी आदि की सुविधा भी प्रदान की जा रही है।

शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान

प्रौद्योगिकी, उद्योग एवं प्रबन्धन के क्षेत्र में हो रहे त्वरित विकास व रचनात्मक परिवर्तनों के परिप्रेक्ष्य में डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षा की प्रासंगिकता व गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु संकाय प्रशिक्षण,

पाठ्यचर्या विकास/पुनरीक्षण, पाठ्य संसाधन विकास व शैक्षिक व तकनीकी शोध आदि के कार्यों के सम्पादन हेतु इस संस्थान की स्थापना वर्ष 1978 में प्राविधिक शिक्षा निदेशालय में एक प्रकोष्ठ के रूप में की गई थी, जिसे वर्ष 1984-85 में एक स्वतंत्र संगठन के रूप में पुनर्गठित किया गया।

संस्थान के कार्य कलाप प्रमुख रूप से तीन प्रकोष्ठों द्वारा क्रियान्वित किये जाते हैं–

1. स्टाफ प्रशिक्षण प्रकोष्ठ।
2. पाठ्यचर्या विकास प्रकोष्ठ।
3. पाठ्य संसाधन विकास प्रकोष्ठ।

1- स्टाफ प्रशिक्षण

प्रौद्योगिकी एवं उद्योग के क्षेत्र में हो रहे निरन्तर विकास के अनुरूप तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण में उत्कृष्टता लाने एवं पालीटेक्निक संस्थाओं के अध्यापकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नवीनतम तकनीकी ज्ञान अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से कराया जाता है। विगत 05 वर्षों का विवरण निम्नवत् है :-

क्रमांक	सत्र	आयोजित किये गये कुल प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या	लाभान्वित प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
1.	2015-16	68	691
2.	2016-17	54	591
3.	2017-18	69	778
4.	2018-19	81	1099
5.	2019-20 (दिनांक 21-12-2019 तक)	62	1202

सत्र 2020-21 में स्टाफ प्रशिक्षण हेतु 160 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से 4800 स्टाफ सदस्यों को प्रशिक्षित किये जाने का लक्ष्य है।

2- पाठ्यचर्या विकास

वर्ष 1989-90 में पाठ्यचर्या विकास कार्यों को सुचारु रूप से सम्पादित करने के उद्देश्य से इस संस्थान में एक पाठ्यचर्या विकास प्रकोष्ठ की स्थापना की गई। आधुनिक उद्योगों/संगठनों की आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रमों के स्तर में गुणात्मक सुधार लाने की दृष्टि से संस्थान में स्थापित पाठ्यचर्या विकास केन्द्र द्वारा तकनीकी शिक्षा क्षेत्र के अनुभवी विद्वानों, उद्योगों में कार्यरत विशेषज्ञों, सेवायोजकों तथा विषय-अध्यापकों की सहायता से कार्यशालाएं आयोजित कर पाठ्यचर्या विकसित की जाती है। साथ ही प्रत्येक तीन वर्ष के अंतराल पर सम्बन्धित सेवायोजकों से छात्रों में अपेक्षित ज्ञान एवं कौशल के बारे में सर्वेक्षण कराकर उनके द्वारा प्राप्त पश्चनिवेश (फीडबैक) के आधार पर पाठ्यचर्याओं को संशोधित/पुनरीक्षित भी किये जाने का प्रावधान रखा गया है। समस्त पाठ्यचर्याओं में कम्प्यूटर

एप्लीकेशन, इण्टरप्रिन्योरशिप डेवलपमेंट, सोर्सेज ऑफ नॉन कन्वेशनल एनर्जी तथा इनवायरमेंट एण्ड पल्यूशन कन्ट्रोल आदि विषयों का समावेश किया गया है।

सत्र 2017-18 एन0आई0टी0टी0टी0आर0, चण्डीगढ़ के सहयोग से 06 पाठ्यक्रमों की प्रथम वर्ष की पाठ्यचर्या यथा सिविल अभियंत्रण, यांत्रिक, अभियंत्रण, इलेक्ट्रिकल अभियंत्रण, इलेक्ट्रानिक्स अभियंत्रण, कम्प्यूटर साइंस अभियंत्रण तथा केमिकल अभियंत्रण को एन0एस0क्यू0एफ0 मॉडल के अनुसार पुनरीक्षित कर प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के अनुमोदनोपरान्त प्रदेश की पॉलीटेक्निक संस्थाओं में लागू किया गया।

सत्र 2018-19 में उक्त 06 पाठ्यक्रमों की द्वितीय एवं अन्तिम वर्ष की पाठ्यचर्याओं को एन0आई0टी0टी0टी0आर0, चण्डीगढ के सहयोग से पुनरीक्षित किया गया तथा संस्थान स्तर पर 12 अन्य पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्याओं को पुनरीक्षित किया गया तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के अनुमोदनोपरान्त प्रदेश की पॉलीटेकनिक संस्थाओं में लागू किया गया।

सत्र 2019-20 में संस्थान स्तर पर कुल 26 पाठ्यकर्मों की पाठ्यचर्या के पुनरीक्षण का कार्य प्रचलन में है। उक्त पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्या पुनरीक्षित होने के उपरांत सत्र 2020-21 में शेष तीन वर्षीय 18 पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्याओं को पुनरीक्षित करने का कार्य किया जायेगा।

3- पाठ्य संसाधन विकास (इलेक्ट्रानिक्स मीडिया रिसोर्स सेण्टर)

वर्चुअल क्लासरूम प्रतिभागियों को संसाधनों से सुसज्जित आनलाइन क्लासरूम के माध्यम से संवाद सीखने एवं समूहों में काम करने की अनुमति देता है। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य कम से कम समय में प्रभावपूर्ण ढंग से तकनीकी ज्ञान वेबपोर्टल के माध्यम से अधिक से अधिक छात्रों को दिया जाना एवं विभिन्न संस्थाओं में फैकल्टी की कमी को पूर्ण करते हुए गुणवत्तापरक शिक्षण-प्रशिक्षण दूरस्थ संस्थाओं के छात्रों को उपलब्ध कराये जाने का महत्त्वपूर्ण विकल्प है।

इस योजना के अन्तर्गत दो इलेक्ट्रानिक्स मीडिया रिसोर्स सेण्टर/स्टूडियो (ई0एम0आर0सी0) की स्थापना शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 कानपुर एवं राजकीय पॉलीटेक्निक, गाजियाबाद में की गयी है जिन्हें वर्तमान में प्रदेश के 47 पालीटेक्निक संस्थाओं में स्थापित वर्चुअल क्लासरूम से जोड़ा गया है। उक्त दोनों इलेक्ट्रानिक्स मीडिया रिसोर्स सेण्टर द्वारा संयुक्त रूप से तैयार आपरेशनल प्लान/कार्यक्रम के अनुसार सजीव ई-लेक्चर का प्रसारण विभागीय विषय-विशेषज्ञों द्वारा दिनांक 22.09.2015 से प्रारम्भ किया गया है।

चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण

प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा के पाठ्यक्रम एवं परीक्षाओं में एकरूपता लाने तथा केन्द्रीयकृत शैक्षणिक मार्गदर्शन एवं संचालित पाठ्यक्रमों को सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0 अधिनियम, 2018 दिनांक 22.12.2018 को अधिसूचित कर दिया गया है। इस विश्वविद्यालय से राजकीय क्षेत्र के 22 मेडिकल कालेज, निजी क्षेत्र के 18 मेडिकल कालेज, निजी क्षेत्र के 17 डेण्टल कालेज, राजकीय क्षेत्र के 12 नर्सिंग डिग्री कोर्सेज, निजी क्षेत्र के 198 नर्सिंग डिग्री कॉलेज तथा निजी क्षेत्र के 89 पैरा मेडिकल डिग्री कोर्सेज (कुल 356) को सम्बद्धता प्रदान की जायेगी।

(क) केन्द्र सहायतित योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में पाँच जिला चिकित्सालयों-अयोध्या, बहराइच, बस्ती फिरोजाबाद एवं शाहजहाँपुर को उच्चीकृत कर स्वशासी राज्य मेडिकल कालेज में परिवर्तित कर दिया गया है तथा शैक्षणिक सत्र 2019-20 में प्रत्येक कालेज में एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम के अन्तर्गत 100 छात्रों (कुल 500) का प्रवेश कर पठन-पाठन प्रारम्भ कर दिया गया है।

(ख) केन्द्र सहायतित योजना के अन्तर्गत द्वितीय चरण में आठ जिला चिकित्सालयों-एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, गाजीपुर एवं मिर्जापुर को उच्चीकृत कर स्वशासी राज्य मेडिकल कालेज के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है तथा निर्माण कार्य प्रगति पर है। राज्य सरकार से वित्त पोषित स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय जौनपुर भी निर्माणाधीन है। इस प्रकार प्रत्येक कालेज में 100 (प्रत्येक हेतु) एम0बी0बी0एस0 छात्रों (कुल 900) का प्रवेश प्रस्तावित है। ये सभी मेडिकल कालेज शैक्षणिक सत्र 2021-22 से क्रियाशील होंगे।

(ग) तृतीय चरण में 14 जिला चिकित्सालयों/रेफरल अस्पताल यथा- चन्दौली, सोनभद्र, सुल्तानपुर, गोण्डा, कानपुर, देहात, कौशाम्बी, लखीमपुर खीरी, बुलन्दशहर, पीलीभीत, ललितपुर, औरैया, बिजनौर, कुशीनगर एवं अमेठी को उच्चीकृत कर मेडिकल कॉलेज के रूप में स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(घ) वर्ष 2017 तक मात्र 15 जिलों में राजकीय मेडिकल कालेज/संस्थान संचालित थे। जबकि वर्तमान समेय में 45 जिलों में मेडिकल कालेज/संस्थान संचालित हो रहे हैं।

- प्रदेश में उत्कृष्ट चिकित्सा शिक्षा की दिशा में उत्तर प्रदेश राज्य में 02 अखिल भारतीय चिकित्सा संस्थान (एम्स) क्रमशः गोरखपुर एवं रायबरेली में स्थापित कर आउटडोर सेवायें प्रारम्भ की जा चुकी है तथा शैक्षणिक सत्र 2019-20 में एम0बी0बी0एस0 (कुल 200 छात्रों) का प्रवेश कर पठन-पाठन भी प्रारम्भ कर दिया गया है।

सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सा क्षेत्र में नये आयाम :-

- **संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ**
- प्रदेश की प्रथम रोबोटिक सर्जरी की शुरूआत की गयी है तथा प्रदेश के प्रथम स्टेम सेल विभाग की स्थापना की गयी है।
- प्रदेश में डायबिटिज रोगियों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ में ''इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटिक एण्ड इन्डोक्राईनोलॉजी विभाग'' के नाम से एक नये विभाग की स्थापना का निर्णय लिया गया है।
- हिमैटोलॉजी विभाग में कुल 59 बेड संचालित है, जिसमें 50 जनरल बेड एवं 09 बेड बोन मैरो ट्रान्सप्लान्ट हेतु निर्धारित है। उक्त विभाग में ब्लड कैंसर, हिमोफिलिया, थैलिसिमिया के मरीजों का उपचार किया जा रहा है।
- इमरजेन्सी मेडिसिन एवं रीनल ट्रान्सप्लान्ट तथा लीवर ट्रान्सप्लान्ट हेतु पृथक भवन का निर्माण प्रगति पर है।

डॉ० राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ

- वर्ष 2017 में 150 छात्रों की प्रवेश क्षमता के साथ एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया गया। वर्तमान में यह प्रवेश क्षमता 200 छात्र प्रतिवर्ष हो चुकी है।
- 200 शैय्या के एम0सी0एच0 विंग को भी क्रियाशील किया गया है।
- प्रदेश के पहले मैटर्नल आई0सी0यू0 की स्थापना की गयी है संस्थान में कुल 1000 से अधिक शैय्या उपलब्ध है।
- संस्थान में न्यूरोसर्जरी तथा न्यूरोलॉजी विभाग के अंतर्गत, न्यूरोसाइन्सेज सेन्टर स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

के०जी०एम०यू०, लखनऊ

- प्रदेश का एक मात्र स्पाईन, सेन्टर, स्पोर्ट्स मेडिसिल विभाग, आर्थोप्लास्टी यूनिट एवं पीडियाट्रिक आर्थोपेडिक विभाग तथा प्रदेश के प्रथम ह्यूमन मिल्क बैंक (धात्री कलश योजना) की स्थापना की गयी है। विश्वविद्यालय का 01 सेटेलाइट सेंटर बलरामपुर में स्थापित किया जा रहा है।
- के0जी0एम0यू0 के प्लास्टिक सर्जरी विभाग के अन्तर्गत के समुचित उपचार हेतु उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई सम्मान कोष के वित्तीय सहयोग से बर्न यूनिट का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।
- के0जी0एम0यू0 में डायबिटिक रेटिनोपैथी ट्रीटमेण्ट सेण्टर की स्थापना के सम्बन्ध में कार्यवाही विचाराधीन है।

प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना

- राजकीय मेडिकल झांसी एवं गोरखपुर में सुपर स्पेशियलिटी ब्लाक की स्थापना की गयी है। राजकीय मेडिकल कालेज मेरठ तथा प्रयागराज में भी सुपर स्पेशियलिटी ब्लाक बन कर तैयार हो गया है।
- राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर तथा आगरा में सुपर स्पेशियलिटी ब्लाक निर्माणाधीन है।

डायबिटिक रेटिनोपैथी उपचार सेंटर

- मेडिकल कालेज, प्रयागराज तथा मेडिकल कालेज, मेरठ में डायबिटिक रेटिनोपैथी उपचार सेंटर की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है।
- प्रदेश के 06 पुराने राजकीय मेडिकल कालेजों-प्रयागराज, गोरखपुर, आगरा, मेरठ, कानपुर एवं झांसी तथा 02 संस्थानों-हृदय रोग संस्थान, कानपुर एवं जे0के0 कैंसर संस्थान, कानपुर में लिक्विड मेडिकल आक्सीजन टेंक की स्थापना, तथा ई-हॉस्पिटल परियोजना प्रारम्भ की गयी है।

असाध्य रोगों का निःशुल्क इलाज

- बी0पी0एल0 कार्ड धारकों के साथ-साथ सवा तीन एकड़ जोत के कृषक अथवा जिनकी आय रु. 35000 वार्षिक है, को निःशुल्क इलाज की सुविधा दी जाती है।

कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम

- कोविड महामारी के रोकथाम एवं प्रबन्धन हेतु अभिनव तरीके अपनाते हुये एस0जी0पी0जी0आई0 के माध्यम से ई-कोविड केयर सपोर्ट नेटवर्क एवं वर्चुअल आई0सी0यू0 के माध्यम से गम्भीर रोगियों हेतु विशेषज्ञ परामर्श तत्काल प्राप्त किया जाता है।
- प्रदेश में कुल 52 मेडिकल कालेजों/चिकित्सा संस्थानों को डेलीकेटेड कोविड चिकित्सालय अधिसूचित किया गया है।
- कोविड प्रारम्भ होने के उपरान्त जाँच हेतु राजकीय मेडिकल कालेजों में 10 बी0एस0एल लैब तथा 03 बी0एस0एल0-3 लैब संचालित किया गया है। एवं 03 नये बी0एस0एल0-3 लैब का निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है।
- इन प्रयासों के कारण ही उत्तर प्रदेश के मरीजों को प्रदेश में ही उच्च कोटि का उपचार सम्भव हो सका। कोविड संक्रमित मरीजों को प्रदेश से बाहर नहीं जाना पड़ा एवं मृत्युदर में भारी कमी आयी है।

व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास

उत्तर प्रदेश सरकार/शासन के महत्वपूर्ण विभाग ''व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास'' के अधीन कार्यरत विभिन्न निदेशालय, परिषद एवं केन्द्र, प्रदेश में तकनीकी प्रशिक्षण/रोजगार को कार्य के प्रकार एवं दायित्वों के दृष्टिगत दो भागों में विभक्त किया गया है। विभाग की प्रशासनिक संरचना निम्नानुसार हैः-

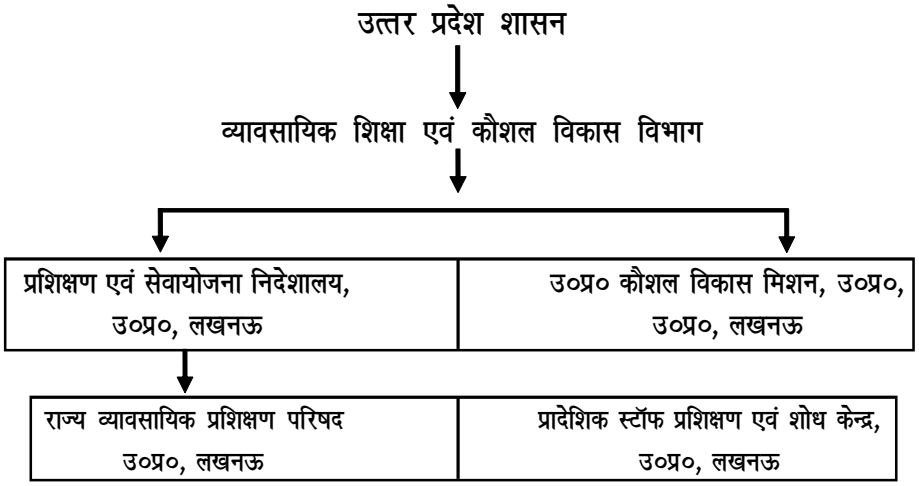

व्यावसायिक प्रशिक्षण से सम्बन्धित गतिविधियाँ

भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के अन्तर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय के अधीन राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.वी.ई.टी.) नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, औद्योगिक अधिष्ठानों तथा राजकीय व निजी प्रशिक्षण प्रदाताओं के माध्यम से निम्नलिखित प्रमुख योजनाओं का संचालन व क्रियान्वयन किया जाता है :

- शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सी.टी.एस.)
- शिशिक्षुता प्रशिक्षण योजना (ए.टी.एस)
- शिल्पकार अनुदेशक प्रशिक्षण योजना (सी.आई.टी.एस.)
- अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम- उ.प्र. कौशल विकास मिशन द्वारा संचालित

शिल्पकार प्रशिक्षण योजना

देश में व्यावसायिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में शिल्पकार प्रशिक्षण योजना सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण योजना है, जो कि वर्तमान एवं भविष्य की जनशक्ति की आवश्यकताओं की मांग के अनुरूप पूर्ति करने के लिये शिल्पकारों को तैयार कर रही है। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सम्पूर्ण रूप से उपरोक्त योजना के क्रियान्वयन में दिन-प्रतिदिन के प्रशासन व अनुश्रवण की जिम्मेदारी एवं आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करना विभाग का दायित्व एवं जिम्मेदारी है। साथ ही एन.सी.वी.ई.टी. से सम्बद्धता प्राप्त निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित प्रशिक्षण का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण भी विभाग द्वारा सम्पादित कराये जाते हैं। प्रशिक्षण उपलब्ध कराने का कार्य भी उनसे वर्तमान मांग के आधार पर किया जाता है, जिससे वर्तमान में उद्योगों, प्रतिष्ठानों की जरूरतों के अनुसार उन्हें दक्ष कामगार उपलब्ध हो सकें।

वर्तमान में प्रदेश के समस्त राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत 70 अभियान्त्रिकी/गैर-अभियान्त्रिकी व्यवसायों में 01/02 वर्षीय एवं 02 राज्य स्तरीय अल्प-कालिक व्यवसायों में 03/06 माह का प्रशिक्षण प्रदान कराया जा रहा है। नये व अत्याधुनिक व्यवसाय इण्टरनेट ऑफ थिंग्स (स्मार्ट एग्रीकल्चर) तथा इण्टरनेट ऑफ थिंग्स (स्मार्ट सिटी) को प्रशिक्षण सत्र अगस्त, 2019 से संचालित कराया जा रहा है।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के संचालन के लिये नीति, मापदण्ड, मानक, पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली, प्रमाणीकरण आदि पूरे देश में एक समान है।

उद्देश्य

1. घरेलू उद्योगों के लिये विभिन्न व्यवसायों में कुशल कारीगरों की नियमित रूप से पूर्ति करते रहना।
2. व्यवस्थित प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता एवं उत्पादन बढ़ाना।
3. उद्योगों एवं बाजार से तालमेल के आधार पर उनके मांग के अनुरूप प्रशिक्षण उपलब्ध कराना।
4. रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण उपलब्ध कराकर शिक्षित युवाओं के समक्ष व्याप्त बेरोजगारी कम करना।
5. युवा पीढ़ी में तकनीकी एवं औद्योगिक रुझान का विकास एवं पोषण करना।

शिक्षुता प्रशिक्षण योजना

इस योजना का संचालन शिशिक्षु अधिनियम, 1961 **में निहित** प्राविधानों के अन्तर्गत किया जाता है। विद्यमान व्यवस्था में शिशिक्षु प्रशिक्षण कार्यक्रम विभिन्न माध्यमों **य**था केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार एवं मानव संसाधन विकास मन्त्रालय के कार्यालयों द्वारा विभिन्न वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए किया जा रहा है। राज्य सरकार के पक्ष में प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय द्वारा व्यावसायिक शिशिक्षुओं का कार्यक्रम नियन्त्रित किया जाता है। वर्ष 2014 व 2015 में भारत सरकार द्वारा योजना को और प्रभावी बनाने तथा इसका लाभ अधिक से अधिक युवाओं तथा उद्योगों को प्राप्त कराने के दृष्टिगत शिशिक्षु अधिनियम, 1961 में अनेक **यथोचित** संशोधन किये गये हैं।

अधिनियम के अन्तर्गत औद्योगिक प्रतिष्ठानों एवं सेवा क्षेत्र की इकाइयों में कार्यरत कुल **कार्मिकों** की संख्या के दृष्टिगत अधिनियम में निर्दिष्ट मानकों के अनुसार शिशिक्षुओं के प्रशिक्षण का उत्तरदायित्व

नियोजक का होता है। शिशिक्षुओं की नियुक्ति के समय नियोजक तथा शिशिक्षु के मध्य एक अनुबंध (कॉन्ट्रेक्ट) भरा जाता है। प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरान्त ही यह कॉन्ट्रेक्ट भी समाप्त हो जाता है।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता नहीं होती है। **ऐसे अभ्यर्थी जो कि फ्रेशर होते हैं अर्थात् औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से प्रशिक्षित नहीं होते हैं तथा शिशिक्षु अधिनियम,** 1961 **में निर्दिष्ट व्यवसायों में प्रवेश हेतु निर्धारित शैक्षिक योग्यता रखते हैं, को आधारभूत प्रशिक्षण बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स के माध्यम से स्वीकृत संस्थानों में दिया जाता है। वर्तमान में सम्पूर्ण योजना का संचालन ऑन-लाईन पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। योजनान्तर्गत निर्धारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की अवधि** 06 **माह से** 03 **वर्ष तक निर्धारित है।**

शिल्पकार अनुदेशक प्रशिक्षण योजना

देश एवं प्रदेश औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कुशल अनुदेशकों की कमी को पूर्ण करने के उद्देश्य से एन.सी.वी.टी. द्वारा शिल्पकार अनुदेशक प्रशिक्षण योजना (सी.आई.टी.एस.) को प्रारम्भ किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत अनुदेशकों तथा सी.टी.एस. प्रमाणपत्र धारकों को एन.सी.वी.टी. के निर्दिष्ट व्यवसायों में 01 वर्षीय प्रशिक्षण प्रदान कराया जाता है।

योजना के अन्तर्गत समस्त प्रशिक्षार्थियों को ट्रेड टेक्नोलॉजी में 06 माह का उच्च स्तरीय आधारभूत एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण तथा प्रशिक्षण एवं प्रबन्धन के सिद्धान्तों पर 06 माह का प्रशिक्षण प्रदान कराया जाता है।

प्रदेश में सी.आई.टी.एस. योजना के अन्तर्गत प्रादेशिक स्टाफ प्रशिक्षण एवं शोध केन्द्र, अलीगंज, लखनऊ में 04 व्यवसायों यथा- फिटर, इलेक्ट्रीशियन तथा मैकेनिक रेफ्रीजरेशन एण्ड एयर- कन्डीशनर सीविंग टेक्नोलॉजी **(महिलाओं हेतु) व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान कराया जा रहा है।**

विभागीय इकाईयां

प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय (प्रशिक्षण प्रखण्ड)

व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के अन्तर्गत प्रदेश में स्थापित समस्त राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के संचालन एंव दैनिक क्रिया-कलापों का अनुश्रवण का समस्त कार्य प्रशिक्षण एवं निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा सम्पादित किया जाता है। इसके अतिरिक्त निदेशालय द्वारा प्रदेश में सचालित हो रहे निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के दैनिक क्रिया-कलापों का अनुश्रवण भी प्रशिक्षण एवं निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ के माध्यम से सम्पादित किया जाता है।

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों हेतु केन्द्र व राज्य सरकार की समस्त योजनाओं के सफलतापूर्वक संचालन/सम्पादन में प्रशिक्षण एवं निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ एक सेतु रूप में कार्य करता है। इनके अतिरिक्त प्रशिक्षण एवं निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा विभिन्न शासकीय गतिविधियों का समयबद्ध क्रियान्वयन एवं निस्तारण सुनिश्चित कराया जाता है।

राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षणा परिषद (एस.सी.वी.टी.)

भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मत्रालय के **अधीन संचालित** प्रशिक्षण महानिदेशालय **द्वारा सम्पूर्ण देश में कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन से सम्बन्धित दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं। प्रशिक्षण महानिदेशालय के अन्तर्गत गठित राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद एन0सी0वी0टी0 द्वारा राज्यों में औद्योगिक प्रशिक्षण संसीानों की स्थापना व उनके संचालन हेतु मानक तैयार कर जारी किये जाते हैं। एनसी0वी0टी0 द्वारा समय-समय पर जारी किये जानेवाले दिशा-निर्देशों को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों पर लागू कराने के सम्पूर्ण दायित्व राज्य निदेशालयों का होता है।**

प्रदेश में एन.सी.वी.टी. से सम्बन्धन प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश, परीक्षा व प्रमाणीकरण के सम्बन्धित समस्त कार्यों के सफल संचालन सम्पादन हेतु वित्तीय वर्ष में राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गयी है। एस0सी0वी0टी0 को सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया है एवं इसका मुख्यालय राजयकी आई.टी.आइ., अलीगंज, लखनऊ के परिसर में निर्मित भवन में स्थापित है एस.सी.वी.टी. के प्रमुख कार्य निम्नवत है-

1. एस.सी.वी.ई.टी. के प्रशिक्षण कार्यक्रमों/योजनाओं के अन्तर्गत जारी किये गये दिशा-निर्देशों को प्रदेश में स्थापित व संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में लागू कराना।
2. **राजकीय व निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में मेरिट के आधार पर प्रवेश की कायवाही को पूर्ण कराते हुये अभ्यर्थियों को प्रवेश प्रदान कराना।**
3. **दीर्घकालीन व्यावसायिक प्रशिक्षण से सम्बन्धित समस्त प्रकार की परीक्षाओं के लिये परीक्षा बोर्ड का गठन, परीक्षाओं का सफल सम्पादन कराना इत्यादि।**
4. प्रदेश में स्थापित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित एन.सी.वी.टी. के प्रशिक्षण कार्यक्रमों **में वांछित उच्चीकरण हेतु राज्य/केन्द्र सरकार को सुझाव उपलब्ध कराना।**
5. **राज्य की आवश्यकताओं के अनुरूप एस0सी0वी0टी0 द्वारा नवीन पाठ्यक्रमों को विकासित कराकर उन्हे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित कराना।**
6. एन.सी.वी.टी. के प्रशिक्षण कार्यक्रमों से सम्बन्धित प्रमाण-पत्रों को प्रतिहस्ताक्षरित कर सफल प्रशिक्षार्थियों को उपलब्ध कराना।
7. **एन.सी.वी.टी. व** एस.सी.वी.टी के प्रशिक्षण कार्यक्रमों से सम्बन्धित **अंक-पत्रों व प्रमाण-पत्रों को तैयार कराकर सफल प्रशिक्षार्थियों को उपलब्ध कराना।**
8. **शिक्षुता प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत नियोजित शिशुक्षुओं से सम्बन्धित परीक्षाओं का संचालन कराते हुय अंक-पंत्र व प्रमाण-पत्र को तैयार कराकर सफल शिशिक्षुओं को उपलब्ध कराना।**
9. प्रदेश के उद्योगों, संस्थानों एवं संस्थाओं की आवश्यकताओं के अनुरूप नये प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विकास एवं निर्माण करना तथा उनके सम्बन्धन की कार्यवाही को सम्पादित करना।
10. **समस्त प्रकार की र्काशल प्रतियोगिताओं का सफल आायोजन कराते हुए मेधावी प्रशिक्षाथियों को पुरस्कार/मेडल प्रदान कराना।**

वित्तीय वर्ष 2019-20 में सम्पादित कराये गये कार्यों का विवरण

वर्ष 2018-19 हेतु विधान मण्डल द्वारा व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग को रू0 909.15.4 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। जिसके सापेक्ष निम्नलिखित प्रमुख कराये गये/जा रहे है।

वर्ष 2019-20 में सम्पादित कराये गये/जा रहे प्रमुख कार्य निम्न है-

1. शत-प्रतिशत केन्द्र पुरोनिधानित ''स्किल्स स्ट्रैन्थिनिंग फॉर इण्डस्ट्रियल वैल्यू एनहैंसमेट'' अर्थात स्ट्राइव परियोजना (विश्व बैंक फण्डिंग) के अन्तर्गत 16 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उद्योगों के समन्वय से उच्चीकृत किये जाने हेतु चयनित कराया गया है। केन्द्र सरकार के सहयोग से संचालित पलिक प्राइवेट पाटर्नशिप योजना के अन्तर्गत चयनित 115 राजकीय औद्यागिक प्रशिक्षण संस्थानों के उच्चीकरण का कार्य कराया जा रहा है।
2. प्रदेश के 02 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यथा साकेत मेरठ एवं करौंदी वाराणसी को केन्द्र पुरानिधानित परियोजना राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का माडल आई0टी0आई0 के रूप में उच्चीकरण (के.70/रा.30) के अन्तर्गत मॉडल आई0टी0आई0 के रूप में विकसित किये जाने संबंधी कार्य सम्पादित कराये जा रहे हैं।
3. प्रदेश के समस्त जनपदो में कौशल पशिक्षण कार्यक्रमों के अन्तर्गत युवाओं को प्रशिक्षित कर उन्हे रोजगार/स्व-रोजगार से जोड़ने तथा प्रशिक्षण की गुणवत्ता को बढ़ाने के उद्देश्य से केन्द्र पुरोनिधानित स्किल्स एक्जीशन एण्ड नॉलेज अवेयरनेस फार लाईवलीनेस (संकल्प) योजना (के.60/रा.40) को उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के माध्यम से क्रियान्वित किया गया है।
4. प्रदेश के असेवित क्षेत्रो में स्थापित 5 नये राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानो को प्रशिक्षण हेतु क्रियाशील कराया गया है। इन नये संस्थानों के क्रियाशील होने के फलस्वरूप 6120 प्रशिक्षण सीटो की वृद्धि हुई है। साथ साथ समस्त संस्थानों में आवश्यकता के अनुरूप वांछित सामान्य आधुनिक प्रकृति की मशीनें और उपकरणों के क्रय/सथापना हेतु धनराशि जारी की गई है।
5. सामान्य स्पेशल कम्पोनंट प्लान, ट्राईबल सब प्लान तथा प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम पूर्व में एम0एस0डी0पी0 योजनाओं के अन्तर्गत संचालित प्रदेश के राजकीय औद्योकिग प्रशिक्षण संस्थानों में विभिन्न व्यवसायों की राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त 1.07,489 प्रशिक्षण सीटों की मान्यता एन.सी.वी.टी. भारत सरकार से प्राप्त की गई है, जो कि एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।
6. प्रदेश के 12 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 40 किलोवाट क्षमता के सौर उर्जा संयंत्र की स्थापना हेतु धनराशि जारी का कार्य प्रारम्भ कराया गया है।

7. प्रदेश के समस्त राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेशित प्रशिक्षाथियों के निःशुल्क वर्दी/डांगरी तथा पुस्तकें प्रदान करायी गयी हैं। इसके अतिरक्त समस्त राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण की गुणवत्ता संवधन के उद्देश्य से आई0टी0 लैब तथा स्मार्ट क्लास रूम स्थापित कराकर संचालित किये गये है।

वर्ष 2020-21 में प्रस्तावित प्रमुख कार्य

नवीन आई.टी.आई. का संचालन	प्रदेश के असेवित क्षेत्रों में नये निर्माणाधीन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में से 19 क्रियाशील तथा 21 नये संस्थानों को पी.पी.पी. मॉडल के अन्तर्गत क्रियाशील किये जाने के दृष्टिगत समस्त आवश्यक कार्यवाहियां निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कराये जाने का लक्ष्य है।
व्यवसायों का सम्बन्धन	प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में एस.सी.वी.टी. में संचालित अवशेष समस्त व्यवसायों/एक कों का एन.सी.वी.टी. से सम्बन्धन प्रापत किया जायेगा।
मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणायें	मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा की नये राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की घोषणा के अन्तर्गत 33 संस्थानों के भवन निर्माण हेतु बजट जारी कराते हुये निमाण कार्य को प्राथमिकता के आधार प्रारम्भ कराया जायेगा।
भवन निर्माण	समस्त प्रगतिमान भवन निर्माण कार्यों हेतु अवशेष धनराशि को जारी कर उन्हे पूर्ण किया जाना।
मॉडल आई.टी.आई.	केन्द्रपुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान साकेत, मेरठ तथा करौदी-वाराणसी को माडल आई.टी. आई. के रूप में विकसित किये जाने के अन्तर्गत अवशेष कार्यों को पूर्ण करने का लक्ष्य है।
सौर ऊर्जा संयंत्र	प्रदेश के 12 राजकीय औद्योगि प्रशिक्षण संस्थानों में 40 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना।
शोध केन्द्र का संचालन	प्रादेशिक स्टॉफ प्रशिक्षण एवं शोध केन्द्र में महिलाओं के लिये 02 नये व्यवसायों कॉस्मेटोलॉजी तथा कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर एलीकेशन्स में प्रशिक्षण प्रारम्भ कराने का लक्ष्य है।
प्रशिक्षण क्षमता का विस्तार	वित्तीय वर्ष 2019-20 में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में लोकप्रिय व्यवसायों में आवश्यकता के अनुरूप एककों की वृद्धि किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

उ०प्र० कौशल विकास मिशन	उ0प्र0 कौशल विकास मिशन द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से अधिक से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें रोजगार प्रदान करना।
सीएम-युवा योजना	प्रदेश के युवाओं को उद्यमी के रूप में विकसित किये जाने सीएम-युवा योजना को प्रारम्भ कराया जायेगा। योजना के अन्तर्गत युवाओं को तकनीकी/प्रबन्धकीय ज्ञान के साथ-साथ आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी।
मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना	राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत अधिक से अधिक युवाओं को शिक्षुता प्रशिक्षण प्रदान कराने के दृष्टिगत मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना को प्रारभ किया जायेगा। योजना के अन्तर्गत उद्योगों में नियोजित होने वाले प्रत्येक युवा को रु. 1000.00 प्रति माह की वृत्तिका राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जायेगी।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

भूमिका

स्वस्थ नागरिक राष्ट्र की समृद्धि के आधार स्तम्भ होते हैं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 22 करोड़ है। इसमें हर जाति, वर्ग, सम्प्रदाय के लोग निवास करते हैं। किसी भी देश अथवा प्रदेश की प्रगति का मापदण्ड उस देश अथवा प्रदेश में निवास करने वाले नागरिकों के स्वास्थ्य की स्थिति से ही जाना जाता है। अपने प्रदेश के नागरिकों को स्वस्थ्य रखने एवं जीवनस्तर सुधारने हेतु स्वास्थ्य विभाग उत्तम सेवायें प्रदान करने के लिये कृतसंकल्प है। प्रदेश में इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु स्वास्थ्य विभाग उपलब्ध संसाधनों से स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण, आधुनिकीकरण एवं अधिकाधिक विस्तार कर रहा है। महामारी एवं अन्य घातक बीमारियों पर समय से नियंत्रण पाने के लिये त्वरित एवं सघन प्रयास किये जाते हैं।

प्रदेश के निरोधात्मक, उपचारात्मक एवं संवर्धनात्मक स्वास्थ्य सेवाओं का पर्याप्त रूप से विकास एवं प्रचार करके लोगों को स्वस्थ रखने के लिये अधिकाधिक सफलता प्राप्त की जा रही है। निरोधात्मक स्वास्थ्य सेवाओं के अन्तर्गत रोके जा सकने वाले संचारी रोग से प्रभावित रोगियों की संख्या एवं होने वाली मृत्यु को कम करने में वास्तविक प्रगति हुयी है। पूरे प्रदेश एवं देश से चेचक रोग का उन्मूलन हो गया है। पोलियो एवं मलेरिया रोग की रोक-थाम एवं नियंत्रण के लिये सफल एवं सघन प्रयास किये जा रहे हैं। फाईलेरिया एवं मस्तिष्क ज्वर पर प्रभावी नियंत्रण किया जा रहा है। अन्धापन, क्षयरोग, कुष्ठरोग एवं आयोडीन की कमी से होने वाले रोग जैसी प्रमुख स्वास्थ्य समस्याओं पर प्रभावी नियंत्रण के लिये इन्हें राष्ट्रीय कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया था। प्रदेश में इन रोगों से प्रभावित होने वाले रोगियों की संख्या प्रतिवर्ष घटती जा रही है। बच्चों को 7 जानलेवा बीमारियाँ टिटनेस, डिप्थीरिया, काली खांसी, पोलियो, मिजिल्स, हिपेटाइटिस-बी तथा क्षयरोग जैसे भयानक रोगों की सुरक्षा हेतु व्यापक कार्यक्रम, वृहत प्रशिक्षण योजना के रूप में चलाया जा रहा है। गर्भवती माताओं एवं बच्चों को अल्प रक्तता तथा बच्चों को अंधेपन से बचाने हेतु ठोस कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। इन समस्त सेवाओं के प्रभावी संचालन के कारण नागरिकों की औसत आयु में वृद्धि हुयी है और उनका जीवन स्तर सुधरा है। इसके फलस्वरूप जीवन अनुशंसा राष्ट्रीय स्तर पर 27 से बढ़कर 65.5 वर्ष (वर्ष 2011) हो गयी है, जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है।

प्रदेश सरकार की विकास नीति ग्रामोन्मुखी है। ग्रामीण क्षेत्रों में घर के निकट ही चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला सेक्टर योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण स्वास्थ्य इकाइयों की व्यापक व्यवस्था की गयी है। इस कड़ी में सबसे निचले स्तर पर परिवार कल्याण उप केन्द्र स्थापित हैं, जो स्वास्थ्य सेवायें भी प्रदान करते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अन्तर्गत मैदानी क्षेत्रों में प्रति 30,000.00 ग्रामीण जनसंख्या तथा जनजाति क्षेत्रों में 20,000.00 ग्रामीण जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने का लक्ष्य है, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र की जनता को चिकित्सा स्वास्थ्य एवं

परिवार कल्याण सेवायें सुगमता से उनके घर के समीप सुलभ हो सकें। प्रत्येक विकास खण्ड में 30 शैय्या युक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किया जाना है, जिसमें आवश्यक विशिष्ट चिकित्सा सुविधायें जैसे- मेडिसिन, सर्जरी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, बालरोग, दन्त, पैथालॉजी, एक्स-रे आदि की व्यवस्था की जा रही है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा उपचारात्मक एवं निरोगात्मक सेवाओं के साथ-साथ विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जाता हैं। जनसामान्य को उच्च स्तरीय उपचारात्मक सेवायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला एवं मण्डल स्तर पर जिला चिकित्सालय तथा अन्य चिकित्सालयों में विशिष्ट एवं अति विशिष्ट सेवा इकाइयाँ स्थापित की गयी हैं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के सभी जिलों में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने हेतु जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम तथा बच्चों को 07 तरह की बीमारियों से बचाने हेतु नियमित टीकाकरण तथा आपात चिकित्सा सेवा पहुंचाने हेतु ई.एम.टी.एस. सेवाओं के अन्तर्गत 108 एम्बुलेन्स सेवा संचालित की जा रही है।

स्टेट एजेन्सी फॉर काम्प्रीहेन्सिव हेल्थ एण्ड इन्टीगेटेड सर्विसेज (साचीज) द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में संचालित की जाने वाली योजना

आयुष्मान भारत-नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन (परिवर्तित नाम-आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन-आरोग्य योजना)

आयुष्मान भारत-नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन के अन्तर्गत एस.ई.सी.सी. डाटा 2011 के अन्तर्गत 1.18 करोड़ लाभार्थियों के परिवार को प्रतिवर्ष रु. 5.00 लाख धनराशि तक की फ्लोटर के आधार पर निःशुल्क चिकित्सा सुविधा राजकीय चिकित्सालयों एवं सूचीबद्ध निजी चिकित्सालयों के माध्यम से प्रदान की जा रही है।

जिसका वित्त पोषण केन्द्र सरकार व राज्य सरकार के मध्य 60:40 के अनुपात में वहन किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा योजनान्तर्गत प्रदत्ते दिशा-निर्देश के अनुसार प्रति लाभार्थी परिवार रु. 1050.00 (अधिकतम) की दर से चिकित्सालयों के क्लेम के निमित्त कुल धनराशि आगणित की गई है। उक्त के अतिरिक्त योजना के अन्तर्गत होने वाले प्रशासनिक व्ययों हेतु रु. 50/- प्रति लाभार्थी परिवार की दर से धनराशि का वित्त पोषण केन्द्र व राज्य सरकार के मध्य 60:40 के अनुपात में वहन किया जा रहा है। इस प्रकार प्रति लाभार्थी परिवार रु. 1100.00 का व्यय भार अनुमानित है। उपरोक्तानुसार आगणन के फलस्वरूप प्रशासनिक मदों में 1.18 करोड़ लाभार्थियों हेतु कुल रु. 59.00 करोड़ धनराशि तथा सूचीबद्ध चिकित्सालयों द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा दावों की प्रतिपूर्ति हेतु रु. 1239.00 करोड़ धनराशि कुल रु. 1298.00 करोड़ धनराशि का व्यय भार अनुमानित है।

आयुष्मान भारत-मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान

आयुष्मान भारत-नेशनल हेल्थ मिशन के अन्तर्गत एस0ई0सी0सी0 डाटा 2011 के अन्तर्गत 1.18 करोड़ लाभार्थियों के परिवार को प्रतिवर्ष रु. 5.00 लाख धनराशि तक फ्लोटर के आधार पर निःशुल्क चिकित्सा सुविधा राजकीय चिकित्सालयों एवं सूचीबद्ध निजी चिकित्सालयों के माध्यम से प्रदान

की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री के प्रदत्त निर्देशों के क्रम में प्रदेश में उक्त डाटाबेस में जो लाभार्थी छूट गये हैं, उनकी संख्या लगभग 10.10 लाख है, जिसका निरीक्षण/सत्यापन ग्राम्य विकास विभाग द्वारा किया गया है। इन लाभार्थियों को आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की भाँति लाभ प्रदान किया जा रहा है, जिसका वित्त पोषण राज्य सरकार द्वारा पूर्णतया वहन किया जायेगा। इस योजना हेतु प्रति लाभार्थी परिवार रु. 1100.00 का व्यय भार अनुमानित है। उपरोक्तानुसार आगणन के फलस्वरूप प्रशासनिक मदों में 10.10 लाख लाभार्थियों हेतु कुल रु. 5.05 करोड़ धनराशि तथा सूचीबद्ध चिकित्सालयों द्वारा प्रस्तुत दावों की प्रतिपूर्ति हेतु रु. 106.05 करोड़ धनराशि कुल 111.10 करोड़ धनराशि का व्यय भार अनुमानित है।

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 85 रक्तकोष स्थापित हैं। 18 जनपदों में क्षेत्रीय निदान केन्द्र क्रियाशील हैं। उक्त निदान केन्द्रों में विशिष्ट चिकित्सा उपकरण यथा सी.टी स्केन तथा आधुनिक एक्स-रे मशीन स्थापित है। पैथोलॉजी लैब भी उन्नति स्तर की है। प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों में 19 सी.टी. स्केन मशीन स्थापित है। प्रदेश के स्वास्थ्य केन्द्रों में कुल 687 एक्स-रे मशीनें स्थापित हैं।

राजधानी में बलरामपुर चिकित्सालय में 100 शैय्याओं का सुपर स्पेशेलिटी विंग की स्थापना की जा चुकी है, जिसमें विभिन्न प्रकार के रोगियों को विशिष्ट चिकित्सा सुविधा प्रदान किये जाने की व्यवस्था है।

यू.एच.एम. चिकित्सालय, कानपुर नगर में एम.आर.आई. मशीन स्थापित एवं क्रियाशील है। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय, लखनऊ में कैथ लैब स्थापित है और यहाँ हृदय रोगों का निदान एवं उपचार हो रहा है।

प्रदेश के दो राजकीय मानसिक चिकित्सालय क्रमशः बरेली एवं वाराणसी पूर्ण रूपेण कार्य कर रहे हैं। आगरा मानसिक चिकित्सालय स्वायतत्वः पोषित संस्थान के रूप में कार्य कर रहा है।

विद्युत एवं यांत्रिक सेल

विद्युत एवं यांत्रिक अनुरक्षण प्रकोष्ठ की स्थापना वर्ष 1974 में इस उद्देश्य से की गयी थी कि प्रदेश में स्थित राजकीय क्षेत्र के शहरी एवं ग्रामीण चिकित्सालयों में उपलब्ध उपकरणों तथा भवनों की विद्युत व्यवस्था का समुचित रख रखाव किया जा सके। उक्त परिप्रेक्ष्य में प्रकोष्ठ द्वारा उपलब्ध उपकरणों की मरम्मत, समयबद्ध रख रखाव तथा निष्प्रयोज्य हो चुके उपकरणों एवं साज-सज्जा की पुनर्स्थापना की कार्यवाही में विभाग को आवश्यक तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराया जाता है। इसी प्रकार प्रदेश के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में स्थित चिकित्सालयों के भवनों की विद्युत व्यवस्था का रख रखाव एवं निर्मित होने वाले चिकित्सालय भवनों हेतु आवश्यक विद्युत व्यवस्था उक्त चिकित्सालय में प्रस्तावित उपकरणों आदि विभिन्न आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये आंकलित किया जाता है।

उपरोक्त मूल कार्य कलापों के अतिरिक्त चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में हो रहे आधुनिक परिवर्तन से सामंजस्य बनाये रखने के लिए यथा आवश्यकतानुसार आधुनिक उपकरणों आदि की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में भी तकनीकी सहयोग विभाग को उपलब्ध कराया जाता है। जिससे कि प्रदेश की आम जनता को बेहतर एवं आधुनिक चिकित्सा सेवाएं राजकीय चिकित्सालयों के द्वारा उपलब्ध करायी जा सके।

पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम (आर.एन.टी.सी.पी.) की रणनीति

पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम भारत सरकार के आर्थिक सहयोग एवं मार्गदर्शन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। सेन्ट्रल टी.बी. डिवीजन निर्माण भवन, नई दिल्ली द्वारा राज्य स्वास्थ्य समिति, उ.प्र. को कार्यक्रम के संचालन हेतु धनराशि उपलब्ध करायी जाती है। राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से जिला क्षय रोग अधिकारी (आर.एन.टी.सी.पी.) को विभिन्न मदों में आवश्यकतानुसार धनराशि उपलब्ध करायी जाती है।

1. वित्तीय वर्ष 2019-20 (1 जनवरी 19 से 31 दिसम्बर, 2019 तक) टी0बी0 नोटीफिकेशन सरकारी क्षेत्र में 321525 पंजीकृत क्षय रोगी एवं निजी क्षेत्र में 154541 पंजीकृत क्षय रोगी कुल 476066 क्षय रोगी निक्षय पोर्टल पर पंजीकृत किय गये।
2. भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 07 मई 2012 के अनुरूप सरकारी एवं निजी क्षेत्र में जाँच/निदान एवं उपचार प्राप्त कर रहे समस्त क्षय रोगियों के आकड़ों एवं समस्त/निजी चिकित्सा इकाइयों का पंजीकरण निःक्षय साफ्टवेयर में शत्-प्रतिशत अंकन सुनिश्चित कराया जाना है।
3. टी.बी.-एच.आई.वी. समन्वय कार्यक्रम के अन्तर्गत शत् प्रतिशत क्षय रोगियों की एच.आई.वी. जाँच सुनिश्चित की जानी है।
4. कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विकेन्द्रीकृत अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण जनपद आगरा, वाराणसी, बरेली एवं लखनऊ में स्थापित क्षेत्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम प्रबन्धन ईकाई (आर.टी.पी.एम.यू.) के माध्यम से किया जाना है।
5. एम.डी.आर.-टी.बी. (मल्टी ड्रग रेजिस्टेन्ट-टी.बी.) के संदिग्ध क्षय रोगियों की खोज हेतु समस्त प्रदेश में भारत सरकार के निर्देशानुसार क्राईटेरिया-सी लागू किया जा रहा है। अतः पी.एम.डी.टी. (प्रोगामेटिक मैनेजमेण्ट ऑफ ड्रग रेजिस्टेन्ट टी.बी.) कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रदेश में भी क्राईटेरिया-सी के अनुसार एम.डी.आर. क्षय रोगियों की खोज सुनिश्चित की जानी है।
6. प्रदेश में चार स्टेट ड्रग स्टोर एवं समस्त जनपदीय ड्रग के माध्यम से क्षय निरोधी औषधियों का वितरण किया जा रहा है।
7. एम.डी.आर. क्षय रोगियों की त्वरित जाँच एवं निदान हेतु वर्तमान में प्रदेश के 75 जनपदों मे 76 सी.बी.एन.ए.ए.टी. लैब स्थापित एवं क्रियाशील है, जिससे एम.डी.आर. टी.वी. की जांच मात्र 2 घण्टे में उपलब्ध हो जाती है।
8. स्टेट टी.बी. डिमान्सट्रेशन एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर (एस.टी.डी.सी.) आगरा को राज्य स्तरीय प्रशिक्षण, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु ''उत्कृष्टता के केन्द्र'' के रूप में विकसित किया जा रहा है।
9. इस कार्यक्रम में क्षय रोगियों का उपचार डॉट्स पद्धति से किया जाता है जिसके अन्तर्गत प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा अपने सामने औषधियाँ खिलायी जाती हैं। सभी क्षय रोगियों के लिए पंजीकरण के प्रथम दिन ही सम्पूर्ण कोर्स की क्षय निरोधी औषधियां आवंटित कर दी जाती हैं। अनियमित क्षय रोगियों को पर्यवेक्षकीय स्टाफ एवं डॉट्स प्रोवाइडर द्वारा इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि वे उपचार समय से निरन्तर लेते रहें।
10. भारत सरकार द्वारा त्रैमासिक आधार पर क्षय निरोधी औषधियाँ एस.डी.एस. - आगरा, लखनऊ, बरेली तथा वाराणसी द्वारा प्रदेश के समस्त क्षय रोगियों को उपलब्ध करायी जाती हैं।

राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम-उत्तर प्रदेश

प्रदेश में यह कार्यक्रम भारत सरकार की शत प्रतिशत सहायता से वर्ष 1977 से भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार वर्ष 2005 से ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत समायोजित कर चलाया जा रहा है। कार्यक्रम का लक्ष्य प्रदेश की वर्तमान दृष्टिहीनता दर 1.0% को घटाकर 0.3% लाना है। मोतियाबिन्द जनित अंधता को शल्यक्रिया द्वारा दूर किया जा सकता है। भारत सरकार द्वारा कराये गये अंधता हेतु सर्वेक्षण द्वारा परिणाम प्राप्त हुए हैं कि 62% अंधता, मोतियाबिन्द तथा 20% रिफैक्टिव एरर के कारण होती है। जिसे दूर करने के लिए भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार मोतियाबिन्द की शल्यक्रिया करने तथा 8 से 14 वर्ष के बच्चों के दृष्टिदोष को दूर करने हेतु स्कूल आई स्क्रीनिंग तथा नेत्र बैंकों के माध्यम से कार्निया प्रत्यारोपण का कार्य कराया जाता है। वर्ष 2015-2019 में भारत सरकार द्वारा कराये गये सर्वे के अनुसार उत्तर प्रदेश की अंधता की व्यापकता दर 1 प्रतिशत है। अतः इस समय कार्यक्रम का लक्ष्य वर्ष 2024 तक वर्तमान अंधता दर को घटाकर 0.3 प्रतिशत तक लाना है।

वृहत् प्रशिक्षण कार्यक्रम

यह योजना वर्ष 1978 से प्रदेश में केन्द्रीय सहायता से प्रारम्भ की गयी थी, जिसके अंतर्गत 16 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को संचारी रोगों से बचाव के टीके लगाने का प्रावधान था। इस कार्यक्रम को केन्द्र सरकार ने वर्ष 1985 में व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम का रूप लेकर आरम्भ किया था।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत शत-प्रतिशत गर्भवती महिला एवं 85 प्रतिशत 1 वर्ष से कम आयु के शिशुओं को 6 संक्रामक रोगों से बचाव के टीके लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस कार्यक्रम के लिए उपकरण एवं रक्षालय आदि का प्रबन्ध भारत सरकार द्वारा किया जाता है तथा क्षेत्र के बहुधन्धी कार्यकर्ताओं द्वारा यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यह कार्यक्रम निदेशक, परिवार कल्याण के अधीन अपर निदेशक, मातृ एवं शिशु कल्याण की देख-रेख में संयुक्त निदेशक, ई.पी.आई. द्वारा संचालित एवं नियोजित होता है, संयुक्त निदेशक, ई.पी.आई. इसके राज्य स्तरीय कार्यक्रम अधिकारी हैं। जिला स्तर पर इस कार्य के लिए राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम का स्टाफ भी इस कार्य को करता है।

आयुष

भारतीय चिकित्सा पद्धति के माध्यम से प्रदेश के जन-जन तक स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराना प्रदेश के संकल्पों में से एक है। इस उददेश्य की प्राप्ति हेतु शासन द्वारा आयुष चिकित्सा विभाग स्थापित किया गया है, जिसके अन्तर्गत होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा विधा के मूल सिद्धातों के आधार पर रोगियों को रोग मुक्त करने में सहयोग देती हैं।

प्रदेश की जनता को बेहतर, सस्ती, रोगों को समूल नष्ट करने वाली त्वरित प्रभावकारी एवं स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न डालने वाली चिकित्सा पद्धति होने के कारण आम जनता विशेष कर ग्रामीण जनता जिनमें अधिकतर गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनता जिसकी व्यय वहन क्षमता अत्यन्त न्यून है, में बेहद उपयोगी होनें के फलस्वरूप इसकी लोकप्रियता में निर्वाध रूप से उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है तथा जन मानस में तीव्र गति से ग्राह्य हो रही है।

आयुर्वेदिक एवं यूनानी पद्धति के अन्तर्गत प्रदेश में 2358 राजकीय चिकित्सालय संचालित हैं तथा प्रदेश में 08 आयुर्वेदिक एवं 02 यूनानी कालेजों में सी0सी0आई0एम0 के मानको के अनुसार समस्त सुविधायें उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के अन्तर्गत प्रदेश के 121 शहरी तथा 1455 ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 1576 राजकीय चिकित्सालय संचालित हैं तथा प्रदेश में 9 राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज संचालित है।

प्रदेश में आयुष विधाओं को और अधिक सुदृढ़ किये जाने हेतु राष्ट्रीय आयुष मिशन के अन्तर्गत योजनाओं का क्रियान्वयन किये जाने हेतु प्रदेश में उत्तर प्रदेश राज्य आयु-ा सोसायटी का गठन किया गया है। जिसके दिशा-निर्देशन में उक्त मिशन की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कार्यवाही की जा रही है। मिशन की गाइड लाइन के अनुसार विभिन्न योजनाओं में प्रमुख रूप से औषधियों की उपलब्धता, रा0 मेडिकल कालेजों एवं चिकित्सालयों का सुदृढ़ीकरण योग प्रशिक्षण आदि कार्यक्रमों को संचालित करने का लक्ष्य है।

आयुर्वेदिक एवं यूनानी पद्धतिः गतिविधियाँ एवं क्रिया-कलाप

भारतीय चिकित्सा पद्धति के माध्यम से प्रदेश के जन-जन तक स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराना प्रदेश सरकार के संकल्पों में से एक है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु शासन द्वारा आयुर्वेदिक एवं यूनानी पद्धतियों के सर्वांगीण विकास के लिये गत वर्षों में अनेकानेक महत्वपूर्ण योजनाएं क्रियान्वित की जाती रही हैं, जिसका सुखद परिणाम है कि वर्तमान में इन विधाओं का एक समेकित समन्वित तथा सुगठित तंत्र प्रदेश के सुदूर ग्रामीण अंचलों तक में विकसित हो सका है।

भारतीय चिकित्सा पद्धतियों (आयुर्वेद/यूनानी) के कार्यकलापों एवं गतिविधियों के संक्षेपतः निम्न 3 आयाम हैं:-

1. चिकित्सकीय क्रियाकलाप
2. औषधि निर्माण एवं गुणवत्ता नियन्त्रण
3. शिक्षा एवं प्रशिक्षण

1. चिकित्सकीय क्रिया-कलाप

नवसृजित उत्तरांचल राज्य के गठन के पश्चात् सम्प्रति उत्तर प्रदेश में वर्तमान में आयुर्वेद एवं यूनानी विधा के कुल 2358 चिकित्सालय हैं। इन चिकित्सालयों में कुल 10597 शैय्याएं रोगियों की चिकित्सा हेतु उपलब्ध है एवं प्रतिवर्ष लगभग 2.54 करोड़ रोगियों को आयुर्वेदिक/यूनानी पद्धति से इन शासकीय चिकित्सालयों के माध्यम से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जाती है।

2. औषधि निर्माण एवं गुणवत्ता नियंत्रण

प्रदेश के सभी राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों को प्रमाणित एवं गुणकारी औषधियों की आपूर्ति की दृष्टि से वर्तमान में लखनऊ एवं पीलीभीत में राजकीय औषधि निर्माणशाला कार्यरत है। प्रदेश में आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधियों की गुणवत्ता पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए वर्षः 1977-78 से ड्रग एक्ट लागू कर दिया गया है। प्रदेश में लखनऊ में एक ड्रग टेस्टिंग लैब भी है जो प्रदेश में उपयोग में लाई जा रही औ-धियों के संघटन, गुण-दोष आदि का निर्धारण कर गुणवत्ता नियंत्रण में अपनी उपयोगिता सिद्ध करती है।

3. शिक्षा तथा प्रशिक्षण

प्रदेश में भारतीय चिकित्सा पद्धति के निष्णात् स्नातकों को शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने की दृष्टि से लखनऊ, पीलीभीत, झाँसी, बरेली, मुजफ्फरनगर, अतर्रा-बांदा, हंडिया-प्रयागराज तथा वाराणसी में 8 राजकीय आयुर्वेदिक कालेजों एवं लखनऊ तथा प्रयागराज में 2 राजकीय यूनानी कालेजों के माध्यम से कुल 370 आयुर्वेदिक तथा 120 यूनानी स्नातकों को प्रशिक्षित करने के लिये वर्ष 2017-18 से राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित नीट परीक्षा की पात्रता सूची से प्रवेश दिये जाने हेतु निर्णय लिया गया है। इसके पूर्व सी0पी0एम0टी0 के माध्यम से प्रवेश दिया जाता रहा है।

आयुर्वेदिक एवं यूनानी कालेजों में प्रवेश क्षमता एवं कालेज से सम्बद्ध चिकित्सालयों में शैय्याओं का विवरणः-

क्र0सं0	कालेज का नाम	प्रवेश क्षमता	कालेज से सम्बद्ध अस्पतालों में शैय्याओं की संख्या
1.	राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ	60	220
2.	ललित हरि रा0 आयु0 कालेज, पीलीभीत	50	100
3.	बुन्देलखण्ड रा0 आयु0 कालेज, झाँसी	40	100
4.	एस0आर0एम0 राजकीय आयुद्र कालेज बरेली	40	100

5.	एसवकेवडीव राज0 आयु0 कालेज, मु0 नगर	30	100
6.	राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, अतर्रा-बाँदा।	60	100
7.	लाल बहादुर शास्त्री राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, हण्डिया-प्रयागराज।	30	100
8.	राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, वाराणसी।	60	110
9.	राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज, प्रयागराज।	60	100
10.	राजकीय तकमिल-उत-तिब कालेज, लखनऊ	60	100
	योगः	**490**	**1130**

4. आयुर्वेदिक, यूनानी तथा तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उत्तर प्रदेश

यह संस्था प्रदेश में आयुर्वेदिक/यूनानी पद्धति से चिकित्सा व्यवसाय कर रहे वैद्यों/हकीमों के पंजीकरण की एकमात्र संस्था है, जो उत्तर प्रदेश इण्डियन मेडिसिन एक्ट 1939 के प्राविधानों के अधीन इनके पंजीकरण का कार्य करती है।

आयुर्वेद विभाग

वित्तीय वर्ष 2019-2020 की उपलब्धि (कार्यक्रम)

उत्तर प्रदेश सरकार भारतीय चिकित्सा पद्धति के माध्यम से प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी जनता को आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा सेवा उपलब्ध करवाने हेतु सतत् जागरूक एवं प्रयासरत है एवं इसी दिशा में वर्तमान सरकार द्वारा प्राथमिकता के आधार पर भारतीय चिकित्सा पद्धति को विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है।

इस परिप्रेक्ष्य में उल्लेख्य है कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में वर्तमान में 2104 आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के साथ ही 8 राजकीय आयुर्वेदिक कालेज एवं उनसे सम्बद्ध चिकित्सालय हैं।

आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों में प्रमाणित एवं गुणकारी औषधियों की आपूर्ति की व्यवस्था हेतु प्रदेश में दो राजकीय औषधि निर्माणशालाएं लखनऊ एवं पीलीभीत कार्यरत हैं जिनको सुदृढ़ करते हुए इसकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। वर्ष 2015 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आयुष मिशन का गठन किया गया है, तत्कम में उत्तर प्रदेश राज्य आयुष सोसाईटी का गठन कर लिया गया है। आयुष मिशन की योजनाओं का कियान्यवन राज्य आयुष सोसाइटी उ0प्र0 द्वारा सम्पादित किया जा रहा है।

1. आयुष मिशन के अतर्गत रू0-12,500.00 लाख की धनराशि का कुल प्राविधान है। इस धनराशि से राजकीय आयुर्वेदिक 4 शय्या एवं 15/25 शैय्या चिकित्सालयों का उच्चीकरण, राजकीय आयुर्वेदिक कालेज एवं चिकित्सालय हण्डिया, इलाहाबाद एवं अतर्रा बाँदा में पुस्तकालय सुदृढ़ीकरण का कार्य तथा प्रदेश के आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आवश्यक औषधियों की आपूर्ति की जा रही है।
2. राजकीय आयुर्वेदिक कालेजों में सी0सी0आई0एम0 के मानकों के अनुसार अधूरे भवन निर्माण हेतु रूपया 2000.00 लाख प्राविधानित धनराशि से राजकीय आयुर्वेदिक कालेज एवं चिकित्सालय लखनऊ, हण्डिया, पीलीभीत, मु0नगर में छात्रावासों, आवासों एवं चिकित्सालय भवन निर्माण का कार्य किया जा रहा है।

3. राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, लखनऊ में गठिया उपचार एवं शोध की उन्नति केन्द्र की स्थापना हेतु धनराशि रू0-38.54 लाख की कार्ययोजना बनायी गयी है।
4. प्रदेश में आयुष विभाग द्वारा अनुदानित योजनाओं के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश आयुष मिशन विभाग की स्थापना की गई है जिससे आयुष के अंतर्गत प्रदेश में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। इसके अतर्गत धनराशि 12500.00 लाख का प्राविधान वित्तीय वर्ष-2019-20 में उपलब्ध है, जिसके अंतर्गत निम्नवत् कार्यक्रम संचालित हैं:

- प्रदेश के आयुर्वेदिक एवं यूनानी एवं होम्योपैथी चिकित्सालयों में आवश्यक औषधियों की आपूर्ति की जा रही है।
- प्रदेश के 16 जनपदों लखनऊ, कानपुर नगर, बस्ती, वाराणसी, बरेली, कुशीनगर, कौशाम्बी, सोनभद्र, उरई-जालौन, सन्त कबीरनगर, सहारनपुर, देवरिया, ललितपुर, अमेठी, कानपुर देहात एवं बलिया जनपद में 50 एकीकृत आयुष चिकित्सालय स्थापित किये जा रहे हैं।
- प्रदेश मे संचालित 4 शैय्यायुक्त 23 आयुर्वेदिक चिकित्सालयों का सुदृढ़ीकरण किया गया है।

वित्तीय वर्षः 2020-2021 का लक्ष्यः

1. राजकीय आयुर्वेदिक/यूनानी कालेजों में सी0सी0आई0एम0 के मानकों के मानकों के अनुसार कालेज एवं कालेज से सम्बद्ध चिकित्सालयों में पदों का सृजन कराये जाने का लक्ष्य है।
2. सी0सी0आई0एम0 मानक के अनुसार राजकीय आयुर्वेदिक/यूनानी कालेजों के अधूरे भवन निर्माण को पूर्ण भवन करवाने हेतु धनराशि 2000.00 लाख आवंटित करने का लक्ष्य है।
3. जिला स्तर पर 16 आयुर्वेदिक कार्यालयों को स्थापित किये जाने का लक्ष्य है।
4. प्रदेश में स्थित राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सलयों का जहाँ भूमि उपलब्ध कर 250.00 लाख की धनराशि से भवन निर्माण कराये जाने का लक्ष्य है।
5. प्रदेश में आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना का लक्ष्य है। इसके अन्तर्गत धनराशि रू0-0.02 लाख का प्रतीकात्मक प्रावधान राजस्व मद में तथा धनराशि रू0-1000.00 लाख का प्राविधान पूंजीगत मद में किया गया है।
6. राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, लखनऊ में गठिया उपचार एवं शोध की उन्नति केन्द्र की स्थापना हेतु धनराशि रू0 42.18 लाख की कार्ययोजना है।
7. 08 राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालयों से सम्बद्ध चिकित्सालयों में इनोवेशन कार्यक्रम संचालित किये जाने हेतु-10-10.00 लाख का प्रावधान निर्धारित किया गया है।
8. अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस तथा योग पखवाड़ा कार्यक्रम हेतु रू0-350.00 लाख की धनराशि का प्रावधान किया गया है, जिससे योग के प्रति लोगों में जागरूकता उत्पन्न की जा सके व जनमानस को स्वस्थ बनाने में मदद मिल सके।
9. राजकीय आयुर्वेद एवं यूनानी औषधि निर्माणशाला, लखनऊ के सुदृढ़ीकरण एवं उच्चीकरण कार्य हेतु धनराशि रू0-273.76 लाख की कार्ययोजना बनायी गयी है।

यूनानी विभाग

वित्तीय वर्ष 2019-20 की उपलब्धि (कार्यक्रम) :-

1. राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालयों में चल रहे निर्माण कार्यों हेतु रू0-729.00

लाख मात्र की धनराशि में से राजकीय तकमील-उत्तिब कालेज एवं चिकित्सालय, लखनऊ एवं राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज एवं प्रयागराज में चल रहे निर्माण कार्य के अन्तर्गत धनराशि से निमार्ण कार्य वर्तमान में संचालित है।

2. राजकीय तकमील उत्तिब कालेज एवं चिकित्सालय लखनऊ के पुराने भवन में स्व0 हकीम अब्दल अजीज के नाम से 50 शैय्यायुक्त जिला यूनानी चिकित्सालय की स्थापना के लिये पुराने भवन का जीर्णोधार/नवीनीकरण का कार्य किया जा रहा है।
3. राजकीय यूनानी कालेजों में सी0सी0आई0एम0 के मानकों को पूर्ण करने हेतु मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र आदि की स्थापना का कार्य किया जा रहा है।
4. राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औ-धि निर्माणशाला लखनऊ में राजकीय यूनानी प्रयोगशाला भवन निर्माण का कार्य संचालित है।
5. राजकीय यूनानी औषधि निर्माणशाला लखनऊ हेतु मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र हेतु निमार्णशाला का उच्चीकरण/सुदृढ़ीकरण का कार्य कराया जा रहा है।
6. ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के अन्तर्गत यूनानी चिकित्सालयों के भवनों/बाउन्ड्रीवाल के निर्माण कार्य संचालित है।
7. प्रदेश में राष्ट्रीय आयुष मिशन के अन्तर्गत यूनानी विधा हेतु रू0-1500.00 लाख मात्र की धनराशि का प्राविधान किया गया है, जिससे आयुष मिशन के विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 का लक्ष्यः

1. राजकीय तकमील-उत्तिब कालेज एवं चिकित्सालय, लखनऊ तथा राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, प्रयागराज को सी0सी0आई0एम0 नई दिल्ली के मानकों के अनुरूप चालू निर्माण कार्यों को पूर्ण कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
2. राजकीय तकमील-उत्तिब कालेज एवं चिकित्सालय, लखनऊ तथा राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, प्रयागराज को सी0सी0आई0एम0 नई दिल्ली के मानकों को पूर्ण किये जाने हेतु मशीनें और सज्जाध्उपकरण और संयंत्र की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
3. राजकीय यूनानी औषधि निर्माणशाला लखनऊ के अन्तर्गत भवन-निर्माणशाला एवं भवन-प्रयोगशाला के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित है।
4. राजकीय यूनानी औषधि निर्माणशाला लखनऊ में मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
5. शहरी क्षेत्रों के अन्तर्गत यूनानी चिकित्सालयों के भवनों/बाउन्ड्रीवाल के निर्माण कार्य का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस कार्य हेतु रू0-55.00 लाख का प्राविधान किया गया है।
6. ग्रामीण क्षेत्रों के अन्तर्गत यूनानी चिकित्सालयों के भवनों/बाउन्ड्रीवाल के निर्माण कार्य का निर्धारित किया गया है। इस कार्य हेतु रू0-35.00 लाख का प्राविधान किया गया है।
7. प्रदेश में राष्ट्रीय आयुष मिशन के अन्तर्गत यूनानी विधा के विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन का निर्धारित किया गया है जिसके लिए रू0-1500.00 लाख की व्यवस्था की गयी है। इस धनराशि से औषधियों का कय, चिकित्सालयों में स्वच्छता एक्शन प्लान, योग वेलनेस सेंटर, आयुष ग्राम, आई0ई0सी0

एक्टिविटी, चिकित्सालयों का उच्चीकरण के कार्य करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

8. राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, प्रयागराज में आडिटोरियम में फर्नीचर की व्यवस्था हेतु रू0-38.73 लाख मात्र की धनराशि का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
9. राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, लखनऊ एवं प्रयागराज में गठिया उपचार एवं शोध केन्द्र की स्थापना हेतु रू0-25.68 लाख मात्र की धनराशि से संचालन किया जायेगा।

होम्योपैथी विभाग, उत्तर प्रदेश

होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के माध्यम से प्रदेश के जन-जन तक स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराना प्रदेश सरकार के संकल्पों में से एक है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु होम्योपैथिक निदेशालय वर्ष 1981 से एक स्वतंत्र विभाग के रूप में कार्यरत है। होम्योपैथिक चिकित्सा विधा समः समे समयति के मूल सिद्धान्त के आधार पर रोगियों को रोगमुक्त करने में सहयोग देती है। प्रदेश की जनता को बेहतर, सस्ती, रोगों को समूल नष्ट करने वाली त्वरित प्रभावकारी एवं स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न डालने वाली चिकित्सा पद्धति होने के कारण आम जनता विशेष कर ग्रामीण जनता जिनमें अधिकतर गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनता जिसकी व्यय-वहन क्षमता अत्यन्त न्यून है, में बेहद उपयोगी होने के फलस्वरूप इसकी लोकप्रियता में निर्वाध रूप से उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है तथा जन मानस में तीव्र गति से ग्राह्य हो रही है।

होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के कार्यकलापों एवं गतिविधियों के संक्षणतः निम्न तीन आयाम हैंः-

1. होम्योपैथिक निदेशालय।
2. होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा।
3. होम्योपैथिक चिकित्सा शिक्षा।

1. होम्योपैथिक निदेशालय

विभागीय कार्यों के निर्देशन-पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण हेतु निदेशालय स्तर पर 01 निदेशक, 01 मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, 02-अपर निदेशक, 04 संयुक्त निदेशक, 04-उप निदेशक, 02-प्रशासनिक अधिकारी, 01-सहायक लेखाधिकारी, 01-अपर सांख्यकीय अधिकारी तथा 23 तृतीय श्रेणी व 08 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद स्वीकृत है।

2. होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा

वर्ष 1981 में पृथक होम्योपैथी विभाग की स्थापना के समय विद्यमान मात्र 329 राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों के सापेक्ष वर्तमान में यह संख्या 1576 है। उक्त चिकित्सालयों में 121 चिकित्सालय शहरी क्षेत्रो में तथा शेष 1455 चिकित्सालय सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित है।

अतः विभाग द्वारा ग्रामीण जनता को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का हर सम्भव सफल प्रयास किया जा रहा है। परिणाम स्वरूप इसकी लोकप्रियता में निर्वाध रूप से उत्तरोत्तर वद्धि हो रही है तथा जन मानस में तीव्र गति से ग्राह्य हो रही है। इस तथ्य की पुष्टि इससे होती है कि वर्ष 1983-84 में इस पद्धति द्वारा सेवित रोगियों की संख्या मात्र 18.20 लाख थी जो वर्षानुवर्ष उत्तरोत्तर वृद्धि के साथ वित्तीय वर्ा 2018-19 के अन्त में 264.64 लाख हो चुकी है, जो लगभग 14 गुना से अधिक वृद्धि है।

वर्ष	सेवित रोगियों की संख्या
2013-14	282.99 लाख
2014-15	304.25 लाख
2015-16	261.16 लाख
2016-17	256.97 लाख
2017-18	263.78 लाख
2018-19	264.64 लाख
2019-20 (माह जनवरी 2020 तक)	140.10 लाख

3- होम्योपैथिक चिकित्सा शिक्षा

वर्तमान में प्रदेश में कुल 09 होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय जो लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, फैजाबाद, गाजीपुर, आजमगढ़, मुरादाबाद, अलीगढ़ एवं गोरखपुर जनपदों में स्थापित/कार्यरत है। इन सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में बी0एच0एम0एस0 डिग्री पाठ्यक्रम संचालित है जिसमे कुल प्रवेश क्षमता 777 छात्र प्रति वर्ष है। प्रथम वर्ष में प्रवेश नीट मेरिट के आधार पर किया जाता है। उक्त सभी कालेज डा0 भीम राव अम्बेडकर विश्व विद्यालय, आगरा से सम्बद्ध है।

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा परिषद

इस संस्था के माध्यम से प्रदेश के होम्योपैथिक चिकित्सकों तथा फार्मासिस्टों का पंजीकरण किया जाता है। परिषद के द्वारा डिप्लोमा फार्मेसी कोर्स की मान्यता व उसका संचालन किया जाता है।

विभाग के प्रमुख उद्देश्यः

1. होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के माध्यम से प्रदेश के जन-जन तक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना।
2. गुणवत्तापरक होम्योपैथिक औषधियाँ उपलेब्ध कराया जाना।
3. होम्योपैथिक कालेजों मे अपेक्षित अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध कराते हुए शिक्षण कार्यों को प्रोत्साहन देना।
4. गम्भीर व सांक्रमक रोगों के प्रति जागरूकता बचाव एवं चिकित्सा उपचार।
5. शिशु मृत्युदर एवं मातृ मृत्युदर को होम्योपैथिक चिकित्सा के माध्यम से कम करना।
6. स्कूली बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण के माध्यम से बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल करना।
7. जन साधारण विशेषकर निर्धन वर्ग व संवेदनशील वर्ग को गुणवत्ता कारक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना। 84 आयुष मिशन के उद्देश्यों की पूर्ति ।

1- राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों की स्थापना

वर्तमान मे प्रदेश में कुल 1576 राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय संचालित हैं जिसमें, 121 शहरी तथा शेष 1455 ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत है। प्रदेश में 5000 या उससे अधिक आबादी वाले अधिकांश गाँवों में होम्योपैथिक चिकित्सालय/औषधालय उपलब्ध नहीं हैं। जिसको दृष्टिगत् रखते हुए अधिकाधिक राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय खोले जाने का लक्ष्य है। जिला योजना के माध्यम से जनपदों से प्राप्त

प्रस्तावानुसार अनुमोदित स्थानों पर चिकित्सालयों की स्थापना हेतु कार्यवाही की जायेगी। मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणा के क्रम में 09 विधान सभा क्षेत्रों (1-बिठूर, जनपद कानपुर नगर, 2-बरेली कैण्ट, जनपद बरेली, 3-लखीमपुर, जनपद खीरी, 4- तिलोई, जनपद अमेठी, 5-महोबा-जनपद महोबा, 6-नरैनी, जनपद बांदा, 7-मानिकपुर- जनपद चित्रकूट, 8-पड़रौना-जनपद कुशीनगर, 9-भदोही-जनपद भदोही) में रा0 होम्योपैथिक चिकित्सालयों की स्थापना हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 में नई मांग के माध्यम से बजट व्यवस्था के सापेक्ष स्वीकृति प्रदान की गयी है, निर्माण कार्य प्रगति पर है।

2. राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय का भवन निर्माण

प्रदेश में स्वीकृत कुल 1576 राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों के सापेक्ष केवल लगभग 425 की संख्या में ही होम्योपैथिक चिकित्सालय अपने शासकीय भवनों मे है। शेष चिकित्सालयों के अपने निजी भवन नहीं है, यह चिकित्सालय किराये के अथवा निःशुल्क भवनों में संचालित है। अतः भूमि आदि की उपलब्धता की दशा में जिला योजना के माध्यम से जनपदों से प्राप्त प्रस्तावानुसार अनुमोदित स्थानों पर चिकित्सालयों के निर्माण हेतु कार्यवाही की जायेगी।

3. होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों का निर्माण

वर्तमान में प्रदेश में 09 राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज स्थापित हैं जिनमें बी0एच0एम0एस0 डिग्री पाठ्यक्रम हेतु प्रतिवर्ष 300 छात्र-छात्रायें प्रवेश पाते है। सभी कालेजों के लिये निर्धारित मानक के अनुसार भवन नही है। प्रथम चरण में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के तीन राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज लखनऊ, कानपुर तथा प्रयागराज को केन्द्रीय होम्योपैथिक परिषद (सी0सी0एच0) द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानकों के अनुरूप सुसज्जित करने की प्रक्रिया के फलस्वरूप लखनऊ कालेज का कार्य पूर्ण हो चुका है। कानपुर एवं प्रयागराज कालेज के भवन निर्माण का कार्य अन्तिम चरण में है।

4. जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी कार्यालय की स्थापनाध्भवन निर्माण

प्रदेश में वर्तमान में 75 जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी के पद सृजित है, उनके सहायतार्थ सपोर्टिंग स्टाफ स्वीकृत किये जाने के साथ ही शासकीय कार्यों के सम्पादन हेतु वाहक की आवश्यकता है। जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी आहरण वितरण अधिकारी के साथ कार्यालयाध्यक्ष भी है। होम्योपैथिक विभाग की सभी योजनाओं के सुसंचालन एवं कार्यालय से सम्बन्धित समस्त कार्यों के साथ ही नियन्त्रणाधीन चिकित्सालयों में कार्यरत समस्त अधिकारियों कर्मचारियों के पर्यवेक्षण व उन पर प्रशासनिक नियंत्रण रखते हुए समस्त प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्यों का निर्वहन उनके द्वारा किया जाता है। जिन कार्यालयों के लिये भूमि उपलब्ध है उनका निर्माण कराये जाने का प्रस्ताव है।

5. नये होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों की स्थापना

उत्तर प्रदेश जैसे विशाल प्रदेश में जिसकी आबादी लगभग 20 करोड़ है के परिपेक्ष्य में वर्तमान में मात्र 09 राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं निजी क्षेत्र में 04 मेडिकल कालेज ही स्थापित/संचालित है। जबकि महाराष्ट्र जैसे छोटे प्रदेश में 46, मध्य प्रदेश में 21, गुजरात में 16, पश्चिम बंगाल में 13, इसी प्रकार अन्य प्रदेशों में इनकी संख्या बहुत अधिक है।

उक्त राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों के माध्यम से प्रतिवर्ष लगभग केवल 300 चिकित्सक ही उपलब्ध हो पाते है जो इतने बड़े प्रदेश की आवश्यकता को देखते हुए कम है।

जनपद गोरखपुर तथा अलीगढ में दो नये रा0 होम्योपैथिक मेडिकल कालेज स्थापित किये जाने हेतु भवनों का निर्माण कार्य अन्तिम चरण मे है तथा आवश्यक पदों का सृजन किया जा चुका है। उक्त कालेजों में प्राचार्य के साथ ही अन्य शैक्षणिक एवं शिक्षणेत्तर कार्मिकों की तैनाती की जा चुकी है। भारत सरकार द्वार वर्तमान सत्र 2019-20 से शिक्षण कार्य हेतु मान्यता प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप उक्त मेडिकल कालेजों में शिक्षण कार्य प्रारम्भ हो गया है। उक्त के अतिरिक्त निजी क्षेत्र में भी और अधिक मेडिकल कालेज खोले जाने की आवश्यकता है।

6. वर्तमान होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों का उन्नयन (पी0जी0 पाठ्यक्रम संचालित किया जाना)

प्रदेश में स्थापित 09 राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में केवल 02 राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों यथा लखनऊ एंव प्रयागराज में स्नातक पाठयक्रम ही संचालित है। होम्योपैथिक के विकास एवं शिक्षा के स्तर में गुणात्मक बृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए सभी कालेजों में परास्नातक विशेषज्ञता पाठ्यक्रमों को संचालित किये जाने का लक्ष्य है।

7. होम्योपैथिक औषधि परीक्षणशाला की स्थापना

प्रदेश में होम्योपैथिक औषधियों की गुणवत्ता आदि की जांच हेतु कोई औषधि परीक्षणशाला नहीं है। अतः राजकीय औषधि परीक्षणशाला स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया है। जिसके क्रम में पूर्व राजकीय मोहन होम्योपैथिक मेडिकल कालेज के छात्रावास भवन में परिवर्तन/परिवर्धन करके भवन की व्यवस्था कर ली गयी है, आवश्यक पदों आदि के सृजन हेतु कार्यवाही प्रचलन में है।

8. आयुष मिशन के अन्तर्गत होम्योपैथिक विधा का सुदृढ़ीकरण

राष्ट्रीय आयुष मिशन के अन्तर्गत योजनाओं का कियानवत किये जाने हेतु प्रदेश में उत्तर प्रदेश राज्य आयुष सोसायटी का गठन किया गया है। जिसके दिशा-निर्देशन में उक्त मिशन की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कार्यवाही की जा रही है। मिशन की गाइड लाइन के अनुसार विभिन्न योजनाओं हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल रू0 40.00 करोड़ की बजट व्यवस्था उपलब्ध है तथा आगामी वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये भी होम्योपैथिक विभाग हेतु रू0 40.00 करोड़ की बजट व्यवस्था कर ली गयी है जिसमें मिशन की विभिन्न योजनाओं के साथ ही प्रमुख रूप से प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों में औषधियों की उपलब्धता, राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों का उच्चीकरण/सुदृढ़ीकरण एवं राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों को सुदृढ़ कराये जाने का प्रस्ताव है।

●

परिवार कल्याण

जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से परिवार नियोजन कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा पूरे देश में वर्ष 1955 से प्रारम्भ किया गया था। प्रदेश में इसका शुभारम्भ वर्ष 1957 में हुआ। चूंकि उस समय प्रेदश में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं तत्समय स्थापित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय से चलाई जाती थी, अतः केन्द्र सरकार का शत् प्रतिशित घोषित यह कार्यक्रम उसी निदेशालय से संचालित किया गया। शनैः-शनैः, कार्यक्रम का विस्तार हुआ, अतः उसके सुचारू संचालन के लिए स्वास्थ्य निदेशालय से एक पृथक "राज्य परिवार नियोजन ब्यूरो" की स्थापना वर्ष 1965 में की गई, जिसके शीर्षस्थ नियंत्रक अधिकारी संयुक्त निदेशक स्तर का अधिकारी होता था। वर्ष 1977 में परिवार नियोजन का नाम बदलकर परिवार कल्याण कर दिया गया है। प्रदेश में कार्यक्रम के विस्तार के साथ ब्यूरो को वर्ष 1986 में परिवार कल्याण निदेशालय तथा वर्ष 1995 में अलग 'परिवार कल्याण महानिदेशालय के रूप में उच्चीकृत किया गया और उसके अनुरूप प्रभारी के पद को भी उच्चीकृत किया गया। वर्तमान में परिवार कल्याण महानिदेशालय पृथक नियंत्रण इकाई के रूप में कार्य कर रहा है, जिसके कार्यक्रम के विभिन्न घटकों के लिए अलग-अलग कार्यक्रम अधिकारी है।

उद्देश्य

परिवार कल्याण महानिदेशालय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में परिवार कल्याण कार्यक्रम को भारत सरकार के समय-समय पर निर्गत निर्देशों के अधीन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन समीक्षा तथा मूल्यांकन करना और परिवार कल्याण की सेवाओं के विस्तार के लिए अभिनव परियोजनाओं का निर्माण कर उन्हें क्रियान्वित करना है।

कार्यक्रम

परिवार कल्याण महानिदेशालय के माध्यम से सम्पूर्ण प्रदेश में परिवार कल्याण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित सेवायें प्रदान की जा रही है।

- माताओं के स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवायें

इसके अन्तर्गत गर्भवती माताओं का पंजीकरण, टिटनेस से बचाव के दो टीके, रक्त अल्पता से बचाव एवं उपचार हेतु आयरन फालिक ऐसिड की गोलियों का वितरण, प्रसाव पूर्व परीक्षण, जटिल प्रसवों का चिन्हीकरण, सुरक्षित प्रसव, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा, अपातकालीन प्रसवों का सन्दर्भन

एवं उनकी व्यवस्था, प्रसवोत्तर देखभाल तथा दो बच्चों के बीच समयान्तर हेतु गर्भ निरोधकों आदि की सेवायें उपलब्ध करायी जाती है।

नियमित टीकाकरण कार्यक्रम (उत्तर प्रदेश)

- प्रदेश के समस्त जनपदों में 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को 10 जानलेवा बीमारियों (पोलियो, टी0बी0, गलाघोंटू, टिटनेस, काली खांसी, हेपेटाइटिस-बी, निमोनिया, जे0ई0, खसरा एवं डायरिया) से बचाव तथा गर्भवती महिलाओं को टिटनेस से बचाव हेतु नियमित रूप से निःशुल्क टीकाकरण किया जाता है।
- वर्ष 2019-20 में पूर्ण प्रतिरक्षित बच्चों का प्रतिशत माह अगस्त, 2019 तक 97% है।
- प्रदेश के 38 जनपदों में जे0ई0 टीकाकरण के विशेष अभियान दो चरणों में चलाये गये। प्रथम चरण (02 अप्रैल, 2018 से 17 अप्रैल, 2018) में निर्धारित लक्ष्य 3181729 के सापेक्ष 3396330 (106%) बच्चों का टीकाकरण किया गया एवं द्वितीय चरण (25 फरवरी 2019 से 15 मार्च 2019) में निर्धारित लय 261155 के सापेक्ष 2682863 (103%) बच्चों का टीकाकरण किया गया।
- प्रदेश के समस्त जनपदों में मिजिल्स रूबेला (एम0आर0) टीकाकरण अभियान 26 नवम्बर, 2018 से चलाया गया जिसके अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य 76403003 के सापेक्ष 75719632 (99.11%) बच्चों का टीकाकरण किया गया।
- प्रदेश के समस्त जनपदों में दिनांक 23 जून, 2019 को पल्स पोलियो एस0एन0आई0डी0 अभियान चलाया गया। जिसके अन्तर्गत कुल 33,73,4546 बच्चों को पोलिया ड्रॉप पिलायी गयी। पल्स पोलियो एस0एन0आई0डी0 अभियान 15 सितम्बर, 2019 से चलाया गया।
- प्रदेश के समस्त जनपदों में बाल स्वास्थ्य पोषण माह के अन्तर्गत बच्चों में रतौंधी व रोगाणु से लड़ने की क्षमता बढ़ाने हेतु वर्ष में दो बार माह जून व दिसम्बर में 9 माह से 5 वर्ष के बच्चों को विटामिन-ए की खुराक से निःशुल्क आच्छादित किया जाता है।
- वर्ष 2018-19 से प्रदेश के 19 जनपदों (बहराइच, बलरामपुर, गोण्डा, श्रावस्ती, बस्ती, सिद्धार्थनगर, लखनऊ, सीतापुर, खीरी, हरदोई, फैजाबाद, बाराबंकी, बदांयू, बरेली, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, फर्रूखाबाद, कन्नौज एवं कासगंज) में पी0सी0वी0 टीकाकरण किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत पी0सी0वी0 की तीन डोज से (प्रथम डोज 06 सप्ताह, द्वितीय डोज 14 सप्ताह एवं बूस्टर डोज 9 माह पर) निःशुल्क टीकाकरण किया जा रहा है।
- प्रदेश के समस्त जनपदों में 04 सितम्बर, 2018 से रोटा वायरस वैक्सीन को नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। जिसके अन्तर्गत रोट वायरस के तीन डोज से (प्रथम डोज 06 सप्ताह, द्वितीय डोज 10 सप्ताह एवं तृतीय डोज 14 सप्ताह पर) निःशुल्क टीकाकरण किया जा रहा है।

- प्रदेश में वैक्सीन एवं सिरिन्जेस के वितरण हेतु 09 राज्य स्तरीय वैक्सीन भण्डारण केन्द्र (लखनऊ, अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर, आगरा, मेरठ, झांसी एवं बरेली) बनाये गये है। उक्त सभी राज्य स्तरीय स्टोर से मण्डलीय वैक्सीन स्टोर (अलीगढ़, आजमगढ़, बस्ती, चित्रकूट, देवीपाटन, प्रयागराज, मिर्जापुर, सहारनपुर एवं मुरादाबाद) पर वैक्सीन का वितरण होता है तथा मण्डलों से जनपद स्तरीय स्टोर को वैक्सीन वितरण किया जाता है।
- प्रदेश में 1301 कोल्ड चेन प्वाइन्ट स्थापित है, उन सभी कोल्ड चेन प्वाइन्ट से वैक्सीन का वितरण किया जाता है।
- प्रदेश के समस्त जनपदों में वी0पी0डी0 (वैक्सीन, प्रिवेन्टेबिल डिजीज) सर्विलेन्स माह सितम्बर, 2016 वीक नं0 38 से चलाया जा रहा है।
- प्रदेश के समस्त जनपदों में एम0आर0 केस आधारित सर्विलेन्स माह जुलाई, 2019 वीक नं0 30 से चलाया जा रहा है।

मिशन परिवार विकास

24 अप्रैल, 2017 से प्रदेश के 57 जनपदों में मिशन परिवार विकास योजना लागू की गयी है, जिसमें नवीन गर्भ निरोधक इन्जेक्शन (अन्तरा) एवं साप्ताहिक गर्भ निरोधक गोली (छाया) को समावेश के साथ बढ़ी हुई दरों से क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जाना एवं नवविवाहितों को नयी पहल किट का वितरण किया जाना तथा उपकेन्द्र स्तर पर सास बहू सम्मेलन आयोजित किया जाना सम्मिलित है।

गर्भ निरोधक सेवायें

इसके अन्तर्गत दो बच्चों में अन्तर बनाये रखने हेतु अस्थायी गर्भ निरोधकों, जैसे ओरलपिल्स, निरोध तथा कॉपर-टी और परिवार नियोजन की स्थाई विधि महिला तथा पुरूष नसबन्दी की सेवाएं दी जा रही है। महिला नसबन्दी की नई लैप्रोस्कोपिक विधि प्रदेश में बहुत प्रचलित है। अब पुरूष नसबन्दी की भी नई विधि "नो स्केलपल वैसेक्टामी" का विस्तार किया जा रहा है। नसबन्दी के उपरान्त बच्चों की मृत्यु हो जाने पर महिला तथा पुरूष नस जोड़ने की सेवाएं भी निःशुल्क उपलब्ध करायी जाती है। अनचाहे गर्भ से मुक्ति पाने हेतु सुरक्षित गर्भसमापन की निःशुल्क सेवाएं भी सरकारी अस्पतालों में प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त नियत दिवस पर नसबन्दी, कॉपर-टी की सेवायें प्रदान की जाती है इसके अतिरिक्त प्रसव के पश्चात लूप निवेशन की सेवायें भी प्रशिक्षित सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराया जाता है।

गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चय प्रतिषेध) अधिनियम 1994

प्रदेश में लिंगचयन एवं कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम हेतु गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चय प्रतिषेध) अधिनियम 1994 लागू है, जिसका क्रियान्वयन प्रभावी रूप से किया जा रहा है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत मुख्यतः निम्न योजनायें संचालित हैं-

1. जननी सुरक्षा योजना
2. जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम।
3. शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम
4. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम
5. राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम
6. परिवार नियोजन कार्यक्रम
7. नियमित टीकाकरण
8. एम्बुलेन्स सेवाएं
9. राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम
10. राष्ट्रीय कार्यक्रम (कम्युनिकेबल डिजीज प्रोग्राम्स)‼
    - पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम
    - राष्ट्रीय कुष्ठउन्मूलन कार्यक्रम
    - राष्ट्रीय वेक्टर बॉन रोग (मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू तथा कालाजार) की रोकथाम
    - जे0ई/ए0ई0एस0 रोग की रोकथाम एवं नियंत्रण
    - आई0डी0एस0पी0 कार्यक्रम
11. राष्ट्रीय कार्यक्रम (नॉन कम्युनिकेबिल डिजीज प्रोग्राम्स)
    - राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम
    - कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवस्कुलर डिजीजेज एवं स्ट्रोक का नियंत्रण एवं रोकथाम
    - वृद्धावस्था स्वास्थ्य उपचार
    - राष्ट्रीय बधिरता नियंत्रण एवं रोकथाम
    - राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम
    - राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम
    - आयोडीन न्यूनता कार्यक्रम

जननी सुरक्षा योजना

- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2005 से जननी सुरक्षा योजना प्रदेश के समस्त जनपदों में संचालित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य स्तरीय राजकीय चिकित्सालय के जनरल वार्ड में संस्थागत प्रसव कराने वाली महिलाओं को ग्रामीण-क्षेत्र में रू0 1400/- व शहरी क्षेत्र में रू0 1000/- एवं बी0पी0एल0 श्रेणी के घरेलू प्रसव हेतु रू0 600/- सहायता राशि के रूप में दिये जाते है।

- आशा कार्यकत्री पंजीकरण से लेकर प्रसव पूर्व, प्रसव कालीन व प्रसवोत्तर सभी सेवायें उपलब्ध करवाती है तो आशा को इस कार्य हेतु ग्रामीण क्षेत्र में कुल 600/- एवं शहरी क्षेत्र में कुल रू0 400/- दिये जाते हैं

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम

- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम प्रदेश के समस्त जनपदों में 22 अगस्त 2011 से लागू है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रसव हेतु आने वाली गर्भवती महिलाओं को गारन्टीड कैशलेस डिलीवरी सेवा प्रदान करना है।
- उक्त योजना के अन्तर्गत सभी गर्भवती महिलाओं एवं प्रसूताओं को समस्त औषधियाँ एवं जांच-ब्लड, यूरिन, अल्ट्रासोनोग्राफी आदि निःशुल्क प्रदान की जा रही है। साथ ही सभी गर्भवती महिलाओं एवं प्रसूताओं (सामान्य एवं सिजेरियन प्रसव) को चिकित्सालय में भर्ती रहने के दौरान निःशुल्क भोजन प्रदान किया जा रहा है। निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराने हेतु प्रति लाभार्थी रू0 100.00 प्रतिदिन की अधिकतम दर तक धनराशि व्यय की जा सकती है जिसमें सुबह का नाश्ता एवं दो समय का भोजन सम्मिलित होगा। गर्भवती महिला को प्रसव पूर्व घर से चिकित्सा इकाई तक एवं प्रसवोपरान्त चिकित्सा इकाई से घर तक निःशुल्क एम्बुलेन्स 102 के माध्यम से पहुँचाया जा रहा है।
- प्रसवों के उपरान्त माँ को 42 दिन तक और बच्चे को एक वर्ष तक पूरी देखभाल/टीकाकरण/बीमार होने पर निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था, घर से चिकित्सा इकाई तक एवं चिकित्सा इकाई से घर तक एवं चिक्तिसा इकाई से अन्य चिकित्सा इकाई तक पहुंचाने की निःशुल्क सुविधा एम्बुलेन्स 102 के माध्यम से दी जा रही है।

मातृ मृत्यु समीक्षा कार्यक्रम

- एस0आर0एस0 सर्वे के अनुसार 2011-13 की रिपोर्टके अनुसार उत्तर प्रदेश का मातृ मृत्यु अनुपात 285 प्रति 1 लाख जीवित जन्म था। वर्ष 2014-16 की एस0आर0एस0 सर्वे के अनुसार उत्तर प्रदेश का मातृ मृत्यु अनुपात घटकर 201 प्रति 1 लाख जीवित जन्म हो गया है।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रदेश में वर्ष 2020 तक इसे 170 प्रति 1 लाख जीवित जन्म तक लाने का लक्ष्य रखा गया है।
- समस्त जनपदों में मातृ मुत्यु को कम करने के लिए पी0पी0एच0 प्रबन्धन प्रशिक्षण कराया जा रहा है। जिसमें अब तक प्रदेश के 640 चिकित्सकों को प्रशिक्षित किया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2018-19 तक एस0बी0ए0 प्रशिक्षण 5032 को दिलाया गया।
- एस0बी0ए0 प्रशिक्षण दिलाये जाने हेतु दिनांक 09-10 फरवरी 2018 को दो दिवसीय टी0ओ0टी0 प्रशिक्षण दिलाया गया।
- प्रदेश के उच्च प्राथमिकता वाले 25 जनपदों के चिकित्सकों (गायनोकलाजिस्ट, एनेस्थेटिस्ट एवं

बाल रोग विशेषज्ञों) को 08 आर0आर0टी0सी0 (अलीगढ़, प्रयागराज, लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर, आगरा, इटावा एवं वाराणसी मेडिकल कॉलेज) के द्वारा मातृ एवं बाल-मृत्यु के रोकथाम हेतु प्रशिक्षित किया जा रहा है। जिसमें अब तक 682 चिकित्सकों को प्रशिक्षित किया गया है।

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान

- "प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान" प्रत्येक माह की 09 तारीख को ब्लॉक स्तरीय चिकित्सालयों में चलाया जाता है।
- प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पी0एम0एस0एम0ए0) का मुख्य उद्देश्य निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं को सभी गर्भवती महिलाओं तक पहुंचाना और उन्हें सुरक्षित संस्थागत प्रसव के लिये प्रेरित करना है।
- जिसमें द्वितीय व तृतीय त्रैमास की गर्भावस्था वाली महिलाओं को न्यूनतम एक जाँच चिकित्सक द्वारा प्रदान की जाती है।
- प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अन्तर्गत समस्त जनपदों के 100 से अधिक प्रसव भार वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर पी0पी0पी0 मोड पर गर्भवती महिलाओं के लिये अल्ट्रासाउण्ड की सुविधा माह सितम्बर 2017 से प्रारम्भ की गई है।
- प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व क्लीनिक में सभी संदर्भित एच0आर0पी0 एवं नियमित आने वाली गर्भवती महिलाओं की जांच क्लीनिक पर उपलब्ध एम0बी0बी0एस0 चिकित्सक द्वारा की जा रही है।

प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना

यह योजना दिनांक 01.01.2017 से लागू की गई है। उक्त योजना शासन के निर्देशानुसार सिफ्सा द्वारा संचालित की जा रही है। योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा शासनादेश दिनांक 06 सितम्बर, 2017 से आच्छादित गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को पहले जीवित जन्म के लिये तीन किश्तों में निम्नानुसार आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी-

1. गर्भावस्था का शीघ्र पंजीकरण करने पर प्रथम किस्त-रू0 1000/-
2. कम से कम एक प्रसव पूर्व जाँच (गर्भावस्था के 6 माह के बाद) द्वितीय किस्त-रू0 2000/-
3. बच्चे के जन्म का पंजीकरण, बच्चे के प्रथम चक्र का टीकाकरण पूर्ण होने पर तृतीय किस्त -रू0 2000/-

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम

स्वस्थ समाज की नींव स्वस्थ बाल्यावस्था से ही पड़ती है। अतः बच्चों की मृत्युदर में कमी

लाने, उनके ब्रहतर जीवन एवं समग्र विकास के लिये जन्म से 19 वर्षतक के बच्चों हेतु राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रदेश के समस्त जनपदों में वर्ष 2013-14 से संचालित किया जा रह है। कायर्सक्रम के अन्तर्गत 4 डी0-बर्थ डिफेक्ट्स, डिफीसिएन्सी, डिजीजेज एण्ड डेवलेपमेन्ट-डीले लीडिंग टू डिसएबिलिटी को दृष्टिगत रखते हुये स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार एवं संदर्भन सुनिश्चित किया जाना है। कार्यक्रम के अनुसार प्रत्येक ब्लाक में दो मेडिकल टीमें तैनात की गई है, जो वर्ष में दो बार आंगनबाड़ी केन्द्रों पर तथा एक बार सरकारी, परिषदीय एवं सहयता प्राप्त स्कूलों में जा रही है तथा बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर रही है। इन टीमों द्वारा बच्चों की लम्बाई, वजन की जांच, नजर की जाँच तथा स्वास्थ्य परीक्षण आदि किया जाता है एवं आवश्यकानुसार निःशुल्क उपचार हेतु संदर्भित किया जाता है। टीमों द्वारा व्यक्तिगत स्वच्छता एवं पोषण सम्बन्धी परामर्श भी दिया जाता है।

राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम

किशोर आयु वर्ग (10-19 वर्ष) कुल आबादी का पाँचवां हिस्सा तथा युवा (10 से 24 वर्ष) एक तिहाई हिस्सा हैं। किशोर/युवा एक ऐसे वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो देश की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति बदल सकते है। किशोरो/युवाओं की विशाल संख्या को ध्यान में रखते हुये देश व प्रदेश को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह जीवंत और रचनात्मक शक्ति बनकर सतृत और समावेशी विकास में योगदान कर सके। वर्तमान में हमारे देश में युवा जनसंख्या अधिकतम हैं, जिसके शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिये विशेष योजना की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम मौजूदा क्लीनिक-आधारित दृष्टिकोण के स्थान पर एक समग्र मॉडल की ओर केन्द्रित है। इसके अन्तर्गत समुदाय आधारित स्वास्थ्य संवर्धन पर जोर दिया जायेगा जिसके द्वारा निरोधात्मक, नैदानिक और उपचारात्मक सेवाओं को मजबूत बनाया जा सकेगा। इसमें स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी, वस्तुओं और सेवाओं को समुदाय स्तर पर उपलब्ध करवाने का प्राविधान तथा त्रिस्तरीय लोक स्वास्थ्य प्रणाली द्वारा सन्दर्भन के लिंकेजेज बनाना सम्मिलित है। इस रणनीति के अन्तर्गत किशोरों और क्षेत्रीय सेवा प्रदाताओं (जैसे कि अध्यापक, मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता-आशा, ए.एन.एम., आंगनबाड़ी कार्यकत्री और नेहरू युवा केन्द्र संगठनों के स्वयं सेवक आदि) का समन्वित प्रयास होगा, ताकि किशोरों तक सेवाएं पहुँच सके।

राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत सात सी

इस रणनीति को लागू करने के लिए सात महत्वपूर्ण घटको (सात सी) की पहचान की गई है। इन घटकों को सभी कार्य क्षेत्रों में लागू करना सुनिश्चित किया जाना है। ये घटक (सात सी) हैः-

1. कवरेज
2. सामग्री
3. समुदाय

4. क्लीनिक
5. परामर्श
6. संचार
7. अन्तर्विभागीय ताल-मेल

किशोर के स्वास्थ्य के छः प्राथमिकता क्षेत्र

1. पोषण
2. यौन और प्रजनन स्वास्थ्य
3. असंक्रामक बीमारियां
4. नशावृत्ति
5. शारीरिक चोट एवं लिंग आधारित हिंसा
6. मानसिक स्वास्थ्य

मानसिक स्वास्थ्य में सुधार

- किशोरों की मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी चिंताओं की ओर ध्यानदेना।

किशोर में क्षतियों और हिंसा (लिंगभेद हिंसा सहित) की रोकथाम

- किशोर में क्षति और हिंसा को रोकने के लिए अनुकूल दृष्टिकोण को बढ़ावा देना (इसमें लिंग आधरित हिसा की रोकथाम भी सम्मिलित है)

नशावृत्ति की रोकथाम

- किशोरों में नशावृत्ति के प्रतिकूल प्रभाव और परिणामों के बारे में जागरूकता बढ़ाना।

गैर संचारी रोगों की रोकथाम

- गैर संचारी रोगों (जैसे कि घात (स्ट्रोक), हृदय रोग, मधुमेह और उच्च रक्तचाप) की रोकथाम के लिए व्यवहार में परिवर्तन लाना।

किशोरी सुरक्षा योजना

किशोरी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में सरकारी/परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाली कक्षा 6 से 12 तक की किशोरियों को निःशुल्क सेनेटरी नैपकिन्स का वितरण स्कूल के नोडल अध्यापक/अध्यापिकाओं के द्वारा माह जनवरी 2016 से किया जा रहा है।

माहवारी के विषय से जुड़ी गलत धारणाओं व मिथकों को दूर करने के लिये किशोरियों को व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में जानकारी दिया जाना भी अति महत्वपूर्ण है। किशोरियों (10 से 19 वर्ष), में बढ़ती गतिशीलता (घूमने फिरने की आजादी) और व्यक्तिगत सहजता के दृष्टिकोण से माहवारी स्वच्छता के विषय में जानकारी दिया जाना महत्वपूर्ण है। किशोर अवस्था में शरीर में हो रहे हार्मोन के बदलाव के कारण शारीरिक एवं मानसिक स्तर पर असर पड़ता है तथा उनके अन्दर तरह-तरह की जिज्ञासायें उत्पन्न होती है, जिसके बारे में वे संकोचवश सही जानकारी प्राप्त नहीं कर पाती है। माहवारी के दौरान साफ-सफाई न रखने तथा कुरीतियों के कारण संक्रमण की सम्भावना

रहती है साथ ही माहवारी के विषय में कम जानकरी की वजह से बालिकाओं का स्कूल में जाना कम हो जाता है अथवा वे स्कूल छोड़ देती है। किशोरियों में माहवारी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान, सही जानकारी देकर ही किया जा सकता है।

माहवारी के विषय में जुड़ी गलत धारणाओं व मिथकों को दूर करने तथा किशोरियों में माहवारी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के निदान हेतु जानकारी दिया जाना तथा अच्छी गुणवत्ता के सैनेटरी नैपकिन्स उपलब्ध कराया जाना एक महत्वपूर्ण कदम है जिससे कि उनकी गतिशीलता, व्यक्तिगत सहजता एवं उनका आत्मविश्वास बना रहे।

किशोरी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2020-21 में प्रदेश के सरकारी/परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाली कक्षा 6 से 12 तक की कुल 2332714 किशोरियों को निःशुल्क सेनेटरी नैपकिन्स वितरित किये जाने का लक्ष्य है।

"102" नेशनल एम्बुलेन्स सेवा

प्रदेश में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा 17 जनवरी, 2014 को नेशनल एम्बुलेंस सेवा 102 एन0ए0एस0 प्रारम्भ किया गया। यह सुविधा पूरे प्रदेश में गर्भवती महिलाओं एवं एक वर्ष के आयु तक के शिशुओं को निःशुल्क घर से चिकित्सालय तथा चिकित्सालय से घर तक परिवहित करने के लिये है। इसके अतिरिक्त योजनान्तर्गत सितम्बर 2015 से कैम्पों में नसबन्दी कराने वाली महिलाओं को सरकारी अस्पताल से घर छोड़ने हेतु भी निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा प्रदान की जा रही है। परिवहन के समय लाभार्थियों को आवश्यक चिकित्सकीय उपचार भी उपलब्ध कराया जाता है। इस सेवा की प्राप्ति के लिए 102 नम्बर का टोल फ्री नम्बर भी शासन द्वारा उपलब्ध कराया गया है, जिस पर किसी भी नेटवर्क से निःशुल्क काल की जा सकती है। यह सेवा आवश्यकतानुसार एक चिकित्सा इकाई से दूसरे चिकित्सा इकाई तक लाभार्थी को परिवहित करने में भी प्रयोग की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में काल करने पर एम्बुलेंस पहुंचने का अधिकतम समय 30 मिनट निर्धारित किया गया है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह अवधि 20 मिनट है। यह सुविधा प्रदेश के सभी जनपदों में पूरे 24 घंटे उपलब्ध है। वर्तमान में कुल 2270 एम्बुलेंस संचालित है। इस योजना से सितम्बर 2019 तक 361.11 लाख लाभार्थियों को सुविध प्रदान की जा चुकी है।

शिशु मृत्यु दर को कम करने की योजनाएं

देश में एवं प्रदेश में शिशु मृत्यु दर के मुख्य कारणों के रूप में प्री-टर्म बर्थ, डायरिया, निमोनिया एवं बर्थ एक्सपेक्सिया इत्यादि मुख्य कारण है, एवं इन कारणों का चिकित्सकीय प्रबन्ध कर ही नवजात शिशुओं की मृत्यु को रोका जा सकता है। एस0आर0एस0 सर्वे के अनुसार तुलनात्मक नवजात दर, शिशु मृत्यु दर व अंडर-5 मृत्यु दर निम्नवत है-

शिशु मुत्यु दर व नवजात मृत्यु दर में कमी लाने के दृष्टिगत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत

वर्ष	अंडर–5 मुत्यु दर		शिशु मत्यु दर		नवजात मत्यु दर	
	राष्ट्रीय	उ0प्र0	राष्ट्रीय	उ0प्र0	राष्ट्रीय	उ0प्र0
2015	43	51	37	46	25	31
2016	39	47	34	43	24	30
2017	37	46	33	41	23	30

निम्नवत योजनायें संचालित की जा रही हैः-

1. न्यू बार्न केयर कार्नर (एन०बी०सी०सी०)- प्रदेश के समस्त जिला महिला चिकित्सालयो/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/मान्यता प्राप्त उपकेन्द्रों के प्रत्येक प्रसव कक्ष में नवजात शिशु देखभाल स्थान (न्यू बार्न केयर कार्नर) चरणबद्ध रूप से तैयार किये जा रहे है। प्रदेश में वर्तमान में 1820 नवजात शिशु देखभाल स्थान क्रियाशील है।
2. नवजात शिशु स्थिरीकरण इकाई (एन०बी०एस०यू०)- प्रसव के पश्चात कमजोर तथा गंभीर नवजात जिन्हें चिकित्सालय में गहन देखरेख में रखना आवश्यक है के लिये वर्तमान में प्रदेश में सन्दर्भ इकाईयों/जिला महिला चिकित्सालयों में 180 नवजात शिशु स्थिरीकरण इकाई क्रियाशील है।
3. सिक न्यू बार्न केयर यूनिट (एस०एन०सी०यू०)- अति गंभीर शिशुओं की विशेष देखभाल हेतु वर्तमान में प्रदेश के चयनित जिला महिला चिकित्सालयों व मेडिकल कालेजों में एस0एन0सी0यू0 स्थापित हैं। वर्तमाल में कुल 67 जनपदों मे 80 एस0एन0सी0यू0 स्थापित है।
4. कंगारू मदर केयर (के०एम०सी०)- कम वजन तथा समय से पूर्व जन्में शिशुओं की विशेष देखभाल की शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश के जिला महिला चिकित्सालयों/मेडिकल कालेजों में संचालित एस0एन0सी0यू0 इकाईयों के निकट के0एम0सी0 इकाईयों की स्थापना चरणबद्ध रूप से की जा रही है। वर्तमान में 69 जनपदों में 17072 के0एम0सी0 स्थापित है। अप्रैल 2017 से अगस्त 2019 तक 70466 बच्चे के0एम0सी0 का लाभ प्राप्त कर चुके है।
5. पोषण पुनर्वास केन्द्र (एन०आर०सी०)- कुपोषण जैसी गंभीर समस्या से निपटने हेतु चयनित जनपदों के जिला पुरूष चिकित्सालयों व मेडिकल कालेजों में कुपोषित बच्चों का उपचार करने हेतु पोषण पुनर्वास केन्द्र स्थापित है। वर्तमान में 76 एन0आर0सी0 71 जनपदों में स्थापित है।
6. होम बेस्ड न्यू बार्न केयर कार्यक्रम (एच०बी०एन०सी०)- अक्टूबर 2012 से संचालित इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आशाओं द्वारा संस्थागत एवं घरेलू प्रसव के उपरान्त 42 दिनों के

भीतर 6-7 बार गृह भ्रमण किये जाते है, जिसमें 6-7 माड्यूल प्रशिक्षित आशाओं द्वारा माताओं एवं बच्चों की समुचित देखभाल हेतु जानकारी दी जाती है। वर्तमान में सभी 75 जनपदों में यह लागू कर लिया गया है। माह अप्रैल 2019 से अगस्त 2019 तक आशा द्वारा 1145501 बच्चों का गृह भ्रमण किया जा चुका है।

7. होम बेस्ड यंग चाईल्ड केयर (एच०बी०वाई०सी०)- शिशुओं की गृह आधारित देखभाल (एच0बी0एन0सी0) के लिये 6/7 गृह भ्रमण के साथ-साथ 42 दिनों के पश्चात् शिशुओं की वृद्धि, विकास एवं पोषण सुनिश्चित करने हेतु शिशु की आयु 3,6,9,12 एवं 15 माह होने पर आशा द्वारा अतिरिक्त त्रैमासिक गृह भ्रमण की व्यवस्था भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश के 35 जनपदों में की जा रही है।

8. डायरिया एवं न्यूमोनिया कार्यक्रम- नवजात शिशु एवं बच्चों में डायरिया एवं न्यूमोनिया मृत्यु का मुख्य कारण है। उक्त को नियंत्रित करने के लिये प्रदेश में वृहद स्तर पर यह कार्यक्रम संचालित किया गया है। डायरिया से होने वाली मृत्यु को रोकने के लिये जिंक एवं ओ0आर0एस0 पैकेट आशाओं के माध्यम से बांटे जा रहे है तथा न्यूमोनिया को रोकने के लिये आशाओं के माध्यम से टेबलेट एमाक्सीसीलिन उपलब्ध करायी जा रही है। साथ ही संक्रामक सीजन के दौरान दस्त को रोकने का सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा (आई0डी0सी0एफ0) कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष संचालित किया जाता है।

नगर विकास

सभ्यता के विकास के साथ शहरीकरण की प्रवृत्ति भी बढ़ी है। शहरी क्षेत्रों में अवस्थापना तथा मूलभूत नागरिक सुविधाओं पर अपेक्षाकृत अधिक दबाव होने के कारण कालान्तर से ही शहरों के सुनियोजित विकास की आवश्यकता का अनुभव किया जाता रहा है। इसी क्रम में प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों को एक स्वतन्त्र इकाई, नगरीय स्थानीय निकाय के रूप में अंगीकार किया गया है। नगरीय स्थानीय निकायों के क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या को मूलभूत नागरिक सुविधाएँ यथा- स्वच्छ पेयजलापूर्ति, सड़कें/गलियाँ, जल निकासी, सफाई व्यवस्था, कूड़ा निस्तारण, सीवरेज व्यवस्था, मार्ग प्रकाश, पार्क, स्वच्छ पर्यावरण आदि उपलब्ध कराया जाना इन स्थानीय निकायों का कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व है। प्रदेश के नागर स्थानीय निकायों के कार्यों पर प्रशासकीय नियंत्रण के साथ नगरीय क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास एवं विस्तार हेतु विभिन्न योजनाओं/ कार्यक्रमों के माध्यम से आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने हेतु नगर विकास विभाग का गठन किया गया है। नगर विकास विभाग द्वारा उक्त कार्यों के अतिरिक्त शहरों में सेनिटेशन, पर्यावरण संरक्षण तथा नदियों एवं झीलों में प्रदूषण नियंत्रण आदि का कार्य भी किया जा रहा है। स्वतंत्रता के पूर्व राज्य सरकार स्तर पर इस विभाग का नाम 'लोक स्वास्थ विभाग' था, जिसे बाद में 'स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग'' नाम दिया गया। कालान्तर में इसे आवास एवं नगर विकास विभाग कहा गया। वर्तमान में इस विभाग को दो अलग-अलग विभागों यथा- आवास एवं शहरी नियोजन विभाग तथा नगर विकास विभाग में विभाजित कर दिया गया है।

शासन स्तर पर नगर विकास विभाग का कार्यालय बापू भवन में अवस्थित है। विभाग के कार्यों के सम्पादन हेतु इसको 09 अनुभागों में बांटा गया है। इसके अतिरिक्त लेखा अनुभाग भी है। नगर विकास विभाग निम्नांकित विभागाध्यक्षों/कार्यालयों के साथ आवंटित कार्यों का संचालन करता है।

- **नगरीय निकाय निदेशालय**

भारत सरकार द्वारा गठित रूरल अरबन रिलेशनशिप कमेटी की संस्तुतियो के आधार पर उप्र.शासन द्वारा सर्वप्रथम वर्ष 1971 में स्थानीय निकाय निदेशालय के गठन की परिकल्पना की गई जो व्यावहारिक रूप में वर्ष 1973 में गठित किया गया स्थानीय निकाय निदेशालय में एक निदेशक होता है, जो अपने अधीनस्थ अन्य कार्मिकों के सहयोग से विभिन्न प्रशासनिक व वित्तीय कार्यों का निर्वहन करता है। वर्तमान में इसे नगरीय निकाय निदेशालय के नाम से जाना जाता है।

प्रशासनिक कार्य

- अधिष्ठान संबंधी कार्य-निदेशालय द्वारा उ0प्र0 पालिका (केन्द्रीयित) सेवा के समूह ''ख'' एवं ''ग'' के अधिकारियां/कर्मचारियों के समस्त सेवा संबंधी कार्य।

- विभागीय अनुशासकीय जांच/शिकायती जांच।
- उ0प्र0 पालिका (केन्द्रीयित) सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों के पेंशन/उत्पादन एवं राशिकरण के प्रकरणों का निस्तारण।
- अकेन्द्रीयित सेवा के पद सृजन एवं अन्य प्रकरणों का परीक्षण शासन को अग्रसारण।
- अकेन्द्रीयित सेवकों के संबंध में अतिवय में की गयी नियुक्ति के प्रकरणों में अधिकतम आयु सीमा से छूट प्रदान किया जाना।
- उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियं, 1916 की धारा-92 के अन्तर्गत विशेष परिस्थितियों में निकायों का बजट पारित किया जाना।
- राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुतियों पर शासन के निर्णय के अनुसार प्रदेश की नगर पालिकाओं को धनराशि का संक्रमण/वितरण।
- सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत मांगी गयी सूचनाओं को उपलब्ध कराना।
- नागर स्थानीय निकायों में जन्म-मृत्यु पंजीयन का अनुश्रवण।
- ई-गवर्नेन्स एवं कार्यालय में दक्षता प्राप्त करने हेतु समयबद्धता के आधार पर सूचनाआं को प्राप्त एवं उपलब्ध कराने के निमित्त प्रदेश के समस्त जनपदों के नोडल अधिशासी अधिकारियों के कार्यालय में कम्प्यूटर आदि की स्थापना कर उसको कनेक्टिविटी से जोड़ने संबंधी कार्य।
- राज्य एवं मण्डल स्तरीय समीक्षा बैठकों के आंकड़ों का संकलन और प्रस्तुतीकरण।

उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय निकायों व शहरी परिदृश्य का विवरण

प्रदेश की कुल जनसंख्या (19, 98 करोड़) में से 4.45 करोड़ आबादी शहरी क्षेत्रों में निवास करती है जो कि कुल आबादी का 22.30 प्रतिशत है। शहरी आबादी को बुनियादी गुणवत्तापरक सुविधाओं को उनकी जरूरत के अनुसार मुहैया कराने की जिम्मेदारी 707 नगरीय निकायों पर है। नगर विकास विभाग द्वारा हाल ही में 56 नयी नगर पंचायतों का गठन किया गया था साथ ही दो नगर पंचायतों को उच्चीकृत कर नगर पालिका परिषद का गठन किया गया, इस प्रकार प्रदेश में कुल 17 नगर निगम 200 नगर पालिका परिषद व 490 नगर पंचायतें हैं जो नगरीय क्षेत्रों में सतत् विकास तथा औद्योगीकरण के दृष्टिगत जनसुविधायें उपलब्ध करा रहे है। राज्य सरकार द्वारा आमजनों को साफ पीने का पानी, उपयुक्त प्रकाश व्यवस्था, सड़क, सीवर एवं सफाई तथा कूड़ा उठाने की व्यवस्था, जल निकासी की व्यवस्था इत्यादि मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करायें जाने के मकसद से विभिन्न योजनाएं चलायी जा रही है, जिनका क्रियान्वयन नगरीय निकायों के द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान समय में चार मूल सेवा क्षेत्रों जलापूर्ति, मलजल व्यवस्था, वर्षा जल निकासी और ठोस अपशिष्ट पदार्थों के प्रबन्ध में सेवाओं का मानकीकरण किया जा रहा है। जिससे यह समझना संभव हो सका है कि निकायों हेतु सेवाओं के मानक के अनुसार आमजनों को उक्त सेवायें उपलब्ध कराने के लिए कितने धन की आवश्यकता होगी एवं संचालित की जा रही विभिन्न योजनाओं से सेवाओं के स्तर में कितना सुधार हो रहा है। स्पष्ट है कि नगरीकरण, औद्योगीकरण, सतत् आर्थिक विकास के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में लोगों के जीवन यापन में आए हुए बदलाव के कारण नगरीय निकायों के कार्यक्षेत्र व कार्यशैली में अत्यंत विविधता व बदलाव आया है। अब निकायों को न केवल मूलभूत जन सेवाओं को जन सामान्य

तक उच्चस्तर की गुणवत्ता के साथ उपलब्ध करानेकी जिम्मेदारी है बल्कि इसके साथ ही इन सेवाओं को पारदर्शी व प्रभावी डिलीवरी तंत्र के द्वारा उपलब्ध कराये जाने की अहम चुनौती भी है।

- प्रदेश में 17 नगर निगम हैं- लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ, आगरा, झांसी, मुरादाबाद, गोरखपुर, अलीगढ़, बरेली गाजियाबाद, सहारनपुर एवं फिरोजाबाद, अयोध्या, मथुरा-वृन्दावन तथा शहजहांपुर।
- वर्ष 2011 की जनगणना के ऑकड़ों के अनुसार देश में कुल 4041 स्टेट्यूरी टाउन्स है जिनमें से 648 उत्तर प्रदेश में हैं, जो कुल जनसंख्या का 16 प्रतिशत है।
- वर्ष 2011 की जनगणना के ऑकड़ों के अनुसार देश में कुल 3,894 सेन्सेस टाउन्स है जिनसे 267 उत्तर प्रदेश में है।
- प्रदेश के शहरी क्षेत्रों को बेहतर बनाने के लिए केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित अनेक योजनाएं प्रदेश में संचालित की जा रही है।
- प्रदेश में एक लाख से अधिक जनसंख्या वाली निकायों में अमृत योजना संचालित की जा रही है। जो कि मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों पेयजल, सीवरेज, पार्क इत्यादि की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए संचालित है।
- प्रदेश के 10 शहरों को स्मार्ट सिटी मिशन के चयनित किया गया है।
- स्वच्छ भारत मिशन प्रदेश के सभी निकायों में संचालित किया जा रहा है।

प्रमुख केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएं

- **अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत)**

(1) कवरेज

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन-(अमृत) कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत 60 शहर आच्छादित हैं -

(1) 7 शहर (जनसंख्या 10 लाख से अधिक)

(2) 53 शहर (जनसंख्या 1 लाख से 10 लाख तक)

- उक्त का क्रियान्वयन नगर विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है।
- अमृत कार्यक्रम की मिशन अवधि 2015 से 2020 निर्धारित है।

(1) (क) अमृत के अंतर्गत 7 शहर, जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है

अमृत के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 07 शहर यथा- कानपुर, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज तथा मथुरा सम्मिलित हैं।

- अमृत योजना में वित्त पोषण का अनुपात 33.33:36.67:30 है। केन्द्र सरकार, 33.33 प्रतिशत अंश राज्य सरकार तथा संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा 36.67 प्रतिशत वहन किए जाने का प्रावधान है।

- इन शहरों में स्वीकृत परियोजनाओं के सापेक्ष 3 किश्तों मे भारत सरकार से धनराशि स्वीकृत की जाती है। भारत सरकार से धनराशि सी.ए. अर्थात सेन्ट्रल एसीसटेंस के रूप में प्राप्त होती है।

(1) (ख) अमृत के अंतर्गत 53 शहर, जिनकी जनसंख्या 1 लाख से 10 लाख है

- शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अमृत कार्यक्रम के अंतर्गत 10 लाख से कम जनसंख्या वाले नगरों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु परियोजना क्रियान्वित की जा रही है।
- इस कार्यान्श में वित्त पोषण का अनुपात 50:30:20 (अर्थात 50 प्रतिशत केन्द्रांश, 30 प्रतिशत राज्यांश व 20 प्रतिशत निकाय अंश) है।

(2) प्रमुख क्षेत्र

- जलापूर्ति,
- सीवरेज सुविधाएं और सेप्टेज प्रबन्धन,
- विशेषत: बच्चों के लिए हरित स्थलों, पार्कों और मनोरंजन केन्द्रों का निर्माण और उन्नयन करके शहरों की भव्यता बढ़ाना।

(3) मिशन घटक

अमृत के घटकों में क्षमता निर्माण, सुधार कार्यान्वयन, जलापूर्ति, सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन, वर्षा जल निकासी, शहरी परिवहन और हरित स्थल और पार्क शामिल हैं। आयोजन के दौरान, शहरी स्थानीय निकायों को भौतिक अवसंरचना घटकों में कुछ स्मार्ट विशेषताओं को शामिल करने का प्रयास करना होगा। मिशन घटकों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

जलापूर्ति

- प्रत्येक परिवार को विरचित जलापूर्ति, संयोजन सहित एक पेयजल का नल सुलभ करना,
- जल शोधन संयंत्रों और भी जगहों पर मीटर लगाने सहित वर्षा जल आपूर्ति प्रणाली,
- शोधन संयंत्रों सहित पुरानी जलापूर्ति प्रणालियों का पुनर्स्थापन,
- विशेषतया पेयजल आपूर्ति और भूमिगत जल पुनः भरण के लिए जलाशयों का पुनरुद्धार,
- उन क्षेत्रों सहित जिनमें जल की गुण्वत्ता संबंधी समस्याएं हैं (उदाहरणार्थ आरसेनिक, फ्लोराइड) दुर्गम क्षेत्रों, पहाड़ी और तटीय शहरों के लिए विशेष जलापूर्ति प्रबंधन।

सीवरेज

- प्रत्येक परिवार को सीवर संयोजन सुलभ करना,
- मौजूदा सीवरेज प्रणालियों और सीवरेज शोधन संयंत्रों के संवर्द्धन सहित विकेन्द्रीकृत, नेटवर्कबद्ध भूमिगत सीवरेज प्रणलियां,
- पुरानी सीवरेज प्रणालियों और शोधन का पुनर्स्थापन,

- लाभकारी प्रयोजनों के लिए जल का पुनर्चक्रण और अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग।

सेप्टेज

- मल गाद प्रबंधन-कम लागत पर सफाई, परिवहन और शोधन,
- सीवर और सेप्टिक टैंकों की यांत्रिकी और जैविक सफाई और प्रचालन की पूरी लागत वसूली।

क्रसं.	घटक	वित-पोषण पद्धति
1.	**जलापूर्ति :** ➢ नए जलापूति प्रणाली संवर्द्धन और पुनर्स्थापन। ➢ भू-जल के पुनर्भरण। ➢ दुर्गम क्षेत्रों, पहाडी और तटीय शहरों हेतु विशेष प्रबंधन।	➢ 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए भारत सरकार से अनुदान के रूप में परियोजना लागत की एक-तिहाई। ➢ 10 लाख तक आबादी वाले शहरों/कस्बों के लिए अनुदान के रूप में परियोजना लागत का आधा। ➢ राज्य सरकारों/शहरी स्थानीय निकायों अथवा निजी निवेश के माध्यम से शेष राशि वित पोषण। ➢ निविदा में उपयोक्ता प्रभारों के आधार पर पांच वर्ष के लिए प्रचालन और अनुरक्षण लागत शामिल होंगे। परियोजना लागत के आंकलन के लिए प्रचालन और अनुरक्षण लागत छोड़ दी जाएगी, तथापि राज्य/शहरी स्थानीय निकाय, अपने को आत्मनिर्भर और लागत प्रभावी बनाने के लिए उचित लागत वसूली तंत्र के माध्यम से प्रचालन और अनुरक्षण का वित्तपोषण करेंगे। ➢ एसएलआईपी में सभी परिवारों के जल और सीवरेज कनेक्शन का प्रावधान पहले प्रदान किया जाएगा।
2.	**सीवरेज :** ➢ नए सीवरेज प्रणालियों और संयंत्रों का संवर्धन और पुनर्स्थापन। ➢ लाभकारी उद्देश्यों के लिए जल का पुनःचक्रण और अपजल का पुनःउपयोग।	
3.	**सेप्टेज :** ➢ मलगाद प्रबंधन (सफाई, ढुलाई और शोधन), सेप्टिक टैंकों और सीवरों का विशेषतःयांत्रिक और जैविक सफाई।	
4.	**वर्षा जल नाले :** ➢ नालियों और वर्षा जल नालों का निर्माण और सुधार।	
5.	**शहरी परिवहन :** ➢ साईड बॉक्स, फुट ऑवर ब्रिज, गैर-मोटरीकृत परिवहन, बसें, बीआरटीएस, बहु-स्तरीय पार्किंग, जल मार्ग और नौका वाहिकाओं।	
6.	हरित स्थान और शिशु-अनुकूल घटकों हेतु विशेष प्रावधान के साथ पार्कों का विकास/पार्कों के लिए शहरी स्थानीय निकायों को स्थानीय निवासी भागीदारी के साथ-रखरखाव हेतु प्रणाली का स्थापना करना होगा।	भारत सरकार द्वारा परियोजना लागत का आधा और इन परियोजनाओं पर कुल व्यनय राज्य वार्षिक कार्य योजना (एसएएपी) के 2.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
7.	क्षमता निर्माण और सुधारों का समर्थन	शीर्ष समिति द्वारा निर्धारित मौजूदा मानदंडों और इकाई लागतों के आधार पर भारत सरकार द्वारा पूरा (100 प्रतिशत)
8.	➢ ए एंड ओई (पीएमयू/पीआईयू/डीपीआर लागत, आदि।	

स्वच्छ भारत मिशन-नगरीय

स्वच्छ भारत मिशन

- भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा 02 अक्टूबर, 2019 तक सम्पूर्ण स्वच्छता के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु ''स्वच्छ भारत मिशन'' कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस मिशन का उद्देश्य खुले में शौच की कुप्रथा को समाप्त करना, नगरीय ठोस अपशिष्ट का आधुनिक और वैज्ञानिक प्रबन्धन करना, शहरी स्थानीय निकायों हेतु क्षमता सम्बर्द्धन आदि है। मिशन के घटकों में अस्वच्छकर शौचालयों को जल प्रवाहित शौचालयों में बदलने सहित पारिवारिक शौचालय, सामुदायिक शौचालय, सार्वजनिक शौचालय, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, आईईसी एवं जनजागरूकता तथा क्षमता निर्माण और प्रशासनिक व कार्यालय व्यय सम्मिलित हैं।
- स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के 652 नागर निकायों द्वारा खुले में शौच से मुक्त (ओ.डी.एफ.) स्वघोषित किया जा चुका है एवं जिसमें से 352 निकायों को थर्ड पार्टी इन्सपेक्सन कराकर ओ.डी.एफ. प्रमाण पत्र दिया जा चुका है साथ ही प्रदेश के 165 निकायों में ओ.डी.एफ. प्लस एवं 05 निकायों द्वारा ओ.डी.एफ प्लस हो चुके है। शेष निकायों में ओ.डी.एफ. प्लस एवं ओ.डी.एफ प्लस प्लस की कार्यवाही की जा रही है।
- इस मिशन के अन्तर्गत व्यक्तिगत शौचालयों, सामुदायिक शौचालयों, सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण सहित सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट की परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना है।
- ''स्वच्छ भारत मिशन'' कार्यक्रम के अन्तर्गत मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में ''स्टेट लेवल हाई पावर स्टयरिंग कमेटी'' (एस.एच.पी.एस.सी.) गठित है।
- स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत निर्धारित कार्य प्रदेश में समयबद्ध रूप से किये जा रहे हैं तथा की जा रही कार्यवाहियों को भारत सरकार की अधिकारिक वेबसाइट/पोर्टल पर नियमित/अपलोड किया जा रहा है।
- सफाई अभियान के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त नागर स्थानीय निकायों में कूड़े के कलेक्शन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन आदि कार्यों को तत्परता से किया जा रहा है।
- प्रदेश के समस्त नागर निकायों में स्वच्छता अभियान चलाये जाने हेतु निर्देश प्रसारित किये गये हैं। व्यवहार परिवर्तन एवं सम्पूर्ण स्वच्छता के लक्ष्यको प्राप्त किये जाने हेतु जन जागरूकता अभियान प्रदेश के नागर निकायों में चलाये जा रहे है। प्रत्येक नगरीय निकाय में एम.आर.एफ. (मैटेरियल रिकवरी के लिए) हेतु धनराशि अवमुक्त की गई है।
- स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत प्रदेश में 887906 व्यक्तिगत शौचालयों, 36131 सामुदायिक शौचालयों तथा 26841 सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण कराया गया।
- वित्तीय वर्ष 2019-20 में इस योजना के लिएरु. 15000 करोड़ का बजट प्रावधान है, जिसके सापेक्ष रु. 322.80 करोड़ की कुल धनराशि अवमुक्त की गयी है।

स्मार्ट सिटी मिशन

- स्मार्ट सिटी मिशन भारत सरकार द्वारा संचालित केन्द्र पुरोनिधानित योजना है, जिसके अंतर्गत नागरिकों की आकांक्षाओं, आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के अनुरूप शहर को आदर्श रूप में विकसित करना है। इसका उद्देश्य उन प्रमुख शहरों को प्रोत्साहित करना है, जो अपने नागरिकों को गुणवत्तापरक जीवन स्तर के साथ स्वच्छ और सुस्थिर वातावरण प्रदान करते है तथा ''स्मार्ट'' समाधान लागू करते है। योजना की अवधि वर्ष 2015-16 से 2019-20 (5 वर्ष) तक है। योजना का उद्देश्य निकाय में चयनित क्षेत्र का आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचा प्रदान करते हुए नागरिकों के लिए बेहतर जीवन स्तर के साथ-साथ स्वच्छ एवं सुस्थिर वातावरण प्रदान करना और स्मार्ट एप्लीकेशन का प्रयोग करना है।
- प्रदेश के 10 निकायों को स्मार्ट सिटी मिशन में चयनित किया गया है। जिसके सापेक्ष 04 निकाय लखनऊ, कानपुर, आगरा एवं वाराणसी मार्च, 2017 तक स्मार्ट सिटी के रूप में चयनित किये गये थे। सरकार के सतत् प्रयास के फलस्वरूप अलीगढ, झांसी एवं प्रयागराज नगरीय निकाय जून, 2017 में स्मार्ट सिटी कार्यक्रम में चयनित हुए हैं। उक्त के अतिरिक्त 03 अन्य निकायों यथा- मुरादाबाद, सहारनपुर एव बरेली को जनवरी, 2018 में चयनित किया गया है। उक्त चयनित कुल 10 निकायों को एस.पी.वी. का गठन कर लिया गया है।
- प्रथम राउन्ड में लखनऊ शहर चयनित हुआ। मिशन निदेशालय द्वारा रु. 382.00 करोड़ अवमुक्त किया गया जिसमें से रु. 135.00 करोड़ व्यय किया जा चुका है। रु. 781.53 करोड़ के टेन्डर अनुमोदित किये गये। रु. 251.32 करोड़ समतुल्य धनराशि के कार्य प्रारम्भ किये गये। स्मार्ट सिटी मिशन निदेशालय के द्वारा 27 प्रोजेक्ट्स है जिन पर रु. 277.54 करोड़ में व्यय हो चुका है।
- कुल दस शहरों में रु. 2038.00 करोड़ धनराशि अवमुक्त की गई है, जिसमें से रु. 882.30 करोड़ का व्यय किया जा चका है। रु. 3903.8 करोड़ के टेन्डर अनुमोदित किये जा चुके है। रु. 2914.30 करोड़ धनराशि के कार्य प्रारम्भ किये जा चुके है। कुल प्रदेश में 287 प्रोजेक्ट्स पूर्ण रूप से स्मार्ट सिटी मिशन द्वारा वित्त पोषित है जिसका रु. 5979.50 करोड़ है। प्रथम चरण में लखनऊ, द्वितीय चरण मे आगरा, कानपुर, वाराणसी, तृतीय चरण में अलीगढ़, झांसी, प्रयागराज एवं चतुर्थ चरण में मुरादाबाद,, सहारनपुर एवं बरेली चिन्हित किये गये है। उक्त दस शहरों के अतिरिक्त 7 अन्य शहर क्रमशः अयोध्या, मथुरा-वृन्दावन, मेरठ, गाजियाबाद, गोरखपुर, फिरोजाबाद एवं शाहजहांपुर को राज्य स्मार्ट सिटी मिशन हेतु चिन्हित किया गया है जिस पर कार्य गतिशील है।

राष्ट्रीय नदी/झील संरक्षण कार्यक्रम

देश की प्रमुख नदियां म्यूनिसिपल सीवेज, औद्योगिक कचरे तथा मृत जानवरों आदि से प्रदूषित हो रही हैं। गंगा नदी में हो रहे प्रदूषण को रोकने के उद्देश्य से फरवरी, 1985 मे माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार की अध्यक्षता में 'केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण' का गठन कर 'गंगा कार्य योजना' (गंगा एक्शन प्लान)

के नाम से एक योजना प्रारम्भ की गयी। उत्तर प्रदेश राज्य में गंगा कार्य योजना हेतु नगर विकास विभाग नोडल विभाग है तथा उत्तर प्रदेश जल निगम, नगर निगम/नगर परिषद तथा जल संस्थान कार्यदायी संस्थाएं हैं।

गंगा कार्य योजना (प्रथम चरण)

गंगा कार्य योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के तट पर स्थित 6 नगर क्रमशः हरिद्वार-ऋषिकेश (अब उत्तरांचल राज्य में), फर्रुखाबाद-फतेहगढ़, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी तथा मिर्जापुर को सम्मिलित किया गया।

गंगा कार्य योजना प्रथम चरण में रु. 184.84 करोड़ की कुल 106 परियोजनाओं में से जल निगम द्वारा कोर सेक्टर की 56 परियोजनायें रु. 160.84 करोड़ की लागत से निर्मित की गयी जिसमें प्रदेश के 5 नगरों में गंगा नदी में प्रवाहित होने वाले कुल 646.30 एम.एल.डी. सीवेज में से 349.50 एम.एल.डी. क्षमता के 9 सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट भी निर्मित किये गये। इनके अतिरिक्त इन नगरों में 27 पम्पिंग स्टेशन, 13 शवदाह गृह, 12 कम लागत के शौचालय तथा 8 नदी घाटों का विकास कार्य भी किया गया।

गंगा कार्य योजना (द्वितीय चरण)

गंगा कार्य योजना के प्रथम चरण के संतोषजनक परिणामां को देखते हुए गंगा नदी तथा उसकी मुख्य सहायक नदियों यमुना एवं गोमती के तट पर स्थित कुल 23 नगरों प्रथम चरण के 5 नगरों को सम्मिलित करते हुए में, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1993 में गंगा कार्य योजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत प्रदूषण नियन्त्रण के कार्य प्रस्तावित किये गये। गंगा कार्य योजना के द्वितीय चरण में तीन घटक क्रमशः गंगा कार्य योजना घटक, यमुना कार्य योजना घटक, गोमती कार्य योजना घटक हैं। भारत सरकार द्वारा गंगा कार्य योजना द्वितीय चरण के लिये कुल 216 परियोजनायें स्वीकृत की गयी स्वीकृत परियोजनाओं में से बिजनौर शहर की 3 परियोजनायें व वाराणसी नगर की एक परियोजना ड्राप की गयी एवं शेष 212 में से 211 परियोजनाओं के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं।

राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (एन.जी.आर.बी.ए.)

भारत सरकार द्वारा पूर्व संचालित राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न कार्य योजनाओं के उद्देश्यों में सुधार करते हुए इनके क्रियान्वयन की रणनीति में सुधार कर गंगा नदी को प्रदूषण से मुक्त करने हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 20.02.2009 द्वारा गंगा नदी को 'राष्ट्रीय नदी' का दर्जा देते हुए, इनवायरमेन्टल प्रोटेक्शन एक्ट-1986 के अंतर्गत किया गया है। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (एन.जी.आर.बी.ए.) के अंतर्गत वर्ष 2020 तक घरेलू अवजल को गंगा में गिरने से रोकने हेतु राज्य स्तर पर उत्तर प्रदेश राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में किया गया है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में लगभग 900 किमी. दूरी तय करती है। फतेहगढ़ के निकट रामगंगा नदी एवं कन्नौज के निकट काली नदी के मिलने पर गंगा नदी में प्रदूषण की मात्रा बढ़ जाती है। इसी प्रकार गंगा नदी के किनारे बसे मुख्य नगरों यथा कानपुर, इलाहाबाद व वाराणसी के घरेलू सीवेज के कारण भी कन्नौज से वाराणसी तक का क्षेत्र प्रदूषण की दृष्टि से क्रिटिकल हो गया है।

प्रथमतः गंगा नदी के किनारे 26 नगर एवं इसकी मुख्य सहायक काली नदी के किनारे 3 एवं रामगंगा नदी के किनारे 2 नगरों को चिन्हित किया गया है। यमुना नदी पर स्थित 10 नगरों व गोमती नदी पर स्थित तीन नगरों को चिन्हित किया गया है। यमुना नदी पर स्थित 10 नगरों व गोमती नदी पर स्थित तीन नगरों को प्रथम चरण में सम्मिलित नहीं किया गया है।

एन.जी.आर.बी.ए./नमामि गंगे

कार्यक्रम के अंतर्गत प्रयागराज नगर की 10 योजनाएं, वाराणसी नगर की 2 योजनाएं, कानपुर नगर की 3 योजनाएं, मुरादाबाद नगर की 2 परियोजनाएं, अगरा नगर की 2 परियोजनायें तथा कन्नौज, गढ़मुक्तेश्वर, अनूपशहर, नरौरा, वृंदावन, रामनगर, चुनार, उन्नाव, शुक्लागंज, बिठूर, गाजीपुर, मिर्जापुर, फतेहगढ़-फर्रूखाबाद, मथुरा, अयोध्या, कासगंज, सुल्तानपुर, मुजफ्फरनगर, बुड़ाना, जौनपुर, मेरठ, बागपत, इटावा, फिरोजाबाद, बरेली एवं लखनऊ नगर की एक-एक परियोजना का अनुमोदन प्राप्त हुआ है। इस प्रकार कुल 45 परियोजनायें जिनकी कुल लागत रु. 10407.33 करोड़ है, स्वीकृति हुयी हैं। एन.जी.आर.बी.ए./नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत 345.50 एम.एल.डी. क्षमता के 13 सीवेज शोधन संयंत्र निर्मित किये जा चुके हैं एवं 964.29 एम.एल.डी. क्षमता के 39 सीवेज शोधन संयंत्र एवं 11 डीसेन्ट्रालाईज्ड निर्माणाधीन है। कुल अवमुक्त धनराशि रु. 2458.51 करोड़ के सापेक्ष रु. 2458.51 करोड़ व्यय हो चुका है। **संलग्नकः 1**- इस वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु रु. 1531.94 करोड़ का बजट प्राविधानित है। उक्त 45 योजनाओं में से 13 योजनायें पूर्ण, 21 योजनायें निर्माणाधीन तथा 11 योजनायें निविदा की प्रक्रिया में है।

उक्त के अतिरिक्त एन.एम.सी.जी., भारत सरकार द्वारा गंगा की अन्य सहायक नदियों के किनारे स्थित 33 नगरों के नालों के आई. एंड डी. कार्य व सीवेज शोधन संयंत्र निर्माण हेतु योजना विरचन कराकर निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है, जिसमें से 18 योजनायें विरचित कर एस.जी.आर. सी.ए., लखनऊ के माध्यम से एन.एम.सी.जी. भारत सरकार को अनुमोदन हेतु प्रेषित की गयी है।

वाह्य सहायतित कार्यक्रम (जे.बी.आई.सी.) आगरा जल सम्पूर्ति गंगाजल परियोजना

आगरा जल सम्पूर्ति योजना गंगाजल (वाह्य सहायतित-जायका) अपर गंगा कैनाल के पालरा हैडवर्क्स, जिला बुलन्दशहर से आगरा तक 130 किमी. पाइप लाइन द्वारा आगरा शहर को 140 क्यूसेक एमं मथुरा शहर को 10 क्यूसेक कुल 150 क्यूसेक कच्चा जल लाकर जल सम्पूर्ति से सम्बन्धित अन्य कार्य को सम्पादित किया जाना है। योजना के प्रारंम्भिक आगणन की कुल लागत रु. 1076.98 करोड़ थी, जो मार्च, 2007 में स्वीकृत हुई थी योजना के डी.पी.आर.अनुमानित लागत रु. 2887.92 करोड़ को प्रदेश की व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था, जिसे शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार में प्रोजेक्ट के वित्तीय एवं तकनीकी परीक्षण के उपरान्त दिनांक 04.07.2012 को पुनरीक्षित लागत के अनुसार स्वीकृति प्रदान की गयी है। पुनरीक्षित लागत के सापेक्ष ऋण वृद्धि पर भारत सरकार व जायका के मध्य ऋण अनुबंध मार्च, 2014 को निष्पादित किया जा चुका है। योजना की लागत का 85 प्रतिशत जायका से ऋण के रूप में तथा 15 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना है। योजना में मुख्य रूप से सिकन्दरा, आगरा में 144 एम.एल.डी. क्षमता के वाटर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट, इन्टेक वर्क्स, सेटलिंग टैंक, आगरा एवं मथुरा शहरों हेतु फीडर मेंन तथा वर्तमान में स्थिति

वाटर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के जीर्णोद्धार के कार्य प्राविधानित है। वर्तमान में पलरा सैटलिंग टैंक तथा सिंकदरा आगरा में 144 एम.एल.डी. वाटर ट्रीटमेन्ट का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। कुल अवमुक्त धनराशि रु. 2653.57 करोड़ के सापेक्ष रु. 2414.76 करोड़ का व्यय वर्तमान तक हो चुका है। इस वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु रु. 235.00 करोड़ के बजट का प्राविधान किया गया है।

झील प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम

माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 13.03.2001 को हुई राष्टीय नदी संरक्षण प्राधिकरण की बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में प्रदेश में निम्नलिखित झीलों/तालों की योजनाएं प्रस्तावित की गयी है।

1. रामगढ़ ताल (गोरखपुर नगर)
2. मानसीगंगा ताल (गोवर्धन नगर जनपद-मथुरा)
3. लक्ष्मी ताल (झांसी नगर)
4. मदनसागर ताल (महोबा नगर)

उपर्युक्त चार तालों में गोवर्धन नगर (जनपद-मथुरा) के मानसी गंगा ताल के प्रदूषण नियंत्रण कार्यों के प्राक्कलन, अनुमानित लागत रु. 22.71 करोड़ की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा मार्च 2007 में प्रदत्त है, योजना में 2.76 एम.एल.डी. क्षमता के एस.टी.पी. का निर्माण एवं अन्य कार्य पूर्ण किये जा चुक हैं। योजना स्थानीय निकाय को संचालन एवं रखरखाव हेतु हस्तान्तरित है।

रामगढ़ताल (गोरखपुर नगर) की योजना भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा स्वीकृत, स्वीकृत लागत रु. 124.32 करोड़ व पुनरीक्षित स्वीकृत लागत रु. 196.57 करोड़ है। योजना के अन्तर्गत 2 नग एस.टी.पी. क्षमता 15 एवं 30 एम.एल.डी. का निर्माण पूर्ण है, सीवेज का शोधन हो रहा है। योजना की अद्यतन भौतिक प्रगति 99.40 प्रतिशत है। कुल अवमुक्त धनराशि रु. 194.92 करोड़ के सापेक्ष रु. 188.83 करोड़ व्यय हो चुका है। योजना के अन्तर्गत स्वीकृत न्यूटीयन्ट इन एक्टिवेशन, गार्डन एरिया, स्नैक ज्वाइंट, आब्जरवेशन टावर तथा पैडल बोट्स के कार्य को समाप्त तथा एरियेशन सिस्टम के सापेक्ष फ्लोटिंक फॉउन्टेशन की स्थापना की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हो गयी है तथा योजना को पूर्ण किये जाने की समय-सीमा दिसम्बर, 2019 तक की वृद्धि की गयी है।

लक्ष्मीताल (झांसी) की परियोजना की स्वीकृति भारत सरकार के पत्र संख्या जे-16011/3/2003-एनआरसीडी-।। दिनांक 07/10.11.2014 द्वारा रु. 54.13 करोड़ प्रदान की गयी है जिसमें भारत सरकार का अंश रु. 37.89 करोड़ है। योजना में प्रस्तावित 26 एम.एल.डी. सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट निर्माणधीन है। कुल अवमुक्त धनराशि रु. 48.66 करोड़ के सापेक्ष योजना पर रु. 40.66 करोड़ व्यय हुआ है। योजना की भौतिक प्रगति 75 प्रतिशत है।

झील संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत इस वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु कुल रु. 33.17 करोड़ का बजट प्राविधानित है।

राज्य वित्त आयोग

चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर प्रदेश के शुद्ध कर राजस्व की 7.50 प्रतिशत धनराशि नगरीय स्थानीय निकायों के दिये जाने का प्रावधान है, जिसमें नगर निगम का 40 प्रतिशत, नगर पालिका परिषदों का 40 प्रतिशत एवं नगर पंचायतो का 20 प्रतिशत अंश चतुर्थ राज्य

वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है। जिसके तहत मा. आयोग द्वारा निर्धारित पारदर्शी फार्मूले के आधार पर धनराशि नागर निकायों को आवंटित की जाती है। चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल 8256.30 करोड़ (5 प्रतिशत ऑडिट अनुशासन की धनराशि तथा 0.10 प्रतिशत प्रशिक्षण संस्थान की धनराशि को छोड़कर शेष 94.9 प्रतिशत धनराशि) का प्रावधान था।

14वां वित्त आयोग

14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अंतर्गत प्रदेश की समस्त नागर स्थानीय निकायों को नगरो के विकास आदि के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 में बुनियादी अनुदान के रूप में रु. 2459.75 करोड़ का बजट प्रावधान है तथा रु. 676.40 करोड़ निष्पादन अनुदान के रूप में प्राविधानित है। निष्पादन अनुदान केवल उन्हीं निकायों को अनुमन्य होता है, जिन्होंने अपनी निकाय द्वारा मुहैया करायी जाने वाली मूलभूत सुविधाओ के स्तर तथा निर्धारित मानकों को पूरा कर लिया हो। वित्तीय वर्ष 2019-20 में बुनियादी अनुदान के रूप में दो किश्तों में कुल रु. 2455.99 करोड़ की धनराशि निकायों को निर्गत की जा चुकी है।

राज्य सेक्टर/जिला सेक्टर की प्रमुख योजनाएं

डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम नगरीय सौर पुंज योजना

प्रदेश की नागर निकायों द्वारा अपने कार्यालयों, जन सामान्य के लिए मार्ग प्रकाश एवं पेयजल की व्यवस्था किए जाने हेतु पारंपरिक विधुत व्यवस्था का उपयोग किया जा रहा है, जिससे निकायों को काफी धनराशि विद्युत बिलों के भुगतान के रूप में व्यय करना पड़ता है तथा रात्रि में विद्युत की उपलब्धता न होने पर वैकल्पिक व्यवस्थाएं विशेषकर जनरेटरों के माध्यम से मार्ग प्रकाश तथा पेयजल व्यवस्था किए जाने से निकायों द्वारा काफी धनराशि अतिरिक्त रूप से व्यय करना पड़ता है, वहीं दूसरी ओर इससे पर्यावरण भी प्रदूषित होता है। उक्त समस्या से निपटने के उद्देश्य से ही प्रदेश की नागर निकायों में सौर ऊर्जा पावर प्लान्ट्स के माध्यम से मार्ग प्रकाश एवं पेयजल की व्यवस्था किए जाने हेतु 'डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम नगरीय सौर पुंज योजना' नाम से वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रदेश सरकार द्वारा योजना प्रारंभ की गयी। उक्त योजना में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 53.09 करोड़ का बजट प्रावधान है।

कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना

प्रदेश में आवारा पशुओं के खुले में घूमने के कारण होने वाली दुर्घटनाओं के फलस्वरूप पशुओं तथा जनसामान्य को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा ऐसे पशुओं के पुनर्वास हेतु 'कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना' नाम से योजना प्रारम्भ की गयी है। इस योजना के अंतर्गत नागर निकायों में कान्हा गौशाला की स्थापना की जाएगी। इस योजना से सम्बन्धित विस्तृत दिशा-निर्देश शासनादेश संख्या-05/2007/4651/नौ-8-2017-21ज/2017, दिनांक 20.09.2017 द्वारा प्रसारित किए गए हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 200.00 करोड़ का बजट प्रावधान है।

आदर्श नगर योजना

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के एक लाख से कम जनसंख्या वाले ऐसी नगरीय निकायें जो जवाहर लाल नेहरू अर्बन रिनूवल मिशन योजना एवं यू.डी.आई.एस.एस.एम.टी. योजना से वित्त पोषित नहीं

है, के नगरों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु आदर्श नगर योजना लागू की गयी हैं जिसके अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु.100.00 करोड़ का बजट प्राविधान है।

पं. दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना

प्रदेश की छोटी नागर निकायों में अवस्थापना सुविधाओं यथा पेयजल, सैपटेज मैनजमेंट, सड़क साइड पटरी, नाली, जल निकासी, फुटपाथ, सोलर लाइट/एलईडी लाइट, सार्वजनिक शौचालयों, तालाब, संरक्षण एवं सौदर्यीकरण, चौराहों का निर्माण, पार्क/खेल मैदान का निर्माण/सुधार, सामुदायिक केन्द्र, गौशाला का निर्माण आदि सार्वजनिक सुविधाओं का सृजनकर नागरिकों को गुणवत्ता पूर्व सुविधाओं को प्रदान करने तथा नगरों/कस्बों के समेकित एवं नियोजित विकास को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से पं0 दीनदयाल आदर्श नगर पंचायत योजना लागू की गयी है।

उपरोक्त योजना के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश शासनादेश सं0-777/नौ-8-2018-53 ज/2017 दिनांक 21.03.2018 तथा शासनादेश दिनांक 05.01.2019 द्वारा निर्गत किये गये है। उक्त योजना में वर्तमान वित्तीय 2019-20 में 200.00 करोड़ का बजट प्राविधान है।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)

परिचय

मिशन का शुभारम्भ दिनांक 25.06.2015 को आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया। प्रदेश में दिनांक 21 मार्च 2016 द्वारा योजना को लागू किया गया।

लाभार्थियों हेतु पात्रता मानक

- लाभार्थी चार घटकों में से किसी एक घटक का लाभ प्राप्त किये जाने के लिए पात्र होगा।
- लाभार्थी ऐसे परिवार से होंगे, जिनके परिवार के किसी सदस्य के नाम अपना पक्का घर नहीं होगा।
- लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी एवं अविवाहित पुत्र/पुत्रियाँ शामिल होंगे।
- ऐसे व्यस्क पुरुष/स्त्री, जो उपार्जक (रोज कमाता) हो तथा स्वयं के नाम कोई पक्का आवास न हो, भी योजना के लाभ लेने हेतु पात्र होंगे।
- सीएलएससी घटक में नोडल एजेन्सी नेशनल हाऊसिंग बैंक एवं हडको हैं। इसमें कोई राज्यांश नहीं है। इस घटक के अन्तर्गत अब तक कुल 71678 लाभर्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है।
- ईडब्ल्यूएस श्रेणी हेतु अधिकतम वार्षिक आय सीमा 3 लाख तक/एलआईजी हेतु आय सीमा 3 से 6 लाख/एमआईजी-1हेतु वार्षिक आय सीमा 6 से 12 लाख लाख/एमआईजी-2 हेतु वार्षिक आय सीमा 12 से 18 लाख है।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (बीएलसी) घटक के अन्तर्गत अब तक 13,73,814 आवास तथा भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी) घटक में 1,36,533 आवास कुल अद्यतन 15,10,347 आवास भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किये जा चुके हैं।
- उत्तर प्रदेश लाभार्थी आधरित व्यक्तिगत आवास निर्माण (बीएलसी) घटक के अन्तर्गत आवास स्वीकृति में पूरे देश में प्रथम स्थान पर है।
- लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (बीएलसी) घटक के अन्तर्गत स्वीकृति आवासों के सापेक्ष 8,68,141 आवासों की जियो टैगिंग/ग्राण्डिंग हो चुकी है एवं निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसमें 4,73,645 आवास पूर्ण हो चुके हैं। इस घटक के अन्तर्गत 7,17,386

लाभार्थियों को प्रथम/द्वितीय/तृतीय किश्त के रूप में कुल रु. 12,977,23 करोड़ की धनराशि भारत सरकार के पीएफएमएस पोर्टल द्वारा डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खाते में अवमुक्त की गयी है।

- उत्तर प्रदेश पूरे देश में पीएफएमएस पोर्टल द्वारा डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों को धनराशि हस्तान्तरित करने में प्रथम स्थान पर है।

राज्य नगरीय विकास अभिकरण की उपलब्धियाँ

वित्तीय वर्ष 2019-20 (माह मार्च, 2020 तक)

दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM)

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना 31 मार्च, 2014 को भारत सरकार द्वारा परिवर्तित कर उसके स्थान पर राष्ट्रीय शहरी आजीविकास मिशन (एन0यू0एल0एम0) वर्तमान में प्रदेश के चयनित 130 शहरों में संचालित की जा रही है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिनांक 28.02.2014 द्वारा राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) को नोडल और निदेशक राज्य नगरीय विकास अभिकरण उ0प्र0 को मिशन निदेशक नामित किया गया है।

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन0यू0एल0एम0) के संचालन हेतु वार्षिक कार्ययोजना 2019-20 भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है।

राष्ट्रीय शहरी आजीविका के मुख्य उपघटक का विवरण निम्नवत् हैः-

1. सामाजिक गतीशीलता एवं संस्थागत विकास

इस घटक के अन्तर्गत शहरी गरीबों को गतिशील कर स्वयं सहायता समूहों एवं उनके संघों (ए0एल0एफ0/सी0एल0एफ0) के गठन का लक्ष्य निकायों/शहरों को आवंटित करते हुए समूहों के गठन, प्रशिक्षण एवं देखरेख हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में 10 सन्दर्भ संस्थाओं (आर0ओ0) को आर0एफ0पी0 के माध्यम से इम्पैनल्ड किये जाने की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त शहरी आजीविका केन्द्र की स्थापना हेतु शासनादेश एवं विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये जा चुके हैं। अब तक स्वीकृत 71 शहरी आजीविका केन्द्रों में से 70 शहरी आजीविका केन्द्र क्रियाशील हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु 600 स्वयं सहायता समूहों के गठन के निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष 4844 स्वयं सहायता समूह का गठन कर लिया गया है एवं 5511 समूहों को रिवाल्विंग फण्ड अवमुक्त किया गया है।

2. क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण

इस घटक के अन्तर्गत दिनांक 28.06.2014 एवं शासनादेश संख्या-226/2015/318/69-1-2015-14(104)/2013 दिनांक 13.03.2015 के द्वारा राज्य स्तर पर मिशन प्रबन्धन इकाई (एस0एम0एम0यू0) में तथा शहर स्तर पर शहर मिशन प्रबन्धन इकाई (सी0एम0एम0यू0) में विशेषज्ञ रखे जाने हेतु आर0एफ0पी0 के माध्यम से मानव संसाधन संस्था (एच0आर0) का चयन किया जा चुका है तथा शासनादेश संख्या -226/2015/318/69-1- 2015-14(104)/ 2013 दिनांक 13.03. 2015 के अनुक्रम में आउटसोर्स संस्था के माध्यम से 04 राज्य मिशन प्रबन्धक, 110 शहर मिशन प्रबन्धक एवं 183 सामुदायिक आयोजक कार्यरत हैं जिनको समय-समय पर नामित संस्था द्वारा प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

3. कौशल प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के माध्यम से रोजगार

इस घटक के अन्तर्गत मिशन क्रियान्वयन हेतु आच्छादित शहरी निकायों में कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से सेवायोजन हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में 35205 लाभार्थियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित था जिसके सापेक्ष शहरों में 34040 प्रशिक्षणार्थियों का प्रशिक्षण प्रगति में है।

4. स्वरोजगार कार्यक्रम

इस घटक के अन्तर्गत शहरी निकायों को योजना के विस्तृत दिशा निर्देश जारी तथा 10000 व्यक्तियों को व्यक्तिगत ऋण तथा 200 समूहों को समूह ऋण के अन्तर्गत लाभान्वित करने के लक्ष्य के सापेक्ष 8388 व्यक्तियों को व्यक्तिगत ऋण एवं 204 समूहों को बैंकों द्वारा ऋण वितरित किया जा चुका है।

5. शहरी पथ विक्रेता को सहायता योजना

इस घटक के अन्तर्गत कार्ययोजना के अनुसार प्रदेश में 60 शहरों में सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण एवं 09 शहरों में मॉडल स्ट्रीट वेंडिग जोन विकसित किये जाने हेतु कार्य भी प्रगति पर है। शहरी पथ विक्रेताओं हेतु अधिनियम 2014 के अनुरूप पथ विक्रेताओं हेतु स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 द्वारा नियमावली बनायी जा चुकी है।

6. शहरी बेघरो हेतु आश्रय योजना

इस घटक के अन्तर्गत शहरी बेघरों के आश्रय हेतु संबंधित शहरी निकायों से प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश जारी। प्राप्त प्रस्तावों की स्वीकृति हेतु राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृति समिति का शासनादेश संख्या 833/69-1-14-14(104)/2013 दिनांक 23.05.2014 द्वारा गठन किया जा चुका है। उक्त घटक में सीएण्डडीएस निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था नामित है। नये निर्माण एवं उच्चीकरण की अद्यतन 148 परियोजना स्वीकृत है, जिनके सापेक्ष 103 परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूर्ण जिनमें 88 आश्रय गृह क्रियाशील तथा 45 परियोजनाओं पर निर्माण कार्य गति पर है।

जल सम्पूर्ति

संक्षिप्त इतिहास

प्रदेश में जल सम्पूर्ति एवं जलोत्सारण सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 1927 में जन स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का गठन किया गया था। वर्ष 1946 में इसका नाम स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग कर दिया गया। जून 1975 में यह विभाग उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975 (अधिनियम संख्या-43, 1975) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश जल निगम में परिवर्तित किया गया।

उद्देश्य एवं कार्यकलाप

1. जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था और सीवेज निस्तारण के लिए योजनाएं तैयार करना, उनका निष्पादन करना, उनको प्रोन्नत करना तथा उन्हें वित्त पोषित करना।
2. राज्य सरकार और स्थानीय निकायों को तथा अनुरोध करने पर निजी संस्थाओं या व्यक्तियों को जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था के सम्बन्ध में सभी आवश्यक सेवाओं की व्यवस्था करना।
3. राज्य सरकार के निर्देश पर जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था तथा जलोत्सारण के लिए राज्य योजनाएं तैयार करना।
4. जल संस्थानों और स्थानीय निकायों के, जिन्होंने धारा 46 के अधीन निगम के साथ कोई करार किया हो, क्षेत्र के भीतर 'टैरिफ', 'कर' तथा 'जल सम्भरण' के परिव्यय का पुनरावलोकन करना और उन पर सलाह देना।
5. अपेक्षित सामग्री का निर्धारण करना और उसे प्राप्त करना तथा उसका उपयोग किए जाने का प्रबन्ध करना।
6. जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था सेवाओं के लिए राज्य मानक स्थापित करना।
7. ऐसे सभी कृत्य करना जो यहाँ पर वर्णित नहीं हुए हैं और इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व, स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग द्वारा किये जा रहे थे।
8. प्रत्येक जल संस्थान या स्थानीय निकाय के, जिसमें धारा 46 के अधीन निगम के साथ कोई करार किया है, जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था प्रणाली के तकनीकी, वित्तीय, आर्थिक तथा अन्य पहलुओं का वार्षिक पुनरावलोकन करना।
9. राज्य में प्रत्येक जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था योजना के तकनीकी, वित्तीय, आर्थिक तथा अन्य संगत पहलुओं का वार्षिक मूल्यांकन करने की सुविधा को स्थापित करना तथा उसका अनुरक्षण करना।

10. जब राज्य सरकार द्वारा निर्देश दिया जाए, तो किसी जलकल तथा सीवर व्यवस्था प्रणाली को ऐसी शर्तों तथा निबन्धनों पर और ऐसी अवधि के लिए, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, संचालित करना, चलाना और अनुरक्षण करना।
11. राज्य में जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं के सम्बन्ध में अपेक्षित जन शक्ति तथा प्रशिक्षण निर्धारित करना।
12. निगम अथवा किसी जल संस्थान के कृत्यों को दक्षतापूर्वक चलाने के लिए व्यवहारिक गवेषणा कराना।
13. उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975 द्वारा या इसके अधीन निगम को सौंपे गए किन्हीं कृत्यों को करना।
14. ऐसे अन्य कृत्य करना जो गजट में अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार द्वारा निगम को सौंपे जाएं। निगम की समवाय ज्ञापिका (मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन) उसके समवाय नियम (आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन) तथा उनके अन्तर्गत निर्गत नियमावली, अनुदेश रेगुलेशन आदि यदि कोई हो।

जल निगम की शक्ति

(1) अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए निगम को ऐसे कोई भी कार्य करने की शक्ति होगी जो उसे इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों को करने के लिए आवश्यक अथवा समीचीन हो।

(2) पूर्ववर्ती उपबन्ध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी शक्ति के अन्तर्गत निम्नलिखित शक्तियाँ भी होंगी-

1. राज्य में समस्त जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था सुविधाओं का, चाहे जिसके द्वारा भी वे संचालित होती हों, निरीक्षण करना।
2. किसी स्थानीय निकाय तथा संचालन अभिकरण में ऐसी आवधिक अथवा विनिर्दिष्ट सूचना प्राप्त करना, जिसे वह आवश्यक समझे।
3. अपने कार्मिकों के लिए तथा स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के लिए भी प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
4. जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था योजनाओं को तैयार करना और कार्यान्वित करना।
5. राज्य सरकार और स्थानीय निकायों, संस्थाओं या व्यक्तियों को निगम द्वारा प्रदान की गई सभी सेवाओं के लिए फीस की अनुसूची निर्धारित करना।
6. किसी व्यक्ति, फर्म या संस्था के साथ ऐसी संविदा या करार करना, जिसे निगम इस अध्यादेश के अधीन अपने कृत्यों का सम्पादन करने के लिए आवश्यक समझे।
7. प्रतिवर्ष अपना बजट अभिस्वीकृत करना।
8. जल संस्थानों की अधिकारिता में समाविष्ट अलग-अलग स्थानीय क्षेत्रों और ऐसे स्थानीय निकायों पर, जिन्होंने धारा 46 के अधीन निगम के साथ करार किया हो, प्रयोज्य जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं के लिए टैरिफ का अनुमोदन करना।

9. धन उधार लेना, ऋण पत्र जारी करना, वित्तीय सहायता और अनुदान प्राप्त करना तथा अपनी निधियों का प्रबन्ध करना।
10. स्थानीय निकायों को उनकी जल सम्भरण योजना तथा सीवर व्यवस्था सम्बन्धी योजना के लिए ऋण वितरण करना।
11. इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का संपादन करने के लिए व्यय करना और ऐसे व्यक्तियों या प्राधिकारियों को, जिन्हें निगम आवश्यक समझे, ऋण और अग्रिम स्वीकृत करना।

जल निगम कार्यालयों का विवरण

वर्तमान में प्रदेश में जल निगम में 35 मण्डल एवं 143 खण्डीय कार्यालय कार्यरत हैं। कार्यों के शीघ्र संचालन हेतु 09 नई इकाइयों का गठन किया गया है। इन कार्यालयों का संचालन लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर, गाजियाबाद, झाँसी, कानपुर, आगरा, मुरादाबाद, अयोध्या तथा वाराणसी स्थित क्षेत्रीय मुख्य अभियंताओं एवं मुख्य अभियंता (वि./याँ.) द्वारा किया जाता है। मण्डलों/खण्डीय कार्यालयों का विवरण निम्न प्रकार है :

क्षेत्र	मण्डल	खण्ड
लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर, गाजियाबाद, झाँसी, कानपुर, आगरा, मुरादाबाद, अयोध्या तथा वाराणसी	27 (सिविल) 08 (वि./याँ.)	118 (सिविल)+09 नई इकाई 25 (वि./याँ.)
योग	**35**	**143+09 नई इकाई**

नागर जल सम्पूर्ति

प्रदेश में कुल 652 नागर स्थानीय निकाय हैं, जिनकी 2011 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या 4.45 करोड़ है, जो प्रदेश की कुल जनसंख्या 19.96 करोड़ का लगभग 22 प्रतिशत है। उक्त 652 नगरों में पेयजल सुविधा की वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार हैः

निकाय	नगरों में पाइप पेयजल आपूर्ति की 31 जनवरी, 2020 की स्थिति (संख्या)	
	कुल	आच्छादित
नगर निगम	17	17
नगर पालिका परिषद	198	197
नगर पंचायत	437	428
योग	**652**	**642**

शेष 10 नगरीय क्षेत्रों में पाइप पेयजल आपूर्ति की स्थिति निम्नवत् है :

नवसृजित 8 नगर पंचायतों हेतु नगरीय मानकों के अनुसार प्रति व्यक्ति पेयजल सम्पूर्ति की दरों का विवरण निम्न तालिका में दिया जा रहा हैः

क्र. सं.	नगरों का जनसंख्यावार वर्गीकरण	पेयजल आपूर्ति का निर्धारित मानक (लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन)	मानक के अनुसार नगरों की संख्या	सीवर व्यवस्था युक्त नगरों की संख्या
1.	10 लाख से अधिक	150	7	7
2.	1 लाख से अधिक (तथा जिन नगरों में सीवर व्यवस्था है अथवा संभावित है)	135	54	31
3.	20 हजार से 1 लाख तक	135*/70	277	19
4.	20 हजार से कम	135*/70	314	1
	योग		**652**	**58**

* जलोत्सारण योजना हेतु

नागर जल सम्पूर्ति सेक्टर के मुख्य कार्यक्रम

1. राज्य सेक्टर कार्यक्रम

प्रदेश के विभिन्न नगरों में पेयजल आपूर्ति में सुधार हेतु राज्य सेक्टर कार्यक्रम के अन्तर्गत नगरीय निकायों हेतु अनुदान के रूप में धनराशि उपलब्ध करायी जाती है। इस योजना के अन्तर्गत परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति व्यय वित्त समिति/परियोजना संरचना एवं मूल्यांकन प्रभाग, उ.प्र. शासन द्वारा प्रदान की जाती है। परियोजना का चयन एवं विरचन कार्य सम्बन्धित निकाय की सहमति से जल निगम द्वारा किया जाता है।

वर्ष 2018-19 में 57 निर्माणाधीन योजनाओं के विरुद्ध रु. 14.61 करोड़ की वित्तीय स्वीकृतियाँ शासन द्वारा निर्गत की गयी हैं। वर्ष 2018-19 में 57 योजनाओं में से 12 योजनायें पूर्ण कर जनोपयोगी बनायी गयीं। वर्ष 2019-20 में 26 नयी स्वीकृत योजनायें सम्मिलित करते हुए कुल 77 योजनाओं के विरुद्ध दिनांक 31 जनवरी, 2019 तक रु. 1420.33 करोड़ की वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी हुई हैं तथा कुल वित्तीय स्वीकृति रु. 946.99 करोड़ है एवं उसके विरुद्ध व्यय रु. 835.82 करोड़ है। वर्ष 2019-20 में दिनांक 31 जनवरी, 2020 तक 09 योजनायें पूर्ण कर जनोपयोगी की जा चुकी हैं। शेष 58 योजनाओं के कार्य प्रगति पर हैं।

जिला योजना नगरीय पेयजल (सामान्य एवं एस.सी.पी.)

जिला योजना के अन्तर्गत स्थानीय आवश्यकतानुसार नगरीय क्षेत्रों में रिबोर/नये हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन कार्य, पाइप लाइन विस्तार एवं नलकूपों के रिबोर के कार्य जिलाधिकारी की स्वीकृति से कराये जाते हैं। वर्ष 2018-19 में समस्त 75 जिलों में सामान्य एवं एस.सी.पी. के अन्तर्गत स्वीकृत योजनाओं पर रु. 100.00 करोड़ की जारी वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष भौतिक प्रगति 95 प्रतिशत एवं रु. 95.23 करोड़ व्यय हुआ है। वर्ष 2019-20 में समस्त 75 जिलों में सामान्य एवं एस.सी.पी. के अन्तर्गत स्वीकृत योजनाओं पर रु. 100.00 करोड़ की जारी वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष भौतिक प्रगति 84 प्रतिशत एवं रु. 84.39 करोड़ व्यय हुआ है।

वर्ष 2018-19 में अवमुक्त धनराशि एवं व्यय का विवरण

क्र.सं.	कार्यक्रम/मद का नाम	अवशेष धनराशि (01.04.18)	वर्ष 2018-19 में अवमुक्त धनराशि	कुल उपलब्ध धनराशि	वर्ष 2018-19 का व्यय	अवशेष धनराशि (01.04.19)
1	2	3	4	5	6	7
	नगरीय पेयजल कार्यक्रम					
1.	राज्य सेक्टर	56.47	134.30	190.75	160.36	30.43
	योग	**56.47**	**134.30**	**190.75**	**160.36**	**30.43**

वर्ष 2019-20 में अवमुक्त धनराशि एवं व्यय का विवरण

क्र.सं.	कार्यक्रम/मद का नाम	अवशेष धनराशि (01.04.19)	वर्ष 2019-20 में अवमुक्त धनराशि	कुल उपलब्ध धनराशि	वर्ष 2019-20 का व्यय	अवशेष धनराशि (01.02.20)
1	2	3	4	5	6	7
	नगरीय पेयजल कार्यक्रम					
1.	राज्य सेक्टर	30.43	61.22	91.65	38.35	53.30
	योग	**30.43**	**61.22**	**91.65**	**38.35**	**53.30**

नागर जलोत्सारण

प्रदेश में कुल 652 नागर स्थानीय निकाय हैं जिनमें जलोत्सारण व्यवस्था की वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार है:

निकाय	कुल नगर	नगर जिनमें सीवर व्यवस्था है	नगर, जिनमें सीवर व्यवस्था नहीं है
नगर निगम	17	15	*1
नगर पालिका परिषद	198	45	154
नगर पंचायत	437	3	434
योग	**652**	**63**	**589**

* झाँसी एवं शाहजहाँपुर में सीवर व्यवस्था उपलब्ध नहीं है।

उपरोक्त सभी 63 नगरों में आंशिक रूप से ही सीवर व्यवस्था उपलब्ध है तथा पूर्ण रूप से सीवर व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु कार्यवाही करायी जा रही है।

राज्य सेक्टर कार्यक्रम

वर्ष 2018-19 में 34 निर्माणाधीन योजनाओं के विरुद्ध रु. 965.17 करोड़ की स्वीकृतियाँ शासन द्वारा निर्गत की गयी हैं। वर्ष 2018-19 में 34 योजनाओं में से 08 योजनायें पूर्ण कर

जनोपयोगी बनायी गयीं है। वर्ष 2019-20 में 01 नयी स्वीकृत योजनायें सम्मिलित करते हुए कुल 27 योजनाओं के विरुद्ध 31 जनवरी 2020 तक रु. 52.14 करोड़ की स्वीकृतियां जारी हुई हैं, तथा कुल वित्तीय स्वीकृति रु. 412.77 करोड़ है एवं उसके विरुद्ध व्यय रु. 349.99 करोड़ है। वर्ष 2020-21 में 31 जनवरी 2020 तक 05 योजना पूर्ण कर जनोपयागी की जा चुकी है। शेष 22 योजनाओं के कार्य प्रगति पर हैं।

जल निकासी कार्यक्रम

राज्य सेक्टर

वर्ष 2018-19 में 12 निर्माणाधीन योजनाओं के विरुद्ध रु. 28.79 करोड़ की स्वीकृतियाँ शासन द्वारा निर्गत की गयी हैं। वर्ष 2018-19 में 12 योजनाओं में से 02 योजनायें पूर्ण कर जनोपयोगी बनायी गयीं है। वर्ष 2019-20 में 19 नयी स्वीकृत योजनाओं के विरुद्ध 31 जनवरी 2020 तक रु. 17.82 करोड़ की स्वीकृतियां जारी हुई हैं, तथा कुल वित्तीय स्वीकृति रु. 148.74 करोड़ है एवं उसके विरुद्ध व्यय रु. 117.05 करोड़ है।

राष्ट्रीय नदी/झील संरक्षण कार्यक्रम

देश की प्रमुख नदियाँ म्यूनिसिपल सीवेज, औद्योगिक कचरे तथा मृत जानवरों आदि से प्रदूषित हो रही हैं। गंगा नदी में हो रहे प्रदूषण को रोकने के उद्देश्य से फरवरी 1985 में माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार की अध्यक्षता में, 'केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण' का गठन कर 'गंगा कार्य योजना' (गंगा एक्शन प्लान) के नाम से एक योजना प्रारम्भ की गयी। उत्तर प्रदेश राज्य में गंगा कार्य योजना हेतु नगर विकास विभाग नोडल विभाग है तथा उत्तर प्रदेश जल निगम, नगर निगम/नगर परिषद तथा जल संस्थान कार्यदायी संस्थायें हैं।

गंगा कार्य योजना (प्रथम चरण)

गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत उ.प्र. में गंगा नदी के तट पर स्थित 6 नगर क्रमशः हरिद्वार-ऋषिकेश (अब उत्तराखण्ड राज्य में), फर्रुखाबाद-फतेहगढ़, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी तथा मिर्जापुर को सम्मिलित किया गया।

गंगा कार्य योजना-प्रथम चरण में रु. 184.84 करोड़ की कुल 106 परियोजनाओं में से जल निगम द्वारा कोर सेक्टर की 56 परियोजनायें रु. 160.84 करोड़ की लागत से निर्मित की गयीं, जिसमें प्रदेश के 5 नगरों में गंगा नदी में प्रवाहित होने वाले कुल 646.30 एम.एल.डी. सीवेज में से 349.50 एम.एल.डी. क्षमता के 9 सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट भी निर्मित किये गये। इनके अतिरिक्त इन नगरों में 27 पम्पिंग स्टेशन, 13 शवदाह गृह, 12 कम लागत के शौचालय तथा 8 नदी घाटों का विकास कार्य भी किया गया।

गंगा कार्य योजना (द्वितीय चरण)

गंगा कार्य योजना के प्रथम चरण के संतोषजनक परिणामों को देखते हुए गंगा नदी तथा उसकी मुख्य सहायक नदियों यमुना एवं गोमती के तट पर स्थित कुल 23 नगरों (प्रथम चरण के 5 नगरों को सम्मिलित करते हुए) में, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1993 में गंगा कार्य योजना द्वितीय चरण के

अन्तर्गत प्रदूषण नियन्त्रण के कार्य प्रस्तावित किये गये। गंगा कार्य योजना के द्वितीय चरण में तीन घटक क्रमशः गंगा कार्य योजना घटक, यमुना कार्य योजना घटक, गोमती कार्य योजना घटक हैं। भारत सरकार द्वारा गंगा कार्य योजना (द्वितीय चरण) के लिये कुल 216 परियोजनायें स्वीकृत की गईं। स्वीकृत परियोजनाओं में से बिजनौर शहर की 3 परियोजनायें व वाराणसी नगर की एक परियोजना ड्राप की गईं एवं शेष 212 में से 211 परियोजनाओं के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। वर्तमान में निम्न 1 परियोजनाओं के कार्य प्रगति पर हैंः

(रु. लाख में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत लागत	भौतिक प्रगति 01/2019 तक
1.	नैनी ब्रिज पर राइजिंग मेन, इलाहाबाद	2586.00	80%
2.	अस्सी बी.एच.यू. साउथ डिस्ट्रिक्ट, वाराणसी	1035.86	100%

(नोट : क्रमांक-2 की योजना की राइजिंग मेन को रमना एस.टी.पी. से कनेक्ट किया जाना शेष है।)

गंगा घटक के अन्तर्गत 35.56 एम.एल.डी. क्षमता के 4 नग, यमुना कार्य योजना प्रथम चरण के अन्तर्गत 402.79 एम.एल.डी. क्षमता के 16 नग, द्वितीय चरण में 54 एम.एल.डी. क्षमता के 2 नग एवं गोमती कार्य योजना प्रथम चरण में 47 एम.एल.डी. क्षमता के 2 नग एवं द्वितीय चरण में 345 एम.एल.डी. क्षमता का 1 सीवेज शोधन संयंत्र निर्मित कर चालू किया जा चुका है। इस प्रकार गंगा कार्य योजना द्वितीय चरण के तीनों घटकों में 884.35 एम.एल.डी. क्षमता के 25 नग सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट निर्मित किये गये हैं।

इस प्रकार गंगा कार्य योजना में 34 नग सीवेज शोधन संयंत्रों का निर्माण कर कुल 1233.85 एम.एल.डी. शोधन क्षमता विकसित की गई।

राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (एन.जी.आर.बी.ए.)

भारत सरकार द्वारा पूर्व संचालित राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न कार्य योजनाओं के उद्देश्यों में सुधार करते हुए इनके क्रियान्वयन की रणनीति में सुधार कर गंगा नदी को प्रदूषण से मुक्त करने हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन भारत सरकार की अधिसूचना, दिनांक 20.02.2009 द्वारा गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा देते हुए, इनवायरमेन्टल प्रोटेक्शन एक्ट-1986 के अन्तर्गत किया गया है। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (एन.जी.आर.बी.ए.) के अन्तर्गत वर्ष 2020 तक घरेलू अवजल को गंगा में गिरने से रोकने हेतु राज्य स्तर पर उ.प्र. राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में किया गया है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में लगभग 900 किमी. दूरी तय करती है। फतेहगढ़ के निकट रामगंगा नदी एवं कन्नौज के निकट काली नदी के मिलने पर गंगा नदी में प्रदूषण की मात्रा बढ़ जाती है। इसी प्रकार गंगा नदी के किनारे बसे मुख्य नगरों यथा– कानपुर, इलाहाबाद व वाराणसी के घरेलू सीवेज के कारण भी कन्नौज से वाराणसी तक का क्षेत्र प्रदूषण की दृष्टि से क्रिटिकल हो गया है। प्रथमतः गंगा नदी के किनारे 26 नगर एवं इसकी मुख्य सहायक काली नदी के किनारे 3 एवं रामगंगा नदी के किनारे 2

नगरों को चिह्नित किया गया है। यमुना नदी पर स्थित 10 नगरों व गोमती नदी पर स्थित 3 नगरों को प्रथम चरण में सम्मिलित नहीं किया गया है।

एन.जी.आर.बी.ए./नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत इलाहाबाद नगर की 10 योजनायें, वाराणसी नगर की 2 योजनायें, कानपुर नगर की 3 योजनायें, मुरादाबाद नगर की 2 परियोजनायें आगरा नगर की 2 परियोजनायें तथा कन्नौज, गढ़मुक्तेश्वर, अनूपशहर, नरौरा, वृन्दावन, रामनगर, चुनार, उन्नाव, शुक्लागंज, बिठूर, गाजीपुर, मिर्जापुर, फतेहगढ़-फर्रुखाबाद, मथुरा, अयोध्या, कासगंज, सुल्तानपुर, मुजफ्फरनगर, बुड़ाना, जौनपुर, मेरठ, बागपत, इटावा, फिरोजाबाद, बरेली एवं लखनऊ नगर की एक-एक परियोजना का अनुमोदन प्राप्त हुआ है। इस प्रकार कुल 45 परियोजनायें जिनकी कुल लागत रु. 10407.33 करोड़ है, स्वीकृत हुई हैं। एन.जी.आर.बी.ए./नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत 345.50 एम.एल.डी. क्षमता के 13 सीवेज शोधन संयंत्र निर्मित किये जा चुके हैं एवं 964.29 एम.एल.डी. क्षमता के 39 सीवेज शोधन संयंत्र एवं 11 डीसेन्ट्रालाईज्ड निर्माणाधीन है। कुल अवमुक्त धनराशि रु. 2458.51 करोड़ के सापेक्ष रु. 2458.51 करोड़ व्यय हो चुका है। इस वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु रु. 1531.94 करोड़ का बजट प्राविधानित है। उक्त 45 योजनाओं में से 13 योजनायें पूर्ण, 21 योजनायें निर्माणाधीन तथा 11 योजनायें निविदा की प्रक्रिया में हैं।

उक्त के अतिरिक्त एन.एम.सी.जी. भारत सरकार द्वारा गंगा की अन्य सहायक नदियों के किनारे स्थित 33 नगरों के नालों के आई.एंड.डी. कार्य व सीवेज शोधन संयंत्र निर्माण हेतु योजना विरचन कराकर निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। जिसमें से 18 योजनायें विरचित कर एस.जी.आर.सी.ए., लखनऊ के माध्यम से ए.एम.सी.जी. भारत सरकार को अनुमोदन हेतु प्रेषित की गयी है।

बाह्य सहायतित कार्यक्रम (जे.बी.आई.सी.) आगरा जल सम्पूर्ति गंगाजल परियोजना

आगरा जल सम्पूर्ति योजना गंगाजल (बाह्य सहायतित-जायका) अपर गंगा कैनाल के पालरा हैडवर्क्स, जिला बुलन्दशहर से आगरा तक 130 किमी. पाइप लाइन द्वारा आगरा शहर को 140 क्यूसेक एवं मथुरा शहर को 10 क्यूसेक कुल 150 क्यूसेक कच्चा जल लाकर जल सम्पूर्ति से सम्बन्धित अन्य कार्य को सम्पादित किया जाना है। योजना के प्रारंभिक आगणन की कुल लागत रु. 1076.98 करोड़ थी, जो मार्च 2007 में स्वीकृत हुई थी। योजना के डी.पी.आर. अनुमानित लागत रु. 2887.92 करोड़ को प्रदेश की व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था जिसे शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार में प्रोजेक्ट के वित्तीय एवं तकनीकी परीक्षण के उपरान्त दिनांक 04.07.2012 को पुनरीक्षित लागत के अनुसार स्वीकृति प्रदान की गयी है। पुनरीक्षित लागत के सापेक्ष ऋण वृद्धि पर भारत सरकार व जायका के मध्य ऋण अनुबंध मार्च, 2014 को निष्पादित किया जा चुका है। योजना की लागत का 85 प्रतिशत जायका से ऋण के रूप में तथा 15 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना है। योजना में मुख्य रूप से सिकन्दरा, आगरा में 144 एम.एल.डी. क्षमता के वाटर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट, इन्टेक वर्क्स, सेटलिंग टैंक, आगरा एवं मथुरा शहरों हेतु फीडर मेन तथा वर्तमान में स्थित वाटर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के जीर्णोद्धार के कार्य प्राविधानित हैं। वर्तमान में पालरा सैटलिंग टैंक तथा सिकंदरा, आगरा में 144 एम.एल.डी. वाटर ट्रीटमेंट का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। कुल अवमुक्त धनराशि रु. 2653.57 करोड़ के सापेक्ष रु. 2414.76

करोड़ का व्यय वर्तमान तक हो चुका है। इस वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु रु. 235.00 करोड़ के बजट का प्राविधान किया गया है।

झील प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम

माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 13.03.2001 को हुई राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण की बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में प्रदेश में निम्नलिखित झीलों/तालों की योजनायें प्रस्तावित की गयी हैं :

1. रामगढ़ ताल (गोरखपुर नगर)
2. मानसीगंगा ताल (गोवर्धन नगर, जनपद-मथुरा)
3. लक्ष्मी ताल (झाँसी नगर)
4. मदनसागर ताल (महोबा नगर)

उपर्युक्त चार तालों में गोवर्धन नगर (जनपद-मथुरा) के **मानसी गंगा ताल** के प्रदूषण नियंत्रण कार्यों के प्राक्कलन अनुमानित लागत रु. 22.71 करोड़ की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा मार्च, 2007 में प्रदत्त है। योजना में 2.76 एम.एल.डी. क्षमता के एस.टी.पी. का निर्माण एवं अन्य कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। योजना स्थानीय निकाय को संचालन एवं रखरखाव हेतु हस्तान्तरित है।

रामगढ़ ताल (गोरखपुर नगर) की योजना भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा स्वीकृत, स्वीकृत लागत रु. 124.32 करोड़ व पुनरीक्षित स्वीकृति लागत रु. 196.57 करोड़ है। योजना के अन्तर्गत 2 नग एस.टी.पी. क्षमता 15 एवं 30 एम.एल.डी. का निर्माण पूर्ण है। सीवेज का शोधन हो रहा है योजना की अद्यतन भौतिक प्रगति 99.40 प्रतिशत है। कुल अवमुक्त धनराशि रु. 194.92 करोड़ के सापेक्ष रु. 188.83 करोड़ व्यय हो चुका है। योजना के अन्तर्गत स्वीकृत न्यूट्रीयन्ट इन एक्टिवेशन, गार्डन एरिया, स्नैक ज्वाइंट, आब्जरवेशन टावर तथा पैडल बोट्स के कार्य को समाप्त तथा एरियेशन सिस्टम के सापेक्ष फ्लोटिंग फॉउन्टेन की स्थापना की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हो गयी है तथा योजना को पूर्ण किये जाने की समय-सीमा मार्च 2019 तक की वृद्धि की गयी है।

लक्ष्मी ताल (झांसी) की परियोजना की स्वीकृति भारत सरकार के पत्र संख्या जे-16011/3/2003-एनआरसीडी-।। दिनांक 07/10.11.2014 द्वारा रु. 54.13 करोड़ प्रदान की गयी है जिसमें भारत सरकार का अंश रु. 37.89 करोड़ है। योजना में प्रस्तावित 26 एम.एल.डी. सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट निर्माणाधीन है। कुल अवमुक्त धनराशि रु. 48.66 करोड़ के सापेक्ष योजना पर रु. 40.66 करोड़ व्यय हुआ है। योजना की भौतिक प्रगति 75 प्रतिशत है।

झील संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत इस वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु कुल रु. 33.17 करोड़ का बजट प्राविधानित है।

ग्रामीण पेयजल सम्पूर्ति

पृष्ठभूमि

वर्ष 1974 से पूर्व ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल से सम्बन्धित योजनाओं को क्रियान्वयन केन्द्र पोषित योजना के अन्तर्गत किया जा रहा था। राज्य पोषित योजना के रूप में वर्ष 1974-75 से न्यूनतम

आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत पेयजल योजना का कार्यान्वयन प्रारम्भ किया गया। वर्ष 1977 में राज्य स्तर पर संसाधनों की कमी के दृष्टिगत भारत सरकार द्वारा केन्द्र पोषित योजना के रूप में त्वरित ग्रामीण पेयजल सम्पूर्ति योजना पुनः लागू की गई। वर्ष 1984 से राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु राज्य पोषित पेयजल योजना संचालित की गई। वर्ष 2000 में भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना लागू की गई तथा वर्ष 2002-03 से प्रदेश में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम एवं अनुसूचित जाति/जनजाति पेयजल योजना का विलय प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में कर दिया गया।

वर्ष 2009 में भारत सरकार द्वारा त्वरित ग्रामीण पेयजल योजना को नया स्वरूप प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल सम्पूर्ति कार्यक्रम के रूप में लागू किया गया। राज्य स्तर से संचालित एवं पोषित पेयजल योजनाओं का राज्यांश के रूप में उक्त कार्यक्रम में विलय कर दिया गया। इस योजना में निर्माण कार्यों के साथ-साथ जलस्रोत/योजनाओं की सस्टेनेबिल्टी हेतु 10 प्रतिशत तथा पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु 10 से 15 प्रतिशत की धनराशि आवंटित किये जाने का प्राविधान रहा। वर्ष 2017 में भारत सरकार द्वारा दिशा निर्देश में परिवर्तन कर सस्टेनेबिल्टी तथा संचालन व अनुरक्षण हेतु उपलब्ध प्राविधान को समाप्त कर दिया गया। वर्तमान में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के कार्य भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा 50:50 के अनुपात में वित्त पोषित किये जा रहे हैं।

जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना को समाहित करते हुए ''जल जीवन मिशन'' का प्रारम्भ किया गया है। जल जीवन मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2024 तक प्रदेश के हर घर में नल से जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये जा चुके हैं तथा उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या 190/छिहत्तर-1-2020-25सम/2019 दिनांक 24.01.2020 द्वारा प्रदेश में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

ग्रामीण बस्तियों का पेयजल से आच्छादन

भारत सरकार द्वारा राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अन्तर्गत कराये गये सर्वेक्षण तथा वर्तमान में भारत सरकार द्वारा संचालित पोर्टल (ईजलशक्ति.गौ.इन) के अनुसार प्रदेश में कुल 97593 आबाद ग्राम हैं, जिनकी वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 15.53 करोड़ तथा वर्तमान में आंकलित जनसंख्या लगभग 16.73 करोड़ है। प्रदेश में कुल बस्तियों की संख्या 260018 है।

सामान्य आच्छादन

प्रदेश की समस्त बस्तियों को मानक के अनुसार 40 ली0 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के आधार पर पेयजल सुविधा हैण्डपम्प/पाइप योजना के माध्यम से उपलब्ध कराई जा चुकी है। भारत सरकार द्वारा संचालित उपरोक्त पोर्टल के अनुसार 260018 बस्तियों में से 256915 बस्तियां 40 ली0 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के आधार पर पेयजल सुविधा से पूर्णरूप से आच्छादित हैं। शेष अन्य के सन्दर्भ में प्रविष्टि वेबसाइट पर की जानी है। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में मार्च 2019 तक 28,39,165 हैण्डपम्प

अधिष्ठापित हैं। प्रदेश में वर्तमान में लगभग प्रत्येक 63 व्यक्ति पर 1 हैण्डपम्प स्थापित किये गये हैं। इस प्रकार पेयजल की न्यूनतम आवश्यकता 40 ली0 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मानक की दृष्टि से प्रदेश की सम्पूर्ण ग्राम/बस्तियों को संतृप्त किया जा चुका है।

पेयजल योजनाओं का क्रियान्वयन

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप योजना के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने हेतु वर्तमान में निम्नलिखित कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं-

जल जीवन मिशन (पूर्व में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल सम्पूर्ति कार्यक्रम)

वर्ष 2017-18 के प्रारम्भ में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत कुल 1585 पाइप पेयजल परियोजनायें निर्माणाधीन रहीं तथा वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के मध्य 104 नई परियोजनायें प्रारम्भ की गईं। वर्ष 2017-18 में 436 तथा वर्ष 2018-19 में 512 कुल 948 योजनायें पूर्ण की गईं। वर्ष 2019-20 के प्रारम्भ में कुल 741 पाइप पेयजल योजनायें निर्माणाधीन हैं तथा वर्ष में अद्यतन सामान्य एवं गुणवत्ता से प्रभावित क्षेत्रों में 426 नयी परियोजनाओं के कार्य प्रारम्भ किये गये हैं। इस प्रकार जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कुल 1167 परियोजनायें निर्माणाधीन हैं। वर्ष 2019-20 में माह दिसम्बर 2019 तक 234 परियोजनाओं के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं।

उपरोक्त में ए.ई.एस./जे.ई. प्रभावित ग्रामों के आच्छादन हेतु वर्ष 2017-18 में 83 एवं वर्ष 2018-19 में 155 कुल 238 पाइप पेयजल परियोजनाओं को पूर्ण किया गया है। वर्ष 2019-20 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कुल 245 परियोजनायें निर्माणाधीन के सापेक्ष माह दिसम्बर 2019 तक 43 परियोजनायें पूर्ण की गईं।

भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय पेयजल गुणवत्ता सबमिशन के अन्तर्गत आर्सेनिक/फ्लोराइड से प्रभावित 462 बस्तियों को सम्मिलित कर वित्त पोषण अलग से प्रदान किया जा रहा है। सामान्य कार्यक्रम एवं सबमिशन के अन्तर्गत आर्सेनिक/फ्लोराइड से प्रभावित ग्रामों में स्वच्छ पेयजल हेतु संचालित परियोजनाओं में से वर्ष 2017-18 में 103 तथा वर्ष 2018-19 में 61 परियोजनाओं पर कार्य पूर्ण किया जा चुका है। वर्ष 2019-20 में निर्माणाधीन 155 परियोजनाओं के सापेक्ष माह दिसम्बर 2019 तक 6 परियोजना के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त आर्सेनिक/फ्लोराइड प्रभावित ग्रामों में 506 संयन्त्रों के लक्ष्य के सापेक्ष 506 संयन्त्रों की स्थापना के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं।

वर्ष 2019-20 हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण जल सम्पूर्ति के अन्तर्गत रु. 2954.10 करोड़ का बजट प्राविधान किया गया है। उत्तर प्रदेश जल निगम को वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुल रु. 736.67 करोड़ की धनराशि उपलब्ध हुई है। गत वर्ष के अवशेष सहित माह तक कुल उपलब्धता रु. 867.70 करोड़ के सापेक्ष रु. 586.01 करोड़ की धनराशि व्यय की गई है।

गुणवत्ता से प्रभावित ग्रामों में पेयजल व्यवस्था

प्रदेश में 20 जनपद जेई/एइएस की समस्या से प्रभावित हैं। स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा

इन जनपदों में 3089 ग्राम संवेदनशील के रूप में चिह्नित है। वर्तमान में रासायनिक अशुद्धि में आर्सेनिक एवं फ्लोराइड से प्रभावित ग्रामों को प्राथमिकता है। प्रदेश में 1444 आर्सेनिक से एवं 2386 फ्लोराइड से प्रभावित बस्तियां चिह्नित है। गुणवत्ता से प्रभावित ग्रामों/बस्तियों में पाइप द्वारा पेयजल सुविधा से आच्छादन की स्थिति निम्नवत् है-

पैरामीटर	ग्राम/मजरों की संख्या	पाइप पेयजल योजना से आच्छादित			स्थापित शोधन संयन्त्र	
		आच्छादित	निर्माणाधीन	शेष	बस्ती	TTSP/संयन्त्र
1	2	3	4	5	6	7
जे.ई./एईएस	3089	558	229	2302	2519	2519
आर्सेनिक	1444	612	746	86	1019	549
फ्लोराइड	2386	1609	211	566	730	302

नीर निर्मल परियोजना (विश्व बैंक सहायतित)- 14 जनपदों में

नीर निर्मल परियोजना का चयन कम आय वाले चार राज्यों नामतः असम, बिहार, झारखंड एवं उत्तर प्रदेश में पेयजल एवं स्वच्छता सेवाओं में सुधार हेतु भारत सरकार द्वारा किया गया था। परियोजना की लागत रु. 6147 करोड़ जिसमें से उत्तर प्रदेश हेतु रु. 2035 करोड़ का प्राविधान किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य में परियोजना का क्रियान्वयन दो चरणों में किया जा रहा है, जिसका विवरण निम्नानुसार है-

बैच-1 में 09 जनपदों यथा इलाहाबाद, बहराइच, गोण्डा, बलिया, गाजीपुर, देवरिया, बस्ती, कुशीनगर एवं गोरखपुर की 246 ग्राम पंचायतों को पाइप पेयजल योजनाओं के द्वारा शुद्ध पेयजल आपूर्ति हेतु चयनित किया गया है। जिसमें कुल 231 पाइप पेयजल योजनायें हैं, उक्त में 218 एकल ग्राम पाइप पेयजल योजनाएं तथा 13 लघु बहु ग्राम पाइप पेयजल योजनाएं हैं। योजनाओं की कुल निर्माण लागत रु. 408.700 करोड़ है जिसके सापेक्ष रु. 385.15 करोड़ की धनराशि व्यय की जा चुकी है। 225 योजनाएं कमीशन्ड हो चुकी हैं तथा अन्य 6 योजनाओं पर टेस्टिंग का कार्य प्रगति पर है। 108 योजनाओं को ग्राम पंचायत को हस्तांतरित किया जा चुका है।

बैच-2 में 11 जनपदों यथा- इलाहाबाद, बहराइच, गोण्डा, बलिया, गाजीपुर, कुशीनगर, सोनभद्र, फतेहपुर, वाराणसी, सिद्धार्थनगर एवं संत कबीर नगर की 547 ग्राम पंचायतों को पाइप पेयजल योजना के द्वारा शुद्ध पेयजल आपूर्ति हेतु चयनित किया गया है। जिसमें कुल 354 पाइप पेयजल योजनाएं हैं, उक्त में 251 एकल ग्राम पाइप पेयजल योजनाएं तथा 103 बहु ग्राम पाइप पेयजल योजनाएं हैं। योजनाओं की कुल निर्माण लागत रु. 1007.22 करोड़ है जिसके रु. 444.57 करोड़ की धनराशि व्यय की जा चुकी है एवं 15 योजनाएं कमीशन्ड हो चुकी हैं।

राज्य ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम राज्य द्वारा अपने वित्तीय संसाधनों से 2016-17 में ''राज्य ग्रामीण पेयजल योजना'' आरम्भ की गयी है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में वर्ष 2019-20 के प्रारम्भ तक 172

परियोजनायें पाइप पेयजल योजनाएं/टी.टी.एस.पी. का क्रियान्वित थी, जिसमें से वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में 23 परियोजनाओं को पूर्ण किया गया है। वर्ष में 9 नई पाइप पेयजल परियोजनाओं को प्रारम्भ किया गया है। इस प्रकार वर्ष में कुल 158 परियोजनायें निर्माणाधीन हैं। जनपद आगरा, गोण्डा, उन्नाव एवं मैनपुरी में पेयजल सम्बन्धी कार्यों हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणाओं के सापेक्ष भी कार्य कराये जा रहे हैं। निर्माणधीन परियोजनाओं में से माह दिसम्बर, 2019 तक 25 परियोजनायें पूर्ण की जा चुकी हैं। वर्ष 2019-20 में उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत रु. 120.00 करोड़ का बजट स्वीकृत है, जिसके सापेक्ष राज्य सरकार द्वारा रु. 83.30 करोड़ की स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है। गत वर्ष के अवशेष सहित कुल रु. 137.12 करोड़ की धनराशि उपलब्ध है जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर, 2019 तक रु. 62.72 करोड़ की धनराशि व्यय की गई है।

बुन्देलखण्ड पैकेज एवं बार्डर एरिया डेवलपमेन्ट प्रोग्राम

प्रदेश स्तर पर इन योजनाओं का क्रियान्वयन नियोजन विभाग द्वारा किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा प्रदेश में क्षेत्र विशेष हेतु विकास कार्यों के पोषण हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में धनराशि स्वीकृत की जाती है।

बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज

प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 7 जनपदों में उक्त योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। प्रथम चरण के अन्तर्गत प्राप्त पूर्ण धनराशि रु. 91.63 करोड़ का उपभोग किया जा चुका है। प्रथम चरण के अन्तर्गत 2725 हैण्डपम्प एवं 12 पाइप पेयजल योजनाओं के समस्त कार्य पूर्ण हैं। बुन्देलखण्ड पैकेज के द्वितीय चरण के अन्तर्गत 51 पाइप पेयजल परियोजनायें स्वीकृत की गई हैं। वित्तीय वर्ष 2018-19 के अन्त तक 44 योजनाओं के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। इस प्रकार वर्ष 2019-20 में कुल 7 परियोजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं। माह दिसम्बर, 2019 तक 2 परियोजनाओं को पूर्ण किया जा चुका है। वर्ष 2019-20 में गत वर्ष के अवशेष सहित कुल रु. 64.55 करोड़ की धनराशि उपलब्ध है जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर, 2019 तक रु. 16.16 करोड़ की धनराशि व्यय की गई है।

बार्डर एरिया डेवलपमेन्ट प्रोग्राम

बार्डर एरिया डेवलपमेन्ट कार्यक्रम के अन्तर्गत सीमा से निर्धारित दूरी के भीतर के क्षेत्रों में कार्य कराये जाते हैं। योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 8 जनपदों पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, महाराजगंज एवं सिद्धार्थनगर में उक्त योजना के अन्तर्गत कार्य निष्पादित किये जाते हैं। उक्त योजना के अन्तर्गत हैण्डपम्प के अतिरिक्त वर्ष 2017-18 से अद्यतन 13 पेयजल परियोजनायें स्वीकृत हैं। इनमें 8 परियोजनाओं के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। 5 परियोजनायें वर्तमान वर्ष में निर्माणधीन हैं। वर्ष 2019-20 में गत वर्ष के अवशेष सहित कुल उपलब्ध रु. 8.63 करोड़ के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2019 तक रु. 5.85 करोड़ की धनराशि व्यय की गई है।

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम

भारत सरकार के निर्देशानुसार अल्पसंख्यक वर्गों के कल्याण हेतु उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में विभिन्न कल्याणकारी योजनायें संचालित की जाती हैं। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में

वर्ष 2017-18 तक रु. 659.90 करोड़ की लागत की 257 परियोजनायें स्वीकृत की गई हैं। इनमें से 5 परियोजनाओं पर भूमि अनुपलब्धता अथवा ग्रामों के अन्य कार्यक्रम की पाइप पेयजल योजना में सम्मिलित होने के कारण समर्पित की गई है। मार्च, 2019 तक कुल 61 परियोजनायें पूर्ण की जा चुकी हैं। वर्ष 2019-20 में कुल 191 परियोजनायें कार्यान्वित की जा ही हैं, निर्माणाधीन परियोजनाओं में से माह दिसम्बर 2019 तक 03 परियोजनायें पूर्ण की जा चुकी हैं तथा 61 परियोजनाओं पर 75 प्रतिशत से अधिक की प्रगति अर्जित की जा चुकी है। गत वर्ष के अवशेष सहित रु. 75.33 करोड़ की उपलब्धता के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2019 तक रु. 51.54 करोड़ की धनराशि व्यय की गई है।

माननीय विधायकों द्वारा चयनित स्थल पर हैण्डपम्प की स्थापना

प्रदेश सरकार द्वारा त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में प्रत्येक मा0 सदस्य विधान परिषद एवं विधान सभा सदस्य द्वारा चयनित स्थल पर 100-100 हैण्डपम्प स्थापित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रदेश 66 जनपदों में हैण्डपम्प स्थापना के कार्य जल निगम द्वारा तथा 9 जनपदों में उत्तर प्रदेश एग्रो द्वारा किये जा रहे हैं।

वर्ष 2017-18

क्रम	संस्था का नाम	सूची अनुमोदित	स्थापित
1.	उत्तर प्रदेश जल निगम	40863	40672
2.	उत्तर प्रदेश एग्रो	7613	7255
	योग (हैण्डपम्प की संख्या)	48476	47927

वर्ष 2018-19

क्रम	संस्था का नाम	सूची अनुमोदित	स्थापित
1.	उत्तर प्रदेश जल निगम	37281	34435
2.	उत्तर प्रदेश एग्रो	5678	4874
	योग (हैण्डपम्प की संख्या)	42959	39309

ग्रामीण क्षेत्र में स्थित पाइप पेयजल योजनाओं का संचालन एवं अनुरक्षण

वर्ष 1975 में जल सम्भरण तथा सीवर-व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं के विकास तथा विनियम और उससे सम्बद्ध विषयों की व्यवस्था करने के लिए उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 बनाया गया। अधिनियम के अन्तर्गत प्रदेश में तत्समय राज्य स्तर पर उत्तर प्रदेश जल निगम तथा क्षेत्रीय स्तर पर योजनाओं के संचालन आदि हेतु जल संस्थान झांसी एवं गढ़वाल/कुमायूँ (वर्तमान में उत्तराखण्ड प्रान्त में) का गठन किया गया।

उत्तर प्रदेश सरकार की अधिसूचना 3426/9-2(3)-79 दिनांक 01 अगस्त 1979 एवं 2894/9-2-87-57(93)-87 दिनांक 16 मार्च, 1988 द्वारा बुन्देलखण्ड क्षेत्र को छोड़कर प्रदेश के समस्त जनपदों में ग्रामीण पेयजल योजनाओं के सन्दर्भ में जलसंस्थान के अधिकार व दायित्व उत्तर प्रदेश जल निगम में निहित किये गये। पंचायती राज संस्थाओं के अधिकार सम्पन्न बनाये जाने के

उपरान्त से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन व अनुरक्षण का कार्य उत्तर प्रदेश जल निगम, झांसी/चित्रकूट जल संस्थान एवं ग्राम पंचायत द्वारा किया जा रहा है। संस्थावार संचालित योजनाओं एवं उनकी कार्यशीलता का विवरण निम्नवत् है:-

विवरण	जल निगम			ग्राम	जल	कुल
	एम.वी.एस.	एस.वी.एस.	योग	पंचायत	संस्थान	योग
परियोजनाओं की स्थिति	1275	840	2115	3118	152	5385
पूर्ण रूप से संचालित	368	716	1084	2306	62	3452
आंशिक संचालित	768	92	860	356	90	1306
बन्द योजनायें	139	32	171	456	0	627

कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज उ.प्र. जल निगम का कार्यकलाप

उत्तर प्रदेश जल निगम, उत्तर प्रदेश शासन के अधीन एक ऐसी संस्था है, जो प्रदेश के निवासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक निर्माण कार्यों के क्रियान्वयन के साथ नगरों की ड्रेनेज व जलोत्सारण योजनाओं का निर्माण कार्य कराती है। उत्तर प्रदेश जल निगम में कार्य भार की कमी को देखते हुए निदेशक मण्डल, उ.प्र. जल निगम की 90वीं बैठक दिनांक 10.03.89 के मद सं. 90.06 में लिए गये निर्णय एवं प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. जल निगम लखनऊ के कार्यकारी आदेश सं.- 415/पी.-1/173 दिनांक 19.04.89 के द्वारा **''कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ.प्र. जल निगम''** नाम से एक विंग का सृजन किया गया था। शासनादेश सं.-2401/9-3-91-249सी/91 दिनांक 06.06.91 द्वारा इस विंग को राजकीय निर्माण एजेन्सी की श्रेणी में नामित किया गया है। उल्लेखनीय है कि दिनांक 12.02.2013 द्वारा अन्य निर्माण एजेन्सियों के साथ ''कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ.प्र. जल निगम'' को प्रथम श्रेणी में रखा गया है।

यह विंग निदेशक, जो कि उ0प्र0 जल निगम के मुख्य अभियन्ता स्तर के अधिकारी होते हैं, के अधीन कार्यों का सम्पादन करती है। वर्तमान में विंग में तीन मुख्य महाप्रबन्धक, (अधीक्षण अभियंता स्तर के अधिकारी), 11 महाप्रबन्धक, (अधिशासी अभियंता स्तर के अधिकारी) तैनात हैं महाप्रबंधकों के अधीन 44 यूनिटें उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में एवं 03 यूनिटें प्रदेश के बाहर, उधमसिंह नगर (उत्तराखण्ड), अहमदाबाद (गुजरात) एवं बैंगलुरू में कार्यरत हैं। इन यूनिटों के इंचार्ज परियोजना प्रबन्धक होते हैं। इस विंग में लगभग 233 वरिष्ठ स्थानिक अभियन्ता/स्थानिक अभियंताओं के रूप में विभिन्न यूनिटों में कार्यरत हैं। प्रत्येक यूनिट को स्वावलम्बी होने के लिए यह आवश्यक है कि इनका न्यूनतम टर्नओवर प्रतिवर्ष लगभग रु. 25.00 करोड़ हो अर्थात् विंग के स्वावलम्बी होने के लिए विंग का वार्षिक टर्नओवर रु. 1175.00 करोड़ से अधिक होना चाहिए।

आवास एवं शहरी नियोजन

उद्देश्य

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग का मूल उद्देश्य नगरीय क्षेत्रों के सुनियोजित विकास के साथ-साथ आवासीय समस्या के समाधान हेतु प्रयास करना एवं इस दिशा में किये जा रहे विकास को गति प्रदान करना है। यह विभाग नगरों की आवासीय एवं अन्य समस्याओं के निदान हेतु जहां एक ओर नीतियाँ निर्धारित करता है, वहीं दूसरी तरफ विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से तीव्र गति से बढ़ रही नगरीय जनसंख्या को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने में भी योगदान प्रदान करता है।

विभाग का अभ्युदय एवं विकास

आवास वस्तुतः मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि आवासीय समस्या के समाधान के लिए एक बड़ी चुनौती है, जिसके लिए प्रदेश सरकार पहले से ही जागरूक है। आवासीय समस्या के समाधान के लिये पूर्व में ''स्वायत्त शासन विभाग'' गठित था जो कालान्तर में ''आवास एवं नगर विकास'' के नाम से पुनर्गठित किया गया। वर्ष 1989 में ''आवास एवं नगर विकास'' विभाग का विघटन कर स्वतन्त्र रूप से ''आवास विभाग'' का गठन किया गया जो नवम्बर, 2002 से नाम परिवर्तन के फलस्वरूप आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के नाम से जाना जाता है।

समाज के विभिन्न वर्गों को सुनियोजित रूप से आवास की सुविधा मुहैया कराने हेतु सर्वप्रथम वर्ष 1952 में एक सामाजिक आवासीय योजना का शुभारम्भ किया गया तथा इस योजना के अन्तर्गत पर्याप्त संख्या में आवास निर्माण एवं विकास के प्रयास भी किये गये। कालान्तर में शहरों को सुनियोजित दिशा प्रदान करने के उद्देश्य से एवं भवन निर्माण पर यथेष्ट नियंत्रण हेतु ''उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम, 1958'' के अधीन प्रदेश के प्रमुख नगरों को विनियमित क्षेत्र घोषित किया गया तथा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों एवं निर्देशों के माध्यम से विकास एवं निर्माण कार्यों को सुनियोजित किया जाने लगा। प्रदेश में उक्त अधिनियम के अधीन अब तक कुल 72 विनियमित क्षेत्र घोषित किए जा चुके हैं। प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में सुनियोजित रूप से आवास उपलब्ध कराने हेतु ''आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965'' के अधीन उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद का गठन किया गया एवं इसके साथ-साथ सहकारी क्षेत्र में आवास निर्माण हेतु वर्ष 1969 में ''उत्तर प्रदेश सहकारी आवास संघ'' स्थापित किया गया, जो वर्तमान में नाम परिवर्तन के फलस्वरूप ''सहकारी आवास निर्माण एवं वित्त निगम लिमिटेड'' के नाम से कार्यरत है। आवास निर्माण के साथ-साथ नगरों का सुनियोजित विकास सुनिश्चित करने हेतु शासन द्वारा ''उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973'' के अधीन सर्वप्रथम वर्ष 1974 में 5 ''कवाल'' (कानपुर, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज एवं लखनऊ)

नगरों में विकास प्राधिकरण गठित किये गये और अब तक प्रदेश में कुल 29 विकास प्राधिकरण गठित किये जा चुके हैं।

विशिष्ट महत्त्व के ऐसे क्षेत्र, जिनका राज्य सरकार के विचार से नियोजित विकास आवश्यक है, के प्रयोजनार्थ वर्ष 1985 में उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अध्यादेश प्रख्यापित किया गया था, जो कि वर्ष 1986 में ''उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986'' के रूप में अधिनियमित हुआ। उक्त अधिनियम के अधीन प्रदेश में कुल 4 विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण गठित किये गये हैं।

प्रमुख कार्य योजनाएं

अटल मिशन फार रिजूवनेशन एवं अर्बन ट्रान्सफॉरमेशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के चयनित 60 नगरों के जी.आई.एस. बेस्ड मास्टर प्लान बनाया जाना

भारत सरकार द्वारा पुरोनिधानित अमृत योजना अन्तर्गत प्रथम चरण में उत्तर प्रदेश के चयनित 60 नगरों की जी.आई.एस.तकनीकी पर महायोजनाएं तैयार किये जाने हेतु नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश को नोडल विभाग नामित किया गया है। अमृत योजनान्तर्गत महायोजना तैयार करने के कम्पोनेंट में निम्न तीन भाग सम्मिलित हैं :

(1) सैटेलाईट इमेज आधारित बेसमैप्स
(2) जी.आई.एस.आधारित महायोजनाएं
(3) जी.आई.एस.तकनीकी का प्रशिक्षण

महायोजनायें तैयार करने हेतु सेटेलाइट इमेज आधारित बेसमैप्स तैयार करने का कार्य भारत सरकार द्वारा नेशनल रिमोट सेंसिंग सेन्टर हैदराबाद को आवंटित किया जा चुका है। जी.आई.एस. आधारित महायोजनायें तैयार करने का कार्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग (नोडल विभाग) द्वारा किया जा रहा है।

उक्त कार्य पर आने वाला व्यय केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जायेगा तथा जिसकी 20 प्रतिशत (रु. 973 लाख) धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा अवमुक्त की जा चुकी है। महायोजनाएं तैयार किए जाने सम्बन्धित स्टेट एक्शन प्लान (एस.ए.पी.) भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हो चुका है, जिसके क्रम में निविदायें आमन्त्रित कर चयनित कन्सल्टेन्ट्स के साथ अनुबन्ध निष्पादित किया जा चुका है। चयनित कन्सल्टेन्टस द्वारा कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। उक्त कार्य को वित्तीय वर्ष 2020-21 में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

उ०प्र० मेट्रो रेल कारपोरेशन

लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना फेज-1ए

डी.पी.आर. के अनुसार परियोजना के मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैं-

- परियोजना की कम्पलीशन लागत-रु. 6928 करोड़
- परियोजना प्रारम्भ तिथि - 27.09.2014
- परियोजना समाप्त तिथि - 23.02.2019

कॉरिडोर का विवरण-

कोरिडोर	कोरिडोर की लम्बाई (किमी.)			स्टेशन की संख्या		
का नाम	एलीवेटिड	भूमिगत	कुल	एलीवेटिड	भूमिगत	कुल
नार्थ-साउथ कोरिडोर (एयरपोर्ट से मुंशीपुलिया)	19.438	3.440	22.878	17	4	21

- परियोजना का ई.आई.आर.आर.- 19.43 प्रतिशत
- परियोजना का एफ.आई.आर.आर.- 8.41 प्रतिशत
- नार्थ-साउथ कॉरिडोर अन्तर्गत ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग तक निर्मित प्राथमिक सेक्शन पर मेट्रो सेवा का संचालन दिनांक 05.09.2017 से प्रारम्भ किया जा चुका है।
- अवशेष लगभग 15 किमी0 सेक्शन पर मेट्रो सेवा के संचालन हेतु आवश्यक मुख्य संरक्षा आयुक्त से स्वीकृति दिनांक 23.02.2019 को प्राप्त की गई है।
- लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के सम्पूर्ण 22.878 किमी0 सेक्शन पर मेट्रो सेवा का शुभारम्भ दिनांक 08.03.2019 को किया गया।

लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना की फेज-1बी

- लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना फेज 1 का डी.पी.आर., डी.एम.आर.सी. द्वारा वर्ष 2013 में तैयार किया गया था।
- इस डी.पी.आर. में निम्नलिखित 2 कारिडोर प्रस्तावित थे-
  - नार्थ-साउथ कारिडोर-22.878
  - ईस्ट-वेस्ट कारिडोर- 11.165

कानपुर मेट्रो रेल परियोजना

- नई मेट्रो रेल पॉलिसी, 2017 के अन्तर्गत लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन के समन्वय से राइट्स द्वारा तैयार किये गये संशोधित डी0पी0आर0 पर राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन प्रदान करते हुए इसे दिनांक 24.01.2018 को भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया, तत्पश्चात भारत सरकार द्वारा विभिन्न मेट्रो रेल परियोजनाओं के आधाार पर की गई बेंचमार्किंग के अनुरूप परियोजना की लागत को संशोधित करते हुए अनुपूरक डी0पी0आर0 दिनांक 08.01.2019 को भारत सरकार को प्रेषित किया गया।
- परियोजना पर पी0आई0बी0 द्वारा दिंनाक 06.02.2019 तथा केन्द्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा दिनांक 08.02.2019 को अनुमोदन प्रदान किया। तदनुसार भारत सरकार द्वारा दिनांक 09.03.2019 तथा 27.05.2019 द्वारा स्वीकृति पत्र प्रेषित किया गया।
- अनुपूरक डी0पी0आर0 के अनुसार परियोजना के मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैं-
  - परियोजना की कम्पलीशन लागत-11076.48 करोड़
  - परियोजना की पूर्णता अवधि-5 वर्ष

- परियोजना का ई0आई0आर0आर0–18.48 प्रतिशत
- परियोजना का एफ0आई0आर0आर0–8.89 प्रतिशत

परियोजना का क्रियान्वयन

- परियोजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा दिनांक 07.06.2019 को लिए गये निर्णय के क्रम में लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को पुनर्गठित करते हुए उ0प्र0 मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के गठन की प्रक्रिया पूर्ण।
- राज्य सरकार के वित्तीय वर्ष 2019–में प्राविधानित रु0 175 करोड़ में से रु0 100 करोड़ निर्गत।
- परियोजना हेतु आवश्यक वाह्य ऋण यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक से प्राप्त किये जाने हेतु वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा दिनांक– 23.10.2019 को आयोजित 100वीं स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई। तद्नुसार दिनांक –19.11.2019 को ई0आई0बी0 को आवश्यक अप्रेजल हेतु अनुरोध पत्र प्रेषित।
- परियोजना के कॉरिडोर–1 में आई0आई0टी0 कानपुर से मोतीझील, तक लगभग 9 किमी0 का प्राथमिक सेक्शन चिन्हित। इस सेक्शन पर ट्रेन ट्रायल प्रारम्भ करने हेतु दिनांक–31.07.2021 तथा रेवेन्यू ऑपरेशन प्रारम्भ करने हेतु दिनांक–30.11.2021 की सर्वाधिक आशावादी तिथियाँ लक्षित।
- प्राथमिक सेक्शन पर सिविल कार्यों की निविदा दिनांक–13.09.2019 को अवार्ड तथा इस सेक्शन पर मेट्रो रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण कार्य मा0 मुख्यमंत्री जी के कर–कमलों द्वारा दिनांक 05.11.2019 को प्रारम्भ।
- कॉरिडोर–1 के डिपो के निर्माण कार्य की निविदा दिनांक–18.11.2019 को अवार्ड तथा स्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ।

आगरा मेट्रो रेल परियोजना

- नई मेट्रो रेल पॉलिसी, 2017 के अन्तर्गत लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन के समन्वय से राइट्स द्वारा तैयार किये गये संशोधित डी0पी0आर0 पर राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन प्रदान करते हुए इसे दिनांक 24.01.2018 को भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया, तत्पश्चात भारत सरकार द्वारा विभिन्न मेट्रो रेल परियोजना के आधार पर की गई बेंचमार्किंग के अनुरूप परियोजना की लागत को संशोधित करते हुए अनुपूरक डी0पी0आर0 दिनांक 08.01.2019 को भारत सरकार को प्रेषित किया गया।
- परियोजना पर पी0आई0बी0 द्वारा दिनांक 06.02.2019 तथा केन्द्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा दिनांक 28.02.2019 को अनुमोदन प्रदान किया गया। तद्नुसार भारत सरकार द्वारा दिनांक 09.03.2019 तथा 27.05.2019 द्वारा स्वीकृति पत्र प्रेषित किया गया।

- अनुपूरक डी0पी0आर0 के अनुसार परियोजना के मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैं-
  - परियोजना की कम्पलीशन लागत- 8379.62 करोड़
  - परियोजना की पूर्णता अवधि-5 वर्ष
  - परियोजना का ई0आई0आर0आर0-17.32 प्रतिशत
  - परियोजना का एफ0आई0आर0आर0- 10.07 प्रतिशत

परियोजना का क्रियान्वयन

- परियोजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा दिनांक 07.06.2019 को लिए गये निर्णय के क्रम में लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को पुनर्गठित करते हुए उ0प्र0 मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के गठन की प्रक्रिया पूर्ण।
- राज्य सरकार के वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्राविधानित रु0 175 करोड़ में से रु0 100 करोड़ निर्गत।
- परियोजना हेतु आवश्यक वाह्य ऋण यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक से प्राप्त किये जाने हेतु वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा दिनांक- 23.10.2019 को आयोजित 100वीं स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई। तद्नुसार दिनांक -19.11.2019 को ई0आई0बी0 को आवश्यक अप्रेजल हेतु अनुरोध पत्र प्रेषित।
- परियोजना के कॉरिडोर-1 में ताज ईस्ट गेट से जामा मस्जिद तक लगभग 6 किमी0 का प्राथमिक सेक्शन चिन्हित। इस सेक्शन पर ट्रेन ट्रायल प्रारम्भ करने हेतु दिनांक-31.07.2021 तथा रेवेन्यू ऑपरेशन प्रारम्भ करने हेतु दिनांक-30.11.2021 की सर्वाधिक आशावादी तिथियां लक्षित।
- डी0डी0सी0 के चयन की कार्यवाही दिनांक-22.10.2019 को पूर्ण।
- टी0टी0जेड0 क्षेत्र में निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में प्रभावी मा. उच्चतम न्यायालय के स्थगनादेश के सापेक्ष परियोजना के कार्यों को प्रारम्भ कराये जाने हेतु दिनांक-16.10.2019 को मा. उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दाखिल। मा. उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 04.12.2019 को उक्त याचिका पर सुनवाई के उपरान्त प्रकरण को सेन्ट्रल इम्पावर्ड कमेटी को संदर्भित किया गया।
- परियोजना के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विभागों से अनापत्ति प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 29.11.2019 को एक अन्य आई0ए0 मा. उच्चतम न्यायालय में दाखिल की गयी है, जिसकी प्रभावी पैरवी की जा रही है।
- परियोजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक भूमि अर्जन व अन्य निविदाएं जारी करने की कार्यवाही प्रगति पर।

मेरठ मेट्रो रेल परियोजना

- नई मेट्रो रेल पॉलिसी, 2017 के अन्तर्गत लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन के समन्वय से राइट्स द्वारा तैयार किये गये संशोधित डी0पी0आर0 पर राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन प्रदान करते हुए इसे दिनांक 24.01.2019 को भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया।

- प्रथम चरण में मेरठ मेट्रो रेल परियोजना के अन्तर्गत श्रृद्धापुरी फेज-2 से जागृति विहार एक्सटेन्शन तक कॉरिडोर-2 का निर्माण किया जायेगा।
- अनुपूरक डी0पी0आर0 के अनुसार परियोजना के मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैं-
  - परियोजना की कम्पलीशन लागत- 6403 करोड़
  - परियोजना की पूर्णता अवधि-5 वर्ष
  - परियोजना का ई0आई0आर0आर0-14.32 प्रतिशत
  - परियोजना का एफ0आई0आर0आर0- 9.55 प्रतिशत

गोरखपुर लाइट रेल ट्रांजिट (एल.आर.टी.) परियोजना

- शासनादेश सं0- 165/आठ-7-17-29 एल0डी0ए0/2013 दिनांक 03.04.2017 द्वारा गोरखपुर महानगर में पर्यावरण अनुकूल, सुलभ, सुरक्षित एवं सुविधाजनक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा मेट्रो रेल परियोजना के संचालन हेतु फिजिबिलिटी/डी0पी0आर0 एवं कॉम्प्रिहेन्सिव मोबिलिटी प्लान तैयार कराने का निर्णय लिया गया।
- इस कार्य हेतु भारत सरकार की अनुभवी एवं विशेषज्ञ संस्था मेसर्स राइट्स को नामित किया गया तथा गोरखपुर विकास प्राधिकरण को नोडल विभाग तथा लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को समन्वयक बनाया गया।
- भारत सरकार द्वारा जारी नई मेट्रो रेल पॉलिसी, 2017 के अन्तर्गत लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन के समन्वय से राइट्स द्वारा गोरखपुर महानगर हेतु कॉम्प्रिहेन्सिव मोबिलिटी प्लान, ऑल्टरनेटिव एनालिसिस रिपोर्ट तथा लाइट रेल ट्रांजिट (एल0आर0टी0) परियोजना हेतु डी0पी0आर0 माह मई, 2019 को तैयार कर प्रस्तुत किया गया है।
- उक्त डी0पी0आर0 को लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा दिनांक-11.06.2019 को राज्य सरकार के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया। दिनांक 30.08.2019 को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा परियोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कॉरिडोर्स में कतिपय संशोधन करने की अपेक्षा की गयी। जिस क्रम में संशोधित डी0पी0आर0 तैयार की गयी है, जिसे राज्य सरकार को दिनांक 13.09.2019 को प्रेषित किया गया। राज्य सरकार से अनुमोदन के उपरान्त इसे भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जायेगा।
- संशोधित डी0पी0आर0 के अनुसार परियोजना के मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैं-

वाराणसी मेट्रो रेल परियोजना

- लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के समन्वय से राइट्स द्वारा तैयार किये गये डी0पी0आर0 पर राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन प्रदान करते हुए इसे दिनांक 09.06.2016 को भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया।
- केन्द्र सरकार द्वारा मेट्रो रेल नीति, 2017 के अन्तर्गत डी0पी0आर0 का परीक्षण करने के निर्देश।
- कालान्तर में वाराणसी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम हेतु रोप-वे/केबल कार के उपयोग हेतु अनुभवी कन्सल्टेंट के माध्यम से टेक्नोफिजिबिलिटी स्टडी कराये जाने का शासन स्तर पर निर्णय लिया गया।
- दिनांक 17.10.2018 को विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की अध्यक्षता

में आयोजित बैठक में मेसर्स राइट्स लि0 द्वारा वाराणसी में मेट्रो रेल परियोजना के मुख्य कॉरिडोर पर रोप-वे/केबल कार के उपयोग हेतु टेक्नोफिजिबिलिटी तैयार कराने का निर्णय।

- मेसर्स राइट्स द्वारा नगर हेतु तैयार किये गये कॉम्प्रिहेन्सिव मोबिलिटी प्लान तथा ऑल्टरनेटिव एनालिसिस रिपोर्ट के संबंध में आयुक्त, वाराणसी मण्डल की अध्यक्षता में दिनांक 28.03.2019 को आयोजित बैठक में कतिपय निर्णय लिए गये।
- लखनऊ, कानपुर एवं आगरा मेट्रो रेल परियोजना की समीक्षा हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक-21.05.2019 को आयोजित बैठक में वाराणसी में पॉड (पीओडी) सिस्टम/मोनो रेल सिस्टम चलाये जाने की सम्भावना पर विचार कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

प्रयागराज मेट्रो रेल परियोजना

- नई मेट्रो नीति, 2017 के अन्तर्गत उ0प्र0 मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के समन्वय से मेसर्स राइट्स द्वारा प्रयागराज नगर हेतु मेट्रो परियोजना का डी0पी0आर0 तैयार किया जा रहा है। इस कार्य हेतु प्रयागराज विकास प्राधिकरण नोडल विभाग नामित है।
- नगर हेतु पूर्व में तैयार किये गये कॉम्प्रिहेन्सिव मोबिलिटी प्लान को अपडेट करने का कार्य अर्बन मास ट्रांजिट कम्पनी, गुरुग्राम द्वारा किया जा रहा है।
- मेसर्स राइट्स द्वारा इस सम्बंध में अल्टरनेट एनालिसिस रिपोर्ट (ए0ए0आर0) दिनांक 22.01.2018 को प्रस्तुत की गई तथा तत्पश्चात् दिनांक-09.02.2018 को परियोजना हेतु ड्राफ्ट डी0पी0आर0 प्रस्तुत किया गया।

वित्तीय वर्ष 2019-20 की उपलब्धियाँ

प्रधानमंत्री आवास योजना

भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना - सबके लिए आवास (शहरी) मिशन का शुभारम्भ दिनांक 25.06.2015 को किया गया है। मिशन के चार कम्पोनेन्ट्स में से अफोर्डेबल-हाउसिंग-इन-पार्टनरशिप कम्पोनेन्ट के अंतर्गत ई.डब्लू.एस. हेतु अनुमन्य अनुदान के लिए केन्द्रांश रु. 1.50 लाख तथा राज्यांश रु. 1.00 लाख निर्धारित किया गया है। इस प्रकार प्रत्येक ई.डब्लू.एस. इकाई के लिए कुल रु. 2.50 लाख की सहायता उपलब्ध होगी।

उ.प्र. शासन के शासनादेश संख्या-1855/आठ-1-17-80 विविध/2010, दिनांक 05 सितम्बर, 2017 द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अफोर्डेबल-हाउसिंग-इन-पार्टनरशिप मद के अंतर्गत प्रदेश में आर्थिक दृष्टि से दुर्बल आय वर्ग के व्यक्यिों हेतु विकास प्राधिकरणों तथा उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद के माध्यम से 1.00 लाख ई.डब्लू.एस. भवनों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

प्रगति विवरण

आवास अभिकरण

- विकास प्राधिकरणों तथा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा अब तक कुल 121 परियोजनाएं, 114274 भवनों के निर्माण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। जिनकी केन्द्र सरकार (सी0एस0एम0सी0) द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

- लखनऊ (13624), उन्नाव (720), रायबरेली (977), कानपुर (30480), आगरा (2872), मथुरा-वृन्दावन (908), फिरोजाबाद (800), गाजियाबाद (12834), मेरठ (3408), हापुड़-पिलखुआ (672), बुलन्दशहर (160), प्रयागराज (312), मुरादाबाद (4816), अलीगढ़ (8220), गोरखपुर (3036), वाराणसी (250), बरेली (254), अयोध्या (640), बांदा (752), झांसी (2004), उरई (192), मुजफ्फरनगर (1584), आजमगढ़ (432), लखनऊ नगर निगम (503), तथा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद (23824).

निजी विकासकर्ता (पी०पी०पी० मोड)

- निजी विकासकर्ताओं द्वारा अब तक कुल 35 परियोजनाएं, 20829 भवनों के निर्माण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जिनकी केन्द्र सरकार (सी0एस0एम0सी0) द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।
- आगरा (365), प्रयागराज (697), बरेली (1356), गाजियाबाद (8049), हापुड़-पिलखुआ (2316), कानपुर (1552), मथुरा-वृन्दावन (800), वाराणसी (608), बरेली (3918), झांसी (2284) तथा रामपुर (240)

इस प्रकार अभिकरण तथा निजी विकासकर्ता को सम्मिलित कर कुल 135103 भवनों में 156 परियोजनाएं केन्द्र सरकार (सी0एस0एम0सी0) से स्वीकृत की जा चुकी हैं।

सबके लिए आवास योजना

- आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अन्तर्गत कार्यरत प्रदेश के विकास प्राधिकरणों, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण तथा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिष्ज्ञद द्वारा नगरीय क्षेत्र में आवासीय आवश्यकता की बढ़ी हुई मांग को लगातार पूर्ण किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में माह नवम्बर, 2019 तक समस्त अभिकरणों में विभिन्न श्रेणी के भवनों के निर्माण/आवंटन की प्रगति की स्थिति श्रेणीवार निम्नवत् है:-

श्रेणी	कुल पूर्ण एवं निर्माणाधीन	आवंटन हेतु अवशेष भवन
दुर्बल आय वर्ग	10194	30640
अल्प आय वर्ग	3704	13529
मध्यम आय वर्ग	9865	18226
उच्च आय वर्ग	2809	9779
योग	**26572**	**72174**

हॉइटेक टाउनशिप नीति

- प्रदेश में निजी पूंजी निवेश के माध्यम से हाईटेक टाउनशिप के विकास हेतु शासनादेश संख्या-6087/9-आ-1-2003-34वि/03, दिनांक 22.112003 द्वारा हाईटेक टाउनशिप नीति जारी की गई थी। उक्त नीति को शासनादेश संख्या-3872/आठ-1-07-34 वि/03, दिनांक 17.09.2007 द्वारा संशोधित करते हुए हाई-टेक टाउनशिप नीति, 2007 जारी की गई। हाई-टेक टाउनशिप नीति, 2003 के अधीन वर्ष 2005 में 10 हाई-टेक टाउनशिप तथा हाई-टेक टाउनशिप नीति, 2007 के अधीन वर्ष 2009 में 03 हाईटेक टाउनशिप के प्रस्ताव

स्वीकृत हुए थे। इस प्रकार प्रदेश के विभिन्न नगरों में कुल 13 हाईटेक टाउनशिप के प्रस्ताव अनुमोदित हैं। हाई-टेक टाउनशिप नीति के क्रियान्वयन में उत्पन्न कठिनाइयों के निराकरण हेतु शासन द्वारा उक्त नीति में समय-समय पर कतिपय संशोधन किए गए हैं। कालान्तर में हाई-टेक टाउनशिप नीति के अधीन चयनित विकासकर्ताओं को यथावत रखते हुए शासनादेश संख्या-यूओ 487/आठ-1-2009, दिनांक 27.01.2010 द्वारा हाईटेक टाउनशिप नीति को समाप्त कर दिया गया है।

- हाई-टेक टाउनशिप नीति के अधीन अनुमोदित कुल 13 परियोजनाओं में से 6 प्रारम्भ नहीं हो सकी हैं, जबकि 7 परियोजनाएं वर्तमान में कार्यशील हैं। कतिपय विकासकर्ताओं को नीति की व्यवस्थानुसार टाउनशिप के क्षेत्रफल में विस्तार अनुमन्य किया गया है, परन्तु उनके द्वारा आगे भूमि क्रय/जुटाव करना सम्भव नहीं हो पा रहा है और हाई-टेक टाउनशिप नीति/एम.ओ.यू. में निर्धारित शर्तों एवं टाईमलाइन्स के अनुसार विकास/निर्माण कार्यों को पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं। जिन किसानों/भू-स्वामियों की भूमि इन परियोजना के अन्तर्गत शामिल हैं, वे भी इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं।

मानचित्र स्वीकृत प्रक्रिया का सरलीकरण एवं ऑन-लाइन किये जाने की कार्यवाही

आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों में जनसामान्य की सुविधा हेतु आनलाइन मानचित्र स्वीकृति करने की व्यवस्था लागू कर दी गयी है। सभी प्रकार के मानचित्रों को हाई-रिस्क एवं लो-रिस्क श्रेणी में विभाजित करते हुए लो-रिस्क श्रेणी के भवन मानचित्र आर्किटेक्ट द्वारा सत्यापित होने पर 48 घंटे के अंदर आपत्ति न होने की दशा में स्वतः स्वीकृति होने की व्यवस्था भी साफ्टवेयर में की गयी है। लो-रिस्क (विकसित क्षेत्र के 100 वर्गमीटर तक के आवासीय भवन एवं स्वीकृत तलपट मानचित्र क्षेत्र के समस्त आवासीय भवन) मानचित्र बिना निरीक्षण के ही स्वीकृत करने का प्रावधान किया गया है। लो-रिस्क के अलावा समस्त भवन मानचित्र एवं तलपट मानचित्र हाई-रिस्क की श्रेणी में रखे गये हैं, जिसमें स्थल निरीक्षण के बाद ही मानचित्र स्वीकृत किये जाते हैं। वित्तीय वर्ष में अब तक लो-रिस्क श्रेणी के 3323 तथा हाई-रिस्क श्रेणी में 2571 मानचित्र ऑनलाइन स्वीकृत किये जा चुके हैं।

जनहित गारण्टी अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित सेवाओं को ऑन-लाइन किया जाना

- जनहित गारण्टी अधिनियम के अन्तर्गत कुल 8 सेवाओं को अधिसूचित किया गया है, जिसमें दो सेवाएं मानचित्र स्वीकृत से संबंधित हैं। इस वित्तीय वर्ष में जनहित गारण्टी की 05 सेवाएं (सम्पत्ति नामान्तरण, सम्पत्ति का पंजीकरण, आवंटी द्वारा जमा धनराशि की वापसी, नजूल भूमि छोड़कर शेष भवन भूखण्डों को फ्री होल्ड करना तथा आदेशों की डुप्लीकेट प्रति प्राप्त करना) को ऑनलाइन कर दिया गया है।

अभिकरणों द्वारा निर्मित/विकसित सम्पत्तियों को ऑन-लाइन किया जाना

- समस्त अभिकरणों द्वारा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की भांति अपनी सम्पत्तियों का विवरण अनिवार्य रूप से ऑन-लाइन किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। अधिकांश अभिकरणों द्वारा अपनी सम्पत्तियों का विवरण अभिकरण की वेबसाइट पर ऑन-लाइन कर दिया गया है।

रोड डायरेक्ट्री तैयार किया जाना

- आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा 518 सड़कों (1081.18 किमी0) के अन्तर्गत कुल 242.303 किमी0 सड़क को गढ्ढा मुक्त किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके सापेक्ष अब तक 146.40 किमी0 सड़क को गड्ढामुक्त किया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु प्रस्तावित योजनाएं

वित्तीय वर्ष 2020-21 में आयोजनागत परियोजनाओं हेतु पूंजी लेखा के अन्तर्गत रु. 193105.84 लाख का परिव्यय प्रस्तावित है, जिसके सापेक्ष प्रमुख योजनाओं का विवरण निम्नवत् है:-

1. **सिविल सर्विसेज इन्स्टीट्यूट के टॉवर्स का निर्माण**
   उक्त मद में वर्तमान वर्ष 2020-21 हेतु रु. 2500.00 लाख की बजट व्यवस्था है।
2. **लखनऊ विकास क्षेत्र तथा उत्तर प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं के विकास सम्बन्धी कार्यों हेतु धनराशि की व्यवस्था (चालू योजनाएं)**
   वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु. 5000.00 लाख की बजट व्यवस्था है।
3. **गोमती नगर लखनऊ में जय प्रकाश नारायण अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र की स्थापना**
   परियोजना की पुनः पुनरीक्षित लागत के आधार पर परियोजना को आगामी वित्तीय वर्ष में पूर्ण किये जाने के दृष्टिगत तद्नुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु. 4000.00 लाख की बजट व्यवस्था है।
4. **संस्कृति स्कूल, लखनऊ का निर्माण**
   वित्तीय वर्ष 2020-21 में स्वीकृति परियोजना के सापेक्ष कार्य को किये जाने हेतु रु. 2000.00 लाख की बजट व्यवस्था है।
5. **कानपुर मेट्रो रेल परियोजना**
   उक्त मद में वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु रु. 35820.00 लाख की बजट व्यवस्था है।
6. **वाराणसी, गोरखपुर एवं अन्य शहरों में मेट्रो रेल परियोजना**
   उक्त मद में वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु रु. 20000.00 लाख की बजट व्यवस्था है। पूंजी मद में किया गया है।
7. **आगरा मेट्रो रेल परियोजना**
   उक्त मद में वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु रु. 28620.00 लाख की बजट व्यवस्था है।
8. **दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरीडोर रीजनल रैपिड ट्रान्जिट सिस्टम परियोजना**
   उक्त मद में वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु रु. 90000.00 लाख की बजट व्यवस्था है।
9. **लखनऊ विकास प्राधिकरण की बसंतकुंज योजना में ''राष्ट्र प्रेरणा स्थल''**
   वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस कार्य हेतु रु. 5000.00 लाख की बजट व्यवस्था है।

विभाग की नीतियाँ

वित्तीय वर्ष 2019-20 में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा 02 महत्वपूर्ण नीतियां/योजनाएं यथा- एकमुश्त समाधान योजना (ओ0टी0एस0-2020) तथा प्रधानमंत्री आवास

योजना (शहरी) के घटक ए0एच0पी0 नीति (संशोधित) निर्गत की गई है उक्त नीतियों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है :-

(क) एक मुश्त समाधान योजना (ओ0टी0एस0-2020)

- आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-8/2020/278/आठ-1/20-01 विविध/2000, दिनांक 7 फरवरी, 2020 द्वारा वन-टाइम सेटेलमेंट योजना (ओ0टी0एस0 योजना) 2020 लागू की गयी है।
- उक्त योजना द्वारा आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा संचालित योजनाओं में आवासीय सम्पत्तियों तथा नीलामी के आधार पर आवंटित आवासीय, व्यवसायिक, संस्थागत सम्पत्तियों के डिफाल्टर आवंटियों को विनियमित करने एवं बकाये की वसूली हेतु इस योजना को दिनांक 06.03.2020 से लागू की गयी है, जो 30.09.2020 तक लागू रहेगी।
- इस योजना से लगभग 53000 डिफाल्टर्स को लाभ मिलने की सम्भावना है।
- इस योजना को कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत दिनांक 30.09.2020 तक बढ़ा दिया गया है।

(ख) प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निजी क्षेत्र की सहभागिता से किफायती आवास (अफोर्डेबल हाउसिंग-इन-पार्टनरशिप) योजना (2018-2021) में संशोधन आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-21/2020/531/आठ-1-20-106 विविध/2018, दिनांक 18 मार्च, 2020 द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निजी क्षेत्र की सहभागिता से किफायती आवास (अफोर्डेबल हाउसिंग-इन-पार्टनरशिप) योजना (2018-2021) की सशोधित नीति निगर्त की गयी है, जिससे इन योजना को और सम्बल मिलने की सम्भावना है।

खाद्य एवं रसद, उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप

संक्षिप्त इतिहास

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता एवं उनको उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराये जाने की दृष्टि से ''नागरिक आपूर्ति एवं राशनिंग विभाग'' की स्थापना की गयी थी। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर वर्ष 1946 में उपरोक्त दोनों विभागों को संविलियन कर प्रथम बार ''खाद्य एवं रसद विभाग'' की स्थापना की गयी तथा आयुक्त, नागरिक आपूर्ति एवं आयुक्त, राशनिंग को ''सचिव'' खाद्य एवं रसद विभाग के अधीन कर दिया गया। वर्ष 1947 में पुनः पुनर्गठन करते हुए सचिव एवं आयुक्त के पद को एक कर दिया गया। शनैः-शनैः विभाग के विस्तार एवं कार्यवृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए, ''विभागाध्यक्ष'' की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए, विभागाध्यक्ष के पूर्णकालिक आयुक्त, खाद्य एवं रसद के पद का सृजन 20 अप्रैल, 1967 को किया गया, लेकिन उक्त व्यवस्था अगस्त 1967 को पुनः समाप्त कर दी गयी और आयुक्त के पद को पुनः सचिव के पद के साथ मिलाकर एक कर दिया गया।

वर्ष 1973 में पृथक रूप से खाद्य आयुक्त कार्यालय की स्थापना की गई, परन्तु सचिव एवं आयुक्त का पद एक ही रहा। अप्रैल, 1981 में खाद्य आयुक्त के स्थान पर अल्प अवधि के लिए निदेशक की तैनाती भी की गयी, परन्तु यह व्यवस्था भी जुलाई 1981 तक सीमित रही। तब से लगातार खाद्यायुक्त कार्यालय कार्यरत है। वर्ष 1997 से पृथक रूप से खाद्य आयुक्त के पद पर पूर्णकालिक तैनाती की गयी तथा उक्त व्यवस्था वर्तमान में भी प्रभावी है, जिसके अन्तर्गत विभागाध्यक्ष के रूप में ''खाद्य आयुक्त'' तथा शासन स्तर पर ''प्रमुख सचिव, खाद्य तथा रसद'' कार्यरत हैं।

मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत गेहूँ खरीद

गेहूँ का समर्थन मूल्य एवं क्रय केन्द्र

वर्ष 2019-20 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत सीधे किसानों से गेहूँ खरीद की व्यवस्था पूरे प्रदेश में की गयी। इस वर्ष भारत सरकार द्वारा गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य रु. 1840 प्रति कुन्तल निर्धारित किया गया। मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत 55 लाख मीट्रिक टन गेहूँ क्रय का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके सापेक्ष दिनांक 25.06.2019 (क्रय सत्र की समाप्ति पर) तक 37.04 लाख मी. टन गेहूं क्रय किया गया। गेहूं की खरीद हेतु प्रदेश में कुल 6796 क्रय केन्द्र स्थापित किये गये।

एजेन्सीवार खोले गये क्रय केन्द्रों की संख्या, लक्ष्य एवं कुल गेहूँ खरीद का विवरण निम्नानुसार है–

रबी क्रय वर्ष 2019-20 में राज्य एजेन्सियों द्वारा खोले गये क्रय केन्द्र, एजेन्सीवार लक्ष्य एवं उसके सापेक्ष कुल गेहूँ क्रय की स्थिति निम्नानुसार है –

(मात्रा लाख मी. टन में)

क्र. सं.	क्रय संस्था का नाम	क्रय केन्द्रों की संख्या	निर्धारित लक्ष्य	कुल खरीद
1.	खाद्य विभाग की विपणन शाखा (पंजीकृत सोसाइटी)	1319	12.00	9.91
2.	उत्तर प्रदेश सहकारी संघ (पी.सी.एफ.)	3568	24.00	15.73
3.	उत्तर प्रदेश राज्य कृषि एवं औद्योगिक निगम (यू.पी. एग्रो)	180	2.00	1.19
4.	उ.प्र. कोऑपरेटिव यूनियन (पी.सी.यू.)	722	5.00	3.94
5.	उ.प्र. राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम (एस.एफ.सी.)	113	2.00	1.01
6.	उ.प्र. कर्मचारी कल्याण निगम	209	3.00	1.39
7.	नेशनल एग्रीकल्चरल को-आपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इण्डिया लि. (नैफेड)	204	2.00	0.90
8.	उ.प्र. उपभोक्ता सहकारी संघ लि0 (यू.पी.एस.एस.)	379	2.50	1.85
	योग	**6694**	**52.50**	**35.92**
9.	भारतीय खाद्य निगम एवं प्राइवेट प्लेयर्स	102	2.50	1.09
	योग	**6796**	**55.00**	**37.01**

गेहूँ की गुणवत्ता पर नियंत्रण एवं केन्द्रों का कोडीफिकेशन

गेहूँ की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए गत वर्ष की भांति ही इस वर्ष भी प्रत्येक जनपद, क्रय एजेन्सी एवं क्रय केन्द्र का एक कोड नम्बर आवंटित किया गया, ताकि गेहूँ के क्रय, उसके संग्रह के समय गेहूँ की गुणवत्ता में यदि कोई कमी पाई जाती है तो उसका उत्तरदायित्व निर्धारित किया जा सके। इस सम्बन्ध में समस्त जिलाधिकारियों तथा समस्त सम्भागीय खाद्य नियंत्रकों को विस्तृत निर्देश प्रसारित किये गये।

गेहूँ क्रय केन्द्रों की स्थापना

रबी विपणन वर्ष 2019-20 में प्रदेश में 04 किमी. के रेडियस अर्थात् प्रत्येक 08 किमी. की दूरी पर अनिवार्य रूप से एक क्रय केन्द्र स्थापित करने की व्यवस्था की गयी, जिसके लिए प्रदेश में कुल 6796 केन्द्र स्थापित किये गये।

गेहूँ के मूल्य का भुगतान

कृषकों को उनके गेहूँ के मूल्य का भुगतान उनके बैंक खातों में सीधे कराने हेतु सभी संस्थाओं द्वारा आर.टी.जी.एस. के माध्यम से भुगतान किया गया। वर्ष 2019-20 में गेहूँ खरीद योजना में दिनांक 25.06.2019 तक कुल 753414 किसानों को रु. 6889.14 करोड़ का भुगतान किया गया।

कृषकों के हित में की गयी कार्यवाही

क्रय केन्द्रों पर कृषक बन्धुओं को सुविधा उपलब्ध कराने व निर्धारित गुणवत्ता का गेहूँ क्रय करने के उद्देश्य से कृषकों के गेहूँ की उतराई व छनाई में आने वाला व्यय रु. 20 प्रति कुं. कृषक द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा, किन्तु इस निमित्त कृषक को रु. 20 प्रति कुं की दर से आर.टी.जी.एस. के माध्यम से उसके बैंक एकाउण्ट में भुगतान क्रय एजेन्सी द्वारा किया जायेगा। यह भुगतान गेहूँ समर्थन मूल्य के अतिरिक्त होगा। उतराई व छनाई के मद में आने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति क्रय एजेन्सियों को मण्डी परिषद द्वारा किया गया। किसानों की सुविधा के लिए विभाग द्वारा टोल फ्री नं. 18001800150 एवं खाद्यायुक्त कार्यालय, लखनऊ में स्थापित खाद्य नियंत्रण कक्ष में दूरभाष नं. 0522-2288906 स्थापित किया गया। किसानों की सुख-सुविधा हेतु क्रय केन्द्रों पर पानी पीने की, बैठने की, छाया की व्यवस्था की गयी है। योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने के लिए फ्लैक्सी बैनर, पर्चे व पोस्टर तथा इलेक्ट्रानिक व प्रिन्ट मीडिया का उपयोग किया गया।

ई-उपार्जन

रबी विपणन वर्ष 2019-20 में समस्त क्रय एजेन्सियां, पंजीकृत सहकारी समितियां, मल्टी स्टेट को-आपरेटिव सोसाइटी, भारतीय खाद्य निगम व भारतीय खाद्य निगम के प्राइवेट प्लेयर्स, एन.आई.सी./ भा.खा.नि. द्वारा विकसित साफ्टवेयर पर ऑन-लाइन गेहूँ क्रय की प्रक्रिया अपनाया गया।

मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत धान की खरीद

श्रेणीवार धान का समर्थन मूल्य

कृषकों को उनकी उपज का उचित एवं लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य पर किसानों से धान की खरीद की जाती है। धान को दो श्रेणियों- 1. कॉमन तथा 2. ग्रेड-ए में वर्गीकृत किया गया है, जिसका समर्थन मूल्य खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में भारत सरकार द्वारा श्रेणीवार निम्नवत् निर्धारित किया गया है–

क्रमांक	श्रेणी	धान का मूल्य (रु. प्रति कु.)
1.	सामान्य	रु.1815/-
2.	ग्रेड-ए	रु.1835/-

क्रय संस्थावार धान क्रय केन्द्रों की संख्या

मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत धान की खरीद हेतु खरीफ वर्ष 2019-20 में व्यापक प्रबन्ध किये गये। प्रदेश में निम्नलिखित क्रय संस्थाओं द्वारा उनके नाम के सम्मुख अंकित संख्या में क्रय केन्द्र स्थापित कर धान खरीद का कार्य सम्पन्न कराया गया है।

क्र. सं.	क्रय संस्था का नाम	क्रय केन्द्रों की संख्या	क्रय लक्ष्य (लाख मी.टन)	कुल खरीद (लाख मी.टन)
1.	खाद्य विभाग	1131	18.00	18.40
2.	उत्तर प्रदेश सहकारी संघ (पी.सी.एफ.)	1350	10.50	9.21
3.	(यू.पी. एग्रो)	120	2.00	1.77
4.	(यू.पी.पी.सी.यू.)	430	6.50	6.31
5.	उ.प्र. आवश्यक वस्तु निगम	82	1.50	1.56
6.	कर्मचारी कल्याण निगम	155	4.00	2.41
7.	(एन.सी.सी.एफ.)	105	1.50	1.95
8.	(नैफेड)	110	1.00	1.90
9.	(यू.पी.एस.एस.)	213	3.00	2.52
	योग	**3696**	**48.00**	**46.04**
10.	भारतीय खाद्य निगम	103	2.00	0.83
	महायोग	**3799**	**50.00**	**46.87**

क्रय केन्द्रों पर किसानों की सुख-सुविधा हेतु व्यवस्था

क्रय केन्द्रों पर किसानों हेतु सुविधायें यथा– धान के मानक नमूने का प्रदर्शन, नमी मापक यन्त्रों की व्यवस्था, धान की सफाई हेतु पंखा/छन्ना की व्यवस्था एवं कृषकों एवं उनके पशुओं हेतु पेयजल की व्यवस्था आदि के भी निर्देश दिये गये हैं। क्रय केन्द्रों पर निर्धारित गुणवत्ता का धान क्रय करने के उद्देश्य से कृषकों के धान की उतराई, छनाई एवं सफाई आदि में आने वाला व्यय रु. 20 प्रति कुं. किसान द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा, किन्तु इस निमित्त कृषक को रु. 20 प्रति कु. की दर से आर.टी.जी.एस./डिजीटल प्रक्रिया के माध्यम से उसके बैंक एकाउन्ट में भुगतान क्रय एजेन्सी द्वारा किया जाएगा यह भुगतान धान के समर्थन मूल्य के अतिरिक्त होगा। उतराई, छनाई व सफाई के मद में आने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति क्रय एजेन्सियों को मण्डी परिषद द्वारा की जाएगी। किसानों की सुविधा के लिए टोल फ्री नं.–18001800150 स्थापित किया गया।

धान क्रय केन्द्रों की स्थापना

खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में प्रदेश में क्रय केन्द्रों का निर्धारण व चयन जिलाधिकारी द्वारा इस प्रकार किया जाएगा कि कृषक को अपना धान विक्रय करने हेतु 08 किमी. से अधिक दूरी न तय करनी पड़े।

धान के मूल्य का भुगतान

कृषकों को उनके धान के मूल्य का भुगतान उनके बैंक खातों में सीधे कराने हेतु सभी क्रय संस्थाओं द्वारा आर.टी.जी.एस. के माध्यम से भुगतान किये जाने की व्यवस्था है। वर्ष 2019-20 में धान खरीद योजना में दिनांक 15.01.2020 तक कुल 559221 किसानों को रु. 7499.46 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है।

वर्ष 2019-20 में दिनांक 15.01.2020 तक 46.87 लाख मी0 टन धान की खरीद की गयी है।

मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत मक्का की खरीद

मक्का का समर्थन मूल्य

कृषकों को उनकी उपज का उचित एवं लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा प्रथम बार मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य पर किसानों से मक्का की खरीद की जा रही है, जिसका समर्थन मूल्य खरीफ विपणन वर्ष 2018-19 में भारत सरकार द्वारा रु. 1760 प्रति कु. निर्धारित किया गया है। प्रदेश में मक्का क्रय की अवधि दिनांक 15.10.2019 से दिनांक 15.01.2020 तक निर्धारित है।

मक्का क्रय केन्द्रों की संख्या

मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत मक्का की खरीद हेतु खरीफ वर्ष 2019-20 में व्यापक प्रबन्ध किये गये। खाद्य विभाग द्वारा 102 क्रय केन्द्र स्थापित कर मक्का खरीद का कार्य कराया जा रहा है। दिनांक 15.01.2020 तक निर्धारित क्रय लक्ष्य 01 लाख मी. टन के सापेक्ष 4.6 मी. टन की खरीद की जा चुकी है।

मक्का के मूल्य का भुगतान

कृषकों को उनके मक्का का मूल्य का भुगतान उनके बैंक खातों में सीधे कराने हेतु खाद्य विभाग के विपणन शाखा द्वारा आर.टी.जी.एस. के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है। चेक के माध्यम से भुगतान को मान्यता नहीं प्रदान की गयी है। वर्ष 2019-20 में मक्का खरीद योजना में दिनांक 15.01.2020 तक कुल 05 किसानों को रु. 0.81 लाख का भुगतान किया जा चुका है।

खाद्य एवं रसद विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन हेतु लेखा शाखा से सम्बन्धित क्रियाकलापों का संक्षिप्त विवरण वित्तीय वर्ष 2019-20

लेखा शाखा

लेखा शाखा के अन्तर्गत वित्तीय प्रबंधन हेतु राज्य स्तर पर वित्त नियंत्रक के अधीन दो उप मुख्य लेखाधिकारी, एक लेखाधिकारी, दो सहायक लेखाधिकारी तथा लेखा एवं सम्परीक्षा कर्मचारी वर्ग एवं सम्भाग स्तर पर वरिष्ठ/सम्भागीय लेखाधिकारी और उनके अधीन सहायक लेखाधिकारी तथा लेखा एवं सम्परीक्षा कर्मचारी वर्ग कार्यरत हैं।

कार्यकलाप

1- खाद्य तथा रसद विभाग की विपणन शाखा, आपूर्ति शाखा, पुलिस प्रकोष्ठ एवं स्थानिक प्रतिनिधि, कोलकाता को वित्तीय प्रकरणों में परामर्श देना, वित्तीय नियंत्रण (बजट कन्ट्रोल) लेखा अभिलेखों का अनुरक्षण, अंकेक्षण एवं पर्यवेक्षण करना, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम को सहयोग देना एवं समन्वय बनाये रखना।

2. लेखा शाखा द्वारा कृषक/पंजीकृत समिति/मल्टीसेक्टोरल के माध्यम से खरीदे जाने वाले खाद्यान्न (गेहूँ/धान/मक्का), बोरा आदि के लिये धनराशि की व्यवस्था, खाद्यान्न क्रय हेतु क्रय एजेन्सियों को अग्रिम ऋण की व्यवस्था एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत निर्गत खाद्यान्नों की बिक्री से प्राप्त धनराशि को जमा कराना।

3. रबी एवं खरीफ क्रय योजनान्तर्गत भारत सरकार से प्रासंगिक व्ययों एवं अन्तिम प्रासंगिक व्ययों के निर्धारण हेतु प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित करना एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत अन्तर्राज्यीय संचलन, उठाई-धराई तथा उचित दर विक्रताओं के देय मार्जिन मनी हेतु अनुमन्य दर पर भारत सरकार से केन्द्रीय सहायता के रूप में प्राप्त होने वाली धनराशि (प्रतिपूर्ति) हेतु विपत्र प्रेषित करना।

4. भारत सरकार की सार्वजनिक वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (पी.एफ.एम.एस.) को सुदृढ़ रूप से लागू किया जाना तथा कृषकों को उनकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य पी.एफ.एम.एस. के माध्यम से किसानों के खुले खाते में उपलब्ध कराया जाना।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में खाद्य तथा रसद विभाग की वित्तीय एवं आर्थिक स्थिति :

- **लेखाशीर्षक ''2408'' अधिष्ठान व्यय**

  खाद्य तथा रसद विभाग के अधिष्ठान का व्यय लेखाशीर्षक ''2408 01 001 03'' से वहन किया जाता है।

- **लेखाशीर्षकवार आय-व्ययक प्रावधान का विवरण :**

लेखाशीर्षक	प्रावधानित धनराशि (लाख रु. में)
2408 01 001 02 एफ.पी.एस. ऑटोमेशन एवं डी.बी.टी. योजना	100.00
2408 01 001 03 अधिष्ठान व्यय (मतदेय)	29517.42
2408 01 001 03 अधिष्ठान व्यय (भारित)	3.50
लेखाशीर्षक ''2408'' राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013	
2408 01 001 04 01 राज्य खाद्य आयोग	287.42
2408 01 001 04 02 जिला शिकायत निवारण कार्यालय	530.57
2408 01 001 04 03 शिकायत निवारण प्रणाली	12.10
2408 01 001 04 04 पात्र गृहस्थियों के चिन्हीकरण हेतु सर्वेक्षण	0.04
2408 01 001 04 05 खाद्य सुरक्षा की अनुपलब्धता पर खाद्य सुरक्षा भत्ता	30.00
2408 01 001 04 06 खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने वाले तंत्र पर सतर्कता समितियों द्वारा निगरानी	0.01
2408 01 001 04 09 राशन कार्डों दर्ज यूनिट की आधार सीडिंग	100.00
योग	960.14

विधिक माप विज्ञान (बाट तथा माप) विभाग

विभाग का परिचय

बांट और माप के मानकों के निर्धारण, अन्तर्राज्यीय व्यापार में बाट-माप का नियंत्रण तथा वस्तुओं के तौल-माप में विक्रय या वितरण के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 प्रख्यापित किया गया एवं इस अधिनियम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्गत विभिन्न नियमों यथा- विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 2011 आदि एवं उक्त अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रख्यापित उ.प्र. विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली, 2011 के अधीन कार्य किया जाता है।

विधिक माप विज्ञान विभाग के प्रमुख कार्य

- उपभोक्ता के हित संरक्षण के दृष्टिगत व्यापारिक लेन-देन में प्रयुक्त होने वाले बाँट माप, तौलने मापने के उपकरणों के मानकीकरण हेतु सत्यापन/मुद्रांकन एवं नियत कालिक पुनः सत्यापन/ मुद्रांकन करना।
- विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 तथा उत्तर प्रदेश विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली, 2011 के अन्तर्गत प्रवर्तन कार्य, जिसमें अमानक बाट-माप तथा तौलने मापने के उपकरणों का प्रयोग, कम तौलना एवं मापना आदि पाये जाने पर उपरोक्त अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधानों के अन्तर्गत चालान/अभिग्रहण करना।
- विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम- 2011 के प्रावधानों के अन्तर्गत पैकेज में रखी वस्तुओं पर वांछित घोषणाओं, पैकेज वस्तु की शुद्ध मात्रा, पैकेज पर अंकित अधिकतम विक्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर विक्रय आदि की जांच करना एवं अनियमितता पाये जाने पर नियमों के अन्तर्गत चालान/अभिग्रहण करना।
- उपरोक्तानुसार पकड़े गये मामलों में शमनीय मामलों को सम्बन्धित द्वारा शमन हेतु आवेदन करने पर विभागीय स्तर पर शमन कर निस्तारित करना, शमन द्वारा निस्तारित न कराये गये एवं अशमनीय मामलों को न्यायालय में दाखिल/निवेशित करना।

विभागीय रूपरेखा

विधिक माप विज्ञान (बांट तथा माप) विभाग, उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में स्थापित है तथा इस विभाग के विभागाध्यक्ष के पद पर प्रशासनिक सेवा (आई.ए.एस.) संवर्ग के अधिकारी विभागाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं।

शासन के आदेश सं0 853/84-1-2008-02 स्था0/2005 लखनऊ दिनांक 11 जून, 2008 के द्वारा सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश को तीन जोन में विभाजित किया गया तथा विभाग में कार्यरत तीन उपनियंत्रकों को क्षेत्रीय अधिकारी तैनात किया गया है। क्षेत्रीय अधिकारियों का मुख्यालय क्रमशः लखनऊ, अयोध्या तथा मेरठ है। उक्त तीन क्षेत्रों में लखनऊ क्षेत्र के अन्तर्गत लखनऊ, कानपुर, आगरा, अलीगढ़, झाँसी, चित्रकूटधाम एवं मेरठ क्षेत्र के अन्तर्गत मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, सहारनपुर तथा अयोध्या

क्षेत्र के अन्तर्गत अयोध्या, देवीपाटन, वाराणसी, विन्ध्याचल, गोरखपुर, बस्ती, प्रयागराज एवं आजमगढ़ संभाग को समाविष्ट किया गया है। जहां संभागीय सहायक नियंत्रक तैनात हैं।

सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में कुल 151 ज्येष्ठ निरीक्षक/निरीक्षक कार्यालय/कार्यमानक प्रयोगशालायें स्थापित हैं। जिनमें 86 जनपद मुख्यालयों तथा 65 तहसील मुख्यालयों/बड़े कस्बों में स्थापित हैं। ज्येष्ठ निरीक्षक/निरीक्षक कार्यालय एवं कार्यमानक प्रयोगशालाओं में ज्येष्ठ निरीक्षक/निरीक्षक तथा उनकी सहायता के लिये लिपिक वर्ग एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी कार्यरत हैं। संभागीय मुख्यालयों में 10, द्वितीय मानक प्रयोगशालायें स्थापित हैं। जहां द्वितीय मानक प्रयोगशालाओं में स्थापित द्वितीय मानकों से निरीक्षक कार्यालयों में स्थापित कार्यमानकों के सत्यापन/मुद्रांकन की कार्यवाही की जाती है।

बाटों मापों के सत्यापन/मुद्रांकन सम्बन्धी प्रक्रिया

विधिक माप विज्ञान विभाग द्वारा व्यापारिक उपयोग अथवा संरक्षण की दृष्टि से प्रयुक्त होने वाले बांट, माप, तौलने मापने के यंत्रों आदि की शुद्धता की जाँच करते हुए उन्हें नियतकाल में कार्यमानक प्रयोगशालाओं में सत्यापित/मुद्रांकित किया जाता है। प्रदेश में कुल 151 कार्यमानक प्रयोगशालायें स्थापित हैं। इन कार्यमानक प्रयोगशालाओं में कार्यमानक स्थापित हैं। इन कार्यमानक तुलाओं द्वारा विभिन्न व्यापारियों द्वारा प्रस्तुत किये गये बांट माप, तौलने मापने के यंत्रों आदि का विधिवत सत्यापन एवं मुद्रांकन की कार्यवाही की जाती है।

शिविर कार्यालयों का आयोजन

राज्य में स्थापित विभिन्न कार्यमानक प्रयोगशालाओं में बाट माप के सत्यापन/मुद्रांकन की कार्यवाही की जाती है। उक्त के अतिरिक्त भी व्यापारियों की सुविधा के लिए विभाग द्वारा नियमानुसार घोषित शिविरों में भी व्यापारियों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न बाटों मापों के सत्यापन एवं मुद्रांकन की कार्यवाही की जाती है। इन शिविरों में ज्येष्ठ निरीक्षक/निरीक्षक अस्थायी तौर पर अपने कार्यालय स्थापित करके कार्यमानकों से बाट माप के सत्यापन/मुद्रांकन की कार्यवाही करते हैं।

अनुज्ञप्तिधारियों से सम्बन्धित विवरण

विधिक माप विज्ञान विभाग में विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 एवं उसके अन्तर्गत बनायी गयी उ0प्र0 विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली 2011 के अन्तर्गत बाट माप के निर्माणकर्ता, विक्रयकर्ता एवं मरम्मतकर्ताओं को अनुज्ञापत्र दिये जाने का प्राविधान है तथा इन अनुज्ञप्तिधारियों के अनुज्ञापत्र वर्षानुवर्ष नवीनीकृत किये जाते हैं। निर्माणकर्ता का अनुज्ञापत्र नियंत्रक द्वारा जारी किया जाता है। विक्रयकर्ता अनुज्ञप्तिधारियों एवं मरम्मतकर्ता अनुज्ञप्तिधारियों के अनुज्ञापत्र सम्बन्धी कार्य आदि सम्भागीय अधिकारी (उपनियंत्रक/सहायक नियंत्रक) द्वारा सम्पादित किया जाता है। मरम्मतकर्ता अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा व्यापारियों के बाट माप आदि उपकरणों के मरम्मत का कार्य उनके अनुरोध पर किया जाता है तथा इन उपकरणों को सत्यापन/मुद्रांकन हेतु वरिष्ठ निरीक्षक/निरीक्षक कार्यालय में प्रस्तुत किया जाता है।

उपभोक्ता हेल्पलाइन

उपभोक्ताओं की सहायता के लिए भारत सरकार के तत्वावधान में विभाग द्वारा उपभोक्ताओं की सहायता के लिए राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन का संचालन किया जा रहा है, जिसका टोल फ्री सं.-1800 1800 300 है।

राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तर प्रदेश

उपभोक्ताओं के हितों के श्रेष्ठतर संरक्षण और उपभोक्ता विवादों के सरल प्रक्रिया द्वारा कम लागत में शीघ्र समुचित समाधान के लिए भारतीय संसद द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर, 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का अधिनियम संख्याक 68) पारित किया गया। यह अधिनियम चार अध्यायों में विभक्त है। अधिनियम का अध्याय-1 परिचयात्मक है जिसमें परिभाषाएं व अधिनियम के विस्तार, प्रारंभ और लागू होने संबंधी उपबंध हैं। अध्याय-2 के अन्तर्गत केन्द्र, राज्य एवं जिला स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण परिषद के गठन व उनके उद्देश्य संबंधी उपबंध हैं। उपभोक्ता विवाद प्रतितोष अभिकरणों अर्थात् जिला मंच, राज्य आयोग व राष्ट्रीय आयोग के गठन, अधिकारिता व उनकी कार्य प्रक्रिया आदि से संबंधित उपबंध हैं। अध्याय-4 के अन्तर्गत प्रकीर्ण व्यवस्थाओं संबंधी उपबंध हैं, जिनमें अधिनियम की विभिन्न धाराओं में अंतर्विष्ट उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए केन्द्रीय सरकार व राज्य सरकार को अधिसूचना द्वारा नियम बनाये जाने की शक्तियां प्रदान किये जाने संबंधी प्रावधान हैं। इसी प्रावधान के अन्तर्गत अधिनियम की धारा-30 की उपधारा-2 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या-सी.पी.-72/29-10-सी.पी.(8)-87 दिनांक 31 अगस्त, 1987 के माध्यम से उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, 1987 प्रख्यापित की गयी है।

संगठनात्मक ढांचा

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 9 में त्रिस्तरीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष अभिकरणों की स्थापना के उपबंध हैं जिसके अन्तर्गत राष्ट्र स्तर पर 'राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग' नई दिल्ली तथा प्रत्येक राज्य की राजधानी में ''राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग- एवं प्रत्येक जिले में कम से कम एक 'जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच' गठित किये जाने का प्रावधान है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग को संक्षेप में 'राष्ट्रीय आयोग', राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग को 'राज्य आयोग' व जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच को संक्षेप में 'जिला मंच' या जिला फोरम के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय आयोग की स्थापना संबंधित प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके की जाती है। यह अधिनियम दंडात्मक या निरोधक स्वरूप न होकर क्षतिपूरक स्वरूप का है।

माल या सेवा का मूल्य और दावाकृत प्रतिकर की धनराशि के योग के आधार पर अधिनियम की धारा-11(1) के अनुसार रु. 20 लाख तक के मामले जिला मंचों में धारा 17(1)(क) के अनुसार रु. 20 लाख के ऊपर से रु. 1 करोड़ तक के मामले व जिला मंचों के निर्णयों के विरुद्ध अपीलें राज्य आयोग में और धारा 21(क) के अनुसार रु. 1 करोड़ से ऊपर के मामले व राज्य आयोग के

निर्णयों के विरुद्ध अपीलें राष्ट्रीय आयोग में पंजीकृत किये जाने का प्रावधान है। अधिनियम की धारा 23 में राष्ट्रीय आयोग के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील किये जाने का प्रावधान है।

प्रदेश में राज्य आयोग/जिला मंचों की स्थापना

उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, 1987 के प्रख्यापन के पश्चात् उपभोक्ता विवाद संबंधी न्यायिक मामलों के समुचित समाधान हेतु दिनांक 5.2.1988 को राजधानी लखनऊ में राज्य आयोग और तत्कालीन 12 मण्डलीय मुख्यालयों- आगरा, बरेली, मुरादाबाद, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, अयोध्या, झांसी, कानपुर नगर, मेरठ, नैनीताल एवं देहरादून में राज्य सरकार द्वारा जिला मंचों की स्थापना की गई।

उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवम् आवश्यक वस्तु निगम

संक्षिप्त परिचय

उ.प्र. राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम की स्थापना कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत 22 अक्टूबर, 1974 को हुई थी, स्थापना के समय इस निगम को एक करोड़ की अधिकृत अंशपूँजी तथा 50 लाख रुपये की प्रदत्त अंशपूँजी स्वीकृत की गयी थी। वर्तमान में निगम की अधिकृत अंशपूँजी बढ़कर रुपया 5 करोड़ हो गयी है, जिसके विरुद्ध प्रदत्त अंशपूँजी भी रुपया 5 करोड़ हो गयी है तथा अंशपूँजी के विरुद्ध अग्रिम (आवेदन राशि) रुपया 733.86 लाख है।

1. गतिविधियाँ/कार्यकलाप

निगम का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुओं को उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराना, खाद्यान्नों, तेलों, बीजों तथा अन्य कृषि उत्पादों की खरीद, भण्डारण, संचालन, वितरण तथा विक्रय करना एवं रबी/खरीफ क्रय योजना के माध्यम से किसानों को मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत उचित मूल्य दिलाना है, इसके साथ ही भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा सौंपे गये इसी प्रकार के अन्य कार्यों को भी सम्पन्न करना इस निगम का अनुषांगिक उद्देश्य है।

वर्तमान में निगम द्वारा प्रदेश के 15 जनपदों- हरदोई, लखीमपुर-खीरी, पीलीभीत, बरेली, शाहजहाँपुर, मुरादाबाद, सम्भल, अमरोहा, बदायूँ, रामपुर, बिजनौर, रायबरेली, उन्नाव, अलीगढ़ एवं हाथरस में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, अन्त्योदय अन्न योजना एवं मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत गेहूँ तथा चावल के उठान एवं स.स.ग. विक्रेताओं को वितरण किये जाने सम्बन्धी कार्य तथा शासन की मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत गेहूँ/धान की खरीद का कार्य प्रमुख रूप से किया जा रहा है इसके साथ ही लखनऊ में कुकिंग गैस की एक एजेन्सी का संचालन भी किया जा रहा है।

2. कार्मिक विवरण

निगम में प्रबन्ध निदेशक महाप्रबन्धक एवं वित्त नियंत्रक के पदों पर शासन से प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी तैनात किये जाते हैं।

निगम में दिनांक 30.09.2019 को कुल 395 अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं, जिसमें शासन द्वारा प्रथम श्रेणी अधिकारियों की संख्या 2 तथा द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों की संख्या 0, तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की संख्या 227 तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की संख्या 166 है। इसके अतिरिक्त कर्मचारी कल्याण निगम से वाडी शापिंग के आधार पर 55 कर्मचारियों से निगम में कार्य कराया जा रहा है।

3. नीतिगत महत्त्वपूर्ण निर्णय

निगम के निदेशक मण्डल द्वारा पारित निर्णय तथा निगम के आर्टिकिल्स ऑफ एसोसिएशन के अन्तर्गत उल्लिखित प्राविधानों के तहत निगम द्वारा संचालक मण्डल की बैठकों में आवश्यक निर्णय लिये जाते हैं ताकि निगम के कार्यकलापों को सुचारु ढंग से चलाया जा सके। भारत सरकार एवं राज्य सरकार की अन्य योजनाओं में राज्य सरकार के निर्णय/निर्देशानुसार एवं शासनादेशों के अनुसार महत्त्वपूर्ण कार्य निगम द्वारा किया जाता है। चूँकि उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो के नियंत्रणाधीन है। अतः समय-समय पर शासन के सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार निगम द्वारा कार्य किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम

परिचय

स्थापना	The warehousing Corporations Act, 1962 के अधीन राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1958 में स्थापित।		
अंशधारी	राज्य सरकार तथा CWC का 50:50 का अंश।		
अधिकृत अंशपूँजी	20.00 करोड़।		
प्रदत्त अंशपूँजी	10.79 करोड़।		
निगम के क्षेत्रीय कार्यालय	13		
निगम के कुल भण्डारगृह व कुल भण्डारण क्षमता	**वर्ष**	**भण्डार गृहों की संख्या**	**भण्डारण क्षमता (लाख मै०टन)**
	स्वनिर्मित	111	25.13
	किराये पर	15	2.65
	पी०ई०जी० अंतर्गत	30	11.51
	योग	156	39.29
विभागीय वेबसाइट	www.upswc.com		

मुख्य कार्यकलाप

1. कृषि उपज, बीज उर्वरक तथा अन्य अधिसूचित वस्तुओं के वैज्ञानिक भण्डारण एवं परिवहन की व्यवस्था करना।
2. वस्तुओं के क्रय विक्रय, भण्डारण एवं वितरण हेतु राज्य सरकार, केन्द्रीय भण्डारण निगम, किसी सरकारी कम्पनी अथवा सहकारी समिति के एजेन्ट के रूप में कार्य करना।
3. सहकारी संस्थाओं तथा किसानों को भण्डारण शुल्क में क्रमशः 10 प्रतिशत एवं 30 प्रतिशत की छूट।
4. कृषक प्रसार सेवा योजना/Farmer Extension Service Scheme (FESS) का संचालन जिसके तहत कृषकों को उनके अनाज के भण्डारण एवं उनकी सुरक्षा के उद्देश्य से निगम में कार्यरत कुशल तकनीकी कार्मिकों द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षित किया जाता है।
5. कीट परिनाशक सेवा/Disinfestation Extension Service Scheme (DESS) का संचालन जिसके तहत निगम द्वारा किसानों, व्यापारियों, संस्थाओं आदि के घरों, गोदामों आदि में भण्डारित जिन्सों आदि की व्यवस्था मामूली शुल्क रु. 9.50/-प्रतिटन लेकर की जाती है।

विशिष्ट उपलब्धियाँ

निगम द्वारा अर्जित की गयी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिये वर्ष 2017-18 में दैनिक भास्कर द्वारा इण्डिया प्राईड अवार्ड एवं वर्ष 2018-19 के लिये स्कॉच ग्रुप द्वारा स्कॉच आर्डर ऑफ मेरिट के अन्तर्गत गोल्ड अवार्ड तथा वर्ष 2018-19 में आर्थिक अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली द्वारा निमग की विशिष्ट उपलब्धियों के लिए सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेन्व व वर्ष 2019-20 में निगम की विशिष्ट उपलब्धियों के लिए इन्टरनेशनल आईकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया है।

वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 तक की उपलब्धियां

भण्डारण क्षमता -

क्र०सं०	वर्ष	भण्डारण क्षमता (लाख मै०टन)	उपयोगिता का प्रतिशत
1.	2017-18	38.57	82.08
2.	2018-19	44.63	92.78
3.	2019-20	40.62	85.89
4.	2020-21 (माह-अप्रैल, 2020)	39.29	83.54

गेहूं/चावल भण्डारण की वर्षवार स्थिति-

क्र०सं०	वर्ष	गेहूं (लाख मै०टन)	चावल (लाख मै०टन)	योग
1.	2017-18	26.67	18.32	44.99
2.	2018-19	37.65	20.41	58.06
3.	2019-20	26.15	21.18	47.33
4.	2020-21	17.15	-	17.15

पी०ई०जी० योजनान्तर्गत निजी सहभागियों द्वारा निर्मित क्षमता का वर्षवार विवरण-

क्र०सं०	वर्ष	केन्द्र का नाम	क्षमता (मी०टन)
1.	2017-18	इटावा	25000
		झांसी	15000
2.	2018-19	औरैया	40000
3.	2019-20	मैनपुरी-I	10000
		मैनपुरी-II	15000
		सोनभद्र	58000
		संतकबीर नगर	20000

वर्ष 2020 से वर्ष 2021 के लक्ष्य

सोलर प्लांट (ग्रिड कनेक्टेड)

निगम मुख्यालय भवन पर 20 किलोवाट सोलर प्लांट (ग्रिड कनेक्टेड) लगवाया जाना प्रस्तावित है, जिस पर रु0 13.50 लाख एवं अनुसांगिक व्यय रु0 40,500.00 कुल रु0 13,90,500.00 मात्र का व्यय अनुमानित है। उ0प्र0 शासन की मंशा के अनुरूप पर्यावरण के अनुकूल सोलर पैनल से विद्युत उत्पादन किया जा सकेगा एवं विद्युत उत्पादन करके निगम के विद्युत व्यय को कम किया जा सकेगा।

निगम के 30 वर्ष पुराने 76 गोदामों की छतों पर ए0सी0 शीट के स्थान पर प्री-कोटेड गैल्वनाइज्ड जी0आई0 जिंक कोटेड शीट्स लगाया जाना प्रस्तावित है।

डब्ल्यू0डी0आर0ए0

किसानों को अधिक से अधिक भण्डारण की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से **निगम द्वारा अपने** 08 और भण्डारगृहों को डब्ल्यू0डी0आर0ए0 **में पंजीकृत कराया गया है तथा** 13 **और भण्डारगृहों को** (डब्ल्यू0डी0आर0ए0) भण्डारागार विकास विनियामक प्राधिकरण में पंजीकरण की कार्यवाही प्रक्रिया में है।

मोबाइल धर्मकांटा

निगम द्वारा 12 केन्द्रों पर मोबाइल धर्मकांटों की स्थापना की गयी है, जिसका उपयोग एक से अधिक केन्द्रों पर किया जायेगा तथा आलोच्य वर्ष में ठाकुरद्वारा एवं कोंच केन्द्र पर मोबाइल धर्मकांटा लगाया जाना प्रस्तावित है।

आनलाइन धर्मकांटा

निगम के केन्द्रों पर स्थापित धर्मकांटो को आनलाइन कराया जा रहा है, जिससे नाप-तौल का सुपरविजन प्रधान कार्यालय स्तर से किया जायेगा।

सी0सी0टी0वी0 कैमरे

निगम के 13 क्षेत्रीय कार्यालयों व 111 स्वनिर्मित केन्द्रों में से 07 क्षेत्रीय कार्यालयों व 53 केन्द्रों पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से सी0सी0टी0वी0 कैमरों को लगवाया गया है, शेष 06 क्षेत्रीय कार्यालयों व 57 केन्द्रों पर आगामी वर्षों में सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगवाये जाने हैं।

सरकार की योजनाओं में निगम का योगदान

डब्ल्यू0डी0आर0ए0 में पंजीकरण

भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा कृषकों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से डब्ल्यू0डी0आर0ए0 (गोदाम विकास नियामक प्राधिकरण) का गठन भण्डारगृहों के विकास एवं भण्डारण के व्यवसाय में सुव्यवस्थित विकास को बढ़ावा देने हेतु किया गया है, सरकार की मंशा के अनुरूप उ0प्र0 राज्य भण्डारण निगम द्वारा अपने भण्डारगृहों को डब्ल्यू0डी0आर0ए0 में पंजीकरण कराया गया है, उक्त भण्डारगृहों में कृषकों द्वारा अपने कृषि उत्पादों को भण्डारित करने पर उन्हें एन0डब्ल्यू0आर0 (निगोशियेबिल वेयरहाउसिंग रसीद) का लाभ प्राप्त होगा। कृषक एन0डब्ल्यू0आर0 को बंधक रखकर किसी भी बैंक से ऋण प्राप्त कर सकता है अथवा एन0डब्ल्यू0आर0 को किसी अन्य को बेचकर उससे एन0डब्ल्यू0आर0 में उल्लिखित कृषि उत्पाद का मूल्य प्राप्त कर सकता है। निगम द्वारा अधिक से अधिक कृषकों को

लाभान्वित करने के उद्देश्य से 08 भण्डारगृहों को डब्ल्यू0डी0आर0ए0 में पंजीकरण कराया जा चुका है तथा 13 और भण्डारगृहों को डब्ल्यू0डी0आर0ए0 में पंजीकृत कराये जाने की कार्यवाही प्रक्रिया में है। इस प्रकार उ0प्र0 राज्य भण्डारण निगम द्वारा कृषकों के उपज का भण्डारण प्रारम्भ करके भारत सरकार एवं उ0प्र0 सरकार की नीति के अनुरूप कृषकों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया जा रहा है।

मूल्य समर्थन योजना एवं सार्वजनिक वितरण योजना

सरकार की मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत क्रय किये गये गेहूँ स्टाक एवं धान से निर्मित चावल स्टाक का अधिकांश भण्डारण निगम द्वारा अपने भण्डारगृहों में किया जा रहा है तथा उक्त स्टाक को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत निकासी दी जा रही है। इस प्रकार निगम द्वारा सरकार की मूल्य समर्थन योजना एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में महत्त्वपूर्ण योगदान देकर उसे सफल बनाया जा रहा है।

सरकार की मंशा के अनुरूप निगम के कार्यों को पारदर्शी एवं सुविधाजनक बनाये जाने हेतु निम्नलिखित कार्य कराये गये/कराये जा रहे हैं-

पारदर्शिता

1. निगम के समस्त टेण्डर ई-टेण्डरिंग के माध्यम से कराये जा रहे हैं।
2. निगम के उपयोगार्थ समस्त वस्तुएं Government e Market (GeM) के माध्यम से क्रय की जा रही हैं।
3. निगम के प्रधान कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय/भण्डारगृहों के दिन-प्रतिदिन के कार्यों को आनलाइन किया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत भण्डारगृहों के प्रत्येक कार्य दिवस की प्राप्ति/निकासी का लाइव विवरण निगम के साफ्टवेयर के माध्यम से क्षेत्रीय कार्यालयों/प्रधान कार्यालय व केन्द्रीय भण्डारण निगम तथा भारतीय खाद्य निगम को प्राप्त होगा।
4. निगम कार्मिकों की उपस्थिति हेतु निगम के प्रधान कार्यालय पर बायोमैट्रिक मशीनें लगायी जा चुकी हैं तथा क्षेत्रीय कार्यालयों एवं भण्डारगृहों पर बायोमैट्रिक मशीनें लगाये जाने की कार्यवाही प्रक्रिया में है।

सरकार की मंशा के अनुरूप निगम द्वारा पर्यावरण संरक्षण हेतु निम्नलिखित कार्य कराये गये/कराये जा रहे हैं-

पर्यावरण संरक्षण

1. निगम के प्रधान कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालयों/भण्डारगृहों में खाली पड़ी भूमि पर वृक्षारोपण किया गया है।
2. पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से निगम द्वारा अपने प्रधान कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालयों/भण्डारगृहों पर सोलर प्लान्ट लगवाये जाने का निर्णय लिया गया है।
3. निगम के भण्डारगृहों के गोदामों की छतों पर प्रयुक्त हो रहीं Asbestos Cement Roof Sheet के स्थान पर प्री-कोटेड गैल्वनाइज्ड जी0आई0 जिंक कोटेड शीट्स लगवाये जाने का निर्णय लिया गया है।

●

समाज कल्याण

समाज कल्याण विभाग का मूल उद्देश्य वर्तमान सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में निर्बल वर्गों के चतुर्दिक विकास की योजनायें बनाना एवं उनको उक्त वर्ग के हितार्थ क्रियान्वित करना है।

शिक्षा, व्यक्ति अथवा समाज की उन्नति की कुंजी है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, विमुक्त जातियों में शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करने की योजना का संचालन इन वर्गों के लिए किया जा रहा है। प्राइमरी स्तर से स्नातकोत्तर स्तर, प्राविधिक एवं तकनीकी शिक्षा एवं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु समाज कल्याण विभाग अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करता है।

छात्रवृत्ति प्रदान करने के साथ-साथ इन निर्बल वर्गों के छात्रों को आवासीय सुविधा प्रदान करने हेतु जिला मुख्यालयों पर छात्रावासों का निर्माण एवं संचालन भी इसी उद्देश्य विशेष की कड़ी के रूप में समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है। यही नहीं बल्कि अत्यन्त निर्धन परिवार जो अपने प्रतिदिन की भोजन व्यवस्था करने में असमर्थ एवं अनिश्चित भविष्य के शिकार होते हैं, ऐसे परिवारों के बच्चों हेतु समाज कल्याण विभाग, आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन करता है। इन विद्यालयों में गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के साथ-साथ भोजन, कपड़ा एवं आवास भी राज्य सरकार उपलब्ध कराती है।

विभाग के मूल उद्देश्य, कार्यक्रम एवं उपलब्धियाँ

वर्तमान में समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सेक्टर के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों/विमुक्त जातियों के कल्याण हेतु विभिन्न कल्याणकारी योजनाएँ चलाई जा रही हैं, जिन्हें मुख्यतः शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक एवं अन्य योजनाओं के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का मुख्य उद्देश्य यह है कि सदियों से पिछड़े व उपेक्षित, असहाय एवं दुर्बल लोगों का जीवन स्तर इस योग्य बनाया जा सके कि वे भी समाज के अन्य विकसित एवं उन्नत लोगों की बराबरी के स्तर पर आ सकें तथा खुशहाली का जीवन व्यतीत करने के लिए उन सभी आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति उन्हें की जा सके, जिसके लिए वे स्वतन्त्र भारत के नागरिक होने के नाते प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में छात्रवृत्ति योजना, बुक-बैंक योजना, विद्यालयों को अनुदान, राजकीय आश्रम पद्धति, विद्यालयों एवं छात्रावासों की स्थापना तथा उत्पीड़न की घटनाओं में आर्थिक सहायता, पुत्रियों की शादी एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों की बीमारी हेतु अनुदान दिया जाना मुख्य है। अनुसूचित जाति सब-प्लान के अन्तर्गत अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास

निगम द्वारा स्वतः रोजगार योजना, निःशुल्क भूमि/दुकान निर्माण/अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं के विकास की योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा निःशुल्क बोरिंग भी संचालित की जा रही है। उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम द्वारा विभागीय निर्माण कार्यों का सम्पादन किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुसूचित जातियों एवं विमुक्ति जातियों के कल्याण हेतु अनुदान संख्या-80 के लेखा शीर्षक 2225 के राजस्व लेखा में रु. 149564.02 लाख का आय-व्ययक प्रावधान है। अनुदान संख्या-83 के लेखा शीर्षक 2225 के राजस्व लेखा में रु. 205701.19 लाख, लेखा शीर्षक 4225 पूँजी लेखा में रु. 34440.40 लाख तथा लेखा शीर्षक 6225 में रु. 400.40 लाख का आय-व्ययक प्रावधान है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय अंश को सम्मिलित करते हुए अनुदान संख्या-80 में रु. 98014.70 लाख एवं अनुदान संख्या-83 में रु. 105570.00 लाख कुल रु. 203584.70 लाख छात्रवृत्ति दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

शैक्षिक कार्यक्रम

प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के अनुसूचित जाति के छात्रों को शिक्षा के प्रति अभिप्रेरित करने एवं उन्हें समाज में प्रतिष्ठापरक स्थान दिलाने के उद्देश्य से इन वर्गों के बालक/बालिकाओं को प्रत्येक स्तर पर छात्रवृत्ति दिये जाने की योजना संचालित की जा रही है। क्योंकि सरकार का यह मत है कि किसी भी समुदाय से शिक्षा का प्रचार-प्रसार उसके चतुर्दिक विकास की कुंजी है। योजना के प्रारम्भ में छात्रवृत्ति स्वीकृति एवं वितरण का कार्य जनपद स्तर पर किया जाता था किन्तु अक्टूबर 1991 में इस प्रक्रिया को विकेन्द्रीकृत करते हुए विद्यालय को स्वीकृति एवं छात्रवृत्ति वितरण हेतु अधिकार प्रदान किया गया था। वर्तमान में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक योजना संचालित नहीं है।

छात्रवृत्ति योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाने, भ्रष्टाचार दूर करने तथा समस्त पात्र लाभार्थियों को त्वरित गति से लाभ पहुँचाने हेतु छात्रवृत्ति वितरण प्रणाली की सम्पूर्ण प्रक्रिया का शैक्षिक सत्र 2007-08 से कम्प्यूटरीकरण किया गया। उत्तर प्रदेश शासन समाज कल्याण अनुभाग-3 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2207/26-3-2012-4(358)/07-टी0सी0-2, दिनांक 26.09.2012 के द्वारा प्रदेश में वितरित की जा रही समस्त छात्रवृत्तियों को निर्धारित समयान्तर्गत वितरण करने एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली-2012 जारी की गयी है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति नियमावली (चतुर्थ संशोधन) दिनांक 14.04.2016 तथा षष्टम संशोधन दिनांक 26.06.2018 जारी किया गया है। वर्तमान में पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (पी.एफ.एम.एस.) साफ्टवेयर के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में धनराशि अंतरित की जा रही है।

कक्षा 9 से 10 एवं दशमोत्तर कक्षाओं में अनुसूचित जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति सम्बन्धी अर्हता का निर्धारण केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है एवं वर्तमान में केन्द्र सरकार द्वारा 2,50,000/- रुपये वार्षिक अभिभावकों की आय सीमा वाले छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति दिये जाने की सीमा निर्धारित है। कक्षा 9 से 10 तक पूर्वदशम छात्रवृत्ति की दरें निम्नवत् हैं :

	कक्षा 9 से 10 मासिक दर
अनुसूचित जाति/	**अनावासीय छात्रों हेतु**
	रु. 225/- प्रतिमाह (10 माह हेतु) तथा रु. 750/- एक मुश्त अनुदान
	आवासीय छात्रों हेतु
	रु. 350/- प्रतिमाह (10 माह हेतु)
	रु. 1000/- एक मुश्त अनुदान

दशमोत्तर कक्षाओं में काशनमनी एवं इस प्रकार के ऐसे समस्त शुल्क जो संस्था में पढ़ने वाले छात्रों को संस्था द्वारा वापस किये जाते हैं, को छोड़कर शेष समस्त राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित शुल्कों की प्रतिपूर्ति विभाग द्वारा छात्रों को की जाती है। शुल्क प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति योजना का ही अंग है एवं उसी मद से ही इसका भुगतान होता है। वर्ष 2013-14 से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्रों द्वारा अनिवार्य ऑनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी है।

पूर्वदशम कक्षा 9 व 10 के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति

कक्षा 9-10 अनुसूचित जाति पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना केन्द्र पुरोनिधानित योजना है। इसमें शत प्रतिशत वित्तीय व्यवस्था केन्द्र सरकार के माध्यम से वर्ष 2012-13 से सुनिश्चित हो रही है। वित्तीय वर्ष 2019-20 से योजना में वित्तीय पद्धति 60 प्रतिशत केन्द्रांश व 40 प्रतिशत राज्यांश किया गया है। योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं की जिनके माता-पिता अभिभावक की वार्षिक आय रु. 2.50 लाख तक है, उन्हें छात्रवृत्ति दिये जाने की व्यवस्था है। वर्ष 2014-15 में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के स्तर से जारी शासनादेश संख्या-966, दिनांक 20.06.2014 के क्रम में छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था की गयी है। शासनादेश संख्या-1539/26-3-2014-4(215)/90-टी0सी0-1, दिनांक 10.09.2014 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार वित्तीय वर्ष 2014-15 से पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (पी.एफ.एम.एस.) सॉफ्टवेयर के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में धनराशि अंतरित की जा रही है।

योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 20500.00 लाख का प्रावधान है तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु. 20500.00 लाख का प्रावधान है।

अस्वच्छ पेशा छात्रवृत्ति

अस्वच्छ पेशा छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 100.00 लाख का प्रावधान था तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु. 0.00 लाख का प्रावधान है।

अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति

दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2018-19 से दशमोत्तर कक्षाओं में पढ़ने वाले जिन छात्र/छात्राओं के अभिभावकों की वार्षिक आय सीमा रु. 2.50 लाख (रु. दो लाख पचास हजार मात्र) तक है, उन्हें उत्तर प्रदेश शासन समाज कल्याण अनुभाग-3 से दिनांक 14.04.2016 व समय-समय पर संशोधित नियमावली के

अनुसार निम्नानुसार छात्रवृत्ति दिये जाने की व्यवस्था की गई है। इस नियमावली के अनुसार छात्र/छात्राओं को अनुमन्य अनुरक्षण भत्ता व शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि शैक्षणिक संस्था के समीपस्थ स्थित बैंक में खोले गये उनके बचत खाते में पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (पी.एफ.एम.एस.) सॉफ्टवेयर के माध्यम से अंतरित की जा रही है।

क्र.सं.	ग्रुप का नाम	छात्रवृत्ति की दरें	
		अनावासीय	छात्रावासी
1	2	3	4
1	ग्रुप-1	550/-	1200/-
2	ग्रुप-2	530/-	820/-
3	ग्रुप-3	300/-	570/,-
4	ग्रुप-4	230/-	380/-

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को मेरिट उच्चीकृत छात्रवृत्ति दिये जाने की केन्द्र पुरोनिधानित योजना

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को रेमिडियल कोचिंग प्रदान करके उनके शैक्षिक अवरोधों को दूर करने के उद्देश्य से यह योजना प्रदेश के 6 जनपदों प्रयागराज, लखनऊ, गोरखपुर, झांसी, आगरा, मुरादाबाद के राजकीय इण्टर कालेजों में वर्ष 1988-89 में शिक्षा विभाग द्वारा संचालित हैं। विभाग को शत-प्रतिशत भारत सरकार द्वारा सहायता दी जाती है। इसके अन्तर्गत प्रति छात्र रु. 15000/- वार्षिक छात्रवृत्ति तथा प्रत्येक विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं 4 अध्यापकों को शिक्षण हेतु रु. 10000/- वार्षिक मानदेय दिये जाने का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 120.00 लाख का प्रावधान है तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु. 120.00 लाख का प्रावधान है।

प्राविधिक शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें

अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के नवयुवकों को तकनीकी ज्ञान कराने हेतु विभाग द्वारा निम्न औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र एवं एक पालीटेक्निक संचालित हैः

1. राजकीय गोविन्द वल्लभ पन्त पालीटेक्निक, मोहान रोड, लखनऊ।
2. राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, बक्शी का तालाब, लखनऊ।
3. राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, लाल डिग्गी पार्क, गोरखपुर।

उपरोक्त केन्द्र राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त है। प्रशिक्षण की अवधि व्यवसाय के अनुसार अलग-अलग है। उपरोक्त संस्थाओं के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 979.88 लाख का प्रावधान है तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु. 1046.49 लाख का प्रावधान है।

विभाग द्वारा सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति के वर्तमान पुस्तकालयों, छात्रावासों और पाठशालाओं का सुधार एवं विस्तार

ऐसे संगठन जो अनुसूचित जाति के बच्चों की शिक्षा में गहरी रुचि लेते हैं और प्राइमरी पाठशालाओं को संचालित कर शिक्षा देते हैं, उन्हें शासन की वित्तीय स्थिति तथा नीतियों के अनुसार आवर्तक अनुदान

दिया जाता है। ऐसी संस्थायें जो अनुसूचित जाति में शिक्षा के प्रसार हेतु वाचनालयों/पुस्तकालयों एवं छात्रावासों की भी सुविधायें देते हैं, उन्हें ही अनुदान दिया जाता है।

अनुदान के लिए स्वैच्छिक संगठनों द्वारा संचालित विद्यालयों में इस बात का विशेष ध्यान दिया जाता है कि इसमें अनुसूचित जाति के छात्रों की संख्या 50 प्रतिशत से कम न हो।

आवर्तक अनुदान प्राप्त प्राइमरी पाठशालाओं में अनुमन्य अध्यापकों के लिए विभाग द्वारा निर्धारित वेतनमान के अनुसार वेतन के समतुल्य धनराशि प्रत्येक वर्ष आवर्तक अनुदान के रूप में प्रदान की जाती हैं।

अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों को राज्य सेवाओं की परीक्षा में परीक्षण योजना

ग्रामीण तथा मध्यम वर्गीय कम आय वाले अनुसूचित जाति, जनजाति के परिवारों के बच्चे प्रतिभावान, मेधावी, लगनशील तथा परिश्रमी होत हुए भी उचित प्रशिक्षण, मार्गदर्शन एवं पाठ्यक्रम से सम्बन्धित उचित पुस्तकों की जानकारी के अभाव में आई0ए0एस0, पी0सी0एस0 परीक्षाओं की गुणवत्ता पूर्ण तैयारी नहीं कर पाते हैं। आई0ए0एस0, पी0सी0एस0 से सम्बन्धित आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के अत्यन्त उच्च कोटि के स्तर तथा अद्यतन परिवर्तित/परिवर्धित होने वाले पाठ्यक्रमों के अनुरूप विषय विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में प्रतिस्पर्धात्मक तैयारी के निमित्त कोचिंग केन्द्र के माध्यम से उक्त वर्ग के अभ्यर्थियों को स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, ताकि इस वर्ग के अभ्यर्थी पूर्ण आत्मविश्वास एवं तैयारी के साथ इन परीक्षाओं में भाग ले सकें एवं इन सेवाओं में इस वर्ग का उचित प्रतिनिधित्व समाहित हो सके। योजना अन्तर्गत प्रशिक्षण केन्द्रों में अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाता है। प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है।

समाज कल्याण विभाग द्वारा वर्तमान में सात पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है-

(1) श्री छत्रपति शाहूजी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान भागीदारी भवन, लखनऊ

यह केन्द्र वर्ष 1997 से संचालित है। इसकी क्षमता 300 प्रशिक्षार्थियों की है, जिसमें 50 प्रतिशत पिछड़ी जाति, 45 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं 5 प्रतिशत जनजाति के अभ्यर्थी होते हैं।

(2) आदर्श पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र (बालिका) अलीगंज, लखनऊ

यह केन्द्र वर्ष 1994 से स्थापित है। इसकी क्षमता 150 प्रशिक्षार्थियों की है, जिसमें 50 प्रतिशत पिछड़ी जाति, 45 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं 5 प्रतिशत जनजाति के अभ्यर्थी होते हैं।

(3) न्यायिक सेवा प्रशिक्षण केन्द्र, इलाहाबाद

यह केन्द्र वर्ष 1979 में प्रारम्भ हुआ है। इस केन्द्र की क्षमता 50 अभ्यर्थियों की है।

(4) सन्त रविदास आई.ए.एस., पी.सी.एस. पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, वाराणसी

केन्द्र का संचालन अगस्त 2008 से प्रारम्भ हुआ है। इसकी क्षमता 200 अभ्यर्थियों की है तथा यह केन्द्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए संचालित है।

(5) डॉ. बी.आर. अम्बेडकर आई.ए.एस., पी.सी.एस. पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, अलीगढ़

अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों हेतु संचालित इस केन्द्र का संचालन 15 जनवरी, 2009 से प्रारम्भ हुआ है। इसकी क्षमता 200 अभ्यर्थियों की है।

(6) डॉ. बी.आर. अम्बेडकर आई.ए.एस., पी.सी.एस. पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, आगरा

अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों हेतु संचालित इस केन्द्र का संचालन 25 जनवरी, 2010 से प्रारम्भ हुआ है। इसकी क्षमता 200 अभ्यर्थियों की है।

(7) आई.ए.एस., पी.सी.एस. कोचिंग केन्द्र निजामपुर हापुड़, गाजियाबाद

इस केन्द्र का संचालन वर्ष 2010-11 से प्रारम्भ किया गया है। यह केन्द्र अनुसूचित जाति के प्रशिक्षार्थियों के लिए है। केन्द्र में 200 अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था है, जिसमें 120 पुरुष अभ्यर्थी तथा 80 महिला अभ्यर्थी हैं।

विमुक्त जातियों के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र

विमुक्त जातियों के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र 01 अप्रैल, 1986 से लालगंज, प्रतापगढ़ में चलाया जा रहा है। इस केन्द्र में विमुक्त जातियों को तीन व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जाता हैः-

1. हैण्डलूम से सूती वस्त्रों की बुनाई,
2. सिलाई का प्रशिक्षण,
3. हिन्दी टंकण का प्रशिक्षण।

प्रत्येक ट्रेड में 15-15 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान 150 रु. प्रति माह की दर से प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 37.62 लाख का प्रावधान है तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु. 40.11 लाख का प्रावधान है।

प्रदेश के अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु विभाग द्वारा राजकीय औद्योगिक आस्थानों का संचालन

प्रदेश में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को शहरी क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने हेतु विभाग द्वारा 09 जनपदों– 1. रामपुर, 2. गाजीपुर, 3. फतेहपुर, 4. हरदोई, 5. रानोपाली (अयोध्या), 6. कालपी (जालौन), 7. मुजफ्फरनगर, 8. रामनगर (वाराणसी) एवं 9. बदायूं में औद्योगिक आस्थान संचालित हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 146.83 लाख का प्रावधान है तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु. 154.28 लाख का प्रावधान है।

राजकीय उन्नयन बस्तियों का रख-रखाव

वर्ष 1924 में ब्रिटिश काल में घोषित अधिनियम के अंतर्गत अपराधी जातियों को बसाने के उद्देश्य से उन्नयन बस्तियों की स्थापना की गयी। स्वतन्त्रता के बाद उन्हें अन्य नागरिकों की भांति स्वतन्त्र कर दिया गया। इनको भूमि तथा कारखाने में कार्य दिलाकर बसाया गया है ताकि वे अपनी प्रवृत्ति को बदल कर कार्य करें एवं रोजी-रोटी में लग कर आदर्श नागरिक के रूप में जीवन-यापन कर सकें।

कल्याणपुर (कानपुर), फजलपुर (मुरादाबाद) तथा साहबगंज (लखीमपुर खीरी) में उपनिवेश बनाकर इस जाति के लोगों को रोजगार एवं खेतीबारी में लगाकर पुनर्वासित किया गया है। इस योजना

में वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 272.06 लाख का प्रावधान है तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु. 286.21 लाख का प्रावधान है।

अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का क्रियान्वयन

उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार संख्या 4,13,57,608 है। इन जातियों के प्रति सामान्य अस्पृश्यता/छुआछूत की भावना को समाप्त करने के उद्देश्य से नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 तथा अनूसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का क्रियान्वयन पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। इस अधिनियम के अंतर्गत उत्पीड़ित अनुसूचित जाति सहायता विभिन्न प्रकार के उत्पीड़न की घटनाओं में न्यूनतम रु. 85,000/- से अधिकतम रु. 8.25 लाख की आर्थिक सहायता विभिन्न चरणों में दिये जाने का प्रावधान किया गया है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 4755.00 लाख का प्रावधान था, वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 25000.00 लाख का प्रावधान है तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु. 25000.00 लाख का प्रावधान है।

जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों का संचालन

प्रदेश में अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, पिछड़ी जाति एवं सामान्य वर्ग के बालक/बालिकाओं के शैक्षिक उत्थान के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों की स्थापना की गयी है।

वर्तमान में समाज कल्याण विभाग द्वारा 66 विद्यालय बालकों हेतु तथा 28 विद्यालय बालिकाओं हेतु कुल 94 जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय संचालित हैं। इनमें से 45 जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों का सी.बी.एस.ई. बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धीकरण कराया जा चुका है। सभी विद्यालयों में शिक्षण, परीक्षा, यूनिफार्म, अवकाश आदि की एकरूपता के उद्देश्य से ''परिप्रेक्ष्य शैक्षिक योजना 2017-18'' लागू की गयी है तथा शिक्षण कार्य को प्रभावी एवं आधुनिकतम रूप से कराये जाने हेतु स्मार्ट-क्लासेस की व्यवस्था कराई जा रही है। इसके अतिरिक्त शत-प्रतिशत अनुदान पर संचालित स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से 3 विद्यालय भी संचालित हैं जिन्हें राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-80 के अंतर्गत अनुसूचित जाति में रु. 3560.99 लाख, विमुक्त जाति में रु. 1293.27 लाख एवं अनुदान संख्या-83 में रु. 15242.16 लाख का प्रावधान था, वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-80 के अंतर्गत अनुसूचित जाति में रु. 3961.10 लाख, विमुक्त जाति में रु. 1426.46 लाख एवं अनुदान संख्या-83 में रु. 19147.63 लाख का प्रावधान था, वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-80 के अंतर्गत अनुसूचित जाति में रु. 4022.98 लाख, विमुक्त जाति में रु. 1486.07 लाख एवं अनुदान संख्या-83 में रु. 19353.29 लाख का प्रावधान है।

समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति सब प्लान के अन्तर्गत उ०प्र० अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम लि० द्वारा संचालित योजनायें

1. पं. दीन दयाल उपाध्याय स्वतः रोजगार योजना

स्वतः रोजगार योजनान्तर्गत प्रदेश में गरीबी की रेखा से नीचे निवास करने वाले अनुसूचित जाति

के परिवारों के स्वरोजगार हेतु कृषि/पशुपालन/लघु सिंचाई/कुटीर उद्योग/यातायात तथा सेवा व्यवसाय के क्षेत्र की सभी परियोजनाओं में वित्त पोषण किया जाता है।

सहायता की सीमा

उद्योग सेवा व्यवसाय की किसी भी परियोजना हेतु अधिकतम रु. 15.00 लाख तक की योजनाओं में वित्तीय सुविधा प्रदान की जाती है। परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अथवा रु. 10,000.00 से जो भी कम हो, अनुदान के रूप में अनुमन्य है, परियोजना लागत का 25 प्रतिशत मार्जिन मनी ऋण 4 प्रतिशत ब्याज दर अनुमन्य है। परियोजना लागत का शेष भाग बैंक ऋण के रूप में गरीब/निर्धन व्यक्तियों को उपलब्ध कराया जाता है।

उपलब्धियाँ

1. पं० दीन दयाल उपाध्याय स्वः रोजगार योजना

पं0 दीन दयाल उपाध्याय स्वः रोजगार योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में 100000 परिवारों को रु. 10,000.00 लाख अनुदान रु. 1600.00 लाख मार्जिन मनी ऋण तथा रु. 38400.00 लाख बैंक ऋण वितरण का लक्ष्य निर्धारित था जिसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2017-18 में 28437 परिवारों को रुपया 2843.70 लाख अनुदान रु. 262.03 लाख मार्जिन मनी ऋण तथा रु. 13152.71 लाख बैंक ऋण प्रदान किया गया।

वित्तीय वर्ष में 2018-19 में 21570 परिवारों को रुपया 2157.00 लाख अनुदान रु. 240.70 लाख मार्जिन मनी ऋण तथा रु. 10622.99 लाख बैंक ऋण प्रदान किया गया।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में माह दिसम्बर 2019 तक 8039 परिवारों को रुपया 803.90 लाख अनुदान रु. 83.87 लाख मार्जिन मनी ऋण तथा रु. 4305.38 लाख बैंक ऋण प्रदान किया गया।

2. नगरीय क्षेत्र दुकान निर्माण योजना

नगरीय क्षेत्र दुकान निर्माण योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के पात्र व्यक्तियों की निजी भूमि पर 8×10 फीट साइज की दुकान बनाने हेतु वित्तीय सहायता रु. 78000/- मैदानी क्षेत्र में रु. 82000/- काली मिट्टी वाले क्षेत्रों में पहाड़ी क्षेत्रों हेतु रु. 85000/- अनुमन्य है। निर्माण लागत में रु. 10,000/- अनुदान तथा शेष धनराशि 10 वर्षों में बिना ब्याज के 120 समान मासिक किश्तों में वसूल की जाती है। योजना का संचालन वर्ष 1985-86 से नगरीय क्षेत्रों में किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में माह मार्च, 2018 तक गत वर्षों की निर्माणाधीन दुकानों सहित 543 दुकानें निर्मित करायी गयी तथा 541 दुकानें निर्माणाधीन है, जिस पर रु. 482.09 लाख की धनराशि व्यय की गयी है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में माह मार्च, 2019 तक गत वर्षों की निर्माणाधीन दुकानों सहित 633 दुकानें निर्मित करायी गयी तथा 466 दुकानें निर्माणाधीन है, जिस पर रु. 455.21 लाख की धनराशि व्यय की गयी है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में माह दिसम्बर, 2019 तक गत वर्षों की निर्माणाधीन दुकानों सहित

287 दुकानें निर्मित करायी गयी तथा 293 दुकानें निर्माणाधीन है, जिस पर रु. 121.84 लाख की धनराशि व्यय की गयी है।

3. कौशल वृद्धि प्रशिक्षण योजना

(क) टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण कार्यक्रम

टंकण एवं आशुलिपि प्रशिक्षण योजना का संचालन निगम के टंकण आशुलिपि प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत प्रति प्रशिक्षार्थी निःशुल्क प्रशिक्षण के साथ ही साथ रु. 50/- से रु. 100/- प्रतिमाह वृत्तिका भी दी जाती है। यह योजना प्रशिक्षार्थियों द्वारा रुचि न लिये जाने के कारण वर्तमान में बन्द है।

(ख) कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना एवं अन्य योजनायें

वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रशिक्षण योजना का संचालन कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत कौशल विकास विभाग के माध्यम से संचालित है। माह फरवरी, 2014 से प्रशिक्षण योजना कौशल विकास मिशन को हस्तान्तरित की जा चुकी है।

4. अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों के आधार भूत सुविधाओं का विकास

यह योजना वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारम्भ की गई है। योजना अनुसूचित जाति सब प्लान के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त शत-प्रतिशत विशेष केन्द्रीय सहायता से संचालित की जाती है। यह योजना निदेशालय, समाज कल्याण उ0प्र0 द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 2500.00 लाख का प्राविधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 2500.00 लाख का प्राविधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु. 5000.00 लाख का प्राविधान है।

6. प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजनाः-

1. अनुसूचित जाति सबप्लान के अन्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता (एस.सी.ए.टू. एस.सी.एस.पी.) से भारत सरकार के सामाजिक और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पी.एम.ए.जी.वाई.) के अन्तर्गत 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति वाले ग्रामों को वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर सीधे चिन्हित करते हुये प्रदेश के कल 1377 ग्रामों का चिन्हीकरण किया गया है।
2. प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के क्रियान्वयन हेतु शासन स्तर पर समाज कल्याण विभाग को नोडल विभाग तथा प्रदेश स्तर पर प्रबन्ध निदेशक, अनुगम को नोडल एजेन्सी नामित किया गया है।
3. चयनित 1377 ग्रामों में कुल 6,06,166 हाउसहोल्ड का आवश्यकतापरक मूल्यांकन कर केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं से अभिसरण के माध्यम से तथा पी.एम.ए.जी.वाई. योजना में प्राप्त अन्तर-पाटन निधि से ग्रामों का समग्र विकास करना है। पी.एम.ए.जी.वाई. योजना में प्रति ग्राम रु. 20.00 लाख की अन्तर-पाटन (गैप फीलिंग) की धनराशि से अवसंरचना सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति की जानी है।

4. वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 5000.00 लाख का प्राविधान किया गया है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 में चयनित 724 ग्रामों हेतु रु. 75.05 करोड़ तथा वर्ष 2019-20 में चयनित 665 ग्रामों हेतु क्रमशः 35.91 करोड़ तथा रु. 31.1935 करोड़ कुल रु. 67.1035 करोड़ की धनराशि अवमुक्त (राज्य सरकार) की गयी है, जिसमें रु. 821.50 लाख प्रशासनिक व्यय मद की धनराशि सम्मिलित है। जिसके सापेक्ष शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 289.50 लाख का धनावंटन किया गया है, जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर 2019 तक रु. 241.35 लाख का व्यय किया जा चुका है।

4. पं० दीनदयाल मसाला आटा/चक्की योजना

अनुसूचित जाति के बी0पी0एल0 श्रेणी की महिला उद्यमी को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाने हेतु पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रदेश के 18 मण्डलीय जनपदों के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में 125 महिला लाभार्थियों हेतु 2250 का भौतिक लक्ष्य एवं रु. 463.50 लाख का वित्तीय लक्ष्य निर्धारित है।

5. निगम के माध्यम से संचालित योजनाओं का सर्वेक्षण, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण

निगम के माध्यम से संचालित योजनाओं के सर्वेक्षण, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में रु. 50.00 लाख (रु. पचास लाख मात्र) का बजट प्राविधान किया गया है।। गत वर्ष की अवशेष धनराशि से रु. 10.00 लाख की धनराशि का व्यय किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्यय में रु. 50.00 लाख (रु. पचास लाख मात्र) का बजट प्राविधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में शासन से रु. 29.23 लाख का धनावंटन प्राप्त हुआ, जिसके सापेक्ष रु. 11.89 लाख की धनराशि का व्यय किया जा चुका है।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम एवं अन्य मुख्य योजनाएं

1. वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना एवं इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा पोषित तथा समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना एवं इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत 60 से 79 वर्ष के आयु वर्ग के वृद्धजनों को शासनादेश संख्या-07/2019/1164/26-2-2019-100(1)/2017, दिनांक 26 जून, 2019 द्वारा वृद्धजनों की पेंशन की धनराशि रु. 400/- प्रति माह प्रति लाभार्थी से बढ़ाकर रु. 500/- प्रति माह प्रति लाभार्थी को दी गयी है। बढ़ी हुई पेंशन की उक्त दर दिनांक 1.1.2019 से प्रभावी है। 60 से 79 वर्ष के आयु वर्ग के वृद्धजनों को दी जाने वाली सहायता धनराशि रु. 500/- में रु. 200/- केन्द्रांश के रूप में भारत सरकार द्वारा एवं रु. 300/- राज्यांश के रूप में राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इसी प्रकार 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के वृद्धजनों को रु. 500/- प्रति माह प्रति लाभार्थी के रूप में भारत सरकार द्वारा आर्थिक सहायता वहन की जाती है।

शासनादेश संख्या-1539/26-3-2014-4(215)/90-टी0सी0-1, दिनांक 10.09.2014

में दी गयी व्यवस्था के अनुसार वित्तीय वर्ष 2014-15 से पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (पी.एफ.एम.एस.) सॉफ्टवेयर के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पेंशन की धनराशि अंतरित की जा रही है।

योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 256000.00 लाख का प्रावधान था, वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 257900.00 लाख का प्राविधान है तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु. 271000.00 लाख का प्राविधान है।

2. राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत गरीबी की रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवार के मुख्य कमाऊ मुखिया की मृत्यु होने पर उसके आश्रित को रु. 30,000/- की एकमुश्त सहायता दिये जाने की व्यवस्था है। मृतक की आयु सीमा 18 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष से कम हो। यह योजना जिलाधिकारी की देखरेख में जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा संचालित की जा रही है। उक्त धनराशि का भुगतान मृतक आश्रित को बैंक खाते के माध्यम से किया जाता है। मृतक आश्रित को दी जाने वाली सहायता धनराशि रु. 20,000/- केन्द्रांश के रूप में भारत सरकार द्वारा तथा रु. 10,000/- राज्यांश के रूप में राज्य सरकार द्वारा अर्थात कुल धनराशि रु. 30,000/- दिया जाना अनुमन्य है। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत धनराशि की अनुपलब्धता होने की दशा में शासनादेश संख्या-1739/26-2-2006 दिनांक 20 जून, 2006 में जनपद स्तर पर योजनान्तर्गत कोषागार नियम-27 (टी.आर.-27) से धनराशि आहरण कर योजना का तत्काल लाभ सुनिश्चित कराये जाने की व्यवस्था की गयी है। शासनादेश संख्या-27/2526/26-2-2015-100(02)/2007, दिनांक 21.11.2015 को अक्रमित कर शासनादेश सं.-20/2016/1468/26.02.2016-100(02)/2007, दिनांक 10.06.2016 द्वारा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत आवेदन स्वीकृति एवं वितरण की ऑनलाइन व्यवस्था की गयी है, जिसके अंतर्गत आवेदन उपरांत लाभार्थियों को उनकी सहायता का भुगतान पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (पी.एफ.एम.एस.) के माध्यम से किया जाता है।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 50000.00 लाख का प्रावधान था, वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 50000.00 लाख का प्राविधान है तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु. 50000.00 लाख का प्राविधान है।

3. सामान्य जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति

सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययन करने वाले सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। शासनादेश संख्या-12(2)/26-3-2013-रिट(23)/2011 दिनांक 07.01.2013 द्वारा 1 जुलाई 2012 से दशमोत्तर कक्षाओं में पढ़ने वाले जिन छात्र/छात्राओं के अभिभावकों की वार्षिक आय सीमा रु. 2.00 लाख (रु. दो लाख मात्र) तक है, उन्हें उत्तर प्रदेश शासन समाज कल्याण अनुभाग-3 के कार्यालय ज्ञाप सं.-12/26-3-2013-रिट(23)/2011, दिनांक 07 जनवरी, 2013 तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 में सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति नियमावली (यथा संशोधन) दिनांक 14.04.2016 द्वारा प्रख्यापित नियमावली के अनुसार निम्नानुसार छात्रवृत्ति दिये जाने की व्यवस्था की गई है। नियमावली में दी गयी व्यवस्था के अनुसार अर्ह छात्र/छात्राओं

को अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति नियमानुसार छात्र/छात्राओं के बैंक खाते में प्रतिपूर्ति की जायेगी। सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना में पाठ्यक्रमों में शुल्क प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा रु. 50000/- निर्धारित की गयी है।

क्र.सं.	ग्रुप का नाम	छात्रवृत्ति की दरें	
		अनावासीय	छात्रावासी
1	2	3	4
1	ग्रुप-1	550/-	1200/-
2	ग्रुप-2	530/-	820/-
3	ग्रुप-3	300/-	570/-
4	ग्रुप-4	230/-	380/-

सामान्य वर्ग पूर्वदशम छात्रवृत्ति

वित्तीय वर्ष 2014-15 में गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले सामान्य वर्ग के छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन के आधार पर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के स्तर से निर्गत शासनादेश संख्या-966, दिनांक 20.06.2014 के क्रम में पी.एफ.एम.एस. सर्वर से परीक्षणोपरान्त राज्य एन.आई.सी. से प्राप्त डेटा के आधार पर छात्रवृत्ति की धनराशि सीधे छात्रों के बैंक खातों में अन्तरित कराई जा रही है। इस योजना में सम्पूर्ण धनराशि राज्य स्तर से अनुदान संख्या-80 में वहन की जा रही है। इस योजना में वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 1664.00 लाख का प्रावधान था, वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 2500.00 लाख का प्राविधान है तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु. 2500.00 लाख का प्रावधान है।

5. सामान्य जाति शादी योजना

यह योजना सामान्य वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी के लिये आर्थिक सहायता के रूप में शादी अनुदान दिये जाने हेतु वर्ष 2006-07 से विभाग में संचालित है। शासनादेश संख्या-115/2016/1873/26-3-2016, दिनांक 10.06.2016, द्वारा शहरी क्षेत्र में पात्रता हेतु रु. 56460/- तथा ग्रामीण क्षेत्र में पात्रता हेतु रु. 46080/- वार्षिक आय सीमा निर्धारित की गयी है। योजनान्तर्गत सामान्य वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु रु. 20000/- की आर्थिक सहायता दिये जाने की व्यवस्था है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 8250.00 लाख का प्राविधान था, वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 8250.00 लाख का प्राविधान है तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु. 5000.00 लाख का प्राविधान है।

6. मानवाधिकार हनन के प्रकरणों में आर्थिक सहायता

वित्तीय वर्ष 2011-12 से प्रदेश सरकार द्वारा मानवाधिकार हनन के प्रकरणों में आर्थिक सहायता दिये जाने हेतु रु. 50.00 लाख का प्रावधान किया गया था। वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 50.00 लाख का प्रावधान था, वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 50.00 लाख का प्रावधान है वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु. 50.00 लाख का प्राविधान है।

6. मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना

वित्तीय वर्ष 2017-18 में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना को प्रारम्भ किया गया है। योजनान्तर्गत प्रदेश के सामान्य, पिछड़ा, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग के

निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों के विवाह की व्यवस्था की गयी है। शासनादेश संख्या-166/2018/2337 /26-3-2019-4(188)/93 टी.सी., दिनांक 08.08.2018 द्वारा योजनान्तर्गत आवेदक के परिवार की वार्षिक आय सीमा रु. 2.00 लाख निर्धारित की गयी है। शासनादेश संख्या-40/2019/625/ 26-3-2019/4(188)93टी.सी., दिनांक 06.02.2019 द्वारा प्रति जोड़े को रु. 51,000/- दिये जाने की व्यवस्था की गयी है, जिसके अन्तर्गत रु. 35000/- कन्या के बैंक खाते में अन्तरित किया जायेगा तथा रु. 10000 आवश्यक सामग्री (कपड़े, बिछिया, चांदी की पायल तथा 7 बर्तन) के लिये एवं कार्यक्रम के आयोजन हेतु रु. 6000/- की धनराशि व्यय की जायेगी। सहायता राशि की उक्त व्यवस्था विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा के पुर्नविवाह के मामले में भी समान रूप से लागू होगी। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 25000.00 लाख का प्राविधान था, वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 25000.00 लाख का प्राविधान था।

मद्यपान एवं मादक पदार्थों के सेवन के विरुद्ध एवं उनके दुरूपयोग को रोकने की दिशा में मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान विभाग, उ०प्र० द्वारा कृत मुख्य शिक्षात्मक कार्यकलापों/योजनाओं की रिपोर्ट वर्ष 2020-21

भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धान्त की धारा-47 के तहत मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान विभाग, उ0प्र0 वर्तमान में समाज कल्याण विभाग उ0प्र0 शासन से सम्बद्ध रहकर विभिन्न शिक्षात्मक कार्यक्रमों से सर्वसाधारण में मादक पदार्थों के दुरूपयोग से होने वाले दुष्परिणामों को प्रचारित एवं प्रसारित कर राज्य में मद्यनिषेध के लिये स्वस्थ एवं प्रभावी वातावरण बनाने के निमित्त शिक्षात्मक एवं प्रेरणात्मक प्रचार-प्रसार का कार्य कर रहा है, जिसे वर्तमान में बढ़ रही मद्यपान की प्रवृत्ति के विरूद्ध संचेतना जागृत करने के उद्देश्य से और अधिक प्रयोजनपूर्ण बनाये जाने की नितान्त आवश्यकता है।

मद्यनिषेध विभाग के अंतर्गत राज्य मुख्यालय लखनऊ में राज्य मद्यनिषेध अधिकारी, उ.प्र. एवं उप राज्य मद्यनिषेध अधिकारी, उ.प्र. द्वारा मद्यनिषेध के शिक्षात्मक कार्यों को संचालित कराया जाता है। प्रदेश के वर्तमान राजस्व मंडलों के सापेक्ष मद्यनिषेध विभाग के अंतर्गत प्रदेश को अभी तक मात्र 7 क्षेत्रों में ही विभाजित किया गया है। वर्तमान क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ, आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ व मुरादाबाद को क्षेत्रीय मुख्यालय बनाकर प्राथमिक कार्यकारी इकाई के बतौर उपलब्ध स्थापित किये गये हैं। 7 क्षेत्रों में से 6 क्षेत्रों में क्षेत्रीय मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान अधिकारियों के सहयोगार्थ समूह-ग के अंतर्गत एक-एक उप क्षेत्रीय मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान अधिकारियों के पद उपलब्ध हैं। समस्त क्षेत्रों में एक-एक सचल इकाई, प्रदर्शन सामग्री, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर आदि उपकरण शिक्षात्मक कार्यक्रमों को सम्पादित करने के लिए उपलब्ध हैं। इस समय जनपद स्तर पर प्रदेश को अभी तक मात्र 27 जनपदों में जिला मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान अधिकारियों के 27 पद समूह 'ग' के अंतर्गत उपलब्ध हैं। प्रदेश के 75 जनपदों में जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में जिला मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान समितियाँ गठित हैं जिनमें प्रत्येक जनपद की समितियों को रु. 1000 प्रतिवर्ष वार्षिक अनुदान नशे के विरुद्ध शिक्षात्मक कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार को सम्पादित करने के लिए दिया जाता है। ये समितियाँ सरकारी व गैर सरकारी सहयोग से अपने-अपने जनपदों में मद्यनिषेध के शिक्षात्मक कार्यक्रमों को यथाशक्ति उपरोक्त प्रदत्त अनुदान के आधार पर सम्पादित करती हैं।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट में मद्यनिषेध विभाग के लिए मुख्यालय एवं मण्डलीय कार्यालयों के लिए रु. 685.47 लाख की धनराशि शासन द्वारा स्वीकृत की गयी है जिसे सापेक्ष माह दिसम्बर 2019 तक रु. 329.32 लाख व्यय हुआ तथा मादक पदार्थ विरोधी कार्यों के लिये भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप नशा निर्व्यसन केन्द्रों के संचालन के माध्यम से भारत सरकार के द्वारा स्वैच्छिक संस्थाओं को प्रदेश सरकार की संस्तुति के आधार पर अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। उक्त के अतिरिक्त सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018-2025 के लिए नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन (एन.ए.पी.डी.डी.आर.) की योजना तैयार की गयी है। उक्त योजना शिक्षात्मक, जागरूकता, चिन्हीकरण, परामर्श उपचार व ड्रग एडिक्ट के पुनर्वास तथा सेवा प्रदाताओं के प्रशिक्षण एवं क्षमता संवर्धन हेतु केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार तथा सामाजिक स्वैच्छिक संगठनों के सहयोगी प्रयासों पर केन्द्रित है। योजना का मुख्य उद्देश्य एक दीर्घकालीन रणनीति के तहत प्रभावित व्यक्ति और उसके परिवार में जन शिक्षा, उपचार एवं पुनर्वास के माध्यम से पदार्थों के दुष्प्रभावों में कमी लाना है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में मद्यनिषेध विभाग द्वारा केन्द्र एवं प्रदेश सरकार के अन्य मासमीडिया प्रभागों, स्वैच्छिक समाज सेवी संस्थाओं व सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से जो विभिन्न शिक्षात्मक कार्य सम्पन्न किये गये हैं, में से कतिपय ऐसी विधाये एवं कार्यकलाप जो सर्व साधारण को नशा एवं नशीले पदार्थों के दुष्परिणामों के संबंध में शिक्षित करने के उद्देश्य से उल्लेखनीय रही हैं, वे निम्न प्रकार हैं:-

प्रचार शिविर, प्रदर्शन कक्ष, गोष्ठी, अभियान, पदयात्रा के संचालन द्वारा मादक पदार्थ विरोधी

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में विशेष रूप से श्रमिक बस्तियों, शिक्षण संस्थाओं, प्रमुख मेलों, उत्सवों, त्यौहारों, धार्मिक पीठों, विकास प्रदर्शनियों एवं राष्ट्रीय पर्वों के आयोजन स्थलों एवं कार्यक्षेत्रों में वर्ष भर सुलभ संसाधनों से मद्यनिषेध गोष्ठी, प्रचार अभियान, प्रदर्शन कक्ष एवं पदयात्राओं, प्रभातफेरियों, रैली आदि का आयोजन कर लोगों को नशा एवं नशीले पदार्थों के विरूद्ध सावधान व जागरूक कर उन्हें नशा छोड़ने हेतु प्रेरित किया गया।

चलचित्र प्रदर्शन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से मादक पदार्थ विरोधी शिक्षात्मक कार्य

विभागीय उपलब्ध सचल इकाइयों का उपयोग कर मद्यनिषेध पर आधारित डाक्यूमेन्ट्री व फिल्मों के माध्यम से जनमानस को नशा एवं नशीले पदार्थों की बुराईयों से अवगत कराकर नशा त्याग करने के लिए प्रेरित किया गया। इसके अतिरिक्त सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 से अनुमोदित सांस्कृतिक दलों के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न अंचलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाटक, कठपुतली, कव्वाली, जादू इत्यादि मनोरंजक विधाओं का उपयोग करके विभिन्न ग्रामीण एवं शहरी अंचलों में यथा सभव सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रदर्शन कर जनमत को नशे के विरूद्ध प्रोत्साहित कर मद्यनिषेध का

शिक्षात्मक प्रचार-प्रसार किया गया। इसके अलावा प्रदेश की विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में छात्र/छात्राओं के माध्यम से उनके शिक्षण संस्थानों के तत्वावधान में विभिन्न रचनात्मक सांस्कृतिक एवं कलात्मक विधाओं का आयोजन कर मादक पदार्थ विरोधी शिक्षात्मक कार्यक्रम सम्पादित कराये गये।

छात्रों एवं युवाओं को मादक पदार्थों के विरोध की दिशा में सक्रिय किया जाना।

प्रदेश के विभिन्न जनपदों के स्कूल, कालेजों में मद्यनिषेध के पक्ष में छात्र/छात्राओं के बीच निबन्ध, भाषण व पोस्टर प्रतियोगितायें आयोजित कर उन्हें पुरस्कृत तथा प्रोत्साहन स्वरूप प्रमाण पत्र भी प्रदान किये गये। इसके साथ ही सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमाण्ड रिडक्शन (एन.ए.पी.डी.डी.आर) योजना के तहत दिनांक 02 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी की 150वीं जयन्ती के अवसर पर प्रदेश के सभी जनपदों के उच्च शिक्षण संस्थाओं मे कुल 300 प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया गया। इस प्रकार विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं युवकों को नशे एवं नशीले पदार्थों के सेवन के विरूद्ध सावधान रहने हेतु नशा विरोधी शिक्षात्मक कार्यों में सक्रिय बनाये रखा गया है। ग्रामीण अंचलों में विशेषकर युवाओं को नशे से विरत एवं सावधान रहने हेतु वैकल्पिक मनोरंजन एवं स्वच्छ विधाओं कीओर प्रेरित करने हेतु कबड्डी, दौड़, कुश्ती आदि खेलकूद प्रतियोगितायें आयोजित कर विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र भी प्रदान किये गये।

अनुसूचित जनजाति विकास

भारत सरकार द्वारा वर्ष 1967 में अनुसूचित जनजातियों के अन्तर्गत प्रदेश में कुल पांच जातियों थारू, बुक्सा, भोटिया, जौनसारी एवं राजी को सूचीबद्ध किया गया। वर्ष 2003 में भारत सरकार द्वारा प्रदेश में निम्नलिखित जातियों को अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। 2011 की जनगणना के आधार पर अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या 1134273 हैः-

क्र.सं.	जाति	जनपद जिनमें निवासरत हैं
1.	गोंड (धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड)	महराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर एवं सोनभद्र
2.	खरवार/खैरवार	देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी एवं सोनभद्र
3.	सहरिया	ललितपुर
4.	परहिया	सोनभद्र
5.	बैगा	सोनभद्र
6.	पंखा, पनिका	सोनभद्र एवं मिर्जापुर
7.	अगरिया	सोनभद्र
8.	पटारी	सोनभद्र
9.	चेरो	सोनभद्र एवं वाराणसी
10.	भुइया, भुनिया	सोनभद्र

वर्ष 1984-1985 तक इन अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक उत्थान के विभिन्न कार्यक्रम/योजनाओं को समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित किया जाता था, तत्पश्चात् जनजाति विकास निदेशालय द्वारा किया जा रहा है। जनजाति विकास निदेशालय पूर्व में समाज कल्याण के भवन में स्थापित था, जो माह सितम्बर 2019 से भवन संख्या 142/4 सी0, सेक्टर-ए, महानगर, लखनऊ में स्थापित किया गया है।

विभाग के मूलभूत उद्देश्य

जनजाति विकास निदेशालय की स्थापना निम्नलिखित मूलभूत उद्देश्यों को लेकर की गयी हैः-

1. **गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले जनजाति परिवारों की व्यवसायिक जीवन पद्धति का आंकलन कर उनके लिए आर्थिक उन्नति हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन।**
2. **अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक स्तर में सुधार।**

3. अनुसूचित जनजातियों हेतु मानव संसाधन विकास संबंधी योजनाओं को क्रियान्वित कर रोजगार के अवसर सुलभ कराना।
4. अनुसूचित जनजातियों को समाज की मुख्य सामाजिक, आर्थिक धारा में समाहित करना तथा गरीबी की रेखा से ऊपर उठाना।
5. अनुसूचित जनजतियों को आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक शोषण से सुरक्षा।
6. शिक्षा के स्तर पर सुधार एवं साक्षरता दर वृद्धि हेतु छात्रवृत्ति, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय एवं छात्रावासों का संचालन, तकनीकी शिक्षा, कुशल कारीगरी, शिल्पी उद्योग के क्षेत्र में प्रशिक्षण संबंधी कार्यक्रमों का समावेश तथा स्वतः रोजगार के अवसरों में वृद्धि हेतु कार्यक्रमों का संचालन।

पारदर्शिता

विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में पारदर्शिता बनाये रखने हेतु छात्रवृत्ति वितरण हेतु परिवर्तित विकेन्द्रीकृत प्रक्रिया लागू की गई है। कक्षा 09 व 10 तथा दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्रों के छात्रवृत्ति उनके बैंक खाते में कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था के अन्तर्गत पी.एफ.एम.एस. के माध्यम से सीधे अन्तरित की जा रही है। शिक्षण सत्र 2012-13 से अनुसूचित जनजाति के पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता व शुल्क प्रतिपूर्ति) की सम्पूर्ण धनराशि भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा छात्रों के बैंक खाते में सीधे अन्तरित करने की व्यवस्था की गयी है। विस्तृत दिशा-निर्देश हेतु उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली, 2012 प्रख्यापित की जा चुकी है, जिसमें यथासमय निर्गत संशोधनों के अनुसार हाईस्कूल के अनुक्रमांक को विशिष्ट पहचान चिन्हित करते हुए मास्टर डाटाबेस में संस्थाओं एवं पाठ्यक्रमों के पंजीकरण, संबंधित छात्र/छात्रा द्वारा छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने, शिक्षण संस्थाओं तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा आवेदन पत्रों को संस्तुति सहित अग्रसारित करने, उक्त आवेदन पत्रों की जांच तथा पात्र छात्रों के खातों में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि के अन्तरण तक समस्त कार्यवाही आनलाइन ही सम्पादित की जाती हैं। वर्ष 2014-15 से कक्षा 9 व 10 एवं दशमोत्तर कक्षाओं की छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति तथा शादी अनुदान की धनराशि पब्लिक फाइनेन्शियल मैनेजमेंट सिस्टम (पी0एफ0एम0एस0) साफ्टवेयर के माध्यम से ई-ट्रान्सफर के अन्तर्गत छात्रों/लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे अन्तरित की जा रही है।

विभाग द्वारा संचालित योजनायें/शैक्षिक/आर्थिक कार्यक्रम एवं उपलब्धियों का विवरण

विभाग द्वारा संचालित 09 आश्रम पद्धति विद्यालयों को शासनादेश दिनांक 06 अक्टूबर, 2015 के द्वारा नवोदय विद्यालय के पैटर्न पर विकसित कर सी.बी.एस.ई. बोर्ड से सम्बद्ध कर संचालित करने का निर्णय लिया गया है जिसके क्रम में विभाग द्वारा संचालित 09 विद्यालयों को शैक्षिक सत्र 2016-17 से कक्षा 6 से 12 तक संचालित किया जा रहा है। वर्तमान में 04 विद्यालयों को सी0बी0एस0ई0 से मान्यता प्राप्त हो चुकी है। अनुसूचित जनजाति के बालक/बालिकाओं के लिए संचालित विद्यालयों में छात्र/छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा, भोजन, वस्त्र, आवास, स्टेशनरी, दवा आदि की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार कक्षा 6 से 12 तक प्रत्येक कक्षा में 35-35 छात्रों के दो वर्ग के आधार पर प्रत्येक विद्यालय की कुल छात्र संख्या 490 निर्धारित है। इस प्रकार इन विद्यालयों में कुल 4410 छात्र/छात्राओं के शिक्षा ग्रहण करने की व्यवस्था है। जनपद बलरामपुर में 50 छात्रों की क्षमता का एक छात्रावास संचालित

है। भारत सरकार की शत प्रतिशत सहायता से कक्षा 6 से 12 तक (क्षमता 480 छात्र/छात्राएं) के 02 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित विद्यालयों को भी अनुदान दिया जाता है।

विभाग के नियन्त्रणाधीन संचालित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के छात्र/छात्राओं द्वारा भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित ''नेशनल स्पोर्ट्स मीट-2019'' में विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 04 स्वर्ण पदक, 02 रजत पदक, 01 कांस्य पदक तथा 03 तृतीय ट्राफी प्राप्त किया गया एवं 08 छात्र अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से खेलो इण्डिया में चयनित हुए। विभाग के नियन्त्रणाधीन विद्यालयों में अध्ययनरत 03 छात्र/छात्राओं द्वारा अखिल भारतीय परीक्षा यथा आई0आई0टी0 एवं नीट में प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की गयी है। पूर्वदशम् एवं दशमोत्तर कक्षाओं में पढ़ने वाले अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गयी है। विभाग द्वारा स्वरोजगार तथा रोजगार हेतु अनिवार्य अवयवों की पूर्ति के उद्देश्य से जनपद वाराणसी, बिजनौर सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, महराजगंज, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, ललितपुर, बलिया आदि जनपदों में प्रशिक्षण का कार्य (काष्ठ कला, पत्थर कार्य, हस्त शिल्प) संचालित किया जा रहा है। विभाग द्वारा आसेवित बस्तियों में अवस्थापना सम्बन्धी योजनाओं के अन्तर्गत सड़क, नाली, इंटरलॉकिंग का कार्य कराये जाने तथा जनजातीय क्षेत्र में मिनी स्टेडियम, अतिथि गृह, अनुसूचित जनजाति द्वारा निर्मित हस्तशिल्प सम्बन्धी उत्पादों तथा कृषि/वनोत्पाद हेतु विक्रय स्थल, जनजातीय संग्रहालय आदि कार्य प्रस्तावित हैं। वित्तीय वर्ष 2019-2020 में उक्त संचालित योजनान्तर्गत विद्यालय में छात्र/छात्राओं की संख्या-1,860, छात्रावास में छात्रों की संख्या-50, पूर्वदशम के छात्र, 4,004 दशमोत्तर के छात्र 25,558 कुल छात्रों की संख्या-31,472 को लाभान्वित किया जाना है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय के छात्र/छात्राओं की संख्या-3,780 छात्रावास में छात्रों की संख्या-50, पूर्वदशम के छात्र 4944 एवं दशमोत्तर के छात्र 20,000 कुल 28,744 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है।

प्रदेश में संचालित परियोजनाओं का विवरण निम्न प्रकार है:-

1. एकीकृत जनजाति विकास परियोजना चन्दन चौकी लखीमपुर-खीरी।
2. थारू विकास परियोजना विशुनपुर-विश्राम, बलरामपुर।
3. बुक्सा आदिम जनजाति विकास परियोजना, नजीबाबाद, बिजनौर।
4. बिखरी जनजातियों का विकास (बहराइच एवं महराजगंज)
5. एकीकृत जनजाति विकास परियोजना, सोनभद्र।

अनुसूचित जनजातियों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल रु. 5080.40 लाख की धनराशि व्यय की गयी थी। वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु 12479.40 लाख का आय-व्ययक प्राविधान किया गया था जिसके सापेक्ष माह जनवरी 2020 तक रु. 7270.48 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल रु. 11879.17 लाख की धनराशि का आय-व्ययक में प्राविधान है।

वर्तमान समय में प्रदेश में कुल 15 जातियाँ अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध हैं, जिनमें से

बुक्सा, भोटिया, राजी, जौनसारी, थारू पूर्ण उत्तर प्रदेश में, गोंड (धुरिया, नायक, ओझा, पठारी एवं राजगोंड) जनपद महराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर एवं सोनभद्र में, खरवार/खैरवार जनपद देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी एवं सोनभद्र में, सहरिया जनपद ललितपुर में, परहिया, बैगा, अगरिया, पठारी, भुइया, भुनिया जनपद सोनभद्र में, पंखा, पनिका, जनपद सोनभद्र एवं मिर्जापुर में तथा चेरो जनपद सोनभद्र एवं वाराणसी में निवासरत अनुसूचित जनजाति घोषित हैं। यह जातियाँ शैक्षिक, आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से अत्यंत पिछड़ी हुई हैं, इसलिए इनके सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक विकास हेतु सुनियोजित ढंग से योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

• दशमोत्तर कक्षाओं की छात्रवृत्ति

दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2018-19 में दशमोत्तर कक्षाओं में पढ़ने वाले जिन छात्र/छात्राओं के अभिभावकों की वार्षिक आय सीमा रु. 2,50,000.00 तक है, उन्हें उत्तर प्रदेश शासन समाज कल्याण अनुभाग-3 द्वारा निर्गत नियमावली सं.-2207/26-3-2012-4(358)/07-टी.सी.-02 दिनांक 26 सितम्बर, 2012 तथा समय-समय पर जारी संशोधनों में उल्लिखित नियमों के अनुसार छात्रवृत्ति की सुविधा निम्नवत् दरों के आधार पर अनुमन्य किये जाने की व्यवस्था की गयी है:-

क्र.सं.	ग्रुप का नाम	छात्रवृत्ति की दरें	
		अनावासीय	छात्रावासीय
1.	ग्रुप-1	550/-	1200/-
2.	ग्रुप-2	530/-	820/-
3.	ग्रुप-3	300/-	570/-
4.	ग्रुप-4	230/-	380/-

इस योजना के अंतर्गत आय-व्ययक प्रावधान एवं व्यय की गई धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है:-

वर्ष 2018-19 में रु. 5459.00 लाख का आय-व्ययक में प्रावधान किया गया था, जिसके सापेक्ष रु. 1480.07 लाख की धनराशि व्यय की गयी थी। वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 3636.00 लाख का आय-व्ययक में प्रावधान किया गया, जिसके सापेक्ष माह जनवरी 2020 तक रु. 3212.30 लाख की धनराशि व्यय की गयी है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल रु. 2800.00 लाख का आय-व्ययक में प्राविधान है।

• शोध छात्रवृत्ति

इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश की जनजातियों के विकास पर किये जाने वाले शोध हेतु शोध छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में भारत सरकार से शत-प्रतिशत सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में इस योजनान्तर्गत रु. 1.00 लाख का आय-व्ययक में प्राविधान था। वित्तीय वर्ष 2020-2021 में इस योजनान्तर्गत आय-व्ययक में प्राविधान नहीं है।

• **मेरिट उच्चीकृत योजनान्तर्गत सहायता**

अनुसूचित जनजाति के कक्षा 9 से 12 तक के छात्र/छात्राओं के लिए मेरिट उच्चीकृत योजना वर्ष 2007-2008 में स्वीकृत की गयी है। जो भारत सरकार की शत-प्रतिशत सहायता से संचालित की जायेगी। इस योजना में वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 2.34 लाख का प्राविधान था। वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रु. 2.34 लाख का प्राविधान था। वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रु. 2.34 लाख का आय-व्ययक में प्राविधान है।

• **संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत विकास कार्यक्रमों का संचालन**

संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत प्राप्त केन्द्रीय सहायता से एकीकृत जनजाति विकास परियोजना, चन्दनचौकी, खीरी तथा थारू विकास परियोजना, बलरामपुर द्वारा संचालित कार्यक्रमों का व्यय भारित है। उक्त परियोजनाओं द्वारा जनजाति के लोगों के शैक्षिक, आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के कार्यक्रमों सम्बन्धी अवस्थापना मदों पर व्यय किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के संचालन हेतु रु. 311.65 लाख एवं वन अधिकार अधिनियम 2006 के लागू करने व प्रभावी क्रियान्वयन हेतु रु. 52.30 लाख का तथा योजनान्तर्गत जनजातियों के कल्याण के लिए जिला इकाइयों के निर्माण व संचालन हेतु अनुदान के लिए रु. 1713.00 लाख कुल रु. 2076.95 लाख का आय-व्ययक में प्राविधान था, जिसके सापेक्ष रु. 276.34 लाख की धनराशि व्यय की गयी है। वित्तीय वर्ष 2019-2020 में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के संचालन हेतु रु. 605.90 लाख एवं वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रचार-प्रसार किये जाने हेतु रु. 52.30 लाख का तथा योजनान्तर्गत जनजातियों के कल्याण के लिए जिला इकाइयों के संचालन हेतु अनुदान के लिए रु. 1713.00 लाख कुल रु. 2371.20 लाख का आय-व्ययक में प्रावधान था, जिसके सापेक्ष रु. 953.53 लाख की धनराशि माह जनवरी 2020 तक व्यय की गयी है।

वित्तीय वर्ष 2020-2021 में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के संचालन हेतु रु. 588.00 लाख एवं वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये प्रसार प्रसार किये जाने हेतु रु. 52.30 लाख का तथा योजनान्तर्गत जनजातियों के कल्याण के लिए जिला इकाइयों के संचालन हेतु अनुदान के लिए रु. 1713.00 लाख कुल रु. 2353.30 लाख का आय-व्ययक में प्रावधान है।

• **पाकेट प्लान तथा प्रिमिटिव ग्रुप्स योजना**

उपर्युक्त के अतिरिक्त पाकेट प्लान तथा प्रिमिटिव ग्रुप्स योजना के अन्तर्गत एकीकृत जनजाति विकास परियोजना, चन्दनचौकी, खीरी तथा थारू विकास परियोजना, विशुनपुर-विश्राम, जनपद बलरामपुर द्वारा संचालित योजनाओं के लिये शत-प्रतिशत भारत सरकार द्वारा सहायता प्राप्त होती है। यह परियोजना वर्ष 1980-1981 से तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम द्वारा संचालित की जा रही थी। जिसे जून, 1996 से निदेशालय, जनजाति विकास द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस परियोजना द्वारा जन-चिकित्सालय, पशु चिकित्सालय, स्टाक मैन सेन्टर संचालित है। इसके अतिरिक्त परियोजना के माध्यम से परिवारोन्मुखी आर्थिक विकास कार्यक्रम, कम्प्यूटर व अन्य प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रु. 94.34 लाख के उपलब्ध आय-व्ययक प्रावधान एवं जनजातीय उपयोजना के अन्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत निर्माण कार्य हेतु रु. 1500.00 लाख कुल रु. 1594.34

लाख का प्रावधान था, जिसके सापेक्ष रु. 44.94 लाख की धनराशि व्यय की गयी थी। वित्तीय वर्ष 2019-2020 में प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु रु. 94.34 लाख एवं जनजातीय उपयोजना के अन्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत निर्माण कार्य हेतु रु. 1500.00 लाख कुल रु. 1594.34 लाख का प्रावधान है।

वित्तीय वर्ष 2020-2021 में प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु रु. 94.34 लाख एवं जनजातीय उपयोजना के अन्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत निर्माण कार्य हेतु रु. 1500.00 लाख कुल रु. 1594.34 लाख का प्रावधान है।

- **बुक्सा आदिम जनजाति उत्थान**

बुक्सा जनजाति को भारत सरकार द्वारा आदिम समूह घोषित किया गया है। अतः इस योजना हेतु भारत सरकार द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है। बुक्सा आदिम जनजाति विशेषतः जनपद बिजनौर के नजीबाबाद क्षेत्र में निवास करती है। यह परियोजना वर्ष 1980-1981 से तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम द्वारा संचालित की जा रही थी, जिसे जून, 1996 से निदेशालय, जनजाति विकास द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस परियोजना के माध्यम से परिवारोन्मुखी आर्थिक विकास कार्यक्रम, कम्प्यूटर व अन्य प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रु. 13.20 लाख का आय-व्ययक प्राविधान था। वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रु. 13.20 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-2021 में इस योजनान्तर्गत रु. 13.20 लाख का प्राविधान है।

- **बिखरी आबादी वाली जनजातियों का विकास**

इस योजना से प्रदेश के अधिकांश जनजाति बाहुल्य जनपदों में निवासरत अनुसूचित जनजातियों को लाभान्वित किया जाता है। यह परियोजना वर्ष 1980-1981 से तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम द्वारा संचालित की जा रही थी, जिसे जून, 1996 से निदेशालय, जनजाति विकास द्वारा संचालित किया जा रहा है। इन परियोजनाओं के माध्यम से परिवारोन्मुखी आर्थिक विकास कार्यक्रम, कम्प्यूटर व अन्य प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। इस योजना हेतु विकास मद में वर्ष 2018-2019 में रु. 90.00 लाख का आय-व्ययक में प्रावधान किया गया था। वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रु. 90.00 लाख का आय-व्ययक में प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2020-2021 में योजनान्तर्गत हेतु रु. 90.00 लाख का आय-व्ययक में प्रावधान है।

- **वनबन्धु कल्याण योजना**

जनजातीय कार्य मन्त्रालय भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति के लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए वनबन्धु कल्याण योजना की अवधारणा की गयी है। इस योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति के लोगों का शैक्षिक, आर्थिक तथा सामाजिक विकास किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2018-2019 में योजनान्तर्गत जनजाति के लोगों के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के कार्यक्रमों तथा अवस्थापना को सम्पादित किये जाने हेतु राजस्व मद में रु. 95.00 लाख एवं पूजीगत मद में रु. 105.00 लाख कुल रु. 200.00 लाख का प्रावधान था, जिसके सापेक्ष रु. 100.94 लाख की धनराशि व्यय की गयी। वित्तीय वर्ष 2019-2020 में योजना के संचालन हेतु आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के कार्यक्रमों सम्बन्धी तथा अवस्थापना को सम्पादित किये जाने हेतु राजस्व मद में रु. 63.00 लाख एवं पूंजीगत मद में रु. 30.00 लाख कुल रु. 93.00 लाख का प्रावधान किया गया। जिसके सापेक्ष रु. 9.43 लाख का व्यय माह जनवरी 2020 तक किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2020-2021 में योजना के संचालन हेतु आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के कार्यक्रमों सम्बन्धी तथा अवस्थापना को सम्पादित किये जाने हेतु राजस्व मद में रु. 63.00 लाख एवं पूंजीगत मद में रु. 30.00 लाख कुल रु. 93.00 लाख का आय-व्ययक में प्रावधान है।

• मुख्यालय अधिष्ठान

अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु निदेशालय स्तर पर अधिकारी/कर्मचारी तैनात हैं जिनके लिए स्थापना अधिष्ठान मद पर व्यय हेतु धनराशि की व्यवस्था की जाती है। वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रु. 197.68 लाख का प्रावधान किया गया था, जिसके सापेक्ष रु. 240.39 लाख की धनराशि व्यय की गई थी। वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रु. 288.45 लाख प्राविधान है, जिसके सापेक्ष रु. 209.72 लाख की धनराशि माह जनवरी 2020 तक व्यय की गयी है। वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रु. 327.00 लाख का आय-व्ययक में प्रावधान है।

• एकीकृत जनजाति विकास परियोजना, खीरी व थारू विकास परियोजना, बलरामपुर के अन्तर्गत चिकित्सालयों का संचालन

जनपद खीरी एवं बलरामपुर में संचालित परियोजनाओं द्वारा चिकित्सालयों के संचालनार्थ प्रथम बार राज्य सहायता के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2002-2003 में आयोजनागत पक्ष में रु. 8.35 लाख की व्यवस्था आय-व्ययक में की गयी थी। तभी से निरन्तर इस योजना में व्यवस्था करके योजना संचालित की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में थारू विकास परियोजना बलरामपुर में प्रसूति इकाई संचालित की जा रही है, जिससे थारू जनजाति की क्षेत्रीय महिलाओं को मातृत्व सम्बन्धी समस्त सुविधाएं सुगमतापूर्वक प्राप्त हो रही हैं। वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 3.25 लाख का आय-व्ययक में प्राविधान किया गया था, जिसके सापेक्ष रु. 3.24 लाख की धनराशि व्यय की गयी थी। वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 6.00 लाख का आय-व्ययक में प्रावधान है जिसके सापेक्ष रु. 6.00 लाख की धनराशि माह जनवरी 2020 तक व्यय की गयी है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु. 6.00 लाख का आय-व्ययक में प्राविधान है।

• एकीकृत जनजाति विकास परियोजना (सोनभद्र) का क्रियान्वयन

अनुसूचित जनजातियों में 10 नई जातियों को सूचीबद्ध किये जाने के उपरान्त अनुसूचित जनजातियों के समग्र विकास हेतु जनपद सोनभद्र में एकीकृत जनजाति विकास परियोजना कार्यालय की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक में प्रथम बार रु. 184.02 लाख की व्यवस्था की गयी थी। तब से उक्त योजना निरन्तर संचालित है। वित्तीय वर्ष 2018-2019 में योजनान्तर्गत अधिष्ठान एवं विकास मद में रु. 54.08 लाख की आय-व्ययक में किया गया था, जिसके सापेक्ष रु. 1.07 लाख की धनराशि व्यय की गयी थी। वित्तीय वर्ष 2019-20 में योजनान्तर्गत अधिष्ठान एवं विकास मद में कुल रु. 61.15 लाख का आय-व्ययक में प्रावधान है, जिसके सापेक्ष रु. 1.85 लाख की धनराशि माह जनवरी 2020 तक व्यय की गयी है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु. 62.50 लाख का आय-व्ययक में प्रावधान है।

• जिला कार्यालय का जनजाति विकास संबंधी अधिष्ठान

इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु संचालित योजनाओं के संचालनार्थ जनपद बहराइच में 01 एवं जनपद सोनभद्र में 01 कर्मचारी तैनात हैं जिनके लिए स्थापना अधिष्ठान मद पर व्यय हेतु

धनराशि की व्यवस्था की जाती है। वर्ष 2018-2019 में रु. 21.81 लाख की धनराशि का प्राविधान किया गया था, जिसके सापेक्ष रु. 15.33 लाख की धनराशि व्यय की गयी थी। वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 23.89 लाख आय-व्यय में प्राविधान है, जिसके सापेक्ष रु. 9.03 लाख की धनराशि माह जनवरी 2020 तक व्यय की गयी है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु. 24.70 लाख का आय-व्ययक में प्रावधान है।

- **प्रदेश में निवास करने वाली गैर अनुसूचित जनजातियाँ जो इस समय अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल हैं, के लिए सहायक अनुदान :-**

प्रदेश में निवास करने वाली ऐसी जनजातियाँ यथा- कोल, घासिया, धनगर/ओरांव जो इस समय अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित हैं, के व्यक्तियों को जो गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहे हैं, को कृषि बागवानी तथा कुटीर उद्योग कार्यक्रमों द्वारा लाभान्वित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2018-2019 में व्यय रु. 10.10 लाख का आय-व्ययक में प्रावधान था। वर्ष 2019-20 में रु. 10.00 लाख का आय-व्ययक में प्रावधान किया गया। वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु. 10.00 लाख का आय-व्ययक में प्रावधान किया गया है, जिसका योजनावार विवरण निम्न प्रकार हैः-

- **कृषि तथा बागवानी**

प्रदेश में निवास करने वाली कतिपय जनजातियाँ यथा- कोल, घासिया, धनगर/ओरांव जिनकी जीविका का प्रमुख साधन कृषि है उनकी आर्थिक दशा सुधारने के उद्देश्य से मैदानी क्षेत्र के सोनभद्र, मिर्जापुर, चन्दौली, इलाहाबाद, चित्रकूट, झाँसी जनपदों में निवास करने वाली गैर अनुसूचित जनजातियों के लिये कृषि तथा बागवानी के निमित्त अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। यह अनुदान ऐसे व्यक्तियों को स्वीकृत किया जाता है जिनको नयी भूमि का आवंटन किया गया है तथा जिसका धनाभाव के कारण विकास नहीं किया जा सकता है। जनजाति क्षेत्र में कृषि विकास सम्बन्धी योजनाओं के संचालन का दायित्व जनजाति विकास निदेशालय को सौंपा गया है। वर्ष 2018-2019 में प्राविधानित धनराशि रु. 5.00 लाख का प्राविधान था। वर्ष 2019-20 में रु. 5.00 लाख की धनराशि का आय-व्ययक में प्रावधान था। वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रु. 5.00 लाख की धनराशि का आय-व्ययक में प्राविधान है।

- **कुटीर उद्योग**

जनपद सोनभद्र, मिर्जापुर, चन्दौली, इलाहाबाद, चित्रकूट, झांसी जनपदों में निवास करने वाली गैर अनुसूचित जनजातियाँ यथा- कोल, धनगर/ओरांव जिनके पास अपर्याप्त कृषि भूमि है और अपने पूर्व के व्यवसाय से ही जुड़े रहना चाहते हैं, उन्हें नये तकनीकी विकास के साथ उनके व्यवसाय के पुराने तरीकों में विविध परिवर्तन लाकर उन्हें कुटीर उद्योग स्थापित करने हेतु अनुदान दिये जाने का प्राविधान है। वित्तीय वर्ष 2018-2019 में प्राविधानित धनराशि रु. 5.10 लाख का प्राविधान था। वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 5.00 लाख की धनराशि का आय-व्ययक में प्रावधान था। वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रु. 5.00 लाख की धनराशि का आय-व्ययक में प्रावधान है।

- **छात्रावास**

प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के छात्रों को निःशुल्क आवास सुविधा उपलब्ध कराने हेतु जनपद बलरामपुर के मुख्यालय पर 01 छात्रावास संचालित है। इसके अतिरिक्त बरगदवा महराजगंज में 50 छात्रों की क्षमता के एक जनजाति छात्रावास संचालित किये जाने की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2006-2007 से प्रदान की गयी है तथा जनपद गोरखपुर, खीरी, गोण्डा व बलरामपुर में एक-एक छात्रावास निर्माणाधीन तथा जनपद

बलिया में एक छात्रावास स्वीकृत है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में छात्रावासों के संचालन/निर्माण हेतु रु. 716.48 लाख की धनराशि का प्राविधान किया गया था, जिसके सापेक्ष रु. 698.93 लाख की धनराशि व्यय की गयी थी। वित्तीय वर्ष 2019-2020 में छात्रावासों के संचालन/निर्माण हेतु रु. 718.37 लाख की धनराशि का प्रावधान किया गया है, जिसके सापेक्ष रु. 651.88 लाख की धनराशि माह जनवरी 2020 तक व्यय की गयी। वर्ष 2020-21 में छात्रावासों के संचालन/निर्माण हेतु रु. 720.14 लाख की धनराशि का प्रावधान है।

- **बुक बैंक की स्थापना**

वित्तीय वर्ष 2004-2005 से यह योजना प्रारम्भ की गई। इस योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है। वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रु. 5.00 लाख का आय-व्ययक में प्रावधान था, जिसके सापेक्ष धनराशि व्यय नहीं हुई थी। वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 5.00 लाख का आय-व्ययक में प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु. 5.00 लाख का आय-व्ययक में प्राविधान है।

- **पूर्वदशम कक्षाओं में विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति एवं अनावर्ती सहायता**

पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत कक्षा 9 व 10 में पढ़ने वाले अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय पूर्व में रु. 2,00,000.00 तक थी, जिसे वित्तीय वर्ष 2018-19 से बढ़ाकर रु. 2,50,000.00 की गयी है, को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। कक्षा 9 व 10 में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को रु. 3000.00 वार्षिक छात्रवृत्ति की धनराशि का भुगतान पी.एफ.एम.एस. प्रणाली के माध्यम से किया जा रहा है। योजनान्तर्गत वर्ष 2018-19 में प्राविधानित धनराशि रु. 195.00 लाख का प्रावधान था, जिसके सापेक्ष रु. 109.99 लाख की धनराशि व्यय की गयी थी। वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्राविधानित धनराशि रु. 195.00 लाख का प्रावधान है, जिसके सापेक्ष रु. 110.00 लाख की धनराशि माह जनवरी तक व्यय की गयी है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु. 195.00 लाख की धनराशि का आय-व्ययक में प्रावधान किया गया है।

- **अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को यूनीफार्म एवं साइकिल अनुदान**

कक्षा 6, 9 व 11 की अनुसूचित जनजाति की छात्राएं जो विभाग द्वारा संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों या अन्य किसी आवासीय विद्यालयों में नहीं पढ़ती हैं, बल्कि किसी दूसरे विद्यालय में पढ़ती हैं, को प्रोत्साहन स्वरूप यूनीफार्म एवं बाइसिकिल निःशुल्क उपलब्ध कराने हेतु यूनीफार्म एवं साइकिल योजना वित्तीय वर्ष 2003-2004 से स्वीकृत की गयी है, जिसमें पूर्व में निर्धारित दरों में परिवर्तन करते हुए वर्ष 2018-2019 से साइकिल हेतु रु. 3,300.00 तथा यूनीफार्म हेतु रु. 700.00 कुल रु. 4000.00 प्रति छात्रा हेतु निर्धारित है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 80 लाख आय-व्ययक प्राविधान के सापेक्ष रु. 55.14 लाख की धनराशि व्यय की गयी थी। वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 100.00 लाख का आय-व्ययक में प्राविधान है, जिसके सापेक्ष रु. 50.00 लाख की धनराशि माह जनवरी तक व्यय की गयी है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु. 100.00 लाख का आय-व्ययक में प्राविधान है।

- **स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा विद्यालयों के रख-रखाव हेतु सहायता**

अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में शासन द्वारा चयनित स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से संचालित प्राइमरी पाठशालाओं में कार्यरत शैक्षणिक संवर्ग के कार्मिकों के वेतन भुगतान हेतु सहायता अनुदान स्वीकृत करने

की योजना वर्ष 1979-1980 से संचालित है। इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रु. 42.82 लाख के उपलब्ध आय-व्ययक प्रावधान के सापेक्ष रु. 62.54 लाख की धनराशि व्यय की गयी थी। वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 70.00 लाख की धनराशि का आय-व्ययक में प्रावधान है, जिसके सापेक्ष रु. 144.52 लाख की धनराशि माह जनवरी तक व्यय की गयी है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु. 124.52 लाख की धनराशि का आय-व्ययक में प्राविधान है।

• अत्याचारों से उत्पीड़ित अनुसूचित जनजातियों की सहायता

इस योजनान्तर्गत अत्याचारों से उत्पीड़ित जनजाति परिवारों को तत्काल अधिकतम धनराशि रु. 8,25.000/- की सहायता उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। इस परियोजना के अन्तर्गत निम्न वित्तीय वर्षों में किये गये प्राविधान के सापेक्ष व्यय धनराशि का विवरण निम्नवत् हैः-

(रु. लाख में)

वर्ष	आय-व्ययक प्राविधान	व्यय की गयी धनराशि
2018-19	13.44	56.50
2019-20	35.00	200.88 (माह जनवरी 2020 तक)

योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु. 90.00 लाख की धनराशि का प्राविधान है।

• एकीकृत जनजाति विकास परियोजना, चन्दनचौकी, खीरी

यह परियोजना वर्ष 1980-1981 से तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम द्वारा संचालित की जा रही थी। जिसे जून, 1996 से निदेशालय, जनजाति विकास द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस परियोजना द्वारा जन-चिकित्सालय, पशु चिकित्सालय, स्टाक मैन सेन्टर संचालित है। इसके अतिरिक्त इस परियोजना के माध्यम से परिवारोन्मुखी आर्थिक विकास कार्यक्रम, कम्प्यूटर प्रशिक्षण आदि के कार्य संचालित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा उक्त परियोजना पर वित्तीय वर्ष 2018-19 से वर्षवार अधिष्ठान हेतु बजट प्राविधान तथा व्यय निम्न प्रकार हैः-

(रु. लाख में)

वर्ष	आय-व्ययक प्राविधान	व्यय की गयी धनराशि
2018-19	193.02	192.18
2019-20	203.00	160.00 (माह जनवरी 2020 तक)

योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु. 196.40 लाख की धनराशि का प्राविधान है।

• जनजाति क्षेत्रीय कार्यक्रम-थारू विकास परियोजना, गोण्डा (बलरामपुर)

यह परियोजना वित्तीय वर्ष 1980-1981 से तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम द्वारा संचालित की जा रही थी। जिसे जून, 1996 से निदेशालय, जनजाति विकास द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस परियोजना द्वारा जन-चिकित्सालय, पशु चिकित्सालय, स्टाक मैन सेन्टर संचालित हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना के माध्यम से परिवारोन्मुखी आर्थिक विकास कार्यक्रम, कम्प्यूटर प्रशिक्षण आदि के कार्य संचालित किये जा रहे हैं।

महिला कल्याण तथा बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार

वर्ष 1975 में प्रदेश के 3 विकास खण्डों में गर्भवती तथा धात्री माताओं एवं बच्चों को कुपोषण आदि से बचाने तथा उनके समन्वित विकास के लिए भारत सरकार के सहयोग से समेकित बाल विकास परियोजना प्रारम्भ की गयी। इस कार्यक्रम के संचालन हेतु वर्ष 1988 में प्रदेश स्तर पर बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार निदेशालय की स्थापना की गयी। सम्प्रति इस योजना का सार्वभौमीकरण हो चुका है और प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में 897 बाल विकास परियोजनाओं एवं 189789 आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से योजना संचालित है।

विभाग द्वारा 06 माह से 06 वर्ष तक की आयु के बच्चों के सर्वांगीण विकास तथा गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के समुचित पोषण एवं प्रतिरक्षण के लिए 06 सेवाएं क्रमशः अनुपूरक पोषाहार, स्वास्थ्य प्रतिरक्षण (टीकाकरण), स्वास्थ्य जाँच, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, स्कूल पूर्व शिक्षा तथा निर्देशन एवं संदर्भ सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

06 माह से 03 वर्ष तक की आयु के बच्चों को टेक होम राशन के रूप में एनर्जी डेन्स बर्निंग फूड, एनजी डेन्स मीठी दलिया एवं एनर्जी डेन्स नमकीन दलिया उपलब्ध करायी जाती है, जिससे इन्हें प्रतिदिन 500 कैलारी तथा 14 ग्राम प्रोटीन प्राप्त होती है। प्रदेश में इस आयु वर्ग के कुल 82.99 लाख बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं।

03 से 06 वर्ष तक की आयु के बच्चों को मार्निंग स्नैक के रूप में एनर्जी डेन्स मीठी दलिया, एनर्जी डेन्स नमकीन दलिया एवं एनजी डेन्स लड्डू प्रीमिक्स तथा दोपहर में हॉट कुक्ड फूड उपलब्ध कराया जाता है, जिससे इन्हें प्रतिदिन 500 कैलोरी तथा 15 ग्राम प्रोटीन प्राप्त होती है। प्रदेश में इस आयु वर्ग के कुल 41.19 लाख बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं।

गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं को टेक होम राशन के रूप में एनर्जी डेन्स मीठी दलिया एनर्जी डेन्स नमकीन दलिया एवं एनजी डेन्स लड्डू प्रीमिक्स उपलब्ध कराये जाते हैं, जिससे इन्हें प्रतिदिन 600 कैलारी तथा 18 ग्राम प्रोटीन प्राप्त होती है। प्रदेश में इस आयु वर्ग की कुल 35.47 लाख गर्भवती तथा धात्री महिलाएं लाभान्वित होती हैं।

प्रशासनिक ढांचा

- राज्य स्तर पर निदेशक के अधीन बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार निदेशालय।
- जनपद स्तर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी के अधीन जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय।

जिला कार्यक्रम अधिकारी अपने कार्यालय के साथ ही परियोजना कार्यालयों के लिए भी आहरण वितरण अधिकारी हैं।

- विकास खण्ड स्तर पर बाल विकास परियोजना कार्यालय है। इस कार्यालय का प्रमुख अधिकारी बाल विकास परियोजना अधिकारी होता है। 25 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर एक मुख्य सेविका (सुपरवाइजर) तैनात किये जाने का मानक निर्धारित है।

विभाग के अन्तर्गत 6 माह से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों के सर्वांगीण विकास तथा गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के समुचित पोषण एवं प्रतिरक्षण के लिए समन्वित बाल विकास योजना के अन्तर्गत विभाग द्वारा निम्न सेवाएं प्रदान की जा रही हैंः-

- अनुपूरक पोषाहार
- स्वास्थ्य प्रतिरक्षण (टीकाकरण)
- स्वास्थ्य जाँच
- पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा
- स्कूल पूर्व शिक्षा
- निर्देशन एवं संदर्भ सेवायें

हॉट कुक्ड फूड

प्रदेश की सभी 897 परियोजनाओं में हॉट कुक्ड फूड योजना लागू हैः

- योजना के अन्तर्गत 03 से 06 वर्ष तक आयु के समस्त बच्चों को आंगनबाड़ी केन्द्र पर दैनिक रूप से प्रातः मार्निंग स्नैक तथा मध्याह्न मे हॉट कुक्ड फूड वितरण की व्यवस्था है।
- भारत सरकार द्वारा 03 वर्ष से 06 वर्ष तक आयु के बच्चों को अनुपूरक पुष्टाहार दिये जाने के लिए प्रति लाभार्थी रु. 8.00 प्रतिदिन अनुमन्य है। इस धनराशि में से रु. 3.50 प्रति लाभार्थी मार्निंग स्नैक पर तथा शेष रु. 4.50 हॉट कुक्ड फूड पर व्यय किये जाने की व्यवस्था है।
- मार्निंग स्नैक के रूप में दिये जाने वाले पोषाहार यथा- एनर्जी डेन्स मीठी दलिया, एनर्जी डेन्स नमकीन दलिया एवं एनर्जी डेन्स लड्डू प्रीमिक्स से 200 ग्राम कैलारी एवं 07 ग्राम प्रोटीन प्राप्त होती है तथा हॉट कुक्ड फूड योजना के अंतर्गत मिड-डे-मील योजना की रेसिपी के अनुसार भोजन उपलब्ध कराया जाता है। इससे लाभार्थियों को 300 कैलोरी व 07 से 08 ग्राम प्रोटीन प्राप्त होती है।
- प्रदेश के 54 जनपदों में आंगनबाड़ी केन्द्रों को प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालयों से सम्बद्ध करके मध्याह्न भोजन योजना के साथ ही इन केन्द्रों का भोजन तैयार कराकर आंगनबाड़ी केन्द्रों पर वितरण कराये जाने की व्यवस्था है। शेष 21 जनपदों के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से हाट कुक्ड फूड योजना संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

- हॉट कुक्ड फूड में प्रयुक्त होने वाले कच्चे खाद्यान्न एवं अन्य सामग्रियों आदि का क्रय ग्राम प्रधान/सभासद/स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष/सदस्य एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा किया जाता है।

गुणवत्ता नियंत्रण

आंगनबाड़ी केन्द्रों पर लाभार्थियों को वितरित किये जानेवाले पोषाहार की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने की समुचित व्यवस्था की गयी है जिसके अन्तर्गत पोषाहार नमूनों की जांच प्रदेश तथा प्रदेश के बाहर स्थिति एन.ए.बी.एल. प्रमाणित विश्लेषण इकाइयों से करायी जाती है। जांच की निम्न व्यवस्था है:-

1. अनुपूरक पुष्टाहार की प्रसंस्करणकर्ता/फर्मों द्वारा माह में उत्पादित पोषाहार की प्रत्येक रेसिपी के प्रत्येक बैच की गुणवत्ता की उत्पादन इकाई में स्थापित लैब तथा एक अन्य एन.ए.बी.एल. अनुमोदित विश्लेषण इकाई से कराकर जांच रिपोर्ट निदेशालय में उपलब्ध करायी जाती है।

2. परियोजना कार्यालय/आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आपूर्तित अनुपूरक पुष्टाहार के नमूनों की जांच जनपद स्तर से निदेशालय द्वारा नामित एन.ए.बी.एल. अनुमोदित विश्लेषण इकाइयों से कराकर जांच रिपोर्ट निदेशालय को प्रेषित की जाती है।

किशोरी बालिकाओं के लिए योजना (एस.ए.जी.)

प्रदेश के समस्त 75 जनपदों के 897 परियोजनाओं में 11 से 14 वर्ष आयु की स्कूल छोड़ चुकी किशोरी बालिकाओं के लिए योजना (एस.ए.जी.) प्रदेश सरकार द्वारा 14 जनवरी 2019 को लागू की गयी है। इस योजना में किशोरी बालिकाओं को उन्हें जीवन कौशल, शिक्षा, पोषण व स्वास्थ्य शिक्षा, सामाजिक-कानूनी मुद्दों तथा मौजूदा सार्वजनिक सेवाओं के बारे में जागरूक करना एवं औपचारिक स्कूली अथवा व्यवसायिक/कौशल प्रशिक्षण आदि गतिविधियों की जानकारी हेतु प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इससे प्रदेश में कुल 3.50 लाख किशोरी बालिकाएं लाभान्वित हो रही हैं।

गैर पोषण घटक

परियोजना में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों पर 25 से 30 लक्षित किशोरी बालिकाओं का वीरांगना दल गठित किया गया है। प्रदेश में कुल 11911 वीरांगना दल गठित किये गये हैं। इसमें से 11911 वीरांगना सखी तथा 23822 वीरांगना सहेली चयनित की गयी हैं। चिह्नित किशोरी बालिका-सखी व सहेली को परियोजना क्षेत्र स्तर पर दूसरों के लिए सहकर्मी मानीटर/सलाहकार के रूप में सेवा देने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। गैर पोषण घटक में प्रति परियोजना रु. 1.10 लाख व्यय किया जाना निर्धारित है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में गैर पोषण घटक के लिए रु. 9.87 करोड़ तथा पोषण घटक में रु. 100.00 करोड़ का बजट प्रस्तावित है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आई.सी.डी.एस. कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है ताकि आई.सी.डी.एस. कार्यक्रम के उद्देश्यों को सफल बनाया जा सके।

आई.सी.डी.एस. कर्मियों का प्रशिक्षण

- **जिला कार्यक्रम अधिकारियों का प्रशिक्षण**

जिला कार्यक्रम अधिकारियों का प्रशिक्षण निपसिड, लखनऊ तथा निपसिड, दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी, लखनऊ द्वारा किया जाता है।

- **बाल विकास परियोजना अधिकारियों का प्रशिक्षण**

बाल विकास परियोजना अधिकारियों का कार्य प्रशिक्षण निपसिड, लखनऊ द्वारा किया जाता है।

- **मुख्य सेविकाओं का प्रशिक्षण**

मुख्य सेविकाओं के प्रशिक्षण के लिए 4 मध्य स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं। इन केन्द्रों के स्थान का चयन प्रदेश के विस्तार क्षेत्र को ध्यान में रखकर किया गया है। प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र से उनके निकटस्थ जनपदों को सम्बद्ध किया गया, जहाँ की मुख्य सेविकाएं इन केन्द्रों पर प्रशिक्षित की गयीं। प्रशिक्षण बैच का निर्धारण करते समय सामान्यतः इस बात का ध्यान रखा जाता है कि प्रशिक्षण केन्द्र से सम्बद्ध जनपद की ही मुख्य सेविकाएं, उस केन्द्र पर भेजी जायें, किन्तु आवश्यकतानुसार किसी मुख्य सेविका को प्रशिक्षण हेतु किसी भी केन्द्र पर भेजा गया।

- **आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों का प्रशिक्षण**

आई.सी.डी.एस. कार्यक्रम के संचालन में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों की भूमिका सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है, इसलिए इनके प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है। पूरे प्रदेश में 66 आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र स्वीकृत हैं।

- **आंगनबाड़ी सहायिकाओं का अभिमुखीकरण, प्रशिक्षण तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों का इन्डक्शन प्रशिक्षण**

प्रदेश की अप्रशिक्षित आंगनबाड़ी सहायिकाओं के अभिमुखीकरण प्रशिक्षण तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के इन्डक्शन प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु भारत सरकार द्वारा 25 जिला सचल प्रशिक्षण दल संचालित करने का अनुमोदन किया गया है। जिला सचल प्रशिक्षण दल गठित कर प्रदेश के सभी जनपदों में आंगनबाड़ी सहायिकाओं का अभिमुखीकरण प्रशिक्षण तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को इन्डक्शन कोर्स प्रदान किया जाता है।

सूचना, शिक्षा एवं प्रचार-प्रसार (आई.ई.सी.) कार्यक्रम

आई.सी.डी.एस. कार्यक्रम के अन्तर्गत सूचना, शिक्षा एवं संचार (आई.ई.सी.) बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए माताओं, परिवारों एवं समुदाय में बच्चों की देखरेख, लालन-पालन एवं पोषण सम्बन्धी अच्छी आदतों के विकास हेतु प्रयास किये जाते हैं।

प्रत्येक वर्ष जनपद/परियोजना/आंगनबाड़ी केन्द्र पर माह जून एवं दिसम्बर में बाल पोषण स्वास्थ्य दिवस स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से आयोजित किया जाता है, विश्व स्तनपान सप्ताह 1 से 7 अगस्त में परामर्श सत्र का आयोजन, अन्तर्राष्ट्रीय पोषण सप्ताह सितम्बर, 08 मार्च महिला दिवस के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जाता है। साथ ही साथ कार्यक्रम के प्रचार-प्रसार हेतु, कार्यशाला, प्रदर्शनी, महोत्सव आदि किया जाता है तथा शिशुओं को विटामिन-ए पिलाई जाती है तथा छूटे हुए बच्चों का टीकाकरण कराया जाता है।

स्कूल पूर्व शिक्षा

03 वर्ष से 06 वर्ष तक के आंगनबाड़ी केन्द्र पर आने वाले सभी बच्चों को विषय वस्तु आधारित ज्ञान प्रदान करने के लिए प्रत्येक केन्द्र पर ''पहल'' पाठ्यक्रम प्रदान करते हुए प्रतिदिन आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री/सहायिका शिशुओं को न्यूनतम 04 घंटे विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से शैक्षणिक व क्रियात्मक गतिविधियां करायी जा रही हैं।

आंगनबाड़ी केन्द्र अपग्रेडेशन

भारत सरकार के निर्देशानुसार विभाग के अंतर्गत निर्मित विभागीय आंगनबाड़ी केन्द्र के भवनों, जहां पर इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी है, वहां बेबी फ्रेन्डली शौचालय एवं स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति तथा विद्युतीकरण कराया जाना है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर 2304 पेयजल हेतु रु. 230.040 लाख एवं 2599 केन्द्रों पर शौचालय के निर्माण हेतु रु. 311.88 लाख की धनराशि जनपदों को अवमुक्त की गयी है। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2019-20 में 2363 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर वाह्य/आन्तरिक विद्युत संयोजन हेतु रु. 314.25 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में पेयजल, शौचालय एवं विद्युतीकरण हेतु रु. 1380.00 लाख का बजट प्रस्तावित है।

प्री-स्कूल किट्

समेकित बाल विकास परियेाजना कार्यक्रम के अंतर्गत 03 वर्ष से 06 वर्ष तक की आयु के बच्चों को स्कूल पूर्व शिक्षा प्रदान की जाती है। स्कूल पूर्व शिक्षा समेकित बाल विकास परियोजना का एक महत्त्वपूर्ण अंग है। बच्चों के प्राथमिक विद्यालय में जाने से पूर्व आंगनबाड़ी शिक्षा प्रक्रिया का प्रथम चरण है। इसका उद्देश्य बच्चों की शारीरिक, सामाजिक विकास और नैतिक शिक्षा के साथ ही उनकी भाषा और बुद्धि क्का भी विकास करना है। आंगनबाड़ी केन्द्रों पर औपचारिक शिक्षा न देकर प्री स्कूल किट् से उपलब्ध सामग्री के द्वारा बच्चों को शिक्षा के प्रति अभिरुचि उत्पन्न की जाती है, जिससे बच्चों की जिज्ञासा शांत होती है और उन्हें रचनात्मक दिशा भी प्राप्त होती है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा वह नींव का पत्थर है, जिस पर बच्चे के उज्ज्वल भविष्य की नीव खड़ी की जा सकती है। प्रदेश में आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से शहरी क्षेत्रों, दुर्गम क्षेत्रों तथा मलिन बस्तियों में पात्र बच्चों को प्री स्कूल किट् में उपलब्ध सामग्री के माध्यम से खेल-खेल में स्कूल पूर्व शिक्षा प्रदान की जाती है। भारत सरकार द्वारा प्रति आंगनबाड़ी केन्द्रों/ मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर प्री स्कूल किट् एवं ई.सी.सी.ई. बुक के क्रय हेतु रु. 5,000.00 की धनराशि निर्धारित की गयी है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में इस हेतु रु. 9489.45 लाख का बजट प्रस्तावित है।

राज्य पोषण मिशन

राज्य सरकार द्वारा कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए राज्य पोषण मिशन का गठन करते हुए इसका शुभारम्भ 01 नवम्बर, 2014 में किया गया। तत्पश्चात् सभी जिलाधिकारियों, मुख्य विकास अधिकारियों एवं जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा दो-दो राजस्व गांव गोद लेते हुए उन्हें 06 माह में कुपोषण की समस्या के निदान हेतु स्वास्थ्य, आई.सी.डी.एस., पंचायती राज, ग्राम्य विकास तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिये गये हैं।

मिशन के अन्तर्गत कृत कार्यों की समीक्षा हेतु मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में मण्डलस्तरीय पोषण समिति तथा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला पोषण समिति गठित की गयी है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में आय-व्ययक में रु. 1400.00 लाख का प्रावधान प्रस्तावित है।

शबरी संकल्प अभियान

शबरी संकल्प पोषण योजना के अन्तर्गत 0-6 माह से पूर्व 03 वर्ष तक आयु के अतिकुपोषित बच्चों की पोषण की स्थिति में सुधार के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण घर संचालित किये जाने हैं तथा 03 से 06 वर्ष आयु के बच्चों को हॉट कुक्ड फूड के अंतर्गत बर्तन आदि की व्यवस्था की आवश्यकता के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए रु. 10000.00 लाख धनराशि के प्रावधान हेतु प्रस्ताव है। इस मद की धनराशि शत-प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी।

महिला कल्याण निदेशालय, उत्तर प्रदेश

हमारे संविधान और उसकी प्रस्तावना में मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और नीति-निर्देशक-तत्व में भी नागरिकों की समानता निहित है जिसके फलस्वरूप इस देश में लैंगिक भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं है। परन्तु वास्तविकता यह है कि सदियों से चली आ रही सामाजिक व्यवस्थाओं के कारण अभी भी अधीनस्थ अवस्था में संविधान न केवल महिलाओं को समानता का अधिकार देता है, बल्कि राज्य को यह अधिकार देता है कि समानता लाने के लिए वह महिलाओं के प्रति सकारात्मक विभेदीकरण की योजनाएं बना सकते हैं।

इसी परिप्रेक्ष्य में महिलाओं को विभिन्न विकास-सम्बन्धी कार्यक्रमों से सम्बद्ध करके उनकी आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति सुधारने में मदद करने के उद्देश्य से वर्ष 1989 में शासन स्तर पर एक अलग महिला एवं बाल विकास विभाग का गठन किया गया। इसके साथ ही विभिन्न विभागों द्वारा महिलाओं के कल्याण सम्बन्धी किये जा रहे कार्यों की समीक्षा/समन्वय एवं महिलाओं के विकास हेतु पृथक से महिला कल्याण निदेशालय की स्थापना वर्ष 1989-90 में की गयी।

विभिन्न प्रकार की आपदाओं से ग्रस्त एवं सामाजिक कुरीतियों की शिकार महिलाओं एवं बच्चों को विविध प्रकार की आर्थिक सहायता, शिक्षा एवं प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान कर सुसंस्कृत एवं विकसित व्यक्तित्व प्रदान करने जैसा गुरुतर कार्य भी इस विभाग द्वारा किया जा रहा है।

महिला कल्याण निदेशालय के अन्तर्गत पूर्णकालिक निदेशक का एक पद आई.ए.एस.के वरिष्ठ वेतनमान में सृजित है जिसके नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, सहायक निदेश, क्षेत्राधिकारी तथा चिकित्साधिकारी के पद मुख्यालय स्तर पर सृजित हैं, जिनके द्वारा निदेशालय स्तर पर संचालित कार्यक्रमों/योजनाओं का कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण का कार्य किया जाता है। मण्डल स्तर पर उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी कार्यालय है। इसी प्रकार जिला स्तर पर जिला परिवीक्षा अधिकारी कार्यालय है। जनपद स्तर पर अनाथ निराश्रित बालकों तथा महिलाओं हेतु विभिन्न आवासीय संस्थायें संचालित हैं, जिनमें पर्याप्त स्टाफ तैनात है। इसके अतिरिक्त अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम तथा किशोर न्याय (बच्चों की देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम के अन्तर्गत भी जनपद स्तर पर आवासीय संस्थायें संचालित है। इन संस्थाओं में विभिन्न स्तरों के कर्मचारी तैनात हैं।

निदेशालय के कार्यकलाप वित्तीय आवश्यकताओं एवं उनका प्रगति विवरण

निदेशालय द्वारा महिलाओं विशेष कर ग्रामीण एवं निर्धन वर्ग की महिलाओं को विकास की धारा

से जोड़ने के लिए कई सामाजिक/आर्थिक कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। निदेशालय द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के सम्बन्ध में संक्षिप्त वित्तीय विवरण निम्न प्रकार हैं:–

महिला कल्याण निदेशालय के अन्तर्गत कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का वेतन, भत्तों तथा कार्यालय व्यय को वहन किया जाता है। इसके लिये वित्तीय वर्ष 2020-21 में रुपये 1542.80 लाख का आय-व्ययक अनुमान प्रस्तावित है।

जनपदों में बाल कल्याण समिति की स्थापना

किशोर न्याय (बालकों की देख रेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 के अंतर्गत आई.सी.पी.एस. में 75 जनपदों में बाल कल्याण समिति की स्थापना हो चुकी है। इसके संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में रुपये 2710.00 लाख का बजट अनुमान प्रस्तावित किया गया है।

शहरी तथा अर्द्धशहरी क्षेत्रों में जरूरतमंद बालकों के लिए खुले आश्रय गृह की स्थापना

किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 के अंतर्गत आई.सी.पी.एस. में स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से शहरी तथा अर्द्धशहरी क्षेत्रों में जरूरतमंद बालकों के लिये खुले आश्रय गृह की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में रुपये 1430.00 लाख का बजट अनुमान प्रस्तावित किया गया है।

विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण की स्थापना

किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 के अंतर्गत आई.सी.पी.एस. में जनपदों में विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण इकाई की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु वित्तीय वर्ष वर्ष 2020-21 में रुपये 732.33 लाख का बजट अनुमान प्रस्तावित किया गया है।

किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत संस्थानों/गृहों का संचालन

किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 के अंतर्गत के लिए आई.सी.पी.एस. में वर्तमान गृहों को जरूरतमंद बच्चों के लिए उनकी प्रगति के आधारपर संचालित किया जा रहा है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में रुपये 14140.00 लाख का बजट अनुमान प्रस्तावित किया गया है।

बाल संरक्षण इकाई की स्थापना

किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 के क्रियान्वयन के लिए आई.सी.पी.एस. के अन्तर्गत राज्य बाल कल्याण इकाई तथा जिला बाल संरक्षण इकाइयों की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में रुपये 6050.00 लाख का बजट अनुमान प्रस्तावित किया गया है।

स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से बालगृह/आश्रय गृह (बालक/बालिका/शिशु) की स्थापना

किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 के अंतर्गत के लिए आई.सी.पी.एस. में स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से बालगृह (बालक/बालिका/शिशु/आश्रय गृह) की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में रुपये 1080.00 लाख का बजट अनुमान प्रस्तावित किया गया है।

राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी की स्थापना

किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 के अंतर्गत आई.सी.पी.एस. में मुख्यालय पर राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी की स्थापना हो चुकी है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में रुपये 120.00 लाख का बजट अनुमान प्रस्तावित है।

कन्या सुमंगल योजना

बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं शिक्षा के स्तर में वृद्धि करने तथा उनके भविष्य को उज्ज्वल बनाने, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने, बाल विवाह को रोकने के उद्देश्य से तथा महिलाओं एवं जनमानस में सकारात्मक सोच लाने, उनके प्रति सम्मान भाव जाग्रत करने के उद्देश्य से 01 जनवरी, 2019 से प्रदेश में 'कन्या सुमंगला योजना' उत्तर प्रदेश में लागू की गयी है। इस योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु रु. 120000.00 लाख का आय-व्ययक प्रस्तावित है।

स्वाधार आश्रय गृह

जनपद मथुरा में स्वाधार आश्रय गृह के अन्तर्गत ऐसी महिलाओं को रखे जाने की व्यवस्था है जो निराश्रित हैं, अपने पति/बच्चे/परिवार से पृथक कर दी गयी हैं, घरेलू हिंसा से पीड़ित हैं अथवा किसी दैवीय आपदा के चलते निराश्रित हो गयी हैं, को आश्रय प्रदान किये जाने हेतु स्वाधार आश्रय गृह योजना का संचालित किया जाना प्रस्तावित है। इसका संचालन पुरोनिधानित योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। इसमें 60 प्रतिशत केन्द्र सरकार एवं 40 प्रतिशत राज्य सरकार का अंश होता है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु. 500.00 लाख की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

उज्ज्वला योजना

यह एक केन्द्र पुरोनिधानित योजना है, जिसमें 60 प्रतिशत केन्द्र एवं 40 प्रतिशत राज्य सरकार का अंश होता है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में रुपये 207.74 लाख का व्यय अनुमानित है तथा आगामी वित्तीय वर्ष 2020-21 में रुपये 150.00 लाख का आय-व्ययक प्रस्तावित है।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ

भारत सरकार की योजना नेशनल मिशन फार वूमेन के तहत 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' योजना बाल लैंगिक अनुपात एवं बालिकाओं को अनिवार्य शिक्षा से जोड़ने तथा बाल लैंगिक अनुपात की दर में वृद्धि हेतु समेकित प्रयास के उद्देश्य से यह योजना प्रदेश के 17 जनपदों में क्रमशः आगरा, बागपत, मथुरा, बुलन्दशहर, मेरठ, झांसी, मुजफ्फरनगर, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, कन्नौज, प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर, बरेली, लखनऊ तथा हाथरस में संचालित की जा रही है। इस मद में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए रु. 0.01 लाख का सांकेतिक आय-व्ययक प्रस्तावित है।

महिला हेल्प लाइन/वन स्टाप सेन्टर

महिला हेल्प लाइन के सार्वभौमिकरण की योजना हिंसा से प्रभावित महिलाओं को 24 घण्टे तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार के सहयोग से संचालित की जा रही है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु. 0.01 लाख एवं रु. 0.01 लाख की सांकेतिक बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

स्टेट रिसोर्स सेन्टर फार वूमेन एण्ड चाइल्ड

स्टेट रिर्सोस सेन्टर फार वूमेन एण्ड चाइल्ड की स्थापना महिला बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा टाटा इन्स्टीट्यूट आफ सोशल सांइसेस मुम्बई के सहयोग से महिलाओं एवं बच्चों के एक उत्कृष्ट केन्द्र के रूप में प्रस्तावित है। एस.आर.सी.डब्लू.सी.ऐसे संसाधन के रूप में कार्य करेगा जिसमें महिला एवं बाल विकास एवं उनके अधिकारों के साथ हिंसा से बचाव के मुद्दे पर विश्वसनीय एवं सार्थक ज्ञान की उपलब्धता होगी। सेन्टर का मिशन-महिला एवं बच्चों का सशक्तिकरण एवं संरक्षण है। इस मद में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए रु. 100.00 लाख की बजट व्यवस्था हो चुकी है।

उ.प्र. रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष

महिला एवं बाल विकास विभाग, उ0प्र0 सरकार द्वारा संचालित उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के अंतर्गतः-

आई.पी.सी. की धारा 304 बी, 326ए, 376 ए, 376सी, 376 डी, पाक्सो अधिनियम की धरा 4, 6 व 14 तथा आई.पी.सी. की धारा 302 के साथ पठित पाक्सो अधिनियम की धारा 4/6 के प्रकरणों में जघन्य हिंसा की शिकार बालिकाओं/महिलाओं अथवा उनके परिजनों को रु. 1 लाख से लेकर रु. 10 लाख तक की आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने की व्यवस्था है। इस आर्थिक सहायता को प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार के आवेदन की आवश्यकता नहीं है। सरकार द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट, चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट व चार्जशीट के आधार पर आर्थिक सहायता प्रदान करने की कार्यवाही स्वतः सम्पादित की जाती है।

उत्तर प्रदेश नियंत्रण बोर्ड

अनाथालय और अन्य पूर्व आश्रम (पर्यवेक्षण और नियंत्रण) अधिनियम, 1960 प्रदेश में 19 अक्टूबर, 1991 से लागू है, जिसके क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बोर्ड की स्थापना 16 नवम्बर, 1991 को की गयी।

बोर्ड का मूलभूत उद्देश्य अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार आश्रमों के प्रबन्ध से सम्बन्धित विषयों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करना है, जिसके अंतर्गत अधिनियम की परिधि में आने वाली संस्थाओं को मान्यता देना, मान्यता का नवीनीकरण करना, उनका निरीक्षण एवं नियंत्रण करना तथा संवासियों का पुनर्वासन तथा गोद/संरक्षण, विवाह, नौकरी, संरक्षकों को सौंपकर कराना एवं उनको उच्चतर शिक्षा दीक्षा एवं सर्वांगीण विकास हेतु अन्य उपयुक्त संस्थाओं से स्थानान्तरण की कार्यवाही सुनिश्चित कराना है। इसके साथ ही संस्था की चल-अचल सम्पत्ति का दुरुपयोग न हो तथा संवासियों एवं कार्यरत कर्मचारियों का किसी प्रकार शोषण न हो, आदि पर निगरानी रखना है। मान्यता न लेने वाली संस्थाओं तथा मान्यता प्राप्त ऐसी संस्थाएं जिनका संचालन संतोषजनक नहीं रहता है, के विरुद्ध क्रमशः दण्डात्मक एवं मान्यता निरस्त कराने की कार्यवाही बोर्ड द्वारा की जाती है।

उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग

बच्चे देश का भविष्य हैं। बच्चों का सर्वांगीण विकास एक सार्वभौमिक आवश्यकता है। भारतीय संविधान ने बच्चों को विभिन्न प्रकार के अधिकार प्रदान किये हैं, जैसे- न्याय के समक्ष समानता, 06 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा, बलात् श्रम से रोकना,

14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों तथा खतरनाक प्रकृति के उद्योगों में नियुक्त न करना। प्रत्येक राज्य सरकारें बच्चों के विकास के लिए इस प्रकार की नीतियाँ बनायें जिससे उनके बचपन का दुरुपयोग न हो सके। इसकी व्यवस्था भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में दी गयी है। भारत सरकार/राज्य सरकार बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्प है, ताकि उनके संवैधानिक एवं वैधानिक अधिकार सुरक्षित रहें। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 पारित किया गया है।

तद्क्रम में अधिसूचना द्वारा वर्ष 2013 में राज्य आयोग का गठन किया गया तथा आयोग के कार्यों के निष्पादन हेतु नियमावली 2015 अधिसूचित किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य बाल अधिकारों के संरक्षण के सन्दर्भ में विस्तृत कार्यवाही कर उनके संवैधानिक एवं वैधानिक अधिकारों को संरक्षित करना है।

आयोग के कार्य -

- आयोग द्वारा बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु कानूनी उपायों की समीक्षा करना तथा प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अनुशंसा करना।
- समय-समय पर केन्द्र सरकार को बाल अधिकार के संरक्षण सम्बन्धी उपायों पर प्रगति आख्या भेजना।
- बाल अधिकार के हनन की जाँच करना तथा मामलों में कार्यवाही की अनुशंसा करना।
- बाल्यावस्था को प्रभावित करने वाले कारण जैसे- आतंकवाद, साम्प्रदायिक हिंसा, दंगे, प्राकृतिक आपदा, घरेलू हिंसा, एड्स, बाल व्यापार, दुर्व्यवहार, प्रताड़ना तथा शोषण पोर्नोग्राफी तथा वैश्यावृत्ति आदि मामलों का परीक्षण कर निदान हेतु उपायों की अनुशंसा करना।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से सम्बन्धित मामलों में संरक्षण के साथ भी अवसादग्रस्त बच्चे उपेक्षित एवं शोषित बच्चे, वादग्रस्त बच्चे, बाल अपराधी, परिवार विहीन बच्चे एवं कैदियों के बच्चों के लिए उचित शिक्षा सम्बन्धी एवं अन्य उपायों की अनुशंसा करना।
- विभिन्न संधियों एवं अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों का अध्ययन करना एवं समय-समय पर वर्तमान नीतियों की समीक्षा करना, विभिन्न कार्यक्रम एवं बाल अधिकारों से सम्बन्धित गतिविधियों की समीक्षा करना तथा बाल हित में उनके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अनुशंसा करना।
- बाल अधिकारों के क्षेत्र में शोध कार्य को प्रोत्साहन देना।
- बाल अधिकारों से सम्बन्धित वर्तमान रक्षा उपायों का प्रकाशन, मीडिया गोष्ठी एवं अन्य उपलब्ध माध्यमों से जागरूकता का प्रसार करना।
- केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारी द्वारा संचालित अथवा किसी स्वयं सेवा संस्था द्वारा संचालित बाल सम्प्रेक्षण गृहों, बाल सुधार गृहों एवं बच्चों से सम्बन्धित अन्य संसाधनों जहाँ पर बच्चों का इलाज, सुधार एवं संरक्षण हेतु रखा गया है, का निरीक्षण करना।
- ऐसे मामलों में शिकायतों की जाँच करना और नोटिस जारी करना जहाँ -

(क) बाल अधिकारों का हनन अथवा उल्लघंन हो।

(ख) बच्चों के विकास एवं संरक्षण हेतु निर्मित विधियों का क्रियान्वयन न होना।

(ग) बच्चों के कठोर शारीरिक दण्डों के निवारण के लिए बनायी गयी नीति निर्देशिका अथवा निर्देश, जिनका उद्देश्य बच्चों का कल्याण एवं लाभ पहुँचाना है, का भली भाँति क्रियान्वयन न होना, ऐसे मामलों में सक्षम प्राधिकारी के साथ अर्थोपाय सुझाना।

(घ) बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु आवश्यक अन्य कार्य एवं उपरोक्त से सम्बन्धित अन्य कार्य।

- शिक्षाज का अधिकार अधिनियम- 2009 की धारा 31 के अन्तर्गत बच्चों के शिक्षा सम्बन्धी प्रदत्त अधिकारों का अनुश्रवण, बच्चों के प्रदत्त अधिकारों/रक्षाउपायों का परीक्षण/समीक्षा करना तथा उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संस्तुतियॉ करना, बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से सम्बन्धित शिकायतों की पृच्छा एवं निराकरण करना।
- उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग में वर्तमान में अध्यक्ष व 06 सदस्य नामित किये गये हैं। मा0 अध्यक्ष को राज्य मंत्री का स्तर प्राप्त है।

आयोग के विभिन्न कार्यकलाप

- बाल विकास बाल अधिकार के सन्दर्भ में चयनित 17 जनपदों में योजनाओं/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की अत्यावधिक स्थिति से सम्बन्धित आंकड़ों के संकलन के लिए आयोग द्वारा वर्क इन्ट्रीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम 2015 दिनांक 04.07.2015 से 25.07.2015 की अवधि में 98 इन्टर्नस की सहायता से किया गया। एकत्रित आंकड़ों के आधार पर संकलित रिपोर्ट तैयार कर शासन को प्रेषित की जायेगी।
- बाल अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए तथा बच्चों के शिकायतों के निराकरण हेतु बाल चौपालों का प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आयोजन किया जा रहा है।
- बाल अधिकारों से सम्बन्धित शिकायतों के निराकरण हेतु जनसुनवाई का प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आयोजन किया जा रहा है।
- प्रदेश में बाल अधिकारों से सम्बन्धित कानूनों के प्रभावी ढंग से लागू किये जाने के लिए विभिन्न सुझाव/दिशा निर्देशन शासन व विभागों को समय-समय पर प्रेषित किये गये।
- बच्चों को विधायी व उनके अधिकारों से जागरूक करने के उद्देश्य से दिनांक 18.12.15 को बाल-संसद 2015 का आयोजन श्री पुरुषोत्तम दास टण्डन सभागार, विधान भवन लखनऊ में किया गया, जिसमें प्रदेश से चयनित लगभग 150 विद्यार्थियों द्वारा सहभागिता की गयी।
- बाल श्रम के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से दिनांक 31.01.2016 को हाफ मैराथन के आयोजन में आयोग द्वारा सहभागिता की गयी।
- आयोग द्वारा प्रदेश में बाल अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से प्रचार सामग्री प्रकाशित कराकर प्रदेश में जन सुनवाई, बाल-चौपाल व अन्य जागरूकता कार्यक्रमों के दौरान वितरित करायी जा रही है।
- प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर आयोग के क्रियाकलापों एवं उद्देश्यों से परिचित होर्डिंग लगाकर प्रचार-प्रसार कराया जाना प्रस्तावित है।

- आयोग द्वारा प्रदेश में बाल उत्पीड़न की घटनाओं की रोकथाम के उद्देश्य से मीडिया के विभिन्न माध्यमों यथा-इलेक्ट्रानिक/प्रिन्ट मीडिया का प्रयोग कर जागरूक किया जा रहा है।
- बाल उत्पीड़न से सम्बन्धित इलेक्ट्रानिक व प्रिन्ट मीडिया पर प्रकाशित/प्रसारित होने वाली घटनाओं का स्वतः संज्ञान लेते हुए आवश्यकतानुसार सम्बन्धित जिलों के जिलाधिकारी/पुलिस अधिकारियों को पत्र भेज कर घटनाओं पर समुचित कार्यवाही करने एवं न्याय दिलाये जाने का प्रयास किया जा रहा है।
- ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए विविध कार्यक्रमों के आयोजन कराया जाना प्रस्तावित है।
- प्रदेश में बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता के लिए बाल अधिकारों पर सेमिनार का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है।
- समय-समय पर राजकीय सम्प्रेक्षण गृह, राजकीय बल गृह, आंगनबाड़ी केन्द्र, शिशु गृह, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक व पूर्व माध्यकि विद्यालयों का निरीक्षण तथा बच्चों के अधिकारों से सम्बन्धित कार्यक्रमों के आकलन हेतु निरीक्षण किया जा रहा है।
- प्रदेश में बाल अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से प्रदेश के विभिन्न जनपदों में जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक़्फ़

संक्षिप्त परिचय

भारत के संविधान में देश को एक धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी एवं प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र घोषित किया गया है। संविधान जहां देश के नागरिकों में धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, वहीं धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपने धर्म, भाषा तथा संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन का अधिकार भी प्रदान करता है। साथ ही उन्हें अपनी पसन्द की शैक्षिक संस्थाओं को स्थापित करने और उनके प्रबन्धन का भी अधिकार देता है।

अल्पसंख्यक वर्गों की सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि के परिप्रेक्ष्य में उनकी विशिष्ट समस्याओं का निराकरण करने तथा उनका शैक्षिक, सामाजिक एवं आर्थिक विकास करके उन्हें राष्ट्र एवं समाज की मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से शासन द्वारा अनेक योजनायें चलाई जा रही हैं। ऐसी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन, संचालन तथा समन्वय के लिये उत्तर प्रदेश शासन की विज्ञप्ति संख्या 4056/ बीस-3-95-539(2)/95), दिनांक 12 अगस्त, 1995) द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक़्फ़ विभाग का गठन किया गया।

प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या 15/चालीस-2-94-14(15)/91 दिनांक 7.10.1994 द्वारा मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध, एवं पारसी समुदायों तथा अधिसूचना संख्या 440/52-4-2003-1(3)-96, दिनांक 29 मार्च, 2003 द्वारा जैन समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय अधिसूचित किया गया है।

देश की अल्पसंख्यक समुदाय की कुल जनसंख्या की तुलना में उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय की जनसंख्या 19.98 प्रतिशत है।

अल्पसंख्यक समुदाय की जनसंख्या में विभिन्न समुदायों का भारत एवं उत्तर प्रदेश में प्रतिनिधित्व निम्नवत् है:-

क्र.सं.	समुदाय	भारत	उत्तर प्रदेश
1.	मुस्लिम	71.27	96.40
2.	ईसाई	11.50	0.89
3.	सिक्ख	8.61	1.61
4.	पारसी	0.05	0.03
5.	बौद्ध	3.48	0.52
6.	जैन	1.86	0.53

विभाग के उद्देश्य

01. अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में शिक्षा स्वास्थ्य, पेयजल तथा कौशल विकास से जुड़ी सुविधाओं का सृजन कर इन क्षेत्रों के निवासियों हेतु विकास के अवसर सृजित करना।
2. अल्पसंख्यकों में स्कूल छोड़ देने (ड्राप-आउट) की प्रवृत्ति नियंत्रित करने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के समान छात्रवृत्ति वितरित कर शिक्षा का प्रसार करना।
3. मदरसों/मकतबों का आधुनिकीकरण कर उनमें गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, हिन्दी का पठन-पाठन भी कराना, ताकि इनसे पढ़कर निकले अल्पसंख्यक छात्र-छात्राएं कल्याणकारी राज्य (वेलफेयर स्टेट) के हर क्षेत्र में सक्रिय रूप से सहभागिता कर सकें।
4. मदरसों में व्यावसायिक शिक्षा, कम्प्यूटर शिक्षा को प्रभावी ढंग से लागू करना, जिससे कि इन परम्परागत शिक्षिण संस्थाओं से शिक्षण प्राप्त अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चे राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ सकें।
5. शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में बालिकाओं की शिक्षा के स्तर में सुधार के लिये बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में छात्रावासों का निर्माण।
6. वक्फ़ सम्पत्तियों का विकास कर उनसे होने वाली आय को बढ़ाना ताकि वक्फ़ वाकिफ की इच्छानुसार परोपकारी (सामाजिक,धार्मिक, सांस्कृतिक) संस्थाओं के रूप में प्रभावी योगदान कर सकें।
7. मातृ/शिशु तथा वृद्धों से सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न स्वास्थ्य सम्बन्धी योजनाओं की अल्पसंख्यकों में पहुंच बढ़ाना।
8. निजी/अर्द्धसरकारी तथा सरकारी क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों के सेवायोजन की स्थिति में सुधार हेतु चलाई जा रही योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू कराना।
9. उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से स्वरोजगार हेतु ऋण दिलाने के लिये मार्जिन मनी उपलब्ध कराना, टर्मलोन देना तथा मेधावी छात्रों को उच्च व्यावसायिक शिक्षा के लिये ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराना।

संगठनात्मक व्यवस्था

प्रशासनिक इकाइयाँ

विभाग से सम्बन्धित योजनाओं का क्रियान्वयन, संचालन एवं समन्वय विभाग के निम्नलिखित अंगो द्वारा किया जाता है :–

1. सर्वे कमिश्नर, वक्फ़।
2. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण।
3. उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड।
4. उत्तर प्रदेश वक्फ़ विकास निगम लिमिटेड।
5. उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति।

6. उत्तर प्रदेश सुन्नी सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ वक्फ़।
7. उत्तर प्रदेश शिया सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ वक्फ़।
8. उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग।
9. उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद।
10. वसीका कार्यालय, लखनऊ।
11. उ0प्र0 वक़्फ़ न्यायाधिकरण।

अधीनस्थ विभागों के कार्यकलाप

- **सर्वे कमिश्नर, वक्फ़**

उत्तर प्रदेश वक्फ़ अधिनियम-1960 के अंतर्गत सर्वे कमिश्नर वक्फ़ संगठन की स्थापना वर्ष 1976 में की गयी। इस संगठन का प्रमुख कार्य अपंजीकृत तथा नवसृजित अवकाफ का पता लगाकर उनके पंजीकरण हेतु सर्वे रिपोर्ट सुन्नी/शिया वक्फ़ बोर्ड को उपलब्ध कराना है।

उत्तर प्रदेश में स्थित वक्फ़ सम्पत्तियों का सर्वेक्षण पूर्व में मुस्लिम वक्फ़ अधिनियम-1960 के अंतर्गत वर्ष 1976 से 1986 के मध्य कराया गया था, जिसमें 1,08,069 में सुन्नी अवकाफ तथा 3,358 शिया अवकाफ कुल 1,11,427 अपंजीकृत वक्फ़ सम्पत्तियां प्रकाश में आयी थीं।

शासनादश दिनांक 16.04.2014 द्वारा वक़्फ़ अधिनियम-1995 (वक़्फ़ अधिनियम-2013 यथा संशोधित) के प्राविधानों के अंतर्गत प्रदेश में स्थित वक़्फ़ सम्पत्तियों क पूर्ववर्ती सर्वेक्षण के उपरांत 10 वर्ष से अधिक की अवधि पूर्ण हो जाने के दृष्टिगत नव सृजित/अपंजीकृत वक़्फ़ सम्पत्तियों का पश्चातवर्ती सर्वेक्षण के कार्यवाही की जा रही है।

- **अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय**

निदेशालय तथा इसके अधीनस्थ क्षेत्रीय (फील्ड) कार्यालयों का गठन वर्ष 1995-96 में किया गया है। तथा निदेशालय द्वारा अधीनस्थ कार्यालयों के प्रशासनिक नियंत्रण के साथ-साथ विभाग में संचालित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों (यथा-प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए केन्द्र/राज्य पोषित छात्रवृत्ति योजना, पुत्री के विवाह हेतु अनुदान तथा अरबी, फारसी मदरसों से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों) को सरल, सुदृढ़ एवं पारदर्शी क्रियान्वयन, संचालन, अनुश्रवण तथा परिवेक्षण किया जाता है।

- **उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड**

अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु भारत सरकार के 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश सरकार द्वारा उ.प्र. अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम का गठन 17 नवम्बर, 1984 को कम्पनी के रूप में किया गया। निगम की अधिकृत पूंजी रु. 30.00 करोड़ है। इसका रजिस्टर्ड कार्यालय सातवां तल, जवाहर भवन, लखनऊ, है। जिला स्तर पर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी निगम के पदेन जिला प्रबन्धक के रूप में कार्य करते हैं। निगम द्वारा टर्मलोन योजना अपनी अंशपूँजी तथा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम से प्राप्त ऋण से संचालित की जाती है। व्यावसायिक प्रशिक्षण/कौशल सुधार

योजना तथा परीक्षा पूर्व कोचिंग योजना शासन से प्राप्त अनुदान से चलाई जाती है। इसके अतिरिक्त निगम द्वारा ब्याज रहित शैक्षिक ऋण योजना राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम के सहयोग से चलाई जाती है।

- **उत्तर प्रदेश वक्फ़ विकास निगम लिमिटेड**

प्रदेश में अवकाफ की सुरक्षा एवं विकास तथा उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनाने के उद्देश्य से उ0प्र0 वक्फ़ विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 27 अप्रैल, 1987 को रुपया पांच करोड़ की अधिकृत अंशपूँजी से की गई थी। वर्तमान में निगम की अंश पूँजी रु0 10.00 करोड़ है। निगम के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं-

1. अवकाफ के विकास हेतु उनकी सम्पत्तियों पर व्यवसायिक एवं आवासीय केन्द्रों, दुकानों, कार्यालयों, होटलों, छात्रावासों तथा विद्यालयों का निर्माण।
2. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की निर्माण संबंधी परियाजनाओं में कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य।
3. अवकाफ की आय बढ़ाने के उद्देश्य से उन पर व्यवसायिक/औद्योगिक काम्पलेक्स के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता एवं तकनीकी सलाह उपलब्ध कराना।
4. मस्जिदों, दरगाहों, इमामबाड़ों तथा ईदगाहों आदि का विकास, अनुरक्षण एवं मरम्मत।
5. वक्फ़ की ओर से मुसाफिरखानों, होटलों, पुस्तकालयों, स्कूलों आदि की स्थापना कराना।
6. वक्फ़ संस्थाओं, मुतवल्लियों तथा वक्फ़. के लाभ-गृहीताओं को लघु उद्योग स्थापित करने में सहायता प्रदान करना, तकनीकी एवं शोध प्रयोगशालाएं स्थापित करना।
7. दरगाहों तथा मुस्लिम तीर्थ यात्रियों एवं जायरीन को विश्राम गृह तथा अन्य सुविधायें प्रदान करना और ईदगाहों के वार्षिक उर्स का प्रबन्ध करना।
8. आवासीय सहकारी, उपभोक्ता सहकारी, औद्योगिक सहकारी एवं कृषक सहकारी संस्थाओं को स्थापित करने में मुतवल्लियों एवं वक्फ़, के लाभ-गृहीताओं को सहायता प्रदान करना।
9. वक्फ़ संस्थाओं के लिये सर्वेक्षक, ठेकेदार एवं परामर्शदाता के रूप में कार्य करना।

- **उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति**

प्रदेश के मुस्लिम समुदाय की पारम्परिक हज यात्रा को सुविधाजनक ढंग से सम्पन्न कराने के लिये ''हज कमेटी एक्ट-2002'' के अन्तर्गत उ0प्र0 राज्य हज समिति विधिवत रूप से गठित है।

- **उत्तर प्रदेश सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ़. बोर्ड**

वक्फ़ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत उ0प्र0 सुन्नी सेण्ट्रल वक्फ़ बोर्ड का गठन वर्ष 1999 में किया गया। वर्तमान बोर्ड का गठन अधिसूचना संख्या 1309/52-2-09-639/83टी.सी.-1, दिनांक 30-10-09 द्वारा किया गया था।

- **वक्फ़ बोर्ड के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं।**

1. अवकाफ का पंजीकरण करना।

2. मुतवल्ली/प्रबन्ध समिति की नियुक्ति एवं उन्हें हटाने सम्बन्धी कार्य।
3. अनाधिकृत रूप से अध्यासित/विक्रय की गई वक्फ़ सम्पत्ति का कब्जा वापस लेना।
4. वक्फ़ सम्पत्तियों से सम्बन्धित मुकदमों की पैरवी।
5. वक्फ़ विकास निगम की सहायता से वक्फ़ सम्पत्तियों का विकास। बोर्ड की आय का मुख्य स्रोत अवकाफ की आय से प्राप्त होने वाला अंशदान है।

- **वसीका कार्यालय हुसैनाबाद, लखनऊ**

ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी के माध्यम से अवध के तत्कालीन शासकों से चल/अचल सम्पत्ति के रूप में कुछ धनराशि अनुबन्ध पत्र पर ऋण स्वरूप प्राप्त की थी। अनुबन्धन के अनुसार उक्त ऋण पर ब्याज की धनराशि को ऋणदाताओं द्वारा इंगित उनके उत्तराधिकारियों/सेवकों को पीढ़ी दर पीढ़ी वसीका के रूप में अदा की जाती है। वसीका वितरण हेतु वसीका कार्यालय स्थापित है जो पूर्व में भारत सरकार के नियंन्त्रण में था। वर्ष 1957 से यह कार्यालय उत्तर प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में आ गया। वर्ष 1995-96 में उ0प्र0 सरकार में प्रथक अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का गठन होने के बाद इसे विभाग के अधीन कर दिया गया। वसीका कार्यालय द्वारा आठ प्रकार के वसीकों, 11 प्रकार के राजनीतिक पेन्शनों तथा 13 प्रकार के अमानती नोट पर ब्याज के भुगतान किये जाने के साथ-साथ काला इमामबाड़ा तथा मिर्जा अली खां के मकबरे के नियन्त्रण/देखरेख का कार्य भी किया जाता है।

- **उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश**

प्रदेश के मान्यता प्राप्त अनुदानित/गैर अनुदानित अरबी तथा फारसी मदरसों के निरीक्षण एवं उसके प्रशासनिक कार्यों की देख-रेख के लिए निरीक्षक तथा अरबी-फारसी मदरसों की मुन्शी, मौलवी, आलिम, कामिल तथा फाजिल परीक्षाओं के लिए पदेन रजिस्ट्रार, अरबी फारसी परीक्षायें, उत्तर प्रदेश भी है।

उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद में एक रजिस्ट्रार/निरीक्षक, दो उप रजिस्ट्रार, एक सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी, एक प्रशासनिक अधिकारी, छह वरिष्ठ सहायक, दो आशुलिपिक, नौ कनिष्ठ सहायक, एक सह स्टोर कीपर, दो टंकक, एक दफ्तरी तथा सात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद स्वीकृत हैं। वर्तमान में तहतानिया, फौकानिया, एवं आलिया स्तर के प्रदेश में कुल 8573 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। जिनमें से 560 अरबी-फारसी मदरसों को राज्य सरकार द्वारा अनुदान पर लिया गया है।

प्रदेश के समस्त मदरसों के उन्नयन, पारदर्शिता, प्रक्रियाओं के सरलीकरण तथा शिक्षा के गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा मदरसा वेब पोर्टल http://madrsaboardupsdc.gov.in लान्च किया गया है। वर्तमान में 560 अरबी-फारसी मदरसे राज्य सरकार की अनुदान सूची पर हैं। प्रदेश शासन द्वारा उ.प्र. मदरसा शिक्षा परिषद के मुन्शी तथा मौलवी को राजकीय सेवाओं के प्रयोजनार्थ हाईस्कूल तथा आलिम परीक्षा को इण्टरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष मान्यता का स्वरूप प्रदान किया गया है। महात्मा ज्योतिबाफुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली द्वारा कामिल व फाजिल परीक्षा को क्रमशः स्नातक तथा स्नातकोत्तर (उर्दू) के बराबर समकक्षता प्रदान की गयी है।

शैक्षिक सत्र वर्ष 2020 की परीक्षायें माह फरवरी 2020 में मदरसा पोर्टल के माध्यम से सम्पन्न करायी जायेंगी। परीक्षा वर्ष 2020 की सारी प्रक्रियाएं ऑनलाईन करायी जायेंगी। मदरसों का पोर्टल पर पंजीकरण तथा परीक्षार्थियों के परीक्षा फार्म भरे जाने का कार्य पूर्ण हो चुका है। परीक्षा वर्ष 2020 की परीक्षा सम्पन्न कराने के पश्चात 2020 में परीक्षाफल घोषित करने के पश्चात अंकपत्र सह सनद सम्बन्धित मदरसों को जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के माध्यम से प्राप्त करा दी जायेगी।

उ.प्र. मदरसा शिक्षा परिषद द्वारा मिनी आई0टी0आई0 परीक्षा सम्पन्न करायी जाती है, जिसमें प्रत्येक वर्ष लगभग 5,000 प्रशिक्षणार्थी सम्मिलित होते हैं। अब परीक्षा के आवेदन पत्र पोर्टल के माध्यम से भरे जा रहे हैं।

शासनादेश दिनांक 22.07.2016 के अनुसार समस्त मान्यता उ.प्र. मदरसा शिक्षा परिषद कार्यालय से प्रदान किये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं। मान्यता प्राप्त प्रस्तावों पर परिषद द्वारा गठित मान्यता समिति के निर्णयानुसार मान्यता प्रमाण-पत्र परिषद कार्यालय द्वारा जारी किये जाते हैं।

राज्य में उ.प्र. मदरसा शिक्षा परिषद की स्थापना और उससे सम्बन्धित या अनुसांगिक विषयों की व्यवस्था हेतु उ.प्र. मदरसा शिक्षा परिषद अध्यादेश 2004 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-1 सन् 2004) प्रख्यापित किया गया है।

- **उ0 प्र0 वक़्फ़ न्यायाधिकरण**

प्रदेश में स्थित वक़्फ़. सम्पत्तियों के विवादों के निस्तारण हेतु शासन द्वारा अधिसूचना दिनांक 03.03.2014 के माध्यम से उ0प्र0 वक़्फ़. न्यायाधिकरण लखनऊ का गठन किया गया है। उक्त न्यायधीकरण में शासन द्वारा एक अध्यक्ष, दो सदस्य व रजिस्ट्रार की नियुक्तियाँ की गयी हैं। न्यायाधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन एवं अन्य, व्ययों की पूर्ति हेतु शासन द्वारा धनराशि निर्गत की जाती है।

विभाग द्वारा संचालित राज्यपोषित प्रमुख योजनाएं एवं कार्यक्रम

पूर्वदशम छात्रवत्ति

पूर्वदशम् कक्षाओं कक्षा 9 एवं 10 में अध्ययनरत अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं हेतु योजनान्तर्गत निर्गत संशोधित शासनादेश दिनांक 29.09.2018 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार अल्पसंख्यक समुदाय के ऐसे सभी छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था के अन्तर्गत छात्रवृत्ति का भुगतान पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से छात्र/छात्राओं के बैंक खातों में अन्तरित किये जाने की व्यवस्था है, जिनके अभिभावकों की अधिकतम वार्षिक आय रु. 2.50 लाख है, को अधिकतम रु. 3000/- वार्षिक की छात्रवृत्ति से लाभान्वित किये जाने का प्राविधान है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट में योजना के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में रु. 2512.00 लाख तथा जिला योजना पक्ष में रु.1053.00 लाख अर्थात् कुल रु. 3565.00 लाख की धनराशि का प्राविधान है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में योजना के अन्तर्गत रु.2000.00 लाख तथा जिला योजना पक्ष में रु.1000.00 लाख अर्थात् कुल रु.3000.00 लाख की धनराशि का बजट में प्राविधान है।

- **दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना**

दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं को आगे की शिक्षा के लिए प्रेरित किये जाने के उद्देश्य से योजनान्तर्गत निर्गत संशोधित शासनादेश दिनांक 16-10-2018 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जिनके अभिभावकों की अधिकतम वार्षिक आय रु. 2.00 लाख तक है, योजनान्तर्गत अर्ह/पात्र माने जायेंगे। पात्र छात्र/छात्राओं को दो वर्गों (नवीनीकृत एवं नये) के रूप में चिन्हीकरण के आधार पर नवीनीकृत छात्रों हेतु गतवर्ष के परीक्षा परिणाम/अंकों के आधार पर वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत उपलब्ध बजट की सीमा तक/के आधार पर पात्र छात्र/छात्राओं को शिक्षा पर होने वाले वास्तविक व्यय अथवा निर्धारित अधिकतम वार्षिक दरों (जो भी कम हो) के आधार पर छात्रवृत्ति हेतु निम्नलिखित निर्धारित मासिक दरों पर तथा शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु समूह-1 के अन्तर्गत अधिकतम रु. 50,000/- तथा समूह 2 के लिए अधिकतम रु. 30,000/- समूह 3 के लिए अधिकतम रु. 20,000/- एवं समूह 4 के लिए अधिकतम रु. 10,000/- के अन्तर्गत अधिकतम शुल्क प्रतिपूर्ति किये जाने की व्यवस्था है। जिसे पी.एफ.एम.एस. के माध्यम से धनराशि छात्र/छात्राओं के बैंक खातों में अन्तरित किये जाने की व्यवस्था है।

श्रेणी	दर (प्रति माह)	
	दिवा छात्र	छात्रावासीय छात्र
समूह-1	रु. 550/-	रु. 1200/-
समूह-2	रु. 530/-	रु. 820/-
समूह-3	रु. 300/-	रु. 570/-
समूह-4	रु. 230/-	रु. 380/-

योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट में छात्रवृत्ति हेतु रु. 14867.00 लाख तथा शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु रु. 15,000.00 लाख की बजट व्यवस्था है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में योजना के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में छात्रवृत्ति हेतु रु. 19000.00 लाख की धनराशि का बजट प्राविधान है।

- **अल्पसंख्यक समुदाय के निर्धन/निराश्रित अभिभावकों की पुत्री के विवाह हेतु अनुदान योजना**

यह योजना वित्तीय वर्ष 2007-08 से प्रारम्भ की गयी थी। इस योजना में किसी गरीब अभिभावक की अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह हेतु प्रति पुत्री रु. 20,000/- की दर से आर्थिक सहायता दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में योजनान्तर्गत रु. 7400.00 लाख का बजट में प्राविधान के सापेक्ष 37000 पात्र आवेदकों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य रख गया है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में योजना के अन्तर्गत में रु. 5000.00 लाख धनराशि का बजट में प्राविधान है।

वर्तमान सरकार की मार्च, 2017 से अब तक की उपलब्धियां

1. प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम

- प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पी0एम0जे0वी0के0) के अन्तर्गत शिक्षण सुविधाओं के सृजन के उद्देश्य से 47 इण्टर कालेजों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया है। इनमें से सभी इण्टर कालेजों में फर्नीचर इत्यादि की व्यवस्था हेतु भारत सरकार से धनराशि भी प्राप्त हो चुकी है। इस प्रकार वर्तमान में सरकार द्वारा परियोजनाओं को केवल पूर्ण कराना ही लक्ष्य नहीं अपितु उसे जनहित में सुचारू रूप से संचालित किये जाने पर बल दिया जा रहा है।
- प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कौशल विकास हेतु 13 नवीन आई0टी0आई0 भवनों का निर्माण पूर्ण कराया गया तथा उक्त के अतिरिक्त 09 आई0टी0आई0 का संचालन भी प्रारम्भ कर दिया गया है।
- प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 64 पेयजल परियोजनाओं की स्थापना कर पेयजल सुविधाओं का सृजन किया गया।
- प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत माह मार्च, 2017 से नवम्बर, 2019 तक के मात्र ढाई वर्ष के समयावधि में रु. 1750 करोड़ के नवीन परियोजनाओं को स्वीकृत कराया गया जब कि पिछली सरकर के दौरान वर्ष 2012-17 के बीच 05 वर्षों में कुल रु. 2100 करोड़ की परियोजनायें अनुमोदित हुई थी।
- इस प्रकार वर्तमान सरकार द्वारा अब तक 03 राजकीय पॉलिटेक्निक, 52 राजकीय इण्टर कालेज, 09 जूनियर हाई स्कूल, 20 अपर प्राइमरी स्कूल, 136 प्राइमरी स्कूल, 18 राजकीय आई0टी0आई0, 01 राजकीय नर्सिंग कालेज, 09 राजकीय डिग्री कालेज, 1960 स्मार्ट क्लास, 02 इण्टर कालेज में परीक्षा हॉल, 09 छात्रावास, 30 सद्भाव मण्डप, 160 आंगनबाड़ी केन्द्र, 02 वर्किंग वमून हॉस्टल, 01 मार्केटिंग शेड, 03 साइंस लैब 187 पाइप पेयजल योजना, 747 पोर्टबल वॉटर सप्लाई, 01 सीवर योजना, 47 टायलेट ब्लॉक सहित कुल लगभग 3200 नई इकाईयों की स्थापना स्वीकृत की जा चुकी हैं।
- प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पी0एम0जे0वी0के0) के अन्तर्गत शिक्षण सुविधाओं के सृजन के उद्देश्य से 04 आई0टी0आई0 का निर्माण, जनपद रामपुर में 01 सामुदायिक सद्भावना केन्द्र एवं जनपद शाहजहांपुर में 01 राजकीय इण्टर कॉलेज के निर्माण का कार्य स्वीकृत हो चुका है।
- प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पी0एम0जे0वी0के0) के अन्तर्गत प्रदेश के अल्पसंख्यक समुदाय के चहुँमुखी विकास एवं अन्य अपरिहार्य सुविधाओं के सृजन के उद्देश्य से प्रदेश के 47 चिन्हित अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों के 145 विकास खण्डों एवं 89 नगर/स्थानीय निकायों में अल्पसंख्यकों की मूलभूत आवश्यकताओं (Critical gaps) के विकास हेतु विभिन्न जनपदों के जिलाधिकारियों के माध्यम से लगभग रु. 700.00 करोड़ की विकास योजनाओं के प्रस्ताव (D.P.R.) प्राप्त हुए हैं जिन पर शासन स्तर पर कार्यवाही संचालित है।

2. मदरसा बोर्ड की प्रगति

- पोर्टल के माध्यम से परिषद की मुंशी/मौलवी/आलिम/कामिल एवं फाजिल स्तर की वर्ष 2020 की परीक्षायें सफलतापूर्वक सम्पन्न करायी गई।
- अल्पसंख्यक विशेषकर मुस्लिम समुदाय के ऐसे छात्र जो अरबी, फारसी, मदरसों में अध्ययनरत् है, को आधुनिक ज्ञान-विज्ञान से परिचित कराने तथा राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ने के उद्देश्य से पाठ्यक्रम में संशोधन करते हुए मदरसों में एन.सी.ई.आर.टी. के पाठ्यक्रम लागू किये गये।
- वर्ष 2019 में सम्पन्न मदरसा परीक्षा में वैकल्पिक विषयों के प्रश्न-पत्र हिन्दी, अंग्रेजी तथा उर्दू तीनों भाषाओं में मुद्रित कराये गये।
- मदरसों में वैकल्पिक विषयों के शिक्षा का माध्यम हिन्दी, उर्दू एवं अंग्रेजी किया गया।
- मदरसों के छात्रों को एन.सी.सी., स्काउट गाइड तथा राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.) से भी जोड़े जाने का निर्णय लिया गया है।
- मदरसा परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित करते हुए कोर्स की अधिकतम अवधि भी निर्धारित की गई है। वर्तमान सरकार द्वारा ऑन-लाइन मदरसा पोर्टल की स्थापना कर भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाया गया है जिससे लगभग 6000 फर्जी मदरसे जो अस्तित्व में नहीं थे, उन्हें चिन्हित कर उनकी छात्रवृत्तियां एवं शिक्षकों के मानदेय आदि बन्द कराये गये हैं।

3. राज्य पोषित छात्रवृत्ति योजनाएं

- वित्तीय वर्ष 2018-19 में पूर्वदशम् छात्रवृत्ति में कुल रु. 35.65 करोड़ का बजट प्राविधान था, जिसके सापेक्ष कुल 1,28,494 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया।
- वित्तीय वर्ष 2018-19 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना में कुल रु. 148.67 करोड़ का बजट प्राविधान था, जिसके सापेक्ष कुल 407,906 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया तथा शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत कुल रु. 150.00 करोड़ बजट का प्राविधान था, जिसके सापेक्ष कुल 2,75,820 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया।
- वित्तीय वर्ष 2019-20 में पूर्वदशम् छात्रवृत्ति में कुल रु. 35.65 करोड़ का बजट प्राविधान था, जिसके सापेक्ष कुल 1,26,707 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया।
- वित्तीय वर्ष 2019-20 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना में कुल रु. 148.67 करोड़ का बजट प्राविधान था, जिसके सापेक्ष कुल 404,362 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया तथा शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत कुल रु. 150.00 करोड़ बजट का प्राविधान था, जिसके सापेक्ष कुल 2,75,820 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया।

4. उत्तर प्रदेश के हज यात्रियों की पवित्र हज यात्रा हेतु व्यवस्था

- हज-2018 में लखनऊ, वाराणसी व नई दिल्ली इम्बारकेशन से उ0प्र0 के कुल 31679 हज यात्री भेजे गये।

- वर्ष 2019-20 हज हाउस में हज यात्रियों के ठहरने हेतु उनके कक्षों को गर्मी और उमस के दृष्टिगत वातानुकूलित कराया गया तथा हज हाउस से एयरपोर्ट तक आवागमन हेतु वातानुकूलित एवं लो-फ्लोर बसों की व्यवस्था करायी गयी, इससे हज यात्रियों को काफी सुविधा हुयी जब कि पूर्व में ऐसी व्यवस्थाएं न होने के कारण उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था।
- वर्ष 2017 से ही प्रतिवर्ष हज यात्रियों के सुविधा के लिए सरकारी खर्चे पर हज सेवक (खादिमुल हुज्जाज) भेजे जा रहे हैं।

5. पुत्री के विवाह हेतु अनुदान योजना

- वित्तीय वर्ष 2018-19 में शादी अनुदान योजनान्तर्गत धनराशि रु. 7055.60 लाख से धनराशि रु. 35278 पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित कराया गया।
- वित्तीय वर्ष 2019-20 में योजनान्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि रु. 7400.00 लाख के सापेक्ष 36,685 पात्र लाभार्थियों को रु. 7337.00 लाख की धनराशि से लाभान्वित किया गया।

6. बहुउद्देशीय शैक्षणिक हब (मॉडल इण्टर कालेज) की योजना

- योजनान्तर्गत 12 अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में 21 मॉडल इण्टर कालेज का निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने हेतु शासन द्वारा द्वितीय किश्त निर्गत की जा चुकी है। निर्माण कार्य प्रगति पर है। वर्तमान सरकार द्वारा शिक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के चलते इन इण्टर कालेजों को पूरा कराये जाने हेतु दूसरी किश्त की धनराशि उनके द्वारा मांग प्रस्तुत किये जाने पर तत्काल उपलब्ध करा दी गयी।

7. तीन तलाक से पीड़ित महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा

- मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तीन तलाक प्रथा को असंवैधानिक घोषित किये जाने के उपरान्त इस पर भारत सरकार द्वारा कानून बनाये जाने के क्रम में तीन तलाक पीड़ित मुस्लिम महिलाओं से दिनांक 25 सितम्बर, 2019 को मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा संवाद किया गया। मुस्लिम महिलाओं की पीड़ा समझते हुए तीन तलाक पीड़ित महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाने की कार्यवाही की जा रही है। ऐसी पीड़ित महिलाओं को प्रतिमाह रु. 500 पेंशन दिये जाने का प्रस्ताव भी शीघ्र ही स्वीकृत कराये जाने की प्रक्रिया में है।

पिछड़ा वर्ग कल्याण

धर्म निरपेक्षता और प्रजातांत्रिक प्रणाली को आधार मानकर भारतीय संविधान में देश के सभी नागरिकों को जहाँ समानता का अधिकार दिया गया है, वहीं समाज के कमजोर और अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक रूप से ऊंचा उठाने हेतु संविधान की धारा 14, 15, 16, 335, 338, 339, 340, 341 तथा 342 का प्रावधान किया गया है। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों के हितार्थ विभिन्न कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। वर्ष 1995-96 तक यह कार्यक्रम प्रदेश के समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाये जा रहे थे। उत्तर प्रदेश की लगभग 52 प्रतिशत (सामाजिक न्याय समिति के अनुसार) जनसंख्या पिछड़े वर्ग की है और इतनी बड़ी जनसंख्या के विकास एवं कल्याण हेतु निःसंदेह ही एक स्वतंत्र विभाग की आवश्यकता का अनुभव बहुत पहले से किया जा रहा था। अतः वित्तीय वर्ष 1995-96 में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शासनादेश संख्या : 4056/बीस-ई-1-95-539(2)/95, दिनांक 12 अगस्त, 1995 द्वारा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की स्थापना स्वतंत्र रूप से की गयी।

उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन शासनादेश संख्याः 22/16/92-कार्मिक, दिनांक 09 मार्च, 1993 को किया गया था, जो राज्याधीन सेवाओं में पिछड़े वर्ग हेतु अनुमन्य आरक्षण सुनिश्चित कराने तथा पिछड़े वर्ग की सूची में अपेक्षित जातियों का समावेश करने अथवा निष्कासित करने की संस्तुति शासन को भेजने का कार्य कर रहा है।

उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम की स्थापना शासनादेश संख्याः 3459/26-3-89-9(51)/89, दिनांक 20 सितम्बर, 1989 द्वारा की गयी है, जो पिछड़े वर्ग के कमजोर लोगों के आर्थिक उत्थान हेतु परियोजनाएं स्थापित करने के लिए उन्हें ऋण उपलब्ध कराने का कार्य कर रहा है।

पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय द्वारा संचालित कार्यक्रम

पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए शिक्षा का स्थान सर्वोपरि है। शिक्षा के अभाव के कारण ही कोई वर्ग पिछड़ा रह जाता है। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति की लम्बी अवधि के बाद भी अन्य पिछड़े वर्गों के शैक्षणिक स्तर में अभी तक अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है। शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिए कई प्रयत्न किये गये हैं। वर्तमान में पिछड़े वर्गों के विकास के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों के अन्तर्गत पूर्वदशम् छात्रवृत्ति, दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं छात्रावास निर्माण के साथ दशमोत्तर कक्षाओं के लिए प्रवेश शुल्क प्रतिपूर्ति तथा बेरोजगार युवक/युवतियों के कम्प्यूटर प्रशिक्षण की योजनाएं संचालित की जा रही हैं। साथ की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अन्य पिछड़े वर्ग के गरीब व्यक्तियों को उनकी पुत्रियों के विवाह हेतु शादी अनुदान योजना भी संचालित की जा रही है। उक्त के अतिरिक्त पिछड़े वर्गों को

व्यावसायिक प्रशिक्षण देने हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं को भारत सरकार से अनुदान दिलाये जाने की योजनाएं भी संचालित की जा रही हैं।

- **पूर्वदशम् छात्रवृत्ति योजना (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर)**

पूर्वदशम् कक्षाओं के कक्षा 9 एवं 10 में अध्ययनरत पिछड़े वर्ग के सभी पात्र छात्र/छात्राओं को निम्नलिखित विवरण के अनुसार छात्रवृत्ति का वितरण कराया जा रहा है। इसके लिए आवश्यक धनराशि की व्यवस्था भी कर दी गयी है। वर्तमान दरें एवं आय सीमा की शर्तें निम्नवत् हैं :

क्र.सं.	कक्षा	छात्रवृत्ति की मासिक दरें	अभिभावक की आय सीमा	वर्ष में देयता
1.	9 से 10	रु. 150.00 प्रतिमाह एवं तदर्थ अनुदान रु. 750/- एकमुश्त	रु. 2.00 लाख तक वार्षिक	10 माह

पूर्वदशम् छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 8 तक की छात्रवृत्ति वितरण योजना वित्तीय वर्ष 2014-15 से कम धनराशि का बजट प्रावधान होने के कारण स्थगित कर दी गयी है।

शैक्षिक सत्र 2014-15 से कक्षा 9 एवं 10 की छात्रवृत्ति भी दशमोत्तर छात्रवृत्ति की भाँति छात्र/छात्राओं से ऑनलाईन आवेदन पत्र भरवाने एवं धनराशि कोषागार की ई-पेमेंट प्रणाली के माध्यम से उनके बैंक खाते में पी.एफ.एम.एस. सर्वर के द्वारा अन्तरित किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

- **दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर)**

शासनादेश सं0- 11(1)- (छात्रवृत्ति)/2013/64-2-2013, दिनांक 8 जनवरी, 2013 द्वारा उ.प्र. अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति नियमावली, 2012 यथासंशोधित नियमावली जारी कर की गयी है, जिसके अनुसार शैक्षिक सत्र 2012-13 से अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं को, जिनके माता-पिता/अभिभावक की आय सीमा रु. 2.00 लाख तक है, को दशमोत्तर छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। दशमोत्तर छात्रवृत्ति के मुख्य पाठ्यक्रम निम्नवत् हैं:-

I)	डिग्री व मास्टर डिग्री स्तर के पाठ्यक्रम, एम.फिल.-पीएच.डी., समस्त चिकित्सा पद्धति के पाठ्यक्रम, प्रौद्योगिकी, इंजीयिरिंग, प्लानिंग, आर्किटेक्चर, डिजाइन, फैशन टेक्नोलॉजी, कृषि, पशु चिकित्सा, एलाइड साइंस, व्यवसाय वित्त, मैनेजमेंट प्रशासन, कम्प्यूटर साइंस आदि पाठ्यक्रम, सी.पी.एल. पाठ्यक्रम, मैनेजमेंट चिकित्सा के परास्नातक स्तरीय डिप्लोमा, सी.ए., आई.सी.डब्ल्यूए., सी.एस., आई.सी.एफ.ए., एल.एल.एम., डी.लिट्, डी.एस.सी. आदि।
II)	स्नातक/परास्नातक स्तरीय डिग्री डिप्लोमा, सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम यथा फार्मेसी, नर्सिंग, एल.एल.बी., बी.एफ.एस., पैरा मेडिकल यथा- पुनर्वास, निदान आदि, मास कम्यूनिकेशन,

	होटल मैनेजमेंट, इंटीरियर डेकोरेशन, न्यूट्रीशन एण्ड डाइटेटिक्स, कॉमर्शियल आर्ट, टूरिज्म हास्पिटैलिटी, फाइनैन्शियल सर्विसेज (ई.जी. बैंकिंग इंश्योरेंस, टैक्सटायेनेटिक) जिसमें न्यूनतम योग्यता इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष हो तथा परास्नातक पाठ्यक्रम जो समूह-1 में सम्मिलित न हो यथा- एम.ए./एम.एससी./एम.काम./एम.एड./एम. फार्मा आदि।
III)	समस्त स्नातक स्तरीय पाठयक्रम जो समूह-I व II में सम्मिलित न हों, यथा- बी.ए., बी.एससी. एवम् बी.काम. आदि।
IV)	समस्त नॉन डिग्री स्तरीय कोर्स, जिनमें न्यूनतम प्रवेश योग्यता हाईस्कूल हो, आई.टी.आई. तीन वर्षीय डिप्लोमा कोर्स (पॉलीटेक्निक) आदि।

- **दशमोत्तर कक्षाओं हेतु शुल्क प्रतिपूर्ति योजना (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर)**

शासनादेश सं0- 11(1)- (छात्रवृत्ति)/2013/64-2-2013, दिनांक 8 जनवरी, 2013 द्वारा उ.प्र. अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति नियमावली, 2012 यथासंशोधित नियमावली जारी कर की गयी है, जिसके अनुसार शैक्षिक सत्र 2012-13 से अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं को, जिनके माता-पिता/अभिभावक की आय सीमा रु. 2.00 लाख तक है, को दशमोत्तर शुल्क प्रतिपूर्ति प्रदान की जाती है।

शैक्षिक सत्र 2013-14 से दशमोत्तर शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत अन्य पिछड़े वर्ग के पात्र छात्र/छात्राओं से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरवाने की व्यवस्था की गयी है तथा शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान कोषागार की ई-पेमेन्ट प्रणाली के माध्यम से छात्र/छात्राओं को पी.एफ.एम.एस. पोर्टल के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में किए जाने की व्यवस्था है।

- **दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत अधिकाधिक छात्रों को सुविधा उपलब्ध कराया जाना**

पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना 100 प्रतिशत केन्द्रपोषित योजना है, किन्तु केन्द्र सरकार द्वारा मांग के सापेक्ष अपेक्षित धनराशि अवमुक्त न होने के कारण लाखों की संख्या में अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राएं पात्र होने के बावजूद छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति से वंचित रह जाते हैं, इस हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु पूर्व निर्धारित संरचना को तार्किक रूप देते हुए ज्यादा से ज्यादा छात्र/छात्राओं तक योजना का कवरेज बढ़ाये जाने के उद्देश्य से पाठ्यक्रम समूहवार अधिकतम फीस की सीमा यथा- पाठ्यक्रम समूह-1 हेतु अधिकतम रु. 50 हजार, पाठ्यक्रम समूह-2 हेतु अधिकतम रु. 30 हजार तथा पाठ्यक्रम समूह-3 व 4 के एक वर्षीय सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों व गैर तकनीकी पाठ्यक्रमों हेतु रु. 10 हजार व अन्य तकनीकी पाठ्यक्रमों हेतु रु. 20 हजार अधिकतम निर्धारित किये जाने व गत परीक्षा की मेरिट कटऑफ के आधार पर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति दिए जाने की व्यवस्था वर्ष 2017-18 से की गयी है।

- **छात्रावास निर्माण योजना**

योजना का उद्देश्य अन्य पिछड़े वर्ग के निर्धन छात्र/छात्राओं को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना है। छात्रावासों का निर्माण शैक्षिक संस्था के परिसर में कराया जाता है। वर्तमान में छात्रावासों का निर्माण 100/50 छात्र/छात्राओं की क्षमता के कराये जाते हैं। वर्तमान में 100 छात्र क्षमता के 01 छात्रावास की निर्माण लागत रु. 207.74 लाख एवं 50 छात्र क्षमता के छात्रावास की निर्माण लागत रु. 131.73 लाख निर्धारित है। यह योजना केन्द्र/राज्य पोषित योजना है। राजकीय शिक्षण संस्थाओं में वित्त पोषण का अनुपात छात्राओं के लिए छात्रावास हेतु 90:10 केन्द्रांश व राज्यांश है और छात्रों के लिए छात्रावास हेतु 60:40 केन्द्रांश व राज्यांश है। योजनान्तर्गत 33 प्रतिशत छात्रावासों का निर्माण छात्राओं हेतु किये जाने का प्रावधान है।

• शादी अनुदान योजना

योजनान्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने (शहरी क्षेत्र हेतु अधिकतम आय सीमा रु. 56,460/- व ग्रामीण क्षेत्र हेतु अधिकतम आय सीमा रु. 46,080/-) वाले अन्य पिछड़े वर्ग के परिवारों की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। शादी योजना में रु. 20,000/- प्रति शादी की सहायता दी जाती है। शादी योजना में लड़की की उम्र 18 वर्ष एवं लड़के की उम्र 21 वर्ष होना आवश्यक है। योजनान्तर्गत विकलांग, विधवा, दैवीय आपदा से ग्रसित एवं भूमिहीनों को प्राथमिकता दी जाती है। यह योजना वर्ष 2016-17 से पूर्णतया ऑनलाइन है, जिसमें लाभार्थी पुत्री की शादी की तिथि के 90 दिन पूर्व तक अथवा 90 दिन बाद तक ऑनलाइन आवेदन कर सकता है, जिसका सत्यापन व अग्रसारण खण्ड विकास अधिकारी (ग्रामीण क्षेत्र हेतु)/उपजिलाधिकारी (शहरी क्षेत्र हेतु) के द्वारा ऑनलाइन किया जाता है। लाभार्थी को अनुदान का भुगतान पी.एफ.एम.एस. पोर्टल के माध्यम से सीधे बैंक खातों में दिये जाने का प्रावधान है।

• कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना

अन्य पिछड़े वर्ग के इण्टरमीडिएट पास बेरोजगार युवक/युवतियों, जिनके माता-पिता/अभिभावकों की वार्षिक आय रु. एक लाख तक अथवा उससे कम है, को भारत सरकार की नीलिट से मान्यता प्राप्त संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किये जाने का प्रावधान है। 'ओ' लेवल कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु भुगतान की जाने वाली धनराशि अधिकतम क्रमशः रु. 15,000/- प्रति प्रशिक्षार्थी तथा सी.सी.सी. कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु रु. 3,500/- अधिकतम सीधे संस्था को भुगतान किये जाने की व्यवस्था है। 'ओ' लेवल कम्प्यूटर प्रशिक्षण की अवधि 01 वर्ष तथा 'सी.सी.सी.' कम्प्यूटर प्रशिक्षण की अवधि 03 माह होती है। कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु संस्थाओं के चयन की कार्यवाही निदेशक की अध्यक्षता में एवं लाभार्थियों के चयन के लिए जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के माध्यम से की जाती है।

• सतर्कता प्रकोष्ठ

राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण हेतु जाति प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, समाज कल्याण विभाग की अध्यक्षता में स्क्रूटनी समिति गठित है। स्क्रूटनी समिति के समक्ष अन्य पिछड़े वर्गों के जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु प्राप्त होने वाले आवेदनों की जांच हेतु उ0प्र0 पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय के अधीन सतर्कता प्रकोष्ठ कार्यरत है। इसके द्वारा पिछड़ी जातियों की

जारी किये गये प्रमाण-पत्रों की शिकायतें प्राप्त होने पर जांच की जाती है।

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग.उत्तर प्रदेश

भारत के संविधान में समाज के पिछड़े वर्गों के लिए विशेष सुविधाएं एवं आरक्षण प्रदान किया गया है, ताकि इन जातियों/वर्गों का बहुमुखी विकास एवं जीवन स्तर अन्य वर्गों के समान हो सके। इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा गठित वी.पी. मण्डल आयोग की संस्तुतियों के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय की 9 सदस्यीय विशेष संविधान पीठ ने ''इन्दिरा साहनी बनाम भारत संघ'' वाद में अपने ऐतिहासिक फैसले 1992 में परमादेश जारी किया कि अन्य पिछड़े वर्गों में जातियों को सम्मिलित/निष्कासित करने के सम्बन्ध में प्रत्येक राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा ऐसे ट्रिब्यूनल या आयोग गठित किये जायेंगे, जो शासन को अपनी संस्तुति करेंगे।

आयोग के कार्य

- आयोग अनुसूची में किसी वर्ग के नागरिकों को पिछड़े वर्ग के रूप में सम्मिलित किये जाने के अनुरोधों का परीक्षण करेगा और अनुसूची में किसी पिछड़े वर्ग के व्यक्ति के सम्मिलित किये जाने या सम्मिलित न किये जाने की शिकायतें सुनेगा और राज्य सरकार को ऐसी सलाह देगा, जैसा वह उचित समझे।
- तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन या राज्य सरकार के किसी आदेश के अधीन पिछड़े वर्ग के लिए उपबन्धित रक्षोपायों (उत्पीड़न से संरक्षण) से सम्बन्धित सभी मामलों का अन्वेषण और अनुश्रवण करेगा और ऐसे रक्षोपायों (उत्पीड़न से संरक्षण) की प्रणाली का मूल्यांकन करेगा।
- पिछड़े वर्ग के अधिकारों और रक्षोपायों (उत्पीड़न से संरक्षण) से वंचित किये जाने के सम्बन्ध मे विशिष्ट शिकायतों की जांच करेगा।
- पिछड़े वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और उन पर सलाह देना और उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना।
- राज्य सरकार को उन रक्षोपायों (उत्पीड़न से संरक्षण) की कार्यप्रणाली पर वार्षिक व ऐसे अन्य समयों पर जैसा आयोग उचित समझे, प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।
- पिछड़े वर्ग के संरक्षण कल्याण और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए उन रक्षोपायों (उत्पीड़न से संरक्षण) और अन्य उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ऐसे प्रतिवेदन में उन उपायों के सम्बन्ध में जो राज्य सरकार द्वारा किये जायें, सिफारिश करेगा।
- पिछड़े वर्गों के संरक्षण, कल्याण, विकास और अभिवृद्धि के सम्बन्ध में ऐसे अन्य कृत्यों का, जो राज्य सरकार द्वारा दिए जायें, निर्वहन करना।

●

दिव्यांगजन सशक्तिकरण

विभाग का संक्षिप्त इतिहास

शासन की एक विज्ञप्ति द्वारा दिनांक 12 अगस्त 1995 को दिव्यांगजन के कल्याण हेतु ''विकलांग कल्याण विभाग'' का गठन किया गया व दिनांक 20 सितम्बर, 1995 को शासनादेश द्वारा विभाग के लिए विभिन्न प्रकार के पदों यथा निदेशालय, उपनिदेशक स्तर व जनपद स्तर का सृजन किया गया। तद्न्तर विभाग की संरचना आवश्यकतानुसार परिवर्तन किये गये। दिनांक 26 अप्रैल, 2017 से विभाग का नाम ''दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग'' कर दिया गया है।

विभाग की संरचना एवं दायित्व

समाज के असहाय, सुविधाविहीन एवं कमजोर वित्तीय स्थिति वाले दिव्यांग व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास एवं उनके लाभ तथा सहायता के लिए बनाई गयी योजनाओं के सुचारू संचालन हेतु प्रदेश सरकार द्वारा 12 अगस्त, 1995 को अलग से दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग का गठन किया गया जिसके अन्तर्गत शासन स्तर पर प्रमुख सचिव, विशेष सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव एवं अनुसचिव के पद तथा 3 अनुभाग सृजित हैं।

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के मुख्य दायित्व, उद्देश्य एवं कार्य -

1. दिव्यांगजन के सम्बंध में नीति का निर्धारण करना एवं प्रभावशाली क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
2. योजनाओं के माध्यम से दिव्यांगजन का भौतिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक पुनर्वास कर समाज की मुख्य धारा में शामिल करना।
3. दिव्यांगजन विकास के संबंधा में निर्धारित राष्ट्रीय नीतियों, कार्यक्रमों, संस्थाओं, के साथ समन्वय कर प्रदेश में प्रभावशाली तरीके से क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
4. दिव्यांगजनों के विकास संबंधी कार्य हेतु अन्तर्विभागीय समन्वय के साथ साथ गैर सरकारी संस्थाओं को प्रोत्साहित करना।
5. सेवाओं में दिव्यांगजन का आरक्षण एवं उनके सेवायोजन का पर्यवेक्षण करना आदि।

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित योजनाएं-

1- दिव्यांग व्यक्तियों हेतु भरण पोषण अनुदान (दिव्यांग पेंशन)

प्रदेश में 40 प्रतिशत या उससे अधिाक की दिव्यांगता वाले दृष्टिबाधित, मूक बधिर, मानसिक तथा शारीरिक रूप से दिव्यांगजन जिनके जीवनयापन के लिए स्वयं का न तो कोई साधन है और न ही वे किसी प्रकार का परिश्रम कर सकते हैं तथा जिनकी आय गरीबी की रेखा

(वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में रू. 46080/-तथा शहरी क्षेत्रें में रू. 56460/- प्रति परिवार प्रति-वर्ष) की सीमा के अन्दर हों, के भरण-पोषण हेतु दिव्यांगजन सशक्तीकारण विभाग द्वारा दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान योजना अन्तर्गत रू. 500/- प्रति माह प्रति लाभार्थी की दर से अनुदान दिया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत वर्तमान में कुल 10,67,786 दिव्यांगजन लाभान्वित हो रहे हैं।

2- कुष्ठावस्था पेंशन योजना

कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांग हुए ऐसे सभी दिव्यांगजन, जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं तथा जिनकी आय गरीबी की रेखा (वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रें में रू. 46080/-तथा शहरी क्षेत्रों में रू. 56460/- प्रति परिवार प्रति-वर्ष) की सीमा के अन्दर हैं एवं शासन द्वारा संचालित अन्य कोई पेंशन का लाभ न प्राप्त कर रहे हो को प्रदेश से सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र (चाहे दिव्यांगता का प्रतिशत कुछ भी होऋ के आधार पर रू. 2500/- प्रति माह प्रति लाभार्थी की दर से अनुदान दिया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत वर्तमान में कुल 10,728 दिव्यांगजन लाभान्वित हो रहे हैं।

3- शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण हेतु अनुदान योजना

प्रदेश में 40 प्रतिशत या उससे अधिाक की दिव्यांगता वाले दिव्यांगजन जिनकी आय गरीबी की रेखा (वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रें में रू. 46080/-तथा शहरी क्षेत्रें में रू. 56460/- प्रति परिवार प्रति-वर्ष ऋ के अन्दर हों को अधिाकतम रू. 10,000/- के कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है। गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में योजनान्तर्गत कुल 26,806 दिव्यांगजन लाभान्वित किये गये।

4- दिव्यांग व्यक्तियों को शादी करने पर प्रोत्साहन पुरस्कार योजना

इस योजना के अन्तर्गत दिव्यांगजनों कों शादी विवाह करने पर प्रोन्साहन स्वरूप पुरस्कार प्रदान किया जाता हैं। इस पुरस्कार के अन्तर्गत दम्पत्ति में युवक के दिव्यांग होने की दशा में रू. 15,000/-, युवती के दिव्यांग होने की दशा में रू. 20000/- तथा युवक व युवती दोनों के दिव्यांग होने की दशा में रू. 35,000/- की धनराशि प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की जाती है। इसके अन्तर्गत लाभान्वित होने के लिए आवश्यक है कि दम्पति आयकरदाता न हो और दंपति में में न्यूतम् दिव्यांगता 40 प्रतिशत हो। गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में योजनान्तर्गत कुल 622 दिव्यांगजन लाभान्वित किये गये।

प्रक्रिया - सर्वप्रथम दिव्यांगजन के पास निम्नलिखित प्रपत्र होने आवश्यक हैं -

(क) न्यूनतम् 40 प्रतिशत दिव्यांगता का प्रमाण-पत्र

(ख) आयकरदाता नहीं होने का प्रमाण-पत्र

(ग) दम्पति में लड़की की आयु शादी के समय 18 वर्ष या उससे अधिाक तथा लड़के की आयु 21 वर्ष या उससे अधिाक होनी चाहिए।

(घ) विवाह पंजीकरण प्रमाण-पत्र

(ङ) बैंक पासबुक की छाया-प्रति

लाभ पाने के लिए पात्र दिव्यांगजन को सर्वप्रथम http://divyangjan. upsdc.gov.in पर अपना आवेदन करना होता है, जिसके पश्चात जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के सत्यापनोपरान्त पात्र दिव्यांगजन को इस योजना से लाभान्वित किया जाता है।

5- दिव्यांगजन के पुनर्वासन हेतु दुकान निर्माण/संचालन योजना

इस योजना के अन्तर्गत दिव्यांग जन के पुनर्वासन हेतु रू. 20000/- की धनराशि दुकान निर्माण हेतु अथवा रू. 10000/-की धनराशि दुकान संचालन हेतु देने की व्यवस्था है। रू. 20000/- में से रू. 15000/- की धनराशि तथा रू. 10000/- में से रू. 7500/- की धनराशि चार प्रतिशत वार्षिक साधारण व्याज की दर से ऋण के रूप में एवं क्रमशः रू. 5000/- एवं रू. 2500/- अनुदान के रूप में दी जाती है। पात्रता में न्यूनतम दिव्यांगता 40 प्रतिशत होनी चाहिये तथा आय गरीबी की रेखा (वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रें में रू. 46080/-तथा शहरी क्षेत्रें में रू. 56460/- प्रति परिवार प्रति-वर्ष) की सीमा के अन्दर होनी चाहिये। गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में योजनान्तर्गत कुल 979 दिव्यांगजन लाभान्वित किये गये।

प्रक्रिया - जनपद के जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय में निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करना होता है।

6- दिव्यांगजन को निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को प्रतिपूर्ति

न्यूनतम् 40 प्रतिशत या उससे अधिाक की दिव्यांगता वाले दिव्यांगजन को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के अंतिम गंतव्य स्थल तक निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध कराई जाती हैं ।

प्रक्रिया -

(क) मुख्य चिकित्साधिाकारी द्वारा 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधर पर उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में दिव्यांगजन हेतु निःशुल्क बस यात्र सुविधा अनुमन्य है।

(ख) 80 प्रतिशत या अधिाक दिव्यांगता से, एक या अधिाक दिव्यांगता से ग्रसित है तो उस दिव्यांगजन के एक सहयोगी को भी दिव्यांगजन की तरह ही निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

(ग) आयु - किसी भी आयु वर्ग के दिव्यांगजन योजना का लाभ पाने के पात्र हैं।

(घ) उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों में दिव्यांगजन को निःशुल्क बस यात्रा सुविधाा बसों के अन्तिम गन्तव्य स्थल तक प्रदेश की सीमा के अन्दर प्रदेश की सीमा के बाहर अनुमन्य होगी। यह सुविधाा वायुशीतीत, शयनयान, वातानुकूलित तथा वीडियोयुक्त बसों पर लागू नही होती है।

(ड़)- यात्रा प्रारम्भ करते समय दिव्यांगजन द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त दिव्यांगता प्रमाण-पत्र एवं आधाार कार्ड परिवहन निगम के अधिाकृत कर्मचारी/अधिाकारी को अवलोकित कराया जाना होता है।

7- शल्य चिकित्सा अनुदान योजना (कॉक्लियर इम्प्लान्ट)

निर्धन एवं असहाय दिव्यांगजन की शल्य चिकित्सा अनुदान योजना के अन्तर्गत दिव्यांगजन को दिव्यांगता निवारण के संदर्भ में निर्धारित 22 प्रकार की शल्य चिकित्साओं के लिए प्रति व्यक्ति अधिकतम रू. 10000/- का अनुदान दिये जाने का प्राविधाान है। वर्तमान में कॉक्लियर इम्प्लान्ट किये जाने के संदर्भ में निर्धारित अधिकतम अनुदान की धानराशि रू. 10000/- को संशोधित करते हुए रू. 6.00 लाख कर दिया गया है।

शल्य चिकित्सा अनुदान योजना के अन्तर्गत कॉक्लियर इम्प्लान्ट के संदर्भ में अनुदान प्राप्त करने के लिए अभिभावक की अधिकतम आय गरीबी रेखा के लिए निर्धारित आय सीमा के दोगुने से अधिाक नहीं होनी चाहिए व अन्य 21 प्रकार की शल्य चिकित्साओं के लिए अनुदान प्राप्त करने के लिए अधिकतम आय सीमा रू0 60000/- वार्षिक से कम निर्धारित किया गया है। गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में योजनान्तर्गत कुल 555 दिव्यांगजन लाभान्वित किये गये।

8- शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को मोट्राइज्ड ट्राई-साइकिल की योजना

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा दिनांक 22 जनवरी, 2020 को जारी शासनादेश ''नि:शुल्क मोटराइज्ड ट्राइसाईकिल उपलब्धा कराये जाने की नियमावली, 2020'' के द्वारा प्रदेश के 80 प्रतिशत या उससे अधिाक दिव्यांगता वाले ऐसे दिव्यांगजन जो मोटराइज्ड ट्राइसाईकिल संचालित करने में सक्षम होंगे तथा जिनके परिवार की समस्त श्रोतों से वार्षिक आय रू. 1,80,000/- से कम हो, के लिए प्रति दिव्यांगजन अधिकतम रू. 25000/- अनुदान का प्राविधान किया गया है।

9- संकेत (राजकीय मूक बधिर विद्यालय) लखनऊ, आगरा, बरेली, फर्रूखाबाद, गोरखपुर

लखनऊ, बरेली, फर्रूखाबाद, आगरा, गोरखपुर में एक-एक विद्यालय संचालित हैं। इन विद्यालयों में श्रवण यंत्र की सहायता से छात्रें को शिक्षा दिये जाने के साथ-साथ व्यवसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। लखनऊ, बरेली तथा फर्रूखाबाद में जूनियर हाईस्कूल स्तर तक की शिक्षा प्रदान की जाती है। बरेली में आवासीय छात्र संख्या 120 तथा अनावासीय छात्र संख्या 220 (कुल 340) है। फर्रूखाबाद की आवासीय छात्र क्षमता -60 तथा अनावासीय छात्र क्षमता-40 है (कुल 100) तथा लखनऊ की आवासीय क्षमता 100 छात्र की है। आगरा एवं गोरखपुर में हाईस्कूल स्तर तक की शिक्षा देने की व्यवस्था है। आगरा की आवासीय छात्र की क्षमता 50 तथा अनावासीय छात्र क्षमता 100 (कुल 150) तथा गोरखपुर में आवासीय सुविधा उपलब्धा नहीं है अनावासीय छात्र क्षमता 100 है। इन विद्यालयों में अधययनरत छात्रें को जिनके अभिभावकों की मासिक आय रू. 1000/- तक होती है, उन छात्र/छात्रओं को आवासीय सुविधा के साथ-साथ रू. 2000/- प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति/छात्रवेतन दिया जाता है।

10- स्पर्श (बालक/बालिकाओं के लिये राजकीय दृष्टिबाधित विद्यालय) लखनऊ, गोरखपुर,बॉदा, सहारनपुर, मेरठ

लखनऊ/गोरखपुर में बालकों/बालिकाओं के लिए एक-एक, बांदा एवं मेरठ में बालकों हेतु

एक-एक इण्टर कालेज संचालित हैं। इन विद्यालयों की आवासीय छात्र क्षमता 200-200 है तथा अन्य 04 विद्यालयों की आवासीय क्षमता 100-100 है अनावासीय छात्र क्षमता 25-25 है। जनपद सहारनपुर में बालिकाओं हेतु हाईस्कूल स्तर तक का विद्यालय संचालित है, जिसकी आवासीय छात्र क्षमता 75 तथा अनावासीय छात्र क्षमता 25 है। इन विद्यालयों में ब्रेल पद्वति के माधयम से नि:शुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। इन विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्रओं को जिनके अभिभावकों की मासिक आय रू. 1000/-होती है, उन छात्र/छात्रओं को आवासीय सुविधाा के साथ-साथ प्रति छात्र/छात्र रू. 2000/- प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति/छात्रवेतन दिया जाता है, तथा अनावसीय छात्र/छात्रओं को घर से विद्यालय तक आने जाने हेतु नि:शुल्क बस सुविधाा उपलब्ध करायी जाती है।

11- ममता (मानसिक रूप से चुनौतीग्रस्त बालकों/बालिकाओं का राजकीय विद्यालय) लखनऊ तथा प्रयागराज।

प्रदेश में मानसिक रूप से चुनौतीग्रस्त बालकों/बालिकाओं के लिए एक-एक विद्यालय कमश: लखनऊ तथा प्रयागराज में संचालित है। इन विद्यालयों में बालकों एवं बालिकाओं को मनोवैज्ञानिक पद्धति से नि:शुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। प्रत्येक विद्यालय की आवासीय छात्र क्षमता 50-50 है। इन विद्यालयों में संवासियों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने की दृष्टि से व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। जिन संवासियों के अभिभावकों की मासिक आय रू. 1000/- प्रतिमाह तक है उनके भरण पोषण पर शासन द्वारा 2000/- रू. प्रति माह प्रति संवासी की दर से व्यय किया जाता है।

12- प्रयास (शारीरिक रूप से अक्षम बालकों के लिये राजकीय विद्यालय) लखनऊ, प्रतापगढ-

शारीरिक रूप से अक्षम बालकों के लिये प्रतापगढ़ तथा लखनऊ में एक-एक विद्यालय संचालित है। प्रत्येक विद्यालय की छात्र क्षमता 50-50 बालकों की है। इन विद्यालयों में हाईस्कूल स्तर तक की नि:शुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। इन विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रें जिनके अभिभावकों की मासिक आय रू0 1000/- तक होती है उनकों आवासीय सुविधाा के साथ भरण पोषण हेतु रू0 2000/- प्रतिमाह प्रति छात्र दिया जाता है ।

13- उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले दृष्टिबाधित छात्र/छात्रओं हेतु छात्रवासों का संचालन लखनऊ गोरखपुर, प्रयागराज एवं मेरठ।

दृष्टिबाधित छात्र/छात्रओं द्वारा अपने-अपने क्षेत्र से इण्टरमीडिएट की शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये अनेक कठिनाईयों का सामाना करना पड़ता है, के दृष्टिकोण से उन्हें उच्च शिक्षा ग्रहण करने के समय आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु लखनऊ/गोरखपुर में छात्र/छात्रओं हेतु एक-एक, प्रयाराज/मेरठ मे छात्रें हेतु एक-एक कुल छ: छात्रवासों की स्थापना की गयी है। प्रत्येक छात्रवास की स्वीकृत क्षमता 200-200 है।

14- डा० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय (लखनऊ)

देश में प्रथम बार विभिन्न श्रेणी के दिव्यांग विधाार्थियों को बाधारहित वातावरण में समेकित शिक्षा के अन्तर्गत गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान किये जाने के उद्देश्य से 'डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय

पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ की स्थापना की गयी है। वर्तमान में विशेष शिक्षा संकाय में दृष्टिबाधितार्थ, श्रवणबाधितार्थ एवं मानसिक मन्दितार्थ बी0एड0 एवं डी0एड0 विशेष शिक्षा पाठयक्रमों के संचालन के साथ-साथ बी0ए0,एम0ए0, बी0काम0, एम0काम0, एम0एस0डबलू, एम0बी0ए0 तथा विधि संकाय के अर्न्तगत बी0काम0 एल0एल0बी0 पाठ्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

विश्वविद्यालय में कुल 09 संकाय के अर्न्तगत 29 विभागों के बनने का प्राविधाान है जिसमें वर्तमान में 21 विभाग क्रियाशील है। विश्वविद्यालय मे प्रत्येक पाठयक्रम में विभिन्न श्रेणी के दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए 50 प्रतिशत सीट आरक्षित है जिसमें से पुनः 50 प्रतिशत अर्थात 25 प्रतिशत सीटें केवल दृष्टिहीन विद्यार्थियों के लिए आरक्षित है।

15- कौशल विकास केन्द्र दृष्टिबाधितों के लिये लखनऊ गोरखपुर, बॉदा-शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिये वाराणसी, प्रयागराज, उन्नाव - मूक-बधिरों के लिए आगरा

बेरोजगार व्यक्तियों को कार्य उपलब्धा कराने एवं विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान करने की दृष्टि से उपर्युक्त कर्मशालाएं संचालित है। इन कर्मशालाओं में वर्क आर्डर के आधार पर कुर्सी बुनाई डिजाइनर मोमबत्तियों, कम्प्यूटर ट्रेनिंग दिया जाता है व दिव्यांगजन की क्षमता व मांग के अनुसार निर्धारित ट्रेडों में भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभाग के महत्वपूर्ण लक्ष्य

1. दिव्यांग पेंशन योजना के अन्तर्गत रू. 62102.00 लाख की प्राविधानित धानराशि से अद्यतन् 10,67,786 दिव्यांगजन को लाभान्वित किया जा चुका है।
2. कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांगजन को रू. 3000.00 लाख की प्राविधानित धानराशि से अद्यतन् 10,728 दिव्यांगजन को लाभान्वित किया जा चुका है।
3. कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण अनुदान योजना में रू. 3740.00 लाख के प्राविधान से लगभग 62300 दिव्यांगजन को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है।
4. विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार देने हेतु रू. 264.00 लाख् की धनराशि से लगभग 1320 दम्पत्तियों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है।
5. दुकान निर्माण/संचालन योजना के अर्न्तगत रू. 106.04 लाख की धानराशि से लगभग 1060 दिव्यांगजनो को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है।
6. प्रदेश के विभिन्न जन उपयोगी सार्वजनिक कार्यालय/भवनों को चरणबद्व ढंग से दिव्यांगजन हेतु सुगम्य बनाने एवं वहॉ बाधारहित वातावरण सृजित कर दिव्यांगजन को आसान पहुॅच हेतु सुविधाा प्रदान करने की दृष्टि से सिपडा योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु रू. 500.00 लाख पूजीगत पक्ष में तथा राजस्व पक्ष में रू. 0.01 लाख की धनराशि का प्राविधान किया गया है।
7. सुगम्य भारत अभियान योजनान्तर्गत चिन्हित शासकीय एवं जनउपयोगी भवनों का एक्सेस आडिट तथा विभिन्न विभागों को दिव्यांगजन के हितार्थ बनाये जाने की दृष्टि से वित्तीय

वर्ष 2020-21 हेतु रू. 6500.00 लाख पूजीगत पक्ष में तथा राजस्व पक्ष में रू. 50.00 लाख की धनराशि का प्राविधान किया गया है।

8. मानसिक मंदित एवं मानसिक रूप से रूग्ण निराश्रित दिव्यांगजन के लिए आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र संचालित करने हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता प्रदान किये जाने हेतु कुल रू. 500.00 लाख का प्राविधान किया गया है।
9. डिस्लेक्सिया व अटेंशन डैफिसिट एण्ड हाइपर एक्टिविटी सिन्ड्रोम से प्रभावित बच्चों की पहचान हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षण दिये जाने हेतु रू0 20.00 लाख का प्राविधान किया गया है।
10. सभी मण्डल मुख्यालयों पर समेंकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना किये जाने के उद्देश्य से समेकित विद्यालयों की स्थापना किये जाने हेतु कुल रू. 3000.00 लाख का प्राविधानित है।
11. संकेत मूकबधिार बालक/बालिकाओं के लिये जनपद सोनभद्र, कुशीनगर में आवासीय राजकीय विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु कुल रू0 135.00 लाख का प्राविधान है।
12. स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित बालिका इण्टर कालेज की स्थापना हेतु रू. 680.00 लाख का प्राविधान है।
13. डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ में विशिष्ट स्टेडियम के निर्माण हेतु रू. 900.00 लाख का प्राविधान है।
14. डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ में कृत्रिम अंग एवं पुनर्वास केन्द्र की स्थापना हेतु रू0 463.00 लाख का प्राविधान है।

सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास

भूमिका

इस विभाग का मुख्य उद्देश्य पूर्व सैनिकों, विधवाओं व उनके आश्रितों के कल्याण एवं पुनर्वास योजनाओं का क्रियान्वयन कराना है, साथ ही सेवारत सैनिकों के परिवारों से सम्बंधित समस्याओं का निराकरण भी कराना है। इसके लिए राज्य स्तर पर निदेशालय सैनिक कल्याण के अन्तर्गत प्रदेश में 75 जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय कार्यरत हैं। भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा पूर्व सैनिकों, शहीद सैनिकों की पत्नियों व उनके आश्रितों के कल्याण हेतु चलाई जा रही योजनाओं को सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास विभाग द्वारा राज्य सरकार की निर्धारित नीतियों के आधार पर जमीनी स्तर पर संचालन किया जाता है।

देश के सभी राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनपद हैं एवं पूर्व सैनिक, विधवाओं की संख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है।

उत्तर प्रदेश में पूर्व सैनिकों, विधवाओं की संख्या चार लाख से अधिक है, जिसका विवरण निम्नलिखित है :-

(क) पूर्व सैनिक	-	372821
(ख) विधवायें	-	62949
कुल	-	**435770**

शपथ ग्रहण

प्रत्येक राष्ट्रीय/सामाजिक पर्व एवं महत्वपूर्ण दिवसों का सफलतापूर्वक आयोजन किया जाता है।

भारत सरकार के पत्र दिनांक 18.11.2019 में की गयी अपेक्षानुसार कार्यवाही करते हुए भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा गया एवं समस्त अधिकारी एवं कर्मचारीगण को भारत के संविधान में दिये गये मूल कर्तव्यों का पालन करने हेतु शपथ दिलायी गयी। दिनांक 24.01.2020 को पूर्वान्ह 11.00 बजे राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर कार्यालय के समस्त कर्मचारियों को शपथ दिलायी गयी।

कर्मचारियों/अधिकारियों के साथ वार्ता में विशेष रूप से निर्देश दिया गया है कि कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के बीच सौहार्द बना रहे इसके लिए अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ बहुत ही शिष्टाचार के साथ पेश आया जाये।

जनपदों में नये जिला सैनिक कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति

लम्बे समय से चले आ रहे रिक्त पदों पर नये जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारियों के पदों पर नवनियुक्त अधिकारियों की नियुक्ति का कार्य जो शासन में विगत कई महीनों से विचाराधीन था, को शासन से लगातार सम्पर्क कर पूर्ण कराते हुए 40 अधिकारियों की ऐतिहासिक नियुक्ति हेतु शासन से स्वीकृति प्राप्त की गयी। इन अधिकारियों के चयन और रिक्त जिलों में उनकी तैनाती से देश की सीमा पर तैनात जवानों की समस्याओं के त्वरित निराकरण में सहायता मिलेगी।

प्री-86 के पदक विजेताओं को एक मुश्त धनराशि

वर्ष 1986 (परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, सेना मेडल एवं मेंशन-इन-डिस्पेच) से पूर्व के पदक विजेताओं को एक मुश्त धनराशि दिये जाने हेतु विचाराधीन प्रकरण में शासन से विचार-विमर्श/पत्राचार कर एक मुश्त धनराशि दिये जाने की अनुमति शासन के पत्र दिनांक 05 फरवरी 2020 के अंतर्गत प्राप्त की।

आतंकवादी घटनाओं में शहीद उत्तर प्रदेश के निवासी सैनिकों के आश्रितों का सेवायोजन

उत्तर प्रदेश के निवासी सैनिक जो कर्तव्य पालन के दौरान देश की सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय युद्ध, गोलाबारी, बैटल एक्सीडेंट, सीमा पर छुट-पुट, आंतकवादी घटनाओं तथा अराजक तत्वों की गतिविधियों मे हुई हिंसा, प्राकृतिक आपदा एवं वाहन दुघर्टना में श्हीद होते है, के आश्रितों को मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजित किया गया :-

दिनांक 06 मार्च 2019 को सेना के 06 श्हीद आश्रितों को जनपद के जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालयों क्रमशः हापुड़-01, चन्दौली-01, मथुरा-02, मैनपुरी-01, सहारनपुर-01 में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मुख्यमंत्री कार्यालय, लोक भवन, लखनऊ में नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया।

दिनांक 04 जनवरी, 2020 को सेना के 11 श्हीद सैनिक आश्रितों को क्रमशः जनपद अलीगढ़-01, बागपत-01, बरेली-01, एटा-01, गाजीपुर-01, मथुरा-04, मेरठ-01 एवं वाराणसी-01 में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मुख्यमंत्री आवास, 05 कालीदास मार्ग, लखनऊ में नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया।यह शहीद सैनिकों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि एवं उनके आश्रितों के कल्याणार्थ प्रदेश सरकार द्वारा उठाया गया एक सराहनीय एवं उच्च कदम है।

डेटा ऑटोमेशन

जनपदों में पूर्व सैनिकों एवं वीर नारियों के हो रहे पंजीकरण का सम्पूर्ण विवरण निदेशालय स्तर पर संकलित किये जाने के उद्देश्य से निदेशालय में डेटा ऑटोमेशन हेतु दिनांक 01 मार्च 2020 को कम्प्यूटर सेन्टर की स्थापना की गयी।

इस कार्य के लिए उ0प्र0 पूर्व सैनिक कल्याण निगम द्वारा डाटा फीडिंग हेतु कम्प्यूटर ऑपरेटर उपलब्ध कराये गये हैं। पूर्व सैनिकों/आश्रितों के डेटा फीडिंग का कार्य प्रगति पर है।

ए०सी०पी० का लाभ अनुमन्य कराया जाना

निदेशालय/जनपद स्तर पर 47 कर्मचारियों के ए0सी0पी0 की प्रक्रिया को पूर्ण कर लाभ प्रदान किया गया।

जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालयों का वीक्षण/पुनर्मिलन समारोह

पूर्व सैनिकों /आश्रितों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण एवं प्रदेश सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं से उन्हें लाभान्वित कराने के उद्देश्य से अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्न जनपदों में निरीक्षण किया गया-

(क) 23 अक्टूबर 2019 - बलरामपुर

(ख) 31 अक्टूबर 2019 - बहराइच

(ग) 26, 27 एवं 28 दिसम्बर 2019 - वाराणसी

निम्न जनपदों में आयोजित पूर्व सैनिक पुनर्मिलन समारोह (रैली) में भाग लिया गया -

(क) 24 अक्टूबर 2019 को जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय बलरामपुर।

(ख) 01 अक्टूबर 2019 को जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय बहराइच।

(ग) 20 फरवरी 2020 को जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, महाराजगंज।

कार्यालयों की कार्यप्रणाली में सुदृढ़ सुधार एवं पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से किये गये निरीक्षण के दौरान पाये गये बिन्दुओं जिनमें से मुख्यतः पूर्व सैनिकों/शहीद पत्नियों/आश्रितों के कल्याणकारी योजनायें, द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों/शहीद पत्नियों के अभिलेखों का रख-रखाव आदि सम्मिलित है, के संबंध में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दिये गये।

सशस्त्र सेना झण्डा दिवस

प्रत्येक वर्ष 07 दिसम्बर को सशस्त्र सेना झण्डा दिवस के अवसर पर प्रदेश के नागरिकों से अपील की जाती है कि इस दिवस पर पूर्व सैनिकों, विकलांग सैनिकों, वीर नारियों एवं उनके आश्रितों के प्रति आदर भाव प्रदर्शित करते हुए उदारतापूर्वक योगदान दें ताकि एकत्रित धनराशि से इनके परिवारों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा सकें।

झण्डा दिवस 07 दिसम्बर 2019 को पारंपरिक रूप में मनाया गया। इस अवसर पर माननीय राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय कैबिनेट मंत्री, सैनिक कल्याण, मुख्य सचिव उ0प्र0 एवं प्रमुख सचिव को प्रतीक झण्डा लगाया गया तथा उनसे पूर्व सैनिकों के कल्याण के संबंध में वार्ता की गई। इस अवसर पर स्मारिका- 2019 पुस्तिका का विमोचन भी किया गया।

वर्ष 2019-20 में अभी तक रु. 1,86,92,565.00 की धनराशि सशस्त्र सेना झण्डा दिवस में एकत्रित की गयी।

ई-टेन्डरिंग प्रक्रिया

शासन के निर्देशानुसार हर्ष के साथ अवगत कराया जाता है कि इस विभाग में ई-टेन्डरिंग

की प्रक्रिया पूर्ण की गयी। दिसम्बर 2019 में मनाये जाने वाले सशस्त्र सेना झण्डा दिवस के आयोजन हेतु ई-टेन्डरिंग प्रक्रिया द्वारा टेन्डरों की कार्यवाही की गयी है।

बजट

जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय के कार्यालय भवन एवं विश्रामगृहों का नवनिर्माण

वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रावधानित धनराशि रु. 550.00 लाख से अर्द्धनिर्मित भवन यथा-मऊ, कौशाम्बी, प्रयागराज, मेरठ को पूर्ण कराये जाने हेतु बजट आंवटित किया जा चुका है एवं 2020-21 में जनपद श्रावस्ती, बदायूँ, मुरादाबाद के नवनिर्माण भवन के लिए प्रथम किश्त दिया जाना प्रस्तावित है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय के कार्यालय भवन एवं विश्रामगृहों के जीर्णोद्धार/मरम्मत कराये जाने हेतु प्रावधानित धनराशि रु. 350.00 लाख है।

द्वितीय विश्वयुद्ध के पूर्व सैनिकों/सैनिक पत्नियों को पेंशन

द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों/सैनिक पत्नियों को राज्य सरकार द्वारा रु. 6,000 प्रतिमाह प्रतिपात्र की दर से त्रैमासिक पेंशन दी जा रही है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में 2716 पात्रों को रु. 2100.87 लाख की धनराशि आवंटित की गई है।

नोट- वर्तमान में (जून 2020 तक) द्वितीय विश्व युद्ध के पेंशनरों की संख्या-2648 है।

प्री-कारगिल युद्ध की वीर नारियों को आर्थिक सहायता

उत्तर प्रदेश के प्री-कारगिल (वर्ष 1962, 1965 एवं 1971) के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए वीर सैनिकों की वीर नारियों को एक मुश्त रु. 50 हजार की धनराशि राज्य सरकार द्वारा वितरित की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में 10 पात्रों को रु. 05 लाख की धनराशि का आवंटन किया गया है।

कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के माता-पिता एवं वीर नारियों को आर्थिक सहायता

उत्तर प्रदेश में कारगिल युद्ध के शहीदो के माता-पिता को रु. 5000/- एवं उनकी वीर नारियों को रु. 7,500/- प्रतिपात्र प्रतिमाह की दर से पेंशन दी जा रही है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल 96 पात्रों (शहीद सैनिकों के आश्रितों -माता-पिता/वीर नारियां) को पेंशन रु. 51.75 लाख धनराशि का भुगतान किया गया।

पैराप्लाजिक सेन्टर में भर्ती उत्तर प्रदेश के 100 प्रतिष्ठात विकलांग सैनिकों के उपचार हेतु सहायता

उत्तर प्रदेश राज्य के हाथ व पाँव से पूर्णतया दिव्यांग कुल 08 सैनिक पैराप्लाजिक सेन्टर किरकी में 04 (बलिया, हाथरस, आगरा, एटा के) एवं मोहाली में 04 (देवरिया, अलीगढ़, बस्ती, आजमगढ़ के) आजीवन भर्ती हैं, की सेवा सुश्रुषा एवं औषधि के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य सरकार द्वारा रु. 08 लाख की धनराशि पुनर्वास केन्द्र किरकी व मोहाली को स्वीकृत की गई है।

वर्ष 1986 के पूर्व वीर चक्र श्रृंखला व सेना मेडल, मेंशन-इन-डिस्पेच के वीरता पुरस्कार विजेताओं को एक मुश्त धनराशि एवं वार्षिकी

राज्य सरकार द्वारा 1986 के पूर्व जल, थल एवं वायु सेना के वीरता पुरस्कार विजेताओं को नगद पुरस्कार दिये जाने की स्वीकृति का शासनादेश दिनांक 15 जून 2018 को जारी किया गया है। शासनादेश के अनुपालन में राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्री-86 के 42 पात्र वीरता पदक विजेताओं को वार्षिकी की धनराशि का भुगतान किया गया है।

नकद आर्थिक सहायता वीरता पुरस्कार विजेताओं एवं उक्त से संबंधित पृथक सेवा पुरस्कार विजेताओं को देय धानराशि में वृद्धि

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उत्तर प्रदेश के निवासी वीरता पुरस्कार विजेताओं को शासनादेश दिनांक 10 जुलाई 2018 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली एक मुश्त एवं वार्षिकी की धनराशि में वृहद स्तर पर वृद्धि की गई है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में वीरता पुरस्कार एवं विशिष्ट सेवा पदक विजेताओं के 1050 पात्रों को कुल 267.25 लाख की धनराशि वितरित की गई।

पूर्व सैनिकों के आश्रितों हेतु प्रदेश की कल्याणकारी नीतियों के अंतर्गत नि:शुल्क रोजगार परक प्रशिक्षण

प्रदेश के पूर्व सैनिक आश्रितों को कम्प्यूटर टैली, फैशन डिजायनिंग, इनफारमेशन टेक्नोलॉजी एवं एस.एस.बी. कोचिंग हेतु नि:शुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 में कुल 639 पूर्व सैनिक आश्रितों को प्रशिक्षण (टैली, फैशन डिजायनिंग, इनफारमेशन टेक्नोलॉजी) दिलाया गया। 2019-20 में 639 पात्रों के सापेक्ष रु. 59 लाख का व्यय भार किया गया।

शहीद सैनिक परिवार को अनुदान

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शहीद सैनिक के परिवार को रु. 25 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी, जिसमें वृद्धि करते हुए प्रदेश शासन द्वारा रु. 50 लाख की अनुग्रह अनुदान श्हीद सैनिक परिवार को दिनांक 01 अप्रैल 2020 से दिये जाने की व्यवस्था की गयी है।

उ०प्र० पुलिस एवं आर्म्ड फोर्सेज़ सहायता संस्थान

महामहिम राज्यपाल द्वारा उ0प्र0 पुलिस एवं आर्म्ड फोर्सेज सहायता संस्थान से उ0प्र0 के सैनिक जो अपनी ड्यूटी पर लड़ाई अथवा शांतिकाल में शहीद/अपंग हुए है, को निम्नवत् सहायता दी जाती है

(क) वीरगति प्राप्त होने पर रु. 10 लाख (ख) अपंग होने पर रु. 06 लाख

आईजीआरएस (IGRS) एवं सूचना का अधिकार

मा0 मुख्यमंत्री लोक शिकायत अनुभाग से प्राप्त 131 प्रार्थना पत्रों का सैनिक कल्याण विभाग द्वारा पत्र के माध्यम से एवं वेबसाइट पर शीघ्र उत्तर अपलोड कर 129 पत्रों का निस्तारण किया गया।

सूचना के अधिकार के अंतर्गत कुल प्राप्त 560 प्रार्थना पत्रों में 557 पत्रों पर कार्यवाही की गयी।

लोक कल्याण संकल्प पत्र के तहत दो योजनायें

(क) सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर अनुदान से इकट्ठा की गयी राशि की तीन गुना राशि सरकार द्वारा दी जायेगी। शासन द्वारा शासनादेश दिनांक 04 मई 2018 के अन्तर्गत श्री राज्यपाल महोदय द्वारा सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है।

(ख) पूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं द्वारा लिये गये रु. 3 लाख तक के ऋण की ब्याज दरों में 4 प्रतिशत अनुदान सरकार की तरफ से दिया जायेगा। शासन द्वारा शासनादेश दिनांक 04 मई 2018 के अन्तर्गत श्री राज्यपाल महोदय द्वारा सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है।

दातव्य निधि से दिया गया अनुदान

इस निधि का मुख्य उद्देश्य जरूरत मन्द दीन दुःखी भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके आश्रित पात्रों की गुजर बसर हेतु आकस्मिक अनुदान तथा वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त इस निधि के माध्यम से भूतपूर्व सैनिकों के अन्य कल्याणकार्यो में होने वाले आवश्यक व्यय हेतु धन की व्यवस्था तथा धन स्वीकृत कराना है।

राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में 52 पात्रों को रु. 1,56,000/-की धनराशि का अनुदान दिया गया।

शहीद सैनिकों की पत्नियों को गृहकर से छूट

राज्य सरकार द्वारा शहीद हुए सैन्य कर्मियों की विधवाओं के स्वामित्व के आवासीय भवन जिसमें वह स्वयं निवास कर रही है, गृहकर से छूट प्रदान की गई है।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए स्टाम्प ड्यूटी में छूट

उ0प्र0 शासन द्वारा आदेश दिनांक 20 जून 2018 के अतंर्गत भूतपूर्व सैनिक अथवा शहीद सैनिक के विधिक आश्रित किसी हस्तांतरण अथवा पट्टा विलेखों में संयुक्त अंतरिती हो को छूट प्रदान किये जाने के लिये सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे विलेखों में भी यदि भूतपूर्व सैनिक अथवा शहीद सैनिक के विधिक आश्रित का अंतरिती के रूप में हिस्सा रु. 20 लाख तक का है तो इस सीमा तक उन्हें छूट लाभ अनुमन्य होगा।

जिला सैनिक बन्धु की बैठक

पूर्व सैनिकों/आश्रितों की समस्याओं के निराकरण हेतु 'ज़िला सैनिक बन्धु' की बैठक प्रत्येक जनपद में प्रत्येक माह को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में प्रशासन के सहयोग से आयोजित की जाती है, जिसमें पूर्व सैनिकों, आश्रितों की समस्याओं का निवारण किया जाता है।

पूर्व सैनिक पुनर्मिलन समारोह

वित्तीय वर्ष 2019-20 में जनपद बलरामपुर, बहराइच, आजमगढ़, महराजगंज एवं आगरा में पूर्व सैनिक पुर्नमिलन समारोह का आयोजन सफलतापूर्वक किया गया। पुनर्मिलन समारोह के आयोजन हेतु प्रस्तावित जनपद रायबरेली, बागपत, देवरिया।

निदेशालय सैनिक कल्याण की वेबसाइट

लॉकडाउन के दौरान निदेशक, सैनिक कल्याण, उ0प्र0 के निर्देशानुसार निदेशालय सैनिक कल्याण की टीम द्वारा एन0आई0सी0 से सम्पर्क स्थापित कर सैनिक कल्याण की वेबसाइट तैयार की गयी। शीघ्र ही इसको लॉन्च किया जाएगा।

इसमें पूर्व सैनिकों/आश्रितों का डेटा, कल्याणकारी योजनायें, पॉलिसी एवं इनसे संबंधित समस्त विवरण उपलब्ध होंगे।

कोविड-19 से बचाव के संबंध में

कोरोना वायरस से सुरक्षा के दृष्टिगत सरकारी निर्देशों का सख्ती से पालन किया गया। निदेशालय सैनिक कल्याण को पूर्ण रूप से सेनिटाइज्ड किया गया। स्टाफ को मास्क, सेनिटाइजर, दस्ताने, हैण्ड टॉवल वितरण करते हुए इसके उपयोग हेतु निर्देशित किया गया। बचाव एवं सुरक्षा हेतु कार्यालय द्वारा सेनिटाइजेशन मशीन खरीदी गयी है।

व्हाट्सऐप के माध्यम से निदेशालय एवं समस्त जिला सैनिक कल्याण अधिकारियों/ कर्मचारियों को कोविड-19 से बचाव हेतु प्रतिदिन एडवाइजरी जारी की जा रही है।

वैश्विक महामारी कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष में नागरिकों को राहत प्रदान करने के कार्यो में पूर्व सैनिक एकजूट होकर स्वेच्छा एवं निस्वार्थ भाव से प्रशासन को अपनी सेवायें प्रदान कर रहे हैं। इसी क्रम में निदेशालय 75 जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों के नेटवर्क के माध्यम से सम्पर्क में है। राज्य के 75 जिलों में जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के अधिकारी/स्टाफ वयोवृद्ध पूर्व सैनिकों की सहायता करने के साथ-साथ राशन वितरण, सामुदायिक निगरानी और जरूरतमन्दों के लिए सामुदायिक रसोई घर चलाने में पूर्व सैनिकों की टीम के साथ सहायता कर रहे हैं।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा राज्य में सेना चिकित्सा कोर से 2585 पूर्व सैनिकों , लगभग 1500 अन्य पूर्व सैनिक व 52 एक्स सर्विसमेन ऑर्गेनाइजेशन की पहचान कर उनसे सम्पर्क किया जा चुका है और वे किसी भी आकस्मिकता के लिए तैयार अवस्था में है।

कोरोना वायरस से बचाव हेतु उ0प्र0 सी0एम0 केयर्स फण्ड में माननीय सैनिक कल्याण मंत्री, श्री चेतन चौहान जी द्वारा मुख्यमंत्री जी को रु. एक करोड़ का चेक दिया गया।

जनपदों के पूर्व सैनिकों/कार्यालय द्वारा अनुदान राशि प्रदान किया जाना

कई जनपदों के पूर्व सैनिकों/जिला सैनिक कल्याण एवं पुनवास कार्यालय द्वारा कोविड-19 महामारी के खिलाफ संघर्ष में अनुदान राशि प्रदान की गयी है। पूर्व सैनिकों द्वारा रु. 23,27,320 (रूपये तेईस लाख सताइस हजार तीन सौ बीस मात्र) का अनुदान उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कोविड केयर फण्ड/प्रधानमंत्री केयर फण्ड में जमा किया गया।

स्वच्छता अभियान

विभाग द्वारा स्वच्छता एवं पेपरलेस नीति का पूर्णतया पालन किया जा रहा है। वैश्विक महामारी कोविड-19 से बचाव हेतु निदेशालय द्वारा सेनिटाइजेशन मशीन द्वारा समय-समय पर सेनिटाइज्ड किया जा रहा है।

केन्द्र सरकार/केन्द्रीय सैनिक बोर्ड की योजनायें

प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति

पूर्व सैनिकों के आश्रितों को प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति का लाभ दिलाये जाने हेतु वर्ष 2019-20 में 371 आवेदन पत्र केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, नई दिल्ली को अग्रसारित किये गये हैं।

रक्षामंत्री विवेकाधीन कोष के अंतर्गत छात्रवृत्ति

वर्ष 2019-20 में 4593 अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र रक्षा मंत्री विवेकाधीन कोष के अंतर्गत छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने हेतु केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, नई दिल्ली को अग्रसारित किये गये।

केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, नई दिल्ली से प्राप्त पत्रों पर कार्यवाही

केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा पूर्व सैनिकों/वीर नारियों की विभिन्न समस्याओं (भूमि, सेवायोजन,पेंशन, आर्थिक मदद, जान-माल की सुरक्षा) के निस्तारण हेतु कुल 176 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये, जिसमें से 142 प्रार्थना पत्रों का निस्तारण कर दिया गया है।

सचिव, उ०प्र० सैनिक पुनर्वास निधि

शासन द्वारा उ0प्र0 सैनिक पुनर्वास निधि के कार्यालय आदेश दिनांक 09 सितम्बर 2019 के अनुपालन में उ0प्र0 सैनिक पुनर्वास निधि के सचिव के पद का दायित्व सौंपा गया। जिसको पूरी निष्ठा के साथ शासन के दिशा-निर्देशों के अनुसार सम्पादित किया जा रहा है।

क. दिनांक 07 दिसम्बर 2019 को उ0प्र0 सैनिक पुनर्वास निधि की वेबसाइट लांच करायी गयी। (upspnlko.up.gov.in)

ख. उ0प्र0 सैनिक पुनर्वास निधि द्वारा पूर्व सैनिको/आश्रितों हेतु संचालित कल्याणकारी योजनओं को ऑनलाइन कराया गया।

ग. उ0प्र0 सैनिक पुनर्वास निधि की प्रबन्ध समिति की बैठक हेतु दो सदस्यों को नामित किया गया।

घ. उ0प्र0 सैनिक पुनर्वास निधि की कृषि प्रक्षेत्र अटारी के आम बाग फसल की बिक्री नीलामी सह निविदा प्रक्रिया द्वारा करायी गयी।

च. माननीया राज्यपाल महोदया/अध्यक्ष पूर्व सैनिक पुनर्वास निधि, उ0प्र0 द्वारा पूर्व सैनिकों की विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु दी जाने वाली आर्थिक सहायता वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु. 50 हजार से बढ़ाकर रु. 01 लाख कर दिया गया है।

छ. पूर्व सैनिकों के आश्रितों हेतु संचालित वार्षिक शैक्षिक सहायता योजना हेतु टाटा ट्रस्ट मुम्बई द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु रु. 85 लाख का अनुदान दिया गया एवं वार्षिक शैक्षिक सहायता योजना में दी जाने वाली धनराशि को निम्नानुसार बढाया गया है।

कक्षा 9 एवं 10	-	रु. 03 हजार से बढ़ाकर रु. 05 हजार
कक्षा 11 एवं 12	-	रु. 04 हजार से बढ़ाकर रु. 06 हजार

स्नातक स्तर	-	रु. 05 हजार से बढ़ाकर रु. 07 हजार
स्नातकोत्तर स्तर	-	रु. 06 हजार से बढ़ाकर रु. 09 हजार
इण्टर तक के तकनीकी कोर्स	-	रु. 7,500 से बढाकर रु. 10 हजार
स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के	-	रु. 15 हजार से बढाकर रु. 25 हजार

वर्ष 2020-21 का लक्ष्य (Future Vision/Way Forward)

वर्तमान में अन्य राज्यों की अपेक्षा उ0प्र0 राज्य में पूर्व सैनिकों/आश्रितों की संख्या बहुत अधिक है। अतः पूर्व सैनिकों का विवरण एक ही स्थान में संकलित किया जाना अति आवश्यक है। इस हेतु निदेशालय में ईएसएम डेटा ऑटोमेशन का कार्य प्रगति पर है ताकि एक ही क्लिक पर पूर्व सैनिकों/आश्रितों से संबंधित समस्त विवरण/सूचनाएं प्राप्त की जा सके।

ब्रिगेडियर रवि, निदेशक, निदेशालय सैनिक कल्याण, उ0प्र0, सचिव, उत्तर प्रदेश सैनिक पुनर्वास निधि एवं प्रबन्ध निदेशक पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड तीनों मुख्यालयों के प्रमुख होने के कारण इनका एकमात्र उद्देश्य मुख्यालयों के मध्य अत्यधिक एकीकरण एवं तालमेल स्थापित करना व पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों का सर्वोत्तम कल्याण एवं सरकार द्वारा दी जाने वाली समस्त सुविधाओं का लाभ उन तक पहुचाना' है। इसके अतिरिक्त अधिक से अधिक वरिष्ठ पूर्व सैनिकों/आश्रितों से मेल मिलाप कर उनकी समस्याओं का निवारण करना विभाग की प्राथमिकता होगी।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण एवं राजनैतिक पेंशन

उ0प्र0 राज्य में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व उनके आश्रितों को पेंशन व अनुदान स्वीकृत किये जाने की योजना चलायी जा रही है। सेनानियों को पेंशन व अनुदान स्वीकृत किये जाने हेतु नियमावली भी प्रख्यापित है। जिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की सन्तान स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल में पैदा हुए उन्हें भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का स्तर प्रदान करते हुये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेंशन अनुमन्य करायी गयी है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पेंशन की धनराशि में समय-समय पर वृद्धि की जाती रही है। वर्तमान में दिनांक 01.02.2018 से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों/पात्र आश्रितों को रु. 20,176/- प्रतिमाह की धनराशि का भुगतान पेंशन के रूप में किया जा रहा है। दिवंगत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के अन्तिम संस्कार हेतु उनके पात्र आश्रित को वर्तमान में दिनांक 07.01.2020 से रुपये 12000/- का शासकीय अनुदान अनुमन्य किया गया है। उक्त के अतिरिक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को एक सहचर सहित राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की गयी है। इसी प्रकार दिवंगत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की विधवाओं को भी दिनांक 01.01.2007 से राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में एक सहचर सहित निःशुल्क यात्रा सुविधा अनुमन्य करायी गयी है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं उनके आश्रितों को राजकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क चिकित्सा व भोजन की सुविधा भी अनुमन्य है। इसके अतिरिक्त विशिष्ट स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की स्मृति में स्मारकों/स्तम्भों/प्रतिमाओं का निर्माण भी कराया जाता है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 86 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं 1401 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित हैं।

असंख्य नौजवानों व साहसी वीरों जिन्होंने देश में आपातकालीन अवधि (दिनांक 25.06.1975 से 21.03.1977 तक) में लोकतंत्र की रक्षा के लिये सक्रिय रहते हुए संघर्ष किया एवं इसके फलस्वरूप मीसा/डी0आई0आर0 में कारागार में निरूद्ध रहे ऐसे राजनैतिक बन्दियों/लोकतंत्र रक्षक सेनानियों को उनके सम्मान में दिनांक 01.07.2016 से रु. 20,000/- मासिक सम्मान राशि राजकीय चिकित्सालयों में चिकित्सा की निःशुल्क सुविधा व उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में एक सहचर सहित निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की जा रही है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 5453 लोकतंत्र रक्षक सेनानी एवं 585 लोकतंत्र रक्षक सेनानी आश्रित हैं।

प्रदेश के वृद्ध एवं निराश्रित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को आवास एवं भोजन की सुविधा प्रदान किये जाने के उद्देश्य से लखनऊ एवं मथुरा में एक-एक सेवा सदन की स्थापना भी की गयी है। सेवा सदन लखनऊ में 34 कमरे तथा सेवा सदन मथुरा में 08 कमरे स्थायी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा उनके आकस्मिक आश्रित अभ्यागतों की आवासीय सुविधा के लिये उपलब्ध हैं।

राजनैतिक पेंशन विभाग की उपलब्धियां

शासनादेश दिनांक 07.01.2020 द्वारा दिवंगत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के दाह संस्कार हेतु दिये जाने वाले शासकीय अनुदान रु. 5000/- की धनराशि को बढ़ाकर रु. 12000/- (रु. बारह हजार मात्र) स्वीकृत कर दिया गया है।

श्रमिक कल्याण एवं सेवायोजन

उत्तर प्रदेश की वर्तमान लोकप्रिय सरकार की प्राथमिकताओं को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश शासन उनके क्रियान्वयन हेतु अपेक्षित पहल करता रहा है ताकि औद्योगिक शान्ति की स्थापना से विकास के लक्ष्य की ओर बढ़ना जारी रहे। इसके लिए उद्यमियों और श्रमिकों के बीच प्रभावी सामंजस्य स्थापित करने और निरन्तर अनुकूल वातावरण बनाये रखने के हर सम्भव प्रयास किये जाते हैं।

श्रम विभाग के अन्तर्गत श्रमिकों के विधिक हितों के संरक्षण और संवर्धन के लिए श्रम आयुक्त संगठन है। श्रमिकों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य कर्मचारी राज्य बीमा निगम के माध्यम से किया जा रहा है तथा प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय द्वारा बेरोजगार युवकों के पंजीयन तथा उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में महत्त्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन किया जा रहा है।

श्रम आयुक्त संगठन

लगभग 81 वर्ष पूर्व सन् 1937 में उत्तर प्रदेश (जो तत्समय 'संयुक्त प्रान्त' कहलाता था) में कानपुर में एक प्रथक श्रम कार्यालय की स्थापना की गयी, ताकि श्रमिकों की समस्याओं का शीघ्र निपटारा हो सके, श्रम विषयक सांख्यिकी का संकलन किया जाये तथा (राजकीय) श्रम हितकारी केन्द्र संचालित कर श्रमिक वर्ग के लिए कल्याणकारी कार्यों की शुरुआत भी हो। प्रथम स्वदेशी सरकार की इस ऐतिहासिक पहल के बाद विभागीय कार्य-परिधि और गतिविधियों में विस्तार आता गया। पहले से कुछ तेज गति से श्रम विभाग का विस्तार वर्ष 1946 से होना शुरू हुआ और यह क्रम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निर्वाचित प्रायः सभी लोकप्रिय सरकारों के कार्यकालों में 20वीं सदी के अंत तक जारी रहा। वहीं ''श्रम कार्यालय'' आज, 21वीं सदी में प्रादेशिक श्रम विभाग का मुख्य नियंत्रक घटक यानि श्रम आयुक्त संगठन है, जिसके अधीनस्थ मुख्यालय व मण्डल स्तर पर अपर/उप/सहायक श्रम आयुक्त, उप/सहायक निदेशक (कारखाना) तथा उप/सहायक निदेशक (ब्वायलर्स) के अतिरिक्त अन्यान्य विशेषज्ञताएं रखने वाले विभिन्न पदधारक कुछ अन्य अधिकारीगण भी कार्यरत हैं।

श्रम विभाग के प्रमुख उद्देश्य

आज भी औद्योगिक विकास के साथ-साथ यह जरूरी है कि उत्पादन क्षेत्र से जुड़ी मानवीय इकाई श्रमिकों को उसके विधिसम्मत और न्यायोचित देय निर्बाध रूप से मिलते रहें, इसके लिए भी समुचित शासकीय व्यवस्था हो। 20वीं शताब्दी के चौथे दशक तक आधुनिक दृष्टिकोण के अनुरूप आये परिवर्तनों से सभी सरकारें, जनता या शासित जन के हित-संरक्षण की ओर सचेत ही नहीं अपितु प्रतिबद्ध होती गयीं। शासकीय व्यवस्था में सामान्य-जन के प्रति सामाजिक दायित्व-बोध में आये इन परिवर्तनों के फलस्वरूप किसी ऐसी विशिष्ट संगठनात्मक या संरचनात्मक व्यवस्था की आवश्यकता भी अनुभव हुई जो शासकीय अपेक्षानुसार कल्याणकारी उद्देश्यों की पूर्ति कर सके, इसीलिये किसी आधुनिक राज्य स्टेट में श्रम विभाग के पृथक अस्तित्व की अपरिहार्य आवश्यकता अनुभव की गयी।

आज का उत्तर प्रदेश सन् 1937 में 'संयुक्त प्रान्त' कहलाता था, जहां पहले पहल निर्वाचित व गठित स्वदेशी लोकप्रिय सरकार ने शासन संभालते ही कानपुर में एक पृथक श्रम कार्यालय स्थापित कर दिया ताकि श्रमिकों की समस्याओं के निपटारे, विषय व अवधिवार श्रम-सांख्यिकी-संकलन के साथ ही श्रमिक हितकारी केन्द्र संचालित कर श्रमिक वर्ग के लिए कल्याणकारी कार्यों के श्रीगणेश की दिशा में ऐतिहासिक पहल हो सके।

चूंकि श्रमिक समस्याओं के निराकरण का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था, इसलिये हर अगली शासकीय व्यवस्था को श्रम विभाग और और उसकी कार्य-प्रणाली के विधिवत संगठन और विस्तार के लिए समयानुसार आवश्यक कदम उठाने ही पड़े। अतः पहले तो धीरे-धीरे विभागीय कार्य-परिधि और गतिविधियों में विस्तार आता गया और फिर वर्ष 1946 से प्रादेशिक श्रम विभाग का विस्तार अपेक्षाकृत तीव्र गति से होना शुरू हुआ।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नवनिर्वाचित लोकप्रिय सरकारों के एक के बाद एक कार्यकालों में विभागीय कार्य का विस्तार 20वीं सदी के अंत तक दिनों-दिन बढ़ता गया।

यदि अधिनियमों व नियमावलियों के प्रख्यापन की तिथि की ओर ध्यान दिया जाये तो सुगमता से यह स्पष्ट हो जायेगा कि उत्तर प्रदेश के श्रमिकों के सन्दर्भ में विगत या वर्तमान शताब्दी के किस दशक में प्रभावी पहल का शुभारम्भ हुआ। जैसे-वर्ष 1976 से बंधुआ श्रम प्रथा उन्मूलन एवं पुनर्वासन की ओर, वर्ष 1986 से बाल श्रम उन्मूलन व पुनर्वासन की ओर, वर्ष 1996 से शुरू होकर फिर वर्ष 2009 से अपेक्षाकृत तीव्र गति से भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण के क्षेत्र में तथा वर्ष 2008 के बाद से असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत शासकीय प्रयास व्यवस्थित रूप-आकार लेते चले गये।

प्रदेश शासन के श्रम विभाग के अन्तर्गत श्रम आयुक्त संगठन द्वारा श्रमिक हितों के संरक्षण और संवर्धन के लिए निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान में अपेक्षित कार्य निष्पादित किये जा रहे हैं :

(1) संराधन तंत्र के माध्यम से औद्योगिक विवादों का त्वरित गति से निस्तारण किया जाना ताकि इकाइयों के कर्मचारियों और उनके नियोजकों के मध्य सौहार्दपूर्ण औद्योगिक सम्बन्ध स्थापित किये जा सकें तथा औद्योगिक उत्पादन का स्तर बनाये रखते हुए श्रमिक हित संरक्षित हो सकें।

(2) विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत संगठित व असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सुनिश्चित हित-लाभ एवं विधिसंगत अधिकारों को संरक्षित रखना और औद्योगिक इकाइयों में सुरक्षित कार्य-पर्यावरण उपलब्ध कराने की कार्यवाही किया जाना।

(3) श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने, सेवा-शर्तों को विनियमित किये जाने, सुरक्षित एवं स्वस्थ कार्य-पर्यावरण उपलब्ध कराये जाने, सुनिश्चित वित्तीय हित-लाभ सहित न्यूनतम वेतन का समय से भुगतान सुनिश्चित कराये जाने के लिए श्रम आयुक्त संगठन सतत प्रयासरत रहता है।

निदेशन एवं प्रशासन

श्रम आयुक्त संगठन के अन्तर्गत मण्डलीय कार्यालयों एवं उत्तर प्रदेश के विभिन्न अंचलों में स्थापित अन्य कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस योजना के अन्तर्गत श्रम आयुक्त, अपर श्रम आयुक्त, वित्त नियंत्रक, विधि परामर्शी,

उप श्रम आयुक्त तथा सहायक श्रम आयुक्त के पद सृजित हैं। मुख्यालय पर तैनात अधिकारियों तथा कर्मचारियों के माध्यम से शासन की नीतियों का पालन तथा प्रशासनिक एवं वित्तीय नियंत्रण सुनिश्चित किया जाता है। इस योजना से मुख्यालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतन-भत्तों आदि का वहन किया जाता है, जो विभाग के संचालन के लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है।

ई–गवर्नेंस के क्रियान्वयन की प्रगति (श्रमायुक्त संगठन)

ई–गवर्नेन्स योजना के अधीन उद्योगों को त्वरित प्रक्रिया के अन्तर्गत स्वीकृतियाँ/अनुमतियाँ/अनापत्तियाँ/रजिस्ट्रेशन/लाइसेन्सिंग इत्यादि निर्धारित समय में समयबद्धता के साथ उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से समस्त अधिनियमों के अन्तर्गत ऑनलाइन पंजीकरण एवं नवीनीकरण आदि की सुविधा प्रदान की जा रही है। इस व्यवस्था को श्रम सुविधा पोर्टल भारत सरकार तथा सिंगल विन्डो सिस्टम से भी जोड़ा गया है।

विभागीय वेबसाइट

श्रम आयुक्त संगठन के क्रियाकलापों को सम्मिलित करते हुये श्रम विभाग उत्तर प्रदेश की वेबसाइट *यूपीलेबरडाटजीओवीडाटइन* प्रदेश सरकार के डाटा सेन्टर पर स्थापित है। इस वेबसाइट में श्रम आयुक्त संगठन द्वारा विभिन्न श्रम कानूनों का उल्लेख करते हुए विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं, विभिन्न श्रम कानूनों के अन्तर्गत पंजीयन/नवीनीकरण से सम्बन्धित आवेदन पत्रों, इकाइयों से अपेक्षित रिटर्न्स के प्रारूप, समय-समय पर न्यूनतम वेतन अधिनियम के अन्तर्गत जारी किए जाने वाली अधिसूचनाएं एवं महंगाई भत्तों से सम्बन्धित आदेश, उ.प्र. श्रम कल्याण परिषद द्वारा संचालित विभिन्न योजनाएं एवं प्रपत्र, उत्तर प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न योजनाएं एवं प्रपत्र, विभागीय क्रियाकलापों की प्रगति इत्यादि का समावेश किया गया है।

क्वालिटी सर्किल योजना

''क्वालिटी सर्किल'' एक जैसे कार्य करने वाले ऐसे 5 से 10 लोगों का स्वैच्छिक समूह है, जो अपने कार्य क्षेत्र की गुणवत्ता, उत्पादकता, लागत घटाना और अन्य समस्याओं का पता लगाने, उनका विश्लेषण व समाधान करने के लिये नियमित रूप से आपस में विचार-विमर्श करते हैं और उनका हल ढूँढ़ने का प्रयास करते हैं। इससे उनके कार्य में सुधार होता है तथा श्रमिकों में प्रतिष्ठान के प्रति लगाव की भावना जागृत होती है। इससे प्रतिष्ठान की उत्पादकता एवं श्रमिकों की कार्यकुशलता तथा कार्य की गुणवत्ता में वृद्धि के साथ-साथ उनमें टीम भावना के साथ कार्यस्थल की तकनीकी समस्याओं को सुलझाने की प्रेरणा का विकास होता है। क्वालिटी सर्किल योजना के गठन में सदस्य, समन्वयक, सुविधाकर्ता, संचालन समिति एवं उच्च प्रबन्धन महत्त्वपूर्ण अंग होते हैं।

उत्पादन प्रोत्साहन योजना

निर्धारित समय में मानक उत्पादन से अधिक उत्पादन करने के लिये प्रोत्साहन हेतु प्रतिष्ठानों में यह योजना लागू की जाती है, जिसके फलस्वरूप उत्पादन के साथ-साथ उत्पादकता में वृद्धि होती है एवं श्रमिकों को भी आर्थिक लाभ होता है, मानक उत्पादन निर्धारण औद्योगिक अभियन्त्रण/कार्य अध्ययन द्वारा निर्धारित करने के पश्चात् योजनाओं के माडल को प्रतिष्ठान के प्रबन्धक एवं श्रमिक प्रतिनिधियों द्वारा आपसी विचार-विमर्श/समझौते के आधार पर निर्धारित किया जाता है। प्रतिष्ठान में एक या एक से अधिक प्रकार की उत्पादन प्रोत्साहन योजनाएं अलग-अलग कार्यों की प्रकृति के अनुसार लागू की जा सकती हैं।

कार्यस्थल रख–रखाव के लिए ''5–एस'' योजना

सुव्यवस्थित कार्य–स्थल विकसित करने के लिए कार्य–स्थल व्यवस्थापन आवश्यक है जिसके लिए ''प्रत्येक आवश्यक वस्तु के लिए नियत स्थान और यथास्थान प्रत्येक वस्तु'' का सिद्धान्त अपनाकर कार्य संचालन विकसित किया जाता है, जिससे श्रमिकों की कार्यकुशलता एवं उत्पादकता में वृद्धि तथा दुर्घटनाओं में कमी होती है। श्रमिकों का कार्य के प्रति लगाव बढ़ता है तथा कार्य दशाओं में सुधार होता है। **''5-एस''** पाँच शब्दों क्रमशः सेरी, सीटन, सीसो, सिकेत्सु एवं सित्सुके के प्रथम अक्षर से लिया गया है जो जापानी भाषा के शब्द हैं।

1. पहला ''एस'' सेरी :- जिसका अर्थ है कार्यस्थल से अनावश्यक वस्तुएं छाँटना और उन्हें अलग कर देना।
2. दूसरा ''एस'' सीटन :- जिसका अर्थ है आवश्यक वस्तुओं को क्रमबद्ध रूप से रखना ताकि उपयोग हेतु उन्हें आसानी से उठाया जा सके।
3. तीसरा ''एस'' सीसो :- जिसका अर्थ है अपने कार्यस्थल को पूर्णरूपेण स्वच्छ करना ताकि फर्श, मशीन और उपकरणों के आस-पास स्वच्छ कार्यस्थल रहे।
4. चौथा ''एस'' सिकेत्सु :- जिसका अर्थ है रख-रखाव व्यवस्था तथा कार्य स्थल व्यवस्थापन के उच्च मापदण्ड को बनाये रखना।
5. पाँचवा ''एस'' सित्सुके :- जिसका अर्थ है लोगों को स्वमेव रख–रखाव व्यवस्था अपनाने के लिए प्रशिक्षित करना।

कैजेन

कैजेन जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है निरन्तर सुधार। इसके अन्तर्गत किसी भी प्रतिष्ठान में कार्यरत सभी लोग जैसे- श्रमिक, सुपरवाइजर, मिडिल मैनेजमेन्ट एवं टाप मैनेजमेंट को शामिल करके प्रतिष्ठान के विभिन्न क्षेत्रों/कार्यस्थलों/कार्य पद्धति में वर्तमान में चल रही टेक्निकल मैन्युफैक्चरिंग एक्टीविटीज, मैनेजेरियल एवं आपरेटिंग स्टैण्डर्ड को मेन्टेन रखना एवं वर्तमान में प्रचलित स्टैण्डर्ड को निरन्तर सुधार करते रहना है।

कैजेन द्वारा किसी भी प्रतिष्ठान में स्टैण्डर्ड को मेन्टेन करते हुए पुनः सुधार की प्रक्रिया की पुनरावृत्ति होती रहती है, जिससे प्रतिष्ठान में कार्यरत लोग निरन्तर सुधार के कारण कार्यकुशलता एवं उत्पादकता में वृद्धि के लिए प्रोत्साहित एवं स्वयं के प्रति अनुशासित हो जाते हैं।

पुस्तकालय

श्रम आयुक्त कार्यालय, उत्तर प्रदेश के मुख्यालय में स्थित पुस्तकालय प्रभाग एक विशाल एवं उच्च कोटि का माना जाता है। पुस्तकालय में विभिन्न विषयों जैसे- लेबर एण्ड इण्डस्ट्रियल लॉ, शासनादेश संग्रह, सर्विस रूल्स, बॉन्डेड/चाइल्ड/वुमेन लेबर, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम, कानूनी प्रबन्धन, दर्शन, ऐतिहासिक, विभिन्न साहित्यिक हिन्दी/अंग्रेजी एवं धार्मिक पुस्तकों एवं विभिन्न जर्नल तथा गज़ट आदि का विशाल संग्रह है। उपरोक्त पुस्तकों/जर्नल की संख्या लगभग 20824 है। मुख्यालय के अतिरिक्त पुस्तकालय का उपयोग उत्तर प्रदेश शासन, क्षेत्रीय अपर/उप/सहायक श्रम आयुक्त कार्यालयों, विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों के अतिरिक्त विभिन्न ट्रेड यूनियन संगठनों, श्रम सलाहकारों, एडवोकेट, रिसर्च स्कॉलर आदि द्वारा किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में पुस्तकालय हेतु कुल रु. 1,50,000/- निम्न मानकमदों में अलग-अलग प्रावधानित है :-

1. मानक मद 12- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	रु. 50,000/-
2. मानक मद 42- अन्य व्यय	रु. 1,00,000/-

श्रम अधिनियमों का प्रवर्तन

2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास 01-श्रम 101-औद्योगिक सम्बन्ध 03-श्रम विनियमों का प्रर्वतन 01-न्यूनतम वेतन अनुभाग का सुदृढ़ीकरण एवं विकेन्द्रीकरण

वर्ष	धनराशि
2018-19 का वास्तविक व्यय	2586.72
2019-20 का आय व्ययक प्रावधान	3006.22
2019-20 का पुनरीक्षित आय-व्ययक अनुमान	2776.22
2020-21 का आय-व्ययक अनुमान	3170.85

विभिन्न श्रम अधिनियमों का प्रभावी एवं व्यापक प्रवर्तन श्रम विभाग की महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता है। श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत प्रदत्त मूलभूत व्यवस्थाओं श्रमिकों के हितों में प्रवर्तित एवं संवर्द्धित करने के प्रति विभाग दृढ़ संकल्पित है। श्रम आयुक्त संगठन द्वारा मुख्य रूप से 20 श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत प्रर्वतन तन्त्र के माध्यम से कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है तथा कृत कार्यवाही एवं प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा, अनुश्रवण, दिशा-निर्देशन संगठन द्वारा सुनिश्चित किया जाता है।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत निर्धारित मजदूरी दरों का पुनरीक्षण

प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत मजदूरी की न्यूनतम दरें निर्धारित की जाती हैं। शासकीय अधिसूचना संख्या 194/36-3-2014-07 (न्यू0वे0)/04, दिनांक 28.01.2014 द्वारा 59 अनुसूचित नियोजनों में मजदूरी की दरें पुनरीक्षित की गयी हैं। दैनिक दर मूल मजदूरी और परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते के 1/26 से कम तथा प्रति घण्टे दर दैनिक दर के 1/6 से कम न होगी। वर्तमान में परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते सहित इन 59 अनुसूचित नियोजनों में मजदूरी का विवरण निम्नवत है:-

			परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता (रुपये में)		दिनांक 01.10.2019 से दिनांक 31.03.2020 तक	
क्र0 सं0	श्रेणी	प्रतिमाह मूल मजदूरी (रुपये में)	दिनांक 01.04.2019 से दिनांक 30.09.2019 तक	दिनांक 01.10.2019 से दिनांक 31.03.2020 तक	प्रतिमाह कुल मजदूरी (रुपये में)	दैनिक मजदूरी (रुपये में)
1.	अकुशल	5750.00	2262.73	2528.94	8278.94	318.42
2.	अर्द्ध कुशल	6325.00	2489.00	2781.83	9106.83	350.26
3.	कुशल	7085.00	2788.08	3116.09	10201.09	392.35

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम-1948 की धारा-4 की उपधारा (1) के खण्ड (3) के साथ पठित धारा-3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन अधिसूचना संख्या 07/2019/791/36-03-2019-01 (अधि0)/2005 दिनांक 06-08-2019 द्वारा उत्तर प्रदेश में कृषि नियोजन में नियोजित श्रमिकों की मजदूरी की न्यूनतम दरें रु. 4732/- प्रतिमाह या रुपये 132/- प्रतिदिन निर्धारित हैं।

विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत प्राप्त निर्देशवादों के निस्तारण का विवरणः-

वर्ष 2019-20 (माह दिसम्बर-19 तक)

क्र0सं0	अधिनियम का नाम	कुल योजित वादों की संख्या	वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ से आलोच्य माह तक निस्तारित वाद	निस्तारित वादों में निहित कुल धनराशि	वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ से आलोच्य माह तक भुगतान करायी गयी कुल धनराशि	वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ से आलोच्य माह तक लाभान्वित श्रमिकों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1	न्यूनतम वेतन अधिनियम-1948	793	311	36325	16745	1583
2	वेतन भुगतान अधिनियम-1936	7816	1390	88273	29120	1163
3	कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम-1923	6720	1352	0	564298	1596
4	आनुतोषिक भुगतान अधिनियम-1972	2954	405	52825	14525	164
5	समान पारिश्रमिक अधिनियम-1976	0	0	0	0	0
	योग-	**18283**	**3458**	**177423**	**624688**	**4506**

उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962

उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत पंजीयन एवं नवीनीकरण की कार्यवाही में व्यवसायियों को सुगमता प्रदान करने के उद्देश्य से पत्र संख्या-1616-1823/प्रवर्तन-2015 दिनांक 12.06.2015 द्वारा ऑनलाइन पंजीयन 21 दिनों में तथा पत्र संख्या 327-451/प्रवर्तन-2018 दिनांक 03.04.2018 द्वारा पंजीयन एक दिन में और पत्र संख्या-830-85/प्रवर्तन-2018 दिनांक 28.06.2018 द्वारा पंजीयन/नवीनीकरण पूर्णतः ऑटोमेटेड कर दिया गया है।

विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत विगत तीन वर्षों में पंजीयन/नवीनीकरण एवं लाइसेंस से प्राप्त राजस्व का विवरणः-

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र0सं0	अधिनियम का नाम	2017-18	2018-19	2019-20 (दिसम्बर-19 तक)
	2	3	4	5
1	उ0प्र0 दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम-1962	695.33	335.30	250.30
2	मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम-1961	2.39	1.47	0.47
3	बीड़ी एवं सिगार अधिनियम-1966	0.47	0.24	0.90
4	संविदा श्रम अधिनियम-1970	17.03	8.25	4.44
5	अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम-1979	0.11	2.30	0.20
	योग-	**715.33**	**347.56**	**256.31**

बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 का प्रवर्तन

बोनस भुगतान अधिनियम-1965 प्रत्येक ऐसे कारखाने में लागू है, जो कारखाना अधिनियम की धारा-2 (एम) के अन्तर्गत परिभाषित है तथा ऐसे प्रतिष्ठानों पर भी लागू है जिसमें 20 या 20 से अधिक कर्मचारी नियोजित हैं। राजाज्ञा संख्या 6918/एच0आई0-36-2-286(एस.एम.)/90, दिनांक 20 अगस्त, 1991 द्वारा प्रदेश के 31 अनुसूचित नियोजनों में, अधिसूचना संख्या 2280/एच.आई.

/36-2-156(एस.आई.)/78, दिनांक 29 जुलाई, 1981 द्वारा प्रदेश के समस्त सिनेमा घरों वं अधिसूचना संख्या 1489/36-2-2003-46/2003, दिनांक 03.12.2004 द्वारा गेस्ट हाउस, कोचिंग सेन्टर स्कूल, नर्सिंग होम/क्लीनिक, प्रशिक्षण केन्द्र, जो व्यवसायिक प्रयोजन से स्थापित हैं तथा जिनमें 10 या इससे अधिक कर्मचारी नियोजित हैं, पर भी बोनस भुगतान अधिनियम-1965 के उपबन्ध लागू कर दिये हैं। बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत पात्रता हेतु वेतन सीमा रुपया 10,000/- प्रतिमाह एवं बोनस की गणना का आधार रुपया 3500/- निर्धारित था, जिसे भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 01.01.2016 द्वारा पात्रता हेतु वेतन सीमा रु. 21,000/- तथा गणना का आधार रु.7,000/- अथवा राज्य में लागू न्यूनतम मजदूरी, जो भी अधिक हो, लागू कर दिया गया है। इस अधिनियम के अधीन बोनस भुगतान करने वाले प्रतिष्ठान/कारखानों की संख्या तथा उनके द्वारा बोनस के रूप में भुगतान की गई धनराशि का वर्षवार संक्षिप्त विवरण निम्न तालिका में दिया गया है:-

लेखा वर्ष	आवर्त प्रतिष्ठान/ कारखानों की संख्या	बोनस भुगतान करने वाले प्रतिष्ठानों/ कारखानों की संख्या	बोनस की धनराशि (लाख रु. में)	लाभान्वित श्रमिकों की संख्या	जारी कारण बताओ नोटिस	स्वीकृत अभियोजन
1	2	3	4	5	6	7
2015-16	10796	8355	83273.28	812178	418	357
2016-17	10797	8964	158169.94	1024489	221	157
2017-18	10879	7320	124207.83	1728549	223	164

औद्योगिक सम्बन्ध (रिट) प्रभाग

विभिन्न श्रम अधिनियमों यथा-वेतन संदाय अधिनियम-1936, आनुतोषिक भुगतान अधिनियम-1972, उ0प्र0 औद्योगिक विवाद अधिनियम-1947, उ0प्र0 औद्योगिक शान्ति (मजदूरी का यथा समय संदाय) अधिनियम-1978, बोनस भुगतान अधिनियम-1965 आदि के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले श्रम विवादों के निपटारे के लिए प्रदेश में स्थापित श्रम न्यायालयों/औद्योगिक न्यायाधिकरणों द्वारा श्रम विवाद पर पारित निर्णय से क्षुब्ध होने वाले पक्ष (श्रमिक/सेवायोजक) द्वारा श्रम आयुक्त संगठन के विरूद्ध मा0 उच्च/उच्चतम न्यायालय से योजित याचिकाओं के सम्बन्ध में कार्यालय स्तर पर परीक्षण कर याचिका में प्रतिवाद करने अथवा प्रतिवाद न करने का निर्णय शासनादेश में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए लिया जाता है। प्रभाग द्वारा कृत कार्यवाही का तुलनात्मक विवरण निम्नवत है:-

वर्ष	प्रतिवाद न करने हेतु प्रेषित याचिकाओं की संख्या	प्रतिवाद किये जाने सम्बन्धी याचिकाओं की संख्या	योग
1	2	3	4
2016-17	845	23	868
2017-18	442	09	451
2018-19	682	46	728
2019-20 (दिसम्बर-19 तक)	605	40	645

कारखानों में कार्यरत श्रमिकों की कार्य स्थितियां एवं सुरक्षा

कारखानों में कार्यरत श्रमिकों की कार्य स्थितियों में सुधार एवं सुरक्षा हेतु पर्याप्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से प्रदेश में कारखाना अधिनियम, 1948 तत्सम्बन्धी नियमावलियों तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन परिसंकटमय रासायनिक पदार्थों के हथलन, भण्डारण व इन रासायनिक पदार्थों से सम्भावित दुर्घटनाओं को नियंत्रण में रखने तथा इन दुर्घटनाओं से सम्भाव्य आपात स्थितियों से कारखाने के स्तर पर निपटने हेतु उसी स्तर पर सुनिश्चित की जाने वाली पूर्व तैयारियों से सम्बन्धित भारत सरकार की नियमावलियों के प्रशासन एवं श्रमिकों को देय वेतन का समय से भुगतान सुनिश्चित कराये जाने हेतु वेतन संदाय अधिनियम, 1936 तथा महिला श्रमिकों को आवश्यकतानुसार मातृका हितलाभ सुनिश्चित कराये जाने हेतु मातृत्व हितलाभ अधिनियम, 1961 के प्रशासन व प्रवर्तन का कार्य भी सम्पादित किया जाता है।

वर्तमान में कारखाना निदेशालय द्वारा प्रदेश में स्थापित कारखानों में मुख्य रूप से निम्नांकित अधिनियमों/नियमावलियों के प्रवर्तन व प्रशासन का कार्य सम्पादित किया जाता हैः-

1. कारखाना अधिनियम, 1948,
2. उ.प्र. कारखाना नियमावली, 1950
3. उ.प्र. कारखाना (वृहद औद्योगिक दुर्घटनाओं के परिसंकट का नियंत्रण) नियमावली, 1996
4. दि मैन्यूफैक्चर, स्टोरेज एण्ड इम्पोर्ट ऑफ हैजार्ड्स केमिकल्स नियमावली, 1989
5. केमिकल एक्सीडेंट्स (इमरजेन्सी प्लानिंग, प्रिपेयर्डनेस एण्ड रिस्पान्स) नियमावली, 1996
6. उ.प्र. कारखाना कल्याण अधिकारी, नियमावली, 1955
7. उ.प्र. कारखाना (सुरक्षा अधिकारी), नियमावली 1984
8. वेतन संदाय अधिनियम, 1936
9. उ.प्र. वेतन संदाय नियमावली, 1936
10. मातृत्व हितलाभ अधिनियम, 1961
11. उ.प्र. मातृत्व हितलाभ नियमावली, 1983

प्रदेश में स्थापित कारखानों के अतिरिक्त ऐसी कार्यशालाओं, जहाँ खतरनाक प्रक्रियाओं अथवा व्यवसायों में कार्य लिया जाता है, में कारखाना निदेशालय के निरीक्षणकर्ता अधिकारियों द्वारा बाल श्रमिकों के नियोजन को प्रतिनिषिद्ध करने सम्बन्धी प्रवर्तन का कार्य बाल श्रम (प्रतिषेद एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत भी सम्पादित किया जाता है।

कारखाना निदेशालय द्वारा सम्पादित विशेष महत्वपूर्ण कार्य

परिसंकटमय कारखानों में सुरक्षा व्यवस्थाएं

वित्तीय वर्ष 2019-20 में दिसम्बर-18 तक कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत प्रदेश में **18249** कारखाने पंजीकृत हैं। उक्त 18249 कारखानों में से खतरनाक प्रकृति के **4452** कारखाने हैं, जिनमें कार्यरत श्रमिकों को न केवल शारीरिक क्षति होने की सम्भावना है, बल्कि सामान्य पर्यावरण के प्रदूषण को भी खतरा बना रहता है। इन परिसंकटमय कारखानों में सुरक्षा प्रबन्धों एवं व्यवस्थाओं को सुदृढ़ कराये जाने तथा ऐसे कारखानों में सम्भावित वृहद औद्योगिक दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने हेतु विषैले

एवं परिसंकटमय पदार्थों के प्रयोग एवं भण्डारण से जुड़े जोखिम से वहाँ कार्यरत श्रमिकों व आस-पास के जन-सामान्य को होने वाले खतरों को देखते हुए क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा इन कारखानों पर सजग दृष्टि रखी जाती है तथा वर्ष में एक बार क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किये जाने के निर्देश हैं।

परिसंकटमय व विषैले रासायनिक पदार्थों के भण्डारण अथवा प्रयोग यदि सम्बन्धित नियमावली में निर्धारित मात्रा के बराबर अथवा इससे अधिक हैं तो ऐसे परिसंकटमय प्रकृति के कारखानों को वृहद दुर्घटना की आशंका वाले कारखानों की श्रेणी में आच्छादित कर विशिष्ट सुरक्षा प्रबन्ध/सुरक्षा व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाती हैं। परिसंकटमय प्रकृति के **4452** कारखानों में से **152** कारखाने अति-परिसंकटमय प्रकृति के हैं। इन कारखानों में सुरक्षा की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने हेतु पूर्व निर्धारित चेकलिस्ट के आधार पर क्षेत्रीय सहायक निदेशक कारखाना द्वारा वर्ष में एक बार निरीक्षण सम्पादित किये जाते हैं। वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 में सम्पादित निरीक्षण की संख्या निम्नवत् है:-

वर्ष	कारखानों की संख्या		कुल कारखानों की संख्या	निरीक्षित कारखानों की संख्या		कुल निरीक्षण
	परिसंकटमय	अतिपरिसंकटमय		परिसंकटमय	अतिपरिसंकटमय	
2017-18	3931	128	4059	1515	128	1643
2018-19	4225	145	4370	303	80	383
2019-20 (दिसम्बर-19 तक)	4300	152	4452	60	92	152

परिसंकटमय कारखानों में कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत उत्तरप्रदेश कारखाना (वृहद औद्योगिक दुर्घटनाओं के परिसंकट का नियंत्रण) नियमावली, 1996 व पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत निर्मित दि मैन्यूफैक्चर, स्टोरेज एण्ड इम्पोर्ट ऑफ हैजार्डस केमिकल्स नियमावली, 1989 के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित कराने और वृहद दुर्घटना के परिसंकट का चिह्नीकरण कराने के उपरान्त सुरक्षा की विशिष्ट व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराने की कार्यवाही कारखानों के निरीक्षण के माध्यम से वरीयता के आधार पर सम्पादित करायी गयी। अति खतरनाक प्रकृति के कारखानों में परिसंकटमय रासायनिक पदार्थों के हथलन/भण्डारण क्षमता के सापेक्ष जोखिम का संख्यात्मक/गुणात्मक आकलन कराया गया और सुरक्षा व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराने के निर्देश दिय गये तथा सेफ्टी ऑडिट कराये गये। कारखानों में वृहद औद्योगिक दुर्घटना की स्थिति में उत्पन्न आकस्मिकता से निपटने के लिये कारखानों में एक पूर्ण एवं व्यावहारिक एक्शन प्लान उपलब्ध रहे, जिसके लिए कारखानों में ऑन-साइट इमरजेन्सी प्लान एवं ऑफ-साइट इमरजेन्सी प्लान बनाये जाने की व्यवस्था सन्निहित है।

ऑन-साइट इमरजेन्सी प्लान

वृहद् औद्योगिक दुर्घटना वाले कारखानों में ऑन-साइट इमरजेन्सी प्लान में मुख्यतः दुर्घटनाओं से प्रभावित व्यक्तियों का बचाव, कार्य करने, दुर्घटना प्रभावित लोगों को चिकित्सा सुविधा तत्काल उपलब्ध कराने दुर्घटनाओं के फलस्वरूप आग/विस्फोट/रिसाव को एक निश्चित क्षेत्र में ही सीमित करने और उसे न फैलने देने, दुर्घटनाओं को नियंत्रित करके न्यूनतम सम्भव समय में स्थिति को बहाल करने तथा प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षित रूप से पुनर्वास का कार्य कराये जाने आदि का विवरण उपलब्ध है। प्रदेश में स्थापित

152 वृहद औद्योगिक दुर्घटना वाले कारखानों में से 138 कारखानों के अधिष्ठाताओं ने अपने कारखानों के ऑन-साइट इमरजेन्सी प्लान निदेशालय में परीक्षण हेतु प्रस्तुत कर दिये हैं। कारखानों से प्राप्त ऑन-साइट इमरजेन्सी प्लान में दर्शायी गयी सुरक्षा व्यवस्थाओं, प्रबन्धों एवं एक्शन प्लान के मूल्यांकन हेतु निदेशालय में कार्यरत अधिकारियों द्वारा परीक्षण का कार्य किया जा रहा है।

ऑफ-साइट इमरजेन्सी प्लान

वृहद् औद्योगिक दुर्घटना वाले कारखानों में जब कारखाना परिसर के बाहर गैस/रसायन का रिसाव हो जाता है, तो परिसंकटमय रासायनिक दुर्घनाओं से उत्पन्न आकस्मिकताओं से निपटने के लिए सम्यक तैयारी एवं अनुक्रिया सम्बन्धी कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम-1986 के अन्तर्गत निर्मित रसायन दुर्घटना (आपात योजना तैयारी और अनुक्रिया) नियमावली-1996 के प्रावधानों के अनुसार पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा ''राज्य संकट स्थिति समूह'', ''जिला सकंट स्थिति समूह'' एवं ''स्थानीय संकट स्थिति समूह'' की संरचना सम्बन्धी निर्गत कार्यालय ज्ञापों के अनुपालन में समस्त जिला एवं स्थानीय समूहों के सदस्य/संयोजन, सहायक निदेशक कारखाना को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिये गये हैं कि वह सम्बन्धित जिलों में जिला एवं स्थानीय संटक समूहों की बैठकों का आयोजन कराते हुए जिला संकट समूह एवं स्थानीय संकट समूह के अध्यक्ष, क्रमशः जिलाधिकारी एवं उप जिलाधिकारी के सहयोग एवं उनके निर्देशों के अनुसार जिलों के ''ऑफ साइट आपात योजना'' की संरचना का कार्य पूर्ण करा लें, ताकि किसी वृहद औद्योगिक दुर्घटना से जनित आपात स्थितियों से निपटने हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं/प्रबंध पूर्व से ही सुनिश्चित किये जा सके और तत्काल बचाव/राहत कार्यों का आरम्भ किया जा सके, जिससे जन-धन की न्यूनतम हानि हो।

प्रदेश में 45 जिले, जिनमें अति-परिसंकटमय प्रकृति के कारखाने स्थापित हैं, में से 35 जिलों के ऑफ-साइट इमरजेन्सी प्लान विकसित किये जा चुके हैं। शेष 10 जिलों में ऑफ-साइट इमरजेन्सी प्लान तैयार कराये जाने का कार्य प्रगति पर है।

बंधुआ श्रम

बंधुआ श्रम प्रथा के उन्मूलन हेतु भारत सरकार द्वारा बंधुआ श्रम प्रथा (उत्सादन) अधिनियम- 1976 लागू किया गया है, जिसका क्रियान्वयन प्रदेश सरकार द्वारा पूर्ण संवेदनशीलता और कटिबद्धता के साथ कराया जा रहा है। बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वासन की योजना केन्द्र पुरोनिधानित योजना (50 प्रतिशत केन्द्रांश व 50 प्रतिशत राज्यांश) है। इस योजना के अन्तर्गत अवमुक्त कराये गये बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वासन पर प्रति श्रमिक रु. 20,000/- (रु. दस हजार केन्द्रांश व रु. दस हजार राज्यांश) की धनराशि सम्बन्धित जिले से प्राप्त पुनर्वासन पैकेज के आधार पर बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वासन हेतु प्रदान की जाती है। उक्त योजना भारत सरकार द्वारा दिनांक 17.05.2016 से संशोधित कर पूर्णतया केन्द्र पोषित योजना की जा चुकी है।

इस योजना के अन्तर्गत 17 मई, 2016 से पूर्व अवमुक्त कराये गये बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वासन हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में 3859 बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वासन हेतु रुपया 771.80 लाख (385.90 लाख केन्द्रांश व 385.90 लाख राज्यांश) का प्रावधान किया गया था। उक्त के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2017-18 में 3291 बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वासन हेतु धनराशि रु. 658.20 लाख (329.10 लाख केन्द्रांश व 329.10 लाख राज्यांश) प्राप्त हुई, जिसमें से 3065 बंधुआ श्रमिकों का पुनर्वासन कर

रु. 612.95 लाख की धनराशि व्यय की गयी। वित्तीय वर्ष 2018-19 में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा इस योजना के अन्तर्गत अवमुक्त कराये गये बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वासन हेतु धनराशि रु. 74.10 लाख एवं उत्तर प्रदेश शासन द्वारा रु. 74.10 लाख, कुल धनराशि रु. 148.20 लाख अवमुक्त की गयी, जिसके सापेक्ष रु. 124.40 लाख व्यय किये गये।

गृह प्रभाग (सामान्य)

औद्योगिक श्रमिकों के लिए गृह निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा वर्ष 1952 में सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना लागू की गई, जिसका प्रारम्भ उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 1953 में किया गया। इन गृहों के निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को वित्तीय सहायता निर्माण व्यय के 50 प्रतिशत ऋण तथा 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में की गयी थी। 01 अप्रैल, 1969 से यह धनराशि 70 प्रतिशत ऋण के रूप में तथा 30 प्रतिशत अनुदान के रूप में उपलब्ध करायी गयी थी।

इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न 12 क्षेत्रीय कार्यालयों के अन्तर्गत 15 जनपदों में कुल 30,647 गृहों का निर्माण कराया गया, जिनमें 29,587 गृहों का प्रशासनिक नियंत्रण विभाग के पास है। उक्त के अतिरिक्त लोक निर्माण विभाग द्वारा 656 गृह गाजियाबाद में निर्मित किये गये, जिनका कब्जा विभाग को प्राप्त होने के पूर्व ही लोगों ने उनमें अवैध रूप से रहना प्रारम्भ कर दिया था तथा 400 गृह एच.ए.एल., लखनऊ को हस्तान्तरित कर दिये गये थे। विभाग के पास गृहों का विवरण निम्न प्रकार है :

(क) एक कमरे के भवनों की कुल संख्या- 24,777

(ख) दो कमरे वाले भवनों की कुल संख्या- 4,810

श्रमिक बस्तियों में किराये की दरें निम्न प्रकार हैं :

(1) एक कमरे वाले गृहों का किराया

(क) सहायता प्राप्त अनुदानित किराये की दर 10.00 रुपये से 30.00 रुपये प्रतिमाह तक है।

(ख) आर्थिक किराये की दर रुपया 17.50 से रुपया 30.00 प्रतिमाह तक है।

(2) दो कमरे वाले गृहों का किराया

(क) सहायता प्राप्त अनुदानित किराये की दर 14.00 रुपये से 20.00 रुपये प्रतिमाह तक है।

(ख) आर्थिक किराये की दर रुपया 24.50 से रुपया 30.00 प्रतिमाह तक है।

उत्तर प्रदेश में स्थित औद्योगिक श्रमिक बस्तियों में अनधिकृत कब्जेदारी की समस्या के निदान के सम्बन्ध में शासनादेश सं. 3265/36- चार-90-7(म.आ.)/89/ दिनांक 20 नवम्बर, 1990 को निर्गत किया गया, जिसमें किराये की मानक दर का निर्धारण निम्न प्रकार किया गया है-

(1) एक कमरे वाले गृह का किराया रु0 125/- माह की दर से।

(2.) दो कमरे वाले गृह का किराया रु0 235/- माह की दर से।

वर्ष 1995 के पश्चात इन आवासों के विनियमितीकरण की कार्यवाही नहीं की जा रही है। वर्ष 1995 में इन कालोनियों के विक्रय का निर्णय शासनादेश संख्या-41सी0एम0/36-4-95-16//92 दिनांक 06.12.1995 द्वारा लिया गया था, परन्तु अध्यासियों द्वारा स्वयं विक्रय की प्रक्रिया में कोई रुचि नहीं दिखायी गयी, जिसके फलस्वरूप भवन विक्रय नहीं किया जा सका।

उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद के कार्यकलाप

उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद के लेखों में वित्तीय वर्ष 2018-19 के अन्त में प्रदेश में स्थित विभिन्न कारखानों/अधिष्ठानों के कर्मचारियों की अदत्त संचय धनराशि रुपये 8,27,57,665.20 क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त वादों की धनराशि रुपये 12,25,28,813.00 एवं श्रम कल्याण निधि की धनराशि रुपये 7,18,86,314.92 अवशेष थी।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में दिसम्बर-2019 तक कर्मचारियों की अदत्त संचय धनराशि रुपये 65,50,290.95 प्राप्त हो जाने पर अदत्त संचय की कुल धनराशि रुपये 8,93,07,956.15 हो गयी है तथा क्षेत्रीय कार्यालयों से वादों की धनराशि रुपये 14,20,93,311.00 अवशेष है।

उक्त अदत्त संचय, कल्याण निधि, क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त वादों की कुल जमा धनराशि पर अर्जित ब्याज तथा श्रमिक कल्याण भवन शास्त्री नगर, कानपुर के आवंटन से प्राप्त शुल्क की धनराशि से तैयार किये गये वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक से परिषद द्वारा संचालित निम्न योजनाओं के अन्तर्गत दिनांक 31.12.2019 तक निष्पादित किये गये कार्यों की स्थिति निम्नवत है :

1. उत्तर प्रदेश में कार्यरत श्रमिकों के पुत्र/पुत्रियों के प्राविधिक शिक्षा में प्रवेश पाने पर आर्थिक सहायता (छात्रवृत्ति) वितरण सम्बन्धी योजना (वर्तमान में डॉ० ए०पी०जे०अब्दुल कलाम प्राविधिक शिक्षा सहायता योजना)

इस योजना के अन्तर्गत उ.प्र. में कार्यरत ऐसे औद्योगिक श्रमिक जो औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अन्तर्गत श्रमिक की परिभाषा से आवर्त होते हैं तथा जिनकी मासिक मजदूरी/वेतन रुपये 15,000/- से अधिक न हो, के पुत्र/पुत्रियों को प्राविधिक शिक्षा में प्रवेश पाने पर प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति वितरित करने की व्यवस्था है। इस योजना के अन्तर्गत डिग्री पाठ्यक्रम हेतु धनराशि रुपये 10,000/-, डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु धनराशि रुपये 8,000/- एवं सर्टीफिकेट पाठ्यक्रम हेतु धनराशि रुपये 5,000/- प्रति लाभार्थी की दर से वितरित की जाती है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में इस योजना हेतु प्रावधानित धनराशि रुपये 25.00 लाख के सापेक्ष प्रदेश के विभिन्न मण्डलों से दिनांक 31.12.2019 तक कुल 97 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनके परीक्षण के उपरान्त हितलाभ वितरण हेतु अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

2. उत्तर प्रदेश में कार्यरत श्रमिकों के मेधावी पुत्र/पुत्रियों को पुरस्कार राशि प्रदान किये जाने सम्बन्धी (वर्तमान में गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार राशि)

इस योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में कार्यरत ऐसे औद्योगिक श्रमिक, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अन्तर्गत श्रमिक की परिभाषा से आवर्त होते हैं तथा जिनकी मासिक मजदूरी/वेतन रुपये 15,000/- से अधिक न हो, के पुत्र/पुत्रियों जिन्होंने हाई स्कूल/इण्टरमीडिएट/स्नातक/स्नातकोत्तर की परीक्षा 60 प्रतिशत या उससे अधिक तथा 75 प्रतिशत एवं उससे अधिक अंकों से उत्तीर्ण की है, उन्हें पुरस्कार राशि प्रदान किये जाने की व्यवस्था है। इस योजना के अन्तर्गत क्रमशः धनराशि रुपये 3,000/- एवं रुपये 5,000/- प्रति लाभार्थी की दर से वितरित की जाती है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रावधानित धनराशि रुपये 25.00 लाख के सापेक्ष प्रदेश के विभिन्न मण्डलों से दिनांक 31.12.2019 तक प्राप्त कुल 179 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनके परीक्षण के उपरान्त हितलाभ वितरण हेतु अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

3. औद्योगिक अधिष्ठानों के मृतक श्रमिकों की विधवाओं/आश्रितों को आर्थिक सहायता वितरण योजना (वर्तमान में राजा हरिश्चन्द्र मृतक आश्रित सहायता योजना)

इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के ऐसे औद्योगिक अधिष्ठान जो कारखाना अधिनियम 1948 के अन्तर्गत पंजीकृत हैं, में कार्यरत श्रमिकों, जिनकी मासिक मजदूरी/वेतन रुपये 15,000/- से अधिक न हो, की किसी भी कारण से मृत्यु हो जाने की दशा में उसकी विधवा या आश्रित को रुपये 15,000/- की एकमुश्त धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में वितरित किये जाने की व्यवस्था है। वित्तीय वर्ष 2019-20 प्रावधानित धनराशि रुपये 3.50 लाख के सापेक्ष प्रदेश के विभिन्न मण्डलों से दिनांक 31.12.2019 तक कुल 6 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनके परीक्षण के उपरान्त हितलाभ वितरण हेतु अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

4. औद्योगिक अधिष्ठानों में कार्यरत श्रमिकों की पुत्रियों को कन्यादान के रूप में आर्थिक सहायता वितरण योजना (वर्तमान में ज्योतिबा फुले कन्यादान योजना)

प्रदेश के ऐसे औद्योगिक अधिष्ठान, जो कारखाना अधिनियम 1948 के अन्तर्गत पंजीकृत हैं, में कार्यरत श्रमिकों, जिनकी मासिक मजदूरी/वेतन रुपये 15,000/- से अधिक न हो, की पुत्रियों को कन्यादान के रूप में रुपये 15,000/- की एकमुश्त धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में वितरित किये जाने की व्यवस्था है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रावधानित धनराशि रुपये 40.00 लाख के सापेक्ष प्रदेश के विभिन्न मण्डलों से दिनांक 31.12.2019 तक प्राप्त कुल 142 आवेदन पत्रों में से पात्र 7 लाभार्थियों को रुपये 1.05 लाख की धनराशि वितरित की जा चुकी है। शेष आवेदन पत्रों के परीक्षण के उपरान्त हितलाभ वितरण हेतु अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

5. प्रदेश के औद्योगिक अधिष्ठानों के मृतक श्रमिकों की विधवाओं/आश्रिताओं को श्रमिक की अन्त्येष्टि हेतु आर्थिक सहायता वितरण योजना (वर्तमान में दत्तोपंत ठेंगड़ी अन्त्येष्टि सहायता योजना)

प्रदेश के ऐसे औद्योगिक अधिष्ठान, जो कारखाना अधिनियम 1948 के अन्तर्गत पंजीकृत हैं, के श्रमिकों, जिनकी मासिक मजदूरी/वेतन रुपये 15,000/- से अधिक न हो, की किसी भी कारण से मृत्यु हो जाने की दशा में श्रमिक की विधवा या आश्रित को अन्त्येष्टि हेतु रुपये 5,000/- की एकमुश्त धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में वितरित किए जाने की व्यवस्था है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रावधानित धनराशि रुपये 1.00 लाख के सापेक्ष प्रदेश के विभिन्न मण्डलों से दिनांक 31.12.2019 तक कुल 01 आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है, जिसके परीक्षण के उपरान्त हितलाभ वितरण हेतु अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

6. कानपुर के श्रमिकों एवं उनके परिवार के कल्याण के उद्देश्य से श्रमिक बस्ती शास्त्री नगर में स्थित श्रमिक कल्याण भवन (बरात घर), के आवंटन की योजना

इस योजना के अन्तर्गत श्रमिकों एवं उनके परिवार के कल्याण के उद्देश्य से परिषद द्वारा वर्ष 1991 में श्रमिक बस्ती शास्त्री नगर, कानपुर स्थित राजकीय श्रम हितकारी केन्द्र परिसर में एक श्रमिक कल्याण भवन का निर्माण कराया गया है, जिसको कानपुर के श्रमिकों एवं समाज के अन्य वर्ग के व्यक्तियों को आवंटित किया जाता है। वर्तमान में आवंटन की दरें निम्नवत् हैं :

1. राज्य के निजी/सार्वजनिक क्षेत्र के श्रमिकों को रु. 5000/- प्रतिदिन
2. समाज के अन्य वर्ग के व्यक्तियों को रु. 10000/- प्रतिदिन

वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य के निजी/सार्वजनिक क्षेत्र के श्रमिकों तथा समाज के अन्य वर्ग के व्यक्तियों के लिए दिनांक 31.12.2019 तक कुल 62 दिनों के लिए श्रमिक कल्याण भवन आवंटित किया गया, जिससे शुल्क के रूप में रुपये 2,59,600/- की धनराशि प्राप्त हुई।

स्वास्थ्य सम्बन्धी योजनाएं

(लाख रुपये में)

वर्ष	धनराशि
2018-19 का वास्तविक व्यय	134.60
2019-20 का आय-व्ययक प्रावधान	149.95
2019-20 का पुनरीक्षित आय-व्ययक अनुमान	138.84
2020-21 का आय-व्ययक अनुमान	159.96

श्रमिकों तथा उनके परिवार के सदस्यों को राजयक्ष्मा (टी.बी.) रोग के उपचार हेतु प्रदेश की औद्योगिक महानगरी, कानपुर नगर में दो राजयक्ष्मा (टी.बी.) चिकित्सालय स्थापित हैं।

वर्तमान में कानपुर नगर के राजकीय श्रम हितकारी केन्द्रों एवं क्षय चिकित्सालयों में कार्यरत मिडवाइफ/स्टाफ नर्स आदि चिकित्सा सम्बन्धी पूरा स्टाफ ई.एस.आई. से सम्बद्ध कर दिया गया है। स्टाफ के वेतन-भत्तों का भुगतान श्रम आयुक्त संगठन द्वारा ही किया जाता है।

बाल श्रम

बाल श्रम के उन्मूलन हेतु शासन पूर्णतया दृढ़–संकल्पित है। बाल एवं श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 संशोधित अधिनियम-2016 की धारा-3 के अंतर्गत अनुसूची ''अ'' तथा ''ब'' में उल्लिखित 18 व्यवसायों एवं 65 प्रक्रियाओं में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का नियोजन पूर्ण रूप से वर्जित हैं, जबकि 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों के खदानों, ज्वलनशील पदार्थ बनाने वाली फैक्ट्रियों एवं कारखाना अधिनियम-1948 के अन्तर्गत खतरनाक घोषित व्यवसायों में कार्य करने पर प्रतिबन्ध है।

मा. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या (सिविल) 465/86 एम.सी. मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.12.1996 के अनुपालन में सर्वेक्षणों तथा नियमित निरीक्षणों के माध्यम से प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2019-20 में माह दिसम्बर-2019 तक खतरनाक व्यवसायों तथा प्रक्रियाओं में 376 एवं गैर खतरनाक प्रक्रियाओं में 2359 बाल श्रमिक अर्थात कुल 2735 बाल श्रमिक चिह्नांकित किये गये। सम्बन्धित 168 नियोजकों के विरुद्ध प्राभियोजन दायर किये गये तथा 49 नियोजकों के विरुद्ध वसूली प्रमाण–पत्र जारी किये गये। इसी अवधि में नियोजकों से रुपये 11.14 लाख की धनराशि वसूल की गयी।

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना

उत्तर प्रदेश के 46 जिलों में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्वीकृत है। विगत वित्तीय वर्ष में जिला रामपुर, प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ एवं बलरामपुर के अतिरिक्त सभी जिलों में यह परियोजना बन्द

है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मार्च, 2016 में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के पुनरीक्षित दिशा निर्देश उपलब्ध करा दिये गये हैं। पुनरीक्षित गाइड लाइन्स के अनुसार विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालन हेतु जिन जिलों को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सर्वेक्षण हेतु धनराशि उपलब्ध करा दी गयी है, वहाँ पर सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है। सर्वेक्षण से प्राप्त परिणामों के आधार पर भविष्य में आवश्यकतानुसार चिह्नित कामकाजी बच्चों के शैक्षिक पुनर्वासन हेतु विशेष केन्द्रों का संचालन किया जाना है।

बाल श्रमिकों का सर्वेक्षण

2230- श्रम, रोजगार और कौशल विकास- 01-श्रम

103- सामान्य श्रम कल्याण, 08- बाल श्रम उन्मूलन

02- बाल श्रमिकों का सर्वेक्षण

(लाख रुपये में)

वर्ष	धनराशि
2018-19 का वास्तविक व्यय	4.16
2019-20 का आय-व्ययक प्रावधान	5.00
2019-20 का पुनरीक्षित आय-व्ययक अनुमान	4.30
2020-21 का आय-व्ययक अनुमान	5.00

बाल श्रम समस्या का आकलन कराने हेतु सर्वेक्षण में चिह्नांकित 09-14 आयु वर्ग के खतरनाक व्यवसायों/प्रक्रियाओं में चिन्हांकित बाल श्रमिकों के शैक्षिक पुनर्वासन हेतु राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अन्तर्गत प्रस्ताव तैयार कर भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त करने की योजना राज्य सेक्टर से स्वीकृत की गई है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में बाल श्रमिकों के चिह्नांकन हेतु सर्वेक्षण के लिए प्रावधानित धनराशि रुपये 5.00 लाख 20 जनपदों यथा-प्रयागराज, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, गोण्डा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, कानपुर नगर, गोरखपुर, बलिया, मिर्जापुर, सोनभद्र, बरेली, बदायूं, लखनऊ, मुरादाबाद, आगरा, बाराबंकी व गाजियाबाद के सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारियों को आवंटित किये गये हैं।

महिला श्रम

प्रदेश में संगठित/असंगठित क्षेत्र में नियोजित महिला श्रमिकों की कार्यदशाओं तथा उन्हें समान कार्य के लिए समान वेतन की देयता सुनिश्चित कराये जाने हेतु प्रमुख अधिनियम समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 प्रदेश में लागू है। उक्त अधिनियम के अन्तर्गत महिला श्रमिकों के नियोजन में लिंग के आधार पर विभेद न किये जाने तथा समान कार्य के लिए समान वेतन दिये जाने का प्रावधान है।

मातृत्व हितलाभ अधिनियम–1961 में प्रावधानित व्यवस्थाओं के अन्तर्गत महिला श्रमिकों को हितलाभ सुनिश्चित कराये जाते हैं। उक्त अधिनियम के अन्तर्गत गर्भावस्था के दौरान मृत्यु हो जाने पर नियमानुसार भुगतान कराने, मेडिकल बोनस, गर्भपात हो जाने की दशा में अवकाश, गर्भावस्था के दौरान बीमार हो जाने की दशा में सवेतन अवकाश, गर्भावस्था के दौरान सेवा से पृथक न करने तथा 12 सप्ताह के सवेतन अवकाश की व्यवस्थाएं प्रावधानित हैं।

उक्त अधिनियम के अतिरिक्त अन्य श्रम अधिनियमों यथा– कारखाना अधिनियम–1948, बीड़ी एवं सिगार अधिनियम–1966, न्यूनतम वेतन अधिनियम–1961, ठेका श्रम विनियमन एवं उन्मूलन अधिनियम–1976 आदि में भी महिला श्रमिकों के हितार्थ प्रावधान किये गये हैं।

उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों के परिपालन सुनिश्चित कराये जाने के उद्देश्य से जिला व तहसील स्तर पर श्रम प्रवर्तन अधिकारी नियुक्त हैं, जो अधिनियम के अन्तर्गत निरीक्षक घोषित हैं। निरीक्षक को अधिनियम का अनुपालन न करने वाले नियोजकों के विरुद्ध प्राभियोजन एवं निर्देशवाद दायर किये जाने का अधिकार प्रदत्त है।

समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 की धारा-6 के अन्तर्गत महिला श्रमिकों को विभिन्न सेवायोजनों में समान अवसरों में वृद्धि, कार्य की प्रकृति, कार्य के घण्टे व पुरुषों के समान पारिश्रमिक दिलाये जाने के लिये अधिसूचना संख्या-1201/छत्तीस-1-18/156(एस0टी0)/76टी0पी0, दिनांक-28.09.2018 द्वारा प्रदेश स्तर पर एक सलाहकार समिति का गठन किया गया है।

दीनदयाल सुरक्षा बीमा योजना

देश में कुल श्रमिकों के सापेक्ष असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों की संख्या लगभग 93 प्रतिशत है तथा वर्तमान में प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों की संख्या लगभग 4.5 करोड़ है, जो कि प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग 21 प्रतिशत है।

असंगठित कर्मकारों हेतु दीनदयाल सुरक्षा बीमा योजना का क्रियान्वयन किया जाना है। इस योजना का उद्देश्य किसी भी पंजीकृत कर्मकार की दुर्घटना में मृत्यु होने अथवा उसे शारीरिक नुकसान या अंग-भंग होने की स्थिति में उसे अथवा उसके परिवार के आश्रितों/नामितों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराया जाना है। योजना के संचालन हेतु अनुग्रह धनराशि का वितरण योजना में विहित निर्देशों के अनुसार निम्नवत् किया जायेगा-

(1) किसी पंजीकृत कर्मकार की दुर्घटना में मृत्यु होने की दशा में उसके परिवार के आश्रित/नामित को एकमुश्त रु. 2,00,000.00 (रु. दो लाख मात्र) की धनराशि भुगतान की जायेगी।

(2) पंजीकृत कर्मकार के पूर्ण अपंगता या दोनों आँखों की हानि या दोनों हाथ या दोनों पैर के अंग-भंग/नुकसान हो जाने पर उसे रु. 2,00,000.00 (रु. दो लाख मात्र) की धनराशि भुगतान किया जायेगा।

(3) पंजीकृत कर्मकार की एक आँख की दृष्टि या एक हाथ या एक पैर के अंग-भंग/नुकसान होने पर उसे रु. 1,00,000.00 (रु. एक लाख मात्र) की धनराशि भुगतान की जायेगी।

असंगठित कर्मकारों हेतु दीनदयाल सुरक्षा बीमा योजना में प्रति श्रमिक वांछित प्रीमियम धनराशि रु. 25/- के परिकलन के आधार पर वर्ष 2018-19 हेतु अनुमानित 5 लाख कर्मकारों हेतु धनराशि रु. 125.00 लाख के आय-व्ययक का प्रावधान किया गया।

योजना का क्रियान्वयन प्रस्तावित ''उत्तर प्रदेश राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड'' द्वारा किया जायेगा, जिसे बीमा एजेन्सी के माध्यम से अथवा स्वयं कियान्वयन का कार्य, बोर्ड द्वारा जैसा अवधारित किया जाये, के अनुसार किया जायेगा।

उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड

भवन और अन्य सन्निर्माण कार्यों में संलग्न श्रमिकों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार लाने के

उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा भवन और अन्य सन्निर्माण (नियोजन तथा सेवाशर्त विनियमन) कर्मकार अधिनियम, 1996 तथा भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 लागू किया गया है। जिसके क्रम में दिनांक 04 फरवरी, 2009 को उ0प्र0 भवन एवं सन्निर्माण (नियोजन तथा सेवाशर्त विनियमन) अधिनियम, 2009 नियमावली प्रख्यापित की जा चुकी है। अधिनियम के अन्तर्गत मुख्यतः तीन प्रकार की कार्यवाही की जानी है 1. निर्माण स्थलों का पंजीयन, 2. निर्माण श्रमिकों का पंजीयन व 3. उपकर की वसूली एवं निर्माण श्रमिकों के हितार्थ योजनाएं लागू करना और उन्हें क्रियान्वित करना।

अटल पेंशन योजना

असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम-2008 की धारा-3 व 4 के अन्तर्गत केन्द्र एवं राज्य सरकार को असंगठित कर्मकारों हेतु उपयुक्त योजनाएं विरचित (फ्रेमिंग) किया जाना है। असंगठित कर्मकारों के वृद्धावस्था में कोई आय स्रोत उपलब्ध न होने के कारण उन्हें भारत सरकार की अटल पेंशन योजना से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त योजना के अन्तर्गत उन सभी पंजीकृत कर्मकारों को, जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष तक है, आवर्त किया जाना है। सम्बन्धित कर्मकारों द्वारा 60 वर्ष की आयु तक प्रीमियम जमा किया जाना है, 60 वर्ष की आयु के उपरान्त उन्हें पेंशन की चुनी हुई धनराशि मासिक रूप से देय होगी। पंजीकृत कर्मकार को उसके 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर न्यूनतम रुपये 1,000/- की मासिक पेंशन सुलभ कराये जाने के दृष्टिगत योजना में आने वाले प्रीमियम का व्यय-भार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

उक्त योजना में पंजीकृत कर्मकार की मृत्यु होने की स्थिति में उक्त पेंशन उसकी पत्नी को प्रदान की जायेगी। पंजीकृत कर्मकार/ उसकी पत्नी अर्थात दोनों की मृत्यु होने की स्थिति में उसके नामित को न्यूनतम रु. 1.70 लाख की कार्पस निधि अथवा कर्मकार द्वारा स्वयं के अंशदान के आधार पर जितनी पेंशन हेतु अंशदान किया जायेगा, के अनुरूप कार्पस निधि का भुगतान होगा। पंजीकृत कर्मकार की 60 वर्ष से पहले मृत्यु होने की स्थिति में उसके द्वारा जमा की गयी रकम ब्याज सहित उसके नामित को वापस की जायेगी।

अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना

उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा बोर्ड में लगभग 50 लाख अधिक निर्माण श्रमिक पंजीकृत है। निर्माण श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण एवं उद्देश्यपरक शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु वर्तमान में प्रदेश के 12 जनपदों में कुल 24 आवासीय विद्यालयों का संचालन बोर्ड द्वारा किया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक जनपद में 100 बालिकाओं एवं 100 बालकों के लिये विहान आवासीय विद्यालय संचालित है। इसे व्यापक स्वरूप प्रदान करने हेतु अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना प्रस्तावित है।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में बड़ी संख्या में अप्रवासी श्रमिक के रूप में कार्यक्रम है। विभिन्न स्थानों पर कार्य मिलने की स्थिति के अनुसार वे प्रायः स्थानान्तरित होते रहते हैं, जिसके फलस्वरूप उनके बच्चे शिक्षा की मुख्य धारा से वंचित रह जाते है। अतः निर्माण श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण एवं उद्देश्यपरक शिक्षा उपलब्ध कराने की दृष्टि से ''जवाहर नवोदय विद्यालय'' के मानकों के अनुरूप प्रदेश के 18 मण्डलों में प्रत्येक मण्डल में एक-एक अटल आवासीय

विद्यालय स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। उक्त अटल आवासीय विद्यालयों के निर्माण से निर्माण श्रमिकों के बालक-बालिकाओं तथा अनाथ बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा दी जा सकेगी, जिससे एक ओर जहाँ श्रमिकों के बच्चों में निहित प्रतिभा को उभारने का अवसर मिलेगा, वहीं दूसरी ओर वे अपनी प्रतिभा के अनुरूप रोजगार पा सकेंगे। फलस्वरूप श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार आयेगा। इन अटल आवासीय विद्यालयों के भवनों का निर्माण राज्य सरकार द्वारा कराया जायेगा तथा उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड अपने संसाधनों द्वारा विद्यालयों का संचालन किया जायेगा। संचालन सम्बन्धी समस्त व्यय भार बोर्ड द्वारा वहन किया जायेगा। प्रत्येक विद्यालय में 1000 बालक/बालिकाओं के कक्षा-6 से कक्षा-12 तक निःशुल्क आवासीय शिक्षा की व्यवस्था होगी।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना

कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम चिकित्सा सेवा संक्षिप्त परिचय

भूमिका

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अधीन सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम का उत्तर प्रदेश में 24 फरवरी, 1952 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू के कर-कमलों द्वारा कानपुर में शुभारम्भ हुआ था। यह योजना विद्युत से चलने वाले प्रतिष्ठानों में कम से कम 10 कर्मचारी कार्य करने वाले कारखानों में लागू हुई। यह योजना मुख्यतः कामगारों व उनके सेवायोजकों के अंशदान पर निर्भर है। इस योजना से आच्छादित श्रमिकों के वेतन से 0.75 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से तथा सेवायोजक से आच्छादित श्रमिकों के वेतन का 3.25 प्रतिशत कर्मचारी राज्य बीमा अंशदान कर्मचारी राज्य बीमा निगम भारत सरकार के खाते में जमा होता है।

मूलभूत उद्देश्य व लाभ

योजना का मूल उद्देश्य औद्योगिक प्रतिष्ठानों में लगे हुए कर्मचारियों को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित कामगारों एवं उनके परिवार के सदस्यों को योजना में हितलाभ प्रदान करना है।

योजना के हितलाभ निम्नलिखित हैं :

1. चिकित्सा हितलाभ - बीमांकित व्यक्तियों एवं उनके परिवार के सदस्यों को चिकित्सा सम्बन्धी सभी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।
2. बीमारी हितलाभ :- नकद हितलाभ दिया जाता है।
3. प्रसूति हितलाभ :- पूर्ण चिकित्सकीय सुविधा तथा चिकित्सा प्रमाण-पत्र दिये जाते हैं।
4. अपंगता हितलाभ :- कृत्रिम अंगों की पूर्ति निःशुल्क की जाती है तथा कम्पनसेशन दिया जाता है।
5. आश्रित हितलाभ :- आजीवन पेंशन दी जाती है।
6. अंतिम संस्कार हितलाभ :- दाह संस्कार हेतु आर्थिक सहायता दी जाती है।

चिकित्सा हितलाभ की सुविधा प्रदेश सरकार के माध्यम से उपलब्ध करायी जाती है तथा अन्य उल्लिखित हितलाभ कर्मचारी राज्य बीमा निगम अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से उपलब्ध कराती है। वर्तमान में प्रदेश में लगभग 2358766 बीमांकित व्यक्तियों एवं उनके परिवार के सदस्यों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। चिकित्सा सुविधा में सुधार एवं विस्तार के उद्देश्य से

जून 1985 में देश सरकार द्वारा श्रम विभा के अधीन एक पृथक निदेशालय की कानपुर में स्थापना की गयी। तब से चिकित्सा सुविधा इसी विभाग द्वारा प्रदान की जा रही है। जून 1985 से पूर्व चिकित्सा सुविधा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदान की जाती थी।

वर्ष 2020-21 हेतु प्रस्तावित प्रमुख योजनाएं

1. बीमांकितों एवं उनके आश्रितों के उपचार पर व्यय की धनराशि की प्रतिपूर्ति के भुगतान के लिए औषधि तथा रसायन मद में आवश्यक धनराशि की व्यवस्था का प्रस्ताव है।
2. प्रदेश के 10 अस्पतालों 94 एलोपैथिक, 11 होम्योपैथिक एवं 11 आयुर्वेदिक औषधालयों में बीमांकित रोगियों एवं उनके परिवार के सदस्यों को शत-प्रतिशत एवं उचित गुणवत्ता की औषधियाँ उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।
3. बीमांकितों एवं उनके आश्रितों को कैशलेस आधार पर सेकेण्ड्रीय केयर उपचार की सुविधा निजी अस्पतालों/डायग्नोस्टिक सेंटर से अनुबन्धित कर उपलब्ध कराना प्रस्तावित है।
4. कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत 87 औषधालयों में बायोमेट्रिस अटेण्डेण्स डिवाइस की स्थापना प्रस्तावित है।
5. कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों एवं औषधालयों के लिए आवश्यक चिकित्सकीय उपकरणों की सुलभता हेतु रुपया 120 लाख की व्यवस्था प्रस्तावित है।
6. चार अस्पताओं में लाण्ड्रेट एवं महत्वाकांक्षी जनपदों के अन्तर्गत तीन जनपदों में स्थित औषधालयों में लैब की स्थापना प्रस्तावित है।
7. निष्प्रयोज्य वाहन के स्थान पर एक नये वाहन का क्रय प्रस्तावित है।
8. प्रदेश के सभी चिकित्सालयों में विबग्योर पद्धति के आधार पर चादर तकिये की व्यवस्था हेतु रुपया 15 लाख की व्यवस्था का प्रस्ताव है।

सेवायोजन सेवा विभाग के प्रमुख कार्य

पुनर्वास एवं रोजगार महानिदेशालय के अधीन रोजगार कार्यालयों की स्थापना जुलाई, 1945 में की गयी। वर्ष 1952 में गठित शिवाराव समिति की संस्तुति के आधार पर वर्ष 1956 से रोजगार कार्यालयों का दैनिक प्रशासन प्रदेश सरकारों को स्थानान्तरित कर दिया गया। रोजगार बाजार में उपलब्ध मानवशक्ति की आवश्यकता, सेवारत मानवशक्ति का विवरण एकत्र करने हेतु वर्ष 1959 में संसद द्वारा सेवायोजन कार्यालय (रिक्तियों का अनिवार्य अधिसूचन) अधिनियम–1959 पारित किया गया।

उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 111 सेवायोजन कार्यालय स्थापित हैं तथा समाज के आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों यथा– अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से 52 शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र स्थापित हैं।

सेवायोजन कार्यालय के प्रमुख कार्य निम्नवत् हैं-

1. बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार हेतु ऑनलाइन पंजीयन तथा नियोजकों को मानवशक्ति की आवश्यकता हेतु ऑन लाईन पंजीयन की व्यवस्था।
2. व्यवसाय मार्ग निर्देशन/कैरियर काउन्सिलिंग कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार के अवसर, प्रशिक्षण व

उच्च शिक्षा के अवसरों के सम्बन्ध में बेरोजगार अभ्यर्थियों एवं उनके अभिभावकों को सम्यक एवं उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराना तथा रोजगार बाजार में उपलब्ध रोजगार एवं रोजगारपरक पाठयक्रमों की जानकारी उपलब्ध कराना।

3. स्वतः नियोजन के क्षेत्र में अपना व्यवसाय स्थापित करने हेतु बेरोजगार अभ्यर्थियों को प्रोत्साहित करना एवं ऋण सम्बन्धी सुविधायें प्राप्त करने में उनकी सहायता करना।
4. रोजगार/बेरोजगारी के विभिन्न आयामों के सम्बन्ध में सूचनाओं का विश्लेषण, संकलन, प्रचार एवं प्रसार।
5. समाज के निर्बल वर्ग के अभ्यर्थियों को मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण प्रदान करना।
6. दिव्यांग अभ्यर्थी को रोजगार सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से 16 जनपदों में विशिष्ट सेवायोजन कार्यालय और शेष जनपदों में प्रत्येक रोजगार कार्यालय में विशेष सेल स्थापित है।
7. रोजगार मेलों के माध्यम से निजी क्षेत्रों में बेरोजगार अभ्यर्थियों को रोजगार के अवसर प्रदान करना।
8. भारत सरकार के नेशनल कॅरियर सर्विस प्रोजेक्ट के अन्तर्गत मॉडल कॅरियर सेन्टर का संचालन।

प्रदेश में सेवायोजन विभाग के कार्यालयों की संख्या निम्नवत् हैः-

1. क्षेत्रीय रोजगार विकास कार्यालय	05
2. क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय	18
3. जिला सेवायोजन कार्यालय	57
4. दिव्यांगों हेतु विशिष्ट सेवायोजन कार्यालय	16
5. विश्वविद्यालय सेवायोजन सूचना एवं मंत्रणा केन्द्र	13
6. व्यावसायिक एवं प्रबन्धकीय सेवायोजन कार्यालय	01
7. नगर सेवायोजन कार्यालय	01
योग	**111**

सेवायोजन सहायता कार्यक्रम

सेवायोजन विभाग के अधीन संचालित प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा बेरोजगार अभ्यर्थियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का कार्य किया जाता है।

सेवायोजन विभाग द्वारा बेरोजगार अभ्यर्थियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने हेतु वेबपोर्टल sewayojan.up.nic.in का विकास कराया गया है। इस वेबपोर्टल में बेरोजगार अभ्यर्थियों एवं सेवायोजकों को ऑनलाइन पंजीकृत करने की व्यवस्था विकसित की गयी है।

जॉब सीकर का पंजीयन-

- बेरोजगारों हेतु ऑनलाइन पंजीयन सेवायोजन पोर्टल sewayojan.up.nic.in पर कहीं भी कभी भी करने की सुविधा उपलब्ध।
- रोजगार मेलों में प्रतिभाग की सुविधा।
- नियोजकों द्वारा नौकरियों का पूर्ण विवरण उपलब्ध।
- नौकरियों हेतु पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की सुविधा।
- ई-मेल के माध्यम से नौकरी की सूचना।

सेवायोजन पोर्टल sewayojan.up.nic.in पर दिनांक - 12 फरवरी, 2020 तक पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या-3399797

रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम

रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम के अन्तर्गत संगठित क्षेत्र के सेवायोजकों से उनके यहाँ त्रैमासिक आधार पर उनके अधिष्ठान में कार्यरत कार्मिकों के बारे में सूचना एकत्र करने के उपरान्त संकलित कर, प्रसारित की जाती है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सूचनाएं सेवायोजन कार्यालय (रिक्तियों का अनिवार्य अधिसूचन) अधिनियम-1958 में निहित प्रावधानों के अनुपालन में एकत्र की जाती है। कार्यक्रम से प्राप्त सूचना से मानव शक्ति का औद्योगिक वर्गीकरण कर आकलन होता है।

रोजगार मेला

निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा रोजगार मेलों के माध्यम से प्रदेश के बेरोजगारों को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

- रोजगार बाजार में उपलब्ध अवसरों एवं उपलब्ध जनशक्ति को ऑनलाइन एवं पारदर्शी प्लेटफार्म उपलब्ध कराना।
- निजी क्षेत्र के नियोजकों एवं बेरोजगार अभ्यर्थियों को एक स्थान पर आमंत्रित कर रोजगार मेलों का आयोजन करना।
- रोजगार मेलों के माध्यम से प्राप्त फीड बैक का प्रयोग बेरोजगार अभ्यर्थियों की कॅरियर काउन्सिलिंग करना।
- रोजगार मेलों के माध्यम से चयनित न हो पाने वाले अभ्यर्थियों के स्किल गैप का पता लगाना एवं उनको प्रशिक्षण हेतु प्रेरित करना।

खेल

प्रदेश में वर्ष 1974 में खेल विभाग, उ0प्र0 की स्थापना हुई। विभाग में समूह-'क' के अन्तर्गत निदेशक, संयुक्त निदेशक खेल, उपनिदेशक खेल तथा उपनिदेशक (प्रशासन) के कुल 06 पद, समूह-'ख' में क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी, सहायक अभियंता, वित्त एवं लेखाधिकारी एवं सहायक लेखाधिकारी के 21 पद, समूह-'ग' में कुल 465 पद तथा समूह-'घ' में कुल 269 पद स्वीकृत हैं।

प्रशिक्षण

खेल विभाग द्वारा प्रदेश के जिलों में स्थापित स्टेडियमों में प्रशिक्षण शिविर संचालित कराया जाता है। विभाग में तैनात क्रीड़ा अधिकारी/उप क्रीड़ा अधिकारी/सहायक प्रशिक्षक द्वारा प्रातः एवं सायंकाल प्रशिक्षण शिविर संचालित किया जाता है।

जिलों में स्थापित अवस्थापनाओं के दृष्टिगत 31 खेलों (तीरन्दाजी, एथलेटिक्स, बैडमिण्टन, बास्केटबाल, बाक्सिंग, क्रिकेट, फुटबाल, जिम्नास्टिक, हैण्डबाल, हॉकी, जूडो, खो-खो, कबड्डी, तैराकी, स्क्वैश, टेबुल-टेनिस, लानटेनिस, वालीबाल, भारोत्तोलन, कुश्ती, ताइक्वाण्डो, पावरलिटिंग, तलवारबाजी, वुशू, नेटबाल, शूटिंग, साट टेनिस, साईकिलिंग, क्याकिंग एण्ड कैनोइंग, रोइंग एवं कराटे) में प्रशिक्षण शिविरों का संचालन किया जाता है।

वर्ष 2019-20 में 141 विभागीय प्रशिक्षकों द्वारा एवं 377 अंशकालिक मानदेय प्रशिक्षकों द्वारा कुल-518 प्रशिक्षण शिविर विभिन्न जनपदों में संचालित किया गया है। जिसमें 18,389 बालक एवं 5,075 बालिका कुल 23,464 खिलाड़ी लाभान्वित हुए हैं।

प्रतियोगितायें/महिला प्रतियोगितायें

विभिन्न प्रशिक्षण शिविरों के संचालन स्वरूप जो बच्चे सामने आते हैं उनको प्रतिस्पर्धा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभाग द्वारा विभिन्न जनपदों में विभिन्न खेलों की जिला तथा प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जाता है। इस हेतु विभाग द्वारा पूरे वर्षो का एक कार्यक्रम तैयार किया जाता है।

निर्धारित कार्यक्रमानुसार वर्ष 2019-20 में प्रतियोगिता का आयोजन निम्नवत है:-

जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन

खेल विभाग द्वारा राष्ट्रीय पर्व पर प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त 2019 को क्रास कण्ट्री दौड़ का आयोजन प्रत्येक जनपदों में किया गया।

प्रत्येक जनपद में राष्ट्रीय पर्व 02 अक्टूबर 2019 को पैदलचाल /वाक रेस का आयोजन किया गया।

प्रत्येक जनपद में राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी, 2020 को साईकिल रेल/प्रचलित खेलों का आयोजन किया गया।

प्रत्येक जनपद में दिनांक 29 अगस्त, 2019 को हाकी के जादूगर स्व0 मेजर धयान चन्द के जन्म दिवस पर 14 वर्ष से कम आयु के बालकों की जिला स्तरीय हाकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

प्रत्येक जनपद में दिनांक 29 अगस्त, 2019 को फिट इण्डिया कार्यक्रम के अन्तर्गत पर क्रास-कण्ट्री रेस एवं प्रचालित 02 खेलों में जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

प्रत्येक जनपद में 31 अक्टूबर, 2019 को सरदार बल्लभ भाई पटेल के जन्मदिसव पर एकता दौड़ का आयोजन किया गया।

प्रत्येक जनपद में 26 नवम्बर, 2019 को संविधान दिवस के अवसर पर साईकिल रेस का आयोजन किया गया।

प्रत्येक जनपद में 03 दिसम्बर, 2019 को संविधान सभा के अध्यक्ष व भारत के प्रथम राष्ट्रपति डा0 राजेन्द्र प्रसाद जी की जयन्ती के उपलक्ष्य में प्रचलित खेल में 01 जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

दिनांक 27 से 31 जनवरी, 2020 तक आयोजित गंगा यात्रा में स्वच्छ गंगा खेल प्रतियोगिता के अन्तर्गत 27 जनपदों में 35 खेलों में जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

प्रत्येक जनपद में पं0 दीन दयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर जूनियर बालक/बालिकाओं की 2-2 जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। वर्ष 2019-20 में कुल 150 जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

वर्ष 2019-20 में आवासीय क्रीड़ा छात्रवासों में कुल 295 खिलाड़ियों को प्रवेश दिया गया हैं।

वर्ष 2019-20 में आवासीय क्रीड़ा छात्रवासों के कुल 244 खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करते हुए 32 स्वर्ण, 26 रजत एवं 20 कास्यं पदक अर्जित किया हैं। तथा आवासीय बाक्सिंग छात्रवास, झांसी के प्रशिक्षु श्री अर्जुन सिंह ने चतुर्थ एमिली जेचेव इण्टरनेशनल बाक्सिंग टूर्नामेण्ट, बुलगारिया में दिनांक 31.03.2019 से 06.04.2019 तक प्रतिभाग किया। आवासीय बैडमिण्टन छात्रवास, म्योहाल प्रयागराज के प्रशिक्षु श्री कामेन्द्र कुशवाहा ने जूनियर अर्न्तराष्ट्रीय प्रतियेागिता 29 अगस्त से 01 सितम्बर, 2019 तक पुणे (भारत) में प्रतिभाग किया। आवासीय हैण्डबाल छात्रवास, अयोध्या की बालिका कु0 मोनी चौधरी ने 8वीं यूथ एशियन चैम्पियनशिप 20 से 30 अगस्त, 2019 तक जयपुर (भारत) में प्रतिभाग किया, तथा आवासीय

फुटबाल छात्रवास, बरेली के प्रशिक्षु श्री मुस्तफा खान, ने स्कूली एशियन फुटबाल चैम्पियनशिप, इण्डोनेशिया में भारतीय स्कूली फुटबाल टीम की ओर से भाग लिया।

पुरस्कार (लक्ष्मण/रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार)

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के मूल निवासी विशिष्ट खिलाड़ियों को लक्ष्मण/रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित करने की योजना है। इसके अन्तर्गत अलंकृत होने वाले खिलाड़ियों को प्रशस्ति पत्र, लक्ष्मण/रानी लक्ष्मीबाई की कांस्य प्रतिमा, वर्तिलेख तथा रू. 3,11,000/- की धनराशि नकद प्रदान की जाती है।

राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार

प्रदेश के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार प्रदान किया जाता है तथा राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कीर्तिमान स्थापित करने वाले खिलाड़ियों को भी नकद पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार एकल एवं टीम गेम्स में अलग-अलग प्रदान किया जाता है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं जैसे:- ओलम्पिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, विश्व कप, एशियन गेम्स, एफ्रो एशियन गेम्स तथा सैफ गेम्स में प्रदेश के पदक विजेता खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार की व्यवस्था की गयी है।

राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पुरस्कृत खिलाड़ियों के प्रशिक्षकों के सम्मान की व्यवस्था

राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त करने वाले उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों के प्रशिक्षकों को प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान करने के लिए व्यवस्था लागू की गयी है पुरस्कारों का विवरण निम्नवत् है :-

राष्ट्रीय चैम्पियनशिप हेतु (एकल गेम्स/टीम गेम्स में पुरस्कार)

वर्ग	स्वर्ण	रजत	काँस्य
सब-जूनियर	10,000	7,500	5,000
जूनियर	15,000	10,000	7,500
सीनियर	25,000	15,000	10,000

अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं (एकल गेम्स/टीम गेम्स में पुरस्कार)

अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का नाम	स्वर्ण	रजत	काँस्य
ओलम्पिक गेम्स	5,00,000	3,00,000	2,00,000
कामनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, विश्वकप तथा विश्व चैम्पियनशिप (प्रत्येक 04 वर्षों में आयोजित होने वाली)	1,50,000	1,00,000	50,000

सैफ गेम्स एवं राष्ट्रीय खेल हेतु

अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का नाम	स्वर्ण	रजत	काँस्य
सैफ गेम्स	50,000	35,000	25,000
राष्ट्रीय खेल	50,000	35,000	25,000

प्रदेश के भूतपूर्व प्रसिद्ध खिलाड़ियों तथा पहलवानों को वित्तीय सहायता

विभाग द्वारा प्रदेश के खिलाड़ियों के कल्याणार्थ चलायी जाने वाली योजना के अर्न्तगत बृद्ध अशक्त एवं विपदाग्रस्त खिलाड़ियों को निम्नानुसार आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है :-

1- राज्य स्तर के वे खिलाड़ी जिन्होंने प्रदेश की अधिकृत टीम का प्रतिनिधित्व किया हो - रु0- 4,000/-

2- राष्ट्रीय स्तर के वे खिलाड़ी जिन्होंने राष्ट्र की अधिकृत टीम का प्रतिनिधित्व किया हो - रु0- 6,000/-

3- अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के वे खिलाड़ी जिन्होंने राष्ट्र की अधिकृत टीम के सदस्य होकर ओलम्पिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स तथा विश्व कप खेलों में राष्ट्र का प्रतिनिधित्व किया हो- रु0-10,000/-

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल- 191 भूतपूर्व प्रसिद्ध खिलाड़ियों तथा पहलवानों को प्रतिमाह आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।

खेल विभाग द्वारा अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार एवं खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को अथवा खेल जगत में उपलब्धियों के दृष्टिगत पद्मश्री एवं पद्मभूषण से सम्मानित महानुभाव खिलाड़ियों को रू0- 20,000/- प्रतिमास की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल- 49 अर्जुन पुरस्कार/द्रोणाचार्य पुरस्कार/ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित महानुभाव खिलाड़ियों को प्रतिमाह आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।

प्रदेशीय क्रीड़ा संघों क्लबों को प्रतियोगिता के आयोजन हेतु आर्थिक सहायता

खेल के क्षेत्र में खेलों के प्रतिस्पर्द्धात्मक पक्ष को देखने के लिए देश में राष्ट्रीय स्तर पर अखिल भारतीय खेल महासंघ और प्रदेश स्तर पर प्रदेशीय खेल संघ कार्य करते हैं। प्रदेशीय संघों का प्रमुख कार्य अपने खलों से सम्बन्धित प्रदेशीय चैम्पियनशिप का आयोजन करना और प्रदेशीय टीमों का चयन कर राष्ट्रीय चैम्पियनशिप के लिए भेजना होता है। यदा-कदा भारतीय खेल महासंघों द्वारा प्रदेशीय क्रीड़ा संघों को राष्ट्रीय चैम्पियनशिप आयोजित करने का भार सौंप दिया जाता है। खेल विभाग ऐसे कार्यक्रमों के संचालन हेतु तकनीकी व आर्थिक सहायता प्रदान करता है। यह आर्थिक सहायता उन्हीं प्रदेशीय क्रीड़ा संघों को दी जाती है जो शासन द्वारा निर्धारित गाईड-लाइन्स को स्वीकार करते हैं।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में उ0प्र0 जूड़ो संघ को राष्ट्रीय जूनियर जूड़ो (बालक/बालिका) चैम्पियनशिप के आयोजन की प्रतिपूर्ति हेतु शासनादेश दिनांक 06.02.1996 के अन्तर्गत रु. 75,000/- एवं उ0प्र0 वेटलिटिंग संघ को वार्षिक कार्यकलाप हेतु रु. 15,000/- तथा उ0प्र0 हैण्डबाल संघ को राष्ट्रीय सब जूनियर बालिका हैण्डबाल चैम्पियनशिप के आयोजन की प्रतिपूर्ति हेतु रु. 50,000/- की धनराशि अनुदान स्वरूप स्वीकृत की गई है।

राज्य में निजी सहभागिता से खेल अकादमियों को विकसित करने की नीति

प्रदेश में खेलों के विकास हेतु शासनादेश दिनांक 17 अक्टूबर, 2016 द्वारा राज्य में निजी सहभागिता से खेल अकादमियों को विकसित करने की नीति निर्धारित है। जिसके अन्तर्गत खेल संघ/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों द्वारा भूमि का चिन्हांकन प्राधिकरणों/जिलाधिकारी द्वारा कराते हुए औचित्यपूर्ण प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने पर मान्यता प्राप्त खेलों में एकेडमी विकसित किये जाने हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है।

प्रान्तीय रक्षक दल/विकास दल एवं युवा कल्याण

अपने वर्तमान स्वरूप में युवा कल्याण विभाग प्रदेश के युवाओं के शारीरिक, मानसिक एवं सांस्कृतिक विकास के कार्यक्रमों का संचालन करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में खेलकूद की अवस्थापना सुविधाओं को विकसित करने, खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर तक की खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने का अवसर प्रदान करने का कार्य युवा कल्याण विभाग का एक प्रमुख दायित्व है। इसके अतिरिक्त युवाओं के सांस्कृतिक विकास हेतु विभिन्न कार्यक्रमों एवं प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। युवा कल्याण विभाग के साथ प्रान्तीय रक्षक दल संगठन भी जुड़ा हुआ है। युवक मंगल दल एवं महिला मंगल दलों के रूप में पंजीकृत संस्थायें इसी विभाग के तत्वावधान में गठित हुई हैं। जिनका मार्ग दर्शन एवं उनका रचनात्मक कार्यों में प्रयोग तथा सामाजिक एवं राष्ट्रीय महत्व के शासकीय योजनाओं/कार्यक्रमों में सहयोग प्राप्त करना भी युवा कल्याण विभाग का ही उत्तरदायित्व है। इस विभाग का महत्त्व विशिष्ट रूप से इस कारण भी है कि प्रान्तीय रक्षक दल तथा युवक तथा महिला मंगल दलों के संगठन की पहुंच गांव एवं मजरों के स्तर तक है। ग्रामीण क्षेत्रों में खेलकूद की अवस्थापना सुविधाओं का विकास तथा ग्रामीण युवाओं हेतु खेलकूद संबंधी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन तथा सामान्य रूप से विकास की योजनाओं में उनकी प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करना बारहवीं पंचवर्षीय योजना में युवा कल्याण विभाग का उद्देश्य है। युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा प्रदान कर नक्सलवाद जैसी अलगाववादी प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने हेतु ग्राम स्तर तक स्वयं सेवकों के संगठन के सुदृढ़ीकरण तथा विकास कार्यक्रमों से उन्हें प्रभावी रूप से जोड़ने की आवश्यकता है।

मूलतः प्रान्तीय रक्षक दल का गठन शासनादेश **दिनांक** 20-10-1947 **के अधीन किया गया था। जिसका उद्देश्य रचनात्मक प्रगति एवं साम्प्रदायिक भेदभाव रहित युवा स्वयं सेवकों का एक शक्तिशाली एवं सुगठित संगठन सरकारी प्रेरणा से स्थापित करना था, जिससे ग्रामीणों में आत्मबल और साम्प्रदायिक मेल-जोल बढ़े और समस्त जनता में आत्म-सुरक्षा, आत्म-निर्भरता, अनुशासन तथा अपराधों की रोकथाम का भाव उभर कर पारस्परिक सहयोग की भावना युवा वर्ग में विशेष रूप से आये और उन्हें तदनुसार सक्षम बनाया जा सके। तदुपरान्त वर्ष** 1948 **में उत्तर प्रदेश प्रान्तीय रक्षक दल अधिनियम**-1948 **के माध्यम से प्रान्तीय रक्षक दल को वैधानिक दर्जा देते हुये इसकी भूमिका एवं उद्देश्यों का पुष्टीकरण भी कर दिया गया।**

युवाओं/प्रौढ़ों के संबंध में काउन्सिलिंग फॉर फिजिकल कल्चर को प्रान्तीय रक्षक दल में विलीन कर दिया गया, जिसके फलस्वरूप ग्रामीण खेलकूद, व्यायामशालाओं एवं शारीरिक सम्वर्द्धन के अन्य मामलों का निर्वहन भी प्रान्तीय रक्षक दल को सौंप दिया गया।

जनशक्ति संचालन निदेशालय की स्थापना की गयी, जिसमें श्रम संसाधनों के समुचित एवं गौरवपूर्ण उपयोग को ध्येय में रखा गया। अन्त में इस जनशक्ति निदेशालय को अधिसूचना दिनांक 25.02.1982 द्वारा युवा कल्याण निदेशालय में परिवर्तित कर दिया गया और इस प्रकार प्रान्तीय रक्षक दल/विकास दल एवं युवा कल्याण निदेशालय अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त हुआ है।

प्रमुख कार्य योजनाएं

विभागीय कार्यक्रमों हेतु भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा वर्तमान में वित्तीय व्यवस्था की जाती है, जिससे निम्नलिखित योजनाएं एवं कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं-

खेलो इण्डिया योजना

खेलो इण्डिया योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा खेल अवस्थापना सृजन के अन्तर्गत मल्टी परपज हॉल आदि के निर्माण हेतु धनराशि दी जाती है, जिसमें युवा कल्याण विभाग द्वारा भेजे गए प्रस्तावों के सापेक्ष 17 स्थानों पर निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त की गई है, जिसमें भारत सरकार से स्वीकृत प्रथम किश्त की धनराशि का उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को भेजा गया है, जिसमें से 10 स्थानों हेतु द्वितीय किश्त की धनराशि भारत सरकार द्वारा अवमुक्त कर दी गई है, शेष 07 स्थानों पर द्वितीय किश्त की धनराशि भारत सरकार द्वारा अवमुक्त को जानी है। इस प्रकार वर्तमान में खेलो इण्डिया योजनान्तर्गत 17 परियोजनाएं प्रदेश में संचालित है।

ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता

सभी आयुवर्ग के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जिला योजना के अन्तर्गत 05 खेल विधाओं यथा- एथलेटिक्स, वालीबॉल, कबड्डी, भारोत्तोलन तथा कुश्ती प्रतियोगिताओं का आयोजन ब्लाक एवं जनपद स्तर पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त मण्डल तथा राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन राज्य योजना से किया जाता है।

युवक/महिला मंगल दल का गठन

प्रत्येक ग्राम में युवक तथा महिला मंगल दलों का गठन किया जाता है। 14 से 35 वर्ष की आयु सीमा तक के युचा इन मंगल दलों के सदस्य होते हैं। गठित दलों का पंजीकरण सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत कराया जाता है। इसके अतिरिक्त शासनादेश दिनांक- 11 अक्टूबर, 2016 द्वारा जिला युवा कल्याण अधिकारी कार्यालय पर भी पंजीकरण कराया जाता है। प्रदेश में निम्न विवरण के अनुसार युवक/महिला मंगल दल गठित हैं:-

क्रम संख्या	दलों का नाम	गठित दल
अ-	युवक मंगल दल	38,058
ब-	महिला मंगल दल	29,794
	योग	**67852**

सांस्कृतिक कार्यक्रम

संस्कृति किसी भी समाज व सभ्यता की अमूल्य धरोहर होती है तथा युवा पीढ़ी ही उसका

मूलभूत आधार है। इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विभाग, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रतिवर्ष आयोजन करता है।

आयोजन स्तर

1. जनपद स्तर
2. मण्डल स्तर

प्रतिभागी- 15 से 29 आयुवर्ग के स्थानीय एवं ग्रामीण कलाकार

विधाएँ- लोकगीत, लोकनृत्य, एकांकी, शास्त्रीय गायन (हिन्दुस्तानी, कर्नाटिक) शास्त्रीय नृत्य-कत्थक, भरतनाट्यम, कुचीपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी, सितार वादन, गिटार वादन, वीणा, मृदंगम, हारमोनियम लाइट, तबला, बांसुरी, एक्सटेम्पोर मार्शल आर्ट।

आयोजन तिथि- प्रत्येक वर्ष जनवरी के प्रथम सप्ताह से पूर्व।

राष्ट्रीय युवा उत्सव

राज्य स्तरीय युवा उत्सव में मण्डल स्तरीय प्रतियोगिता के विजयी प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभाग किया जाता है।

'राष्ट्रीय युवा उत्सव' का आयोजन युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 12 जनवरी से 16 जनवरी तक किया जाता है, जिसमें निर्धारित 18 सांस्कृतिक विधाओं में राज्य स्तरीय चयनित प्रतिभागियों का राष्ट्रीय युवा उत्सव में प्रतिभाग कराया जाता है। राष्ट्रीय युवा उत्सव में गैर प्रतिस्पर्धी श्रेणी में भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न राज्यों के युवाओं द्वारा युवा कृति प्रदर्शनी, आर्टिस्ट कैम्प, फूड कोर्ट आदि में भी प्रतिभाग किया जाता है।

प्रतिभागी- 15 से 29 वर्ष की आयु वर्ग के कलाकार।

युवा नेतृत्व प्रशिक्षण शिविर

ग्रामीण युवाओं में नेतृत्व के गुणों का विकास करने, साम्प्रदायिक सौहार्द बढ़ाने तथा सामाजिक कार्यों व सेवाओं के प्रति संवेदनशील बनाने, बहुमुखी विकास करने एवं स्वयं की क्षमता/प्रतिभा को युवा समझें इस उद्देश्य से युवा नेतृत्व प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाता है।

आयोजन कार्यक्रम- राज्य स्तर पर तीन दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर।

प्रतिभागी पात्रता- 14 से 35 वर्ष आयु वर्ग के युवक एवं महिला मंगल दल के सदस्य।

आयोजन प्रक्रिया

1. युवाओं से सम्बंधित विषयों का चिन्हॉकन कर उन पर विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान/वार्ता/समूह चर्चा आयोजित करना।
2. शिविर स्थल के निकटस्थ ग्राम पंचायत में प्रतिभागी युवाओं की सामाजिक कार्यों में सहभागिता सुनिश्चित करना।

3. प्रातः प्रशिक्षणार्थियों को शारीरिक स्वास्थ्य हेतु पी0टी0/योग/व्यायाम का अभ्यास कराना तथा सायंकाल खेलकूद में प्रतिभागिता करना।

4. रात्रि में प्रतिभागियों की सहभागिता से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना।

8- विवेकानन्द यूथ एवार्ड योजना

वर्ष 1956 से ग्राम स्तर पर असंगठित युवाओं को युवक मंगल दल के रूप में संगठित कर सामाजिक एवं राष्ट्रनिर्माण के कार्यों में इनकी भागीदारी कराई जाती रही है। वर्ष 1982 से इसमें युवक मंगल दलों के साथ-साथ महिला मंगल दलों का गठन भी सम्मिलित किये गये हैं। वर्ष 1985 को 'अन्तर्राष्ट्रीय युवा वर्ष' के रूप में मनाया गया, जिसके अन्तर्गत शासन द्वारा वर्ष 1985-86 से युवकों में रचनात्मक कार्य के प्रोत्साहन स्वरूप राष्ट्र निर्माण, धार्मिक सहिष्णुता, भाई-चारे, कौमी एकता, शान्ति एवं सद्भाव तथा राष्ट्रीय एकीकरण हेतु युवक मंगल दल की सर्वोत्कृष्ट कार्य करने वाली इकाई को रु. 1.00 लाख का नकद पुरस्कार 'विवेकानन्द यूथ एवार्ड' के रूप में 'चल बैजयन्ती' सहित प्रदान किये जाने तथा प्रत्येक जिले में उक्त कार्यों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली युवक मंगल दल की इकाई को भी शील्ड सहित रु. 5,000/- का पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

प्रान्तीय रक्षक दल का सशक्तिकरण

इसके अन्तर्गत ग्रामीण युवाओं को इस संगठन में भर्ती कर वर्दी सहित 22 **दिवसीय** प्रारम्भिक प्रशिक्षण एवं 15 **दिवसीय** पुनर्प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। वर्तमान में इस संगठन के अन्तर्गत 43,835 प्रशिक्षित जवान हैं। **इस योजनान्तर्गत बजट प्रावधान न होने के कारण प्रशिक्षण एवं पुनर्प्रशिक्षण कराया सम्भव नहीं हो पा रहा है। प्रान्तीय रक्षक दल के जवानों को कानून एवं व्यवस्था के अन्तर्गत थाना, महिला थाना एवं यातायात संचालन में लगाया जाता है। विभिन्न सरकारी/अर्द्धसरकारी विभागों/संस्थानों में उनकी मांग के अनुसार ड्यूटी हेतु पी0आर0डी0 जवानों को उपलब्ध कराया जाता है वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभागीय बजट के मानक मद 02- मजदूरी मद में प्राविधानित धनराशि से सामान्य ड्यूटी के अन्तर्गत वर्तमान में 11500 प्रान्तीय रक्षक दल के जवान कार्यरत है। इसी प्रकार गैर विभागीय बजट से 17371 जवान कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारियों की मांग पर जनपदों में शान्ति सुरक्षा व्यवस्था, विभिन्न मेलों, धार्मिक त्यौहारों, बोर्ड परीक्षा आदि विभिन्न अवसरों पर जवानों की ड्यूटियां समय-समय पर लगाई जाती हैं।**

वित्तीय वर्ष-2019-20 की उपलब्धियाँ

युवा कार्यक्रम

1. **वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य स्तर पर सर्वश्रेष्ठ 03 युवक एवं 03 महिला मंगल दल को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार क्रमशः 1,00,000 नकद (चल बैजयन्ती सहित), रु. 50,000 एवं रु. 25,000 नकद के कुल 6 पुरस्कार एवं जनपद स्तर पर सर्वश्रेष्ठ 01 युवक एवं 01 महिला मंगल दल को रु. 10,000/- की दर से तथा ब्लाक स्तर पर सर्वश्रेष्ठ 01 युवक एवं 01 महिला मंगल दल को रु. 3,000/- की दर से पुरस्कृत किए**

जाने हेतु कार्यवाही प्रचलित है। उक्त के अतिरिक्त विवेकानन्द यूथ एवार्ड के अन्तर्गत ही प्रदेश के युवाओं को व्यक्तिगत रूप से पुरस्कृत किए जाने हेतु रु. 50,000/- प्रति व्यक्ति की दर से 10 व्यक्तियों को पुरस्कार, स्मृति चिह्न, शॉल एवं प्रशस्ति पत्र दिए जाने की कार्यवाही की जा रही है।

2. प्रदेश के 18 मण्डलों में मण्डल स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कराया गया।

3. प्रदेश के सभी 75 जनपदों एवं राज्य स्तर पर युवा नेतृत्व प्रशिक्षण शिविर का अयोजन कराया गया है।

4. मा0 प्रधान मंत्री जी द्वारा दिनांक- 29.08.2019 को प्रारम्भ किये गये ''फिट इण्डिया मूवमेन्ट'' के सफल आयोजन हेतु सम्बन्धित विभागों को अपेक्षित दिशा-निर्देश प्रदान करते हुए, कार्यक्रम के संजीव प्रसारण, खेल गतिविधियों, जागरूकता रैलियों को सम्पादित किये जाने की कार्यवाही की गयी है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 150वें वर्षगांठ के अवसर पर दिनांक 2 अक्टूबर, 2019 को विभिन्न स्थानों पर ''FIT INDIA PLOGGING RUN'' कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही संविधान विस के अवसर पर जनपदों तथा मुख्यालय स्तर पर शपथ ली गयी। इसे अतिरिक्त दिनांक- 26.11.2019 से 14.04.2020 तक कैलेण्डर बनाकर युवक/महिला मंगल दलों की विभिन्न कार्यक्रमों यथा-स्वच्छता कार्यक्रम, टीकाकरण राष्ट्रीय मतदाता दिवस, जल संरक्षण आदि में भागीदारी सुनिश्चित करायी जा रही है।

5. प्रदेश के 25000 सक्रिय युवक एवं महिला मंगल दलों को खेल सामग्री देकर प्रोत्साहित किए जाने की काग्रवाही की गयी है।

6. प्रदेश के कलाकारों को प्रोत्साहित किए जाने के क्रम में राज्यच स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन किया गया।

●

उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय

यह विभाग अविभाजित उ0प्र0 में पहले पर्वतीय विकास विभाग एवं तत्पश्चात उत्तरांचल समन्वय विभाग के रूप में स्थापित था। 09 नवम्बर, 2000 में उत्तरांचल राज्य को उ0प्र0 से पृथक कर नवीन राज्य के रूप में गठित कर दिये जाने के उपरान्त यह विभाग उ0प्र0 पुनर्गठन समन्वय विभाग के रूप में स्थापित है।

यह विभाग उ0प्र0 एवं उत्तराखण्ड राज्य के मध्य कार्मिकों के राज्यावंटन तथा आस्तियों एवं दायित्वों के विभाजन का समन्वय विभाग मात्र है, जो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार द्वारा गठित समिति के सचिवालय के रूप में कार्य कर रहा है। यह एक बजट रहित विभाग है।

उपलब्धियां

उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्य के मध्य आस्तियों एवं दायित्वों के विभाजन के सम्बंध में मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 17.08.2019 को दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों की संयुक्त बैठक देहरादून में आयोजित की गयी थी, जिसमें दीर्घकाल से लम्बित 11 विभागों के संबंधित प्रकरणों पर निर्णय लिया गया। तद्क्रम में निर्गत कार्यवृत्त पर मा0 मुख्यमंत्री जी का आदेश प्राप्त करते हुये सम्बन्धित विभागों को तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। इस हेतु मुख्य सचिव महोदय के स्तर पर Follow Up बैठक भी करायी गयी।

उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्य के मध्य कार्मिकों के राज्य आवंटन के सम्बन्ध में भारत सरकार की अध्यक्षता में गठित परामर्शीय समिति की बैठक आहूत किये जाने के सम्बंध में भारत सरकार की अपेक्षानुसार लम्बित प्रकरणों के निस्तारण हेतु सम्बन्धित विभागों की समन्वय बैठक 02 बार आहूत करायी गयी तथा एक बैठक में भारत सरकार के प्रतिनिधि को भी आमंत्रित किया गया, जिसका संयुक्त कार्यवृत्त निर्गत करते हुये सम्बन्धित विभागों से अपेक्षा की गयी कि वह अपने से सम्बन्धित सूचना निश्चित समयावधि में उपलब्ध करा दें। इस प्रकार प्राप्त सूचना के क्रम में भारत सरकार को निर्णय हेतु ऐजेण्डा तैयार कर भेजा गया। इस पर भारत सरकार के स्तर पर निर्णय लिया जाना है।

लोक निर्माण

यह प्रदेश भौगोलिक तथा जनसंख्या के दृष्टिकोण से देश का महत्त्वपूर्ण राज्य है। प्रदेश के औद्योगिक, आर्थिक तथा प्रदेशवासियों के सामाजिक विकास के लिए प्रत्येक गाँव तथा आबादी का मुख्य मार्गों से जुड़ना नितान्त आवश्यक है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय मार्गों, राज मार्गों तथा जिला मार्गों का चौड़ीकरण तथा उनका उचित गुणवत्ता से सुधार कराया जाना आवागमन के दृष्टिकोण से विशेष महत्व रखता है। लोक निर्माण विभाग द्वारा ग्रामीण अंचलों में सम्पर्क मार्गों का निर्माण तथा सुधार, अन्य जिला मार्ग, प्रमुख जिला मार्ग तथा राज मार्गों के चौड़ीकरण एवं सुधार, ग्रामीण अंचलों में पुलों का निर्माण तथा मुख्य मार्गों पर संकरे तथा जर्जर पुलों के पुनर्निर्माण कार्य प्राथमिकता के आधार पर सम्पादित कराये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश के 43 जनपदों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के भी कार्य कराये जा रहे हैं। विभाग में मार्गों के निर्माण/सुधार हेतु अत्याधुनिक तकनीक का प्रयोग प्रारम्भ किया गया है।

विभिन्न योजनाओं के सफल संचालन हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा विभिन्न जनपदों में अधीक्षण अभियन्ताओं तथा विभिन्न मण्डलों में मुख्य अभियन्ताओं के कार्यालय स्थापित हैं। इनके द्वारा कार्यों के नियोजन, सम्पादन, गुणवत्ता नियंत्रण आदि के सम्बन्ध में आने वाली बाधाओं को दूर करते हुए कार्यों का प्रभावी पर्यवेक्षण किया जाता है।

लो.नि.वि. के अन्तर्गत कार्यरत निगम एवं प्राधिकरण

प्रदेश में सेतुओं के निर्माण, भवनों के निर्माण तथा पी.पी.पी./बी.ओ.टी. पद्धति पर मार्गों के सुधार एवं अनुरक्षण आदि के लिए निम्नवत् निगमों एवं प्राधिकरण की स्थापना की गयी हैः-

(क) उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लि.

प्रदेश में पुलों के निर्माण में तीव्रता लाने के लिये वर्ष 1973 में इस निगम की स्थापना की गई थी। राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत विभिन्न योजनाओं के अर्न्तगत 60 मीटर से अधिक दर (स्पान) के सेतुओं का निर्माण सेतु निगम द्वारा किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 69 सेतुओं के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।

(ख) उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम

भवन कार्यों में आधुनिक तकनीक का प्रयोग व निर्माण कार्य में तीव्रता लाने के लिए वर्ष 1975 में इस निगम की स्थापना की गयी थी। वित्तीय वर्ष 2020-21 में राजकीय निर्माण निगम का लक्ष्य रु. 5500 करोड़ रखा जाना सम्भावित है।

मार्ग विकास

प्रदेश के विकास के लिए अवस्थापना सुविधाओं को उपलब्ध कराने में मार्ग व्यवस्था का विशेष

महत्व है। मार्गों का विकास प्रदेश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु नितांत आवश्यक है। इस महत्वाकांक्षी योजना को मूर्त रूप देने में लोग निर्माण विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है।

प्रदेश में दिनांक 31.03.2019 को विभाग द्वारा अनुरक्षित मार्गों की कुल लम्बाई 2,43,756 किमी0 है। लोकनि0वि0 के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणियों के मार्गों की लम्बाई का विवरण निम्नवत् हैः-

क्रम सं0	मार्ग का वर्गीकरण	31.03.2016 तक	31.03.2017 तक	31.03.2018 तक	31.03.2019 तक
1	2	3	4	5	6
1	राष्ट्रीय मार्ग	7572	8328	8488	11834
2	राज्य मार्ग	7147	7202	6892	6593
3	प्रमुख जिला मार्ग	7637	7486	7377	7201
4	अन्य जिला मार्ग	46006	47576	49405	48616
5	ग्रामीण मार्ग	163035	169051	168692	169512
	योग	**231397**	**239643**	**240854**	**243756**

टिप्पणीः- इसमें 7714 किमी0 राष्ट्रीय मार्ग, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एवं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार (मोर्थ) के अधीन है।

मार्ग विकास नीति

यातायात का वर्तमान परिदृश्य तथा भविष्य में मार्ग यातायात में उत्तरोत्तर होने वाली सम्भावित वृद्धि और सामाजिक व आर्थिक दृष्टिकोण से प्रदेश के विकास को प्रगति प्रदान करने हेतु वर्ष 1998 में लागू मार्ग विकास नीति का पुनरीक्षण करते हुए 'नई मार्ग विकास नीति' जिसमें मार्ग यातायात के क्षेत्र में हुए तकनीकी विकास एवं प्रचलित नवीन विधियों को भी अपनाया जाना प्रख्यापित किया गया है। प्रस्तावित मार्ग विकास नीति के मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैं :-

- महत्त्वपूर्ण निर्णय लेने हेतु कम्प्यूटर आधारित भौगोलिक सूचना प्रणाली तथा मार्ग अनुरक्षण प्रबन्धन प्रणाली का समावेश।
- असेट प्रबन्धन प्रणाली का समावेश।
- मार्गों का कोर नेटवर्क सहित राष्ट्रीय मार्ग, राज मार्ग, मुख्य जिला मार्ग, अन्य जिला मार्ग तथा ग्रामीण मार्ग में वर्गीकरण।
- विभिन्न श्रेणी के मार्गों का ज्यामितीय एवं तकनीकी संरचना में इन्डियन रोड कांग्रेस के मानकों का समावेश।
- विशिष्ट क्षेत्र जैसे– क्वैरी अथवा बार्डर रोड्स हेतु विशेष मापदण्ड।
- सड़क सुरक्षा एवं सड़क दुर्घटनाओं को कम करने पर विशेष बल।
- पारदर्शिता के उद्देश्य से इलेक्ट्रानिक निविदा प्रणाली का उपयोग।
- मार्ग निर्माण की विभिन्न गतिविधियों में निश्चित समय सीमा निर्धारण एवं कार्यान्वयन।
- मार्गों के अनुरक्षण के उद्देश्य से विभिन्न विभागों के बीच में स्वामित्व निर्धारण हेतु नीति।

- सेतुओं के निर्माण, अनुरक्षण एवं विस्तारीकरण नीति।
- सूचना तकनीकी के अधिकाधिक उपयोग पर बल।
- मार्ग निर्माण में निजी संस्थानों की सहभागिता की नीति।
- गुणवत्ता नियंत्रण जैसे महत्त्वपूर्ण विषय पर स्पष्ट नीति।

महत्वपूर्ण मार्ग विकास योजनाएं

मार्ग कार्य:

1. केन्द्रीय सड़क निधि योजना

भारत सरकार द्वारा सड़कों के विकास हेतु पेट्रोल व डीजल पर सेस के माध्यम से प्राप्त होने वाली धनराशि से पोषित केन्द्रीय मार्ग निधि योजना चलायी जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश सरकारों को उनके क्षेत्र के अन्तर्गत प्रमुख मार्गों के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। उत्तर प्रदेश में इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के महत्त्वपूर्ण राज मार्गों/प्रमुख जिला मार्गों/अन्य जिला मार्गों का चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण का कार्य एवं इन कार्यों पर पड़ने वाले सेतुओं/उपरिगामी सेतुओं के निर्माण का कार्य कराया जा रहा है।

वर्ष 2020-21 में चालू कार्यों हेतु रु. 2000 करोड़ की बजट व्यवस्था तथा नए कार्यों हेतु रु. 80 करोड़ की बजट व्यवस्था की गयी।

विगत पांच वर्षों में इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश में स्वीकृत कार्यों एवं केन्द्र सरकार से इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि व व्यय का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्रम सं0	वर्ष	वर्ष में स्वीकृत कार्यों की सं0	वर्ष में स्वीकृत कार्यों की लागत	वर्ष में केन्द्र सरकार द्वारा अवमुक्त धनराशि	वर्ष में किया गया कुल व्यय
1	2	3	4	5	6
1	2015-16	38	126417	22539	3600
2	2016-17	40	163090	21917	45900
3	2017-18	117	303471	89024	237776
4	2018-19	54	133253	65591	245700
5	2019-20 (12/2019)	0	0.00	54109	47586

वर्ष 2019-20 में केन्द्रीय मार्ग निधि योजना के अन्तर्गत चालू कार्यों हेतु अनुपूरक सहित रु. 2000 करोड़ एवं नये कार्यों हेतु रु. 10 करोड़ की बजट व्यवस्था है। चालू कार्यों हेतु माह 12/2019 तक रु. 1272.04 करोड़ का धनावंटन किया गया है।

2. ग्रामीण मार्ग/लघु सेतु के निर्माण हेतु नाबार्ड वित्त पोषित आर.आई.डी.एफ. योजना (मार्ग कार्य)

वर्ष 1996-97 में प्रारम्भ की गई इस योजनान्तर्गत प्रदेश में ग्रामों को पक्के सम्पर्क मार्ग से जोड़ने हेतु कार्य स्वीकृत किये जाते हैं। नाबार्ड द्वारा इस योजनान्तर्गत आर.आई.डी.एफ.-2 से 7 तक स्वीकृत कार्यों पर स्वीकृत लागत का 90 प्रतिशत ऋण के रूप में स्वीकृत किया गया है। तथा शेष 10 प्रतिशत प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया गया है।

वर्तमान में आर.आई.डी.एफ.-21 से 24 योजनान्तर्गत कार्य प्रगति में है। आर.आई.डी.एफ. -21 में 57 कार्य, आर.आई.डी.एफ.-22 में 35 कार्य, आर.आई.डी.एफ.-24 में 31 प्रमुख/अन्य जिला मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण के स्वीकृत किये गये हैं। आर.आई.डी.एफ.-23 योजनान्तर्गत ग्रामीण मार्गों के नवनिर्माण के 326 कार्य एवं आर.आई.डी.एफ.-24 योजनान्तर्गत कुल 1069 कार्य स्वीकृत हैं, जिनकी लागत लगभग रु. 2476 करोड़ है। माह दिसम्बर, 2019 तक लगभग रु. 1765 करोड़ व्यय कर 736 कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं तथा शेष कार्य प्रगति में हैं।

वर्ष 2020-21 के आय-व्यक में आर.आई.डी.एफ. योजना में ग्रामीण मार्गों के नवनिर्माण के चालू कार्यों हेतु रु. 200 करोड़ एवं नये कार्यों हेतु रु. 50 करोड़ की बजट प्रावधान है तथा प्रमुख/अन्य जिला मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण के चालू कार्यों हेतु रु. 500 करोड़ एवं नये कार्यों हेतु रु. 100 करोड़ का बजट प्रावधान है।

3. उत्तर प्रदेश में इण्डो-नेपाल सीमा पर मार्ग का निर्माण

गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा सामरिक महत्त्व की भारत-नेपाल सीमा पर स्थित सशस्त्र सीमा बल की चौकियों को जोड़ने हेतु मार्ग निर्माण के लिये उत्तर प्रदेश के सात जनपदों क्रमशः पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराईच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर एवं महाराजगंज के कुल 640.00 किमी. लम्बाई में रु. 1621.00 करोड़ की लागत से वर्ष 2010-11 में सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान किया गया। विस्तृत सर्वेक्षण के उपरान्त एस.एस.बी. के साथ संयुक्त निरीक्षण कर मार्ग का संरेखण निर्धारित किया गया है जिसके अनुसार परियोजना की कुल लम्बाई 570 किमी. है। परियोजना हेतु 28 डी.पी.आर. गठित कर भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित किये गये हैं। परियोजना के अन्तर्गत अब तक 12 डी.पी.आर. लम्बाई 257.01 किमी0 तथा लागत रु. 810.05 करोड़ पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है। अवशेष 16 डी.पी.आर. की स्वीकृत हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की एच.एल.ई.सी. की बैठक मार्च, 2014 में सम्पन्न हुई जिसमें निर्णय लिया गया है कि इन कार्यों के संरेखण पर पड़ने वाले वन/वन्य जीव प्रभाग में अनापत्ति प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही स्वीकृति निर्गत किये जाने पर विचार किया जायेगा। तदनुसार वन/वन्य जीव क्षेत्र से अनापत्ति प्राप्त करने हेतु कार्यवाही प्रगति में है। वन विभाग से अनापत्ति प्राप्त होने के उपरान्त ही भारत सरकार से अवशेष डी.पी.आर. पर स्वीकृति प्राप्त होना सम्भावित है।

प्रदेश के महत्वपूर्ण मार्गों को राज्य राजमार्ग घोषित किया जना एवं 02 लेन चौड़ीकृत किया जानाः-

प्रदेश के विभिन्न जनपदों को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण प्रमुख जिला मार्ग एवं अन्य जिला मार्ग को हसम्मिलित करते हुए 46 राज्य राजमार्गों को वित्तीय वर्ष 2019-20 में घोषित किया जाना प्रस्तावित है तथा इनमें से 26 ऐसे मार्ग जो कि 7.00 मी0 चौड़ीकृत नहीं है को 7.00 मी चौड़ीकृत किये जाने की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।

प्रदेश के तहसील मुख्यालय को 02 लेन चौड़े मार्गों से जोड़ा जानाः-

प्रदेश के 316 तहसील मुख्यालयों में से 290 तहसील मुख्यालय पूर्व से ही 02 लेन चौड़े मार्गों

से जुड़े हुए हैं। अवशेष 26 तहसील मुख्यालयों की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2018-19 में निर्गत की जा चुकी है, जिसके सापेक्ष माह 12/2019 तक 10 कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं।

प्रदेश के विकास खण्ड मुख्यालयों को 02 लेन चौड़े मार्गों से जोड़ा जानाः-

प्रदेश के 817 विकास खण्ड मुख्यालयों में से 679 विकास खण्ड मुख्यालय पूर्व से ही 02 लेन चौड़े मार्गों से जुड़े हुए हैं। अवशेष 138 विकास खण्ड मुख्यालयों में से वित्तीय वर्ष 2018-19 में 81 विकास खण्ड मुख्यालयों एवं 23 विकास खण्ड मुख्यालयों की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल 104 विकास खण्ड मुख्यालयों को 02 लेन चौड़े मार्गों से जोड़े जाने की स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है। 12 विकास खण्ड मुख्यालयों की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रस्तावित है। अवशेष 22 विकास खण्ड मुख्यालयों की स्वीकृति आगामी वर्षों में प्रस्तावित है। पूर्व स्वीकृत 104 कार्यों में से माह 12/2019 तक 47 कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं।

एयरपोर्ट टर्मिनल के सम्पर्क मार्गों को 02 लेन चौड़े मार्गों से जोड़ा जाना :-

रीजनल एयरपोर्ट कनेक्टिीविटी योजना के अन्तर्गत प्रदेश में 17 एयरपोर्ट नव विकसित किये जा रहे हैं, जिनको 7,000 मी0 चौड़े मार्ग से जोड़ा जाना लक्षित है।

17 एयरपोर्ट टर्मिनल में से 10 एयरपोर्ट टर्मिनल पूर्व से ही 7.00 मी चौड़े मार्ग से जुड़े हैं। आजमगढ़ एयरपोर्ट की कनेक्टिीविटी का कार्य एन.एय.ए.आई. द्वारा तथा चित्रकूट एयरपोर्ट की कनेक्टिीविटी का कार्य लो0नि0वि0 द्वारा प्रगति पर है। शेष 05 एयरपोर्ट टर्मिनल के मार्गों में से 04 (कानपुर नगर, अलीगढ़ एवं कुशीनगर) की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2019-20 में निर्गत कर दी गयी है तथा 01 एयरपोर्ट टर्मिनल के मार्ग (सहारनपुर) की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।

मेडिकल कालेज के सम्पर्क मार्गों को 02 लेन चौड़े मार्गों से जोड़ा जाना

प्रदेश में कुल 08 मेडिकल कालेज के सम्पर्क मार्गों को 02 लेन चौड़े मार्गों से जोड़ा जाना प्रस्तावित है, जिसमें से 03 मेडिकल कालेज (सिद्धार्थनगर, प्रतापगढ़ एवं फिरोजाबाद) पूर्व से ही 02 लेन चौड़े मार्गों पर स्थित है। शेष 05 कार्यों में से 04 कार्य (मिर्जापुर, गाजीपुर, एटा एवं देवरिया) इस वित्तीय वर्ष में स्वीकृत हो गये हैं एवं 01 कार्य (हरदोई) के आगणन की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।

विभिन्न श्रेणी के मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण/सौन्दर्यीकरण/उच्चीकरण कार्यों हेतु संक्षिप्त टिप्पणी

लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में 6593 किमी. राज्य राजमार्ग, 7201 किमी. प्रमुख जिला मार्ग, 48616 किमी. अन्य जिला मार्ग तथा 169512 किमी. ग्रामीण मार्ग है। प्रदेश में यातायात में निरन्तर वृद्धि होने के फलस्वरूप प्रदेश के समस्त राज मार्गों, प्रमुख जिला मार्ग एवं महत्त्वपूर्ण अन्य जिला मार्गों का कम से कम दो लेन में चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण अत्यंत आवश्यक है। अभी भी लगभग 595.47 किमी. राज मार्ग, 2042.61 किमी. प्रमुख जिला मार्ग एक लेन अथवा डेढ़ लेन के हैं तथा 38185.62 किमी. अन्य जिला मार्ग एक लेन चौड़े हैं। चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण कार्य सुनियोजित रूप से करने हेतु वर्ष 2020-21 में केन्द्रीय मार्ग निधि योजना के अतिरिक्त राज्य योजना/नाबार्ड वित्त पोषित

(आर.आई.डी.एफ.) के अन्तर्गत लगभग रु. 4464 करोड़ तथा राज्य सड़क निधि के अन्तर्गत रु.1500 करोड़ का प्रावधान है।

मार्गों का अनुरक्षण

विभाग के अन्तर्गत सड़कों की कुल लम्बाई 243756 किमी. है, जिसमें से 11834 किमी. राष्ट्रीय मार्ग, 6593 किमी. राज्य राजमार्ग, 7201 किमी. प्रमुख जिला मार्ग, 48616 किमी. अन्य जिला मार्ग व 169512 किमी. ग्रामीण मार्ग सम्मिलित हैं। इन मार्गों में राष्ट्रीय मार्गों को छोड़कर शेष श्रेणी के सभी मार्गों का रख-रखाव लो.नि.वि. के बजट से ही किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के मार्गों पर गड्ढामुक्ति अभियान चलाया गया। इस अभियान के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग के लगभग 51984 किमी. से अधिक लम्बाई के मार्गों को गड्ढामुक्त किया गया है।

वर्ष 2019-20 में अनुरक्षण के कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति तथा वर्ष 2020-21 में अनुरक्षण कार्यों के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निम्नानुसार हैं:-

मार्गों के वार्षिक अनुरक्षण, नवीनीकरण तथा विशेष मरम्मत के कार्य

क्र.सं.	मद	वित्तीय वर्ष 2019-20			वित्तीय वर्ष 2019-20	
		भौतिक लक्ष्य सम्भावित (किमी.में)	भौतिक प्रगति (किमी0में) (01/20 तक)	वित्तीय प्रगति रु. करोड़ में सम्भावित	प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य (किमी.में)	प्रस्तावित वित्तीय लक्ष्य रु. करोड़ में
1	2	3	4	5	6	7
1	सामान्य अनुरक्षण	53273	51984	161	50000	300
2	नवीनीकरण	10840	9185	1196	17500	2100
3	विशेष मरम्मत	13200	9827	2166	6500	1124
	योग	**77313**	**70996**	**3523**	**74000**	**3524**

वर्ष 2019-20 में अंकित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य सम्भावित हैं एवं वित्तीय लक्ष्य रु. 3.523 करोड़ धनराशि वर्ष 2019-20 के वार्षिक बजट से उपलब्ध करायी गयी है। वर्ष 2020-21 में रु.3.524 करोड़ की बजट व्यवस्था है।

राष्ट्रीय मार्ग

उत्तर प्रदेश में कुल 90 राष्ट्रीय मार्ग हैं। जिनकी कुल लम्बाई 11384 किमी. है। इसमें से लोक निर्माण विभाग के अधीन 3670 किमी. तथा पी.आई.यू. मोर्थ के अधीन 74 किमी. तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधीन 7237 किमी. तथा 403 किमी. का इन्ट्रस्टमेन्ट किया जाना प्रक्रियाधीन है।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए उपलब्ध करायी गयी धनराशि के सापेक्ष वित्तीय प्रगति निम्नवत है:-

क्र.सं.	मद	प्राप्त आवंटन (करोड़ में)	30/01/2019 तक व्यय (करोड़ में)
1	2	3	4
1	पूंजीगत		
	(अ) मूल कार्य	1500.00	1340.41
	(ब) एन.एच.डी.पी. कार्य	165.00	161.68
2	राजस्व	42.39	28.30
	योग	1707.09	1530.39

राष्ट्रीय मार्गों पर परियोजनाओं का विवरण

- वर्ष 2019-20 में दिनांक 30.01.2020 तक 116.92 किमी. नवीनीकरण, 214.13 किमी. 2 - लेन विद पेव्डशोल्डर/आंशिक 4 लेन चौड़ीकरण का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है।
- मूल कार्यों की वार्षिक योजना वर्ष 2019-20 के अन्तर्गत सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार को लागत रु. 876.18 करोड़ की कार्य योजना अनुमोदन हेतु प्रेषित की गयी थी। इसके सापेक्ष मोर्थ को रु. 800.00 करोड़ की डी.पी.आर./आगणन प्रेषित किये गये हैं।
- नवीनीकरण वर्ष 2019-20 के कार्यों हेतु सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा रु. 106.00 करोड़ (लम्बाई 232 किमी.) अनुमोदित की गयी है। इसके सापेक्ष मंत्रालय को रु. 116.32 करोड़ के आगणन प्रेषित किये गये हैं। मोर्थ द्वारा अब तक रु. 51.23 करोड़ (लम्बाई 124.67 किमी0) की स्वीकृति निर्गत की गयी है।

सेतु कार्य

राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत 60 मीटर से अधिक लम्बाई के दीर्घ सेतुओं का निर्माण उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड द्वारा तथा 60 मीटर से कम लम्बाई के लघु सेतुओं का निर्माण लो.नि.वि. द्वारा किया जाता है। रेल उपरिगामी सेतुओं का निर्माण उत्तर राज्य सेतु निगम द्वारा कराया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में सेतु/रेलवे उपरिगामी सेतुओं के निर्माण हेतु विभागीय बज में पूंजीगत लेखा के अन्तर्गत अनुदान संख्या-57 में रु. 1,607.58 करोड़ तथा अनुदान संख्या-83 (एस.सी.पी. कम्पोनेन्ट) के अन्तर्गत लगभग रु. 403.09 करोड़, इस प्रकार कुल रु. 2,010.67 करोड़ की बजट व्यवस्था है। राजस्व लेखा के अन्तर्गत हुडको से प्राप्त ऋण के ब्याज के भुगतान हेतु रु. 141.56 करोड़ की बजट व्यवस्था, नौघाट पान्टून पुल एवं सेतुओं के अनुरक्षण हेतु रु. 28.00 करोड़ की बजट व्यवस्था अर्थात कुल रु. 169.56 करोड़ की बजट व्यवस्था है। इसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2019-20 में माह जनवरी, 2020 तक रु. 1415.80 करोड़ व्यय किये जा चुके हैं। इस वर्ष में 12 दीर्घ सेतु (पहुंच मार्ग सहित), 71 लघु सेतु तथा 06 रेल उपरिगामी सेतु, इस प्रकार कुल 89 सेतुओं का निर्माण किया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में सेतु/रेलवे उपरिगामी सेतुओं के निर्माण हेतु पूंजीगत लेखा के अन्तर्गत अनुदान संख्या-57/83 के अन्तर्गत लगभग रु. 2529.50 करोड़ की बजट व्यवस्था की गयी है। राजस्व लेखा में हुडको से प्राप्त ऋण के मूल की किस्त हेतु रु. 542.31 करोड़ एवं ब्याज के भुगतान हेतु रु. 5.00 करोड़ तथा नौघाट पान्टून पुल एवं सेतुओं के अनुरक्षण हेतु रु. 28.00 करोड़ की बजट व्यवस्था है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 36 नदी सेतु, 26 रेल उपरिगामी सेतु, 07 फ्लाई ओवर एवं 150 लघु सेतु (कुल 219 सेतु) का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।

वास्तुविद वर्ग द्वारा वर्ष 2019-20 में दिनांक 01.04.2019 से 31.01.2020 तक किये गये कार्यों का विवरणः-

1. जनपद अलीगढ़ की तहसील अतरौली के ग्राम हरदोई में राजकीय महाविद्यालय के कार्यकारी मानचित्र बनाये गये।
2. नवसृजित निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, मऊ के कार्यालय भवन के मानचित्र बनाये गये।
3. कालिदास मार्ग स्थित आवास सं0-7 में माननीय उप मुख्यमंत्री उ0प्र0 सरकार के यहां मीडिया सेन्टर कक्ष के मानचित्र बनाये गये।
4. मथुरा में निरीक्षण भवन परिसर में मीटिंग हॉल के निर्माण हेतु मानचित्र बनाये गये।
5. गोवर्धन, मथुरा में प्रस्तावित हैलीपोर्ट हॉल के निर्माण हेतु मानचित्र बनाये गये।
6. जनपद आगरा में वी.ची.पैट भण्डारण हेतु गोदाम के मानचित्र बनाये गये।
7. जनपद प्रयागराज में 31 सूट के निरीक्षण भवन के मानचित्र बनाये गये।
8. राजभवन में प्रस्तावित मटटीपरपज हॉल तथा गैस्ट हाउस हेतु मानचित्र बनाये गये।
9. रूपइडीहा जनपद बहराइच में भारत नेपाल अन्तर्राष्ट्री सीमा पर मैत्री-द्वार बनाये जाने हेतु मानचित्र बनाये गये।
10. जनपद एटा में वी.वी.पैट मशीनों के भण्डारण हेतु गोदाम के मानचित्र बनाये गये।
11. गोवर्धन, मथुरा में प्रस्तावित हैलीपोर्ट हेतु मानचित्र बनाये गये।
12. आगरा में प्रस्तावित हैीपोर्ट हेतु रिवाइज्ड मानचित्र बनवाये।
13. फतेहपुर में चार सूट के निरीक्षण भवन हेतु मानचित्र बनवाये।
14. भारत रत्न पं. गोविन्द वल्लभ पन्त की प्रतिमा पर छतरी निर्माण हेतु मानचित्र बनवाये।
15. जनपद सहारनपुर में कमिश्नर आवास के मानचित्र बनावाये।
16. जनपद संतकबीरनगर में चार सूट के निरीक्षण भवन के मानचित्र बनवाये।
17. जनपद लखीमपुर में आफिसर्स कालोनी में ट्रांजिट हास्टल के मानचित्र बनवाये।
18. प्रदेश की विभिन्न पी.ए.सी. वाहिनियों में प्रस्तावित 200 व्यक्तियों हेतु बैरक (जी+11) के मानचित्र बनवाये।
19. प्रदेश के विभिन्न थानों में प्रस्तावित विवेचना कक्ष 16, 32, 40, 48 (पुरुष/महिला) बैरकों एवं 24 तथा 48 महिला बैरकों के मानचित्र बनवाये।

20. पुलिस विभाग हेतु टाइप-ए एवं टाइप-बी के चार मंजिला एवं तेरह मंजिला (जी+12) आवासों के मानचित्र बनवाये।
21. पुलिस विभाग हेतु पुलिस रिपोर्टिंग चौकी एवं पुलिस स्टेशन (थाना) के मानचित्र बनवाये।
22. प्रदेश के विभिन्न स्थानों में प्रस्तावित आई.टी.आई. हेतु एकेडेमिक ब्लाक एवं वर्कशाप के कार्यकारी मानचित्र बनाये गये।
23. विशेष शाखा अभिसूचना विभाग हेतु मण्डलाधिकारी कार्यालय, विशेष अभिसूना अधिकारी कार्यालय एवं पुलिस अधीक्षक क्षेत्रीय एवं मण्डलाधिकारी कार्यालय के मानचित्र बनाये गये।
24. जनपद कानपुर में निर्माणाधीन प्रेसिडेन्सियल सूट (सर्किटहाउस प्रांगण में स्थित) के विभिन्न प्लान, एलिवेशन, सेक्शन एवं वर्किंग ड्राईंग का कार्य सम्पादित करने के साथ-साथ कार्य स्थल की अधिक गुणवत्ता हेतु निर्देश भी दिये।
25. जनपद बस्ती में प्रस्तावित चीफ इंजीनियर कार्यालय की सम्पूर्ण कार्यकारी मानचित्र का कार्य सम्पन्न किया गया।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

भारत सरकार द्वारा दिसम्बर, 2000 में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास तथा आवागमन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारम्भ की गयी। उत्तर प्रदेश में 1000 से अधिक आबादी के 39,139 तथा 500 से 999 आबादी के 41,452 मजरे हैं। भारत सरकार द्वारा 1000 आबादी से ऊपर के सभी ग्रामीण मजरों को वर्ष 2003 तक तथा 500 से ऊपर की आबादी के सभी मजरों को वर्ष 2007 तक पक्के मार्गों से जोड़ने का लक्ष्य प्रस्तावित था। इसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत सभी कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। नव सम्पर्कता के साथ-साथ मार्गों के उच्चीकरण कार्य भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत आच्छादित है। प्रदेश में इस योजना संचालन ग्राम्य विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग 43 जनपदों में कार्यदायी संस्था है।

वर्ष 2019-20 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत 39 मार्ग, लम्बाई 329 किमी. को रु. 24100 लाख की धनराशि में पूर्ण कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर, 2019 तक रु. 15518 लाख का व्यय करते हुए 30 मार्ग, लम्बाई 218 किमी. को पूर्ण किया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत 53 मार्ग, लम्बाई 425 किमी. को रु. 2403 लाख धनराशि में कार्य पूर्ण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

अन्वेषणालय एवं गुणवत्ता नियंत्रण अन्वेषणालय

अन्वेषणालय :-

अन्वेषणालय लोक निर्माण विभाग की स्थापना वर्ष 1947 में एक मिट्टी परीक्षण इकाई के रूप में हुई थी। वर्ष 1963 में यह निदेशालय के रूप में विकसित हुआ।

वर्तमान में इस निदेशालय में निर्माण सामग्रियों के निर्माण के पूर्व परीक्षण तथा मार्ग परिकल्पना

के लिए मिट्टी के विभिन्न परीक्षण एवं नॉन बिटुमिनस कार्य, बिटुमिनस कार्य, सीमेन्ट कार्यों के मिक्स डिजाइन की सुविधा एवं बनाये गये नवीन मार्गों की सतह की गुणवत्ता के आकलन हेतु 13 प्रयोगशालाएं हैं, जो तीन खण्डीय स्तर के एक उपनिदेशक तथा दो अधिशासी अभियन्ता के अन्तर्गत कार्यरत हैं। प्रयोगशालाओं का कार्य उन्नत एवं विश्वसनीय रहे इस हेतु नमूनों का एक गोपनीय कोडिंग सेक्शन के माध्यम से कोड करके विभिन्न प्रयोगशालाओं में प्रेषित किया जाता है। केवल मिट्टी एवं डिजाइन के नमूने सीधे प्रयोगशाला में प्राप्त किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त अन्वेषणालय में एक लाईब्रेरी तथा लेखा वर्ग भी है।

अन्वेषणालय संगठन का मुख्य कार्य सभी निर्माण विभागों की निर्माण सामग्री का परीक्षण तथा मार्गों की क्षति के निवारण हेतु उपायों को प्रदत्त करना एवं बने हुए निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का आकलन कर सन्दर्भकर्ता को परिणामों के सम्प्रेषण कराना है। अन्वेषणालय में जांच सम्बन्धित टेक्निकल ऑडिट सेल के नमूनों का परीक्षण कार्य भी शासनादेशानुसार किया जाता है।

संगठन का उद्देश्य :-

1. अन्वेषणालय का मुख्य कार्य, निर्माण पूर्व कार्यों में प्रयुक्त होने वाली निर्माण सामग्री के लिए मानकों में निर्धारित भौतिक तथा रासायनिक परीक्षण को करके निर्माण से पूर्व एवं पश्चात उसकी उपयुक्तता का विश्लेषण करना है। साथ ही वह निर्धारित मात्रा में प्रयोग में पायी गयी है अथवा नहीं, को भी सत्यापित करना है। इसके अतिरिक्त जो निर्माण सामग्री निर्माण कार्यों में प्रयोग में आ चुकी है, वह मानकों के अनुरूप है अथवा नहीं, का भी विश्लेषण परीक्षण के आधार पर करके कार्यों की गुणवत्ता का आकलन करना है एवं उचित सामग्रियों के उपयोग को निर्माण कार्य में समाहित करना है।
2. विभाग में तकनीकी ज्ञान के उन्नयन हेतु नवीनतम तकनीकी विधियों को तकनीकी साहित्यों के अध्ययन एवं प्रशिक्षण कार्यों के माध्यम से संवर्धित करना।
3. लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त अन्य निर्माण विभागों की निर्माण सामग्री का परीक्षण कर परिणाम उपलब्ध कराना।
4. निर्माण कार्यों में समय से पूर्व क्षतिग्रस्त हो जाने तथा पुराने निर्माण कार्यों सुदृढ़ करके उनकी आयु बढ़ाने में तकनीकी परामर्श देना।

वर्ष 2019-20 में किये गये कार्यः-

1. अन्वेषणालय में कोडिंग सेक्शन से प्राप्त होने वाली एवं सीधे प्रयोगशालाओं में प्राप्त नमूना को संकलित करते हुए कुल 1850 नमूनों का परीक्षण दिनांक 24.01.2020 तक किया गया है।
2. शासन एवं विभाग द्वारा सन्दर्भित महत्वपूर्ण जाँच कार्य सम्पादित कराये गये।
3. क्वालिटी मैनेजमेन्ट सेल के अन्तर्गत सभी जनपदों में जनपदीय प्रयोगशालायें स्थापित हैं।
4. क्षेत्रीयजनपद मुख्यालय की 10 जनपदीय प्रयोगशालाओं को अपग्रेड करते हुए 10 क्षेत्रीय प्रयोगशाला की स्थापना की कार्यवाही क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता द्वारा की जा रही है।

5. भविष्य के लिए यथा आवश्यकतानुसारतकनीकी आवश्यकताओं को आंकलित करना, तकनीकी योजनाओं एवं नीतियों के सृजन में योगदान देना है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रशिक्षणों से अधिकारियों/कर्मचारियों को बेहतर प्रबन्धन, वित्तीय नियम एवं विभागीय कार्य प्रणाली तथा कम्प्यूटर तकनीक का ज्ञान हो सकेगा, जिससे वे कुशलतापूर्वक उच्च स्तर की गुणवत्ता के साथ कार्यों का सम्पादन कर सकेंगे। अध्ययन तकनीकी ज्ञान, विभागीय कार्य प्रणाली में सुधार हेतु, मुख्य रूप से निम्न संस्थानों द्वारा सम्पादित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अवर अभियन्ताओं, सहायक अभियन्ताओं एवं उच्च स्तर के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

1. राष्ट्रीय राजमार्ग अभियन्ता प्रशिक्षण संस्थान, नोएडा।
2. केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, दिल्ली।
3. नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ।
4. राज्य नियोजन प्रशिक्षण संस्थान, कालाकांकर भवन, लखनऊ।
5. राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, नई दिल्ली।
6. नेशनल काउन्सिल फॉर सीमेण्ट एण्ड बिल्डिंग मैटीरियल, हैदराबाद।
7. उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी, अलीगंज, लखनऊ।
8. भारतीय इंजीनियरिंग स्टाफ कालेज, हैदराबाद।
9. केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की।

उ.प्र. राज्य राजमार्ग प्राधिकरण (उपशा)

उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-19, सन् 2004 द्वारा किया गया था। उपशा के मुख्य कार्य राज्य राज मार्गों तथा राज्य सरकार द्वारा सौंपे गये अन्य मार्गों का विकास, अनुरक्षण एवं प्रबन्धन एवं रोड सेक्टर में निजी एवं (अन्तर्राष्ट्रीय सहित) संस्थागत निवेश के लिए माडल विकसित करना और इन राजमार्गों के अनुरक्षण एवं उच्चीकरण हेतु संस्थागत संसाधन जुटाना है।

1. उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2019-20 तक निम्न विवरण के अनुसार निजी विकासकर्ताओं के साथ किये, गये अनुबन्धों पर कार्य किया जा रहा है :-

क्र.सं.	परियोजना का नाम	लम्बाई (किमी.)	परियोजना (रु करोड़ में)	कंसेशन अनुबंध की तिथि	विकासकर्ता का नाम	भौतिक प्रगति
1.	बरेली-अल्मोड़ा-बागेश्वर मार्ग (एस.एच.-37)	54	355	11.08.2011	मे. पी.एन.सी.बरेली नैनीताल हाईवेज प्रा.लि., आगरा	100 प्रतिशत
2.	वाराणसी-शक्तिनगर मार्ग (एस.एच.-5ए)	115	1211.96	08.12.2011	मे. ए.सी.पी.टालवेज प्रा.लि. लखनऊ	99 प्रतिशत
3.	मुजफ्फरनगर-सहारनपुर मार्ग (एस.एच.-59)	52.95	752.88	29.05.2015	मे. देवबन्द हाईवेज प्रा.लि., लखनऊ	98 प्रतिशत

2. **पुखराया-घाटमपुर-बिन्दकी मार्ग (एस.एच.-46)-** इस मार्ग की लम्बाई 82.53 किमी. अनुमानित लागत रु. 1136.45 करोड़ है। मार्ग के 04 लेन स्तर तक चौड़ीकरण हेतु सार्वजनिक निजी सहभागिता पद्धति पर निजी विकासकर्ता के चयन हेतु दिनांक 28.05.2019 को निविदा आमंत्रित की गयी थी, जिसमें किसी बिडर्स द्वारा प्रतिभाग नहीं किया गया। उक्त के दृष्टिगत उपशा द्वारा शासन से उक्त मार्ग को हाईब्रिड एन्युटि मोड में विकसित किये जाने के लिए नीतिगत निर्णय हेतु बैठक आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में निवेदन किया गया है। मार्ग के चौड़ीकरण हेतु आवश्यक भूमिका अधिग्रहण कार्य प्रगति पर है। साथ ही साथ वनापत्ति प्राप्त हो गयी है तथा पेड़ों का कटान प्रगति पर है।

फिजिबिलिटी अध्ययन कार्य :- उपशा द्वारा निम्न 03 मार्गों पर फिजिबिलिटी अध्ययन कार्य कराया जा रहा है:-

	परियोजना का नाम	लम्बाई (किमी.)
1.	कछवा कपसेठी बाबतपुर चौबेपुर बलुआ मार्ग	101
2.	सम्भल गवा अनूपशहरसे भीमपुर चौराहा मार्ग	89
3.	बनी मोहनलालगंज गोसाईगंज (एम.डी.आर.-89)	33.490

2. ओ.एम.टी. पर फिजिबिलिटी अध्ययन कार्य :- उपशा द्वारा निम्न 03 मार्गों पर पथकर वसूली फिजिबिलटी अध्ययन उपशा द्वारा कराया जा रहा है। यह मार्ग लोग निर्माण विभाग द्वारा 04 लेन में पूर्व से विकसित है।

	परियोजना का नाम	लम्बाई (किमी.)
1.	इटावा- मैनपुर- कुरावली मार्ग (4-लेन)	89.00
2.	बहराईच- भिंगा मार्ग (4-लेन)	33.00
3.	मुरादाबाद सम्भल मार्ग (4-लेन)	35.71

नोट :-

वित्तीय वर्ष 2019-20 में उपशा द्वारा रु. 704-64 करोड़ की मांग के सापेक्ष रु. 44.80 करोड़ का अनुदान स्वीकृत हुआ है। वर्ष 2020-21 में उपशा द्वारा उपरोक्त मार्गों पर यथासमय भूमि अधिग्रहण/यूटिलिटी शिफ्टिंग/पर्यावरण क्लीयरेंस/ग्राण्ट एवं अन्य विविध मदों में भुगतान हेतु रु. 50.00 करोड़ की बजट व्यवस्था है।

राज्य सम्पत्ति

राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा राज्य मुख्यालय पर मा. मंत्रीगण, मा. विधायकगण, लखनऊ में कार्यरत सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की आवासीय व्यवस्था तथा लखनऊ में सरकारी कार्यालय भवन यथा- विधान भवन, लाल बहादुर शास्त्री भवन (एनेक्सी), बापू भवन, योजना भवन, तथा जवाहर भवन एवं इंदिरा भवन के रख-रखाव की व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है। राज्य से दिल्ली, कोलकाता एवं मुम्बई जाने वाले मा. मंत्रीगणों, मा. विधायकगणों, अधिकारियों एवं अन्य महानुभावों के ठहरने हेतु अतिथि गृह अवस्थित हैं, इसी प्रकार मा. सासदों तथा अधिकारियों एवं अन्य महानुभावों के लिए लखनऊ में अतिथि गृह अवस्थित हैं। इन अतिथि गृहों की प्रबन्धकीय तथा रख-रखाव की व्यवस्था भी विभाग द्वारा सम्पादित की जाती है। राज्य सरकार के मा. मंत्रीगण हेतु वाहनों की व्यवस्था भी की जाती है। राज्य अतिथियों एवं भारत सरकार के मा. मंत्रीगण के प्रदेश (लखनऊ) आगमन पर उनकी सुविधानुसार आवास एवं भोजन की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाती है।

विभाग के आधारभूत तथ्य-

1.	अतिथि गृहों की संख्या	09
2.	विधायक निवासों की संख्या	10
3.	आवासीय कालोनियाँ	37
4.	अनावासीय कार्यालय भवनों की संख्या	11
5.	सरकारी वाहनों की संख्या	263

अतिथि गृहों की प्रबन्धन-व्यवस्था

राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन अतिथि गृहों की कुल संख्या 09 है, जो लखनऊ, दिल्ली, कोलकाता एवं मुम्बई में अवस्थित हैं। प्रत्येक अतिथि गृह के कार्य एवं प्रबन्धन तथारखरखाव की व्यवस्था के सुचारूरूप से संचालनहेतु राज्य सम्पत्ति विभाग का एक व्यवस्थाधिकारी नियुक्त होता है, जिसके कार्य में सहयोग हेतु अतिथि गृह में उपलब्ध कक्षों के सापेक्ष एवं आवश्यकतानुसार तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मी नियुक्त किए जाते हैं।

अतिथियों को प्रत्येक अतिथि गृह में ठहरने हेतु सुसज्जित कक्ष उपलब्ध कराया जाता है तथा अतिथियों के खान-पान हेतु प्रत्येक अतिथि गृह में विभाग द्वारा कैण्टीन चलाई जाती है जिसका संचालन सम्बन्धित अतिथि गृह के व्यवस्थाधिकारी द्वारा किया जाता है। विभाग के नियन्त्रणाधीन अतिथि गृहों की भौगोलिक स्थिति के अनुसार विवरण निम्नवत् है:-

विभाग के नियंत्रणाधीन अतिथि गृहों की भौगोलिक स्थिति के अनुसार विवरण निम्नवत हैं।

क्रमांक	भौगोलिक स्थिति	अतिथि गृहों का नाम	कक्षों की संख्या
1.	लखनऊ	1. राज्य अतिथि गृह, मीराबाई मार्ग, लखनऊ	61
		2. विशिष्ट अतिथि गृह, डालीबाग, लखनऊ	55
		3. अतिविशिष्ट अतिथि गृह, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ	36
		4. राज्य अतिथि गृह, विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ	15
		5. अति विशिष्ट राज्य अतिथि गृह, रमाबाई अम्बेडकर स्थल बिजनौर रोड, लखनऊ	04
2.	नई दिल्ली	1. उत्तर प्रदेश भवन	76
		2. उत्तर प्रदेश सदन	52
3.	कोलकाता	1. उ.प्र. राज्य अतिथि गृह, कोलकाता	11
4.	मुम्बई	1. उ.प्र. राज्य अतिथि गृह, मुम्बई	14

विधायक निवासों की प्रबन्धन व्यवस्था

लखनऊ के विधान मण्डल के माननीय सदस्यों के अध्यासन हेतु कुल 10 विधायक निवास अवस्थित हैं। विधायक निवासों की प्रबन्धकीय व्यवस्था के सुचारु संचालन हेतु विभाग का एक व्यवस्थाधिकारी नियुक्त होता है, जिसके कार्य में सहयोग हेतु आवश्यकतानुसार तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मी तैनात किए जाते हैं।

मा0 विधान मण्डल के प्रत्येक सदस्य के अध्यासन हेतु अनुमन्य साज-सज्जा से युक्त आवास उपलब्ध कराने के साथ-साथ मा0 सदस्यों एवं उनके अतिथियों के खानपान की सुविधा के लिए जलपान गृह/भोजनालय की व्यवस्था है जिसका संचालन सम्बन्धित विधायक निवास के व्यवस्थाधिकारी द्वारा किया जाता है।

आवासीय भवनों की संख्या एवं उनके आवंटन की व्यवस्था

राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा आवंटित किये जाने वाले प्रत्येक श्रेणी के कुल भवनों की संख्या- 7086 है। श्रेणीवार भवनों की संख्या निम्नवत् है :

क्रमांक	श्रेणी	भवनों की संख्या
1.	श्रेणी-1	1906
2.	श्रेणी-2	1964
3.	श्रेणी-3	0815
4.	श्रेणी-4	1577
5.	श्रेणी-5	0611
6.	श्रेणी-6	0213
	कुल योग	**7086**

राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्राधीन भवन का आवंटन उ0प्र0 विधान मण्डल के मा0 सदस्यों

की निवास स्थान सम्बन्धी नियमावली 1963, उ0प्र0 मंत्री (वेतन भत्ता और प्रकीर्ण उपलबन्ध) अधिनियम, 1981 (यथा संशोधित) एवं राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्राधीन भवनों का आवंटन अधिनियम एवं नियमावली, 2016 में निहित प्राविधानों के अधीन पात्रता एवं उपलब्धता के आधार पर किया जाता है। वर्तमान में राज्य सरकार के अधीन कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का आवास आवंटन ऑन लाइन प्रणाली से किया जा रहा है। राज्य सम्पत्ति अनुभाग-2 के आदेश संख्या-आर-8004/32-2- 88-1087, दिनांक 24 दिसम्बर, 1988 द्वारा राज्य सम्पत्ति विभाग के नियन्त्रणाधीन आवासीय कालोनियों के आवासों के लिए किराया प्रणाली के स्थान पर फ्लैट रेन्ट का निर्धारण किया गया है। राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन भवनों का आवंटन नियमावली, 2016 के नियम-10(10) में प्रत्येक प्रकार के भवन में किराए का पुनरीक्षण प्रत्येक तीन वर्ष में किये जाने का प्रावधान है। वर्तमान में राज्य सम्पत्ति अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-आर-9901/32-2-2017-46/2017, दिनांक 08.01.2018 द्वारा निर्धारित फ्लैट रेन्ट की दरे प्रभावी है। राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन भवनों का किराया ऑनलाइन पेमेंट हेतु एन.आई.सी. के माध्यम से साफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है।

राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, निगमों, उपक्रमों, परिषदों, आयोगां एवं संस्थाओं में नियुक्त/मनोनीत गैर-सरकारी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सदस्य या सलाहकार आदि के साथ-साथ संवैधानिक आयोगों के अध्यक्ष/सदस्य के आवास आवंटन का प्रावधान किए जाने हेतु राज्य सम्पत्ति विभाग के नियन्त्रणाधीन भवनां का आवंटन अधिनियम 2016 में संशोधन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य सम्पत्ति विभाग की अनावासीय/आवासीय योजनाओं के लिए प्रस्तावित आय-व्ययक प्रावधान :-

(पूँजी लेखा के अन्तर्गत मुख्य लेखा शीर्ष- 4059 में रु. 6404.19 लाख तथा मुख्य लेखा शीर्ष-4216 में रु. 5624.90 लाख कुल रु. 12029.09 लाख का प्रस्तावित प्रावधान)

(क) मुख्य अनावासीय योजनाएँ

1. **विधान भवन स्थित विधान सभा मण्डप तथा उससे सम्बद्ध लॉबी, गलियारों, कार्यालय कक्षों, कैन्टीन आदि की साज-सज्जा सहित उच्चस्तरीय आधुनिकीकरण का कार्य-हेतु** रु. 80.00 लाख धनराशि की व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2020-21 में कराया जाना प्रस्तावित है।
2. **सचिवालय भवन एवं योजना भवन का उन्नयन संबंधी कार्य-** श्री लाल बहादुर शास्त्री भवन, नवीन भवन, बहुखण्डीय भवन, बापूभवन, योजना भवन, मुख्य सचिवालय परिसर तथा सचिवालय के अन्य भवनों एवं उनके अनुभागों तथा अन्य कार्यालयों के सुधारीकरण के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में रु. 1000.00 लाख धनराशि की व्यवस्था कराया जाना प्रस्तावित है।
3. **सचिवालय भवनों में केन्द्रीयकृत वातानुकूलन-** राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणीधीन सचिवालय भवनों में स्थापित वातानुकूलन संयंत्रों का जीर्णोद्धार/सुधारीकरण संबंधी कार्यों को आवश्यकतानुसार कराये जाने के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु. 600.00 लाख धनराशि की व्यवस्था कराया जाना प्रस्तावित है।
4. **अनावासीय भवनों के जीर्णोद्धार एवं जल वितरण कार्य हेतु एकमुश्त व्यवस्था** - अनावासीय भवनों में समुचित एवं पर्याप्त जलापूर्ति सुनिश्चित करने हेतु वांछित उच्चीकरण एवं

सुधारीकरण के कार्यों के सम्पादनार्थ वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में रु. 50.00 लाख धनराशि की व्यवस्था कराया जाना प्रस्तावित है।

5. **यू.पी.भवन/यू.पी.सदन एवं अन्य अतिथि गृहों के जीर्णोद्धार/सौन्दर्यीकरण** - इस योजना के अन्तर्गत नई दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता तथा मुम्बई स्थित अतिथि गृहों के जीर्णोद्धार/सौन्दर्यीकरण कार्य कराया जाता है। प्रश्नगत योजना के लिए रु. 662.31 लाख धनराशि की व्यवस्था आय-व्ययक 2020-21 में कराया जाना प्रस्तावित है।

6. **इंदिरा भवन में वातानुकूलन संयंत्र की स्थापना** - इंदिरा भवन को वातानुकूलित किए जाने की योजना प्रगति में है। इस योजना की अवशेष धनराशि रु. 156.20 लाख धनराशि की व्यवस्था आय-व्ययक 2020-21 में कराया जाना प्रस्तावित है।

7. **राज्य सम्पत्ति विभाग के अनावासीय भवनों तथा इनमें लगे उपकरणों का जीर्णोद्धार/ सुधारीकरण कार्य-** राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणीधीन अनावासीय भवनों जिनमें विभिन्न जीर्णोद्धार/सुधारीकरण के कार्य कराये जा रहे हैं। इन कार्यों हेतु धनराशि रु. 700.00 लाख धनराशि की व्यवस्था आय-व्ययक 2020-21 में कराया जाना प्रस्तावित है।

8. **दिल्ली में राज्य अतिथि गृह का निर्माण -** नई दिल्ली द्वारका में राज्य अतिथि गृह का निर्माण कार्य प्रगति में है, जिसे पूर्ण करने के लिए रु. 226.64 लाख धनराशि की व्यवस्था आय-व्ययक 2020-21 में कराया जाना प्रस्तावित है।

9. **बटलर पैलेस कालोनी में अतिथि गृह का निर्माण -** राजकीय बटलर पैलेस कालोनी लखनऊ में निर्माणाधीन अतिथि गृह को वित्तीय वर्ष 2020-21 में पूर्ण करने के लिए रु. 548.75 लाख धनराशि की व्यवस्था आय-व्ययक में किया जाना प्रस्तावित है।

(ख) मुख्य आवासीय योजनाएँ

1. **राज्य सम्पत्ति विभाग की कालोनियों का उन्नयन/जीर्णोद्धार/सुधारीकरण कार्यः-**

राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्राधीन अधिकांश कालोनियां 30-40 वर्ष पुरानी हो जाने के कारण इनमें अवस्थित आवासों का उन्नयन/जीर्णोद्धार एवं सुधारीकरण का कार्य कराया जा रहा है। उक्त योजना के अंतर्गत कालोनियों के उन्नयन कार्यों हेतु रु. 1000.00 लाख तथा आवासीय भवनों तथा इनमें लगे उपकरणों के जीर्णोद्धार/सुधारीकरण कार्यों हेतु रु. 1750.00 लाख की धनराशि आय-व्ययक 2020-21 में कराया जाना प्रस्तावित है।

2. **आवासीय भवनों का निर्माणः-**

राज्य सम्पत्ति विभाग के आवासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु धनराशि रु. 1680.76 लाख की व्यवस्था आय-व्ययक 2020-21 में कराया जाना प्रस्तावित है।

3. **बटलर पैलेस कालोनी में अतिथि गृह का निर्माण -** बटलर पैलेस कालोनी में श्रेणी-5 के 48 आवासों के द्वितीय बहुखण्डीय भवन का निर्माण कार्य प्रगति में है। इसे पूर्ण करने के लिए रु. 850.19 लाख धनराशि की व्यवस्था आय-व्ययक 2020-21 में कराया जाना प्रस्तावित है।

(ग) आवासीय भवनों का निर्माणः-

राज्य सम्पत्ति विभाग के 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-59 लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अधीन किया गया है।

●

ऊर्जा

ऊर्जा क्षेत्र का संगठनात्मक ढांचा

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड

उ0प्र0पा0का0लि0 राज्य क्षेत्र की समस्त वितरण कम्पनियों की होल्डिंग कम्पनी है। यह ऊर्जा क्षेत्र में बल्क पावर क्रय/विक्रय तथा नियोजन एवं नियन्त्रण हेतु उत्तरदायी है। उ0प्र0पा0का0लि0 में वर्तमान में वितरण कम्पनियों के कर्मचारियों को सम्मिलित करते हुए 31960 कार्मिक कार्यरत हैं।

राज्य क्षेत्र की वितरण कम्पनियाँ

- पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ।
- दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा।
- मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ।
- पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी।
- केस्को, कानपुर।

उपरोक्त वितरण कम्पनियां अपने-अपने क्षेत्र में वितरण नेटवर्क का रख-रखाव, उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति, बिलिंग एवं विद्युत बिल वसूली के साथ उपभोक्ताओं की विद्युत एवं बिलिंग इत्यादि सम्बन्धी समस्त समस्याओं के निराकरण हेतु उत्तरदायी है।

उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0

यह निगम राज्य में तापीय विद्युत उत्पादन के लिए उत्तरदायी है, जिसके अधीन पॉच परियोजनाएं क्रमशः अनपरा, ओबरा (सोनभद्र) पारीक्षा (झांसी), हरदुआगंज (अलीगढ़) तथा पनकी (कानपुर) में स्थापित है। पनकी (कानपुर) की पुरानी इकाइयों को डिलीट कर दिया गया है। चार परियोजनाओं पर वर्तमान में 22 इकाइयों अधिष्ठापित हैं, जिनमें ओबरा की एक इकाई (200 मे0वा0) आर0एण्डएम0 हेतु बन्द है। 500 मे0वा0 की अनपरा की इकाई संख्या-07 का टरबाइन क्षतिग्रस्त होने के कारण लॉग आउटेज में है, जिसके जून 2020 तक भार पर आने की सम्भावना है। तीन इकाइयां (ओबरा 1x94, पारीछा 2x110 मे0वा0 कुल 314 मे0वा0) डिलीशन हेतु प्रक्रियाधीन हैं। वर्तमान में उत्पादन निगम लि0 की उत्पादन हेतु उपलब्ध 17 इकाइयों की उत्पादन क्षमता 4460 मे0वा0 है। उत्पादन निगम लि0 में वर्तमान में 6527 कार्मिक कार्यरत हैं।

इन पॉचों परियोजनाओं पर वर्तमान में 28 इकाइयॉ उत्पादनरत हैं, जिनकी कुल अधिष्ठापित क्षमता 5938 मे0वा0 है। उत्पादन निगम लि0 में वर्तमान में 7694 कार्मिक कार्यरत हैं।

उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0

यह निगम राज्य क्षेत्र में जल विद्युत उत्पादन के लिये उत्तरदायी है जिसके अधीन 7 जल विद्युत परियोजनाएं हैं। इनकी कुल अधिष्ठापित क्षमता 524.90 मे0वा0 है। जल विद्युत निगम लि0 में वर्तमान में कुल 620 कार्मिक कार्यरत हैं।

उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0

उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 जुलाई, 2006 में अस्तित्व में आया। यह कारपोरेशन 132 के0वी0 एवं इससे ऊपर की विभव के विद्युत उपकेन्द्रों एवं लाइनों के निर्माण एवं परिचालन के लिये उत्तरदायी है। ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 में वर्तमान में 6335 कार्मिक कार्यरत हैं।

24x7 पावर फॉर आल

इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के अविद्युतीकृत घरों को समाहित करते हुए प्रदेश के सभी वर्तमान संयोजित एवं विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत संयोजित किये जाने वाले उपभोक्तओं को वर्ष 2019 तक 24 घंटे विद्युत आपूर्ति तथा कृषि क्षेत्र के उपभोक्ताओं को 10 घण्टे निर्बाध आपूर्ति की जानी है। इस योजना का प्रलेख केन्द्र सरकार एवं उ0प्र0 सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा दिनांक 14.04.2017 को हस्ताक्षरित किया गया है।

इन्टीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम (आई०पी०डी०एस०)

इस योजना के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण का कार्य कराया जाना है जिसमें सोलर पैनल लगाया जाना, वितरण परिवर्तक/पोषक/विद्युत उपभोक्ताओं के मीटरिंग कार्य सम्मिलित हैं जिसमें 636 नगरों की रू0 5139.24 करोड़ की डी0पी0आर0 मै0 पी0एफ0सी0 नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। इस योजना के अन्तर्गत आर-ए0पी0डी0आर0पी0 एवं नान-आर0ए0पी0डी0आर0पी0 के 5000 से अधिक आबादी वाले नगरों में कार्य किया जाना है।

दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (11वीं योजना)

दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (11वीं योजना) के अन्तर्गत 300 से अधिक आबादी वाले 22 जनपदों में ग्रामों/मजरों के विद्युतीकरण हेतु डी.पी.आर. रू0 4425 करोड़ की लागत से 627 ग्राम एवं 39089 मजरों का विद्युतीकरण एवं 773177 बी.पी.एल. परिवारों को संयोजन देने के लक्ष्य के सापेक्ष दिनांक 22.01.2019 तक संकलित प्रगति आख्या के अनुसार 627 ग्राम एवं 39089 मजरों का विद्युतीकरण एवं 773177 बी0पी0एल0 परिवारों को संयोजन निर्गत करने का कार्य किया जा चुका है।

दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (12वीं योजना)

दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (12वीं योजना) के अन्तर्गत 100 से अधिक आबादी

वाले 64 जनपदों में ग्रामों/मजरों के विद्युतीकरण हेतु डी.पी.आर. रू0 7282.81 करोड़ की लागत से 868 ग्राम एवं 104767 मजरों का विद्युतीकरण एवं 2102902 बी.पी.एल. परिवारों को संयोजन देने के लक्ष्य सापेक्ष दिनांक 22.01.2019 तक संकलित प्रगति आख्या के अनुसार 868 ग्राम एवं 104767 मजरों का विद्युतीकरण एवं 1904111 बी0पी0एल0 परिवारों को संयोजन निर्गत करने का कार्य किया जा चुका है।

निजी नलकूपों का ऊर्जीकरण

निजी नलकूपों का ऊर्जीकरण "आओ और पाओ' के आधार पर किया जा रहा है। वर्तमान में नलकूपों हेतु कोई प्रतीक्षा सूची नहीं है। वर्ष 2019-20 में दिनांक 20.01.2020 तक 35882 लक्ष्यों के सापेक्ष 34663 निजी नलकूपों का ऊर्जीकरण किया जा चुका है। डार्क/क्रिटिकल श्रेणी के 172 विकास खण्डों में निजी नलकूपों के ऊर्जीकरण पर लगे प्रतिबन्ध को शासनादेश संख्या-01/2018/45/62-1-2018.04 आर/2009 दिनांक 10 जनवरी 2018 द्वारा समाप्त कर दिया गया है।

दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (नवीन योजना)

दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत अविद्युतीकृत ग्रामों का विद्युतीकरण, जनपदों में कृषि एवं गैर-कृषि पोषकों का पृथकीकरण, अविद्युतीकृत घरों का विद्युतीकरण, 33 एवं 11 के0वी0 पोषकों एवं उपभोक्ताओं की मीटरिंग, ग्रामों में वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण एवं सांसद आदर्श ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य किया जाना है।

योजना के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों की प्रगति दिसम्बर 2019 तक निम्न प्रकार है:-

अ- सांसद आदर्श ग्राम	:	99
ब- घरों के विद्युतीकरण से आच्छादित ग्राम (आईईवी)	:	9071
स- विद्युतीकरण हेतु ग्रामीण घरों की संख्या (आर.एच.एच.)	:	690872
द- बी.पी.एल. घरों की संख्या	:	76850
घ- नये विद्युत उपकेन्द्रों की संख्या	:	221
य- नई 33 केवी लाइन की लम्बाई (किमी)	:	3799.98
र- फीडर सैपरेशन (2045 फीडर के सापेक्ष)	:	1949

सौभाग्य (प्रधानमंत्री सहज हर घर बिजली योजना)

सौभाग्य योजना का उद्देश्य प्रदेश के अविद्युतीकृत घरों की सुविधा उपलब्ध कराना है। प्रदेश में यह योजना दिनांक 11.10.2017 से क्रियान्वित की जा रही है। योजना के मुख्य बिन्दु निम्नवत है:-

- सौभाग्य योजना में 92.26 लाख घरों को विद्युत संयोजन का लक्ष्य।
- उपरोक्त में अन्य योजनाओं में निर्गत किये जाने वाले 15.17 लाख संयोजनों के लक्ष्य भी सम्मिलित है।
- उपरोक्त कार्य हेतु अंतिम उपभोक्ता तक एल0टी0 लाईनों का निर्माण
- योजना की लक्षित तिथि माह दिसम्बर, 2018 तक इच्छुक 74.04 लाख घरों को विद्युत संयोजन निर्गत कर समस्त 75 जनपद संतृप्त।
- सौभाग्य योजना में माह मार्च, 2019 तक 84.68 लाख घरों को संयोजन निर्गत।

वित्तीय प्रबन्धन

- सौभाग्य योजना में घरों को विद्युत संयोजन निर्गत करने हेतु रू0 6188.24 करोड़ की धनराशि स्वीकृत।
- सौभाग्य योजना में अविद्युतीकृत घरों को विद्युत संयोजन निर्गत करने के लिये अतिरिक्त एच0टी0 विद्युत तंत्र के निर्माण के लिये रू0 6289.57 करोड़ की धनराशि स्वीकृत।
- अद्यतन भारत सरकार द्वारा कुल रू0 3037.00 करोड़ की धनराशि निर्गत। इसे अतिरिक्त उ0प्र0 शासन द्वारा राज्यांश के रूप में रू 516 करोड़ की धनराशि निर्गत।

ग्रामीण क्षेत्रों में 48 घण्टे के अन्दर क्षतिग्रस्त परिवर्तकों की प्रतिस्थापना का विवरण

शहरी क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त परिवर्तक 24 घंटे के अन्दर बदले जा रहे है। 01 मई, 2017 से लागू नयी व्यवस्था में ग्रामीण क्षेत्रों में भी क्षतिग्रस्त परिवर्तकों को 48 घंटे में बदलने की व्यवस्था की गयी है।

नवीन व्यवस्था के अन्तर्गत निजी नलकूप के किसानों द्वारा विद्युत बकाया न होने की दशा में उनके क्षतिग्रस्त परिवर्तकों को विभागीय वाहन द्वारा 48 घंटे में बदलने की व्यवस्था की गयी है।

नयी व्यवस्था के क्रियान्वयन हेतु क्षतिग्रस्त परिवर्तकों की सूचना विभिन्न स्रोतों से निम्नवत् प्राप्त की जायेगी।

(अ) टोल फ्री नं0- 1912 पर शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के क्षतिग्रस्त परिवर्तकों की दर्ज शिकायतें।

(ब) संबंधित अवर अभियन्ता एवं विभागीय कर्मचारी द्वारा।

(स) उपभोक्ता द्वारा स्वयं अथवा अन्य किसी माध्यम से सूचना प्राप्त होने पर।

क्षतिग्रस्त परिवर्तक

विद्युत आपूर्ति में किसी प्रकार की बाधा न हो, विभागीय व्यवस्था से ग्रामीण क्षेत्रों के क्षतिग्रस्त परिवर्तकों को 48 घंटे के अंदर प्रतिस्थापित करने की व्यवस्था वर्तमान में की गयी है। प्रदेश के क्षतिग्रस्त परिवर्तकों को रिपेयर करने हेतु 75 विभागीय कार्यशालायें कार्यरत है।

विद्युत आपूर्ति

वर्तमान में प्रदेश के सभी विद्युत उपभोक्ताओं को बेहतर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों को 18 घंटे (बुंदेलखण्ड को 20 घंटे) तहसीलों को 20 घंटे तथा जिला मुख्यालयों एवं महानगरों में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति किये जानें का शेड्यूल निर्धारित है।

संयोजन प्राप्त करने के लिये समयबद्ध ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था (झटपट कनेक्शन सुविधा)

उपभोक्ताओं की सुविधा के लिये ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था बनायी गयी है, जिससे उपभोक्ता घर बैठे ऑनलाइन संयोजन प्राप्त कर सकता है एवं उसे विभिन्न कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। साथ ही उच्च अधिकारियों द्वारा संयोजन निर्गत होने तक की प्रगति का ऑनलाइन अनुश्रवण किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त उपभोक्ता भी संयोजन निर्गत होने के प्रत्येक चरण की प्रगति ऑनलाइन देख सकेगा।

आसान किश्त योजना

1 कि0वा0 से 4 कि0वा0 तक के घरेलू श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं के ब्याज अधिभार माफी हेतु दिनांक 11.11.2019 से आसान किश्त योजना लागू की गई है। इस योजना में अधिभार में 100 प्रतिशत छूट के साथ आगामी बीजकों के भुगतान को नियमित रूप से जमा करने के उद्देश्य से संचालित किया गया है। उपभोक्ता को इस योजना में पंजीकरण कराने के उपरान्त अपने बकाये को शहरी क्षेत्रों में 12 किश्तों में एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 24 किश्तों में भुगतान करने की सुविधा भी प्रदान की गई है।

किसान आसान किश्त योजना

इसी प्रकार आसान किश्त योजना वर्तमान में प्रदेश के कृषक विद्युत उपभोक्ताओं के ब्याज अधिभार माफी हेतु दिनांक 01.02.2020 से लागू की गयी है। इस योजना में समस्त भार के निजी नलकूप वाले किसानों को उनके बकायों में 31.01.2020 तक के अधिभार में 100 प्रतिशत छूट के साथ आगामी बीजकों के भुगतान को नियमित करने के उद्देश्य से संचालित किया गया है। उपरोक्त श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं को योजना में पंजीकरण कराने के उपरान्त अपने बकाये को 6 किश्तों में भुगतान करने की सुविधा भी प्रदान की गयी है।

स्मार्ट मीटर

प्रदेश में 40 लाख स्मार्ट मीटर लगाये जाने की योजना चलाई जा रही है। अभी तक प्रदेश के 12 शहरों में लगभग 9 लाख स्मार्ट मीटर लगाये जा चुके है। स्मार्ट मीटर लगने पर रीडिंग एवं बिल वितरण का कार्य समाप्त हो जायेगा तथा बिलों का सृजन एवं बिल ऑनलाईन प्रणाली में ही उपलब्ध हो जायेगा।

टोल-फ्री हेल्पलाइन '1912'

उपभोक्ताओं की विद्युत सम्बन्धी सभी समस्याओं के निवारण हेतु टोल-फ्री नम्बर '1912' की व्यवस्था की गयी है। इस नम्बर पर दर्ज विद्युत सम्बन्धी शिकायतों के निस्तारण की मानीटरिंग डिस्काम एवं पावर कारपोरेशन के अधिकारियों द्वारा की जा रही है। उपभोक्ता निम्नलिखित प्रकार के शिकायतें टोल फ्री नम्बर पर दर्ज करा सकता है:-

1. अपनी बिल सम्बन्धी शिकायत।
2. विद्युत आपूर्ति व्यवधान सम्बन्धी शिकायत।
3. ट्रांसफार्मर खराब सम्बन्धी शिकायत।
4. मीटर की खराबी सम्बन्धी शिकायत
5. नये कनेक्शन के सम्बन्ध में शिकायत।
6. विद्युत चोरी के सम्बन्ध में शिकायत।

सुगम संयोजन योजना

नये विद्युत संयोजन निर्गत करने में एस्टीमेट के स्थान पर मानक दरों पर नये विद्युत संयोजनों को त्वरित गति से निर्गत किये जाने हेतु 'सुगम संयोजन योजना' प्रचलित है। अधिकाधिक घरों को विद्युत तंत्र से जोड़ने के संकल्प के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में शहरी क्षेत्र के 5 किलोवाट तक के सभी उपभोक्ताओं को 18 किश्तों में संयोजन प्रदान करने की योजना लागू है।

मुखबिर प्रोत्साहन योजना

मुखबिर द्वारा विद्युत चोरी की सूचना दिये जाने पर यदि विद्युत चोरी पकड़ने में सफलता मिलती है तो ऐसे मुखबिर को प्रोत्साहन दिये जाने की व्यवस्था की गयी है। यह सूचना सतर्कता इकाई अथवा उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के किसी भी अधिकारिक स्तर पर दी जा सकेगी। प्रवर्तन दल अथवा उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा गठित टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर रेड डालने पर एवं सफलता अर्जित होने की स्थिति में मुखबिर को प्रोत्साहन धनराशि जो रेड टीम द्वारा वसूले गये शमन शुल्क की राशि का 10 प्रतिशत (अधिकतम 50,000) होगा, मुखबिर को दी जायेगी।

प्रवर्तन दल अथवा विभाग के अन्य अधिकारी/कर्मचारी को मुखबिर की श्रेणी में नहीं माना जायेगा। मुखबिर किसी भी माध्यम जैसे कि टेलीफोन, ई-मेल, एस0एम0एस0 या आईटी की कोई भी प्रणाली, पत्र, व्यक्तिगत सम्पर्क आदि से सूचना देने के लिए स्वतंत्र होगा।

औद्योगिक विद्युत उपभोक्ताओं/इकाईयों सम्बन्धी सुविधाएं

- सभी नयी औद्योगिक इकाईयों को पावर कम्पनियों से ली गयी विद्युत ऊर्जा पर 10 वर्षों की अवधि हेतु इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की छूट अनुमन्य है।
- कैप्टिव पावर प्लान्ट से स्वयं के उपयोग हेतु ली गयी विद्युत ऊर्जा पर इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी की छूट प्रभावी है।

- निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से नये औद्योगिक/व्यवसायिक विद्युत संयोजन हेतु आवेदन करने की व्यवस्था की गयी है।
- उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ओपन एक्सेस की व्यवस्था की गयी है।
- "ईज ऑफ डूइंग बिजनेस" की व्यवस्था के अन्तर्गत औद्योगिक पोषकों की मानीटरिंग कर एवम् आटो रिक्लोसर स्थापित कर उद्योगों को ट्रिपिंग फ्री विद्युत आपूर्ति देने का कार्य हो रहा है।
- औद्योगिक इकाईयों को आन-लाइन बिलिंग की सुविधा प्रदान की गयी है, जिससे वे अपने मासिक विद्युत बिलों को देखकर उसका भुगतान आन-लाइन कर सकते है।
- नियोजित आउटेज की सूचना औद्योगिक इकाईयों को कम से कम 1 माह पूर्व में दिये जाने की व्यवस्था प्रारम्भ की गयी है। जिससे औद्योगिक इकाईयों द्वारा विद्युत व्यवधान के समय उनके उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभाव हेतु ससमय निर्णय लिया जा सके।
- निवेशकों/उद्यमियों के विद्युत संयोजनों में हो रहे विलम्ब के दृष्टिगत विद्युत विभाग द्वारा एक बड़ा निर्णय लेते हुए यह व्यवस्था कर दी गई है कि निवेशकों/उद्यमियों की विभाग द्वारा दिये गये एस्टीमेट की धनराशि पर मात्र सुपरविजन चार्जेज जमा करा कर स्वयं ही "नोटिफाइड ए क्लास कान्ट्रेक्टर" से कार्य करवा कर सूचित करने के उपरान्त 3 दिनों में मीटर की व्यवस्था करते हुए संयोजन ऊजीकृत कर दिया जायेगा। इससे विभाग के भण्डारों में सामानों की उपलब्धता, टेण्डरिंग प्रोसेस एवम् शासकीय क्रियान्वयन में लगने वाले समय में बचत होगी एवम् औद्योगिक इकाईयों को समय से विद्युत संयोजन निर्गत किया जाना सम्भव होगा।

●

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत

उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) उत्तर प्रदेश शासन के अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के अधीन एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में कार्यरत है। जनपदीय स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये परियोजना कार्यालयों की स्थापना की गई है। प्रदेश के 75 जनपदों में योजनाओं का क्रियान्वयन 56 परियोजना कार्यालयों के माध्यम से किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण द्वारा ऊर्जा के नवीन एवं नवीकरणीय स्रोतों पर आधारित उपयुक्त ऊर्जा योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। सौर ऊर्जा, बायो ऊर्जा, लघु जल-विद्युत ऊर्जा जैसे अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के दोहन हेतु उपयुक्त तकनीक के विकास एवं प्रसार के लिए ऐसी विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है, जिनसे नगरीय एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति हो सके। यूपीनेडा द्वारा लाभार्थीपरक योजनाओं का संचालन एवं क्रियान्वयन करने के साथ-साथ विद्युत उत्पादन एवं ऊर्जा संरक्षण से संबंधित योजनाओं के विकास का कार्य भी किया जाता है।

उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण द्वारा चिनहट, जनपद लखनऊ, घोसी, जनपद मऊ एवं कन्नौज में शोध, विकास एवं प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है। इन प्रशिक्षण केन्द्रों पर नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित संयंत्रों/परियोजनाओं की स्थापना, संचालन, अनुरक्षण एवं सर्विसिंग के विषय में दक्षता के विकास हेतु विभिन्न स्तरों के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा यूपीनेडा को ऊर्जा संरक्षण अधिनियम-2001 में निहित प्राविधानों को उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित कराये जाने हेतु स्टेट डेजीग्नेटेड एजेन्सी (एसडीए) नामित किया गया है। सभी सरकारी/वाणिज्यिक भवनों में ऊर्जा संरक्षण के उद्देश्य से ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता-2018 (यूपीईसीबीसी-2018) की अधिसूचना जारी की गयी, जिसके अन्तर्गत सभी सरकारी/वाणिज्यिक भवनों का निर्माण ईसीबीसी मानकों के अनुरूप किया जायेगा। आवास एवं शहरी नियोजन द्वारा इसके अधीन विकास प्राधिकरणों, औद्योगिक प्राधिकरणों एवं विशेष क्षेत्र प्राधिकरणों के भवन सहिता में यूपीईसीबीसी-2018 जनवरी, 2019 में अंगीकार कर लिया गया है। ऊर्जा संरक्षण के प्रति जनमानस में जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से विभिन्न विषयों पर कार्यशालाओं का आयोजन, चित्रकला प्रतियोगिता, ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार दिये जाने की योजना लागू की गयी है।

मुख्य कार्यक्रम एवं योजनायें

वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन कार्यक्रम

सौर ऊर्जा आधारित विद्युत उत्पादन (ग्रिड संयोजित)

प्रदेश में बढ़ती हुयी ऊर्जा की पूर्ति विभिन्न स्रोतों से करने के लिये प्रदेश सरकार कृत संकल्प है। निजी क्षेत्र में सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन परियोजनाओं की अधिष्ठापना को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा सौर ऊर्जा नीति-2017 प्रख्यापित की गयी है। इस नीति के अन्तर्गत सौर पावर प्रोजेक्ट अधिष्ठापन के लिये राज्य सरकार से आवश्यक अनुमति, अनापत्ति, अनुमोदन, सहमति आदि सुगमता से निजी विकासकर्ताओं को उपलब्ध कराये जाने हेतु आनलाईन सिंगल विण्डो क्लियरेंस की व्यवस्था की जायेगी। नीति के अन्तर्गत कुल लक्षित क्षमता 10700 मेगावाट में से 6400 मेगावाट यूटिलिटी स्केल ग्रिड संयोजित सोलर पावर प्लाण्ट की स्थापना की जानी लक्षित है। यूटिलिटी स्केल परियोजनाओं को स्टैण्ड एलोन, सोलर पार्क के अन्तर्गत स्थापना किये जाने के अतिरिक्त, तृतीय पक्ष को विक्रय हेतु स्थापित किये जाने की अनुमन्यता है।

नीति के अन्तर्गत पूर्वांचल एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र में यूटिलिटी स्केल सौर पावर परियोजनाओं की स्थापना पर इन परियोजनाओं से उत्पादित सौर पावर निकासी हेतु एक नियत किलोमीटर की पारेषण लाईन के निर्माण का व्यय राज्य सरकार के बजट से वहन किया जायेगा। स्टैण्ड एलोन यूटिलिटी स्केल सौर पावर परियोजनायें एवं पब्लिक सोलर पार्क में स्थापित सौर पावर परियोजनाओं से उत्पादित पावर को क्रय हेतु यूपीपीसीएल द्वारा 25 वर्ष की अवधि का पावर परचेज अनुबंध विकासकर्ता के साथ किया जायेगा। यूटिलिटी स्केल स्टैण्ड परियोजनायें एवं सौर पार्क में स्थापित ग्रिड संयोजित सौर पावर परियोजनायें पर्यावरण क्लियरेंस प्राप्त करने से एवं प्रदूषण बोर्ड से (स्थापना एवं संचालन की सहमति) संबंधित अनापत्ति प्राप्त करने से मुक्त होंगे, तथा परियोजना स्थापना के लिये क्रय की जा रही भूमि पर 100 प्रतिशत स्टैम्प ड्यूटी से छूट होगी।

सौर ऊर्जा नीति के अन्तर्गत स्थापित होने वाली सौर ऊर्जा विद्युत परियोजनाओं से जहाँ एक ओर प्रदेश मे निजी निवेश में बढोत्तरी होगी वहीं बुन्देलखण्ड जैसे क्षेत्र में उपलब्ध अकृषक भूमि का उपयोग हो सकेगा तथा साथ ही कौशल विकास एंव रोजगार के अवसर सृजित हो सकेगें। सौर परियोजनाओं की स्थापना की सम्भावना बुन्देलखण्ड क्षेत्र में होने के दृष्टिगत इन परियोजनाओं से सुगमतापूर्वक विद्युत निकासी हेतु उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 द्वारा 4000 मेगावाट क्षमता हेतु ग्रीन ऊर्जा कोरीडोर का निर्माण किया जायेगा। सौर ऊर्जा नीति-2017 के अन्तर्गत बिडिंग के द्वारा वर्ष 2018-19 में 1050 मेगावाट क्षमता की सौर पावर परियोजनाओं का आवटंन किया गया। जिसकी कमिशनिंग नवम्बर, 2020 तक लक्षित है।

नीति के अन्तर्गत 4300 मेगावाट क्षमता ग्रिड संयोजित सोलर रूफटॉप पावर प्लाण्ट स्थापना वर्ष 2022 तक लक्षित है। सरकारी अर्द्धसरकारी भवनों पर ग्रिड संयोजित रूफटॉप की ओपेक्स मोड में

रेस्को मोड द्वारा स्थापना को बढ़ावा दिया जायेगा। आवासों पर रूफटॉप संयंत्रों की स्थापना को बढ़ावा देने हेतु निजी आवासों पर इन संयंत्रों की स्थापना पर रु. 15000/-प्रति किलोवाट अधिकतम रु. 30000/- प्रति उपभोक्ता को राज्यानुदान देय है।

सोलर पार्क

भारत सरकार के सोलर पार्क योजनान्तर्गत प्रदेश में 440 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क विकसित किये जा रहे हैं। योजना के अन्तर्गत प्रदेश के जनपद जालौन, कानपुर देहात, मिर्जापुर एवं प्रयागराज में कुल 440 मेगावाट के सोलर पार्क विकसित किये जा रहे है जिसके सापेक्ष अब तक जनपद मिर्जापुर में 75 मेगावाट, प्रयागराज में 50 एवं जालौन में 40 मेगावाट कुल 165 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क विकसित किये जा चुके हैं। सोलर पार्क के विकास एवं प्रबन्धन हेतु यूपीनेडा एवं भारत सरकार की नामित नोडल एजेन्सी सोलर इनर्जी कारपोरेशन ऑफ इण्डिया (सेकी) के मध्य एक संयुक्त उपक्रम लखनऊ सोलर पावर डेवलेपमेंट कारपोरेशन लि0 गठित किया गया है। इस संयुक्त उपक्रम में यूपीनेडा एवं सेकी का 50-50 प्रतिशत शेयर है। भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत सोलर पार्क विकसित करने पर भारत सरकार द्वारा रु. 20.00 लाख प्रति मेगावाट अथवा परियोजना मूल्य का 30 प्रतिशत धनराशि, जो भी कम होगी, की दर से अनुदान उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है। सोलर पार्क में भूमि विकास के अतिरिक्त सोलर पावर प्लाण्ट से उत्पादित विद्युत निकासी संबंधी समस्त अवस्थापना व्यवस्थायें उपलब्ध होगी।

अल्ट्रा मेगा रिन्युबिल इनर्जी पावर पार्क

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सोलर पार्क योजनान्तर्गत अल्ट्रा मेगा रिन्युबिल इनर्जी पावर पार्क का विकास एवं स्थापना करने संबंधित निर्गत योजनान्तर्गत न्यूनतम 600 मेगावाट क्षमता का अल्ट्रा मेगा रिन्युबिल इनर्जी पावर पार्क की स्थापना हेतु कार्यवाही की जायेगी।

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, (एमएनआरई) भारत सरकार द्वारा राज्यवार सीपीएसयू को संयुक्त उपक्रम बनाने हेतु नामित किया गया है। उत्तर प्रदेश हेतु टीएचडीसीआईएल को नामित किया गया है। यूपीनेडा एवं टीएचडीसीआईएल के मध्य संयुक्त उपकम के गठन की कार्यवाही प्रगति पर है।

ग्रिड संयोजित रूफटॉप सोलर पावर प्लांट

प्रदेश सरकार द्वारा ग्रिड संयोजित रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टाईक सोलर पावर प्लाण्ट की स्थापना को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से सौर ऊर्जा नीति-2017 प्रख्यापित की गयी है। रूफटॉप सोलर पावर प्लाण्ट से उत्पादित ऊर्जा का उपयोग बिल्डिंग में उपभोक्ता द्वारा किया जा सकता है। इन परियोजनाओं की स्थापना से पारम्परिक विद्युत ऊर्जा में निर्भरता कम होने के साथ-साथ निजी उपभोक्ताओं के विद्युत बिलों में भी कमी आयेगी।

वर्तमान में संचालित सोलर रूफटॉप फेज-2 योजना के अन्तर्गत आवासीय क्षेत्र हेतु भारत सरकार द्वारा 01 से 03 कि. वाट क्षमता तक 40 प्रतिशत तथा 03 कि. वाट से अधिकतम 10 कि.वाट तक 20 प्रतिशत का अनुदान व्यक्तिगत लाभार्थी को अनुमन्य है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार घरेलू

उपभोक्ताओं को रू. 15000/- प्रति कि.वाट अधिकतम रू. 30000 का राज्यानुदान प्रदत्त किया जा रहा है। उपभोक्ताओं द्वारा अनुदान हेतु पंजीकरण के लिए आनलाइन वेब-पोर्टल विकसित किया गया है। अब तक प्रदेश में कुल 225 मेगावाट की रूफटॉप सोलर परियोजनायें स्थापित की गई हैं। वर्ष 2019-20 हेतु भारत सरकार द्वारा फेज-2 कार्यक्रम के अन्तर्गत 60 मेगावाट का लक्ष्य प्रदान किया गया है।

जैव ऊर्जा उद्यम प्रोत्साहन कार्यक्रम

प्रदेश में जैव अपशिष्टों से जैव ऊर्जा के उत्पादन को प्रोत्साहित किये जाने के उद्देश्य से फरवरी, 2018 में नीति जारी की गयी है। जिसके अन्तर्गत बायो डीजल, बायो एथेनाल, मेथेनाल, बायोगेस, बायो सीएनजी, प्राड्यूसर गैस, बायो कोल की उत्पादन इकाईयों की स्थापना करायी जा रही है। इन उद्यमों को प्रोत्साहित किये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा निवेश के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। साथ ही 10 वर्षो तक एस-जीएसटी की प्रतिपूर्ति तथा भूमि क्रय पर स्टाम्प ड्यूटी में शत-प्रतिशत छूट (बैंक गारण्टी के विरूद्ध) प्रदान की जा रही है। नीति के अन्तर्गत बायोऐथेनाल/ड्राप-इन फयूल के 03, बायो सीएनजी के 06 तथा बायोकोल की 03 परियोजना के लिए, लेटर आफ कम्फर्ट जारी किया गया हैं। इन इकाइयों में गन्ने की खोई, कृषि अपशिष्ट, वुडी तथा अन्य बायोमास आदि का प्रयोग किया जायेगा।

बायोमास आधारित विद्युत परियोजनायें

1. बगास आधारित विद्युत परियोजनायें

प्रदेश की चीनी मिलों में उपलब्ध बगास (खोई) से को-जनरेशन द्वारा अतिरिक्त विद्युत उत्पादन की प्रबल सम्भावनाएं हैं। चीनी मिलों में उपलब्ध बगास से को-जनरेशन द्वारा अतिरिक्त विद्युत उत्पादन की परियोजनायें स्थापित कराने हेतु यूपीनेडा द्वारा एक उत्प्रेरक/फैसीलिटेटर के रुप में कार्य किया जा रहा है। इन परियोजनाओं से उत्पादित अतिरिक्त विद्युत ऊर्जा को यूपी पावर कारपोरेशन लि. द्वारा चीनी मिलों के साथ नि-पादित पावर परचेज एग्रीमेन्ट के अर्न्तगत क्रय किया जाता है। प्रदेश में 65 चीनी मिलों में लगभग 1900 मेगावाट क्षमता की विद्युत परियोजनायें अधिष्ठापित हैं।

2. नान-बगास आधारित विद्युत परियोजनायें

प्रदेश में बगास के अलावा अन्य बायोमास (एग्रो-रेसीड्यू) का उपयोग कर विभिन्न तकनीक यथा गैसीफिकेशन, सह-उत्पादन तथा कम्बस्शन पर आधारित विभिन्न क्षमता की विद्युत परियोजनायें स्थापित की जा रही है। प्रदेश में विभिन्न उद्योगों में 286 मेगावाट के ग्रिड/कैप्टिव पावर प्रोजेक्ट स्थापित किये जा चुके हैं।

औद्यौगिक अपशिष्ट आधारित विद्युत परियोजनायें

प्रदेश में स्थापित विभिन्न औद्योगिक इकाईयों यथा डिस्टलरीज, फूड प्रोसेसिंग इण्डस्ट्रीज, डेयरी, पेपर एण्ड पल्प आदि से निकलने वाले कचरे (अपशिष्ट) से विद्युत ऊर्जा उत्पादन की प्रचुर संभावनायें हैं। इन परियोजनाओं की स्थापना से जहाँ एक ओर पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायता मिलेगी वहीं

इन औद्योगिक इकाईयों की थर्मल/विद्युत ऊर्जा की पूर्ति भी की जा सकती है। प्रदेश में विभिन्न औद्योगिक इकाईयों द्वारा कुल 104 मेगावाट क्षमता की विद्युत परियोजनायें स्थापित की गयी है।

लघु जल विद्युत ऊर्जा कार्यक्रम

प्रदेश सरकार द्वारा कैनाल फाल्स पर आधारित लघु जल विद्युत परियोजनाओं के विकास हेतु नीति घोषित की गयी है, जिसके अर्न्तगत 15 मेगावाट तक की परियोजनायें यूपीनेडा व 15 मेगावाट से ऊपर की परियोजनाओं हेत उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम को नोडल एजेंसी नामित किया गया है। इस नीति में प्राविधानित व्यवस्था के मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैः

1. कैनाल फाल्स पर चिन्हित लघु जल विद्युत परियोजनाओं का विकास निजी विकासकर्ताओं के माध्यम से किया जाएगा।
2. शासकीय भूमि 30 वर्ष के पट्टे पर रु. 100/- प्रति एकड़ की दर से लीज रेन्ट पर बाजार मूल्य अथवा प्रीमियम की धनराशि में छूट प्रदान करते हुए उपलब्ध कराई जाएगी। पट्टा अवधि का नवीनीकरण भी कराया जा सकेगा।
3. शासकीय भूमि के अतिरिक्त यदि निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है, तो वह निजी विकासकर्ता द्वारा क्रय की जाएगी। यदि भूमि का क्रय करना सम्भव नहीं हो सकता, तो राजस्व विभाग के आदेशों के अन्तर्गत भूमि का अधिग्रहण किया जायेगा और उस भूमि के रजिस्ट्रेशन एवं स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान की जायेगी।
4. निजी विकासकर्ता को ऊपरी पारेषण लाईन बिछाने हेतु राईट-ऑफ-वे की सुविधा प्रदान की जाएगी।
5. लघु जल विद्युत परियोजनाओं से उत्पादित ऊर्जा को विद्युत अधिभार से छूट दी जाएगी।
6. यूपीनेडा द्वारा चिन्हित लघु जल विद्युत परियोजनाओं का निजी विकासकर्ताओं को आवंटन 12 प्रतिशत निःशुल्क विद्युत के साथ टैरिफ आधारित बिडिंग के आधार पर किया जाना प्रस्तावित है।

इस नीति के अंतर्गत यूपीनेडा द्वारा 01 परियोजना एवं उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम द्वारा 08 परियोजनायें कुल 09 परियोजनायें जिनकी कुल क्षमता 30 मेगावाट है, निजी विकासकर्ताओं को आवंटित की जा चुकी है। तद्नुसार निजी विकासकर्ताओं द्वारा परियोजना की स्थापना हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

पवन ऊर्जा कार्यक्रम

भारत सरकार की संस्था नेशनल इन्स्टीटयूट ऑफ विण्ड इनर्जी, चेन्नई द्वारा किये गये प्रारम्भिक अध्ययन के आधार पर घाघरा एवं शारदा नदियों के बेसिन में 80 मीटर की ऊँचाई पर पवन ऊर्जा की सम्भावनाओं के दृष्टिगत मुख्यतः शाहजहाँपुर, लखीमपुर-खीरी, पीलीभीत, सीतापुर, बलरामपुर एवं सिद्धार्थनगर जिलों में सर्वेक्षण कार्य किया गया। अभिकरण द्वारा जनपद शाहजहाँपुर के ग्राम बिजौरा एवं जनपद लखीमपुर के ग्राम गुलेरिया में 80 मीटर ऊँचाई का पहला विण्ड मॉनीटरिंग मास्ट स्थापित

कराकर विण्ड आंकलन एकत्रित कर रिपोर्ट तैयार करवायी गयी है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार के वित्तीय सहयोग से जनपद गोण्डा, बलरामपुर एवं सिद्धार्थनगर में 80 मीटर ऊँचाई पर विण्ड आंकड़े प्राप्त किये गये। प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अब तक किये गये विण्ड रिसोर्स असेसमेन्ट में 50 मीटर एवं 80 मीटर ऊँचाई, कोई कार्य स्थल विण्ड ऊर्जा उत्पादन हेतु उपयुक्त नही पाया गया।

राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान चैन्नई, (नीवे) के दिशा निर्देश एवं सुझाव के अनुसार वायु वेग सम्भाव्यता के आधार पर उत्तर प्रदेश के तीन जनपदों ललितपुर, बरेली एवं मुजफफरनगर में 100 मीटर की ऊँचाई का विण्ड मास्ट स्थापित करके वायु संसाधन मूल्यांकन कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कृषकों की आय में बढोत्तरी के उद्देश्य से महात्वाकांक्षी प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (प्रधानमंत्री कुसुम योजना) घोषित की गयी है इस योजना को उत्तर प्रदेश में भी संचालित किया जायेगा। पीएम कुसुम योजना के अन्तर्गत तीन कम्पोनेन्ट ए, बी, एवं सी है।

प्रधानमंत्री कुसुम योजना कम्पोनेंट-ए

कम्पोनेट ए योजनान्तर्गत कृषकों द्वारा अपनी अनुपयोगी भूमि 500 कि0वाट क्षमता से लेकर अधिकतम 2 मेगावाट क्षमता के सौर उत्पादन पावर प्लाण्ट स्थापित किये जा सकते हैं। स्थापित सोलर पावर प्लाण्ट का ग्रिड संयोजन 33/11 केवी के सवस्टेशन पर किया जायेगा। इसलिए चिन्हित सब स्टेशन के पांच कि.मी. की परिधि में अनुपजाऊ/बंजर भूमि पर सौर पावर प्लाण्ट की स्थापना कृषकों के द्वारा की जा सकती है। कृषक द्वारा अपनी भूमि लीज पर किसी परियोजना विकासकर्ता को देकर उसके माध्यम से सौर पावर प्लाण्ट स्थापित किये जा सकते है। सौर पावर प्लाण्ट से उत्पादित विद्युत को राज्य की विद्युत वितरण कम्पनी अथवा उ.प्र.पावर कार्पोरेशन लि. द्वारा कय की जायेगी।

भारत सरकार से वर्ष 2019-20 के लिए 75 मेगावाट क्षमता के लक्ष्य की स्वींति प्राप्त हुई है।

प्रधानमंत्री कुसुम योजना कम्पोनेंट-बी

एमएनआरई, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कुसुम योजना कम्पोनेंट-बी के अन्तर्गत आफग्रिड मोड में मुख्य रूप से लघु एवं सीमान्त कृषकों को स्टेण्ड एलोन सोलर इनर्जी पम्प सेटों की स्थापना की योजना कियान्वित की जा रही है। योजनान्तर्गत 7.5 एच.पी. क्षमता तक के सयंत्रों की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। योजनान्तर्गत विभिन्न क्षमता के सोलर सिंचाई पम्पों की स्थापना पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कृषकों को अनुदान दिये जाने का प्राविधान है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना कम्पोनेंट-बी के क्रियान्वयन हेत शासन द्वारा ंि-ि विभाग को नोडल/कियान्वयन एजेंसी नामित किया जा चुका है।

प्रधानमंत्री कुसुम योजना कम्पोनेंट-सी

प्रधानमंत्री कुसुम योजना कम्पोनेंट-सी हेतु एमएनआरई. भारत सरकार द्वारा दिनांक 22 जुलाई, 2019 एवं दिनांक 8 नवम्बर 2019 को गाइड लाइन्स जारी की गयी है।

उक्त योजना के अन्तर्गत ग्रिड संयोजित निजी विद्युत चालित नलकूपो को सौर ऊर्जीकृत किया जाना वांछनीय है जिससे सौर ऊर्जा से उत्पादित अतिरिक्त ऊर्जा को नेटमीटरिंग के माध्यम से ग्रिड में फीड ऊर्जा विक्रय कर किसानों की आमदनी बढ़ायी जा सके। योजना का उद्देश्य किसानों को निशुल्क सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के साथ-साथ उत्पादित अतिरिक्त सौर ऊर्जा को प्री-फिक्स्ड टैरिफ की दर से विक्रय कर किसानों की आमदनी बढ़ाया जाना है। चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रदेश मे 1000 निजी नलकूपों का सौर ऊर्जीकरण पायलट मोड में किया जाना प्रस्तावित है। उक्त कार्यक्रम का कियान्वयन यूपीपीसीएल/डिस्काम एवं यूपीनेडा द्वारा संयुक्त रूप से किया जाना है।

सौर ऊर्जा कार्यक्रमः

ऑफग्रिड सोलर पावर प्लांट

इस योजना के अन्तर्गत निर्वाध विद्युत आपूर्ति हेतु डीजल जनेरेटर के स्थान पर प्रदेश के विभिन्न सरकारी/अर्द्धासरकारी भवनों पर ऑफग्रिड/ग्रिड हाईब्रिड सोलर पावर प्लांट की स्थापना का कार्य कराया जा रहा है, गत वर्ष 2019-20 मे कुल 4.0 मेगावाट क्षमता के ऑफग्रिड सोलर पावर प्लांट की स्थापना विभिन्न आई.टी.आई, पालीटेक्निक, कलेक्ट्रेट एवं तहसील इत्यादि में करायी गयी है। परियोजना हेतु धनराशि संबंधित विभागोंध्संस्थानों द्वारा करायी जाती है।

सोलर स्ट्रीट लाईट

ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक प्रकाश की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सोलर स्ट्रीट लाईट संयंत्रों की स्थापना क्रियान्वित की जा रही है। यह संयंत्र सूर्यास्त होते ही स्वतः जल जाता है एवं सूर्योदय होने पर स्वतः बंद हो जाता है। इन संयंत्रों की स्थापना ग्रामों, बाजारों, बस स्टैण्ड, चौराहों, भवन परिसरों आदि स्थलों पर करायी जाती है। इस संयंत्र में 75 वाट का सोलर माड्यूल, 12.8 वोल्ट 30 एम्पीअर आवर की लीथियम फेरोफास्फेट बैटरी तथा 12 वाट की एलईडी ल्यूमिनरी होती है। इस योजना का क्रियान्वयन प्रोजेक्ट मोड के अन्तर्गत रु. 7100/- के राज्यानुदान पर किया जा रहा है। अभिकरण द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रदेश में योजना प्रारम्भ अब तक लगभग 2.95 लाख सोलर स्ट्रीट लाईट संयंत्रो की स्थापना करायी गयी है।

पं0 दीन दयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट लाईट योजना

सामुदायिक पथ प्रकाश एक मूलभूत आवश्यकता है। प्रदेश के समस्त विकासखण्डों के मुख्य बाजारों में विद्युत की आपूर्ति में बाधा अथवा प्रकाश की व्यवस्था अपर्याप्त होने के कारण सायंकाल से देर रात्रि तक जन-सामान्य को आवागमन में कठिनाई, दैनिक कार्य-कलाप के क्रियान्वयन मे बाधा उत्पन्न होती है।

पं0 दीन दयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट लाईट संयंत्र के माध्यम से मुख्य बाजारों में प्रकाश/पथप्रकाश की व्यवस्था होने पर सामाजिक परिवेश में कार्य क्षमता में वृद्धि से जन-सामान्य की आय में वृद्धि, स्वच्छ वातावरण का निर्माण एवं जन-सामान्य में योजना के प्रचार-प्रसार के साथ-साथ पर्यावरण अनुकूल हरित ऊर्जा के प्रति जागरूकता उत्पन्न होगी। योजनान्तर्गत वर्तमान तक 25239 सोलर स्ट्रीट लाइटों की स्थापना की जा चुकी है।

मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना

वित्तीय वर्ष 2018-19 में शासन द्वारा पिछड़े राजस्व ग्रामों (मजरे, पुरवे,टोले-बसावट सहित) को अवस्थापना एवं लाभार्थीपरक कल्याणकारी योजनाओं जनसामान्य से लाभान्वित करने एवं समेकित एवं स्थाई विकास की आवश्यकता की पूर्ति हेतु मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना संचालित की गयी। प्रथम चरण में योजना का क्रियान्वयन 62 जनपदों में 1138 राजस्व ग्रामों (मजरे, पुरवे,टोले-बसावट सहित) में अभिकरण द्वारा वैकल्पिक मार्ग प्रकाश की व्यवस्था सोलर स्ट्रीट लाइट के माध्यम से करायी जाती है। योजनान्तर्गत अब तक लगभग 13791 अदद संयंत्रों का अधिष्ठापन कराया जा चुका है।

सोलर हाई मास्ट संयंत्र

प्रदेश के ऐसे सार्वजनिक स्थलों जहाँ पर विद्युत उपलब्धता नहीं है अथवा आपूर्ति अनियमित है तथा जहाँ सायंकालीन या देर रात्रि में जनसामान्य का आवागमन होता है, जैसे-बस स्टैण्ड, छोटे-छोटे हाट, मेला स्थल, मुख्य मार्ग, चौराहा, पेयजल स्थल, पशु बाजार, पंचायत घर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, एएनएम केन्द्र इत्यादि पर सोलर हाई मास्ट संयंत्रों की स्थापना की जाती है, इस संयंत्र से 25-30 मीटर की परिधि में प्रकाश प्राप्त होता है। सोलर हाई मास्ट में 18 वाट की 04 एलईडी लाईट चारों दिशाओं में 7 मीटर की ऊँचाई पर स्थापित करायी जाती है। इस योजना के अन्तर्गत अब तक 3050 संयंत्रों की स्थापना करायी गयी है।

सोलर पावर पैक की योजना

ग्रामीण क्षेत्रों के अविद्यतीकृत घरों में प्रकाश, पंखे एवं मोबाइल चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु सोलर पावर पैक योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन द्वारा चयनित लाभार्थी के आवासों पर सोलर पावर पैक की स्थापना करायी जाती है जिससे 3 वॉट की 2 ल्यूमेनियर, 5 तथा 7 वॉट का 1 ल्यूमेनियर एवं 22 वॉट का एक डीसी सीलिंग फैन एवं मोबाइल चार्ज की सुविधा प्रतिदिन लगभग 8 घंटे हेतु उपलब्ध कराई जाती है। प्रदेश में सौभाग्य योजना के अर्न्तगत लगभग 60,000 सोलर पावर पैक संयंत्रों की स्थापना करायी गयी है।

सोलर आर.ओ.वाटर कार्यक्रम

प्रदेश के ऐसे प्राथमिक विद्यालयों जहाँ जल की गणवत्ता खराब है, में विद्यार्थियों को स्वच्छ पेयजल एवं पंखे की सुविधा हेतु सोलर पावर प्लाण्ट संयंत्र की स्थापना की परियोजना चलाई जा रही है। इस परियोजना के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में 1.1 किलोवॉट के सोलर पैनल स्थापित कराकर उससे 05 पंखे, 01 डी.सी.सबमर्सिबल पम्प तथा 50 लीटर प्रति घंटा का एक आर.ओ. वाटर संयंत्र संचालित कराया जाता है। संयंत्र के साथ 1000 ली0 की 2 पानी की टंकी भी स्थापित करायी जाती हैं, जिससे संचित जल का उपयोग मध्यान्ह भोजन बनाने, शौचालय को स्वच्छ रखने तथा बागवानी के लिये किया जाता है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों के प्राथमिक विद्यालयों में अब तक 2727 सोलर आर.ओ. वाटर संयंत्रों की स्थापना का कार्य कराया गया। वर्ष 2019-20 में 1000 के लक्ष्य के सापेक्ष संयंत्रों की आपूर्ति एवं स्थापना की कार्यवाही गतिमान है।

सोलर पम्प सिंचाई कार्यक्रम

सिंचाई के क्षेत्र में सोलर फोटोवोल्टाईक पम्प किसानों के लिए अत्यन्त लाभकारी योजना है। इस तकनीक से सूर्य के प्रकाश द्वारा सोलर पैनल के माध्यम से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। उत्पादित ऊर्जा से सिंचाई पम्प को चलाया जाता है।

प्रदेश के कृषकों को अनुदान पर सोलर सिंचाई पम्प उपलब्ध कराये जाने की योजना कृषि विभाग एवं यूपीनेडा द्वारा संयुक्त रूप से संचालित है। योजनान्तर्गत कृषकों को 2 एचपी के सर्फेस एवं 03 एचपी, 05 एचपी के सबमर्सिबल सिंचाई पम्प पांच व-र्षों के व्यापक रख-रखाव के साथ अनुदान पर उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

योजनान्तर्गत लघु एवं सीमान्त कृषकों को 02 एचपी के एवं 03 एचपी के सोलर सिंचाई पम्पों-पर राज्य सरकार द्वारा 45 प्रतिशत एवं केन्द्र सरकार द्वारा 30 प्रतिशत कुल 75 प्रतिशत अनुदान एवं सभी वर्गों के कृषकों के लिए 05 एचपी क्षमता के सोलर सिंचाई पम्प हेतु राज्य सरकार एवं भारत सरकार द्वारा 30-30 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है।

अब तक प्रदेश में सिंचाई हेतु कुल 28492 अदद सोलर सिंचाई पम्पों की स्थापना करायी जा चुकी है।

डिसेन्ट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन (डी.डी.जी.) योजना

प्रदेश के 100 से अधिक की आबादी के रिमोट अविद्युतकृत ग्रामों/मजरों जिनमें परम्परागत ग्रिड से विद्युतीकरण सम्भव नहीं है, को ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत संचालित डिसेन्ट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन (डी.डी.जी.) से विद्युतीकरण का कार्य रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन (आरईसी) द्वारा वित्त पोषण के माध्यम से कराया गया है। इस योजना में सौर ऊर्जा के माध्यम से स्टैण्ड-एलोन संयंत्र द्वारा ऊर्जा का उत्पादन कर स्थानीय ग्रिड का निर्माण कर प्रत्येक घर में 96 वाट का कनेक्शन उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें 02 अदद एल.ई.डी लाईट एवं 01 अदद पंखा हेतु विद्युत उपलब्ध कराई जाती है। प्रदेश में इस योजना के अन्तर्गत 05 जनपदों (ललितपुर, हमीरपुर, सोनभद्र, बहराइच एवं लखीमपुर-खीरी) 25 ग्रामों/मजरों का विद्युतीकरण का कार्य वर्ष 2016-17 एवं 17-18 के अन्तर्गत किया गया है।

बायो ऊर्जा कार्यक्रम

भारत सरकार की न्यू नेशनल बायोगैस एण्ड आर्गेनिक मैन्योर प्रोग्राम (एनएनबीएमपी) योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में खाना पकाने हेतु ईंधन की आवश्यकता की पूर्ति हेतु फैमिली साइज बायोगैस संयंत्रों का निर्माण कराया जाता है। योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा विभिन्न क्षमता के संयंत्रों पर उनकी क्षमता के आधार पर अनुदान प्रदान किया जा रहा है।

बायोगैस आधारित पावर जनरेशन कार्यक्रम

इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार के सहयोग से डेयरी फार्मो में बायोगैस से पावर जनरेशन

की योजना संचालित की जा रही है। योजना के अन्तर्गत डेयरी फार्मों में बायोगैस का निर्माण कर उत्पादित बायोगैस से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। उत्पादित विद्युत का उपयोग डेयरी की विद्युत की आवश्यकता की पर्ति हेतु सुगमता से किया जा सकता है। भारत सरकार से परियोजना हेतु रु. 25,000/- से रु.35,000/- प्रति कि.वा. की दर से अनुदान अनुमन्य है। जिसकी प्रतिपूर्ति लाभार्थियों को परियोजना अधि-ठापना के पश्चात् किया जाता है।

बार्डर एरिया डेवलपमेन्ट कार्यक्रम

केन्द्र सरकार द्वारा संचालित बार्डर एरिया डेवलपमेन्ट कार्यक्रम के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से लगे जनपद पीलीभीत, लखीमपुर, महाराजगंज, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर एवं बहराइच में इस योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। प्रदेश में इस योजना के अन्तर्गत 8190 सोलर स्ट्रीट लाईट, 1562 सोलर होम लाईट, 1291 सोलर लालटेन, 30 सोलर पेयजल पम्प, 13 सोलर पावर प्लांट, 28.52 कि.मी. सोलर फेन्सिंग 2 सोलर पम्प सिंचाई, 04 सोलर आर.ओ.वाटर संयंत्र एवं 35 सोलर हाई-मास्ट की स्थापना करायी गयी है।

उत्तर प्रदेश में ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम

शासन द्वारा जुलाई 2015 में यूपीनेडा को ऊर्जा संरक्षण अधिनियम-2001 में निहित प्राविधानों को उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित कराए जाने हेतु स्टेट डेजीगनेटेड एजेन्सी (एसडीए) नामित किया गया है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम-2001 के प्राविधानों के क्रम में एसडीए (यूपीनेडा) द्वारा किए गये कार्यो का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैः-

पर्फोम एचीव एण्ड ट्रेड (पैट) कार्यक्रम

पैट योजना बाजार आधारित एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से अधिक ऊर्जा खपत वाले उद्योगों द्वारा एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स (एस) का व्यापार करते हुए ऊर्जा दक्षता को परिवर्धित किया जा सकता है।

इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश में विभिन्न पैट साइकल के अन्तर्गत 13 सेक्टर एल्यूमिनियम, सीमेण्ट, क्लोर एल्काली, फर्टीलाइजर, आयरन एण्ड स्टील, पल्प एण्ड पेपर, टेक्सटाईल, थर्मल पावर स्टेशन्स, डिस्कॉम्स, पेट्रोलियम रिफाइनरी, रेलवे, पेट्रोकेमिकल, कॉमर्शियल बिल्डिंग (होटल) सेक्टर में कुल 55 डेजिगनेटेड कन्जयूमर्स चिन्हित किए गए हैं।

उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत पैट साइकल-1 में प्रदेश के विभिन्न सेक्टर्स के चिन्हित कुल 25 डजिगनेटेड कन्जयूमर्स द्वारा 0.33 मिलियन टन ऑफ ऑयल लक्षित ऊर्जा बचत के सापेक्ष समेकित रूप से 0.69 मिलियन टन ऑफ ऑयल समतुल्य ऊर्जा बचत की गई जो 8066.99 मिलियन यूनिट विद्युत ऊर्जा की बचत के समतुल्य है। उक्त विद्युत ऊर्जा लगभग 5000 मेगावाट सोलर पावर प्लाण्ट से प्राप्त की जा सकती है।

यूपीनेडा प्रशिक्षण केन्द्र

यूपीनेडा के प्रशिक्षण केन्द्र पर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित संयंत्रों/परियोजनाओं की स्थापना, संचालन एवं अनुरक्षण के विषय में दक्षता विकास हेतु विभिन्न स्तरों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का

आयोजन किया जाता है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एम.एन.आर.ई.), भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (नाईस) के माध्यम से सूर्यमित्र सृजन विषयक, एवं उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा संचालित सोलर इलेक्ट्रिक सिस्टम इंस्टालर एण्ड सर्विस पोवाईडर विषयक 600 घंटे (लगभग 90 दिन) का निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयाजित किये जाते है। उक्त प्रशिक्षार्थियों का मूल्यांकन कराते हुए एन.एस.डी.सी. एवं उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाता है। उक्त प्रशिक्षण प्राप्त करने एवं प्रशिक्षण के उपरान्त स्वरोजगार हेतु यूपीनेडा द्वारा विकसित मोबाईल एप ''आदित्य टी & ई'' के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। प्रशिक्षित युवकों को सेवायोजित करने हेतु रोजगार मेले का भी आयोजन किया जाता है।

प्रदेश के 6000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है, जिनके माध्यम से सुदूर ग्रामों एवं शहरी क्षेत्रों के जनसामान्य द्वारा स्थापित सौर संयंत्रों का अनुरक्षण यूपीनेडा द्वारा विकसित मोबाईल एप ''आदित्य सी'' के माध्यम से उक्त प्रशिक्षित युवाओं से कराया जा सकता है। उक्त मोबाईल एप को एण्ड्रायड फोन के गूगल प्ले स्टोर, यूपीनेडा.ओआरजी.इन या यूपी डाआरटीसी. कॉम पर जाकर डाउनलोड किया जा सकता है।

●

राज्य सड़क परिवहन

उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास के लिये परिवहन एवं संचार की सुदृढ़ एवं व्यापक व्यवस्था आवश्यक तो है ही साथ ही यह प्रदेश वासियों को सुखी एवं समृद्ध जीवनयापन सुलभ कराने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। राज्य सरकार द्वारा इसके सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार के लिये यथासम्भव प्रयास किये जा रहे हैं। यद्यपि परिवहन एवं संचार व्यवस्था को अधिक उपयोगी बनाने की दृष्टि से देश तथा उत्तर प्रदेश में रेलमार्गों, वायुमार्गों, जलमार्गों एवं राजमार्गों का भी विकास किया जा रहा है, किन्तु प्रदेश की परिवहन एवं संचार व्यवस्था में सड़क यातायात का विशेष एवं महत्वपूर्ण स्थान है और मोटरगाड़ियां प्रदेश के आर्थिक विकास एवं जीवन के प्रत्येक क्षेत्र का आवश्यक अंग बन गयी हैं। प्रदेश के विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में समाहित क्षेत्र तथा उनमें रहने वाले व्यक्तियों की आवश्यकता एवं संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुये सरकार परिवहन-व्यवस्था के विस्तार की ओर सतत् प्रयत्नशील है।

प्रदेश में मोटरगाड़ियों की संख्या में हो रही उत्तरोत्तर वृद्धि व इनके नियन्त्रण में प्राविधिक ज्ञान की उपयोगिता को देखते हुए वर्ष 1945 में वाहन के संचालन को नियमित करने के उद्देश्य से मोटरयान अधिनियम, 1939 की धारा-133 ''ए'' के प्राविधानों के अन्तर्गत परिवहन विभाग की स्थापना की गयी। विभाग द्वारा यह भी अनुभव किया गया कि व्यावसायिक वाहनों के आर्थिक एवं अन्य व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा आदि के कारण उनके संचालन को नियमित करने हेतु विशेष प्राविधान की आवश्यकता है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुये मोटरगाड़ी अधिनियम-1939 के अध्याय-4 के क्रियान्वयन हेतु राज्य परिवहन प्राधिकरण एवं सम्भागीय परिवहन प्राधिकरणों का गठन किया गया, जो व्यावसायिक वाहनों के संचालन को नियंत्रित करते हैं।

वर्ष 1939 से प्रचलित मोटरगाड़ी अधिनियम एवं नियमावलियों के प्राविधानों के अंतर्गत सड़क परिवहन के क्षेत्र में हुये अनुसंधान, विकास एवं आर्थिक तकनीकी प्रगति के सापेक्ष सामंजस्य स्थापित करने में कठिनाई का अनुभव होने लगा था, अतः दिनांक 01 जुलाई, 1989 से मोटरयान अधिनियम-1939 व उ0प्र0 मोटरगाड़ी नियमावली-1940 के स्थान पर क्रमशः मोटर वाहन अधिनियम-1988 व उ0प्र0 मोटरयान नियमावली-1998 लागू की गई है। राष्ट्रीय स्तर पर एकरूपता स्थापित करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय मोटरयान नियमावली-1989 लागू की गयी है। उक्त अधिनियम एवं नियमावलियों के लागू हो जाने के फलस्वरूप अनेक वाहनों के पंजीकरण, चालक/परिचालक लाईसेंस एवं व्यावसायिक वाहनों के स्वस्थता-प्रमाणपत्र आदि जारी करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया एवं तद्विषयक शुल्कों की दरों में पूरे देश में एकरूपता स्थापित हो गयी है।

प्रदेश में आवागमन एवं यातायात व्यवस्था में होने वाली प्रगति का अनुमान प्रदेश में मोटरगाड़ी उद्योग में वर्षानुवर्ष प्रत्येक क्षेत्र में हो रहे व्यापक विकास एवं नये पंजीकृत मोटर वाहनों एवं मार्गों पर चलने वाले वाहनों की वर्ष-प्रतिवर्ष बढ़ रही संख्या से लगाया जा सकता है। वर्ष 1991-92 में जहां मार्ग पर चालित सभी प्रकार की मोटर गाड़ियों की संख्या (वर्तमान उत्तराखण्ड राज्य के वाहनों को सम्मिलित करके) 21,51,457 थी और अब (वर्तमान उत्तराखण्ड को छोड़कर) यह संख्या बढ़कर दिसम्बर, 2019 तक 3,53,85,893 हो गयी है। इस प्रकार विगत अट्ठाइस वर्षों में इनकी संख्या में लगभग सोलह गुने से भी अधिक की वृद्धि हुई है।

यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि परिवहन आयुक्त संगठन राज्य के राजस्व प्राप्ति में बहूमूल्य योगदान देता है। वर्ष 2018-19 हेतु राजस्व अर्जन के लिए रू0 7400.00 करोड़ के लक्ष्य के सापेक्ष रू0 6929.93 करोड़ का राजस्व वसूल कर राजकोष में जमा कराया जा चुका है, जो वार्षिक लक्ष्य का 93.65 प्रतिशत है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में परिवहन विभाग हेतु शासन द्वारा निर्धारित राजस्व लक्ष्य रू0 7863.42 करोड़ के सापेक्ष माह जनवरी-2020 तक रू0 5932.22 करोड़ राजस्व वसूल कर राजकोष में जमा कराया जा चुका है, जो वार्षिक लक्ष्य का 75.44 प्रतिशत है। आय-व्ययक वर्ष 2020-21 हेतु रू 8650.00 करोड़ का राजस्व अर्जन के लिये लक्ष्य निर्धारित है।

प्रशासन की दृष्टि से विभाग को 6 जोन, 19 सम्भागों एवं 75 उपसंभागों में बांटा गया है। जोन स्तर पर उप परिवहन आयुक्त का पद सृजित है एवं सम्भागों के स्तर पर सम्भागीय परिवहन अधिकारियों द्वारा प्रशासनिक नियंत्रण रखा जाता है। उप संभागों पर सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी का संगठन प्रशासन हेतु उत्तरदायी है।

चालक एवं परिचालक लाइसेन्स का निर्गमन

चालकों एव परिचालकों को लाइसेंस देने का कार्य मोटर वाहन अधिनियम-1988 की धारा क्रमशः-8,9 एवं 30 के अन्तर्गत लाइसेंसिंग अधिकारी द्वारा किया जाता है। चालकों/परिचालकों को लाइसेंस जारी करने हेतु उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली-1998 के नियम-3 के तहत संभागीय/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, लाइसेंसिंग प्राधिकारी के रूप में अधिकृत है। संभागीय/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी द्वारा अधिकृत होने पर सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक) द्वारा भी लाइसेंसिंग प्राधिकारी के रूप में कार्य किया जा सकता है। वर्तमान में लाइसेंस सम्बन्धी समस्त सेवाएं केवल ऑनलाइन माध्यम से parivahan.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्रदेश में स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस केन्द्रीयकृत डिस्पैच व्यवस्था के तहत प्रदेश मुख्यालय से कार्यदायी संस्था के माध्यम से प्रिंट व डिस्पैच किये जा रहे है।

चालक लाइसेंस प्राप्त करने से पूर्व प्रार्थी को लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करना होता है जो 06 माह हेतु वैध होता है। लर्निंग लाइसेंस जारी होने के 30 दिन के उपरान्त तथा वैधता की समाप्ति से पूर्व मोटर गाडी चलाने का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करते हुए चालक लाइसेंस हेतु आवेदन किया जा सकता है। शिक्षार्थी लाइसेंस हेतु वेबसाइट पर आवेदन करते हुए समस्त आवश्यक दस्तावेज यथा-पते का प्रमाणपत्र,

आयु का प्रमाण पत्र तथा परिवहन यान की दशा में मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा-8(3) के तहत चिकित्सा प्रमाण पत्र, फोटो व हस्ताक्षर अपलोड करने के उपरान्त ऑनलाइन फीस का भुगतान कर तिथि व स्थान का स्लाट बुक करना होता है। तदोपरान्त फार्म, समस्त अपलोडेड दस्तावेज, फीस की रसीद व स्लाट बुकिंग स्लिप का प्रिंट प्राप्त कर निर्धारित तिथि पर सम्बन्धित परिवहन कार्यालय में प्रपत्रों की स्कूटनी व बायोमैट्रिक के उपरान्त कम्प्यूटराइज्ड परीक्षा में सम्मिलित होना पड़ता है। परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने के उपरान्त आवेदक द्वारा ऑनलाइन शिक्षार्थी लाइसेंस का प्रिंट प्राप्त किया जाता है। मोटर साइकिल तथा हल्का मोटरयान का लाइसेंस प्राप्त करने हेतु आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना अनिवार्य है। बिना गियर वाली मोटर साइकिल हेतु लाइसेंस 16 से 18 वर्ष के बीच की आयु वाले व्यक्ति को उनके अभिभावक द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर लिखित सहमति पर प्रदान किया जाता है। परिवहन यान हेतु आवेदक की न्यूनतम आयु 20 वर्ष होना अनिवार्य है। परिवहन यान को चलाने का लाइसेंस 05 व-र्ा तक प्रभावी होता है जबकि खतरनाक या जोखिम प्रेंति के माल का परिवहन करने वाले लाइसेंस की वैधता 03 वर्ष की होती है।

परिचालकों को लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया का विवरण मोटर वाहन अधिनियम-1988 के अध्याय-3 एवं उ0प्र0 मोटरयान नियमावली-1998 के अध्याय-3 में दिया गया है। प्रत्येक मंजिली गाड़ी में परिचालक का होना अनिवार्य है। परिचालक लाइसेंस हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता हाईस्कूल या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना है। परिचालक लाइसेंस की वैधता व नवीनीकरण 03 वर्ष हेतु की जाती है जो सम्पूर्ण राज्य में प्रभावी होता है।

वर्तमान में चालकों/परिचालकों के लाइसेन्स के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों के सुविधार्थ प्रत्येक कार्यालय में वृहत् सूचनापट लगाये गये हैं, साथ ही रोड ट्रैफिक सिग्नल की जानकारी हेतु भी प्रत्येक कार्यालय में ट्रैफिक निशानों को चित्रित किया गया है।

ड्राइविंग लाइसेन्स प्राप्त करने हेतु चालकों को प्रशिक्षित करने वाले ड्राइविंग स्कूलों को सुव्यवस्थित ढंग से प्रशिक्षण प्रदान करने के सम्बन्ध में परिपत्र दिनांक 19.11.94 में परिवहन आयुक्त द्वारा प्रक्रिया निर्धारित की गई है जिससे चालकों को सही प्रशिक्षण मिल सके एवं योग्य चालक को ही लाइसेन्स दिया जाय। मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खोलने के इच्छुक व्यक्तियों की सुविधा हेतु अपेक्षित औपचारिकताओं एवं तत्सम्बन्धी चेकलिस्ट उक्त परिपत्र के साथ उपलब्ध है, जिसका उपयोग संबंधित व्यक्ति कर सकते हैं।

वाहन-पंजीयन एवं स्वस्थता-प्रमाण का निर्गमन

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-39 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रत्येक मोटरगाडी को प्रयोग में लाने से पूर्व पंजीकृत कराना आवश्यक है। ट्रान्सपोर्ट गाड़ियो का पंजीयन उस समय तक वैध नहीं माना जाता जब तक कि गाड़ी को विधिवत् स्वस्थता-प्रमाणपत्र धारा-56 के अन्तर्गत फार्म-38 में प्राप्त नहीं हो जाता है। प्रदेश के समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) तथा संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) मोटर गाड़ियों के पंजीयन के लिए पंजीयन अधिकारी हैं।

- **संभाग/उपसंभाग में गाड़ियों का निरीक्षण**–गाड़ियों के निरीक्षण के लिए संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) नियुक्त हैं। नई ट्रान्सपोर्ट गाड़ियों को प्रथम बार पंजीयन-तिथि से दो वर्ष की अवधि का स्वस्थता-प्रमाणपत्र दिया जाता है और उसके पश्चात् उसके स्वस्थता-प्रमाणपत्र का नवीनीकरण एक वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है।
- सरकारी गाड़ियों का कय, रख-रखाव, मरम्मत, निष्प्रयोज्य घोषित करने व नीलामी संबंधी कार्य जो मुख्यालय में उप परिवहन आयुक्त (प्राविधिक) की देख-रेख में किया जाता था, का विकेन्द्रीकरण किया जा चुका है और अब परिवहन आयुक्त कार्यालय में विशे-ा मामले ही सन्दर्भित करने की आवश्यकता रह गयी है।
- वाहनों को स्वस्थता-प्रमाणपत्र जारी करने से पूर्व उनकी प्रदूषण मानकों के अन्तर्गत जांच करके उन्हें प्रदूषणमुक्त होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसके लिए विभाग द्वारा जनपदीय कार्यालयों को स्मोक-डेंस्टीमीटर एवं गैस एनालाइजर्स उपलब्ध कराये गये है।
- **मोटर वाहनों का पंजीयन-चिन्हों का प्रदर्शन**–मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा-41(6) के अन्तर्गत केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-50 के अनुसार पंजीकृत मोटर वाहनों पर पंजीयन-चिन्ह का प्रदर्शन वाहन के आगे व पीछे दोनों ही ओर करना अनिवार्य है। केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-51 के अन्तर्गत विभिन्न मोटर वाहनों के पंजीयन-चिन्हों के आकार निर्धारित किये गये है। परिवहन गाड़ियों पर प्रदर्शित चिन्ह उनके अगले एवं पिछले भाग पर ऊर्ध्वतल से 30 अंश से अधिक झुकाव वाला नहीं होना चाहिए। मोटरसाइकिल और इनवैलिड कैरिज के सामने की ओर वाहन के ऊर्ध्वतल पर हैण्डिल बार के समानान्तर और पीछे की ओर सादी प्लेट पर पंजीयन-चिन्ह का प्रदर्शन किया जाना चाहिए। सामान्यतः यह पंजीयन-चिन्ह राज्य एवं पंजीयन अधिकारी कोड प्रथम पंक्ति में तथा दूसरा भाग उसके ठीक नीचे वाली पंक्ति में प्रदर्शित किए जाने चाहिए। मोटरकारों आदि में वाहन के मध्य में आगे व पीछे सादी प्लेट पर मध्य में पंजीयन-चिन्ह प्रदर्शित किए जाने चाहिए। केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-50 में वाहन के पंजीयन चिन्ह प्रदर्शित करने के सम्बन्ध में प्राविधान किया गया है। नियम-50 के अनुसार समस्त मोटरयानों के अगले एवं पिछले दोनों भागों पर पंजीयन चिन्ह विनिर्दिष्टियों की हाईसिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट पर स्प-ट और पठनीय रूप में प्रदर्शित किया जायेगा।
- **नम्बर पोर्टबिलिटी की सुविधा**– दिल्ली, हरियाणा एवं पंजाब राज्य की भांति उत्तर प्रदेश में भी उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली-1998 में सत्ताइसवां संशोधन द्वारा नियम-51 में संशोधन करते हुए वाहनों के नम्बर पोर्टबिलिटी की सुविधा प्रदान कर दी गयी है जिसकी अन्तिम अधिसूचना दिनांक 15.09.2019 प्रख्यापित की जा चुकी है। उक्त सुविधा के अन्तर्गत वाहन स्वामी अपने पुराने वाहन का पंजीयन चिन्ह अपने नये वाहन पर पोर्ट करा सकेगा।
- **वी0आई0पी0 नम्बरों की बुकिंग हेतु ई-आक्शन व्यवस्था**– पूर्व से व्याप्त व्यवस्था में संशोधन करते हुये कतिपय पंजीयन चिन्हों को अति आकर्षक, अतिमहत्वपूर्ण, आकर्षक एवं

महत्वपूर्ण नम्बरों के रूप में विभक्त किया गया है। यह पंजीयन चिन्ह निर्धारित धनराशि जमा करने पर आवेदक द्वारा आरक्षित कराया जाता है। इस व्यवस्था को पारदर्शी बनाने हेतु ई-आक्शन की व्यवस्था प्रारम्भ की गयी। ई-नीलामी प्रक्रिया के लागू होने के पश्चात् वी0आई0पी0 नम्बरों की बुकिंग की प्रकिया में पारदर्शिता आयेगी तथा परिवहन विभाग के राजस्व में भी वृद्धि होगी।

■ **प्राधिकृत प्रशिक्षण केन्द्र-** मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 56(2) तथा केन्द्रीय मोटरयान नियमावली-1989 के नियम-63-72 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदेश सरकार द्वारा मशीनों से वाहनों की जांच हेतु निजी क्षेत्र में ''प्राधिकृत प्रशिक्षण केन्द्र'' स्थापित किये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 19.11.2019 एवं शासनादेश दिनांक 19.12.2019 के क्रम में इस कार्यालय के पत्र दिनांक 31.12.2019 द्वारा समस्त क्षेत्रीय अधिकारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र के आवेदन एवं प्रक्रिया सम्बन्धी विस्तृत दिशा-निर्देश परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश के वेबसाइट http://uptransport.upsdc.gov.in पर उपलब्ध है। इसके अन्तर्गत विभाग द्वारा ''प्राधिकृत प्रशिक्षण केन्द्रों'' को स्थापित किये जाने हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित किये गये हैं। आवेदन पत्रों की समुचित जांच सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा गठित समिति से की जायेगी तथा उपयुक्त पाये जाने पर निर्णय हेतु शासन को प्रेषित किया जायेगा।

वाहन संचालन संबंधी महत्त्वपूर्ण शासनादेश एवं प्रकिया

परिवहन आयुक्त संगठन का प्राविधिक उप विभाग शासकीय वाहनों से संबंधित प्राविधिक कार्यो का नियंत्रण-केन्द्र है तथा शासकीय वाहन की मरम्मत-हेतु गैराजों (मोटरवाहनों की मरम्मत करने वाले वर्कशाप) को मान्यता व मरम्मत-हेतु श्रम-दरें इसी उपविभाग द्वारा निर्धारित की जाती हैं। टायरों की रिट्रेडिंग के लिए वर्कशापों हेतु सी श्रेणी की मान्यता दी जाती है।

तकनीकी अनुभाग द्वारा सम्पादित कार्य

शासनादेश दिनांक 11.8.2000 द्वारा गैराजों को तथा शासनादेश दिनांक 03.09.1994 द्वारा प्रदूषण जाँच केन्द्र पेट्रोल व डीजल की मान्यता प्रदान की जाती है।

मान्यता प्राप्त गैराज व प्रदूषण जाँच केन्द्र

नवीन शासनादेशानुसार मान्यता प्राप्त गैराजों की कुल संख्या 173 हो जाने से ए श्रेणी के 30, बी श्रेणी के 74 तथा सी श्रेणी के 69 गैराज हैं तथा कुल प्रदूषण जाँच केन्द्रों की संख्या-1174 है।

इसके अतिरिक्त कार्यालयादेश दिनांक 21.01.2013 द्वारा प्रदेश में वाहनों के प्रदूषण मुक्त प्रमाण-पत्र के फीस में संशोधन किया गया, जो निम्नवत् हैः

क्रम संख्या	वाहनों का प्रकार	उ0प्र0 राज्य में लागू करने हेतु फीस की संशोधित दर
1	2	3
1.	पेट्रोल/सी0एन0जी0/एल0पी0जी0 चलित दो/तीन पहिया वाहन	रू0 30/- प्रति प्रमाणपत्र

2.	पेट्रोल/सी0एन0जी0/एल0पी0जी0 चलित चार एवं चार से अधिक पहिया वाहन	रू0 40/- प्रति प्रमाणपत्र
3.	डीजल चलित वाहन	रू0 50/- प्रति प्रमाणपत्र

अप्रैल 2019 से प्रदूषण मुक्त प्रमाण-पत्र जारी करने की व्यवस्था ऑनलाइन हो गयी है, जिसके अर्न्तगत प्रदूषण जाँच केन्द्र स्वामी द्वारा प्रदूषण प्रमाण-पत्र प्रिंटिंग, स्टेशनरी का व्यय स्वयं किया जा रहा है। ऑनलाइन व्यवस्था प्रारम्भ होने के पश्चात परिवहन आयक्त कार्यालय से पुस्तिका व स्टीकर विक्रय का कार्य बन्द कर दिया गया है, जिसके कारण प्रदूषण प्रमाण पत्रों से प्राप्त होने वाली धनराशि राजकोष में नकद जमा कराने की व्यवस्था समाप्त हो गयी है।

नए वाहनों को पंजीयन हेतु अनुमोदन

वित्तीय वर्ष 2019-20 में दिनांक 31.12.2019 तक की अवधि में कुल 450 नयी वाहनों का पंजीयन हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है।

निष्प्रयोज्य घोषित वाहन

शासनादेश संख्या दिनांक 4-10-97 एवं दिनांक 11-06-02 द्वारा वाहनों को निष्प्रयोज्य घोषित करने एवं न्यूनतम मूल्य निर्धारण के समस्त अधिकार विभागाध्यक्षों को दिये जा चुके है। इस कार्यालय द्वारा शासनादेश दिनांक 31-10-86 के प्रस्तर-2 के अनुसार विशेष परिस्थितियों में शासकीय वाहनों को निष्प्रयोज्य घोनित करने की कार्यवाही की जाती है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में दिनांक 31.12.2019 तक 15 दुर्घटनाग्रस्त वाहनों, 04 विभागीय वाहनों को नि-प्रयोज्य घोषित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

शासकीय वाहनों की मरम्मत के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-3982/टी/30-4-98-30जे0 वी0/70, दिनांक-30.11.95 द्वारा मरम्मत कार्य की प्रकिया निर्धारित की गयी है व इसी के अनुसार शासकीय वाहनों की मरम्मत के कार्य सम्पादित होते है। शासनादेशानुसार वर्ष एवं किलोमीटर के आधार पर रू0-25 हजार तक की मरम्मत का अधिकार विभागाध्यक्ष को है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में विभिन्न विभागों से प्राप्त कुल 150 स्टीमेट का परीक्षण किया गया है।

''सीएनजी लीकेज जाँच केन्द्र'' की मान्यताः

केन्द्रीय मोटरयान नियमावली-1989 के नियम 114 (बी) (आइटम एफ ऑफ रूल 115 बी) के बिन्दु-एफ के संलग्नक व ए0आई0एस0-024 तथा ए0आई0एस0-028 में दिये गये प्रावधानों में की गयी व्यवस्था के अनुक्रम में परिवहन आयुक्त उ0 प्र0 द्वारा प्रदेश में सीएनजी चलित वाहनों (शिक्षा संस्थान, बस, लोक सेवायान) के गैस लीकेज की चेकिंग हेतु (03) वर्ष तक की अवधि के लिये ''सीएनजी लीकेज जांच केन्द्र'' की मान्यता प्रदान की जाती है। वर्तमान में ऐसे सीएनजी लीकेज जांच केन्द्रों की संख्या-33 है।

मोटर दुर्घटनाओं में आर्थिक सहायता

उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 की धारा-8 के साथ पठित उत्तर प्रदेश

मोटरयान कराधान नियमावली-1998 के नियम-30 एवं 31 में किये गये प्रावधान के अनुसार किसी ''सार्वजनिक यान'' (इसके अन्तर्गत ऐसा कोई मोटरयान अभिप्रेत है, जिसका उपयोग भाडे या पारिश्रमिक पर यात्रियों का वहन करने के लिए किया जाता है या जिसे उपयोग के अनुकूल बना लिया गया है तथा इसके अन्तर्गत बड़ी टैक्सी, मोटर टैक्सी, ठेकागाड़ी और मंजिली गाडी भी सम्मिलित है) से दुर्घटना होने की दशा में पीड़ित यात्री या अन्य व्यक्ति के उत्तराधिकारी को राहत देने हेतु जिस जिला मजिस्ट्रेट की अधिकारिता में दुर्घटना हुई हो, उस जिले के जिलाधिकारी राहत के लिए व्यक्तियों की हकदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यथासाध्य किसी ऐसे अधिकारी से जांच करायेगा, जो सबडिवीजनल मजिस्ट्रेट से निम्न श्रेणी का न हो एवं राहत की धनराशि के आवंटन के सम्बन्ध में अपनी स्पष्ट संस्तुति परिवहन आयुक्त को उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना दिनांक 31-08-09 जो दिनांक 28-10-09 से प्रभावी है, के द्वारा उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान नियमावली-1998 में किये गये संशोधन एवं प्रख्यापित की गयी उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (छठवां संशोधन) नियमावली 2009 के नियम 30 की अनुसूची के अनुसार यात्री अथवा अन्य व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु होने या अंग क्षति होने की दशा में अलग-अलग दर से सहायता राशि देय होती है। उदाहरणार्थ-

क- यात्री की मृत्यु की दशा में	रू0 40,000/-
ख- यात्री की दशा में ऐसी पूर्ण स्थायी निःशक्तता जो नियोजन उपजीविका या अन्य किसी भी प्रकार का व्यवसाय करने में रोक उत्पन्न करें।	रू0 40,000/-
ग- अन्य व्यक्ति की मृत्यु की दशा में	रू0 10,000/-
घ- अन्य व्यक्ति की दशा में ऐसी पूर्ण स्थायी निःशक्तता जो नियोजन उपजीविका या अन्य किसी भी प्रकार का व्यवसाय करने में रोक उत्पन्न करें।	रू0 10,000/-

सम्बन्धित जिलाधिकारी जिसकी अधिकारिता में घटना घटित हुई हो, दुर्घटना की जाँच कराकर चेक लिस्ट के अनुसार बिन्दुवार जाँचाख्या जिसमें मृतकाश्रितों के स्पष्ट नाम/पते व घायलों की हुई अंगक्षति के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त विकलांगता प्रमाणपत्र के आधार पर देय आर्थिक सहायता हेतु संस्तुति सहित परिवहन आयुक्त को प्रेषित करते है।

सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपनी संस्तुतियाँ परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश को प्रेषित की जाती हैं। पूर्ण जांचाख्या प्राप्त होते ही परिवहन आयुक्त कार्यालय स्तर पर अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन) द्वारा राहत की धनराशि स्वीकृत की जाती है एवं स्वींत धनराशि का बजट आबंटन वित्त नियंत्रक द्वारा सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी को किया जाता है। सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट स्वीकृत, आहरित और राहत के हकदार व्यक्तियों के मध्य वितरित करवाते हैं। आवंटन करने के साथ ही सहायक सम्भागीय

परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन) को आवंटन की प्रतिलिपि इस आशय से भेजी जाती है कि वे भुगतान की पुष्टि के सम्बन्ध में जिलाधिकारी से समन्वय कर उपभोग प्रमाण-पत्र भिजवाना सुनिश्चित करें।

राज्य/संभागीय परिवहन प्राधिकरण, उ0प्र0

ट्रान्सपोर्ट गाड़ियों के संचालन पर नियंत्रण मोटरगाडी अधिनियम-1988 के अध्याय-5 की धारा-68 के अन्तर्गत गठित राज्य परिवहन प्राधिकरण तथा संभागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा किया जाता है।

मोटरयान अधिनियम-1988 जो 01 जुलाई 1989 से प्रभावी हुआ है। अधिनियम में निहित प्राविधानों एवं शर्तो के अन्तर्गत सभी प्रकार के लोक सेवायानों का परमिट उदारनीति के अन्तर्गत जारी किये जाते हैं।

अधिनियम की व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक गाड़ी के परमिट के लिए प्रार्थना पत्र यथास्थिति सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण अथवा राज्य परिवहन प्राधिकरण को दिया जाना है। यदि मार्ग अन्तः संभागीय है, तो ऐसे मार्गों के लिए प्रार्थना-पत्र उस संभाग के संभागीय परिवहन प्राधिकरण को दिया जाता है, जिसमें मार्ग का अधिकांश भाग पड़ता है। अन्तर्राज्यीय मार्गों पर सवारी गाड़ियों के परमिट राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश द्वारा ही जारी किये जाते हैं।

अतर्राज्यीय मार्गों के लिए परमिट उत्तर प्रदेश तथा सम्बन्धित राज्य के बीच हुए पारस्परिक परिवहन समझौते के आधार पर स्वीकृत/जारी किये जाते हैं। अतराज्यीय मार्गों पर जारी होने वाले परमिटों की संख्या समझौतों में दी गयी संख्या से सीमित हो जाती है। ऐसे समझौते समय-समय पर पुनरीक्षित किये जाते हैं।

अधिसूचित (राष्ट्रीयकृत) मार्गों पर केवल उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को ही परमिट दिये जाने की व्यवस्था है। योजना की अधिसूचना में प्राविधान होने पर ही ऐसे मार्ग या उसके भाग पर अन्य को भी परमिट स्वीकृत किया जा सकता है।

राज्य परिवहन प्राधिकरण तथा समस्त परिवहन प्राधिकरणों द्वारा परमिट जारी किये जाने की व्यवस्था को पूर्णतः ऑनलाइन कर दिया गया है। आवेदन द्वारा वाहन-4 पोर्टल पर आवेदन पत्र तथा आवेदन फीस जमा करने के पश्चात कार्यालय द्वारा 03 कार्य दिवस के अन्दर प्रपत्रों का परीक्षण कर उपयुक्त पाये जाने पर आवेदन सत्यापित कर ग्रान्ट फीय जमा करने हेतु आवेदक को उसके रजिटड मोबाइल नम्बर पर एस0एम0एस0 प्राप्त होगा।

आवेदक द्वारा फीस जमा करने की तिथि से 02 कार्य दिवस के अन्दर सक्षम अधिकारी द्वारा प्रकरण पर विचार कर स्वीकृत/अस्वीकृत करने का निर्णय लिया जाता है। आवेदन अस्वीकृत होने की दशा में आवेदक को इस आशय का भी एस0एम0एस0 प्राप्त होगा तथा स्वींत होने पर वाहन स्वामी परमिट का प्रिन्ट ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगें। परमिट धारक को इस आशय का एस0एम0एस0 प्राप्त होगा कि 02 कार्य दिवस के पश्चात आवेदक द्वारा किसी भी कार्य दिवस में सम्बन्धित कार्यालय में आकर परमिट की मूल प्रति प्राप्त कर लें।

अन्तर्राज्जीय मार्गों पर माल/यात्रियों के परिवहन हेतु मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 88 की उप धारा-(5) व (6) के अन्तर्गत हुये पारस्पारिक परिवहन समझौते के अनुसार परमिट जारी किये जाते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश और निम्नलिखित राज्यों के बीच पारस्पारिक परिवहन समझौता लागू है:-

1- मध्य प्रदेश, 2- राजस्थान, 3-हरियाणा, 4-पंजाब, 5-हिमांचल प्रदेश, 6-चण्डीगढ़, 7-बिहार, 8- जम्मू एवं कश्मीर 9-उत्तराखण्ड।

प्रदेश के विभिन्न नगरों में नगर सीमा के अन्तर्गत यात्रियों को यातायात की सुविधा के दृष्टिगत वर्ष 1992 में नगर बसों का संचालन प्रारम्भ किया गया है। वर्तमान में 12 नगरों में नगर बसों का संचालन हो रहा है, जिनमें से 07 महानगरों-लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, बरेली एवं आगरा में जे0एन0एनद्धयू0आर0एम0 के अन्तर्गत संबंधित नगरीय संचालन इकाई द्वारा नगर बसों का संचालन किया रहा है। अन्य नगरों में परिवहन निगम अथवा निजी संचालकों द्वारा नगर बसों का संचालन किया जा रहा है।

परमिट शर्तों का उल्लंघन करने पर मोटरगाडी अधिनियम, 1988 की धारा-86 के अन्तर्गत कार्यवाही राज्य/संभागीय परिवहन प्राधिकरणों द्वारा की जाती है।

मोटर गाड़ी कानून का प्रवर्तन

मोटरगाडी से सम्बन्धित विभिन्न अधिनियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य स मुख्यालय पर अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) तथा प्रदेश के 6 परिक्षेत्रों में तैनात उप परिवहन आयुक्त (परिक्षत्र) की देख-रेख में 114 सचल प्रवर्तनदलों की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त मुख्यालय पर दो विशेष प्रवर्तन दल कार्यरत हैं। मार्गों पर वाहनों की चेकिंग हेतु प्रत्येक दल में एक राजपत्रित सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), एक प्रवर्तन पर्यवेक्षक एवं 3 प्रवर्तन सिपाही के अतिरिक्त चालकयुक्त एक स्टाफ कार का भी प्रावधान है। प्रवर्तन शाखा के मुख्य कार्यों में मोटर व्हीकल एक्ट एवं उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम के प्रावधानों का कार्यान्वयन सुनिश्चित कराना, नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कराना, वाहनों द्वारा होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण कराना है।

मोटरयान अधिनियम, 1988 तथा उसके अधीन बनायी गयी केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 तथा उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली 1998 के प्राविधानों के उल्लघंन के सम्बन्ध में किये गये चालानों के निस्तारण हेतु उक्त अधिनियम की धारा 213 (5) (इ) के अधीन चालान न्यायालय को भेजे जाने की व्यवस्था है। न्यायालय भेजे जाने वाले ऐसे अपराधों में से कतिपय अपराध उक्त अधिनियम की धारा 200 के अधीन शमनीय है। ऐसे अपराधों को प्रशमित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर प्रशमन की दरें निर्धारित की जाती रहीं हैं। इस संबंध में अन्तिम बार दरें अधिसूचना द्वारा निर्धारित की गयी हैं।

वायु प्रदूषण पर प्रभावी नियन्त्रण

देश में बढ़ते वाहनों की संख्या तथा उनसे उत्पन्न वायुमण्डलीय प्रदूषण विगत कतिपय वर्षों से विकराल रूप धारण कर रहा है। इस समस्या के महत्व को समझते हुए केन्द्र सरकार द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 में प्रदूषण उत्पन्न करने वाले वाहनों को एक अपराध के रूप में स्वीकारते हुए इस आधनियम के अन्तर्गत बनाई गई केन्द्रीय मोटरयान नियमावली-1989 के नियम 115 में प्रदूषण-नियंत्रण हेतु मानकों का निर्धारण किया गया गया है।

भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, नई दिल्ली से सड़क सुरक्षा स्कीम के अन्तर्गत प्रदेश में बढ़ते हुये वायु प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण हेतु नये मानक के प्रदूषण मापी यंत्र वित्तीय वर्ष 2015-16 में 10 बोलेरो वाहनों मे गैस एनालाइजर प्रदूषण जाँच संयत्र लगाकर तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 में 09 बोलेरो वाहनों में मे गैस एनालाइजर, वित्तीय वर्ष 2017-18 में 20 स्मोक मीटर कय करके प्रदेश के संभागों में संभागीय परिवहन अधिकारियों को चेकिंग के दौरान वाहनों का उत्सर्जन मानक जांच करने तथा प्रदूषण निर्धारित मानक से अधिक पाये जाने पर उन वाहनों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है। समस्त प्रकार के वाहनों की धूम्र जांच हेतु परिवहन आयुक्त कार्यालय, उत्तर प्रदेश के परिपत्र दिनांक 21.01.2013 द्वारा संशोधित दरों पर प्रदू-ाण मुक्त प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश प्रसारित किये गये हैं।

विभागीय संसाधनों की कमी के दृष्टिगत वाहनों के प्रदूषण जाँच हेतु सरकारी मान्यता प्राप्त ''ए'' ''बी'' श्रेणी के गैराजों में प्रदूषणमापी यन्त्र लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इनके अतिरिक्त स्वयंसेवी संस्थाओं, पेट्रोल पम्पों तथा वाहन डीलरों आदि को भी प्रदूषणमापी यन्त्र लगाकर वाहनों के प्रदूषण की जाँच कर प्रदूषण मुक्त प्रमाणपत्र जारी करने हेतु मान्यता दी गयी है। वर्ष 2018 से लगातार चल रहे प्राइवेट प्रदूषण जाँच केन्द्रों के निरीक्षण में 80 प्रदूषण जाँच केन्द्र बन्द पाये गये तथा जनपद के सहायक सम्भागीय अधिकारियों/प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा प्रेषित निरीक्षण आख्या के आधार पर दिनांक 31.12.2019 तक उत्तर प्रदेश में कुल 1174 प्राइवेट प्रदूषण जाँच केन्द्र संचालित हैं। अप्रैल 2019 से प्रदूषण मुक्त प्रमाण-पत्र जारी करने की व्यवस्था ऑनलाइन हो गयी है, जिसमें प्रदूषण जाँच केन्द्र द्वारा जाँच के उपरान्त वाहन 4.0 साफ्टवेयर के माध्यम से प्रदूषण प्रमाण-पत्र निर्गत किये जा रहे हैं। प्रदूषण जाँच केन्द्र स्वामी द्वारा प्रदूषण प्रमाण-पत्र प्रिंटिंग, स्टेशनरी का व्यय स्वयं किया जा रहा है। ऑनलाइन व्यवस्था प्रारम्भ होने के पश्चात प्रदेश मुख्यालय से पुस्तिका व स्टीकर देना अब बन्द कर दिया गया है, जिसके कारण पुस्तिका व स्टीकर के मद में जमा की जाने वाली धनराशि राजकीय कोष में जमा करने की व्यवस्था समाप्त हो गयी है। 01 फरवरी 2020 से नया प्रदूषण जाँच केन्द्र स्थापित करने, प्रदूषण जांच केन्द्र का नवीनीकरण तथा कार्यस्थल परिर्वतन की स्वीकृत का कार्य भी ऑनलाइन कर दिया गया है।

परिवहन विभाग की महत्त्वपूर्ण योजनायें

परिवहन विभाग की कियान्वित ई-परियोजनाएँ

1. वेबबेस्ड वाहन 4.0 व्यवस्थाः

- उत्तर प्रदेश के सभी 76 परिवहन कार्यालयों में कियान्वित।

लाभः

क- पूरे देश की वाहन पंजीयन व्यवस्था के लिये सिंगल वेब प्लेटफार्म तैयार होना, जिससे चोरी के वाहनों अथवा पंजीयन निरस्त वाहनों के विवरण को रियल टाइम पर ट्रैक करने की सुविधा।

ख- वाहन पंजीयन, फिटनेस, टैक्स पेमेन्ट आदि की सूचना एस0एम0एस0 के माध्यम से वाहन स्वामी को उपलब्ध कराने की सुविधा।

ग- जन सामान्य को परिवहन विभाग की ज्यादा से ज्यादा सेवाएँ ऑनलाइन माध्यम से प्रदान किये जाने की सुविधा।

2. वेबबेस्ड सारथी 4.0 व्यवस्था

- उत्तर प्रदेश के सभी 77 परिवहन कार्यालयों में कियान्वित।

लाभः

क- मैनुअल आवेदन की व्यवस्था पूर्णतः समाप्त।

ख- लाइसेन्स सम्बन्धी सभी सेवाएँ ऑनलाइन।

ग- लाइसेन्स की डुप्लीकेसी को ट्रैक करने की सुविधा।

घ- लर्नर लाइसेन्स ऑनलाइन प्रिन्ट करने की सुविधा।

3. मोबाइल एप्प बेस्ड ई-चालान व्यवस्थाः

- ई-चालान व्यवस्था की शुरूआत करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य।
- उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में जून-2017 से शत-प्रतिशत कियान्वित।

लाभः

क- एप्प के माध्यम से अभियोग का आरोपण तथा पेनाल्टी का आगणन।

ख- वाहन 4.0 डाटाबेस से वाहन का विवरण प्राप्त करने की व्यवस्था।

ग- चालान होने पर सम्बन्धित अभियोग की वाहन 4.0/ सारथी 4.0 डाटाबेस में स्वतः दर्ज होने की व्यवस्था।

घ- वाहन स्वामी अथवा चालकों को भी अपने चालान से सम्बन्धित विवरण ई-चालान वेबसाइट www.echallanweb.in पर देखने की व्यवस्था।

ड- ई-चालान को ऑनलाइन भुगतान करने की सुविधा।

4. आनलाइन परमिट व्यवस्थाः

- यह व्यवस्था लागू करने वाला प्रदेश हरियाणा के बाद उत्तर प्रदेश देश का दूसरा राज्य।
- परमिट संबंधी 6 सेवाओं- नया परमिट, डुप्लीकेट परमिट, परमिट नवीनीकरण, अस्थायी परमिट, स्पेशल परमिट, नेशनल परमिट आथराइजेशन नवीनीकरण में आनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध।

लाभः

क- परमिट की व्यवस्था पारदर्शी व सरल।

ख- कार्यालय आने से वाहन स्वामी को मुक्ति।

ग- आवेदको के समय व धन की बचत।

घ- आवेदन व शुल्क जमा करने हेतु लाइन में लगने से मुक्ति।

ड- किसी भी समय एवं कहीं से भी आवेदन की सुविधा उपलब्ध।

5. कामन सर्विस सेन्टर्स के माध्यम से विभागीय सेवाओं को आम जनमानस को उपलब्ध कराना:

- विभाग की कुल 25 आनलाइन सेवाएँ आम जनमानस को कामन सर्विस सेन्टर्स- जनसेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों/जन सविधा केन्द्रों/ई-सुविधा केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध।
- मात्र 20 रूपये शुल्क देकर आनलाइन आवेदन का लाभ।
- व्यवस्था का ज्यादा लाभ ऐसे लोगों को, जिनके पास न तो कम्प्यूटर है और न ही किसी प्रकार की नेट बैंकिंग या एटीएम कार्ड/क्रेडिट कार्ड की सुविधा है।
- वाहन तथा ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित समस्त ऑनलाइन सेवाओं में आवेदन तथा फीस पेमेन्ट ऑनलाइन माध्यम से करने की व्यवस्था शत-प्रतिशत लागू।

6. वाहन पंजीयन हेतु आनलाइन डीलर प्वाइंट व्यवस्था में डाक्यूमेंट मैनेजमेन्ट सिस्टम लागू किया जाना:

- नए वाहनों के पंजीयन के समय डीलर द्वारा वाहन पंजीयन के लिए आवश्यक प्रपत्र को ऑनलाइन अपलोड की व्यवस्था।
- प्रदेश के समस्त जनपदों में डीलर प्वाइंट पर डाक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम शत-प्रतिशत लागू।

लाभः

क- फिजिकल फाइल आर0टी0ओ0 कार्यालय में ले जाने से मुक्ति।

ख- आर0सी0 डिलीवरी में कम समय लगना।

ग- आर0सी0 रिकार्ड रखने की समस्या से निदान।

घ- डीलर एवं आर0टी0ओ0 के बीच में Human interface की समाप्ति ।

7. ऑनलाइन प्रदूषण प्रमाण-पत्र निर्गमन व्यवस्था:

- पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लखनऊ के एक प्रदूषण जांच केन्द्र पर यह व्यवस्था 20 फरवरी, 2019 से प्रारम्भ हुई।
- 06 मार्च, 2019 से मण्डलीय मुख्यालय एवं एनसीआर वाले जनपदों में चरणवार क्रियान्वयन प्रारम्भ किया गया।
- वर्तमान में प्रदेश के समस्त प्रदूषण जांच केन्द्रों में ऑनलाइन प्रदूषण प्रमाण-पत्र व्यवस्था लागू।

लाभः

क- प्रदूषण प्रमाण-पत्र निर्गमन में पारदर्शिता।

ख- प्रदूषण प्रमाण-पत्र के सही अथवा गलत होने की ऑनलाइन जांच किये जाने की सुविधा।

ग- प्रदूषण जाँच के समय वाहन प्रस्तुत होने पर ही प्रदू-ाण प्रमाण-पत्र निर्गमन की व्यवस्था।

8. वीआईपी नम्बरों की बुकिंग हेतु ई-ऑक्शन व्यवस्थाः

- पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लखनऊ टीपीनगर में जनवरी, 2019 के अंतिम सप्ताह में प्रारम्भ।
- 06 मार्च, 2019 से प्रदेश में चरणवार ढंग से क्रियान्वयन प्रारम्भ किया गया।
- वर्तमान में प्रदेश के समस्त जनपदों में वी0आई0पी0 नम्बरों की बुकिंग हेतु ई-ऑक्शन व्यवस्था शत-प्रतिशत कियान्वित।

लाभः

क- ई-नीलामी प्रक्रिया में वी0आई0पी0 नम्बर बुकिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता।

ख- ई-नीलामी प्रक्रिया प्रारम्भ होने से विभाग के राजस्व में बढ़ोत्तरी।

9. ऑनलाइन फिटनेस व्यवस्थाः

- पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बाराबंकी कार्यालय में दिनांक 30 अक्टूबर, 2018 से प्रारम्भ।
- 06 मार्च, 2019 से प्रदेश के समस्त संभागीय कार्यालय एवं एनसीआर के समस्त परिवहन कार्यालयों (कुल 25 कार्यालय) में इस व्यवस्था को प्रारम्भ किया गया।
- प्रदेश के सभी जनपदों में ऑनलाइन फिटनेस व्यवस्था दिनांक 11.04.2019 से शत-प्रतिशत कियान्वित।

लाभः

क- वाहन स्वामियों को ही अपने वाहन के फिटनेस जांच की तिथि के चयन का अवसर प्राप्त।

ख- एक वर्ष पूर्व फिटनेस जांच तिथि की निर्धारण व्यवस्था समाप्त।

ग- फिटनेस जाँच तिथि एवं फीस पेमेन्ट की ऑनलाइन व्यवस्था से कार्यालय के कार्यभार में कमी।

घ- ऑनलाइन व्यवस्था सरल व पारदर्शी।

10. वाहन लोकेशन ट्रैकिंग योजनाः

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा व्हैकिल लोकेशन ट्रैकिंग योजना के संचालन हेतु स्थापित निर्भया फण्ड के माध्यम से बजट का प्रावधान किया गया है। मंत्रालय के पत्र दिनांक 15.01.2020 के साथ जारी गाइड लाइन के टेबल के अनुसार उक्त योजना हेतु उ0प्र0 राज्य के लिये अनुमानित व्यय रू 1540.00 लाख का प्रावधान किया गया है, जिसमें केन्द्र सरकार का अंश 60 प्रतिशत अर्थात रू 924.00 लाख तथा राज्य सरकार का अंश 40 प्रतिशत अर्थात रू0 616.00 लाख है।

योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु केन्द्रांश हेतु रू0 924.00 लाख तथा राज्यांश हेतु रू0 616.00 लाख अर्थात कुल धनराशि रू 1540.00 लाख की आवश्यकता अनुमानित है, जिसका बजट प्रावधान कराया जाना प्रस्तावित है।

संभागीय/उप संभागीय परिवहन कार्यालयों का भवन निर्माणः

परिवहन विभाग अपने विभागीय कार्य-कलापों को वर्तमान में 06 परिक्षेत्रीय कार्यालयों, 19 संभागीय कार्यालयों, 58 सहायक संभागीय परिवहन कार्यालयों (लखनऊ एवं वाराणसी जनपद के विस्तार-पटल को सम्मिलित करते हुए) एवं लखनऊ स्थित परिवहन आयुक्त कार्यालय के माध्यम से संपादित करता है। विभाग में इन कार्यों के सम्पादन हेतु कुल अपने 56 भवन उपलब्ध हैं तथा 02 कार्यालयों में कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इस प्रकार 58 सरकारी कार्यालय भवन उपलब्ध है।

सड़क सुरक्षा सेल का गठन

सड़क सुरक्षा सीधे आम जनमानस से जुड़े होने के कारण सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने एवं दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को त्वरित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु शासन कृतसंकल्प है। सडक सरक्षा के उपायों एवं सम्बन्धित कार्यों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने हेतु राज्य सड़क सुरक्षा नीति, राज्य सड़क सुरक्षा परिषद को पुनर्गठित किये जाने एवं सड़क सुरक्षा कोष के सृजन एवं इस हेतु उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष नियमावली-2014 बनाये जाने की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों से यह दृष्टिगोचर होता है कि गत वर्षों में जहाँ सड़क दुर्घटनाओं व इनमें मृत होने वाले व्यक्तियों में 9-10 प्रतिशत की वृद्धि हो रही थी वहीं विभाग के प्रयासो से वर्ष 2019 में इस संख्या में लगभग स्थिरता प्राप्त हुई है। प्रदेश में वर्ष 2019 में वर्ष 2018 की तुलना में 42,674/- सड़क दुर्घटनाओं के सापेक्ष 42,528/- सड़क दुर्घटनाएँ तथा 22,164/- व्यक्तियों के सापेक्ष 22,384/व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। इस संख्या में कमी लाने के लिये परिवहन विभाग द्वारा लोक निर्माण विभाग, पुलिस, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा शिक्षा विभाग के साथ संयुक्त प्रयास किये जा रहे हैं।

प्रदेश सरकार सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है तथा एक्सप्रेस-वे, राज्य राजमार्गों एवं राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को त्वरित चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु कृत संकल्पित है। सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ द्वारा सड़क दुर्घटनाओं को कम करने एवं दुर्घटना में घायल एवं मृत व्यक्तियों की संख्या में कमी लाये जाने हेतु मुख्यतः 02 रूपों में प्रयास किये गये हैं:- (1) संस्थागत प्रयास। (2) जागरूकता संबंधी प्रयास। जिनका विवरण निम्न प्रकार है:

(1) संस्थागत प्रयासः सड़क सुरक्षा सेल (लीड एजेंसी) का गठनः

√ सड़क सुरक्षा सेल (लीड एजेंसी) का गठनः

- मा0 सर्वोच्च न्यायालय की कमेटी ऑन रोड सेफ्टी के द्वारा प्रदेश स्तर पर परिवहन विभाग

के अंतर्गत एक सड़क सुरक्षा सेल (लीड एजेंसी) का गठन परिवहन आयुक्त की अध्यक्षता में गठित किया गया है, जिसमें अपर परिवहन आयुक्त (स0सु0), सहायक परिवहन आयुक्त (स0सु0) तथा सड़क सुरक्षा से संबंधित विभागों यथा-पुलिस, लोक निर्माण, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग के एक-एक अधिकारी विशेश कार्याधिकारी के रूप में कार्यरत हैं।

√ उत्तर प्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा परिषद का गठनः

- मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा परिषद का गठन किया गया है, जिसके अंतर्गत मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा 01 वर्ष में 02 बैठकों का आयोजन कर सड़क सुरक्षा के प्रति किये जाने वाले प्रयासों की समीक्षा की जाती है तथा आवश्यकतानुसार उनके स्तर से निर्देश दिये जाते हैं।

√ उच्च स्तरीय समिति एवं कोष प्रबंधन समिति का गठन वर्ष 2014 में किया गयाः

- मुख्य सचिव, उ0प्र0 की अध्यक्षा में उपर्युक्त समिति कार्य करती है। पुलिस एवं परिवहन विभाग द्वारा विगत वर्ष में प्रशमन शुल्क के रूप में जमा कराई गई धनराशि का 50 प्रतिशत अंश कोष प्रबंधन समिति के अंतर्गत बजटरी प्राविधान के माध्यम से प्रतिव-र्ा आवंटित कराये व्यवस्था है।

√ जिला एवं मण्डलीय सड़क सुरक्षा समितियों का गठनः

- सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु पूर्व से ही जनपद स्तर पर प्रत्येक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में ''जिला सड़क सुरक्षा समिति'' वर्ष 1995 से ही गठित है। प्रत्येक वर्ष जिला सड़क सुरक्षा समिति की कम से कम 06 बैठकों का आयोजन कराया जाना होता है तथा बैठक में लिये गये निर्णयों के पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण हेतु वर्ष 2015 में प्रत्येक मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में ''मण्डलीय सड़क सुरक्षा समिति'' का गठन किया जा चुका है, जिसकी वर्ष में कम से कम 04 बैठकों का आयोजन कराया जाना आवश्यक है।

√ सड़क सुरक्षा नीतिः

- प्रदेश सरकार द्वारा व-र्ा 2014 में सड़क सुरक्षा नीति जारी की गई, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित कार्यवाही की जाती है:

  ♦ **सड़क सुरक्षा डाटा बेस की स्थापनाः** सड़क सुरक्षा डाटा बेस की स्थापना की गयी है, जिसके अंतर्गत पुलिस एवं परिवहन विभाग द्वारा सड़क दुर्घटना के विश्ले-ाण की प्रणाली विकसित की जा रही है। इसके अंतर्गत वर्ड बैंक सहायतार्थ परियोजना भी प्रस्तावित है।

  ♦ **सुरक्षित सड़क की अवस्थापनाः** इसके अंतर्गत लोक निर्माण विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है, जिसमें सड़क के निर्माण संबंधी कमियों को दूर करने की कार्यवाही की जाती है तथा ब्लैक स्पाट्स के सुधारीकरण की कार्यवाही भी करायी जाती है। वर्ष 2017 में 1057 ब्लैक स्पॉट्स चिन्हित किये गये हैं, जिनके सुधारीकरण की कार्यवाही संबंधित सड़क निर्माण

एजेंसी द्वारा की गई है। पुनः वर्ष 2018 में 1270 ब्लैक स्पाट्स चिन्हित कर लिय गये हैं, जिनके सुधारीकरण की कार्यवाही कराई जा रही है।

- **सुरक्षित चालकः मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रत्येक मण्डल में एक-एक ड्राइवर ट्रेनिग इन्स्टीट्यूट स्थापित किये जाने हेतु निर्देशित** किया गया है। चालकों के प्रशिक्षण हेतु **ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट** सभी मण्डलों में स्थापित किये जाने हैं, जिनमें से वर्तमान में 15 मण्डलीय मुख्यालयों के अंतर्गत यथा- प्रयागराज, अयोध्या, बस्ती, मुरादाबाद, मिर्जापुर, आगरा (मथुरा), मेरठ, अलीगढ़, बरेली, वाराणसी, गोरखपुर, झांसी, आजमगढ़, देवीपाटन (गोण्डा) सहारनपुर (मुजफ्फरनगर) स्थानों पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान परिसर में इस केंद्र के निर्माण का कार्य कराया जा रहा है। लाईसेंसिंग प्रणाली को मानवीय हस्तक्षेप से मुक्त करने हेतु **आटोमेटिक ड्राइविग टेस्टिंग ट्रैक** का निर्माण कानपुर नगर एवं बरेली में कराया जा चुका है, जो शीघ्र क्रियाशील हो जायेंगे तथा आजमगढ़ व प्रतापगढ़ जनपद में निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है। चालकों के ट्रेनिंग व रिफेसर प्रशिक्षण हेतु भारत सरकार के सहयोग से जनपद रायबरेली में **इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च (आई0डी0टी0आर0)** निर्माणाधीन है जो एक वर्ा के अंदर प्रारम्भ हो जायेगा।
- **सुरक्षित वाहनः** सड़कों पर चलने वाले वाहन सुरक्षित हो सकें, इसके लिए मानवीय हस्तक्षेप से मुक्त आटोमैडेट इंस्पेक्शन प्रणाली की स्थापना की जा रही है। भारत सरकार के सहयोग से लखनऊ में **इंस्पेक्शन एवं सर्टिफिकेशन सेंटर** का निर्माण पूर्ण होने के पश्चात् सितम्बर, 2019 से क्रियाशील है। इसके साथ-साथ आगरा एवं कानपुर में भी ऐसे सेंटर का निर्माण कार्य चल रहा है।
- **विश्व बैंक के सहयोग सेः** उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार तथा विश्व बैंक के मध्य ऋण अनुबंध योजना के तहत परिवहन विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित कार्यों के क्रियान्वयन का प्राविधान किया गया है।
- **प्रशिक्षण कार्यकमः** सड़क सुरक्षा से जुड़े हुए सभी मुख्य विभागों यथा-परिवहन विभाग, पुलिस विभाग, लोक निर्माण विभाग तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों का प्रशिक्षण भी समय-समय पर कराया जाता है।

(2) जागरूकता संबंधी कार्यकमः

- **यातायात सप्ताह का मनाया जानाः** विगत वर्षों में भारत सरकार के मार्गदर्शन में माह जनवरी में केवल एक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता था, किंतु प्रदेश सरकार के कुशल मार्गदर्शन में विगत वर्ष से उत्तर प्रदेश में प्रत्येक त्रैमास में एक सड़क सुरक्षा सप्ताह अर्थात् एक वर्ष में कम से कम चार सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। अब तक दिनांक 17-06-2019 से 22-06-2019 तक प्रथम, दिनांक-14.10.2019 से 20.10.2019 द्वितीय सड़क सुरक्षा सप्ताह तथा तृतीय सड़क सुरक्षा सप्ताह दिनांक- 18.11.2019 से 24.11.2019

तक मनाया गया जिसके अन्तर्गत जन मानस में सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम जैसे-सेमिनार, नुक्कड़ नाटक, बाइकोथॉन, स्टेक होल्डर्स कार्यशाला, सड़क सुरक्षा गोष्ठी स्कूटर वाहन रैली का आयोजन किया जाता है तथा सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों से संबंधित लीफलेट/पम्फलेट/पम्फकेट कैलेन्डर/फोल्डर आदि का वितरण किया जाता है। चतुर्थ सड़क सुरक्षा सप्ताह माह फरवरी, 2020 में आयोजित किया जा रहा है।

- **सड़क सुरक्षा विषयों पर भाषण एवं निबंध प्रतियोगिता का आयोजनः** स्कूल स्तर पर एवं विद्यालय स्तर पर सड़क सुरक्षा से संबंधित विषयों पर निबंध एवं भाषण प्रतियोगिता के माध्यम से बच्चों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागयकता उत्पन्न की जाती है। दिनांक 12-12-2018 व 22.01.2020 को राज्य स्तर पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रथम 10 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। राज्य स्तर पर दिनांक 18.12.2018 तथा 11.01.2020 को कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसके साथ-साथ स्कूलों में प्रार्थना सभा में यातायात नियमों की प्रतिज्ञा दिलाई जाती है, ताकि यातायात नियमों के प्रति जानकारी स्कूल स्तर से ही विद्यार्थियों को प्राप्त हो सके। स्कूली बच्चों के सुरक्षित परिवहन हेतु स्कूली वाहनों में यातायात नियमों का पालन हो सके, इस हेतु स्कूल वाहन नियमावली भी प्रख्यापित कर उन पर निरंतर नियंत्रण स्थापित किये जाने की कार्यवाही की जाती है।
- बेसिक एवं माध्यमिक स्तर पर सड़क सुरक्षा से जुड़े विषयों को पाठ्यक्रम में शिक्षा विभाग द्वारा शामिल करा दिया गया है, ताकि सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के प्रति बच्चे प्रारंभ से ही जागरूक हो सकें।
- वर्कशॉप/सेमिनॉर एवं नुक्कड़ नाटक के द्वारा समय-समय पर सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा की जाती है।
- पम्फलेट, कैलेण्डर एवं अन्य यातायात सामग्री का कुंभ मेला एवं अन्य सार्वजनिक महोत्सवों पर सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रचार-प्रसार हेतु वितरण किया जाता है।
- एफएम रेडियो, प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के द्वारा यातायात नियमों का प्रचार-प्रसार किया जाता है।
- सिनेमा, मल्टीप्लेक्स एवं विभाग द्वारा संचालित 12 पब्लिसिटी वैन द्वारा यातायात नियमों का ऑडियो-वीडियो माध्यम से लघु फिल्मों के द्वारा प्रचार-प्रसार किया जाता है।
- मैराथन, बाइकोथॉन एवं रैली के माध्यम से यातायात नियमों का प्रचार-प्रसार किया जाता है।
- यातायात नियमों के प्रति लोगों को अनुशासित एवं जागरूक बनाये जाने हेतु प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही के अंतर्गत प्रत्येक सप्ताह में किसी भी दो दिवस हेलमेट एवं सीट-बेल्ट के विरूद्ध औचक चेकिंग की कार्यवाही कराई जाती है। इसके साथ-साथ ओवरस्पीडिंग, ड्रंकेन ड्राइविंग

एवं वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करने वालों के विरूद्ध सभी प्रवर्तन दलों के लक्ष्य निर्धारित कर दिये गये हैं, जिनके आधार पर प्रभावी कार्यवाही कराई जाती है।

- 06 इण्टरसेप्टर वाहनों द्वारा ओवर स्पीडिंग के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। 276 ब्रेथ एनालाइजर द्वारा ड्रंकन ड्राइविंग के विरूद्ध कार्यवाही कराई जाती है।

♦ **लखनऊ में इंस्पेक्शन एण्ड सर्टिफिकेशन सेंटर की स्थापना**

प्रदेश में बढ़ती हुई व्यावसायिक वाहनों की संख्या के दृष्टिगत वाहनों का मशीनों के माध्यम से समुचित निरीक्षण किये जाने हेतु इस केंद्र का निर्माण किया जा रहा हैं। यह केंद्र पूर्ण रूप से आधुनिक मशीनों एवं अन्य उपकरणों से सुसज्जित होगा। भारत सरकार के आर्थिक सहयोग से लखनऊ में संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय के समीप स्थिति भूमि पर इंस्पेक्शन एण्ड सर्टिफिकेशन सेंटर के निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा वाहनों की स्वस्थता की जांच का कार्य आरम्भ किया जा चुका है।

♦ **रायबरेली में इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च**

वर्तमान में वाहन चालक प्रशिक्षण संस्थान का संचालन निजी संस्थाओंध्व्यक्तियों किया जा रहा है, जिनकी गुणवत्ता संतोषजनक नहीं की जा सकती। भारत सरकार के आर्थिक सहयोग से प्रत्येक राज्य में 01 इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च हेतु सहयोग प्रदान किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत उ0प्र0 के रायबरेली जनपद में ऐसा केंद्र स्थापित किया जा रहा है। जनपद रायबरेली में इन्स्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च (आई0डी0टी0आर0) की स्थापना हेतु कुल रू0 1994.78 लाख की आवश्यकता होगी, जिसमें भारत सरकार द्वारा रू0 1700.00 लाख तथा राज्य सरकार द्वारा रू0 294.78 लाख का व्यय वहन किया जायेगा।

आय-व्ययक वर्ष 2020-21 में इन्स्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च (आई0डी0टी0आर0) की स्थापना हेतु रू0 300.00 लाख का बजट प्राविधान कराया जाना प्रस्तावित है, प्रश्नगत व्यय उ0प्र0 सरकार द्वारा वहन किया जाना प्रस्तावित है।

♦ **उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की योजनाएँः**

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की योजनाओं हेतु वर्ष 2019-20 में रू0 5000.00 लाख का बजट प्रावधान स्वीकृत है, जिसके सापेक्ष रू0 1950.38 लाख की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत की जा चुकी है तथा रू0 3049.62 लाख की धनराशि अवशेष है। इस योजना के अन्तर्गत परिवहन निगम के बस स्टेशनों, डिपो एवं कार्यशालाओं का निर्माण कार्य कराया जाता है।

उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की उपलब्धियां

- **असेवित गाँवों को बस सेवा से जोड़ना-** प्रदेश के 38200 असेवित गाँवों में से वर्ष

2017-18 एवं 2018-19 में 19,494 असेवित गाँवों को परिवहन सुविधा से सेवित किया गया है। वर्ष 2019-20 में माह मार्च, 2020 तक 6556 गांवों को परिवहन सुविधा से सेवित किया गया है। अप्रैल, 2017 से मार्च, 2020 तक कुल 26050 गाँवों को परिवहन सेवा से सेवित किया गया है।

- दुर्घटनाओं की प्रभावी रोकथाम एवं सुरक्षित संचालन के दृष्टिगत डिपो स्तर पर शिविर लगाकर चालकों का **''स्वास्थ्य एवं नेत्र परीक्षण''** अनिवार्य रूप से कराया जाना सुनिश्चित किया गया।
- यात्रियों और बस कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के दृष्टिगत सभी चालकों के स्वास्थ्य परीक्षण का रिकार्ड **''चालक स्वास्थ परीक्षण कार्ड''** रखने की व्यवस्था की गयी। जो 05 वर्षों के लिये वैध होगा।
- बसों के सुरक्षित संचालन हेतु चालको में नशे के प्रयोग की रोकथाम के लिए समस्त डिपो एवं मार्ग निरीक्षक दल के पास **''ब्रेथ एनेलाइजर''** उपकरण की उपलब्धता सुनिश्चित कराई गयी है और नियमित जाँच, परीक्षण सुनिश्चित किया जा रहा है।
- तकनीकी एवं भौतिक रूप से स्वस्थ बसों के संचालन के दृष्टिगत लम्बी दूरी के मार्गो पर बस को संचालित किये जाने के पूर्व **''13 बिन्दुओं पर तकनीकी निरीक्षण''** की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है।
- निगम और अनुबन्धित बसों की **''31 बिन्दुओं पर फिटनेस चौकिंग''** की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है।
- सुरक्षित संचालन हेतु निगम व अनुबंधित बसों की 13 व 31 बिन्दुओं की जाँच के दैनिक अनुश्रवण हेतु **''यात्री फीडबैक ऐप''** विकसित किया जा रहा है।
- समस्त बसों में गति नियन्त्रण हेतु **''स्पीड कन्ट्रोल डिवाइस''** स्थापित किये गये।
- सुरक्षित संचालन हेतु चालक एवं परिचालक के लिये मानक संचालन प्रक्रिया के अंतर्गत बस संचालन के दौरान **''क्या करें-क्या न करें''** (Do's and Don't) का संक्षिप्त विवरण स्टीकर के रूप में बसों/ बस स्टेशनों/कार शालाओं में चस्पा कराये गये।
- मार्ग प्रवर्तन दल द्वारा कार्यावधि में अपनी **निर्धारित वर्दी एक नाम पट्टिका** के साथ बस निरीक्षण कार्य सम्पादित कराया जा रहा है तथा निरीक्षण दल हेतु **निरीक्षण के बिन्दुओं** का निर्धारण किया गया है।
- चालकों व परिचालकों के मार्ग पर ड्यूटी का निर्धारण **''ड्यूटी सॉफ्टवेयर''** द्वारा किया जा रहा है।
- सुरक्षित चालन हेतु समस्त चालकों को वर्दी के साथ-साथ **प्रथम बार जूते** भी उपलब्ध कराये जा रहे है।

- समस्त बसों में चालक सीट पर सीट बेल्ट लगाई गयी है और चालकों द्वारा उपयोग किया जा रहा है।
- चालकों व परिचालकों को वर्दी उपलब्ध करायी गयी है तथा चालकों का नेत्र परीक्षण कराया जा रहा है।
- **अन्तर्राष्ट्रीय संचालन**–निगम द्वारा पड़ोसी देश नेपाल हेतु दिल्ली से महेन्द्र नगर, पोखरा व नेपालगंज के लिये बस सेवा का संचालन प्रारम्भ किया गया।
- **स्लीपर बस योजना**–वर्तमान में 12 वातानुकूलित शयनयान सेवाओं को बस बेड़े में सम्मिलित कर संचालन किया जा रहा है।
- **नयी वातानुकूलित बसों का संचालन**–परिवहन निगम द्वारा यात्रियों हेतु विभिन्न सुविधाओं से युक्त वर्तमान में 78 वॉल्वो/ स्कैनिया, 599 जनरथ एवं 121 शताब्दी बसों का संचालन किया जा रहा है।
- एन.सी.आर. क्षेत्र के लिये निगम द्वारा 502 सी.एन.जी. बसे क्रय कर संचालित की गयी हैं। एन.सी.आर. क्षेत्र के लिये निजी क्षेत्र की 72 सी.एन.जी. बसों को अनुबंधित भी किया गया है।
- **अन्तर्राज्यीय सेवायें**–अन्तर्राज्यीय परिवहन सेवाओं को सुगम एवं सुदृढ़ बनाने के लिये राजस्थान, उत्तराखण्ड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, बिहार तथा जम्मू-कश्मीर राज्य के साथ उत्तर प्रदेश द्वारा पारस्परिक परिवहन समझौता सम्पादित किया गया। इससे दोनों राज्यों के बीच जनसंचरण में सुगमतापूर्वक वृद्धि हो सकेगी।
- **यात्री राहत योजना**–परिवहन निगम की बसों के यात्रियों की मृत्यु होने पर वयस्क यात्री हेतु रू. 5.00 लाख की राहत राशि दिये जाने का प्राविधान है। इस योजना की परिधि में घायल यात्रियों को भी शामिल करते हुये, अति गंभीर रूप से घायल यात्री को रू. 2.50 लाख की चिकित्सीय सहायता का प्राविधान शामिल किया गया।
- परिवहन निगम के 98 डिपो में ऑटोमेटेड फ्यूल मैनेजमेन्ट सिस्टम लागू किया गया।
- दिव्यांग यात्रियों के लिये निगम के 129 बस स्टेशनों पर व्हील चेयर की व्यवस्था की गयी है।
- दिव्यांग नियमावली लागू करते हुये दिव्यांगजनों को विकास की मुख्य धारा में जोड़ने हेतु **''दिव्यांग स्टॉल''** का शुभारम्भ लखनऊ क्षेत्र के कैसरबाग बस स्टेशन पर किया गया।
- लखनऊ क्षेत्र के कैसरबाग, कमता, चारबाग, आलमबाग, अयोध्या क्षेत्र के अयोध्या, अयोध्या धाम, सुल्तानपुर, अमेठी, गोरखपुर क्षेत्र के गोरखपुर व बर्डघट (राप्तीनगर), अलीगढ़ क्षेत्र के गांधी पार्क, गाजियाबाद क्षेत्र के बुलन्दशहर, कौशाम्बी व गाजियाबाद, मेरठ क्षेत्र के सोहराबगेट, नोएडा, व वाराणसी क्षेत्र के जौनपुर डिपो पर कुल 17 बस स्टेशनों पर माताओं हेतु शिशु देखभाल कक्ष की स्थापना की गयी, जिसमें नवजात शिशुओं की देखभाल हेतु कक्ष की व्यवस्था की गयी है। इस कक्ष में माँ के उपयोग के लिये पैनिक/अलार्म बटन की सुविधा है। निगम की महिला अधिकारी

को नोडल प्रभारी नामित किया गया है। यह व्यवस्था प्रदेश के कुल 100 बस स्टेशनों पर किया जाना प्रस्तावित है।

- बस यात्रा के दौरान यात्रियों की सुविधा के दृष्टिगत परिवहन निगम द्वारा अनुबंधित यात्री प्लाजा पर अपना खाना ऑनलाईन बुक कराने हेतु **''मील ऑन रोड एप''** का शुभारम्भ किया गया।
- लखनऊ शहर की यातायात व्यवस्था के सुधार हेतु पॉलीटेक्निक चौराहा के पास वेबमॉल एवं एच.ए.एल की तरफ यात्री शेल्टर्स का निर्माण।
- लखनऊ शहर की यातायात व्यवस्था के सुधार हेतु अवध बस स्टेशन से बसों का संचालन किया जायेगा एवं जानकीपुरम से भी भविष्य में बसों का संचालन किया जाना प्रस्तावित है।
- क्षेत्रीय इकाईयों के कार्यकलापों व क्षेत्रीय अधिकारियों से सीधे संवाद हेतु मुख्यालय व क्षेत्रीय कार्यालयों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीधा जोड़ा गया है, जिससे प्रभावी मॉनीटरिंग की जा सके तथा त्वरित गति से सीधे संवाद के माध्यम से क्षेत्रीय इकाईयों को प्रगतिशील करते हुये संचालन में सुधार किया जा सके।
- प्रवर्तन कार्य को पारदर्शी एवं प्रभावी बनाये जाने के उद्देश्य से प्रर्वतन कार्मिको को Body Worn Camera उपलब्ध कराये गये है।
- दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग, एक्सप्रेस वे व रात्रिकालीन सेवाओं की लम्बी दूरी की बसों में **''दो चालकों''** की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी।
- **निर्भया फण्ड योजना-** इस योजना के अन्तर्गत महिलाओ के लिए 52 पिंक सेवायें संचालित है, जिसमें महिला यात्रियों की सुरक्षा हेतु नगम की सभी बसों में सीसीटीवी कैमरा तथा पैनिक बटन लगाये गये है तथा 40 इण्टरसेप्टर वाहन की व्यवस्था की गयी है। पिंक बस सेवा का समन्वय यू.पी. डायल 112 से है।
- उक्त बसें आरामदेह साधारण वातानुकूलित श्रेणी की हैं, जिनमें सुरक्षा के दृष्टिगत मात्र महिला यात्री अथवा उनके सहयात्री अनुमन्य है। इनमें आनलाईन अग्रिम आरक्षण सुविधा भी है। बस यात्रियों को यात्रा में मिनरल वाटर, मासिक पत्रिका यात्रा दर्पण आदि सुविधायें उपलब्ध हैं।
- परिवहन सेवा के संबंध में प्राप्त शिकायत/सुझाव के त्वरित निस्तारण के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा **''ट्वीटर सेवा''** UPSRTCHQ का शुभारम्भ किया गया।
- निगम द्वारा यात्रियों के सुझाव एवं परिवाद व इसके गुणात्मक निस्तारण की व्यवस्था हेतु पूर्व से टोल फ्री नम्बर 18001802877 व वाट्स ऐप नम्बर 9415049606 स्थापित है। महिला बस यात्रियों के सुरक्षित एवं संरक्षित बस यात्रा के लिये दामिनी नाम से हेल्पलाइन नम्बर 8114277777 स्थापित की गयी है।
- **लोकार्पण-** बस स्टेशन बिजनौर, महमूदाबाद, भोगांव, करहल, बेवर, शाहजहाँपुर, महोबा, कासगंज, आजमगढ़, मुबारकपुर, मछलीशहर, मवाना, लोनी (गाजियाबाद), मोदीनगर (गाजियाबाद),

विंध्याचल, जारीबाजार (प्रयागराज), प्रतापगढ़, अतरौलिया, जौनपुर, कटघर (मुरादाबाद), हसनपुर (बिजनौर), बहराइच, शिवगढ़ (रायबरेली), बाराबंकी, बरसाना (मथुरा), फर्रुखाबाद, बुलन्दशहर, खुर्जा, सिकन्द्राबाद, भैसाली (मेरठ), रामनगर (बाराबंकी), कायमगंज फर्रुखाबाद), चांदपुर (बिजनौर), नौसढ़ (गोरखपुर), बस स्टेशन कचहरी (गोरखपुर), मेहदावल (सन्तकबीरनगर), बस स्टेशन एवं डिपो कार्यशाला अमेठी, बेल्थरारोड, नजीबाबाद, रूपैडिहा, डिपो कार्यशाला सैफई, (इटावा)।

- **शिलान्यास**–बस स्टेशन मसूदाबाद (अलीगढ़), औराई (सन्त रविदासनगर), अम्बेडकरनगर, छिबरामऊ, घाटमपुर (कानपुर), कसया (कुशीनगर), डिबाई (बुलन्दशहर), उरई (जालौन), बस्ती बस स्टेशन एवं डिप कार्यशाला टाण्डा, राठ व मंझनपुर (कौशाम्बी) तथा कासगंज।
- **पी.पी.पी. पद्धति**– बस स्टेशनों के आधुनिकीकरण के दृष्टिगत प्रदेश के 23 प्रमुख बस स्टेशनों को आलमबाग बस की तरह से पी.पी.पी. पद्धति पर विकास किये जाने हेतु कार्यवाही गतिशील है।
- **रक्षाबंधन पर्व**– 2019 में 12.04 लाख, व-र्ा 2018 में 11.69 लाख एवं व-र्ा 2017 में लगभग 11.16 लाख महिला यात्रियों को निःशुल्क यात्रा प्रदान की गयी।
- परिवहन निगम में लाभ-परिवहन निगम यात्रियों को सुविधाजनक परिवहन सेवा उपलब्ध कराते हुए वर्ष 2018-19 में रू. 39.85 करोड़ व वर्ष 2017-18 में रू. 122.69 करोड़ लाभ में रहा। परिवहन निगम विगत 5 वर्षों से लाभ की स्थिति में है। वित्तीय वर्ष 2019-2020 में माह अप्रैल, 2019 से मार्च, 2020 तक रू. 52.14 करोड़ का लाभ हुआ।
- कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत देशव्यापी लॉकडाउन की अवधि में परिवहन निगम द्वारा आपातकालीन संचालन कर माह मार्च, 2020 में दिनांक 22.03.2020 से 27.03.2020 तक 1.91 लाख व दिनांक 28.03.2020 से 31.03.2020 तक 5.49 लाख, कुल 7.40 लाख प्रवासी श्रमिकों उनके गृह जनपद तक भेजा गया।
- **कोविड-19 संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिये परिवहन निगम द्वारा बस स्टेशन एवं बसों के संचालन में किये गये सुरक्षात्मक उपायेंः-**
  - ♦ समस्त बस स्टेशनों की नियमित रूप से सफाई तथा डिस्इन्फैक्टेन्ट से सैनेटाईजेशन की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जा रही है।
  - ♦ प्रत्येक बस के निर्गमन के पूर्व वाहय व आंतरिक सफाई एवं सैनिटाईजेशन कराया जा रहा है।
  - ♦ ड्यूटी हेतु उपस्थित समस्त कार्मिकों एवं चालक/परिचालक हेतु मास्क एवं हैण्ड सैनेटाईजर की व्यवस्था करते हुये, नियमित प्रयोग सुनिश्चित कराया जा रहा है।
  - ♦ बस स्टेशन पर निगम कार्मिक एवं यात्रियों के प्रयोगार्थ हाथ धोने के लिये साबुन एवं हैण्ड सैनिटाइजर्स की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है।

♦ कोविड-19 वैश्विक संक्रमण के दृष्टिगत यात्रियों की सुरक्षा हेतु प्रत्येक बस स्टेशन पर टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिनके द्वारा निम्न व्यवस्थाओं की निगरानी एवं अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है-

√ बस स्टेशन के प्रवेश द्वार पर प्रत्येक यात्री की थर्मल स्कैनिंग सुनिश्चित की जा रही है।

√ प्रत्येक यात्री को अनिवार्य रूप से मास्क लगाने के उपरान्त यात्रा अनुमन्य की जा रही है।

√ बस स्टेशन पर कार्यरत निगम कार्मिक एव यात्रा अवधि में प्रत्येक चालक/परिचालक, यात्रियों को हैण्ड सैनेटाईजर की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।

√ बस स्टेशन परिसर में बेंच, शौचालय आदि अन्य सभी स्थानों का नियमित रूप में सैनेटाईजेशन का कार्य किया जा रहा है।

निगम को प्राप्त विभिन्न पुरस्कार-

√ माह जनवरी, 2020 में ए.एस.आर.टी.यू., नई दिल्ली द्वारा आयोजित 3rd International Conference & Exhibition on Public Transport Innovation 2020 (ICEPTI&2020) के कार्यक्रम में उ.प्र. परिवहन निगम को **''ग्रामीण कनेक्टिविटी''** हेतु **''राष्ट्रीय सार्वजनिक परिवहन उत्कृष्टता पुरस्कार-2019''** प्रदान किया गया। पुरस्कार स्वरूप प्रशंसा पत्र, एक मोमेंटो तथा 7.50 लाख की नकद धनराशि प्रदान की गयी।

√ माह जनवरी, 2020 में PCRA द्वारा पेट्रोलियम संरक्षण के लिये बेस्ट डिपो एवार्ड के अन्तर्गत माह अक्टूबर, 2018 से सितम्बर, 2019 को अवधि में विगत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में देश में सर्वाधिक डीजल औसत में वृद्धि के लिये देश के कुल चयनित 12 डिपो में से उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के 06 डिपो (सुल्तानपुर, उरई, बलरामपुर, बड़ौत, कासगंज व प्रतापगढ़ डिपो) को रू. 50,000.00 का नकद पुरस्कार एवं प्रतीक चिन्ह प्रदान किया गया।

√ माह अगस्त, 2019 में निगम को Elets Award- इफेक्टिव यूज आफ आई.टी इन इमप्लिमेंटिंग सिटीजन-सेन्ट्रिक सर्विसेज।

●

नागरिक उड्डयन

राज्य में उड्डयन निदेशालय की स्थापना वस्तुतः सन् 1975 में की गयी थी परन्तु इसका कार्यक्षेत्र केवल राजकीय वायुयानों के परिचालन तक सीमित था।

वर्ष 2001 द्वारा नागरिक उड्डयन विभाग का पुनर्गठन हुआ, जिसके अन्तर्गत विभाग को अलग-अलग निम्न इकाईयों में पुनर्गठित किया गयाः-

1. परिचालन इकाई।
2. अनुरक्षण, सुरक्षा एवं सामान्य प्रशासन इकाई।
3. उ0प्र0 उड़ान प्रशिक्षण संस्थान, कानपुर।

उक्त के अतिरिक्त एक इकाई उ0प्र0 एयरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो कि पहले प्राविधिक शिक्षा परिषद के अधीन कार्यशील थी, अब नागरिक उड्डयन विभाग के अधीन कार्यशील है। उ0प्र0 उड़ान प्रशिक्षण संस्थान, कानपुर अब अस्तित्व में नहीं है। वर्ष 2017 में मात्र 04 एयरपोर्ट (लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर तथा आगरा) थे तथा कुल 25 गन्तव्य स्थान (लखनऊ से 15, वाराणसी से 8, गोरखपुर से 1, आगरा से 1) हवाई सेवाओं से जुड़े थे।

वर्तमान में 07 एयरपोर्ट क्रियाशील हो गए हैं जिनसे कुल 63 गंतव्य स्थानों (लखनऊ से 21, वाराणसी से 20, गोरखपुर से 6, आगरा से 5, प्रयागराज से 7, कानपुर नगर से 3, हिण्डन से 1) के लिए हवाई सेवाएं उपलब्ध हैं तथा बरेली एयरपोर्ट उड़ान हेतु तैयार है। 12 एयरपोर्ट्स का विकास कार्य प्रशस्त है। वर्ष 2016-17 में 26.49 करोड़ यात्रियों की तुलना में वर्ष 2018-19 में 34.46 करोड़ यात्रियों द्वारा हवाई यात्रा की गयी। इस प्रकार यात्रियों का प्रशित 11.6 प्रतिशत बढ़ा है।

मुख्य कार्यकलाप

अ- उड़ान प्रतिबद्धताएँ

नागरिक उड्डयन विभाग का मुख्य कार्य शासकीय उड़ान प्रतिबद्धताओं को पूरा करना, एविएशन संबंधी बुनियादी ढाँचे का निर्माण/विकास करना तथा एविशन के क्षेत्र में दक्ष श्रमशक्ति सुनिश्चित करना और राज्य की उड्डयन संबंधी नीति निर्धारित करना है।

शासकीय उड़ान प्रतिबद्धताओं की पूर्ति हेतु वर्तमान में नागरिक उड्डयन विभाग की फ्लीट में 03 वायुयान तथा 03 हेलीकॉप्टर उपलब्ध हैं। उक्त फ्लीट उन्नत तथा आधुनिक विमानों से सुसज्जित है। सभी विमानों के संचालन तथा अनुरक्षण हेतु नागरिक उड्डयन विभाग आत्मनिर्भर है। विभाग की मेन्टीनेन्स फिसिलिटी डी0जी0सी0ए0 सी0ए0आर0-145 के अन्तर्गत अनुमोदित है।

ब- एविएशन ढाँचे का विकास

प्रदेश में एविएशन ढाँचे के अन्तर्गत लखनऊ तथा वाराणसी में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे हैं तथा प्रदेश के 08 स्थानों जैसे- गोरखपुर, आगरा, प्रयागराज, कानपुर नगर (चकेरी), सहारनपुर (सरसावा), बरेली, गाजियाबाद (हिण्डन) तथा लखनऊ (बक्शी का तालाब) में भारतीय वायुसेना के अधीन हवाई अड्डे हैं। कुशीनगर हवाई पट्टी को नागरिक हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जा रहा है और इसे संचालन हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को हस्तांतरित कर दिया गया है तथा भारत सरकार द्वारा कुशीनगर एयरपोर्ट को अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित किया जा चुका है। उक्त के अतिरिक्त प्रदेश में 16 हवाई पट्टियाँ हैं जो आपरेशनल हैं।

स- एविएशन के क्षेत्र में दक्ष श्रमशक्ति सुनिश्चित करना

नागरिक उड्डयन विभाग के अधीन लखनऊ एयरपोर्ट परिसर में एयरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट क्रियाशील है] जो निम्न संस्थाओं से मान्यता प्राप्त हैः-

1. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, भारत सरकार।
2. प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश।
3. महानिदेशक, नागर विमानन, भारत सरकार।
4. नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन।

इंस्टीट्यूट द्वारा एयरक्राफ्ट मेन्टीनेन्स इंजीनियरिंग का त्रिवर्षीय डिप्लोमा प्रशिक्षण मैकेनिकल स्ट्रीम तथा एवियानिक्स स्ट्रीम में प्रदान किया जा रहा है। जुलाई, 2017 से हेलीकॉप्टर स्ट्रीम तथा पावरप्लान्ट स्ट्रीम के पाठ्यक्रम को भी सम्मिलित किया गया है। प्रत्येक पाठ्यक्रम में 30 विद्यार्थी अर्थात् प्रतिवर्ष 90 विद्यार्थियों को शिक्षित किया जा रहा है। उक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा के माध्यम से किया जाता है। इन पाठ्यक्रमों का वार्षिक शुल्क 12,600/- प्रति छात्र है जिससे निम्न आय वर्ग के विद्यार्थी भी इस शुल्क का वहन कर सकें।

प्रमुख कार्य योजनाएं

अ- एयरपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास

उत्तर प्रदेश में अप्रैल 2017 में 4 एयरपोर्टस-लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर व आगरा एयरपोर्ट से व्यवसायिक वायु सेवाएं संचालित हो रही थी।

केन्द्र सरकार की नेशनल सिविल एवियशन पॉलिसी अर्थात उड़ान स्कीम के अंतर्गत 4 एयरपोर्टस-आगरा, कानपुर, प्रयागराज तथा बरेली में वायु सेना के हवाई अड्डों पर सिविल एयर टर्मिनल बिल्डंग बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराई गई, जिसमें से प्रयागराज तथा बरेली में कार्य पूर्ण कर इसका लोकार्पण भी किया जा चुका है।

वायुसेना के गाजियाबाद स्थित हिंडन एयरपोर्ट पर उड़ान स्कीम के अंतर्गत सिविल एयर टर्मिनल बिल्डिंग बनाने तथा अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसे सड़क, बिजली, ड्रेनेज आदि विकसित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सहयोग किया गया। हिंडन एयरपोर्ट पर सिविल एयर टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण पूर्ण कर इसका लोकार्पण भी किया जा चुका है तथा उड़ानें संचालित हैं।

वर्तमान में उत्तर प्रदेश के आपरेशनल एयरपोर्ट्स- लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, आगरा, प्रयागराज, कानपुर तथा हिंडन की संख्या 7 हो गयी है।

राज्य सरकार की विभिन्न जनपदों में कुल 16 हवाई पट्टियां मौजूद हैं। इन सभी हवाई पट्टियों को उड़ान स्कीम के अंतर्गत एयरपोर्ट में अपग्रेड करने के लिए प्रस्तावित करते हुए वहां से वायु सेवाओं का संचालन प्रारंभ करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा बिडिंग प्रक्रिया के माध्यम से इच्छुक एयरलाइन कंपनियों का चयन किया गया। इसमें उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक हवाई पट्टियों का चयन किया गया है।

ब- नोएडा इन्टरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जेवर, गौतमबुद्धनगर का विकास

- राज्य सरकार द्वारा जनपद गौतमबुद्धनगर के जेवर में 'नोएडा अन्तर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट' के विकास का कार्य कराया जा रहा है। एयरपोर्ट की स्थापना हेतु भारत सरकार के नागर विमानन मंत्रालय से साईट क्लीयरेन्स तथा इन-प्रिंसपल अप्रूवल तथा रक्षा मंत्रालय एवं गृह मंत्रालय से अनापत्ति प्राप्त है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से पर्यावरणीय क्लीयरेन्स भी प्राप्त हो गया है।

भूमि अर्जन

- एयरपोर्ट की स्थापना हेतु ''भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013'' के अन्तर्गत रु. 4078.38 करोड़ की लागत से कुल 1334 हे0 भूमि का अर्जन कर लिया गया है।
- एयरपोर्ट की भूमि से संबंधित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु आवश्यक 48.097 हे0 भूमि के अर्जन की कार्यवाही प्रशस्त है।

बिडिंग प्रक्रिया

- एयरपोर्ट के कार्यों में तीव्रता लाने के लिए एक ज्वाइंट वेन्चर कम्पनी ''नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड'' का गठन किया गया है। इस कम्पनी में राज्य सरकार के साथ नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी तथा यमुना एक्सप्रेस-वे अथॉरिटी अंशधारक हैं जिसमें राज्य सरकार की अंश धारिता 37.5 प्रतिशत, नोएडा अथॉरिटी की अंशधारिता 37.5 प्रतिशत, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की अंश धारिता 12.5 तथा यमुना एक्सप्रेस-वे अथॉरिटी की अंशधारिता 12.5 प्रतिशत है।
- नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जेवर के विकास हेतु विकासकर्ता (Concessionaire) के चयन के लिए Global E-Tender के माध्यम से Zurich Airport International AG का चयन किया गया है जिनके द्वारा रु. 400.97 प्रति यात्री राजस्व की बोली लगाई गई।
- गृह मंत्रालय, भारत सरकार से Security Clearance प्राप्त हो गया है। विकासकर्ता के साथ Concession Agreement हस्ताक्षरित किया जाना है।

एयरपोर्ट निर्माण व प्रोजेक्ट का संक्षिप्त विवरण

- पी0पी0पी0 मॉडल के अनुसार एयरपोर्ट का विकास चार चरणों में किया जाना है।
- वर्ष 2020-21 में इस एयरपोर्ट का निर्माण कार्य प्रारम्भ होकर प्रथम चरण का कार्य तीन वर्षों में पूर्ण होगा।
- वर्ष 2023-24 में इस एयरपोर्ट का शुभारम्भ होना लक्षित है।

- जब यह एयरपोर्ट प्रारम्भ होगा तो 12 मिलियन पैसेन्जर से शुरू होगा जो चरणवार बढ़ कर वर्ष 2040-50 तक बढ़ कर 70 मिलियन हो जायेगा।
- जेवर एयरपोर्ट कार्गो एयरपोर्ट भी है, 2040-50 तक 2.6 मिलियन टन कार्गो की क्षमता का विकास होगा। इससे व्यापार और उद्योगों को एक नई दिशा मिलेगी।
- जेवर एयरपोर्ट की स्थापना से कई लाख लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होगा तथा जेवर एयरपोर्ट की स्थापना से प्रत्यक्ष निवेश में बढ़ोत्तरी के कारण अर्थव्यवस्था में Multi Fold यानी गुणोत्तर वृद्धि होगी।

स- कुशीनगर अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का विकास

- कुशीनगर हवाई अड्डे के निर्माण हेतु 589.35 एकड़ भूमि का अधिग्रहण/क्रय किया गया है।
- उक्त भूमि पर रु. 199.42 करोड़ की लागत से एयरपोर्ट का निर्माण कराया जा रहा है।
- अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में विकसित और संचालित करने के लिए इसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हस्तांतरित किया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 की उपलब्धियाँ

क- एयरपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास : वित्तीय वर्ष 2018-19 में निम्नलिखित एयरपोर्ट्स का कार्य पूर्ण कराया गया :-

क्र.सं.	जनपद	परियोजना का नाम	लागत (रु. करोड़ में)	अभ्युक्ति
1.	सहारनपुर	सहारनपुर के सरसावा एयरबेस पर सिविल टर्मिनल के निर्माण हेतु भूमि क्रय।	43.00	भूमि क्रय पूर्ण।
2.	अयोध्या	अयोध्या में एयरपोर्ट के विकास हेतु भूमि क्रय आरम्भ किया गया।	640.00	22 प्रति0 भूमि क्रय का कार्य पूर्ण।
3.	कुशीनगर	कुशीनगर एयरपोर्ट के विकास एवं संचालन हेतु एयरपोर्ट को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को हस्तान्तरित किया गया।		95 प्रति0 कार्य पूर्ण।

नोएडा इन्टरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जेवर, गौतमबुद्धनगर का विकास

- ''भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013'' में विहित प्रक्रियानुसार एयरपोर्ट के लिए चिन्हित 1334 हे0 भूमि के अर्जन का कार्य पूर्ण किया गया।
- ग्लोबल बिडिंग के माध्यम से एयरपोर्ट के विकासकर्ता के रूप में Zurich International Airport AG का चयन किया गया, जिनके द्वारा रु. 400.97 प्रति यात्री राजस्व देने की बोली लगाई गई।
- एयरपोर्ट के विकास हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार से

Environmental Clearance प्राप्त हुआ। गृह मंत्रालय, भारत सरकार से Security Clearance प्राप्त होने के बाद तत्परतापूर्वक Concession Agreement हस्ताक्षरित किया जाएगा।

ख- एयर कनेक्टिविटी में वृद्धि

(1) उड़ानों एवं शहरों की कनेक्टिविटी

उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों से वायु मार्ग से जुड़े हुए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय डेस्टिनेशंस की संख्या में भी विगत 2 वर्षों में आशातीत सफलता प्राप्त हुई है। जहां अप्रैल 2017 में उत्तर प्रदेश के सभी शहर मिलाकर 17 डोमेस्टिक और 8 इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस से कनेक्टेड थे वहीं अब 51 डोमेस्टिक तथा 12 इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस से कनेक्टेड हैं।

(2) पैसेंजर ट्रैफिक में वृद्धि

प्रदेश में वर्ष 2016-17 में 59.98 लाख यात्रियों की तुलना में वर्ष 2018-19 में 89.07 लाख यात्रियों द्वारा हवाई यात्रा की गयी तथा यात्रियों का प्रतिशत 27.2 प्रतिशत बढ़ा। वर्ष 2018-19 की तुलना में वर्ष 2019-20 में 97.60 लाख यात्रियों द्वारा हवाई यात्रा की गयी तथा इस प्रकार यात्रियों का प्रतिशत 9.58 प्रतिशत बढ़ा है।

<u>विभाग की नीति</u>

उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति

भारत सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम को प्रदेश में बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति, 2017 जारी की गई है। उक्त नीति के अन्तर्गत आर0सी0एस0 तथा नॉन-आर0सी0एस0 उड़ानों के लिए विमानन कम्पनियों को विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन दिए जाने की व्यवस्था है।

जहां इस नीति से पूर्व रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम की प्रथम चरण की बिडिंग में 02 एयरपोर्ट तथा 05 एयररूट चयनित हुए, वहीं इस नीति के जारी होने के बाद हुई द्वितीय चरण की बिडिंग में 09 एयरपोर्ट तथा 22 एयररूट चयनित हुए। विशेषतया इलाहाबाद से 13 शहरों के लिए तथा 11 मंडल मुख्यालयों से नई उड़ान सेवा प्रारम्भ होंगी। इस नीति के अन्तर्गत प्रदेश के सभी मण्डल मुख्यालयों को लखनऊ द्वारा हवाई सेवा से जोड़े जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उक्त नीति के अन्तर्गत प्रदेश में एविएशन सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए आर0सी0एस0 तथा नॉन-आर0सी0एस0 उड़ानों के लिए विभिन्न रियायतें/प्रोत्साहन प्रदान किये गये हैं।

उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति, 2017 के माध्यम से प्रदेश में एविएशन सेक्टर को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश में स्थित एयरपोर्ट्स/एयरस्ट्रिप्स को विकसित करने की दिशा में नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा सराहनीय कार्य किया जा रहा है। इस सराहनीय कार्य के लिए 'विंग्स इण्डिया, 2018,' में प्रदेश सरकार को "Most Pro-Active State Government under RCS" अवार्ड भी प्राप्त हुआ है।

औद्योगिक विकास

वर्ष 1991 में वैश्वीकरण एवं उदारीकरण की प्रक्रिया आरम्भ हो जाने के कारण आर्थिक नीतियों के स्वरूप मे व्यापक बदलाव आया है। उक्त के फलतः औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया में सरकार की सीधी भूमिका न होकर अधिकाधिक वित्तीय सुविधाएं देने एवं सुविधाएं अवस्थापना उपलब्ध कराकर निवेश का वातावरण तैयार करने की हो गयी है। प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण के सृजन के दृष्टिगत 'उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017' निर्गत की गयी है। भारी उद्योगों के साथ-साथ सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम को प्रोत्साहन, मेगा औद्योगिक परियोजाओं की स्थापना हेतु विशेष सुविधाएँ प्रदान करते हुए पिछड़े क्षेत्रों में विशेष सुविधाएं एवं प्रोत्साहन प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। नीति के अन्तर्गत सिंगल विण्डो सिस्टम का सुदृढ़ीकरण तथा निवेश बोर्ड के गठन की कार्यवाही की जा रही है। इसी के साथ ही राज्य में औद्योगिकीकरण के माहौल को बेतहर बनाने के लिए जिला/मण्डल एवं राज्य स्तर पर उद्योग बन्धु का गठन किया गया है, जो उद्योगों की स्थापना में आने वाली कठिनाइयों के निराकरण हेतु समन्वयक का कार्य करता है।

प्रदेश का समन्वित विकास किये जाने के उद्देश्य से उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम, नोएडा ग्रेटर नोएड एवं अन्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण तथा संस्थाओं द्वारा प्रदेश में औद्योगिक अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जा रहा है।

वृहद उद्योग का विकास

किसी भी देश अथवा प्रदेश के त्वरित आर्थिक विकास में औद्योगिक विकास की महत्वपूर्ण भूमिका है। उद्योगों की स्थापना व विकास से न केवल तीव्र आर्थिक प्रगति प्राप्त होती है बल्कि भारी संख्या में रोजगार के अवसर भी सुलभ होते है। इस प्रकार उद्योगों की आधिकाधिक स्थापना से बेरोजगारी की समस्या का समाधान किया जा सकता है। वृहद उद्योगों का प्रदेश के विकास में अहम योगदान है। वृहद उद्योग जिस क्षेत्र में स्थापित होते हैं, उस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास की संभावना बलवती हो जाती है।

प्रदेश के त्वरित औद्योगिक विकास में अवस्थापना सुविधाओं का महत्वपूर्ण योगदान है, अतः उद्योगों को विश्व स्तरीय अवस्थापना सुविधाऐं उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। चूंकि औद्योगिक विकास में सरकार का मुख्य उद्देश्य विकासयुक्त वातावरण सृजित करने

का है, जिसके दृष्टिगत समस्त जनपद मुख्यालयों को आपस में फोर लेन सड़क मार्गों से जोड़ना, यमुना एक्सप्रेव वे एवं आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे के निर्माण के क्रम में लखनऊ से गाजीपुर तक एक्सप्रेस-वे का निर्माण लखनऊ पी0पी0पी0 के माध्यम से अन्य एक्सप्रेस वेज का निर्माण, राजकीय राजमार्गों का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण, केन्द्र सरकार की दिल्ली-मुंबई इण्डस्ट्रीयल कारीडोर व ईस्टर्न डेडेकेटेड फ्रेट, कोरीडोर प्रदेश से पास होने है इन योजनाओं का अधिकाधिक लाभ प्रदेश के उद्यमियों को उपलब्ध कराना, जेवर (बुलन्दशहर) व कुशीनगर में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे का विकास, उद्योगों को गैस पाइप लाइन से अधिकाधिक गैस उपलब्ध कराना, कैप्टिव पावर जेनरेशन को प्रोत्साहित करना, औद्योगिक क्षेत्रों में 24 घण्ट निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना, प्रदेश में नयी औद्योगिक इकाईयों की स्थापना हेतु लैण्ड बैंक के आंकड़ों को सुदृढ़ कर ई-गवर्नेन्स के माध्यम से उद्यमियों को उपलब्ध कराना व निजी क्षेत्र में औद्योगिक आस्थानों का विकास इत्यादि कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश के विकास को सुनिशिचित करने का प्रयास किया जा रहा है।

सरकार द्वारा उद्योगों के विकास को फैसिलिटेट करने के उद्देश्य से विश्व स्तरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। वृहद उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा उ0प्र0 औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 प्रख्यापित की गयी है। नीति के अन्तर्गत निवेशकर्ताओं एवं उद्यमियों को विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए गए है।

उद्योग बन्धु

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के औद्योगिक विकास को त्वरित गति देने के उद्देश्य से 1981 में उद्योग बन्धु की स्थापना उच्च स्तरीय समिति के रूप में की गयी थी जिससे लघु/मध्यम/वृहद औद्योगिक इकाईयों की समयबद्ध स्थापना एवं सम्बन्धित समस्याओं के निराकरण को सुनिश्चित करने हेतु यथोचित सहायता प्रदान की जा सके। औद्योगिक वातावरण के सृजन के महत्वाकांक्षी उद्यमियों को उत्प्रेरित करने तथा आधारभूत सुविधाओं जैसे-भूमि, विद्युत, वित्त वाणिज्य कर तथा अनुमय प्रोत्साहनों एवं सुविधाओं की यह संस्था न केवल जानकारी उपलब्ध करा रही है बल्कि औद्योगिक नीतियों का प्रतिपादन तथा शासकीय प्राविधानों के फलस्वरूप अनुभव की जा रही बाधाओं के लिए नीतिगत् निर्णय लेने तथा नीतियों में यथासंभव आवश्यक संशोधन कराने में उद्योग बन्धु उल्लेखनीय भूमिका निभा रही है।

उद्योग बन्धु के अध्यक्ष अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 है तथा इसके दैनिक कार्यों के दायित्व का सम्पादन अधिशासी निदेशक/संयुक्त अधिशासी निदेशकों द्वारा किया जाता है। उद्योग बन्धु को वर्ष 2009-10 में आई0एस0ओ0 9001-2008 प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के औद्योगिक विकास को त्वरित गति देने तथा औद्योगिक इकाईयों की स्थापना के सम्बन्ध में उद्यमी को न्यूनतम अवधि में विभिन्न सुविधायें, स्वीकृतियाँ/अनापत्तियाँ /अनमोदनादि उपलब्ध कराने, आवश्यक औपचरिकताओं को उनके द्वारा शीघ्र पूर्ण किये जाने मे उनकी यथोचित सहायता करने, उद्यमी की प्रक्रियात्मक/नीतिगत समस्याओं के निराकरण हेतु जटिल

प्रक्रियाओं क समय-समय पर सरलीकरण कर प्रदेश को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से उद्योग बन्धु के जनपद स्तर, मण्डल स्तर एवं राज्य स्तर पर विभिन्न समितियों का समय-समय पर गठन किया गया है। उद्योग बन्धु के उच्च स्तरीय समिति की बैठकों के माध्यम से उद्यमियों की समस्याओं के त्वरित निराकरण एवं अध्ययन में उद्योग बन्धु की गहन भूमिका को देखते हुए शासन ने 28 फरवरी 1989 को जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में तथा मंडल स्तर पर 23 जून 1990 को मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में मण्डलीय उद्योग बन्धु का गठन किय गया था। विभिन्न समितियों के माध्यम से उद्यमियों की जिन समस्याओं का समाधान जिला/मण्डल स्तर की समितियों में नहीं हो पाता है, उन्हें राज्य स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करके उनका समाधान उद्योग बन्धु द्वारा कराया जाता है।

शासनादेश दिनांक 20 मई, 2013 द्वारा प्रदेश के वर्तमान एवं भावी उद्यमियों को यथा सम्भव सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से उद्योग बन्धु की त्रि-स्तरीय व्यवस्था (जनपद स्तरीय उद्योग बन्धु, मण्डल स्तरीय उद्योग बन्धु एवं राज्य स्तरीय उद्योग बन्धु की व्यवस्था) को लागू रखते हुए उद्योग बन्धु में राज्य स्तरीय पर मा0 मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में "उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति", मुख्य सचिव की अध्यक्षता में "राज्य स्तरीय उद्योग बन्धु समिति", मंडल स्तर पर मंडलायुक्त की अध्यक्षता में मंडल उद्योग बन्धु समिति एवं जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला उद्योग बन्धु समिति तथा अधिशासी निदेशक की अध्यक्षता में त्रिपक्षीय वार्ता बैठक की व्यवस्था को पुर्नगठित कर दिया गया है।

वर्तमान में जिला/मण्डल स्तरीय उद्योग बन्धु उद्योगों को विद्युत स्वीकृत, कनेक्शन कर छूट, सुविधा, ऋण, कार्यशील पूंजी भूमि पर कब्जा दिलाया जाना आदि विभिन्न प्रकार स्वीकृतियाँ प्रदान कराने में पूर्ण सहयोग प्रदान करता है।

उद्यमियों की समस्याओं के समाधान हेतु अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु द्वारा सम्बन्धित विभागों के साथ त्रिपक्षीय बैठकों का नियमित आयोजन किया जाता है। जिससे सम्बन्धित विभाग व उद्यमी आमने-सामने बैठकर समस्याओं का समाधान करते हैं। इसके अतिरिक्त अवस्थपना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय उद्योग बन्धु की बैठक मासिक रूप से सम्पन्न की जाती है। जिन समस्याओं का समाधान त्रिपक्षीय बैठकों/उच्च स्तरीय बैठक के माध्यम से नहीं होता है उन्हें मुख्य सचिव की अध्यक्षता में "राज्य स्तरीय उद्योग बन्धु समिति" में प्रस्तुत कर समस्याओं का समाधान कराते है।

जिन समस्याओं का समाधान "राज्य स्तरीय उद्योग बन्धु समिति" के स्तर पर भी संभव नहीं होता है या ऐसा कोई महत्वपूर्ण नीति विषयक बिन्दु जो एक विभाग अथवा एक से अधिक विभाग से सम्बन्धित किसी महत्वपूर्ण निर्णायक बिन्दु उसमें समाहित होता है, तो मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में गठित "उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति" के समक्ष रखा जाता है।

उद्योग बन्धु का प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैः-

1. अवस्थापना, औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र में स्थापित किये जाने वाले उद्योगों को प्रदेश में उपलब्ध सुविधाओं, छूट, अन्य सुविधाओं जैसे भूमि, विद्युत, वाणिज्य कर इत्यादि से सम्बन्धित सूचनायें प्रदान करना। निवेशकों को प्रदेश के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने एवं अधिकाधिक निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से विभागीय वेबसाइट को सुदृढ़ किया गया है, जिसके माध्यम से औद्योगिक एवं अवस्थपना विभाग से सम्बन्धित सभी शासनादेशों एवं सम्बन्धित सूचनाएं इत्यादि सुगमता से प्राप्त किये जा सकते है।
2. उद्यमियों की समस्याओं को उच्च स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करना। उद्योगों के साथ-साथ अब सेवा क्षेत्र के उपक्रमों एवं अवस्थापकीय सुविधायें उपलब्ध कराने वाले उपक्रमों की भी समस्याओं को निराकरण एवं अनुश्रवण जिला स्तरीय उद्योग बन्धु, मण्डल स्तरीय उद्योग बन्धु एवं राज्य स्तरीय उद्योग बन्धु के बैठकों में किये जाने की व्यवस्था की गयी है।
3. शासन एवं विभिन्न विभागों से जनसंपर्क कराना एवं नीतियों के प्रख्यापन में शासन को राय देना। औद्योगिक व अवस्थापना निवेश नीति तैयार करना, अन्य विभागों की नीतियां तैयार करने में सहायता करना, नीतियों का प्रचार-प्रसार करना, प्रदेश में निवेश आकर्षण हेतु कार्यवाही करना तथा निवेश में आने वाली कठिनाईयों को दूर करना।
4. निवेश मित्र के मध्यम से ऑन-लाइन स्वीकृतियों एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की व्यवस्था करना। प्रदेश में लघु, मध्यम एवं वृहद उद्योगों को लगाने के लिए उद्यमियों को ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने, अनापत्तियाँ प्राप्त करने एवं सहमति प्राप्त करने हेतु समस्त जिलों में "निवेश मित्र" व्यवस्था लागू कर दी गई है, जिससे निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ेगी। निवेश मित्र के क्रियान्वयन हेतु सम्बन्धित विभागों को पूर्ण रूप से प्रशिक्षित किया जा रहा है तथा इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जा रहा है जिससे अधिक से अधिक उद्यमी लाभान्वित हो सके।
5. उद्यमियों को विभिन्न स्वीकृतियाँ/अनुमोदन एवं विभिन्न प्रकार की सुविधायें प्रस्तुत कराने में सहायता करना। प्रदेश में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए उद्यमियों की सुविधा हेतु प्रदेश के समस्त जिला स्तरीय उद्योग बन्धु में हेल्पडेस्क की स्थापना कर दी गई है जिसके माध्यम से उद्यमियों को विभिन्न सूचनायें उपलब्ध कराई जाती है तथा उद्योग की स्थापना हेतु विभिन्न स्वीकृतियाँ/सहमतियाँ/अनापत्तियाँ प्राप्त करने में सहायता दी जाती है।
6. विभिन्न सेमिनार्स, इन्टेकमार्ट, ट्रेडफेयर्स आदि में भाग लेना, समन्वय कार्य तथा भारत सरकार के विभागों द्वारा आयोजित बैठकों हेतु व उद्योग से सम्बन्धित विभिन्न औद्योगिक संगठनों से समन्वय करना।
7. प्रदेश में पूँजी निवेश को आकर्षित किये जाने की विस्तृत रणनीति बनाने एवं अधिक से अधिक निवेशकर्ताओं को आमंत्रित करने हेतु अन्य संस्थाओं द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में प्रतिभाग

करना। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर निवेश आकर्षण हेतु सेमिनार अथवा इन्वेस्ट्र्स समिट का आयोजना करना।

8. उद्योगों से सम्बन्धित डाटा की मॉनीटरिंग करना।
9. भारत सरकार/उद्योग निदेशालय से आई0ई0एम0 एवं एल0ओ0आई0 की नियमित रूप से सूचना का आदान-प्रदान करना।
10. विभिन्न मामलें जो कि मण्डलीय/जिला अथवा राज्य स्तर पर स्वीकृत होते हैं का संज्ञान रखना।

उ०प्र० एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा)

औद्योगिक विकास अनुभाग-4 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-4246/77-4-07-94 भा0/07 टी0सी0 दिनांक 27.12.2007 द्वारा 'उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976' की धारा 3 के अधीन उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) का गठन किया गया था।

यूपीडा की उपलब्धियाँ

यूपीडा द्वारा निम्नलिखित एक्सप्रेसवे परियोजनाओं का विकास किया जा रहा हैः-

1. आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे परियोजना
2. पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे परियोजना
3. बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना
4. गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना
5. गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना

● आगरा-लखनऊ प्रवेश नियंत्रित (ग्रीन फील्ड) परियोजन

ताज नगरी आगरा से राज्य की राजधानी लखनऊ तक, आगरा-लखनऊ प्रवेश नियंत्रित (ग्रीनफील्ड) एक्सप्रेसवे आगरा (आगरा इनर रिंग रोड) से प्रारम्भ होकर जनपद फिरोजाबाद, मैनपुरी,इटावा, औरेया, कन्नौज, हरदोई, कानपुर नगर, उन्नाव होते हुए लखनऊ में मोहान रोड़ पर ग्राम सरोसा-भरोसा में समाप्त होता है। इसकी लम्बाई 302.222 किमी0 है। एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है एवं इस पर यातायात संचालित है।

एक्सप्रेसव प्रवेश नियंत्रित 06 लेन चौड़ा (08 लेन में विस्तारणीय) है। इसके सभी स्ट्रक्चर्स 08 लेन चौड़ाई के निर्मित किये गय है। एक्सप्रेसवे की पूर्ण लम्बाई में स्थानीय जनता की सुविधा हेतु एक्सप्रेसवे के एक तरफ स्टैगर्ड रूप में सर्विस रोड का निर्माण किया गया। दीर्ध सेतु एवं आर0ओ0बी0 के भाग में सर्विस रोड का निर्माण नहीं किया गया है।

एक्सप्रेसवे पर कुल 13 दीर्ध सेतु का निर्माण किया गया है, जिसमें गंगा नदी पर 750 मी0 लम्बाई का तथा यमुना नदी पर 515 मी0 लम्बाई का सेते सम्मिलित है। एक्सप्रेसवे पर मुख्य मार्गों की क्रासिंग एवं आवश्यकतानुसार अन्य स्थलों पर कुल 17 इण्टरचेंज का निर्माण किया गया है।

एक्सप्रेसवे पर लखनऊ एवं आगरा के निकट 02 मुख्य टोल प्लाजा कम निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त इण्टरचेंज पर रैम्प प्लाजा का निर्माण किया गया है। आपातकालीन स्थिति में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों के लैण्डिंग/टेक ऑफ के लिये जनपद उन्नाव में 3,200 किमी0 हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है।

एक्सप्रेसवे पर यात्रियों की सुविधा के लिये लखनऊ से 75 किमी0 एवं 198 किमी0 की दूरी पर तथा आगरा से 101 किमी0 एवं 218 किमी0 की दूरी पर कुल 04 वेसाइड एमेनिटीज एरिया विकसित किये गये है। प्रत्येक वेसाइड एमेनिटीज ऐरिया पर खान-पान, पेयजल एवं शौचालय की सुविधा उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त वाहनों की पार्किंग/मरम्मत एवं यात्रियों के विश्राम हेतु कक्षों एवं डॉरमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। प्रत्येक वेसाइड एमेनिटीज पर आई0ओ0सी0एल0 एवं रिलायन्स द्वारा 02-02 फ्यूल स्टेशन का संचालन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 06 नं0 वे-साइड एमेनिटीज (03-एल0एच0एस0 03-आर0एच0एस0) का विकास बी0ओ0टी0 पद्धति पर करने की प्रक्रिया गतिमान है।

ट्रैफिक की सुरक्षा हेतु यूपीडा द्वारा एक्सप्रेसवे पर 10 इनोवा वाहनों पर 24 घण्टे पेट्रोलिंग करने हेतु तैनात किया गया है, जिन पर कुल 120 भूतपूर्व सैनिक की तैनाती की गयी है। इनका दायित्व दुर्घटना की स्थिति में धायलों को मदद पहुँचाना तथा सम्बन्धित अधिकारियों को सूचित करना है। इसके अतिरिक्त एक्सप्रेसवे के टोल कलेक्शन एजेन्सी मे0 ईगल इन्फ्रा द्वारा भी पेट्रोलिंग हेतु 10 वाहन संचालित किये जा रहे है। इसके अतिरिक्त एक्सप्रेसवे पर एडवॉस्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का संचालन भी किया जा रहा है।

● पूर्वांचल एक्सप्रेसवे प्रदेश नियंत्रित (ग्रीन फ्रील्ड) परियोजना

उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र के विकास के लिये राज्य सरकार के द्वार सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, अमेठी और अयोध्या के अतिरिक्त आर्थिक रूप से कम विकसित जनपदों आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर को प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जोड़ने के लिये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया जा रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ-सुल्तानपुर रोड (एन0एच0-731) पर स्थित ग्राम चाँदसराय, जनपद लखनऊ से प्रारम्भ होकर यूपी-बिहार सीमा से 18 किमी0 पूर्व राष्ट्रीय राजमार्ग सं0-31 पर स्थित ग्राम हैदरिया पर समाप्त होगा। एक्सप्रेसवे की लम्बाई 340.824 किमी0 है। इस परियोजना से जनपद लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अमबेडकरनगर, आजमगढ़, मऊ तथा गाजीपुर लाभान्वित होंगे।

एक्सप्रेसवे 06 लेन चौड़ा (08 लेन में विस्तारणीय) तथा संरचनाएं 08 लेन चौड़ाई की निर्माणाधीन है। एक्सप्रेसवे के एक ओर 3.75 मी0 चौड़ाई की सर्विस रोड स्टैगर्ड रूप में बनाई जायेगी जिससे परियोजना के आस-पास के गांव के निवासियों को एक्सप्रेसवे द्वारा सुगम आवागमन की सुविधा उपलब्ध हो।

इस एक्सप्रेसवे के अन्तर्गत (मैन कैरिजवे पर) कुल 07 रेलवे ओवर ब्रिज, 07 दीर्ध सेतु, 113 लघु सेतु, 11 इन्टरचेन्ज (07 टोल प्लाजा सहित), 06 रैम्प प्लाजा, 266 अण्डरपास तथा 500 पुलियों का निर्माण प्रगति में है। एक्सप्रेसवे पर आपातकालीन स्थिति में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों के लैण्डिग/टेक ऑफ के लिये जनपद अयोध्या में 3,200 किमी0 हवाई पट्टी का निर्माण भी प्रस्तावित है।

परियोजना से लाभ

- एक्सप्रेसवे के निकट एण्डस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, मेडिकल संस्थान आदि की स्थापना हेतु भी अवसर सुलभ होंगे।
- एक्सप्रेसवे हैण्डलूम उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों, भण्डारण ग्रह, मण्डी तथा दुग्ध आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु एक उत्प्रेरक के रूप में काम आयेगा।
- एक्सप्रेसवे के निर्माण से परियोजना आच्छादित क्षेत्रों में पर्यटन के विकास को बल मिलेगा एवं विकास से उपेक्षित प्रदेश के इन पूर्वी क्षेत्रों का सर्वांगीण एवं चंहुमुखी विकास संभव हो सकेगा।

परियोजना की कुल अनुमानित लागत रू0 22494.66 करोड़ तथा सिविल निर्माण की अनुबन्धित लागत रू0 11216.10 करोड़ है।

निर्माण हेतु पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे के कुल 8 पैकेजों में विभक्त किया गया है। जिन पर कार्य तेजी से प्रगति पर है।

पूर्वांन्चल एक्सप्रेसवे पर मिट्टी का कार्य 70 प्रतिशत से अधिक पूर्ण कर लिया गया है।

पुनः 340.824 कि0मी0 कुल लम्र्बा के विरूद्ध 188 कि0मी0 साबग्रेड, 177 कि0मी0 जी0एस0बी0, 140 कि0मी0 डब्लू0एम0एम0, 116 कि0मी0 डी0बी0एम0 एवं 0.9 कि0मी0 बिटुमिनस कान्क्रीट का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

इसी प्रकार कुल 113 लघु सेतुओं में से 10 लघु सेतु, 266 अण्डटर पासेज के विरूद्ध 102 अण्टर पासेज का निर्माण किया जा चुका है।

पूर्वांन्चल एक्सप्रेसवे में कुल 7 दीर्ध सेतुओं का निर्माण किया जाना है। इन समस्त दीर्ध सेतुओं पर कार्य तेजी से प्रगति में है और इनकी नीव कार्य (पाइलिंग) 90 प्रतिशत से अधिक एवं पीयर/शॉफ्ट का कार्य लगभग 80 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है।

इसी प्रकार पूर्वांन्चल एक्सप्रेसवे पर कुल 7 रेलवे उपरगामी सेतुओं (आर0ओ0बी0) का निर्माण भी प्रस्तावित है। आर0ओ0बी0 निर्माण कार्य हेतु कई चरणों में रेलवे विभाग से अनापत्ति/ड्राइंग डिजाइन का अनुमोदन प्राप्त किया जाना रहता है। अनापत्ति/अनुमोदन प्राप्त करने में उल्लेखनीय प्रगति करते हुए नींव का कार्य लगभग 60 प्रतिशत एवं पीयर/शाफ्ट का कार्य 32 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है।

- बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे प्रवेश नियंत्रित (ग्रीन फील्ड) परियोजना

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनपद चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर व जालौन जैसे आर्थिक रूप से कम विकसित जिलों के सर्वांगीण विकास हेतु बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण प्रारम्भ कराया जा रहा है। यह एक्सप्रेसवे प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र को देश की राजधानी दिल्ली से आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे एवं यमुना एक्सप्रेसवे के माध्यम से जोड़ेगा तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा। एक्सप्रेसवे झाँसी-इलाहाबाद राष्ट्रीय मार्ग सं0-35 भरतकूप के पास जनपद चित्रकूट से प्रारम्भ होकर आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ग्राम कुदरैल के पास जनपद इटावा में समाप्त होगा। एक्सप्रेसवे की लम्बाई 296.070 किमी0 होगी। इस परियोजना से जनपद चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन एवं इटावा लाभान्वित होंगे।

बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे 04 लेन चौड़ा (6 लेन में विस्तारणीय) तथा संरचनाएं 06 लेन चौड़ाई की बनायी जायेगी। एक्सप्रेसवे के एक ओर 3.75 मी0 चौड़ाई की सर्विस रोड स्टैगर्ड रूप में बनाई जायेगी जिससे परियोजना के आस-पास के गांव के निवासियों को एक्सप्रेसवे पर सुगम आवागमन की सुविधा उपलब्ध हो सके।

एक्सप्रेसवे पर 04 रेलवे ओवर ब्रिज, 14 दीर्ध सेतु, 06 टोल प्लाजा, 07 रैम्प प्लाजा, 268 लघु सेतु, 18 फ्लाई ओवर तथा 214 अण्डरपास का निर्माण कराया जायेगा।

इस परियोजना कुल अनुमानित लागत रू0 14849.09 करोड़ एवं सिविल निर्माण की अनुमानित लागत रू0 8869.52 करोड़ है।

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नौएडा)

उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास अधिनियम-1976 के अन्तर्गत संस्थापित नौएडा (नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सीमावर्ती उत्तर प्रदेश की सीमा में उत्तर में एन0एच0-24, पश्चिम में यमुना नदी एवं पूर्व में हिण्डन नदी से बंधे हुए क्षेत्र में नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नौएडा) का सृजन किया गया था, जो कि आज एक सुनियोजित एकीकृत एवं आधुनिक औद्योगिक शहर के रूप में जाना जाता है, जो अपने बहुआयामी विकास की ओर निरन्तर प्रगतिरत है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पड़ने वाले 81 ग्रामों को सम्मिलित करते हुए लगभग 20,316.00 हेक्टेयर (203.16 किलोमीटर) क्षेत्रफल पर विकास की रूप रेखा निर्धारित करने के लिए वर्ष 2031 तक के लिए महायोजना तैयार की गयी है। नौएडा प्राधिकरण के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य का औद्योगिक क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हैं, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदेश की प्रगति का परिचायक है।

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (ग्रेटर नौएडा)

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के गठन उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधियिम, 1976 के अधीन वर्ष 1991 में किया गया, जिसमें तहसील सिकन्द्राबाद, जिला बुलन्दशहर के 75 गाँव तथा तहसील दादरी जिला गाजियाबाद के 49 गाँव अधिसूचित किए गए थे।

इस प्रकार ग्रेटर नौएडा क्षेत्र में वास्तुशिल्प एवं अभियान्त्रिकी की आधुनिकतम तकनीकी पर आधारित है तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के मानकों ग्रेटर नोएडा का विकास किया जा रहा है। औद्योगिक क्षेत्र के साथ-साथ यहाँ आवश्यक सुविधाओं, व्यावसायिक क्षेत्रों, व्यापार केन्द्रों, कार्यालयों, सेकेन्ड्री स्कूलों, तकनीकी एवं प्राविधिक संस्थानों, अस्पातालों और चिकित्सा सेवा सुविधाओं तथा मनोरंजन के क्षेत्रों का एक आधुनिक एवं व्यापक मूल ढ़ांचा भी उपलब्ध होगा। क्षेत्र के सुनियोजित विकास हेतु भूमि अर्जन कर वाह्य एवं आन्तरिक सड़कों का निर्माण एवं जल निकासी पेयजल व्यवस्था, विद्युतीकरण, मल निकासी एवं सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट की स्थापना, सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट, उद्यानों का विकास एवं पर्यावरण सुधार हेतु वृक्षारोपण आदि प्राधिकरण के मुख्य कार्यक्रम है। समस्त नगरीय मूलभूत सुविधओं का विकास एवं अनुभाग का कार्य प्राधिकरण की मुख्य गतिविधियों में सम्मिलित है।

इस क्षेत्र का विकास राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उत्तर प्रदेश उप क्षेत्रीय योजना 2021 के प्राविधानों के अनुरूप किया जा रहा है। योजना के प्रथम चरण (2001-2011) में लगभग 8500 हेक्टेरय अतिरिक्त भूमि का विकास किया जाना प्रस्तावित है। महायोजना 2021 के अनुसार वर्ष 2021 तक कुल 22255 हेक्टेयर भूमि को विकसित करने का प्रस्ताव है। महायोजना 2021 के अनुसार क्षेत्र की आबादी लगभग 7 लाख तथा महायोजना 2021 के अनुसार क्षेत्र की आबादी लगभग 12 लाख होगी जिसमें क्षेत्र में पड़ने वाले ग्रामों की आबादी भी सम्मिलित है।

- ग्राम्य विकास कार्यों की प्रगति आख्या

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु प्रस्तावित बजट रू0 200.00 करोड़ के अन्तर्गत ग्राम विकास कार्य कराया जा रहा है। ग्रेटर नौएडा के अधिसूचित 124 ग्रामों के कृषकों के आर्थिक, शैक्षिक एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी विकास हेतु प्राधिकरण द्वारा सेक्टरों की भांति ग्रामों क विकास एवं जन स्वास्थ्य निरन्तर सफाई अभियान की योजनाएं सतत चलाई जा रही है। प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित ग्रामों में से जिन ग्रामों की सम्पूर्ण भूमि अधिग्रहित कर ली जाती है, जैसे सीवर, ड्रेनेज, पानी, बिजली एवं बारातघर इत्यादि। ग्रामों को संतृप्त करने हेतु नाली, खडंजा, सी0सी0 रोड़ एवं ग्रामीण विद्युतीकरण सम्बन्धित कार्य वर्ष 2019-20 में भी कराया जाना प्रस्तावित है। प्राधिकरण क्षेत्र में नियोजित सैक्टरों के अन्दर आने वाले समस्त ग्रामों को शहर में मुख्य सीवर से जोड़ा गया है/जा रहा है एवं अधिसूचित समस्त ग्रामों में सीवर लाईन डाल दी गई है जिनकों STP से संयोजित करने का कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त लगभग 50 ग्रामों में सामूहिक शौचालयों का निर्माण भी प्राधिकरण द्वारा किया गया है।

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 1976) की धारा 2 के खण्ड (घ) के अधीन 'औघोगिक विकास क्षेत्र' घोषित किया गया एवं राज्यपाल द्वारा अग्रतर उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन अधिनियम के प्रयोजनार्थ ताज एक्सप्रेसवे औघोगिक विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। यमुना एक्सप्रेसवे के अधिसूचित क्षेत्र

में जनपद गौतमबुद्ध नगर, बुलन्दशहर, अलीगढ़, हाथरस (महामायानगर), मथुरा व आगरा के कुल 1188 ग्राम अधिसूचित है। यमुना एक्सप्रेसवे औघोगिक विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत ग्रेटर नौएडा से आगर तक 165,537 किलोमीटर लम्बाई में 06 लेन (08 लेन तक विस्तारणीय) के एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया जाना।

यमुना एक्सप्रेसवे के उद्देश में आगरा के साथ ही पश्चिमी उ0प्र0 के अधिकांश भागों को देश की राजधानी से जोड़ना है। यमुना नदी के पूर्वी भाग पर मुख्य टाउनशिप स्थापित करना तथा प्राधिकरण क्षेत्र के सुनियोजित विकास में औद्यागिक, आवासीय, वाणिज्यिक, संस्थागत, सरकारी एवं अर्द्धसरकारी क्रियाकलापों में भौतिक मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराया जाना है।

परियोजना हेतु काश्तकारों से उचित दर पर भू-अर्जन के प्रतिकर भुगतान के अतिरिक्त प्रभावित काश्तकारों को पुनर्वास एवं पुनर्स्थपना सुविधायें प्रदान की जा रही है। अधिग्रहण से प्रभावित मूल काश्तकारों को उनकी अधिग्रहीत भूमि का 07 प्रतिशत भूमि आबादी हेतु आवंटन तथा इन ग्रामों में अवस्थापना सुविधाओं में स्कूल, बारातघर, सामुदायिक केन्द्र, सड़क, नाली व सीवर आदि का विकास कराये जाने का प्रावधान है।

प्राधिकरण की उपलब्धियों एवं परियोजनाओं का संक्षिप्त विवरण

- यमुना एक्सप्रेसवे औघोगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना उत्तर प्रदेश औघोगिक क्षेत्र विकास अधिनियम-1976 की धारा-3 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना दिनांक 24-04-2001 के माध्यम से की गयी। गठन के समय प्राधिकरण का नाम ताज एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण था जिसे अधिसूचना संख्या 1165-08-65एन/08 दिनांक 11-07-2008 द्वारा यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण कर दिया गया।
- वर्ष-2007 में यमुना एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।
- यमुना एक्सप्रेसवे परियोजना पी0पी0पी0 मॉडल पर ग्रेटर नोएडा से आगरा तक 165 किलोमीटर लम्बाई में 06 लेन एक्सप्रेसवे का निर्माण बिल्ट ऑपरेट एण्ड ट्रांसफर (बी.ओ.टी.) परियोजना के अन्तर्गत जेपी इन्फ्राटेक लि0 द्वारा कराया गया है, जिस पर वर्तमान में आवागमन जारी है।
- इस एक्सप्रेसवे में 6 स्थानों पर इन्टरचेन्ज (जीरो प्वाइन्ट, जेवर, टप्पल, मथुरा, सादाबाद रोड तथा आगरा) बनाये गये हैं। एक्सप्रेसवे के तीन स्थानों (जेवर, मथुरा व आगरा) पर टोल प्लाजा का निर्माण किया गया है।
- जनपद अलीगढ़ एवं मथुरा में दो अर्बन नोड्स (टप्पल-बाजना एवं राया) का प्रस्ताव शासन के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है।
- जनपद हाथरस एवं आगरा के अधिसूचित क्षेत्र में प्रस्तावित अर्बन नोड की महायोजना तैयार किये जाने का कार्य प्रगति पर है।

- अधिसूचित क्षेत्रान्तर्गत आने वाले 08 जनपदों में कुल 12030 हे0 भूमि अर्जन/आपसी सहमति से क्रय/पुनर्ग्रहण/हस्तांतरण द्वारा प्राप्त की गई है।

उ०प्र० राज्य औद्योगिक विकास निगम लि० कानपुर (यूपीएसआईडीसी)

निगम का अभ्युदय एवं उद्देश्य

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना वर्ष 1961 में औद्योगिक अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु की गई थी। निगम के अधिकृत पूँजी रू0 4000 लाख एवं चुकता पूँजी रू0 2407.51 लाख है, जिसमें सम्पूर्ण योगदान उत्तर प्रदेश सरकार का है। निगम अपने स्थापना के वर्ष से ही निरन्तर लाभ अर्जित करते हुए अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इस निगम को शासन द्वारा औद्योगिक अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए नोडल एजेंसी नामित किया गया है। निगम द्वारा प्रमुख रूप से औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है।

वर्तमान में उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम (यूपीएसआईडीसी) का संविलियन उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) में अधिसूचना संख्या 1285/79-वी-1-18-2(क) 8-2018 दिनांक 27.06.2018 के द्वारा प्रभावी हो गया है।

निगम द्वारा प्रमुख रूप से औद्योगिक क्षेत्रों का विकास व अवस्थापना सुविधाओं के क्षेत्र में निजी क्षेत्रों की भागीदारी सुनिश्चित कराने का कार्य किया जा रहा है। निगम प्रदेश के तीव्र, सर्वांगीण औद्योगिक विकास के लिए मुख्य रूप से निम्न कार्यों को सम्पादित कर रहा हैः-

1. प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं से युक्त एकीकृत औद्योगिक नगरी एवं औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करके औद्योगिक एवं अन्य सम्बन्धित उपयोगों हेतु भूखण्ड/भवन उपलब्ध कराना।
2. औद्योगिक अवस्थापना सुविधाओं के विकास एवं इसमें निजी क्षेत्रों की भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए नोडल संस्था के रूप में कार्य करना।
3. सार्वजनिक/अर्द्ध सार्वजनिक संस्थानों के लिए निर्माण संचय आधार पर सम्पादित करना।
4. बड़े उद्योगों/अवस्थापना परियोजनाओं हेतु भूमि अधिग्रहण।

निगम ने अपने विभिन्न कार्यकलापों द्वारा प्रदेश के औद्योगिक विकास की गति में तीव्रता लाने एवं प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों की विपुलता के अनुरूप औद्योगिक वातावरण के सृजन की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पूर्व के वर्षों में निगम द्वारा सामान्य औद्योगिक क्षेत्र ही विकसित किये जा रहे थे, किन्तु वर्तमान औद्योगिक नीति के परिप्रेक्ष्य में अब एकीकृत औद्योगिक नगरियों का विकास प्रारम्भ किया गया है एवं कतिपय विशिष्ट प्रयोजन यथा वस्त्र कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण व चमड़ा आदि के लिए विशिष्ट औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित किया जा रहा है। निगम द्वारा विकसित किये गये औद्योगिक क्षेत्रों में लगभग 22326 से भी अधिक वृहत, मध्यम एवं लघु इकाईयों की स्थापना हुई है।

औद्योगिक क्षेत्रों का विकास

औद्योगिक इकाई की स्थापना के लिए भूमि की सर्वप्रथम अपरिहार्य आवश्यकता होती है। उद्यमियो को उचित दर पर नियोजित औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि उपलब्ध कराने का दायित्व निगम को सौंपा गया है। निगम द्वारा औद्योगिक क्षेत्र योजना के अधीन सड़क, नाली, विद्युत लाइनें तथा अन्य प्राथमिक/सहायक अवस्थापना सुविधाओं से युक्त विभिन्न आकारों के विकसित भूखण्ड उद्यमियों को 90 वर्ष के पट्टे पर आवंटित किये जाते हैं। निगम की स्थापना के समय से निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति में योगदान मिला है:-

1. उद्यमियों को उचित दरों पर औद्योगिक भूखण्ड उपलब्ध कराना।
2. प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक संभाव्यता का कुशलतम दोहन।
3. प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों का समान व संतुलित औद्योगिक विकास।

उ०प्र० राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण

उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0 की सम्पत्तियों, शक्तियों, कृत्यों, दायित्वों आस्तियों, कर्तव्यों और कार्मिक को उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा-3 के अधीन गठित उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) में अन्तरित करने और उससे सम्बन्धित या आनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0 (आस्तियों एवं दायित्वों का अन्तरण) अध्यादेश, 2018 शासन द्वारा गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 1285/79-वि-1-18-2(क)8-2018 दिनांक 27.06.2018 द्वारा प्रभावी किया गया है। उक्त अध्यादेश के अनुच्छेद-3 व 4 के अधीन उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0 की समस्त परिसम्पत्तियों, दायित्वों, कार्यकलापों एवं कार्मिकों को यूपीसीडा में नियत तिथि दिनांक 27.06.2018 अंतरित कर दिया गया है। तद्नुसार निगम द्वारा संचालित समस्त कार्य तथा राज्य सरकार द्वारा समनुदेशित अन्य विकास कार्यों का दायित्व दिनांक 27.06.2018 से यूपीसीडा में निहित हो गया है।

6. गीडा क्षेत्र में कामन इफलूएण्ट ट्रीटमेन्ट प्लान्ट (सी०ई०टी०पी०) की स्थापना

परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उ0प्र0 जल निगम, गोरखपुर के पत्रांक दिनांक 05.10.2018 द्वारा 15 एम0एल0डी0 का रू0 76.79 करोड़ का डी0पी0आर0 सी0ई0टी0पी0 के निर्माण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

उप सचिव, औद्योगिक विकास अनुभाग-4, के उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या-3431/77-4-19-55एल0सी0/15, दिनांक 18.11.2019 द्वार अवगत कराया गया है कि गीडा में सी0ई0टी0पी0 की स्थापना किए जाने हेतु रू0 20.00 करोड़ अवस्थापना विकास कोष से प्रदान किए जाने की कार्यवाही अवस्थापना विकास अनुभाग से प्रचलित है तथा रू0 17.00 करोड़ का अंशदान गीडा से भी दिए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। दिनांक 15.11.2019 को गीड़ा प्राधिकारी बोर्ड की 54वीं बैठक में प्रस्ताव संख्या 54.06 पर गीडा द्वारा 17.00 करोड़ का अंशदान दिए जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया है।

यह भी अवगत कराना है कि सी0ई0टी0पी0 स्थापित किए जाने हेतु ग्राम-अड़िलापार गीड़ा में 11.15 एकड़ भूमि क्रय कर लिया गया है।

गीडा क्षेत्र के सेक्टर-7 में 1 मेगावाट के सोलर पार्क की स्थापना

गीडा प्रशासनिक कार्यालय सेक्टर-7 के निकट विद्युत गलियारे हेतु रिक्त अनुपयोगी लगभग 11,754.00 वर्गमीटर भूमि को सौर ऊर्जा पार्क एवं हरित पार्क विकसित करने हेतु 25 वर्षों हेतु लीज पर देने हेतु विज्ञापन प्रकाशित कराया गया है। उक्त विज्ञापन के सापेक्ष प्राप्त आफर में सर्वाधिक दर रू0 126.00 प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष देने वाले फर्म मैसर्स सॉयलेन्ट ग्रीन एनर्जी प्रा0 लि0, गोरखपुर के पक्ष में आवंटित किया गया है। फर्म द्वारा उक्त भूमि पर 1 मेगावाट से अधिक की सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जायेगा, साथ ही उक्त भूमि पर हरित पार्क भी विकसित किया जायेगा, जिसका उपयोग जनमानस द्वारा किया जा सकेगा। उक्त भूखण्ड को लीज पर देने से गीडा को लगभग रू0 14.81 लाख वार्षिक आय होगी जिसमें आगामी वर्षों में 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि भी प्राविधानित है। फर्म के साथ लीज डीड की कार्यवाही दिनांक 29-08-2019 को सम्पन्न हो चुकी है तथा दिनांक 17-09-2019 को भूमि पर कब्जा हस्तगत किया जा चुका है। फर्म द्वारा शिलान्यास भी किया जा चुका है।

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम (यू0पी0एफ0सी0), कानपुर

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना भारत सरकार के राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत वर्ष 1954 में राज्य सरकार द्वारा इस उद्देश्य से की गयी थी कि प्रदेश में सर्वांगीण औद्वयोगीकरण हेतु लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापनार्थ इकाईयों को भूमि, भवन एवं यंत्र संयंत्र की खरीद हेतु दीर्ध कालीन ऋण उपलब्ध कराया जा सके। राज्य वित्तीय निगम अधिनियम 1951 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वित्तीय निगम के निदेशक मण्डल का गठन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है तथा औद्योगिक इकाईयों को ऋण उपलब्ध कराने हेतु संसाधन जुटाने सम्बन्धी आवश्यक निर्देश समय-समय पर निगम के निदेशक मण्डल द्वारा राज्य सरकार की सहमति से जारी किये जाते है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन

उ.प्र. प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों की दृष्टि से औद्योगिक विकास हेतु अत्यन्त संभावनाशील प्रदेश है। प्रदेश की विशाल जनसंख्या जहाँ एक ओर कुशल मानव संसाधन उपलब्ध कराती है वहीं दूसरी ओर एक विशाल बाजार भी उपलब्ध कराती है।

इसी प्रकार प्रदेश की भौगोलिक स्थिति एवं प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता प्रदेश को औद्योगिक दृष्टि से अग्रणी बनाने हेतु अवसर प्रदान कराती है। ऐसे में प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों के कुशलतम उपयोग द्वारा प्रदेश को औद्योगिक दृष्टि से देश का अग्रणी राज्य बनाने एवं इस प्रकार व्यापक पूँजी निवेश एवं रोजगार सृजन करते हुए प्रदेश की विशाल जनसंख्या का जीवन स्तर समुन्नत करने के दृष्टिकोण से लघु उद्योग विभाग की स्थापना की गई जो कि अब सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग के नाम से जाना जा रहा है।

वैश्वीकरण एवं उदारीकरण के परिणामस्वरूप निरन्तर परिवर्तित हो रहे परिदृश्य में समावेशी विकास सुनिश्चित करने में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की भूमिका का विशेष महत्त्व हो गया है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम जहाँ एक ओर कम पूँजी एवं कम स्थान में व्यापक स्तर पर रोजगार सृजित करते हुए उद्यम स्थापना की सुविधा प्रदान करते हैं वहीं दूसरी ओर पर्यावरणीय दृष्टि से भी अधिक अनुकूल होते हैं। इस प्रकार इन उद्यमों के विकास से जहाँ प्रदेश का समावेशी एवं बहुआयामी विकास होता है वहीं रोजगार सृजन की असीम सम्भावनाएं भी उत्पन्न होती हैं।

विभाग की प्रमुख योजनायें

1. मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना

प्रदेश के शिक्षित युवा बेराजगारों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना संचालित है। योजनान्तर्गत उद्योग स्थापना हेतु रु. 25.00 लाख तक एवं सेवा क्षेत्र हेतु रु. 10.00 लाख तक का ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। राज्य सरकार द्वारा 25 प्रतिशत मार्जिन मनी उपलब्ध कराये जाने का भी प्रविधान है जो कि उद्योग क्षेत्र हेतु अधिकतम रु. 6.25 लाख तथा सेवा क्षेत्र हेतु रु. 2.50 लाख है। इस हेतु अभ्यर्थी को उ0प्र0 का मूल निवासी एवं हाई स्कूल उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी की आयु 18-40 वर्ष के मध्य किसी भी वित्तीय संस्थान से चूककर्ता (डिफाल्टर) नहीं होना चाहिए। योजनान्तर्गत गठित जिला स्तरीय चयनसमिति के माध्यम से चयनित तथा अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र बैंको को प्रेषित कर ऋण स्वीकृत एवं वितरण की कार्यवाही करायी जाती है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में 10000 इकाईयों को स्थापित कराने हेतु रु. 100.00 करोड़ की

धनराशि का प्राविधान किया गया है। 3898 लाभार्थियों के आवेदन पत्र बैंकों द्वारा स्वीकृत कराये गये, जिनमें से 2869 लाभार्थियों को लाभान्वित कराया गया एवं 15361 व्यक्तियों को रोजगार सृजित कराया गया।

2. विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना

प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के पारम्परिक कारीगरों, बढ़ई, दर्जी, टोकरी बुनकर, नाई, सुनार, लोहार, कुम्हार, हलवाई आदि स्वरोजगारियों तथा पारम्परिक हस्तशिल्पियों की कलाओं के प्रोत्साहन एवं संवर्धन तथा उनकी आय में वृद्धि के अवसर उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा विश्वकर्मा श्रम सम्मान संचालित योजना है। इस योजना से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के पारम्परिक कारीगरों एवं हस्तशिल्पियों को अधिक से अधिक स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे तथा वे अपनी आजीविका सुगमता से चला सकेंगे।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में 20000 पारम्परिक कारीगरों एवं हस्तशिल्पियों को लाभान्वित कराने हेतु रु. 3000.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी। रु. 2919.06 लाख की धनराशि व्यय करते हुए 19938 लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान कर टूलकिट का वितरण कराया गया।

3. एक जनपद एक उत्पाद योजना

प्रदेश में राजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा दिनाक 24.01.2018 को **''एक जनपद एक उत्पाद''** नाम से एक महत्वाकांक्षी योजना प्रारम्भ की गयी है। योजनान्तर्गत सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों तथा हस्तशिल्पी इकाईयों के माध्यम से प्रदेश के समावेशी एवं सतत् आर्थिक विकास हेतु प्रत्येक जनपद से विशिष्ट पहचान रखने वाले उत्पादों का चयन करते हुए उनके कुशलतापूर्वक उत्पादन एवं विपणन हेतु आवश्यक सुविधाओं का विकास किया जा रहा है।

ओडीओपी कार्यक्रम का प्रचार-प्रसार

वित्तीय वर्ष 2019-20 में इस योजनान्तर्गत रु. 2354.54 लाख बजट प्राविधान किया गया। रु. 1988.21 लख का सदुपयोग करते हुए निम्न उपलब्धियां प्राप्त की गयी-

- सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के माध्यम से प्रचार-प्रसार।
- दूरदर्शन पर ओडीओपी के 30 मिनट के 12 एपिसोड प्रसारित किये गये।
- यू.पी.टी.पी.ए. के माध्यम से विभिन्न मेला प्रदर्शनियों में प्रतिभाग।
- प्रदेश के समस्त जनपदों में उद्यम समागम के आयोजन हेतु गैपफॉडिंग।
- देश की प्रथम कारपोरेट संचालित ट्रेन **'तेजस'** के माध्यम से प्रचार-प्रसार इत्यादि।
- UPID द्वारा MSME विभाग के सहयोग से वाराणसी में आयोजित **''काशी एक रूप अनेक''** कार्यक्रम का आयोजन।
- उ0प्र0 हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लि0 द्वारा निगम के गंगोत्री प्रदर्शन कक्षों का ओडीओपी उत्पादों के मार्केटिंग प्लेटफार्म के रूप में उपयोग में निगम को रु. 438.60 लाख का रिवाल्विंग फण्ड प्रदान किया गया।
- Statue of Unity के निकट बन रहे एकता माल, केवड़िया, गुजरात में विभिन्न प्रदेशों के

हैण्डलूम व हैण्डीक्राफ्ट के प्रमोशन के लिये उ0प्र0 हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लि0 लखनऊ के माध्यम से दुकानें आवंटित करायी गयी। इस हेतु निगम को रु. 56.29 लाख की धनराशि उपलब्ध करायी गयी।

- लोकभवन, उ0प्र0 शासन, लखनऊ में ओडीओपी उत्पादों का डिस्पले कराया गया है।

'एक जनपद-एक उत्पाद' मार्जिनमनी ऋण अनुदान योजना

इस योजना के अन्तर्गत परियोजना की स्थापना हेतु परियोजना लागत के अनुसार अधिकतम रु. 20.00 लाख तक मार्जिनमनी अनुदान सुलभ कराये जाने का प्राविधान है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में इस योजनान्तर्गत रु. 10000.00 लाख बजट प्राविधान किया गया। रु. 4467.64 लाख का सदुपयोग करते हुए निम्न उपलब्धियां प्राप्त की गयी-

- औसतन रु. 3.00 लाख मार्जिन मनी उपादान के आधार पर कुल 3880 लाभार्थियों को 97.00 करोड़ की मार्जिन मनी अनुदान दिये जाने का लक्ष्य।
- योजनान्तर्गत स्वीकृत/उपलब्ध धनराशि रु. 5000.00 लाख से 1442 लाभार्थियों को रु. 4354.00 लाख का मार्जिन मनी वितरित किया गया, जिसके माध्यम से लगभग 20000 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया।
- एनआईसी के साथ समन्वय स्थापित करते हुए Online Portal विकसित किया गया है जो वित्तीय वर्ष 2020-21 से पूर्णतः संचालित किया जा सकेगा।

'एक जनपद-एक उत्पाद' सामान्य सुविधा केन्द्र प्रोत्साहन योजना

योजना के अन्तर्गत जनपद के चिन्हित उत्पादों के उत्पादन से ले कर विपणन तक के अवयवों जैसे-कच्चामाल, डिजाइन, गुणवत्ता सुधार, अनुसंधान एवं विकास, पर्यावरण एवं ऊर्जासंरक्षण, पैकेजिंग आदि की सुविधायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा 90 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता सुलभ कराने का प्राविधान किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में इस योजनान्तर्गत रु. 2500.00 लाख बजट प्राविधान किया गया। रु. 1900.00 लाख का सदुपयोग करते हुए निम्न उपलब्धियां प्राप्त की गयी-

- औसतन रु. 500.00 लाख परियोजना लागत की 10 सीएफसी की स्थापना कराये जाने का लक्ष्य।
- वित्तीय वर्ष 2019-20 में CFC स्थापना हेतु 13 जनपदों (आजमगढ़, उन्नाव, सिद्धार्थनगर, संभल, अम्बेडकरनगर, आगरा, मुरादाबाद-2 प्रस्ताव, बरेली, सहारनपुर, लखनऊ, वाराणसी, अलीगढ़ एवं सीतापुर) के 14 प्रस्ताव जिनकी परियोजना लागत रु. 92.07 करोड़ है, को बजट की उपलब्धता के आधार पर प्रथम किश्त के रूप में लगभग 20 प्रतिशत (19.17 प्रतिशत) जोकि रु. 17.62 करोड़ है, का भुगतान किया गया है।
- जनपद वाराणसी में वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार 9 CFC के पुनर्जीवीकरण हेतु रिवाल्विंग वर्किंग कैपिटल असिस्टेंट के रूप में रु. 1.05 करोड़ का भुगतान किया गया है।
- जनपद उन्नाव में जरी-जरदोजी क्लस्टर हेतु गैपफंडिंग के रूप में रु. 15.534 लाख का भुगतान किया गया है।

'एक जनपद-एक उत्पाद' कौशल विकास एवं टूल-किट वितरण योजना

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित किये गये उद्देश्यों की पूर्ति हेतु चिन्हित किये गये ओ0डी0ओ0पी0 उत्पादों के निर्माण हेतु चिन्हित उत्पाद की विधा में नि:शुल्क उचित प्रशिक्षण एवं आधुनिक टूलकिट उपलब्ध कराकर उत्पाद की गुणवत्ता सुधार के साथ-साथ कम श्रम, लागत एवं कम समय में गुणात्मक उत्पादन सुनिश्चित करना है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में इस योजनान्तर्गत रु. 5000.00 लाख बजट प्राविधान किया गया। रु. 4174.18 लाख का सदुपयोग करते हुए, निम्न उपलब्धियां प्राप्त की गयी-

- लगभग 20000 लाभार्थियों को कौशल उन्नयन व नि:शुल्क उन्नत टूल-किट वितरित कराये जाने का लक्ष्य।
- योजनान्तर्गत 11 संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
- योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में निर्धारित लक्ष्य 20000 के सापेक्ष 19529 लाभार्थियों का कौशल उन्नयन व 12900 लाभार्थियों को टूल-किट वितरित कराते हुए लगभग कुल रु. 4171.18 लाख का व्यय किया गया।
- योजना के पारदर्शी तरीके से क्रियान्वयन हेतु योजना को आन-लाईन किया जा रहा है। वर्तमान वर्ष में योजना आन-लाईन रूप से क्रियान्वित की जायेगी।

'एक जनपद-एक उत्पाद' विपणन प्रोत्साहन योजना

योजनान्तर्गत निम्नानुसार मेला प्रदर्शनियों में प्रतिभाग करने पर सहायता प्रदान किये जाने का प्राविधान है:-

- प्रदेश में आयोजित होने वाले मेला-प्रदर्शनियों में प्रतिभाग।
- प्रदेश के बाहर राष्ट्रीय स्तर के स्वदेश में आयोजित होने वाले मेला प्रदर्शनियों में प्रतिभाग।
- विदेशी व्यापार मेला प्रदर्शनियों में प्रतिभाग।
- इलेक्ट्रानिक कामर्स की प्रतिष्ठित वेबसाईट अथवा पोर्टल के माध्यम से व्यवसाय प्रारम्भ करना।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में इस योजनान्तर्गत रु. 3900.00 लाख बजट प्राविधान किया गया। रु. 188.27 लाख का सदुपयोग करते हुए, निम्न उपलब्धियां प्राप्त की गयीं-

- विभिन्न मेला प्रदर्शनियों में प्रतिभाग पर जनपद स्तर से प्राप्त दावों का भुगतान।
- योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि रु. 3900.00 लाख के सापेक्ष स्वीकृत/उपलब्ध धनराशि रु. 1000.00 लाख के सापेक्ष रु. 188.27 लाख का व्यय किया गया।
- ओडीओपी विपणन प्रोत्साहन योजना (एमडीए) के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाईयों के आलोक में नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया था। तद्क्रम में शासन के पत्र दिनांक 22 अप्रैल, 2020 द्वारा प्रचलित शासनादेश में कतिपय संशोधन किया गया है। अब विभिन्न मेला/प्रदर्शनियों में प्रदेश सरकार/भारत सरकार की Councils के माध्यम से प्रतिभाग सम्भव हो सकेगा।

- एनआईसी के साथ समन्वय स्थापित करते हुए on line portal विकसित किया गया है जो वित्तीय वर्ष 2020-21 से पूर्णत: संचालित किया जायेगा।

अन्य उपलब्धियां-

• ओडीओपी उत्पादों के विकास से सम्बन्धित सेमिनार का आयोजन-

- माह सितम्बर से नवम्बर, 2019 तक उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में जिला ओडीओपी उद्यम समागम कार्यक्रम आयोजित कराया गया।
- इस ''उद्यमसमागम'' में प्रत्येक जनपद स्तर पर बायरसेलर मीट, टेक्नोलॉजी एण्ड मशीनरी, डिजाईन एण्ड पैकेजिंग इत्यादि विषय-विशेषज्ञों द्वारा तकनीकी सत्रों का आयोजन भी कराया गया।
- FM Radio के माध्यम से सितम्बर से नवम्बर, 2019 के मध्य उद्यम समागम के अवसर पर ओडीओपी जिंगल प्रसारित कराया गया।

• जनपद स्तरीय वर्कशाप्स का आयोजन

- e-portal पर उत्पादों की मार्केटिंग हेतु Amazon के साथ एम.ओ.यू. किया जा चुका है।
- कुल 353 उत्पादकों के 11296 ओडीओपी उत्पाद अमेजान की साईट पर उपलब्ध हैं, जिसके सापेक्ष अब तक धनराशि रु. 120.81 लाख के 10849 उत्पादों की बिक्री हो चुकी है।
- Anuna Education Network Pvt Ltd द्वारा ओडीओपी के साथ समन्वय स्थापित करते हुए 20 जनपदों में ओडीओपी उत्पादों की नि:शुल्क ऑनबोर्डिंग की गयी।
- Gem पोर्टल पर 8 उत्पादों का पंजीकरण कराया जा चुका है तथा 14 ओडीओपी उत्पादों का GI पंजीकरण भी कराया जा चुका है।
- ओडीओपी उत्पादों के उत्पादकों के मध्य GI के सम्बन्ध में जागरूकता का सृजन करने हेतु दिनांक 28.08.2019 को एक विशेष सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें 21 जनपदों के उपायुक्तों द्वारा प्रतिभाग किया गया तथा सेमिनार में GI विशेषज्ञों द्वारा प्रक्रियाओं का प्रस्तुतीकरण किया गया, जिसके क्रम में 10 ओडीओपी उत्पादों के GI पंजीयन हेतु प्रस्ताव GI रजिस्ट्री चेन्नई को प्रेषित किया गया।
- गुणवत्ता पूर्ण उत्पादन हेतु क्वालिटी काउन्सिल ऑफ इण्डिया (QCI)तथा पूंजी उपलब्धता हेतु NSE तथा BSE के साथ भी एम.ओ.यू. सम्पादित किये गये हैं।
- बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ एमओयू किया जा चुका है, उक्त के क्रम में बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा ओडीओपी उत्पादकों हेतु psbloansin59minutes.com के समकक्ष एक वर्चुअल प्लेटफार्म विकसित किया जा रहा है।
- NSE के संयुक्त तत्वाधान में 10 सेमिनार व 30 वन-टू-वन बैठक सम्पन्न। 08 कम्पनी सूचीबद्ध जिनके द्वारा कुल रु. 104.38 करोड़ की कैपिटल raise की जा चुकी है।
- 9 संस्थाओं द्वारा ZED Certification कुल 1468 संस्थाओं द्वारा पंजीकरण किया जा चुका है।

4. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा संचालित है, जिसके अन्तर्गत रु. 25.00 लाख तक लागत की परियोजना की स्थापना कराकर युवाओं को स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ा जाता है।

  योजनान्तर्गत 15 प्रतिशत से 35 प्रतिशत तक मार्जिन मनी अनुदान दिये जाने की व्यवस्था की है। योजना में विशेष श्रेणी के लाभर्थियों यथा- अनु0जा0/ज0जा0/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक व महिलाओं इत्यादि द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किये जाने वाले उद्यमों पर 35 प्रतिशत मार्जिन मनी की व्यवस्था है तथा सामान्य वर्ग के लार्भार्थियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित की जाने वाली परियोजनाओं पर 25 प्रति0 तक के मार्जिन मनी की व्यवस्था है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में स्थापित होने वाली परियोजनाओं के लिए सामान्य वर्ग के लाभार्थियों के लिए 15 प्रति0 तथा विशेष श्रेणी के लाभार्थियों हेतु 25 प्रति0 मार्जिन मनी की व्यवस्था है।

  प्रदेश में योजना का क्रियान्वयन खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड तथा जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्रों द्वारा किया जा रहा है।

- वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत सरकार से 3436 इकाईयों की स्थापना हेतु रु. 10308.00 लाख मार्जिन मनी के लक्ष्य के सापेक्ष जिलों को लक्ष्य आवंटित किया गया। 3048 लाभार्थियों के आवेदन-पत्र बैंकों द्वारा स्वीकृत कराये गये, जिनमें से 2424 लाभार्थियों को लाभान्वित कराया गया एवं 16115 व्यक्तियों को रोजगार सृजित कराया गया।

5. उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं तकनीकी उन्नयन योजना

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम प्रोत्साहन नीति-2017 की वर्तमान तकनीकी उन्नयन योजना को पुननिर्मित करते हुए शासनादेश दिनांक 15.02.2019 द्वारा प्रोत्साहित किये जाने की व्यवस्था की गई है। जिससे महत्तम ढंग से उच्चीकृत तकनीक को विभिन्न क्षेत्रों जैसे-उत्पाद गुणवत्ता सुधार, पर्यावरण सुधार, ऊर्जा दक्षता, गुणात्मक पैकेजिंग परीक्षण सुविधाएं एवं कम्प्यूटरीकृत गुणवत्ता नियंत्रण को बढ़ावा मिल सके। इस योजना को दो श्रेणियों के उद्योगों-सूक्ष्म उद्योगों एवं लघु उद्योगों के लिए क्रियान्वयन का निर्णय निम्नवत लिया गया है।

पूंजी उपादान सहायता-तीन वर्ष से संचालित एवं कार्यरत ऐसी सूक्ष्म एवं लघु औद्योगिक इकाईयों जो तकनीकी उन्नयन हेतु इच्छुक होगी उन्हें 50 प्रतिश पूंजी उपादान देय होगा जिसकी अधिकतम सीमा रु. 5.00 लाख तक होगी। पूंजी उपादान प्लांट मशीनरी एवं उपकरण खरीद पर ही दिया जायेगा।

ब्याज उपादान सहायता- मशीनों के क्रय हेतु लिए गये ऋण पर ब्याज का 50 प्रति0 ब्याज उपादन के रूप में दिया जा सकेगा जिसकी अधिकतम सीमा रु. 1.00 लाख प्रतिवर्ष होगी। यह सुविधा अधिकतम 05 वर्ष तक दी जायेगी।

- मानक, प्रक्रिया, अनुरूपता एवं अन्य प्रमाणीकरण सहायता।
- उद्यम स्रोत योजना (ई0आर0पी0) व्यवस्था सहायता।
- कन्सल्टेंसी/ब्रांण्डिंग सहायता।

- बौद्धिक सम्पदा प्रमाणीकरण सहायता।
- वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 200.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है। जिसमें 64 पात्र इकाईयों को लाभान्वित कराया गया है।

6. हस्तशिल्प पेंशन योजना

शिल्पियों की बहुलता एवं उनके कला कौशल ने प्रदेश की शिल्प कला एवं कलाकृतियों को अन्तर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है परन्तु शिल्पकारों की शारीरिक क्षमता अन्य क्षेत्रों के सापेक्ष समय से पहले ही कम हो जाती है। गिरते स्वास्थ्य एवं बढ़ती आयु के कारण शारीरिक रूप से शिथिल हो जाते हैं। फलतः उनकी आय जनन क्षमता भी घट जाती है। अतः उनके अनुत्पादक शेष जीवन काल में राज्य सरकार से आर्थिक सहयोग आवश्यक है। इसी उद्देश्य से विशिष्ट शिल्पकारों के लिये यह योजना संचालित की गयी है।

योजनान्तर्गत भारत सरकार के शिल्पगुरू के रूप में चयनित अथवा राज्य हस्तशिल्प पुरस्कार/दक्षता हस्तशिल्प पुरस्कार अथवा राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार प्राप्त हस्तशिल्पियों को रु. 2000/- प्रतिमाह पेंशन दी जाती है, इस हेतु शिल्पकार की न्यूनतम आयु 50 वर्ष तथा अधिकतम आयु का कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 हस्तशिल्पियों को पेंशन उपलब्ध कराने हेतु रु. 57.60 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई। 233 विशिष्ट हस्तशिल्पियों को माह मार्च, 2020 तक की पेंशन दी जा चुकी है।

7. हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना

उत्तर प्रदेश में विभिन्न हस्तशिल्प जैसे- कालीन, चूड़ी, ताला, जरी जरदोजी, हैण्डलूम, चिकनकारीगरी, स्टोन कार्विंग, वुड कार्विंग, ब्लैक पाटरी, बेंतबास, लकड़ी के खिलौने, टेराकोटा, पीतल की कला, जूट वॉल हैगिंग, पतंग कासा, पंजादरी पाटरी आदि क्षेत्रों में लगभग 25 लाख हस्तशिल्पी हैं। ये अपना अमूल्य सहयोग देकर देश एवं प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। इसके इतर अधिकांशतः हस्तशिल्पी हुनरमन्द होते हुए भी अत्यन्त गरीब हैं। हस्तशिल्पियों द्वारा तैयार किए गये माल के विपणन में सहायता के लिए इस योजना को संचालित किया गया है।

प्रदेश के हस्तशिल्पियों को अपने उत्पादों के विपणन हेतु विभिन्न मेलों में भाग लिये जाने के क्रम में परिवहन व्यय एवं स्टाल के किराये में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु अधिकतम रु. 20000/- की धनराशि राज्य सहायता के रूप में प्रदान की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में इस योजनान्तर्गत रु. 200.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है। रु. 198.39 लाख का व्यय करते हुए 2015 हस्तशिल्पियों को लाभान्वित कराया गया।

8. मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना

प्रदेश के हस्तशिल्पियों के जीवन स्तर व उनकी आर्थिक स्थिति में गुणात्मक सुधार लाने एवं पारम्परिक कलाओं को अक्षुण्य बनाये रखने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 13.12.2017 से मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना प्रारम्भ की गयी है। योजनान्तर्गत चयनित हस्तशिल्पी को

रु. 500/- प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। पात्र हस्तशिल्पियों की न्यूनतम आयु 60 वर्ष या इससे अधिक हो (महिला हस्तशिल्पियों एवं शारीरिक रूप से विकलांग हस्तशिल्पियों को न्यूनतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है।) शिल्पकार के परिवार की वार्षिक आय रु. 1.00 लाख से अधिक न हो।

वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु रु. 100.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी। 1375 हस्तशिल्पियों को माह मार्च, 2019 तक की पेंशन दी जा चुकी है।

9. हस्तशिल्प कौशल विकास उन्नयन योजना एवं निर्यात बाजार हेतु डिजाइन वर्कशॉप योजना

हस्तशिल्प क्षेत्र में परम्परागत विधा से हो रहे कार्य को धीरे-धीरे बेहतर तकनीक से कराना एवं इस हेतु उनको कौशल विकास की दर से प्रशिक्षण कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। यह योजना प्रदेश के हस्तशिल्प बाहुल्य वाले जिलों में संचालित है, जिसके अन्तर्गत 18 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्ति पात्र होते हैं। इस प्रशिक्षण में नवीनतम तकनीकी एवं उन्नत किस्म के औजारों/उपकरणों का उपयोग सिखाया जाता है। इस हेतु निम्न दो प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जाते हैं :-

हस्तशिल्पियों के कौशल विकास की प्रशिक्षण योजना

यह प्रशिक्षण भारत सरकार के राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार/राज्य हस्तशिल्प पुरस्कार व दक्षता पुरस्कार प्राप्त शिल्पकारों तथा विकास आयुक्त हस्तशिल्प द्वारा शिल्पगुरु की उपाधि से अलंकृत शिल्पकारों के घरों पर उन्हीं के दिशा निर्देशन व संरक्षण में संचालित करायी जाती है।

निर्यात बाजार हेतु डिजाइन वर्कशॉप योजना

यह योजना भी प्रदेश के हस्तशिल्प बाहुल्य जिलों में संचालित की जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य नियमित एवं स्पाँसर्ड वर्कशॉप आयोजित कराना है। यह योजना के प्रदेश के ऐसे प्रमुख हस्तशिल्प क्षेत्रों में जहां हस्तशिल्पियों द्वारा निर्मित निर्यात योग्य उत्कृष्ट कला कृतियां बनाई जा रही है, संचालित करायी जाती है। इस योजनान्तर्गत वही पात्र होते हैं जो हस्तकला/निर्यात से सम्बद्ध उत्पादों में अनुभव रखते हैं। इसमें किसी शैक्षिक योग्यता एवं आयु का कोई प्रतिबंध नहीं है, किन्तु वर्कशाप में ऐसे ही व्यक्तियों को लिया जाता है जो नई डिजाइनों के विकास एवं अन्हें अपनाने में रूचि रखते हैं अथवा जिन्हें निर्यातक प्रायोजित करते हैं।

योजनान्तर्गत हस्तशिल्पियों के प्रशिक्षण तथा कौशल उन्नयन हेतु डिजाइन वर्कशॉप के माध्यम से हस्तशिल्पियों की क्षमता में अभिवृद्धि सुनिश्चित की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु इस योजना में 1740 हस्तशिल्पियों के प्रशिक्षण हेतु रु. 120.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई। रु. 119.35 लाख व्यय करते हुए 1730 हस्तशिल्पियों को लाभान्वित कराया गया।

10. अनु०जाति/जनजाति के व्यक्तियों के प्रशिक्षण की योजना

योजनान्तर्गत अनु0जाति/जनजाति/युवक/युवतियों को चयनित कर उनमे स्किल्ड डेवलपमेंट विकसित हेतु स्थानीय स्तर पर उद्यमियों की मांग के अनुसार व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षणार्थियों को एक माह का सैद्धान्तिक प्रशिक्षण एवं 03 माह का व्यवहारिक प्रशिक्षण

विभिन्न क्षेत्रीय इकाईयों/सेवा केन्द्रों पर दिया जाता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम समाप्त हो जाने के पश्चात प्रशिक्षार्थियों को सम्बन्धित ट्रेडों की टूलकिट दी जाती है ताकि स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति सम्बन्धित ट्रेडों में से की जा सके। यह प्रशिक्षण विभिन्न ट्रेडों जैसे-बढ़ई, दुपहिया वाहन रिपेयरिंग, ट्रैक्टर रिपेयरिंग, विद्युत रिपेयरिंग, टेलरिंग, साडियों की कढ़ाई एवं छपाई, कालीन एवं दरी बुनाई आदि में दिया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु इस योजना 6771 प्रशिक्षार्थियों के प्रशिक्षण हेतु रु. 487.50 लाख की बजट स्वीकृति प्रदान की गयी है। रु. 485.84 लाख की धनराशि व्यय करते हुये 6771 प्रशिक्षार्थी को प्रशिक्षित किया गया।

11. एकल मेज व्यवस्था एवं उद्योग बन्धु

प्रदेश में उद्यमियों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण तथा उद्यमों की स्थापना को सुकर (फैसिलीटेट) कराने हेतु त्रिस्तरीय उद्योग बन्धु की बैठकों की व्यवस्था प्रभाव में है। इस व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाते हुए शासनादेश दिनांक 20.05.2013 के माध्यम से राज्य, मण्डल व जिला उद्योग बन्धु समितियों का पुनर्गठन करते हुए मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय प्राधिकृत समिति तथा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय उद्योग बन्धु समिति का गठन किया गया है। मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में मण्डलीय उद्योग बन्धु एवं जिले स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला उद्योग बन्धु की बैठकों को और अधिक प्रभावी बनाया गया है।

एमएसएमई क्षेत्र की सुगमता के लिए आवश्यक विभिन्न स्वीकृतियों, अनापत्तियों तथा सहमतियों हेतु प्रदेश सरकार द्वारा निवेश-मित्र पोर्टल की व्यवस्था लागू की गयी है जिसके अन्तर्गत उद्यमियों द्वारा वेबसाइट niveshmitra.up.nic.in पर स्वयं आवेदन कर विभिन्न विभागों से संबंधित एन.ओ.सी.आदि प्राप्त कर सकते हैं।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल 228111 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें 199170 आवेदन-पत्रों का निस्तारण किया गया।

12. उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रदेश में बढ़ती हुई बेरोजगारी को दृष्टिगत रखते हुए औद्योगिक विकास को गति देने तथा बेरोजगार शिक्षित/प्रशिक्षित एवं तकनीकी (कुशल/अकुशल) व्यक्तियों को अपना उद्यम स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करने एवं उन्हें स्वरोजगार युक्त बनाये जाने के दृष्टिकोण से यह योजना संचालित की जा रही है।

औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करने तथा उनके सुगमतापूर्वक संचालन के लिए उद्यमियों को सभी प्रकार की जानकारी हो, इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप उद्यमकर्ता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर उद्यमियों को प्रशिक्षण देकर उद्योग स्थापित करने हेतु प्रेरित किया जाता है। यह योजना जिला स्तर पर चलायी जा रही है। योजनान्तर्गत निर्धारित कार्यक्रमों का सम्पादन उपायुक्त, उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्रों के माध्यम से तथा प्रशिक्षणदायी संस्था उद्यमिता विकास संस्थान, लखनऊ द्वारा कराया जाता रहा है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु इस योजना में 1200 प्रशिक्षार्थियों के प्रशिक्षण हेतु रु. 06.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है। 1200 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षित किया गया।

13. अन्य पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण कार्यक्रम

यह योजना वित्तीय वर्ष 2018-19 से विशेष रूप से अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए क्रियान्वित की जा रही है इस समुदाय के अधिकांश व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों को चयनित कर उनमें स्किल्स डेवलपमेंट पैदा करने हेतु स्थानीय स्तर पर उद्यमियों की मांग के अनुसार व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाये। प्रशिक्षणोपरान्त स्वयं का उद्यम स्थापित कर रोजगारयुक्त हो सकें अथवा स्थानीय स्तर पर स्थापित/स्थापित होने वाले उद्योगों में सगुमता से रोजगार प्राप्त कर सकें।

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में मुख्य विकास अधिकारी, उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र तथा जिले में स्थित सभी राजकीय पालीटेक्निक/आई0टी0आई0 के प्रधानाचार्यों की समिति गठित है। गठित समिति के द्वारा उक्त प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त राजकीय/अर्द्ध सरकारी संस्थाओं के माध्यम से जिला मुख्ययालय पर नवयुवक अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों में कुशलता बढ़ाने हेतु सामूहिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जाते हैं। यह प्रशिक्षण विभिन्न ट्रेडों जैसे-बढ़ई, दुपहिया वाहन रिपेयरिंग, ट्रैक्टर रिपेयरिंग, विद्युत रिपेयरिंग, टेलरिंग, साड़ियों की कढ़ाई एवं छपाई, कालीन एवं दरी बुनाई आदि में दिया जाता है।

योजनान्तर्गत प्रशिक्षणार्थियों को एक माह का सैद्धांतिक प्रशिक्षण एवं तीन माह का व्यावहारिक प्रशिक्षण विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयों/सेवा केन्द्रों पर दिया जाता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ हो जाने के पश्चात् प्रशिक्षणार्थियों को सम्बन्धित ट्रेड्स की टूलकिट भी उपलब्ध करायी जाती है। इस प्रकार प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों के द्वारा स्थानीय स्तर पर स्थापित उद्योगों में प्रशिक्षित व्यक्तियों की सम्बन्धित ट्रेड्स में आवश्यकता की पूर्ति हो पाती है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु इस योजना में 2775 प्रशिक्षार्थियों के प्रशिक्षण हेतु रु. 200.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई। रु. 198.50 लाख की धनराशि व्यय करते हुये 2775 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षित किया गया।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन, उ०प्र० द्वारा संचालित विभागीय योजनाओं की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम जहां एक ओर कम पूंजी एवं कम स्थान में व्यापक स्तर पर रोजगार सृजित करते हुए उद्यम स्थापना की सुविधा प्रदान करते हैं वहीं दूसरी ओर पर्यावरणयी दृष्टि से भी अधिक अनुकूल होते हैं। इस प्रकार इन उद्यमों के विकास से जहां प्रदेश का समावेशी एवं बहुआयामी विकास होता है वहीं रोजगार सृजन की असीम सम्भावनाएं भी उत्पन्न होती हैं।

प्रदेश में राजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा दिनाक 24.01.2018 को **''एक जनपद एक उत्पाद''** नाम से एक महत्वाकांक्षी योजना प्रारम्भ की गयी है। योजनान्तर्गत सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों तथा हस्तशिल्पी इकाईयों के माध्यम से प्रदेश के समावेशी एवं सतत् आर्थिक विकास हेतु प्रत्येक जनपद से विशिष्ट पहचान रखने वाले उत्पादों का चयन करते हुए उनके कुशलतापूर्वक उत्पादन एवं विपणन हेतु आवश्यक सुविधाओं का विकास किया जा रहा है।

प्रदेश में औद्योगिक विकास एवं निवेश को बढ़ावा देने हेतु 21 एवं 22 फरवरी 2018 को इन्वेस्टर समिट-2018 आयोजित किया गया, जिसमें देश और विदेश के बड़े-बड़े उद्यमियों द्वारा प्रतिभाग किया गया और काफी संख्या में एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित हुये। शासन के निर्देशानुसार एम0ओ0यू0 निरन्तर फालोअप किया जा रहा है। तत्क्रम में प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 29.07.2018 को प्रथम ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया।

उद्यमियों की विभिन्न विभागों से सम्बंधित उनकी समस्या के निराकरण हेतु त्रिस्तरीय उद्योग बन्धु व्यवस्था संचालित हैं। एमएसएमई क्षेत्र की सुगमता के लिए आवश्यक विभिन्न स्वीकृतियों, अनापत्तियों तथा सहमतियों हेतु प्रदेश सरकार द्वारा निवेश-मित्र पोर्टल की व्यवस्था की गयी है, जिसमें उद्यमियों द्वारा वेबसाइट niveshmitra.up.nic.in पर स्वयं आवेदन कर विभिन्न विभागों से संबंधित एन0ओ0सी0 आदि प्राप्त कर सकते हैं।

प्रदेश में उत्पादित उत्पादों के विपणन की व्यवस्था सुचारू-रूप से करने हेतु केन्द्रीय दर अनुबन्ध की व्यवस्था तथा मात्रा एवं दर अनुबन्ध में क्रय वरीयता नीति लागू की गयी है। भारत सरकार द्वारा संचालित गवर्नमेन्ट ई-मार्केट प्लेस (जेम पोर्टल) को राज्य सरकार द्वारा अंगीकृत किया गया है। उत्तर प्रदेश को सरकारी विभागों में देश में सबसे अधिक जेम पोर्टल पर क्रय किये जाने पर भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है। अब सरकारी विभागों के लिए जेम पोर्टल पर मौजूद उत्पादों को खरीदना अनिवार्य हो गया है।

निर्यातकों की सुविधा हेतु एक्सपो मार्ट, लखनऊ एवं ग्रेटर नोयडा की स्थापना की गयी है।

भदोही के कारपेट निर्यात के दृष्टिगत भदोही कारपेट बाजार की स्थापना की गयी है।

हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना, हस्तशिल्प कौशल उन्नयन, वर्कशाप योजना, अनुसूचित जाति/जनजाति के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने हेतु प्रशिक्षण योजना इत्यादि योजनायें संचालित की जा रही हैं।

प्रदेश के प्रमुख हस्तशिल्प उत्पादों के ब्रान्ड प्रमोशन हेतु विश्व व्यापार संगठन के प्राविधानों के अनुसार जियोग्राफिकल इन्डीकेटर के अन्तर्गत उत्पादों को चिन्हित कर उन्हें जी0आई0 पंजीकरण उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

वर्तमान सरकार, प्रदेश के औद्योगिक विकास के साथ-साथ प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के विकास, हस्तशिल्पियों के विकास तथा निर्यात प्रोत्साहन हेतु सतत् प्रयत्नशील है, ताकि प्रदेश में अधिक से अधिक रोजगार के अवसर सृजित हो सकें।

विभाग की नीतियाँ

- उ0प्र0 सरकार द्वारा उ0प्र0 औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 लागू की गई हैं, इस नीति के अनुक्रम में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को गति प्रदान करते हुए उद्योगों को प्रोत्साहित करने एवं अधिक से अधिक रोजागर सृजित किये जाने तथा प्रदेश में पूंजी विनेश को आकर्षित करने हेतु ''उ0प्र0 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति 2017 का प्रख्यापन किया गया है। उक्त नीति के माध्यम से एम0एस0एम0ई0 क्षेत्र में रोजगार सृजन की वार्षिक दर का लक्ष्य 15 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।

- प्रदेश में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा ''उ0प्र0 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन नीति-2017 घोषित की गई है।
- प्रदेश में औद्योगिक विकास के साथ-साथ हस्तशिल्प को भी बढ़ावा मिले तथा हस्तशिल्पियों के जीवन स्तर में न केवल सुधाार आये बल्कि प्रदेश के परम्परागत हस्तशिल्प उद्योग को नया आयाम तथा संरक्षण प्राप्त हो सके, इस दृष्टिकोण से ''उ0प्र0 हस्तशिल्प प्रोत्साहन नीति 2014'' प्रख्यापित की गई है।

थ्रस्ट एरिया/आकांक्षात्मक जनपदों (Aspirational Districts) के सम्बन्ध में विवरण

नीति आयोग, भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के 08 जनपदों बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थ नगर, सोनभद्र, फतेहपुर तथा चित्रकूट को आकांक्षात्मक जनपदों में शामिल किया गया है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा अपर आयुक्त उद्योग को राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी एवं उक्त संबंधित जिलों के उपायुक्त उद्योग को जिला स्तरीय नोडल अधिकारी नामित किया गया है।

सम्बन्धित क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास के स्तर को बढ़ाये जाने हेतु प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभार्थियों को ऋण वितरण कराकर रोजगार सृजन कराया गया। मुद्रा योजना, स्टैन्ड-अप योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को ऋण वितरण कराया जा रहा है।

प्रदेश के हस्तशिल्पियों को उनके उत्पादों के विपणन में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना लागू है।

निर्यात को बढ़ावा देने तथा विश्व की मांग के अनुरूप नई-नई डिजाइनों की आवश्कयता को दृष्टिगत रखते हुए प्रमुख हस्तशिल्प ट्रेडों में कौशल उन्नयन हेतु डिजाइन वर्कशाप का आयोजन किया जाता है।

इन जनपदों के विभिन्न विशिष्ट हस्तशिल्पियों, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों तथा विनिर्मित उत्पादों की उत्पाद तकनीकी व गुणवत्ता में सुधार, कारागरों एवं हस्तशिल्पियों के कौशल विकास एवं उत्पादों की ब्रान्डिंग के माध्यम से उन्हें राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने व प्रदेश में रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा ''एक जनपद एक उत्पाद'' महत्वाकांक्षी योजना लागू है।

सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो

संक्षिप्त इतिहास

राज्य सरकार ने सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या : 76/ब्यूरो-31(1)74, दिनांक : 15 जुलाई, 1974 द्वारा संशोधित सामान्य (प्रशासन पुनर्संगठन) विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या : 31(1)-74- ओ0 एण्ड एम0, दिनांकः 21 फरवरी, 1974 के माध्यम से सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो को सचिवालय की मुख्य सचिव शाखा में एक प्रशासकीय इकाई के रूप में स्थापित किया। कालांतार में सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों की संख्या में वृद्धि के साथ उनके प्रबन्धन में व्यावसायिक दृष्टिकोण एवं अधिक लचीलापन लाने के उद्देश्य से सचिवालय से पृथक ब्यूरो को एक तकनीकी शाखा के रूप में शासनादेश संख्याः 292-44-1-174/77, दिनांकः 31.03.81 द्वारा सार्वजनिक उद्यम विभाग के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो को निदेशालय का स्तर प्रदान किया गया।

सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो के विभागाध्यक्ष महानिदेशक हैं।

प्रमुख कार्य योजनायें

सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो/विभाग राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों/उपक्रमों एवं उनके प्रशासनिक विभागों के लिये तकनीकी परामर्शदाता के रूप में कार्य कर रहा है तथा सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो /विभाग द्वारा कोई विकास योजनायें आदि संचालित नहीं की जाती हैं।

सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो द्वारा किये जा रहे कार्यों का संक्षिप्त विवरण

सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो/विभाग प्रदेश के सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों एवं उनके प्रशासनिक विभाग को विशेषज्ञ तकनीकी परामर्श प्रदान कर रहा है। वर्तमान में सार्वजनिक उद्यम द्वारा मुख्यतः प्रदेश के सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों में शासनादेशों में दी गयी व्यवस्थाओं के अन्तर्गत सातवाँ वेतनमान, छठा वेतनमान एवं विभिन्न वेतनमानों में मंहगाई भत्ते की अद्यतन किश्त लागू कराये जाने सम्बन्धी कार्य, सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के शीर्ष पदों पर चयन समितियों के माध्यम से पदोन्नति/चयन सम्पादित किये जाने, उपक्रमों/निगमों के अवशेष वार्षिक लेखों को पूर्ण कराये जाने हेतु आवश्यक अनुसरण आदि मुख्य कार्यकलाप सम्पादित किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो/विभाग द्वारा उपक्रमों/निगमों एवं उनके प्रशासनिक विभाग द्वारा संदर्भित प्रकरणों पर निर्धारित नीतियों के अंतर्गत परामर्श भी समय-समय पर प्रदान किया जाता है। वर्षानुवर्ष सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो के परामर्श सम्बन्धी कार्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई है जो सारांशतः निम्नवत् है-

सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में सम्पादित कार्यों का संक्षिप्त विवरण

1. सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों में मंहगाई भत्ता दिये जाने के प्रकरणों पर सार्वजनिक उद्यम विभाग स्तर पर गठित अधिकृत समिति द्वारा निगमों से प्राप्त प्रस्तावों पर बैठकें कराकर निर्णय लिए गये।

2. सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों से सम्बन्धित कार्मिक, वित्तीय एवं विधिक प्रकरणों पर निगमों के प्रशासनिक विभाग से प्राप्त पत्रावलियों पर शासन को विशेषज्ञ परामर्श प्रदान किया गया।
3. सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो द्वारा कार्यरत 40 उपक्रमों/निगमों की वित्तीय स्थिति एवं कार्य चालन परिणाम के आधार पर फ्लैश रिजल्ट्स का संकलन कर प्राप्त सूचना का विश्लेषण एवं संहतीकरण इसके आधार पर संहत वित्तीय स्थिति बनायी गयी।
4. सार्वजनिक उपक्रमों की आहूत संचालक मण्डल की बैठकों में अधिकारियों द्वारा भाग लेकर विभागीय नीतियों/शासनादेशों को दृढ़तापूर्वक प्रतिपादित किया गया।
5. सार्वजनिक उद्यम विभाग के स्तर पर गठित चयन समिति द्वारा विभिन्न निगमों/उपक्रमों के उच्च अधिकारियों एवं अन्य अधिकारियों के चयन की कार्यवाही करायी गयी।
6. सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों में कार्यरत कार्मिकों द्वारा समय-समय पर मा0 उच्च न्यायालय में दायर की गयी रिट याचिकाओं के सम्बन्ध में ससमय प्रति शपथ पत्र दाखिल कराया गया।
7. सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के कार्यकलापों की त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट के आधार पर समीक्षा व अनुश्रवण किया गया।
8. सूचना के अधिकार से सम्बन्धित प्रकरणों में सूचना उपलब्ध करायी गयी।
9. सार्वजनिक उद्यम विभाग के अधीन आडिट प्रकोष्ठ (वाणिज्यिक) स्थापित है। विधान मण्डल स्तर पर गठित सार्वजनिक उपक्रम/निगम की संयुक्त समिति द्वारा आयोजित बैठकों में समिति को सहयोग प्रदान किया गया।

• अनुश्रवण एवं गहन अध्ययन

सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो द्वारा उपक्रमों/निगमों के कार्य निष्पादन का त्रैमासिक आधार पर अनुश्रवण किया जाता है। इसके लिये ब्यूरो द्वारा उपक्रम विशेष के कार्यकलापों के अनुरूप रूपपत्रों का निर्धारण किया गया है। निगमों/उपक्रमों से इन रूप-पत्रों पर सूचना प्राप्त कर उनका अनुश्रवण किया जाता है।

• कार्मिक नीतियों के सम्बन्ध में

समस्त सार्वजनिक उद्यमों में कार्मिक नीतियों में एकरूपता लाने एवं उनके कार्यान्वयन में विसंगतियों को कम करने के उद्देश्य से कार्मिक नीतियों यथा- संगठनात्मक ढाँचा, सेवा शर्तों तथा वेतन एवं भत्तों इत्यादि के सम्बन्ध में निर्देश जारी किया जाता है।

• वित्तीय प्रबन्ध

सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो की परिधि में आने वाले उपक्रमों/निगमों द्वारा प्रेषित वित्तीय परिणामों के आधार पर फ्लैश रिपोर्ट तैयार करना, वित्त आयोग तथा योजना आयोग से सम्बन्धित कार्य, निगमों / उपक्रमों के अवशेष लेखों के अनुश्रवण इत्यादि का कार्य किया जाता है।

●

भूतत्व एवं खनिकर्म

प्रदेश में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के प्रमुख घटक खनिज संसाधनों की खोज एवं उनके व्यावसायिक स्तर के खनिज भण्डारों पर आधारित उद्योग की स्थापना हेतु शोध व अन्वेषण कार्य के निष्पादन के लिए वर्ष 1955 में भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की स्थापना की गयी थी। वर्ष 1963 में इस निदेशालय को खनिजों एवं उप खनिजों के विकास व दोहन पर प्रभावी नियंत्रण रखने हेतु खनन प्रशासन का दायित्व सौंपा गया है। वर्ष 1984 में निदेशालय में अभियांत्रिकी भू-विज्ञान से सम्बन्धित अध्ययन तथा सर्वेक्षण का दायित्व सौंपा गया है जिससे कि क्षेत्रीय विकास में त्वरित गति से हो रहे निर्माण कार्यों के होने के फलस्वरूप पर्यावरण को होने वाली सम्भावित क्षति के कारणों का अध्ययन करके उसे न्यूनतम स्तर तक बनाये रखा जा सके। खनिज सेक्टर में खनिज विकास के बढ़ते कार्यकलापों को उचित मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु वर्ष 1985 में निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म को खनिज सेक्टर का विभागाध्यक्ष घोषित किया गया। वर्ष 1998 में पहली बार खनिजों के संतुलित विकास एवम् खनिज आधारित उद्योगो को प्रोत्साहित करने हेतु खनिज नीति घोषित की गयी। उसका समय-समय पर मूल्यांकन भी किया जा रहा है। खानिज आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए महत्त्वपूर्ण सूचनाएं निदेशालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करायी गयी हैं। इसके अतिरिक्त इच्छुक उद्यमियों को आवश्यकतानुसार खनिज आधारित उद्योग की स्थापना हेतु निदेशालय/शासन स्तर पर लगातार प्रयास किया जा रहा है। जनपद ललितपुर के गिरार क्षेत्र के समीपवर्ती क्षेत्रों में स्वर्ण धातु के अन्वेषण हेतु मे0 मैक्सटेक रिर्सोसेज प्रा0लि0 द्वारा रिकोनेन्स सर्वे का कार्य किया गया। विगत वर्षों में निदेशालय के भूवैज्ञानिकों द्वारा खोजे गये खनिजों के भण्डारों में से जनपद सोनभद्र के रामगढ़-नौड़िहा क्षेत्र में 13.5 मि0 टन चाइना क्ले के भण्डार को प्रोस्पेक्टिंग लाइसेन्स पर तथा जनपद चित्रकूट के मानिकपुर क्षेत्र में 50 मि0 टन पोटाशयुक्त ग्लूकोनिटिक सैण्डस्टोन के भण्डार को रिकोनेन्स परमिट/प्रास्पेक्टिंग लाइसेन्स पर स्वीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त जनपद सोनभद्र में संचालित स्वर्ण अन्वेषण तथा जनपद ललितपुर के इकौना क्षेत्र में प्लेटिनम समूह की धातुओं के अन्वेषण में उत्साहवर्धक परिणाम प्राप्त हुये हैं।

निदेशालय द्वारा विगत वर्षों में संचालित खनिज अन्वेषण कार्यक्रमों के फलस्वरूप जनपद सोनभद्र में सीमेन्ट ग्रेड लाइम स्टोन लगभग 70 मिलियन टन, डोलोमाईट 21 मिलियन टन, चाइनाक्ले 13.5 मिलियन टन, सिलिमिनाइट 9.8 मि0टन, स्वर्ण 646 किलो ग्राम, जनपद प्रयागराज में 15.00 मि0टन सिलिका सैण्ड, जनपद ललितपुर एवं झांसी में पाइरोफिलाइट-डायस्पोर 0.50 मि0टन, राकफास्फेट 5.1 मि0टन, लौह-अयस्क 100 मि0टन, एस्बेस्टस 0.3 मि0टन, सैण्डस्टोन

के 608 एकड़ क्षेत्र, ग्रेनाइट 4849.19 लाख घ0मी0 (डायमेन्शनल स्टोन) की खोज की गयी। प्रदेश में सीमेण्ट श्रेणी के चूना पत्थर, डोलामाइट, पाइरोफिलाइट, डायस्पोर, ग्रेनाईट, सैण्डस्टोन/ ग्रेनाइट (डायमेन्शनल स्टोन) एवं सिलिका सैण्ड के भण्डारों का व्यावसायिक स्तर पर दोहन किया जा रहा है, जिससे प्रदेश में उद्यमिता व रोजगार के अवसर सृजित होने के साथ-साथ प्रदेश के राजस्व में भी वृद्धि हो रही है। जनपद झांसी में 45 मि0टन स्टोन क्वार्ट्ज आक्शन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें सिलिका की मात्रा 90-95 प्रतिशत तक प्राप्त हुई है, जिसका उपयोग सिरेमिक/पाटरी उद्योग में किया जा सकता है, जो व्यावसायिक रूप से उपयोगी है। पत्थर उद्योग के उत्साहवर्धक उत्पादन एवं मांग होने के कारण मिर्जापुर, ललितपुर तथा सोनभद्र में अनेक कटिंग/पॉलिशिंग प्लांट स्थापित किये गये हैं, जिससे प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से हजारों श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं एवं प्रदेश के राजस्व में भी वृद्धि हुई।

प्रदेश के पिछड़े क्षेत्र बुन्देलखण्ड के जनपद ललितपुर के सोनरई क्षेत्र में उर्वरक उद्योग में इस्तेमाल किये जाने वाले रॉक फास्फेट के भण्डारों को भारत सरकार के उपक्रम मिनरल एक्सप्लोरेशन कार्पोरेशन लिमिटेड (एम0ई0सी0एल0) के सहयोग से पुनर्मूल्यांकन कर ऑक्शन योग्य ब्लाक बनाने की प्रक्रिया की जा रही है, जिससे भविष्य में राजस्व वृद्धि होने की सम्भावना है।

खनिज अन्वेषण तथा खनिज प्रशासन सम्बन्धी कार्यों हेतु निदेशालय द्वारा डिजिटल टोपोशीट एवं हाई रिजोलूशन के सैटेलाइट डाटा का क्रय कर निदेशालय स्थित रिमोट सेन्सिंग प्रयोगशाला भूवैज्ञानिकों द्वारा नदी तल में बालू/मौरंग के नवीन जमाव को चिन्हित कर पूर्व से संचालित उपखनिजों के खनन पट्टों के अतिरिक्त नवीन क्षेत्र चिन्हित कर भू-मानचित्र पर अंकित करने का कार्य किया जा रहा है। इन क्षेत्रों का जनपद स्तर पर सत्यापन कर नीलामी की जायेगी, जिससे उपखनिजों की उपलब्धता के साथ स्थानीय रोजगार एवं राजस्व में वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त प्रदेश में नदी तल में पूर्व से संचालित खनन पट्टों की जियोफेन्सिंग का कार्य भी किया जा रहा है, जिससे अवैध खनन/परिवहन पर मानीटरिंग की जा सकेगी।

इसके अतिरिक्त जनपद सोनभद्र में कोयले के भण्डारों का दोहन भारत सरकार के संस्थानों द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में भारत सरकार के खान मंत्रालय की नीति के अनुसार भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण उत्तरी क्षेत्र के द्वारा अन्वेषण कार्य के अन्तर्गत आक्शन हेतु बनाये गये जनपद सोनभद्र में एण्डालूसाइट के तीन ब्लाक एवं ग्लूकोनिटिक सैण्डस्टोन (पोटाश) के एक ब्लाक की रिपोर्ट भी आक्शन हेतु उपलब्ध करायी गयी है।

विभाग के मूलभूत उद्देश्य

- **खनिज अन्वेषण**

प्रदेश में औद्योगिक विकास तथा व्यावसायिक दृष्टिकोण से उपयोगी खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु खनिज अन्वेषण कार्यक्रमों के अन्तर्गत नये खनिज भण्डरों की खोज एवं उपयुक्त खनिज भण्डारों का सिद्धीकरण किया जाता है।

● **खनन प्रशासन**

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ.प्र. द्वारा प्रदेश में उपलब्ध खनिज संसाधनों की खोज एवं खनिज भण्डारों पर आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु शोध/अन्वेषण कार्य किया जा रहा है। खनन प्रशासन के अन्तर्गत यह विभाग प्रदेश के राजस्व अर्जित करने वाले प्रमुख विभागों में से एक है। खनिज राजस्व एवं उत्पादन की दृष्टि से प्रदेश के 12 जनपदों को खनिज बाहुल्य जनपदों के रूप में चिन्हित किया गया है।

खनन प्रशासन के अन्तर्गत खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम-1957, खनिज परिहार नियमावली 1960, उत्तर प्रदेश उपखनिज परिहार नियमावली-1963, उ.प्र. खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2018 आदि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुये प्रदेश के विभिन्न जनपदों में खनिजों के वैज्ञानिक ढंग से दोहन किये जाने के लिये परिहार पर स्वीकृत किये जाने हेतु विभाग द्वारा क्षेत्र की उपलब्धता, उपयुक्तता पर टिप्पणी सहित तकनीकी संस्तुतियां जिलाधिकारी/शासन को उपलब्ध करायी जाती है। खनिज परिहार पर स्वीकृत क्षेत्रों में हो रहे खनन कार्यों का समय-समय पर निरीक्षण/पर्यवेक्षण कर खानों को विनियमित किये जाने का कार्य सम्पादित किया जाता है ताकि खनिज क्षेत्र का समुचित विकास हो सके एवं खनिजों के खनन से प्रदेश को अधिकाधिक खनिज राजस्व की प्राप्ति हो सके। वर्तमान में 09 क्षेत्रीय कार्यालयों एवं 31 क्वैरी कार्यालयों के माध्यम से खनिज क्षेत्रों को परिहार पर स्वीकृत कराये जाने हेतु संस्तुति की जाती है। इसके अतिरिक्त अन्य 44 जनपदों में भी निदेशालय के प्राविधिक कर्मचारियों को तैनात कर जिलाधिकारियों को खनन परिहार हेतु तकनीकी मार्गदर्शन/प्राविधिक आख्या/संस्तुति प्रदान की जाती है।

खनन प्रशासन के अन्तर्गत मुख्य खान अधिकारी के 01 पद है। ज्येष्ठ खान अधिकारी के 05 पद स्वीकृत है जिसमें से 04 पद भरे हैं। खान अधिकारी के 32 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 30 पद भरे हैं। खान निरीक्षक के कुल 75 पद स्वीकृत है, जिसमें से 39 पद भरे हैं। खनिज मोहर्रिर के 150 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 42 पद पद भरे हैं। वरिष्ठ लिपिक (खनिज) के 05 पद हैं, जिसमें से 04 पद भरे हैं। खान पर्यवेक्षक के 05 पद स्वीकृत हैं, जो सभी भरे हैं। चपरासी के 150 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 34 पद भरे है। चौकीदार के 08 पद स्वीकृत हैं, जो सभी भरे हैं। रिक्त पदों पर नियुक्ति होने के उपरान्त खनन प्रशासन का कार्य और अधिक गति से सम्पादित कराया जा सकेगा।

प्रदेश में मुख्य खनिजों तथा उपखनिजों के खनन के फलस्वरूप प्रदेश को न केवल भारी मात्रा में राजस्व की प्राप्ति हो रही है, अपितु बड़ी संख्या में लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। खनिज राजस्व के मद में गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 3164.00 करोड़ तथा वर्ष 2019-20 में माह दिसम्बर, 2019 तक रु. 1459.51 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है। उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में माह दिसम्बर, 2019 तक सघन प्रवर्तन के फलस्वरूप रु. 46.69 करोड़ की प्राप्ति हुयी है।

जनहित की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुये शासन द्वारा साधारण मिट्टी के उपयोग हेतु मिट्टी की रायल्टी को शून्य कर दिया है। नदी के किनारे स्थित किसानों की भूमि पर बाढ़ के कारण बालू/मौरंग एकत्रित हो जाने से उनकी भूमि कृषि योग्य नहीं रह जाती है। ऐसे भूमि से बालू हटाकर

खेत को पुनः कृषि योग्य बनाने के लिये, किसानों के पक्ष में तीन माह की अवधि के लिये अनुज्ञा-पत्र स्वीकृत करने के प्राविधान नियमावली 1963 में शामिल किये गये हैं।

खनन प्रशासन

खनन प्रशासन कार्यों के अन्तर्गत मुख्यतः प्राविधिक दृष्टि से खनन क्षेत्रों का गठन, उनका नियमन, खनिजों से राजस्व प्राप्ति, उप खनिज सर्वेक्षण, खनन योजनाओं का अनुमोदन, सम्बंधित कार्यों के अतिरिक्त खनन क्षेत्रों तथा जनपद कार्यालयों का निरीक्षण, खनिज राजस्व का अनुश्रवण एवं विभिन्न मा0 न्यायालयों में लम्बित वादों का निस्तारण भी सम्मिलित है, आदि कार्य किये जाते हैं।

विगत तीन वर्षों में खनिज राजस्व प्राप्तियों की स्थिति निम्नवत् है :-

मद	वर्ष 2016-17	वर्ष 2017-18	वर्ष 2018-19	वर्ष 2019-20 माह दिसम्बर, 2019 तक
1	2	3	4	5
खनिज राजस्व	1547.25	3243.57	3164.51	1459.51

विकास के आगामी लक्ष्य तथा चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए निर्धारित कार्यक्रम (खनिज अन्वेषण)

वित्तीय वर्ष 2019-20 में विभाग द्वारा खनिज अन्वेषण योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित 08 अन्वेषण कार्यक्रम निर्धारित हैं, जिन्हें राज्य भू-वैज्ञानिक कार्यक्रयी परिषद के अनुमोदन के उपरान्त वर्ष 2020-21 में भी संचालित किया जाना प्रस्तावित है।

1. जनपद-सोनभद्र के हरदी क्षेत्र के विन्ध्यन कांग्लोमरेट के पश्चिमी ब्लाक में स्वर्ण धातु की खोज हेतु प्रारम्भिक अन्वेषण कार्यक्रम।
2. जनपद ललितपुर के बेरवार क्षेत्र में स्वर्ण धातु की खोज हेतु प्रारम्भिक अन्वेषण कार्यक्रम।
3. जनपद ललितपुर के सोल्दा एवं उल्दना क्षेत्र में लौह धातु के खनिजीकरण हेतु प्रारम्भिक अन्वेषण कार्यक्रम।
4. जनपद ललितपुर के मथुरा डंग क्षेत्र में बेराईट धातु की खोज हेतु प्रारम्भिक अन्वेषण कार्यक्रम।
5. जनपद झाँसी, ललितपुर व महोबा में डायमेन्शनल ग्रेनाईट व सैण्डस्टोन के क्षेत्रों की खोज हेतु प्रारम्भिक अन्वेषण कार्यक्रम।
6. जनपद ललितपुर के सोनरई क्षेत्र मे बिजावर समूह की चट्टानों में पाये जाने वाले रॉक फास्फेट के भण्डारों को एम.ई.सी.एल. के सहयोग से पुनर्मूल्यांकन कर ऑक्शन योग्य ब्लाक बनाने तथा रॉक फास्फेट के विस्तार की खोज हेतु प्रारम्भिक अन्वेषण कार्यक्रम।
7. जनपद ललितपुर में पिपरिया क्षेत्र के ग्रेनेटिक काम्पलेक्स में प्लेटिनम समूह की धातुओं की खोज हेतु प्रारम्भिक अन्वेषण सम्बन्धी कार्य।

8. जनपद महोबा एवं बांदा में खण्डा, गिट्टी, बोल्डर की परित्यक्त खदानों में उपलब्ध उपखनिज का पुनर्मूल्यांकन एवं नये क्षेत्रों के चिन्हीकरण सम्बन्धी कार्य।

आगामी लक्ष्य

उक्त खनिज अन्वेषण कार्यक्रमों द्वारा प्रदेश में खनिजों के विकास के साथ ही साथ खनिज आधारित औद्योगीकरण पर बल देने तथा बहुमूल्य खनिजों की सम्भावना वाले स्रोतों की खोज हेतु सर्वेक्षण के अन्तर्गत सोना, प्लेटिनम, पैलेडियम की खोज हेतु प्रारम्भिक भूवैज्ञानिक एवं भू-भौतिकीय अन्वेषण प्रस्तावित है। भू-वैज्ञानिक/भू-भौतिकीय अन्वेषण कार्यक्रमों के अतिरिक्त खनिज आँकड़ों का कम्प्यूटरीकरण का कार्य भी सम्मिलित है।

आगामी लक्ष्य

वर्ष 2019-20 में रु0 4400.00 करोड़ की राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रदेश में अधिकतम खनिज की निकासी हेतु प्रयास किया जायेगा, ताकि खनिज आधारित औद्योगीकरण प्रोत्साहित हो सके और खनिजों से प्राप्त राजस्व में उत्तरोत्तर वृद्धि हो सके। नदी तल में उपलब्ध बालू, मौरम, बजरी एवं बोल्डर के दीर्घकालीन खनन पट्टों के खनन क्षेत्रों को परिहार पर स्वीकृत किये जाने हेतु शासनदेश दिनांक 14.08.2017 के क्रम में शासनादेश दिनांक 09.10.2019 तथा स्वस्थाने चट्टान किस्म के ईमारती पत्थर (डायमेन्शनल ग्रेनाईट एवं सैण्ड स्टोन) के क्षेत्रों को ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से परिहार पर स्वीकृत करने हेतु शासनादेश दिनांक 12.12.2017 के क्रम में शासनादेश दिनांक 09.10.2019 द्वारा संशोधन निर्गत किया गया है, जिसके अनुपालन में बालू/मौरम, ग्रेनाईट एवं सैण्ड स्टोन के रिक्त क्षेत्रों को ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से विज्ञापित कर खनन पट्टे आवंटन की कार्यवाही की जा रही है। आशा है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में बालू/मौरम के खनन पट्टे स्वीकृत हो जाने के उपरान्त निर्धारित लक्ष्य लगभग रु. 4400.00 करोड़ से अधिक राजस्व प्राप्त हो सकेगा।

ई-गवर्नेन्स

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश का एक वैज्ञानिक एवं तकनीकी विभाग है, विभाग द्वारा प्रदेश में खनिज अन्वेषण के साथ खनन प्रशासन के अन्तर्गत पर्यावरण को संतुलित रखते हुये खनन योग्य खनिजों से राजस्व अर्जित करने से सम्बन्धित कार्य किये जा रहे हैं। खनिज अन्वेषण के अन्तर्गत पृथ्वी के गर्भ में छिपी खनिज सम्पदा की खोज भू-विज्ञान, भू-भौतिकी, रसायन व वेधन विधाओं के एकीकृत प्रयास से की जाती है। विभाग द्वारा प्रदेश में खोजे गये खनिजों के खनन एवं उनके नियंत्रण का कार्य खनन प्रशासन के अन्तर्गत आता है। खनिज अन्वेषण तथा खनन प्रशासन हेतु आंकड़ों को यथा शीघ्र प्राप्त करने व उनके विश्लेषण तथा खनिज परिहारों व उन पर लिये गये निर्णयों के आनलाइन सम्प्रेषण/प्रबन्धन की आवश्यकता के अनुसार ई-गवर्नेन्स के माध्यम से प्रदेश में खनिज विकास के कार्यक्रमों को और प्रभावी गति से कार्यान्वित करते हुये शीघ्र प्राप्त किया जा रहा है, तथा उद्यमियों को आवश्यकतानुसार वांछित सूचनाएं भी उपलब्ध करायी जा रही है।

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग

हथकरघा उद्योग कृषि क्षेत्र के बाद सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला प्रदूषण रहित कुटीर उद्योग है। यह उद्योग अपनी परम्परागत कलात्मकता एवं ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इस उद्योग के द्वारा अपने देश की वस्त्र आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ-साथ बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा भी अर्जित की जा सकती है क्योंकि हथकरघा वस्त्रों का चलन अब विदेशों में भी बढ़ रहा है, जिसके कारण इस उद्योग का महत्व दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है।

उत्तर प्रदेश प्राचीन समय से ही अपनी कलात्मक बुनाई के लिए विश्व प्रसिद्ध रहा है, जिनमें वाराणसी की सिल्क साड़ियां, सीतापुर की दरियां, गाजीपुर का कटवर्क परदा, अमरोहा का पाईलवर्क, गोरखपुर के बेड कवर, गाजियाबाद के टेरीटावल प्रमुख उत्पाद हैं।

विगत दशकों में हथकरघा बुनकर, बुनाई कार्य से विरत होकर अन्य कार्य अपनाने लगे, जिससे प्रदेश में इनकी जनसंख्या घट कर 2.58 लाख से मात्र 2.00 लाख रह गई है। इसका मुख्य कारण वर्तमान वैश्विक बाजार में मूल्य की प्रतिस्पर्धा होने के कारण हथकरघा उत्पादों का उचित मूल्य न मिल पाना एवं बुनकरों के पास कार्यशील पूंजी का अभाव होना पाया गया। हथकरघा वस्त्रों की कलात्मकता के कारण इस उद्योग में विकास की सम्भावनायें अत्याधिक हैं।

वर्तमान सरकार में बुनकरों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति सुधारने, उनकी उत्पादकता बढ़ाने एवं गुणवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य से कई सार्थक योजनायें चलाई जा रही हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बुनकर अपने परम्परागत उद्योगों को आधुनिक परिवेश में ला सकेगें और उनका सामाजिक तथा आर्थिक स्तर बढ़ सकेगा। उक्त के परिणाम स्वरूप जन-मानस की वस्त्र आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ-साथ समाज के कमजोर, निर्बल, अल्पसंख्यक वर्ग के बुनकरों को रोजगार के साधन प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध होंगे, जिसके कारण बुनकरअपने भविष्य के प्रति आशान्वित होंगे।

वर्तमान में प्रदेश में लगभग 2,58,000 पावरलूम कार्यरत हैं जिन पर लगभग 5,50,000 पावरलूम बुनकर अपना जीविकोपार्जन कर रहें हैं। परम्परागत पावरलूमों को बदलकर आधुनिक आटोमेटिक/रैपियर पावरलूम लगाने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर पावरलूम बुनकरों को प्रोत्साहित करने की योजना संचालित करने का प्रस्ताव है।

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग द्वारा वर्तमान में बढ़ती हुयी प्रतिस्पर्धा एवं तकनीकी विकास के परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए ऐसी नीतियाँ और कार्यक्रम क्रियान्वित करने की योजना है, जिससे इस उद्योग में कार्यरत बुनकरों को सहायता, समर्थन, प्रोत्साहन और तकनीकी सुविधा प्रदान की जा सके। जिससे गुणवत्तायुक्त कपड़े का उत्पादन हो सके। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग के अन्तर्गत योजनायें संचालित की जा रही है।

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग द्वारा संचालित प्रमुख योजनायें

केन्द्र सरकार की योजनाएं (Central shared Scheme)

(1) राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम

(i) क्लस्टर विकास कार्यक्रम

योजनान्तर्गत ब्लाक स्तर पर हथकरघा बुनकरों के क्लस्टरों को निम्नांकित मदों में वित्तीय सहायता भारत सरकार द्वारा सीधे क्रियान्वयन एजेन्सी के बैंक खाते में उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है।

1. बेसलाइन सर्वे, कन्सोर्टियम का निर्माण, स्वयं सहायता समूह जागरूकता कार्यक्रम इत्यादि।
2. उत्पाद विकास, 3. क्लस्टर गतिविधियों हेतु, 4. कम्प्यूटर एडेड टेक्सटाइल डिजाइन, 5. कौशल उन्नयन, 6. डिजाइनर, 7. हथकरघा संवर्धन सहायता के अन्तर्गत तकनीकी उन्नयन, 8. यार्न डिपो 9. सामान्य सुविधा केन्द्र, 10. प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट कास्ट।

इस उप-घटक में ब्लाक स्तर पर हथकरघा बुनकरों को सम्मिलित कर क्लस्टर विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वाराणसी मेगा हैण्डलूम क्लस्टर योजनान्तर्गत 10 क्लस्टर, के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2015-16 में 03 क्लस्टर, वित्तीय वर्ष 2016-17 में 22 क्लस्टर, वित्तीय वर्ष 2017-18 में 09, वित्तीय वर्ष 2018-19 में 01 तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 में 03 क्लस्टरों के प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किये गये हैं।

भारत सरकार द्वारा स्वीकृत क्लस्टर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में जैसे- कानपुर, गोरखपुर, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, अलीगढ़, आगरा, हापुड़, चन्दौली, वाराणसी, बरेली, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, ललितपुर, फर्रूखाबाद, मुरादाबाद और अमरोहा में संचालित हैं।

(ii) विपणन प्रोत्साहन

विपणन प्रोत्साहन उप-घटक के लाभ के लिये प्राथमिक हथकरघा बुनकर सहकारी समिति, शीर्ष बुनकर सहकारी समिति एवं राष्ट्रीय हथकरघा संगठन आदि को विगत तीन वर्षों के औसत बिक्री कारोबार का 10 प्रतिशत की दर से प्रोत्साहन देय होगा। इसमें भारत सरकार का अंश 50 प्रतिशत तथा राज्य सरकार का अंश 50 प्रतिशत का होगा।

(iii) हथकरघा विपणन सहायता (मार्केटिंग प्रमोशन)

हथकरघा विपणन सहायता योजना केन्द्र सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही है, जिसके अन्तर्गत हथकरघा समितियों/संस्थाओं को उनके उत्पादों की बिक्री हेतु स्थल उपलब्ध कराया जाता है। भारत सरकार द्वारा स्पेशल हैण्डलूम एक्सपो/राष्ट्रीय स्तर के मेले/प्रदर्शनी लगाने हेतु शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाती है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्पेशल हैण्डलूम एक्सपो/राष्ट्रीय स्तर के मेले/प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है।

भारत सरकार द्वारा अनुमन्य वित्तीय सुविधा :-

- प्रति नेशनल हैण्डलूम एक्सपो - रु. 45 लाख
- प्रति स्पेशल हैण्डलूम एक्सपो - रु. 12 लाख

(2) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना/प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं महात्मा गाँधी बुनकर बीमा योजना

प्रदेश के हथकरघा बुनकरों के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना/प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं महात्मा गाँधी बुनकर बीमा योजना भारतीय जीवन बीमा निगम के सहयोग से भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य हथकरघा बुनकरों को स्वाभाविक मृत्यु के साथ-साथ दुर्घटना में मृत्यु होने की दशा में तथा पूर्ण एवं आंशिक निशक्तता के मामलों में बढ़ा हुआ बीमा कवर एवं उच्चतर बीमा राशि प्रदान करना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना/प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में प्रति बुनकर वार्षिक प्रीमियम रु. 342.00 है।

जिसमें बुनकर का अंश रु. 80.00, भारत सरकार का अंश रु. 162.00 तथा एल.आई.सी. (सामाजिक सुरक्षा निधि) का अंश रु. 100.00 सम्मिलित है एवं महात्मा गाँधी बुनकर बीमा योजना में प्रति बुनकर वार्षिक प्रीमियम रु. 470.00 है। जिसमें बुनकर का अंश रु. 80.00, भारत सरकार का अंश रु. 290.00 तथा एल.आई.सी. (सामाजिक सुरक्षा निधि) का अंश रु. 100.00 सम्मिलित है।

अतिरिक्त लाभ

इस योजना के तहत 'मुफ्त एण्ड आन' लाभ के रूप में लाभार्थी के 9वीं तक की कक्षा में पढ़ रहे अधिकतम 02 बच्चों के लिए 100/- रु. प्रति बच्चे के आधार पर छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2018-19 कुल 13052 हथकरघा बुनकरों तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल 7265 हथकरघा बुनकरों को आच्छादित कर लाभान्वित कराया गया है।

(3) पावरलूम कामगारों के लिए समूह बीमा योजना

पावरलूम कामगारों की स्वाभाविक मृत्यु के साथ-साथ दुर्घटना में मृत्यु होने की स्थिति में बढ़ा हुआ बीमा कवर एवं उच्चतर बीमा राशि प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा समूह बीमा योजना पावरलूम क्षेत्र में कार्यरत कामगारों के लिए लागू की गई है जिसमें 18 से 50 वर्ष तक की उम्र के प्रति बुनकर वार्षिक प्रीमियम रुपये 342.00 है जिसमें बुनकर का अंश रु. 80.00 भारत सरकार का अंश रुपये 162.00 तथा एल0आई0सी0 (सामाजिक सुरक्षा निधि से) का अंश रु. 100.00 सम्मिलित है। 51 से 60 वर्ष तक की उम्र के प्रति बुनकर वार्षिक प्रीमियम रुपये 470.00 है जिसमें बुनकर का अंश रु. 80.00 भारत सरकार का अंश रुपये 290.00 तथा एल0आई0सी0 (सामाजिक सुरक्षा निधि से) का अंश रु. 100.00 सम्मिलित है।

अतिरिक्त लाभ – इस योजना के तहत मुफ्त एण्ड आन लाभ के रूप में लाभार्थी के 9वीं तक की कक्षा में पढ़ रहे अधिकतम 02 बच्चों के लिए 100/- रु. प्रति बच्चे के आधार पर छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती हैं। वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल 9354 पावरलूम बुनकर तथा गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल 5606 पावरलूम बुनकरों को आच्छादित कर लाभान्वित कराया गया है।

(4) प्रधानमंत्री हथकरघा बुनकर मुद्रा योजनाः-

- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भारत सरकार की योजना है।
- अधिकतम 7 प्रतिशत ब्याज उपादान के साथ 6 प्रतिशत ब्याज दर पर हथकरघा बुनकरों को सस्ता ऋण उपलब्ध होगा।

- योजनान्तर्गत मार्जिन मनी प्रोजेक्ट कास्ट का 20 प्रतिशत अधिकतम रु. 10,000/-तक देय है।
- योजनान्तर्गत बैंक से ऋण स्वीकृत होने पर ऋणी बुनकर को रूपे कार्ड उपलब्ध कराया जायेगा।
- बुनकरों को सी0जी0टी0एम0एस0ई के माध्यम से ऋण कवर प्रदान किया जायेगा।
- इस योजना में व्यक्तिगत बुनकर, मास्टर बुनकर तथा हथकरघा उद्यमी को रु. 50,000 से रु. 5 लाख तक ऋण स्वीकृत करने की व्यवस्था है।

हैण्डलूम वीवर्स मुद्रा पोर्टल दिनांक 01 अप्रैल 2017 से क्रियाशील है। इस पोर्टल के माध्यम से सम्बन्धित बैंकों हेतु मार्जिन मनी, ब्याज उपादान एवं क्रेडिट गारंटी फीस की धनराशि की आनलाइन मांग पी.एन.बी. से करने की व्यवस्था की गयी है। भारत सरकार द्वारा धनराशि अग्रिम रूप में पंजाब नेशनल बैंक को उपलब्ध करायी जायेगी।

राज्य सेक्टर की योजनाएं

1. संत कबीर राज्य हथकरघा पुरस्कार योजना

हथकरघा बुनकरों को प्रोत्साहित करने एवं बुनकरों में प्रतिस्पर्धा लाने तथा उन्हें पुरस्कार देकर सम्मानित करने के लिये योजना संचालित की जा रही है। योजनान्तर्गत परिक्षेत्र स्तरीय तथा राज्य स्तरीय पुरस्कारों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी के नगद पुरस्कार के साथ शील्ड, अंगवस्त्रम, प्रमाण-पत्र प्रदान करने की व्यवस्था है।

परिक्षेत्रीय स्तर पर कुल 39 पुरस्कार में प्रथम श्रेणी के 13 बुनकरों को रु. 20,000.00 प्रति बुनकर, द्वितीय श्रेणी के 13 बुनकरों को रु. 15,000.00 प्रति बुनकर एवं तृतीय श्रेणी के 13 बुनकरों को रु. 10,000.00 प्रति बुनकर तथा राज्य स्तर पर चयनित कुल 12 बुनकरों को प्रथम श्रेणी के 4 बुनकरों को रु. 1,00,000.00 प्रति बुनकर, द्वितीय श्रेणी के 4 बुनकरों को रु. 50,000.00 प्रति बुनकर एवं तृतीय श्रेणी के 4 बुनकरों को रु. 25,000.00 प्रति बुनकर को पुरस्कार प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में संत कबीर राज्य हथकरघा पुरस्कार योजनान्तर्गत रु. 19.85 लाख के सापेक्ष 18.82 लाख व्यय कर कुल 51 पुरस्कार वितरित किये गये। वित्तीय वर्ष 2019 में भी योजनान्तर्गत प्रदेश के 51 बुनकरों को उनकी उत्कृष्ट कला हेतु पुरस्कृत किये जाने के उद्देश्य से कुल 51 पुरस्कार वितरित कराये गये। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु. 19.85 लाख का बजट प्रावधान किया गया है।

2. हथकरघा क्षेत्र के प्रशिक्षार्थियों को सहायता

योजनान्तर्गत भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान चौकाघाट वाराणसी के त्रिवर्षीय डिप्लोमा कोर्स के प्रशिक्षार्थियों हेतु प्रति वर्ष भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीटों के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है। भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के प्रशिक्षार्थियों को 50:50 के आधार पर छात्रवृत्ति की धनराशि देय होती है। जिसमें राज्यांश के रूप में प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए रु. 500.00 प्रति छात्र, द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए रु. 550.00 प्रति छात्र एवं तृतीय वर्ष के छात्रों के लिए रु. 600.00 प्रति छात्र की दर से 10 माह (जुलाई से अप्रैल) के लिए छात्रवृत्ति की धनराशि प्रदान की जाती है। वर्तमान में वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान चौकाघाट वाराणसी के त्रिवर्षीय डिप्लोमा कोर्स हेतु उ0प्र0 हेतु 45 सीटें निर्धारित हैं। वित्तीय वर्ष 2018-

19 में 7.01 लाख व्यय कर 126 छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की गयी। वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान चौकाघाट वाराणसी के त्रिवर्षीय डिप्लोमा कोर्स हेतु प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के छात्रों की छात्रवृत्ति हेतु कुल रु. 7.02 लाख (रु. सात लाख दो हजार मात्र) के बजट का प्रावधान किया गया था। जिसके सापेक्ष धनराशि रु. 5.58156 लाख व्यय कर 125 छात्रों को लाभान्वित किया गया। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में योजना में रु. 7.19 लाख का बजट प्राविधान किया गया है।

3. पावरलूम बुनकरों को विद्युत दर में छूट की प्रतिपूर्ति-

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के पावरलूम बुनकरों को विद्युत बिलों में छूट दिये जाने का निर्णय लिया गया था। योजना का क्रियान्वयन हथकरघा विभाग द्वारा परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त कथकरघा एवं ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के समन्वय से किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रदेश के पावरलूम बुनकरों को लाभान्वित कराये जाने के उद्देश्य से धनराशि रु. 19141.00 लाख (रु. एक अरब इक्यान्नबे करोड़ इकतालिस लाख मात्र) के बजट की स्वीकृत प्राप्त हुई है। स्वीकृत धनराशि रु. 19141.00 लाख (रु. एक अरब इक्यान्नबे करोड़ इकतालिस लाख मात्र) को प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कापोरेशन लि0 लखनऊ को हस्तगत कराई जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में पावरलूम बुनकरों को विद्युत दर में छूट की प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत रु. 150 करोड़ (रु. एक अरब पचास करोड़ मात्र) का प्राविधान है। बजट प्राविधान के सापेक्ष रु. 150 करोड़ की स्वीकृति शासन से प्राप्त कर प्रदेश के लगभग 86074 पावरलूम कनेक्शन धारक बुनकरों को लाभान्वित किये जाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लि0 लखनऊ को निर्गत कर बुनकरों को लाभान्वित किया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में योजना में रु. 150 करोड़ का बजट प्राविधान किया गया है।

4. हथकरघा बुनकरों को विद्युत दर में छूट की प्रतिपूर्ति-

योजनान्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में हथकरघा बुनकरों को पावरलूम बुनकरों की भांति विद्युत सब्सिडी उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में धनराशि रु. 500.00 लाख की स्वीकृति शासन से प्राप्त हुई जो हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय उ.प्र. कानपुर द्वारा उत्तर प्रदेश पावर कापोरेशन लि0 लखनऊ को हथकरघा बुनकरों को लाभान्वित कराये जाने हेतु निर्गत कर दिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में 12703 हथकरघा बुनकरों को विद्युत दरों में छूट की प्रतिपूर्ति हेतु प्रति हथकरघा बुनकर रु. 3936/- वार्षिक के अनुसार 5 करोड़ का बजट प्राविधान किया गया था। बजट प्राविधान के सापेक्ष रु. 5 करोड़ की स्वीकृति शासन से प्राप्त कर प्रदेश के हथकरघा बुनकरों को लाभान्वित किये जाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लि0 लखनऊ को निर्गत कर बुनकरों को लाभान्वित किया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में योजना में रु. 5 करोड़ का बजट प्राविधान किया गया है।

5. धुनकरों को विद्युत दर में छूट की प्रतिपूर्ति

योजनान्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रदेश के धुनकरों को विद्युत दर में छूट दिये जाने का निर्णय लिया गया था। वित्तीय वर्ष 2018-19 में धुनकरों को विद्युत दर में छूट

की प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत धनराशि रु. 100.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया था। वित्तीय वर्ष 2019-20 में धुनकरों को विद्युत कर में छूट की प्रतिपूर्ति योजना में धनराशि रु. 100.00 लाख (रु. एक करोड़ मात्र) के बजट का प्रावधान के सापेक्ष रु. 100 लाख की स्वीकृति शासन स्तर से निर्गत की गयी हैं। स्वीकृत धनराशि उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लि0 लखनऊ को उपलब्ध कराकर धुनकरों को लाभान्वित किया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में योजना में रु. 1 करोड़ का बजट प्राविधान किया गया है।

6. उत्तर प्रदेश वस्त्र उद्योग नीति-2014 के अन्तर्गत ब्याज उपादान योजना

योजनान्तर्गत पूर्वांचल, मध्यांचल एवं बुन्देलखण्ड में स्थापित होने वाली नई/विस्तारीकृत/विविधीकृत वस्त्र उद्योग यथा– कताई (स्पिनिंग) निर्माण इकाइयों को इकाई की स्थापना हेतु बैंको/वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर पर 07 प्रतिशत की दर से अधिकतम 07 वर्ष तक प्रतिपूर्ति किये जाने का प्रावधान है। इसकी अधिकतम सीमा प्रति वर्ष प्रति इकाई रु. 1.00 करोड़ होगी। स्पिनिंग यूनिट को छोड़कर अन्य वस्त्र उद्योग की इकाइयों पर यह उपादान 05 प्रतिशत की दर से अधिकतम 07 वर्षों के लिए प्रति यूनिट अधिकतम 1.00 करोड़ होगी। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में स्थापित होने वाले वस्त्रोद्योगों के लिए प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा प्रति वर्ष प्रति इकाई रु. 50.00 लाख होगी। वित्तीय वर्ष 2019-20 में उत्तर प्रदेश वस्त्र उद्योग नीति-2014 के अन्तर्गत ब्याज उपादान योजनान्तर्गत रु. 650.00 लाख (रु. छह करोड़ पचास लाख मात्र) का बजट प्रावधान था। प्रावधानित बजट के सापेक्ष योजनान्तर्गत लाभान्वित कुल 39 वस्त्र इकाइयों के पक्ष में धनराशि रु. 6.48 करोड़ निर्गत कर लाभान्वित किया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में योजना में रु. 6 करोड़ का बजट प्राविधान किया गया है, जिसके सापेक्ष 16 वस्त्र इकाइयों के पक्ष में रु. 1.52 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त हुयी है।

7. पावरलूम क्षेत्र का विकास (एस.सी.पी.) योजना

योजनान्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के परम्परागत पावरलूम उद्योग को आधुनिक एवं उच्चीकृत पावरलूम में परिवर्तित कर एस.सी/एस.टी जाति के पावरलूम बुनकरों के आर्थिक व सामाजिक जीवन स्तर में सुधार लाने हेतु यह योजना संचालित है। योजनान्तर्गत एस.सी./एस.टी. जाति के पावरलूम बुनकरों को 1-आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण, 2-कार्यशाला का निर्माण, 3-उच्चीकृत पावरलूम की स्थापना आदि मदों में लाभान्वित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में धनराशि रु. 155 लाख व्यय कर 50 इकाइयों के 200 पावरलूम बुनकरों को लाभान्वित किया गया था। वित्तीय वर्ष 2019-20 में भी रु. 155 लाख का बजट प्राविधान था। प्राविधानित बजट के सापेक्ष रु. 155 लाख शासन से प्राप्त कर 50 इकाइयों के 200 पावरलूम बुनकरों को लाभान्वित किया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में योजना में रु. 155 लाख का बजट प्राविधान किया गया है।

8. उत्तर प्रदेश हथकरघा, पावरलूम, रेशम वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति-2017

प्रदेश में अधिक से अधिक निवेश को आकर्षित कर अधिकाधिक रोजगार सृजन करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा ''उ.प्र., हैण्डलूम, पावरलूम सिल्क, वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति-2017 बनायी गयी है। नीति अन्तर्गत प्रदेश की वस्त्र इकाइयों को लाभान्वित किये जाने हेतु परिक्षेत्रों के माध्यम से प्रस्ताव प्राप्त किये जा रहे हैं। प्रदेश में स्थापित होने वाली नई/विस्तारीकृत/विविधीकरण करने वाले वस्त्र उद्यमियों को वित्तीय सुविधाओं एवं उपादान योजनाओं का लाभ दिये जाने का निम्नानुसार प्रावधान है :

(क) उत्तर प्रदेश हथकरघा, पावरलूम, रेशम वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति-2017 में अनुमन्य वित्तीय प्रोत्साहन

1- **भूमि की खरीद पर अनुदान-** सरकारी संस्था से भूमि की खरीद पर गौतमबुद्ध नगर में 30 प्रतिशत तथा शेष प्रदेश में 50 प्रतिशत तक अनुदान देय है। जो प्रोजेक्ट कास्ट के 5 प्रतिशत तक सीमित होगा।

2- **स्टाम्प ड्यूटी में छूट-** 75 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक प्रदेश के आंचलिक क्षेत्रवार। योजनान्तर्गत एक वस्त्र इकाई के धनराशि रु. 5.741 लाख निर्गत कर लाभान्वित किया गया है।

3- **पूँजीगत उपादान-** प्लान्ट एवं मशीनरी पर किये गये निवेश का 25 प्रतिशत (2 करोड़ से 100 करोड़ तक)

4- **ब्याज उपादान-**

(अ) 7 प्रतिशत 7 वर्ष तक टफ्स पात्र प्लान्ट एवं मशीनरी की खरीद पर 1.5 करोड़ की सीमा तक।

(ब) 5 प्रतिशत 7 वर्ष तक अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 1 करोड़ की सीमा तक।

5- **राज्य जी.एस.टी. पर छूट-** 60 से 90 प्रतिशत तक प्रदेश के आंचलिक क्षेत्रवार।

6- **इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में छूट-** 100 प्रतिशत 10 वर्ष तक देय।

7- **ई.पी.एफ. प्रतिपूर्ति-** 50 से 60 प्रतिशत इकाई में श्रमिकों की संख्या के आधार पर।

8- **अन्य सुविधायें-**

(अ) माल भाड़ा प्रतिपूर्ति 25 से 75 प्रतिशत वर्ष के अनुसार।

(ब) मण्डी शुल्क में छूट 5 वर्ष तक।

(स) प्लग एण्ड प्ले सुविधा।

(ख) टेक्सटाइल पार्क एवं औद्योगिक आस्थानों हेतु वित्तीय प्रोत्साहन

1- **ब्याज उपादान-**

(अ) भूमि की खरीद पर देय वार्षिक ब्याज का 50 प्रतिशत, 7 वर्षों तक प्रतिवर्ष 1 करोड़ की सीमा तक।

(ब) अवस्थापना विकास हेतु देय वार्षिक ब्याज का 60 प्रतिशत 7 वर्षों तक प्रतिवर्ष 10 करोड़ अधिकतम कुल 50 करोड़ तक देय।

2- **स्टाम्प ड्यूटी में छूट-**

(अ) वस्त्र इकाइयों द्वारा सरकारी संस्थाओं से भूमि क्रय करने पर गौतमबुद्ध नगर को छोड़कर शेष प्रदेश में 100 प्रतिशत छूट।

(ब) गौतमबुद्ध नगर में 75 प्रतिशत छूट।

(स) 100 प्रतिशत पार्क विकासकर्ता को।

(द) 50 प्रतिशत भूमि के प्रथम खरीददार को।

3- स्टाफ क्वार्टर/हास्टल/डोरमेट्री के निर्माण पर छूट-

(अ) वार्षिक देय ब्याज का 60 प्रतिशत 7 वर्षों तक।

(ब) 100 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी में छूट (गौतमबुद्ध नगर को छोड़कर)

4- अवस्थापना विकास हेतु राज्य सरकार का सहयोग- सम्पर्क मार्ग, ट्रंकड्रेन, विद्युत लाइन, ट्रान्सफारमर एवं विद्युत उप केन्द्र, फायर स्टेशन की व्यवस्था हेतु।

(ग) मेगा एवं सुपर मेगा इकाइयों हेतु सुविधायें-

1- रोजगार सृजन अनुदान- प्रदेश में 15000 सिलाई मशीन स्थापित होने तक मेगा एवं सुपर मेगा श्रेणी की गारमेन्टिंग इकाइयों को रु. 3200 प्रति माह प्रति श्रमिक की दर से रोजगार सृजन अनुदान देय है।

2- वित्तीय सुविधाओं को बढ़ाना- केस-टू-केस आधार अनुमन्य वित्तीय सुविधाओं की सीमा शिथिल किया जायेगा।

3- राज्य जी.एस.टी. में छूट- 80 प्रतिशत पूरे प्रदेश में।

4- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, दिव्यांगों की स्वामित्व वाली इकाइयों को अतिरिक्त सुविधायें देय।

5- उ.प्र. के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, बी.पी.एल. श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने वाली इकाइयों को विशेष सुविधा देय।

6- प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों जैसे- बुन्देलखण्ड, पूर्वान्चल में वस्त्र उद्योग स्थापित करने पर विशेष सुविधा देय।

7- हथकरघा बुनकरों, रेशम की इकाइयों को भी पॉलिसी के अन्तर्गत विशेष सुविधायें प्रदान करने का प्रावधान है।

नई नीति के अन्तर्गत हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिये भी निम्नलिखित सुविधायें अनुमन्य की गयी हैं :

1- बुनाई विषय से इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण छात्रों को छात्रवृत्ति- व्यवसायिक विषयों के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करने वाले ऐसे छात्र, जो कताई एवं बुनाई विषय से इण्टरमीडिएट (कक्षा-11,12) की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं प्रति वर्ष ऐसे 2000 छात्रों को प्रोत्साहन देने के लिये रु. 500 प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जायेगी। वित्तीय वर्ष 2018-19 में 137 छात्रों को लाभान्वित किया गया है तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 में धनराशि रु. 7.40 लाख से प्रदेश के 148 छात्रों को लाभान्वित किया गया है।

2- बुनाई विषय के इण्टरमीडिएट कालेजों को अनुदान- बुनाई प्रशिक्षण कालेजों के छात्रों को प्रशिक्षित करने हेतु नवीन हथकरघा के क्रय, हथकरघा के विभिन्न उपकरणों के क्रय जैसे- डाबी, जैकार्ड कच्चा माल यथा- सूत, रंग, रसायन आदि के क्रय हेतु रुपये 5 लाख प्रति कालेज अनुदान दिया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2019-20 में धनराशि रु. 10 लाख व्यय कर प्रदेश के 02 कालेजों को अनुदान दिया गया है।

3- हथकरघा बुनकर के सहायक कर्मियों को मानदेय-15 से 22 वर्ष की आयु के ऐसे व्यक्ति जो हथकरघा वस्त्रों की बुनाई/रंगाई/डिजाइन आदि कार्यों में बुनकर के सहायक के रूप में कार्य करते हैं, ऐसे सहायक कर्मियों को दो वर्षों तक रुपये 1000/- प्रतिमाह मानदेय दिया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2018-19 में 107 बुनकर सहायक कर्मियों को लाभान्वित किया गया है तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 में धनराशि रु. 46.18 लाख से प्रदेश के 399 बुनकरों को लाभान्वित किया गया है।

4- हथकरघा क्लस्टरों को अतिरिक्त अनुदान- चूंकि हथकरघा एक पारम्परिक उद्योग है, राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से अनुमोदित/स्वीकृत क्लस्टर प्रोजेक्टों में आवश्यकतानुसार पूर्ण कराने के लिये अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया जायेगा।

5- प्रदेश के बाहर देश के बड़े शहरों में विशेष प्रदर्शनियों का आयोजन- प्रदेश के बाहर देश के बड़े शहरों में उ.प्र. रेशम एवं हैण्डलूम कारीगरों तथा समितियों के उत्पादों की बिक्री के प्रोत्साहन हेतु प्रति वर्ष 4 प्रदर्शनियों का आयोजन कराया जायेगा तथा स्थापित प्रदर्शनियों में भाग लेने हेतु सहायता दिलायी जायेगी। प्रत्येक प्रदर्शनी पर अनुमानित व्यय रुपये 40 लाख होगा। वित्तीय वर्ष 2019-20 में जनपद चण्ढीगढ, जयपुर, तथा भोपाल में प्रदर्शनियों के आयोजन हेतु धनराशि रु. 120 लाख निर्गत की गयी है।

6- भारत सरकार की संस्थाओं द्वारा विदेश में आयोजित प्रदर्शनियों के प्रतिभागियों को वित्तीय सहायता- विदेश में आयोजित ऐसी 02 प्रदर्शनियां जिन्हें विकास आयुक्त, हथकरघा, भारत सरकार द्वारा आयोजित कराया जाता है उनमें प्रदेश के बुनकरों एवं समितियों को प्रतिभाग कराने हेतु एक व्यक्ति के प्रतिभाग करने के कुल व्यय का 90 प्रतिशत सहायता प्रतिपूर्ति के आधार पर दी जायेगी।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में उत्तर प्रदेश हथकरघा, पावरलूम, रेशम एवं गारमेन्टिंग नीति-2017 के अन्तर्गत धनराशि रु. 50 करोड़ के बजट का प्राविधान किया गया है। जिसके सापेक्ष परिक्षेत्रों से वस्त्र इकाइयों के प्रस्ताव प्राप्त कर परीक्षण की कार्यवाही की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में योजनान्तर्गत कुल धनराशि रु. 2.50 करोड़ निर्गत की गयी है। जिसके सापेक्ष विभिन्न मदों में 189.32 लाख धनराशि व्यय की जा सकी है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में योजना में रु. 50 करोड़ का बजट प्राविधान किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में विभाग द्वारा किए गये प्रमुख कार्य

1. हथकरघा बुनकरों को विद्युत दर में छूट की प्रतिपूर्ति-

योजनान्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 धनराशि रु. 500.00 लाख की स्वीकृति शासन से प्राप्त हुई जिससे 12703 हथकरघा बुनकरों को विद्युत दरों में छूट की प्रतिपूर्ति हेतु प्रति हथकरघा बुनकर रु. 3936/- वार्षिक के अनुसार 4,99,99,008.00 (रु. चार करोड़ निन्यानबे लाख निन्यानबे हजार आठ मात्र) की धनराशि हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय उ.प्र. द्वारा उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लि0 लखनऊ को प्रदान कर कुल 12703 हथकरघा बुनकरों को लाभान्वित किया गया।

2. उत्तर प्रदेश वस्त्र उद्योग नीति-2014 के अन्तर्गत ब्याज उपादान योजना-

वित्तीय वर्ष 2019-20 में योजनान्तर्गत रु. 650.00 लाख के बजट प्राविधान के सापेक्ष कुल 39 इकाईयों के पक्ष में रु. 648.48 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासन से हुई। प्राप्त स्वीकृत धनराशि से प्रदेश की 39 वस्त्र इकाईयों को उनके द्वारा प्लान्ट एवं मशीनरी के क्रय हेतु लिये गये ऋण के सापेक्ष किये गये ब्याज के भुगतान में से 5/7 की दर से ब्याज उपादान की धनराशि रु. 648.41 लाख से लाभान्वित किया गया है।

3. पावरलूम बुनकरों को विद्युत दर में छूट की प्रतिपूर्ति-

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के पावरलूम बुनकरों को विद्युत बिलों में छूट दिये जाने का निर्णय लिया गया था। योजना का क्रियान्वयन हथकरघा विभाग द्वारा परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त एवं ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के सहयोग से बुनकरों को लाभान्वित कराया जाता है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रदेश के पावरलूम बुनकरों को लाभान्वित कराये जाने के उद्देश्य से धनराशि रु. 15000.00 लाख (रु. एक अरब पचास करोड़ मात्र) के बजट की स्वीकृत प्राप्त हुई है। प्राप्त धनराशि रु. 15000.00 लाख (रु. एक अरब पचास करोड़ मात्र) को प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 लखनऊ को निफ्ट के माध्यम से हस्तगत कराई गयी, जिससे लगभग 86074 पावरलूम बुनकर लाभान्वित किये गये हैं।

4. उत्तर प्रदेश हथकरघा, पावरलूम, रेशम वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति-2017

वित्तीय वर्ष 2019-20 में उत्तर प्रदेश हथकरघा, पावरलूम, रेशम वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति-2017 के अन्तर्गत धनराशि रु. 50 करोड़ के बजट का प्राविधान किया गया था। जिसके सापेक्ष कुल धनराशि रु. 2.50 करोड़ निर्गत की गयी है। जिसके सापेक्ष विभिन्न मदों में 189.32 लाख से प्रदेश के बाहर देश के बड़े शहरों में बुनकर कारीगरों तथा समितियों के उत्पादों की बिक्री के प्रोत्साहन हेतु 03 प्रदेश स्तरीय प्रदर्शनियों के आयोजन के साथ 148 बुनकर छात्रों तथा 399 बुनकर सहायकों को लाभान्वित किया गया, साथ ही साथ लैब उपकरण क्रय हेतु 02 बुनाई कालेजों तथा स्टाम्प ड्यूटी में छूट हेतु 01 वस्त्र इकाई लाभान्वित की गयी है।

5. संत कबीर राज्य हथकरघा पुरस्कार योजना

हथकरघा बुनकरों को प्रोत्साहित करने एवं बुनकरों में प्रतिस्पर्धा लाने हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 में भी योजनान्तर्गत प्रदेश के 51 बुनकरों को उनकी उत्कृष्ट कला हेतु पुरस्कृत किये जाने के उद्देश्य से धनराशि रु. 19.85 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष में दिनांक 25 फरवरी 2020 को मा0 मंत्री जी के कर कमलों से पुरस्कारों का वितरण कर 51 बुनकरों को उनके क्षेत्र की उत्कृष्ट कला हेतु लाभान्वित किया गया है।

6. धुनकरों को विद्युत दर में छूट की प्रतिपूर्ति

वित्तीय वर्ष 2019-20 में धुनकरों को विद्युत कर में छूट की प्रतिपूर्ति हेतु प्राविधानित बजट धनराशि रु. 100.00 लाख (एक करोड़ मात्र) उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लि0 लखनऊ को स्थानान्तरित कर प्रदेश के धुनकरों की यूनिट को लाभान्वित किया गया है।

खादी एवं ग्रामोद्योग

अभ्युदय :

प्रदेश में कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों का प्रभावी संगठनात्मक ढाँचा प्रदान करने एवं खादी तथा ग्रामोद्योग सेक्टर से संबंधित उद्योगों की विशिष्ट समस्याओं के निराकरण हेतु निदेशालय की स्थापना शासनादेश संख्या 1880/18-10-184 (के0बी0)- 86 टी0सी0 दिनांक 5 मई, 1987 द्वारा की गयी थी।

मूलभूत उद्देश्य

इस निदेशालय की स्थापना निम्न उद्देश्यों को दृष्टि में रखकर की गयी-

1. कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों से संबंधित सांख्यकीय आधार (डाटा बेस) को सुदृढ़ करना तथा इन उद्योगों हेतु नीति निर्धारण में प्रदेश शासन को आवश्यक सहयोग देना।
2. प्रदेश में कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों के व्यापक तथा समन्वित विकास हेतु आवश्यक परियोजनाओं/योजनाओं की संरचना करना तथा कार्यान्वित की जाने वाली समस्त परियोजना का प्रभावी अनुश्रवण करना।
3. कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों हेतु शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि का आहरण-वितरण करना तथा उसका सम्पूर्ण लेखा-जोखा रखना।
4. कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों से संबंधित विभिन्न संस्थाओं/शासकीय विभागों से प्रभावी समन्वय स्थापित करना।
5. अन्य कार्य जो प्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर आवंटित किये जायें।

गत वर्ष किये गये प्रमुख कार्यों का संक्षिप्त विवरण

1. कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों से संबंधित सांख्यकीय आधार को सुदृढ़ बनाया गया एवं ग्रामोद्योगों की नीति हेतु प्रदेश सरकार को आवश्यक सहयोग प्रदान किया गया।
2. खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के कतिपय खादी उत्पादन केन्द्रों/परिक्षेत्रीय कार्यालयों/जिला ग्रामोद्योग कार्यालयों का निरीक्षण किया गया एवं विकास कार्यों की समीक्षा की गयी।
3. खादी बोर्ड द्वारा ग्रामोद्योगों के विकास हेतु वितरित धनराशि की वसूली संबंधी कार्यों का अनुश्रवण किया गया।
4. खादी बोर्ड के कार्मिकों के जी0पी0एफ0 संबंधी कार्यों का निस्तारण पेंशन निदेशालय एवं कोषागार के माध्यम से कराया गया।

5. खादी बोर्ड के सेवानिवृत्त कार्मिकों के पेंशन सम्बंधी कार्यों का निस्तारण पेंशन निदेशालय एवं कोषागार के माध्यम से कराया गया।
6. प्रदेश के कुम्हारी उद्योग से सम्बन्धित समाज के लोगों को आर्थिक सम्बल प्रदान करने के उद्देश्य से उ0प्र0 माटी कला बोर्ड का गठन किया गया है।

विकास के आगामी लक्ष्य तथा चालू वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित कार्यक्रम संबंधी विवरण

1. खादी बोर्ड के कार्मिकों को कोषागारों के माध्यम से जी0पी0एफ0 का भुगतान आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से सीधे कार्मिकों के बैंक खातों में कराया जाना।
2. कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों हेतु प्रदेश शासन द्वारा निर्गत स्वीकृतियों की धनराशियों का आहरण वितरण करना एवं उनका लेखा-जोखा रखना।
3. खादी बोर्ड की योजनान्तर्गत वित्तपोषित इकाइयों के स्थलीय निरीक्षण की कार्यवाही करना।
4. खादी बोर्ड द्वारा क्रियान्वित योजनाओं का प्रभावी अनुश्रवण करना।
5. प्रदेश में कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु कार्यक्रमों का संचालन, निदेशन एवं अंकेक्षण कराना।
6. माटीकला एवं माटी शिल्पकला के कारीगरों को प्रशिक्षण प्रदान करना ताकि उनके व्यवसाय में वृद्धि एवं उनके आर्थिक एवं सामाजिक विकास का मार्ग सुगम हो सके।
7. प्रदेश में माटीकला एवं माटी शिल्पकला से नवीन पीढ़ी को जोड़ना तथा पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत माटीकला के उत्पादों एवं दोना-पत्तल उद्योग को बढ़ावा देना।
8. कुम्हारों व दोना-पत्तल बनाने वाले कारीगरों को टूल-किट्स वितरण करना।
9. खादी और ग्रामोद्योग विकास एवं सतत् स्वरोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के अन्तर्गत सोलर चर्खा प्रशिक्षण तथा वितरण योजना का क्रियान्वयन कराना।
10. प्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य।

उ०प्र० माटीकला बोर्ड

औद्योगिक जगत द्वारा कच्चे माल के रूप में माटी का प्रयोग कर मूर्तियां, खिलौने, बर्तन, कवेलू इत्यादि वस्तुएं बनाने का प्रचलन सदियों से रहा है। वर्तमान परिवेश में मिट्टी के वस्तुओं की मांग कम होने से एक तरफ परम्परागत कारीगरों के समक्ष रोजी-रोटी की समस्या उपस्थित है, तो दूसरी तरफ माटी की आवश्यक वस्तुओं के विकल्प के रूप में प्लास्टिक उत्पादों का प्रसार निरन्तर बढ़ रहा है, जो पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। इस प्राचीन कला को संरक्षित करते हुए बहुविध संवर्धित करने एवं उ0प्र0 में बढ़ती बेरोजगारी का समाधान करने तथा स्थानीय स्तर पर अधिकाधिक रोजगार सृजन के उद्देश्य से प्रदेश के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों के माटीकला एवं माटी शिल्पकला के उद्यमियों/शिल्पियों के बहुविध विकास के लिए एक स्वशासी निकाय के रूप में 'उ0प्र0 माटीकला बोर्ड का गठन उ0प्र0 शासन, खादी एवं ग्रामोद्योग अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्याः 475/59-1-2018, दिनांक 19 जुलाई, 2018 द्वारा किया गया है।

उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

संक्षिप्त परिचय

प्रदेश में खादी तथा ग्रामोद्योग क्षेत्र के चतुर्मखी विकास के लिए उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग अधिनियम, 1960 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1960) के अन्तर्गत बोर्ड का गठन एक सलाहकार परिषद के रूप में हुआ था। तदुपरान्त उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1966 (अधिनियम सं0 64 सन् 1966) द्वारा बोर्ड को खादी तथा ग्रामोद्योग की योजनाओं को क्रियान्वित करने का अधिकार भी प्रदान किया गया। इस प्रकार खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में पुनर्गठित हुआ तथा अप्रैल, 1967 में उद्योग निदेशालय उ0प्र0 से समस्त खादी व ग्रामोद्योगी योजनाएं बोर्ड को स्थानान्तरित कर दी गयीं।

खादी एवं ग्रामोद्योग विकास एवं सतत् स्वरोजगार प्रोत्साहन नीति

खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग द्वारा संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों, तत्संबन्धी क्रिया-कलापों के सफल क्रियान्वयन, ग्रामोद्योग के उत्पादों एवं योजनाओं को जन सामान्य तक पहुँचाने व उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने, प्रदेश में खादी एवं ग्रामोद्योग व्यवसाय को आकर्षित करने, उसकी क्षमता में सुधार करने, पूँजी निवेश को आकर्षित करने, न्यून-पूँजी निवेश से अत्यधिक रोजगार सृजित करने, उत्पादकता एवं मजदूरी में वृद्धि और कारीगरों के सामाजिक कल्याण एवं समुत्थान करने, विपणन एवं विपणन अवस्थापना सुविधाओं का संवर्धन करने, कृषि आधारित उद्योगों हेतु वैल्यू-चेक-मेकेनिज्म को प्रोत्साहित करने तथा ग्रामीण औद्योगीकरण को सुप्रभावी बनाने, एक जनपद-एक उत्पाद अवधारणा का अधिकार, खादी एवं ग्रामोद्योगी उत्पादों की राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट उत्पादों के रूप में पहचान बनाना, प्रदेश में ग्रामोद्योग के विकास हेतु पूँजी निवेश को बढ़ाना एवं उपलब्ध अवस्थापना सुविधाओं हेतु खादी एवं ग्रामोद्योग विकास एवं सतत् स्वरोजगार प्रोत्साहन नीति स्वीकृत की गयी है।

खादी एवं ग्रामोद्योग विकास एवं सतत् स्वरोजगार प्रोत्साहन नीति के मुख्य बिन्दु

- प्रदेश में उपलब्ध औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक पार्क/स्टेट्स में ग्रामीण उद्योग की स्थापना हेतु भूमि का वरीयता के आधार पर आवंटन किया जायेगा।
- ग्राम सभा की रिक्त भूमि का आवंटन भूमि प्रबन्धक समिति के द्वारा पट्टे हेतु किया जायेगा।
- वैकल्पिक ऊर्जा/जैविक ऊर्जा पर आधारित परियोजनाओं को प्रोत्साहन तथा मिशन बायोगैस, मिशन बायोडीजल, मिशन प्रोड्यूसर गैस, मिशन बायो एथेनाल परियोजनाओं को प्रोत्साहित करना।
- पूर्वांचल, मध्यांचल एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 100 प्रतिशत तथा पश्चिमांचल क्षेत्र में 75 प्रतिशत की दर से स्टैम्प शुल्क पर छूट।
- औद्योगिक नीति के अनुसार बड़े उद्योगों को दी जाने वाली नेट वैट/सी0एस0टी0/जी0एस0टी0 के राज्य अंश के समतुल्य जमा हुई धनराशि की प्रतिपूर्ति कर प्रोत्साहन प्रदान किया जायेगा। यह सुविधा वित्तीय वर्ष में अधिकतम रु. 5.00 करोड़ वार्षिक टर्न ओवर तक सीमित रहेगी।

- नई इकाइयों को इलेक्ट्रिसिटी चार्ज से 10 वर्ष की अवधि हेतु छूट।
- भारत सरकार की प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैण्डअप योजना एवं मेक इन इण्डिया योजना से समन्वय किया जाना।
- खादी-अप ब्राण्ड का उपयोग एवं प्रचार-प्रसार।

बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं की वर्ष 2018-19 एवं वर्ष 2019-20 की भौतिक प्रगति

1- गाँधी जयन्ती के अवसर पर खादी की बिक्री पर छूट

वर्ष 1960 में बोर्ड का गठन हुआ था तथा यह योजना वर्ष 1967 में उद्योग निदेशालय से बोर्ड को स्थानान्तरित कर दी गयी। इस योजना से प्रतिवर्ष लगभग 536 खादी की प्रमाणित संस्थाएं लाभान्वित हो रही है तथा इन संस्थाओं के माध्यम से लगभग 6.56 लाख ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले निर्बल वर्ग की कतकर महिलाएं एवं बनुकर अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हो रहे हैं। मा0 मंत्रिपरिषद के निर्णय के आधार पर गाँधी जयन्ती के अवसर पर 108 कार्यदिवस के लिए 10 प्रतिशत खादी एवं खादी के बने वस्त्रों पर रिबेट राज्य सेक्टर के आय-व्ययक से अनुमन्य की जाती हैं।

ज्ञातव्य है कि खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, भारत सरकार भी विपणन सहायता योजनान्तर्गत खादी बिक्री पर छूट भारत सरकार के आय-व्ययक से अनुमन्य की जाती है। वर्ष 2010-11 से आयोग द्वारा विपणन विकास सहायता के अन्तर्गत पूरे वर्ष 20 प्रतिशत की छूट अनुमन्य की गयी है। वर्ष 2018-19 में खादी जयंती के अवसर पर खादी की बिक्री पर छूट की योजना के स्थान पर मा0 मंत्री परिषद के द्वारा खादी के उत्पादन पर प्रोत्साहन देने हेतु पं0 दीन दयाल उपाध्याय खादी विपणन विकास सहायता योजना लागू की गयी है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में पूज्य महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर 5 प्रतिशत की विशेष छूट 2 अक्टूबर, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक के लिए खादी की बिक्री पर उपलब्ध करायी गयी। इसके अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में वर्ष खादी विपणन विकास सहायता योजना मद में प्राविधानित धनराशि रु. 2000.00 लाख से 34 खादी संस्थाओं को रु. 70.00 लाख रिबेट दावों का भुगतान किया गया। वित्तीय वर्ष 2019-20 में शासन द्वारा पुनः पूज्य महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर 5 प्रतिशत की विशेष छूट 2 अक्टूबर, 2019 से 31 दिसम्बर, 2020 तक के लिए खादी की बिक्री पर उपलब्ध करायी गयी है।

2- पं० दीन दयाल उपाध्याय खादी विपणन विकास सहायता

प्रदेश के खादी संस्थाओं को वित्तीय वर्ष 2017-18 में खादी वस्त्रों की बिक्री पर छूट योजना के स्थान पर मा0 मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में शासनादेश संख्या 03/2017/673/59-1-2017-126(खा)/2016टी0सी0, दिनांक 16 अक्टूबर, 2017 द्वारा उत्पादन पर छूट आधारित पं0 दीनदयाल उपाध्याय खादी विपणन विकास सहायता शासनादेश निर्गत होने की तिथि से लागू की गयी है। पं0 दीनदयाल उपाध्याय खादी विपणन विकास सहायता 15 प्रतिशत की दर से देय है जिसके अन्तर्गत उक्त सहायता कत्तिनों/बुनकरों को बोनस/प्रोत्साहन के रूप में 34 प्रतिशत, संस्था को उत्पादन विकास हेतु 33 प्रतिशत तथा संस्था को विपणन संवर्धन हेतु सहायता के

लिए 33 प्रतिशत दी जायेगी जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। वित्तीय वर्ष 2019-20 में शासन द्वारा इस योजनान्तर्गत रु0 1000.00 लाख का प्रावधान किया गया, जिसके सापेक्ष माह जनवरी 2020 तक रु0 200.00 लाख का भुगतान किया गया। उक्त योजना को लागू किये जाने के फलस्वरूप लगभग रु0 1000.00 लाख की प्रतिवर्ष बचत हो रही है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के खादी उत्पादन केन्द्रों के उत्पादन में वृद्धि होगी जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

3- विपणन विकास सहायता योजना

प्रदेश में बोर्ड की विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के अन्तर्गत वित्तपोषित इकाइयों के उत्पादों के प्रदर्शन/विपणन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विपणन विकास सहायता योजना संचालित है। इसके माध्यम से प्रदेश की इकाइयों द्वारा उत्पादित, उच्च गुणवत्ता के उत्पादों के विपणन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान की गयी। वित्तीय वर्ष 2019-20 में इस योजना हेतु अनुदान सं0-83 (एस0सी0एस0पी0) के अन्तर्गत रु0 300.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया। योजनान्तर्गत प्राप्त धनराशि रु0 300.00 लाख से प्रदेश के समस्त जनपदों के तहसील/ब्लाक स्तर पर योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु होर्डिंग, जागरूकता शिविर, पम्पलेट आदि के माध्यम से कार्य कराया गया है।

4- ग्रामोद्योग प्रदर्शनियों का आयोजन

प्रदेश में कार्यरत खादी ग्रामोद्योग के उत्पादों को प्रदर्शन एवं विपणन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय, आंचलिक प्रदर्शनियों के साथ-साथ जनपद मुख्यालयों पर विभिन्न अवसरों पर लगने वाले मेलों में खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिससे प्रदेश के उद्यमियों को देश के अन्य राज्यों के उद्यमियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता एवं अन्य जानकारी प्राप्त हो सके तथा वे अपने उत्पादों में बाजार की माँग के अनुरूप सुधार कर सकें। वित्तीय वर्ष 2019-20 में इस योजना हेतु रु0 100.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है। इसमें माघ मेला प्रयागराज में राष्ट्रीय प्रदर्शनी एवं लखनऊ जनपद में राज्य स्तरीय प्रदर्शनी तथा 16 मण्डलस्तरीय प्रदर्शनी, कानपुर, गोरखपुर, बरेली, मुरादाबाद, आजमगढ़, मिर्जापुर, वाराणसी, अलीगढ़, आगरा, झांसी, अयोध्या, देवीपाटन, सहारनपुर, बस्ती, मेरठ, बुलन्दशहर एवं एक लघु प्रदर्शनी जनपद कुशीनगर सहित 19 प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया तथा प्रदेश के उद्यमियों को प्रदर्शनी में निःशुल्क स्टॉल का आवंटन किया गया जिससे कि छोटे-छोटे उद्यमियों को भी प्रदर्शनी में बिक्री का अवसर प्राप्त हुआ। इसमें माह जनवरी 2020 तक खादी एवं ग्रामोद्योगी उत्पादों की लगभग रु0 1963.57 लाख की बिक्री की गयी। प्रदेश के 75 जनपदों में विभागीय योजनाओं के प्रचार-प्रसार विभिन्न प्रचार माध्यमों जैसे- समाचार पत्रों में विज्ञापन, होर्डिंग, पम्पलेट/लिफलेट, बैनर तथा जनपद स्तर/तहसील/ब्लाक स्तर पर प्रत्येक जनपदों में 06 जागरूकता शिविर कुल 450 जागरूकता शिविर आयोजित कराते हुए अनुसूचित जाति के लोगों को खादी ग्रामोद्योगी योजनाओं की जानकारी प्रदान करते हुए उद्यमिता के लिए जागरूक किया गया। टी0वी0सी0 एवं डाकूमेंट्री फिल्म का निर्माण कराया गया।

5- उत्पाद विकास, मानकीकरण एवं गुणवत्ता विनिश्चय

ग्रामोद्योग को सफल बनाने हेतु उत्तम गुणवत्ता वाली वस्तुओं का उत्पादन करना आवश्यक है,

ताकि ग्रामोद्योगी उत्पाद प्रतियोगिता में उचित स्थान बना सकें। ग्रामीण उद्यमी को जब तक गुणवत्ता नियंत्रण के महत्व की जानकारी उपलब्ध नहीं करायी जायेगी तथा उत्पाद की टेस्टिंग की सुविधा प्रदान नहीं की जायेगी तब तक उक्त कार्य सम्भव नहीं है, जो ग्रामोद्योग को सफल बनाने की कुंजी है।

इसी उद्देश्य से खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 1988-89 में दो गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएं क्रमशः लखनऊ एवं खजनी-गोरखपुर में स्थापित की गयीं। इनके द्वारा गामोद्योगी इकाइयों से सैम्पुल एकत्र करना एवं आवश्यक तकनीकी सुझाव देना, गुणवत्ता सम्बन्धी जानकारी देना, समय-समय पर गाँव/ब्लाक/जनपद स्तर पर गुणवत्ता जागरूकता कैम्प आयोजित करना आदि कार्य किये जा रहे हैं। साथ ही ग्रामीण उद्यमियों को गुणवत्ता नियंत्रण का प्रशिक्षण देने का कार्य भी किया जा रहा है, ताकि उत्पादन के समय भी वह गुणवत्ता नियंत्रित करते हुए उच्चकोटि का उत्पादन करने में सक्षम हो सकें।

ग्रामोद्योगी इकाइयों के उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का कार्य बोर्ड की गोरखपुर एवं लखनऊ प्रयागेशाला द्वारा किया जा रहा है।

ग्लोबलाइजेशन के युग में ग्रामोद्योगी इकाइयों के उत्पादों का मार्केट प्रतिस्पर्धा में अपना उचित स्थान बनाये रखने के लिए गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने की नितान्त आवश्यकता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बोर्ड की प्रयोगशालाओं द्वारा निम्नलिखित कार्य किये जा रहे हैं:-

1. सैम्पल का परीक्षणः- इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामोद्योगी इकाइयों के सैम्पल के परीक्षण के साथ-साथ इकाइयों के उत्पादों के मानकीकरण की जानकारी भी दी जाती है।

2. प्रौद्योगिकी हस्तान्तरणः- अधिकांशतः ऐसा देखा गया है कि ग्रामीण उद्यमी नवीनतम तकनीकी जानकारी न होने के कारण पुरानी प्रक्रिया का इस्तेमाल करते रहते हैं जिससे उन्हें वांछित लाभ नहीं मिल पाता है। प्रयोगशाला विभिन्न क्षेत्र में विकसित नयी तकनीक ग्रामीण उद्यमियों तक पहुंचाने के लिए एक माध्यम का कार्य करेगी जिससे उद्यमी को इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा।

3. गुणवत्ता जागरूकता कार्यक्रमः- उद्यमियों को ग्रामोद्योगी उत्पादों की गुणवत्ता एवं मानकीकरण के प्रति जागरूक करने के लिए गुणवत्ता जागरूकता शिविर गांव/ब्लाक/जनपद स्तर पर आयोजित किये जाते हैं ताकि ग्रामोद्योगी उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके।

6- मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना

राज्य सरकार की जिला योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार सृजन करने हेतु व्यक्तिगत उद्यमशीलता के लिए बैंकों से ऋण उपलब्ध कराने के अन्तर्गत ब्याज उपादान योजना वर्ष 1994-95 से शुरू की गयी है।

इस योजना के अन्तर्गत शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/पॉलीटेक्निक द्वारा प्रशिक्षित अभ्यर्थियों तथा शासन की अन्य योजनाओं के अन्तर्गत प्रशिक्षित अभ्यर्थियों, स्वरोजगार में रुचि रखने वाली महिलाओं एवं व्यावसायिक शिक्षा के अन्तर्गत ग्रामोद्योग विषय लेकर उत्तीर्ण अभ्यर्थी इस योजना के पात्र हैं।

योजना के मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैं :-

1. योजनान्तर्गत ऋण की अधिकतम सीमा रु0 10.00 लाख कर दी गयी है।
2. सामान्य वर्ग के पुरुष लाभार्थियों द्वारा बैंक ऋण पर मात्र 4 प्रतिशत ब्याज वहन किया जायेगा। शेष ब्याज की राशि योजनान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी।
3. आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों (अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक एवं महिलाओं) को जिला योजना के अन्तर्गत ऋण पर ब्याज की पूर्ण धनराशि पर ब्याज उपादान (ब्याज रहित ऋण) के रूप में राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी।
4. शासन द्वारा कुल स्वीकृत धनराशि का 1-1-1 प्रतिशत क्रमशः जागरूकता शिविर, प्रचार-प्रसार, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण के लिए प्रावधानित होगा।
5. योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक वर्ग के लाभार्थियों को भौतिक लक्ष्य में 20 प्रतिशत मात्राकृत करते हुए आच्छादित किया गया है।

चूंकि योजनान्तर्गत अधिकतम ऋण सीमा रु. 5.00 लाख से बढ़ाकर 10.00 लाख कर दी गयी है, जिससे दो गुना पूँजीनिवेश करते हुए उद्योगों की स्थापना करायी जायेगी। प्रति इकाई औसत पूँजीनिवेश रु. 2.00 लाख से बढ़कर रु. 4.50 लाख होने का अनुमान है। साथ ही योजनान्तर्गत आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों हेतु सम्पूर्ण ब्याज की धनराशि ब्याज उपादान के रूप में शासन द्वारा अनुमन्य की जायेगी। वित्तीय वर्ष 2020-21 में लगभग 880 उद्यामियों को लाभान्वित कराते हुए लगभग 17600 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

7- कम्बल कारखानों का पुनर्संचालन

कम्बल योजना के अन्तर्गत 8 कम्बल कारखानें/उत्पादन केन्द्र हैं। मशीनें एवं उपकरण काफी पुराने तथा पुरानी तकनीकी के हैं, जिसके कारण उत्पादन केन्द्रों का उत्पादन अपनी पूर्ण क्षमता से नहीं हो पा रहा है। साथ ही इन उत्पादन केन्द्रों पर कच्चे माल एवं रिवाल्विंग फण्ड का भी अभाव है। उत्पादन केन्द्रों द्वारा अपनी पूर्ण क्षमता से कार्य कराये जाने हेतु इन उत्पादन केन्द्रों को आधुनिक उपकरणों से इनके नवीनीकरण का प्रस्ताव रखा गया था। वित्तीय वर्ष 2017-18 में कम्बल कारखानों के पुर्नसंचालन हेतु रु. 34.55 लाख का प्रावधान किया गया था, जिससे कम्बल कारखाना गोपीगंज भदोही का पुर्नसंचालन कराते हुए उत्पादन योग्य बनाया जा चुका है। साथ ही कम्बल कारखाना गोपीगंज (भदोही) में उत्पादन कार्य प्रारम्भ कराया जा चुका है। शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में कम्बल कारखाना खजनी, गोरखपुर के पुर्नसंचालन हेतु रु. 92.04 लाख एवं कम्बल कारखाना जौनपुर के पुर्नसंचालन हेतु रु. 16.18 लाख कुल रु. 108.22 लाख का प्रावधान किया गया था। इससे उक्त कारखानों को पुर्नसंचालन योग्य बनाते हुए उत्पादन कार्य प्रारम्भ हो गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में पुनः शासन द्वारा कम्बल कारखानों के पुर्नसंचालन हेतु रु. 108.22 लाख प्रावधान किया गया है जिसके अन्तर्गत रु. 54.11 लाख की धनराशि से कम्बल कारखाना नजीबाबाद बिजनौर का पुर्नसंचालन कराते हुए उत्पादन योग्य बनाया जा चुका है तथा अवशेष रु. 54.11 लाख से कम्बल कारखाना मिर्जापुर को उत्पादन योग्य बनाया जा रहा है। खादी एवं कम्बल योजना की गत वर्षों की प्रगति निम्नवत है-

- **कम्बल योजना**

प्रदेश के पिछड़े सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में कत्तिनों एवं बुनकरों को जीविका के साधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना चलाई जा रही है। यह योजना उद्योग निदेशालय द्वारा वर्ष 1954 में प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र के रूप में मुजफ्फरनगर, नजीबाबाद (बिजनौर), मिर्जापुर तथा गोपीगंज (भदोही) में प्रारम्भ की गयी थी। कालान्तर में इन केन्द्रों को कारखाने का स्वरूप प्रदान किया गया। वर्ष 1967 में यह योजना उद्योग निदेशालय से बोर्ड को हस्तान्तरित हुई। बोर्ड ने विस्तार स्वरूप दो उत्पादन केन्द्रों की स्थापना क्रमशः जौनपुर और अदिलाबाद (गाजीपुर) में की। साथ ही वर्ष 1984-85 में दो नये कारखानों की स्थापना क्रमशः खजनी (गोरखपुर) तथा टीकरमाफी (सुल्तानपुर) में हुई। इस प्रकार वर्तमान समय में इसके अन्तर्गत छह कम्बल कारखाने एवं दो उत्पादन केन्द्र हैं। इस समय 7 कारखानों में उत्पादन कार्य प्रारम्भ हो गया है।

- **खादी फैशन शो का आयोजन**

खादी वस्त्रों को प्रोत्साहन दिये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में राष्ट्रीय फैशन टेक्नालॉजी संस्थान, रायबरेली से खादी वस्त्रों की नई-नई डिजाइनों को विकसित करते हुए रेडीमेड वस्त्रों को तैयार कराया गया तथा खादी एवं रेशम के वस्त्रों के परिधान को विपणन में प्रोत्साहन देने हेतु इंदिरा गाँधी प्रतिष्ठान, गोमती नगर, लखनऊ में खादी एक्सपों के अन्तर्गत 13 अक्टूबर, 2019 को एक वृहद फैशन शो का आयोजन किया गया जिसमें प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर के प्रतिभागियों द्वारा भाग लिया गया।

- **ई-गवर्नेन्स, कम्प्यूटराइजेशन एण्ड कनेक्टिविटी**

शासन की ई-गवर्नेन्स पद्धति को बढ़ावा देने की नीति के अन्तर्गत उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के सम्बन्ध में जनसाधारण को जानकारी उपलब्ध कराने, इण्टरनेट के माध्यम से सूचनाओं के आदान-प्रदान, योजनाओं की समीक्षा, अनुश्रवण, मार्गदर्शन, प्रशिक्षण, लेखा का रख-रखाव का डिजिटाइजेशन आदि कार्य के लिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना हेतु ''ई-गवर्नेन्स, कम्प्यूटराइजेशन एण्ड कनेक्टिविटी'' प्रस्तावित की गयी थी। समस्त जिला ग्रामोद्योग कार्यालयों एवं परिक्षेत्र कार्यालयों में कम्प्यूटरों की स्थापना करायी जा चुकी है। बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं के वेब-बेस्ड साफ्ट्वेयरों का विकास कराया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु0 20.00 लाख का प्रावधान किया। इसके अन्तर्गत बजट मॉनीटरिंग, एस.एम.एस. पैकेज, लीगल मैनेजमेन्ट सिस्टम, एन.पी.एस. साफ्ट्वेयर, पं. दीन दयाल खादी विपणन विकास सहायता योजना, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग योजना, वेबसाइट सिक्योरिटी आडिट, वेबसाइट अनुरक्षण का कार्य कराया गया तथा पे-रोल साफ्ट्वेयर तथा एम.एम.जी.आर.वाई साफ्ट्वेयर का विस्तारीकरण एवं पर्सनल इन्फॉरमेशन सिस्टम साफ्ट्वेयर तथा नेटवर्किंग का अनुरक्षण संबन्धी कार्य कराया जा रहा है।

- **कौशल सुधार एवं प्रशिक्षण योजना**

ग्रामीण क्षेत्र के उद्यमियों, परम्परागत कारीगरों को उनके कौशल में सुधार लाने हेतु प्रशिक्षण तथा नवीनतम तकनीक के उपकरणों की जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। योजनान्तर्गत सामान्य,

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को 15 दिवसीय कौशल सुधार प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, ताकि उद्यमी बैंक से वित्तपोषण कराकर या स्वयं के स्रोत्रों से स्वरोजगार स्थापित कर जीवनयापन कर सकें। वित्तीय वर्ष 2019-20 में योजनान्तर्गत सामान्य मद अनुदान संख्या-5 के अन्तर्गत रु. 100.00 लाख, टी.एस.पी. मद अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत रु. 4.08 लाख एवं एस.सी.एस.पी. मद अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत रु. 300.00 लाख कुल रु. 404.08 लाख के सापेक्ष 15 दिवसीय 284 प्रशिक्षण सत्र कार्यक्रम आयोजित कराकर 7059 लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। वर्ष 2019-20 में योजनान्तर्गत सामान्य मद अनुदान संख्या-5 के अन्तर्गत रु.100.00 लाख, टी.एस.पी. अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत रु. 5.00 लाख एवं एस.सी.एस.पी. अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत रु. 300.00 लाख कुल रु. 405.00 लाख के सापेक्ष माह जनवरी 2020 तक 15 दिवसीय 174 प्रशिक्षण सत्र कार्यक्रम आयोजित कराकर 4338 लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रदेश के समस्त प्रशिक्षण केन्द्रों एवं खादी उत्पादन केन्द्रों पर सोलर चरखों से सूत उत्पादन के प्रशिक्षण का कार्य कराया जाना प्रस्तावित है जिससे अधिक से अधिक लोग प्रशिक्षित होकर खादी के उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ कामगारों की आय में वृद्धि हो सके।

- **पं० दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना**

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती बेरोजगारी का समाधान करने, ग्रामीण शिक्षितों का शहरों की ओर पलायन को हतोत्साहित करने तथा अधिक से अधिक रोजगार का अवसर गाँवों में ही उपलब्ध कराने एवं उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के निहितार्थ प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्तिगत उद्यमियों को उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से पं0 दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना तैयार की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार सृजन योजना के अन्तर्गत वित्तपोषित/स्थापित इकाइयों को ब्याज उपादान की सुविधा अनुमन्य की जायेगी। आरक्षित श्रेणी के लाभार्थियों को (35 प्रतिशत अनुदान +5 प्रतिशत स्वयं का अंशदान छोड़कर) 60 प्रतिशत ऋण राशि पर सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत (पुरुष) लाभार्थियों को (10 प्रतिशत स्वयं का अंशदान एवं +25 प्रतिशत अनुदान राशि का ब्याज छोड़कर) 65 प्रतिशत ऋण धनराशि पर ब्याज उपादान देय है। इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु0 500.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया। इसके सापेक्ष माह जनवरी, 2020 तक 341 इकाइयों को लाभान्वित करते हुए रु. 176.00 का भुगतान किया गया।

अन्य योजनाएं

- **व्यावहारिक प्रशिक्षण योजना**

ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत उद्यमियों का चयन प्रचार-प्रसार करके किया जाता है। इसके उपरान्त उनको स्थानीय तौर पर ही 15 दिन का ग्रामोद्योगी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिसके अन्तर्गत उद्यमी उत्प्रेरणा, रोजगार चयन, वित्त पोषण प्रक्रिया, गुणवत्ता नियंत्रण, विपणन, आदि उद्योग स्थापना से सम्बन्धित बिन्दुओं पर क्लासरूम प्रशिक्षण एवं क्रियात्मक प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण उपरान्त मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजनान्तर्गत इनका वित्तपोषण करके

ग्रामोद्योगी इकाई स्थापित करायी जाती है। व्यावहारिक प्रशिक्षण योजना हेतु रु0 50.00 लाख की धनराशि आयोजनेत्तर मद में शासन द्वारा उपलब्ध करायी जाती है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु0 50.00 लाख का प्रावधान किया गया, जिसके सापेक्ष स्वरोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थानीय तौर पर ही सात दिवसीय ग्रामोद्योगी प्रशिक्षण सत्र के आयोजन के माध्यम से लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान कराया गया है।

• ग्रामीण उद्यमियों की पुरस्कार योजना

ग्रामीण उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए उक्त योजना संचालित की गयी है। इसके अन्तर्गत अच्छी ग्रामोद्योगी इकाइयों के प्रतिनिधि को मण्डलस्तरीय कमेटी से चयन के उपरान्त पुरस्कृत किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में धनराशि रु0 10.00 लाख का प्रावधान किया गया, जिसमें कि प्रदेश के 03 उत्कृष्ट उद्यमियों एवं प्रदेश के समस्त 18 मण्डलों के उत्कृष्ट उद्यमियों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार एवं जनपद स्तर के उत्कृष्ट उद्यमियों को पुरस्कार प्रदान किया गया।

• आम आदमी बीमा योजना

प्रदेश के खादी कामगारों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग मुम्बई भारत सरकार द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम के सहयोग से समूह बीमा पालिसी योजना (जन श्री बीमा योजना) संचालित की जा रही है। इस योजना द्वारा खादी कामगारों की मृत्यु/विकलांगता की स्थिति में उनको या उनके परिवार की आर्थिक सहायता प्रदान करके भविष्य के लिए सुरक्षा प्रदान की गयी है और खादी कामगारों के बच्चों हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जाती है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु0 25.00 लाख का प्रावधान किया गया, जिसके सापेक्ष 200000 खादी कामगारों को आच्छादित किया गया।

• माटीकला बोर्ड

प्रदेश में मिट्टी की वस्तुओं की मांग कम होने से परम्परागत कारीगरों के समक्ष रोजी-रोटी की समस्या को देखते हुए इस प्राचीन कला को संरक्षित करने एवं बढ़ती बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने तथा स्थानीय स्तर पर अधिकाधिक रोजगार सृजन करने के उद्देश्य से प्रदेश के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों के माटी कला एवं माटी शिल्प कला के उद्यमियों/शिल्पियों के विकास के लिए उ0प्र0 माटीकला बोर्ड का गठन किया गया है। इसके अन्तर्गत माटीकला एवं माटी शिल्पकला के लिए मिट्टी की उपलब्धता की नीति, तकनीकी उन्नयन एवं आधुनिकीकरण की प्रभावी योजना बनाना, माटीकला एवं माटी शिल्पकला का कार्य करने वाले कारीगरों के व्यवसाय में वृद्धि एवं आर्थिक विकास के लिए कार्य करना तथा माटीकला एवं माटी शिल्पकला हेतु विपणन सुविधा उपलब्ध कराना है। इसके अतिरिक्त जिन्हें पट्टे आवंटित हैं, उनके रिकार्ड की सूचना राजस्व विभाग से प्राप्त कर संरक्षित रखना है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु0 1000.00 लाख का प्रावधान किया गया। इसके अन्तर्गत माटी कला एवं माटी शिल्प कला से जुड़े हुए उद्यमियों/शिल्पियों को माटी टूल-किट्स वितरण मुख्यमंत्री माटी कला योजना, माटी कला कौशल विकास योजना, माइक्रो माटीकला कॉमन फैसेलिटी सेन्टर, माटी कला विपणन विकास सहायता एवं प्रचार-प्रसार तथा माटी कला पुरस्कार योजना के अन्तर्गत लाभान्वित कराये जाने का कार्य कराया जा रहा है।

सहकारिता योजना (विभागीय)

1- सहकारिता का मुख्य उद्देश्य उ.प्र. सहकारी समिति अधिनियम 1965 की धारा-7 के अन्तर्गत समिति का गठन कराकर सहकारी सिद्धान्तों के अनुसार सदस्यों के आर्थिक हितों की उन्नति के लिए उद्योग को चलाना, उद्योग से सम्बन्धित कच्चा माल तथा सामान बनाने में प्रयोग में आने वाली वस्तुओं को प्राप्त करना एवं उत्पादन हेतु देना है।

2- सदस्यों के लिए वर्कशाप, गोदाम आदि बनवाना एवं किराये पर लेना।

3. उत्पादित माल की उचित मूल्य पर बिक्री का प्रबन्ध करना।

4. सदस्यों में मितव्ययिता की भावना को प्रोत्साहन देना तथा उसके लिए आवश्यक योजनाएं बनाना और उन्हें कार्यान्वित करना।

5. समिति द्वारा संचालित उद्योगों, हेतु उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पूंजी का प्रबन्ध करना जैसे-बैंक, राज्य सरकार, खादी आयोग, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड व अन्य संस्थाओं एवं व्यक्तियों से ऋण तथा अमानतें प्राप्त करना।

उपरोक्त के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में 5 समितियों का गठन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में माह जनवरी, 2020 तक 26 समितियों का गठन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 150 समितियों के गठन का लक्ष्य निर्धारित है।

खादी तथा ग्रामोद्योग

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

यह योजना खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा 15 अगस्त, 2008 से प्रारम्भ की गयी है। इस योजना को उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित कराया जाता है। योजना के अन्तर्गत रु. 25.00 लाख तक परियोजना लागत के उद्यमों की स्थापना ग्रामीण क्षेत्र में करने हेतु बैंक के माध्यम से बेरोजगार व्यक्तियों/संस्थाओं, समितियों आदि को ऋण स्वीकृत कराया जाता है।

परियोजना लागत पर सामान्य (पुरुष) वर्ग के लाभार्थियों को 25 प्रतिशत मार्जिन मनी (अनुदान) खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है जो इकाई के सफल संचालन के उपरान्त तीन वर्ष में अनुदान के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, महिलाओं, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक एवं पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को 35 प्रतिशत मार्जिन मनी (अनुदान) उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त सामान्य (पुरुष) वर्ग के उद्यमियों को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, महिलाओं, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक एवं पिछड़ा वर्ग के उद्यमियों को 5 प्रतिशत अंशदान स्वयं वहन करना होता है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में इस योजना के अन्तर्गत रु0 191.40 करोड़ के पूंजी निवेश से 1849 इकाइयों की स्थापना कराकर 20415 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। वित्तीय वर्ष 2019-20 में माह जनवरी, 2020 तक रु0 129.39 करोड़ के पूंजी निवेश से 1242 इकाइयों की स्थापना कराकर 9936 व्यक्तियों को

रोजगार उपलब्ध कराया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा रु. 255 करोड़ के पूंजीनिवेश से लगभग 2835 इकाइयों की स्थापना कराते हुए 22686 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराना प्रस्तावित है।

वर्ष 2019-20 की विशेष उपलब्धियां

- शासनदेश संख्या-224 (बी)/क0नि0-6/2015-20 बी (57/10) दिनांक 04 अगस्त, 2015 के द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना की अवधि 31 मार्च, 2020 तक बढ़ा दी गई है जिसके अन्तर्गत ग्रामोद्योगी इकाई स्थापना हेतु अधिकतम ऋण सीमा रु. 5.00 लाख से बढ़ाकर रु. 10.00 लाख की गई है। इसके अतिरिक्त आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक एवं महिलाओं) को ऋण धनराशि पर 4 प्रतिशत ब्याज के स्थान पर ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराया जायेगा, जबकि सामान्य वर्ग के पुरूष लाभार्थियों को 4 प्रतिशत ब्याज देना होगा। योजनान्तर्गत प्रचार-प्रसार, जागरूकता कार्यक्रम तथा मूल्यांकन हेतु कुल स्वीकृत धनराशि का क्रमशः 1-1-1 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है।
- राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी की 151 वीं जयन्ती के वर्ष के अवसर पर वित्तपोषित इकाइयों के उत्पादों के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं जनसामान्य को खादी के आधुनिक परिवेश से परिचित कराये जाने के उद्देश्य से खादी महोत्सव-2019 का आयोजन किया गया। इसमें निम्नवत् कार्य कराये गये -

1. प्रदेश के 500 लाभार्थियों को 500 विद्युत चालित कुम्हारी चाक का वितरण किया गया।
2. प्रदेश के तराई के क्षेत्रों एवं अन्य पिछड़ा क्षेत्रों के लाभार्थियों को 200 दोना-पत्तल मशीन का वितरण कराया गया। इसके अतिरिक्त 200 दोना-पत्तल मशीन वितरण कराया जाना प्रस्तावित है।
3. प्रदेश के 500 लाभार्थियों को 500 सोलर चर्खा का वितरण कराया गया।
4. इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर लखनऊ में खादी महोत्सव, 2019 के अन्तर्गत दिनांक 13 अक्टूबर, 2019 को देश के जाने-माने फैशन डिजाइनरों द्वारा तैयार किये गये खादी वस्त्रों का फैशन शो में मॉडलों द्वारा खादी फैशन का प्रदर्शन किया गया।
5. सी.बी.सी. ऋण योजनान्तर्गत पूर्व में वितरित ऋणों पर एकमुश्त समाधान योजना के अन्तर्गत मूल धन जमा करने पर कुल 550 लाभार्थियों का ब्याज माफ किया गया।
6. कार्यक्रम में 12 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया जिसमें कुल धनराशि रु. 228.00 लाख की बिक्री प्रतिभागियों द्वारा की गयी।
7. पूज्य महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर 5 प्रतिशत की विशेष छूट दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 तक खादी की बिक्री पर उपलब्ध करायी गयी।
8. अति पिछड़े क्षेत्रों में जहां विद्युत उपलब्धता कम है, वहां सोलर पावर, के माध्यम से ऊर्जा उपलब्ध कराते हुए ग्रामोद्योगों की स्थापना करायी जाएगी। सोलर पावर की उपलब्धता हेतु यू.एन.ई.पी. एवं उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के मध्य एम.ओ.यू. किया गया।

9. मुख्यालय पर स्थापित समाधान सेल, काल सेन्टर के अन्तर्गत अब तक 327 व्यक्तियों के द्वारा प्राप्त समस्याओं/जिज्ञासाओं को समाधान किया गया।
10. प्रदेश के 5 जनपदों में प्रथम बार शिक्षा विभाग के माध्यम से प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षारत बालक/बालिकाओं हेतु 232504 यूनिफार्म की आपूर्ति की गयी।
11. राहत आपदा के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा उत्पादित 4100 कम्बलों की आपूर्ति की गयी।
12. वर्ष 2019-20 में पूरे प्रदेश में 19 प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया जिसमें देश के विभिन्न प्रान्तों की इकाइयों द्वारा प्रतिभाग किया गया है। इन सभी 19 प्रदर्शनियों में स्टॉल का आवंटन निःशुल्क कराया गया जिसमें लगभग रु. 1963.57 लाख के खादी एवं ग्रामोद्योगी उत्पादों की बिक्री की गयी।
13. मा0 मंत्रीपरिषद के अनुमोदनोपरांत प्रदेश के कुम्हारी उद्योगों में लगे हुए परम्परागत कारीगरों को प्राथमिकता के आधार पर मिट्टी हेतु भूमि का आवंटन एवं इलेक्ट्रिक चाक उपलब्ध कराने एवं आय के साधन में वृद्धि कराने के उद्देश्य से माटी कला बोर्ड की स्थापना की गयी। इसके अन्तर्गत प्रदेश के 69 जनपदों से 14192 कारीगरों को चिह्नित किया गया।
14. बोर्ड की प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना, सहकारी समितियों का गठन, पं0 दीनदयाल उपाध्याय खादी विपणन विकास सहायता योजना को ऑनलाइन किया गया।
15. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 के माह जनवरी, 2020 तक 1242 ग्रामोद्योग इकाइयों की स्थापना करायी गयी जिसमें 9936 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हो चुका है।
16. माह जनवरी, 2020 तक खादी संस्थाओं द्वारा धनराशि रु. 100.79 करोड़ की खादी बिक्री की गयी।
17. माह जनवरी, 2020 तक 14 खादी उत्पादन केन्द्रों के द्वारा रु. 51.19 लाख का उत्पादन किया गया तथा रु. 39.27 लाख की खादी की बिक्री की गयी, जिससे 1995 व्यक्तियों को रोजगार के अवसर सुलभ हुए।
18. माह जनवरी, 2020 तक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला, लखनऊ व गोरखपुर द्वारा 52 उत्पादों के सैम्पल परीक्षण कर गुणवत्ता सुधार, पैकेजिंग एवं लेबलिंग को आकर्षक बनाने हेतु परामर्श एवं मार्गदर्शन दिया गया।
19. खादी बिक्री पर आधारित छूट योजना के स्थान पर पं. दीन दयाल उपाध्याय विपणन विकास सहायता लागू की गयी है तत्क्रम में माह जनवरी, 2020 तक खादी संस्थाओं को रु. 200.00 लाख का भुगतान किया गया।

●

रेशम विकास

संक्षिप्त इतिहास

रेशम उत्पादन कार्यक्रम कृषि पर आधारित कुटीर उद्योगों में प्रमुख स्थान रखता है। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, जलवायु एवं जैव विविधता रेशम उद्योग हेतु पूर्णतया अनुकूल है। प्रदेश में शहतूती, टसर, एरी तीन प्रकार का रेशम उत्पादन होता है जो प्रदेश के 57 जनपदों में संचालित है।

शहतूती रेशम हेतु मैदानी एवं तराई क्षेत्र, अरण्डी रेशम हेतु यमुना के समीपवर्ती स्थित जनपदों एवं टसर रेशम उत्पादन हेतु विन्ध्य क्षेत्र तथा बुन्देलखण्ड में प्रचलित है। रेशम कीटों के भोज्य वृक्षों के रूप में शहतूत एवं अरण्डी की खेती तथा अर्जुन/आसन वृक्षों का वृक्षारोपण करते हुए उनकी पत्तियों का उपयोग किया जाता है। शहतूती क्षेत्र में कृषकों के द्वारा वर्ष में छः कीटपालन फसलें, अरण्डी क्षेत्र में तीन कीटपालन फसलें तथा टसर क्षेत्र में दो कीटपालन फसलें प्रचलित हैं। इस उद्योग के प्रमुख क्रिया-कलाप रेशम कीटाण्ड उत्पादन, रेशम कीटपालन, कोया उत्पादन व धागाकरण हैं। रेशम उद्योग पर्यावरण मित्र उद्योग होने के साथ-साथ श्रमजनित भी है। यह उद्योग ग्रामीण बेरोजगार, नवयुवकों को ग्रामीण परिवेश में ही स्वरोजगार का अवसर सुलभ कराते हुए शहरी क्षेत्र की ओर पलायन रोकने में सहायक है। रेशम उत्पादन से जुड़े क्रिया-कलापों यथा पौध उत्पादन, वृक्षारोपण, कोया उत्पादन एवं धागाकरण आदि क्रियाकलापों हेतु सहायता उपलब्ध कराकर कृषकों एवं बुनकरों को शृंखलाबद्ध कार्यक्रमों के माध्यम से बढ़ावा दिया जा रहा है। जनपद बहराइच एवं पीलीभीत में राजकीय रीलिंग इकाई की स्थापना कर धागा उत्पादन का कार्य प्रारम्भ किया गया है तथा जनपद मिर्जापुर में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल राजकीय रेशम प्रशिक्षण संस्थान, बरकछा का शुभारम्भ करते हुए कृषकों को रेशम क्रियाकलापों का निःशुल्क प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है।

प्रदेश की ऊष्ण कटिबन्धीय एवं समशीतोष्ण जलवायु में शहतूती रेशम के अतिरिक्त ट्रापिकल टसर एवं एरी रेशम उद्योग के क्रियाकलाप सफलतापूर्वक क्रियान्वित किये जाने हेतु सभी आवश्यक सम्भावनायें उपलब्ध हैं।

- रेशम उत्पादन के विभिन्न क्रियाकलापों का निजी क्षेत्र में विस्तार।
- रेशम उद्योग के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अधिकाधिक अवसरों का सृजन एवम् कृषकों की आय में वृद्धि।
- रेशम धागे की मांग एवं आपूर्ति के अन्तर को कम करना।

- विभिन्न क्षेत्रों में रेशम उत्पादन की संभावनाओं के अनुरूप योजनाओं/ परियोजनाओं की सरंचना कर उनका क्रियान्वयन कराया जाना।
- गुणवत्तायुक्त रेशम कोया/रेशम धागा उत्पादन।

विभाग के प्रमुख क्रिया-कलापों का विवरण

- शहतूत एवं अर्जुन नर्सरी स्थापना।
- शहतूत, अर्जुन वृक्षारोपण एवं अरण्डी की खेती।
- रेशम कीटाण्ड उत्पादन।
- चाकी कीटपालन।
- प्रौढ़ावस्था रेशम कीटपालन।
- रेशम कोया उत्पादन।
- रेशम धागाकरण।

विभागीय प्राथमिकतायें

1- रेशम कीट बीज संगठन का सुदृढ़ीकरण एवं बीजागार का संचालन ।
2- अधिक पत्ती उत्पादन क्षमता वाली शहतूत प्रजातियों का वृक्षारोपण ।
3- प्रतिस्पर्धात्मक एवं आकर्षक मूल्य पर कोया विपणन, कोया उत्पादकों/रेशम कृषकों को त्वरित भुगतान।
4- रेशम धागाकरण मशीनों की स्थापना।
5- विभागीय कार्यक्रमों का नियमित अनुश्रवण एवं प्रभावी समीक्षा।
6- जनता की समस्याओं एवं शिकायतों का त्वरित निराकरण ।
7- बाईवोल्टीन रेशम कोया एवं ए-ग्रेड के रेशम धागा का उत्पादन ।
8- रेशम धागे की मांग एवं आपूर्ति के अन्तर को कम करना।
9- सेक्टरवार सर्वाधिक कोया उत्पादन करने वाले कीटपालकों को पं0 दीनदयाल उपाध्याय रेशम उत्पादकता पुरस्कार से पुरस्कृत कर सम्मानित किया जाना।
10- प्रदेश के जनपदों के इण्टर कालेजों में मॉडल कालेजों में मॉडल प्रदर्शन केन्द्र स्थापित कर कीटपालन का कार्य।

विभागीय क्रिया-कलापों में परिणामी सफलता प्राप्त हेतु रणनीति

- वर्तमान उत्पादन लागत को कम करते हुए कोये की गुणवत्ता एवं उत्पादकता में वृद्धि।
- रेशम विकास कार्यक्रमों में महिलाओं एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की सहभागिता बढ़ाना।
- प्रदेश में स्थापित बीजागारों से स्थानीय कीटपालकों की आवश्यकता तथा जलवायु के अनुसार रेशम कीटाण्डों का उत्पादन एवं विपणन।
- कोया उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि।
- रेशम कीटों में फैलने वाली बीमारियों से रोगमुक्त रखने हेतु प्रभावी विशुद्धीकरण एवं रोग परीक्षण व्यवस्था।
- रेशम उत्पादन से जुड़े लाभार्थियों को नवीन प्रौद्योगिकी में फार्म स्तरीय एवं अन्तर्राज्यीय प्रशिक्षण प्रदत्त कराना।

- रेशम कीटाण्ड उत्पादन हेतु टसर, एरी एवं शहतूती नये बीजागारों का संचालन।
- भारत सरकार सहायतित राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं का सृजन।
- रेशम उत्पादन से जुड़े कृषकों को जनपद मिर्जापुर में स्थापित प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण उपलब्ध कराना।
- प्रदेश में स्थापित सिल्क ग्रामों में अधिकाधिक लाभार्थियों को रेशम उत्पादन कार्यक्रमों से जोड़ना।

प्रदेश सरकार के एक वर्ष के कार्यकाल में विभाग की उपलब्धियों का विवरण

- राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत सौर ऊर्जा चालित सिंचाई व्यवस्था हेतु 58 एसेसरीज विभागीय फार्मों पर स्थापित किये गये।
- 36 जनपदों में 62 पांच एच0 पी0 4800 वाट के सौर ऊर्जा पम्प स्थापित किये गये।
- विगत वर्ष 2018-19 में रेशम कोया उत्पादन (शहतूती- 2021.308 मी0 टन, टसर-200.404 लाख (संख्या में), एरी- 291.865 मी0 टन) के सापेक्ष वर्ष 2019-20 में शहतूती-2282.391 मी0 टन, टसर-157.508 लाख, एरी-265.213 मी0 टन का उत्पादन कोया उत्पादकों द्वारा किया गया।
- नवीन सघन पद्यति 2'x5"x5" से उन्नत प्रजाति के शहतूत वृक्षारोपण हेतु रेशम फार्मों की 100 एकड़ भूमि का चिन्हांकन कर लिया गया है तथा वृक्षारोपण हेतु आवश्यक तैयारी प्रारम्भ कर दी गयी है।
- रेशम उद्योग के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु 05 दिवसीय सिल्क एक्सपो एवं अन्तर्राज्यीय सिल्क उत्पादों की प्रदर्शनी का आयोजन दिनांक 25.11.2019 से 31.11.2019 तक पं0 दीनदयाल हस्तकला संकुल, बड़ा लालपुर, वाराणसी में आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न प्रान्तों यथा- कर्नाटक, मध्यप्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली के सिल्क उत्पादकों द्वारा भाग लिया गया।
- उत्कृष्ट रेशम कोया उत्पादन करने वाले तथा धागाकरण उद्यमियों को पं0 दीन दयाल उपाध्याय रेशम उत्पादकता पुरस्कार के तहत 50 लाभार्थियों/उद्यमियों को रु0 11,000/- प्रशस्ति पत्र (प्रति लाभार्थी) एव अंगवस्त्र देकर पुरस्कृत किया गया।
- 226 रेशम कीटपालकों/कोया उत्पादकों को नवीन तकनीकियों में अन्तर्राज्यीय प्रशिक्षण केन्द्रीय रेशम बोर्ड के प्रशिक्षण संस्थानों में (कर्नाटक, असम एवं झारखण्ड में) कराया गया।
- कीटपालकों द्वारा उत्पादित रेशम कोये के मूल्य में वृद्धि हेतु राजकीय क्षेत्र में जनपद पीलीभीत एवं बहराइच तथा निजी क्षेत्र में जनपद वाराणसी एवं कानपुर नगर में रीलिंग इकाइयों की स्थापना।
- जनपद बहराइच एवं पीलीभीत में रेशम धागाकरण मशीनों की स्थापना कर दिनांक 02.10.2019 को शुभारम्भ करते हुये धागा उत्पादन का कार्य किया जा रहा है।
- प्रदेश के जनपद मिर्जापुर में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल राजकीय रेशम प्रशिक्षण संस्थान बरकछा का शुभारम्भ करते हुए कृषकों को रेशम क्रियाकलापों का निःशुल्क प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है।

- कृषकों की आय में वृद्धि करने हेतु शहतूती रेशम के अन्तर्गत प्रचलित चार फसलों के स्थान पर छः फसलें क्रियान्वित किया जाना।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में क्रियान्वित की जाने वाली योजनायें

राज्य योजनायें

1. अधिष्ठान व्यय-रेशम निदेशालय।
2. प्रादेशिक को-आपरेटिव सेरीकल्चर फेडरेशन लि0 लखनऊ।
3. माडल चाकी कीटपालन शहतूत उद्यानों की स्थापना।
4. टसर रेशम विकास योजना।
5. एरी रेशम विकास योजना (जिला योजना)।
6. जागरूकता एवं प्रशिक्षण की योजना।
7. रेशम कीटाण्ड के विकास की योजना।
8. टसर रेशम के लिये नर्सरी पौध उत्पादन की योजना।
9. शहतूती रेशम के लिये नर्सरी पौध उत्पादन की योजना।

भारत सरकार सहायतित योजनायें

1. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से सहायतित सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम (सिल्क समग्र योजना)
2. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना।

राज्य योजनायें

अधिष्ठान व्यय-रेशम निदेशालय

योजनान्तर्गत कर्मचारियों के वेतन भत्ते, यात्रा भत्ते तथा परिक्षेत्रीय कार्यालयों पर आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए वचनबद्ध मदों के अन्तर्गत आगामी वित्तीय वर्ष 2020-21 में धनराशि रु0 2774.66 लाख का प्राविधान किया गया है जो शासन द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है।

प्रादेशिक को-आपरेटिव सेरीकल्चर फेडरेशन लि० लखनऊ को सहायता

पी0सी0एस0एफ0 एक शीर्ष एवं स्वायत्तशासी संस्था है, जिसका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश है। संस्था के संचालन हेतु विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी पदेन रूप से संस्था का कार्य करते हैं। उ0प्र0 सरकार द्वारा समय-समय पर जनप्रतिनिधि को अध्यक्ष के रूप में नामित किया जाता है। वर्तमान में मा0 अध्यक्ष के रूप में कोई नामित नहीं है। मा0 अध्यक्ष के वेतन, भत्ते, मानदेय, यात्रा बीजक, टेलीफोन, चिकित्सा आदि पर धनराशि की व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये आय-व्ययक में रु0 2.00 लाख का प्राविधान किया गया है, जो शासन द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है।

माडल चाकी कीटपालन शहतूत उद्यानों की स्थापना

योजनान्तर्गत शहतूती रेशम फार्मों पर उपलब्ध अवस्थापना सुविधाओं का रख-रखाव, मरम्मत, सुदृढ़ीकरण, कर्षण कार्य एवं अन्य विकास कार्यों हेतु जनपदों की आवश्यकता अनुसार धनराशि की व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में धनराशि रु0 495.00 लाख का प्राविधान किया गया है, जो शासन द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है।

रेशम विकास कार्यक्रमों के तहत कृषकों को निम्न सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती हैं

- रेशम कीटों के भोज्य वृक्षों के विकास हेतु उन्नत प्रजाति की निःशुल्क शहतूत पौध की आपूर्ति।
- रेशम कीटपालकों को न्यूनतम मूल्य पर गुणवत्तायुक्त रोग रहित चाकी रेशम कीटों (शिशु कीट 9-10 दिन पालित) की आपूर्ति।
- कीटपालकों द्वारा उत्पादित रेशम कोया के प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य पर विक्रय/निस्तारण में सहयोग हेतु क्रेता एवं विक्रेता को एक प्लेटफार्म पर लाना।
- रेशम कीटपालन हेतु कीटपालन गृह निर्माण में कीटपालन गृह के आकार के अनुसार रु0 75000.00 से रु0 225000.00 की अनुदान सहायता।
- रेशम कीटपालन हेतु आवश्यक कीटपालन उपकरणों अन्तर्गत 20-कीटपालन ट्रे, 01-कीटपालन रैक, 100-प्लास्टिक माउण्टेज, 01-सोलर लालटेन की सहायता ।
- रेशम कीटों के रोग नियंत्रण हेतु विशुद्धीकारकों एवं रेशम कीट औषधि की निःशुल्क व्यवस्था।
- रेशम कोया उत्पादकों/कृषकों को नवीन तकनीकियों में केन्द्रीय रेशम बोर्ड के मैसूर, राँची, बहरामपुर (प0बं0) एवं जोरहाट/गुवाहाटी (असम) स्थित प्रशिक्षण संस्थानों में निःशुल्क प्रशिक्षण तथा स्थानीय स्तर रेशम फार्मों पर प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है।
- कीटपालन के दौरान कीटपालकों को तकनीकी सहायता उनके घरों पर विभागीय तकनीकी कार्मिकों द्वारा निःशुल्क उपलब्ध करायी जाती है।
- राजकीय रेशम फार्मों के आस-पास निवास करने वाले भूमिहीन/खेतिहर मजदूरों को रेशम कीटपालन हेतु रेशम फार्मों की अवशेष शहतूत पत्ती की निःशुल्क व्यवस्था।
- रेशम धागाकरण इकाइयों की स्थापना हेतु सहायता।

रेशम विकास विभाग का विजन स्टेटमेन्ट

- प्रदेश में रेशम धागे की माँग एवं उत्पादन के अन्तर को कम किया जाना।
- रेशम क्रिया-कलापों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर अधिकाधिक रोजगार के अवसरों का सृजन।
- वर्तमान रेशम उत्पादन लागत को कम करते हुये रेशम कोये की गुणवत्ता एवं उत्पादकता में वृद्धि।
- रेशम कोया उत्पादकों की वर्तमान आय को दो-गुना किया जाना।

मुद्रण एवं लेखन सामग्री

मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज की स्थापना सन् 1857 ई. में की गयी थी जिसके अधीनस्थ राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग, लखनऊ की स्थापना सन् 1949 ई. में हुई। इसके अतिरिक्त मुद्रणालयों के निरन्तर विकास एवं प्रसार के फलस्वरूप ऐशबाग, लखनऊ के अन्तर्गत शाखा मुद्रणालय, हजरतगंज, लखनऊ का विस्तार किया गया। राजकीय मुद्रणालय रामपुर की स्थापना सन् 1976 ई. तथा राजकीय मुद्रणालय, वाराणसी की स्थापना सन् 1979 ई. में की गयी। प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के परिणामस्वरूप शासन के दिनों-दिन बढ़ते हुए मुद्रण कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए महामहिम राज्यपाल के दैनिक कार्यक्रमों के मुद्रण हेतु राजभवन मिनी प्रेस तथा राजभवन सचिवालय परिसर, लखनऊ तथा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के काजलिस्ट के मुद्रण हेतु उच्च न्यायालय मिनी प्रेस, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के परिसर में स्थापित किया गया। इसके अतिरिक्त राजकीय मुद्रणालयों के कार्यों में निरन्तर वृद्धि को दृष्टि में रखते हुए स्वतंत्र रूप से निदेशालय की स्थापना सन् 1990 ई. में की गयी। तत्पश्चात राजकीय विभागों के मुख्यालय लखनऊ में स्थित होने के कारण तथा उनसे समन्वय स्थापित करने के लिए राजकीय शाखा मुद्रणालय, हजरतगंज लखनऊ के परिसर में शिविर कार्यालय की स्थापना वर्ष 2006 में की गयी, जिसके द्वारा समय-समय पर समस्त मुद्रणालयों की कार्य प्रगति की समीक्षा की जाती है।

मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग का मुख्य उद्देश्य राज्याधीन विभागों के विभिन्न प्रकार के श्रृंखलाओं के 1600 पंजीकृत प्रपत्र/रजिस्टरों तथा विभिन्न विभागों के लगभग 300 प्रकार के अपंजीकृत प्रपत्र/रजिस्टरों जैसे- शिक्षा, गज़ेटियर, साधारण, असाधारण उर्दू गजट, महालेखाकार के वित्तीय एवं ऑडिट रिपोर्ट, बजट साहित्य, दिग्दर्शक बजट, माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं, परीक्षा सम्बन्धी विभिन्न प्रपत्रों, लोक सेवा आयोग के कार्यों, माननीय उच्च न्यायालय की काजलिस्ट एवं अन्य प्रपत्र समयानुसार लोक सभा, विधान सभा, स्थानीय निकाय एवं पंचायत के निर्वाचन मत पत्रों, विधान मण्डल/परिषद की कार्यवाहियां, एजेण्डा आदि का मुद्रण/प्रकाशन एवं महामहिम श्री राज्यपाल सचिवालय, सचिवालय प्रशासन, विधान सभा/परिषद की लेखन सामग्री आदि की सम्पूर्ति का कार्य किया जाता है। उपर्युक्त के अतिरिक्त प्रान्त के अधीन विभागों के गोपनीय कार्य-कार्मिक विभाग के शासनादेशों, राजाज्ञा, नियुक्तियां, प्रतिवेदन, पुलिस विभाग की जी0डी0, सी0डी0, गोपनीय आख्या, कोषागार एवं विभागीय परीक्षाओं के मुद्रण एवं प्रकाशन के कार्य मांगाधिकारियों के अनुरूप मुद्रण/आपूर्ति किये जाते हैं।

जनहित के उपयोगार्थ शासकीय प्रपत्रों की आपूर्ति में शीघ्रता, गुणवत्ता एवं उत्कृष्टता लाने के उद्देश्य से मुद्रण कार्यों में अत्याधुनिक कम्प्यूटराइज्ड टेक्नालॉजी एवं साज-सज्जाओं से सुसज्जित करने हेतु राजकीय मुद्रणालयों का प्रदेश सरकार द्वारा आधुनिकीकरण करने का निर्णय लिया गया है।

निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 के विभागाध्यक्ष हैं। निदेशालय द्वारा लेखन सामग्री,

प्रपत्र तथा अन्य राजकीय प्रकाशनों के मुद्रण, सम्पूर्ति सम्बन्धी निर्धारित नीतियों के कार्यान्वयन, बजट आवंटन एवं विभागीय वित्तीय नियंत्रण का कार्य, प्रदेश के नीतिगत मामलों के क्रियान्वयन के साथ विभाग के महत्त्वपूर्ण कार्यों के निस्तारण का दायित्व निर्वहन किया जाता है। विभाग के अंतर्गत चार राजकीय मुद्रणालय स्थापित हैं, जिनकी देख-रेख पृथक-पृथक इकाइयों में नियुक्त पदों के वरिष्ठतम अधिकारियों द्वारा की जाती है।

कार्यक्रम तथा कार्यकलापों का विवरण

निदेशन तथा प्रशासन

यह विभाग पृथक-पृथक इकाइयों में विभाजित है जिसकी कार्यक्षमता की देख-रेख वहां पर तैनात वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जाती है। मुद्रण एवं लेखन सामग्री निदेशालय की स्वतंत्र स्थापना हो जाने के परिणामस्वरूप निदेशक, निदेशालय सहित समस्त शाखा मुद्रणालयों की मुद्रण कार्य की भौतिक उत्पादन की प्रगति एवं वित्तीय नियंत्रण के कार्य सहित विभाग के समस्त महत्वपूर्ण कार्यों का सम्पादन करते हैं। निदेशक के अधीन अपर निदेशक (प्रशासन)/संयुक्त निदेशक (निदेशालय), प्रयागराज, वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, उप निदेशक (प्रपत्र/प्रकाशन) सहायक निदेशक, (लेखन सामग्री), प्रयागराज द्वारा निदेशालय का कार्य सम्पन्न होता है, तथा संयुक्त निदेशक, लखनऊ, संयुक्त निदेशक, प्रयागराज, संयुक्त निदेशक, रामपुर तथा उप निदेशक, वाराणसी में कार्यालयाध्यक्ष के नियंत्रण में समस्त कर्मचारी कार्य करते हैं। इनका मुख्य नियंत्रण विभागाध्यक्ष के अधीन है।

निदेशालय द्वारा सभी मुद्रणालयों के लिए बजट की व्यवस्था सुनिश्चित कराना, कागज, स्याही एवं सचिवालय के उपयोग हेतु समस्त लेखन सामग्री की क्रय व्यवस्था एवं सम्पूर्ति कराना शामिल है। उक्त सामग्रियों की थोक क्रय व्यवस्था, प्रपत्रों की उपलब्धि एवं पूरे प्रदेश को सम्पूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित करना है। इसके साथ समस्त शाखाओं पर प्रभावी नियंत्रण रखना है। निदेशन तथा प्रशासन के विगत तीन वर्षों का आय-व्ययक प्रावधान निम्नवत् हैं:-

(रुपये लाख में)

वास्तवित व्यय	वास्तविक व्यय	आय-व्ययक प्रावधान	आय-व्ययक प्रावधान
2017-18	2018-19	2018-19	2019-2020
4741.40	5486.69	5554.42	5441.08

मुद्रण-राजकीय मुद्रणालयों का मुद्रण कार्य

मुद्रणालय द्वारा प्रदेश के समस्त माँगाधिकारियों को उनके उपयोगार्थ विभिन्न प्रकार के पंजीकृत एवं अपंजीकृत प्रपत्रों, रजिस्टरों, जिला गज़ेटियर, साधारण गज़ट, असाधारण गज़ट, उर्दू गज़ट, महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज के वित्तीय लेखे एवं ऑडिट रिपोर्ट विषयक पुस्तकें, बजट साहित्य, माध्यमिक शिक्षा परिषद् के हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकायें एवं विभिन्न संस्थाओं के परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं एवं अन्य परीक्षा से सम्बन्धित प्रपत्र वित्तीय हस्त पुस्तिकाओं का मुद्रण विभिन्न विभागों के परीक्षा सम्बन्धी गोपनीय कार्य, लोक सभा, विधान सभा, पंचायत एवं स्थानीय निकाय

हेतु मत-पत्रों का मुद्रण एवं नम्बरिंग, विधान मण्डल की कार्यवाही, एजेण्डों का मुद्रण/प्रकाशन, सामयिक प्रकाशनों का मुद्रण कार्य प्रमुख है। साथ ही अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्यों का मुद्रण, उच्च न्यायालय की काजलिस्ट का मुद्रण समयबद्ध ढंग से अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त वाणिज्य स्तर पर कार्य करने वाले शासकीय एवं अर्द्धशासकीय कार्यालयों के मुद्रित प्रपत्रों की सम्पूर्ति कर नकद धनराशि जमा करा ली जाती है तथा अपंजीकृत प्रपत्रों/रजिस्टरों का मुद्रण सशुल्क किये जाने की व्यवस्था है, जिसके परिणामस्वरूप विभाग को राजस्व प्राप्तियां प्राप्त होती हैं।

विभिन्न शाखा प्रेसों में अनुभागवार मशीनें स्थापित हैं। उनका मशीनवार एवं मुद्रण से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं का दैनिक मानक प्रति घंटा निर्धारित है, जिसके अंतर्गत सभी कार्यरत मुद्रण कर्मियों के कार्य का मूल्यांकन किया जाता है, जैसा कि उक्त समस्त मुद्रण प्रक्रियाओं की निर्धारित मानक की प्रतियां पूर्व प्रेषित कर समय-समय पर संज्ञानित कराया जाता रहता है।

राजकीय मुद्रणालय, प्रयागराज

राजकीय मुद्रणालय, प्रयागराज में पंजीकृत/अपंजीकृत प्रपत्रों/रजिस्टरों का मुद्रण, लोक सेवा आयोग एवं माध्यमिक शिक्षा परिषद् की हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं का निर्माण एवं मुद्रण, विभिन्न प्रकार के परीक्षा सम्बन्धी प्रपत्र, वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं का मुद्रण, सामयिक प्रकाशन, साधारण/असाधारण गज़टों का हिन्दी, अंग्रेजी एवं उर्दू में मुद्रण, महालेखाकार के वित्तीय लेखे, ऑडिट आपत्तियों का मुद्रण, अत्यंत गोपनीय परीक्षा सम्बन्धी प्रपत्रों, माननीय उच्च न्यायालय की काजलिस्टों का मुद्रण आदि महत्त्वपूर्ण कार्य हैं। मुद्रित वित्तीय हस्त पुस्तिकाओं, गज़ट एवं अन्य सामयिक प्रकाशनों के भंडारण की व्यवस्था है, जिन्हें सम्बन्धित माँगाधिकारियों को सम्पूर्ति किया जाता है तथा नकद बिक्री की व्यवस्था है। पंजीकृत प्रपत्रों का भण्डारण वर्तमान में राजकीय मुद्रणालय, प्रयागराज के बिक्री कक्ष में किया जाता है। यहां से जनपद प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, इटावा, औरैया, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर नगर, झांसी, बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट, जालौन, ललितपुर, महोबा, आगरा, अलीगढ़, हाथरस, एटा, मैनपुरी, मथुरा, फिरोजाबाद, कानपुर देहात, कासगंज एवं कौशाम्बी के कतिपय माँगाधिकारियों को सम्पूर्ति करने की व्यवस्था है।

राजकीय मुद्रणालय, लखनऊ (ऐशबाग/हजरतगंज) का वित्तीय विवरणः-

(रुपये लाख में)

वास्तवित व्यय	वास्तविक व्यय	आय-व्ययक प्रावधान	आय-व्ययक प्रावधान
2017-18	2018-19	2018-19	2019-2020
3954.19	4056.03	4216.01	4896.44

राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग, लखनऊ

राजकीय मुद्रणालय, लखनऊ एवं हजरतगंज की गत वर्ष की उपलब्धियां एवं वर्तमान वार्षिक मुद्रण कार्य का भौतिक उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं जो निम्नवत् हैंः-

प्रिंटिंग यूनिट

अवधि	डी0पी0टी0 कम्पोजिंग करेक्टर्स (करोड़ में)		प्रिंटिंग इम्प्रेशन ए-4 आकार (करोड़ में)		कागज खपत की मात्रा (मी. टन में)	
	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य
	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20
1	2	3	4	5	6	7
वार्षिक	35.43	30.76	79.41	64.06	1267.714	1566.348

राजकीय शाखा मुद्रणालय, हजरतगंजः-

प्रिंटिंग यूनिट

अवधि	डी0पी0टी0 कम्पोजिंग करेक्टर्स (करोड़ में)		प्रिंटिंग इम्प्रेशन ए-4 आकार (करोड़ में)		कागज खपत की मात्रा (मी. टन में)	
	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	खपत	लक्ष्य
	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20
1	2	3	4	5	6	7
वार्षिक	11.72	11.88	2.75	7.00	73.330	140.000

ऐशबाग, लखनऊ मुद्रणालय द्वारा प्रमुख रूप से पंजीकृत/अपंजीकृत प्रपत्रों/रजिस्टरों के मुद्रण तथा सचिवालय व सूचना विभाग के आवश्यक मुद्रण कार्य, बजट साहित्य, कार्यपूर्ति दिग्दर्शक बजट, प्लान, माध्यमिक शिक्षा परिषद् की हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं, विभागीय परीक्षाओं के प्रश्न-पत्रों आदि का मुद्रण कार्य किया जाता है। शाखा मुद्रणालय हजरतगंज, लखनऊ द्वारा विधान सभा एवं विधान परिषद् की कार्यवाहियों सहित विभिन्न प्रकार के उपयोगी प्रपत्रों/रजिस्टरों का मुद्रण होता है। राजभवन शाखा प्रेस लखनऊ में महामहिम राज्यपाल सचिवालय की कार्य विषयक सामग्री का मुद्रण होता है तथा महामहिम राज्यपाल के दैनिक कार्यक्रम का मुद्रण प्रमुख रूप से किया जाता है। मुद्रित प्रपत्रों का भंडारण किया जाता है तथा प्रदेश के जनपद लखनऊ, हरदोई, खीरी, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव, फैजाबाद, बहराइच, बाराबंकी, गोण्डा, श्रावस्ती, बलरामपुर, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर एवं अमेठी को सम्पूर्ति किये जाने की व्यवस्था है।

बाइंडिंग यूनिट

अवधि	रूल्ड शीट बोथ ए-1 साइज (करोड़ में)		कागज खपत की मात्रा (मी. टन में)	
	उपलब्धि	लक्ष्य	खपत	लक्ष्य
	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20
1	2	3	4	5
वार्षिक	00	1.38	00	414.000

वाराणसी शाखा द्वारा पंजीकृत/अपंजीकृत प्रपत्रों/रजिस्टरों का मुद्रण एवं निर्माण, माध्यमिक शिक्षा परिषद् की हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मुद्रण एवं निर्माण, सामयिक प्रकाशन आदि कार्यों का मुद्रण होता है। मुद्रित प्रपत्रों के भंडारण की व्यवस्था है। यहाँ से प्रदेश के जनपद गोरखपुर, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, वाराणसी, आजमगढ़, बस्ती, देवरिया, मऊ, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, चन्दौली, सन्त रविदास नगर, कुशीनगर, सन्त कबीर नगर के कतिपय माँगाधिकारियों को आवश्यक प्रपत्रों एवं रजिस्टरों की आपूर्ति किये जाने की व्यवस्था है।

उपरोक्त अंकित विभिन्न प्रेसों के निर्धारित मासिक/वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष प्राप्त उत्पादन-उपलब्धि की मूल्यांकन/समीक्षा मुद्रण निदेशक द्वारा की जाती है, तद्नुसार उनके परीक्षण उपरान्त विभिन्न शाखा प्रेसों को निर्धारित मानक के अनुरूप लक्ष्य पूर्ति हेतु आवश्यक दिशा निर्देश-आदेश निर्गत किये जाते हैं।

ई-गवर्नेन्स की प्रगति

मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में ई-गवर्नेन्स की प्रगति का विवरण निम्नवत् है :

नेशनल इन्फार्मेटिक सेन्टर, लखनऊ द्वारा मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तर प्रदेश विभाग की वेबसाइट नेम - एच0टी0टी0पी0:, डी0पी0एस0यू0पी0. यू0पी0एन0आई0सी0इन0 (http://dpsup.up.nic.in) दिनांक 18-4-2008 अपलोड कर दी गई हैं। इस पर विभाग की कार्य प्रणाली की सम्पूर्ण सूचनाएं तथा ई-गवर्नेन्स प्लान के अंतर्गत ई-प्रोक्योरमेन्ट/ई-टेण्डरिंग प्रणाली में होने वाले टेण्डरों से सम्बन्धित सूचनाएं (विड डाक्यूमेन्ट एण्ड नियम शर्तों सहित) वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। मुद्रण एवं लेखन सामग्री निदेशालय का कार्यालय प्रयागराज में स्थित है। इसके अतिरिक्त हजरतगंज लखनऊ में कैम्प कार्यालय स्थापित है। इसे इण्टरनेट से जोड़ दिया गया है। विभाग के समस्त कार्य सम्बन्धी रूप पत्रों की सूचनाएं हजरतगंज लखनऊ शिविर कार्यालय में इण्टरनेट के माध्यम से लोड (अपडेट) करा दी गयी हैं तथा समय-समय पर सूचनाएं प्राप्त होने पर अपलोड करायी जाती हैं।

गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग

अभ्युदय

गन्ना विकास विभाग की स्थापना उत्तर प्रदेश में सन् 1935 में की गई तथा सन् 1938 में चीनी विभाग स्थापित किया गया। सन् 1938 में गन्ना किसानों की मदद एवं चीनी मिलों को आपूर्ति होने वाले गन्ने के नियमन के लिए **'शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल एक्ट–1938'** लागू किया गया, जिसके स्थान पर सन् 1953-54 में उत्तर प्रदेश गन्ना (आपूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम–1953 एवं तद्विषयक नियमावली 1954 लागू की गई।

गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग के मुख्य कार्यकलाप/उद्देश्य

- विभिन्न राजकीय योजनाओं का संचालन कराना।
- गन्ना कृषकों को उन्नतशील प्रजातियों के स्वस्थ बीज उपलब्ध कराना।
- नवीन गन्ना प्रजातियों का विकास एवं प्रदेश में खेती हेतु स्वीकृत करना।
- गन्ना फसल सुरक्षा एवं कृषि निवेशों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना।
- प्रशिक्षण, विजिट एवं गोष्ठियों के माध्यम से कृषकों को खेती की नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराना।
- कृषकों के गन्ना उत्पादन की लागत में कमी तथा उत्पादकता बढ़ाने के उपायों को लागू कर कृषकों की आय बढ़ाने का प्रयास करना।
- प्रतिवर्ष कृषकों के गन्ने का सर्वेक्षण कराकर गन्ने की उपलब्धता का अनुमान करना।
- चीनी मिलों के लिए गन्ने की आवश्यकता का निर्धारण तथा गन्ना आवंटन करना।
- कृषकों के गन्ने की समय से चीनी मिलों को आपूर्ति कराना।
- गन्ना तौल केन्द्रों का निरीक्षण कर गन्ने की सही तौल सुनिश्चित कराना तथा गन्ना खरीद की अनियमितताएं रोकना।
- चीनी मिलों की अनियमित/अवैधानिक गतिविधियों पर नजर रखना तथा विधिक कार्यवाही कराना।
- गन्ना मूल्य का समय से भुगतान सुनिश्चित कराना।
- खाण्डसारी इकाइयों/क्रैशर्स का लाइसेंस निर्गत करना।

वर्ष 2019-20

विभाग में संचालित विकास योजनाएं (विकास खण्ड)

गन्ना विकास द्वारा कृषकों के हित में गन्ने की उत्पादकता बढ़ाने, अधिक चीनी उत्पादन हेतु गन्ने की चीनी परता का प्रतिशत बढ़ाने तथा गन्ने की प्रजातीय बदलाव हेतु केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के सहयोग से विभिन्न योजनाएं संचालित हैं जिसके फलस्वरूप गन्ना उत्पादन, चीनी परता एवं शीघ्र पकने वाली प्रजातियों के गन्ना प्रतिशत में आशातीत वृद्धि हुई है। योजनाओं का स्वरूप निम्न प्रकार है-

(1) गन्ना विकास की योजना (जिला योजना) - यह योजना पूर्णतया राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है इस योजना के अन्तर्गत निम्न कार्यक्रम संचालित हैं जिनका विवरण निम्नवत् है-

1. **आधार पौधशाला बीज वितरण कार्यक्रम–** प्रदेश के गन्ना शोध केन्द्र यथा शाहजहाँपुर/ मुजफ्फरनगर, सेवरही, गोरखपुर, कटया सादात, अमहट, गोला पर उत्पादित किये गये अभिजनक गन्ना बीज का आवंटन गन्ना आयुक्त द्वारा प्रदेश की समस्त चीनी मिल/गन्ना विकास परिषदों के माध्यम से गन्ना कृषकों को दिया जाता है जिससे चीनी मिल क्षेत्र के गन्ना कृषकों के खेत पर आधार पौधशालायें स्थापित करायी जाती हैं। इस पौधशाला को आधार पौधशाला कहते हैं। जिस कृषक के यहां आधार पौधशाला स्थापित की जाती है, उनके लिए राज्य सरकार द्वारा रु. 50/कु.की दर से कृषकों को बीज वितरण पर अनुदान दिया जाता है। यह अनुदान इसलिए दिया जाता है कि कृषक शुद्ध एवं निरोग बीज का उत्पादन कर सकें एवं ज्ये0 गन्ना विकास निरीक्षक द्वारा निर्दिष्ट कृषकों को गन्ना बीज उपलब्ध कराया जा सके। इस पौधशाला का निरीक्षण एवं तकनीकी परामर्श गन्ना पर्यवेक्षक/गन्ना विकास निरीक्षक/ज्ये0 गन्ना विकास निरीक्षक/बीज उत्पादन अधिकारी द्वारा किया जाता है।

2. **प्राथमिक पौधशाला बीज वितरण कार्यक्रम–** आधार पौधशाला में उत्पन्न हुए बीज से मिल क्षेत्र के गन्ना कृषकों के यहाँ प्राथमिक पौधशाला स्थापित की जाती है और इस पौधशाला से उत्पन्न बीज को सामान्य कृषकों में व्यवसायिक खेती के लिए उपलब्ध कराया जाता है और इसमें रु.25/ कु0 की दर से पौधशाला धारकों को बीज वितरण पर अनुदान दिया जाता है। यह अनुदान इसलिए दिया जाता है कि कृषक शुद्ध एवं निरोग बीज का उत्पादन कर सकें। इस बीज का आवंटन प्रमाणीकरण के बाद सामान्य कृषकों को विभागीय नीति से ज्ये0 गन्ना विकास निरीक्षक द्वारा किया जाता है। इस पौधशाला का प्रमाणीकरण ज्ये0 गन्ना विकास निरीक्षक द्वारा किया जाता है। उपरोक्त दोनों तरह की पौधशालाओं को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि कृषकों को शुद्ध एवं निरोग स्वीकृत प्रजाति का बीज कृषक को अधिक उत्पादन एवं चीनी मिल को अधिक चीनी परता वाली जातियां उपलब्ध हो सकें एवं पुरानी तथा रोग प्रभावित गन्ना जातियों को हटाया जा सके।

3. **अभिजनक बीज यातायात कार्यक्रम–** प्रदेश के गन्ना शोध केन्द्र यथा– शाहजहाँपुर/ मुजफ्फरनगर, सेवरही, गोरखपुर, कटया सादात, अमहट, गोला पर उत्पादित किये गये अभिजनक गन्ना बीज का आवंटन गन्ना आयुक्त द्वारा प्रदेश की समस्त चीनी मिल/गन्ना विकास परिषदों के माध्यम से कृषकों को किया जाता है। चीनी मिल क्षेत्र के गन्ना कृषकों के खेत पर पौधशालायें स्थापित करायी जाती हैं। यह बीज कृषकों द्वारा अपने खेत में लाया जाता है, बीज लाने हेतु अभिजनक बीज के यातायात पर रु.15 प्रति कुं.की दर से अनुदान कृषकों को दिया जाता है।

4. **आधार बीज यातायात कार्यक्रम–** अभिजनक बीज से उत्पादित आधार गन्ना बीज को प्राथमिक पौधशाला हेतु प्रयोग किया जाता है। आधार पौधशालाओं में उत्पादित बीज का आवंटन प्राथमिक पौधशाला धारक कृषकों में किया जाता है, यह बीज कृषकों द्वारा अपने खेत में लाया जाता है, बीज लाने हेतु आधार बीज के यातायात पर रु. 7 प्रति कुं. की दर से अनुदान कृषकों को दिया जाता है।

5. **बीज एवं भूमि उपचार कार्यक्रम–** गन्ने को रोग एवं कीट के प्रकोप से बचाने के लिए यह आवश्यक है कि गन्ने की बुवाई से पूर्व गन्ना बीज को यथासम्भव उपचारित कर लिया जाये जिससे गन्ने की फसल में रोगों एवं कीटों की सम्भावना न रहे। बीज एवं भूमि उपचार कार्यक्रम के अन्तर्गत गन्ना की बुवाई में बीज एवं भूमि के उपचार हेतु लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रु. 500 प्रति हे. की दर से अनुदान लाभार्थी कृषकों को दिया जाता है।

6. **जैव उर्वरक एवं वर्मी कम्पोस्ट का प्रयोग कार्यक्रम–** भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने तथा रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग में कमी लाने के लिए जैव उर्वरक एवं वर्मी कम्पोस्ट के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस हेतु लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रु. 600.00 प्रति हे. की दर से अनुदान लाभार्थी कृषकों को दिया जाता है।

(2) **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-** भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित यह योजना भी प्रदेश में गन्ने की उत्पादकता एवं चीनी परता को बढ़ाने के लिए संचालित है। ताकि गन्ना कृषकों एवं चीनी मिलों को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। यह योजना गन्ना विभाग में वर्ष 2011-12 में आरम्भ की गयी थी और मार्च 2015 तक भारत सरकार द्वारा 100 प्रतिशत वित्त पोषण किया जाता रहा है परन्तु अप्रैल, 2015 से 60 प्रतिशत वित्त पोषण भारत सरकार द्वारा तथा 40 प्रतिशत वित्त पोषण राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत निम्न कार्यक्रम संचालित हैं जिसका विवरण निम्नवत् है-

ब्रीडर शीड उत्पादन एवं वितरण योजना- इसके अन्तर्गत गन्ना शोध केन्द्रों पर ब्रीडर शीड का उत्पादन कर कृषकों में वितरित किया जाता है जिसके लिए शोध केन्द्र को प्रति कु0 100.00 रु. का अनुदान की व्यवस्था थी जो कि वर्तमान में कृषि विभाग द्वारा 40000 रु. प्रति हे0 कर दिया गया है। ब्रीडर सीड उत्पादन का कार्यक्रम गन्ना शोध परिषद के वैज्ञानिकों की देख-रेख में किया जाता है।

प्राथमिक गन्ना बीज वितरण कार्यक्रम- इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आधार पौधशाला से प्राप्त आधार बीज से स्थापित प्राथमिक पौधशाला से बीज वितरण पर रु. 25 प्रति कुं0 की दर से अनुदान पौधशाला धारकों को दिया जाता है। इस पौधशाला का निरीक्षण एवं तकनीकी परामर्श गन्न पर्यवेक्षक/गन्ना विकास निरीक्षक/ज्ये0 गन्ना विकास निरीक्षक/बीज उत्पादन अधिकारी द्वारा किया जाता है, बीज का प्रमाणीकरण बीज उत्पादन अधिकारी द्वारा किया जाता है एवं प्रमाणित बीज पर ही अनुदान दिया जाता है। भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों तथा पूर्ति का विवरण पार्श्व में अंकित है।

वित्तीय वर्ष	भौतिक (लाख कु0)		वित्तीय (लाख रु.)	
	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति
2017-18	67.04	65.56	1676	1644
2018-19	53.74	49.34	1343.6	1233.5
2019-20	43.75	43.23	1093.78	1080.74

चीनी विभाग

अभ्युदय

चीनी विभाग की स्थापना वर्ष 1938 में की गयी। उत्तर प्रदेश में यद्यपि देवरिया के प्रतापपुर नामक स्थान पर 1903 में ही भारत की प्रथम प्राचीनतम चीनी मिल स्थापित हो चुकी थी, परन्तु गन्ना क्रय-विक्रय की किसी संस्थापित पद्धति के अभाव में गन्ना किसानों को अनेक कठिनाइयां होती थीं। भारत सरकार द्वारा पारित शुगरकेन एक्ट 1934 द्वारा प्रदेशीय सरकारों को किसी क्षेत्र को नियंत्रित करते हुए वैक्यूम पैन चीनी मिलों द्वारा प्रयुक्त होने वाले गन्ने के न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने के लिए अधिकृत किया गया।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गन्ना कृषकों की मदद की दृष्टि से शुगर फैक्ट्रीय कन्ट्रोल एक्ट 1938 में लागू किया गया। वर्ष 1953-54 में इसके स्थान पर उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम 1953 एवं उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) नियमावली, 1954 लागू हुआ। उ0प्र0 सरकार द्वारा गन्ना किसानों एवं चीनी मिलों के पारस्परिक हितों को दृष्टिगत रखते हुए इन नियमों के अतिरिक्त उ0प्र0 शुगर फैक्ट्रीज लाइसेंसिंग आदेश 1969, उ0प्र0 गन्ना आपूर्ति एवं खरीद आदेश, 1954, उ0प्र0 गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) नियमावली, 1961 एवं अन्य सुसंगत नियम बनाये गये हैं तथा समय की आवश्यकता के अनुरूप उसमें आवश्यक संशोधन किये गये हैं। प्रदेश में भारत सरकार द्वारा गन्ना किसानों एवं चीनी मिलों के पारस्परिक हितों के सम्बंध में बनाये गये शुगरकेन कन्ट्रोल आर्डर, 1966 के प्रावधान भी अपनाये गये हैं। प्रारम्भ में चीनी विभाग का मुख्य कार्य खाण्डसारी इकाइयों एवं चीनी उत्पादन हेतु जिसमें उत्तर प्रदेश गुड़ आदि से सम्बन्धित कानून के कार्यान्वयन के लिये और निगरानी रखने के लिये ही इस विभाग की स्थापना की गयी।

दायित्व- उत्तर प्रदेश में खाण्डसारी बनाने का उद्योग काफी प्राचीन है जिसमें समय के साथ-साथ पेराई क्षमता, कार्यकुशलता एवं उत्पाद की गुणवत्ता में अद्भुत तकनीकी सुधार आया है। वर्तमान में सल्फर इकाइयों के सर्वश्रेष्ठ नमूने और चीनी में अन्तर करने हेतु तकनीकी ज्ञान एवं प्रयोगशाला में विश्लेषण की आवश्यकता पड़ना भी आश्चर्य का विषय नहीं है। परन्तु यह आश्चर्यजनक अपितु कटुसत्य है कि विगत वर्षों में जितनी स्थिति इस उद्योग की गिरी है उतनी किसी उद्योग की नहीं। खाण्डसारी उद्योग के ह्रास का कारण यह भी है कि खाण्डसारी इकाइयों पर चीनी की परता कम आने के कारण इसे राष्ट्रीय हानि माना जाता है तथा पर्याप्त संचालन भी चीनी मिलों की गन्ना आपूर्ति पर कुप्रभाव माना जाता है। काफी समय पूर्व वर्ष 1970 में सहायक चीनी आयुक्त, खाण्डसारी अधिकारी, खाण्डसारी निरीक्षक के कार्य एवं दायित्व विस्तारपूर्वक निर्धारित किये गये थे, कि यदि विभागीय नियमों/अधिनियों एवं आदेशों के द्वारा कोई कार्य अथवा दायित्व किसी अधिकारी से अपेक्षित होगा तो वे अधिकारी नियमानुसार इन कार्यों के अतिरिक्त वह कार्य भी करेगा। साथ ही उच्च अधिकारियों द्वारा यदि कोई अन्य कार्य किसी अधिकारी को सौंपा जाता है तो वह कार्य भी उसके द्वारा किया जायेगा।

संक्षिप्त विवरण- चीनी विभाग के अन्तर्गत मुख्यालय पर विभागाध्यक्ष चीनी आयुक्त के अधीन अपर/संयुक्त चीनी आयुक्त सहायक चीनी आयुक्त, मुख्यालय तथा वित्त एवं लेखाधिकारी के पद हैं। क्षेत्रीय अधिकारियों में 03 उप चीनी आयुक्त (मेरठ, बरेली एवं लखनऊ) तथा 17 सहायक चीनी आयुक्त (सहारनपुर,

मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, अलीगढ़, बिजनौर, धामपुर, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहाँपुर, सीतापुर, लखनऊ गोण्डा, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़) एवं मुख्यालय के पद हैं तथा 14 खाण्डसारी अधिकारी (सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बिजनौर प्रथम, बिजनौर द्वितीय, धामपुर, मुरादाबाद-प्रथम, मुरादाबाद- द्वितीय, बरेली, शाहजहाँपुर, सीतापुर, लखीमपुर-खीरी, गोण्डा) के पद हैं एवं 123 खाण्डसारी निरीक्षकों के पद सृजित है। उक्त सभी अधिकारी/कर्मचारी चीनी आयुक्त की प्रतिनिधायित शक्तियों के अन्तर्गत कार्य करते हैं।

क्रियाकलाप- चीनी विभाग में शुगरकेन एकल को प्रवर्ती कराये जाने के साथ मुख्यतः खाण्डसारी इकाइयों के लाइसेंसिंग, खाण्डसारी इकाइयों से क्रयकर व गन्ना विकास कमीशन की वसूली (यद्यपि स्थगित) की गयी अपीलों के निस्तारण, खाण्डसारी इकाइयों के निरीक्षण एवं पायी गयी अनियमितताओं पर कार्यवाही तथा चीनी मिलों के द्वारा संस्थापित गन्ना क्रय केन्द्रों के निरीक्षणों पर विधिक कार्यवाही सम्पन्न कराने एवं तौल लिपिकों को लाइसेंस सम्बन्धी कार्यवाही सम्पन्न की जाती है। चीनी मिलों द्वारा खरीदे गये गन्ने पर देय एवं गन्ना क्रय केन्द्रों पर तौल लिपिकों द्वारा घटतौली करने पर उनका लाइसेंस निलम्बन करते हुए न्यायालय में वाद दायर कर उनकी पैरवी हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाती है तथा क्षेत्रीय गन्ना निरीक्षक एवं सहायक चीनी आयुक्त द्वारा चीनी मिलों के गन्ना क्रय केन्द्रों का आकस्मिक निरीक्षण कर सही तौल की निगरानी करना तथा चीनी मिलों द्वारा गन्ना क्रयकर जमा करने का कार्य सम्पादित किया जाता है। वर्तमान समय में प्रदेश भर में पेराई सत्र 2019-20 में कुल 205 खाण्डसारी इकाइयों द्वारा कार्य किया गया है तथा पेराई सत्र 2018-19 से आनलाइन खाण्डसारी लाइसेंसिंग व्यवस्था लागू किये जाने से लगभग 125 वर्षों के पश्चात् प्रदेश में 116 नवीन लाइसेंस जारी किये गये हैं।

●

पर्यटन

संक्षिप्त इतिहास

प्रदेश की पर्यटन-विकास सम्बन्धी योजनाओं को तैयार करने तथा उनके कार्यान्वयन हेतु पर्यटन निदेशालय की स्थापना वर्ष 1972 में की गई थी। यह विभाग भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, महानिदेशक पर्यटन के अधीन संचालित होता है। पर्यटन के विकास हेतु आवश्यक वाणिज्यिक कार्यों की देख-रेख के लिये वर्ष 1974 में "उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम" की स्थापना की गई, जिसके प्रबन्ध निदेशक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं। इस प्रकार प्रदेश की पर्यटन-योजनाओं को तैयार कराने व उन्हें कार्यान्वित कराने का दायित्व महानिदेशक पर्यटन, उत्तर प्रदेश का है।

प्रदेश के विभिन्न नगरों एवं प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पर्यटन कार्यालय स्थापित हैं। स्वदेशी पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश के बाहर स्थित प्रमुख नगरों में भी पर्यटन कार्यालय स्थापित है।

पर्यटन-व्यवसाय एवं रोजगार हेतु इच्छुक व्यक्तियों को पर्यटन सम्बन्धी शिक्षण एवं प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से लखनऊ में मान्यवर कांशीराम पर्यटन प्रबन्ध संस्थान, चिनहट, लखनऊ की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त फूड क्राफ्ट इन्स्टीट्यूट, अलीगढ़ जो भारत सरकार के नियन्त्रण में था, दिनांक 01-07-1989 से पर्यटन विभाग के अधीन स्थानान्तरित हो गया है।

पर्यटन विभाग के महत्वपूर्ण कार्य

केन्द्रीय सेक्टर की चालू योजनायें

स्वदेश दर्शन स्कीम

- रामायण सर्किट (चित्रकूट एवं शृंगवेरपुर) के पर्यटन विकास हेतु कुल रु. 69.45 करोड़ स्वीकृत है, जिसमें से रु. 55.90 करोड़ प्राप्त हो चुका है। अवशेष धनराशि रु. 13.55 करोड़ वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत सरकार से प्राप्त किया जाना है।
- अयोध्या के पर्यटन विकास हेतु कुल रु. 133.30 करोड़ स्वीकृत है, जिसमें से रु. 94.48 करोड़ प्राप्त हो चुका है। अवशेष धनराशि रु. 38.82 करोड़ वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत सरकार से प्राप्त किया जाना है।
- बुद्धिष्ट सर्किट (कपिलवस्तु-श्रावस्ती-कुशीनगर) के पर्यटन विकास हेतु कुल रु. 99.97 करोड़

स्वीकृत है, जिसमें से रु. 71.98 करोड़ प्राप्त हो चुका है। अवशेष धनराशि रु. 27.99 करोड़ वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत सरकार से प्राप्त किया जाना है।

- स्पिरीचुअल सर्किट के अन्तर्गत गोरखपुर, देवीपाटन एवं डुमरियागंज के पर्यटन विकास हेतु रु. 15.76 करोड़ की योजना स्वीकृत की गई है, जिसमें से रु. 4.50 करोड़ प्राप्त हो चुका है। अवशेष धनराशि रु. 11.26 करोड़ वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत सरकार से प्राप्त किया जाना है।
- स्पिरीचुअल सर्किट के अन्तर्गत जेवर, दादरी, सिकन्दराबाद, नोएडा, खुर्जा एवं बाँदा के पर्यटन विकास हेतु रु. 12.03 करोड़ की योजना स्वीकृत की गई है, जिसमें से रु. 3.43 करोड़ प्राप्त हो चुका है। अवशेष धनराशि रु. 8.60 करोड़ वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत सरकार से प्राप्त किया जाना है।

प्रासाद स्कीम

- वाराणसी के समेकित पर्यटन विकास हेतु कुल रु. 44.60 करोड़ स्वीकृत है, जिसमें से रु.23.18 करोड़ प्राप्त हो चुका है। अवशेष धनराशि रु. 21.42 करोड़ वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत सरकार से प्राप्त किया जाना है।
- वाराणसी में अस्सी घाट से राज घाट तक क्रूजबोट के संचालन हेतु कुल रु. 10.71 करोड़ स्वीकृत है, जिसमें से रु. 8.57 करोड़ प्राप्त हो चुका है। अवशेष धनराशि रु. 2.14 करोड़ वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत सरकार से प्राप्त किया जाना है।
- प्रासाद योजना के अन्तर्गत जनपद-मथुरा स्थित गोवर्धन के पर्यटन विकास हेतु रु. 39.73 करोड़ की योजना स्वीकृत की गई है, जिसमें से रु. 7.78 करोड़ प्राप्त हो चुका है। अवशेष धनराशि रु. 31.95 करोड़ वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत सरकार से प्राप्त किया जाना है।

प्रचार सम्बन्धी कार्य

राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य में उत्तर प्रदेश के पर्यटन आकर्षणों का प्रभावी प्रचार-प्रसार अति आवश्यक है, ताकि उत्तर प्रदेश का पर्यटन उद्योग विश्व के पर्यटन मानचित्र पर अपनी विशिष्ट पहचान के साथ परिलक्षित हो सके।

उत्तर प्रदेश में पर्यटन के दृष्टिकोण से अनेको ऐसे ऐतिहासिक, धार्मिक एवं प्राकृतिक सौन्दर्य से परिपूर्ण पर्यटन स्थल हैं, जिनकी अद्भुत सुन्दरता एवं अविस्मरणीय अनुभवों से अभी तक जो पर्यटक अनभिज्ञ हैं, को पर्यटन विभाग द्वारा प्रचार के विभिन्न माध्यमों का उपयोग कर परिचित कराया जाता है।

उत्तर प्रदेश पर्यटन का प्रचार-प्रसार निम्नलिखित माध्यमों द्वारा कराया जाता हैः-

- प्रकाशन

उत्तर प्रदेश के विस्तृत भू-भाग में स्थित विभिन्न पर्यटन स्थलों का प्रचार-प्रसार देशी-विदेशी

पर्यटकों के मध्य पर्यटन साहित्य (पुस्तिका, लीफलेट, ब्रोशर, फोल्डर एवं पोस्टर इत्यादि) के माध्यम से कराये जाने हेतु प्रकाशित कराया जाता है। पर्यटन साहित्यों में पर्यटन सम्बन्धी सूचनाएं विस्तार से दी जाती हैं, जो पर्यटकों के मार्गदर्शन हेतु लाभकारी सिद्ध होती है।

- विज्ञापन

उत्तर प्रदेश के व्यापक प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से विभिन्न पर्यटन स्थलों पर आधारित आकर्षक विज्ञापनों को राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय विभिन्न पत्रिकाओं, समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाना प्रस्तावित है। इलेक्ट्रानिक मीडिया के अन्तर्गत टी0वी0सी0 कैम्पेन/डाक्यूमेण्ट्री फिल्म का प्रसारण, रेडियो/टेलीविजन विज्ञापन तथा डिजिटल मीडिया के अन्तर्गत स्क्रीन डिस्प्ले, वेबसाइट पोर्टल, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार कराया जाता है।

- प्रदर्शनी

प्रदेश के पर्यटन स्थलों का प्रचार-प्रसार देश एवं विदेश में आयोजित होने वाले विभिन्न ट्रैवल मार्ट्स, सेमिनारों, मेले, महोत्सवों में विभागीय प्रदर्शनी/झाँकी के माध्यम से कराया जाता है।

ट्रैवेल ट्रेड

उत्तर प्रदेश ट्रैवेल मार्ट, दीपोत्सव अयोध्या, रंगोत्सव, देव दीपावली, आम महोत्सव, जन्मोत्सव इत्यादि का आयोजन प्रतिवर्ष कराया जाता है तथा राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय मार्ट, सेमिनार, कान्फ्रेन्स इत्यादि आयोजनों में विभाग द्वारा प्रतिभाग किया जाता है।

पर्यटन पुलिस का गठन- उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन पुलिस का गठन किया गया है। वर्तमान में पर्यटकों के आवागमन को दृष्टिगत रखते हुए उनके सुविधार्थ/ सहायतार्थ आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, मथुरा, झांसी एवं लखनऊ में पर्यटन पुलिस की व्यवस्था की गई है।

अतिथि सत्कार एवं परिचयात्मक भ्रमण- इसके अर्न्तगत विभाग द्वारा ट्रैवल ट्रेड से जुडे लोगों, जैसे-ट्रैवल राइटर, ट्रैवेल एजेन्ट, होटेलियर एवं विशिष्ट अतिथियों तथा पर्यटन-विकास से संबंधित अतिथियों को अतिथि-सत्कार की सुविधा प्रदान की गई।

पेईंग गेस्ट योजना- इस योजना के माध्यम से किसी निजी भवन-स्वामी द्वारा अपने घर का भाग (अधिकतम पाँच कमरे) पर्यटकों को किराये पर उपलब्ध कराये जा सकते हैं। इस योजना से स्वरोजगार को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ ऐसे मौजूदा पर्यटक स्थल, जहाँ पर फिलहाल किसी प्रकार की आवासीय सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहाँ भी देशी/ विदेशी पर्यटकों को आवासीय सुविधाएं उपलब्ध होती हैं तथा इस से प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष रोजगार भी सृजित होता है। वर्तमान में प्रदेश में पेंइग गेस्ट योजना के अन्तर्गत इकाइयाँ संचालित हैं।

बेड एण्ड ब्रेकफास्ट योजना- पेंइग गेस्ट योजना के समान भारत सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा बेड एवं ब्रेकफास्ट की नवीन योजना तैयार की गयी है, जिसका उद्देश्य भारतीय-विदेशी पर्यटकों को भारतीय परिवारों के साथ आवास-भोजन की सुविधा सुलभ कराया जाना है, जिससे उन्हें भारतीय

परम्पराओं एवं रीति-रिवाजों से परिजित कराया जा सके। इस व्यवस्था को लागू कर के प्रदेश में पर्यटन विभाग द्वारा उनका प्रचार-प्रसार कराया जा रहा है। इकाइयों का पंजीकरण/ मान्यता भारत सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा दी जा रही है। वर्तमान में प्रदेश में भारत सरकार के द्वारा 74 भवनों/ प्रतिष्ठानों को पंजीकृत किया गया है।

वर्ष 2019- 2020 की उपलब्धियाँ

- **रंगोत्सव-** वर्ष 2020 में मथुरा में ब्रजतीर्थ विकास परिषद द्वारा उत्तर प्रदेश पर्यटन के सहयोग से रंगोत्सव के त्यौहार को भव्य रूप से मनाया गया।
- **डिफेन्स एक्सपो-2020-** दिनांक 5 से 8 फरवरी, 2020 में डिफेन्स एक्सपो में पर्यटन विभाग द्वारा प्रदर्शनी लगाई गयी, जिसमें प्रदेश के मुख्य पर्यटन स्थलों एवं त्योहारों को दर्शाया गया था।
- **यू0पी0 दिवस-** दिनांक 24 से 26 जनवरी, 2020 में लखनऊ में उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मा0 राज्यपाल महोदय एवं मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया। इस आयोजन में अनेको प्रदर्शनियाँ, सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा 15 अटल आवासीय विद्यालयों का शिलान्यास किया गया।
- **स्टेक होल्डर्स मीट-** दिनांक 17 जनवरी, 2020 को स्टेक होल्डर्स मीट का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के टुअर आपरेटर्स, ट्रैवेल एजेन्ट्स तथा होटल उद्यमियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। मा0 मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार इस आयोजन में पर्यटन के दृष्टिकोण से बुन्देलखण्ड परिक्षेत्र के विकास को बढ़ावा दिए जाने हेतु विचार-विमर्श किया गया।
- **23वाँ राष्ट्रीय युवा महोत्सव, 2020-** दिनांक 12 से 16 जनवरी, 2020 को लखनऊ में आयोजित हुए राष्ट्रीय युवा महोत्सव-2020 में विभाग द्वारा प्रदर्शनी लगायी गयी।
- **गोरखपुर महोत्सव-** दिनांक 11 से 13 जनवरी, 2020 को गोरखपुर महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, कला एवं साहित्यिक प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया, जिससे अनेको युवाओं एवं बच्चों को प्रदर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ।
- **साटे-2020-** दिनांक 8 से 10 जनवरी, 2020 को ग्रेटर नोएडा में साटे-2020 का आयोजन किया गया था, जिसमें विभाग द्वारा प्रतिभाग किया गया।
- **देव दीपावली-** मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुपालन में काशी में देव दीपावली का आयोजन पर्यटन विभाग द्वारा भव्य रूप से किया गया।
- **दीपोत्सव अयोध्या-** मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत वर्ष 2019 में फिजी की डिप्टी मेयर सुश्री मीना भटनागर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुईं तथा राम की पैड़ी में 4,04,226 दीप जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकार्ड बनाया गया।
- **35वाँ IATO कन्वेशन में प्रतिभागिता-** दिनांक 12 से 15 सितम्बर, 2019 तक

कोलकाता (पश्चिम बंगाल) में आयोजित 35वाँ IATO में उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा प्रतिभाग किया गया तथा पर्यटन विभाग IATO का वार्षिक सदस्य भी है। इस अवसर पर विभिन्न प्रकार के ट्रेड इवेन्ट्स जैसे-बी2बी मीटिंग्स, टूरिज़्म मार्ट, मार्केटिंग इनोवेशन, कम्पटीशन आदि का आयोजन किया गया।

- **'इण्डिया टूरिज्म मार्ट-2019-** दिनांक 23 से 25 सितम्बर, 2019 तक 'इण्डिया टूरिज्म मार्ट' का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, जिसमें पर्यटन के प्रचार-प्रसार हेतु विभाग द्वारा प्रतिभाग किया गया।
- **कृष्णोत्सव मथुरा 2019-** कृष्णोत्सव 2019 का आयोजन उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा दिनांक 23 से 25 अगस्त, 2019 तक जनपद मथुरा में कराया गया, जिसमें अनेको कलाकारों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ दही-हाण्डी के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस उत्सव का आयोजन पर्यटन विभाग द्वारा ब्रज तीर्थ विकास परिषद्, जिला प्रशासन, संस्कृति विभाग तथा सूचना विभाग के सहयोग से किया गया, जिसमें देश-विदेश के श्रद्धालुओं द्वारा प्रतिभाग किया गया।
- **उत्तर प्रदेश ट्रैवल मार्ट-** दिनांक 09 से 11 अगस्त, 2019 तक लखनऊ में प्रदेश के पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश ट्रैवल मार्ट का आयोजन किया गया। मार्ट में विश्व के 20 देशों से लगभग 50 अन्तर्राष्ट्रीय टूअर आपरेटर तथा देश के विभिन्न भागों से 20 डोमेस्टिक टूअर आपरेटर बायर्स के रूप में भाग लिया गया।
- **''आम महोत्सव''-** दिनांक 19 से 21 जुलाई, 2019 तक आम महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न आयु वर्ग के लोगों द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं-मैंगो फैन्सी ड्रेस, आम पर शायरी, किस्सागोई, कुकिंग इत्यादि में प्रतिभाग किया गया।
- **हेली परिक्रमा सेवा का आयोजन-** गोवर्धन में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पर्यटकों के सुविधार्थ उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा गोवर्धन पर्वत की हेली परिक्रमा की सेवा उपलब्ध करायी गयी।
- **मा0 अटल बिहारी बाजपेयी जी की जन्म स्थली एवं कर्म स्थली के अन्तर्गत बटेश्वर, बलरामपुर व अन्य स्थलों पर पर्यटन विकास कार्य कराया जा रहा है।**
- **हेरिटेज सर्किट, स्पिरिचुअल सर्किट, बुन्देलखण्ड सर्किट, शक्तिपीठ सर्किट, महाभारत सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, सूफी सर्किट एवं जैन सर्किट का चिन्हांकन कर समेकित पर्यटन विकास का कार्य किया जा रहा है।**
- **मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना-** मा0 मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के अन्तर्गत प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक पर्यटन केन्द्र विकसित किए जाने का निर्णय लिया गया है, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में चयनित पर्यटन स्थल का विकास कराया जाएगा।

- वाराणसी के प्रसिद्ध मन्दिरों पर आधारित "पावन पथ वेबसाइट" का निर्माण किया गया।
- उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति-**2018**- पर्यटन नीति 2018 के अन्तर्गत प्रदेश में होटल, मोटल, गेस्ट हाउस, एम्यूज़मेन्ट पार्क सम्बन्धी कुल 122 प्रस्ताव पंजीकृत हुए हैं, जिनमें कुल रु. 5732.84 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है।
- पर्यटन पुलिस- पर्यटकों को सुरक्षा एवं मार्गदर्शन प्रदान किए जाने हेतु पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन पुलिस बल का गठन किया गया है, जिसमें 130 पर्यटन पुलिस बल को बढ़ाकर 500 किए जाने के साथ-साथ उसमें 200 महिला सुरक्षा कर्मी की नियुक्ति का भी प्राविधान किया गया है।

राज्य सेक्टर

- उ0प्र0 में स्थित पर्यटन स्थलों के पर्यटन विकास एवं सौन्दर्यीकरण व पर्यटकों की मूलभूत सुविधाओं के लिये मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास योजना अन्तर्गत रु. 175.00 करोड़ की धनराशि का प्राविधान किया गया है।
- प्रदेश में स्थित इको-टूरिज्म स्थलों के विकास हेतु रु. 5.00 करोड का प्राविधान किया गया है जिसके अन्तर्गत प्रदेश में इको-टूरिज्म के क्षेत्र के बढोत्तरी होगी।
- अयोध्या एवं चित्रकूट में स्थित पर्यटक स्थलों के पर्यटन विकास एवं पर्यटकों की मूलभूत सुविधार्थ हेतु क्रमशः रु. 1.00-1.00 करोड की धनराशि का प्राविधान किया गया है।
- मिर्जापुर में विन्ध्यवासिनी देवी धाम के पर्यटन विकास एवं सौन्दर्यीकरण हेतु रु. 10.00 करोड़ की धनराशि का प्राविधान किया गया है।
- विन्ध्यांचल का पर्यटन विकास रु. 10.00 करोड़ की धनराशि से कराया जायेगा।
- जनपद वाराणसी में सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना हेतु रु. 180.00 करोड़ की धनराशि का प्राविधान किया गया है।
- अयोध्या में पर्यटन सुविधाओं का विकास एवं सौन्दर्यीकरण रु. 85.00 करोड की धनराशि से कराया जायेगा।
- जनपद सीतापुर स्थित नैमिषारण्य का पर्यटन विकास हेतु रु. 10.00 करोड का प्राविधान किया गया है।
- वाराणसी में पर्यटन सुविधाओं का विकास एवं सौन्दर्यीकरण हेतु रु. 100.00 करोड का प्राविधान किया गया है।
- मा0 अटल बिहारी बाजपेयी की स्मृति में बटेश्वर/आगरा व अन्य स्थलों का विकास हेतु रु. 10.00 करोड का प्राविधान किया गया है।
- जनपद गोरखपुर में स्थित पर्यटन स्थलों का विकास हेतु रु. 15.00 करोड का प्राविधान किया गया है।

●

पर्यावरण

प्रस्तावना

मनुष्य पर्यावरण से जल, वायु, भोजन और अन्य भौतिक सुख-सुविधाएं ग्रहण करता है। हमारे चारों ओर जो भौतिक, रसायनिक एवं जैविक दशाएं विद्यमान हैं, वे सब मिलकर हमारा पर्यावरण बनाती हैं। पर्यावरण का प्रदूषण उसी क्षण से प्रारम्भ हो गया था, जब मनुष्य ने दो पत्थरों को रगड़कर आग जलाना सीख लिया था, परन्तु तब वह प्रदूषण घातक नहीं था, क्योंकि मानव की आबादी बहुत कम थी, उसकी आवश्यकताएं सीमित थीं तथा प्रकृति उनकी भरपाई करने में पूर्ण समर्थ थी।

वैसे तो प्रकति अपने घटकों का संतुलन बनाये रखने में स्वयं समर्थ है, परन्तु बढ़ती हुई जनसंख्या, प्राकृतिक संसाधनों का अनियंत्रित दोहन, अनियोजित औद्योगीकरण व नगरीकरण, वाहनों की निरन्तर बढ़ती संख्या, नदियों, झीलों व तालाबों इत्यादि में गिरते औद्योगिक व नगरीय उत्प्रवाह व कूड़ा-कचरा, रसायनिक उर्वरकों को व कीटनाशकों के खेती में असंतुलित उपयोग व बढ़ते उपभोक्तावाद इत्यादि के कारण प्रकृति स्वयं अपना संतुलन बनाये रख पने में असमर्थ हो रही है। पर्यावरण को अपघटित करने में निरन्तर बढ़ती हुई जनसंख्या की प्रमुख भूमिका है। वायु, जल, मृदा व ध्वनि प्रदूषण, भूरक्षण, भूस्खलन, चारे और ईंधन की कमी जैसी विविध बहुआयामी एवं दूरगामी प्रभाव वाली पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। आधुनिक जीवन की परिस्थितियाँ और परिवेश पर्यावरणीय अपघटन और प्रदूषण की विभीषिका को और अधिक गहन और विस्तृत बनाते हैं, जिसका परिणाम नई-नई बीमारियों के जन्म, रोगों के विस्तार और जीवनोपयोगी वस्तुओं के अभाव के रूप में परिलक्षित होता है।

विगत अनेक दशकों में जो विकास कार्य हुए हैं, उनसे लाभ तो अवश्य हुए हैं, परन्तु साथ ही पर्यावरण का अपघटन भी हुआ है। इसका प्रमुख कारण विकास कार्यों में पर्यावरणीय पहलुओं का समुचित समावेश न किया जाना ही है। सतत् विकास के लिए अपरिहार्य है कि विकास योजनाएं पर्यावरण संगत बनाई जाएं और पर्यावरण संरक्षण हमारे विकास कार्यों का अनिवार्य अंग बने। पर्यावरण संगत विकास ही विकास की सही प्रक्रिया है, जिसके तहत मौजूदा पीढ़ी की आवश्यकतायें भविष्य की पीढ़ियों के जीवन पर बिना कोई विपरीत प्रभाव डाले पूरी की जा सकती है।

पर्यावरण विभाग अपने सीमित संसाधनों से पर्यावरणीय समस्याओं के वैज्ञानिक अध्ययन, इनके निदान तथा जनमानस में पर्यावरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने हेतु प्रयासरत है, ताकि प्रदेश में वांछित विकास के साथ-साथ पर्यावरण का संरक्षण एवं पारिस्थितिकीय संतुलन संभव हो सके।

पर्यावरण निदेशालय की स्थापना के उद्देश्य, कर्तव्य एवं दायित्व

पर्यावरण निदेशालय, राज्य सरकार का एक विभाग है, जिसका गठन वर्ष 1976 में हुआ था। यह

प्रदेश में पर्यावरण के सुधार एवं जन मानस में पर्यावरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने हेतु प्रयासरत है। पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के अधीन पर्यावरण निदेशालय द्वारा इसी पृष्ठभूमि में प्रदेश के पर्यावरण की सुरक्षा, सुधार एवं संवर्धन हेतु विविध कार्यक्रम चलाये जाते हैं, जो पर्यावरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने, पर्यावरणीय शोध करने, पर्यावरण संगत विकास एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन मानस की भागीदारी सुनिश्चित करने से सम्बन्धित होते हैं।

पर्यावरण निदेशालय अपने अत्यंत सीमित संसाधनों से पर्यावरणीय समस्याओं के वैज्ञानिक अध्ययन, इनके निदान तथा जन मानस में पर्यावरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने हेतु प्रयासरत है। निदेशालय द्वारा पर्यावरण संरक्षण एवं पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से मुख्यतः निम्नांकित दायित्वों का निर्वहन किया जाता है :–

1. पर्यावरणीय जन चेतना के व्यापक प्रसार हेतु कार्यक्रमों का नियोजन एवं क्रियान्वयन।
2. पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रमों का नियोजन, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण।
3. पर्यावरण अपघटन एवं प्रदूषण के सम्बन्ध में प्राप्त होने वाली जन शिकायतों के सम्बन्ध में वाँछित कार्यवाही करना।
4. प्रदेश के विभिन्न विकास विभागों और विकास प्राधिकरणों को उनकी योजनाओं के सम्बन्ध में पर्यावरणीय दृष्टिकोण से परामर्श देना।
5. प्रदेश के पर्यावरण की स्थिति का विश्लेषण/आंकलन एवं तदनुसार नीतिगत उपायों हेतु परामर्श देना।
6. पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर सौंपे गये दायित्वों का निर्वहन।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में किये गये कार्य

पर्यावरण निदेशालय द्वारा पर्यावरणीय शिक्षा, प्रशिक्षण व जन जागरूकता तथा पर्यावरण संरक्षण सम्बन्धी कार्यक्रम मुख्यतः निम्नांकित मदों के अन्तर्गत चलाये जा रहे हैं :

अ) पर्यावरणीय शिक्षा, प्रशिक्षण व जन जागरूकता कार्यक्रम

ब) पर्यावरणीय शोध एवं प्रशासन एवं क्रियान्वयन कार्यक्रम

स) निदेशन एवं प्रशासन

द) केन्द्र पुरोनिधानित/पोषित योजनायें

अ) पर्यावरणीय शिक्षा, प्रशिक्षण व जन जागरूकता कार्यक्रम

पर्यावरण की सुरक्षा एवं इसका संरक्षण तथा संवर्धन तभी सम्भव है, जबकि जन सामान्य को इस बात की समुचित जानकारी हो कि पर्यावरण क्या है, इसका संरक्षण और संवर्धन क्यों आवश्यक है तथा जनमानस में इसकी सुरक्षा, संरक्षण और संवर्धन के कार्यों में सहभागिता के प्रति अभिरुचि उत्पन्न हो। यह कार्य पर्यावरणीय जनचेतना के व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार के माध्यम से ही सम्भव है। पर्यावरण सरंक्षण एवं संवर्धन के कार्यों में जन सामान्य को सहभागी बनाने के उद्देश्य से व्यापक स्तर पर पर्यावरणीय जन जागरूकता उत्पन्न करने हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 15.00 लाख की धनराशि शासन द्वारा स्वीकृत की गई, जिसके अन्तर्गत क्रियान्वित/प्रस्तावित योजनओं का विवरण निम्नवत् हैः-

- विश्व पर्यावरण दिवस (5 जून 2019) के अवसर पर आंचलिक विज्ञान नगरी, लखनऊ के सहयोग से विभिन्न पर्यावरणीय जागरूकता कार्यक्रम जैसे- चित्रकला प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, पर्यावरण पर आधारित विज्ञान प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम, पर्यावरण के अनुकूल व उत्पादों पर कार्यशाला एवं संगोष्ठी तथा पर्यावरण पर आधारित कठपुतली प्रदर्शन आदि कार्यक्रमों का आयोजन कराया गया। सरकारी ग्रामीण स्कूलों के विद्यार्थियों के मध्य भी प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया गया। पर्यावरण निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी एवं क्षेत्रीय कार्यालय नोएडा द्वारा भी विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2019 के अवसर पर कार्यक्रमों का आयोजन कराया गया।
- अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस (16 सितम्बर 2019) के अवसर पर पर्यावरण निदेशालय द्वारा आन्चलिक विज्ञान नगरी, लखनऊ के सहयोग से चित्रकला प्रतियोगिता, विज्ञान प्रश्नोत्तरी, कोलाज मेकिंग एवं इन्वायरो थियेटर का आयोजन कराया गया।
- पर्यावरण निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी एवं नोएडा द्वारा भी 16 सितम्बर, 2019 के अवसर पर संगोष्ठी एवं चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन कराया जायेगा।
- आकाशवाणी लखनऊ के माध्यम से पर्यावरणीय संदेशों का प्रसारण कराया गया।
- सिनेमा थियेटरों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण सम्बन्धी संदेशों का प्रसारण कराया जायेगा।

पर्यावरणीय शिक्षा, प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम (जिला योजना)

जिला योजनान्तर्गत प्रदेश के 75 जनपदों में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम चलाये गये, जिनके सापेक्ष कुल रु. 90.00 लाख की धनराशि स्वीकृत हुई।

ग्राम्य स्तर तक पर्यावरणीय जन जागरूकता के प्रसार हेतु जिला योजना के अन्तर्गत पर्यावरणीय शिक्षा, प्रशिक्षण व जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन निम्नानुसार कराया गयाः-

- जनपद के मान्यता प्राप्त विद्यालयों एवं सरकारी कार्यालयों इत्यादि में स्थानीय प्रजाति के वृक्षों जैसे- बरगद, नीम, पीपल, आँवला एवं अशोक इत्यादि प्रजाति के वृक्षों का रोपण इत्यादि।
- नदी सरंक्षण हेतु विशेष अभियान का संचालन।
- पर्यावरण बहुविषयक वाल राइटिंग/होर्डिंग्स की स्थापना।
- पर्यावरण के दृष्टिकोण से संवेदनशील या अपघटित किसी चयनित क्षेत्र का पर्यावरणीय विकास।
- अपघटित/अविकसित पार्कों का पर्यावरण की दृष्टि से सुधार/पर्यावरणीय विकास।
- अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवसों जैसे- विश्व पर्यावरण दिवस (5 जून), अन्तर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस (16 सितम्बर) तथा पर्यावरण से सम्बन्धित अन्य दिवसों/अवसरों पर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों यथा- संगोष्ठी, प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रदर्शनी का आयोजन, प्रतियोगिता, रैली, वृक्षारोपण, नुक्कड़ नाटक, कठपुतली शो एवं जनसभा का आयोजन तथा प्रचार-प्रसार सामग्री का निर्माण/वितरण इत्यादि।
- शिक्षण संस्थाओं, विश्वविद्यालयों एवं अन्य संस्थाओं के माध्यम से पर्यावरणीय जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन।
- स्कूली बच्चों में पर्यावरणीय जागरूकता के लिये विभिन्न कार्यक्रम जैसे- वाद विवाद/भाषण,

चित्रकला/पोस्टर और क्विज प्रतियोगितायें, रैली, बाल-मेला, वन मनोरंजन और पर्यावरण प्रदर्शनी इत्यादि का आयोजन।

- विभिन्न लक्षित समूहों हेतु पर्यावरण प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं का आयोजन।

वित्तीय आवश्यकताओं का स्पष्टीकरण

वित्तीय वर्ष **2020-21** में प्रस्तावित कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है :-

1) पर्यावरणीय शिक्षा, प्रशिक्षण व जन जागरूकता कार्यक्रम
2) पर्यावरणीय शोध एवं क्रियान्वयन कार्यक्रम
3) निदेशन एवं प्रशासन
4) केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें
5) जिला पर्यावरण समिति

जिला योजना

ग्राम्य स्तर तक पर्यावरणीय जन-जागरूकता के प्रसार हेतु ''पारिस्थितिकीय एवं पर्यावरण कार्यक्रम'' मद के अर्न्तगत ''पर्यावरणीय शिक्षा, प्रशिक्षण व जन जागरूकता कार्यक्रमों'' का आयोजन क्रियान्वयन अधिकारियों द्वारा निम्नांकित कार्यक्रमों में से सभी अथवा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार कुछ कार्यक्रमों का चयन कर कराया जायेगा-

1. जनपद के विद्यालयों एवं सरकारी कार्यालयों इत्यादि में स्थानीय प्रजाति के वृक्षों का रोपणः-

जनपद के समस्त सरकारी तथा मान्यता प्राप्त गैर सरकारी प्राथमिक/हायर सेकेंड्री/इण्टरमीडिएट विद्यालयों, प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों एवं विभिन्न सरकारी कार्यालयों जैसे- कलेक्ट्रेट तहसील, विकास खण्ड, परिसर तथा इनसे सम्बद्ध सरकारी आवासीय परिसरों इत्यादि में स्थान की उपलब्धता को देखते हुए बरगद, पीपल, नीम, आँवला एवं अशोक प्रजाति के वृक्षों के रोपण का कार्य किया जायेगा। सरकारी आवासीय परिसरों में पौधों के रोपण के समय आवासीय कालोनियों में रहने वाले बच्चों से रोपण कराए जाने का प्रयास किया जाए तथा उन्हें सम्बन्धित पौधों का अभिभावक बनाया जाए और बच्चों की नाम पट्टिका भी पौधे के साथ लटकाई जाए, ताकि पौधों की सुरक्षा एवं रख-रखाव के प्रति बच्चों में अभिरूचि उत्पन्न हो। रोपित किये जाने वाले पौधों का क्रय वन विभाग की नर्सरी से किया जाएगा। वन विभाग की नर्सरी में पौधों की उपलब्धता न होने की दशा में ही अन्य श्रोतों से पौधों का क्रय किया जाएगा।

इसके अन्तर्गत प्रत्येक जनपद में इन वृक्षों को एक समूह में रोपित किया जायेगा। रोपण स्थल पर 4' x 3' आकार की वाल राइटिंग के माध्यम से वृक्ष प्रजातियों के पर्यावरणीय महत्त्व पर प्रकाश डाला जायेगा तथा उसमें ''पर्यावरण निदेशालय द्वारा संचालित जिला योजना 2019-20 के अन्तर्गत'' अवश्य लिखा जायेगा।

2. नदी संरक्षण हेतु विशेष अभियान का संचालन

प्रदेश की प्रमुख नदी गंगा एवं इसकी सहायक नदियों में बढ़ रहे प्रदूषण की रोकथाम और जल संरक्षण हेतु विशेष अभियान चलाये जाने की आवश्यकता है। इसे दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न जन जागरूकता कार्यक्रम जैसे नदियों के संरक्षण विषयक प्रचार-प्रसार सामग्री यथा- बुकलेट, पैम्फ्लेट, पोस्टर व स्टीकर इत्यादि का निर्माण कराकर स्कूली बच्चों और घाटों पर लगने वाले मेलों व अन्य अवसरों पर वितरण, यू0पी0एस0आर0

टी0सी0 की बसों पर गंगा स्वच्छता विषयक प्रचार पैनल की स्थापना, घाटों पर बैनर/होर्डिंग्स की स्थापना, स्कूली बच्चों की पोस्टर/भाषण, स्लोगन तथा नाट्य प्रतियोगिता का आयोजन, सांस्कृतिक दलों के माध्यम से गंगा संरक्षण विषयक नुक्कड़ नाटकों का घाटों व अन्य स्थलों पर आयोजन, मीडिया एवं आकाशवाणी/रेडिया एफ0एम0 के माध्यम से गंगा संरक्षण विषयक संदेशों का प्रसारण तथा समाचार पत्र/पत्रिकाओं में गंगा संरक्षण से संबंधित लेखों का प्रकाशन इत्यादि कराया जायेगा। प्रचार सामग्री/होर्डिंग्स/संदेशों के प्रसारण में ''पर्यावरण निदेशालय द्वारा संचालित जिला योजना 2020-21 के अन्तर्गत पर्यावरण मानव स्वास्थ्य तथा स्वच्छता व पर्यावरण मित्र आदि प्रवृत्तियों के विकास संबंधी कथन/संदेशों का अवश्य उल्लेख किया जायेगा।

3. वाल राइटिंग

वाल राइटिंग का आकार 5' x 4' का होगा। यह कार्य टेण्डर/कोटेशन सम्बन्धी वित्तीय प्रक्रियाओं के अनुसार किया जाएगा, केवल पंचायत उद्योग द्वारा दी गई दरों के आधार पर निर्णय नहीं लिया जाएगा। वाल राइटिंग जिला/तहसील/विकास खण्ड कार्यालय, अन्य सरकारी कार्यालयों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों इत्यादि के परिसर में विभिन्न लक्षित समूहों को दृष्टिगत रखते हुए की जाएगी। वाल राइटिंग में ''पर्यावरण निदेशालय उ0प्र0 द्वारा संचालित जिला योजना 2020-21 के अन्तर्गत'' का उल्लेख अवश्य किया जाएगा।

4. पर्यावरण के दृष्णिकोण से संवेदनशील या अपघटित किसी क्षेत्र का पर्यावरणीय विकास।

5. अपघटित/अविकसित पार्कों का पर्यावरण की दृष्टि से सुधार/पर्यावरणीय विकास।

6. पर्यावरणीय दिवसों पर जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन।

अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण से सम्बन्धित अन्य दिवसों/अवसरों पर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों जैसे- सभी विकास खण्डों पर प्रदर्शनी का आयोजन, हर जिलों को एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जाए, जो प्रत्येक विकास खण्ड में तीन दिनों तक रहे तथा सेमिनार विचार गोष्ठी आदि का आयोजन संगोष्ठी, प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रदर्शनी का आयोजन, प्रतियोगिता, रैली, नुक्कड़ नाटक, कठपुतली शो एवं जनसभा का आयोजन तथा प्रचार-प्रसार सामग्री का निर्माण/वितरण इत्यादि। पर्यावरणीय जागरूकता उत्पन्न करने के लिये जनपदों के विद्यालयों में नेशनल ग्रीन कोर कार्यक्रम (एन0जी0सी0) के अन्तर्गत गठित ईको क्लबों के माध्यम से विभिन्न पर्यावरणीय दिवसों (जैसे- 22 मई, जैव विविधता दिवस, 05 जून, विश्व पर्यावरण दिवस आदि) के अवसर पर वृहद स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन कराया जायेगा।

7. प्रशिक्षण संस्थाओं, विश्वविद्यालयों एवं अन्य संस्थाओं के माध्यम से पर्यावरणीय जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन

इसके अन्तर्गत विभिन्न लक्षित समूहों जैसे- छात्र, युवक, शिक्षक, महिलाएं, कृषक, ग्रामीण आबादी और जन सामान्य में पर्यावरणीय जन जागरूकता उत्पन्न करने हेतु जनसभा संगोष्ठी, कार्यशाला, कान्फ्रेंस, प्रशिक्षण कार्यक्रम, पारिस्थितिकीय विकास शिविर, पदयात्रा, प्रदर्शनी और वाद विवाद/निबन्ध/चित्रकला/सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन, पर्यावरण संबंधी संसाधन सामग्री के प्रकाशन एवं वितरण तथा पर्यावरण संबंधी कार्यवाही जैसे-वृक्षारोपण, स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट प्रबन्ध अभियान इत्यादि हेतु शिक्षण संस्थाओं, विश्वविद्यालयों एवं अन्य संस्थानों इत्यादि को वित्तीय सहयोग प्रदान किया जायेगा। शिक्षण संस्थाओं, विश्वविद्यालयों एवं पंजीकृत स्वयं सेवी संस्थाओं (पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाली एवं न्यूनतम 3 वर्ष पूर्व से पंजीकृत) को धनराशि

की उपलब्धता के अनुसार वित्तीय सहायता दी जा सकती है। एक पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था को अधिकतम रु. 10,000/- की धनराशि दी जा सकेगी। संस्थाओं के प्रस्तावों का चयन जिला स्तर पर गठित एक समिति द्वारा किया जाय। इस समिति में क्रियान्वयन अधिकारी के अतिरिक्त अन्य विभागों के अधिकारियों/विशेषज्ञों को रखा जाय। इन कार्यक्रमों के आयोजन में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति बाहुल्य वाले पिछड़ इलाकों एवं गरीब केन्द्रित कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

8. स्कूली बच्चों में पर्यावरणीय जागरूकता के लिए विभिन्न कार्यक्रमों जैसे-सरकार के स्तर पर खेलकूद प्रतियोगितायें, वृक्षारोपण, वाद-विवाद/भाषण, चित्रकला/पोस्टर और क्विज प्रतियोगिताओं, रैली, बाल मेला, वन मनोरंजन और पर्यावरण प्रदर्शनी इत्यादि का आयोजन।

9. विभिन्न लक्षित समूहों हेतु पर्यावरण प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं का आयोजन- स्थानीय पर्यावरणीय समस्याओं जैसे-वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, प्लास्टिक प्रदूषण, पर्यावरणीय स्वच्छता, रसायनिक कीट नाशकों एवं उर्वरकों का प्रयोग, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन और जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट प्रबन्धन इत्यादि के आलोक में जिलाधिकारी के मार्गदर्शन में निम्नांकित लक्षित समूहों हेतु पर्यावरण प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं का आयोजन कराया जाएगा-

(1) मुख्य चिकित्साधिकारी के मार्ग दर्शन में समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, जनपद स्तरीय चिकित्सालयों के प्रभारी चिकित्साधिकारियों हेतु जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट प्रबन्धन, प्लास्टिक प्रदूषण और ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन पर आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशाला।

(2) जनपद के समस्त नगर निकायों एवं टाउन एरिया के अधिशासी अधिकारियों एवं नगर स्वास्थ्य अधिकारियों तथा नगर आयुक्तों हेतु ठोस अपशिष्ट प्रबन्ध एवं जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट प्रबन्धन पर आधारित पर्यावरण प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशाला।

(3) जनपद के विभिन्न विभागों के अधिकारियों, नगरपालिकाओं के अधिशासी अधिकारियों, परिवहन विभाग के अधिकारियों, क्षेत्राधिकारियों, उप/अपर जिलाधिकारियों एवं उप/अपर पुलिस अधीक्षकों हेतु प्लास्टिक प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण एवं वाहन प्रदूषण पर आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशाला।

(4) जिलाधिकारी द्वारा चयनित ग्राम प्रधानों हेतु कीटनाशकों एवं रसायनिक उर्वरकों के पर्यावरणीय सतत् प्रयागे पर आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

भारत सरकार द्वारा जन स्वास्थ्य की समग्र सुरक्षा के उद्देश्य एवं प्रदूषण की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रदूषण जनित समस्याओं के प्रभावी निराकरण हेतु अधिनियमित जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा (4) के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा 03 फरवरी, 1975 को **''उत्तर प्रदेश जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण बोर्ड''** का गठन किया गया। वर्ष 1981 में भारत सरकार द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 अधिनियमित किया गया। इस अधिनियम की धारा-5 के प्रावधानों के अन्तर्गत जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत गठित राज्य बोर्ड को ही वायु प्रदूषण के निवारण तथा नियंत्रण का दायित्व सौंपा गया। 13 जुलाई, 1982 से राज्य सरकार द्वारा उक्त राज्य बोर्ड का नाम बदलकर **''उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड''** विनिर्दिष्ट कर दिया गया।

प्रमुख दायित्व एवं कर्तव्य :

1. राज्य में नदियों और कुओं के जल की गुणवत्ता बनाये रखना तथा नियंत्रित क्षेत्रों में वायु प्रदूषण रोकने, नियंत्रित करने, उसे कम करने के लिए व्यापक कार्यक्रम की योजना बनाना तथा उसका निष्पादन सुनिश्चित करना है।
2. प्रदूषण निवारण, नियंत्रण या उसे कम करने के लिए सम्बद्ध विषयों पर जानकारी एकत्र करना, उसका प्रसार करना, राज्य सरकार को सलाह देना, उससे संबंधित अन्वेषण और अनुसंधान को बढ़ावा देना, उसका संचालन करना, उसमें भाग लेना।
3. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ मिलकर प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण संबंधी कार्य में लगे या लगाये जाने वाले व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के साथ-साथ सार्वजनिक शिक्षा के कार्यक्रम बनाना।
4. मल तथा व्यावसायिक बहिःस्राव व उत्सर्जन के शुद्धीकरण संयंत्रों की जाँच तथा निरीक्षण करना तथा स्थानीय निकायों व औद्योगिक प्रतिष्ठानों को वर्तमान या नये उत्प्रवाहों व उत्सर्जनों के निस्तारण हेतु सहमति देना।
5. बहिःस्राव व उत्सर्जन के मानक अधिकथित करना और राज्य में जल एवं वायु प्रदूषण का अनुश्रवण करना।
6. मल तथा व्यावसायिक उत्प्रवाहों के शुद्धिकरण हेतु ऐसी प्रक्रियाओं का विकास करना जो टिकाऊ व सस्ता होने के साथ ही साथ कृषि तथा स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल हों।
7. उद्योगों तथा स्थानीय निकायों से जल उपकर एकत्र करना तथा उसे केन्द्रीय सरकार को भेजना।

8. ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो केन्द्रीय बोर्ड या राज्य सरकार द्वारा विहित किये जायें या उसे समय-समय पर सौंपे जायें।

9. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत समय-समय पर बोर्ड को सौंपे गये कार्यों का निष्पादन।

उद्योगों को सहमति प्रदान करने हेतु नीति का सरलीकरण एवं अधिकारों का प्रतिनिधायन :

पूर्व में बोर्ड मुख्यालय द्वारा समस्त जल एवं वायु सहमति प्रकरणों का निस्तारण किया जाता था तथा क्षेत्रीय कार्यालयों को सहमति आवेदनों के निस्तारण हेतु अधिकृत नहीं किया गया था। तदुपरांत प्रक्रिया के सरलीकरण व प्रतिनिधायन की प्रक्रिया अंतर्गत बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या-एफ 77184/सीटी/सामान्य नोडल-347/2016, दिनांक 18.04.2016 के द्वारा प्रदूषण के स्तर के आधार पर उद्योगों को वर्गीकृत किया गया है उक्तानुसार लाल श्रेणी में 60 प्रकार के उद्योगों, नारंगी श्रेणी में 83 प्रकार के उद्योगों, हरी श्रेणी के 91 प्रकार के उद्योगों एवं सफेद श्रेणी में 162 प्रकार के उद्योगों को चिह्नित किया गया है तथा यह भी प्राविधानित किया गया है कि हरी एवं नारंगी श्रेणी में चिह्नित उद्योगों का अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं सहमति प्रकरण क्षेत्रीय कार्यालय स्तर से तथा लाल श्रेणी में चिह्नित उद्योगो का अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं सहमति प्रकरण का निस्तारण मुख्यालय स्तर से किया जाएगा।

बोर्ड के कार्यालय ज्ञाप संख्या-जी25268/189/2016-17, दिनांक 06.10.2017 द्वारा लाल श्रेणी के प्रदूषणकारी उद्योगों को एक साथ 05 वर्ष की अवधि हेतु, नारंगी श्रेणी के उद्योगों को एक साथ 05 वर्ष की अवधि हेतु तथा हरी श्रेणी के उद्योगों को एक साथ 10 वर्ष की अवधि हेतु सहमति प्रदान किया जाना निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त सफेद श्रेणी के उद्योगों द्वारा आवेदन की पावती ही सहमति मानी जाती है।

सहमति आवेदन के निस्तारण एवं सहमति शुल्क प्राप्ति की स्थिति :

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं संशोधित जल अधिनियम, 1978 के प्रावधानों के अनुसार विभिन्न औद्योगिक इकाइयाँ जो मानकों के अनुरूप अपने उत्प्रवाहों को सरिता, भूमि या सीवर में छोड़ रहे हैं या नये उद्योगों को जिनके द्वारा उत्प्रवाहों का निस्तारण उपरोक्त स्थलों में किया जाना प्रस्तावित है, बोर्ड द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र पर आवेदन करने के उपरान्त सहमति प्राप्त कर लेना अनिवार्य है। सहमति आवेदन पत्र के साथ बोर्ड द्वारा निर्धारित सहमति शुल्क भी लिया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रुपया 2238.62 लाख सहमति शुल्क (जल) के लक्ष्य के विरुद्ध दिसम्बर, 2018 तक रुपया 1008.06 लाख एकत्र किया गया। वित्तीय वर्ष 2018-2019 में दिसम्बर, 2018 तक 5296 उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण की दृष्टि से सहमति (जल) प्रदान की गयी तथा 941 उद्योगों की सहमति औचित्यपूर्ण न होने के कारण अस्वीकृति की गयी तथा उन्हें उचित निर्देश जारी किये गये, जिससे उद्योग अपने शुद्धीकरण संयंत्र का संचालन/रख-रखाव तथा सुदृढ़ीकरण कर उसे मानकों के अनुरूप उत्प्रवाह शुद्धीकृत करने योग्य बनायें।

जल उपकर :

केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न राज्य बोर्डों के आर्थिक संसाधन सुदृढ़ करने के उद्देश्य से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 लागू किया गया है। इसके अन्तर्गत बोर्ड द्वारा

स्थानीय निकायों एवं उद्योगों से उनके जल उपभोग की मात्रा के आधार पर उपकर वसूल किये जाने का प्रावधान किया गया है। भारत सरकार द्वारा जी.एस.टी. प्रभावी होने की तिथि (01.07.2017) से नये उद्योगों के उपकर को रिपील करके जी.एस.टी. में सम्मिलित कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2018-2019 में दिसम्बर,2018 तक रुपया 1094.58 लाख एकत्र किया गया।

अनापत्ति प्रमाण पत्र :

प्रदेश में नये लगाये जाने वाले उद्योगों तथा वर्तमान उद्योगों में क्षमता विस्तार के लिए यह व्यवस्था की गयी है कि उद्यमी उद्योग लगाने से पूर्व उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से, पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें। अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का प्रमुख उद्देश्य यह है कि जिस स्थान पर उद्योग लगाया जाना प्रस्तावित है, वहाँ उसकी स्थापना से पर्यावरण प्रदूषण की समस्या तो नहीं हो जायेगी। अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने से पूर्व उद्योग से प्रदूषण नियंत्रण के प्रस्ताव प्राप्त किये जाते हैं एवं उनकी विस्तृत जाँच कर, अगर प्रस्ताव उपयुक्त हो तो अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करते समय आवश्यकतानुसार शर्तें लगा दी जाती हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उद्योग द्वारा उत्पादन प्रारम्भ करने से पूर्व व्यवसायिक उत्प्रवाह, घरेलू उत्प्रवाह एवं वायु उत्सर्जन की शुद्धीकरण व्यवस्था अवश्य कर ली जाये।

वायु प्रदूषण नियंत्रण संबंधी कार्यवाही :

वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 एवं यथासंशोधित अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत प्रदेश में वायु प्रदूषण के निवारण तथा नियंत्रण का उत्तरदायित्व भी बोर्ड को सौंपा गया है।

वायुमण्डल को स्वच्छ रखने के लिए यह आवश्यक है कि उद्योगों से (मानकों से अधिक) निकलने वाले दूषित एवं प्रदूषक गैसीय उत्सर्जन की रोकथाम की जाये। वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 एवं यथासंशोधित अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत किसी भी उद्योग को चलाने तथा उसके द्वारा वायुमण्डल में मानकों के अनुरूप उत्सर्जन के लिए किसी नयी या परिवर्तित चिमनी को उपयोग में लाये जाने के लिए या चिमनी से वायुमण्डल में उत्सर्जन को जारी रखने के लिए वायु अधिनियम के अन्तर्गत बोर्ड से सहमति प्राप्त कर लेना आवश्यक है। सहमति आवेदन पत्रों के साथ बोर्ड द्वारा वायु नियमावली, 1983 में प्राविधानित सहमति शुल्क भी लिया जाता है।

उत्तर प्रदेश में स्थित परिसंकटमय अपशिष्ट (हैजार्ड्स वेस्ट) जनित करने वाले उद्योगों एवं परिसंकटमय अपशिष्ट निस्तारण की व्यवस्था का विवरण :

प्रदेश में परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबन्धन व सीमा पार संचालन नियम, 2016 के अन्तर्गत 2366 उद्योग वर्तमान में आच्छादित हैं। इन सभी उद्योगों से जनित परिसंकटमय अपशिष्ट के भण्डारण एवं सुरक्षित निस्तारण के लिए उद्योगों को प्राधिकार निर्गमन हेतु राज्य बोर्ड को प्राधिकृत किया गया है।

परिसंकटमय अपशिष्ट के सामूहिक निस्तारण हेतु प्रदेश में निम्नलिखित स्थलों की स्थिति निम्नवत् हैः-

1.	कानपुर (रूमा)	-	क्षमता समाप्त
2.	कानपुर देहात (कुम्भी) 7 हेक्टेयर भूमि में	-	संचालित
3.	कानपुर देहात (कुम्भी) 3 हेक्टेयर भूमि में	-	संचालित
4.	उन्नाव (बन्थर)	-	संचालित

उक्त के अतिरिक्त ज्वलनशील/जलाने योग्य परिसंकटमय अपशिष्ट के निस्तारण हेतु निम्न व्यवस्था हैः-

1.	उद्योग जिनमे स्वयं का भस्मन संयंत्र स्थापित हैं	21
2.	संयुक्त भस्मन संयंत्र की व्यवस्था है	03

उत्तर प्रदेश में स्थित ग्रॉसली प्रदूषणकारी उद्योगों के सम्बन्ध में आख्या

वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 1510 ग्रॉसली प्रदूषणकारी उद्योगों (ऐसे उद्योग जिनका बी.ओ.डी. लोड 100 किग्रा./दिन से ज्यादा या जहरीला उत्प्रवाह है) को चिह्नित किया गया है। यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में, उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होने वाली 13 प्रमुख नदियों (गंगा, यमुना, गोमती, रामगंगा, हिण्डन, सरयू, काली ईस्ट, काली वेस्ट, घाघरा, राप्ती, सई, रिहन्द एवं शारदा) एवं विभिन्न तालों में अपना उत्प्रवाह निस्तारित करते हैं। इन 1528 उद्योगों की वर्तमान में जल प्रदूषण की दृष्टि से स्थिति निम्नवत् हैः–

1.	उ.प्र. में चिह्नित ग्रॉसली उद्योग	1528
2.	कार्यरत उद्योग जिनमें उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित हैं	1399
	(अ) कार्यरत उद्योग जिनमें उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित है तथा बोर्ड के मानकों की पूर्ति भी कर रहे हैं	1042
	(ब) कार्यरत उद्योग जिनमें उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित हैं परन्तु बोर्ड मानकों की प्राप्ति नहीं कर रहे हैं	83
3.	उद्योग जो स्वतः बन्द हैं	244
4.	उद्योग जिन्हें बोर्ड द्वारा बन्द कराया गया	242

जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंध और हस्तन) नियम, 1998 यथासंशोधित

जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 :

जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंध और हस्तन) नियम, 1998 यथासंशोधित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के अन्तर्गत प्रदेश में कुल 15046 अस्पताल/नर्सिंग होम तथा अन्य संस्थान चिह्नित किये गये हैं जिनमें से 14842 अस्पतालों/नर्सिंग होम्स व अन्य संस्थानों द्वारा एकल उपचार व्यवस्था कर ली गई अथवा सामूहिक उपचार व्यवस्था से सम्बद्ध हैं। इनमें से 6573 अस्पतालों/नर्सिंग होम तथा अन्य संस्थानों द्वारा प्राधिकार प्राप्त किये गये हैं।

प्रदेश में कुल 17 सामूहिक जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार व्यवस्था स्थापित की गई हैं, यथा- जनपद लखनऊ-2, बरेली-1, गाजियाबाद-1, मेरठ-1, कानपुर-2, प्रयागराज-2, मथुरा-1, आगरा-1, झाँसी-1, वाराणसी-1, बाराबंकी-1, संत कबीर नगर-1, सुल्तानपुर-1 तथा गाजीपुर-01 में व्यवस्थायें स्थापित हैं। उक्त के अतिरिक्त 13 हेल्थ केयर फैसिलिटीज में स्वयं की उपचार व्यवस्था स्थापित है। 17 सामूहिक उपचार व्यवस्था में से 01 सामूहिक उपचार व्यवस्था मानकों के अनुरूप कार्यरत न होने के कारण उसके विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही की गई है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्राधिकार शुल्क रुपया 65.79 लाख के लक्ष्य के विरुद्ध माह दिसम्बर, 2018 तक कुल रुपया 111.45 लाख एकत्रित किया गया।

नगरीय ठोस अपशिष्ट :

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 1999 एवं तत्पश्चात् प्रख्यापित नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम, 2000 को अधिसूचना दिनांक 08.04.2016 द्वारा अधिक्रान्त करते हुए ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु नया नियम लागू किया गया है, जिन्हें **''ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016''** कहा गया है। यह नियम दिनांक 08.04.2016 से प्रवृत्त है। प्रदेश में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु की गई कार्यवाही एवं प्रस्तावित कार्यवाही निम्नवत् है-

1. स्थानीय निकायों से जनित होने वाले नगरीय ठोस अपशिष्ट के एकत्रण, पृथक्करण, परिवहन, उपचार एवं सुरक्षित निस्तारण किये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 जो अधिसूचना दिनांक 08.04.2016 से प्रभावी हैं, का क्रियान्वयन स्थानीय निकायों तथा अनुश्रवण बोर्ड द्वारा किया जाना प्राविधानित है।

2. बोर्ड द्वारा समस्त नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों तथा नगर पंचायतों को उक्त नियम, 2016 में वर्णित प्रावधानों के अनुपालन हेतु निर्देश जारी किया गया है।

3. प्रदेश में वर्तमान में कुल 653 नगर निकाय (नगर निगम-16, नगर पालिका परिषद-199, नगर पंचायत-438) चिह्नित हैं।

4. प्रदेश में जनित कुल नगरीय ठोस अपशिष्ट की मात्रा 15500 टन/दिन है।

5. नगरीय ठोस अपशिष्ट के प्रबन्धन हेतु प्रदेश में वेस्ट से कम्पोस्ट बनाये जाने के 12 संयंत्र संचालित हैं, जिनकी संयुक्त क्षमता 4615 टन/दिन है।

अभियोजनात्मक कार्यवाही :

बोर्ड द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत विभिन्न उद्योगों/स्थानीय निकायों के विरुद्ध अभियोजनात्मक कार्यवाही की जाती है।

प्रयोगशाला एवं जल-वायु गुणता का अनुश्रवण :

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में 01 केन्द्रीय प्रयोगशाला तथा 19 क्षेत्रीय प्रयोगशालायें स्थापित हैं। 02 अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों उन्नाव एवं फिरोजाबाद में वायु प्रयोगशाला की स्थापना का कार्य किया जा चुका है। प्रयोगशालाओं द्वारा वर्तमान में औद्योगिक उत्प्रवाहों के नमूने, नदियों, नालों एवं भूगर्भ जल के नमूनों का परीक्षण तथा परिवेशीय वायु गुणवत्ता एवं ध्वनि प्रदूषण के अनुश्रवण का कार्य संपादित किया जाता है। इन कार्यों के अतिरिक्त बोर्ड द्वारा अन्य महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं के अन्तर्गत भी जल स्रोतों का अनुश्रवण तथा परिवेशीय वायु गुणता का अनुश्रवण किया जा रहा है, जिसका विवरण निम्नवत् है–

गोमती नदी का अनुश्रवण :

गोमती अनुश्रवण अध्ययन के अन्तर्गत लखनऊ में गोमती नदी के जल में घुलित आक्सीजन की

मात्रा एवं पी.एच. का परीक्षण प्रतिदिन तथा 17 विभिन्न प्रचालकों के लिए परीक्षण प्रतिमाह एक बार नियमित रूप से किया जाता है, जिससे गोमती नदी के जल की गुणवत्ता का अनुश्रवण तथा जल की गुणता का ज्ञान होता रहे।

राष्ट्रीय जल गुणवत्ता अनुश्रवण कार्यक्रम (नेशनल वाटर क्वालिटी मानीटरिंग प्रोग्राम) :

इस परियोजना (पूर्व नाम मीनार्स) के अन्तर्गत प्रदेश की विभिन्न नदियों एवं अन्य जल स्रोतों (तालाब, झील आदि) के 58 चिन्हित स्थलों पर (कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, कौशाम्बी, प्रयागराज, गाजियाबाद, प्रतापगढ़, रायबरेली, सहारनपुर, रेनूकूट, गोरखपुर, देवरिया, ललितपुर, उन्नाव, बुलन्दशहर, बदायूँ, मिर्जापुर, बागपत, हापुड़, मेरठ, गाजीपुर, कन्नौज, नोएडा, सीतापुर, अयोध्या, मथुरा, सोनभद्र, जौनपुर, वृन्दावन, हमीरपुर, झाँसी व मुजफ्फरनगर) जल गुणता अनुश्रवण का कार्य एक माह में एक बार किया जाता है। जिससे विभिन्न नदियों की जल गुणता की जानकारी प्राप्त हो सके। यह परियोजना केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा 70 प्रतिशत वित्तपोषित है।

राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता अनुश्रवण कार्यक्रम (नेशनल एयर क्वालिटी मानीटरिंग प्रोग्राम) :

इस परियोजना (पूर्व नाम नाकम) के अन्तर्गत प्रदेश के 21 शहरों- गाजियाबाद, गजरौला, आगरा, नोएडा, सोनभद्र, लखनऊ, कानपुर, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, बरेली, झाँसी, प्रयागराज, मेरठ, खुर्जा, वाराणसी, सहारनपुर, रायबरेली, मथुरा, हापुड़, गोरखपुर, उन्नाव, ग्रेटर नोएडा, बागपत, मुजफ्फरनगर में 72 चिह्नित स्थलों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता का अनुश्रवण कार्य सम्पादित किया जाता है। यह परियोजना भी केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा 50 प्रतिशत वित्तपोषित है। इस योजना में विभिन्न स्थलों की वायु गुणवत्ता की स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है।

ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम :

भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 एवं इससे संबंधित नियमावली के अन्तर्गत ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 एवं संशोधित 2010 प्रख्यापित किये गये हैं जो राजपत्र में प्रकाशन की तिथि 14-02-2000 से प्रवृत्त हो गये हैं।

1. पटाखों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम :

दीपावली पर्व के दौरान जनित ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम हेतु उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सम्पूर्ण पर्व के दौरान राज्य के प्रमुख 20 शहरों में ध्वनि प्रदूषण की जाँच का कार्य सम्पादित किया गया।

2. स्वचालित परिवेशीय वायुगुणता अनुश्रवण स्टेशन :

बोर्ड द्वारा प्रदेश के 12 शहरों- लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद, मुरादाबाद, नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा, बागपत, बुलंदशहर, हापुड़ एवं मुजफ्फरनगर में एक-एक स्वचालित परिवेशीय वायुगुणता अनुश्रवण स्टेशनों की स्थापना की गई है। इन स्टेशनों से लगातार परिवेशीय वायुगुणता के विभिन्न प्रचालक जैसे- पार्टीकुलेट मैटर (पी.एम. 10 एवं पी.एम. 2.5), सल्फर डाइ आक्साइड, नाइट्रोजन डाई आक्साइड, ओजोन, कार्बन मोनो आक्साइड गैसों, बेन्जीन, जाइलीन, टाल्वीन के आंकड़े प्राप्त होते हैं।

3. ध्वनि गुणता अनुश्रवण :

बोर्ड द्वारा प्रदेश के 15 शहरों की विभिन्न श्रेणियों- आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक एवं शान्त क्षेत्रों में दिन एवं रात्रि के समय परिवेशीय ध्वनि गुणता अनुश्रवण का कार्य प्रत्येक माह नियमित रूप से किया जा रहा है।

4. स्वचालित परिवेशीय ध्वनिगुणता मापक स्टेशन :

बोर्ड द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहयोग से लखनऊ शहर में 10 स्टेशनों को स्थापित किया गया है। यह स्टेशन लोहिया अस्पताल, इंदिरा नगर, तालकटोरा, डी.आर.एम. ऑफिस हजरतगंज, एस.जी.पी.जी.आई., आई.टी. कॉलेज, बोर्ड मुख्यालय विभूति खण्ड, चिनहट औद्योगिक क्षेत्र, आंचलिक विज्ञान केन्द्र अलीगंज तथा चौधरी चरण सिंह अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा में स्थापित हैं। इन स्टेशनों से लगातार ध्वनि स्तर के आंकड़े प्राप्त होते हैं।

5. प्रदर्शन पटल :

बोर्ड द्वारा किये जा रहे परिवेशीय वायुगुणता के आंकड़ों को जनमानस में प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से लखनऊ शहर में 5 निम्न स्थलों पर इलेक्ट्रानिक प्रदर्शन पटल स्थापित किये गये हैं–

1. बोर्ड के नवनिर्मित मुख्यालय, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
2. पंजाब नेशनल बैंक, पिकप भवन के सामने, गोमती नगर,
3. आई.आई.टी.आर., महात्मा गांधी मार्ग,
4. सहारा बिल्डिंग, कपूरथला चौराहा,
5. किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी।

प्लास्टिक वेस्ट प्रबन्धन :

1- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18.03.2016 द्वारा अपशिष्ट प्लास्टिक नियम, 2016 अधिसूचित किये गये हैं जो राजपत्र के प्रकाशन की तिथि दिनांक 18.03.2016 से प्रभावी है।

2- अपशिष्ट प्लास्टिक नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार प्लास्टिक अपशिष्ट के पृथक्करण, संग्रहण, भण्डारण, परिवहन, प्रसंस्करण और व्ययन की अवसंरचना को विकसित करने और स्थापना के लिए स्थानीय निकाय उत्तरदायी हैं।

3- अपशिष्ट प्लास्टिक नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार प्लास्टिक उत्पादों और बहुस्तरीय पैकेजिंग के विनिर्माण, अपशिष्ट प्लास्टिक के प्रसंस्करण और व्ययन से सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों को प्रवृत्त करने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विहित प्राधिकारी है।

4- उ.प्र. शासन द्वारा उत्तर प्रदेश प्लास्टिक एवं अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) नियम, 2000 को उत्तर प्रदेश अध्यायदेश संख्या-10 सन् 2018, दिनांक 15.07.2018 द्वारा संशोधित कर उत्तर प्रदेश प्लास्टिक एवं अन्य जैव अनाशित कूड़ा-कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2018 जारी किया गया है।

उत्तर प्रदेश प्लास्टिक एवं अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) नियम, 2000 के अधीन शक्तियों का प्रयोग कर नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासान द्वारा जारी शासनादेश संख्या-1056/6-7-18-29 (लखनऊ)/18 दिनांक 15.07.2018 द्वारा निम्न निर्देश जारी किये गये हैं :

(1) 50 माइक्रान से कम मोटाई के प्लास्टिक कैरी बैग के उपयोग, विनिर्माण, विक्रय, वितरण, भण्डारण, परिवहन, आयात या निर्यात को अधिसूचना के गजट में प्रकाशन की तिथि से नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम या राज्य की औद्योगिक नगरी के आने वाले क्षेत्रों में प्रतिषिद्ध किया गया है।

(2) 50 माइक्रान अथवा उससे अधिक मोटाई के निस्तारण योग्य प्लास्टिक कैरी बैगों, जिनके विनिर्माता का नाम और रजिस्ट्रेशन संख्या न हो एवं अंकित नहीं हो, के उपयोग, विनिर्माण, क्रय-विक्रय, भण्डारण, परिवहन के उपयोग, विनिर्माण, विक्रय, वितरण, भण्डारण, परिवहन, आयात एवं निर्यात को अधिसूचना के गजट में प्रकाशन की तिथि से नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम या राज्य की औद्योगिक नगरी के आने वाले क्षेत्रों में प्रतिषिद्ध किया गया है।

(3) प्लास्टिक या थर्मोकोल से निर्मित एक बार उपयोग के पश्चात् निस्तारण योग्य कपों, गिलासों, प्लेटों, चम्मचों, टम्बलरों के उपयोग, विनिर्माण, विक्रय, वितरण, भण्डारण, परिवहन, आयात या निर्यात को नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम या राज्य की औद्योगिक नगरी के आने वाले क्षेत्रों में दिनांक 15 अगस्त, 2018 से प्रतिषिद्ध किया गया है।

(4) समस्त प्रकार के निस्तारण योग्य प्लास्टिक कैरी बैगों के उपयोग, विनिर्माण, विक्रय, वितरण, भण्डारण, परिवहन, आयात या निर्यात को नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम या राज्य की औद्योगिक नगरी के आने वाले क्षेत्रों में दिनांक 02 अक्टूबर, 2018 से प्रतिषिद्ध किया गया है।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग

प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी के विस्तार के उद्देश्य से सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं, इलेक्ट्रानिक्स उद्योगों के विकास तथा ई-गवर्नेन्स को बढ़ावा देने के लिए आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग सतत चिन्तारत है। राज्य में आईटी/आईटीईएस उद्योगों तथा स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा देने के लिये उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट अप नीति-2016 को अवक्रमित करते हुए उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट अप नीति-2017 पूर्व से प्रख्यापित है। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रानिक्स उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017 के अन्तर्गत, नोएडा, ग्रेटर नोएडा तथा यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र को इलेक्ट्रनिक्स विनिर्माण इकाईयों के लिए विभिन्न छूट एवं प्रोत्साहनों का प्राविधान पहले से ही कराया गया है।

उत्तर प्रदेश में ई-प्रोक्योरमेण्ट प्रणाली का शासकीय विभागों में क्रियान्वयन, शासकीय कार्यालयों में ई-आफिस प्राणाली का कार्यान्वयन, आईटी सिटी योजना का क्रियान्वयन, आई0टी0 पार्क्स की स्थापना, इक्यूबेटर्स एवं स्टार्ट-अप इकाईयों की स्थापना, इलेक्ट्रानिक्स मैन्युैक्चरिंग क्लस्टर्स (ई.एम.सी.) की स्थापना, शासकीय विभागों को कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर की आपूर्ति, विभिन्न शासकीय विभागों में कन्सलटेन्सी प्रदान करने के कार्य आदि किये गये। इनके साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी एवं उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति का कार्यान्वयन एवं सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीतियों का प्रचार-प्रसार का कार्य कराया जा रहा है।

देश के सबसे बड़े इक्यूबेटर की लखनऊ में स्थापना हेतु कार्यवाही को प्रारम्भ करने, सभी सरकारी कान्ट्रेक्ट के लिए ई-टेण्डरिंग को लागू करने, सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए आईटी नीति का प्रभावी क्रियान्वयन करने, प्रदेशवासियों की शिकायतों आतिद का समेकित रूप में पंजीकरण उपरान्त उनके त्वरित निस्तारण के उद्देश्य से लखनऊ में इनबाउण्ड-आउटबाउण्ड कॉल सेन्टर (मुख्यमंत्री हेल्पलाईन 1076) संचालित कराने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रदेश के प्रत्येग ग्राम पंचायत में न्यूनतक 01 जन सेवा केन्द्र के मिशन के साथ 65,000 केन्द्रों को स्थापित कराते हुए डिस्ट्रिक्ट ई-गवर्नेन्स सोसाइटी (डी.ई.जी.एस.) एवं डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर (डी.एस.पी.) के सहयोग से संचालित कराया जाना, ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजनान्तर्गत

शासकीय सेवायें जन सेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों/ई-सुविधा केन्द्रों से नागरिकों को उपलबध कराया जाना, स्टेट वाइड एरिया नेटवक्र (स्वॉन) 2.0 के अन्तर्गत एमपीएलएस की नवीनतम टेक्नोलॉजी पर समस्त जनपदों तहसीलों एवं ब्लॉक मुख्यालयों के विभिन्न कार्यालयों में 10 एमबीपीएस की बैण्डविड्थ की उपलब्धता हेतु इसका संचालन कराना, पूर्व से संचालित स्टेट डाटा सेन्टर के माध्यम से अधिकाधिक सेवायें प्रदान करने के साथ इसकी सृजित क्षमता का पूर्ण उपयोग हो जाने एवं शासन के विभागों में इसकी बढ़ती मांग के क्रम में स्टेट डाटा सेन्टर के सुदृढ़ीकरण हेतु आवश्यक प्राथमिक कार्यवाही आदि को प्रारम्भ कराया जाना शामिल है।

राज्य में डिजिटल पेमेन्ट को बढ़ावा देने के लिए जन सेवा केन्द्रों का भारत इन्टरफेस फॉर मनी (भीम) एप से इन्टीग्रेट किया जाना, इस हेतु प्रदेश स्थित पेट्रोलियम फर्टिलाइजर, बैंकिंग अधिष्ठानों एवं सम्बन्धित विभागों को लक्ष्य आवंटित करते हुए निरन्तर समीक्षा किया जाना, प्रदेश में डिजिटल लॉकर के अन्तर्गत प्रत्येक नागरिक को उनके महत्वपूर्ण अभिलेखों जैसे पेन कार्ड, वोटर आई.डी. कार्ड, सरकार द्वारा जारी कोई अन्य प्रकाशन-पत्र पासपोर्ट, जन्म या शादी के प्रमाण-त्र आदि को इसमें संरक्षित रखने की सुविधा के लिए ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल का डिजिटल लॉकर से इटीग्रेशन किया जाना, प्रदेश में शासकीय सेवाओं को यूनीफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेन्स (उमंग) प्लेटफार्म से उपलब्ध कराये जाने की निरंतर समीक्षा के साथ प्रथम चरण में ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की सेवाओं को उमंग प्लेटफार्म पर उपलबध कराये जाने की एन.आई.सी. के माध्यम से कार्यवाही को प्रारम्भ कराया जाना, कैपेसिटी बिल्डिंग के अन्तर्गत डिजीटल इण्डिया के प्रचार-प्रसार के लिए जनपदों में डिजीधन मेले मका आयोन किया जाना एवं प्रदेश के समस्त जनपदों तथ राज्य स्तर पर ई-टेण्डर, ई-आफिस, सी.एम. हेल्पलाइन, सोशल मीडिया, एम. -गवर्नेन्स, ई-डिस्ट्रिक्ट, आई.जी.आर.एस. एवं साइबर सिक्योरिटी लागू किये जाने के क्रम में प्रशिक्षण प्रदान किय जाना तथा भारत सरकार/राज्य सरकार की उमंग एवं डिजीटल लाकर योजनाओं पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जाना आदि सम्मिलित है।

विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन संस्थाएं-उ.प्र. डेवलपमेन्ट सिस्टम्स कारपोरेशन लिमिटेड सेन्टर फार ई-गवर्नेन्स, उत्तर प्रदेश, उ.प्र. इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड एवं ई-सुविधा, उत्तर प्रदेश के माध्यम से मुख्यतया योजनाओं का क्रियान्वयन कराया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश डेवलपमेन्ट सिस्टम्स कारोपेरशन लि. (यूपीडेस्को)

अभ्युदय एवं विकास

उत्तर प्रदेश डेवलपमेन्ट सिस्टम्स कारोपेरशन लि. (यूपीडेस्को) की कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 21 के अन्तर्गत 15 मार्च, 1977 को नियोजन विभाग, उ.प्र. शासन के नियंत्रणधीन स्थापना की गई थी जिसको परिवर्तित कर 23 दिसम्बर, 1999 से आई.टी.एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के अधीन किया गया। यह निगम शासन द्वारा अधिकृत कम्पनी हे। इसके गठन का मुख्य उद्देश्य कम्प्यूटर बेस्ड डाटा प्रणाली को स्थापित कर प्रबन्धकीय समस्याओं

को चिन्हित करते हुए उनके अुनरूप तकनीकी विकल्प के माध्यम से अपेक्षित समाधान कराने में सहयोग करना है। कम्प्यूटर एवं कम्प्यूटरीकरण के क्षेत्र में हो रहे व्यापक परिवर्तनों एवं सूचना क्रान्ति के साथ बेहतर ताल-मेल स्थापित करते हुए निगम द्वारा वर्तमान में अपने निम्न प्रभागों के माध्यम से कार्यों का सम्पादन किया जाता है-

- कम्प्यूटर प्रभाग
- कन्सलटेन्सी, ग्रामीण विकास एवं सर्वेक्षण प्रभाग
- शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रभाग
- प्रशासन एवं लेखा विभाग

महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ

(क) शासन द्वारा समय-समय पर आवंटित योजनाओं/कार्यों के सापेक्ष योजनाओं की विशिष्टयों एवं इनमें अब तक की गयी महत्वपूर्ण उपलब्धियों के विवरण संक्षेप में निम्नानुसार है-

स्टेट डाटा सेन्टर की स्थापना एवं संचालन

- नेशनल ई-गवर्नेन्स प्लान के अन्तर्गत स्टेट डाटा सेन्टर की स्थापना राज्य में की गई है जिसमें विभिन्न जी2सी, जी2जी सेवाओं को इलेक्ट्रानिक डिलीवरी के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने हेतु राज्य के विभिन्न विभागो के डाटा एवं एप्लीकेशन साफ्टवेयर को केन्द्रीयकृत रूप से रखा जा रहा है। यह योजना ई-गवर्नेन्स के क्षेत्र में राज्य की एक महत्वपूर्ण कोर इन्फ्रास्ट्रक्चर योजना है।
- यूपीडेस्को द्वारा इम्पलीमेटेशन एजेन्सी के रूप में स्टेट डाटा सेन्टर को स्थापित कराते हुए दिनांक 08.08.2012 से इसे गो-लाइव कराया गया।
- मे0 टीसीएस लि0 द्वारा डाटा सेन्टर आपरेटर के रूप में इसकी स्थापना उपरान्त गो-लाइव से 5 वर्षों अर्थात दिनांक 05.08.2017 तक इसका संचालन किया गया है। तत्पश्चात् यूपीडेस्को स्तर से इस सेन्टर के संचालन का प्रबन्धन कराते हुए दिनांक 01.11.2017 से आगामी तीन वर्षों तक इसके संचालनप के लिए निविदा प्रक्रिया से नये डाटा सेन्टर आपरेटर के रूप में मेसर्स बी.वी.जी. इण्डिया लिमिटेड को चयन कर उसके माध्यम से सेन्टर के संचालन की कार्यवाही करायी जा रही है।
- स्टेट डाटा सेन्टर की कुल क्षमता का अधिकतम उपयोग ो जाने एवं विभागों द्वारा स्टेट डाटा सेन्टर में स्पेस की माँग किये जाने के दृष्टिगत इसकी क्षमता को वर्ष 2018-17 में बढ़ाया गया है। इस बढ़ायी गई क्षमता के अन्तर्गत लगाये गये इन्फ्रास्ट्रक्चर के मैनेजमेन्ट का कार्य मे.पी.सी. साल्यूशन्स द्वारा दिसम्बर, 2017 तक कराया गया।
- वर्ष 2012 से 2017 तकमै. डेलाइट तथा वर्तमान में मै. केपीएमजी द्वारा थर्ड पार्टी आडिट का कार्य किया जा रहा है।
- सेन्टर में 10 जीबीपीएस एनकेए इन्टरनेट लीज लाइन स्थापित है। इसके अतिरिक्त 1 जीपीएस एयरटेल की रिडन्डेन्ट इन्टरनेट लीज लाइन है।

- वर्तमान में वाणिज्य कर, समाज कल्याण, बेसिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, स्थानीय निकाय, सीसीटीएनएस, ग्रामीण अभियंत्रण सेवाये, खाद्य एवं रसद, वन, आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स, संस्थागत वित्त, सचिवालय प्रशासन, अग्नि शमन, उ.प्र. अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, मुख्यमंत्री कार्यालय आदि 81 विभागों के एप्लीकेशन्स एवं डाटाबेसेज को स्टेट डाटा सेन्टर में होस्ट कर इनकी लगभग 250 सेवायें आम जन मानस एवं राज्य सरकार के अन्य विभागों को उपलब्ध करायी जा रही है।
- स्टेट डाटा सेन्टर विश्वस्तरीय मानकों यथा-आई.एस.ओ. 27001 एवं 20000 से प्रमाणित हैतथा इसमें डाटा की अतिरिक्त सुरक्षा हेतु सिक्योरिटी इन्फारमेशन एण्ड इवेन्ट मैनेजमेन्ट (एस.आई.ई.एस.) का उपयोग भी किया जा रहा है। डाटा सेन्टर को अपटाईम 99.98 प्रतिशत है।
- यह सेन्टर राज्य के डाटा डिपोजिटरी के रूप में संचालित है। विभागों की 250 से अधिक सेवायें विभिन्न एप्लीकेशन्स के माध्यम से आपरेशन में है। सेन्टर एक ऐसा राज्य का प्लेटफार्म है जिसकी विभागों द्वारा बराबर आवश्यकता बताते हुए इसमें स्पेस की माँग की जाती है। इस सेन्टर को संचालित हुए लगभग 7 वर्षों से अधिक की अवधि बीत चुकी है जिसके कारण इसका बड़े पैमाने पर आगमेन्टेशन एवं रि-स्ट्रक्चरिंग की वर्तमान में व्यवस्था की जा रही है।
- स्टेट डाटा सेन्टर में शेयर्डमोड में स्थापित ऐप्लीकेशन्स इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा सूचीबद्ध साइफ्यूचर इण्डिया प्रा.लि. के माध्यम से करायी गयी हे।

शासकीय कार्यालयों का आधुनिकीकरण

- यूपीडेस्को द्वारा मुख्यमंत्री कार्यालय में प्राप्त जन शिकायतों/प्रार्थना पत्रों के डिजिटाइजेशन, स्कैनिंग, अपलोडिंग/लिकिंग सर्विसेज हेतु मे. कैपिटल बिजनेस सर्विसेज प्रा.लि., नई दिल्ली का चयन किया गया है।
- मे. कैपिटल बिजनेस सर्विसेज प्रा.लि. द्वारा बी-107, लोक भवन में 01 जनवरी 2019 से जन शिकायतों/प्रार्थना पत्रों के डिजिटाइजेशन एवं स्कैनिंग के कार्य क सम्पादन किया जा रहा है।
- डिजिटाइज्ड एवं स्कैण्ड जन शिकायतों/प्रार्थना पत्रों को आईजीआरएस पोर्टल पर एनआईसी द्वारा अपलोडिंग/लिकिंग करने हेतु उपलब्ध कराया जाता है।

विभागों की वेबसाइट का नवीनीकरण एवं रख-रखाव

- शासनादेश संख्या-1803/78-2-2013-83 आई.टी./2013 दिनांक 25-11-2013 द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के समस्त विभागों की वेबसाइटों के नवीनीकरण एवं रख-रखाव का कार्य भारत सरकार की गाइडलाइन्स फॉर इण्डियन गवर्नमेन्ट वेबसाइट (जीआईजीडब्लू)

के अनुरूप विभागों से प्राप्त भुगतान के आधार पर सुनिश्चित कराने हेतु यूपीडेस्को को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।

- शासनादेश के अनुसार मै. सिल्वटच टेक्नोलाजीज लि., अहमदाबाद, मै. समीन टेक्माइन्ड्स इण्डिया प्रा.लि., नोएडा, मै. साइबर टेक साफ्टवेयर एण्ड मल्टी मीडिया प्रा. लि., भुवनेश्वर, मै. मार्ग साफ्टवेयर साल्यूशन्स प्रा.लि., लखनऊ एवं मै. एस्टेक्स टेलीकॉम प्रा. लि., नई दिल्ली को सूचीबद्ध कर विभागों की वेबसाइटों के व्यय आगणन तैयार करने में सहयोग देने हेतु व्यवस्था की गई है।
- कृषि नियुक्ति, पिछड़ा वर्ग कल्याण, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास, नागरिक उड्डयन, चकबंदी, दुग्ध विकास, न्याय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, वन एवं वन्य जीव, भू-गर्भ जल, उच्च शिक्षा, गृह उद्यान, सिंचाई, आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स, श्रम, चिकित्सा, शिक्षा, लघु सिंचाई, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन, अप्रवासी भारतीय, संसदीय कार्य, पुलिस, कारागार एवं प्रशासन सुधार, लोक निर्माण, ग्रामीण अभियंत्रण, विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी, सचिवालय प्रशासन, खेल, प्राविधिक शिक्षा, पर्यटन, जनजाति विकास, सहकारिता, विधायी, व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास (37) विभागों की वेबसाइटें राज्य के वित्त पोषण से तैयार हो चुकी है।

सुगम्य भारत अभियान के अन्तर्गत कतिपय विभागों की वेबसाइटों का विकास

- दिव्यांगजन आयुक्त कार्यालय, बेसिक शिक्षा, परिवहन, माध्यमिक शिक्षा, मत्स्य, पशुधन, प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत, आबकारी (8) विभागों की वेबसाइटों की भारत सरकार के वित्त पोषण से भारत सरकार से नामित ईआरनेट संस्था द्वारा कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है।
- सूचना एवं जनसम्पक्र, ग्राम्य विकास, कार्यक्रम कार्यान्वयन, अभियोजन निदेशालय, भाषा, सतक्रता, नगर विकास, हथकरघा (8) विभागों की वेबसाइटों को हास्टिंग कर लाइव किया जाना लम्बित है।
- चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सम्पत्ति, संस्कृति (4) विभागों की वेबसाइटों का यूएटी एवं डब्ल्यूक्यूम लम्बित है।
- आवास एवं शहरी नियोजन, राष्ट्रीय एकीकरण (2) विभागों की वेबसाइट का कन्अेन्ट एवं डिजाइन पर अनुमोदन लम्बित है।
- विभिन्न विभागों/उनके अधीन अधिष्ठानों को प्रेषित प्रस्तावों के सापेक्ष सभी विभागों/अधिष्ठानों से प्राप्त कार्यादेशों के विरूद्ध अधिकांश की वेबसाइटें अब तक तैयार कर होस्ट की जा चुकी है। शेष वेबसाइटों के विकास का कार्य प्रगति पर है।
- जिन विभागों/अधिष्ठानों द्वारा अपने वेबसाइटों को जीआईजीडब्ल्यू के अनुरूप नवीनीकृत नहीं कराया गया है उनको प्रस्ताव प्रेषित कर कार्यादेश प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है।

- वेबवसाइटों के विकास कार्य में गति लाने के उद्देश्य से ई-टेन्टर के माध्यम से पुनः संस्थाओं को सूचीबद्ध कर उनके माध्यम से शेष कार्य पूर्ण कराया जा सके।

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन (1076) योजना

- मुख्यमंत्री हेल्पलाइन योजनान्तर्गत राज्य में एक ऐसा इलेक्ट्रानिक प्लेटफार्म स्थापित कर संचालित किया जा रह है जिसमें नागरिकों की शिकायते प्राप्त कर उनक निस्तरण इनके सम्बन्धित विभागों के स्तर से किए जाने की व्यवस्था है।
- शिकायतों के समेकित पंजीकरण एवं निस्तारण के उद्देश्य से राज्य में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की स्थापना एवं संचालन हेतु कॉल सेन्टर एजेन्सी के रूप में मै. नेटवक्र टेकलैब (आई) प्रा. लि. एवं मै. श्योरविन बीपीओ सर्विसेज लि. (कन्शार्सियम) संस्था के साथ दिनांक 16.11.2017 को अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया गया।
- संस्था द्वारा पंचम एवं षष्ठम तल, साइबर टॉवर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ में 500 सीटों के एक इनबाउण्ड-आउटबाउण्ड कॉल सेन्टर की स्थापना उपरान्त दिनांक 1302.2018 से इसका टेस्ट फेज में संचालन प्रारम्भ किया गया। 04 जुलाई, 2019 को मा. मुख्यमंत्री जी द्वारा इसका औपचारिक शुम्भारम्भ किया गया।
- आमजन के लिए टोल-फ्री नम्बर 1076 डायल कर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में अपनी शिकायतें पंजीकृत किये जाने की व्यवस्था है। इसके बैकएण्ड में पूर्व से संचालित इन्टीग्रेटेड ग्रीवेन्स रिड्रेसल सिस्टम (जन सुनवाई पोर्टल) क्रियाशील हैं
- पंजीकृत शिकायतें सर्वप्रथम सम्बन्धित विभाग के लेवल-1 (एल-1) स्तर के अधिकारी को अग्रसारित होने की व्यवस्था है तथा इन शिकायतों के विभाग स्तर से निस्तारण उपरान्त कॉल सेन्टर से शिकायतकर्ता का संतुष्टि होने क फीडबैक प्राप्त करने के उपरान्त ही इन शिकायतें को समाप्त किया जाता है अन्यथा शिकायत पुनः एल-1 तथा आवश्यकतानुसार एल-2, एल-3 एवं एल-4 स्तर के अधिकारियों के पास निस्तारण हेतु प्रस्तुत की जाती है।
- शिकायतकर्ता के असंतुष्ट रहने की अवस्था में एल-2, एल-3 एवं एल-4 स्तर के अधिकारियों के पास शिकायत को विशेष स्थिति में "स्पेशल क्लोज" करने का अधिकार है।
- यह कॉल सेन्टर आमजन के लिए 24x7 उपलब्ध है जोकि मुख्य रूप में 500 सीटों से दो शिफ्टों में प्रातः 7.00 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक तथा आवश्यकतानुसार 20-50 सीटों से रात्रि 11.00 बजे से प्रातः 7.00 बजे तक संचालित किया जा रहा है।
- मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में मा. मुख्यमंत्री जी एवं अन्य अधिकारियों के लिए डैशबोर्ड से सभी विभागों/जनपदों की परफार्मेन्स का मूल्यांकन किये जा सकने का प्राविधान है।
- दिनांक 13.02.2019 से मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के टेस्ट फेज में प्रारम्भ होने से दिनांक 07.02.2020 तक की प्रगति (जिसमें एन.आई.सी. द्वारा अर्काइव्ड सन्दर्भ सम्मिलित नहीं

है) के अनुसार कुल प्राप्त शिकायत 2146798 के सापेक्ष सन्तुष्टिपरक निस्तारित शिकायत 7820700, स्पेशल क्लोज्ड के अन्तर्गत निस्तारित शिकायत 1055007, आंशिक निस्तारित शिकायत 232938, प्रगति अधीन शिकायत 120003 एवं डिफाल्टर श्रेणी के अन्तर्गत शिकायत 18150 रही है।

- मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में 10 शीर्ष डिफॉल्टर शिकायत श्रेणियों तथा 10 शीर्ष डिफॉल्टर विभाग एवं जनपद की पाक्षिक आधार पर सूचना प्रत्येक सप्ताह के अन्त में मुख्य सचिव महोदय को अवलोकन कराने हेतु प्रशासनिक विभाग के माध्यम से उपलब्ध कराने की व्यवस्था है।
- मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में 20 विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव को पृथक-पृथक इनके विभाग से सम्बन्धित प्राप्त शिकायतों का स्टेटस एवं सर्वाधिक शिकायत वाले 10 जनपदों की सूचना अनुश्रवण हेतु साप्ताहिक रूप में उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है।
- जनपद स्तरीय कार्यालय वाले ऐसे तीन विभाग, जिनसे सम्बन्धित शिकायतों के निस्तारण हेतु इनके लेवल-1 (एल-1) के अधिकारियों के ध्यानाकर्षण किए जाने की आवश्यकता है, का उल्लेख करते हुए ऐसे शीर्ष 10 जनपदों के जिलाधिकारियों को अनुश्रवण हेतु प्रत्येक सप्ताह पत्र के माध्यम से उपल्ध कराये जाने की व्यवस्था है।
- 10 शीर्ष विभागों, जिनकी "स्पेशल क्लोज" के अन्तर्गत निस्तारित शिकायातों की संख्या सर्वाधिक है, को इनकी सार्थकता की पुष्टि कर लेने के ध्येय से पत्र के माध्यम से आग्रह किये जाने की कार्यवाही प्रचलन में है।
- सीएम हेल्पलाइन-176 पर प्राप्त शिकायतों के सापेक्ष शीर्ष 10 शिकायत श्रेणियों को चिन्हित कर शिकायत श्रेणीवार शीर्ष 05 जनपदों एवं उनमें से सर्वाधिक डिफाल्ट प्रतिशत वाले जनपद के लेवल-1 (एल-1) अधिकारियों की सूचना/रिपोर्ट उपलब्ध कराने की व्यवस्था है।

यू.पी. स्टेट वाइड एरिया नेटवक्र (यूपीस्वान-20)

- भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित नेशनल ई-गर्वनेन्स एक्शन प्लान के अन्तर्गत प्रदेश में स्टेट वाइड एरिया नेटवक्र (स्वान) योजना में 885 पी.ओ.पी. (प्वाइन्ट आफ प्रिजेन्स) केन्द्र (राज्य स्तरीय-1, जनपद स्तरीय 70, तहसील स्तरीय 240 तथा विकास खण्ड स्तरीय 574) स्थापित किये गये थे। योजना की अवधि जनवरी, 2010 (आपरेशनल होने की तिथि) से जनवरी, 2015 तक थी जिसके लिए एनआईसी को स्टेट लेविल एजेन्सी नामित किया गया था।
- उ.प्र. स्टेट वाईड एरिया नेटवक्र योजना की समीक्षा एवं री-स्ट्रक्चरिंग हेतु मुख्य सचिव उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न विभिन्न बैठकों के क्रम में दिनांक07.08.2018 की

अन्तिम बैठक में इस योजना को क्रियान्वित करने हेतु राज्य के कतिपय प्रशासनिक विभागों के उच्चाधिकारियों के साथ काफी विस्तार से चर्चा हुई और इस चर्चा में इस योजना को सेवा माडल पर चलाने हेतु मत स्थिर किया गया।

- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में दिनांक 07.08.2018 को सम्पन्न बैठक में यूपीस्वान-2 के अन्तर्गत जनपद स्तर से लेकर ब्लकस्तर तक के कार्यालय को एमपीएलएस टेक्नोलाजी आधारित 10 एमबीपीएस बैण्डविड्थ कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सिस्टम इन्टीग्रेटर (एस.आई.) को सेवा माडल (जिसमें एक ही संस्था उत्तरदायी हो) पर चयन हेतु (जिसमें ओपेक्स मॉडल पर एमपीएलएस सिस्टम के तहत सर्विस लेविल एग्रीमेंट पर राज्य मुख्यालय पॉप पर 5 जीबीपीएस एवं शेष 884 पॉप्स पर 10 एमबीपीएस की बैण्डविड्थ, समस्त स्वान पॉप्स पर हार्डवेयर, अन्य सहवर्ती उपकरणों एवं आवश्यक जनशक्ति आदि हेतु एक ही संस्था उत्तरदायी रहेगी) निर्णय हुआ।

लोक सभा चुनाव-**2019** की वेबकास्टिंग

- उत्तर प्रदेश में लोक सभा चुनाव-2019 की संसदीय क्षेत्रवार वेबकास्टिंग का कार्य किया गया।
- भूजल उपभोक्ताओं के पंजीकरण तथा अनापत्ति प्रमाण-पत्र के लिए वेबपोर्टल का विकास
- भूगर्भ जल प्रबन्धन एंव नियमन बिल-2019 में भूजल उपभोक्ताओं के पंजीकरण तथा अनापत्ति प्रमाण-पत्र के लिए वेबपोर्टल के विकास का कार्य किया गया।

दैनिक अनुश्रवण प्रणाली

- मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण हेतु मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत प्रदेश के लगभग 1,62,000 आच्छादित प्राइमरी, अपर प्राइमरी एवं मदरसा स्कूलों में प्रतिदिन मध्यान्ह भोजन प्राप्त कर रहे छात्रों की संख्या ज्ञात कर तत्सम्बन्धी अनुश्रवण हेतु इन्टरैकटिव वायस रेसपोन्स सिस्टम (आईवीआरएस) बेस्ड वैब एप्लीकेशन 'दैनिक अनुश्रवण प्रणाली' का विकास कर उसके संचालन की सेवायें यूपीडेस्को द्वारा प्रदान करायी जा रही है।
- आँकड़ों की उपलब्धता के आधार पर अवधिवार यथा साप्ताहिक, पाक्षिक एवं मासिक रूप में लाभान्वित छात्रों की एमआईएस रिपोर्ट्स विकसित कर वेबसाइट पर विभाग के उपयोग हेतु उपलब्ध कराये जा रहे है।
- इसके अतिरिक्त उन स्कूलों की सूची, जहाँ भोजन वितरित नहीं हुआ, की सूचना भी वेबसाइट पर उपलब्ध होती है जिसका मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण द्वारा भोजन नही बनने के कारणों का संज्ञान लेकर भोजन वितरण को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी उपयोग किया जा रहा है।
- उत्तर प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य है जहाँ इस योजना का संचालन प्रारम्भ किया गया एवं भारत सरकार द्वारा इसकी सराहना की गई है।

- इस प्रणाली में इन्टरैकटिव वायस रेसपोन्स सिस्टम (आईवीआरएस) आदि का उपयोग कर डेली मील काउन्ट का डाटा प्राप्त करने एवं तत्सम्बन्धी अनुश्रवण का कार्य किया जा रहा है।
- इस प्रणाली के अन्तर्गत क्लाउड बेस्ड वेब फ्रेमवक्र "प्रेरणा" ऐप क विकास कराया गया है जिसमें विभिन्न माडयूल्स यथा उपस्थिति (अध्यापकों एवं छात्र-छात्राओं की संख्या एवं फोटो), मिड-डे-मी (मील ग्रहण करने वाले बच्चों की संख्या एवं फोटो) एवं कायाकल्प (स्कूल में विभिन्न कार्यों से सम्बन्धनित) का संचालन मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ.प्र. के आदेश पर वर्ष 2019-20 में प्रारम्भ किया गया है।

वूमेन पावर लाइन-**1090**

- प्रदेश की महिलाओं को समाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से वूमेन पावर लाइन-1090 की सेवाओं के लिये उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा एस.पी.आई. मॉडल पर आधारित "संवेदन" साल्यूशन को पोर्टल डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू1090यूपी.इन के रूप में यूपीडेस्को के माध्यम से संचालित कराया जा रहा है। विभाग द्वारा मा. मुख्यमंत्री जी, उ. प्र. के कर कमलों से दिनांक 15.11.2012 को वूमेन पॉवर लाइन पोर्टल का लोकार्पण किया गया था जो कि निरन्तर कार्यशील है।
- वूमेन पावर लाइन-1090 के लिये प्रदान की जा रही सेवाओं के अन्तर्गत टौल फ्री नम्बर 1090 पर महिलाओं के लिये 24x7 हैल्पलाइन संचालित है जिस पर कोई भी महिला, जो किसी भी प्रकार के उत्पीड़न का शिकार हो, प्रदेश के किसी भी स्थान से डायल कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। इसमें शिकायतकार्त की पहचान को गोपनीय रखा जाता है तथा उसे पुलिस थाना/सहायता केन्द्र पर आने की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
- पीड़ित महिला द्वारा जिसके विरूद्ध शिकायत दर्ज की जाती है ऐसे व्यक्तियों को पुलिस विभाग की वूमने पावर लाइन-1090 में कार्यरत पुलिस कर्मियों द्वारा काउन्सलिंग कर प्रारम्भ में समझाया एवं सचेत किया जाता है एवं तदोपरान्त आवयकतानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जाती है।
- वूमेन पावर लाइन-1090 के सुदृढ़ीकरण कार्य के अन्तर्गत इसकी कैपेसिटी का विस्तार एवं इसका यूपी 112 से इन्टीग्रेशन किया जाना प्रस्तावित हैं

प्रदेश में उचित दर दुकानों में ई-पोंस मशीनों की स्थापना

- प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों की लगभग 13000 उचित दर दुकानों में ई-पोंस मशीन लगाये जाने का कार्य खाद्य एवं रसद विभाग/आयुक्त कार्यालय से यूपीडेस्को को आवंटित हुआ। यूपीडेस्को को इस कार्य हेतु नोडल संस्था बनाया गया है। आवंटित कार्य में यथावांछित कार्यवाही के अन्तर्गत यूपीडेस्को द्वारा सिस्टम इन्टीग्रेटर के रूप में खुली ई-निविदा से फेयर प्राइस शाप में आटोमेशन हेतु मेसर्स ओएसिस साइबरनेटिक्स प्रा. लि., चेन्नई, मे. लिंकवेल

टेलीसिस्टम्स प्रा. लि., हैदराबाद तथा इनटेग्रा मैक्रोसिस्टमस् प्रा. लि., बंगलरू के साथ अनुबन्ध निष्पादित करते हुए कार्य सम्पादित कराया जा चुका है।

- उक्त के उपरान्त प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की लगभग 67000 उचित दर दुकानों में ई-पोंस मशीन लगाये जाने का कार्य खाद्य एवं रसद विभाग/आयुक्त कार्यालय से यूपीडेस्को को पुनः आवंटित हुआ। आवंटित कार्य में यथावांछित कार्यवाही के अन्तर्गत यूपीडेस्को द्वारा सिस्टम इन्टीग्रेटर के रूप में खुली ई-निविदा से फेयर प्राइस शाप में आटोमेशन हेतु मेसर्स ओएसिस साइबरनेटिक्स प्रा. लि., चेन्नई तथा मै. आर्मी इन्फोटेक प्रा. लि. अहमदाबाद के साथ अनुबन्ध निष्पादित करते हुए कार्य सम्पादित कराया जा चुका है।
- उक्त कार्य के सुचारू सम्पादन हेतु यूपीडेस्को द्वारा उक्त परियोजना में प्राप्त सेन्टेज में से मैं. अर्नेस्ट एण्ड यंग एलएलपी कन्सलटेंट की सेवायें ली जा रही है।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत राज्य भर में (ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों को मिलाकर) उक्त प्रतिपादित व्यवस्था द्वारा लगभग 80000 उचित दर की दुकानों पर लगभग 8 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न को प्रदेश के लगभग 14.32 करोड़ लाभार्थियों में ई-पोंस मशीनों के माध्यम से प्रति माह वितरण कराया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश के विभागीय कार्यों हेतु कन्सल्टेन्ट

- नियोजन विभाग, उ.प्र. शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 25 सितम्बर, 2018 के माध्यम से 21 प्रकार की विशिष्टयों के कन्सटेन्टस की मासिक दरों के निर्धारण के अनुसार कन्सटिंग जनशक्ति विभागों को उनकी मांग पर उपलबध करायी जा रही है।
- उक्त शासनादेश के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों/अधिष्ठानों यथा आबकारी विभाग, सचिवालय प्रशासन, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण इत्यादि हेतु विभिन्न विशिष्टयों के कन्सल्टेन्टस् की सेवायें उपलब्ध करायी जा रही है।

जनशक्ति सम्बन्धी

- मुख्य सचिव कार्यालय, कृषि उत्पादन आयुक्त कार्यालय, गृह विभाग, नियुक्ति विभाग, नियोजना विभाग, आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग आदि में पूर्णकालिक रूप से तकीकी एवं अन्य जनशक्ति को सम्बद्ध कर सेवायें उपलब्ध करायी जा रही है।
- खाद्य एवं रसद आयुक्त कार्यालय (खाद्य एवं रसद), महिला कल्याण निदेशालय (महिला कल्याण), यूपीनेडा (वैकल्पिक ऊर्जा), सर्वोच्च न्यायालय (न्याय), कारागार महानिदेशालय (कारागार),समग्र शिक्षा (बेसिक शिक्षा), व्यवसायिक शिक्षा परिषद् (व्यवसायिक शिक्षा), आवास एवं विकास परिषद् (आवास), मनोरंजन कर, उ.प्र. निर्यात प्रोत्साहन बोर्ड (लघु उद्योग), ई-आफिस (सचिवालय प्रशासन), राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायती राज), पर्यटन महानिदेशालय (पर्यटन), अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (कार्मिक), अग्नि शमन निदेशालय (नागरिक सुरक्षा), उ.प्र. कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् (कृषि), राज्य सहकारी निर्वाचन

आयोग (सहकारिता), भूमि सुधार निगम (परती विकास एवं जल संसाधन), कौशल विकास मिशन (उ.प्र. कौशल विकास), आर्थिक बोध एंव संख्या प्रभाग (नियोजन विभाग) आदि में आउटसोर्सिंग के आधार पर जनशक्ति की आपूर्ति/सेवायें प्रदान की गयी/जा रही है।

3. सेण्टर फॉर ई-गवर्नेन्स (सी.ई.जी.), उत्तर प्रदेश

अपट्रान बिल्डिंग, गोमती नगर, लखनऊ

नेशनल ई-गवर्नेन्स एक्शन प्लान के अन्तर्गत ई-गवर्नेन्स योजनाओं के प्रबन्धन, स्टेट ई-मिशन टीम तथा अन्य सूचना प्रौद्योगिकी संस्थाओं को सहायता प्रदान करने के लिये प्रदेश के सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के अधीन सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अन्तर्गत एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में 07 मार्च 2006 से सेंटर फॉर ई-गवर्नेन्स, उ0प्र0 कार्यरत है, जो सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेन्स से सम्बन्धित कार्यों/योजनाओं को सम्पादित करता है।

उद्देश्य एवं विस्तार

(अ) सीईजी सरकारी विभागों एवं निजी संस्थाओं के साथ ई-गवर्नेन्स के विकास के लिये कार्य करेगा।

(ब) सीईजी सरकार की ई-गवर्नेन्स योजनाओं के लिये मिनी सचिवालय का कार्य करेगा।

(स) सीईजी सभी सरकारी विभागों को ई-गवर्नेन्स के विकास में सहायता प्रदान करेगा।

(द) सीईजी ई-गवर्नेन्स की पहल के लिये समस्त आधारभूत कार्य करेगा।

(य) सीईजी प्रौद्योगिकी के समस्त प्रदर्शन आदि तथा नई तकनीकी के परीक्षण के स्थल की भूमिका निभाएगा।

(र) सीईजी वैश्विक स्तर के उपाय करेगा जिससे राज्य में ई-गवर्नेन्स कुशलसे कुशलतर हो सके इसके लिये सीईजी की ई-गवर्नेन्स में थिंक टैंक की भूमिका होगी।

(ल) सीईजी ई-गवर्नेन्स के कारगर प्रयोग के लिये एक नॉलिज बैंक की स्थापना करेगा जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी की सर्वोत्तम विधाओं को रखा जायेगा, जिसका अनुकरण किया जा सके।

विशेष कार्य क्षेत्र

(अ) सीईजी परीक्षण एवं प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन का मार्ग प्रशस्त करेगा तथा कार्यक्रम स्तर पर आवश्यक साधन-सहायता जुटाएगा।

(ब) नागरिकों तथा विभिन्न प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित सरकारी विभागों के बीच सामंजस्य स्थापित करेगा तथा राज्य सरकार के सचिवालय के रूप में एक स्थाई परमर्शदाता की भाँति अन्य संस्थाओं को ई-गवेर्नेन्स सम्बन्धी जरूरी सूचनायें देगा।

(स) विभिन्न प्रौद्योगिकी योजनाओं में टकराव न हो और एक ही कार्य कोअन्य संगठनों द्वारा दोहराया न जाये, सीईजी इस पर भी दृष्टि रखेगा।

(द) सरकार के लिये एक समर्पित एवं कृतसंकल्पनीय ई-गवर्नेन्स टीम तैयार करेगा।

(य) ई-गवर्नेन्स के सर्वश्रेष्ठ पहलुओं को उजागर करेगा एवं ई-गवर्नेन्स के प्रति जागरूकता का प्रचार-प्रसार करेगा।

(र) प्रस्तुतिकरणों द्वारा ई-गवर्नेन्स की उपयोगिता को जनमानस में स्थापित करेगा एवं ई-गवर्नेन्स में होने वाले परिवर्तनों से सरकार को अवगत करायेगा।

(ल) देश तथा विदेशों के ई-गवर्नेन्स के विशेषज्ञों के साथ समन्वय स्थापित करेगा तथा निर्दिष्ट ई-गवर्नेन्स की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये उपाय करेगा।

सेन्टर फॉर ई-गवर्नेन्स की भूमिका

सेन्टर निम्नलिखित कार्य करेगा-

- राज्य के सभी प्रशिक्षण संस्थानों की उनकी गुणवत्ता बढ़ाने में सहायता।
- अन्य संस्थानों के विशेषज्ञ प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना।
- ई-गवर्नेन्स के क्षेत्र में सभी सरकारी विभागों को सहायता एवं सपोर्ट प्रदान करना।

सेन्टर फॉर ई-गवर्नेन्स, उ.प्र. द्वारा संचालित योजनाएं

सेन्टर द्वारा अब तक प्रदेश में भारत सरकार द्वारा ई-गवर्नेन्स सम्बन्धी शतप्रतिशत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए.सी.ए.) पोषित नेशनल ई-गवर्नेन्स एक्शन प्लान के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं को सम्पादित किया जा रहा था, परन्तु वित्तीय वर्ष 2015-16 में भारत सरकार द्वारा डी-लिंक करते हुये एन.ई.जी.ए.पी. योजना राज्य सरकारों के लिये आप्शनल कर दी गयी है। राज्य में ई-गवर्नेन्स के महत्व के दृष्टिगत वर्तमान में, प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा ई-गवर्नेन्स सम्बन्धी विभिन्न योजनाओं को उत्तर प्रदेश ई-गवर्नेन्स एक्शन प्लान के अन्तर्गत सम्पादित किया जा रहा है तथा तत्सम्बन्धी व्ययभार स्वयं वहन किया जा रहा है।

4. यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड

1. निगम के उद्देश्य

यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीएलसी) उत्तर प्रदेश शासन के सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के अन्तर्गत कार्यरत निगम है। निगम की स्थापना उत्तर प्रदेश राज्य में इलेक्ट्रानिक्स उद्योगों के उनयन, विकास एवं प्रोत्साहन के उद्देश्य से की गई थी। निगम का रजिस्ट्रेशन दिनांक 30 मार्च, 1974 को "दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन ऑफ यूपी लिमिटेड" (पिकप) की एक सहायक कम्पनी के रूप में हुआ था। निगम के कर्यके महत्व को देखते हुए जुलाई, 1976 में पिकप से पृथक करके इसे भारतीय कम्पनी अधिनियम-1956 के अन्तर्गत एक स्वतन्त्र कम्पनी का रूप दिया गया।

निगम की स्थापना के पश्चात, उसकी उत्प्रेरक भूमिका के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश राज्य राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक्स उत्पादन में लगभग 20 प्रतिशत योगदान सहित भारत के सर्वाधिक इलेक्ट्रनिक्स उत्पादक राज्यों में से एक के रूप में उभरा। इलेक्ट्रनिक्स उद्योग के क्षेत्र में तीव्र विकास के फलस्वरूप

वर्ष 1988, 1989 तथा 1991 में उत्तर प्रदेश को देश के शीर्षस्थ इलेक्ट्रनिक्स उत्पादक राज्य बनने का गौरव प्राप्त हुआ था। यूपी इलेक्ट्रनिक्स निगम कम्प्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग से काफी पहले से जुड़ा रहा है तथा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में निगम ने इस उद्योग को अपने कार्यक्षेत्र में मुख्य रूप से सम्मिलित किया है।

2. निगम के अन्तर्गत वर्ष 2019-20 में चालू एवं वर्तमान योजनाओं एवं कार्यकलापों का संक्षिप्त विवरण

(क) उत्तर प्रदेश के शासकीय विभागों में ई-प्रोक्योरमेण्ट प्रणाली का क्रियान्वयन

नेशनल ई-गवर्नेन्स प्लान के अन्तर्गत चिन्हित विभिन्न मिशन मोड परियोजनाओं में से ई-प्रोक्योरमेण्ट एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। उत्तर प्रदेश में ई-टेण्डरिंग के क्रियान्वयन हेतु शासन द्वारा यूपीएलसी को नोडल एजेन्सी नामित किया गया था। उ0प्र0 के 5 विभागों में दिनांक 01 जून, 2008 से पायलट परियोजना के रूप में ई-टेण्डरिंग प्रणाली लागू की गयी थी। वर्तमान सरकार के गठन उपरान्त, पारदर्शी और स्वच्छ प्रशासन तथा शासकीय विभागों में निर्माण कार्यों, सेवाओं/जॉब-वक्र एवं सामग्री के क्रय में प्रतिस्पर्द्धा सुनिश्चित कराये जाने हेतु दिनांक 01 सितम्बर 2017 के उपरान्त समस्त सभी विभागों/कार्यालयों इत्यादि द्वारा सभी शासकीय निविदायें ई-टेण्डरिंग प्रणाली से ही आमंत्रित किया जाना बाध्यकारी कर दिया गया है। ई-टेण्डरिंग प्रणाली लागू किये जाने के पश्चात् वित्तीय वर्ष 2017-18 में रू. 1.95 लाख करोड़ मूल्य की 1,87,875 निविदायें तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 में रू. 1.78 लाख करोड़ मूल्य की 2,32,688 निविदायें आमंत्रित की गई थी। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 में अद्यतन रू. 0. 87 लाख करोड़ मूल्य की 1,33,579 निविदायें आमंत्रित की गई है।

प्रदेश में ई-टेण्डरिंग प्रणाली के अन्तर्गत निविदा शुल्क तथा धरोहर धनराशि (ई.एम.डी.) की प्राप्ति और भुगतान इन्टरनेट बैंकिंग/एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस. से किये जाने की व्यवस्था लागू की गई है तथा सभी ई-निविदाओं में निविदा शुल्क तथा धरोहर धनराशि के भुगतान एवं वापसी हेतु ऑनलाइन प्राक्रिया का ही उपयोग किया जाना आवश्यक है।

अप्रैल 2017 से मार्च 2018 के मध्य इलेक्ट्रानिक टेण्डरिंग करने वाली प्रदेश सरकारों में से उत्तर प्रदेश सरकार को सर्वोत्तम परफार्मेन्स के लिए 'बेस्ट परफारमेन्स अवार्ड' से पुरस्कृत किया गया है।

(ख) आईटी/आईटीएस उद्योगों तथा स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा देने के लिये "उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति" तथा इलेक्ट्रनिक्स उद्योग हेतु "उ0प्र0 इलेक्ट्रनिक्स विनिर्माण नीति"

वर्तमान प्रदेश सरकार के गठन के उपरान्त "उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति-2017" तथा "उ0प्र0 इलेक्ट्रनिक्स विनिर्माण नीति-2017" बनाई गई है। उ0प्र0 सूचना

प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति-2017 के अन्तर्गत "बुन्देलखण्ड तथा पूर्वान्चल क्षेत्र में बी.पी.ओ. तथा आईटी/आईटी एस इकाइयों की स्थापना हेतु अतिरिक्त प्रोत्साहन" की व्यवस्था की गई है। उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017 के अन्तर्गत नोयडा, ग्रेटर नोयडा तथा यमुना एक्सप्रेसव औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र को "इलेक्ट्रानिक्स मैन्युैक्चरिंग जोन (ई.एम.जेड.)" घोषित किया गया है। नीति के अन्तर्गत निवेशकों को अनुमन्य किए जाने वाले "वित्तीय प्रोत्साहानों को रोजगार सृजन से सम्बद्ध" किया गया है।

"उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति-2017" में निहित व्यवस्थानुसार उक्त नीति के क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं प्रदेश में उद्यमियों तथा सूचना प्रौद्योगिकी इकाईयों को प्रभावी सहायता के लिए एक नीति कार्यान्वयन इकाई (पी0आई0यू0) गठित है, जिसके कन्सल्टेण्ट्स यूपीएलसी में कार्यरत है।

सभी क्षेत्रों के उद्योगों के लिए एक्यूबेटस् एवं स्टार्ट-अप इकाईयों हेतु एक स्वतंत्र स्टार्ट-अप नीति बनाई जा रही है जो सक्षम स्तर के अनुमोदन उपरान्त शीघ्र ही उद्घोषित कर दी जायेगी।

ऑटोमोबाइल, दूरसंचार, सौर ऊर्जा इत्यादि क्षेत्रों पर विशेष ध्यान सहित, सम्पूर्ण राज्य में इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण के विस्तार के उद्देश्य से पूर्व प्रख्यापित "उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति 2017" का संशोधन/पुनरीक्षण विचाराधीन है।

(ग) आईटी सिटी योजना का क्रियान्वयन

निगम द्वारा लखनऊ में एक सूचना प्रौद्योगिकी नगर की स्थापना कराई जा रही है। यह परियोजना पीपीपी मॉडल पर विकसित की जा रही है तथा मैसर्स एचसीएल आईटी सिटी (लखनऊ) प्रा. लि. इस परियोजना के निजी भागीदार है। परियोजना पर लगभग रू0 1500 करोड़ का पूँजी निवेश अनुमानित है। वर्तमान में इसका निर्माण कार्य तीव्र गति से चल रह है तथा परियोजना में निवेशकर्ता द्वारा अद्यतन रू. 485 करोड़ का निवेश किया जा चुका है।

परियोजना को भारत सरकार द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया है और यहाप पर स्थापित होने वली इकाईयों को भारत सरकार की एस.ई.जेड. योजना के सभी लाभ और प्रोत्साहन प्राप्त कर लेंगे। प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को सूचना प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित आधुनिकतम प्रशिक्षण के लिए इस आईटी सिटी में 10 एकड़ क्षेत्र में एक कौशल विकास केन्द्र की स्थापना की गई है जिसके द्वारा छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। वर्तमान में आईटी सिटी में 4000 सॉफ्टवेयरकर्मी/विकासकर्ता कार्यरत है।

(घ) प्रदेश में आई0टी0 पार्क्स की स्थापना

उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में भारत सरकार की संस्था सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इण्डिया के सहयोग से लगभग रू. 150 करोड़ के निवेश तथा लगभग 15000 रोजगार सम्भावनाओं युक्त आईटी पार्क्स की स्थापना मेरठ, आगरा, गोरखपुर, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ तथा बरेली

में की जा रही है।

मेरठ में निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो गया है तथा विद्युतीकरण एवं साज-सज्जा आदि का कार्य कराया जाना है। आगरा में निर्माण कार्य शीघ्र ही पूर्ण होने की प्रत्याशा है। गोरखपुर में भूमि की चहारदीवारी का निर्माण कार्य पूर्ण कर मुख्य भवन का लगभग 30 प्रतिशत निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

लखनऊ में एक आईटी पाक्र और देश के सबसे बड़े इन्क्यूबेटर की स्थापना की जायेगी। इस हेतु लगभग 40 एकड़ भूमि क्रय कर उसकी रजिस्ट्री करा ली गई है तथा बाउण्ड्री-वाल बनाने का कार्य प्रगति पर है।

वाराणसी में आईटी पार्क की स्थापना हेतु वाराणसी विकास प्राधिकरण से निर्मित परिसर प्राप्त किया गया है, जिसकी रजिस्ट्री कराये जाने का कार्य प्रक्रियान्तर्गत है। कानपुर में आईटी पाक्र हेतु भूमि का मूल्य भुगतान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उ0प्र0 को कर दिया गया है एवं एस. टी.पी.आई के साथ समझौता-ज्ञापन हस्ताक्षरित हो गया है।

(च) इन्क्यूबेटर्स एवं स्टार्ट-अप इकाईयों की स्थापना

प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक जनपद में इन्क्यूबेटर की स्थापना को बढ़ावा दिया जा रह है, जिससे स्थानीय युवा अपना स्व-रोजगार स्थापित कर सके। प्रदेश सरकार द्वारा इन्क्यूबेटर्स एवं स्टार्ट-अप इकाईयों के प्रोत्साहन हेतु एक स्वतंत्र स्टार्ट-अप नीति घोषित किये जाने पर भी सक्रियता से विचार किया जा रहा है।

स्टार्ट-अप संस्कृति को बढ़ावा तथा उद्यमिता को प्रोत्साहन के लिए 27 इक्यूबेटर्स उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अनुमोदन के उपरान्त कार्यरत हो गये है। वर्तमान में प्रदेश में 1400 से अधिक स्टार्ट-अप इकाईयां कार्यतर हैं तथा इनकी संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। प्रदेश के सभी मण्डलों में इन्क्यूबेटर्स की स्थापना प्रस्तावित है।

सरकार द्वारा स्टार्ट-अप संस्कृति के सृजन तथा प्रदेश के युवाओं में नवप्रवर्तन तथा उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु दिनांक 14 सितम्बर 2019 को इन्दिरा गाँधी प्रतिष्ठान, लखनऊ में एक-दिवसीय "उ0प्र0 स्टाट-अप कॉन्क्लेव-2019" का आयोजन किया गय जिसमें लगभग 1000 स्टार्ट-अप्स द्वारा प्रतिभाग किया गया। आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा आगामी04से 06 मार्च 2020 तक 'एग्री स्टार्ट-अप कॉन्क्लेव' का भी आयोजन किया जाना प्रस्तावित है।

स्टार्ट-अप नीति के तहत उल्लेखनीय कार्य-प्रदर्शन के लिए भारत सरकार के औद्योगिक नीति एवं सवंर्द्धन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग को स्टार्ट-अप रैकिंग 2018 के अन्तर्गत 'एस्पायरिंग लीडर' के रूप में सम्मानित किया गया है।

(छ) इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लसटर्स (ई.एम.सी.) की स्थापना

चीन, ताइवान तथा कोरिया की अनेक कम्पनियां उत्तर प्रदेश में अपनी इकाईयां स्थापित करने

के लिये आकृष्ट हो रही है तथा प्रदेश में इलेक्ट्रानिक निर्माण इकाईयों को आकर्षित करने और इलेक्ट्रानिक्स निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स की स्थापना की जा रही है।

मेसर्स ओप्पो मोबाइल्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वर्तमान में ताईवान इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रानिक्स मैन्यूफैक्चरर्स एसोसियेशन (टीमा) के साथ मिलकर ईकोटेक-6, ग्रेटर नोयडा के 100 एकड़ क्षेत्र में एक इलेक्ट्रानिक्स मैन्यूफैक्चरिंग क्लस्टर (ई.एम.सी.) विकसित किया जा रहा है जिसका उद्घाटन मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 25 जनवरी 2019 को किया गया है। आगामी 5 से 10 वर्षों में लगभग रू. 3000 करोड़ के निवेश वाली इस परियोजना से लगभग 25,000 से 30,000 व्यक्तियों हेतु प्रत्यक्ष एवं लगभग 100,000 व्यक्तियों हेतु अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के भूखण्ड संख्या 6ए सेक्टर 24, यमुनाएक्सप्रेसवे पर मेसर्स वीवो मोबाइल्स इण्डिया प्रा0लि0 द्वारा इलेक्ट्रानिक्स मैन्युक्चरिंग क्लस्टर (ई.एम.सी.) की स्थापना क प्रस्ताव किया गया है। इस सम्बन में निवेशक तथा प्रदेश शासन के बीच एक समझौता-ज्ञापन को अन्तमीकृत किया जा रहा है।

ई.एम.सी. के अतिरिक्त मेसर्स ओप्पो मोबाइल्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अपनी एक स्वतन्त्र उत्पादन इकाई भी स्थापित की जा रही है, जिसमे 10 वर्षों में, दो चरणों में रू. 2000 करोड़ का निवेश किया जायेगा और उससे लगभग 60,000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त होगा। इनके अतिरिक्तअनेक अन्य देशी-विदेशी कम्पनियों द्वारा भी वृहद स्तर पर निवेश कर अपनी इकाइयाँ स्थापित की जा रही है।

राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 2500 एकड़ से अधिक क्षेत्र में इलेक्ट्रानिक सिटी की स्थापना विचाराधीन है।

(ज) शासकीय कार्यालयों में ई-ऑफिस प्रणाली का कार्यान्वयन

सचिवालय परिसर स्थित शासकीय विभागों में ई-आफिस प्रणाली कार्यान्वित किए जाने के पश्चात् सचिवालय से सम्बद्ध विभागोध्यक्षों कार्यालयों तथा सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश स्थित जनपद स्तरीय कार्यालयों में भी ई-ऑफिस प्रणाली लागू की जा रही है। यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा इस कार्य हेतु नामित नोडल संस्था है।

उक्त कार्य हेतु निगम द्वारा मण्डल/जनपद स्तर के शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों को ई-आफिस प्रणाली के प्रशिक्षण हेतु जनपदों पर मास्टर ट्रेनर्स तैनात किये गये तथा मुख्यालय स्तर पर भी एक कम्प्यूटर लैब स्थापित की गई जहाँ पर जनपदीय कार्यालयों द्वारा नामित मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया। पूरे प्रदेश के निदेशालयों, जनपदों, विभागों तथा सार्वजनिक उपक्रमों के 40,000 से अधिक कार्मिकों को ई-ऑफिस प्रणाली का प्रशिक्षण पूर्ण किया गया तथा

100 से अधिक कार्मिकों को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया गया।

3. अनुसूचित जाति/जनजाति तथा पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, विकलांगों, भूतपूर्व स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों एवं अन्य विशेष वर्ग के लोगों के लिये किये गये/ किये जा रहे कार्यों का विवरण

यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 में उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड लखनऊ के कार्यादेश के अनुपालन में कौशल वृद्धि कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के 2000 शिक्षित बेरोजगर प्रशिक्षणार्थियों को 600 घण्टें का एक कम्प्यूटर प्रशिक्षण एवं वित्तीय वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में उत्तर प्रदेश महिला निगम लिमिटेड, लखनऊ द्वारा प्रायोजित विकास खण्ड स्तर पर 230 घ्ण्टे का आधरभूत कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजनान्तर्गत लगभग 12300 चयनित महिला लाभार्थियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान किय गया, ताक उक्त प्रशिक्षणार्थी स्वरोजगार अथवा रोजगार कार्यालय में पंजीयन कराये जाने के सापेक्ष रोजगार प्राप्त किया जा सके। उक्त के अतिरिक्त पूर्व में शासकीय विभागों के निर्देशानुसार 286 अल्पसंख्यक प्रशिक्षणार्थियों को 06 माह का कम्प्यूटर प्रशिक्षण एवं 387 भूतपूर्व सैनिक आश्रितों को 480 घण्टे का "ओ लेविल" समकक्ष कम्प्यूटर प्रशिक्षण निगम द्वारा प्रदान किया गया।

4. नयी योजनायें

लखनऊ में प्रदेश का सबसे बड़ा इन्क्यूबेटर

प्रदेश सरकार के लोक कल्याण संकल्प पंत्र-2017 में निहित संकल्प के अनुरूप, देश का सबसे बड़ा स्टार्ट अप इन्क्यूबेटर राज्य में स्थापित किया जाएगा। यह इन्क्यूबेटर लखनऊ में अमौसी एयरपोर्ट के समीप क्रय की गई 40 एकड़ भूमि में से 05 एकड़ भूमि पर तेलंगाना राज्य के टी-हब की भाँति विकसित किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु लगभग 40 एकड़ भूमि क्रय कर उसकी रजिस्ट्री करा ली गई है। तथा बाउण्ड्री-वाल बनाने का कार्य प्रगति पर है। स्टार्ट-अप इन्क्यूबेटर के अतिरिक्त उक्त भूमि पर एक आई.टी. पाक्र, स्टेट डाटा सेन्टर, सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स, स्टेट इन्नोवेशन सेन्टर तथा आईटी भवन का निर्माण भी प्रस्तावित है।

ई-सुविधा, उत्तर प्रदेश

ई-सुविधा परियोजना क संक्षिप्त परिचय एवं ई-सुविधा, लखनऊ एवं राज्य के अन्य जनपदों की अद्यतन स्थिति

- ई-सुविधा परियोजना, राज्य के प्रत्येक जनपद के नागरिकोंको विभिन्न सरकारी विभागों की शासकीय (जी2सी) एवं प्राईवेट संस्थाओं की व्यवसायकि सेवाओं (बी2सी) को ई-सुविधा केन्द्रों की 'एकल खिड़की' प्रणाली पर उपलब्ध कराने के उद्देय से परिकल्पित है। वर्तमान

में यह व्यवस्था इन्टरनेट एवं ऑन-लाईन इन्टरनेट के माध्यम से ई-सुविधा केन्द्रों पर संचालित है एवं भविष्य में समस्त सेवाओं को इन्टरनेट के माध्यम से नागरिकों को उनके आवासों/घरों पर भी उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

- राज्य एवं केन्द्र सरकार के विभिन्न सरकारी विभागों, अर्द्धसरकारी, संस्थागत विभागों, अधिकृत संस्थाओं, स्ववित्तपोषी इकाईयों, निगमों एवं निकायों की चयनित एवं एकीकृत सूचनाओं सम्बन्धित जानकारी तथा बिलों के निस्तारण एवं भुगतान की शासकीय (जी2सी) एवं प्राईवेट संस्थाओं की व्यवसायिक सेवाओं (बी2सी) को सूचना-प्रौद्योगिकी के माध्यम से कम्प्यूट्रीकृत कर जन साधारण को उनके आवास एवं कार्यक्षेत्र के सन्निकट, उस क्षेत्र के परिचित केन्द्र बिन्दु पर स्थापित सुव्यवस्थित एवं सुसृजित ई-सुविधा केन्द्र के सभी काउण्टर्स पर 'एकल खिड़की समस्त सुविधाएं' प्रणाली पर उपलब्ध कराया गया है। ये केन्द्र, विभिन्न आवाससीय कॉलोनी एवं कार्यालय क्षेत्रों के सन्निकट, शहर के प्रचलित स्थलों, पर स्थापित किये गये है, ताकि नागरिकों को समय, धन एवं अनावश्यक भागदौड़ से बचत हो सके।
- यह परियोजना, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के अधीनस्थत सकरारी सोसायटी के रूप में सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट1860 के अन्तर्गत गठित की गयी है, जो ई-सुविधा के नाम से प्रचलित है। ई-सुविधा का रजिस्ट्रेशन दिनांक 14.01.05 को कराया गया था एवं प्रत्येक 05-05 वर्ष में रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण कराया जाता है। वर्तमान में ई-सुविधा का नवीनीकरण संख्या-आर/एलयूसी/03641/2019-2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र सं0 02606/2019-2020 दिनांक 13.01.2025 तक मान्य है। ई-सुविधा परियोजना, प्रथम चरण में लखनऊ में पॉयलट प्रोजेक्ट के रूप में वर्ष 2006, द्वितीय चरण में वर्ष 2011, तृतीय चरण में 2016 एवं चतुर्थ चरण में वर्ष 2019 से शुरू की गई है।
- ई-सुविधा परियोजना, आई0टी0 एवं इले0 विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के अधीनस्थ सरकारी सोससाइटी है जिसकी कार्यकारिणी, अपर मुख्य सचिव, आई0टी0 एवं इले0 विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित है, जिसमें पदेन सदस्य प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, प्रमुख सचिव, आवास विभाग, राज्य परियोजना निदेशक, ई-सुविधा, उ0प्र0 एवं विशेष सचिव, आई0टी0 एवं इले0 विभाग एवं राज्य परियोजना समन्वयक, ई-सुविधा, उ0प्र0 सदस्य है।
- ई-सुविधा सोसायटी द्वारा ई-टेण्डरिंग प्रक्रिया के अन्तर्गत पब्लिक प्राईवेज पार्टनरशिप (पी0पी0पी0) मॉडल पर, वर्तमान में लखनऊ एवं राज्य के 18 जनपदों में ई-सुविधा परियोजना क संचालन किया जा रहा है। इस मॉडल में, प्रत्येक अलग-अलग जनपदों में ई-सुविधा केन्द्रों को स्थापित किया गया है जिसे सम्मिलित विभागों से अधिग्रहित किये गये निर्मित कक्षों का नवीनीकरण कर्य, नये निर्माण किये गये एवं किये जाने वाले कक्ष आदि के कैपीटल खर्चों को राज्य सरकार स्तर से किया जाताा है। इन केन्द्रों के संचालन के लिए

समस्त आपरेशनल खर्चों, कम्प्यूटर्स हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कनेक्टीविटी, मैन-पॉवर, सिक्योरिटी-सुरक्षा, बिल स्टेशनरी, मासिक रिकरिंग व्यय, रखरखाव, अनुरक्षण, प्रचार-प्रसार आदि चयनित कार्यदायी संस्था के माध्यम से किया जाता है।

- ई-सुविधा कार्यदायी संस्था मै0 मेधज आईटीईएस सोल्यूशन प्रा0 लि0, लखनऊ द्वारा ई-सुविधा परियोजना को राज्य के 75 जनपदों में बिल्ड ओन आपरेट ट्रान्सफर (बूट) एवं फ्रैन्चाइजी मॉडल पर क्रियान्वित एवं संचालित करेंगे। उनमें से 19 जनपदों में 'बिल्ड ओन आपरेट ट्रान्सफर मॉडल (बूट) पर संचालित कर दिया गया है।
- वर्तमान में लखनऊ एवं राज्य के 18 अन्य जनपदों के 177 केन्द्रों (227 काउण्टर्स) के औसतन लगभग 8.00-8.25 लाख उपभोक्ता प्रति माह ई-सुविधा सेवाएँ प्राप्त कर रहे है एवं ई-सुविधा में सम्मिलित विभागों के विभागीय कोष एवं शासकीय (जी2सी) सेवाओं से राजकीय कोष में कुल लगभग रू. 300.00-रू. 310.00 करोड़ प्रतिमाह के राजस्व प्राप्ति का योगदान किया जाता है। इस तरह ई-सुविधा कार्यदायी संस्था की औसतम मासिक ट्रान्जैक्शन आमदनी लगभग रू. 170.00-रू. 180.00 लाख प्रतिमाह एवं ई-सुविधा सोसायटी की अर्जित आय लगभग रू. 4.75-4.00 लाख प्रतिमाह है अतः ई-सुविधा केन्द्र स्व-वित्तपोषी है।
- वर्तमान में केन्द्रों पर उपभोक्ता बिलों के भुगतान प्राप्ति को प्रारम्भिक प्रक्रिया के अन्तर्गत कैश, व्यक्तिगत चेक, बैंकर्स चेक, डिमाण्ड ड्राफ्ट आदि के साथ-साथ कैशलेश प्रक्रिया के अन्तर्गत पोज/ईडीसी/स्विप मशीन एवं आरटीजीएस/नेफ्ट ट्रान्सफर जैसे इलेक्ट्रानिक पेमेन्ट माध्यम से प्राप्त किया जा रहा है। वर्तमान में 177 पोज/ईडीसी/स्विप मशीन कार्यरत है।

2. ई-सुविधा, लखनऊ एवं राज्य के अन्य जनपदों की अद्यतन स्थिति

2.1 ई-सुविधा परियोजना-लखनऊ की अद्यतन स्थिति

- लखनऊ में कार्यरत 76 ई-सुविधा केन्द्र (110 काउण्टर्स) पर मुख्यतयः उपभोक्ता बिजली बिल, हाउस टैक्स जमा करने तथा रियायती दरों (सब्सीडाइज्ड रेट) पर एल.ई.डी. बल्ब, ट्यूबलाइट व पंखों के वितरण आदि की सेवाएँ उपलब्ध है जिसमें से 14 केन्द्रों पर बिजली बिल के साथ-साथ ऑन-लाईन प्रणाली पर राज्य सरकार के 14 विभागों की 57 शासकीय (जी2सी) सेवाऐं जिसमें मुख्यतयः जाति/आय/निवास/जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र, रोजगार पंजीकरण/नवीनीकरण खतौनी नकल आदि तथा अन्य विभागों के साथ मेमोरेण्डम ऑफ अन्डरस्टेडिंग (एमओयू) हस्ताक्षर किये जाने का कार्य प्रगति पर है।

ई-सुविधा केन्द्रों की कार्यावधि

- दोपाली के केन्द्र-लखनऊ में कार्यरत केन्द्र, प्रत्येक दिन (अवकाश दिन/रविवार को भी, राष्ट्रीय अवकाश छोड़कर) 02 पालियों में प्रातः 8.00 से रात 8.00 बजे तक एवं प्रत्येक माह (30/31 दिन) के अन्तिम 4/5 दिन रात 10.00 बजे तक खुले रहते है।

- लखनऊ केन्द्रों से लगभग 4.0 लाख से 4.1 लाख उपभोक्ता प्रतिमाह ई-सुविधा सेवायें प्राप्त करते हुए एवं विभिन्न विभागों/संस्थाओं की लगभग रू. 180.00-190.00 करोड़ प्रतिमाह राजस्व प्राप्ति होती है। नागरिक किसी भी क्षेत्राधिकार की सीमा के बिना ई-सुविधा काउण्टरों से किसी भी सेवा से लाभान्वित हो सकते है।

2.2. ई-सुविधा परियोजना-राज्य के अन्य जनपद की अद्यतन स्थिति

- वर्तमान में राज्य के अन्य 18 जनपदों में शहरी क्षेत्रों में कार्यरत 79 ई-सुविधा केन्द्रों (95 काउण्टर्स) एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 22 ई-सुविधा केन्द्रों (22 काउण्टर्स) पर मुख्यतयः उपभोक्ताओं के बिजली बिल जमा करने के सेवाऐं उपलब्ध है। शीघ्र ही इन जनपदों में भी, अन्य विभागों की सेवाओं को जोड़ा जाना प्रस्तावित है।
- लखनऊ के साथ-साथ 18 जनपदों यथा (1) हरदोई, (2) बाराबंकी, (3) लखीमपुर, (4) सीतपुर, (5) शाहजहाँपुर, (6) पीलीभीत, (7) रायबरेली, (8) उन्नाव, (9) सुल्तानपुर, (10) फैजाबाद, (11) बदाँयू, (12) बहराइच, (13) गोण्डा, (14) अम्बेडकर नगर, (15) बरेली, (17) श्रावस्ती, (18) अमेठी जनपद एवं इन जनपदों के कस्बों में ई-सुविधा केन्द्र कार्यरत एवं संचालित है।
- वर्तमान में, राज्य के इन जनपदों मे कार्यरत ई-सुविधा केन्द्र, प्रत्येक दिन (अवकाश दिन, रविवार एवं राष्ट्रीय अवकाश छोड़कर) प्रातः 8.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक खुले हते हैं एवं इन केन्द्रों से लगभग 4.00 लाख से 4.10 लाख उपभोक्ता प्रतिमाह ई-सुविधा सेवाएँ प्राप्त करते है एवं बिजली विभाग की लगभग रू. 90.00-100.00 करोड़ प्रतिमाह राजस्व की प्राप्ति होती है।

केन्द्रों पर भुगतान प्राप्ति के प्रकार

1 कैशलेश प्रक्रिया-इसके अन्तर्गत इलेक्ट्रानिक पेमेन्ट माध्यम से भुगतान प्राप्त किया जाता है जिसमें :-

(अ) पोज/ईडीसी/स्विप मशीन-डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वर्तमान में लगभग 110 मशीन कार्यरत है।

(ब) आरटीजीएस/नेफ्ट ट्रान्सफर-डायरेक्ट टू एकाउन्ट फ्रॉम ट्रेजरी एण्ड गवर्नमेंट पेमेंट

2. प्रारम्भिक प्रक्रिया-कैश, व्यक्तिगत चेक, बैंकर्स चेक, डिमाण्ड ड्राफ्ट आदि।

- कही भी सुविधा (ऐनी व्हेयर फेसिलिटी)-नागरिक किसी भी क्षेत्राधिकार की सीमा के बिना ई-सुविधा काउण्टरों से किसी भी सेवा से लाभान्वित है।
- बिल जमा करने की सुविधा-केन्द्रों पर नागरिकों के बैठने की व्यवस्था एवं मूलभूत सुविधाऐं उपलब्ध करायी गयी है, इन में से कुछ केन्द्रों पर नागरिकों को कतारों में खड़ें न होकर सम्मानजनक तरीके से कुर्सी पर बैठ कर बिल जमा करने की सुविधा दी गई है।
- ई-सुविधा केन्द्र के स्थल-ई-सुविधा केन्द्र, विभिन्न आवासीय कॉलोनी एवं कार्यालय क्षेत्रों के

सन्निकट, शहर के प्रचलित स्थलों पर स्थापित किये गये है, ताकि नागरिकों क समय, धन एवं सरकारी विभागों की अनावश्यक भागदौड़ से बचत हो सके।

- अतिरिक्त शुल्क रहित भुगतान-नागरिकों को उनके उपभोक्ता बिलों के भुगतान सेवाऐं बिना किसी शुल्क के, ई-सुविधा केन्द्रों पर प्रदान की जाती है।
- निर्धारित शुल्क भुगतान-शासकीय विभागों की आवेदन सार्टिफिकेट एवं अन्य संबंधित सेवाओं जिसमें मुख्यतयः जाति/आय/निवास/जन्म-मुत्यु प्रमाण पत्र, खतौनी नकल, रोजगार पंजीकरण/नवीनीकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क लिया जाता है।

उपलब्धियाँ

- राष्ट्रीय स्तर पर दिनांक 22.03.2017 को नई दिल्ली में आयोजित डिजिटल इकॉनामी कॉनक्लेव-2017 में उत्तर प्रदेश सरकार को ई-सुविधा परियोजना के अन्तर्गत प्रदेश भर के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत ई-सुविधा केन्द्रों से प्रदत्त शासकीय (जी2सी) एवं व्यवसायिक (बी2सी) सेवाओं में अत्याधुनिक तकनीकी के प्रयोग जिसमें मुख्यतयः भुगतान प्राप्ति को कैशलेस प्रक्रिया से उपलब्ध कराने के उद्देश्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कृत किया गया है।
- केन्द्रों पर नागरिकों के बैठने की व्यवस्था एवं मूलभूत सुविधाऐं उपलब्ध करायी गयी है, इन में से कुछ केन्द्रों पर नागरिकों को कतारों में खड़े न होकर सम्मानजनक तरीके से कुर्सी पर बैठ कर बिल जमा करने की सुविधा दी गई है। ई-सुविधा केन्द्र, विभिन्न आवासीय कॉलोनी एवं कार्यालय क्षेत्रों के सन्निकट, शहर के प्रचलित स्थलों पर स्थापित किये गये है, ताकि नागरिकों को समय, धन एवं सरकारी विभागों की अनावश्यक भागदौड़ से बचत हो सके।
- सफलता की कुंजी - आवश्यक ई-सुविधा परियोजना के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश दिनांक 28.10.2004 के अनुसार सरकारी/अर्द्धसरकारी समस्त विभागों की सहभागिता को अनिवार्य किया जाना।
- पब्लिक यूटीलिटी सेवाओं से सम्बन्धित अन्य राज्यों यथा आन्ध्रप्रदेश में भी-सेवा, राजस्थान में ई-मित्र, गुजरात में ई-ग्राम, महाराष्ट्र में आई-सेतु आदि नाम से प्रचलित है। ई-सुविधा सोसायटी द्वारा संचालित केन्द्रों क नाम ई-सुविधा केन्द्र रखा गया है जो कि एक आइकोनिक नाम हो चुका है अतः उत्तर प्रदेश राज्य में भी, उक्त सेवाओं के संचालन हेतु एक समरूप एवं समान कॉमन नाम से प्रचलित किया जा रहा है। अतः राज्य में क्रियान्वित समस्त पब्लिक यूटीलिटी सेवाओं से सम्बन्धित समस्त केन्द्रों का नाम, अन्य राज्यों की भाँति एक कॉमन नाम 'ई-सुविधा' नाम से प्रचलित है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उ.प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उ.प्र. शासन के प्रशासनिक नियंत्रण में सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट-1860 के अन्तर्गत पंजीकृत स्वायत्तशासी संस्था है, जो वर्तमान स्वरूप में वर्ष 1975 से कार्य कर रही है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास व इसके उपयेाग को प्रोत्साहन देना है। परिषद् द्वारा शोध परियोजनाओं का क्रियान्वयन प्रदेश स्थित विश्वविद्यालयों, कृषि विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग कालेजों, उ.प्र. तकनीकी विश्वविद्यालय, चिकित्सा विश्वविद्यालयों, शोध एवं विकास संस्थानों तथा स्नातकोत्तर महाविद्यालयों आदि के माध्यम से कराया जाता है। उक्त के अतिरिक्त अन्य मदों के कार्यक्रम को जिला विज्ञान क्लबो, सरकारी तथा गैर सरकारी शोध व विकास संस्थाओं के माध्यम से क्रियान्वित कराया जाता है।

वित्तीय एवं प्रशासनिक प्रबन्धन

परिषद् के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार शासन द्वारा गठित कार्यकारिणी समिति में निहित हैं, जिसके अध्यक्ष सचिव/प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उ.प्र. शासन होते हैं, जो परिषद् के पदेन महानिदेशक भी है। उक्तसमिति के सदस्य परिषद् के सचिव होते है। नीति विषयक निर्णय हेतु मुख्यमंत्री, उ.प्र. अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति की अध्यक्षता में परिषद की समान्य सभा भी गठित है। उक्त के अतिरिक्त समय-समय पर आवश्यकतानुसार परिषद् की कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन से शोध, विकास व उपयोग से सम्बन्धित परियोजनाओं व कार्यक्रमों के मूल्यांकन एवं अनुश्रवण हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों यथा-केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल सांइसेज, मेडिकल सांइसेज फिजिकल सांइसेज, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सांइसेज, जैव प्रौद्योगिकी एवं इंजीनियरिंग तथा टेक्नालोजी में सलाहकार समितियां गठित है। उपरोक्त सलाहकार समितियों की संस्तुतियों को परिषद् की कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रशासनिक व वित्तीय अनुमोदन/स्वीकृति हेतु प्रस्तृत किया जाता है।

वित्तीय वर्ष **2019-20** की प्रमुख उपलब्धियां

1. प्रदेश की आवश्यकता के अनुसार शोध एवं विकास के अंतर्गत लगभग 80 शोध प्रायोजनाऐं संचालित की जा रही है।
2. सी0एस0टी0-यू0पी0 समर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम के अंतर्गत 60 विद्यार्थियों को चयनित कर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में समर रिसर्च ट्रेनिंग का अवसर प्रदान करने हेतु सम्बद्ध

किया गया। इसके अन्तर्गत 47 विद्यार्थियों द्वारा सफलतापूर्वक समर रिसर्च ट्रेनिंग प्राप्तकी गई।

3. सी0एस0टी0यू0पी0 अभियांत्रिकी विद्यार्थी प्रोजेक्ट अनुदान योजना के अन्तर्गत 60 परियोजनाओं के सापेक्ष 240 विद्यार्थी लाभान्वित हुये। इसके अन्तर्गत प्रति प्रायोजना हेतु रू0 20,000 धनराशि अनुदानित की गयी।
4. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्, उ.प्र. द्वारा स्थापित और संचालित विज्ञान वाटिका में जनपद-गाजियबाद के लगभग 2500 स्कूली बच्चों/विद्यार्थियों के बीच 11 साइंस कार्निवल कार्यक्रम के अन्तर्गत अन्ध विश्वासों के विरूद्ध वैज्ञानिक सोच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और कार्य व्यवहार अपनाने हेतु वैज्ञानिक चमत्कारों का प्रदर्शन और उनकी व्याख्या सहित विज्ञान प्रतियोगिताओं को आयोजित कराया गया है।
5. जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड-सरदार नगर तथा ब्रह्मपुर में अलग-अलग संचालित कस्तूरबा गाँधी आवासीय विद्यालय के लगभग 200 स्कूली विद्यार्थियों के बीच दो दिवसीय नव अन्वेषण व बौद्धिक सम्पदा पर विज्ञान जागरूकता कार्यक्रम को आयोजित कराया गया।
6. जिला विज्ञान क्लब, संतकबीर नगर के माध्यम से विज्ञान जागरूकता के अन्तर्गत अन्ध विश्वासों के विरूद्ध विज्ञान चेतना रैली व अलौकिक चमत्कारों का पर्दाफाश करने के लिए विज्ञान प्रयोगों का प्रदर्शन व उनकी व्याख्या की गतिविधियों में लगभग 400 से अधिक स्कूली विद्यार्थियों, शिक्षिकाओं तथा महिलाओं को प्रतिभाग कराया गया।

बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 38 जनपदों में परिषद् द्वारा सम्बन्धित जिला समन्वयकों के माध्यम से और समस्त जनपदों में विकास इलाहाबाद द्वारा जिला स्तरीय आयोजन कराये गये। समस्त जनपदों में दिनांक 30 नवम्बर 2019 तक जिला स्तरीय आयोजन किये गये। दिनांक 04 से 05 दिसम्बर 2019 तक तीन दिवसीय 27वीं राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस-2019 का आयोजन आर0पी0एम0 एकेडमी, ग्रीन सिटी, गोरखपुर में किया गया, जिसमें सम्पूर्ण प्रदेश के 294 बाल विज्ञानियों एवं 150 मार्गदर्शक शिक्षकों/समन्वयकों ने प्रतिभाग किया। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस-2019 का आयोजन दिनांक 27 से 31 दिसम्बर 2019 तक तिरूवनंतपुरम, केरल में हुआ। जिसमें प्रदेश के 42 बाल विज्ञानी एवं 14 शिक्षकों/समन्वयकों द्वारा प्रतिभाग किया गया। साथ ही उत्तर प्रदेश के दो बाल विज्ञानियों को 107वीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस-2020 के अवसर पर दिनांक 03-07 जनवरी, 2020 में बैंगलुरू में प्रतिभाग किया गया।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के चयनित क्षेत्रों में शोध

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में शोध परियोजनाओं का क्रियान्वयन

इसके अन्तर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक व सामाजिक विकास में उपयोगी शोध परियोजनायें प्रदेश स्थित विश्वविद्यालयों, चिकित्सा विश्वविद्यालयों, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयों, तकनीकी संस्थानों, परास्नातक महाविद्यालयों, शोध संस्थानों एवं उच्च शैक्षिक

संस्थानों के माध्यम से क्रियान्वित कराये जाने हेतु वित्त पोषित की जाती है। प्रायोजनाओं का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण परिषद द्वारा किया जाता है।

उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत क्रियान्वित शोध परियोजनाओं में कार्यरत युवा वैज्ञानिकों को शोध एवं विकास के विशिष्ट क्षेत्रों में विशिष्टता/प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है साथ ही शोध प्रायोजनाओं के परिणाम उपयोगी प्रौद्योगिकी के विकास में सहायक सिद्ध होते है। पूर्ण हुयी शोध परियोजनाओं के परिणामों को मुख्य अनुसंधाता एवं शोध सहायक द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार/सिम्पोजियम/कांफ्रेस आदि में प्रस्तुत किया जाता है एवं इन प्रायोजनाओं के परिणामों को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के जर्नल्स आदि में प्रकाशित भी कराया जाता है। प्रायोजनायें मुख्य रूप से प्रदेश की आवश्यकता के दृष्टिगत जेनोमिक्स इन हेल्थ डिसीसेज, कोलोरेक्टर कैंसर, न्यूरोडिजनेरेटिव चेंजेज इन पार्किंसनंस डिसीज, ओरल डिसीसेज, फार्मेकोजियोनोंमिक्स, फाइटोरेमीडियेशन, जेनेटिकली मॉडीफाइड फूड विद सेफ्टी इवेल्यूएशन, आर्गेनिक फार्मिंग, इनवायरमेन्टल, बायोटेक्नोलॉजी एंड रूरल डेवलपमेंट आदि क्षेत्रों में संचालित है।

शोध प्रायोजनायें सामान्यतः परिषद् द्वारा दो/तीन वर्ष हेतु स्वीकृत की जाती है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 80 शोध प्रयोजनाओं का अनुश्रवण, वित्त पोषण एवं क्रियान्वयन के साथ-साथ नई शोध प्रायोजनाओं को ऑनलाइन प्राप्त कर प्रक्रियाधीन किया गया। आगामी वित्तीय वर्ष 2020-21 में लगभग 50 नवीन शोध प्रायोजनाओं का संचालन किया जाना प्रस्तावित है।

सी.एस.टी.यू.पी. समर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम

समर रिसर्च फेलोशिप का उद्देशय प्रदेश में विज्ञान परास्नातक स्तर पर अध्ययनरत छात्रों को शोध एवं विकास के क्षेत्र में प्रोत्साहन एवं मार्गदर्शन देना है। इस फेलोशिप के अन्तर्गत प्रदेश में विज्ञान के क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को प्रदेश एवं देश के प्रतिष्ठित संस्थानों/विश्वविद्यालयों में ख्याति प्राप्त वैज्ञानिकों/प्रोफेसर्स के साथ 02 माह की अवधि के लिए रिसर्च ट्रेनिंग हेतु अवसर उपलब्ध कराया जाता है। चयनित छात्रों को 02 माह के लिए रू0 25000/- मासिक फेलोशिप प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रोग्राम हेतु निम्नलिखित क्षेत्रों में फेलोशिप प्रदान किया जाता हैः-

क. भौतिक विज्ञान (पदार्थ विज्ञान, इलेक्ट्रानिक्स एस्ट्रोनॉमी एवं अन्य)
ख. जीव विज्ञान (वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान, पर्यावरण, बायोटेक एवं अन्य)
ग. कृषि विज्ञान
घ. रसायन विज्ञान (कार्बनिक, अकार्बनिक, भौतिक, औद्योगिक, औषधि रसायन एवं अन्य)
ड. गणित

वर्ष 2019-20 में कुल 47 समर रिसर्च फेलोशिप प्रदान की गयी। आगामी वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु विज्ञापन के माध्यम से आवेदन प्राप्त कर समर फैलोशिप प्रदान किये जाने हेतु 80 छात्रों को सूचीबद्ध किया गया है।

प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण का सजीव प्रदर्शन

विभिन्न संस्थाओं के द्वारा विकसित उपयुक्त तकनीकियों का सजीव प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण लाभान्वित समूहों के समक्ष किया गया जिनका विवरण निम्नवत् हैः

1. मीठे फलों के रस से सिरका उत्पादन हेतु उन्नत तकनीक का प्रशिक्षण एवं सजीव प्रदर्शश्न केन्द्रीय उपोष्ण बागबानी संस्थान, लखनऊ के सहयोग से व्यावसायियों एवं उद्यमियों को केन्द्रीय उपोष्ण बागबानी संस्थान, लखनऊ के प्रांगण में प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
2. एलोवीरा उत्पादन एवं उत्पादों सम्बंधी औद्योगिक कार्यक्रम का आयोजन उद्यमियों को एनबीआरआई, लखनऊ के प्रांगण में प्रदान किया गया।

सी.एस.टी.यू.पी. अभियांत्रिकी विद्यार्थी प्रोजेक्ट अनुदान योजना

परिषद् द्वारा उ0प्र0 में अध्ययनरत अभियांत्रिकी के अन्तिम वर्ष के विद्यार्थियों के नवाचार तथा स्थानीय एवं पर्यावरण समस्याओं के निवारण पर आधारित प्रोजेक्ट्स को प्रोत्साहित किये जाने हेतु सी.एस.टी.यू.पी. अभियांत्रिकी विद्यार्थी प्रोजेक्ट अनुदान योजना का प्रारम्भ किया गया। इस योजना के अन्तर्गत बी0टेक के विद्यार्थियों द्वारा बनाये जाने वाले प्रोजेक्टस में से अधिकतम 60 प्रोजेक्ट्स का चयन कर उन्हें रू0 20000/- की अनुदान धनराशि प्रदान की जायेगी। सर्वोत्तम तीन प्रोजेक्ट्स को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार के रूप में क्रमशः रू. 1,00,000/-, रू. 75,000/- व रू. 50,000/- प्रदान किये जायेंगे। वर्ष 2019-20 के लिए 58 प्रोजेक्ट्स को अनुदान हेतु चयनित किया गया है।

विज्ञान लोकप्रियकरण

परिषद् द्वारा प्रदेश में धरातल स्तर पर बच्चों में विज्ञान के प्रति अभिरूचि उत्पन्न करने, तार्किक क्षमता विकसित करने और उनमें वैज्ञानिक पद्धति के कार्य कलापों, कल्पनाशीलता विकसित करने का निरन्तर प्रयास किया जा रहा है। माध्यमिक स्तर तक के बच्चों की प्रतिभा विकास हेतु विभिन्न प्रकार की विज्ञान की प्रतियोगिताऐं, ख्याति प्राप्त औद्योगिक प्रतिष्ठानों (इण्डस्ट्री) एवं प्रयोगशालाओं का वैज्ञानिक भ्रमण, भारतीय विज्ञान एवं भारतीय वैज्ञानिकों पर आधारित वैज्ञानिक चमत्कारों का प्रदर्शन और उनकी व्याख्या आदि के साथ प्रतिभागी बच्चों को विभिन्न विज्ञान साहित्य तथा दैनिक उपयोग से जुड़ी वस्तुओं आदि से पुरस्कृत किये जाने पर आधारित गतिविधियां आयोजित की जाती है।

इसी क्रम में विज्ञान लोकप्रियकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत सामान्य जनमानस में विज्ञान के प्रति अभिरूचि उत्पन्न करने, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक ढंग से कार्य व्यवहार अपनाने, समाज में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बेहतर ढंग से उपयोग को सुनिश्चित कराने इत्यादि से सम्बन्धित विज्ञान जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन प्रायः महत्वपूर्ण दिवसों, खगोलीय घटनाओं एवं सामाजिक/शैक्षिक अवसरों पर विज्ञान प्रदर्शनी, अलौकित चमत्कारों तथा अंधविश्वासेां में छुपे विज्ञान के प्रयोगों का प्रदर्शन और उनकी व्याख्या आदि गतिविधियाँ आयोजित करायी जाती है। जनपद व मण्डल स्तर

पर आयोजित किये जाने वाले सभी कार्यक्रम जनपदों में गठित जिला विज्ञान क्लब तथा परिषद् द्वारा स्थापित क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केन्द्र के माध्यम से सम्पन्न कराये जाते है।

जिला विज्ञान क्लब तथा क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केन्द्रों द्वारा आयोजित कार्यक्रम

वित्तीय वर्ष 2019-20 में परिषद् द्वारा जनपदों में स्वच्छ पर्यावरण और स्वस्थ जीवन प्रबन्धन पर विज्ञान जागरूकता कार्यक्रम, अलौकिक चमत्कारों की वैज्ञानिक व्याख्या व उनका प्रदर्शन व अंध विश्वास के विरूद्ध वैज्ञानिक चेतना कार्यक्रम, भारतीय विज्ञान एवं भारतीय वैज्ञानिकों पर जनपद स्तरीय विज्ञान महोत्सव पर वैज्ञानिक व्याख्यान तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार प्रदर्शनी सहित जनपदों में 241 वैज्ञानिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कराये जा रहे हैं। जनपदों में आयोजित होने वाले विशेष/प्रसिद्ध मेलों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार प्रदर्शनी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस-2020 के अवसर पर विज्ञान महोत्सव, के आयोजन वृहद स्तर पर कराये गये। इस प्रकार विज्ञान जागरूकता के 243 कार्यक्रम विभिन्न जनपदों में कराये जा रहे हैं। इन सभी वैज्ञानिक जागरूकता कार्यक्रमों में लगभग 450 से अधिक विद्यालयों के 40000 से अधिक विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक तथा सामान्य जनमानस द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा।

वैज्ञानिक सम्मान योजना

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्, उ.प्र. के माध्यम से वर्ष 2000 से विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट वैज्ञानिक योगदान के लिए वैज्ञानिक सम्मान उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा विज्ञान सम्मान योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में जन्मे अथवा उ.प्र. में निरन्तर किसी भी संस्थान/विभाग में 10 वर्षों से कार्यरत वैज्ञानिकों हेतु दिये जाते हैं। इस योजना के अन्तर्गत सभी सम्मानित वैज्ञानिकों को नगद पुरस्कार, प्रशस्ति-पत्र, प्रतीक चिन्ह व शाल प्रदान किया जाता है। विज्ञान गौरव सम्मान-एक पुरस्कार धनराशि रू. 05.00 लाख, विज्ञान रत्न सम्मान-दो पुरस्कार धनराशि रू. 02.50 लाख प्रत्येक, युवा वैज्ञानिक सम्मान-पाँच पुरस्कार धनराशि रू. 01.00 लाख प्रत्येक, बाल वैज्ञानिक सम्मान-पाँच पुरस्कार धनराशि रू. 25,000/- प्रत्येक, विज्ञान शिक्षक सम्मान में पाँच पुरस्कार धनराशि रू. 25,000/- प्रत्येक, नवअन्वेषक सम्मान में पाँच पुरस्कार धनराशि रू. 25,000/- प्रत्येक प्रदान किया जाता है। इसी क्रम में विज्ञान छात्र सम्मान के अन्तर्गत प्रदेश में विभिन्न बोर्डो के विज्ञान विषय में हाईस्कूल में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को रू. 05.00 लाख की धनराशि को एक समान रूप से बराबर मात्रा में वितरित किया जाता है। हाईस्कूल की तरह माध्यमिक स्तर के भी विज्ञान विषय में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को रू. 10.00 लाख की धनराशि को एक समान रूप से बराबर मात्रा में वितरित किया जाता है। वर्ष 2016-17 का विज्ञान सम्मान समारोह हेतु आवेदन आमंत्रित किये गये है तथा कार्यवाही प्रगति पर है। शीघ्र ही आयोजन किया जायेगा।

विज्ञान बस

मा. मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 11.05.2018 को विज्ञान बस का लोकार्पण किया गया।

दिनांक 02.10.2018 को मा. उपमुख्यमंत्री एवं मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उ0प्र0, डा0 दिनेश शर्मा जी द्वारा विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी परिषद्, उ0प्र0 तथा आई0आई0टी0, कानपुर द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित की गयी विज्ञान बस को विद्यार्थियों को समर्पित किया गया। विज्ञान बस का संचालन प्रारम्भ होने के उपरान्त अभी तक इसे चित्रकूट, प्रयागराज, बलिया, मेरठ, चन्दौली, कानपुर, इटावा, जौनपुर, सहारनपुर, हरदोई, जालौन, रामपुर, अमरोहा एवं देवरिया इत्यादि जनपदों में संचालित किया जा चुका है। जिसमें लगभग 80500 विद्यार्थी लाभान्वित हुए। परिषद् द्वारा संचालित विज्ञान लोकप्रियकरण के सभी कार्यक्रम विद्यार्थियों के मध्य निःशुल्क आयोजित किये जाते है। विज्ञान बस का मुख्य उद्देश्य भी विज्ञान का लोकप्रियकरण है।

टेक्नोलॉजी ट्रिप

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत उ0प्र0 के 13 जनपदों में विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों हेतु औद्योगिक भ्रमण का आयोजन कराया गया।

परिषद् द्वारा आयोजित सेमिनार

दिनांक 10.01.2020 को एक दिवसीय आई0टी0 सेमिनार "इमर्जिंग ट्रेन्ड इन आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स, साईबर सिक्योरिटी एण्ड डिजिटल पेमन्ट सिस्टम्स" का आयोजन कराया गया।

जैव प्रौद्योगिकी-संगठनात्मक ढांचा एवं क्षमता विकास

कृषि, उद्योग, खाद्यान्न व पोषक तत्व प्रबन्धन चिकित्सा व स्वास्थ्य पर्यावरण एवं ऊर्जा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के बहुआयामी उपयोग के दृष्टिगत उक्त योजना का प्रारम्भ वर्ष 1998-99 में किया गया था। शोध एवं विकास परियोजनाओं के साथ-साथ उक्त योजना के अन्तर्गत उ.प्र. जैव प्रौद्योगिकी नीति, 2014, उ.प्र. जैव प्रौद्योगिकी बोर्ड, बायोटेक पार्क, लखनऊ एवं बायोटेक नेटवर्किंग फैसिलिटी केन्द्र, लखनऊ जैसी वृहद योजनाएं विकसित की गयी है। महत्वपूर्ण परियोजनाओं का विस्तृत विवरण निम्नवत हैः-

बायोटेक नेटवर्किंग फैसिलिटी केन्द्र, लखनऊ

जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कृषि व ग्रामीण विकास से संबंधित गतिविधियेां के प्रभावी क्रियान्वयन, प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण हेतु राज्य ग्राम्य विकास संस्थान द्वारा बक्शी का तालाब, लखनऊ में उपलब्ध करायी गयी भूमि पर परिषद् द्वारा बायोटेक नेटवर्किंग फैसिलिटी केन्द्र, का विकास किया जा रहा है। उक्त के अन्तर्गत ग्रामीण अंचलों के उपयोगार्थ तकनीकी एवं आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त पैकेज विकसित किये जायेंगे तथा जनमानस के उपयोग हेतु उत्पाद व तकनीकी पर आधारित वृहद प्रशिक्षण सुविधाएं विकसित की जायेगी। बायोटेक नेटवर्किंग फैसिलिटी केन्द्र से उन्नत जैव तकनीक भी विभिन्न विभागों/प्रयोगशालाओं/शैक्षिक/स्वैच्छिक संस्थाओं, कृषकों व उद्यमियों के परस्पर समन्वय से प्रदेश स्तर पर उपलब्ध कराये जायेंगे।

नील हरित शैवाल जैव उर्वरक एवं एजोला उत्पादन व उपयोग परियोजना

प्रदेश के कृषकों में जैविक खेती को प्रोत्साहप एवं कृषकों के दोगुनी आय के दृष्टिगत विज्ञान

एवं प्रौद्योगिकी परिषद् उ0प्र0 द्वारा बायोटेट नेटवर्किंग फेसिलिटी सेन्टर, बक्शी का तालाब, लखनऊ स्थित प्रक्षेत्र पर "नील हरित शैवाल जैव उर्वरक एवं एजोला उत्पादन, प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन कार्यक्रम परियोजना" दिनांक 17 जुलाई, 2019 से प्रारम्भ की गयी है। परियोजना के अन्तर्गत बक्शी का तालाब स्थित प्रक्षेत्र पर अब तक 400 किग्रा नील हरित शैवाल जैव उर्वरक तथा 294 किग्रा एजोला का उत्पादन कर कृषकों को उनके उपयोग हेतु निःशुल्क वितरित किया गया है। इसी के साथ-साथ परियोजना के अन्तर्गत परिषद् द्वारा अब तक 06 जनपदों यथा रायबरेली, सुल्तानपुर, सीतापुर, हरदोई, गोरखपुर तथा लखनऊ में कृषि विज्ञान केन्द्रों की सहायता से 7 कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर 630 प्रगतिशील किसानों/युवाओं/महिलाओं को नील हरित शैवाल जैव उर्वरक एवं एजोला के उत्पादन एवं उपयोगिता के बारे में विस्तृत जानकरी उपलब्ध कराते हुए प्रशिक्षित कर लाभान्वित किया गया है। प्रशिक्षण के साथ-साथ कृषक प्रक्षेत्रों पर नील हरित शैवाल जैव उर्वरक उत्पादन हेतु समस्त कृषकों को नील हरित शैवाल का कल्चर निःशुल्क उपलब्ध कराया गया है। इसके अतिरिक्त 45 कृषकों के धान की फसल (खरीफ-2019) में नील हरित शैवाल उर्वकर के प्रक्षेत्र प्रदर्शन कराये गये तथा 40 किसानों के प्रक्षेत्रों से धान के उपज आंकड़े एकत्रित किये गये जो काफी उत्साहवर्धक हैं। भविष्य में प्रदेश के विभिन्न जनपदों में और भी किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।

टिश्यू कल्चर लैब

बक्शी का तालाब, लखनऊ स्थित बायोटेक नेटवर्किंग फैसिलिटी केन्द्र पर निर्मित जैव प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला में टिश्यू कल्चर लैब का संचालन कुशलतापूर्वक निरंतर किया जा रहा है। लैब के संचालन करने के लिये परिषद् द्वारा मेसर्स हिन्दुस्तान बायोइनर्जी लि0 को पी.पी.पी. मोड के अन्तर्गत प्रयोगशाला दी गयी है। इस टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला में उच्च गंणवत्ता के उत्पादकता वाले एंव बीमारियों से मुक्त केले के पौधों को टिश्यू कल्चर द्वारा विकसित किया जा रहा है। टिश्यू कल्चर द्वारा विकसत केले के पौधे जुलाई, 2012 से प्रदेश के किसानों को अनवरत रूप से उपलब्ध हो रहे है। वर्ष 2019-20 में लगभग 16 लाख केले के पौधों का उत्पादन किया गया। उपरोक्त प्रयोगशाला में उत्पादित केले के पौधों से लगभग प्रदेश के 2500 किसानों का लाभान्वित किया जा रहा है। प्रयोगशाला द्वारा आगामी वर्ष में 20 लाख केले के पौधों के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।

नक्षत्रशाला

इंदिरा गाँधी नक्षत्रशाला, लखनऊ

इंदिरा गाँधी नक्षत्रशाला, लखनऊ दिनांक 09 मई, 2003 से संचालित है। वर्तमान में नक्षत्रशाला में प्रत्येक दिन (सोमवार को छोड़कर) 4 शो (अपराह्न 1.00 बजे, 2.30 बजे, 4.00 बजे व सायं 5.00 बजे) आयोजित किये जाते है एवं प्रत्येक शो हेतु रू. 25.00 प्रति व्यक्ति की दर से टिकट निर्धारित किया गयहै। विकलांगों हेतु प्रवेश निःशुल्क है। ग्रीष्मकाल में सायं

6.00 बजे अतिरिक्त शो भी संचालित किय जाता हे। 100 या 100 से अधिक व्यक्तियें के समूह हेतु अलग समय पर शो का आयोजन भी किया जाता है। विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से छात्रों के 30 या उससे अधिक समूह हेतु रू0 10/- प्रति विद्यार्थी की दर से प्रवेश शुल्क निर्धारित है। नक्षत्रशाला के प्रदर्श एरिया में स्पेस एवं एस्ट्रोनॉमी से सम्बन्धित एक्जीबिट गैलरी है। खगोल विज्ञान के क्षेत्र में जनसामान्य की रूचि बढ़ाने के उद्देश्य से उ0प्र0 एमेच्योर एस्ट्रोनामर्स क्लब की स्थापना की गयी है। इंदिरा गाँधी नक्षत्रशाला, लखनऊ में माह अप्रैल, 2019 से जनवरी, 2020 तक दर्शकों की संख्या 32570 रही। इंदिरा गाँधी नक्षत्रशाला, लखनऊ द्वारा खगोल विज्ञान प्रयोगशाला के प्रथम बैच को प्रारम्भ किय गया जिसमें कक्षा 9 से 10 तक के 18 विद्यार्थी लाभान्वित हुए। इंदिरा गाँधी नक्षत्रशाला, लखनऊ द्वारा खगोलकी क्लब के माध्यम से दिनांक 26.12.2019 को आंशिक सूर्यग्रहण की घटना का अवलोकन जनसामान्य को कराने हेतु प्रबन्ध किया गया जिसमें लगभग 700 जनसामान्य ने प्रतिभाग किया।

नव प्रर्वतन केन्द्र

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तर प्रदेश स्तर पर नवप्रवर्तकों की सहायता हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उ0प्र0 में नव प्रवर्तन केन्द्र की स्थापना की गयी हैं जिससे प्रदेश स्तर पर अशिक्षित जन सामान्य अथवा गैर संस्थागत लोगो, किसान, शिल्पकार, कारीगर, मिस्त्री, परम्परागत उपचार करने वाला, माध्यमिक स्तर तक के विद्यार्थी तथा एम.एस.एम.ई. के द्वारा विकसित नवप्रवर्तनों/अन्वेषणों एवं पारम्परिक ज्ञान को बढ़ावा दिया जा सके और उनकी खोजों और अविष्कारों को स्थानीय समस्याओं के निदान में उपयोग किया जा सके और स्थानीय स्तर पर नव अन्वेषकों/नवप्रर्तकों तथा स्वयंसेवी लोगों को उत्प्रेरित करने के साथ समुचित मार्गदर्शन प्रदान किय जा सके। नवप्रवर्तन केन्द्र द्वारा वर्ष 2019-20 के मध्य निम्नवत् गतिविधियों का आयोजन किया गया-

राज्य स्तरीय बाल विज्ञान माडल प्रतियोगिता

राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, उ0प्र0, इलाहाबाद एवं परिषद् के संयुक्त तत्वावधान में राज्य स्तरीय बाल विज्ञान मॉडल प्रतियोगिता एवं राज्य स्तरीय विज्ञान ड्रामा का आयोजन दिनांक 17 से 20 दिसम्बर, 2019 सनातन धर्म इण्टर कॉलेज, मेरठ में किया गया। जिसमें 18 मण्डलों के लगभग 300 बाल वैज्ञानिकों द्वारा विज्ञान विषयों एवं नव विचारोंपर क्रियाशील एवं स्थिर मॉडलों का प्रदर्शन किया गया।

नवप्रवर्तन महोत्सव आंचलिक विज्ञान नगरी, लखनऊ-2020

आंचलिक विज्ञान नगरी में दिनांक 29 से 31 जनवरी, 2020 के मध्य आयेजित नवप्रवर्तन महोत्सव में नवप्रवर्तन खण्ड द्वारा समर्थित एवं प्रोत्साहित 10 नवप्रवर्तकों द्वार सफलतापूर्वक प्रतिभाग किया गया।

बाल नवप्रवर्तक श्री पार्थबंसल को देश के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार दिलाने में नवप्रवर्तन केन्द्र का योगदान

विगत वर्षों से कानपुर देहात के बाल नवप्रवर्तक श्री पार्थबंसल को परिषद् के नवप्रवर्तन केन्द्र द्वारा लगातार उत्प्रेरण, समर्थन तथा उनके नवप्रवर्तन को राज्य एवं राष्ट्रीय स्तरपर लोकपिग्रकरण में योगदान प्रदान किया गया। परिषद् के नवप्रवर्तन केन्द्र के उत्प्रेरण एवं सहयोग से श्री पार्थ को दिनांक 22.01.2020 को भारत देश के महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त भारत के मा0 प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा भी इनकी प्रशंसा की गयी। साथ ही साथ इनके द्वारा नवप्रवर्तन के सम्बन्ध में मा0 प्रधानमंत्री जी द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से ट्विटर पर ट्वीट भी किया गया।

बाल नवप्रवर्तक श्री राहुल सिंह को देश के राष्ट्रीय स्तर की ख्याति दिलाने में नवप्रवर्तन केन्द्र का योगदान

विगत वर्षों से जनपद महाराजगंज के बाल नवप्रवर्तक श्री राहुल सिंह को परिषद् के नवप्रवर्तन केन्द्र द्वारा लगातार उत्प्रेरण, समर्थन तथा उनके नवप्रवर्तन को राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियकरण में योगदान प्रदान किया गया। परिषद् के नवप्रवर्तन केन्द्र के उत्प्रेरण एवं सहयोग से श्री राहुल ने अपने नवप्रवर्तनों का प्रदर्शन भारत देश के पूर्व राष्ट्रपति महामहिम श्री प्रणव मुखर्जी, माननीय कैबिनेट मंत्री विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं स्वास्थ्य तथा पृथ्वी मंत्रालय, भारत सरकार डा0 हर्षवर्धन जी, माननीय कैबिनेट मंत्री, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार श्री राजनाथ सिंह जी तथा माननीय कैबिनेटमंत्री सड़क एवं परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार श्री नितिन गडकरी के समक्ष कर चुके है। नवप्रवर्तन केन्द्र के उत्प्रेरण एवं सहयोग से श्री राहुल ने दिनांक 05-08 नवम्बर, 2019 के मध्य कोलकाता में आयोजित आई0आई0एस0एफ0 2019 की नवभारत-निर्माण गतिविधि में प्रतिभाग कर राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया।

प्रदेश के चार नवप्रर्तकों के नवप्रवर्तन के मूल्य संवर्धन हेतु आर्थिक/वित्त पोषण

नवप्रवर्तन केन्द्र के समेकित लक्ष्य को पूरा करने हेतु नवप्रवर्तकों द्वारा किये गये नवप्रवर्तन में मूल्य संवर्धन के दृष्टिगत प्रदेश के 03 नवप्रवर्तकों को आई0आई0टी0, बी0एच0यू0, वाराणसी में स्थापित सीएसटी, यू0पी0 इन्नोवेशन इन्क्यूबेशन सेन्टर के माध्यम से नवप्रवर्तनों में आवश्यक तकनीकी सुधार हेतु आर्थिक/वित्त पोषण प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त महाराजगंज के बाल-नवप्रवर्तक श्री राहुल सिंह के नवप्रवर्तनों में मूल्य संवर्धन हेतु मदनमोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर के माध्यम से आर्थिक/वित्त पोषण प्रदान किया गया।

रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन्स सेन्टर उत्तर प्रदेश

केन्द्र की कार्यप्रणाली प्रमुखतः दो प्रारूपों में सम्पादित की गयी-प्रदेश के विभिन्न उपयोगकर्ता विभागों के अनुरोध पर सम्पादित कार्यों के रूप में तथा केन्द्र द्वारा स्वचालित शोध परियोजनाओं के रूप में। प्रदेश सरकार के उपयोगकर्ता विभागों में शनैःशनैः सुदूर संवेदन की क्षमता एवं उपयोगिता के प्रति जागरूकता बढ़ी है।

प्राकृतिक संसाधनों के क्षेत्र में योगदान हेतु केन्द्र के कार्यकलाप निम्नलिखित संसाधनों के अन्तर्गत केन्द्र के 11 प्रभागों के माध्यम से सम्पादित किये जाते हैं-

- मृदा एवं कृषि संसाधन
- जल संसाधन
- भू संसाधन
- वन संसाधन, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी
- भूमि उपयोगिता एवं नगरीय संरचना
- प्राकृतिक संसाधनों सम्बन्धी एकीकृत सर्वेक्षण
- प्रशिक्षण कार्यक्रम
- कम्प्यूटर एवं इमेज प्रोसेसिंग
- शैक्षणिक कार्यक्रम

केन्द्र द्वारा ई-गर्वनेन्स की पद्धति का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है। विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों के विस्तृत अध्ययन से सृजित आंकड़ों एवं तथ्यों को जनमानस तक पहुँचाने हेतु केद्र के वेबसाइट www.rsacup.org.in विकसित की गई है, जिस पर समस्त उपलब्धियों का विस्तृत विवरण उपलब्ध कराया गया है। सम्पूर्ण प्रदेश के जनपदवार प्राकृतिक संसाधनों संबंधी आंकड़ों का सृजन कर प्रदेश के नियोजन विभाग के सहयोग से नेशनल इन्फारमेटिक्स सेन्टर (एन.आई.सी.) की वेबसाइट http://gis.up.nic.in पर भी उपलब्ध कराए गए हैं। केन्द्र में विभिन्न क्रय संबंधी टेण्डर डाक्यूमेन्ट को भी केन्द्र की वेबसाइट www.rsacup.org.in पर समय पर उपलब्ध कराया जा रहा है। ई-टेण्डरिंग की प्रक्रिया भी वर्तमान में प्रगतिशील है। ई-प्रोक्योरमेन्ट की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए जैम के माध्यम से भी विभिन्न सामग्रियों को क्रय किये जाने हेतु वांछित कार्यवाही सम्पादित की जा रही है। प्रदेश सरकार द्वारा माह जनवरी 2016 से क्रियान्वित की गयी समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली (आई.जी.आर.एस.) के माध्यम से भी केन्द्र द्वारा अपना योगदान प्रदान किया जा रहा है।

●

कानून व्यवस्था

पुलिस विभाग से सम्बन्धित महत्वपूर्ण कार्य व उपलब्धियां

प्रदेश में कानून व्यवस्था सुदृढ़ कर जनमानस में सुरक्षा की भावना पैदा करना और अपराधियों के अन्दर कानून के भय का माहौल पैदा करना तथा अपराधियों के प्रति जीरो टालरेन्स की नीति वर्तमान सरकार की प्रमुख नीति है। इसके कारण लोगों में सुरक्षा की भावना का व्यापक संचार हुआ है।

क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत वर्ष में चौथा एवं जनसंख्या के दृष्टिकोण से पहला स्थान है। यहाँ विभिन्न धर्म, सम्प्रदाय, वर्ग एवं जातियों के लगभग 23 करोड़ लोग निवास करते हैं।

- प्रदेश की जनता को एक सुरक्षित परिवेश प्रदान कर साम्प्रादायिक एवं जातिगत सौहार्द्र कायम रखा गया है। सम्पूर्ण प्रदेश दंगा मुक्त रहा है। विषम परिस्थितियों में भी प्रदेश पुलिस ने अपने सीमित संसाधनों, कठोर परिश्रम, अनुशासन एवं कर्तव्यनिष्ठा से नक्सलियों, आतंकवादियों, असामाजिक एवं समाज विरोधी तत्वों की गतिविधियों पर सतत् प्रभावी नियंत्रण कायम रखा है।
- रामजन्म भूमि/बाबरी मस्जिद प्रकरण में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के 9 नवम्बर 2019 के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में एक बहुचक्रीय सुदृढ़ सुरक्षा-व्यवस्था सुनिश्चित की गयी, जिसके परिणाम स्वरूप किसी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना घटित नहीं हुयी। सम्पूर्ण प्रदेश में शान्ति एवं सद्भाव का अभूतपूर्व वातावरण बना रहा।
- प्रदेश में निवास करने वाले इन समस्त वर्गों एवं सम्प्रदायों के लोगों में अनुकरणीय सामंजस्य, स्नेह एवं विश्वास है किन्तु यदा-कदा कतिपय अवसरों पर तनाव और टकराव की स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है। प्रदेश में विभिन्न त्यौहारों, धार्मिक जुलूसों एवं मेलों आदि के दौरान संवेदनशीलता के अनुसार पुलिस द्वारा तत्परता से कार्यवाही सुनिश्चित की गई है।
- वैश्विक आतंकवाद, नक्सलवाद के इस दौर में प्रदेश पुलिस को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। विषम परिस्थितियों में भी प्रदेश पुलिस ने अपनी सीमित संसाधनों, कठोर परिश्रम, अनुशासन एवं कर्तव्यनिष्ठा से नक्सलियों, आतंकवादियों, असामाजिक एवं समाज विरोधी तत्वों की गतिविधियों पर सतत् प्रभावी नियंत्रण कायम रखा है। माह जुलाई 2019 में जनपद लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का सफलतापूर्वक आयोजन सम्पादित किया गया।

- प्रदेश की जनता को एक सुरक्षित परिवेश प्रदान कर साम्प्रादायिक एवं जातिगत सौहार्द्र कायम रखा गया है। सम्पूर्ण प्रदेश दंगा मुक्त रहा है। संगठित एवं पेशेवर अपराधियों के विरूद्ध कठोरतम कार्यवाही से अपराधियों ने अपनी जमानत तुड़वाकर जेल का रूख किया है। प्रदेश पुलिस की प्रभावी कार्यवाही के कारण न्यायालय में दिनांक 20.03.2017 से दिनांक 31.12.2019 तक आत्मसमर्पण कर अथवा जमानत निरस्त कराकर जेल जाने वाले अपराधियों की संख्या कुल-18841 हो चुकी है।
- अपराधों पर पूर्ण नियंत्रण से प्रदेश में विकास का माहौल बना है। कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई है तथा प्रदेश में कानून का राज फिर से स्थापित हुआ है। सभी प्रमुख त्यौहार, मेले आदि सकुशल सम्पन्न हुए है। सोशल मीडिया की सक्रियता से भी अपराधों पर नियंत्रण लगा है तथा पुलिस की छवि उज्ज्वल हुई हैं।
- उ0प्र0 नेपाल सीमा पर सुरक्षा बलों की सतर्कता के कारण उ0प्र0 नेपाल सीमा से भारतीय जाली मुद्रा की तस्करी का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है। प्रदेश में कोई माओवादी गतिविधि प्रकाश में नहीं आई है। नक्सलवादी गतिविधियों के सम्बन्ध में उ0प्र0 के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कोई नक्सली घटना नहीं होने पायी। उ0प्र0 के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस का एरिया डॉमिनेशन बना हुआ है।
- श्री रामजन्म भूमि/बाबरी मस्जिद प्रकरण में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के गत वर्ष हुए 9 नवम्बर के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में व्यापक सुरक्षा प्रबन्ध सुनिश्चित किया जाना आवश्यक था, अन्यथा एक छोटी सी त्रुटि भी गम्भीर रूप धारण कर सकती थी जिससे मात्र उत्तर प्रदेश ही नहीं अपितु सम्पूर्ण भारत वर्ष प्रभावित हो सकता था। प्रदेश सरकार ने इसे चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु बहुचक्रीय सुदृढ़ सुरक्षा-व्यवस्था सुनिश्चित की गयी, जिसके परिणाम स्वरूप किसी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना घटित नहीं हुयी तथा सम्पूर्ण प्रदेश में शान्ति एवं सद्भाव का अभूतपूर्व वातावरण बना रहा।
- वर्ष 2019 मं प्रदेश की 80 लोकसभा क्षेत्रों पर निर्वाचन के दौरान केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों, पीएसी, जनपदीय पुलिस, होमगार्ड्स एवं अन्य अनुपूरक बलों यथा ग्राम चौकीदारों, पीवीडी का चरणवार व्यवस्थापन किया गया जिसके फलस्वरूप मतदान की प्रक्रिया सकुशल, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हुई।

अपराध के विरूद्ध जीरो टालरेन्स की नीति

- अपराधियों के विरूद्ध जीरो टालरेन्स की नीति है। पुलिस द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने के लिये लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। जिसके फलस्वरूप प्रदेश में अपराधों में गिरावट आयी है। इस वर्ष 2020 में पहली जनवरी से 31 जुलाई 2020 तक की अवधि में डकैती में 44 प्रतिशत, लूट में 43 प्रतिशत, गृहभेदन में 31 प्रतिशत, हत्या में 08 प्रतिशत, फिरौती हेतु अपहरण में 35 प्रतिशत व कुल भादवि में 01 प्रतिशत की कमी आयी है।

- महिला सम्बन्धी जघन्य अपराधों में पहली जनवरी से 31 जुलाई 2020 तक की अवधि में विगत वर्ष की अपेक्षा उक्त अवधि में जैसे बलात्कार में 28 प्रतिशत, दहेज मृत्यु में 05 प्रतिशत, शीलभंग में 21 प्रतिशत, अपहरण में 36 प्रतिशत, छेड़खानी में 05 प्रतिशत व पारिवारिक महिला उत्पीड़न के अपराधों में 27 प्रतिशत की कमी आयी है।
- इस वर्ष 2020 में 31 जुलाई तक की अवधि में अनुसूचित जाति/जनजाति उत्पीड़न सम्बन्धी अपराधों के अन्तर्गत हत्या में 11, आगजनी में 14 व बालात्कार में 02 प्रतिशत कमी आयी है।
- पहली जनवरी से 31 जुलाई 2020 तक की अवधि अपराधियों के विरूद्ध की गयी निरोधात्मक कार्यवाही में गुण्डा एक्ट में 17908, गैंगेस्टर एक्ट में 2346, रा0सु0का0 में 112, शस्त्र अधिनियम में 18496, जुआ अधिनियम में 7632, एनडीपीएस एक्ट में 5567, आबकारी अधिनियम में 43598 एवं गोवध अधिनियम के अन्तर्गत 1716, आई0टी0 एक्ट 6198, पाक्सों एक्ट 4215 एवं अन्य अधिनियम के तहत 4367857 की कार्यवाही की गयी है।
- पहली जनवरी से 31 जुलाई 2020 तक की अवधि में प्रदेश पुलिस द्वारा फैक्ट्री निर्मित बन्दूक 110, पिस्टल 74, रिवाल्वर 51, रायफल 54, ऐ0के047/56- 03, स्टेन/कार्बाइन-02, डेटोनेटर-100, कारतूस 3408 एवं शस्त्र फैक्ट्री 106 बरामद करने में सफलता प्राप्त की।
- पहली जनवरी से 31 जुलाई 2020 तक की अवधि में प्रदेश पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तारी के प्रयास के दौरान कुल 10 अपराधियों की मृत्यु हुई है जिसमें 5 लाख का ईनामी विकास दुबे, 1 लाख रुपये के 4 ईनामी अपराधी क्रमशः चांद उर्फ काले, शक्ति नायडू, फिरोज पठान व टिंकू उर्फ कपाला तथा 50 हजार रुपये के 5 ईनामी अपराधी क्रमशः राजे दुबे, पन्ने लाल यादव, बब्लू उर्फ गंजा, अमर दुबे व दीपक सिद्धू के नाम शामिल है।
- पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गये अपराधियों में 26 अपराधी ईनामी है, जिसमें से 5 अपराधियों पर 1 लाख रुपये तथा 21 अपराधियों पर 50 हजार रुपये का ईनाम है। 1 लाख रुपये के गिरफ्तार 5 अपराधियों के नाम क्रमशः मनोज, रवि उर्फ भूरा, लईक अंसारी, नीरज सिंह व महेश है तथा 50 हजार रुपये के 21 अपराधियों के नाम क्रमशः सोनू, आकाश, राजकुमार, शमीम, तवार अली, अरविंद राजभर, दयाशंकर, संजीत, जितेन्द्र, आचमन, चन्द्रप्रकाश, देवेन्द्र यादव, मान सिंह, रवि लोना, तपन दत्त, वसीम, हरिया इफ्तिखार, शिवम संदीप व रामसिंह हैं।
- पहली जनवरी से 31 जुलाई 2020 तक की अवधि में प्रदेश पुलिस द्वारा 65 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कुल 17 अपहतों को सकुशल बरामद/मुक्त कराने में सफलता प्राप्त हुई है। इसके अलावा 42 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 11 लाख 68 हजार रुपये से अधिक की उच्चकोटि की भारतीय जाली मुद्रा बरामद करने में सफलता प्राप्त की गई है।

- प्रदेश के विभिन्न जनपदों के दुर्दान्त अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही के दौरान दिनांक 20.03.2017 से 24.10.2020 तक कुल 125 अपराधी मुठभेड़ में मारे गये एवं 2665 घायल हुये, इन कार्यवाहियों में पुलिस बल के 13 जवान अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन करते हुये वीरगति को प्राप्त हुये तथा 1001 पुलिस कर्मी घायल हुये।
- दिनांक 20.03.2017 से 24.10.2020 तक 25 हजार की धनराशि के ईनामी 8888 अपराधी, 25 से 50 हजार की धनराशि के ईनामी 747 अपराधी एवं 50 हजार से अधिक धनराशि के ईनामी 86 अपराधी (कुल 9721) गिरफ्तार कर जेल भेजे गये।
- गैंगेस्टर एक्ट अधिनियम में 11300 अभियोग पंजीकृत कर 34948 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।
- 904 अभियुक्तों को रा0सु0का0 के अन्तर्गत निरूद्ध किया गया।
- 14(1) गैंगेस्टर अधिनियम के अन्तर्गत कुल 8,44,55,80,114 (08 अरब, 44 करोड़ 55 लाख, 80 हजार, 114 रुपये) लागत मूल्य की चल/अचल सम्पत्तियों के जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।
- अपराधियों में कानून का भय उत्पन्न करने का श्रेय उत्तर प्रदेश पुलिस की विधि सम्मत कठोर कार्यवाही, वृहद कार्य योजना एवं अथक परिश्रम को जाता है।
- पैरोल से फरार अभियुक्तों के विरूद्ध अभियान चलाकर प्रभावी कार्यवाही की गयी जिसके अनुसार पैरोल से फरार कुल-28 अभियुक्तों में से 02 बंदियों द्वारा आत्मसमर्पण किया गया, 03 गिरफ्तार किये गये, 08 बंदियों की मृत्यु हो चुकी है व शेष 15 बंदियों को गिरफ्तार किये जाने की कार्यवाही प्रचलित है।

एंटी रोमियो स्क्वाड

- प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा एवं उनके सशक्तीकरण हेतु 'एंटी रोमियो स्क्वाड' का गठन कर अनवरत अभियान चलाया जा रहा है। उक्त अभियान में दिनांक 22.03.2017 से दिनांक 22.10.2020 तक 3587654 स्थानों पर चेकिंग कर 8643775 व्यक्तियों को चेक किया गया, जिस दौरान 8257 अभियोग पंजीकृत कर 12587 व्यक्तियां के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की गयी। 3623506 व्यक्तियों को चेतावनी प्रदान की गयी।
- दिनांक 17.10.2020 से 25.10.2020 तक विशेष अभियान ''मिशन शक्ति'' नाम से प्रदेश पुलिस द्वारा जो अभियान चलाया गया है उसके उत्साहवर्धक एवं सार्थक परिणाम परिलक्षित हुये हैं। प्रदेश की जनता एवं विशेष कर महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा की भावना प्रबल हुई है तथा प्रदेश पुलिस बल की छवि में उच्चकोटि का सुधार हुआ है।
- प्रदेश में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा और सुदृढ़ बनाये रखने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी जनपदों के समस्त 1535 थानों पर ''महिला हेल्प डेस्क'' की स्थापना की गयी है, जिस पर ससम्मान उनकी शिकायतों का निराकरण कराया जा रहा है।

- महिलाओं व बालिकाओं में सुरक्षा की भावना को और अधिक सुदृढ़ किये जाने के उद्देश्य से पूरे प्रदेश में ''1574 एण्टी रोमियों दल'' सक्रिय रूप से कार्यवाही की। इनके द्वारा 17 अक्टूबर, 2020 से 25 अक्टूबर 2020 तक 59277 स्थानों पर 233880 व्यक्तियों की चेंकिग की गयी है। चेक किये गये व्यक्तियों में से 36595 लोगों से शपथ-पत्र लेकर छोड़ा गया, जिनमें से 12204 अभिभावक हैं।
- मिशन शक्ति विशेष अभियान के दौरान 9166 व्यक्तियों के विरूद्ध 107/116 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत, 4653 व्यक्तियों के विरूद्ध 151 भा0द0सं0 के तहत, 3178 व्यक्तियों के विरूद्ध धारा 110 जी द0प्र0सं0 के तहत, 492 व्यक्तियों के विरूद्ध धारा 294 द0प्र0सं0 के तहत कार्यवाही तथा 23078 व्यक्तियों के विरूद्ध अन्य कार्यवाही की गयी है। इसके अलावा 1524 व्यक्तियों पर गुण्डा एक्ट में भी कार्यवाही की गयी है।

फुट पेट्रोलिंग

- प्रदेश की आम जनता के बीच सुरक्षा की भावना, पुलिस की मित्र छवि बनाये जाने एवं अपराधियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही किए जाने के उद्देश्य से दिनांक 01.06.2017 से दिनांक 22.10.2020 तक प्रदेश के 8534142 स्थानों पर चेकिंग करते हुए 24299832 संदिग्ध व्यक्तियों को चेक करते हुये 887825 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर 278197 अभियोग पंजीकृत किये गये एवं इन अभियोगों में 416221 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वाले व्यक्तियों व शराब की अवैध बिक्री को रोकने के सम्बन्ध में कार्यवाही

- दिनांक 01.09.2017 से 30.09.2020 की अवधि में कार्यवाही के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वाले कुल 706791 व्यक्तियों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की गई। माह सितम्बर में कुल - 37321.5 ली0 अवैध शराब बरामदगी की गई।

महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ घटित घटनाओं पर प्रभावी कार्यवाही

- प्रदेश में महिलाओं एवं बच्चियों के विरूद्ध घटित अपराधों की रोकथाम हेतु पोक्सो एक्ट के अभियोगों में अभियुक्तों को कठोर दण्ड दिलाये जाने के लिए वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लगातार पर्यवेक्षण किया जा रहा है जिसके फलस्वरूप पोक्सो एक्ट के अपराधों में वर्ष 2019 में, वर्ष 2020 में दिनांक 01.01.2019 से 30.04.2020 तक मृत्यु दण्ड के 05, आजीवन कारावास के 193 व अन्य दण्ड के 721 वादों में सजा हुयी है।
- प्रदेश में महिला सुरक्षा के लिए उ0प्र0 वूमेन पावर लाइन-1090 को FICCI Smart Policing Award 2019 के अन्तर्गत Special Jury Award 2019 से सम्मानित किया गया है।
- प्रदेश में बच्चों की सुरक्षा के लिए FICCI Smart Policing Award 2019 के अन्तर्गत FICCI Smart Policing Award 2019 से सम्मानित किया गया है।

- महिला सशक्तीकरण के उद्देश्य से प्रचलित पावर एजेण्ट योजनान्तर्गत अब तक प्रदेश में लगभग 15,000 पॉवर एजेण्ट बनाये गये है।
- प्रदेश में महिलाओं तथा बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा उनके सामाजिक सुदृढ़ीकरण की दिशा में शासन एवं पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के द्वारा अनेक योजनायें लागू की गई हैं। जिनमे सार्थक परिणाम दृष्टिगोचर हुये हैं। जिनमें प्रमुख रूप से एण्टी रोमियो स्क्वायड का गठन, संवेदनशील स्थलों पर महिला पुलिस कर्मियों के साथ पुलिस टीम द्वारा सादे वस्त्रों में चेकिंग किया जाना, वूमेन पावर लाइन-1090 योजना का सुचारू क्रियान्वयन, यू0पी0-112 इण्डिया मोबाइल एप, रात्रि के दौरान सुरक्षा कवच योजना, महिला हेल्प डेस्क, थानों एवं महत्वपूर्ण स्थानों पर महिला उत्पीड़न संबंधी शिकायतों के निवारण हेतु दृश्य स्थानों पर नोटिस बोर्ड, वाल राइटिंग का अंकन इत्यादि सम्मिलित है।
- वूमेन पावर लाइन-1090 द्वारा 1090 एप विकसित किया या है। इसके द्वारा जिन घटनाओं पर त्वरित कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा किया जाना अपेक्षित होता है, उन सम्बन्धित थाने को उक्त शिकायत को स्थानान्तरित कर दिया जाता है वीमेन पावर लाइन NEO App नाम से एक ऐप लांच किया गया है, जो महिलाओं की शिकायतों के त्वरित निस्तारण में सहायक सिद्ध हो रहा है। इस ऐप द्वारा वीमेन हेल्प लाइन 181 पर 1090 से सम्बन्धित शिकायतें आने पर 1090 पर स्थानान्तरित किया जा रहा है।
- महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ टेलीफोन द्वारा छेड़खानी, विभिन्न प्रकार के उत्पीड़न तथा छोटे-छोटे अपराधों को बिना थाने जाये प्रारम्भिक स्तर पर रोकने के उद्देश्य से स्थापित वीमेन पॉवर लाइन 1090 पर 1 जनवरी 2019 से 31 दिसम्बर 2019 तक कुल 2,79,157 शिकायतें दर्ज हुई हैं। कुल दर्ज 2,79,157 शिकायतों में से 1,97,750 शिकायतें फोन बुलिंग एवं साइबर बुलिंग से संबंधित थीं, जिसको सीधे 1090 द्वारा निस्तारित किया गया व इसका निस्तारण अब तक 99.50 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त 4,204 शिकायतें स्टाकिंग से संबंधित थीं व 77,203 शिकायतें अपराध से संबंधित होने के कारण उन्हें जनपदीय पुलिस को अन्तरित किया गया।
- वीमेन पॉवर लाइन पर 01 जनवरी 2020 से 31 अक्टूबर 2020 तक कुल 2,34,836 शिकायतें दर्ज हुई हैं। कुल दर्ज 2,34,836 शिकायतों में से 1,48,621 शिकायतें फोन बुलिंग एवं साइबर बुलिंग से संबंधित हैं, जिसको सीधे 1090 द्वारा निस्तारित किया जा रहा है, जिसमें से अभी तक 1,27,846 शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है, शेष शिकायतें निस्तारण की प्रक्रिया में हैं। इसके अतिरिक्त 2,230 शिकायतें स्टाकिंग से संबंधित हैं व 83,985 शिकायतें अपराध से संबंधित होने के कारण उन्हें जनपदीय पुलिस, जी0आर0पी0, यू0पी0-112 को अन्तरित किया गया। इसके साथ ही 01 जुलाई 2020 से अब तक दर्ज 1,768 शिकायतों में एफ0एफ0आर0 (फैमिली, फ्रेण्ड्स, रिलेटिव) काउन्सलिंग कर पीड़िता को राहत पहुंचाई गयी है।

- महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ व प्रभावी बनाने हेतु सेफ सिटी परियोजना के अन्तर्गत वीमेन पॉवर लाइन 1090 में ''डाटा एनालिटिक्स सेंटर'' की स्थापना की जा रही है। डाटा एनालिटिक्स सेंटर में विभिन्न श्रोतों से महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों की शिकायतों का डेटा एकत्र कर उसके विश्लेषण एवं मिलान की कार्यवाही की जायेगी। इसके माध्यम से महिला सम्बन्धी अपराधों विशेष रूप से छेड़खानी के हॉट-स्पॉट का चिन्हीकरण तथा मासिक समीक्षा के आधार पर जनपदीय पुलिस एवं एण्टी रोमिया स्क्वाड को और सक्रिय किया जा सकेगा।

कोविड-19 की रोकथाम हेतु पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय प्रयास

- कोरोना संक्रमण के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों का तत्परता एवं दृढ़ता से पुलिस द्वारा पूरी लगन एवं निष्ठा से अनुपालन सुनिश्चित कराया गया। करोना की विषम एवं चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के दृष्टिगत पूर्ण मनोयोग एवं संवेदनशीलता के साथ गाइड लाइन्स का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराने के साथ-साथ पुलिस का मानवीय चेहरा भी सामने आया है।
- लॉकडाउन के दौरान 37 लाख से अधिक लोग/श्रमिक अन्य प्रदेशों से उत्तर प्रदेश में लाये गये जिनके आगमन के दौरा पूरे प्रदेश में कहीं भी कानून-व्यवस्था की विषम परिस्थिति उत्पन्न नहीं हुई है।
- कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए पुलिस मुख्यालय द्वारा जनपदों एवं इकाईयों को 17.9 (सत्रह करोड़ नब्बे लाख रुपये) की धनराशि, साफ-सफाई, सुरक्षात्मक उपकरण यथा मास्क, सेनिटाइजर, आईसीएमआर से स्वीकृत पीपीई किट आदि के लिए उपलब्ध कराया गया।
- यूपी 112 द्वारा जहां एक ओर लॉक डाउन के दौरान नियमों के अनुपालन की दिशा में सराहनीय प्रयास किये गये वही प्रदेश पुलिस का मानवीय चेहरा भी उभर कर सामने आया है। डायल 112 के माध्यम से लॉकडाउन के दौरान विगत 24 मार्च, 2020 से अबतक लगातार पी0आर0वी0 पर तैनात पुलिस कर्मियों द्वारा प्रदेश के कुल 6 लाख 46 हजार से अधिक जरूरतमंदों को मदद पहुँचायी गई। लगभग 204315 व्यक्तियों तक खाद्य सामग्री तथा 27897 व्यक्तियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने में सहायता की गई साथ ही 58057 लोगों तक जीवन रक्षक दवाईयां व अन्य सहायता पहुंचाने में मदद की गयी।

पुलिस विभाग में रिक्त पदों पर भर्ती हेतु विशेष प्रयास

- मुख्यमंत्री के निर्देश पर पुलिस विभाग में रिक्त पदों पर भर्ती हेतु विशेष प्रयास किये गये हैं। प्रदेश में पुलिस बल की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा विशेष प्रयास कर पूरी निष्पक्षता एंव पारदर्शिता के साथ आरक्षी नागरिक पुलिस व पी.ए.सी. के पदों पर 49,568 अभ्यर्थियों को अन्तिम रूप से चयनित करते हुए परिणाम घोषित किया जा चुका है।

- उल्लेखनीय है कि वर्तमान सरकार में जब तक 1 लाख 37 हजार से अधिक कर्मियों की भर्ती की गई है। साथ ही उपनिरीक्षक, जेल वार्डर, घुड़सवार पुलिस व फायर मैन के कुल 11,428 पदों पर भर्ती की कार्यवाही प्रचलित है। इसके फलस्वरूप प्रदेश पुलिस बल को अतिरिक्त जवानों की उपलब्धता से प्रदेश की अपराध स्थिति एवं कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी।

हिंसात्मक कार्यों में लिप्त व्यक्तियों से नुकसान की वसूली हेतु दावा अधिकरण का गठन

- हड़ताल, बंद, दंगों, लोक अशान्ति के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर हिंसात्मक कार्यों को पूरा करने वालो के विरूद्ध कार्यवाही तथा इसके फलस्वरूप लोक तथा निजी सम्पत्ति की क्षति की वसूली के लिए दावा अधिकरण के गठन किया गया है जिसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गयी है। इसके अधीन सर्वप्रथम लखनऊ एवं मेरठ मण्डल में दावा अधिकरण का गठन किया जा रहा है। लखनऊ के 12 मण्डलों एवं मेरठ के 06 मण्डलों से सम्बन्धित दावा याचिकाओं का निस्तारण इनके द्वारा किया जायेगा। लोक एवं निजी सम्पत्ति की वसूली की कार्यवाही भू-राजस्व के बकाये के रूप में की जायेगी। दावा अधिकरण के 02 सदस्य होंगे, जिसमें अध्यक्ष सेवानिवृत्त जिला जज होगा और दूसरा सदस्य मण्डल में नियुक्त अपर मण्डलायुक्त श्रेणी का अधिकारी होगा।
- नागरिकता संशोधन अधि0-2019 (CAA) के विरोध प्रदर्शन में हुये आक्रामक हिंसा के दौरान प्रदेश में हुयी सरकारी सम्पत्तियों को क्षति पहुंचाने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुये क्षतिपूर्ति की वसूली की कार्यवाही में करीब 1,73,13,682/ रु. की क्षतिग्रस्त राजकीय सम्पत्ति की क्षतिपूर्ति दोषी व्यक्तियों से करीब 23,36,936/रु. की मूल्य की वसूली की जा चुकी है तथा एक मैरेज लॉन सीज किया गया है।

साइबर अपराधों पर प्रभावी अंकुश हेतु सभी परिक्षेत्रीय मुख्यालयों पर साइबर थाने

- प्रदेश में बढ़ रहे साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु साइबर क्राइम थाना लखनऊ व साइबर क्राइम थाना गौतमबुद्धनगर के अतिरिक्त 16 परिक्षेत्रीय मुख्यालयों पर एक-एक साइबर क्राइम थाने की स्थापना हेतु पदों का सृजन किया जा चुका है।
- CCPWC के तहत लगभग चार करोड़ रुपये की लागत से निर्मित एक Cyber Forensic Lab का निर्माण किया गया है जिसमें 25 High-End वर्क स्टेशन स्थापित किये गये।
- Disk & Mobile Forensic Software and Harware Tools का भी क्रय कर स्थापित किया गया है ताकि विवेचना में विवेचकों को इन Tools की मदद से Data Extract कर विवेचना की उच्च गुणवत्ता को बरकरार रखा जाये एवं Complex Nature of cyber crime का सफलता पूर्व निस्तारण किया जा सके। साथ ही अब तक इस लैब के द्वारा 115 न्यायिक अधिकारी तथा 1098 पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

नये थाने, चौकी एवं फायर स्टेशनों के निर्माण कार्य

- प्रदेश के पुलिस कर्मियों एवं उनके परिवारों की आवासीय कठिनाईयों को देखते हुए उन्हें उत्कृष्ट कोटि के आधुनिक संसाधनों से युक्त आवासीय भवनों की उनके कार्य स्थल पर उपलब्ध कराने तथा उनके कार्य स्थल हेतु प्राथमिकता के आधार पर अनावासीय भवनों का निर्माण कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता पर कराये जाने का निर्णय लिया गया है।
- पुलिस विभाग के लिये चल रहे वर्तमान निर्माण कार्यों के अलावा शासन द्वारा इस कार्य के विशेष प्रयास किये जाने का निर्णय लिया गया है जिसके तहत 500 आवासीय एवं अनावासीय परियोजनाओं को पूरा किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इनमें से 470 परियोजनाओं को चिन्हित कर उनकों अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया गया है जिसके लिये 2788 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है।
- जिन 470 परियोजनाओं को मंजूरी दी गयी है उनमें 317 थानों में हॉस्टल, बैरक का निर्माण, 15 ट्राजिस्ट हॉस्टल, 18 हॉस्टल व 30 बैरक बनाये जायेंगे। इस बार निर्माण कार्यों में महिलाओं के लिये पृथक से बैरक निर्माण को प्राथमिकता दी गयी है। पीएसी की 30 वाहिनीयों में 200 व्यक्तियों की क्षमता वाले बैरकों के निर्माण कार्यों को मंजूरी दी गयी है।
- 88 पुलिस लाइन में ट्रांजिट हास्टल के निर्माण हेतु 26685.00 करोड़ रुपये, 31 पी0ए0सी0 वाहिनियों में 200 व्यक्तियों के क्षमता की बैरक हेतु 4500.00 करोड़ रुपये, पुलिस लाइन में पुरूषों हेतु अलग-अलग हॉस्टल/बैरक के निर्माण हेतु 6600.00 करोड़ रुपये, 322 थानों पर विभिन्न क्षमता के हॉस्टल/बैरक एवं विवेचना कक्ष हेतु 39867.78 करोड़ रुपये व पुलिस लाइन में महिलाओं हेतु अलग-अलग हॉस्टल/बैरक के लिए 6189. 05 करोड़ रुपये स्वीकृत कर दिया गया है इनका निर्माण कार्य प्रगति पर चल रहा है।
- वित्तीय वर्ष 2019-20 में लगभग 111 करोड़ रुपये की धनराशि विभिन्न प्रकृति के कुल 37 थाने एवं 13 पुलिस चौकियों के निर्माण हेतु स्वीकृत की जा चुकी है, जिनका निर्माण कार्य प्रगति पर है।
- 69 अग्निशमन केन्द्रों के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु लगभग 145. 62 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति निर्गत कर निर्माण कार्य प्रगति पर है।

पुलिस में तकनीकी को बढ़ावा

- यूपी पुलिस ने तकनीक के क्षेत्र में भी बुलंदियों को छूकर स्मार्ट पुलिसिंग की दिशा में नये आयाम स्थापित किये हैं। अखिल भारतीय पुलिस साइंस काग्रेस-2019 में विभिन्न राज्यों से आये प्रतिनिधियों द्वारा भी उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा तकनीक के श्रेष्ठ प्रयोगों की सराहना की गयी है।

- 10 राज्यों में लागू ''ई-प्रासीक्यूशन प्रणाली'' के उपयोग में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर आ गया है। अपराधियों को सजा दिलाने के कार्य में और अधिक तेजी लाने के उद्देश्य से अभियोजन विभाग को और अधिक सक्रिय किया गया है।
- यूपी पुलिस द्वारा सोशल मीडिया के जरिये अफवाहों की रोकथाम, अपराध नियंत्रण एवं जनसमस्याओं के त्वरित निस्तारण को देश के तमाम राज्यों की पुलिस द्वारा अनुकरण किया जा रहा है। प्रदेश के नागरिकों को बेहतर सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से सूचना प्रौद्योगिकी के कुशल प्रयोग से ऐसे ऐप बनाये गये हैं जिनमें एफआईआर, चरित्र सत्यापन और विभिन्न प्रकार की नागरिक सेवाओं को जन-सामान्य द्वारा आसानी से प्राप्त किया जा रहा है।
- इन्टीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (आईसीजेएस) के अन्तर्गत E-Prison, E-Prosecution, E-Court फॉरेंसिक, चिकित्सा विभाग को लिंक कर दिया गया है जिससे समस्त सूचनाएं थाने पर ही कम्प्यूटर पर एक क्लिक पर उपलब्ध हो जायेंगी।

पुलिस के लिए बेहतर प्रशिक्षण की व्यवस्था

- प्रदेश के 9 पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों की प्रशिक्षण क्षमता को दोगुना करने के लिये विभिन्न श्रेणी के कुल 1227 पदों का सृजन किया गया है। प्रदेश के 9 प्रशिक्षण संस्थानों में विभिन्न श्रेणी के कुल 924 पद सृजित थे जो अब बढ़कर 2151 हो गये है। पुलिस प्रशिक्षण क्षमता पूर्व में 5650 थी जिसे बढ़ाकर कुल क्षमता 11500 की गयी है। इसके साथ ही नवसृजित जनपद सुल्तानपुर व जालौन, कालपी के प्रशिक्षण विद्यालयों में क्रमशः कुल 181/181 पदों का सृजन किया गया है, जिनकी क्षमता क्रमशः 800/800 है। इस प्रकार से कुल 9 प्रशिक्षण संस्थानों/नवसृजित जनपद सुल्तानपुर/जालौन, कालपी में कुल 2513 पद सृजित है व उनकी कुल क्षमता 13100 है।

कुम्भ का सफल आयोजन

- कुम्भ जैसे महापर्व के सुरक्षित और सफलतापूर्वक आयोजन ने वैश्विक स्तर पर प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है।

सेफ सिटी योजना एवं महिला सुरक्षा योजना

- महिलाओं एवं लड़कियों की सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु भारत सरकार की सहायता से सेफ सिटी प्रोजेक्ट के अन्तर्गत लखनऊ में 195.55 करोड़ की परियोजना की स्वीकृति प्रदान की गयी है।
- महिलाओं एवं लड़कियों की सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु भारत सरकार द्वारा निर्भया फण्ड की स्थापना की गयी, जिसमें देश के 08 शहरों को चिन्हित किया गया है। इस फण्ड के अन्तर्गत लखनऊ को भी चुना गया है। निर्भया फण्ड के अन्तर्गत लखनऊ को सेफ सिटी प्लान के अन्तर्गत महिलाओं की सुरक्षा हेतु लखनऊ पुलिस, महिला एवं

बाल सुरक्षा संगठन (वूमेन पावर लाइन-1090) तथा अन्य एजेन्सियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को और उपयोगी एवं सशक्त बनाया जा रहा है।

सोशल मीडिया पर पैनी नजर

- उ0प्र0 पुलिस सोशल मीडिया के माध्यम से फैलायी जाने वाली अफवाहों को रोकने के लिये प्रदेश के समस्त थानों पर डिजिटल वॉलन्टियर के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप कार्य कर रहे हैं। सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में 2,40,000 से अधिक लोगों को डिजिटल वालंटियर ग्रुप के माध्यम से जोड़ा जा चुका है।
- प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2019-20 के मध्य ट्विटर के माध्यम से प्राप्त 6,32,089 प्राप्त शिकायतों के आधार पर सम्बन्धित जनपदों को ट्वीट कर कुल 4,167 एफ.आई.आर. पंजीकृत करायी गयी।

आधुनिकीकरण की दिशा में विशेष प्रयास

- डिजिटल इण्डिया की दिशा में प्रदेश में अपराध, अपराधिक गतिविधियों एवं अपराधिक घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से यूपी पुलिस द्वारा सेन्ट्रलाइज्ड ऑनलाइन क्रिमिनल डाटाबेस आईडेन्टीफिकेशन ऐप त्रिनेत्र (TRINETRA) विकसित किया गया है। यह देश का पहला ऐप है।

मिशन शक्ति

- महिलाओं व बालिकाओं में सुरक्षा की भावना को और अधिक सुदृढ़ किये जाने के उद्देश्य से पूरे प्रदेश में ''1621 एण्टी रोमिया दल'' सक्रिय रूप से कार्यवाही की। इनके द्वारा 17 अक्टूबर, 2020 से 30 नवम्बर 2020 तक 188281 स्थानों पर 853841 व्यक्तियों की चेंकिंग की गयी है। चेक किये गये व्यक्तियों में से 81661 लोगों से शपथ-पत्र लेकर छोड़ा गया, जिनमें से 28345 अभिभावक हैं।
- मिशन शक्ति विशेष अभियान के दौरान 31866 व्यक्तियों के विरूद्ध 107/116 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत, 14295 व्यक्तियों के विरूद्ध 151 भा0द0सं0 के तहत, 4234 व्यक्तियों के विरूद्ध धारा 110 जी द0प्र0सं0 के तहत, 886 व्यक्तियों के विरूद्ध धारा 294 द0प्र0सं0 के तहत कार्यवाही तथा 87718 व्यक्तियों के विरूद्ध अन्य कार्यवाही की गयी है। इसके अलावा 1295 व्यक्तियों पर गुण्डा एक्ट में भी कार्यवाही की गयी है।

कारागार प्रशासन एवं सुधार

उद्देश्य

पुलिस प्रशासन एवं न्याय पालिका के साथ कारागार प्रशासन भी आपराधिक न्याय प्रणाली का महत्वपूर्ण अंग है एवं समाज में कानून के शासन एवं शान्ति व्यवस्था की स्थापना में कारागार प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कारागारों में निरुद्ध बंदियों का सुरक्षित रख-रखाव, सुधार, व्यवहार परिमार्जन के विभिन्न कार्यक्रमों एवं गतिविधियों का संचालन करने के साथ-साथ उन्हें पुनर्वासन हेतु तैयार करना प्रमुख उद्देश्य है ताकि इनसे लाभान्वित होकर रिहाई के उपरान्त वे समाज में पुनर्स्थापित होने योग्य हो सकें। इस हेतु प्रदेश की कारागारों में सुरक्षा व्यवस्था के सुदृढीकरण हेतु अवस्थापना सुविधाओं का सृजन करने के साथ ही बंदियों हेतु साक्षरता, शैक्षिक एवं कौशल विकास कार्यक्रम, योग, खेलकूद, व्यायाम एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का निरन्तर आयोजन किया जा रहा है।

● कारागार संस्थायें तथा वर्गीकरण

बंदी क्षमता तथा बंदियों को दिये गये दण्ड की अवधि के आधार पर कारागारों का वर्गीकरण किया गया है। वर्तमान में प्रदेश में विभिन्न श्रेणी की 72 कारागारें संचालित हैं, इसके साथ ही कारागार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु डॉ. सम्पूर्णानन्द कारागार प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ एवं कारागारों में उत्पादित वस्तुओं के विक्रय एवं जनता में प्रदर्शन हेतु अमीनाबाद, लखनऊ में जेल डिपो स्थापित है।

● कारागार संस्थाओं का संक्षिप्त परिचय

आदर्श कारागार, लखनऊ

प्रदेश की विभिन्न कारागारों में निरुद्ध अच्छे आचरण के 45 वर्ष से कम आयु के सिद्धदोष बंदियों, जिन्होंने किसी कारागार में कम से कम 01 वर्ष की सजा व्यतीत कर ली हो, को आदर्श कारागार में निरुद्ध करने का प्रावधान है। लखनऊ जनपद में संचालित केन्द्रीय कारागार को वर्ष 1949 में आदर्श कारागार बनाया गया। यहाँ निरुद्ध बंदियों को सुधार के 5 सोपानों क्रमशः स्वागत भवन, यमुना भवन, गंगा भवन, आजाद बैरक तथा कृषि फार्म में रखा जाता है। प्रारम्भ में 6 माह तक स्वागत भवन में निरुद्ध रहने के पश्चात् यमुना भवन में तथा उसके बाद गंगा भवन में रखा जाता है। जहाँ उन्हें विभिन्न उद्योगों में लगाकर पारिश्रमिक प्रदान किया जाता है। गंगा भवन में अच्छे आचरण के पश्चात् आजाद बैरक में बंदी बैण्ड प्रदर्शन, सब्जी विक्रय व दुकानदारी हेतु दिन में बंदियों को जेल परिसर से बाहर भेजने की व्यवस्था है। आदर्श कारागार में निरुद्ध बंदी भारत सरकार द्वारा संचालित गन्ना संस्थान में मजदूरी हेतु जाते हैं जहाँ उन्हें गन्ना संस्थान द्वारा निर्धारित मजदूरी दी जाती है। इस कारागार में बंदियों को वर्ष में एक बार 15 दिन का गृह अवकाश दिया जाता है।

- **केन्द्रीय कारागार**

प्रदेश में संचालित 05 केन्द्रीय कारागारों क्रमशः केन्द्रीय कारागार आगरा, बरेली, फतेहगढ़, नैनी (प्रयागराज) एवं वाराणसी में से केन्द्रीय कारागार आगरा की स्थापना वर्ष 1844 में हुई। यह देश की सर्वप्रथम केन्द्रीय कारागार थी। इसके पश्चात् वर्ष 1848 में केन्द्रीय कारागार बरेली, वर्ष 1867 में केन्द्रीय कारागार लखनऊ, वर्ष 1868 में केन्द्रीय कारागार फतेहगढ़, वर्ष 1869 में केन्द्रीय कारागार नैनी (प्रयागराज) तथा वर्ष 1877 में केन्द्रीय कारागार वाराणसी की स्थापना हुयी। केन्द्रीय कारागारों में निरुद्ध लम्बी सजा के सिद्धदोष बंदियों से श्रम कराने हेतु उद्योग तथा कृषि फार्म संचालित हैं जिनमें काम के एवज में निर्धारित दरों पर पारिश्रमिक देने की व्यवस्था है। वर्तमान में 05 केन्द्रीय कारागारों की उपलब्ध क्षमता 8049 के सापेक्ष 12521 बंदी निरुद्ध हो रहे हैं।

- **जिला कारागार**

प्रदेश के 75 जनपदों में से 62 जनपदों में जिला कारागार संचालित हैं। न्याय एवं प्रशासनिक व्यवस्था के सफल संचालन हेतु प्रत्येक जनपद में जिला कारागार की व्यवस्था आवश्यक है। वर्तमान में 03 जनपदों क्रमशः श्रावस्ती, संत कबीर नगर तथा प्रयागराज में जिला कारागारों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। नवनिर्मित जिला कारागार अम्बेडकरनगर का लोकार्पण मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 09.12.2019 को किया गया है तथा कारागार क्रियाशील हो गयी है। इस प्रकार प्रदेश में कुल 62 जिला कारागारें क्रियाशील हैं। शेष 10 कारागार विहीन जनपदों में जिला कारागारों के निर्माण हेतु भूमि अर्जन की कार्यवाही प्रचलित है। संचालित 62 जिला कारागारों में बंदियों को निरुद्ध करने की उपलब्ध क्षमता 50777 है जिसके सापेक्ष कुल 87569 बंदी निरुद्ध हो रहे हैं जो 1.72 गुना है।

- **नारी बंदी निकेतन लखनऊ**

03 वर्ष से अधिक अवधि से दण्डित सिद्धदोष महिला बंदियों को नारी बंदी निकेतन लखनऊ में निरुद्ध किया जाता है, जहाँ उनके सुधार, कल्याण तथा रिहाई के उपरान्त समाज में पुनर्स्थापित तथा पुनर्वासित होने के लिये विभिन्न रोजगारपरक उद्यम संचालित हो रहे हैं। इन उद्यमों में निर्धारित दरों पर श्रम के एवज में पारिश्रमिक दिया जाता है। महिला बंदियों तथा उनके साथ रह रहे बच्चों के लिये पृथक रसोईघर/पाकशाला, स्वास्थ्य परीक्षण कक्ष/अस्पताल तथा क्रेच की सुविधा है। अपनी माता के साथ रह रहे बच्चों को 03 वर्ष की आयु के पश्चात् समीपस्थ पाठशाला में शिक्षा ग्रहण करने हेतु भेजने की व्यवस्था है। इन बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु समय-समय पर इन्हें चिड़ियाघर, आंचलिक विज्ञान केन्द्र आदि दर्शनीय तथा शिक्षा परक स्थलों का भ्रमण कराया जाता है। शेष कारागारों में निरुद्ध महिला बंदियों को अलग अहाते/बैरक में निरुद्ध किया जाता है।

- **किशोर सदन बरेली**

एक वर्ष से अधिक सजा अवधि एवं 18 से 23 वर्ष की आयु के सिद्धदोष अल्पवयस्क बंदियों को किशोर सदन, बरेली में निरुद्ध करने की व्यवस्था है। किशोर सदन में निरुद्ध बंदियों के लिये कक्षा

8 तक की शिक्षा हेतु जूनियर हाईस्कूल स्थापित है। सदन में स्थापित सिलाई एवं चमड़ा उद्योग में व्यावसायिक प्रशिक्षण, कौशल विकास की सुविधायें हैं। जिला कारागारों में अल्पवयस्क बंदियों को कारागार में अलग अहाते/बैरकों में रखा जाता है। वर्तमान में स्टाफ की कमी तथा अन्य कारणों से बंदी केन्द्रीय कारागार बरेली में निरुद्ध किये जा रहे हैं।

- **डॉ0 सम्पूर्णानन्द कारागार प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ**

कारागार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु वर्ष 1940 में लखनऊ में स्थापित कारागार प्रशिक्षण विद्यालय को वर्ष 1990 से डॉ0 सम्पूर्णानन्द कारागार प्रशिक्षण संस्थान के रूप में उच्चीकृत किया गया है। प्रदेश एवं अन्य राज्यों के सीधी भर्ती के कारागार अधीक्षक, उप कारापाल तथा बंदीरक्षक संवर्ग के कर्मियों के लिये आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन होता है। संस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन हेतु अपर महानिरीक्षक (प्रशिक्षण एवं विकास) का पद सजित है। संस्थान में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन तथा अपर महानिरीक्षक के सहयोग हेतु उपनिदेशक, प्रवक्ता, पुस्तकालयाध्यक्ष, पीटीआई, एमडीआई, लिपिकीय व लेखा संवर्ग तथा सहयोगी स्टाफ के पद सृजित हैं। वर्तमान में संस्थान के निर्धारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में मानवाधिकार तथा कम्प्यूटर दक्षता विषयों को सम्मिलित किया गया है। शासन की प्रशिक्षण नीति के अनुसार नव पदोन्नत सभी संवर्गों के कर्मचारियों/अधिकारियों के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था करायी जा रही है, साथ ही समय-समय पर विशिष्ट आवश्यकताओं के दृष्टिगत अन्य अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किये जाते हैं।

- **जेल डिपो, अमीनाबाद, लखनऊ**

प्रदेश की कारागारों में बंदियों द्वारा उत्पादित औद्योगिक व दस्तकारी उत्पादों का उपयोग कारागारों के साथ मांग पर अन्य शासकीय विभागों में होता है। कारागार उत्पादों के आम जनता में प्रदर्शन एवं विक्रय हेतु अमीनाबाद लखनऊ में जेल डिपो संचालित है। जेल डिपो के माध्यम से विभिन्न कारागारों में उत्पादित सामग्री तथा बंदियों की कृतियों का प्रदर्शन लखनऊ महोत्सव व कुम्भ मेले में किया गया है। वर्तमान में जनपद प्रयागराज में संचालित कुम्भ मेले में लगाये गये जेल उत्पाद विक्रय तथा प्रदर्शन केन्द्र की प्रशंसा हुयी है तथा केन्द्र में रखे गये उत्पादों का अच्छी मात्रा में विक्रय हुआ है।

- **विभागीय संगठनात्मक ढाँचा**

विभाग का संगठनात्मक ढाँचा परिशिष्ट-क में अवलोकनीय है एवं विभिन्न स्तरीय संगठनात्मक स्थिति निम्नवत् हैं :-

- **मुख्यालय संगठन**

कारागारों की प्रशासनिक एवं सुरक्षा व्यवस्था को संचालित किये जाने हेतु कारागार मुख्यालय में पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक स्तर के वरिष्ठ अधिकारी की तैनाती की व्यवस्था की गयी है। वर्तमान में कारागार मुख्यालय डॉ0 सम्पूर्णानन्द कारागार प्रशिक्षण संस्थान, पुरानी जेल रोड, लखनऊ के परिसर में स्थापित नवनिर्मित भवन में संचालित हो रहा है। मुख्यालय संगठन में विभागाध्यक्ष के सहयोग हेतु अपर महानिरीक्षक कारागार, (प्रशासन), अपर महानिरीक्षक (मुख्यालय), वित्त नियंत्रक, उप

महानिरीक्षक (मुख्यालय), वरिष्ठ अधीक्षक, निदेशक कारागार उद्योग, अधिशासी अभियन्ता, शोध अधिकारी, वित्त एवं लेखाधिकारी, सहायक अभियन्ता, कृषि अधिकारी, सहायक लेखाधिकारी, अपर सांख्यकीय अधिकारी तथा विशेष कार्याधिकारी (मानवाधिकार) के पद सृजित हैं। मुख्यालय के कार्यों को 18 अनुभागों तथा 04 प्रकोष्ठों के माध्यम से संचालित किया जाता है। निर्माण कार्यों के क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण हेतु अभियंत्रण इकाई, शोध नियोजन, प्रशिक्षण, मूल्यांकन कार्यों हेतु शोध एवं मूल्यांकन इकाई, विधिक कार्यों हेतु विधि प्रकोष्ठ तथा सम्परीक्षा कार्यों हेतु सम्परीक्षा प्रकोष्ठ संचालित हैं।

- **परिक्षेत्रीय संगठन**

कारागारों की प्रशासनिक एवं सुरक्षा व्यवस्था पर सक्षम नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण हेतु प्रदेश में संचालित 72 कारागारों को 09 परिक्षेत्रों (आगरा, मेरठ, बरेली, लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर, अयोध्या, कानपुर तथा वाराणसी) के अधीन रखा गया है तथा इन्हें उप महानिरीक्षक कारागार स्तर के वरिष्ठ अधिकारी के नियंत्रण में रखने की व्यवस्था है। परिक्षेत्रीय उप महानिरीक्षकों के लिये निरीक्षण हेतु रोस्टर निर्धारित है जिसके अनुसार परिक्षेत्रीय उप महानिरीक्षों द्वारा अधीनस्थ कारागारों में सूचित तथा आकस्मिक निरीक्षण एवं तलाशी की कार्यवाही की जाती है। निरीक्षण एवं तलाशी में यथासंभव समस्याओं एवं कठिनाइयों का निराकरण कराया जाता है जो प्रकरण मुख्यालय तथा शासन के संज्ञान में लाये जाने अपेक्षित होते हैं उन्हें निरीक्षण टिप्पणी के माध्यम से प्रेषित करने की व्यवस्था है। इन संदर्भों पर मुख्यालय तथा शासन स्तर पर कार्यवाही की जाती है। उप महानिरीक्षकों के सहयोग हेतु परिक्षेत्रीय कार्यालयों में आशुलिपिक, लिपिक तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पद सृजित हैं।

- **मण्डलीय संगठन**

बन्दीरक्षक संवर्ग तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के अधिष्ठान सम्बन्धी कार्यों के निस्तारण हेतु वरिष्ठ अधीक्षक कारागार स्तर के अधिकारी के नियंत्रण में निम्नवत् 18 मण्डलीय कारागारों कमशः आदर्श कारागार लखनऊ, केन्द्रीय कारागार आगरा, फतेहगढ़, बरेली, नैनी तथा वाराणसी एवं जिला कारागार मेरठ, मुरादाबाद, बाँदा, झाँसी, गोण्डा, गोरखपुर, आजमगढ़, फैजाबाद, सहारनपुर, बस्ती, अलीगढ़ तथा मिर्जापुर के अधीन रखा गया है।

- **शैक्षिक कार्यक्रम**

कारागारों में निरुद्ध निरक्षर बन्दियों को साक्षर करने हेतु ''एक पढ़ाये एक'' तथा ''नया सवेरा'' कार्यक्रम संचालित है। 24 कारागारें भारत सरकार के साक्षरता मिशन में सम्मिलित हैं। बंदियों के लिये संचालित शैक्षिक कार्यक्रमों के अन्तर्गत निरुद्ध इच्छुक बंदियों के लिये प्राथमिक, बेसिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों में पंजीकरण तथा परीक्षा देने हेतु कारागारों में ही परीक्षा केन्द्र बनाये गये हैं। कक्षा-5 से 8 तक की परीक्षाओं हेतु सभी कारागारें, माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट की परीक्षा हेतु 08 कारागारें तथा इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) द्वारा संचालित विभिन्न उच्च शिक्षा के पाठ्यकमों हेतु 09 कारागारें परीक्षा केन्द्र बनायी गयी हैं। वर्ष 2019 में कक्षा-5 से 8 तक की परीक्षाओं में सम्मिलित लगभग 1200 से अधिक बंदी सम्मिलित

हुये जिसमें 99 प्रतिशत से अधिक बंदी सफल हुये। इसी प्रकार हाई स्कूल की परीक्षा में सम्मिलित 105 बंदियों में से 71 बंदी तथा इण्टरमीडिएट की परीक्षा में सम्मिलित 81 बंदियों में से 52 बंदी उत्तीर्ण हुये। इग्नू की विभिन्न परीक्षाओं में सम्मिलित बंदियों द्वारा बड़ी संख्या में सफलता अर्जित की गयी है। वर्तमान वर्ष में 1805 से अधिक बंदियों द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु पंजीकरण कराया गया है।

- **व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम**

प्रदेश की कारागारों में निरुद्ध बंदियों के शैक्षिक उन्नयन के कार्यक्रमों के साथ-साथ उनके व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा कौशल विकास कार्यक्रमों हेतु विभाग सतत रूप से प्रयत्नशील है। 05 केन्द्रीय कारागारों, आदर्श कारागार लखनऊ एवं जिला कारागार उन्नाव, सीतापुर, रायबरेली तथा गोरखपुर में स्थापित विभिन्न उद्योगों में निरुद्ध सिद्धदोष बंदियों को कार्य एवं पारिश्रमिक अर्जन के अवसर होते हैं। कारागार में स्थापित उद्योगों में गुणवत्तापरक सामग्री के उत्पादन एवं इन उद्योगों में काम करने वाले बंदियों को कार्य का व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं कौशल विकास हेतु रंगाई, बुनाई, दरी डिजाइनर, बढ़ईगिरी, कम्बल बुनाई, पावरलूम, लोहारगीरी, चर्म, सिलाई, हस्तनिर्मित कागज एवं प्रिन्टिंग प्रेस प्रशिक्षक के पद सृजित हैं।

कारागारों में स्थापित उद्योगों के साथ ही स्वयंसेवी संगठनों एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों के माध्यम से बंदियों को रोजगारपरक उद्यमों से सम्बन्धित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कर उनमें कौशल विकास किया जाता है। इसके अतिरिक्त अनेक कारागार यथा जिला कारागार मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, बरेली, लखनऊ तथा आदर्श कारागार लखनऊ में जॉबवर्क आधारित कार्यक्रम भी संचालित हैं जिनमें खेलकूद सामग्री निर्माण, रेडीमेड गारमेण्ट, दरदोजी, मसाला पैकिंग तथा सिलाई उद्योग आदि कार्यक्रम सम्मिलित हैं, साथ ही केन्द्रीय कारागार आगरा, वाराणसी तथा जिला कारागार मिर्जापुर में हथकरघा के माध्यम से वस्त्र, साड़ी एवं कालीन उद्योग संचालित हैं। अनेक उद्यमों की कारागार में ही प्रतिष्ठित तथा सेवाभाव रखने वाले उद्यमियों से एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित करके स्थापना की जा रही है। अभी तक प्रदेश की अनेक कारागारों में एल0ई0डी0 झालर तथा बल्ब, सेनेट्री नैपकिन, तेल पेराई आदि के साथ-साथ कम्प्यूटर एवं सिलाई प्रशिक्षण के कार्यक्रम कारागारों में संचालित हो रहे हैं।

- **बंदी पारिश्रमिक**

बंदियों हेतु 03 श्रेणियों में क्रमशः अकुशल श्रेणी हेतु रू0 25/- अर्द्धकुशल हेतु रु0 30/- तथा कुशल हेतु रु0 40/- प्रतिदिन की दर से पारिश्रमिक निर्धारित है। वर्तमान में बंदी मजदूरी की दरों में वृद्धि हेतु प्रेषित प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है।

- **बन्दियों हेतु सुधारात्मक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम**

बंदी के अपने पारिवारिक तथा सामाजिक परिवेश से अलग निरुद्ध होने से उसमें उत्पन्न एकाकीपन को दूर करने हेतु उसे किसी न किसी रचनात्मक गतिविधि में लगाने हेतु कारागारों में बंदियों

की दैनिक दिनचर्या (प्रिजन रुटीन) निर्धारित है। इसके साथ ही व्यायाम, खेलकूद, योगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रतिष्ठित संस्थाओं/व्यक्तियों/धर्मगुरुओं के माध्यम से विभिन्न सुधारात्मक कार्यक्रमों के साथ-साथ प्रवचन, व्याख्यान आदि कार्यक्रम आयोजित किये जाने की व्यवस्था है। निरुद्ध बंदियों के भीतर अन्तर्निहित प्रतिभाओं एवं कौशल को प्रस्तुत करने हेतु समय-समय पर कला एवं लेखन प्रतियोगिता, लोक गायन, कविता एवं कहानी लेखन की सुविधायें दी गयी हैं तथा प्रत्येक कारागार में उनकी भावनाओं के अभिव्यक्तिकरण हेतु अभिव्यक्ति पटल लगाये गये हैं।

- **बंदियों के खेलकूद कार्यक्रम**

कारागारों में निरुद्ध बंदियों की शारीरिक स्वस्थता हेतु खेलकूद तथा उनके एकाकीपन को दूर करने हेतु खेलकूद कैलेण्डर निर्धारित किया गया है जिसमें विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन का कार्यक्रम निर्धारित है। खेलकूद कैलेण्डर के अनुसार कारागार, जोन एवं राज्य स्तर पर डॉ0 सम्पूर्णानन्द कारागार प्रशिक्षण संस्थान में खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है जिसमें सफल प्रतिभागियों को पुरस्कृत एवं प्रशंसित किया जाता है। इस वर्ष बसंत पंचमी के अवसर पर प्रदेश की सभी कारागारों में जेल दिवस का आयोजन हर्षोल्लास से सम्पन्न हुआ है। कारागार कार्मिकों हेतु भी निर्धारित खेलकूद कैलेण्डर के अनुसार विभिन्न स्तर पर प्रतियोगितायें आयोजित हुयी हैं। कारागार, कारागार मुख्यालय तथा डॉ0 सम्पूर्णानन्द कारागार प्रशिक्षण संस्थान के मध्य क्रिकेट मैच शृंखला आयोजित हुयी है। इसी क्रम में जेल दिवस समारोह कार्यक्रम कारागारों में संचालित हो रहे हैं। खेलकूद कार्यक्रमों के अतिरिक्त अधीनस्थ सभी कारागारों में खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा अन्तर्निहित प्रतिभाओं के प्रस्तुतीकरण हेतु कविता, कहानी, चित्रकला, पेण्टिंग आदि प्रतियोगिताओं के आयोजन भी सम्पन्न हुए हैं।

- **मनोरंजन की व्यवस्था**

कारागारों में निरुद्ध बंदियों के खालीपन को दूर करने तथा उनके व्यवहार तथा आचरण को परिमार्जित करने हेतु मनोरंजन के अनेक साधन सुलभ कराये गये हैं। प्रदेश की सभी कारागारों में एल0ई0डी0 टेलीविजन, पब्लिक एड्रेस सिस्टम तथा संगीत एवं वादन की व्यवस्था की गयी है। नई निर्मित हो रही सभी कारागारों में बहुउद्देशीय हॉल निर्मित किये जा रहे हैं, जो सभी बंदियों को एक साथ बैठाकर विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यकर्मों के साथ-साथ यथा स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस एवं महात्मा गाँधी जी के जन्म दिवस के राष्ट्रीय पर्वों एवं कारागारों में हर्षोल्लास के साथ मनाये जाने वाले धार्मिक पर्वों यथा रक्षाबन्धन, होली, दीपावली, भैयादूज, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, ईद एवं अन्य धर्मों के पर्वों में भी भाईचारा तथा परस्पर सद्भाव बनाने में लाभदायी हुये हैं। साथ ही भजन, कीर्तन करने की व्यवस्था भी है। प्रथम चरण में कारागारों में स्थापित 43 इंच के 900 एलईडी टेलीविजन स्थापना के क्रम में द्वितीय चरण में 290 एलईडी टीवी पुनः स्थापित किये गये हैं।

- **वाचनालय एवं पुस्तकालय की व्यवस्था**

प्रदेश की सभी कारागारों में बंदियों के पठन-पाठन हेतु पुस्तकालय स्थापित हैं। पुस्तकालयों में दैनिक समाचार पत्र, पत्रिकायें, नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा की पुस्तकें, कहानी एवं कविता संग्रह आदि

की व्यवस्था है इनसे बंदियों के ज्ञानार्जन तथा सुधारात्मक क्रियाकलापों को बल मिलता है। विभाग के सुधारवादी दृष्टिकोण के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संस्थाओं/व्यक्तियों द्वारा कारागार पुस्तकालयों में पुस्तकों तथा अन्य सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित कर पुस्तकालयों को सुदृढ़ किया गया है। नोएडा स्थित रंगनाथन सोसाइटी तथा बम्बई स्थित हिन्दुस्तानी प्रचार सभा तथा राष्ट्रीय युवा शक्ति एटा एवं प्रदेश की अन्य संस्थाओं द्वारा पुस्तकालयों में अपना महत्तम योगदान दिया गया है। इस वर्ष गणतन्त्र दिवस के अवसर पर ऐसी अनेक संस्थाओं को उनके योगदान के लिये पुलिस महानिदेशक द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है।

- **बन्दियों के मानवाधिकारों का संरक्षण**

बंदियों की मानवीय गरिमा एवं उनकी मूलभूत आवश्यकताओं तथा उनके अधिकारों के संरक्षण के प्रति विभाग चिंतनशील है। वर्तमान में निरन्तर बदल रहे सुधारवादी दृष्टिकोण के अन्तर्गत बंदियों को अपराधी समझ कर दण्डित करने की पुरानी मान्यताएं समाप्त हो रही हैं तथा कारागारों में बंदियों को बेड़ी एवं हथकड़ी लगाने की व्यवस्था समाप्त हो गई है। कारागारों में घटित होने वाली बंदी मृत्यु के प्रकरणों में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को तत्काल रिपोर्ट दी जाती है तथा आयोग द्वारा निर्धारित समस्त रिपोर्ट प्रेषित की जाती हैं। आयोग से प्राप्त होने वाली नोटिस एवं शिकायतों की जाँच तत्परता से करायी जाती है फलस्वरूप उत्तरदायी जेल कार्मिकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है। कारागार में बंदियों को उनके विधिक अधिकारों को सुगम कराने, परिजनों से मुलाकात किये जाने तथा पत्र लिखे जाने का समुचित एवं समान अवसर प्रदान किया जाता है। कारागार में बंदियों को निर्धारित मात्रा में गुणवत्तापरक भोजन तथा पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध कराया जाता है।

- **बंदियों हेतु भोजन की व्यवस्था**

जेल मैनुअल के प्राविधानों के अनुसार बंदियों को निर्धारित मात्रा में भोजन दिया जाता है। रविवार एवं त्यौहारों के अवसर पर बंदियों को विशेष भोजन दिये जाने की व्यवस्था है तथा बंदियों के भोजन में दाल, रोटी तथा सब्जी दी जाती है तथा सप्ताह में दो बार चावल दिये जाने की व्यवस्था है। इस व्यवस्था में सुधार करते हुये इच्छुक बंदियों को रोटी के स्थान पर रोटी/चावल की मिली-जुली डाइट दिये जाने की व्यवस्था भी की गयी है। भोजन को रुचिकर बनाने हेतु सप्ताह में प्रत्येक दिन भिन्न-भिन्न दालें यथा अरहर, उरद/चना, राजमा/उरद तथा सब्जी में मूंग की बड़ी एवं सोयाबीन बड़ी दिये जाने की व्यवस्था है। बंदियों को सामान्यतया दिन में एक बार तथा जाड़े में दो बार चाय दी जाती है। बीमार बंदियों तथा दूध पिलाने वाली गर्भवती महिला बंदियों को चिकित्साधिकारी की संस्तुति पर अतिरिक्त आहार दिया जाता है। महिला बन्दियों के साथ रहने वाले बच्चों को अलग से भोजन, दूध तथा फल आदि दिये जाते हैं। बंदियों के भोजन में डालडा घी के उपयोग के स्थान पर रिफाइंड तेल का उपयोग किया जाता है। भोजन के मानक परिशिष्ट-'घ' में अवलोकनीय हैं।

- **मुलाकात व्यवस्था**

बन्दियों की मुलाकात व्यवस्था को पारदर्शी तथा मुलाकातियों के लिये सुविधाजनक बनाने के प्रयास

किये जा रहे हैं। बन्दियों तथा उनके परिजनों की आपत्तियां/शिकायतें प्राप्त करने हेतु कारागार के मुख्य स्थानों पर शिकायत पेटिकायें लगायी गयी हैं। शिकायत पेटिकाओं में प्राप्त शिकायत का निराकरण कारागार में तैनात अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से किया जाता है। कारागार के मुख्य द्वार के पास मुलाकात के नियमों की जानकारी हेत सूचना पट लगाये गये हैं। मुलाकात व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी बनाये जाने हेतु ई-प्रिजन कार्ययोजना के अन्तर्गत बंदियों के मुलाकातियों को कम्प्यूटरीकृत मुलाकात पर्ची निर्गत करने की व्यवस्था की गयी है। प्रदेश की सभी कारागारों में यह व्यवस्था संचालित है। ई-प्रिजन के अन्तर्गत ऑनलाइन मुलाकात की बुकिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। बंदियों को उनके द्वारा दिये गये व पुलिस द्वारा पुष्टीकृत 02 टेलीफोन/मोबाइल नम्बरों पर सप्ताह में एक बार 05 मिनट तक बात करने की सुविधा को सप्ताह में 02 बार अनुमन्य करने से बंदियों की औचित्यपूर्ण मांग की पूर्ति हुयी है।

- **बंदियों की चिकित्सा व्यवस्था**

कारागारों में बंदियों की समुचित चिकित्सा उपचार हेतु अस्पताल भवनों के निर्माण तथा इनमें आवश्यक अवस्थापना तथा उपकरणों की व्यवस्था को विशेष प्राथमिकता के क्षेत्र में लाया गया है। सभी कारागार अस्पतालों में एम्बुलेंस तथा शुद्ध पेयजल हेतु आर0ओ0 प्लाण्ट स्थापित किये गये हैं। आर0ओ0 से पेयजल आपूर्ति से बंदियों की बीमारियों में कमी आयी है। बंदियों के स्वास्थ्य तथा उनके वस्त्र एवं बिस्तर की सफाई हेतु हैवी ड्यूटी वाशिंग मशीन की व्यवस्था चरणबद्ध रूप से कराये जाने का प्रस्ताव है। वर्तमान वर्ष में 10 कारागारों के अस्पतालों में यह व्यवस्था करायी जा रही है।

कारागार चिकित्सालयों में बंदियों की चिकित्सा व्यवस्था हेतु कारागार विभाग के अधिष्ठान में चिकित्सकों के कुल 149 पद सृजित (वरिष्ठ परामर्शदाता-60, परामर्शदाता-60 तथा चिकित्साधिकारी-27 व 02 महिला चिकित्साधिकारी) हैं। इन पदों पर तैनाती चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जाती है। यह समस्या होती है कि चिकित्सा विभाग द्वारा कुल सृजित पदों के सापेक्ष चिकित्सकों की तैनाती नहीं की जाती है जिस हेतु चिकित्सा विभाग से निरन्तर तैनाती हेतु अनुरोध किया जाता है। वर्तमान में उपरोक्त 149 पदों के सापेक्ष 113 पदों पर तैनाती है। कारागारों में पैरा मेडिकल स्टाफ के अन्तर्गत फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, नर्स, लैब अटेण्डेण्ट तथा डार्करूम अटेण्डेण्ट के पद भी सृजित हैं।

मुख्य चिकित्साधिकारी जिला चिकित्सालयों के मुख्य/वरिष्ठ चिकित्साधीक्षक के नेतृत्व में चिकित्सकों के दल द्वारा माह में दो बार कारागारों के भ्रमण की व्यवस्था है। महिला बंदियों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु स्त्री रोग विशेषज्ञ के भ्रमण की व्यवस्था है तथा इनके द्वारा महिला बंदियों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उपचार किया जाता है। कारागारों में क्षयरोग के बंदियों का परीक्षण एवं पंजीकरण कराने तथा टी0बी0 कार्ड बनाकर उपचार की व्यवस्था करायी गयी है। एच0आई0वी0/एड्स जैसी गम्भीर बीमारियों का भी उपचार किये जाने की व्यवस्था है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा बंदियों के प्रवेश के समय स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्त विवरण की प्रविष्टि निर्धारित प्रारूप में कर अर्द्धवार्षिक आंकड़ों के रूप में प्रेषित करने की व्यवस्था निर्धारित है।

● कारागार प्रबन्ध व्यवस्था के आधुनिकीकरण हेतु उपकरणों की व्यवस्था

कारागार प्रबन्ध व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त एवं संवेदनशील किये जाने हेतु सुरक्षा, तलाशी, संचार, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स तथा बंदी सविधाओं हेतु आधुनिकीकरण के विभिन्न उपकरणों की चरणबद्ध रूप से व्यवस्था करायी जा रही है। कारागारों में स्थापित उपकरणों में वीडियो कान्फ्रेंसिंग, सी0सी0टी0वी0 सर्विलांस, मोबाइल फोन जैमर, पोल मेटल डिटेक्शन सिस्टम, हैण्डहेल्ड, डोरफेम एवं डीप सर्च मेटल डिटेक्टर, वायरलेस सेट, अग्निशमन उपकरण, आर0ओ0 प्लाण्ट, बंदी पी0सी0ओ0, एल0ई0डी0 टेलीविजन, पब्लिक एण्ड्रेस सिस्टम, इलेक्ट्रानिक्स सायरन तथा हूटर आदि की व्यवस्था प्रमुख है। कार्ययोजनावार विवरण निम्नवत है:-

● वीडियो कान्फ्रेन्सिंग

शासन द्वारा प्रदेश की 70 कारागारों तथा 73 जनपद न्यायालयों में वीडियो कान्फ्रेंन्सिंग से बंदियों की पेशी हेतु वीडियो कान्फ्रेसिंग इकाइयों की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गयी है। वर्तमान में 71 जनपद न्यायालयों तथा 69 कारागारों में वीडियो कान्फ्रेसिंग इकाइयाँ स्थापित करा हो गयी हैं। जिला कारागार ज्ञानपुर तथा जनपद न्यायालय ज्ञानपुर एवं श्रावस्ती की इकाइयाँ इन जनपदों के मा0 जनपद न्यायाधीशों के इस निर्देश के साथ क्रियाशील नहीं हो सकी हैं कि इन जनपदों में नये न्यायालय परिसरों के संचालित होने पर कार्य कराया जाये। वर्तमान में वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से विचाराधीन बंदियों की 16 लाख से अधिक रिमाण्ड सम्पन्न हुयी हैं।

वर्तमान में कारागारों से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से रिमाण्ड का प्रतिशत लगभग 90 है इसे शत प्रतिशत किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। इस हेतु शासन स्तर से जनपदों के जिलाधिकारियों तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों/अधीक्षकों से प्रभावी कार्यवाही किये जाने के निर्देशों के साथ-साथ महानिबन्धक, उच्च न्यायालय इलाहाबाद से भी अधीनस्थ जनपद न्यायाधीशों को प्रभावी निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। वीडियो कान्फ्रेसिंग इकाइयों को एनआईसी निकनेट कनेक्टीविटी से आच्छादित कराया गया है। वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से रिमाण्ड की व्यवस्था होने से जहाँ बंदियों को प्रस्तुत करने में मानव शक्ति के उपयोग एवं वाहनों की व्यवस्था तथा उन पर होने वाले व्यय में कमी आयी है वही बंदियों को लाने ले जाने में सम्भावित जोखिम में भी पर्याप्त कमी आयी है।

● मोबाइल फोन जैमर तथा जैमर संचालन हेतु सोलर पावर बैकअप की व्यवस्था

कारागारों में निरुद्ध माफिया, आतंकवादी, तस्कर तथा अन्य खतरनाक प्रकृति के बंदियों द्वारा मोबाइल फोन के उपयोग से आपराधिक नेटवर्क के संचालन पर पूर्ण अंकुश हेतु 02 चरणों में 24 कारागारों में 271 मोबाइल फोन जैमर स्थापित किये गये हैं। स्थापित किये गये मोबाइल फोन जैमर 3जी क्षमता के हैं जिन्हें 4जी से उच्चीकृत किया जाना प्रासंगिक है क्योंकि वर्तमान में सभी मोबाइल सेवा प्रदाता संस्थाओं की 4जी सेवा प्रचलन में आ चुकी है। सचिव (सुरक्षा), कैबिनेट सचिवालय, नई दिल्ली द्वारा अधिकृत ईसीआईएल तथा बीईएल के 4 जी तकनीक के जैमर अनुमोदित कर दिये गये हैं तद्नुसार लागत तथा भविष्य में 4जी, 5जी तथा इससे उच्च तकनीक आने पर बार-बार जैमर के उच्चीकरण पर व्यय की आवश्यकता के दृष्टिगत 4जी से उच्चीकरण का मामला विचाराधीन है।

- **सीसीटीवी सर्विलांस इकाई**

प्रदेश की कारागारों में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने हेतु चरणबद्ध रूप से सीसीटीवी सर्विलान्स इकाइयों की स्थापना करायी गयी है। सभी कारागारों में संवेदनीशील स्थलों का चिन्हांकन करते हुये 30-30 सीसीटीवी कैमरे स्थापित किये गये हैं। चरणबद्ध रूप से प्रदेश की सभी कारागारों में 30-30 की संख्या में कैमरों के और विस्तार किये जाने की आवश्यकता है। उल्लेखनीय है कि कारागारों का क्षेत्रफल व्यापक होता है तथा कार्यस्थलों की संख्या भी अधिक होती है अतः सभी संवेदनशील स्थलों को कैमरों से आच्छादित करना आवश्यक है। तकनीकी में निरन्तर हो रहे उन्नयन के दृष्टिगत कारागारों में स्थापित कम मेगापिक्सल के कैमरों को उच्च मेगापिक्सल की क्षमता से उच्चीकृत कराया जाना आवश्यक है। सी0सी0टी0वी0 सर्विलांस की व्यवस्था निगरानी हेतु नितान्त उपयोगी है।

- **कमाण्ड सेण्टर/वीडियो वॉल**

प्रदेश की समस्त कारागारों में 2750 से अधिक कैमरे स्थापित हैं। अभी तक कारागारों में एनबीआर तथा वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक के कक्षों में डिस्ले सिस्टम लगाकर अनुश्रवण की व्यवस्था थी। कारागार मुख्यालय स्तर से कारागारों की सुरक्षा व्यवस्था का अनुश्रवण/निगरानी करने हेतु सीसीटीवी कैमरों की फीड कारागार मुख्यालय में प्राप्त करने हेतु कमाण्ड सेण्टर/वीडियो वॉल कार्ययोजना क्रियान्वित की गयी है। इस कार्ययोजना के अन्तर्गत प्रत्येक कारागार में 04 एलईडी पैनल की मिनी वीडियो वॉल तथा कारागार मुख्यालय में 12 एलईडी पैनल की सुपर वीडियो वॉल स्थापित करायी गयी हैं। अभी तक इस सुपर वीडियो वॉल में प्रदेश की कारागारों के 600 से अधिक कैमरे संयोजित हो चुके हैं धीरे-धीरे सभी कैमरों को संयोजित कर निगरानी की व्यवस्था करायी जायेगी। इस कार्ययोजना का मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 06.12.2019 को मुख्यालय के कमाण्ड सेण्टर में स्थापित सुपर वीडियो वॉल का लोकार्पण किया गया तथा विभाग की इस पहल तथा उपलब्धि की सराहना की गयी।

- **मेटल डिटेक्टर एवं मेटल डिटेक्शन सिस्टम की व्यवस्था**

कारागारों में निषिद्ध सामग्री की पहुँच पर पूर्ण अंकुश लगाने हेतु सभी कारागारों में हैण्डहेल्ड, डोरफ्रेम तथा डीपसर्च मैटल डिटेक्टर की व्यवस्था के साथ-साथ सभी कारागारों में सूक्ष्मतम धात्विक सामग्री की तलाशी व्यवस्था को सुदृढ करने हेतु पोल मेटल डिटेक्टशन सिस्टम की व्यवस्था करायी गयी है। वर्तमान में कारागारों में किसी न किसी प्रकार मोबाइल फोन की पहुँच तथा उसके दुरुपयोग पर अंकुश लगाना आवश्यक है इस हेतु 09 परिक्षेत्रीय कार्यालयों तथा प्रशिक्षण के उद्देश्य से डॉ0 सम्पूर्णानन्द कारागार प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ में 01-01 अदद नॉन लिनियर जॅक्शन डिडेक्टर (एनएलजेडी) की व्यवस्था करायी जा रही है।

- **वायरलेस सेटों की व्यवस्था**

कारागारों की संचार व्यवस्था में वायरलेस सेट का महत्वपूर्ण योगदान रहा है तथा समय-समय पर कारागारों की आवश्यकता के अनुसार वायरलेस सेट की व्यवस्था करायी गयी है। शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार प्रदेश की कारागारों में स्टेटिक तथा हैण्डहेल्ड वायरलेस सेटों की व्यवस्था करायी

गयी है, वायरलेस सेट की व्यवस्था शासन द्वारा निर्धारित किये गये प्रावधान पुलिस रेडियो मुख्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ के माध्यम से करायी गयी है, वायरलेस सेटों के अनुरक्षण की व्यवस्था करने का दायित्व भी पुलिस रेडियो मुख्यालय को दिया गया है। प्रदेश की सभी कारागारों में 01-01 अदद स्टैटिक तथा निर्धारित मानकों के अनुसार स्टेटिक तथा हैण्ड हैल्ड वायरलेस सेटों की व्यवस्था की गयी है। नव संचालित जिला कारागार अम्बेडकर नगर में वायरलेस सेटों की व्यवस्था करायी जा रही है।

- **बंदी पीसीओ की स्थापना**

देश के अन्य राज्यों की कारागारों में प्रचलित व्यवस्था के अनुसार उत्तर प्रदेश की कारागारों में भी बंदियों को अपने परिजनों से बात करने की सुविधा हेतु सभी कारागारों में बंदी पीसीओ स्थापित कराये गये हैं। शासन द्वारा निर्गत गाइड लाइन के अनुसार बंदियों को उनके द्वारा दिये गये तथा स्थानीय पुलिस द्वारा पुष्टिकृत 02 टेलीफोन/मोबाइल नम्बरों पर सप्ताह में 01 बार 05 मिनट की अवधि के लिये बात करने की सुविधा को विस्तारित करते हुये 02 बार किया गया है। इससे बंदियों की मांग की पूर्ति हुयी है।

- **ई-प्रिजन कार्ययोजना का संचालन**

एनआईसी के माध्यम से प्रदेश की सभी कारागारों में ई-प्रिजन कार्ययोजना संचालित करायी जा रही है अभी तक शासन द्वारा स्वीकृत सभी कारागारों में इसका संचालन हो रहा है। ई-प्रिजन कार्ययोजना के अन्तर्गत एनआईसी द्वारा संरचित साफ्टवेयर के माध्यम से कारागारों में कम्प्यूट्रीकृत मुलाकात पर्ची के माध्यम से बंदियों की पारदर्शी मुलाकात कराने के साथ-साथ आनलाइन मुलाकात बुकिंग की व्यवस्था करायी गयी है। कार्ययोजना के अन्तर्गत कारागारों के सभी क्रियाकलापों को कम्प्यूट्रीकृत कर ई-गवर्नेन्स की व्यवस्था स्थापित करने का लक्ष्य है। ई-प्रिजन कार्ययोजना को सुदृढ़ करने हेतु गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शत प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु0 102.00 लाख, 2018-19 में रू0 79.00 लाख तथा वर्ष 2019-20 में रु. 200.00 लाख का अनुदान दिया गया है इस अनुदान राशि का उपयोग तकनीकी मैनपावर एवं कम्प्यूटर हार्डवेयर की व्यवस्था में किया जा रहा है।

- **बंदी सुविधाओं का उन्नयन**

कारागारों में निरुद्ध बंदियों के रहन सहन की दशाओं में सुधार के साथ-साथ उनके लिये विशेष रूप में कारागार भोजनालयों में आधुनिक मशीन की व्यवस्था, परिजनों से बातचीत हेतु पीसीओ, शुद्धपेय जल हेतु आर0ओ0 प्लाण्ट की व्यवस्था सभी कारागारों में करा दी गयी है। 02 चरणों में प्रदेश की सभी कारागारों में 1190 एलईडी टेलीविजन, 5000 से अधिक सीलिंग पंखे स्थापित कराये गये हैं। इसके साथ ही सभी कारागारों में पब्लिक एण्ड्रेस सिस्टम तथा बंदियों के उपयोग की सुविधाओं का सृजन किया गया है।

●

न्याय प्रशासन

न्याय विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा संचालित विभिन्न नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं की अद्यतन प्रगति रिपोर्ट का विवरण।

1. उत्तर प्रदेश राज्य जिला न्यायालय सेवा नियमावली, 2013 में मा0 मंत्री परिषद के अनुमोदनोपरान्त उत्तर प्रदेश राज्य जिला न्यायालय सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2017 का दिनांक 21 जून, 2017 को प्रकाशन किया गया है।
2. सामान्य नियमावली (सिविल) 1957 के अध्याय-एक के नियम-10 में मा0 मंत्री परिषद के अनुमोदनोपरान्त संशोधन करते हुए सिविल न्यायालयों की दैनिक बैठकों का समय आधा घण्टा बढ़ाते हुए अधिसूचना दिनांक 04.08.2017 के निर्गत/प्रकाशित।
3. सामान्य नियमावली सिविल 1957 के अध्याय-एक के नियम-13 में मा0 मंत्री परिषद के अनुमोदनोपरान्त संशोधन करते हुए अवकाश दिवसों में कार्य हेतु ''राजपत्रित अवकाश'' के स्थान पर ''घोषित अवकाश'' करने संबंधी अधिसूचना दिनांक 04.08.2017 के निर्गत/प्रकाशित।
4. नवसृजित जनपद सम्भल में जनपद न्यायालय का गठन/सृजन दिनांक 05.09.2017 की अधिसूचना द्वारा किया गया।
5. अधीनस्थ न्यायालयों के कतिपय पदधारियों से प्रतिभूत लेने के संबंध में सामान्य नियमावली (सिविल), 1957 के भाग-एक के अध्याय-तेईस के नियम-541 में मा0 मंत्री परिषद के अनुमोदनोपरान्त संशोधित अधिसूचना दिनांक 18.10.2017 को निर्गत।
6. अधीनस्थ न्यायालयों के आज्ञप्तियों से वादों और अपीलों में विनिर्धारण पर अनुज्ञेय फीस के सम्बन्ध में सामान्य नियमावली (सिविल), 1957 के नियम-585 में मा0 मंत्री परिषद के अनुमोदनोपरान्त संशोधित अधिसूचना दिनांक 18.10.2017 को निर्गत।
7. प्रदेश क 13 जनपदों- मेरठ, गौतमबुद्ध नगर, मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़, आगरा, कानपुर, झांसी, लखनऊ, फैजाबाद, इलाहाबाद, गोरखपुर तथा वाराणसी में वाणिज्यिक विवादों निस्तारण हेतु कामर्शियल कोर्टस का गठन अधिसूचना दिनांक 13.10.2017 द्वारा किया गया है।
8. प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालय में ई-कोर्टस प्रोजेक्ट के तहत सिस्टम आफीसर के 71 तथा सिस्टम सहायक के 71 पदों का सृजन शासनादेश दिनांक 02.11.2017 द्वारा किया गया है।
9. अधिसूचना दिनांक 29.05.2018 द्वारा जनपद शामली में जनपद न्यायालय का गठन किया गया है।
10. मा0 मंत्री परिषद के अनुमोदनोपरान्त निर्वाचित सांसदों/विधायकों के लम्बित आपराधिक वादों की सुनवाई के लिए जनपद इलाहाबाद में 01 स्पेशल कोर्ट के गठन के साथ 07 सहायक स्टाफ के पदों का सृजन अधिसूचना दिनांक 29.06.2018 द्वारा किया गया।

11. मा0 उच्च न्यायालय के प्रस्ताव के क्रम में जनरल रूल्स (क्रिमिनल) 1977 तथा जनरल रूल्स (सिविल), 1957 में संशोधन संबंधी अधिसूचना दिनांक 14.08.2018 को निर्गत।
12. महिलाओं के विरूद्ध कारित अपराधिक मुकदमों को शीघ्र निस्तारित करने हेतु जनपद वाराणसी के 01 एफटीसी एडीजे रैंक के न्यायालय के गठन के संबंधी शासनादेश मा0 मंत्रीपरिषद के अनुमोदन के उपरान्त दिनांक 08.03.2019 को निर्गत।
13. महिलाओं के विरूद्ध कारित अपराधिक मुकदमों को शीघ्र निस्तारित करने हेतु न्यायिक मजिस्ट्रेट रैंक के 81 एफटीसी न्यायालय के गठन के संबंधी शासनादेश दिनांक 08.03.2019 को निर्गत।
14. 65 जनपदों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम के अधीन एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट (Exclusive Special Court) गठित करने एवं 09 जनपदों में किसी अपर सत्र न्यायालय को निर्दिष्ट (Specify) किये जाने संबंधी प्रस्ताव पर मा0 मुख्य न्यायाधीश महोदय की सहमति के क्रम में उच्च स्तरीय अनुमोदनोपरान्त अधिसूचना संख्या-08/2019/1084/सात न्याय-2-2019-124/89, दिनांक 29.04.2019 को निर्गत।
15. प्रदेश के 09 तहसील मुख्यालय, जहां वाहय न्यायालय स्थापित नहीं है, पर ग्राम न्यायालय स्थापित किये जाने हेतु 09 ग्राम न्यायालय का गठन संबंधी शासनादेश दिनांक 09 मई, 2019 को निर्गत किया जा चुका है।
16. दिव्यांगजनों के विरूद्ध अपराधों के विचारण हेतु मा0 उच्च न्यायालय की सहमति से विशेष न्यायालय को विनिर्दिष्ट करने संबंधी अधिसूचना दिनांक 20.05.2019 को निर्गत।
17. अधीनस्थ न्यायालयों में वीडियों कान्फ्रेन्सिंग हेतु मैन पावर हेतु 71 जनपदों में सिस्टम सहायक पदों के सृजन पर मा0 मुख्यमंत्री जी के अनुमोदनोपरान्त आदेश दिनांक 03.06.2019 को निर्गत।
18. सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) के न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं को परिवर्तित करके तहसील-बिल्हौर और तहसील-घाटमपुर के क्षेत्रों को जिला रमाबाई नगर (वर्तमान में कानपुर देहात, स्थानी-माती) से हटाकर कानपुर नगर में शामिल करने संबंधी प्रस्ताव पर मा0 मुख्यमंत्री जी के अनुमोदनोपरान्त आदेश दिनांक 14.06.2019 को निर्गत।
19. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 (अधिनियम संख्या-32, सन् 2012) की धारा-28 की उपधारा-1 के अधीन दिनांक 24.10.2013 को निर्गत अधिसूचना के क्रम में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की संस्तुति के आधार पर संशोधित अधिसूचना दिनांक 18.06.2019 को निर्गत।
20. स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ (एन0डी0पी0एस0) अधिनियम, 1985 (अधिनियम संख्या-16 सन् 1985) की धारा 36 की उपधारा (1) के अधीन अपराधों का विचारण के लिए अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालयों की संख्या विनिर्दिष्ट करने विषयक अधिसूचना दिनांक 19.08.2019 को निर्गत।

21. लैंगिक अपराधों से बालकों को संरक्षण अधिनियम-2012 (पाक्सो एक्ट)के अधीन न्यायालयों में परिचलित आपराधिक वादों तथा बलात्कार से संबंधित अपराधों के आपराधिक वादों के शीघ्र निस्तारण हेतु प्रदेश में स्थापित 218 नियमित न्यायालयों हेतु कुल 1744 पदों का सृजन किया गया है।
22. विधिक प्रक्रिया की जानकारी एवं ज्ञान की अवृद्धि करने, विद्यार्थियों एवं शोध छात्रों में वकालत, न्यायिक और अन्य विधिक सेवाओं तथा विधान एवं तत्समान विषयों में कौशल का विकास करके विधि के क्षेत्र में समाज सेवा के प्रति उत्तरदायित्व की भावना का विकास करने के लिए प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में ''राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज'' नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना विषयक ड्राफ्ट विधेयक तैयार कर लिया गया है।
23. प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों की सुरक्षा व्यवस्था हेतु शासनादेश संख्या-705/सात-न्याय-2-2020 दिनांक 30.03.2020 द्वारा निम्न निम्न कार्यों हेतु ई0सी0आई0एल0 को कार्यदायी संस्था नामित किया गया था:-
    1. प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों/अधिवक्ताओं इत्यादि के बायोमैट्रिक आधारित परिचय पत्र तैयर कराया जाना।
    2. प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों की सुरक्षा हेतु गेट आटोमेशन एवं बायोमैट्रिक सिस्टम का व्यवस्थापन पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में जनपद लखनऊ एवं आजमगढ़/वाराणसी में किये जाने एवं इसका विस्तार समस्त जनपद न्यायालयों में किया जाना।
    3. वादकारियों आदि के दैनिक पास हेतु जनशक्ति की तैनाती एवं इस हेतु आवश्यक व्यवस्था।
    4. न्यायालय कक्षों में सी0सी0टी0वी0 कैमराज (आडियों व वीडियों सहित) का अधिष्ठापन।
    5. अन्य जनपद न्यायालय जहां न्यायालय परिसर में सी0सी0टी0वी कैमरा अधिष्ठापित नहीं है वहां न्यायालय कक्ष के अतिरिक्त न्यायालय परिसर में भी सी0सी0टी0वी0 कैमरों का अधिष्ठापन।
24. अधिवक्ताओं की मृत्यु पर उनके परिजनों को मिलने वाली सहायता राशि की आयु सीमा को बढ़ाकर 70 वर्ष किये जाने हेतु शासनादेश निर्गत किय जा चुका है।
25. युवा अधिवक्ताओं को उनके शुरूआती 03 वर्षों के लिये किताब और पत्रिका क्रय करने हेतु वृत्ति प्रदान किये जाने हेतु शासनादेश निर्गत किया गया है।
26. अधिवक्ता कल्याण निधि की राशि रु. 1.50 लाख से बढ़ाकर रु. 5.00 लाख किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
27. उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अधीनस्थ पदों में स्थापित ए0डी0आर0 केन्द्रों तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में नियत मानदेय के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी तथा चौकीदार एवं सफाई कर्मियों के कार्यकाल बढ़ाया गया।
28. तृतीय चरण में प्रदेश के 24 जनपदों में स्थायी लोक अदालत का गठन किया गया।
29. प्रदेश में न्यायालय भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु. 500.00 करोड़ की धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित है।

30. प्रदेश के विभिन्न जनपदों में न्यायालय भवनों के निर्माण हेतु अधिग्रहण भूमि का प्रतिकर भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु. 1000.00 करोड़ की धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित है।
31. जनपद में न्यायिक अधिकारियों के आवासीय भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु. 500.00 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित है।
32. मा0 उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के लिए आवासीय भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु. 1571.00 लाख की धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित है।
33. उ0प्र0 अधिवक्ता कल्याण निधि से संबंधित कल्याणकारी स्टाम्पों की बिक्री की शुद्ध प्राप्ति का अधिवक्ता कल्याण निधि हेतु न्यासी समिति को अन्तरण हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु. 600.01 लाख (रु. छः करोड़ एक हजार मात्र) की व्यवस्था प्रस्तावित है।
34. युवा अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने हेतु कार्पस फण्ड में वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु. 5.00 करोड़ की धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित है।
35. प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों में निर्वाध विद्युत आपूर्ति हेतु स्वतंत्र विद्युत फीडर की स्थापना के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु. 50.00 करोड़ की धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित है।
36. प्रदेश के जनपदों में ए0डी0आर0 सेन्टरों की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु. 25.00 करोड़ की धनराशि व्यवस्था प्रस्तावित है।
37. प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अधिवक्ता चैम्बर का निर्माण एवं उनमें अन्य अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु. 20.00 करोड़ की धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित है।
38. मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खण्डपीठ के लिए नये भवनों के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु. 850.00 करोड़ की धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित है।

लोक आयुक्त

भारतवर्ष एक विकासशील देश है और प्रत्येक प्रदेश में मुख्यतः उत्तर प्रदेश में पिछले कई वर्षो में विकास की गति तीव्र हुई है। देश अथवा प्रदेश के विकास में भ्रष्टाचार एक बाधा के रूप में सामने आता है, जिसका प्रभाव विकास के परिणामस्वरूप सामान्य नागरिकों को मिलने वाली सुख–सुविधाओं पर पड़ता है। आम आदमी को शासन के क्रिया–कलापों से उत्पन्न होने वाली शिकायतों के निराकरण एवं लोक सेवकों की स्वेच्छाचारिता पर नियंत्रण करते हुए, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने हेतु लोक आयुक्त प्रशासन एक अत्यन्त सरल, प्रभावी एवं उपयुक्त संस्था के रूप में अपना प्रभाव प्रदर्शित करता जा रहा है।

वर्ष 1975 में प्रशासनिक सुधार आयोग की संस्तुतियों पर उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त विधेयक, 1975 पर महामहिम श्री राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 201 के अधीन दिनांक 7–9–1975 को अनुमति प्रदान की गयी तथा प्रदेश सरकार द्वारा प्रथम लोक आयुक्त को दिनांक 14 सितम्बर, 1977 को महामहिम श्री राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण कराने के उपरांत लोक आयुक्त संस्था अस्तित्व में आयी एवं 43 वर्षों से निरन्तर भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन पर अंकुश रखने में सरकार के हाथों को मजबूती प्रदान कर रही है।

लोक आयुक्त की परिधि में प्रदेश के न केवल मन्त्रीगण, राज्य मन्त्रीगण, विधान मण्डल के सदस्य, शासन के सभी अधिकारी एवं कर्मचारीगण आते हैं वरन् स्वयंशासी संस्थायें, निगम व परिषदों के अध्यक्ष व कर्मचारीगण भी आते हैं। ऐसे समस्त लोक सेवकों के विरुद्व शिकायतों या अभिकथनों को प्रस्तुत करने का अधिकार समस्त नागरिकों को प्राप्त है। लोक आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले परिवाद/अभिकथन पर अन्वेषणोंपरान्त् अपेक्षित कार्यवाही हेतु शासन को संस्तुति प्रेषित करने का अधिकार लोक आयुक्त को प्राप्त है।

लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त की कार्यप्रणाली एवं क्षेत्राधिकार

संक्षिप्त रूप में लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त के समक्ष उत्तर प्रदेश शासन के मंत्रियों, विधायकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पक्षपातपूर्ण कार्यवाहियों, भ्रष्टाचार, कुप्रशासन से संबंधित शिकायतों या लोक सेवकों के सेवानिवृत्त होने के उपरांत देयकों के भुगतान न होने से संबंधित प्रकरण आम नागरिकों एवं व्यथित व्यक्तियों द्वारा उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 में निर्धारित प्रारूप, शपथ–पत्र व प्रतिभूति की धनराशि जमा कर प्रस्तुत किया जा सकता है। लोक आयुक्त प्रशासन में 2 प्रकार के परिवाद प्रस्तुत किये जाते हैं, जोकि निम्न हैं :–

1. शिकायत – ऐसे परिवाद व्यथित व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किये जा सकते हैं। शिकायत की श्रेणी में लोक सेवकों के सेवानिवृत्त होने पर उनके देयकों के भुगतान न होने से संबंधित

प्रकरण आते हैं। सेवानिवृत्त लोक सेवक यदि निगम, स्वायत्तशासी संस्था का है, तो उसे प्रतिभूति जमा करनी होगी।

2. अभिकथन – ऐसे परिवाद जिनमें राज्य सरकार के विभाग के किसी लोक सेवक द्वारा की गई वित्तीय अनियमितता, कुप्रशासन अथवा अनुचित कार्यवाही से शासकीय धन का दुरूपयोग हो रहा है। किसी नागरिक, लोक सेवक, मन्त्री या विधायक से राज्य के किसी मन्त्री, विधायक या किसी स्थानीय निकाय या शीर्षस्थ सहकारी संस्था के अध्यक्ष अथवा राज्य सरकार के कार्यो से सम्बद्व किसी अधिकारी, कर्मचारी या सार्वजनिक क्षेत्र के किसी उपक्रम/निगम के अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्व उसके द्वारा किये गये पद के दुरूपयोग या भ्रष्टाचार की, जिसकी उसे निजी जानकारी हो, के संबंध में प्रस्तुत परिवाद को अभिकथन की श्रेणी मे रखा गया है। अभिकथन के मामले में दो हजार रुपये की धनराशि प्रतिभूति के रूप में जमा कराये जाने का प्रावधान है।

क्षेत्राधिकार में आने वाले पदाधिकारी :–

निम्न के विरूद्ध शिकायत या अभिकथन दोनों प्रकार के परिवाद प्रस्तुत किये जा सकते हैं :–

1. प्रदेश के मन्त्रियों, राज्य मन्त्रियों तथा उप मन्त्रियों (मुख्य मन्त्री परिधि में नहीं आते),
2. विधान सभा या विधान परिषद के सदस्य,
3. शासन के सचिव, जिसमें प्रदेश के अखिल भारतीय सेवा एवं पुलिस प्रशासन के सभी अधिकारी सम्मिलित है, विशेष सचिव और संयुक्त सचिव, तथा प्रदेश शासन की सेवा में कार्यरत् कोई भी अधिकारी।

निम्न के विरुद्व केवल अभिकथन रूपी परिवाद ही प्रस्तुत किया जा सकता है :–

1. क्षेत्र समिति के प्रमुख, 2. जिला परिषद के अध्यक्ष, 3. नगर महापालिका के नगर प्रमुख, 4. नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष, 5. उत्तर प्रदेश सहकारी समिति या शीर्ष समिति के अशासकीय अध्यक्ष या प्रबन्ध निदेशक, 6. प्रदेश की निम्नलिखित संस्थाओं की सेवा में या वेतनभोगी प्रत्येक व्यक्ति :–

1. नगर महापालिकायें, 2. नगर पालिकायें, 3. जिला परिषदें, 4. क्षेत्र समितियाँ, 5. नगर क्षेत्र समितियाँ, 6. अधिसूचित क्षेत्र समितियाँ, 7. विकास प्राधिकरण तथा 8. औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

उपरोक्त के अलावा राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण के निम्नलिखित निगमों की सेवा में वेतनभोगी प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी :–

1. उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद, 2. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, 3. उत्तर प्रदेश भण्डारागार निगम, 4. उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, 5. उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, 6. उत्तर प्रदेश वन निगम, 7. उत्तर प्रदेश जल निगम, 8. कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली 44 सरकारी कम्पनियाँ एवं उसकी 21 सहायक कम्पनियों में सेवारत वेतनभोगी प्रत्येक व्यक्ति।

उक्त कृत्यों का सम्पादन करने हेतु लोक आयुक्त एक स्वतन्त्र लोक प्राधिकरण है, जिसकी भूमिका शासन द्वारा किये जाने वाले स्वैच्छापूर्ण एवं अनुचित कारणों को चिह्नित करते हुए उनमें सुधार एवं रोकथाम के लिए आवश्यक सुझावों को प्रतिवेदन के माध्यम से शासन के समक्ष प्रस्तुत करके लागू कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करना है।

इस निमित्त लोक आयुक्त प्रशासन में लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त के पद पर नियुक्ति 08 वर्षो तथा उसके पश्चात नये लोक आयुक्त/उप लोक आयुक्त के पद भार ग्रहण करने तक की जाती है। सहयोग के लिए कार्यालय प्रशासन तथा कर्त्तव्यों के संचालन हेतु सचिव, मुख्य अन्वेषण अधिकारी, संयुक्त सचिव, उप सचिव एवं अनुसचिव का एक–एक पद तथा तीन पद अन्वेषण अधिकारी के हैं। इस प्रकार कुल कर्मियों की संख्या 68 है।

प्रदेश की जनसंख्या व आम जनता की शिकायतों के दृष्टिगत कर्मचारियों की संख्या न्यून है, फिर भी दृढ़संकल्प पूर्णमनोयोग एवं परिश्रम के आधार पर यह प्रशासन सीमित संसाधनों के अन्तर्गत भी ठोस एवं प्रभावी ढ़ंग से कार्य कर रहा है।

अधिकांशतः प्राप्त शिकायती प्रकरण :–

1. सेवानिवृत्त लोक सेवकों/अध्यापकों को पेंशन, प्राविडेण्ड फण्ड, सामूहिक बीमा आदि देयकों के लम्बित भुगतान एवं लोक सेवकों की विधवाओं को पारिवारिक पेंशन आदि से संबंधित मामलों का निस्तारण काफी संख्या में सुनिश्चित कराया जाना।
2. मृतकाश्रितों को सेवायोजन दिलाया जाना।
3. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा अंक तालिका या प्रमाण पत्र न जारी करने अथवा योग्य छात्र–छात्राओं को प्राप्त होने वाली छात्रवृत्तियों से संबंधित मामलों में राहत दिलाया जाना।
4. अर्जित भूमि के प्रकरणों में मुआवजा एवं भूमि/आवास के कब्जों के प्रकरणों को शासन, आवास विकास परिषद एवं विकास प्राधिकरणों से निस्तारित कराया जाना।
5. आवास विकास परिषद या विकास प्राधिकरणों में भवन/भूखण्ड आवंटन हेतु जमा धनराशियों को वापस कराया जाना।
6. विकलांग एवं निराश्रित लोगों को शासनादेशों के अनुरूप देय पेंशन में सहायता प्रदान किया जाना।
7. ठेकेदारों के निर्विवाद रुके हुए बिलों का भुगतान।

लोक आयुक्त संगठन, उत्तर प्रदेश में दिनांक 01-01-2017 से 31-12-2020 तक प्राप्त एवं निस्तारित परिवादों का विवरण

क्र. सं0	वर्ष	पूर्व से लम्बित परिवाद	प्राप्त परिवादों की संख्या	कुल योग (3+4)	प्रारम्भिक स्तर पर निस्तारित परिवाद	अन्वेषण के बाद निस्तारित परिवाद	कुल निस्तारित परिवाद (6+7)	निस्तारण हेतु लम्बित परिवाद (5-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2017	615	3137	3752	2592	278	2870	882
2	2018	882	3915	4797	3169	395	3564	1233
3	2019	1233	2478	3711	1763	457	2220	1491
4	2020	1491	2004	3495	कार्यवाही प्रचलित	कार्यवाही प्रचलित	कार्यवाही प्रचलित	कार्यवाही प्रचलित

मा० लोक आयुक्त एवं माननीय उप लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा दिनांक 01-01-2017 से 31-12-2020 तक सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित किये गये प्रतिवेदनों/संस्तुतियों एवं विशेष प्रतिवेदनों का समेकित विवरण

क्र. सं0	वर्ष	प्रेषित प्रतिवेदनों की संख्या	प्रेषित संस्तुतियों की संख्या	प्रेषित विशेष प्रतिवेदनों की संख्या
1	2	3	4	5
1	2017	17	00	08
2	2018	22	06	06
3	2019	18	05	04
4	2020	18	03	00

दिनांक 01-01-2017 से 31-12-2020 के मध्य पद का दुरुपयोग अथवा पदीय दायित्वों का निर्वहन न करने अथवा कुप्रशासन के कारण जिन परिवादियों को अनुचित अपहानि/कष्ट/अन्याय कारित हुआ, उन्हें लोक आयुक्त प्रशासन, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रभावी कार्यवाही करके दिलायी गयी राहत का विवरण, जिसमें सेवानिवृत्त संबंधी मामलों में राहत पहुँचाये जाने के प्रकरण भी सम्मिलित है।

क्र.सं0	वर्ष	दिलायी गई राहत की धनराशि
1	2017	रु. 462.52 लाख लगभग
2	2018	रु. 650.50 लाख लगभग
3	2019	रु. 402.84 लाख लगभग
4	2020	ऑकड़े तैयार किये जा रहे है।

लोक सेवा प्रबन्धन

लोक सेवा प्रबन्धन विभाग के गठन एवं व्यवहृत हो रहे कार्यों के सम्बन्ध में टिप्पणी।

- लोक सेवा प्रबन्धन विभाग का गठन सचिवालय प्रशासन अनुभाग-1 (अधि0) के कार्यालय ज्ञाप-दिनांक 13.01.2011 में किया गया।
- लोक सेवा प्रबन्धन विभाग के अन्तर्गत जनसामान्य को समयबद्ध रूप से सेवायें उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से उ0प्र0 जनहित गारण्टी अधिनियम–2011 लागू किया गया है। इस विभाग में विभिन्न विभागों से प्राप्त प्रस्तावानुसार सेवायें अधिसूचित किये जाने का कार्य सम्पादित किया जाता है।
- उ0प्र0 जनहित गारण्टी अधिनियम-2011 की धारा-3 के अन्तर्गत विभिन्न विभागों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करने के उपरान्त अब तक 39 विभागों की 296 सेवाएं तथा समस्त विभागों के लिए 10 सेवायें अर्थात् कुल 306 सेवाएं अधिसूचित की जा चुकी हैं। उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सेवाओं से सम्बन्धित प्राप्त आवेदन पत्रों के निस्तारण का पूर्ण दायित्व सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों का है।
- उ0प्र0 जनहित गारण्टी अधिनियम-2011 की धारा-3 में जनसामान्य से प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग में नामित किये गये पदाभिहित अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी/द्वितीय अपीलीय अधिकारी द्वारा समयबद्ध रूप से किये जाने की व्यवस्था की गयी है।
- लोक सेवा प्रबन्धन विभाग के अधीन कोई जिला स्तरीय कार्यालय/निदेशालय स्थापित नहीं है। फलस्वरूप इस विभाग में कोई बजट प्राविधानित नहीं है, न ही कोई योजना संचालित होती है।

सामान्य प्रशासन एवं प्रशासनिक सुधार

सामान्य प्रशासन विभाग का गठन वर्ष 1911 से पूर्व का होना पाया जाता है। विभाग द्वारा मिलिटरी एवं सिविल कार्य समन्वय डाक तार विभागों के लिये भूमि अधिग्रहण, उत्तर प्रदेश नागरिक परिषद, अन्तर्राज्यीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद, सिविल सैन्य सम्पर्क सम्मेलन, सेना द्वारा युद्धाभ्यास, गोला चलाने, तोप दागने हेतु क्षेत्र अधिसूचित कराना, सार्वजनिक अवकाशों की घोषणा, लोक सभा/राज्य विधान सभा तथा पंचायत चुनाव के सामान्य तथा उप निर्वाचनों में अवकाश की घोषणा, सैनिकों/रंगरूटों का पूर्ववृत्त एवं चरित्र सत्यापन, गणमान्य व्यक्तियों के निधन पर छुट्टी/राजकीय शोक, भारतीय झंडा संहिता, रामलीला का व्यय तथा धार्मिक संस्थाओं के लिए अनुदान, वीरता पुरस्कार के अन्तर्गत जीवन रक्षा पदक, अशोक चक्र श्रृंखला के पुरस्कार, विदेशों में भेजे जाने वाले व्यक्तियों के प्रमाण-पत्र के सत्यापन, ग्रीष्म ऋतु में न्यायालयों के समय का निर्धारण आदि कार्य किये जाते हैं।

उपर्युक्त अंकित कार्यों में से मुख्य कार्य निम्नवत हैं :-

- **विदेशों को भेजे जाने वाले प्रमाण पत्रों का सत्यापन :-**

विभिन्न प्रकार के रोजगार आदि प्राप्त करने के लिए प्रदेश के बहुत से लोग विदेशों में जाते हैं, जहाँ उन्हें जन्म प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, निकाहनामा, विवाह-विच्छेद, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, पावर ऑफ एटार्नी एवं मृत्यु आदि के प्रमाण पत्रों के सत्यापन की आवश्यकता होती है। ऐसे प्रमाण पत्रों को जिलाधिकारी द्वारा सत्यापनोपरान्त शासन स्तर से सत्यापित किया जाता है। इसके दृष्टिगत वर्ष 2019-20 के दौरान प्रदेश के विभिन्न जिलों से विदेशों को जाने वाले प्रमाण-पत्रों से सम्बन्धित 519 सन्दर्भों का निस्तारण किया गया। वर्ष 2020 में 1 अप्रैल, 2020 से अद्यतन कुल 83 प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया गया।

- **डोमीसाइल/स्थायी निवास प्रमाण पत्र :**

प्रदेश के विभिन्न जनपदों से शासन से स्थायी निवास प्रमाण पत्र/डोमीसाइल प्रमाण पत्र जारी किये जाने के बारे में मार्गदर्शन की अपेक्षा की जाती है। डोमीसाइल मात्रा/स्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी करने का प्रकरण राज्य सरकार के अन्तर्गत है तथा एक निश्चित उद्देश्य, मुख्य रूप से शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश तथा रोजगार आदि पाने के लिए प्राप्त किया जाता है।

- **वीरता पुरस्कार :**

जीवन रक्षा पदक :

यह पदक प्रदेश सरकार की संस्तुति पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ऐसे नागरिकों को प्रदान किये जाते हैं, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर जल में डूबते हुए, आग/खदानों में बचाव कार्य

के दौरान मानव जीवन की रक्षा की हो। इस पुरस्कार के अंतर्गत तीन प्रकार के रक्षा पदक प्रदान किये जाते हैं, जिनका विवरण निम्नवत् है :

1. सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक
2. उत्तम जीवन रक्षा पदक
3. जीवन रक्षा पदक

इस पुरस्कार में भारत सरकार द्वारा सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक हेतु रु. 75,000/-, उत्तम जीवन रक्षा पदक हेतु रु. 45,000/- तथा जीवन रक्षा पदक हेतु रु. 30,000/- की धनराशि प्रदान की जाती है। अब इसे भारत सरकार द्वारा बढ़ाकर क्रमशः 1,00,000/- व 60,000/- तथा रु. 40,000/- कर दिया गया है। उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा पदकधारकों को अतिरिक्त धनराशि के रूप में सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक हेतु रु. 5000/- उत्तम जीवन रक्षा पदक हेतु रु. 2,000/- तथा जीवन रक्षा पदक हेतु रु. 1,000/- की धनराशि दी जाती है।

उपरोक्त के अतिरिक्त पुरस्कार प्राप्तकर्ता के पुत्र/पुत्री दोनों को ही और यदि पदक प्राप्तकर्ता स्वयं बालक या बालिका है, तो उसे स्नातक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। पुरस्कृत व्यक्ति यदि वयस्क नागरिक हो, और बेरोजगार हो तो लोक सेवा आयोग के विचार क्षेत्र के बाहर समूह 'ग' अथवा 'घ' के पद पर निर्धारित आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाती है। इस प्रकार यदि ऐसे व्यक्ति अन्यथा अर्ह हों तो उन्हें अन्य व्यक्तियों की तुलना में वरीयता में सेवायोजित किया जाता है।

वर्ष 2019 हेतु उत्तर प्रदेश के एक नागरिक-श्री कुंवर दिव्यांश सिंह, जनपद बाराबंकी को जीवन रक्षा पदक से वर्ष 2020 में सम्मानित किया गया।

- **अशोक चक्र श्रृंखला :**

इस श्रृंखला में अशोक चक्र, कीर्ति चक्र एवं शौर्य चक्र पुरस्कार भारत सरकार द्वारा ऐसे व्यक्तियों को प्रदान किये जाते हैं, जिन्होंने अभूतपूर्व वीरता, शौर्य का कार्य किया हो अथवा अपने जीवन का बलिदान कर दिया हो। वीरता के इस पुरस्कार में जल, थल तथा वायु सेना, प्रादेशिक सेना आदि के सभी रैंकों के अधिकारी/कर्मचारी, सशस्त्र सेनाओं का नर्सिंग स्टाफ तथा पुलिस एवं अग्नि शमन सेवाओं को छोड़कर सभी नागरिकों को पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार हेतु क्रमशः अशोक चक्र 32.50 लाख, कीर्ति चक्र हेतु रु. 19.50 लाख तथा शौर्य चक्र हेतु रु. 13.00 लाख तथा वार्षिकी के रूप में क्रमशः रु. 1,56,000/-, रु. 1,30,000/- तथा रु. 65,000/- का अनुदान दिया जाता है। इस हेतु अशोक चक्र श्रृंखता के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु रु. 3.00 करोड़ की बजट व्यवस्था की गयी है, जिसके सापेक्ष प्रदेश के 125 नागरिकों को रु. 2,13,69,500/- की धनराशि स्वीकृत की गयी। वर्ष 2020-21 हेतु 3.00 करोड़ की बजट व्यवस्था की गयी है, जिसके सापेक्ष अगस्त, 2020 तक कुल 125 नागरिकों को रु. 97,63,000/- की धनराशि स्वीकृत की गयी।

- **काशी (वाराणसी) की सांस्कृतिक धरोहर ''रामलीला तथा मन्दिरों एवं धार्मिक संस्थाओं'' के लिए अनुदान :**

काशी (वाराणसी) की सांस्कृतिक धरोहर 'रामलीला तथा मन्दिरों एवं धार्मिक संस्थाओं के लिए

अनुदान' स्वरूप आल इण्डिया काशीराज ट्रस्ट, वाराणसी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा रु. 5,00,000/- का अनुदान दिया जाता है। उक्त के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु ट्रस्ट को प्रथम किस्त रु. 2.50 एवं द्वितीय किस्त रु. 2.50 लाख अर्थात कुल रु. 5.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है।

- **सेना द्वारा युद्धाभ्यास, गोला चलाने, तोप दागने हेतु क्षेत्र अधिसूचित करना :**

सेना द्वारा युद्धाभ्यास, गोला चलाने, तोप दागने हेतु अधिनियम, 1938 (अधिनियम संख्या-5 सन् 1938) के अधीन सम्बन्धित जिलाधिकारियों के माध्यम से सेना से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर उक्त अधिनियम, 1938 की धारा-9 (1), 9(4), 9(3), एवं 9(2) के अंतर्गत खुले क्षेत्रों में गोला चलाने, तोप दागने के अभ्यास हेतु अधिसूचना निर्गत की जाती है।

- **सिविल सैन्य सम्मेलन :**

सेना तथा सिविल प्रशासन के मध्य विभिन्न प्रकरणों के निस्तारण के लिए सिविल सैन्य सम्पर्क सम्मेलन आयोजित किये जाते हैं। यह सम्मेलन एक वर्ष राज्य सरकार तथा एक वर्ष सेना द्वारा आयोजित किये जाते हैं। दिनांक 28 जून, 2019 को राज्य सरकार द्वारा सिविल सैन्य सम्पर्क सम्मेलन, 2019 आयोजित किया गया था, जिसमें सेना एवं राज्य के विभागों के प्रकरणों का निस्तारण किया गया है।

- **अंतर्राज्यीय परिषद :**

माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार की अध्यक्षता में भारत के राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री गण के साथ महत्त्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श करने हेतु अंतर्राज्यीय परिषद, सचिवालय द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद की बैठकें आयोजित की जाती हैं, जिसके समन्वय का कार्य प्रदेश स्तर पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा किया जाता है। अंतर्राज्यीय परिषद के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद सेल का गठन किया गया है।

- **मध्य क्षेत्रीय परिषद :**

अंतर्राज्यीय परिषद सचिवालय, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत मध्य क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया है जिसके सदस्य राज्य उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश हैं। इन प्रदेशों के परस्पर एवं भारत सरकार के स्तर पर लम्बित प्रकरणों पर मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठकों में विचार-विमर्श कर निर्णय लिये जाते हैं। आगामी बैठक दिनांक 28 जनवरी, 2020 को नया रायपुर, छत्तीसगढ़ में सफलतापूर्वक सम्पन्न हुई।

- **भारतीय झण्डा संहिता/कोड आफ आर्म्स :**

भारत का राष्ट्रीय झण्डा भारत के लोगों में आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिरूप है। यह हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। वर्तमान में भारतीय झण्डा संहिता, 2002 लागू है, जिसके अंतर्गत इस तिरंगे को सम्मान से फहराये जाने के दिशा-निर्देश दिये गये हैं। कोट ऑफ आर्म्स से संबंधित प्रकरण भी विभाग में व्यवहृत किये जाते हैं।

- **सार्वजनिक अवकाशों की घोषणा :**

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निगोशिएबुल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट- 1881 (एक्ट संख्या- 26, सन् 1881) की धारा- 25 द्वारा प्राप्त उन अधिकारों के अधीन वर्ष 2020 की अवकाश सूची दिनांक 04.11.2019 को निर्गत की गयी है।

- **राज्य संप्रतीक चिह्न**

राज्य संप्रतीक चिह्न के अनधिकृत प्रयोग को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश का राज्य संप्रतीक (अनुचित प्रयोग का प्रतिषेध) अधिनियम, 2019 दिनांक 07 अगस्त, 2019 को प्रख्यापित किया गया है, जो 02 अक्टूबर, 2019 से प्रवृत्त है। नियमावली बनाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

- **विशिष्ट व्यक्तियों के निधन पर शोक/सम्मान**

राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भूतपूर्व राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, भूतपूर्व उप राष्ट्रपति, अथवा प्रधानमंत्री (यदि उत्तर प्रदेश निवास हों), उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल, भूतपूर्व मुख्यमंत्री तथा अन्य प्रदेशों के राज्यपाल (जो उत्तर प्रदेश के निवासी हों), मुख्य न्यायाधिपति, लोक सभा अध्यक्ष, केन्द्रीय मंत्री आदि के निधन पर राष्ट्रीय शोक मनाये जाने की घोषणा की जाती है। इस व्यवस्था से संबंधित शासनादेश की प्रति सभी जिलों में तथा विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है।

प्रशासनिक सुधार विभाग का इतिहास

उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक सुधार के दृष्टिकोण यथा-कार्य प्रक्रियाओं का सरलीकरण, विलम्ब की रोक-थाम, अधिकारों के विकेन्द्रीकरण हेतु उनका प्रतिनिधायन, कार्यालयों पर होने वाले व्यय में अधिक से अधिक मितव्ययिता आदि, से वित्त विभाग के अधीन 13 अप्रैल, 1923 को कार्यालय निरीक्षणालय का गठन किया गया था जिसका उद्देश्य संगठन एवं विधि (Organization & Methods) के सिद्धान्तों पर उत्तर प्रदेश शासन के अधीन समस्त सरकारी कार्यालयों के कार्यों का निरीक्षण कर सुझाव दिया जाना था।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वतंत्रता के बाद अपने प्रथम मुख्यमंत्री पण्डित गोविन्द बल्लभ पन्त की अध्यक्षता में 1952 में एक अनुशासनिक कार्यवाही जाँच समिति (Disciplinary Proceedings Inquiry Committee) की स्थापना की गई थी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में अन्य संस्तुतियों के अतिरिक्त एक संस्तुति यह भी की थी कि ''संगठन एवं विधि'' (Organization & Methods - O & M) का कार्य करने के लिए सचिवालय स्तर पर एक 'विधि एकक' (Methods Unit) स्थापित किया जाए।

उक्त संस्तुति को स्वीकार करते हुए श्री के0के0 दास, आई0सी0एस0 को पूर्णकालिक आयुक्त, पुनर्संगठन एवं निदेशक, (Reorganization cum Director) संगठन एवं विधि प्रभाग, अक्टूबर, 1955 में नियुक्त किया गया जो कि मुख्य सचिव शाखा में पदेन अतिरिक्त सचिव भी थे और जो सीधे मुख्यमंत्री के अधीन कार्य करते थे। उनके मुख्य कर्तव्य कलेक्ट्रेट कार्यालयों, विभागाध्यक्ष कार्यालयों तथा सचिवालय की शाखाओं का पुनर्गठन एवं अभिनवीकरण करना था। पूर्णकालिक आयुक्त, पुनर्संगठन एवं निदेशक का पद फरवरी, 1958 तक ही रहा।

तत्पश्चात् उक्त दोनों संगठनों को नवगठित सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन लाया गया। सचिवालय के विभिन्न विभागों में दक्षता के प्रयास स्वयं उत्पन्न हो, इस दृष्टि से मई, 1958 में प्रत्येक शाखा में एक ज्येष्ठ अधिकारी को संगठन एवं विधि (ओ0 एण्ड एम0) अधिकारी नियुक्त किया गया, जो अपने अन्य दायित्वों के अलावा अपनी शाखाओं के कार्यों का अध्ययन करें और ऐसे तौर तरीके अपनायें जिससे कार्य तत्परता, दक्षता और मितव्ययिता से सम्पन्न हो। उक्त व्यवस्था को और अधिक सुचारु रूप से चलाने के लिए अप्रैल, 1960 में संगठन एवं विधि प्रभाग में कुछ पूर्णकालिक अधिकारी नियुक्ति करके एक न्यूक्लियस (Nucleus) बनाया गया ताकि विद्यमान शासकीय व्यवस्थाओं का परीक्षण एवं उनके संगठन एवं पद्धतियों के कार्य अध्ययन के पश्चात कार्य निस्तारण के अच्छे तरीके खोजे जा सकें और अनावश्यक कार्य तथा अपरिहार्य विलम्ब को दूर किया जा सके तथा मानव एवं सामग्री के संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग किया जा सके। यह विभाग कार्य मापन एवं उनके आधार पर स्टाफ की आवश्यकताओं का भी परीक्षण करता था और विभिन्न अधिष्ठानों में फालूत कर्मचारियों की भी देखरेख रखता था।

अप्रैल, 1974 में इस विभाग का पुनः संगठन किया गया और इसे प्रशासनिक सुधार विभाग का नाम दिया गया। यह विभाग जनता से सीधे जुड़ा हुआ नहीं है। सचिवालय स्तर पर स्थित न्याय, नियोजन, वित्त विभाग की भांति प्रशासनिक सुधार विभाग भी एक परामर्शी विभाग (Reference Department) है। विभाग में कोई योजना/कार्यक्रम नहीं संचालित किए जाते हैं, जिसके कारण भौतिक लक्ष्य, प्रगति आदि नहीं निर्धरित किये जा सकते। विभाग में कोई योजना/कार्यक्रम संचालित न होने के कारण वार्षिक बजट का प्राविधन केवल वेतन/भत्तों आदि हेतु आयोजनेत्तर (राजस्व मद) क्षेत्र में कराया जाता है।

प्रशासनिक सुधार निदेशालय का विवरणः-

01 मई, 1976 में नई दिल्ली में हुए मुख्य सचिवों के सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया था कि राज्यों में प्रशासनिक सुधार विभाग का सुदृढ़ीकरण किया जाय। भारत सरकार में हुये सम्मेलन में लिये हुये निर्णयानुसार संगठन एवं विधि प्रभाग को अतिरिक्त पदों की मांग के कार्य के साथ-साथ मुख्यालय, विभागाध्यक्षों, क्षेत्रीाय एवं फील्ड स्तर के कार्यालयों की कार्य प्रणाली का गहन अध्ययन का कार्य, प्रशासन में सुधार एवं गतिशीलता लाने के उद्देश्य से अधिकारों के प्रतिनिधायन, कार्य पद्धति में सरलता लाने, प्रारूप एवं विवरणियों के अभिनवीकरण तथा सरलीकरण, रिकार्डस मैनेजमेंट, जनता की शिकायतों का शीघ्र निवारण तथा नई-नई कार्य प्रणालियों के लागू किये जाने आदि महत्वपूर्ण विषय पर कार्य किये जाने का दायित्व सौंपा गया। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रशासनिक सुधार विभाग के संगठन एवं विधि को एक निदेशालय का रूप दिया जाने का निर्णय लिया गया। अतः विभाग के दिनांक 01 अगस्त, 1978 के कार्यालय ज्ञाप द्वारा प्रशासनिक सुधार निदेशालय की स्थापना हुई।

राजकीय कार्यालय निरीक्षणालय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज :-

राजकीय कार्यालय निरीक्षणालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद का गठन शासनादेश संख्या-1818/10-402, दिनांक 11-04-1923 के द्वारा किया गया था। वर्तमान में यह इकाई उत्तर प्रदेश शासन के प्रशासनिक सुधार विभाग के नियंत्राणाधीन इलाहाबाद में अवस्थित है। मुख्य निरीक्षक,

राजकीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश इसके प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष हैं। निरीक्षणालय के माध्यम से प्रशासन तथा शासकीय प्रणाली में सुधार एवं गतिशीलता लाने, अधिकारों के प्रतिनिधायन, कार्य-पद्धति में सरलता, प्रारूप तथा विवरणियों के अभिनवीकरण तथा सरलीकरण, अभिलेख प्रबन्धन, जन सामान्य की शिकायतों का निस्तारण तथा नयी कार्य-प्रणाली, स्वच्छ, पारदर्शी, प्रभावी, संवदेनशील प्रशासन के लिए जन-सम्पर्क में आने वाले विभागों में जनता को आवश्यक सेवायें/स्वीकृतियों में आसानी से सहायता एवं सूचना उपलब्ध कराने की दिशा, शासन के समस्त प्रशासकीय विभागों के प्रदेश/मण्डल/जनपद/ब्लाक स्तरीय कार्यालय के माध्यम से संचालित विकास कार्यक्रमों एवं रोजगार से जुड़ी हुई योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कार्यालयों में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया, अनुरक्षित अभिलेख आदि का निरीक्षण करके उनमें सुझाव एवं सहायता देने की दिशा में कार्य कराया जाता है। इन कार्यों हेतु मण्डलायुक्त के अधीन प्रत्येक राजस्व मण्डल में 1-1 निरीक्षक भी तैनात किए गये हैं।

उ०प्र० सूचना आयोगः-

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-15 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश सूचना आयोग का गठन दिनांक 14 सितम्बर, 2005 को किया गया। वर्तमान में उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में 10 राज्य सूचना आयुक्त कार्यरत हैं तथा मुख्य सूचना आयुक्त के रिक्त पद पर चयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उत्तर प्रदेश सूचना आयोग द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत नागरिकों द्वारा दायर की गई द्वितीय अपीलों की सुनवाई की जाती है।

उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स

उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स संगठन एक स्वयंसेवी संगठन है, जो राष्ट्रप्रेम एवं निष्काम सेवा के सिद्धान्तों पर स्थापित है। अपने गठनकाल से यह विभाग निरन्तर एक प्रशिक्षित तथा अनुशासित समाज के निर्माण हेतु प्रयासरत है। निष्काम सेवा की अविरल भावना से ओत-प्रोत इस संगठन ने अब तक समाज के प्रत्येक वर्ग से लाखों की संख्या में पुरुष एवं महिलाओं को संगठन का सदस्य बनाकर उन्हें देश रक्षा की किन्ही भी विषय परिस्थतियों से जूझने के लिए दक्षता प्रदान की है। वर्ष 1963 में स्थापित होकर यह संगठन अपनी सेवा के 56 गौरवमयी वर्ष पूर्ण कर चुका है। संगठन की इकाइयां उत्तर प्रदेश राज्य के 75 जनपदों में स्थापित है तथा 1,18,348 होमगार्ड्स स्वयंसेवकों के पद स्वीकृत हैं, जिनमें से लगभग 32,000 शस्त्र प्रशिक्षित तथा 4400 महिलायें हैं तथा 1,151 कंपनियों तथा 60 स्वतंत्र प्लाटूनों में विभक्त होकर पुलिस के सम्पूरक बल के रूप में कानून व्यवस्था की ड्यूटियों में नियोजित होते हैं। गर्व की बात है कि होमगार्ड्स पूरी लगन से हर वक्त अपनी जान की बाजी लगा कर ड्यूटी दी जाती है। कर्तव्य की वेदी पर अब तक 1441 होमगार्ड्स शहीद भी हुये हैं। अपने अदम्य साहस के लिये 132 वैतनिक अवैतनिक अधिकारियों, कर्मचारियों एवं होमगार्ड्स को विभिन्न पदक से सम्मानित किया जा चुका है।

विभाग की उपलब्धियाँ

1. पारदर्शी एवं भ्रष्टाचार से मुक्त सभी को समान अवसर देने के लिए होमगार्ड्स स्वयं सेवकों की ड्यूटी एन0आई0सी0 द्वारा विकसित साफ्टवेयर से लगायी जाती है।
2. होमगार्ड्स के कुल 118348 पद स्वीकृत है, जिसके सापेक्ष लगभग 93000 होमगार्ड्स पंजीकृत है। वर्तमान में लगभग 76000 होमगार्ड्स स्वयंसेवक ड्यूटी कर रहे हैं।
3. शासनादेश दिनांक 23.09.2019 द्वारा दिनांक 06.12.2016 से होमगार्ड्स स्वयंसेवकों का ड्यूटी भत्ता पुलिस कार्मिक के न्यूनतम वेतन रु. 18,000.00 को तीस दिन के माह के आधार पर प्रतिदिन रुपया 600.00 एवं इसमें शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित महंगाई भत्ते का जोड़ते हुए अनुमन्य किया गया है। वर्तमान में होमगार्ड्स स्वयंसेवकों का ड्यूटी भत्ता रु. 702.00 प्रतिदिन दिया जा रहा है।
4. वर्तमान सरकार द्वारा शासनादेश दिनांक 18.06.2019 के मध्य से होमगार्ड्स स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण भत्ता रु. 200.00 प्रति प्रतिदिन से बढ़ाकर रु. 260.00 प्रति प्रतिदिन किया गया है।
5. वर्तमान सरकार द्वारा होमगार्ड्स स्वयंसेवकों के कल्याणार्थ स्थापित होमगार्ड्स कल्याण कोष में रु. 05 करोड़ से बढ़ाकर रु. 10 करोड़ कर दिया गया है।

6. वर्तमान सरकार द्वारा शासनादेश दिनांक 13.12.2019 के माध्यम से अवैतनिक कम्पनी कमाण्डर का मानदेय रु. 1260.00 से बढ़ाकर रु. 1490.00 अवैतनिक सहायक कम्पनी कमाण्डर का मानदेय रु. 980.00 से बढ़ाकर रु. 1160.00 एवं अवैतनिक प्लाटून कमाण्डर का मानदेय रु. 840.00 से बढ़ाकर रु. 990.00 किया गया है।

7. होमगार्ड्स स्वयंसेवकों के कल्याणार्थ दुर्घटना बीमा योजना संचालित है जिसमें ड्यूटी/प्रशिक्षण की अवधि में 24 घण्टे का दुर्घटना बीमा का कवरेज दिया गया है जिसमें मृत्यु, दोनों अंगों की हानि, स्थायी अपंगता होने पर रु. 05 लाख तथा एक अंग की हानि पर रु. 2.5 लाख की आर्थिक सहायता दी जाती है।

8. दुर्घटना बीमा से आच्छादित न होने वाले ड्यूटी/प्रशिक्षणरत होमगार्ड्स स्वयंसेवकों को होमगार्ड्स कल्याण कोष से रु. 03 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

9. वर्तमान सरकार द्वारा शासनादेश दिनांक 19-11-2019 के माध्यम से भूतपूर्व होमगार्ड्स स्वयंसेवकों/अवैतनिक अधिकारियों की पुनर्बहाली के समय सम्बन्धित भूतपूर्व होमगार्ड्स स्वयंसेवक/अवैतनिक अधिकारी की भर्ती के समय जो शैक्षिक योग्यता निर्धारित थी उसी के आधार पर पुनर्बहाल किये जाने का निर्णय लिया गया है।

10. वर्तमान सरकार द्वारा शासनादेश दिनांक 26-09-2019 के माध्यम से मृतक होमगार्ड्स के आश्रित को नौकरी देने के लिए दौड़ में असफल होने पर दौड़ में असफल होने पर दौड़ का पुनः अवसर दिये जाने तथा यदि किसी एक आश्रित के दौड़ में असफल होने के उपरान्त यदि किसी अन्य अर्ह आश्रित के द्वारा आवेदन किया जाता है तो उसकी दौड़ परीक्षा कराने और उसके सफल होने पर उसे होमगार्ड्स स्वयंसेवक के रूप में नियोजित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

11. होमगार्ड्स विभाग द्वारा दिल्ली विधान सभा निर्वाचन-2020 के अवसर पर 10000 होमगार्ड्स स्वयंसेवकों का चुनाव ड्यूटी पर प्रतिस्थापन किया गया।

12. होमगार्ड्स विभाग में इन्सास राइफल क्रय की गयी हैं जिनका प्रशिक्षण होमगार्ड्स स्वयंसेवकों को दिलाया जा रहा है तथा आपदा प्रबन्धन के क्षेत्र में होमगार्ड्स की बढ़ती भूमिका के दृष्टिगत होमगार्ड्स को आपदा प्रबन्धन के कुशल प्रशिक्षकों से प्रशिक्षित कराया जा रहा है।

13. होमगार्ड्स स्वयंसेवकों की उपस्थिति हेतु फुलप्रूफ सिस्टम बनाये जाने के लिए बायोमेट्रिक अथवा रेटिना से पहचान तथा ऐप तैयार कर लोकेशन आधारित उपस्थिति दर्ज कराये जाने की प्रक्रिया प्रचलन में है।

14. भारत सरकार की आधुनिकीकरण योजना एवं उत्तर प्रदेश सरकार के बजट के अन्तर्गत प्रदेश के जनपदों में होमगार्ड्स कार्यालयों/मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्रों का निर्माण कराया जा रहा है। वर्तमान में 37 विभागीय भवनों में होमगार्ड्स कार्यालय स्थापित हैं तथा 06 कार्यालय भवन निर्माणाधीन हैं।

●

सचिवालय प्रशासन

सचिवालय प्रदेश सरकार का सर्वोच्च कार्यालय है। कार्य की सुविधा और शीघ्र निष्पादन के लिये यह विभिन्न अनुभागों में विभाजित है, जो एक या अधिक विभागों का कार्य देखते हैं। प्रत्येक विभाग एक या अधिक अनुभागों में विभाजित है। अनुभाग ही इस संगठन की मूल इकाई है।

मुख्य सचिव, सम्पूर्ण सचिवालय के कार्य को नियंत्रित करते है। वह सचिवालय संगठन का मुखिया है। सचिवालय के विभिन्न विभाग, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव के सम्पूर्ण प्रभार के अन्तर्गत कार्य करते हैं। अनुभागों के प्रभारी अनुभाग अधिकारी होते हैं, जो राजपत्रित स्तर के होते हैं। अनुभागों में एकाधिक समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, कम्प्यूटर सहायक व अनुसेवक कार्यरत् हैं।

प्रदेश के राज्य मुख्यालय पर अवस्थित विभिन्न विभागों के कार्यों के सम्पादन में प्रशासनिक अधिकारियों को सहयोग प्रदान करने हेतु मुख्यतः सचिवालय सेवा के अधिकारी एवं कर्मचारी तैनात हैं। सचिवालय प्रशासन विभाग सचिवालय सेवा संवर्ग का प्रशासनिक विभाग है। सचिवालय प्रशासन विभाग न केवल मुख्यालय पर विभिन्न विभागों में सचिवालय सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों की तैनाती व्यवस्था ही देखता है बल्कि सचिवालय परिसर की स्वच्छता, सफाई, आंतरिक सुरक्षा आदि का महत्वपूर्ण कार्य भी सम्पादित करता है। आधुनिक परिदृश्य में सुरक्षा व्यवस्था की जटिलताओं के दृष्टिगत सी0सी0टी0वी0, स्मार्ट कार्ड एक्सेस सिस्टम द्वारा अनधिकृत आगन्तुकों की पहचान एवं विभिन्न भवनों में अग्निशमन की प्रभावी व्यवस्था भी सचिवालय प्रशासन विभाग का महत्वपूर्ण कार्य है।

वर्ष 2019–20 में सम्पादित महत्वपूर्ण कार्य

- चयन वर्ष 2019–20 में सचिवालय सेवा के समूह 'क' के पदों यथा– विशेष सचिव पद के 22, संयुक्त सचिव के 38, उप सचिव के 49 तथा अनु सचिव के 58 पदों की प्रोन्नत डी0पी0सी0 दिनांक 10.07.2019 को कराकर प्रत्येक माह घटित रिक्तियों के सापेक्ष प्रोन्नत आदेश निर्गत किये गये हैं।
- सचिवालय लेखा संवर्ग में विशेष सचिव/संयुक्त सचिव (लेखा), उप सचिव (लेखा) के क्रमशः 1–1 एवं अनु सचिव (लेखा) के 02 पदों पर डी0पी0सी0 दिनांक 13.09.2019 को कराते हुए प्रोन्नत आदेश निर्गत किये जा चुके हैं।
- चयन वर्ष 2019–20 में श्रेणी–1 से प्रधान निजी सचिव के 70 पदों की डी0पी0सी0 कराकर रिक्तियों के घटित होने की तिथि से प्रोन्नत आदेश निर्गत किये गये।
- चयन वर्ष 2019–20 में समीक्षा अधिकारी के पदोन्नति कोटे के रिक्त 92 पदों पर लोक सेवा आयोग के माध्यम से दिनांक 18.09.2019 को चयन कराकर सहायक समीक्षा अधिकारियों की समीक्षा अधिकारी के पद पर माहवार घटित रिक्तियों के सापेक्ष पदोन्नति के आदेश निर्गत किये गये हैं।
- चयन वर्ष 2019–20 में सहायक समीक्षा अधिकारी के पदोन्नति कोटे के रिक्त 166 पदों पर लोक सेवा आयोग के माध्यम से दिनांक 19.10.2019 को चयन कराकर माहवार घटित रिक्तियों के सापेक्ष पदोन्नति के आदेश निर्गत किये गये हैं।

- सचिवालय सुरक्षा दल/अग्निरक्षक दल के कुल 07 कार्मिकों की डी0पी0सी0 कराकर घटित रिक्तों के सापेक्ष सुरक्षा अधिकारी, निरीक्षक, अग्निशमन अधिकारी एवं लीडिंग फायरमैन पद पर प्रोन्नति किया गया है।
- सचिवालय सेवा के 05 समीक्षा अधिकारी तथा 01 अपर निजी सचिव को वित्तीय स्तरोन्नयन की सुविधा अनुमन्य की गयी।
- समीक्षा अधिकारी की सीधी भर्ती के रिक्त 33 पदों पर चयन हेतु उ0प्र0 लोक सेवा आयोग को अधियाचन दिनांक 05.08.2019 को प्रेषित किया गया है।
- समीक्षा अधिकारी (लेखा) के सीधी भर्ती के रिक्त 14 पदों पर चयन हेतु अधियाचन लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया।
- सहायक समीक्षा अधिकारी (लेखा) के सीधी भर्ती के रिक्त 17 पदों पर चयन हेतु अधियाचन लोक सेवा आयोग को दिनांक 18.11.2019 प्रेषित किया गया।
- कम्प्यूटर सहायक संवर्ग के सीधी भर्ती के रिक्त 144 पदों का अधियाचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ को दिनांक 18.01.2020 को प्रेषित किया गया।
- लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा वर्ष 2013 एवं 2014 में चयनित 92 समीक्षा अधिकारियों तथा 190 पदोन्नत प्राप्त समीक्षा अधिकारियों को समीक्षा अधिकारी के पद पर स्थायीकरण किया गया।
- विशेष कार्याधिकारी के 46 निःसंवर्गीय सृजित पदों की वर्ष 2020–21 के लिये निरन्तरता का आदेश निर्गत किया गया है।
- सचिवालय सेवा के समेह 'क' के 14 अधिकारियों, 08 समीक्षा अधिकारियों तथा 02 सहायक समीक्षा अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गयी है।
- अप्रैल, 2019–20 तक प्रतिमाह सचिवालय सेवा के समूह 'क' के सेवानिवृत्त होने वाले 59 अधिकारियों के पेंशन प्रकरण का निस्तारण ससमय कराया गया।
- वर्ष 2019–20 में सेवानिवृत्त 34 आई0ए0एस0 एवं 26 पी0सी0एस0 अधिकारियों के अवकाश नकदीकरण एवं बीमा भुगतान का निस्तारण किया गया।
- वर्ष 2019–20 में सचिवालय सेवा के कार्मिकों को 248 मामलों में अधिवर्षता पेंशन का प्रकरण, 02 स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से सम्बन्धित पेंशन प्रकरण तथा 22 पारिवारिक पेंशन प्रकरण का निस्तारण कराया गया।
- दिनांक 01.01.2016 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए कार्मिकों के पेंशन पारिवारिक पेंशन के 133 मामलों का पुनरीक्षण वर्ष 2019–20 में कराया गया।
- मानव सम्पदा पोर्टल हेतु 507 आई0ए0एस0, 289 पी0सी0एस0 एवं सुप्रीमों पोर्टल हेतु 112 आई0ए0एस0 अधिकारियों से सम्बन्धित आवश्यक डाटा उपलब्ध कराया गया।
- जी0पी0एफ0 की केन्द्रीयत व्यवस्था के अन्तर्गत सचिवालय सेवा के 594 चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों के खातों को अद्यावधिक किया गया है।
- नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग का गठन आदेश दिनांक 08 नवम्बर, 2019 द्वारा किया गया।
- राज्य कर विभाग तथा स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग का पुनर्गठन आदेश दिनांक 21.11.2019 द्वार किया गया।
- कार्य बंटवारा/कोड आवंटन–संशोधन/शाखा अधिष्ठानों का पुनर्निधारण किया गया।
- उत्तर प्रदेश सचिवालय में कार्यरत 93 विभागों का अधिष्ठान सम्बन्धित विभागों को आवंटित करते हुए विकेन्द्रित व्यवस्था स्थापित की गयी।

- लॉकडाउन अवधि में कोविड–19 के संक्रमण के प्रसार को रोकने हेतु भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुपालन में विभागों/कार्यालयों में आवश्यक कार्मिकों की उपस्थिति सुनिश्चित करते हुये आवश्यक सेवाओं से जुड़े विभागों की नियमित उपस्थिति के आदेश निर्गत किये गये तथा सम्बन्धित कार्मिकों के लिये जिलाधिकारी, लखनऊ के सहयोग से पास निर्गत किये गये। सचिवालय के विभिन्न भवनों के प्रवेश द्वारों पर थर्मल स्कैनिंग/हैण्डवाश की व्यवस्था की गयी तथा कार्यालय कक्षों/लिफ्टों का दिन में एक से अधिक बार सैनिटाइजेशन कराया गया। इसके साथ ही आगन्तुकों के लिये अति आवश्यक होने पर ही पास निर्गत किये गये ताकि बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश न्यूनतम हो सके। आवश्यकता पड़ने पर कार्मिकों की कोरोना जांच हेतु स्वास्थ्य कैम्प की भी व्यवस्था की गयी।
- सचिवालय सेवा के समीक्षा अधिकारी, अनुभाग अधिकारी तथा श्रेणी 'क' के अधिकारियों (अनु सचिव से विशेष सचिव) के कार्यों के वास्तविक मूल्यांकन एवं वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि अंकन हेतु केन्द्रीय सचिवालय के भांति प्रपत्र आदेश दिनांक 02.03.2020 द्वारा निर्धारित किया गया है।
- सचिवालय में अनुसेवकों के बड़ी संख्या में रिक्त पदों के सापेक्ष वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में पी0आर0डी0 के 220 जवानों को आबद्ध कराया गया।
- चक्रीय स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत पी0आई0एस0 के आधार पर श्रेणी 'क' के अधिकारियों तथा 190 समीक्षा अधिकारी, 61 सहायक समीक्षा अधिकारी तथा 69 समीक्षा अधिकारी (लेखा) को स्थानान्तरित किया गया है।
- स्थानिक आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली का जीर्णोद्धार कर नई साज–सज्जा से सुसज्जित कराया गया।
- एस0जी0पी0जी0आई0 में सचिवालय में तैनात अधिकारियों/कार्मिकों एवं उनके परिजनों की गम्भीर असाध्य रोगों के इलाज हेतु गठित रिवाल्विंग फण्ड से व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति का समायोजन अभियान चलाकर कराया गया।
- स्वतंत्रता दिवस समारोह, गणतंत्र दिवस जैसे महत्वपूर्ण राजकीय समारोहों के साथ–साथ स्व0 लाल बहादुर शास्त्रीजी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी, स्व0 गोविन्द बल्लभ पन्तजी, स्व0 चौधरी चरण सिंहजी, स्व0 अटल बिहारी बाजपेयी के जन्मतिथि/पुण्यतिथि का सफलतापूर्वक आयोजन कराया गया।
- सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत दिनांक 28.01.2020 को एक आई0टी0 प्रकोष्ठ का गठन कराया गया जिसमें स्वीकृत एवं कार्यरत कुल 34 जनशक्ति सम्मिलित है।
- सचिवालय के पुराने अभिलेखों/पत्रावलियों के डिजिटाइजेशन के प्रथम चरण के अन्तर्गत 59 विभागों के 102 अनुभागों का कार्य दिनांक 15.11.2019 को पूर्ण कराया गया तथा द्वितीय चरण में 17 विभागों के 96 अनुभागों, तृतीय चरण में 09 विभागों के 95 अनुभागों, एवं पंचम चरण में 02 विभाग के 72 अनुभागों में कार्य प्रगति पर है।
- दिनांक 20.03.2020 तक कुल 76 विभागों व 252 अनुभागों में डिजिटाइजेशन का कार्य पूर्ण कराया गया है। इसके अन्तर्गत कुल 7,05,958 पत्रावलियां तथा 8,20,56,365 पृष्ठों को डिजिटाइज्ड कराया गया है।
- ई–ऑफिस पर कार्य करने के लिए एन0आई0सी0 के माध्यम से यूजर आई0डी0, ई–मेल आई0डी0 तैयार कराते हुये 3490 डिजिटल सिग्नेचर की व्यवस्था करायी गयी।

नियुक्ति एवं कार्मिक

कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सम्पादित महत्त्वपूर्ण कार्यों का विवरण

क्र0 शासनादेश का विवरण सं0	विषय
1. 15/29/2018/का-4-2019, दिनांक 04.04.2019	वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी किए जाने के सम्बन्ध में।
2. 2/ईएम/2009-का-4-2019, दि0 24.05.2019	सेवा संवर्गों की समस्याओं के सम्बन्ध में।
3. 05/2019/4/1/2002/का-2/2019टीसी-1, दि0 13.08.2019	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण आदेश निर्गत होने के उपरान्त 100 बिन्दुओं का संशोधित रोस्टर।
4. 3/2019/15/20/95/का-4-2019, दि0 25.10.2019	लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश को समय से अधियाचन प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में।
5. 3/4/86-का-2/2019, दिनांक 04.12.2019	विगलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों को प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं में स्क्राइब/रीडर//प्रयोगशाला सहायक की सुविधाा प्रदान किये जाने के संबंध में।
6. 8/2019/20/1/91-का-2/2019, दि0 18.12.2019	उत्तर प्रदेश के शासकीय विभागों एवं उसके अधीनस्थ संस्थाओं में मैनपावर के क्रय (आउटसोर्सिंगग आफ मैनपावर) के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेन्ट ई-मार्केट प्लेस, जेम (GeM) की व्यवस्था लागू किये जाने के संबंध में।
7. 1/2020/1602/47-का-3-2019-13/7/2006 दि0 28.01.2020	उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को समय से समूह 'ग' के सीधी भर्ती के रिक्त पदों के अधियाचन प्रेषित किये जाने के संबंध में।
8. 4/1/2002/का-2/2019 टीसी-1, दि0 07.02.2020	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए लागू आरक्षण व्यवस्था हेतु प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में।

अप्रवासी भारतीय प्रकोष्ठ (NRI) विभाग

संक्षिप्त टिप्पणी

- प्रवासी भारतीयों की समस्याओं के निराकरण हेतु एन.आर.आई. विभाग (कोड-संख्या-93) का गठन शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1098/बीस-1-ई-2014-यू.ओ.-143/14 दिनांक 10 जुलाई, 2014/18 जुलाई, 2014 द्वारा किया गया। ततक्रम में शासन के कार्यालय ज्ञाप (संशोधन) संख्या-05/2019/833/बीस-1-ई-2019-यू.ओ.-68/19, दिनांक 08.05.2019 द्वारा एन.आर.आई. विभाग का हिंदी नामकरण ''प्रवासी भारतीय विभाग'' किया गया है।

- एन.आर.आई. विभाग को सौंपे गए कार्य दायित्वों में केन्द्र सरकार द्वारा प्रवासी भारतीयों के देश के विकास में उनके योगदान के सम्मान में मनाये जाने वाले प्रवासी भारतीय दिवस की भांति प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस का आयोजन किया जाता है।

- प्रदेश के कामगारों को विदेश में रोजगार दिलाने हेतु चयन प्रक्रिया के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम को विदेश मंत्रालय, भारत सरकार में इमिग्रेशन एक्ट के अंतर्गत रिक्रूटिंग एजेन्ट के रूप में पंजीकृत किया गया, जिससे कि प्रदेश के कुशल/अर्धकुशल कामगारों को विदेश उपयुक्त रोजगार तथा वैध उत्प्रवासन हेतु अधिकाधिक अवसर प्राप्त हो सके। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम द्वारा विदेशी भर्ती चयन प्रक्रिया का संचालन गाजियाबाद, मरेठ, लखनऊ एवं गोरखपुर केन्द्रों से ऑनलाइन www.upfcomra.com के माध्यम से किया जा रहा है।

- रोजगार के लिए विदेश जाने वाले भारतीयों के संरक्षण व गैर पंजीकृत भर्ती एजेंटों की गैर कानूनी गतिविधियों पर लगाम लगाये जाने के सम्बन्ध में कार्य योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित कार्यशालाओं/बैठकों में प्रदेश सरकार की ओर से विभाग के प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभागिता की जाती है।

- शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-201/93-17-17 NRI(MEETING) 2017 दिनांक 12 जनवरी, 2018 द्वारा उ0प्र0 मूल के प्रवासी भारतीयों की शिकायतों के निवारण हेतु जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है।

- विभाग की नवनिर्मित वेबसाइट में प्रवासी भारतीयों की ऑनलाइन प्राप्त शिकायतों का त्वरित निस्तारण एवं उनके समयबद्ध अनुश्रवण की व्यवस्था प्रत्येक स्तर पर अर्थात-जनपद स्तर पर जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक (सी.ओ.) तथा

सम्बंधित विकास प्राधिकरणों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सी.ई.ओ.) उपाध्यक्ष (यथा स्थिति) के स्तर पर सुनिश्चित की गयी है। साथ ही, भारत सरकार के मदद (MADAD) पोर्टल पर भी हाइपरलिंक सुविधा दी गयी है, जिससे प्रवासी भारतीयों की समस्याओं का अधिकाधिक निवारण हो सके।

- विभाग की नवनिर्मित वेबसाइट/वेबपोर्टल- nri.up.gov.in का शुभारम्भ मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 24.08.2020 को किया गया है। इस नवनिर्मित वेबसाइट को निवेश मित्र (Invest UP) MSME टूरिज्म, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, गृह, राजस्व, औद्योगिक विकास, कौशल विकास एवं व्यावसायिक शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं सूचना विभाग के पोर्टल से लिंक किया गया है, ताकि विदेशों में बसे प्रवासी भारतीय एन विभागों की अद्यतन नीतियों/शासनादेशों से लाभान्वित हुए प्रदेश के सर्वांगीण विकास में सहयोग प्रदान कर सकें। यह वेबपोर्टल प्रवासी भारतीयों में संभाव्य निवेशकों का डाटाबेस तैयार करने का एक सशक्त माध्यम भी बनेगा।

- इस वेबसाइट में एक लिंक NRI CONNECT कर दिया गया है जिसमें निवेश से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े प्रमुख विभागों के नोडल अधिकारियों के नाम डाले गए हैं ताकि प्रवासी भारतीयों में सम्भाव्य निवेशकों Prospective द्वारा इन नोडल अधिकारियों से सार्थक संवाद कर अपनी विभिन्न जिज्ञासाओं/पृच्छाओं का समाधान कर सकें। यह वेबपोर्टल पर प्रवासी भारतीयों की ऑनलाइन प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण एवं त्वरित निस्तारण करने में सहायक सिद्ध होगा। उत्तर प्रदेश मूल के प्रवासी भारतीयों (NRIs/PIOs/OCsIs) को विशिष्ट पहचान दिए जाने हेतु निर्गत किये जाने वाले ''एन.आर.आई. कार्ड'' के लिए ऑनलाइन पेमेंट गेटवे की सुविधा विकसित की गयी है। इस नवनिर्मित वेबपोर्टल में प्रवासी भारतीय अपनी मातृभूमि से जुड़े रहे और उनकी जड़ें टूटने न पायें, इनके लिए अयोध्या के दीपात्सव और बरसाने की होली के लाइव स्क्रीनिंग, उनके मूल को खोजने आदि सुविधाएं विकसित की गई है।

- विदेशों में उत्तर प्रदेश मूल के प्रवासी भारतीय कामगारों की मृत्यु हो जाने पर उनके मृत शरीर के पारगमन Transportation of Mortal Remains की व्यवस्था एवं संकट काल में विदेशों में फंसे उत्तर प्रदेश मूल के प्रवासी भारतीयों का सुरक्षित प्रत्यावर्तन Repatriation विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से किया जा रहा है।

विधायी

संक्षिप्त इतिहास

दिनांक 27.10.2006 से पूर्व विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग राज्य के न्याय विभाग का एक अंग था। विधायी विभाग राज्य का एक सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण विभाग होता है, जिसका कार्य प्रदेश की आवश्यकताओं के अनुरूप विधायिका द्वारा बनाये जाने वाले नये कानूनों का आलेखन तथा विधीक्षण एवं पुराने कानूनों की समय-समय पर समीक्षा करना होता है। विभाग के महत्त्व को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2006 में केन्द्र सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा यह सुझाव दिया गया कि प्रत्येक राज्य में विधायी विभाग एक अलग विभाग हो, जिसमें विशेषज्ञ विधि-प्रारूपकार भी हों। भारत संघ की सुशासन से सम्बंधित ड्राफ्ट एक्शन प्लान में विधायी विभाग के उपरोक्त बिन्दु को सम्मिलित किया गया और सभी राज्य सरकारों को विधायी विभाग को पृथक करने के निर्देश के साथ-साथ इसमें विशेषज्ञ की नियुक्ति की अपेक्षा की गई।

भारत संघ की उपरोक्त अपेक्षानुसार राज्य का विधायी विभाग दिनांक 27.10.2006 को न्याय विभाग से पृथक किया गया। लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित दो विधीक्षण अधिकारियों की नियुक्ति विधायी विभाग में दिनांक 17 मई, 2017 को हुई है जिनके द्वारा सचिवालय के विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तावित अध्यादेशों/विधेयकों के प्रख्यापन एवं अधिनियमन तथा नियमों, विनियमों एवं अधिसूचनाओं के अंग्रेजी आलेखों के विधीक्षण का कार्य सफलतापूर्वक सम्पादित कराया जा रहा है।

विधायी विभाग का क्रियाकलाप

यहां पर शासन के विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तावित अध्यादेशों/विधेयकों के अंग्रेजी आलेखों का विधीक्षण, प्रख्यापन एवं अधिनियमन तथा नियमों, विनियमों एवं अधिसूचनाओं के अंग्रेजी आलेखों को विधीक्षित किये जाने का कार्य किया जाता है। विधायी विभाग में बजट से सम्बन्धित कार्य भी सम्पादित नही होता है। राज्य सरकार द्वारा गठित एवं विधायी विभाग के अधीन कार्यरत उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग द्वारा अप्रचलित और अनुपयोगी हो चुके कानूनों को निरसित किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु सौंपे गये प्रतिवेदन के आधार पर 95 अधिनियमों को उनसे सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों से सहमति प्राप्त करने के पश्चात उत्तर प्रदेश निरसन अधिनियम, 2018 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 39 सन् 2018) के माध्यम से निरसित किये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त विधायी विभाग में यू.पी. कोड का निर्माण प्रक्रियाधीन है।

संस्कृति निदेशालय

संस्कृति निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ

संस्कृति, वैज्ञानिक अनुसंधान एवं ललित कला संबंधी विविध गतिविधियों के संवर्द्धन एवं सम्यक् समन्वय हेतु सन् 1957 में इण्डोलॉजी, संस्कृति एवं साइंटिफिक रिसर्च नामक विभाग की स्थापना की गयी। इस नवसृजित विभाग के कार्यक्षेत्र में संग्रहालय, पुरातत्व, भू-विज्ञान एवं खनन, राजकीय वेधशाला, नैनीताल, गवर्नमेंट कालेज ऑफ फाइन आर्ट्स एण्ड क्राफ्ट, वैज्ञानिक अनुसंधान कमेटी एवं अन्य संस्थाएं जैसे रजा लाइब्रेरी, रामपुर, जी0एन0झा0 शोध संस्थान, इलाहाबाद (वर्तमान प्रयागराज), नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी, यू0पी0 हिस्टॉरिकल सोसाइटी, भातखण्डे कालेज ऑफ हिन्दुस्तानी म्यूजिक आदि सम्मिलित थे। सन् 1959 में इसे सांस्कृतिक कार्य एवं वैज्ञानिक अनुसंधान की संज्ञा दी गयी। सन् 1961 में भू-विज्ञान एवं खनन संबंधी कार्य उद्योग विभाग को स्थानांतरित किया गया। कालांतर में नैनीताल स्थित वेधशाला को इससे पृथक् कर सन् 1975 में विभाग का नाम सांस्कृतिक कार्य विभाग रखा गया जिसे बाद में संस्कृति विभाग की संज्ञा दी गयी।

वर्तमान में संस्कृति विभाग अपने तीन निदेशालयों क्रमशः उ0प्र0, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 पुरातत्व निदेशालय एवं उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय के माध्यम से उत्तर प्रदेश की गौरवशाली सांस्कृतिक धरोहरों, परम्पराओं, पुरावशेषों एवं स्मारकों तथा लोक एवं जनजाति कलाओं के विकास संरक्षण, संवर्धन के लिए सतत प्रयासरत है।

प्रदेश के विभिन्न अंचलों में समय-समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है जिनमें देश के प्रतिष्ठित कलाकारों के साथ-साथ युवा नवोदित कलाकारों को भी अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन का समुचित अवसर प्रदान किया जाता है।

निदेशालय द्वारा महापुरूषों की मूर्तियों का निर्माण, क्षेत्रीय सांस्कृतिक कलाओं के कलारूपों के अभिलेखीकरण के अतिरिक्त प्रदेश की लोक संस्कृति की लुप्त होती विधाओं को गाँव-गाँव तक पहुँचाना, मंच प्रदान करना एवं इनसे संबंधित सर्वेक्षण/दस्तावेजीकरण आदि महत्वपूर्ण कार्य भी निदेशालय द्वारा किया जाता है।

ऐसे उत्कृष्ट कलाकारों/महानुभावों, जिन्होंने अपने व्यक्तिगत प्रयासों से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरव प्राप्त किया हो, को यश भारती सम्मान पुरस्कार से सम्मानित भी किया जाता है। गज़ल, दादरा तथा ठुमरी विधा में पारंगत लब्ध प्रतिष्ठित 02 कलाकारों को प्रतिवर्ष विभाग द्वारा बेगम अख्तर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है।

कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत प्रदेश के 60 वर्ष के वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों को जिन्होंने अपना पूरा जीवन कला एवं संस्कृति तथा साहित्य की आराधना में लगा दिया परन्तु वृद्धावस्था एवं खराब स्वास्थ्य के कारण जीविकापार्जन में असमर्थ हो गये हैं, उन्हें रु0 2,000/- मासिक पेंशन दी जा रही है।

विभाग द्वारा देश की महान विभूतियों की स्मृति को जनमानस में बनाये रखने तथा उनसे प्रेरणा प्राप्त करने के उद्देश्य से महापुरुषों की मूर्तियों का निर्माण भी कराया जाता है।

वित्तीय वर्ष-2019-20 में संस्कृति निदेशालय, उ०प्र० की योजनाओं/कार्यक्रमों की अद्यतन प्रगति का विवरण

1. मूर्ति निर्माण

- संस्कृति विभाग द्वारा मूर्ति निर्माण योजनान्तर्गत भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी बाजपेयी जी की 25 फीट ऊँची ब्रॉस प्रतिमा का लोक भवन में मा0 प्रधानमंत्री जी द्वारा लोकार्पण किया गया।
- स्वामी विवेकानन्द की 12.5 फीट ऊँची ब्रॉस प्रतिमा का राजभवन में मा0 राज्यपाल महोदय द्वारा लोकार्पण किया गया।
- श्रद्धेय महन्त अवैद्यनाथ, श्रद्धेय महन्त दिग्विजय नाथ तथा श्रद्धेय हेमवती नन्दन बहुगुणा जी की मूर्तियों का निर्माण का कार्य किया जा चुका है। मूर्तियों के स्थापित किये जाने की प्रक्रिया प्रचलन में है।
- अयोध्या में अयोध्या शोध संस्थान के परिसर में दक्षिण भारतीय शैली में टीक वुड की 07 फीट ऊँची कोदण्ड राम प्रतिमा का अनावरण मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया।

2. पेंशन योजना

- विभाग द्वारा 60 वर्ष से अधिक आयु के 362 वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों को रु0 2,000/- प्रतिमाह की मासिक पेंशन की कल्याणकारी योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।
- यश भारती पेंशन योजना के अन्तर्गत संस्कृति निदेशालय द्वारा 02 महानुभावों को यश भारती पेंशन प्रदान की जा रही है।

3. निर्माण कार्य योजना

- निर्माण कार्य योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में विभाग द्वारा मा0 अटल बिहारी बाजपेई जी स्मृति में आगरा के बटेश्वर में स्मृति संकुल के निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया गया।
- निराला जी की स्मृति में भवन तथा पुस्तकालय एवं अन्य संरचना हेतु निराला जी की जन्म स्थली गढ़कोला उन्नाव में स्मृति भवन का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया।
- गोरखपुर में पं0 दीन दयाल विश्वविद्यालय परिसर में गुरु गोरक्षनाथ शोध पीठ के निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया गया।

- गोरखपुर में अत्याधुनिक प्रेक्षागृह के निर्माण का कार्य।
- गोरखपुर में मुक्ताकांशी मंच के सुदृढ़ीकरण/सौन्दर्यीकरण का कार्य किया गया जिसका उद्घाटन मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया।
- मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत प्रदेश की रामलीला स्थल की चारहदीवारी के सुदृढ़ीकरण योजनान्तर्गत गोरखपुर में बर्डघाट स्थित रामलीला तथा शाहजहाँपुर में खिरनी बाग रामलीला मैदान हेतु अपेक्षित धनराशि उपलब्ध करायी गयी।

4. अमूर्त सांस्कृतिक विरासत

- मथुरा में कृष्ण जन्मष्टमी के अवसर पर मा0 मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार भव्य कृष्णोत्सव का आयोजन किया।
- होली के अवसर पर बरसाना में रंगोत्सव का आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया।
- अन्तर्राष्ट्रीय रामायण उत्सव का भव्य आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न देशों यथा-मारिशस, फीजी, न्यूजीलैण्ड, थाईलैण्ड, इण्डोनेशिया आदि देशों की रामलीला टीमों ने रामलीला के विभिन्न प्रसंगों का प्रदर्शन किया।
- इसी अनुक्रम में दीपावली के अवसर पर अयोध्या में दीपोत्सव का भव्य आयोजन किया गया जिसमें फीजी की लोकसभा अध्यक्ष मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। दीपोत्सव के अवसर पर विभाग द्वारा अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं शोभायात्रा का आयोजन किया गया। अयोध्या में 03 बड़े मंचों तथा 10 लघु मंचों पर 2000 कलाकारों द्वारा लोक कलाओं का प्रदर्शन किया गया। दीपोत्सव के अवसर पर श्रीलंका की रामलीला, नेपाल की रामलीला, इण्डोनेशिया की रामलीला, फिलीपीन्स की रामलीला कलाकारों ने मा0 मुख्यमंत्री जी के समक्ष रामलीला का प्रदर्शन किया।
- महात्मा गाँधी जी की 150वीं जयन्ती समापन समारोह के अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा 150 स्कूली बच्चों द्वारा पदयात्रा का आयोजन किया गया।
- भारतरत्न मा0 अटल बिहारी बाजपेई के जन्म दिवस के अवसर पर लखनऊ में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, संगोष्ठी तथा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।
- अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के आगरा आगमन पर संस्कृति विभाग आगरा एयरपोर्ट पर 325 कलाकारों तथा आगरा के चिन्हित 21 स्थलों पर लगभग 300 कलाकारों द्वारा भव्य स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- 23वें राष्ट्रीय युवा उत्सव के अवसर पर इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान, लखनऊ तथा लखनऊ चिन्हित चौराहों पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
- डिफेन्स इण्डिया एक्सपो-2020 के अन्तर्गत इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान, लखनऊ में देश के कलाकारों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन तथा प्रदर्शनी स्थल पर राम की विश्वयात्रा विषयक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।

- अवध शिल्पग्राम, लखनऊ में उ0प्र0 दिवस-2020 के अवसर पर 03 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया।
- विभाग द्वारा वर्ष 2019-20 में अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम यथा- देव दीपावली, सावन झूला, रामायण मेला आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया गया तथा अनेक कार्यक्रमों को विभाग द्वारा प्रायोजित भी किया गया।

5. पुरस्कार/सम्मान

- विभाग के अन्तर्गत कार्यरत स्वायतशासी संस्थाएं राज्य ललित कला अकादमी, लखनऊ द्वारा उत्कृष्ट चित्रांकन हेतु 10 कलाकारों को पुरस्कार प्रदान किया गया।
- संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ द्वारा अमूर्त कला के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान हेतु प्रदेश की 128 महान् विभूतियों को अकादमी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।
- दीपोत्सव के अवसर पर रामायण के क्षेत्र में विशेष योगदान हेतु विश्व के विभिन्न देशों के 07 कलाकारों को मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा सम्मानित किया गया।

6. ई-बुकिंग प्रणाली

- विभागीय प्रेक्षागृहों में ई-बुकिंग प्रणाली क्रियान्वित की गयी।

वित्तीय वर्ष-2020-21 के लिए प्रस्तावित कार्य/योजनाएँ

- संस्कृति नीति को निर्मित एवं क्रियान्वित किया जाना।
- श्रद्धेय महन्त अवैद्यनाथ, श्रद्धेय महन्त दिग्विजय नाथ तथा श्रद्धेय हेमवती नन्दन बहुगुणा जी, भारतेन्दु हरिश्चन्द जी एवं शहीद बन्धु जी की मूर्तियों का निर्माण/स्थापना।
- प्रदेश के विभिन्न स्थलों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन।
- सांस्कृतिक संकुल, प्रेक्षागृह संबंधी कार्यों में गतिशीलता सुनिश्चित करना।

उ०प्र० राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ

प्रदेश की अमूल्य अभिलेखीय धरोहर को संरक्षित करने के उद्देश्य से उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार की स्थापना सन् 1949 में प्रयागराज (इलाहाबाद) से सेन्ट्रल रिकार्ड ऑफिस के रूप में की गयी थी। उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार द्वारा उ0प्र0 सरकार के विभिन्न विभागों, मण्डलीय एवं जिलास्तरीय कार्यालयों एवं अर्द्धशासकीय संस्थाओं में उपलब्ध ऐतिहासिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अभिलेखों का स्थानान्तरण कर वैज्ञानिक ढंग से संरक्षित किया जाता है।

अभिलेखागार के अन्तर्गत तीन क्षेत्रीय अभिलेखागार क्रमशः प्रयागराज, वाराणसी तथा आगरा में स्थित है एवं एक पाण्डुलिपि पुस्तकालय भी प्रयागराज में स्थित है।

वर्ष-2019-20 की उपलब्धियाँ/कार्यों का विवरण

अभिलेखागार में संरक्षित अभिलेखों के सम्यक् अभिलेख प्रबन्ध, संरक्षण के अतिरिक्त दुर्लभ अभिलेखों के डिजिटाइजेशन का कार्य भी कराया गया तथा आगन्तुक शोधार्थियों को उनके शोध कार्य में अभिलेखीय सहायता उपलब्ध करायी गयी। वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक

विरासत के एक महत्वपूर्ण अंग-अभिलेखीय धरोहर के प्रति जन-सामान्य विशेषकर विद्यार्थियों में जागरूकता उत्पन्न करने के निमित्त समय-समय पर प्रदेश के विभिन्न स्थानों यथा लखनऊ, वाराणसी, आगरा आदि में अभिलेख प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया। अन्तर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव-2019, विश्व धरोहर सप्ताह, काकोरी शहीद दिवस आदि अवसरों पर प्रदर्शनियों का आयोजन किया। कार्यालय द्वारा विभिन्न विषयों पर संगोष्ठियों/कार्यशालाओं तथा अभिलेखों के रखरखाव विषयक प्रशिक्षण कार्य भी आयोजित किये गये।

वर्ष-2020-21 के लिए प्रस्तावित कार्य/योजनाएँ

उत्तर प्रदेश अभिलेख नीति-1990 के अनुपालन के क्रम में विभिन्न विभागों के ऐतिहासिक एवं प्रशासनिक महत्व के अभिलेखों का स्थानान्तरण, वैज्ञानिक संरक्षण, परामर्श, प्रशिक्षण, प्रकाशन का कार्य करने के अतिरिक्त अभिलेखों के प्रति जनजागरूकता हेतु अभिलेख प्रदर्शनी, संगोष्ठी एवं कार्यशालाओं आदि का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है।

भातखण्डे संगीत संस्थान समविश्वविद्यालय, लखनऊ

शास्त्रीय संगीत की विभिन्न विधाओं की शिक्षा एवं विशिष्ट पाठ्यक्रमों के लिए सुविख्यात इस महाविद्यालय की स्थापना वर्ष-1926 में मैरिस कालेज के नाम से हुयी, बाद में इसका नाम बदलकर भातखण्डे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय कर दिया गया। 26 मार्च, 1966 को राज्य सरकार द्वारा इसे अपने नियंत्रण में लिया गया।

भारत सरकार द्वारा 24 अक्टूबर, 2000 को इसे समविश्वविद्यालय घोषित कर दिया गया तथा संगीत शिक्षा के क्षेत्र में इसे अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय होने का गौरव प्रदान किया गया।

भातखण्डे संगीत संस्थान समविश्वविद्यालय की गतिविधियाँ

इस संस्थान द्वारा शास्त्रीय संगीत की विभिन्न विधाओं-गायन, ताल-वाद, सुशिर-वाद, तंत्र-वाद, नृत्य आदि विषय एवं विधाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया जाता है।

राष्ट्रीय कथक संस्थान, लखनऊ

राष्ट्रीय कथक संस्थान की स्थापना संस्कृति विभाग, उ0प्र0 के अन्तर्गत स्वायत्तशासी संस्थान के रूप मे वर्ष-1988-89 में हुयी थी। संस्थान का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर के कथक के विविध घरानों की परम्पराओं का अभिलेखीकरण, युवा प्रतिभाओं का प्रोत्साहन, वरिष्ठ कलाकारों का संरक्षण एवं कथक नृत्य का संवर्द्धन करना है। लुप्त हो गये व कथक के नवीन पक्षों पर शोध और कथक संग्रहालय की स्थापना करना भी संस्थान का उद्देश्य है।

राष्ट्रीय कथक संस्थान की गतिविधियाँ

राष्ट्रीय कथक संस्थान द्वारा कथक की समृद्धिशाली परम्पराओं के संवर्द्धन का कार्य शिक्षण, मासिक कथक संध्या, कथक बाल उत्सव, कथक कार्यशाला, कथक प्रवाह, संगीत संगम, कार्यशालाओं

आदि के माध्यम से किया गया। इस अनुक्रम में राष्ट्रीय कथक समारोह 'विरासत' तथा पं0 बिन्दादीन महाराज राष्ट्रीय कथक उत्सव 'रस-रंग' का आयोजन उल्लेखनीय है। उत्तर प्रदेश के एकमात्र शास्त्रीय नृत्य विधा कथक का अन्य राज्यों से परस्पर समन्वय करते हुए अन्तर्राज्यीय कथक संवर्धन 'परस्पर' कार्यक्रम भी उल्लेखनीय है।

राष्ट्रीय कथक संस्थान द्वारा वर्ष 2020-21 में कथक पर आधारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम एवंकार्यशालाओं, राष्ट्रीय कथक संगोष्ठी, कथक संग्रहालय/सभागार/प्रेक्षागृह/खुला मंच की स्थापना आदि स्थानों पर कथक गतिविधियाँ कराया जाना तथा कथक एवं अन्य विधाओं के आचार्यों एवं संगीत संरक्षकों को सम्मान समारोह किया जाना प्रस्तावित है।

लोक एवं जनजाति कला एवं संस्कृति संस्थान, लखनऊ

लोक एवं जनजाति कला एवं संस्कृति संस्थान, लखनऊ की स्थापना सन् 1986 में की गई थी, जिसके द्वारा लोक संस्कृति की लुप्त होती विधाओं को मंच प्रदान किया जाता है। संस्थान द्वारा सम्बन्धित सर्वेक्षण/दस्तावेजीकरण आदि का कार्य भी किया जाता है। संस्थान द्वारा लोक एवं जनजाति कला एवं संस्कृति के संवर्द्धन हेतु नियमित मासिक शृंखला का आयोजन किया जा रहा है।

वर्ष-2019-20 में जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान की गतिविधियाँ

जनजातीय एवं लोक संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन एवं प्रदर्शन का कार्य विविध कार्यक्रमों द्वारा किया गया। संस्थान द्वारा लुप्तप्राय कलारूपों तथा लोकरूपों एवं लोक संस्कृति के विविध पक्षों का सर्वेक्षण एवं दस्तावेजीकरण सम्बन्धी कार्य भी किया गया। संस्थान द्वारा रागिनी प्रतियोगिता, कजरी कार्यक्रम, थारू लोक सर्वेक्षण एवं प्रस्तुति तथा कर्मा जनजाति कार्यक्रम कराये गये।

वर्ष-2020-21 के लिए प्रस्तावित कार्य/योजनाएँ

संस्थान द्वारा थारू तथा लोक जनजातियों पर आधारित कार्यक्रमों की प्रस्तुतियाँ एवं जनजातीय एवं लोक कलाओं का सर्वेक्षण एवं दस्तावेजीकरण का कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

भारतेन्दु नाट्य अकादमी, लखनऊ

हिन्दी भाषी प्रान्तों में प्रतिभावान व महत्वाकांक्षी युवक-युवतियों को नाट्य कला में प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से भारतेन्दु नाट्य अकादमी की स्थापना अगस्त, 1975 में की गयी थी। अकादमी द्वारा नाट्य कला के विभिन्न पक्षों- अभिनय, निर्देशन, रंगतकनीक एवं नाट्य साहित्य विषयों में गहन प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। अकादमी द्वारा वर्ष-1988 में रंगमण्डल की स्थापना की गयी तथा भारतेन्दु नाट्य अकादमी उ0प्र0 शासन के संस्कृति विभाग के अन्तर्गत स्वायत्तशासी संस्थान के रूप में कार्य कर रही हैं।

उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ

उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 13 नवम्बर, 1963 को हुयी थी। पिछले 56 वर्षों से अकादमी संगीत, नृत्य, नाटक, लोक संगीत, लोकनाट्य की परम्पराओं के प्रचार-प्रसार, संवर्द्धन एवं परिरक्षण का महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। लुप्त हो रही लोक विधाओं के परिरक्षण एवं

प्रदर्शन की योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर सम्पन्न कराना, साथ ही सर्वेक्षण के आधार पर कार्यक्रमों को तैयार कर उन्हें जनता के समक्ष लाना अकादमी का उद्देश्य है।

वर्ष-2019-20 में उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की गतिविधियाँ

अकादमी द्वारा प्रदेश की समृद्धशाली सांस्कृतिक परम्पराओं एवं संवर्धन के उद्देश्य से सम्भागीय संगीत प्रतियोगिता, राज्य नाट्य समारोह, लोक नाट्य समारोह, अवधी संध्या, 'यादें' (बेगम अख्तर स्मृति कार्यक्रम), 'धरोहर' (स्थापना दिवस) तथा 'नमन' (स्व0 लच्छू महाराज स्मृति कथक कार्यक्रम) आयोजित किये गये तथा दुर्लभ रिकार्डिंग्स के डिजिटाइजेशन का कार्य किया गया। अकादमी द्वारा संगीत और रंगमंच पर आधारित त्रैमासिक पत्रिका 'छायानट' का प्रकाशन भी किया गया। प्रदेश के नवोदित, बाल, किशोर एवं युवा कलाकारों को प्रोत्साहन हेतु 18 मण्डलों के विभिन्न जनपदों में सम्भागीय संगीत प्रतियोगताओं का आयोजन किया गया। संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ द्वारा अमूर्त कला के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान हेतु प्रदेश के 128 महान् विभूतियों को अकादमी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।

अयोध्या शोध संस्थान, अयोध्या

अयोध्या शोध संस्थान की स्थापना संस्कृति विभाग उ0प्र0 द्वारा अयोध्या के ऐतिहासिक तुलसी स्मारक भवन में 18 अगस्त, 1986 को की गयी थी। यह संस्कृति विभाग की स्वायत्तशासी संस्था है। संस्थान का उद्देश्य अयोध्या की कला, संस्कृति, साहित्य, लोक साहित्य, इतिहास और परम्पराओं की पाण्डुलिपियों, शिल्प तथ्यों का संग्रह, संरक्षण और अध्ययन करना है। अवध की सांस्कृतिक विरासत से संबंधित नष्ट और विलुप्त हो रही पुरालेखी सामग्री को संग्रह, संरक्षण तथा अध्ययन कर प्रकाशित कराना भी संस्थान का उद्देश्य है।

वर्ष-2019-20 में अयोध्या शोध संस्थान की गतिविधियाँ

संस्थान द्वारा उड़िया दिवस, अवधी दिवस, फादर कामिल बुल्के की जयन्ती के अवसर पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अयोध्या दीपोत्सव वर्ष-2019 में आयोजन के अवसर पर पाई डण्डा, कालबेलिया, बुन्देली आदि लोकनृत्यों पर आधारित 25 लोक विधाओं एवं रामलीला के विभिन्न प्रसंगों पर आधारित 11 रामलीला दलों एवं विदेशी रामलीला दलों ने क्रमशः नेपाल, श्रीलंका, फिलीपिन्स, इण्डोनेशिया की झाँकी का आयोजन किया। संस्थान द्वारा शोध पत्रिका 'साक्षी' का प्रकाशन भी कराया गया।

उ०प्र०, राज्य ललित कला अकादमी, लखनऊ

उ0प्र0 राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना 08 फरवरी, 1962 को उत्तर प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग की पूर्णतः वित्त पोषित स्वायत्तशासी इकाई के रूप में की गयी थी।

अकादमी का प्रमुख कार्य क्षेत्रीय ललित कलाओं एवं कलाकारों को संरक्षण एवं संवर्द्धन करना है। अकादमी कला प्रदर्शनियों, कलाशिविरों, कार्यशालाओं एवं व्याख्यानों के माध्यम से जनसामान्य तक प्रदर्शनकारी कलाओं को पहुँचाती है।

वर्ष-2019-20 में राज्य ललित कला अकादमी की गतिविधियाँ

अकादमी द्वारा प्रदेश के 25 स्थलों पर 20 दिवसीय ग्रीष्मकालीन कार्यशालाओं का आयोजन, विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन, कृष्णोत्सव के अवसर पर कृष्णलीला पर आधारित चित्रांकन, प्रदेश के विभिन्न जिलों में कला आचार्य प्रदर्शनी का आयोजन, महात्मा गाँधी की 150वीं जयन्ती के समापन समारोह के अवसर पर 302 बच्चों की क्ले माडलिंग एवं जलरंग में कार्यशाला तथा 09 वरिष्ठ/युवा मूर्तिकारों का सजीव प्रदर्शन। छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय चित्रकार शिविर, बाल एवं युवा कलाकारों की चित्रकला प्रतियोगिताओं तथा अन्य प्रतियोगिताओं तथा शिविर/कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

उ०प्र० संग्रहालय निदेशालय, लखनऊ

प्रदेश के समस्त संग्रहालयों के विकास एवं संवर्द्धन, स्वतंत्र नियंत्रण एवं प्रभावी पर्यवेक्षण, नये संग्रहालयों की स्थापना, उनके भवनों का निर्माण, आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण, कलाकृतियों एवं पुरावशेषों के क्रय, उनके प्रदर्शन तथा कला अभिरुचि के विकास, व्याख्यान, प्रशिक्षण आदि योजनाओं के उन्नयन हेतु 31 अगस्त, 2002 को उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय की स्थापना की गई।

राज्य संग्रहालय, लखनऊ (सन् 1863)

राज्य संग्रहालय, लखनऊ उ0प्र0 का प्राचीनतम तथा विशालतम् बहुउद्देशीय संग्रहालय है। इसकी स्थापना सन् 1863 ई0 में लखनऊ डिवीजन के तत्कालीन कमिश्नर कर्नल एबट द्वारा सींखचे वाली कोठी में की गयी थी। सन् 1883 में यह प्रान्तीय संग्रहालय के रूप में लाल बारादरी में व्यवस्थित हुई। सन् 1950 में इसका नाम प्रान्तीय संग्रहालय के स्थान पर राज्य संग्रहालय रखा गया तथा वर्ष 1963 में नवीन भवन बन जाने के बाद यह बनारसी बाग स्थित प्राणि उद्यान परिसर में आ गया।

वर्तमान में यह निदेशालय राज्य संग्रहालय, लखनऊ के चतुर्थ पार्श्व में स्थापित है। निदेशक, उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय विभागाध्यक्ष के कार्यों एवं दायित्वों के साथ-साथ राज्य संग्रहालय, लखनऊ के निदेशक के कार्यों एवं दायित्वों का निर्वहन भी करते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल उन्नीस राजकीय संग्रहालय उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय के अधीन हैं जिनमें 15 संग्रहालय संचालित हैं तथा 04 संग्रहालय निर्माणाधीन हैं।

राज्य संग्रहालय, लखनऊ (1863), राजकीय संग्रहालय, मथुरा (1874), राजकीय पुरातत्व संग्रहालय, कन्नौज (1975),राजकीय संग्रहालय, झांसी (1978), राजकीय बौद्ध संग्रहालय, गोरखपुर (1987), अन्तर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी, अयोध्या (1988), लोक कला संग्रहालय, लखनऊ (1989), जनपदीय संग्रहालय, सुल्तानपुर (1989), राजकीय बौद्ध संग्रहालय, कुशीनगर (1994), राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय, मेरठ,(1996), राजकीय बौद्ध संग्रहालय, पिपरहवा (सिद्धार्थनगर) (1997), जैन संग्रहालय, मथुरा (2003), अम्बेडकर संग्रहालय एवं

पुस्तकालय, रामपुर, (2004), पं0 बिरजू महाराज पैतृक आवास कालका बिन्दादीन की ड्योढ़ी कथक संग्रहालय, लखनऊ (2016), लाल बहादुर शास्त्री स्मृति संग्रहालय, वाराणसी (2018), बाल संग्रहालय, कन्नौज (निर्माणाधीन) तथा राजकीय पुरातत्व संग्रहालय, फर्रुखाबाद (निर्माणाधीन), थारू जनजाति संस्कृति संग्रहालय इमिलिया कोडर, बलरामपुर (निर्माणाधीन), प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, लखनऊ (प्रस्तावित)।

उ०प्र० राज्य पुरातत्व निदेशालय, लखनऊ

प्रदेश की पुरातात्विक सामग्री और स्थलों के सरंक्षण, यथावश्यक पुरास्थलों के उत्खनन, पुरातत्व विषयक प्रकाशन तथा पुरातत्व और पुरास्थलों में लोकरुचि जगाने के उद्देश्य से 1951 में लखनऊ में पुरातत्व विभाग की स्थापना की गयी। सन् 1979-80 में लखनऊ के बाहर कुमाऊँ और गढ़वाल क्षेत्रों के लिये पहली क्षेत्रीय इकाई गठित हुई। नवें दशक में पौड़ी गढ़वाल और झाँसी तथा तत्पश्चात् आगरा, गोरखपुर, वाराणसी और इलाहाबाद में भी क्षेत्रीय पुरातत्व इकाइयां स्थापित की गयीं। राज्य पुरातत्व संबंधी गतिविधियों को और अधिक गति प्रदान करने हेतु 27 अगस्त, 1996 को निर्गत संस्कृति अनुभाग की अधिसूचना सं0-2558/चार-96-6(2)/96 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व संगठन का नाम ''उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग तथा निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व संगठन को स्वतंत्र विभागाध्यक्ष घोषित करते हुए सचिव, संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के अधीन रखा गया है।

सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में पुरातात्त्विक गतिविधियों का संचालन उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व निदेशालय द्वारा किया जाता है। पुरातत्व निदेशालय के अन्तर्गत गठित क्षेत्रीय इकाइयों के कार्यों पर नियंत्रण, प्रदेश के विभिन्न भागों में बिखरी पुरासम्पदा की खोज हेतु सर्वेक्षण, महत्वपूर्ण पुरास्थलों का उत्खनन, राज्य संरक्षित स्मारकों/स्थलों का अनुरक्षण व रख-रखाव, एवं पुरावशेषों के प्रति जन चेतना जागृत करना पुरातत्व निदेशालय के प्रमुख उद्देश्य है।

वर्तमान में पुरातत्व निदेशालय के अन्तर्गत क्षेत्रीय पुरातत्व इकाई, झांसी, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी तथा गोरखपुर कार्यरत है।

राष्ट्रीय एकीकरण

राष्ट्रीय एकीकरण

राष्ट्रीय एकीकरण परिषद् की स्थायी समिति ने 26 अक्टूबर, 1968 को दिल्ली में हुई अपनी पृथक बैठक में यह सिफारिश की थी कि परिषद के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य स्तर पर एक ''एकीकरण परिषद'' की स्थापना की जाये।

उक्त के अनुसार वर्ष 1968 में राष्ट्रीय एकीकरण विभाग का गठन किया गया था। राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अधीन कोई विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष/निगम परिषद/आयोग/संस्था कार्यरत नहीं है और न ही मण्डल/जिले/तहसील/ब्लाक स्तर पर कोई कार्यालय स्थापित एवं संचालित है। राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत कोई भी विकास योजना संचालित नहीं है।

गत चार वर्षों के बजट का तुलनात्मक विवरण

अन्तर्जातीय विवाह जिसमें दम्पत्ति का एक सदस्य अनुसूचित जाति का हो, प्रोत्साहित करने हेतु केन्द्र पुरोनिधानित योजनान्तर्गत नकद पुरस्कार (के0 50 प्रतिशत, रा0 50 प्रतिशत)

वित्तीय वर्ष 2020-21 की उपलब्धियां

राष्ट्रीय एकीकरण विभाग की योजनायें दीर्घकालीन व सतत् प्रयास वाली है। इनसे जनमानस में राष्ट्रीय एकता साम्प्रदायिक सद्भाव एवं सामाजिक समरसता की भावना का निरन्तर विकास हो रहा है।

वर्ष 2020-21 हेतु प्रस्तावित योजनायें

अन्तर्जातीय/अन्तर्धार्मिक विवाह प्रोत्साहन योजना

''अन्तर्जातीय/अन्तर्धार्मिक विवाह के लिये उत्तर प्रदेश अन्तर्जातीय/अन्तर्धार्मिक विवाहित दम्पति को प्रोत्साहन देने की नियमावली, 1976'' लागू है, जिसके अन्तर्गत ऐसे विवाहित जोड़ों जिनका एक पक्ष अनुसूचित जाति से सम्बन्धित हो, को अन्तर्जातीय विवाह तथा ऐसे विवाहित जोड़ों, जो विवाह के पूर्व अलग-अलग धर्म को मानने वाले रहे हों, को अन्तर्धार्मिक विवाह की श्रेणी में रखा गया है। ऐसे दम्पति को प्रोत्साहन स्वरूप रुपये 50,000/- का नकद पुरस्कार तथा प्रशस्ति प्रत्र प्रदान किया जाता है। इस सम्बन्ध में विभाग की विज्ञप्ति दिनांक 30 मार्च, 2010 द्वारा उक्त नियमावली के नियम 7(2) में किए गए संशोधन के अनुसार अन्तर्जातीय एवं अन्तर्धार्मिक प्रोत्साहन पुरस्कार योजना का विकेन्द्रीकरण करते हुए मण्डलायंक्तों को प्रोत्साहन पुरस्कार की धनराशि नियमानुसार स्वीकृति हेतु अधिकृत किया गया है। अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु 60.00 लाख एवं अन्तर्धार्मिक विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार हेतु रु0 10.00 लाख की बजट व्यवस्था की गई है।

लौह पुरुष सरदार बल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस मनाया जाना

लौह पुरुष सरदार बल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस दिनांक 31 अक्टूबर, 2020 को प्रतिवर्ष ''राष्ट्रीय अखण्डता दिवस'' के रूप में मनाया जाता है। इसके लिये प्रत्येक जनपद को रुपये 5,000/- की धनराशि स्वीकृत की जाती है। इस मद में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु0 7,50,000/- की व्यवस्था की गई है। प्रदेश में वर्ष 2020-21 में कोरोना महामारी के दृष्टिगत कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए लौह पुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस मनाये जाने के निर्देश दिए गए।

कौमी एकता सप्ताह का आयोजन

प्रतिवर्ष दिनांक 19 से 25 नवम्बर तक भारत सरकार के दिशा निर्देश पर कौमी एकता सप्ताह मनाया जाता है। इस हेतु प्रदेश के प्रत्येक जनपद को रुपये 5,000/- की धनराशि स्वीकृत की जाती है। इस मद में वित्तीय वर्ष 2020-21 में रुपये 3,75,000/- की बजट व्यवस्था की गई है।

जिला एकीकरण समितियों का गठन

राष्ट्रीय एकता, भाईचारा एवं धर्म निरपेक्ष लोकतंत्र की भावना बढ़ाने तथा साम्प्रदायिक एकता, सौहार्दपूर्ण वातावरण निरन्तर कायम रखने के उद्देश्य से जनपद स्तर पर अध्यक्ष, जिला पंचायत की अध्यक्षता में जिला एकीकरण समिति का गठन किया गया है। इन समितियों द्वारा प्रमुख त्योहारों एवं उत्सवों जैसे- रक्षा-बन्धन, होली, दिवाली, ईद-बकरीद, क्रिसमस डे तथा बसन्त पंचमी सामूहिक रूप से मनाने की व्यवस्था करना तथा इन अवसरों पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं ऐसे व्यक्तियों जिन्होंने साम्प्रदायिक दंगों की रोकथाम तथा नियंत्रण हेतु अपनी जान खतरे में डालकर दूसरे सम्प्रदाय के सदस्यों की जान बचायी हो एवं अन्तर्जातीय/अन्तर्धार्मिक विवाह प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत पुरस्कृत किये गये नागरिकों को आमंत्रित कर सम्मानित करना ताकि समाज के अन्य लोग उनसे प्रेरणा ले सकें।

इसके अतिरिक्त लोक नृत्य, लोकगीत, कठपुतली नृत्य आदि कराये जाने की व्यवस्था की गई है। इस मद में वित्तीय वर्ष 2020-21 में रुपये 15,00,000/- की बजट व्यवस्था की गई है।

महान विभूतियों के जन्म दिन पर राष्ट्रीय एकता एवं साम्प्रदायिक सद्भाव कार्यक्रमों का आयोजन

प्रदेश के जनपदों के ऐसे ज्ञात-अज्ञात महानुभाव जिन्होंने स्थानीय समाज में भाई-चारे की भावनाओं को विकसित करने तथा विभिन्न सम्प्रदायों के बीच आपसी मेल-मिलाप के माहौल को सुदृढ़ करने में उल्लेखनीय योगदान दिया हो व उनका जन्मदिन धन के अभाव में नहीं मनाया जाता है, के निमित्त रुपये 35,000/- प्रति जनपद धनराशि स्वीकृत की जाती है। यह योजना वित्तीय वर्ष 2008-09 से प्रारम्भ की गई है। इस मद में वित्तीय वर्ष 2020-21 में रुपये 26,25,000/- की व्यवस्था की गई है।

मौलाना आजाद मेमोरियल अकादमी को अनुदान

मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा तथा उनके ऊपर अन्य द्वारा लिखित उर्दू की पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं का अन्य भाषाओं में अनुवाद कर उसे देश के पुस्तकालयों एवं वाचनालयों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मौलाना आजाद स्मारक अकादमी, लखनऊ, जो कि एक गैर सरकारी स्वैच्छिक संस्था है, को रु. तीन लाख का वार्षिक अनुदान दिया जाता था, जिसे वित्तीय वर्ष 2014-15 में बढ़ाकर रु.15,00,000/- किया गया। वित्तीय वर्ष 2020-21 में भी रु.15,00,000/- की बजट व्यवस्था की गई है।

गुरु गोविन्द सिंह राष्ट्रीय एकता पुरस्कार

प्रदेश में निवासरत जन सामान्य में से कोई एक महानुभाव, जिन्होंने मानवाधिकारों की रक्षा, सामाजिक न्याय एवं राष्ट्रीय एकीकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया हो तथा इस दिशा में सतत् संलग्न रहे हों, का अभिज्ञान कर उन्हें गुरु गोविन्द सिंह राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के रूप में सार्वजनिक रूप से सम्मानित करने के उद्देश्य से प्रति वर्ष 5 जनवरी को राज्य सरकार द्वारा रुपये एक लाख का नकद पुरस्कार तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। प्रदेश सरकार द्वारा यह योजना वर्ष 2001 से प्रारम्भ की गई है। उल्लेखनीय है कि इस योजना के अन्तर्गत प्रथम बार वर्ष 2012-13 व वर्ष 2013-14 के लिये गुरु गोविन्द सिंह राष्ट्रीय एकता पुरस्कार दिनांक 18 अक्टूबर, 2014 को क्रमशः श्री वाहिद अली 'वाहिद', लखनऊ तथा श्री काजी जैनुल राशिदीन, मेरठ को प्रदान किया गया। इस मद में वित्तीय वर्ष 2020-21 में भी पूर्व की भाँति रु. 2.00 लाख की बजट व्यवस्था की गई है।

भाषा

प्रदेश की राजभाषा हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषाओं के प्रयोग, प्रचार-प्रसार एवं विकास का कार्य भाषा विभाग द्वारा किया जा रहा है। शासन स्तर पर इस विभाग द्वारा शासन के समस्त विभागों से प्राप्त अनुवाद कार्य तथा विभागीय मैनुअलों, संकलनों एवं संदर्भ ग्रन्थों आदि का प्रकाशन कार्य कराने के साथ-साथ विभिन्न भाषाओं से सम्बन्धित कार्यकलापों तथा योजनाओं को निम्नलिखित संस्थाओं के माध्यम से संचालित किया जाता है-

(1) उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ

(2) उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम्, लखनऊ

(3) उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी, लखनऊ

(4) उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी, लखनऊ

(5) उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान, लखनऊ

(6) हिन्दुस्तानी एकेडमी, प्रयागराज

(7) उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी, लखनऊ

(8) फखरूद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी, लखनऊ

(9) राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान, लखनऊ

(10) भाषा प्रकाशन (कोष्ठक), लखनऊ।

उ.प्र. भोजपुरी अकादमी के नाम से एक नयी संस्था के गठन की अधिसूचना जारी कर दी गयी है। स्थापना और नियमावली का प्रख्यापन प्रक्रियाधीन है। भाषा विभाग के नियंत्रणाधीन भाषायी संस्थाओं के कार्यकलापों एवं कार्यरत स्टाफ आदि के वेतन भत्तों के लिए आवश्यक सम्पूर्ण वित्तीय व्यवस्था शासन द्वारा की जाती है। उक्त संस्थाओं के माध्यम से संचालित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यकलापों के अन्तर्गत हिन्दी, उर्दू तथा संस्कृत भाषाओं के उत्कृष्ट साहित्यकारों को पुरस्कृत करने के साथ-साथ साहित्यकार कल्याण कोष योजना, प्रकाशन अनुदान योजना, उत्कृष्ट ग्रन्थों का प्रकाशन, साहित्यिक समारोह, पाण्डुलिपियों का प्रकाशन, अभावग्रस्त साहित्यकारों को सहायता के साथ-साथ प्रचार-प्रसार हेतु विभिन्न संगोष्ठियों का आयोजन तथा सम्पूर्ण देश में आयोजित पुस्तक प्रदर्शनियों एवं मेलों में प्रतिभाग भी किया जाता है।

राजभाषा हिन्दी

प्रदेश में सर्वप्रथम अक्टूबर, 1947 में देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी को अपनी राजभाषा घोषित

किया गया था। राजभाषा हिन्दी का प्रयोग प्रदेश के समस्त सरकारी कार्यालयों में 26 जनवरी, 1968 से अनिवार्य कर दिया गया है तथा उक्त आदेश का अनुपालन न किया जाना अनुशासनहीनता माना गया है। अंग्रेजी का प्रयोग करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने की व्यवस्था की गयी है, जिससे हिन्दी की प्रगति को गतिशीलता मिल सके।

द्वितीय राजभाषा उर्दू

उर्दू भाषी अल्पसंख्यकों की भावनाओं का समादर करते हुए सरकार ने वर्ष 1989 में उ.प्र. राजभाषा (संशोधन) अधिनियम, 1989 पारित करके उर्दू को निम्नांकित सात विनिर्दिष्ट प्रयोजनों हेतु प्रदेश की द्वितीय राजभाषा घोषित किया है :

(1) उर्दू में अर्जियों और आवेदन-पत्रों की प्राप्ति और उर्दू में उनका उत्तर।

(2) उर्दू में लिखित दस्तावेजों को निबंधन कार्यालयों द्वारा स्वीकार किया जाना।

(3) महत्त्वपूर्ण सरकारी नियमों, विनियमों और अधिसूचनाओं का उर्दू में भी प्रकाशन।

(4) सार्वजनिक महत्त्व के सरकारी आदेशों और परिपत्रों को उर्दू में भी जारी किया जाना।

(5) महत्त्वपूर्ण सरकारी विज्ञापनों का उर्दू में भी प्रकाशन।

(6) गजट के उर्दू रूपान्तर का भी प्रकाशन।

(7) महत्त्वपूर्ण संकेत पट्टों का उर्दू में प्रदर्शन।

उक्त प्रयोजनों के कार्यान्वयन हेतु समस्त विभागाध्यक्षों/जिलाध्यक्षों को समय-समय पर शासनादेश जारी किये गये हैं।

क्षेत्रीय भारतीय भाषाओं का विकास

हिन्दी संस्कृत एवं उर्दू भाषा के साथ-साथ अन्य भारतीय भाषाओं के प्रचार-प्रसार की भी व्यवस्था की गयी है। इन भाषाओं के प्रोत्साहन हेतु प्रदेश के पाँच जनपदों क्रमशः लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, मुरादाबाद और आगरा में कुल पाँच भारतीय भाषा केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं। इन केन्द्रों में कुल 13 भाषाओं यथा- तमिल, तेलुगू, कन्नड, मलयालम, गुजराती, मराठी, बंगला, उड़िया, पंजाबी, सिन्धी, असमिया, कश्मीरी और नेपाली के प्रशिक्षण की व्यवस्था है।

आशुलिपि तथा टंकण प्रशिक्षण केन्द्र

भाषा विभाग के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश सचिवालय में राज्य कर्मचारियों के लिए हिंदी टंकण एवं आशुलिपि प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सचिवालय तथा लखनऊ स्थित सरकारी कार्यालयों के कर्मचारियों को हिन्दी टंकण एवं आशुलिपि में प्रशिक्षण दिये जाने हेतु दरबारी लाल शर्मा भवन में हिन्दी टंकण एवं आशुलिपि प्रशिक्षण केन्द्र चलाया जा रहा है।

उर्दू प्रवीणता परीक्षा

सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों में उर्दू भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करने हेतु उर्दू वैकल्पिक प्रवीणता परीक्षा विगत लगभग चालीस वर्षों से शासन द्वारा चलाई जा रही है, जिसके अन्तर्गत हाईस्कूल स्तर की उर्दू वैकल्पिक प्रवीणता परीक्षा में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को क्रमशः 1400/-, 1000/- तथा 800/- रुपये की राशि तथा जूनियर हाईस्कूल

स्तर की उर्दू प्रवीणता परीक्षा में उत्तीर्ण अधिकारियों/कर्मचारियों को क्रमशः 600/-, 400/- तथा 200/- रुपये की धनराशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाती है तथा दक्षता प्रमाण-पत्र दिया जाता है।

- **प्रकाशन कार्य**

सरकारी कार्यों में राजभाषा हिन्दी का प्रयोग सुनिश्चित कराने एवं तद्नुसार कार्य संचालन में सुविधा की दृष्टि से प्रदेश के सरकारी कार्यालयों एवं अधिकारियों को शासन के अद्यावधिक नियमों, विनियमों आदि से अवगत कराने एवं तद्नुसार कार्य सम्पादन में सरकारी प्रयोगार्थ उनकी प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु भाषा (प्रकाशन) अनुभाग द्वारा शासन के विभागीय मैनुअलों, हैण्डबुकों, नियमावलियों, आदेशों के संकलनों आदि को संशोधित एवं अद्यावधिक कराकर उन्हें प्रकाशित कराया जाता है। वित्तीय 2019-20 की रिपोर्ट निम्नवत् हैः-

- **प्रकाशित सामग्री**

1. वर्ष 2019 का वार्षिक कैलेण्डर
2. भाषा विभाग का वार्षिक प्रतिवेदन

- **संकलनाधीन सामग्री**

1. उत्तर प्रदेश प्रशासन शब्दकोष (अंग्रेजी-हिन्दी)
2. उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र से बाहर के पदों पर) तदर्थ पदोन्नतियों का विनियमितीकरण नियमावली
3. भारतीय झंडा संहिता
4. वित्तीय नियम-संग्रह, खण्ड-1
5. अनुशासनिक कार्यवाही विषयक नियमों/आदेशों का नवीन संकलन

इसके अतिरिक्त भाषा (प्रकाशन) अनुभाग द्वारा लगभग 50 पृष्ठों का अनुवाद कार्य एवं 235 वि0पत्रों का व्यवहरण कार्य भी संपन्न किया गया है।

- **अनुवाद एवं पत्रावली कार्य**

शासन की भाषा नीति के अनुरूप राजभाषा हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हिन्दी प्रभाग द्वारा शासन स्तर पर समस्त विभागों से प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के सामान्य, प्रकीर्ण एवं विधायी प्रकृति के शासकीय प्रपत्रों/पत्रों का अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद कार्य भाषा विभाग द्वारा सम्पादित किया जाता है।

भाषा विभाग के हिन्दी प्रभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में शासन के विभिन्न विभागों यथा- आबकारी, आयुष, चिकित्सा, कार्मिक, कर एवं निबंधन, गृह, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, वित्त, शिक्षा, उच्च शिक्षा, सचिवालय प्रशासन, लोक निर्माण, नियुक्ति, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल, चीनी उद्योग, ग्राम्य विकास, कृषि आदि की सेवा नियमावलियों का विधिक हिन्दी अनुवाद का कार्य किया गया।

इसके साथ ही शिक्षा विभाग, परिवहन विभाग, लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, कार्मिक विभाग, कारागार एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 सचिवालय प्रशासन विभाग, न्याय विभाग, राजस्व

विभाग, चिकित्सा विभाग, नियोजन विभाग, कर एवं निबंधन, ग्रह विभाग, श्रम विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, नगर विकास आदि विभागों से प्राप्त 98 विधेयक/अध्यादेश, 27 नियमावलियों तथा 482 अधिसूचना/विनियमावली/परिनियमावली का हिन्दी अनुवाद कार्य सम्पन्न हुआ।

उ.प्र. भाषा निधि

हिन्दी भाषा एवं साहित्य के संवर्द्धन के उद्देश्य से रु. 10.00 करोड़ की धनराशि से उ.प्र. भाषा निधि की स्थापना की गयी थी। भाषा निधि के बजट से भारतीय भाषा केन्द्रों एवं भाषा संस्थान की योजनाओं का संचालन किया जाता है।

उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान

राष्ट्रभाषा हिन्दी के विकास के लिए समर्पित : उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान

राष्ट्र भाषा हिन्दी के वाङ्मय की श्रीवृद्धि में जिन संस्थाओं का विशिष्ट योगदान है, उनमें उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान सर्वप्रमुख है। उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान राष्ट्रभाषा के अनन्य उपासक, मनीषी व चिन्तक राजर्षि पुरुषोत्तमदास टण्डन की पुण्य स्मृति का जीवन्त प्रतीक है। हिन्दी भाषा व साहित्य के सर्वतोन्मुखी उन्नयन और आधुनिक ज्ञान-विज्ञान व प्रौद्योगिकी के प्रचार-प्रसार में राष्ट्रभाषा की वर्तमान भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान की स्थापना 30 दिसम्बर, 1976 को हुई थी। उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान का आर्ष वचन उसके संकल्प को द्योतित करता है:-

कीरति भनिति भूति भलि सोई।
सुरसरि सम सब कहँ हित होई।।

वित्तीय वर्ष 2019-20 से अब तक शासन से प्राप्त अनुदान के सापेक्ष संस्थान द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत किये गये कार्य-कलापों का विवरण निम्नवत् है :

प्रोत्साहन प्रभाग द्वारा संचालित योजनाओं के अन्तर्गत किये गये कार्यों का विवरण

- **साहित्यिक समारोह योजना**

1. दिनांक 08 अप्रैल, 2019 को उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान एवं निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश के संयुक्त तत्वाधान में मतदाता जागरूकता काव्य संध्या का आयोजन।
2. दिनांक 09 अप्रैल, 2019 को अवध भारती संस्थान, बाराबंकी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित राष्ट्रीय अवधी सम्मेलन का आयोजन।
3. दिनांक 25 जून, 2019 को 'संत साहित्य के विविध आयाम' विषय संगोष्ठी का आयोजन।
4. दिनांक 31 जुलाई, 2019 को प्रेमचन्द एवं मैथिलीशरण गुप्त पर केन्द्रित एक दिवसीय संगोष्ठी।
5. दिनांक 06 अगस्त, 2019 को गोरखनाथ साहित्यिक केन्द्र, गोरखपुर में वासुदेवशरण अग्रवाल, जयंती समारोह का आयोजन।
6. दिनांक 18 अगस्त, 2019 को राष्ट्रकवि श्री मैथिलीशरण गुप्त संस्थान, नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में एक दिवसीय संगोष्ठी।
7. दिनांक 30 अगस्त, 2019 को भगवतीचरण वर्मा पर केन्द्रित संगोष्ठी।
8. दिनांक 09 सितम्बर, 2019 को लखनऊ विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र जयन्ती समारोह।

9. दिनांक 14 सितम्बर, 2019 को हिन्दी दिवस के अवसर पर साहित्य संवाद श्रृंखला के अन्तर्गत डॉ0 रमेश चन्द्र शाह से संवाद का आयोजन।
10. दिनांक 23 सितम्बर, 2019 को राष्ट्रकवि दिनकर जयन्ती समारोह।
11. दिनांक 26, 27 व 28 सितम्बर, 2019 को नाथपंथ पर तीन दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन।
12. दिनांक 21, 22 व 23 मार्च, 2020 को छायावाद के सौ वर्ष विषय पर केन्द्रित तीन दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी।

- **संस्थाओं के साथ कार्यशाला योजना**

13. दिनांक 21, 22 दिसम्बर, 2019 को सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित दो द्विवसीय संगोष्ठी।
14. दिनांक 11, 12 जनवरी, 2020 को रहीम, रसखान व नजीर अकबराबादी पर शिक्षा एवं सहबद्ध संकाय, एम0जे0पी0 रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली के संयुक्त तत्वावधान में आयोजन।

- **पुरस्कार योजना**

15. उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान के स्थापना दिवस दिनांक 30 दिसम्बर, 2019 के अवसर पर वर्ष-2018 के सम्मान/पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया।

- **बाल साहित्य संवर्द्धन योजना**

16. संस्थान के स्थापना दिवस दिनांक 30 दिसम्बर, 2019 के अवसर पर वर्ष 2018 के बाल साहित्य सम्मानों से सम्मानित अभिनन्दन पर्व समारोह का आयोजन किया गया।
17. इस योजना के अन्तर्गत बच्चों की प्रिय पत्रिका बालवाणी द्वैमासिक का नियमित प्रकाशन किया जा रहा है।

- **हिन्दीतर भाषा भाषी क्षेत्रों में भारतीय भाषाओं के प्रोत्साहन की योजना**

18. दिनांक 6 व 7 फरवरी, 2020 को हिंदी कश्मीरी संगम, श्रीनगर के संयुक्त तत्वावधान में जम्मू में दो दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन।
19. दिनांक 17, 18 व 19 फरवरी, 2020 को राजीव गांधी विश्वविद्यालय, दोईमुख, अरूणाचल प्रदेश के संयुक्त तत्वावधान में जम्मू में दो दिवसीय संगोष्ठ का आयोजन

- **प्रकाशन अनुदान योजना**

उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान द्वारा इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2019-20 में 16 साहित्यकारों की पाण्डुलिपियों को प्रकाशन अनुदान स्वीकृत किया गया।

- **साहित्यकार कल्याण कोष योजना**

उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान द्वारा इस योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में विषम आर्थिक स्थितिग्रस्त तीन साहित्यकारों को चिकित्सा हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की गयी।

- **उत्कृष्ट ग्रंथ प्रकाशन योजना**

1. उत्कृष्ट ग्रंथ प्रकाशन योजना के अन्तर्गत 'सांस्कृतिक विचार की अविराम भारतीय यात्रा' लेखक डॉ0 ओमप्रकाश पाण्डेय का प्रकाशन किया गया।

- **स्मृति संरक्षण योजना**

2. स्मृति संरक्षण योजना के अन्तर्गत डॉ. जगदीश गुप्त, डॉ0 विद्यानिवास मिश्र, फणीश्वरनाथ रेणु, अज्ञेय, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, चतुरुसेन शास्त्री, अमृतलाल नागर के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर केन्द्रित पुस्तकें तैयार करायी जा रही हैं, जिन्हें उपलब्धता के आधार पर प्रकाशित किया जाना प्रस्तावित है।

- **चिकित्सा विज्ञान तकनीकी पाठ्य पुस्तक गंथ निर्माण योजना**

3. चिकित्सा विज्ञान एवं तकनीकी पाठ्य पुस्तक ग्रंथ निर्माण योजना के अन्तर्गत 'ट्रामा : बचाओ, उपचार एवं प्रबंधन' विषय पर केन्द्रित पुस्तक का प्रकाशन किया जाना प्रस्तावित है।

- **अन्य प्रकाशन**

1. वित्तीय वर्ष 2018-19 में संस्थान की उपलब्धियों के सम्बन्ध में संस्थान समाचार का प्रकाशन किया गया।
2. सम्मान समारोह 2018 की स्मारिका का प्रकाशन किया गया।
3. अभिनन्दन पर्व 2018 की स्मारिका का प्रकाशन किया गया।
4. वर्ष 2018 में प्रकाशित पुस्तकों पर देय नामित, सर्जना, हरिवंश राय बच्चन व पं0 कृष्ण बिहारी वाजपेयी पुरस्कार से सम्बन्धित फोल्डर का प्रकाशन किया गया।

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल पुस्तकालय

पाठकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए आचार्य रामचन्द्र शुक्ल पुस्तकालय में अनेक नई पुस्तकों को क्रय किया गया।

उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम्

उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा वर्ष 2019-20 में किये गये कार्यक्रमों का विवरण निम्नवत् है-

1. **संस्कृत नाटक लोकतन्त्रम्** उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा चैति महोत्सव के अवसर पर नाटक निर्देशक श्री अंशू गुप्ता तथा सहनिर्देशिका डॉ0 सरिता श्रीवास्तव के निर्देशन में संस्कृत नाटक लोकतन्त्रम् का मंजन दिनांक 06 अप्रैल 2019 को रामलीला मैदान ऐशबाग लखनऊ में कराया गया।
2. **आद्य शंकराचार्य एवं बुद्ध जयन्ती** आद्य शंकराचार्य जयन्ती के अवसर पर संस्कृत ऋग्वेद शाकल शाखा सामवेद, कौथुम शाखा एवं राणायनी शाखा, अर्थर्वेद, पैपलाद शाखा एवं शौनक शाखा कृष्ण यजुर्वेद तैतरीय शाखा तथा शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिन शाखा तथा काण्व शाखा के वैदिक विद्वानों को आमंत्रित कर वैदिक सम्मेलन का आयोजन किया गया तथा सर्ववेद स्वाध्याय पाठ का आयोजन किया गया। इस स्वाध्याय सर्व वेद पाठ में गोरखपुर, वाराणसी तथा प्रयागराज से कुल 20 वैदिक विद्वानों द्वारा प्रतिभाग किया गया।
3. इस अवसर पर कक्षा 6 से 12 स्तर के छात्रों के मध्य स्रोत गायन प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, धम्म पाठ, नृत्य नाटिका तथा व्याख्यान गोष्ठी का आयोजन किया गया।

4. **गुरूपूर्णिमा समारोह** उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा गुरूपूर्णिमा के अवसर पर दिनांक 15.07.2018 को प्रदेश के जून 2019 तक सेवानिवृत्त संस्कृत अध्यापकों का सम्मान संस्कृत नाटक गुरूसमर्चनम् तथा संस्कृत में कथक का मंचन भारतेन्दु नाट्य अकादमी गोमतीनगर लखनऊ में कराया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ0 दिनेश शर्मा माननीय उपमुख्यमंत्री उ0प्र0 सरकार द्वारा किया गया। इस सम्मान समारोह में प्रदेश के लगभग 150 सेवानिवृत्त संस्कृत अध्यापकों का सम्मान किया गया।

5. **व्याख्यान शोध संगोष्ठी** उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा स्वामी समर्पणानन्द वैदिक शोध संस्थान, गुरुकुल प्रभात आश्रम टिकरी, मेरठ में दिनांक 10 एवं 11 अगस्त 2019 को कौषीतकी सांख्यायान ब्राह्मण में विविध विधायें विषय पर अखिल भारतीय वैदिक शोध संगोष्ठी का अयोजन कराया गया। कार्यक्रम में बलवीराचार्य, हरियाणा, डॉ0 वाचस्पति मिश्र अध्यक्ष उ0प्र0 संस्कृत संस्थानम्, प्रो0 वीरेन्द्र मिश्र हिमाचल प्रदेश आदि विद्वानों द्वारा अलग-अलग सत्रों में कार्यक्रम की अध्यक्षता की गयी। इस कार्यक्रम में लगभग 600 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया।

6. **महर्षि वाल्मीकि जयन्ती समारोह** महर्षि वाल्मीकि जयन्ती समारोह के अवसर पर दिनांक 13 एवं 14 अक्टूबर, 2019 को लखनऊ में संस्कृत गीत, श्लोकान्तक्षरी, संस्कृत नाटक एवं आशुभाषण प्रतियोगिताएँ संस्कृत कवि सम्मेलन का आयोजन कराया गया। संस्कृत नाटक तथा अन्य प्रतियोगिताओं में प्रदेश के समस्त मण्डलों के छात्रों द्वारा प्रतिभाग किया गया। संस्कृत कवि सम्मेलन में शिमला, वाराणसी, प्रयागराज, कौशाम्बी, हरिद्वार, गुडगांव, नई दिल्ली आदि के भारत के अनेक शहरों से लगभग 25 संस्कृत कवियों ने प्रतिभाग किया तथा इस कार्यक्रम में लगभग 500 अतिथि उपस्थित रहे।

7. **सांस्कृतिक कार्यक्रम** संस्कृत विभाग, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में डॉ0 मनोज मिश्र, सचिव, वीणापाणि संस्कृत समिति भोपाल के निर्देशन में 16 संस्कारों पर आधारित संस्कृत नाटक का मंचन दिनांक 1 नवम्बर, 2019 को कराया गया।

8. **कालिदास जयन्ती समारोह** उ0प्र0 संस्कृत संस्थान द्वारा महाकवि कालिदास जयन्ती समारोह के अवसर पर दिनांक 8 नवम्बर 2019 को भारतेन्दु नाट्य अकादमी, गोमतीनगर, लखनऊ में संस्कृत नाटक का मंचन कराया गया।

9. **सांस्कृतिक कार्यक्रम** संस्कार भारती, जानकीपुरम लखनऊ के संयुक्त तत्वावधान में दिनांक 11 दिसम्बर 2019 को राय उमा नाथ बली प्रेक्षा गृह, लखनऊ के प्रेक्षागृह में संस्कृत गीत की प्रस्तुति कराया गयी।

10. **व्याख्यान संगोष्ठी** जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में दिनांक 27 एवं 28 दिसम्बर 2019 को ''भारतीयज्ञानपरम्परायाः स्त्रोतः संस्कृतम्'' विषय पर द्वि दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। जिसमें भारत के अनेक शहरों से लगभग 50 विद्वानों द्वारा प्रतिभाग किया गया, इस कार्यक्रम में लगभग 300 अतिर्थियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

11. **स्थापना दिवस समारोह** 31 दिसम्बर 2019 को माननीय अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में संस्थान कार्यालय इन्दिरा भवन लखनऊ में स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया, इस समारोह में स्थानीय विद्वानों पूर्व निदेशकों तथा संस्थान के सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारियों

सहित लगभग 50 अतिथि उपस्थित रहे। इस अवसर पर संस्थान की गतिविधियों, कार्यक्रमों आदि पर चर्चा की गयी तथा संस्थान के उद्देश्यों के अनुरूप संस्कृत के प्रचार-प्रसार हेतु किये जाने वाले आगामी प्रयासों पर विचार किया गया।

12. **सिविल सेवा प्रशिक्षण** यह कार्यक्रम लखनऊ में नवम्बर माह से चल रहा है। गोरखपुर विश्वविद्यालय एवं वाराणसी में मार्च माह से सिविल सेवा की कोचिंग आरम्भ करने की कार्यवाही की गयी। इस योजना के संचालन हेतु अभ्यार्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये है।

13. उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा 24 जनवरी 2020 से त्रैमासिक पौरोहित्य, ज्योतिष, संस्कृत सम्भाषण एवं योग प्रशिक्षण का कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत प्रत्येक जिले में कम कम 1 केन्द्र पौरोहित्य योग एवं संस्कृत सम्भाषण तथा 7 मण्डलों में ज्योतिष एवं वास्तु प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी

उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी द्वारा संचालित मुख्य योजनाएं-

1. पंजाबी भाषा साहित्य, संस्कृति एवं कला को प्रोत्साहित किये जाने हेतु सम्मेलनों, गोष्ठियों, कार्यशालाओं का आयोजन।
2. पंजाबी भाषा के मौलिक साहित्यिक एवं हस्तलिखित रचनाओं का प्रकाशन तथा इस प्रयोजनार्थ विद्वानों को सहायता प्रदान करना।
3. पंजाबी भाषा में बाल साहित्य का प्रकाशन।
4. पंजाबी भाषा में संदर्भ ग्रन्थों की रचना एवं उनका प्रकाशन करना।
5. अप्रकाशित श्रेष्ठ साहित्यिक रचनाओं को पंजाबी भाषा में प्रकाशित करना।
6. पंजाबी भाषा के प्रतिभावान छात्रों को स्वर्ण पदक प्रदान करना।
7. पंजीकृत पंजाबी साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं को आर्थिक सहायता देना।
8. पंजाबी भाषा के सुयोग्य लेखकों को रचनाओं के प्रकाशन में सहायता करना।
9. महत्त्वपूर्ण साहित्यिक रचनाओं का पंजाबी भाषा में अनुवाद।

उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी के वर्ष 2019-20 में सम्पादित कार्यों का विवरण-

- **पंजाबी भाषा के प्रचार-प्रसार व विकास हेतु पंजाबी सरल शिक्षण कार्यक्रम का आयोजन**-उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी द्वारा वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत पंजाबी सरल शिक्षण कार्यक्रम को प्रदेश के विभिन्न जिलों में कुल 56 सेन्टरों के माध्यम से वृहद रूप से संचालित किया गया है। जिसमें पंजाबी भाषा के ज्ञान हेतु प्रशिक्षुओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।
- **मतदाता जागरूकता अभियान अधीनस्थ निदेशालयों/संस्थाओं के साथ एक ''चुनावी काव्य संध्या एवं लोकरंग'' कार्यक्रम का आयोजन-** मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, उ0प्र0 हिन्दी संस्थान, उ0प्र0 संस्कृत संस्थान, उर्दू अकादमी, सिन्ध अकादमी, पंजाबी अकादमी, लखनऊ दूरदर्शन एवं आकाशवाणी लखनऊ, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उ0प्र0 के संयुक्त तत्वावधान में उ0प्र0 हिन्दी संस्थान के यशपाल सभागार में दिनांक 08 अप्रैल, 2019 को लोकसभा सामान्य निर्वाचन एवं मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

- **पंजाबी भाषा के प्रचार-प्रसार हेतु पंजाबी फिल्म का प्रदर्शन-** अकादमी के तत्वावधान में दिनांक 30 मई, 2019 को गोरखपुर के वीनस माल स्थित पी.वी.आर. थियेटर में पंजाबी फिल्म ''मुकलांवा'' के एक शो का प्रदर्शन किया गया।
- **पंजाबी भाषा व संस्कृति के प्रचार-प्रसार हेतु पंजाबी लाईट एवं साउंड शो कार्यक्रम का आयोजन-** दिनांक 10 जून, 2019 को गुरूद्वारा गुरूनानकपुरा, अयोध्या में, 11 जून, 2019 को गुरूद्वारा प्रबन्धक कमेटी, राम सनेही घाट, बाराबंकी एवं दिनांक 12 जून को गुरूतेग बहादुर नगर, सेक्टर डी, एल.डी.ए. कानपुर रोड, लखनऊ में ''दास्तान-ए-बाबा बंदा सिंह बहादुर'' के जीवनी पर आधारित लाईट व स्टेज शो का कार्यक्रम भव्यतापूर्ण आयोजन किया गया।
- **पंजाबी भाषा के प्रचार-प्रसार हेतु पंजाबी फिल्म का प्रदर्शन-** अकादमी द्वारा स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर दिनांक 14 अगस्त, 2019 को गोरखपुर के वीनस माल स्थित पी.वी.आर. थियेटर में पंजाबी फिल्म **''सिंघम'' के एक शो का प्रदर्शन किया गया।**
- **पंजाबी संस्कृति के प्रचार-प्रसार सम्बन्धित कार्यक्रम-** श्री गुरू नानक देव जी महाराज साहब की जन्मस्थली जिला ननकाना साहिब, पंजाब से जत्था के आगमान के अवसर पर दिनांक 21 अगस्त, 2019 को उनके स्वागतनार्थ हेतु अकादमी द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
- **पंजाबी भाषा के प्रचार-प्रसार हेतु कीर्तन दरबार का कार्यक्रम का आयोजन-** दिनांक 28 दिसम्बर, 2019 को श्री गुरू गोविन्द सिंह जी के गुरू पुत्रों चार साहिबजादों की शहादत पर **''साडा मान साडा अभियान''** विषय पर एक वृहद् कीर्तन दरबार का मोतीझील प्रांगण, कानपुर में आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में कानपुर के पंजाबी समाज के सभी श्रोतागण उपस्थित हुए।
- **पंजाबी भाषा के प्रचार-प्रसार हेतु सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन-** दिनांक 02 फरवरी, 2020 को वैष्णवी लान, सिविल लाईन्स, गोरखपुर में अकादमी के तत्वावधान में रौनक मेला **''एक शाम-पंजाबी समाज के नाम''** सांस्कृतिक कार्यक्रम का भव्यतापूर्वक आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत कौमी एकता पर आधारित कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया, जिसमें पंजाबी समाज की अधिकाधिक उपस्थिति थी।

उत्तर प्रदेश सिन्धी अकादमी, लखनऊ

उत्तर प्रदेश सिन्धी अकादमी द्वारा माह जनवरी, 2020 तक किये गये कार्यक्रमों का विवरण निम्नवत् है:-

1. **सिन्धी भाषा दिवस-** 10 अप्रैल, 1967 को सिन्धी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया था। 10 अप्रैल को अकादमी द्वारा प्रतिवर्ष सिन्धी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। सिन्धी भाषा दिवस पर संगोष्ठ तथा सिन्धी फिल्म का आयोजन किया गया।

- **कानपुर-** सिंधी भाषा के प्रचार-प्रसार हेतु दिनांक 10 अप्रैल, 2019 को परमानन्द पंजवानी आनन्द सेवा संस्थान के सहयोग से कानपुर में ''भारत जे संविधान में सिंधी भाषा खे मिलियलि हक'' विषय पर संगोष्ठी का आयोजन गुलाटी गेस्ट हाउस, कानपुर में कराया गया।

- **लखनऊ-** उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी द्वारा सिंधी भाषा दिवस के अवसर पर दिनांक 10 अप्रैल, 2019 को नावेल्टी हाल, लालबाग, लखनऊ में संगोष्ठ का अयोजन किया गया।

2. **राज्य में पंजीकृत संस्थाओं को आर्थिक सहयोग-** उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी द्वारा प्रदेश में सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 में पंजीकृत सिंधी साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं को आर्थिक सहायता दिये जाने की योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित को आर्थिक सहयोग प्रदान किया गया -

क) **आई0ए0एस0 कार्यशाला का आयोजन-** उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी द्वारा सिंध वेयर सोसाइटी, लखनऊ को दिनांक 19 जून, 2019 से पांच दिवसीय आई0ए0एस0 कार्यशाला के आयोजन हेतु धनराशि रु. 600000.00 (रु. छह लाख मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी।

ख) **सिंधी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन-** उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी द्वारा दिनांक 07 अप्रैल, 2019 को सिंधी नाटक, लोकगीत आदि सांस्कृतिक कार्यक्रम कराये जाने हेतु श्री झूलेलाल धर्मार्थ समिति, गोण्डा को धनराशि रु. 280000.00 (रुपये दो लाख अस्सी हजार मात्र) का आर्थिक सहयोग प्रदान किया गया।

3. **सिंधी संगोष्ठी का आयोजन-** अकादमी द्वारा सिंधी भाषा के प्रचार-प्रसार, संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु दिनांक 21 जुलाई, 2019 को **''सिन्धियत संस्कृति में सन्त समाज का योगदान''** विषय पर संगोष्ठी का आयोजन कराया गया।

4. **सिंधी भगति कार्यक्रम-** अकादमी द्वारा सिंधी भाषा एवं संस्कृति के प्रचार-प्रसार हेतु निम्नलिखित शहरों में सिंधी भगत कार्यक्रम का आयोजन किया गया :-

क) **वाराणसी-** अकादमी द्वारा दिनांक 21 जुलाई, 2019 को सिंधी युवा समिति के सहयोग से वाराणसी शहर में सिंधी भगत कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

ख) **आगरा-** अकादमी द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2019 को श्री सोमनाथ धाम, शाहगंज, आगरा में सिंधी भगत कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

5. **सिंधी फिल्म का प्रदर्शन-** उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी द्वारा सिंधी भाषा, कला तथा संस्कृति के प्रचार-प्रसार हेतु निम्नलिखित शहरों में सिंधी फिल्म का प्रदर्शन कराया गया-

क) **लखनऊ-** अकादमी द्वारा दिनांक 10 अप्रैल, 2019 को सिंधी फिल्म **''तुंहिजें प्यार में''** का प्रदर्शन नावेल्टी सिनेमाघर में किया गया।

ख) **प्रयागराज-** अकादमी द्वारा दिनांक 05 अगस्त, 2019 को सिंधी फिल्म ''लखी मुहिंजा लखन में'' का प्रदर्शन पैलेस थेयटर, सिविल लाईन, प्रयागराज में कराया गया।

ग) **आगरा-** अकादमी द्वारा दिनांक 12 अगस्त, 2019 को सिंधी फिल्म **''तुंहिजें प्यार में''** का प्रदर्शन श्री टाकीज, आगरा में किया गया।

घ) **गोरखपुर-** अकादमी द्वारा दिनांक 17 सितम्बर, 2019 को सिंधी फिल्म **''लखी मुहिंजो लखन में''** का प्रदर्शन विजय पिक्चर पैलेस में कराया गया।

ङ) **वाराणसी-** अकादमी द्वारा दिनांक 24 नवम्बर, 2019 को सिंधी फिल्म **''लखी मुहिंजो लखन में''** का प्रदर्शन आनन्द मन्दिर सिनेमा हॉल, तेलियाबाग, वाराणसी में कराया गया।

च) **लखनऊ-** अकादमी द्वारा दिनांक 04 दिसम्बर, 2019 को सिंधी फिल्म **''नाजुक रिश्तो''** एम0जी0एस0 नावेल्टी सिनेमाज लखनऊ में किया गया।

6. **थदड़ी कार्यक्रम-** उत्तर प्रदेश सिन्धी अकादमी द्वारा सिंधी संस्कृति के संरक्षण, संवर्द्धन हेतु दिनांक 23 अगस्त, 2019 को के0के0 पैलेस, लखनऊ में थदड़ी कार्यक्रम का आयोजन कराया गया।

7. **पुस्तकों का क्रय-** उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी द्वारा सिंधी भाषा के प्रचार-प्रसार हेतु हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट की सिंधी पुस्तकों के साथ ही सिंधी जनोपयोगी पुस्तकों का क्रय कर उनकों कार्यक्रमों में निःशुल्क वितरण किया जाता है। इसी क्रम में अकादमी द्वारा इस वित्तीय वर्ष में पुस्तक **''दिल्ली की बुलबुल''** तथा ''इंग्लिस सिंधी शब्दकोश'' का क्रय किया गया है।

8. **पुस्तक प्रकाशन हेतु आर्थिक सहयोग-** उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी द्वारा दो पुस्तकों क्रमशः कोहिनूर हीरा तथा खामोशी की मुस्कान के प्रकाशन हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान किया गया।

9. **सिंधी छेज-** उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी द्वारा दिनांक 02 अक्टूबर, 2019 को सिंधी छेज प्रतियोगिता का आयोजन गोरखपुर में किया गया।

10. **सिंधी सांस्कृतिक कार्यक्रम-** उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी द्वारा सिंधी भाषा एवं संस्कृति के प्रचार-प्रसार हेतु दिनांक 8 दिसम्बर, 2019 को झूलेलाल पार्क, प्रेमनगर कॉलोनी, सीतापुर में ''सिंधी संगीत की एक सुरीली शाम'' कार्यक्रम के अन्तर्गत सिंधी लोकगीत, सिंधी भजन आदि की प्रस्तुति उल्हासनगर, महाराष्ट्र द्वारा की गयी।

11. **सिंधी छात्र प्रतियोगिता-** उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी द्वारा आगरा में दो दिवसीय सिंधी छात्र प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, उक्त प्रतियोगिताओं के अन्तर्गत सिंधी कविता वाचन प्रतियोगिता, सिंधी निबन्ध प्रतियोगिता तथा सिंधी नृत्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

12. **सिंधी चौपाल-** उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी द्वारा दिनांक 24 नवम्बर, 2019 को **''सिंधी भाषा एवं मातृ शक्ति''** विषयक चौपाल का आयोजन झूलेलाल भवन, डी ब्लॉक, इन्दिरा नगर, लखनऊ में किया गया।

13. **सिंधी नाटक-** उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी द्वारा सिंधी भाषा, संस्कृति के संरक्षण हेतु दिनांक 21 दिसम्बर, 2019 को **''वरीय संदो कोट''** विषयक नाटक का मंचन रांझू दयाली सिंधी धर्मशाला झूलेलाल नगर, प्रयागराज में किया गया।

14. **सिंधी भगति कार्यक्रम-** अकादमी द्वारा सिंधी भाषा संस्कृति के प्रचार-प्रसार हेतु दिनांक 14 दिसम्बर, 2019 को श्री सोमनाथ धाम, शाहगंज, आगरा में सिंधी भगत कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

15. **सिंधी संगोष्ठी का आयोजन-** उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी द्वारा शहीद हेमू कालानी के शहादत दिवस के उपलक्ष्य पर दिनांक 22 जनवरी, 2020 को बाबा ठाकुरदास इण्टरकॉलेज, कैसरबाग, लखनऊ में संगोष्ठी एवं देशभक्ति गीत व नृत्य का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।

16. **गणतन्त्र दिवस के अवसर पर झाँकी का प्रदर्शन-** उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी द्वारा गणतन्त्र दिवस के अवसर पर दिनांक 26 जनवरी, 2020 को परेड में **''सिंधी, भाषा, संस्कृति की ओर अग्रसर - उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी''** थीम पर झांकी का प्रदर्शन किया गया।

17. **कवि सम्मेलन-** उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी द्वारा दिनांक 26 जनवरी, 2020 को मोतीमहल वाटिका में कवि सम्मेलन का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम के साथ ही सिन्धी लोकगीत गायन एवं छात्रों द्वारा नृत्य तथा लघुनाटिका कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान, लखनऊ

उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान, लखनऊ की स्थापना प्रदेश की भाषा नीति के अनुसरण में भारत वर्ष के विभिन्न राज्यों व संघीय राज्यों में भारतीय भाषाओं तथा उनके साहित्य के समुचित संरक्षण, प्रोत्साहन एवं विकास के लिए की गयी। वित्तीय वर्ष 2019-20 में रुपये 75.00 लाख (रुपये पिचहत्तर लाख मात्र) का बजट स्वीकृत किया गया। भाषा संस्थान, इन्जीनियरिंग, स्वास्थ्य, चिकित्सा, तकनीकी, प्रशासनिक, प्रबंधकीय एवं विधिक तथा अन्य आधुनिक विषयों से संबंधित पाठ्य पुस्तकों एवं पत्रिकाओं का हिन्दी में मौलिक लेखन, अनुवाद एवं प्रकाशन आदि के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्यरत है। भाषा संस्थान समय-समय पर संविधान की अनुसूची-8 में उल्लिखित भाषाओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करता रहा है तथा सरकारी, अर्द्धसरकारी, स्वायत्तशासी एवं पंजीकृत साहित्यिक एवं स्वैच्छिक संस्थाओं को भाषा और साहित्य के विकास के लिए समारोह, कवि सम्मेलन, संगोष्ठी आदि के आयोजन हेतु आर्थिक सहायता भी प्रदान करता है।

उक्त के अन्तर्गत संस्थान द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में दिनांक 24 अगस्त, 2019 को लखनऊ में हिन्दी और मराठी साहित्य की कालजयी रचनाओं में सांस्कृतिक समानता विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया। दिनांक 11-12 अक्टूबर, 2019 को डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में हिन्दी में विज्ञान लेखक सम्मेलन एवं परिसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हिन्दी, कला, साहित्य, मीडिया, चिकित्सा, विज्ञान लेखन करने जैसे व्यापक विषयों पर विभिन्न सत्रां में अपने बहुमूल्य विचार दिये। कार्यक्रम में विराट विज्ञान कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश दिवस पर संस्थान द्वारा प्रदेश के 09 विद्वानों को उनके साहित्यिक योगदान के दृष्टिगत सम्मानित किया गया और हिन्दी साहित्य के संवर्धन में उत्तर प्रदेश के साहित्यकारों को प्रदेय विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती नीलिमा कटियार उपस्थित थीं, जिसमें संस्थान द्वारा प्रकाशित **''श्री कृष्ण चरित मानस'', ''कश्मीर की पाण्डित्य परंपरा''** तथा **''अरूणाचल प्रदेश की निशी लोक कथायें''** पुस्तकों का लोकार्पण भी किया गया।

संस्थान द्वारा 22, 23 एवं 24 फरवरी, 2020 में लखनऊ विश्वविद्यालय में त्रि-दिवसीय भारतीय भाषा महोत्सव का आयोजन भी किया गया, जिसमें विविध भारतीय भाषाओं के विद्वान आलोचकों, लेखकों आदि द्वारा प्रतिभाग किया गया। संस्थान की प्रकाशन योजना के अन्तर्गत संस्थान द्वारा युवा संकल्प समिति मेरठ, श्री गुरू तेग बहादुर खालसा कालेज, दिल्ली, राजकीय कन्या महाविद्यालय, गुरूग्राम, हिन्दी सजल सर्जना समिति, मथुरा मुद्राराक्षस हिन्दी साहित्य फाउन्डेशन, नई दिल्ली आदि को कार्यक्रम हेतु अनुदान दिया गया।

इन्दिरा भवन के कार्यालय कक्ष 721 के वृहद भाग में पुस्तकालय का विशाल संग्रह है,जिसमें हिन्दी भाषा के साथ-साथ कई भारतीय भाषाओं की लगभग 20000 मुद्रित पुस्तकें है। संस्थान पुस्तकालय का उपयोग मुख्य रूप से इन्दिरा भवन एवं जवाहर भवन में कार्यरत विभिन्न विभागों के अधिकारी/कर्मचारी व हिन्दी भाषा में रूचि रखने वाले प्रबुद्ध नागरिक करते हैं।

इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2020-21 में भी आठवीं अनुसूची में वर्णित सभी भारतीय भाषाओं के प्रचार-प्रसार हेतु जनोपयोगी साहित्य का प्रकाशन, हिन्दी विज्ञान लेखकों को लेखन हेतु प्रोत्साहित करने हेतु कार्यक्रम, साहित्यिक गोष्ठियां, काव्य सम्मेलन, छात्र प्रतियोगितायें आदि आयोजित किया जाना प्रस्तावित है।

हिन्दुस्तानी एकेडमी, प्रयागराज

भारतीय भाषाओं सहित राष्ट्रभाषा हिन्दी, उसके साहित्य तथा ऐसे अन्य रूपों और शैलियों जैसे- उर्दू, अवधी, ब्रजभाषा, भोजपुरी, बुन्देली के संरक्षण, विकास एवं उन्नति के लिए संचालित हिन्दुस्तानी एकेडेमी, प्रयागराज एक ऐतिहासिक संस्था है जिसकी स्थापना धारा सभा में पारित प्रस्ताव द्वारा 29 मार्च 1927 को हुई थी।

उद्देश्य-

हिन्दुस्तानी एकेडेमी का उद्देश्य प्रारम्भ से लेकर वर्तमान समय तक हिन्दी, उर्दू, अवधी, ब्रजभाषा, भोजपुरी, बुन्देली साहित्य की रक्षा, वृद्धि, उन्नति, साहित्य सृजन के कार्य में प्रोत्साहन, कला और विज्ञान के विभिन्न अंगो की पूर्ति के लिए उत्कृष्ट एवं प्रामाणिक संकलन ग्रंथ प्रस्तुत करना एवं साहित्यिक मानदण्ड स्थिर करने के मूलभूत उद्देश्यों को सार्थक बनाने का प्रयास करना रहा है।

उक्त सभी उद्दश्यों के पूर्ति के लिए हिन्दुस्तानी एकेडेमी, प्रयागराज अन्य भारतीय भाषाओं से हिन्दी में उच्चकोटि के साहित्य का अनुवाद कराने का कार्य करती आयी है।

एकेडेमी गतिविधियाँ (2019-20)

1. 16 अप्रैल, 2019 संगोष्ठी- खड़ी बोली के विकास में प्रियप्रवास का योगदान।
2. 24 अप्रैल, 2019 संगोष्ठी- रामधारी सिंह 'दिनकर' की राष्ट्रीय-सांस्कृतिक चेतना।
3. 3 मई, 2019 संगोष्ठी- परिष्कृत गद्य के प्रवर्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी।
4. 29 मई, 2019 संगोष्ठी- इतिहास का लोकविमर्श (लोकगीतों के सन्दर्भ में)।
5. 4 अगस्त, 2019 पुरस्कार वितरण समारोह (हिन्दुस्तानी एकेडेमी, प्रयागराज वर्ष 2017-18 हेतु घोषित पुरस्कार)।
6. 28 अगस्त, 2019 संगोष्ठी- मजरूह सुल्तानपुरी - हयात व ख़िदमात।
7. 31 अगस्त, 2019 संगोष्ठी- अमृतलाल नागर के साहित्य का सामाजिक-सांस्कृतिक प्रदेय। (हिन्दी विभाग लखनऊ वि0वि0 एवं हिन्दुस्तानी एकेडेमी के संयुक्त तत्वावधान में)
8. 1-2 सितम्बर, 2019 संगोष्ठी- केदारनाथ सिंह स्मृति संघर्ष और सौन्दर्य। (हिन्दी विभाग काशी हिन्दू वि0वि0, वाराणसी एवं हिन्दुस्तानी एकेडेमी के संयुक्त तत्वावधान में)।

9. 21 सितम्बर, 2019 संगोष्ठी- प्रथम स्वतंत्रता संग्राम (1857) और समकालीन पत्रकारिता। (गणेश षंकर विद्यार्थी सुभारती पत्रकारिता एवं जनसंचार महाविद्यालय, स्वामी विवेकानन्द सुभारती वि0वि0, मेरठ एवं हिन्दुस्तानी एकेडेमी के संयुक्त तत्वावधान में।

10. 2 अक्टूबर, 2019 संगोष्ठी- गाँधी का ग्राम-स्वराज : सम्भावना एवं विकल्प।

11. 10 दिसम्बर, 2019 संगोष्ठी- छायावाद के सौ वर्ष : सन्दर्भ महाप्राण निराला का रचनाकर्म।

12. 19 दिसम्बर, 2019 नाटक- हिन्दुस्तानी एकेडेमी के तत्वावधान में महात्मा गांधी के 150वीं जयन्ती के अवसर पर समन्वय संस्था द्वारा नाटक का मंचन 'युगद्रष्टा बापू'।

13. 6-7 जनवरी, 2020 दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी - हिन्दुस्तानी एकेडेमी एवं सम्पूर्णानन्द संस्कृत वि.वि. के संयुक्त तत्त्वाधान में - विषय- भारतीय भाषा, शिक्षा व सांस्कृतिक चेतना।

14. 8 जनवरी, 2020 हिन्दुस्तानी एकेडेमी एवं जनता महाविद्यालय, रानीपुर मऊ के संयुक्त तत्त्वावधान में - विषय- हरिऔध की भाषा (विशेषतः : प्रियप्रवास के सम्बंध में)।

15. 14 जनवरी, 2020 राष्ट्रीय संगोष्ठी- हिन्दुस्तानी एकेडेमी एवं विन्ध्य कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सोनभद्र के संयुक्त तत्त्वावधान में, विषय- मुल्ला दाउद कृत चंदायन।

16. 17-18 जनवरी, 2020 राष्ट्रीय संगोष्ठी- हिन्दुस्तानी एकेडेमी एवं प्रकाशचन्द्र जुगमन्दर दास अग्रवाल लोकहित ट्रस्ट के संयुक्त तत्त्वावधान में - विषय - मैथिलीशरण गुप्त की रचना में राष्ट्रीय चेतना।

17. 27 जनवरी, 2020 राष्ट्रीय संगोष्ठी- हिन्दुस्तानी एकेडेमी, प्रयागराज एवं प्रो. वासुदेव सिंह स्मृति न्यास, वाराणसी के संयुक्त तत्वावधान में - विषय- 'काशी का सन्त - साहित्य समीक्षण और प्रो. वासुदेव सिंह'।

18. 8 फरवरी, 2020 राष्ट्रीय संगोष्ठी- हिन्दुस्तानी एकेडेमी एवं एम.डी.पी.जी. कालेज प्रतापगढ़ के संयुक्त तत्वावधान में - विषय- 'हिन्दी साहित्य में अवधी का योगदान'।

19. 10 फरवरी, 2020 एकल व्याख्यान - हिन्दुस्तानी एकेडेमी, प्रयागराज के तत्वावधान में -विषय- 'भारतवर्ष : भाषा, नागरिकता और आज के प्रश्न'

20. 25 फरवरी, 2020 राष्ट्रीय संगोष्ठी - हिन्दुस्तानी एकेडेमी, प्रयागराज एवं उर्दू विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद के संयुक्त तत्वावधान में -विषय- 'उर्दू साहित्य में भारतीय संस्कृति'।

21. 29 फरवरी, 2020 - हिन्दुस्तानी एकेडेमी के तत्वावधान में एकेडेमी परिशर में पं. बालकृष्ण भट्ट जी की मूर्ति की पुनर्स्थापना एवं राष्ट्रीय संगोष्ठी - विषय- 'आधुनिक गद्य के निर्माता पं. बालकृष्ण भट्ट'।

22. 2 अक्टूबर, 2020 - हिन्दुस्तानी एकेडेमी, प्रयागराज के तत्वावधान में 'गांधी का भारत' विषयक संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

23. 12 अक्टूबर, 2020 - हिन्दुस्तानी एकेडेमी, प्रयागराज के तत्वावधान में 'हिन्दी गद्य के विकास में सरस्वती की भूमिका' विषयक संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

24. 17 अक्टूबर, 2020 - 'हिन्दुस्तानी एकेडेमी' एवं 'इंडियन प्रेस व इन्टैक', प्रयागराज के संयुक्त तत्वावधान में चार दशकों बाद पुनर्प्रकाशित 'सरस्वती' पत्रिका का लोकार्पण' किया गया।

चलो साहित्यकार की जन्मभूमि - हिन्दुस्तानी एकेडेमी ने वरिष्ठ साहित्यकारों के जन्मस्थान पर जाकर कार्यक्रम का आयोजन किया। जिसमें शिवप्रसाद सिंह, महाकवि श्यामनारायण पाण्डेय, मुंशी प्रेमचन्द आदि के जन्मस्थान पर जाकर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। वर्तमान में शांतिप्रिय द्विवेदी महावीर प्रसाद द्विवेदी एवं हजारी प्रसाद द्विवेदी के जन्मस्थान पर जाकर आयोजन किये जाने की योजना है।

पाण्डुलिपियों के प्रकाशन की महत्त्वाकांक्षी योजना - हिन्दुस्तानी एकेडेमी के पुस्तकालय में 361 महत्त्वपूर्ण पाण्डुलिपियाँ सुरक्षित हैं जिनमें से लगभग 50 पाण्डुलिपियों को एकेडेमी के मा0 अध्यक्ष डॉ. उदय प्रताप सिंह एवं वरिष्ठ विद्वान श्री उदयशंकर दुबे के दिशानिर्देशन में उनका पाठालोचन कर उन्हें देवनागरी लिपि में लिपिबद्ध कर प्रकाशित करने की महत्त्वाकांक्षी योजना पर कार्य चल रहा है।

प्रकाशन योजना - हिन्दुस्तानी एकेडेमी के प्रकाशनों की गौरवशाली परम्परा रही है। अब तक हिन्दुस्तानी एकेडेमी ने लगभग 300 पुस्तकों को प्रकाशित किया है। जिसमें प्रेमचन्द, धीरेन्द्र वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्यामसुन्दर दास, विजयदेव नारायण साही, डॉ. जगदीश गुप्त बाबूराम सक्सेना जैसे साहित्यकारों की कृतियाँ शामिल है।

पुरस्कार योजना - 2019

वित्तीय वर्ष 2019-20 में हिन्दुस्तानी एकेडेमी द्वारा दिये जाने वाले पुरस्कारों के सम्बंध में दिनांक 10 फरवरी, 2020 एवं 16 फरवरी, 2020 को विज्ञापन द्वारा आवेदन मांगे गये आवेदन की अन्तिम तिथि 2 मार्च, 2020 थी। वर्ष 2019 में दिये जाने वाले पुरस्कारों का विवरण - (1) गुरु गोरक्षनाथ शिखर सम्मान (5,00,000/-) (2) गोस्वामी तुलसीदास सम्मान (2,50,000/-) (3) भारतेन्दु हरिश्चन्द्र सम्मान (2,00,000/-) (4) महावीर प्रसाद द्विवेदी सम्मान (2,00,000/-) (5) महादेवी वर्मा सम्मान (1,00,000/-) (6) फ़िराक़ गोरखपुरी सम्मान (1,00,000/-) (7) भिखारी ठाकुर भोजपुरी सम्मान (1,00,000/-) (8) बनादास अवधी सम्मान (1,00,000/-) (9) कुम्भनदास ब्रजभाषा सम्मान (1,00,000/-) (10) ईसुरी बुन्देली सम्मान (1,00,000/-) (11) हिन्दुस्तानी एकेडेमी युवा लेखन सम्मान - चार- कविता, कथासाहित्य, निबन्ध, नाटक (11,000/- प्रति विधा)।

●

सूचना एवं प्रचार

उत्तर प्रदेश सरकार का सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग प्रदेश सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों, विकास योजनाओं तथा उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने और जनता की प्रतिक्रियाओं को सरकार तक पहुँचाने में एक सुदृढ़ सेतु की भूमिका निभा रहा है। सूचना विभाग यह कार्य मीडिया की विभिन्न विधाओं जैसे- प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रानिक मीडिया, प्रदर्शनी, होर्डिंग, एल.ई.डी. तथा गीत एवं नाट्य आदि के जरिए जनता तक पहुंच कर सरकार और जनता के बीच एक प्रभावी समन्वयक की भूमिका निभाता है।

शासनादेश दिनांक 30 नवम्बर, 1946 के द्वारा सूचना निदेशालय की स्थापना की गयी। इस विभाग की स्थापना का आशय यह था कि शासन 'प्रेस' के सम्पर्क में रहे और देखे कि प्रेस में भेजे जाने वाले शासकीय समाचार वास्तविक तथ्यों पर आधारित हों। वर्तमान में विभाग का प्रमुख उद्देश्य शासन की जनोपयोगी नीतियों, कार्यकलापों को विभिन्न प्रचार-माध्यमों से आम जनता तक पहुंचाना तथा आम जनता की प्रतिक्रियाओं से शासन को अवगत कराना है। इस प्रकार यह विभाग शासन व जनता के मध्य सम्पर्क-सूत्र के रूप में कार्य करता है।

सूचना क्रांति के इस युग में, जबकि संचार माध्यम बहुत सशक्त एवं आधुनिक तकनीक पर आधारित हो गये हैं और सूचना प्रेषण की गति अत्यधिक तेज हो गयी है, सूचना विभाग का कार्य-दायित्व और महत्त्व बहुत अधिक बढ़ गया है।

विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं, रेडियो, दूरदर्शन, फिल्म, डाक्यूमेंट्री, होर्डिंग, एल.ई.डी., प्रदर्शनी, गीत एवं नाट्य तथा प्रेसनोट के माध्यम से यह विभाग शासन की जनहितकारी नीतियों एवं निर्णयों को विभिन्न स्वरूपों में जन-जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है। यह विभाग विभिन्न प्रचारपरक प्रकाशनों द्वारा शासन की नीतियों, संकल्पों, प्रतिबद्धताओं तथा उपलब्धियों की विस्तृत एवं प्रामाणिक जानकारी आम जन तक पहुंचाता है, साथ ही ऐसे विचारपरक प्रकाशन भी करता है, जो जनचेतना को विकसित कर सकें।

देश में और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में, लघु एवं मध्यम समाचार-पत्रों की जहां एक ओर संख्या बहुत अधिक है, वहीं दूसरी ओर इनकी अपनी अनेक समस्याएं भी हैं। सूचना विभाग का अधिकतम प्रयास यह रहता है कि सभी समाचार-पत्रों एवं पत्रकारों के लिए यथा-संभव सुविधायें उपलब्ध हो सकें, ताकि उनकी कार्य-प्रणाली में अधिक गतिशीलता आये और वे अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से समाज को एक सकारात्मक दिशा दे सकें।

वर्तमान में सूचना-संकलन एवं इसको अद्यतन रखने के साथ-साथ संदर्भ के रूप में इसके सार्थक उपयोग हेतु इसे जहां संरक्षित किया जाना आवश्यक है, वही सूचनाओं को प्राप्त करने एवं उनके तत्काल

प्रेषण की व्यवस्था का भी महत्त्व है। समय से सूचना न मिलने के कारण उसके उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाती है। इस उद्देश्य से ही विभाग को कम्प्यूटरीकृत किया गया है। इस दिशा में अभी तक लखनऊ स्थित मुख्यालय, मुख्यमंत्री सूचना परिसर, सूचना ब्यूरो एवं राज्य सूचना केन्द्र, नई दिल्ली तथा जनपद कार्यालयों में कम्प्यूटर स्थापित कराये जा चुके हैं और देश के सभी भागों में ई-मेल द्वारा समाचार व चित्र त्वरित गति से प्रेषित किये जाते हैं।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग की संरचना कुछ इस प्रकार से की गयी है कि शासन की नीतियों, योजनाओं तथा कार्यक्रमों की जानकारी आम जनता तक सीधे पहुंच सके, ताकि वह जन कल्याणकारी कार्यक्रमों का लाभ प्राप्त कर सकें।

लखनऊ स्थित मुख्यालय द्वारा विभिन्न जनसंचार माध्यमों से समाज के आखिरी व्यक्ति तक सूचनाएं पहुंच सकें, इस निमित्त पत्र सूचना शाखा तथा मुख्यमंत्री सूचना परिसर से प्रेस विज्ञप्तियों के अतिरिक्त लेख, फीचर आदि जारी किये जाते हैं। पारम्परिक जन संचार माध्यम, गीत एवं नाट्य, प्रदर्शनी आदि के माध्यम से दूरस्थ ग्रामीण जनता तक क्षेत्रीय लोक शैलियों के जरिए मनोरंजन करते हुए नाटकों, रूपकों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा प्रचार-प्रसार कर कल्याणकारी नीतियों के जनहितकारी संदेश आम जन तक पहुंचाये जाते हैं। फिल्म के माध्यम से भी आम जन को शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं से अवगत कराया जाता है। होर्डिंग एवं एल.ई.डी. के माध्यम से भी प्रमुख योजनाओं और अद्यतन उपलब्धियों को प्रदर्शित किया जाता है। फोटो-फिल्म प्रभाग द्वारा नियमित रूप से प्रायः सभी महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमों से सम्बन्धित फोटो समाचार पत्रों, दूरदर्शन एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को प्रकाशनार्थ एवं प्रसारणार्थ भेजा जाता है।

प्रकाशन प्रभाग द्वारा तीन नियमित महत्त्वपूर्ण मासिक पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती हैं, जिनमें विकास परक **''उत्तर प्रदेश संदेश''** साहित्य, संस्कृति और विचार की साहित्यिक पत्रिका **''उत्तर प्रदेश''** विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। उर्दू अदब की **''नया दौर''** अत्यधिक लोकप्रिय पत्रिका है। इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों की उपलब्धियों की संदर्भ पुस्तक **''उत्तर प्रदेश वार्षिकी''** तथा शासन के कार्यालयों/दूरभाष की जानकारी से युक्त **''सूचना डायरी/सूचना निदर्शनी'' उ0प्र0 मासिक, पंचांग** का भी नियमित प्रकाशन किया जाता है। इसके अतिरिक्त समय-समय पर सरकार के अन्य कार्यक्रमों, उपलब्धियों पर पुस्तकें, प्रसार सामग्री प्रकाशित की जाती है।

प्रेस प्रभाग द्वारा पत्रकारों के कल्याणार्थ अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। समाचारों के संकलन की सुविधा हेतु प्रेस मान्यता प्रदान कर प्रेस कार्ड निर्गत किये जाने की व्यवस्था है। सचिवालय एनेक्सी तथा लोक भवन में मीडिया सेन्टर संचालित है, जो विविध रूपों से पत्रकारगणों को सुविधा प्रदान करता है।

समाचार पत्रों के प्रतिनिधियों को सचिवालय प्रवेश पत्र उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था प्रेस प्रभाग द्वारा की जाती है। मान्यता प्राप्त पत्र प्रतिनिधियों को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा बसों में रियायती यात्रा सुविधा तथा सरकारी कर्मचारियों की तरह उन्हें तथा उनके परिवार को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था है।

विज्ञापन प्रभाग द्वारा प्रचार-प्रसार हेतु समाचार पत्रों को समय-समय पर सजावटी एवं वर्गीकृत विज्ञापन निर्गत किये जाते हैं। निरीक्षा शाखा द्वारा समाचार पत्रों की विषयवार कतरनों को प्रतिदिन मा0 मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्रीगणों तथा सम्बन्धित विभाग के सचिवों को भिजवाये जाने की व्यवस्था है, ताकि मीडिया द्वारा प्रकाश में लाए गये विषयों पर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके। साथ ही समाचार पत्रों की प्रतिदिन निरीक्षा भी की जाती है।

राज्य सूचना केन्द्र, हजरतगंज तथा संदर्भ शाखा द्वारा मान्यता प्राप्त पत्रकारों की सुविधा के लिए संदर्भ सामग्री उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी है। ''फिल्म नीति'' के अन्तर्गत गठित ''फिल्म बन्धु'' के माध्यम से प्रदेश में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहन देने और स्थानीय प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करने हेतु व्यवस्था की गयी है।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के लखनऊ स्थित मुख्यालय के अतिरिक्त क्षेत्र प्रचार संगठन के अन्तर्गत प्रदेश के 75 जनपदों में से समस्त जनपदों में जिला सूचना कार्यालय संचालित हैं, जो स्थानीय स्तर पर शासन की नीतियों, कार्यक्रमों और उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार, मुख्यालय से प्राप्त निर्देशों के अनुसार करते हैं। जनपद स्तर पर प्रदर्शनी, गीत एवं नाट्य के कार्यक्रमों, प्रेस विज्ञप्तियों तथा लेख/फीचर आदि द्वारा प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाता है। जिला स्तरीय ये इकाइयां जिलाधिकारी के निर्देशन में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप मीडिया प्लान बनाकर शासन की नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं और उपलब्धियों का समुचित प्रचार-प्रसार करती हैं। लाल बहादुर शास्त्री भवन, एनेक्सी तथा लोक भवन में प्रचार-प्रसार के आधुनिक संसाधनों से लैस मीडिया सेण्टर है जिसमें प्रेस कान्फ्रेन्स आयोजित करने के लिए सभागार, पुस्तकालय तथा पत्रकारों के लिए समाचार भेजने हेतु एक अत्याधुनिक कम्प्यूटर रूम जो इण्टरनेट आदि की सुविधा से युक्त है, स्थापित है। यह मीडिया सेण्टर अपने आपमें एक अनूठा एवं मीडियाकर्मियों के लिए सुविधाजनक मीडिया स्थल है। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रानिक चैनल्स पर उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित प्रसारित होने वाले समाचारों की रिकार्डिंग आदि का कार्य इलेक्ट्रानिक मीडिया सेल द्वारा किया जाता है जिसे और अधिक सुदृढ़ करने की कार्यवाही की जा रही है।

विभागीय कार्य-कलापों का विवरण

पत्र सूचना शाखा

शासन की नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं, उपलब्धियों तथा घोषणाओं की जानकारी विभिन्न प्रचार माध्यमों, समाचार-पत्र, इलेक्ट्रानिक मीडिया, दूरदर्शन, आकाशवाणी आदि द्वारा जनता तक पहुँचाने का कार्य पत्र सूचना शाखा का है। इस शाखा द्वारा प्रेस-नोट, लेख/फीचर तथा समीक्षात्मक आलेख समय-समय पर जारी किये जाते हैं। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस तथा अन्य विशेष अवसरों पर इस शाखा द्वारा विशेष लेख, राउण्ड-अप आदि हिन्दी, अंग्रेजी तथा उर्दू में एक साथ जारी किये जाते हैं। अप्रैल से नवम्बर 2020 तक कुल 4569 विज्ञप्तियाँ जारी की गयी हैं। इनमें हिन्दी में 2956,अंग्रेजी में 579 तथा उर्दू में 1034 विज्ञप्तियाँ जारी की गयीं। प्रेसनोट, विशेष लेख आदि हिन्दी राष्ट्रीय समाचार-पत्रों, आकाशवाणी, दूरदर्शन तथा समाचार चैनलों को प्रकाशनार्थ/प्रसारणार्थ भेजे गये। प्रदेश में उर्दू भाषी जनता को यह जानकारी समुचित रूप से उपलब्ध कराने का दायित्व विभाग की उर्दू शाखा निर्वहन करती है। इस शाखा में स्थापित उर्दू यूनिट द्वारा प्रचार सामग्री का उर्दू अनुवाद किया जाता है। इस कार्य में समय-

समय पर जारी होने वाले विज्ञापनों, प्रचारपरक सामग्री आदि का अनुवाद, शासन की विज्ञप्तियों व संदर्भ चित्रों को वेबसाइट पर अपलोड करने के साथ ही समाचार पत्रों को प्रेस नोट ई-मेल के माध्यम से भेजने का कार्य भी इसी शाखा द्वारा किया जाता है। यह प्रभाग समस्त शासकीय प्रचार-प्रसार सामग्री को तैयार करने में भी अपनी भूमिका का निर्वाह करता है।

मुख्यमंत्री सूचना परिसर

मुख्यमंत्री सूचना परिसर द्वारा मा. मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों से सम्बन्धित प्रेस-विज्ञप्तियाँ इलेक्ट्रानिक तथा प्रिन्ट मीडिया को विभिन्न संचार माध्यमों से उपलब्ध करायी जाती हैं। इसके अतिरिक्त मा. मुख्यमंत्री के उपयोगार्थ भाषण तथा उनकी ओर से भेजे जाने वाले संदेश भी तैयार किए जाते हैं। मा0 मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों की प्रेस विज्ञप्तियों व फोटो को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड भी कराया जाता है। मुख्यमंत्री सूचना परिसर द्वारा मा. मंत्रिपरिषद के निर्णयों के प्रचार-प्रसार का दायित्व निर्वहन भी किया जाता है।

प्रेस प्रभाग

शासन एवं पत्रकारों के मध्य समन्वय स्थापित करने एवं श्रमजीवी पत्रकारों को समाचार संकलन की सुविधा उपलब्ध कराकर शासन की नीतियों का प्रभावी प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने में सहायता देने के उद्देश्य से प्रेस प्रभाग द्वारा निम्नलिखित कार्य किये जाते हैं-

मीडिया प्रतिनिधियों को प्रेस मान्यता मार्गदर्शिका 2008 के प्रावधानों के अंतर्गत शासन द्वारा राज्य मुख्यालय और जनपद स्तरीय मान्यता प्रदान करके पत्रकारों को राज्य मुख्यालय तथा प्रदेश के सभी जनपदों में प्रेस मान्यता कार्ड जारी किये जाते हैं। इन कार्डों से पत्रकारों को समाचार संकलन के उद्देश्य से विभिन्न स्थानों पर आने-जाने की सुविधा राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा तथा रियायती दरों पर रेल यात्रा की सुविधा प्राप्त होती है। जिला स्तरीय मान्यता प्राप्त पत्रकारों को सरकारी कर्मचारियों की भांति राजकीय चिकित्सालयों में चिकित्सा सुविधा भी प्राप्त होती है। राज्य मुख्यालय पर मान्यता प्राप्त पत्रकारों को एस.जी.पी.जी.आई. में भी निःशुल्क चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध है।

सभी जिलों में पत्रकारों तथा जिला प्रशासन के बीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध बनाये रखने के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय स्थायी समिति का गठन किया जाता है, जिसके सदस्य सचिव/संयोजक जिला सूचना अधिकारी होते हैं। यह समिति समय-समय पर बैठकें आयोजित करके पत्रकारों के उत्पीड़न से सम्बन्धित शिकायतों पर विचार करती है और यदि कोई शिकायत उच्च स्तरीय जांच के लिए भेजी जाती है तो प्रेस प्रभाग द्वारा उसमें कार्यवाही की जाती है, पत्रकारों द्वारा सीधे भी यदि कोई शिकायत प्रेस प्रभाग में प्राप्त होती है, तो उसका निस्तारण किया जाता है।

महामहिम श्री राज्यपाल, मा. मुख्यमंत्री, मंत्रीगण तथा अन्य विशिष्ट व्यक्तियों और अतिविशिष्ट व्यक्तियों द्वारा आहूत पत्रकार सम्मेलन/पत्रकार भ्रमण आदि के लिए अतिथ्य सत्कार की व्यवस्था भी प्रेस प्रभाग द्वारा की जाती है।

मा. मुख्यमंत्री जी द्वारा पत्रकारों के सम्बन्ध में की गयी घोषणाओं के सम्बन्ध में त्वरित कार्यवाही प्रेस प्रभाग द्वारा की जाती है। प्रेस से सम्बन्धित अन्य आकस्मिक कार्य भी प्रेस प्रभाग द्वारा संपादित कराया जाता है।

विज्ञापन प्रभाग

1 अप्रैल, 2020 से 04 जनवरी, 2021 तक लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, चिकित्सा, विशेष भूमि अध्याप्ति, शिक्षा, ऊर्जा, दुग्ध विकास, अवस्थापना विकास एवं अन्य विभागों के कुल 7807 वर्गीकृत एवं 222 शीर्षकीय सजावटी विज्ञापन जारी किये गये हैं।

क्षेत्र प्रचार प्रभाग

शासन के विकासपरक कार्यक्रमों एवं उपलब्धियों को जन-जन तक पहुँचाने तथा मीडिया एवं जिला प्रशासन विभिन्न इकाइयों के माध्यम से जिला स्तर पर जनता से सीधा सम्पर्क बनाये रखने के उद्देश्य से प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में जिला सूचना कार्यालय स्थापित हैं। जिनमें 18 मण्डलीय सूचना कार्यालय सम्मिलित है। जिला सूचना कार्यालय द्वारा जनपद में मा0 मुख्यमंत्री जी, मा0 मंत्री व जनप्रतिनिधियों आदि के भ्रमण संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार के साथ ही शासन की याजनाओं तथा उपलब्धियों के व्यापक प्रचार-प्रसार को प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से अपने स्तर से प्रेस नोट जारी करत हैं।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के लखनऊ स्थित मुख्यालय के अतिरिक्त क्षेत्र प्रचार संगठन जनपद स्तर पर शासन की नीतियों, कार्यक्रमों और उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार, मुख्यालय से प्राप्त निर्देशों के अनुसार करते हैं। जनपद स्तर पर प्रदर्शनियों, गीत एवं नाट्य के कार्यक्रम, प्रचार गोष्ठियों, होर्डिंग्स/एल0ई0डी0 प्रेस विज्ञप्तियों तथा लेख/फीचर, सफलता की कहानी आदि द्वारा प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाता है। मण्डल एवं जिला स्तरीय उक्त इकाइयां जिलाधिकारी के निर्देशन में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप मीडिया प्लान बनाकर शासन की नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं और उपलब्धियों का समुचित प्रचार-प्रसार करती हैं।

जनपदीय इकाइयों को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से जनपदों में सी.यू.जी., कम्प्यूटर/प्रिंटर तथा फोटो कॉपियर, फैक्स, कैमरा/वीडियो कैमरा, इनवर्टर एवं प्रचार वाहन आदि उपकरण उपलब्ध कराये गये हैं। सभी कार्यालय इंटरनेट के माध्यम से मुख्यालय से जोड़े गये हैं। परिणाम स्वरूप जिलों से संबंधित महत्त्वपूर्ण घटनाओं पर आधारित दैनिक एस0एम0एस0 व पाक्षिक फीकबैक रिपोर्ट नियमित रूप से प्राप्त होती है।

वर्तमान में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के क्रम में अयोध्या मण्डल के जिला मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सेन्टर की स्थापना का कार्य प्रगति पर है तथा मण्डल गोरखपुर के जिला मुख्यालय तथा शाहजहाँपूर में सूचना केन्द्र/प्रेस क्लब का निर्माण कार्य कराया जा रहा है।

उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य जनपदों में भी प्रेस क्लब सूचना केन्द्र जिला सूचना कार्यालय के लिए स्थायी संयुक्त भवन बनवाने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।

सूचना ब्यूरो

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के सूचना ब्यूरो द्वारा प्रचार-प्रसार के माध्यम से जनता को प्रदेश सरकार की नीतियों, जनकल्याणकारी कार्यक्रमों, विकास योजनाओं उपलब्धियों की समुचित जानकारी करायी जाती हैः-

- हिन्दी, अंग्रेजी के प्रेस नोट।
- प्रदेश सरकार के बजट हाईलाइट्स तैयार करना।
- विज्ञापन एडवर्टोरियल आदि के लिए आधार सामग्री उपलब्ध कराना एवं तैयार किये गये विज्ञापन एडवर्टोरियल आदि का कंटेट तैयार करना।
- प्रदेश के विकास एवं जनता के कल्याण से सम्बन्धित फीचर एवं लेख सफलता की कहानी तैयार कराकर प्रकाशित कराना।
- इलेक्ट्रानिक संचार माध्यमों द्वारा प्रचार-प्रसार किये जाने हेतु प्रचार सामग्री उपलब्ध कराना।
- स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस एवं गाँधी जयंती जैसे राष्ट्रीय पर्वों को मनाये जाने संबंधित शासनादेश का आलेख तैयार करना।
- विभागीय पुस्तिकाओं, पम्फलेट आदि को तैयार करने हेतु आधार सामग्री उपलब्ध कराना।

ग्रामीण प्रसारण शाखा-आकाशवाणी, लखनऊ

विधान सभा मार्ग आकाशवाणी परिसर स्थित ग्रामीण प्रसारण शाखा (सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग उ.प्र.) का मुख्य उद्देश्य प्रदेश एवं केन्द्र सरकार में चल रही विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों को रेडियो प्रसारण के माध्यम से जन सामान्य तक पहुँचाना ताकि आम आदमी राज्य एवं केन्द्र सरकार की नीतियों से भली-भाँति परिचित हो तथा उनका लाभ लेकर अपने जीवन स्तर को सुधार सकें।

इसी कड़ी में अनुभाग द्वारा आकाशवाणी से दो कार्यक्रम क्रमशः श्रमिक जगत (औद्योगिक कार्यक्रम) सायं 5.35-6.00 बजे तथा लोकायन (ग्रामीण कार्यक्रम) सायं 6.30-06.50 तक प्रसारित किया जाता है। उपरोक्त कार्यक्रमों के माध्यम से ही प्रदेश में चल रहे कल्याणकारी कार्यक्रम तथा योजनाओं को प्रसारित कर जनसामान्य का अंग बनाया गया ताकि वे उनका लाभ लेकर अपने जीवन स्तर को सुधार सकें। इसके साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से भेंटवार्ताएं कर 'सफलता की कहानी' भी प्रसारित की गयी ताकि ग्रामीण और शहरी भाई-बहन अपने बीच के व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गयी योजनाओं के लाभ से प्रेरित होकर स्वयं भी उनका लाभ लेने के लिये आगे आयें और अपने जीवन स्तर में सुधार कर सकें।

उपरोक्त कार्यक्रमों के माध्यम से महिला शिक्षा और सुरक्षा, बालश्रम उन्मूलन, उपभोक्ता संरक्षण, मातृत्व हितलाभ अधिनियम, भूजल-वर्षा जल संरक्षण, दिव्यांगजनों की तरक्की हेतु हर संभव मदद, पर्यावरण सुरक्षा, पर्यटन, उ0प्र0 में कौशल विकास मिशन, कौशल विकास (टेक्सटाइल डिजाइनिंग) कौशल विकास के नये आयाम, प्रदेश में तकनीकी प्रशिक्षण की सुविधाएं, वृद्धजन कल्याण हेतु शासन की योजनाएं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन तथा शहरी आजीविका मिशन, बुनकर कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, शिक्षा का अधिकार, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, उ0प्र0 की नयी औद्योगिक नीति, निर्यात प्रोत्साहन, लघु उद्योग विकास, खादी ग्रामोद्योग की योजनायें, मेधावी छात्र पुरस्कार योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, भाग्यलक्ष्मी योजना, गोपालक योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री विकास एवं सर्वहित बीमा योजना, हेल्थकार्ड, लाडली योजना, पशुओं का टीकाकरण, उ0प्र0 शौचालय निर्माण योजना, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग योजना, कामधेनु डेरी योजना, उ0प्र0 में एम्बुलेन्स सेवा, निःशुल्क शिक्षा का प्रबन्ध, सौर ऊर्जा, चिकित्सा सुविधा, उ0प्र0 में ई-गवर्नेंस, जन सुविधा केन्द्र, हस्तशिल्प विकास, उ0प्र0 में औद्योगिक विकास का सुनियोजित प्रयास, इसके साथ ही स्टार्टअप

इण्डिया, डिजिटल इण्डिया, स्किल इण्डिया, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, जनधन खाता धारकों के लिए बीमा योजना, पोक्सो एक्ट-2019, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री आवासीय योजना, वरूण मित्र योजना, पीएम यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम, प्रधानमंत्री सम्पन्न योजना पोर्टल, रायतू बंधु योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, मिशन इन्द्रधनुष, सुकन्या समृद्धि योजना। मतदाता जागरूकता, (एक जिला एक उत्पाद योजना, आरोग्य सेतु, नयी शिक्षानीति, कोरोना महामारी, आत्मनिर्भर भारत, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। उत्तर प्रदेश कन्या विद्याधन योजना, उ0प्र0 भूलेख, भाग्यलक्ष्मी योजना, उ0प्र0 गोपालक योजना) नशा उन्मूलन, पल्स पोलियो, सड़क सुरक्षा अभियान। अल्पसंख्यक कल्याण, प्रधानमंत्री मातृत्व अवकाश प्रोत्साहन योजना, आयुष्मान भारत योजना, गंगा हरीतिमा अभियान, मिशन इन्द्रधनुष, जी.एस.टी., दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, सर्वशिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन योजना तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विकास के कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जन-धन योजना, सबका साथ सबका विकास प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, स्वच्छ भारत अभियान, मेक-इन-इण्डिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक भारत-श्रेष्ठ भारत, साइबर अपराध से बचें, भारत नेपाल सम्बन्ध, स्किल इण्डिया, नमामि गंगे, हंड्रेड स्मार्ट सिटीज, अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन, सबके लिए आवास, दीनदयाल उपाध्याय श्रमेवजयते, प्रधानमंत्री ग्राम्य सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, गरीब कल्याण योजनायें, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, कुसुम स्कीम, नागरिकता सशोधन अधिनियम 2019, आदि योजनाओं की और कानून की जानकारी वार्ता तथा भेंटवार्ता प्रतिष्ठित व्यक्तियों से बातचीत/सन्देश आदि प्रसारित किये गये तथा आगे भी किये जायेंगे, कार्यक्रम को रोचक बनाने हेतु उसमें संगीतरूपक, नाटक, नौटंकी, लोकगीत, कविता, कहानी, परिचर्चा आदि को भी शामिल किया गया।

माह अप्रैल से माह दिसम्बर, 2019 से दिसम्बर, 2020 तक की प्रेस विज्ञप्तियों/लेखों का विवरण

माह	हिन्दी	अंग्रेजी	उर्दू	लेख	योग
दिसम्बर, 2019	467	90	138	08	704
जनवरी, 2020 से	468	13	160	09	710
फरवरी	249	30	70	06	355
मार्च (कोविड-19)	237	12	65	00	314
अप्रैल	397	00	20	00	417
मई	324	00	80	00	404
जून	352	28	115	04	499
जुलाई	304	30	104	00	438
अगस्त	250	08	62	05	425
सितम्बर	403	00	107	07	517
अक्टूबर	648	67	180	38	933

नवम्बर	543	92	194	32	861
दिसम्बर, 2020 तक	681	163	203	20	1067
कुल योग	**5323**	**533**	**1498**	**129**	**7644**

राज्य सूचना केन्द्र, लखनऊ

सूचना एवं जनसम्पर्क द्वारा विभाग, लखनऊ एक बहुआयामी राज्य स्तरीय राज्य सूचना केन्द्र हजरतगंज में स्थापित है। यह लखनऊ में राज्य स्तर का पुस्तकालय है, जहाँ पर दुर्लभ सन्दर्भ ग्रन्थ उपलब्ध हैं जो कि शिक्षारत शोधार्थियों के लिए लाभप्रद है, इसके साथ ही केन्द्र में सभी विषयों पर आधारित लगभग 30,540 पुस्तकों का संकलन है। लगभग 24,000 पुस्तकों की डाटा इन्ट्री कम्प्यूटर में की गयी है। केन्द्र में वर्तमान समय में 43 पत्रिकाएं, जिसमें देशी व विदेशी एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु उपलब्ध है। केन्द्र के वाचनालय में हिन्दी, उर्दू व अंग्रेजी भाषा के 20 समाचार पत्र उपलब्ध हैं। पुस्तकालय एवं वाचनालय में पाठकों, आगंतुकों एवं सदस्यों के बैठने हेतु समुचित व्यवस्था है। केन्द्र के प्रेमचन्द्र कक्ष में प्रतियोगिता से सम्बन्धित पुस्तकों एवं पत्रिकाओं की व्यवस्था के साथ-साथ बंगला साहित्य भी उपलब्ध है। केन्द्र का वाचनालय प्रातः 08:00 बजे से पूर्वाह्न 11:30 बजे तक तथा पुस्तकालय पूर्वाह्न 11:30 बजे से सायं 06:30 बजे तक एवं पुराने समाचार पत्रों को देखने हेतु पूर्वाह्न 11:30 बजे से सायं 06:30 बजे तक खुला रहता है।

अतः राज्य सूचना केन्द्र को अधिक उपयोगी बनाने हेतु शासन/प्रशासन अधिक प्रयासरत है।

प्रकाशन शाखा-

प्रकाशन शाखा द्वारा प्रचार-साहित्य के माध्यम से आम जनता को प्रदेश सरकार की नीतियों, जनकल्याणकारी कार्यक्रमों, विकास योजनाओं तथा उपलब्धियों की समुचित जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। इस शाखा द्वारा सावधि प्रकाशनों के साथ ही प्रचार-पुस्तिकाएं, फोल्डर काफीटेबल बुक, पुस्तकें तथा एलबम आदि प्रकाशित कराये जाते हैं। इसके साथ ही स्थायी महत्त्व के विचारपरक प्रकाशन एवं मा. मुख्यमंत्री जी के चुने हुए भाषण भी प्रकाशित किये जाते हैं।

नियमित रूप से प्रकाशित होने वाली साहित्यिक पत्रिका '**उत्तर प्रदेश**' (हिन्दी मासिक), '**नया दौर**' (उर्दू मासिक) तथा विकासपरक पत्रिका '**उत्तर प्रदेश संदेश**' (हिन्दी मासिक) तथा विभाग का महत्त्वपूर्ण प्रकाशन ''**वार्षिकी उ0प्र0**'' का प्रकाशन किया जाता है।

2019

1. सतत विकास लक्ष्य विजन 2030 - हिन्दी एवं अंग्रेजी पुस्तक
2. उ0प्र0 सतत विकास लक्ष्य (कोई पीछे न छूटे)- पॉकेट बुक
3. उ0प्र0 सतत विकास लक्ष्य (17 लक्ष्य हमारी दुनिया को बदलने के लिए) - पॉकेट बुक
4. उ0प्र0 सतत विकास लक्ष्य पॉकेट बुक
5. गांधी विचार चार आधार महात्मा गांधी की 150वीं जयन्ती पुस्तक
6. मेरी जीवन कथा (मोहन दास करमचन्द गांधी) पुस्तक
7. उत्तर प्रदेश में गांधी जी पुस्तक

2020

1. सूचना डायरी-2020
2. सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास कैलेण्डर-2020
3. जन कनेक्ट कठोर परिश्रम और बड़े निर्णयां के 100 दिन-विकास एवं सुशासन के 30 माह पुस्तिका एवं पॉकेट बुक
4. गंगा यात्रा-27-31 जनवरी 2020 फोल्डर
5. उ0प्र0 विधान सभा का विशेष ऐतिहासिक सत्र पुस्तिका
6. लोक आयुक्त उ0प्र0 वार्षिक प्रतिवेदन-2018
7. कोरोना वायरस से न घबराये-पोस्टर व पम्पलेट
8. मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर प्रयागराज कुम्भ-2019 पेपर बैग
9. उ0प्र0 वार्षिकी-2019
10. कोरोना से बचना है आसान इन बातों का रखे ध्यान-पोस्टर
11. पं0 दीन दयाल उपाध्याय-सूचना परिसर
12. सूचना पंचांग-2020
13. सुशासन के 03 वर्ष (नये भारत का नया उ0प्र0)- पुस्तिका एवं पॉकेट बुक
14. प्रतिबिम्ब- उ0प्र0 की राज्यपाल के प्रथम वर्ष की गतिविधियों का प्रस्तुतीकरण
15. राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल (03 से 06 वर्ष के बच्चों हेतु) शिक्षक मार्गदर्शिका (राजभवन की पुस्तक)

मुख्यमंत्री सूचना परिसर,

मुख्यमंत्री सूचना परिसर द्वारा मा0 मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों से सम्बन्धित प्रेस-विज्ञप्तियां इलेक्टॉनिक, प्रिन्ट तथा डिजिटल मीडिया को उपलब्ध करायी जाती हैं। इसके अतिरिक्त, मा0 मुख्यमंत्री जी के उपयोगार्थ भाषण तथा उनकी ओर से भेजे जाने वाले संदेश भी तैयार किये जाते हैं। मा0 मुख्यमंत्री जी के अपलोड भी कराया जाता है। मुख्यमंत्री सूचना परिसर द्वारा मा0 मंत्रिपरिषद के निर्णयों के प्रचार-प्रसार का दायित्व निर्वहन भी किया जाता है।

मुख्यमंत्री रिकॉर्डिंग यूनिट

माननीय मुख्यमंत्री जी के भाषणों के ध्वन्यांकन हेतु गठित यह इकाई भाषणों की रिकार्डिंग के पश्चात् भाषणों को लिप्यांतरित करती है, और उन्हें सम्पादित करती है। मीडिया के विभिन्न लोगों द्वारा लिये जाने वाले मा. मुख्यमंत्री जी के साक्षात्कारों तथा उच्चादेशों से अन्य महत्त्वपूर्ण बैठकों, गोष्ठियों की सम्पूर्ण रिकार्डिंग कराकर उन्हें लिप्यांतरित किया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य महत्त्वपूर्ण अवसरों पर प्रचार-प्रसार की दृष्टि से विशिष्ट व्यक्तियों से लिये गये साक्षात्कार तथा विभिन्न इलेक्ट्रानिक चैनलों पर प्रसारित होने वाले साक्षात्कार एवं रिपोर्ट आदि भी लिप्यांतरित कर संदर्भ के तौर पर सुरक्षित रखे जाते हैं।

मा. मुख्यमंत्री जी के सभी भाषणों को रिकार्डिंग के पश्चात लिप्यांतरित करके सम्पादन के बाद संदर्भ सामग्री के रूप में सुरक्षित रखा जाता है, साथ ही महत्त्वपूर्ण एवं नीतिगत भाषणों को छांटकर उनका प्रकाशन भी करवाया जाता है। पत्रकारों, संबंधित विभागों के उच्चाधिकारियों एवं विधि संस्थाओं द्वारा मांग

किए जाने पर भाषणों की प्रति एवं उनसे संबंधित कैसेट एवं ऑडियो सी.डी. उपलब्ध करवाई जाती है। इसके अतिरिक्त मा. मुख्यमंत्री जी के भाषणों से मुख्य एवं महत्त्वपूर्ण अंश संकलित कर उनका प्रयोग ''उत्तर प्रदेश सन्देश'' एवं विभिन्न अवसरों पर विभिन्न प्रचार माध्यमों के द्वारा किया जाता है।

वर्ष 2019-20 में मा. मुख्यमंत्री जी के लगभग 329 भाषण रिकॉर्ड हुए, जिनको लिप्यांतरित और सम्पादित किया गया।

गीत एवं नाट्य प्रभाग

इस योजना के अन्तर्गत सांस्कृतिक कार्यक्रमों यथा- आल्हा, भजन, कव्वाली, कठपुतली, नृत्य, क्षेत्रीय लोकगीत, जादू, नाटक, नौटंकी आदि विधाओं द्वारा शासन की नीतियों, निर्णयों एवं उपलब्धियों का विभिन्न स्थानीय बोली तथा भाषा में सुदूर ग्रामीण अंचलों में प्रचार-प्रसार किया जाता है। गीत एवं नाट्य योजना को विस्तृत रूप देने के उद्देश्य से सूचना निदेशालय स्तर पर पंजीकृत 721 सांस्कृतिक दलों के माध्यम से उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों तथा सुदूर ग्रामीण अंचलों तक प्रदेश की समस्त योजनाओं एवं उपलब्धियों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाता है। दिनांक 1 जनवरी, 2020 से 31 दिसंबर, 2020 तक प्रदेश में कुल 15,300 सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस माध्यम से शासन की विभिन्न जनहितकारी नीतियों, निर्णयों एवं उपलब्धियों, कोरोना लक्षण से बचाव, नारी सशक्तिकरण, आत्मनिर्भर भारत का प्रचार-प्रसार किया गया। इस योजना द्वारा प्रचार अभियान के माध्यम से स्वच्छता एवं पेयजल, सामाजिक कल्याण, शौचालय निर्माण, प्रधानमंत्री बीमा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना आदि तमाम जनहितकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार कराया गया है।

प्रदर्शनी

सूचना विभाग द्वारा समय-समय पर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में शासन की नीतियों, उपलब्धियों आदि की जानकारी देने के लिए प्रदर्शनियों का आयोजन करता है। प्रदेश की आम जनता को उनकी सांस्कृतिक तथा विकास सम्बन्धी गतिविधियों की जानकारी एवं आपसी सद्भाव का संदेश प्रसारित करने के उद्देश्य से प्रदर्शनियों का आयोजन काफी उपयोगी सिद्ध हुआ है। शासन की प्रमुख नीतियों, उपलब्धियों, निर्णयों और भावी योजनाओं को आकर्षक चित्रों, कोलाज, पैनल, वर्किंग मॉडल एवं ट्रांसलाइट के माध्यम से प्रदर्शनी किट के रूप में तैयार कराकर उसे जिलों में भी उपलब्ध कराया जाता है, ताकि मेलों तथा अन्य आयोजनों के अवसर पर प्रदर्शनी द्वारा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शासन का संदेश पहुंचाया जा सके।

मुख्यालय द्वारा सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा राष्ट्रीय नेताओं एवं महान विभूतियों के कार्यों, चिंतन एवं जनहित में उनके क्रियाकलापों को दृष्टिगत रखते हुए प्रदर्शनी प्रभाग द्वारा उन पर नियमित प्रदर्शनी सामग्री के माध्यम से प्रदेश में प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है।

राम नवमी मेला, अयोध्या श्रावण मेला अयोध्या, देवां मेला बाराबंकी, छोटी दीपावली पर्व अयोध्या, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली, अन्तर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र, बिठूर महोत्सव कानपुर, माघ मेला 2021 प्रयागराज, गोरखपुर महोत्सव 2021, यू0पी0 दिवस, लखनऊ महोत्सव एवं अन्य महत्त्वपूर्ण अवसरों पर विभिन्न जनपदों में प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया है और किया जायेगा। संविधान दिवस पर भी विधानसभा, लखनऊ मण्डल, वाराणसी मण्डल एवं गोरखपुर मण्डल में भी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है।

होर्डिंग्स/एल.ई.डी.

शासन की नीतियों एवं उपलब्धियों, कार्यक्रमों एवं योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार विभिन्न माध्यमों से किया जाता है, जिसमें होर्डिंग्स एक सशक्त माध्यम है। इस माध्यम से शासन की जनकल्याणकारी नीतियों, निर्णयों, कार्यक्रमों और उपलब्धियों को जनसाधारण तक व्यापक स्तर पर पहुँचाया जाता है।

इसके अतिरिक्त शासन की नीतियों, उपलब्धियों, कार्यक्रमों एवं योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु लखनऊ तथा प्रदेश के कई जनपदों में एल.ई.डी. डिस्पले बोर्ड की स्थापना कराई गई तथा शासन की नीतियों, कार्यक्रमों एवं उपलब्धियों को आमजन तक पहुंचाने के उद्देश्य से एल.ई.डी. वैन के माध्यम से प्रचार-प्रसार कराया गया। इसके अतिरिक्त मा0 मुख्यमंत्री जी के महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमों का लाइव प्रसारण भी एल0ई0डी0 डिस्पले बोर्ड एवं एल0ई0डी0 वैन के माध्यम से कराया गया।

राष्ट्रीय समारोह

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश की ओर से दिल्ली परेड में एवं मुख्यालय द्वारा लखनऊ परेड में भव्य झांकी प्रदर्शित करायी जाती है। ये झांकियां उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक धरोहर तथा महापुरुषों की जीवनी, उद्योग-धन्धे, महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों, विकास एवं उपलब्धियों आदि पर आधारित होती है। विगत दो वर्षों से झांकियों पर विभाग को पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं।

इस वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली में आयोजित परेड में ''उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर अयोध्या'' के शीर्षक से सम्बन्धित झांकी प्रदर्शित की गयी, जिसमें उत्तर प्रदेश को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार लखनऊ में आयोजित परेड में ''चुनौतियों के बीच बढ़ता उत्तर प्रदेश'' शीर्षक पर आधारित एक भव्य एवं आकर्षक झांकी निकाली गयी, जिसे द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है।

अंजुमन सैर-ए-गुल फरोशां नामक संस्था द्वारा महरौली, दिल्ली में आयोजित ''फूल वालों की सैर'' में प्रतिवर्ष सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश के अनेक प्रान्त भाग लेते हैं। उत्तर प्रदेश की ओर से सूचना विभाग द्वारा उक्त कार्यक्रम में हिन्दू-मुस्लिम दोनों समुदायों द्वारा एकता के प्रतीक स्वरूप एक पंखा सूफी संत हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी के मज़ार पर तथा दूसरा पंखा पांडव कालीन योगमाया के मंदिर में चढ़ाया जाता है। कार्यक्रम में विभाग को प्रत्येक वर्ष पुरस्कार प्राप्त होते हैं। कोविड-19 के दृष्टिगत इस वर्ष उक्त कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया। सूचना विभाग द्वारा प्रत्येक राष्ट्रीय पर्व मनाये जाते हैं।

अन्वेषण एवं अनुलेखन कक्ष

(सन्दर्भ पुस्तकालय)

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग में सन्दर्भ पुस्तकालय स्थापित है, जिसमें कार्यालय अभिलेखानुसार लगभग 29000 सन्दर्भीय महत्त्व की पुस्तकें हैं। पुस्तकालय में प्रदेश एवं देश तथा अन्तर्राष्ट्रीय विषयों पर आधारित महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ पुस्तकें हैं। इयर बुक्स, आर्थिक एवं विकास संबंधी विषयों पर पर्याप्त

पुस्तकें हैं। साहित्य, संस्कृति एवं कला क्षेत्रों से संबंधित महत्त्वपूर्ण पुस्तकें भी पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। गजेटियर, मास मीडिया, कम्प्यूटर, पत्रकारिता, इतिहास, बायोग्राफीज आदि विषयों पर पुस्तकों का बेहतर संग्रह है, जिसका लाभ शोधार्थी छात्र-छात्राएं, महानुभाव, वरिष्ठ पत्रकार इत्यादि पुस्तकालय स्टाफ के माध्यम से प्राप्त करते हैं। पुस्तकालय के सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण का कार्य प्रगति पर है। इस कार्य के पूर्ण हो जाने पर पुस्तकालय की उपयोगिता बढ़ जायेगी। यह पुस्तकालय समय-समय पर विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को आवश्यकतानुसार संदर्भ सामग्री उपलब्ध कराता है।

सूचना विभाग, उ0प्र0 के अन्तर्गत संदर्भ पुस्तकालय द्वारा किये गये कार्यों का विवरण निम्नवत है:-

- संदर्भ पुस्तकालय के प्रयोगार्थ प्रतिवर्ष आवंटित बजट के अनुसार संदर्भीय महत्व की अद्यतन पुस्तकें क्रय की गयीं।
- संदर्भ पुस्तकालय में विजीटर्स यथा अधिकारियों/कर्मचारियों, पत्रकारों, लेखकों, शोधार्थियों, गणमान्य अतिथियों, पाठकों एवं आगन्तुकों को उनकी मांगानुसार पाठ्य एवं चयनित सामग्री की फोटोकापी इत्यादि की सुविधा मुहैया कराई गई।
- संदर्भ पुस्तकालय में नियमित रूप से आने वाले समाचार-पत्रों (हिन्दी/अंग्रेजी) एवं पत्रिकाओं (साप्ताहिक/पाक्षिक/मासिक) की प्राप्ति एवं पाठकों को उनकी मांगानुसार उपलब्ध कराना।
- वार्षिकी उ0प्र0 2019 (हिन्दी एवं अंग्रेजी संस्करण) में सम्मिलित किये जाने वाली विभिन्न विभागों से प्राप्त आधारभूत सामग्री के सम्पादन/प्रूफरीडिंग इत्यादि का कार्य संदर्भ पुस्तकालय द्वारा सम्पन्न किया गया। इसी क्रम में वार्षिकी उ0प्र0-2020 (हिन्दी एवं अंग्रेजी संस्करण) के प्रकाशन की प्रक्रिया प्रगति पर है।

निरीक्षा शाखा के कार्य

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग का **निरीक्षा प्रभाग** सूचना सम्बन्धी कार्यों का महत्त्वपूर्ण प्रभाग है। विभाग की यह शाखा शासन को प्रिण्ट मीडिया का 'फीडबैक' उपलब्ध कराती है। इस प्रभाग का कार्य सामान्यतः प्रातः 5.00 बजे से सायं देर तक दो पालियों में होता है।

प्रभाग द्वारा लखनऊ, दिल्ली तथा प्रदेश के प्रमुख स्थानों से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी हिन्दी, अंग्रेजी तथा उर्दू के प्रमुख समाचार पत्र/पत्रिकाओं एवं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पत्र/पत्रिकाओं की निरीक्षा (Scrutiny) की जाती है एवं प्रकाशित जन समस्याओं तथा शासन से संबंधित समाचारों, सुझावों को तत्काल शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

निरीक्षा शाखा द्वारा प्रदेश में प्रकाशित समस्त समाचार पत्र/पत्रिकाओं की नियमितता आदि का कार्य प्रेस एण्ड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट-1876 के प्रावधानों के तहत किया जाता है।

निरीक्षा प्रभाग द्वारा प्रतिदिन प्रातः स्थानीय एवं सायं दिल्ली से प्रकाशित समाचारों की क्लिपिंग्स की फाइल बनाकर महामहिम श्री राज्यपाल, मा. उप मुख्यमंत्री जी, सूचना मंत्री जी, समस्त मा. मंत्रीगण, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव सूचना, सूचना निदेशक/सचिव, प्रमुख सचिव, गृह आदि को भेजी जाती हैं।

प्रदेश के जनपदों से प्रतिदिन समाचारों की क्लिपिंग्स ई-मेल द्वारा मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय में उच्चाधिकारियों को भेजी जाती हैं।

निरीक्षा शाखा में हिन्दी, अंग्रेजी एवं उर्दू समाचार पत्रों की अति महत्त्वपूर्ण क्लिपिंग्स को प्रतिदिन सूचना विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है।

फोटो-फिल्म शाखा

फोटो शाखा

इस शाखा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार के महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमों, योजनाओं और मा0 राज्यपाल जी, मा0 मुख्यमंत्री जी, तथा प्रदेश सरकार के मंत्रिमण्डल के सदस्यों के कार्यक्रमों का कवरेज कर समाचार-पत्रों तथा मांग के अनुसार फोटोग्राफ उपलब्ध कराये जाते हैं। वर्तमान में फोटो शाखा द्वारा 1800 कवरेज किये गये तथा 4002 रंगीन फोटो समाचार-पत्रों पत्रिकाओं के लिए जारी किये गये। इसके साथ ही 9025 चित्रों की इलेक्ट्रानिक डेटा ट्रांसफर द्वारा मीडिया को उपलब्ध कराया गया, मागों के अनुरूप बड़े चित्रों (16x20) आदि साईज के चित्रों को आपूर्ति कराया गया।

फिल्म शाखा

फिल्म शाखा, उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण शाखा है, जिसके माध्यम से मा0 राज्यपाल जी, मा0 मुख्यमंत्री जी तथा सरकार के मंत्रिमण्डल के सदस्यों 1545 कार्यक्रमों का वीडियो फुटेज कराकर दूरदर्शन एवं विभिन्न चैनलों को उपलब्ध कराया गया। 1 अप्रैल 2020 से 22 जनवरी 2021 तक विभाग द्वारा विभिन्न चैनलों के माध्यम से मा0 मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल की महत्वपूर्ण योजनाओं से सम्बन्धित निर्माण कराकर विभिन्न चैनलों के माध्यम से प्रचार-प्रसार हेतु उपलब्ध कराया गया।

फिल्म बन्धु

वर्तमान में फिल्म निर्माताओं को वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तथा प्रदेश में फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने के लिये प्रदेश सरकार द्वारा संशोधित फिल्म नीति-2018 प्रख्यापित की गयी है। फिल्म नीति-2018 के बाद से फिल्म बन्धु, उ.प्र. को लगभग 250 से अधिक फिल्म अनुदान के प्रस्ताव प्राप्त हो गये हैं, जिन पर प्रभावी व आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। इस नीति के माध्यम से प्रदेश में फिल्म-निर्माण के साथ ही स्थानीय कलाकारों को रोजगार व फिल्म इन्डस्ट्री के माध्यम से पूंजी निवेश का मार्ग प्रशस्त हुआ है तथा इसके सकारात्मक परिणाम दृष्टिगोचर हो रहे हैं। उक्त फिल्म नीति के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में 20 फिल्मों को अनुदान प्रदान किया गया। फिल्म नीति-2018 के अन्तर्गत अवधी, ब्रज, बुन्देली, भोजपुरी फिल्मों के लिए अनुदान की सीमा लागत का अधिकतम 50 प्रतिशत तथा हिन्दी, अंग्रेजी तथा देश की अन्य भाषाओं में निर्मित फिल्मों के लिए अनुदान की सीमा लागत का अधिकतम 25 प्रतिशत तक दिये जाने की व्यवस्था है। इसके अन्तर्गत प्रदेश में निर्मित उपरोक्त उल्लिखित फिल्मों, जिनके कुल शूटिंग दिवसों में से कम से कम आधे दिवस की शूटिंग अथवा दो तिहाई दिवसों की शूटिंग उत्तर प्रदेश में की गयी हो, के लिए अनुदान की अधिकतम सीमा क्रमशः रुपये 1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र) अथवा रु. 2,00,00,000 (रुपये दो करोड़ मात्र) तक दिये जाने की व्यवस्था है।

किसी फिल्म निर्माता द्वारा प्रदेश में ऐसी फिल्म की शूटिंग की जाती है/निर्मित की जाती है, जिसके मुख्य पाँच कलाकार अथवा समस्त कलाकार उत्तर प्रदेश के ही हों, उक्त फिल्म हेतु उन कलाकारों को फिल्म पारिश्रमिक के रूप में दी जाने वाली धनराशि या सम्मिलित रूप से पाँच कलाकारों अथवा समस्त कलाकारों हेतु क्रमशः रु. 25,00,000/- (रु. पच्चीस लाख मात्र) अथवा रु. 50,00,000/- (रु. पचास लाख मात्र) जो भी कम हो, का अतिरिक्त अनुदान दिए जाने का प्रावधान किया गया है।

किसी फिल्म निर्माता द्वारा फिल्म शूटिंग के उपरान्त फिल्म की प्रोसेसिंग प्रदेश में ही की जाती है, तो उक्त प्रोसेसिंग पर आने वाली लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रु. 50.00 लाख का अनुदान, जो भी कम हो, अतिरिक्त रूप से दिये जाने की व्यवस्था है।

कोई निवेशक उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों में (नोएडा/ग्रेटर नोएडा को छोड़कर) फिल्म प्रशिक्षण संस्थान खोलता है, तो लागत धनराशि का 50 प्रतिशत अथवा रु. 50.00 लाख में से जो भी कम हो, को अधिकतम अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है।

उक्त व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन तथा फिल्म-निर्माताओं को नियमानुसार आवश्यक सुविधाएं यथाशीघ्र उपलब्ध कराने के लिये प्रत्येक जनपद स्तर पर शासन द्वारा निम्नानुसार ''फिल्म-प्रमोशन एण्ड फैसेलिटेशन कमेटी'' का गठन किया गया है :-

1. जिलाधिकारी अध्यक्ष
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक सदस्य
3. अपर जिलाधिकारी (जिलाधिकारी द्वारा नामित) सदस्य/नोडल अधिकारी
4. उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला सूचना अधिकारी/प्रभारी जिला सूचना अधिकारी-सदस्य/संयोजक
5. क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी/पर्यटन अधिकारी सदस्य

उक्त कमेटी फिल्म निर्माताओं द्वारा फिल्म की शूटिंग के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर शूटिंग स्थल की अनुमति, फिल्म यूनिट की सुरक्षा व्यवस्था, नियमानुसार भुगतान करने पर शासकीय गेस्ट हाउस/पर्यटन अतिथि गृह में उनके ठहरने की व्यवस्था तथा शूटिंग के बाद शूटिंग दिवसों के संबंध में जिलाधिकारी कार्यालय से प्रदान किये जाने वाले प्रमाण पत्र के समयबद्ध निर्गमन आदि का अनुश्रवण करती है तथा जनपद में विभागों के स्तर पर आने वाली कठिनाइयों का त्वरित निराकरण भी करती है।

भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे तथा सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता में उत्तर प्रदेश के प्रशिक्षणरत विद्यार्थियों को वार्षिक छात्रवृत्ति रु. 25,000/- दी जायेगी। छात्रवृत्तियों की अधिकतम संख्या दोनो संस्थानों में प्रत्येक के लिए अलग-अलग दस होगी। इस कार्य पर व्यय होने वाली धनराशि का वहन 'फिल्म बन्धु' द्वारा किये जाने की व्यवस्था है।

प्लान सेल

प्लान सेल द्वारा विभाग की योजनाओं को तैयार करने, उनका अनुश्रवण तथा व्यय से सम्बन्धित आंकड़े तथा शासन द्वारा तत्सम्बन्धित अपेक्षित अन्य सूचनाएं एवं आंकड़े तैयार कराकर प्रस्तुत किये जाते हैं।

टी.वी. शाखा

सूचना निदेशालय में सामुदायिक दूरदर्शन योजना **टी.वी. शाखा** के तहत पूर्व में केवल

वी.आई.पी. टी.वी. यूनिट ही कार्य करती थी। परन्तु वर्तमान में समय परिवर्तन एवं तकनीकी परिवर्तन के कारण इस शाखा के अन्तर्गत निम्नलिखित तीन यूनिट कार्य कर रही हैंः-

1. वी.आई.पी. टी.वी. यूनिट
2. सेटेलाइट कम्यूनिकेशन सेन्टर एण्ड केबिल नेटवर्क यूनिट
3. इलेक्ट्रानिक मीडिया न्यूज रिकॉर्डिंग यूनिट

वी.आई.पी. टी.वी. यूनिट

निदेशालय, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ.प्र., लखनऊ, में चल रही वी.आई.पी. टी.वी. यूनिट के तहत महामहिम राज्यपाल, मा. मुख्यमंत्री, मा. मंत्री, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिवों, सचिवों, विधान सभा एवं विधान परिषद के पदाधिकारियों, विरोधी दल के नेताओं, एडवोकेट जनरल एवं अन्य वी.वी.आई.पी. व वी.आई.पी. के यहाँ शासकीय टी.वी. सेटों, एल.सी.डी., एल.ई.डी., टी.वी. सेटों एवं डी.टी.एचों की स्थापना एवं रख-रखाव का कार्य किया जाता है।

सेटेलाइट कम्यूनिकेशन सेन्टर एण्ड केबिल नेटवर्क यूनिट

आधुनिक युग में इलेक्ट्रानिक मीडिया के अन्तर्गत सेटेलाइट कम्यूनिकेशन और केबिल सिस्टम सूचना क्रान्ति का सबसे महत्त्वपूर्ण माध्यम हो गया है। इस सिस्टम में छत पर बहुत सारे बड़े-बड़े डिश एन्टीना तथा डी.टी.एच. स्थापित करके सीधे सेटेलाइट से कंट्रोल रूम में सिगनल रिसीव करने के बाद कन्ट्रोल रूम में ही उस सिगनल को मॉडीफाइ किया जाता है उसके उपरान्त सिगनल को आप्टिकल फाइबर के माध्यम से विभिन्न स्थानों के लिए ट्रांसमिट कर दिया जाता है। इससे विश्व के एक कोने से दूसरे कोने तक सेकेण्डों में खबरें प्राप्त की जाती हैं तथा भेजी जाती हैं। सूचना विभाग ने इस आधुनिकतम सिस्टम को सचिवालय स्थित अधिकारी भवन के कक्ष संख्या 1, 2 तथा 3 में स्थापित किया है। वर्तमान में इस सेटेलाइट कम्यूनिकेशन सेन्टर एण्ड केबिल नेटवर्क के द्वारा सचिवालय के समस्त भवनों, योजना भवन, शास्त्री भवन, राजभवन, बापू भवन, अधिकारी भवन, बहुखण्डी भवन, सचिव भवन, विधान भवन, मा. मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग तक इस नेटवर्क का जाल बिछाया जा चुका है। इसी वर्ष 2019 में लोकभवन को भी इस कन्ट्रोल रूम से आप्टिकल फाइवर लाइन से जोड़ दिया गया है। इस सेन्टर से 106 सेटेलाइट न्यूज चैनल एवं अन्य चैनलों का प्रसारण आप्टिकल फाइबर लाइनों के माध्यम से किया जा रहा है। कन्ट्रोल रूम में अपग्रेडेशन का कार्य निरन्तर जारी है। साथ ही इसके डिजिटलाइजेशन का प्रयास भी लगातार जारी है। इसी सेटेलाइट कम्यूनिकेशन एण्ड केबिल नेटवर्क यूनिट की आप्टिकल फाइबर लाइनों के माध्यम से ही लोक भवन में इलेक्ट्रानिक मीडिया न्यूज रिकार्डिंग यूनिट में सेटेलाइट न्यूज चैनलों की रिकार्डिंग एवं मानिटरिंग की जाती है। चैनलों का प्रसारण चौबीस घण्टे होता है। वर्तमान में सूचना विभाग का नया भवन पार्क रोड पर ही बन गया है जिसका नाम पं0 दीन दयाल उपाध्याय सूचना परिसर रखा गया है। इस भवन में भी न्यूज चैनलों की मानिटरिंग आदि के लिए केबिल टी0वी0 नेटवर्क का कार्य करवाया जा रहा है। जिससे सूचना विभाग के सभी कर्मचारी भी शासन तथा सरकार के सभी न्यूजों, सूचनाओं तथा कार्यों से अवगत रहें।

इलेक्ट्रानिक मीडिया न्यूज रिकॉर्डिंग यूनिट

- इलेक्ट्रानिक मीडिया के समाचारों की रिकार्डिंग पहले वी0सी0आर0 पर मैनुवली की जाती थी। अब कम्प्यूटराइज्ड कर दिया गया है। जिसमें आटोमेटिकली कई समाचार चैनलों को एक साथ हार्ड डिस्क पर रिकार्डिंग की जाती है। उसके बाद उसकी एडिटिंग करके डी0वी0डी0 बनायी जाती है। डी0वी0डी0 प्रतिदिन मा0 मुख्यमंत्री तथा अन्य वी0वी0आई0पी0 के अवलोकनार्थ भेजी जाती है। उसके अवलोकन करने के उपरान्त शासन तुरन्त आवश्यक कार्यवाही करता है, विगत वर्ष यह यूनिट शास्त्री भवन में कार्यरत थी। वर्ष 2019 में इस यूनिट को लोकभवन में स्थानांतरित कर दिया गया है। इस यूनिट द्वारा मा0 मुख्यमंत्री हेतु लगभग सभी सेटेलाइट न्यूज चैनलों की मानिटरिंग भी की जाती है। इलेक्ट्रानिक मीडिया के समाचारों की रिकार्डिंग एवं फीडबैक की उपरोक्त व्यवस्था का उपयोग शासन के ला एण्ड आर्डर में होने के कारण उसकी विवेचना, स्टोरेज, रिकार्डिंग, डेट एण्ड टाईम, न्यूज डाटा कलेक्शन इत्यादि की आवश्यकता तथा सिग्नल ब्रेकडाउन की समस्या को देखते हुए इस सेटअप को कम्प्यूटरीकृत कराया जा चुका है। जो कि सफलता पूर्वक कार्य कर रहा है। साथ ही डी0वी0डी0 व हार्ड डिस्क की वीडियों लाइब्रेरी की भी स्थापना की गयी है जिसमें इलेक्ट्रानिक मीडिया की सभी न्यूजें डी0वी0डी0 व हार्ड डिस्क पर रिकार्ड करके लाइब्रेरी में सुरक्षित रखने की व्यवस्था है।
- वर्तमान में इलेक्ट्रानिक मीडिया न्यूज रिकार्डिंग यूनिट में 365 दिन प्रातः से रात्रि कार्य समाप्ति तक शिफ्टों में कार्य किया जाता है। इसमें सोशल मीडिया के माध्यम से उच्च अधिकारियों व जिलों के जिलाधिकारियों व पुलिस अधिकारियों को खबरे, लाइब स्क्रीनशार्ट व विजुवल का फोटो लेकर उनके मोबाइल पर व्हाटसएप क माध्यम से भेजी जाती है। मा0 मुख्यमंत्री के लाईब प्रसारण की मानीटरिंग भी कई चैनलों को नेट से व एम0एक्स प्लेयर व जियो टी0वी0 क माध्यम से देखा जाता है।
- पूर्व से स्थापित रिकार्डिंग सर्वर काफी पुराना हो चुका ह अतः वर्तमान में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का एक नया रिकार्डिंग सर्वर की स्थापना की कार्यवाही की जा रही है, जो कि शासन स्तर पर किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश राज्य सूचना केन्द्र, नई दिल्ली

उत्तर प्रदेश राज्य सूचना केन्द्र, नई दिल्ली में जनसम्पर्क सहित प्रदेश सरकार के विकास कार्यों, प्राथमिकताओं, योजनाओं एवं कार्यक्रमों के कवरेज हेतु सतत् रूप से प्रयासरत् है। राज्य सूचना केन्द्र, जहां सन्दर्भ सुलभता, प्रदेश के विषय में जानकारी उपलब्ध कराने, महत्त्वपूर्ण विज्ञप्तियों, बैठकों की कवरेज, अति विशिष्ट व्यक्तियों के भ्रमण कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार के लिए कार्यरत है, वहीं सूचना निदेशालय से प्राप्त निर्देशों के क्रियान्वयन में सक्रिय भूमिका का निर्वहन करता है। राज्य सूचना केन्द्र राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश शासन की योजनाओं, उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने तथा राष्ट्रीय स्तर पर उनका कवरेज कराने के लिए विभिन्न समाचार पत्र-पत्रिकाओं, इलेक्ट्रानिक मीडिया से व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु कार्यरत है। प्रदेश के विभिन्न कार्यक्रमों से सम्बन्धित प्रेस विज्ञप्तियाँ दिल्ली के राष्ट्रीय समाचार पत्रों-पत्रिकाओं, भाषाई समाचार पत्रों, आकाशवाणी, दूरदर्शन एवं विभिन्न लोकप्रिय चैनल्स को प्रसारण एवं प्रकाशन हेतु उपलब्ध कराई जाती हैं, जिससे सरकार की गतिविधियों को राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित होने वाले पत्र/पत्रिकाओं में प्रमुखता के साथ स्थान मिल सके।

नई दिल्ली एवं एन.सी.आर. में आयोजित राष्ट्रीय महत्त्व के कार्यक्रमों पर आयोजित गोष्ठी/बैठक समारोहों के कवरेज, मा0 मुख्यमंत्री जी के दिल्ली प्रवास पर आयोजित प्रेस कांफ्रेंस आदि कार्यक्रमों के सजीव प्रसारण सहित व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार की व्यवस्था की जाती है। इसके अतिरिक्त प्रदेश की महत्त्वपूर्ण योजनाओं/कार्यक्रमों एवं मुख्यमंत्री जी के दिल्ली के समीपस्थ कार्यक्रमों का भी वृहद स्तर पर कवरेज की समुचित एवं सुचारु व्यवस्था की जाती है। प्रातःकालीन सत्र में नई दिल्ली, लखनऊ तथा प्रादेशिक स्तर पर प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में प्रकाशित उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित ध्यानाकर्षण समाचारों की प्रेस कतरनें मा0 मुख्यमंत्री जी, स्थानिक आयुक्त तथा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को ध्यानार्थ/अवलोकनार्थ प्रेषित की जाती हैं।

लखनऊ स्थित मुख्यालय एवं सूचना परिसर से निर्गत दैनिक प्रेस विज्ञप्तियों को फैक्स/इण्टरनेट के माध्यम से दिल्ली स्थिति प्रेस प्रतिष्ठानों को सुगमता के साथ सुलभ करायी जाती है। इसके अतिरिक्त मा. मुख्यमंत्री जी के दिल्ली के भ्रमण कार्यक्रम एवं दिल्ली से सटे जनपदों में आयोजित कार्यक्रमों का भी व्यापक कवरेज कराया जाता है।

प्रदेश के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पर्यटन तथा औद्योगिक विकास से जुड़े स्थलों की कवरेज प्रेस टुअर के माध्यम से करायी जाती है। शोधार्थियों/प्रदेश की जानकारी चाहने वालों को अद्यतन वांछित उपयोगी संदर्भ सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। सूचना केन्द्र में नई दिल्ली से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं क्रय की जाती हैं। इन्हें पाठकों के पठन हेतु पूर्वाह्न 11 बजे से दोपहर 02 बजे तक सुलभ कराया जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मा0 मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों तथा विकास कार्यक्रमों के कवरेज हेतु इलेक्ट्रानिक मीडिया तथा प्रिंट मीडिया की टीमों को कार्यस्थल पर ले जाने की व्यवस्था की जाती है। साथ ही स्थल भ्रमण कराकर प्रदेश की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, औद्योगिक महत्त्व के जनपदों एवं नगरों का राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक कवरेज कार्य भी कराया जाता है।

मीडिया सेंटर

लाल बहादुर शास्त्री भवन, सचिवालय तथा लोक भवन उत्तर प्रदेश, लखनऊ के भूतल पर वातानुकूलित मीडिया सेंटर संचालित है। यह मीडिया सेंटर शासन और मीडिया के बीच समन्वय और सुविधा प्रदाता का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त विधानसभा में एक सुसज्जित प्रेस रूम और लोकभवन में प्रेस रूम स्थापित है।

मा. मुख्यमंत्री जी, मा. मंत्रीगण तथा शासन के उच्च पदाधिकारियों के महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक कार्यक्रमों की सूचना, प्रचार एवं प्रसार हेतु मीडिया को उपलब्ध कराने का कार्य मीडिया सेंटर द्वारा किया जाता है।

मीडिया सेंटरों में एक सुसज्जित प्रेस कान्फ्रेंस हाल भी है, जहां अल्प सूचना पर प्रेस कान्फ्रेंस आयोजित की जा सकती है।

मा0 मुख्यमंत्री जी के दिल्ली प्रवास पर आयोजित प्रेस कान्फ्रेंस आदि कार्यक्रमों के सजीव प्रसारण सहित व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार की व्यवस्था की जाती है। इसके अतिरिक्त प्रदेश की महत्त्वपूर्ण योजनाओं/कार्यक्रमों का भी वृहद स्तर पर कवरेज की समुचित एवं सुचारू व्यवस्था की जाती है। प्रातः कालीन सत्र में नई दिल्ली, लखनऊ तथा प्रादेशिक स्तर पर प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में प्रकाशित

उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित ध्यानाकर्षण समाचारों की प्रेस कतरनें मा0 मुख्यमंत्री जी, स्थानिक आयुक्त तथा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को ध्यानार्थ/अवलोकनार्थ प्रेषित की जाती है।

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सेल

- यह सेल जो कि माननीय मुख्यमंत्री इलेक्ट्रानिक मीडिया सेल, लोकभवन में सी-ब्लॉक के कक्ष सं0-जी-01, जी-02 व जी0-03 के ग्राउण्ड फ्लोर में स्थित है। यह सेल प्रातः 7:00 बजे से रात्रि 12:00 बजे तक कार्य करता है। यह सेल 365 दिन कार्य करता है।
- इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सेल में स्थापित सैटेलाइट द्वारा प्रसारित राष्ट्रीय न्यूज चैनल, प्रादेशिक न्यूज चैनल, क्षेत्रीय न्यूज चैनल व अंग्रेजी समाचार चैनलों की मॉनीटरिंग किया जाता है
- इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सेल में 07 पैनल (एक पैनल पर चार चैनल हैं) कुल 28 चैनलों की मॉनीटरिंग किया जाता है।
- इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सेल द्वारा चैनलों में प्रसारित आपराधिक तथा महत्त्वपूर्ण घटनाओं को सूचना विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये शासकीय दूरभाष नं0-0522-2289587 के माध्यम से सम्बन्धित जिलों के जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को दूरभाष के माध्यम से अवगत कराया जाता है जिससे सम्बन्धित अधिकारी बतायी गयी घटनाओं का संज्ञान लेकर जनहित में अविलम्ब उचित कार्यवाही करते हैं।
- इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सेल में मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा समय-समय पर की गयी प्रेस-कांफ्रेंस, कैबिनेट निर्णयों के साथ केन्द्र सरकार के मंत्रियों का प्रदेश में आगमन पर उनके दिये गये महत्त्वपूर्ण बयानों/सम्बोधन आदि का लिप्यांतरण किया जाता है।
- इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सेल द्वारा चैनलों पर प्रसारित महत्त्वपूर्ण समाचारों को ई-मेल-cmemcup@gmail.com के माध्यम से शासन व प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया जाता है।
- इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सेल में अनुश्रवित महत्त्वपूर्ण समाचारों को हार्ड कॉपी व साफ्ट कॉपी के रूप में सुरक्षित रखा जाता है।

ऑडिट सेल

ऑडिट सेल द्वारा विभाग के जनपदीय कार्यालयों के अभिलेखों का सम्परीक्षण कार्य किया जाता है। सम्परीक्षण के दौरान पायी गयी गम्भीर अनियमितताओं को निदेशक, शासन एवं वित्त एवं आन्तरिक लेखा परीक्षा निदेशालय के संज्ञान में लाकर उसे नियमित रूप से प्रेषित किया जाता है, जिसकी प्रत्येक त्रैमासिक समीक्षा वित्त एवं आन्तरिक लेखा परीक्षा निदेशालय द्वारा की जाती है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त एक वर्ष से अधिक अवधि के कालातीत भुगतानों का सम्परीक्षण कार्य तथा प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) कार्यालय द्वारा प्रतिवर्ष के विभागीय अनुदान लेखों पर उठायी गयी आपत्तियों के प्रस्तरों की अनुपालन आख्या प्रेषित की जाती है।

लेखा प्रभाग

लेखा प्रभाग द्वारा समस्त विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु आय-व्ययक के माध्यम से धन की व्यवस्था करना तथा प्रभागों के प्रस्तावों पर विभागीय कार्यों से सम्बन्धित धनराशियों एवं समाचार पत्रों

के बिल बनाकर ई-कुबेर प्रणाली के अन्तर्गत प्रत्याहरण करना। समस्त विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन बिल तथा उनके सेवाहित लाभों के बिल निर्मित कर प्रत्याहरण के साथ ही मासिक व्यय विवरण की सूचना शासन को प्रस्तुत करना तथा भविष्य निधि लेखों का रख-रखाव करके ब्याज आदि की गणना कर जमा धनराशि को अद्यतन रखना तथा लिये गये अग्रिमों आदि की वसूली करने के साथ ही समस्त कर्मियों की सेवा पुस्तकों का सेवा के अनुसार अंकन/रख-रखाव आदि कार्य आयकर एवं जी.एस.टी. सम्पादित किये जाते हैं।

कम्प्यूटर प्रकोष्ठ

- उत्तर प्रदेश सरकार के समस्त विभागों से प्राप्त निविदाओं को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना।
- विभागीय निविदाओं को ई-टेण्डरिंग की वेबसाइट पर अपलोड करने सम्बन्धी समस्त कार्य।
- मा. मुख्यमंत्री जी के समस्त कार्यक्रमों के वीडियोज को यू-ट्यूब व विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना।
- विभागीय नियमित प्रकाशन उत्तर प्रदेश मासिक, उत्तर प्रदेश संदेश, नया दौर व ई-संदेश को नियमित रूप से विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना।
- प्रतिदिन निरीक्षा शाखा से प्राप्त न्यूज़ क्लिपिंग्स को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना।
- प्रदेश के जनपदीय सूचना कार्यालय से प्रतिदिन प्राप्त होने वाली प्रेस विज्ञप्तियों, न्यूज क्लिपिंग्स आदि को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना।
- विज्ञापन सूचीबद्धता से संबंधित समस्त कार्य।
- विभाग में सूचीबद्ध नियमित व अनियमित समाचार पत्र-पत्रिकाओं का डी.ए.वी.पी. भारत सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर अपडेट करने संबंधी समस्त कार्य।
- विभाग में स्थापित कम्प्यूटरों की प्रतिदिन आने वाली शिकायतों का अनुश्रवण एवं उनका निस्तारण तथा मेन्टेनेंस।
- विभाग में स्थापित इन्टरनेट कनेक्शन (लीजलाइन) के रख-रखाव एवं अनुश्रवण संबंधी कार्य।
- विभागीय विज्ञापन पोर्टल हेतु स्थापित सर्वर का प्रतिदिन बैकअप तथा रख-रखाव संबंधी समस्त कार्य।
- समय-समय पर विभाग द्वारा सौपें जाने वाले विभिन्न महत्त्वपूर्ण कार्यों के सम्पादन संबंधी कार्य।

सोशल मिडिया

सूचना विभाग की गतिविधियों/प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने हेतु विभाग की अधिकारिक वेबसाइट विकसित की गयी है। इस वेबसाइट पर विभाग के कार्यकलापों से संबंधित निम्नलिखित सूचनाएं जनमानस के लिये प्रदर्शित की जाती हैं तथा साथ ही साथ दिन प्रतिदिन उनका अद्यतन भी सुनिश्चित किया जाता है।

- मा0 मुख्यमंत्री सोशल मीडिया हब स्थापित।
- मुख्यमंत्री कार्यालय के आधिकारिक ट्विटर व फेसबुक पेज क्रमशः CM Office, GoUP और

Chief Minister Office Uttar Pradesh पर माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों से सम्बंधित जानकारी लाइव, फोटोग्राफ व वीडियो के माध्यम से प्रसारित करना।

- कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों पर कड़ी कार्यवाही।
- सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों का खंडन करने के लिए INFO UP FACT CHECK लिस्ट हैंडल का सृजन।
- उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक ट्विटर व फेसबुक पेज क्रमशः Government of UP पर उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यक्रमों, योजनाओं व निर्णयों से सम्बंधित जानकारी फोटोग्राफ व वीडियो के माध्यम से प्रसारित करना।
- उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के आधिकारिक ट्विटर व फेसबुक पेज information and Public Relations Department, UP पर उत्तर प्रदेश सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कार्यक्रमों, योजनाओं व निर्णयों से सम्बंधित जानकारी फोटोग्राफ व वीडियो के माध्यम से प्रसारित करना।
- उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारिक यूट्यूब चैनल Government of UP पर माननीय मुख्यमंत्री जी व सरकार के कार्यक्रमों की लाइव कवरेज व वीडियो अपडेशन।
- सूचना विभाग के अधिकारिक वेबसाइट information.up.nic.in पर मा. मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम से सम्बन्धित वीडियो एवं फोटोग्राफ अपलोड करना।
- सूचना विभाग के अधिकारिक वेबसाइट information.up.nic.in का अपडेशन।
- मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा शिकायत निवारण एवं समन्वय प्रणाली आईजीआरएस पर प्रतिदिन आने वाली शिकायतों का प्रिन्ट आउट निकालना एवं उनका निस्तारण संबंधी कार्य।
- मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा समय-समय पर की गयी प्रेस कान्फ्रेंसेज तथा कैबिनेट निर्णय से संबंधित सूचनाओं को विभागीय वेबसाइट पर अपडेट करना।
- विभाग द्वारा प्रकाशित पत्रिकाएं उत्तर प्रदेश संदेश, उत्तर प्रदेश मासिक एवं नया दौर के अतिरिक्त महत्त्वपूर्ण प्रकाशन व अन्य सूचनाओं का विभागीय वेबसाइट पर नियमित रूप से अपलोड करना।
- साप्ताहिक डिजिटल पत्रिका ''ई सन्देश'' का प्रकाशन।
- राजभवन, मा0 मुख्यमंत्री सूचना परिसर, निदेशालय, सूचना ब्यूरो एवं विभिन्न जनपदों द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तियों का हिन्दी, अंग्रेजी एवं उर्दू का प्रतिदिन विभागीय वेबसाइट पर नियमित रूप से अपलोड करना।
- विभाग द्वारा प्रतिदिन जारी होने वाले वर्गीकृत एवं सजावटी विज्ञापनों का विभागीय वेबसाइट पर अपडेशन।
- प्रतिदिन हिन्दी, अंग्रेजी एवं उर्दू के समाचार पत्रों की महत्त्वपूर्ण खबरों को अपलोड किया जाता है।
- विभागों द्वारा प्राप्त निविदाओं को प्रतिदिन विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना।
- प्रदेश सरकार की महत्त्वपूर्ण सूचनाओं का सोशल मीडिया पर प्रतिदिन अपलोड करना। सोशल मीडिया के माध्यम से मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं एवं सरकारी योजनाओं आदि की जानकारी जनता तक पहुँचाना तथा जनता के विचारों, सुझावों एवं शिकायतों को भी प्राप्त करना।
- इसके अतिरिक्त शासन स्तर पर सोशल मीडिया के सभी माध्यमों पर चल रही अफवाहों/फेक

न्यूज का खंडन/स्पष्टीकरण करने हेतु सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा एक टिवीटर हैंडल www.twitter.com/InfoUPFackCheck का सृजन किया गया है। उक्त हैंडल पर ऐसी अफवाहों/फेक न्यूज को चिन्हित कर स्पष्टीकरण/खंडन जारी किया जा रहा है।

- अवगत कराना है कि मा0 मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार सोशल मीडिया पर प्रदेश में सांप्रदायिक तनाव तथा दंगा-फसाद या भ्रम की स्थिति उत्पन्न करने के उद्देश्य से चलाई जा रही अफवाहों तथा फेक न्यूज का चिन्हित कर ऐसे तत्वों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के उद्देश्य से सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत मुख्यमंत्री सोशल मीडिया हब, लोक भवन लखनऊ में फेक न्यूज मॉनिटरिंग सेंटर का गठन किया गया है।
- इस उप समिति का कार्य सोशल मीडिया चल रही अफवाहों पर सक्रियता से नजर रखना, उनका चिंहांकन कर उत्तर प्रदेश पुलिस को आवश्यक कार्रवाई करने हेतु प्रेषित करना है।
- अफवाहों/फेक न्यूज के चिंहांकन तथा त्वरित स्पष्टीकरण/खंडन की आवश्यकता तथा इस कार्य में जनता के अपेक्षित सहयोग के महत्व को देखते हुए एक ईमेल आई.डी. InfoUPFackCheck@gmail.com का भी सृजन किया गया है जिस पर नागरिक समाचारों/सूचनाओं की सत्यता को परखने के लिए ईमेल कर सकते हैं।

कुल मामले

	Twitter	Facebook	Whatsapp	Tiktok/You	Total
	1695	926	57	84/3	2,765
Blocked	151	114	01	60/0	326

- Twitter के 1,695 Facebook के 926 और Whatsapp के 57, YouTube के 03 तथा Tiktok के 84 मामलों का संज्ञान में लिया गया है।
- इन सभी 2,765 मामलों में उत्तर प्रदेश पुलिस के साइबर सेल को सूचित किया गया है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
- 89 मामलों में एफ.आई.आर. पंजीकृत कराई गई है।
- 03 मामलों में अकाउंट धारक द्वारा पोस्ट डिलीट कर माफीनामा दिया गया है।
- 92 मामलों में यू.आर.एल./लिंक/सोशल मीडिया आई.डी./पोस्ट डिलीट पाई गई है।
- 70 मामलों में विवादित आई.डी./पोस्ट डिलीट कराया गया है।
- 1,085 मामलों में आई.डी./पोस्ट डिलीट कराने हेतु रिपोर्ट भेजी गई है जो ..के स्तर पर लंबित है।
- 416 मामलों में कार्यवाही प्रचलित है।
- 26 मामलों में गिरफ्तारी हुई है।

वाहन एवं टेलीफोन व्यवस्था

प्रदेश के जिला सूचना कार्यालयों में वाहनों की बेहतर व्यवस्था कर दिये जाने के फलस्वरूप शासन की नीतियों, कार्यक्रमों एवं कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार को बल मिला है। विभाग के मुख्यालय एवं क्षेत्र प्रचार इकाई के अन्तर्गत जिला सूचना कार्यालयों की संचार व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य

से सी0यू0जी0 मोबाइल फोन एवं ब्रॉडबैण्ड की सुविधा दिये जाने के फलस्वरूप वित्तीय वर्ष में समाचारों के आदान-प्रदान तथा प्रचार-प्रसार में काफी सुगमता रही है। भविष्य में इसकी भी उपयोगिता बढ़ेगी तथा प्रचार-प्रसार के क्षेत्र में प्रभावशाली प्रगति होगी।

विभाग के सुदृढ़ीकरण हेतु कृत अन्य कार्यवाही

1. अधिकारों का प्रतिनिधायन

जिला सूचना कार्यालयों को सुदृढ़ एवं अधिकार सम्पन्न बनाकर प्रदेश सरकार के प्रचार-प्रसार को प्रभावी बनाया गया है, जिससे कार्य पर प्रभावी नियंत्रण एवं अनुश्रवण बढ़ा है। इस प्रकार जनपदीय अधिकारियों को निदेशक के कतिपय वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार के प्रति निर्धारित करके जनपदीय कार्यालयों को अधिक प्रभावी बनाने का कार्य किया गया है। विभाग में विचाराधीन सूचना का अधिकार अधिनियम से सम्बन्धित प्रकरण एवं न्यायालय में लम्बित प्रकरणों का निस्तारण विभागीय पैरवी के माध्यम से तीव्र गति से किया जा रहा है।

2. पारदर्शी व्यवस्था

विभागीय गतिविधियों/प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने हेतु विभाग की वेबसाइट **http://information.up.nic.in** विकसित की गयी है। इस वेबसाइट पर विभाग के कार्यकलापों से सम्बन्धित सूचनाएं जनमानस के लिये प्रदर्शित की गयी हैं तथा सूचनाओं को निरन्तर अद्यतन भी किया जाता है। उ.प्र. सरकार के समस्त विभागों से प्राप्त निविदाएं तथा सजावटी विज्ञापन जो विभाग द्वारा जारी किए जाते हैं, उनको भी सूचना विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है। समाचार पत्र/पत्रिकाओं से प्राप्त बीजक को एवं विज्ञापनों के भुगतान आदि की व्यवस्था को कम्प्यूटरीकृत कर पारदर्शी बनाया गया है। इसी प्रकार समस्त विभागीय क्रियाकलापों यथा- गीत एवं नाट्य के कार्यक्रमों, स्थापित होर्डिंग्स, जारी किए गये प्रेस नोट्स, समस्त विभागीय प्रकाशन तथा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत समस्त सूचनाओं को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है ताकि विभागीय समस्त गतिविधियों की जानकारी इण्टरनेट के माध्यम से जन सामान्य को आसानी से उपलब्ध हो सके।

3. इलेक्ट्रानिक मीडिया में प्रदर्शित खबरों की मानिटरिंग

मा. मुख्यमंत्री सूचना परिसर में विभिन्न चैनलों पर प्रसारित महत्त्वपूर्ण समाचारों की डी.वी.डी. रिकार्डर के माध्यम से रिकार्डिंग करायी जाती है और महत्त्वपूर्ण समाचारों की एक डी.वी.डी. लाइब्रेरी भी बनायी गयी है। इस सेटअप का निरन्तर सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। इलेक्ट्रानिक मीडिया की रिकार्डिंग और फीडबैक की उपयुक्त व्यवस्था हेतु रिकार्डिंग डेट एण्ड टाइम न्यूज डाटा कलेक्शन का कम्प्यूटरीकृत सेटअप स्थापित करके व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण किया गया है ताकि इलेक्ट्रानिक मीडिया द्वारा प्रसारित किए जा रहे समाचारों की समुचित मानिटरिंग की जा सके।

4. जनपदीय कार्यालयों का सुदृढ़ीकरण

जिला सूचना कार्यालयों के सुदृढ़ीकरण हेतु सी0यू0जी0 टेलीफोन की व्यवस्था की गयी है। प्रत्येक जनपद कार्यालय के लिए वाहन की व्यवस्था करायी गयी है तथा जिला सूचना कार्यालयों में कम्प्यूटर तथा ब्राडबैण्ड, फैक्स, फोटोस्टेट मशीन आदि की व्यवस्था भी करायी गयी है, जिससे जनपदीय कार्यालयों की दक्षता एवं समाचार प्रेषण की क्षमता में वृद्धि हुई है।

5. अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी मामलों का निस्तारण

विभाग में कर्मचारियों/अधिकारियों के सेवा एवं प्रोन्नति सम्बन्धी प्रकरणों को निस्तारित किया गया है। अधिकारियों/कर्मचारियों को कम्प्यूटर का प्रशिक्षण भी दिलाया गया है। अधिकारियों/कर्मचारियों के कम्प्यूटर प्रशिक्षण से निदेशालय की कार्यशैली में सुधार हुआ है तथा कार्यकुशलता में वृद्धि हुई है।

6. सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ (R.T.I.)

जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 3 के अन्तर्गत सामान्य नागरिकों को भी लोक निकाय से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है। उक्त अधिनियम में दिये गये निर्देशों के क्रियान्वयन करने के लिए विभाग में जन सूचना प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत सामान्य नागरिकों से प्राप्त आवेदन पत्रों से सम्बन्धित सूचना अधिनियम में निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत सम्बन्धित को सुलभ कराने एवं सूचना मांगकर्ता के अनुरोध एवं मा. आयोग के निर्देश पर सम्बन्धित को वांछित पत्रावलियों का निरीक्षण/अवलोकन सम्बन्धित प्रभागों से कराने के साथ मा. आयोग में लम्बित वादों की सुनवाई का कार्य सम्पादित किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 अप्रैल से दिसम्बर, 2019 तक प्राप्त।

कुल आवेदन - 150

कुल निस्तारण आवेदन - 40, विभागीय स्तर से मा0 सूचना आयोग द्वारा

कुल निस्तारित आवेदन - 18, दिसम्बर - 2019 तक

उत्तर प्रदेश नागरिक सुरक्षा संगठन

- नागरिक सुरक्षा का उद्भव प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी द्वारा यूनाइटेड किंगडम पर की जा रही बमबारी से नागरिकों को हो रहे नुकसान के दृष्टिगत किया गया था। तत्समय इसका नाम एयर रेड प्रिकॉशन रखा गया था।
- भारत में नागरिक सुरक्षा विभाग की स्थापना वर्ष 1962 में चीन युद्ध के बाद की गयी थी। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1968 में नागरिक सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया, जिसके बाद से अधिनियम के अंतर्गत नागरिक सुरक्षा विभाग कोर के रूप में कार्यरत है।
- आरम्भ में भारत सरकार द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों एवं महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर बाह्य आक्रमणों के दृष्टिगत नागरिक सुरक्षा नगर घोषित किये गये।
- वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 15 जनपदों में 17 नागरिक सुरक्षा ईकाइयां कार्यरत हैं। मुजफ्फरनगर एवं बागपत नागरिक सुरक्षा ईकाई घोषित की जा चुकी हैं, जिनके पदों का सृजन नहीं किया जा सका है।
- इसके अतिरिक्त एक राज्य स्तरीय केन्द्रीय नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान भी इकाई के रूप में कार्यरत है।
- नागरिक सुरक्षा विभाग की कुल 12 आकस्मिक सेवाओं में स्वयंसेवकों के कुल लक्ष्य 1,05,108 के सापेक्ष कुल भर्ती 99,041 है, जिसमें से 87,622 स्वयंसेवक नागरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षित हैं।

नागरिक सुरक्षा विभाग के मूल कार्य

- युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव का कार्य।
- युद्ध के दौरान जनता के मनोबल को बनाये रखना।
- धन और जन की क्षति को कम करना।
- महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की उत्पादकता बनाये रखना।
- नागरिक सुरक्षा कोर वाह्य आक्रमणों के दौरान राहत एवं बचाव के साथ–साथ अग्नि शमन, प्राथमिक चिकित्सा एवं फंसे लोगों को सुरक्षित स्थान पर विस्थापित करने का कार्य करती रही है।

नागरिक सुरक्षा का बदलता स्वरूप

- आज के बदलते स्वरूप के दृष्टिगत, भारत सरकार द्वारा नागरिक सुरक्षा विभाग के कार्यों को, **नागरिक सुरक्षा संशोधित अधिनियम 2009** के माध्यम से, उच्चीकृत किया गया है।

- इस संशोधन के माध्यम से भारत सरकार द्वारा नागरिक सुरक्षा विभाग को अपने मूलभूत कार्यों के अतिरिक्त आपदा प्रबंधन का महत्वपूर्ण कार्य भी सौंपा गया है। इसके अंतर्गत आपदा के पूर्व, आपदा के दौरान एवं आपदा के उपरान्त किये जाने वाले कार्य सम्मिलित हैं।

नागरिक सुरक्षा के अतिरिक्त कार्य

- नागरिक सुरक्षा विभाग के स्वयंसवकों को नागरिक सुरक्षा के विभिन्न आयामों जैसे– अग्नि शमन, खोज एवं बचाव, प्राथमिक चिकित्सा में प्रशिक्षित करके आपदाओं हेतु तैयार करना।
- विभिन्न स्कूलों, कालेजों, एन0सी0सी0, एन0एस0एस0, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, रेलवे, सशस्त्र बलों इत्यादि को प्रशिक्षण प्रदान करके जागरूक करना एवं फर्स्ट रिस्पांडर के रूप में तैयार करना।
- आपदाओं के दौरान जन एवं धन की सुरक्षा को सुनिश्चित करना।
- जिला प्रशासन द्वारा आयोजित विभिन्न जनहित कार्यों जैसे–पल्स पोलियो, स्वच्छता अभियान, प्रदूषण नियंत्रण, अग्नि विभीषिकाओं, रक्तदान शिविर आदि में अपनी सहभागिता देना।

नागरिक सुरक्षा की वर्ष 2019–20 की उपलब्धियाँ

शांतिकाल में नागरिक सुरक्षा गतिविधियों को संचालित रखने के लिये विभिन्न स्तरों पर स्वयंसेवकों की बैठकों का आयोजन करके समन्वय स्थापित करना, नागरिक सुरक्षा सेवाओं में स्वयंसेवकों की भर्ती, प्रशिक्षण तथा अभ्यास/प्रदर्शन का आयोजन करना होता है। वर्ष 2019–20 में अब तक निम्न कार्य सम्पादित किये गये :–

- केन्द्रीय नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान उ0प्र0, लखनऊ पर विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों एवं स्वयंसेवकों के अतिरिक्त प्रदेश के विभिन्न विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों एवं केन्द्रीय सरकार के उत्तर रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे, एन0ए0पी0पी0, एच0ए0एल0 तथा डीजल रेल इंजन कारखाना के कर्मचारियों को तथा राज्य सरकार के उ0प्र0 राज्य सड़क परिवाहन निगम के कर्मचारियों को नागरिक सुरक्षा उपायों में प्रशिक्षित किया गया। आलोच्य वर्ष में कुल 33 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सत्र आयोजित करके 493 पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।
- आलोच्य वर्ष में नागरिक सुरक्षा की विभिन्न सेवाओं में वार्डेन सेवा, अग्निमशन सेवा एवं प्राथमिक चिकित्सा सेवा में 3906 स्वयंसेवकों की भर्ती की गई तथा 2575 स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया गया।
- विभिन्न स्कूल/कालेजों एवं अन्य शैक्षिक संस्थानों में पढ़ने वाले 8669 छात्र/छात्राओं को नागरिक सुरक्षा का सामान्य प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
- आलोच्य वर्ष में 3842 एन0सी0सी0 कैडेटों एवं होमगार्ड्स के 3707 स्वयंसेवकों को नागरिक सुरक्षा विधाओं में प्रशिक्षित किया गया।

- आलोच्य वर्ष के अन्तर्गत विभिन्न औद्योगिक संस्थानों में नागरिक सुरक्षा का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करके 482 कर्मचारियों को तथा 4690 नागरिकों को आपदा प्रबन्धन पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित किया गया।
- नागरिक सुरक्षा नगरों में विभिन्न स्तर पर 9201 बैठकों का आयोजन करके नागरिक सुरक्षा गतिविधियों से भिज्ञ कराया गया तथा 725 हवाई हमले के क्रियात्मक अभ्यास/प्रदर्शन आयोजित किये गये।
- आलोच्य वर्ष में विभिन्न स्तरों पर भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें 8499 व्यक्तियों को भी नागरिक सुरक्षा का सामान्य प्रशिक्षण प्रदान किया गया ।
- स्वतंत्रता दिवस, 2019 के अवसर पर श्री इरफानुल होदा सहायक उपनियंत्रक, नागरिक सुरक्षा, लखनऊ एवं श्री संदीप कुमार पोस्ट वार्डेन वाराणसी को सराहनीय सेवाओं हेतु ''गृह रक्षक एवं नागरिक सुरक्षा पदक'' से सम्मानित किया गया। गणतंत्र दिवस 2020 के अवसर पर श्री रमेश सिंह चौहान, लीडिंग फायरमैन, केन्द्रीय नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ को सराहनीय सेवाओं हेतु ''गृह रक्षक एवं नागरिक सुरक्षा पदक'' से सम्मानित किया गया।
- नागरिक सुरक्षा दिवस–2019 के अवसर पर महानिदेशक का डिस्क एवं प्रशंसा प्रमाण–पत्र निम्न को प्रदान किये गये–:

1. श्री अमित कपूर, व्यैक्तिक सहायक, निदेशक नागरिक सुरक्षा
2. श्री रोहित मल्होत्रा, डिप्टी चीफ वार्डेन, कानपुर
3. श्री सुरेन्द्र कुमार बाजपेई, डिप्टी डिवीजनल वार्डेन, कानपुर

- स्वतंत्रता दिवस, 2019 के अवसर पर निम्न को **"उत्तर प्रदेश शासन प्रशस्ति पत्र"** से सम्मानित किया गया–:

1. श्री कुमार आदर्श आनंद, घटना नियंत्रण अधिकारी, गोरखपुर,
2. श्री ब्रजभूषण शर्मा, स्टाफ आफिसर, आगरा,
3. श्री ललित जायसवाल, चीफ वार्डेन, गाजियाबाद,
4. श्री रोहित मल्होत्रा, डिप्टी चीफ वार्डेन, कानपुर,
5. श्री अजय कुमार भटनागर, स्टाफ आफिसर टू डिवीजनल वार्डेन, मेरठ,
6. श्री प्रमोद कुमार पंत, पोस्ट वार्डेन, बरेली,
7. श्री संजय कुमार राय, डिप्टी डिवीजनल वार्डेन, वाराणसी,
8. डॉ0 जगजीवन राठौर, घटना नियंत्रण अधिकारी, सहारनपुर

अन्य सामाजिक व जन कल्याणकारी कार्य

i. नागरिक सुरक्षा के वैतनिक/अवैतनिक पदाधिकारियों ने विभिन्न अवसरों पर आयोजित होने वाले स्थानीय पर्व एवं त्योहारों/जयंतियों पर शान्ति व्यवस्था, राष्ट्रीय एकता एवं सौहार्द तथा साम्प्रदायिक सद्भाव बनाये रखने हेतु जिला प्रशासन को सक्रिय सहयोग दिया।

ii. महाशिवरात्रि, बुढ़वा मंगल, बड़ा मंगल, मकर संक्रान्ति, होली एवं ईद के अवसर पर वार्डेनों द्वारा शांति व्यवस्था में जिला प्रशासन/पुलिस को सहयोग प्रदान किया गया।

iii. लोकसभा निर्वाचन 2019 में अधिक मतदान करने हेतु जागरूकता अभियान चलाया गया। मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। डोर टू डोर जाकर लोक सभा सामान्य निर्वाचन में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने हेतु अधिक से अधिक मतदान कराये जाने हेतु जन–मानस को जागरूक किया गया। मतदान शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने में जिला प्रशासन को वार्डेनों/स्वयंसेवको द्वारा सहयोग प्रदान किया गया।

iv. लोकसभा चुनाव 2019 में नागरिक सुरक्षा जनपदों में तैनात वार्डेनो/स्वयंसेवकों द्वारा 16454 दिव्यांग मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक पहुँचाया गया।

v. श्रावण मास में कॉवडियों के सकुशल आवागमन हेतु विभिन्न चौराहों/कावड़ मार्गों पर नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की ड्यिूटी लगाकर यातायात नियंत्रण और शान्ति व्यवस्था में ड्यिूटी लगायी गयी।

vi. प्रयागराज में दि0 21–06–2019 को मा0 उप मुख्यमंत्री की उपस्थिति में अर्न्तराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग कार्यक्रम में वार्डेन/स्वयंसेवको एवं वैतनिक स्टाफ के योगासन किया गया, साथ ही कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रशासन को सहयोग किया गया। उक्त के अतिरिक्त नागरिक सुरक्षा जनपदों में योग दिवस के अवसर पर योग कार्यक्रम आयोजित किये गये।

vii. दि0 12–08–2019 को ईदुज्जुहा(बकरीद) के अवसर पर नगरों के प्रमुख मस्जिदों एवं ईदगाहों में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु वार्डेनो/स्वयंसेवको द्वारा जिला प्रशासन को सहयोग प्रदान किया गया।

viii. दि0 23–08–2019 को जन्माष्टमी के अवसर पर नागरिक सुरक्षा जनपदों में विभिन्न स्थानों पर शान्ति व्यवस्था बनाये रखने में वार्डेनो/स्वयंसेवको द्वारा जिला प्रशासन को सहयोग प्रदान किया गया।

ix. दिनांक 06–09–2019 को केन्द्रीय नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ में वृक्षारोपण कार्यक्रम मा0 मंत्री जी, नागरिक सुरक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में आयोजित कर उक्त परिसर में 111 वृक्ष लगाये गये। उक्त वृक्षारोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों में भी वृक्षारोपण किया गया।

x. दुर्गापूजा/दशहरा एवं दीपावली के अवसर पर शान्ति व्यवस्था बनाये रखने में वार्डेन पुलिस व जिला प्रशासन को सहयोग प्रदान किया गया।

xi. कार्तिक पूर्णिमा स्नान विभिन्न घाटों पर शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु स्वयंसेवको द्वारा ड्यिूटी देकर जिला प्रशासन को सहयोग प्रदान किया गया।

xii. दिनांक 06 दिसम्बर 2019 को नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस पर गोष्ठी का आयोजन कर नागरिक सुरक्षा संगठन का प्रचार–प्रसार किया गया। इस अवसर पर "प्लास्टिक हटाओ–पर्यावरण बचाओ" रैली का आयोजन किया गया।

xiii. नागरिक संशोधन कानून के विरूद्ध किये गये धरना प्रदर्शनों में शांति व्यवस्था बनाये रखने में वार्डेन/स्वयंसेवकों द्वारा पुलिस/प्रशासन को सहयोग प्रदान किया गया।

xiv. दिनांक 25–01–2020 को मतदाता जागरूकता दिवस के अवसर पर रैली का आयोजन किया गया तथा वैतनिक एवं अवैतनिक पदाधिकारियों को मतदान करने की शपथ दिलायी गयी।

xv. 26 जनवरी गणतन्त्र दिवस के अवसर पर आयोजित परेड में वार्डेनों/स्वयंसेवको द्वारा भाग लिया गया।

xvi. महाशिवरात्रि के अवसर पर कावड़ मेला व महत्वपूर्ण मंदिरों पर शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु वार्डेन/स्वयंसेवकों द्वारा पुलिस/प्रशासन को सहयोग प्रदान किया गया।

xvii. कोरोना वायरस (कोविड–19) के अन्तर्गत लॉकडाउन में नागरिक सुरक्षा जनपदों के 7140 वार्डेनों/स्वयंसेवको द्वारा लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग रखने तथा अन्य बचाव कार्यो हेतु ड्यिूटी लगायी गयी। समस्त स्वयंसेवकों द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण के संबंध में व्यापक प्रचार–प्रसार कर अपने–अपने क्षेत्र में सतर्कता बरतते हुए सामाजिक दूरी बनाये रखने के लिये जन–सामान्य को जागरूक किया गया। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के कारण बेसहारा एवं निर्धन परिवारों को नगर की स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा तैयार भोजन के पैकेट्स, राशन दुग्ध तथा दवा वितरण कराया गया। अपने–अपने क्षेत्र के विभिन्न चौराहों पर नागरिक सुरक्षा संगठन द्वारा कोरोना महामारी की रोकथाम हेतु लॉकडाउन का पालन कराया गया।

●

धर्मार्थ कार्य

इतिहास

धर्मार्थ कार्य विभाग उत्तर प्रदेश में धार्मिक संस्थाओं तथा मन्दिरों की व्यवस्था आदि से सम्बन्धित कार्यों के निष्पादन हेतु दिनांक 19 दिसम्बर, 1985 को सृजित किया गया है। धर्मार्थ कार्य विभाग द्वारा हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं की सम्पत्तियों के अपव्यय को रोकने और हस्तानान्तरण को विनियमित करने हेतु उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था सम्पत्ति अपव्यय निवारण अधिनियम-1962 पुनः अधिनियमित 1976, तथा उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मंदिर अधिनियम- 1983 के अन्तर्गत प्रशासनिक व्यवस्था एवं धार्मिक संस्थाओं मंदिरों की व्यवस्था का कार्य प्रमुख रूप से किया जाता है। धर्मार्थ कार्य विभाग की योजनाओं हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के साथ अनुदान संख्या-84 के अन्तर्गत प्रावधान किया जाता है।

- **श्री काशी विश्वनाथ मंदिर विस्तारीकरण/सौन्दर्यीकरण परियोजना**

इस योजना के द्वितीय चरण में मुख्य मंदिर परिसर सहित कुल 24 भवनों का निर्माण किया जाना है, जिसमें वर्तमान में मंदिर परिसर, मंदिर चौक, आध्यात्मिक पुस्तक केन्द्र, यात्री सुविधा केन्द्र-2, यात्री सुविधा केन्द्र-3, जलपान केन्द्र, पर्यटक सुविधा केन्द्र एवं गेस्ट हाउस, सिटी म्यूजियम, टायलेट ब्लाक, मुमुक्षु भवन, भोगशाला, दुकान संख्या-3, नीलकंठ पेवेलियन, यात्री सुविधा केन्द्र-1, दुकान संख्या-1, वाराणसी गैलरी कुल 17 भवनों में कार्य प्रगति पर है। कोविड-19 एवं लॉकडाउन के कारण माह अप्रैल से जून, 2020 में वांछित प्रगति प्राप्त नहीं हुई है, जिसे आगामी महीनों में बढ़ाते हुए निर्धारित लक्षित तिथि तक कार्य पूर्ण कराया जायेगा। माह नवम्बर, 2020 का भौतिक लक्ष्य 28 प्रतिशत था, जिसके सापेक्ष 28 प्रतिशत की पूर्ति की गई। इसी प्रकार परियोजना हेतु कुल अवमुक्त धनराशि रुपये 127.50 करोड़ के सापेक्ष कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग द्वारा माह अगस्त तक 45 करोड़ रुपये व्यय किये गये हैं।

- **जनपद गाजियाबाद में प्रस्तावित कैलाश मानसरोवर भवन का निर्माण**

अपर परियोजना प्रबन्धक द्वारा उपलब्ध करायी गयी रिपोर्ट के अनुसार इस भवन की पुनरीक्षित लागत 68.46 करोड़ रुपये अवमुक्त किया जा चुका है। माह अगस्त तक भौतिक लक्ष्य 100 प्रतिशत के सापेक्ष 100 प्रतिशत कार्य पूर्ति की गयी है। भवन निर्माण का समस्त कार्य पूर्ण हो चुका है। कैलाश मानसरोवर भवन का लोकार्पण मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 12.12.2020 को किया जा चुका है।

• वैदिक विज्ञान केन्द्र का निर्माण

वैदिक विज्ञान केन्द्र का निर्माण काशी हिंदू विश्वविद्यालय में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है। परियोजना के प्रथम चरण की पुनरीक्षित लागत 1129.21 लाख है, जिसके सापेक्ष कार्यपालक अभियन्ता द्वारा दिनांक-04.08.2020 को उपलब्ध कराई गई रिपोर्ट के अनुसार 1020.69 लाख रुपये व्यय किये गये हैं। परियोजना का प्रथम चरण 100 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। परियोजना का द्वितीय चरण 05.12.2020 से प्रारम्भ होना प्रस्तावित है परियोजना के द्वितीय चरण की पुनरीक्षित लागत 934.46 लाख रुपये है। वर्तमान में संरचनात्मक ड्राइंग को तैयार करने का काम चल रहा है।

• जनपद अयोध्या में भजन संध्या स्थल का निर्माण कार्य

इस परियोजना की पुनरीक्षित लागत 1902.46 लाख रुपये है, जिसके सापेक्ष अपर परियोजना प्रबंधक द्वारा दिनांक-18.08.2020 को उपलब्ध कराई गई रिपोर्ट के अनुसार कुल व्यय 1871.37 लाख रुपये हुआ है। परियोजना की भौतिक प्रगति 100 प्रतिशत है तथा इस परियोजना का लोकार्पण दिनांक-26.10.2019 को माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश द्वारा किया जा चुका है तथा भवन हस्तान्तरण हेतु इन्वेंट्री क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, अयोध्या मण्डल को दिनांक - 28.07.2020 को प्रेषित की जा चुकी है।

• जनपद चित्रकूट में भजन संध्या स्थल का निर्माण एवं परिक्रमा स्थल का विकास

जनपद चित्रकूट में भजन संध्या स्थल का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश द्वारा दिनांक- 13.09.2019 को भजन संध्या स्थल का लोकार्पण किया जा चुका है।

●

भारत सरकार के संस्थान, संगठन एवं कार्यालय

एडवरटाइजिंग एण्ड विजुअल पब्लिसिटी	-	महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ
एयर फोर्स	-	महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ
आल इण्डिया रेडियो	-	विधान सभा मार्ग, लखनऊ
आर्कियोलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया	-	बाइली ग्रार्डन काटेज, लखनऊ
आर्मी सेन्ट्रल कमान्ड	-	महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ
आयुर्वेदिक रिसर्च सेन्टर	-	सीतापुर रोड, लखनऊ
भारत पेट्रोलियम कारर्पोरेशन	-	94, महात्मा गांधी, मार्ग, लखनऊ
सेन्सस प्रोसीजर	-	52, वजीर हसन रोड, लखनऊ
सेन्ट्रल एडमिनिस्ट्रेशन एण्ड ज्यूडीसरी	-	राना प्रताप मार्ग, लखनऊ
सेन्ट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टीगेशन	-	नवल किशोर रोड, लखनऊ
सेन्ट्रल ड्रग रिसर्च इन्स्टीट्यूट	-	छतर मंजिल, लखनऊ
सेन्ट्रल हेल्थ एण्ड प्लानिंग	-	9, राना प्रताप मार्ग, लखनऊ
सेन्ट्रल न्यूज एण्ड ब्रोडकास्टिंग डिपार्ट.	-	एम0 जी0 मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ
सेन्ट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स	-	गोमती नगर, लखनऊ
चीफ पोस्ट मास्टर जनरल	-	हजरतगंज, लखनऊ
सिटी एण्ड विलेज प्लानिंग	-	7, बन्दरिया बाग, लखनऊ
सिविल एविएशन	-	अमौसी, लखनऊ
दूरदर्शन केन्द्र	-	24, अशोक मार्ग, लखनऊ
जियोलोजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया	-	(नार्थ इण्डिया) सेक्टर- डी, अलीगंज, लखनऊ
ग्राउण्ड रोजवेज	-	बी- 74, सेक्टर- सी, महानगर लखनऊ
हेल्थ एण्ड फैमिली वेलफेयर	-	महानगर, लखनऊ
हिन्दुस्तान ऐरोनाटिक्स लिमिटेड (एच. ए. एल.)	-	फैजाबाद रोड, लखनऊ
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारर्पोरेशन	-	4, शाहनजफ रोड, लखनऊ
आईबीपी कारर्पोरेशन लिमिटेड	-	विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ
इनकम टैक्स डिपार्टमेण्ट	-	अशोक मार्ग, लखनऊ
इंडियन आयल कारर्पोरेशन लिमिटेड	-	कपूरथला काम्पलैक्स, अलीगंज, लखनऊ
इनफार्मेशन एण्ड ब्राडकास्टिंग सेन्ट्रल	-	महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ
इंडियन स्टेण्डर्ड ब्यूरो	-	नवल किशोर रोड, लखनऊ
खादी ग्रामोद्योग कमीशन	-	कैसरबाग, लखनऊ
नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट	-	राना प्रताप मार्ग, लखनऊ
नेशनल कैडेट कार्प्स (एन.सी.सी.)	-	अशोक मार्ग, लखनऊ
नार्थ ईस्टर्न रेलवे	-	अशोक मार्ग, लखनऊ
नार्दन रेलवे	-	चारबाग, लखनऊ
रोड ट्रांसर्पोट एथोरिटी	-	महानगर, लखनऊ
शुगरकेन रिसर्च सेन्टर	-	रायबरेली रोड, लखनऊ
टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेन्ट	-	13 ए, माल ऐवन्यू, लखनऊ
जी. एम. टेलीकाम	-	हजरतगंज, लखनऊ
जी. एम. (लखनऊ टेलीकाम)	-	गांधी भवन, एम. जी. मार्ग, लखनऊ
डायरेक्टर टेलीकाम सेन्टर	-	हजरतगंज, लखनऊ
टेलीग्राफ स्टोर डिर्पोटमेन्ट	-	तालकटोरा रोड, लखनऊ
जी. एम. प्रोजेक्टस (नार्थ)	-	ए-2, सेक्टर बी, अलीगंज, लखनऊ
टूरिज्म डिपार्टमेन्ट	-	सेक्टर सी, अलीगंज, लखनऊ
वेदर	-	अमौसी, लखनऊ

उत्तर प्रदेश के जनपद : एक नज़र में

1. आगरा

- क्षेत्रफल (2011) — 4041 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 4418797
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 2053844
- पुरुष (जनसंख्या) — 2364953
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 22.1 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 868-1000
- जनसंख्या घनत्व — 1098 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 71.6 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 05 (शमसाबाद, एत्मादपुर, अछनेरा, फतेहपुर सीकरी, बाह)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 06 (आगरा, एत्मादपुर, खेरगढ़, किरावली, फतेहाबाद, बाह)
- विकास खण्डों की संख्या — 15 (फतेहपुर सीकरी, अछनेरा, अकोला, बिचपुरी, बरौली अहीर खंदौली, एत्मादपुर, जगनेर, खेरागढ़, सैंया, शमसादबाद, फतेहाबाद, पिनाहट, बाह, जैतपुरकलाँ)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 894
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — ताजमहल, लाल किला, सिकन्दरा, फतेहपुर सीकरी, एत्माद्दौला, बटेश्वर, मनकामेश्वर, कैलाश, मजार शहीदे सालिस
- हस्तशिल्प — जूता एवं लोहा, पेठा, दालमोठ, कालीन, खेल का सामान

2. अलीगढ़

- क्षेत्रफल — 3650 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 3673889
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1721893
- पुरुष (जनसंख्या) — 1951996
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 22.78 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 882-1000
- जनसंख्या घनत्व — 1007 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 67.5 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 02 (खैर, अतरौली)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 05 (इगलास, कोयल, अतरौली, खैर, गभाना)
- विकासखण्डों की संख्या — 13 (अतरौली, गंगोरी, विजौली, खैर, चन्दौस टम्पल, गोण्डा,

लोधा, जवां, धनीपुर, अकबराबाद, इगलास, गभाना)

- आबाद ग्रामों की संख्या 1170
- प्रमुख उद्योग हल्की मशीनरी, ताला

3. एटा

- क्षेत्रफल 2431 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) 1774480
- महिलाएँ (जनसंख्या) 827141
- पुरुष (जनसंख्या) 947339
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 15.8 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात 873-1000
- जनसंख्या घनत्व 723 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता 70.7 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या 04 (एटा, अलीगंज, जलेसर, मारहरा)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम 03 (एटा, अलीगंज, जलेसर)
- विकासखण्डों की संख्या 08 (शीतलपुर, सकीट, जैथरा, अलीगंज, निधौली कलां, अवागढ़, जलेसर, मारहरा)
- आबाद ग्रामों की संख्या 853
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल (पटना पक्षी विहार, जलेसर, अतरंजी खेड़ा, मारहरा)
- हस्तशिल्प खादी वस्त्र, घुंघरू-घंटी, कांचमूँगा मोती, मूँज-बान
- प्रमुख औद्योगिक इकाइयाँ लिप्टन इंडिया लि., न्यूट्रेशिया, न्योली शुगर फैक्ट्री, स्टैंडर्ड हैण्डलूम टेक्सटाइल्स, पीतल-घुंघरू-घंटी उद्योग, आयरन उद्योग

4. फिरोजाबाद

- क्षेत्रफल 2407 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) 2498156
- महिलाएँ (जनसंख्या) 1166110
- पुरुष (जनसंख्या) 1332046
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 19.94 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात 867-1000
- जनसंख्या घनत्व 1038 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता 71.9 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या 03 (टूण्डला, शिकोहाबाद, सिरसागंज)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम 04 (फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, जसराना, टूण्डला)
- विकासखण्डों की संख्या 09 (ओरांव, एका, फिरोजाबाद, हाथवंत, मदनपुर, नारखी, शिकोहाबाद, जसराना, टूण्डला)
- आबाद ग्रामों की संख्या 791
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल पाढ़म रपड़ी, शाही-मस्जिद, सांती, फिरोजशाह का मकबरा, दिगम्बर जैन मंदिर, गोपाल आश्रम, महावृक्ष अजान, सूफी शाह का मकबरा
- हस्तशिल्प काँच एवं पाटरी

5. मैनपुरी

- क्षेत्रफल — 2760 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 1868529
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 875152
- पुरुष (जनसंख्या) — 993377
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 17.0 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 881-1000
- जनसंख्या घनत्व — 677 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 76.0 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 01 (मैनपुरी)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 03 (मैनपुरी, भोगांव, करहल)
- विकासखण्डों की संख्या — 09 (मैनपुरी, घिरोर, कुरावली, बेवर, किशनी, एलाऊ, सुल्तानगंज बरनाहल, करहल)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 820
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — समान पक्षी विहार, समान कटरा पर्यटन स्थल, महाराजा तेज सिंह का किला, महाकवि देव स्मारक, कुसमरा व अस्यौली का किला, माँ शीतला देवी मंदिर, च्यवन ऋषि आश्रम, मारकण्डेय ऋषि आश्रम, कपिल मुनि आश्रम, बेवर भीमसेन मंदिर, देव स्मारक
- औद्योगिक इकाइयाँ — 7519

6. मथुरा

- क्षेत्रफल — 3340 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 2547184
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1180059
- पुरुष (जनसंख्या) — 1367125
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 22.8 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 863-1000
- जनसंख्या घनत्व — 763 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 70.04 प्रतिशत
- नगर निगम — 01(मथुरा-वृन्दावन)
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 01 (कोसीकलां)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 04 (मथुरा, मॉठ, छाता, महावन)
- विकासखण्डों की संख्या — 10 (मथुरा, फरह, गोवर्धन, नंदगाँव, छाता, चौमुहा, राया, माट, नौहझील, वल्देव)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 730
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — (वृंदावन, राधाकुंड, बरसाना, नंदगाँव, गोवर्धन, गोकुल, महावन, वल्देव)
- हस्तशिल्प — गिलट के आभूषण, कंठीमाला, पोशाक
- प्रमुख उद्योग — साड़ी छपाई, ब्रास टेप्स एण्ड पोक्स, मिल्क पाउडर, गिलट के आभूषण, विटामिन आधारित उद्योग, सूती सिन्थेटिक धागा

7. आजमगढ़

- क्षेत्रफल — 4054 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 4613913
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 2328909
- पुरुष (जनसंख्या) — 2285004
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 17.17 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 1019-1000
- जनसंख्या घनत्व — 1138 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 70.9 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 02 (आजमगढ़, मुबारकपुर)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 07 (आजमगढ़ सदर, सगड़ी, लालगंज, फूलपुर, मेहनगर, बूढ़नपुर, निजामाबाद)
- विकासखण्डों की संख्या — 22 (अतरौलिया, कोयलसा, हरैया, अहिरौला, फूलपुर, पवई, अजमतगढ़, तहबरपुर, सठियाँव, महाराजगंज, लालगंज, मार्टिनगंज, रानी की सराय, पल्हनी, ठेकमा, बिलरियागंज, मेंहनगर, मिर्जापुर, जहानागंज, तरवां, पल्हना, मुहम्मदपुर)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 3800
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — दुर्वासा आश्रम, देवल आश्रम, चन्द्रमा आश्रम, दतात्रेय आश्रम, पौहारी बाबा, आवंक, पल्हना देवी, बाराहमूर्ति, कोठिया आश्रम, हथियादह, कम्पनीबाग, उद्यान, महामंडलेश्वर
- हस्तशिल्प — काली मिट्टी के बर्तन, बनारसी रेशमी साड़ी
- प्रमुख उद्योग — चीनी, रोलिंग, खाद्य तेल, बर्फ, रेशमी साड़ी, काली मिट्टी के बर्तन चावल मिल, जनरल इंजीनियरिंग आदि

8. बलिया

- क्षेत्रफल — 2981 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 3239774
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1566872
- पुरुष (जनसंख्या) — 1672902
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 17.3 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 937-1000
- जनसंख्या घनत्व — 1087 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 70.9 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 02 (बलिया, रसड़ा)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 06 (बलिया, सिकन्दरपुर, रसड़ा, बेल्थरा रोड, बांसडीह, बैरिया)
- विकासखण्डों की संख्या — 18 (रसड़ा, नगरा, सीयर, चिलहर, गड़वार, सोहांव, हनुमानगंज, दुबहड़, बेलहरी, भीमपुरा नं.1, बैरिया, मुरलीछपरा, बांसडीह, बेरुआरबारी, रेवती, मनियर, पन्दह, नवानगर)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 1839
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — खैराडीह, लखनेश्वरडीह, सुरहाताल, वृत्तिकूट आश्रम, भृगु आश्रम, देवीकुली धाम, परासर मुनि आश्रम, शहीद स्मारक, बसन्तप,

बालेश्वर शिव मंदिर, असेगानाथ, ब्रह्माइन देवी मंदिर, श्रीनाथ बाबा का मठ, मखदूमइकतुद्दीन आलम की मजार, वृत्तकूट आश्रम पकड़ी, जयप्रकाश नगर, शहीद भवानी, सोनाडीह भवानी, कापिलेश्वरी, जंगली बाबा का मन्दिर, बालकदास बाबा की कुटी, सुदिष्ट बाबा का मन्दिर, डूहा बिहर (मौन बाबा), शहीद पार्क चौक, वैरिया शहीद स्मारक, सुरनापुर शहीद स्थल, शहीद मंगल पाण्डेय

- हस्तशिल्प — टिकुली, सिन्दौरा, हथकरघा, मिट्टी के बर्तन, डलिया, खाची मौनी
- औद्योगिक इकाइयाँ — 28

9. मऊ

- क्षेत्रफल — 1713 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 2205968
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1091259
- पुरुष (जनसंख्या) — 1114709
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 18.8 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 979-1000
- जनसंख्या घनत्व — 1285 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 73.1 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 01 (मऊ)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 04 (मऊ, घोसी, मोहम्मदाबाद-गोहना, मधुबन)
- विकासखण्डों की संख्या — 10 (परदहा, कोपागंज, घोसी, दोहरीघाट, बड़रांव, फतेहपुर, मण्डाव, रतनपुरा, मोहम्मदाबाद गोहना, रानीपुर)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 1496
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — वन देवी, बेलवरी घाटी, मीर बाबा धाम

10. प्रयागराज

- क्षेत्रफल — 5482 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 5954391
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 2822584
- पुरुष (जनसंख्या) — 3131807
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 20.71 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 901-1000
- जनसंख्या घनत्व — 1086 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 72.3 प्रतिशत
- नगर निगम की संख्या — 01
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 08 (प्रयागराज सदर, फूलपुर, करछना, बारा, मेजा, कोरांव, सोरांव, हण्डिया)
- विकासखण्डों की संख्या — 21 (हण्डिया, धनूपुर, प्रतापपुर, सैदाबाद, बहादुरपुर, बहरिया, फूलपुर, होलागढ़, बरांव, कौढ़िहार, मऊआइमा, सोरांव, चाका, करछना, कौंधियारा, जसरा, शंकरगढ़, कोरांव, माण्डा, मेजा, उरवा)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 2809

- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — स्वराज भवन, जवाहर प्लेनिटोरियम, भारद्वाज आश्रम, संगम, पातालपुरी मन्दिर, प्रयागराज किला, अशोक स्तम्भ, अक्षयवट, रानीमहल, शिवकुटी, आल सेन्ट्रल कैथेड्रल, प्रयागराज संग्रहालय, प्रयागराज विश्वविद्यालय, खुसरोबाग, मिन्टो पार्क, सरस्वती घाट, नेहरू पार्क, शृंगवेरपुरधाम, प्रतिष्ठानपुरी, लक्ष्यागृह, गढ़वा का किला, मनकामेश्वर मंदिर, सरस्वती कूप, अलोपीदेवी, मंदिर, बेणी माधव मंदिर, नागबासुकी मंदिर, हनुमान मंदिर, शंकर विमान मण्डपम, दुर्वासा ऋषि आश्रम आदि
- प्रमुख उद्योग — राइस मिल, दाल मिल, इलेक्ट्रानिक्स

11. फतेहपुर

- क्षेत्रफल — 4152 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 2632733
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1248011
- पुरुष (जनसंख्या) — 1384722
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 14.05 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 901-1000
- जनसंख्या घनत्व — 634 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 67.4 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 02 (फतेहपुर, बिन्दकी)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 03 (फतेहपुर, बिन्दकी, खागा)
- विकास खण्डों की संख्या — 13 (भिटौरा, तेलियानी, हसवा, असोथर, बहुआ, मलवाँ, अमौली, खजुहा, देवमई, ऐराया, हथगाम, धाता, बिजईपुर)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 1352
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — भिटौरा, असनी, शिवराजपुर, बावनइमली
- प्रमुख उद्योग — स्टील, घागा, चमड़ा आदि।
- हस्तशिल्प — लकड़ी एवं मिट्टी के खिलौने

12. प्रतापगढ़

- क्षेत्रफल — 3717 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 3209141
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1603056
- पुरुष (जनसंख्या) — 1606085
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 17.3 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 998-1000
- जनसंख्या घनत्व — 862 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 70.1 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 01 (बेल्हा)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 05 (सदर, पट्टी, रानीगंज, कुण्डा, लालगंज)
- विकासखण्डों की संख्या — 19 (प्रतापगढ़ सदर, मान्धाता, संडा चद्रिका, लालगंज, लक्ष्मणपुर सांगीपुर, पट्टी, आसपुर देवसरा, मगरौरा, शिवगढ़, गौरा, कुण्डा, कालाकांकर, बिहार, बाबागंज, रामपुरसंग्रामगढ़, बेलखरनाथ, डेरवा, मंगापुर उदयपुर)

- आबाद ग्रामों की संख्या — 2183
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — हण्डौर, पंडवासी, अजगरा, महदहा, बारडीह, नमक सायर, कहला, रूरे, सराय नाहरराय, कालाकाँकर, बाबा घुइसरनाथ, चन्द्रिका देवी, शनिदेश, चौहर्जन देवी, बाबा बेलखरनाथ, बेल्हा देवी, ज्वालादेवी, भयहरननाथ, हैदेश्वरनाथ, अम्बेडकर पक्षी विहार।
- निजी एवं सार्वजनिक औद्योगिक इकाइयाँ — ओम अचार मुरब्बा उद्योग, प्रताप फल संरक्षण एवं मुरब्बा उद्योग, मंजू मुरब्बा उद्योग, कमला ट्रान्सफार्मर, वेस्को रबर इंडस्ट्रीज, अभय ग्रामोद्योग, सरकार फूड प्रोडक्ट्स, परमिल्स फार्मास्युटिकल्स, खण्डेलवाल रबर प्रोडक्ट्स, ममता फूड प्रोडक्ट्स, शिवम फूड प्रोडक्ट्स, खण्डेलवाल फूड प्रोडक्ट्स

13. कानपुर नगर

- क्षेत्रफल — 3155 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 4581268
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 2121462
- पुरुष (जनसंख्या) — 2459806
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 9.9 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 862-1000
- जनसंख्या घनत्व — 1452 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 79.7 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 02 (घाटमपुर, बिल्हौर)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 03 (सदर, बिल्हौर, घाटमपुर)
- विकासखण्डों की संख्या — 10 (बिधनू, सरसौल, कल्याणपुर, पतारा, घाटमपुर, भीतरगाँव, चौबेपुर, शिवराजपुर, बिल्हौर, ककवन)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 902
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — जाजमऊ, बिठूर, मनकपुर
- प्रमुख उद्योग — चमड़ा, कालीन, सूती, रक्षा सामग्री, मशीनरी, होजरी, वस्त्र, आभूषण

14. कानपुर देहात

- क्षेत्रफल — 3021 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 1796184
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 832929
- पुरुष (जनसंख्या) — 963255
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 14.9 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 865-1000
- जनसंख्या घनत्व — 595 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 75.8 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 02 (झींझक, पुखरायां)

- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 05 (अकबरपुर, भोगनीपुर, सिकन्दरा, डेरापुर, रसूलाबाद)
- विकासखण्डों की संख्या — 10 (अकबरपुर, सरवनखेड़ा, मैथा, डेरापुर, झींझक, सन्दलपुर राजपुर, अमरौधा, मलासा, रसूलाबाद)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 866
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — शुक्ल तालाब, बानेश्वर महादेव, वन चेतना केन्द्र, औनहां
- हस्तशिल्प — हाथ के पंखे, टोकरी, दरी, कंबल आदि
- प्रमुख उद्योग — साबुन, पेन्ट, वनस्पति घी, चमड़ा, मशीनरी आदि

15. इटावा

- क्षेत्रफल — 2311 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 1581810
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 735954
- पुरुष (जनसंख्या) — 845856
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 18.1 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 870-1000
- जनसंख्या घनत्व — 638 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 78.4 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 03 (भरथना, जसवन्तनगर, इटावा)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 05 (जसवन्तनगर, सैफई, इटावा, भरथना, चकरनगर)
- विकासखण्डों की संख्या — 08 (जसवन्तनगर, बदपुरा, बसरेहर, ताखा, महेवा, सैफई, भरथाना, चकनगर)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 686
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — भरेह, पचनदा, मूँज, आसई, चकरनगर, टिक्सी मंदिर, कालीवान, पिलुआ
- हस्तशिल्प — हथकरघा, दरी

16. फर्रुखाबाद

- क्षेत्रफल — 2181 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 1885204
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 878964
- पुरुष (जनसंख्या) — 1006240
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 20.0 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 874-1000
- जनसंख्या घनत्व — 864 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 69.0 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 02 (फर्रुखाबाद, कायमगंज)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 03 (सदर, अमृतपुर, कायमगंज)
- विकासखण्डों की संख्या — 07 (बढ़पुर, राजेपुर, कमालगंज, मोहम्मदाबाद, नवाबगंज, शमसाबाद, कायमगंज)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 872

- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — संकिसा, कम्पिल, सिंगीरामपुर, हनुमान मंदिर, नीम करोरी, दरगाह शेखपुर
- हस्तशिल्प — जरदोजी, छपाई का फरमा
- प्रमुख उद्योग — आलू, तम्बाकू, चीनी मिल

17. कन्नौज

- क्षेत्रफल — 2093 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 1656616
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 774840
- पुरुष (जनसंख्या) — 881776
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 19.37 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 879-1000
- जनसंख्या घनत्व — 792 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 72.7 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 03
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 03 (कन्नौज, छिबरामऊ, गुरसहायगंज)
- विकासखण्डों की संख्या — 08 (कन्नौज, जलालाबाद, ठठिया, छिबरामऊ, सौरिख, तालग्राम, उमर्दा, हसरेन)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 688
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — खाना गौरी शंकर का शिवलिंग, हाजी शरीफ़ की दरगाह, डेगभभका, अर्द्धनारीश्वर, लाख वहोसी पक्षी विहार, पंचवटी मंदिर, विशनगढ़, किला बारादरी।
- प्रमुख उद्योग — इत्र, सेंट

18. गोरखपुर

- क्षेत्रफल — 3321 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 4440895
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 2163118
- पुरुष (जनसंख्या) — 2277777
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 17.8 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 950-1000
- जनसंख्या घनत्व — 1337 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 70.8 प्रतिशत
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 07 (सदर, बाँसगाँव, चौरीचौरा, सहजनवाँ, खजनी, गोला, कैम्पियरगंज)
- विकासखण्डों की संख्या — 19 (पिपराइच, बांसगाँव, गोला, पाली, पिपरौली, सहजनवाँ, खौराबार, कौड़ीराम, गगहा, खजनी, भटहट, बेलघाट, सरदार नगर बड़हलगंज, उरुवा, ब्रह्मपुर, कौड़िया, चरगावाँ, कैम्पियरगंज)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 2937
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — कुसमही जंगल, रामगढ़ताल, चौरीचौरा, डोहरिया कलां, गोरखनाथ मंदिर, इमामबाड़ा, गीता वाटिका, गीता प्रेस
- हस्तशिल्प — हथकरघा, टेराकोटा

19. कुशीनगर

- क्षेत्रफल — 2905 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 3564544
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1746489
- पुरुष (जनसंख्या) — 1818055
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 23.3 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 961-1000
- जनसंख्या घनत्व — 1227 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 65.2 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 03 (हाटा, कुशीनगर, पडरौना)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 06 (पडरौना, कसया, हाटा, तमकुहीराज, खड्डा, कप्तानगंज)
- विकासखण्डों की संख्या — 15 (पडरौना, बिशुनपुरा, कसया, हाटा, मोतीचक, सेवरही, नेबुहानौरंगिया, कुबेरनाथ, खड्डा, दुदही, फाजिलनगर, सुकरौली, कप्तानगंज, रामकोला, तमकुहीराज)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 1579
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — कुशीनगर, बुद्ध की निर्वाण स्थली, फाजिलनगर
- हस्तशिल्प — फर्नीचर, आयल स्पेलर, हथकरघा
- महत्वपूर्ण औद्योगिक इकाइयाँ — 897

20. देवरिया

- क्षेत्रफल — 2540 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 3100946
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1563510
- पुरुष (जनसंख्या) — 1537436
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 14.2 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 1017-1000
- जनसंख्या घनत्व — 1222 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 71.1 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 02 (देवरिया, गौरा बरहज)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 05 (देवरिया, सलेमपुर, रुद्रपुर, भाटपार रानी, बरहज)
- विकासखण्डों की संख्या — 16 (गौरीबाजार, देवरिया सदर, देसई देवरिया, पथरदेवा, बैतालपुर, रामपुर कारखाना, रुद्रपुर, बरहज, भागलपुर, भटनी, बनकटा, तरकुलवा, भाटपाररानी, भलुबनी, लार, सलेमपुर)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 2019
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — दिगधेश्वरनाथ, दुग्धेश्वरनाथ, देवरहा बाबा, परशुरामधाम

21. महराजगंज

- क्षेत्रफल — 2952 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 2684703
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1302949
- पुरुष (जनसंख्या) — 1381754

- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 23.5 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 943-1000
- जनसंख्या घनत्व — 909 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 62.8 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 02 (नौतनवां, महराजगंज)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 04 (सदर, फरेन्दा, नौतनवां, निचलौल)
- विकासखण्डों की संख्या — 12 (सदर, परतावल, फरेन्दा, पनियरा, बृजमनगंज, लक्ष्मीपुर, नौतनवा (खानपुर), निचलौल, घुघली, सिसवां, मिठौरा, धानी)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 1212
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — इटइवा मन्दिर, लेहड़ा

22. चित्रकूट

- क्षेत्रफल — 3216 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 991730
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 464009
- पुरुष (जनसंख्या) — 527721
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 26.9 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 879-1000
- जनसंख्या घनत्व — 313 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 65.1 प्रतिशत
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 02(कर्वी, मऊ)
- विकासखण्डों की संख्या — 05 (पहाड़ी, मानिकपुर, मऊ, रामनगर, कर्वी)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 561
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — (राजापुर, तुलसी आश्रम, वाल्मीकि आश्रम, रामघाट, तुलसी स्मारक, गणेशबाग, हनुमान जी मंदिर, शबरी प्रपात, कोठी तालाब)
- नगर पालिका परिषद — 01 (कर्वी)

23. बाँदा

- क्षेत्रफल — 4408 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 1799410
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 833534
- पुरुष (जनसंख्या) — 965876
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 19.8 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 863-1000
- जनसंख्या घनत्व — 403 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 66.7 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 02 (बाँदा, अतर्रा)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 04 (बाँदा, अतर्रा, नरैनी, बबेरू)
- विकासखण्डों की संख्या — 08 (तिन्दवारी, जसपुरा, बड़ोखर, खुर्द, नरैनी, महुआ, बबेरू, बिसण्डा, कमासिन)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 657

- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — कालिन्जर का किला
- हस्तशिल्प — सजर पत्थर का कार्य

24. हमीरपुर

- क्षेत्रफल — 4021 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 1104285
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 510748
- पुरुष (जनसंख्या) — 593537
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 11.09 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 861-1000
- जनसंख्या घनत्व — 258 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 68.8 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 03 (हमीरपुर, मौदहा, राठ)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 04 (हमीरपुर, मौदहा, राठ, सरीला)
- विकासखण्डों की संख्या — 07 (कुरारा, सुमेरपुर, मौदहा, मुस्करा, राठ, गौहाण्ड, सरीला)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 497
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — सिंह महेश्वर मन्दिर, चौरादेवी मंदिर, ब्रह्मानंद आश्रम, सिटी फारेस्ट, गौरइया देवी मन्दिर, मेहर मंदिर, निरंकारी आश्रम गायत्री शक्तिपीठ, खण्डेह मंदिर, सिसोला के शिव मंदिर, समाधि स्थल, दाता साइधाम, भुइयन देवी मन्दिर झलोखर
- हस्तशिल्प — खादी ग्रामोद्योग
- लघु औद्योगिक इकाइयाँ — 574

25. महोबा

- क्षेत्रफल — 3144 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 875958
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 409600
- पुरुष (जनसंख्या) — 466358
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 15.52 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 878-1000
- जनसंख्या घनत्व — 304 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 65.3 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 02 (महोबा, चरखारी)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 03 (महोबा, कुलपहाड़, चरखारी)
- विकासखण्डों की संख्या — 05 (कवरई, चरखारी, पनवाड़ी, जैतपुर, श्रीनगर)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 435
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — चन्द्रिका देवी मन्दिर, सूर्य मन्दिर, उर्मिल डेम, खकरहा मठ, जैन तीर्थंकर, शिव ताण्डव, ऊदल चौक, कीरत ताल
- हस्तशिल्प — गौरा पत्थर, गौरिहारी
- महत्वपूर्ण निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयाँ — 679

26. झाँसी

- क्षेत्रफल — 5024 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 1998603
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 941167
- पुरुष (जनसंख्या) — 1057436
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 14.5 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 890-1000
- जनसंख्या घनत्व — 398 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 75.0 प्रतिशत
- नगर निगम — 01 (झाँसी)
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 05 (बरुआसागर, मऊरानीपुर, गुरुसराय, समथर, चिरगांव)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 05 (झांसी, मोठ, मऊरानीपुर, गरौठा, टहरौली)
- विकासखण्डों की संख्या — 08 (चिरगांव, गुरसराय, बामौर, बंगरा, बबीना, बड़ागांव, मोठ, मऊरानीपुर)
- आगाद ग्रामों की संख्या — 745
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — झांसी का किला, रानी महल, गंगाधरराव की छतरी, लक्ष्मी मंदिर, गणेश मंदिर, लक्ष्मीताल, नारायन बाग, राजकीय संग्रहालय, कौमासन का मंदिर, जराय का मठ, बरुआसागर का किला, कम्पनीबाग, स्वर्गाश्रम, बरुआसागर जलाशय, सुकवां-ढुकवा, परीछा बाँध, भसनेह जलाशय, करगुवा जी लक्ष्मीबाई पार्क।
- प्रमुख औद्योगिक इकाइयाँ — वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि. जी. निवास फर्टीलाइजर्स लि., डायमंड सीमेंट फैक्ट्री
- हस्तशिल्प — घरेलू उपयोग की वस्तुएँ आदि।

27. जालौन

- क्षेत्रफल — 4565 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 1689974
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 783882
- पुरुष (जनसंख्या) — 906092
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 16.2 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 865-1000
- जनसंख्या घनत्व — 370 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 73.7 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 04 (कालपी, जालौन, कोंच, उरई)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 05 (जालौन, उरई, कालपी, कोंच, माधवगढ़)
- विकासखण्डों की संख्या — 09 (एटकोच, डकोर, कुठोंद, रामपुरा, माधवगंज जालौन, कदौरा, महेवा, नदीगांव)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 942
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — अक्षरादेवी, चौरासी गुम्बद, लंका मीनार, बारा खम्भा, चन्देल दुर्ग, ताई-वाई महल, केवड़ा बाग, गांधी पार्क, व्यास मंदिर
- हस्तशिल्प — कालीन, दरी, चदरा, चटाई, हाथ कागज

28. ललितपुर

- क्षेत्रफल — 5039 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 1221592
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 580581
- पुरुष (जनसंख्या) — 641011
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 24.9 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 906-1000
- जनसंख्या घनत्व — 242 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 63.5 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 01 (ललितपुर)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 04 (ललितपुर, महरौनी, तालबेहट, मंडावरा)
- विकासखण्डों की संख्या — 06 (मंडावरा, महरौनी, बिरघा, बार, तालबेहट, जखौरा)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 691
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — देवगढ़, दयावतार, माताटीला, राजघाट
- हस्तशिल्प — सिल्क साड़ी, पीतल मूर्तिकला, पत्थर मूर्तिकला
- महत्वपूर्ण औद्योगिक इकाइयाँ — ग्रेनाइट (खनन उद्योग), दाल मिल, बारूद फैक्ट्री, भारत एक्सप्लोसिव

29. गोण्डा

- क्षेत्रफल — 4003 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 3433919
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1646773
- पुरुष (जनसंख्या) — 1787146
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 23.1 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 922-1000
- जनसंख्या घनत्व — 851 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 58.6 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 03 (करनैलगंज, नबाबगंज, गोण्डा)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 04 (करनैलगंज, तरबगंज, गोण्डा, मनकापुर)
- विकासखण्डों की संख्या — 16 (रुपईडीहा, कटरा बाजार, हलधरमऊ, झंझरी, पन्डरी कृपाल, इटियाथोक, मुजेंहना, बभनजोत, मनकापुर, छपिया, कर्नलगंज, परसपुर, बिल्सर, तरबगंज, वजीरगंज, नवाबगंज)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 1814
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — तिर्रेमनोरमा, पसका, छपिया, पृथ्वीनाथ, सकरौरा, लकड़मण्डी अरगा, पार्वती
- हस्तशिल्प — मिट्टी के बर्तन, सूत दरी
- प्रमुख उद्योग — चीनी

30. बहराइच

- क्षेत्रफल — 5237 वर्ग किमी.

- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) 3487731
- महिलाएँ (जनसंख्या) 1643847
- पुरुष (जनसंख्या) 1843884
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 29.5 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात 891-1000
- जनसंख्या घनत्व 697 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता 49.3 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या 02 (बहराइच, नानपारा)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम 04 (बहराइच, कैसरगंज, नानपारा, महसी)
- विकासखण्डों की संख्या 15 (चित्तौरा, कैसरगंज, जरवल, तजवापुर, महसी, हुजूरपुर, बलहा, कारी कोट, शिवपुर, मिहीपुरवा, नवाबगंज, रिसिया, पयागपुर, विशेश्वरगंज, फखरपुर)
- आबाद ग्रामों की संख्या 1360
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल दरगाह सैय्यद सालार, मसऊद गाजी, राजा सुहेलदेव मंदिर, वन्य जीव विहार (कतर्निया घाट)
- हस्तशिल्प कला कलन चित्रकारी, चिकन इम्ब्राइडरी
- लघु औद्योगिक इकाइयाँ 464

31. बलरामपुर

- क्षेत्रफल 3349 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) 2148665
- महिलाएँ (जनसंख्या) 1033944
- पुरुष (जनसंख्या) 1114721
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 27.74 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात 927-1000
- जनसंख्या घनत्व 642 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता 49.5 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या 02 (बलरामपुर, उतरौला)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम 03 (बलरामपुर, तुलसीपुर, उतरौला)
- विकासखण्डों की संख्या 09 (श्री दत्तगंज, उतरौला, गैण्डासबुजुर्ग, रेहराबाजार, बलरामपुर, तुलसीपुर, गैसड़ी, पचपेड़वा, हरैयासत धरवा)
- आबाद ग्रामों की संख्या 997
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल देवीपाटन मंदिर, तुलसीपुर, विजलेश्वरी मंदिर, बिजुलीपुर, दुःखहरणनाथ मंदिर, बाबा हुर्मतशाह का आस्ताना
- हस्तशिल्प हथकरघा, लकड़ी का कार्य

32. अयोध्या

- क्षेत्रफल 2341 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) 2470996
- महिलाएँ (जनसंख्या) 1211368
- पुरुष (जनसंख्या) 1259628

- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 18.3 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 980-1000
- जनसंख्या घनत्व — 962 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 68.7 प्रतिशत
- नगर निगम — 01 (अयोध्या)
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 01 (रुदौली)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 05 (रुदौली, सदर, मिल्कीपुर, सोहावल, बीकापुर)
- विकासखण्डों की संख्या — 11 (मसौधा, पुराबाजार, सोहावल, मयाबाजार, बीकापुर, तारून, रुदौली, मवई, हैरिंगटनगंज, अमानीगंज, मिल्कीपुर)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 1235
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — अयोध्याजी, सूरजकुण्ड, भरतकुण्ड, बिल्वहरिघाट, बहू बेगम का मकबरा, गुलाबबाड़ी, गुप्तारघाट, रत्ना गिरि मंदिर (रौनाही) कम्पनी बाग, अयोध्या के जैन मंदिर, नौगजी कब्र, मणिपर्वत देवकाली मन्दिर, मिलेट्री मन्दिर
- हस्तशिल्प — बाँस, चमड़ा
- लघु औद्योगिक इकाइयाँ — 3985

33. बाराबंकी

- क्षेत्रफल — 4402 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 3260699
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1553626
- पुरुष (जनसंख्या) — 1707073
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 22.0 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 910-1000
- जनसंख्या घनत्व — 838 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 61.7 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 01 (नवाबगंज)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 06 (बाराबंकी सदर, फतेहपुर, रामनगर, हैदरगढ़, रामसनेही घाट, सिरौली-गौसपुर)
- विकासखण्डों की संख्या — 17 (निन्दूरा, फतेहपुर, सूरतगंज, रामनगर, देवा, बंकी, हरख, मसौली, सिद्धौर, त्रिवेदीगंज, हैदरगढ़, दरियाबाद, बनीकोडर, महादेवा, सुबेहा, पूरेडलई, सिरौली-गौसपुर)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 1817
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — श्री लोधेश्वर महादेव, श्री औसामेश्वर महादेव, श्री कुंतेश्वर महादेव, पारिजात वृक्ष, देवाशरीफ, श्री कोटवाधाम, मझगांव शरीफ, दरगाह सैयद सालार शाह, सतरिख, बांसा शरीफ, नाग देवता, मजीठा, नागेश्वर मन्दिर
- हस्तशिल्प — मिट्टी के बर्तन व हथकरघे से निर्मित वस्त्र
- महत्त्वपूर्ण निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयाँ — इण्डियन पालीफाइबर्स लि. सोमैया आर्गेनिक केमिकल्स लि., सुगर मिल हैदरगढ़, उ.प्र. राज्य चीनी निगम, इकाई बुढ़वल

34. सुल्तानपुर

- क्षेत्रफल — 2673 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 2431491
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1204842
- पुरुष (जनसंख्या) — 1226649
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 983-1000
- जनसंख्या घनत्व — 901 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 70.5 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 01 (सुल्तानपुर)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 04 (सदर, लम्भुआ, जयसिंहपुर, कादीपुर)
- विकासखण्डों की संख्या एवं नाम — 14 (बल्दीराय, धनपतगंज, कुरवर, कूरेभार, दूबेपुर, मोतिगरपुर, जयसिंहपुर, कादीपुर, अखण्डनगर, दोस्तपुर, करौंदीकला, भदैया, लम्भुआ, कमेचा)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 1708
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — धोपाप, विजेथुआ महावीरन, सीताकुण्ड, देवी मन्दिर लोहरामऊ
- हस्तशिल्प — बाधमण्डी
- प्रमुख उद्योग — सहकारी चीनी मिल

35. बरेली

- क्षेत्रफल — 4120 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 4448359
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 2090694
- पुरुष (जनसंख्या) — 2357665
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 22.9 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 887-1000
- जनसंख्या घनत्व — 1080 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 58.5 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 04 (आँवला, नवाबगंज, बहेड़ी, फरीदपुर)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 06 (बरेली, फरीदपुर, नवाबगंज, मीरगंज, बहेड़ी, आँवला)
- विकासखण्डों की संख्या — 15 (क्यारा, बिथरीचैनपुर, मीरगंज, भोजीपुरा, फतेहगंज, नवाबगंज, भदपुरा, भुता, फरीदपुर, बहेड़ी, दमखोदा, आलमपुर, जाफराबाद, शेरगढ़, मंझगवा, रामनगर)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 1855
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — पुराना किला, शहीद स्मारक, खान बहादुर खान की कब्र, नज्जू खाँ का मकबरा, पार्श्वनाथ जैन मंदिर, काला इमामबाड़ा
- हस्तशिल्प — फर्नीचर, मांझा, जरी, जरदोजी, सुरमा, खेल का सामान
- लघु औद्योगिक इकाइयाँ — 371

36. बदायूँ

- क्षेत्रफल — 4120 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 3127621

- महिलाएँ (जनसंख्या) 1457266
- पुरुष (जनसंख्या) 1670355
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 18.9 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात 872-1000
- जनसंख्या घनत्व 739 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता 52.0 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या 07 (बदायूं, ककराला, उझांनी, बिल्सी, दातागंज, बिसौली, सहसवान)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम 05 (बदायूँ, सहसवान, बिल्सी, दातागंज, बिसौली)
- विकासखण्डों की संख्या 18 (उझानी, सहसवान, दहगवाँ, कादरचौक, बिनावर, दवतोरी, नाधा सालारपुर, वजीरगंज, बिसौली, आसफपुर, इस्लामनगर, जगत, म्याऊ, उसांवा, दातागंज, समरेर, अम्बियापुर)
- आबाद ग्रामों की संख्या 1478
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल जामा मस्जिद, घंटाघर, सूरज कुण्ड, सरसोता
- महत्वपूर्ण औद्योगिक इकाइयाँ बान बनाना, चमड़े का कार्य, खाण्डसारी, मेंथा तेल, खराद, हथकरघा

37. पीलीभीत

- क्षेत्रफल 3686 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) 2031007
- महिलाएँ (जनसंख्या) 959005
- पुरुष (जनसंख्या) 1072002
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 17.5 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात 895-1000
- जनसंख्या घनत्व 539 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता 61.5 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या 03 (पूरनपुर, बीसलपुर, पीलीभीत)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम 03 (पूरनपुर, बीसलपुर, सदर)
- विकासखण्डों की संख्या 08 (अमरिया, ललौरी खेड़ा, मरौरी, पूरनपुर, विलसण्डा, माधौटाण्डा, बीसलपुर, बरखेड़ा)
- आबाद ग्रामों की संख्या 1295
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल गौरीशंकर का मंदिर, जामा मस्जिद, हजरतशाह जी मियाँ दरगाह, मैनाकोट, राजा वेणु का किला, देवल का मंदिर, राजा मोरध्वज का टीला, बाबा दुर्गानाथ का मंदिर, गुरुद्वारा श्री गुरुसिंह सभा छटी पातशाही, आयुर्वेदिक कॉलेज, वनौषधि, हरबेरियम फार्मेसी, हर्बल गार्डन, मैथाडिस्ट चर्च, मेन बाजार का गेट, बरेली गेट, जसवन्तरी देवी मंदिर आदि।
- हस्तशिल्प बाँसुरी

38. शाहजहाँपुर

- क्षेत्रफल 4388 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) 3006538

- महिलाएँ (जनसंख्या) 1400135
- पुरुष (जनसंख्या) 1606434
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 22.0 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात 872-1000
- जनसंख्या घनत्व 657 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता 59.5 प्रतिशत
- नगर निगम 01 (शाहजहाँपुर)
- नगर पालिका परिषदों की संख्या 03 (पुवायां, तिलहर, जलालाबाद)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम 04 (शाहजहाँपुर, पुवायां, जलालाबाद, तिलहर)
- विकासखण्डों की संख्या 15 (भावलखेड़ा, ददरौला, कांठ, मदनापुर, जलालाबाद, तिलहर, जैतीपुर, खुदागंज, निगोही, पुवायां, बण्डा, खुटार, मिर्जापुर कलान, सिधौली)
- आबाद ग्रामों की संख्या 2089
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल शहीद उद्यान, वनखण्डीनाथ मन्दिर, विश्वनाथ मंदिर, बहादुर खाँ मकबरा, मुमछा आश्रम, श्रीरामचन्द्र मिशन प्रार्थना भवन, विसरात घाट, सुनहरी मजार, मजार अमर शहीद राम प्रसाद विस्मिल, स्मारक अमर शहीद रोशन सिंह, निजामशाह की दरगाह, रायसुखा निदान का फाटक, उदासियों का अखाड़ा, चौकसीनाथ, फूलमती देवी का मन्दिर, सत्संग आश्रम
- हस्तशिल्प कालीन, कारचोबी
- औद्योगिक इकाइयाँ 10,535

39. बस्ती

- क्षेत्रफल 2688 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) 2464464
- महिलाएँ (जनसंख्या) 1209192
- पुरुष (जनसंख्या) 1255272
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 18.2 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात 963-1000
- जनसंख्या घनत्व 839 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता 67.2 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या 01 (बस्ती)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम 04 (बस्ती, रुदौल, घौनपुर, हर्रैया)
- विकासखण्डों की संख्या 15 (परशुरामपुर, गौर, हर्रैया, विक्रमजीत, कप्तानगंज, रामनगर, सल्टौआगोपालपुर, रुधौली, साउंघाट, बस्ती सदर, बंकटी, बहादुरपुर, कुदरहा, दुलौलिया, शुभमनगर चंगरेवा बाबू)
- आबाद ग्रामों की संख्या 3158
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल छावनी बाजार, मखैड़ा, अमोढ़ा, नगर बाजार, पैडा, भेद्रेश्वरनाथ, श्रंगीनारी
- प्रमुख उद्योग गन्ना

40. सिद्धार्थनगर

- क्षेत्रफल — 2895 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 2559297
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1264202
- पुरुष (जनसंख्या) — 1295093
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 25.4 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 976-1000
- जनसंख्या घनत्व — 884 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 59.2 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 02 (सिद्धार्थनगर, बांसी)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 05 (नौगढ़, बांसी, डुमरियागंज, इटवा, शोहरतगढ़)
- विकासखण्डों की संख्या — 14 (बांसी, बढ़नी, भनबापुर, बर्डपुर, डुमरियागंज, इटवा, जोगिया, खेसरहा, खुनियांव, मिठवल, नौगढ़, लोटन, उस्काबाजार, शोहरतगंढ़)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 2334
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — कपिलवस्तु, भारतभारी, पलटादेवी, मजार शाह अब्दुल रसूल (मीरा बाबा)

41. मिर्जापुर

- क्षेत्रफल — 4405 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 2496970
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1184668
- पुरुष (जनसंख्या) — 1312302
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 20.4 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 921-1000
- जनसंख्या घनत्व — 482 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 68.5 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 03 (मिर्जापुर, चुनार, अहरौरा)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 04 (मिर्जापुर, चुनार, लालगंज, मड़िहान)
- विकासखण्डों की संख्या — 12 (सीटी, कोन, छानवे, मझवां, पहाड़ी, लालगंज, हलिया, मड़िहान, नरायनपुर, जमालपुर, राजगढ़, सीखड़)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 1745
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — विंध्याचल, विन्डमफाल, लखनियांदरी, सिद्धनाथ की दरी, दुर्गा मन्दिर, टांडाफाल, कुसेहरा काल, सिरसी जलाशय, चुनार किला
- हस्तशिल्प — कालीन, दरी, बर्तन

42. भदोही

- क्षेत्रफल — 1015 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 1578213
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 771114

- पुरुष (जनसंख्या) 807099
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 16.6 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात 950-1000
- जनसंख्या घनत्व 1555 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता 69.0 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या 02 (भदोही, गोपीगंज)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम 03 (भदोही, ज्ञानपुर, औराई)
- विकासखण्डों की संख्या 06 (सुरियावां, भदोही, ज्ञानपुर, औराई, डीघ, अमोली)
- आबाद ग्रामों की संख्या 1087
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल सीतामणि, सेमराधनाथ, चकवा महावीर, तीलेश्वरनाथ, हरिहरनाथ मंदिर
- हस्तशिल्प कालीन
- महत्वपूर्ण औद्योगिक इकाइयाँ भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान, दि काशी सहकारी चीनी मिल

43. सोनभद्र

- क्षेत्रफल 6905 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) 1862559
- महिलाएँ (जनसंख्या) 891215
- पुरुष (जनसंख्या) 971344
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 23.9 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात 918-1000
- जनसंख्या घनत्व 274 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता 64.0 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या 01 (राबर्ट्सगंज)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम 03 (राबर्ट्सगंज, दुद्धी, घोरावल)
- विकासखण्डों की संख्या 10 (राबर्ट्सगंज, करमा, कोन, घोरावल, चतरा, नगवां चोपन, दुद्धी, म्योरपुर, बभनी)
- आबाद ग्रामों की संख्या 1391

44. मुरादाबाद

- क्षेत्रफल 2271 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) 3126507
- महिलाएँ (जनसंख्या) 1489476
- पुरुष (जनसंख्या) 1637031
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 26.1 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात 909-1000
- जनसंख्या घनत्व 1370 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता 59.7 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या 02 (ठाकुरद्वारा, बिलारी)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम 03 (मुरादाबाद, कांठ, ठाकुरद्वारा)
- नगर निगम 01 (मुरादाबाद)
- विकासखण्डों की संख्या 08 (बिलारी, डींगरपुर, ठाकुरद्वारा, डिलारी, मुरादाबाद, मुंडापाण्डे, भगतपुरटाण्डा, हजलैट)

- आबाद ग्रामों की संख्या 959
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल सम्भल
- हस्तशिल्प लकड़ी का काम, स्वर्णकारी, वस्त्र रंगाई-छपाई, लाख, कसीदाकारी, पीतल का काम, स्याह कलम तथा नक्काशी

45. बिजनौर

- क्षेत्रफल 4561 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) 3682713
- महिलाएँ (जनसंख्या) 1761498
- पुरुष (जनसंख्या) 1921215
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 17.64 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात 917-1000
- जनसंख्या घनत्व 807 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता 68.5 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या 12 (बिजनौर, चाँदपुर, धामपुर, नगीना, नजीबाबाद, अफजलगढ़, हल्दौर, नहटौर, शेरकोट, किरतपुर, स्योहारा, नूरपुर)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम 05 (बिजनौर, धामपुर, नगीना, नजीबाबाद, चाँदपुर)
- विकासखण्डों की संख्या 12 (मोहम्मदपुर देवमल, बढ़ापुर, हलदौर, जलीलपुर, नूरपुर, कोतवाली, अफजलगंज, नजीबाबाद, किरतपुर, अलेहपुर, नहटौर, बूढ़नपुर स्योहारा)
- आबाद ग्रामों की संख्या 2186
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल कण्व आश्रम, बिदुरकुटी, जहानाबाद, दारानगर गंज, सीता का मंदिर, सेना का द्वार, अकबर के नौरत्न, मयूर ध्वज दुर्ग, नजीबुद्दौला का किला, भंडावर का महल, पारसनाथ, ताजपुर का चर्च, नजफे हिन्द (जोगीरामपुरा)
- हस्तशिल्प काष्ठकला, ब्रश, कांच का सामान, हथकरघा

46. रामपुर

- क्षेत्रफल 2367 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) 2335819
- महिलाएँ (जनसंख्या) 1111930
- पुरुष (जनसंख्या) 1223889
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 21.40 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात 909-1000
- जनसंख्या घनत्व 987 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता 53.3 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या 05 (स्वार, रामपुर, विलासपुर, टाण्डा, मिलक)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम 06 (रामपुर सदर, विलासपुर, मिलक, शाहबाद, स्वार, टाण्डा)
- विकासखण्डों की संख्या 08 (सैदनगर, पटवई, टाण्डा, चमरौआ, बिलासपुर, मिलक, शाहबाद, स्वार)
- आबाद ग्रामों की संख्या 1108
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल रजा लाइब्रेरी, किला रामपुर, रठौण्डा मन्दिर, मजार भैसोड़ी शरीफ, कोठी खासबाग, बेनजीर कोठी, शिव मंदिर,

	जामा मस्जिद, मजार हाफिज जमातुल्लाह साहब, रामगंगा, कोसी, भाखड़ा, गांगन, सैजनी, पीलाखार
• महत्त्वपूर्ण औद्योगिक इकाइयाँ	चीनी, डिस्टलरी, उर्वरक, कागज, प्रिंटिंग, मैन्था एण्ड एलाइड प्रोडक्ट्स, जीरॉक्स, टेलीविजन, व्हीलबेल, कैमिकल्स आदि।
• हस्तशिल्प	जरी, जरदोजी, चाकू, पैचवर्क, पतंग व गार्डेन टूल्स

47. मेरठ

• क्षेत्रफल	2559 वर्ग किमी.
• जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर)	3443689
• महिलाएँ (जनसंख्या)	1617946
• पुरुष (जनसंख्या)	1825743
• जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर	15.8 प्रतिशत
• स्त्री-पुरुष अनुपात	886-1000
• जनसंख्या घनत्व	1330 प्रति वर्ग किमी.
• साक्षरता	72.8 प्रतिशत
• नगर निगम	01 (मेरठ)
• नगर पालिका परिषदों की संख्या	02 (सरधना, मवाना)
• तहसीलों की संख्या एवं नाम	03 (मेरठ, सरधना, मवाना)
• विकासखण्डों की संख्या	12 (मेरठ, रजपुरा, रोहटा, जानी, खरखोदा, मवाना, हस्तिनापुर परीक्षितगढ़, माछरा, सरघना, सरूरपुर, दौराला)
• आबाद ग्रामों की संख्या	604
• प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल	हस्तिनापुर, सरधना, गागोल तथा परीक्षितगढ़
• प्रमुख उद्योग	07
• हस्तशिल्प	होजरी, कैमिकल्स, कारपेट, हस्तशिल्प
• लघु औद्योगिक इकाइयाँ	1250

48. बुलन्दशहर

• क्षेत्रफल	4512 वर्ग किमी.
• जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर)	3499171
• महिलाएँ (जनसंख्या)	1653911
• पुरुष (जनसंख्या)	1845260
• जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर (1991 के अनुसार)	16.3 प्रतिशत
• स्त्री-पुरुष अनुपात	896-1000
• जनसंख्या घनत्व	804 प्रति वर्ग किमी.
• साक्षरता	68.9 प्रतिशत
• नगर पालिका परिषदों की संख्या	09 (बुलन्दशहर, खुर्जा, सिकन्द्राबाद, गुलावठी स्याना, अनूपशहर, शिकारपुर, डिवाई, जहाँगीराबाद)
• तहसीलों की संख्या एवं नाम	07 (बुलन्दशहर, अनूपशहर, सिकन्द्राबाद, खुर्जा, स्याना, शिकारपुर, डिबाई)
• विकासखण्डों की संख्या	17 (बुलन्दशहर, गुलावठी, स्याना, भवन बहादुर नगर, लखावटी, शिकारपुर, काकोड़, खुर्जा, पहासू, अरनियाँ, सिकन्द्राबाद, अनूपशहर, अगौता, जहाँगीराबाद, ऊँचागाँव, डिबाई, दानपुर)
• आबाद ग्रामों की संख्या	1174

- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — नरौरा, अनूपशहर, राजघाट, कालाआम, गुलावठी, कर्णवास, रामघाट, मालागढ़, अहार, खुर्जा आदि
- हस्तशिल्प — पाटरी उद्योग
- लघु औद्योगिक इकाइयाँ — 602

49. गाजियाबाद

- क्षेत्रफल — 910 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 3343334
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1563410
- पुरुष (जनसंख्या) — 1779924
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 53.0 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 887-1000
- जनसंख्या घनत्व — 3674 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 80.5 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 04 (खोड़ा मकनपुर, मोदीनगर, मुरादनगर, लोनी)
- नगर निगम — 01 (गाजियाबाद)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 03 (गाजियाबाद, मोदीनगर, लोनी)
- विकासखण्डों की संख्या — 04 (रजापुर, लोनी, भोजपुर, मुरादनगर)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 192
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — केसरी का टीला, लवणासुर का किला, गढ़मुक्तेश्वर का गंगा मंदिर, पूँठ, दुधेश्वरनाथ मंदिर, गढ़ का नक्का कुआं
- लघु औद्योगिक इकाइयाँ — 1946

50. बागपत

- क्षेत्रफल — 1321 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 1303048
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 602978
- पुरुष (जनसंख्या) — 700070
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 11.87 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 861-1000
- जनसंख्या घनत्व — 986 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 72.0 प्रतिशत
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 03 (बागपत, बड़ौत, खेकड़ा)
- विकासखण्डों की संख्या — 06 (बागपत, बड़ौत, छपरौली, खेकड़ा, पिलाना, बिनौली)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 290
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — पुरा महादेव, बरनाना, वालैनी, बड़ा गाँव
- औद्योगिक इकाइयाँ — 218
- नगरपालिका परिषद — 2 (बड़ौत, बागपत)

51. लखनऊ

- क्षेत्रफल — 2528 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 4589838
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 2195362
- पुरुष (जनसंख्या) — 2394476
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 25.79 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 917-1000
- जनसंख्या घनत्व — 1816 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 77.3 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 00
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 05 (सदर, मोहनलालगंज, बख्शी का तालाब, मलिहाबाद, सरोजनी नगर)
- विकासखण्डों की संख्या — 08 (काकोरी, मलिहाबाद, बक्शी का तालाब, गोसाईगंज, सरोजिनी नगर, माल, चिनहट, मोहनलालगंज)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 803
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — आसिफुद्दौला इमामबड़ा, रेजीडेन्सी, शाहनजफ इमामबाड़ा, छतर मंजिल, लाल बारादरी, रूमी दरवाजा, विधानभवन, चारबाग रेलवे स्टेशन, शहीद स्मारक, अलीगंज महावीर मंदिर, चंद्रिका देवी मंदिर, बुद्धेश्वर शिव मंदिर, मनकामेश्वर मंदिर, खम्मनपीर मजार, सिकन्दरबाग, बेगम हजरतमहल पार्क, रोशनुद्दौला कोठी, बिजली पासी का किला, काकोरी शहीद स्मारक, लोहिया पार्क, अम्बेडकर स्मारक, अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल द्वार, डॉ. भीमराव अम्बेडकर विहार, समतामूलक चौक, सामाजिक परिवर्तन गैलरी, डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मारक दृश्य स्थल, परिवर्तन चौक, डॉ. भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन प्रतीक स्थल, सामाजिक परिवर्तन संग्रहालय, मान्यवर श्री कांशीराम जी स्मारक स्थल तथा बौद्ध विहार शान्ति उपवन।
- हस्तशिल्प — चिकन, जरदोजी
- लघु औद्योगिक इकाइयाँ — 1458

52. हरदोई

- क्षेत्रफल — 5986 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 4092845
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1901403
- पुरुष (जनसंख्या) — 2191442
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 20.39 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 868-1000
- जनसंख्या घनत्व — 683 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 64.6 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 07 (हरदोई, साण्डी, बिलग्राम, शाहाबाद, पिहानी, मल्लावाँ, सण्डीला)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 05 (हरदोई, शाहाबाद, संडीला, बिलग्राम, स्वायजपुर)
- विकासखण्डों की संख्या — 19 (सुरसा, बाबन, टड़ियावाँ, हरियावाँ, अहिरोरी, शाहाबाद, पिहानी, टोडरपुर, भरखनी, बिलग्राम, माधौगंज, मल्लावाँ, साण्डी, हरपालपुर, संडीला, भरावन, बेंहदर, कछोना, कोथावाँ)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 1907
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — दहरझील, साण्डी

- महत्वपूर्ण औद्योगिक इकाइयाँ 61

53. लखीमपुर खीरी

- क्षेत्रफल 7680 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) 4021243
- महिलाएँ (जनसंख्या) 1898056
- पुरुष (जनसंख्या) 2123187
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 25.14 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात 894-1000
- जनसंख्या घनत्व 524 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता 60.6 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या 04 (लखीमपुर, गोला, मुहम्मदी, पलिया)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम 06 (खीरी, निघासन, मोहम्मदी, धौरहरा, गोलागोकरननाथ, पलिया)
- विकासखण्डों की संख्या 15 (लखीमपुर, बेहजम, फूलबेहड़, बाँकेगंज, नकहा, बिजुआ, मोहम्मदी, पसगवाँ, मितौली, कुम्भी (गोला), धौरहरा, ईसानगर, रमियाबेहड़, निघासन, पलिया)
- आबाद ग्रामों की संख्या 1706
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल दुधवा नेशनल पार्क, इन्दिरा मनोरंजन पार्क, मेढक मन्दिर, गोला मंदिर
- हस्तशिल्प पीतल के बर्तन

54. रायबरेली

- क्षेत्रफल 4043 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) 2903507
- महिलाएँ (जनसंख्या) 1408263
- पुरुष (जनसंख्या) 1495244
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 18.51 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात 942-1000
- जनसंख्या घनत्व 721 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता 68.4 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या 01 (रायबरेली)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम 06 (डलमऊ, लालगंज, महाराजगंज, सदर, ऊँचाहार, सलोन)
- विकासखण्डों की संख्या 19 (राही, सतांव, हरचन्दपुर, अमाबा, लालगंज, सरेनी, खीरों, जगतपुर, डलमऊ, खजूर गाँव, महराजगंज, बछरावां, शिवगढ़, ऊँचाहार, दीनशाहगौरा, रोहनियाँ, डीह, छतोह, सलोन)
- आबाद ग्रामों की संख्या 1573
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल जायसी स्मारक, शहीद स्मारक
- औद्योगिक इकाइयाँ इन्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज, भवानी पेपर मिल, नेशनल थर्मल पावर, बिरला सीमेन्ट फैक्ट्री, स्पिनिंग मिल, विसाका सीमेन्ट उद्योग, राजश्री इण्डस्ट्रीज

55. सीतापुर

- क्षेत्रफल 5743 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) 4483992

- महिलाएँ (जनसंख्या) 2108728
- पुरुष (जनसंख्या) 2375264
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 23.9 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात 888-1000
- जनसंख्या घनत्व 781 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता 61.1 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या 06 (सीतापुर, बिसवां, मिसरिख, खैराबाद, महमूदाबाद, लहरपुर)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम 06 (सीतापुर, बिसवां, मिसरिख, सिधौली, महमूदाबाद, लहरपुर)
- विकासखण्डों की संख्या 19 (एलिया, हरगाँव, लहरपुर, परसेन्डी, खैराबाद, बिसवां, बेहटा, रेउसा, सकरन, सिधौली, कसमण्डा, पहला, महमूदाबाद, रामपुर मथुरा, मिश्रिख, मछरेहटा, गोदलामऊ, पिसावाँ, महोली)
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल दधीचि कुंड, व्यास पीठ, नैमिषारण्य, ललिता देवी मंदिर
- हस्तशिल्प दरी का कार्य
- आबाद ग्रामों की संख्या 2317
- महत्त्वपूर्ण औद्योगिक इकाइयाँ 30

56. उन्नाव

- क्षेत्रफल 4558 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) 3108367
- महिलाएँ (जनसंख्या) 1478280
- पुरुष (जनसंख्या) 1630087
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 15.19 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात 907-1000
- जनसंख्या घनत्व 682 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता 66.4 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या 03 (उन्नाव, गंगाघाट, बांगरमऊ)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम 05 (उन्नाव सदर, सफीपुर, हसनगंज, पुरवा, बीघापुर)
- विकासखण्डों की संख्या 17 (सिकन्दरपुर करन, माखी, बिछिया, सफीपुर, फतेहपुर चौरासी, बांगरमऊ, गंजमुरादाबाद, हसनगंज, औरास, मियाँगंज, नवाबगंज, पुरवा, असोहा, हिलौली, बीघापुर, सिकन्दरपुर-सरोसी, सुमेरपुर)
- आबाद ग्रामों की संख्या 1693
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल बक्सर, परियर, बदरका, सचानकोट, नवाबगंज पक्षी बिहार, राज राजेश्वरी श्री विद्या मंदिर, बाल्मीकि आश्रम, चन्द्रिका देवी, दुर्गा, कुशेहरी
- प्रमुख उद्योग चमड़ा उद्योग, राइस मिल

57. वाराणसी

- क्षेत्रफल 1535 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) 3676841
- महिलाएँ (जनसंख्या) 1754984
- पुरुष (जनसंख्या) 1921857
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 17.1 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात 913-1000

- जनसंख्या घनत्व — 2395 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 75.6 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 01 (रामनगर)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 02 (पिण्डरा, सकलडीहा)
- विकासखण्डों की संख्या — 08 (चिरईगाँव, हरहुआ, पिण्डरा, बड़ागांव, सेवापुरी, काशी विद्यापीठ, अराजीलाइन, चोलापुर)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 1258
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — गंगा के 84 घाट, काशी विश्वनाथ मंदिर, मारकण्डेय महादेव, सारनाथ, बौद्ध मंदिर, तुलसी मानस मंदिर, रामनगर किला, संकटमोचन मन्दिर, दुर्गा मंदिर, काल भैरव मन्दिर, ज्ञानवापी मस्जिद, आलमगीर मस्जिद (बेनी माधव का करहरा) भारत माता मन्दिर।
- हस्तशिल्प — बनारसी साड़ी, लकड़ी के खिलौने, काला पंखा, ग्लास बीड्स
- महत्त्वपूर्ण औद्योगिक इकाइयाँ — डीजल रेल इंजन कारखाना, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि., सिन्नी पंखा, बूटी मिक्सी, राइस व फ्लोर मिल, एच डी पी ई बैग।

58. गाजीपुर

- क्षेत्रफल — 3377 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 3620268
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1765193
- पुरुष (जनसंख्या) — 1855075
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 19.0 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 952-1000
- जनसंख्या घनत्व — 1071 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 71.8 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 03 (गाजीपुर, मुहम्मदाबाद, जमानियां)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 05 (सैदपुर, जंगीपुर, सादात, बहादुरपुर, दिलदारनगर)
- विकासखण्डों की संख्या — 18 (गाजीपुर, देवढी, नौली, करण्डा, मरदह, बिरनों, मुहम्मदाबाद, भरावल कोल, बाराचबर, कासिमाबाद, जमानिया, रेवतीपुर, भदोहा, सैदपुर, देवकली, सादात, मनिहारी, जखनिया)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 2737
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — सैदपुर भितरी, लठिया, लार्ड कार्नवालिस का मकबरा, जलालाबाग का किला, पौहारी बाबा आश्रम कुरथा, हथियाराम मठ, भुड़कुड़ा मठ, मौनी बाबा आश्रम, गंगादास आश्रम बयेपुर, देवकली, देवल
- हस्तशिल्प — वाल हैंगिंग
- निजी तथा सार्वजनिक औद्योगिक इकाइयाँ — ओपियम फैक्ट्री, डिस्टलरी, राइस मिलें, बहादुर गंज, कताई मिल

59. जौनपुर

- क्षेत्रफल — 4038 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 4494204
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 2273739
- पुरुष (जनसंख्या) — 2220465

- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 14.9 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 1024-1000
- जनसंख्या घनत्व — 1113 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 71.5 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 03 (जौनपुर, मुंगरा बादशाहपुर, शाहगंज)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 06 (सदर, मड़ियाहूँ, मछलीशहर, केराकत, शाहगंज, बदलापुर)
- विकासखण्डों की संख्या — 21 (शाहगंज, सुइथाकला, बदलापुर, खुटहन, महराजगंज, सुजानगंज मुंगरा, बादशाहपुर, मछलीशहर, केराकत, गंज-डोभी, मुफ्तीगंज, जलालपुर, करंजाकला, बक्शा, सिकरारा, धर्मापुर, मडियाहूँ, बरसठी, रामनगर, रामपुर, सिरकोनी)।
- आबाद ग्रामों की संख्या — 3287
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — शाही किला, शाहीपुर, अटाला मस्जिद, जामा मस्जिद, लाल दरवाजा, झझरी मस्जिद, बड़ी मस्जिद, शीतला चौकिया धाम, शारदा मंदिर हनुमान मंदिर, शिव मंदिर, धर्मापुर, काली मंदिर, शिवलिंग गोमतेश्वर महादेव, गौरीशंकर मंदिर, त्रिलोचन महादेव आदि।
- प्रमुख उद्योग — कृषि यन्त्र, खाद्य तेल, राइसमिल, कालीन, ताल जाली, लोहे के समान, फ्लोर मिल

60. सहारनपुर

- क्षेत्रफल — 3689 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 3466382
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1632276
- पुरुष (जनसंख्या) — 1834106
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 19.7 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 890-1000
- जनसंख्या घनत्व — 940 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 70.5 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 04 (गंगोह, नकुड़, देवबन्द, सरसांवा)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 05 (सहारनपुर, रामपुर मनिहारान, देवबन्द, नकुड़, बेहठ)
- विकास खण्डों की संख्या — 11 (बलियाखेड़ी, रामपुर मनिहारान, नानौता, देवबन्द, नागल, मुजफ्फराबाद, सढ़ौली कदीम, सरसाचा, नकुड़, पुवाँरका, गंगोह)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 1242
- हस्तशिल्प — काष्ठ कला, कागज, लुगदी उद्योग, गत्ता उद्योग, घंटी उद्योग

61. मुजफ्फरनगर

- क्षेत्रफल — 2796 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 2829865
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1335505
- पुरुष (जनसंख्या) — 1494360
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 19.2 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 893-1000
- जनसंख्या घनत्व — 957 प्रति वर्ग किमी.

- साक्षरता — 70.2 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 02 (मुजफ्फरनगर, खतौली)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 03 (मुजफ्फरनगर, सानसठ, बुढ़ाना)
- विकासखण्डों की संख्या — 09 (बघरा, चरथावल, पुरकाजी, खतौली, जानसठ, मोरना, बुढ़ाना, शाहपुर, मुजफ्फर नगर)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 587
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — नेहरू पार्क, शुक्रताल
- प्रमुख उद्योग — रोलिंग, चीनी, स्टील, कागज

62. अमरोहा

- क्षेत्रफल — 2249 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 1840221
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 876772
- पुरुष (जनसंख्या) — 963449
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 22.8 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 910-1000
- जनसंख्या घनत्व — 818 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 63.8 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 05 (बछराचू, हसनपुर, गजरौला, अमरोहा, घनौरा)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 03 (अमरोहा, घनौरा, हसनपुर)
- विकास खण्डों की संख्या — 08 (अमरोहा, जौया, नौगाँवा सादात, उझारी घनौरा, गजरौला, हसनपुर, गंगेश्वरी)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 959
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — वासुदेव मन्दिर, बायें का कुआँ, नसीरुद्दीन साहब की मजार, भूरेशाह की दरगाह, शाह विलायत साहब की मजार
- प्रमुख उद्योग — चड्ढा रबड़, शिवालिक सेल्लयूलोज

63. गौतमबुद्धनगर

- क्षेत्रफल — 1282 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 1648115
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 757901
- पुरुष (जनसंख्या) — 890214
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 49.1 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 851-1000
- जनसंख्या घनत्व — 1143 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 80.1 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 01 (दादरी)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 03 (गौतमबुद्धनगर, जेवर, दादरी)
- विकासखण्डों की संख्या — 04 (वनकौर, जेवर, विसरख, दादरी)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 304
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — नोएडा फिल्म सिटी, साफ्टवेयर पार्क्स
- प्रमुख उद्योग — आटोमोबाईल, पेण्ट, ऐन्सलियरी इकाइयाँ, न्यूज चैनल्स उद्योग आदि

64. हाथरस

- क्षेत्रफल — 1840 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 1564708
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 728581
- पुरुष (जनसंख्या) — 836127
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 17.19 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 871-1000
- जनसंख्या घनत्व — 850 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 71.6 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 02 (सिकन्दराराऊ, हाथरस)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 04 (सासनी, हाथरस, सादाबाद, सिकन्दराराऊ)
- विकासखण्डों की संख्या — 07 (सासनी, सहपऊ, हाथरस, मुरसान, सादाबाद, सिकन्दराराऊ, हसायन)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 655
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — दाऊजी महाराज का मन्दिर, महाकाली मन्दिर (शाहपाउ)
- प्रमुख उद्योग — एसोफीटीडा (हींग), देशी घी, चीनी, रेडीमेड परिधान, केमिकल्स, कृत्रिम मोती, आर्टवेयर

65. औरैया

- क्षेत्रफल — 2016 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 1379545
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 639505
- पुरुष (जनसंख्या) — 740040
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 16.99 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 864-1000
- जनसंख्या घनत्व — 685 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 78.9 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 01 (औरैया)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 02 (विधूना, औरैया)
- विकासखण्डों की संख्या — 07 (एरवा कटरा, विधूना, अछल्दा, सहार, अजीतमल, भाग्यनगर, औरैया)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 769
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — राष्ट्रीय चम्बल सैंक्चयूरी
- प्रमुख उद्योग — हैण्डलूम के कपड़ों का उत्पादन

66. कौशाम्बी

- क्षेत्रफल — 1779 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 1599596
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 761111
- पुरुष (जनसंख्या) — 838485
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 23.60 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 908-1000
- जनसंख्या घनत्व — 898 प्रति वर्ग किमी.

- साक्षरता 61.3 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या 01 (भरवारी)
- नगर पंचायतों की संख्या एवं नाम 00
- तहसीलों की संख्या एवं नाम 03 (सिराथू, मंझनपुर, चायल)
- विकासखण्डों की संख्या 08 (कड़ा, सिराथू, सरसवां, मंझपुर, कौशाम्बी, मुरतगंज, चायल, नेवादा)
- आबाद ग्रामों की संख्या 729
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल शीतला शक्तिपीठ मन्दिर, प्रभासगिरि (पभोसा), महाराज उदयन के किले के अवशेष, गढ़वा कोसम, दुर्गा देवी मन्दिर (मंझनपुर), संत मलूकदास की समाधि
- प्रमुख उद्योग बालू खनन, कोल्ड स्टोरेज, ईंट-भट्टा उद्योग

67. अम्बेडकर नगर

- क्षेत्रफल 2350 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) 2397888
- महिलाएँ (जनसंख्या) 1185478
- पुरुष (जनसंख्या) 1212410
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 18.0 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात 978-1000
- जनसंख्या घनत्व 1018 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता 72.2 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या 03 (टाण्डा, अकबरपुर, जलालपुर)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम 05 (अकबरपुर, भीटी, टाण्डा, जलालपुर, आलापुर)
- विकासखण्डों की संख्या 10 (भीटी, अकबरपुर, कटेहरी, टाण्डा, बसखारी, रामनगर, बेवाना, जहागीरगंज, जलालपुर, भियाव)
- आबाद ग्रामों की संख्या 1645
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल शिवलिंगम (बीरी), लोरपुर राजा का किला, एकलव्य स्टेडियम (बसखारी रोड), साहित्य सदन (सेथवा), शिवबाबा
- प्रमुख उद्योग टाण्डा-टेराकोटा, पावरलूम, थर्मल पावर स्टेशन (एन.टी.पी.सी.), अकबरपुर शुगर मिल, राइस मिल, अचल इण्डस्ट्री

68. श्रावस्ती

- क्षेत्रफल 1640 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) 1117361
- महिलाएँ (जनसंख्या) 523464
- पुरुष (जनसंख्या) 593897
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 30.6 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात 881-1000
- जनसंख्या घनत्व 601 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता 46.7 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या 01 (भिनगा)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम 02 (भिनगा, इकौना)
- विकासखण्डों की संख्या 06 (जमुनहा, गिलौला, इकौना, हरिहरपुर रानी, सिरसिया, लक्ष्मणपुर बाजार)
- आबाद ग्रामों की संख्या 506

- गैर आबाद ग्रामों की संख्या 32
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल जेतवन, मोनेस्ट्री, बुद्ध विहार, महामंगोल मन्दिर, महावीर मन्दिर, सहेत-महेत, शक्तिपीठ
- प्रमुख उद्योग कृषि तथा पर्यटन उद्योग

69. सन्त कबीर नगर

- क्षेत्रफल 1646 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) 1715183
- महिलाएँ (जनसंख्या) 845527
- पुरुष (जनसंख्या) 869656
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 20.71 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात 973-1000
- जनसंख्या घनत्व 1037 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता 66.7 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या 01 (खलीलाबाद)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम 03 (खलीलाबाद, मेंहदावल, घनघटा)
- विकासखण्डों की संख्या 09 (सेमरियांवा, मेहदावल, वघौली, खलीलाबाद, नाथनगर, हेसरबाजार, सांथा, बेलहरकला, पौली)
- आबाद ग्रामों की संख्या 1582
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल तामा, बखीरा, खलीलाबाद और कबीर निर्वाण स्थली मगहर
- प्रमुख उद्योग पेपर मिल, रिफाइण्ड तेल, काटन टेक्सटाइल, पाटरी, कन्फेक्शनरी, बढ़ईगिरी, ब्रासवेयर, ईंट, एग्रो-उत्पाद, साबुन, मोमबत्ती, खाण्डसारी आदि

70. चंदौली

- क्षेत्रफल 2541 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) 1952756
- महिलाएँ (जनसंख्या) 934851
- पुरुष (जनसंख्या) 1017905
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 18.1 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात 918-1000
- जनसंख्या घनत्व 770 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता 71.5 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या 01 (दीनदयाल उपाध्याय नगर)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम 03 (सकलडीहा, चन्दौली, चाकिया)
- विकासखण्डों की संख्या 09 (चहनिया, घानपुर, सकलडीहा, नियामाबाद, चन्दौली, बरहनी चकिया, सहाबगंज, नौगढ़)
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल छहानिया, नवगढ़ के जंगल, जल प्रपात, राजदारी एवं देवदारी जल प्रपात, चकिया, चन्द्र प्रभा डैम, नवगढ़ डैम, अर्वताण्ड जल प्रपात एवं चन्द्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सैंक्चयूरी
- प्रमुख उद्योग राइस मिल, लकड़ी उद्योग एवं जंगल उत्पाद आ□ारित उद्योग
- आबाद ग्रामों की संख्या 1428

71. कासगंज

- क्षेत्रफल — 1955 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 1436719
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 672554
- पुरुष (जनसंख्या) — 764165
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 17.05 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 881-1000
- जनसंख्या घनत्व — 725 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 61.0 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 03 (कासगंज, सोरों, गंज डुडवारा)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 03 (कासगंज, पटियाली, सहावर)
- विकासखण्डों की संख्या एवं नाम — 07 (सोरों, सहावर, पटियाली, कासगंज, गंजडुण्डुवारा, सिढ़पुरा, अमापुर)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 649
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — भगवान वराह मन्दिर, जामा मस्जिद, नदरई का पुल, प्रभु का पार्क, चामुण्डा मन्दिर आदि
- हस्तशिल्प — खादी वस्त्र, घुंघरू घंटी, कांचमूंगा, मोती, मूंगबान
- प्रमुख उद्योग — कृषि उत्पाद हेतु शीतगृह, सीमेण्ट कारखाना, राइस मिल, कालीन कारखाना, दुग्ध प्लांट, ईंट भट्टा एवं बेकरी आदि

72. अमेठी

- क्षेत्रफल — 2329 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 1867678
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 922443
- पुरुष (जनसंख्या) — 945235
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 18.42 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 976-1000
- जनसंख्या घनत्व — 610 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 64.3 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 02 (जायस, गौरीगंज)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 04 (मुसाफिरखाना, अमेठी, गौरीगंज, तिलोई)
- विकासखण्डों की संख्या एवं नाम — 13 (मुसाफिरखाना, अमेठी, गौरीगंज, तिलोई, जगदीशपुर, शुकुलबाजार, भादर, भेटुआ, संग्रामपुर, शाहगढ, जामों, बहादुरपुर, सिंहपुर)
- ग्रामों की संख्या — 976
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — मलिक मुहम्मद जायसी की मजार, टीकरमाफी आश्रम, कालिकन धाम, सत्थिन, अहोरवन भवानी
- प्रमुख उद्योग — ए.सी.सी. सीमेन्ट फैक्ट्री, भेल, इण्डोगल्फ, एच.ए.एल. गैस प्लान्ट

73. शामली

- क्षेत्रफल — 1212 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 1313647
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 614259
- पुरुष (जनसंख्या) — 699388
- तहसीलों की संख्या — 02 (कैराना, शामली)

- विकासखण्डों की संख्या — 05 (ऊन, थाना भवन, शामली, कैराना, कांधला (आंशिक)
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 03 (कैराना, कांधला, शामली)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 281
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — हनुमान टीला, जैन मन्दिर (जलालाबाद), गुरुद्वारा (शामली), पीर बिडौली (झिंझाना), कर्ण का तालाब (कैराना)

74. हापुड़

- क्षेत्रफल — 660 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 1338311
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 629401
- पुरुष (जनसंख्या) — 708910
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 18.5
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 888-1000
- जनसंख्या घनत्व — 2028 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 71.2 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 02 (गढ़मुक्तेश्वर, पिलखुवा)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 03 (हापुड़, गढ़मुक्तेश्वर, धौलाना)
- विकासखण्डों की संख्या एवं नाम — 04 (हापुड़, सिम्भावली, गढ़मुक्तेश्वर, धौलाना)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 329
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — चण्डी मन्दिर, दुग्धेश्वरनाथ मन्दिर, सपनावत साईं मन्दिर

75. संभल

- क्षेत्रफल — 2453 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 2199774
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1039728
- पुरुष (जनसंख्या) — 1160046
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 18.5 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 888-1000
- जनसंख्या घनत्व — 2028 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 71.2 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 03 (चन्दौसी, सम्भल, बहजोई)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 03 (संभल, चन्दौसी, गुन्नौर)
- विकासखण्डों की संख्या एवं नाम — 08 (रजपुरा, गुन्नौर, जूनावई, असमौली, संभल, पवासा, बनियाखेड़ा, बहजोई)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 893
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — सूर्यकुण्ड, कुरुक्षेत्र, यमतीर्थ, कल्किमन्दिर, शाही मस्जिद, चक्की-पाट
- प्रमुख उद्योग — मैंथा, हड्डी-सींग, कृषियन्त्र, हैण्डीक्राफ्ट, चाँदी का वरक

स्रोतः 1. सांख्यिकीय डायरी- 2018

2. जनपदीय सांख्यिकी पत्रिका 2017 - अर्थ एवं संख्या प्रभाग

भारत के राष्ट्रपति

क्रम	नाम	कार्यकाल		
1.	डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद (1884-1963)	26 जनवरी, 1950	से	13 मई, 1962
2.	डॉ0 सर्वपल्ली राधाकृष्णन् (1888-1975)	13 मई, 1962	से	13 मई, 1967
3.	डॉ0 जाकिर हुसैन (1897-1969)	13 मई, 1967	से	03 मई, 1969
4.	श्री वराहगिरि वेंकट गिरि (1894-1980) (कार्यवाहक)	3 मई, 1969	से	20 जुलाई, 1969
5.	न्यायमूर्ति मुहम्मद हिदायतुल्लाह (1905-1992) (कार्यवाहक)	20 जुलाई, 1969	से	24 अगस्त, 1969
6.	श्री वराहगिरि वेंकट गिरि (1894-1980)	24 अगस्त, 1969	से	24 अगस्त, 1974
7.	डॉ. फखरुद्दीन अली अहमद (1905-1977)	24 अगस्त, 1974	से	11 फरवरी, 1977
8.	श्री बी0डी0 जत्ती (1912-2002) (कार्यवाहक)	11 फरवरी, 1977	से	25 जुलाई, 1977
9.	श्री नीलम संजीव रेड्डी (1913-1996)	25 जुलाई, 1977	से	25 जुलाई, 1982
10.	श्री ज्ञानी जैल सिंह (1916-1994)	25 जुलाई, 1982	से	25 जुलाई, 1987
11.	श्री आर0 वेंकटरामन (1910-2009)	25 जुलाई, 1987	से	25 जुलाई, 1992
12.	डॉ0 शंकर दयाल शर्मा (1918-1999)	25 जुलाई, 1992	से	25 जुलाई, 1997
13.	डॉ0 के0 आर0 नारायणन (1920-2005)	25 जुलाई, 1997	से	25 जुलाई, 2002
14.	डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम (1931-2015)	25 जुलाई, 2002	से	25 जुलाई, 2007
15.	श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल (जन्म 1934)	25 जुलाई, 2007	से	25 जुलाई, 2012
16.	श्री प्रणब मुखर्जी (जन्म 1935)	25 जुलाई, 2012	से	25 जुलाई, 2017
17.	श्री राम नाथ कोविन्द (जन्म 1945)	25 जुलाई, 2017	से	वर्तमान तक

स्रोत : presidentofindia.nic.in/profile-hi.htm

भारत के उपराष्ट्रपति

क्रम	नाम	कार्यकाल
1.	डॉ0 सर्वपल्ली राधाकृष्णन् (1888-1975)	13 मई, 1952 से 12 मई, 1962
2.	डॉ0 जाकिर हुसैन (1897-1969)	13 मई, 1962 से 12 मई, 1967
3.	श्री वी0वी0 गिरि (1894-1980)	13 मई, 1967 से 03 मई, 1969
4.	श्री गोपाल स्वरूप पाठक (1896-1982)	31 अगस्त, 1969 से 30 अगस्त, 1974
5.	श्री बी0 डी0 जत्ती (1912-2002)	31 अगस्त, 1974 से 30 अगस्त, 1979
6.	न्यायमूर्ति एम. हिदायतुल्लाह (1905-1992)	31 अगस्त, 1979 से 30 अगस्त, 1984
7.	श्री आर0 वेंकटरमन (1910-2009)	31 अगस्त, 1984 से 24 जुलाई, 1987
8.	डॉ0 शंकर दयाल शर्मा (1918-1999)	3 सितम्बर, 1987 से 24 जुलाई, 1992
9.	श्री के0 आर0 नारायणन (1920-2005)	21 अगस्त, 1992 से 24 जुलाई, 1997
10.	श्री कृष्णकांत (1927-2002)	21 अगस्त, 1997 से 21 जुलाई, 2002
11.	श्री भैरों सिंह शेखावत (1923-2010)	19 अगस्त, 2002 से 21 जुलाई, 2007
12.	मोहम्मद हामिद अंसारी (जन्म, 1937)	11 अगस्त, 2007 से 10 अगस्त, 2017
13.	श्री एम0 वेंकैया नायडु (जन्म, 1949)	11 अगस्त, 2017 से वर्तमान में

स्रोत : vicepresidentofindia.nic.in/hi/profile

भारत के प्रधानमंत्री

क्रम	नाम	कार्यकाल		
1.	पं. जवाहर लाल नेहरू (1889-1964)	15 अगस्त, 1947	से	27 मई 1964
2.	श्री गुलजारी लाल नंदा (1898-1998) (कार्यवाहक)	27 मई, 1964	से	9 जून, 1964
3.	श्री लाल बहादुर शास्त्री (1904-1966)	9 जून, 1964	से	11 जनवरी, 1966
4.	श्री गुलजारी लाल नंदा (1898-1998) (कार्यवाहक)	11 जनवरी, 1966	से	24 जनवरी, 1966
5.	श्रीमती इंदिरा गांधी (1917-1984)	24 जनवरी, 1966	से	24 मार्च, 1977
6.	श्री मोरारजी देसाई (1896-1995)	24 मार्च, 1977	से	28 जुलाई, 1979
7.	चौ0 चरण सिंह (1902-1987)	28 जुलाई, 1979	से	14 जनवरी, 1980
8.	श्रीमती इंदिरा गांधी (1917-1984)	14 जनवरी, 1980	से	31 अक्टूबर, 1984
9.	श्री राजीव गांधी (1944-1991)	31 अक्टूबर, 1984	से	2 दिसम्बर, 1989
10.	श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (1931-2008)	2 दिसम्बर, 1989	से	10 नवम्बर, 1990
11.	श्री चन्द्रशेखर (1927-2007)	10 नवम्बर, 1990	से	21 जून, 1991
12.	श्री पी0वी0 नरसिम्हा राव (1921-2004)	21 जून, 1991	से	16 मई, 1996
13.	श्री अटल बिहारी वाजपेयी (1924-2018)	16 मई, 1996	से	1 जून, 1996
14.	श्री एच0 डी0 देवेगौड़ा (जन्म- 1933)	1 जून, 1996	से	21 अप्रैल, 1997
15.	श्री इन्द्र कुमार गुजराल (1919-2012)	21 अप्रैल 1997	से	19 मार्च 1998
16.	श्री अटल बिहारी वाजपेयी (1924-2018)	19 मार्च 1998	से	22 मई, 2004
17.	डॉ0 मनमोहन सिंह (जन्म- 1932)	22 मई, 2004	से	26 मई, 2014
18.	श्री नरेन्द्र मोदी (जन्म- 1950)	26 मई, 2014	से	वर्तमान तक

स्रोत : pmindia.gov.in/hi/अपने प्रधानमंत्री को जाने

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल

क्र.सं.	नाम	कार्यकाल		
1.	श्रीमती सरोजिनी नायडू	15 अगस्त, 1947	से	02 मार्च, 1949
2.	न्यायमूर्ति श्री बी.बी. मलिक	03 मार्च, 1949	से	01 मई, 1949
3.	श्री एच.पी. मोदी	02 मई, 1949	से	25 जनवरी, 1950
4.	श्री एच.पी. मोदी	26 जनवरी, 1950	से	01 जून, 1952
5.	डॉ. कन्हैया लाल मानिक लाल मुन्शी	02 जून, 1952	से	09 जून, 1957
6.	श्री वराह गिरि वेंकट गिरि	10 जून, 1957	से	30 जून 1960
7.	डॉ. बी. रामाकृष्णा राव	01 जुलाई, 1960	से	15 अप्रैल, 1962
8.	श्री विश्वनाथ दास	16 अप्रैल, 1962	से	30 अप्रैल 1967
9.	डॉ. बेजवाड़ा गोपाला रेड्डी	01 मई, 1967	से	30 जून 1972
10.	न्यायमूर्ति श्री शशी कान्त वर्मा	01 जुलाई, 1972	से	13 नवम्बर 1972
11.	श्री अकबर अली खान	14 नवम्बर, 1972	से	24 अक्टूबर 1974
12.	डॉ. मारी चेन्ना रेड्डी	25 अक्टूबर, 1974	से	01 अक्टूबर, 1977
13.	श्री गनपत राव देवजी तपासे	02 अक्टूबर, 1977	से	27 फरवरी 1980
14.	श्री सी. पी. एन. सिंह	28 फरवरी, 1980	से	31 मार्च, 1985
15.	श्री मो. उस्मान आरिफ	31 मार्च, 1985	से	11 फरवरी, 1990
16.	श्री बी. सत्यनारायण रेड्डी	12 फरवरी, 1990	से	25 मई, 1993
17.	श्री मोती लाल वोरा	25 मई, 1993	से	03 मई, 1996
18.	श्री मोहम्मद शफी कुरैशी	03 मई, 1996	से	19 जुलाई, 1996
19.	श्री रोमेश भण्डारी	19 जुलाई, 1996	से	17 मार्च, 1998
20.	श्री मोहम्मद शफी कुरैशी	17 मार्च, 1998	से	19 अप्रैल, 1998
21.	श्री सूरज भान	20 अप्रैल, 1998	से	23 नवम्बर, 2000
22.	श्री विष्णुकान्त शास्त्री	24 नवम्बर, 2000	से	02 जुलाई, 2004
23.	श्री सुदर्शन अग्रवाल	03 जुलाई, 2004	से	07 जुलाई, 2004
24.	श्री टी.वी. राजेस्वर	08 जुलाई, 2004	से	27 जुलाई, 2009
25.	श्री बी.एल. जोशी	28 जुलाई, 2009	से	23 जून, 2014
26.	डॉ. अज़ीज़ कुरैशी	23 जून, 2014	से	22 जुलाई, 2014
27.	श्री राम नाईक	22 जुलाई, 2014	से	28 जुलाई, 2019
28.	श्रीमती आनंदीबेन मफतभाई पटेल	29 जुलाई, 2019	से	वर्तमान में

स्रोत : **राजभवन, लखनऊ**

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री

क्र.सं.	नाम	कार्यकाल		
1.	पं. गोविन्द वल्लभ पंत	01-04-1946	से	27-12-1954
2.	डॉ. सम्पूर्णानन्द	28-12-1954	से	06-12-1960
3.	श्री चन्द्रभानु गुप्त	07-12-1960	से	01-10-1963
4.	श्रीमती सुचेता कृपलानी	02-10-1963	से	13-03-1967
5.	श्री चन्द्रभानु गुप्त	14-03-1967	से	02-04-1967
6.	चौधरी चरण सिंह	03-04-1967	से	25-02-1968
	राष्ट्रपति शासन	**25-02-1968**	**से**	**25-02-1969**
7.	श्री चन्द्रभानु गुप्त	26-02-1969	से	17-02-1970
8.	चौधरी चरण सिंह	17-02-1970	से	01-10-1970
	राष्ट्रपति शासन	**02-10-1970**	**से**	**18-10-1970**
9.	श्री त्रिभुवन नारायण सिंह	18-10-1970	से	04-04-1971
10.	श्री कमलापति त्रिपाठी	04-04-1971	से	12-06-1973
	राष्ट्रपति शासन	**13-06-1973**	**से**	**08-11-1973**
11.	श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा	08-11-1973	से	30-11-1975
	राष्ट्रपति शासन	**30-11-1975**	**से**	**21-01-1976**
12.	श्री नारायण दत्त तिवारी	21-01-1976	से	30-04-1977
	राष्ट्रपति शासन	**30-04-1977**	**से**	**22-06-1977**
13.	श्री रामनरेश यादव	23-06-1977	से	28-02-1979
14.	श्री बनारसी दास	28-02-1979	से	17-02-1980
	राष्ट्रपति शासन	**17-02-1980**	**से**	**09-06-1980**
15.	श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह	09-06-1980	से	19-07-1982
16.	श्री श्रीपति मिश्र	19-07-1982	से	03-08-1984
17.	श्री नारायण दत्त तिवारी	03-08-1984	से	10-03-1985
18.	श्री नारायण दत्त तिवारी	11-03-1985	से	23-09-1985
19.	श्री वीर बहादुर सिंह	24-09-1985	से	24-06-1988
20.	श्री नारायण दत्त तिवारी	25-06-1988	से	05-12-1989
21.	श्री मुलायम सिंह यादव	05-12-1989	से	24-06-1991

22. श्री कल्याण सिंह	24-06-1991	से	06-12-1992
राष्ट्रपति शासन	**06-12-1992**	**से**	**04-12-1993**
23. श्री मुलायम सिंह यादव	04-12-1993	से	03-06-1995 (अपरान्ह)
24. सुश्री मायावती	03-06-1995	से	17-10-1995
राष्ट्रपति शासन	**18-10-1995**	**से**	**17-10-1996**
राष्ट्रपति शासन	**17-10-1996**	**से**	**21-03-1997**
25. सुश्री मायावती	21-03-1997	से	21-09-1997
26. श्री कल्याण सिंह	21-09-1997	से	12-11-1999
27. श्री रामप्रकाश गुप्त	12-11-1999	से	28-10-2000
28. श्री राजनाथ सिंह	28-10-2000	से	08-03-2002
राष्ट्रपति शासन	**08-03-2002**	**से**	**03-05-2002**
29. सुश्री मायावती	03-05-2002	से	29-08-2003
30. श्री मुलायम सिंह यादव	29-08-2003	से	13-05-2007
31. सुश्री मायावती	13-05-2007	से	14-03-2012
32. श्री अखिलेश यादव	15-03-2012	से	19-03-2017
33. श्री योगी आदित्यनाथ	19-03-2017	से	वर्तमान में

स्रोत : गोपन-1

उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष

क्र.सं.	माननीय अध्यक्ष	कार्यकाल		
1.	श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन	31-07-1937	से	10-08-1950
2.	श्री नफीसुल हसन	21-12-1950	से	19-05-1952
3.	श्री आत्माराम गोविन्द खेर	20-05-1952	से	10-04-1957
4.	श्री आत्माराम गोविन्द खेर	10-04-1957	से	26-03-1962
5.	श्री मदन मोहन वर्मा	26-03-1962	से	16-03-1967
6.	श्री जगदीश शरण अग्रवाल	17-03-1967	से	16-03-1969
7.	श्री आत्माराम गोविन्द खेर	17-03-1969	से	18-03-1974
8.	श्री वासुदेव सिंह	18-03-1974	से	12-07-1977
9.	श्री बनारसी दास	12-07-1977	से	26-02-1979
10.	श्री श्रीपति मिश्र	07-07-1980	से	18-07-1982
11.	श्री धरम सिंह	25-08-1982	से	15-03-1985
12.	श्री नियाज हसन	15-03-1985	से	09-01-1990
13.	श्री हरि किशन श्रीवास्तव	09-01-1990	से	30-07-1991
14.	श्री केशरी नाथ त्रिपाठी	30-07-1991	से	15-12-1993
15.	श्री धनीराम वर्मा	15-12-1993	से	20-06-1995
16.	श्री बरखू राम वर्मा	18-07-1995	से	26-03-1997
17.	श्री केशरी नाथ त्रिपाठी	27-03-1997	से	14-05-2002
18.	श्री केशरी नाथ त्रिपाठी	14-05-2002	से	19-05-2004
19.	श्री माता प्रसाद पाण्डेय	26-07-2004	से	18-05-2007
20.	श्री सुखदेव राजभर	18-05-2007	से	13-04-2012
21.	श्री माता प्रसाद पाण्डेय	13-04-2012	से	30-03-2017
22.	श्री हृदय नरायण दीक्षित	30-03-2017	से	वर्तमान में

कार्यकारी अध्यक्ष

1.	श्री जगन्नाथ प्रसाद	27-02-1979 से 17-02-1980 तक
2.	श्री यादवेन्द्र सिंह	19-07-1982 से 24-08-1982 तक
3.	श्री बरखू राम वर्मा	20-06-1995 से 17-07-1995 तक
4.	डॉ. वकार अहमद शाह	19-05-2004 से 26-07-2004 तक

* विधानसभा पुस्तकालय में शोध एवं सन्दर्भ अधिकारी द्वारा प्रमाणित।

उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति

क्र.सं.	नाम	कार्यकाल		
1.	श्री चन्द्र भाल	26 जनवरी, 1950	से	5 मई, 1958 तक
2.	श्री निजामुद्दीन (कार्यकारी सभापति)	6 मई, 1958	से	19 जुलाई, 1958 तक
3.	श्री रघुनाथ विनायक धुलेकर	20 जुलाई, 1958	से	5 मई, 1964 तक
4.	श्री दरबारी लाल शर्मा (प्रोटेम सभापति)	6 मई 1964	से	4 अगस्त, 1964 तक
5.	श्री दरबारी लाल शर्मा	5 अगस्त, 1964	से	5 मई, 1968 तक
6.	श्री दरबारी लाल शर्मा (प्रोटेम सभापति)	6 मई, 1968	से	1 मार्च 1969 तक
7.	श्री वीरेन्द्र स्वरूप (कार्यकारी सभापति)	2 मार्च, 1969	से	14 मार्च, 1969
8.	श्री वीरेन्द्र स्वरूप	15 मार्च, 1969	से	5 मई, 1974 तक
9.	श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह (कार्यकारी सभापति)	6 मई 1974	से	10 जून, 1974 तक
10.	श्री वीरेन्द्र स्वरूप	11 जून, 1974	से	26 फरवरी, 1980 तक
11.	श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह चंदेल (प्रोटेम सभापति)	18 जून, 1980	से	5 अक्टूबर, 1980 तक
12.	श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह चंदेल	6 अक्टूबर,1980	से	5 मई, 1982 तक
13.	श्री शिव प्रसाद गुप्त (कार्यकारी सभापति)	6 मई, 1982	से	2 मार्च 1983 तक
14.	श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह चंदेल	3 मार्च, 1983	से	5 मई, 1988 तक
15.	श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित (प्रोटेम)	6 मई, 1988	से	5 अप्रैल 1989 तक
16.	श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित	6 अप्रैल, 1989	से	7 मार्च, 1990 तक
17.	श्री शिव प्रसाद गुप्त (प्रोटेम)	13 मार्च, 1990	से	8 अप्रैल, 1990 तक
18.	श्री शिव प्रसाद गुप्त (प्रोटेम)	9 अप्रैल, 1990	से	4 जुलाई, 1990 तक
19.	श्री शिव प्रसाद गुप्ता	5 जुलाई, 1990	से	6 जुलाई, 1992 तक
20.	श्री नित्यानन्द स्वामी (कार्यकारी सभापति)	7 जुलाई 1992	से	9 मई, 1996 तक
21.	श्री नित्यानन्द स्वामी (प्रोटेम सभापति)	23 मई, 1996	से	23 अप्रैल, 1997 तक
22.	श्री नित्यानन्द स्वामी	25 अप्रैल, 1997	से	8 नवम्बर, 2000 तक
23.	श्री ओमप्रकाश शर्मा (प्रोटेम सभापति)	17 नवम्बर, 2000	से	5 मई 2002 तक
24.	श्री कुँवर मानवेन्द्र सिंह (प्रोटेम सभापति)	6 मई 2002	से	2 अगस्त, 2004 तक
25.	चौ. सुखराम सिंह यादव	3 अगस्त, 2004	से	15 जनवरी, 2010 तक
26.	श्री कमला कान्त गौतम (प्रोटेम सभापति)	16 जनवरी, 2010	से	20 जनवरी, 2010 तक
27.	श्री गणेश शंकर पाण्डेय	21 जनवरी, 2010	से	15 जनवरी, 2016 तक
28.	श्री रमेश यादव	11 मार्च, 2016	से	30 जनवरी, 2021 तक
29.	श्री कुँवर मानवेन्द्र सिंह	31 जनवरी, 2021	से	वर्तमान तक

स्रोत : upvidhanparishad.nic.in/pithasinadhikari-sabhapati.htm

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश

1.	न्यायमूर्ति श्री वाल्टर मोरगन	(1866-1871)
2.	न्यायमूर्ति श्री राबर्ट स्टुअर्ट	(1871-1884)
3.	न्यायमूर्ति श्री विलियम कोमर पेटहेरम	(1884-1886)
4.	न्यायमूर्ति श्री जॉन एज़	(1886-1898)
5.	न्यायमूर्ति श्री लुईस एडिन कर्शा	(1898)
6.	न्यायमूर्ति श्री आर्थर स्ट्रेची	(1898-1901)
7.	न्यायमूर्ति श्री जॉन स्टेनली	(1901-1911)
8.	न्यायमूर्ति श्री हेनरी रिचर्ड्स	(1911-1919)
9.	न्यायमूर्ति श्री एडवर्ड ग्रीमवुड मिअर्स	(1919-1932)
10.	न्यायमूर्ति श्री शाह मुहम्मद सुलेमान	(1932-1937)
11.	न्यायमूर्ति श्री जॉन गिब थॉम	(1937-1941)
12.	न्यायमूर्ति श्री इकबाल अहमद	(1941-1946)
13.	न्यायमूर्ति श्री कमलकान्त वर्मा	(1946-1947)
14.	न्यायमूर्ति श्री विधु भूषण मलिक	(1947-1955)
15.	न्यायमूर्ति श्री ओ.एच. मूथम	(1955-1961)
16.	न्यायमूर्ति श्री मनुलाल चुनिलाल देसाई	(1961-1966)
17.	न्यायमूर्ति श्री वशिष्ठ भार्गव	(25-02-1966 से 07-08-1966)
18.	न्यायमूर्ति श्री नसीरुल्लाह बेग	(1966-1967)
19.	न्यायमूर्ति श्री विद्याधर गोविन्द ओक	(1967-1971)
20.	न्यायमूर्ति श्री शशिकान्त वर्मा	(1971-1973)
21.	न्यायमूर्ति श्री धात्री शरन माथुर	(1973-1974)
22.	न्यायमूर्ति श्री कुँवर बहादुर अस्थाना	(1974-1977)
23.	न्यायमूर्ति श्री डी.एम. चन्द्रशेखर	(1977-1978)
24.	न्यायमूर्ति श्री सतीश चन्द्रा	(1978-1983)
25.	न्यायमूर्ति श्री महेश नारायण शुक्ल	(1983-1985)
26.	न्यायमूर्ति श्री हृदयनाथ सेठ	(1986)
27.	न्यायमूर्ति श्री के. जगन्नाथ शेट्टी	(1986-1987)

28.	न्यायमूर्ति श्री द्वारका नाथ झा	(1987)
29.	न्यायमूर्ति श्री अमिताव बनर्जी	(1987-1988)
30.	न्यायमूर्ति श्री ब्रह्मनाथ काटजू	(1988-1989)
31.	न्यायमूर्ति श्री बी.पी. जीवन रेड्डी	(1990-1991)
32.	न्यायमूर्ति श्री एम.के. मुखर्जी	(1991-1993)
33.	न्यायमूर्ति श्री एस.एस. सोढी	(1994-1995)
34.	न्यायमूर्ति श्री ए.एल. राव	(1995-1996)
35.	न्यायमूर्ति श्री डी.पी. मोहापात्र	(1996-1998)
36.	न्यायमूर्ति श्री एन.के. मित्रा	(1999-2000)
37.	न्यायमूर्ति श्री श्यामल कुमार सेन	(8-5-2000 से 24-11-2002)
38.	न्यायमूर्ति श्री तरुन चटर्जी	(31-1-2003 से 26-08-2004)
39.	न्यायमूर्ति श्री अजय नाथ रे	(11-1-2005 से 26-1-2007)
40.	न्यायमूर्ति श्री एच.एल. गोखले	(7-3-2007 से 8-3-2009)
41.	न्यायमूर्ति श्री चन्द्रमौलि कुमार प्रसाद	(20-3-2009 से 7-2-2010)
42.	न्यायमूर्ति फरदीनो इनासियो रिबेलो	(26-6-2010 से 30-7-2011)
43.	न्यायमूर्ति सैय्यद रफत आलम	(5-8-2011 से 7-8-2012)
44.	न्यायमूर्ति शिवा कीर्ति सिंह	(17-10-2012 से 18-9-2013)
45.	न्यायमूर्ति डॉ. धनंजय यशवंत चन्द्रचूड़	(31-10-2013 से 12.05.2016)
46.	न्यायमूर्ति दिलीप बाबासाहेब भोसले	(30-07-2016 से 23-10-2018)
47.	न्यायमूर्ति गोविन्द माथुर	(14-11-2018 से वर्तमान)

स्रोत : allahabadhighcourt.in

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के सदस्य

क्र.सं.	पदाधिकारियों का नाम	पद नाम	फोन नं.
1.	श्रीमती विमला बाथम	अध्यक्ष	9810492224
2.	श्रीमती सुषमा सिंह	उपाध्यक्ष	7015084114
3.	श्रीमती अंजू चौधरी	उपाध्यक्ष	9935311226
4.	श्रीमती प्रियंवदा तोमर	सदस्य	9968177169, 9837062424
5.	श्रीमती अनीता सिंह	सदस्य	9450611725
6.	श्रीमती सुमन चतुर्वेदी	सदस्य	9412167674
7.	श्रीमती इन्द्रवास सिंह	सदस्य	9415084521, 9628136580
8.	श्रीमती सुनीता बंसल	सदस्य	9450453831, 8416832809
9.	श्रीमती निर्मला द्विवेदी	सदस्य	9415823608
10.	श्रीमती राखी त्यागी	सदस्य	9520909331
11.	श्रीमती निर्मला दीक्षित	सदस्य	9837051064, 9412253817
12.	श्रीमती मीना कुमारी	सदस्य	9412275500, 9927500041
13.	श्रीमती कंचन जायसवाल	सदस्य	9415505935, 8707251477
14.	श्रीमती प्रभा गुप्ता	सदस्य	9415497135, 7379231104
15.	श्रीमती पूनम कपूर	सदस्य	9935864392, 9453991287
16.	श्रीमती मनोरमा शुक्ला	सदस्य	9236435872, 9453561765
17.	श्रीमती उषारानी गौतम	सदस्य	9838131517
18.	श्रीमती अनीता सचान	सदस्य	9793231222
19.	श्रीमती शशि मौर्या	सदस्य	9451157299, 7398146383
20.	श्रीमती कुमुद श्रीवास्तव	सदस्य	9044252520, 9935117222
21.	श्रीमती रामसखी कठेरिया	सदस्य	9410840828
22.	श्रीमती संगीता तिवारी	सदस्य	9935453289
23.	श्रीमती अवनि सिंह	सदस्य	9917445555, 9917012222
24.	श्रीमती सुमन सिंह	सदस्य	8929645415, 7459882365
25.	श्रीमती अंजू प्रजापति	सदस्य	7800231154
26.	श्रीमती अर्चना	सदस्य	7007791953
27.	श्रीमती मिथिलेश अग्रवाल	सदस्य	9839239394
28.	श्रीमती रंजना शुक्ला	सदस्य	8052005566

स्रोत : mahilaayog.up.nic.in

उत्तर प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय

1. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़-202 002. (केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
2. इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, सी.पी.आई. परिसर, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद, उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
3. एमिटी विश्वविद्यालय, नोएडा-201 313, सेक्टर-125, उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
4. बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, विद्या विहार, रायबरेली रोड, लखनऊ-226 025, उ0प्र0 (केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
5. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी-221 005, उ0प्र0 (केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
6. बांदा यूनिवर्सिटी आफ एग्रीकल्चर एण्ड टेक्नोलॉजी, बांदा-210001, उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
7. बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, रुहेलखण्ड मेडिकल कालेज कैम्पस, पीलीभीत बाईपास रोड, बरेली-243006, उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
8. बेनेट यूनिवर्सिटी, प्लाट न0. 8-11 टेक जोन ।।, ग्रेटर नोएडा-201301, उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
9. भातखण्डे म्यूजिक इन्स्टीट्यूट, कैसरबाग, लखनऊ-220 001 (डीम्ड विश्वविद्यालय)
10. बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, कानपुर रोड, झाँसी- 284 128 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
11. बाबू बनारसी दास वि0वि0, 55, बाबू बनारसीदास नगर, लखनऊ, उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
12. सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट आफ हायर तिब्बतन स्टडीज, सारनाथ, वाराणसी-221 007 (डीम्ड विश्वविद्यालय)
13. चन्द्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय कृषि एवं तकनीकी, नवाबगंज कानपुर- 208002 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
14. छत्रपति शाहूजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, कल्याणपुर, कानपुर- 208024 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
15. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ- 250 004 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
16. दयालबाग एजुकेशनल इन्स्टीट्यूट, दयालबाग, आगरा- 282 005 उ0प्र0 (डीम्ड विश्वविद्यालय)
17. दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर- 273 009 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
18. डॉ0 ए.पी.जे. अब्दुल कलाम तकनीकी वि0वि0, सेक्टर-11, जानकीपुरम एक्सटेंशन योजना, लखनऊ-226 031, उ0प्र0
19. डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, इलाहाबाद रोड फैजाबाद-224 001 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
20. डॉ. राममनोहर लोहिया इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्स, विभूति खण्ड, गोमती नगर लखनऊ-226 010 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
21. डॉ. बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, पालीवाल पार्क, आगरा-282 002 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
22. डॉ. राममनोहर लोहिया नेशनल लॉ विश्वविद्यालय, सेक्टर डी-1, एल.डी.ए. कानपुर रोड स्कीम लखनऊ-226 012 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
23. एरा यूनिवर्सिटी, सरफराज़गंज हरदोई रोड लखनऊ-226 003 उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)

24. जी.एल.ए. वि0वि0, 17 किमी0 स्टोन, एन.एच-2 दिल्ली-मथुरा रोड, पी.ओ. चौमुहान मथुरा-281 406 उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
25. गलगोटियाज विश्वविद्यालय, प्लाट नं0-2, सेक्टर 17ए, यमुना एक्सप्रेसवे, ग्रेटर नोएडा-201 203, जिला गौतमबुद्ध नगर उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
26. गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा जिला गौतमबुद्ध नगर-201 308 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
27. हरकोर्ट बटलर तकनीकी विश्वविद्यालय, कानपुर-208 002 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
28. आई.आई.एम.टी. वि0वि0, ओ पॉकेट, गंगानगर मवाना रोड मेरठ-250 001 उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
29. इन्डियन वेटेरिनरी रिसर्च इन्स्टीट्यूट इज्जत नगर-243 122 उ0प्र0 (डीम्ड विश्वविद्यालय)
30. आई.एफ.टी.एम. वि0वि0, लोधीपुर राजपूत, दिल्ली रोड, मुरादाबाद-244 102 उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
31. इन्टीग्रल विश्वविद्यालय, दसौली पोस्ट- बसहा, कुर्सी रोड लखनऊ-226 026 उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
32. इन्वर्टिस वि0वि0, इन्वर्टिस ग्राम, बरेली लखनऊ नेशनल हाइवे-24 बरेली-243 123 उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
33. जगत्गुरु रामभद्राचार्य विकलांग वि0वि0, चित्रकूट-210 204 उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
34. जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
35. जे.पी. इन्स्टीट्यूट सूचना प्रौद्योगिकी ए-10 सेक्टर-62 नोएडा-201 307 उ0प्र0 (डीम्ड विश्वविद्यालय)
36. जे.पी. विश्वविद्यालय, अलीगढ़ रोड, अनूप शहर जिला- बुलन्दशहर -203 390 उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
37. जे.एस. वि0वि0, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
38. ख्वाजा मुइनुद्दीन चिस्ती उर्दू, अरबी, फारसी, यूनिवर्सिटी सीतापुर-हरदोई बाइपास रोड, निकट आई.आई.एम लखनऊ-226 013 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
39. किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ-226 003 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
40. मदन मोहन मालवीय तकनीकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर-273 010 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
41. एम.जे.पी. रूहेलखंड विश्वविद्यालय, डोरीलाल अग्रवाल मार्ग, पीलीभीत बाईपास रोड, बरेली-243 006 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
42. महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी-221 002 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
43. महर्षि विश्वविद्यालय, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, महर्षि बाल विद्या मन्दिर एवं विश्वविद्यालय कैम्पस, सीतापुर रोड पोस्ट-ढिबुरिया लखनऊ-226 020 उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
44. मंगलायतन विश्वविद्यालय, 33वां मील अलीगढ़ मथुरा हाईवे, पोस्ट- बीसवां, अलीगढ़-202 145 उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
45. मोहम्मद अली जौहर युनिवर्सिटी, रामपुर उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
46. मोनाड विश्वविद्यालय, पी.ओ.- पिलखुआ, कसमाबाद जिला-हापुड़ - 245 101 उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
47. नरेन्द्रदेव कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय, नरेन्द्र नगर फैजाबाद-224 229 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
48. नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय, कोटवा-जमुनीपुर, दूबवाली जिला-इलाहाबाद-221 505 उ0प्र0 (डीम्ड विश्वविद्यालय)
49. नोएडा इण्टरनेशनल युनिवर्सिटी, प्लाट नं0-1 सेक्टर 17ए, यमुना एक्सप्रेसवे गौतमबुद्ध नगर- 201 301 उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)

50. राजीव गाँधी नेशनल एविएशन विश्वविद्यालय, फुर्सतगंज, जिला- रायबरेली उ0प्र0 (केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
51. रामा विश्वविद्यालय, रामा सिटी, जी.टी. रोड, मन्धाना, कानपुर-209 217 उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
52. रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय एन.एच.-75 निकट पहुज डैम ग्वालियर रोड झाँसी-284 003 उ0प्र0 (केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
53. सैम हिग्गिनबॉटम इन्स्टीट्यूट कृषि, तकनीकी एवं विज्ञान (पूर्व में इलाहाबाद कृषि इन्स्टीट्यूट) पोस्ट आफिस कृषि इन्स्टीट्यूट रीवा रोड इलाहाबाद-211 007 उ0प्र0 (डीम्ड विश्वविद्यालय)
54. सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी-221 002 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
55. संस्कृति विश्वविद्यालय, 28 किमी0 मथुरा-दिल्ली हाईवे छाता मथुरा उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
56. संतोष विश्वविद्यालय, संतोष नगर गाजियाबाद उ0प्र0 (डीम्ड विश्वविद्यालय)
57. सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं तकनीकी वि0वि0, मेरठ-250 110 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
58. शारदा विश्वविद्यालय, प्लाट नं0-32-34 नालेज पार्क-3, ग्रेटर नोएडा गौतमबुद्ध नगर-201 306 उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
59. शिव नादार विश्वविद्यालय, दादरी गौतमबुद्ध नगर उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
60. शोभित इन्स्टीट्यूट इंजीनियरिंग एवं तकनीकी दुल्हेरा मार्ग, रूड़की रोड, मेरठ-250 010, उ0प्र0 (डीम्ड विश्वविद्यालय)
61. शोभित विश्वविद्यालय आदर्श इन्स्टीट्यूशनल एरिया बाबू विजेन्द्र मार्ग गंगोह जिला-सहारनपुर-247 341 उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
62. श्री रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी, हदौरी, देवा-लखनऊ रोड, जिला-बाराबंकी उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
63. सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर-272 202 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
64. स्वामी विवेकानन्द सुभारती विश्वविद्यालय, सुभारतीपुरम, एन.एच.-58 दिल्ली-हरिद्वार मेरठ बाइपास रोड मेरठ-250 005 उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
65. श्री वेंकटेश्वर वि0वि0 एन.एच.-24, रजबपुर, गजरौला, जे0पी0 नगर उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
66. तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय, एन.एच.-24, दिल्ली रोड मुरादाबाद-244 001 उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
67. दि ग्लोकल विश्वविद्यालय, दिल्ली-यमुनोत्री मार्ग, अकबरपुर, मिजापुर पोल, तहसील-बेहट, सहारनपुर-247 001 उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
68. लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ-226 007 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
69. यू0पी0 किंग जार्ज यूनिवर्सिटी ऑफ डेण्टल साइन्स, लखनऊ-226 003 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
70. उ.प्र.पं.दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान, विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसन्धान संस्थान, मथुरा उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
71. उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय कैम्पस, शान्तिपुरम-(से0-एफ) फाफामऊ, इलाहाबाद-211 013 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
72. उ0प्र0 विकलांग उद्धार डॉ. शकुन्तला मिश्रा विश्वविद्यालय, मोहान रोड, लखनऊ-226 017 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
73. उ.प्र. यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस, सैफई इटावा-206 130 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
74. इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद-211 002 उ0प्र0 (केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
75. वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर-222 002 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)

स्रोत : ugc.ac.in

उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त

क्रम	नाम	कार्यकाल		
1.	न्यायमूर्ति श्री विश्वम्भर दयाल	14.09.1977	से	13.09.1982
2.	पद रिक्त	14.09.1982	से	09.01.1983
3.	न्यायमूर्ति श्री मिर्जा मुहम्मद मुर्तजा हुसैन	10.01.1983	से	10.01.1989
4.	पद रिक्त	11.01.1989	से	27.01.1989
5.	न्यायमूर्ति श्री कैलाश नाथ गोयल	28.01.1989	से	28.01.1995
6.	पद रिक्त	29.01.1995	से	08.02.1995
7.	न्यायमूर्ति श्री राजेश्वर सिंह	09.02.1995	से	13.01.2000
8.	पद रिक्त	14.01.2000	से	15.03.2000
9.	न्यायमूर्ति श्री सुधीर चन्द्र वर्मा	16.03.2000	से	15.03.2006
10.	न्यायमूर्ति श्री नरेन्द्र किशोर मेहरोत्रा	16.03.2006	से	31.01.2016
11.	न्यायमूर्ति श्री संजय मिश्रा	31.01.2016 (अपराह्न)	से	वर्तमान तक

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव

क्र.	नाम	आई.सी.एस./आई.ए.एस.	कब से		कब तक
1.	श्री भोलानाथ झा	आई.सी.एस.	27-03-1947	से	20-05-1949
2.	श्री भगवान सहाय	आई.सी.एस.	13-07-1949	से	20-03-1951
3.	श्री भोलानाथ झा	आई.सी.एस.	21-03-1951	से	25-02-1953
4.	श्री कालिका प्रसाद भार्गव	आई.सी.एस.	26-02-1953	से	15-08-1954
5.	श्री आदित्य नाथ झा	आई.सी.एस.	16-08-1954	से	02-03-1958
6.	श्री गोविन्द नारायण	आई.सी.एस.	03-03-1958	से	02-07-1961
7.	श्री लक्ष्मी चन्द्र जैन	आई.सी.एस.	03-07-1961	से	08-11-1962
8.	श्री रामेश्वर प्रसाद भार्गव	आई.सी.एस.	09-11-1962	से	09-01-1964
9.	श्री कौशल कुमार दास	आई.सी.एस.	10-01-1964	से	09-03-1967
10.	श्री विपिन बिहारी लाल	आई.सी.एस.	14-03-1967	से	25-11-1969
11.	श्री मुसद्दी लाल	आई.सी.एस.	26-11-1969	से	31-12-1972
12.	श्री सतीश चन्द्र	आई.सी.एस.	01-01-1973	से	13-06-1973
13.	श्री ज्ञान प्रकाश	आई.ए.एस.	17-06-1973	से	19-11-1973
14.	श्री बी.डी. सनवाल	आई.ए.एस.	30-11-1973	से	31-08-1975
15.	श्री महमूद वट्ट	आई.ए.एस.	01-09-1975	से	15-12-1976
16.	श्री कृपा नारायण	आई.ए.एस.	16-12-1976	से	31-01-1978
17.	श्री डी.के. भट्टाचार्य	आई.ए.एस.	01-02-1978	से	25-03-1980
18.	श्री आर.बी. सक्सेना	आई.ए.एस.	26-03-1980	से	21-09-1980
19.	श्री त्रिभुवन प्रसाद तिवारी	आई.ए.एस.	22-09-1980	से	30-04-1982
20.	श्री आर.पी. खोसला	आई.ए.एस.	01-05-1982	से	01-06-1983
21.	श्री एस.डी. श्रीवास्तव	आई.ए.एस.	02-06-1983	से	08-03-1984
22.	श्री गिरीश मेहरा	आई.ए.एस.	09-03-1984	से	01-12-1985
23.	श्री जे.ए. कल्याण कृष्णन्	आई.ए.एस.	02-12-1985	से	15-10-1988
24.	श्री शिरोमणि शर्मा	आई.ए.एस.	18-10-1988	से	28-12-1989
25.	श्री आर.के. भार्गव	आई.ए.एस.	28-12-1989	से	12-12-1990
26.	डॉ. वी.के. सक्सेना	आई.ए.एस.	15-12-1990	से	22-12-1992
27.	श्री टी.एस.आर. सुब्रह्मण्यन्	आई.ए.एस.	22-12-1992	से	09-08-1994

28. श्री ब्रजेन्द्र सहाय	आई.ए.एस.	09-08-1994	से	26-06-1995
29. श्री माता प्रसाद	आई.ए.एस.	26-06-1995	से	23-10-1996
30. श्री ब्रजेन्द्र सहाय	आई.ए.एस.	23-10-1996	से	31-07-1997
31. श्री रवीन्द्रशंकर माथुर	आई.ए.एस.	31-07-1997	से	02-04-1998
32. डॉ. योगेन्द्र नारायण	आई.ए.एस.	02-04-1998	से	18-10-2000
33. श्री बी.एन. तिवारी	आई.ए.एस.	01-11-2000	से	31-07-2001
34. श्री ए.पी. वर्मा	आई.ए.एस.	31-07-2001	से	23-05-2002
35. श्री डी.एस. बग्गा	आई.ए.एस.	23-05-2002	से	04-09-2003
36. श्री अखण्ड प्रताप सिंह	आई.ए.एस.	04-09-2003	से	04-12-2003
37. श्री वी.के. दीवान	आई.ए.एस.	06-12-2003	से	30-04-2004
38. श्री वी.के. मित्तल	आई.ए.एस.	30-04-2004	से	30-04-2005
39. श्रीमती नीरा यादव	आई.एस.एस.	30-04-2005	से	06-10-2005
40. श्री आर. रमणी	आई.ए.एस.	06-10-2005	से	03-04-2006
41. श्री नवीन चन्द्र बाजपेई	आई.ए.एस.	03-04-2006	से	16-03-2007
42. श्री शम्भू नाथ	आई.ए.एस.	16-03-2007	से	30-06-2007
43. श्री पी.के. मिश्र	आई.ए.एस.	01-07-2007	से	23-05-2008
44. श्री अतुल कुमार गुप्ता	आई.ए.एस.	23-05-2008	से	31-03-2011
45. श्री अनूप मिश्रा	आई.ए.एस.	31-03-2011	से	23-03-2012
46. श्री जावेद उस्मानी	आई.ए.एस.	23-03-2012	से	31-05-2014
47. श्री आलोक रंजन	आई.ए.एस.	31-05-2014	से	30-06-2016
48. श्री प्रवीर कुमार	आई.ए.एस.	30-06-2016	से	06-07-2016
49. श्री दीपक सिंघल	आई.ए.एस.	06-07-2016	से	13-09-2016
50. श्री राहुल भटनागर	आई.ए.एस.	13-09-2016	से	29-06-2017
51. श्री राजीव कुमार	आई.ए.एस.	29-06-2017	से	30-06-2018
52. श्री अनूप चन्द्र पाण्डेय	आई.ए.एस.	30-06-2018	से	31-08-2019
53. श्री राजेन्द्र कुमार तिवारी	आई.ए.एस.	31-08-2019	से	वर्तमान तक

स्रोत : मुख्य सचिव कार्यालय, उ. प्र.

भारत के मुख्य न्यायाधीश

नाम	कार्यकाल
1. हरिलाल जे. कानिया	26 जनवरी, 1950 - 6 नवम्बर, 1951
2. एम. पतंजलि शास्त्री	7 नवम्बर, 1951 - 3 जनवरी, 1954
3. मेहर चंद महाजन	4 जनवरी, 1954 - 22 दिसम्बर, 1954
4. बी.के. मुखर्जी	23 दिसम्बर, 1954 - 31 जनवरी, 1956
5. एस.आर. दास	1 फरवरी, 1956 - 30 सितम्बर, 1959
6. भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा	1 अक्तूबर, 1959 - 31 जनवरी, 1964
7. पी.बी. गजेंद्रगडकर	1 फरवरी, 1964 - 15 मार्च, 1966
8. ए.के. सरकार	16 मार्च, 1966 - 29 जून, 1966
9. के. सुब्बाराव	30 जून, 1966 - 11 अप्रैल, 1967
10. के.एन. वांचू	12 अप्रैल, 1967 - 24 फरवरी, 1968
11. एम. हिदायतुल्लाह	25 फरवरी, 1968 - 16 दिसम्बर, 1970
12. जे.सी. शाह	17 दिसम्बर, 1970 - 21 जनवरी, 1971
13. एस.एम. सीकरी	22 जनवरी, 1971 - 25 अप्रैल, 1973
14. ए.एन. रे	26 अप्रैल, 1973 - 28 जनवरी, 1977
15. एम.एच. बेग	29 जनवरी, 1977 - 21 फरवरी, 1978
16. वाई.वी. चंद्रचूड़	22 फरवरी, 1978 - 11 जुलाई, 1985
17. पी.एन. भगवती	12 जुलाई, 1985 - 20 दिसम्बर, 1986
18. आर.एस. पाठक	21 दिसम्बर, 1986 - 18 जून, 1989
19. ई.एस. वेंकटरमैया	19 जून, 1989 - 17 दिसम्बर, 1989
20. एस. मुखर्जी	18 दिसम्बर, 1989 - 25 सितम्बर, 1990
21. रंगनाथ मिश्र	25 सितम्बर, 1990 - 24 नवम्बर, 1991
22. के.एन. सिंह	25 नवम्बर, 1991 - 12 दिसम्बर, 1991
23. एम.एच. कानिया	13 दिसम्बर, 1991 - 17 नवम्बर, 1992
24. एल.एम. शर्मा	18 नवम्बर, 1992 - 11 फरवरी, 1993
25. एम.एन. वेंकटचलैया	12 फरवरी, 1993 - 24 अक्टूबर, 1994
26. ए.एम. अहमदी	25 अक्टूबर, 1994 - 24 मार्च, 1997
27. जे.एस. वर्मा	25 मार्च, 1997 - 17 जनवरी, 1998
28. एम.एम. पंछी	18 जनवरी, 1998 - 9 अक्टूबर, 1998
29. ए.एस. आनंद	10 अक्टूबर, 1998 - 31 अक्टूबर, 2001
30. एस.पी. भरूचा	1 नवम्बर, 2001 - 5 मई, 2002
31. बी.एन. कृपाल	6 मई, 2002 - 7 नवम्बर, 2002
32. जी.बी. पटनायक	8 नवम्बर, 2002 - 18 दिसम्बर, 2002
33. वी.एन. खरे	19 दिसम्बर, 2002 - 01 मई, 2004

34. एस. राजेन्द्र बाबू	02 मई, 2004	- 31 मई, 2004
35. आर.सी. लाहोटी	1 जून, 2004	- 31 अक्टूबर, 2005
36. वाई.के. सब्बरवाल	1 नवम्बर, 2005	- 13 जनवरी, 2007
37. के.जी. बालाकृष्णन	14 जनवरी, 2007	- 11 मई, 2010
38. एस.एच. कपाड़िया	12 मई, 2010	- 28 सितम्बर, 2012
39. अल्तमश कबीर	29 सितम्बर, 2012	- 18 जुलाई, 2013
40. पी. सदाशिवम	19 जुलाई, 2013	- 26 अप्रैल, 2014
41. आर.एम. लोढ़ा	27 अप्रैल, 2014	- 27 सितम्बर, 2014
42. एच.एल. दत्तू	28 सितम्बर, 2014	- 2 दिसम्बर, 2015
43. टी.एस. ठाकुर	3 दिसम्बर, 2015	- 3 जनवरी, 2017
44. जगदीश सिंह खेहर	4 जनवरी, 2017	- 27 अगस्त, 2017
45. दीपक मिश्रा	28 अगस्त, 2017	- 02 अक्टूबर, 2018
46. रंजन गोगोई	03 अक्टूबर, 2018	- 17 नवम्बर, 2019
47. शरद अरविन्द बोबडे	18 नवम्बर, 2019	- से वर्तमान तक

स्रोत : भारत-2020

भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त

नाम	कार्यकाल
1. सुकुमार सेन	21 मार्च, 1950 - 19 दिसम्बर, 1958
2. के.वी.के. सुंदरम	20 दिसम्बर, 1958 - 30 सितम्बर, 1967
3. एस.पी. सेन वर्मा	01 अक्टूबर, 1967 - 30 सितम्बर, 1972
4. डॉ. नगेंद्र सिंह	01 अक्टूबर, 1972 - 06 फरवरी 1973
5. टी. स्वामीनाथन	07 फरवरी, 1973 - 17 जून, 1977
6. एस.एल. शकधर	18 जून, 1977 - 17 जून 1982
7. आर.के. त्रिवेदी	18 जून, 1982 - 31 दिसम्बर, 1985
8. आर.वी.एस. पेरी शास्त्री	01 जनवरी, 1986 - 25 नवम्बर, 1990
9. श्रीमती वी.एस. रमादेवी	26 नवम्बर, 1990 - 11 दिसम्बर, 1990
10. टी.एन. शेषन	12 दिसम्बर, 1990 - 11 दिसम्बर, 1996
11. एम.एस. गिल	12 दिसम्बर, 1996 - 13 जून, 2001
12. जे.एम. लिंगदोह	14 जून, 2001 - 07 फरवरी, 2004
13. टी.एस. कृष्णामूर्ति	08 फरवरी, 2004 - 15 मई, 2005
14. बी.बी. टण्डन	16 मई, 2005 - 29 जून, 2006
15. एन. गोपालस्वामी	30 जून, 2006 - 20 अप्रैल, 2009
16. नवीन बी. चावला	21 अप्रैल, 2009 - 29 जुलाई, 2010
17. एस.वाई. कुरैशी	30 जुलाई, 2010 - 10 जून, 2012
18. वी.एस. संपत	11 जून, 2012 - 15 जनवरी, 2015
19. एच.एस. ब्रह्मा	16 जनवरी, 2015 - 18 अप्रैल, 2015
20. नसीम जैदी	19 अप्रैल, 2015 - 05 जुलाई, 2017
21. अचल कुमार जोती	06 जुलाई, 2017 - 22 जनवरी, 2018
22. ओम प्रकाश रावत	23 जनवरी, 2018 - 01 दिसम्बर, 2018
23. सुनील अरोड़ा	02 दिसम्बर, 2018 से वर्तमान तक

स्रोत : भारत-2020

संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष

क्र.	नाम	पद अवधि
1.	सर रॉस बार्कर	अक्टूबर 1926 – अगस्त 1932
2.	सर डेविड पेट्री	अगस्त 1932 – 1936
3.	सर आयरे गोर्डन	1937 – 1942
4.	सर एफ. डब्ल्यू राबर्टसन	1942 – 1947
5.	श्री एच.के. कृपलानी	1 अप्रैल 1947 – 13 जनवरी 1949
6.	श्री आर.एन. बनर्जी	14 जनवरी 1949 – 9 मई 1955
7.	श्री एन. गोविन्दराजन	10 मई 1955 – 9 दिसम्बर 1955
8.	श्री वी.एस. हेजमाड़ी	10 दिसम्बर 1955 – 9 दिसम्बर 1961
9.	श्री बी.एन. झा	11 दिसम्बर 1961 – 22 फरवरी 1967
10.	श्री के.आर. दामले	18 अप्रैल 1967 – 2 मार्च 1971
11.	श्री आर.सी.एस. सरकार	11 मई 1971 –1 फरवरी 1973
12.	डॉ. ए.आर. किदवई	5 फरवरी 1973 – 4 फरवरी 1979
13.	डॉ. एम.एल. शहारे	16 फरवरी 1979 – 16 फरवरी 1985
14.	श्री एच.के.एल. कपूर	18 फरवरी 1985 – 5 मार्च 1990
15.	श्री जे.पी. गुप्ता	5 मार्च 1990 – 2 जून 1992
16.	श्रीमती आर.एम. बाथ्यू (खरबुली)	23 सितम्बर 1992 – 23 अगस्त 1996
17.	श्री एस.जे.एस. चटवाल	23 अगस्त 1996 – 30 सितम्बर 1996
18.	श्री जे.एम. कुरैशी	30 सितम्बर 1996 – 11 दिसम्बर 1998
19.	ले.जनरल सुरिन्दर नाथ (सेवानिवृत्त)	11 दिसम्बर 1998 – 25 जून 2002
20.	श्री पी.सी. होता	25 जून 2002 – 8 सितम्बर 2003
21.	श्री माता प्रसाद	8 सितम्बर 2003 – 4 जनवरी 2005
22.	डॉ. एस.आर. हाशिम	4 जनवरी 2005 – 1 अप्रैल 2006
23.	श्री गुरबचन जगत	1 अप्रैल 2006 – 30 जून 2007
24.	श्री सुबीर दत्ता	30 जून 2007 – 16 अगस्त 2008
25.	प्रो. डी.पी. अग्रवाल	16 अगस्त 2008 – 16 अगस्त 2014
26.	श्रीमती रजनी राजदान	16 अगस्त 2014 – 22 नवम्बर 2014
27.	श्री दीपक गुप्ता	22 नवम्बर 2014 – 20 सितम्बर 2016
28.	श्रीमती अल्का सिरोही	20 सितम्बर 2016 – 3 जनवरी 2017
29.	प्रो. डेविड आर. सिम्लिह	4 जनवरी 2017 – 21 जनवरी 2018
30.	श्री विनय मित्तल	22 जनवरी 2018 – 19 जून 2018
31.	श्री अरविन्द सक्सेना (कार्यकारी)	20 जून 2018 – 28 नवम्बर 2018
32.	श्री अरविन्द सक्सेना	28 नवम्बर 2018 से 07 अगस्त 2020
33.	प्रो0 (डॉ0) प्रदीप कुमार जोशी	07 अगस्त 2020 से वर्तमान तक

स्रोत : भारत-2020

मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश

नाम	कार्यकाल
जे.के. टण्डन	1950 - 1957
मिट्ठन लाल	1957 - 1960
लक्ष्मी प्रसाद निगम	20 सितम्बर, 1960 - 1964
आर. चन्द्रा	1964
कृष्ण चन्द्र पुरी	4 अप्रैल, 1964 - फरवरी, 1967
जगमोहन लाल सिन्हा	1 मार्च, 1967 - 6 मार्च, 1967
गुरूशरण लाल श्रीवास्तव	7 मार्च, 1967 - 14 जनवरी, 1968
कुंज बिहारी लाल श्रीवास्तव	15 जनवरी, 1968 - 7 फरवरी, 1968
ओम प्रकाश त्रिवेदी	8 फरवरी, 1968 - जनवरी, 1969
विशम्भर दयाल माथुर	फरवरी, 1969 - 24 मार्च, 1969
प्रेम प्रकाश	25 मार्च, 1969 - 3 सितम्बर, 1972
कैलाश नाथ गोयल	4 सितम्बर, 1972 - फरवरी, 1978
रमेश चन्द्र देव शर्मा	मई, 1978 - फरवरी, 1981
जगदीश चन्द्र पन्त	मई, 1981 - फरवरी, 1988
अखण्ड प्रताप सिंह	18 अप्रैल, 1988 - 27 सितम्बर, 1988
जगदीश चन्द्र पन्त	28 सितम्बर, 1988 - 11 फरवरी, 1990
कल्याण कुमार बक्शी	12 फरवरी, 1990 - 20 मार्च, 1992
मोहिन्दर सिंह	21 मार्च, 1992
शैवाल कुमार मुखर्जी	1 फरवरी, 1993 - 10 मई, 1994
डा. नूर मुहम्मद	12 मई, 1994 - 6 जनवरी, 2003
रवीन्द्र सिंह	19 फरवरी, 2003 - 18 सितम्बर, 2003
विजय शर्मा	24 सितम्बर, 2003 - 13 जून, 2005
अनुज कुमार बिश्नोई	27 अक्टूबर, 2005 - 24 सितम्बर, 2009
उमेश सिन्हा	24 सितम्बर, 2009 - 04 अप्रैल, 2015
अरुण सिंघल	20 अगस्त, 2015 - 29 जुलाई, 2016
टी. वेंकटेश	30 जुलाई, 2016 - 27 मार्च, 2017
लक्कू वेंकटेश्वरलू	04 अक्टूबर, 2017 से 08 अगस्त, 2019
अजय कुमार शुक्ला	08 अगस्त, 2019 से वर्तमान तक

स्रोत : जनपद सचिवालय, लखनऊ

राज्य निर्वाचन आयुक्त

क्र.सं.	आयुक्त/अध्यक्ष का नाम	तैनाती का समय
1.	श्री आर.डी. सोनकर	24 अप्रैल 1994 से 09 दिसम्बर 1996 तक
2.	डॉ. यशपाल सिंह	10 दिसम्बर 1996 से 09 दिसम्बर 2001 तक
3.	श्री अपरमिता प्रसाद सिंह	10 दिसम्बर 2001 से 31 मई 2007 तक
4.	श्री राजेन्द्र भौनवाल	01 जून 2007 से 04 अप्रैल 2012 तक
5.	श्री सतीश कुमार अग्रवाल	11 अप्रैल, 2012 से 19 दिसम्बर 2017 तक
6.	श्री मनोज कुमार	18 जनवरी, 2018 से वर्तमान तक

स्रोत : राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0

राज्य मुख्य सूचना आयुक्त/राज्य सूचना आयुक्त

1. मा. जावेद उस्मानी, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त
2. मा. श्री सुबेश कुमार सिंह, राज्य सूचना आयुक्त
3. मा. श्रीमती रचना पाल, राज्य सूचना आयुक्त
4. मा. श्री सुभाष चन्द्र सिंह, राज्य सूचना आयुक्त
5. मा. श्री हर्षवर्धन शाही, राज्य सूचना आयुक्त
6. मा. श्री अजय कुमार उप्रेती, राज्य सूचना आयुक्त
7. मा. श्रीमती किरन बाला चौधरी, राज्य सूचना आयुक्त
8. मा. श्री चन्द्र कान्त पाण्डेय, राज्य सूचना आयुक्त
9. मा. श्री प्रमोद कुमार तिवारी, राज्य सूचना आयुक्त
10. मा. श्री नरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, राज्य सूचना आयुत्त
11. मा. श्री राजीव कपूर, राज्य सूचना आयुक्त

स्रोत : upic.gov.in/index-hi.aspx

उ.प्र. के समस्त निगम/आयोगों के अध्यक्ष

क्र.स.	निगम का नाम	अध्यक्ष का नाम
1.	उ.प्र. भूमि सुधार निगम	श्री राजेन्द्र कुमार तिवारी
2.	उ.प्र. स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लि.	श्री जगदीश मिश्रा
3.	उ.प्र. बीज विकास निगम	श्री अमित मोहन प्रसाद
4.	उ.प्र. अल्पसंख्यक वित्त एवं वि.नि.लि.	---
5.	उ.प्र. वक्फ़ विकास निगम लि.	---
6.	उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद	श्री दीपक कुमार
7.	उ.प्र. राज्य भण्डारण निगम	श्री मुकुट बिहारी वर्मा
8.	उ.प्र. इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि.	श्री आलोक सिन्हा
9.	यू.पी. डेस्को	श्री आलोक सिन्हा
10.	उ.प्र. जल विद्युत निगम लि.	श्री अरविन्द कुमार
11.	यू.पी. पावर कारपोरेशन लि.	श्री अरविन्द कुमार
12.	उ.प्र. राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि.	श्री अरविन्द कुमार
13.	यू.पी. पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि.	श्री अरविन्द कुमार
14.	उ.प्र. राज्य कर्मचारी कल्याण निगम	श्रीमती निवेदिता शुक्ला वर्मा
15.	उ.प्र. राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि.	श्रीमती निवेदिता शुक्ला वर्मा
16.	उ.प्र. वन निगम	श्री दारा सिंह चौहान
17.	उ.प्र. राज्य हथकरघा निगम लि.	श्री रमा रमण
18.	यू.पी. स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लि.	---
19.	उ.प्र. ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स कम्पनी लि.	श्री देवेश चतुर्वेदी
20.	उ.प्र. पुलिस आवास निगम लि.	श्री एच.आर. शर्मा
21.	पिकप	श्री आलोक टण्डन
22.	उ.प्र. वित्तीय निगम	श्री आलोक टण्डन
23.	उ.प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम लि.	---
24.	यू.पी. स्टेट यार्न कम्पनी लि.	---
25.	उ.प्र. प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि.	श्री टी. वेंकटेश
26.	उ.प्र. लघु उद्योग निगम लि.	श्री नवनीत सहगल
27.	उ.प्र. महिला कल्याण निगम लि.	---
28.	उ.प्र. मत्स्य विकास निगम लि.	श्री रमाकान्त निशाद
29.	उ.प्र. हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लि.	श्री नवनीत सहगल
30.	उ.प्र. पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि.	श्री बाबू राम निशाद
31.	उ.प्र. राज्य सेतु निगम लि.	श्री नितिन रमेश गोकरन
32.	उ.प्र. राजकीय निर्माण निगम लि.	श्री नितिन रमेश गोकरन
33.	उ.प्र. अनुसूचित जाति वित्त एवं वि. नि. लि.	श्री लालजी प्रसाद निर्मल
34.	यू.पी. स्टेट कंस्ट्रक्शन एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि.	श्री बी.एल. वर्मा
35.	उ.प्र. पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि.	---
36.	उ.प्र. (मध्य) गन्ना, बीज एवं वि. निगम लि.	---
37.	उ.प्र. (पश्चिम) गन्ना, बीज एवं विकास निगम लि.	---
38.	उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि.	श्री संजय आर. भूसरेड्डी
39.	उ.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम लि.	श्री जितेन्द्र कुमार
40.	उ.प्र. राज्य सड़क परिवहन निगम	श्री राजेश कुमार सिंह

स्रोत : सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, दूसरा तल, जवाहर भवन, लखनऊ

कमांडर-इन-चीफ

नाम	कार्यकाल
1. जनरल सर रॉब, लोकार्ट	15 अगस्त, 1947 - 31 दिसम्बर, 1947
2. जनरल सर रॉय बूचर	1 जनवरी, 1948 - 14 जनवरी, 1949
3. जनरल (बाद में फील्ड मार्शल) के. एम. करियप्पा	15 जनवरी, 1949 - 14 जनवरी, 1953
4. जनरल महाराज राजेंद्र सिंहजी	15 जनवरी, 1953 - 31 मार्च, 1955

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ

नाम	कार्यकाल
1. जनरल बिपिन रावत	31 दिसम्बर, 2019 - अब तक

स्रोत : knowindia.gov.in

थलसेना अध्यक्ष

नाम	कार्यकाल
1. जनरल महाराज राजेंद्र सिंहजी	15 जनवरी, 1953 - 14 मई, 1955
2. जनरल एस.एम. श्रीनागेश	15 मई, 1955 - 7 मई, 1957
3. जनरल के.एस. तिमैया	8 मई, 1957 - 7 मई, 1961
4. जनरल पी.एन. थापर	8 मई, 1961 - 19 नवम्बर, 1962
5. जनरल जे.एन. चौधरी	20 नवम्बर, 1962 - 7 जून, 1966
6. जनरल पी.पी. कुमारमंगलम	8 जून, 1966 - 7 जून, 1969
7. फील्ड मार्शल एस.एच.एफ.जे. मानेकशॉ	8 जून, 1969 - 15 जनवरी, 1973
8. जनरल जी.जी. बेवूर	16 जनवरी, 1973 - 31 मई, 1975
9. जनरल टी.एन. रैना	1 जून, 1975 - 31 मई, 1978
10. जनरल ओ.पी. मल्होत्रा	1 जून, 1978 - 31 मई, 1981
11. जनरल के.वी. कृष्णा राव	1 जून, 1981 - 31 जुलाई, 1983
12. जनरल ए.एस. वैद्य	1 अगस्त, 1983 - 31 जनवरी, 1985
13. जनरल के. सुन्दरजी	1 फरवरी, 1985 - 31 मई, 1988
14. जनरल वी.एन. शर्मा	1 जून, 1988 - 30 जून, 1990
15. जनरल एस.एफ. रोड्रिग्स	1 जुलाई, 1990 - 30 जून, 1993
16. जनरल बी.सी. जोशी	1 जुलाई, 1993 - 19 नवम्बर, 1994
17. जनरल एस. रायचौधरी	20 नवम्बर, 1994 - 30 सितम्बर, 1997
18. जनरल वी.पी. मलिक	1 अक्टूबर, 1997 - 30 सितम्बर, 2000
19. जनरल एस. पद्मनाभन	1 अक्टूबर, 2000 - 30 सितम्बर, 2002
20. जनरल एन.सी. विज	31 दिसम्बर, 2002 - 31 जनवरी 2005
21. जनरल जे.जे. सिंह	1 फरवरी 2005 - 30 सितम्बर 2007
22. जनरल दीपक कपूर	30 सितम्बर 2007 - 30 मार्च 2010
23. जनरल वी. के. सिंह	31 मार्च 2010 - 31 मई 2012
24. जनरल बिक्रम सिंह	1 जून 2012 - 31 जुलाई 2014
25. जनरल दलबीर सिंह	1 अगस्त 2014 - 31 दिसम्बर, 2016
26. जनरल बिपिन रावत	1 जनवरी, 2017 से 31 दिसम्बर, 2019
27. जनरल एम.एम. नरवणे	31 दिसम्बर, 2019 से वर्तमान तक

स्रोत : भारत-2020

नौसेना अध्यक्ष

नाम	कार्यकाल
1. रियर एडमिरल जे. टी. एस. हाल	15 अगस्त, 1947 - 14 अगस्त, 1948
2. एडमिरल सर एडवार्ड पैरी	14 अगस्त, 1948 - 13 अक्टूबर, 1951
3. एडमिरल सर मार्क पीजे	13 अक्टूबर, 1951 - 21 जुलाई, 1955
4. वाइस एडमिरल सर स्टीफन कार्लइल	21 जुलाई, 1955 - 21 अप्रैल, 1958
5. वाइस एडमिरल आर. डी. कटारी	22 अप्रैल, 1958 - 4 जून, 1962
6. वाइस एडमिरल बी. एस. सोमन	4 जून, 1962 - 3 मार्च, 1966
7. एडमिरल ए. के. चटर्जी	3 मार्च, 1966 - 27 फरवरी, 1970
8. एडमिरल एस. एम. नंदा	28 फरवरी, 1970 - 28 फरवरी, 1973
9. एडमिरल एस. एन. कोहली	28 फरवरी, 1973 - 28 फरवरी, 1976
10. एडमिरल जे. एल. करसेटजी	29 फरवरी, 1976 - 28 फरवरी, 1979
11. एडमिरल आर. एल. परेरा	28 फरवरी, 1979 - 28 फरवरी, 1982
12. एडमिरल ओ. एस. डॉसन	28 फरवरी, 1982 - 30 नवम्बर, 1984
13. एडमिरल आर. एच. तहिलियानी	30 नवम्बर, 1984 - 30 नवम्बर, 1987
14. एडमिरल जे. जी. नादकर्णी	30 नवम्बर, 1987 - 30 नवम्बर, 1990
15. एडमिरल एल. रामदास	30 नवम्बर, 1990 - 30 सितम्बर, 1993
16. एडमिरल वी. एस. शेखावत	30 सितम्बर, 1993 - 30 सितम्बर, 1996
17. एडमिरल विष्णु भागवत	30 सितम्बर, 1996 - 30 दिसम्बर, 1998
18. एडमिरल सुशील कुमार	30 दिसम्बर, 1998 - 29 दिसम्बर, 2001
19. एडमिरल माधवेंद्र सिंह	29 दिसम्बर, 2001 - 31 जुलाई, 2004
20. एडमिरल अरुण प्रकाश	31 जुलाई, 2004 - 30 अक्टूबर, 2006
21. एडमिरल सुरीश मेहता	31 अक्टूबर, 2006 - 31 अगस्त, 2009
22. एडमिरल निर्मल वर्मा	31 अगस्त, 2009 - 31 अगस्त, 2012
23. एडमिरल डी.के. जोशी	31 अगस्त, 2012 - 16 अप्रैल, 2014
24. एडमिरल रॉबिन के. धवन	17 अप्रैल, 2014 - 31 मई, 2016
25. एडमिरल सुनील लांबा	1 जून, 2016 से - 31 मई, 2019
26. एडमिरल करमबीर सिंह	31 मई, 2019 से वर्तमान तक

स्रोत : भारत-2020

वायुसेना अध्यक्ष

नाम	कार्यकाल
1. एयर मार्शल सर थॉमस डब्ल्यू. एमहर्स्ट	15 अगस्त, 1947 - 21 फरवरी, 1950
2. एयर मार्शल सर रोनाल्ड आई. चैपमैन	22 फरवरी, 1950 - 09 दिसम्बर, 1951
3. एयर मार्शल सर जेराल्ड ई. गिब्स	10 दिसम्बर, 1951 - 31 मार्च, 1954
4. एयर मार्शल एस. मुखर्जी	01 अप्रैल, 1954, - 08 नवम्बर, 1960
5. एयर मार्शल ए. एम. इंजीनियर	01 दिसम्बर, 1960 - 31 जुलाई, 1964
6. एयर चीफ मार्शल अर्जन सिंह	01 अगस्त, 1964 - 15 जुलाई, 1969
7. एयर चीफ मार्शल पी. सी. लाल	16 जुलाई, 1969 - 15 जनवरी, 1973
8. एयर चीफ मार्शल ओ. पी. मेहरा	16 जनवरी, 1973 - 31 जनवरी, 1976
9. एयर चीफ मार्शल एच. मूलगांवकर	01 फरवरी, 1976 - 31 अगस्त, 1978
10. एयर चीफ मार्शल आई. एच. लतीफ	01 सितम्बर, 1978 - 31 अगस्त, 1981
11. एयर चीफ मार्शल दिलबाग सिंह	01 सितम्बर, 1981 - 03 सितम्बर, 1984
12. एयर चीफ मार्शल एल. एम. कात्रे	04 सितम्बर, 1984 - 01 जुलाई, 1985
13. एयर चीफ मार्शल डी. ए. ला फोंटेन	03 जुलाई, 1985 - 31 जुलाई, 1988
14. एयर चीफ मार्शल एस. के. मेहरा	01 अगस्त, 1988 - 31 जुलाई, 1991
15. एयर चीफ मार्शल एन. सी. सूरी	31 जुलाई, 1991 - 31 जुलाई, 1993
16. एयर चीफ मार्शल एस. के. कौल	01 अगस्त, 1993 - 31 दिसम्बर, 1995
17. एयर चीफ मार्शल एस. के. सरीन	31 दिसम्बर, 1995 - 31 दिसम्बर, 1998
18. एयर चीफ मार्शल ए. वाई. टिपणीस	31 दिसम्बर, 1998 - 31 दिसम्बर, 2001
19. एयर चीफ मार्शल एस. कृष्णास्वामी	31 दिसम्बर, 2001 - 31 दिसम्बर, 2004
20. एयर चीफ मार्शल एस.पी. त्यागी	31 दिसम्बर, 2004 - 31 मार्च, 2007
21. एयर चीफ मार्शल एफ.एच. मेजर	31 मार्च, 2007 - 31 मई, 2009
22. एयर चीफ मार्शल पी.वी. नाइक	31 मई, 2009 - 31 जुलाई, 2011
23. एयर चीफ मार्शल एन.ए.के. ब्राउन	31 जुलाई, 2011 - 31 दिसम्बर, 2013
24. एयर चीफ मार्शल अरुप राहा	01 जनवरी, 2014 - 31 दिसम्बर, 2016
25. एयर चीफ मार्शल बी.एस. धनोआ	01 जनवरी, 2017 - 30 सितम्बर, 2019
26. एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया	30 सितम्बर, 2019 से वर्तमान तक

स्रोत : भारत-2020

केन्द्रीय मंत्रिमण्डल

नाम	विभाग

श्री नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री, कार्मिक, जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय; परमाणु ऊर्जा विभाग; अंतरिक्ष विभाग; और सभी प्रमुख नीतिगत मामले एवं वे सभी विभाग जो किसी अन्य मंत्री को आवंटित न किया गया हो।

कैबिनेट मंत्री

श्री राजनाथ सिंह	रक्षा मंत्रालय
श्री अमित शाह	गृह मंत्रालय
श्री नितिन जयराम गडकरी	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
श्री डी.वी. सदानंद गौड़ा	रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
श्रीमती निर्मला सीतारमण	वित्त मंत्रालय, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
श्री नरेन्द्र सिंह तोमर	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
श्री रवि शंकर प्रसाद	विधि एवं न्याय मंत्रालय संचार मंत्रालय, इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
श्री थावरचंद गहलोत	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
डॉ. सुब्रह्मण्यम जयशंकर	विदेश मंत्रालय
श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'	शिक्षा मंत्रालय
श्री अर्जुन मुण्डा	जनजातीय कार्य मंत्रालय
श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय
डॉ. हर्ष वर्धन	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भू-विज्ञान मंत्रालय,
श्री प्रकाश जावड़ेकर	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय एवं भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

नाम	विभाग
श्री पीयूष गोयल	रेल मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण
श्री धर्मेंद्र प्रधान	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय
श्री मुख्तार अब्बास नकवी	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
श्री प्रहलाद जोशी	संसदीय कार्य मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, खान मंत्रालय
डॉ. महेन्द्र नाथ पांडेय	कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
श्री गिरीराज सिंह	पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय
श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत	जल शक्ति मंत्रालय

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

श्री संतोष कुमार गंगवार	श्रम और रोजगार (स्वतंत्र प्रभार)
श्री राव इन्द्रजीत सिंह	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय (स्वतंत्र प्रभार),
श्री श्रीपद येस्सो नाईक	आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथिक मंत्रालय (आयुष) (स्वतंत्र प्रभार), रक्षा मंत्रालय (राज्य मंत्री)
डॉ. जितेन्द्र सिंह	उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री का कार्यालय, कार्मिक, जनशिकायत एवं पेशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग (राज्य मंत्री)
श्री किरेन रिजिजु	युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय (स्वतंत्र प्रभार), अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (राज्य मंत्री)
श्री प्रहलाद सिंह पटेल	संस्कृति मंत्रालय (स्वतंत्र प्रभार), पर्यटन मंत्रालय (स्वतंत्र प्रभार),
श्री राज कुमार सिंह	बिजली मंत्रालय (स्वतंत्र प्रभार), नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (स्वतंत्र प्रभार), कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय (राज्य मंत्री)

श्री हरदीप सिंह पुरी आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय (स्वतंत्र प्रभार), नागरिक विमानन मंत्रालय (स्वतंत्र प्रभार), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (राज्य मंत्री)

श्री मनसुख मांडविया पोर्टस, शिपिंग, वाटरवेस (स्वतंत्र प्रभार), रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (राज्य मंत्री)।

राज्य मंत्री

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते इस्पात मंत्रालय

श्री अश्विनी कुमार चौबे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

श्री अर्जुन राम मेघवाल संसदीय कार्य मंत्रालय, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय

जनरल वी.के. सिंह (सेवानिवृत्त) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

श्री कृष्ण पाल सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

श्री दानवे रावसाहेब दादाराव उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

श्री जी. किशन रेड्डी गृह मंत्रालय

श्री परषोत्तम रूपाला कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

श्री रामदास आठवले सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

साध्वी निरंजन ज्योति ग्रामीण विकास मंत्रालय

श्री बाबुल सुप्रियो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

श्री संजीव कु. बालियान पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय

श्री धोत्रे संजय शामराव शिक्षा मंत्रालय, संचार मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

श्री अनुराग सिंह ठाकुर वित्त मंत्रालय, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय

श्री नित्यानंद राय गृह मंत्रालय

श्री रतन लाल कटारिया जल शक्ति मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

श्री वी. मुरलीधरन विदेश मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय

श्रीमती रेणुका सिंह सरुता जनजातीय कार्य मंत्रालय

श्री सोम प्रकाश वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

श्री रामेश्वर तेली खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

श्री प्रताप चन्द्र सारंगी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय

श्री कैलाश चौधरी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

सुश्री देबाश्री चौधरी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

स्रोत : cabsec.gov.in

टिप्पणी - 09.11.2020 की स्थिति के अनुसार

उत्तर प्रदेश से लोक सभा के सदस्य

नाम	निर्वाचन क्षेत्र
हाजी फजर्लुरहमान	सहारनपुर
प्रदीप कुमार	कैराना
संजीव कुमार बालियान	मुजफ्फरनगर
मलूक नागर	बिजनौर
गिरीश चन्द्र	नगीना (अ.जा.)
डॉ. एस.टी. हसन	मुरादाबाद
मोहम्मद आजम खां	रामपुर
डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क	सम्भल
कुंवर दानिश अली	अमरोहा
राजेन्द्र अग्रवाल	मेरठ
डॉ. सत्यपाल सिंह	बागपत
विजय कुमार सिंह	गाजियाबाद
डॉ. महेश शर्मा	गौतमबुद्धनगर
भोला सिंह	बुलन्दशहर (अ.जा.)
सतीश कुमार गौतम	अलीगढ़
राजवीर दिलेर	हाथरस (अ.जा.)
हेमा मालिनी	मथुरा
प्रो0 एस.पी. सिंह बघेल	आगरा (अ.जा.)
राजकुमार चाहर	फतेहपुर सीकरी
डॉ. चन्द्र सेन जादौन	फिरोजाबाद
मुलायम सिंह यादव	मैनपुरी
राजवीर सिंह (राजू भैय्या)	एटा
डॉ. संघमित्रा मौर्या	बदायूँ
धर्मेन्द्र कश्यप	आंवला
संतोष कुमार गंगवार	बरेली
फिरोज वरुण गांधी	पीलीभीत
अरुण कुमार सागर	शाहजहाँपुर (अ.जा.)
अजय कुमार	खीरी
रेखा वर्मा	धौरहरा
राजेश वर्मा	सीतापुर
जय प्रकाश	हरदोई (अ.जा.)
अशोक कुमार रावत	मिश्रिख (अ.जा.)
स्वामी साक्षी जी महाराज	उन्नाव
कौशल किशोर	मोहनलालगंज (अ.जा.)
राजनाथ सिंह	लखनऊ
सोनिया गांधी	रायबरेली
स्मृति इरानी	अमेठी
मेनका संजय गांधी	सुल्तानपुर
संगम लाल गुप्ता	प्रतापगढ़
मुकेश राजपूत	फर्रुखाबाद
डॉ. राम शंकर कठेरिया	इटावा (अ.जा.)

नाम	निर्वाचन क्षेत्र
सुब्रत पाठक	कन्नौज
सत्यदेव पचौरी	कानपुर
देवेन्द्र सिंह 'भोले'	अकबरपुर
भानुप्रताप सिंह वर्मा	जालौन (अ.जा.)
अनुराग शर्मा	झाँसी
कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल	हमीरपुर
आर.के. सिंह पटेल	बांदा
निरंजन ज्योति	फतेहपुर
विनोद कुमार सोनकर	कौशाम्बी (अ.जा.)
केशरी देवी पटेल	फूलपुर
रीता बहुगुणा जोशी	प्रयागराज
उपेन्द्र सिंह रावत	बाराबंकी (अ.जा.)
लल्लू सिंह	अयोध्या
रितेश पाण्डेय	अम्बेडकरनगर
अक्षयवर लाल	बहराइच (अ.जा.)
बृजभूषण शरण सिंह	कैसरगंज
राम शिरोमणि	श्रावस्ती
कीर्तिवर्धन सिंह	गोण्डा
जगदम्बिका पाल	डुमरियागंज
हरीशचन्द्र उर्फ हरीश द्विवेदी	बस्ती
प्रवीन कुमार निषाद	सन्त कबीर नगर
पंकज चौधरी	महाराजगंज
रविंद्र श्यामनारायण शुक्ला उर्फ रविकिशन-	गोरखपुर
विजय कुमार दुबे	कुशीनगर
रमापति राम त्रिपाठी	देवरिया
कमलेश पासवान	बांसगांव (अ.जा.)
संगीता आजाद	लालगंज (अ.जा.)
अखिलेश यादव	आजमगढ़
अतुल कुमार सिंह उर्फ अतुल राय	घोसी
रविन्दर	सलेमपुर
वीरेन्द्र सिंह	बलिया
श्याम सिंह यादव	जौनपुर
भोलानाथ (बी.पी. सरोज)	मछलीशहर (अ.जा.)
अफजाल अंसारी	गाजीपुर
डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय	चन्दौली
नरेन्द्र मोदी	वाराणसी
रमेश चन्द्र	भदोही
अनुप्रिया पटेल	मिर्जापुर
पकौड़ी लाल कोल	राबर्ट्सगंज (अ.जा.)

स्रोतः—निर्वाचन विभाग द्वारा प्राप्त

उत्तर प्रदेश से राज्य सभा के सदस्य

कार्यकाल : 04 जुलाई 2022 तक

1. श्री सैय्यद जफर इस्लाम
2. श्री अशोक सिद्धार्थ
3. श्री कपिल सिब्बल
4. श्री जय प्रकाश
5. कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ मणि
6. श्री विशम्भर प्रसाद निषाद
7. श्री शिव प्रताप
8. श्री सतीश चन्द्र मिश्र
9. श्री संजय सेठ
10. श्री सुखराम सिंह
11. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर

कार्यकाल : 02 अप्रैल 2024 तक

12. श्री अनिल अग्रवाल
13. श्री अनिल कुमार जैन
14. श्री सुधांशु त्रिवेदी
15. श्री अशोक बाजपेयी
16. श्रीमती कान्ता कर्दम
17. श्री जी.वी.एल. नरसिम्हाराव
18. श्रीमती बच्चन जया अमिताभ
19. श्री विजय पाल सिंह तोमर
20. श्री सकलदीप
21. श्री हरनाथ सिंह यादव

कार्यकाल : 25 नवम्बर 2026 तक

22. श्री अरुण सिंह
23. श्रीमती गीता उर्फ चन्द्रप्रभा
24. श्री नीरज शेखर
25. श्री ब्रजलाल
26. प्रो0 राम गोपाल यादव
27. श्री रामजी
28. श्री बी.एल. वर्मा
29. श्रीमती सीमा
30. श्री हरद्वार दुबे
31. श्री हरदीप सिंह पुरी

स्रोत : निर्वाचन विभाग द्वारा प्राप्त

उत्तर प्रदेश मंत्रिमण्डल

नाम	विभाग
श्री योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री	गृह, आवास एवं शहरी नियोजन, राजस्व, खाद्य एवं रसद, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, अर्थ एवं संख्या, भूतत्व एवं खनिकर्म, बाढ़ नियंत्रण, कर निबन्धन, कारागार, सामान्य प्रशासन, सचिवालय प्रशासन, गोपन, सतर्कता, नियुक्ति, कार्मिक, सूचना, निर्वाचन, संस्थागत वित्त, नियोजन, राज्य सम्पत्ति, नगर भूमि, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय, प्रशासनिक सुधार, कार्यक्रम कार्यान्वयन, राष्ट्रीय एकीकरण, अवस्थापना, भाषा, वाह्य सहायतित परियोजना, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास, लोक सेवा प्रबन्धन, किराया नियंत्रण, उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप तथा प्रोटोकाल, प्राविधिक शिक्षा, सैनिक कल्याण, होमगार्ड, प्रान्तीय रक्षक दल, नागरिक सुरक्षा।
श्री केशव प्रसाद मौर्य **उप मुख्यमंत्री**	लोक निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण, मनोरंजन कर, सार्वजनिक उद्यम
डॉ0 दिनेश शर्मा **उप मुख्यमंत्री**	माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, विज्ञान एव प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी
श्री सूर्य प्रताप शाही	कृषि, कृषि शिक्षा, कृषि अनुसंधान
श्री सुरेश कुमार खन्ना	वित्त, संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग
श्री स्वामी प्रसाद मौर्य	श्रम एवं सेवायोजन, समन्वय
श्री सतीश महाना	औद्योगिक विकास
श्री दारा सिंह चौहान	वन एवं पर्यावरण तथा जन्तु उद्यान
श्री रमापति शास्त्री	समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण
श्री जय प्रताप सिंह	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण
श्री ब्रजेश पाठक	विधायी एवं न्याय तथा ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा
श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी	पशुधन, मत्स्य एवं दुग्ध विकास
श्री श्रीकांत शर्मा	ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत
श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह (मोती सिंह)	ग्राम्य विकास एवं समग्र ग्राम विकास
श्री सिद्धार्थनाथ सिंह	खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, वस्त्र उद्योग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, निर्यात प्रोत्साहन, एन.आर. आई. तथा निवेश प्रोत्साहन
श्री मुकुट बिहारी वर्मा	सहकारिता
श्री आशुतोष टण्डन	नगर विकास, शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन
श्री नन्द गोपाल गुप्ता ''नन्दी''	नागरिक उड्डयन, राजनैतिक पेंशन, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ़ एवं हज
डॉ0 महेन्द्र सिंह	जल शक्ति विभाग
श्री सुरेश राणा	गन्ना विकास एवं चीनी मिलें
श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी	पंचायती राज
श्री अनिल राजभर	पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण
श्री राम नरेश अग्निहोत्री	आबकारी एवं मद्यनिषेध

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

श्री उपेन्द्र तिवारी	खेल एवं युवा कल्याण (स्वतंत्र प्रभार), पंचायती राज (M.O.S.)
ड़ॉ धरम सिंह सैनी	आयुष विभाग (स्वतंत्र प्रभार), खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (M.O.S.)
श्रीमती स्वाती सिंह	महिला कल्याण तथा बाल विकास एवं पुष्टाहार (M.O.S.)
डॉ0 नीलकंठ तिवारी	पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य (स्वतंत्र प्रभार), प्रोटोकाल (M.O.S.)
श्री कपिलदेव अग्रवाल	व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास
श्री सतीश चन्द्र द्विवेदी	बेसिक शिक्षा
श्री अशोक कटारिया	परिवहन विभाग (स्वतंत्र प्रभार), संसदीय कार्य (M.O.S.)
श्री श्रीराम चौहान	उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार तथा कृषि निर्यात
श्री रविन्द्र जायसवाल	स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन

राज्य मंत्री

श्रीमती गुलाब देवी माध्यमिक शिक्षा

श्री जय प्रताप निषाद पशुधन, मत्स्य एवं दुग्ध विकास

श्री जय कुमार सिंह जैकी कारागार, लोक सेवा प्रबन्धन

श्री अतुल गर्ग चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण

श्री रणवेन्द्र प्रताप सिंह (धुन्नी सिंह) खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति

श्री मोहसिन रजा अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक़्फ़ एवं हज

श्री गिरीश चन्द्र यादव आवास एवं शहरी नियोजन

श्री बलदेव ओलख जल शक्ति

श्री मनोहरलाल मन्नु कोरी श्रम एवं सेवायोजन

श्री संदीप सिंह वित्त, चिकित्सा शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षा

श्री सुरेश कुमार उर्फ सुरेश पासी गन्ना विकास एवं चीनी मिलें

श्री अनिल शर्मा वन एवं पर्यावरण तथा जन्तु उद्यान

श्री महेश चन्द्र गुप्ता नगर विकास, शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन

श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल संसदीय कार्य, ग्राम्य विकास एवं समग्र ग्राम विकास

श्री विजय कश्यप राजस्व एवं बाढ़ नियंत्रण

डॉ. जी0एस0 धर्मेश समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जन जाति कल्याण

श्री लाखन सिंह राजपूत कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान

श्रीमती नीलिमा कटियार उच्च शिक्षा तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

श्री चौधरी उदयभान सिंह सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, वस्त्र उद्योग तथा निर्यात प्रोत्साहन

श्री चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय लोक निर्माण

श्री रमा शंकर सिंह पटेल ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत

श्री अजीत सिंह पाल इलेक्ट्रानिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी

जिन राज्य मंत्री गण (स्वतंत्र प्रभार) के सम्मुख आवंटित विभाग में (MOS) अंकित है, वह राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) उस विभाग के राज्य मंत्री होंगे।

स्रोत : गोपन अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश (22 अगस्त, 2020 तक संशोधित)

उत्तर प्रदेश विधानसभा सदस्य

(दिनांक 10 नवम्बर, 2020 की स्थिति के अनुसार)

सदस्य

विधानसभा	निर्वाचित सदस्य
भारतीय जनता पार्टी (310 सदस्य)	
1. पीलीभीत	श्री अगयश राम सरन वर्मा
2. प्रयागराज	डॉ. अजय कुमार
3. बस्ती	श्री अजय कुमार सिंह 'अजय सिंह'
4. गोण्डा	कुँ. अजय प्रताप सिंह ''लल्ला भइया''
5. सम्भल	श्री अजीत कुमार उर्फ राजू यादव
6. गाजियाबाद	श्री अजीत पाल त्यागी
7. *कानपुर देहात	श्री अजीत सिंह पाल
8. गाजियाबाद	श्री अतुल गर्ग
9. बुलन्दशहर	श्री अनिल कुमार
10. सोनभद्र	डॉ. अनिल कुमार मौर्य
11. अलीगढ़	श्री अनिल पाराशर
12. वाराणसी	श्री अनिल राजभर
13. अम्बेडकरनगर	श्रीमती अनीता
14. बुलन्दशहर	डॉ. अनीता लोधी राजपूत
15. बहराइच	श्रीमती अनुपमा जायसवाल
16. मिर्जापुर	श्री अनुराग सिंह
17. अलीगढ़	श्री अनूप 'प्रधान'
18. प्रतापगढ़	श्री अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा
19. कानपुर नगर	श्री अभिजीत सिंह सांगा
20. फर्रुखाबाद	श्री अमर सिंह
21. खीरी	श्री अरविन्द गिरि
22. बरेली	डॉ. अरुण कुमार
23. आजमगढ़	श्री अरुण कुमार यादव
24. कन्नौज	श्रीमती अर्चना पाण्डेय
25. गाजीपुर	श्रीमती अलका राय
26. मुजफ्फरनगर	श्री अवतार सिंह भडाना
27. वाराणसी	श्री अवधेश सिंह
28. खीरी	श्री अवस्थी बाला प्रसाद
29. लखनऊ	श्री अविनाश त्रिवेदी
30. बिजनौर	श्री अशोक कुमार राणा
31. बलिया	श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल
32. **चित्रकूट	श्री आनन्द शुक्ला
33. हरदोई	श्री आशीष सिंह पटेल 'आशू'
34. लखनऊ	श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'
35. अयोध्या	श्री इन्द्र प्रताप उर्फ खब्बू तिवारी
36. आगरा	चौ. उदयभान सिंह
37. बलिया	श्री उपेन्द्र तिवारी
38. ***कानपुर नगर	श्री उपेन्द्र नाथ पासवान
39. मुजफ्फरनगर	श्री उमेश मलिक
40. ***बुलन्द शहर	उषा सिरोही
41. बिजनौर	श्री ओमकुमार
42. मुजफ्फरनगर	श्री कपिल देव अग्रवाल
43. हापुड़	श्री कमल सिंह मलिक
44. देवरिया	श्री कमलेश शुक्ल
45. बिजनौर	श्रीमती कमलेश सैनी
46. फतेहपुर	श्री करण सिंह पटेल
47. मथुरा	श्री कारिन्दा सिंह
48. देवरिया	श्री काली प्रसाद
49. **सहारनपुर	श्री किरत सिंह
50. पीलीभीत	श्री किशन लाल राजपूत
51. बदायूं	श्री कुशाग्र सागर
52. बागपत	श्री कृष्णपाल मलिक
53. फतेहपुर	श्रीमती कृष्णा पासवान
54. बरेली	श्री केसर सिंह
55. बलरामपुर	श्री कैलाश नाथ शुक्ल
56. कन्नौज	श्री कैलाश सिंह राजपूत
57. कुशीनगर	श्री गंगा
58. अमेठी	श्रीमती गरिमा सिंह
59. जौनपुर	श्री गिरीश चन्द्र यादव
60. सम्भल	श्रीमती गुलाब देवी
61. जालौन	श्री गौरी शंकर
62. बांदा	श्री चन्द्रपाल कुशवाहा

* दिनांक 24 दिसम्बर, 2017 को उप-चुनाव में निर्वाचित।

** दिनांक 24 अक्टूबर, 2019 को उप-चुनाव में निर्वाचित।

*** दिनांक 10 नवम्बर, 2020 को उप-चुनाव में निर्वाचित।

63.	बस्ती	श्री चन्द्र प्रकाश उर्फ सी.ए. चन्द्र प्रकाश शुक्ल	
64.	चित्रकूट	श्री चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय	
65.	शाहजहांपुर	श्री चेतराम	
66.	बरेली	श्री छत्रपाल सिंह गंगवार	
67.	कुशीनगर	श्री जटाशंकर त्रिपाठी	
68.	लखनऊ	श्रीमती जय देवी	
69.	देवरिया	श्री जयप्रकाश निषाद	
70.	सिद्धार्थनगर	श्री जय प्रताप सिंह	
71.	महराजगंज	श्री जयमंगल	
72.	झाँसी	श्री जवाहर लाल राजपूत	
73.	मेरठ	श्री जितेन्द्र पाल सिंह उर्फ बिल्लू	
74.	आगरा	श्री जितेन्द्र वर्मा	
75.	आगरा	डॉ. जीएस. धर्मेश	
76.	सीतापुर	श्री ज्ञान तिवारी	
77.	महराजगंज	श्री ज्ञानेन्द्र	
78.	बरेली	डॉ. डी.सी. वर्मा	
79.	गौतमबुद्धनगर	श्री तेजपाल सिंह नागर	
80.	शामली	श्री तेजेन्द्र निर्वाल	
81.	बस्ती	श्री दयाराम चौधरी	
82.	रायबरेली	श्री दल बहादुर	
83.	अलीगढ़	श्री दलवीर सिंह	
84.	मऊ	श्री दारा सिंह चौहान	
85.	संत कबीरनगर	श्री दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे	
86.	मेरठ	श्री दिनेश खटीक	
87.	जौनपुर	श्री दिनेश चौधरी	
88.	भदोही	श्री दीनानाथ भाष्कर	
89.	सुल्तानपुर	श्री देवमणि द्विवेदी	
90.	सहारनपुर	श्री देवेन्द्र कुमार निम	
91.	कासगंज	श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह	
92.	कासगंज	श्री देवेन्द्र सिंह राजपूत	
93.	बुलन्दशहर	श्री देवेन्द्र सिंह लोधी 'एडवोकेट'	
94.	बलिया	श्री धनन्जय कन्नौजिया	
95.	बरेली	श्री धर्मपाल सिंह	
96.	सहारनपुर	डॉ. धर्म सिंह सैनी	
97.	बदायूं	श्री धर्मेन्द्र सिंह शाक्य 'पप्पू भैया'	
98.	रायबरेली	श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह	
99.	गौतमबुद्धनगर	श्री धीरेन्द्र सिंह	
100.	गाजियाबाद	श्री नन्द किशोर गुर्जर	
101.	प्रयागराज	श्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी'	
102.	जालौन	कुं. नरेन्द्र पाल सिंह	
103.	फर्रूखाबाद	श्री नागेन्द्र सिंह राठौर	
104.	कानपुर देहात	श्रीमती निर्मला संखवार	
105.	लखनऊ	डॉ. नीरज बोरा	
106.	वाराणसी	डॉ. नीलकंठ तिवारी	
107.	प्रयागराज	श्रीमती नीलम करवरिया	
108.	कानपुर नगर	श्रीमती नीलिमा कटियार	
109.	उन्नाव	श्री पंकज गुप्ता	
110.	गौतमबुद्धनगर	श्री पंकज सिंह	
111.	आगरा	रानी पक्षालिका सिंह	
112.	कुशीनगर	श्री पवन कुमार	
113.	बलरामपुर	श्री पल्टूराम	
114.	*आगरा	श्री पुरुषोत्तम खण्डेलवाल	
115.	मथुरा	श्री पूरन प्रकाश एडवोकेट	
116.	बांदा	श्री प्रकाश चन्द्र द्विवेदी	
117.	कानपुर देहात	श्रीमती प्रतिभा शुक्ला	
118	गोण्डा	श्री प्रतीक भूषण सिंह	
119.	गोण्डा	श्री प्रभात कुमार वर्मा	
120.	हरदोई	श्री प्रभाष कुमार	
121.	मुजफ्फरनगर	श्री प्रमोद उटवाल	
122.	प्रयागराज	श्री प्रवीण कुमार सिंह	
123.	गोण्डा	श्री प्रेम नारायण पाण्डेय	
124.	**टुण्डला	श्री प्रेम पाल सिंह धनगर	
125.	महराजगंज	श्री प्रेमसागर पटेल	
126.	गोरखपुर	श्री फतेह बहादुर	
127.	महराजगंज	श्री बजरंग बहादुर सिंह	
128.	उन्नाव	श्री बम्बा लाल	
129.	रामपुर	श्री बल्देव सिंह औलख	
130.	बरेली	श्री बहोरन लाल मौर्य	
131.	अयोध्या	श्री बाबा गोरखनाथ	
132.	पीलीभीत	श्री बाबू राम पासवान	
133.	गोण्डा	श्री बावन सिंह	
134.	बुलन्दशहर	श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी	
135.	झाँसी	श्री बिहारीलाल आर्य	
136.	हाथरस	श्री बीरेन्द्र सिंह राणा	
137.	महोबा	श्री बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया	
138.	उन्नाव	श्री बृजेश कुमार	

* दिनांक 23 मई, 2019 को उप-चुनाव में निर्वाचित।

** दिनांक 10 नवम्बर, 2020 को उप-चुनाव में निर्वाचित।

139. बांदा	श्री बृजेश कुमार प्रजापति
140. बाराबंकी	श्री बैजनाथ रावत
141. लखनऊ	श्री ब्रजेश पाठक
142. सहारनपुर	श्री ब्रिजेश
143. कानपुर नगर	श्री भगवती प्रसाद सागर
144. सोनभद्र	श्री भूपेश चौबे
145. खीरी	श्रीमती मंजू त्यागी
146. फिरोजाबाद	श्री मनीष असीजा
147. हमीरपुर	श्रीमती मनीषा अनुरागी
148. ललितपुर	श्री मनोहर लाल
149. गाजियाबाद	डॉ. मंजू शिवाच
150. कासगंज	श्री ममतेश शाक्य
151. अमेठी	श्री मयंकेश्वर शरण सिंह
152. गोरखपुर	श्री महेन्द्र पाल सिंह
153. सीतापुर	श्री महेन्द्र प्रताप सिंह
154. अमरोहा	श्री महेन्द्र सिंह खड़गवंशी
155. आगरा	श्री महेश कुमार गोयल
156. कानपुर नगर	श्री महेश त्रिवेदी
157. बदायूं	श्री महेश चन्द्र गुप्ता
158. हरदोई	कुं. माधवेन्द्र प्रताप
159. बहराइच	श्रीमती माधुरी वर्मा
160. शाहजहांपुर	श्री मानवेन्द्र सिंह
161. बहराइच	श्री मुकुट बिहारी
162. फिरोजाबाद	डॉ. मुकेश चन्द्र वर्मा
163. जालौन	श्री मूलचन्द्र सिंह
164. *हमीरपुर	श्री युवराज सिंह
165. आगरा	श्री योगेन्द्र उपाध्याय
166. बागपत	श्री योगेश धामा
167. खीरी	श्री योगेश वर्मा
168. कुशीनगर	श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी
169. हरदोई	श्रीमती रजनी तिवारी
170. फतेहपुर	श्री रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया
171. मिर्जापुर	श्री रत्नाकर मिश्र
172. गोण्डा	श्री रमापति शास्त्री
173. मिर्जापुर	श्री रमाशंकर सिंह
174. औरैया	श्री रमेश चन्द्र दिवाकर
175. जौनपुर	श्री रमेश चन्द्र मिश्र
176. बस्ती	श्री रवि कुमार सोनकर
177. भदोही	श्री रविन्द्र नाथ त्रिपाठी
178. झाँसी	श्री रवि शर्मा
179. वाराणसी	श्री रवीन्द्र जायसवाल
180. अलीगढ़	श्री रवेन्द्रपाल सिंह
181. महोबा	श्री राकेश कुमार गोस्वामी
182. सीतापुर	श्री राकेश राठौर
183. सन्तकबीरनगर	श्री राकेश सिंह बघेल
184. सिद्धार्थनगर	श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह
185. बांदा	श्री राज करन कबीर
186. हरदोई	श्री राजकुमार अग्रवाल
187. **अलीगढ़	श्री राजकुमार सहयोगी
188. रामपुर	श्रीमती राजबाला
189. प्रयागराज	श्री राजमणि कोल
190. अमरोहा	श्री राजीव तरारा
191. बदायूं	श्री राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भइया
192. झाँसी	श्री राजीव सिंह 'पारीक्षा'
193. प्रतापगढ़	श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती
194. बरेली	श्री राजेश अग्रवाल
195. बरेली	श्री राजेश कुमार मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल
196. मुरादाबाद	श्री राजेश कुमार सिंह (चुन्नू)
197. सुल्तानपुर	श्री राजेश गौतम
198. बदायूं	पं0 श्री राधा कृष्ण शर्मा
199. गोरखपुर	डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल
200. सीतापुर	श्री राम कृष्ण भार्गव
201. फिरोजाबाद	श्री रामगोपाल पप्पू लोधी
202. अयोध्या	श्री रामचन्द्र यादव
203. मैनपुरी	श्री राम नरेश अग्निहोत्री
204. रायबरेली	श्री राम नरेश रावत
205. हरदोई	श्री रामपाल वर्मा
206. आगरा	श्री राम प्रताप सिंह
207. बलरामपुर	श्री राम प्रताप उर्फ शशिकान्त वर्मा
208. श्रावस्ती	श्री रामफेरन पाण्डेय
209. ललितपुर	श्री रामरतन कुशवाहा
210. मुरादाबाद	श्री रितेश कुमार गुप्ता
211. शाहजहांपुर	श्री रोशन लाल वर्मा
212. मथुरा	श्री लक्ष्मी नारायण
213. औरैया	श्री लाखन सिंह
214. कौशाम्बी	श्री लाल बहादुर
215. खीरी	श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह

* दिनांक 27 सितम्बर, 2019 को उप-चुनाव में निर्वाचित।

** दिनांक 24 अक्टूबर, 2019 को उप-चुनाव में निर्वाचित।

216. फतेहपुर	श्री विकास गुप्ता
217. फतेहपुर	श्री विक्रम सिंह
218. मुजफ्फरनगर	श्री विक्रम सिंह
219. प्रयागराज	श्री विक्रमाजीत मौर्य
220. मुजफ्फरनगर	श्री विजय कुमार कश्यप
221. **मऊ	श्री विजय कुमार राजभर
222. हापुड़	श्री विजय पाल (आढ़ती)
223. बुलन्दशहर	श्री विजेन्द्र सिंह
224. गोण्डा	श्री विनय कुमार द्विवेदी
225. औरैया	श्री विनय शाक्य
226. कानपुर देहात	श्री विनोद कुमार कटियार
227. एटा	श्री विपिन कुमार 'डेविड'
228. गोरखपुर	श्री विपिन सिंह
229. गोरखपुर	डॉ. विमलेश पासवान
230. शाहजहांपुर	श्री वीर विक्रम सिंह 'प्रिन्स'
231. एटा	श्री वीरेन्द्र
232. अयोध्या	श्री वेद प्रकाश गुप्ता
233. बाराबंकी	श्री शरद कुमार अवस्थी
234. *खीरी	श्री शशांक वर्मा
235. सीतापुर	श्री शशांक त्रिवेदी
236. चन्दौली	श्री शारदा प्रसाद
237. गोरखपुर	श्री शीतल पाण्डेय
238. कौशाम्बी	श्री शीतला प्रसाद ''पप्पू पटेल''
239. मिर्जापुर	श्रीमती शुचिस्मिता मौर्य
240. बलरामपुर	श्री शैलेश कुमार सिंह 'शैलू'
241. फैजाबाद	श्रीमती शोभा सिंह चौहान
242. सिद्धार्थनगर	श्री श्याम धनी
243. हरदोई	श्री श्याम प्रकाश
244. बरेली	डॉ. श्याम बिहारी लाल
245. ***उन्नाव	श्रीकान्त कटियार
246. मथुरा	श्री श्रीकान्त शर्मा
247. सन्तकबीरनगर	श्री श्रीराम चौहान
248. मऊ	श्री श्रीराम सोनकर
249. मेरठ	श्री संगीत सिंह सोम
250. ***मुरादाबाद	श्रीमती संगीता चौहान
251. गाजीपुर	डॉ. संगीता बलवन्त
252. गोरखपुर	श्रीमती संगीता यादव
253. बुलन्दशहर	श्री संजय
254. कौशाम्बी	श्री संजय कुमार
255. बस्ती	श्री संजय प्रताप जायसवाल
256. बलिया	श्री संजय यादव
257. पीलीभीत	श्री संजय सिंह गंगवार
258. सोनभद्र	श्री संजीव कुमार
259. एटा	श्री संजीव कुमार दिवाकर
260. अलीगढ़	श्री संजीव राजा
261. अम्बेडकरनगर	श्रीमती संजू देवी
262. अलीगढ़	श्री संदीप कुमार सिंह
263. बाराबंकी	श्री सतीश चन्द्र शर्मा
264. सिद्धार्थनगर	डॉ. सतीश चन्द्र द्विवेदी
265. कानपुर नगर	श्री सतीश महाना
266. एटा	श्री सत्यपाल सिंह राठौर
267. मेरठ	श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल ''कैलाश डेरी वाले''
268. ***देवरिया	डॉ0 श्री गुड्डू बाबू
269. मेरठ	श्री सत्यवीर त्यागी
270. गोरखपुर	श्री सन्त प्रसाद
271. इटावा	श्रीमती सरिता भदौरिया
272. **बहराइच	श्रीमती सरोज सोनकर
273. बाराबंकी	श्री साकेन्द्र प्रताप वर्मा
274. चन्दौली	श्रीमती साधना सिंह
275. इटावा	श्रीमती सावित्री कठेरिया
276. प्रयागराज	श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह
277. सुल्तानपुर	श्री सीताराम वर्मा
278. बिजनौर	श्रीमती सुचि
279. गाजीपुर	श्रीमती सुनीता
280. गाजियाबाद	श्री सुनील कुमार शर्मा
281. फर्रुखाबाद	श्री सुनील दत्त द्विवेदी मे.
282. सीतापुर	श्री सुनील वर्मा
283. बहराइच	श्री सुभाष त्रिपाठी, एडवोकेट
284. बलिया	श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह
285. वाराणसी	श्री सुरेन्द्र नारायण सिंह
286. **कानपुर नगर	श्री सुरेन्द्र मैथानी
287. शामली	श्री सुरेश कुमार
288. अमेठी	श्री सुरेश कुमार
289. शाहजहांपुर	श्री सुरेश कुमार खन्ना
290. लखनऊ	श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव
291. **लखनऊ	श्री सुरेश चन्द्र तिवारी

* दिनांक 23 मई, 2019 को उप-चुनाव में निर्वाचित।

** दिनांक 24 अक्टूबर, 2019 को उप-चुनाव में निर्वाचित।

*** दिनांक 10 नवम्बर, 2020 को उप-चुनाव में निर्वाचित।

292.	देवरिया	श्री सुरेश तिवारी
293.	सीतापुर	श्री सुरेश राही
294.	बहराइच	श्री सुरेश्वर सिंह
295.	बिजनौर	श्री सुशांत सिंह, कुंवर
296.	फर्रुखाबाद	श्री सुशील कुमार शाक्य
297.	चन्दौली	श्री सुशील सिंह
298.	देवरिया	श्री सूर्य प्रताप शाही
299.	सुल्तानपुर	श्री सूर्यभान सिंह
300.	मेरठ	डॉ. सोमेन्द्र तोमर
301.	वाराणसी	श्री सौरभ श्रीवास्तव
302.	लखीमपुर खीरी	श्री सौरभ सिंह
303.	लखनऊ	श्रीमती स्वाती सिंह
304.	कुशीनगर	श्री स्वामी प्रसाद मौर्य
305.	लखीमपुर खीरी	श्री हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी
306.	हाथरस	श्री हरिशंकर माहौर
307.	जौनपुर	डॉ. हरेन्द्र प्रसाद सिंह
308.	प्रयागराज	श्री हर्षवर्धन बाजपेयी
309.	आगरा	श्रीमती हेमलता दिवाकर कुशवाहा
310.	उन्नाव	श्री हृदय नारायण दीक्षित

समाजवादी पार्टी-(49)

1.	कन्नौज	श्री अनिल कुमार दोहरे
2.	सुल्तानपुर	श्री अबरार अहमद
3.	कानपुर	श्री अमिताभ बाजपेई
4.	लखनऊ	श्री अम्ब्रीश सिंह पुष्कर, एडवोकेट
5.	आजमगढ़	श्री आलमबदी
6.	देवरिया	श्री आशुतोष उपाध्याय
7.	सम्भल	श्री इकबाल महमूद
8.	मुरादाबाद	हाजी इकराम कुरैशी
9.	कानपुर	हाजी इरफान सोलंकी
10.	प्रयागराज	श्री उज्जवल रमण सिंह
11.	बदायूं	श्री ओमकार सिंह
12.	आजमगढ़	श्री कल्पनाथ पासवान
13.	**बाराबंकी	श्री गौरव कुमार
14.	जौनपुर	श्री जगदीश सोनकर
15.	**रामपुर	डॉ. तज़ीम फातमा
16.	बिजनौर	श्री तसलीम अहमद
17.	आजमगढ़	श्री दुर्गा प्रसाद यादव
18.	बाराबंकी	श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव
19.	*बिजनौर	श्री नईम उल हसन
20.	आजमगढ़	श्री नफीस अहमद
21.	सीतापुर	श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा
22.	मुरादाबाद	श्री नवाब जान
23.	रामपुर	श्री नसीर अहमद खां
24.	शामली	श्री नाहिद हसन
25.	हरदोई	श्री नितिन अग्रवाल
26.	सम्भल	श्रीमती पिंकी सिंह यादव
27.	चन्दौली	श्री प्रभुनारायण सिंह यादव
28.	मैनपुरी	इंजी. बृजेश कठेरिया
29.	रायबरेली	श्री मनोज कुमार पाण्डेय
30.	बिजनौर	श्री मनोज कुमार पारस
31.	अमरोहा	श्री महबूब अली
32.	मुरादाबाद	श्री मोहम्मद रिजवान
33.	मुरादाबाद	मौ. फईम इरफान
34.	बहराइच	श्री यासर शाह
35.	मेरठ	श्री रफीक अन्सारी
36.	अमेठी	श्री राकेश प्रताप सिंह
37.	मैनपुरी	श्री राजकुमार उर्फ राजू यादव
38.	बलिया	श्री राम गोविन्द चौधरी
39.	***जौनपुर	श्री लकी यादव
40.	गाजीपुर	श्री वीरेन्द्र यादव
41.	शाहजहांपुर	श्री शरदवीर सिंह
42.	इटावा	श्री शिवपाल सिंह यादव
43.	जौनपुर	श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'
44.	आजमगढ़	डॉ. संग्राम यादव
45.	सहारनपुर	श्री संजय गर्ग
46.	गाजीपुर	श्री सुभाष पासी
47.	**अम्बेडकर नगर	श्री सुभाष राय
48.	मैनपुरी	श्री सोवरन सिंह यादव
49.	फिरोजाबाद	श्री हरिओउम यादव

* दिनांक 31 मई, 2018 को उप-चुनाव में निर्वाचित।

** दिनांक 24 अक्टूबर, 2019 को उप-चुनाव में निर्वाचित।

*** दिनांक 10 नवम्बर, 2020 को उप-चुनाव में निर्वाचित।

बहुजन समाज पार्टी-(18)

1.	उन्नाव	श्री अनिल सिंह
2.	हापुड़	श्री असलम अली
3.	आजमगढ़	श्री आजाद अरि मर्दन
4.	बलिया	श्री उमाशंकर सिंह
5.	आजमगढ़	श्रीमती बन्दना सिंह
6.	मऊ	श्री मुख्तार अंसारी
7.	प्रयागराज	मो. मुजतबा सिद्दीकी
8.	श्रावस्ती	मो. असलम 'राइनी' एडवोकेट
9.	अम्बेडकरनगर	श्री राम अचल राजभर
10.	हाथरस	श्री रामवीर उपाध्याय
11.	अम्बेडकरनगर	श्री लाल जी वर्मा
12.	गोरखपुर	श्री विनय शंकर तिवारी
13.	आजमगढ़	श्री शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली
14.	मथुरा	श्री श्याम सुन्दर शर्मा
15.	आजमगढ़	श्री सुखदेव राजभर
16.	जौनपुर	श्रीमती सुषमा पटेल
17.	सीतापुर	डॉ. हरगोविन्द भार्गव
18.	प्रयागराज	श्री हाकिम लाल बिन्द

अपना दल- (सोनेलाल) (09)

1.	सिद्धार्थनगर	श्री अमर सिंह चौधरी
2.	प्रतापगढ़	डॉ. आर. के. वर्मा
3.	प्रयागराज	डॉ. जमुना प्रसाद सरोज
4.	फतेहपुर	श्री जय कुमार सिंह (जैकी)
5.	वाराणसी	श्री नीलरतन सिंह पटेल 'नीलू'
6.	*प्रतापगढ़	श्री राजकुमार पाल
7.	मिर्जापुर	श्री राहुल प्रकाश
8.	जौनपुर	श्रीमती लीना तिवारी
9.	सोनभद्र	श्री हरीराम

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस- (07)

1.	कुशीनगर	श्री अजय कुमार 'लल्लू'
2.	रायबरेली	सुश्री अदिति सिंह
3.	प्रतापगढ़	श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'
4.	सहारनपुर	श्री नरेश सैनी
5.	सहारनपुर	श्री मसूद अख्तर
6.	रायबरेली	श्री राकेश सिंह
7.	कानपुर	श्री सोहिल अख्तर अंसारी

सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी- (04)

1.	गाजीपुर	श्री ओम प्रकाश राजभर
2.	वाराणसी	श्री कैलाश नाथ सोनकर
3.	गाजीपुर	श्री त्रिवेणी राम
4.	कुशीनगर	श्री रामानन्द बौद्ध

राष्ट्रीय लोक दल- (01)

1.	बागपत	श्री सहेन्द्र सिंह चौहान

निर्बल इण्डियन शोषित हमारा आम दल-(01)

1.	भदोही	श्री विजय मिश्र

निर्दलीय-(03)

1.	महराजगंज	श्री अमन मणि त्रिपाठी
2.	प्रतापगढ़	श्री रघुराज प्रताप सिंह
3.	प्रतापगढ़	श्री विनोद सरोज

नाम निर्देशित-(01)

1.	लखनऊ	डॉ. डेनजिल जे. गोडिन

रिक्त- 1

****1-** रामपुर (स्वार)

---

* दिनांक 24 अक्टूबर, 2019 को उप-चुनाव में निर्वाचित।

** निर्वाचन क्षेत्र सं.-34- स्वार, जनपद-रामपुर से निर्वाचित मा0 सदस्य श्री मो0 अबदुल्ला आजम खां का निर्वाचन माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 16 दिसम्बर, 2019 से शून्य घोषित किये जाने के कारण रिक्त।

स्रोत : सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश से विधान परिषद के सदस्य

श्री कुँवर मानवेन्द्र सिंह – सभापति
डॉ. दिनेश शर्मा – नेता सदन
श्री अहमद हसन – नेता विरोधी दल

कार्यकाल : 05 जुलाई, 2021 तक

1. श्रीमती लीलावती कुशवाहा
2. श्री रामवृक्ष सिंह यादव
3. श्री जितेन्द्र यादव

कार्यकाल : 07 मार्च, 2022 तक

4. श्री अरविन्द प्रताप यादव
5. श्री अमित यादव
6. श्री अक्षय प्रताप सिंह
7. श्री आनन्द भदौरिया
8. श्री उदयवीर सिंह
9. श्री जसवन्त सिंह
10. श्री घनश्याम सिंह लोधी
11. डॉ. दिलीप यादव
12. श्री दिलीप सिंह उर्फ कल्लू यादव
13. श्री नरेन्द्र सिंह भाटी
14. श्री परवेज अली पुत्र श्री महबूब अली
15. श्री पुष्पराज जैन उर्फ पम्पी जैन
16. श्री महफुजुर्रहमान उर्फ महफूज खाँ
17. श्री मोहम्मद इमलाक खाँ
18. श्री सैयद मिस्बाहुद्दीन
19. श्रीमती रमा निरंजन
20. श्री रविशंकर सिंह 'पप्पू भैया'
21. श्री राकेश यादव
22. श्री राकेश कुमार यादव उर्फ गुड्डू
23. श्री रमेश मिश्र
24. श्री राजेश कुमार यादव
25. श्री रामअवध यादव
26. श्रीमती रामलली
27. श्री वासुदेव यादव
28. श्री संतोष यादव 'सनी'
29. श्री सुनील कुमार सिंह ''साजन''
30. श्री सी.पी. चन्द
31. श्री शशांक यादव
32. श्री शैलेन्द्र प्रताप सिंह
33. श्री हीरालाल यादव
34. श्री बृजेश कुमार सिंह 'प्रिन्सू'
35. श्री महमूद अली
36. श्री दिनेश प्रताप सिंह पुत्र स्व. महावीर सिंह
37. श्री बृजेश कुमार सिंह उर्फ 'अरुण'
38. श्री विशाल सिंह 'चंचल'

कार्यकाल : 28 अप्रैल, 2022 तक

39. श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया
40. श्री जाहिद हसन वसीम बरेलवी
41. श्री मधुकर जेटली

कार्यकाल : 26 मई, 2022 तक

42. डॉ. राजपाल कश्यप
43. श्री अरविन्द कुमार सिंह
44. डॉ. संजय लाठर

कार्यकाल : 06 जुलाई, 2022 तक

45. श्री जगजीवन प्रसाद
46. श्री बलराम यादव
47. श्री केशव प्रसाद मौर्य
48. डॉ. कमलेश कुमार पाठक
49. श्री योगी आदित्यनाथ
50. श्री रणविजय सिंह
51. श्री राम सुन्दर दास निषाद 'एडवोकेट'
52. श्री शतरूद्र प्रकाश
53. श्री अतर सिंह राव
54. श्री दिनेश चन्द्रा
55. श्री सुरेश कुमार कश्यप

56. श्री दीपक सिंह
57. श्री भूपेन्द्र सिंह

कार्यकाल : 12 फरवरी, 2023 तक

58. श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह
59. श्री अरुण पाठक
60. डॉ. जयपाल सिंह व्यस्त
61. श्री सुरेश कुमार त्रिपाठी
62. श्री राजबहादुर सिंह चन्देल

कार्यकाल : 05 मई, 2024 तक

63. श्री यशवन्त
64. श्री विजय बहादुर पाठक
65. श्री विद्या सागर सोनकर
66. डॉ. सरोजनी अग्रवाल
67. श्री नरेश चन्द्र उत्तम
68. श्री भीमराव अम्बेडकर
69. श्री आशीष पटेल
70. श्री अशोक कटारिया
71. श्री अशोक धवन
72. श्री ठाकुर जयवीर सिंह
73. श्री बुक्कल नवाब
74. डॉ. महेन्द्र कुमार सिंह
75. श्री मोहसिन रजा

कार्यकाल : 06 दिसम्बर, 2026 तक

76. श्री उमेश द्विवेदी
77. श्री ध्रुव कुमार
78. श्री श्रीचन्द शर्मा
79. डॉ0 आकाश अग्रवाल
80. डॉ0 हरी सिंह ढिल्लों
81. इंजी0 श्री अवनीश कुमार सिंह
82. श्री आशुतोष सिन्हा
83. डॉ0 मान सिंह यादव
84. डॉ0 मानवेन्द्र प्रताप सिंह, ''गुरू जी''
85. श्री दिनेश कुमार गोयल
86. श्री लाल बिहारी यादव

कार्यकाल : 30 जनवरी, 2027 तक

87. श्री कुंवर मानवेन्द्र सिंह
88. डॉ0 दिनेश शर्मा
89. श्री स्वतंत्रदेव
90. श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य
91. श्री अरविन्द शर्मा
92. श्री अश्विनी त्यागी
93. श्री गोविन्द नारायण
94. श्री धर्मवीर सिंह
95. श्री सलिल विश्नोई
96. श्री सुरेन्द्र चौधरी
97. श्री अहमद हसन
98. श्री राजेन्द्र चौधरी

रिक्त- 1- माननीय सदस्य की दिनांक 08 मार्च, 2017 को मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप (बदायूँ स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र) 07 मार्च, 2022

2- माननीय सदस्य की दिनांक 08 सितम्बर, 2020 को मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप (मनोनीत)

स्रोत : विधान परिषद सचिवालय, उ.प्र. (दिनांक 05 फरवरी, 2021 तक संशोधित)

भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति

नाम		वर्ष
1. श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी	(1878-1972)	1954
2. डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन	(1888-1975)	1954
3. डॉ. चंद्रशेखर वेंकटरमन	(1888-1970)	1954
4. डॉ. भगवान दास	(1869-1958)	1955
5. डॉ. मोक्षागुंडम विश्वेश्वरैया	(1861-1962)	1955
6. पं. जवाहरलाल नेहरू	(1889-1964)	1955
7. पं. गोविंद बल्लभ पंत	(1887-1961)	1957
8. डॉ. धोंडो केशव कर्वे	(1858-1962)	1958
9. डॉ. बिधानचंद्र रॉय	(1882-1962)	1961
10. श्री पुरुषोत्तम दास टंडन	(1882-1962)	1961
11. डॉ. राजेंद्र प्रसाद	(1884-1963)	1962
12. डॉ. ज़ाकिर हुसैन	(1897-1969)	1963
13. डॉ. पांडुरंग वामन काणे	(1880-1972)	1963
14. श्री लाल बहादुर शास्त्री (मरणोपरांत)	(1904-1966)	1966
15. श्रीमती इंदिरा गांधी	(1917-1984)	1971
16. श्री वराहगिरि वेंकट गिरि	(1894-1980)	1975
17. श्री कुमारास्वामी कामराज (मरणोपरांत)	(1903-1975)	1976
18. मदर मेरी टेरेसा बोजाक्सहियू (मदर टेरेसा)	(1910-1997)	1980
19. आचार्य विनोबा भावे (मरणोपरांत)	(1895-1982)	1983
20. खान अब्दुल गफ़्फार खाँ	(1890-1988)	1987
21. श्री मरुदुर गोपालन रामचंद्रन (मरणोपरांत)	(1917-1987)	1988
22. डॉ. भीमराव रामजी अम्बेडकर (मरणोपरांत)	(1891-1956)	1990
23. डॉ. नेल्सन रोलिहलाहला मंडेला	(1918-2013)	1990
24. श्री राजीव गांधी (मरणोपरांत)	(1944-1991)	1991

25. सरदार वल्लभभाई पटेल (मरणोपरांत)	(1875-1950)	1991
26. श्री मोरारजी रणछोड़जी देसाई	(1896-1995)	1991
27. मौलाना अबुल कलाम आजाद (मरणोपरांत)	(1888-1958)	1992
28. श्री जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा	(1904-1993)	1992
29. श्री सत्यजीत राय (मरणोपरांत)	(1921-1992)	1992
30. श्री गुलजारी लाल नंदा (मरणोपरांत)	(1898-1998)	1997
31. श्रीमती अरुणा आसफ अली (मरणोपरांत)	(1909-1996)	1997
32. डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम	(1931-2015)	1997
33. श्रीमती मदुरई शनमुखवादिवु सुब्बालक्ष्मी	(1916-2005)	1998
34. श्री चिदम्बरम सुब्रमण्यम	(1910-2000)	1998
35. लोकनायक जयप्रकाश नारायण (मरणोपरांत)	(1902-1979)	1999
36. प्रोफेसर अमर्त्य सेन	(जन्म 1933)	1999
37. लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई (मरणोपरांत)	(1890-1950)	1999
38. पंडित रविशंकर	(1920-2012)	1999
39. सुश्री लता दीनानाथ मंगेशकर	(जन्म 1929)	2001
40. उस्ताद बिस्मिल्लाह खां	(1916-2006)	2001
41. पं. भीमसेन गुरुराज जोशी	(1922-2011)	2009
42. प्रो. सी.एन.आर. राव	(जन्म 1934)	2014
43. श्री सचिन रमेश तेंदुलकर	(जन्म 1973)	2014
44. पं. मदन मोहन मालवीय (मरणोपरांत)	(1861-1946)	2015
45. श्री अटल बिहारी वाजपेयी	(1924-2018)	2015

स्रोत : भारत- 2020

नोबेल पुरस्कार विजेता (भारतीय)

रवींद्रनाथ ठाकुर (1861-1941)

रवींद्रनाथ ठाकुर, साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। 'गुरुदेव' के नाम से प्रसिद्ध रवींद्रनाथ ठाकुर का जन्म 7 मई, 1861 को कोलकाता में हुआ। उन्हें उनकी कविताओं की पुस्तक *'गीतांजलि'* के लिए सन् 1913 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। रवींद्रनाथ ठाकुर ने अनेक प्रेमगीत भी लिखे हैं। *गीतांजलि* और *साधना* उनकी महत्त्वपूर्ण कृतियाँ हैं। महान कवि, नाटककार और उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध 'गुरुदेव' ने भारत के राष्ट्र गान की भी रचना की। सन् 1901 में उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की, जो बाद में विश्वभारती विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

चंद्रशेखर वेंकटरमन (1888-1970)

भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय डॉ0 चंद्रशेखर वेंकटरमन थे। उन्हें वर्ष 1930 में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। रमन का जन्म तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली के पास तिरुवाइक्कावल में हुआ था। उन्होंने चेन्नई के प्रेसीडेंसी कालेज में शिक्षा प्राप्त की। बाद में वह कोलकाता विश्वविद्यालय में भौतिक शास्त्र के प्रोफेसर बने। चंद्रशेखर वेंकटरमन ने अनेक पुरस्कार और सम्मान प्राप्त किए। उन्हें 'सर' की उपाधि से भी सम्मानित किया गया और प्रकाशिकी के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण अनुसंधान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। उन्होंने अपने अनुसंधान में इस बात का पता लगाया कि किस तरह अपसरित प्रकाश में अन्य तरंग, लंबाई की किरणें भी मौजूद रहती हैं। उनकी खोज को रमन प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। सन् 1928 में की गई इस खोज से पारदर्शी माध्यम से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरणों में आवृत्ति परिवर्तन की व्याख्या की गई है।

हरगोबिंद खुराना (1922-2011)

हरगोबिन्द खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए वर्ष 1968 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। भारतीय मूल के डॉ0 खुराना का जन्म पंजाब में रायपुर (जो अब पाकिस्तान में है) में हुआ था। उन्होंने लिवरपूल विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री ली। सन् 1960 में वह विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय में प्राध्यापक बने। उन्होंने अपनी खोज से आनुवांशिक कोड की व्याख्या की और प्रोटीन संश्लेषण में इसकी भूमिका का पता लगाया। इसके लिए उन्हें नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

मदर टेरेसा (1910-1997)

मदर टेरेसा को वर्ष 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला। मदर का जन्म अलबानिया में स्कोपजे नामक स्थान पर हुआ था, जो अब यूगोस्लाविया में है। उनका बचपन का नाम एग्नस गोंक्सहा बोजाक्सिऊ था। सन् 1928 में वह डाल्विन में आयरलैंड की संस्था 'सिस्टर्स ऑफ लोरेटो' में शामिल हुईं और मिशनरी बनकर सन् 1929 में कोलकाता आ गईं। उन्होंने बेसहारा और बेघर लोगों के दुःख दूर करने का महान व्रत लिया। निर्धनों और बीमारों की सेवा के लिए उन्होंने 'मिशनरीज ऑफ चैरिटी' नाम की संस्था बनाई और भारतीय नागरिक बनकर कुष्ठ रोगियों, नशीले पदार्थों की लत के शिकार लोगों तथा दीन-दुखियों के लिए 'निर्मल हृदय' नाम की संस्था बनाई। यह संस्था उनकी गतिविधियों का केंद्र बनी। उन्होंने पूरी निष्ठा से न सिर्फ बेसहारा लोगों की निःस्वार्थ

सेवा की, बल्कि विश्व शांति के लिए भी प्रयास जारी रखे। उन्हीं की बदौलत भारत शांति के लिए अपने एक नागरिक द्वारा शान्ति के लिए पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने का गौरव प्राप्त कर सका है।

सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर (1910-1995)

भारत में जन्मे इस खगोल भौतिकी विज्ञानी को वर्ष 1983 में भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चेन्नई के प्रेसीडेंसी कालेज में पढ़े सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर नोबेल पुरस्कार विजेता सर सी.वी. रमन के भतीजे थे। बाद में चंद्रशेखर अमेरिका चले गए, जहाँ उन्होंने खगोल भौतिक शास्त्र तथा सौरमंडल से संबंधित विषयों पर अनेक पुस्तकें लिखीं। उन्होंने 'व्हाइट ड्वार्फ' यानी श्वेत बौने नाम के नक्षत्रों के बारे में सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन नक्षत्रों के लिए उन्होंने जो सीमा निर्धारित की है, उसे चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। उनके सिद्धांत से ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में अनेक रहस्यों का पता चला।

अमर्त्य सेन (जन्म 1933)

प्रोफेसर अमर्त्य सेन को वर्ष 1998 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वे यह सम्मान प्राप्त करने वाले पहले एशियाई हैं। शांति निकेतन में जन्में यह अर्थशास्त्री लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र में पारंगत हैं। उन्होंने कल्याण और विकास के पक्षों पर कई पुस्तकें तथा शोध-पत्र लिखे हैं। एक अलग प्रकार के अर्थशास्त्री के रूप में वह मानवतावादी अर्थशास्त्री माने जाते हैं। उन्होंने भुखमरी, गरीबी, लोकतंत्र, लिंग और सामाजिक समस्याओं पर उत्कृष्ट लेखन से अपनी पहचान बनाई। पहले केनेथ ऐरो नाम के अर्थशास्त्री ने असंभाव्यता सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था और कहा था कि पूर्ण निजी विकल्पों को संपूर्ण समाज के लिए संतोषजनक पसंद बना पाना संभव नहीं है। प्रोफेसर सेन ने दिखाया कि गणितीय आधार पर समाज के कमजोर परिणामों को समाप्त करने के उपाय ढूंढ़े जा सकते हैं।

वेंकटरामन रामकृष्णन (जन्म 1952)

वेंकटरामन रामकृष्णन को वर्ष 2009 में रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें यह पुरस्कार कोशिका के अंदर प्रोटीन का निर्माण करने वाले राइबोसोम की कार्यप्रणाली व संरचना के उत्कृष्ट अध्ययन के लिए दिया गया है। वेंकटरामन तमिलनाडु के चिदंबरम में पैदा हुए थे। उन्होंने वर्ष 1971 में बड़ौदा के एम.एस. विश्वविद्यालय से भौतिकी में स्नातक तक की पढ़ाई पूरी की। उन्हें ओहियो विश्वविद्यालय से वर्ष 1971 में पीएच.डी. की डिग्री प्राप्त हुई। उनका झुकाव भौतिकी से जीव विज्ञान की ओर हुआ और उन्होंने वर्ष 1976 से 1978 तक कैलीफोर्निया विश्वविद्यालय में जीव विज्ञान स्नातक विद्यार्थी के रूप में रोडोस्पीन नामक अणु का अध्ययन किया।

कैलाश सत्यार्थी (जन्म 1954)

कैलाश सत्यार्थी को बच्चों और युवाओं के दमन के विरुद्ध तथा सभी बच्चों की शिक्षा के अधिकार की लड़ाई के लिए वर्ष 2014 का नोबल शांति पुरस्कार दिया गया। उनका जन्म मध्य प्रदेश के विदिशा में हुआ। उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री तथा हाई वोल्टेज इन्जीनियरिंग में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की। वर्ष 1980 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के कैरियर को तिलांजलि देते हुए 'बचपन बचाओ' आन्दोलन की शुरुआत की। उन्होंने बाल श्रम के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व भी किया। यह सभी बच्चों के अधिकारों के संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए एकजुटता का विश्वस्तरीय अभियान था।

स्रोत : भारत- 2020

प्रमुख राष्ट्रीय पर्व एवं अन्तर्राष्ट्रीय दिवस

दिनांक	दिवस का नाम
जनवरी 10	विश्व हास्य दिवस
जनवरी 12	राष्ट्रीय युवा दिवस
जनवरी 15	थल सेना दिवस
जनवरी 24	उ0प्र0 दिवस
जनवरी 26	गणतंत्र दिवस
जनवरी 30	शहीद दिवस
फरवरी 24	सेंट्रल एक्साइज दिवस
फरवरी 28	राष्ट्रीय विज्ञान दिवस
मार्च 8	अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस
मार्च 15	विश्व विकलांग दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस
मार्च 18	आर्डनेंस फैक्ट्री डे (भारत)
मार्च 21	विश्व वन्य दिवस
मार्च 21	विश्व रंगभेद समाप्ति के लिये दिवस
मार्च 22	विश्व जल दिवस
अप्रैल 5	नेशनल मैरिटाइम डे
अप्रैल 17	वर्ल्ड हीमोफीलिया डे
अप्रैल 18	वर्ल्ड हेरिटेज डे आजाद हिन्द फौज स्थापना दिवस
अप्रैल 21	सेक्रेट्रीज डे
अप्रैल 22	पृथ्वी दिवस
मई 1	श्रमिक दिवस
मई 3	अर्न्तराष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस
मई का द्वितीय रविवार	माँ दिवस
मई 8	विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, वर्ल्ड रेड क्रास डे
मई 9	वर्ल्ड थैलेसीमिया डे
मई 11	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस
मई 13	इंटर्नेशनल नर्स डे
मई 15	अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस
मई 17	विश्व दूरसंचार दिवस
मई 24	कामनवेल्थ डे
मई 30	पत्रकारिता दिवस
मई 31	एंटी टोबैको डे
जून 4	अबोध बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस
जून 5	विश्व पर्यावरण दिवस
जून 20	पिता दिवस
जून 21	अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस
जून 26	इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग
जुलाई 11	विश्व जनसंख्या दिवस
जुलाई 22	राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस
जुलाई 28	वन महोत्सव दिवस
अगस्त 1	विश्व स्तन पान दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस
अगस्त 6	हिरोशिमा दिवस (विश्व शान्ति दिवस)
अगस्त 9	भारत छोड़ो दिवस, नागासाकी दिवस
अगस्त 15	स्वतंत्रता दिवस
अगस्त 29	राष्ट्रीय खेल दिवस
सितम्बर 2	कोकोनट डे
सितम्बर 5	शिक्षक दिवस, संस्कृत दिवस
सितम्बर 8	विश्व साक्षरता दिवस
सितम्बर 14	हिन्दी दिवस
सितम्बर 16	वर्ल्ड ओजोन डे
सितम्बर 21	अल्जीमर डे, इंजीनियर्स डे
सितम्बर 22	रोज डे, कैंसर मरीज कल्याण दिवस
सितम्बर 27	विश्व पर्यटन दिवस
अक्टूबर 1	अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस
अक्टूबर 2	अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस एवं गांधी जयंती
अक्टूबर 3	वर्ल्ड हैबिटेट डे
अक्टूबर 4	विश्व जंतु कल्याण दिवस
अक्टूबर 9	वर्ल्ड पोस्ट आफिस डे
अक्टूबर 10	राष्ट्रीय डाक दिवस
अक्टूबर 14	वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे
अक्टूबर 15	दृष्टिहीनों का मार्ग दर्शन दिवस
अक्टूबर 16	विश्व खाद्य दिवस
अक्टूबर 24	संयुक्त राष्ट्र दिवस, विश्व विकास सूचना दिवस
अक्टूबर 30	विश्व मितव्ययता दिवस
नवंबर 9	लीगल सर्विस डे
नवंबर 14	बाल दिवस
दिसंबर 1	विश्व एड्स दिवस
दिसंबर 4	जलसेना दिवस, विश्व विकलांग दिवस
दिसंबर 10	मानव अधिकार दिवस
दिसंबर 18	अल्पसंख्यक अधिकार दिवस (भारत)
दिसंबर 23	किसान दिवस
दिसंबर 25	क्रिसमस डे

स्रोत : मनोरमा इयर बुक

उ.प्र. विधानसभा की स्थायी समितियाँ

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण एवं समाज कल्याण स्थायी समिति
2. सामान्य प्रशासन स्थायी समिति
3. लोक निर्माण स्थायी समिति
4. सिंचाई स्थायी समिति
5. विद्युत स्थायी समिति
6. शिक्षा स्थायी समिति
7. श्रम स्थायी समिति
8. वन स्थायी समिति
9. राजस्व स्थायी समिति
10. न्याय तथा विधान सम्बन्धी स्थायी समिति
11. कृषि स्थायी समिति
12. आबकारी स्थायी समिति
13. जेल स्थायी समिति
14. चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य स्थायी समिति
15. स्थानीय स्वशासन सम्बन्धी स्थायी समिति
16. सूचना स्थायी समिति
17. रसद स्थायी समिति
18. पुलिस स्थायी समिति
19. यातायात स्थायी समिति
20. उद्योग स्थायी समिति
21. विकास तथा नियोजन स्थायी समिति
22. सहकारी स्थायी समिति
23. महिला कल्याण एवं बाल विकास स्थायी समिति
24. प्रशिक्षण एवं सेवायोजन स्थायी समिति
25. बिक्री कर स्थायी समिति
26. पर्यटन स्थायी समिति
27. स्पोर्ट्स स्थायी समिति
28. क्षेत्रीय विकास स्थायी समिति
29. गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग स्थायी समिति
30. पशुपालन स्थायी समिति

प्रत्येक समिति में कुल 16 सदस्य होंगे।

उ.प्र. सरकार द्वारा वर्ष 2019 में सम्मानित हिन्दी साहित्यकार एवं विद्वान

1. **भारत–भारती सम्मान– रु. 5.00 लाख** (रु. पांच लाख) डॉ. उषा किरण खान
2. **लोहिया साहित्य सम्मान– रु. 4.00 लाख** (रु. चार लाख) डॉ. मनमोहन सहगल
3. **हिन्दी गौरव सम्मान– रु. 4.00 लाख** (रु. चार लाख) डॉ. बदरी नाथ कपूर
4. **महात्मा गाँधी साहित्य सम्मान– रु. 4.00 लाख** (रु. चार लाख) डॉ. श्रीभगवान सिंह
5. **पं. दीनदयाल उपाध्याय साहित्य सम्मान– रु. 4.00 लाख** (रु. चार लाख) डॉ. ओम प्रकाश पाण्डेय
6. **अवन्तीबाई साहित्य सम्मान– रु. 4.00 लाख (रु. चार लाख)** डॉ. (श्रीमती) कमल कुमार
7. **राजर्षि पुरुषोत्तमदास टण्डन सम्मान– रु. 4.00 लाख** (रु. चार लाख) मणिपुर हिन्दी परिषद, इम्फाल
8. **साहित्य भूषण सम्मान– रु. 2.00 लाख** (रु. दो लाख) (1) जगद्गुरु श्री रामानन्दाचार्य (स्वामी रामभद्राचार्य) (2) डॉ. बद्री प्रसाद पंचोली, (3) श्री जगदीश तोमर, (4) श्री रामदेव लाल 'विभोर, (5) डॉ. ऊषा चौधरी, (6) डॉ. सूर्यपाल सिंह, (7) श्री चन्द्रिका प्रसाद कुशवाहा, (8) डॉ. आद्या प्रसाद द्विवेदी, (9) डॉ. श्याम सुन्दर दुबे, (10) डॉ. भगवान शरण भारद्वाज, (11) श्री वीरेन्द्र आस्तिक, (12) श्री नवनीत मिश्र, (13) श्री अशोक अग्रवाल, (14) डॉ. शशि तिवारी, (15) डॉ. रामसनेही लाल शर्मा 'यायावर', (16) श्री प्रताप नारायण मिश्र, (17) डॉ. इन्दीवर पाण्डेय, (18) डॉ. सुरेश प्रकाश शुक्ल, (19) श्री सुरेश बाबू मिश्र, (20) डॉ. पूरन चंद टंडन।
9. **लोक भूषण सम्मान– रु. 2.00 लाख** (रु. दो लाख), डॉ. शान्ति जैन
10. **कला भूषण सम्मान– रु. 2.00 लाख** (रु. दो लाख), श्री मनोज कुमार सिंह
11. **विद्या भूषण सम्मान– रु. 2.00 लाख** (रु. दो लाख), डॉ. जगमोहन सिंह राजपूत
12. **विज्ञान भूषण सम्मान– रु. 2.00 लाख** (रु. दो लाख), डॉ. प्रेमचन्द्र स्वर्णकार
13. **पत्रकारिता भूषण सम्मान– रु. 2.00 लाख** (रु. दो लाख), डॉ. रमेश चन्द्र त्रिपाठी
14. **प्रवासी भारतीय हिन्दी भूषण सम्मान– रु. 2.00 लाख** (रु. दो लाख), डॉ. उदय नारायण गंगू
15. **हिन्दी विदेश प्रसार सम्मान– रु. 2.00 लाख** (रु. दो लाख), डॉ. बंडार मेणिके विजयतुंग
16. **बाल साहित्य भारती सम्मान– रु. 2.00 लाख** (रु. दो लाख), डॉ. भैरूलाल, श्री सूर्य कुमार पाण्डेय, श्री संजीव जायसवाल 'संजय'
17. **मधुलिमये साहित्य सम्मान– रु. 2.00 लाख** (रु. दो लाख), डॉ. वेदप्रकाश पाण्डेय
18. **पं. श्रीनारायण चतुर्वेदी साहित्य सम्मान – रु. 2.00 लाख** (रु. दो लाख), श्री रणविजय सिंह
19. **विधि भूषण सम्मान– रु. 2.00 लाख** (रु. दो लाख), श्री ब्रजकिशोर शर्मा
20. **सौहार्द सम्मान– रु. 2.00 लाख** (रु. दो लाख), (1) डॉ. सुनील देवधर (मराठी), (2) डॉ. एच. एम. कुमारस्वामी (कन्नड़), (3) डॉ. आजाद मिश्र (संस्कृत), (4) डॉ. श्रीमती टी.सी. वसन्ता (तेलुगू), (5) डॉ. राजेन्द्र सिंह टोकी (पंजाबी), (6) डॉ. (श्रीमती) अहिल्या मिश्र (मैथिली), (7) डॉ. पी. लता (मलयालम), (8) श्रीमती अलमेलू कृष्णन् (तमिल), (9) डॉ. वेद कुमारी घई (डोगरी), (10) डॉ. चन्द्रशेखर (उर्दू), (11) डॉ. राधाकान्त मिश्र (ओड़िया), (12) श्री अग्नि शेखर (कश्मीरी) (13) डॉ. बंशीधर शर्मा (गुजराती) (14) डॉ. भूपेन्द्र राय चौधरी (असमिया) (15) श्री ज्ञान प्रकाश टेकचंदानी 'सरल' (सिंधी)।
21. **पं. मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय स्तरीय सम्मान– रु. 1,00,000=00 (रु. एक लाख)** (1) डॉ. रश्मि कुमार, (2) डॉ. विजय कर्ण।

ज्ञानपीठ पुरस्कार से अलंकृत उत्तर प्रदेश के प्रमुख रचनाकार

क्र.स.	रचनाकारों के नाम
1.	सुमित्रा नंदन पंत
2.	रघुपति सहाय 'फिराक' गोरखपुरी
3.	सच्चिदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन 'अज्ञेय'
4.	महादेवी वर्मा
5.	नरेश मेहता
6.	अली सरदार जाफरी
7.	कुँवर नारायण
8.	सत्यव्रत शास्त्री
9.	अख़लाक मुहम्मद ख़ान 'शहरयार'
10.	अमरकांत
11.	श्री लाल शुक्ल
12.	केदारनाथ सिंह

यश भारती सम्मान

उ.प्र. के यश भारती सम्मान से सम्मानित महानुभावों का विवरण

क्र. स.	महानुभावों का नाम	सम्मानित वर्ष	विधा
1.	डॉ. हरिवंश राय बच्चन	1994-95	(कवि एवं साहित्यकार)
2.	डॉ. गोपाल दास नीरज	,,	(कवि)
3.	स्व. कैफी आज़मी	,,	(शायर)
4.	श्री मुजफ्फर अली	,,	(फिल्म निर्देशन)
5.	स्व. उस्ताद विस्मिल्ला खां	,,	(शहनाई)
6.	सुश्री गिरिजा देवी	,,	(गायन)
7.	पं. बिरजू महाराज	,,	(कथक)
8.	प्रो. राज बिसारिया	,,	(नाट्य निर्देशन)
9.	स्व. गुलाब बाई	,,	(नौटंकी)
10.	स्व. सितारा देवी	,,	(कथक)
11.	स्व. श्री बी. एम. शाह	,,	(नाट्य निर्देशन)
12.	स्व. श्री फिदा हुसैन नरसी	,,	(फारसी रंगमंच)
13.	स्व. श्री मोहन उप्रेती	,,	(लोक संगीत)
14.	स्व. श्री अवतार सिंह पवार	,,	(मूर्तिकला)
15.	स्व. श्री सतीश चन्द्रा	,,	(चित्रकला)
16.	पं. हरि प्रसाद चौरसिया	,,	(बांसुरी)
17.	स्व. श्री शेख शमशउद्दीन	,,	(जरी कसीदाकारी)

18.	सुश्री रूना बनर्जी	,,	(ग्रामीण महिला उत्थान)
19.	श्री अभिताभ बच्चन	,,	(फिल्म अभिनय)
20.	श्रीमती जया बच्चन	,,	(फिल्म अभिनय)
21.	मो. शाहिद	,,	(हाकी)
22.	सुश्री बछेन्द्री पाल	,,	(पर्वतारोहण)
23.	मो. ज़फर इकबाल	,,	(हाकी)
24.	श्री जसपाल राणा	,,	(शूटिंग)
25.	श्री राज बब्बर	,,	(फिल्म अभिनय)
26.	श्रीमती नादिरा राज बब्बर	1994-95	(नाट्य निर्देशन)
27.	श्री विशम्भर सिंह	,,	(कुश्ती)
28.	श्री पन्ने लाल यादव	,,	(कुश्ती)
29.	श्री रामाश्रय यादव	,,	(कुश्ती)
30.	स्व. श्री जनार्दन सिंह	,,	(कुश्ती)
31.	स्व. श्री बालेश्वर	,,	(भोजपुरी लोक गायन)
32.	श्रीमती शबाना आज़मी	,,	(फिल्म अभिनय)
33.	श्री मलखान सिंह	,,	(कुश्ती)
34.	श्री सुरेन्द्र पाल	,,	(अभिनय)
35.	सुश्री मिलन सिंह (भदौरिया)	,,	(गायन)
36.	सुश्री वन्दना बाजपेई	,,	(गायन)
37.	श्री शकील अहमद	,,	(हाकी)
38.	श्री रनवीर सिंह	,,	(वालीबाल)
39.	स्व. श्री लाल शुक्ल	2005-06	(साहित्य)
40.	पं. मुरारी लाल शर्मा	,,	(लोकनृत्य लोकगीत)
41.	श्री सुभाष वर्मा	,,	(पहलवानी)
42.	सुश्री काव्या गुप्ता	,,	(तैराकी)
43.	श्री देवेश चौहान	,,	(हाकी)
44.	स्व. गोपाल प्रसाद व्यास	,,	(साहित्य)
45.	स्व. ज्ञान चन्द्र जैन	,,	(पत्रकारिता)
46.	श्री अच्युतानंद मिश्र	,,	(पत्रकारिता)
47.	सुश्री मालिनी अवस्थी	,,	(गायन)
48.	श्री राज कुमार	,,	(पर्वतारोहण)
49.	श्री कुलदीप नैयर	,,	(पत्रकारिता)
50.	श्री सोम ठाकुर	,,	(कवि)
51.	स्व. बिली अर्जन सिंह	,,	(वन्य जीव संरक्षण)
52.	श्री राजपाल यादव	,,	(अभिनय)
53.	श्री जनार्दन सिंह यादव	,,	(कुश्ती)
54.	श्री हनुमान प्रसाद शर्मा	,,	(साहित्य)
55.	श्री चन्द्र विजय सिंह	,,	(कुश्ती)
56.	श्री उदय प्रताप सिंह	2006-07	(कवि)
57.	श्री अभिषेक बच्चन	,,	(फिल्म अभिनय)
58.	श्री शीतला सिंह	,,	(पत्रकारिता)
59.	श्री विजय कुमार	,,	(पत्रकारिता साहित्यकार)
60.	डॉ. विवेकी राय	,,	(साहित्यकार)

61. डॉ. योगेश प्रवीन	,,	(साहित्यकार)
62. स्व. श्री तालुकेदार यादव	,,	(पहलवान)
63. श्री राजीव तोमर	,,	(पहलवान)
64. श्री जगदीश कालीरमन	2006-07	(कुश्ती)
65. श्री शौकिन्द्र तोमर	,,	(पहलवान)
66. मोहम्मद कैफ	,,	(खेल)
67. स्व. कमलेश्वर	,,	(कवि/साहित्यकार)
68. स्व. डॉ. बृजेन्द्र अवस्थी	,,	(कवि/साहित्यकार)
69. स्व. कैलाश गौतम	,,	(कवि/साहित्यकार)
70. स्व. डॉ. उर्मिलेश	,,	(कवि)
71. पं. छन्नू लाल मिश्र	2012-13	(गायन)
72. श्री अंशू तोमर	,,	(कुश्ती)
73. श्री विवेक गुप्ता	,,	(हाकी)
74. सुश्री डॉ. सरिता शर्मा	,,	(साहित्यकार)
75. श्री सुरेश रैना	,,	(क्रिकेट)
76. श्री नरसिंह यादव	,,	(कुश्ती)
77. प्रो. सत्यमित्र दुबे	,,	(शिक्षा)
78. श्री आमिर राजा हुसैन	,,	(शायर)
79. डॉ. राम कृष्ण राजपूत	,,	(साहित्यकार)
80. स्व. श्री राजेन्द्र यादव	,,	(साहित्यकार)
81. श्री अभिजीत भट्टाचार्य	,,	(गायन)
82. श्री मेवालाल यादव	,,	(कुश्ती)
83. मो. जावेद अली	,,	(गायन)
84. स्व. श्री मस्तराम कपूर	,,	(साहित्यकार)
85. श्री जाहिद हसन वसीम बरेलवी	,,	(शायर)
86. लोधी मो. शफी खां	2013-14	(साहित्य)
87. श्री हीरा लाल यादव	,,	(लोक गायन)
88. डॉ. जगदीश गांधी	,,	(शिक्षा)
89. श्री देवी प्रसाद पाण्डेय 'अडिग'	,,	(साहित्य)
90. प्रो. माता प्रसाद त्रिपाठी	,,	(साहित्य)
91. श्री अशोक कुमार सिंह	,,	(हाकी)
92. श्री वंश गोपाल यादव	,,	(आल्हा)
93. श्री अनूप जलोटा	,,	(गायन)
94. पं. राजन मिश्र एवं साजन मिश्र (संयुक्त)	,,	(शास्त्रीय गायन)
95. श्री रमेश भइया	,,	(समाज सेवा)
96. पं. विकास महाराज	,,	(सरोद)
97. श्री शीतला पाण्डेय उर्फ 'समीर'	,,	(फिल्म गीतकार)
98. श्री लाल बचन यादव	,,	(कुश्ती)
99. श्री मुनव्वर अंजार	,,	(जूडो)
100. सुश्री रेखा भारद्वाज	,,	(सुगम संगीत)
101. श्री धर्मेन्द्र यादव	,,	(मुक्केबाजी)
102. श्री भगत सिंह	2013-14	(कुश्ती)
103. श्री योगेन्द्र सिंह यादव	,,	(सैन्य सेवा)

104. श्री विजय पाल यादव	,,	(कुश्ती)
105. श्री राजेश कुमार यादव	,,	(नौकायन)
106. श्री अभिषेक यादव	,,	(मार्शलआर्ट)
107. सुश्री श्वेता प्रियदर्शनी	,,	(शतरंज)
108. मो. हमीदुल्लाह (हामिद हिन्दी)	2014-15	(साहित्य)
109. प्रो. रीता गांगुली	,,	(उपशास्त्रीय गायन)
110. श्री दर्शन सिंह यादव	,,	(समाज सेवा)
111. प्रो. भागीरथ प्रसाद त्रिपाठी 'वागीश शास्त्री'	,,	(शिक्षा)
112. प्रो. हकीम सैय्यद जिल्लुर्रहमान	,,	(यूनानी चिकित्सा)
113. श्री जयकृष्ण अग्रवाल	,,	(ललित कला)
114. श्री विनोद मेहता	,,	(पत्रकारिता)
115. डॉ. उर्मिल कुमार थपलियाल	,,	(लोक रंगमंच साहित्य)
116. श्री रवीन्द्र जैन	,,	(संगीतकार)
117. श्री योगेश गौड़	,,	(गीतकार)
118. श्री टी. पी. त्रिवेदी	,,	(ज्योतिष विज्ञान)
119. श्री गिरधर लाल मिश्र	,,	(समाज सेवा)
120. श्री राज कुमार वर्मा	,,	(चित्रकार 'माइक्रो पेन्टिंग')
121. डॉ. ज्ञान चतुर्वेदी	,,	(साहित्य)
122. श्री बुद्धि प्रकाश	,,	(योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा)
123. श्री विष्णु यादव	,,	(बिरहा गायन)
124. डॉ. कुमकुम धर	,,	(कथक)
125. श्री विष्णु सक्सेना	,,	(साहित्य)
126. सुश्री शुभा मुदगल	,,	(शास्त्रीय गायन)
127. श्रीकृष्ण कन्हाई व श्री गोविन्द कन्हाई	,,	(स्वर्ण चित्रकार)
128. डॉ. (प्रो.) सी. एस. यादव	,,	(चिकित्सा)
129. श्री राजकुमार	,,	(कुश्ती)
130. डॉ. आर. पी. सिंह	,,	(हाकी एवं फुटबाल)
131. डॉ. राकेश यादव	,,	(चिकित्सा)
132. श्री इफ्तेखार नदीम खान	,,	(कास्ट कला)
133. श्री जसजीत सिंह गिल 'जिम्मी शेरगिल'	,,	(अभिनेता)
134. श्री कैलाश खेर	,,	(सूफी गायन)
135. श्री राहत अली खान साबरी	,,	(गज़ल गीत एवं सूफी गायन)
136. श्री नवाजुद्दीन सिद्दीकी	,,	(अभिनेता)
137. श्री अवनीश कुमार यादव	,,	(वालीबाल)
138. श्रीमती अलका तोमर	,,	(महिला कुश्ती)
139. सुश्री पूनम यादव	,,	(भारोतोलन)
140. सुश्री गीतांजलि शर्मा	2014-15	(नृत्य)
141. श्री खुशबीर सिंह शाद	,,	(शायर)
142. उस्ताद गुलशन भारती	2015-16	(गायन)
143. श्री वजीर अहमद खान	,,	(शतरंज)
144. सुश्री मनु कुमारी पाल	,,	(खेल)
145. मेजर अशोक कुमार सिंह	,,	(नौकायन)
146. श्री नरेन्द्र सिंह राणा	,,	(खेल)

147. श्री चक्रेश कुमार जैन	,,	(हस्तशिल्पी)
148. प्रो. कमला श्रीवास्तव	,,	(लोक संगीत)
149. सुश्री सुधा सिंह	,,	(एथलेटिक्स)
150. डॉ. नवाज देवबन्दी	,,	(शिक्षा)
151. श्रीमती कुमकुम आदर्श	,,	(कथक नृत्य)
152. प्रोफेसर गिरिजा शंकर	,,	(साहित्य)
153. अलीम उल्लाह सिद्दीकी	,,	(चित्रकार)
154. डॉ. सुभाष गुप्ता	,,	(चिकित्सा)
155. श्री अभिन्न श्याम गुप्ता	,,	(खेल)
156. श्री गोपाल चतुर्वेदी	,,	(साहित्य)
157. श्री इकबाल अहमद सिद्दीकी	,,	(गज़ल गायन)
158. डॉ. (ब्रिगे.) टी. प्रभाकर	,,	(चिकित्सा)
159. श्री सर्वेश यादव	,,	(निशानेबाजी)
160. सुश्री स्थवी अस्थाना	,,	(घुड़सवारी)
161. श्री सुनील कुमार राणा	,,	(खेल)
162. श्री सुधीर मिश्रा	,,	(फिल्म निर्देशन)
163. श्री राजू श्रीवास्तव	,,	(हास्य कलाकार)
164. श्री जगबीर सिंह	,,	(हाकी)
165. सुश्री अरूणिमा सिन्हा	,,	(पर्वतारोहण)
166. सुश्री सुरभि रंजन	,,	(गायन)
167. प्रो. रवि कान्त	,,	(चिकित्सा)
168. श्री लाल जी यादव	,,	(कुश्ती)
169. श्री दिनेश लाल यादव 'निरहुआ'	,,	(अभिनय)
170. श्री अनुज चौधरी	,,	(खेल)
171. श्री अनुराग कश्यप	,,	(फिल्म निर्देशन एवं निर्माण)
172. श्री विजय सिंह चौहान	,,	(एथलेटिक्स)
173. सुश्री नाहिद आबिदी	,,	(साहित्य)
174. उस्ताद गुलाम मुस्तफा खाँ	,,	(गायन)
175. श्रीमती सीमा पुनिया	,,	(एथलेटिक्स)
176. श्री मधुकर त्रिवेदी	,,	(पत्रकारिता/साहित्य)
177. श्री अंकित तिवारी	,,	(गायन)
178. मोहम्मद इमरान खान	2015-16	(कवि/शायर)
179. श्री रूद्र प्रताप सिंह	,,	(क्रिकेट)
180. श्री विशाल भारद्वाज	,,	(फिल्म निर्देशन, निर्माण एवं संगीत निर्देशन)
181. श्री अनवर अहमद (अनवर जलालपुरी)	,,	(साहित्य)
182. श्री हेमन्त शर्मा	,,	(पत्रकारिता)
183. श्रीमती अपर्णा कुमार	,,	(पर्वतारोहण)
184. डॉ. सुनील जोगी	,,	(साहित्य)
185. प्रो. अशोक चक्रधर	,,	(साहित्य)
186. डॉ. नरेश त्रेहन	,,	(चिकित्सा)
187. प्रो. इरफान हबीब	,,	(शिक्षा)
188. बेगम हमीदा हबीबुल्लाह	2016-17	(समाज सेवा)

189. श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी	,,	(साहित्य)
190. सुश्री कमर रहमान	,,	(विज्ञान)
191. डॉ. (श्रीमती) सबीहा अनवर	,,	(साहित्य)
192. सुश्री पद्मा गिडवानी	,,	(गायन)
193. श्री संतोष आनन्द	,,	(फिल्म गीतकार)
194. उस्ताद गुलफाम अहमद	,,	(रबाब वादन)
195. डॉ. अनिल कुमार रस्तोगी	,,	(अभिनय)
196. श्री केवल कुमार	,,	(संगीत निर्देशन एवं गायन)
197. पं. विश्वनाथ	,,	(शास्त्रीय संगीत)
198. ले. जनरल अनिल चैत	,,	(सैन्य सेवा)
199. डॉ. सैय्यद मुहम्मद हस्सान	,,	(यूनानी चिकित्सा एवं अनुसंधान)
200. श्री राजकृष्ण मिश्र	,,	(साहित्य)
201. श्री सौरभ शुक्ला	,,	(फिल्म निर्देशन/अभिनय)
202. श्री अनुभव सिन्हा	,,	(फिल्म निर्देशन)
203. नवाब जाफर मीर अब्दुल्लाह	,,	(हस्त शिल्पकला एवं संस्कृति)
204. डॉ. रतीश चन्द्र अग्रवाल	,,	(चिकित्सा)
205. श्री राजेन्द्र सिंह	,,	(जल संरक्षण)
206. सुश्री सुमोना चक्रवर्ती	,,	(अभिनय)
207. सुश्री अनुपमा राग	,,	(संगीत निर्देशन/गायन)
208. सुश्री सोनी चौरसिया	,,	(कथक नृत्य)
209. श्री ज्ञानेन्द्र पाण्डेय	,,	(क्रिकेट)
210. श्री प्रवीन कुमार	,,	(क्रिकेट)
211. श्री पियूष चावला	,,	(क्रिकेट)
212. श्री भुवनेश्वर कुमार	,,	(क्रिकेट)
213. श्री मनोज मुन्तशिर	,,	(फिल्म गीतकार एवं पटकथा लेखन)
214. प्रो. (डॉ.) गौरदास चौधरी	,,	(चिकित्सा)
215. प्रो. राकेश कपूर	2016-17	(चिकित्सा)
216. डॉ. दीपक कुमार अग्रवाल	,,	(चिकित्सा)
217. डॉ. राम रतन बनर्जी	,,	(चिकित्सा)
218. डॉ. आलोक पारीक	,,	(होम्योपैथी चिकित्सक)
219. शेफ गुलाम मोइनुद्दीन कुरैशी	,,	(पाकशास्त्र)
220. श्री गुलाम शर्फुद्दीन अंसारी उर्फ गुलामन	,,	(निर्यातक एवं उद्योगपति)
221. प्रो. (डॉ.) राम मोहन पाठक	,,	(पत्रकारिता एवं शिक्षण)
222. साबरी बन्धु (आफताब-हाशिम)	,,	(कव्वाली गायन)
223. श्री मोहम्मद असलम वारसी	,,	(सूफी गायन)
224. श्री ओमा उपाध्याय	,,	(ज्योतिष)
225. श्री दीपराज राणा	,,	(फिल्म अभिनय)
226. श्री फारूक अहमद	,,	(समाज सेवा)
227. श्री योगेश मिश्र	,,	(पत्रकारिता)
228. श्री काशीनाथ यादव	,,	(भोजपुरी लोक गायन)
229. श्री वेंकट चंगावली	,,	(समाज सेवा)
230. सुश्री सुमन यादव	,,	(खेल)
231. श्री अर्जुन वाजपेई	,,	(पर्वतारोहण)

232. सुश्री गार्गी यादव	,,	(कुश्ती)
233. श्री राम मिलन यादव	,,	(कुश्ती)
234. डॉ. रमाकान्त यादव	,,	(चिकित्सा)
235. श्री अशोक निगम	,,	
236. श्री आत्म प्रकाश मिश्र	,,	(दूरदर्शन)
237. पं. हरि प्रसाद मिश्र	,,	(ज्योतिष विशेषज्ञ एवं राज पुरोहित)
238. डॉ. शादाब रूदौलवी	,,	(शायर)
239. श्री सर्वेश कुमार अस्थाना	,,	(साहित्य)
240. श्री रवि कपूर	,,	(फोटोग्राफी)
241. डॉ. शिवानी मातनहेलिया	,,	(शास्त्रीय संगीत)
242. पं. राम कुमार मिश्र	,,	(शास्त्रीय संगीत)
243. श्री कमाल खान	,,	(गायन)
244. श्री विजय शेखर शर्मा	,,	(मोबाइल बैंकिंग)
245. श्री माहेश्वर तिवारी	,,	(साहित्य)
246. श्री नूर अलस्सबा	,,	(चित्रकला)
247. उस्ताद नाजिर हुसैन	,,	(शास्त्रीय संगीत)
248. डॉ. सैय्यद मोहम्मद बशीर बद्र	,,	(शायरी)
249. श्री मरिन्दर कुमार मिश्रा	,,	(लेखन)
250. श्री वरूण सिंह भाटी	,,	(पैरा एथलेटिक्स)
251. लेफ्टिनेन्ट जनरल ए. के. सिंह	,,	(सैन्य सेवा)
252. डॉ. मन्सूर हसन	,,	(चिकित्सा)
253. श्री रामेश्वर नाथ मिश्र	2016-17	(समाज सेवा)
254. श्री अतुल तिवारी	,,	(फिल्म/नाट्य लेखन एवं अभिनय के क्षेत्र में)
255. श्री दीन मुहम्मद दीन	,,	(साहित्य)
256. श्री प्रमोद कुमार सिंह चौधरी	,,	(समाज सेवा)
257. सुश्री रचना गोविल	,,	(खेल-शूटिंग)
258. श्री सुहास एल. वाई.	,,	(खेल-बैडमिन्टन)
259. श्री अब्बास रज़ा नैय्यर	,,	(साहित्य)
260. सुश्री अर्चना सतीश	,,	(कला)
261. श्री मुराद अली खान	,,	(खेल-निशानेबाजी)
262. सुश्री शिखा	,,	(दूरदर्शन)
263. श्री ब्रायन साइलस	,,	(पियानो वादन)
264. श्री गौरव खन्ना	,,	(खेल-बैडमिन्टन)
265. सुश्री ऋचा जोशी	,,	(लोक गायन)
266. मो. वसी खान अहमद	,,	(शारीरिक सौष्ठव)
267. मास्टर दविन्दर सिंह	,,	(संगीत)
268. श्री आनन्देश्वर पाण्डेय	,,	(खेल)
269. डॉ. राम सिंह यादव	,,	(लेखन और पत्रकारिता)

उत्तर प्रदेश सरकार से सम्बन्धित वेबसाइट्स

Raj Bhawan U.P. (राज भवन उत्तर प्रदेश)	**http://upgovernor.gov.in**
Chief Minister Office (मुख्यमंत्री कार्यालय)	**http://upcmo.up.nic.in**
उत्तर प्रदेश सरकार की नोडल वेबसाइट	**http://up.gov.in**
Vidhan Sabha (विधान सभा)	**http://uplegisassembly.gov.in**
Vidhan Parishad (विधान परिषद)	**http://upvidhanparishad.nic.in**
NEDA (अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत)	**http://upneda.org.in**
Administrative Reforms (प्रशासनिक सुधार)	**http://www.adminreform.upsdc.gov.in**
Agriculture (कृषि)	**http://upagripardarshi.gov.in**
Appointments & Personnel (कार्मिक)	**http://niyuktionline.upsdc.gov.in**
Animal Husbandary (पशुधन)	**http://animalhusb.upsdc.gov.in**
Board of Revenue (राजस्व परिषद)	**http://bor.up.nic.in**
Cane Development (गन्ना विकास)	**http://www.upcane.gov.in**
Commercial Tax (वाणिज्य कर)	**http://comtax.up.nic.in**
Cooperative (सहकारिता)	**http://cooperative.up.nic.in**
Court Cases Monitoring System (न्यायालय विभाग एवं अनुश्रवण)	**http://courtcases.up.nic.in**
Culture (संस्कृति)	**http://upculture.up.nic.in**
Dairy Development (दुग्ध विकास)	**http://updairydevelopment.gov.in**
Dharmarth (धर्मार्थ कार्य)	**http://updharmarthkarya.in**
Election:off.of Chief Electoral officer (निर्वाचनः मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्या.)	**http://ceouttarpradesh.nic.in**
Entertainment Tax (मनोरंजन कर)	**http://etax.up.nic.in**
Environment Information System (पर्यावरण सूचना प्रणाली)	**http://www.upenvis.nic.in**
Estate (राज्य सम्पत्ति)	**http://estate-up.gov.in**
Excise (आबकारी)	**http://www.upexciseonline.in**
U.P. Electronics Corp. Ltd. (यू.पी. इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लि.)	**http://www.uplc.in**
Fisheries (मत्स्य)	**http://fisheries.upsdc.gov.in**
Food & Civil Supplies (खाद्य एवं रसद)	**http://fcs.up.gov.in/Foodportal.aspx**
Forest (वन)	**http://upforest.gov.in**
Geology & Mining Directorate (भूतत्व एवं खनिकर्म)	**http://upmines.upsdc/gov.in/**
Ground Water (भू-जल)	**http://upgwd.gov.in**
Handicapped Welfare (विकलांग कल्याण)	**http://uphwd.gov.in**
High Court, Allahabad, U.P. (उच्च न्या०, इलाहाबाद, उ०प्र०)	**http://www.allahabadhighcourt.in**
Home (गृह)	**http://uphome.gov.in**
Home Guards (होम गार्ड्स)	**http://uphaar.up.nic.in**
Horticulture (उद्यान)	**http://uphorticulture.gov.in**
Housing (आवास विकास विभाग)	**http://awas.up.nic.in**
Information & Public Relation (सूचना एवं जनसंपर्क)	**http://information.up.nic.in**
Information Technology & Electronic (सूचना प्रौद्योगिकी)	**http://upite.gov.in**
Infrastructure & Industrial Development (अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास)	**http://udyogbandhu.com**
Integrated Child Development (समन्वित बाल विकास)	**http://www.icdsupweb.org**
Irrigation & Flood Control (सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण)	**http://idup.gov.in**
Jail Administration (कारागार)	**http://upprison.gov.in**

Khadi & Village Industries (खादी एवं ग्रामोद्योग)	**http://www.upkvib.gov.in**
Labour (श्रम)	**http://uplabour.gov.in**
LandDevelopment & Water Resources (भूमि विकास एवं जल संसाधन)	**http://upldwr.up.nic.in**
LandRecords (भू-अभिलेख)	**http://upbhulekh.gov.in**
Law (विधायी)	**http://law.up.nic.in**
Lok Ayukta U.P. (लोक आयुक्त उ०प्र०)	**http://lokayukta.up.nic.in**
Mandi Parishad (मण्डी परिषद)	**http://upmandiparishad.upsdc.gov.in**
Medical Education (चिकित्सा एवं शिक्षा)	**http://updgme.in**
Medical Health (चिकित्सा स्वास्थ्य)	**http://up-health.in/hi/**
Minor Irrigation (लघु सिंचाई)	**http://minorirrigationup.gov.in**
Minority Welfare (अल्पसंख्यक कल्याण)	**http://minoritywelfare.up.nic.in**
Nivesh Mitra (निवेश मित्र)	**http://niveshmitra.up.nic.in/**
Panchayati Raj (पंचायती राज)	**http://panchayatiraj.up.nic.in**
Parliamentary Affairs (संसदीय कार्य)	**http://upparliamentaryaffairs.gov.in**
Political Pension (राजनैतिक पेंशन)	**http://politicalpension.up.nic.in**
Program Iplementation (कार्यक्रम क्रियान्वयन)	**http://pid.up.nic.in**
Protocol (प्रोटोकाल)	**protocol.up.nic.in**
Public Enterprise (सार्वजनिक उद्यम)	**http://sarvjanikudyam.up.nic.in**
Public Work Development (लोक निर्माण विभाग)	**http://uppwd.gov.in**
Revenue (राजस्व)	**http://revenue.up.nic.in**
Rural Development (ग्राम्य विकास)	**http://rd.up.nic.in**
Rural Engineering Services (ग्रामीण अभियंत्रण सेवा)	**http://www.upred.gov.in**
Sarva Shiksha Abhiyan (सर्व शिक्षा अभियान)	**http://www.upefa.com**
Science & Technology (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी)	**http://www.dstup.gov.in**
Secretariat Administration (सचिवालय प्रशासन)	**http://sadup.gov.in**
Social Welfare (समाज कल्याण)	**http://dirsamajkalyan.in/main.htm**
Sports (खेल)	**http://upsports.gov.in**
Stamp & Registration (स्टाम्प एवं पंजीयन)	**http://igrsup.gov.in**
State Election Commission U.P. (राज्य निर्वाचन आयोग)	**http://sec.up.nic.in**
Uttar pradesh State Information Commission (राज्य सूचना आयोग)	**http://upic.gov.in**
Tourism (पर्यटन)	**http://uptourism.gov.in**
Trade Tax Tribunal (व्यापार कर)	**http://tradetaxtribunal.up.nic.in**
Transport (परिवहन)	**http://www.uptransport.upsdc.gov.in**
Treasuries (कोषागार)	**http://treasuries.up.nic.in**
Uttar Pradesh Budget (उ.प्र. बजट)	**http://budget.up.nic.in**
Uttar Pradesh Police (उ.प्र. पुलिस)	**http://uppolice.gov.in**
Uttar Pradesh State Law Commission, Vidhai (विधायी)	**http://upslc.upsdc.gov.in/**
Vidyut Suraksha (विद्युत सुरक्षा)	**http://vidyutsuraksha.org/**
Women Welfare (महिला कल्याण)	**http://mahilakalyan.up.nic.in**
Uttar Pradesh Rera (उ.प्र. रेरा)	**up-rera.in**
Jansunwai Portal (जनसुनवाई पोर्टल)	**http://jansunwai.up.nic.in**
DefExpo (डेफएक्सपो)	**http://defexpo.gov.in**

उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान के महत्वपूर्ण प्रकाशन

क्र.	पुस्तक का नाम	लेखक का नाम	मूल्य
1—	उर्दू हिन्दी शब्दकोश	मु0मु0 मद्दाह	353=00
2—	हिन्दू धर्म कोश	डॉ0 राजबली पाण्डेय	320=00
3—	भारतीय ज्योतिष	अनु0 शिवनाथ झारखण्डी	300=00
4—	भारतीय ज्योतिष का इतिहास	डॉ0 गोरख प्रसाद	70=00
5—	महाकवि खुसरो	अनु0 अब्दुल सत्तार	100=00
6—	कबीर	डॉ0 विश्वनाथ प्रसाद तिवारी	40=00
7—	रहीम	डॉ0 भालचन्द्र तिवारी	135=00
8—	गोस्वामी तुलसीदास	डॉ0 रामचन्द्र तिवारी	50=00
9—	संत रविदास	वीरेन्द्र पाण्डेय	45=00
10—	गुरूदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर की लोकप्रिय कहानियाँ	अनु0 माधवी बन्धोपाध्याय	115=00
11—	लक्ष्मीकांत वर्मा	डॉ0 राजकुमार शर्मा	140=00
12—	विजय सिंह 'पथिक'	राजकुमार भाटी	77=00
13—	रमई काका	डॉ0 रामबहादुर सिंह	85=00
14—	सुदामा पाण्डेय 'धूमिल'	डॉ0 रमेश प्रताप सिंह	155=00
15—	मीराबाई	डॉ0 सुधाकर अदीब	100=00
16—	जगदीश गुप्त	डॉ0 हरिशंकर मिश्र	140=00
17—	ट्रामा उपचार बचाव एवं प्रबन्धन	डॉ0 विनोद जैन	90=00
18—	नाथपंथ : साधना और साहित्य	प्र.स. डॉ. सदानन्दप्रसाद गुप्त	376=00
19—	त्रिलोचन शास्त्री	डॉ0 भारतेन्दु मिश्र	105=00
20—	घाघ और भड्डरी की कहावतें	डॉ0 रमेश प्रताप सिंह	60=00
21—	हिन्दी में पट्कथा लेखन	डॉ0 जाकिर अली 'रजनीश'	150=00
22—	दृश्य कला कोश	डॉ0 हृदय गुप्त	185=00
23—	भारतीय शैक्षिक विचारक	डॉ0 रश्मि श्रीवास्तव	245=00
24—	प्राकृतिक चिकित्सा	डॉ0 पी0डी0 मिश्र एवं डॉ0 बीना मिश्र	180=00
25—	ऑस्टिटोपोरोसिस	प्रो0 अजय सिंह	65=00
26—	भगवती प्रसाद सिंह : जीवन और साहित्य	डॉ0 कृष्णचन्द्र लाल	180=00
27—	खर्राटे हैं खतरनाक	डॉ0 सूर्यकान्त/डॉ0 अभिषेक दुबे	82=00
28—	प्रेरक लघु कथाएँ	डॉ0 ए0के0 अग्रवाल	165=00
29—	बालगीत साहित्य (इतिहास एवं समीक्षा)	निरंकार देव सेवक	245=00
30—	और हमने कर दिखाया	प्रेमेन्द्र श्रीवास्तव	60=00
31—	स्वतंत्र दिल्ली	डॉ0 सैयद अतहर अब्बास रिजवी	165=00
32—	मानव शरीर की अस्थियाँ	डॉ0 विपिन चतुर्वेदी	310=00
33—	दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद	डॉ0 शीतला प्रसाद वर्मा	130=00
34—	निराला समग्र	प्रो0 सूर्यप्रसाद दीक्षित	90=00
35—	रामचंद्र शुक्ल	सम्पा0 डॉ0 सत्यदेव मिश्र	90=00
36—	राष्ट्रकवि सोहन लाल द्विवेदी	डॉ0 राष्ट्रबन्धु	40=00
37—	बाबा नागार्जुन	डॉ0 सुरेश चन्द्र गुप्त	72=00
38—	राष्ट्रकवि दिनकर	डॉ0 यतीन्द्र तिवारी	65=00
39—	चंदवरदाई	डॉ0 सुमन राजे	50=00
40—	पालि त्रिपिटक में राजनय	डॉ0 शिवनन्दन मिश्र	120=00
41—	आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी	डॉ0 रामेन्द्र पाण्डेय	50=00
42—	महादेवी वर्मा	डॉ0 उपेन्द्र	70=00
43—	पाश्चात्य दर्शन	डॉ0 ब्रह्मस्वरूप अग्रवाल	100=00
44—	चार्वाक दर्शन	आचार्य आनन्द झा	150=00
45—	भारतीय दर्शन	उमेश मिश्र	190=00
46—	पश्चिमी दर्शन	डॉ0 दीवान चन्द्र	75=00
47—	समकालीन भारतीय दर्शन	डॉ0 लक्ष्मी सक्सेना	200=00

48– कांट का दर्शन	डॉ0 सभाजीत मिश्र	120=00
49– नीति विज्ञान के मूल सिद्धान्त	डॉ0 लक्ष्मी सक्सेना	96=00
50– भारतीय दर्शन	डॉ0 देवराज	120=00
51– समकालीन पाश्चात्य दर्शन	डॉ0 लक्ष्मी सक्सेना	130=00
52– अवधी वृहत लोकोक्ति कोश	कमला शुक्ला	300=00
53– भारतीय इतिहास कोश	सच्चिदानन्द भट्टाचार्या एवं के0वी0 माथुर तथा डॉ0 राजेन्द्र पाण्डेय	170=00
54– भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन में हिन्दी कवियों का योगदान	सम्पा0 डॉ0 मंजु लता तिवारी	196=00
55– उर्दू भाषा और साहित्य	रघुपति सहाय 'फिराक'	60=00
56– संस्कृत आलोचना	पं0 बलदेव उपाध्याय	200=00
57– प्रसाद समग्र	डॉ0 सूर्यप्रसाद दीक्षित	75=00
58– समाजकार्य	प्रोफेसर राजाराम शास्त्री	150=00
59– सामाजिक वैयक्तिक सेवाकार्य	डॉ0 पी0डी0 मिश्र	150=00
60– समाजकार्य एक समग्र दृष्टि	डॉ0 बालेश्वर पाण्डेय	470=00
61– भारत का समाजशास्त्र	प्रो0 जयकान्त तिवारी	120=00
62– असामान्य व्यवहार	डॉ0 पी0डी0 मिश्र	235=00
63– समाजकार्य के क्षेत्र	गिरीश कुमार	210=00
64– बाल व्यवहार व्यतिक्रम	डॉ0 श्याम बिहारी सिंह	50=00
65– समाज और राजनीति का दार्शनिक अध्ययन	डॉ0 ज्ञान्नजेय द्विवेदी	215=00
66– भारतीय वास्तुकला का इतिहास	कृष्णदत्त वाजपेई	195=00
67– उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास	डॉ0 विशुद्धानन्द पाठक	200=00
68– विश्व इतिहास	डॉ0 रामप्रसाद त्रिपाठी	75=00
69– पश्चिमी एशिया	डॉ0 के0के0 कौल	170=00
70– देवानांप्रिय प्रियदर्शी राजा अशोक	भगवती प्रसाद पांथरी	120=00
71– भारत का सांस्कृतिक इतिहास	डॉ0 राजेन्द्र पाण्डेय	80=00
72– प्राचीन भारत का आर्थिक इतिहास	डॉ0 विशुद्धानन्द पाठक	72=00
73– डॉ0 रामकुमार वर्मा रचनावली (आठ खण्डों में)	सम्पा0 डॉ0 राजलक्ष्मी वर्मा	3000=00
74– अवधी कोश	सम्पा0 डॉ0 सरयू प्रसाद अग्रवाल एवं डॉ0 भगवती प्रसाद सिंह	370=00
75– प्राचीन भारतीय अभिलेख	डॉ0 दिनेश चन्द्रा	110=00
76– दक्षिण भारतीय संस्कृति	डॉ0 विशुद्धानन्द पाठक	165=00
77– आधुनिक भारत का इतिहास	डॉ0 जगन्नाथ मिश्र	145=00
78– सिंधु सभ्यता	डॉ0 के0के0 थपल्याल	200=00
79– विद्यानिवास मिश्रः परम्परा, लोक एवं संस्कृति	डॉ0 प्रभाकर मिश्र	140=00

'साहित्य भारती' (त्रैमासिक पत्रिका)	प्रति अंक मूल्य रु0 25=00 वार्षिक सदस्यता शुल्क रु0 100=00 आजीवन सदस्यता शुल्क रु0 3000=00
'बच्चों की प्रिय पत्रिका बालवाणी' (द्वैमासिक पत्रिका)	प्रति अंक मूल्य रु0 15=00 वार्षिक सदस्यता शुल्क रु0 80=00 आजीवन सदस्यता शुल्क रु0 1000=00

कृपया संस्थान के अधिक से अधिक प्रकाशन क्रय करके राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रचार–प्रसार में अपना बहुमूल्य सहयोग प्रदान करें।

सम्पर्क सूत्र :– निदेशक,
उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान,
6, महात्मा गांधी मार्ग, हज़रतगंज, लखनऊ–226001
दूरभाष नं0–0522–2614470, 2614471
ई–मेल : directoruphindi@yahoo.in वेबसाइट : www.uphindisansthan.in

शुभकामनाओं सहित
यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः– 10, अशोक मार्ग, लखनऊ।
website: http//www.uplc.in, http://www.itpolicyup.gov.in
email:md@uplc.in, uplclko@gmail.com, info@itpolicyup.gov.in
Phone: 0522-2286808, 2286809, 2286812 Fax: 2288583

विभिन्न शासकीय योजनाओं यथाः प्रश्नोत्तर प्रणाली, ई–डिस्ट्रिक्ट, मनरेगा, प्रशासनिक अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट, ई–टेण्डरिंग, ई–ऑफिस तथा विधवा पेन्शन, वृद्धावस्था पेन्शन इत्यादि सेवायें डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल सिग्नेचर प्रदाता संस्था

प्रदत्त सेवायेंः–

अ– निम्नलिखित योजनाओं/सेवाओं हेतु शासन द्वारा नामित नोडल संस्था।

1. शासकीय विभागों में ई–प्रोक्योरमेण्ट/ई–टेण्डरिंग प्रणाली (http://etender.up.nic.in) लागू किये जाने हेतु एकल खिड़की निस्तारण व्यवस्था।
2. सचिवालय से सम्बद्ध विभागाध्यक्ष कार्यालयों तथा जनपद स्तरीय कार्यालयों में ई–ऑफिस प्रणाली का क्रियान्वयन।
3. प्रदेश सरकार की ''सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति–2017'', ''उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति–2020'' तथा ''उ0प्र0 स्टार्टअप नीति–2020'' का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण।
4. लखनऊ में आईटी सिटी की स्थापना, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण।
5. प्रदेश के विभिन्न नगरों में आईटी पार्क्स की स्थापना, क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण।
6. स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा तथा उद्यमिता को प्रोत्साहन के लिए इन्क्यूबेटर्स की स्थापना।

ब– शासकीय विभागों को हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर तथा आईटी कन्सल्टेन्सी सेवायें उपलब्ध कराया जाना।

7. शासकीय विभागों को, सूचीबद्ध कन्सल्टेण्ट्स के माध्यम से कन्सल्टेन्सी सेवायें उपलब्ध कराया जाना।
8. विभिन्न विभागों के लिए 'टर्न–की' कम्प्यूटरीकरण, कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की आपूर्ति/विकास, स्कैनिंग एवं डिजिटाईजेशन सम्बन्धी कार्य एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान किया जाना।

फोन : कार्या. (0522) – 4007012, 4330139
ई–मेलः upsanskritsansthanam@yahoo.com

उत्तर-प्रदेश-संस्कृत-संस्थानम्

(भाषा विभाग उ०प्र० शासन के नियंत्रणाधीन)
कक्ष सं०: 811, आठवाँ तल, इन्दिरा भवन,
लखनऊ - 226001
वेबसाइट : www.upsanskritsansthanam.in

उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा संचालित योजनाओं का विवरण

साहित्य सृजन के क्षेत्र में विद्वानों का सम्मान एवं पुरस्कार

- विश्व भारती पुरस्कार (एक) रु0 5,01,000 (पांच लाख एक हजार मात्र)
- महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार (एक) रु0 2,01,000 (दो लाख एक हजार मात्र)
- महर्षि व्यास पुरस्कार (एक) रु0 2,01,000 (दो लाख एक हजार मात्र)
- महर्षि नारद पुरस्कार (एक) रु0 1,01,000 (एक लाख एक हजार मात्र)
- विशिष्ट पुरस्कार (पांच) रु0 1,01,000 (एक लाख एक हजार मात्र) प्रत्येक
- वेद पंडित पुरस्कार (पांच) रु0 51,000 (एक्यावन हजार मात्र) प्रत्येक
- नामित पुरस्कार (पांच) रु0 51,000 (एक्यावन हजार मात्र) प्रत्येक
- विशेष पुरस्कार (छः) रु0 21,000 (एक्कीस हजार मात्र) प्रत्येक
- विवध पुरस्कार (बीस) रु0 11,000 (ग्यारह हजार मात्र) प्रत्येक
- संस्कृत छात्रों के लिए सिविल सेवा परीक्षा हेतु मार्गदर्शन एवं कोचिंग
- पारंपरिक संस्कृत पाठशालाओं के मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति
- योगशिक्षा पर बल देने हेतु समस्त मण्डलों में योग केन्द्र की स्थापना
- समस्त मण्डलों में ज्योतिष प्रशिक्षण शिविर
- समस्त जनपदों में पौरोहित्य प्रशिक्षण शिविर
- सरल संस्कृत संभाषण शिक्षण एवं संभाषण योजना
- संस्कृत रंगमंच का प्रायोगिक प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन
- आवासीय संवादशाला योजना
- ग्रंथ प्रकाशन, पांडुलिपि संरक्षण एवं पुस्तकालय
- शंकराचार्य जयन्ती, बुद्ध जयन्ती, व्यास जयन्ती, कालिदास जयन्ती, वाल्मीकि जयन्ती, धनन्वतरि जयन्ती, गीता जयन्ती, संस्कृत दिवस समारोह का आयोजन, विद्यार्थियों में संस्कृत ज्ञान बढ़ाने के लिए विभिन्न शास्त्रीय प्रतियोगिताएं तथा आधुनिक स्पर्धाएं।

पवन कुमार
निदेशक

हिन्दुस्तानी एकेडेमी, प्रयागराज (उ०प्र०)

संस्थापित - 1927 ई.

हिन्दुस्तानी एकेडेमी के महत्वपूर्ण प्रकाशन

1	हिन्दुई साहित्य का इतिहास	ले. गार्सा द तासी अनु. डॉ. लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय	480.00/–
2	श्री शंकराचार्य	आचार्य बलदेव उपाध्याय	160.00/–
3	जायसी	विजयदेव नारायण साही	120.00/–
4	नाथ सम्प्रदाय	आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी	200.00/–
5	घाघ और भड्डरी	सं रामनरेश त्रिपाठी	220.00/–
6	ग़ालिब के पत्र (दो भाग)	सं. श्रीराम शर्मा श्री राम निवास शर्मा	प्र. खं. 300.00/– द्वि. खं. 205.00/–
7	हिन्दी भाषा का इतिहास	डॉ. धीरेन्द्र वर्मा	300.00/–
8	अवधी का विकास	डॉ. बाबूराम सक्सेना	125.00/–
9	हिन्दी आलोचना : अतीत और वर्तमान	डॉ. प्रभाकर माचवे	40.00/–
10	अवधी कोश	श्रीरामाज्ञा द्विवेदी समीर	300.00/–
11	अयोध्या का इतिहास	श्री अवधवासी लाला सीताराम	320.00/–
12	चिन्मय भारत	कुबेरनाथ राय	180.00/–
13	प्रयाग प्रदीप	श्री शालिग्राम श्रीवास्तव	300.00/–
14	अरब और भारत के सम्बन्ध	अनु0 बाबू रामचन्द्र वर्मा	350.00/–
15	नाथ सम्प्रदाय : विविध आयाम	सं. डॉ. उदय प्रताप सिंह	200.00/–
16	रामविलास शर्मा का प्रेम परिसर	प्रो. रामदेव शुक्ल	140.00/–
17	रामचन्द्र शुक्ल पूर्व हिन्दी आलोचना	मंगला प्रसाद सिंह	320.00/–
18	रामकथा और तुलसीदास	फादर डॉ. कामिल बुल्के	60.00/–
19	पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी	प्र. सं. डॉ. उदय प्रताप सिंह	260.00/–
20	पर्याय रत्नाकर	श्री कृष्ण देव मिश्र 'कृष्ण'	700.00/–
21	अवधी लोकगीत : एक अन्तर्यात्रा	कमल नयन पाण्डेय	160.00/–
22	हमारी संस्कृति और हम	सं. डॉ. उदय प्रताप सिंह	460.00/–
23	रक्षा अनुसंधान एवं विकास क्षेत्र में विज्ञान लेखन	डॉ. अर्चना पाण्डेय	260.00/–
24	भोजपुरी लोक कथा मंजूषा	भगवती प्रसाद द्विवेदी	310.00/–
25	भोजपुरी लोकोक्ति सागर	डॉ. अर्जुन तिवारी	280.00/–
26	संस्कृति और समाज	डॉ. उदय प्रताप सिंह	145.00/–
27	विमर्श के आयाम	डॉ. उदय प्रताप सिंह	180.00/–
28	कबीर साहब	ले. पं. मनोहर लाल जुत्शी अनु. डॉ. फाज़िल अहसन हाशमी	200.00/–

'हिन्दुस्तानी' त्रैमासिक

प्रति सामान्य अंक मूल्य रु0 50.00/–
प्रति विशेषांक मूल्य रु0 100.00/–
वार्षिक सदस्यता शुल्क रु0 200.00/–

महत्वपूर्ण विशेषांक – भोजपुरी, ब्रजभाषा, कुम्भ, डॉ. शिवप्रसाद सिंह, महात्मा गांधी पर केन्द्रित, लोकनायक श्रीराम विशेषांक (दो खण्डों में) इत्यादि

कृपया हिन्दुस्तानी एकेडेमी के अधिक से अधिक प्रकाशन क्रय करके राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रचार–प्रसार में अपना सहयोग प्रदान करें।

सम्पर्क सूत्र :– सचिव, हिन्दुस्तानी एकेडेमी,

12–डी, कमला नेहरू मार्ग, प्रयागराज–211001
दूरभाष नं0–0532–2407625
ई–मेल : hindustaniacademyup@gmail.com,
वेबसाइट : http://hindustaniacademy.com

उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्कीमें

उर्दू एक विषय के साथ पढ़ने वाले छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति, प्रदेश के रजिस्टर्ड सार्वजनिक पुस्तकालयों एवं वाचनालयों को वित्तीय सहायता, उर्दू साहित्यकारों को उनकी साहित्यिक सेवाओं एवं उर्दू पुस्तकों पर पुरस्कार, पाण्डुलिपियों प्रकाशन हेतु वित्तीय सहायता, उर्दू साहित्यकारों को मासिक वित्तीय सहायता, उर्दू किताबत स्कूल, उर्दू कोचिंग सेंटर, उर्दू कम्प्यूटर सेंटर, उर्दू की पुस्तकों के विक्रय हेतु सेल्स डिपो, त्रैमासिक ''अकादमी'' और मासिक ''खबरनामा'' का प्रकाशन, सेमिनार सिम्पोजियम और मुशायरों का आयोजन, अल्पसंख्यक छात्रों को सिविल सरविसेज की कोचिंग हेतु उर्दू आई.ए.एस. स्टडी सेंटर स्थित 'पारा' मोहान रोड, लखनऊ, बच्चों की पत्रिका ''बागीचा'' का प्रकाशन, उर्दू मास कम्यूनिकेशन एण्ड मीडिया सेंटर, स्थित विभूतिखण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

उ0प्र0 उर्दू अकादमी का प्रकाशन

क्र0	पुस्तक का नाम	साहित्यकार का नाम	मूल्य	क्र0	पुस्तक का नाम	साहित्यकार का नाम	मूल्य
1	सागर खइयामी	नाशिर नकवी	215/–	21	तकीदी नजरियात (दोम)	सै0 एहतेशाम हुसैन	52/–
2	मजहर इमाम	इमाम आजम	208/–	22	तौबातुन्नसूह	डिप्टी नज़ीर अहमद	92/–
3	इन्तिजार शिनासी	डॉ. असलम जमशेदपुरी	270/–	23	गाँधी जी और ज़बान का मसला	इशरत अली सिद्दीकी	107/–
4	पैगाम आफाकी	खान मो0 आशिफ	224/–	24	इबनुलवक़्त	डिप्टी नज़ीर अहमद	126/–
5	सालिक लखनवी	प्रो0 मुजफ्फर हनफी	216/–	25	बादशाह नसीरूद्दीन हैदर	मिर्ज़ा वजाहत हुसैन	42/–
6	मतीन तारिक बागपती	डॉ0 जकी तारिक	216/–	26	मकालात यौमे निगम	उ0प्र0 उर्दू अकादमी	5/–
7	प्रो. कमर रईस	प्रो0 तौकीर अहमदखां	245/–	27	नाटक सागर	नूर इलाही व मो0 उमर	163/–
8	डॉ. असद बदायूनी	हसीब सोज	245/–	28	नवआईन हिन्दी	सै0 सुलेमान हुसैन	12/–
9	हाफिज मेरठी	डॉ0 ताबिश मेहदी	245/–	29	हम कबीला	अली जवाद ज़ैदी	22/–
10	आबिद सुहैल	डॉ0 सबिहा अनवर	245/–	30	हिन्दुस्तानी तहज़ीब	इक़बाल हुसैन	30/–
11	जोगिन्दर पाल	डॉ0 असलम जमशेदपुरी	287/–	31	रिसाल–ए–ज़माना	खुर्शीद अफसर बिसवानी	22/–
12	तालीम निसवॉ	नसरीन अहमद	170/–	32	असमत शिनासी	डॉ0 असलम जमशेदपुरी	248/–
13	मैयारी नस्र व नज्म (अव्वल)	हामिद नदीम	73/–	33	अदब पारे नस्र	सै0 एहतेशाम हुसैन	45/–
14	रोशनी के दरीचे	सै0 एहतेशाम हुसैन	43/–	34	अदब पारे नज़्म	सै0 एहतेशाम हुसैन	45/–
15	मसनवी सहरूलबयान	मीर हसन	108/–	35	मुन्तखब ग़ज़लें	मंजलिसे मुशावरत	645/–
16	मसनवी गुलजारे नसीम	दयाशंकर नसीम	70/–	36	मुन्तखब नज़्में	मंजलिसे मुशावरत	60/–
17	ऐतबारे नजर	सै0 एहतेशाम हुसैन	105/–	37	मलिकज़ादा मंजूर अहमद	अनवर जलालपुरी	263/–
18	अनीसियात	सै0 मसूद हसन रिजवी	91/–	38	कलीम आजिज़	प्रो0 मनाज़िर आशिक हरगानवी	173/–
19	प्रेमचंद नये तनाजुर में	प्रो0 अली अहमद फातिमी	80/–	39	निदा फाज़ली नं0	प्रो0 अली अहमद फातिमी	278/–
20	तकीदी नज़रियात (अव्वल)	सै0 एहतेशाम हुसैन	58/–	40	सै0 हामिद	डॉ0 उबैद इक़बाल आसिम	140/–

अकादमी प्रकाशन के क्रय एवं अन्य जानकारी हेतु सम्पर्क करें।
एस0 रिज़वान, सचिव, उर्दू अकादमी, विभूतिखण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010
फोन व फैक्स नं0– 0522–2720683 व सेल्स डिपो मोबाईल –07081007078
E-mail:urduakademi@yahoo.in